प्रस्तर–54 दिनांक 31.03.15 को रू0 2669455.00 राजकीय अनुदान की धनराशि अप्रयुक्त अवशेष दर्शित की गयी है। गत वर्ष 31.03.14 को भी रू0 1154519.00 की विपुल धनराशि रोक रखी गयी थी। वस्तुतः नियमानुसार राजकीय अनुदान की धनराशियों का उपभोग उसी वित्तिय वर्ष में कर लिया जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में धनराशि संबंधित पक्षों/विभागों को वापस कर दिया जाना चाहिए। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से ऐसा कर पाना संभव न हो तो आगामी वित्तिय वर्ष में उपभोग हेतु महालेखाकार से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए । किन्तु ऐसा न कर मनमाने ढ़ंग से उपयोग करके गम्भीर अनियमितता की जा रही है। अनुदान की धनराशि रोककर जहॉ एक तरफ विकास कार्यो को बाधित कर स्थानिय लोगों को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित किया गया है, वही दूसरी तरफ श्रमिकों को रोजगार से वंचित किया गया है। उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से होता है ।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–55 नियमानुसार राज्य सरकार व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान को उसी वित्तिय वर्ष में ब्यय कर दिया जाना चाहिए, लेकिन पासबुक एवं ग्राण्ट रजिस्टर के अवलोकन से पता चलता है कि विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार अनुदान को अवरूद्ध किया गया है :––

क्रमांक	मद का नाम	धनराशि
1.	तृतीय राज्य वित्त	2571911.00
2.	तेरहवॉ वित्त	267.00
3.	कन्टीजेन्सी (इन्दिरा आवास)	89277.00
4.	नवयुवक मंगल दल	8000.00
	योग	**2669455.00**

आपत्ति संख्या– 11

प्रस्तर –56 आलोच्य वर्ष में 13 वां वित्त के अन्तर्गत रू0 1797721.00 एवं राज्य वित्त के अन्तर्गत रू0 2231234.00 सामग्री क्रय पर ब्यय किया गया है। इस प्रकार आलोच्य वर्ष के सामग्री पर कुल भुगतान रू0 1797721.00 + 2231234.00 योग रू0 4028955.00 पर वैट 4 प्रतिशत की दर से रू0 161158.00 की कटौती नहीं की गयी है। कटौती न कर, राजकीय धन को निर्धारित शीर्ष में जमा न कर रू0 161158.00 गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या– 12

प्रस्तर–57 दिनांक 31.03.15 को ग्राण्ट रजि0 व पासबुक में अन्तर रू0 95073.00 का रहा जबकि निम्न विवरणानुसार चेक कालातीत हो चुका है , जिसका भुगतान संभव नहीं है । अतः रू0 21750.00 ग्राण्ट रजि0 में ब्यय दर्शाकर अनियमितता की गयी है । जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं ।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है :––

क्रमांक	चेक संख्या	चेक निर्गत का दिनांक	धनराशि रू0 में
1	1523438	12.11.2007	2000.00
2	304342	12.11.2007	2000.00
3	896853	18.11.2009	2000.00
4	866854	18.11.2009	2000.00
5	007576	17.03.2011	4700.00
6	996033	12.10.2012	3050.00
7	866880	24.12.2014	2000.00
8	866882	24.12.2014	4000.00
	योग		**21750.00**

आपत्ति संख्या– 13

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत–सिकरारा 2015–16 से 2016–17

प्रस्तर–58मस्टर रोल की मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारियों को :–– वर्ष 2015–16 में रू0 585134.00 तथा वर्ष 2016–17 में रू0 433886.00 कुल योग रू0 1019020.00 की धनराशि का मस्टर रोल द्वारा मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया दर्शित है । निर्माण कार्य पत्रावली में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उस पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है । जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड कार्यलय से निर्गत नहीं है । उत्तरदायित्व संबंधित खण्ड विकास अधिकारी , अवर अभियंता , लेखाकार , कार्य प्रभारी एवं ब्लाक प्रमुख का समान रूप से है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।कार्यप्रभारीवार मस्टर रोल द्वारा मजदूरी का भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :–

(1) वर्ष – 2015–16 योजना – तृतीय राज्य वित्त :

क्रमांक	नाम कार्य प्रभारी	भुगतान की गयी धनराशि
1.	रमाशंकर यादव	143758.00
2.	विनय कुमार शुक्ला	96477.00
3.	मिथिलेश दूबे	16572.00
4.	प्रमोद कुमार	42576.00
	योग	**299383.00**

(2) वर्ष – 2015–16 योजना – तेंरहवॉ वित्त :

क्रमांक	नाम कार्य प्रभारी	भुगतान की गयी धनराशि
1.	रमाशंकर यादव	17898.00
2.	फूलचन्द पाल	14585.00
3.	मिथिलेश दूबे	57438.00
4.	विनय कुमार शुक्ला	195830.00
	योग	285751.00

वर्ष 2015–16 का कुल योग (1+2) – रू0 585134.00

(3) वर्ष – 2016–17 योजना – चतुर्थ राज्य वित्त :

क्रमांक	नाम कार्य प्रभारी	भुगतान की गयी धनराशि
1.	प्रमोद कुमार	433886.00
	योग	433886.00

वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 का कुल योग (1+2+3) – रू0 1019020.00

आपत्ति संख्या – 02

प्रस्तर –59 वर्ष 2015–16 में चेक फर्म के नाम निर्गत है किन्तु भुगतान अन्य को है :– निम्नलिखित विवरण के अनुसार चेक फर्म के नाम निर्गत है किन्तु बैंक खाता में केवल ट्रास्फर अंकित है । जिससे भुगतान की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा सकी।

क्रमांक	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत है	बैंक खाता के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम	
1.	21106186	18.04.2015	8291.00	खुशहाल सिंह ईंट भट्टा उद्योग	टी. आर	(ट्रास्फर)
2.	21106189	,,	15307.00	,,	,,	
3.	21106192	,,	8660.00	,,	,,	
4.	21106195	,,	11914.00	,,	,,	
5.	21106198	,,	8502.00	,,	,,	
6.	21115001	30.04.2015	23161.00	,,	,,	
7.	21115004	,,	5696.00	,,	,,	
8	2115013	,,	4878.00	,,	,,	
9.	2115015	,,	8202.00	,,	,,	
10.	2115018	,,	7572.00	,,	,,	
–	–	योग	102183.00	––	––	

उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 03

प्रस्तर –60 वर्ष 2015–16 में दिनांक 08.04.15 से दिनांक 21.09.15 तक तृतीय राज्य वित्त एवं तेंरहवॉ राज्य वित्त योजना हेतु निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त सामग्री आपूर्ति / क्रय में कुल सामग्री रू0 1084463.00 में से 4 प्रतिशत की दर से वैट / व्यापार कर की कटौती रू0 43380.00 फर्म खुशहाल सिंह ईंट भट्ठा उद्योग से नहीं की गयी है। अतः कुल सामग्री रू0 1084463.00 में से 4/ की दर से रू0 43380.00 कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षत है ।

आपत्ति संख्या – 04

दिनांक	धनराशि	हस्तानान्तरण शीर्षक का नाम
15.09.2015	158000.00	तेंरहवॉ वित्त में
04.03.2015	25701.00	,,
योग	183701.00	

प्रस्तर –61 वर्ष 2015–16 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनुदान रजि0 –2 में ब्याज को तेंरहवॉ वित्त में ट्रास्फर कर ब्याज की धनराशि को विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय कर दिया गया है

शासनादेश सं0 ए–1–122/10–2012–10 (33) / 2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होती है , तथा इसे राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए । अतः उक्त धन को ट्रांस्फर कर विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय अनियमित रहा। उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं

लेखाकार का संयुक्त रूप से है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 05

प्रस्तर –62 शासनदेश सं0 ए–1–122/10–2012–10 (33) / 2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार प्राप्त अनुदान को बैंक में बचत खाता खोल कर रखा जाना चाहिए । तथा उसपर प्राप्त ब्याज सरकार की आय होगी तथा उसे सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित विवरण के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को (वर्ष 2016–17 के अन्त में) व्याज रू0 117439.00 शेष था :–

1– क्षेत्र निधि पर ब्याज – 8869.00
2– चतुर्थ राज्य वित्त पर ब्याज – 82717.00
3– बी. आर. जी. एफ. पर ब्याज– 25853.00
योग – 117439.00

अतः इसे तुरन्त वापस कर दिया जाना चाहिए। उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 06

जनपद का नाम– जौनपुर मण्डल का नाम–वाराणसी
क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां
क्षेत्र पंचायत–जलालपुर 2016–17

प्रस्तर–63 यु. बी. आई. शाखा – जलालपुर में खाता संख्या 341702010022397 में दिनांक 09.04.2016 को प्राप्त ब्याज रू0 12803.00 दर्शित है। किन्तु अनुदान रजि0–3 में इस धनराशि को ब्याज शीर्षक में दर्शित न करके इसे चतुर्थ राज्य वित्त में अनुदान प्राप्त शीर्षक में दर्शित किया गया है । इस प्रकार दिनांक 31.03.2017 को अवशेष अनुदान रू0 1951990.00 के स्थान पर रू0 1964793.00 अंकित कर दिया गया है। इस प्रकार रू0 12803.00 से त्रुटिपुर्ण लेखा अंकित कर दिया गया है। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है जिसके लिए लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–2**

प्रस्तर–64 लेखा परीक्षा वर्ष में विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत अनुदान रजि0–2 में अंकित विवरण के अनुसार विभिन्न शीर्षों में अर्जित ब्याज का विवरण निम्नलिखित है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।:––

क्रमांक विवरण शीर्षक	प्राप्त ब्याज की धनराशि	बचत खाता संख्या	बैंक नाम एवं शाख का नाम
1.चतुर्थ राज्य वित	52833.00	341702010022397	यू. बी. आई.
2.तेंरहवॉ वित्त	1444.00	341702010075553	जलाल
3.क्षेत्र निधि	5357.00	341702010075257	पुर
4.इन्दिरा आवास (प्रशासनिक मद)	1777.00	34170201008273	,,
योग (वर्ष में कुल अर्जित ब्याज)		61411.00	,,
31.03.2017 तक कुल ब्याज		147273.00	,,

इस प्रकार संस्था द्वारा इस कमाये गये ब्याज रू0 61411.00 तथा दिनांक 31.03.2017 तक कमाये गये कुल ब्याज को शासनदेश सं0 ए–1–122/10–2012–10 (33)/ 2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार अनुदानदाता / राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिए था , लेकिन जमा न कर अनियमितता की गयी है । जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी है। **आपत्ति संख्या – 3**

प्रस्तर –65 उ0प्र0 सरकार वित्त एवं लेखा अनुभाग के शासनादेश सं0–ए–1–864/दस–08–15 1 /86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए सामग्री आपूर्ति की वित्तिीय सीमा रू0 20000.00 तक की सामग्री क्रय विना कोटेशन के तथा रू0 20000.00 से रू0 100000.00 तक की सामग्री क्रय कोटेशन द्वारा तथा रू0 100000.00 से अधिक की सामग्री के क्रय के लिए टेण्डर आमत्रित कर आपूर्ति की जानी चाहिए जो लोक निर्माण विभाग के लेखा नियमों के प्रस्तर 360 से 364 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए । वित्तिय वर्ष की समीक्षा में पाया गया कि रू0 1710824.00 की सामग्री बिना टेण्डर प्रक्रिया का पालन किए क्रय किया गया है । अतः रू0 1710824.00 की सामग्री का क्रय अनियमित रहा । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकासअधिकारी व लेखाकार उत्तरआयी हैं । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नलिखित है :–

योजना का नाम –– चतुर्थ राज्य वित्त

क्रमांक	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्त्ता / फर्म का नाम	धनराशि रू0
1.	11.04.16	मे. मृत्युन्जय विल्डिंग मैटेरियल्स	429175.00
2.	28.05.16	गुरू कृपा ईंट उद्योग	112384.00
3.	26.08016	मे. मृत्युन्जय विल्डिंग मैटेरियल्स	110973.00
4.	28.11.16	मे. मृत्युन्जय विल्डिंग मैटेरियल्स	146072.00
5.	14.12.16	गुरू कृपा ईंट उद्योग	166608.00

6.	14.12.16	गुरू कृपा ईंट उद्योग	305198.00
7.	21.12.16	गुरू कृपा ईंट उद्योग	124800.00
8.	21.12.16	गुरू कृपा ईंट उद्योग	199550.00
9.	25.12.16	गुरू कृपा ईंट उद्योग	116064.00
—	—	—— —	
		योग	**1710824.00**

आपत्ति सं0 –8

प्रस्तर –66 वर्ष में विभिन्न आपूर्तिकर्ता फर्म से उनके विल से आयकर रू0 3982.00 तथा वैट / व्यापार कर रू0 74718.00 की कटौती की गयी है। जिसे साल दौरान राजकीय कोष में निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं किया गया है । जो आपत्तिजनक है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या –**

प्रस्तर–67 वर्ष में विभिन्न फर्म / आपूर्तिकर्ताओं से रू0 32343.00 की आयकर की कटौती नहीं की गयी है । जो आपत्तिजनक है । अतः 2.24 / की दर से आयकर की कटौती कर राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्ति संबंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार हैं । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या – 10**

प्रस्तर –68 निम्नलिखित विवरण के अनुसार विभिन्न फर्म से सामग्री क्रय की गयी है । जिससे संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी । जिससे उसपर काटी गयी आयकर एवं व्यापार कर की जानकारी न हो सकी । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या – 11**

क्रमांक	सामग्री का कुल मूल्य	आयकर 2.24/	व्यापार कर 4/	शुद्ध भुगतान	चेक संख्या	दिनांक भुगतान	प्राप्तकर्त्ता फर्म का नाम
1.	–	–	–	72896.00	062252	11.04.16	गुरू कृपा ईंट उद्योग
2.	–	–	–	95187.00	062257	20.05.16	गुरू कृपा ईंट उद्योग
3.	–	–	–	36528.00	062259	20.05.16	गुरू कृपा ईंट उद्योग
4.	–	–	–	62517.00	065124	28.05.16	मे. मृत्युन्जय विल्डिंग मैटेरियल्स
5.	–	–	–	6085.00	065125	28.05.16	गुरू कृपा ईंट उद्योग
6.	–	–	–	25280.00	065136	26.08.16	मे. मृत्युन्जय विल्डिंग मैटेरियल्स
7.	–	–	–	4655.00	065137	26.08.16	गुरू कृपा ईंट उद्योग
8.	–	–	–	44160.00	070326	27.10.16	मे. मृत्युन्जय विल्डिंग मैटेरियल्स
	— ——	—	—	—	—	—	— —
			347308.00				

प्रस्तर –69 मस्टर रोल की मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारियों को :–– वर्ष 2016–17 में रू0 887492.00 की धनराशि का मस्टर रोल द्वारा मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया दर्शित है । निर्माण कार्य पत्रावली में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उस पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है । जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड कार्यलय से निर्गत नहीं है । कार्य प्रभारीवार भुगतान की धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :–

क्रम संख्या	कार्य प्रभारी का नाम	भुगतान की गयी धनराशि रू0
1	अमर बहादुर यादव	226065.00
2	दया शंकर पटेल	39320.00
3	राजेश कुमार श्रीवास्तव	24148.00
4	सुरेन्द्र नाथ सिंह	441797.00
5	श्रीमती विष्णु प्रिया सिंह	156252.00
	योग	**887492.00**

उपरोक्त अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या – 14**

प्रस्तर –70 चेक सं0 30557 दिनांक 21.10.2016 द्वारा रू0 90000.00 का भुगतान श्री उदय शंकर सिंह को ग्राम पंचायत , जिला पंचायत चार दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण हेतु भुगतान दर्शित है । जिस संबंध में आवश्यक अभिलेख , पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । इसप्रकार व्यय अपुष्ट रहा । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर मण्डल का नाम–वाराणसी

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत–धर्मापुर 2014–15

प्रस्तर –71 संस्था द्वारा बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार नही किया गया है। संस्था द्वारा बैंक पासबुक के अनुसार शेष रू0 900537.74 दिखाया गया है। अनुदान आय व्यय विवरण के अनुसार 31.03.2015 की अवशेष धन रू0 4640496.

99 है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाधान विवरण सही नही है। मात्र दो बैंक खातों का विवरण अंकित है। तद्नुसार अंन्तर 4640946.99–900537.74 रू0 3740409.25 का समाधान न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **सा0अ0सं0–**

प्रस्तर –72 शासनादेश संख्या ।.1.122ध्दस 2012–10(33)2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार राजकीय धन के सापेक्ष वित्त विभाग की अनुमति से बैंक में बचत खाते खोलकर राजकीय धनराशियां जमा की जानी चाहिए। तथा जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी। तथा इसे राजकोष में जमा कर दिया जायेगा। इस दृष्टि से लेखा परीक्षा में समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया की संस्था द्वारा बिना वित्त विभाग की अनुमति से बैंक खातें खोल रखे गये है। तथा अर्जित ब्याज की धनराशि रू0 106271.00 को राजकोष में जमा न कर दिनांक 31.03.2015 को शेष दर्शित किया गया है। निर्देशानुसार ब्याज की धनराशि कोषागार में जमा न कर दिनांक 31.03.2015 को शेष दर्शित किया गया है। निर्देशानुसार ब्याज की धनराशि कोषागार में न जमा कर रू0 106271.00 से राजकीय धन का दुरूपयोग किया जा रहा है। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **सा0अ0सं0**

प्रस्तर –73 आयकर अधिनियम 1961 यथा संसोधित की धारा 194(ब) के अनुसार कराये जाने वाले निर्माण कार्यो एवं सामाग्री बिलों पर भुगतान के सापेक्ष स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जाना चाहिए। क्षेत्र पंचायत धर्मापुर जनपद जौनपुर की वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया की वर्ष में निर्माण कार्य के सापेक्ष वर्ष आलोच्य में आयकर के रूप में रू0 404882.00 से आय दर्शित कर उसे नियत शीर्ष में जमा न कर दिनांक 31.03.2015 को देय दर्शित किया गया है। लेखा परीक्षा में जांच विवरण प्रस्तुत नहीं की गयी। वर्ष आलोच्य में आयकर के रूप में काटी गयी धनराशि रू0 404882.00 को नियत शीर्ष में जमा न कर रोककर राजकीय राजस्व का दुरूपयोग किया जा रहा है। दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **सा0अ0सं0**

प्रस्तर –74 वर्ष आलोच्य में अनुदान पंजी पर अंकित निम्नांकित विवरण के अनुसार अनुदान की धनराशि रू0 2906620.00 निर्माण कार्यो पर व्यय दर्शित की गयी है।

1–राज्य वित्त–1594802.00
2– तेरहवां वित्त–1311818.00
योग– 2906620.00

उक्त व्यय दर्शित धनराशि रू0 2906620.00 से सम्बन्धित योजनावार/परियोजनावार समस्त पत्रावलीया लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नही की जा सकी। कि क्षेत्र पंचायत को वर्ष आलोच्य में कौन सी परियाजनाये आवंटित की गयी थी। तथा उसकी अनुमानित लागत कोटेशन विशिष्ट कोड़ नम्बर क्या था। उनकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति की स्थिति क्या थी। कार्यप्रभारी की नियुक्ति सामाग्री क्रय कोटेशन टेण्डर क्रय आदेश कार्य, प्रारम्भ करने एवं समाप्त करने की तिथि प्रदत्त समय सम्बन्धित समिति की स्वीकृति संस्तुति बिल बाउचर राजकीय राजस्व की कटौती जमा एवं शेष एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परियोजना का विवरण सम्पत्ति पंजी पर अंकन एवं रायल्टी जमा की स्थिति का ज्ञान न हो सका। इस प्रकार खनन एवं प्रमाणकों के अभाव में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति संदिग्ध रही तो निर्माण कार्य भी स्वमेव संदिग्ध हो जाता है। निर्माण कार्यो पर दर्शित व्यय की धनराशि रू0 2906620.00 का सदुपयोग एवं परिसम्पत्तियों का सृजन अपुष्टित रहा। दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत–खुटहन 2015–16 से 2016–17

प्रस्तर–75 नियमानुसार सामग्री क्रय पर 4 प्रतिशत वैट एवं 2.246 प्रतिशत की टी0डी0एस0 कटौती किया जाना अनिवार्य है। लेकिन आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि निम्नलिखित क्रय सामग्री पर वैट एवं टी0डी0एस0 नही काटा गया है। इसका विवरण निम्नलिखित हैं–

क्र0सं0	कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष	सामग्री व्यय	वैट कटौती (4%)	टी0डी0एस0कटौती (2.2.2.246:)
1	ग्राम लवायन में मेन रोड़ से प्रमोद यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	2015–16	399935	15997	8982
2	ग्राम पंचायत शेरपुर में खुटहन पटैला पिचरोड़ से मेन बहादुर यादव भट्ठा तक मिट्टी/खडन्जा कार्य।	2015–16	24054	9621	5402
3	कोतवलिया में मदरसा से अब्दुल वहीद के घर तक पक्की नाली निर्माण	2015–16	208150	8326	4675
4	ग्राम पंचायत पटैला में विनोद सेठ की				

दुकान से नाला तक पक्की नाली निर्माण कार्य।	2015–16	326044	13042	7323
5 गोवराहं में अच्छे लाल यादव के चक से पिच रोड़ तक मिट्टी एवं खण्डजा कार्य।	2016–17	94250	3770	2117
6 पिलकिछा में कैलास उपाध्याय के चक से जगदम्बा के चक तक मिट्टी एवं खण्डजा कार्य।	2016–17	97500	3900	2190
7 सोईया में हरिशचन्द्र यादव के घर से मेन खडन्जा तक मिट्टी एवं खडन्जा कार्य।	2016–17	84500	3380	1898
8 खुटहन में अयोध्या यादव के घर से राधे गुप्ता के घर तक पाइप नाली का निर्माण कार्य।	2016–17	126050	5042	2831
योग	**1576969**	**63078**	**35420**	

इस प्रकार कुल सामग्री क्रय रू0 1576969 पर बैट रूपया 63078 एवं टी0टी0एस0 रू0 35420.00 कुल रू0 98498.00 की कटौती क्षेत्र पंचायत द्वारा नही की गयी है। जो गम्भीर अनियमितता है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकस अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –76 दिनांक 31.03.2017 को रू0 6322603.55 राजकीय अनुदान खाते में अवरूद्ध रहा। वस्तुतः नियमानुसार राजकीय अनुदान की धनराशियों का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाना चाहिए । अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशियों को सम्बन्धित संस्थाओं या विभागों को वापस कर दिया जाना चाहिए। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा कर पाना सम्भव न हो पाया है तो आगामी वित्तीय वर्ष में धन के पुनः उपभोग हेतु महालेखाकार से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए अनुदान की धनराशि रोककर जहां एक तरफ विकास कार्यों को वाधित कर स्थानीय लोगों को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित किया गया है। वही दुसरी तरफ श्रमिकों को प्राप्त रोजगार से भी वंछित किया गया है। वही दूसरी तरफ श्रमिकों को प्राप्त रोजगार से भी वंचित किया गया है। इस प्रकार 31.03.2017 को खाते में अवरूद्ध धनराशि 6322605.55 के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –77 वर्ष 2015–16 व 2016–17 के राज्य वित्त/तेरवें वित्त व मनरेंगा प्रशासनिक मद में कुल रू0 254719.00 की ब्याज क्रेडिट हुआ ब्याज सरकार को वापस न कर गम्भीर अनियमितता रही। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्त्रदायी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –78 आलोच्य वर्ष 2016–17 में 31.03.2017 को निम्नलिखित धनराशियों विगत वर्षो से क्षेत्र/ खाते में अवरूद्ध है। जिसे सम्बन्धित विभागों को वापस किया जाना अपेक्षित हैं।

क्र0सं0	**मद का नाम**	**धनराशि**
1	बायोगैस	4776
2	निर्धन चूल्हा	1730
3	ग्राम सभाओं को सक्रिय बनाने हेतु धनराशि	11018.75
4	त्रिस्तरीय पंचायत की जमानत धनरशि	250
5	ऐ0डी0ओ0आई0एस0बी0 से वसूली धनराशि	4464
6	सम्पूर्ण स्वछता की धनराशि	33
7	रा0ग्रा0 सेवा योजना की धनराशि	101
8	प्रशा0मद की धनराशि	514
9	खद्यान ढुलाई	113588.5
		136475.25

इस प्रकार रू0 136475.25 अनुदान योजनओं के धन अवरूद्ध कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –79 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि सत्रं 2015–16 में 424473.00 व्यय क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया है। लेकिन कोई भी प्रमाणक पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार प्रमाणक प्रस्तुत न होने से भुगतान अपुष्टित रहा। जिसके लिए तत्तकालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तदायी हैं क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–80 ग्राण्ट रजिस्टर के आधार पर राज्यवित्त/तेरहवें वित्त मे किये गये व्यय का चेक कार्य प्रभारियों को दिया गया है। लेकिन आलोच्य वर्ष में श्रमिक चिट्ठा (मस्टररोल) अपूर्ण रहा। या कुछ कार्यो में मस्टररोल का अभाव रहा।

क्र0सं0	**कार्य का नाम**	**वित्तीय वर्ष**	**श्रमांश व्यय**	**विवरण**
1	ग्राम लवायन में मेन रोड़ से प्रमोद यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	2015–16	50876	मस्टररोल पर हस्ताक्षर भुगतान दिनांक आदि

का अभाव			
2 ग्राम पंचायत शेरपुर में खुटहन पटैला पिचरोड़ से मेन बहादुर यादव भट्ठा तक मिट्टी/खडन्जा कार्य।	2015–16	29785	मस्टरोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर का अभाव
3 कोतवलिया में मदरसा से अब्दुल शहीद के घर तक पक्की नाली निर्माण	2015–16	27265	
4 ग्राम पंचायत पटैला में विनोद सेठ की दुकान से नाला तक पक्की नाली निर्माण कार्य।	2015–16	70165	
5 गोवराहं में अच्छे लाल यादव के चक से पिच रोड़ तक मिट्टी एवं खण्डजा कार्य।	2016–17	59682	
6 पिलकिछा में कैलास उपाध्याय के चक से जगदम्बा के चक तक मिट्टी एवं खण्डजा कार्य।	2016–17	18270	
7 सोईया में हरिचन्द्र यादव के घर से मेन खडन्जा तक मिट्टी एवं खडन्जा कार्य।	2016–17	24802	
8 खुटहन में अयोध्या यादव के घर से राधे गुप्ता के घर तक पाइप नाली का निर्माण कार्य।	2016–17	17520	
	योग	298445	

इस प्रकार श्रमांश भुगतान रू0 298445.00 संदिग्ध रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –81 आलोच्य वर्ष 2015–16 व 2016–17 में विधायक निधि मद में रू 5217380,00 व्यय तो किया गया है लेकिन विधायक निधि से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया ।जिसके लिए खण्ड विकाय अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –82 आलोच्य वर्ष 2015–16 व 2016–17 के राज वित्त /तेरहवां वित्त खातें के अवलोकनार्थ पता चला की विभिन्न तिथियों में क्रमशः 433 की बैंक कटौती हुई जिसकी प्रविष्टि सम्बन्धित पंजिकाओं में न किया जाना गम्भीर अनियमितता रही। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –83 राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त के एकाउन्ट नम्बर 5953 में 31.03.2017 रू0 4612355.00 अंकित है। जबकि ग्राण्ट रजि0–3 में रूपया 4605681.00 दिखाया जा रहा है। इस प्रकार अन्तर रू0 6574.00 है। जिसका कारण अज्ञात रहा। यह गम्भीर अनियमितता का विषय है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं ज्येष्ठ लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर मण्डल का नाम–वाराणसी

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

1. क्षेत्र पंचायत– मछलीशहर 2012–13 से 2016–17

प्रस्तर –84 लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक निम्नलिखित मदों से ब्याज की धनराशि आहरण के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया–

क्र0सं0	मद का नाम	वर्ष	आहरित धनराशि
1	तृतीय/चतुर्थ रा0वि0/तेरहवें/चौदवां वित्त	2012–13	126446
		2013–14	43055
		2014–15	108954
		2015–16	71109
2	क्षेत्र निधि (ब्याज मद)	2013–14	9865
3	इन्दिरा अवास प्रशसनिक मद (ब्याज मद)	2015–16	8755
4	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान (ब्याज मद)	2016–17	229
		योग	368413

क–आलोच्य वर्षा मे विभिन्न मदों से ब्याज की धनराशि किस उद्देश्य से आहरित की गयी की पुष्टी लेखा परीक्षा में नही कराया गया।

ख–उक्त समस्त आहरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग–ब्याज मद की धनराशि किस शासनादेश/आदेश से आहरित गयी की पुष्टि लेखा परीक्षा में नही कराया गया।
घ– उक्त आहरित धन का भुगतान किस फर्म एवं किस मद मे किया गया की पुष्टि लेखा परीक्षा में नही कराया गया।
ङ– सभी मदों से प्राप्त ब्याज मद के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या ए–1–122/दस–2012–10(33)2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि शासनादेश द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैक में रख कर ब्याज अर्जित किया गया है। तो अर्जित ब्याज सस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाय परन्तु संस्था (क्षेत्र पंचायत मछलीशहर) द्वारा उक्त धनराशि राजकोष में जमा न कराकर अनाधिकृत एवं अव्यवहारिक तथा सुनियोजित तरीके से आहरण कर एवं आहरण के सापेक्ष कोई पुष्टि प्रमाणक प्रस्तुत न कर रू0 368184.00 का सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी गण एवं लेखाकार द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर –85 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित मदों में ब्याज की धनराशि 31.03.2017 तक खाता में अवशेष रहा।

क्र0सं0	मद संख्या	खाते का अवशेष धनराशि
1	चतुर्थ राज्य वित्त (ब्याज मद)	128956
2	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद (ब्याज मद)	1224
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (ब्याज मद)	12704
	योग	142884

आलोच्य वर्ष में तालिका में दर्शित ब्याज की धनराशि दिनांक 31.03.2017 तक राजकोष में जमा नही कराया गया। जबकि शासनादेश संख्या ए–1–122/दस–2012–10(33)2010 के अनुसार ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि को तत्काल प्रभाव से राजकोष में जमा करा दिया जाय, परन्तु संस्था (क्षेत्र पंचायत मछलीशहर) द्वारा उक्त धनराशि को अनियमित एवं अनैतिक तरीके से रोककर रखा गया है। जिससे 31.03.2017 को उक्त धनराशि अवशेष रहा। अतः दिनांक 31.03.2017तक रू0 142884.00 राजकोष में जमा न कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार द्वारा गम्भीर अनियमितता किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –86 लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में तृतीय राज्य वित्त पर आयकर कटौती 71645.00 किया गया जबकि 31.03.2014 को रू0 70290.00 आयकर राजकोष एलकेएनवीओ 6073 ई में जमा किया गया।
कार्य का नाम – खरूबाबा बाजार से नहर होते हुए कुंवरपुर सरहद तक हेतु में प्रकाश ईंट उद्योग को भुगतान के सापेक्ष रू0 1355.00 आयकर की कटौती की गयी । परन्तु उक्त धनराशि को राजकोष में जमा न कराकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –87 लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में तेरहवें वित्त में जुलाई 2013 तक तथा तृतीय राज्य वित्त में जून 2013 तक वैट एवं इनकम टैक्स तथा वर्ष 2013–14 में तेरहवां वित्त में अगस्त 2013 से दिसम्बर 2013 तक व राज्य वित्त में जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013 तक वैट की कटौती नही की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	**वर्ष**	**मद का नाम**	**सामग्री पर कुल व्यय (वर्ष में)**	**सामग्री पर कुल व्यय के सापेक्ष** इनकम टैक्स (2.24%)	सेल्स टैक्स वैट (4%)	**कटौती (हां/नही)**
1	2012–13	तेरहवां वित्त मद	1893217	42408	75728	नही
	2012–13	तृतीय राज्य वित्त	3179980	71231	127199	नही
		योग–		113639	202927	
2	2013–14	तेरहवां वित्त मद (जुलाई 2013 तक)	395041	8848	15801	नही
	2013–14	तृतीय राज्य वित्त (जुलाई 2013 तक)	1042009	23341	41680	नही
		योग–		32189	57481	
3	2013–14	तेरहवां वित्त मद (अगस्त दिसम्बर 2013)	1163628			
		कटौती की गयी			46545	नही
	2014–15	राज्य वित्त (जुलाई 2013 दिसम्बर)	1521592			
		कटौती की गयी			60863	नही
		योग–		0	107408	
		महायोग		**145828**	**367816**	

उक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में सामग्री पर कुल व्यय के सापेक्ष आयकर के रूप में रू0 145828.00 (लगभग) तथा वैट कर के रूप में रू0 367816.00 लगभग की कटौती किया जाना चाहिए था परन्तु लेखाकार द्वारा सामाग्रियों के सापेक्ष आयकर एवं वैट कर की कटौती नही की गयी। उक्त के कम में ग्राण्ट रजि0–2 एवं प्राप्त प्रमाणक के अनुसार दिनांक 22.07.2013 को तेरहवां वित्त की वर्ष 2012–13 में 2013–14 की आयकर की धनराशि रू0 63943 खाता एलकेएनवीओ 6073 ई में चालान द्वारा जमा कराया गया है। प्रश्न यह है कि आयकर की कटौती 2012–13 एवं 13–14 (जून जुलाई 2013 तक) नही किया गया तो किस हिसाब से उक्त धनराशि जमा किया गया। अतः वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 जून जुलाई 2013 तक हेतु क्रय सामाग्री के सापेक्ष निर्धारित (कटौती किये जाने योग्य) धनराशि रू0 145828.00 से जमा की गयी। धनराशि 108171.00 घटाये जाने पर रू0 37657.00 आयकर

के रूप में तथा रू0 367816.00 वैट कुल 405473.00 वैट की कटौती न कर एवं राजकोष में जमा न कराकर राजकीय राज्स्व की क्षति पहुचाई गई है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखााकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –88 आलोच्य वर्ष में आयकर मद में दिनांक 31.03.2017 तक ग्राण्ट रजि0–3 व 2 के अनुसार कुल रू0 15716.00 अवशेष तथ विक्री कर मद में वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की कुल बिक्री कर कटौती रू0 343854.00 ग्राण्ट रजि0–2 व 3 के अनुसार 31.03.2017 तक अवशेष रहा, जिसे सम्बन्धित हेड में जमा कराया जाना चाहिए था। परन्तु उत्तरदायी व्यक्तियों–तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार द्वारा अनैतिक एवं अनियमित ढ़ंग से उक्त धनराशि को न केवल रोकर रखा गया है, वरन् वर्षान्त में प्राप्त होने वाले राजकीय राजस्व से वंचित किया गया। अतः उक्त धनराशि को ससमय राजकोष में जमा न कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों द्वार गम्भीर अनियमितता किया गया है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–89 लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 से ग्रांण्ट रजि–3 के अनुसार रू0 74500.00 जमानत की धनराशि के रूप में प्राप्त हुआ ग्राण्ट रजि0–2 के अनुसार 20.02.2013 को रू0 30000.00 दिनांक 06.05.2013 को रू0 15000.00 एवं दिनांक 03.10.2013 को रू0 20000.00 प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य को जामानत की धनराशि भुगतान हेतु श्री सुर्यवंश सिंह ए0डी0ओ0 (पंचायत) के नामे आहरित है। ग्राण्ट रजि0–2 के अनुसार दिनांक अज्ञात पासब्रक के अनुसार दिनांक 04.03.2015 को रू0 9500.00 (किस उद्देश्य से अज्ञात) विरेन्द्र कुमार सिंह (सहायक लेखाकार) के नामे आहरित रहा। उक्त आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/ जमानत की धनराशि विवरण रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। साथ ही गैर निर्वाचित सदस्यों /प्रधानों का प्राप्त मत/ प्रतिशत एवं जमानत वापसी का आदेश भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । जिसमें उक्त आहरित धनराशि के वापसी की पुष्टि नही होती। अतः उक्त आहरित धनराशि 74500.00 को सुनियोजित तरीके से अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार/सहायक लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर–90 लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में एरियर वेतन मद से 219 रू0 आहरण कर उक्त मद का बैलेन्स शून्य कर दिया गया । एरियर वेतन के रूप में 219.00 रू0 आहरण कर किसे दिया गया की पुष्टि लेखा परीक्षा में नही कराया गया। अतः एरियर वेतन का भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत न कर उत्तदायी व्यक्तियों सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा अपहरण कर लिया गया है। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर –91 आलोच्य वर्ष में इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद से वर्ष 2014–15 में 76770.00 रू0 2015–16 में रू0 352762.00 व 2016–17 रू0 71851.00 कुल 501383.00 रू0 आहरण रहा। उक्त मद में आहरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नही होती अतः स्पष्ट हैं की धनराशि सुनियोजित तरीके से आहरण कर तथा आहरण के सापेक्ष पुष्टि प्रमाणक प्रस्तुत न कर उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा रू0 501383.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर –92लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में ग्राण्ट रजि0–3 के अनुसार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से वर्ष 2015–16 में रू0 428914.00 एवं वर्ष 2016–17 में रू0 443755.00 आहरण रहा। ग्राण्ट रजि0–2 के अनुसार अलापुर गोधना में अलापुर हवेली पिच रोड़ से विपुल सिंह के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य कराया गया। दर्शित रहा। उक्त कार्य एवं आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। तथा पासबुक के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त कार्य हेतु टेण्डर प्रक्रिया का (विज्ञापन हेतु) कोई भुगतान नही किया गया । सामग्री क्रय हेतु फर्म के नामे भुगतान नही किया गया। (सभी भुगतान डेबिट थ्रूआउट चेक क्लीयरिंग चेक या व्यक्ति विशेष के नामें आहरण रहा।) आलोच्य वर्ष में उक्त मद में रू0 13038.00 ब्याज के रूप में प्राप्त किया गया। जिसे ग्राण्ट –2 में नही लिया गया। महत्वपूर्ण तथ्या यह हैं कि ग्राण्ट–2 के अनुसार सामग्री हेतु समस्त भुगतान मे0एस0एफ0 ब्रिक्स फिल्ड एवं मे0 यादव बिल्डिग मैटेरियल जमुहर बाजार को दर्शाया गया है। जबकि भुगतान फर्म के नामे नही है, सामाग्री भुगतान के सापेक्ष रू0 13585.00 आयकर कटौती रू0 24262.00 वैट कटौती दर्शाया गया है। जिसे राजकोष में जमा कराये जाने का विवरण अज्ञात रहा। साथ ही सामागी हेतु रू0 172856.00 के भुगतान पर न तो आयकर और न ही वैट कटौती की गयी । अतः उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान मद में ग्राण्ट दो में दर्शित कार्य उक्त आपत्ति एवं प्रमाणकों के अभाव में पूर्णतः काल्पनिक प्रतीत होता है। जिससे स्पष्ट है कि रू0 872669.00 सुनियोजित तरीके से आहरण कर अपहरित कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्त्रदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –93 लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 में ग्राण्ट रजि0 के अनुसार दिनांक 11.04.2012 को रू00285764.00 जिला पंचायत राज अधिकारी के पत्रांक 21 दिनांक 04.04.2012 प्राप्त होने के बाद सचिवालय द्वारा इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर से राज्य वित्त मद से तेरहवें वित्त मद में स्थानान्तरित तथा दिनांक 21.04.2012 को रू0 855156.00 राज्य वित्त से तेरहवें वित्त में ट्रांसफर व वर्ष 2013–14 में दिनांक 11–12–2013 को तेरहवें वित्त की धनराशि को रू0 500000.00 खण्ड विकास अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त राज्य वित्त में अन्तरित किया गया। तदोपन्रात दिनांक 18.01.2014 को तेरहवें वित्त में वापस दर्शित रहा। उक्त स्थानान्तरित धनराशि के सापेक्ष पत्रांक एवं आदेश की प्रति लेखा परीक्षा में नही दिखाया गया। अतः स्पष्ट है कि पुष्टि प्रमाणक के अभाव में उक्त धनराशि राज्य वित्त से तेरहवें वित्त में

स्थानान्तरित किया गया हैं। जो गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –94 लेखा परीक्षा वर्ष– 2012–13 से 2016–17 तक ग्राण्ट रजि0 के अनुसार तैयार प्रारूप–3 (वार्षिक आकड़े) में योजनावार सभी मदों का अन्तरिम अवशेष निम्नवत् रहा।

वर्ष–	वर्षान्त अवशेष की धनराशि
2012–13	198345.61
2013–14	3053992.61
2014–15	3008951.61
2015–16	2693746.61
2016–17	5338209.61
योग–	**14293246.05**

उक्त सं सम्बन्धित अपत्ति यह है कि शासन द्वारा अवमुक्त सभी मदों की धनराशि प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक / वर्ष तक दौरान उपभोग कर लिया जाना चाहिए था। अथवा उक्त अवशेष धनराशि शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए था। किन्ही परिस्थितियों में अवशेष बची धनराशि (ऐ0जी0) महालेखाकार के अनुमति के बिना आगामी वित्तीय वर्ष में उपभोग नही किया जाना चाहिए था। यदि ऐसा सम्भव नही रहा तो उपभोग नही की गयी शेष धनराशि को सम्बन्धित पक्ष को वापस कर दिया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा न कर अनियमितता व अनैतिक तथा अनाधिकृत रूप से अवशेष धनराशि को रोककर इसका न केवल दुरूपयोग किया जा रहा है। बल्कि नियमानुसार विकास कार्यो को बाधित एवं श्रमिकों को रोजगार से वंचित भी किया जा रहा है। जो शासन की मनसा के विपरीत है। इस अनिमितता हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारीगण एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

प्रस्तर –95 लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13,2013–14,2014–15, (03 जुलाई 2014 तक) में तृतीय राज्य वित्त तेरहवां वित्त से रू0 100000.00 (रू0 एक लाखा) से उपर कय समस्त सामग्री हेतु क्षेत्र पंचायत मछलीशहर द्वारा किसी भी प्रकार की टेण्डर प्रकिया नही अपनाया गया है। जबकि शासनादेश सख्या–ए0–1–864(1)/दस 2008–15(1)86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रू0 100000.00 से ऊपर की सामग्री कय हेतु टेण्डर की प्रकिया अपनाया जाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13,2013–14,2014–15 (03.07.2014 तक) मे रू0 100000.00 से ऊपर कय की गयी सामग्री जिसके सापेक्ष टेण्डर प्रकिया नही अपनाया गया का विवरण निम्नवत् है–

क0सं0	दिनांक	फर्म का नाम	कार्य का नाम	भुगतान की गई धनराशि	पसबुक के अनुसार भुगतान का विवरण
वर्ष 2012–13 (तृतीय राज्य वित्त)					
1	20.04.2012	मे0महराजजी ईट भट्ठा	कुंवरपुर में हवलदार सिंह के मकान से दुर्गा माता मन्दिर तक खडन्जा निर्माण	127631	टी0आर0एफ0
2	03.07.2012	मे0 शिवम ईट उद्योग	भटेवरा पिच रोड़ से वामी बाडर तक	151520	टी0आर0एफ0
3	17.07.2012	मे0 कुमार ईट उद्योग	जहांशाहपुर (कोढ़ा) से घिसुआखुर्द तक	198500	टी0आर0
4	31.07.2012	मे0 प्रकश ईट उद्योग	जहांशाहपुर (कोढ़ा) से घिसुआखुर्द तक	181472	कुमार ई0उद्योग
5	01.08.2012	मे0 नईम ईट भटठा	मेदपुर बनकट रेलवे लाइन तक जरौना तक	215400	टी0आर0
6	18.08.2012	मे0 महराज जी ईट भट्ठा	मुजार में जू0ह0 स्कूल से अहमद खां के मकान तक	159200	महराज जी ईट भट्ठा
7	06.10.2012	मे0 विरेन्द्र बहादुर ईट उद्योग	गंगापुर कुंवरपुर रामयश यादव के घर से पाल बस्ती तक	188779	प्रकाश ईट भट्ठा
8	06.10.2012	मे0 रामहरख ईट भट्ठा	बटनहित में नखतपुर से नहर की पटरी तक	214192	टी0आर0एफ0
9	15.10.2012	मे0 शिवम ईट भट्ठा	भटेवरा पिचरोड़ से बामी बार्डर तक	171412	टी0आर0एफ0
10	06.02.2013	मे0 विरेन्द्र बहादुर ईट उद्योग	बनगांव में इन्द्र देव के घर से करौदा बार्डर तक	174088	टी0आर0एफ0
11	08.02.2013	मे0 प्रकाश ईट भट्ठा	रामपुर कला में अखण्ड सिंह के घर होते हुए माना खाई तक	230638	टी0आर0एफ0

12	14.02.2013	मे0 प्रकाश ईट भट्ठा	रामगढ़ में बरसठी बधवां पिच रोड से माडल तालाब होते हुए चौथी यादव के घर तक	213136	टी0आर0एफ0
13	21.03.2013	मे0 महराजजी ईट भट्ठा	कुंवर पुर में ठाकुर भुंज, मुस्लिम बस्ती मे खडन्जा	275293	महराजा जी ईट भट्ठा
		मे0	**योग–**	**2501261**	

			वर्ष 2012–13 (तेरहवें वित्त)		
1 2	27.07.2012	मे0 कृष्ण ईट उद्योग	रज्जूपुर वामनपुर से विजय राज यादव के घर तक नाली निर्माण	170950	कृष्णा ईट उद्योग
	10.01.2012	में0 कुमार ईट उद्योग	ग्रा0खजुरहट से जौनपुर इला, राजमार्ग से रामपुर बार्डर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	137646	टी0आर0एफ0
3	22.12.2012	मे0 प्रकाश ईट भट्ठा	करौंदा में गुप्ता बस्ती से मेन नाला तक पक्की नाली	107133	टी0आर0एफ0
			योग–	**415729**	
	वर्ष 2012–13 में रा0वि0/13वें वित्त का महायोग–			**2916990**	
		वर्ष 2013–14 (राज्य वित्त)			
1	16.04.2013	मे0 रामहरख ईट भट्ठा	बटनहित में नखतपुर नहर की पटरी हेते हुए पटेल बस्ती तक खडन्जा कार्य	133955	टी0आर0एफ0
2	02.05.2013	मे0ऊ0 साई ईट उद्योग	बरईपार सुजानगंज पिच रोड़ से कटका बार्डर तक खडन्जा कार्य	355024	टी0आर0एफ0
3	02.05.2013	मे0जटाशंकर ईट उद्योग	ग्रा0पं0 अलापुर गोधना में हवेली माइनर की पटरी से बिन्द बस्ती होते हुए ग्रा0पं0 चौकी कला तक मिट्टी/खडन्जा	249289	टी0आर0एफ0
4	04.05.2013	मे0 बिरेन्द्रबहादुर ईट भट्ठा	छदान में बबऊ पाण्डेय के घर से सहतू प्रजापित के घर तक	158746	टी0आर0एफ0
5	30.07.2013	मे0रामयश मौर्य ईट भट्ठा	टिकरा में किसान उ0मा0वि0 से पक्की सड़क तक मट्टी/खडन्जा	229345	टी0आर0
6	31.07.2013	मे0प्रकाश ईट उद्योग	कुँवरपुर में रामयश यादव के घर से पाल बस्ती होते हुए कुड़रिया बार्डर तक खडन्जा कार्य	120808	प्रकाश ईट भट्ठा
7	28.08.2013	मे0 रामयश मोर्य ईट भट्ठा	ग्रा0पं0 टिकरा में किसान उ0मा0वि0 से पक्की सड़क तक खडन्जा	249288	टी0आर0एफ0
8	11.09.2013	मे0 रामयश मोर्य ईट भट्ठा	ग्रा0पं0 टिकरा में किसान उ0मा0वि0 से पक्की सड़क तक खडन्जा	269280	टी0आर0एफ0
9	11.09.2013	मे0 एस.एफ. ब्रिक्स फील्ड	बंधवा कुँवरपुर पक्की सड़क से स्व0 राजबहादुर सिंह इ0का0 तक खडन्जा	132522	टी0आर0

			कार्य		
10	10.10.2013	मे0महाराज जी0 ईट भट्ठा	वमी में जितेन्द्र सिंह के घर से करौरा बार्डर तक सम्पर्क मार्ग पर खडन्जा कार्य	300219	टी0आर0
11	23.01.2014	मे0पवन ईट उद्योग	बरईपार कन्धी रोड़ से पाल बस्ती तक खडन्जा कार्य	467320	टी0आर0
12	28.01.2014	मे0एस0एस0एण्ड कं0	ग्रा0पं0 करोरा के राजस्व ग्रा0पं0 खरैया मऊ में पिच रोड़ से रामपुर सरहद तक खड़न्जा निर्माण	237325	टी0आर0
13	01.02.2014	मे0स्वास्तिक ईंट उद्योग	भटहर में पिच रोड़ से ब्राहम्ण बस्ती तक खडन्जा निर्माण	267862	टी0आर0
14	12.02.2014	मे0स्वास्तिक ईंट उद्योग	पुरा फगुई में रामराज पटेल के घर से डेल्हुपुर पटेल बस्ती तक मिट्टी/खडन्जा	369876	टी0आर0
15	12.02.2014	मे0प्रिसं इण्टरप्राईजेज	वि0ख0 परिसर के सभागार में टाइल्स लगवाई	169189	टी0आर0
16	28.02.2014	मे0 एस.एफ. ब्रिक्स फील्ड	रामपुर चौथार में रे0ल0 से हरि0 बस्ती तक खडन्जा निर्माण	136539	टी0आर0
			योग–	**3846587**	
	वर्ष 2013–14 (तेहरवां वित्त)				
1	21.05.2013	मे0 एस.एफ. ब्रिक्स फील्ड	ग्रा0पं0 ताजुददीनुपर में मछलीशहर जंघई पिच रोड़ से ग्राम ख्वाजापुर तक	**128319**	टी0आर0
2	11.06.2013	मे0 शिवम ईट उद्योग	भिदुना ब्राहम्ण बस्ती से जयंतवीर बाबा होते हुए खरांय देवा हरि0 बस्ती तक खडन्जा मरम्मत	**178590**	टी0आर0
3	03.08.2013	एस0एफ0ब्रिक्स फिल्ड	रामपुर कला पक्की सड़क से पुलिया तक खडन्जा मरम्मत	**135364**	एस0एफ0ब्रिक्श0
4	05.09.2013	मे0 प्रकाश ईट भट्ठा	खरूवांवा बाहार से नहर होतु हुए कुँवारपुर सरहद तक मिट्टी/खडन्जा	**175614**	प्रकाश ईट भट्ठा
5	12.10.2013	मे0एस0एस0 एण्ड कं0	करौरा में पिच रोड़ से प्र0वि0 करोरा तक खडन्जा कार्य	**355847**	टी0आर0एफ0
6	10.12.2013	मे0एस0एस0 एण्ड कं0	करौरा में पिच रोड़ से प्र0वि0 करोरा तक खडन्जा कार्य	**205984**	एस0एस0एण्ड कम्पनी
7	10.12.2013	मे0एस0एस0 एण्ड कं0	करौरा में पिच रोड़ से प्र0वि0 करोरा तक खडन्जा कार्य	**202324**	एस0एस0 एण्ड कम्पनी
8	22.01.2014	मे0प्रिस इण्टरप्राइजेज	इस्मैला में कहार/ब्राहम्ण बस्ती से बड़ी नहर तक नाली	**138146**	टी0आर0एफ0

			निर्माण		
9	22.01.2014	मे0 पवन ईंट उद्योग	इस्मैला में कहार/ब्राहम्ण बस्ती से कड़ी नहर तक नाली निर्माण	**234181**	टी0आर0एफ0
10	28.02.2014	मे0 एस.एफ. ब्रिक्स फील्ड	करौरा में पिच रोड़ से ठाकुर बस्ती तक खडन्जा मरम्मत।	**126520**	टी0आर0एफ0
			योग	**1880889**	
	वर्ष 2013–14 में राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त का महायोग–			**5727476**	
1	11.04.2014	मे0 एस.एफ. ब्रिक्स फील्ड	करौरा में बामी पिच रोड़ से अलापुर ब्राम्हण बस्ती तक	**194646**	
2	22.04.2014	मे0 एस.एफ. ब्रिक्स फील्ड	बामी में खरूवावा पिच रोड़ खडन्जे से नरसिंगपुर खडन्जे से अनुसूचित बस्ती तक	**144988**	
3	30.04.2014	मे0 एस.एफ. ब्रिक्स फील्ड	बामी पिच रोड़ अलापुर ब्राम्हण बस्ती तक खडन्जा मरम्मत	**236009**	
4	10.06.2014	मे0 एस.एफ. ब्रिक्स फील्ड	लासा में भरवां खडन्जा से जगदीशपुर मुजहना खडन्जा तक	**161070**	
5	01.07.2014	मे0 एस.एफ. ब्रिक्स फील्ड	ग्राम पंचायत रामपुर चौथार में रेलवें लाइन के पास खडन्जे से हरिजन बस्ती तक	**318593**	
			योग–	**1055306**	
	वर्ष 2014–15 (तेरहवां वित्त) 03.07.2014 तक				
1	04.04.2014	मे0स्वास्तिम ईट उद्योग	ग्राम पंचायत करोरा में रमाशंकर सिंह के घर से बड़ा नाला तक नाली निर्माण	136330	
			योग–	**136330**	
	वर्ष 2014–15 (03.07.2014 तक) रा0वि0/तेरहवां वित्त का –महायोग			1191636	

उपर्युक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2012–13,2013–14 व 2014–15 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त से समाग्री व्यय हेतु वर्ष–2012–13 में कुल रू0 2916990.00 वर्ष 2013–14 में कुल रू0 5727476.00 व 2014–15(03.07.2014) तक कुल रू0 1191636.00 कुल महायोग 9836102.00 रू0 सामग्री व्यय के सापेक्ष कोई टेण्डर प्रकिया नही अपनाया गया । ग्राण्ट रजिस्टर–2 के अनुसार वर्ष 2012–13 व 2013–14 कुल फर्मो से ईट कय एवं सात फर्मो से बिल्डिंग मैटेरियल कय किया गया तालिका में दर्शित पास बुक के अनुसार भुगतान टी0आर0एफ0 के रूप में रहा। जबकि कुछ भुगतान फर्मो के नामे रहा। लेखा परीक्षा में इस बात की पुष्टि नही करायी गयी कि टी0आर0एफ0 भुगतान फर्म को किया गया है। अथवा फर्म के मालिक के व्यक्तिगत खाते या किसी अन्य खाते में ट्रांसफर किया गया है। अतः उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में उत्तरदायी व्यक्तियों सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा बड़े पैमाने पर गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिनके विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर मण्डल का नाम–वाराणसी

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत–सुजानगंज 2010–11 से 2016–17

प्रस्तर–96 क्षेत्र पंचायत सुजानगंज विकास खण्ड सुजानगंज वर्ष 2010–11 से 2016–17 तक लेखा परीक्षा में रू0 10004992.00 गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये है। जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है। 1.आलोच्य वर्ष 2016–17 में को अनुदान की कुछ अवशेष धनराशियां अप्रयुक्त अवशेष कुल रू0 4365839.00 विगत कई वर्षो से अवशेष चली आ रही है। उक्त धनराशि को उसी वर्ष व्यय कर दिया जाना चाहिए था। यैसा न कर क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष प्रतिवर्ष

राजकीय अनुदान की धनराशि दुरूपयोग किया गया है। किन्ही परिस्थितियों में अवशेष बची धनराशि ऐ0जी0 महालेखाकार के अनुमति के बिना आगामी वित्तीय वर्ष में उपभोग नही किया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा न कर अनिमितता व अनैतिक तथा अनाधिकृत रूप से अवशेष धनराशि को रोककर इसका न केवल दुरूपयोग किया जा रहा है। बल्कि नियामानुसार विकास कार्यो को बाधित एवं श्रमिकों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। जो शासन के मंशा के विपरीत है। इस अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–97 वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2016–17 में वैट कर एवं आयकर कुल रू0 1729428.00 कटौती की जानी थी। जिसका वर्षवार विवरण निम्न है–

जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष		सामग्री कर	वैट कर	आयकर
2010–11	1119878	44795	25085	
2011–12	636585	25463	14259	
2012–13	6175751	247030	138336	
2013–14	2574596	102983	57670	
2014–15	10732353	429294	240404	
2015–26	5351447	214069	119879	
2016–17	112497	44975	25186	

प्रस्तर–98 लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि क्षेत्र निधि ब्याज का उपभोग क्षेत्र पंचायत के द्वारा किया गया है। नियमानुसार क्षेत्र निधि व्याज क्षेत्र पंचायत की आय न हो कर सरकार की आय होती है। इसे सरकार को तत्काल वापस कर दिया जाना चाहिए । आलोच्य वर्ष में ब्याज का निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है।

क्सं0	वर्ष	अवशेष	प्राप्त	व्यय	वर्षान्त शेष
1	2010–11	1880	52859	26414	28325
2	2011–12	28325	151281	108906	70700
3	2012–13	70700	328245	752121	323822
4	2013–14	323822	243328	14218	552932
5	2014–15	552932	319316	319607	552641
6	2015–26	552641	68090	548848	78883
7	2016–17	78883	84340	230	162993
		1609183	1247459	1770344	1770296

इस प्रकार रू0 1770344 क्षेत्र पंचायत द्वारा ब्याज व्यय कर गम्भीर अनियमितता की गई जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–99 लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि एस0जी0एस0आर0वाई0 ब्याज का उपभोग क्षेत्र पंचायत के द्वारा किया गया है। निम्नानुसार ब्याज क्षेत्र पंचायत की आय न होकर सरकार की आय होती है। इसे सरकार को तत्तकाल वापस कर दिया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है

क्सं0	वर्ष	अवशेष	प्राप्त	वर्ष में व्यय	वर्षान्त शेष
1	2010–11	41923	00	0	41923
2	2011–12	41923	135998	0	177921
3	2012–13	177921	313675	0	491646
4	2013–14	491646	24881	675457	65000
5	2014–15	65000	00	65000	0
6	2015–26	818413	698484	740457	776490

इस प्रकार रू0 740457 ब्याज व्यय कर अनियमितता की गयी जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–100 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान विभिन्न वर्षो में निम्न प्रकार व्यय किया गया है–

क्सं0	वर्ष	अवशेष	प्राप्त	वर्ष में व्यय	वर्षान्त शेष
1	2015–16	0	436000	394590	41410
2	2016–17	41410	436000	215422	261988
3		41410	872000	610012	303398

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि 610012 व्यय किया गया है। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नही प्रस्तुत किया गया जिससे व्यय अपुष्टित रहा। जिके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–101 राज्य वित्त के अन्तर्गत दिनांक 07.03.2011 को रू0 150000.00 रंगाई/पोताई एवं मरम्मत हेतु व्यय प्रभारी श्री अरूण शुक्ला को चेक नं0 900581 द्वारा भुगतान किया गया है। इस प्रकार कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत नही है व्यय पुष्टि प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार प्रमाण के अभाव में व्यय प्रस्तुत अपुष्टित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–102 राज्य वित्त के अन्तर्गत 05.11.2011 में श्री सभाजीत को मजदूरी का भुगतान रू0 21000 किया गया है। लेकिन भुगतान श्रमिकों को न देकर श्री सभाजीत को दिया जाना अनियमितता है। भुगतान मे श्रमिक चिट्ठा भी प्रस्तुत नही किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–103 बारहवां वित्त के अन्तर्गत दिनांक 11.03.2011 में रू0 8000 बोर्ड का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया हैं। जबकि नियमानुसार भुगतान बोर्ड निर्माता फर्म को किया जाना चाहिए था। इस प्रकार कार्य प्रभारी को भुगतान कर अनियमितता की गयी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–104 तेरहवां वित्त के अन्तर्गत दिनांक 05.06.2012 में रू0 64520.00 का भुगतान मेसर्स पाइप उद्योग बक्शा जौनपुर को किया गया है। लेकिन क्रय से पूर्व कोटेशन/निविदा नही किया गया है। तकनीकि समिति का अनुमोदन भी नही है। कोटेशन स्टाक रजिस्टर तकनीकि समिति के अभाव में अनियमित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–105 2013+14 राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार कार्य पर मजदूरी का भुगतान किया गया।

क0सं0	कार्य का नाम	मजदूरी भुगतान की धनराशि
1	प्रताप विश्वकर्मा से पाल बस्ती तक कार्य	60032
2	अरूवां सी0सी0रोड से रामअकबाल के घर तक कार्य	24952
3	हरिजन बस्ती से मुसलमान बस्ती तक पक्की नाली का निर्माण कार्य	46268
4	फरीदाबाद गौरीशंकर पिच रोड़ से मौर्या बस्ती के आगे तक खण्डजा मरम्मत कार्य	175972
	कुल योग–	307224

उक्त धनराशि रू0 307224 मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। जबकि मजदूरी को मजदूरी उसके खाते मे किया जाना चाहिए। इस प्रकार भुगतान अनियमित हैं। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–106 आलोच्य वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त अन्तर्गत प्रमुख कक्ष में मेज कुर्सी, क्रय विक्रय, मरम्मत कार्य व शौचालय निर्माण पर रू0 238168 व्यय किया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां है।

1. कुर्सी मेज क्रय को स्टाक में नही दर्शाया गया है।
2. तकनीकि प्रशासनिक वित्तीय समिति का अनुमोदन नही है।
3. व्यय प्रमाणकों का टिन न0 नही है।
4. शौचालय निर्माण सत्यापन में ए0डी0ओ0 पंचायत सक्षम अधिकारी नही है।

इस प्रकार व्यय रू0 238168 का भुगतान अनियमित है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां
क्षेत्र पंचायत–बदलापुर 2016–17

प्रस्तर–107 नियमानुसार सामग्री क्रय पर 4 प्रतिशत वैट एवं 2.246 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती किया जाना अनिवार्य है। लेकिन आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि निम्नलिखित क्रय सामग्री पर वैट एवं टी0डी0एस0 नहीं काटा गया इसका विवरण निम्नलिखित है–

क0सं0	कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष	सामग्री व्यय	सामग्री व्यय वैट कटौती (4प्रतिशत)	टी0डी0एस0 कटौती (2.246 प्रतिशत)
1	एन0एच0 56 उसरा बाजार मंदिर के पास से हरिजन बस्ती होते हुए ग्राम पंचायत मुरादपुर लिंक मार्ग तक	2016–17	682550	27302	15330
2	ग्राम पंचायत मुरादपुर कोटिला पिच रोड पप्पु पाल की दुकान से रामलवट प्रजापति के घर तक	2016–17	503800	20152	11315
3	ग्राम पंचायत बलुआ में जगन्धू के मशीन से पिच रोड़ तक मिट्टी खडन्जा कार्य	2016–17	289300	11572	6497

4 ग्राम पचायत मछली गांव में शुक्ला बस्ती के पास आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	2016–17	252432	10097	5669
	योग–	**1728082**	**69123**	**38811**

इस प्रकार कुल समाग्री क्रय रू0 1728082.00 पर वैट रू0 69123.00 एवं टी0डी0एस0 रू0 38811.00 कुल रू0 107934.00 की कटौती क्षेत्र पंचायत द्वारा नही की गई है। जो गम्भीर अनियमितता है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–108 दिनांक 31.03.2017 को रू0 6147414.00 राजकीय अनुदान खाते में अवरूद्ध रहा। वस्तुतः नियमानुसार राजकीय अनुदान की धनराशियों का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति मं अवशेष धनराशियों को सम्बन्धित संस्थाओं का विभागों को वापस कर दियसा जाना चाहिए। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा कर पाना सम्भव न हो पाया तो आगामी वर्ष के पुनः उपभोग हेतु महालेखाकार से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। अनुदान की धनराशि रोककर जहां एक तरफ विकास कार्यों को बाधित कर स्थानीय लोगों को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित किया गया है। वही दूसरी तरफ श्रमिकों को प्राप्त रोजगारों से भी वंचित किया गया है। इस प्रकार 31.03.2017 को खातें में अवरूद्ध धनराशि रू0 6147414.00 के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–109 वर्ष 2016–17 के राज्य वित्त/तेरहवें वित्त की कुल रू0 159482.00 की ब्याज केडिट हुआ। ब्याज सरकार को वापस न कर गम्भीर अनियमितत की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–110 आलोच्य वर्ष 2016–17 में प्रशासनिक मद/कन्टीजेन्सी मद से रू0 1781714.00 व्यय तो किया गया है। लेकिन मनरेगा सम्बन्धि कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–111 आलोच्य र्वे 2016–17 में ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि प्रशिक्षण मद से रू0 249329.00 व्यय तो किया गया लेकिन ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि प्रशिक्षण से समबन्धित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–112 ग्रांट रजिस्टर–2 के आधार पर राज्य वित्त/तेरहवां वित्त में किये गये व्यय व्यय का चेक कार्य प्रभारियों को दिया गया है। लेकिन आलेच्य वर्ष में श्रमिक चिट्ठा(मसटररोल) अपूर्ण रहा। या कुछ कार्यो में मस्टररोल का अभाव रहा।

क0सं0 कार्य का नाम	**वित्तीय वर्ष**	**श्रमांश व्यय**	**विवरण**
1 एन0एच0 56 उसरा बाजार मंदिर के पास से हरिजन बस्ती होते हुए ग्राम पंचायत मुरादपुर लिंक मार्ग तक	2016–17	126444	मस्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर का अभाव
2 ग्राम पंचायत मुरादपुर कोटिला पिच रोड पप्पु पाल की दुकान से रामलवट प्रजापति के घर तक	2016–17	92418	–
3 ग्राम पंचायत बलुआ में जगन्धू के मशीन से पिच रोड़ तक मिट्टी खण्डजा कार्य	2016–17	51732	मस्टररोल अपूर्ण रहा।
4 ग्राम पंचायत मछली गांव में शुक्ला बस्ती के पास आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	2016–17	40122	मस्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर का अभाव
	योग–	**310716**	

इस प्रकार श्रमांश भुगतान रू0 310716.00 संदिग्ध रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–113 आलोच्य वर्ष 2016–17 में विधायक निधि मद से रू0 64195.00 व्यय तो किया गया है। लेकिन विधायक निधि से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है।

प्रस्तर–114 आलोच्य वर्ष 2016–17 के राज्य वित्त/तेरहवां वित्त खातें के अवलोकनार्थ पता चला कि विभिन्न तिथियों में क्रमशः रू0 689.00 की कटौती हुई जिसकी प्रविष्टि सम्बन्धित पंजिकाओं में न किया जाना गम्भीर अनियमितता रही। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

मण्डल का जनपद का नाम– जौनपुर नाम–वाराणसी
क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां
क्षेत्र पंचायत–महराजगंज 2014–15 से 2015–16

प्रस्तर–115 (अ)उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के अनुसार राज्य वित्त व तेरहवां वित्त आयोग योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदानों को सम्बन्धित वर्षो की कार्ययोजनाओं/विकास कार्यों पर व्ययकर क्षेत्रीय जनता को इसका लाभ पहूंचाया जाना चाहिए था। निर्माण कार्यों को उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना चाहिए। जिसमें उसकी कार्य योजना बनी हो, तथा किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध धन को बैंक खातें मे अवरूद्ध नही रखा जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष 2015–16 में निम्नविरणानुसार अनुदानों को खातें में अवरूद्ध किया गया है।

क्रम संख्या–	योजना	धनराशि (रू0में)
1.	राज्य वित्त	1192547.00
2.	तेरहवां वित्त	16675.00
3.	पिछड़ा वर्ग क्षेत्र अनुदान निधि	113162.00
4.	विधायक निधि	28662.00
		1351046.00

इस प्रकार रूपया 1351046.00 अनुदान योजनाओं के धन अवरूद्ध कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

(ब)ग्राण्ट रजिस्टर –3 के अनुसार ब्याज मद से रूपया 618394.00 व्यय किया गया है। नियमानुसार अनुदान खातों में प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है। इस प्रकार धन को राजकीय कोषागार में न जमा कराकर धन का दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–116 राष्ट्रीय रोजगार प्रासंगिक मद में रू0 957011.00 वर्ष 2014–15 में तथा रू0 1144546.00 वर्ष 2015–16 में व्यय दर्शाया गया है। मनरेगा प्रा0 संमद में कुल व्यय उपरोक्त धनराशि रू0 2101557.00 रही है। व्यय पुष्टि में अभिलेख प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत नही किया गया है। प्रमाणकों एवं अधिलेखों में धनराशि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है, जो गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी रहे है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–117 राष्ट्रीय समग्र रोजगार योजना मद से सम्बन्धित खातें पर प्राप्त व्यय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में तथा 31.03.2014 को अवशेष रहे ब्याज रू0 10116.00 इस प्रकार कुल ब्याज रू0 17509.00 में से रू0 11044.00 व्यय किया जाना पाया गया एवं 31.03.2016 को रू0 6464.00 अवशेष दर्शित है। अतः ब्याज की धनराशि नियमानुसार ब्याज से प्राप्त धन सरकार की आय होगी। जिसे 31 मार्च को सरकार को निर्धारित खातें में वापस कर दिया जाना चाहिए तथा ब्याज रू0 11044.00 का व्यय बिना निर्धारित प्रक्रिया के पालन किये निर्माण/अन्य मदों मे किया गया ह। जो अपेक्षित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी रहे है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–118 आलोच्य वर्ष 2014–15 में आयकर मद में क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014–15 में प्रा0 अवशेष रू0 72534.00 एवं वर्ष में प्राप्त आयकर रू0 78340.00 इस प्रकार कुल रू0 150874.00 जमा आयकर दर्शित रहा है। जिसकी जमा पुष्टि में प्रमाणक आयकर प्रपत्र लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत किया गया है। जिससे आयकर जमा की पुष्टि नही की जा सकी। इस प्रकार जमा प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनियतिता की गयी है। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–119 आलोच्य वर्ष 2014–15 में वाणिज्य कर मद में क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक अवशेष शून्य एवं वर्ष में प्राप्त वाणिज्य कर रू0 139521.00 दर्शित रहा है।जिसकी जमा की पुष्टि में प्रमाणक वाणिज्य कर प्रपत्र लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत किया गया है। जिससे वाणिज्य कर जमा की पुष्टि नही की जा सकी। इस प्रकार जमा प्रमाण प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा है। कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर मण्डल का नाम–वाराणसी
क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां
क्षेत्र पंचायत–सुइथाकला 2012–13

प्रस्तर–120 ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय की समीक्षा में पाया गया कि बहुत सी अनुदान की धनराशियों को अनावश्यक रूप से विगत कई वर्षों से रोका गया हैं जो गम्भीर अनियमितता है। उक्त धनराशियों को प्रदायकर्ता को वापस कर दिया जाना चाहिए। विवरण निम्न प्रकार हैः–

1.	राष्ट्रीय स्टार बीमा योजना	4900.00
2.	कार्यालय व्यय	5954.00
3.	राज मिस्त्री प्रशिक्षण	6926.00

4.	मतदाता पुनरीक्षण	8530.00
5.	सम विकास योजना	1902.00
6.	जमानत (पंचायत निर्वाचन)	2000.00
7.	मंगल युवक दल	30000.00
8.	पेयजल गुणवत्ता प्रशिक्षण	56760.00
	योग–	**116972.00**

उपरोक्त धनराशियों को अनुदानदाता को वापस समय से किया जाना चाहिए।अनुदानदाता को समय से अवषेश अनुदान वापस न किया जाना खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार सयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं आवष्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–121 आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया :–

1.	बारहवां वित्त	76800.00
2.	राज्य वित्त	6141607.00
3.	मनरेगा प्रशासनिक	406077.00
4.	राष्ट्रीय बायोगैस	16000.00
5.	मनरेगा श्रमांश	1365449.00
6.	मनरेगा अल्प सिंचाई	954965.00
	योग–	**8960898.00**

उपरोक्त व्ययों में कोटेशन पत्रावली,वैट कटौती पत्रावली, इस्टीमेट एम0बी0 कार्यपर्ति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार व्यय अपुष्टित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत–डोभी 2014–15

प्रस्तर–122 (क)आलोच्य वर्ष 2014–15 में को अनुदान की कुछ अवशेष धनराशियां अप्रयुक्त/अवशेष रही। कुल रू0 22912.00 विगत कई वर्षों से अवशेष चली आ रही है। उक्त धनराशि को उसी वर्ष व्यय कर दिया जान चाहिए था। ऐसा न कर क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष प्रतिवर्ष राजकीय अनुदान की धनराशि वर्षान्त में शेष रोककर राजकीय धन का दुरूप्योग किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इसके सम्बन्ध में काई भी विवरण / अभिलेख नही है। धनराशि रू0 22912.00 राजकीय कोष में वापस न करना व रोकने का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–123 (क)–आलोच्य वर्ष 2014–15 विभिन्न मदों से ब्याज की धनराशि किस उद्देश्य से आहरित की गयी की पुष्टि लेखा परीक्षा में नही कराया गया।

(ख)– उक्त सम्स्त आहरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीखा मं प्रस्तुत नही किया गया।

(ग)–ब्याज की धनराशि किस शासनादेश/आदेश से आहरित की ,पुष्टि लेखा परीक्षा में नही कराया गया।

(घ)–उक्त आहरित धन का भुगतान किस फर्म एवं किस मद में किया गया,, की पुष्टि लेखा परीक्षा में नही कराया गया ।

(ड़)सभी मदों से प्राप्त ब्याज के मद के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–(ए–1–122/दस–2012–10–33/2010 दिनांक 21.03.2012) के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाय, परन्तु संस्था क्षेत्र पंचायत (डोभी) द्वारा उक्त धनराशि राजकोष में जमा न कराकर अनाधिकृत एवं अव्यवहारिक तथा सुनियोजित तरीके से आहरण कर एवं आहरण के सापेक्ष कोई पुष्टि प्रमाणक प्रस्तुत न कर रू0 290797.0 का सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा अनियमितता किया गया है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–124 आलोच्य वर्ष 2014–15 में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शाया गया है–

1.	तेरहवां वित्त आयोग–	2979733.00
2.	राज्य वित्त आयोग–	4520926.00
	योग–	**7200659.00**

उपरोक्त व्यय में कोटेशन,निविदा का अभाव रहा। आकलन व एम0बी0 सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नही किया गया था। तकनीकी वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति नही ली गयी थी। इस प्रकार महत्वपूर्ण अभिलेख के अभाव में कार्य अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–125 आलोच्य वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय उद्यमी विकास योजनान्तर्गत क्षेत्र पंचायत में रू0 1195000.00 व्यय किया गया है। लेकिन व्यय की पुष्टि में पत्रावली कार्यादेश, स्टीमेट व एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार महत्वपूर्ण अभिलेख के अभाव में व्यय अपुष्टित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत–सिरकोनी 2015–16 से 2016–17

प्रस्तर–126 उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के अनुसार राज्य वित/तेरहवां वित आयोग योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदानों को सम्बन्धित वर्षो की कार्ययोजनाओं/बिकास कार्यो पर व्यय कर क्षेत्रिय जनता को इसका लाभ पहुंचाया जाना चाहिए जिसमें उसकी कार्ययोजना बनी हो तथा किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध धन को बैंक खातों में अवरूद्व नही रखा जाना चाहिए। दिनांक 31–3–2017 को ग्रान्ट रजिस्टर 3 के अनुसार निम्नलिखित धनराशि बैक खातों में अवरूद्व थी। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

1.	चतुर्थ राज्य वित्त	5478683.00
2.	तेरहवां वित्त	69589.00
3.	पिछडा. क्षेत्र अनुदान निधि/ब्याज	169382.50
4.	चतुर्थ राज्य/तेरहवां वित में अर्जित ब्याज	195299.00
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	500.00
6.	सोशल आडिट (आयोजन/विडियोग्राफी)	4000.00
7.	जी0पी0डी0पी0	164833.00
8.	इन्दिरा प्रशासनिक मद/ब्याज	1019.00
	योग	**6083305.50**

इस प्रकार राज्य वित/तेरहवां वित आयोग तथा विविध अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत अवरूद्व धन रू0 6083305.50 को अनुदानदाताओं को वापस कर दिया जाना चाहिए था। अनुदान के अवरूद्व के लिए तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर–127 आलोच्य वर्ष में वर्ष 2014–15 कार्य का वर्ष 2015–16 में भुगतान किया गया है। कार्यो में मजदुरी का भुगतान कार्यप्रभारी कों किया गया है,जिनके द्वारा नगद भुगतान मजदुरों को किया गया हैं। विवरण निम्न है–

1.	ग्रा0पं0सुल्तानपुर में रमेंश सिंह के खेत से मुश्लिम बस्ती तक खडन्जा मरम्मत–	81432.00
2.	नाथुपुर प्राइमरी स्कुल के नाथुपुर से अरविन्द सिंह के खेत तक खडन्जा मरम्मत–	87204.00
3.	'सुल्तानपुर हिसामपुर सरहद से सुल्तानपुर सरहद तक खडन्जा मरम्मत–	79404.00
4.	सेहमलपुर में पी0डब्लु0डी0सड़क से जयप्रकाश यादव के मशीनतकखडन्जा मरम्मत–	124956.00
5.	सेहमलपुर खडन्जे से राजेश यादव के मशीन तक खडन्जा मरम्मत–	112944.00
6.	सेहमलपुर सरहद से चन्द्रबली यादव के घर तक खडन्जा मरम्मत–	85956.00
7.	सलखापुर राजेन्द्र सिंह के घर से धोबी पोखरा तक नाली निमार्ण पर मजदूरी–	29340.00
8.	जमैथा अखण्ड देवी मन्दिर से मुश्लिम बस्ती तक नाली निमार्ण पर मजदूरी–	129688.00
9.	नाथुपुर पी0डब्लु0डी0 सड़क से गैस गोदाम तिराहा तक नाली निमार्ण पर मजदूरी–	64701.00
10.	सेहमलपुर खदेरन यादव के घर से लल्लन के घर हाते हुए वंशराज के घर तक खडन्जा कार्य–	196098.00
11.	तालामझवारा पिच मार्ग से ब्रहम की गड़पाल बस्ती के कंकड़ पाल के घर तक खडन्जा कार्य–	103878.00
12.	''रसुलपुर में पिच मार्ग से निषाद बस्ती तक खडन्जा निर्माण–	90306.00
13.	''अमदहां में पक्की सड़क से राजकुमार के खेत एवं श्रीमती मीना के घर होते हुए जुतीया माई तक खडन्जा निर्माण–	156426.00
	योग–	**1342636.00**

उपरोक्त विवरण के अनुसार कार्यो के नियमानुसार मजदुरों का भुगतानमजदुरों के खाते में किया जाना चाहिए था,लेकिन मजदुरों को मजदुरी का भुगतान न कर कार्यप्रभारी को भुगतान अनियमित रूप से किया गया है,जिसके लिए तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तदायी है कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–128 आलोच्य वर्ष में पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि से वर्ष 2015–16 में रू0 602409.00 व्यय किया गया है किन्तु पुष्टि में आवश्यक अभिलेख अप्रस्तुत रहे। अतः व्यय अपुष्टित रहा। वर्ष में कराये गये कार्य जैसे–ग्राम पंचायत जमैथा में लक्ष्मीशंकर शुक्ला की बाग से धनन्जय शुक्ला के घर होते हुए नाला तक सीसी रोड पर सामग्री पर रू0 321901.00 तथा मस्टर रोल पर रू0 54805.00 व्यय किया गया,किन्तु फाइलों की जांच में पाया गया कि तकनीकि मुल्यांकन,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,एम0बी0 आदि पर नाम, दिनांक आदि अंकित नही है,जो अनिवार्य रहा ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत–मुँगराबादशाहपुर 2010–11 से 2016–17

प्रस्तर–129 आलोच्य वर्ष 2010–11 राज्य वित्त के अन्तर्गत रू0 1502461.00 व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत नही रहा। भिन्न भिन्न कार्यो का लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल,एम0बी0,कोटशन,निविदा,कार्यपूर्ति प्रमाणक पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नही रहा, परिणमतः व्यय रू0 1502461.00 अपूष्टि अप्रमाणित रहा इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–130 आलोच्य वर्ष 2010–11 समाग्री व्यय के सापेक्ष रू0 1028242.00 पर 2.24 प्रतिशत की दर से रू0 23032.00 आयकर एवं 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर रू0 41129.00 कुल रू0 64161.00 (लगभग) की कटौती किया जाना चाहिए था। जिसके सापेक्ष कटौती एवं जमा की पूष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नही रहा। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–131 आलोच्य वर्ष 2010–11 में निम्नलिखित मदों में ग्राण्ट रजि0 द्वितीय के अनुसार व्यय का विवरण निम्न है।

मद	विवरण	
1.	बारहवां वित्त	525127
2.	युवक मंगल दल	16000
3.	ब्याज मद	380404
4.	सामान्य पंचायत निर्वाचन	74858
5.	ग्राम प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	50426
6.	क्रिटिकल गैस योजना	438460
7.	मनरेगा निःशुल्क बोरिंग	526000
		2011275

उक्त कार्यो के व्यय की पुष्टि में कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक,मस्टररोल,एम0बी0,कोटेशन/निविदा, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य रजि0 आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहा। परिणमतः व्यय अपूष्टित एवं अप्रमाणित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–132 आलोच्य वर्ष 2011–12 में सामग्री पर व्यय रू0 2586000.00 है जिस पर इनकम टैक्स (2.24 प्रतिशत) रू0 57926.00 एवं वैट(4 प्रतिशत) रू0 1003440.00.00 कुल रू0 161366.00 की कटौती किया जाना चाहिए। परन्तु लेखाकार द्वारा कटौती एवं उसके सापेक्ष कोई प्रमाणक/जमा रशीद लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहा जो एक गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–133 आलोच्य वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय बायों गैस कार्यक्रम पर रू0 24000.00 व्यय दर्शित है। उक्त के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक,मस्टररोल, रजि0 आदि प्रमुख अभिलेख उपलब्ध नही रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–134 आलोच्य वर्ष 2011–12 में ग्राम निधियों का प्रशिक्षण सापेक्ष रू0 83020.00 व्यय दर्शित है। उक्त के सम्बन्धित प्रमाणित प्रशिक्षण रजि0/विवरण रजि0 लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहा। इस प्रकार व्यय अपुष्टि एवं अप्रमाणित रहा। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर–135 आलोच्य वर्ष 2011–12 में क्रिटिकल गैस योजना पर व्यय रू0 48240.00 है। इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा मे रजि0/व्यय प्रमाणक आदि महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नही रहा। अतः व्यय अपूष्टित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर–136 आलोच्य वर्ष 2011–12 मनरेगा निःशुल्क बोरिंग मद में रू0 279080.00 व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक,मस्टररोल,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नही रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–137 आलोच्य वर्ष 2011–12 में ग्राण्ट रजि0 तृतीय के अनुसार सामान्य निर्वाचन रू0 3100.00 धनराशि प्राप्त हुआ। उक्त राशि वर्ष में व्यय दर्शित है। उक्त के सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक/विवरण रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उक्त राशि अनियमित तरीके से व्यय आलोच्य वर्ष 2011–12 में किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–138 आलोच्य वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मद में रू0 4900.00 व युवक मंगल दल रू0 4000.00 कुल रू0 8900.00 व्यय दर्शित किया गया है। उक्त व्यय की पूष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही रहा। परिणामतः व्यय

अपुष्टित एवं अप्रमाणित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एंव लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–139 वर्ष 2012–13 में (राज्य वित्त–तेरहवां वित्त) में कुल रू0 7752000.00 सामग्री पर व्यय किया गया है। जिस पर इनकम टैक्स (2.24 प्रतिशत) रू0 173644.00 सेल टैक्ट/ वैट(4 प्रतिशत) रू0 310080.00.00 कुल रू0 483724.00 की कटौती किया जाना चाहिए। जिसकी पुष्टित व्यय प्रमाणक/जमा रशीद उपलब्ध नही रहा इस प्रकार राजकीय धन का गम्भीर अनियमितता खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा किया गया है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर–140 आलोच्य वर्ष 2012–13 में ग्राण्ट रजि0 तृतीय के अनुसार बारहवां वित्त योजना के अन्तर्गत कुल रू0 94350.00 व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक मस्टररोल, एम0बी0, कोटेशन/निविदा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखाकार द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। जो गम्भीर अनयिमितता का द्योतक है। इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–141 आलोच्य वर्ष 2012–13 मनरेगा निःशुल्क बोरिंग मद में रू0 121475.00 व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक,एम0बी0 कोटेशन/निविदा मस्टररोल,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेखों का अभाव रहा। प्रमाणक विहिन व्यय के अभाव में कार्य की पुष्टि नही होती। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–142 आलोच्य वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय बायों गैस कार्यक्रम पर रू0 16000.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक रजि0 आदि महत्वपूर्ण अभिलेखा लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नही रहा। अतः रु0 16000.00 की गम्भीर अनियमितता प्रकाश में आयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–143 आलोच्य वर्ष 2012–13 में युवक मंगल दल मद में रू0 2200.00 व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक ,कार्यवाही रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहा। उक्त धनराशि अनियमित रूप से व्यय किया गया है। इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी एंव लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–144 लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 में ग्राण्ट रजि0 तृतीय के अनुसार रू0 10000.00 जमानत त्रिस्तरीय पंचायत के रूप में धनराशि प्राप्त हुआ है। उसके सापेक्ष व्यय में लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक,जमानत धनराशि विवरण रजि0 उपलब्ध नही रहा। साथ ही जमानत वापसी का आदेश भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे उस धनराशि की वापसी की पुष्टि नही होती हैं। अतः 10000.00 सुनियोजित तरीके से अनियमितता किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–145 आलोच्य वर्ष 2013–14 में सामग्री मद में (तेरहवां/ राज्य वित्त) कुल रू0 2496000.00 व्यय किया गया है। जिस पर इनकम टैक्स (2.24 प्रतिशत) रू0 55910.00 सेल टैक्स/ वैट(4 प्रतिशत) रू0 99840.00कुल रू0 155750.00 होता है। किन्तु आयकर कटौती रू0 10939.00 लेखाकार द्वारा जमा का उल्लेख किया गया है। जिसका कोई जमा प्रमाणक प्रस्तुत नही रहा। जबकि रू0 155750.00 का इनकम टैक्स एवं सेल टैक्स की कटौती किया जाना चाहिए। इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक एवं रशीद लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नही कराया गया है। लेखाकार द्वारा गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–146 लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में बारहवां वित्त आयोग रू0 21977.00 व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक मस्टररोल, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार महत्वपूर्ण अभिलेख न होने से व्यय पुष्टित नही किया जा सका।जिससे कार्य की पुष्टि नही होती । अतः खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–147 आलोच्य वर्ष 2013–14 में मनरेगा/ निःशुल्क बोरिंग मद में रू0 307545.00 व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक,मस्टररोल,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन आदि महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नही रहा। इस प्रकार महत्वपूर्ण अभिलेख न होने से व्यय पुष्टित न कि जा सकी । जिससे कार्य की पुष्टि नही होती । अतः खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–148 राष्ट्रीय बायों गैस मद में वर्ष 2013–14 मद में रू0 40000.00 व्यय किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक रजि0 आदि लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नही रहा। इस प्रकार महत्वपूर्ण अभिलेख न होने से व्यय की पुष्टि नही की जा सकी। अतः खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–149 लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में ग्राण्ट रजि0 तृतीय के अनुसार रू0 4000.00 जमानत की धनराशि के रूप में प्राप्त हुआ है। उक्त आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/जमानत की धनराशि विवरण रजिस्टर

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। साथ ही गैर निर्वाचित सदस्यों/प्रधानों का प्राप्त मत/प्रशिक्षण एवं जमानत वापसी आदेश भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे उक्त की पुष्टि नही हो सकी। इस प्रकार लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–150 लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 ग्राण्ट रजि0 के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल मद में रू0 56760.00 व्यय दर्शित हैं उक्त के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक,मस्टररोल,एम0बी0,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–151 आलोच्य वर्ष 2014–15 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त मद में सामग्री पर कुल रू0 6051467.00 व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष इनकम टैक्स (2.24 प्रतिशत) रू0 135552.00 सेल टैक्स/ वैट(4 प्रतिशत) रू0 242056.00 कुल रू0 377608.00 (लगभग) कटौती किया जाना चाहिए। इस प्रकार रजिस्टर/रशीद आदि लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नही कराया गया उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–152 लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में ग्राण्ट रजि0 तृतीय के अनुसार रू0 12000.00 जमानत की धनराशि वापसी का व्यय दर्शित है। उक्त आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/जमानत की धनराशि विवरण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। साथ ही गैर निर्वाचित सदस्यों/प्रधानों का मत/प्रशिक्षण एवं जमानत वापसी का आदेश भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे उक्त धनराशि वापसी की पुष्टि नही हो सकी। जिसके लिए लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–153 राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल मद में वर्ष 2014–15 में रू0 25000.00 व्यय दर्शित हैं उक्त के सम्बन्ध में कोई भी पत्रावली,व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहा। अतः लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–154 वर्ष 2014–15 में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार युवक मंगल दल रू0 10000.00 व्यय दर्शित है। उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समय व्यय प्रमाणक ,कार्य सूची, रजिस्टर आदि प्रमुख अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहा। उत्तरदायी व्यक्ति लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–155 आलोच्य वर्ष 2015–16 में राज्य वित्त / तेरहवां वित्त कुल रू0 5305480.00 सामग्री मद में व्यय किया गया है। इसके सापेक्ष इनकम टैक्स (2.24 प्रतिशत) रू0 123322.00 सेल टैक्स/ वैट(4 प्रतिशत) रू0 220219.00 कुल रू0 343541.0 कटौती किया जाना चाहिए। इस प्रकार रजिस्टर/रशीद आदि लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नही कराया गया उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–156 लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार इन्दिरा आवास मद में रू0 256982.00 व्यय किया गया दर्शित है। उक्त के सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं कार्य की सूची निविदा आदि प्रमुख अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। अतः व्यय की पुष्टि नही की जा सकी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–157 लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में ग्राण्ट रजि0 तृतीय के अनुसार जमानत राशि/नाम निर्देशन की धनराशि (पंचायत चुनाव) कुल रू0 611000.00 दर्शित है। उक्त आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/जमानत की धनराशि विवरण रजिस्टर आदि प्रमुख अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। साथ ही गैर निर्वाचित सदस्यों/प्रधानों का प्राप्त मत/प्रशिक्षण एवं जमानती धनराशि वापसी का आदेश भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे उक्त धनराशि की वापसी की पुष्टि नही होती। अतः उक्त धनराशि लेखाकार द्वारा सुनियोजित तरीके से निकाल कर गम्भीर अनयिमितता किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–158 लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक निम्नलिखित मदों से ब्याज की धनरशि आहरण के सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है।

क0सं0	मद का नाम	वर्ष	आहरित धनराशि
1	क्षेत्र निधि ब्याज	2011–12	13155
2	क्षेत्र निधि ब्याज	2012–13	60232
3	क्षेत्र निधि ब्याज	2013–14	28775
4	क्षेत्र निधि ब्याज	2014–15	22011
			124173

उक्त सभी मदों से प्राप्त ब्याज मद में शासनादेश संख्या (ए–1–222/10–2012–10(3)2010) दिनांक 31.03.2012

के अनुसार यदि शासनादेश द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया गया है। तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। परन्तु संस्था (क्षेत्र पंचायत मुँगराबादशहपुर)द्वारा उक्त धनराशि राजकोष में जमा न कराकर अनाहरित एवं अव्यवहारिक तथा सुनियोजित तरीक से आहरण के सापेक्ष कोई पुष्टि व्यय प्रमाणक विवरणीय प्रस्तुत न कर रू0 1241173.00 का सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिसकी कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–159 आलेच्य वर्ष 2016–17 के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद से भिन्न–भिन्न तिथियों (04.04.2016 से 04.02. 2017) निम्न विवरणानुसार तेल मद में व्यय किया गया है। जिसका विवरण निम्न है–

क0सं0	दिनांक	दिनांक	धनराशि
1	04.04.2016	23.04.2016	7428.55
2	02.05.2016		1859.02
3	02.06.2016	20.06.2016	8482.50
4	02.07.2016	29.07.2016	6803.50
5	20.07.2016		200
6	06.08.2016	22.08.2016	7800
7	19–2016		200
8	06.09.2016		200
9	08.09.2016	30.09.2016	8536
10	01.10.2016	21.10.2016	6175
11	04.11.2016	29.12.2016	14356
12	03.01.2017	26.01.2017	9297
13	04.02.2017	27.02.2017	10913
		82302.15	

उक्त मद में कुल रू0 82302.15गाड़ी संख्या अनाम पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा व्यय किया गया है। इसके सम्बन्ध में सम्भागीय परिवाहन कार्यालय से गाड़ी का अनुबन्ध पत्र नही रहा और न ही गाड़ी का लाकबुक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध कराया गया है। इस पर गाड़ी फर्जी तेल में दिखाकर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–160 आलोच्य वर्ष 2016–17 के 31.03.2017 को ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार विभिन्न योजनाओं में निम्नलिखित धनराशि अवशेष दर्शित हैं जो निम्न है–

क0सं0	योजना का नाम	धनराशि
1	चतुर्थ राज्य वित्त	3877776
2	तेरहवां वित्त	17705
3	इन्दिरा आवास	5436
4	आयकर	173259
5	वाणिज्य कर	454146
6	बी0आर0जी0एफ0	652
7	जी0डी0पी0डी0	100319
	योग–	**4629293**

उक्त से संबन्धित आपत्ति यह है कि शासन द्वारा अवमुक्त सभी मदों की धनराशि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक/वर्ष के दौरान उपभोग कर लिया जाना चाहिए । अथवा उक्त धनराशि को वापस कर दिया जाना चाहिए। किन्ही परियोजनाओं में अवशेष ही धनराशि को (ए0जी0) महालेखाकार की अनुमति के बिना अगामी वित्तीय वर्ष में उपभोग किया जाना चाहिए। परन्तु यैसा न कर अनियमितता व अनैतिक तथा अनाधिकृत रूप से अवशेष धनराशि को रोककर उसका न केवल दुरूपयोग किया जा रहा है। बल्कि नियमानुसार विकास कार्य को बाधित एवं श्रमिकों को रोजगार से वंचित भी रखा गया है। जो शासनादेश की मंशा के विपरीत है। इस अनिमितता हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–161 आलोच्य वर्ष 2015–16 में बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत निम्न कार्य कराये गये–

1. दौलतिया मन्दिर के पीछे से कीधीरियांव बस्ती होते हुए रामचौकी बार्डर तक सी0सी रोड़ का निर्माण।

उक्त कार्य के व्यय के सापेक्ष रू0 992970.50 जिसमे वणिज्य कर रू0 39718.00 के जमा प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। परिणामतः जमा की पुष्टि नही की जा सकी अतः उक्त धनराशि खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा गम्भीर अनिमितता की गयी हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–162 आलोच्य वर्ष 2016–17 में आयकर रू0 173259.00 एंव वाणिज्य कर रू0 308279.00 कुल रू0 481538. 00के सापेक्ष कोई भी जमा रशीद/प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष 2016–17 में

1.	इन्दिरा आवास	106852.00
2.	जी0डी0पी0डी0(प्रशिक्षण)	128000.00
3.	जी0डी0पी0डी0	175000.00
	योग–	409852.00

व्यय दर्शित है। उक्त के सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक,प्रशिक्षण सूची रजि0,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख का अभाव रहा। अतः व्यय अपुष्टित रहा। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत– सुईथाकला 2013–14

प्रस्तर–163 उत्तर प्रदेश बजट मैनुवल के अनुसार राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग योजना अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों को सम्बन्धित वर्षो की कार्ययोजनाओं विकास कार्यो पर व्यय कर क्षेत्रीय जनता को उसका लाभ पहुँचाया जाना चाहिये। जिसमें उसकी कार्ययोजना बनी हो तथा किसी भी परिस्थिीत में उपलब्ध धन को बैंक खातों मे अवरूद्ध कर नही रखा जाना चाहिए।

राज्य वित्त तेरहवां वित्त आयोग योजना,मनरेगा श्रमांश,पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि व सांसद निधि योजना की धनराशि निम्न विवरणानुसार बैंक खातों मे अवरूद्ध थी।

6.राज्य वित्त–	904920
7.तेरहवां वित्त–	3018221
8.मनरेगा श्रमांश–	129568
9.पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि–	1042350
10.सांसद निधि–	355849
योग–	**5050908**

रू0 5050908.00 राजकीय अनुदान को खाते में अवरूद्ध कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–164. आलोच्य वर्ष 2014–15 में मनरेगा श्रमांश पर रू0 2977342.10 व्यय किया गया है। लेकिन पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। अतः आकलन एम0बी0,कार्यवृत्ति प्रमाण पत्र व श्रमिक चिट्ठों का अवलोकन/समीक्षा नही किया जा सका। इस प्रकार रू0 2977342.10 मनरेगा श्रमांश व्यय सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त न होने से व्यय अनियमित प्रतीत होता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–165 मनरेगा प्रशासनिक मद में रू0 499840.00 व्यय किया गया है। लेकिन वेतन रजि0,लॉगबुक, तेल पर्ची व्यय पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार व्यय अपुष्टित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–166. राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त के अन्तर्गत रू0 904920.00 व रू0 3018221.00 व्यय किया गया है। लेकिन कोटेशन पत्रावाली,स्टाक रजिस्टर,एम0बी0 व स्टीमेट तथा अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख लेखाा परीक्षा में नही प्रस्तुत किया गया । अतः व्यय अपुष्टित रहा जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–167. सांसद निधि अन्तर्गत रू0 160275.00 व्यय है। लेकिन सम्बन्धित आकलन एम0बी0 व प्रमाणक अनुपलब्ध होने के कारण व्यय अपुष्टित रहा। जिसके लिए तत्काल खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–168 वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत निम्न मदों पर विववरण दर्शित है जबकि व्यय पुष्टि में प्रमाणक व अन्य आवश्यक अभिलेख अप्रस्तुत रहा।

मद	धनराशि
जमानत व्यय	33350
अल्प सिचाई मजदूरी	164510
पेयजल जागरूकता	25000
पेयजल प्रशिक्षण	56760
योग–	**279620**

उपरोक्त व्यय प्रमाणक के अभाव में अपुष्टित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर मण्डल का नाम–वाराणसी
क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां
क्षेत्र पंचायत– सुईथाकाला 2014–15

प्रस्तर–169. लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में राज्य वित्त संख्या– दिनांक 30.05.2014 को सूरापुर में खडण्जा पर निम्न प्रकार व्यय किया गया है।

(क)–उक्त कार्य पर रू0 143000.00 ईंट क्रय पर चंचल ईंट उद्योग को भुगतान किया गया हैं । लेकिन ईंट क्रय में कोटेशन/टेण्डर नही किया गया हैं इस प्रकार क्रय अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

(ख)– दिनांक 30.05.2014 को सूरापुर में खडण्जा निर्माण कार्य में रू0 38850.00 श्रमिकों को भुगतान किया गया है। श्रमिकों को भुगतान न कर कार्यप्रभारी को दिया गया है। जो अनियमित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–170. लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में राज्यवित्त से दिनांक 21.10.2014 को गैरवाह में खडन्जा मरम्मत पर निम्न प्रकार भुगतान किया गया है।

(क)–उक्त कार्य पर रू0 301600.00 ईंट क्रय कर अरविन्द इण्टर प्राईजेज को भुगतान किया गया है। लेकिन ईंट क्रय में कोटेशन/टेण्डर नही लिया गया है। इस प्रकार क्रय अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

(ख)–दिनांक 21.10.2014 को गैरवाह में खडन्जा मरम्मत कार्य में श्रमिकों को रू0 88660.00 भुगतान किया गया है। श्रमिकों को भुगतान न कर कार्यप्रभारी को दिया गया है। जो अनियमित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–171. लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में तेरहवें वित्त से कराये गये कार्यो पर भुगतान किया गया है। जिसमे सम्बन्धित आपत्तियां निम्न है–

(क)–दिनांक 10.04.2014 को सुईथाकला में पुलिया निर्माण कार्य में ईट क्रय क्रमशः रू0 24200.00 योग रू0 88000.00 एवं सीमेन्ट क्रय रू0 67090.00 एवं 45780.00 रू0 का भुगतान अरविन्द इण्टर प्राईजेज को किया गया हैं लेकिन उक्त सामग्री क्रय में कोटेशन/टेण्डर नही लिया गया है। इस प्रकार क्रय अनियमित रहा। उक्त के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

(ख)– दिनांक 22.05.2014 को सुईथाकला में खडन्जा मरम्मत कार्य में श्रमिकों को रू0 26980.00 एवं 121000.00 ईट क्रय का भुगतान अरबिन्द इण्टर प्राईजेज को किया गया है। श्रमिकों को भुगतान न कर भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है। जो अनियमित है। ईट क्रय में कोटेशन/टेण्डर नही लिया गया है। इस प्रकार क्रय अनियमित रहा। उक्त के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है।

(ग)–दिनांक 01.10.2014 को गैरवाह में खडन्जा मरम्मत कार्य पर रू0 303992.00 ईट क्रय पर जमा अरविन्द इण्टर प्राईजेज को किया गया है। एवं उक्त कार्य पर श्रमिकों को 153522.00 का भुगतान किया गया हैं । श्रमिकों को भुगतान न कर कार्यप्रभारी को अनियमित रूप से किया गया है। ईट क्रय में कोटेशन/टैण्डर नही लिया गया है। इस प्रकार क्रय अनियमित रहा। उक्त के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–172. मनरेगा अन्तर्गत प्रशासनिक मद में डीजल क्रय का भुगतान क्रमशः 8970.00 रू0 एवं 11828.00 रू0 किया गया है। उक्त की पुष्टि हेतु लागबुक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उक्त भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–173. बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत रू0 1037691.00 व्यय किया गया है उक्त व्यय की गयी धनराशि के सम्बन्ध में कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे व्यय के वास्तविक होने व उददेश्यों की पूर्ति होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–174. आलोच्य वर्ष में युवक मंगल दल अन्तर्गत मानदेय रू0 10000.00व्ययकिया गया है। उक्त व्यय की गयी धनराशि के सम्बन्ध में कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत की गयी। जिससे व्यय के वास्तविक होने व उदेश्यो की पूर्ति होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–175. लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में अनुदान रजिस्टर द्वितीय के अनुसार राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त से वर्ष दौरान कराये गये समस्त कार्यों के सापेक्ष श्रमिकों को कुल रू0 1777599.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त धनराशि का भुगतान श्रमिकों के खाते में नहीं करके अनियमित रूप से कार्य प्रभारी का किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–176. लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 के अनुदान रजिस्टर द्वितीय अनुसार राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त से कराये गये समस्त कार्यों के सापेक्ष सामग्री पर कुल रू0 4821870.00 का भुगतान किया गया है। उक्त धनराशि पर 4 प्रतिशत बिक्री कर रू0 192874.80 आयकर /टी0डी0एस 2.24 प्रतिशत रू0 108008.98 को अनुदान पंजिका तृतीय पर अनुदान पंजिका द्वितीय में अंकित नहीं किया गया है। उक्त कटौती से प्राप्त आय को बैंक/कोषागार में जमा करने से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
विवरण निम्न प्रकार है–

क्रमांक	**दिनांक**	**क्रय सामग्री**	**धनराशि रू0 में**
1	10.04.2014	ईंट क्रय	24200.00
2	10.04.2014	सीमेन्ट क्रय	67090.00
3	10.04.2014	ईंट क्रय	88000.00
4	10.04.2014	सीमेन्ट क्रय	45750.00
5	10.04.2014	ईंट क्रय	121000.00
6	22.05.2014	ईंट क्रय	100000.00
7	22.05.2014	ईंट क्रय	15950.00
8	22.05.2014	सीमेन्ट क्रय	28500.00
9	30.05.2014	ईंट क्रय	165000.00
10	01.10.2014	ईंट क्रय	303992.00
11	01.10.2014	ईंट क्रय	158420.00
12	01.10.2014	ईंट क्रय	268060.00
13	01.10.2014	ईंट टाइल्स क्रय	354225.00
14	25.11.2014	ईंट टाइल्स क्रय	128291.00
15	25.11.2014	ईंट टाइल्स क्रय	126750.00
16	25.11.2014	ईंट टाइल्स क्रय	384959.00
17	25.11.2014	ईंट क्रय	235495.00
18	25.11.2014	ईंट क्रय	295750.00
19	09.02.2015	ईंट क्रय	462500.00
20	20.05.2014	ईंट क्रय	143000.00
21	21.10.2014	ईंट क्रय	185016.00
22	21.10.2014	ईंट क्रय	301600.00
23	25.11.2014	ईंट क्रय	386750.00
24	09.02.2014	ईंट क्रय	431542.00
		कुल योग	**4821870.00**

प्रस्तर–177. आलोच्य वर्ष 2014–15 में ग्राण्ट रजिस्टर व पत्रावली के अनुसार राज्य वित्त, तेरहवें वित्त से निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं।

कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय
1–खडन्जा निर्माण कार्य बांधगांव	386750.00 ईंट क्रय
2–खडन्जा निर्माण कार्य गंगौली	126750.00 ईंट क्रय
3–नाली निर्माण कार्य सुरनाकला	28500.00 सीमेन्ट एवं बालु क्रय
योग–	542000.00

उपरोक्त क्रय में कोटेशन/टेण्डर नियम का पालन नहीं किया गया है। स्टाक रजिस्टर में भी प्रविष्टि नहीं की गयी है। उपभोग प्रमाण पत्र भी नहीं बनाया गया है। इस प्रकार कुल रू0 542000.00 क्रय अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत– केराकत 2013–14 से 2014–15

प्रस्तर–178. आलोच्य वर्ष 2013–14 व 2014–15 में दिनांक 22.03.2013 में रू0 67500.00, दिनांक 06.09.2013 रू0 42600.00 ,दिनांक 25.04.2015 में रू0 66768.00, दिनांक 25.04.2015 में 11696.00 में कुल रू0 288564.00, मजदुरी का भुगतान सहायक विकास अधिकारी (सा0) को किया गया है। सहायक विकास अधिकारी(सा0) द्वारा श्रमिकों

को मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है। मजदुरी का प्रमाणक जो प्रस्तुत किया गया वह विकास खण्ड कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं था। श्रमिक चिठठा जो प्रस्तुत रहा वह पुर्णतया अपूर्ण था। मजदुरो का अंगुठा निशान/हस्ताक्षर नहीं था। श्रमिक चिठठों पर एम0बी0 का पृष्ठ कमांक नहीं था। श्रमिक चिठठे के साथ कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं था। इस प्रकार श्रमिक चिठठों पर भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए सहायक विकास अधिकारी(सा0) व लेखाकार उत्तरदायी हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–179. दिनांक 25.02.2015 में चेक न0 70250 से जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 तक कुल 12 माह के मानदेय प्रमुख को भुगतान रू0 36000.00 किया गया है । लेकिन दिनांक 02.03.2015 में चेक सं0 000116 से दिसम्बर 2013 से दिसम्बर 2014 तक बढा हुआ (एरियर मानदेय) मानदेय का भुगतान रू0 52000.00 किया गया है। मानदेय अवशेष एरियर भुगतान का आदेश लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार रू0 52000.00 आदेश व स्वीकृत के अभाव में एरियर मानदेय का भुगतान अनियमित है। जिसके लिए प्रमुख उत्तरदायी है। प्रमुख से रू0 52000.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर–180. शासनादेश संख्या ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010, दिनांक 31.03.2012 के अनुसार बैंक में जमा राजकीय अनुदान की धनराशि पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा इसे राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा। लेखा परीक्षा में योजनावार/बैंकवार /पासबुकें/स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अनुदान जमा के सापेक्ष अर्जित ब्याज की धनराशियों का बोध नहीं हो सका। दिनांक 31 मार्च 2015 को ग्रण्ट रजिस्टर के अनुसार रू0 769678.00 ब्याज शेष है। राजकीय अनुदान पर बैंक से प्राप्त ब्याज की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से कराते हुए प्राप्त ब्याज को राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–181. आलोच्य वर्ष 2014–15 में निम्नविवरणानुसार व्यय किया गया हैः–

कमांक	**मद**	**धनराशि**
1	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन जमानत राशि	35000.00
2	युवक मंगल दल प्रोत्साहन राशि	2000.00
3	इंदिरा आवास प्रशासनिक मद	41429.00
	कुल योग	**78429.00**

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन जमानत राशि प्राप्ति में 385 रसीद प्रस्तुत नहीं रही। जमानत राशि वापस हेतु आख्या व आदेश अप्राप्त रहा। युवक मंगल दल प्रोत्साहन राशि व इंदिरा आवास प्रशासनिक मद में रू 78429.00 व्यय की पुष्टि में प्रमाणक का अभाव रहा। अतः अनुदान व्यय अपुष्टित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–182. दिनांक 20.09.2014 में श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ सहायक को रू0 6000.00 दिनांक 25.02. 2015 में रू0 92711.00 निर्माण का भुगतान विकास खण्ड कार्यालय मरम्मत हेतु किया गया था लेकिन पुष्टि में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार प्रमाणक के अभाव में भुगतान फर्जी प्रतीत होत है। रू0 60000.00+ रू0 52711.00=रू0 152611.00 श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव , कनिष्ठ सहायक से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–183. नियमानुसार सामग्री क्रय में 4 प्रतिशत वैट व 2.24 प्रतिशत आयकर की कटौती की जानी चाहिए लेकिन निम्नविवरणानुसार सामग्री क्रय पर कटौती नहीं की गयी है।

कमांक	कार्य का नाम	सामगी क्रय
1	मकसुद के घर से चौमुहानी गुफरान के चक तक नाली	538570
2	पिच रोड से मिठईलाल के घर तक	461329
3	बरगद खडन्जा से पप्पू के घर तक मिट्टी रोलिंग	135504
4	मोहनराय के घर से संजय नगर पकड़ी बाबा तक मिट्टी खडन्जा	445709
5	राम अचकल यादव के चक से जफर अली तक नाली निर्माण	1036569
6	ओमकार के घर से प्रा0स्कूल तक मिट्टी खडन्जा	513281
7	पिगरी लिंक रोड़ से लालता के घर तक खडन्जा	437146
8	पी0डब्लू0डी0 रोड़ से काशीनाथ यादव के घर तक मिट्टी/खडन्जा	156468
9	लक्ष्मी शंकर के घर से अजोरपुर सरहद तक मिट्टी/खडन्जा	731328
10	केराकत पेसारा पिचरोड़ से मुसहर बस्ती होकर राम लोचन व चन्द्रबली के घर तक मिट्टी/खडन्जा	497250
11	कल्पनाथ के खेत से रामधनी के घर तक खडन्जा	736320
12	जय गोपालगंज से बेलहरी रोड़ से विधुत पोल के निकट पिचरोड़ तक मिट्टी/खडन्जा	383520
13	मनिकराज के घर तक मिट्टी/खडन्जा	248508
		6321502

इस प्रकार कुल सामग्री रू0 6321502.00 क्रय पर बिक्री कर रू0 252860.00 व टी0डी0एस0 रू0 141981.00 की कटौती न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–184. .क्षेत्र पंचायत में प्राप्त अनुदान को उसी वर्ष कार्ययोजना के अनुरूप उपभोग कर दिया जाना चाहिए लेकिन ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.2016 कुल रू0 4720856.00 खातें में शेष रहा। इस प्रकार राजकीय अनुदान की धनराशि को अवरूद्ध कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत– करंजाकला 2013–14 से 2016–17

प्रस्तर–185. वर्ष 2013–14 में निर्माण कार्यो पर अंकन रू0 127688.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न कर कार्य प्रभारी अतुल कुमार मिश्र व देवेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी को रू0 127688.00 का भुगतान कर दिया गया है, और पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये । उन पर मस्टररोल न0 अंकित नही है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगुठा निशान है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदुर किस गांव के है यह भी उल्लेख नही है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद मे अंकन रू0 127688.00 का वर्ष 2013–14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–186. लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में निर्माण कार्यो पर अंकन रू0 205857.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरो को न कर कार्यप्रभारी देवेन्द्र सिंह व अतुल मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी को रू0 205857.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलीयों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल न0 अंकित नही है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नही हैं। और जो अंगूठा निशान है वह प्रमाणित नही है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नही है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद मे अंकन रू0 205857.00 का वर्ष 2014–15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–187. लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में निर्माण कार्यो पर अंकन रू0 471202.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरो को न कर कार्यप्रभारी को रू0 471202.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलीयों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल न0 अंकित नही है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नही हैं। और जो अंगूठा निशान हैं, वह प्रमाणित नही है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नही है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है, और मजदूरी मद मे अंकन रू0 471202.00 का वर्ष 2015–16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–188. लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में निर्माण कार्यो पर अंकन रू0 931025.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरो को न कर कार्यप्रभारी श्री प्यारे लाल ग्राम विकास अधिकारी को रू0 931025.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलीयों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल न0 अंकित नही है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नही हैं। और जो अंगूठा निशान हैं, वह प्रमाणित नही है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नही है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद मे अंकन रू0 931025.00 का वर्ष 2016–17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–189. वर्ष 2013–14 में सामग्री में श्रमांश प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 23863.00 की टी0डी0एस0(2. 24 प्रतिशत) आयकर एवं 4 प्रतिशत वैट कटौती गयी है। उक्त के जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/चालान/दाखिल रिर्टन उपलब्ध नही कराये गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–190. वर्ष 2014–15 में सामग्री में श्रमांश प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 34890.00 की टी0डी0एस0(2. 24 प्रतिशत) आयकर एवं 4 प्रतिशत वैट कटौती गयी है। उक्त के जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/चालान/दाखिल रिर्टन उपलब्ध नही कराये गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–191. वर्ष 2015–16 में सामग्री में श्रमांश प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 69373.00 की टी0डी0एस0(2.24 प्रतिशत) आयकर एवं 4 प्रतिशत वैट कटौती गयी है। उक्त के जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/चालान/दाखिल रिर्टन उपलब्ध नही कराये गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–192. वर्ष 2016–17 में सामग्री में श्रमांश प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 116268.00 की टी0डी0एस0(2.24 प्रतिशत) आयकर एवं 4 प्रतिशत वैट कटौती गयी है। उक्त के जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/चालान/दाखिल रिर्टन उपलब्ध नही कराये गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–193. लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार कुल व्यय रू0 11671903.00 दर्शित है। जबकि उक्त वर्ष में रू0 509759.00 का फाइल एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में प्राप्त रहा। इस प्रकार अलोच्य वर्ष 2013–14 में रू0 11162144.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई बिल बाउचर/पत्रावली/फाइल लेखा परीक्षा में प्राप्त नही रहा। तदानुसार उक्त धनराशि इस अनियमितता के लिए अपुष्ट रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–194 लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार कुल व्यय रू0 10156300.00 दर्शित है। जबकि उक्त वर्ष में रू0 764479.00 का फाइल एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में प्राप्त रहा। इस प्रकार अलोच्य वर्ष 2014–15 में रू0 9391821.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई बिल बाउचर/पत्रावली/फाइल लेखा परीक्षा में प्राप्त नही रहा। तदानुसार उक्त धनराशि इस अनियमितता के लिए अपुष्ट रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयूक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–195 लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार कुल व्यय रू0 11188065.00 दर्शित है। जबकि उक्त वर्ष में रू0 1560603.00 का फाइल एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में प्राप्त रहा। इस प्रकार अलोच्य वर्ष में रू0 10027462.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई बिल बाउचर/पत्रावली/फाइल लेखा परीक्षा में प्राप्त नही रहा। तदानुसार उक्त धनराशि इस अनियमितता के लिए अपुष्ट रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–196 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार कुल व्यय रू0 4053276.00 दर्शित है। जबकि उक्त वर्ष में रू0 2822408.00 का फाइल एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में प्राप्त रहा। इस प्रकार अलोच्य वर्ष में रू0 1230868.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई बिल बाउचर/पत्रावली/फाइल लेखा परीक्षा में प्राप्त नही रहा। तदानुसार उक्त धनराशि इस अनियमितता के लिए अपुष्ट रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–197 शासनादेश संख्या–I–1–122/दस–2012–10(33)/120 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार अनुदान को राष्ट्रीय कृत बैंक में खाता खोलकर रखा जाना चाहिए तथा खातों का प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है। जिसे नियमानुसार राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में निम्न ब्याज प्राप्त हो चुका है।

वर्ष	प्राप्त ब्याज की धनराशि (रू0)
2013–14	167971
2014–15	254084
2015–16	214611
2016–17	58417
योग	**695083**

कुल ब्याज से प्राप्त रू0 695083.00 सरकार को वापस न कर खाते में अवरूद्ध रखा गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयूक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–198– आलोच वर्ष 2013–14 में जल परीक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण व्यय हेतु रू0 60960.00 रहा।किन्तु जल परीक्षण के सन्दर्भ में कोई भी संख्यात्मक व अभिलेखिय विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार उक्त व्यय अपुष्टि रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–199 आलोच वर्ष 2014–15 में जल परीक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण व्यय हेतु रू0 40000.00 रहा। किन्तु जल परीक्षण के सन्दर्भ में कोई भी संख्यात्मक व अभिलेखिय विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार उक्त व्यय अपुष्टि रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–200 आलोच्य वर्ष 2015–16 में आलमारी क्रय में रू0 3000.00 व्यय किया गया। लेकिन जो बिल बाउचर प्रस्तुत किया गया उसमे टिन न0 अंकित नही था। इसे स्टाक रजि0 में भी नही दिखाया गया। इस प्रकार उक्त व्यय अपुष्ट रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–201 आलोच्य वर्ष 2013–14 में निम्न मदों में अनुदान व्यय किया गया है। लेकिन व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नह किया गया हैं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर अभिलेख के सम्बन्ध में अनभिज्ञता व्यक्त की गयी।

मद का नाम	व्यय की धनराशि
1.पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	86504
2.राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	119500
योग–	206004

कुल व्यय रू0 206004.00 अपुष्टित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–202 आलोच्य वर्ष 2014–15 में निम्न मदों में अनुदान व्यय किया गया है। लेकिन व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया हैं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर अभिलेख के सम्बन्ध में अनभिज्ञता व्यक्त की गयी।

मद का नाम	व्यय की धनराशि
1.बायोगैस अनुदान की राशि	4770
2.क्षेत्र निधि खाते पर प्राप्त ब्याज	4975
3. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	1574029
4.इन्दिरा आवास योजना (प्रशा0मद)	123995
5.युवक मंगल दल प्रोत्साहन धनराशि	10000
	1717769

कुल व्यय रू0 1717769.00 अपुष्टित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–203 आलोच्य वर्ष 2015–16 में निम्न मदों में अनुदान व्यय किया गया है। लेकिन व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया हैं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर अभिलेख के सम्बन्ध में अनभिज्ञता व्यक्त की गयी।

मद का नाम	व्यय की धनराशि
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	635600
2.इन्दिरा आवास योजना (प्रशा0मद)	297634
3. पंचायत निर्वाचन ड्यूटि मानदेय	26784
4 पंचायत निर्वाचन बूथ निर्माण (2015)	26784
5.पंचायत निर्वाचन टेन्ट हाउस (2015)	25000
योग–	1011802

कुल व्यय रू0 1011802.00 अपुष्टित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–204 आलोच्य वर्ष 2016–17 में निम्न मदों में अनुदान व्यय किया गया है। लेकिन व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया हैं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर अभिलेख के सम्बन्ध में अनभिज्ञता व्यक्त की गयी।

मद का नाम	व्यय की धनराशि
1. जल परीक्षण	26000
2. बायोगैस	7000
3. बी0आर0जी0एफ0	104085
4 .युवक मंगल दल	2000
5.सोसल आडिट	8000
आई0पी0पी0ई0 ट्रेनिंग	119912
ग्राम प्रधान प्रशिक्षण धनराशि	430521
इन्दिरा आवास योजना (प्रशा0मद 75417	
योग–	772935

कुल व्यय रू0 772935.00 अपुष्टित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत– केराकत 2015–16– व 16–17

प्रस्तर–205 वर्ष 2015–16 व 2016–17 में निर्माण कार्यो पर क्रमशः अंकन रू0 1649621.00 व रू0 186794.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान किया गया है। पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल पर निर्गत नं0 के साथ दिनांक अंकित नही है। व मजदूरों के गांव का उल्लेख नही है। मजदूरों का मजदूरी भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है। जो

नियमानुसार नही है। इससे प्रतीत होता है कि मजदूरी में कुल रू0 1836415.00 का भुगतान अनियमित किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–206 आलोच्य वर्ष में सामग्री मद में कुल रू0 8098072.00 भुगतान में से रू0 1934466.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म को निर्गत दर्शित है। किन्तु बैंक खाते अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति खातें में है।

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
070263	25.04.2015	290656	टाप ईट उद्योग	टी0आर0
		83871		
070267	25.04.2015	63218	एस0एस0ईंट उद्योग	टी0आर0
070270	25.04.2015	232525	गौरव ईंट उद्योग	टी0आर0
		146781		
082392	28.08.2015	273943	मां वैष्णों ईट भट्ठा	टी0आर0
082406	07.09.2015	143294	गिरिजा ईंट उद्योग	टी0आर0
070274	06.06.2015	11170	एस0एस0ईंट उद्योग	टी0आर0
070276	06.06.2015	59170	गौरव ईंट उद्योग	टी0आर0
		27455	जय मां दुर्गा बिल्डिंग मैटेरियल	धमेन्द्र
087390	11.04.2016	154798	एस0के0एस0ईंट उद्योग	टी0आर0
087391	11.04.2016	166116	राजपूत बिल्डिंग मैटैरियल	धमेन्द्र
087364	05.01.2016	69024	जय मां दुर्गा बिल्डिंग मैटेरियल	टी0आर0
087376	30.03.2016	159789	जय मां दुर्गा बिल्डिंग मैटेरियल	टी0आर0
087367	11.01.2016	52656	जय मां दुर्गा बिल्डिंग मैटेरियल	टी0आर0
	योग–	**1934466**		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 1934466.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है। किन्तु चेक का भुगतान सम्बन्धित को नही हुआ है। जो बैक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार सामग्री मद में रू0 1934466.00 का अनियमित भुगतान किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–207 आलोच्य वर्ष में विकास खण्ड केराकत में फ्लोर टाईल्स तथा डैडों कार्य हेतु श्री संन्तोष कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ सहायक को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। तथा निर्माण कार्य पर निम्नविवरणनुसार सम्बन्धित पक्ष को न करके कार्यप्रभारी को किया गया है।

जायसवाल हार्डवेयर एण्ड सेनेटरी–	145619
जय मां दुर्गा बिल्डिंग मैटेरियल–	23062
आर0के0प्लाई एण्ड ग्लास सेन्टर–	2500
मस्टररोल 147 –	4340
योग–	**175551.00**

उपरोक्त विवरण के अनुसार चेक संख्या 070277 दिनांक 06.06.2015 से रू0 175551.00 कार्यप्रभारी को भुगतान किया गया है। जो सम्बन्धित को नही कर अनियमित भुगतान किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–208 लेखा परीक्षा वर्ष में विकास खण्ड केराकत में चैनल गेट बिजली वायरिंग, साईन बोर्ड आदि कार्यो पर रू0 106108.00 का भुगतान चेक संख्या 070280 दिनांक 12.06.2015 रू0 93308.00 चेक सं0 082387 दिनांक 28.08.2015 रू0 12800.00 से सम्बन्धित को न कर कार्यप्रभरी श्री संन्तोष कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ सहायक को किया गया है। जो अनियमित है जिसके लिए कार्यप्रभारी,खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–209 आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राण्ट रजिस्टर–3 के अनुसार राज्य वित्त व तेरहवां वित्त अन्तर्गत व्यय रू0 2085318.00 हैं। जबकि पत्रावली अवलोकन व तालिका दो के अनुसार व्यय रू0 1217056.00 है। इस प्रकार रू0 868262.00 व्यय का अन्तर रहा जो पत्रावली के अभाव में अपुष्टित व अनियमित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत– बक्शा 2013–14 से 2016–17

प्रस्तर–210 कार्य का नाम– बेलापार में खडन्जा से प्राईमरी स्कूल बेलापार तक खडन्जा निर्माण बबूरा में धमेन्द्र के घर से पिच रोड़ तक खडन्जा कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 में मजदूरी पर 14821.00 व्यय किया गया है। खडन्जा कार्य की मजदूरी पर 14821.00 रहा, जो रूप पत्र 41 पर मजदूरों की संख्या और कितने दर से कार्य किया। कितने मजदूर

सामान्य रहे और कितने अनुसूचित जाति के व कितने महिला मजदूर रहे,इसका कोई विवरण व प्रमाण पत्र व हस्ताक्षर नही पाया गया । जो गम्भीर अनियमितता किया गया। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से मस्टररोल निर्गत नही है। मजदूरी का भुगतान प्रभारी को किया गया है, जो अनियमित है। जबकि मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए। कार्य का तकनीकि,प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति नही है। अनियमित भुगतान 14821.00 के लिए बी0डी0ओ0 व लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

प्रस्तर–211 कार्य का नाम –मोहम्मदपुर में वंशराज के घर से बबलू के घर तक खडन्जा निर्माण वित्तीय वर्ष 2016–17 में परिर्वतित परियोजना– सराय त्रिलोकी में राजेश शुक्ला के घर से नारायणपुर सरहद तक खडन्जा कार्य

वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय की गयी धनराशि मजदूरी पर रू0 42353.00 व्यय किया गया। खडन्जा कार्य में कुल रू0 330403.00 रहा। जिसका स्टीमेट कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर मजदूरों की संख्या, कितने दर से कार्य किया, मजदूरों का हस्ताक्षर कितने मजदूर सामान्य रहें, और कितने अनुसूचित जाति के, कितने महिला मजदूर रहें। इसका कोई विवरण प्रमाणपत्र नही पाया गया। जो गम्भीर अनियमितता किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से मस्टररोल निर्गत नही है। कार्य का वित्तीय व प्रशासनिक और तकनीकि स्वीकृति नही है। मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभार ी को किया गया है। जो अनियमित है। जबकि मजदूरों के खाातों मे किया जाना चाहिये। अनियमित भगतान 42353.00 के लिए बी0डी0ओ0 ,कार्यप्रभारी,लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिये।

प्रस्तर–212 मोहम्मदपुर मे सफिक के घर से मस्जिद होते हुए बेलाल के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 तेरहवां वित्त से खर्च।

वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में तेरहवां वित्त से खर्च की गयी है। धनरशि मजदूरी पर कुल रू0 22473.00 रहा। जो मस्टररोल पर कितने मजदूर कार्य किये कितने दर से कार्य किये मजदूरों का हस्ताक्षर नही रहा। सामान्य मजदूर कितने रहे अनुसूचित जाति के व महिला मजदूरों की संख्या क्या रही जो कोई विवरण व प्रमाण पत्र नही पाया गया । जो अनियमित है। मजदूरों का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया। जबकि मजदूरों के खातों मे किया जाना चाहिये। अनियमित भुगतान 22473.00 के लिये कार्यप्रभारी , खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–213. 27.02.2013 में वर्ष 2013–14 की लेखा परीक्षा में फाइल न0 11 परियोजना का नाम भिवराहां में दक्षिण की ओर से आशोक के बाग (दक्षिण तक खडन्जा निर्माण में व्यय)वर्ष 2013 की लेखा परीक्षा में फाइल न0 11 अवलोकन समय बाउचर न0 228 में मे0 राजबहादुर यादव ईंट भट्ठा ग्राम व पोस्ट बिरसादपुर जौनपुर से ईट क्रय मात्रा प्रथम श्रेणी 47500 दर 5500 से खरीद किया गया है। बाउचर में मूल्य 266750.00 भुगतान दिखाया गया हैं जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार रू0 261250.00 होता है। अन्तर 5500 अधिक भुगतान दर्शित है। इस प्रकार लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी से अधिक भुगतान वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–214 निर्माण कार्य प्रत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि पहले कार्य का नाम गोरियापुर में विजय यादव के घर से खडन्जा वित्तीय वर्ष 2016–17 था बाद में परिवर्तित परियोजना चकपटैला भौरोपुर में रतिराय के मशीन से भैरो सरहद खडन्जा क्रय वित्तीय वर्ष 2016–17 पर व्यय किया गया है। विचलन अनियमित है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में की गयी धनराशि मजदूरी पर 31519.00 व्यय किया गया है। जो कुल मानव दिवस में कितने मजदूर सामान्य रहे और कितने अनुसूचित जाति के व कितने अनुसूचितजन जाति के व महिला मजदूर रहे, इसका कोई विवरण व प्रमाण पत्र नही पाया गया । भुगतान की तारीख भी नही रहा। निरीक्षण किस तारीख को हुआ पुष्टि में हस्ताक्षर नही पाया गया। और कार्य स्थल का नाम और कार्य प्राराम्भ होने की तिथि स्वीकृति अनुदान की धनराशि क्या थी का प्रमाण पत्र न होने से गम्भीर अनियमितता किया गया है।जो अनियमित कार्य का तकनीकि,प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति भी नही थी। अनियमित भुगतान 31519.00 के लिए कार्यप्रभारी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–215. निर्माण कार्य पत्रावली के से पता चला की कार्य का नाम ब्राम्हणपुर बरखण्डी में साधन सहकारी समिति के पास सुलभ शौचालय निर्माण वित्तीय वर्ष 2016–17 तेरहवां वित्त से था, बाद में कार्य परिवर्तित कर बेलापार के मुसलमान बस्ती में पक्की नाली पर भुगतान दर्शित है। विचलन अनियमित रहा।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय की गयी धनराशि मजदूरी पर रू0 835620.00 है। भुगतान में मानव दिवस में कितने मजदूर सामान्य रहे और कितने अनुसूचित जाति के व कितने महिला मजदूर रहे, इसका कोई विवरण व प्रमाण पत्र नही पाया गया । निरीक्षण किस तारीख को हुआ नही रहा। मस्टररोल में कार्य स्थल का नाम व कार्य प्राराम्भ होने की तिथि तथा समाप्ति तिथि क्या थी नही था। कार्य का तकनीकि,प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति भी नही था। इस प्रकार भुगतान अनियमित है। अनियमित भुगतान 83562.00 के लिए कार्यप्रभारी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–216 कार्य का नाम– रमईगंज पिच रोड़ से चौहान बस्ती होते हुए बेदुआ पिच रोड़ तक खडन्जा कार्य दिनांक 10.10.2013 से 22.10.2013 तक काम में लगे मजदूरों की संख्या 16 मास्टररोल पर दिखाया गया है। पर 14 मजदूर 12–12 दिन कार्य किये और दो मजदूर 11–11 दिन कार्य किये कुल दिन 190 लिखा गया जिसमें कुशल मजदूर का दैनिक दर 200 है। जो चार मजदूर लगे है और अकुशल मजदूर 12 है। जिसका दैनिक दर 142 की दर से अर्द्ध कुशल का भुगतान की गयी धनराशि रू0 9600.00 और अकुशल मजदूर का भुगतान 201164.00 जो कुल योग

210764.00 मस्टरोल पर दर्ज है। कार्य का तकनीकि प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति नही है। श्रमिक चिट्ठों पर मजदूरों का हस्ताक्षर न होने से भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। इस प्रकार 210764.00 भुगतान कार्य फर्जी है। जिसके लिए कार्य प्रभारी,बी0डी0ओ0, लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर–217 वर्ष 2013–14 के लेखा परीक्षा में यह देखने को प्राप्त हुआ कि खण्ड के तृतीय रजि0 में निम्न मदों हर माह से पिछले वर्षो से चली आ रही धनरशि को दर्शाया जा रहा है। पुष्टि में बैंक पासबुक पुष्टि प्रमाण पत्र देखने को नही प्राप्त हुआ निम्नविवरणानुसार धनराशियां अपुष्टि रही–

क0सं0	मद का नाम	अवशेष धनराशि
1	विविध प्राप्तियां	138350
2	क्षेत्र निधि ब्याज	77552.91
3	राज्य वित्त ब्याज	743093.47
4	मनरेगा ब्याज	392676.63
5	निर्धूम चूल्हा	101
6	उठाऊ चूल्हा	1730
7	बायोगैंस इन्सेटिव	570
8	डीजल	12.85
9	पिछड़ी जाति सर्वेक्षण मानदेय	.30
10	जनप्रतिनिधि मानदेय	9900
11	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	28700
	योग–	1392687.16

पुष्टि प्रमाण के अभाव में योग रू0 1392687.16 धनराशि की अनियमितता बी0डी0ओ0,लेखाकार द्वार की गयी है। अवशेष धनराशि को सम्बन्धित प्रदायकर्ता को धनराशि वापस की जानी चाहिये।

प्रस्तर–218 कार्य का नाम– ग्राम पंचायत मई में चन्द्रशेखर मिश्रा (पुलिया) के घर से (पुलिया) मदन के घर तक पक्की नाली, वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 तेरहवां वित्तीय वर्ष से खर्च।

वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में मजदूरों पर व्यय 16859.00 किया गया है। पक्की नाली निर्माण में एम0बी0,मस्टररोल पर कितने मजदूर कार्य किये,कितने दर से कार्य किये,मजदूरों का हस्ताक्षर नही रहा,पक्की नाली में सामग्री पर क्या खर्च हुआ कोई विवरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही पाया गया। जो गम्भीर अनियमितता है। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से मस्टररोल निर्गत नही है। मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है। जो अनयिमित है। जबकि मजदूरों के खातें से किया जाना चाहिये। अनियमित भुगतान व सामग्री पर खर्च कुल रू0 93143.00 के लिए बी0डी0ओ0,कार्यप्रभारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–219 योजनाओं के अन्तर्गत रू0 (4168209.56)लाख अवरूद्ध रखना,

उत्तर प्रदेश मैनुअल के अनुसार राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग योजना अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों को सम्बन्धित वर्षो की कार्ययोजनाओं,विकास कार्यो पर व्यय कर क्षेत्रीय जनता को इसका लाभ पहुचाया जाना चाहिये। निर्माण कार्यो को उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना चाहिये। जिसमें उसकी कार्ययोजना बनी हो तथा किसी भी परिस्थिती में उपलब्ध धन को बैंक खातों में अवरूद्ध कर नही रखा जाना चाहिये। राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग योजना बी0आर0जी0एफ0 योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान एवं उनके व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया की वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित धनराशि दिनांक 31.03.2016 को अनुदान पंजिका भाग–3 के अनुसार बैंक खातों मे अवरूद्ध थी। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं0	योजना रू0 लाख में अवरूद्ध	धनराशि
1	राज्य वित्त आयोग योजना	39.62
2	तेरहवां वित्त आयोग योजना	0.79
3	बी0आर0जी0एफ0	0.05
4	मनरेगा योजना	0.13
5	क्षेत्र निधि खातों में ब्याज की राशि	1.02
	योग–	**4161209.56**

प्रस्तर–220 राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त आयोग योजना से एक से अधिक खाता संचालित कर रू0 105 लाख का अनियमित हस्तान्तरण कर व्यय किया गया है। नियमानुसार प्रत्येक योजना का एक खाता खोला जाना चाहिए। जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही खोला जाय।

क्षेत्र पंचायत–बक्शा जनपद जौनपुर के अनुदान पंजिका भाग–3 एवं बैक खातों/पासबुक की जांच में पाया गया की वित्तीय वर्ष 2015–16 (31 मार्च 2016) को यूनियन बैंक आफ इण्डिया के निम्न दो खातों मे जमा था। विवरण निम्नवत् है–

योजना का नाम	खाता संख्या एवं बैंक	जमा धनराशि
1.राज्य/तेरहवां वित्त आयोग योजना	40929 यू0बी0आई धनियां मऊ जौनपुर	3946500
2. राज्य/तेरहवां वित्त आयोग योजना	344774यू0बी0आई नौपेडवां जौनपुर	62908
	योग–	**4009408**

उर्पयुक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त धनराशियों को दो बैंक खातों में रखे जाने प्रकरण प्रकाश मे आया है। जबकि क्षेत्र पंचायत की तथा प्रत्येक योजना का एक ही खाता होना चाहिए। तथा क्षेत्र निधि/ योजनाओं के खाते विकास खण्ड मुख्यालय पर होना चाहिए। अग्रेतर जांच में पाया गया की शासन से राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रवित्त आयोग योजना की धनराशि यू0बी0आई0 धनियामऊ जौनपुर के खाते में प्राप्त की जाती है। तथा उसके उपरान्त उक्त खाते में यू0बी0आई नौपेडवां जौनपुर में हस्तानतरित की जा रही थी। विवरण निम्नवत् है–

चेक सं0	दिनांक	खाता संख्या 40929 यू0बी0आई धनियां मऊ मे आहरित धनराशि	खाता संख्या 374774 यू0बी0आई नौपेडवां मे जमा की गयी धनराशि
1	2	3	4
21030947	27.09.2013	7000000	7000000
21030960	28.03.2014	3500000	3500000
	योग–	10500000	

इस प्रकार रू0 10500000.00 का अन्तरण अनियमित रहा। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–221 शासनादेश संख्या– I–1–122/दस–2012–10(33)/20 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार राजकीय धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग के अनुमति से बैंक में बचत खातें खोलकर राजकीय धनराशि जमा की जानी चाहिए तथा जमा धनराशियों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होती है। तथा इसे राजकीय कोषागार/अनुदान दाता को वापस कर दिया जाना चाहिए। इस दृष्टि से समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया की विभिन्न मदों का ब्याज उक्त शासनादेश के नियमों की अवहेलना करते हुए परियोजनाओं पर व्यय किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है।

क0सं0	वर्ष	मद का नाम	व्यय ब्याज की धनराशि
1	2013–14	ब्याज क्षेत्र निधि	70720
2	2013–14	मनेरगा	418062.63
3	2013–14	तृतीय राज्य वित्त/तेरहवां वित्त	655210.91
4	2014–15	तृतीय राज्य वित्त/तेरहवां वित्त	200
5	2014–15	मनेरगा	10735
6	2014–15	खाते पर ब्याज	5082
		कुल योग–	**1160009.63**

इस प्रकार रू0 1160009.63 ब्याज अनियमित रूप से व्यय किया गया हैं । जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत– मडियाहूँ 2016–17

प्रस्तर–222नियमानुसार राजकीय अनुदान प्राप्त को उसी वर्ष कार्ययोजना बनाकर व्यय कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ग्राण्ट रजि0 तृतीय के अवलोकन से पता चला की दिनांक 31.03.2017 को रू0 6893750.00 अनुदान निम्नविचरणानुसार खाते मे अवरूद्ध है–

क0सं0	मद का नाम	धनराशि (रू0)
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	6732578
2	13वां/14वां वित्त आयोग	565
3	पिछड़ा ,क्षेत्र अनुदान निधि	31816
4	क्षेत्र निधि(बैंक ब्याज की धनराशि)	1516
5	जी0पी0डी0पी0योजना(प्रशिक्षण)	33650
6	तृतीय राज्य वित्त आयोग	8521
7	इन्दिरा आवास योजना(प्रशासनिक मद)	1085
8	नव निर्वाचिम ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	84019
	योग–	6893750

इस प्रकार दिनांक 31.03.2017 को रू0 6893750.00 खातों मे अवरूद्ध कर अनुदान दाताओं को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 –2)

प्रस्तर–223 शासनादेश संख्या– I–1–122/दस–2012–10(33)/20 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार अनुदान को राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर रखा जाना चाहिए। तथा खातों पर प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे नियमानुसार राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में रू0 16201.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। इस ब्याज को सरकार को वापस न कर खाते में अवरूद्ध रखा गया हैं । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0 –3)**

प्रस्तर–224 आलोच्य वर्ष 2016–17 में रू0 175920.00 नव निर्वाचित ग्राम प्रधान प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु व्यय किया गया है। लेकिन लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि में बिल बाउचर उपस्थित ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर व प्रशिक्षण कर्ता द्वारा प्रमाणित व्यय बाउचर अप्राप्त रहा। इससे व्यय अपुष्टित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0 –4)**

प्रस्तर–225 दिनांक 23.11.2016 को श्री विनोद कुमार चौबे, कैशियर को रू0 48000.00 मनदेय का भुगतान ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में दिखाया गया है। जबकि क्षेत्र पंयायत सदस्यों के मानदेय का भुगतान सम्बन्धित सदस्यों को चेक द्वारा किया जाना चाहिए था। भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक/बिल बाउचर मानदेय अनुपलब्ध रहा। अतः रू0 48000.00 व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–5)**

प्रस्तर–226 उत्तर प्रदेश सरकार बजट नियमावली के अनुसार रू0 20000.00 से रू0 100000.00 तक सामग्री क्रय पर कोटेशन तथा एक लाख से उपर सामग्री क्रय पर निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित सामग्री क्रय में कोटेशन/निविदा आमंत्रित न कर नियम का पालन नही किया गया है।

क्र0सं0	दिनांक	मद का नाम	सामग्री क्रय
1	09.11.2016	बिल्ड़िग मैटेरियल	150061
2	10.11.2016	ईंट क्रय	62894
3		योग–	212955

इस प्रकार रू0 212955.00 बिना कोटेशन/निविदा के सामग्री क्रय अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–6)**

प्रस्तर–227 पाली में पक्की सड़क से दयाराम कन्नौजियां के घर तक सी0सी0कार्य हेतु दिनांक 03.12.2016 को श्री साहब लाल यादव कार्यप्रभारी को मजदूरी का भुगतान रू0 80938.00 किया गया है। नियमानुसार मजूदरों को मजदूरी का भुगतान विकास खण्ड द्वारा निर्गत मस्टररोल पर किया जाना चाहिए। श्रमिक चिटठा क्षेत्र पंचायत कार्यालय द्वारा निर्गत नही है। श्रमिक चिट्ठा अधूरा हैं एम0बी0की पृष्ठ संख्या अंकित नही है। भुगतान प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर नही है, अतः भुगतान फर्जी हैं। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री साहबलाल यादव जिम्मेदार है। कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 –7)

प्रस्तर–228 नियामनुसार सामग्री क्रय पर 4 प्रतिशत वैट एवं 2.246 प्रतिशत टी0डी0एस0की काटौती किया जाना अनिवार्य है। लेकिन आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा समीक्षा में पाया गया की निम्नलिखित क्रय सामग्री पर वैट एवं टी0डी0एस0 काटौती कर प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। इसका विवरण निम्नवत् है–

क्रमांक	**कार्य का नाम**	**वित्त वर्ष**	**सामग्री क्रय(रू0)**	**वैट कटौती 4 प्रतिशत**	**टी0डी0एस0काटौती 2.246 प्रतिशत**
1	चकनथुआ में अर्जन राम के घर पिच रोड़ से ताजूददीनपुर शिव शंकर कन्नौजियां के घर पर खडन्जा मरम्मत कार्य	2016–17	258000	10320	5794
2	पाली में रजमलपुर सरहद से नवा बाग (पाली) मौर्य बस्ती तक खडन्जा कार्य	2016–17	316725	12669	7113
3	पाली में पक्की सड़क से दयाराम कन्नौजिया के घर तक सी0सी0रोड़ कार्य पर सामग्री क्रय	2016–17	255891	10235	5747
	योग–		**830616**	**33224**	**18654**

इस प्रकार कुल समागी क्रय रू0 830616.00 पर वैट रू0 33224.00 एवं टी0डी0एस0 रू0 18654.00 कुल रू0 51878.00 की कटौती कर जमा का प्रमाण पत्र क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रस्तुत नही किया गया हैं। जो गम्भीर अनियमितता है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0 –12)**

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत– खुटहन 2013–14 व 2014–15

प्रस्तर–229 नियमानुसार राजकीय अनुदान प्राप्त को उसी वर्ष कार्य योजना बनाकर व्यय कर दिया जाना चाहिय। लेकिन ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अवलोकन से पता चला की दिनांक 31.03.2015 को रू0 6353578.00 अनुदान खाते में अवरूद्ध रहा जो अनियमित हैं जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–230 शासनादेश संख्या– ।–1–122/दस–2012–10(33)/120 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार अनुदान को राष्ट्रीयकृत बैंक मे खाता खोलकर रखा जाना चाहिए। तथा खातों पर प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी । जिसे नियमानुसार राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में रू0 179115.00 ब्याज प्राप्त हुआ। इस ब्याज को सरकार को वापस न कर खाते में अवरूद्ध रखा गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–231 नियमानुसार सामग्री क्रय पर 4 प्रतिशत वैट एवं 2.246 प्रतिशत टी0डी0एस0की काटौती किया जाना अनिवार्य है। लेकिन आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा समीक्षा में पाया गया की निम्नलिखित क्रय सामग्री पर वैट एवं टी0डी0एस0 काटौती कर प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। इसका विवरण निम्नवत् है–

क्रमांक	कार्य का नाम	वित्त वर्ष	सामग्री क्रय (रू0)	वैट कटौती 4 प्रतिशत	टी0डी0एस0काटौते 2.246 प्रतिशत
1	ग्राम पंचायत पिलकिछा में मुन्ना सिंह के घर से सभाजीत सिंह के घर तक खडन्जा कार्य	2013–14	347727	13909	7810
2	ग्राम पंचायत मोलनापुर के ग्राम बस्ती बंदगान में पतुरिया तालाब से लालजी सिंह के चक तक पक्की नाला निर्माण	2013–14	438443	17537	9847
3	ग्राम पंयातय में पिलकिछा में पिलकिछ पट्टी रोड़ से कापसिया सरहद तक खडन्जा मरम्मत कार्य	2013–14	222750	8910	5002
4	ग्राम पंचायत इमामपुर के मुन्नालाल गुप्ता के घर से चूड़िहारा के गड्ढ़ा तक पक्की नाली का निर्माण	2014–15	78428	3137	1761
5	ग्राम पंचायत धिरौली नानकार (अकबरपुर) में पिच रोड़ से रूद्रप्रताप सिंह के घर होते हुए बच्चा मास्टर के घर तक खडन्जा कार्य	2014–15	293955	11758	6602
	योग–		**1381303**	**55251**	**31022**

इस प्रकार कुल सामग्री क्रय रू0 1381303.00 पर वैट रू0 55251.00 एवं टी0डी0एस0 रू0 31022.00 कुल रू0 86273.00 की कटौती क्षेत्र पंचायत द्वारा नही की गयी है। जो गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–232 ग्राण्ट रजिस्टर –11 के अधार पर राज्य वित्त/तेरवहवां वित्त में किये व्यय में श्रमांश व्यय का चेक कार्य प्रभारियों को दिया गया है। लेकिन आलोच्य वर्ष में पाया गया की निम्नलिखित कार्यो मे श्रमिक चिट्ठा,(मस्टररोल) पर श्रमिक हस्ताक्षर, का अभाव रहा। या कुछ कार्यो में मस्टरोल का अभाव रहा।

क्रमांक	कार्य का नाम	वित्त वर्ष	श्रमांश व्यय	विवरण
1	विकास खण्ड परिसर में पशु अस्पताल हेतु एक कच्छ निर्माण बाउंड्रीवाल पर प्लास्टर कार्य	2013–14	31800	मस्टररोल परहस्ताक्षर भुगतान दिनांक आदि का अभाव

2	ग्राम पंचायत नगहटी में रामदुलार की चक से सुरेन्द्र शर्मा की चक तक मिट्टी / खडन्जा कार्य	2013–14–फाइल में मस्टररोल संलग्न नही, जिससे मजदूरी का आकलन नही हो सका।		
3	ग्राम पंचायत खुटहन में हौसिला प्रसाद के घर के सामने ह्यूम पाईप पुलिया का निर्माण	2013–14	28350	मस्टररोल पर हस्ताक्षर का अभाव
4	ग्राम पंचायत तिसौली में कसियापार अहरपुर रोड़ से रामजनकी मन्दिर तक सोलिंग	2014–15	35100	मस्टररोल पर हस्ताक्षर का अभाव
5	ग्राम पंचायत घिरौली ननकार (अकबरपुर) में पिच रोड़ से रूद्र प्रताप सिंह के घर तक होते हुए बच्चा मास्टर के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य।	2014–15	47424	मस्टररोल पर हस्ताक्षर का अभाव
		योग	**142674**	

इस प्रकार श्रमांश भुगतान रू0 142674.00 संदिग्ध रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहिज वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर–233–आलोच्य वर्ष 2013–14 व 2014–15 से सम्बन्धित निर्माण मद में व्यय धनराशि के फलस्वरूप परिसम्पत्तियों के सृजन की पुष्टि में चल अचल सम्पत्ति विवरण पंजिका सार्वजनिक निर्माण पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण पत्र के अभाव में राज्य वित्त से सम्बन्धित व्यय धनराशि क्रमशः रू0 8940388.00 एवं रू0 7438103.00 की सम्यक पुष्टि नही होती है। उपरोक्त पुष्टि में प्रमाणक का अभाव रहा। आवश्यक अभिलेख के अभाव में व्यय अपुष्टित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहिज वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर–234–आलोच्य वर्ष 2014–15 में दिनांक 31.03.2015 को निम्न लिखित अनुदान की धनराशियां विगत वर्षो से शेष खाते में अवरूद्ध हैं। जिसे सम्बन्धित विभागों को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क0सं0	मद का नाम	धनराशि
1	बायो गैस	4776
2	निर्धूम चूल्हा	1730
3	ग्राम सभाओं को सक्रिय बनाने हेतु	11018
4	त्रिस्तरीय पंचायत की जमानत धनराशि	250
5	ए0डी0ओ (आई0एस0बी0)से वसूली धनराशि	4464
6	सम्पूर्ण स्वच्छता धनराशि	33
7	रा0ग्रा0रो0 योजना की धनराशि	101
8	प्रशासनिक मद की धनराशि	514
9	खाद्ययान ढुलाई की धनराशि	113588
	योग 136474	

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां
क्षेत्र पंचायत–शाहगंज वर्ष–2014–15

प्रस्तर–235 दिनांक 31.03.2015 को अनुदान पंजी के अनुसार रू0 477871.03 अनुदान की धनराशि अप्रयुक्त अवशेष दर्शित की गई है। नियमानुसार अनुदान की धनराशि का उपभोग सम्पत्ति वित्तिय वर्ष में अनिवार्यता कर लिया जाना चाहिये अन्यथा की स्थिति में इन्हे सम्बन्धित के पक्ष में वापस कर दिया जाना चाहिए। अपरिहार्य कारणों से यदि यैसा किया जाना सम्भव नही हो सका तो आगमी वित्तिय वर्ष में धनराशियों का उपभोग हेतु महालेखाकार से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिये किन्तु ऐसा न कर अनुदान की धनराशियों को सम्बधित पक्षों को वापस न करते हुए आगामी वर्षो में बिना महालेखाकार की अनुमति के मनमाने ढंग से उपभोग दर्शित कर गम्भीर अनियमितता की गई है । अनुदान की धनराशियां रोककर जहां एक तरफ विकास कार्यो को बाधित किया गया है। वही दुसरी तरफ श्रमिकों को भी रोजगार से वंचित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा अनुदान की धनरशियों को रोके रखकर राजकीय धन का दुरूपयोग किया गया है। तथा अगामी वित्तिय वर्षो में मनमाने ढंग से उसका उपभोग कर विकास कार्यो को बाधित करते हुये श्रमिकों को रोजगार से वंचित करके अनुदान का दुरूपयोग किया जा रहा है। दयित्व खण्ड विकास

अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–236 राज्य वित्त द्वारा परासिन में पी0डब्लू0डी0 रोड़ से पृथ्वी पथ के घर तक इन्टर लाकिंग कराया गया है। जिसके चके सं0 814341 दिनांक 19.12.2014 द्वारा रू0 19816.00 प्रभारी श्री संजय यादव ग्रा0 पं0 अ0 को भुगतान किया गया है। परन्तु म0रो0 देखने को नही मिला। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–237 तेरहवां वित्त से धौरइल में नहर से साहबुदीन के घर हेतु हुये त्रिभुवन यादव के यहां से होते हुये खडन्जा मरम्मत कराया गया है जिसके प्रभारी श्री अभयराज यादव है जिसमें निम्न आपत्तियां है।

1. दिनांक 06.07.2014 से 23.07.2014 तक मस्टररोल द्वारा 1141 एम0डी0 जिसकी कुल मजदुरी रू0 156 की दर से रू0 177996.00 होती है परन्तु भुगतान रू0 177926.00 किया गया है। रू0 70.00 कम भुगतान किया गया है।

2. एस0 विशाल ईट भट्ठा से 28 हजार ईट रू0 6490.00 की दर से रू0 181720.00 का क्रय किया गया है। जिसकी आयकर कटौती 2.24 प्रतिशत की दर से रू0 4070.00 नही काटकर राजकीय राजस्व की क्षति पहुचाई गयी है जिसकी पूर्ति संबन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से कराया जाना चाहिए।

प्रस्तर–238 निम्नलिखित सामग्री क्रय में आयकर कटौती नहीं किया गया है।

	कार्य	**धनराशि**
1.	परासिन में पी0डब्लू0डी रोड़ से भूपनरायन के घर तक खडन्जा मरम्मत।	3053
2	दानापुर में तिल्हु के घर से लारपुर सरहद तक खडन्जा मरम्मत।	1744
3.	बरंगी में जैगहा पिच से मुजल्मिल के घर तक पक्की नाली।	1835
4.	कोपा पिच से लालता यादव के घर से कृपाशंकर यादव के घर तक खडन्जा निर्माण।	2907
5.	पुरासरवन में विश्व बैंक रोड़ से मुजफ्फरपुर प्रा0वि0 तक खडन्जा मरम्मत	7996
6.	अर्गुपुर कला मुें बीबीपुर असिया पिच से हंसुयादव के चक तक खडन्जा मरम्मत	8141
7.	बरंगी में नरूद्दीनपुर अलीशेर के घर से विद्याधर के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु	33681
	योग	59357

इस प्रकार कुल रू0 59357.00 आयकर कटौती नही किया गया है। जिसके उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–239 आलोच्य वर्ष 2014–15 में मनरेगा प्रशासनिक व्यय पर रू0 3680820.00 व मनरेगा लघु सिंचाई पर रू0 54044.00 व्यय दर्शित है। लेकिन व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेखप्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं।याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत–रामपुर 2015–16 से 2016–17

प्रस्तर–240 आलोच्य वर्ष 2016–17 के दिनांक 22.11.2016 को नेफ्ट द्वारा ट्रेजरी आदेश संख्या 47380 के अन्तर्गत रू0 1143000.00 एवं इसी प्रकार दिनांक 31.03.2017 को भी रूपया 1143000.00 अर्थात कुल रू0 2286000.00 की धनराशि सम्बन्धित बैंक खातें में क्रेडिट हो चुका था किन्तु उक्त दोनो प्रविष्टयों को संस्था की तीनों ग्राण्ट पंजिकाओं में आमद दर्शित न करना गम्भीर अनियमितता प्रकट हुआ। वस्तुतः दिनांक 31.0.2017 के पश्चात पंजिकाओं पर प्रविष्टि दिया गया, जिससे समाधान विवरण पत्र प्रभावित रहा और त्रुटिपूर्ण रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0अ0सं0–4)

प्रस्तर–241 आयकर व व्यापार कर कटौतियां क्रमशः 2.24 प्रतिशत व 4 प्रतिशत अर्थात कुल 6.24 प्रतिशत की गयी है, तथा संलग्न विवरण पत्र के अनुसार कुल तीन बार जमाओं का विवरण प्राप्त हुआ, किन्तु दिनांक 14.03.2016 को की गयी। आयकर कटौती रूपया 39348.00 तथा वैट कटौती रूपया 70266.00 अर्थात कुल रू0 109613.00 की धनराशि ट्रेजर चालान क्षरा कब जमा किया गया अभिलेखों में अज्ञात रहा आलोच्य वर्ष 2016–17 में आयकर वैट की कितनी कटौतियां हुई है, यह विवरण भी आपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0अ0सं0–10)

प्रस्तर–242 आलोच्य वर्ष 2016–17 में दिनांक 19.10.2016 को डी0पी0आर0ओ0 जौनपुर के पत्रांक 3597/दिनांक 14.10.2016 के अनुसार रूपया 222805.00 की धनराशि का परिव्यय विवरण ग्राण्ट पंजिका में दर्शित नही पाया गया। जिसका विवरण इस प्रकार है, जो नव निर्वाचित प्रधानों के प्रशिक्षण नाश्ता भोजन यात्रा व पाकेट भत्तों पर व्यय के लिए रहा–ओ पी-222805.00

क्रमांक	**चेक सं0/तिथि**	**व्यय हेतु दिया गया**	**धनराशि**	**विवरण**
1	067430/19.10.2016	श्री राज कु0पा0–स0लेखा	84000	नाश्ता, भोजन, प्रशि0
2	067431/20.10.2016	श्री राज कु0पा0–स0लेखा	33600	यात्रा/पाकेट भत्ता
3	067438/20.10.2016	श्री राज कु0पा0–स0लेखा	12500	प्रशिक्षण व्यवस्था
		योग	130100	अवशेष 92705.00

ज्ञातव्य है कि आगामी वर्ष 2017–18 के दिनांक 01.09.2017 को चेक संख्या 05316 द्वारा डी0पी0आर0ओ0 खाता संख्या 0583(यू0बी0आई0) विकास भवन, जौनपुर को उक्त शेष राशि रू0 92705.00 को वापस किये जाने का विवरण प्राप्त हुआ। उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियां है–

(क) उक्त शीर्ष का विवरण ग्राण्ट में क्यों नही किया गया।

(ख) प्रधानों के नाम सूची,बिल बाउचर्स, रसीद/प्राप्ति हस्ताक्षर तथा प्रमाणक पत्रावली जांच में अप्रस्तुत होने से व्यय की प्रामाणिकता सिद्ध नही हो पायी।

(ग) उक्त प्राप्त धनराशि किस खातें में जमा किया गया, विवरण पंजिकाओं में अंकित नही था।

इस प्रकार भुगतान अनियमित रहा। अतः रू0 130100.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सा0अ0सं0–11)

प्रस्तर–243 आयकर अधिनियम–1961(यथासंशोधित) की धारा –194 सी के अनुसार कराये जाने वाले निर्माण कार्यो एवं सामग्री क्रय विलों के भुगतान के सापेक्ष श्रोत पर आयकर की कटौती करने तथा काटी गयी आयकर धनराशि को समयान्तर्गत निर्धारित लेखाशीर्ष 0021 आयकर में जमा करने हेतु आहरण/वितरण अधिकारी उत्तरदायी होता है। ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में आहरण/वितरण अधिकारी पर वसूली योग्य आय की धनराशि के समतुल्य धनराशि के बराबर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का प्रावधान है।

क्षेत्र पंचायत जौनपुर के आलोच्य वर्षा 2015–16 व 2016–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया की वर्ष में निर्माण पर निम्न योजनाओं के अनुसार व्यय इस प्रकार रहाः

2015–16– (1) राज्य वित्त 2015–16=6457115.00 (संलग्नक से)
(2) (–)घटाया क्रम 12 17 18 26 35 42
52–एवं सभी–12 क्रमों की मजदूरी=1085375.00
(3) आयकर/वैट योग्य धनराशि–5371740.00

2016–17– (1)राज्य वित्त 2016–17 592504.00
(2)(–)घटाया क्रम 6,7,8,9=172301.00
(3)आयकर/वैट योग्य धनराशि=420203.00

अतः आयकर/वैट(2.24+4=6.24 प्रतिशत) की कटौती योग्य कुल धन रू0 5791943.00 का 6.24 प्रतिशत =361417.00 जमा होना चाहिए। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्षों में कुल रू0 353430.00 की कटौती ई है। अर्थात रूपया 7987.00 की कम कटौती के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है। (सन्दर्भ के लिए संलग्नक देखे) ज्ञातव्य है कि आयकर/वैट से सम्बन्धित कटौयिों को ग्राण्ट तृतीय पंजिका में न तो आय के रूप मं दर्शित किया गया है। और ट्रेजरी में जमा करने के पश्चात न ही व्यय के रूप में खारिज किया गया है। और न ही वर्षान्त में देय धनराशि है। कटौती की गयी आयकर की धनराशि जमा की पुष्टि में दाखिल रिटर्न एवं ट्रेजरी चालान की प्रति तथा ट्रेजरी द्वारा जारी जमाओं का स्टेटमेंन्ट प्रस्तुत न होने से सम्यक जमा की पुष्टि नही की जा सकी। जमा पुष्टि पत्र के अभाव में भुगतान नियमित रहा। जिसके लि ,ख0वि0अ0 व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। स्पष्टीकरण व पुष्टिकरण अपेक्षित है।(सा0अ0सं0–12)

प्रस्तर–244 शासनादेश संख्या–ऐ0–1–122/दस–2012–10(33)/20 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार राजकीय धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग की अनुमति से ही बैंक में बचत खाते (योजनावार) खोलकर राजकीय धनराशियां जमा की जानी चाहिए तथा जमा धनराशियो पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होती हैं जिसे राजकोष में तुरन्त वापस जमा करा देना चाहिए। उपरोक्तानुसार संस्था द्वारा शासन के निर्देशों के अनुरूप खाता खेले जाने सम्बन्धी वित्त विभाग की अनुमति पत्र मांग पर प्रस्तुत न किया जाना प्रकट करता है। कि नियमों का सर्वथा अनुपालन नही किया गया है।सभी पासबुकों में जमा/आहरण सम्बन्धी सुनिश्चित मदों उल्लेख करते हुए वार्षिक समरी रिपोर्ट व समाधान विवरण पत्र ग्राण्ट तृतीय पंजिका पर नही बनाया गया है। ग्रण्ट तुतीय पंजिका में योजनावार मूल धनराशि तथ प्रोद्रभूत ब्याज को अलग–अलग करके प्रदर्शित न करना भी अनियमित रहा। जांच में पाया गया कि ग्राण्ट द्वितीय पंजिका/तृतीय पंजिका में समुचित तरीके से समस्त ब्याज आयों का शत प्रतिशत प्रविष्टि न देकर कतिपय छोड़ दिया गया है। जांच में आलेच्य वर्षों के निम्नलिखित पासबुक जो जांच में उपलब्ध करयी ब्याज आय का विवरण इस प्रकार है–

(1)राज्य वित्त/13 वां वित्त–

क0सं0	खाता संख्या	धनराशि	दिनांक
1	10022353(यू0बी0आई0)	15260	02.08.2015
		3728	07.02.2016
		10534	0.04.2016
		12444	03.07.2016
		14222	02.10.2016
		35576	01.01.2017
	योग–	**91764**	

2	इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी 09632(यू0बी0आई0)		
		706	01.02.2015
		5886	02.08.2015
		7755	07.02.2016
		1751	09.04.2016
		17	03.07.2016
		297	01.10.2016
		1168	01.01.2017
			17580
3	बी0आर0जी0एफ0 09632(यू0बी0आई0)	16511	01.01.2017
4	क्षेत्र निधि ब्याज– 10697(जी0जी0बी0)	1769.90	26.03.2015
		4426	01.01.2017
		6195.90	

इस प्रकार अभिलेखों में जांच कुल ब्याज रू0 132050.90 हुआ। ज्ञातव्य है कि उक्त ब्याज की अर्जित राशि उनके सम्बन्धित खातें में पड़ा हुआ है। जो अनियमित रहा। इस प्रकार पूर्व वर्षो से आकालित करते हुए राजकीय कोषागार में चालना द्वारा जमा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। यदि समेकित ब्याज आकलन से अवशेष राशि कम हो जाता हैं तो अन्तर राशि की वसूली के लिए सम्बन्धित लेखाकार व वी0डी0ओ0 दोनो संयुक्त रू॰ से उत्तरदायी है। **(सा0आ0सं0–21)**

प्रस्तर–245 दिनांक 31.03.2017 को रूपया 3546145.00 राजकीय धनराशि अप्रयुक्त अवशेष दर्शित की गयी है। गत वर्ष भी रूपया 1295928.00 की राजकीय धनराशि अवशेष रही। वस्तुतः नियमानुसार राकीय अनुदान की धनराशियों का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि सम्बन्धित पक्षों या विभागों को वापस कर दिया जाना चाहिए। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना सम्भव न हो पाया है तो आगामी वित्तीय वर्ष में धन के पुनः उपभोग हेतु महालेखकार से अनुकत प्रापत की जानी चाहिए। संस्था स्तर पर पूर्व वर्षो से ऐस न करके मनमाने ढंग से धन का उपयोग कर गम्भीर अनियमितता की जा रही है। अनुदान की धनराशि रोककर जां ऐ तरफ विकास कार्यो को बाधित कर स्थानीय लोगों को प्रापत होने वाले लाभों से वंचित किया गया हैं, वही दूसरी तरफ श्रमिकों को प्राप्त रोजगारी से भी वंचित किया गया हैं । उक्त विसंगति के लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–22)

प्रस्तर–246 आलोच्य वर्ष 2015–16 में इन्दिरा आवास कंटीजेन्सी मद में रूपया 112000.00 तथा वर्ष 2016–17 में रू0 14000.00 अर्थात कुल रूपया 126000.00 की धनराशि वाहन किराया के रूप में री हेमन्त कुमार को इस प्रकार भुगतान हुआः–

कमांक	चेक सं0 / तिथि	धनराशि रू0	विवरण भुगतान
1	0677422 / 25.01.2015	70000(15–16)	माह–08 / 15 से 12 / 15 तक
2	0677426 / 14.03.2016	28000(15–16)	माह–01 / 16 से 02 / 16 तक
3	0677428 / 31.03.2016	14000(15–16)	माह–मार्च–2016
4	067433 / 20.10.2016	14000(15–16)	मह–अगस्त–2016
		126000(15–16)	केवल किराया

उक्त वाहन किराये के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है–

(1)प्रमाण पत्रावलियां जांच में प्रस्तुत नही की गयी।

(2)हेतन्त कुमार के विषय में यह स्पष्ट नही था की वह ड्राइवर थे या वाहन मालिक तथा गाड़ी की नम्बर / संख्या अंकित नही थी।

(3)लाग बुक / परिचालन विवरण अप्रस्तुत रहा।

(4)कहां–कहां और किस उद्देश्य से वाहन का परिचालन किया गया, सूची अनुपलब्ध रही।

(5) इन्दिरा आवास की नाम सूची व पता विवरण तथा कार्य प्रगति प्रतिवेदन अप्राप्त रहें। इस प्राकर भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। जो श्री बेचन राव री रामदरश दोनो खण्ड विकास अधिकारियों तथा श्री सन्तोष श्रीवास्तव व श्री धनन्जय दोनो लेखाकारों से सम्बन्धित है। ब्याज सहिज वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–23)

प्रस्तर–247 आलोच्य वर्ष 2015–16 में बी0आर0जी0एफ0 मद में कुल रूपया 402104.00 की धनराशि दिनांक 17.09. 2015 के दो चेक–059621, 22 के माध्यम से मे0 मारूती आा0स्टोर्स रामपुर तथा मे0 गुरू इ0ला0 भरथीपुर को भुगतान हुआ। ब्लाक पसिर में इण्टरलाकिंग कार्य पर व्यय दर्शित पाया गया। इस सम्बन्ध में निम्नखिति आपत्तियां है।
(1)सम्बन्धित प्रमाणक पत्रावली जांच में प्रस्तुत नही रही।
(2)कितनी सीमेन्ट ईट क्रय की गयी, कितना प्रयुक्त हुआ और कितना शेष रहा, सटाक पंजिका नही बनाया गया है। किस दर से ईट क्रय की गयी अज्ञात रहा।
(3)न्यूनतम दर की पुष्टि में अैण्डर 1 ई टेण्डरिंग नही निर्गत रहा। स्पष्ट है। मनमाना दरों से भुगतान हुआ है।
(4)कितने क्षेत्रफल में (वर्गमीटर) ईट बिछायी गयी अंकितन होने से ईट संख्या का आंकलन सम्भव नही हुआ।
(5)आयकर रू0 10363.00 की जमाओं की पुष्टि में मूल चालाप प्रतियां संलग्न नही पायी गयी।
अतः उक्त कारणों से सम्बन्धित व्यय की पुष्टि नही होती है। अतः सम्यक अनुपालन व स्पष्टीकरण अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–25)**

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां
क्षेत्र पंचायत–रामपुर 2011–12 से 2013–14

प्रस्तर–248 लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 के अन्त में अनुदान की धनराशि रू0 1750699.00 अवशेष दर्शित है। निमानुसार अनुदान की धनराशि का उपयोग सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए। यदि अपरिहार्य कारणों से अनुदान का उपयोग न हो सका तो महालेखाकार से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी। अन्यथा की स्थिति में इसे सम्बन्धित पक्षों को वापस कर देना चाहिए। किन्तु ऐसा न कर प्रतिवर्ष अनुदान की धनराशियों को रोककर जहां एक ओर राजकीय धन का दुरूपयोग किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ सरकार द्वारा निकासोन्मुखी परियोजनाओं को वांछित कर विकास कार्य अवरूद्ध किया जा रहा।है। जो आपत्तिजनक हैं जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–249 शासनादेश संख्या–ए–1–122/दस–20152–10(33) दिनांक 21.03.2012 के अनुसार राजकीय धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग की अनुमति से बैंक बचत खाते खोलकर राजकीय धनराशि जमा की जानी चाहिए तथा जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी तथा इसे राजकोष मं जमा कर दिया जाना चाहिए। इस दृष्टि से समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया की निम्न विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्षो मे अनुदान के सापेक्ष अर्जित ब्याज की धनराशि सें रू0 753156.00 अनाधिकृत रूप से व्यय कर राजकीय धन की क्षति तथा वर्षान्त में ब्याज की धनराशि रू0 1149011.94 दर्शित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा राजकीय धन का दुरूपयोग किया गया है। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से है। विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0 निधि का विवरण	वर्ष	प्रा0शेष	वर्ष में अर्जन	वर्ष में दर्शित व्यय	वर्षान्त दर्शित शेष
1 क्षेत्र निधि से ब्याज	2011–12	38640.20	3946	–	42586.20
	2012–13	42586.20	5224	–	47810.20
	2013–14	47810.20	6561	–	54371.20
2 इन्दिरा आवास से ब्याज	2011–12	121609.00	16460	–	138069.00
	2012–13	138069.00	12720	–	150789.00
	2013–14	150789.00		–	150789.00
3 राज्य वित्त/13वां वित से ब्याज0	2011–12	425132.97	212686	330	637488.97
	2012–13	637488.97	254893	410	891971.97
	2013–14	891971.97	108127	752416	943850.94
	योग	**696167.97**	**–**	**753156**	

–उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनिय है कि एकाउण्ट योजनावार नही खोले गये हैं। लेखा परीक्षा में मात्र कुछ पास बुक ही प्रस्तुत की गयी। अतः अर्जित ब्याज की दर्शित धनराशि की पुष्टि भी सम्भव नही रही। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012–13 में राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत ब्याज की अन्तिम शेष धनराशि रू0 891971.97 भी जिसे वर्ष 2013–14 के प्रारम्भीक शेष में रू0 696167.97 से बढा दिया गया है। अर्थात वर्ष 2012–13 में ब्याज का अर्जन दर्शित नही किया गया था। बैंक पासबुक के अभाव में यह भी अपुष्टित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–250 आलोच्य वर्ष 2013–14 के कार्य पत्रावलियों की जांच में यह पाया गया। व्यापार कर की कटौत नही की गयी विवरण निम्नवत् रहा–

क0सं0	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	व्यापार कर
1	खेमापुर नलकूप से नरहरपुर बार्डर पर पक्की नाली का निर्माण	251085	10043
2	नोनरा में पटेल बस्ती डीह बाबा होते हुए हरजन बस्ती तक खडन्जा निर्माण	242803	9712
3	ठाठर में रविन्द्र मौर्य के घर से प्रा0पा0 चकबडवन तक पक्की नाली निर्माण	115508	4420

4	धनुवा में डा0यूनूष के घर से कठवतियां रोड़ तक खडन्जा निर्माण	195915	7836
5	घनुवा में जमुना विश्वकर्मा के मशीन से आश मो0 से पासी बस्ती तक खडन्जा निर्माण	556632	22265
6	जगरनाथ के घर से जगदीशपुर बार्डर तक खडन्जा निर्माण कार्य	256880	10275
7	गढी में शारदा सहायक नहर से यादव बस्ती तक खडन्जा कार्य	440929	17637
8	धनेथू में महारथपुर पक्की सड़क से शिव प्रशाद त्रिपाठी कानवेन्ट स्कूल तक खडन्जा कार्य	133645	5345
9	गोथू में पक्की सड़क मुसहर बस्ती तक खडन्जा कार्य	518336	20733
10	बीकापुर में मौर्या बस्ती से जगरनाथ यादव के घर तक खडन्जा कार्य	492174	19687
11	कमरूद्दीन में मुसहर बस्ती तक खडन्जा 220655 8826		
12	ग्राम पंचायत फजूलहा मे रामपुर उमरी रोड़ से रामसूचित के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	216984	8679
13	जयसिंहपुर में राजाराम पटेल के चक से नेवढियां मार्ग तक खडन्जा निर्माण	466050	18642
14	नोनारी से ठाकुर बस्ती से अनुसूचित बस्ती तक खडन्जा कार्य	462203	18488
15	भोडा में विक्कू सिंह के खेत से आत्मा सिंह के चक से हरजन बस्ती बार्डर तक खडन्जा निर्माण	182401	7296
16	पूराजीवन में दिनेश मिस्त्री के घर से पूरेलला होते हुए अमर बहादुर के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	553925	22157
17	नयापुर में जवाहर लाल के घर से जमुना त्रिपाठी के घर से खडन्जा ईट	111212	4448
18	आशापुर में पूर्व मा0वि0 के पीछे से नहर होते हुए पक्की सड़क तक खडन्जा कार्य	498400	19936
19	धनुआ में हनुमान मन्दिर से श्याम बाबू के दूकान तक खडन्जा कार्य	277914	11116
20	भगवानपुर पक्की सड़क से बमूही नदी गोदाम घाट तक खडन्जा	565564	22622
		270123	

इस प्रकार स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में व्यापार कर की कटौती न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–251 (क)–संस्था द्वारा आय–व्यय विवरणीय नही तैयार की गयी है। एवं न ही माहवार तैयार किये गये आय–व्यय का संकलन ही प्रस्तुत रहा। लेखा परीक्षा द्वारा बारह माहों के आय व्यय का संकलन कर प्रतिवेदन में आकड़े अंकित किये गये है। नियमानुसार आय व्यय विवरणीय तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। आय व्यय विवरणीय प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र भी अंकित करना संभव नही रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख)–संस्था एवं बैक के बीच विद्ययमान अन्तर के समाधान हेतु संस्था द्वारा बैक समाधान विवरण पत्र नही तैयार किया गया है। तथा न तो अनुदान पंजी पर अन्तर के समाधान का विवरण अंकित है। लेखा परीक्षा में मात्र पासबुके प्रस्तुत की गयी। जिसके अनुसार दिनांक 31.03.2014 को कुल रू0 2949484.98 जमा शेष दर्शित किया गया हैं। जबकि अनुदान पंजी के अनुसार दिनांक 31.03.2014 को जमा शेष रू0 1750698.95 दर्शित है। इस प्रकार अन्तर रू0 1198786.03 के समाधान हेतु कोई समाधान विवरण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। बैंक खाते भी बिना वित्त विभाग के अनुमति के खोले गये हैं तथा योजनावार भी नही है। अतः यह अपुष्टित रहा की अनुदान पंजी के अनुसार योजना में दर्शित धनराशि वास्तव में जमा भी है अथवा नही यदि जमा है तो किस खाते में जमा है। अन्तर की धनराशि का बैक समाधान विवरण पत्र तैयार कर समाधानित धनराशियों की तिथियों का उल्लेख करते हुए बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट आफ एकाउण्ट प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी चाहिए। दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से है विवरण निम्नवत् है–

क0सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट आफ एकाउण्ट के अनुसार शेष धनराशि (रू0 में)
1	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैक मडियाहूँ	10697	123506
2	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैक मडियाहूँ	12551	23421
3	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैक सुल्तानपुर	8017	154672
4	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैक सुल्तानपुर	6015	213244
5	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैक परियत	7769	202870
6	यूनियन बैंक आफ इण्डिया रामपुर	10918	22209
7	यूनियन बैंक आफ इण्डिया मड़ियाहूँ	10981109187	28147
8	यूनियन बैंक आफ इण्डिया रामपुर	23353	2152713.97
9	यूनियन बैंक आफ इण्डिया मड़ियाहूँ	10957131168	28701.11
			2949484.98

प्रस्तर–252 दिनांक 31.03.2014 के संस्था के ग्राण्ट रजि0 तृतीय के अनुसार 1750698.95 अन्तर की धनराशि 1198786.03 आयकर अधियिम 1961 यथा संशोधित धारा 194 (सी) के अनुसार कराये जाने वाले कार्यो एवं सामग्री कय बिलों के सापेक्ष श्रोत पर आयकर की कटौती करने के पश्चात ही बिलों का भुगतान किया जाना चाहिए श्रोत पर कर कटौती करने तथा काटी गयी धनराशि को समयान्तर्गत निर्धारित लेखा शीर्षक "0021 " आयकर में जमा करने हेतु

आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगा। ऐसा करने से विफल रहने की स्थित में आहरण वितरण अधिकारी पर वसूली आयकर की धनराशि के बराबर अर्थ दण्ड आरोपित किया जा सकता है। तथा उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जा सकती है।क्षेत्र पंचायत रामपुर जनपद जौनपुर की वर्ष 2011–12 से 13–14 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में की निर्माण कार्यो के सापेक्ष सम्बन्धित वर्षों में से मात्र वर्ष 2013–14 में रू0 298080.00 आयकर के रूप में आय दर्शित कर नियत शीर्ष में जमा दर्शित किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में कर कटौती से सम्बन्धित विवरण/खाता /जमा चालान प्रति एवं दाखिल आयकर रिर्टन आदि कुछ भी प्रस्तुत नही किया गया। जिससे समस्त भुगतानों के सापेक्षा सुनिश्चित आयकर की कटौती एवं नियत शीर्ष में जमा की पुष्टि सम्भव नही रही। जिसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा वर्षो में निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्माण कार्यो पर धनराशियां व्यय दर्शित की गयी है। श्रमिक एवं मदवार सामग्री का विवरण तैयार नही किया गया है। परिणमतः राजकीय राजस्व की धनराशियों का अगणन सम्भवन नही हो सका। किन्तु धनराशियों का अगणन सम्भव नही हो सका। विवरण प्रस्तुत कर राजकीय राजस्व की अपेक्षित धनराशियों का आकलन एवं कटौती सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

क0सं0	योजना	व्यय दर्शित धनराशियां वर्ष में	2011–12	2012–13	2013–14
1	राज्य वित्त		207250 7	420853	9257976
2	13वां वित्त	–	5142278	1268522	
		योग	207250	12563131	10526498

इस प्रकार कुल योग रू0 23296879.00 पर आयकर रू0 2.24 की दर से आयकर रू0 521850.00 रहा जबकि दर्शित कटौती 298080.00 ही रही। इस प्रकार कम कटौती रू0 223770.00 से आयकर कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसका दयित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–253 लेखा परीक्षा अवधि वर्ष 2011–12,2012–13 व 2013–14 में निम्न विवरणानुसार कुल रू0 23296879.00 अनुदान की धनराशि निर्माण कार्य पर व्यय दर्शित की गयी है।

क0सं0	योजना	व्यय दर्शित धनराशियां वर्ष में	2011–12	2012–13	2013–14
1	राज्य वित्त		207250	7420853	9257976
2	13वां वित्त	–		5142278	1268522
		योग	207250	12563131	10526498

कुल योग रू0 23296879.00

उपरोक्त व्यय दर्शित धनराशि रू0 23296879.00 में से मात्र 2013–14 से सम्बन्धित आंशिक पत्रावलियां ही लेखा परीक्ष ामें प्रस्तुत की गयी । शेष योजनावार/परियोजनावार पत्रावलीयां प्रस्तुत नही की गयी। जिससे इस बात की पुष्टि नही की जा सकी की क्षेत्र पंयायत को उपरोक्त वर्षों हेतु कौन सी परियोजनाएं निर्माण हेतु अवंटित की गयी थी। उसकी अनुमनित लागत/लोकेशन/विशिष्ट कोड़ संख्या क्या था। इसके अतिरिक्त तकनीकि एवं वित्तीय स्वीकृति की स्थिति कार्य प्रभारी की नियुक्ति कोटेशन/टेण्डर आमंत्रण/न्यूनतम दर का निर्धारण क्रय देय विलो/प्रमाणक ,कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि, प्रदत्त समय, सम्बन्धित समिति की संस्तुति,राजकीय राज्स्व की कटौती जमा एवं शेष की स्थिति , मापपुस्तिका,कार्यपूर्ति पी0सी0आर0 स्टाक रजि0 आमद एवं उपभोग व शेष रवन्ना एम0एम011 की स्थिति,रायल्टी जमा/चालान की प्रति परिसम्पत्तियों का सृजन परिसम्पत्ति पंजी एवं उसमें अंकन,आयकर कटौती एवं जमा की पुष्टि आदि कुछ भी ज्ञात न हो सका इस प्राकर रवन्ना एम0एम011 रायल्टी जमा/चालान प्रति के अभाव में निर्माण कार्यो से सम्बन्धित निर्माण समग्रीयों की अपूर्ति पूर्णतः संदिग्ध रही और जब निर्माण कार्यो की सामाग्री संदिग्ध रही तो निर्माण कार्य स्वम ही संदिग्ध हो जाता है।

अतः निर्माण कार्यो पर दर्शित व्यय की धनराशि रू0 23296879.00 का सदुउपायोग एवं परिसम्पत्तियों का सृजन अपुष्टित रहा। दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर मण्डल का नाम–वाराणसी

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत–खुटहन 2012–13

प्रस्तर–254 ग्राम पंचायत मकदूमपुर में सन्तू के घर से तालाब तक मिट्टी एवं खडंण्जा कार्य पर कुल रू0 110525.0 व्यय किया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है।

1. रू0 3965.00 का ह्यूम पाइप संजय इण्टर प्राईजेज, कौड़िया शाहगंज से क्रय दर्शाया गया है। धनराशि का भुगतान फर्म को नही कर कार्यप्रभारी को मजदूरी के भुगतान के साथ किया गया है। धनराशि का भुगतान अपूर्तिकर्ता को किया जाना था।
2. कार्य प्रारम्भ, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त त्रिस्तरीय फोटोग्राफी फाइल में नही लगा है।
3. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नही लगाया गया है, जिससे कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि नही की जा सकी।
4. समग्री क्रय में वैट व स्रोत स्रोत कर की कटौती नही है।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर हुए कुल व्यय रू0 110525.00 का भुगतान अनियमित/अपुष्ट रहा, जिसके लिए कार्यप्रभारी श्री विवेक कुमार सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भू दयाल वर्मा एवं लेखाकार श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–255 ग्राम पंचायत भिखनापुर में अलीहसन के घर से सईदखान के घर तक मिट्टी कार्य पर रू0 110027.00 व्यय किया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है।

1. रू0 5947.00 का ह्यूम पाइप संजय इण्टर प्राइजेज से दिनांक 15.09.2012 को क्रय किया गया, जिसका भुगतान फर्म को नही करके कार्यप्रभारी श्री विवके कुमार सिंह को मजदूरी के साथ चे0सं0–00624 दिनांक 20.09.2012 से मजदूरी के साथ (मजदूरी रू0 17680.00 ह्यूम पाइप का मूल्य रू0 5947.00 कुल रू0 23627.00) किया गया।
2. कार्य प्रारम्भ, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त का फोटोग्राफी नही लगा है।
3. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।, जिससे कार्य के पूर्ण होनें की पुष्टि नही की जा सकी।
4. सामाग्री क्रय में स्रोत व वैट कटौती नही की गयी।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर दर्शित कुल व्यय रू0 110027.00 का भुगतान अपुष्ट/अनियमित रहा, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री विवेक कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भूदयाल वर्मा एवं लेखाकार श्री वेदप्रकाश त्रिपाठी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–256 ग्राम पंचायत मोलनापुर में ग्रम बस्ती वंदगान में पिच रोड से मुरारी के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर रू0 67800. 00 व्यय दर्शाया गया है। विवरण निम्न प्रकार है–

1. ईंट क्रय 12 हजार/4400.00 से रू0 52800.00 किया गया।
2. दिनांक 29.11.2012 को रू0 15000.00 कार्यप्रभारी श्री उगेश कुमार पाठक को एडवांस भुगतान किया गया। उक्त भुगतान के सापेक्ष कोई भी समायोजन/मस्टररोल संलग्न नही है।
3. कार्य प्रारम्भ, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति का फोटोग्राफी नही है।।
4. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संलग्न नही लगाया गया है,
5. समाग्री क्रय में वैट व स्रोत स्रोत कर की कटौती नही है।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान नही किया गया गया है । बिना मजदूरी भुगतान का कार्य कराया जाना संभव नही है। बिना कार्य कराये रू0 67800.00 का अपहरण कार्य प्रभारी श्री उगेश पाठक, ,खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भू दयाल वर्मा तथा लेखाकार श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी द्वारा किया गया । रू0 67800.00 की ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी श्री उगेश पाठक, खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भू दयाल वर्मा एवं लेखाकार श्री वेदप्रकाश त्रिपाठी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–257 ग्राम पंचायत पिलकिछा में अमरदेव के घर से रामसकल के घर होते हुए हरी का पूरा बाग तक खडन्जा पर 4 आर0सी0सी0 पूलिया निर्माण पर निम्न अनुसार व्यय दर्शाया गया है–

दिनांक	क्रय का विवरण	धनराशि	फर्म जिसमें क्रय
22.09.2012	10 बोरी सीमेंन्ट, बालू	5020.00	अग्रवाल बिल्डिंग मैटेरियल्स
25.09.2012	5 हजार ईट/4000/हजार	20000.00	श्रवण ईट उद्योग शेरपुर
25.09.2012	5 हजार ईट/4000/हजार	20000.00	गोरख ईंट भट्ठा
03.10.2012	11 बोरी सीमेंन्ट 02 घन मी0 बालू	5140.00	जायसवाल बिल्डिंग मैटेरियल्स पिलकिछा
06.11.2012	65 बोरी सीमेंन्ट, गिट्टी	24900.00	जायसवाल बिल्डिंग मैटेरियल्स पिलकिछा
01.11.2012	मस्टरोल	30200.00	जायसवाल बिल्डिंग मैटेरियल्स पिलकिछा
13.11.2012	मस्टरोल		
01.03.2013	ईंट 10 हजार ईट/5200/हजार	52000.00	विशाल ईट उद्योग
01.05.2013	महीन बालू, सरिया	32099.00	जायसवाल बिल्डिंग मैटेरियल्स पिलकिछा
08.05.2013	सीमेंन्ट, बालू	8862.00	जायसवाल बिल्डिंग मैटेरियल्स पिलकिछा
03.05.2013	मस्टरोल	30400.00	जायसवाल बिल्डिंग मैटेरियल्स पिलकिछा
15.05.2013	मस्टरोल		
08.05.2013	ईंट, ईंट गिट्टी	65616.00	विशाल ईट उद्योग
		योग–294237.00	

कुल धनराशि रू0 294237.00 का निम्न विवरणनुसार कार्य प्रभारी श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव को किया गया।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
31.08.2012	007337	25000.00
01.10.2012	557239	25000.00
05.11.2012	557745	25140.00
26.04.2013	000519	75000.00
10.06.2013	7909067	144097.00
	योग–	294237.00

इस प्रकार समस्त भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया, जिसमें सामाग्री क्रय कर व्यय रू0 233637.00 तथा मजदूरी पर रू0 60400.00 का व्यय सम्मिलित है।

एक ही कार्य पर ईंट सप्लाई अलग–अलग फर्मो यथा श्रवण ईंट उद्योग, गोरख ईंट भट्ठा तथा विशाल ईंट उद्योग से किये जाने से स्पष्ट है कि उक्त हेतु कोटेशन/निविदा नही लिया गया है। क्रय नियम का पालन नही किया गया है। कार्य प्रारम्भ कार्य होने के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त का फाटोग्राफी पत्रावली में संलग्न नही है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर हुए कुल व्यय रू0 294237.00 का अनियमित भुगतान किया गया है, जिसके लिए कार्यप्रभारी श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव तथा खण्ड विकास अधिकरी श्री शम्भूदयाल वर्मा एवं लेखाकार श्री वेदप्रकाश त्रिपाठी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–258 बीरमपुर में उदईपुर बाग से जगदम्बा यादव के घर तक खडन्जा कार्य में एक नग आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण पर निम्न विवरणानुसार रू0 119738.00 व्यय किया गया है।

दिनांक	क्रय सामाग्री/एम0आर का विवरण	धनराशि	फर्म
28.01.2013	ईंट 10 हजार ईट/4000/हजार	40000.00	मिठाई लाल ईंट भट्ठा हैदरपुर डिहियां
28.01.2013	सीमेंन्ट, बालू,गिट्टी	30000.00	मिश्रा बिल्डिंग मैटेरियल, बीरमपुर
20.05.2014	सीमेंन्ट, बालू, ईट गिट्टी	25738.00	मिश्रा बिल्डिंग मैटेरियल, बीरमपुर
20.05.2014	मस्टरोल	24000.00	मिश्रा बिल्डिंग मैटेरियल, बीरमपुर
08.05.2014	मस्टरोल		
	योग–	119738.00	

धनराशि भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है–

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	प्राप्त कर्ता
20.09.2012	557226	70000.00	श्री विजय कुमार, स0वि0अ0 (सां) कार्यप्रभारी
21.06.2014	104990	49738.00	श्री शीतला प्रसाद यादव, स0वि0अ0 आई.एस.बी. कार्यप्रभारी

श्री विजय कुमार सहायक विकास अधिकारी (सां0) के स्थानान्तरण होने के उपरान्त श्री शीतला प्रसाद यादव, स0वि0अ0 आई.एस.बी. को कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया। उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है।

1. दिनांक 28.01.2013 को सीमेन्ट,बालू,गिट्टी क्रय पर रू0 30000.00 व्यय दर्शाया गया है। जब कि कार्य प्रारम्भ दिनांक 20.05.2014 को हुआ। कार्य प्रारम्भ से लगभग एक वर्ष 4 माह पूर्व सीमेंट क्रय दर्शाया गया है। एक वर्ष 4 माह बाद सीमेन्ट की गुणवत्ता कार्य के लायक नही रहता है।अतः सामाग्री क्रय दर्शाया जाना काल्पनिक प्रतीत होता है।
2. रू0 95738.00 के सामाग्री क्रय का भुगतान आपूर्ति कर्ता को नही कर, कार्यप्रभारी को किया गया है जो कि अनियमित है।
3. कार्य प्रारम्भ तथा कार्य के दोरान का फोटोग्राफी नही है।
4. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी पत्रावली में संलग्न नही है।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रू0 119738.00 का अपहरण किया गया है। रू0 70000.00 के अपहरण हेतु कार्यप्रभारी श्री विजय कुमार स0वि0अ0(सां0) तथा खण्ड विकास अधिकरी श्री शम्भू दयाल वर्मा एवं लेखाकार श्री वेदप्रकाश त्रिपाठी व रूपया 49738.00 के अपहरण हेतु कार्य प्रभारी श्री शीतला प्रसाद यादव स0वि0अ0 (आई.एस.बी.) कार्यप्रभारी खण्ड विकास अधिकरी श्री शम्भूदयाल वर्मा एवं लेखाकार श्री वेदप्रकाश त्रिपाठी उत्तरदायी है। रू0 119738.00 की ब्याज सहित वसूली समबन्धित से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–259 विकास खण्ड परिसर में स्थित स0वि0अ0 आवास परिसर के अतिथि गृह की मरम्मत एवं रख–रखाव पर रू0 291451.00 का निम्न विवरणनुसार भुगतान श्री उमेश पाठक कार्यप्रभारी को किया गया–

दिनांक	चे0सं0	धनराशि
30.05.2012	949332	80000.00
01.10.2012	557240	50000.00
29.12.2012	000658	50000.00
08.03.2013	000512	111451.00
	योग–	291451.00

पत्रावली में बजरंग ईंट उद्योग पूरा अंधरी का ईंट गिट्टी क्रय का रू0 15810.00 का केवल एक प्रमाणक संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त व्यय की पुष्टि मं अन्य कोई प्रमाणक संलग्न नही है। समायोजन प्रमाणक प्राप्त किये बिना कार्य प्रभारी को अग्रिम भुगतान किया जाता रहा। सामाग्री क्रय पर वैट व स्रोत कर कटौती नही की गयी है। अतः स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी श्री उगेश पाठक (ग्रा0वि0अ0) खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भूदयाल वर्मा तथा लेखाकार द्वारा मिलीभगत कर रू0 291451.00 का अनियमितता किया गया है। व्यय धनराशि रू0 291451.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त तीनों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–260 ग्राम पंचायत शेरपुर में राधेश्याम के घर से नाला तक पक्की नाली निर्माण कार्य पर कुल रू0 140557.80 का व्यय दर्शाया गया है। इसके सम्बन्ध में निम्न आपत्यिों है। इसमें चेक संख्या–000625 से रू0 80000.00 एवं चेक सं0 557238.00 से रू0 60557.00 का भुगतान कार्यप्रभारी श्री मनीष को किया।

1. समस्त धनराशि रू0 140557.00 का भुगतान मनीष श्रीवास्तव, कार्य प्रभारी को किया गया है। श्री मनीष कुमार द्वारा मजदूरी एवं ईट बिल्डिंग मैटेरियल का भुगतान किया जाना दर्शित है। फर्म को भुगतान न करके कार्यप्रभारी को भुगतान किया जाना अनियमित है।

2. कार्य के प्रारम्भ में, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नही।

3. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी पत्रावली में संलग्न नही रहा।

4. बिल्डिंग मैटेरियल का क्रय मनोज मैटेरियल, छित्तूपुर खुटहन से तथा ईंट क्रय सुपइ ईट भुट्ठा सुल्तानपुर रसूलपूर से किया जाना दर्शित है। दोनो के क्रय प्रमाणक पर दिनांक तथा कैशमेमों क्रमांक एवं टिन नं0 अंकित नही है।

अतः स्पष्ट है कि कुल रूपया 140557.00 का अनियमित भुगतान किया गया है। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अनियमित भुगतान रू0 140557.80 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–261 विकास खण्ड परिसर में कार्यालय भवन से सम्बद्व शौचालय एवं गड्डे का निर्माण कार्य पर कुल रू0 127354.00 का व्यय दर्शित है। निम्न विवरणानुसार कार्यप्रभारी श्री उमेश पाठक ग्राम विकास अधिकरी को भुगतान किया गया है।

दिनांक	चे0सं0	धनराशि	अभियुक्ति
28.09.2012	557234	50000.00	अग्रिम
09.11.2012	00626	50000.00	अग्रिम
05.12.2012	00653	27354.00	अग्रिम
	योग–	127354.00	

उपरोक्त समस्त भुगतान के सापेक्ष एक भी समायोजन प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नही है। ऐसे में स्पष्ट हो जाता है। कि कुल रू0 127354.00 का अपहरण कार्य प्रभारी श्री उगेश कुमार पाठक खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भू दयाल वर्मा एवं लेखाकार भी वेदप्रकाश त्रिपाठी द्वारा कर लिया गया है। अपहरण के लिए उत्तरदायी उपरोक्त तीनों से रू0 127354.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–262 विकास खण्ड परिसर में कार्यालय मीटिंग हाल, पशु अस्पताल, खण्ड विकास अधिकारी आवास, स्टाररूम एवं बउन्ड्रीवाल का पेटिंग एवं मरम्मत कार्य पर कुल रू0 348113.00 का व्यय किया जाना दर्शित हैं उक्त दर्शित व्यय की धनराशि को कार्य प्रभारी श्री उगेश कुमार पाठक ग्राम विकास अधिकारी को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभियुक्ति
25.08.2013	000514	100000.00	अग्रिम
29.04.2013	001165	126700.00	–
20.09.2013	002251	121413.00	–
	योग–	348113.00	

इसके सम्बन्ध में निम्न आपत्ति है–

1. विल्डिंग मैटेरियल का क्रय यदुवंशी बिल्डिंग मैटेरियल मुबारकपुर से खिडकी, रोशनदान आल्मीरा, जाली का क्रय विशाल फर्नीचर मार्ट, रिजची खां, मोहल्ला जौनपुर क्रय दर्शाया गया है। बिल्डिंग मैटेरियल क्रय के प्रमाण पर दिनांक एवं टिन न0 अंकित नही है।

2. कुल रूपया 348113.00 का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। जबकि सामग्री क्रय का भुगतान सीधे फर्म के खाते के माध्यम से किया जाना था। कार्य प्रभारी को भुगतान अनियमित है।

3. कार्य के प्रारम्भ से पूर्व तथा कार्य के होने के दौरान तथा कार्य सम्माप्ति पर फोटोग्राफ लिया जाना था। पत्रावली में फोटोग्राफ संलग्न नही है।

4. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी पत्रावली में संलग्न नही है।

5. मजदूरी भुगतान के सम्बन्धित मस्टररोल पर कार्य प्रभारी के हस्ताक्षर तक नही है तथा मजदूरी प्राप्ति के प्रमाण पत्र स्वरूप मजदूर के हस्तक्षर एवं अंगूठा निशान अस्पष्ट है।

अतः स्पष्ट है कि कार्यप्रभारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा अनियमित भुगतान किया है। रू0 348113.00 के अनियमितता के लिए कार्यप्रभारी श्री उगेश कुमार पाठक भी उत्तरदायी है। उक्त तीनों से अनियमित भुगतान रू0 348113.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–263 विकास खण्ड परिसर में बाउण्ड्रीवाल में गेट निर्माण, टैंक निर्माण,वाटर सप्लाई लाइन एवं समरसेबल स्थापन्न कार्य पर निम्न विवरणानुसार कार्यप्रभारी श्री उमेश कुमार पाठक ग्राम विकास अधिकारी को धनराशि का भुगतान किया गया है।

दिनांक	चेक सं0	धनराशि	अभियुक्ति
22.12.2013	00656	50000.00	अग्रिम
14.02.2013	000507	150000.00	–
01.03.2014	003798	87360.00	–
	योग–	287360.00	

सम्बन्धित कार्य पत्रावली में निम्न विवरणनुसार आधे–अधूरे समायोजन प्रमाणक उपलब्ध रहा।

दिनांक	धनराशि	विवरण
1. 25.12.2012	50670.00	उजाला बिल्डिग मैटेरियल खेतासराय रोड़,(इस पर टिन नं0 अंकित नही) से सीमेन्ट 100800/300=3000.00 बालू सफेद 0.5 घन फिट /340=420, बालू लाल 5 घन मि0/1250=6250 गिट्टी 8 घन फिट/ 1750=1400.00
2. 20.01.2013 1	8920.00	बजरंग ईट उद्योग पूरा अंधरी, जौनपुर से ईट 4000/4500=18000 ईंट की गिट्टी 1 घन फिट दर 920=920
3. 20.01.2013	38700.00	हसन मशीनरी स्टोर जौनपुर शुभम पुर से,(प्रमाण पर टिन न0 अंकित नही है) से समरसेबुल 1 दर 14500=14500, बोरिंग 110एम0एम0 रू0 1500.00 में, वाटर टैंक एक हजार लीटर दर 4200.00, इलेक्ट्री सिटी चार्ज रू0 5000.00 अंकित नही
	22500.00	मौर्या ईंट उद्योग(बाउचर पर टिन न0 अंकित नही है) से 5 हजार ईट/4500=22500.00 अंकित नही
		41550.00 यदुवंशी बिल्डिंग मैटेरियल मुबारकपुर जौनपुर से सीमेंन्ट 20 बैग/300=6000 बालू लाल 1800 मी0/1250=1250.00, पत्थर गिट्टी 2से0मी0/1750=3500, सरिया 7 कुन्तल /4400=30800.00
		योग– 172340.00

पत्रावली में रू0 28800.00 का मस्टर रोल संलग्न है जिस पर कार्य की तिथि भुगतान करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर/अन्य कुछ भी अंकित नही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रू0 201140.00 (172340.00 सामग्री का 28800.00 मजदूरी का) आधा अधूरा समायोजन प्रमाणक पत्रावली में संलग्न था। उपरोक्त सामग्री क्रय के विवरण से स्पष्ट है कि बिल्डिग मैटेरियल का क्रय उजाला विल्डिग मैटेरियल से एवं यदुवंशी बिल्डिंग मैटेरियल नामक फर्म से तथा ईंट क्रय बजरंग ईंट उद्योग एवं मौर्या ईंट उद्योग से किया गया है। सामग्री एवं ईंट क्रय दोनों दो–दो फर्म से क्रय किये जाने से स्पष्ट होता है। कि सम्बन्धित कार्य के लिए कोटेशन/टेण्डर नही लिया गया था। बिना टेण्डर के क्रय किया जाना अनियमितता है।

उपरोक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है कि कुल रू0 201140.00 का अनियमित भुगतान किया गया है। तथा चूंकि कार्यप्रभारी को कुल रू0 287360.00 का भुगतान किया गया है। अतः रू0 86220.00 (287360–201140) का अपहरण किया गया है। क्योंकि रू0 86220.00 का पत्रावली में समायोजन प्रमाणक भी संलग्न नही है। अनियमित भुगतान रू0 201140.00 एवं अपहरण की धनराशि रू0 86220.00 के लिए कार्यप्रभारी श्री उगेश कुमार पाठक, खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भू दयाल वर्मा एवं लेखाकार श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी दत्तरदायी है। उपरोक्त तीनों से कुल रू0 287360.00 (201140+86220) की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–264 ग्राम पंचायत कपसियां में पिच रोड़ (बेचन के खेत) से तिलकधारी तिवारी के ट्यूबेल तक मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर कुल रू0 101747.00 की व्यय दर्शित है। जिसका विवरण निम्नवत् है। कार्य प्रभारी श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव रहे है।

दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान की प्रकृति
20.11.2012	81022.00	श्रवण ईंट उद्योग शेरपुर से 18600 ईंट /4400=81840.00 (इसमें रू0 818 गुणवक्ता के के आधार पर कटौती की गई)	रू0 81022.00 का भुगतान सीधे फर्म को किया गया।
अंकित नही	7750.00	मजदूरी भुगतान	कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान
	9000.00	मजदूरी भुगतान	कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान
	3975.00	संजय इण्टर प्राइजेज कौडियां से क्रय	भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा नकद
योग–	101747.00		

1. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है के ह्यूम पाइप क्रय के लिए मजदूरी के साथ–साथ रू0 3975.00 की धनराशि भी कार्यप्रभारी को किया गया है। कार्य प्रभारी को भुगतान किया जाना अनियमित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

2. कार्य के प्रारम्भ में, कार्य के दौरान तथा कार्य के समाप्ति पर फोटो ग्राफी नही किया गया है क्योकि फोटोग्राफी पर न तो कोई भुगतान है और न ही पत्रावली में संलग्न है।अनियमित भुगतान रू0 3975.00 की नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

3. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी पत्रावली में संलग्न नही है।

प्रस्तर–265 ग्राम पंचायत धिरौली नानकार में पिचरोड़ से बाबूराम के घर तक मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर कुल रू0 11753.00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है–(इसमें रू0 92628.00 ईंट का सीधे फर्म बजरंग ईंट उद्योग को किया गया है।)

1. कार्य प्रारम्भ से पूर्वक, कार्य होनें के दौरान तथा कार्य समाप्ति का फोटो ग्राफी नही कराया गया है। क्योंकि फोटोग्राफी पर न तो कोई भुगतान है और न ही फोटोग्राफी पत्रावली में संलग्न है।

2. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी पत्रावली में संलग्न नही है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–266 ग्राम पंचायत गठाना में भग्गू हरिजन के घर से नौली सरहद तक मिट्टी एवं खडन्जा कार्य कर कुल रू0 168160.00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है–

दिनांक	चे0सं0	धनराशि	भुगतान की प्रकृति
11.09.2012	94998	20000.00	कार्य प्रभारी श्री उमेश कुमार पाठक को अग्रिम के रूप में
11.09.2012	07340	12000.00	बजरंग ईंट उद्योग को 30000ईंट/4000/हजार का
20.09.2012	00621	21200.00	बजरंग ईंट उद्योग को 5300ईंट/4000/हजार का
29.11.2012	000645	6960.00	कार्य प्रभारी श्री उगेश पाठक को (मजदूरी)
	योग–	168160.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि कुल रू0 26960.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री उगेश कुमार पाठक को किया गया है। पत्रावली में रू0 26960.00 के सापेक्ष जो समायोजन प्रमाणक संलग्न है उसका विवरण निम्नवत है–(मस्टर रोल के द्वारा भुगतान)

धनराशि	कार्य की तिथि (एम0आर0पर)
14200.00	20.09.2012 से 26.07.2012 तक
11760.00	12.09.2012 से 18.09.2012 तक
25960.00	

उपरोक्त दोनों विवरणों से स्पष्ट होता है कि मजदूरी मद में कुल रू0 26960.00(2000+6960) का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है, जबकि पत्रावली उक्त मद में रू0 25960.00 का प्रमाणक ही संलग्न है। अतः रू0 1000.00 का अपहरण किया गया है। अपहति धनराशि रू0 1000.00 की वसूली सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–267 ग्राम पंचायत शेखपुर सुतौली के ग्राम असीब सराय में लल्लन यादव के खेत से (पुराना खडन्जा) से राममूरत यादव के घर तक मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर कुल रू0 117754.00 का व्यय दर्शाया गया है, जिसके कार्य प्रभारी श्री विवेक कुमार सिंह (सहा0बोरिंग टेक्नेशियल) रहे है। इसमें व्यय का विवरण निम्न प्रकार से रहा–

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण	भुगतान की प्रकृति
19.11.2012	00635	10000.00	मजदूरी भुगतान के कार्य प्रभारी को भुगतान	इसमें से कार्यप्रभारी ने रू0 9625.00 का भुगतान मजदूरी हेतु किया गया।

29.11.2012 000642 97254.00 22270 नग ईट/4400/ भुगतान सीधे फर्म का से एसजेवाई ईंट भट्ठा से घिरौली एकाउन्ट पेयी चेक से किया नानकार से क्रय। ईंट क्रय के दर गया। से रू0 97988.00 का मूल्य होता है किन्तु गुणवत्ता के आधार पर रू0 73400.00 की कटौती की गई है।

05.12.2012 00648 10500.00 मजदूरी भुगतान के लिए कार्य कार्य प्रभारी द्वारा नकद मजदूरी प्रभारी को पूर्व में किये गये भुगतान किया गया है। भुगतान में से रूपया 375.00 नकद अवशेष बचा था। जिसको जिसको मिलाकर कुल रू0 (10500+375) रू0 10875.00 का भुगतान मस्टर रोल अनुसार भुगतान किया गया।

उपरोक्त से सम्बन्धित पत्रावली में निम्न आपत्यिां है–

1. कार्य के प्रारम्भ से पूर्व, कार्य होने के दौरान तथा कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी नही कराया गया । क्योकि फोटोग्राफी में न तो कोई भुगतान ही किया गया है। और न ही पत्रावली में फोटोग्राफ सुलभ रहा।

कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र पत्रावली में संलग्न नही रहा।

प्रस्तर–268 आलोच्य वर्ष 2012–13 में रा0ग्रा0 रो0ग्रा0 योजना के अन्तर्गत कुल रू0 538320.00 का आहरण (व्यय) लधु सिंचाई कार्य पर किया गया है। उक्त आरहण के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में पत्रावली लेखा परीक्षा में सुलभ नही कराया गया । वर्तमान लेखाकार द्वारा तत्समय के चार्ज लिस्ट दिखाकर स्पष्ट किया गया कि सम्बन्धित पत्रावली चार्ज में मुझे प्राप्त नही है। इसके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–269 आलोच्य वर्ष में कुछ अनुदान विगत वर्षो से चला आ रहा है। जबकि अनुदानदाता को वापस कर दिया जाना चाहिए विवरण निम्न है–

क्रमांक	मद का नाम	धनराशि
1	बायोगैस संयत्र की धनराशि	4776.00
2	प्रशासनिक मद	514.80
3	निर्धन चूल्हा	1730.00
4	रामराज ए0डी0ओ0 आई.एस.बी. से पाना	4464.00
5	सम्पूर्ण स्वच्छता की राशि	33.00
6	ग्राम सभाओं का सक्रिय	11018.75
7	स्वरोजगार योजना	101.15
8	त्रिस्तरीय पंचायत जमानत	250.00
9	इन्दिरा आवश की धनराशि	262819.60
	योग	**285706.55**

उपरोक्त अनुदान की धनराशियों को अनुदाता को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर मण्डल का नाम–वाराणसी

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत– मुफ्तीगंज वर्ष– 2016–17

प्रस्तर–270 ग्राण्ट रजि0–3 के अनुसार खातों पर प्राप्त ब्याज मद अन्तर्गत रू0 642180.00 व्यय किया गया हैं निमानुसार ब्याज से प्राप्त धन राज्य सरकार की होती है। जिसे 31 मार्च को सरकार को निर्धारित खाते में वापस कर दिया जाना चाहिए। ब्याज रू0 642180.00 बिना निर्धारित प्रकिया के पालन किये निर्माण कार्य पर व्यय किया गया हैं। जो अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है । कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–271–शासनादेश संख्या ए–1–122 / दस–2012–10(33) / 10 दिनांक 31.03.2010 के अनुसार राजकीय धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग के अनुमति से बैंक का खाता खोलकर राजकीय धनराशि जमा की जानी चाहिए। तथा जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी तथा इसे सरकार की राजकोष में जमा कर दी जानी चाहिए। इस दृष्टि से समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि रू0 130834.00 ब्याज रोका गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा शासन के निर्देशो की अवहेलना कर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में न जमा कर राजकीय धन का दुरूपयोग किया गया है। जो गम्भीर अनियमितता है। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–272 वर्ष आलोच्य में ग्राम पंचायत विकास योजना की धनराशि जो क्षेत्र में पंचायत में निहित थी। बिना किसी कार्ययोजना / अनुमोदन के मनमान ढंग से आधारहीन / फर्जी व्यय दर्शाकर कुल रू0 218000.00 की गम्भीर अनियमितता किया गया हैं। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–273 वित्तीय वर्ष–2016–17 में क्षेत्र पंचायत द्वारा इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद में रू0 44877.00 व्यय किया गया है। व्यय की पुष्टि में अभिलेख,प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत नही किया गया है। प्रमाणकों एवं अभिलेखों के अभाव में राजकीय धनराशि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता जो गभीर अनियमितता है। जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–274 आलोच्य वर्ष 2016–17 में निर्माण कार्यो के निमित सामग्री कुल मद के बिलों पर वैट 4 प्रतिशत एवं टी0डी0एस0 / आयकर 2.24 प्रतिशत की कटौती न करके बिलों का भुगतान किया गया है। सामग्री मद में कुल रू0 256872.00 व्यय दर्शित जिस पर वैट रू0 10275.00 एवं आयकर रू0 5754.00 कुल रू0 16029.00 राजकीय केन्द्रीय राजस्व की क्षति लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा करके रू0 16029.00 की गम्भीर अनियमितता किया गया है। जो एक गम्भीर प्रकरण है। अतः विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान अविलम्ब वसूली / समाधान हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। जो अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर मण्डल का नाम–वाराणसी

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

1 क्षेत्र पंचायत– सुईथाकला 2009–10 से 2010–11

प्रस्तर–275 1–अनुदान पंजी तृतीय एवं अवेशेष राशियों के अन्तर्गत 31.03.2010 एवं 31.03.2011 को निम्न प्रकार स्थितियां रही–

वर्ष–2009–10	बैंक पासबुक के अनुसार	अनुदान पंजी में	अन्तर
31.03.10	5504835.60	4274664.20	1230171.40
31.03.2011	5958005.72	5398651.20	559354.52

उक्त अन्तर के सम्बन्ध में 31.03.2010 को रू0 1230171.00 की दो चेके रू0 300000.00 एवं 300000.00 की जो 06.03.2010 मे निर्गत की गयी। शेष रू0 70816.00 विवरणहीन धनराशियां पूर्व वर्षो की जिला सहकारी बैंक शाखा रूधौली से सम्बन्धित का हवाला मात्र दिया गया है।

पुनः 31.03.2011 को रू0 5958005.72 मात्र के चेको का सन्दर्भ दिया गया है। एवं रू0 559355.00 के चेको का विवरण शून्य है। जो पुराना कालातीत एवं अनहारित है।

इस प्रकार रू0 559355.00 आधारहीन/अपुष्ट अपहरित धनराशि आडिट द्वारा संज्ञापित है। तथा रू0 70816.00 विवरणहीन/अपुष्ट लेखे के अन्तर्गत गम्भीर अनियमित लेखा रख रखाव के कारण आकलित रहा है। स्थिति का खुलासा किया जाना अपेक्षित रहा है।

उक्त प्रकार कुल रू0 559355+70816=630171 के सम्बन्ध में लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरूद्ध विधि सम्मत विभागीय कार्यवाही समाधान/वसूल हेतु उच्चधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट है।

जनपद का नाम– जौनपुर मण्डल का नाम–वाराणसी
क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां
क्षेत्र पंचायत– सुईथकला 2011–12

प्रस्तर–276

1–राज्य वित्त मद में रू0 656834.00 13वें वित्त में रू0 1533263.00 रा0 सम्पूर्ण ग्राम्य विकास योजना रू0 36000.00 वर्ष आलोच्य में व्यय दर्शाया गया हैं, इस प्रकार कुल रू0 2226097.00 दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्न गम्भीर तथ्य लेखा परीक्षा के दौरान पाये गये–

कार्ययोजना,कार्य पत्रावलियां,प्रमाणक/बिल/म0रो0 एवं कार्यदेश/तकनीकी स्वीकृति आदि व्यौरे उपलब्ध नही रहे हैं। व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख न होने से व्यय अपुष्टित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

2. खण्ड विकास अधिकारी/निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा आ0सं0(1) पर वर्षान्त अथवा वर्ष पर्यन्त कभी भी दृष्टि का अवलोकन जांच किये जाने की पुष्टि किसी भी प्रकार नही होती है। व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख न होन से व्यय अपुष्टि रहा। जिसके लिए खण्ड किास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–277 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत रू0 25000.00 व्यय आलोच्य वर्ष में दर्शित है। इस व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में सुलभ नही रहा। अपुष्ट व्यय की धनराशि रूपया 25000.00 के लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–278 निर्माण कार्यो पर दर्शित कुल व्यय राज्यवित्त/13वां वित्त/अन्य मद में कुल रू0 2226097.00 के 4 प्रतिशत सामग्री मद रू0 890439.00 पर आयकर 2.24 प्रतिशत में रू0 20124.00होता है। की कटौती व जमा की स्थिति शून्य रही है। केन्द्रीय राजस्व की क्षति के लिए उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार हे। जिनके विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–279 आलोच्य वर्ष में मनरेगा निर्माण मद में कोई धनराशि व्यय नही की गयी है। न ही कोई धनराशि प्राप्त रही है। मात्र प्रशासनिक मद में रू0 1515459.00 व्यय किया गया है। प्रशासनिक मद में व्यय सम्बन्धित कोई भी बिल बाउचर लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार व्यय अपुष्टित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

विकास खण्ड–महाराजगंज क्षेत्र पंचायत– महराजगंज–जनपद–जौनपुर वर्ष 2012–13 से 2013–14

प्रस्तर–280 1– आलोच्य वर्ष 2012–13 के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि राज्य वित योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत हिलाली .में यादव बस्ती खण्डजा में ब्राह्मण बस्ती होते हुए सरोजबस्ती तक मिट्टी/खण्डजा कार्य का प्राक्कलन श्री एम0पी0वर्मा जे0ई0 द्वारा तैयार किया गया है सहायक अभियंता डी0आर0डी0 जौनपुर द्वारा रू0 2,10,000 (दो लाख दस हजार मात्र) दिनांक 25.08.2013 को स्वीकृत है। खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय के पत्र संख्या 471/राज्य वित्त / 2013–14 दिनांक 01.10.2013 द्वारा श्री संजय त्रिपाठी ग्रा0वि0अ0 को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। सामग्री क्रय रू0 167892 पर की गयी है। इस पर 4 प्रतिशत कर की कटौती रू0 6716.00 नही की गयी है। जिसके लिए बी0डी0ओ0 व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–281 राज्य वित्त योजनान्तर्गत ग्रा0पंचाय बैहरी में बरहूपुर पिच रोड़ से प्रजापति बस्ती तक मिट्टी खंडजा कार्य का प्राक्कलन सहायक अभियन्ता .डी0आर0डी0 (अनिल कुमार) जौनपुर द्वारा 4.76 लाख का स्वीकृत है। उक्त कार्य में रू0 16920.00 मजदूरी का भुगतान किया गया है लेकिन श्रमिक चिट्ठा लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया है अतः भुगतान अनियमित रहा।सामग्री क्रय रू0 83262 पर बिक्री कर रू0 3330.00 की कटौती नहीं की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–282 तेरहवां वित्त योजनान्तर्ग ग्राम पंचायत भोगीपुर कठार में दुलार केवट के घर लोहार बस्ती का नाली निर्माण का प्राक्कलन सहायक अभि0 डी0आर0डी0 ए0 (अनिल कुमार) जौनपुर द्वारा 3.60 लाख स्वीकृत है। पूर्व में कार्य पर श्रेमांश में 0.43 लाख एवं सामग्री में 2.32 लाख कुल 2.75 लाख का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य में 19280.00 मजदूरों पर भुगतान किया गया है। लेकिन श्रमिक चिट्ठा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार भुगतान अपुष्टित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–283 राज्य वित्त योजनान्तर्ग ग्राम पंचायत चारो में लाकापुर नहर पिचरोड में डॉ0 हरिशंकर के घर तक मिट्टी /खडन्जा कार्य का प्राक्कलन सहा0 अभियन्ता अनिल कुमार डी0आर0डी0ए0 जौनपुर द्वारा रू0 एक लाख स्वीकृत है। खण्ड विकास अधिकारी के पत्रसंख्या 787/ राज्य वित्त / 1273 दिनांक 11.03.2013 द्वारा श्री राजेश मिश्रा ग्राम पंचायत अधिकारी कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है–

– श्रम पर व्यय कुल धनराशि रू0 1175.00 है

– सामग्री पर कुल धनराशि रू0 70012.00 जिस पर आयकर कटौती रू0 1568.00 होती है।

नोट –जिस पर निम्न आपत्ति है–

1. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नही बनाया गया है।
2. मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा।
3. बैट पर कटौती नही की गई है।
4. इस प्रकार से सामग्री सम्पूर्ण व्यय से कोटेशन/निविदा अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–284 तेरहंवा वित्त योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत घुसखुनी में जगदीश पाल के बगल में तालाब एवं रामजीत के घर होते हुए नाला तक पक्की नाली निर्माण का प्राकलन रू0 5.62 लाख स्वीकृत है। पूर्व में इस कार्य का श्रम व सामग्री पर 3.84 (तीन लाख चौरासी हजार) का भुगतान किया गया है। इस पर निम्न आपत्तियां है–

(1) जॉब कार्ड अंकित नहीं है।

(2) अंगूठे का निशान एक समान कही है कहीं नही है।

(3) बैट कर की कटौती नही की गयी है।

इस प्रकार सम्पूर्ण व्यय अनियमितत रहा जिसके लिए बी0डी0ओ0 लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–285 तेरहवां वित्त योजनान्तर्गत ग्रा0 पंचायत असुआपार में पूरालाल पक्की सड़क से गुप्ता बस्ती तक होते हुए ब्राह्मण बस्ती तक खण्डजा मरम्मत कार्य का प्राक्कलन सहायक अभियता डी0आर0 डी0 ए0 जौनपुर से 6.07 लाख स्वीकृत है।

इसमें –

(1) श्रम पर व्यय कुल मानव दिवस 1012 पर रू0 142 को कुल धनराशि रू0 143704 है।

(2) सामग्री पर व्यय मेसर्स पायस ईंट उद्योग मागूडीढ़ बदलापुर जौनपुर 97/25–10–2012 को धनराशि रू0 93080.00 पर आयकर कटौती रू0 2085.00 तथा देय धनराशि रू0 90995.00 भुगतान किया गया।

इस प्रकरण में (1) बैट कर का उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) सामग्री चिट्ठा पर अंगूठे का निशान एक समान कही है कहीं नही है।

(3) जॉब कार्ड अंकित नहीं है।

(4) कोटेशन निविदा आयमंत्रित नही की गयी है।

इस प्रकार रू0 183704 भुगतान अनियमित है जिसके लिए बी0डी0ओ0 लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–286 आलोच्य वर्ष 2013–14 में निम्न विवरणानुसार अनुदान को धनराशि विगत वर्षों में शेष चली आ रही है।

	मद का नाम	धन
1.	उठाऊ चूल्हे का अनुदान	5525
2.	डी0आर0डी0 ए0 प्रासंगिक मद	15
3.	त्रिस्तरीय पंचायत सभा निर्वाचन	868
4.	समाज कल्याण कार्यक्रम	67
5.	बायोगैस संयत्र मरम्मत	2800
6.	त्रिस्तरीय पंचायत सभा निर्वाचन पाण्डुलिपि धनराशि	224
7.	रैपिड सर्वे मानदेय	2400
8.	बारहवां वित्त योजना की धनराशि	5179
	योग	**17078**

इस प्रकार रू0 17078.00 अनुदान दाताओं को धन वापस ना कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए बी0डी0ओ0 लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड–सिकरारा जनपद – जौनपुर   क्षेत्र पंचायत– सिकरारा
वर्ष–2010–11 से 2012–13

प्रस्तर–287 आलोच्य वर्ष में वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक निम्नलिखित मदों–द्वितीय/तृतीय राज्य वित्त एवं 12वां/13वां वित्त,क्षेत्र निधि मद तथा सम विकास योजना का सम्मिलित ब्याज मद से वर्ष 2010–11 में रू0 253251. 00 तथा 2011–12 में रू0 27494.00 तथा 2012–13 में रू0 60.00 (कुलयोग–280805.00) रू0 अनियमित एवं अनैतिक तरीके से आहरण किया गया है। उक्त मदों से ब्याज की धनराशि किस उद्देश्य से किस शासनादेश/आदेश से तथा किस फर्म एवं किस मद में व्यय किया गया हैं,के सापेक्ष व्यय प्रमााणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही कराया गया, जबकि शासनादेश के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रख कर अर्जित किया गया ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए। परन्तु क्षेत्र पंयायत सिकरारा द्वारा उक्त धनराशि जमा न कराकर अनाधिकृत अनैतिक तथा अव्यवहारिक तथा सुनियोजित तरीके से आहरण कर एवं आहरण के सापेक्ष पुष्टि प्रमाणक प्रस्तुत न कर उत्तरदायी व्यक्तियों–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित पटल के लेखाकार द्वारा गम्भीर अनियमितता किया गया है। (शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012 –10 (33)/2010 दिनांक 21.03.2012)(सा0अ0सं0–5) उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–288 आलोच्य वर्ष 31.03.2013 तक ब्याज मद में कुल रू0 150380.00 अवशेष रहा। उक्त धनराशि 31.03.2013 तक राजकोष में जमा नही कराया गया जबकि शासनादेश के अनुसार ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि तत्काल प्रभाव से राजकोष में जमा करा दिया जाय,परन्तु क्षेत्र पंचायत–सिकरारा द्वारा उक्त धनराशि को अनियमित एवं अनैतिक तरीके से रोककर रखा गया, जिससे 31.03.2013 को उक्त धनराशि अवशेष रहा। अतः दिनांक 31.03.2013 तक रू0 150380.00 राजकोष में जमा न कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एंव लेखाकार द्वारा गम्भीर अनियमितता किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0अ0सं0–6)

प्रस्तर–289 आलोच्य वर्ष द्वितीय राज्य वित्त/तृतीय राज्य वित्त तथा 12वां वित्त एवं 13वां वित्त एवं समविकास मद से वर्षवार सामग्री व्यय के सापेक्ष विक्री कर/वैट व आयकर की कटौती नही किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है–

क0 सं0	वर्ष	मद का नाम	सामग्री पर कुल व्यय (वर्षवार)	समग्री पर कुल व्यय के सापेक्ष संभावित धनराशि		टिप्पणी
				आयकर (2.24 प्रतिशत)लगभव	सेल टैक्स/वैट (4 प्रतिशत)लगभव	
1	2010–11	12वां/13वां वित्त	1164325	26080	46593	कटौती नही की गयी है।
	2010–11	द्वितीय एवं तृतीय राज्य वित्त	1041177	23322	41647	कटौती नही की गयी है।
		योग–	2205502	49402	88220 लगभग	
2	2011–12	13वां वित्त	938029	21011	37521	कटौती नही की गयी है।
		तृतीय राज्य वित्त	2082759	46653	83310	कटौती नही की गयी है।
			3020788	67664 लगभग	120831 लगभग	

3

2012–13	13वां वित्त	662856	14847	26514	कटौती नही की गयी है।
2012–13	तृतीय राज्य वित्त	2421320	54237	96852	कटौती नही की गयी है।
		3084176	69084 लगभग	123366 लगभग	
2010–11	सम विकास योजना	284468	6372	11378	कटौती नही की गयी है।
	कम सं01,2,3,4 का महा योग	8594934	192522 लगभग	343795 लगभग	

उक्त तालिका के अनुसार सभी मदों से वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक सामग्री पर कुल व्यय के सापेक्ष आयकर के रूप में 192522.00 एवं विक्री कर/वैट के रूप में 343795.00 रू0 (कुल 536317 रू0 लगभग) कटौती कर राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए था। परन्तु सम्बन्धित पटल के लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा क्रय सामग्रीयों के सापेक्ष आयकर एवं बिक्री कर/वैट की कटौती नही किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा यैसा न कर न केवल

राजकोष में राजकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी अपितु गम्भीर अनियमितता भी किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा0अ0सं0–7)**

प्रस्तर–290 लेखा परीक्षा वर्ष 2010–11 व 2011–12 एवं 2012–13 में 13वां वित्त एवं द्वितीय/तृतीय राज्य वित्त तथा समविकास योजना से रू0 100000.00 ऊपर कय समस्त सामग्री हेतु क्षेत्र पंचायत सिकरारा द्वारा किसी भी प्रकार के टेण्डर प्रकिया नही अपनाया गया है। जबकि शासनादेश संख्या–; I.1.864;1द्ध/दस–2008–15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008) के अनुसार रू0 100000.00 से ऊपर की सामग्री कय हेतु टेण्डर प्रकिय अपनाया जाना आवश्यक है। एक लाख से उपर कय सामग्री का विवरण निम्नवत् है–

क0सं0	दिनांक	फर्म का नाम ग्राण्ट–2 के अनुसार जिसे भुगतान किया गया	भुगतान की गयी धनराशि पासबुक के अनुसार	भुगतान का विवरण
		वर्ष 2010–11 (द्वितीय राज्यवित्त/तृतीय राज्यवित्त)		
1	29.04.2010	अरूण कुमार सिंह ईट भट्ठा	220100	अरूण कुमार सिंह ईट भट्ठा
2	03.05.2010	भुवन सिंह बिल्डिंग मैटेरियल	105895	भुवन सिंह बिल्डिंग मैटेरियल
3	10.03.2011	भारत ईट उद्योग	162483	भारत ईट उद्योग
		वर्ष 2011–12 (13वां वित्त)		
1	14.10.2011	रधुराज सिंह ईट उद्योग	145800	रधुराज सिंह ईट उद्योग
2	14.10.2011	कुमार ईट उद्योग	1584200	जी0पी0बी0
3	17.11.2011	मे0 रधुराज ईट उद्योग	210492	सिंह ईट उद्योग
4	15.12.2011	मे0 रधुराज ईट उद्योग	113600	जी0पी0बी0
5	21.12.2011	मे0 रधुराज ईट उद्योग	114665	जी0पी0बी0
		वर्ष 2011–12 (तृतीय राज्य वित्त)		
1	30.06.2011	भारत ईट उद्योग	198800	भारत ईट उद्योग
2	13.07.2011	भारत ईट उद्योग	360254	के0जी0एस0जी0बी
3	25.07.2011	भारत ईट उद्योग	198800	टी0आर0
4	24.08.2011	भारत ईट उद्योग	295932	के0जी0एस0जी0बी
5	12.09.2011	भारत ईट उद्योग	157487	भारत ईट उद्योग
6	12.09.2011	वी0पी0एण्ड कम्पनी बांकी,सिकरारा	193050	वी0पी0एण्ड कम्पनी
7	07.10.2011	वी0पी0एण्ड कम्पनी बांकी,सिकरारा	144396	वी0पी0एण्ड कम्पनी
8	21.12.2011	मे0 रधुराज प्रताप ईट उद्योग	155632	मे0 रधुराज प्रताप ईट उद्योग
		वर्ष 2012–13 (13वां वित्त) 19.10.2012		
1	19.10.2012	मे0 रधुराज प्रताप ईट उद्योग	144490	के0जी0एस0जी0बी
2	01.12.2012	यू0पी0नेडा प्रोजेक्ट	146300	यू0पी0नेडा प्रोजेक्ट
		वर्ष 2012–13 (राज्य वित्त)		
1	08.05.2012	मे0 रधुराज प्रताप ईट उद्योग	110325	के0जी0एस0जी0बी
2	21.06.2012	ओम इण्टर प्राईजेज	104000	ओम इण्टर प्राईजेज
3	21.06.2012	ओम इण्टर प्राईजेज	109600	ओम इण्टर प्राईजेज
4	07.09.2012	मे0 रधुराज प्रताप ईट उद्योग	182442	के0जी0एस0जी0बी0
5	10.10.2012	मे0 रधुराज प्रताप ईट उद्योग के0जी0		के0जी0एस0जी0बी0
6	18.10.2012	मे0 रधुराज प्रताप ईट उद्योग	219428	के0जी0एस0जी0बी0
7	31.10.2012	मे0 रधुराज प्रताप ईट उद्योग	219922	के0जी0एस0जी0बी0
8	23.11.2012	ओम इण्टर प्राईजेज	125133	ओम इण्टर प्राईजेज
9	01.12.2012	राजेन्द्र प्रसाद ईंट भट्ठा	116010	राजेन्द्र
10	18.03.2013	ओम इण्टर प्राईजेज	183867	ओम इण्टर प्राईजेज
	वर्ष 2010–11,2011–12 व 2012–13 का **महायोग–**		**4947983**	

उपर्युक्त तालिका के अनुसार सभी मदों(13वां वित्त/द्वितीय राज्यवित्त/तृतीय राज्य वित्त)से वर्ष 2010–11,2011–12 एवं 2012–13 में कुल 4947983.00 रूपया आहरण (एक लाख से ऊपर सामग्री कय) के सापेक्ष कोई टेण्डर प्रकिया नही अपनाया गया। जो गम्भीर अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या–8)

प्रस्तर–291लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 में जमानत की धनराशि,सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी(जिला निर्वाचन कार्यलय पंचायत एवं नगरीय किाय जौनपुर–पत्रांक–763 दिनांक 16.11.2012) से रूपये 40000.00 31.11.2012 को प्राप्त हुआ। दिनांक 02.02.2013 को प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य की जमानत धनराशि वापस हेतु वरिष्ठ सहायक/कैशियर श्री आर0पी0त्रिपाठी के नामें चेक संख्या–896802 से आहरण रहा, भुगतान के सापेक्ष सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रधान एवं क्षे0प0सं0 की सूची एवं भुगतान प्राप्तकर्ता/वितराण रजि0 लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया, अतः उक्त से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर उत्तरदायी व्यक्तियों–ततकालीन

खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा गम्भीर अनियमितता किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या–9)**

प्रस्तर–292 लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 में अगस्त 2012 के बाद द्वितीय राज्य वित्त की अवशेष धनराशि रू0 591.00 ग्राण्ट–3 के अन्तिरिम अवशेष के रूप में इण्ट्री नही किया गया। जिससे वर्ष 2012–13 में रू0 591.00 का अन्तर वर्ष के अन्तिरिम अवशेष मे पाया गया।उक्त धनराशि अगस्त 2012 के बाद अन्तिरिम अवशेष से हटाकर कहां समायोजित किया गया की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं कराया गया। जिसके लिय तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या–10)

प्रस्तर–293 लेखा परीक्षा वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक ग्राण्ट रजिस्टर–3 के अनुसार तैयार वार्षिक आंकड़ा में वर्षवार सभी मदों का अन्तिरिम अवशेष निम्नवत् रहाः–

वर्ष	अन्तिरिम अवशेष की धनराशि
2010–11	1972450.00
2011–12	821648.00
2012–13	1689125.00
योग–	4483223.00

उक्त से संबन्धित आपत्ति यह कि शासन द्वारा अवमुक्त सभी मदों की धनराशि प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक/ वर्ष के दौरान उपभोग कर लिया जाना चाहिए था अथवा उक्त अवशेष धनराशि सम्बन्धित पक्ष को वापस कर दिया जाना चाहिए था। किन्ही भी परिस्थितियों में अवशेष बची धनराशि को (ए.जी.) महालेखकार की अनुमति के बिना आगामी वित्तीय वर्ष में उपभोग नही किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा न कर अनियमितता व अनैतिक तथा अनधिकृत रूप से अवशेष धनराशि को रोक कर इसका न केवल दुरूपयोग किया जा रहा है।बल्कि नियमानुसार विकास कार्यो को बाधित एवं श्रमिको को रोजगार से अंचित भी किया जा रहा है, जो शासन की मंशा के विपरीत हे। इस अनियतिता हेतु संबन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या–11)

प्रस्तर–294 लेखा परीक्षा वर्ष 2010–11 में बैंक समाधान विवरण/अनाहरित चेक से अन्तर की स्थिति स्पष्ट नही कराया गया जो आगामी वर्ष 2012–13 तक बना रहा–

अनाहरित चेक का विवरणः–

क0सं0	चेक सं0	दिनांक	धनराशि
1	152338	12.11.2007	2000
2	304342	12.11.2007	2000
3	896853	18.11.2009	2000
4	896856	18.11.2009	2000
5	007576	17.03.2011	4700
		योग–	**12700**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010–11 में क्रम संख्या 1 से 5 तक की धनराशि रू0 12700.00 विगत वर्षों से अनाहरित चेक के रूप में चला आ रहा है, जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नही कराया गया। महत्वपहूर्ण तथ्य यह है कि उक्त धनराशि विगत वर्षों से अनाहरित है, जिसका समायोजन नही हो पाया है तो पासबुक के अनुसार अन्तर कैसे बना रहेगा। अतः स्पष्ट है कि उक्त धनराशि को सुनियोजित तरीके से अनाहरित दिखा कर उत्तरदायी व्यक्तियों–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा गम्भीर अनियमितता किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या–12)**

प्रस्तर–295 लेखा परीक्षा वर्ष 2010–11 द्वितीय/तृतीय राज्य वित्त से ग्राम पंचायत चांदपुर में पिचरोड़ से गौरी शंकर के घर तक पिचरोड़ पर पुलिया निर्माण हेतु दिनांक 24.06.2010 को साई स्पन पाइप से ह्यूम पाइप क्रय हेतु रू0 9247.00 व्यय खारिज रहा। उक्त व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया,पासबुक के अनुसार उक्त भुगतान दिनांक 25.06.2010 को सम्भूगंज के नामे रहा। ग्राण्ट–2 के अनुसार उक्त कार्य को निरस्त किया गया है। अतः स्पष्ट है कि उक्त व्यय फर्जी रूप से प्रविष्टि कर उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा गम्भीर अनियमिता किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या–13)**

प्रस्तर–296 आलोच्य वर्ष 2010–11,2011–12 एवं 2012–13 में यैसे सामग्री क्रय जिनका भुगतान फर्म को न कर काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक व टी0आर0(ट्रांसफर) के रूप में रह, जिससे फर्म को भुगतान एव क्रय की पुष्टि नही होती।

क0सं0	कुल धनराशि	बैंक पासबुक के अनुसार भुगतान का विवरण
		वर्ष–2010–11 (द्वितीय एवं तृतीय राज्य वित्त)
1	115804	के0जी0एस0जी0बी0/टी0आर0
		वर्ष–2010–11 (12वां वित्त)
2	440624	के0जी0एस0जी0बी0/टी0आर0
		वर्ष–2011–12 (तृतीय राज्य वित्त)

3 1052256 के0जी0एस0जी0बी0 / टी0आर0

वर्ष–2011–12 (13वां वित्त)

4 561862 के0जी0एस0जी0बी0 / टी0आर0

वर्ष–2012–13 (तृतीय राज्य वित्त)

5 1465722 के0जी0एस0जी0बी0 / टी0आर0

वर्ष–2012–13 (13वां वित्त)

6 144490 के0जी0एस0जी0बी0 / टी0आर0

उपर्युक्त तालिका के अनुसार अलोच्य वर्ष में द्वितीय / तृतीय राज्य वित्त तथा 12वा 13वा वित्त आयोग से वर्षवार –वर्ष 2010 –11 में 556428–रू एवम् 2011 –12 में 1614118 रूपया तथा वर्ष 2012–13 में 1610212.00 रूपया कुल (3780758.00) रूपये की सामग्री क्रय का भुगतान फर्म को न कर काशाी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक / टी ,आर के रूप में भुगतान रहा , जिससे फर्म से सामग्री क्रय एवमं भुगतान पूर्णत, अनियमित रहा । अत, उक्त भुगतान के तरिके से स्पष्ट है कि सम्बन्घित ख,वि,अधिकारियों एवम् लेखा कार द्वारा रूपया (3780758.00) की गम्भीर अनियमितता किया गया है । जिसके लिये ख0,वि,अधिकारी एवम् लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संस्या 14)**

प्रस्तर–297 लेखा परीक्षा वर्ष 2010–11,एम एल सी निधि से 14160रूपये आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया अत,प्रमाणक के अभाव में स्पष्ट है कि उक्त धनराशि को उत्तरदायी व्यक्तियो ं द्वारा अनियमित तरीके से आहरित किया गया है। जिसके लियें तत्कालीन ख,वि,अ,एवम् लेखा कार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सख्या 15)

प्रस्तर–298 आलोच्य वर्ष 2010–11,2011–12 एवं 2012–13 में श्रम भुगतान / मस्टररोल से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी :–

(अ)–वर्ष 2010–11 द्वितीय राज्य वित्त (कार्यनाम–ख0वि0अ0 आवास मरम्मत) मद से दिनांक 04.05.2010 को चेक संख्या–089796 से 76859.00 रू0 आहरण के सापेक्ष कुल 51680.00 रू0 का मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा, इसी प्रकार (कार्यनाम–पूराबघेला खडन्जा पर विजयपाल सिंह के खेत पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण) दिनांक 20.05. 2010 को चेक संख्या 21003009 से 27700.00 आहरण के सापेक्ष 26700.00 का मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहा अतः दोनों कार्यो पर 25179.00+1000=26179.00 रूपये का मस्टररोल प्रस्तुत न कर खाते से अधिक आहरण कर सुनियोजित तरीके से उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिसके लिये तत्तकालीन–ख0वि0अ0 व लेखाकार एवं कार्यप्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संस्या 16अ)**

(ब) क0सं0	**कार्यनाम**	**व्यय धनराशि**	**चेक सं0**	**दिनांक**	**ग्राण्ट–2 अनुसार जिसके पक्ष में चेक जारी किया गया**	**बैंक पासबुक के अनुसार भुगतानप्राप्तकर्ता**
	वर्ष 2010–11 (द्वितीय / तृतीय राज्यवित्त)					
1	भुआकला लखेसर नाले पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	59700	21003005	20.05.2010	विनय कुमार शुक्ला ग्रा.वि.अ.	सेल्फ
	वर्ष 2011–12 (तृतीय राज्यवित्त)					
1	ग्राम पंचायत दुदौली बड़ी नहर से लल्लन सिंह गौरी शंकर के घर होते हुये पक्की सड़क तक ख0नि0	51100	21013061	27.07.2011	फूल चन्द्र पाल ग्रा.वि.अ.	सेल्फ
2	ग्राम पंचायत सकरदेल्हा चौराहे से ग्रा0पं0 भुईला हरिजन बस्ती तक ख0नि0	39100	21007557	01.07.2011	फूल चन्द्र पाल ग्रा.वि.अ.	सेल्फ
		18900	21007560	27.07.2011	फूल चन्द्र पाल ग्रा.वि.अ.	सेल्फ
	वर्ष 2012–13 (13वां वित्त)					
1	बरईपार तेजी बाजार मार्ग से जयप्रकाश गुप्ता व रमेश गुप्ता के घर तक पक्की नाली निर्माण	36472	21048656	22.03.2013	फूल चन्द्र पाल ग्रा.वि.अ.	सेल्फ
		205272				

उपर्युक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2010–11(द्वितीय एवं तृतीय राज्यवित्त) से 59700.00 रू0 वर्ष 2011–12(तृतीय रा0वि0) से 109100.00 रू0 तथा वर्ष 2012–13(13वां वित्त)से 36472.00 रू0 (कुल 205272.00 रू0) मस्टररोल भुगतान के सापेक्ष पासबुक के अनुसार मजदूरों/कार्यप्रभारी के नामे न होकर सेल्फ के रूप में आहरित रहा। सेल्फ भुगतान (ख0वि0अ0/लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/कार्यप्रभारी) किसके नामे रहा, की पुष्टि लेखा परीक्षा मे नही कराया गया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भुगतान उत्तरदायी व्यक्तियों क्षरा अनियमित तरीके से आहरित किया गया, जिसके लिये तत्कालीन7ख0वि0अ0 एवं लेखाकार तथा कार्यप्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संस्या 16ब)**

प्रस्तर–299 मस्टररोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को :–आलोच्य वर्ष 2010–11, 2011–12,2012–13 में कमशः मस्टररोल से श्रम भुगतान वर्ष 2010–11(तृतीय रा0वि0) से 264360.00 व 2010–11 (12वां वित्त) से 237900.00 एवं वर्ष 2011–12(तृतीय रा0वि0) से 452785.00 व 2011–12 (13वां वित्त) से रू0 542070.00 तथा वर्ष 2012–13 (तृतीय राज्य वित्त) से रू0 46133.00 व वर्ष 2012–13 (तेरहवां वित्त) से रू0 106582.00 कुल रू0 1865027.00 उक्त भुगतान सम्बन्धित मजदूरों को न कर कार्यप्रभारियों के नामे भुगतान किया गया है, और पत्रावलियों में जो मस्टरोल संलग्न पाये गये है। उन पर मस्टररोल कमांक अंकित नही है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल कार्यवार वि0ख0 से निर्गत नही है और न ही कार्यवार मस्टररोल जारी किये जाने का रजिस्टर बनाया गया है। ऐसे में फर्जी मस्टररोल जारी किये जाने एवं फर्जी भुगतान की पूर्ण सम्भावना है।

अतः मजदूरों के खाते में भुगतान न कर एवं मस्टररोल पर कमांक अंकित न कर आलोच्य वर्ष में मजदूरी मद से कुल धनराशि रू0 1865027.00 का तत्कालीन ख.वि.अ./लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लाक प्रमुख द्वारा अनियमित ढ़ंग से भुगतान करके गम्भीर अनियमितता किया गया है,जिसके लिये उक्त सभी व्यक्ति संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सां0अ0सं0–17)**

प्रस्तर–300 आलोच्य वर्ष मे दिनांक 31.03.2013 तक निम्नलिखित मदों में अवशेष धनराशि विगत वर्षो से चला आ रहा है–

1–बायोगैस अनुदान– 3550.00
2–ग्रा0पं0प्रतिनिधि प्रशिक्षण– 1400.00
3–त्रिस्तरीय पं0नि0मानदेय– 7900.00
4–राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना–4900.00
योग– 17750.00

उक्त मदों के सन्मुख अंकित धनराशि विगत वर्षो से अन्तिरिम अवशेष के रूप में चला आ रहा है, जिसे आलोच्य वर्ष में 31.03.2013 तक व्यय नही किया जा सहा, और व्यय न किये जाने का कारण भी लेखा परीक्षा में नह बताया गया है। जबकि नियमानुसार उक्त से सम्बन्धित धनराशि उपभोग न होने की दशा में सम्बन्धित विभाग/पक्ष को वापस कर दिया जाना चाहिए, ऐसा न करके उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिसके लिय खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।**(सां0अ0सं0–18)**
उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खंड रामनगर क्षेत्र पंचायत रामनगर जनपद जौनपुर
वर्ष 2013–14 से 2014–15

प्रस्तर–301 आलोच्य वर्ष 14–13 में क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत भटवार में पक्की सड़क से ब्राहमण बस्ती तक खड़ण्जा मरम्मत कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राजनाथ प्रसाद ,0डी0ओ0(आई0,स0बी0) कालान्तर मे पत्रांक 207 दि0 01–06–2013 श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0(एस0के0) को इसका कार्य प्रभारी बनाया गया । कार्यपूर्ति के पश्चात इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है–

क्रम	चेक सं0	दिनॉक	धनराशि मजदूरी	धनराशि ईंट	विवरण
1	006648	29–07–2013	67725		मस्टर रोल के अनुसार मजदूरी कार्यप्रभारी को
2	006649	29–07–2013	————————	211369	मै0 शिवम इण्टरप्राइजेज बल्लीपुर बनेवरा जौनपुर
3		योग	67725	211369	

उक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियॉ पायी गयी–
(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही रहे ।
(3) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है
4)प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर लगी है हस्ताक्षर नही है मजदूरों के अंगूठा निशान एक दूसरे पर अंकित है और अस्पष्ट है । मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है । मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्व है ।

(5) मस्टर रोल पर उस वार्ड के बी0 डी0 सी0 / ग्रा0 पं0 प्रधान के हस्ताक्षर नही है ।
(6) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि किसी भी फर्म द्वारा ईंट आपूर्ति हेतु निविदा नही डाली गयी जिसके कारण कोटेशन लेना पड़ा साथ ही दि0 08–05–2013 टेण्डर विज्ञापन तथा 21–05–2013 के कोटेशन आदेश में केवल 22128 ईंट आपूर्ति की मांग की गयी थी किन्तु बाद में दि0 29–05–2013 के संशोधित प्राकलन के अनुसार 43433 ईंट की आपूर्ति कोटेशन स्वीकृत फर्म से ली गयी । न ही टेण्डर विज्ञापन किया गया और न तो पुनः कोटेशन लिया गया ।

इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर–302 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय राज्य वित्त से शिलवंता की दुकान पक्की सड़क से कामता के घर तक खड़ण्जा निर्माण कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री विनोद सहाय श्रीवास्तव है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है–

क्रम	चेक सं0	दिनाँक	धनराशि मजदूरी	ईंट	विवरण
1	006643	24–01–2013	46425	-------	मस्टर रोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
2	016263	27–09–2013	58554	-------	
3	006642	24–07–2013	-----------	185124	मै0 यश ब्रिक्स सप्लायर सिधवन जौनपुर
4	016262	27–09–2013	-------	230204	मै0 खान ब्रिक कम्पनी बरसेठी जौनपुर
		योग	104979	415328	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही रहे ।
(3) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है
(4)प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर लगी है हस्ताक्षर नही है । मस्टर रोल पर मानव दिवसों का योग नहीं किया गया है ।
(5) मजदूरों के अंगूठा निशान एक दूसरे पर अंकित है और अस्पष्ट है ।
(6) मस्टर रोल पर उस वार्ड के बी0 डी0 सी0 ६ ग्रा0 पं0 प्रधान के हस्ताक्षर नही है ।
(7) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि किसी भी फर्म द्वारा ईंट आपूर्ति हेतु निविदा नही डाली गयी ।
(8) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है । मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।
(9) कार्यपूर्ति के पश्चात लौह बोर्ड नही स्थापित किया गया है ।

इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–303 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से ग्राम पंचायत कत्तुपुर में कामता के घर से दीनानाथ के चक तक मिट्टी व खड़ण्जा निर्माण कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ,0डी0ओ0 (,स0के0) है । कार्यपूर्ति के पश्चात इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है–

क्रम	चेक सं0	दिनाँक	धनराशि मजदूरी	ईंट	विवरण
1	222075	06–07–2013	65600	----	मस्टर रोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
2	222074	06–07–2013	------	271651	मै0 शिवम इण्टरप्राइजेज बल्लीपुर जौनपुर
		योग	65600	271651	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही रहे ।
(3) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है
(4)प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर लगी है हस्ताक्षर नही है
(5) मजदूरों के अंगूठा निशान एक दूसरे पर अंकित है और अस्पष्ट है ।
(6) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है। मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है।

(7) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि किसी भी फर्म द्वारा ईंट आपूर्ति हेतु निविदा नही डाली गयी जिसके कारण कोटेशन आमंत्रित करना पड़ा । साथ ही अस्वीकृत फर्मों के कोटेशन एक समान लेटर पैड पर अंकित हैं ।
(8) कार्यपूर्ति के पश्चात लौह बोर्ड नही स्थापित किया गया है ।
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदयी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–304 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से ग्राम पंचायत सलारपुर में तुलसी मौर्या के घर से वंशराजी के घर तक खड़ण्जा निर्माण कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0(एस0के0) है । कार्यपूर्ति के पश्चात इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है–

क्रम	चेक सं0	दिनाँक	धनराशि मजदूरी	ईंट	विवरण
1	006658	29–07–2013	9325		मस्टर रोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
2	006659	29–07–2013		40103	मै0 शिवम इण्टरप्राइजेज बल्लीपुर जौनपुर
		योग	9325	40103	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही रहे ।
(3) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है
(4)प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर लगी है हस्ताक्षर नही है साथ ही अस्वीकृत फर्मों के कोटेशन एक समान लेटर पैड पर अंकित हैं ।
(5) मजदूरों के अंगूठा निशान एक दूसरे पर अंकित है और अस्पष्ट है ।
(6) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है । मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।
(7) कार्यपूर्ति के पश्चात लौह बोर्ड नही स्थापित किया गया है ।
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–305 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से ग्राम पंचायत परेवाँ अटरिया में पक्की सड़क से संजय गाँधी स्मारक इण्टर कालेज तक खड़ण्जा निर्माण कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0(,स0के0) है । कार्यपूर्ति के पश्चात इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है–

क्रम	चेक सं0	दिनाँक	धनराशि मजदूरी	ईंट	विवरण
1	222065	15–05–2013	16625		मस्टर रोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
2	222072	17–06–2013	26100		मस्टर रोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
3	222064	15–05–2013	160558		मै0एस0टी एण्ड संस ईंट उद्योग तिवरान गोपालापुर जौन0
		योग	42725	160558	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही रहे ।
(3) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है
(4)प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर लगी है हस्ताक्षर नही है मस्टर रोल पर मानव दिवसों का योग नहीकिया गया है ।
(5)) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है । मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।
(6 कार्यपूर्ति के पश्चात लौह बोर्ड नही स्थापित किया गया है ।
(7) मस्टर रोल पर उस वार्ड के बी0 डी0 सी0 ६ ग्रा0 पं0 प्रधान के हस्ताक्षर नही है
(8) दि0 08–04–2013 को निविदा आमंत्रित तथा दि0 31–04–2013 को कोटेशन आमंत्रित किया गया और दि0 04–04–2013 को ही कार्य आरम्भ कर दिया गया दि0 07–05–2013 सामग्री आपूर्ति आदेश कर दि0 08–05–2013 को सामग्री की आपूर्ति आरम्भ की गयी । पत्रावली में निविदा की पेपर कटिंग संलग्न नही रहा और इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही रहा कि किसी भी फर्म ने निविदा हेतु आवेदन नही किया ।

इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ (,स0के0)खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–306 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से लिंक रोड खड़ण्जा से राजापुर पाही तक मिट्टी एवं खड़ण्जा निर्माण कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राजनाथ प्रसाद ए0डी0ओ0 (आई0,स0बी0) है । कार्यपूर्ति के पश्चात इस पश्चात इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक सं0	दिनाँक	धनराशि		विवरण
			मजदूरी	ईंट	
1	006653	29.07.2013		494476	मै0एस0टी एण्ड संस ईंट उद्योग तिवरान गोपालापुर जौन0
2	006654	29.07.2013	134125		मस्टर रोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
		योग	**134125**	**494476**	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गय

-(1)–उक्त परियोजना पर प्रयुक्त किये गये तीन मस्टर रोल पर निम्न विवरणानुसार कार्य दर्शित है-

म0रो0क्रम	मस्टर रोल पर कार्य दिवस	मानव दिवस × दर	भुगतान की धन0
1	16.05.213 से 18.06.2013	28श्रमिक ×125	3500
2	15.04.2013 से 15.05.2013 तक	448श्रमिक ×125	56000
3	10.05.2013 से 05.05.2013 तक	293श्रमिक ×125ए 152 मिस्त्री×250	74625

निम्नलिखित श्रमिकों को तीनों मस्टर रोल पर कार्यरत दर्शित किया गया है

क्रम	नाम श्रमिक/ पिता का नाम	ग्रा0पं 0का नाम	16.05.2013 से 18.06.2013 तक	15.04.2013 से 15.05.2013 तक	10.05.2013 से 06.06.2013 तक
1	मिठाई लाल/बैजू	शेषपुर	25दिन × 125की दर	28दिन × 125की दर	03दिन× 125की दर
2	चंद्रेश/श्याम	शेषपुर	25दिन ×125की दर	28दिन ×125की दर	02दिन× 125की दर
3	बड़ेलाल/कतवारू	गोपालापुर	24दिन × 125की दर	28दिन ×125की दर	02दिन× 125की दर
4	छोटलाल/कतवारू	गोपालापुर	24दिन ×125की दर	28दिन ×125की दर	03दिन× 125की दर
5	अमावस/कम्मल	गोपालापुर	24दिन ×125की दर	28दिन × 125की दर	02दिन× 125की दर
6	छोटई/कम्मल	गोपालापुर	25दिन × 125की दर	28दिन ×125की दर	02दिन × 125की दर
7	अनिल/रमेश	गोपालापुर	24दिन × 125की दर	28दिन ×125की दर	02दिन× 125की दर
8	प्रकाश/भगेलू	गोपालापुर	24दिन × 125की दर	28दिन ×125की दर	03दिन× 125की दर
9	निहोर/प्यारे	गोपालापुर	25दिन × 125की दर	28दिन × 125की दर	02दिन× 125की दर
10	सोमारू/प्यारे	गोपालापुर	24दिन × 125की दर	28दिन ×125की दर	02दिन× 125की दर
11	भोला/पन्नालाल	धरमपुर	24दिन × 125की दर	28दिन × 125की दर	03दिन× 125की दर
12	पिण्टू/पन्नालाल	धरमपुर	24दिन ×125की दर	28दिन ×125की दर	02दिन × 125की दर

स्पष्ट है कि एक ही श्रमिक को एक ही तिथि में तीनों मस्टर रोल पर कार्यरत दर्शाकर भुगतान किया गया है

2–) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

3–) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही रहे ।(–4) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

5–)प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर लगी है हस्ताक्षर नही है प्रयुक्त मस्टर रोल पर मानव दिवसों का योग नहीं किया गया है ।

6– मजदूरों के अंगूठा निशान एक दूसरे पर अंकित है और अस्पष्ट है ।

7– मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है ।

8– कार्यपूर्ति के पश्चात लौह बोर्ड नही स्थापित किया गया है ।

9– नकद मजदूरी भुगतान करने के सापेक्ष रसीदी टिकट नहीं लिया गया है ।

10–विज्ञापित टेण्डर पेपर कटिंग पत्रावली में संलग्न नही रहे ।

अतः स्पष्ट है कि दुरभिसंधिकर कूटरचित अभिलेखों द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर आहरित धनराशि रू0 628601¹ का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तरदायी तत्कालीन खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान , कार्य प्रभारी श्री राजनाथ प्रसाद ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0), श्री प्रमोद कुमार जे0ई0(एम0आई0) श्री नीलेश चंद्र श्रीवास्तव सहा0 लेखाकार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर–307 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से खं0 वि0 अधि0 कक्ष बरामदा व ब्लाक प्रमुख कक्ष में कजारिया टाईल्स कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0(,स0के0) है । इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक सं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण सामग्री श्रम
1	016270	25–11–2013	38693	मै0राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
2	016271	25–03–2013	7900	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
3	019201	10–12–2013	49903	मै0राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
4	019202	10–12–2013	10338	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
5	019187	27–12–2013	29238	मै0राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
6	100151	16–11–2013	7886	मै0राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
7	10052	16–11–2014	7686	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	125720 25924	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

1– अनुमानित लागत रू0 158000¹ के सापेक्ष रू0 125710/ सामग्री पर तथा रू0 25924 श्रमांश पर व्यय किया गया है

2– सामग्री आपूर्ति हेतु नियमानुसार टेण्डर न आमंत्रित कर कोटेशन लिया गया है जो आपत्तिजनक है

3– पत्रावली में कार्यपूर्ति संलग्न नहीं रही ।

4– पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

5– पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही रहे ।

6– प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर लगी है हस्ताक्षर नही है ।

7– मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है । मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध

8– मस्टर रोल सं0 2 (कार्य दिवस 27–11–2013 से18–12–2013 तक पर क्रम 6 के श्रमिक अमलधारी पुत्र केदार ने हस्ताक्षर किया है जबकि मस्टर रोल सं03 (कार्य दिवस 111–121–2014 से 15–12–2014 तक पर क्रम 7 उसने अंगूठा निशान लगाया है

इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0(,स0के0)खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–308 आलोच्य वर्ष 2013–14 क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से खं0 वि0 अधिकारी आवास बाउण्ड्री वाल निर्माण कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0(एस0के0) है । इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक सं0	दिनाँक	धनराशि सामग्री श्रम	विवरण
1	006650	29–07–2013	44755	मै0सोनल ईंट उद्योग छांगापुर जौन0
2	006651	29–07–2013	9385	मै0राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
3	006656	29–07–2013	9854	मै0सोनल ईंट उद्योग छांगापुर जौन0
4	006657	29–07–2013	22940	मै0राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
5	006655	29–07–2013	23250	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
6	100157	16–03–2014	14151	मै0राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
7	100158	16–03–2014	3500	मै0राधेश्याम शिल्पकार को शिलापट्ट हेतु
8	100159	16–03–2014	5472	मै0राज आयरन स्टोर्स को रंगाई–पुताई हेतु
		योग	110057 23250	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1– पत्रावली में कार्यपूर्ति संलग्न नहीं रही ।

(2) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(3) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही रहे ।

(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर लगी है हस्ताक्षर नही है । मस्टररोल पर मानव दिवसों का यो• नही किया •या है।
(5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है । मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।
(6) मस्टर रोल पर मानव दिवसों का योग नहीं किया गया है ।
(7) सामग्री क्रय में फर्मों से टेण्डर न आमंत्रित कर कोटेशन लिया गया है और सभी कोटेशन पत्र एक समान लेटर पैड पर अंकित है ।
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–309 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत तृतीय वित्त से द्वारा बराईकला में नौआबाड़ी से चक इंग्लिश छांगापुर ज0एच0एस0 तक खड़ण्जा मरम्मत कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0(,स0के0)है । इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक सं0	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	016272	30–11–2013	129087		मै0 सिंह ईंट उद्योग भरहूपुर, जमालापुर जौनपुर
2	016273	30–11–2013	3888		मै0सीमेंण्ट पाईप वर्क्स जौनपुर
3	019211	20–12–2013	29272		मै0सिंह ईंट उद्योग भरहूपुर, जमालापुर जौनपुर
4	016274	30–11–2013		77500	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
5	019212	20–12–2013		22212	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
6		योग	162247	99712	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही रहे ।
(3) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है
(4)प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर/हस्ताक्षर नही है मस्टर रोल पर मानव दिवसों का योग नही किया गया है ।
(5)मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है । मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।
(6 दि016–10–2013 टेंडर हेतु विज्ञापन कराया गया है तथा दि0 31–10–2013को कोटेशन आमंत्रित किया गया है पत्रावली में टेंडर निर्गमन हेतु बी0डी0ओ0 के आदेश की प्रति तथा इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि किसी भी फर्म ने टेण्डर ही डाला । सभी फर्मों के कोटेशन एक समान लेटर पैड पर अंकित हैं ।
(7) मस्टर रोल पर उस वार्ड के बी0 डी0 सी0 / ग्रा0 पं0 प्रधान के हस्ताक्षर नही है
(8) इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही रहा कि किसी भी फर्म ने निविदा हेतु आवेदन नही किया जिसके कारण कोटेशन आमंत्रित करना पड़ा ।
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–310 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत तृतीय वित्त से द्वारा ग्रा0पं0 औंरा में रामधनी के घर से पक्की से सड़क नटान बस्ती तक खड़ण्जा मरम्मत कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री दीपक सिंह है । इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक सं0	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	222077	16–07–2013	42269		मै0 यश ब्रिक सप्लायर्स सिधवन रामपुर जौन0
2	222078	16–07–2013		28050	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	42269	28050	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है
(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर / हस्ताक्षर नही है
(4) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है। मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है।

(5) श्रमिकों को साप्ताहिक विश्राम नही दिया गया है मस्टर रोल पर दि0 10–05–2013 से दि0 02–06–2013 तक लगातार कार्यरत दर्शित किया गया है ।

इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतःउत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर–311 आलोच्य वर्ष–2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से खं0 वि0 अधिकारी आवास व कर्मचारी आवास का मरम्मत कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0(,स0के0) है । इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि		विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	202266	27–05–2013		35800	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
2	202267	27–05–2013	28371		मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
3	202268	27–05–2013	22871		मै0 प्रकाश बिल्डिंग मटे0 नेवढ़िया जौन0
4		योग	51242	35800	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है

(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर / हस्ताक्षर नही है

(4) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है । मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(5) श्रमिकों को साप्ताहिक विश्राम नही दिया गया है ।

(6)पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही रहे ।

(7)सामग्री क्रय के सापेक्ष भुगतान में टी0डी0एस कटौती नहीं की गयी है ।

(8) मस्टर रोल क्रम (2कार्य दिवस 27–04–2013 से 11–05–2013 तक) पर मिस्त्री भोला पुत्र फूलगेन ने अँगूठा निशान लगाया है जबकि उसने खंण्ड विकास अधिकारी कक्ष, बरामदा व प्रमुख के कक्ष मे केजारिया टाईल्स लगाने वाली पत्रावली में हस्ताक्षर किया है

इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–312 आलोच्य वर्ष 2013–14 क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से ग्रा0पं0 शिवपुर में 900,म0,म0 ,न ह्यूम पाईप अण्डरग्राउण्ड नाली निर्माण कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री अरूण कुमार यादव है कालांतर में श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0(,स0के0)को कार्य प्रभारी बनाया गया है । इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है –

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि		विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	202276	10–07–2013	96000		मै0 सीमेण्ट पाईप वर्क्स जौनपुर
2	202279	20–07–2013	21508		मै0 सोनल ईंट उद्योग छांगापुर जौनपुर
3	202280	20–07–2013	26982		मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
4	006641	20–07–2013		18050	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
5	000565	20–03–2014	14078		मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
6	000566	20–03–2014	10754		मै0 सोनल ईंट उद्योग छांगापुर जौनपुर
7	000567	20–03–2014		16756	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
8	000568	20–03–2014	60417		मै0 सीमेण्ट पाईप वर्क्स जौनपुर
		योग	**229739**	**34806**	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही रहे ।

(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है

(4) मस्टर रोल पर मानव दिवसों का योग नहीं किया गया है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर/हस्ताक्षर नही है

(5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नहीं किया गया है। मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है। पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा कि किसी भी फर्म ने निविदा नहीं डाला।

(7) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नहीं रहे।

(8) सामग्री क्रय के सापेक्ष मै0 ह्यूम पाईप वर्कस् जौनपुर को भुगतान में टी0डी0एस कटौती नहीं की गयी है जबकि अन्य फर्मों के भुगतान में से की गयी है ।
(9) कार्य की समाप्ति पर लौह बोर्ड नही स्थापित किया गया है ।
(10) विज्ञापित टेण्डर पेपर कटिंग पत्रावली में संलग्न नही रहा ।
(11) राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0 के बिल पर टिन नं0 नहीं अंकित है ।
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–313 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से वि0 खं0 परिसर में इण्टर लाकिंग कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0(एस0के0) है । इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	100136	10–01–2014	96392		मै0 सरस्वती इण्टरप्राईजेज मड़ियाहूँ जौनपुर
2	100137	10–01–2014	7391		मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
3	022146	22–02–2014	19465		मै0 एस0टी एण्ड संस ईंट उद्योग तिवरान गोपालापुर जौन0
4	022147	22–02–2014	21993		मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
5	022148	22–02–2014	20658		मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	145241	20658	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही रहे ।
(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति संलग्न नही रहा।
(4 प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर / हस्ताक्षर नही है
(5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है । मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।
(6) पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही रहा कि किसी भी फर्म ने निविदा नही डाला
(7) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही रहे ।
(8) कार्य की समाप्ति पर लौह बोर्ड नही स्थापित किया गया है ।
(9) विज्ञापित टेण्डर पेपर कटिंग पत्रावली में संलग्न नही रहा ।
(10) राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0 के बिल पर टिन नं0 नहीं अंकित है ।
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–314 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से खं0 वि0 अधिकारी आवास कैम्पस में इण्टरलाकिंग कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0(,स0के0) है । इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	016266	25–11–2013	17314		मै0 यादव एण्ड कम्पनी पल्टूपुर मड़ियाँहू जौनपुर
2	016267	25–11–2013	77964		मै0 यादव एण्ड कम्पनी पल्टूपुर मड़ियाँहू जौनपुर
3	016268	25–11–2013	26156		मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
4	016269	25–11–2013		17850	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	121434	17850	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही रहे ।
(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति संलग्न नही रहा ।
(4 प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर / हस्ताक्षर नही है
(5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है । मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।
(6)) पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही रहा कि किसी भी फर्म ने निविदा नही डाला जिसके कारं कोटेशन आमंत्रित करना पड़ा ।
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–315 आलोच्य वर्ष– 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से वि0 खं0 कैम्पस ब्लाक प्रमुख चेम्बर की ओर इण्टरलाकिंग कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0 (,स0के0) है । इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	022149	22–02–2014	85335		मै0 सरस्वती इण्टरप्राईजेज दमोदरा मड़ियाँहू जौनपुर
2	022150	22–02–2014	8652		मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
3	022151	22–02–2014		9564	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	93987	9564	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही रहे ।
(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति संलग्न नही रहा । । मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।
(4 प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर / हस्ताक्षर नही है
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–316 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से वि0 खं0 कैम्पस में वाटर सप्लाई व वाटर टंकी फिटिंग कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0 (,स0के0) है । इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1	019185	20–12–2013	50000	सामग्री क्रय के सापेक्ष भुगतान
2	100210	17–02–2014	60026	
3		योग	110026	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही रहे ।
(3) पत्रावली में संलग्न कार्यपूर्ति पर खं0 वि0 अधिकारी के हस्ताक्षर नही है।
(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है
(5)दि0 12/2013 को चेक सं0 019185 से रू0 50000 अग्रिम भुगतान किया गया है ।
(6) उपर्युक्त समस्त भुगतान सामग्री क्रय के सापेक्ष राज आयरन स्टोर्स मड़ियाहूँ, सोनल ईंट उद्योग छांगापुर मड़ियाहूँ, तथा राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर मड़ियाहूँ जौन0 को किया जाना था किन्तु कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी किया गया है
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–317 आलोच्य वर्ष– 2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय राज्य वित्त से ग्राम पंचायत रनापुर में मुख्य रोड कदमतर से शोभनाथ की चाय की दुकान से होते हुए कदमतर वाया पंचम पटेल तक खडण्जा निर्माण / मरम्मत कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राजनाथ प्रसाद ए0डी0ओ0(आई0,स0बी0) है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	002136	05–02–2015	157968		मै0 अभय ईंट भट्ठा भवानीगंज जौनपुर
2	002137	05–02–2015		68452	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
3	002154	03–03–2015	60752		मै0 अभय ईंट भट्ठा भवानीगंज जौनपुर
4	002155	05–02–2015		38784	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
5	002185	21–04–2015	183302		मै0 अभय ईंट भट्ठा भवानीगंज जौनपुर
6	002186	21–04–2015	3000		राधेश्याम शिल्पकार मड़ियाहूँ को बोर्ड के लिये।
7	002187	21–04–2015	1067		मै0 माँ वैष्णो ह्यूम पाईप को
8	002188	21–04–2015		78504	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	406089	185740	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य फोटोग्राफ है किन्तु तीनों चरण के नही है। फोटोग्राफ का बिल है किन्तु उसका भुगतान नहीं किया गया है
(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति संलग्न नही है।

(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है
(6) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों को टेण्डर आवेदन के पत्र ,बयाना धनराशि, धरोहर प्रमाण पत्र आदि संलग्न नही रहे ।
(5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है । प्रयुक्त मस्टर रोल पर मानव दिवसों का योग नही किया गया है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।
(6) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि विगत 5 वर्षों मे उक्त परियो0 पर कोई कार्य नही हुआ है ।
(7) शिलापट्ट का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नही रहा
(8) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों की धरोहर से सम्बंधित कोई भी विवरण संलग्न नही रहा
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–318 आलोच्य वर्ष 2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से ग्राम पंचायत सादुल्लापुर में डा0 लालजी के घर के सामने से सरपंच की चक तक पक्की नाली निर्माण कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राजनाथ प्रसाद ए0डी0ओ0(आई0,स0बी0) है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	002193	01–05–2015	138895		मै0 भानु प्रताप सिंह एण्ड ब्रदर्स ईंट कं0 मधुपुर गुटवन जौन0
2	002194	01–05–2015		47832	मस्टर रोल के अनुसार
3	002195	01–05–2015	61929		राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
4	003641	13–05–2015	7308		मै0 भानु प्रताप सिंह एण्ड ब्रदर्स ईंट कं0 मधुपुर गुटवन जौन0
5	003642	13–05–2015	103907		राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
6	003643	13–05–2015	3000		राधेश्याम शिल्पकार मड़ियाहूँ को बोर्ड के लिये।
7	003644	13–05–2015		24524	मस्टर रोल के अनुसार
		योग	315039	72356	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य तीनों चरण के फोटोग्राफ नहीं है
(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति संलग्न नही है।
(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है
(5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है । प्रयुक्त मस्टर रोल पर मानव दिवसों का योग नही किया गया है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।
(6) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों को टेण्डर आवेदन के आवेदन पत्र संलग्न नही रहे सीधे फर्मों का तुलनात्मक चार्ट बना दिया गया है
(7) राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0 के बिल पर टिन नं0 अंकित नहीं है
(8)दि0 30–01–2015 को तकनीकी स्वीकृति पूर्व ही निविदा आमंत्रित की गयी है
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–319 आलोच्य वर्ष 2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय राज्य वित्त से ग्राम पंचायत तेजगढ़ में निशा प्रजापति के घर के पास से डीहबाबा तक मिट्टी व खड़ण्जा निर्माण कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री दीपक सिंह है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	002182	16–04–2015	306456		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
2	002183	16–04–2015	3000		राधेश्याम शिल्पकार मड़ियाहूँ को बोर्ड के लिये।
3	002184	16–04–2015		62692	मस्टर रोल के अनुसार
	योग		39456	62692	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य तीनों चरण के फोटोग्राफ नहीं है
(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति संलग्न नही है।
(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है
(5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है । प्रयुक्त मस्टर रोल पर मानव दिवसों का योग नही किया गया है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(6) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों को टेण्डर आवेदन के आवेदन पत्र संलग्न नही रहे सीधे मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर को आपूर्ति आदेश दिया गया है
(7) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों के बयाना धनराशि , धरोहरप्रमाणपत्र से सम्बंधित कोई भी विवरण संलग्न नही रहा
(8) प्राक्लन पर बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नही है
(9)दि0 03–02–2015 के कार्य आरम्भ हुआ और उसी दिन का मै0 अभय ईंट उद्योग भवानीगंज जौनपुर का बिल लगाया गया है
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध उचित कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–320 आलोच्य वर्ष 2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय राज्य वित्त से ग्राम पंचायत नरायनपुर में द्वारिका प्रसाद के मशीन से नहर की पटरी पर राजापुर पक्की सड़क तक खड़ण्जा मरम्मत कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राम कृष्ण यादव है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक सं0	दिनाँकलो	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	002173	31–03–2015	150069		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
2	002174	31–03–2015		92148	मस्टर रोल के अनुसार प्रभारी को
3	002180	16–04–2015	147336		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
	002181	16–04–2015		93064	मस्टर रोल के अनुसार प्रभारी को
5		योग	297405	185212	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य तीनों चरण के फोटोग्राफ नहीं है।
(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।
(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है ।
(5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान स्पष्ट नही है । मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।
(6) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों का टेण्डर आवेदन के लिये आवेदन पत्र संलग्न नही रहे सीधे फर्मो का तुलात्मक चार्ट बना दिया गया है ।
(7) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों की धरोहर से सम्बंधित कोई भी विवरण संलग्न नही रहा ।
(8) पत्रावली में लौह बोर्ड सम्बंधी विवरण नही है
(9) प्रयुक्त मस्टर रोल पर सम्बंधित ग्राम प्रधान/ बी0डी0सी0 हस्ताक्षर नही है
(10) कार्य का आरम्भ 01–03–2015 को हुआ जबकि ईं आपूर्ति का प्रथम बिल 28/02/15 का ही लगा है ।
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–321 आलोच्य वर्ष 2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय राज्य वित्त से ग्राम पंचायत अहिरौली में ब्राह्मण बस्ती सैदूपुर मार्ग पर पंचम के खेत तक खड़ण्जा मरम्मत कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0 (,स0के0) है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया है

क्रम	चेक सं0	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	002199	07–05–2015	92959		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
2	002200	07–05–2015		62112	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
	योग		92959	62112	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य तीनों चरण के फोटोग्राफ नहीं है।
(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।
(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है (5
(5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/अगूठा निशान स्पष्ट नही है । मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।
(6) प्रयुक्त मस्टर रोल पर सम्बंधित ग्राम प्रधान/ बी0डी0सी0 हस्ताक्षर नही है
(7) प्रयुक्त मस्टर पर मानव दिवसों का योग नही किया गया है
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–322 आलोच्य वर्ष 2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से ग्राम पंचायत बुजुर्गा में लालजी हरिजन के घर से सरकारी मशीन तक पक्की नाली निर्माण कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राजनाथ प्रसाद ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है रामनगर

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	002176	09–04–2015	152850		मै0अभय ईंट उद्योग भवानीगंज जौनपुर
2	002177	09–04–2015	70746		राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
3	002178	09–04–2015	3000		राधेश्याम शिल्पकार मड़ियाहूँ को बोर्ड के लिये।
4	002179	09–04–2015		53454	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
5		योग	226596	53454	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य तीनों चरण के फोटोग्राफ है किन्तु भुगतान का चेक निर्गत नही है

(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है (5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(6) प्रयुक्त मस्टर रोल पर सम्बंधित ग्राम प्रधान/ बी0डी0सी0 हस्ताक्षर नही है(

(7) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों का टेण्डर आवेदन के लिये आवेदन पत्र संलग्न नही रहे सीधे फर्मो का तुलात्मक चार्ट बना दिया गया है ।

(8) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों की धरोहर से सम्बंधित कोई भी विवरण संलग्न नही रहा ।

इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–323 आलोच्य वर्ष–2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से ग्राम पंचायत शेषपुर में रियाजुद्दीन के घर से मंदिर होते हुए नाला तक पक्की नाली निर्माण कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राम चन्द्र वर्मा ए0डी0ओ0(आई0,स0बी0) है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	002196	07–05–2015	147330		मै0अभय ईंट उद्योग भवानीगंज जौनपुर
2	002197	07–05–2015	88890		राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
3	002198	07–05–2015		54924	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
4		योग	236220	54924	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

1) प्राक्लन पर बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नही है

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य तीनों चरण के फोटोग्राफ नही है

(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है

(5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है मस्टर पर मानव दिवसों का योग नही किया गया है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(6) प्रयुक्त मस्टर रोल पर सम्बंधित ग्राम प्रधान/ बी0डी0सी0 हस्ताक्षर नही है(

(7) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों का टेण्डर आवेदन के लिये आवेदन पत्र संलग्न नही रहे सीधे फर्मो का तुलात्मक चार्ट बना दिया गया है ।

(8) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों की धरोहर से सम्बंधित कोई भी विवरण संलग्न नही रहा ।

(9)मस्टर रोल पर कार्य का नाम रियाजुद्दीन के घर से मंदिर होते हुए नाला तक पक्की नाली निर्माण अंकित है जबकि निविदा आवेदन पत्र, बयाना धनराशि, धरोहर प्रमाण पत्र , निविदा चार्ट व कार्य योजना मे कार्य का नाम रियाजुद्दीन के घर से शंकर जी मंदिर के दक्षिण स्कूल के गेट के सामने पक्की नाली निर्माण अंकित है

(10) पत्रावली में लौह बोर्ड सम्बंधी विवरण नही है

इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–324 आलोच्य वर्ष –2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत ह्दयपुर में चढ़ई टेकहा मड़ियाँहू कठिराँव मार्ग से नहर तक खड़ण्जा मरम्मत कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0(,स0के0) है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	000574	07–04–2014	118289		मै0अभय ईंट उद्योग भवानीगंज जौनपुर

2	000574	07–04–2014		91860	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
3	000580	19–04–2014	53786		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
4	000581	19–04–2014		41380	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
5		योग 172075	133240		

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य तीनों चरण के फोटोग्राफ नही है
(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।
(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है (5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है मस्टर पर मानव दिवसों का योग नही किया गया है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।
(6) प्रयुक्त मस्टर रोल पर सम्बंधित ग्राम प्रधान/ बी0डी0सी0 हस्ताक्षर नही है(
(7) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों का टेण्डर आवेदन के लिये आवेदन पत्र बयाना धनराशि ,धरोहर प्रमाण पत्र, संलग्न नही रहे सीधे फर्मो का तुलात्मक चार्ट बना दिया गया है ।
(8) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों की धरोहर से सम्बंधित कोई भी विवरण संलग्न नही रहा ।
(9) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है
(10) मस्टर रोल सं01 पर क्रम 7 के श्रमिक विजय पुत्र कोमल को राजगीर के रूप में दर्शित किया गया है जबकि मस्टर रोल सं02 पर क्रम 7 पर ही उसे श्रमिक रूप में दर्शित किया गया है
(11) मस्टर रोल सं01 पर कार्य दिवस 01–03–2014 से 22–03–2014 तक दर्शित है जबकि

(12) उपस्थिति 23–03–2014 तक दर्शित है 11–03–2014 को अवकाश दर्शित है ।
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–325 आलोच्य वर्ष–2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत छांगापुर 2 में बैजनाथ पटेल के घर से सुखलाल पटेल की दुकान तक का शेष भाग खड़ण्जा मरम्मत कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राजनाथ प्रसाद ए0डी0ओ0(आई0,स0बी0) है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	001136	23–06–2014	44516		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
2	001137	23–06–2014		35504	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	44516	35504	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य तीनों चरण के फोटोग्राफ नही है
(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।
(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है
(5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।
(7) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों का टेण्डर आवेदन के लिये आवेदन पत्र संलग्न नही रहे सीधे फर्मो का तुलात्मक चार्ट बना दिया गया है ।
(8) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों की धरोहर से सम्बंधित कोई भी विवरण संलग्न नही रहा ।
(9) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध उचित कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–326 आलोच्य वर्ष–2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से ग्राम पंचायत मधुपुर में पक्की सड़क शिव मंदिर से राजेन्द्र के घर तक नाली निर्माण कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री विजय नाथ यादव है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	001130	07–06–2014	52025		मै0जिलेदार सिंह ईंट भट्ठा कोरी जलालपुर जौनपुर
2	001131	07–06–2014	72256		मै0 शिव शक्ति ट्रेडर्स पुरेव जौनपुर
3	001132	07–06–2014		33818	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
4		**योग**	**124281**	**33818**	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य तीनों चरण के फोटोग्राफ नही है
(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।
(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है
(5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है और साप्ताहिक अवकाश नही दिया गया है
(6) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है ।
(7) लौह बोर्ड नहीं लगाया गया है
(8) मै0जिलेदार सिंह ईंट भट्ठा कोरी जलालपुर जौनपुर का ईंट आपूर्ति का मांग पत्र 07–05–2014 का है जबकि प्रभारी का मांग पत्र 06–06–2014 है ।
(9)टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है ।
इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–327 आलोच्य वर्ष–2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से ग्राम पंचायत हृदयपुर में खेताब चढ़ई नाले पर आर0 सी0 सी0 पुलिया निर्माण कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राम कृष्ण यादव है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	000992	17–10–2014	215676		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
2	000993	17–10–2014	120951		राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
3	000994	17–10–2014		72512	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
4	000996	10–11–2014	144254		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
5	000997	10–11–2014	48140		राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
6	000998	10–11–2014		44584	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
7	002142	25–02–2015	1319		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
8	002143	25–02–2015	93413		राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
9	002144	25–02–2015		28396	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
10	002151	02–03–2015	56515		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
11	002152	02–03–2015	4156		राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
12	002153	02–03–2015		19776	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
13		योग	684424	165268	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के प्रथम व अंतिम चरण के फोटोग्राफ नही है केवल अर्धनिर्मित पुल का एक फोटोग्राफ है
(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।
(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है
(5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।
(6) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मो का टेण्डर आवेदन के लिये आवेदन पत्र संलग्न नही रहे सीधे फर्मो का तुलात्मक चार्ट बना दिया गया है ।
(7) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों की धरोहर से सम्बंधित कोई भी विवरण संलग्न नही रहा ।
(8) लौह बोर्ड नहीं लगाया गया है ।
(9) सभी मस्टर रोल सभी राजगीर ने अंगूठा निशान लगाया है ।
(10) मस्टर रोल सं0 1 व 2 पर क्रम 7 के श्रमिक राजेन्द्र पुत्र काशीनाथ निवासी ईटाये ने हस्ताक्षर किया है जबकि मस्टर रोल सं03 व 4 पर उसने अंगूठा निशान लगाया है
(11) सभी श्रमिकों के अंगूठा निशान अस्पष्ट है ।
(12) उक्त परियोजना पर निम्न विवरणानुसार ऐसे श्रमिकों को कार्य करते दर्शित किया गया है जो उक्त अवधि में ही ईटाये में पाल बस्ती से भरत माली के घर तक तक खड़ण्जा मरम्मत पर उक्त अवधि में भी कार्यरत है दृ

क्रम	नाम श्रमिक	पिता का नाम	नाम ग्राम पंचायत	कार्य दिवस	मजदूरी की दर
1	कान्ता	काशीनाथ	इटायें	6	156
2	राजेन्द्र	काशीनाथ	इटायें	6	156
3	दूधनाथ	अलगू	इटायें	6	200
4	राजकुमार	बल्जोर	इटायें	6	156

अतः स्पष्ट है कि उक्त परियोजना पूर्णतया काल्पनिक है भुगतान की गयी कुल धनराशि 849692 / की वसूली कार्य प्रभारी श्री राम कृष्ण यादव, श्री शेषनाथ चौहान (बी0 डी0ओ0) सहायक लेखाकार श्री निलेश श्रीवास्तव तथा सम्वंधित अवर अभियंता से तातरीख ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर–328 आलोच्य वर्ष–2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत कटघर पशु चिकित्सालय के बाउण्ड्रीवाल का मरम्मत कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राजनाथ प्रसाद ए0डी0ओ0(आई0,स0बी0) है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	002156	03–03–2015	101802		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
2	002157	03–03–2015	82920		राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
3	002158	03–03–2015		61584	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
4	002162	18–03–2015	94701		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
5	002163	18–03–2015	104528		राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
6	002164	18–03–2015	3000		राधेश्याम शिल्पकार को बोर्ड का भुगतान
7	002165	18–03–2015		91776	
		योग	**386951**	**153360**	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है

(4) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

,(5) मस्टर रोल सं0 1 पर कार्य दिवस 02–02–2015 से 22–02–2015 तक दर्शित है जबकि उपस्थिति 01–02–2015 से 21–02–2015 तक दर्शित है

(6) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों का टेण्डर आवेदन के लिये आवेदन पत्र संलग्न नही रहे सीधे फर्मो का तुलात्मक चार्ट बना दिया गया है ।

(7) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों के बयाना धनराशि ष धरोहर प्रमाण प्रत्र से सम्बंधित कोई भी विवरण संलग्न नही रहा ।

(8) सभी श्रमिकों के अंगूठा निशान अस्पष्ट है ।

इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–329 आलोच्य वर्ष –2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत ईटाये में पाल बस्ती से भरत माली के घर तक तक खड़ण्जा मरम्मत कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0 (,स0के0) है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	002159	03–03–2015	99490		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
2	002160	03–03–2015		55708	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
3	002167	23–03–2015	111671		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
4	002168	23–03–2015	5861		मै0 विजय लक्ष्मी स्पन पाईप मड़ियाँहू जौनपुर
5	002169	23–03–2015		55880	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
6		योग	217022	111588	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है

(4) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है,मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(5)पत्रावली में कराये गये कार्य के मध्य चरण के फोटोग्राफ है प्रथम व अंतिम चरण फोटोग्राफ संलग्न नही है

(6) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों का टेण्डर आवेदन के लिये आवेदन पत्र संलग्न नही रहे सीधे फर्मो का तुलात्मक चार्ट बना दिया गया है ।

(7) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों की धरोहर से सम्बंधित कोई भी विवरण संलग्न नही रहा ।

(8) लौह बोर्ड नहीं लगाया गया है ।

(9) प्रयुक्त मस्टर रोल पर बी0डी0ओ0 व प्रमुख के हस्ताक्षर नही है

उक्त परियोजना पर निम्न विवरणानुसार ऐसे श्रमिकों को कार्य करते दर्शित किया गया है जिन्होंने उक्त अवधि में ही खेताब चढ़ई में आर. सी. सी. नाला पर निर्माण पर भी कार्यरत है –

क्रम	नाम श्रमिक	पिता का नाम	नाम ग्राम पंचायत	कार्य दिवस	मजदूरी की दर
1	कान्ता	काशीनाथ	इटायें	20	200
2	राजेन्द्र	काशीनाथ	इटायें	20	200
3	दूधनाथ	अलगू	इटायें	20	156
4	राजकुमार	बल्जोर	इटायें	20	156

अतः स्पष्ट है कि उक्त परियोजना पूर्णतया काल्पनिक है भुगतान की गयी कुल धनराशि 328610 / की वसूली कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0 डी0ओ0(,स0के0) श्री शेषनाथ चौहान (बी0 डी0ओ0) सहायक लेखाकार श्री निलेश श्रीवास्तव तथा सम्वंधित अवर अभियंता से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर–330 आलोच्य वर्ष–2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत सेउर में रामाज्ञा इण्टर कालेज से अशोक कुमार के घर तक का शेष भाग खड़ण्जा मरम्मत कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री विनोद सहाय है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि		विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	000981	28–08–2014	51896		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
2	000982	28–08–2014		42120	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	51896	42120	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है

(2) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(3) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनो चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(4) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों का टेण्डर आवेदन के लिये आवेदन पत्र संलग्न नही रहे सीधे फर्मो का तुलात्मक चार्ट बना दिया गया है । टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है ।

(5) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों की बयाना धनराशि, धरोहर प्रमाण पत्र से सम्बंधित कोई भी विवरण संलग्न नही रहा ।

(6) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है

(7) मस्टर रोल पर क्रम 5 के श्रमिक को कार्यारम्भ से अनुपस्थित करने का तात्पर्य स्पष्ट नही रहा ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–331 आलोच्य वर्ष–2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत जयरामपुर में मड़ियाहूँ कठिराँव पक्की सड़क से एस0 बी स्कूल तक खड़ण्जा निर्माण कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0(एस0के0) है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि		विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	002121	17–02–2014	92776		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
2	002122	17–02–2014		19444	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	92776	19444	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है
मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(4) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनो चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(5) पत्रावली में कराये गये कार्य का बोर्ड सम्बधी विवरण फोटोग्राफ संलग्न नही है

(6) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर सम्बंधित वार्ड के बी0 डी0सी0 अथवा ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर नही है

(7)पत्रावली में कोटेशन अस्वीकृत फर्मों के आवेदन पत्र संलग्न नही है । स्वीकृत फर्मों के बयाना धनराशि. धरोहर प्रमाण पत्र सम्बंधी विवरण संलग्न नही रहा ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है। अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–332 आलोच्य वर्ष –2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ब्लाक मीटिंग हाल मरम्मत एवं रंगाई– पुताई कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0 (एस0के0) है। इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया हैं।

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि		विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	001145	10–07–2014	75236		मै0 प्रकाश बिल्डिंग मटे0 नेवढ़िया जौनपुर
2	001146	10–07–2014		39750	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	75236	39750	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(3) पत्रावली में कराये गये कार्य के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(4) हाल की रंगाई– पुताई के लिये पृथक से श्रमिक नही लगाये गये है

(5) मै0 प्रकाश बिल्डिंग मटे0 नेवढ़िया जौनपुर को आपूर्ति आदेश में केवल 92 बोरी सीमेण्ट दर रू0 325/बोरी की ही आपूर्ति का आदेश दिया गया है जबकि बिल पर सीमेण्ट के साथ–साथ बालू ,गिट्टी व पटिया की भी आ पूर्ति की गयी है ।

(6) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षो में कोई कार्य नहीं कराया गया है

(7) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है व मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–333 आलोच्य वर्ष–2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत बहरी में कुंज बिहारी प्रजापति के घर से ईटाये– बहरी पक्की सड़क तक नाली निर्माण कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री विनोद सहाय है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि		विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	003657	09–03–2015	106962		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
2	003658	09–03–2015	54316		मै0 राजाराम बिल्डिंग मे0 दुबान गोपालापुर जौनपुर
3	003659	09–03–2015		33531	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
4	003680	28–09–2015	107142		मै0अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
5	003681	28–09–2015	46496		मै0 राजाराम बिल्डिंग मे0 दुबान गोपालापुर जौनपुर
6	003682	28–09–2015		38521	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
7	003686	30–10–2015	77466		मै0 राजाराम बिल्डिंग मे0 दुबान गोपालापुर जौनपुर
8	003687	30–10–2015	3000		राधेश्याम शिल्पकार को बोर्ड हेतु
9	003688	30–10–2015		15499	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	395382	87551	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(3) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है और उन पर बी0डी0ओ0 की केवल मुहर है हस्ताक्षर नही है

(5)मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(6)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर सम्बंधित वार्ड के बी0 डी0सी0 अथवा ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर नही है

(7) मै0 राजाराम बिल्डिंग मे0 दुबान गोपालापुर जौनपुर के बिल पर टिन नं0 अंकित नही है ।

(8) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों का टेण्डर आवेदन के लिये आवेदन पत्र, बयाना, धरोहर प्रमाणप्रत्र संलग्न नही रहे सीधे फर्मो का तुलात्मक चार्ट बना दिया गया है ।

(9) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों की धरोहर से सम्बंधित कोई भी विवरण संलग्न नही रहा ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–334 आलोच्य वर्ष–2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ब्लाक परिसर में मेन रोड से वि0 खं0 अधिकारी कार्यालय की ओर इण्टर लाकिंग कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0 डी0 ओ0 (एस0के0) है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है–

क्रम	चेक संख्या	दिनॉंक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	019190	27–12–2013	94124		मै0 सरस्वती इण्टरप्राईजेज दमोदरा मड़ियाहूँ जौनपुर
2	019191	27–2–2013	8212		मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौनपुर
3	100135	10–1–2014		10164	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
	योग		**102336**	**10164**	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(3) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है । मस्टर रोल पर किसी भी क्षेत्र पंचायत सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नही अंकित है । मस्टर रोल पर मानव दिवसों का योग नहीं किया गया है

(5) मै0 सरस्वती इण्टरप्राईजेज दमोदरा मड़ियाहूँ जौनपुर और मै0 राजाराम बिल्डिंग मेटे0 दुबान गोपालापुर जौनपुर के बिल पर टिन नं0 नही अंकित है ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–335 आलोच्य वर्ष–2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ब्लाक कार्यालय मरम्मत एवं पेण्टिंग कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0 डी0 ओ0 (एस0के0) है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनॉंक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	006645	24–07–2013	47099		मै0 यश बिल्डिंग मटे0 एवं हार्डवेयर स्टोर नेवढ़िया जौनपुर
2	006646	24–07–2013		16600	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
	47099	16600			

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3) पत्रावली में संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर बीडी0ओ0 व प्रमुख के हस्ताक्षर नही है। मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है, मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है,प्रयुक्त मस्टर रोल पर कार्य का नाम भी अंकित नही है

(5) मै0 यश बिल्डिंग मटे0 एवं हार्डवेयर स्टोर नेवढ़िया जौनपुर के बिल सं0 1438 रू0 47099 से टीडीएस0 की कटौती नही की गयी है

(6)मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को रू0 16600/ मजदूरी का भुगतान किया गया है जबकि इमोलेशन पेण्ट की मजदूरी रू0 11462/ पृथक से मै0 यश बिल्डिंग मटे0 एवं हार्डवेयर स्टोर नेवढ़िया जौनपुर को भुगतान किया गया है

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–336 आलोच्य वर्ष–2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवां वित्त से ग्राम पंचायत उसरांव मे लालबहादुर के मशीन वाया नाथ के घर इटियाबीर सरहद तक मिट्टी/ खड़ण्जा निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री दीपक सिंह है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है।

क्रम	चेक संख्या	दिनॉंक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	100130	08–01–2014	224503		सिंह ईंट उद्योग भरहूपुर,जमालापुर जौनपुर
2	100131	08–01–2014		50776	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	224503	50776	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है, प्रयुक्त मस्टर रोल नं02 पर कार्य का नाम भी अंकित नही है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है कार्य दिवस 06–12–2013 से आरम्भ होकर 31–12–2013 तक दर्शित है उसके बीच में केवल 15–12–2013 को ही कार्य नही हुआ है

(6) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही है कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

(7)पत्रावली में कार्य प्रभारी का भुगतान हेतु मांग पत्र संलग्न नही है

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–337 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवां वित्त से ग्राम पंचायत उसरांव मे डेडारपुर पक्की सड़क से ममिलाजीत के मसीन तक मिट्टी/ खड़ण्जा निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री दीपक सिंह है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	100121	31–12–2013	18407		मै0 जिलेदार ईंट भट्ठा कोरी जलालपुर जौनपुर
2	100122	31–12–2013	1944		मै0 सीमेण्ट पाईप वर्क्स जौनपुर
3	100123	31–12–2013		42886	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	186019	42886	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(6) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

(6) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही है कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

(7)मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर /अंगूठा निशान स्पष्ट नही है ,

(8)प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–338 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवां वित्त से ग्राम पंचायत जवंशीपुर में हरिश्चंद पटेल के घर से पुरानी पोखरी वाया महाबली के घर चिथड़ुआ पटेल बस्ती तक पक्की नाली निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री दीपक सिंह है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	100218	18–02–2014	75298		मै0 सिंह ईंट उद्योग भरहूपुर,जमालापुर जौनपुर
2	100219	18–02–2014	50015		मै0 कुमार आयरन स्टोर्स यादव नगर औंरा जौनपुर
3	100220	18–02–2014		31390	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	125313	31390	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3)प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(4) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही है कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

(5)पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

(6) पत्रावली में कार्य की समाप्ति के उपरांत बोर्ड स्थापित के जाने का विवरण अप्राप्त रहा ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–339 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवां वित्त से ग्राम पंचायत जवंशीपुर में संजय के घर से गड्ढा (खरवार बस्ती) तक पक्की नाली निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री दीपक सिंह है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि		विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	100346	06–03–2014	53948		मै0 सिंह ईंट उद्योग भरहूपुर,जमालापुर जौनपुर
2	100347	06–03–2014	38726		मै0 कुमार आयरन स्टोर्स यादव नगर औंरा जौनपुर
3	100348	06–03–2014		23316	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	92674	23316	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है,

(4) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही है कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

(5)पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

(6) पत्रावली में कार्य की समाप्ति के उपरांत बोर्ड स्थापित के जाने का विवरण अप्राप्त रहा ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–340 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवां वित्त से ग्राम पंचायत परेवा में हाजी अनीस के घर से हाजी तुफैल के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0 डी0 ओ0 (एस0के0) है । इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि		विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	019193	27–12–2013	114106		मै0 न्यू स्टार ईंट उद्योग गोपालापुर जौनपुर
2	019194	27–12–2013	49731		मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौनपुर
3	019195	27–12–2013		35300	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
4	002123	17–12–2014	90090		मै0 न्यू स्टार ईंट उद्यो गोपालापुर जौनपुर
5	002124	17–12–2014	81252		मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौनपुर
6	002125	17–12–2014		52392	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
7		योग	335179	87692	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(5) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान/बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है

(6) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही है कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

(7)मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौनपुर बिल नं0717 पर टिन नं0 अंकित नही है

(8)पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

(9) संलग्न मस्टर रोल नं0 1 पर 7 राजगीरों एवं 10 श्रमिकों ने लगातार 10 दिन तक कार्य किया है जबकि संलग्न मस्टर रोल नं0 2 पर 8 राजगीरों ने 15 दिन एवं 14 श्रमिकों ने केवल 13 दिन तक कार्य किया दर्शित है । इस प्रकार 08 राजगीरों को बिना श्रमिकों के 02 दिन तक अतरिक्त कार्य किया जाना दर्शित है

(10) उक्त परियोजना के लिये सामग्री क्रय हेतु कोटेशन विज्ञापन में मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौनपुर के कोटेशन आवेदन में, तथा खं0 वि0 अधि0 के आपूर्ति आदेश में केवल सीमेण्ट, मोटी व महीन बालू का ही विवरण है जबकि मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौनपुर के बिलसं0 717 दि0 01–12–2014 रू0 86659/ में उक्त सामग्री के अतिरिक्त पत्थर गिट्टी व सरिया भी क्रय दर्शित है जिसका मूल्य रू016320/ है

स्पष्ट है कि सम्पूर्ण भुगतान की गयी धनराशि रू0 422871/ दुरभिसंधिकर कूटरचित अभिलेख तैयार कर काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहृत कर लिया गया है जिसकी वसूली कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0 डी0 ओ0 (एस0के0), खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव एवं अवर अभियंता श्री प्रमोद कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर–341 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवां वित्त से ग्राम पंचायत गोपालापुर में नौवान बस्ती से मुख्य सड़क तक पक्की नाली निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0 डी0 ओ0 (एस0के0) है । इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	100124	03–01–2014	69660		मै0 न्यू स्टार ईंट उद्योग गोपालापुर जौनपुर
2	100125	03–01–2014	39108		मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौनपुर
3	100126	03–01–2014		28602	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
4	100154	16–01–2014	103407		मै0 न्यू स्टार ईंट उद्योग गोपालापुर जौनपुर
5	100155	16–01–2014	58508		मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौनपुर
6	100156	16–01–2014		32442	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
7	022152	26–02–2014	74471		मै0 न्यू स्टार ईंट उद्योग गोपालापुर जौनपुर
8	022153	26–02–2014	36226		मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौनपुर
9	022155	26–02–214		26910	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
10	000999	17–11–2014	50852		मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौनपुर
11	001000	17–11–2014		11176	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	432232	99130	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3) पत्रावली में नाली की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु ढक्कन की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है

(4) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही है कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

(5)मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौनपुर बिल पर टिन नं0 अंकित नही है

(6) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है

(7) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(8) पत्रावली में कार्य की समाप्ति के उपरांत बोर्ड स्थापित के जाने का विवरण अप्राप्त रहा ।

(9) मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर /अंगूठा निशान स्पष्ट नही है

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–342 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवां वित्त से ग्राम पंचायत पसियाहीखुर्द में शिव मंदिर से नाला तक का शेष भाग पक्की नाली निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राजनाथ प्रसाद ए0 डी0 ओ0 (आई0 एस0 बी0) है । इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	022155	26–02–2014	179921		मै0 सिंह ईंट उद्योग मेघपुर मड़ियाहूँ जौनपुर
2	022156	26–02–2014	94988		मै0 पटेल बिल्डिंग मटे0 एवं हार्डवेयर पसियाहीखुर्द जौनपुर
3	022157	26–02–2014		69538	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
4	000561	13–03–2014	190024		मै0 पटेल बिल्डिंग मटे0 एवं हार्डवेयर पसियाहीखुर्द जौनपुर
5	000562	13–03–2014	25178		मै0 सिंह ईंट उद्योग मेघपुर मड़ियाहूँ जौनपुर
6	000563	13–03–2014		46338	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को

7	000582	19—04—2014	33121		मै0 पटेल बिल्डिंग मटे0 एवं हार्डवेयर पसियाहीखुर्द जौनपुर
8	000583	19—04—2014	18703		मै0 सिंह ईंट उद्योग मेघपुर मड़ियाहूँ जौनपुर
9	000584	19—04—2014	3000		मै0 राधेश्याम शिल्पकार को शिलापट्ट हेतु
10	000585	19—04—2014		11776	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
11	001124	03—06—2014	43948		मै0 पटेल बिल्डिंग मटे0 एवं हार्डवेयर पसियाहीखुर्द जौनपुर
12	001125	03—06—2014	9357		मै0 सिंह ईंट उद्योग मेघपुर मड़ियाहूँ जौनपुर
13	001126	03—06—2014		10924	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	598240	138576	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी—

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के प्रथम चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(4) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही है कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला।

(5) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उसकी सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण नही है ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर—343 आलोच्य वर्ष 2013—14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवां वित्त से ग्राम पंचायत पसियाहीखुर्द में शिव मंदिर से नाला तक पक्की नाली निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राजनाथ प्रसाद ए0 डी0 ओ0 (आई0 एस0 बी0) है । इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि		विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	100142	10—01—2014	107986		मै0 सिंह ईंट उद्योग मेघपुर मड़ियाहूँ जौनपुर
2	100143	10—01—2014	56005		मै0 पटेल बिल्डिंग मटे0 एवं हार्डवेयर पसियाहीखुर्द जौनपुर
3	00144	10—01—2014		41758	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
4	100211	17—02—2014	71941		मै0 सिंह ईंट उद्योग मेघपुर मड़ियाहूँ जौनपुर
5	100212	17—02—2014	75241		मै0 पटेल बिल्डिंग मटे0 एवं हार्डवेयर पसियाहीखुर्द जौनपुर
6	100213	17—02—2014		35220	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	311173	76978	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी—

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(5) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही है कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

(6) मै0 सिंह ईंट उद्योग मेघपुर मड़ियाहूँ जौनपुर के धनराशि रू0 73583/ के बिल पर क्रमांक अंकित नही है

(7) पत्रावली में कोटेशन आमंत्रण हेतु खं0 वि0 अधि0 का आदेश संलग्न नही है ।

(8) सभी फर्मों के आवेदन पत्र एक समान कम्प्यूटराईज्ड लेटर पैड पर अंकित् प्रतीत होता है

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर—344 आलोच्य वर्ष 2013—14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवां वित्त से ग्राम पंचायत नरायनपुर में मड़ियाहूँ मैनपुर पक्की सड़क पर पंचम के घर के पास से द्वारिका के यादव के मशीन तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राम कृष्ण यादव है । इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि		विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	100149	13—01—2014	118387		अभय ईंट भट्ठा भवानीगंज जौनपुर
2	100150	13—01—2014		115376	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
3	100207	06—03—2014	114018		अभय ईंट भट्ठा भवानीगंज जौनपुर
4	100208	06—03—2014		94672	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	232405	210048	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है,

(4) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही है कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

(5) मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर /अंगूठा निशान स्पष्ट नही है एक दूसरे पर अंकित है

(6) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है

(7) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान/बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–345 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत बुजर्गा में पक्की सड़क से बृजलाल मौर्या के घर तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री संजय श्रीवास्तव है । इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	019207	20–12–2013	170936		मै0 शुभम ईंट उद्योग जूड़पर रामनगर जौनपुर
2	019208	20–12–2013		125906	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	170936	125906	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है,

(4) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है

(5) मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर /अंगूठा निशान स्पष्ट नही है

(6) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही है कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

(7) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान/बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतःउत्तरदायी खं0 वि0 अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–346 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत कुम्भापुर में सुबाष प्रजापति के घर से गड्ढा तक पक्की नाली निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री दीपक सिंह है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	100160	20–01–2014	94798		मै0 सिंह ईंट उद्योग जमालापुर मड़ियाहूँ जौनपुर
2	100161	20–01–2014	104787		मै0 कुमार आयरन स्टोर औंरा जौनपुर
3	100162	20–01–2014		47588	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	199585	47588	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(4) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है

(6) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही है कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

(7) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान/बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–347 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत रामनगर–1 में बांसकोठ सेमंदिर तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री दीपक सिंह है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है–

क्रम	चेक संख्या	दिनॉक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	191203	12–12–2013	131253		मै0 शुभम ईंट उद्योग जूड़पर रामनगर जौनपुर
2	191204	12–12–2013		114132	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	131253	114132	

उक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियॉ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उसमे सभी प्रविष्टियॉ जैसे निरीक्षण तिथि सृजित मानव दिवस, श्रमिकों का जातिवार/समुदायवार वर्गीकरण नही किया गया है

(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(5) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही है कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

(6) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान / बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है

(7) मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर /अंगूठा निशान स्पष्ट नही है

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–348 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवॉ वित्त से ग्राम पंचायत टेकारडीह में पुराना खड़ण्जा छबीले की चक से भर बस्ती होते हुए मिठाई की चक तक खड़ण्जा निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री धर्मराज यादव है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनॉक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	100132	08–01–2014	235719		मै0 राजेश कुमार सिंह ईंट भट्ठा कोरी जलालपुर जौनपुर
2	100133	08–01–2014		61552	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
3	100201	31–01–2014	101681		मै0 राजेश कुमार सिंह ईंट भट्ठा कोरी जलालपुर जौनपुर
4	100202	31–01–2014		13320	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	337400	74872	

उक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियॉ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है

(4) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

(5) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान / बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है

(6) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

(7) मस्टर रोल पर दि0 06–12–2013 से 04–1–2014 तक लगातार कार्य दर्शित किया गया है

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है। अतः उत्तरदायी ख0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–349 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत रामनगर–2 में शिवपुर पक्की सड़क से बाबा इण्टर कालेज तक इण्टर लाकिंग कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राम कृष्ण यादव है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है–

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	000593	05–05–2014	149168		मै0 गुरू इण्टर प्राईजेज भरथीपुर रामपुर जौन0
2	000594	05–05–2014	91515		मै0 नरायण बिल्डिंग मटे0 ददरा मड़ियाहूँ जौन0
3	000595	05–05–2014	115609		मै0 अभय ईंट उद्योग भवानीगंज जौनपुर
4	000596	05–05–2014		55376	मस्टर रोल के अनुसार कार्य्रप्रभारी को
5	000597	22–05–2014	142339		मै0 अभय ईंट उद्योग भवानीगंज जौनपुर
6	000598	22–05–2014	191993		मै0 गुरू इण्टर प्राईजेज भरथीपुर रामपुर जौन0
7	000599	22–05–2014	113614		मै0 नरायण बिल्डिंग मटे0 ददरा मड़ियाहूँ जौन0
8	000600	22–05–2014		70148	मस्टर रोल के अनुसार कार्य्रप्रभारी को
		योग	804238	125524	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(4) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मो के टेण्डर आवेदन पत्र संलग्न नही है ।

(5) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान / बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है

(6) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

(7 पत्रावली में कार्य की समाप्ति के उपरांत बोर्ड स्थापित के जाने का विवरण अप्राप्त रहा ।

(8 मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर /अंगूठा निशान स्पष्ट नही है ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है। अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–350 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत नरायनपुर में पक्की सड़क सेमहमदपुर बार्डर तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राम कृष्ण यादव है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	000576	07–04–2014	120231		मै0 अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
2	000577	07–04–2014		100480	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
3	001127	06–06–2014	104688		मै0 अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर
4	001128	06–06–2014		80788	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	224919	181268	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है,

(4) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु फर्मो के टेण्डर आवेदन पत्र संलग्न नही रहे सीधे मै0 अभय ईंठ उद्योग भवानीगंज जौनपुर आपूर्ति आदेश जारी किया गया है ।

(5) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान/बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है

(6) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है

(7) पत्रावली में कार्य की समाप्ति के उपरांत बोर्ड स्थापित के जाने का विवरण अप्राप्त रहा ।

(8) मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर /अंगूठा निशान स्पष्ट नही है ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–351 वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवां वित्त से ग्राम पंचायत कसियॉव में शिव मंदिर से मेवालाल यादव के घर पक्की नाली निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राम कृष्ण यादव है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	000588	24–04–2014	116591		मै0 नीलेश एण्ड ब्रदर्स बरसेठी जौनपुर
2	000589	24–04–2014	68377		मै0 सोनल ईंट उद्योग छांगापुर जौनपुर
3	000590	24–04–2014		51660	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	184968	51660	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3) पत्रावली में कार्य की समाप्ति के उपरांत बोर्ड स्थापित के जाने का विवरण अप्राप्त रहा ।

(4) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

(5) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(6) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–352 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत सेउर में राम अचल गुप्ता के घर के पास पुराना खड़ण्जा से मनबोध तिवारी के चक तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री विनोद सहाय है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	019209	20–12–2013	105671		मै0 शुभम ईंट उद्योग जूड़पुर जौनपुर
2	019210	20–12–2013		74389	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	105671	74389	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है । ,और श्रमिकों के हस्ताक्षर /अंगूठा निशान बिल्कुल अस्पष्ट है ।

(4) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

(5) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

(6) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान/बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर–353 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत गहलाई में पक्की सड़क से अजय मिश्रा के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0 डी0 ओ0 (एस0के0) है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	100145	13–01–2014	99398		मै0 पटेल बिल्डिंग मटे0 गोपालापुर जौनपुर
2	100146	13–01–2014	99794		मै0 एस0टी0 एण्ड संस ईट उद्योग मड़ियाहूँ जौनपुर
3	100147	13–01–2014	185979		मै0 सरस्वती इण्टर लाकिंग दमोदरा मड़ियाहूँ जौनपुर
4	100148	13–01–2014		60760	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	385171	60760	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(4) पत्रावली में कार्य की समाप्ति के उपरांत बोर्ड स्थापित के जाने का विवरण अप्राप्त रहा ।

(5) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(6) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान/बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है

(7) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–354 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत गुटवन में खैरूद्दीनपुर प्रा0 पा0 से अनुसूचित बस्ती तक मिट्टी व खड़ण्जा कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री विजयनाथ यादव है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	222069	17–06–2013	250159		मै0 भानुप्रताप सिंह एण्ड ब्रदर्स मधुपुर गुटवन जौनपुर
2	222070	17–06–2013	3888		मै0 सीमेंण्ट पाईप वर्क्स जौनपुर
3	222071	17–06–2013		59175	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
	योग		254047	59175	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है । ,

(4)पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

(5)पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–355 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत छत्तीसाखुर्द में हरसिंहपुर नहर की पुलिया से रायसाहब के चक तक मिट्टी व खड़ण्जा कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री दीपक सिंह है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	019182	20–12–2013	326739		मै0 सिंह ईंट उद्योग मेघपुर मड़ियाहूँ जौनपुर
2	019183	20–12–2013	10371		मै0 सीमेंण्ट पाईप वर्क्स जौनपुर
3	019184	20–12–2013		78492	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
	योग		337110	78492	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है

(3) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(4)पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

(5) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(6) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–356 आलोच्य वर्ष 2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत चोरारी में मो0 नईम की दुकान के पास आर0 सी0 सी0 पुलिया निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0(एस0के0) है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है।

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	100349	06—03—2014	36965		मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
2	100350	06—03—2014	28051		मै0 भानुप्रताप सिंह एण्ड ब्रदर्स मधुपुर गुटवन जौन0
3	100351	06—03—2014		17424	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	65016	17424	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है
(3) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया गया है सभी श्रमिकों/राजगीर ने लगातार 18 दिन तक कार्य किया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है
(4) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान/बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है
(5) पत्रावली में संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मानव दिवसों का विवरण भरा नहीं गया है।
(6) कार्य की समाप्ति के उपरांत बोर्ड नही स्थापित किया गया है ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–357 आलोच्य वर्ष 2013—14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से ग्राम पंचायत नेवढ़िया में रमेश यादव के घर से माईनर तक पक्की नाली निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री इंद्रजीत पाल है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	100164	29—01—2014	104846		मै0 सूर्या एण्ड संस ईंट उद्योग नोकरा मड़ियाहूँ जौन0
2	100165	29—01—2014	67113		मै0 प्रकाश बिल्डिंग मटे0 नेवढ़िया जौनपुर
3	100166	29—01—2014		43386	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	171959	43386	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न है किन्तु बिल खारिज नही है
(3)कार्य की समाप्ति के उपरांत बोर्ड नही स्थापित किया गया है ।
(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है । ,
(5) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।
(6)पत्रावली में संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मानव दिवसों का विवरण भरा नहीं गया है।
(7)मस्टर रोल पर श्रमिको के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान स्पष्ट नही है ।
(8) सभी श्रमिकों / राजगीर से बिना अवकाश लगातार 18 दिन तक कार्य किया है जो आपत्तिजनक है

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–358 आलोच्य वर्ष 2013—14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से ग्राम पंचायत सरौना में कपिलदेव के हैण्डपंम्प से बैजनाथ के घर होते हुए नाला तक पक्की नाली निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री विनोद सहाय है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	016278	07—12—2013	109839		मै0 एम0 के0 एस0 ईंट उद्योग मड़ियाहूँ जौनपुर
2	016279	07—12—2013	56139		मै0 कुमार आयरन स्टोर औंरा जौनपुर
3	016280	07—12—2013		41250	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
4	019219	20—12—2013	35243		मै0 एम0 के0 एस0 ईंट उद्योग मड़ियाहूँ जौनपुर
5	019220	20—12—2013	78810		मै0 कुमार आयरन स्टोर औंरा जौनपुर
6	019121	20—12—2013		18586	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
7	100203	31—01—2014	82349		मै0 कुमार आयरन स्टोर औंरा जौनपुर
8	100204	31—01—2014		16684	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
9	000570	27—03—2014	37582		मै0 कुमार आयरन स्टोर औंरा जौनपुर

10	000571	27–03–2014	3000		मै0 राधेश्याम शिल्पकार बोर्ड हेतु
11	000572	27–03–2014		7604	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	402962	84124	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान/बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है

(3) कार्य की समाप्ति के उपरांत बोर्ड नही स्थापित किया गया है ।

(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है । ,

(5) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही रहा कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–359 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से ग्राम पंचायत औंरा में अशोक कुमार के घर से मातासरन एवं राम जियावन के घर तक मिट्टी व खड़ण्जा कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री दीपक सिंह है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि		विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	019205	12–12–2013	173694		मै0 सिंह ई उद्योग मेघपुर मड़ियाहूँ जौनपुर
2	019206	12–12–2013		39000	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	173694	39000	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान/बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है

(3) कार्य की समाप्ति के उपरांत बोर्ड नही स्थापित किया गया है ।

(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है । ,

(5) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही रहा कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।

(6) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नहीं है

(7)पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–360 आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवाँ वित्त से ग्राम पंचायत रायपुर में मजार से रामलाल के घर तक पक्की नाली कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री दीपक सिंह है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि		विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	100138	10–01–2014	15593		मै0 खान बृक कम्पनी मड़ियाहूँ जौनपुर
2	100139	10–01–2014	166075		तदैव
3	100140	10–01–2014	116773		मै0 राजाराम बिल्डिंग मटे0 दुबान गोपालापुर जौन0
4	100141	10–01–2014		71310	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	298441	71310	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।

(2) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान/बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(3) कार्य की समाप्ति के उपरांत बोर्ड नही स्थापित किया गया है ।

(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, । श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश नही दिया गया है मस्टर रोल पर कार्य दिवस 01–12–2013 से 29–12–2013 के मध्य केवल 15–12–2013 को अवकाश दर्शित है।

(5) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही रहा कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।
(6) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नहीं है
(7) राजगीरों को रू0 5000/ से अधिक भुगतान पर रसीदी टिकट नही लिया गया है

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–361 आलोच्य वर्ष 2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत शिवपुर में पक्की सड़क से बाबा इण्टर कालेज तक शेष भाग इण्टर लाकिंग कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री राम कृष्ण यादव है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि		विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	001140	25–06–2014	28062		मै0 गुरू इण्टर लाकिंग ब्रिक्स भरथीपुर रामपुर जौनपुर
2	001141	25–06–2014	16761		मै0 नरायन बिल्डिंग मटे0 मड़ियाहूँ जौनपुर
3	001142	25–06–2014	20866		अभय ईंट भट्ठा भवानीगंज जौनपुर
4	001143	25–06–2014		10132	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
	योग	65689	10132		

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) कार्य की समाप्ति के उपरांत बोर्ड नही स्थापित किया गया है ।
(3) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है
(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है । ,
(5) पत्रावली में किसी भी फर्म का आवेदन पत्र संलग्न नही है सीधे आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया है
(6) कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र मेनिरीक्षण तिथि तथा श्रमिकों का विवरण आदि पूर्णतया भरा नही गया है

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–362 आलोच्य वर्ष 2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत दमोदरा में सुरेन्द्र के दरवाजे से राजेश सिंह के घर के पीछे तक खड़ण्जा निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री दीपक सिंह है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि		विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	002170	30–03–2015	92533		मै0यादव एण्ड कम्पनी पल्टूपुर मड़ियाहूँ जौनपुर
2	002171	30–03–2015		19332	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	92533	19332	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) कार्य की समाप्ति के उपरांत बोर्ड नही स्थापित किया गया है ।
(3) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है
(4) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है मस्टर रोल पर मानव दिवसों का योग नही किया गया है ।
(5) मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–363 आलोच्य वर्ष 2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत जेठपुरा में पक्की सड़क से नरईबीर बाबा तक खड़ण्जा निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0(एस0के0) है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि		विवरण
			सामग्री	श्रम	
1	002149	02–03–2015	91702		मै0 शुभम ईंट उद्योग जूड़पुर रामनगर जौनपुर
2	002150	02–03–2015		18168	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	91702	18168	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
(1) पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति संलग्न नही रही ।
(2) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(3) कार्य की समाप्ति के उपरांत बोर्ड नही स्थापित किया गया है ।
(4) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है,
(5) पत्रावली में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने से पूर्व इस इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही कि किसी फर्म ने टेण्डर नही डाला ।
(6) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है, मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।
(7) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान/बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है
(8) मस्टर रोल पर श्रमिकों की उपस्थिति 20–2–2015 से 29–02–2015 दर्ज है बाद में 29–02–2015 को काटकर 01–03–2015 कर दिया गया है ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–364 आलोच्य वर्ष 2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत चोरारी में नईम की दुकान से राजा यादव के घर तक खड़ण्जा निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0 (एस0के0) है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	001147	11–07–2014	94792		मै0 शुभम ईंट उद्योग जूड़पुर रामनगर जौनपुर
2	001148	11–07–2014		86976	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	94792	86976	

उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–
(1) मस्टर रोल सं01 पर 5 राजगीरों तथा 10 श्रमिकों को 01–06–2014 से 31–06–201 4के मध्य दि0 08–06–2014 व 16–06–2014 व 24–06–2014 को अवकाश देकर कुल 28 दिन कार्यरत दर्शित किया गया है जून माह को 31 दिन का दर्शित किया गया है ।
(2) मस्टर रोल सं02 पर 01–07–2014 से 07–07–2014 के मध्य 4 राजगीरों तथा 11 श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की गयी है किन्तु भुगतान 4 राजगीरों तथा 10 श्रमिकों का ही किया गया है जो आपत्तिजनक है ।
(3) मस्टर रोल सं01 पर क्रम 5 पर सुनील पुत्र दुःखी को राजगीर दर्शित किया गया है जबकि मस्टर रोल सं02 पर उसे श्रमिक के रूप में दर्शित किया गया है ।
(4) पत्रावली में टेण्डर प्रकाशन की पेपर कटिंग संलग्न नही है ।
(6) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है । ,
(7) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान/बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है ।

स्पष्ट है कि दुरभिसंधि कर कूटरचित अभिलेख तैयार कर काल्पनिक ब्यय दर्शाकर आहरित धनराशि रू0 181768/ का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0(एस0के0), खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव तथा अवर अभियंता श्री मुन्नीलाल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर–365 आलोच्य वर्ष 2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत जेठपुरा में पक्की सड़क से नरईबीर बाबा दशरथ के आम के वृक्ष तक खड़ण्जा निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी ए0डी0ओ0 (एस0के0) है। इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	धनराशि श्रम	विवरण
1	002130	30–01–2015	85557		अभय ईंट भट्ठा भवानीगंज जौनपुर
2	002131	30–01–2015		17040	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	85557	17040	

(1) क्षेत्र पंचायत की दि 09–06–2014 की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना में 58 क्रम पर पक्की सड़क से नरईबीर बाबा तक खड़ण्जा निर्माण कार्य सम्मिलित है पृथक से पक्की सड़क से नरईबीर बाबा दशरथ के आम तक खड़ण्जा निर्माण कार्य अनुमोदित नही है ।
(2) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।
(3) कार्य की समाप्ति के उपरांत बोर्ड नही स्थापित किया गया है ।
(4) पत्रावली में कराये गये कार्य के तीनों चरण के फोटोग्राफ संलग्न नही है
(5) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है । , ।
(7) मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान/बी0डी0सी0 के हस्ताक्षर नही है ।

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है अतः उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–366 आलोच्य वर्ष 2014–15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय वित्त से ग्राम पंचायत रसुलहा में नेवढ़िया बाजार से पिपरिया तक तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री इंद्रजीत पाल है इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है

क्रम	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि सामग्री	श्रम	विवरण
1	001158	28–08–2014	14911		मै0 सीमेंण्ट पाईप वर्क्स जलालपुर जौनपुर
2	001159	26–08–2014	359664		मै0 अभय ईंट भट्ठा भवानीगंज जौनपुर
3	001160	26–08–2014		119452	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
4	000988	16–10–2014	280949		मै0 अभय ईंट भट्ठा भवानीगंज जौनपुर
5	000989	16–10–2014		107060	मस्टर रोल के अनुसार कार्य प्रभारी को
		योग	655524	226512	

(1) पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नही रहा कि उक्त परियोजना पर विगत 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है

(2) प्रयुक्त मस्टर रोल वि0खं0 से निर्गत नहीं है मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नही किया गया है , मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जो नियमविरूद्ध है ।

(3) उक्त परियोजना के टेण्डर में भाग लेने वाली फर्मों के आवेदन पत्र पत्रावली में संलग्न नही रहा

(4)उक्त परियोजना के टेण्डर में भाग लेने वाली फर्मों के धरोहर सम्बंधी विवरण लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रहा

(5) मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान अस्पष्ट है

(6) मै0 सीमेंण्ट पाईप वर्क्स जलालपुर जौनपुर को ह्यूम पाईप आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश निर्गत नही किया गया है सीधे बिल प्राप्त किया गया है

(7) फोटोग्राफ का राज स्टूडियो का बिल नं0 951 पत्रावली में लगा है किन्तु भुगतान नही किया है

स्पष्ट है कि उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन नही किया गया है उत्तरदायी खं0वि0अधि0 श्री शेषनाथ चौहान और लेखाकार श्री निलेश चंद्र श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर–367 आलोच्य लेखा परीक्षा में वर्ष 2013–14 की प्रस्तुत पत्रावलियों की जाँच में निम्न विवरणानुसार टी0 डी0 एस0 व वैट कर की कटौती की गयी है ।

क्रम	परियोजना का नाम	बिल के अनुसार धनराशि	टी ०डी ०एस०	वैट कर
1	शिलवंता की दुकान पक्की सड़क से कामता के घर तक खड़ण्जा निर्माण	189365	4241	शून्य
		235478	5274	
2	कुत्तुपुर में कामता के घर से दीनानाथ के चक तक मिट्टी व खड़ण्जा निर्माण	277876	6224	शून्य
3	तुलसी मौर्या के खेत से वंशराजी के घर तक खड़ण्जा निर्माण	43180	918	शून्य
4	परेवा अटरिया में पक्की सड़क से संजय गाँधी स्मारक इं0का0तक खड़ण्जा निर्माण	164236	3678	शून्य
5	लिंक रोड खड़ण्जा से राजापुर पाही तक मिट्टी व खड़ण्जा कार्य	516128	11330	शून्य
6	जमालिया मे बुद्धु दूबे के खेत से अनुराग दूबे की चक तक पक्की नाली निर्माण	93156	2086	शून्य
		45940	1029	
7	वि0खं 0अधिकारी कक्ष ए बरामदा व प्रमुख कक्ष में कजारिया टाइल्स कार्य	35579	886	शून्य
		51046	1143	
		30000	672	
		8056	180	
8	औंरा राम धनी के घर से पक्की सड़क से नटान बस्ती तक खड़ञ्जा मरम्मत	43265	969	शून्य
9	खण्ड वि 0अधि 0आवास बाउण्ड्री वाल निर्माण	45780	1025	शून्य
		9600	215	
		9854	513	
		15000	336	
		5597	125	
10	बराईकला में नौआबाड़ा से पक्की सड़क से चक	132044	2957	शून्य

	इंग्लिश छांगापुर जे 0एच 0एस 0तक खड़ण्जा मरम्मत	3978	89	
		30410	681	
11	शिवपुर पेट्रोल पम्प के सामने ह्यूमपाइप नाली निर्माण	22000	492	शून्य
		27600	618	
12	वि 0खं 0परिसर में इण्टर लाकिंग कार्य	98600	2208	शून्य
		7560	169	
		19910	445	
		22435	502	
13	मेन रोड से वि0खं 0अधि 0कार्यालय की ओर इण्टरलाकिंग	96280	2156	शून्य
		8400	188	
14	उसराँव लालबहादुर के मशीन वाया शोभनाथ के घर इटैयाबीर सरहद तक मिट्टी/ खड़ण्जा कार्य	229647	5144	शून्य
15	उसरांव डेडारपुर पक्की से ममिलाजीत के मशीन तक मिट्टी/ खड़ण्जा कार्य	188792	4217	शून्य
		1988	44	
16	वि 0खं 0परिसर में समरसेबल बोरिंग कार्य	54550	1222	शून्य
17	जवंशीपुर हरिश्चंद पटेल के घर से पुराने पोखरी वाया महाबली के घर पटेल बस्ती तक नाली निर्माण	77023	1725	शून्य
		51160	1145	
18	जवंशीपुर संजय के घर गड्ढा) खरवार बस्ती(तक पक्की नाली निर्माण	55184	1236	शून्य
		39613	887	
19	वि 0खं 0अधि 0आवास कैम्पस में इण्टरलाकिंग कार्य	17710	396	शून्य
		78750	1786	
		26755	599	
20	वि 0खं 0परिसर प्रमुख चेम्बर की तरफ इण्टरलाकिंग कार्य	87290	1955	शून्य
		8850	198	
21	परेवा में हाजी अनीस के घर से हाजी तुफैल के घर तक पक्की नाली निर्माण	116720	2614	
		50870	1139	
		96085	2152	3843
		86659	1941	3466
22	गोपालापुर मे नौवान बस्ती से मुख्य सड़क तक पक्की नाली निर्माण	71256	1596	शून्य
		40004	896	
		105776	2369	
		59848	1340	
		76177	1706	
		36056	830	
		54235	1214	2169
23	पसियाही खुर्द शिव मंदिर से नाला तक शेष भाग पक्की नाली निर्माण	184104	4123	शून्य
		97164	2176	
		194378	4354	
		25754	576	
		33879	758	
		19131	428	
		44954	1006	
		9571	214	
	-2पसियाही खुर्द शिव मंदिर से नाला तक शेष भाग पक्की नाली निर्माण	110460	2474	
		57288	1283	
		73589	1648	
		76965	1724	
24	नरायनपुर मड़ियाहूँ मैनपुर पक्की सड़क पर पंचम के घर के पास द्वारिका यादव के मशीन तक खड़ण्जा मरम्मत	121099	2712	
		116630	2612	

25	कुम्भापुर सुभाष प्रजापति के घर से गड्ढा तक नाली निर्माण	96970	2172	शून्य
		107187	2400	
26	रामनगर 2 शिवपुर रामनगर पक्की सड़क से मुकुन्दी के घर तक मिट्टी व खड़ण्जा कार्य	146795	3288	शून्य
27	रामनगर 1 बासकोठ से मंदिर तक ख़ड़ण्जा मरम्मत	134260	3007	शून्य
28	टेकारडीह पुराना खड़ण्जा छबीले के चक से भर बस्ती होते हुए मिठाई की चक तक खड़ण्जा निर्माण	241120	5401	शून्य
		104010	2329	
29	रामनगर 2 शिवपुर पक्की सड़क से श्री बाबा इण्टर कालेज तक इण्टराकिंग	159094	3563	शून्य
		97605	2186	
		123302	2761	
		151811	3400	
		204769	4586	
		121175	2714	
30	नरायनपुर पक्की सड़क से महमदपुर बार्डर तक खड़ण्जा मरम्मत	128232	2872	5129
		111655	2501	4466
31	कसियाँव में मंदिर से मेवालाल यादव के घर तक पक्की नाली निर्माण	124349	2785	4973
		72927	1633	2917
32	रनापुर मे अमरबहादुर के घर से नहर तक पक्की नाली निर्माण	117250	2626	शून्य
		59890	1341	
		87952	1970	
		146607	3283	
33	सेउर राम अचल गुप्ता के घर के पास पुराना खड़ण्जासे मनबोध तिवारी के चक तक खड़ण्जा मरम्मत	108092	2421	शून्य
34	गहलाई पक्की सड़क से अजय मिश्र के घर तक इण्टर लार्किंग कार्य	101675	2277	शून्य
		102080	2286	
		190240	4261	
35	गुटवन प्रा 0पा 0से एस 0सी0बस्ती तक मिट्टी व खड़ण्जा कार्य	255890	5731	शून्य
		3977	89	
36	छत्तीसाखुर्द हरसिंहपुर नहर पुलिया से राय साहब के चक तक मिट्टी व खड़ण्जा व कार्य	334225	7486	शून्य
		10608	237	
37	चोरारी मो 0नईम की दुकान के पास आर 0सी 0सी पुलिया निर्माण	37811	846	शून्य
		28693	6425	
38	नेवढ़िया रमेश यादव के घर से माइनर तक पक्की नाली निर्माण	107248	2402	शून्य
		68650	1537	
39	औंरा में अशोक के घर से माता सरन व राम जियावन के घर तक खड़ण्जा	177670	3976	शून्य
40	सरौना में कपिल देव के हैण्डपम्प से बैजनाथ के घर होते हुए नाला तक पक्की नाली निर्माण	112350	2516	शून्य
		57425	1286	
		36050	807	
		29470	660	
		84235	1886	
		38443	861	
41	रायपुर में मजार से राम लाल के घर तक पक्की नाली निर्माण	15950	357	
		169880	3805	
		119448	2675	
योग		**9891387**	**227433**	**26963**

उक्त की गयी टी0डी0एस0 कटौती रू0 2274330तथा वैट कटौती रू026963की राजकीय कोषागार में जमा किये जाने की पुष्टि में बैंक जमा पर्ची, निर्गत चेक, दाखिल रिटर्न आदि सम्बंधी विवरण अप्राप्त रहा। सम्बंधित लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर–368 आलोच्य वर्षों में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ तथा ब्यय किया गया है

क्रम	वित्तीय वर्ष	2013–14		2014–15	
		आरम्भिक शेष	प्राप्त ब्याज	आरम्भिक शेष	प्राप्त ब्याज
1	एस0जी0एस0वाई0	579766	35402	शून्य	शून्य
2	3तक / 13 वित्त	423780	243637	667417	50362

उक्त समस्त ब्याज की धनराशि अनुदान रजि0 के अनुसार भुगतान दर्शित किया गया है जबकि शासनादेश संख्या ,–1–122 / दस–2012–10(33) / 2010 मार्च 2012 के उक्त समस्त धनराशि शासन की है झिसे ब्यय न कर शासन को वापस किया जाना चाहिये । यथोचित कार्वाही अपेक्षित है

प्रस्तर–369 आलोच्य वर्षों में अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार निम्न विवरणानुसार मदवार धनराशि व्यय किया गया है जिससे सम्बंधित पत्रावली व आवश्यक सम्बंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में बार–बार माँगने के बावजूद उपलब्ध नही कराया गया–

क्रम	मद का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	
		2013–14	2014–15
1	एस.जी.एस.वाई .अनुदान	2239277	शून्य
2	एस.जी.एस.वाई ब्याज	615168	शून्य
3	तृतीय राज्य वित्त /तेरहवाँ वित्त ब्याज	शून्य	717779
4	एन .जी .ओ .सुविधादाता मानदेय	110370	शून्य
5	निःशुल्क बोरिंग	60130	शून्य
6	सा.आ.जातिगत जनगणना	24538	760
7	राष्ट्रीय बायोगैस	33500	शून्य
8	अन्य मद	1545	215846
9	युवक महिला मंगल दल	20000	10000
10	रा० ग्रा० पेयजल परीक्षण एवं जागरूकता	75680	5000
11	इंदिरा आवास प्रशासनिक मद	शून्य	38381
12	13वाँ वित्त /राज्य वित्त आयकर	शून्य	158676
13	13वाँ वित्त /राज्य वित्त वाणिज्यकर	शून्य	280611

इस प्रकार लेखा परीक्षा में उक्त कुल ब्यय सम्बंधित पत्रावली व आवश्यक अभिलेख अप्रस्तुत रहने के कारण अपुष्टित रहा जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–370 दिनांक 01.04.2013 बायोगैस मद में रू0 47500.00 आरम्भिक शेष था। माह अप्रैल व मई 2013 में इस मद से कोई भुगतान न होने के बावजूद जून 2013 में इस मद का आरम्भिक शेष रू0 9500.00 दर्शित है जबकि गणनानुसार आरम्भिक अवशेष 47500.00 ही होता है। इस प्रकार रू0 38000.00 कम दर्शित है। माह जून 2013 में रू0 24000.00 प्राप्ति तथा रू0 9500.00 भुगतान किया गया। मासांत में गणनानुसार शेष रू0 62000.00 होता है। जबकि रू0 24000.00 दर्शित है। इस प्रकार रू0 38000.00 कम दर्शित है। माह जुलाई 2013 मे रू0 प्राप्ति शून्य तथा भुगतान रू0 24000.00 दर्शाकर अवशेष शून्य कर दिया गया है जबकि गणनानुसार शेष रू0 38000.00 होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रू0 38000.00 कम दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी लेखाकार से ब्याज सहित अपेक्षित है।

जनपद का नाम– जौनपुर **म.डल का नाम–वारा.ासी**

पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

पंचायत– रामपुर 2014–15

प्रस्तर–371 अनुदान रजि0 तृतीय के अनुशार राज्यवित्त खाते पर ब्याज प्रारम्भीक शेष रू0 51857.97 वर्ष में प्राप्त रू0 31759.00 योग रू0 83616.97 है, व्यय रू0 51857.97 के बाद अवशेष रू0 31759.00 है। जो माह अगस्त 2014 में अंकित है। माह सितम्बर 2014 में प्रारम्भीक शेष रू0 61813.00 अंकित है। आगे अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 तक शून्य अंकित है। माह जनवरी एवं फरवरी में इस शीर्षक को अंकित भी नही किया गया है। अनियमितता की गई आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0पं0सं0–11)**

प्रस्तर–372 विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या ए–1–864 / दस–08–15(1) / 86 के अनुसार रू. 100000 या अधिक मूल्य की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य हैं किन्तु क्षेत्र पंचायत रामपुर द्वारा इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, विवरण निम्नलिखित हैं–

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	व्यय विवरण भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1.	10.04.14	55073	590331.00	पार्थ इण्टरप्राइजेज, अराजी मोड़
2.	11.04.14	55080	474393.00	साईं ईट भट्ठा
3.	03.06.14	060422	258476.00	मेसर्स राज ईंट उद्योग मनापुर, जौनपुर
4.	03.06.14	060425	478917.00	मेसर्स साईं ईंट भट्ठा अड़ियर, जौनपुर
5.	26.06.14	060428	107749.00	मे0 साहू सीमेन्ट एजेन्सी, गोपालपुर
6.	26.06.14	060429	156932.00	मेसर्स पार्थ इण्टरप्राइजेस सिकरौर
7.	26.06.14	060433	257290.00	मे0 अमन ईट उद्योग बनीडीह
8.	04.7.04	060436	423633.00	साई ईट भट्ठा अड़ियर
9.	3.08.14	064784	632638.00	मेसर्स एस.टी. एण्ड कम्पनी सिरौली कुम्भापुर
10.	19.09.14	064790	620783.00	अभय ईट भट्ठा, भवानीगंज
11.	19.12.14	064795	480918.00	मेसर्स अभय ईट भट्ठा, भवानीगंज
12.	19.12.14	064797	119814.00	मेसर्स अमन ईट उद्योग बनीडीह
13.	19.12.14	064799	344588.00	मेसर्स आनन्द ईंट उद्योग, परमारपुर
14.	06.01.15	064803	432794.00	एस.टी. एण्ड कम्पनी सिरौली
15.	02.03.15	064808	525005.00	मेसर्स एस.टी. एण्ड कम्पनी सिरौली
16.	02.03.15	064809	139773.00	मेसर्स अमन ईट भट्ठा
17.	02.03.15	064813	373121.00	मेसर्स स्टारबिक्स फील्ड पट्टी
18.	02.03.15	064816	336631.00	मेसर्स अमन ईट उद्योग बनीडीह
19.	02.03.15	064818	400000.00	आनन्द ईंट उद्योग, परमारपुर
20.	04.07.15	060438	237193.00	मेसर्स अभय ईट भट्ठा उद्योग
		योग	**7390979.00**	

इस प्रकार सामग्री क्रय में 7390979.00 पर टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया का पालन न कर अनियमितता पायी गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 – 12**

प्रस्तर–373 क्षेत्र निधि पर ब्याज रू. 100000.00 को माह फरवरी 15 में व्यय दर्शित किया गया है जिसके लिए विभाग की अनुमति नहीं ली गयी है। शासनादेश सं. ए–1–122/दस–2012–10(33)/20 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार बैंक बचत खाता पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होती है। नियमतः अनुमति प्राप्त कर व्यय किया जाना था। नियम का पालन नही है अतः व्यय अनियमित है। अतः इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 – 13**

प्रस्तर – 374 शासनादेश सं. ए–1–122/दस–2012–10(33)/20 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार बैंक बचत खाता पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होती है। जिसे निर्धारित शीर्षक में राजकीय कोषागार में जमा किया जाना है। अनुदान रजि. 3 के अनुसार दिनांक 31/3/2017 को अवशेष अर्जित आय रू. 36242.90 है। विवरण निम्नलिखित है–

(i) क्षेत्र निधि पर ब्याज – 4483.90

(ii) राज्य वित्त खाते पर ब्याज – 31759.00

योग 36242.90

उपरोक्त ब्याज को सरकार / अनुदानदाता को वापस कर दिया जाना अपेक्षित है । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 – 14**

प्रस्तर–375 दिनांक 31.03.2017 को रूपया 734921.11 की धनराशि अवशेष अप्रयुक्त दर्शित की गयी है। वस्तुतः नियमानुसार राजकीय अनुदान की धनराशियों का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में धनराशि सम्बन्धित पक्षों/विभागों को वापस कर दिया जाना चाहिए। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से ऐसा कर पाना संभव न हो तो आगामी वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु महालेखाकार से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। किन्तु ऐसा न कर मनमाने ढंग से अवशेष अनुदान का उपभोग कर गंभीर अनियमितता की गयी है। अनुदान की धनराशि रोककर जहाँ एक तरफ विकास कार्यों को बाधित कर स्थानीय लोगों को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ श्रमिकों को रोजगार से वंचित किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र.सं.	मद विवरण	वर्षानत में अवशेष धनराशि (रूपये में)
1.	दशम वित्त आयोग	39188.00
2.	इन्दिरा आवास	287334.00

3.	स0ग्रा0रो0 योजना	189919.11
4.	पेयजल प्रशिक्षण	20020.00
5.	इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी	198460.00
	योग	734921.11

प्रस्तर–376 राज्यवित्त योजना आयोग/13वॉं वित्त आयोग अनु0 रजि0 03 एवं अनु0 रजि0 02 में अंतर अंकित पाया गया। अनु0 रजि0 03 के अनुसार वर्ष 2014–15 का कुल व्यय 10816017.00 तथा अनुदान रजि0 02 के अनुसार कुल व्यय रू. 9626292.00 है। जिसमें अंतर रूपया 1189725.00 का है।

माह/वर्ष	**अनु0 रजि0 02 के अनुसार**	**अनु0 रजि0 03 के अनुसार**	**अन्तर**
04/2014	**1285178.00**	**........**	**1285178.00**
12/2014	1036424.00	1330022.00	293598.00
01/2015	660266.00	2510689.00	1850608.00
03/2015	2532014.00	2862716.00	330702.00
अन्तर			**1189725.00**

अतः स्पष्ट है कि लेखाकार द्वारा अनु0 रजि0 02 एवं अनु0 रजि0 03 का मिलान करके नहीं लिखा गया है। अतः भारी अन्तर है। स्पष्टीकरण सहित अन्तर का सुधार किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति सं0 – 19

जनपद का नाम– जौनपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत– रामनगर 2015–16 व 2016–17

प्रस्तर–377 आलोच्य वर्ष 2015–16 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय राज्य वित्त से ग्राम पंचायत बनेवरा में प्रधानमंत्री सडक से यादव बस्ती तक खडन्जा निर्माण कराया गया है, जिसके कार्य प्रभारी श्री दीपक सिंह हैं। इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया।

क.सं.	चेक सं0	दिनांक	धनराशि मजदुरी	ईंट/सामग्री	विवरण
1	002189	22.04.15	–	43580	मे0 ओम श्री सदगुय जी ईंट उद्योग बनेवरा, जौनपुर।
2	002190	22.04.15	96060	–	मस्टर रोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को।
3	003648	30.05.15	–	31896	मे0 ओम श्री सदगुय जी ईंट उद्योग बनेवरा, जौनपुर।
4	003650	14.07.15	–	225848	मे0 ओम श्री सदगुय जी ईंट उद्योग बनेवरा, जौनपुर दूरी कार्य प्रभारी को।
5	003651	14.07.15	–	3000	सिलापटट क्रय
6	003652	14.07.15	74720	–	मस्टर रोल के अनुसार मजदूरी
	योग		170780	696424	

उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयी :–

1. पत्रावली में कार्यपूर्ति संलग्न नहीं है।
2. लौह बोर्ड स्थापित नहीं किया गया।
3. टेण्डर आवेदित फर्मों का आवेदन पत्र नहीं पाया गया।
4. मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है।
5. मस्टर रोल पर अंगुठा/हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है।
6. मस्टर रोल पर प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं है।
7. मस्टर रोल पर सभी मजदूरों के अंगूठे के निशान लगे हैं, जिसमें एकरूपता प्रतीत होती है।
8. मस्टर रोल न0 3 पर कार्य 18.05.2015 से 31.05.2015 से 31.06.2015 तक दर्ज है जबकि 31.05.2015 तक होना चाहिए।
9. मस्टर रोल पर मानव दिवस का योग नहीं है।
10. मस्टर रोल पर भुगतान का दिनांक अंकित नहीं है।
11. मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त कार्य में नकद भुगतान प्रभारी को कर, ईंट क्रय में टेण्डर/कोटेशन, प्रक्रिया का अनुपालन न कर निर्धारित नियमों का पालन न कर समस्त भुगतान अनियमित रहा, जिसके लिए ततकालीन बी0डी0ओ0 ,लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–378 आलोच्य वर्ष 2015–16 में क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से ग्राम पंचायत जमालिया में बगीचे से कमलेश यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया है। जिसके कार्य प्रभारी श्री इन्द्रजीत पाल है। इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया।

क.सं.	चेक सं0	दिनांक	धनराशि मजदुरी	ईंट/सामग्री	विवरण
1	003623	13.03.16	–	118611	मे0 पटेल बिल्डिंग मैटेरियल
2	003624	13.03.16	–	122852	में0 अभय ईंट भटठा उद्योग

3	003625	13.03.16	–	324832	मे0 गुरू इण्टरलाकिंग
4	003626	13.03.16	–	3000	सिलापटट क्रय मस्टररोल
5	003627	13.03.16	66790	–	मस्टर रोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
	योग		66790	569295	

उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न न्यूनतायें पायी गयी :–

1. पत्रावली में कार्यपूर्ति संलग्न नहीं है।
2. लौह बोर्ड स्थापित नहीं किया गया।
3. टेण्डर आवेदित फर्मों का आवेदन पत्र नहीं पाया गया।
4. मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है।
5. मस्टर रोल पर अंगुठा/हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है।
6. मस्टर रोल पर प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं है।
7. मस्टर रोल पर सभी मजदूरों के अंगूठे के निशान लगे हैं, जिसमें एकरूपता प्रतीत होती है।
8. मस्टररोल पर भुगतान का दिनांक अंकित नहीं है।
9. मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त कार्य में अनियमित रूप से कार्यप्रभारी को नकद भुगतान, सामग्री क्रय में टेंडर/कोटेशन, प्रक्रिया का पालन न कर व निर्धारित निर्माण प्रक्रिया नियमों का पालन कर अनियमित भुगतान किया गया है जिसके लिए ततकालीन बी0डी0ओ0 ,लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–379 आलोच्य वर्ष 2015–16 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवां वित्त से खण्ड विकास अधिकारी, आवास का छत मरम्मत कार्य कराया गया। इस परियोजना पर निम्नविवरणानुसार भुगतान किया गया।

क्र.सं.	चेक सं0	दिनांक	धनराशि		विवरण
			मजदुरी	ईंट/सामग्री	
1	003654	05.08.15	–	732	मे0 अभय ईंट भटठा उद्योग
2	003655	05.08.15	–	48737	मे0 प्रकाश बिल्डिंग मैटेरियल
3	003656	05.08.15	12943		–मस्टर रोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
		योग	12943	49469	

उपरोक्त कार्य में मजदूरी का भुगतान न कर कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री क्रय में कोटेशन नहीं लिखा गया है। स्टाक रजिस्टर व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया है। अतः भुगतान अनियमित है। जिसके लिए ततकालीन बी0डी0ओ0 ,लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–380 आलोच्य वर्ष 2015–16 में क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से ग्राम पंचायत इटायें में चौहान बस्ती से मुस्लिम बस्ती तक खडन्जा मरम्मत कराया गया है। इस परियोजना पर निम्नविवरणानुसार भुगतान किया गया।

क्र.सं.	चेक सं0	दिनांक	धनराशि		विवरण
			मजदुरी	ईंट/सामग्री	
1	003636	17.03.16	–	204610	मे0 अभय ईंट भटठा उद्योग मस्टररोल के अनुसार
2	003637	17.03.16	132980		–मस्टर रोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
	योग		132980	204610	

उपरोक्त कार्य में ईंट क्रय में टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जब कि शासनादेश संख्या ए–1–/864/दस–08/15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार एक लाख की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। श्रमिकों के भुगतान में श्रमिकों को भुगतान न कर कार्य प्रभारी को नकद भुगतान किया गया है। इस प्रकार टेंण्डर प्रक्रिया का पालन न कर भुगतान श्रमिकों को न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ततकालीन बी0डी0ओ0 ,लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–381 आलोच्य वर्ष 2015–16 में क्षेत्र पंचायत द्वारा बी0आर0जी0एफ0 योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत नरायनपुर में सरोज बस्ती में पिच रोड़ से जवाहर के घर तक सिसी रोड़ निर्माण कार्य कराया गया जिसके कार्य प्रभारी श्री रामकृष्ण यादव है। इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया।

क्र.सं.	चेक सं0	दिनांक	धनराशि		विवरण
			मजदुरी	ईंट/सामग्री	
1	004325	18.09.2015		32241	मे0 अभय ईंट भटठा उद्योग
2	004324	18.09.2015		97896	मे0 राजाराम बिल्डिंग मैटेरियल
3	004326	18.09.2015	19524		–मस्टरोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
	योग		19524	129837	

उक्त कार्य की पत्रावली जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयी :–

1. इसमें कार्य के तीनो चारणों का फोटोग्राफ,कार्ययोजना,बोर्ड सम्बन्धित विवरण संलग्न नही रहा।
2. पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नही है।
3. मस्टररोल पर प्रधान व बी0डी0सी0 का हस्ताक्षर नही है।

4. टेण्डर डालने वाली फर्मों के आवेदन पत्र संलग्न नही है।
5. स्टीमेट पर जेई के रूप में श्री मुन्नीलाल व श्री पी0के0सिंह दोनो के हस्ताक्षर है।

इस प्रकार कार्य में महत्वपूर्ण नियमों का पालन न किया जाना,कोटेशन प्रक्रिया का पालन न होने से भुगतान अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। कार्यवही अपेक्ष्ज्ञित है।

प्रस्तर–382 आलोच्य वर्ष 2015–16 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तृतीय राज्य वित्त से ग्राम पंचायत खेतापुर मं पक्की सड़क रामधनी के घर से हनुमान मंन्दिर तक खडन्जा मरम्मत कार्य कराया गया। जिसके कार्य प्रभारी श्री तिलकधारी है। इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया।

क0सं0	चेक सं0	दिनांक	धनराशि मजदूरी	विवरण ईट/सामग्री	
1	002191	29.07.2015		294366	मे0 अभय ईट भट्ठा उद्योग
2	003645	16.05.2015		31524	मे0 अभय ईट भट्ठा उद्योग
3	003646	16.05.2015		3000	राधेश्याम शिल्पकार
4	002192	29.07.2015	55320		मस्टररोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
5	003647	16.05.2015		5744	मस्टररोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
		योग–	61064	328890	

उक्त कार्य की पत्रावली जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयी–

1. मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नही तथा प्रधान व बी0डी0सी का हस्ताक्षर नही है।
2. आवेदन पत्र संलग्न नही है।
3. पत्रावली में कार्यपूर्ति नही
4. पत्रावली में निविदा डालने वाली फर्मो का धरोहर का विवरण अप्राप्त रहा।
5. मस्टर रोल पर भुगतान की तिथि अंकित नही है।
6. इस परियोजना पर विगत 5 वर्षो में किसी संस्था द्वारा कार्य न कराये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न नही रहा।

इस प्रकार कार्य में महत्वपूर्ण नियमों का पालन न किया जाना,कोटेशन प्रक्रिया का पालन न होने से भुगतान अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–383 आलोच्य वर्ष 2015–16 में क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से ग्राम पंचायत शेषपुर में मु0 रियाज के घर से मेहदी अफसार अली के घर होते हुए मस्जिद तक इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया। जिसके कार्य प्रभारी श्री चन्द्रशेखर सिंह है। इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया।

क0सं0	चेक सं0	दिनांक	धनराशि मजदूरी	विवरण ईट/सामग्री	
1	003628	16.03.16		55968	मे0पटेल बिल्डिंग मैटेरियल
2	003630	16.03.16		53201	मे0 अभय ईट उद्योग
3	003629	16.03.16		174300	मे0 गुरू इण्टर लाकिंग
4	003631	16.03.16		0	राधेश्याम शिल्पकार
5	003632	16.3.16	32886	0	मस्टररोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
		योग–	32886	283469	

उक्त कार्य की पत्रावली जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयी–

1. पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर प्रधान व बी0डी0सी0 का हस्ताक्षर नही है।
2. पत्रावली में सेलग्न मस्टररोल पर भुगतान की तिथि अंकित नही है।
3. पत्रावली में संलग्न टेण्डर करने वाले फर्मो के आवेदन पत्र संलग्न नही।
4. पत्रावली में संलग्न कार्य पूर्ति नही है।
5. इस परियोजना पर विगत 5 वर्षो में किसी संस्था द्वारा कार्य न कराये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न नही रहा।
6. पत्रावली में संलग्न टेण्डर करने वाली फर्मो के धरोहर राशि का विवरण अप्राप्त रहा।

इस प्रकार कार्य में महत्वपूर्ण नियमों का पालन न किया जाना, कोटेशन प्रक्रिया का पालन न होने से भुगतान अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–384 आलोच्य वर्ष 2015–16 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेहरवां वित्त से ग्राम पंचायत बहरी में कुंज बिहारी प्रजापति के घर से इटायें बहरी पक्की सड़क तक पक्की नाली का निर्माण कराया गया। जिसके कार्य प्रभारी श्री विनोद सहाय श्रीवास्तव(ग्रा0वि0अ0) है। इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया।

क0सं0	चेक सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण मजदूरी	ईट/सामग्री
1	003687	30.10.2015	0	3000	राधेश्याम शिल्पकार
2	003688	30.10.2015	15499	0	मस्टररोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
3	003686	30.10.2015	0	77466	मे0राजराम बिल्डिंग मैटेरियल

4	003657	03.09.2015	0	106962	मे0 अभय ईट उद्योग
5	003658	03.09.2015	0	54316	मे0राजराम बिल्डिंग मैटेरियल
6	003659	03.09.2015	33531	0	मस्टररोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
7	003680	28.09.2015	0	107142	मे0 अभय ईट उद्योग
8	003681	28.09.2015	0	46496	मे0राजराम बिल्डिंग मैटेरियल
9	003682	28.09.2015	38521	0	मस्टररोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
		योग–	**87551**	**395382**	

उक्त कार्य की पत्रावली जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयीः–

1. पत्रावली में कार्यपूर्ति,फोटो ग्राफ,कार्ययोजना संलग्न नही है।
2. टेण्डर आवेदन करने वाली फर्मों का आवेदन पत्र संलग्न न कर सीधे तुलनात्मक चार्ट संलग्न है।
3. टेण्डर आवेदन करने वाली फर्मो का धरोहर राशि का विवरण अप्राप्त रहा।
4. इस परियोजना पर विगत 5 वर्षो में किसी संस्था द्वारा कार्य न कराये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न नही रहा।
5. कार्य योजना संलग्न नही है।
6. मस्टररोल पर प्रधान व बी0डी0सी0 का हस्ताक्षर नही है।
7. राजाराम बिल्डिंग मैटेरियल के बिल पर टिन न0 अंकित नही है।

इस प्रकार कार्य में महत्वपूर्ण नियमों का पालन न किया जाना, कोटेशन प्रकिया का पालन न होने से भुगतान अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–385 आलोच्य वर्ष 2016–16 में क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से ग्राम पंचायत बुद्धिपुर में संजू पटेल के घर से सर्वजीत के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य कराया गया। जिसके कार्य प्रभारी री अश्वनी कुमार सिंह है। इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया।

क0सं0	चेक सं0	दिनांक	धनराशि मजदूरी	विवरण ईट/सामग्री	
1	003672	23.1.2017		34324	मे0 सिंह ईट उद्योग बेलवा जौनपुर
2	003673	23.01.2017	37410		मस्टररोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
3	003663	24.12.2016	48006		मे0 राजेश कुमार ईट भट्ठा जलालपुर
	योग–	37410	82330		

उक्त कार्य की पत्रावली जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयी :–

1. टेण्डर आवेदन करने वाली फर्मो का धरोहर राशि का विवरण अप्राप्त रहा।
2. मस्टररोल पर प्रधार/बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर अंकित नही है।
3. पत्रावली में कार्य योजना संलग्न नही है।
4. इस परियोजना पर विगत 5 वर्षो में किसी संस्था द्वारा कार्य न कराये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न नही रहा।
5. पत्रावली में कार्यपूर्ति,फोटो ग्राफ,कार्ययोजना संलग्न नही है।
6. टेण्डर आवेदन करने वाली फर्मों का आवेदन पत्र संलग्न न कर सीधे तुलनात्मक चार्ट संलग्न है।

इस प्रकार कार्य में महत्वपूर्ण नियमों का पालन न किया जाना, कोटेशन प्रकिया का पालन न होने से भुगतान अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–386 आलेच्य वर्ष 2016–17 में क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से ग्राम पंचायत बुद्धिपुर में भोलानाथ पटेल के घर से इदुल्लाह के मकान तक पक्की नाली निर्माण कार्य कराया गया। जिसके कार्य प्रभारी श्री इन्द्रजीत पाल है। इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया।

क0सं0	चेक सं0	दिनांक	धनराशि मजदूरी	ईट/सामग्री	विवरण
1	003665	02.01.2017	0	138296	मे0 सिंह ईट उद्योग
2	003666	02.01.2017	0	91893	मे0 पटेल बिल्डिंग मैटेरियल्स
3	003678	03.03.2017	0	177584	मे0 सिंह ईट उद्योग
4	003679	03.03.2017	0	122332	मे0 पटेल बिल्डिंग मैटेरियल्स
5	003680	03.03.2017	124328	0	मस्टररोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
		योग	**124328**	**530105**	

उक्त कार्य की पत्रावली जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयीः–

1. पत्रावली में कार्यपूर्ति,फोटो ग्राफ,कार्ययोजना संलग्न नही है।
2. पत्रावली में टेण्डर आवेदन करने वाली फर्मों का आवेदन पत्र संलग्न न कर सीधे तुलनात्मक चार्ट संलग्न है।
3. आवेदन करने वाली फर्मो का धरोहर राशि का विवरण अप्राप्त रहा।
4. इस परियोजना पर विगत 5 वर्षो में किसी संस्था द्वारा कार्य न कराये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न नही रहा।

5. पत्रावली में कार्य योजना संलग्न नही है।
6. मस्टररोल पर प्रधान/ बी0डी0सी0 का हस्ताक्षर नही है।

इस प्रकार कार्य में महत्वपूर्ण नियमों का पालन न किया जाना, कोटेशन प्रक्रिया का पालन न होने से भुगतान अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–387 आलोच्य वर्ष 2016–17 में क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से ग्राम पंचायत सेउर में चौरा माता मन्दिर से बाबा पण्डित के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया। जिसके कार्य प्रभारी श्री विनोद सहाय है। इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया।

क0सं0	चेक सं0	दिनांक	धनराशि		विवरण
			मजदूरी	ईट/सामग्री	
1	003668	02.01.2017		47636	मे0 पटेल बिल्डिंग मैटेरियल्स
2	003667	02.01.2017		–73382	मे0 सिंह ईट उद्योग बेलवां जौनपुर
3	003669	02.01.2017		119864	में0 एस0एस0इण्टर प्राइजेज बल्लीपुर
4	022162	03.03.2017		78960	मे0 पटेल बिल्डिंग मैटेरियल्स
5	022163	03.03.2017		91410	मे0 सिंह ईट उद्योग बेलवां जौनपुर
6	022164	03.03.2017		265991	में0 एस0एस0इण्टर प्राइजेज बल्लीपुर
7	022165	03.03.2017	111744	0	मस्टररोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
		योग	**111744**	**637243**	

उक्त कार्य की पत्रावली जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयीः–

1. पत्रावली में संलग्न मस्टररोल पर कार्यवधि अंकित नही है।
2. पत्रावली में कार्यपूर्ति,फोटो ग्राफ,कार्ययोजना संलग्न नही है।
3. टेण्डर आवेदन करने वाली फर्मो का धरोहर राशि का विवरण अप्राप्त रहा।
4. मस्टररोल पर प्रधान/ बी0डी0सी0 का हस्ताक्षर नही है।
5. पत्रावली में कार्य योजना संलग्न नही है।
6. इस परियोजना पर विगत 5 वर्षो में किसी संस्था द्वारा कार्य न कराये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न नही रहा।
7. पत्रावली में टेण्डर आवेदन करने वाली फर्मो का आवेदन पत्र संलग्न न कर सीधे तुलनात्मक चार्ट संलग्न है।

इस प्रकार कार्य में महत्वपूर्ण नियमों का पालन न किया जाना, कोटेशन प्रक्रिया का पालन न होने से भुगतान अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–388 आलोच्य वर्ष 2016–17 में क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से ग्राम पंचायत मधुपुर में पक्की सड़क से ट्यूबेल होते हुए दिनेश पटेल के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य कराया गया। जिससे कार्य प्रभारी श्री दीपक सिंह है। इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया।

क0सं0	चेक सं0	दिनांक	धनराशि		विवरण
			मजदूरी	ईट/सामग्री	
1	003670	02.01.2017		208824	मे0 सिंह ईट उद्योग
2	003674	23.01.2017		202408	मे0 सिंह ईट उद्योग
3	022170	18.03.2017	46144		मस्टररोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
4	003675	23.01.2017	47666		मस्टररोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
		योग–	93810	411232	

उक्त कार्य की पत्रावली जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयीः–

1. कार्य योजना संलग्न नही है।
2. पत्रावली में कार्यपूर्ति,फोटो ग्राफ,कार्ययोजना संलग्न नही है।
3. टेण्डर आवेदन करने वाली फर्मो का धरोहर राशि का विवरण अप्राप्त रहा।
4. टेण्डर आवेदन करने वाली फर्मो का आवेदन पत्र संलग्न न कर सीधे तुलनात्मक चार्ट संलग्न है।
5. मस्टररोल पर प्रधान/ बी0डी0सी0 का हस्ताक्षर नही है।
6. इस परियोजना पर विगत 5 वर्षो में किसी संस्था द्वारा कार्य न कराये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न नही रहा।

इस प्रकार कार्य में महत्वपूर्ण नियमों का पालन न किया जाना, कोटेशन प्रक्रिया का पालन न होने से भुगतान अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–389 आलोच्य वर्ष 2016–17 में क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से ग्राम पंचायत होरैया में पिच रोड़ से प्रमोद के घर से खोरा बीर पक्की रोड़ तक खडन्जा मरम्मत कार्य कराया गया। जिसके कार्य प्रभारी श्री अश्वनी कुमार सिंह हे। इस परियोजना पर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया।

क0सं0	चेक सं0	दिनांक	धनराशि		विवरण
			मजदूरी	ईट / सामग्री	
1	003664	02.11.2017		300032	मे0 सिंह ईट उद्योग बेलवां जौनपुर
2	003676	23.11.2017		312364	मे0 सिंह ईट उद्योग बेलवां जौनपुर
3	003677	23.11.2017	111334		मस्टररोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
4	0022167	03.03.2017	176088		मस्टररोल के अनुसार मजदूरी कार्य प्रभारी को
5	0022166	03.03.2017	0	177008	मे0 सिंह ईट उद्योग बेलवां जौनपुर
		योग–	287422	789404	

उक्त कार्य की पत्रावली जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयीः–

1. बी0डी0ओ0द्वारा कार्य प्रभारी को निर्गत नियुक्ति पत्र को कार्य प्रभारी द्वारा रिसीव नही किया गया है।
2. टेण्डर आवेदन करने वाली फर्मो का आवेदन पत्र संलग्न न कर सीधे तुलनात्मक चार्ट संलग्न है।
3. टेण्डर आवेदन करने वाली फर्मो का धरोहर राशि का विवरण अप्राप्त रहा।
4. पत्रावली में कार्यपूर्ति,फोटो ग्राफ,कार्ययोजना संलग्न नही है।
5. पत्रावली में कार्य योजना संलग्न नही है।
6. मस्टररोल पर प्रधान/ बी0डी0सी0 का हस्ताक्षर नही है।

इस प्रकार कार्य में महत्वपूर्ण नियमों का पालन न किया जाना, कोटेशन प्रक्रिया का पालन न होने से भुगतान अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–390 उत्तर प्रदेश मैनुअल के अनुसार राज्य वित्त/तेरहवां योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदानों को सम्बन्धित वर्षे की कार्य योजनाओं विकास कार्यों पर व्यय कर क्षेत्रीय जनता को इसका लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। निर्माण कार्यो को उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना चाहिए जिसमें उसकी कार्य योजना बनी है। तथा किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध धन को बैंक खाते में अवरूद्ध कर नही रखा जाना चाहिए। 31.03.2017 को निम्न विवरणानुसार धन अवरूद्ध किया गया है।

क0सं0	मद	धनराशि
1	चतुर्थ राज्य वित्त	2285537
2	बी0आर0जी0एफ0	4639
	योग–	2290176

इस प्रकार उपरोक्त योजनाओं का धन 229176.00 बैंक खातों में अवरूद्ध कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 व लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–391 आलोच्य वर्ष 2016–17 में अनुदान रजि0 में चतुर्थ राज्य वित्त आयकर में रू0 59487.00 तथा चतुर्थ राज्य वित्त वाणिज्यकर में रू0 106235.00 की कटौती दर्शित है। उक्त धनराशि को राजकीय कोषागार में न तो जमा किया गया है। और न ही जमा से सम्बन्धित कोई रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कुल रू0 165722.00 को खाते में अनियमित रूप से अवरूद्ध कर रोका गया हैं जो नियम विरूद्ध है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप–3

जनपद – वाराणसी **सम्भाग – वाराणसी**

1– क्षेत्र पंचायत पिण्डरा **वर्ष 2009–10 से 2013–14**

प्रस्तर – 1

क्षेत्र पंचायत पिण्डरा की वर्ष 2009–10 से 2013–14 में अपहरण, दुरूपयोग और गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है, आलोच्य वर्ष में सामग्री और मजदूरी पर निम्न विवरण के अनुसार धनराशि का उपभोग किया गया है ।

मजदूरी भुगतान के प्रमाणक न होना :– मनरेगा में वित्तीय वर्ष 2009–10/2010–11 में परसरा में छेदी उपाध्याय के घर से नहर पुलिया तक मिट्टी कार्य कराया गया है। जिसके कार्य प्रभारी राजेश, ग्राम विकास अधिकारी है। वर्क रजिस्टर में मनरेगा शीर्षक पृष्ट संख्या 62–63 पर इसका विवरण अंकित है। मजदूरी हेतु रू 19200.00 का भुगतान 192 कार्य दिवस के लिए दिनांक 07.12.2010 को चेक संख्या 062685 के माध्यम से किया गया है लेकिन फाइलों की जॉच में पाया गया कि मजदूरी भुगतान हेतु रू 14000.00 का भुगतान 140 कार्य दिवस के लिए किये जाने सम्बन्धी मस्टररोल संलग्न है। इस प्रकार 52 कार्य दिवस के मस्टररोल कम पाए गए। यह कुल धनराशि 5200.00 रू की है। कार्य सम्बन्धी फाइल में संलग्न पत्रावली में मजदूरी के नाम पर धनराशि की डिमांड की गयी है। यह डिमांड धनराशि रामसेवक 700.00, रामजतन–700.00, घमंडी–700.00, रामअजोर–700.00, नन्द–700.00 खुशीहाल–700.00, रामलखन–600.00, सभाजीत–400.00 रू की है, परिसम्पत्ति पंजिका और उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत

नहीं रहे, साथ ही मस्टररोल के अभाव में रू 5200.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि गबन है और अधिभार योग्य है। इसके लिए तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी, श्री इन्द्रमणि त्रिपाठी और लेखाकार श्री ब्रह्मदेव सिंह उत्तरदायी है। सम्बन्धित उत्तरदायी से इस धनराशि को ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 2

वैट कटौती–उत्तर प्रदेश वैट अधि0 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत वर्क कॉन्ट्रैक्ट के भुगतान की दशा में किसी ठेकेदार से निर्धारित दर (4 मार्च 2008 से लागू 4प्रतिशत) से मूल्य संवर्धित कर की कटौती की जानी है। वैट अधिनियम की धारा 2(एयू) के अनुसार तथा शासनादेश संख्या ए–1–351/दस–2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टीडीएस सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेंडर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना है कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नंबर (टिन) जारी किया गया है। संविदाकार के बिल को नियमानुसार भुगतान हेतु कोषागार को प्रस्तुत करते समय अथवा चेक के माध्यम से सीधे धनराशि आहरित करने वाले विभाग/निगम में चेक जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चेक पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान संबंधी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत/टिन धरक है एवं संविदा से सम्बन्धित किये जा रहे भुगतान पर प्राविधानित कटौती कर ली गयी है लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है और इसे मनमाने तरीके से भी लागू किया गया है। आलोच्य वर्ष में सामग्री क्रय के लिए भुगतान किये गये निम्नांकित व्यय प्रमाणक पर टिन अंकित नहीं था–

वर्क रजि0 में का0सं0	कार्य का नाम	फर्म का नाम	कैशमेमो संख्या एवं दिनांक	धनराशि
11	विकास खंड परिसर में आवास बीडीओ मरम्मत	शीश महल ग्लास जय बजरंग पाईप विशाल हार्डवेयर	193/08.08.10 512/12.08.10 301/15.08.10	4150 12410 8148
12	विकास खंड परिसर की चाहर दीवार निर्माण	नारायण सीमेंट नारायण सीमेंट	772/13.02.10 765/16.11.10	31156 15850
14	चिउरापुर में शिवजगत मास्टर का कूप मरम्मत	के के एंड ब्रदर्स सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा	208/03.12.10 150/03.12.10	6370 7200
15	चकरमा में कन्हैया लाल का कूप मरम्मत एवं जगत नि0	सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा के के एंड ब्रदर्स	155/01.09.10 190/03.09.10 488/04.09.10	7200 972 6739
16	चकरमा में धनराजी देवी का कूप मरम्मत एवं जगत नि0	सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा के के एंड ब्रदर्स	209/10.09.10 156/03.09.10 492/10.09.10	12403 7200 13004
17	चकरमा में सुभाष का कूप मरम्मत	सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा के के एंड ब्रदर्स	157/03.09.10 204/06.09.10 490/10.09.10	7200 12350 13020
18	चकरमा में रज्जू यादव का कूप मरम्मत	सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा के के एंड ब्रदर्स	182/05.09.10 129/03.09.10 479/04.09.10	10141 7200 13651
19	बसंतपुर लालचंद पहलवान का कूप मरम्मत	सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा के के एंड ब्रदर्स	223/05.09.10 130/03.09.10 493/05.09.10	14153 7200 13580
20	बसंतपुर लाल बिहारी का कूप मरम्मत	सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा के के एंड ब्रदर्स	224/04.09.10 131/03.09.10 496/04.09.10	15676 7200 14400
21	बसंतपुर अन्नू यादव का कूप मरम्मत	सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा के के एंड ब्रदर्स	245/12.09.10 158/04.09.10 498/10.09.10	13980 7200 13300
22	जाठी बिजेंद्र सिंह का कूप मरम्मत	सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा के के एंड ब्रदर्स	260/11.09.10 174/04.09.10 486/10.09.10	15744 7200 15200
23	बसंतपुर रामधारी का कूप निर्माण	सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा के के एंड ब्रदर्स	598/04.12.10 /03.09.10 497/03.07.10	15809 7200 15288
26	जाठी में रामआसरे पटेल के खेत से नहर तक खडंजा	सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा	587/06.05.10 599/09.05.10	288000 110880

25	चक्दुल्लाह गॉव में प्राथमिक वि0मि0ख0	सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा	576/02.05.10 585/02.05.10	18000 110880
6	बसंतपुर ट्यूबवेल से डीहबाबा तक खडंजा एवं रमेश तक मिख/	सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा	568/30.04.10 582/05.05.10 596/01.06.10	129600 246240 37584
7	मंगारी बाजार में रामजीत सेठ के सामने अशोक नाइ तक पक्की नाली	नारायणी सीमेंट एजेंसी नारायणी सीमेंट एजेंसी नारायणी सीमेंट एजेंसी नारायणी सीमेंट एजेंसी	746/02.06.10 656/15.06.10 679/15.07.10 692/02.08.10	46228 104380 35170 29868
8	गंगापुर आबिद के घर से मदरसा है पा0नाली तक प	नारायणी सीमेंट एजेंसी	748/22.06.10 672/24.08.10	23807 16293
1	भोपापुर में शाहपुर पोखरा से भरत यादव के घर तक खडंजा निर्माण	सर्वेश सिंह ईंट भट्ठा	218/25.04.10 215/23.04.10 272/02.05.10 594/25.05.10	108000 108000 153578 46980

चूंकि जिन पर टिन है और जिन पर टिन नहीं है उनमें से किसी भी बिल पर टीडीएस की कटौती सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। आलोच्य वर्ष में व्यय की गयी धनराशि का वर्षवार विवरण निम्न है :–

वर्ष	मद/कार्य	सामग्री खरीद	गड़ना वैट कटौती (4प्रतिशत)
2009–10	राज्य वित्त, मनरेगा	538392.00	21535.68
2010–11	12वां वित्त, राज्य वित्त, मनरेगा	4130424.00	165216.96
2011–12	राज्य वित्त, तेरहवां वित्त	2657987.00	106319.48
2012–13	राज्य वित्त, तेरहवां वित्त	6297383.00	251895.32
2013–14	तेरहवां वित्त, राज्य वित्त	2320558.00	92822.32
	योग	**15944744.00**	**637789.76**

आलोच्य वर्ष में कुल रू 15944744.00 की सामग्री मद पर भुगतान किये गये है। नियमानुसार आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा इस पर 4 प्रतिशत की दर से रू 637789.76 की कटौती की जानी चाहिए थी लेकिन मनमाने ढंग से इसे न काट कर राजस्व की क्षति की गयी। वैट की यह धनराशि संस्था के तात्कालिक अधिकारियों खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार से वसूल कर राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 3

उत्तर प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 जो कि 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर लेबर सेस की कटौती नियोक्ता के द्वारा काटी जाएगी और कटौती के पश्चात् यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

वर्ष	मद/कार्य	सामग्री खरीद	मजदूरी भुगतान	योग (सा0+म0)	लेबर सेस (1प्रतिशत)
2009–10	राज्य वित्त, मनरेगा	538392.00	103300.00	641692.00	6416.92
2010–11	12वां वित्त, राज्य वित्त, मनरेगा	4130424.00	967040.00	5097464.00	50974.64
2011–12	राज्य वित्त, तेरहवां वित्त	2657987.00	524570.00	3182557.00	31825.57
2012–13	राज्य वित्त, तेरहवां वित्त	6297383.00	240871.800	8706101.00	87061.01
2013–14	तेरहवां वित्त, राज्य वित्त	2320558.00	1545802.00	386636.000	38663.60
	योग	**15944744.00**	**5549430.00**	**21494174.00**	**214941.74**

आलोच्य वर्ष में कराये गये कार्य पर सामग्री और मजदूरी मद में कुल रू 21494174.00 का भुगतान किया गया है। लेकिन नियमानुसार 1प्रतिशत की दर से कुल 214941.74 रू की कटौती कर श्रम विभाग में जमा नहीं किया गया है। इस अनियमितता के लिए तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी है। जिनसे वसूल कर राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 4

<u>ब्याज की धनराशि –</u> शासनादेश सं0–ए–1–122/दस–2012–10 (33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। नियमानुसार विभिन्न खातों में प्राप्त ब्याज को अलग ब्याज मद में प्राप्त कर वापस किया जाना चाहिए था लेकिन आलोच्य वर्ष में संस्था के द्वारा विभिन्न खातों में प्राप्त ब्याज का उसी मद में व्यय कर लिया गया है साथ ही ब्याज मद से भी विभिन्न मद में ट्रान्सफर कर व्यय किया गया है।

वर्ष 2009–10 में ब्याज मद से रू 240055.00 राज्य वित्त में और रू 25899.00 आदर्श जलाशय मद में ट्रान्सफर कर कुल रू 265954.00 व्यय किये गये है साथ ही विभिन्न खातों में प्राप्त ब्याज रू 287342.00 भी व्यय किया गया है। इस प्रकार कुल 553296.00 ब्याज की धनराशि को व्यय किया गया है।

वर्ष 2010–11 में 33324.00 रू स्टेट बैंक चालान के माध्यम से सरकार को वापस किये गये है लेकिन रू 90.00 (5+10+75) विभिन्न मदों में ट्रान्सफर कर व्यय किया गया है। साथ ही विभिन्न खातों में प्राप्त ब्याज रू 177756.00 भी व्यय किया गया है। इस प्रकार कुल 177846.00 ब्याज की धनराशि को व्यय किया गया है।

वर्ष 2011–12 में ब्याज मद की धनराशि रू 2008.33 निर्वाचन मद में ट्रान्सफर कर अनुदान के रूप में तथा मनरेगा मद से 5.00 ट्रान्सफर कर कुल रू 2013.33 व्यय किये गये है साथ ही विभिन्न खातों में प्राप्त ब्याज रू 230225.33 का भी व्यय किया गया है। इस प्रकार वर्ष में कुल रू 230230.33 ब्याज की धनराशि को व्यय किया गया है।

वर्ष 2012–13 में विभिन्न खातों में प्राप्त ब्याज के रू 331563.00 व्यय किये है। वर्ष 2013–14 में विभिन्न खातों में रू 175424.00 व्यय किये गये है। इसका विवरण निम्नवत् है –

आलोच्य वर्ष	विभिन्न मद में व्यय (1)	ब्याज खाते से व्यय (2)
2009–10	553296.00	0.00
2010–11	177756.00	90.00
2011–12	230225.33	05.00
2012–13	331563.00	0.00
2013–14	175414.00	90.00
	1468264.33	**185.00**
सम्पूर्ण योग (1+2)	**1468449.33**	

इस प्रकार सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष में ब्याज मद के रू 1468449.33 को संस्था के अधिकारियों के द्वारा व्यय कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली संस्था के तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार से कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 5

आयकर कटौती – आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–सी यथा संसोधित के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने उपरान्त ही भुगतान किया जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है साथ ही काटे गये आयकर को निर्धारित समय सीमा के भीतर राजकोष में जमा न किये जाने पर कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माने भी किया जा सकता है। यह कटौती 2.24 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी है।

वर्ष	मद/कार्य	सामग्री खरीद	गड़ना वैट कटौती (4प्रतिशत)
2009–10	राज्य वित्त, मनरेगा	538392.00	12059.98
2010–11	12वां वित्त, राज्य वित्त, मनरेगा	4130424.00	92521.50
2011–12	राज्य वित्त, तेरहवां वित्त	2657987.00	59538.91
2012–13	राज्य वित्त, तेरहवां वित्त	6297383.00	141061.38
2013–14	तेरहवां वित्त, राज्य वित्त	2320558.00	51980.50
	योग	**15944744.00**	**357162.27**

2009–10 से 2013–14 तक राज्य वित्त और वित्त आयोग, मनरेगा आदि में सामग्री क्रय पर कुल व्यय रू 15944744.00 रहा। नियमानुसार इस पर 2.24प्रतिशत की दर से रू 357162.27 आयकर की कटौती की जानी चाहिए लेकिन संस्था के अधिकारियों के द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर आयकर की कटौती नहीं की गयी। इस धनराशि की वसूली संस्था के तात्कालिक अधिकारियों खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार के द्वारा सुनिश्चित कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

2. क्षेत्र पंचायत पिण्डरा वर्ष 2014–15 से 2016–17

प्रस्तर – 6

क्षेत्र पंचायत पिण्डरा की वर्ष 2014–15 से 2016–17 में अपहरण, दुरूपयोग और गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है ।

संस्था के द्वारा आलोच्य वर्ष में सम्पन्न किये कार्यों के सापेक्ष परियोजनावार/मदवार सामग्री और श्रम का अलगाव करते हुए सामग्री में प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त की गयी सामग्री की धनराशि के सापेक्ष आयकर एवं व्यापारकर जैसे राजकीय राजस्व की नियमानुसार कटौती नहीं की गयी है। नियमानुसार मदवार रजिस्टर तैयार कर वर्षवार कटौती, वसूली और जमा किये जाने उल्लेख किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में इसका आंकलन किया गया है। जो निम्नांकित हैः–

<u>आयकर कटौती</u> – आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194–सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने उपरान्त ही भुगतान किया जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर ''न काटे गये आयकर की धनराशि'' के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है साथ ही काटे गये आयकर को निर्धारित समय सीमा के भीतर राजकोष में जमा न किये जाने पर कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माने भी किया जा सकता है। यह कटौती 2.24 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी है।

वर्ष	**मद**	**सामग्री क्रय**	**आय.कटौ. (सा.क्र. का 2.24 प्रतिशत)**	**योग**
	राज्य वित्त	7362618	164922.64	
	तेरहवां वित्त	3041060	68119.74	
2014–15	सांसद / विधायक निधि	135628	3038.07	236082.45
	राज्य वित्त	2050541	45932.12	
2015–16	तेरहवां वित्त	5036564	112819.03	193136.72
	सांसद / विधायक निधि	109843	2460.49	
	चतुर्थ राज्य वित्त	1425227	31925.08	
	चतुर्थ राज्य वित्त	1340481	30026.77	
2016–17	सांसद / विधायक निधि	466747	10455.13	40481.91
	योग	**20968709**	**469699.08**	**469699.08**

वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक राज्य वित्त और वित्त आयोग, मनरेगा आदि में सामग्री क्रय पर कुल व्यय रू 20968709.00 रहा। नियमानुसार इस पर 2.24प्रतिशत की दर से रू 469699.08 आयकर की कटौती की जानी चाहिए लेकिन संस्था के अधिकारियों के द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से आयकर की कटौती न कर अनियमितता की गयी है। इस धनराशि की वसूली संस्था के तात्कालिक अधिकारियों खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार के द्वारा सुनिश्चित कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर –7

<u>वैट कटौती –</u> उत्तर प्रदेश वैट अधि0 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत वर्क कॉन्ट्रैक्ट के भुगतान की दशा में किसी ठेकेदार से निर्धारित दर (4 मार्च 2008 से लागू 4प्रतिशत) से मूल्य संवंर्धित कर की कटौती की जानी है। वैट अधिनियम की धारा (एयू) के अनुसार तथा शासनादेश संख्या ए–1–351/दस–2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टीडीएस सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेंडर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना है कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नंबर जारी किया गया है। संविदाकार के बिल को नियमानुसार भुगतान हेतु कोषागार को प्रस्तुत करते समय अथवा चेक के माध्यम से सीधे धनराशि आहरित करने वाले विभाग/निगम में चेक जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चेक पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान संबंधी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत/टिन धरक है एवं संविदा से सम्बन्धित किये जा रहे भुगतान पर प्राविधानित कटौती कर ली गयी है लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है और इसे मनमाने तरीके से भी लागू किया गया है।

वर्ष	मद	सामग्री क्रय	आय.कटौ. (सा.क्र. का 4 प्रतिशत)	योग
	राज्य वित्त	7362618	0.00	
	तेरहवां वित्त	3041060	0.00	0.00
2014–15	सांसद / विधायक निधि	135628	0.00	
	राज्य वित्त	2050541	10911.00	
	तेरहवां वित्त	5036564	40615.00	
	सांसद / विधायक निधि	109843	0.00	64180.00
2015–16	चतुर्थ राज्य वित्त	1425227	12654.00	
	चतुर्थ राज्य वित्त	1340481	40443.00	
2016–17	सांसद / विधायक निधि	466747	0.00	40441.00
	योग	**20968709**	**104623.00**	**104623.00**

वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 में राज्य वित्त और वित्त आयोग आदि के कार्यों में कुल रू 20968709.00 सामग्री क्रय पर व्यय किये गये है। नियमानुसार आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा इस पर 4 प्रतिशत की दर से रू0

838748.36 की कटौती की जानी चाहिए लेकिन आलोच्य वर्ष में इसे मनमाने तरीके से लागू कर कुल रू 104623.00 ही काटे और जमा किये गये। इस प्रकार सामग्री खरीद के बिलों पर नियमानुसार कुल रू 734125.36 की कटौती नहीं की गयी है। टीडीएस की यह धनराशि संस्था के तात्कालिक अधिकारियों खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार से ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा कराई जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 8

<u>मिट्टी पर रायल्टी –</u> उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 1963 (यथा संशोधित 39वां संसोधन) के नियम 21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन हेतु विधिवत अनुज्ञा पत्र एम.एम.–11 एवं रायल्अी (19 जनवरी 2016 से 14 रू से बढ़ा कर 30 रू प्रति घन मीटर) का देय सुनिश्चित किया गया है लेकिन क्षेत्र पंचायत के द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर इसकी कटौती नहीं की गयी है। राज्य वित्त 2015–16 (वर्क बुक क0सं0–3) गरथमा मुख्य मार्ग से मौर्या के खेत तक मिट्टी खडन्जा कार्य में कार्य प्रभारी श्री कुमार अवनीश को मजदूरी का कुल भुगतान चेक संख्या 020620 दिनांक 27.04.2015 को रू 25600.00 किया गया है। जिसमें मिट्टी पर कुल रू 10000.00 का (20 ट्रैक्टर दर 500.00 प्रति ट्रैक्टर की दर से) भुगतान किया गया है लेकिन नियमानुसार दर 14 रू की दर से मिट्टी पर रायल्अी नहीं काटी गयी जिसके कारण कुल रू 1400.00 राजस्व की क्षति हुई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संस्था के तात्कालिक अधिकारियों खण्ड विकास अधिकारी श्री रमेश कुमार यादव तथा लेखाकार विजयकान्त सिंह से सुनिश्चित कर राजकोष मे जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 9

<u>लेबर सेस –</u> उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 जो कि 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर लेबर सेस की कटौती नियोक्ता के द्वारा काटी जाएगी और कटौती के पश्चात् यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

वर्ष	मद	सामग्री क्रय	मजदूरी	योग	सम्पूर्ण योग	स.यो का 1 प्रतिशत	योग
2014–15	राज्य वित्त	7362618	1847954	9210572	13442742	92105.72	134427.42
	तेरहवां वित्त	3041060	1032578	4073638		40736.38	
	सांसद / विधायक निधि	135628	22904	158532		1585.32	
2015–16	राज्य वित्त	2050541	519040	2569581	10619195	25695.81	106191.95
	तेरहवां वित्त	5036564	964600	6001164		60011.64	
	सांसद / विधायक निधि	109843	34080	143923		1439.23	
	चतुर्थ राज्य वित्त	1425227	479300	1904527		19045.27	
2016–17	चतुर्थ राज्य वित्त	1340481	349238	1689719	2256566	16897.19	22565.66
	सांसद / विधायक निधि	466747	100100	566847		5668.47	
	योग	**20968709**	**5349794**	**26318503**	**26318503**	**263185.03**	**263185.03**

आलोच्य वर्ष में कराये गये कार्य पर सामग्री और मजदूरी मद में कुल रू 26318503.00 का भुगतान किया गया है लेकिन नियमानुसार 1 प्रतिशत की दर से कुल रू 263185.03 की कटौती कर श्रम विभाग में जमा नहीं किया गया है। इस अनियमितता के लिए तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी है। जिनसे वसूल कर राजकोष में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 10

<u>ब्याज की धनराशि –</u> शा0सं0–ए–1–122 / दस–2012–10(33) / 2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन ने अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित धनराशि संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। वर्ष 2014–15 में ब्याज मद प्राप्त रू 14097.00 बैंक चालान के माध्यम से सरकार को वापस किये गये है तथा रू 387502.00 को विभिन्न मद में प्राप्त ब्याज को अनुदान मानकर व्यय किया गया है। वर्ष 2015–16 में रू 219072.00 में विभिन्न मदों में प्राप्त ब्याज को अनुदान मान कर व्यय किये गये है तथा वर्ष 2016–17 में रू 250398.00 विभिन्न मदों में प्राप्त ब्याज को अनुदान मान कर व्यय किये गये है और ग्रांट 2 के अनुसार दिनांक 05.04.2016 को ब्याज मद में प्राप्त 51.00 बैंक चार्ज कटौती दर्शित है। विभिन्न मदों में प्राप्त ब्याज की गणना अनुदान के पृष्ठों पर वर्षवार पृथक पृथक मदवार की गयी है। आलोच्य वर्ष में संस्था के द्वारा प्राप्त ब्याज को निम्नलिखित तरीके से व्यय किया गया है–

आलोच्य वर्ष	विभिन्न मद में से व्यय (1)	ब्याज खाते में से व्यय (2)
2014–15	387502.00	0.00
2015–16	219072.00	0.00
2016–17	250398.00	51.00
योग	856972.00	51.00
	योग (1+2)	**857023.00**

आलोच्य वर्ष में संस्था के अधिकारियों के द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए ब्या की धनराशि रू 857023.00 को मनमाने तरीके से व्यय किया गया जबकि नियमानुसार यह धनराशि शासन को वापस किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा न कर अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली संस्था के तात्कालिक अधिकारियों खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार से द्वारा सुनिश्चित कर राजकोष के जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 11

वर्षान्त अवशेष – ग्रान्ट रजिस्टर–3 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 में संस्था के द्वारा विभिन्न मदों में कुल रू 5345418.00 व्यय किया गया जबकि प्राप्त अनुदान रू 9345722.00 रहा। इस प्रकार प्राप्त अनुदान का 57.20प्रतिशत ही व्यय किया गया है। यदि इस प्राप्त अनुदान में 01.01.2016 को प्रारम्भिक अवशेष रू 6581448.51 की धनराशि को मिला लिया जाये तो कुल रू 15927170.51 आय मद में प्राप्त हुए। इस प्रकार वित्तीय वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि का 33.56प्रतिशत धनराशि ही व्यय की गयी। अर्थात् 31 मार्च 2017 को कुल उपलब्ध धनराशि का 66.44 प्रतिशत (रू 10581753.51) बचा ली गयी है।

उल्लेखनीय है कि शासन के द्वारा संस्था को अनुदान बजट के अनुसार विकास कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु दिया जाता है जिसका उपभोग न होने की दशा में बाजार मूल्य के चढ़ाव से हानि होती है। वर्षान्त अवशेष धनराशि विकास कार्यो के धीमी प्रगति और विकास कार्यों के प्रति अधिकारियों के उदासीनता का भी सूचक है। यह इस बात का भी सूचक है कि अनुदान के उपभोग पर विकास खण्ड के प्रबंधक ''खण्ड विकास अधिकारी'' का नियंत्रण ठीक–ठाक नहीं रहा। दिनांक 31.03.2017 को वर्षान्त अवशेष धनराशि माह मार्च में प्राप्त धनराशि को छोड़कर नियमानुसार शासन को वापस किया जाना चाहिए था। जिसे रोककर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

3. क्षेत्र पंचायत – सेवापुरी वर्ष 2011–12 से 2013–14

प्रस्तर – 12

(i) मनरेगा प्रशासनिक मद के अंतर्गत अनुदान रजि0–3 में जून 2011 को अंतिम अवशेष रोकड़ 362226.35 के स्थान पर रू0 362232.35 एवं माह अक्टूबर 2011 को अवशेष रू0 64141.00 के स्थान पर 64141.15 दर्शित था। इस प्रकार कुल अंतर रू0 3.85 कम अवशेष दर्शाया गया है। यह अंतर दिनांक 31–03–12 तक यथा दर्शित था। स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

(ii) दिनांक 01–04–11 को क्षेत्र निधि ब्याज मद में रू0 448014.00 अवशेष दर्शित था। अगस्त 2011 में रू0 122558. 00 का आय दर्शाया गया है। अनुदान रजि–(i) (ii) एवं ii में उक्त मद में वर्ष 2011–12 का व्यय शून्य दर्शित था। किन्तु माह दिसम्बर 2011 से मार्च 2012 को आरम्भिक अवशेष शून्य दर्शाया गया है। इस प्रकार उक्त मद में रू0 570572.00 का कम अवशेष दर्शाने गया है । इस प्रकार एक्त मद में रू0 570572.00 का कम अवशेष दर्शाने की स्थिति स्पष्ट किया जाना आपेक्षित है। उपरोक्तानुसार वर्ष 2011–12 में कुल 570575.85 कम रोकड़ अवशेष दर्शाकर अपहरण किया गया है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखा कार श्री विजय सोनकर एवंम खण्ड विकास अधिकारी श्री राजरति राम मिश्रा से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर –13

मनरेगा क्षेत्र पंचायत मद में माह अगस्त 2011 में रू0 107310.00 तथा माह सितम्बर 2011 में रू0 5.00 का व्यय दर्शित है। कुल व्यय रू0 107315.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री विजय सोनकर एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राजरति राम मिश्रा से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर – 14

राज्य वित्त वर्ष 2011–12 माह अक्टूबर 2011 को रू0 545818.00 का व्यय अनुदान रजि0–03 में अर्शित था। किन्तु अनुदान रजि0–2 में व्यय का विवरण अंकित नही था और न ही उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराया गया व्यथित धनराशि अपुष्ट एवं अप्रमाणित रही।

अतः रू0 545818.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री विजय सोनकर एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राजरति राम मिश्रा से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 15

क्षेत्र निधि वर्ष 2011–12 में किया गया व्यय रू0 130579.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। यह धनराशि किस मद में व्यय किया गया अज्ञात रहा। वर्ष में व्यय धनराशि संदग्धि है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री विजय सोनकर एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राजरति राम मिश्रा से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 16

वर्ष 2011–12 में क्षेत्र पंचायत द्वारा जमानत, आयकर, व्यापारकर एवं रायल्टी मद में कोई कटौती अथवा आय नही हुआ है। लेखा परीक्षा अनुसार वर्ष 2011–12 में क्रय सामग्री पर आयकर एवं व्यापारकर का आंकलन निम्नाकित है–

क्र0	मद	सामग्री क्रय पर व्यय	व्यापारकर	आयकर	योग
1	बरहवां वित्त	2448183.0	97927.00	54839.0	152766.0
2	राज्य वित्त	90025.0	3601.00	2017.0	568.00
3	विधायक निधि	1422839.0	56914.00	31872.0	88186.00
4	सांसद निधि	–	–	–	–
5	तेरहवां वित्त	–	–	–	–
	कुल योग–	3961047.0	158442.00	88728.00	247170.0

उपरोक्त विवरणानुसार वर्ष 11–12 में रू0 158442.00 व्यापारकर एवं रू0 88728.00 आयकर कुल रू0 247170.00 की कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुचायी गयी तथा फर्मो/व्यापार संस्थानों से मिलीभगत करके रू0 247170.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रू0 247170.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री विजय सोनकर एवं ख0वि0अ0 श्री राजरति राम मिश्रा एवं श्री राधेश्याम से किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2012–13

प्रस्तर – 17

(i) दिनांक 31–05–12 को मनरेगा प्र0 मद का अवशेष रू02378.15 था। माह जून 2012 में रू0 5000.00 का आय व रू0 39441.00 का व्यय दर्शाने के बाद दिनांक 30–06–12 को अवशेष रू0 12937.15 के स्थान पर 12769.00 दर्शाया है। अतः अंतर रू0 168.15 कम अवशेष दर्शाने की स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। यह अंतर दिनांक 31–03–13 तथा यथावत दर्शित था।

(ii) मनरेगा क्षेत्र मद का अवशेष जून 2012 से 31 मार्च 2013 तक रू0 00.80 कम दर्शाया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

(iii) क्षेत्र पंचायत आकस्मिक व्यय मद का अवशेष माह मई 2012 में रू0 17386.23 के स्थान पर रू0 17386.00 दर्शित था। इस प्रकार माह मई 2012 से मार्च 2013 तक अवशेष रू0 00.23 कम दर्शित था। अतः अंतर की स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार वर्ष 2012–13 में अंतिम रोकड़ शेष 169.18 कम दर्शाया गया है अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री के0के0 कन्नौजिया एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राधेश्याम से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 18

मनरेगा प्रशासनिक मद के अंतर्गत निम्नांकित तिथियों में दर्शाये गये व्यय अज्ञात व प्रमाणविहीन रहे। जिस कारण व्ययित धनराशि अपुष्ट एवं अप्रमाणित रही।

क्रमांक	तिथि	धनराशि
1–	24–01–13	3540.00
2–	11–02–13	5010.00
3–	11–02–13	6152.00
	योग–	14702.00

अतः रू0 14702.00 की ब्याज सहित वसूली सहा0 लेखकार श्री के0के0 कन्नौजिया एवं खण्ड़ विकास अधिकारी श्री राधेश्याम से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 19

क्षेत्र निधि वर्ष 2012–13 में व्यय धनराशि रू0 5383091.00 के अंतर्गत रू0 2368821.00 के व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख अप्राप्त रहे।

अतः उपरोक्त विवरणानुसार अपहरण की धनराशि रू0 2368821.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सहा0 लेखाकार श्री के0के0 कन्नौजिया एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राधेश्याम से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 20

वर्ष 2012–13 में क्षेत्र पंचायत द्वारा जमानत,आयकर,व्यापारकर एवं रायल्टी मद में कोई कटौती अथवा आय नही हुआ है। लेखा परीक्षा अनुसार वर्ष 2011–12 में क्रय सामग्री पर आयकर एवं व्यापारकर का आंकलन निम्नाकिंत है–

क्र0	मद	सामग्री क्रय पर व्यय	व्यापार कर	आयकर	योग
1	बारहवां वित्त	–	–	–	–
2	राज्य वित्त	2743760.0	190750.0	61460.0	171210.0
3	विधायक निधि	894453.0	35778.0	20036.0	55814.0
4	सांसद निधि	1194122.0	47765.0	26748.0	74513.0
5	तेरहवां वित्त	207508.0	8300.0	4648.0	12948.0
	कुल योग–	5039843.0	201593.0	112892.00	314485.0

उपरोक्त विवरणानुसार वर्ष 12—13 में रू0 201593.00 व्यापारकर एवं रू0 112892.00 आयकर कुल रू0 314485.00 की कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुचायी गयी तथा फर्मो/ व्यापारिक संस्थानों से मिलीभगत करके रू0 314485.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रू0 314485.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सहा0 लेखाकार श्री के0 के0 कन्नौजिया एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राधेश्याम से किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2013—14

प्रस्तर — 21

सांसद निधि वर्ष 2013—14, माह जुलाई 2013 में व्यय रू0 72772.00 के अंतर्गत रू0 112.00 अज्ञात व्यय रहा तथा रू0 72660.00 जू0हा0 स्कूल ठठरा में अवशेष सोलिंग कार्य पर व्यय हुआ। पुनः माह अक्टूबर 2013 में अवशेष धनराशि रू0 10320.00 के सापेक्ष रू0 68.00 परियोजना निदेशक को वापस दर्शाकर अवशेष रू0 शून्यकर कुल 10364.00 अपहरण किया गया है।

अतः अपहरण की धनराशि रू0 10364.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सहा0 लेखाकार श्री के0के कन्नौजिया एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राधेश्याम से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर — 22

वर्ष 2013—14 में क्षेत्र पंचाय द्वारा जमानत, आयकर, व्यापारकर एवं रायल्टी मद में कोई कटौती अथवा आय नही हुआ है। लेखा परीक्षा अनुसार वर्ष 2013—14 में कय सामग्री पर आयकर एवं व्यापाकर का आंकलन निम्नांकिंत है—

क0	मद	सामग्री कय पर व्यय	व्यापार कर	आयकर	योग
1	बारहवां वित्त	—	—	—	—
2	राज्य वित्त	2055549.0	82222.0	46044.0	128266.0
3	विधायक निधि	38237.0	1529.0	856.0	2385.0
4	सांसद निधि	64072.0	2563.0	1435.0	3998.0
5	तेरहवां वित्त	1353676.0	54107.0	30300.0	84407.0
	कुल योग—	3510534.00	140421.00	78635.00	219056.0

उपरोक्त विवरणानुसार वर्ष 13—14 में रू0 140421.00 व्यापारकर एवं रू0 78635.00 आयकर कुल रू0 2190.00 की कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुचायी गयी तथा फर्मो/व्यापारकर संस्थाओं से मिलीभगत करके रू0 219056.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रू0 219056.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सहा0 लेखाकार श्री के0के0 कन्नौजिया एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राधेश्याम से किया जाना अपेक्षित है।

4. क्षेत्र पंचायत — सेवापुरी **वर्ष 2014—15 से 2016—17**

प्रस्तर — 23

विधानमण्डल क्षेत्र विकास निधि मद में माह मार्च 2015 में रू0 27836.00 का व्यय विवरणहीन है तथा चेक का विवरण दर्शित नही है। दिनांक 31—03—15 को अनाहरित चेक के अंतर्गत रू0 27836.00 का अंतर दर्शाया गया है। यह अंतर दिनांक 30—06—16 तक दर्शाने के बाद किसी प्रमाणक/अभिलेख के अंतर समाप्त दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि रू0 27836.00 का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरण की धनराशि रुपया 27836,00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी , श्री सुरेन्द्र प्रसाद एवं सहायक आंकिक श्री के0 के0 कन्नौजिया से किया जाना अपेंक्षित है।

प्रस्तर — 24

विधानमण्डल क्षेत्र विकास निधि वर्ष 2014—15 में निर्माण कार्य '' गैरहां में कल्लू गुप्ता के घर से बाबा सिंह के घर तक इंटरलाकिंग कार्य '' के अर्न्तगत निर्माण सामग्री मुल्य रुपया 58037,00 चेक संख्या —059400 दिनांक 20—11—2014 तथा श्रमांश 14482,00 चेक संख्या —059399/20—11—2014 का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध था। ब्यय प्रमाणक के अभाव में ब्यियित धनराशि अपुष्ट एवं अप्रमाणित रही रुपया 72519,00 का व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

अतः अपहरण की धनराशि रुपया 72519,00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड़ विकास अधिकारी ,श्री राधेश्याम एवं सहायक आंकिक श्री के0 के0 कन्नौजिया से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर — 25

वर्ष 2014—15 में निर्माण कार्यो के श्रमांश के भुगतान हेतु चेक सम्बधित कार्यप्रभारी को निर्गत किया गया दर्शित था। किन्तु कार्य प्रभारी द्वारा श्रमिकों को मजदूरी भुगतान की पुष्टि /भुगतान के तरीको (नगद अथवा चेक) का उल्लेख अभिलेखों से नही होती है। जबकि नियमानुसार मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से श्रमिको के खातें में किया जाना वांछनिय है। विवरण निम्नांकिंत है।

	मद	श्रमांश
1,	विधायक निधि	15539,00
2,	राज्य वित्त	1106928,00
3,	तेरहवां वित्त	928402,00
	योग	**2050869**

अतः उपरोक्त मजदूरी भुगतान की धनराशि रुपया 2050869,00 की_ब्याज सहित वसूली तत्तकालिन खण्ड विकास अधिकारी श्री राधेश्याम एवं सहायक_आंकिक श्री के0 के0 कन्नौजिया से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 26

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014–15 में व्यापार कर की कटौती की गयी है। किन्तु आयकर की कटौती नही की गयी है। लेखा परीक्षा के अनुसार व्यापारकर एवं आयकर का विवरण निम्न है।

क.	कार्य का विवरण	सामग्री मूल्य	टी0डी0 एस0 कटौती	शुद्ध भुगतान	लेखा परीक्षानुसार			
					व्यापार कर	आयकर	योग	अंतर
1	राज्य वित्त वर्ष 2014–15							
	ग्राम पंचायत उपरवार खड़न्जासे शीतला माता मंदिर तक खडंजा कार्य	337668	13506	324162	13506	7564	21070	7564
	ग्राम पंचायत रैसीपुर वीरेन्द्र सिंह के मकान से पौना हसना खडंजा तक ईट खडन्जा कार्य	498516	19940	478576	19940	11167	31107	11167
	ग्राम पंचायत करधना (मोमिनपुर) में पिचरोड से बृजलाल पटेल के खेत तक खडंजा निर्माण	177757 80600	7110 3224	248023	7110 3224	3982 1805	11092 5029	3982 1805
	ग्राम पंचायत बरेमा मे जय प्रकाश के घर से मुन्ना सिंह के खेत तक खडंजा कार्य	418714	16748	401966	16748	9379	26127	9379
	ग्राम पंचायत दौलतिया में पिचरोड से धीरज सिंह के बगीचा तक खडंजा कार्य	334583	13393	321200	13383	7495	20878	7495
	ग्राम पंचायत कंसराजपुर में रघुवीर के धर से पिचरोड तक खडंजा निर्माण	427033	17089	409944	17081	9566	26647	9558
	ग्राम पंचायत लालपुर में इंटरलाकिंग खडंजा कार्य	88309 221628	3532 8865	84777 212763	3532 8865	1978 4964	5510 13829	1978 4964
	ग्राम पंचायत बिहड़ा में राजकुमार के घर से विजय कुमार के घर तक खडंजा निर्माण	272504	10900	261604	10900	6104	17004	6104
	ग्राम पंचायत खेमापुर में पिचरोड से किशुन देव मिश्र के खेत तक खडंजा कार्य	381814	15272	366542	15272	8553	23825	8553
	ग्राम सुइलरा में कपसेठी कछवा मार्ग से ह्दयनारायण सिंह के खेत तक मिट्टी खडंजा कार्य	407233	16289	390944	16289	9122	25411	9122
	ग्राम पंचायत हरिहरपुर में सुरेन्द्र प्रजापति के खेत से राजेश सिंह के खेत तक खडंजा कार्य	210578	8423	202155	8423	4717	13140	4717
	ग्राम पंचायत हरिहरपुर में हरिजनबस्ती में मदन हरिजन के खेत तक सुरेन्द्र प्रजापति के खेत तक खडंजा कार्य	346572	13862	332710	13862	7763	21625	7763

	ग्राम पंचायत घोसिला में दिनेश सिंह के गेट से अरविन्द सिंह के खेत तक खडंजा निर्माण	238309	9532	228777	9532	5338	14870	5338
	विकास खण्ड परिसर में रंगाई पोताई कार्य	8975 7176		16151	646	362	1008	1008
	योग	**4457969**	**177675**	**4280294**	**178313**	**99859**	**278172**	**100497**
2	**विधायक निधि**							
	गैरहां में कल्लू गुप्ता के घर से बाबा सिंह के घर तक इंटरलाकिंग	105061 58037	4202	100859 58037	4202 2321	2353 1300	6555 3621	2353 3621
	योग	**163098**	**4202**	**158896**	**6523**	**3653**	**10176**	**5974**
	तेरहवॉ वित्त–							
	ग्राम पंचायत करधना में आरसीसी पुलिया निर्माण	162751 139465 27756	6510 5578 1110	156241 133887 26646	6510 5578 1110	3646 3124 622	10156 8702 1732	3646 3124 622
	ग्राम पंचायत भीषमपुर में कल्लू सिंह के मकान से बेचन सिंह के बाग तक इंटलाकिंग कार्य	191152 268865 212019	7646 10754 8480	183506 258111 2035539	7646 10754 8480	4282 6022 4749	11928 16776 13229	4282 6022 4749
	ग्राम पंचायत सोनबरसा ट्यूबवेल से सोहन मास्टर के खेत तक सिंचाई नाली का निर्माण	122174 94134	4887 3765	117287 90369	4887 3765	2736 2109	7623 5874	2736 2109
	ग्राम पंचायत खरगूपुर में घनश्याम पाठक के घर से तिराहा तक इंटलाकिंगकार्य	304288 158021	12171 6320	292117 151701	12171 6320	6816 3540	18987 9860	6816 3540
	ग्राम पंचायत जगतीपुर (गैरहा) में पिचरोड से दशरथ सत्यनरायन एवं जवाहिर आदि के घर तक इंटरलाकिंग	166747 279636	6670 11185	160077 268451	6670 11185	3735 6264	10405 17449	3735 6264
	ग्राम पंचायत गुड़िय में राजेन्द्र अवस्थी के खेत से छविराजी के खेत तक पक्की नाली	234535 184482	9381 7379	225154 177103	9381 7379	5254 4132	14635 11511	5254 4132
	ग्राम पंचायत हरिभानपुर में भूमिगत सीवर निर्माण	77889 319043	3115 12761	74774 306282	3115 12761	1745 7147	4860 19908	1745 7147
	ग्राम पंचायत भरहरिया में बबऊसिंह के खेत से बच्चा सिंह के खेत तक नाली निर्माण	269381	10775	258606	10775	6034	16809	6034
	ग्राम पंचायत भीषमपुर में परमहंस आश्रम के पास रिंकू सिंह के मकान तक इंटरलाकिंग	426679	17067	409612	17067	9558	26625	9558
	ग्राम पंचायत ठठरा में कछवा कपसेठी मार्ग से सुरेन्दर सिंह के खेत तक खडंजा कार्य	271124	10844	260280	10844	6073	16917	6073
	इसरवार में मुसहर बस्ती से पिच रोड से पारस सिंह के	339964	13599	326365	13599	7615	21214	7615

	खेत तक खडंजा कार्य							
	बनकट में राजकीय नलकूप सं0 180 की नाली निर्माण	6475		6475	259	145	404	404
	योग	4256580	169997	4086583	170256	95348	265604	95607
	1– राज्यवित्त	4457969	177675	4280294	178313	99859	278172	100497
	2– विधायक निधि	163098	4202	158896	6523	3653	10176	5974
	कुल योग–		**351874**		**355092**	**198860**	**553952**	**202078**

उपरोक्त विवरणानुसार वर्ष 2014–15 में आयकर की कटौती नही करके रुपया 202078,00 की राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। अतः रुपया 202078,00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राधेश्याम, श्री सुरेन्द्र प्रसाद तथा श्री गजेन्द्र तिवारी एवं सहायक आंकिक श्री केव के0 कन्नौजिया को किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2015–16

प्रस्तर – 27

वर्ष 2015–16 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त के अर्न्तगत निम्नलिखित निर्माण कार्यो पर व्यय की धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति एवं स्टाक रजिस्टर परिसम्पत्ति रजिस्टर अनुपलब्ध रहा।

मद	कार्य का नाम	सामग्री	श्रमांश	कुल व्यय धनराशि	अभ्युक्ति
राज्य वित्त	ग्रा.पं.हरिभानपुर पिचरोड से आईटीआई स्कूल होते हुए प्राइमरी स्कूल तक इंटरलाकिंग कार्य	479971	48377	528348	कार्यपूर्ति, व्यय प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त है।
	ग्राम पंचायत नेवढ़िया में पिचरोड से नन्दा के घर तक खडंजा कार्य हेतु राजपूत ईट उद्योग से ईट क्रय	48111	–	48111	व्यय प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध
	6 सेट सोलर लाईट, अंजनी कंस्ट्रक्शन से क्रय	128448	–	128448	कार्यदायी संस्था नेडा से क्रय न करके दो निविदा कर्ता के आवेदन के
	ग्राम पंचायत नेवादा में पिचरोड से रेलवे लाइन तक खडंजा कार्य हेतु राजपूत ईंट उद्योग से ईंट क्रय	202599	–	202599	व्यय प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध
			योग	**907506**	
तेरहवॉ वित्त	ग्राम पंचायत बनकट, माझिलपुर पिचरोड से शंकर जी के मंदिर तक इंटलाकिंग कार्य	342940	41543	384483	कार्यपूर्ति, व्यय प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त
	ग्राम पंचायत हरिभानपुर, बाबतपुर मार्ग से रामधनी यादव के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	422821	47712	470533	कार्यपूर्ति, व्यय प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त है।
	विवरण टीम व्यय, दिनांक 30.10.15 चेक सं0–129217 द्वारा मेसर्स देव कंस्ट्रक्शन को भुगतान	4000	–	4000	विवरणहीन व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध
			योग	**859016**	
			कुलयोग	**1766522**	

उपरोक्त विवरणानुसार राज्य वित्त के अंतर्गत व्यय धनराशि रुपया 907506.00 एवं तेरहवां वित्त के अन्तर्गत व्यय धनराशि रुपया रू 859016.00 कुछ व्यय धनराशि रू 1766522.00 संदिग्ध प्रतीत होती है। जो कि अपहरण के उद्देश्य

से दर्शाया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रुपया 1766522.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सहायक आंकिक श्री के0के0 कन्नौजिया एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राधेश्याम से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 28

क्षेत्र पंचायत व्याज व अन्य मद वर्ष 2015–16 माह फरवरी में अवशेष रुपया 562123,00 के स्थान पर रुपया 562122,00 दर्शित थां। अंतर रुपया 1,00 दिनांक 31–03–16 तक दर्शित था। अंतर की स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सहायक आंकिक श्री के0के0 कन्नौजिया एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राधेश्याम से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 29

दिनांक 31–03–16 को मनरेगा अनाहरित चेक रुपया 960095,00 के अन्तर्गत रुपया 10095,00 को विवरणहीन अंतर दर्शाया गया है। अंतर का कारण अस्पष्ट रहा। स्पष्ट है कि रुपया 10095,00 का विवरणहीन अन्तर दर्शाकर अपहरण किया गया है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिग्विजयनाथ एवं सहायक आंशिक श्री के0 के0 कन्नौजिया से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 30

वर्ष 2015–16 में निर्माण कार्यो के श्रमांश के भुगतान हेतु चेक सम्बधित कार्यप्रभारियों को निर्गत किया गया था। किन्तु कार्यप्रभारी द्वारा श्रमिकों को मजदूरी भुगतान की पुष्टि/भुगतान के तरीकों (नगद अथवा चेक) का उल्लेख अभिलेखो से नही होती है। जवकि नियमानुसार मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से श्रमिको के खातें में किया जाना वांछनीय है। विवरण निम्नांकित है –

मद	समीक्षा
1– राज्य वित्त 868045.00 (–) 48377.00 819668.00	819668.00 आपत्ति संख्या–9(i) निर्माण कार्य रू 528348.00 के अंतर्गत श्रमांश रू 48377.00 की आपत्ति दर्शित है।
1– राज्य वित्त 376592.00 (i) (–) 41543.00 (ii) (–) 47712.00 287337.00	287337.00 आपत्ति संख्या–9(5) एवं 9(6) रू 41543.00 एवं 10(ii) में रू 47712.00 मजदूरी पर व्यय की आपत्ति की जा चुकी है।
योग	**1107005.00**

अतः उपरोक्त मजदूरी भुगतान की धनराशि रुपया 1107005,00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राधेश्याम एवं सहायक आंकिक श्री के0 के0 कन्नौजिया से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 31

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2015–16 में व्यापार कर की कटौती की गयी है। किन्तु आयकर की कटौती नही की गयी है। लेखा परीक्षा के अनुसार व्यापारकर एवं आयकर का विवरण निम्न है :–

क.	कार्य का विवरण	सामग्री मूल्य	टी0डी0एस0 कटौती	शुद्ध भुगतान	लेखा परीक्षानुसार			
					व्यापार कर	आयकर	योग	अंतर
1	राज्य वित्त वर्ष 2014–15							
	ग्राम पंचायत बरेमा से राम अवतार के घर के पास से चौबे बस्ती तक खडंजा निर्माण कार्य	388050 31170	15522 1246	372528 29924	15522 1246	8692 698	24214 1944	8692 698
	ग्राम पंचायत करधना से कृपा तिवारी के घर से तालाब तक खडन्जा कार्य	377138 7440	15086 297	362052 7143	15086 297	8448 167	23534 464	8448 167
	ग्राम पंचायत बेसहूपुर में पिचरोड से बजरंग बली के मंदिर तक खडंजा निर्माण	6597 301494	264 12059	6333 289435	264 12059	148 6753	412 18812	148 6753
	ग्राम पंचायत इसरवार से अलियार चौहान के घर से मुन्ना सिंह	302682 68866 7180	12107 2755 287	290575 66111 6893	12107 2755 287	6780 1543 161	18887 4298 448	6780 1543 161

	मशीन तक इंटरलाकिंग							
	ग्राम पंचायत सुइलरा से कछवा कपसेठी मार्ग से पुलिया तक खडंजा कार्य	207377 6570	8295 263	199082 6307	8295 263	4645 147	12940 410	4645 147
	ग्राम पंचायत उपरवार में लल्लन राजभर के दरवाजे से जयशंकर राजभर के दरवाजे तक इंटरलाकिंग खडंजा कार्य	260088 60212	10403 2408	249685 57804	10403 2408	5826 1349	16229 3757	5826 1349
	ग्राम पंचायत हरिभानपुर पिचरोड से आईटीआई स्कूल होते हुए प्रा0पा0 स्कूल तक इंटरलाकिंग	103948 3995 392027	4158 15681	99790 3835 376346	4158 160 15681	2328 89 8781	6468 249 24462	2328 249 8781
	ग्राम पंचायत कंसरायपुर (अरका) पिचरोड से पंधारी यादव मास्टर तक इंटरलाकिंग	360637 77395	14425 3095	346212 74300	14425 3095	8078 1734	22503 4829	8078 1734
	ग्राम पंचायत दिवावलपुर में मंगलतारादेवी से वीरबाबा मंदिर तक इंटरलाकिंग कार्य	299033 6758	11961 270	287072 6488	11961 270	6698 151	18659 421	6698 151
	ग्राम पंचायत खेमापुर में रोहित सिंह के खेत से नन्दलाल यादव के घर तक इंटरलाकिंग	356507 87816	14260 3512	342247 84304	14260 3512	7986 1967	22246 5479	7986 1967
	नेवादा में पिचरोड से रेलवे लाइन तक खडंजा कार्य	202599		202599	8104	4538	12642	12642
	ग्राम पंचायत नेवढिया में पिचरोड से नंदा के घर तक खडंजा कार्य	66690 98653 48111	2667 3946	64023 94707 48111	2667 3946 1924	1494 2210 1078	4161 6156 3002	1494 2210 3002
	सोलर लाईट 6 सेट क्रय	133800	5352	128448	5352	2997	8349	2997
	वेब कैमरा क्रय	7880		78808	315	177	492	492
	योग	**4270553**	**160319**	**4110234**	**170822**	**95663**	**266485**	**106166**
	<u>तेरहवॉ वित्त–</u>							
	ग्राम पंचायत बनकट, मझिलापुर पिचरोड से शंकर जी के मंदिर तक इंटरलाकिंग	292260 64968	11690 2598	280570 62370	11690 2598	6547 1455	18237 4053	6547 1455
	ग्राम पंचायत हरिभानपुर में बाबतपुर मार्ग से रामधनी यादव के घर तक इंटरलाकिंग	359398 81041	14376 3242	345022 77799	14376 3242	8051 1851	22427 5057	8051 1851
	ग्राम पंचायत मड़ैया में वीरमपुर लल्लापुर रोड से जयशंकर शोंधा सिंह के घर	295070 68038	11802 2721	283268 65317	11802 2721	6610 1524	18412 4245	6610 1524

	तक इंटरलाकिंग							
	ग्राम पंचायत खरगरामपुर में जमुना प्रधान के घर से शिवपूजन के दुकान तक भूमिगत नाली का निर्माण	168940 100492 33800	6757 4020 1352	162183 96472 32448	6757 4020 1352	3784 2251 757	10541 6271 2109	3784 2251 757
	ग्राम पंचायत खरगूपुर के भाऊपुर कालिकाधाम पिचरोड से राजेन्द्र मिश्रा के घर तक इंटरलाकिंग	82067 124382 262793	3282 4975 10511	78785 119407 252282	3282 4975 10511	1838 2786 5887	5120 7761 16398	1838 2786 5887
	ग्राम पंचायत दौलतिया से डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप से पॉचूपाल के खेत तक पाइप लाईन (भूमिगत सिंचाई नाली)	168768	6750	162018	6750	3780	10530	3780
	ग्राम पंचायत करधना में राजेन्द्र सिह के मशीन तक पश्चिम नाली निर्माण	142929 101306 4000	5717 4052	137212 97254 4000	5717 4052 160	3202 2269 90	8919 6321 250	3202 2269 250
	योग	**2350252**	**93845**	**2256407**	**94005**	**52646**	**146651**	**52806**
	1– राज्यवित्त		**160319**		**170822**	**95663**	**266485**	**106166**
	कुल योग–		**254164**		**264827**	**148309**	**413136**	**158972**

उपरोक्त विवरणानुसार व्यापारकर में रू0 10503.00 राज्यवित्त रू0 160.00 तेरहवां वित्त तथा आयकर में रू0 95663. 00 राज्यवित्त रू0 52646.00 तेरहवॉ वित्त की कटौती नही की गई है। इस प्रकार रू0 10663.00 व्यापारकर रू0 148309.00 आयकर कुल योग रू0 158972.00 की कटौती नही करके राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है।

अतः उक्त धनराशि रू0 158972.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राधेश्याम एवं सहायक आंकिक श्री के0के0 कन्नौजिया से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 32

मनरेगा, ब्याज व अन्य मद वर्ष 2016–17, दिनांक 31–05–2016 को अवशेष रू0 149767.00 दर्शित था। किन्तु दिनांक 01–06–2016 को अवशेष रू0 149766.00 दर्शाया गया है। अंतर रू0 1.00 दिनांक 31–03–17 तक रहा। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली सहायक लेखाकार श्री के0 के0 कन्नौजिया एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रक्षिता सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 33

मनरेगा ब्याज व अन्य मद वर्ष 2016–17 के व्यय रुपया 209367,00 के अर्न्तगत रुपया 3275,00 बैक द्वारा कटौती दर्शित था। शेष रुपया 206092,00 के व्यय का विवरण अंकित नही है तथा इसकी पुष्टि में प्रमाणक/विवरण अनुपलब्ध रहा। उक्त व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

अतः रुपया 206092,00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रंक्षिता सिंह एवं सहायक आंकिक श्री के0के0 कन्नौजिया से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 34

मनरेगा कार्मिक मानदेय वर्ष 2016–17 माह मई 16 में व्यय रुपया 695080,00 के अर्न्तगत रुपया 16000,00 का व्यय विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन रहा। पुनः माह सितम्बर 2016 में अनुदान रजिस्टर–3 में व्यय रुपया 80000,00 दर्शित था किन्तु अनुदान रजिस्टर –ii में दर्शित नही था। रुपया 80000,00 के व्यय की पुष्टि में प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। स्पष्ट है कि 96000,00 का व्यय संदिग्ध है। क्योकि प्रमाणक के अभाव में व्ययित धनराशि अपुष्ट व अप्रमाणित रही।

अतः रुपया 96000,00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रक्षित सिंह तथा श्री राधेश्याम एवं सहायक आंकिक श्री के0 के0 कन्नौजिया से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 35

वर्ष 2016–17 में राज्यवित्त एवं तेरहवां वित्त के अर्न्तगत निर्माण कार्यो के श्रमांश क्रमशः रुपया 562772,00 एवं रुपया 54856,00 के अर्न्तगत निम्नलिखित कार्यो के श्रमांश का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया था, जबकि रुपया 431594,00 राज्यवित्त एवं 5202,00 तेरहवां वित्त मद का श्रमांश का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है।

राज्य वित्त

1– ग्राम पंचायत भोरकला में लक्ष्मीशंकर सिंह के पम्पिंगसेट से मुसहर बस्ती होते हुए लक्ष्मीशंकर के मकान तक इंटरलाकिंग 76067,00

2– ग्राम पंचायत ठठरा में दुक्खी के मशीन से धौरहरिया गाँव तक खड़न्जा 55111,00

योग – 131178,00

तेरहवाँ वित्त

3– ग्राम पंचायत चित्रसेनपुर में आशीष कुमार के घर से हरिहर के मकान तक पक्की नाली निर्माण 49654,00

योग – 49654,00

कुल योग – 180832,00

उपरोक्त विवरणानुसार रुपया 180832,00 श्रमांश की धनराशि का भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः रुपया 180832,00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रक्षिता सिंह एवं सहायक आंकिक श्री के0के0 कन्नौजिया से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 36 क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2016–17 में व्यापार कर की कटौती की गयी है। किन्तु दिनांक 31–03–2017 तक जमा नही की गई न ही आयकर की कटौती की गई है। लेखा परीक्षा के अनुसार व्यापारकर एवं आयकर का विवरण निम्न है :–

क.	कार्य का विवरण	सामग्री मूल्य	टी0डी0 एस0 कटौती	शुद्ध भुगतान	लेखा परीक्षानुसार			
					व्यापार कर	आयकर	योग	अंतर
1	राज्य वित्त वर्ष 2014–15							
	ग्राम पंचायत गोसाईपुर में मुख्य सड़क से प्राइमरी स्कूल तक खडंजा कार्य	32500 217750 8450 22544	1300 8710 338	31200 209040 8112 22544	1300 8710 338 902	728 4878 189 505	2028 13588 527 1407	728 4878 189 1407
	ग्राम पंचायत बरेमा में रामदास हरिजन के घर से विरेन्द्र सिंह के कुँआ तक कार्य	324155	12966	311189	12966	7261	20227	7261
	ग्राम पंचायत रामेश्वर मेन रोड पंचकोशी रोड से हरिभानपुर गॉव तक इंटरलाकिंग	76520 40832 324559	4590 2450 12982	71930 38382 311577	3161 1633 12982	1714 915 7270	4775 2548 20252	185 98 7270
	ग्राम पंचायत भोहरकला में लक्ष्मीशंकर सिंह के पंपिंग सेट से मुसहर बस्ती होते हुए लक्ष्मीशंकर के मकान तक इंटरलाकिंग	78000 177450 13585	3118 7098 543	74882 170352 13042	3120 7098 543	1747 3975 304	4867 1073 847	1749 3975 304
	ग्राम पंचायत पूरे में पिचरोड से छेदी कन्नौजिया के मकान तक इंटरलाकिंग	15911 18600 85334	649 759 343	15262 17841 81921	636 744 3413	356 417 1911	992 1161 5324	343 402 1911
	ग्राम पंचायत पूरे में निहाला कन्नौजिया के मकान से छेदी कन्नौजिया के मकान तक इंटरलाकिंग	40336 38857 158517	1646 1586 6340	38690 37271 172177	1613 1554 6340	904 870 3551	2517 2424 9891	871 838 3551

	ग्राम पंचायत कपसेठी मे कपसेठी कछवॉ रोड से कपसेठी थाने की बाउण्ड्री तक इंटरलाकिंग कार्य	54036 62400 251412	2161 2496 10056	51875 59904 241356	2161 2496 10056	1210 1398 5632	3371 3894 15688	1210 1398 5632
	ग्राम पंचायत चकलोला में रामनाथ यादव के घर से जवाहिर के घर तक इंटरलाकिंग	55246 97454 298656	2210 3898 11946	53036 93556 286710	2210 3898 11946	1238 2183 6690	3448 6081 18636	1238 2183 6690
	ग्राम पंचायत ठठरा में दुक्खी के मशीन से धौरहरिया गॉव तक खडन्जा	184508	7380	177128	7380	4133	11513	4133
	ग्राम पंचायत गजापुर में बृजनाथ सिंह के घर तक प्रा0वि0इंटरलाकिंग	79660 42555 265801	3186 1702 10632	76474 40853 255169	3186 1702 10632	1784 953 5954	4970 2655 16586	1784 953 5954
	कार्यालय क्षेत्र पंचायत सेवापुरी के मरम्मत व रंगाई पोताई	12100	—	12100	484	271	755	755
	ग्राम पंचायत अमीनी में डीहबाबा से बृजनन्दन के मशीन से होते हुए चकताल परेवा तक खडंजा कार्य	246935 21765 28340 39853	9877 870 1133	337058 20895 27207 39853	9877 870 1133 1594	5531 488 635 893	15408 1358 1768 2487	5531 488 635 2487
	ग्राम पंचायत हरिहरपुर में मातो में खडन्जा से दरोगा पटेल के मशीन तक खडन्जा कार्य	38991 25675 11613	1560 1027 —	37431 24648 11613	1560 1027 465	873 575 260	2433 1602 725	873 575 725
	ग्राम पंचायत करधना संजय गौतम बीडीसी के द्वार से खंजारी में ट्यूबवेल तक इंटरलाकिंग	42518 73836 214330	1700 2953 8573	40818 70883 205757	1700 2953 8573	952 1654 4801	2652 4607 13374	952 1654 4801
	ग्राम पंचायत महंगीपुर में रतनपुर बरनी रोड से लक्ष्मन के दुकान से शिवचरन के मकान तक इंटरलाकिंग	76652 40694 218695	3066 1628 8747	73586 39066 209948	3066 1628 8748	1717 912 4899	4783 2540 13647	1717 912 4900
	नयापुर में पिचरोड से मुन्ना पटेल के मुर्गीफार्म तक इंटरलाकिंग	73200 42658 276585	4392 2559 11063	68808 40099 265522	29228 1706 11063	1640 956 6196	4568 2662 15259	176 103 6196
	सोनबरसा में लालचन्द के पाही पिचन रोड से बसरिया मार्ग पर इंटरलाकिंग कार्य	38474 60556 187005	2308 3633 7480	36166 56923 179525	1539 2422 7480	862 1356 4189	2401 3778 11669	93 145 4189
	योग		**196724**		**193436**	**108330**	**301766**	**105042**

			लेखा परीक्षा अनुसार						
	तेरहवॉ वित्त–		व्यापारकर	आयकर	व्यापार कर	आयकर	अंतर व्यापारकर	अंतर आयकर
	ग्राम पंचायत चित्रसेनपुर में आशीष कुमार के घर से हरिहर पटेल के मकान तक पक्की नाली निर्माण	34196 22750 19500 141760	1368 910 780 567	684 455 – –	1368 910 780 5670	760 510 437 3175	– – – –	76 55 437 3175
	योग		**8728**	**1139**	**8728**	**4882**	**–**	**3743**

उपरोक्त विवरणानुसार राज्य वित्त मद के अन्तर्गत व्यापार कर रू 3288.00 की कटौती अधिक दर्शाकर तथा आयकर रू 108330.00 की कटौती नहीं करके रू 105042.00 की राजस्व की क्षति पहुॅचायी गई है।

तेरहवॉ वित्त के अन्तर्गत रू 3743.00 आयकर की कटौती कम अथवा नहीं करके राजस्व की क्षति पहुॅचायी गयी है।

इस प्रकार कुल रू 108785.00 की कटौती नहीं करके राजस्व की क्षति पहुॅचायी गयी है। आलोच्य वर्ष में 2016–17 में व्यापारकर कटौती रू 205452.00 (राज्य वित्त, तेरहवॉ वित्त) के बावजूद बैंक/ट्रेजरी में दिनांक 31.03. 2017 तक नहीं जमा था। इसे दिनांक 03.05.2017 को विलम्ब से जमा किया गया। जो आपत्तिजनक है।

अतः रू 108785.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख0वि0अ0 श्रीमती रक्षिता सिंह एवं सहायक आंकिक श्री के0के0कन्नौजिया से किया जाना अपेक्षित है।

5. क्षेत्र पंचायत – चिरईगाँव वर्ष 2010–11 से 13–14

प्रस्तर – 37

शासनादेश संख्या एए 122 / दस –2012/10(33/2010) दिनांक 21,03,2012 के अनुसार जमा धनराशि के सापेक्ष अर्जित व्याज की धनराशि संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय मानते हुए इसे राजकोष में जमा करने का निर्देश है। अतः बैंक से प्राप्त ब्याज की धनराशि का राजकोष में जमा न करके खर्च कर दुरुपयोग किया गया है जिसका वर्षवार विवरण निम्न है।

	वर्ष		
2010–11	2012–13	2013–14	योग
17704,00	93346,00	959,00	112009,00

इस प्रकार रुपया 112009,00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से अपेक्षित है।

प्रस्तर – 38

शासनादेश के अनुसार प्राप्त अनुदान का उसी वित्तीय वर्ष में उपभोग कर लिया जाना चाहिए। किन्तु क्षेत्र पंचायत चिरईगाँव द्वारा निम्न विवरण अनुसार अनुदानों द्वारा प्राप्त धन वित्तीय वर्ष के भीतर उपभोग नही किया गया।

	वर्ष			
2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	योग
1360400,2	5214188,00	5278281,2	1728778,2	13581647,6

इस प्रकार वर्ष 2010–11 से 2012–14 का अवशेष का योग कुल रु013581647,6 के अनुदान का उपभोग रोककर मजदूरों को रोजगार व विकास खण्ड को विकास कार्य से वंचित किया गया। इसके प्रति तत्कालिकन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 39

क्षेत्र पंचायत चिरईगाँव के लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरणानुसार तृतीय राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान का ब्यय किया गया। जिसका वर्षवार विवरण निम्न है।

	वर्ष			
2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	योग
3658838,00	1759916,00	7640525,00	12460914,00	25520193,00

इस प्रकार कुल रु0 25520193,00 के ब्ययों से सम्बधित पत्रावली ,सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, चेकबुक, पासबुक, ब्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र माप पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्ति रजि0, कार्यादेश पत्रावली, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य सत्यापन रिर्पोट, टेन्डर/कोटेशन पत्रापली आदि ले0 प0 मे प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार ब्यय और कराये गये कार्यो की पुष्टि नही होती है। इसलिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

6. क्षेत्र पंचायत – चिरईगॉव वर्ष 2014–15 से 16–17

प्रस्तर – 40

शासनादेश संख्या एए–122/दस –2012/10(33–2010) के अनुसार प्राप्त ब्याज संस्था की आय नही होती है। इसे शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में शासन से अनुमति लेकर खर्च किया जाना चाहिए

किन्तु बैक से प्राप्त ब्याज की धनराशि का राजकोष में जमा न करके दुरुपयोग किया गया है जिसका वर्षवार विवरण निम्न है।

2014—15	2015—16	2016—17	योग
202608,00	657,00	651141,5	854406,5

अतः रुपया 854406,5 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर — 41</u>

क्षेत्र पंचायत चिरईगाँव द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से सम्पादित विभिन्न कार्यो मजदूरी का भुगतान सम्बधित कार्य प्रभारियों को किया गया है तथा कार्य प्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान किया गया है जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 क 3(घ) का उल्लंघन है। वर्षवार विवरण निम्न है।

वर्ष

2014—15	2015—16	2016—17	योग
933121,00	802988,00	1357060,00	3093169,00

स्पष्ट है कि खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार तथा कार्य प्रभारियों द्वारा मिलकर वित्तीय नियमों शासनादेश की अवहेलना करतें हुए गम्भीर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर — 42</u>

शासनादेश के अनुसार प्राप्त अनुदान का उसी वित्तीय वर्ष में खर्च कर दिया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। किन्तु क्षेत्र पंचायत चिरईगाँव द्वारा निम्न विवरण अनुसार अनुदानों द्वारा प्राप्त धन वित्तीय वर्ष के भीतर उपभोग नही किया गया। जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत है।

2014—15	2015—16	2016—17	योग
2016191,00	6846831,2	5511837,7	14374859,9

अतः अनुदान का उपभोग रोककर मजदूरों को रोजगार व विकास खण्ड को विकास कार्य से वंचित किया गया। इसके प्रति तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर — 43</u>

क्षेत्र पंचायत चिरईगाँव द्वारा विभिन्न अनुदानो से प्राप्त धनराशि द्वारा कराये गये विकास कार्यो में सामग्री क्रय के भुगतान में वैट कटौती नही किया गया है। इसका वर्षवार विवरण निम्न है।

वर्ष	सामग्री क्रय	वैट कटौती (4%)
2014—15	9061308,00	362452,00
2015—16	4830176,00	193207,00
2016—17	1320460,00	52818,00
योग	15211944,00	608477,00

इस प्रकार वर्ष 2014—15 से वर्ष 2016—17 तक सामग्री खरीद मे कुल रु0 608477,00 के ब्यय कटौती न कर सरकारी राजस्व की क्षति की गयी है। वैट कटौती की यह धनराशि ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर — 44</u>

क्षेत्र पंचायत चिरईगाँव द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों के अर्न्तगत कराये गये कार्यो में सामग्री क्रय एवं फर्मो को भुगतान में आयकर कटौती नही की गयी है। इसका वर्षवार विवरण निम्नवत है।

वर्ष	सामग्री क्रय	आयकर
2014—15	9061308,00	181227,00
2015—16	4830176,00	96604,00
2016—17	4303891,18	86077,00
योग	18195375,2	363908,00

अतः वर्ष 2014—15 से 2016—17 तक सामग्री खरीद एवं फर्मो को भुगतान कुल रु0 363908,00 आयकर की कटौती न कर सरकारी राजस्व की क्षति की गयी है। आयकर की यह धनराशि संस्था से ब्याज सहित वसूलकर राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार वर्ष 2014—15 से वर्ष 2016—17 तक सामग्री खरीद मे कुल रु0 608477,00 के ब्यय कटौती न कर सरकारी राजस्व की क्षति की गयी है। वैट कटौती की यह धनराशि ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

7. क्षेत्र पंचायत — काशी विद्यापीठ वर्ष 2015—16

<u>प्रस्तर — 45</u>

संस्था द्वारा वर्ष 2015—16 में दर्शित निम्नांकित परियोजनाओं से सम्बन्धित व्ययों की पत्रावलियां सम्प्रेक्षण में उपलब्ध नही करायी गयी—

क0	मदों का नाम	कार्य का नाम	धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम
1	राज्य वित्त आयोग	चंदपुर में राजकीय बीज गोदाम के मरम्मत का कार्य	107658	आनन्द प्रकाश पाण्डेय (ग्रा0वि0अ0)
		म्हमूदपुर में अलाउददीन के घर से यार मुहम्मद के घर तक मि0/ख0 कार्य।	119161	प्रवीण कु0 ग्रा0पं0अ0
		चितईपुर के बजरंग धाम में नन्दलाल सिंह के घर से राजकुमार सिंह के घर तक मि0/खं0 कार्य।	388901	प्रवीण कु0 ग्रा0पं0अ0
2	ससंद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	कोदोपुर में पत्थर चौका।	183801	प्रवीण कु0 ग्रा0पं0अ0
3	तेरहवां वित्त आयोग	माधोपुर में नाली निर्माण।	72539	प्रवीण कु0 ग्रा0पं0अ0
		भिटारी में भूमिगत नाली निर्माण	114052	शैलेन्द्र सोनकर ग्रा0पं0अ0

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि पर निम्न गम्भीर तथ्य प्रकाश में आये—

शासनादेश के अनुसार वित्त आयोग एवं शासन से प्राप्त समस्त अनुदान की धनराशियों को नियमानुसार 6 माह के भीतर विकास कार्यो में प्रयुक्त कर उपभोग प्रमाण पत्र शासन को भेजे जाने का प्रावधान है। किन्तु मांग के बावजूद कुल उपयोगिता धनराशि रू0 986113 की उपभोग प्रमाण पत्र पत्रावली व प्रेषण की स्थिति को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, साथ ही शासनादेश संख्या 3891/77–6–2002 दिनांक 05 अगस्त 2002 एवं 4951–77–05–06–506/06 दिनांक 15–10–2006 एवंत संम्बन्धी अन्य शासनादेश में यह व्यवस्था निर्धारित है कि निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उप–खनिजों यथा– मिट्टी गोरंग, बालू मिट्टी आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्त्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्परूप ट्रेजरी/चालान की प्रमाणित प्रति एवं सामग्री परिवहन को सुनिश्चित कराने हेतु वैघ खन्ना (एम0एस0–11) प्राप्त किया जाय। तत्पश्चात ही भुगतान किया जाय। किन्तु न तो रायल्टी जमा का ट्रेजरी/चालान और न ही वैघ खन्ना (एम0एस0–11) प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार खनिज की आपूर्ति संदिग्ध है। उक्त व्यय की पुष्टि में स्टांक के क्रय सम्बन्धी आदेश कोटेशन , टेण्डर स्टांक रजिस्टर, सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रमाणक उपभोग प्रमाण पत्र कार्यपत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। उक्त व्यय से सृजित कार्यो का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सम्प्रेक्षण में उपलब्ध नही रहा। अतः कार्य पूर्ण होने या हस्तगत रहने की स्थिति अस्पष्ट रही। अतः दर्शित व्याप्त धनराशि अपुष्ट व अप्रमाणित रही। अतः वसूली योग्य है। सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 46

संस्था के अभिलेख के अनुसार दिनांक 31–03–2016 को अवशेष अनुदान राशि दर्शित पाया गया है जिसका विवरण निम्नवत है–

क0स0	मदों का नाम	धनराशि
1	संसद स्थायी क्षेत्र विकास	14451.00
2	राज्य वित्त आयोग	7130711.00
3	तेरहवां वित्त आयोग	47852.00
4	योग–	7193014.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शासनादेश के अनुसार अनुदान उपयोग की वास्तविक प्रगति धीमी है। जिससे शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य सम्पन्न नही हुआ। नियमानुसार वर्षान्त तक समस्त षनराशि उपयोग कर ली जानी चाहिए थी अन्यथा की स्थिति में उन्हें शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए था। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से ऐसा कर पानी सम्भव नही रहा तो आगामी वर्ष में उपयोग हेतु महालेखाकार से अनुमति ली जानी चाहिए थी, किन्तु संस्था द्वारा ऐसा न कर वर्ष प्रतिवर्ष राजकीय धनराशि रोक रखी जा रही है, तथा शासन को वापस न कर बिना अनुमति के अनियमित रूप से वर्ष प्रतिवर्ष धनराशि का अनाधिकृत रूप से उपयोग किया जा रहा है जो आपत्तिजनक है। विभागीय कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

प्रस्तर – 47

इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद के अर्न्तगत वर्ष 2015–16 में रू0 46345 व्यय दर्शित है।
उपयुक्त व्यय स्टेशनरी, डीजल क्रय, वाहन मरम्मत आदि से सम्बन्धित है जिसका व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार दर्शित उपरोक्त समस्त उपयोगित धनराशि की आडिट में पुष्टि न की जा सकी। सम्प्रेण में व्यय का आदेश स्टांक रजि0 वाहन रजिस्ट्रेशन की पत्रावली, लाग–बुक कुछ भी प्रस्तुत नही किया गया, जिससे सम्बन्धि जांच व जानकारी सम्भव नही हो सकी। इस प्रकार धनराशि का दुरूपयोग किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

8. क्षेत्र पंचायत– काशी विद्यापीठ **वर्ष 2016–17**

प्रस्तर–48

क्षेत्र पंचायत–काशी विघापीठ, जनपद–वाराणसी के वर्ष 2016–17 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आये है जिसके निराकरण हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का घ्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है–

क्र0	मद का नाम	कार्य का नाम	धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम
1	राज्य वित्त आयोग	छित्तूपुर में मिट्टी / खडंजा कार्य	169948.00	श्री प्रवीण कु0 सचिव / ग्रा0वि0अ0
		सुसुवाही में इंटरलाकिंग कार्य	405798.00	श्री प्रवीण कु0 सचिव / ग्रा0वि0अ0
		भरथरा में मिट्टी / खडंजा कार्य	362115.00	श्री प्रवीण कु0 सचिव / ग्रा0वि0अ0
2	सांसद निधि	चुरामनपुर में सीवर का कार्य	255395.00	
		योग–	1193256.00	

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि पर निम्न अन्य गम्भीर तथ्य प्रकाश में लाये जाते है–

वित्त आयोग एवं शासन से प्राप्त समस्त अनुदान धनराशियों को नियमानुसार 6 माह के भीतर विकास कार्यो में प्रयुक्त कर उपभोग प्रमाण पत्र शासन को भेंजे जाने का प्रावधान है, किन्तु मांग के बावजूद कुल व्ययित धनराशि रू0 1193256.00 का उपभोग प्रमाण व प्रेषण की स्थिति को अवलोकनार्थ प्रस्तुत नही किया गया।

शासनादेश संख्या 3891 / 27–5–2002 दिनांक 05 अगस्त 2002 एवं 4951–(11) / 7705–6–506 / 06 दिनांक 15.10. 2006 एवं तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों में यह व्यक्त या निर्धारित है कि निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उप–खनिजों यथा–मिट्टी, मोरंग, बालू, गिट्टी आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजेरी चालान की प्रमाणित प्रति एवं सामग्री परिवहन को सुनिश्चित कराने हेतु वैघ खन्ना प्राप्त किया जाय, तत्पश्चात ही भुगतान किया जाय किन्तु न तो रांयल्टी जमा व ट्रेजरी चालान और न ही वैघ खन्ना प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार खनिज की आपूर्ति संग्दिध है।

उक्त ब्यय से सृजित कार्यो का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सम्प्रेक्षण में उपलब्ध नही रहा।अतः कार्य पूर्ण होने या हस्तगत रहने की स्थिति अस्पष्ट रही। पत्रावली / स्टॉक रजिस्टर सृजित परिसपंत्ति रजि0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र / प्रमाणक के अभाव में उक्त घनराशि अपुष्टि, प्रमाणित रही अतः वसूली योग्य है। ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–49

संस्था के अभिलेखो के अनुसार दिनांक 31,03,2017 को अवशेष अनुदान राशि दर्शित पायी गयी जिसका विवरण निम्न है।

क	मदो का नाम	धनराशि
1,	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	8368820,00
2,	तेरहवां / चौदहवां वित्त आयोग	47852,00
	योग	8416672,00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अनुदान उपभोग की वास्तविक प्रगति धीमी है जिससे शासन की अपेक्षाओ के अनुरुप विकास कार्य सम्पन्न नही हुआ है। नियमानुसार वर्षन्त तक समस्त धनराशि उपभोग कर ली जानी चाहिए थी अन्यथा की स्थिति में उन्हें शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए था। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से ऐसा कर पाना सम्भव नही रहा तो अगामी वर्ष में उपभोग हेतु शासन से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी, किन्तु संस्था द्वारा ऐसा कर वर्ष प्रतिवर्ष राजकीय धनराशि रोकी रखी जा रही है तथा शासन को वापस न कर बिना अनुमति के अनियमित रुप से वर्ष प्रतिवर्ष धनराशि का अनाधिकृत रुप से उपभोग किया जा रहा है जो आपत्तिजनक है।

प्रस्तर–50

संस्था द्वारा वर्ष 2016–17 में कराये गये निर्माण कार्यो में प्रयुक्त क्रय सामग्री पर टीडीएस वैट कटौती व निर्माण कार्यो मे प्रयुक्त रायल्टी कटौती संबंधी विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। इन कटौतियो का अवधारण निम्न है।

आयकर – सामग्री क्रय की धनराशि (रु06597363) कटौती 2% 131948,00

वाणिज्य कर–सामग्री क्रय की धनराशि(रु0 6597363)कटौती 4% 263894-00

रायल्टी–(मिट्टी धन मी0 × 305)मात्रा 3362,7430 घनमी0 रु0 100882,00

योग– 496724,00

उक्त धनराशि की कटौती न करके राजकीय क्षति की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार राजेश कुमार व बीडीओ क्रमशः श्रीमती कल्पना मिश्रा ,श्री सतीश कुमार मिश्रा , व श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–51

मद	धनराशि	विवरण
इन्दिरा आवास प्रशा0मद	72020,00	प्रमाणक विहिन धनरा0

उपयुक्त व्यय स्टेशनरी ,डीजल क्रय, वाहन मरम्मत आदि से सम्अधित है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहा। संप्रेक्षण में स्ठाक रजिस्टर, वाहन रजिस्टर, वाहन रजिस्ट्रेशन की पत्रावली , लागबुक कुछ भी प्रस्तुत नही किया गया जिससे सम्बधित जांच व जानकारी सम्भव नही हो सका।

अतः पुष्टि हेतु जब कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया तो धनराशि अपुष्टि एवं अप्रमाणित रही अतः वसूली के योग्य है, अतः ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

9. क्षेत्र पंचायत– हरहुआ **वर्ष 2000–01 से 2002–03**

प्रस्तर–52

क्षेत्र पंचायत हरहुआ के वर्ष 2000–01 से 2002–03 की लेखा परीक्षा में निम्नविवरणानुसार अपहरण/दुरूपयोग/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है–

वर्ष 2000–01 में सुनिश्चित रोजगार अन्तर्गत जौनपुर मार्ग पर वाजिदपुर हरि0 वस्ती में मिट्टी कार्य पर रू0 40051.96 व्यय किया गया है। उक्त कार्य हेतु दिनांक 25–2–01 से 27–2–01 तक मस्टर रोल के आधार पर कुल 50 मानव दिवस का 58.00 प्रति दिवस की दर से रू0 2900.00 एवं दिनांक 27–2–01 को ट्रैक्टर (गाड़ी सं0 अंकित नही था) द्वारा मिट्टी आपूर्ति हेतु (155.37X46.00) 7147.02 का भुगतान कन्सट्रक्शन एवं बिल्डिंग मेटेरियल सप्लायर्स मुर्दहा बाजार, वाराणसी को किया गया है। उल्लेखनीय है कि पत्रावली में संलग्न एम0बी0 में कार्यप्रारम्भ तिथि दिनांक 18–02–01 व कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 24–2–01 तथा कार्य की मापी तिथि दिनांक 24–2–01 अंकित था। अतः स्पष्ट है। कि कार्य दिनांक 24–2–01 को पूर्ण हो चूका था इसके बावजूद दिनांक 27–02–01 को रू0 2900.00 का मजदूरी भुगतान एवं रू0 7147.02 मिट्टी आपूर्तिकर्ता को भुगतान पूर्णतः काल्पनिक प्रतीत होता है। अतः स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टर रोल व बिल के आधार पर रू0 (2900.00+7147.02) 10047.02 का भुगतान कर कार्य प्रभारी चन्द्रशेखर विश्वकर्मा ग्रा0पं0वि0अ0 द्वारा अपहरण किया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–53

वर्ष 2000–01 में सुनिश्चित रोजगार योजनार्न्तगत होलापुर छतरीपुर बंधा बाबा से छतरीपुर तक मिट्टी कार्य पर भिन्न–भिन्न तिथियों में मस्टर रोल के आधार पर रू0 79982.00 मजदूरी का भुगतान किया गया जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी–

क– कार्य के दौरान कार्यरत श्रमिक पंजीकृत नही पाए गये (मस्टर रोल पर श्रमिकों का निबंधन सं0 अंकित नही था) फलस्वरूप शासनादेश में इंगित निर्देशों के विपरीत कार्य कराकर शासन की मंशा को विफल किया गया है।

ख– सुनिश्चित रोजगार योजनार्न्गत शासनादेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी अनिवार्य थी। लेकिन पत्रावली में फोटोग्राफ संलग्न नही था जिस कारण दर्शित कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

ग– पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही था।

इस प्रकार उपराक्त कार्य पर किया गया व्यय रू0 79982.00 पूर्णत अनियमित रहा जिसके प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–54

वर्ष 2000–01 में बालिका समृद्धि योजना अन्तर्गत दिनांक 17–10–2000 को चेक सं0वि0अ0 (समाज कल्याण) को लाभार्थियों को भुगतान हेतु अग्रिम दिया गया था। नियमानुसार लाभार्थियों को भुगतान हेतु धनराशि संबन्धित ग्राम पंचायत के खातें में किया जाना चाहिए था। साथ ही अग्रिम के समायोजन की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। इस प्रकार रू040000.00 का अग्रिम के रूप में भुगतान कर दुरूपयोग किया गया है जिस हेतु पूर्ण रूप से तत्कालीन खण्ड वि0 अधि0 सुधा कुमारी, लेखाकार उमरांव सिंह व दशरथ सिंह सहा0वि0अधि0(समाज कल्याण) उत्तरदायी रहे। उक्त के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–55

वर्ष 2000–01 में राष्टीय मातृत्व लाभ योजना अर्न्तगत दिनांक 17–10–2000 को चेक सं0 2003 से रू0 25000.00 एवं चेक सं0 2005 से रू0 10000.00 कुल रू0 35000.00 का भुगतान श्री दशरथ सिंह स0वि0अ0(समाज कल्याण) को लाभार्थियों को भुगतान हेतु अग्रिम दिया गया था। नियमानुसार लाभार्थियों को भुगतान हेतु धनराशि संबंधित ग्राम पंचायत के खाते में किया जाना चाहिए था। साथ ही अग्रिम के समायोजन की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। इस प्रकार रू0 35000.00 का अग्रिम के रूप में भुगतान कर दुरूपयोग किया गया है जिस हेतु पूर्ण रू^ से तत्कालीन खण्ड विकास सुघा कुमारी, लेखाकार उमरांव सिंह व दशरथ सिंह सहा0वि0अधि0 (समाज कल्याण) उत्तरदायी रहें। उक्त के संबंघ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–56

लेखा परीक्षा वर्ष 2001–02 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु रू0 615420.00 व्यय किया गया है जिसमें से रू0 430435.00 सीधे लाभार्थी को एवं शेष रू0184985.00 शौचालय निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार सहा0वि0अधि0 / ग्रा0पं0वि0 अधि0को भुगतान किया गया है–

क0सं0	चेक सं0 व दिनांक	धनराशि	जिसे भुगतान हुआ	विवरण
1	0909 / 18.7.01	25000.00	राधेकृष्ण प्रसाद स0वि0अ0(सां0)	2000– 01 से 21 शौ0 हेतु
2	0911 / 30.8.01	3275.00	राधेकृष्ण प्रसाद स0वि0अ0(सां0)	2000–01 के 21 शौ0 का पूर्ण भुगतान
3	0914 / 5.9.01	5000.00	भूपेश मिश्रा ग्रा0पं0वि0अ0	ग्रा0पं0गोसाईपुर में 10 शौ हेतु
4	0915 / 6.9.01	6525.00	राधेकृष्ण प्रसाद स0वि0अ0(सां0)	ग्रा0पं0 पुआरीखुर्द में 3 शौ हेतु
5	0916 / 6.9.01	5000.00	राधेकृष्ण प्रसाद स0वि0अ0(सां0)	ग्रा0पं0 पुआरीखुर्द में 9 शौ हेतु
6	0917 / 11.9.01	8050.00	भूपेश मिश्रा ग्रा0पं0वि0अ0	गोसाईपुर का अवशेष भुगतान
7	03945 / 19.9.01	8700.00	भूपेश मिश्रा ग्रा0पं0वि0अ0	ग्रा0पं0गोसाईपुर में 4 शौ हेतु
8	03947 / 29.9.01	6525.00	अजय कु0 सिंह ग्रा0पं0वि0अ0	ग्रा0पं0 दादोपुरमें 3शौ0 हेतु
9	03948 / 6.10.01	13050.00	अनिल कु0 सिंह ग्रा0पं0वि0अ0	ग्रा0पं0 राजपुर में 6 शौ हेतु
10	03952 / 22.10.01	13050.00	मातवर सिंह ग्रा0पं0वि0अ0	ग्रा0पं0 सरायकाजी में 6 शौ हेतु
11	03953 / 22.10.01	13050.00	भूभूती मिश्रा ग्रा0पं0वि0अ0	ग्रा0पं0 चमांव में 6शौ0 हेतु
12	03968 / 18.12.01	6525.00	बृजेश कु0 सिंह ग्रा0पं0वि0अ0	ग्रा0पं0 बलुआ में 3शौ हेतु
13	04643 / 10.1.02	8700.00	भूभूती मिश्रा ग्रा0पं0वि0अ0	ग्रा0पं0 चमांव में 4 शौ0 हेतु
14	04651 / 15.01.02	17400.00	कौशलपति सिंह ग्रा0पं0वि0अ0	ग्रा0पं0 हरिबल्लभपुर में 8 शौ हेतु
15	04658 / 24.01.02	16860.00	अनिल कु0श्रीवास्तव ग्रा0पं0वि0अ0	98–99 का 6 शौ हेतु
16	04919 / 7.02.02	10875.00	सुरेश प्र0 ग्रा0पं0वि0अ0	ग्रा0 प0 भटपुरवाकला में 5 शौ हेतु
17	04947 / 21.03.02	17400.00	वीरेन्द्र सिंह ग्रा0पं0वि0अ0	ग्रा0पं0 बेलवरिया में 8 शौ हेतु

लेखा परीक्षा में निर्मित शौचालय का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा। साथ हीं उपरोक्त विवरणानुसार रू0 184986.00 का समायोजन बाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। समायोजन बाउचर प्रस्तुत कर उक्त व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रू 184985.00 का दुरूपयोग है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी सहायक विकास अधिकारियों / ग्राम पं0वि0 अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–57

वर्ष 2001–02 में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत दासेपुर में सुकुलपुरवा सम्पर्क मार्ग से कन्नौजिया बस्ती तक मिट्टी कार्य पर भिन्न–भिन्न तिथियों में मस्टररोल के आधार पर रू 44312.00 मजदूरी का भुगतान किया गया जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी–

क– कार्य के दौरान कार्यरत श्रमिक पंजीकृत नहीं पाए गये (मस्टररोल पर श्रमिकों का निबंधन सं0 अंकित नहीं था) फलस्वरूप शासनादेश में इंगित निर्देशों के विपरीत कार्य कराकर शासन की मंशा को विफल किया गया है।

ख– सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत शासनादेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी अनिवार्य था लेकिन पत्रावली में फोटोग्राफ संलग्न नहीं था। जिस कारण दर्शित कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

ग– पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया व्यय रू 44312.00 पूर्णतः अनियमित रहा। जिसके प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–58

वर्ष 2001–02 में सांसद निधि योजनान्तर्गत मीरापुर बसहीं स्थित शारदा बिहार कालोनी में साहेब लाल के घर के आगे योगेन्द्र शर्मा के घर से अम्बिका श्रीवास्तव के घर तक 200 मी0 खडंजा निर्माण हेतु वर्ष 2001–02 में चेक सं0 04991 दिनांक 10.03.02 द्वारा कुल रू 54289.00 कार्य प्रभारी श्री मिट्‌ठू सिंह यादव, पं0वि0अधि0 को भुगतान किया गया है। पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियॉ प्रकाश में आयी :–

क– पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं संलग्न था कि पूर्व में किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त स्थल पर खडन्जा कार्य कराया गया था अथवा नहीं।

ख– उक्त खडन्जा कार्य हेतु दिनांक 28.02.02 को कुल 36600 प्रथम श्रेणी ईंट 1415.00 प्रति हजार की दर से क्रय हेतु रू 51789.00 का भुगतान ईंट प्रदायकर्ता (श्री सत्य साईं बाबा ईंट उद्योग महदेपुर आयर, वाराणसी) को एकाउण्ट पेयी चेक से न कर कार्य प्रभारी श्री मिट्‌ठू सिंह यादव, ग्राम पं0वि0अधि0 द्वारा नकद किया गया है जो अनियमितता का द्योतक है। साथ ही क्रय की दरों के न्यूनतम होने की पुष्टि में आवश्यक कूटेशन पत्रावली व्यय पत्रावली के साथ संलग्न नहीं था जिससे क्रय की दरों के न्यूनतम होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त खडन्जा कार्य हेतु दिनांक 29.12.01 को बोर्ड क्रय हेतु रू 2500.00 का भुगतान बोर्ड आपूर्तिकर्ता शाह मार्बल हैण्डीक्राफ्ट, चौकाघाट वाराणसी को एकाउण्ट पेयी चेक से न कर कार्य प्रभारी श्री मिट्‌ठू सिंह यादव, ग्राम पं0वि0अधि0 द्वारा नकद किया गया है जो अनियमितता का द्योतक है।

ग– व्यय पत्रावली में संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित नहीं था।

इस प्रकार उक्त कार्य पर व्यय की गयी कुल धनराशि रू 54289.00 पूर्णतः अनियमित है जिस हेतु पूर्ण रूप से तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी ए0पी0 विश्वकर्मा, लेखाकार उमरॉव सिंह व कार्य प्रभारी श्री मिट्‌ठू सिंह यादव, ग्राम पं0वि0अधि0 उत्तरदायी रहें। उक्त के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–59

वर्ष 2001–02 में सांसद निधि योजनान्तर्गत पार्वती नगर कालोनी टकटकपुर में मुख्य मार्ग से काशी राम गुप्ता के मकान से ओ0पी0गुप्ता व अन्य के मकान तक सीवर कार्य हेतु मस्टररोल दिनांक 10.04.02 से 16.04.02 से रू 6202.00 का भुगतान किया गया है। विवरण निम्न है :–

मस्टररोल दिनांक 10.04.02 से 16.04.02......2X7दिन X95+12 X7 दिन X58 = 6202.00

पत्रावली में संलग्न मस्टररोल में दो मिस्त्री बलिराम व किशोर 7 दिन कार्यरत था जिसे रू 95.00 प्रति दिन की दर से कुल रू 1330.00 भुगतान अंकित था लेकिन मस्टररोल पर कार्यरत मिस्त्री को भुगतान की पुष्टि में मिस्त्री का प्राप्ति ह0/ ॲगूठा निशान अंकित नहीं था जिससे स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी द्वारा कार्यरत मजदूरों को मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। अतएव रू 1330.00 का कार्य प्रभारी द्वारा अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कार्य प्रभारी दिनेश कुमार द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–60

वर्ष 2001–02 में सांसद निधि योजनान्तर्गत पार्वती नगर कालोनी टकटकपुर में मुख्य मार्ग से काशी राम गुप्ता के मकान से ओ0पी0गुप्ता व अन्य के मकान तक सीवर कार्य हेतु दिनांक 01.03.02 को स्पून पाइप व कालर क्रय के सापेक्ष आपूर्तिकर्ता रामप्यारी स्पून पाइप इण्डिया, नई बस्ती ईश्वरगंज वाराणसी को रू 69265.00 का भुगतान दिनांक 10.03.02 को किया गया है। बिल का विवरण निम्नवत् था :–

आर0सी0सी0स्पून पाइप 300एनपी 2 150 पीसी.375आरएम X 141=52875
आर0सी0सी0कालर 100 पीस दर 39.00............................= 3900
व्यापार कर दर 10 प्रतिशत ....= 5677.50
ट्रान्सर्पोटेशन दर 12 प्रतिशत .... = 6813
योग .... = 69265.50 या 69265.00

उल्लेखनीय है कि उक्त सामग्री क्रय पर व्यापार कर का भुगतान 10 प्रतिशत की दर से किया गया है। यदि कार्य प्रभारी/विकास खण्ड कार्यालय द्वारा आपूर्तिकर्ता को फार्म 3डी उपलब्ध कराया गया होता तो व्यापार कर का भुगतान 5 प्रतिशत की दर से करना पड़ता। इस प्रकार फार्म 3डी के आभाव में 5 प्रतिशत अतिरिक्त व्यापार कर का भुगतान कर संस्था को रू 2838.00 की क्षति पहुॅचायी गई है जिस हेतु पूर्ण रूप से कार्य प्रभारी दिनेश कुमार द्विवेदी उत्तरदायी रहे। उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–61

वर्ष 2002–03 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत रसूलपुर में 0.230 किमी0 खडन्जा कार्य पर निम्न विवरणानुसार कार्य प्रभारी दिनेश कुमार द्विवेदी द्वारा मस्टररोल के आधार पर प्राप्त मजदूरी की धनराशि का कार्यरत मजदूरों को भुगतान नहीं कर अपहरण किया गया हैः–

मस्टररोल दिनांक 13.05.02 से 19.05.02............6X7दिनX95+15X7दिन X58+1 X2दिन X58 = 10196.00

मस्टररोल दिनांक 02.05.02 से 08.05.02............7x7दिनx58+1 x5दिन x58 = 3132.00

योग .... = 13328.00

उपरोक्त दोनों मस्टररोल पर कार्यरत मजदूरों का हस्ताक्षर/अँगूठा निशान अंकित नहीं था जिससे स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी द्वारा कार्यरत मजदूरों को मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। अतएव रू 13328.00 का कार्य प्रभारी द्वारा अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कार्य प्रभारी दिनेश कुमार द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

10. क्षेत्र पंचायत– हरहुआ वर्ष 2003–04 से 2005–06

प्रस्तर–62

आपत्ति संख्या 4 वर्ष 2003–04 में सम्पूर्ण रोजगार योजना के अन्र्तगत सेमरी में ब्रहादेव सिंह के दरवाजे पर रास्ता निर्माण कार्य पर रु0 15802 व्यय किया गया है। उक्त कार्य हेतु मस्टर रोल 04,04,2003 से 10,04,2003 तक (एक मिस्त्री X 7 दिन X 95 रु0) + (6 मजदूर X 7 दिन X 58 रु0) + (एक मजदूर X 3 दिन) कुल 3275 रु0 (जिसमें नगद 1065 व खाद्यान 442 किलो, दर प्रतिकिलो 5 रु0) का भुगतान किया गया उल्लेखनीय है कि पत्रावली में संलग्न एम,बी, में कार्य प्रारम्भ तिथि 31,03,2003 व कार्य समाप्ति तिथि 02,04,2003 तथा कार्य की मापी तिथि 02,04,2003 अंकित था। अतः स्पष्ट है कि दिनांक 02,04,2003 को कार्य पूर्ण हो चुका था। इसके बावजूद दिनांक 10,04,2003 को रु0 3275रु0 का मजदूरी भुगतान (442 किलो खाद्यान/5 रु0 सहित) (2210रु0) कुल 5485 रु0 काल्पनिक प्रतीत होता है। इस कार्य में कुल व्यय रु015802 में मिट्टी क्रय नही किया गया है बल्कि मजदूर से कार्य कराकर रास्ता निर्माण कार्य किया गया है स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टर रोल के आधार पर रु0 5485 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–63

आपत्ति संख्या 5 वर्ष 2003–04 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत ऐढे में राजकीय नलकुप के पास पिच रोड़ से बेलवरियां टंकी के पास पिच रोड मार्ग पर सुरेन्द्र पाण्डेय के खेत तक मिट्टी कार्य पर निम्न व्यय दर्शित है– मस्टर रोल 6,12,03 से 26,12,03 तक है का विवरण निम्न है –(53 कर्मचारी X 7दिन X 58 रु0) + (एक कर्मचारी X 1 दिन X 58 रु0) कुल 372 दिन का रु0 21576में 5,766रु0 नगद तथा 3162 किलो गेहूँ / प्रति 5 रु0 किलो की दर से भुगतान हुआ। कार्य प्रारम्भ तिथि 29–11–2003 तथा कार्य मापी 06,12,2003 व कार्य समाप्ति 05,12,03 है। अतः स्पष्ट है कि कार्य समाप्ति 05,12,03 के बाद भी 22 दिनों का मस्टर रोल काल्पनिक बनाकर भुगतान किया गया है।

क – सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

ख – क्षेत्र पंचायत के कार्यवाही पंजिका के अभाव में कार्य का प्रस्ताव अपुष्ट है।

ग – कार्य की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी कार्य के पत्रावली में संलग्न नही है।

अतः स्पष्ट है किइस कार्य में कुल रू 21576 का अपहरण हुआ है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–64

आपत्ति संख्या 7 वर्ष 2004–05 पूर्वाचल विकास निधि योजनान्र्तगत भोजुबीर सिधोरा मार्ग दूसरे किमी पर विश्वनाथपुर कालोनी में विरबल सिंह के घर होते हुए विश्वनाथपुरी एक्सटेन्सन मोड तक दोनो तरफ नाली निर्माण कार्य हेतु मस्टर रोल दिनांक 23,08,04 से 29,08,04 से रु0 15834 का भुगतान किया गया है विवरण निम्न प्रकार है।

क– मस्टर रोल दिनांक 23,08,04 से 29,08,04 (39मजदूर X 7दिनX 58 रु0) = कुल रु0 15834 का भुगतान किया गया है जिसपर कार्य करने वाले मजदूर से अधिक का अंगूठा निशान अंकित था जिससे स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी द्वारा कार्यरत मजदूरो को मजदूरी भुगतान में काल्पनिक डाटा उल्लेखित है।

ख – मस्टर रोल दिनांक 30.12.2004 से 05.01.2005 (68 मजदूर X 7 दिनांक X 58रू0) = 27608 रू0 का भुगतान होना चाहिए लेकिन 28818 रू0 का भुगतान हुआ है जिसमें कार्य प्रभारी रामकुंवर सिंह द्वारा 1210 रू0 अधिक भुगतान किया गया।

ग– मस्टर रोल 28.11.04 से 04.12.04 तक (36 मजदूर x 7 दिन x 58 रू0) + (1) मजदूर X 3 दिन X 58 रू0) = कुल 14790 रू0 होना चाहिए जब कि 15308रू0 का भुगतान कर 518 रू0 अधिक भुगतान किया गया है। इस आधार पर कुल 1210+518+15834= रू0 कुल 17562 रू0 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी रामकुवर सिंह से अपेक्षित है।

प्रस्तर–65

आपत्ति संख्या 8 वर्ष 2005–06 राज्य वित्त आयोग योजना अंतर्गतः ग्राम पुआरी कला पिच पर शहजाद सांई के घर से पुआरी कला सतुआ बाबा आश्रम तक मिट्टी खड़जा कार्य कराया गया है जिस पर निम्न व्यय किया गया है–

क– साईन बोर्ड–2500 रू0 का नगद भुगतान कर मनोज कुमार सिंह, अग्रसेन नगर कालोनी, पहाडिया वाराणसी से क्रय किया गया है।

ख– मजदूरी– मस्टर रोल 31.12.5 से 06.01.06 में (18 मजदूर X 7 दिन X 58 रू0) + (1 मजदूर X 3 दिन X 58रू0) कुल 129 दिन = कुल रू0 7482 का भुगतान नकद किया गया था तथा मस्टर रोल 11.01.06 से 18.01.06 में

(19 मजदूर X 7दिन X 58रू0 = कुल 133 दिन = कुल 7714रू0 नकद भुगतान किया गया लेकिन भुगतान कर्ता एवं प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर और अगूठे का निशान नही है। इस कार्य में कुल व्यय रू0 67164 का भुगतान किया गया है।
ग– ईट क्रय हेतु कोटेशन प्राप्त नही किया गया है, ईट क्रय का प्रमाणक अप्राप्त रहा एवं भुगतान नकद किया गया है।

उक्त कार्य की पुष्टि में स्टांक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सृजित परिसम्पति रजिस्टर आदि प्रस्तुत नही किया गया । उक्त के आधार पर व्यायि धनराशि एवं कार्य अपुष्ट/ अप्रमाणित रहा, जिस हेतु उत्तदायित्व कार्यप्रभारी आकाश साहनी का है। अतः ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–66

आपत्ति संख्या 9 वर्ष 2005–06 पूर्वाचल विकास निधि योजना अंतर्गत दौलतपुर पाण्डेयपुर स्थित विवेकानन्द नगर कालोनी सीवर कार्य में (एस आर स्पम पाईप इन्डस्ट्रीज शिवदासपूर, लहरतारा, डी0एल0 डब्लू रोड वाराणसी) से 300 एम0एम0 एन0पी0–3 पाईप 77पीस दर 25.48 रू0, कुल रू0 48602.40, 300 एम0एम0 एनपी 73 कालर और 62 दर 56.02 कुल रू0 3473.24 जिसमें कुल 62491 नकद भुगतान किया गया साथ ही प्रमाणक पर ओवर राइटिंग किया हुआ है तथा व्यापार कर की गणना नही की गयी जबकि भुगतान व्यापार कर किया जाना चाहिए था। उक्त कार्य ग्रामीण क्षेत्र से इतर निगम परिधि के अर्न्तगत है जो कि नियमानुकूल पूर्णतः गलत है। अतः 62491 की अनियमितता का उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी नीरज गुप्ता एवं लेखाकार उमरांव सिंह का है जिसके प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–67

आपत्ति संख्या 10 वर्ष 2005–06 में राज्यवित आयोग योजनान्तर्गत माधोपुर कालिका के दरवाजे से रैसी पट्टी हरिहर के खेत तक मिट्टी खड़न्जा कार्य पर भिन्न भिन्न तिथियों में मस्टर रोल के आधार पर कुल व्यय रु0 109003है तथा कुल खड़न्जा कार्य 0,400 मीटर किया गया है जिसका कार्य समाप्ति तिथि 25,01,06 तक (25 मजदूर X 7 दिन X 58 रु0) + (1मजदुर X 2दिन X 58) कुल मानव दिवस 184 में भुगतान रु0 10672 तथा मस्टर रोल (23मजदुर X 7 दिन X 58 रु0) + (6 मजदूर X 6 दिन X 58 रु0 कुल मानव दिवस 197 में भुगतान रु0 11426 तथा आरपीएस ,मार्का ईट उद्योग को बिल संख्या व तिथि 331 /29,01,06 व 335/31,01,06 के अर्न्तगत प्रथम श्रेणी ईट का क्रय क्रमशः रु0 59500 व रु0 24905 का नगद भुगतान किया गया है। तथा बिल 77 तिथि 31,01,06 मनोज कुमार सिंह ने साइन बोर्ड रु0 2500 नगद भुगतान करके खरीदा गया है। इस कार्य में निम्न आपत्तियां प्रकाशन में आयी –

क – पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही था।
ख – सभी व्ययो का भुगतान नगद किया गया है।
ग – राज्यवित्त आयोग योजनान्तर्गत में कार्य प्रारम्भ एवं कार्य समाप्ति पर फोटो ग्राफी होना चाहिए। लेकिन पत्रावली में फोटोग्राफ संलग्न नही था।
घ – स्टाक रजिस्टर ,सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, अप्राप्त रहा।

अतः उक्त के आधार पर व्ययित धनराशि रु0 109003 अपहरण का द्योतक है जिसका उत्तरदायित्व कार्य प्रभारी मनोज सिंह का है। अतः ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–68

आपत्ति संख्या 11 वर्ष 2005–2006 में राज्यवित्त आयोग योजनान्तर्गत विकास खण्ड हरहुआ परिसर में खडन्जा कार्य कुल व्यय रु0 123713 है तथा कुल खडन्जा कार्य 5 किलोमीटर किया गया है जिस कार्य का प्रारम्भ तिथि 20,05,06 समाप्ति तिथि 14,06,06 तथा कार्यमापी तिथि 15,06,06है। व्ययो का विवरण निम्न है। मस्टर रोल 01,06,06से 07,06,06तक (20मजदूर X 7 दिन X 58रु0) कुल मानव दिवस 97 में भुगतान रु0 8120 तथा मस्टर रोल 08,06,06 से 14,06,06 तक (13मजदूर X 7 दिन X 58 रु0) + (1मजदूर X 6दिन X 58 रु0)कुल मानव दिवस 97 में भुगतान रु0 5626 तथा मस्टर रोल 20,05,06 से 26,08, 06तक (15 मजदूर X 7दिन X 58 रु0) + (1मजदूर X 7 दिन X 58 रु0) कुल मानव दिवस 109 भुगतान रु0 6322 तथा मसर्स श्री नन्दलाल सिंह पलही पट्टी वाराणसी को बिल संख्या व तिथि 246/01,06,06 ईट प्रथम श्रेणी 49100 नग–रु0 1700 प्रतिहजार और कन्स्ट्रक्सन एडं बिल्डिग मैटेरियल सप्लायर्स सारनाथ वाराणसी को बिल संख्या और तिथि 21/26,05,06 में मिट्टी ट्रैक्टर द्वारा 5 किलोमीटर दूरी से स्थल पहुचाकर 282,30 घ,मी, 70 रु0 प्रति घ,मी क्रमशः रु0 83470 और 19761 का नगद भुगतान किया गया । इस कार्य में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी ।

क – पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही था।
ख – सभी व्ययों का भुगतान नगद किया गया है।
ग – राज्यवित्त आयोग योजनान्तर्गत में कार्य प्रारम्भ एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी होना चाहिए। लेकिन पत्रावली में फोटोग्राफ संलग्न नही था।

अतः इस कार्य पर किया गया व्यय रुद्ध 123713 अपहरण है जिसका उत्तरदायी कार्य प्रभारी मिट्टू सिंह यादव का है। जिसके प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

11. क्षेत्र पंचायत– हरहुआ   वर्ष 2006–07 से 2007–08

प्रस्तर–69

आपत्ति संख्या 2 वर्ष 2006–07 में राज्य वित्त आयोग योजनार्न्तगत साधन सहकारी समिति शिवरामपुर के भवन का मरम्मत कार्य जिसपर कुल व्यय 2197 किया गया जिसकी प्रारम्भ तिथि 02.02.07 , समाप्ति तिथि 12.02.07 तथा कार्यमापी तिथि 13.02.07 अंकित था। मस्टर रोल 06.02.07 से 12.02.07 तक 66 मानव दिवस रू0 5034 का नगद भुगतान किया गया था जिसपर भुगतानकर्त्ता का हस्ताक्षर नही था और बिल सं0 229/04.02.07, यादव कन्स्ट्रम्शन एण्ड बिल्डिंग मैटिरियल को कुल रू0 16876 का नगद भुगतान किया गया है। यह बिल बिना टिन नं0 का था। अतः उक्त कार्य में व्यय कुल रू0 21917 का भुगतान कर कार्यप्रभारी ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–70

आपत्ति संख्या 3 वर्ष 2006–07 विधान मंडल क्षेत्र विधायक निधि के अर्न्तगत रंगीले के द्वारा तक खडन्जा कार्य कराया गया जिसपर निम्न प्रकार से व्यय अर्शित है जिसमें रू0 127154 कुल व्यय है। उक्त कार्य हेतु दिनांक 01.12.06 से 07.12.06 तक मस्टर रोल के आधार पर कुल 50 मानव दिवस, 15.09.06 से 22.09.06 तक मस्टर रोल के आधार पर कुल 162 मानव दिवस तथा 02.09.06 से 08.09.06 तक कुल 105 मानव दिवस में क्रमशः रू0 3944रू0 11216 तक रू06090, कुल रू0 21250 एवं कष्ट्रक्शन एण्ड बिल्डिंग मेटिरिअल स्पलायर सारनाथ वाराणसी को रू0 4891, मेसर्स श्री नंदलाल सिंह को 22610 तथा आर0के0 पटेल बिल्डिंग मेटिरियल 68000 तथा कष्ट्रकशन एण्ड बिल्डिंग मेटिरिअल रू0 10257 व्यय किया गया है। उल्लेखनीय है कि पत्रावली में संलग्न माप पुस्तिका में कार्य प्रारम्भ तिथि 02.09.06 है और कार्य समाप्ति तिथि 08.09.06 तथा कार्यमापी तिथि 09.09.06 अंकित था। अतः स्पष्ट है कि कार्य दिनांक 09.09.06 को पूर्ण हो चुका है इसके बावजूद भी मस्टर रोल 01.12.06 से 07.12.06 तक अंकित कुल रू0 3944 का मजदूरी भुगतान पूर्णतः काल्पनिक प्रतीत होता है। अतः स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टर रोल का भुगतान कर और मेसर्स श्री नन्दलाल सिंह के बिल रू0 22610 का भुगतान चेक सं0 दिनांक 0043/5.12.06 के आधार पर रू0(3944+22610) का अपहरण कार्य प्रभारी मिटू सिंह यादव ग्रा0प्र0वि0अ0 द्वारा कुल रू0 26554 का किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–71

आपत्ति संख्या 4 वर्ष 2006–07 विधायक निधि योजनार्न्गत पाण्डेयपुर स्थित डा शर्मा के दुकान से बैज के मकान तक सीवर चौका कार्य पर कुल रू0 182432.34 व्यय किया गया, उक्त कार्य हेतु पत्रावली में मस्टर रोल संलग्न नही है और यादव कन्स्ट्रम्शन बिल्डिंग मैटिरियल सप्लायर, सारनाथ, वाराणसी के बिल सं0 117,118,120,160,161 के आधार पर क्रमशः रू0 48755,12826,रू0 69329.48,रू0 4800, 46721.86 कुल रू0 182432.34 का भुगतान किया गया है। अतः स्पष्ट है कि सभी बिल में अंकित कुल रू0 182432.34 का भुगतान काल्पनिक प्रस्तुत है क्योंकि बिल में प्रदत्त मिट्टी ढुलाई, ईट, पत्थर चौका, ग्रेनाइट शिलालेख आदि बिना मानव प्रदत्त दिवस का होना संभव नही है साथ ही बिल सं0 160 में रू0 800 का फोटोग्राफी खर्च भी काल्पनिक है क्योकि फोटोग्राफी पत्रावली में संलग्न नही है अतः स्पष्ट है कि बिल के आधार पर कुल रू0 182432.34 का भुगतान कर कार्य प्रभारी मिट्ठू यिंह यादव और खण्ड विकास अधिकारी अजीत कुमार सिंह एवं अभियंता अनिल कुमार मिश्र जिसने कार्य की कुल मापी 122 मी तक माप पुस्तिका में प्रदर्शित किया गया है जो अपहरण है इसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–72

आपत्ति संख्या 5 वर्ष 2006–07 में राज्य वित्त आयोग योजनार्न्गत, भवानीपुर पिच पर बजरंग अग्रवाल के गेट से कादीपुर नाला तक कुल 200 मी0 मिट्टी खडन्जा कार्य पर कुल रू0 76800 किया गया। मस्टर रोल 06.03.07 से 12.03.07 तक कुल 133 मानव दिवस व मस्टर रोल 19.02.07 से 25.02.07 तक कुल 63 मानव दिवस में 58 मजदूरी एवं रू0 106 मिस्त्री प्रति दिवस की दर से रू0 9058+रू0 3654 कुल 76800 का भुगतान किया गया। दोनो मस्टर रोल पर भुगतानकर्ता का हस्ताक्षर नही था तथा बिलसं0 दिनांक 834/ 26.02.07 महावीर ग्रामोघोग एवं निर्माण प्रतिष्ठान सिघोरा मार्ग, वाराणसी में अंकित मिट्टी (ट्रैक्टर द्वारा ढुलाई 1 किलो मीटर की दूरी से स्थल पर पहुँचाकर कुल 146,37 घनमीटर , प्रति घनमीटर ,45 रु0 की दर से कुल 6586,65 रु0 का भुगतान नगद किया गया और बिल संख्या 220 दिनांक 13,043,07 में ग्राम विकास समिति से 2500 रु0 का साईन बोर्ड क्रय किया गया। अतः स्पष्ट है कि इस कार्य में कुल व्यय रु0 76800 किया गया जिसमें काल्पनिक मस्टर रोल ,बिना टीडीएस कटा बिल के आधार पर और मिट्टी ढुलाई में प्रयोग किये गये ट्रैक्टर जिसकी गाडी संख्या अंकित नही है। इस प्रकार कार्य में कुल व्यय रु0 76800 का भुगतान कर कार्यप्रभारी राजेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–73

आपत्ति संख्या 6 वर्ष 2006–07 में राज्य वित्त आयोग योजनार्न्तगत , ग्राम चुप्पेपुर छतरीपुर रोड़ से सुरेश मिश्र के मकान तक 0,192 कि0 मी0 खड़न्जा कार्य किया गया है। उक्त कार्य हेतु मस्टर रोल 06,03,07 से 12,03,07 तक कुल 133 मानव दिवस और मस्टर रोल 20,02,07 से 26,02,07 तक के आधार पर कुल 112 मानव दिवस के अर्न्तगत मजदूरी 98 रु0 प्रति दिवस और मिस्त्री 126 रु0 प्रति दिवस के अनुसार कुल रु0 9618 + रु0 6496 का भुगतान किया गया जिसमें कुल 28 मानव दिवस में रु0126 प्रति मिस्त्री का भुगतान प्रति मिस्त्री 20 रु0 अधिक (क्योंकि इसी

वर्ष, इसी माह, इसी योजना के अर्न्तगत भवानीपुर पिच रोड़ पर ,खडन्जा कार्य आपत्ति संख्या 4) में मिस्त्री का भुगतान 106 रु0 प्रति मिस्त्री के दर से किया गया अर्थात मस्टर रोल में 4 मिस्त्री x 7 दिन x 126 के अर्न्तगत 4x 7x 20 कुल रु0 560 का अधिक भुगतान किया गया है। तथा बिल मेसर्स श्री नन्दलाल सिंह बिल सं, 100/ 15,12,06 में प्रथम श्रेणी का ईट 34700 नग, रु0 1700 प्रति हजार कुल रु0 58990 का भुगतान किया गया व बिल पर टिन नं, अंकित नही था। उपरोक्त व्यय से सम्बंधित निम्नलिखित आपत्तियां है।

क– क्षेत्र पंचायत के कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण कार्य की पुष्टि नही की जा सकी।

ख– ईट क्रय के लिए कोटेशन नही लिया गया जबकि न्यूनतम तीन कोटेशन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

ग–ईट क्रय करके ढुलान के लिए चालान प्रस्तुत नही किया गया जिससे स्पष्ट नही है कि साईट पर क्रय ईट पहुचा है और न ही स्टाक पंजिका में अंकन ही नही किया गया है।

घ– मस्टर रोल पर कार्य अवधि का अंकन नही किया गया है जिसमें अस्पष्ट है कि कार्य कब प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ । मस्टर रोल पर कार्य अवधि अंकन किया जाना अपेक्षित है।

ड;– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–74

आपत्ति संख्या 7 वर्ष 2007–08 बारहवाँ वित्त आयोग योजनार्न्तगत इन्द्रवार में खरफ्त प्रजापति के घर से होते हुए तालाब तक एवं राजेश सिंह के घर होते हुए पोखरी तक जल निकासी कुल 480 मी, कार्य किया गया। इस कार्य मे कुल व्यय रु0 396000 जिसमें मस्टर रोल 29,10,07 से 04,11,07 में (1 मी0 x 7 x 100 रु0) + (1मी0 x 5 दिन x100 रुद्ध) कुल 12 मानव दिवस मे कुल व्यय रु0 1200 होना चाहिए लेकिन 15928 अंकित है अर्थात कुल रु0 14728 का अपहरण है जिसक उत्तरदायित्व कार्य प्रभारी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का है अतः 14728 रु0 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–75

आपत्ति संख्या 8 वर्ष 2007–08 में राज्य वित्त योजनार्न्तगत कानूडीह में रामजी के घर से सूरज के घर तक एवं सत्यनारायण के घर से नन्दलाल के घर तक जल निकासी नाली क्रमशः 26 मीटर और 36 मीटर कुल 62 मीटर का कार्य किया गया जिसमें कुल व्यय रु0 54665 हुआ है। उक्त कार्य की प्रारम्भ तिथि 03,10,07 समाप्ति तिथि 07,11,07 और कार्यमापी तिथि 08,11,07 है। इस कार्य हेतु मस्टर रोल 01,11,07 में कुल 31 मानव दिवस और व्यय रु0 3360 तथा मस्टर रोल 24,10,07 से 30,10,07 में कुल 109 मानव दिवस में रु0 11264 व्यय हुआ। दोनो मस्टर रोल में भुगतानकर्ता का हस्ताक्षर नही है तथा बिल सं, 63/18,10,07, 87/08,11,07और बिल संख्या 276/05,10,07 में क्रमशः रु016814,रु0 20814,रु0 20454,24 एवं ग्राम विकास समिति के कैश बिल पर साईन बोर्ड एवं फोटोग्राफी (रु0 2500 + 500)व्यय दर्शित है। इस कार्य में प्रयुक्त बिलों पर ओवरराईटिंग की गयी है अतः कार्य प्रभारी महेन्द्र प्रताप सिह और खण्ड विकास अधिकारी नीरजा गुप्ता के द्वारा कुल रु0 54665 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–76

आपत्ति संख्या 9 वर्ष 2007–08 में राज्य वित्त योजनार्न्तगत , चाँदमारी ऐढे मार्ग पर सरस्वती शिक्षा निकेतन स्कूल से बेलवरिया पानी टंकी मार्ग तक मिट्टी खडन्जा कार्य जिसमें कुल व्यय रु 100628 किया गया है। उक्त कार्य हेतु प्रारम्भ तिथि 20,11,07 ,कार्य समाप्ति तिथि 26,11,07 तथा कार्यमापी तिथि 27,11,07 अंकित है तथा मस्टर रोल 05,12,07 से 11,12,07 मे कुल 140 मानव दिवस में भुगतान रु0 16828 व मस्टर रोल 20,11,07 से 26,11,07 में कुल 100 मानव दिवस में रु0 10,000 का भुगतान (कुल 26828) नगद किया गया है जिसपर भुगतानकर्ता का हस्ताक्षर न होने से स्पष्ट नही है कि भुगतान किसके माध्यम से हुआ है जिसका उत्तरदायित्व कार्यप्रभारी श्री राजनारायण यादव का है। साथ ही मेसर्स श्री नन्दलाल सिंह बिल सं, 291/0412,07 में ईट प्रथम श्रेणी 36000 नग,रु0 2050 प्रति नगद कुल रु0 73800 नगद भुगतान है जिसपर रसीदी टिकट नही है। उक्त कार्य में कुल 100628 (सामग्री 73800 व श्रमांश रु0 26828)का अपहरण कार्य प्रभारी श्री राजनारायण यादव द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–77

आपत्ति संख्या 10 वर्ष में 2007–08 विधायक निधि योजनार्न्तगत तरना में शंकर राम के घर से अम्बेडकर पार्क तक चौका कार्य में कुल व्यय रु0 416000 किया गया है। उक्त कार्य के पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल दिनांक 23,01,08 से 29,01,08 की दो प्रतिलिपि क्रमशः 113 मानव दिवस व 51 मानव दिवस की (12420 + 5100) कुल रु0 17520 भुगतान का एक ही नाम के मिस्त्री व मजदूर दोनो पर अंकित किया गया है अतः स्पष्ट है कि रु0 17520 का भुगतान काल्पनिक है साथ ही कुल रु0 276234,00 का भुगतान सीधे लाभार्थी को किया गया है जिसका विवरण निम्न है।

क्र0 सं0	चेक सं व दि0	धनराशि	जिसे भुगतान हुआ	विवरण
1	003576 (18,02,08)	87836	अजय कु0 सिंह (ग्रा0 पं0वि0 अधिकारी)	वर्ष 2007– 08 तरना में शंकर राम के घर से अम्बेड़कर पार्क तक चौका कार्य।

2	003579 (19,02,08)	69600	अजय कु0 सिंह	वर्ष 2007– 08 तरना में शंकर राम के घर से अम्बेड़कर पार्क तक चौका कार्य।
3	003834 (01,04,08)	29216	अजय कु0 सिंह	वर्ष 2007– 08 तरना में शंकर राम के घर से अम्बेड़कर पार्क तक चौका कार्य।
4	003835 (10,04,08)	2882	अजय कु0 सिंह	वर्ष 2007– 08 तरना में शंकर राम के घर से अम्बेड़कर पार्क तक चौका कार्य।
5	004289 (03,07,08)	39359	अजय कु0 सिंह	वर्ष 2007– 08 तरना में शंकर राम के घर से अम्बेड़कर पार्क तक चौका कार्य।
6	004295 (01,09,08)	47341	अजय कु0 सिंह	वर्ष 2007– 08 तरना में शंकर राम के घर से अम्बेड़कर पार्क तक चौका कार्य।
	योग	**276234**		

लेखा परीक्षा में किये गये कार्य तरना में शंकर राम के घर से अम्बेडकर पार्क तक चौका कार्य में उपरोक्त विवरणानुसार रु 276234 व रु0 17520 कुल रु0 293754 का समायोजन वाउचर प्रस्तुत कर उक्त व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रु0 293754 का अनियमितता है जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी 1 ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

12. क्षेत्र पंचायत – हरहुआ   वर्ष 2008–09 से 2009–10

प्रस्तर – 78

वर्ष 2008–09 मे बी0 पी0 एल0 सर्वे की धनराशि चेक न0– 85958 द्वारा 01,05,18 को क्षेत्र पंचायत को रुपया 25,000/– प्राप्त हुआ जिसे चेक क्रमांक – 017128,दिनांक 31,05,18 को रुपया 17847 कैशियर श्री मृत्युजय सिंह को और चेक न0–017129 द्वारा रुपया 7153,00 श्री छोटेलाल जी को दिया गया है। उक्त व्यय से सम्बनधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहा। अतः सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहा। अतः सम्बन्धित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर – 79

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अर्न्तगत शिवपुर पंचकोशी मार्ग से शिवनगर कालोनी में गुलाब सिंह के घर होते हुए रामकीर्ति यादव के मकान तक चौका कार्य से सम्बन्धित निम्न आपत्तियां है।

क– क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजिका के अभाव में कार्य का प्रस्ताव अपुष्ट है।

ख– मस्टर रोल पर समस्त निशानी अंगूठे संदिग्ध एवं एक ही व्यक्ति द्वारा लगाये गये प्रतीत हो रहे है।

ग– पत्रावली के अवलोकन से दिनांक 05,11,2018 को डाला पत्थर कम गिट्टी (20 एम एम) की 65,85 एम 3 उपरोक्त कार्य हेतु मगाया गया , जिस पर रायल्टी का भुगतान नही किया गया है।

घ– सम्बन्धित कार्य के फोटोग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ट्रैक्टर से बाहर से ढुलाई कर दिनांक 20,11,18 को 221,17एम 3 मिट्टी 90,00 रुपया प्रति घन मी0 की दर से 7 कि0 मी0 की दूरी से साइट पर लाया जाना दर्शित है। जिस पर रुपया 19905,00 खर्च दर्शित है फोटोग्राफ के अनुसार सड़क पर डाली गयी प्रतीत नही हो रही है।

ड–कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संलग्न नही है जो कि अपेक्षित था। इस प्रकार व्यय अप्रमाणित एवं संदिग्ध रहा अतः सम्बन्धित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 80

विधायक निधि के अर्न्तगत 2008–09 में गणपत नगर (अशोक बिहार फेज –2) मे भृगुनाथ शास्त्री के घर से सांसद श्री गाँधी आजाद के घर तक चौका कार्य पर सामग्री अंश पर कुल व्यय रुपया 3,69,521/–और श्रेयांश पर रु01,13,400/–खर्च दर्शित है।

क– रु0 4500 की कौन सी सामग्री आयी है ,यह स्पष्ट नही हो सका क्योकि बाउचर बिल्कुल सड़ गल गया है।

ख– पत्रावली में फोटोग्राफ संलग्न नही है ,जो कि अनिवार्य है।

ग– पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही था।

घ– तकनिकी स्वीकृति पत्र में चौका पत्थर 3830 नग की डिमाण्ड थी ,जबकि कुल 4289 चौका पत्थरों की खरीद हुई 459 नग ज्यादा खरीदे जाने का औचित्य स्पष्ट करें । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –81

वर्ष 2008–09 में राज्य वित्त के अर्न्तगत आदमपुरा में निहाल यादव के घर से राजकीय नलकूप एवं चमन यादव के घर से रामदुलार के धर तक मूलचन्द यादव के दुकान से खंझाटी के मकान तक खडंजा कार्य (232 मीटर) कराया गया है जिससे सम्बण्धित आपत्तियां निम्न है।

1, ईट क्रय – 79,750,00   27500 नग   2900की दर से   प्रकाश ईट उद्योग

श्रमांश – 19,120,00

योग – 98,870,00

क – मस्टर रोल पर समस्त निशानी अंगूठे के कट एक जैसे प्रतीत हो रहे है। अंगूठा निशान सक्षम अधिकारी से प्रमाणित भी नही है। मस्टर रोल पर भुगतानकर्ता के हस्ताक्षर नही है।

ख – जो निर्माण कार्य खडंजा कराया गया है ,पत्रावली में संलग्न फोटोग्राफ से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में अर्थवर्क नही कराया गया है। फोटो एवं एम बी में भिन्नता प्रतीत होती है। एम बी के अनुसार 192 मीटर लम्बाई में अर्थवर्क 35 से 45 से0 मी0 ɛ से मिट्टी डालकर खंडजा निर्माण कराया जाना दर्शित है , जबकि संलग्न फोटो के अनुसार स्थलीय स्तर पर दोनो तरफ न तो मिट्टी की खुदाई की गयी है और न ही खंडजें से दोनो तरफ मिट्टी में ढाल पाया गया है। खडंजा एवं दोनो तरफ के ढाल में प्रायः 10 से 25 से0 मी0 स्थलीय ऊँचाई पायी गयी है, इससे स्पष्ट है कि पूर्व भाग पर खडंजा निर्माण मात्र समतलीकरण कराकर किया गया है। जिसके अर्थवर्क स्पष्टता नही कराया गया है। अतएव अर्थवर्क का कार्यालय धनराशि की वसूली संबधित कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।
ग – 27 से0 मी0 ऐ ऊपर मिट्टी डलवायी गयी है तो तुरन्त खडंजा नही बिछाया जा सकता है। फाइल में 40 सी0 एम0 का अर्थवर्क दिखाया गया है जो त्रुटिपूर्ण है।
घ – कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तैयार करके फाइलों में संलग्न किया जाना अपेक्षित था।
ड – स्टाक रजिस्टर एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर भी प्रस्तुत नही किया गयां।
उपरोक्त के आलोक में धनराशि अपुष्ट एवं अप्रमाणित रही अतः वसूली योग्य है। श्री रामबाबू त्रिपाठी एवं सुमन कुमार दास से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर – 82</u>

दिनांक 20,06,2019 का उपचुनाव मद में रुपया 4045 चेक संख्या – 019556 द्वारा श्री विजय बहादुर दूबे ,सहायक विकास अधिकारी को दिया गया इंगित है ,जिससे संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहा। यह धनराशि कहाँ कैसे व्यय की गई यह अपुष्ट एवं अप्रमाणित रही ,रुपया 4045 की ब्याज सहित वसूली श्री विजय बहादुर दुबे से (स0 वि0 अधि0) से अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर – 83</u>

वर्ष 2008–09 पूर्वाचल निधि में रुपया 1806261/–प्राप्त हुआ इस मद में गत वर्ष का रुपया 200000/– बकाया था। इसके सापेक्ष रुपया 257648/–वर्ष में व्यय किया गया है। वर्ष 2009–10 में रुपया 1855300/– प्राप्त हुआ ,जिसके सापेक्ष रुपया 2041222 /– व्यय किया गया ,जिसकी पुष्टि ग्राण्ट रजिस्टर 3 से होती है। लेकिन व्यय से संबंधित पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नही रहा। अतः प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय धनराशि क्रमशः 257648/ – एवं रुपया 2041222/– के लिए संयुक्त रुप से खण्ड विकास अधिकारी श्री राम बाबु त्रिपाठी ,क्षेत्र पंचायत (श्रीमती सरोज सिंह) तथा श्री सुमन दास (ज्येष्ठ लेखाकार) जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर – 84</u>

दिनांक 31,03,2010 को अनुदान रजिस्टर के अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त व्याज की धनराशि रुपया 111041/– अवशेष दर्शित हैं। जिसे नियमानुसार राजकीय कोषागार में निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाना था।
वर्ष 2009–10 में व्याज मद में रुपया 28167/– व्यय दर्शित किया गया है । जिस पर 31,03,10 को व्याज मद में रुपया 242971/– अवशेष रहा। व्यय धनराशि रुपया 28167/– का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। यह भी स्पष्ट नही रहा कि व्यय धनराशि के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त की गयी है अथवा नही। उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। शासनादेश के मुताबिक व्याज की धनराशि को खर्च न करके नियमानुसार शासन को वापस किया जाना चाहिए था। जबकि ऐसा नही किया गया है। जो कि अनियमित है।

<u>प्रस्तर –85</u>

<u>रायल्टी</u> – उ0 प्र0 खनिज (परिहार) 30 वां संशोधित नियमावली 2009 तथा शासनादेश संख्या 4951(11) 77–5–06–506/6 दिनांक 16,20,06 के अनुसार उक्त खनिजो की आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान के समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपखनिज का परिवहन वैध खन्ना एम0 एफ0 –11 के आधार पर किया गया है तथा रायल्टी जमा की पुष्टि में ट्रेंजरी चालान की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर दी गयी है। यदि आहरण /वितरण अधिकारी द्वारा उक्त की स्थिति बिना सुनिश्चित किये ही बिलो का भुगतान कर दिया जाता है तो समस्त की क्षति हेतु संबंधित अधिकारी पूर्णरुपेण उत्तरदायी होगा। वर्ष आलोच्य में निर्माण कार्यो पर ईट की मात्रा 7,95,460 नगर प्रयुक्त की गयी है जिस पर नियमानुसार 18/– रुपया प्रति हजार की दर से रुपया 14318/– की रायल्टी अवधारित की गयी है। साथ ही 2356 पर घ0 मी0 मिट्टी क्रय की गयी है जिस पर रुपया 9 प्रति घन मी0 की दर से रुपया 21208/– की रायल्टी अवधारित होती है जबकि संस्था के द्वारा उक्त की कटौती नही की गयी है। क्षेत्र पंचायत हरहुआ में मिट्टी की ढुलाई ईटो आदि पर भुगतान के सापेक्ष रायल्टी न काटकर रुपया 35526/– से शासकीय राजस्व की क्षति की गयी है । बिना रायल्टी की कटौती किये ही क्रय मुल्यों का भुगतान करके खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी है। क्षतिपूर्ति एवं प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर –86</u>

वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में निर्माण प्रमाणकों पर वैट अवधारित नही किया गया है। प्राप्त निर्माण कार्य फाइलो की सामग्री रुपये 27,87,551/–पर 4 प्रतिशत की दर से रुपये 1,11,502/– रुपये वैट अवधारित किया जाता है। इसे जमा न करके शासकीय राजस्व की हानि की गयी है। इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम बाबु

त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री सुमन कुमार दास संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

13. क्षेत्र पंचायत – हरहुआ वर्ष 2010–11

प्रस्तर – 87

राज्य वित्त के अर्न्तगत ग्राम पंचायत शिवरामपुर में अखिलेश सिंह के मकान में अनूप सिंह के मकान तक एवं वीरेन्द्र सिंह के मकान के पीछे से विपिन सिंह के घर तक खंडजा निर्माण का प्राकलन श्री अनिल मिश्र अवर अभियंता द्वारा निम्न प्रकार द्वारा प्रस्तुत किया गया –

कुल खंडजा कार्य 425,47 वर्ग मी, के लिए

ईट की मात्रा 25200 नग दर 3600,00रु0 प्रति हजार 90720,00रु0

मिट्टी की मात्रा 120,14घ,मी, दर 71 रु0 प्रति घन मी, 8529,00रु0 (2 कि,मी,दूरी से ढलान)

श्रमांश 120,14 घ,मी, ×दर 41,40रु0 प्रति घन, 4973,79

425,47वर्ग मी, ×दर 26,00 रु0 प्रति वर्ग मी,11062,22

साइन बोर्ड तथा फोटो 4000,00

योग 119285,01

उपरोक्त कार्य के प्राक्लन के सापेक्ष निम्न व्यय दर्शित किया गया है।

ईट क्रय	दर	बिल/दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि	निर्गत चेक	दिनांक
12000 नग	3600,00/ह0	151/11,06,2010	श्री मार्का ईट उद्योग कांकलपुर डिहवा कोहासी चोलापुर वाराणसी।	43200,00	0023953	11,06.10
202,730मी0 खडंजा निर्माण		मस्टररोल 13,12,2010 से 19.12.2010		7340.00	0023953	11.6.10
			योग	50540,00		

उपरोक्त व्यय के सम्बंध में निम्नलिखित आपत्तियां है।

क– क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण कार्य प्रस्ताव की पुष्टि नही की जा सकी।

ख– ईट क्रय के लिए कोटेशन नही लिया गया है, जबकि न्यूनतम तीन कोटेशन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

ग– ईट क्रय 11,06,2010 को किया गया है। कार्य 13,12,2010 से 19,12,2010 में कराया गया है क्रय ईट का लेखा स्टाक पंजिका में नही कराया गया है। लगभग 6 माह तक ईट किसके संरक्षण में रहा स्पष्ट नही है।

घ– श्री मार्का ईट उद्योग कांकलपुर डिहवां कोहासी चोलापुर वाराणसी को ईट क्रय का भुगतान चेक सं0 0023953 दिनांक 11,06,2010 को किया गया। चेक एकान्ट पेयी था या वियरर बैंक पासबुक /बैक स्टेटमेंट के अभाव में अपुष्ट है।

ङ– प्राक्लन में श्री अनिल मिश्रा द्वारा मिट्टी का ढुलान 2 किलो मीटर दूर से दर्शित किया गया है जबकि कार्य होने के समय (माप पुस्तिका में) मिट्टी प्राप्त 30 मी,तथा 1,5मी, से दर्शित किया गया है ऐसा प्रतीत होता है कि ईट क्रय की धनराशि से समायोजन के लिए माप की गई है। एम,वी तथा प्राक्लन के मध्य अन्तर है।

च– कार्य किस कारण से आगे नही किया गया है, इसके सम्बध में कार्य के पत्रावली फाइल में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नही है।

छ– कार्य की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी कार्य के पत्रावली में संलग्न नही है।

उपरोक्त के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुचतें है कि उपरोक्त कार्य हुआ ही नही है बल्कि उपरोक्त व्यय प्रमाणक फर्जी दर्शाकर रु0 50540,00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अवधेश कुमार सिंह (स0वि0अ0सहकारिता) श्री अनिल कुमार मिश्र (अवर अभियंता), श्री राम वावू त्रिपाठी (खण्ड विकास अधिकारी),श्री सुमन कुमार दास (ज्येष्ठ लेखाकार) तथा श्रीमती सरोज सिंह (ब्लाक प्रमुख/क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष) से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 88

वर्ष 2010–11 में राज्य वित्त के अर्न्तगत निम्नलिखित चेकों के माध्यम से निम्नलिखित व्यक्तियों को निम्न प्रकार धनराशि दिया गया है।

दिनांक	चेक सं0	धनराशि	सम्बधित विव0/प्राप्तकर्ता
1– 01,04,2010	023939	3000,00	श्रीमती सरोज सिंह/क्षे,पं,अ,
2–05,04,2010	023941	3500,00	वी,पी,पी,इन्डस्ट्री सोयेपुर
3–05,04,2010	023942	3500,00	वी,पी,पी,इन्डस्ट्री सोयेपुर
4–05,04,2010	023943	3500,00	वी,पी,पी,इन्डस्ट्री सोयेपुर
5–03,11,2010	023969	21000,00	श्रीमती सरोज सिंह/क्षे,पं,अ,
6–04,03,2011	023971	12000,00	श्रीमती सरोज सिंह/क्षे,पं,अ,
	योग	**46500,00**	

कुल 46500,00 रु0 का चेक सम्बधित व्यक्ति/फर्म को किस उद्देश्य अथवा किस कार्य हेतु दिया गया है व्यय प्रमाणक के अभाव में अपुष्ट तथा अप्रमाणित है। 46500,00रु0 की ब्याज सहित वसूली व्यय प्रमाणक के अभाव में श्री राम वावू त्रिपाठी (खण्ड विकास अधिकारी),श्री सुमन दास (ज्येष्ठ लेखाकार) तथा श्रीमती सरोज सिंह (व्लाक प्रमुख /क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष) से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 89

वर्ष 2010–11 में वारहवां वित्त के अर्न्तगत चेको के माध्यम से निम्नलिखित व्यक्तियों को निम्न प्रकार धनराशि दिया गया है। (ग्राण्ट रजिस्टर 2 के अनुसार)

दिनांक	चेक सं0	धनराशि	सम्बधित विव0/प्राप्तकर्ता
1–03,04,2010	023940	8160,00	श्री अवधेश कुमार,सिंह (स0 वि0अ0 सहकारिता)
2–05,04,2010	023944	3500,00	वी0पी0पी0इन्डस्ट्री सोयेपुर
3–05,04,2010	023945	3500,00	वी0पी0पी0इन्डस्ट्री सोयेपुर
4–22,04,2010	023946	3500,00	वी0पी0पी0इन्डस्ट्री सोयेपुर
	योग	18660,00	

कुल 46500,00 रु0 का चेक सम्बधित व्यक्ति/फर्म को किस उद्देश्य अथवा किस कार्य हेतु दिया गया है व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण स्पष्ट नही है। व्यय धनराशि रु018660 व्यय प्रमाणक के अभाव में अपुष्ट तथा अप्रमाणित है। 18660,00 रु0 की ब्याज सहित वसूली व्यय प्रमाणक के अभाव में श्री राम वावू त्रिपाठी (खण्ड विकास अधिकारी), श्री सुमन कुमार दास (ज्येष्ठ लेखाकार) तथा श्रीमती सरोज सिंह (व्लाक प्रमुख/क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष) से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 90

वित्तीय वर्ष 2010–11 में दिनांक 06,10,2010 को पंचायत निर्वाचन 2010 के वुथ निर्माण हेतु अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) प्रभारी अधिकारी पंचस्थानी चुनावालय वाराणसी से रु0 31300,00 प्राप्त हुआ जिसकी पुष्टि ग्राण्ट रजिस्टर 01 तथा ग्राण्ट रजिस्टर 03 से किया गया । ग्राण्ट रजिस्टर 03 मे 25040,00रु0 व्यय दर्शित किया गया है। ग्राण्ट रजिस्टर 02 के अनुसार दिनांक 07,01,2010 को रु0 25040,00 चेक सं0 008573 से श्री मृत्युजंय सिंह कैशियर को भुगतान किया गया है। ग्राण्ट रजिस्टर 02 से यह स्पष्ट नही है कि श्री मृत्युजय सिंह कैशियर किस कार्य हेतु धनराशि 25040,00 रु0प्रदान किया गया है श्री मृत्युजय सिंह कैशियर द्वारा व्यय धनराशि 25040,00 रु0 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिससे व्यय धनराशि 25040,00 रु0 अपुष्ट तथा अप्रमाणित है। 25040,00 रु0की ब्याज सहित वसूली व्यय प्रमाणक के अभाव में श्री मृत्युजय सिंह कैशियर से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 91

वित्तीय वर्ष 2010–11 में दिनांक 06,10,2010 को पंचायत निर्वाचन 2010 के मतगणना कार्मिको के हल्का नास्ता हेतु अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) प्रभारी अधिकारी पंचस्थानी चुनावालय वाराणसी से रु0 43000,00प्राप्त हुआ ,जिसकी पुष्टि ग्राण्ट रजिस्टर 01 तथा ग्राण्ट रजिस्टर 03 से किया गया। ग्राण्ट रजिस्टर 03 में 43000,00 रु0 व्यय दर्शित किया गया है।ग्राण्ट रजिस्टर 02 के अवलोकन में पाया गया कि श्री हरिशंकर सिंह (सहायक विकास अधिकारी पंचायत) को चेक सं0 008575 दिनांक 28,10,2010, 008577 दिनांक 28,01,2011 तथा 008589 दिनांक 30,01,2011 से क्रमशः 28800,00रु0, 12800,00रु0 तथा 1400,00रु0 कुल 43000,00रु0 दिया गया। श्री हरिशंकर सिंह (सहायक विकास अधिकारी पंचायत)द्वारा व्यय धनराशि 43000,00 रु0 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे व्यय धनराशि 43000,00 रु0 अपुष्ट तथा अप्रमाणित है। 43000,00 रु0 की ब्याज सहित वसूली व्यय प्रमाणक के अभाव में श्री हरिशंकर सिंह (सहायक विकास अधिकारी पंचायत) से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 92

वित्तीय वर्ष 2010–11 में विधायक निधि में 3221000,00 रु0 प्राप्त हुआ तथा इस वर्ष में गत वर्ष का अवशेष 2816550,00रु0 कुल 6037550,00 रु0 था। कुल 6037550,00रु के सापेक्ष वर्ष 2010–11 में 5538788,00रु0 व्यय ग्राण्ट रजिस्टर 3 में दर्शित है। व्यय धनराशि 5538788,00 रु0 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अपुष्ट व्यय धनराशि 5538788,00 रु0 के लिए श्री राम वावू त्रिपाठी (खण्ड विकास अधिकारी),श्री सुमन दास (ज्येष्ठ लेखाकार) तथा श्रीमती सरोज सिंह (व्लाक प्रमुख/क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष)संयुक्त रुप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 93

वित्तीय वर्ष 2010–11 में पूर्वांचल निधि में 116000.00 रू प्राप्त हुआ तथा इस मद में गत वर्ष का अवशेष 1562691.00 रू कुल 1678691.00 रू था। कुल 1678691,00 रु0 था। कुल 1678691,00 रु0 के सापेक्ष वर्ष 2010–11 में 1678691,00 रु0 व्यय ग्रान्ट रजिस्टर 3 में दर्शित है। व्यय धनराशि 1678691,00 रु0 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अपुष्ट व्यय धनराशि 1678691,00 रु0 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त

रहा। अपुष्ट व्यय धनराशि 1678691,00 रु0 के लिए श्री राम बाबू त्रिपाठी (खण्ड विकास अधिकारी), श्री सुमन कुमार दास (ज्येष्ठ लेखाकार) तथा श्रीमती सरोज सिंह (व्लाक प्रमुख/क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष)संयुक्त रुप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 94

अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) प्रभारी अधिकारी पंचस्थानी चुनावालय वाराणसी से निर्वाचन नामावली/संगणक/पर्यवेक्षक हेतु मानदेह मद में रू0 50154.00 वर्ष 2010–11 मे पम्रप्त हुआ है जिसकी पुष्टि ग्रांट रजिस्टर 3 से तथा ग्रांट रजिस्टर 1 से होता है। ग्रांट रजिस्टर 2 के जांच में पाया गया कि विभिन्न चेकों के माध्यम से संगणक तथा पर्यवेक्षकों कों रू0 50154.00 वितरित किया गया है। वितरण उपरांत संगणक तथा पर्यवेक्षकों से ली गयी प्राप्तियों व्यय धनराशि की पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नही किया गया। व्यय धनराशि 50154.00रू0 अपुष्ट तथा अप्रमाणित है। 50154.00रू0 की ब्याज सहित वसूली व्यय प्रमाणक के अभाव में श्री राम बाबू त्रिपाठी(खण्ड विकास अधिकारी), श्री सुमन कुमार दास(ज्येष्ठ लेखाकार) तथा श्री मती सरोज सिंह (ब्लाक प्रमुख/क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष) से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 95

पंचायत निर्वाचन से प्राप्त जमानत व नामाकंन मद में 1897900.00 रू0 प्राप्त हुआ है जिसकी पुष्टि ग्रांट रजिस्टर 3 से होती है। प्राप्त धनराशि रू0 1897900.00 वर्ष दौरान व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि ग्रांट रजिस्टर 3 से होती है। लेखा परीक्षा के समय व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। अपुष्ट व्यय धनराशि 1897900.00 रू0 के लिए संयुक्त रूप से श्री राम बाबू त्रिपाठी (खण्ड विकास अधिकारी) जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 96

ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2010–11 में रांयल्टी 9692.00 रू0 प्राप्त हुआ और प्राप्त धनराशि को व्यय दर्शित किया गया है। व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिससे स्पष्ट नही हो सका कि रांयल्टी की धनराशि किस मद में व्यय का गयी, साथ ही साथ यह भी स्पष्ट नही हो सका कि रांयल्टी की धनराशि रू0 9662.00 को राजकीय कोषागार में जमा किया गया अथवा नही। राजकीय कोषागार में जमा न होने की स्थिति में व्यय धनराशि के लिए श्री राम बाबू त्रिपाठी(खण्ड विकास अधिकारी) , श्री सुमन कुमार दास (ज्येष्ठ लेखाकार) संयुक्त रू‍प से जिम्मेदार है।

प्रस्तर – 97

वित्तीय वर्ष 2010–11 में दिनांक 01.04.2010 को व्याज मद में रू0 242971.00 प्रारम्भिक अवशेष था। वर्ष में विभिन्न योजनार्न्तगत संचालित खातों में प्राप्त व्याज से कुल आय रु0 193072,00 था। वर्ष 2010–11 में व्याज मद में कुल 436043,00 रु0 व्यय दर्शित किया गया। इस प्रकार 31,03,2011 को व्याज मद में 393510,10 रु0 अवशेष रहा। व्यय धनराशि रु042532,90 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा तथा यह भी स्पष्ट नही हो सका कि व्यय धनराशि रु042532,90 के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गयी अथवा नही। व्यय धनराशि रु0 42532,90 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर आगामी लेखा परीक्षा में पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के स्थिति में रु042532,90 की वसूली श्री राम वावू त्रिपाठी (खण्ड विकास अधिकारी), श्री सुमन कुमार दास (ज्येष्ठ लेखाकार)तथा श्रीमती सरोज सिंह (व्लाक प्रमुख/क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष) से अपेक्षित है।

शेष धनराशि 393541,10 रु0 को सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सम्बधित योजनाओं में न तो व्यय किया गया और न ही अर्जित व्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार के निर्धारित शीर्ष में जमा किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

14. क्षेत्र पंचायत – चोलापुर वर्ष 2014–15 से 2015–16

प्रस्तर – 98

संस्था के अभिलेखों के अनुसार राज्य वित्त और तेरहवां वित्त में दिनांक 31–03–2015 अवशेष धनराशि क्रमशः 4229002.00 और 3527531.00 ग्रांट रजिस्टर त्तीय में दर्शित पाया गया।

कुल धनराशि रू0 7756533.00 अवशेष से स्पष्ट है कि प्राप्त अनुदान का सम्यक, उपभोग का अभाव रहा जिससे शासन की अपेंक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य नही हो सका। नियमानुसार वर्षान्त तक समस्त धनराशि क्षेत्र के समग्र विकास हेतु उपभोग कर लिया जाना चाहिए था जिससे विकास की अवधारणा गति प्राप्त कर सके, अन्यथा वापस किया जाना अनिवार्य था, परन्तु वर्ष प्राति वर्ष राजकीय धनराशि रोककर बिना अनुमति के धनराशि का अनाधिकृत रूप से उपभोग कर अनियमितता किया गया अतः खण्ड विकास अधिकारी रमेश कुमार यादव ,ब्लाक प्रमुख श्रीमती राजदेई देवी और लेखाकार विनय कुमार मिश्रा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 99

संस्था द्वारा वर्ष 2014–15 में रू0 56808.00 टी0डी0एस0 की कटौती उपलब्ध अनुदान पंजिका के अनुसार किया गया दर्शित है दिनांक 31.03.2015 तक उक्त शीर्ष की धनराशि को राजकोष में जमाकर लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु चालान की प्रमाणित प्रति बैक पासबुक आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य था परन्तु उक्त शीर्ष की धनराशि वर्षान्त तक

अवशेष दर्शाकर अनियमितता किया गया अतः जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 100

संस्था के अर्जित आय के रूप में विभिन्न मदों से प्राप्त बैक से ब्याज जो राजकीय आय का स्रोत माना जाता है दिनांक 01.04.2014 को इस मद में प्रारम्भिक अवशेष की धनराशि रू0 229504.53 ग्रांट रजि0 तृतीय में दर्शित पाया गया वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस शीर्ष में विभिन्न मदों से रू0 31756.00 का ब्याज प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि कुल 261260.53 की धनराशि में 261260.00 धनराशि का व्यय अभिलेखो में दर्शित है।

नियमानुसार ब्याज मद की धनराशि राजकीय आय के रूप में राजकोष में जमा करके पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है परन्तु रू0 261260.00 की ब्याज की धनराशि का सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना अनियमित रूप से व्यय किया गया जो नियमों के विपरीत है। जबकि नियमानुसार शासन को वापस कर नियमों के विपरीत है। जबकि नियमानुसार शासन को वापस कर दी जानी चाहिये। इस प्रकार ब्याज का व्यय दर्शाकर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 101

अनुदान पंजिका भाग तृतीय के अनुसार जमानत एवं निविदा की धनाराशि में माह दिसम्बर 2014 में रू0 115462.00 आमद अर्शित है,उक्त ग्रांट रजिस्टर के अनुसार ही मार्च 2015 में रू0 100000.00 व्यय दर्शित है।

उल्लेखनीय है कि जमानत की धनराशि को निविदा प्रपत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि के साथ अंकित करना भ्रामक स्थिति उत्पन्न है क्योकि जमानत की धनराशि जिससे जमानत प्राप्त किया जाता है उसे निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद वापस कर दिया जाता है जबकि निविदा प्रपत्रों की धनराशि बिक्री से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाता है।

पुन उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014–15 में निविदा बिक्री प्रपत्रों से आय 115462.00 हुई इसके पूर्व एवं बाद में ग्रांट रजि0 द्वितीय में कोई आय निविदा बिक्री प्रपत्रों से दर्शित नही है वर्षान्त में 15462.00 ग्रांट रजि0 तृतीय में अवशेष दर्शाया गया है। माह दिसम्बर में रू0 115462.00 में 100000.00 रू0 का व्यय किन–किन तिथियों को किस–किस मद में व्यय किया गया विवाण अप्राप्त रहा, व्यय प्रमाणक के अभाव में धनराशि अपुष्ट व अप्रमाणित रही। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 102

संस्था द्वारा वर्ष 2014–15 मे इन्दिरा आवास मद में रू0 79950.00 प्राप्त किया जाता है विकास के आवासीय आयाम में आवास हेतु 78750 लाभार्थियों को वितरण किया गया परन्तु दौरान लेखा परीक्षा किन–किन लाभार्थियों एवं कितने लाभार्थियों को किन–किन चेकों से कितनी–कितनी धनराशि वितरण की गयी सूची अप्राप्त रही अतः दर्शित भुगतान सम्प्रेषण में अपुष्ट एवं अप्रमाणित होने के साथ–साथ वसूली योग्य है। संस्था के बी0डी0ओ0 रमेश यादव एवं लेखाकार विनय कुमार मिश्रा से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर – 103

संस्था द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को बढावा देने के लिए प्रयास किया गया जिसके अन्तर्गत 01.04.2014 को प्रा0 अवशेष 11500.00 रहा।

वर्ष 2014–15 में इस शीर्ष में कोई आय हई। अतः वित्तीय वर्ष में 11500.00 का उपभोग कर लिया गया परन्तु लेखा परीक्षा में लाभार्थियों का व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। अतः भुगतान की राशि अपुष्ट व अप्रमाणित रही जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2015–16

प्रस्तर – 104

संस्था के अभिलेखों के अनुसार राज्य वित्त और तेरहवां वित्त और सांसद निधि में दिनांक 31.03.2016 को अवशेष अनुदान क्रमशः 4247552.00, 408.00 और 127724.00 दर्शित पाया गया।

कुल धनराशि रू0 4375884.00 अवशेष से स्पष्ट है कि प्राप्त अनुदान का सम्यक उपभोग का अभाव रहा जिससे शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य नही हो सका। नियमानुसार वर्षान्त तक समस्त धनराशि क्षेत्र के समग्र विकास हेतु उपयोग कर लिया जाना चाहिये था जिससे विकास की अवधारणा गति प्राप्त कर सके, अन्यथा की स्थिति में शासन की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वापस करना अनिवार्य था, परन्तु वर्ष प्रतिवर्ष राजकीय धनराशि रोककर बिना अनुमति के धनराशि का अनाधिकृत रूप से उपभोग कर अनियमितता किया गया अतः खण्ड विकास अधिकारी रमेश कुमार यादव और लेखाकार विनय कुमार मिश्रा ब्लाक प्रमुख श्रीमती राजदेई उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 105

क्षेत्र पंचायत चोलापुर वर्ष 2015716 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त की धनराशि से कराये गये निर्माण कार्य में निर्धारित व्यवस्था को अनुरूप सुसंगत प्रक्रिया का पालन कहीं कहीं लेखा परीक्षा में देखने को नही मिला।

वर्ष 2015–16 में कुल 19 निर्माण कार्यो के पत्रावलियों के समग्र अवलोकन से संस्था के कुछ निर्माण कार्यो का प्रमुख फोकस निम्न है जिससे यह दर्शित होता है कि संस्था के सभी निर्माण प्रक्रिया इसी शैली की सम्भावना के विपरीत नही होंगे।

उल्लेखनीय है कि संस्था के वषर्स 2015–16 के निर्माण पत्रावलियों में प्रक्कलन राशि संलग्न नही है।

कही कार्य प्रस्ताव व कार्य योजना नही देखने को मिला कही कार्य पूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र नही है।

सामग्री व श्रम की डिमांड राशि पत्र व प्रभारी का तिथि सहित हस्ताक्षर नही है।

निर्माण कार्यो पर एम0 बी0 के लिए कौन घोषित रुप से आदेशित है यह देखने लायक को नही मिला।

संस्था को निर्माण कार्य हेतु आंवटित कार्यो की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहा।

शासनादेश संख्या 3891/77–5–2002 दिनांक 05 अगस्त 2002 एवं 4951 (11) 77 –57506/06 दिनांक 15,102006 एवं तत्सम्बधी अन्य शासनादेशों में यह व्यवस्था है कि निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजो यथा गिट्टी मोरंग बालू मिट्टी आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरुप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति एवं सामग्री परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु वैध खन्ना (एम,एम,–11) प्राप्त कर लिया जाय/तत्पश्चात ही भुगतान किये जाय। किन्तु न रायल्टी जमा का ट्रेजरी चालान और नही वैध खन्ना प्रस्तुत किया गया। जो आपत्तिजनक है। इस प्रकार किया गया व्यय अनियमित है। वैधानिक की जानी अपेक्षित है।

संस्था के निर्माण कार्यो में प्रमुख आपत्ति यह है कि वित्त आयोग की धनराशि से बनाया गया खड़न्जा व इन्टरलॉकिंग आदि की सड़क में प्रयुक्त ईटो का आदेश को न ध्यान देकर मनमाना प्रकिया का पालन किया है जबकि शासनादेश के अनुसार ईटो का कय भट्ठा से किया जायेगा। ईट आपूर्ति हेतु सामग्री आपूर्ति आदेश फिर निकासी चालान बिल सामग्री प्राप्त संख्या गुणवत्ता फिर स्टाक पंजिका में आमद फिर बिल पर पेड कैसिल फिर भुगतान आदेश फिर आदेश निगमन और भुगतान प्राप्ति रसीद कुछ काम इस तरह से है जो सभी निर्माण कार्यो की सम्भावना के विपरीत होगें ग्राम पंचायत छीतमपुर, बाबतपुर, चौबेपुर, बाबतपुर मार्ग से जीउत के खेत तक खड़न्जा कार्य ल0 X चौड़ाई 400 X 2 60510 ईट 369111 रुपया की धनराशि अनियमितता है।

वाराणसी आजमगढ़ मार्ग से चौबेपुर हस्तकरधा विकास समिति खड़न्जा निर्माण 326X 3 57782 ईट 352470 रु0 की धनराशि अनियमितता की गयी है।

ग्राम पंचायत धौरहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से राम अवतार सिंह के घर इंटरलाकिंग 80 X 3 29382 ईट59727 की अनियमितता दर्शित रही। कुल 781308/– की धनराशि अनियमितता के सापेक्ष सभी निर्माण कार्यो पर कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 106

संस्था द्वारा वर्ष 2015–16 में रु0 471005,00 टी0डी0एस0 की कटौती उपलब्ध अनुदान पंजिका के अनुसार किया गया गत वर्ष का अवशेष 56808 कुल धनराशि 527813,00 में चालान की प्रमाणित प्रति ,बैक पासबुक स्टेटमेंन्ट तथा जिन चेको से टी0डी0एस0 का भुगतान किया गया उनका काउन्टर फाइल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे दर्शित जमा की पुष्टि अपुष्ट रही।

अतः वित्तिय अनियमितता की स्थिति से इनकार नही किया जा सकता आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 107

क्षेत्र पंचायत चोलापुर वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में कराये गये निर्माण कार्यो में मजदूरों एवं उनकी मजदूरी निर्धारित व्यवस्था के प्रतिकूल दर्शित रहा।

प्रत्येक निर्माण में क्षेत्र के अलग अलग बेरोजगार मजदूरों का उपयोग अनिवार्य होता है। परन्तु एक टीम वर्क के अनुसार कभी निर्माण कार्यो में एक ही मजदूर मस्टर रोल में दर्शित रहा।

वर्ष 2015–16 में कार्य कराये गये निर्माण कार्यो के मास्टर रोल पर कमांक अंकित नही पाया गया।

1– जरियारी में पीच रोड से आत्मा तिवारी के घर होते हुए लालचन्द्र यादव के घर तक खड़न्जा कुल धनराशि 67800,00 की मजदूरी।

2– कटारी में अनुराग यादव के घर से पीच रोड तक इन्टरलॉकिग कुल नारी 58300,00 की मजदूरी।

3– बथराखुर्द में हंडियाडीह सरहद से गणेश के घर तक खडंजा कार्य कुल धनराशि 65600,00 रुपये की मजदूरी ।

4– परानापुर से घौरहरा कादीपुर से मार्ग से छोटेलाल के घर तक खड़जा कार्य कुल धनराशि 16000,00 रुपया।

5– रौनाखुर्द में पहड़िया रोड से यादव बस्ती तक खड़न्जा कार्य कुल धनराशि 153800,00 उल्लेखनीय है कि कुल धनराशि 361500,00 की मजदूरी भुगतान मास्टर रोल पर बिना अवधि के अनियमित रुप से भुगतान दर्शित रहा जिससे स्पष्ट होता है कि कार्य अनियमित है एवं भुगतान अनियमित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 108

संस्था के अर्जित आय के रूप में विभिन्न मदों से बैक से प्राप्त ब्याज जो राजकीय आय माना जाता है। वर्ष 2015–16 में इसे शीर्ष में .53 प्रा0 अवशेष दर्शित रहा वित्तीय वर्ष में इसमें रू0 421451.00 का ब्याज प्राप्त होता है जिसे 31.3.2016 तक राजकोष में जमा करने का प्रावधान है और पत्रावलियों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाता है परन्तु वर्ष भर उक्त धनराशि को सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना रोक रखना निर्धारित व्यवस्था के प्रतिकूल

रोककर अनियमितता की गयी है जबकि नियमानुसार शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

15. क्षेत्र पंचायत – चोलापुर **वर्ष 2016–17**

प्रस्तर – 109

मस्टर रोल एवं अन्य प्रमाणकों का भुगतान कार्य प्रभारियों को

वर्ष 2016–17 में निर्माण कार्यो पर संलग्न तालिका 1 एवं 2 के अनुसार अंकन 1303221.00रू0 मजदूरी/श्रमांश एवं अन्य मदों पर भुगतान दर्शित करते हुए वास्तव में मजदूरों को मस्टर रोल के अनुसार भुगतान रू0 1154334, मिट्टी क्रय रू0 84163 (सोमनाथ मौर्य से रू0 2693, विजय यादव, बबियांव से रू0 20790, श्री शिवानन्द पाण्डेय मुनारी से रू0 13773, सेचन यादव, धरसौना से रू0 37377 एवं पवन चौबे, श्रीकण्ठ पुर से रू0 8370), साइन बोर्ड बनवाने पर रू0 23000 (अमन बिल्डिंग मैटिरियल्स), फोटोग्राफी का भुगतान रू0 4500 (लक्ष्मी प्रिन्टर्स), खच्चर से ईट ढुलाई का भुगतान रू0 10875 (श्री मेवालाल, लक्ष्मीसेनपुर) एवं उपरोक्त फुटनोट–1 के अनुसार भुगतान रू0 26349 सम्बन्धित पक्षों सीधे उनके बैक खातों में न करके कार्य प्रभारियों को उपरोक्त तालिका 2 में अंकित विभिन्न बीयरर चेकों के माध्यम से निम्न विवरणानुसार किया गया है–

क्रम सं0	कार्य प्रभारी का नाम व पद जिसको भुगतान किया गया	भुगतान की गयी धनराशि
1	श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव (ए0डी0ओ0)	384740
2	श्री अशोक कुमार राजभर ग्रा0पंचा0अधि0	59800
3	श्री अनिल कुमार ग्रा0पंचा0अधि0	173946
4	श्री सुशील कुमार सिंह पदनाम बोरिंग टेक्नीशियन	263215
5	श्री रतन शंकर पाण्डेय ग्रा0वि0अधि0	161854
6	श्री परमानन्द ग्रा0पचा0अधि0	124866
7	श्री श्याम बाबू दोहरे (ए0डी0ओ0)	106400
8	श्री कृष्ण मुरारी चतुर्वेदी स0वि0अ0	28400
	योग–	**1303221**

पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नही है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नही है। और जो अगूंठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नही है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नही है। मस्टर रोल पर उक्त सूचनाओं का स्पष्ट उल्लेख कराया जाना चाहिए। इन्हीं मस्टर रोलों में दर्शित मजदूरों के भुगतान मजदूरों के खाते में न करके कार्य प्रभारियों को बीयरर चेक के माध्यम से कर धनराशि का दुरूपयोग किया गया है जबकि भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए था। इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 110

मिट्टी क्रय पर रायल्टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति

वर्ष 2016–17 में सादे पन्ने पर रसीद लिख कर निम्न विवरण के अनुसार मिट्टी क्रय भुगतान दर्शित कर भुगतान किया गया है–

कार्य का नाम	मिट्टी की मात्रा (घ0मी0)
1– ग्रा0पं0 नियारडीह में नियार धरसौना मार्ग से सवरू मौर्या के घर तक इण्टरलांकिंग कार्य	33.25
2– ग्राम पंचायत कटारी में कटारी खरदहा मार्ग से मां बनसत्ती मन्दिर तक इन्टरलाकिंग कार्य	148,50
3– ग्राम पंचायत मुनारी में लाल जी शर्मा के घर से नाला तक हयूम पाइप नाली निर्माण व खड़न्जा मरम्मत कार्य (अवशेष कार्य 2014–15)	101,57
4– ग्राम पंचायत धरसौना में ताड़ी पिच रोड़ से खिलाड़ीराम के घर से नाला तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण (अवशेष कार्य 2014–15)	126,75
5– ग्राम पंचायत लक्ष्मीशेनपुर में शोभा यादव के घर से मेवा सोनकर के घर तक खड़न्जा कार्य	107,31
योग	**517,38**

उपरोक्तानुसार वर्ष 2016–17 में 517,38 घन मी0 मिट्टी क्रय किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 15521,40 रायल्अी काटी जानी चाहिए। रायल्अी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार /कार्य प्रभारी से नियमानुसार पेनाल्टी सहित करायी जानी

अपेक्षित है। इस गम्भीर अनियमितता के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 111

शासनादेश संख्या ए –1–122/दस–2012–10 (33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैक में रखकर व्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित व्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशो के विपरीत है। किन्तु वर्ष 2016–17 में अनुदान पंजी के अनुसार शासकीय अनुदानों पर रु0 168816,25 व्याज कमाया गया है। गत वर्ष तक कमाया गया व्याज रु0 421451,53 था। इस प्रकार दिनांक 31,03,17 को कुल व्याज रु0 590267,78 जमा रहा। जिसे राज्य कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए । व्याज की धनराशि अनियमित रुप से रोके जाने के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –112

लेखा परीक्षा वर्ष में क्षेत्र पंचायत टेण्डर प्रपत्र बिक्री से आय रु015392 दर्शित है किन्तु सम्बन्धित रसीद बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही जिससे आय की पुष्टि की जा सके। रसीद बुक लेखा पर्रीक्षा में प्रस्तुत कर प्रष्टि कराया जाना अपेक्षित है। इस मद में गत वर्षो की आय रु0 15462 अवशेष था इस प्रकार मद कुल रु0 30854 उपलब्ध था जिसमें से निम्न विवरणानुसार रु0 29121 व्यय दर्शित है।

चेक सं0/दिनांक	नाम व पद प्राप्तकर्ता	मद	धनराशि	अभ्युक्ति
691906/28,12,16	श्री मृत्युजय सिंह कार्या0 सहायक	कार्यालय व्यय (स्टेशनरी इत्यादि)	9130,00	–
691908/02,01,17	प्रेमचन्द्र वाहन चालक	वाहन किराया	18000,00	31,03,17 तक आहरित नही
691911/20,03,17	श्री मृत्युजय सिंह कार्या0 सहायक	विज्ञापन (दैनिक हिन्दुस्तान)	1991,00	–
		योग	**29121,00**	

उपरोक्त व्ययो से सम्बधित पत्रावली/कैश मेमो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही जिस कारण व्यय दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 113

आयकर , व्यापारकर , लेबर सेस का समय जमा न किया जाना /कम जमा किया जाना –

वर्ष 2016–17 में निम्न विवरण आपूर्तिकर्ताओं के बिल पर आयकर व्यापारकर और लेबर सेस की कटौती एवं जमा की गयी है।

क्र0सं0	मद	कटौती की धनराशि	जमा की गई राशि	कम जमा (अन्तर)
1,	व्यापारकर	236051,00	225742,00	10309,00
2,	आयकर	118623,00	113479,00	5144,00
3,	लेबर सेस	59311,00	–	59311,00
	योग	**413985,00**	**339221,00**	**74764,00**

उपरोक्त कटौतियां माह जून 2016 से मार्च 2017 तक की गयी किन्तु वर्षपर्यन्त उक्त धनराशियां जमा नही की गयीं। माह मार्च 2017 में व्यापार कर मद में रु0 225742,00 एवं आयकर मद में रु0 113479,00 का चेक निर्गत किया गया किन्तु चालान द्वारा माह अप्रैल एवं जून 2017 से सम्बधित मदों में जमा किया गया। लेबरसेस की कोई भी धनराशि सम्बधित पक्ष को लेखा परीक्षा तिथि तक प्रेषित नही की गयी। उक्त धनराशियां कटौती के पश्चात मासान्त में सम्बधित पक्षों को प्रेषित की जानी चाहिए। इस प्रकार अन्तर की धनराशि रु0 74764,00 अनियमित रुप से रोके जाने के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –114

चेक संख्या 672998,00 दिनांक 16,09,10 द्वारा पूर्व ब्लाक प्रमुख श्रीमती राजदेयी देवी को ,माह दिसम्बर 2011 से माह मार्च 2016 तक (माह 2011 से माह दिसम्बर 2013 तक रु0 3000 प्रति माह की दर से एवं जनवरी 2014 से मार्च 2016 तक 7000 प्रतिमाह की दर से) मानदेय का बकाया रु0 264000का भुगतान दर्शित है। संस्था में मानदेय रजिस्टर नही रखा गया है जिसके अभाव में बकाया वास्तविक होने की पुष्टि न की जा सकी। मानदेय का भुगतान उसी वित्तिय वर्ष में अपेक्षित था जिस वर्ष यह ड्यिू हुआ। मानदेय रजिस्टर तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 115

क्षेत्र पंचायत के 138 सदस्यों (119 क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं 19 ग्राम प्रधान) को क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग लेने हेतु रु0 500 की दर से मानदेय का भुगतान कुल रु0 68000,00 अनियमित रुप से नगद किया गया है जबकि भुगतान सदस्यों के बैंक खातें में जमा किया जाना चाहिए। नगद भुगतान आपत्तिजनक रहा। जिसके प्रति तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

16. क्षेत्र पंचायत –आराजीलाईन वर्ष 2006–07 से 13–14

प्रस्तर – 116

वित्तिय वर्ष 2009–10 में पूर्वाचल विकास निधि से कचहरियां में पिचरोड़ गौड़ बस्ती तक सी0 सी0 रोड़ का निर्माण कार्य 160 मी0 स्वीकृत लागत रु0 763500,00 प्रभारी श्री दीपक शर्मा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की देखरेख में कराया गया दर्शित है जिस पर निम्न विवरण के अनुसार भुगतान किया गया दर्शित है।

क0सं0 1,	विजय बिल्डि़ग मैटेरियल	112000,00	बिल न0 1802	01,10,2009
			चेक न0 6147	05,10,2009
	,, ,, ,,	18760,00	बिल न0 1829	15,10,2009
			चेक न0 6925	13,03,2010
	,, ,, ,,	115920,00	बिल न0 6925	13,02,2010
			चेक न0 9183	13,08,2010
	जीटी,	246680,00		
2	मदन बिल्डि़ग मैटेरियल	127676,00	चेक न0 6148	05,10,2009
	,, ,, ,,	7391,00	चेक न0 6976	13,02,2010
	,, ,, ,,	114170,00	चेक न0 9184	31,08,2010
	जीटी, , ,	249237,00		
3	सुशील ब्रिक्स फील्ड	25200,00	चेक न0 6971	05,12,2009
	सिंह ईट उद्योग	20300,00	चेक न0 9185	31,08,2010
	जीटी,	45500,00		
4	प्रभारी	51400,00	चेक न0 6149	05,10,2009
		15000,00	चेक न0 69771	13,02,2010
		44000,00	चेक न0 9186	31,08,2010
	जीटी,	110400,00		
	कुल योग	**651817,00**		

1– 160 मी0 सी0 सी0 पिचरोड कार्य हेतु पहले 3,80,000,00 का स्टीमेट स्वीकृत किया गया था। जिसे रुपया 383500,00 से बढ़ाकर रुपया 763500,00 किया गया जो उचित प्रतीत नही होता। जबकि बसंतपुर बिन्द बस्ती से बनारसी के घर तक 240 मी0 सी0 सी0 रोड़ कार्य हेतु 495000,00 स्वीकृत कर कराया गया है। इस प्रकार 240 मी0 कार्य की तुलना में 763500,00 का इस्टीमेट 160 मी0 हेतु किया जाना तर्क संगत नही है।

2– खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कोई कार्यादेश जारी नही किया गया है।

3– कार्य हेतु कोई कोटेशन/टेण्डर आंमत्रित नही किया गया है।

4– प्रभारी को दर्शित भुगतान में रुपया 97400,00 मस्टर रोल से सम्बधित है। जिसके भुगतान की पुष्टि में मस्टररोल अप्राप्त रहा। शेष रुपया 13000,00 मिट्टी भुगतान हेतु दर्शित है जिसकी कोई रसीद उपलब्ध नही है और न ही उस पर रायल्टी रुपया 4171,00 की कटौती की गयी हैं।

उपरोक्त के आधार पर कार्य एवं व्यय की पुष्टि नही होती है। अतः अपुष्ट व अप्रमाणित होने के कारण समस्त भुगतान फर्जी प्रतीत होता है जिसकी क्षतिपूर्ति श्री दीपक शर्मा ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक शर्मा ,ग्राम विकास अधिकारी अनंत लाल विश्वकर्मा ,लेखाकार और श्री श्रवणकुमार राय, खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन से अपेक्षित है।

प्रस्तर – 117

वित्तिय वर्ष 2009–10 में परमानन्दपुर में पूर्वांचल विकास निधि से पिचरोड़ से जे0 एस0 पब्लिक स्कुल तक कट स्टोन कार्य (माप 140 मीटर तथा स्वीकृत लागत रुपया 2670003) प्रभारी श्री श्याम कुमार सिंह द्वारा कराया गया है जिसमें निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है।

1	मदन बिल्ड़िग मैटेरियल	64881,00	चेक न0, 6144	25,09,2009
	,, ,,	72816,00	चेक न0, 9182	31,08,2010
	योग	137697,00		
2	शशि इन्टरप्राइजेज	22974,00	चेक न0, 9188	16,11,2010
3	प्रभारी श्री श्यामबहादुर सिंह	50150,00	चेक न0, 6141	11,09,2009
		10850,00	चेक न0, 6978	13,03,2010
			एम आर नही है	
		41350,00	चेक न0, 9189	16,11,2010
		102350,00		
मिट्टी 20150+एमआर 78350,00 +रोंड़ रोलर 3850,00				
4, टेक्निकल टेस्ट हेतु टेक्निकल एसोसिएट्स को चालान न0 06979/13,02,10 द्वारा रुपया 4744,00				

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है।
1– कार्य हेतु कोई कार्यादेश जारी नही किया गया है।
2– सामान आपूर्ति हेतु कोटेशन/टेण्डर आंमत्रित नहीं किया गया है।
3– बिलों से (आपूर्तिकर्ता) टी,डी, एस, की कटौती नही की गयी है।
4– मिट्टी आपूर्ति हेतु रायल्टी रु0 6465,00 जमा नही कराया गया है।
5– टेक्निकल एसोसिएट्स को टेस्ट हेतु कोई आदेश नही दिया गया है। टेक्निकल एसोसिएट्स को टेस्ट हेतु रु0 4744,00 का भुगतान दिनांक 13,02,2010 में किया गया है। जबकि कार्य 16,11,2010 तक चला है। इस प्रकार रु0 11209 का भुगतान अनियमित है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर –118

वित्तिय वर्ष 2009–10 में पूर्वांचल विकास निधि के अंतर्गत वाराणसी भदोही रोड़ से गोपालपुर हरिजनबस्ती /मौर्य बस्ती तक सोलिंग कार्य 485 मी0 स्वीकृत लागत 795000,00 में श्री दीपक कुमार शर्मा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कराया गया है जिस पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है।

1	सुशील ब्रिकफिल्ड	चेक न0, 6142	25,09,2009	175000,00
	,, ,, ,,	चेक न0, 6145	05,10,2009	129500,00
	,, ,, ,,	चेक न0, 6987	22,07,2010	175000,00
	,, ,, ,,	चेक न0, 6189	03,08,2010	77000,00
			योग	656500,00
2	सिंह ईट	चेक न0, 9181	18,082010	49000,00
3	प्रभारी श्री दीपक कुमार शर्मा	चेक न0, 6143	25,09,2009	49000,00
	एमआर/मिट्टी			
	22500/48750	चेक न0, 6146	05,07,2009	17850,00
	17850 –	चेक न0, 6935	22,07,2010	73500,00

	73500 –	चेक न0, 6985	22,07,2010	73500,00
	25100	चेक न0, 6990	18,08,2010	25100,00
			योग –	188700,00
			कुल योग–	**893200,00**

उक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है।

1– सोलिंग कार्य हेतु स्वीकृत लागत रुपया 795000,00 के स्थान पर रुपया 893200,00 का भुगतान हुआ है जो रुपया 98200,00 से अधिक है। बिना कारण के स्वीकृत लागत से अधिक व्यय किया जाना उचित नही है। जिसकी क्षतिपूर्ति श्री दीपक कुमार शर्मा से अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर – 119</u>

वित्तिय वर्ष 2009–10 में राज्यवित्त योजना के अर्न्तगत वाराणसी मूंगवार से बहादुर यादव के घर से संजय के घर तक सोलिंग कार्य हेतु (रुपया 118000,00 स्वाकृति) दीपक शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व ए0 के0 राय जे0 ई0 आर0 इ0एस0 को कार्यप्रभारी बनाया गया।

सोलिंग कार्य हेतु निम्न व्यय दर्शित है।

1–सुशीलब्रिकफिल्ड से ईटक्रय चालान नं,5815/9 रु0 64900,00

2– दीपक शर्मा चालान नं, 5814/9,06,2009 रु0 27350,00

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ है।

1– मस्टर रोल पर मलदूरों का नाम व हस्ताक्षर नही पाया गया जिससे स्पष्ट है कि फर्जी मस्टर रोल तैयार किया गया।

2– क्रय ईट और मजदूरी का अनुपात भी उचित प्रतीत नहीं होता है।

3– स्टाक रजिस्टर एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नही कराया गया।

इस प्रकार दर्शित सम्पूर्ण व्यय रुपया 92250,00 अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा। जिसकी क्षतिपूर्ति श्री दीपक शर्मा ग्राम विकास अधिकारी तत्कालीन से अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर – 120</u>

वित्तिय वर्ष 2009–10 में पूर्वाचल विकास निधि के अर्न्तगत बसन्तपुर में अनूसुचित बस्ती में 185 मी0 सी0 सी0 कार्य (स्वीकृत लागत 470000,00) हेतु श्री श्याम कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी को कार्य प्रभारी बनाया गया। उक्त कार्य पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है।

1,	विजय बिल्डिंग मैटेरियल	चेक नं,6983/29,03,10	रु0	158200,00	
2,	मदन बिल्डिंग मैटेरियल	चेक नं,6984/29,03,10	,,	127900,00	
3,	सिंह ईट उद्योग	चेक,नं,9986/30,03,10	रु0	54630,00	
4,	मे, शिवशक्ति ईट ट्रेंडिग कम्पनी	चेक,नं,11023/12,07,11	,,	199484,00	
5,	एस, बी, एफ,ब्रिक फील्ड	चेक, नं,	,,	41508,00	
6,	में, परमहंस बिल्डिंग मैटेरियल	चेक, नं,11028/06,09,11	,,	81519,00	
7,	प्रभारी श्री श्याम कुमार सिंह	चेक, नं,6985/29,03,10	,,	6800,00	एमआरएस
				52000,00	मि,सा,
		चेक,नं,11024/12,07,11		41880,00	
	एमआरएस, 116760	चेक, नं, 11026/01,08,11		47400,00	एमआरएस,
	मि,सा,5960			13410,00	मि,सा,
	मिट्टी 52000				
	एसटी 188130,00	चेक, नं,11029/06,09,11		20680,00	एमआरएस,
				5960,00	मि,सा,
				188130,00	

1, 160 ट्राली मिट्टी हेतु रुपया 52000,00 का भुगतान किया गया है किन्तु इस पर रायल्टी की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा नहीं करायी गयी है।

2, मस्टर रोल पर भुगतान एवं निरस्त की मुहर नही लगी है।

3, आपूर्ति हेतु <u>टेण्डर/कोटेशन</u> प्राप्त नही किये गये है।

4, आपूर्ति बिल के कर्ताओं से टी0 डी0 एस0 की कटौती नही की गयी है।

5, स्वीकृत लागत 470000,00 के विरू;द्व 851421,00 का व्यय किया गया है। जो रुपया 381421,00 से अधिक है। अधिक व्यय का कारण व उसकी स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया । इस प्रकार बिना उचित कारण के स्वीकृत लागत से अधिक का भुगतान उचित नही है। अतः अधिक व्यय रुपया 381421,00 की क्षतिपूर्ति प्रभारी श्री श्याम कुमार सिंह से अपेक्षित है।

17. क्षेत्र पंचायत –आराजीलाईन **वर्ष 2014–15 से 16–17**

प्रस्तर – 121

वित्तीय वर्ष 2014–15 मे राज्यवित्त के अन्तर्गत परमानन्दपुर खेल मैदान में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य (लम्बाई 136 मीटर स्वीकृत लागत 586000.00) हेतु श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी को प्रभारी नियुक्त किया गया। जिस पर निम्न आपत्तियां है–

1– उक्त कार्य हेतु 18,02,2015 से 24,03,2015 तक के मस्टर रोल पर क्रमसंख्या –8 पर मूसेराम एवं क्रम संख्या –12 पर रज्जू को क्रमशः रुपया 1190,00 व 850 का भुगतान किया गया दर्शित है। परन्तु प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार 2040,00 का भुगतान अप्रमाणित रहा। जिससे प्रतीत होता है कि भुगतान किया ही नही गया है। जो वसूली योग्य है। धनराशि वसूल किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त कार्य हेतु आपूर्तिकर्ता प्रांजल इन्टरप्राइजेज गंगापुर वाराणसी को निम्न प्रकार भुगतान दर्शित है।

बिल की धनराशि	टी0डी0एस0 कटौती	भुगतान की राशि
119700	2713	116987
124100	2813	121287
120590	2734	117856
90300	2047	88253
35112	796	34316
योग–	11103,00	

टी0डी0एस0 के रुप में काटी गयी धनराशि रुपया 11103 को आयकर विभाग में जमा कराये जाने का प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जबकि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर टी0डी0एस0 जमा कर ई0टी0डी0 एस0 फाइल करना चाहिए। अतः तत्काल जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 122

वित्तीय वर्ष 2015–16 मे राज्यवित्त के अन्तर्गत परमपुर में जगदीश सेठ के बाउण्ड्री से राजू पटेल के घर तक ब्रिक सोलिंग का कार्य (लम्बाई 150 मी0 लागत रुपया 207000) श्री वीरेन्द्र कुमार दूबे ग्राम विकास अधिकारी की देखरेख में कराया गया। जिस पर निम्न आपत्तियां है।

1– कार्य प्रभारी नियुक्ति सम्बन्धी आदेश अप्राप्त रहा।

2– स्वीकृत कार्य के सापेक्ष न्यू कमलेश मशीनरी रानी बाजार राजातालाब वाराणसी को उनके बिल संख्या 1544 दिनांक 2418115 रु0 146593,00 के सापेक्ष रु0 3323,00 टी0डी0एस0 की कटौती कर रु0 143270,00 का भुगतान चेक संख्या 619209 दिनांक 04,09,2015 द्वारा किया गया।

3– आयकर कटौती की धनराशि रु0 3323 आयकर विभाग में जमा कराये जाने की पुष्टि में कोई प्रमाण उपलब्ध नही कराया गया। अतः राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 123

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्यवित्त के अन्तर्गत चतुर्थ राज्यवित्त से लक्षापुर में यादव बस्ती से गुरुदासपुर संपर्क मार्ग तक चकरोड निर्माण कार्य (माप 150 मी0 स्वीकृत लागत रु0 271000) हेतु श्रीराम जीत पाल ग्राम विकास अधिकारी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उक्त कार्य हेतु मेसर्स शहजादी का चेक संख्या –625884 दिनांक 03,01,2017 द्वारा रुपया 144167,00 का भुगतान किया गया तथा चेक संख्या – 625585 दिनांक 03,01,2017 द्वारा रुपया 82812,00 का भुगतान प्रभारी श्री रामजीत पाल को किया गया। जिसमें मस्टर रोल से सम्बन्धित रुपया 4892,00 तथा मिट्टी हेतु रुपया 33892,00 सम्मिलित हैं परन्तु मिट्टी हेतु रायल्टी जमा नही है। इस प्रकार रायल्टी की धनराशि रुपया 10874,00 से राजकीय क्षति पहुचाई गई है। जिसकी क्षतिपूर्ति श्री रामजीत यादव प्रभारी से अपेक्षित है।

उक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि 271000,00 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष में रुपया 226979,00 का व्यय दर्शाया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 124

वित्तिय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्यवित्त के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामसिंहपुर में संपर्क मार्ग से राधेश्याम के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य हेतु (लम्बाई 180 मी0 स्वीकृत धनराशि 238000) श्री हरिहर सिंह ग्राम विकास अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है।

उक्त कार्य में मिट्टी कार्य हेतु रुपया 6035,00 की रायल्टी काटी गयी है। परन्तु उक्त राशि राजकीय कोष में जमा किये जाने की पुष्टि नही कराई गयी है। राजकीय कोष में जमा किये जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 125

निम्नलिखित कार्यो में मिट्टी आपूर्तिकर्ता द्वारा रायल्टी की धनराशि देयक से घटाकर प्रस्तुत किया गया है। परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा रायल्टी की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा नही कराया गया है।

क,	कार्य का विवरण	काटी गई रायल्टी
1,	वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत गंजारी में प्राथमिक विद्यालय गंजारी से जय प्रकाश पटेल के घर तक खड़न्जा कार्य ।	2049,00
2,	वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत गंजारी में भैरोनाथ संपर्कमार्ग पर प्राथमिक विद्यालय गंजारी से जय प्रकाश पटेल के घर तक मिट्टी कार्य।	5300,00
3,	वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत परमानन्दपुर में राजभर बस्ती में भोला राजभर के घर से शिवमंदिर तक मिट्टी खड़न्जा कार्य।	5194,00
4,	वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत बेनीपुर में हाजी मुर्तजा के घर से मुकीम असारी के घर तक इंटरलाकिंग	821,00
5,	वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत कनेरी (मदईपुर) में चन्द्रबली पटेल के घर से .... घर तक खड़न्जा कार्य।	10709,70
6,	वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत गजापुर में कैलाश पटेल के खेत से भीषमपुर संपर्क मार्ग तक खड़न्जा कार्य।	13209,00
	योग –	**37283,00**

उक्त धनराशि राजकीय कोषागार में तत्काल जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 126

वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त के अर्न्तगत बेनीपुर में सुनीता उर्फ गुड्डू सिंह के दरवाजें से विन्ध्यवासिनी सिंह के गली तक नाला निर्माण (91 मी0 स्वीकृत लागत रुपया 277000) हेतु भी रामजीत पाल को प्रभारी बनाया गया।

उपर्युक्त कार्य हेतु वन्दना सीमेंट पाइप को चेक संख्या–624538 दिनांक 15,09,2016 द्वारा रुपया 113253,00 का भुगतान किया गया हैं। भुगतान का पूर्व बिल धनराशि रुपया 120505 से रुपया 7252,00 आयकर एवं व्यापारकर की कटौती भी की गयी परन्तु आज तक नाली निर्माण का कार्य प्रारम्भ नही हुआ। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत को रुपया 113253,00 की क्षति पहुचाई गयी तथा रुपया 7252,00 की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा भी नही किया गया। अतः उक्त धनराशि की क्षतिपूर्ति श्री रामजीत पाल ग्राम विकास अधिकारी, एवं श्री कैलाशनाथ लेखाकार श्री राधेश्याम खं0 वि0 अ0 से अपेक्षित है।

प्रस्तर – 127

वित्तिय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत गंजारी में पिचरोड़ से भूमिहार बस्ती तक खड़न्जा मरम्मत कार्य (माप 551 मी0 एवं स्वीकृत लागत 7,75,00/–) हेतु कार्य प्रभारी श्री इन्द्रजीत सिंह ग्राम विकास अधिकारी को नियुक्त किया गया। उक्त कार्य हेतु मिट्टी की आपूर्ति मे0 शहजादी इन्टरप्राइजेज द्वारा की गई है। उक्त कार्य के भुगतान हेतु आपूर्ति कर्ता द्वारा रायल्टी की धनराशि 12355/– काटकर 38509/– का देयक प्रस्तुत किया गया, जिसका भुगतान आपूर्ति कर्ता को किया गया है। परन्तु रायल्टी की धनराशि रुपया 12355,00 को राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया है। जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

18. क्षेत्र पंचायत – बड़ागांव वर्ष 2009–10 से 2012–13

प्रस्तर – 128

वर्ष 09–10 में निम्न विवरण अनुसार उसके सम्मुख अंकित धन संबधित फर्मो को रू0 1936588.00 का भुगतान सामग्री क्रय हेतु किया गया है। परन्तु उनके बिक्री से नियमों के अन्तर्गत 4% एस0टी0 रू0 77466.00 तथा 2.24% आई0टी0 रू0 43379.00 कुल रू0 120845.00 की कटौती नही की गयी है। जिसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह व ख0वि0अ0 श्री अतुल मिश्रा से संयुक्त रूप से करके राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। भुगतान धन का फर्मवार विवरण निम्नवत है :–

क0सं0	दिनांक/ चेक सं0	भुगतान धन	नाम फर्म	आयकर 2.24%	बिकी कर 4%	योग
1	11.02.09/ 034695	78010	जय श्री ईट उघोग दांदूपुर	1747	3123	4870
2	23.3.09/ 34712	58000	जय श्री ईट उघोग दांदूपुर	1299	2320	3619
3	22.4.09/ 34714	86130	जय श्री ईट उघोग दांदूपुर	1929	3445	5374
4	10.07.09/ 34719	40000	वैभव सीमेंट एजेंसीबड़ागाँव	896	1600	2496
5	10,7,09/ 34718	98252	मूरती ईट उद्योंग कुसुमुराबड़ागाँव	22.01	3930	6131
6	18,8,09/ 47923	25746	मूरती ईट उद्योंग कुसुमुराबड़ागाँव	577	1030	1607

7	18,8,09 / 47922	66750	वैभव सीमेंट एजेंन्सी बड़ागाँव	1495	2670	4165
8	3,9,09 / 47932	72670	मूरती ईट उद्योंग कुसुमुराबड़ागाँव	1628	2907	4535
9	3,9,09 / 47931	45200	वैभव सीमेंट एजेंन्सीबड़ागाँव	1012	1808	2820
10	28,8,09 / 47925	41000	दिनेश बिल्डिग मैटे0 बहुतरा	918	1640	2558
11	28,8,09 / 47924	54750	जय माँ नक, भवानी ईट उद्योग बचौरा	1226	2190	3416
12	3,9,09 / 47928	31300	दिनेश बिल्डिग मैटे0 बहुतरा	701	1252	1953
13	3,9,09 / 47927	23366	जय माँ नक ,भवानी ईट उद्योग बचौरा	523	935	1458
14	15,9,09 / 47936	28800	जय श्री ईट उद्योग दाँदूपुर	645	1152	1797
15	16,11,09 / 51466	47667	सत्यम शिवम बि0 मै0 धवकलगंज	1068	1907	2975
16	23,9,09 / 47938	33000	दिनेश बिल्डिग मैटे0 बहुतरा	739	1320	2059
17	23,09,09 / 47937	77500	जय माँ नक ,भवानी ईट उद्योग बचौरा	1736	3100	4836
18	12,10,09 / 47940	34080	दिनेश बिल्डिग मैटे0 बहुतरा	763	1363	2126
19	11,1,10 / 066489	71000	जय श्री ईट उद्योग दाँदूपुर	1590	2840	4430
20	9,1,10 / 051478	46150	जय श्री ईट उद्योग दाँदूपुर	1034	1846	2880
21	29,1,10 / 057369	127800	जय श्री ईट उद्योग दाँदूपुर	2863	5112	7975
22	19,2,10 / 57373	35500	जय श्री ईट उद्योग दाँदूपुर	795	1420	2215
23	25,2,10 / 57375	62125	जय श्री ईट उद्योग दाँदूपुर	1392	2485	3877
24	21,1,10 / 51480	71000	जय श्री ईट उद्योग दाँदूपुर	1590	2840	4430
25	29,1,10 / 57365	105612	जय श्री ईट उद्योग दाँदूपुर	2366	4224	6590
26	1,12,09 / 51467	92300	जय श्री ईट उद्योग दाँदूपुर	2068	3692	5760
27	6,1,10 / 51471	21300	जय श्री ईट उद्योग दाँदूपुर	477	852	1329
28	13,10,09 / 51463	31082	जय श्री ईट उद्योग दाँदूपुर	696	1243	1939
29	6,1,10 / 51473	8562	पाण्डे ब्रदर्स बि0 मैटेरियल,	192	342	534
30	6,1,10 / 51472	24778	गणेश ईट भट्टा कौवाड़ाह	555	991	1546
31	22,3,10 / 57377	31550	जय श्री ईट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	707	1262	1969
32	22,3,10 / 57376	18400	पाण्डे ब्रदर्स बि0 मैटेरियल,चंगवार	412	736	1148
33	30,12,09 / 51469	17500	दिनेश बिल्डिग मैटे0 बहुतरा	392	700	1092
34	30,12,09 / 51468	63100	जय माँ नक, भवानी ईट उद्योग बचौरा	1413	2524	3937
35	21,1,10 / 57362	47020	दिनेश बिल्डिग मैटे0 बहुतरा	1053	1881	2934
36	21,1,10 / 57361	17913	जय माँ नक ,भवानी ईट उद्योग बचौरा	401	717	1118
37	1,1,10 / 66488	71000	जय श्री ईट उद्योग दाँदूपुर	1590	2840	4430
38	13,1,10 / 51476	30675	जय श्री ईट उद्योग दाँदूपुर	690	1227	1917
	योग	**1936588**		**43379**	**77466**	**120845**

प्रस्तर – 129

दिनांक 1–4–09 को ग्रांट 3 अनुसार ग्रामीण जल आपुर्ति मद में प्रा0 शेष रू0 8763.00 दर्शित है। वर्ष में प्राप्त शून्य रहा। ग्राट 2 अनुसार 15 उक्त धन दिनांक 15–08–09 को खाता संख्या 26055 में (जो श्री राम जी सिंह, ग्रा0वि0अ0 का है) हस्तांतरित किया गया है तत्पचात उक्त मद को शून्य दर्शित किया गया है। उक्त धनराशि की

हस्तांतरण का उद्देश्य/समायोजन प्रमाणक/पत्रावली ले0प0 में बार–बार मांगने के बावजूद सुलभ नही रहा। उक्त स्थिति में उक्त भुगतान आधारहिन रहा। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री अतुल कुमार मिश्रा व लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर – 130

वर्ष 09–10 के ग्राण्ट 3 रजि0 पर वी0 पी0 एल0 कन्टीजेन्सी मद का कोई विवरण अंकित नही है। परन्तु वर्ष 09–10 के ग्राण्ट 2 रजि0 की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त मद का रु0 1457,00 दिनांक 29–05–08 तक अवशेष ग्राण्ट 2 पर दर्शित है। उक्त अवशेष धन को ग्राण्ट 3 के प्रा0 शेष में 1–4–09 को क्यों नही अंकित किया गया अज्ञात रहा। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मार्च 2009 का ग्राण्ट 3 रजि0 देखने से ज्ञात हुआ कि मार्च 09 में उक्त धनराशि व्यय दर्शाकर 31–03–09 को उक्त मद का अवशेष शून्य दर्शित किया गया है। जबकि ग्राण्ट 2 रजि0 पर उक्त धनराशि के व्यय का कोई विवरण अंकित नही है। उक्त स्थिति में उक्त धन का व्यय आधारहीन रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्रनाथ सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल मिश्रा से संयुक्त रुप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 131

दिनांक 01.04.09 को ग्राण्ट 3 रजि0 अनुसार आदर्श जलाशय मद में रु0 13900,00 प्रा0 शेष दर्शित है। वर्ष में प्राप्त शून्य रहा। दिनांक 12–08–09 को चेक संख्या 66487 द्वारा रु0 13900,00 का भुगतान श्री रामराज प्रसाद (ग्रा0वि0अ0) को बेलवा तालाब हेतु किया गया है। जो ग्राण्ट 2 पर अंकित है परन्तु उक्त भुगतान यु0बी0आई0 कठिराँव खाता संख्या 41392010013971 से उक्त चेक द्वारा नगद किया गया परन्तु किसे किया गया यह पासबुक से स्पष्ट नही होता है परन्तु उक्त भुगतान से सम्बधित पत्रावली/ समायोजन प्रमाणक ले0प0 में सुलभ नही रहा जिस कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह व ख0वि0अ0 श्री अतुल मिश्रा संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर – 132

वर्ष 2009–10 में विधायक निधि मद से ग्राण्ट 2 अनुसार निम्न अनुसार भुगतान दर्शित है।

क0 सं0	दिनांक/चेक संख्या	भुगतान प्राप्त कर्ता	धनराशि
1	6.5.09./85868	श्री ओमप्रकाश, ग्रा0वि0अ0	18660.00
2	6.5.09/85870	शिवम बिल्डिंग मैटेरियल	46697.00
3	21.5.09/85872	श्री विरेन्द्र कुमार ग्रा0वि0अ0	41049.00
4	25.6.09/46844	शिवम बिल्डिंग मैटेरियल	38083.00
5	25.6.09/46845	श्री ओमप्रकाश, ग्रा0वि0अ0	8560.00
6	3.11.09/49300	श्री ओमप्रकाश, ग्रा0वि0अ0	7431.00
		योग	**160180.00**

उक्त भुगतान रु0 160180,00 के सापेक्ष समायोजन प्रमाणक/पत्रावली बार–बार मौखिक व लिखित रुप से मांगने के बावजूद ले0प0 में सुलभ नही कराया गया जिस कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः धनराशि अपुष्ट व अप्रमाणित रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह व ख0वि0अ0 श्री अतुल मिश्रा संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। जाँचोपरान्त उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 133

वर्ष 2009–10 में पुँजीगत विकास मद से ग्राण्ट 2 अनुसार निम्न विवरण अनुसार भुगतान किया गया है।

क0सं0	दिनांक/चेक संख्या	भुगतान प्राप्त कर्ता	धनराशि
1	1.4.09/085855	श्री हुबलाल,ग्रा0प0अ0,बेलवानाली निर्माण	31140.00
2	1.4.09/085856	ओम ब्रिक फील्ड़, बेलवानाली निर्माण	21862.00
3	1.4.09/085857	श्री हुबलाल,ग्रा0प0अ0,बेलवानाली निर्माण	32785.00
4	1.4.09/085858	मं दुर्गा आर0सी0सी0स्पन पाईप बेलवानाली निर्माण	77572.00
5	5.4.09/085864	श्री हुबलाल,ग्रा0प0अ0,बेलवानाली निर्माण	22440.00
6	5.4.09/085865	त्रिपाठी हार्डवेयर स्टोर बेलवानाली निर्माण	37470.00
7	5.4.09/085866	ओम ब्रिक फील्ड़, बेलवानाली निर्माण	39175.00
8	15.5.09/085871	सुनीता आर0सी0सी0पाईप उघेग बेलवानाली निर्माण	92428.00
9	17.8.09/46853	श्री हुबलाल,ग्रा0प0अ0,बेलवानाली निर्माण	49950.00
10	17.8.09/46854	ओम ब्रिक फील्ड़, बेलवानाली निर्माण	19800.00
11	17.8.09/46855	त्रपाठी हार्डवेयर स्टोर बेलवानाली निर्माण	59040.00
12	17.8.09/46856	सुनीता आर0सी0सी0पाईप उद्योग बेलवानाली निर्माण	8775.00
		योग	**492437.00**

उक्त भुगतान रु0 492437,00 के सापेक्ष समायोजन प्रमाणक/पत्रावली/पुष्टिकारक अभिलेख ले0प0 में बार बार मौखिक व लिखित रुप से मांगने पर सुलभ नही कराया गया। जिस कारण उक्त भुगतान अनियमित रहा। जिसके

लिये तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह व ख0वि0अ0 श्री अतुल मिश्रा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 134

दिनांक 20–06–09 को राज्य वित्त मद से रु0 4000,00 का भुगतान चेक संख्या – 34717 द्वारा श्री रामराज प्रसाद ग्राम विकास अधिकारी को बहुतरा नाली निर्माण हेतु किया गया है जो ग्राण्ट 2 रजि0 पर अंकित है परन्तु उक्त कार्य से सम्बधित पत्रावली की जाँच में उक्त भुगतान से सम्बधित कोई विवरण सुलभ नही रहा। उक्त स्थिति में उक्त भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह व ख0वि0अ0 श्री अतुल कुमार मिश्रा संयुक्त रुप से उत्तरदायी है।

प्रस्तर – 135

वर्ष 2009–10 में नरेगा कन्टीजेन्सी से निम्न भुगतान में अनेक कमियाँ पायी गयी है। भुगतान का विवरण निम्न अनुसार है।

क0सं0	दिनांक/चेक संख्या	भुगतान प्राप्त कर्ता	धनराशि	अन्य विवरण
1	28.4.09/85867	विनोद कु0 कैशियर	2000	नगद भुगतान
2	21.5.09/85884	विनोद कु0 कैशियर	8756	नगद भुगतान
3	4,6,09/85884	विनोद कु0 कैशियर	4979	नगद भुगतान
4	24,6,09/46841	विनोद कु0 कैशियर	2000	नगद भुगतान
5	24,6,09/46842	विनोद कु0 कैशियर	4237	नगद भुगतान
6	6,8,09/46846	विनोद कु0 कैशियर	4210	नगद भुगतान
7	20,8,09/46851	विनोद कु0 कैशियर	6263	नगद भुगतान
8	20,8,09/46858	विनोद कु0 कैशियर	5052	नगद भुगतान
9	4,9,09/49281	विनोद कु0 कैशियर अग्रिम	4000	नगद भुगतान
10	9,9,09/49282	विनोद कु0 कैशियर जनरेटर	1906	नगद भुगतान
11	25,9,09/49288	विनोद कु0 कैशियर जीप मरम्मत	755	नगद भुगतान
12	5,10,,09/49289	विनोद कु0 कैशियर पीओएल आफिस	4000	नगद भुगतान
13	5,10,09/49290	विनोद कु0 कैशियर जनरेटर	4620	नगद भुगतान
14	5,10,09/49291	स्टेशनरी	16784	–––
15	13,10,09/49294	स्टेशनरी	3876	नगद भुगतान
16	13,10,09/49295	विनोद कुमार कैशियर डीजल	866	नगद भुगतान
17	17.11.09/49304	विनोद कुमार कैशियर कंटीजेंसी	3411	नगद भुगतान
18	17.11.09/49305	विनोद कुमार कैशियर पीओएल.	2000	नगद भुगतान
19	04.12.09/49307	दी स्टेशनरी सिस्टम	307	–––
20	04.12.09/49309	विनोद कुमार कैशियर कंटीजेंसी	1104	नगद भुगतान
21	04.12.09/49311	विनोद कुमार कैशियर पीओएल	2000	नगद भुगतान
22	08.12.09/49312	विनोद कुमार कैशियर कंटीजेंसी	3000	नगद भुगतान
23	08.12.09/49313	विनोद कुमार कैशियर डीजल	867	नगद भुगतान
24	23.12.09/49316	महेन्द्र प्रताप जीप चालक पीओएल	2000	नगद भुगतान
25	23.12.09/49317	विनोद कुमार कैशियर डीजल	1041	नगद भुगतान
26	31.12.09/49320	विनोद कुमार कैशियर पीओएल	2000	नगद भुगतान

27	19.01.10 / 56243	विनोद कुमार कैशियर पीओएल	2000	नगद भुगतान
28	21.01.10 / 56246	दी स्टेशनरी सिस्टम	4712	———
29	21.01.10 / 56247	विनोद कुमार कैशियर कंटीजेंसी	10907	नगद भुगतान
30	01.02.10 / 56248	विनोद कुमार कैशियर पीओएल	2000	नगद भुगतान
31	01.02.10 / 56249	विनोद कुमार कैशियर	2429	नगद भुगतान
32	05.03.10 / 56257	विनोद कुमार कैशियर पीओएल	2000	नगद भुगतान
33	05.03.10 / 56260	विनोद कुमार कैशियर	6511	नगद भुगतान
34	09.03.10 / 56262	विनोद कुमार कैशियर	2239	नगद भुगतान
35	19.03.10 / 56263	विनोद कुमार कैशियर पीओएल	2000	नगद भुगतान
36	22.03.10 / 56268	विनोद कुमार कैशियर कंटीजेंसी	5577	नगद भुगतान
		योग	**132409**	

निम्न कमियाँ पायी गयी :—

1— सभी भुगतान (क्र0सं0 14,15,19,28 को छोड़कर) विनोद कुमार कैशियर द्वारा नगद प्राप्त किया गया है।

2— ले0 प0 में स्टेशनरी स्टॉक रजि0 अप्राप्त रहा।

3— जीप व जनेरटर का लाग बुक सुलभ नही रहा।

उक्त तथ्यों के आधार पर व्यय रु0 132409 की सत्यता प्रमाणित नही कि जा सकी व्यय अपुष्ठित व अप्रमाणित रहा व साथ साथ अधिकांश भुगतान नियम विरुद्व किया गया, जो मनमानेपन का द्योतक है। जिसका दायित्व तत्कालिन ख0 वि0 अ0 श्री अतुल मिश्रा लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह व श्री विनोद कुमार कैशियर पर निर्धारित किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 136

वर्ष 09—10 में राज्य वित्त व 12 वाँ वित्त योजना अंर्तगत क्षेत्र पंचायत बड़ागाँव द्वारा निर्माण कार्य हेतु व्यय किये गये धन कुल रु0 1936588,00 के सापेक्ष क्रय किये गये सामग्री (ईट, सीमेन्ट, बालु, स्पन पाइप आदि) (विस्तृत विवरण आपत्ति संख्या 1 में अंकित है) से संबधित प्रमाणक की जाँच में निम्न गंभीर आपत्तियां पायी गयी।

1— सामग्री की आपूर्ति क्षे0 पं0 एवं जि0 पं0 निर्माण नियमावली 1984 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत संबधित फर्म का टेन्डर /कोटेशन स्वीकृत कर उससे जमानत की धनराशि जमा कर ही आपूर्ति आदेश क्षे0 पं0 के नियोक्ता एवं निर्माण समिति के प्रस्ताव /आदेशानुसार नही दिया गया है, स्पष्ट है कि सामग्री क्रय में विधिक प्रक्रिया का अभाव रहा और इकाई द्वारा मनचाहे फर्म से आधारहीन बिल/रसीद प्राप्त कर भुगतान कर राजकीय धन का दुरुपयोग फर्म की मिलीभगत से किया गया है।

2— भुगतान धन की पुष्टि में आपूर्तिकर्ता फर्म /संस्था द्वारा निधिवार चालान के साथ बिल जारी नही किया गया बल्कि भुगतान की पुष्टि में आधारहीन पर्चा लगा है जिस पर संस्था का टिन नम्बर भी नही है। चालान के अभाव में यह स्पष्ट नही हो पाया कि संबधित फर्म द्वारा संबधित सामग्री किस साधन से (किस न0 की ट्रक/ट्राली) निर्माण स्थल पर आपूर्ति कि गयी है। स्पष्ट है कि चालान के अभाव में माल प्राप्ति की पुष्टि नही होती, जिससे आपुर्ति आधारहीन रही।

3—क्रय सामग्री के आमद की पुष्टि में संस्था द्वारा स्टॉक रजि0 भी तैयार कर नही रखा गया है।

4— बिलो से सेल्स टैक्स व आयकर की कटौती नियमानुसार नही की गयी है। (विस्तृत विवरण आपत्ति संख्या 3 में अंकित है।) स्पष्ट है कि बिक्री की रसीदे सेल्स टैक्स विभाग में दर्ज नही कराई गयी है। इस प्रकार आधारहीन बिल के आधार पर भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गयी है।

उक्त बिन्दुओं के आलोक में संस्था द्वारा किये गये सामानों के क्रय एवं अमद की पुष्टि नही की जा सकी। इस प्रकार वर्ष 09—10 में कुल रु0 1936588,00 का सामग्री क्रय के नाम पर किया गया भुगतान अनियमित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख0 वि0 अ0 व लेखाकार से संयुक्त रुप से कि जानी अपेक्षित है। प्रकरण विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर — 137

दिनांक 22—07—19 को राज्य वित्त मद से रु0 35600,00 चेक संख्या 34720 द्वारा श्री विनोद कुमार कैशियर को यात्रा भत्ता का नगद भुगतान किया गया है जो ग्राण्ट 2 रजि0 व बैंक पासबुक खाता संख्या 9253(यु0 बी0 आई0 बड़ागाँव) से पुष्ट है। परन्तु ले0प0 में उक्त भुगतान से संबधित यात्रा देयक बिल/पुष्टिकरण प्रमाण पत्र सुलभ नही रहा। उक्त स्थिति में उक्त भुगतान आधारहीन रहा जिसके लिए तत्कालीन ख0 वि0 अ0 श्री अतुल मिश्रा, लेखाकार श्री

रविन्द्र नाथ सिंह व कैशियर विनोद कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2010–11

प्रस्तर – 138

लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2010.11 में राज्य वित्त 12वां वित्त व 13 वां वित्त द्वारा निम्न विवरण अनुसार उसके सम्मुख लिखी धन संबधित फर्मो को कुल रू0 2361129.00 का भुगतान सामग्री क्रय हेतु किया गया है। परन्तु उनके बिक्री से नियमों के अन्तर्गत 4% एस टी. रू0 94444.00 तथा 2.24% आइ टी रू0 52889.00 कुल रू0 147333.00 की कटौती नही की गयी है। जबकि नियमानुसार कटौती कर चालान द्वारा राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित था। ऐसा न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह व ख0वि0अ0 श्री अतुल मिश्रा एवं श्री राजीत राम मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। भुगतान धन का फर्मवार निम्नवत है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र.सं.	दिनांक/ चेक संख्या	भुगतान धन	फर्म का नाम	आयकर 2.24%	बिक्री कर 4%	योग
1	31.5.10/ 68958	44850	जय श्री ईट उद्योग, सोनपुरवा	1005	1794	2799
2	31.5.10/ 68958	69750	पवन बिल्डिंग मैटेरियल, बहुतरा	1562	2790	4352
3	16.6.10/ 68968	37655	पवन बिल्डिंग मैटेरियल, बहुतरा	843	1506	2349
4	16.6.10/ 68969	24655	जय श्री ईट उद्योग, सोनपुरवा	552	986	1538
5	28.8.10/ 68998	36000	जय श्री ईट उद्योग, सोनपुरवा	806	1440	2246
6	28.8.10/ 68999	23150	पवन बिल्डिंग मैटेरियल, बहुतरा	519	926	1445
7	08.9.10/ 3665	45485	पवन बिल्डिंग मैटेरियल, बहुतरा	1019	1819	2838
8	08.9.10/ 3666	42120	जय श्री ईट उद्योग, सोनपुरवा	943	1685	2628
9	06.7.10/ 68973	42300	पाण्डेय ब्रदर्स बिल्डिंग मै0 चंगवार	948	1692	2640
10	06.7.10/ 68974	39300	गणेश ईंट भट्ठा कौवाड़ाड	880	1572	2452
11	19.8.10/ 68988	21725	गणेश ईंट भट्ठा कौवाड़ाड	487	869	1356
12	19.8.10/ 68989	14105	पाण्डेय ब्रदर्स बिल्डिंग मै0 चंगवार	316	564	880
13	16.11.10/ 3669	22985	पाण्डेय ब्रदर्स बिल्डिंग मै0 चंगवार	515	919	1434
14	8.7.10/ 68976	21300	गणेश ईंट भट्ठा कौवाड़ाड	477	852	1329
15	05.8.10/ 68980	49700	गणेश ईंट भट्ठा कौवाड़ाड	1113	1988	3101
16	19.8.10/ 68991	58575	जय श्री ईट उद्योग, दॉदूपुर	1312	2343	3655
17	17.11.10/ 3673	65320	जय श्री ईट उद्योग, दॉदूपुर	1463	2613	4070
18	28.5.10/ 68954	127800	गणेश ईंट भट्ठा कौवाड़ाड	2863	5112	7975
19	19.8.10/ 68993	39050	गणेश ईंट भट्ठा कौवाड़ाड	875	1562	2437
20	16.11.10/ 3671	48635	गणेश ईंट भट्ठा कौवाड़ाड	1089	1945	3034

21	17.2.11 / 3677	177500	शिव ईट भण्डार पतेर वाराणसी	3976	7100	11076
22	24.2.11 / 3681	177500	जय श्री ईट उद्योग, दॉदूपुर	3976	7100	11076
23	08.3.11 / 3689	106500	जय श्री ईट उद्योग, दॉदूपुर	2386	4260	6646
24	17.11.10 / 3675	25650	पवन बिल्डिंग मैटेरियल, बहुतरा	575	1026	1601
25	17.2.11 / 3678	27750	जनता आयरन स्टोर्स विसदकोट	622	1110	1732
26	17.2.11 / 3679	30900	जय श्री ईट उद्योग, दॉदूपुर	692	1236	1928
27	17.2.11 / 3680	256515	अमित कंक्रिट उ0 सोनारपुरा वाराणसी	5746	10261	16007
28	24.2.11 / 3684	35400	मूरती ईंट उद्योग कुसुमरा	793	1416	2209
29	16.06.10 / 68964	19800	पाण्डेय ब्रदर्स बिल्डिंग मै0 चंगवार	444	792	1236
30	16.06.10 / 68965	71357	सागर त्ब्स्पन पाईप उ0 मधुवन	1598	2854	4452
31	16.06.10 / 68966	10500	गणेश ईंट भट्ठा कौवाड़ाड	235	420	655
32	19.8.10 / 68995	13530	जय श्री ईट उद्योग, सोनपुरवा	303	541	844
33	19.8.10 / 68996	10397	रामजी वि0 मै0 नयेपुर	233	416	649
34	16.3.11 / 3692	148101	अमित कंक्रिट उ0 सोनारपुरा वाराणसी	3317	5924	9241
35	24.10.11 / 19268	23515	अमित कंक्रिट उ0 सोनारपुरा वाराणसी	527	941	1468
36	31.5.10 / 65957	52100	पाण्डेय ब्रदर्स बिल्डिंग मै0 चंगवार	1167	2084	3251
37	31.5.10 / 65956	24900	गणेश ईंट भट्ठा कौवाड़ाड	558	996	1554
38	08.9.10 / 3661	22617	गणेश ईंट भट्ठा कौवाड़ाड	507	905	1412
39	08.9.10 / 3662	25437	पाण्डेय ब्रदर्स बिल्डिंग मै0 चंगवार	570	1017	1587
40	27.6.10 / 68970	32100	जय श्री ईट उद्योग, सोनपुरवा	719	1284	2003
41	27.6.10 / 68971	17250	पाण्डेय ब्रदर्स बिल्डिंग मै0 चंगवार	386	690	1076
42	14.6.10 / 68961	42850	पाण्डेय ब्रदर्स बिल्डिंग मै0 चंगवार	960	1714	2674
43	14.6.10 / 68962	39300	गणेश ईंट भट्ठा कौवाड़ाड	880	1572	2452
44	19.8.10 / 68985	17135	जय श्री ईट उद्योग, सोनपुरवा	384	685	1069
45	19.8.10 / 68986	27115	पाण्डेय ब्रदर्स बिल्डिंग मै0 चंगवार	607	1085	1692
46	18.5.10 / 68951	23250	गणेश ईंट भट्ठा कौवाड़ाड	521	930	1451
47	18.5.10 / 68952	27700	पाण्डेय ब्रदर्स बिल्डिंग मै0 चंगवार	620	1108	1728
		2361129		**52889**	**94444**	**147327**

प्रस्तर – 139

वर्ष 2010–11 में विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि मद में ग्राण्ट II रजिस्टर पर निम्न अनुसार भुगतान का विवरण अंकित है।

क.सं.	दिनांक / चेक संख्या	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	25.06.10 / 68383	शिवम बिल्डिंग मै0 हाल का फर्श	20583.00
2	25.06.10 / 68384	ओमप्रकाश ग्रा0वि0अ0, हाल का फर्श	8986.00
3	16.11.10 / 74250	अमित कंक्रिट उद्योग	121490.00
4	01.12.10 / 05849	दीक्षित बिल्डिंग मैटेरियल	17150.00
5	01.12.10 / 05850	मनोज कुमार सिंह ग्रा0पं0अ0	10800.00
		योग	**179009.00**

उक्त भुगतान रू 179009.00 के सापेक्ष पत्रावली / भुगतान प्रमाणक बार–बार मौखिक व लिखित रूप में मॉगने के बावजूद ले0प0 में सुलभ नहीं रहा जिस कारण उक्त मद का सम्पूर्ण व्यय अपुष्ट व अप्रमाणित रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह व ख0वि0अ0 श्री अतुल मिश्रा व श्री राजीत राम मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 140

वर्ष 2010–11 में बूथ निर्माण एवं खान–पान व्यवस्था पर रू 61760.00 का भुगतान ग्राण्ट II रजिस्टर पर निम्न अनुसार दर्शित है।

क.सं.	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि	अन्य
1	26.10.10	श्री विनोद कुमार कैशियर	15000.00	नकद भुगतान
2	28.10.10	श्री रविन्द्र नाथ सिंह, लेखाकार	11000.00	नकद भुगतान
3	21.02.11	श्री रविन्द्र नाथ सिंह, लेखाकार	11840.00	नकद भुगतान
4	08.03.11	श्री विनोद कुमार कैशियर	23920.00	नकद भुगतान
		योग	**61760.00**	

उक्त भुगतान के सापेक्ष ले0प0 में भुगतान प्रमाणक / पत्रावली / पुष्टीकारक अभिलेख बार–बार मौखिक व लिखित रूप से मांगने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण उक्त भुगतान आधारहीन रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह, ख0वि0अ0 श्री अतुल मिश्रा व श्री राजीत राम मिश्रा व भुगतान प्राप्तकर्ता श्री विनोद कुमार कैशियर व श्री रविन्द्र नाथ लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 141

दिनांक 31.03.11 को चेक सं0 12008 (वाहक चेक) द्वारा रू 15000.00 बी0के0 दास एण्ड ब्रदर्स को जमानत का धन वापस किया गया है। जो ग्राण्ट II पर अंकित है। परन्तु भुगतान के सापेक्ष जमानत पंजी, पत्रावली, पुष्टीकारक प्रमाण पत्र ले0प0 में सुलभ नहीं रहा। उक्त संस्था से उक्त जमानत किस कार्य हेतु लिया गया था अज्ञात रहा, क्योंकि ले0प0 समय उक्त संस्था का कोई प्रमाणक जॉचे गये पत्रावली में सुलभ नहीं रहा। उक्त स्थिति में उक्त भुगतान अपुष्ट व अप्रमाणित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह व ख0वि0अ0 श्री राजीत राम मिश्रा संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 142

दिनांक 14.06.10 को राज्य वित्त मद से चेक संख्या 68960 द्वारा रू 3000.00 का भुगतान सोनपुरवा सा0सह0समिति के नाम ग्राण्ट II पर अंकित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष पत्रावली / बाउचर ले0प0 में प्रस्तुत नहीं रहा। बैंक पासबुक यू0बी0आई0 खाता संख्या 09253 की जॉच से ज्ञात हुआ कि उक्त भुगतान श्री रामजी सिंह को किया गया। उक्त स्थिति में उक्त भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह व ख0वि0अ0 श्री अतुल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 143

दिनांक 02.07.10 को 12वॉ वित्त मद से रू 10000.00 चेक संख्या 68979 द्वारा श्री विनोद कुमार कैशियर को भुगतान ग्राण्ट II पर दर्शित है। उक्त भुगतान का उद्देश्य अज्ञात रहा व भुगतान के सापेक्ष पत्रावली / पुष्टिकारक प्रमाणक अप्राप्त रहा। उक्त स्थिति में उक्त भुगतान धन अपुष्ट रहा। जिसका दायित्व तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह ख0वि0अ0 व श्री अतुल मिश्रा व विनोद कुमार कैशियर का रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 144

दिनांक 24.07.10 को 12वॉ वित्त मद से रू 40000.00 नरेगा कन्टीजेन्सी मद में हस्तांतरण कर विविध मद में व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि ग्राण्ट II रजिस्टर से की गयी है। उक्त हस्तांतरण पूर्णतया नियमों के परे व धन का

दुरूपयोग रहा। क्योंकि 12वॉं वित्त का धन नरेगा कन्टीजेन्सी में हस्तांतरण नियम विरूद्ध है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह व ख0वि0अ0 श्री अतुल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर – 145</u>

वर्ष 2010–11 में निम्न तिथियों में मनरेगा प्रशासनिक मद से विविध मदों में व्यय किया गया है। विवरण निम्नवत् है :–

क.सं.	दिनांक/चेक संख्या	प्राप्तकर्ता/उद्देश्य	धनराशि
1	01.04.10/56271	विनोद कुमार कैशियर कंटीजेंसी	4627.00
2	13.04.10/56274	विनोद कुमार कैशियर कंटीजेंसी	5039.00
3	29.04.10/56275	श्री महेन्द्र प्रताप, पीओएल	2000.00
4	30.04.10/56276	विनोद कुमार कैशियर, जेनरेटर डीजल	2240.00
5	10.05.10/56278	विनोद कुमार कैशियर, अग्रिम	2000.00
6	11.05.10/56279	विनोद कुमार कैशियर, कंटीजेंसी	5348.00
7	21.05.10/68367	विनोद कुमार कैशियर, अंकित नहीं	2000.00
8	28.05.10/68369	विनोद कुमार कैशियर कंटीजेंसी	5074.00
9	31.05.10/68371	विनोद कुमार कैशियर डीजल जनरेटर	2000.00
10	31.05.10/68372	विनोद कुमार कैशियर डीजल जनरेटर	2000.00
11	14.06.10/68374	महेन्द्र प्रताप,जीप चालक/जीप मरम्मत	2380.00
12	14.06.10/68375	विनोद कुमार कैशियर कंटीजेंसी	7817.00
13	18.06.10/68380	महेन्द्र जीप चालक/ पीओएल	2000.00
14	24.06.10/68382	विनोद कुमार कैशियर कंटीजेंसी	10614.00
15	28.06.10/68388	महेन्द्र प्रताप,जीप चालक/जीप मरम्मत	1409.00
16	29.06.10/68389	विनोद कुमार कैशियर कंटीजेंसी	2486.00
17	08.07.10/68391	विनोद कुमार कैशियर कंटीजेंसी	6460.00
18	23.07.10/68394	महेन्द्र जीप चालक	1000.00
19	23.07.10/68395	विनोद कुमार कैशियर कंटीजेंसी	2000.00
20	24.07.10/68399	स्टेशनरी	12808.00
21	24.07.10/68400	विनोद कुमार कैशियर कंटीजेंसी	8567.00
22	26.07.10/074201	वरूणा आटो गैरेज जीप मरम्मत	30329.00
23	06.08.10/74203	महेन्द्र जीप चालक/ पीओएल	2000.00
24	06.08.10/74204	कैलाश कुमार एन.आर.ई.पी/जनरेटर	1980.00
25	06.08.10/74205	कैलाश कुमार एन.आर.ई.पी/जनरेटर	2000.00
26	20.08.10/74211	कैलाश कुमार एन.आर.ई.पी/जनरेटर	1965.00
27	31.08.10/74212	महेन्द्र जीप चालक/ पीओएल	2000.00
28	09.09.10/74217	कैलाश कुमार/जनरेटर तेल	3477.00
29	09.09.10/74218	कैलाश कुमार/स्टेशनरी	695.00
30	20.09.10/74221	महेन्द्र जीप चालक/ पीओएल	1000.00
31	21.09.10/74222	कैलाश कुमार एन.आर.ई.पी/जनरेटर	1228.00
32	27.09.10/74224	महेन्द्र प्रताप, जीप चालक/अंकित नहीं	2000.00
33	27.09.10/74225	विनोद कुमार कैशियर जनरेटर	1383.00
34	01.10.10/74226	कैलाश कुमार एन.आर.ई.पी/जनरेटर	2096.00
35	03.10.10/74228	विनोद कुमार कैशियर डीजल जनरेटर	2353.00
36	06.10.10/74229	महेन्द्र जीप चालक/ पीओएल	2000.00
37	26.10.10/74240	विनोद कुमार कैशियर/ पीओएल जनरेटर	1000.00
38	26.10.10/74242	महेन्द्र प्रताप,जीप चालक/ पीओएल जीप	2000.00
39	16.11.10/74245	महेन्द्र प्रताप,जीप चालक/ पीओएल	2000.00
40	16.11.10/74246	महेन्द्र प्रताप,जीप चालक/जीप मरम्मत	940.00
41	16.11.10/74247	कैलाश कुमार एन.आर.ई.पी/कंटीजेंसी	2960.00
42	23.11.10/5841	महेन्द्र प्रताप,जीप चालक/ पीओएल	2000.00
43	30.11.10/5844	कैलाश कुमार एन.आर.ई.पी/डी0जन0	1592.00
44	30.11.10/5843	महेन्द्र प्रताप,जीप चालक/ पीओएल जीप	4000.00
45	28.12.10/5857	विनोद कुमार कैशियर कंटीजेंसी	1276.00

46	28.12.10 / 5858	महेन्द्र प्रताप,जीप चालक / पीओएल	1000.00
47	28.12.10 / 5859	कैलाश कुमार एन.आर.ई.पी / जनरेटर	2190.00
48	12.01.11 / 5862	महेन्द्र प्रताप,जीप चालक / पीओएल	900.00
49	24.01.11 / 5870	दीपक सिंह / कन्टीजेन्सी	1966.00
50	24.01.11 / 5872	विनोद कुमार कैशियर / जनरेटर सर्विस	820.00
51	24.01.11 / 5871	स्टेशनरी	2444.00
52	01.02.11 / 5875	दीपक सिंह / डीजल जेनरेटर	1400.00
53	21.02.11 / 5877	दीपक सिंह / जेनरेटर पीओएल	1990.00
54	24.02.11 / 5880	विनोद कुमार कैशियर / जेनरेटर पीओएल	1224.00
55	04.03.11 / 12001	विनोद कुमार कैशियर / जेनरेटर पीओएल	1098.00
		योग	**179175.00**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनरेगा प्रशासनिक मद से कुल रू 179175.00 से कन्टीजेन्सी, पी.ओ.एल., जनरेटर डीजल, जीप मरम्मत, जनरेटर मरम्मत एवं स्टेशनरी पर व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बन्धित बाउचर फाईल, जीप का लाग बुक, जनरेटर का लागबुक, स्टेशनरी स्टाक आदि बार–बार मौखिक एवं लिखित रूप से मॉगने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह, ख0वि0अ0 श्री अतुल मिश्रा व श्री राजीत मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर – 146</u>

वर्ष 2010–11 में राज्य वित्त, 12वॉ वित्त व 13वॉ वित्त योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय पर कुल रू 2361129.00 (विस्तृत विवरण आपत्ति संख्या 2 में अंकित है) भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक की जॉच में निम्न गम्भीर आपत्तियॉ पायी गयी है :–

सामग्री की आपूर्ति क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित फर्म का टेण्डर / कोटेशन स्वीकृत कर उससे जमानत की धनराशि जमा कराकर ही आपूर्ति आदेश क्षेत्र पंचायत के नियोक्ता एवं निर्माण समिति के प्रस्ताव / आदेशानुसार नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि सामग्री क्रय में विधिक प्रक्रिया का अभाव रहा और इकाई द्वारा मनचाहे फर्म से आधारहीन बिल / रसीद प्राप्त कर भुगतान कर राजकीय धन का दुरूपयोग फर्म की मिलीभगत से किया गया है।

भुगतान की पुष्टि में आपूर्तिकर्ता फर्म / संस्था द्वारा निधिवार चालान के साथ–साथ बिल जारी नहीं किया गया है बल्कि भुगतान की पुष्टि में आधारहीन पर्चा लगा है। जिस पर संस्था का टिन नं0 भी नहीं है। चालान के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका की संबंधित फर्म द्वारा संबंधित सामग्री किस साधन से (किस नं0 के ट्रक / ट्राली) निर्माण स्थल पर आपूर्ति की गयी। स्पष्ट है कि चालान के अभाव में माल प्राप्ति की पुष्टि नहीं होती जिससे आपूर्ति आधारहीन रहा।

क्रय सामग्री के आमद की पुष्टि में संस्था द्वारा स्टाक रजिस्टर भी तैयार कर नहीं रखा गया है।

बिलों से सेल्स टैक्स व आयकर की कटौती नियमानुसार नहीं की गयी है। (सेल्स टैक्स व आयकर की कटौती की विस्तृत गणना आपत्ति संख्या 15 में अंकित है) स्पष्ट है कि बिक्री की रसीदें सेल्स टैक्स विभाग में दर्ज नहीं करायी गयी है। इस प्रकार आधारहीन बिल के आधार पर भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी।

उक्त तथ्यों के आधार पर संस्था द्वारा किये गये सामग्री क्रय व आमद की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार वर्ष 2010–11 में कुल रू 2361129.00 का सामग्री क्रय के नाम पर किया गया भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह, ख0वि0अ0 श्री अतुल मिश्रा व श्री राजीत राम मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। प्रकरण विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर – 147</u>

वर्ष 2010–11 में 13वॉ वित्त मद से मझगवॉ कला में लालजी नट व रामेश्वर के घर से ग्राम सभा के तालाब तक भूमिगत जल निकासी नाला निर्माण हेतु दिनांक 08.03.11 को चेक संख्या 21003687 द्वारा रू 61145.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान में रू 15485.00 सामग्री का है जबकि शेष रू 45660.00 श्रमांश मजदूरी का है। पत्रावली में उक्त भुगतान के सापेक्ष मात्र रू 29400.00 का मस्टररोल संलग्न है। अतः रू 16260.00 का भुगतान बगैर प्रमाणक आधारहीन ढंग से कर दिया गया है। जिसका दायित्व तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह, ख0वि0अ0 श्री राजीत राम मिश्रा का है। अतः संबंधित से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2011–12

<u>प्रस्तर – 148</u>लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 में राज्य वित्त, 12वॉ वित्त व 13वॉ वित्त द्वारा निम्न विवरण अनुसार उसके सम्मुख लिखि धनराशि संबंधित फर्मों को कुल रू 2414412.00 का भुगतान सामग्री क्रय हेतु किया गया है। परन्तु उनके बिक्री से नियमों के अन्तर्गत 4% एसटी रू 96516.00 तथा

2.24% आईटी रू0 54088.00 कुल रू 150664.00 की कटौती नहीं की गयी है। जबकि नियमानुसार कटौती कर चालान द्वारा राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित था। ऐसा न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह व श्री उमराव सिंह ख0वि0अ0 श्री राजीत राम मिश्रा व दयाराम यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। भुगतान धन का फर्मवार विवरण निम्नवत् है।

क.सं.	दिनांक / चेक संख्या	भुगतान धन	फर्म का नाम	आयकर 2.24%	बिकी कर 4%	योग
1	31.03.12 / 34821	50200	मूरती ईंट उद्योग कुसुमरा	1124	2008	3132
2	09.04.12 / 38429	50900	मूरती ईंट उद्योग कुसुमरा	1140	2036	3176
3	11.11.11 / 19269	36000	मूरती ईंट उद्योग कुसुमरा	806	1440	2246
4	30.11.11 / 19278	7175	मूरती ईंट उद्योग कुसुमरा	161	287	448
5	30.11.11 / 19279	27195	हर्ष बिल्डिंग मैटे0, चंगवार	609	1088	1697
6	21.12.11 / 28801	48850	मूरती ईंट उद्योग कुसुमरा	1094	1954	3048
7	21.12.11 / 28802	83437	हर्ष बिल्डिंग मैटे0, चंगवार	1869	3337	5206
8	23.02.12 / 28810	50150	सदगुरू बि0 मै0 बडागॉव	1133	2006	3139
9	28.03.12 / 28820	43673	मॉ वैष्णों कंस्ट्र0 क0 हसनपुर	978	1747	2725
10	28.03.12 / 28821	20475	सदगुरू बि0 मै0 बडागॉव	459	819	1278
11	29.03.12 / 54660	29630	सदगुरू बि0 मै0 बडागॉव	664	1185	1849
12	02.03.12 / 28813	71000	मूरती ईंट उद्योग कुसुमरा	1590	2840	4430
13	13.03.12 / 28817	111000	मूरती ईंट उद्योग कुसुमरा	2486	4440	6926
14	28.03.12 / 54657	93332	मूरती ईंट उद्योग कुसुमरा	2090	3733	5823
15	09.08.11 / 19246	72000	जय श्री ईंट उ0 सोनपुरवा	1613	2880	4493
16	09.08.11 / 19247	24300	पाण्डेय ब्र0वि0 मै0 सोनपुरवा	544	972	1516
17	02.09.11 / 19255	8837	जय श्री ईंट उ0 सोनपुरवा	198	353	551
18	02.09.11 / 19256	29055	पाण्डेय ब्र0वि0 मै0 सोनपुरवा	651	1162	1813
19	23.02.12 / 28812	48937	सदगुरू बि0 मै0 बडागाँव	1096	1957	3053
20	28.03.12 / 54655	55067	सदगुरू बि0 मै0 बडागाँव	1234	2203	3437
21	03.10.11 / 19261	109600	जय श्री ईंट उ0 सोनपुरवा	2455	4384	6839
22	03.10.11 / 19262	6745	परमहंश इन्टर प्रा0 बड़ागॉव	151	270	421
23	01.07.11 / 03698	177500	जय श्री ईंट उ0 दांदूपुर	3976	7100	11076
24	15.07.11 / 019244	71000	जय श्री ईंट उ0 दांदूपुर	1590	2840	4430
25	19.08.11 / 19249	37275	जय श्री ईंट उ0 सोनपुरवा	835	1491	2326
26	19.08.11 / 19250	12992	परमहंश इन्टर प्रा0 बड़ागॉव	291	520	811
27	14.11.11 / 19271	185000	जय श्री ईंट उ0 दांदूपुर	4144	7400	11544
28	30.11.11 / 19276	205050	जय श्री ईंट उ0 दांदूपुर	4593	8202	12795
29	21.12.11 / 28804	6745	परमहंश इन्टर प्रा0 बड़ागॉव	151	270	421
30	23.01.12 / 28806	45100	जय श्री ईंट उ0 दांदूपुर	1010	1804	2814
31	23.01.12 / 28807	23720	सदगुरू बि0 मै0 बडागॉव	531	949	1480
32	13.03.12 / 28814	12620	सदगुरू बि0 मै0 बडागॉव	283	505	788
33	21.09.11 / 19258	140160	मूरती ईंट उद्योग कुसुमरा	3140	5606	8746
34	03.10.11 / 19264	36000	गणेश ईंट भट्ठा कौवाडाड़	806	1440	2246
35	03.10.11 / 19265	27600	मे0 राजीव कु0 गुप्ता बड़ागॉव	618	1104	1722
36	18.11.11 / 19273	28800	गणेश ईंट भट्ठा कौवाडाड़	645	1152	1797
37	09.04.12 / 34831	71420	मूरती ईंट उद्योग कुसुमरा	1600	2857	4457
38	13.06.12 / 36970	33880	मूरती ईंट उद्योग कुसुमरा	759	1355	2114
39	01.07.11 / 03700	142000	जय श्री ईंट उ0 दांदूपुर	3180	5680	8860
40	15.07.11 / 19242	71000	जय श्री ईंट उ0 दांदूपुर	1590	2840	4430
41	19.08.11 / 19252	8992	सुनीता आर.सी.सी. स्पन पाईप	201	360	561
		2414412		**54088**	**96576**	**150664**

प्रस्तर – 149

वर्ष 2011–12 में राज्य वित्त 12वां वित्त व 13वां वित्त योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय पर कुल रू0 2414412.00 (विस्तृत विवरण आपत्ति संख्या 23 में अंकित है) भुगतान से संबधित पत्रावली/प्रमाणक की जाँच में निम्न गंभीर आपत्तियां पायी गयी है।

क– उक्त भुगतान की पुष्टी में आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था द्वारा निधिवार चालान के साथ–साथ बिल जारी नही किया गया है बल्कि भुगतान की पुष्टी में आधारहीन पर्चा लगा है। चालान के अभाव में यह स्पष्ट नही हो सका कि संबधित फर्म द्वारा संबधित सामग्री किस साधन से किस न0 की ट्रक/ट्राली निर्माण स्थल पर आपुर्ति कि गयी। स्पष्ट है कि चालान के अभाव में माल आमद की पुष्टी नही होती जिससे आपुर्ति आधारहीन रहा।
ख– सामग्री आपूर्ति क्षे0पं0 एवं जिला पं0 निर्माण नियमावली 1984 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत संबधित फर्म का टेन्डर/कोटेशन स्वीकृत कर आपूर्ति आदेश क्षे0 पं0 के नियोक्ता एवं निर्माण समिति के प्रस्ताव/आदेशानुसार नही दिया गया है। लेखा परीक्षा समय पत्रावली की जांच में पाया गया की कुछ सामग्री क्रय के पुर्व कोटेशन लिया गया है जो कोटेशन रसीद पर न हो कर कैशममों पर है। कोटेशन से सबंधित तीनों फर्म का लिफाफा समरूप है साथ ही साथ कुछ कोटेशन कार्यप्रभारी द्वारा स्वंय लाया गया है। जो कोटेशन के पृष्ठ भाग पर अंकित है। जिसे स्पष्ट होता है कि संस्था पर कोटेशन प्रक्रिया मात्र एक कागजी कोरम पूर्ण करने के रूप में कि गयी है। स्पष्ट है कि सामग्री क्रय में विधिक प्रक्रिया का अभाव रहा और इकाई द्वारा मनचाहे फर्म से आधारहीन रसीद प्राप्त कर भुगतान कर राजकीय धन का दुरूपयोग फर्म की मिली भगत से कि गयी है।
ग– बिलों से सेल्स टैक्स व आयकर की कटौती नियमानुसार नही की गयी है। (सेल्स टैक्स व आयकर की कटौती की विस्तृत गणना आपत्ति संख्या 27 में अंकित है।) स्पष्ट है कि बिक्री की रसीदें सेल्स टैक्स विभाग में दर्ज नही करायी गयी है। इस प्रकार आधारहीन बिल के आधार पर भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गयी।
घ– क्रय सामग्री के आमद की पुष्टि में संस्था द्वारा स्टांक रजि0 भी तैयार कर नही रखा गया है।
उक्त तथ्यों के आधार पर संस्था द्वारा किए गए सामग्री क्रय व आमद की पुष्टि नही की जा सकी। इस प्रकार वर्ष 2011–12 में कुल रू0 24144412.00 का सामग्री क्रय के नाम पर किया गया भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह व श्री उमराव सिंह एवं ख0वि0अ0 श्री राजीत राम मिश्रा व दयाराम यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। प्रकरण विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।
उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 150

वर्ष 2011–12 में विधायक निधि मद में कुल रू0 295680.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्न अनुसार है।

क्र.सं.	दिनांक/चेक संख्या	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1–	3.5.11/012019	श्री मनोज कु0 श्रीवास्तव ग्रा0पं0अ0बलरामपुर भुमिगत नाला	58747
2–	3.511/012020	श्री मनोज कु0 श्रीवास्तव ग्रा0पं0अ0बलरामपुर भुमिगत नाला	57481
3–	9.9.11/015752	परमहंस इन्टर प्रा0बलरामपुर भुमिगत नाला	52997
4–	9.9.11/015753	श्री मनोज कु0 श्रीवास्तव ग्रा0पं0अ0बलरामपुर भुमिगत नाला	70490
5–	21.12.11/015760	परमहंस इन्टर प्रा0बलरामपुर भुमिगत नाला	14510
6–	21.12.11/026781	श्री मनोज कु0 श्रीवास्तव ग्रा0पं0अ0बलरामपुर भुमिगत नाला	10385
7–	23.1.12/026782	श्री मनोज कु0 श्रीवास्तव ग्रा0पं0अ0बलरामपुर भुमिगत नाला	31070
		योग–	**295680**

उक्त भुगतान रू0 295680.00 के सापेक्ष संबधित पत्रावली/भुगतान संबधित पुष्टिकारक अभिलेख बार–बार मौखिक व लिखित रूप में मांगने के बावजूद ले0 प0 में सुलभ नही रहा। जिस कारण उक्त मद के सम्पुर्ण व्यय के सत्यता की पुष्टि नही की जा सकी। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह व श्री उमराव सिंह एवं ख0वि0अ0 श्री ओम प्रकाश दूबे, श्री राजीत राम मिश्रा व दयाराम यादव संयुक्त रूप से उत्तरादायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 151

वर्ष 2011–12 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि मद में कुल रू0 158550.00 व्यय किया गया है जो अभिलेखो में दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष संबधित पत्रावली/पुष्टिकारक अभिलेख ले0प0 में बार– बार मौखिक व लिखित रूप से मांगने के बावजूद उपलब्ध नही कराया गया। उक्त आधार पर उक्त भुगतान की सत्यता की पुष्टि नही की जा सकी। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री उमराव सिंह व ख0वि0अ0श्री दयाराम यादव संयुक्त रूप से उत्तरादायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 152

वर्ष 2011–12 में मनरेगा कन्टीजेन्सी मद से निम्न विवरण अनुसार व्यय अभिलेखों में अंकित है।

क्र.सं.	दिनांक/चेक संख्या	प्राप्तकर्ता/उद्देश्य	धनराशि
1	6.4.11/12011	स्टेशनरी कन्टीजेन्सी	9551.00
2	6.4.11/12012	दीपक सिंह ए पी ओ डीजल जनरेटर	1400.00
3	6.4.11/12013	विनोद कु0 कैशियर कन्टीजेन्सी	4778.00
4	7.4.11/12015	विनोद कु0 कैशियर कन्टीजेन्सी	11890.00
5	11.4.11/12016	महेन्द्र प्रताप जीप चालक पी ओ एल जीप	1700.00
6	25.4.11/1218	विनोद कु0 कैशियर कन्टीजेन्सी	2423.00
7	9.5.11/15722	महेन्द्र प्रताप जीप चालक पी ओ एल जीप	1000.00

8	9.5.11/15723	दीपक सिंह ए पी ओ डीजल जनरेटर	135.00
9	9.5.11/15724	स्टेशनरी	9551.00
10	9.5.11/15726	स्टेशनरी	7441.00
11	9.5.11/15727	स्टेशनरी	367.00
12	31.5.11/15728	आगमन इनफोटेक सिस्टम/सर्विस	22900.00
13	2.6.11/15731	वरूणा आटो गैरेज जीप मरम्मत	45350.00
14	1.7.11/15732	दीपक सिंह ए पी ओ डीजल जनरेटर	1600.00
15	27.8.11/15740	दी स्टेशनरी सिस्टम मलदहीया–स्टेशनरी	6285.00
16	27.8.11/15746	दीपक सिंह ए पी ओ डीजल जनरेटर एमआईएस फिडिंग	4526.00
17	27.8.11/15747	विनोद कुमार कैशियर	6469.00
18	30.8.11/15748	युरेका फोर्स लिमिटेड	2470.00
19	6.9.11/15749	वरूणा आटो गैरेज जीप सर्विसिंग	3588.00
20.	6.9.11/15750	मिली ट्रेडर्स– स्टेशनरी	9750.00
21	7.9.11/15750	आर पी पेट्रोल एण्ड डीजल पी ओ एल जनरेटर	16281.00
22	10.10.11/15754	आर पी पेट्रोल एण्ड डीजल पी ओ एल	1503.00
23	21.10.11/15755	आर पी पेट्रोल एण्ड डीजल पी ओ एल	1298.00
24	4.11.11/15756	दीपक सिंह ए पी ओ डीजल जनरेटर	6542.00
25	4.11.11/15757	विनोद कु0 कैशियर कार्यालय व्यय	8049.00
26	28.3.12/26787	विनोद कु0 कैशियर स्टेशनरी	148.00
		योग–	**186995.00**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 11–12 में मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में रू0186995.00 स्टेशनरी कन्टीजेन्सी, डीजल जनरेटर, पी ओ एल जीप, जीप मरम्मत, आर ओ मरम्मत, जीप सर्विसिंग कार्यालय व्यय व अन्य मद पर व्यय किया गयाहै। परन्तु ले0प0 समय बार–बार मौखिक व लिखित रूप से एक्त व्यय के सापेक्ष संबधित बाउचर फाइल, स्टेशनरी स्टांक रजि0 जीप लाग बुक, जनरेटर लाग बुक आदि पुष्टिकारक अभिलेख मांगने के बावजूद सुलभ नही कराया गया जिससे उक्त भुगतान सत्यता प्रमाणित नही की जा सकी। अपुष्ट, अप्रमाणित धनराशि वसूली योग्य है। जिसका दायित्व तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह व श्री उमराव सिंह ख0वि0अ0 श्री ओम प्रकाश दूबे व श्री राजीत राम मिश्रा पर संयुक्त रूप से निर्धारित किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 153

वर्ष 2011–12 में राज्य वित्त योजना अर्न्तगत लखन्सीपुर नथईपुर मार्ग के नाले पर पुलिया निर्माण का अनुमानित लागत रू0 127200.00 स्वीकृत है जो पत्रावली से ज्ञात हुआ। परन्तु पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ की उक्त कार्य हेतु दिनांक 19–8–11 को चेक संख्या 21019254 द्वारा रू0 32399.00 का भुगतान 900 एम एम एन पी 3 ह्यूम पाइप (10आर एम) करने पर परमहंस इण्टरप्राइजेज बड़ागांव को किया गया है। उक्त कार्य पे उक्त भुगतान के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान पत्रावली में दर्शित नही है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य नही कराया गया परन्तु उक्त क्रय ह्यूम पाइप का क्या हुआ अज्ञात रहा। क्योकि ले0प0 में स्टांक रजि0 भी सुलभ नही रहा। उक्त स्थिति में उक्त व्यय अपुष्ट व अप्रमाणित रहा। अतः वसूली योग्य है। जिसका दायित्व तत्तकालीन श्री उमराव सिंह व ख0वि0अ0 श्री राजीत राम मिश्रा पर किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2012–13

प्रस्तर – 154

ले0 प0 उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर क्षे0 पं0 द्वारा वर्ष 2012–13 में राज्य वित्त व 13वां वित्त द्वारा निम्न विवरण अनुसार उसके सम्मुख लिखी धनराशि संबधित फर्मो को कुल रू0 4217009.00 का भुगतान सामग्री क्रय हेतु किया गया है। परन्तु उनके बिक्री से नियमों के अन्तर्गत 4 प्रतिशत एस0टी0 रू0 168698.00 तथा 2.24 प्रतिशत आई0टी0 रू0 94464.00 कुल रू0 263162.00 की कटौती नही की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री उमराव सिंह एवं ख0वि0अ0 श्री आर के लाल श्री मनोज कुमार राय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। भुगतान धन का फर्मवार विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	दिनांक/चेक सं0	भुगतान धन	फर्म का नाम	आयकर 2.24%	बिक्री कर 4%	योग
1	10.6.12/ 036964	124200	जय श्री ईट उघोग सोनपुरवा	2782	4968	7750
2	23.3.13/ 55910	4000	सदगुरू बि0 मै0 बड़ागांव	90	160	250
3	25.4.13/ 55923	69478	भोले ईट उघोग, पतेर	1556	2799	4355
4	14.8.13/ 60934	4000	छेव कंस्ट्र0 चंगवार भटठा अनेई	90	160	250
5	24.1.13/ 43012	50980	उजाला इन्टरप्राइजेज इटहा	1142	2039	3181
6	25.3.13/ 55917	11800	सदगुरू बि0 मै0 बड़ागांव	264	472	736

7	28.1.13 / 43017	4000	उजाला इन्टरप्राइजेज इटहा	90	160	250
8	28.1.13 / 43018	189266	जय श्री ईट उधोग सोनपुरवा	4240	7571	11811
9	28.1.13 / 43019	5412	जय माता जी, खुशिहालीपुर	121	216	337
10	13.6.13 / 55930	180220	जय श्री ईट उघोग सोनपुरवा	4037	7209	11246
11	31.12.12 / 42993	262177	मूरती ईट उद्योग कुसुमुरा	5873	10487	16360
12	31.12.12 / 42995	117960	गनेश ईंट भट्ठा कौवाडाड	2642	4718	7360
13	09.01.13 / 43000	93340	गनेश ईंट भट्ठा कौवाडाड	2091	3734	5825
14	14.08.13 / 60936	4000	देव कंस्ट्र0, चंगवार भट्ठा अनेई	90	160	250
15	10.06.12 / 34840	210400	जय श्री ईट उघोग सोनपुरवा	4713	8416	13129
16	20.06.12 / 36976	170800	जय श्री ईट उघोग सोनपुरवा	3826	6832	10658
17	14.08.13 / 60939	4000	देव कंस्ट्र0, चंगवार भट्ठा अनेई	90	160	250
18	10.06.12 / 34838	163800	जय श्री ईट उघोग सोनपुरवा	3669	6552	10221
19	11.07.12 / 39665	71000	जय श्री ईट उघोग सोनपुरवा	1590	2840	4430
20	21.01.13 / 43010	4000	उजाला इन्टरप्राइजेज इटहा	90	160	250
21	25.03.13 / 55920	81708	जय श्री ईट उघोग दांदूपुर	1830	3268	5098
22	25.03.13 / 55920	39271	जय श्री ईट उघोग दांदूपुर	880	1571	2451
23	25.03.13 / 55921	14197	देव कंस्ट्र0, चंगवार भट्ठा अनेई	318	568	886
24	10.06.12 / 34835	33582	आर्शीवाद इ0प्र0 परमानन्दपुर	752	1343	2095
25	10.06.12 / 34836	22620	जय श्री ईट उघोग सोनपुरवा	507	905	1412
26	10,6,12 / 34837	11130	सदगुरु बि0 मै0 बड़ागांव	249	445	694
27	6,7,12 / 36980	1780	जय श्री ईट उघोग सोनपुरवा	40	71	111
28	31,8,12 / 39673	4000	उजाला इन्टरप्राइजेज इटहा	90	160	250
29	10,6,12 / 36962	212900	गनेश ईंट भट्ठा कौवाडाड	4769	8516	13285
30	20,6,12 / 36973	40000	गनेश ईंट भट्ठा कौवाडाड	896	1600	2496
31	20,6,12 / 36974	64140	सदगुरु बि0 मै0 बड़ागांव	1437	2566	4003
32	27,7,12 / 39670	60000	गनेश ईंट भट्ठा कौवाडाड	1344	2400	3744
33	25,8,12 / 39671	27382	सदगुरु बि0 मै0 बड़ागांव	613	1095	1708
34	31,8,12 / 39672	13568	सदगुरु बि0 मै0 बड़ागांव	304	543	847
35	12,6,12 / 36968	160000	जय श्री ईट उघोग सोनपुरवा	3584	6400	9984
36	6,7,12 / 39662	146800	जय श्री ईट उघोग सोनपुरवा	3288	5872	9160
37	6,7,12 / 39663	2134	माँ दुर्गा जी स्पन पाइप उ0	48	85	133
38	22,3,13 / 55901	33750	सदगुरु बि0 मै0 बड़ागांव	756	1350	2106
39	22,3,13 / 55902	81400	जय श्री ईट उघोग दांदूपुर	1823	3256	5079
40	22,3,13 / 55903	79535	एस कन्ट्रै0 एण्ड सप्लायर	1782	3181	4963
41	25,3,13 / 55912	7110	जय श्री ईट उघोग दांदूपुर	159	284	443
42	25,3,13 / 55913	14266	देव कन्ट्रै0, चंगवार भट्टा अनेई	320	571	891
43	14,8,13 / 60943	4000	देव कन्ट्रै0, चंगवार भट्टा अनेई	90	160	250
44	19,10,12 / 42985	19135	सदगुरु बि0 मै0 बड़ागांव	429	765	1194
45	19,10,12 / 42986	15460	मुरती ईट उद्योग कुसुमुरा	346	618	964
46	19,10,12 / 42987	87503	उजाला इन्टरप्राइजेज इटंहा	1960	3500	5460
47	21,1,13 / 43008	4000	उजाला इन्टरप्राइजेज इटंहा	90	160	250
48	21,1,13 / 43006	930	सदगुरु बि0 मै0 बड़ागांव	21	37	58
49	21,1,13 / 43001	8767	उजाला इन्टरप्राइजेज इटंहा	196	351	547
50	12,6,12 / 36966	53100	जय श्री ईट उघोग सोनपुरवा	1189	2124	3313
51	20,9,12 / 36974	77390	सदगुरु बि0 मै0 बड़ागांव	1734	3096	4830
52	3,12,12 / 42990	3500	उजाला इन्टरप्राइजेज इटंहा	78	140	218
53	19,10,12 / 42981	67157	सदगुरु बि0 मै0 बड़ागांव	1504	2686	4190
54	19,10,12 / 42982	39460	मुरती ईट उद्योग कुसुमुरा	884	1578	2462
55	19,10,12 / 42983	6458	उजाला इन्टरप्राइजेज इटंहा	145	258	403
56	24,1,13 / 43015	2480	सदगुरु बि0 मै0 बड़ागांव	56	99	155
57	25,3,13 / 55915	4000	देव कन्ट्रै0, चंगवार भट्टा अनेई	90	160	250
58	20,9,12 / 39676	75810	जय श्री ईट उघोग सोनपुरवा	1698	3032	4730
59	10,10,12 / 39679	83591	मुरती ईट उद्योग कुसुमुरा	1872	3344	5216
60	21,1,13 / 43004	4000	उजाला इन्टरप्राइजेज इटंहा	90	160	250
61	20,6,12 / 36978	210000	जय श्री ईट उघोग सोनपुरवा	4704	8400	13104
62	10,513 / 55927	203759	एस कन्ट्रै0 एण्ड सप्लायर	4564	8150	12714
63	4,7,13 / 55935	19894	जय श्री ईट उघोग दांदूपुर	446	796	1242
64	4,7,13 / 55936	18053	देव कन्ट्रै0, चंगवार भट्टा अनेई	404	722	1126

65	28,11,13/68239	4000	देव कन्ट्रै0, चंगवार भट्टा अनेई	90	160	250
66	23,3,13/55905	37650	सदगुरु बि0 मै0 बड़ागांव	843	1506	2349
67	23,3,13/55906	62600	जय श्री ईट उघोग दांदूपुर	1402	2504	3906
68	23,3,13/55907	92517	एस कन्ट्रै0 एण्ड सप्लायर	2072	3701	5773
69	2,5,13/55925	108518	एस कन्ट्रै0 एण्ड सप्लायर	2431	4341	6772
70	3,7,13/55932	7171	देव कन्ट्रै0, चंगवार भट्टा अनेई	161	287	448
		4217009		**94464**	**168698**	**263162**

<u>प्रस्तर – 155</u>

वर्ष 2012–13 में राज्य वित्त व 13वॉ वित्त योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय पर कुल रू0 4217009.00 (विस्तृत आपत्ति संख्या 30 में अंकित है) भुगतान से संबंधित पत्रावली/प्रमाणक की जॉच में निम्न गम्भीर आपत्तियॉ पायी गयी है।

सामग्री आपूर्ति क्षे0पं0 एवं जि0पं0 निर्माण नियमावली 1984 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित फर्म का टेण्डर/कोटेशन स्वीकृत कर आपूर्ति आदेश क्षे0पं0 के नियोक्ता एवं निर्माण समिति के प्रस्ताव/आदेशानुसार नहीं दिया गया है। वर्ष 2012–13 की ले0प0 समय पत्रावली की जॉच में पाया गया कि कुछ सामग्री क्रय के पूर्व कोटेशन लिया गया है। जो कोटेशन रसीद पर न होकर कैशमेमो पर या कैशमेमो की छाया प्रति पर है। कोटेशन से संबंधित तीनों लिफाफा समरूप है। साथ ही साथ कुछ कोटेशन कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं लाया गया है जो कोटेशन के पृष्ठ भाग पर अंकित है। उक्त से स्पष्ट है कि संस्था पर कोटेशन प्रकिया मात्र कागजी कोरम पूर्ण करने के रूप में की गयी है। स्पष्ट है कि सामग्री क्रय में विधिक प्रकिया का अभाव रहा और इकाई द्वारा मनचाहे फर्म से आधारहीन रसीद प्राप्त कर भुगतान कर राजकीय धन का दुरूपयोग फर्म की मिलीभगत से की गयी है।

उक्त भुगतान की पुष्टि में आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था द्वारा निधिवार चालान के साथ साथ बिल जारी नहीं किया गया है बल्कि भुगतान की पुष्टि में आधारहीन पर्चा लगा है। चालान के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि संबंधित फर्म द्वारा संबंधित सामग्री किस साधन से (किस नं0 की ट्रक/ट्राली) निर्माण स्थल पर आपूर्ति की गयी। स्पष्ट है कि चालान के अभाव में माल आमद की पुष्टि नहीं होती जिससे आपूर्ति आधारहीन रहा।

बिलों से सेल्स टैक्स व आयकर की कटौती नियमानुसार नहीं की गयी है। (सेल्स टैक्स व आयकर की कटौती की विस्तृत गणना आपत्ति संख्या 33 में अंकित है।) स्पष्ट है कि बिकी की रसीदें सेल्स टैक्स विभाग में दर्ज नहीं करायी गयी है। इस प्रकार आधारहीन बिल के आधार पर भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी।

क्रय सामग्री के आमद की पुष्टि में संस्था द्वारा स्टाक रजिस्टर भी तैयार कर नहीं रखा गया है।

उक्त तथ्यों के आधार पर संस्था द्वारा किये गये सामग्री क्रय व आमद की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार वर्ष 2012–13 में कुल रू0 4217009.00 का सामग्री क्रय के नाम पर किया गया भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री उमराव सिंह व ख0वि0अ0 श्री आर0के0लाल व श्री मनोज कुमार राय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। प्रकरण विभाग के उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर – 156</u>

वर्ष 2012–13 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मद में अभिलेखों अनुसार निम्न विवरण अनुसार भुगतान अंकित है।

क0सं0	दि0/चेक संख्या	भुगतान प्राप्त कर्ता	धनराशि
1,	11,7,12/26791	जय माँ नक्टे भ0 ईट उ0 बचौरा लखीमपुर कब्रिस्तान	107300
2,	11,7,12/26792	दिब्येश कन्सट्र0 एण्ड सप्लायर्स कब्रिस्तान बाउन्ड्री	62212
3,	11,7,12/26793	शिव प्रकाश सिंह यादव ए डी ओ (सी) कब्रिस्तान बाउन्ड्री	69640
4,	27,7,12/35107	उजाला इन्टरप्राइजेज इटहा कब्रिस्तान बाउन्ड्री	4000
5,	27,7,12/35108	सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव तेलारी कब्रिस्तान बाउन्ड्री	500
6,	27,7,12/35109	शिव प्रकाश सिंह यादव ए डी ओ (सी) कब्रिस्तान बाउन्ड्री	1250
7,	11,1,13/35110	प्वन इन्टरप्रा0 एण्ड सप्लायर्स बहुतरा कब्रिस्तान बाउन्ड्री	134798
8,	11,1,13/35111	शव प्रकाश सिंह यादव ए डी ओ (सी) कब्रिस्तान बाउन्ड्री	39750
		योग	**419450**

उक्त भुगतान रु0 419450,00 के सापेक्ष पत्रावली/भुगतान पुष्टिकारक अभिलेख बार बार मौखिक व लिखित रुप में मांगने के बावजुद ले0 प0 समय सुलभ नही कराया गया जिस कारण उक्त मद के समस्त भुगतान के सत्यता की पुष्टि नही की जा सकी। जिसके लिए तत्कालिन लेखाकार श्री उमराव सिंह व ख0वि0 अ0 श्री आर0 के0 लाल संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर – 157</u>

वर्ष 2012–13 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि मद से अभिलेखो अनुसार निम्न भुगतान /व्यय दर्शित है।

क्रं0सं0	दिनांक/चेक संख्या	भुगतान प्राप्त कर्ता	धनराशि
1,	22,9,12/26974	पी डी (डी आर डी ए) को वापस	4880

2,	12,3,13 / 35112	ओम ईट भट्टा , भगौतीपुर,पायकपुर नाली मरम्मत	163275
3,	12,3,13 / 35113	धीरज सीमेंन्ट एजेन्सी, कपसेठी नाली मरम्मत	86350
4,	12,3,13 / 35114	गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव	63875
		योग	**318380**

उक्त भुगतान रु0 318380,00 में सें रु0 4800,00 पी0 डी0 को वापस दिया गया है व शेष रु0 313500,00 का भुगतान उक्त विवरण अनुसार निर्माण कार्य पर किया गया है जो अभिलेखो में अंकित है। उक्त भुगतान रु0 313500,00 के सापेक्ष पत्रावली / पुष्टिकारक अभिलेख बार बार मौखिक व लिखित रुप में मांगने के बावजूद ले0 प0 समय उपलब्ध नही कराया गया। जिस कारण उक्त भुगतान की सत्यता की पुष्टि नही की जा सकी। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री उमरावं सिंह व ख0 वि0 अ0 श्री आर0 के0 लाल संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 158

वर्ष 12–13 के राज्य वित्त योजना अर्न्तगत ग्राम कुरु में मेन रोड से ज्ञानदेवी के घर तक खंडजा कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री शिवप्रकाश सिंह यादव ए डी ओ (सी) को दि0 31,12,12 को चेक संख्या 042996 द्वारा रु0 45840,00 व दि0 9,1,13 को चेक संख्या 42999 द्वारा रु0 15375,00 का भुगतान किया गया है। जो पत्रावली की जांच से ज्ञात हुआ परन्तु पत्रावली में उक्त भुगतान के सापेक्ष मस्टर रोल / समायोजक प्रमाणक नही है जिससे उक्त भुगतान अपुष्ट रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री उमरावं सिह व ख0 वि0 अ0 व श्री आर0 के0 लाल व कार्यप्रभारी श्री शिवप्रकाश सिंह ए0 डी0 ओ0 (सी) से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 159

वर्ष 2012–13 में राज्य वित्त योजना अन्तर्गत इश्वर में सरकारी ट्यूबेल से अनजाना बाबा कोदई ग्राम स्थित साइफन तक नाली निर्माण हेतु कार्यप्रभारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, ग्रा0पं0अ0 को दिनांक 27.07.12 को चेक संख्या 39668 द्वारा रू0 117660.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान के सापेक्ष प्रस्तुत मस्टररोल का विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	कार्य दिवस	मजदूरों की उपस्थिति का विवरण	धनराशि
1	12 से 18.06.12	5*7*250+15*7*120+3*6*120	23510
2	19 से 25.06.12	5*7*250+15*7*120+3*6*120	23510
3	26 से 02.07.12	5*7*250+15*7*120+3*6*120	23510
4	03 से 09.07.12	5*7*250+15*7*120+3*6*120	23510
5	10 से 16.07.12	4*7*250+1*6*250+18*7*120	23620
		योग	**117660**

उक्त सभी मस्टर रोलों पर मजदूरों का निशानी अंगूठा / हस्ताक्षर नहीं है। उक्त स्थिति में उक्त भुगतान पूर्णतया काल्पनिक व धन का अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री उमराव सिंह व ख0वि0अ0 श्री आर0के0लाल व कार्यप्रभारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 160

वर्ष 2012–13 में 13वॉ वित्त योजना अन्तर्गत ग्राम कुआर मेन रोड से सत्यप्रकाश के मकान से अहिरानी सरहद तक खडंजा मरम्मत / नव निर्माण हेतु कार्यप्रभारी श्री शिवप्रकाश सिंह यादव ए0डी0ओ0 (सी) को चेक संख्या 21036979 (दिनांक 20.06.12) द्वारा रू0 92080.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान के सापेक्ष प्रस्तुत मस्टर रोलों का विवरण निम्नवत् रहा।

क्र.सं.	कार्य दिवस	मजदूरों की उपस्थिति का विवरण	धनराशि
1	22 से 28.05.12	20*7*120	16800
2	29 से 04.06.12	3*7*250+2*6*250+20*7*120	25050
3	05 से 11.06.12	3*7*250+2*6*250+20*7*120	25050
4	12 से 18.06.12	4*7*250+1*6*250+19*7*120+1*6*120	25180
		योग	**92080**

उक्त सभी मस्टर रोलों पर मजदूरों का निशानी अंगूठा / हस्ताक्षर नहीं लगा है। उक्त स्थिति में उक्त भुगतान पूर्णतया धन का अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री उमराव सिंह व ख0वि0अ0 श्री आर0के0लाल व कार्यप्रभारी श्री शिव प्रकाश सिंह यादव ए0डी0ओ0 (सी) से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 161

वर्ष 2009–10 से 2012–13 की लेखा परीक्षा समय ग्राण्ट रजिस्टर से बैंक पासबुकों की जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि बैंकों में जमा अनुदान के धन पर प्राप्त ब्याज को अनुदान मद के आय में दर्शित कर व्यय किया गया है। विवरण निम्नवत् है।

क.सं.	खाता सं0/नाम बैंक	दिनांक	प्राप्त ब्याज	मद जिसमें आय दर्शित कर व्यय किया गया
1	09253/यू0बी0आई0 बड़ागॉव	03.08.09	15523	राज्य वित्त
2	09253/यू0बी0आई0 बड़ागॉव	02.02.10	18472	राज्य वित्त
3	20057/यू0बी0आई0 बड़ागॉव	03.08.09	8475	मनरेगा कन्टीजेन्सी
4	20057/यू0बी0आई0 बड़ागॉव	02.02.10	3244	मनरेगा कन्टीजेन्सी
5	09253/यू0बी0आई0 बड़ागॉव	04.08.10	13629	राज्य वित्त
6	09253/यू0बी0आई0 बड़ागॉव	03.02.11	17672	12वॉ वित्त
7	20057/यू0बी0आई0 बड़ागॉव	04.08.10	5108	मनरेगा कन्टीजेन्सी
8	20057/यू0बी0आई0 बड़ागॉव	03.02.11	15230	मनरेगा कन्टीजेन्सी
9	09253/यू0बी0आई0 बड़ागॉव	03.08.11	27543	राज्य वित्त
10	09253/यू0बी0आई0 बड़ागॉव	03.02.12	35541	राज्य वित्त
11	09253/यू0बी0आई0 बड़ागॉव	02.08.12	30928	राज्य वित्त
12	09253/यू0बी0आई0 बड़ागॉव	03.02.13	18671	राज्य वित्त
	योग		**210036**	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को योजनागत मद व मनरेगा कन्टीजेन्सी (विविध व्यय) मद में व्यय किया गया है जबकि नियमानुसार प्राप्त ब्याज को राजकीय कोषागार के निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाना था। ऐसा न करके प्राप्त ब्याज रू0 210036.00 को दुरूपयोग किया गया है। जिसका वर्षवार विवरण निम्न अनुसार रहा।

2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
45714	51639	63084	49599

जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र नाथ सिंह व श्री उमराव सिंह एवं ख0वि0अ0 श्री अतुल मिश्रा, श्री राजीत मिश्रा, श्री ओमप्रकाश दूबे, श्री दयाराम यादव, श्री आर0के0 लाल व श्री मनोज कुमार राय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

19. क्षेत्र पंचायत – बड़ागांव वर्ष 2013–14 से 2014–15

प्रस्तर – 162

वर्ष 2013–14 में निम्न विवरण अनुसार उसके सम्मुख अंकित धन संबंधित फर्मों को कुल रू0 6456015.00 का सामग्री क्रय हेतु भुगतान किया गया है परन्तु उनके बिक्री से नियमों के अन्तर्गत 4% एस टी. रू0 258243.00 तथा 2.24% आइ टी रू0 144514.00 कुल रू0 402757.00 की कटौती नहीं कर अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री उमराव सिंह व श्री कैलाश कुमार एवं ख0वि0अ0 श्री मनोज कु0 राय व श्री फूलचन्द से करके तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। भुगतान धन का फर्मवार विवरण निम्नवत् है–

क. सं.	दिनांक/ चेक संख्या	भुगतान धन	फर्म का नाम	आयकर 2. 24%	बिकी कर 4%	योग
1	16.09.13/ 868228	55003	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	1232	2200	3432
2	16.09.13/ 21068227	84673	मूरती ईंट उद्योग चंगवार अनेई	1897	3387	5284
3	19.07.13/ 060926	96800	मूरती ईंट उद्योग चंगवार अनेई	2168	3872	6040
4	19.07.13/ 060927	153600	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	3440	6144	9584
5	03.09.13/ 060954	80290	मूरती ईंट उद्योग चंगवार अनेई	1798	3212	5010
6	03.09.13/ 060955	62435	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	1399	2497	3896
7	03.07.13/ 055934	221653	एस. कान्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर रायपुर	4965	8866	13831
8	15.07.13/ 055938	46062	हर्ष बिल्डिंग मैटे0, चंगवार	1032	1842	2874
9	15.07.13/ 055939	43644	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	978	1746	2724
10	28.11.13/ 068237	4000	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	90	160	250
11	11.03.14/ 068251	109168	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	2445	4367	6812

12	11.03.14 / 068252	56649	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	1269	2266	3535
13	28.03.14 / 068260	57427	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	1286	2297	3583
14	28.03.14 / 068261	97058	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	2174	3882	6056
15	27.07.13 / 060928	72650	मूरती ईंट उद्योग चंगवार अनेई	1627	2906	4533
16	27.07.13 / 060929	215213	एस. कान्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर रायपुर, अनेई	4821	8609	13430
17	27.07.13 / 060930	40300	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	903	1612	2515
18	27.08.13 / 060946	75085	मूरती ईंट उद्योग चंगवार अनेई	1682	3003	4685
19	27.08.13 / 060947	34473	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	772	1379	2151
20	03.09.13 / 060959	16604	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	372	664	1036
21	28.03.14 / 075581	21170	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	474	847	1321
22	28.03.14 / 075582	41100	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	921	1644	2565
23	23.05.14 / 075598	68267	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	1529	2731	4260
24	23.05.14 / 075599	116218	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	2603	4649	7252
25	12.06.14 / 083173	29497	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	661	1180	1841
26	12.06.14 / 083174	72552	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	1625	2902	4527
27	28.03.14 / 075578	44550	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	998	1782	2780
28	28.03.14 / 075579	25770	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	577	1031	1608
29	23.05.14 / 083166	168391	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	3772	6736	10508
30	23.05.14 / 083167	140172	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	3140	5607	8747
31	28.03.14 / 075583	142500	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	3192	5700	8892
32	28.03.14 / 075584	82690	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	1852	3308	5160
33	21.04.14 / 075593	22800	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	511	912	1423
34	21.04.14 / 075594	55447	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	1242	2218	3640
35	23.05.14 / 083161	23017	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	516	921	1437
36	23.05.14 / 083162	27149	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	608	1086	1694
37	27.08.13 / 060951	211500	मूरती ईंस्ट उद्योग चंगवार अनेई	4737	8460	13197
38	28.11.13 / 068233	63792	मूरती ईंस्ट उद्योग चंगवार अनेई	1429	2552	3981

39	03.12.13 / 068243	26330	बजरंग हार्डवेयर स्टोर्स, बड़ागॉव	590	1053	1643
40	03.12.13 / 068244	10000	सदगुरू बि0 मैटेरियल, बड़गॉव	224	400	624
41	03.12.13 / 068245	3192	संजय आयरन फेविकोल	72	128	200
42	28.03.14 / 075570	217900	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	4881	8716	13597
43	06.09.14 / 085735	124858	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर	2797	4994	7791
44	28.03.14 / 075574	34200	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	766	1368	2134
45	23.05.13 / 068243	49153	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	1101	1966	3067
46	01.03.14 / 068248	44004	मूरती ईंस्ट उद्योग चंगवार अनेई	986	1760	2746
47	01.03.14 / 068249	24956	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	559	998	1557
48	09.04.14 / 075586	40199	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	900	1608	2508
49	09.04.14 / 075587	11372	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	255	455	710
50	11.03.14 / 068254	44932	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	1006	1797	2803
51	11.03.14 / 068255	8550	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	192	342	534
52	21.04.14 / 075591	34927	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	782	1397	2179
53	28.03.14 / 075572	180915	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	4052	7237	11289
54	09.04.14 / 075589	70071	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	1570	2803	4373
55	11.09.14 / 085743	34032	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	762	1361	2123
56	11.09.14 / 085744	2323	एस. कान्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर रामपुर, अनेई	52	93	145
57	11.09.14 / 085745	4000	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर	90	160	250
58	28.03.14 / 075565	324446	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	7268	12978	20246
59	30.10.14 / 092287	6969	एस. कान्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर रामपुर, अनेई	156	279	435
60	15.07.13 / 060921	358000	मूरती ईंस्ट उद्योग चंगवार अनेई	8019	14320	22339
61	03.09.13 / 060957	119100	मूरती ईंस्ट उद्योग चंगवार अनेई	2668	4764	7432
62	17.07.13 / 060923	33582	एस. कान्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर रामपुर, अनेई	752	1343	2095
63	16.09.13 / 068224	40646	मूरती ईंस्ट उद्योग चंगवार अनेई	910	1626	2536
64	16.09.13 / 068225	10173	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	228	407	635
65	19.07.13 / 060925	73200	मूरती ईंस्ट उद्योग चंगवार अनेई	1640	2928	4568

66	27.08.13 / 060952	13355	मूरती ईंस्ट उद्योग चंगवार अनेई	299	534	833
67	29.07.13 / 060931	71800	मूरती ईंस्ट उद्योग चंगवार अनेई	1608	2872	4480
68	29.07.13 / 060932	21891	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	490	876	1366
69	16.09.13 / 21068221	10824	मूरती ईंस्ट उद्योग चंगवार अनेई	242	433	875
70	16.09.13 / 068222	9875	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	221	395	616
71	09.07.13 / 060924	240000	मूरती ईंस्ट उद्योग चंगवार अनेई	5376	9600	14976
72	28.11.13 / 068235	105984	मूरती ईंस्ट उद्योग चंगवार अनेई	2374	4239	6613
73	19.03.14 / 068258	242170	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	5425	9687	15112
74	28.03.14 / 075566	209729	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	4698	8389	13087
75	28.03.14 / 075568	294318	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा	6593	11773	18366
76	07.08.13 / 060933	247400	मूरती ईंस्ट उद्योग चंगवार अनेई	5542	9896	15438
77	07.08.13 / 060949	73270	मूरती ईंस्ट उद्योग चंगवार अनेई	1641	2931	4572
78	28.11.13 / 068230	4000	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार भट्ठा अनेई	90	160	250
	योग	**6456015**		**144514**	**258243**	**402757**

<u>प्रस्तर – 163</u>

वर्ष 2013–14 में राज्य वित्त योजनान्तर्गत रायपुर में राम प्रसाद के मशीन से कमलेश के घर तक मिट्टी व खडन्जा कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री विरेन्द्र कुमार, ग्रा0वि0अ0 को दिनांक 19.03.14 को चेक सं0 068259 द्वारा रू0 44210.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान के सापेक्ष प्रस्तुत मस्टररोल का विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	कार्य दिवस	मजदूरों की उपस्थिति का विवरण	धनराशि
1	19 से 24.02.14	12 X 6 X 142	10224.00
2	26 से 03.03.14	2 X 6 X 250 + 12 X 6 X 142	13224.00
3	05 से 10.03.14	2 X 6 X 250 + 12 X 6 X 142	13224.00
4	12 से 15.03.14	2 X 4 X 250 + 9 X 4 X 142 + 1 X 3 X 142	7538.00
		योग	**44210.00**

उक्त सभी मस्टररोलों पर मजदूरों का निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर नहीं है। उक्त स्थिति में उक्त भुगतान पूर्णतया काल्पनिक व धन का अपहरण रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री कैलाश कुमार, ख0वि0अ0 श्री फूलचन्द व कार्यप्रभारी श्री विरेन्द्र कुमार, ग्रा0वि0अ0 से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर – 164</u>

दिनांक 26.04.13 को चेक सं0 035117 द्वारा रू0 46800.00 का भुगतान श्री सुनील कुमार अस्थाना, कैशियर को पेयजल गुणवत्ता प्रशिक्षण का किया गया है जो ग्राण्ट रजि0 पर अंकित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष पत्रावली/पुष्टीकारक अभिलेख बार–बार मौखिक व लिखित रूप से मॉगने के बावजूद ले0प0 में सुलभ नहीं कराया गया। जिससे उक्त भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय धनराशि अपुष्ट व अप्रमाणित रहा। अतः उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री उमराव सिंह, ख0वि0अ0 श्री मनोज कुमार राय व कैशियर सुनील कुमार अस्थाना से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर – 165</u>

वर्ष 2013–14 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि मद में कुल रू0 1409696.00 व्यय किया गया है जो अभिलेखों में अंकित है परन्तु उक्त भुगतान से संबंधित पत्रावली/पुष्टिकारक अभिलेख बार–बार मौखिक व लिखित रूप से मॉगने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। वांछित अभिलेख के अभाव में उक्त भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय धनराशि अपुष्ट व अप्रमाणित रहा। अतः उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन

लेखाकार श्री उमराव सिंह व श्री कैलाश कुमार एवं ख0वि0अ0 श्री मनोज कुमार राय व श्री फूलचन्द से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 166

वर्ष 2013–14 में राज्य वित्त व 13वॉ वित्त योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय पर कुल रू0 6456015.00 (विस्तृत विवरण पत्र आपत्ति सं0 1 पर अंकित है) भुगतान से संबंधित पत्रावली/प्रमाणक की जॉच में निम्न गम्भीर आपत्तियॉ पायी गयी है।

उक्त भुगतान की पुष्टि में आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था द्वारा निधिवार बिल के साथ–साथ चालान जारी नहीं किया गया है। चालान के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि संबंधित फर्म द्वारा संबंधित सामग्री किस साधन से (किस नं0 की ट्रक व ट्राली) निर्माण स्थल पर आपूर्ति की गयी। स्पष्ट है कि चालान के अभाव में माल आमद की पुष्टि नहीं होती जिससे आपूर्ति आधारहीन रहा।

उक्त भुगतान की पुष्टि में आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था द्वारा निधिवार बिल के साथ–साथ चालान जारी नहीं किया गया है। चालान के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि संबंधित फर्म द्वारा संबंधित सामग्री किस साधन से (किस नं0 की ट्रक व ट्राली) निर्माण स्थल पर आपूर्ति की गयी। स्पष्ट है कि चालान के अभाव में माल आमद की पुष्टि नहीं होती जिससे आपूर्ति आधारहीन रहा।

बिलों से सेल्स टैक्स व आयकर की कटौती निमयानुसार नहीं की गयी है (सेल्स टैक्स व आयकर की कटौती की विस्तृत गणना आपत्ति सं0 3 पर अंकित है)। स्पष्ट है कि बिक्री की रसीदें सेल्स टैक्स विभाग में दर्ज नहीं करायी गयी है। इस प्रकार आधारहीन बिल के आधार पर भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है।

क्रय सामग्री के आमद की पुष्टि में संस्था द्वारा स्टाक रजिस्टर भी तैयार कर नहीं रखा गया है।

सामग्री की आपूर्ति क्षे0पं0 एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित फर्म का टेण्डर स्वीकृत कर इससे जमानत की धनराशि जमा कराकर ही आपूर्ति आदेश क्षेत्र पंचायत के नियोक्ता/निर्माण समिति के प्रस्ताव/आदेशानुसार नहीं दिया गया है। स्पष्ट है कि सामग्री क्रय में विधिक प्रक्रिया का अभाव रहा व इकाई द्वारा मनमाने ढंग से सामग्री क्रय की जाती है।

उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा क्रय गए सामग्री एवं आमद की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार सामग्री क्रय पर किया गया भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री उमराव सिंह व श्री कैलाश कुमार एवं ख0वि0अ0 श्री मनोज कुमार राय व श्री फूलचन्द संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –167

वर्ष 2013–14 में राज्य वित्त मद से कतिपय सामग्री क्रय का भुगतान संबंधित फर्म को न कर कार्यप्रभारी को किया गया है। विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं.	दिनांक चेक सं.	कुल धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	नाम फर्म जिससे सामग्री क्रय की गयी	फर्म की धनराशि
1	09.07.14/ 0083177	5160	श्री विरेन्द्र कुमार	खुशी मोबाइल इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर	3120
2	01.03.14/ 0068250	37639	श्री विरेन्द्र कुमार	खुशी मोबाइल इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर	7507
3	09.04.14/ 075588	24611	श्री विरेन्द्र कुमार	खुशी मोबाइल इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर	3500
4	09.07.14/ 083178	17058	श्री विरेन्द्र कुमार	खुशी मोबाइल इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर	12150
5	11.03.14/ 068256	40376	श्री विरेन्द्र कुमार	मालिक पटेल	2000
6	21.04.14/ 075592	73446	श्री विरेन्द्र कुमार	गुप्ता जनरल एण्ड हार्डवेयर स्टोर्स	40342
7	09.07.14/ 083179	58139	श्री विरेन्द्र कुमार	ओम वेल्डिंग वर्क्स ओम वेल्डिंग वर्क्स साई इण्टरप्राइजेज एस0के0 हार्डवेयर एण्ड पेण्ट्स	9150 35800 3500 3989
8	28.03.14/ 075565	83635	श्री मनोज कुमार राय	देव कंस्ट्रक्शन चंगवार, मऊ	851
				योग	**121909**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी को मस्टररोलों के भुगतान के साथ–साथ सामग्री क्रय का भी कुल रू0 121909.00 भुगतान किया गया है। नियमानुसार सामग्री क्रय का भुगतान संबंधित फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त फर्म द्वारा सामग्री क्रय में क्रय नियम का पालन भी नहीं किया गया है। जैसे सामग्री क्रय के पूर्व टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है। बाउचर पर संख्या, बिल/कैशमेमों

व टिन नं0 भी अंकित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त भुगतान रू0 121909.00 गम्भीर अनियमितता का द्योतक रहा। जिसका दायित्व तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री मनोज कुमार राय श्री फूलचन्द लेखाकार श्री कैलाश कुमार व संबंधित कार्य प्रभारी श्री विरेन्द्र कुमार, ग्रा0वि0अ0 पर संयुक्त रूप से निर्धारित किया जाता है।

वर्ष 2014–15

प्रस्तर –168

लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014–15 में राज्य वित्त व 13वॉ वित्त द्वारा निम्न विवरण अनुसार उसके सम्मुख लिखी धनराशि संबंधित फर्मों को कुल रू0 6083589.00 का भुगतान सामग्री क्रय हेतु किया गया है। परन्तु उनके बिक्री से नियमों के अन्तर्गत 4% एस टी रू0 243345.00 तथा 2.24% आइ टी रू0 136319.00 कुल रू0 379664.00 की कटौती नहीं की गयी है। जिसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री कैलाश कुमार एवं ख0वि0अ0 श्री फूलचन्द, श्री राधेश्याम व श्री श्रवण कुमार राय से संयुक्त रूप से करके राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। भुगतान धन का फर्मवार निम्नवत् है :–

क.सं.	दिनांक / चेक संख्या	भुगतान धन	फर्म का नाम	आयकर 2.24%	बिकी कर 4%	योग
1	06.09.14 / 085739	32658	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	732	1306	2038
2	04.09.14 / 085726	11185	एस. कान्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर रायपुर, अनेई	251	447	698
3	04.09.14 / 085727	361118	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	8089	14445	22534
4	06.09.14 / 085737	96464	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	2161	3859	6020
5	20.09.14 / 085756	180945	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	4053	7238	11291
6	23.05.14 / 083164	187180	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	4193	7487	11680
7	12.06.14 / 083171	202000	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	4525	8080	12605
8	20.10.14 / 090178	16385	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	367	655	1022
9	20.10.14 / 090179	38632	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	865	1545	2410
10	26.02.15 / 095908	31413	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	704	1257	1961
11	26.02.15 / 095907	9330	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	209	373	582
12	13.10.14 / 090169	65481	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	1467	2619	4086
13	13.10.14 / 090168	55567	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	1245	2223	3468
14	02.02.15 / 092302	13000	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	291	520	811
15	02.02.15 / 092303	55125	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	1235	2205	3440
16	20.09.14 / 085754	140539	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	3148	5622	8770
17	13.10.14 / 090163	123975	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	2777	4959	7736
18	20.09.14 / 085758	180784	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	4050	7231	11281
19	02.02.15 / 092307	88006	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	1971	3520	5491
20	02.02.15 / 092308	2040	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	46	82	128
21	02.02.15 / 092309	13564	एस. कान्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर रायपुर, अनेई	304	543	847

22	16.02.15／092318	11540	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	258	462	720
23	16.02.15／092319	114431	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	2563	4577	7140
24	26.02.15／095903	152477	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	3415	6099	9514
25	16.02.15／092314	217499	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	4872	8700	13572
26	26.02.15／095905	69317	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	1553	2773	4326
27	02.02.15／092311	245570	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	5501	9823	15324
28	16.02.15／092316	355940	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	7973	14238	22211
29	26.02.15／095901	63050	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	1412	2522	3934
30	20.09.14／085750	38296	एस. कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर रायपुर, अनेई	858	1532	2390
31	20.09.14／085751	62700	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	1404	2508	3912
32	20.09.14／085752	4473	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	1002	1789	2791
33	08.10.14／085760	76369	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	1711	3055	4766
34	08.10.14／085761	66919	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	1499	2677	4176
35	04.09.14／085730	275186	एस. कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर रायपुर, अनेई	6164	1007	7171
36	04.09.14／085731	59589	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	1335	2384	3719
37	04.09.14／085732	86294	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	1978	3452	5430
38	13.10.14／090165	1196	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	27	48	75
39	13.10.14／090166	18500	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	414	740	1154
40	04.09.14／085721	172337	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	3860	6893	10753
41	04.09.14／085722	210186	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	4708	8407	13115
42	04.09.14／085724	8502	एस. कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर रायपुर, अनेई	190	340	530
43	20.10.14／090175	21146	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	474	846	1320
44	20.10.14／090176	9282	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	208	371	579
45	10.11.14／092282	186945	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	4188	7478	11666
46	10.11.14／092283	165807	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	3714	6632	10346
47	26.11.14／092291	20756	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	465	830	1295
48	26.11.14／092292	18621	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	417	745	1162

49	19.12.14 / 092298	38918	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	872	1557	2429
50	19.12.14 / 092299	113060	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	2533	4522	7055
51	16.04.15 / 095913	33640	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	754	1346	2100
52	16.04.15 / 095914	181739	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	4071	7270	11341
53	02.05.15 / 098102	39000	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	874	1560	2434
54	02.05.15 / 098103	68288	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	1530	2732	4262
55	10.11.14 / 092285	111082	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	2488	4443	6931
56	10.11.14 / 092287	91815	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	2057	3673	5730
57	26.11.14 / 092289	41118	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	921	1644	2565
58	16.10.14 / 090171	149210	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	3342	5968	9310
59	16.10.14 / 090172	39904	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	894	1596	2490
60	26.02.15 / 095910	7626	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	171	305	476
61	26.02.15 / 095911	19500	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	437	780	1217
62	16.04.15 / 095919	115700	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	2592	4628	7220
63	16.04.15 / 095920	10436	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	234	418	652
64	09.12.14 / 092996	90280	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	2022	3611	5633
65	09.12.14 / 092995	45500	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	1019	1820	2839
66	16.04.15 / 095916	42250	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	946	1690	2636
67	16.04.15 / 095917	88460	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	1981	3538	5519
68	02.05.15 / 098105	39746	प्रत्युष कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, हसनपुर	890	1590	2480
69	02.05.15 / 098106	37741	जय श्री ईंट उद्योग सोनपुरवा, अनेई	845	1510	2355
		6083589		**136319**	**243345**	**379664**

<u>प्रस्तर – 169</u>

वर्ष 2014–15 में राज्य वित्त व 13वॉ वित्त योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय पर कुल रू0 6083589.00 (विस्तृत विवरण आपत्ति सं0 8 पर अंकित है) भुगतान से संबंधित पत्रावली / प्रमाणक की जॉच में निम्न गम्भीर आपत्तियॉ पायी गयी है।

वर्ष 2014–15 में सामग्री क्रय करने के पूर्व निविदा ली गयी है जिससे संबंधित सूचना दिनांक 16.02.14 के हिन्दुस्तान अखबार में प्रकाशित करवायी गयी है। निविदा पत्रावली की जॉच में निम्न कमियॉ पायी गयी।

सामग्री जिसके लिए फर्म द्वारा निविदा डाली गयी। लाल बालू, सफेद बालू, सीमेन्ट, सरिया।

क– देव कंस्ट्रक्शन, चंगवार अनेई – स्वीकृत

ख– बजरंग बिल्डिंग मैटेरियल बरही नेवादा

ग– वर्षा, ईंट उद्योग, सरावां, अकोढ़ा

ईंट, ईंट गिट्टी, राबिश

क– जय श्री ईंट उद्योग, सोनपुरवा अनेई

ख– बजरंग बिल्डिंग मैटेरियल, बरही नेवादा

ग– वर्षा ईंट उद्योग, सरावां, अकोढ़ा

ह्यूम पाइप, साइन बोर्ड

क– एस0 कन्ट्रैक्टर एवं सप्लायर, रायपुर – स्वीकृत

ख– बजरंग बिल्डिंग मैटेरियल, बरही नेवादा

ग– वर्षा ईंट उद्योग, सरावां, अकोढ़ा

ग्रेनाइट साइन बोर्ड

क– देव कंस्ट्रक्शन, चंगवार, अनेई – स्वीकृत

ख– बजरंग बिल्डिंग मैटेरियल, बरही, नेवादा

उक्त के जॉच में निम्न कमियॉ पायी गई है –

निविदा आमंत्रण का विज्ञापन मात्र एक अखबार (हिन्दुस्तान) में दिया गया है जबकि नियमानुसार कम से कम दो अखबार में प्रकाशित कराया जाना अपेक्षित था।

निविदा आमंत्रण के विज्ञापन की भाषा भ्रामक है (राज्य वित्त आयोग, 13वॉ वित्त आयोग, विधायक निधि, सांसद निधि एवं मनरेगा में आवश्यक निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु दरें निर्धारित करने के लिए आपूर्तिकताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है) अर्थात् विज्ञापन में निर्माण सामग्री का विस्तृत विवरण नहीं अंकित है।

लाल बालू, सफेद बालू, सीमेन्ट एवं सरिया हेतु बजरंग बिल्डिंग मैटेरियल, बरही नेवादा द्वारा निविदा डाली गयी है परन्तु उक्त फर्म के टिन नं0 से प्रमाण पत्र से ज्ञात हुआ कि उक्त संस्था मात्र सीमेन्ट, पेन्ट, सेनिरटी गुड्स और फिटिंग का फुट कर विक्रेत (रिटेलर) है।

लाल बालू, सफेद बालू, सीमेन्ट एवं सरिया हेतु वर्षा ईंट उद्योग, सरावां, अकोढ़ा द्वारा निविदा डाली गयी है परन्तु उक्त फर्म के टिन नं0 से प्रमाण पत्र से ज्ञात हुआ कि उक्त फर्म मात्र (बिल्डिग ब्रिक) का थोक विक्रेता है।

अर्थात् लाल बालू, सफेद बालू, सीमेन्ट व सरिया हेतु जो तुलनात्मक चार्ट बनाया गया है उसमें मात्र एक संस्था उक्त सामग्री का आपूर्तिकर्ता है।

ईंट, ईंट गिट्टी व राबिश हेतु बजरंग बिल्डिंग मैटेरियल, बरही नेवादा द्वारा निविदा डाली गयी है परन्तु उक्त फर्म के टिन नं0 के प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि उक्त संस्था मात्र सीमेन्ट, पेन्ट सेनिटरी गुड्स और फिटिंग का फुटकर विक्रेता है।

ह्यूम पाईप व साइन बोर्ड हेतु जो निविदा डाली गयी है इसमें से मात्र एक फर्म एस0कान्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर, रायपुर अनेई आर.सी.सी. पाईप, आर.सी.सी पिल्ट का थोक विक्रेता है। अर्थात् उक्त सामग्री हेतु जो तुलनात्मक चार्ट बनाया गया है वह भी गलत है।

ग्रेनाइट, साइन बोर्ड हेतु मात्र दो फर्म द्वारा निविदा डाली गयी है जिसमें से मात्र एक फर्म ही उक्त सामग्री का विक्रेता है अर्थात् उक्त सामग्री हेतु जो तुलनात्मक चार्ट बनाया गया है। वह भी गलत है।

टेण्डर प्राप्ती से संबंधित लिफाफा, लिफाफे के पृष्ठ भाग की लिखावट व टेण्डर फार्म की लिखावट समरूप है।

वर्ष 2014–15 में सामग्री आपूर्ति हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की गयी है जो कि 13.07.2014 के हिन्दुस्तान अखबार में प्रकाशित कराया गया है से सम्बन्धित पत्रावली में भी उपरोक्त कमियॉ पायी गयी केवल स्वीकृत आपूर्तिकर्ता फर्म बदल दिया गया है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा टेण्डर प्रक्रिया मात्र एक कागजी कोरम पूर्ण करने के रूप में की गयी है।

उक्त भुगतान की पुष्टि में आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था द्वारा बिल के साथ–साथ चालान जारी नहीं किया गया है। चालान के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि संबंधित फर्म द्वारा संबंधित सामग्री किस साधन से (किस नं0 की ट्रक व ट्राली) निर्माण स्थल पर आपूर्ति की गयी है। स्पष्ट है कि चालान के अभाव में माल आमद की पुष्टि नहीं होती जिससे आपूर्ति आधारहीन रहा।

बिलों से सेल्स टैक्स व आयकर की कटौती नियमानुसार नहीं की गयी है (सेल्स टैक्स व आयकर की कटौती की विस्तृत गणना आपत्ति सं0 8 पर अंकित है) स्पष्ट है कि बिक्री की रसीदें सेल्स टैक्स विभाग में दर्ज नहीं करायी गयी है। इस प्रकार आधारहीन बील के आधार पर भुगतान कर अनियमितता की गयी है।

क्रय सामग्री के आमद की पुष्टि में संस्था द्वारा स्टॉक रजिस्टर भी तैयार कर नहीं रखा गया है।

उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा क्रय किये गये सामग्री एवं आमद की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार सामग्री क्रय पर किया गया भुगतान अनियमित रहा, जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री फूलचन्द, श्री राधेश्याम, श्री श्रवण कुमार राय व लेखाकार श्री कैलाश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 170

वर्ष 2014–15 में पेयजल गुणवत्ता प्रशिक्षण मद में कुल रू0 50004.00 व्यय किया गया है जो ग्राण्ट रजिस्टर पर दर्शित है परन्तु उक्त भुगतान से संबंधित पत्रावली/पुष्टिकारक अभिलेख बार–बार मौखिक एवं लिखित रूप से मॉगने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया, वांछित अभिलेख के अभाव में उक्त भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय धनराशि अपुष्ट व अप्रमाणित रहा। अतः उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री कैलाश कुमार एवं ख0वि0अ0 श्री फूलचन्द से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 171

वर्ष 2014–15 में इंदिरा आवास कन्टीजेन्सी मद में कुल रू0 152505.00 व्यय किया गया है जो ग्राण्ट रजिस्टर पर दर्शित है परन्तु उक्त भुगतान के सापेक्ष पत्रावली/प्रमाणक/पुष्टिकारक अभिलेख बार–बार मौखिक व लिखित रूप से मांगने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। वांछित अभिलेख के अभाव में उक्त भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय धनराशि अपुष्ट व अप्रमाणित रहा। अतः उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री कैलाश कुमार एवं ख0वि0अ0 श्री फूलचन्द व श्री राधेश्याम से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 172

राज्य वित्त योजना अन्तर्गत ग्राम कठिरॉव जंगलपुर में स्व0 बच्चन पटेल के घर से फूलचन्द पटेल के घर से होते हुए गोसाई बस्ती तक खडन्जा मरम्मत व नव– निर्माण से संबंधित पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पहला मस्टररोल की कार्य अवधि 15.08.14 से 20.08.14 है व उक्त अवधि में 15 X 6 X 156 + 1 X 3 X 156 मजदूरों ने कार्य किया जिस पर मजदूरों की कुल रू0 14508.00 का मजदूरी भुगतान दर्शित है। अर्थात् स्वतंत्रता दिवस के दिन कार्य कराया गया है। स्पष्ट है कि उक्त मस्टररोल व इस पर किया गया भुगतान काल्पनिक है जिसके लिए तत्कालीन बी.डी.ओ फूलचन्द, लेखाकार श्री कैलाश कुमार व कार्य प्रभारी श्री रामराज प्रसाद, ग्रा0वि0अ0 संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 173

दिनांक 01.04.13 को ग्राण्ट III अनुसार इकाई के पास कुल रू0 42801.26 विभिन्न मदों की योजनाओं पर अर्जित बैंक ब्याज का धन शेष था। वर्ष 2013–14 में कुल रू0 105343.00 व वर्ष 2014–15 में कुल रू0 137949.00 ब्याज से आय हुआ व वर्ष 2013–14 में रू0 313.00 व 2014–15 में रू0 669.00 व्यय उपरान्त दिनांक 31.03.2015 को रू0 285111.26 ब्याज मद में अवशेष रहा जो ग्राण्ट III पर दर्शित है।

वर्षवार अन्तिम अवशेष का विवरण निम्नानुसार रहा।

क.सं.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त ब्याज	व्यय	शेष
1	2013–14	42801.26	105343	313.00	147831.00
2	2014–15	–	137949	669.00	137280.00
					285111.00

नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष के अन्त में ब्याज से अर्जित धन अन्य प्राप्तियॉ मद में जमा कर दिया जाना चाहिए परन्तु संस्था द्वारा ऐसा न करके अनियमितता किया जा रहा है। उ0प्र0 बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार सरकारी योजनाओं के धन पर अर्जित ब्याज को शासन द्वारा अन्य विभागीय प्राप्तियॉ मद में इकट्ठा करके आयामी वर्ष के बजट की तैयारी में आय का एक श्रोत माना जाता है। वापसी तत्काल अपेक्षित है न वापसी की दशा में तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री फूलचन्द एवं श्री राधेश्याम व श्री श्रवण कुमार राय लेखाकार श्री कैलाश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 174

वर्ष 2014–15 में राज्य वित्त व 13वॉ वित्त मद से निम्न विवरण अनुसार सामग्री क्रय का भुगतान संबंधित फर्म/व्यक्ति को न कर कार्य प्रभारी को किया गया है।

क.सं.	दिनांक चेक सं0	कुल धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	नाम फर्म/व्यक्ति जिससे सामग्री क्रय की गयी	फर्म की धनराशि
1	20.10.14/ 090180	40500	श्री विरेन्द्र कुमार	सांई इंटरप्राइजेज	1900
2	26.11.14/ 092294	24579	श्री विरेन्द्र कुमार	सद्गुरू हार्डवेयर एण्ड पेंट स्टोर	12714
3	26.02.15/ 095909	74970	श्री विरेन्द्र कुमार	खुशी हार्डवेयर एंड पेंट स्टोर्स मनोज इंटरप्राइजेज	55600 5690
4	02.02.15/ 092304	31090	श्री विरेन्द्र कुमार	श्रीवास्तव हार्डवेयर एण्ड पेंट स्टोर्स	4530
5	02.02.15/ 092305	55148	श्री विरेन्द्र कुमार	खुशी हार्डवेयर एंड पेंट स्टोर्स	55148

6	04.09.15 / 085733	52500	श्री रामराज प्रसाद	सुभाष पाण्डेय जगनारायन सिंह प्रमोद कु0 पाण्डे	21000 10500 21000
				योग	**188082**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्यप्रभारी को मस्टररोलों के भुगतान के साथ–साथ सामग्री क्रय व ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी ढुलाई का भी भुगतान किया गया है जबकि नियमानुसार सामग्री किया गया है जबकि नियमानुसार सामग्री क्रय का भुगतान संबंधित फर्म को व मिट्टी पटाई का संबंधित व्यक्ति को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त फर्म द्वारा सामग्री क्रय में क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है। बाउचर पर संख्या, बिल/कैशमेमो, व टिन नं0 नहीं अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त भुगतान रू0 188082.00 गम्भीर अनियमितता का द्योतक रहा। जिसका दायित्व तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री फूलचन्द, श्री राधेश्याम, लेखाकार, श्री कैलाश कुमार व संबंधित कार्यप्रभारी श्री विरेन्द्र कुमार, ग्रा0वि0अ0 श्री रामराज प्रसाद, ग्रा0वि0अ0 पर संयुक्त रूप से निर्धारित किया जाता है।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 प्रारूप–3

जनपद –भदोही मण्डल का नाम विन्ध्याचल

क्षेत्र पंचायत का नाम ज्ञानपुर वर्ष 2016–17 जनपद –भदोही मण्डल का नाम विन्ध्याचल

प्रस्तर 01– (1) आयकर कटौती आयकर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194(सी) के अनुसार अनुदरा से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो तथा सामाग्री आपूर्ति के बिलो से श्रोत पर आयकर कटौती किए जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर कटौती से काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत लेखाशीर्ष 21 के अन्तर्गत जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर उक्त अधिकारी द्वारा न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है साथ ही काटे गये आयकर को निर्धारित समय सीमा के अन्दर राजकोष में जमा न किये जाने पर कम से कम 3 माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। आलोच्य वर्ष में रू0 210908.00 स्त्रोत पर आयकर कटौती की गयी है। किन्तु उसे समय से जमा नही किया गया इस प्रकार अनियमितता पर जुर्माना व सजा का प्रावधान है। इसके लिये संस्था के आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी है। इस धनराशि को जुर्माना सहित राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा विभिन्न योजनाओ के अर्न्तगत रू0 12233749.00 निर्माण सामग्री क्रय में किया गया है। इस पर नियमानुसार 2.26 की दर से रू0 272075.72 की आयकर कटौती की जानी चाहिये लेकिन संस्था के अधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुये कोई आयकर कटौती नही की गयी इस धनराशि की वसूली संस्था के अधिकारियों द्वारा मय व्याज सुनिश्चित कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति संख्या 2(1)**

प्रस्तर 02 (2)–उत्तर प्रदेश बैट अधिनियम 2007 की घारा 3(7) तथा शासनादेश संख्या ए–1–351/दस–2011 दिनांक 30.8.2011 के अनुसार संस्था के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता /ठेकेदार को टेण्डर कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना चाहिए कि संविदाकार वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं विभाग द्वारा उसे टिन नम्बर जारी किया गया है। संविदाकार को बिल भुगतान करते समय चेक जारी करने के पूर्व आहरण वितरण अधिकारी द्वारा देयक चेक पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना चाहिए कि जिसका बिल है वह वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है और संविदा सें सम्बन्धित किये जा रहे भुगतान पर प्रावधानित 4 प्रतिशत की दर से वैट कर की कटौती कर ली गयी है। वैट कटौती से प्राप्त धनराशि त्रैमासिक रिटर्न के माध्यम से चालान के साथ राजकोष में जमा करने का दायित्व भी संस्था के आहरण वितरण अधिकारी की है। ऐसा करने में विफल रहने पर जुर्माने का प्रावधान है। राजस्व की धनराशि को रोककर रखना और उस पर व्याज अर्जित करना राजकीय धन का दुरूपयोग है। संस्था द्वारा गत वर्ष और आलोच्य वर्ष के वैट की धनराशि को बिलम्ब से इस वर्ष एक साथ जमा किया जाना अधिकारियों की शिथिलता को दर्शाता है । वैट की धनराशि रू0 1079321.00 पर रू0 388554.00 मय व्याज वसूल कर जमा किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2(2)

प्रस्तर 03(3)– व्याज की धनराशि शासनादेश संचया ए–1–122/दस –2012–10(33)2010 दि0 31मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अबमुक्त धनराशि को बैक खाते में रखकर व्याज अर्जित किया जाता है तो यह अर्जित व्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी जिसे संस्था के द्वारा राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए ऐसा न किया जाना शासकीय धन का दुरूपयोग और शासनादेश का उल्लघंन है। समीक्षागत वर्ष में संस्था द्वारा व्याज मद से रू0 2000000.00 को शासनादेश का उल्लघंन करते हुए राज्य वित्त में स्थानांतरित करके मनमाने तरीके से व्यय किया गया है। जबकि उक्त धनराशि को शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए था अतः इसकी वसूली संस्था के उत्तरदायी अधिकारी लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी से करके राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या 2(3)

प्रस्तर 04(4)– आलोच्य वर्ष में तेरहवे वित्त के मद में गत वर्ष का अवशेष धन रू0 563685.00 दर्शित था जिसे राज्य वित्त के मद में स्थानान्तरित करके व्यय किया जाना अंकित है। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 3 के नियमों के अनुसार किसी मद की धनराशि को किसी दूसरे मद में स्थानान्तरित करने का अधिकार केवल शासन को है। किसी संस्था के अधिकारियों द्वारा ऐसा किया जाना गम्भीर अनियमितता है। संस्था द्वारा तेरहवे वित्त के मद से और व्याज के मद से कमशः रू0 563685.00 और रू0 2000000.00 को राज्य वित्त के मद में स्थानान्तरित करके व्यय किया जाना दर्शित है।यह गम्भीर अनियमितता है। उक्त धनराशि को वसूल करके राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति संख्या 2(4)**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 प्रारूप–3

जनपद– मीरजापुर मण्डल का नाम– विन्ध्याचल

क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ

क्र0सं0	मद का नाम	व्यय					
		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
01	प्रशासनिक मद	2919967.00	3872536.00	1526487.00	1945426.00	1308714.00	1042624.00
02	विधायक निधि	491214.00	3702481.00	208407.00	10475806.00	7644252.00	14385773.00
03	अस्थापना मद	796433.00	195938.00	35700.00			
04	राज्य वित्त	1580695.00	6005554.00	2860619.00	1490296.00	5661468.00	9930513.00
05	सांसद निधि	836174.00	206613.00	955955.00	1610220.00	12313784.00	14321149.00
06	बारहवां वित्त	40398.00	1425686.00	2392620.00	2880236.00		
07	क्षे0पं0 / ग्रा0पं0	93065975.00	18767070.00	6718521.00	8090283.00	5603178.00	1378673.00
08	पूर्वांचल विकास निधि			1738887.00	11021412.00	4521667.00	3824824.00
योग		**99730856.00**	**34175878.60**	**16437196.00**	**37513679.00**	**37053063.00**	**44803556.00**

नाम–क्षेत्र पंचायत सिटी, वर्ष 2008–09 से 2013–14

प्रस्तर–01आलोच्य वर्ष 2008–09 से 2013–14 तक निम्न विवरणानुसार धनराशि व्यय किया गया है किंतु लेखा परीक्षा में मदवार/योजनावार पत्रावली, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य योजना, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0 व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। विवरण निम्नानुसार है–

उपरोक्त विवरणानुसार वर्ष 2008–09 में व्यय रु0 99730856.00, वर्ष 2009–10 में व्यय रु0 34175878.00, वर्ष 2010–11 में व्यय रु0 16437196.00, वर्ष 2011–12 में व्यय रु0 37513679.00, वर्ष 2012–13 में व्यय रु0 37053063. 00 एवं वर्ष 2013–14 में रु0 44803556.00 दर्शित रहा किंतु दर्शित व्यय की पुष्टि में उपरोक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, लेखाकार व कार्य प्रभारी जिम्मेदार हैं। अतः आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–02**

प्रस्तर–02 दिनांक 31–03–2014 को ब्याज मद में रु0 1898237.00 अवशेष दर्शित रहा जो वर्ष 2008–09 से क्रमशः बढ़कर हुआ है, जिससे संबंधित लेजर/खाता तैयार नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किस मद से कितना कितना ब्याज प्राप्त रहा । नियमतः वर्ष में अर्जित ब्याज को विभाग/राजकीय कोषागार में जमा कर दिया जाना चाहिए था किंतु ऐसा नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध रहा।संबंधित लेखाकार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। **सा0 आ0 संख्या–03**

प्रस्तर–03 वर्ष आलोच्य में रॉयल्टी कटौती का विवरण तैयार नहीं किया गया है। वर्ष 2011–12 में रु0 265089.00 एवं वर्ष 2012–13 में रु0 647047.00 रायल्टी प्राप्त दर्शाया गया है जिसमें से वर्ष 2012–13 में मात्र रु0 868908.00 रायल्टी जमा दर्शाया गया है किंतु रॉयल्टी जमा संबंधी प्रमाणक / चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी । नियमानुसार रॉयल्टी जिस वर्ष में काटी गई हो उसी वर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए अतः उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–04**

नाम–क्षेत्र पंचायत सिटी, वर्ष 2014–15 से 2016–17

प्रस्तर–04 क्षेत्र पंचायत सिटी जनपद मीरजापुर के वर्ष 2014–15 से 2016–17 की लेखा परीक्षा में कतिपय निम्नलिखित अपहरण/दुरुपयोग/गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिसकी नियमानुसार वसूली की वांछित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है । विवरण इस प्रकार है–

मुल्हवा रोड से भवनपुरा संपर्क मार्ग पर मुख्य द्वार के निर्माण हेतु दिनांक 06–10–2014 दिनांक 10–11–2014 को बिल व्यय प्रमाण संख्या 23 व 24 द्वारा क्रमशः सामग्री बिल की धनराशि रु0 4495.00, रु0 13388.00 कुल रु0 18011.00 की सामग्री मे0 श्याम गिरी विजयपुर मीरजापुर द्वारा आपूर्ति की गई है जिसमें रॉयल्टी रु0 127.00 की कटौती के पश्चात शुद्ध भुगतान रु0 17884.00 हेतु दिनांक 23–01–2015 को चेक संख्या 394270 द्वारा श्री राकेश कुमार पांडे को किया गया है जबकि कोटेशन मे0 श्याम गिरी का स्वीकृत रहा इस प्रकार बिल की धनराशि रु0 17884.00 का भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ता मे0 श्याम गिरी को ना करके श्री राकेश कुमार पांडे को किया गया है जो सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान की पुष्टि नहीं होती है । अतः रु0 17884.00 अवास्तविक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मराज सिंह लेखाकार श्री शिवानंद एवं कार्य प्रभारी श्री पंकज बरनवाल समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या–02

प्रस्तर–05 मुल्हवा रोड से भवनपुरा संपर्क मार्ग पर मुख्य द्वार के निर्माण हेतु प्रस्तुत मस्टररोल संख्या 21 कार्य अवधि दिनांक 15–12–2014 से 31–12–2014 तक कुल 17 कार्य दिवस होता है जबकि मस्टररोल के कार्य दिवस कॉलम में 18 दिन कार्य दर्शा कर भुगतान किया गया है जो 01 दिन का अधिक मजदूरी भुगतान दर्शा कर अपहरण किया गया है । विवरण निम्न प्रकार है–

मस्टर रोल में अंकित विवरण के अनुसार				लेखा परीक्षा के गणनानुसार				अंतर
श्रमिक	दिवस	दर	मजदूरी	श्रमिक	दिवस	दर	मजदूरी	
1 मिस्त्री	18	330.00	5940.00	1 मिस्त्री	17	330.00	5610.00	330.00
5 लेबर	18	156.00	14040.00	5 लेबर	17	156.00	13260.00	780.00
1 लेबर	04	156.00	624.00	1 लेबर	04	156.00	624.00	
योग			**20604.00**		योग		**19494.00**	**1110.00**

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 1 दिन की अधिक हाजिरी दर्शाकर अंतर की धनराशि रु0 1110.00 से अधिक मजदूरी भुगतान खारिज कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री धर्मराज सिंह लेखाकार श्री शिवानंद व कार्य प्रभारी पंकज बरनवाल समान रूप से उत्तरदायी हैं । अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–03**

प्रस्तर–06इंदिरा आवास प्रशासनिक मद शीर्ष के अंतर्गत पत्रांक 2691/जि0ग्रा0वि0अभि0/ आई . ए. वाई प्रशा0 मद 20.14.15 दिनांक 19–12–14 के द्वारा प्राप्त धनराशि रु0 3.22 लाख के सापेक्ष उक्त मद की धनराशि नियमानुसार– मोनिटरिंग टेक्निकल एण्ड मेन टेंडेंसी आफ एमआईएस फार आई . ए. वाई हाउसेस एक्सक्लूजिवली एण्ड नाट फार एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज

तिथि	चेक संख्या	विवरण	धनराशि
07–02–15	939174	जनरेटर–डीजल क्रय	4010.00
17–01–15	939171	जनरेटर डीजल क्रय	4386.00
07–11–15	006193	जनरेटर व जीप गाड़ी हेतु डीजल	11053.00
11–09–15	006181	टेलीफोन का बिल भुगतान	5658.00
19–09–15	006182	जनरेटर डीजल का भुगतान	5249.00
19–09–15	006183	जीप गाड़ी का डीजल	5692.00
08–09–15	006184	विविध खर्च हेतु री शिवानन्द को	3769.00
08–09–15	942285	विविध खर्च हेतु कम्प्यूटर कैम्पस	2800.00
29–09–15	006186	विवरणहीन व्यय श्री नन्दलाल को	9645.00
07–11–15	006194	ब्राण्ड बैण्ड रिचार्ज पर व्यय	1543.00
27–04–16	008637	डाटा कार्ड रिफिल (इण्टरनेट), एमएलसी एवं पंचायत चुनाव सामान्य निर्वाचन 2015 हेतु	3678.00
27–04–16	008636	रामजी को कम्प्यूटर पारिश्रमिक मानदेय	9000.00
24–05–16		रामजी को कम्प्यूटर पारिश्रमिक मानदेय	18000.00
04–06–16		रामजी को कम्प्यूटर पारिश्रमिक मानदेय	4500.00

12–08–16		रामजी को कम्प्यूटर पारिश्रमिक मानदेय	5000.00
17–06–16		कार्यालय टेलीफोन का बिल	5764.00
20–08–16		कार्यालय टेलीफोन का बिल	4040.00
04–03–17		जनरेटर–डीजल का भुगतान	11189.00
योग			**119476.00**

इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान नियमानुसार निर्धारित मद पर व्यय ना करके अन्य मद एवं कार्य पर भुगतान किया गया है जो मद का दुरुपयोग रहा/वांछित कार्यवाही अपेक्षित है । इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। **सा0 आ0 संख्या–04**

प्रस्तर–07आलोच्य वर्ष 2014–15 में 13वां वित्त के अंतर्गत देवी चौधरी के ट्यूबवेल के पास ह्यूम पाइप व पुलिया निर्माण पर व्यय रु0 134664.00 दर्शित है जिस पर निम्नांकित कमियां प्रकाश में आईं–

दिनांक 20–11–2014 को बिल क्रमांक 212 द्वारा सामग्री रु0 100506.00 की आपूर्ति दर्शित है किंतु बिल कंप्यूटराइज्ड रहा और क्रमांक पर पुनर्लेखन पाया गया ।

मस्टररोल संख्या 30 द्वारा मजदूरी रु0 10176.00 व्यय दर्शाया गया है किंतु मस्टररोल पर कार्य का नाम व अवधि अंकित नहीं रहा ।

मस्टर रोल कार्य अवधि 20–11–14 से 30–11–14 तक कार्यरत मजदूरों को मजदूरी रु0 23982.00 भुगतान दर्शित है किंतु कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया ।

समाचार पत्र में टेण्डर का विज्ञापन उपलब्ध नहीं रहा

खण्ड विकास अधिकारी के आदेश पत्रांक 05/लेखा/2014–15 दिनांक 18–11–14 के आदेश पत्र पर ना तो स्वीकृत कार्य का नाम अंकित रहा और ना ही टेण्डर कार्यवाही की तिथि अंकित रही ।

खण्ड विकास अधिकारी के आदेश पत्रांक 06/लेखाकार/सामग्री आपूर्ति/02–14–15/दिनांक 18–11–14 के आदेश पत्र पर आपूर्तिकर्ता हेतु सामग्री का विवरण अंकित नहीं रहा ।

कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पर जेई के हस्ताक्षर नहीं रहा और मूल कार्य माप पुस्तिका संलग्न नहीं रही ।

उपरोक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए कराए गए कार्य की पुष्टि नहीं होती है जिससे अनियमितता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–05**

प्रस्तर–08 आलोच्य वर्ष में बेलवरिया नैपुरवा रोड से बिंदबस्ती होते हुए किरतारतारा संपर्क मार्ग में प्रयुक्त मस्टर रोल अवधि दिनांक 01–06–14 से 22–06–14 तक कुल मानव दिवस 833 का भुगतान रु0 156.00 में प्रति मानव दिवस की दर से रु0 129948.00 का भुगतान किया गया दर्शित है जबकि पत्रावली में संलग्न मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 366/30–10–13 व खण्ड विकास अधिकारी के पत्रांक 219/02–05–14 द्वारा मजदूरी भुगतान दर रु0 142.00 प्रति मानव दिवस रहा । अतः उक्त मानव दिवस 833 का भुगतान रु0 142.00 की दर से कुल भुगतान रु0 118286.00 किया जाना चाहिए था । इस प्रकार अंतर रु0 11662.00 से अधिक भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया । उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–06**

प्रस्तर–09 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत ग्राम मगरदा चरखई विकास खण्ड सिटी में यादव बस्ती के पास नाले पर रपटा निर्माण हेतु सामग्री पर व्यय रु0 443296.00 व मजदूरी पर व्यय रु0 207312.00 दर्शित रहा जिस पर निम्नांकित कमियां पाई गईं–

स्वतंत्र भारत समाचार पत्र दिनांक 02–04–15 के अल्पकालीन निविदा आमंत्रण पर स्पष्टतः टिन एंड पैन धारक संबंधित उद्योग के रजिस्टर्ड इच्छुक फर्म से ही निविदा लिए जाने का प्रकाशन किया गया था, किंतु प्रस्तुत यूपी कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी विंध्यवासिनी कॉलोनी भरुहना मीरजापुर के प्रस्तुत विल पर टैन व पैन नंबर अंकित नहीं पाया गया ।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नियोजन अनुभाग 4 लखनऊ के पत्रांक शासनादेश 1063/25–04–14/दिनांक 25–08–14 के द्वारा पूंजीगत विकास कार्यों के क्रिटिकल गैस की पूर्ति हेतु उक्त कार्य में 7.20 लाख स्वीकृत है एवं जिलाधिकारी के पत्रांक 173/ वी0स्वी0/क्रि0गैप्स वर्ष 2014–15 दिनांक 16–03–15 के क्रम में कार्य की स्वीकृत में निम्न प्रतिबंधों के अधीन है–

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30–06–15 तक स्वीकृत धन के सापेक्ष व्यय का मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से सत्यापित करा कर नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय मीरजापुर को उपलब्ध कराया जाना है ।

कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन कार्यदायी संस्था (बी0डी0ओ) से प्राप्त कर संकलित सूचना जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी/विभाग नियोजन को प्रत्येक माह नियमित रूप से कार्य की समाप्ति तक समग्र रूप से प्रस्तुत की जाएगी जो पत्रावली में संलग्न नहीं रही । इस प्रकार उक्त कार्य प्रदर्शित व्यय हेतु नियमों का पालन नहीं रहा । इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। **सा0 आ0 संख्या–07**

प्रस्तर–10क्षेत्र पंचायत सिटी जनपद मीरजापुर के वर्ष 2014–15 से 2016–17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2016–17 में ग्रांट रजिस्टर 2 व 3 के अनुसार वैट व रॉयल्टी से प्राप्तियां एवं जमा का विवरण निम्न प्रकार है–

ग्रान्ट रजि0 3के अनुसार		**ग्रान्ट रजि0 2के अनुसार**		**प्राप्त चालक के अनुसार**	
मद जमा	**प्राप्त**	**जमा**	**प्राप्त / कटौतियां**	**जमा**	**अंतर**
वैट	93064.00	93064.00	227803.00	197464.00	30339.00
रायल्टी	18222.00	18222.00	90156.00	62847.00	27309.00
श्रमांश	–	–	38404.00	–	38404.00
				योग	**96052.00**

उपरोक्त दर्शित विवरण पर निम्नवत आपत्ति पाई गई–

वर्ष में वैट, रॉयल्टी व श्रमांश से संबंधित मदवार अवधारणा कटौती व जमा का खाता तैयार नहीं किया गया है ।

ग्रान्ट रजिस्टर–2 में अवधारित वैट रु0 227803.00 व रायल्टी रु0 90156.00 के सापेक्ष रजिस्टर–3 में क्रमशः रु0 93064.00 व रु0 18222.00 ही जमा दर्शित है का अंतर का समाधान खोज कर किया जाना अपेक्षित रहा ।

ग्रांट रजिस्टर–2 के अनुसार वैट रु0 227803.00 एवं रायल्टी रु0 90156.00 के सापेक्ष प्राप्त चालान पत्रावली के अनुसार वैट रु0 197464.00 वा रॉयल्टी रु0 62847.00 ही जमा दर्शित है इस प्रकार अंतर वैट रु0 30339.00 व रॉयल्टी रु0 27309.00 से कम जमा दर्शित रहा ।

आलोच्य वर्ष में श्रमांश कटौती रु0 38404.00 रहा जो नियमतः श्रमायुक्त मीरजापुर में जमा नहीं रहा । इस प्रकार वर्षान्त तक रु0 96052.00 राजकीय कोष में न जमा कर क्षति पहुंचाई गई है । अतः आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

सा0 आ0 संख्या–08

प्रस्तर–11 भारत सरकार के त्रैमासिक बजटिंग मैनुअल के अध्याय–6 के प्रस्तर 29 के अनुसार संसाधनों के उपभोग के संबंध में तिमाही भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति प्रथम तिमाही 20 प्रतिशत, द्वितीय तिमाही 20 प्रतिशत, तृतीय तिमाही 25 प्रतिशत एवं चतुर्थ तिमाही 35 प्रतिशत निर्धारित की गई है । शासनादेश संख्या–1568/38–4–1993–42/93 के अनुसार प्राप्त धनराशि का शत–प्रतिशत वर्ष में उपभोग किया जाना अनिवार्य है, किसी भी दशा में

प्राप्त धनराशि के 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि अवशेष नहीं बचनी चाहिए । संप्रेषण वर्ष 2014–15, 2015–16 व 2016–17 में संख्या द्वारा उक्त नियम का पालन न करके गंभीर अनियमितता की गई है । विवरण निम्नानुसार है–

क्रमांक	**मद**	**वर्ष 2014–15**	**वर्ष 2015–16**	**वर्ष 2016–17**
01	ब्याज	1921714.00	991163.00	2084551.00
02	अन्य अनुदान	8255033.00	5842222.00	7114225.00
	योग	**10176747.00**	**6833385.00**	**9198776.00**

इस प्रकार वर्षान्त 31–03–17 को रु0 9198776.00 अवशेष अनुदान की धनराशि में से ब्याज मद में रु0 2084776.00 एवं अन्य मद में रु0 7114225.00 रहा जिसे नियमानुसार ब्याज की धनराशि रु0 2084776.00 की राजकीय कोषागार में जमा एवं अन्य मद की धनराशि रु0 7114225.00 को योजनावार विकास कार्य में उपयोग शत–प्रतिशत अपेक्षित था अन्यथा की स्थिति में संबंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था परंतु ऐसा ना कर के ब्याज की धनराशि से विकास कार्य बाधित रहा, जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है । विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–09**

प्रस्तर–12 आलोच्य वर्ष में भस्मा चौरा माई मंदिर से नगरवा पूरा तक संपर्क मार्ग पर विधायक निधि प्रयुक्त मस्टररोल अवधि दिनांक 01–04–14 से 15–04–14 तक कुल मानव दिवस 175 का भुगतान रु0 156.00 प्रति मानव दिवस की दर से रु0 27300.00 का भुगतान किया गया दर्शित है जबकि पत्रावली संलग्न मु0वि0अधि0 के पत्रांक 366/30–10–13 एवं ख0वि0अधि0 के पत्रांक 219/02–05–14 द्वारा मजदूरी का भुगतान रु0 142.00 प्रति मानव दिवस की दर से रु0 24850.00 का भुगतान किया जाना चाहिए था । इस प्रकार अंतर रु0 2450.00 से अधिक भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है । उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या–10

प्रस्तर–13 दिनांक 31–02–2017 को ग्रान्ट रजिस्टर–3 के अनुसार अनुदान का अवशेष रु0 8501501.00 दर्शित है जबकि बैंक पासबुकों के विवरणानुसार अवशेष रु0 9774348.00 रहा इस प्रकार अंतर रु0 1272847.00 से कम ग्रान्ट रजिस्टर–3 पर अनुदान अंकित रहा जिसमें से वर्ष 2016–17 में राज्य वित्त के अंतर्गत रु0 270723.00 13वां वित्त के अंतर्गत रु0 234419.00 अन्य प्राप्तियों से रु0 124110.00 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान के अंतर्गत रु0 68023.00 से कम दर्शाना इस प्रकार कुल 270723.00 + 234419.00 + 124110.00 + 68023.00 = 697275.00 = अनुदान को ग्रांट रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया । इस प्रकार इस छूटे हुए अनुदान को समायोजित करने पर शेष अनुदान रु0 1272847.00 – 6 97275.00 बराबर 575572.00 से पासबुकों केयोग ग्रान्ट रजिस्टर–3 के योग में अंतर रहा जिसका कारण ग्रान्ट

रजिस्टर 3 पर अंकित नहीं रहा । अंतर को ग्रांट रजिस्टर–3 में दर्शाते हुए समाधान किया जाना अपेक्षित रहा । अंतर का अंकन ना करना गंभीर अनियमितता है, जिसके उत्तरदायी लेखाकार श्री शिवानंद है । इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। **सा0 आ0 संख्या–11**

नाम–क्षेत्र पंचायत छानबे वर्ष 2008–09 से 2014–15

प्रस्तर–14 वर्ष 2008–09 में विभिन्न मदों में व्यय रु0 46521975.00 धनराशि के सापेक्ष व्ययप्रमाणक/पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी देवी,श्री भोलानाथ कनौजिया एवं श्री सुनील कुमार तिवारी व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती चनरी देवी का है । उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–05**

प्रस्तर–15 वर्ष 2009–10 में विभिन्न शीर्षों में व्यय रु0 30657460.00 धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/ पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर धन राशि का अपहरण किया गया है जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार तिवारी एवं श्री चंद्रशेखर मिश्र व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती चनरी देवी का है । उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–06**

प्रस्तर–16 वर्ष 2009–10 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (क्षे0पं0) के मद में आय व्यय के सापेक्ष ग्रांट रजिस्टर–3 में अंतिम अवशेष कम दर्शाकर रु0 100000.00 धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार का है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–07**

प्रस्तर–17 वर्ष 2010–11 में विभिन्न शीर्षों में व्यय रु0 38223388.00 धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री चंद्रशेखर मिश्र, श्री धर्मजीत सिंह एवं श्री अजीत कुमार सिंह व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती चनरी देवी का है । उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–08**

प्रस्तर–18 वर्ष 2011–12 में विभिन्न मदों में व्यय धनराशियों रु0 47614647.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/पत्रावलियां उपलब्ध न कराकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार सिंह एवं श्री एस0पी0 सिंह व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती चनरी देवी का है । उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–09**

प्रस्तर–19 वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (क्षे0पं0) के मद में आय व्यय के सापेक्ष अंतिम अवशेष कम दर्शाकर धनराशि रु0 194400.00 का अपहरण किया गया है जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व तत्कालीन लेखाकार का है । उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
सा0 आ0 संख्या–10

प्रस्तर–20 वर्ष 2012–13 में विभिन्न शीर्षों में व्यय धनराशियों रु0 27930326.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/पत्रावलियां उपलब्ध न कराकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0पी0 सिंह एवं श्री दिलीप कुमार सोनकर, तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख श्रीमती चनरी देवी एवं श्रीमती लखानी देवी का है । उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–11**

प्रस्तर–21 वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (कन्टीजेंसी) के मद में आय व्यय के सापेक्ष अंतिम अवशेष कम दर्शाकर धनराशि रु0 237691.00 का अपहरण किया गया है जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार का है । उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
सा0 आ0 संख्या–12

प्रस्तर–22 वर्ष 2013–14 में विभिन्न मदों में व्यय धनराशियों रु0 35591074.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार सोनकर, श्री धर्मजीत सिंह एवं श्री सुनील कुमार व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लखानी देवी का है । उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–13**

प्रस्तर–23 वर्ष 2014–15 में विभिन्न शीर्षों में व्यय धनराशियों रु0 27960118.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/पत्रावलियां उपलब्ध ना कराकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लखानी देवी का है । उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
सा0 आ0 संख्या–14

प्रस्तर–24 वर्ष 2014–15 में सांसद विकास निधि में आय व्यय के सापेक्ष अंतिम अवशेष कम दर्शाकर धनराशि रु0 1624132.00 का अपहरण किया गया है जिसका उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार का है । उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–15**

प्रस्तर–25 वर्ष 2014–15 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के मद में आय व्यय के सापेक्ष अंतिम अवशेष कम दर्शाकर धनराशि रु0 590300.00 का अपहरण किया गया है जिसका उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार का है । उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–16**

प्रस्तर–26 वर्ष 2014–15 में आयकर कटौती मद में रु0 7927.00 अंतिम अवशेष दर्शित ना कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार का है । उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–17**

प्रस्तर–27 वर्ष 2014–15 में वैट कटौती मद में अंतिम अवशेष कम दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार का है ।

उपर्युक्त व्यय की गई धनराशि रु0 14511.00

के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावलियां, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र,माप पुस्तिका,स्टीमेट टी0डी0एस0 कटौती, जमा संबंधी अभिलेख आदि अनुपलब्ध रहे जिससे उपर्युक्त व्यय की गई धनराशियों की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख एवं लेखाकार से अवधिवार, खातावार उत्तरदायित्व निर्धारित कर किया जाना अपेक्षित है, साथ ही आवश्यक विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही भी अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–18**

नाम–क्षेत्र पंचायतहलिया वर्ष 2003–04 व 2006–07

प्रस्तर–28 अनुदान पंजिका–3 से विदित होता है कि वर्ष 2006–07 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अधोलिखित माहों में धनराशियां व्यय किया गया दर्शित है–

क्र0सं0	**माह**	**धनराशि**
01	सितम्बर 2006	58058.00
02	अक्टूबर 2006	341098.00
03	नवम्बर 2006	1341959.00
04	दिसम्बर 2006	13980856.00
05	जनवरी 2007	12483542.00
06	फरवरी 2007	25186586.00
07	मार्च 2007	340000.00
योग		**53732099.00**

इस प्रकार वर्ष 2006–07 में रु0 53732099.00 का व्यय अनुदान पंजिका–3 से विदित होता है । इस धनराशि के व्यय संबंधित कोई भी प्रमाणक, पंजिका, पत्रावली, अभिलेख आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए जो गंभीर प्रकरण है । उक्त व्यय की गई धनराशि में गंभीर अनियमितता है।अनियमितता एवं आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता में उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री आशाराम सिंह तथा ब्लॉक प्रमुख श्री ज्ञानेंद्र सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए । **सा0 आ0 संख्या–02**

प्रस्तर–29 अनुदान पंजिका–3 वर्ष 2006–07 से विदित होता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत (क्षेत्र पंचायत) माह जनवरी–2007 में कुल रु0 1060258.00 का व्यय किया गया, इस व्यय से संबंधी कोई भी प्रमाणक, पत्रावली, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य योजना आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए जो गंभीर प्रकरण है । अनियमितता एवं आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता में उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशाराम सिंह तथा ब्लॉक प्रमुख श्री ज्ञानेंद्र सिंह से ब्याज सहित किया जाना चाहिए।

सा0 आ0 संख्या–04

प्रस्तर–30 वर्ष 2003–04 में अधोलिखित विवरणानुसार धनराशि व्यय की गई–

क्र0सं0	**शीर्ष का नाम**	**धनराशि**
01	बायोगैस अनुदान	13300.00
02	इन्दिरा आवास 96–97	27500.00
03	इन्दिरा आवास 97–98	17000.00
04	इन्दिरा आवास 98–99	48000.00
05	प्रासंगिक व्यय	23320.00
06	मातृत्व लाभ योजना	46.00
07	सुनिश्चित रोजगार योजना	52922.00
08	हैण्डपम्प मरम्मत	288.00
09	आर्थिक संगणना	550.00
10	बालिका समृद्धि योजना	500.00
11	पंचायत निर्वाचन	8400.00
12	पेयजल समस्या	50000.00
13	सांसद निधि	331426.00
14	विधायक निधि	1303464.00
15	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार (प्रशिक्षण)	72200.00

16	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार (निर्माण)	40000.00
17	सम्पूर्ण रोजगार ग्रामीण योजना	2701901.00
योग		**4690817.00**

उक्त व्यय की गई धनराशियों में कोई भी प्रमाणक, पत्रावली, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, स्टीमेट आदि अनुपलब्ध रहे । इनके अभाव में उक्त शीर्षो में व्यय की गई संबंधित धनराशि अपहरण है । अनियमितता तथा आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार पाण्डेय, श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी तथा जे0 राम से एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री राम निहोर से अवधिवार तथा खातावार उत्तरदायित्व निर्धारित कर किया जाना चाहिए । साथ ही सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिए । **सा0 आ0 संख्या–06**

प्रस्तर–31 वर्ष 2004–05 में अधोलिखित विवरणानुसार धनराशि का व्यय की गई–

क्र0सं0	**शीर्ष का नाम**	**धनराशि**
01	बायोगैस अनुदान	22200.00
02	इन्दिरा आवास	350500.00
03	पंचायत निर्वाचन	6760.00
04	प्रासंगिक व्यय	53114.00
05	पी0आर0डी0 मानदेय	32240.00
06	सांसद निधि	856073.00
07	विधायक निधि	1176326.00
08	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार (प्रशिक्षण)	136920.00
09	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार (निर्माण)	825000.00
10	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	6736387.00
11	स्वर्ण जयंती डिस्प्ले बोर्ड	36500.00
12	राज्य वित्त	364680.00
योग		**10596700.00**

उक्त व्यय के संबंध में कोई भी प्रमाणक, पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, स्टीमेट आदि अनुपलब्ध रहे । इनके अभाव में उक्त शीर्षों में व्यय की गई संबंधित धनराशियों में अपहरण है । अनियमितता तथा आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जे0 राम तथा अनिल कुमारशर्माएवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री राम निहोर से किया जाना अपेक्षित होगा । साथ ही दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी किया जाना चाहिए । वसूली अवधिवार तथा खातावार किया जाना चाहिए साथ ही सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी किया जाना चाहिए । **सा0 आ0 संख्या–07**

प्रस्तर–32 वर्ष 2005–06 में अधोलिखित विवरणानुसार धनराशि व्यय की गई–

क्र0सं0	**शीर्ष का नाम**	**धनराशि**
01	बायोगैस संयंत्र अनुदान	8400.00
02	इन्दिरा आवास योजना	13000.00
03	पंचायत निर्वाचन	216105.00
04	प्रसंगिक व्यय	27730.00
05	रैपिड सर्वे	42500.00
06	दैवीय आपदा	50000.00
07	प्रासंगिक व्यय	50094.00
08	सांसद निधि	2601957.00
09	विधायक निधि	2652969.00
10	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना	150000.00
11	राज्य वित्त	2531908.00
12	कार्य के बदले अनाज	3110646.25
	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	5456877.00
योग		**16912186.25**

उक्त शीर्षो में व्यय की गई धनराशियों के संबंध में कोई भी प्रमाणक, पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, माप पुस्तिका आदि अनुपलब्ध रहे इनकी अनुपलब्धता से व्यय की गई धनराशियों में गंभीर अनियमितता है। आवश्यक अभिलेखों के उपलब्ध कराया जाना चाहिए । अनियमितता तथा आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता मेंउक्त धनराशियों की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राधेश्याम श्री एवं दिलीप कुमार सोनकर तथा ब्लाक प्रमुख श्री राम निहोर एवं श्री ज्ञानेन्द्र सिंह से अवधिवार तथा खातावार किया जाना तथा सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी किया जाना चाहिए । **सा0 आ0 संख्या–08**

प्रस्तर–33 वर्ष 2006–07 में अधोलिखित विवरणानुसार धनराशियां व्यय की गईं–

क्र0	शीर्ष का नाम	धनराशि
01	बायोगैस संयत्र अनुदान	20600.00
02	इन्दिरा आवास योजना	10000.00
03	पंचायत निर्वाचन	–
04	प्रासंगिक / प्रशासनिक व्यय	725130.00
05	आर्थिक गणना	94739.00
06	दैवीय आपदा राहत	89240.00
07	त्रिस्तरीय पंचायत प्रशिक्षण	5740.00
08	फोटो ग्राफी	40000.00
09	स्वजल धारा	–
10	सांसद निधि	698966.00
11	विधायक निधि	1199926.00
12	स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना	–
13	राज्य वित्त	3057289.00
14	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	5061288.00
15	बारहवां वित्त आयोग	1454534.00
16	कार्य के बदले अनाज	3543406.00
योग		**16000858.00**

उक्त शीर्षों में व्यय की गई धनराशियों के संबंध में कोई भी प्रमाणक, पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका आदि अनुपलब्ध रहे । इनकी अनुपलब्धता में व्यय की गई धनराशियों में गंभीर अनियमितता है । अनियमितता तथा आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित शीर्षों की धनराशियों की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार सोनकर तथा श्री आशाराम सिंह एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री ज्ञानेंद्र सिंह से किया जाना चाहिए । वसूली अवधिवार तथा खातावार किया जाना चाहिए । साथ ही सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी किया जाना चाहिए। **सा0 आ0 संख्या–09**

नाम–क्षेत्र पंचायत जमालपुर वर्ष 2007–08 व 2008–09

प्रस्तर–34 उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 1963 (यथासंशोधित 39वां संशोधन) के नियम 21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन हेतु विधिवत अनुज्ञापत्र एवं रॉयल्टी का देय सुनिश्चित किया गया है । किंतु क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर प्रायः इसकी कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया है । आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा रु0 45093.00 रॉयल्टी की कटौती की गई है किंतु रॉयल्टी कटौती की धनराशि राजकीय कोषागार में न जमा कर ग्रान्ट रजिस्टर–3 में आय दर्शित किया गया है जिसे राजकीय कोषागार में यथाशीघ्र जमा किया जाना आवश्यक है । उक्त के लिए लेखाकार श्री श्यामा प्रसाद उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। **सा0 आ0 संख्या–02**

प्रस्तर–35 शा0सं0ए0–1–122 / दस–2012–10(33) / 2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय ना होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए । ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है । आलोच्य वर्ष 2007–08 में रु0 214809.00 एवं वर्ष 2008–09 में रु0 123881.00 कुल रु0 338690.00 ब्याज से आय अर्जित की गई है किंतु संस्था के अधिकारी द्वारा इसे राजकोष में ना जमा कर ग्रांट रजिस्टर मेंअनियमित रुप से आय दर्शित किया गया है । अतः इसे राजकोष में जमा किया जाना आवश्यक है । उक्त के लिए लेखाकार श्री श्यामा प्रसाद उत्तरदायी हैं । इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

सा0 आ0 संख्या–03

प्रस्तर–36 आलोच्य वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में प्रासंगिक मद के अंतर्गत रु0 2602917.00 व्यय किया गया है । लेखा परीक्षा द्वारा उपरोक्त से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा हेतु बार–बार मांग करने के बावजूद भी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा पटल पर सुलभ नहीं कराया गया । अतः प्रासंगिक मद के अंतर्गत कुल व्यय रु0 2602917.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी स्पष्ट है की धनराशि रु0 2602917.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार एवं ख0वि0अधि0 से किया जाना आवश्यक है ।उक्त के लिए लेखाकार श्री श्यामा प्रसाद व खण्ड विकास अधिकारी श्री लालजी यादव व श्री डी0आर0विश्वकर्मा उत्तरदायी हैं । **सा0 आ0 संख्या–05**

प्रस्तर–37 आलोच्य वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में विधायक निधि मद के अंतर्गत रु0 1103441.00 व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा द्वारा उपरोक्त से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा हेतु बार–बार मांगने के बावजूद भी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा पटल पर सुलभ नहीं कराया गया है । अतः विधायक निधि मद के अंतर्गत कुल व्यय धनराशि रु0 1103441.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है की धनराशि 1103441.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना आवश्यक है । उक्त के लिए लेखाकार श्री श्यामा प्रसाद व खण्ड विकास अधिकारी श्री लालजी यादव व श्री डी0आर0 विश्वकर्मा उत्तरदायी हैं।**सा0 आ0 संख्या–06**

प्रस्तर–38 आलोच्य वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में राज्य वित्त योजना मद के अंतर्गत रु0 4352480.00 व्यय किया गया है । लेखा परीक्षा द्वारा उपरोक्त व्ययसे संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा हेतु बार–बार मांग करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा पटल पर सुलभ नहीं कराया गया । स्पष्ट है की धनराशि रु0 4352480.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना आवश्यक है । उक्त के लिए लेखाकार श्री श्यामा प्रसाद व खण्ड विकास अधिकारी श्री लालजी यादव व श्री डी0आर0विश्वकर्मा उत्तरदायी हैं ।**सा0 आ0 संख्या–07**

प्रस्तर–39 आलोच्य वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में 12वां वित्त योजना मद के अंतर्गत रु0 2024444.00 व्यय किया गया है लेखा परीक्षा द्वारा उपरोक्तव्यय से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा हेतु बार–बार मांग करने के बावजूद भी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा पटल पर सुलभ नहीं कराया गया । अतः व्यय धन राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी स्पष्ट है कि रु0 2024444.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना आवश्यक है । उक्त के लिए लेखाकार श्री श्यामा प्रसाद व खण्ड विकास अधिकारी श्री लालजी यादव व श्री डी0आर0विश्वकर्मा उत्तरदायी हैं। **सा0 आ0 संख्या–08**

प्रस्तर–40 आलोच्य वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में सांसद निधि योजना मद के अंतर्गत रु0 269755.00 व्यय किया गया है । लेखा परीक्षा द्वारा उपरोक्त व्यय से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा हेतु बार–बार मांग करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा पटल पर सुलभ नहीं कराया गया । अतः व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः स्पष्ट है कि रु0 269755.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना आवश्यक है । उक्त के लिए लेखाकार श्री श्यामा प्रसाद व खण्ड विकास अधिकारी श्री लालजी यादव व श्री डी0आर0विश्वकर्मा उत्तरदायी हैं। **सा0 आ0 संख्या–09**

नाम–क्षेत्र पंचायतजमालपुर वर्ष 2009–10व 2010–11

प्रस्तर–41 वर्ष 2009–10 में ग्रांट रजिस्टर 3 के आय–व्यय में वर्षान्त में रोकड़ शेष रु0 8240037.00 के स्थान पर सिर्फ रु0 8172164.00 ही दर्शित है इस प्रकार रु0 67873.00 से कम रोकड़ शेष ग्रांट रजिस्टर 3 के वर्ष 2010–11 के प्रारंभिक शेष कालम में दर्शित है । अंतर का कारण निम्न है–

क्र0	**मद का नाम**	**माह/वर्ष**	**ग्रान्ट रजि0–3 में दर्शित धनराशि**	**जो होनी चाहिये**	**अंतर**
01	बारहवां वित्त	01–04–09	330159.00	326039.00	(+)4120.00
02	विधायक निधि	31–03–10	115958.00	115951.00	(+)7.00
03	रायल्टी की धनराशि	31–03–10	24218.00	96218.00	(–) 72000.00
योग					**67873.00**

अतः रु0 67873.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री शेषनाथ चौहान, ब्लाक प्रमुख श्री आनंद सिंह एवं लेखाकार श्री श्यामा प्रसाद से बराबर–बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है । **सा0 आ0 संख्या–02**

प्रस्तर–42 उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 (यथासंशोधित 39वां संशोधन) के नियम 21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन हेतु विधिवत अनुज्ञापत्र एवं रायल्टी देय सुनिश्चित किया गया है । किंतु क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर प्रायः इसकी कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया है । आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा निम्न प्रकार रॉयल्टी कटौती कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है–

वर्ष	**वसूली की गयी रायल्टी की धनराशि**	**व्यय की गयी धनराशि**
2009–10	104915.00	8697.00
2010–11	185586.00	190174.00
योग	**290501.00**	**198871.00**

अतः उपरोक्त अनुसार स्पष्ट है कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 तक कुल रु0 290501.00 रायल्टी की कटौती की गई है, किंतु रॉयल्टी कटौती की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा कर ग्रांट रजिस्टर 3 में आय दर्शित किया गया है एवं पुनः विभिन्न मदों में रु0 198871.00 मनमाने तरीके से अनियमित व्यय किया गया है । इस प्रकार रु0 198871.00 की ब्याज सहित वसूली करते हुए संपूर्ण धनराशि रु0 290501.00 राजकीय कोषागार में जमा किया जाना आवश्यक है ।उक्त के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0आर0 विश्वकर्मा, श्री शेषनाथ चौहान व लेखाकार श्री श्यामा प्रसाद उत्तरदायी हैं । इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित हैं। **सा0 आ0 संख्या–04**

प्रस्तर–43आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नांकित परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य पत्रावली/व्यय वाउचर लेखा परीक्षा हेतु मांग करने के बावजूद भी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा पटल पर जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है–

क्र0	**वर्ष**	**धनराशि**	**मद का नाम**
01	2009–10	3966608.00	प्रासंगिक मद

	2010–11	1826324.00	प्रासंगिक मद
02	2009–10	907217.00	विधायक निधि
03	2009–10	2150010.00	राज्य वित्त
	2010–11	3167322.00	राज्य वित्त
04	2009–10	1492388.00	बारहवां वित्त
	2010–11	610101.00	वारहवां वित्त
05	2009–10	76512.00	सांसद निधि
	2010–11	849700.00	सांसद निधि
06	2009–10	437581.00	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान
	2010–11	3882538.00	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान
07	2010–11	4081430.00	पूर्वांचल विकास निधि–2
08	2010–11	819417.00	तेरहवां वित्त
योग		**24267148.00**	

अतः उपरोक्त अनुसार स्पष्ट है कि रु0 24267148.00 का अपहरण किया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख एवं लेखाकार से बराबर–बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है । उक्त के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0आर0 विश्वकर्मा, श्री शेषनाथ चौहान, ब्लाक प्रमुख श्री विद्याशंकर यादव व आनंद सिंह तथा लेखाकार श्री श्यामा प्रसाद उत्तरदायी हैं। **सा0 आ0 संख्या–04**

प्रस्तर–44 शा0सं0 ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए । ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है । आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा निम्न तरीकों से ब्याज अर्जित एवं व्यय किया गया है–

वर्ष	**अर्जित ब्याज की धनराशि**	**व्यय धनराशि**
2009–10	581079.00	42700.00
2010–11	213662.00	38000.00
योग	**794741.00**	**80700.00**

अतः उपरोक्तानुसार संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए ब्याज की धनराशि रु0 794741.00 में से रु0 80700.00 अनियमित तरीके से व्यय किया गया है एवं शेष धनराशि रु0 714041.00 को संस्था में रोक कर रखा गया है अतः नियमानुसार व्यय धनराशि रु0 80700.00 की वसूली करते हुए संपूर्ण ब्याज की धनराशि रु0 794741.00 को राजकोष में जमा किया जाना आवश्यक है । उक्त के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0आर0 विश्वकर्मा, श्री शेषनाथ चौहान व लेखाकार श्री श्यामा प्रसाद उत्तरदायी हैं ।**सा0 आ0 संख्या–05**

नाम–क्षेत्र पंचायत नरायनपुर , वर्ष 2001–02 व 2002–03

प्रस्तर–45वित्तीय वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 में क्षेत्र पंचायत द्वारा इंदिरा आवास मद में रु0 267124.00 का व्यय किया गया है । किंतु उक्त व्यय के सापेक्ष में कोई व्यय प्रामाणक अथवा व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई । अतः पत्रावलियों के अभाव में धनराशि रु0 267124.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी इसलिए उक्त धनराशि रु0 267124.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है । उक्त के लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती सावित्री सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र पटेल व लेखाकार श्री मोहन लाल उत्तरदायी हैं । **सा0 आ0 संख्या–03**

प्रस्तर–46 आलोच्य वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 में क्षेत्र पंचायत द्वारा रिवाल्विंग फण्ड पर रु0 820000.00 व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रामाणक एवं व्यय पत्रावलिया लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही हैं । अतः रु0 820000.00 की पुष्टि पत्रावलियों के अभाव में नहीं की जा सकी संबंधित धनराशि रु0 820000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार व ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है । उक्त के लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती सावित्री सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र पटेल व लेखाकार श्री मोहन लाल उत्तरदायी हैं ।**सा0 आ0 संख्या–04**

प्रस्तर–47 आलोच्य वित्त वर्ष 2002–03 में क्षेत्र पंचायत द्वारा ट्राइसेम छात्रवृत्ति वितरण पर रु0 16800.00 का व्यय दर्शित है । जिसके सापेक्ष ट्राइसेम छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक अथवा व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः रु0 16800.00 का छात्रवृत्ति वितरण व्यय पुष्टि नहीं होता है । जिसकी रु0 16800.00 की धनराशि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व ब्लाक प्रमुख से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है । उक्त के लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती सावित्री सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र पटेल व लेखाकार श्री मोहन लाल उत्तरदायी हैं । **सा0 आ0 संख्या–05**

प्रस्तर–48 वित्तीय वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 में क्षेत्र पंचायत द्वारा एस0जी0एस0वाई0 अवस्थापना मद पर रु0 441405.00 का व्यय किया गया है । किंतु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में बार–बार मांगने पर प्रस्तुत नहीं की गई अतः पत्रावलियों के अभाव में रु0 441405.00 की धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी इसलिए रु0 441405.00 की धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं ब्लाक

प्रमुख से की जानी अपेक्षित है । उक्त के लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती सावित्री सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र पटेल व लेखाकार श्री मोहन लाल उत्तरदायी हैं । **सा0 आ0 संख्या–06**

प्रस्तर–49आलोच्य वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 में क्षेत्र पंचायत द्वारा एस0जी0एस0वाई0 प्रशिक्षण मद में रु0 100883.00 की धनराशि व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक अथवा व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही है । अतः पत्रावलियों के अभाव में उक्त धनराशि रु0 100883.00 की पुष्टि नहीं होती । जिसकी कुल धनराशि रु0 100883.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है । उक्त के लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती सावित्री सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र पटेल व लेखाकार श्री मोहन लाल उत्तरदायी हैं । **सा0 आ0 संख्या–07**

प्रस्तर–50वित्तीय वर्ष 2002–03 में क्षेत्र पंचायत द्वारा विधायक निधि मद से रु0 802944.00 का व्यय किया गया दर्शित है किंतु उक्त व्यय के सापेक्ष में कोई व्यय प्रामाणक एवं व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि संस्था का इस मद में प्रथम कृत्य था जिसकी विधिवत पत्रावलियां बनाई जानी चाहिए थी । अतः पत्रावलियों के अभाव में धनराशि रु0 802944.00 की पुष्टि नहीं हो सकी । जिसकी रु0 802944.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है । उक्त के लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती सावित्री सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र पटेल व लेखाकार श्री मोहन लाल उत्तरदायी हैं ।**सा0 आ0 संख्या–08**

नाम–क्षेत्र पंचायत नरायनपुर , वर्ष 2003–04

प्रस्तर–51वित्तीय वर्ष 2003–04 में क्षेत्र पंचायत द्वारा इंदिरा आवास के अंतर्गत रु0 132570.00 का व्यय किया जा चुका है । किंतु उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय पत्रावली व प्रामाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । पत्रावली के अभाव में रु0 132570.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । उक्त के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र पटेल व लेखाकार श्री मोहन लाल पटेल उत्तरदायी हैं । ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

सा0 आ0 संख्या–01

प्रस्तर–52आलोच्य वर्ष में 2003–04 में धूम्ररहित चूल्हा के मद में रु0 22192.00 पी0डी0 को वापस किया गया है । परंतु धनराशि वापस से संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए जिससे दर्शित धनराशि रु0 21192.00 की पुष्टि न की जा सकी । उक्त के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र पटेल व लेखाकार श्री मोहन लाल पटेल उत्तरदायी हैं । ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **सा0 आ0 संख्या–05**

प्रस्तर–53 क्षेत्र पंचायत में विविध मद में विगत कई वर्षों से रु0 127149.82 की धनराशि यथावत शेष दर्शायी जा रही है । जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है और ना ही राजकीय कोषागार में वापस किया जा रहा है । उक्त राशि राजकीय कोषागार में वापस किया जाना अपेक्षित है। उक्त के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र पटेल व लेखाकार श्री मोहन लाल पटेल उत्तरदायी हैं । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–06**

प्रस्तर–54 आलोच्य वर्ष में 2003–04 में क्षेत्र पंचायत द्वारा विधायक निधि मद में रु0 284076.0 व्यय किया गया दर्शित है किंतु उक्त व्यय के सापेक्ष में कोई व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही । अतः प्रमाणक व पत्रावलियों के अभाव में उक्त धनराशि की पुष्टि न की जा सकी । उक्त के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र पटेल व लेखाकार श्री मोहन लाल पटेल उत्तरदायी हैं । ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

सा0 आ0 संख्या–10

प्रस्तर–55 आलोच्य वर्ष में 2003–04 में एस0जी0आर0वाई0 मद में रु0 6973410.00 की धनराशि व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही । अतः पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी । उक्त के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र पटेल व लेखाकार श्री मोहन लाल पटेल उत्तरदायी हैं । ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **सा0 आ0 संख्या–11**

प्रस्तर–56 आलोच्य वर्ष 2003–04 में व्यवस्थापकीय व्यय मद में रु0 49928.00 व्यय दर्शित है । जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि की जा सकी । उक्त के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र पटेल व लेखाकार श्री मोहन लाल पटेल उत्तरदायी हैं । ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **सा0 आ0 संख्या–12**

प्रस्तर–57 आलोच्य वर्ष 2003–04 में क्षेत्र पंचायत अंश मद में रु0 18520.00 का व्यय दर्शित है किंतु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः पत्रावलिओं के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि ना की जा सकी । उक्त के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र पटेल व लेखाकार श्री मोहन लाल पटेल उत्तरदायी हैं । ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **सा0 आ0 संख्या–13**

नाम–क्षेत्र पंचायत कोन वर्ष 2013–14

प्रस्तर–58 ब्याज से संबंधित आपत्ति–

शासनादेश संख्या ए–1–122/10–2012/10 (33–2010) दिनांक 21–03–2012 के अनुसार संस्था द्वारा राजकीय धनराशियों के सापेक्ष सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में वित्त विभाग के स्वीकृति के उपरांत बचत खाते खोलकर शासकीय धन जमा करने तथा जमा धनराशि के सापेक्ष अर्जित ब्याज की धनराशि संस्था की न होकर राज्य सरकार

की आय मानते हुए इसे राजकोष में जमा कराने का निर्देश है । उक्त शासनादेश के क्रम में समीक्षा करने पर क्षेत्र पंचायत में ब्याज अर्जन, उसके सापेक्ष उपभोग एवं वर्षान्त में शेष की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई–

क) क्षेत्र पंचायत कोन की अनुदान पंजिका भाग–तीन की वर्ष 2013–14 के अनुसार शासकीय अनुदान से क्षेत्र पंचायत में ब्याज की धनराशि 31–03–2013 को रु0 298487.00 अवशेष थी । वर्ष में रु0 350996.00 ब्याज प्राप्त हुआ इस प्रकार रु0 649843.00 ब्याज दर्शित है । यद्यपि की बैंक खाते लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे यह पुष्ट नहीं किया जा सका की ब्याज से कितनी धनराशि वास्तव में प्राप्त हुई । अतएव ब्याज की वास्तविक गणना एवं पुष्टि हेतु बैंक खाते प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है तथा दर्शित ब्याज रु0 649843.00 को नियमानुसार राजकोष में जमा कर चालान प्रस्तुत किया जाना चाहिए परंतु ऐसा ना करके राजकीय धन का अपहरण किया गया ।

ख) क्षेत्र पंचायत कोन में वर्ष 2013–14 में रु0 436867.70 ब्याज से प्राप्त धनराशि व्यय दर्शायी जा रही है किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि यह धनराशि किन कार्यों पर व्यय हुई है । तथा वर्षान्त में रु0 212615.30 की धनराशि खाते में रोका गया जिसे राजकोष में जमा किया जाना चाहिए था इस प्रकार रु0 436867.70 व्यय कर तथा रु0 212615.30 रोककर कुल रु0 649843.00 शासकीय धन का अपहरण करते हुए शासकीय धन की क्षति की गई जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मजीत सिंह व श्री एन0एन0 मिश्र तथा लेखाकार श्री नरेंद्र कुमार पाण्डेय जिम्मेदार हैं । अतएव रु0 649843.00 खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

सा0 आ0 संख्या–02

प्रस्तर–59 रॉयल्टी कटौती–

आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा रॉयल्टी कटौती के अंतर्गत अनुदान पंजिका–3 में प्रा0 अवशेष रु0 19461.00 व वर्ष के दौरान रु0 48167.00 रॉयल्टी कटौती से प्राप्त धनराशि दर्शित है जिसके सापेक्ष रु0 31975.00 की रॉयल्टी कटौती राजकोष में जमा दर्शित है । परंतु वर्षान्त में रु0 35653.00 रॉयल्टी कटौती से प्राप्त धनराशि को राजकोष में ना जमाकर अपहरण किया गया । इस अपहरण के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मजीत सिंह व श्री एन0एन0 मिश्र तथा लेखाकार श्री नरेंद्र कुमार पाण्डेय उत्तरदायी हैं । ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **सा0 आ0 संख्या–03**

प्रस्तर–60 व्यापार कर कटौती–

आलोच्य वर्ष 2013–14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यापार कर कटौती में प्रा0 अवशेष रु0 73388.00 व रु0 295377.00 व्यापार कर कटौती से प्राप्त दर्शित है । जिसके सापेक्ष वर्ष में रु0 177897.00 राजकोष में जमा दर्शित है परंतु वर्षान्त में रु0 190868.00 की धनराशि खाते में रोका रखा गया है जबकि उसे भी चालान द्वारा राजकीय कोषागार में जमा करना चाहिए था । इस प्रकार रु0 190868.00 खाते में रोककर शासकीय धन का अपहरण किया गया । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मजीत सिंह व श्री एन0एन0 मिश्र तथा लेखाकार श्री नरेंद्र कुमार पाण्डेय उत्तरदायी हैं । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–04**

नाम–क्षेत्र पंचायत लालगंज वर्ष 2000–01 से 2004–05

प्रस्तर–61 सांसद निधि 2000–01 के अंतर्गत कृत कार्य बरौंधा रजवाहा से छुलहा संपर्क मार्ग निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में निम्न कमियां प्रकाश में आईं–

स्टीमेट में दर्शित अनुमानित लागत रु0 101000.00 के सापेक्ष रु0 118956.00 व्यय किया गया है । जो स्टीमेट से रु0 17956.00 अधिक अनियमित व्यय किया गया है । उपरोक्त कुल रु0 118956.00 व्यय के सापेक्ष दो प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाए गए जो क्रमशः गिट्टी क्रय रु0 50000.00 एवं रोलर का कार्य रु0 6300.00 कुल रु0 56300.00 के प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाए गए । शेष रु0 62656.00 निम्न विवरणानुसार ग्रांट रजिस्टर–2 से खारिज है किंतु प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान अप्राप्त रहे ।

क्र0	चेक संख्या तिथि	ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय पेज सं0	धनराशि	कर्मचारी का नाम जिसके पक्ष में चेक निर्गत
01	178051 / 10–05–01	60	18000.00	श्री कैलाश नाथ पाठक (कार्यप्रभारी)
	300623 / 06–07–01	61	22156.00	श्री सुबास चन्द्र (ग्रा0पं0अधि0)
03	300948 / 27–03–02	61	22500.00	श्री आर0एन0 सिंह (अवर अभियन्ता)
योग			**62656.00**	

अतः उपरोक्तनुसार रु0 62656.00 के प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं पाए गए ।

कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है और ना ही कार्य की एम0बी0 कराई गई है ।

सामग्री खरीद हेतु कोटेशन टेंडर नहीं लिया गया है ।

इस प्रकार कुल रु0 118956.00 फर्जी ढंग से धनराशि निकालकर अपहरण किया गया है । जिसके लिए कार्यप्रभारी श्री कैलाश नाथ पाठक, सुबास चंद्र ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री आर0एन0 सिंह अवर अभियंता तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रविंद्र सिंह उत्तरदायी हैं अतः उपरोक्त सभी से अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर–बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है । **सा0 आ0 संख्या–08**

प्रस्तर–62 सांसद निधि 2000–01 के अंतर्गत कृत कार्य पगार से महादेव घाट तक सड़क निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में निम्न कमियां प्रकाश में आईं–

मस्टर रोल संख्या–75835 एवं 75834 धनराशि क्रमशः रु0 2690.00 एवं रु0 1972.00 कुल धनराशि रु0 4662.00 पर कार्यरत मजदूर क्रमशः 8 तथा 5 कुल 13 मजदूरों के धन प्राप्ति की पुष्टि में मस्टर रोल पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं लगाया है । अतः दोनों मस्टररोल के योग की धनराशि रु0 4662.00 का भुगतान फर्जी है । अतः कार्य प्रभारी श्री सुबास चंद्र से वसूली की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ।

उपरोक्त कार्य पर रु0 4160.00 का भुगतान वास्ते साइन बोर्ड का किया गया है, किंतु पत्रावली के साथ प्रमाणक अप्राप्त रहा अतः कार्य प्रभारी श्री सुबास चंद्र से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हैं।

सा0 आ0 संख्या–09

नाम–क्षेत्र पंचायत पहाड़ी वर्ष 2005–06 व 2006–07

प्रस्तर–63 क्षेत्र पंचायत पहाड़ी की वर्ष 2005–06 व 2006–07 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गंभीर अनियमितताएं प्रकाश में आए–

आलोच्य वर्ष 2005–06 व 2006–07 में निम्न विवरणानुसार मदों पर व्यय किया गया है किंतु लेखा परीक्षा की अपेक्षा के बावजूद व्यय से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही । विवरण निम्नवत है–

क्र0	**मद का नाम**	**वर्ष में व्यय(05–06)**	**क्र0**	**मद का नाम**	**वर्ष में व्यय(06–07)**
01	सम्पूर्ण ग्रामीण रो0यो0	3132660.00	01	सम्पूर्ण ग्रामीण रो0यो0	2336700.00
02	प्रासंगिक व्यय	48491.00	02	प्रासंगिक व्यय	57572.00
03	विधायक निधि	1369718.00	03	विधायक निधि	1755482.00
04	राज्य वित्त	1645725.00	04	राज्य वित्त	731454.00
05	काम के बदले अनाज	872281.00	05	काम के बदले अनाज	680544.00
06	बारहवां वित्त	259569.00	06	बारहवां वित्त	397764.00
07	बायो गैस	10744.00	07	सांसद निधि	573524.00
08	रैपिड सर्वे	25100.00	08	अवस्थापना मद	663000.00
09	पंचायत निर्वाचन	38785.00	09	रा0ग्रा0रो0यो0	8634347.00
			10	बायो गैस	8400.00
10	राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा	21567.00	11	वेतन/अन्य	15346.00
			12	प्रासंगिक मद (रा0ग्रा0रो0यो0)	55135.00
	योग	**7424639.00**		**योग**	**15909268.00**

उपरोक्त व्यय वर्ष 2005–06 में रु0 7424639.00 व वर्ष 2006–07 में रु0 15909268.00 से संबंधित व्यय प्रामाणक, एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टीमेट, कार्यवाही रजिस्टर आदि कार्य की पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं रही जिससे संबंधित अनुदान उपयोग की पुष्टि नहीं हो सकी । ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **सा0 आ0 संख्या–02**

नाम–क्षेत्र पंचायत सीखड़ वर्ष 2002–03 से 2004–05

प्रस्तर–64 क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2002–03 से 2004–05 तक कुल 30 व्यक्तियों को बायोगैस अनुदान रु0 68200.00 दिया गया है । परंतु बायोगैस लगने की पुष्टि में सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी । उक्त के लिए ब्लाक प्रमुख श्री तेज बहादुर सिंह, श्री रमेश सिंह छत्रपति व श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री रादेश्याम, श्री विरेन्द्र कुमार, श्री प्रेम चन्द्र, डा0 रामआसरे व श्री रामबाबू त्रिपाठी उत्तरदायी हैं ।ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **सा0 आ0 संख्या–01**

प्रस्तर–65 क्षेत्र पंचायत अनुदान पंजी/अभिलेखों के अनुसार 01–04–2002 को विभिन्न खातों में जमा शासकीय अनुदान पर ब्याज रु0 51272.00 दर्शाया गया है कि धनराशि रु0 51272.00चेक संख्या–967225 दिनांक 31–05–2004 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी मीरजापुर को दिया गया दर्शित है । यह राशि राजकीय कोषागार में जमा कर उसकी रसीद उपलब्ध नहीं कराई गयी । जमा राशि की पुष्टि रसीद के अभाव में न की जा सकी । पुष्टि अपेक्षित है यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002–03, 2003–04, 2004–05 में अनुदान की जमा राशियों पर बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज अभिलेखों में दर्शित नहीं है । बैंक स्टेटमेंट/पासबुक के अभाव में ब्याज के मद में होने वाली आय की पुष्टि न की जा सकी । पुष्टि अपेक्षित है ।उक्त के लिए ब्लाक प्रमुख श्री तेज बहादुर सिंह, श्री रमेश सिंह छत्रपति व श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री रादेश्याम, श्री विरेन्द्र कुमार, श्री प्रेम चन्द्र, डा0 रामआसरे व श्री रामबाबू त्रिपाठी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **सा0 आ0 संख्या–03**

प्रस्तर–66

क्षेत्र पंचायत में उन्नत चूल्हा हेतु प्राप्त अनुदान रु0 29477.00 दिनांक 01–04–2002 को शेष रहा । यह राशि चेक संख्या 967205 दिनांक 30–12–03 द्वारा परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मीरजापुर को वापस किया गया अभिलेखों में दर्शित है परंतु पुष्टि में परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा प्राप्त रसीद उपलब्ध नहीं कराया गया जो अपेक्षित रहा । उक्त के लिए ब्लाक प्रमुख श्री तेज बहादुर सिंह, श्री रमेश सिंह छत्रपति व श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री रादेश्याम, श्री विरेन्द्र कुमार, श्री प्रेम चन्द्र, डा0 रामआसरे व श्री रामबाबू त्रिपाठी उत्तरदायी हैं । विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । **सा0 आ0 संख्या–04**

प्रस्तर–67

क्षेत्र पंचायत में मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत अनुदान की अवशेष धनराशि रु0 49200.00 चेक संख्या–255393 दिनांक 30–04–03 द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी मीरजापुर को दिया गया अभिलेखों में दर्शित है । परंतु पुष्टि में जिला समाज कल्याण अधिकारी मीरजापुर कार्यालय की प्राप्ति रसीद अनुपलब्ध रहा । पुष्टि अपेक्षित है ।उक्त के लिए ब्लाक प्रमुख श्री तेज बहादुर सिंह, श्री रमेश सिंह छत्रपति व श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री रादेश्याम, श्री विरेन्द्र कुमार, श्री प्रेम चन्द्र, डा0 रामआसरे व श्री रामबाबू त्रिपाठी उत्तरदायी हैं । ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **सा0 आ0 संख्या–05**

प्रस्तर–68

क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्बल वर्ग आवास हेतु प्राप्त अनुदान की धनराशि रु0 40110.55 का उपयोग नहीं किया गया जिसे चेक संख्या–967207 दिनांक 30–12–2017 द्वारा परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को दिया गया दर्शित है परंतु पुष्टि में परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा रसीद अनुपलब्ध रहा जिससे भुगतान की पुष्टि न की जा सकी पुष्टि अपेक्षित है । उक्त के लिए ब्लाक प्रमुख श्री तेज बहादुर सिंह, श्री रमेश सिंह छत्रपति व श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री रादेश्याम, श्री विरेन्द्र कुमार, श्री प्रेम चन्द्र, डा0 रामआसरे व श्री रामबाबू त्रिपाठी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **सा0 आ0 संख्या–06**

प्रस्तर–69 सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2004–05 में रु0 3678587.00 का कार्य कराया गया है । उक्त व्यय में श्री अखिलेश सिंह को निम्न विवरण के अनुसार भुगतान दर्शाया गया है–

क्र0	चेक सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	601979	15–04–10	133190.00	पारुल ईंट भठ्ठा द्वारा
02	602176	20–05–04	163833.00	पारुल ईंट आपूर्ति हेतु
03	235651	25–05–04	55580.00	पारुल ईंट आपूर्ति हेतु
04	235655	28–05–04	26342.00	प्रतीक ईंट भठ्ठा शहंशाहपुर, वाराणसी
05	235857	15–07–04	5540.00	प्रतीक ईंट भठ्ठा शहंशाहपुर, वाराणसी
योग			**384485.00**	

उपरोक्तानुसार रु0 384485.00 का भुगतान श्री अखिलेश सिंह को ईंट क्रय हेतु भुगतान किया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां है–

ईट क्रय हेतु भुगतान चेक द्वारा संबंधित भट्ठा मालिक को न कर अखिलेश सिंह को किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है ।

ईंट क्रय का स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया है ।

ईंट का क्रय किस कार्य हेतु किया गया स्पष्ट नहीं रहा ।

निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई ।

अभिलेखों के अनुसार संबंधित क्रय ईंट के उपयोग की पुष्टि नहीं कराई गई है ।

उपरोक्त कारणों से ईंट क्रयकी पुष्टि नहीं होती है । जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी श्री अखिलेश सिंह से अपेक्षित है । **सा0 आ0 संख्या–08**

नाम–क्षेत्र पंचायत पटेहरा कला वर्ष 2010–11 से 2012–13

प्रस्तर–70

राज्य वित्त योजनान्तर्गत पड़रिया कला व पड़रिया खुर्द के बीच रपटा निर्माण की मजदूरी मस्टर रोल के माध्यम से दिनांक 30–08–2010 से 04–09–2010 तक 22 श्रमिकों का 128 मा0 दि0 / रु0 100.00 प्रतिदिन की दर से रु0 12800.00 एवं 04 राजगीरों को 19 मा0दि0 / रु0 150.00 की दर से रु0 2850.00 कुल रु0 15650.00 का भुगतान किया गया है किंतु भुगतान की पुष्टि के प्रमाण में मस्टररोल, श्रमिकों के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं कराए गए जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी । भुगतान अपहरण प्रतीत होता है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार स0वि0अ0 (पं0) उत्तरदायी हैं । ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।**सा0 आ0 संख्या–03**

प्रस्तर–71

ग्रांट रजिस्टर भाग–3 के अनुसार वर्ष 2011–12 में विभिन्न कार्य कराने के संदर्भ में रु0 3250055.00 एवं वर्ष 2012–13 में रु0 6688760.00 कुल रु0 9938815.00 अनुदान की राशि व्यय दर्शाई गई है। किंतु संपन्न कराए गए

कार्यों से संबंधित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई हैं । जिससे संपन्न कराए गए कार्य में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि न की जा सके । उक्त वर्षों में संपन्न कराए गए कार्यों की पत्रावलियां न उपलब्ध होने के कारण धनराशि का अपहरण किया गया है । जिसके लिए श्री तेजभान सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री राजकुमार त्रिपाठी, खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार श्री तेज बली सिंह उत्तरदायी हैं । ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **सा0 आ0 संख्या–04**

नाम–क्षेत्र पंचायत राजगढ़ वर्ष 2004–05 से 2005–06

प्रस्तर–72 31–03–2006 को ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार बैंकों में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज की धनराशि रु0 1831201.90 रहा । नियमानुसार यह राशि राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है । वर्ष 2004–05 में ब्याज की धनराशि रु0 18663.00 शेष पंचायत द्वारा व्यय किया जा चुका है । जो नियमित एवं आपत्तिजनक है । ब्याज की धनराशि तत्काल शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है ।उक्त के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री भोलानाथ कनौजिया व ब्लाक प्रमुख श्री दिनेश सिंह उत्तरदायी हैं । इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

सा0 आ0 संख्या–01

प्रस्तर–73

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2004–05 में रु0 1742539.00 तथा वर्ष 2005–06 में रु0 628418.00 का व्यय किया गया है । लेखा परीक्षा में अधिकांश कार्यों से संबंधित पत्रावलियां उपलब्ध नहीं कराई गई, जो पत्रावलियां उपलब्ध थी उनमें कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति की रिपोर्ट, सत्यापन रिपोर्ट आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहाजो आपत्तिजनक है । उक्त के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री भोलानाथ कनौजिया व ब्लाक प्रमुख श्री दिनेश सिंह उत्तरदायी हैं । ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **सा0 आ0 संख्या–10**

प्रस्तर–74 वर्ष 2004–05 से सांसद निधि के अंतर्गत कुल प्राप्त राशि रु0 370000.00 था । वर्ष में रुपए 375348.00 का व्यय दर्शाया गया है । इस प्रकार रु0 5348.00 से ऋणात्मक अवशेष रहा । जिसे वर्ष 2005–06 में प्राप्त राशि से समायोजित किया गया है । परंतु यह राशि किसे भुगतान की गई अस्पष्ट रहा । भुगतान की पुष्टि अपेक्षित है। उक्त के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री भोलानाथ कनौजिया व ब्लाक प्रमुख श्री दिनेश सिंह उत्तरदायी हैं । इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। **सा0 आ0 संख्या–11**

प्रारूप–3
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष–2016–17

जनपद–सोनभद्र। **मण्डल का नाम–विन्ध्याचल**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ–

क्षेत्र पंचायत– (चोपन)

प्रस्तर संख्या–01

दिनांक 31.03.2017 को विभिन्न मदों की अप्रयुक्त धनराशि ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार निम्नवत् दर्शित हैः–

क्र0सं0	मद का नाम	दिनांक 31.03.2017 को शेष/अप्रयुक्त धनराशि
1.	विधायक निधि	68618.00
2.	राज्य वित्त	5421729.00
3.	प्रशासनिक	806715.00
4.	सोशल ऑडिट	2483.00
5.	पी0ओ0एल0 परीक्षा केन्द्र निरीक्षण	1950.00
	योग–	**6301495.00**

क्र0सं0	आपूर्तिकर्ता का नाम	अनुदान का मद	भुगतान धनराशि	आयकर	वैट
1.	मे0 मंजू इण्टरप्राइजेज	विधायक निधि	640309.00	12806.00	25612.00
2.	मे0 त्रिमूर्ति कन्स्ट्रक्शन	विधायक निधि	136507.00	2730.00	5460.00
3.	रामप्रसाद कन्स्ट्रक्शन	पूर्वांचल निधि	266182.00	5324.00	10647.00
4.	मे0 त्रिमूर्ति कन्स्ट्रक्शन	राज्य वित्त	41389.00	8278.00	16555.00
5.	शिवशक्ति कन्स्ट्रक्शन	राज्य वित्त	1071025.00	21421.00	42841.00
6.	पी0वी0एस0 कन्स्ट्रक्शन	राज्य वित्त	2812066.00	56241.00	112483.00
7.	विनय कन्स्ट्रक्शन	राज्य वित्त	877384.00	17548.00	35095.00
8.	प्रज्ञा कन्स्ट्रक्शन	राज्य वित्त	1128892.00	22578.00	45156.00
9.	एफएस इण्टरप्राइजेज	राज्य वित्त	500734.00	10015.00	20029.00
10.	निर्मला देवी इण्टरप्राइजेज	राज्य वित्त	150626.00	3013.00	6025.00
	योग–		**7997604.00**	**159954.00**	**319903.00**

नियमतः अनुदान की धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करके विकास कार्यो को अवरूद्ध किया गया है तथा श्रमिकों को रोजगार से वंचित किया गया है व राजकीय उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की गई है। अनुदान वर्ष के दौरान

उपयोग न होने की स्थिति में अवशेष धनराशि सम्बन्धित अनुदान को वापस की जानी चाहिए थी इसके विपरीत अनुदान की एक बड़ी धनराशि वर्षान्त में अनियमित रूप से अवशेष रखी गयी है जो शासकीय नियमों के प्रतिकूल रहा। इस अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लाल बरत यादव व लेखाकार श्री रंग बहादुर उत्तरदायी है। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या–02

आलोच्य वर्ष 2016–17 में क्षेत्र पंचायत स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं से सामग्री की पूर्ति की गई किन्तु उनके बिलों से नियमानुसार करों की कटौती नहीं की गई व धनराशि का भुगतान कर दिया गया है, जो अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। **सामान्य आपत्ति सं0–01**

प्रस्तर संख्या–03

निम्न विवरणानुसार आलोच्य वर्ष 2016–17 में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण पर सामग्री क्रय के भुगतान पर वैट व सेस की कटौती आपूर्तिकर्ता से नहीं की गई हैः–

क्र0सं0	नाम आपूर्तिकर्ता	चेक सं0 / दिनांक	कार्यस्थल	धनराशि
1.	त्रिमूर्ति कन्स्ट्रक्शन	912085 / 08.06.2016	आंगनबाड़ी केन्द्र सउवाजि	179752.00
	त्रिमूर्ति कन्स्ट्रक्शन	912086 / 08.06.2016	आंगनबाड़ी केन्द्र दुपरिया	14400.00
	त्रिमूर्ति कन्स्ट्रक्शन	912087 / 08.06.2016	आंगनबाड़ी केन्द्र समइलवा	15300.00
	त्रिमूर्ति कन्स्ट्रक्शन	912088 / 08.06.2016	आंगनबाड़ी केन्द्र सिंगा	180000.00
			योग–	**227452.00**

उक्त पर नियमानुसार वैट व सेस की कटौती आपूर्तिकर्ता के बिलों से नहीं की गई है जिसकी आपूर्तिकर्ता से वैट 9098.00 व आयकर 2275.00 की वसूली कर सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी श्री लाल बरत यादव व लेखाकार श्री रंगबहादुर यादव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति सं0–04**

प्रस्तर संख्या–04 आलोच्य वर्ष में विधायक निधि के अंतर्गत भाउराम देवरस छात्रावास सेवा समर्पण कैंप डाला में बाउंड्री वॉल का निर्माण लागत 4.16 लाख है सामग्री पर रुपए 336774.00 व श्रमांश पर रुपए 125502.00 व्यय किया गया । उक्त परियोजना आधा प्रतिशत बिलो (कम)पर टेंडर स्वीकृत दर्शित है जबकि दिनांक 02.02.2016 को मेसर्स मंजू इंटरप्राइजेज को सामग्री का भुगतान रुपए 53984.00 का आधा प्रतिशत रुपया 270.00 की कटौती नहीं की गई है इसके उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री लाल बरत यादव व लेखाकार रन बहादुर यादव है जिससे रुपया 270.00 की वसूली की जानी चाहिए। **सामान्य आपत्ति संख्या 3**

<u>क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ–</u>

<u>क्षेत्र पंचायत–</u> (घोरावल)

प्रस्तर संख्या 05 क्षेत्र पंचायत घोरावल के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में कतिपय गम्भीर प्रकृति के प्रकरण प्रकाश में आये। जिस हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष मद से आकृष्ट किया जाता है। आपत्तियों का विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

1– क्षेत्र पंचायत घोरावल की लेखा परीक्षा में ब्याज सभी मदों का प्रारम्भिक अवशेष रू0 1487539.00 वर्ष के दौरान आय रू0 569474.00 तथा रू0 150225.00 व्यय के उपरान्त दिनांक–31 मार्च 2017 को रू0 1906788.00 अवशेष दर्शित किया गया है। उक्त धनराशियां क्षेत्र पंचायत को प्राप्त अनुदान की धनराशि को बैंक के बचत खातें में जमा उपरान्त ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ हैं। प्राप्त ब्याज की धनराशि को नियमानुसार राज्य सरकार को उसी वर्ष वापस कर दिया जाना चाहिए था। ब्याज की धनराशि रू0 150225.00 का अनियमित रूप से उपभोग उ0प्र0 वित्त (लेखा) अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–10 / 2015 / ए–1–502 / दस–2015–10(33) / 2010 दिनांक–29 मई 2015 के अनुसार राजकीय कोष में जमा कराया जाय तथा लेखा परीक्षा वर्ष में कुल उपलब्ध ब्याज की धनराशि में से रू0 150225.00 अनियमित उपभोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख / खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। **सामान्य आपत्ति सं0–03**

प्रस्तर संख्या 06 वर्ष 2016 –17 की लेखा परीक्षा में वर्ष के प्रारंभ में रुपया 187417.00 वैट की धनराशि अंकित की गई है वर्ष दौरान रुपया 149658.00 प्राप्त तथा रुपया 216547.00 जमा उपरांत दिनांक 31.03.2017 को रुपया 120528.00 अवशेष रोक कर रखा गया है जो कि गंभीर अनियमितता है कटौती की धनराशि वर्ष दौरान कोषागार में न जमा किया जाना अप्रयुक्त अनियमित है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **सामान्य आपति संख्या 09**

प्रस्तर संख्या 07

वर्ष 2016 –17 की लेखा परीक्षा में वाहन से यू पी 64 / 7275 की लॉग बुक उपलब्ध रही जिसके अनुसार आलोच्य वर्ष में कुल 15727 किलोमीटर की यात्रा की गई दर्शित है वर्ष में 1703.14 लीटर डीजल क्रय किया गया है इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष में डीजल की औसत खपत 9.23 किलोमीटर प्रति लीटर रहा जबकि वाहन की औसत डीजल खपत 10 किलोमीटर प्रति लीटर की दर से 1572.7 लीटर डीजल की खपत होनी चाहिए थी इस प्रकार

130.44 लीटर डीजल का अधिक उपभोग किया गया है जिसकी कुल कीमत रुपया 59.69 की प्रति लीटर की दर से रुपया 7786.00 होती है अधिक क्रय की ब्याज सहित वसूली खंड विकास अधिकारी व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। **सामान्य आपति संख्या 27**

प्रस्तर संख्या–08

वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में रायल्टी मद में कुल काटी गयी धनराशि रू0 6206.00 अंकित किया गया है। वर्ष के प्रारम्भ में रू0 1178.00 अवशेष प्रारम्भिक दर्शित रहा। लेखा परीक्षा वर्ष में रू0 1178.00 राजकीय कोष में जमा किया जाना दर्शाया गया है तथा रू0 6206.00 31 मार्च 2017 को राजकीय कोष में जमा न कर अवशेष दर्शाया गया है। जो कि अनियमित रहा। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप में आकृष्ट किया जाता है। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। **सामान्य आपत्ति सं0–40**

प्रस्तर संख्या–09

निम्नलिखित मदों में लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में कोई भी धनराशि व्यय नहीं किया गया है। जो शासन के नियमों एवं उद्देश्यों के विपरित है। कुछ अनुदान की धनराशियों विगत वर्षो से यथावत चली आ रही है। जिनका न तो उपभोग किया जा रहा है तथा न ही शासन को वापस किया जा रहा है। यह गम्भीर अनियमितता है। अतः जैसी अनुदान की धनराशियों को यथाशीघ्र सम्बन्धित विभाग/अनुदानदाता को वापस कर दिया जाना चाहिए। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	मद का नाम	प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग	दिनांक–30.03.2017 को अवशेष
1.	मनरेगा क्षेत्र (अंश)	114935.00	–	–	114935.00
2.	राष्ट्रीय बायोगैस	63210.00	–	–	63210.00
3.	क्रिटीकल गैस	358479.00	–	–	358479.00
4.	मनरेगा रिवाहिवां फण्ड	1462.00	–	–	1462.00
	योग–	**538086.00**	**–**	**–**	**538086.00**

सामान्य आपत्ति सं0–............

प्रस्तर संख्या–10

शासनादेश 495/(1)/77–5–2006/05 दिनांक–05.10.2006 के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्तीय नियमों एवं बजट मैनुअल तथा शासनादेशों में निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि का उपयोग नियमतः उसी वर्ष में किया जाय। किन्तु वर्ष आलोच्य में अन्तिम अवशेष रू0 16356700.00 रहा। जिसका उपयोग नहीं किया गया इस प्रकार विकास कार्य अवरूद्ध रहा। जो गम्भीर आपत्तिजनक है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। जिनका विवरण निम्न हैः–

क्र0 सं0 संख्या	योजना का नाम	31.03.2017 को रोकी गयी धनराशि
1.	विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि	1732052.00
2.	राज्य वित्त आयोग	11999698.00
3.	तेरहवां वित्त आयोग	399380.00
4.	वी0आर0जी0एफ0	95404.00
5.	सामुदायिक केन्द्र पुरना से प्राप्त किराया	68992.00
6.	मनरेगा प्रशासनिक मद	195127.00
7.	पूर्वांचल विकास निधि	955709.00
8.	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	731689.00
9.	निविदा से प्राप्त	110366.00
10.	सोशल आडिटर मानदेय	26500.00
11.	लेबर शेष	41783.00
	योग–	16356700.00

सामान्य आपत्ति सं0–23

प्रस्तर संख्या–11 आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं हेतु आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री की आपूर्ति करायी गयी, किन्तु उनके बिलों से नियमानुसार आयकर की कटौती न कर सम्पूर्ण बिल की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है, जो अनियमित एवं आपत्तिजनक है। विवरण निम्नवत् रहाः–

क्र0सं0	नाम आपूर्ति	भुगतान की धनराशि	प्राप्त आयकर पर 2 प्रतिशत
1.	मे0 अनिल कुमार सिंह, पुसौली, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र	219469.00 285779.00 505248.00	10105.00

2.	मे0 राज इण्टरप्राइजेज, खुटहा, घोरावल, सोनभद्र	143873.00 216369.00 226834.00 43367.00 42367.00 29894.00 23867.00 941374.00	1827.00
3.	मे0 ए0एस0 कन्स्ट्रक्शन मीरजापुर	365892.00	7318.00
4.	मे0 ज्ञान चन्द, बढ़ौली, सोनभद्र	263032.00	5261.00
	योग–	**20755446.00**	**41511.00**

उक्त विवरण के अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों/फर्मो से शीघ्र वसूली की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली कर सम्बन्धित खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति सं0–29**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17

जनपद आगरा **मंण्डल आगरा**

1.ग्राम पंचायत का नाम– डेरक विकास खण्ड वाह **जनपद आगरा**

नाम प्रधान– श्री धर्मेन्द्र सिह **नाम सचिव श्री अनिल आर्या**

प्रस्तर–1– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1548619.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्षित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की आधी–आधी ब्याज सहित बसूली की जानी अपेक्षित है। **(आप0 संख्या 09)**

2.ग्राम पंचायत का नाम– डेरक विकास खण्ड वाह

नाम प्रधान– श्री सूरज/श्री धर्मेन्द्र सिह **नाम सचिव अनिल आर्या**

प्रस्तर–2 लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में दर्शित व्यय रू0 899739.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की आधी–आधी ब्याज सहित बसूली की जानी अपेक्षित है। **(आप0 संख्या 09)**

3.ग्राम पंचायत का नाम– वटेश्वर विकास खण्ड वाह **जनपद आगरा**

नाम प्रधान– श्री लक्ष्मी नारायन **नाम सचिव श्री उदय**

प्रस्तर–3– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 6532124.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की आधी–आधी ब्याज सहित बसूली की जानी अपेक्षित है। **(आप0 संख्या 16)**

4.ग्राम पंचायत का नाम– पार्वतीपुरा विकास खण्ड वाह **जनपद आगरा**

नाम प्रधान– श्री जगन्नाथ/श्रीमती गुडड़ी देवी नाम सचिव श्री विघासागर गुप्ता/ श्री उदय

प्रस्तर–4– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.04.2015 को प्रधान श्री जगन्नाथ पर नकद रोकड रू0 287573.00 बकाया दर्शित था जिसकी बसूली दिनाक 31.03.2017 तक नही की गई जो अपहरण की श्रेणी आता है जिसकी ब्याज सहित बसूली प्रधान श्री जगन्नाथ से की जानी अपेक्षित है। **(आप0 संख्या 15)**

प्रस्तर–5 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1505536.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली प्रधान श्रीमती गुडड़ी देवी एवं सचिव श्री विघासागर गुप्ता एवं सचिव श्री उदय से की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 09)**

5.ग्राम पंचायत का नाम– क्वारी विकास खण्ड वाह **जनपद आगरा**

नाम प्रधान– श्री वालबीर/श्री बैजनाथ सिह **नाम सचिव श्री शिवेन्द्र तोमर**

प्रस्तर–6– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दिनांक 31.03.2016 को दर्शित अन्तिम रोकड शेष रू0 39120.00 को दिनांक 01.04.2016 को शून्य दर्शाकर रू0 39120.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली प्रधान श्री बैजनाथ सिह एवं सचिव श्री शिवेन्द्र तोमर से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 संख्या 02)**

प्रस्तर–7 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 मे दिनांक 31.03.2016 को ग्रामनिधि खाते में प्रियासाफ्ट पर दर्शित आकडों के अनुसार रू0 350791.00 शेष था दिनांक 01.04.2016 को प्रारम्भ नवीन कैष बुक में ग्राम निधि खाते का शेष रू0

257287.00 दर्शाकर रू0 93504.00 को अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली प्रधान श्री बैजनाथ सिह एवं सचिव श्री शिवेन्द्र तोमर से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 संख्या 13)**

6.ग्राम पंचायत का नाम– तौर विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री मिठठू नाम सचिव श्री रमेश चन्द्र शर्मा/श्री विक्रम सिह

प्रस्तर–8– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में बैक खाते से दिनांक 2.06.2016 को चैक संख्या 44260 द्वारा रू0 8500.00 आहरित कर प्रविष्टि कैश बुक में न कर धनराशि का अपहरण किया गया है अपहरित धनराशि रू0 8500.00 की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री मिठठू एवं सचिव श्री रमेश चन्द्र शर्मा से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

(आप0 संख्या 12)

7.ग्राम पंचायत का नाम– लुहेटा विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री रामबाबू नाम सचिव श्री मनोज शाह

प्रस्तर–9– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1646410.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री रामबाबू एवं सचिव श्री मनोज शाह से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 1048945.00
मजदूरी –	रू0 389560.00
हैण्डपम्प–	रू0 84800.00
स्ट्रीट लाइट	रू0 81250.00
कैमरा	रू0 14950.00
सफाई	रू0 15000.00
स्टेशनरी	रू0 11905.00
योग–	**रू0 1646410.00**

(आप0 सं0 12)

प्रस्तर–10 वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 23509.00 का भुगतान सहायक विकास अधिकारी पंचायत को प्रशासनिक व्यय हेतु किया गया है जिसका कोई बाउचर्स/आदेश/शासनादेश उपलब्ध न कराये जाने के कारण रू0 23509.00 की ब्याज सहित बसूली आधी–आधी ग्राम प्रधान श्री रामबाबू एवं सचिव श्री मनोज षाह से की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 15)**

8.ग्राम पंचायत का नाम– करोधना विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री गया प्रसाद नाम सचिव श्री रमेश चन्द्र शर्मा/श्री मनोज कुमार शाह

प्रस्तर–11– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1644438.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्षित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद एवं सचिव श्री रमेश चन्द्र शर्मा से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 1192464.00
मजदूरी –	रू0 210558.00
हैण्डपम्प–	रू0 127516.00
मिटटी भराव	रू0 106400.00
फर्नीचर्स	रू0 7500.00
योग–	**रू0 1644438.00**

(आप0 सं0 12)

प्रस्तर–12– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 680460.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद एवं सचिव श्री मनोज कुमार शाह से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 453270.00
मजदूरी –	रू0 223000.00
सोलर लालटेन	रू0 4190.00
योग–	**रू0 680460.00**

(आप0 सं0 13)

प्रस्तर–13– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में सीसी रोड निर्माण में निर्माण हेतु पानी की व्यवस्था में रू0 13900.00 व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जबकी वित्तीय वर्ष में 03 समरसेवल लगाये जाने व हैण्डपम्प मरम्मत में रू0 127516.00 व्यय किय गया था अतः 13900 पानी पर व्यय किये जाने का औचित्य प्रतीत नही होता व्यय की गई

धनराशि रू0 13900.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री गया प्रसाद व सचिव श्री रमेश चन्द्र शर्मा से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 17)**

09.ग्राम पंचायत का नाम– थापखरगा विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री कप्तान सिह नाम सचिव श्री शिवशंकर रावत

प्रस्तर–14– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में पंचायत कर पी0एल0ए0 खाते में रू0 1000.00 जमा कराया गया है जो बसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है अतः रू0 10000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर आपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री कप्तान सिह एवं सचिव श्री शिवशंकर रावत से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0सं0 09)**

प्रस्तर–15– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1216875.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री कप्तान सिंह एवं सचिव श्री शिवशंकर रावत से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 1095084.00
मजदूरी –	रू0 92100.00
हैण्डपम्प–	रू0 18000.00
सोलर लाइट	रू0 2095.00
कैमरा	रू0 8500.00
स्टेशनरी	रू0 1096.00
योग–	**रू0 1216875.00**

(आप0 सं0 13)

10.ग्राम पंचायत का नाम– बरोबरा कला विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री ओमकार सिह नाम सचिव श्री शिवशंकर रावत

प्रस्तर–16– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में पंचायत कर पी0एल0ए0 खाते में रू0 2000.00 जमा कराया गया है जो बसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है अतः रू0 20000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री ओमकार सिह एवं सचिव श्री शिवशंकर रावत से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0सं0 09)**

प्रस्तर–17– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्षित व्यय रू0 1568710.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्षित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री ओमकार सिंह एवं सचिव श्री शिवशंकर रावत से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 1132575.00
मजदूरी –	रू0 –––
हैण्डपम्प–	रू0 89350.00
सफाई–	रू0 60000.00
स्ट्रीट लाइट	रू0 269285.00
कैमरा	रू0 9500.00
स्टेशनरी	रू0 8000.00
योग–	**रू0 1568710.00**

(आप0 सं0 13)

11.ग्राम पंचायत का नाम– बागुरी विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री फोरन सिंह नाम सचिव श्री शिवशंकर रावत

प्रस्तर–18– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 630481.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्षित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री फोरन सिंह एवं सचिव श्री शिवशंकर रावत से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 451748.00
मजदूरी –	रू0 90900.00
हैण्डपम्प–	रू0 38600.00
स्टीट लाइट	रू0 36000.00
स्टेशनरी	रू0 5000.00
सफाई	रू0 8233.00
योग–	**रू0 630481.00**

(आप0 सं0 12)

12.ग्राम पंचायत का नाम– डबरई विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्री सोवरन सिह नाम सचिव श्री शिवशंकर रावत

प्रस्तर–19– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में पंचायत कर पी0एल0ए0 खाते में रू0 1000.00 जमा कराया गया है जो बसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है अतः रू0 10000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री सोवरन सिह एवं सचिव श्री शिवशंकर रावत से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0सं0 13)**

प्रस्तर–20– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्षित व्यय रू0 1226100.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री सोवरन सिंह एवं सचिव श्री शिवशंकर रावत से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 935324.00
मजदूरी –	रू0 153540.00
हैण्डपम्प–	रू0 53836.00
स्टीट लाइट	रू0 64000.00
फर्नीचर्स	रू0 19400.00
योग–	**रू0 1226100**

(आप0 सं0 09)

13.ग्राम पंचायत का नाम– शेखूपुर विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्री नत्थी नाम सचिव श्री शिवशंकर रावत

प्रस्तर–21– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 2534206.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री नत्थी एवं सचिव श्री शिवशंकर रावत से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 1979616.00
मजदूरी –	रू0 244200.00
हैण्डपम्प–	रू0 37000.00
स्ट्रीट लाइट	रू0 254890.00
कैमरा	रू0 9500.00
मिट्टी भराव	रू0 9000.00
योग–	**रू0 2534206.00**

(आप0 सं0 12)

14.ग्राम पंचायत का नाम– इसौली विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्री नरेश कुमार वर्मा नाम सचिव श्री शिवशंकर रावत

प्रस्तर–22– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1082700.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार वर्मा एवं सचिव श्री शिवशंकर रावत से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 686749.00
मजदूरी –	रू0 182438.00
हैण्डपम्प–	रू0 80863.00
सोलर लाइट	रू0 122300.00
कैमरा	रू0 9500.00
स्टेशनरी	रू0 850.00
योग–	**रू0 1082700.00**

(आप0 सं0 12)

15.ग्राम पंचायत का नाम– बकालपुर विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्री प्रवेन्द्र प्रताप सिहं नाम सचिव श्री शिवशंकर रावत

प्रस्तर–23–लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्षित व्यय रू0 1968503.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये। अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री प्रवेन्द्र प्रताप सिह एवं सचिव श्री शिवशंकर रावत से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न है–
भवन निर्माण सामग्री– रू0 1653838.00
मजदूरी – रू0 223650.00
हैण्डपम्प– रू0 20000.00
स्टीट लाइट रू0 20000.00
कैमरा रू0 9500.00
स्टेशनरी रू0 32515.00
ओडिएफ रू0 9000.00

योग– रू0 1968503.00 (आप0 सं0 12)

16.ग्राम पंचायत का नाम– सिकतरा विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्रीमती शीला नाम सचिव श्री शिवशंकर रावत

प्रस्तर–24– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में पंचायत कर पी0एल0ए0 खाते में रू0 2000.00 जमा कराया गया है जो बसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिषत होता है अतः रू0 20000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला एवं सचिव श्री शिवशंकर रावत से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। (आप0सं0 12)

प्रस्तर–25– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 6784478.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला एवं सचिव श्री शिवशंकर रावत से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न है–
भवन निर्माण सामग्री– रू0 4951186.00
मजदूरी – रू0 984400.00
हैण्डपम्प– रू0 236200.00
स्टीट लाइट रू0 503700.00
कैमरा रू0 9500.00
मिटटी भराव रू0 84410.00
स्टेशनरी रू0 15082.00

योग– रू0 6784478.00 (आप0 सं0 13)

17.ग्राम पंचायत का नाम– सिंगेचा विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री निरजंन सिंह नाम सचिव श्री विनोद कुमार

प्रस्तर–26– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्षित व्यय रू0 805496.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री निरंजन सिह एवं सचिव श्री विनोद कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है

विवरण निम्न है–
भवन निर्माण सामग्री– रू0 461836.00
मजदूरी – रू0 46038.00
हैण्डपम्प– रू0 65930.00
स्टीट लाइट रू0 ––––
कैमरा रू0 8000.00
मिटटी भराव रू0 –––
स्टेशनरी रू0 9500.00
सोलर लालटेन रू0 4190.00
पंचायत घर रू0 210002.00

योग– रू0 805496.00 (आप0 सं0 13)

प्रस्तर–27– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में पंचायत कर पी0एल0ए0 खाते में रू0 1000.00 जमा कराया गया है जो बसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है अतः रू0 10000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर आपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री निरंजन सिह एवं सचिव श्री विनोद कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0सं0 09)**

18.ग्राम पंचायत का नाम– ऊसराघडी विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्रीमती सुनीता देवी नाम सचिव श्री विनोद कुमार

प्रस्तर–28– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1020743.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं सचिव श्री विनोद कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 771698.00
मजदूरी –	रू0 159050.00
हैण्डपम्प–	रू0 75000.00
स्टीट लाइट	रू0 ————
कैमरा	रू0 12900.00
मिटटी भराव	रू0 ———
स्टेशनरी	रू0 ———
शोलर लालटेन	रू0 2095.00
योग–	**रू0 1020743.00**

(आप0 सं0 13)

प्रस्तर–29– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में पंचायत कर पी0एल0ए0 खातें में रू0 2000.00 जमा कराया गया है जो बसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है अतः रू0 20000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं सचिव श्री विनोद कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है **(आप0सं0 09)**

19.ग्राम पंचायत का नाम– टूलाशाहपुर विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री वासुदेव नाम सचिव श्री बाबूलाल गर्ग

प्रस्तर–30– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्षित व्यय रू0 997718.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री वासुदेव एवं सचिव श्री बाबूलाल गर्ग से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 578004.00
मजदूरी –	रू0 141814.00
हैण्डपम्प–	रू0 89100.00
स्टीट लाइट	रू0 171300.00
कैमरा	रू0 5000.00
मिटटी भराव	रू0 ———
स्टेशनरी	रू0 5500.00
तालाब भराव	रू0 7000.00
योग–	**रू0 997718.00**

(आप0 सं0 12)

20.ग्राम पंचायत का नाम– इनायतपुर विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्रीमती मालती देवी नाम सचिव श्री मनोज शाह

प्रस्तर–31– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 656472.00.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी एवं सचिव श्री मनोज शाह से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 541460.00
मजदूरी –	रू0 67822.00
कैमरा	रू0 10000.00
मिटटी भराव	रू0 22500.00
स्टेशनरी	रू0 10500.00
सोलर लाइट	रू0 4190.00
योग–	**रू0 656472.00**

(आप0 सं0 12)

21.ग्राम पंचायत का नाम– शंकरद्वारी विकास खण्ड शमशा जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्रीमती गुडडी नाम सचिव श्री केशव सिहं

प्रस्तर–32–लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 2746008.00.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुडडी एवं सचिव श्री केशव सिंह से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री– रू0 2107190.00
मजदूरी – रू0 419948.00
हैण्डपम्प– रू0 110290.00
स्टीट लाइट रू0 ––––
मिटटी भराव रू0 100200.00
सोलर लाइट रू0 8380.00

योग– रू0 2746008.00 **(आप0 सं0 12)**

22.ग्राम पंचायत का नाम– गुबरारी विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री महेश नाम सचिव श्री विनोद कुमार

प्रस्तर–33– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1383464.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री महेश एवं सचिव श्री विनोद कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री– रू0 1035642.00
मजदूरी – रू0 199235.00
हैण्डपम्प– रू0 63600.00
स्टीट लाइट रू0 ––––
मिटटी भराव रू0 51297.00
सोलर लाइट रू0 4190.00
केमरा रू0 12900.00
स्टेशनरी रू0 16600.00

योग– रू0 1383464.00 **(आप0 सं0 12)**

23.ग्राम पंचायत का नाम– गौहरपुर विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री देवकी नन्दन नाम सचिव श्री विनोद कुमार

प्रस्तर–34– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 481486.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री देवकी नन्दन एवं सचिव श्री विनोद कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री– रू0 288510.00
मजदूरी – रू0 18476.00
स्टेशनरी रू0 5000.00
तालाब निर्माण रू0 169500.00

योग– रू0 481486.00 **(आप0 सं0 13)**

24.ग्राम पंचायत का नाम– लहरा विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री नथ्थीलाल नाम सचिव श्री विनोद कुमार

प्रस्तर–35– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1757841.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री नथ्थीलाल एवं सचिव श्री विनोद कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री– रू0 1210820.00
मजदूरी – रू0 361808.00
हैण्डपम्प– रू0 114618.00
स्टीट लाइट रू0 ––––
मिटटी भराव रू0 57000.00
सोलर लाइट रू0 2095.00
केमरा रू0 11500.00

योग– रू0 1757841.00 **(आप0 सं0 13)**

प्रस्तर–36– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में पंचायत कर पी0एल0ए0 खात में रू0 1000.00 जमा कराया गया है जो बसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है अतः रू0 10000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर आपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं सचिव श्री विनोद कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित हैं **(आप0सं0 12)**

25.ग्राम पंचायत का नाम– हिरनेरनबादा खेडा विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री जितेन्द्र सिंह यादव नाम सचिव श्री विनोद कुमार

प्रस्तर–37– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 4753535.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार यादव एवं सचिव श्री विनोद कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 3768194.00
मजदूरी –	रू0 769583.00
हैण्डपम्प–	रू0 122360.00
स्टीट लाइट	रू0 ----
मिटटी भराव	रू0 80498.00
केमरा	रू0 12900.00

योग– रू0 4753535.00 **(आप0 सं0 13)**

प्रस्तर–38– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में पंचायत कर पी0एल0ए0 खाते में रू0 2000.00 जमा कराया गया है जो बसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है अतः रू0 20000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर आपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं सचिव श्री विनोद कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0सं0 09)**

26.ग्राम पंचायत का नाम– लखुरानी विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री श्रीपत सिंह नाम सचिव श्री विनोद कुमार

प्रस्तर–39–लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1343936.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री श्रीपत सिह एवं सचिव श्री विनोद कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है–

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 955042.00
मजदूरी –	रू0 258374.00
हैण्डपम्प–	रू0 91810.00
स्टीट लाइट	रू0 ----
मिटटी भराव	रू0 13120.00
सोलर लाइट	रू0 4190.00
केमरा	रू0 11900.00
स्टेशनरी	रू0 9500.00

योग– रू0 1343936.00 **(आप0 सं0 13)**

प्रस्तर–40– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में पंचायत कर पी0एल0ए0 खाते में रू0 1000.00 जमा कराया गया है जो बसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है अतः रू0 10000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर आपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं सचिव श्री विनोद कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0सं0 12)**

27.ग्राम पंचायत का नाम– कठवारी विकास खण्ड अछनेरा जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री मोहित कुमार नाम सचिव श्री अजयपाल सिहं

प्रस्तर–41– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1414664.93 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री मोहित कुमार एवं सचिव श्री अजयपाल सिह से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 1169942.00
खरंजा नाली मजदूरी	रू0 181525.00
हैण्डपम्प–	रू0 18000.00
अन्य/प्र0 व्यय	रू0 45197.93

योग– रू0 1414664.93 **(आप0 सं0 16)**

28.ग्राम पंचायत का नाम– पनवारी विकास खण्ड अछनेरा जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्री उम्मेद सिह नाम सचिव श्री पंकज कुमार

प्रस्तर–42– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1575307.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री उम्मेद सिह एवं सचिव श्री पंकज कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 1219032.00
मजदूरी	रू0 127400.00
हैण्डपम्प–	रू0 58680.00
स्टीट लाईट व सफाई	रू0 116250.00
प्रसानिक मद	रू0 53945.00
योग–	**रू0 1575307.00**

(आप0 सं0 16)

29.ग्राम पंचायत का नाम– छः पोखर विकास खण्ड अछनेरा जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्री सुन्दर सिह नाम सचिव श्री रामनिवास/ श्री दिनेश चन्द्र वर्मा

प्रस्तर–43– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1876884.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री सुन्दर सिह एवं सचिव श्री रामनिवास/ श्री दिनेश चन्द्र वर्मा से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 1533418.00
शौचालय निर्माण	रू0 48301.00
खंरजा नाली मजदूरी	रू0 172350.00
हैण्डपम्प–	रू0 51100.00
अन्य प्रसानिक व्यय	रू0 51725.00
सफाई	रू0 19990.00
योग–	**रू0 1876884.00**

(आप0 सं0 16)

30.ग्राम पंचायत का नाम– धनौली विकास खण्ड अछनेरा जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती लक्ष्मी देवी नाम सचिव श्री रामबीर सिह

प्रस्तर–44– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1618545.93 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं सचिव श्री रामबीर सिह से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 1117536.00
शौचालय निर्माण	रू0 15339.00
खंरजा नाली मजदूरी	रू0 314010.00
हैण्डपम्प–	रू0 105857.00
अन्य प्रसानिक व्यय	रू0 53078.93
स्टेशनरी व्यय	रू0 12725.00
योग–	**रू0 1618545.93**

(आप0 सं0 16)

31.ग्राम पंचायत का नाम– अटूस विकास खण्ड अछनेरा जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती सुनीता देवी नाम सचिव श्री विजय कुमार

प्रस्तर–45– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 781491.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं सचिव श्री विजय कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 562931.00
खंरजा नाली मजदूरी	रू0 110862.00
हैण्डपम्प–	रू0 24598.00
अन्य प्रसानिक व्यय	रू0 40100.00
स्टेशनरी व्यय	रू0 4500.00
सफाई	रू0 38500.00
योग–	**रू0 781491.00**

(आप0 सं0 16)

32.ग्राम पंचायत का नाम– बसैया राजपुत विकास खण्ड अछनेरा जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्री जनक सिह तोमर नाम सचिव श्री तेज सिह इंदौलिया

प्रस्तर–46– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 672837.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री जनक सिह तोमर एवं सचिव श्री तेज सिंह इंदौलिया से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 293617.00
खरंजा नाली मजदूरी	रू0 118260.00
हैण्डपम्प–	रू0 51000.00
अन्य प्रसानिक व्यय	रू0 63200.00
मिटटी भराव	रू0 143260.00
नगद शेष	रू0 3500.00
योग–	**रू0 672837.00**

(आप0 सं0 16)

33.ग्राम पंचायत का नाम– फतेहपुरा विकास खण्ड अछनेरा जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती मुन्नी देवी नाम सचिव श्री तेज सिह इंदौलिया/श्री दिनेश चन्द

प्रस्तर–47– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 972977.93 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी से रू0 486488.93 एवं सचिव श्री तेज सिह इंदौलिया से रू0 125234.50 एवं श्री दिनेश चन्द्र से रू0 361254.50 की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 649939.00
ग्रा0 नि0 वसैया	रू0 156636.00
खरंजा नाली मजदूरी	रू0 60570.00
हैण्डपम्प–	रू0 50325.00
स्टेशनरी व्यय	रू0 12200.00
अन्य प्रा0 व्यय	रू0 33307.93
सफाई स्टीट	रू0 10000.00
योग–	**रू0 972977.93**

(आप0 सं0 16)

34.ग्राम पंचायत का नाम– सरैण्डा विकास खण्ड खेरागढ जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती देवी नाम सचिव श्री प्रकाश लवानिया

प्रस्तर–48– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 5567110.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं सचिव श्री प्रकाश लवानिया से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 4862850.00
मजदूरी	रू0 540430.00
हैण्डपम्प–	रू0 136830.00
सफाई	रू0 27000.00
योग–	**रू0 5567110.00**

(आप0 सं0 12)

35.ग्राम पंचायत का नाम– औरगपुर विकास खण्ड खेरागढ जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती राजेश देवी नाम सचिव श्री चन्द्र शेखर शर्मा

प्रस्तर–49– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1023473.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश देवी एवं सचिव श्री चन्द्र शेखर शर्मा से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 760980.00
मजदूरी	रू0 233620.00
हैण्डपम्प–	रू0 8240.00
स्टेशनरी	रू0 11133.00
कैमरा	रू0 9500.00
योग–	**रू0 1023473.00**

(आप0 सं0 12)

36.ग्राम पंचायत का नाम– लखनपुर कलॉ विकास खण्ड खेरागढ जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्री नन्है खॉ नाम सचिव श्री अरूण यादव

प्रस्तर–50– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1341153.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री नन्है खाँ एवं सचिव श्री अरूण यादव से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 950900.00
मजदूरी	रू0 149700.00
हैण्डपम्प–	रू0 118053.00
मिटटी भराव	रू0 85000.00
सफाई	रू0 25000.00
स्टेशनरी व्यय	रू0 12500.00
योग–	**रू0 1341153.00**

(आप0 सं0 11)

37.ग्राम पंचायत का नाम– ऊॅटगिरि विकास खण्ड खेरागढ जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती मुन्नी देवी नाम सचिव श्री अरूण यादव

प्रस्तर–51– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 2675613.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं सचिव श्री अरूण यादव से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 1740224.00
मजदूरी	रू0 129600.00
हैण्डपम्प–	रू0 349730.00
मिटटी भराव	रू0 5000.00
स्टीट लाई	रू0 378285.00
तालाव भराई	रू0 15500.00
कैमरा	रू0 10000.00
सफाई	रू0 38220.00
स्टेशनरी	रू0 9054.00
योग–	**रू0 2675613.00**

(आप0 सं0 12)

38.ग्राम पंचायत का नाम– विश्रामपुर विकास खण्ड खेरागढ जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती गंगा देवी नाम सचिव श्री जयकिशन

प्रस्तर–52– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 929014.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी एवं सचिव श्री जयकिशन से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 775500.00
मजदूरी	रू0 67860.00
हैण्डपम्प–	रू0 6480.00
पंचायत घर पर व्यय	रू0 24300.00
तालाव भराई	रू0 17130.00
कैमरा	रू0 16120.00
स्टेशनरी	रू0 21624.00
योग–	**रू0 929014.00**

(आप0 सं0 13)

प्रस्तर–53 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में पंचायत कर पी0एल0ए0 खाते में रू0 2000.00 जमा कराया गया है जो बसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है अतः रू0 20000.00 की धनराशि कैश बुक में अंकित न कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी एवं श्री जयकिशन सचिव से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 09)**

39.ग्राम पंचायत का नाम– घुसियाना विकास खण्ड खेरागढ जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्री शीतल प्रसाद सचिव श्री जयन्ती प्रसाद, श्री उमाशंकर एवं श्री ब्रजमोहन लवानिया

प्रस्तर–54– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 88119.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में

उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री शीतल प्रसाद नाम सचिव श्री जयन्ती प्रसाद, से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

मजदूरी रू0 2898.00

हैण्डपम्प मरम्मत सामिग्री रू0 42207.00

हैण्डपम्प म0 सा0 रू0 30921.00

मजदूरी रू0 2093.00

प्रियासॉफ्ट फीडिग रू0 5500.00

स्टेशनरी रू0 4500.00

योग– रू0 88119.00 **(आप0 सं0 11)**

प्रस्तर–55– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 73233.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री शीतल प्रसाद नाम सचिव श्री उमाशंकर, से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

शौचालय नि0 सामिग्री रू0 14359.00

शौचालय नि0 सामिग्री रू0 775.00

दरबाजा रू0 2999.00

निर्माण सामिग्री रू0 43400.00

शौचालय निर्माण सामि0 रू0 4500.00

मजदूरी रू0 7200.00

योग– रू0 73233.00 **(आप0 सं0 13)**

प्रस्तर–56– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1330955.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री शीतल प्रसाद नाम सचिव श्री ब्रजमोहन लवानिया से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

विज्ञापन रू0 5000.00

हैण्ड पम्प म0 सा0 रू0 15955.00

निर्माण सामिग्री रू0 400000.00

निर्माण सामिग्री रू0 800000.00

विवरणहीन रू0 10000.00

मजदूरी रू0 100000.00

योग– रू0 1330955.00 **(आप0 सं0 12)**

40.ग्राम पंचायत का नाम– भिलावली विकास खण्ड खेरागढ जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्रीमती राजवती देवी नाम सचिव श्री अरूण यादव

प्रस्तर–57– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1216237.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री शीतल प्रसाद नाम सचिव श्री अरूण यादव से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामि0 रू0 1011742.00

सफाई रू0 30000.00

हैण्डपम्प रू0 53400.00

स्टीट लाई रू0 98095.00

तालाव में पानी भराई रू0 23000.00

योग– रू0 1216237.00 **(आप0 सं0 11)**

प्रस्तर–58– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में माह जुलाई खाता सं0 0354101044490 में रू0 5000.00 आहरण कर कैशबुक में दर्ज न कर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजवती देवी एवं श्री अरूण यादव सचिव से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है **(आप0 सं0 14)**

प्रस्तर–59– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में चैक संख्या 608951 व 608952 से रू0 88000.00 608959 से रू0 191000. 00, 608957 व 608955 से रू0 33600.00, 608956 व 608958 से रू0 16800.00, 608973 व 608972 से रू0 39580. 00, 608971 से रू0 265300.00 247956 व 247957 से रू0 109500.00 (राखी चाहर) 967193 से रू0 85000.00 967194 से रू0 81000.00 व 967210, 67208, 07, 09 से रू0 100000.00 विभिन्न व्यक्तियों को अकारण ही भुगतान कर दिया गया है प्रयोजन का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया अतः रू0 1009780.00 की बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजवती देवी एवं श्री अरूण यादव सचिव से आधी–आधी ब्याज सहित बसूली की जानी अपेक्षित है।

(आप0 सं0 15)

प्रस्तर–60– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में माह जुलाई 2016 में कैशबुक के व्यय पक्ष का योग रू0 256400.00 एवं नगद शेष रू0 5102.00 दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार व्यय पक्ष का योग रू0 268652.00 व नगद रू0 22850.00 पाया गया इस प्रकार माशान्त में नगद शेष रू0 17748.00 कम दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजवती देवी एवं श्री अरूण यादव सचिव से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 18)**

प्रस्तर–61– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में माह मार्च 2017 आय पक्ष का योग रू0 1132434.00 दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार रू0 1132572.00 होता है इस प्रकार आय पक्ष का योग रू0 138.00 से कम दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजवती देवी एवं श्री अरूण यादव सचिव से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 19)**

41.ग्राम पंचायत का नाम– खानपुर विकास खण्ड खेरागढ जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्रीमती राजकुमारी नाम सचिव श्री अरूण यादव

प्रस्तर–62– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1305132.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं सचिव श्री अरूण यादव से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामि0	रू0 1242051.00
मजदूरी	रू0 8100.00
हैण्डपम्प	रू0 54981.00
योग–	**रू0 1305132.00**

(आप0 सं0 08)

प्रस्तर–63 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में पंचायत कर पी0एल0ए0 खाते में रू0 1000.00 जमा कराया गया है जो बसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है अतः रू0 10000.00 की धनराशि कैश बुक में अंकित न कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं श्री अरूण यादव सचिव से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 11)**

प्रस्तर–64 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में माह जुलाई में खाता सं0 0354101044488 से दिनांक 11.01.2017 को चैक सं0 279216 से रू0 5000.00 एवं 12.01.2017 को चैक सं0 779214 से रू0 10000.00 का आहरण कर कैश बुक में दर्ज न करके धन का अपहरण किया गया है अतः रू0 15000.00 की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं श्री अरूण यादव सचिव से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 15)**

प्रस्तर–65 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दिनांक 04.08.2016 को चैक सं0 65670 व 65667 से रू0 38095.00 श्री खमान सिह को, दिनांक 29.08.2016 को चैक सं065675 से रू0 19412.00 श्री दिनेश चन्द्र को दिनांक 30.09.2016 को चैक सं0 65677 सं रू0 2500.00 श्रीमती ममता देवी को, दिनांक 04.01.2017 को चैंक सं0 779212 से रू0 20000.00 श्री राजप्रकाश को एवं दिनांक 16.02.2017 को चैक सं0 779217 से रू0 56700.00 श्री सुरेन्द्र सिह को भुगतान किया गया है जिसके प्रयोजन का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है अतः रू0 136707.00 की बसली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं श्री अरूण यादव सचिव से आधी–आधी ब्याज सहित बसूली की जानी अपेक्षित है।

(आप0 सं0 18)

प्रस्तर–66 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में बिना पुष्टि किये दिनांक 01.02.2017 को चैक सं0 779220 से रू0 15000.00 व दिनांक 02.02.2017 को चैक सं0 779221 से रू0 30000.100 पूर्व प्रधान को मानदेय भुगतान फर्जी दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है अतः रू0 45000.00 की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं श्री अरूण यादव सचिव से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 19)**

42.ग्राम पंचायत का नाम– पहाडीकला विकास खण्ड खेरागढ जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री बन्टू नाम सचिव श्री चन्द्र शेखर शर्मा

प्रस्तर–67– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1585528.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री बन्टू एवं सचिव श्री चन्द्रशेखर शर्मा से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामि0	रू0 1253202.00
मजदूरी	रू0 130360.00

हैण्डपम्प रू0 103543.00
स्टेशनरी रू0 8023.00
स्टीट लाइट रू0 90400.00

योग— रू0 1585528.00 (आपत्ति संख्या 12)

43.ग्राम पंचायत का नाम— बेहडी विकास खण्ड फतेहाबाद जनपद आगरा
नाम प्रधान— श्रीमती सुशीला देवी नाम सचिव श्री मनोज लोधी

प्रस्तर—68— लेखा परीक्षा वर्ष 2016—17 में दर्शित व्यय रू0 425372.00.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं सचिव श्री मनोज लोधी से आधी—आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है—

भवन निर्माण सामि0 रू0 299652.00
खडजा /नाली मजदूरी रू0 27176.00
हैण्डपम्प रू0 49950.00
अन्य /प्रशासनिक व्यय रू0 46499.00
स्टीट लाइट रू0 2095.00

योग— रू0 425372.00 (आपत्ति संख्या 18)

44.ग्राम पंचायत का नाम— सांकुरीकलां विकास खण्ड फतेहाबाद जनपद आगरा
नाम प्रधान— श्री रामवीर नाम सचिव श्री धर्मवीर

प्रस्तर—69— लेखा परीक्षा वर्ष 2016—17 में दर्शित व्यय रू0 954649.93 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री रामवीर एवं सचिव श्री धर्मवीर से आधी—आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है—

भवन निर्माण सामि0 रू0 470405.00
खडजा /नाली मजदूरी रू0 189064.00
हैण्डपम्प रू0 72200.00
अन्य /प्रशासनिक व्यय रू0 53950.93
ग्राम पंचायत सांकुरी खुर्द को टांसफर रू0 136030.00
मानदेय रू0 33000.00

योग— रू0 954649.93 (आपत्ति संख्या 18)

45.ग्राम पंचायत का नाम— नगरिया विकास खण्ड फतेहाबाद जनपद आगरा
नाम प्रधान— श्री जगन सिंह नाम सचिव श्री नीरज शर्मा

प्रस्तर—70— लेखा परीक्षा वर्ष 2016—17 में दर्शित व्यय रू0 1502068.93 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं सचिव श्री मनोज लोधी से आधी—आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है—

भवन निर्माण सामि0 रू0 1142675.00
खडजा /नाली मजदूरी रू0 190065.00
हैण्डपम्प रू0 64800.00
अन्य /प्रशासनिक व्यय रू0 58433.93
स्टीट लाइट रू0 2095.00
मानदेय रू0 33000.00
सफाई कार्य रू0 11000.00

योग— रू0 1502068.93 (आपत्ति संख्या 18)

46.ग्राम पंचायत का नाम— सलेमपुर मुडिया विकास खण्ड फतेहाबाद जनपद आगरा
नाम प्रधान— श्री मुकेश नाम सचिव श्री राम बिलास

प्रस्तर—71— लेखा परीक्षा वर्ष 2016—17 में बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 10.06.16 को श्री मुकेश ग्राम प्रधान द्वारा चेक संख्या 507517 से गग्रम निधि खाते से रू0 12500.00 आहरित किये गये है। जिसे कैशबुक मे कही भी दर्शित नही किया गया है और न ही इस धनराशि का व्यय किया गया है इस प्रकार ग्राम प्रधान श्री मुकेश द्वारा धनराशि का

अपहरण किया गया है अतः रू0 12500 की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री मुकेश से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 20)

प्रस्तर–72– वर्ष 2016–17 मे ग्राम पंचायत द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान पर रू0 32106.00 ब्याज प्राप्त हुआ है जिसे शासनादेश संख्या 10/2015/ए–1–502(एक)/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के द्वारा राज्य सरकार की आय मानी गयी है। अतः धनराशि रू0 32106.00 को शासनादेश के अनुसार राजकीय कोषागार मे जमा किया जाना अपेक्षित है **(आपत्ति संख्या 19)**

47.ग्राम पंचायत का नाम– कुमपुरा मुडिया विकास खण्ड फतेहाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्रीमती राजाबेटी नाम सचिव श्री हरिश्चन्द्र

प्रस्तर–73– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 922425.50 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजाबेटी एवं सचिव श्री हरीशचन्द्र से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामि0	रू0 637756.00
शौचालय	रू0 7200.00
हैण्डपम्प	रू0 29404.00
अन्य /प्रशासनिक व्यय	रू0 31165.00
टाइल्स लगबाई	रू0 204400.00
मानदेय	रू0 12500.00
योग–	**रू0 922425.50**

(आपत्ति संख्या 18)

वार्षिक प्रतिवेदन पंचायत वर्ष 2016–17

जनपद आगरा **मंडल आगरा**

48.ग्राम पंचायत– एत्मादपुर मदरा विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री रामेश्वर सचिव का नाम– श्री देवेन्द्र सिंह

प्रस्तर–74– नगर पंचायत **एत्मादपुर मदरा** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकरी से वसूली की जायेगी।

उ0प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी अधिकारी (पं0) को अभिलेखा उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जने के कारण एवं ग्राम पंचायत एत्मादपुर मदरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 2677097.00 व्यय किया गया। व्यय के सपेक्ष अभिलेख जैसा स्वीकृत कार्ययोजना, आगणन, माप पुस्तिका, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकि स्वी, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानो के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का ना पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान श्री रामेश्वर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र सिहं का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। अतः अपहरण में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान कमशः रू0 1338548.50 एवं रू0 1338548.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति सख्या– 02**

49.ग्राम पंचायत– सरबतपुर विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री रनवीर सिह सचिव का नाम– श्री राजबीर शर्मा

प्रस्तर–75 नगर पंचायत **सरबतपुर** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकरी से बसूली की जायेगी। उ0प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी अधिकारी (पं0) को अभिलेखा उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा

को अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जने के कारण एवं ग्राम पंचायत सरवतपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 595544.00 व्यय किया गया। व्यय के सपेक्ष अभिलेख जैसा स्वीकृत कार्ययोजना, आगणन, माप पुस्तिका, बाउचर, प्राशासनिक एवं तकनीकि स्वीकृत, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये। वित्तीय नियमों मे निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान श्री रनवीर सिह एवं ग्राम पंचायत के सचिव श्री अवधेश तिवारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। तथा उक्त व्यय धनराशिा का आधी–आधी धनराशि क्रमशः रूपये 297772.00 एवं रू0 297772.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। । **आपत्ति संख्या– 02**

50.ग्राम पंचायत– बिसेरी भांड विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री बल्देव सचिव का नाम– श्री यसबन्त सिंह

प्रस्तर–76 नगर पंचायत **बिसेरी भांड** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकरी से बसूली की जायेगी। उ0प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी अधिकारी (पं0) को अभिलेखा उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जने के कारण एवं ग्राम पंचायत विसेरी भाग वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 1138679.00 व्यय किया गया। व्यय के सपेक्ष अभिलेख जैसा स्वीकृत कार्ययोजना, आगणन, माप पुस्तिका, बाउचर, प्राशासनिक एवं तकनीकि स्वीकृत, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण में ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान श्री रनवीर सिह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवधेश तिवारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। तथा उक्त व्यय धनराशि का आधी–आधी धनराशि क्रमशः रूपये 569339.50 एवं रू0 569339.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या– 02

51.ग्राम पंचायत– इस्लामपुर विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री दर्शन सिह सचिव का नाम– श्री अनुग्रह नरायण

प्रस्तर–77 नगर पंचायत **इस्लामपुर** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकरी से बसूली की जायेगी। उ0प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी अधिकारी (पं0) को अभिलेखा उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत इस्लामपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 989532.00 व्यय किया गया। व्यय के सपेक्ष अभिलेख जैसा स्वीकृत कार्ययोजना, आगणन, माप पुस्तिका, वाउचर, प्राशासनिक एवं तकनीकि स्वीकृत, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये। वित्तीय नियमों मे निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान श्री दर्शन सिह एवं ग्राम पंचायत के सचिव श्री अनुग्रह नरायन का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। तथा उक्त व्यय धनराशि का आधी–आधी धनराशि क्रमशः रूपये 494766.00 एवं रू0 494766.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या– 02**

52ग्राम पंचायत– श्यामो विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री भूरा सचिव का नाम– श्री देवेन्द्र शर्मा

प्रस्तर–78 नगर पंचायत **श्यामो** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान

एवं ग्राम पंचायत अधिकरी से बसूली की जायेगी। उ0प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के कम में सहायक विकास अधिकारी अधिकारी (पं0) को अभिलेखा उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जने के कारण एवं ग्राम पंचायत श्मामों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 4652073.00 व्यय किया गया। व्यय के सपेक्ष अभिलेख जैसा स्वीकृत कार्ययोजना, आगणन, माप पुस्तिका, बाउचर, प्राशासनिक एवं तकनीकि स्वीकृत, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण में ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान श्री भूरा एवं ग्राम पंचायत के सचिव श्री राजवीर शर्मा का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। तथा उक्त व्यय धनराशि का आधी–आधी धनराशि क्रमशः रूपये 2326036.50 एवं रू0 2326036.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या– 02

53.ग्राम पंचायत–नं0 कली विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्रीमती सुशीला देवी सचिव का नाम–सुनील चाहर

प्रस्तर–79 – नगर पंचायत **नं0 कली** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध्पा नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के कम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत **नं0 कली** द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 2324439.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान **श्रीमती सुशीला देवी** एवं सचिव श्री सुनील चाहर का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1162219.50 एवं रू0 1162219.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। है। **आपत्ति संख्या–02**

54.ग्राम पंचायत– देवरी विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री अतर सिंह सचिव का नाम– सुनील पाराशर

प्रस्तर–80 – नगर पंचायत **देवरी** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के कम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत देवरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 2301336.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये। वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान अतर सिहं एवं सचिव श्री सुनील पाराशर का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1150668.00 एवं रू0 1150668.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। है। **आपत्ति संख्या–02**

55ग्राम पंचायत– बुढेरा विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्रीमती साविृत्री सचिव का नाम– श्री राकेश कर्दम

प्रस्तर–81– नगर पंचायत **बुढेरा** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बुढेरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 2966724.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन / टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये। वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत क ग्राम प्रधान श्रीमती साविृत्री एवं ग्राम पंयायत के सचिव श्री राकेश कर्दम का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1483362.00 एवं रू0 1483362.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

56.ग्राम पंचायत– बाद विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री अरूण सिंह सचिव का नाम– श्री अवधेश तिवारी

प्रस्तर–82– नगर पंचायत **बाद** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध्या नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 1813238.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन / टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री अरूण सिह एवं श्री अवधेश तिवारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 906619.00 एवं रू0 906619.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

57.ग्राम पंचायत– तोरा विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री भूपेन्द्र सिह सचिव का नाम– श्री भवानी शंकर

प्रस्तर–83 नगर पंचायत **तोरा** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत तोरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 846336.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन / टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत श्री भूपेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री भवनी शंकर का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 423168.00 एवं रू0 423168.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

59.ग्राम पंचायत– चमरौली विकास खण्ड बरौली अहीर   जनपद आगरा
नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्रीमती वंदना शर्मा   सचिव का नाम– श्री राकेश कर्दम

प्रस्तर–84 – नगर पंचायत **चमरौली** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के कम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत चमरौली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 1663300.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती वंदना शर्मा एवं सचिव श्री राकेश कर्दम का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि कमशः रू0 831650.00 एवं रू0 831650.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।   **आपत्ति संख्या–02**

60ग्राम पंचायत– मियापुर विकास खण्ड बरौली अहीर   जनपद आगरा
ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती राजकुमारी   सचिव का नाम– श्री यदुबीर सिह

प्रस्तर–85– नगर पंचायत **मियापुर** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के कम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत मियापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 624346.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये। वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं सचिव श्री यदुबीर सिंह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 312173.00 एवं रू0 312173.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।   **आपत्ति संख्या–02**

61.ग्राम पंचायत– कहरई विकास खण्ड बरौली अहीर   जनपद आगरा
नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री रविकुमार   सचिव का नाम– श्री राकेश कर्दम

प्रस्तर–86 – नगर पंचायत **कहरई** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के कम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कहराई द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 3300763.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री रविकुमार एवं सचिव श्री राकेश कर्दम का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1650381.50 एवं रू0 1650381.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

62ग्राम पंचायत– दिगनेर विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सावित्री सचिव का नाम– श्री देवेन्द्र सिहं

प्रस्तर–87 – नगर पंचायत **दिगनेर** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत दिगनेर द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 2481822.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सावित्री एवं सचिव श्री देवेन्द्र सिहं का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1240911.00/1240911.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

63 ग्राम पंचायत– गुतिला विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री साहिब सिंह सचिव का नाम– श्री अजय फौजदार

प्रस्तर–88 नगर पंचायत **गुतिला** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध्पा नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत गुतिला द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 3095577.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री साहिव सिह एवं सचिव श्री अजय फोजदार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1547788.50 एवं 1547788.50 रू0 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

64. ग्राम पंचायत– भांडई विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री नेपाल सिंह सचिव का नाम– श्री अवधेश तिवारी

प्रस्तर–89 नगर पंचायत **भांडई** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने

के कारण एवं ग्राम पंचायत भाडई द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 1645140.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री नेपाल सिह एवं सचिव श्री अवधेश तिवारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 822570.00एवं रू0 822570.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

65. ग्राम पंचायत– बगदा विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री चरन सिह सचिव का नाम– श्री अजय फौजदार

प्रस्तर–90 नगर पंचायत **बगदा** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बगदा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 2680579.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री बगदा एवं सचिव श्री अजय फौजदार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1340289.50 एवं रू0 1340289.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

66. ग्राम पंचायत– धमैटा विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्री कमलेश कुमार सचिव का नाम– श्री तत्कालीन सचिव

प्रस्तर–91 नगर पंचायत **धमैटा** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत धमैटा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 1222602.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री कमलेश कुमार एवं सचिव श्री तत्कालीन का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 611301.00 एवं रू0 611301.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

67. ग्राम पंचायत– ककुआ विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री बलवीर सिंह सचिव का नाम– श्री अवधेश तिवारी

प्रस्तर–92 नगर पंचायत **ककुआ** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत ककुआ द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 3582755.00 व्यय किया गया।

व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्राविलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री बलवीर सिंह एवं सचिव श्री अवधेश तिवारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1791377.50 एवं रू0 1791377.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

68. ग्राम पंचायत– कौलक्खा विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्रीमती शकुन्तला देवी सचिव का नाम– श्री विशम्भर सिह

प्रस्तर–93 नगर पंचायत **कौलक्खा** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कौलक्खा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 2483454.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्राविलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शकुंतला देवी एवं सचिव श्री विशम्भर सिह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1241727.00 एवं रू0 1241727.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

69. ग्राम पंचायत– नैनाना ब्राहमण विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

ग्राम पंचायत प्रधान श्री कमल किशोर सचिव का नाम–श्री ऋषि कुमार

प्रस्तर–94 नगर पंचायत **नैनाना ब्राहमण** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत नैनाना ब्राहमण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 3483417.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्राविलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री कमल किशोर एवं सचिव श्री ऋषि कुमार/विशम्भर सिह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1741708.50 एवं रू0 1741708.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या–02

70. ग्राम पंचायत– इटौरा विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्रीमती रामरती सचिव का नाम– श्री राकेश कर्दम

प्रस्तर–95 नगर पंचायत **इटौरा** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत इटौरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 3903807.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्राविलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रामरती एवं सचिव श्री राकेश कर्दम का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1951903.50 एवं रू0 1951903.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

71. ग्राम पंचायत– महुआ खेडा विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

ग्राम पंचा0प्रधान – श्रीमती गुडडी सचिव का नाम– श्री अनुग्रह नारायण/कौशलेन्द्र सिहं

प्रस्तर–96 नगर पंचायत **महुआ खेडा** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध्पा नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत महुआ खेडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 2372944.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती गुडडी देवी एवं सचिव श्री **अनुग्रह नारायण/कौशलेन्द्र सिहं** का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1186472.00 एवं रू0 593236.00 व 593236.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या–02

72. ग्राम पंचायत– नदौता विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री दारा सिंह सचिव का नाम– श्री अशोक कुमार

प्रस्तर–97 नगर पंचायत **नदौता** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत नदौता द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 2409924.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री दारा सिंह एवं सचिव श्री अशोक कुमार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1204962.00 एवं रू0 1204962.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

73. ग्राम पंचायत– नैनाना जाट विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

ग्राम पंचायत प्रधान – श्रीमती श्रीमती सचिव का नाम– श्री ऋषि कुमार

प्रस्तर–98 नगर पंचायत **नैनाना जाट** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध्पा नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत नैनाना जाट द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 11766477.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती श्रीमती एवं सचिव श्री

ऋषि कुमार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 5883238.50 व 5883238.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

74. ग्राम पंचा0–कलाल खेरिया विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री हरिमोहन सचिव का नाम– श्री भवानी शंकर

प्रस्तर–99 नगर पंचायत **कलाल खेरिया** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध्या नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कलाल खेरिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 992670.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री हरिमोहन एवं सचिव श्री भवानी शंकर का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 496335.00 एवं रू0 496335.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

75. ग्राम पंचायत– बुढाना विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री चौब सिंह सचिव का नाम– श्री यदुबीर सिंह

प्रस्तर–100 नगर पंचायत **बुढाना** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बुढाना द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 2285558.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री चौब सिह एवं सचिव श्री यदुबीर सिह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1142779.00 एवं रू0 1142779.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

76. ग्राम पंचायत– समोगर विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्रीमती सीमा सचिव का नाम– श्री राजबीर शर्मा

प्रस्तर–101 नगर पंचायत **समोगर** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध्या नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत समोगढ द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 691666.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सीमा एवं सचिव श्री राजबीर शर्मा का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 345833.00 एवं रू0 345833.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

77. ग्राम पंचायत– बरौली गूजर विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्रीमती शीला देवी सचिव का नाम– श्री देवेन्द्र सिंह

प्रस्तर–102 नगर पंचायत **बरौली गूजर** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध्पा नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बरौली गूजर द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 4512472.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शीला देवी एवं सचिव श्री देवेन्द्र सिंह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 2256236.00 एवं रू0 2256236.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

78. ग्राम पंचायत– इकथरा विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा
नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्रीमती कमला सचिव का नाम– श्री यदुबीर सिंह

प्रस्तर–103 नगर पंचायत **इकथरा** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत इकथरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 1127287.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कमला एवं सचिव श्री यदुबीर सिंह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 563643.50 एवं रू0 563643.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

79. ग्राम पंचायत– हिगोट खेरिया विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा
नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री मान सिह सचिव का नाम– श्री यदुबीर सिंह

प्रस्तर–104 नगर पंचायत **हिगोट खेरिया** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत हिगोट खेरिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 1409361.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री मान सिह एवं सचिव श्री यदुबीर सिह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 704680.50 एवं रू0 704680.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

80. ग्राम पंचायत– बिल्हैनी विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा
नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्री राकेश कुमार सचिव का नाम– श्री राजबीर शर्मा

प्रस्तर–105 नगर पंचायत **बिल्हैनी** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बिल्हैनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 1236128.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री राकेश कुमार एवं सचिव श्री राजबीर शर्मा का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 618064.00 एवं रू0 618064.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

81. ग्राम पंचायत– बिझामई विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा
नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्रीमती नेमवती सचिव का नाम– श्री अनुग्रह नारायन

प्रस्तर–106 नगर पंचायत **बिझामई** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बिझामई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्त धनराशि से रू0 736141.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती नेमवती एवं सचिव श्री अनुग्रह नारायन का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 368070.50 एवं रू0 368070.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

82. ग्राम पंचायत– बरौली अहीर विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा
नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्री योगेन्द्र सिह सचिव का नाम– श्री अजय फौजदार

प्रस्तर–107 नगर पंचायत **बरौली अहीर** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध्पा नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बरौली अहीर द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 3832627.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री योगेन्द्र सिह एवं सचिव श्री अजय फोजदार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1916313.50 एवं रू0 1916313.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

83. ग्राम पंचायत– मेहरानाहरगंज विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्रीमती राजश्री सचिव का नाम– श्री तत्कालीन सचिव

प्रस्तर–108 नगर पंचायत **मेहरानाहरगंज** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध्या नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत मेहरानाहरगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 990355.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती राजे श्री एवं सचिव श्री अज्ञात (तत्कालीन) का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 495177.50 एवं रू0 495177.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

84. ग्राम पंचायत– नौबरी विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री रामसेवक सचिव का नाम– श्री अनुग्रह नारायन

प्रस्तर–109 नगर पंचायत **नौबरी** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत नौवरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 1397597.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री रामसेवक एवं सचिव श्री अनुग्रह नरायण का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 698798.50 एवं रू0 698798.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

85. ग्राम पंचायत– करभना विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री राधेश्याम सचिव का नाम– श्री भवानी शंकर

प्रस्तर–110 नगर पंचायत **करभना** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत करभना द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से

रू0 1737541.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री राधेश्याम एवं सचिव श्री भवानी शंकर का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 868770.50 एवं रू0 868770.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

86. ग्राम पंचायत– पवावली विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्री गिर्राज सिंह सचिव का नाम– श्री अनुग्रह नरायण

प्रस्तर–111 नगर पंचायत **पवावली** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत पवावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 343078.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री गिर्राज सिंह एवं सचिव श्री अनुग्रह नरायण का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 171539.00 एवं रू0 171539.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

87. ग्राम पंचायत– सेमरी विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्री राम जी लाल सचिव का नाम– श्री सुनील चाहर

प्रस्तर–112 नगर पंचायत **सेमरी** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत सेमरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 5367326.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री राम जी लाल एवं सचिव श्री सुनील चाहर का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 2683663.00 एवं रू0 2683663.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

88. ग्राम पंचायत– विसारना विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

ग्राम पंचा0प्रधान – श्री भूपेन्द्र सिह सचिव का नाम– श्री अशोक कुमार

प्रस्तर–113 नगर पंचायत **विसारना** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत विसारना द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि

से रू0 1469578.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री भूपेन्द्र सिह एवं सचिव श्री अशोक कुमार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 734789.00 व 734789.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **अपत्ति संख्या–02**

89. ग्राम पंचायत– कुठावली विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री रामवीर सिह सचिव का नाम– श्री अवधेश तिवारी

प्रस्तर–114 नगर पंचायत **कुठावली** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 432151.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री रामवीर सिह एवं सचिव श्री अवधेश तिवारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 216075.50 एवं रू0 216075.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

90. ग्राम पंचायत– बहेटा विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्रीमती कैला देवी सचिव का नाम– श्री देवेन्द्र सिंह

प्रस्तर–115 नगर पंचायत **बहेटा** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बहेटा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 1673348.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री कैलादेवी एवं सचिव श्री देवेन्द्र सिंह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 836674.00 एवं रू0 836674.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–02**

91. ग्राम पंचायत– रजरई विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्रीमती सुनीता सचिव का नाम– श्री अनुग्रह नारायण

प्रस्तर–116 ग्राम पंचायत रजरई की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी

(पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016—17 में प्राप्त धनराशि से रू0 873261.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन / टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सुनीता एवं सचिव श्री अनुग्रह नारायन का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी—आधी धनराशि क्रमशः रू0 436630.50 एवं रू0 436630.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

92. ग्राम पंचायत— कुआखेडा विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान — श्री राजेन्द्र सिंह सचिव का नाम— श्री अनुग्रह नारायण

प्रस्तर—117 ग्राम पंचायत रजरई की वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016—17 में प्राप्त धनराशि से रू0 3137227.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन / टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री अनुग्रह नारायन का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी—आधी धनराशि क्रमशः रू0 1568613.50 एवं रू0 1568613.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

93. ग्राम पंचायत— अकबरपुर विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान — श्री टिन्कू शाक्य सचिव का नाम— श्री अजय फौजदार

प्रस्तर—118 ग्राम पंचायत रजरई की वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016—17 में प्राप्त धनराशि से रू0 2164681.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन / टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री टिन्कू शाक्य एवं सचिव श्री अजय फोजदार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी—आधी धनराशि क्रमशः रू0 1082340.50 एवं रू0 1082340.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—02**

94. ग्राम पंचायत— बिसारा कलां विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान — श्रीमती गुडडी देवी सचिव का नाम— श्री देवेन्द्र सिंह

प्रस्तर—119 ग्राम पंचायत रजरई की वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी

(पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 1621155.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री गुडडी देवी एवं सचिव श्री देवेन्द्र सिंह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 810577.50 एवं रू0 810577.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 2**

95. ग्राम पंचायत– बजरा विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्री प्रमोद कुमार सचिव का नाम– श्री देवेन्द्र सिंह

प्रस्तर–120 ग्राम पंचायत रजरई की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 270208.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं सचिव श्री देवेन्द्र सिह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 135104.00 एवं रू0 135104.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 2**

96. ग्राम पंचायत– कहरई विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्री रबी कुमार सचिव का नाम– श्री राजेश कर्दम

प्रस्तर–121 ग्राम पंचायत कहरई की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 3300763.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री रबि कुमार एवं सचिव श्री राकेश कर्दम का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1650381.50 एवं रू0 1650381.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 2**

97. ग्राम पंचायत– पचगाई खेडा विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्री राधेश्याम सचिव का नाम– श्री रिषी कुमार

प्रस्तर–122 ग्राम पंचायत **पचगाई खेडा** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान

एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 3882108.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री राधेश्याम एवं सचिव श्री रिषी कुमार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1941054.00 एवं रू0 1941054.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 2**

98. ग्राम पंचायत– सलैमाबाद विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्रीमती ममता देवी सचिव का नाम– श्री सुनील पाराशर

प्रस्तर–123 ग्राम पंचायत **सलैमाबाद** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 931005.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती ममता देवी एवं सचिव श्री सुनील पाराशर का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 465502.50 एवं रू0 465502.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 2**

99. ग्राम पंचायत– गंगरौआ विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्रीमती यशोदा सचिव का नाम– श्री अवधेश कुमार तिवारी

प्रस्तर–124 ग्राम पंचायत **गंगरौआ** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 1360699.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री यशोदा एवं सचिव श्री अवधेश कुमार तिवारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 680349.50 एवं रू0 680349.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 2**

100. ग्राम पंचायत– लोधई   विकास खण्ड बरौली अहीर   जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्री सुजान सिंह सचिव का नाम– श्री महेश शर्मा

प्रस्तर–125 ग्राम पंचायत **लोधई** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 2179730.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री राधेश्याम एवं सचिव श्री रिषी कुमार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1089865.00 एवं रू0 1089865.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।   **आपत्ति संख्या 2**

101. ग्राम पंचायत– कबूलपुर   विकास खण्ड बरौली अहीर   जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्री चन्द्रभान सचिव का नाम– श्री विनय प्रताप

प्रस्तर–126 ग्राम पंचायत **कबूलपुर** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 2697512.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री चन्द्रभान एवं सचिव श्री विनय प्रताप का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1348756.00 एवं रू0 1348756.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।   **आपत्ति संख्या 2**

102. ग्राम पंचायत– ककरारी   विकास खण्ड बरौली अहीर   जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्री रनधीर सिंह सचिव का नाम– श्री देवेन्द्र प्रताप

प्रस्तर–127 ग्राम पंचायत **ककरारी** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 2452550.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री चन्द्रभान एवं सचिव श्री विनय प्रताप का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1226275.00 एवं रू0 1226275.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 2**

103. ग्राम पंचायत– भाहई विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्री देशराज सचिव का नाम– श्री मनोज लोधी

प्रस्तर–128 ग्राम पंचायत **भाहई** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 897514.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री देशराज एवं सचिव श्री मनोज लोधी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 448757.00 एवं रू0 448757.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। । **आपत्ति संख्या 2**

104. ग्राम पंचायत– रोहता विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्री लीलाधर सचिव का नाम– श्री कौशलेन्द्र सिंह

प्रस्तर–129 ग्राम पंचायत **रोहता** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 8943780.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री लीलाधर एवं सचिव श्री कौशलेन्द्र का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 4471890.00 एवं रू0 4471890.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 2**

105. ग्राम पंचायत– कुण्डोल विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्राधान – श्री कमलेश सचिव का नाम– श्री अशोक पाल

प्रस्तर–130 ग्राम पंचायत **कुण्डोल** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि

से रू0 6151545.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री कमलेश एवं सचिव श्री अशोक पाल का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 3075772.50 एवं रू0 3075772.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 2**

106. ग्राम पंचायत–तनौरा नूरपुर विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री विनय कुमार सचिव का नाम– श्री तत्कालीन सचिव

प्रस्तर–131 ग्राम पंचायत **तनौरा नूरपुर** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 3438431.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीति स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री तनौरा नूरपुर एवं सचिव श्री तत्कालीन सचिव का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1719215.50 एवं रू0 1719215.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 2**

107. ग्राम पंचायत– लकावली विकास खण्ड बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्रीमती अतर देवी सचिव का नाम– श्री राकेश कर्दम

प्रस्तर–132 ग्राम पंचायत **तनौरा नूरपुर** की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपरहण के प्रकरण प्रकाश में आये है जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैंनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानतें हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से बसूली की जायेगी। उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रूचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 1469765.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आगरण, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्राशासनिक एवं तकनीकि स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलिया आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों मे निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री तनौरा नूरपुर एवं सचिव श्री तत्कालीन सचिव का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 734882.50 एवं रू0 734882.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 2**

108 – ग्राम पंचायत का नाम – कूकापुर विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्री सत्यनारायण सिंह नाम सचिव – श्री महेश वर्मा

प्रस्तर – 133 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामग्री	979285.00	

2	मजदूरी	281700.00	
3	हैण्डपम्प	498015.00	
4	विज्ञापन	1700.00	
5	स्टेशनरी	5533.00	
6	सोलर लाईट	226190	
	योग	1992423.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 1992423.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1992423.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री सत्यनारायण सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेंश वर्मा से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0 11)

109 – ग्राम पंचायत का नाम – जैतपुर कला विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती सुनीता देवी नाम सचिव – श्री भुपेन्द्र त्रिपाठी

प्रस्तर – 134 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	2981998.00	
2	मजदूरी	910990.00	
3	हैण्डपम्प	78100.00	
4	सोलर लाईट	326600.00	
5	विज्ञापन	27600.00	
6	कैमरा	7700.00	
	योग	4332988.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 4332988.00व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 4332988.00गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री भूपेन्द्र त्रिपाठी से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0 11)

110 – ग्राम पंचायत का नाम – खिलावली विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री धर्मेन्द्र सिंह नाम सचिव – श्री महेश वर्मा

प्रस्तर –135 वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश वर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया प्रिया सॉफ्ट से प्राप्त आय–व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 1791716.00 का उपभोग दर्शाया गया है। पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों

में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1791716.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री धमेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री महेश वर्मा से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0 02)

111 – ग्राम पंचायत का नाम – चन्द्रपुर विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्री बेजयन्ती देवी नाम सचिव – श्री आमीन अहमद

प्रस्तर –136 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	224690.00	
2	मजदूरी	89820.00	
3	हैण्डपम्प	39400.00	
4	मिट्टी कार्य	41300.00	
5	विज्ञापन	3900.00	
6	कैमरा	4900.00	
7	सफाई कार्य	10800.00	
8	फर्नीचर	6700.00	
9	स्टेशनरी	415.00	
	योग	421925.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 421925.00 यय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 421925.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती बेजयन्ती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव आमीन अहमद से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0 11)

112 **– ग्राम पंचायत का नाम – पई विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा**

नाम ग्राम प्रधान – श्री मुनेश सिंह नाम सचिव – श्री सुनील पाराशर

प्रस्तर –137 वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील पाराशर द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया प्रिया सॉफ्ट से प्राप्त आय–व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 579509.00 का उपभोग दर्शाया गया है। पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 579509.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री मुनेश सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील पाराशर से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0 02)

113 – ग्राम पंचायत का नाम – महुआशाला विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्री उम्मेद सिंह यादव   नाम सचिव – श्री पंकज शर्मा

प्रस्तर –138 वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज शर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया प्रिया सॉफ्ट से प्राप्त आय–व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 1523785.00 का उपभोग दर्शाया गया है। पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1523785.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री उम्मेद सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज शर्मा से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0 02)

114– ग्राम पंचायत का नाम – गढवार विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती कुशमाला देवी नाम सचिव – श्री सुनील पाराशर

प्रस्तर –139 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क्र.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	884100.00	
2	मजदूरी	185090.00	
3	हैण्डपम्प	95470.00	
4	मिट्टी कार्य	900.00	
5	विज्ञापन	7400.00	
6	स्टेशनरी	12990.00	
	योग	1185950.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 1185950.00 यय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1185950.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती कुशमाला देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव सुनील पाराशर से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0 08)

प्रस्तर – 140

निम्नलिखित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से रु0 35800.00 आहरण कर धनराशि को केश बुक में न दर्शाकर अपरहण कर लिया गया, जिसकी वसूली 18 प्रतिशत दण्डात्मक व्याज के साथ ग्राम प्रधान श्री कुशमाला देवी व सचिव श्री सुनील पाराशर से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं0	धनराशि	विवरण
20.12.2016	440431	5000.00	श्रीमती कुशमाला देवी
17.02.2017	873984	30800.00	श्री देशराज
योग		35800.00	

(आ0 सं0 15)

115 – ग्राम पंचायत का नाम – कचौरा घाट विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्री सुधीर कुमार सिंह नाम सचिव – श्री सुनील पाराशर

प्रस्तर–141 वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील पाराशर द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया प्रिया सॉफ्ट से प्राप्त आय–व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 1851164.00 का उपभोग दर्शाया गया है। पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1851164.00गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री सुधीर कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील पाराशर से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0 02)

116 – ग्राम पंचायत का नाम – चित्राहार विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती रेखा नाम सचिव – श्री उदय कुमार
प्रस्तर –142

वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उदय कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया प्रिया सॉफ्ट से प्राप्त आय–व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 1265046.00 का उपभोग दर्शाया गया है। पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1265046.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उदय कुमार से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0 02)**

117 – ग्राम पंचायत का नाम – चोरंगाहार विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री राम प्रकाश नाम सचिव – श्री आमीन अहमद

प्रस्तर –143 वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आमीन अहमद द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया प्रिया सॉफ्ट से प्राप्त आय–व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 648311.00 का उपभोग दर्शाया गया है। पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 648311.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आमीन अहमद से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0 02)

118 – ग्राम पंचायत का नाम – उधन्नपुरा विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री रनवीर सिंह नाम सचिव – श्री विजेन्द्र रायजादा

प्रस्तर –144 निम्नलिखित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से रु0 69651.00 आहरण कर धनराशि को केश बुक में न दर्शाकर अपरहण कर लिया गया, जिसकी वसूली 18 प्रतिशत दण्डात्मक व्याज के साथ ग्राम प्रधान श्री रनवीर सिंह व सचिव श्री विजेन्द्र रायजादा से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं0	धनराशि	विवरण
27.05.2016	346977	69651.00	–
योग		69651.00	

119 – ग्राम पंचायत का नाम – खेडा राठौर विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री राकेश सिंह नाम सचिव – श्री नरेन्द्र कुमार

प्रस्तर –145 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के कम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क्र.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	829530.00	
2	मजदूरी	147270.00	
3	हैण्डपम्प	161850.00	
4	मिट्टी कार्य	207350.00	
5	विज्ञापन	2200.00	
6	स्टेशनरी	14100.00	
7	सोलर लाईट	4190.00	
	योग	1366490.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 1366490.00 यय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1366490.00गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान राकेश सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव नरेन्द्र कुमार से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0 08)**

प्रस्तर – 146 निम्नलिखित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से रु0 26000.00 आहरण कर धनराशि को केश बुक में न दर्शाकर अपरहण कर लिया गया, जिसकी वसूली 18 प्रतिशत दण्डात्मक व्याज के साथ ग्राम प्रधान श्री राकेश सिंह व सचिव श्री नरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं0	धनराशि	विवरण
19.01.2017	310637	26000.00	–
योग		26000.00	

(आ0 सं0 14)

प्रस्तर –147 दिनांक 18.01.2017 को चैंक नं0 310641 द्वारा रू0 49000.00 की धनराशि आहरित की गई है, जबकि कैश बुक में रू0 26000.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार वास्तविक आहरण से कम धनराशि का आहरण दर्शाकर रू0 23000.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश सिंह व सचिव श्री नरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0 15)**

प्रस्तर –148 दिनांक 04.05.2016 को कैशबुक के व्यय पक्ष में रू0 1800.00 का विवरण हीन व्यय दर्शाया गया है। इस प्रकार रू0 1800.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राकश सिंह व सचिव श्री नरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0 16)**

प्रस्तर –149 माह – अक्टूबर 2016 में कैश बुक के आय पक्ष का योग रू0 268606.00 दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक योग रू0 270606.00 है। इस प्रकार आय पक्ष का योग वास्तविक से कम दर्शाकर रू0 2000 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश सिंह व सचिव श्री नरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0 17)**

प्रस्तर –150 दिनांक 17.01.2017 को चैक सं0 310645 द्वारा सर्विसमैन सिक्योरिटी को रू0 18000.00 का भुगतान किया गया है। यह भुगतान किस हेतु किया गया है, यह स्पष्ट नही हैं। इस प्रकार अस्पष्ट भुगतान दर्शाकर रू 18000.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश सिंह व सचिव श्री नरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0 18)**

120 –ग्राम पंचायत का नाम – गढी प्रतापपुरा विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री हरी सिंह नाम सचिव – श्री पंकज शर्मा

प्रस्तर –151

लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	854903.00	
2	मजदूरी	198750.00	
3	हैण्डपम्प	56865.00	
4	सफाई कार्य	2000.00	
5	विज्ञापन	7400.00	
6	टेन्ट किराया	4800.00	
7	सोलर लालटेन	4190.00	
8	तालाब भराव	8000.00	
	योग	1136908.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 1136908.00 यय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1136908.00 की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री हरि सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव पंकज शर्मा से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0 08)**

121– **ग्राम पंचायत का नाम – मऊ विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा**

नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती रामा देवी नाम सचिव – श्री महेश वर्मा

प्रस्तर –152 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	680124.00	
2	मजदूरी	142300.00	
3	हैण्डपम्प	229110.00	
4	कैमरा	7500.00	
5	विज्ञापन	4900.00	
6	शौचालय निर्माण	205497.00	
7	सोलर लाईट	4190.00	
	योग	1272621.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 1272621.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1272621.00 की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव महेश वर्मा से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0 08)**

122 – **ग्राम पंचायत का नाम – खोहरी विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा**

नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती प्रेमवती   नाम सचिव – श्री नरेन्द्र कुमार

प्रस्तर –153 वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया प्रिया सॉफ्ट से प्राप्त आय–व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 1887931.00 का उपभोग दर्शाया गया है। पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1887931.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमवती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र कुमार से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0 02)**

प्रस्तर – 154 प्रिया साफ्ट से प्राप्त आय–व्यय के अनुसार 01.04.2016 व 31.03.2017 को समान रूप स नकद अवशेष रू0151000.00 दर्शाया गया है, जबकि नियमानुसार नकद अवशेष रू0 5000.00 से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः रू 151000.00 अनाधिकृत रूप से रोक कर धनराशि का दुरूपयोग किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमवती एवं सचिव नरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0 03)**

123 – ग्राम पंचायत का नाम – फतेहपुरा विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्री भूपेन्द्र सिंह   नाम सचिव – श्री भूपेन्द्र त्रिपाठी

प्रस्तर –155 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क्र.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	336915.00	
2	मजदूरी	106580.00	
3	कैमरा	7700.00	
4	विज्ञापन	12800.00	
5	सोलर लाईट	89400.00	
	योग	553395.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 553395.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतू प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 553395.00 की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव भूपेन्द्र त्रिपाठी से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0 08)**

124 – ग्राम पंचायत का नाम – अमाही विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती शीला देवी   नाम सचिव – श्री भूपेन्द्र त्रिपाठी

प्रस्तर –156 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क्र.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	1109149.00	
2	मजदूरी	328765.00	
3	हैण्ड पम्प	26850.00	

4	विज्ञापन	15000.00	
5	कैमरा	7700.00	
	योग	1487456.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 1487456.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1487456.00 की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव भूपेन्द्र त्रिपाठी से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0 08)**

125 – ग्राम पंचायत का नाम – शाहपुर गूजर विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती रामश्री नाम सचिव – श्री महेश वर्मा

प्रस्तर –157 निम्नलिखित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से रु0 78500.00 आहरण कर धनराशि को केश बुक में न दर्शाकर अपरहण कर लिया गया, जिसकी वसूली 18 प्रतिशत दण्डात्मक व्याज के साथ ग्राम प्रधान श्री राकेश सिंह व सचिव श्री नरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं0	धनराशि	विवरण
03.06.2016	791155	48500.00	श्री ब्रजेश कुमार
08.06.2016	791156	10000.00	श्री जितेन्द्र कुमार
08.06.2016	791157.00	10000.00	बाहुबली ब्रिक फील्ड
22.06.2016	791159	10000.00	श्री अवनीश कुमार
योग		78500.00	

(आ0 सं0 08)

126– ग्राम पंचायत का नाम – क्यारी विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्री जय प्रकाश नाम सचिव – श्री नरेन्द्र कुमार

प्रस्तर –158 वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया प्रिया सॉफ्ट से प्राप्त आय–व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 537409.00 का उपभोग दर्शाया गया है। पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 537409.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र कुमार से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0 02)**

127 – ग्राम पंचायत का नाम – नहटोली विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्री सुरेन्द्र नाथ शर्मा नाम सचिव – श्री आमीन अहमद

प्रस्तर –159 वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आमीन अहमद द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया प्रिया सॉफ्ट से प्राप्त आय–व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 1351780.00 का उपभोग दर्शाया गया है। पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1351780.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र नाथ शर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आमीन अहमद से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0 02)

128 – ग्राम पंचायत का नाम – प्यारम्पुरा विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री होरी लाल नाम सचिव – श्री महेश वर्मा

प्रस्तर –160 वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश वर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया प्रिया सॉफ्ट से प्राप्त आय–व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 1208555.00 का उपभोग दर्शाया गया है। पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1208555.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री होरी लाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री महेश वर्मा से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0 02)

129 – ग्राम पंचायत का नाम – कोरथ विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती ममता देवी नाम सचिव – श्री पंकज शर्मा

प्रस्तर –161 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क्र.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	744242.00	
2	मजदूरी	133670.00	
3	हैण्डपम्प	205621.00	
4	कैमरा	8950.00	
5	विज्ञापन	7400.00	
6	मिट्टी कार्य	22600.00	
7	सोलर लाईट	74000.00	
8	फर्नीचर	9300.00	
9	स्टेशनरी	1650.00	
10	तालाब भराई	12000.00	
11	सफाई कार्य	24000.00	
	योग	1243433.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 1243433.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1243433.00 की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव पंकज शर्मा से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0 08)**

130 – ग्राम पंचायत का नाम – संजैती विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री मनीष प्रताप नाम सचिव – श्री सुनील पाराशर

प्रस्तर – 162 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते में जमा धनराशि पर दिनांक 01.04.2016 से31.03.2017 तक रू0 27186.00 ब्याज प्राप्त हुई। जिसे शासनादेश सं0 10/2015/ए–1–502/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार राजकीय आय माना गया है

लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त ब्याज की धनराशि में से रू0 3935.00 को ग्राम पंचायत की आय मानते हुए विकास कार्यो मे व्यय किया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मनीष प्रताप व सचिव श्री सुनील पाराशर से की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0 08)**

131 – ग्राम पंचायत का नाम – गढी बरौली विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्री बुद्धिप्रकाश शुक्ला नाम सचिव – श्री सुनील पाराशर

प्रस्तर – 163 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते में जमा धनराशि पर दिनांक 01.04.2016 से31.03.2017 तक रू0 12646.00 ब्याज प्राप्त हुई। जिसे शासनादेश सं0 10/2015/ए–1–502/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार राजकीय आय माना गया है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त ब्याज की धनराशि में से रू0 6729.00 को ग्राम पंचायत की आय मानते हुए विकास कार्यो मे व्यय किया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री बुद्धिप्रकाश शुक्ला व सचिव श्री सुनील पाराशर से की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0 09)**

132 – ग्राम पंचायत का नाम – नौगवां विकासखण्ड जैंतपुर कलां जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्री वीरी सिंह नाम सचिव – श्री विजेन्द्र रायजादा

प्रस्तर – 164 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते में जमा धनराशि पर दिनांक 01.04.2016 से31.03.2017 तक रू0 42805.00 ब्याज प्राप्त हुई। जिसे शासनादेश सं0 10/2015/ए–1–502/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार राजकीय आय माना गया है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त ब्याज की धनराशि में से रू0 10091.00 को ग्राम पंचायत की आय मानते हुए विकास कार्यो मे व्यय किया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री वीरी सिंह व सचिव श्री विजेन्द्र रायजादा से की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0 09)**

133 – ग्राम पंचायत का नाम – सबोरा विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्री राम प्रकाश नाम सचिव – श्री अजेन्द्र रायजादा

प्रस्तर–165 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	311080.00	
2	मजदूरी	42200.00	
3	हैण्डपम्प	52468.00	
4	फर्निचर	10000.00	
	योग	415748.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 415748.00 तय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 415748.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश एवं ग्राम पंचायत सचिव अजेन्द्र रायजादा से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0 08)

प्रस्तर –166 निम्नलिखित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से रु0 16990.00 आहरण कर धनराशि को केश बुक में न दर्शाकर अपरहण कर लिया गया, जिसकी वसूली 18 प्रतिशत दण्डात्मक व्याज के साथ ग्राम प्रधान श्री रामप्रकाश व सचिव श्री अजेन्द्र रायजादा से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं0	धनराशि	विवरण
11.05.2016	929587	16990.00	–
योग		16990.00	

(आ0 सं0 14)

134 – ग्राम पंचायत का नाम – राटौटी विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री अपरवल सिंह नाम सचिव – श्री विकास वर्मा
प्रस्तर–167 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क्र.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	1192161.00	
2	मजदूरी	169050.00	
3	हैण्डपम्प	44323.00	
4	फर्निचर	10000.00	
5	सफाई गाड़ी	10000.00	
6	स्टेशनरी	15200.00	
7	विज्ञापन	9441.00	
	योग	1450175.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 1450175.00तय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1450175.00गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री अपरवल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव विकास वर्मा से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(आ0 सं0 08)

प्रस्तर – 168

लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रू0 2000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रू0 20000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अपरवल सिंह एवं श्री विकास वर्मा सचिव से आधी–आधी की जानी आपेक्षित है। **(आ0 सं0 14)**

135 – ग्राम पंचायत का नाम – कांकर खेंडा विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री कैलाश चन्द नाम सचिव – श्री विकास वर्मा
प्रस्तर 169 दि0 08.03.2017 को चैक नं0 184866 द्वारा कैशबुक में रू0 15000.00 आहरण कर प्रधान को मानदेय बाबत माह जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016 भुगतान दर्शाया गया है, जबकि स्टेटमेण्ट के अनुसार उक्त तिथि व चैंक संख्या द्वारा रू0 150000.00 श्री राजकुमार को भुगतान किया गया है। इस प्रकार कैशबुक में रू0 135000.00 कम दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री कैलाश चन्द व सचिव श्री विकास वर्मा से किया जाना आपेक्षित है। **(आ0 सं0 09)**

प्रस्तर 170 वर्ष 2016–17 में निम्न विवरण के अनुसार प्रधान को मानदेय का भुगतान किया गया है–

चैंक नं0	दिनांक	धनराशि	अवधि
184857	28.09.2016	2000.00	जनवरी 16 से अगस्त 16
184560	24.11.2016	5000.00	सितम्बर 16 व अक्टूबर 16
184866	08.03.2017	15000.00	जुलाई 16 से दिसम्बर 16
योग		**40000.00**	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि माह– जुलाई 2016 से अक्टूबर 2016 तक 04 माह का रू0 2500.00 प्रतिमाह की दर से 10000.00 का भुगतान ग्राम प्रधान को अधिक किया गया है, जिसकी वसली ग्राम प्रधान श्री कैलाश चन्द व सचिव श्री विकास वर्मा से की जानी आपेक्षित है। **(आ0 सं0 10)**

136– **ग्राम पंचायत का नाम – सेरब विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा**
नाम ग्राम प्रधान – श्री सुनील कुमार नाम सचिव – श्री राम सिंह
प्रस्तर 171 लेखा परीक्षा वर्ष में प्रिया साफ्ट पर दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये ग्राम प्रचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोइ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि रू0 1000624.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार एवं श्री राम सिंह, सचिव से की जानी आपेक्षित है। **(आ0 सं0 02)**

137–ग्राम पंचायत का नाम – अरनौटा, विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री चम्पाराम नाम सचिव – श्री डरे लाल
प्रस्तर 172 दिनांक 18.01.2017 को चैंक नं0 310641 द्वारा रू0 10000.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैंश बुक में नहीं दर्शाया गया जबकि प्रत्येक आहरण कैश बुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रू0 10000.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री डरे लाल व ग्राम प्रधान श्री चम्पाराम से की जानी आपेक्षित है। **(आ0 सं0 10)**

138– ग्राम पंचायत का नाम –शाहपुर खालसा, विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री मुरारी लाल नाम सचिव – श्री विकास वर्मा
प्रस्तर 173 लेखा परीक्षा वर्ष में प्रिया साफ्ट पर दर्शाये गये व्य के सापेक्ष कोई श्री व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धन राशि रू0 726452.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास वर्मा व ग्राम प्रधान श्री मुरारी से की जानी आपेक्षित है। **(आ0 सं0 02)**
139– ग्राम पंचायत का नाम –बघरैना, विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री गजेन्द्र सिंह नाम सचिव – श्री अरूण कुमार
प्रस्तर 174 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री कय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के कम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	872521.00	
2	मजदूरी	23960 .00	
3	हैण्डपम्प	43452.00	
4	तालाब	10000.00	
5	स्ट्रट लाईट	11930.00	
6	स्टेशनरी	21425.00	
7	विज्ञापन	2200.00	
	योग	985488.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 985488.00 तय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री कय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक कय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 985488.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव अरूण कुमार से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना आपेक्षित है। **(आ0 सं0 08)**

140 – ग्राम पंचायत का नाम –क्यौरी, विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती रामा देवी नाम सचिव – श्री जयकिशोर चाहर
प्रस्तर 175 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री कय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के कम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क.स.	मद	धन राशि	
1	हैण्डपम्प	78772.00	
2	कैमरा कय	7500.00	
3	सोलर लाईट	6285.00	
4	स्टेशनरी	17075.00	
5	परिषदीय विद्यालय में टाइल्स कार्य	390000.00	
	योग	499632.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 499632.00 तय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री कय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक कय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 499632.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव जयकिशोर चाहर से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0 08)

141 – ग्राम पंचायत का नाम –उमरैठा, विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती सोनी देवी नाम सचिव – श्री जयकिशोर चाहर
प्रस्तर 176 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री कय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के कम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण	100000.00	
2	मजदूरी	47530.00	
3	हैण्डपम्प	57294.00	
4	स्टेशनरी	24700.00	
5	विज्ञापन	2200.00	
	योग	231724.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 231724.00 तय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री कय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक कय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 231724.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सोनी देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव जयकिशोर चाहर से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(आ0 सं0 08)

142 – **ग्राम पंचायत का नाम –उटसाना, विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा**
नाम ग्राम प्रधान – श्री विनोद कुमार   नाम सचिव – श्री राजकुमार शर्मा
प्रस्तर 177 लेखा परीक्षा वर्ष में प्रिया साफ्ट पर दर्शाये गये व्य के सापेक्ष कोई श्री व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धन राशि रू0 1576041.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार वर्मा व ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0 02)**

143– ग्राम पंचायत का नाम –चचिहा, विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री गजेन्द्र सिंह   नाम सचिव – श्री जयकिशोर चाहर
प्रस्तर 178 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण	1122425.00	
2	मजदूरी	191800.00	
3	हैण्डपम्प	73545.00	
4	स्टेशनरी	11725.00	
5	विज्ञापन	2200.00	
6	सोलर लाईट	2095.00	
7	कैमरा क्रय	7500.00	
	योग	1444090.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 1444090.00 तय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1444090.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव जयकिशोर चाहर से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(आ0 सं0 08)

144 – **ग्राम पंचायत का नाम –मनौना, विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा**
नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती मीना देवी नाम सचिव – श्री आमीन खां
प्रस्तर 179 लेखा परीक्षा वर्ष में प्रिया साफ्ट पर दर्शाये गये व्य के सापेक्ष कोई श्री व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धन राशि रू0 259686.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार वर्मा व ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से की जानी आपेक्षित है। **(आ0 सं0 02)**

145 – ग्राम पंचायत का नाम –बलाई, विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री देवकी नन्दन   नाम सचिव – श्री विकास वर्मा
प्रस्तर 180 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	1994076.00	
2	मजदूरी	190600.00	
3	हैण्डपम्प	43301.00	
4	फर्निचर	10000.00	
5	कैमरा	6300.00	
6	स्टेशनरी	24470.00	

7	विज्ञापन	9441.00	
	योग	**2278188.00**	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 2278188.00 तय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 2278188.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री देवकी नन्दन एवं ग्राम पंचायत सचिव विकास वर्मा से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(आ0 सं0 08)

प्रस्तर – 181

लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रू0 2000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रू0 20000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री देवकी नन्दन एवं श्री विकास वर्मा सचिव से आधी–आधी की जानी आपेक्षित है। **(आ0 सं0 14)**

146 – ग्राम पंचायत का नाम –रजौरा, विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्री पुन्नी लाल नाम सचिव – श्री गोपाल प्रताप सिंह

प्रस्तर 182 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	1731892.00	
2	मजदूरी	203440.00	
3	हैण्डपम्प	57035.00	
4	सोलर लाईट	6285.00	
5	कैमरा	8203.00	
6	स्टेशनरी	43070.00	
7	विज्ञापन	9861.00	
8	अन्त्योष्टि स्थल	1009500.00	
	योग	**3069286.00**	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 3069286.00 तय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 3069286.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री पुन्नी लाल एवं ग्राम पंचायत सचिव गोपाल प्रताप सिंह से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(आ0 सं0 08)

प्रस्तर – 183

लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रू0 2000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रू0 20000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पुन्नी लाल एवं श्री गोपाल प्रताप सिंह सचिव से आधी–आधी की जानी आपेक्षित है। **(आ0 सं0 14)**

147 – ग्राम पंचायत का नाम –नगला दलेल, विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती सरोज नाम सचिव – श्री गोपाल प्रताप सिंह

प्रस्तर 184 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	926274.00	
2	मजदूरी	172600.00	
3	हैण्डपम्प	120591.00	
4	सोलर लाईट	2095.00	
5	कैमरा	6300.00	
6	स्टेशनरी	23210.00	
7	विज्ञापन	3981.00	
8	कुडा गाडी	10000.00	
	योग	1265051.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 1265051.00 तय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1265051.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज एवं ग्राम पंचायत सचिव गोपाल प्रताप सिंह से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(आ0 सं0 08)

प्रस्तर – 185

लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रू0 2000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रू0 20000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज एवं श्री गोपाल प्रताप सिंह सचिव से आधी–आधी की जानी आपेक्षित है। **(आ0 सं0 14)**

148 – ग्राम पंचायत का नाम –बरैण्डा, विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती अंजना देवी नाम सचिव – श्री चेतन्य शर्मा

प्रस्तर 186 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	2512104.00	
2	मजदूरी	184680.00	
3	हैण्डपम्प	90133.00	
4	विज्ञापन	8330.00	
5	तालाब	8000.00	
	योग	2803247.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 2803247.00 तय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष

कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 2803247.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती अंजना देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव चेतन्य शर्मा से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल किया जाना आपेक्षित है। **(आ0 सं0 08)**

149 – ग्राम पंचायत का नाम – रेहा, विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान–श्रीमती सुनीता देवी नाम सचिव –श्री चेतन्य शर्मा व श्री उदय भदौरिया

प्रस्तर 187 लेखा परीक्षा वर्ष में प्रिया साफ्ट पर दर्शाये गये व्य के सापेक्ष कोई श्री व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धन राशि रू0 3629678 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री चेतन्य शर्मा व श्री उदय भदौरिया व ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से की जानी आपेक्षित है। **(आ0 सं0 02)**

150 – ग्राम पंचायत का नाम – पापरी नागर, विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्री हरी सिंह नाम सचिव – श्री चेतन्य शर्मा व श्री उदय भदौरिया

प्रस्तर 188 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क्र.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	967657.00	
2	मजदूरी	192200.00	
3	हैण्डपम्प	38859.00	
4	विज्ञापन	7280.00	
5	तालाब	10000.00	
6	विट्रीफाइड टाइल्स	419465.00	
7	शौचालय मरम्मत	20000.00	
	योग	1655461.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 1655461.00 तय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1655461.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री हरी सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव चेतन्य शर्मा से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना आपेक्षित है।**(आ0 सं0 08)**

151– **ग्राम पंचायत का नाम – सेहा, विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा**

नाम ग्राम प्रधान – श्री नारायन सिंह नाम सचिव – श्री चेतन शर्मा

प्रस्तर 189 लेखा परीक्षा वर्ष में प्रिया साफ्ट पर दर्शाये गये व्य के सापेक्ष कोई श्री व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धन राशि रू0 756217.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री चेतन्य शर्मा व ग्राम प्रधान श्री नारायन सिंह से की जानी आपेक्षित है। **(आ0 सं0 02)**

152 – ग्राम पंचायत का नाम – करकौली, विकासखण्ड पिनाहट जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती सुशीला देवी नाम सचिव – श्री चेतन्य शर्मा व श्री उदय भदौरिया

प्रस्तर 190 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है–

क.स.	मद	धन राशि	
1	भवन निर्माण सामिग्री	2654792.00	
2	मजदूरी	427110.00	
3	हैण्डपम्प	52206.00	
4	विज्ञापन	2240.00	
5	जमानत वापसी	17000.00	
6	शौचालय मरम्मत	15000.00	
	योग	**3168348.00**	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 3168348.00 तय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 3168348.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव चेतन्य शर्मा से (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(आ0 सं0 08)

153 ग्राम पंचायत का नाम – सेवला अहीर विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री सुबोध नाम सचिव श्री विनोद कुमार

प्रस्तर–191– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 817634.50 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री सुबोघ एवं सचिव श्री विनोद कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है **आपत्ति संख्या–02**

154 ग्राम पंचायत का नाम – भनपुरा विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री बाबू लाल नाम सचिव अवधेश कुमार

प्रस्तर–192– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 534164.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री बावू लाल एवं सचिव श्री अवधेश कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है **आपत्ति संख्या–02**

155 ग्राम पंचायत का नाम – हिमायूपुर रोहई विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्रीमती रजनी देवी नाम सचिव दीपक कुमार

प्रस्तर–193– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1178954.43 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी देवी एवं सचिव श्री दीपक कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है **आपत्ति संख्या–02**

156. **ग्राम पंचायत का नाम – एत्मादपुर अजनेरा विकासखण्ड शमशाबाद जनपद आगरा**

नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती शिखा नाम सचिव – श्री केशव सिंह

प्रस्तर –194 लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रू0 2000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रू0 20000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शिखा एवं श्री केशव सिंह, सचिव से दडात्मक व्याज सहित आधी आधी वसूली की जानी अपेक्षित है।

157 – ग्राम पंचायत का नाम – फूलपुर विकासखण्ड शमसाबाद जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्री गोपीचन्द नाम सचिव – श्री केशव सिंह

प्रस्तर –195

लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है

मद विवरण	धनराशि
1. भवन निर्माण सामग्री	89500.00
2. मजदूरी	224610.00
3. नाला खुदाई	
4. हैण्डपम्प	65568.00
5. स्ट्रीट लाइट	43557.00
6. मिट्टी भराव	–
7. कैमरा	–
योग	**1228737.00**

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 1228737.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1228737.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री गोपीचन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह से (वसूली तिथि तक) 18 प्रतिशत वार्षिक दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल की जानी अपेक्षित है।

158. **ग्राम पंचायत का नाम – थाप महद्वारी विकासखण्ड शमशाबाद जनपद आगरा**

नाम ग्राम प्रधान – श्री लाल सिंह नाम सचिव – श्री शिव शंकर रावत

प्रस्तर –196 1.ले0प0वर्ष में ग्रामनिधि खाते में प्राप्त व्याज रू0 8431.00 को निजी आय मानते हुये व्यय कर लिया गया है। जबकि शा0सं0 10/2015/ए–1– 502/दस–2015–10(33)/2010 दि0 26मई 2016 के अनुसार राजकीय आया माना जायेगा, जिसे वर्षान्त राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये था।

प्रस्तर –197 लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रू0 1000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रू0 10000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री लाल सिंह एवं श्री शिव शंकर रावत, सचिव से दडात्मक व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –198 लेखा परीक्षा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।

भवन निर्माण सामग्री	546764.00
मजदूरी	87900.00
हैण्डपम्प	67815.00
कैमरा	9500.00
सोलर लाइट	152095.0
स्टेशनरी	20085.00
योग	884159.00

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्षाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि रू0 884159.00 की वसूली की वसूली ग्राम प्रधान श्री लाल सिंह एवं श्री शिव शंकर रावत, सचिव से दडात्मक व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

159 ग्राम पंचायत का नाम – जारौली विकासखण्ड शमशाबाद जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती राजकुमारी नाम सचिव – श्री केशव सिंह
प्रस्तर –199

लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

मद विवरण	धनराशि
1. भवन निर्माण सामग्री फर्नीचर	878206.00
2. मजदूरी कैमरा	158893.00
3. नाला खुदाई	–
4. हैण्डपम्प	50968.00
5. स्ट्रीट लाइट	98040.00
6. मिट्टी भराव स्टेशनरी	17982.00
7. कैमरा	7000.00
योग	**1211089.00**

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 1211089.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1211089.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह से (वसूली तिथि तक) 18 प्रतिशत वार्षिक दण्डात्मक व्याज के साथ वसूल की जानी आपेक्षित है।

प्रस्तर –200

लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत कर की वसूली को कोष वही में आमद नही दर्शाया गया, जबकि पंचायत कर आय के सापेक्ष जिला पंचायत/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पांचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 1000.00 कोष वही में दर्शाया गया है। अतः वसूल किये गये पंचायत कर को कोष वही में नहीं दर्शाकर रू0 10,000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह से (वसूली तिथि तक) व्याज ब्याज सहित` वसूल की जानी अपेक्षित है।

160 ग्राम पंचायत का नाम – ठेरई विकासखण्ड शमशाबाद जनपद आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री ब्रजमोहन नाम सचिव – श्री केशव सिंह

प्रस्तर –201 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–2017 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु सामिग्री क्रय, मजदूरी व्यय, एवं अन्य वस्तुओं के क्रम मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है

मद विवरण	धनराशि
1. भवन निर्माण सामग्री	818488.00
2. मजदूरी	102658.00
3. नाला खुदाई	–
4. हैण्डपम्प	337279.00
योग	**1258425.00**

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 1258425.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश

द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गवन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 1258425.00 गवन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री ब्रजमोहन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह से (वसूली तिथि तक) व्याज के साथ वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –202

लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत कर की वसूली को कोष वही में आमद नही दर्शाया गया, जबकि पंचायत कर आय के सापेक्ष जिला पंचायत/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पांचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 2000.00 कोष वही में दर्शाया गया है। अतः वसूल किये गये पंचायत कर को कोष वही में नहीं दर्शाकर रू0 20,000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री ब्रजमोहन व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह से (वसूली तिथि तक) 18 प्रतिशत व्याज की दर से वसूल की जानी आपेक्षित है।

161 ग्राम पंचायत का नाम – मुजफ्फरपुर विकासखण्ड शमसाबाद जनपद आगरा

नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती कमला नाम सचिव – श्री केशव सिंह

प्रस्तर –203

लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रू0 2000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रू0 20000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमला एवं श्री केशव सिंह, सचिव से दडात्मक व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

162 ग्राम पंचायत का नाम – मधटई विकास खण्ड बिचपुरी जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री मुकेश चन्द्र नाम सचिव चन्द्रलोक शर्मा

प्रस्तर–204–लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17में ग्राम पंचायत कर की कोषवही में आमद नही दर्शाई गई जवकी पंचायत कर के सापेक्ष जिला पंचायत/सहायक विकास अधिरकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 1000.00 दिनांक 16.03.2017 को कोषवही में दर्शाया गया है। अतः बसूल किये गये पंचायत कर को कोषवही में न दर्शाकर रू0 10000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रंधान श्री मुकेश चन्द्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्रलोक शर्मा से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–14**

163 ग्राम पंचायत का नाम – टपरा विकास खण्ड बिचपुरी जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री राजेन्द्र सिह नाम सचिव रामबीर सिह

प्रस्तर–205–लेखापरीक्षावर्ष2016–17में ग्राम पंचायत कर की कोषवही में आमद नही दर्शाई गई जबकी पंचायत कर के सापेक्ष जिला पंचायत/सहायक विकास अधिरकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 2000.00 दिनांक 18.03.2017 को कोषवही में दर्शाया गया है। अतः बसूल किये गये पंचायत कर को कोषवही में न दर्शाकर रू0 20000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रंधान श्री राजेन्द्र सिह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामबीर सिह से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–14**

164 ग्राम पंचायत का नाम – जखौदा विकास खण्ड बिचपुरी जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री सुनील कुमार नाम सचिव रामबीर सिह

प्रस्तर–206–लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17में ग्राम पंचायत कर की कोषवही में आमद नही दर्शाई गई जवकी पंचायत कर के सापेक्ष जिला पंचायत/सहायक विकास अधिरकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 1000.00 दिनांक 20.03.2017 को कोषवही में दर्शाया गया है। अतः बसूल किये गये पंचायत कर को कोषवही में न दर्शाकर रू0 10000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रंधान श्री सुनील कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामबीर सिह से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–14**

165 ग्राम पंचायत का नाम – चौहटना विकास खण्ड बिचपुरी जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री देवेन्द्र सिह नाम सचिव बीजेन्द्र सिह

प्रस्तर–207–लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17में ग्राम पंचायत कर की कोषवही में आमद नही दर्शाई गई जवकी पंचायत कर के सापेक्ष जिला पंचायत/सहायक विकास अधिरकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 1000.00 दिनांक 16.03.2017 को कोषवही में दर्शाया गया है। अतः बसूल किये गये पंचायत कर को कोषवही में न दर्शाकर रू0

10000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रंधान श्री देवेन्द्र सिह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बीजेन्द्र सिह से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–14**

166 ग्राम पंचायत का नाम – सदरबन   विकास खण्ड बिचपुरी   जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री विवेक पाठक   नाम सचिव बीजेन्द्र सिह

प्रस्तर–208–लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17में ग्राम पंचायत कर की कोषवही में आमद नही दर्शाई गई जवकी पंचायत कर के सापेक्ष जिला पंचायत/सहायक विकास अधिरकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 1000.00 दिनांक 16.03.2017 को कोषवही में दर्शाया गया है। अतः बसूल किये गये पंचायत कर को कोषवही में न दर्शाकर रू0 10000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रंधान श्री विवेक पाठक व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बीजेन्द्र सिह से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–14**

167 ग्राम पंचायत का नाम – स्वामी   विकास खण्ड बिचपुरी

ग्राम प्रधान का नाम श्रीमती अनार देवी सचिव का नाम–श्री टी0सी0 शर्मा

प्रस्तर–209– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1148158.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनार देवी एवं सचिव श्री टी0सी0 शर्मा से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 857647.00
मजदूरी –	रू0 .187650.00
हैण्डपम्प–	रू0 31500.00
मिटटी भराव	रू0 4900.00
फर्नीचर्स/अन्य व्यय	रू0 66461.00
योग–	**रू0 .1148158.00**

(आप0 सं0 13)

168 ग्राम पंचायत का नाम – लालउ   विकास   खण्ड –अकोला

ग्राम प्रधान का नाम श्री शेरसिह सचिव का नाम–श्री राधेश्याम शर्मा

प्रस्तर–210– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 791366.50 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री शेरसिह एवं सचिव श्री राधेश्याम शर्मा से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री–	रू0 182507.00
मजदूरी –	रू0 117390.00
हैण्डपम्प–	रू0 107107.00
मिटटी भराव	रू0 –––––––
फर्नीचर्स/अन्य व्यय	रू0 384362.50
योग–	**रू0 791366.50**

(आप0 सं0 13)

169 ग्राम पंचायत का नाम – जिटौरा   विकास   खण्ड –अकोला

ग्राम प्रधान का नाम श्री बबलू सचिव का नाम–श्री बीरेन्द्र सिह

प्रस्तर–211– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 539750.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री बबलू एवं सचिव श्री बीरेन्द्र सिह से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री– रू0 221562.00

मजदूरी –　　　　　रू0 85036.00

हैण्डपम्प–　　　　　रू0 37756.00

फर्नीचर　　　　　रू0 22060.00

अन्य व्यय　　　　　रू0 147830.00

शोचालय　　　　　रू0 25506.00

योग– रू0 539750.00

(आप0 सं0 13)

170 ग्राम पंचायत का नाम – खेडाभगौर विकास खण्ड –अकोला

ग्राम प्रधान का नाम श्रीमती पुष्पा देवी सचिव का नाम–श्री भंवर सिह

प्रस्तर–212– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1892135.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान
श्रीमती पुष्पा देवी एवं सचिव श्री भवर सिह से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।
विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री– रू0 1228527.00

मजदूरी –　　　　　रू0 152497.00

हैण्डपम्प–　　　　　रू0 63160.00

फर्नीचर　　　　　रू0 16600.00

अन्य व्यय　　　　　रू0 86566.00

मिटटी भराव　　　　　रू0 50500.00

स्ट्रीट लाइट　　　　　रू0 294285.00

योग– रू0 1892135.00

(आप0 सं0 13)

171 ग्राम पंचायत का नाम – गहर्राखुर्द विकास खण्ड –अकोला

ग्राम प्रधान का नाम श्रीमती नीतू सिह सचिव का नाम–श्री चन्द्रभान रावत

प्रस्तर–213– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 1426872.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान
श्रीमती नीतूसिह एवं सचिव श्री चन्द्रभान रावत से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।
विवरण निम्न है–

भवन निर्माण सामग्री– रू0 943472.00

मजदूरी –　　　　　रू0 252750.00

हैण्डपम्प–　　　　　रू0 41280.00

फर्नीचर　　　　　रू0 ––––––

अन्य व्यय　　　　　रू0 61420.00

मिटटी भराव　　　　　रू0 ––––––

स्ट्रीट लाइट　　　　　रू0 127950.00

योग– रू0 1426872.00

(आप0 सं0 13)

172 ग्राम पंचायत का नाम – तेहरा रावत विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री धरमेन्द्र कुमार नाम सचिव भोरन सिह

प्रस्तर–214–लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17में ग्राम पंचायत कर की कोषवही में आमद नही दर्शाई गई जवकी पंचायत कर के सापेक्ष जिला पंचायत/सहायक विकास अधिरकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 1000.00 कोषवही में दर्शाया गया है। अतः बसूल किये गये पंचायत कर को कोषबही में न दर्शाकर रू0 10000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रंधान श्री धमेन्द्र कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–20**

173 ग्राम पंचायत का नाम – कराही विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती गीता देवी नाम सचिव वीरेन्द्र प्रथम

प्रस्तर–215–लेखापरीक्षावर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत कर की कोषवही में आमद नही दर्शाई गई जवकी पंचायत कर के सापेक्ष जिला पंचायत/सहायक विकास अधिरकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 1000.00 कोषवही में दर्शाया गया है। अतः बसूल किये गये पंचायत कर को कोषवही में न दर्शाकर रू0 10000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रंधान श्रीमती गीतादेवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रथम से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–19**

174 ग्राम पंचायत का नाम – चोमाशाहपुर विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती विधा देवी नाम सचिव नरेश कुमार सिधल

प्रस्तर–216–लेखापरीक्षावर्ष 2016–17में ग्राम पंचायत कर की कोषवही में आमद नही दर्शाई गई जवकी पंचायत कर के सापेक्ष जिला पंचायत/सहायक विकास अधिरकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 1000.00 कोषवही में दर्शाया गया है। अतः बसूल किये गये पंचायत कर को कोषवही में न दर्शाकर रू0 10000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रंधान श्रीमती विधा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार सिधल से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–20**

175 ग्राम पंचायत का नाम – ओलेण्डा विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती मिथलेश नाम सचिव भोरन सिह

प्रस्तर–217–लेखापरीक्षावर्ष2016–17में ग्राम पंचायत कर की कोषवही में आमद नही दर्शाई गई जबकि पंचायत कर के सापेक्ष जिला पंचायत/सहायक विकास अधिरकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 1000.00 कोषवही में दर्शाया गया है। अतः बसूल किये गये पंचायत कर को कोषवही में न दर्शाकर रू0 10000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रंधान श्रीमती मिथलेश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिह से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–20**

176 ग्राम पंचायत का नाम – सिकरौदा विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्री खजान सिह नाम सचिव जयकिशोर शर्मा

प्रस्तर–218–लेखापरीक्षावर्ष2016–17में ग्राम पंचायत कर की कोषवही में आमद नही दर्शाई गई जवकी पंचायत कर के सापेक्ष जिला पंचायत/सहायक विकास अधिरकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 1000.00 कोषवही में दर्शाया गया है। अतः बसूल किये गये पंचायत कर को कोषवही में न दर्शाकर रू0 10000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रंधान श्री खजान सिह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयकिशोर शर्मा से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–20**

179 ग्राम पंचायत का नाम – वानपुर विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्री किशन सिह नाम सचिव सुरेन्द्र सिंह भदोरियॉ

प्रस्तर–219–लेखापरीक्षावर्ष2016–17में ग्राम पंचायत कर की कोषवही में आमद नही दर्शाई गई जवकी पंचायत कर के सापेक्ष जिला पंचायत/सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 1000.00 कोषवही में दर्शाया गया है। अतः बसूल किये गये पंचायत कर को कोषवही में न दर्शाकर रू0 10000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रंधान श्री किशन सिह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिह भदोरिया से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–20**

180ग्राम पंचायत का नाम – सूरौठी विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती बीना नाम सचिव विजय सिह कटियार

प्रस्तर–220–लेखापरीक्षावर्ष 2016–17में ग्राम पंचायत कर की कोषवही में आमद नही दर्शाई गई जवकी पंचायत कर के सापेक्ष जिला पंचायत/सहायक विकास अधिरकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 1000.00 कोषवही में दर्शाया गया है। अतः बसूल किये गये पंचायत कर को कोषवही में न दर्शाकर रू0 10000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रंधान श्रीमती वीना व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय सिह कटियार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–20**

181 ग्राम पंचायत का नाम – महदउ विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्री भीकमसिह नाम सचिव नरेश कुमार सिधल

प्रस्तर–221–लेखापरीक्षावर्ष 2016–17में ग्राम पंचायत कर की कोषवही में आमद नही दर्शाई गई जवकी पंचायत कर के सापेक्ष जिला पंचायत/सहायक विकास अधिरकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 1000.00

कोषवही में दर्शाया गया है। अतः बसूल किये गये पंचायत कर को कोषवही में न दर्शाकर रू0 10000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री भीकम सिह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार सिह से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–20**

182.ग्राम पंचायत का नाम– तरासो विकास खण्ड बाह जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री मुन्नी लाल नाम सचिव श्री शशी शेखर दुवे वर्तमान

प्रस्तर–222–लेखापरीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि खाते में व्याज के रूप में रू0 18897.00 की आय हुई थी प्रधान/सचिव द्वारा व्याज के रूप में प्राप्त धनराशि का प्रयोग निजी आय मानते हुऐ विकास कार्य/अन्य कार्य में अनियमित रूप से किया गया है जबकि शासनादेश संख्या 10/2015/ए–17 –502(एम)/दस–2015 –10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुपालन में इसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिऐ था अतः इस धनराशि को तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराई जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 15)**

183.ग्राम पंचायत का नाम– जरार विकास खण्ड वाह जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्रीमती सध्या सिह नाम सचिव श्री इन्द्रेश सिंह

प्रस्तर–223– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि खाते में व्याज के रूप में रू0 168523.00 की आय हुई थी जिसे राजकीय कोषागार में जमा न कराकर गम्भीर अनियमितता की गई है जबकि शासनादेश संख्या 10/2015/ए–17–502(एम)/दस –2015 –10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुपालन में इसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिऐ था अतः इस धनराशि को तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराई जानी अपेक्षित है । **(आप0 सं0 15)**

184.ग्राम पंचायत का नाम– बिजौली विकास खण्ड वाह जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्रीमती मीना देवी नाम सचिव श्री सौरभ यादव वर्तमान

प्रस्तर–224– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि खाते में व्याज के रूप में रू0 123362.00 की आय हुई थी जिसे राजकीय कोषागार में जमा न कराकर गम्भीर अनियमितता की गई है जबकि शासनादेश संख्या 10/2015/ए–17 –502(एम)/ दस–2015 –10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुपालन में इसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिऐ था अतः इस धनराशि को तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराई जानी अपेक्षित है । **(आप0 सं0 15)**

185.ग्राम पंचायत का नाम– जैबरा विकास खण्ड वाह जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री कलियान सिह नाम सचिव श्री गौरव यादव वर्तमान

प्रस्तर–225–लेखापरीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि खाते में व्याज के रूप में रू0 24745.00 की आय हुई थी प्रधान/सचिव द्वारा व्याज के रूप में प्राप्त धनराशि का प्रयोग निजी आय मानते हुऐ विकास कार्य /अन्य कार्य में अनियमित रूप से किया गया है एवं दिनांक 31.03.2017 को ग्राम निधि खाते में रू0 8358.00 मात्र शेष था जबकि शा0देश सं0 10/ 2015/ए–17 –502(एम)/दस–2015 –10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुपालन में इसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिऐ था अतः इस धनराशि को तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराई जानी अपेक्षित है । **(आप0 सं0 15)**

186.ग्राम पंचायत का नाम– पडकौली विकास खण्ड वाह जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री रामदत्ता नाम सचिव श्री श्याम प्रकाश

प्रस्तर–226–लेखापरीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि खाते में व्याज के रूप में रू0 14486.00 की आय हुई थी प्रधान/सचिव द्वारा व्याज के रूप में प्राप्त धनराशि का प्रयोग निजी आय मानते हुऐ विकास कार्य/अन्य कार्य में अनियमित रूप से किया गया है एवं दि0 31.03.2017 को ग्राम निधि खाते में रू0 2084.00 मात्र शेष था जबकि शा0सं0 10/015/ ए–17 –502(एम)/दस–2015 –10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुपालन में इसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिऐ था अतः इस धनराशि को तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराई जानी अपेक्षित है । **(आप0 सं0 15)**

187. ग्राम पंचायत का नाम– रैपुरा भदोरिया विकास खण्ड वाह जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री महाराज सिह नाम सचिव श्री शिवप्रताप तौमर

प्रस्तर–227– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.04.2015 को तत्कालीन प्रधान श्री महाराज सिहं पर रू0 55203.00 रोकड शेष कोषवही में दर्शित थी जिसकी बसूली हेतु कैशबुक के अनुसार नोटिस भी तामील कराया गया

था लेकिन बसूली नहीं हो सकी। अतः धनराशि रू0 55302.00 की ब्याज सहित बसूली श्री महाराज सिह प्रधान एव सचिब श्री शिव प्रताप तोमर से की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 15)**

188. ग्राम पंचायत का नाम– आयेला विकास खण्ड खेरागढ

नाम प्रधान– श्रीमती राधादेवी नाम सचिव श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी जनपदआगरा

प्रस्तर–228 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में प्रियासाफ्ट पर दर्शित व्यय रू0 4889644.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं सचिव श्री रामेश्वर प्रसाद तिवरी से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 02)**

189. ग्राम पंचायत का नाम– सौन विकास खण्ड खेरागढ

नाम प्रधान– श्रीमती अनुराधा नाम सचिव श्री नेमी चन्द जनपद आगरा

प्रस्तर–229 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में प्रियासाफ्ट पर दर्शित व्यय रू0 1407768.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती अनुराधा एवं सचिव श्री नेमी चन्द से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 02)**

190. ग्राम पंचायत का नाम– सितौली विकास खण्ड खेरागढ

नाम प्रधान– श्री देव प्रकाश नाम सचिव श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी जनपद आगरा

प्रस्तर–230 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में प्रियासाफ्ट पर दर्शित व्यय रू0 1514817.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री देव प्रकाश एवं सचिव श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 02)**

191. ग्राम पंचायत का नाम– दनकसा विकास खण्ड खेरागढ

नाम प्रधान– श्री रामकुमार नाम सचिव श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी जनपद आगरा

प्रस्तर–231 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में प्रियासाफ्ट पर दर्शित व्यय रू0 1604577.68 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री रामकुमार एवं सचिव श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 02)**

192. ग्राम पंचायत का नाम– महुआखेडा विकास खण्ड खेरागढ

नाम प्रधान– श्रीमती अनीता सचिव श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी जनपद आगरा

प्रस्तर–232 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में प्रियासाफ्ट पर दर्शित व्यय रू0 1335586.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं सचिव श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 02)**

193. ग्राम पंचायत का नाम– गढी उदयराज विकास खण्ड फतेहाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान– श्री अवधपाल नाम सचिव श्री मनोज लोधी

प्रस्तर–233– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 28368.93 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्शित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री अवधपाल एवं सचिव श्री मनोज लोधी से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न है–

खड़ंजा नाली / मिटटीकार्य रू0 17582.00

कुड़ागाडी रू0 5800.00
अन्य रू0 2186.93
नारे लेखन रू0 2800.00

योग— रू0 28368.93.00 **(आप0 सं0 18)**

प्रस्तर—234— आलोच्य वर्ष 2016—17 में ग्राम पंचायत द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान पर रू0 27906.00 की प्राप्ति ब्याज के मद में हुई है जिसे शासनादेश संख्या 10/2015/ए—1—502(1)/दस—2015—10—(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के द्वारा प्राप्त व्याज राज्य सरकार की आय मानी गई है अतः अर्जित व्याज को बैक से बसूल कर उक्त धनराशि रू0 27506.00 को राजकीय कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है। **(आप0सं016)**

194. ग्राम पंचायत का नाम— खण्डेरं विकास खण्ड फतेहाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान— श्रीमती गीता देवी नाम सचिव श्री मनोज उपाध्याय

प्रस्तर—235— लेखा परीक्षा वर्ष **2015—16** में दर्शित व्यय रू0 1440467.98 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्षित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं सचिव श्री मनोज उपाध्याय से आधी—आधी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है—

भवन निर्माण सामि0 रू0 854670.00
खडजा /नाली मजदूरी रू0 314700.00
हैण्डपम्प रू0 246400.00
अन्य /प्रशासनिक व्यय रू0 9697.98
मानदेय रू0 15000.00

योग— रू0 1440467.98 **(आप0सं0 18)**

195. ग्राम पंचायत का नाम— निवोहरा विकास खण्ड फतेहाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान— श्रीमती कमला देवी नाम सचिव श्री सुरेश गौतम

प्रस्तर—236— लेखा परीक्षा वर्ष 2016—17 में ग्राम निधि खाता संख्या 3639000100061380 की बैंक पास बुक के अनुसार कुल रू0 2753978.93 आहरित किया गया जबकि कैशबुक में कुल रू0 2743978.93 व्यय दर्शाया गया है यह धनराशि प्रधान के पास नगद भी दर्शाई गई है अतः स्पष्टतह इस धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं सचिव श्री सुरेश गौतम द्वारा किया गया है जिसकी प्रधान श्रीमती कमला देषे एवं सचिव श्री सुरेश गौतम से आधी—आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 21)**

प्रस्तर—237— आलोच्य वर्ष 2016—17 में ग्राम पंचायत द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान पर रू0 53883.00 की प्राप्ति व्याज के मद में हुई है जिसे शासनादेश संख्या 10/2015/ए—1—502(1)/दस—2015—10—(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के द्वारा प्राप्त व्याज राज्य सरकार की आय मानी गई है अतः अर्जित व्याज को बैक से बसूल कर उक्त धनराशि रू0 53883.00 को राजकीय कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है। **(आप0सं016)**

196. ग्राम पंचायत का नाम— लोहिया उझावली विकास खण्ड फतेहाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान— सुश्री मिथलेश नाम सचिव श्री रमेश त्यागी/ श्री सुरेश गौतम

प्रस्तर—238— लेखा परीक्षा वर्ष 2016—17 में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर का रू0 2000.00 दिनांक 02.03.2017 को डी0पी0आर0ओ0 को भुगतान किया गया है जो पंचायत कर बसूली का 10 प्रतिशत होता है इस प्रकार रू0 20000.00 की बसूली की धनराशि कैशबुक में दर्ज न कर रू0 20000.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सु0श्री मिथलेश एवं सचिव श्री रमेश त्यागी एवं श्री सुरेश गौतम से की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 20)**

प्रस्तर—239— वर्ष 2016—17 मे ग्राम पंचायत द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान पर रू0 17303.00 ब्याज प्राप्त हुआ है जिसे शासनादेश संख्या 10/2015/ए—1—502(एक)/ दस—2015—10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के द्वारा राज्य सरकार की आय मानी गयी है। अतः धनराशी रू0 17303.00 को शासनादेश के अनुसार राजकीय कोषागार मे जमा किया जाना अपेक्षित है। **(आप0 सं0 19)**

197. ग्राम पंचायत का नाम— स्वारा विकास खण्ड फतेहाबाद जनपद आगरा

नाम प्रधान— श्री हरीओम नाम सचिव श्री मनोज उपाध्याय

प्रस्तर—240— लेखा परीक्षा वर्ष 2016—17 में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर का रू0 2000.00 दिनांक 20.01.2017 को चैक संख्या— 411367 के द्वारा डी0पी0आर0ओ0 को भुगतान किया गया है जो पंचायत कर वसूली का 10 प्रतिशत होता है इस प्रकार रू0 20000.00 की बसूली की धनराशि कैशबुक में दर्ज न कर रू0 20000.00 का अपहरण किया गया है जिसकी बसूली ग्राम प्रधान श्री हरीओम एवं सचिव श्री मनोज उपाध्याय से आधी—आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 21)**

प्रस्तर—241— वर्ष 2016—17 मे ग्राम पंचायत द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान पर रू0 20600.00 ब्याज प्राप्त हुआ है जिसे शा0सं0 10/2015/ए—1—502(एक)/दस—2015—10 (33) /2010 दिनांक 29.05.2015 के द्वारा राज्य सरकार की आय मानी गयी है। अतः धनराशि रू0 20600.00 को शासनादेश के अनुसार राजकीय कोषागार मे जमा किया जाना अपेक्षित है। **(आप0 सं0 16)**

198. ग्राम पंचायत का नाम– बृथला विकास खण्ड सैंया जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती राजाबेटी नाम सचिव श्री चन्द्रशेखर
प्रस्तर–242– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दर्षित व्यय रू0 1751953.00 पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार दर्षित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजाबेटी एवं सचिव श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित है।
विवरण निम्न है–

हैण्डपम्प श्रम व सामग्री	रू0 131250.00
निर्माण सामग्री	रू0 963574.00
निर्माण श्रम	रू0 263205.00
मानदेय	रू0 30000.00
अन्य	रू0 21250.00
टाइल्स	रू0 342674.00
योग–	**रू0 1751953.00**

(आप0 सं0 15)

199. ग्राम पंचायत का नाम– आहरन विकास खण्ड ऐत्मादपुर जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती सुमन आनन्द नाम सचिव श्री नरेन्द्र कुमार
प्रस्तर–243– लेखा परीक्षा **वर्ष 2016–17** में दिनांक 30.04.2016 ग्राम पंचायत के द्वारा पैठ की नीलामी रू0 50,000.00 में करनी दर्शाई गई है परन्तु रू0 50,000.00 के सापेक्ष पत्र रू0 35000.00 ही लेखा परीक्षा में प्राप्त करना दर्शाया गया है रू0 15000.00 की बसूली लेखा परीक्षा तिथि तक नहीं की गई जो की जानी आवश्यक थी अतः रू0 15000.00 की बसूली प्रधान श्रीमती सुमन आनन्द व सचिव श्री नरेन्द्र कुमार से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 19)**
प्रस्तर–244– लेखा परीक्षा **वर्ष 2016–17** में अनुदान से प्राप्त व्याज की धनराशि रू0 163199.00 राजकीय कोषागार में जमानकर के गम्भीर अनियमितता की गई हैं।
अतः शासनादेश संख्या10/2015/ए–1–502(एक)/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार व्याज की धनराशि राजकीय आय माने जाने के कारण रू0 163199.00 राजकीय कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 14)**

200. ग्राम पंचायत का नाम– बिरूनी विकास खण्ड ऐत्मादपुर जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती कुसुम लता नाम सचिव श्री योगेन्द्र पाल सिह
प्रस्तर–245– लेखा परीक्षा **वर्ष 2016–17** में अनुदान से प्राप्त व्याज की धनराशि रू0 10200.00 राजकीय कोषागार में जमान कर के गम्भीर अनियमितता की गई है
अतः शासना देश संख्या10/2015/ए–1–502(एक)/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार व्याज की धनराशि राजकीय आय माने जाने के कारण रू0 10200.00 राजकीय कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त धनराशि राजकीय कोषागार में जमा न कर स्वयं के विकास कार्यो में सीधे ही व्यय कर दी गई है दिनांक 31.03.2017 ग्राम निधि खातें में रू0 7129.88 शेष पाया गया इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा रू0 3660.12 उपभोग करते हुऐ गम्भीर अनियमितता की गई है। इस प्राकार रू0 10200.00 राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(आप0 सं0 14)**

201. ग्राम पंचायत का नाम– नगला वेल विकास खण्ड ऐत्मादपुर जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्री धर्मध्वज सिह नाम सचिव श्री निन्नूराम
प्रस्तर–246– लेखा परीक्षा **वर्ष 2016–17** में अनुदान से प्राप्त व्याज की धनराशि रू0 41908.00 राजकीय कोषागार में जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गई है।
अतः शासनादेश संख्या10/2015/ए–1–502(एक)/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार व्याज की धनराशि राजकीय आय माने जाने के कारण रू0 41908.00 राजकीय कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त धनराशि राजकीय कोषागार में जमा न कर स्वयं के विकास कार्यो में सीधे ही व्यय कर दी गई है दिनांक 31.03.2017 ग्राम निधि खातें में रू0 18099.19 शेष पाया गया इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा रू0 23808.81 उपभोग करते हुऐ गम्भीर अनियमितता की गई है। इस प्राकार रू0 41908.00 राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(आप0 सं0 14)**

202. ग्राम पंचायत का नाम– सौरई विकास खण्ड खंन्दौली जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती शशी देवी नाम सचिव श्री सुरेश चन्द्र गौतम
प्रस्तर–247– लेखा परीक्षा **वर्ष 2015–16** में दर्षित व्यय रू0 460713.98 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर–08 (क) के अनुसार दर्षित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शशी देवी एवं सचिव श्री सुरेंश चन्द्र गौतम से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

हैण्डपम्प मरम्मत सा0 पर व्यय	रू0 6400.00
सी.सी. रोढ खंरजा नाली सा0 पर व्यय	रू0 314062.00

,, ,, ,, ,, मजदूरी व्यय रू0 90114.00
मिटटी कार्य पर व्यय रू0 21000.00
समस्त ग्राम पंचायत में सफाई पर व्यय रू0 11270.00
प्रधान को दिया गया मानदेय पर वयय रू0 17500.00
अन्य व्यय रू0 367.98
कुल योग रू0 460713.98 **(आप0 सं0 02)**

203. ग्राम पंचायत का नाम– रूपधनू विकास खण्ड खंन्दौली जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्री अनिल कुमार नाम सचिव श्री कमल सिंह

प्रस्तर–248– लेखा परीक्षा **वर्ष 2015–16** में दर्षित व्यय रू0 216172.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर–08 (क) के अनुसार दर्षित व्यय को गबन मानते हुऐ उक्त धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार एवं सचिव श्री कमल सिंह से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

हैण्डपम्प मरम्मत सा0 पर व्यय रू0 35900.00
सी.सी. रोढ खंरजा नाली सा0 पर व्यय रू0 141396.00
,, ,, ,, ,, मजदूरी व्यय रू0 7600.00
मिटटी कार्य पर व्यय रू0 3000.00
समस्त ग्राम पंचायत में सफाई पर व्यय रू0 00.00
प्रधान को दिया गया मानदेय पर वयय रू0 15000.00
अन्य व्यय रू0 13276.00
कुल योग रू0 216172.00 **(आप0 सं0 02)**

204. ग्राम पंचायत का नाम– रूपधनू विकास खण्ड खंन्दौली जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्री सुल्तान सिंह चौहान नाम सचिव श्री कमल सिंह

प्रस्तर–249– लेखा परीक्षा **वर्ष 2016–17** में दर्षित व्यय रू0 1062902.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर–08 (क) के अनुसार दर्षित व्यय को गवन मानते हुऐ उक्त धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान श्री सुल्तान सिंह चौहान एवं सचिव श्री कमल सिंह से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

हैण्डपम्प मरम्मत सा0 पर व्यय रू0 243300.00
हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी पर व्यय रू0 11250.00
सी.सी. रोढ खंरजा नाली सा0 पर व्यय रू0 515769.00
,, ,, ,, ,, मजदूरी व्यय रू0 118560.00
मिटटी कार्य पर व्यय रू0 18000.00
समस्त ग्राम पंचायत में सफाई पर व्यय रू0 24180.00
प्रधान को दिया गया मानदेय पर वयय रू0 35000.00
अन्य व्यय रू0 32868.00
स्टीट लाइट सामग्री कय पर व्यय रू0 63975.00

कुल योग रू0 1062902.00 (आप0 सं0 02)

205. ग्राम पंचायत का नाम– गदपुरा विकास खण्ड खंन्दौली जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्री सुरेन्द्र सिंह नाम सचिव श्री पप्पूसिंह आंनद

प्रस्तर–250– लेखा परीक्षा **वर्ष 2016–17** में दर्षित व्यय रू0 688960.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर–08 (क) के अनुसार दर्षित व्यय को गबन मानते हुऐ उक्त धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह नाम सचिव श्री पप्पूसिंह आंनद से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

हैण्डपम्प मरम्मत सा0 पर व्यय रू0 81493.00
हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी पर व्यय रू0 55800.00
सी.सी. रोढ खंरजा नाली सा0 पर व्यय रू0 337662.00
,, ,, ,, ,, मजदूरी व्यय रू0 70750.00
मिटटी कार्य पर व्यय रू0 00.00
समस्त ग्राम पंचायत में सफाई पर व्यय रू0 74280.00
प्रधान को दिया गया मानदेय पर वयय रू0 22500.00
अन्य व्यय रू0 46475.00
स्टीट लाइट सामग्री कय पर व्यय रू0 00.00

कुल योग रू0 688960.00 (आप0 सं0 02)

206. ग्राम पंचायत का नाम– चौकडा विकास खण्ड खन्दौली जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती गीता देवी नाम सचिव श्री राम विलास
प्रस्तर–251– लेखा परीक्षा **वर्ष 2016–17** में दर्षित व्यय रू0 328480.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः वित्त एवं लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर–08 (क) के अनुसार दर्षित व्यय को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी नाम सचिव श्री राम विलास से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

हैण्डपम्प मरम्मत सा0 पर व्यय रू0 303300.00
हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी पर व्यय रू0 00.00
टी.टी.एस.पी. मरम्मत कार्य पर व्यय रू0 25180.00
कुल योग रू0 328480.00 (आप0 सं0 16)

प्रस्तर–252– लेखा परीक्षा **वर्ष 2016–17** में अनुदान से प्राप्त ब्याज की धनराशि रू0 29221.00 राजकीय कोषागार में जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गई है
अतः शासनादेश संख्या10/2015/ए–1–502(एक)/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार व्याज की धनराशि राजकीय आय माने जाने के कारण रू0 29221.00 राजकीय कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 17)**

207 ग्राम पंचायत का नाम– धौर्रा विकास खण्ड खंन्दौली जनपद आगरा
नाम प्रधान– श्रीमती नीतू नाम सचिव श्री राजवीर सिंह
प्रस्तर–253– लेखा परीक्षा **वर्ष 2016–17** में ग्राम पंचायत धौर्रा में कैश बुक व बैंक पास बुक के अनुसार माह जून के आय पक्ष में प्रारम्भिक शेष सहित कुल आय रू0 80535.00 व व्यय पक्ष में कुल व्यय रू0 78765.00 तथा अन्तिम शेष रू0 1770.00 दर्षित किया गया है जबकि लेखा परीक्षा अनुसार माह जून के आय पक्ष में प्रारम्भिक शेष सहित कुल आय रू0 88535.00व व्यय पक्ष में कुल व्यय रू0 78765.00 तथा अन्तिम शेष रू0 9770.00 होना चाहिऐ था इस प्रकार रू0 9770.00 में से रू0 1770.00 घटाने पर अन्तिम शेष रू0 8000.00 को कम दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है इसी प्रकार माह जुलाई में आय पक्ष के प्रारम्भिक शेष सहित कुल आय रू0 424217.00 व कुल व्यय रू0 423560.00 एवं अन्तिम शेष रू0 710.00 दर्षित किया गया है जबकि लेखा परीक्षा अनुसार आय पक्ष का प्रारम्भिक शेष सहित कुल आय रू0 425987.00 व व्यय पक्ष में का कुल व्यय रू0 423507.00 तथा अन्तिम शेष रू0 2480.00 होना चाहिए था इस प्रकार रू0 2480.00 में से रू0 710.00 घटाने पर रू0 1770.00 से धनराशि कम दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है इस प्रकार माह जून एवं जुलाई की कुल रू0 9770.00 की अपहरण की धनराशि आधी–आधी प्रधान श्रीमती नीतू एवं सचिव श्री राजबीर सिह से ब्याज सहित बसूल की जानी अपेक्षित है।**(आप0 सं0 20)**

प्रस्तर–254– लेखा परीक्षा **वर्ष 2016–17** में अनुदान से प्राप्त ब्याज की धनराशि रू0 79167.00 राजकीय कोषागार में जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गई है
अतः शासनादेश संख्या10/2015/ए–1–502(एक)/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार व्याज की धनराशि राजकीय आय माने जाने के कारण रू0 79167.00 राजकीय कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है। **(आप0 सं0 16)**

वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17

जनपद–मथुरा मंडल–आगरा

01. ग्राम पंचायत रावल विकास खण्ड बल्देव जनपद मथुरा।
प्रस्तर 01– ग्राम पंचायत रावल द्वारा वर्ष 2014–15 में प्राप्त धनराशि से **999511** रू0 व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। व्यय का विवरण निम्न है।

मद	रू0
सामग्री	730845
मजदूरी	67656
मिटटी कार्य	117810
हैण्डपंप	65000
मानदेय	16000
अन्य	2200
योग	999511

अतः अपहरण की धनराशि रू0 999511 ग्रम पंचायत प्रधान श्री जगदीश प्रसाद एंव ग्रम पंचायत सचिव श्री सुरेश कुमार से आधी–आधी धनराशि की वसूली निर्धारित ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

02. ग्राम पंचायत जगदीशपुर विकास खण्ड बल्देव जनपद मथुरा
प्रस्तर 02– वर्ष 2015–16 में दिनॉक 22.03.2016 को चैक नम्बर 52402 से रू0 25000 का आहरण बैंक से किया गया जिसे कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया अतः रू0 25000 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नेकसी व सचिव श्री हरपाल सिंह से आधी–आधी धनराशि की वसूली निर्धारित ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

03. ग्राम पंचायत जटौरा विकास खण्ड बल्देव जनपद मथुरा।

प्रस्तर 03– ग्राम पंचायत जटौरा वर्ष 2015–16 में संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय संबंधी अभिलेख ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है, व्यय का विवरण निम्न है।

सामग्री	मजदूरी	हैण्डपम्प	मिटटी कार्य	मानदेय	अन्य	योग
141590	19118	22340	2415	25000	1664.50	212127.50

अतः अपहरण की धनराशि रू0 212127.50 ग्राम प्रधान श्रीमती भूदेवी व सचिव श्री रघुवीर सिंह से आधी–आधी धनराशि की वसूली निर्धारित ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 04– ग्राम पंचायत जटौरा वर्ष 2016–17 में संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय संबंधी अभिलेख ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है, व्यय का विवरण निम्न है।

सामग्री	मजदूरी	हैण्डपम्प	मानदेय	अन्य	योग
23500	7650	28060	22500	11827	93537

अतः अपहरण की धनराशि रू0 93537 ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज कुमारी व सचिव श्री हर्ष से आधी–आधी धनराशि की वसूली निर्धारित ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

04. ग्राम पंचायत सराय सालवाहन विकास खण्ड बल्देव जनपद मथुरा।

प्रस्तर 05– वर्ष 2014–15 में प्राप्त धनराशि से 447813 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत , कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। अतः अपहरण की धनराशि रू0 447813 की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्री कालीचरण एंव ग्राम पंचायत सचिव श्री नानक राम से आधी–आधी निर्धारित ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

05. ग्राम पंचायत कंजौली घाट विकास खण्ड बल्देव जनपद मथुरा।

प्रस्तर 06– वर्ष 2014–15 में प्राप्त धनराशि से रू0 1085384 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। अतः अपहरण की धनराशि रू0 1085384 की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्री श्रीनिवास एंव ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश यादव से आधी–आधी निर्धारित ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

06. ग्राम पंचायत पटलौनी विकास खण्ड बल्देव जनपद मथुरा।

प्रस्तर 07– वर्ष 2014–15 में प्राप्त धनराशि से रू0 1359438 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। अतः अपहरण की धनराशि रू0 1359438 की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्री उदयवीर सिंह एंव ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश यादव से आधी–आधी निर्धारित ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

07. ग्राम पंचायत हथौडा विकास खण्ड बल्देव जनपद मथुरा।

प्रस्तर 08– वर्ष 2014–15 में प्राप्त धनराशि से रू0 853784 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। अतः अपहरण की धनराशि रू0 853784 की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती विरमा देवी एंव ग्राम पंचायत सचिव श्री हरपाल सिंह से आधी–आधी निर्धारित ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

08. ग्राम पंचायत सेलखेडा विकास खण्ड बल्देव जनपद मथुरा।

प्रस्तर 09– वर्ष 2015–16 में प्राप्त धनराशि से रू0 205976 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। व्यय का मदवार विवरण निम्न है।

सामग्री	मजदूरी	मिटटी कार्य	हैण्डपम्प	मानदेय	अन्य	योग
78000	26400	14500	60400	20000	6676	205976

अतः अपहरण की धनराशि रू0 205976 ग्राम पंचायत प्रधान श्री मूलचंद एव ग्राम पंचायत सचिव श्री राम सनेही लाल से आधी–आधी धनराशि की वसूली प्रचलित दर से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

09. ग्राम पंचायत शाहपुर बांगर विकास खण्ड बल्देव जनपद मथुरा।

प्रस्तर 10– वर्ष 2014–15 में प्राप्त धनराशि से रू0 462320 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। व्यय का मदवार विवरण निम्न है।

सामग्री	मजदूरी	मिटटी कार्य	हैण्डपम्प	अन्य	योग
345562	23268	40940	48150	4400	462320

अतः अपहरण की धनराशि रू0 462320 ग्राम पंचायत प्रधान श्री बृजमोहन एव ग्राम पंचायत सचिव श्री हरपाल से आधी–आधी धनराशि की वसूली प्रचलित दर से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

10. ग्राम पंचायत दौलतपुर विकास खण्ड गोवर्धन जनपद मथुरा।

प्रस्तर 11– वर्ष 2015–16 में हैण्डपम्प पर रू0 16978 व्यय किया गया, जिसके संबंध में व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः हैण्डपम्प पर व्यय की धनराशि रू0 16978 को अपहरण मानते हुये ग्राम पंचायत प्रधान श्री जाकिर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री यतिन शर्मा से आधी–आधी धनराशि की वसूली निर्धारित ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

11. ग्राम पंचायत नगला अबुआ विकास खण्ड फरह जनपद मथुरा।

प्रस्तर 12– वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 109743 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। व्यय का मदवार विवरण निम्न है।

सामग्री	मजदूरी	हैण्डपम्प	अन्य खर्च	योग
20100	5000	19800	64843	109743

अतः अपहरण की धनराशि रू0 109743 ग्राम पंचायत प्रधान श्री हरि सिंह एव ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेंद पाल सिंह से ब्याज सहित संपूर्ण धनराशि वसूली योग्य है।

12. ग्राम पंचायत शाहपुर खैरट विकास खण्ड फरह जनपद मथुरा।

प्रस्तर 13– वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 727519 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। व्यय का मदवार विवरण निम्न है।

सामग्री	मजदूरी / टैन्डर	हैण्डपम्प	अन्य खर्च	योग
135052	570110	15040	7317	727519

अतः अपहरण की धनराशि रू0 727519 ग्राम पंचायत प्रधान श्री लाखन सिंह एव ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रशांत कुमार से ब्याज सहित संपूर्ण धनराशि वसूली योग्य है।

13. ग्राम पंचायत चौकीपुर कलां विकास खण्ड फरह जनपद मथुरा।

प्रस्तर 14– वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि VI में 162 चैक शौचालय निर्माण के मद में जारी किये गये । उक्त 162 चैकों के सापेक्ष न तो कोई चैक पावती लिस्ट कार्य योजना रजिस्टर में स्वीकृति, निर्माणाधीन शौचालय के समय के अवलोकन की रिपोर्ट, निर्माणाधीन शौचालय के समय के अवलोकन के समय के फोटोग्राफ (लाभार्थी के साथ) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो गंभीर आपत्ति का विषय है। अतः अपहरण की धनराशि रू0 972000 की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्री पदम सिंह एव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेंद पाल से आधी–आधी ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

14. ग्राम पंचायत विसू विकास खण्ड फरह जनपद मथुरा।

प्रस्तर 15– वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 611734 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। व्यय का मदवार विवरण निम्न है।

सामग्री	मजदूरी / टैन्डर	हैण्डपम्प	अन्य खर्च	योग
90000	421680	41000	59054	611734

अतः अपहरण की धनराशि रू0 611734 ग्राम पंचायत प्रधान श्री धर्म सिंह एव ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रशांत कुमार से आधी–आधी ब्याज सहित संपूर्ण धनराशि वसूली योग्य है।

15. ग्राम पंचायत मखदूम विकास खण्ड फरह जनपद मथुरा।

प्रस्तर 16– वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रू0 931987 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। व्यय का मदवार विवरण निम्न है–

सामग्री	मजदूरी / टैन्डर	हैण्डपम्प	अन्य खर्च	योग
122029	684840	28000	97118	931987

अतः अपहरण की धनराशि रू0 931987 श्रीमती मछला एव ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रशांत कुमार से आधी–आधी ब्याज सहित संपूर्ण धनराशि वसूली योग्य है।

16. ग्राम पंचायत अस्तौली विकास खण्ड चौमुॅहा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 17– वर्ष 2016–17 में प्राप्त अनुदान में से रू0 34670 के किये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे व्यय वाउचर, स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत , कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये विवरण निम्न है–

हैण्डपम्प पर व्यय	34670

अतः अपहरण की धनराशि रू0 34670 ग्राम पंचायत प्रधान श्री धर्म वीर सिंह एव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास उपाध्याय से मय ब्याज के वसूली की जानी अपेक्षित है।

17. ग्राम पंचायत अगरयाला विकास खण्ड चौमुॅहा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 1– वर्ष 2016–17 में प्राप्त अनुदान में से रू0 114802 के किये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे व्यय वाउचर, स्वीकृत कार्ययोजना, आगणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये विवरण निम्न है–

मिटटी का भुगतान	हैण्डपम्प पर व्यय	योग
63076	51726	114802

अतः अपहरण की धनराशि रू0 114802 की ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती माया देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास उपाध्याय से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

18. ग्राम पंचायत आझई विकास खण्ड चौमुॅहा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 1– वर्ष 2016–17 में प्राप्त अनुदान में से रू0 100119 के किये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे व्यय वाउचर, स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये विवरण निम्न है–

मिटटी का भुगतान	हैण्डपम्प पर व्यय	योग
48400	51719	100119

अतः अपहरण की धनराशि रू0 100119 की ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती श्रीदेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णु शर्मा से मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

19. ग्राम पंचायत बाजना विकास खण्ड चौमुॅहा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 1– वर्ष 2016–17 में प्राप्त अनुदान में से रू0 5500 के किये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे व्यय वाउचर, स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये विवरण निम्न है–

हैण्डपम्प पर व्यय	5500

अतः अपहरण की धनराशि रू0 5500 ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सुनीता एव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णु शर्मा से मय ब्याज के वसूली की जानी अपेक्षित है।

20. ग्राम पंचायत बसई बुजुर्ग विकास खण्ड चौमुॅहा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 1– वर्ष 2016–17 में प्राप्त अनुदान में से रू0 15760 के किये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे व्यय वाउचर, स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये विवरण निम्न है–

हैण्डपम्प पर व्यय	15760

अतः अपहरण की धनराशि रू0 15760 ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती धर्मिष्ठा एव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दाउदयाल पाठक से मय ब्याज के वसूली की जानी अपेक्षित है।

21. ग्राम पंचायत भरनाकलॉ विकास खण्ड चौमुॅहा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 1– वर्ष 2016–17 में प्राप्त अनुदान में से रू0 110800 के किये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे व्यय वाउचर, स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये विवरण निम्न है–

मिटटी का भुगतान	हैण्डपम्प पर व्यय	योग
10800	100000	110800

अतः अपहरण की धनराशि रू0 110800 की ग्राम पंचायत प्रधान श्री गनपति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश चन्द्र शर्मा से मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

22. ग्राम पंचायत बिलौडा विकास खण्ड चौमुॅहा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 1– वर्ष 2016–17 में प्राप्त अनुदान में से रू0 39685 के किये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे व्यय वाउचर, स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये विवरण निम्न है–

हैण्डपम्प पर व्यय	39685

अतः अपहरण की धनराशि रू0 39685 ग्राम पंचायत प्रधान श्री धर्मवीर सिंह एव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास उपाध्याय से मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

23. ग्राम पंचायत नरी विकास खण्ड चौमुॅहा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 1– वर्ष 2016–17 में प्राप्त अनुदान में से रू0 2468700.51 के किये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे व्यय वाउचर, स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये विवरण निम्न है–

निर्माण कार्यो पर व्यय	2468700.51

अतः अपहरण की धनराशि रू0 2468700.51 ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती जमुना देवी एव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णु शर्मा से मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

24. ग्राम पंचायत नौगांव विकास खण्ड चौमुॅहा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 1– वर्ष 2016–17 में प्राप्त अनुदान में से रू0 181800 के किये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे व्यय वाउचर, स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये विवरण निम्न है–

हैण्डपम्प पर व्यय	181800

अतः अपहरण की धनराशि रू0 181800 ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती संगीता देवी एव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास उपाध्याय से मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

25. ग्राम पंचायत सेंमरी विकास खण्ड चौमुँहा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 1– वर्ष 2016–17 में प्राप्त अनुदान में से रू0 45000 के किये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे व्यय वाउचर, स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये विवरण निम्न है–

ईंट कय	45000

अतः अपहरण की धनराशि रू0 45000 ग्राम पंचायत प्रधान श्री सत्यपाल सिंह एव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णु शर्मा से मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।

26. ग्राम पंचायत सैंनवा विकास खण्ड चौमुँहा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 1– वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि में से 1322636 के किये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे व्यय वाउचर, स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये विवरण निम्न है–

मजदूरी	निर्माण सामग्री	हैण्डपम्प
84600	1210436	27600

अतः अपहरण की धनराशि रू0 1322636 ग्राम पंचायत प्रधान श्री राजेश शर्मा एव ग्राम पंचायत सचिव श्री रविन्द्र वशिष्ठ से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

27. ग्राम पंचायत सहार विकास खण्ड चौमुँहा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 1– वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि में से 2159875 के किये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे व्यय वाउचर, स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये विवरण निम्न है–

निर्माण पत्रावलियॉ/निर्माण कार्य पर व्यय	हैण्डपम्प पर व्यय
2059875	100000

अतः अपहरण की धनराशि रू0 2159875 ग्राम पंचायत प्रधान श्री अजमल अली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णु शर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

28. ग्राम पंचायत स्यारहा विकास खण्ड चौमुँहा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 1– वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि में से 52940 के किये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे व्यय वाउचर, स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये विवरण निम्न है–

मिटटी का भुगतान 52940

अतः अपहरण की धनराशि रू0 52940 ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दाउदयाल पाठक से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

29. ग्राम पंचायत तरौली जनूवी विकास खण्ड चौमुँहा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 1– वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि में से 4436 के किये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे व्यय वाउचर, स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये विवरण निम्न है–

विज्ञापन के भुगतान/व्यय 4436

अतः अपहरण की धनराशि रू0 4436 ग्राम पंचायत प्रधान श्री मोहन श्याम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णु शर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

30. ग्राम पंचायत धौरेरा विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 1– वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि में से 18500 के किये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे व्यय वाउचर, स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये विवरण निम्न है–

रिक्शा कय 18500

अतः अपहरण की धनराशि रू0 18500 ग्राम पंचायत प्रधान श्री चन्द्रपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकुमार शर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

31. ग्राम पंचायत तन्तूरा विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 32– वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि में से 8000 के किये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे व्यय वाउचर, स्वीकृत कार्य योजना, आगणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये विवरण निम्न है–

कैमरा कय
8000

अतः अपहरण की धनराशि रू0 8000 ग्राम पंचायत प्रधान श्री राजेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लतेश कुमार शर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17

जनपद मैनपुरी **मंडल आगरा।**

01. ग्राम पंचायत चिलौसा विकासखण्ड बेबर वर्ष 2016–17

प्रधान श्री हरवीर सिंह **सचिव श्री संजीव कुमार**

प्रस्तर–1. लेखा परीक्षा वर्ष में रू0 400.00 पीएलए में जमा कराये गये, जिसका प्रमाण लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 400.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 23)**

प्रस्तर–2. लेखा परीक्षा वर्ष में रू0 1750.00 फोटोस्टेट व्यय दर्षित है, प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 1750.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**(आपत्ति सं0 25)**

प्रस्तर–3. लेखा परीक्षा वर्ष में रू0 1500.00 विज्ञापन व्यय दर्षित है, प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 1500.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 26)**

02. ग्राम पंचायत विनोदपुर विकासखण्ड बेबर वर्ष 14–15 से 2016–17

प्रधान श्रीमती माधुरी देवी/श्री अरूणेश मिश्रा **सचिव श्री सुनील मिश्रा**

प्रस्तर–4 दिनांक 29.04.2014 को चैक सं0 6726 द्वारा 132000.00 का भुगतान किया गया है। प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 132000.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या 20)**

प्रस्तर–5 दिनांक 23.07.14 को चैक सं0–6727 से 900 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 900 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आप0 संख्या 21)**

प्रस्तर–6 दिनांक 11.11.2014 को चैक सं0 6730 द्वारा 80000.00 का भुगतान किया गया है। प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 80000.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या 22)**

प्रस्तर–7 दिनांक 4.2.15 को चैक सं0 6731 द्वारा 17500.00 व 6732 द्वारा रू0 15000.00 का भुगतान प्रधान श्रीमती माधुरी देवी को किया गया है। भुगतान किस बाबत किया गया अस्पष्ट रहा, प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 32500.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या 23)**

प्रस्तर–8 दिनांक 11.11.14 को रू0 1000.00 का भुगतान साई को तथा 27.11.14 को रू0 1000.00 को भुगतान अज्ञात को किया गया है। भुगतान किस बाबत किया गया अस्पष्ट रहा, प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय

धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 2000.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**(आपत्ति संख्या 24)**

प्रस्तर–9. दिनांक 29.3.16 को चेक सं0 6758 द्वारा ईट खरीद हेतु शिव इंटरप्राइजेज को 72000.00 का भुगतान किया गया है। भुगतान किस बाबत किया गया अस्पष्ट रहा, प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 72000.00 की प्रधान श्री अरूणेश मिश्रा/सचिव श्री सुनील मिश्रा से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**(आपत्ति संख्या 25)**

प्रस्तर–10. चेक सं0 6758 द्वारा 4000ईट रू0 24000.00 का न्यू कृष्णा ब्रिक फील्ड तथा चैक सं0 6759/22.4.16 द्वारा सीमेंट,मौरम क्रय हेतु रू0 14800 का यासीन बिल्डिंग मैटे0 को भुगतान किया गया है। क्रय सामान का प्रयोग कहॉ किया गया, अस्पष्ट रहा, प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 38800.00 की प्रधान श्री अरूणेश मिश्रा/सचिव श्री सुनील मिश्रा से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**(आपत्ति संख्या 27)**

प्रस्तर–11. दिनांक 12.7.16 को रू0 68400.00 ईट क्रय हेतु शिव इंटर प्राइजेज, 28.7.16 को ईट रोडी क्रय हेतु रू0 22630.00 न्यू कृष्णा ब्रिक फील्ड को तथा 9.8.16 को रू0 41092.0 का यासीन बिल्डिंग मैटे0 को भुगतान किया गया है। क्रय सामान का प्रयोग कहॉ किया गया, अस्पष्ट रहा, प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 132122.00 की प्रधान श्री अरूणेश मिश्रा/सचिव श्री सुनील मिश्रा से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या 28)**

प्रस्तर 12. दिनांक 25.10.16 को चेक सं0 6769 द्वारा रू0 20000.00 का भुगतान श्री अरूणेश मिश्रा को बाबत मानदेय जनवरी 2016 से अगस्त 2016 हेतु 2500.00 प्रतिमाह की दर से किया गया है। चैक सं0 6772 द्वारा रू0 12600 का भुगतान दि0 29.10.16 का बाबत मानदेय दर्षित है। जिसका विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। माह सितम्बर 2016 तथा अक्टूबर 2016 हेतु रू0 5000.00 का भुगतान माह मार्च 2017 में किया गया है। अतिरिक्त भुगतान रू0 **12600.00** विवरण के अभाव में प्रधान श्री अरूणेश मिश्रा/सचिव श्री सुनील मिश्रा से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 29)

03. ग्राम पंचायत जमौरा विकासखण्ड बेबर वर्ष 14–15 से 2016–17

प्रधान श्रीमती सावित्री देवी/श्री कलक्टर सिंह–सचिव श्री जयप्रकाश/श्री राजीव वर्मा

प्रस्तर–13. दिनांक 28.07.2014 को निम्नांकित सामान क्रय हेतु भुगतान किया गया है

चेक सं0	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1038	10000.00	सरस्वती ईट भटटा
1039	10000.00	कृष्णा आयरन
1042	10000.00	श्याम ईट स्टोर
1041	20000.00	शुक्ला आयरन स्टोर

क्रय से सम्बन्धित कार्य कब, कहॉ कराया गया कोई प्रमाण लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष अभिलेख/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 50000.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**(आपत्ति संख्या 20)**

प्रस्तर–14. दिनांक 18.10.16 स्टेशनरी क्रय हेतु रू0 4965 का भुगतान विशाल बुक डिपों को किया गया है। प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 4965 की प्रधान श्री कलक्टर सिंह/सचिव श्री राजीव वर्मा से आधी आधी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**(आपत्ति संख्या 22)**

प्रस्तर–15. दिनांक 6.1.17 स्टेशनरी क्रय हेतु रू0 4463 का भुगतान को किया गया है। प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 4463.00 की प्रधान श्री कलक्टर सिंह/सचिव श्री राजीव वर्मा से आधी आधी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या 24)**

प्रस्तर–4. दिनांक 22.3.17 को माही नर्सरी से वस्ता क्रय हेतु रू0 2775.00 का भुगतान को किया गया है। प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 2775.00 की प्रधान श्री कलक्टर सिंह/सचिव श्री राजीव वर्मा से आधी आधी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 25)

04. ग्राम पंचायत हिमायुंपुर विकासखण्ड बेबर वर्ष 14–15 से 2016–17

प्रधान श्री बदले सचिव श्री राजीव वर्मा

प्रस्तर–1. दिनांक 30.4.14 को चेक सं0 1537 द्वारा रू0 11700.00 का भुगतान चैक निरस्त के कारण करना दर्षित है। निरस्त हुये चैक से सम्बन्धित विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। भुगतान संदिग्ध रहा। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 11700.00 की प्रधान श्री बदले/सचिव श्री राजीव वर्मा से आधी आधी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या 20)**

प्रस्तर–2. दिनांक 5.8.14 को चैक सं0 1561 द्वारा रू0 18975.00, दि0 5.11.14 को चैक सं0 1577 द्वारा रू0 74250.00 का भुगतान ममता इंटरप्राइजेज को बाबत इंटरलांक ईट क्रय हेतु किया गया है। उपभोग सम्बन्धी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 93220 की प्रधान श्री बदले/सचिव श्री राजीव वर्मा से आधी आधी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या 21, 23)**

प्रस्तर–3. दिनांक 21.10.14 को चैक सं0 1533 द्वारा रू0 33000.00 तथा 11.11.14 को चैक सं0 1579 द्वारा रू0 4224.00 का भुगतान जनता ईंट उद्योग को बाबत ईट क्रय हेतु किया गया है। उपभोग सम्बन्धी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 37224.00 की प्रधान श्री बदले /सचिव श्री राजीव वर्मा से आधी आधी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या 22,24)**

05. ग्राम पंचायत सकतबेबर विकासखण्ड बेबर वर्ष 14–15 से 2016–17

प्रधान श्रीमती सत्यवती सचिव श्री संजीव सिंह

प्रस्तर–1. दिनांक 18.4.15 ईट क्रय हेतु रू0 43750.00 का भुगतान उदय सेल्स कारर्पोरेशन को किया गया है। उपभोग सम्बन्धी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण क्रय संदिग्ध रहा। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 43750.00 की प्रधान व सचिव से आधी आधी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**(आपत्ति संख्या 25)**

प्रस्तर–2. दिनांक 20.6.15 चेक सं0 08 द्वारा ईट क्रय हेतु रू0 21200.00 का भुगतान पारस ईट भटटा को शौचालय निर्माण कार्य बाबत किया गया है। उपभोग सम्बन्धी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण क्रय संदिग्ध रहा। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 21200 की प्रधान व सचिव से आधी आधी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**(आपत्ति संख्या 26)**

06. ग्राम पंचायत फतेहपुर गनी विकासखण्ड बेबर वर्ष 2016–17

प्रधान श्री सुरेन्द्र यादव सचिव श्री संजीव कुमार

प्रस्तर–1. दि0 10.04.2016 में रू0 400.00 पीएलए में जमा कराये गये, जिसका प्रमाण लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 400.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 23)**

07. ग्राम पंचायत हुसैनपुर विकासखण्ड बेबर वर्ष 2016–17

प्रधान श्री कामेन्द्र सिंह सचिव श्री संजीव कुमार

प्रस्तर–1. लेखा परीक्षा वर्ष में रू0 400.00 पीएलए में जमा कराये गये, जिसका प्रमाण लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को

अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 400.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 23)**

08. ग्राम पंचायत न0ऊसर विकासखण्ड कुरावली वर्ष 2016–17

प्रधान श्रीमती चन्द्रावती सचिव श्री राजकमल मिश्रा

प्रस्तर–1. दि0 7.3.17 को चैक सं0 11097 द्वारा 10 स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु रू0 64800.00 का भुगतान अज्ञात फर्म को किया गया है। जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 64800.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान/सचिव से अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 20)**

प्रस्तर–2. दि0 11.5.16 को चैक सं0 3906 द्वारा रू0 50000.00 का भुगतान ईट क्रय हेतु किया गया है। जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 50000.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 21)**

09. ग्राम पंचायत मिढावली कला विकासखण्ड कुरावली वर्ष 2016–17

प्रधान श्री अभिषेक चौहान सचिव श्री विक्रम

प्रस्तर–1. दि0 27.10.16 को 7.3.717 को चैक सं0 17174 व 17175 द्वारा क्रमशः 60000 व 60000 कुल रू0 120000.00 का भुगतान शमशान घाट के गेट क्रय को किया गया है। जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 120000.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 21)**

10. ग्राम पंचायत मकबूलपुर विकासखण्ड कुरावली वर्ष 2016–17

प्रधान श्री लालजी सचिव श्री राजकमल मिश्रा

प्रस्तर–1. दि0 8.3.17 को 10 स्ट्रीटलाइट क्रय हेतु रू0 64800.00 का भुगतान अज्ञात फर्म को किया गया है। जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 64800.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 20)**

प्रस्तर–2. दि0 23.3.17 को कुर्सी मेज क्रय हेतु रू0 8119.00 का भुगतान किया गया है। जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 8119.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 21)**

11. ग्राम पंचायत विशुनपुर विकासखण्ड कुरावली वर्ष 2016–17

प्रधान श्रीमती ओमवती सचिव श्री सुखेदश कुमार

प्रस्तर–1. दि0 20.04.16 को चैक सं0 040112 द्वारा रू0 7000 कुर्सी, मेज एवं फर्ष क्रय हेतु व्यय दर्षित है। जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 7000.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 20)**

प्रस्तर–2. दि0 31.03.17 को चैक सं0 40377 व 40378 द्वारा रू0 10000.00 आहरण कर प्रशासनिक व्यय दर्षित है। जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 10000.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 21)**

12. ग्राम पंचायत घरैंदा विकासखण्ड कुरावली वर्ष 2016–17

प्रधान श्री सोबरन सिंह सचिव श्री सुखदेश सिंह

प्रस्तर–1. दि0 1.2.17 को दस कुर्सी मेज क्रय हेतु रू0 6498.00 का भुगतान किया गया है। जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 6498.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 21)**

13. ग्राम पंचायत लखौरा विकासखण्ड कुरावली वर्ष 2016–17

प्रधान श्री अनिल सचिव श्री मनोज प्रभाकर

प्रस्तर–32. दि0 28.7.16 को चैक सं0 11251 द्वारा 20 स्ट्रीटलाइट क्रय हेतु रू0 69500.00 तथा दिनांक 7.11.16 को चैक सं0 अज्ञात द्वारा 40 स्ट्रीटलाइट क्रय हेतु रू0 256000.00 कुल रू0 325500.00 का भुगतान फर्म को किया गया है। जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः रू0 325500.00 की प्रधान/सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 20)**

14. ग्राम पंचायत बरिहा विकासखण्ड किशनी वर्ष 2014–15 से 2016–17

प्रधान श्री सुकराम सचिव श्री रजनेश

प्रस्तर–33. दि0 16.3.17 को चैक संख्या 8366 द्वारा रू0 87800.00 का भुगतान आस्था ट्रेडर्स को किया गया है। जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः अपहरित धनराशि रू0 87800.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान/सचिव से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 20)**

15. ग्राम पंचायत सिगनी विकासखण्ड किशनी वर्ष 2012–13 से 2016–17

प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी सचिव श्री शिवदयाल

प्रस्तर–34. वर्ष 2016–17 में दि0 24.11.16 व 29.11.16 को क्रमशः चैक सं0 6783 व 6784 द्वारा रू0 19440.00 का आहरण प्रधान के नाम दर्षित है। जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः अपहरित धनराशि रू0 19440.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 20)**

16. ग्राम पंचायत बुढौली विकासखण्ड किशनी वर्ष 2016–17

प्रधान श्री ओमप्रकाश सचिव श्री अर्जुन सिंह

प्रस्तर–35. दि0 15.11.16 को चैक संख्या 12495 द्वारा रू0 4000.00 स्टेशनरी क्रय का भुगतान किया गया है। जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः अपहरित धनराशि रू0 4000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान/सचिव से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 20)**

17. ग्राम पंचायत जवापुर विकासखण्ड किशनी वर्ष 2016–17

प्रधान श्रीमती रेशमा देवी सचिव श्री अर्जुन सिंह

प्रस्तर–36. दि0 21.10.16 को चैक संख्या 004813 द्वारा रू0 4000.00 स्टेशनरी क्रय का भुगतान किया गया है। जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः अपहरित धनराशि रू0 4000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान/सचिव से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 20)**

18. ग्राम पंचायत दाउदपुर विकासखण्ड किशनी वर्ष 2016–17

प्रधान श्री वीरपाल सिंह सचिव श्री अर्जुन सिंह

प्रस्तर–37. दि0 9.8.16 को चैक संख्या 004636 द्वारा रू0 125000.00 स्ट्रीट लाइट क्रय का भुगतान किया गया है। जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः अपहरित धनराशि रू0 125000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान/सचिव से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 20)**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17

जनपद फिरोजाबाद

(1) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत कमरपुर बैजुआ, विकास क्षेत्र– अरॉव (आ0सं0–02)

प्रस्तर क0 01– ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल रू0 2,07,456=00 की ईट क्रय की गयी है जिसके सापेक्ष निर्माण कार्यों में रू0 1,64,953=00 का स्टाक ही प्रयुक्त किया गया है अवशेष स्टाक रू0 42,503=00 के उपभोग का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उक्त स्टाक के समतुल्य धनराशि/स्टाक का चार्ज ही प्रदान किया गया। अतः रू0 42,503=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

श्री प्रेमराज, वर्तमान प्रधान	रू0 21,251=50
श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव,ग्रा0पं0अधि0	रू0 21,251=50

(2) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत हुसैनपुर बैजुआ, विकास क्षेत्र– अरॉव (आ0सं0–12)

प्रस्तर क0 02– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 15,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 15,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री सत्यप्रकाश सिंह, वर्तमान प्रधान	रू0 7,500=00
श्री महेश चन्द्र कठेरिया,ग्रा0पं0अधि0	रू0 7,500=00

(3) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत फक्करपुर, विकास क्षेत्र– अरॉव (आ0सं0–12)

प्रस्तर क0 03– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 5,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 5,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री अंकित कुमार, वर्तमान प्रधान	रू0 2,500=00
श्री दाउदयाल सिंह,ग्रा0पं0अधि0	रू0 2,500=00

(4) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत धातरी, विकास क्षेत्र– अरॉव (आ0सं0–12)

प्रस्तर क0 04– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 8,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 8,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री सत्यवीर, वर्तमान प्रधान	रू0 4,000=00
श्री संजीव चतुर्वेदी,ग्रा0पं0अधि0	रू0 4,000=00

(5) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत सींगेमई, विकास क्षेत्र– अरॉव (आ0सं0–12)

प्रस्तर क0 05– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 17,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 17,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री मती प्रतिभा देवी, वर्तमान प्रधान	रू0 8,500=00
श्री संजीव चतुर्वेदी,ग्रा0पं0अधि0	रू0 8,500=00

(6) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत भदेसरा, विकास क्षेत्र– अरॉव (आ0सं0–12)

प्रस्तर क0 06– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 15,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 15,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री धर्मवीर सिंह, वर्तमान प्रधान	रू0 7,500=00
श्री संजीव चतुर्वेदी,ग्रा0पं0अधि0	रू0 7,500=00

(7) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत रामनगर, विकास क्षेत्र– अरॉव (आ0सं0–02)

प्रस्तर क0 07– ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रू0 1,00,000=00 (15,874नग) की ईंट क्रय की गयी है जिसके सापेक्ष निर्माण कार्यों में रू0 38,619=00 (6,040नग) का स्टाक ही प्रयुक्त किया गया है अवशेष स्टाक रू0 61,381=00 (9,834नग) के उपभोग का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उक्त स्टाक के समतुल्य धनराशि/स्टाक का चार्ज न तो किसी प्रतिस्थानी को प्राप्त कराया गया और न ही उक्त स्टाक का कहीं उपभोग किया गया। अतः रू0 61,381=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

श्री संजय कुमार, वर्तमान प्रधान	रू0 30,690=50
श्री दाउदयाल सिंह,ग्रा0पं0अधि0	रू0 30,690=50

(8) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर मॉडई, विकास क्षेत्र– अरॉव (आ0सं0–12)

प्रस्तर क0 08– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 70,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 70,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री इस्लाम खॉ, वर्तमान प्रधान	रू0 35,000=00

श्री महेश चन्द्र कठेरिया,ग्रा0पं0अधि0 रू0 35,000=00

(9) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत भारौल, विकास क्षेत्र– अरॉव (आ0सं0–12, 13)

प्रस्तर क0 09– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 25,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 25,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री रामबरन यादव, वर्तमान प्रधान रू0 12,500=00
श्री महेश चन्द्र कठेरिया,ग्रा0पं0अधि0 रू0 12,500=00

प्रस्तर क0 10– ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2016 से 26 जुलाई 2016 के मध्य चैक संख्या 378631, 378632, 378633, 378634, 378635 से आहरित धनराशि रू0 25,000=00 कैश बुक के आय पक्ष में न दर्शाकर रू0 25,000=00 का सीधा अपहरण किया गया है। अतः रू0 25,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री रामबरन यादव, वर्तमान प्रधान रू0 12,500=00
श्री महेश चन्द्र कठेरिया,ग्रा0पं0अधि0 रू0 12,500=00

(10) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत कपरावली, विकास क्षेत्र– अरॉव (आ0सं0–12)

प्रस्तर क0 11– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 8,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 8,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री रविन्द्र कुमार, वर्तमान प्रधान रू0 4,000=00
श्री महेश चन्द्र कठेरिया,ग्रा0पं0अधि0 रू0 4,000=00

(11) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत कीठौत, विकास क्षेत्र– अरॉव (आ0सं0–02)

प्रस्तर क0 12– ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रू0 3,99,350=00 (63,389नग) की ईंट क्रय की गयी है एवं पिछला स्टाक 19,952=00 (3,167नग) ईंट ग्राम पंचायत के पास प्रारम्भिक अवशेष था। जिसके सापेक्ष निर्माण कार्यों में रू0 2,48,220=00 (39,400नग) का स्टाक ही प्रयुक्त किया गया है अवशेष स्टाक रू0 1,71,082=00 (27,606नग) के उपभोग का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रू0 99,950=00 (4,998नग) की इण्टरलाकिंग ईंट क्रय की गयी है जिसके सापेक्ष निर्माण कार्यों में कोई इण्टरलाकिंग ईंट का स्टाक प्रयुक्त नहीं किया गया इसलिए यह स्टाक ग्राम पंचायत के पास होना चाहिए। जबकि इस स्टाक का उल्लेख किसी अभिलेख में नहीं पाया गया और न ही उक्त स्टाक के समतुल्य धनराशि/स्टाक का चार्ज ही प्रदान किया गया। अतः कुल रू0 2,71,032=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

श्री मती पुष्पा देवी, वर्तमान प्रधान रू0 1,35,516=00
श्री दाउदयाल सिंह,ग्रा0पं0अधि0 रू0 1,35,516=00

(12) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत सोथरा, विकास क्षेत्र– अरॉव (आ0सं0–15)

प्रस्तर क0 13– ग्राम पंचायत द्वारा रू0 15,93,025=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार–बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवओम वर्मा तथा श्री रामेन्द्र सिंह को इस कार्यालय के पत्रांक 672–74 दिनांक 23.03.2018 (द्वारा जिला पंचायत राज अधि0 फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणकध अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री शिवओम वर्मा व श्री रामेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि **रू0 15,93,025=00** की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है क्योंकि ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या– 4809 का संचालन उक्त दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

श्री योगेन्द्र सिंह, पूर्व प्रधान रू0 7,37,550=00
श्री शिवओम वर्मा,ग्रा0पं0अधि0 रू0 7,37,550=00
श्री सोनेलाल, वर्तमान प्रधान रू0 58,962=50
श्री रामेन्द्र सिंह,ग्रा0पं0अधि0 रू0 58,962=50

(13) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत राहतपुर, विकास क्षेत्र– अरॉव (आ0सं0–02, 12)

प्रस्तर क0 14– ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02 मार्च 2016 को चैक संख्या 2303 से आहरित धनराशि रू0 10,000. 00 कैश बुक के आय पक्ष में न दर्शाकर रू0 10,000=00 का सीधा अपहरण किया गया है। अतः रू0 10,000.00

की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री कायम सिंह, वर्तमान प्रधान रू0 5,000=00

श्री प्रमोद कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 5,000=00

प्रस्तर क0 15– ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रू0 6,91,275=00 की ईंट क्रय की गयी है। जिसके सापेक्ष निर्माण कार्यों में रू0 4,27,207=00 का स्टाक ही प्रयुक्त किया गया है अवशेष स्टाक रू0 2,64,068=00 के उपभोग का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रू0 6,95,150=00 की सीमेण्ट, बालू, फाइन सैण्ड इत्यादि क्रय की गयी है जिसके सापेक्ष निर्माण कार्यों में रू0 4,36,782=00 का ही स्टाक प्रयुक्त किया गया इसलिए अवशेष स्टाक रू0 2,58,368=00 ग्राम पंचायत के पास होना चाहिए। जबकि इस स्टाक का उल्लेख किसी अभिलेख में नहीं पाया गया और न ही उक्त स्टाक के समतुल्य धनराशि/स्टाक का चार्ज ही प्रदान किया गया।

अतः कुल रू0 5,22,436=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

श्री कायम सिंह, वर्तमान प्रधान रू0 2,61,218=00

श्री प्रमोद कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 2,61,218=00

(14) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत मोहिनीपुर, विकास क्षेत्र– शिकोहाबाद (आ0सं0–09)

प्रस्तर क0 16– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 10,400=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 10,400=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री मती मिथलेश कुमारी, वर्तमान प्रधान रू0 5,200=00

श्री सी0पी0सिंह,ग्रा0पं0अधि0 रू0 5,200=00

(15ग्राम पंचायत किशनपुर अरमरा जट, विकास क्षेत्र– शिकोहाबाद (आ0सं0–09)

प्रस्तर क0 17– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 18,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 18,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री धर्मेन्द्र, वर्तमान प्रधान रू0 9,000=00

श्री विनोद बाबू,ग्रा0पं0अधि0 रू0 9,000=00

(16) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत सादूपुर, विकास क्षेत्र– शिकोहाबाद (आ0सं0–10, 09)

प्रस्तर क0 18– ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.03.2017 को चैक संख्या 20351596 से आहरित धनराशि रू0 5,000=00, दिनांक 22.03.2017 को चैक संख्या 20351599 से आहरित धनराशि रू0 5,000=00 तथा दिनांक 30.03.2017 को चैक संख्या 20356033 से आहरित धनराशि रू0 5,000=00 कुल रू0 15,000=00 को कैश बुक के आय पक्ष में न दर्शाकर रू0 15,000=00 का सीधा अपहरण किया गया है। अतः रू0 15,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री मती राजन देवी, वर्तमान प्रधान रू0 7,500=00

श्री विनोद कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 7,500=00

प्रस्तर क0 19– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 13,200=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 13,200=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री मती राजन देवी, वर्तमान प्रधान रू0 6,600=00

श्री विनोद कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 6,600=00

(17) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत चमरौली, विकास क्षेत्र– शिकोहाबाद(आ0सं0–10, 09)

प्रस्तर क0 20– ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.05.2016 को चैक संख्या 19769098 से आहरित धनराशि रू0 5,000=00 तथा दिनांक 17.12.2016 को चैक संख्या 62731872 से आहरित धनराशि रू0 5,000=00 कुल रू0 10,000=00 को कैश बुक के आय पक्ष में न दर्शाकर रू0 10,000=00 का सीधा अपहरण किया गया है। अतः रू0 10,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री नीरज कुमार, वर्तमान प्रधान रू0 5,000=00

श्री विनोद कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 5,000=00

प्रस्तर क0 21– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 29,970=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 29,970=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री नीरज कुमार, वर्तमान प्रधान रू0 14,985=00

श्री विनोद कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 14,985=00

(18) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत धनपुरा, विकास क्षेत्र– शिकोहाबाद (आ0सं0–10, 09)

प्रस्तर क0 22– ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.10.2015 को चैक संख्या 19764721 से आहरित धनराशि रू0 5,000=00 को कैश बुक के आय पक्ष में न दर्शाकर रू0 5,000=00 का सीधा अपहरण किया गया है। अतः रू0 5,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री वीरभान सिंह, वर्तमान प्रधान रू0 2,500=00

श्री विनोद कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 2,500=00

प्रस्तर क0 23– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जो की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 13,200=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 13,200=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री वीरभान सिंह, वर्तमान प्रधान रू0 6,600=00

श्री विनोद कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 6,600=00

(19) ग्राम पंचायत धौरउ हिम्मतपुर, विकास क्षेत्र– शिकोहाबाद (आ0सं0–10, 09)

प्रस्तर क0 24– ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 09.09.2016 को चैक संख्या 20350044 से आहरित धनराशि रू0 5,000=00 तथा दिनांक 22.09.2016 को चैक संख्या 20350048 से आहरित धनराशि रू0 5,000=00 कुल रू0 10,000=00 को कैश बुक के आय पक्ष में न दर्शाकर रू0 10,000=00 का सीधा अपहरण किया गया है। अतः रू0 10,000=00 की वसूली सहित निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री सुभाषचन्द्र, वर्तमान प्रधान रू0 5,000=00

श्री विनोद कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 5,000=00

प्रस्तर क0 25– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जो की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 10,450=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 10,450=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री सुभाषचन्द्र, वर्तमान प्रधान रू0 5,225=00

श्री विनोद कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 5,225=00

(20) ग्राम पंचायत जहांगीरपुर गैलरई, विकास क्षेत्र– शिकोहाबाद (आ0सं0–10)

प्रस्तर क0 26– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जो की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 13,500=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 13,500=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री सुघर सिंह, वर्तमान प्रधान रू0 6,750=00

श्री सी0पी0सिंह,ग्रा0पं0अधि0 रू0 6,750=00

(21) ग्राम पंचायत मु0लभौआ, विकास क्षेत्र– शिकोहाबाद (आ0सं0–10)

प्रस्तर क0 27– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जो की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 12,400=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 12,400=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री सुशील कुमार, वर्तमान प्रधान रू0 6,200=00

श्री सतेन्द्र सिंह,ग्रा0पं0अधि0 रू0 6,200=00

(22) ग्राम पंचायत असुआ, विकास क्षेत्र– शिकोहाबाद (आ0सं0–10)

प्रस्तर क0 28– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जो की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 30,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 30,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री प्रशान्त कुमार, वर्तमान प्रधान रू0 15,000=00

श्री सुनील कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 15,000=00

(23) ग्राम पंचायत आसदेवमई नूरपुर, विकास क्षेत्र– शिकोहाबाद (आ0सं0–02)

प्रस्तर क0 29– ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2017 को चैक संख्या 62515043 से आहरित धनराशि रू0 1,18,500=00 का भुगतान मनीष एण्ड कम्पनी को किया गया है जबकि इसके सापेक्ष स्टाक रजिस्टर में इसका अंकन नहीं पाया गया और न ही इसका उपभोग किसी भी निर्माण कार्य में किया गया है। वर्षान्त में इसका चार्ज भी किसी प्रतिस्थानी को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त ब्यय प्रमाणक नं0 13 द्वारा मिट्टी डलाई का भुगतान रू0 11,500=00 भी किया गया है किन्तु उसका स्थान भी कहीं अंकित नहीं किया गया है जो भुगतान की सार्थकता प्रमाणित नही करता है। अतः कुल रू0 1,30,000=00(1,18,500+11,500) का सीधा अपहरण किया गया है। रू0 1,30,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री प्रेमश्याम, वर्तमान प्रधान रू0 65,000=00

श्री सुनील कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 65,000=00

(24) ग्राम पंचायत नगला सैंदलाल, विकास क्षेत्र– शिकोहाबाद (आ0सं0–02)

प्रस्तर क0 30– ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16.03.2017 को चैक संख्या 351360 से आहरित धनराशि रू0 33,500=00 का भुगतान मनीष एण्ड कम्पनी (बा0नं0 20) को किया गया है, दिनांक 30.03.2017 को चैक संख्या 351313 से आहरित धनराशि रू0 32,500=00 का भुगतान मनीष एण्ड कम्पनी (बा0नं0 22) को किया गया है एवं बा0नं0 24 द्वारा मस्टररोल के रूप में रू0 3000=00 का भुगतान किया गया है जबकि उक्त भुगतानों के सापेक्ष निर्माण सामग्री का स्टाक रजिस्टर में अंकन नहीं पाया गया और न ही इसका उपभोग किसी भी निर्माण कार्य में किया गया है। बार–बार मांगे जाने के उपरान्त भी इनके व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये जो भुगतान की सार्थकता प्रमाणित नही करता है। अतः कुल रू0 69,000=00(33,500+32,500+3,000) का सीधा अपहरण किया गया है। रू0 69,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री राधेश्याम, वर्तमान प्रधान	रू0 34,500=00
श्री सुनील कुमार,ग्रा0पं0अधि0	रू0 34,500=00

(25) ग्राम पंचायत डोरसा मुहम्मदपुर, विकास क्षेत्र– नारखी (आ0सं0–12)

प्रस्तर क0 31– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 13,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 13,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह, वर्तमान प्रधान	रू0 6,500=00
श्री विक्रम सिंह राना,ग्रा0पं0अधि0	रू0 6,500=00

(26) ग्राम पंचायत हजरतपुर, विकास क्षेत्र– टूण्डला (आ0सं0–04)

प्रस्तर क0 32– ग्राम पंचायत द्वारा रू0 25,88,220=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार–बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि **रू0 25,88,220=00** की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है क्योंकि ग्राम निधि प्रथम खाते का संचालन उक्त दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

श्री हरीबाबू, वर्तमान प्रधान	रू0 12,94,110=00
श्री नेत्रपाल सिंह,ग्रा0पं0अधि0	रू0 12,94,110=00

(27) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत बिल्टीगढ, विकास क्षेत्र– हाथवन्त (आ0सं0–02)

प्रस्तर क0 33– ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में रामपाल के घर से कायम सिंह के घर तक खडंजा व एल टाइप नाली निर्माण पर व्यय रू0 2,86,052=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0बी0, मस्टर रोल तथा कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र इत्यादि बार–बार आग्रह करने के बाद भी लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। अतः उक्त समस्त धनराशि **रू0 2,86,052=00** की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है

श्री मती गीता देवी, वर्तमान प्रधान	रू0 1,43,026=00
श्री श्याम सिंह,ग्रा0पं0अधि0	रू0 1,43,026=00

(28) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत थानूमई, विकास क्षेत्र– हाथवन्त (आ0सं0–12)

प्रस्तर क0 34– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 40,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 40,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री नीरज यादव, वर्तमान प्रधान	रू0 20,000=00
श्री महेन्द्र पाल सिंह,ग्रा0पं0अधि0	रू0 20,000=00

(29) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत सांथी, विकास क्षेत्र– हाथवन्त (आ0सं0–12)

प्रस्तर क0 35– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 18,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 18,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री मती सरोज देवी, वर्तमान प्रधान	रू0 9,000=00
श्री यशपाल सिंह,ग्रा0पं0अधि0	रू0 9,000=00

(30) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत प्रानपुर, विकास क्षेत्र– जसराना (आ0सं0–17)

प्रस्तर क0 36– ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.08.2016 को चैक संख्या 836890 से (कैशबुक अनुसार) राकेश बिल्डिंग मैटेरियल जसराना को रू0 15,000=00 का भुगतान किया गया है। उक्त के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक आग्रह करने के बाद भी लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि **रू0 15,000=00** की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है

श्री मती सर्वेश कुमारी, वर्तमान प्रधान रू0 7,500=00
श्री महेश शाक्य,ग्रा0पं0अधि0 रू0 7,500=00

(31) ग्राम पंचायत सलेमपुर खुटियाना, विकास क्षेत्र– जसराना (आ0सं0–16)

प्रस्तर क0 37– ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्त में रू0 3,680=00 बालू (32 घन फुट) का स्टाक अवशेष था। इसका आगामी वर्ष 2016–17 में न तो किसी कार्य में प्रयोग किया गया है और न ही स्टाक रजिस्टर में अवशेष अंकित किया गया है। इसके अतरिक्त इस स्टाक का चार्ज भी ग्राम पंचायत अधिकारी को न देकर स्टाक के समतुल्य धनराशि रू0 3,680=00 का सीधा अपहरण किया गया है। अतः उक्त धनराशि **रू0 3,680=00** की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है

श्री मती सर्वेश कुमारी, वर्तमान प्रधान रू0 1,840=00
श्री राजेश यादव,ग्रा0पं0अधि0 रू0 1,840=00

(32) ग्राम पंचायत खेरिया सिकमी बहत, विकास क्षेत्र– जसराना (आ0सं0–17,16)

प्रस्तर क0 38– ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.01.2017 को चैक संख्या 525932 से (कैशबुक अनुसार) डिजिटल वर्ल्ड आगरा को रू0 8,000=00 का भुगतान किया गया है। उक्त के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक आग्रह करने के बाद भी लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान की उपयोगिता भी पुष्टि न की जा सकी। जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि **रू0 8,000=00** की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है

श्री अवनीश प्रताप सिंह, वर्तमान प्रधान रू0 4,000=00
श्री रक्षपाल सिंह बघेल,ग्रा0पं0अधि0 रू0 4,000=00

प्रस्तर क0 39– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 10,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 10,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री अवनीश प्रताप सिंह, वर्तमान प्रधान रू0 5,000=00
श्री रक्षपाल सिंह बघेल,ग्रा0पं0अधि0 रू0 5,000=00

(33) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत जमालीपुर, विकास क्षेत्र– जसराना (आ0सं0–08)

प्रस्तर क0 40– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 21,400=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 21,400=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री पीतम सिंह, वर्तमान प्रधान रू0 10,700=00
श्री रक्षपाल सिंह बघेल,ग्रा0पं0अधि0 रू0 10,700=00

(34) ग्राम पंचायत कटौरा बुजुर्ग, विकास क्षेत्र–मदनपुर (आ0सं0–15)

प्रस्तर क0 41– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 8,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 8,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री अशोक कुमार, वर्तमान प्रधान रू0 4,000=00
श्री मती मधू सगर,ग्रा0पं0अधि0 रू0 4,000=00

(35) ग्राम पंचायत स्यारमउ हरगनपुर, विकास क्षेत्र–मदनपुर (आ0सं0–15)

प्रस्तर क0 42– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 6,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 6,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री मती मीरा देवी, वर्तमान प्रधान रू0 3,000=00
श्री नितेश सक्सैना, ग्रा0पं0अधि0 रू0 3,000=00

(36) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत सुराया, विकास क्षेत्र–एका (आ0सं0–04)

प्रस्तर क0 43– ग्राम पंचायत द्वारा रू0 9,19,000=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार–बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा

प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि **रू0 9,19,000=00** की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है क्योंकि ग्राम निधि प्रथम खाते का संचालन उक्त दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

श्री मती मधू कुमारी शर्मा, वर्तमान प्रधान रू0 4,59,500=00
श्री सन्तोष कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 4,59,500=00

(37) ग्राम पंचायत पिलख्तर जैत, विकास क्षेत्र–एका (आ0सं0–15)

प्रस्तर क0 44– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 30,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 30,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री हरिशचन्द्र, वर्तमान प्रधान रू0 15,000=00
श्री इन्द्रजीत, ग्रा0पं0अधि0 रू0 15,000=00

(38) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत आपुर, विकास क्षेत्र–एका (आ0सं0–14)

प्रस्तर क0 45– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 12,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 12,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री वीरपाल सिंह, वर्तमान प्रधान रू0 6,000=00
श्री अरूण कुमार, ग्रा0पं0अधि0 रू0 6,000=00

(39) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत भदाना, विकास क्षेत्र–एका (आ0सं0–12)

प्रस्तर क0 46– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 40,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 40,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री वीरेश कुमार, वर्तमान प्रधान रू0 20,000=00
श्री अरूण कुमार, ग्रा0पं0अधि0 रू0 20,000=00

(40) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत कताना, विकास क्षेत्र–एका (आ0सं0–15)

प्रस्तर क0 47– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 70,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 70,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री जगदीश चन्द्र, वर्तमान प्रधान रू0 35,000=00
श्री इन्द्रजीत, ग्रा0पं0अधि0 रू0 35,000=00

(41) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत पाढम, विकास क्षेत्र–एका (आ0सं0–13)

प्रस्तर क0 48– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 45,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 45,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री मती सुमन यादव, वर्तमान प्रधान रू0 22,500=00
श्री रामनाथ, ग्रा0पं0अधि0 रू0 22,500=00

(42) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत सोनई, विकास क्षेत्र–एका (आ0सं0–12)

प्रस्तर क0 49– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 12,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 12,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री नत्थू सिंह, वर्तमान प्रधान रू0 6,000=00
श्री रामनाथ, ग्रा0पं0अधि0 रू0 6,000=00

(43) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत फरीदा, विकास क्षेत्र–एका (आ0सं0–15)

प्रस्तर क0 50 ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 20,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 20,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री राजीव कुमार, वर्तमान प्रधान रू0 10,000=00
श्री रामचन्द्र, ग्रा0पं0अधि0 रू0 10,000=00

(44) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत गींगना, विकास क्षेत्र–एका (आ0सं0–15)

प्रस्तर क0 51– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 26,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 26,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है

श्री मती राजवती, वर्तमान प्रधान रू0 13,000=00
श्री रामचन्द्र, ग्रा0पं0अधि0 रू0 13,000=00

(45) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत पैंढत, विकास क्षेत्र–एका (आ0सं0–13)

प्रस्तर क0 52– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 32,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 32,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री मती राजवती, वर्तमान प्रधान रू0 16,000=00
श्री अमित सिंह, ग्रा0पं0अधि0 रू0 16,000=00

(46) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत कुर्री कूपा, विकास क्षेत्र–फि0बाद (आ0सं0–02)

प्रस्तर क0 53– ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2009–10 में प्राप्त राज्य वित व बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से रू0 14,14,249=00 के व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर तथा व्यय प्रमाणक इत्यादि बार–बार आग्रह करने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि **रू0 14,14,249=00** की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

श्री करन सिंह यादव, पूर्व प्रधान रू0 7,07,124=50
श्री मुकेश यादव, ग्रा0पं0अधि0 रू0 7,07,124=50

(47) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत विलहना, विकास क्षेत्र–फि0बाद (आ0सं0–02)

प्रस्तर क0 54– ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2009–10 में प्राप्त राज्य वित व बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से रू0 10,34,661=00 के व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर तथा व्यय प्रमाणक इत्यादि बार–बार आग्रह करने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि **रू0 10,34,661=00** की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

श्री मती मीना देवी, पूर्व प्रधान रू0 5,17,330=50
श्री बहादुर सिंह, ग्रा0पं0अधि0 रू0 5,17,330=50

(48) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत वासुदेवपुर, विकास क्षेत्र–फि0बाद (आ0सं0–02)

प्रस्तर क0 55– ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2009–10 में प्राप्त राज्य वित व बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से रू0 3,82,198=00 के व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर तथा व्यय प्रमाणक इत्यादि बार–बार आग्रह करने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि **रू0 3,82,198=00** की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

श्री महेन्द्र सिंह, पूर्व प्रधान रू0 1,91,099=00
श्री मुकेश यादव, ग्रा0पं0अधि0 रू0 1,91,099=00

(49) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत जलोपुरा, विकास क्षेत्र–फि0बाद (आ0सं0–02)

प्रस्तर क0 56– ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2009–10 में प्राप्त राज्य वित व बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से रू0 7,47,079=00 के व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर तथा व्यय प्रमाणक इत्यादि बार–बार आग्रह करने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि **रू0 7,47,079=00** की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

श्री दर्षन सिंह, पूर्व प्रधान	रू0 3,73,539=50
श्री दिलीप कुमार, ग्रा0पं0अधि0	रू0 3,73,539=50

(50) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत उसायनी, विकास क्षेत्र–फि0बाद (आ0सं0–02)

प्रस्तर क0 57– ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्राप्त राज्य वित व बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से रू0 2,25,998=00 के व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर तथा व्यय प्रमाणक इत्यादि बार–बार आग्रह करने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि **रू0 2,25,998=00** की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

श्री दीपक राजौरिया, पूर्व प्रधान	रू0 1,12,999=00
श्री अशोक यादव, ग्रा0पं0अधि0	रू0 84,749=00
श्री रोशनलाल, ग्रा0पं0अधि0	रू0 28,250=00

(51) ग्राम पंचायत आलमपुर जारखी, विकास क्षेत्र–फि0बाद (आ0सं0–02)

प्रस्तर क0 58– ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2009–10 में प्राप्त राज्य वित व बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से रू0 3,16,218=00 के व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर तथा व्यय प्रमाणक इत्यादि बार–बार आग्रह करने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि **रू0 3,16,218=00** की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

श्री मती रजनी यादव, पूर्व प्रधान	रू0 1,58,109=00
श्री दिलीप सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रू0 1,18,582=00
श्री शेर सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रू0 39,527=00

(52) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत उलाउ–खेडा, विकास क्षेत्र–फि0बाद (आ0सं0–10)

प्रस्तर क0 59– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 27,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 27,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री उमेशचन्द्र, पूर्व प्रधान	रू0 13,500=00
श्री दिलीप कुमार सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रू0 13,500=00

(53) ग्राम पंचायत वाजिदपुर कुतुबपुर, विकास क्षेत्र–फि0बाद (आ0सं0–08)

प्रस्तर क0 60– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 15,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 15,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री जसोदन सिंह, वर्तमान प्रधान रू0 7,500=00

श्री साबिर अली, ग्रा0पं0अधि0 रू0 7,500=00

(54) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत खगरई, विकास क्षेत्र–फि0बाद (आ0सं0–08)

प्रस्तर क0 61– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 25,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 25,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री राजकुमार बघेल, वर्तमान प्रधान रू0 12,500=00

श्री दिलीप कुमार सिंह, ग्रा0पं0अधि0 रू0 12,500=00

(55) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत चन्द्रवार, विकास क्षेत्र–फि0बाद (आ0सं0–10)

प्रस्तर क0 62– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 54,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 54,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री मती कमलेश देवी, वर्तमान प्रधान रू0 27,000=00

श्री राकेश कुमार सिंह, ग्रा0पं0अधि0 रू0 27,000=00

(56) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत कोलामई, विकास क्षेत्र–फि0बाद (आ0सं0–09)

प्रस्तर क0 63– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 21,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 21,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री मुकेश कुमार, वर्तमान प्रधान रू0 7,000=00

श्री रामशंकर, ग्रा0पं0अधि0 रू0 7,000=00

श्री आलोक सत्यार्थी, ग्रा0पं0अधि0 रू0 7,000=00

(57) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत जैंदामई, विकास क्षेत्र–फि0बाद (आ0सं0–09)

प्रस्तर क0 64– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 21,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 21,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री मुकेश कुमार, वर्तमान प्रधान रू0 7,000=00

श्री रामशंकर, ग्रा0पं0अधि0 रू0 7,000=00

श्री आलोक सत्यार्थी, ग्रा0पं0अधि0 रू0 7,000=00

(58) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत उंधनी, विकास क्षेत्र–फि0बाद (आ0सं0–08)

प्रस्तर क0 65– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 28,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 28,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री मती राजकुमारी, वर्तमान प्रधान रू0 14,000=00

श्री राकेश कुमार सिंह, ग्रा0पं0अधि0 रू0 14,000=00

(59) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत बरकतपुर, विकास क्षेत्र–फि0बाद (आ0सं0–08)

प्रस्तर क0 66– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 51,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 51,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री राजपाल सिंह, वर्तमान प्रधान रू0 25,500=00

श्री राकेश कुमार सिंह, ग्रा0पं0अधि0 रू0 25,500=00

(60) संस्था का नाम – ग्राम पंचायत मटसैना, विकास क्षेत्र–फि0बाद (आ0सं0–08)

प्रस्तर क0 67– ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निस्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 22,000=00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 22,000=00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री विक्रम सिंह, वर्तमान प्रधान रू0 11,000=00

श्री रामशंकर, ग्रा0पं0अधि0 रू0 11,000=00

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17

जनपद – अलीगढ **मण्डल – अलीगढ**

1–ग्राम पंचायत रसूलपुर विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ ।

प्रस्तर – 1 – आडिट वर्ष 2016–17 की कैश बुक एवं बैंक पासबुक की मिलन एवं जाँच में पाया गया कि वर्ष 2016–17 में निम्न दिनांकों में निम्न चेकों द्वारा धन आहरित किया गया है परन्तु इसकी प्रविष्टि कैश बुक में न कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सुरेखा एवं सचिव श्री संजीव कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है ।

विवरण निम्नवत है

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
07.02.17	295	रु. 5000
16.02.17	296	रु. 4500
18.02.17	294	रु. 5850
		रु. 15350

(आपत्ति सं० – 13(।।)

प्रस्तर – 2– आडिट वर्ष 2016–17 में हैण्ड पम्प मरम्मत पर किया जाने वाला व्यय कुल रु०65014। कैशबुक अनुसार दर्षित है परन्तु पुष्टि हेतु सम्बंधित के व्यय प्रमाणक स्वीकृत कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा जाँच हेतु अप्राप्त रहा । अतः दर्षित व्यय को गबन मानते हुए सम्बंधित सचिव एवं प्रधान से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।**(आपत्ति सं० – 23)**

2–ग्राम पंचायत उटवारा विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर – 3 – आडिट वर्ष 2016–17 में पूर्व सचिव श्री संजीव कुमार सिंह के कार्यकाल दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 30.09.2016 तक की अवधि की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा जाँच हेतु अप्राप्त रहा जिस कारण आलोच्य अवधि में निधि– 1 खाते से आहरित किये गये धन एवं उसके सापेक्ष किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी – पासबुक के आधार पर निम्न विवरण अनुसार आहरित धन को अपहरण मानते हुए तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से अपहरित धन की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है **(आपत्ति सं० 26)**

दिनांक	चेक संख्या	आहरित की गई धनराशि
17.06.16	271	5000।
18.06.16	272	5000।
23.06.16	273	20000।
23.06.16	274	20000।
23.06.16	275	20000।
28.06.16	276	20000।
04.07.16	277	12200।
04.07.16	278	5000।
05.08.16	279	2500।
05.09.16	280	2500।
	योग	112200।

अतः उपरोक्त आहरण को अपहरण मानते हुए सम्बंधित सचिव श्री संजीव कुमार सिंह एवं प्रधान श्री देवराज से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० – 24)**

3–ग्राम पंचायत वामनी विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर – 4 – आडिट वर्ष 2016–17 की कैशबुक अनुसार माह जनवरी 2017 में मे०संजय खान कंस्ट्रक्शन को निर्माण कार्य बावत कुल रु० 379020 का चेक निर्गत किया गया जबकि व्यय पक्ष में दर्षित व्यय जो संजय खान कंस्ट्रक्शन को व्यय किया जाना दर्षित है वो कुल रु०380285/– का है । इस प्रकार रु० 1265 का अधिक भुगतान व्यय पक्ष में दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से करायी जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० 25)**

प्रस्तर –5 दिनांक 18.02.17 को माहेशवरी इलेक्ट्रॉनिक्स से लाइट क्रय पर व्यय रु०5850 दर्षित है किन्तु सम्बंधित व्यय की पुष्टि हेतु प्रमाणक अप्राप्त रहा जिस कारण दर्षित व्यय फर्जी है। अतः इस प्रति ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० – 24)**

4–ग्राम पंचायत जरारा विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर – 6 – लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 की कैशबुक में चेक सं० 437/– 25.10.16 रु० 10000–00 द्वारा प्रेमराज को किये गये भुगतान की प्रविष्टि कैशबुक के व्यय पक्ष में तथा आय पक्ष में नहीं किये जाने से बैंक पासबुक अनुसार दर्षित आहरण को गबन मानते हुए सम्बंधित प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० –13(।।)**

प्रस्तर – 7– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत मद में रु०183650। का व्यय किया जाना कैशबुक अनुसार दर्षित है । हैण्डपंप मरम्मत से सम्बंधित सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय के मस्टर रोल तथा स्वीकृत कार्य योजना एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। विना वाउचर एवं अन्य अभिलेखों में दर्षित व्यय को अपहरण मानते हुए सम्बंधित प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० –23)**

5 – ग्राम पंचायत बिहारीपुर विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –8– आडिट वर्ष 2015–16 की कैशबुक अनुसार दिनांक 30.09.2015 को प्रधान के पास नकद शेष रोकड रु० 12700। दर्षित है जिसे आगे के माहों में गलत फर्जी रूप से समायोजित दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है

जिसकी पुष्टि हेतु किसी भी प्रकार के प्रमाणक अथवा अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्न प्रकार है रू–

दिनांक	विवरण	समायोजित की गई धनराशि
31.12.15	प्रधान मानदेय(नवम्बर 15दिसम्बर15)	5000
31.01.16	प्रधान मानदेय(जनवरी 16)	2500
31.10.15	प्रधान मानदेय(अक्टोबर 15)	2500
28.02.16	प्रधान मानदेय(फरवरी 16)	2500
28.02.16	स्टेशनरी व्यय	200
	योग	12700

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 15 में सामान्य पंचायत निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी होने के बाद पूर्व प्रधानों को मानदेय का भुगतान नहीं किया जाना था । अतः स्पष्ट है कि दिनांक 30.09.15 के अवशेष शेष रोकड़ को समायोजित दर्शाये जाने के उदेश्य से ही यह फर्जी प्रविष्टि की गई है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० – 24)**

6 – ग्राम पंचायत रायत विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर – 9 – आडिट वर्ष 2016–17 के ग्राम निधि– 1 खाते से कुल आहरण रु० 1249968। कैशबुक अनुसार दर्षित है परन्तु कैशबुक के अतिरिक्त अन्य अभिलेख जैसे – व्यय प्रमाणक, स्वीकृत कार्य योजना , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा जाँच हेतु अप्राप्त रहा जिस कारण वर्ष 2016–17 के समस्त आहरण को अपहरण मानते हुए सम्बंधित सचिव श्री नरेश कुमार एवं श्रीमती शकीला बेगम से ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० – 8)**

7 – ग्राम पंचायत वीरमपुर विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर – 10 – लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 खाते से कुल आहरण अंकन रु० 137400 का किया गया है । परन्तु कैशबुक अनुसार व्यय पक्ष में इसके सापेक्ष किये गये व्ययों की पुष्टि हेतु कोई प्रमाणक, स्वीकृत कार्य योजना, कार्यपूर्ति आदि समस्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा जाँच हेतु अप्राप्त रहा जिस कारण समस्त आहरित धन को गबन की श्रेणी में मानते हुए प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं सचिव श्री चन्द्र रावत से ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।**(आपत्ति सं० – 08)**

प्रस्तर 11– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि–1 खाते से कुल आहरण अंकन रु० 293604 का किया गया है परन्तु कैशबुक अनुसार व्यय पक्ष में इसके सापेक्ष किये गये व्ययों की पुष्टि हेतु कोई प्रमाणक य स्वीकृत कार्य योजना, कार्यपूर्ति आदि समस्त अन्य अभिलेख जाँच हेतु अप्राप्त रहा द्य जिस कारण समस्त आहरित धन को अपहरण की श्रेणी में मानते हुए प्रधान श्री राज किशोर एवं सचिव श्री चन्द्र रावत से ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० – 08)**

8 – ग्राम पंचायत वलीपुर विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर – 12 – लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में निधि –1 खाते से कुल रु० 464590 का आहरण किया जाना वर्ष की कैशबुक एवं पासबुक के अनुसार दर्षित है परन्तु , वर्ष 2015–16 की कैशबुक के व्यय पक्ष अनुसार दर्षित मदों की पुष्टि हेतु किसी भी प्रकार के अभिलेख तथा व्यय प्रमाणक य स्वीकृत स्टीमेट,कार्य पूर्ति प्रमाण पात्र, आदि लेखा परीक्षा जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। फलतः दर्षित व्ययों को अपहरण मानते हुए संम्बंधित प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० –12 (II)**

9 – ग्राम पंचायत अकरावत विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर – 13 – लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में निम्न विवरण अनुसार शौचालय मरम्मत पर व्यय किया जाना दर्षित है किन्तु प्रमाणको, कार्यपूर्ति स्वीकृत स्टेटमेंट, कार्य योजना आदि के अभाव में दर्षित व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है जिस प्रति आवश्यक जांचोपरांत प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । विवरण निम्न प्रकार है रू–

दिनांक	वाउचर संख्या	धनराशि
16.07.15	13	20000–00
25.07.15	14	21300–00
	योग	41300–00

(आपत्तिसं०–13(II)

प्रस्तर – 14 – वर्ष 2015–16 में ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत मद में रु० 51000–00 का व्यय कैशबुक अनुसार दर्षित है परन्तु वाउचर्स,प्रमाणक एव कार्य पूर्ति के आभाव में दर्षित व्यय अपुष्ट रहा । काल्पनिक रूप से आहरित धन को समायोजित करने के उदेश्य से उक्त व्यय दर्षित किया जाना प्रतीत होता है जिस प्रति प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० – 23)**

प्रस्तर – 15 – वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत मद में अंकन रु० 83800–00 का व्यय किया जाना कैशबुक अनुसार दर्षित है परन्तु पुष्टि हेतु सम्बंधित के व्यय प्रमाणक, स्वीकृत स्टेटमेंट, कार्य योजना आदि लेखा परीक्षा जाँच के समय उपलब्ध नहीं कराया गया द्य उल्लेखनीय है कि बिना किसी जलकर वसूली के ग्राम निधि का धन किन नियमों के अंतर्गत व्यय दर्शाया जा रहा है, स्पष्ट नहीं है । अतः दर्षित व्यय धन अंकन रु० 83800–00 की ब्याज सहित वसूली सम्बंधित प्रधान/सचिव से करायी जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० – 24)**

10– ग्राम पंचायत चौघाना विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर – 16 – लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि –(शौचालय खाता) की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2016–17 में इस हेतु कुल रु० 1892000–00 का अनुदान प्राप्त हुआ तथा रु० 14985–00 इस खाते में ब्याज प्राप्त हुआ। इसके विरुद्ध आलोच्य वर्ष 2016–17 में विभिन्न लाभार्थियों को अंकन रु० 1542000–00 का अनुदान वितरण किया जाना कैशबुक अनुसार दर्षित है परन्तु पुष्टि हेतु सत्यापित सूची लेखा परीक्षा जाँच के समय प्रस्तुत नहीं की गई वितरित अनुदान की पुष्टि हेतु कोई रजिस्टर भी तैयार कर लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।
लाभार्थियों को वितरित अनुदान की प्रप्ति रसीदें एवं निर्गत अनुदान के सापेक्ष उपभोग का प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्ति लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इस मद की वितरित धनराशि अपुष्ट रही । यह एक प्रकार से गंभीर वित्तीय अनियमितता का घोतक है । जिस प्रति उत्तरदायी कर्मचारी प्रधान से ब्याज सहित वसूली किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति सं० – 13(क)**

11– ग्राम पंचायत अण्डला विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर – 17 – लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक निम्न विवरण अनुसार कुल रु० 222133–00 का व्यय हैंडपंप मरम्मत पर किया जाना दर्षित है रू–

वर्ष	धनराशि
2013–14	रु 55336–00
2014–15	रु 69360–00
2015–16	रु 22000–00
2016–17	रु 75437–00
योग	रु 222133–00

उपरोक्त व्यय की पुष्टि हेतु एक भी व्यय प्रमाणक स्वीकृत कार्य योजना , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे दर्षित व्यय को अपहरण मानते हुए सम्बंधित प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० – 23)**

प्रस्तर – 18 – आडिट वर्ष 2013–14 से 2016–17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 13–14,14–15 एवं 15–16 में प्रधान एवं सचिव द्वारा विभिन्न दिनांकों में अंकन 25000,50000,100000 तक के चेक स्वंय के नाम से काटकर धन का आहरण किया गया है जबकि नियमानुसार रु० 20000 से अधिक धनराशिका चेक पार्टी का नाम (जिससे कोई सेवा अथवा वस्तु प्राप्त की गई थी) ही निर्गत किये जाने का प्रावधान है । विस्तृत वितरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में अंकित है । अतः गलत तरीके से अपनी मनमर्जी एवं स्वेच्छा से स्वंय के नाम चेक काटकर धन आहरित किया जाना निश्चित रूप से गबन की श्रेणी में आता है। अतः आवश्यक विभागीय जांचोपरांत सम्बंधित से ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है । आलोच्य वर्षों में कुल आहरित धनराशि रु० 2456000–00 है। **(आपत्ति सं० – 24)**

प्रस्तर – 19– ग्राम पंचायत की खाता सं० 5512 का दिनांक 31.03.14 के अंतिम अवशेष को वर्ष 2014–15 के प्रारंभिक अवशेष में न दर्शाकर कुल रु० 82833–00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित प्रधान एवं सचिव से करायी जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं० – 25)**

12 – ग्राम पंचायत मदनपुर विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर – 20 – लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 से 2014–15 में क्रमशः रु० 466217–00 एवं रु० 956458–00 कुल रु० 1422675–00 का आहरण किया जाना कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार दर्षित है परन्तु कैशबुक के व्यय पक्ष में दर्षित मदों की पुष्टि हेतु एक भी प्रमाणक स्वीकृत कार्य योजना , बजट , कार्यपूर्ति आदि लेखा परीक्षा जाँच हेतु अप्राप्त रहा जिस कारण आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्बंधित सचिव एवं प्रधान से ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० – 26)**

प्रस्तर – 21 – लेखा परीक्षा 2016–17 में पूर्व सचिव श्री मेहर सिंह एवं प्रधान देवेन्द्र स्वरूप शर्मा के कार्यकाल में अंकन रु० 146965–00 का आहरण किया जाना कैशबुक अनुसार दर्षित है जिसकी व्यय पक्ष में दर्षित भुगतान की पुष्टि प्रमाणकों के अभाव में संभव नहीं हो सकी । इसके अतिरिक्त वर्ष 2016–17 में पूर्व सचिव श्री जयनेश कुमार एवं प्रधान श्री उमेश भरद्वाज के कार्यकाल में अंकन रु० 954138–00 का आहरण कैशबुक अनुसार दर्षित है। व्यय पक्ष में इस धनराशिको खर्च कियें जाने की पुष्टि प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। फलतः समस्त आहरण को अपहरण मानते हुए सम्बंधित से ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० – 25)**

13 – ग्राम पंचायत बांकनेर विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –22– दिनांक 31.09.15 एवं दिनांक 30.11.15 को माह सितम्बर 2015 का प्रधान का मानदेय डबल भुगतान किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से करायी जानी अपेक्षित है ।
(आपत्ति सं० – 6(II)

प्रस्तर – 23– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में चेक सं० 106 दिनांक 31.03.17 जो चौधरी ईट उद्योग द्वारा अंकन रु० 23400–00 का भुगतान प्राप्त किया गया है जबकि कैशबुक में इसकी प्रविष्टि नहीं पायी गई, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से करायी जानी अपेक्षित है **(आपत्तिसं०–6(III)**

प्रस्तर – 24 – लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत मद में रु० 244460–00 का धन व्यय किया जाना दर्षित है – व्यय से सम्बंधित सामग्री क्रय एवं लेबर के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में अप्राप्त रहने

एवं स्वीकृत कार्य योजना एवं कार्यपूर्ति के अभाव में दर्षित व्यय धनराशिको अपहरण मानते हुए प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० – 23(I)**

प्रस्तर – 25 – लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत मद में रु० 211290–00 का धन व्यय किया जाना दर्षित है परन्तु व्यय की पुष्टि हेतु सम्बंधित व्यय प्रमाणक य कार्य योजना एवं कार्यपूर्ति के अभाव में दर्षित व्यय को अपहरण मानते हुए प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है**(आपत्ति सं०– 23(II)**

प्रस्तर – 26– लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 की कैशबुक अनुसार दिनांक 27.3.17 को क्रमशः चेक सं०112 एवं 113 द्वारा रु० 27940–00 एवं रु० 13680–00 का आहरण निधि – 1 खाते से किया जाना दर्षित है जबकि व्यय पक्ष में 27.03.17 को मस्टरोल बावत पंचायत घर रु० 35720–00 एवं मिटटी भराई बावत पंचायत घर रु० 5900–00 का भुगतान किया जाना दर्षित है । उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों चेक का भुगतान बैंक से दिनांक 11.07.17 को प्राप्त किया गया है । अतः स्पष्ट है कि उक्त प्रविष्टि बाद में पूर्व की तिथि में समायोजन की द्रष्टि से किया गया है जो कि स्पष्ट रूप से गबन के उदेश्य से किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं० –24)**

14– ग्राम पंचायत उदयगढी विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर – 27 – लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत पर कुल व्यय अंकन रु० 141685–00 दर्षित है जिसकी पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक लेखा, स्वीकृत कार्य योजना एवं कार्यपूर्ति आदि लेखा परीक्षा जाँच हेतु अप्राप्त रहा । जिसका उक्त व्यय को गबन मानते हुए सम्बंधित सचिव एवं प्रधान ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । विस्तृत विवरण कार्यकाल वार निम्नवत हैः––

सचिव श्री नवेभ कुमार के कार्यकाल का

दिनांक	धनराशि
26.06.16	रु० 50000–00
05.08.16	रु० 3000–00
05.09.16	रु० 21524–00
20.10.16	रु० 1697–00
योग	रु० 76221–00

सचिव संजीव कुमार सिंह के कार्यकाल का

दिनांक	धनराशि
13.01.17	रु० 15360–00
17.03.17	रु० 15150–00
31.03.17	रु० 19681–00
योग	रु० 50191–00 **(आपत्ति सं० – 23)**

प्रस्तर – 28 – वर्ष 2016–17 में निम्न चेक अनुसार मार्च 2017 की कैशबुक में व्यय किया जाना दर्षित है, जिसका भुगतान बैंक द्वारा दिनांक 31.03.17 के बाद किया गया है । अतः इस दर्षित धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्बंधित सचिव श्री संजीव कुमार सिंह एवं प्रधान श्री चंद्रपाल से ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । विवरण निम्नवत है :––

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि
56	20.03.17	रु० 93350–00
57	21.03.17	रु० 94430–00
58	22.03.17	रु० 93350–00
59	23.03.17	रु० 108287–00
64	24.03.17	रु० 36500–00
65	25.03.17	रु० 172133–00
66	27.03.17	रु० 40060–00
67	28.03.17	रु० 40060–00
68	29.03.17	रु० 40350–00
69	30.03.17	रु० 5000–00
70	31.03.17	रु० 19661–00
	योग	रु० 743201–00

15 – ग्राम पंचायत नगलापान खानी विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ ।

प्रस्तर–29–लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में दिनांक 20.12.13 को बाला जी इंटर प्राइजेज से कोषवाही अनुसार अंकन 54000 की स्ट्रीट लाइट क्रय दर्षित है व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में प्रमाणक कूटेशन एवं विधुत विभाग से अनुमति सम्बन्धी पत्रावली, जमा बिजली के बिल, कन्जूमरस्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुतु नहीं किया गया जिससे उक्त क्रय की पुष्टि लेखा परीक्षा स्तर से नहीं हो सकी जो गंभीर रूप से आपत्तिजनक है। अतः रु0 54000 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं० – 17)**

16 – ग्राम पंचायत धीरधरपुर गड़ीयावली विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर – 30 – लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में मस्टरोल 20 के अनुसार दिनांक 15.09.13 से 24.09.13 तक जोरावर नगर में रामगोपाल सिंह के मकान से बहोरन सिंह के मकान तक नाली खडंजा निर्माण एवं मस्टरोल 21 के अनुसार जोरावर नगर में ही दिनांक 20.09.13 से 26.09.13 तक हरिपाल के मकान से कुण्डी तक नाली खडंजा निर्माण में निम्न राजमिस्त्री एवं मजदूर दिनांक 20.09.13 से 24.09.13 तक दोनों कार्यों पर एक साथ कार्य करते मस्टरोल पर दर्षित है

1.	मुकेश पुत्र कुंदन सिंह –	5 • 270 = 1350–00
2.	रमेश पुत्र होतीलाल –	5 • 270 = 1350–00
3.	राजकुमार पुत्र बाबू लाल –	5 • 142 = 710–00
4.	जोती लाल पुत्रनौबत –	5 • 142 = 710–00
5.	उदयवीर पुत्र मोतीलाल –	5 • 142 = 710–00
6.	सर्वेश पुत्र मोतीलाल –	5 • 142 = 710–00
7.	टिंकू पुत्र वीरपाल –	5 • 142 = 710–00
	योग	= 6250 –00

लेखा परीक्षा की द्रष्टि में उक्त मजदूरों द्वारा उपभोग की गयी सामग्री भी फर्जी है अतः रु० 6250–00 की मजदूरी के साथ –साथ दिनांक 11.09.13 को वैशाली सीमेंट एजेंसी के कुल सामग्री रु० 15950–00 (नकद) एवं ताजुउद्दीन ईट उद्योग से नकद क्रय ईट मूल्य रु० 16000–00 का भुगतान भी फर्जी है । अतः कुल रु० 38200–00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० – 16)**

17 – ग्राम पंचायत अलीनगर विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर–31–दिनांक 25.04.13 को 06 रोड निर्माण मशीन का भाडा 1000रु प्रतिदिन के हिसाब रु० 5000– का भुगतान दर्षित है जबकि रोड का निर्माण (रहमतपुर गढ़मई में अनोखे लाल के मकान से हैंडपंप) दो दिन 24.04.13 एवं 25.04.13 में पूर्ण हुआ है इस प्रकार 1000 की दर से भाडा 2000 ही हुआ जबकि भुगतान 5000–00 का है इस प्रकार अंतर रु० 3000–00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० – 16)**

प्रस्तर – 32– लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में रहमतपुर गढ़मई में अनोखे लाल के मकान से हैंडपंप तक दिनांक 24.04.13 से 25.04.13 तक निर्माण किया गया है जिसके लिये मजदूरी रु० 2272–00 दी गयी है लेकिन मस्टरोल पर कोई राजमिस्त्री कार्य करता दर्षित नहीं है । इस प्रकार निर्माण संदिग्ध प्रतीत होता है इस प्रकार उक्त कार्य हेतु क्रय 15.04.13 को रोड़ी बदरपुर मूल्य रु० 2000–00 एव दिनांक 22.04.13 एवं 24.04.13 का क्रय सीमेंट मूल्य रु० 18300–00 का दुरूपयोग किया लगता है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० –17)**

प्रस्तर – 33 – लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में अप्रैल से अक्टूबर तक निम्न प्रकार ईट क्रय दर्षित है :–

1.	28.05.14 – असन ईट उद्योग – 39600	नकद
2.	29.08.14 – असन ईट उद्योग – 15400	नकद
3.	29.09.14 – असन ईट उद्योग – 24750	नकद
4.	10.10.14 – असन ईट उद्योग – 82500	अकाउंट पेयी चेक
5.	10.10.14 – असन ईट उद्योग – 82500	अकाउंट पेयी चेक
6.	31.10.16 – असन ईट उद्योग – 53350	नकद

लेखा परीक्षा वर्ष में पहला खडंजा निर्माण उर्मिला देवी के मकान से रघुनन्दन के मकान तक किया गया है जिसके लिये मजदूरी का भुगतान दिनांक 15.11.14 (9.11.14 से 15.11.14) को किया गया है जब कोई कार्य होना नहीं थी तो खाते से धन निकालकर नकद रूप में ईट क्रय करना धन का दुरूपयोग करना हुआ तथा कोषवही एवं मस्टरोल कार्य का विवरण भी नहीं लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं० – 18)**

18 – ग्राम पंचायत मूसेपुर जलाल विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ ।

प्रस्तर – 34 – वर्ष 2013–14 में दिनांक 23.12.13 को बा०न० 54 के द्वारा अरुण ईट उद्योग को रु० 15000–00 का नकद भुगतान किया गया है लेकिन इसके उपभोग का विवरण कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में दर्षित नहीं किया गया । अतः 15000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० – 16)**

प्रस्तर – 35 – लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में दिनांक 31.03.14 को बा०न० 76 के द्वारा प्रधान का मानदेय दिसम्बर 2013 से मार्च 2014 तक का रु० 10000–00 (4x2500) दिया गया है पुनः दिनांक 05.07.14 को बा०न० 17 के द्वारा फरवरी 2014 तक का रु० 10000–00 (4x2500) प्रधान का मानदेय दिया गया है इस प्रकार फरवरी एवं मार्च 2014 का प्रधान का मानदेय दो बार दिया गया है अतः दो माह का प्रधान का मानदेय (2x2500) रु० 5000–00 तत्कालीन प्रधान से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० – 17)**

19 – ग्राम पंचायत शाहपुर विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर – 36 – लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में दिनांक 10.10.13 एवं 16.12.13 को बाला जी इंटर प्राईजेज बुलंदशहर को स्ट्रीट लाइट हेतु क्रमशः 42000(10X4200) एवं 21000 (5X4200) कुल रु० 63000 का भुगतान दर्षित है लेकिन भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक विद्युत विभाग की अनुमति सम्बन्धी पत्रावली , कुटेशन पत्रावली ,क्न्ज्यूमेवल स्टाक (रजि.

अधिकारी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया लेखा परीक्षा अनुसार अंकन रु० 63000—00 का दुरूपयोग प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।**(आपत्ति सं० — 17)**

प्रस्तर — 37 — लेखा परीक्षा वर्ष में चेक बुक अनुसार जिन व्यक्तियों के नाम चेक निर्गत है कोषवही में व्यय पक्ष में उनके नाम से कोई सेवा या सामग्री प्राप्त दर्षित नहीं है लेखा परीक्षा अनुसार निम्न प्रकार दर्शित धनराशि का दुरूपयोग प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है ।

क्र०सं०	दिनांक	चेक	जिसके नाम चेक निर्गत है	धनराशि
1	06.01.15	391474	राजीव गौड़	20000—00
2	06.01.15	391475	तेजवीर सिंह	30000—00
3	10.01.15	391482	प्रशांत चौधरी	32500—00
4	14.01.15	391489	तेजवीर सिंह	25000—00
5	19.01.15	391492	प्रशांत चौधरी	10000—00
6	25.03.15	391505	तेजवीर सिंह	23000—00
7	30.04.15	391510	तेजवीर सिंह	10000—00
8	04.06.15	391516	तेजवीर सिंह	30000—00
9	04.06.15	391517	राजीव गौड़	32000—00
			योग —	212500—00

20 — ग्राम पंचायत बलरामपुर विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ —

प्रस्तर —38 — लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में दिनांक 15.04.14 को ग्राम निधि —1 खाता संख्या— 11664 का अवशेष रू0 241461 पास बुक में अंकित है दिनांक 05.05.14 को खाते से 8000 के आहरण उपरांत अवशेष रू0 228461 दर्शित है जबकि होने चाहिए 233461—00। इस प्रकार इस बीच में खाते से चेक संख्या 277689 या 277692 से 5000 का आहरण हुआ है जिसकी पुष्टि न तो पासबुक में और न ही कोषवही में है। इसी प्रकार दिनांक 09.06.14 को ग्राम निधि खाता संख्य— 11664 से चेक संख्या—. 277693 से 5000 का आहरण है जिसकी प्रविष्टि कोषवही में नहीं की गयी है इस प्रकार आहरित कुल रु० 10000—00 की प्रविष्टि न तो कोषवही में की गयी है न ही उसके उपभोग को कोई प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है ।**(आपत्ति सं०— 10)**

प्रस्तर — 39—लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न तिथियों में पास बुक अनुसार भुगतान तो जफर ईट उद्योग को किया गया है लेकिन कोषवही एवं प्रमाणको अनुसार भुगतान ताजुद्दीन ब्रिक को दर्शित है विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र०सं०	दिनांक	चेक न०	धनराशि
1	07.06.13	302081	25200
2	30.06.14	72263	50000
3	05.07.14	72268	23500
4	27.01.15	64411	48000
5	27.01.15	64412	48000
6	27.01.15	64413	48000
7	06.06.15	860211	50000
8	30.09.15	882109	20000
9	30.09.15	882108	50000
		योग	362700

लेखा परीक्षा अनुसार अंकन रु० 362700—00 का प्रयोग अनियमित तरीके से किया गया है जो गंभीर क्रय से आपत्तिजनक है प्रकरण की विभागीय जाँच कर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० —11)**

प्रस्तर —40 —लेखा परीक्षा वर्षों में निम्न तिथियों को फर्मों को चेक कम धनराशि का जारी हुआ जबकि भुगतान अधिक का किया गया है लेखा परीक्षा की दृष्टि में अंतर धनराशि का दुरूपयोग हुआ है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है **—(आपत्ति सं० —12)**

क्र० सं०	दिनांक	चेक	फर्म/यक्ति का नाम	निर्गत चेक की धनराशि	भुगतान	अंतर धनराशि
1	26.10.13	302095	तिरुपति ईट उद्योग	40000	42000	2000
2	26.10.13	302099	तिरुपति ईट उद्योग	40000	42000	2000
3	26.11.13	277654	बबलू	20000	30000	10000
4	16.12.13	277659	ताजुद्दीन ब्रिक	30000	45000	15000
5	23.12.13	277661	बबलू	11200	27600	16400
6	27.01.15	64411	जफर ईट उद्योग	48000	50000	2000
7	27.01.15	64412	जफर ईट उद्योग	48000	50000	2000
8	27.01.15	64413	जफर ईट उद्योग	48000	50000	2000
9	06.06.15	860211	जफर ईट उद्योग	50000	70000	20000
					योग	**71400.00**

21 – ग्राम पंचायत खेडा बुजुर्ग विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ–

प्रस्तर– 41 –लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में दिनांक 27.08.15 एवं 11.09.15 को क्रमशः 15000 एवं 12000 की नकद ईट क्रय कोषवही में दर्शित है लेकिन ग्राम पंचायत में इसके बाद वर्ष 2015–16 में कोई कार्य नहीं हुआ है वर्ष 2016–17 में कार्य प्रारंभ से पूर्व ईट क्रय की गयी है बिना कार्य के अनावश्यक रूप से नकद ईट क्रय करना राजकीय धन का दुरूपयोग किया गया है । अतः क्रय ईट मूल्य 27000– की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–16)**

प्रस्तर–42–लेखा परीक्षा वर्षों में निम्न विवरणानुसार निर्गत चेक जिन व्यक्ति एवं फर्म को जारी किया गया है कोषवही में उन व्यक्तियों एवं फर्मों से कोई सेवा या सामग्री प्राप्त होना कोषवही में दर्शित नहीं है । कोषवही में व्यय पक्ष में इतनी ही धनराशि का भुगतान अन्य फर्मों एवं व्यक्तियों को अनियमित तरीके से देना दर्शित कर अंकन 211500–00 का दुरूपयोग किया गया है। अतः अनियमित भुगतान की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	दिनांक	चेक न०	धनराशि	फर्म / व्यक्ति का नाम जिसे निर्गत किया गया है
1	15.02.14	3098	42000	ट्रांसफर टू जसवन्त
2	02.04.14	3942	34500	ट्रांसफर टू निहाल सिंह
3	22.04.14	3946	10000	ट्रांसफर टू गुप्ता इंटरलाक
4	07.01.15	4875	25000	ट्रांसफर जवजसवंत
5	27.01.15	4884	20000	नेफ्ट जसवंत
6	23.03.15	7741	30000	नेफ्ट जसवंत
7	27.03.15	7744	50000	नेफ्ट नेत्रपाल ईट उद्योग **(आपत्ति सं०–17)**
		योग	211500	

22 – ग्राम पंचायत भवनगढ़ी विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ।

प्रस्तर –43–दिनांक 31.03.14 को ग्राम निधि – 1 खाता संख्या– 30164 से चेक न० 2799 से 42000 का आहरण कर कोषवही में प्रविष्टि नहीं की गयी है न ही इसके उपभोग का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इस प्रकार 42000 रु का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से मय ब्याज से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०–16)**

प्रस्तर –44 –लेखा परीक्षा वर्षों में कोषवही एवं पासबुक की जाँच समय पाया गया है कि चेक निर्गत किसी के नाम है कोषवही में अंकित किसी अन्य के नाम दर्शाकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	दिनांक	चेक न०	धनराशि	फर्म / व्यक्ति का नाम जिसे चेक जरी	फर्म का नाम जिसे भुगतान वांछित है
1	27.05.14	2800	42000	मेसर्स जसवंत सिंह	बाला जी ईट उद्योग
2	15.07.14	4818	21000	निहाल सिंह	कुमार ट्रेडर्स
3	15.07.14	4817	46860	मेसर्स जसवंत	बाला जी ईट उद्योग
4	07.03.14	4838	50000	मेसर्स जसवंत	बाला जी ईट उद्योग
5	20.03.15	4839	50000	नेहा ईट उद्योग	बाला जी ईट उद्योग
6	20.03.15	4841	30000	मेसर्स जसवंत	बाला जी ईट उद्योग
7	21.03.15	4842	25000	मेसर्स जसवंत	बाला जी ईट उद्योग
8	25.03.15	4845	30000	नेहा ईट उद्योग	बाला जी ईट उद्योग
9	25.03.15	4846	25000	नेत्र पाल ईट उद्योग	बाला जी ईट उद्योग
10	30.03.15	4850	16000	निहाल सिंह	कुमार ट्रेडर्स
		योग	335860		

चेक जारी एवं भुगतान की दिनांक में समांजस्य भी नहीं है । (आपत्ति सं०–17)

23 – ग्राम पंचायत केशोपुर गडराना विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ–

प्रस्तर – 45– लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में दिनांक 20.11.13 एवं 29.11.13 को बाला जी इंटर प्राईजेज को स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु क्रमशः रु० 126000 एवं रु० 72000 का भुगतान दर्शित है भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक, टेंडर पत्रावली , विद्युत विभाग की अनुमति सम्बन्धी पत्रावली , कन्ज्यूमवेल स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो गंभीर अनियमितता है । जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं० –17)**

प्रस्तर–46 –लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में निम्न क्रय सामग्री के उपभोग का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

14.06.14	बा० न० 30	आरुन ईट उद्योग	44500
23.06.14	बा० न० 34	आरुन ईट उद्योग	44500
		योग	89000

अतः रु० 89000 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।**(आपत्ति सं०–18)**

24 – ग्राम पंचायत ग्वालरा विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –47–लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में 03.12.15 को ग्राम निधि –1 खाते से चेक न० 4793 से प्रधान द्वारा 10000 का आहरण कर कोषवही में प्रविष्टि नही की गयी न ही इसके उपभोग का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया द्य कोषवही में चेक न० 4793 से 225 का आहरण दर्शित है जो बैंक द्वारा कटौती की गयी है अतः रु० 10000–00का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है ।
(आपत्ति सं०–16)

प्रस्तर–48–लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 व 2014–15 में कतिपय चेक निर्गत किसी फर्म के नाम है जबकि कोषवही में भुगतान किसी अन्य फर्म के नाम दर्शित है वाउचर भी दुसरे फर्म का प्रस्तुत किया गया जो गंभीर अनियमितता है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है :–

क्र०सं०	दिनांक	चेक न०	धनराशि	फर्म का नाम जिसको चेक निर्गत किया गया	फर्म का नाम जिसके नाम कोषवही में प्रविष्टि है
1	15.04.13	4390	36000	चौधरी ईट उद्योग	बी एस के ईट उद्योग
2	15.02.14	3199	33600	ट्रान्सफर टू जसवंत	बाला जी ईट उद्योग
3	27.01.15	4789	30000	मेसर्स जसवंत	बाला जी ईट उद्योग
4	23.03.15	4802	30000	मेसर्स जसवंत	बाला जी ईट उद्योग
	योग		129600	**(आपत्तिसं०–17)**	

प्रस्तर –49 –लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में कतिपय कार्यों का विभाग द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं कार्य की माप एवं प्रयुक्त सामग्री में सामंजस्य नहीं है जिसका विवरण निम्न प्रकार है

क0सं0	कार्य का नाम एवं दिनांक व माप	क्रय सामग्री	आपत्ति	एक्स्ट्रा सामग्री
1	लीलाघर के घर से पीपल तक नाली खडण्जा 83.4 • 4.7 = 392मी0 02. 04.13 से 16.04.13 तक	ईट की संख्या– 20000 सी/बालू मूल्य–9750	392मी0 हेतु खडण्जा में ही 23520 ईट लग जायेगी तो नाली का निर्माण कैसे हुआ सी/ बालू का कय फर्जी	9750
2	मुख्य सडक से राजन फौजी तक नाली खडण्जा पीपल से प्रताप के घर तक नाली खडण्जा कुल 242.4 मीटर 1–05–13 से 7–07–13 तक	ईट–13000 सीमेन्ट बालू–– 4875	उक्त जैसे ईट केवल खडण्जा के लिये ही कय की गयी है तो नाली का निर्माण कैसे हुआ सी0/ बालू कय फर्जी	4875
3	पनेठी मार्ग से डम्बर के घर तक 344.6 मी0 25.03.14 से 31.03.14 तक	ईट– 18000 सी0/बालू––7000	उक्त जैसे ईट केवल खडण्जा के लिये ही कय की गयी है तो नाली का निर्माण कैसे हुआ सी0/ बालू कय फर्जी	7000
4	महानप्रताप के घर से रमेश चन्द्र तक नाली खडण्जा 245.25 मी0 दि0 12.02. 15 से 18.02.15	ईठ – 14700 सी/बालू–6250	उक्त जैसे ईट केवल खडण्जा के लिये ही कय की गयी है तो नाली का निर्माण कैसे हुआ सी0/ बालू कय फर्जी	6250
5	शजपाल के मकान से पनेठी मार्ग तक नाली खढण्जा 367.5 मी0.दि0 25.02.14 से –––	ईट– 20000 सी0/बालू–– 11250	उक्त जैसे ईट केवल खडण्जा के लिये ही कय की गयी है तो नाली का निर्माण कैसे हुआ सी0/ बालू कय फर्जी	11250
			योग	39125

उपरोक्त विवरण अनुसार समस्त क्रय ईट का उपभोग तो खडंजा निर्माण में ही हो गया तो नाली कैसे बनी । लेखा परीक्षा अनुसार सी०/ बालू का क्रय फर्जी दर्शाकर 39125 का अपहरण किया गया है समस्त सी०/बालू का भुगतान भी नकद किया गया है उक्त सभी कार्यो का विभाग द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी किया गया है । लेखा परीक्षा अनुसार सी०आर० जारी करने में भी घोर लापरवाही बरती गयी है उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–17)**

25 –ग्राम पंचायत मोरथल विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ

प्रस्तर –50–लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में 06.07.13 को प्रधान पर नकद शेष रु० 30 दर्शित है इसके बाद नई कोषवही में लेखांकन किया गया है जिसमें प्रारम्भिक शेष शून्य अंकित है इस प्रकार रु० 30 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–16)**

प्रस्तर –51–लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 से दिनांक 10.10.14 को चेक न० 943934 से ग्राम निधि एकाउन्ट 94728 से 1600रु आहरण कर इसकी प्रविष्टि कोषवही में नहीं की गयी न ही इसके उपभोग का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया इस प्रकार रु० 1600 का अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० –17)**

प्रस्तर– 52– दिनांक 06.04.15 को चेक न० 943967 से रु० 50000 का भुगतान बाला जी ईट उद्योग को देना दर्शित है लेकिन कोषवही के व्यय पक्ष में 06.04.15 में केवल 40000 (10000,15000 एवं 15000) का ही भुगतान दर्शित है शेष रु०10000 का दुरूपयोग किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है ।**(आपत्ति सं०–18)**

प्रस्तर–53– लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में दिनांक 20.08.15 को आर०के० ट्रेडर्स से स्ट्रीट लाइट क्रय दर्शित है जिसके लिए 46500 का भुगतान दर्शित है लेकिन व्यय की पुष्टि प्रमाणक , कुटेशन पत्रावली, विधुत विभाग की अनुमति सम्बन्धी पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०–19)**

प्रस्तर –54 –लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में निम्न दिनांकों में अनावश्यक रूप से नकद ईट क्रय कर धन का दुरूपयोग किया गया है :–

क्र०सं०	दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि
1	02.04.14	बाला जी ईट उद्योग	15000 नकद
2	15.04.14	बाला जी ईट उद्योग	20000 नकद
3	25.04.14	बाला जी ईट उद्योग	20000 नकद
4	19.05.14	बाला जी ईट उद्योग	15000 नकद
		योग	70000

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत में अगस्त माह तक ईट से सम्बंधित कोई कार्य नहीं हुआ है उससे पहले अकाउंट पेयी चेक से इसी फर्म को भुगतान कर ईट क्रय की गयी है अतः बिना आवश्यकता के नकद रूप में ईट क्रय करना राजकीय धन का दुरूपयोग है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है ।**(आपत्ति सं०– 20)**

26 – ग्राम पंचायत ढारई विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –55–लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में रु० 14925 की सीमेंट बालू क्रय दर्शित है लेकिन मस्टर रोल पर कोई राज मिस्त्री कार्य करते दर्शित नहीं है इस प्रकार अनावश्यक रूप से 14925 रु की सी० बालू नकद क्रय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्तिसं०–10)**

प्रस्तर –56 –लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में दिनांक 26.07.13 को चेक न० 694067 एवं दिनांक 25.06.15 को चेक न० 996569 क्रमशः 33750 एवं 51000 राज ईट उद्योग को निर्गत है लेकिन कोषवही में सामग्री आलनेवी ईट उद्योग से क्रय दर्शित है एवं प्रमाणक भी आलनेवी ईट उद्योग का प्रस्तुत किया गया जो गंभीर अनियमितता की ओर इशारा करता है । जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं०–16)

प्रस्तर –57 –लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में मस्टर रोल 26 के अनुसार गुलाब के घर से सत्यदेव के घर तक दिनांक 23.02.15 से 25.02.15 तक नाली निर्माण एवं मस्टर रोल 27 के अनुसार उक्त स्थान पर 25.02.15 से 28.02.15 तक खडंजा निर्माण होना दर्शित है लेकिन दिनांक 25.02.15 को निम्न मजदूर दोनों मस्टर रोलों पर एक साथ कार्य करते दर्शित है :–

जफरुद्दीन पुत्र बसीर खां	(राज)	–	400
गुड्डू पुत्र हामिद खां	(मजदूर)	–	200
निजाम पुत्र हामिद खां	(मजदूर)	–	200
योग		–	800

कुल आठ सौ रूपये की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० –17)

27 – ग्राम पंचायत कल्यानपुर विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर–58– लेखा परीक्षा वर्षों में ग्राम पंचायत में कराए गये मिटटी कार्यों के भुगतान में प्रतिधन मी० की दर में काफी असमानता तथा अधिक दर से भुगतान दर्शित है जैसे संजीव कुमार से शेर सिंह खटिक तथा श्याम लाल के घर से लटूरी के घर तक कुल 472.8 मी० का 95 की दर से 45000(75X600)का भुगतान दिनांक 31.05.14 में किया गया है लेकिन ग्राम पंचायत में वर्ष 2013–14 में प्रति धन की दर बहुत अधिक से अनियमित तरीके से भुगतान कर राजकीय धन का दुरूपयोग किया गया है जबकि दोनों वर्षों में 600 रु० प्रति ट्राली की दर से ही भुगतान है विवरण निम्न प्रकार है :––

क0सं0	कार्य का नाम	भुगतान	भुगतान 120/–की दर से होना चाहिए	अधिक भुगतान
1	प्रा0वि0 दुम्हेरा से अशोक के घर तक 110*4.3 *6=23.8मी3भुगतान 6.04.13 गुडडू पुत्र जीवनराम 50*600=30000 नगद 21.06.13 गुडडू पुत्र जीवनराम 25*600=15000	30000 15000 45000	34056	10944

	भुगतान की दर210 / मी3			
2	जी०टी० रोड से प्रेमपाल पूर्व प्रधान तक 100 • 3.5 • 0.6 = 210 मी3 27.11.13 गुड्डू पुत्र जीवराम 50 • 600 = 30000 भुगतान 14350 / मी3	30000	25200	4800
3	रिशी पाल सिंह के घर से नीरज सिंह के घर तक 50•2•0.6=60 मी3 नीरज के घर से सुरेश के घर तक 30•3.25•0.6=58.5 मी3 कुल–118.5 मी3 13.02.14 गुड्डू पुत्र जीवराम =50•600=30000 18.02.14 गुड्डू पुत्र जीवराम =15 • 600= 9000 कुल = 39000 भुगतान दर 329 रु० / मी03	30000 9000 ———— 39000	14220	24780
4	मुकेश के घर से रेशम देवी के घर तक =70 • 3.1 • 0.6 = 130.2 मी3 प्रेमा देवी के घर से जयपाल धीमर तक =27 • 1.7 • 0.6 = 27.5 मी3 कुल = 157.74 मी3 नकद 21.02.14 जीवराम = 30000 नकद 24.02.14 जीवराम = 7200भुगतान पर 236 रु प्रति धन मी०	30000 7200 ———— 37200	18930	18270
			कुल अधिक भुगतान	**58794**

इस प्रकार अत्यधिक दर से मिटटी का भुगतान कर राजकीय धन का दुरूपयोग किया गया है समस्त भुगतान नकद ही किया गया है जबकि रु० 2000–00 से ऊपर का भुगतान अकाउंट पेयी चेक से करना चाहिए था कुल रु० 58794– की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है ।**(आपत्ति सं० –18)**

प्रस्तर–59 – लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में दिनांक 03.03.14 को आर0एस0एम0 मंजूरगढ़ी से सामग्री क्रय हेतु चेक न० 68552 अंकन रु० 13000 का निर्गत दर्शित है जबकि कोषवही के व्यय पक्ष में अंकन रु० 11000 का ही भुगतान दर्शित है शेष का कोई विवरण उपलब्ध नहीं हुआ । अतः अंतर रु० 2000 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है ।**(आपत्ति सं०–19)**

प्रस्तर–60–लेखा परीक्षा वर्षों में कोषवही की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री क्रय हेतु फर्मों को चेक निर्गत किया गया है जबकि भुगतान अनियमित तरीके से प्रधान एवं सचिव द्वारा नकद धन खाते से निकाल कर अधिक का किया गया है जो गंभीर रूप से अनियमित एवं वसूली योग्य है :–

क्र०सं०	दिनांक	चेक न०	फर्म का नाम	निर्गत चेक की धनराशि	कुल भुगतान	अंतर
1	08.05.13	553227	गुरुनानक ब्रिक	36000	45000	9000
2	13.09.13	302793	गुरुनानक ब्रिक	42000	44000	2000
3	25.11.13	128884	गुरुनानक ब्रिक	30000	36000	6000
4	28.05.14	70211	गुरुनानक ब्रिक	44000	48000	4000
5	28.05.14	70210	गुरुनानक ब्रिक	44000	48000	4000
6	03.06.15	295633	गुरुनानक ब्रिक	30000	50000	20000
7	31.08.15	295647	गुरुनानक ब्रिक	30000	50000	20000
					कुल योग –	65000

लेखा परीक्षा अनुसार अंतर धनराशि रु० 65000– का भुगतान अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। **(आपत्ति सं०–20)**

प्रस्तर –61–लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में माह अप्रैल 2015 में प्रधान एवं सचिव द्वारा कुल रु० 60000 एवं रु० 20000 नकद निकल कर दिनांक 30.04.15 को जय माता ईट उद्योग को अनियमित तरीके से रु० 80000 का नकद भुगतान किया गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिजनक एवं राजकीय धन की दुरूपयोग है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित हैं।**(आपत्ति सं०–21)**

28–ग्राम पंचायत जलुपुर सिहोर विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ ।

प्रस्तर – 62– लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में दिनांक 28.02.14 एवं 12.03.14 को स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु मंजू इलेक्ट्रिकल राधानगर बुलंदशहर को क्रमशः 80000(20.4000) एवं 16000(40.4000) कुल 240000 का भुगतान दर्शित है लेकिन लेखा परीक्षा में टेंडर पत्रावली विधुत विभाग से अनुमति सम्बन्धी पत्रावली, बिजली का बिल, क्न्ज्युमवेल स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। बिना टेंडर के इतनी बड़ी धनराशिका व्यय करना गंभीर अनियमितता है । जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित हैं। **(आपत्ति सं०–16)**

प्रस्तर –63– लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में दिनांक 3.01.14 को खाता सं0 37566 ग्राम निधि –1 का बैलेंस 1552619 है दिनांक 13.01.14 को खाते से 10000 आहरण उपरांत खाते का बैलेंस पास बुक में 1532619 अंकित है इस प्रकार 03.01.14 एवं 13.01.14 के बीच खाते से 10000 का आहरण किया गया है जिसकी प्रविष्टि न तो कोषवही में है न ही

पास बुक में है न ही 10000 के उपयोग का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया अतः 10000 रु का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।**(आपत्ति सं० –17)**

प्रस्तर –64–लेखा परीक्षा वर्षों में कोषवही एवं पास बुक की जाँच समय पाया गया कि फर्मों को जो चेक कम धनराशिका निर्गत किया गया लेकिन कोषवही में अनियमित तरीके से अधिक का भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है अंतर धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०– 18)**

क्र०सं०	दिनांक	चेक न०	फर्म का नाम	निर्गत चेक की धनराशि	भुगतान धनराशि	अंतर धनराशि
1	18.05.13	314903	तिरुपति ईट उद्योग	40000	46000	6000
2	18.05.13	314904	तिरुपति ईट उद्योग	40000	46000	6000
3	18.05.13	314902	तिरुपति ईट उद्योग	40000	46000	6000
4	13.08.13	314914	तिरुपति ईट उद्योग	40000	46000	6000
5	13.08.13	314915	तिरुपति ईट उद्योग	40000	46000	6000
6	13.08.13	314916	तिरुपति ईट उद्योग	40000	46000	6000
7	25.01.14	314933	तिरुपति ईट उद्योग	40000	46000	6000
8	25.01.14	314934	तिरुपति ईट उद्योग	40000	46000	6000
9	25.01.14	314935	तिरुपति ईट उद्योग	40000	46000	6000
10	25.01.14	314941	तिरुपति ईट उद्योग	40000	46000	6000
11	23.05.14	314992	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
12	23.05.14	314993	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
13	23.05.14	314994	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
14	23.05.14	314995	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
15	23.05.14	314999	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
16	27.06.14	962412	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
17	27.06.14	962413	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
18	27.06.14	962414	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
19	03.09.14	962435	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
20	03.09.14	962436	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
21	03.09.14	962437	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
22	03.09.14	962438	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
23	03.09.14	962439	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
24	13.09.14	962445	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
25	13.09.14	962446	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
26	13.09.14	962447	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
27	09.10.14	75981	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
28	09.10.14	75982	तिरुपति ईट उद्योग	45000	48000	3000
					अंतर योग	**114000**

प्रस्तर –65 –लेखा परीक्षा वर्षों में प्रधान एवं सचिव द्वारा विभिन्न दिनांकों में नकद अपहरण कर फर्मों को अनियमित तरीके से नकद भुगतान किया गया है जबकि विभागीय आदेशानुसार दो हजार से ऊपर का भुगतान को अकाउंट पेयी के माध्यम से किया जाना चाहिए जैसे

क्र०सं०	दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि
1	27.07.13	तिरुपति ईट उद्योग	46000
2	21.02.14	तिरुपति ईट उद्योग	46000
3	21.03.14	तिरुपति ईट उद्योग	50000
4	29.03.14	मनोज इंटर प्रईजेज	60000
5	24.03.14	मनोज इंटर प्रईजेज	30000
6	23.09.14	तिरुपति ईट उद्योग	48000
7	22.02.15	तिरुपति ईट उद्योग	48000
8	23.02.15	तिरुपति ईट उद्योग	48000
		योग	376000

मनोज इंटर प्रईजेज एवं तिरुपति ईट उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रमाणकों पर टिन न0 भी अंकित नहीं है इतनी अधिक मात्रा में सचिव एवं प्रधान द्वारा नकद अपहरण कर नकद भुगतान करना गंभीर अनियमितता है । जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित हैं। **(आपत्ति सं०–19)**

29 –ग्राम पंचायत निधौला विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ ।

प्रस्तर –66–लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में दिनांक 10.10.13 एवं 27.11.13 को बाला जी इंटर प्राईजेज से 25 स्ट्रीट लाइट प्रत्येक 4200 की कीमत से अंकन 105000 की क्रय कोषवही में दर्शित है लेकिन क्रय की पुष्टि में वाउचर ,कुटेशन टेंडर , विद्युत विभाग की अनुमति सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक आदि उपलब्ध नहीं होने से किया गया व्यय वसूली योग्य है । जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित हैं। **(आपत्ति सं०– 17)**

प्रस्तर –67–लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में कोषवही अनुसार 15.03.14 से पूर्व कोई नाली–खडंजा या पक्का कार्य नहीं हुआ है मार्च में कार्य प्रारंभ से पूर्व निर्माण सामग्री भी क्रय की गयी है अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में पूर्व में क्रय की गयी सामग्री का दुरूपयोग हुआ है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है :– **(आपत्ति सं० –18)**

क्र०सं०	दिनांक	सामग्री	धनराशि
1	20.08.13		21000
2	20.08.13		42000
3	26.11.13	सीमेन्ट/बालू /बदरपुर	10000
4	01.02.14	सीमेंट/बालू /बदरपुर	10000
		योग	83000

प्रस्तर –68 –लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में डाबर रोड से महारानी के घर तक कोषवही अनुसार खडंजा उखडाई, मिटटी नाली खडंजा पर निम्न प्रकार व्यय दर्शित है रू–

क्र०सं०	कोषवही	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि
1	एम0आर0 – 4	05.06.13	खडंजा उखड़ाई पर व्यय	2600
2	एम0आर0 – 6	21.06.13	उक्त कार्य पर मिटटी	14400
3	एम0आर0 – 7	26.07.13	उक्त कार्य पर मिटटी	10800
4	एम0आर0 –12	27.09.13	उक्त कार्य पर मिटटी	5520
5	एम0आर0 –13	27.09.13	उक्त कार्य पर मिटटी	4200
6	एम0आर0 –17	26.11.13	उक्त कार्य पर मिटटी	6440
7	एम0आर0 –18	26.11.13	उक्त कार्य पर मिटटी	4800
8	एम0आर0 –23	31.01.14	उक्त कार्य पर मिटटी	10000
9	एम0आर0 –22	31.01.14	उक्त कार्य पर मिटटी	13384
			योग	72144

उक्त कार्य पर नाली खडंजा कार्य 27.03.14 को पूर्ण दर्शित है जिसके लिए 24500 दर्शित है। उक्त कार्यों के प्रमाणक एवं मस्टरोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जून माह में खडंजा उखड़वाकर मनमानी तरीके से मिट्टी व्यय दिखाया गया। लेखा परीक्षा की दृष्टि में उक्त कार्य पर समस्त व्यय काल्पनिक है अतः उक्त कार्य पर व्यय समस्त धनराशि 96644– वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं० –19)**

30 –ग्राम पंचायत छिड़ावली विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –69 –लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में विभिन्न तिथियों में 30 स्ट्रीट लाइट दर 4200 कुल मूल्य 126000 की बाला जी इंटर प्राइजेज बुलंदशहर से क्रय दर्शित है। लेकिन व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक कुटेशन टेंडर की पत्रावली विधुत विभाग के अनुमति की पत्रावली, कन्ज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा परीक्षा अनुसार उक्त व्यय संदिग्ध एवं वसूली योग्य है जिसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०–17)**

प्रस्तर –70 –लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में नागेन्द्र के घर से उदल के घर तक नाली खडंजा पर निम्न प्रकार व्यय दर्शित है ।

क्र०सं०	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि
1	21.08.14	खडंजा उखड़ाई	4000
2	21.08.14	मिटटी	45000
3	31.10.14	मिटटी	10000
4	09.01.15	मिटटी	15012
5	09.01.15	मिटटी	2600
6	23.01.15	मिटटी	26000
7	30.01.15	मिटटी	12400
8	13.02.15	नाली निर्माण	16800
9	23.02.15	खडंजा निर्माण	14000
		योग	**145812**

उक्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक /मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये द्य उक्त कार्य अगस्त से प्रारंभ हुआ है उस पर मनमाने तरीके से मिटटी पर धन व्यय किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० –18)**

31 –ग्राम पंचायत मानपुर विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –71–आलोच्य वर्ष 2014–15 में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में अपहरण कर व्यय दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	विवरण
1	23.04.14	1	8592	मिटटी भराव सुरेन्द्र सिंह से सुखपाल के घर तक
2	23.04.14	2	6840	सामान क्रय हैंडपंप मरम्मत हेतु
3	28.04.14	3	6066	सीमेंट बदरपुर रोड़ी क्रय
4	28.04.14	4	3297	हैंडपंप मजदूरी
5	30.04.14	5	1881	आर०सी०सी० की मजदूरी
6	16.05.14	6	40812	मिटटी भराव महावीर सिंह से दौरेह बालदार तक
7	22.05.14	7	16200	सीमेंट बदरपुर रोड़ी क्रय
8	23.05.14	8	93000	ईटा क्रय अली ईट उद्योग से 20000/4600
9	23.05.14	9	18168	सीमेंट बालू बदरपुर जीरा रोड़ी क्रय
10	25.05.14	10	1254	आर०सी०सी० मजदूरी
11	28.05.14	11	1881	कुआँ दीवार मजदूरी
12	31.05.14	12	7521	खडंजा/यू टाइप नाली निर्माण मजदूरी
13	31.05.14	13	3135	खडंजाध न टाइप नाली निर्माण मजदूरी
14	31.05.14	14	942	मिटटी भराव वीरेन्द्र मास्टर के पास
15	05.06.14	15	13794	खडंजा नटाइप नाली निर्माण मिटटी भराव कार्यमजदूरी
16	08.06.14	16	5820	हैंडपंप सामान क्रय
17	18.07.14	17	2355	हैंडपंप मजदूरी
18	26.07.14	19	120	स्टेशनरी क्रय
19	26.07.14	20	32	फोटोस्टेट
20	16.10.14	21	6000	ईटा क्रय 1000/6000
21	17.10.14	22	26050	हैंडपंप मरम्मत मय मजदूरी
22	17.10.14	23	4350	सीमेंट बालू बदरपुर क्रय
23	28.10.14	24	5000	मजदूरी भुगतान नाली निर्माण
24	31.01.15	25	72000	ईटा क्रय 12000/6000
25	31.01.15	26	59750	सीमेंट बदरपुर बालू क्रय व भाडा
26	27.02.15	27	32000	नाली निर्माण मजदूरी सोहन लाल से तुलसी तक
27	03.03.15	28	27850	सीमेंट,बदरपुर,रोड़ी,सरिया क्रय व भाडा
28	24.03.15	29	6000	मजदूरी
		योग	470710.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में स्वीकृत कार्य योजना स्टीमेट, मैप, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाण पात्र अनुपलब्ध रहे। अतः उ०प्र०पंचायतीराज के ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर–8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि अपहरण मानी जायेगी । अतः रु० 470710–00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमवती व ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश सिंह व श्री प्रियदर्शन उपाध्याय से की जानी एवं विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० –22)**

प्रस्तर–72–आलोच्य वर्ष 2015–216 में विभिन्न तिथियों में पंचायत कोष से आहरण कर व्यय दर्शाया गया है । जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाणक संख्या	धनराशि	विवरण
1	21.04.15	1	150000	ईट क्रय 25000/6000
2	22.04.15	2	26130	सीमेंट,बदरपुर,बालू क्रय व भाडा
3	22.04.15	3	16520	हैंडपंप मरम्मत मय सामान
4	24.04.15	4	62500	मिटटी कार्य भुगतान पप्पू से नैम सिंह तक
5	30.04.15	5	19550	खडंजा लगे मजदूरी पप्पू से नैम सिंह के घर तक
6	30.04.15	6	48600	ईटा क्रय 8100/6000
7	22.05.15	7	6000	नाली निर्माण मजदूरी सुखवीर से श्याम तक
8	24.06.15	8	86400	ईटा क्रय 14400/6000
9	07.09.15	9	12000	नाली निर्माण मजदूरी पप्पू से नैम सिंह तक

10	09.09.15	10	36000	मिटटी कार्य सुखवीर से श्याम तक
11	20.09.15	11	115000	खडंजा लगाई उपरोक्त कार्य
		योग	578700	

उपरोक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में स्वीकृत कार्य योजन स्टीमेट ,मैप , एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाण पात्र अनुपलब्ध रहे उ०प्र०पंचायतीराज के ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर–8 क के बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि अपहरण मानी जायेगी । अतः रु० 578700–00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमवती व ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रियदर्शन उपाध्याय से की जानी एवं विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० –23)**

32–ग्राम पंचायत बुढाका विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ –

प्रस्तर–73–आलोच्य वर्ष 2016–17 में पंचायत कोष से विभिन्न तिथियों में आहरण कर चेक द्वारा भुगतान कर रु०1449973–00 व्यय किया जाना दर्शित है । जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिकी गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी ।

लेखा मैन्युअल में दिए गये प्राविधानों के अनुसार रु० 1449973–00 गबन की श्रेणी में आता है । इस लिये उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा । इस लिये रु० 1449973–00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती सविता से व आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रियदर्शन उपाध्याय से की जानी अपेक्षित है, साथ ही विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०– 24)**

33 – ग्राम पंचायत हमीदपुर विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –74–आलोच्य वर्ष 2015–16 में ग्राम पंचायत कोष से विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा आहरण क्र निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है :–

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाणक संख्या	धनराशि	विवरण
1	14.05.15	1	59000	मिटटी कार्य मजदूरी पेट्रोल पंप से देवेन्द्र के घर तक
2	21.05.15	2	174000	ईटा क्रय 29000 दर 6000रु० प्रति हजार
3	15.07.15	3	22700	खडंजा लगाई मजदूरी पेट्रोल पम्प से देवेन्द्र तक
4	23.07.15	4	48000	ईटा क्रय 8000 दर 6000रु० प्रति हजार
5	27.08.15	5	33000	ईटा क्रय 5500 दर 6000रु० प्रति हजार
6	31.08.15	6	25000	मिटटी कार्य मजदूरी रतनलाल के घर से से प्रेम के प्लाट तक
7	31.08.15	7	9600	खडंजा लगाई मजदूरी उपरोक्त कार्य का भुगतान
		योग	371300	

उपरोक्त दर्शित कार्य व्ययों की पुष्टि में स्वीकृत कार्य योजना,स्टीमेट,एम०बी० कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे । उ०प्र० पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के प्राविधान के अनुसार बिना वाउचर के दर्शायी गई व्यय की धनराशि गबन मानी जायेगी । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रीतम सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रिय दर्शन उपाध्याय से संयुक्त रूप से की जानी एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० –22)**

34 – ग्राम पंचायत कंसेरा विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ –

प्रस्तर 75 आलोच्य वर्ष 2015–16 में ग्राम पंचायत में पंचायत कोष से विभिन्न तिथियों में आहरण कर निम्न प्रकार व्यय किया जाना दर्शित है रू–

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाणक संख्या	धनराशि	विवरण
1	01.04.15	1	1250	स्टेशनरी क्रय
2	13.04.15	2	7250	ईटा क्रय
3	13.04.15	3	8310	सीमेंट,बदरपुर, रोड़ी व बालू क्रय
4	17.04.15	4	2576	मस्टरोल बावत यू टाइप नाली निर्माण
5	15.05.15	5	8200	हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
6	20.05.15	6	2000	हैंडपंप मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान
7	15.06.15	7	3280	हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
8	17.06.15	8	800	हैंडपंप मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान
9	03.07.15	9	20000	ईटा, गिट्टी क्रय
10	03.07.15	10	57040	सीमेंट,बदरपुर, रोड़ी व बालू क्रय
11	11.07.15	11	11109	मस्टरोल बावत सी०सी० निर्माण सुभाष पुत्र भूदेव
12	11.07.15	12	9500	मिटटी भराव खडंजा हेतु (मस्जिद वाली गली)
13	12.07.15	13	25500	ईटा क्रय

14	15.07.15	14	3890	सीमेंट,बदरपुर व बालू क्रय
15	17.07.15	15	4669	मस्टररोल बावत खडंजा नाली निर्माण मस्जिद वाली गली)
16	17.07.15	16	3103	सीमेंट,बदरपुर, बालू, सरिया क्रय
17	18.07.15	17	161	स्लैब निर्माण मजदूरी
18	14.08.15	18	7500	बाईपास से नेत्रपाल के घर तक खडंजाहेतु मिटटी कार्य
19	16.08.15	19	27500	ईटा क्रय
20	18.08.15	20	2955	सीमेंट,बदरपुर, व बालू क्रय
21	19.08.15	21	8200	हैंडपंप मरम्मत
22	22.08.15	22	4508	मस्टरोल बावत खडंजा,गली निर्माण (बाई पास से नेत्र पल के घर तक)
23	23.08.15	23	90	फोटोस्टेट
24	24.08.15	24	2000	हैंडपंप मरम्मत
25	25.08.15	25	3000	ह्युम पाइप क्रय
26	26.08.15	26	322	शमशान भूमि के पास पाइप पुलिया निर्माण
		योग	224713	

उपरोक्त दर्शित व्यय रु० 224713—00 की पुष्टि में, स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट, मैप, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः बिना व्यय प्रमाणकों रु० 224713—00 का भुगतान कर अपहरण किया गया । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुभाष व ग्राम पंचायत सचिव श्री यशपाल से की जानी अपेक्षित है । विभागीय अधिकारीयों का विधिक कार्यवाही हेतु ध्यान आकर्षित किया जाता है । **(आपत्ति सं०—24)**

35 — ग्राम पंचायत आदमपुर विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ —

प्रस्तर —76—आलोच्य वर्ष 2011—12 में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में निम्न प्रकार व्यय जाना दर्शित है :—

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाणक संख्या	धनराशि	विवरण
1	08.04.11	1	560	स्टेशनरी
2	09.04.11	2	3200	हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
3	12.04.11	3	1200	हैंडपंप मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान
4	30.04.11	4	30000	ईटा क्रय
5	14.05.11	5	15000	ईटा क्रय
6	25.05.11	6	23040	मस्टरोल बावत (सुरेश के मकान से गिर्राज के मकान तक)
7	30.05.11	7	1550	सफाई कर्मी की ट्राली की मरम्मत
8	01.06.11	8	15050	ईटा क्रय
9	01.06.11	9	8800	मस्टरोल बावत खडंजा निर्माण (कन्हैया के घर से पूरन के घर तक)
10	29.12.11	12	15000	सीमेंट, बदरपुर, बालू, रोड़ी क्रय
11	30.12.11	13	28560	ईटा क्रय
12	10.01.12	14	18840	मस्टरोल बावत खडंजा उखड़ाई व मिटटी भराव
13	13.01.12	15	7560	मस्टरोल बावत खडंजा/नाली निर्माण
14	23.01.12	16	43520	ईटा क्रय
15	06.02.12	17	23160	मस्टरोल बावत खडंजा निर्माण
16	07.02.12	18	5000	सफाई कर्मी हेतु कूड़ा गाड़ी क्रय
17	10.02.12	19	4720	हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
18	15.02.12	20	600	हैंडपंप मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान
			245360	

उपरोक्त दर्शित कार्यों की पुष्टि में ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकृत कार्य योजना,स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । बिना व्यय प्रमाणकों के भुगतान कर रु० 245360—00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनहरी देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री बिजेंद्र सिंह से की जानी एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति सं० 27)**

36 — ग्राम पंचायत नरवारी विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ —.

प्रस्तर —77— दिनांक 24.10.16 को चेक संख्या 356705 द्वारा रु० 3000—00 व दिनांक 14.02.17 को चेक संख्या 356728 द्वारा रु० 24000—00 श्री राजीव गौतम द्वारा ग्राम पंचायत कोष से नकद आहरण किया जाना दर्शित है। श्री राजीव गौतम द्वारा ग्राम पंचायत को प्रदान अपनी किस सेवा/सामग्री आपूर्ति के लिये भुगतान किया गया है ।

जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं कराया गया । अतः रु० 27000–00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती जुवैदा ग्राम प्रधान व श्री राजीव गौतम ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है ।**(आपत्ति सं०– 23)**

37 – ग्राम पंचायत घरबरा विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ –.

प्रस्तर ––78 –आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत कोष से की श्री राजीव गौतम ग्राम पंचायत सचिव द्वारा निम्न विवरण अनुसार नकद आहरण किया जाना दर्शित है :–

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	
1	28.10.16	321528	20000	
2	28.10.16	321529	20000	
3	10.01.17	321536	24000	
4	14.01.17	6309	20000	
5	31.03.17	7289	10000	भुगतान 10.04.17 को
6	31.03.17	7290	20000	भुगतान 10.04.17 को
7	31.03.17	7291	23000	भुगतान 10.04.17 को
	योग		137000	

उपरोक्त भुगतान श्री राजीव गौतम द्वारा ग्राम पंचायत को प्रदान अपनी किस सेवा सामग्री आपूर्ति के बदले किया गया । जिसकी पुष्टि में स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट, मैप, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । अतः रु० 137000–00 से ग्राम पंचायत कोष की क्षतिकारित की गयी । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव गौतम से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–24)**

प्रस्तर –79–आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत कोष से निम्न व्यक्तियों को निम्न विवरणानुसार नकद भुगतान (चेक द्वारा) किया जाना दर्शित है :–

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	नाम
1	17.12.16	321530	10000	संजय
2	19.01.17	321548	45000	नीरज कुमार
3	19.01.17	321549	45000	विक्रांत
4	02.03.17	6315	10000	सुरेश
5	02.03.17	6317	25000	हरवीर
6	09.03.17	6325	13000	बुद्धराम
7	31.03.17	7285	24000	प्रेम सिंह भुगतान 10.04.17 को
8	31.03.17	7287	24000	बुद्धराम
			196000	

उपरोक्त भुगतान उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायत को प्रदान अपनी किस सेवा /सामग्री आपूर्ति के बदले किया गया । जिसकी पुष्टि में स्वीकृत कार्य योजना,स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । अतः रु० 196000–00 से ग्राम पंचायत कोष की क्षति करित की गयी । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव गौतम से की जानी अपेक्षित है ।**(आपत्ति सं० –25)**

38 – ग्राम पंचायत गौरोला विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –80 –दिनांक 06.03.17 को चेक संख्या 002929 द्वारा मेसर्स सिंह प्रोडक्ट को रु० 123435–00 एव चेक संख्या 002930 द्वारा मेसर्स सिंह प्रोडक्ट को रु० 123699–00 व दिनांक 08.03.17 को चेक संख्या 002932 द्वारा मेसर्स अमित एसो० सेल्स को रु०105431–00 एवं दिनांक 18.03.17 को चेक संख्या 002931 द्वारा अमित ईट उद्योग को रु० 152900–00 (कुल रु० 505465–00) का भुगतान किया जाना दर्शित है । जबकि शासनादेश संख्या ए–1–864 दस–08–15(1) 86 दिनांक 23.09.2008 जो वित्त (लेखा अनुभाग –1) द्वारा रु०100000–00 से अधिक की निर्माण सामग्री क्रय से पूर्व निविदा आमंबित किया जाना था । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय में उक्त शासनादेश को अवेहलना कर अनियमितता की गई । जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री धीरेन्द्र ग्राम प्रधान व श्री राजीव गौतम ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–24)**

39. ग्राम पंचायत गढ़ी सूरजमल विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ ।

प्रस्तर –81–दिनांक 23.03.17 चेक संख्या 322114 द्वारा मेसर्स ओम ईट उद्योग को रु० 116622–00 भुगतान किया जाना दर्शित है। जब कि शासनादेश संख्या ए–1–864/दस–08–15(1) 86 दिनांक 23.09.2008 जो वित्त (लेखा अनुभाग –1) द्वारा रु० 100000–00 से अधिक की निर्माण सामग्री क्रय से पूर्व निविदा आमंबित किया जाना था । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय में उक्त शासनादेश को अवेहलना कर अनियमितता की गई । जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री संजय सिंह ग्राम प्रधान व श्री राजीव गौतम ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है ।

(आपत्ति सं०– 24)

40 – ग्राम पंचायत सिमरौठी विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –82–दिनांक 14.02.17 को चेक संख्या 321338 द्वारा रु० 24000–00 एवं दिनांक 21.02.17 को चेक संख्या 321340 द्वारा रु० 23400–00 (कुल रु० 47400–00) श्री अनिल कुमार शर्मा ग्राम पंचायत सचिव द्वारा पंचायत कोष से

नकद आहरण किया जाना दर्शित है। श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत को प्रदान अपनी किस सेवा / सामग्री आपूर्ति के बदले किया गया । जिसकी पुष्टि में स्वीकृत कार्य योजना,स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । अतः रु० 47400–00 से ग्राम पंचायत कोष की क्षति करित की गयी । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुरेश देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० –24)**

41 – ग्राम पंचायत नगलिया जड़ाना विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –83– आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है :–

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाणक संख्या	धनराशि	विवरण
1	23.09.16	01	4000	प्रिया सॉफ्ट फीडिंग पर व्यय
2	23.09.16	02	1500	स्टेशनरी क्रय
3	07.10.16	04	15000	हैंडपंप मरम्मत हेतु सामान क्रय
4	17.10.16	05	15000	हैंडपंप मरम्मत हेतु सामान क्रय
5	20.10.16	06	6000	हैंडपंप मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान
6	28.10.16	07	30625	बालू व बदरपुर क्रय
7	29.10.16	08	19240	गिट्टी (ईट की) क्रय
8	01.12.16	11	85060	सीमेंट एवं रोड़ी क्रय
9	27.12.16	12	39230	मस्टरोल भुगतान सी०सी० रोड हेतु
10	28.12.16	13	600	फोटोग्राफी
11	31.12.16	14	26980	रोड़ी क्रय
12	10.01.17	15	19942	ईट की रोड़ी क्रय
13	13.01.17	16	6500	सफाई कर्मी हेतु कूड़ा गाड़ी क्रय
14	17.01.17	17	45120	सीमेंट 141 बैग क्रय
15	27.01.17	18	29615	बालू , बदरपुर क्रय
16	27.01.17	19	5062	ईट क्रय
17	23.02.17	20	38360	मस्टरोल बावत मिटटी कार्य एवं सी०सी० निर्माण हेतु
18	04.03.17	21	20000	हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
19	15.03.17	22	5400	हैंडपंप मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान
		योग	**413234**	

उपरोक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में स्वीकृत कार्य योजना,स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । अतः रु० 413234–00 से ग्राम पंचायत कोष की क्षतिकरित की गयी – जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सर्विस्टर व ग्राम पंचायत सचिव श्री यशपाल से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०– 23)**

42 – ग्राम पंचायत उटवारा विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ –

प्रस्तर–84–दिनांक 21.02.17 को चेक संख्या 321834 द्वारा रु० 24000–00 एवं दिनांक 24.02.17 को चेक संख्या 321833 द्वारा रु० 24000–00 (कुल रु० 348000–00) श्री राजीव गौतम द्वारा बैंक से नकद भुगतान प्राप्त किया जाना दर्शित है। श्री राजीव गौतम किसी अन्य ग्राम पंचायत पर ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत है । श्री राजीव गौतम द्वारा ग्राम पंचायत को प्रदान अपनी किस सेवा/ सामग्री आपूर्ति के बदले किया गया । जिसकी पुष्टि में स्वीकृत कार्य योजना,स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । अतः उक्त धनराशिकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विजना देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० –24)**

प्रस्तर –85 –दिनांक 27.02.17 को चेक संख्या 321835 द्वारा रु० 25900–00 श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बैंक से नकद भुगतान प्राप्त किया जाना दर्शित है । उक्त भुगतान श्री अनिल शर्मा द्वारा पंचायत को प्रदान की अपनी किस सेवा सामग्री आपूर्ति के बदले किया गया । जिसकी पुष्टि में स्वीकृत कार्य योजना,स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विजना देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है ।(आपत्ति सं०– 25)

43 – ग्राम पंचायत बालनपुर विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ –.

प्रस्तर–86– आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत में निम्नलिखित तिथियों में निम्न प्रकार व्यय किया गया जाना दर्शित है:–

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाणक संख्या	धनराशि	विवरण
1	25.09.16	1	2500	स्टेशनरी क्रय
2	19.10.16	3	30000	हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
3	25.10.16	4	6000	हैंडपंप मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान
4	30.10.16	5	21000	सी०सी०निर्माण हेतु मिटटी भराव
5	30.10.16	6	4000	प्रिया सॉफ्ट फीडिंग हेतु भुगतान

6	13.01.17	8	90880	सीमेंट क्रय 284 बैग दर 320रु० प्रति बैग
7	18.01.17	9	113420	बालू,बदरपुर, रोड़ी क्रय
8	19.01.17	10	46433	ईट गिट्टी व ईट क्रय
9	19.01.17	11	3184	पालीथीन क्रय
10	21.01.17	12	80960	मस्टरोल बावत सी०सी० निर्माण
11	30.01.17	13	600	फोटोग्राफी
12	01.02.17	14	5600	मिटटी क्रय सी०सी० निर्माण हेतु
13	02.02.17	15	16471	ईट गिट्टी क्रय
14	22.02.17	16	97480	बालू,बदरपुर, रोड़ी,सीमेंट क्रय
15	23.02.17	17	72000	ग्राम पंचायत हेतु चौराहे पर लाइट क्रय (24•3000)
16	27.02.17	18	23730	मस्टरोल बावत सी०सी० निर्माण
17	03.03.17	19	31000	हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
18	07.03.17	20	6300	हैंडपंप मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान
	योग		**651558**	

उपरोक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में स्वीकृत कार्य योजना,स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । अतः रु०651558–00 से ग्राम पंचायत कोष की क्षति करित की गयी । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अफसर खां व ग्राम पंचायत सचिव श्री यशपाल से की जानी अपेक्षित है ।**(आपत्ति सं०–28)**

44 – ग्राम पंचायत फैजुआका विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –87–दिनांक 02.02.17 को चेक संख्या 366774 द्वारा एवं प्रमाणक सं० 9 द्वारा मेसर्स सिंह सीमेंट प्रोडक्ट को 11124 इंटर लॉकिंग टाइल्स दर रु०19.50 प्रति टाइल्स से कुल रु० 216918– का भुगतान किया जाना दर्शित है। जब कि शासन द्वारा 14वें वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार रु० 100000–00 से अधिक की निर्माण सामग्री क्रय से पूर्व निविदा आमंत्रित किया जाना था । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपनी मनचाही से सामग्री क्रय रु० 216918– का भुगतान कर अनियमितता की गई । जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विपत्तिराम ग्राम प्रधान व श्री अनिल कुमार शर्मा ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० –25)**

प्रस्तर –88–दिनांक 02.02.17 को चेक संख्या 366775 द्वारा रु० 24000–00 एवं दिनांक 14.02.17 को चेक संख्या 3055 द्वारा रु० 24000–00 (कुल रु० 48000–00) श्री अनिल कुमार शर्मा ग्राम पंचायत सचिव द्वारा नकद आहरण किया जाना दर्शित है । श्री अनिल कुमार शर्मा ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत को प्रदान की अपनी किस सेवा सामग्री आपूर्ति के बदले किया गया । जिसकी पुष्टि में स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट, मैप, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विपत्तिराम व ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है ।**(आपत्ति सं० –26)**

45 – ग्राम पंचायत अलापुर गडिया विकास खण्ड लोधा जनपद अलीगढ ।

प्रस्तर –89–दिनांक 10.03.17 को पंचायत कोष से चेक संख्या 833613 द्वारा रु० 74484–00 का भुगतान दीप कंस्ट्रक्शन को किया जाना दर्शित है । जिसकी प्रविष्टि कोषवही व प्रिया सॉफ्ट पर फीडिंग न कर रु० 74484–00 का अपहरण किया गया । जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रंजना देवी ग्राम प्रधान व श्री अनिल कुमार शर्मा ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जानी एवं प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०– 07)**

46 – ग्राम पंचायत कोठिया विकास खण्ड लोधा जनपद अलीगढ —

प्रस्तर – 90 – आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है :–

क्र०सं०	**दिनांक**	**व्यय प्रमाणक संख्या**	**धनराशि**	**विवरण**
1	30.05.16	2	5000	हैंडपंप मरम्मत
2	30.05.16	3	5000	हैंडपंप मरम्मत
3	04.06.16	4	2000	चौधरी इलेक्ट्रोस्टेट को भुगतान
4	08.11.16	6	4500	हैंडपंप मरम्मत
5	19.11.16	7	3000	संदीप कंप्यूटर को भुगतान
6	24.11.16	8	8000	ओम पाल सिंह को मिटटी कार्य का भुगतान
7	28.11.16	9	50000	मेसर्स एम०एस० बिल्डिंग मेटेरिअल से ईट क्रय
8	27.12.16	10	33466	मेसर्स एम०एस० बिल्डिंग मेटेरिअल से सामग्री क्रय
9	27.12.16	11	29250	मस्टरोल भुगतान बावत (राजू के घर से बलजीत के घर तक)
10	06.01.17	12	5000	केशव देव को मिटटी का भुगतान
11	04.02.17	13	51500	मैसर्स एम०एस० बिल्डिंग मेटेरिअल से सामग्री क्रय
12	04.02.17	14	22800	मैसस एम०एस० बिल्डिंग मेटेरिअल से सामग्री क्रय
13	04.02.17	15	37100	मैसस एम०एस० बिल्डिंग मेटेरिअल से सामग्री क्रय

14	04.02.17	16	17900	मैसस एम०एस० बिल्डिंग मेटेरिअल से सामग्री क्रय
15	08.02.17	17	10540	मस्टरोल भुगतान जुगेन्द्र सिंह वाला
16	08.02.17	18	5460	मस्टरोल भुगतान महेंद्र सिंह वाला
17	16.02.17	19	10540	मस्टरोल भुगतान बावत सत्यदेव से स्कूल तक
18	27.03.17	21	14000	मिटटी कार्य का भुगतान
19	27.03.17	22	25600	मीनाक्षी सेनेटरी को हैंडपंप सामग्री का भुगतान
20	27.03.17	23	210	स्टेशनरी व फोटोस्टेट
		योग	**340866**	

उपर्युक्त वर्षों के विरुद्ध स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि की गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी । इस लिये रु० 340866—00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार शर्मा व श्री राकेश वर्मा से की जानी अपेक्षित है । तथा ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्तिसं०—07)

47 — ग्राम पंचायत अटलपुर विकास खण्ड लोधा जनपद अलीगढ ——

प्रस्तर 91— आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में निम्नलिखित तिथियों में निम्न प्रकार व्यय किया गया जाना दर्शित हैः—

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाणक संख्या	धनराशि	विवरण
1	26.05.16	1	30852	इलेक्ट्रिकल सामग्री आदि क्रय
2	30.05.16	2	4900	हैंडपंप मरम्मत
3	15.06.16	4	5000	हैंडपंप मरम्मत
4	27.06.16	5	10000	हैंडपंप मरम्मत
5	18.08.16	6	3000	स्टेशनरी आदि
6	24.08.16	7	15000	विमल इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल सामग्री क्रय
7	19.09.16	8	84600	मैसर्स संजय कांट्रेक्टर से सी०सी०हेतु सामग्री क्रय
8	21.09.16	9	5000	हैंडपंप मरम्मत
9	17.10.16	10	49000	मैसर्स संजय कांट्रेक्टर से सी०सी०हेतु सामग्री क्रय
10	19.10.16	11	41400	सी०सी० हेतु मजदूरी भुगतान
11	16.12.16	12	73730	मैसर्स संजय कांट्रेक्टर से सी०सी०हेतु सामग्री क्रय
12	29.12.16	13	33309	मैसर्स संजय कांट्रेक्टर से सी०सी०हेतु सामग्री क्रय
13	06.02.17	14	143486	मैसर्स संजय कांट्रेक्टर से सी०सी०हेतु सामग्री क्रय
14	10.02.17	15	5000	हैंडपंप मरम्मत
15	19.02.17	16	36400	मजदूरी भुगतान
16	03.03.17	17	5000	हैंडपंप मरम्मत
17	04.03.17	18	21540	मैसर्स संजय कांट्रेक्टर से सी०सी०हेतु सामग्री क्रय
18	10.03.17	19	90346	मैसर्स संजय कांट्रेक्टर से सी०सी०हेतु सामग्री क्रय
19	16.03.17	20	9100	मजदूरी भुगतान बावत सी०सी० रोड
20	24.03.17	21	41400	मैसर्स संजय कांट्रेक्टर से सी०सी०हेतु सामग्री क्रय
21	24.03.17	21	45970	मैसर्स संजय कांट्रेक्टर से सी०सी०हेतु सामग्री क्रय
22	27.03.17	22	26100	मजदूरी भुगतान
23	31.03.17	23	59000	मैसर्स संजय कांट्रेक्टर से सी०सी०हेतु सामग्री क्रय
24	31.03.17	24	15300	मजदूरी भुगतान
25	31.03.17	25	16200	मजदूरी भुगतान
		योग	**870633**	

उपरोक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में स्वीकृत कार्य योजना,स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । अतः रु० 870633—00 से ग्राम पंचायत कोष की क्षति करित की गयी । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ब्रजेश कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री संतोष कुमार से की जानी अपेक्षित है। तथा ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं० —8)**

48 —ग्राम पंचायत शंकरगढ़ विकास खण्ड अकराबाद जनपद अलीगढ —

प्रस्तर —92—आलोच्य वर्ष में पंचायत कोष से आहरण कर निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाणक संख्या	धनराशि	विवरण
1	05.09.16	01	19405	हैंडपंप सही कराकर भुगतान किया गया

2	05.01.17	05	24000	देवेन्द्र जाटव के घर से राजवीर कश्यप के मकान तक मार्ग पर मिटटी डलवाकर भुगतान किया ।
3	14.02.17	06	20930	मस्टरोल बावत मिस्त्री. मजदूरी को भुगतान देवेन्द्र जाटव के मकान से राजवीर कश्यप के मकान ईट,रोड़ी,बालू,सीमेंट का भुगतान किया ।
4	22.02.17	09	6000	पंचायत उद्योग मंजूरगढ़ी सफाई कर्मी गाड़ी एवं अन्य उपकरण क्रय कर भुगतान किया
		योग	**70335**	

उपर्युक्त वर्षों के विरुद्ध स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे।उ०प्र०सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि की गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

(आपत्ति सं०–23)

49 – ग्राम पंचायत कीरतपुर विकास खण्ड अकराबाद जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –93–आलोच्य वर्ष में पंचायत कोष से आहरण कर निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाणक संख्या	धनराशि	विवरण
1	15.06.16	01	5000	श्री रामेश्वर हैण्ड पंप मिस्त्री को हैण्डपंप मरम्मत सामान का भुगतान किया ।
2	17.06.16	02	5000	श्री रामेश्वर हैण्ड पंप मिस्त्री को हैण्डपंप मरम्मत सामान का भुगतान किया।
3	19.08.16	03	9900	श्री रामेश्वर हैण्ड पंप मिस्त्री को हैण्डपंप मरम्मत. सामान का भुगतान किया ।
4	08.11.16	04	12000	श्री रामेश्वर हैण्ड पंप मिस्त्री को हैण्डपंप मरम्मत. सामान का भुगतान किया ।
5	14.12.16	06	5000	श्री रामेश्वर हैण्ड पंप मिस्त्री को हैण्डपंप मरम्मत सामान का भुगतान किया ।
6	14.03.17	09	6000	श्री रामेश्वर हैण्ड पंप मिस्त्री को हैण्डपंप मरम्मत सामान का भुगतान किया ।
		योग	42900	

उपर्युक्त वर्षों के विरुद्ध स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिकी गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

(आपत्ति सं० –23)

50 – ग्राम पंचायत बरौली विकास खण्ड जवां जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –94–चेक संख्या 51537 दिनांक 16.07.14 रु० 37000–00 चेक संख्या 144487 दिनांक 20.09.14 रु० 15000–00 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित किये गये । परन्तु कैशबुक में आय पक्ष में आहरण एवम व्यय पक्ष में इसके सापेक्ष व्यय नहीं दर्शाया गया । इस प्रकार रु० 52000– का खाते से आहरण कर सीधे अपहरण कर लिया गया अर्थात् 52000 की ब्याज सहित वसूली श्री विनोद कुमार तत्कालीन प्रधान एवं श्री शंकर लाल ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–20)**

प्रस्तर –95–चेक संख्या 743322 दिनांक 06.08.15 रु० 15000–00 का कैश बुक के आय पक्ष में आहरित दर्शाते का व्यय पक्ष में 3000 ईट का भुगतान काल्पनिक रूप से दर्शाया गया । जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु० 7000–00 उक्त बैंक से श्री विनोद कुमार द्वारा आहरित किया गया है । जिससे 3000 ईट का भुगतान किया जाना संभव नहीं है उक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि रु० 7000 आहरित कर उसे बाद में समायोजित करने हेतु काल्पनिक व्यय दर्शाया गया एवं अगस्त 15 में कई चेक 15000 के आहरण होने के कारण इस चेक की धनराशि का भी 15000 अंकन की काल्पनिक व्यय दर्शाया गया। चेक संख्या 743307 दिनांक 27.05.15 रु० 20000–00 एवं चेक संख्या 73556 दिनांक 03.11.16 रु० 100000–00 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित किये गये परन्तु उनका कोषाकन कैश बुक में न कर सीधे अपहरित किया। अतः रु० 7000 +20000 +100000 =कुल रु० 127000–00 में रु० 27000–00 की ब्याज सहित वसूली श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत सचिव व श्री विनोद कुमार तत्कालीन प्रधान एवं रु० 100000 की ब्याज सहित वसूली श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत अधिकारी व श्री शम्मी खान प्रधान से की जानी अपेक्षित रही **(आपत्ति सं० –21)**

प्रस्तर–96–वर्ष रु०2014–15 में रु० 45512 व 2015–16 एवं 2016–17 में 156530 कुल रु० 222358– बैंक द्वारा खाते पर ब्याज में आय प्राप्त हुई। शासनादेश संख्या –30/2010–ए–1–502 दस–2010(37) /2010 दिनांक 29.05.15

एवम शासनादेश संख्या – ए–1–122 / दस–205–दस (37) / 2010 दिनांक –21.03.2012 के प्रस्तर तीन के अंतर्गत दिये गये निर्देशों के क्रम में ब्याज की प्राप्ति धनराशि खाते से आहरित कर राजकीय कोषागार में चालान द्वारा सम्बंधित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० –22)

प्रस्तर –97–ग्राम पंचायत में विभिन्न कराये गये कार्यों में मिटटी खरीद की गयी जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	वाउचर संख्या	दिनांक	ट्राली की संख्या	दर	धनराशि
1	3	26.04.14	62 बुग्गी	130	8060
2	15	27.05.14	39 बुग्गी	130	5070
3	16	27.05.14	15 ट्राली	300	4500
4	66	15.10.14	100 ट्राली	300	30000
5	83	19.11.14	50 ट्राली	500	25000
6	–––––	27.05.14	60 ट्राली	500	30000
7	–––––	26.06.15	80 ट्राली	500	40000
8	–––––	19.09.15	40 ट्राली	500	20000
9	–––––	07.11.15	20 ट्राली	500	10000
10	–––––	25.01.16	17 ट्राली	450	7650
			101 बुग्गी व 362 ट्राली		**180280**

उक्त विवरण अनुसार 101 बुग्गी व 362 ट्राली मिटटी क्रय की गयी । बुग्गी में लगभग 1.25 धन मी० आधार मानते हुये 126.25 बुग्गी द्वारा व 1528 ट्राली द्वारा कुल 1654.25 धन मी० मिटटी पर रु० 14.27 प्रति धन मी० की दर से 23606 रायल्टी की कटौती कर भुगतान किया जाना चाहिए था। जो न करते हुए राजकीय राजस्व क्षति पहुचायी गयी अतः रु० 23606 में से रु० 22636 श्री शंकर पल ग्राम पंचायत अधि० व श्री विनोद कुमार एवम रु० 970 की ब्याज सहित वसूली श्री शंकर पल ग्राम पंचायत अधि० व श्री शम्मी खां प्रधान से की जानी अपेक्षित रही**(आपत्ति सं० –23)**

प्रस्तर –98 –आपत्ति संख्या 23 में ट्राली क्रय विवरण के अनुसार 382 ट्राली रु० 300,500,450 प्रति ट्राली की दर मनमाने तरीके से रु० 167150 का भुगतान दर्शाया गया न्यूनतम दर रु० 300 को आधार मानकर 382 ट्राली मिटटी रु० 114600 का भुगतान होना चाहिए । इस प्रकार रु० 52550 अधिक व्यय दर्शाया कर धन का अपहरण किया गया अतः रु० 50000 की श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत अधि० व श्री विनोद कुमार तत्कालीन प्रधान एवम रु० 2550 की ब्याज सहित वसूली श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत अधिकारी व श्री शम्मी खां प्रधान से की जानी अपेक्षित है ।
(आपत्ति सं० –24)

प्रस्तर –99 –वाउचर संख्या 44 दिनांक 22.02.17 द्वारा चेक संख्या 342157 दिनांक 22.02.17 रु० 509215 एवम चेक संख्या 342156 दिनांक 22.07.17 रु० 800000 कुल रु० 1309215–00 का भुगतान शमशेर खां ठेकेदार को फकरू के घर से काली सड़क तक सी०सी० निर्माण हेतु भुगतान किया गया।पंचायत द्वारा टेंडर का आमंत्रण नहीं किया गया। मनमानी तरीके से कार्य हेतु शमशेर खां को भुगतान किया गया। उक्त भुगतान से 2.00 प्रतिशत आयकर रु० 26184 एवम् 4 प्रतिशत व्यापार कर रु० 52369 कुल रु० 78553 की कटौती न कर सरकार को राजस्व हानि पहुचाते हुये अनियमित भुगतान किया गया । अतः रु० 78553 श्री शम्मी खां प्रधान एवम श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूल कर सम्बंधित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा । उक्त राजस्व पर यदि कोई अर्थदण्ड पड़ने की स्थिति में प्रधान एवम सचिव का पूर्व उत्तरदायित्व होगा । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति सं० –25)**

51 ग्राम पंचायत अटा विकास खण्ड बिजौली जनपद अलीगढ –

प्रस्तर–100–लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में प्रधान का मानदेय सितम्बर 13 से नवम्बर 13 तक 2500 की दर से देनी दर्शित है जबकि इस अवधि में प्रधान का मानदेय रु० 750 प्रतिमाह ही रहा। इस प्रकार रु० 52520–00 अधिक मानदेय भुगतान की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूलवती देवी व सचिव श्री सुनील पाठक से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–17)**

प्रस्तर–101– लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में निम्न चेक जय शिव बिल्डिंग मेटेरिअल के नाम निर्गत है लेकिन उस दिनांक में उक्त फर्म को कोई भुगतान दर्शित नहीं है :–

क्र०सं०	दिनांक	फर्म का नाम	चेक संख्या	धनराशि	अन्य
1	18.08.15	जय शिव बिल्डिंग मेटेरिअल	449741	10000	कोषवाही एवं पासबुक अनुसार
2	07.09.15	जय शिव बिल्डिंग मेटेरिअल	449745	11000	कोषवाही एवं पासबुक अनुसार
3	17.11.15	जय शिव बिल्डिंग मेटेरिअल	201433	10000	कोषवाही एवं पासबुक अनुसार
			योग	**31000**	

लेखा परीक्षा की दृष्टि में उक्त धनराशि का दुरूपयोग किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूलवती एवं श्री शिशुपाल से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–18)**

52 – ग्राम पंचायत आजमाबाद मछुआ विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ –

प्रस्तर–102–लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में मस्टरोल 13(02.02.14 से 06.02.14) एवं मस्टरोल 14 (06.02.14 से 13.02.14) के अनुसार दिनांक 06.02.14 को राजमिस्त्री भगवान सिंह पुत्र गजाधर ही राजमिस्त्री के रूप में कार्य करते दर्शित है जब भगवान सिंह का भुगतान फर्जी है तो मस्टरोल 14 में कार्यरत दोनों मजदूरों का भी भुगतान फर्जी है इस प्रकार भगवान सिंह को भुगतान किया गया 350 एवं मजदूरों को भुगतान 400 कुल 750 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है । इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में मस्टरोल 22 (11.09.14 से 19.09.14) एवं मस्टरोल 23(18.09.14 से 29.09.14) में राजमिस्त्री भगवान सिंह गजाधर एवं पूरन सिंह सुखराम दिनांक 18.09.14 एवं 19.09.14 को दोनों मस्टरोलों पर कार्य करते दर्शित है तथा मस्टरोल 22 पर दो ही राजमिस्त्री भगवान सिंह एवं पुरन सिंह ही कार्य कर रहे है अतः इनके साथ कार्यरत चारों मजदूरों का भुगतान भी फर्जी है :–

1.	राजमिस्त्री	–	(2 X 2) X 350	=	1400
2.	मजदूर	–	(4 X 2) X 250	=	2000
			योग	=	3400

अतः रु० 3400 की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०–17)**

53 – ग्राम पंचायत लहटोई विकास खण्ड जवां जनपद अलीगढ –.

प्रस्तर –103 –दिनांक 13.08.15 को चेक संख्या 184551 द्वारा रु० 45940 का आहरण खाते से किया गया । जिसका लेखांकन आय पक्ष में अंकित कर सम्बंधित धनराशिके सापेक्ष कोई कार्य पर व्यय न कर कैश बुक में व्यय पक्ष में मात्र खाते में जमा की प्रविष्टि की गई जबकि पासबुक/स्टेटमेंट में उक्त तिथि को कोई धनराशि जमा अंकित नहीं पाई गई। उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि सम्बंधित धनराशि 45940 का आहरण कर सीधे अपहरण किया गया एवम उक्त के समायोजन के अंतर्गत भ्रमित करने हेतु व्यय पक्ष में जमा दर्शित किया गया जिसका कोई औचित्य नहीं था । अतः अपहरित धनराशि 45940 की ब्याज सहित वसूली श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत सचिव एवं श्रीमती भूदेवी तत्कालीन प्रधान से अपेक्षित है एवम उक्त कृत कार्य हेतु प्रशासनिक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है। **(आपत्ति सं०–19)**

प्रस्तर –104 –वाउचर न०22 दिनांक 30.09.14 द्वारा श्री अमरुद्दीन ठेकेदार को सी०सी०डलवाई 5121 वर्ग फुट रु० 7 की दर से रु० 35800– का भुगतान किया गया । सी०सी० कार्य का माप एवम नाम अंकित नहीं रहा । दिनांक 25.03.14 को कच्ची रोड़ी डलवाई मजदूरी रु० 5000 एवम दिनांक 30.09.14 को मजदूर एवम मिस्त्री की मजदूरी रु० 4050 का भुगतान किया गया। जबकि उक्त कार्य से सम्बंधित सामग्री माह सितम्बर 2014 में नहीं हुई। माह जनवरी 2015 में 02.01.15 को 625 फुट रोड़ी रु० 25000, दिनांक 03.01.15 को बदरपुर को बदरपुर 417 फुट रु० 25000 एवम दिनांक 29.01.15 को क्रय नहीं की गई परन्तु परन्तु रोड़ी डलवाई मजदूर का भुगतान 25.09.14 का किया गया । सामग्री जो कार्य हो जाने के 3 माह बाद क्रय की गई एवम क्रय सामग्री में 5121 वर्ग फुट नहीं कराया जा सका । उक्त कार्य हेतु कोई टेंडर की विज्ञप्ति नहीं हुई एवम नियमानुसार मजदूरी कार्य ग्राम के मजदूर से ही कार्य जाना चाहिए न कि ठेकेदार के प्रथा अंतर्गत । कैश बुक में दर्शित उक्त व्यय से कुल धनराशि रु० 148850 का काल्पनिक व्यय दर्शाय कर आहरित धनराशि का अपहरण किया गया अतः रु० 148850 की ब्याज सहित वसूली श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत अधिकारी व श्रीमती भूदेवी तत्कालीन प्रधान से अपेक्षित है एवम उक्त कृत कार्य हेतु प्रशासनिक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है **(आपत्तिसं०19)**

प्रस्तर –105– दिनांक 28.04.16 को प्रधान मानदेय बैंक चेक संख्या 184566 रु० 7500 बावत माह दिसम्बर 15 से 16 फरवरी तक तीन माह का भुगतान किया गया। श्री राजेंद्र पल सिंह प्रधान माह नवम्बर 15 में चुनाव होने के उपरांत विजयी हुये एवम ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः 22.12.15 को हुआ । जिस कारण माह दिसम्बर 15 में 10 दिसम्बर का रु०806 ही मानदेय था । जबकि रु० 2500 का भुगतान किया गया अतः अधिक भुगतान रु० 1694 की ब्याज सहित वसूली श्री राजेंद्र पल सिंह से किया जाना अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०– 21)**

प्रस्तर –106 –ग्राम पंचायत में वर्ष 2014–15 से 2016–17 से कराये गये कार्यों में अधिक दर पर मजदूरी भुगतान दर्शाकर धन का दुरूपयोग किया गया ।

क्र०सं०	दिनांक	मजदूर/राज	मानव दिवस	दर	भुगतान की गई धनराशि	निर्धारित दर	धन० जिसका भुगतान होना था	अंतर
1	27.06.14	मजदूर	35	250	8750	156	5460	3290
2	08.04.14	राज/मजदूर	17/35	450/250	7650/8750	290/156	4530/5460	2720/3290
3	16.02.15	राज/मजदूर	15/33	450/250	6750/8250	290/156	4350/5148	2400/3102
4	19.02.15	राज/मजदूर	15/33	450/250	6750/825	290/156	4350/5148	2400/3102
5	27.02.15	राज/मजदूर	06/18	450/250	2700/4500	250/156	1740/2808	960/1692
6	योग 2014–15				62350		39394	22956
7	09.11.15	मजदूर	40	250	10000	161	6440	3560

8	09.11.15	मजदूर	54	250	13500	161	8694	4806
9	14.11.15	राज/मजदूर	18/18	450/250	8100/4500	300/161	5400/2898	2700/1602
10	योग 2015–16				36100		23432	12668
11	20.01.17	राज/मजदूर	59/114	450/250	26550/28500	320/174	18880/19836	7670/8664
12	30.01.17	राज/मजदूर	35/77	450/250	15750/19250	320/174	11200/13398	4550/5852
13	30.01.17	राज/मजदूर	28/74	450/250	12600/18500	320/174	8960/12876	3640/5624
14	योग 2016–17				121150		85150	36000
15	कुल योग				219600		147976	71624

उपरोक्त विवरण अनुसार रु० 71624 की अधिक मजदूरी दर्शाकर अपहरण किया गया अतः रु० 35624 की वसूली श्रीमती भूदेवी तत्कालीन प्रधान एवम श्री शंकर पाल से एवम रु० 36000 की ब्याज सहित वसूली श्री राजेंद्र पाल सिंह एवम श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०– 22)**

54 – ग्राम पंचायत पोखरगढ़ी विकास खण्ड जवां जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –107 –ग्राम पंचायत में वर्ष 2013–14 से 2016–17 से कराये गये कार्यों में अधिक दर पर मजदूरी भुगतान दर्शाकर अनुदान का अपहरण किया गया है :–

क्र0 सं०	दिनांक	मजदूर/राज	मानव दिवस	दर	भुगतान की गई धनराशि	निर्धारित दर	धन० जिसका भुगतान होना था	अंतर
1	27.05.14	मजदूर	40	250	10000	156	6240	3760
2	13.06.14	राज/मजदूर	07/100	450/250	3150/25000	290/156	2030/15600	1120/9400
3	13.07.14	मजदूर	15	250	3750	156	2340	1410
4	07.07.14	राज/मजदूर	16/32	450/250	7200/8000	290/156	4640/4992	2560/3008
5	02.09.14	राज/मजदूर	02/05	450/250	900/1250	290/156	580/780	320/470
6	29.08.14	मजदूर	92	250	23000	156	14352	8648
7	03.02.15	मजदूर/राज	38/19	250/450	9500/8550	156/290	5928/5510	3572/3040
8	26.03.15	राज/मजदूर	11/62	450/250	4950/15500	290/156	3190/9676	1760/5828
9	2014–15 का योग				120750		75854	44896
10	08.05.15	मजदूर	100	250	25000	161	16100	8900
11	26.05.15	राज/मजदूर	16/34	400/250	6400/8500	300/161	4800/5474	1600/3026
12	05.06.15	राज/मजदूर	17/34	400/250	6800/8500	300/161	5100/5474	1700/3026
13	2015–16 का योग				55200		36948	18252
14	23.03.17	राज/मजदूर	60/335	350/275	21000/92125	320/174	19200/58290	1800/33838
15	2016–17 का योग				113125		113125	35635
16	कुल योग				289075		289075	98783

उक्त विवरण अनुसार वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक रु० 98783 मजदूरी मद में अधिक भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया अतः 2014–15 व 2015–16 से सम्बंधित धनराशि रु० 63148 की वसूली श्री विजेंद्र सिंह तत्कालीन प्रधान व श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत अधि० एवम वर्ष 2016–17 से सम्बंधित 35635 की वसूली श्री बलराज सिंह प्रधान व श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित रहा । **(आपत्ति सं०– 20)**

प्रस्तर –108 – दिनांक 04.08.16 को चेक संख्या द्वारा रु० 20000 प्रधान मानदेय श्री बलराज सिंह प्रधान को दिसम्बर 2015 से जुलाई 2016 तक का भुगतान किया गया जबकि निर्वाचन होने के उपरांत ग्राम पंचायत होने की तिथि से मानदेय होता है । अधिकतर ग्राम पंचायतों का गठन दिनांक 22.12.15 को हुआ जिसे आधार मानते हुए माह दिसम्बर 2015 में 10 दिवस का 806 रु मानदेय देय होता है । परन्तु माह दिसम्बर 2015 में का रु० 2500 मानदेय भुगतान किया गया । अतः अंतर धनराशि रु० 1694 किये गये अधिक भुगतान की ब्याज सहित वसूली श्री बलराज सिंह ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०– 21)**

प्रस्तर –109 –दिनाकं 23.03.15 को 120 धन मी० स्टोन ग्रिड 20 एम०एम० एवम ग्रेनाईट पत्थर मिटटी 442.47 धन मी० क्रय की गई । मिटटी क्रय वाउचर के साथ रायल्टी रवन्ना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा और न ही रायल्टी की धनराशि की कटौती कर भुगतान ही किया गया । जिस कारण रु० 21 प्रति धन मी० की दर से 562.47 धन मी० का 11811.87 की राजस्व की हानि पहुचाते हुए अधिक भुगतान किया गया। अतः रु० 11811.87 की ब्याज सहित वसूली श्री बलराज सिंह प्रधान व श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत अधिकारी से करते हुए सम्बंधित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित रहा। **(आपत्ति सं०– 22)**

प्रस्तर –110 –दिनांक 23.03.17 को सामग्री सप्लाई का भुगतान श्री दया शंकर कांट्रेक्टर एवं सप्लायर को रु० 253378 का भुगतान किया गया परन्तु उक्त भुगतान करते समय 2.25 प्रतिशत आयकर रु० 5701 एवम 4ः व्यापर कर रु० 10136 की कटौती कर भुगतान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया । इस प्रकार रु० 15836 की राजकीय राजस्व को क्षति पुहचाते हुये अधिक भुगतान किया गया । अतः रु० 15836 की ब्याज सहित वसूली श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत अधिकारी एवम श्री बलराज सिंह प्रधान से करते हुये सम्बंधित शीर्ष में राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा । **(आपत्ति सं०–23)**

55 – ग्राम पंचायत बरौला विकास खण्ड जवां जनपद अलीगढ –

प्रस्तर–111–ग्राम पंचायत में वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक निम्न विवरण अनुसार हैंडपंप पर व्यय दर्शाया गया है :

क्र०सं०	वाउचर संख्या	दिनांक	धनराशि	बावत व्यय	दर्शित भुगतान पासबुक में	अनु० प्राप्त
1	1	07.01.14	7500	6 पाइप अन्य सामान	––––	प्रधान
2	2	22.04.14	10000	8 हैंडपंप सामग्री मजदूरी	बच्चू सिंह	प्रधान
3	12	18.06.14	3800	4 हैंडपंप मजदूरी	बच्चू सिंह	प्रधान
4	25	02.09.14	2500	3 हैंडपंप सामग्री मजदूरी	बच्चू सिंह	प्रधान
5	28	22.10.14	5000	5 हैंडपंप सामग्री मजदूरी	बच्चू सिंह	प्रधान
6	33	11.12.14	5000	5 हैंडपंप सामग्री मजदूरी	बच्चू सिंह	प्रधान
7	8	30.06.15	4500	4 हैंडपंप सामग्री मजदूरी	नरेन्द्र सिंह	प्रधान
8	2	17.08.16	2400	मजदूरी हैंडपंप बनवाई	बच्चू सिंह	प्रधान
9	3	22.09.16	5000	चौधरी ऑटोमोबाइल्स एण्ड पार्ट्स से सामग्री क्रय	बच्चू सिंह	प्रधान
10	10	04.02.17	10000	हैंडपंप मरम्मत	नरेन्द्र सिंह	प्रधान
11	12	27.03.17	10000	हैंडपंप मरम्मत	हरवीर सिंह	प्रधान
12	13	28.03.17	9000	हैंडपंप मरम्मत	हरवीर सिंह	प्रधान
		योग	**74700**			

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2014–15 से रु० 33800 वर्ष 2015–16 में 4500 एवं वर्ष 2016–17 में रु० 36400 का भुगतान सम्मुख अंकित नल मरम्मत मिस्त्री एवं अन्य को दर्शित है जबकि बैंक पासबुक के अनुसार प्रधान द्वारा आहरित है । उक्त भुगतान व कार्य पर निम्न कमियां रही ।

1. हैंडपंप मरम्मत हेतु प्रस्ताव एवं कार्य योजना पारित नहीं रहा ।
2. हैंडपंप मरम्मत हेतु समीप के निवासी द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं लिया गया ।
3. हैंडपंप मरम्मत के प्रमाण में निवासी द्वारा प्रमाण पत्र नहीं लिया गया ।
4. हैंडपंप मरम्मत की मजदूरी एवम सामग्री का भुगतान मिस्त्री को करना दर्शाया गया है । जबकि सामग्री का भुगतान सम्बंधित को किया जाना चाहिए ।

5 उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाण स्वरूप बिल /कैश मेमो एवम रसीद लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही । उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि बैंक द्वारा आहरित धनराशि के समायोजन मात्र हेतु उक्त व्यय दर्शाकर रु० 74700 का अपहरण किया गया। अतः रु० 38300 की ब्याज सहित वसूली श्री रावेन्द्र पल सिंह प्रधान एव श्री शंकर पाल ,ग्राम पंचायत अधिकारी एवं रु० 36400 की ब्याज सहित वसूली श्री सत्यवीर सिंह ,प्रधान एवं श्री शंकर पाल, ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–19)**

प्रस्तर –112– निधि–6 के अंतर्गत 20 शोचालय के निर्माण हेतु अनुदान 239200 प्राप्त हुआ जबकि 240000 प्राप्त होना चाहिए । इस प्रकार शौचालय पूर्ण करने हेतु 800 कम अनुदान प्राप्त हुआ । उक्त प्राप्त अनुदान के रु० 240850 का आहरण कर व्यय किया गया उक्त व्यय में से 170850 वर्ष 2013–14 में व्यय हुआ वर्ष 2014–15 में 70000 का व्यय किया गया । उक्त अनुदान की धनराशि पर बैंक द्वारा 01.09.13 रु० 581, 04.03.14 रु० 1972 , 06.09.14 रु०1149 एवम 05.03.15 रु०34 कुल रूपये 3736 ब्याज प्राप्त हुआ एवम बैंक द्वारा कुल कटौती रु० 346–10 हुई । इस प्रकार 3389.90 ब्याज शेष रहा । जबकि 31.03.17 को खाते में 1723.05 रु० शेष दर्शित है । अतः रु०1666.85 ब्याज की धनराशि का व्यय किया गया । जो शासनादे संख्या – ए –1 – 122 /(दस)/ 205 – 1 – (33) /2010 दिनांक 21.03.12 के प्रस्तर–3 के अंतर्गत दिये गये निर्देश के क्रम में राजकीय कोषागार में चालान द्वारा जमा किया जाना चाहिए रु० 1666.85 की ब्याज सहित वसूली श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत अधिकारी व श्री रावेन्द्र पाल प्रधान से करते हुये रु० 3389.90 चालान द्वारा कोषागार के माध्यम से राज्य सरकार को वापिस किया जाना अपेक्षित रहा। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं० –20)**

प्रस्तर –113– ग्राम पंचायत में वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक कराये गये विभिन्न कार्यों में राज एवम मजदूरों को की गई मजदूरी का भुगतान अधिक दर से किया जाना दर्शाया गया है ।

क्र०सं०	दिनांक	मजदूर/राज	मानव दिवस	दर	भुगतान की गई धनराशि	निर्धारित दर	धन० जिसका भुगतान होना था	अंतर
1	12.12.14	राज/मजदूर	14/28	450/250	6300/7000	200/1564	060/4368	2240/2632
2	27.12.14	राज/मजदूर	11/25	450/250	4950/6250	200/156	3190/3900	1760/2350

3 13.01.15 राज/मजदूर 27/55 450/250 12150/13750 290/156 7030/858 5120/5170
4 13.01.15 मजदूर 87 250 21750 /156 /13572 /8178
5 20.01.15 राज /मजदूर 37/70 450/250 16650/17500 290/156 10730/10920 5920/7580
6 06.02.15 राज/मजदूर 20/44 450/250 9000/11000 290/156 5800/8864 3200/4136
7 26.03.15 राज/मजदूर 09/18 450/250 4050/4500 290/156 2610/2808 1440/1692
8 2014–15 का योग 135850 84432 51418
9 20.04.15 राज/मजदूर 23/46 450/250 10350/11500 300/161 6900/7406 3450/4094
10 06.05.15 मजदूर 40 /250 /10000 /161 /6440 /3560
11 15.09.15 राज/मजदूर 30/72 450/250 16200/18000 300/161 10800/11592 5400/6408
/मजदूर /24 /250 /10450 /161 /7764 /2986
12 2015–16 का योग 76500 50602 25898
13 13.01.17 राज/मजदूर 48/94 450/250 21600/23500 300/161 14400/15134 7200/8366
14 28.03.17 राज/मजदूर 60/295 (दर्शित) 27000/73975 300/161 18000/40250 9000/33725
15 2016–17 का योग 146075 87784 58291
16 कुल योग 358425 222818 135607

उक्त विवरण अनुसार वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक रु०135607 मजदूरी मद में अधिक भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया अतः 2014–15 व 2015–16 से सम्बंधित धनराशि 77316 की वसूली श्री रवेन्द्र सिंह तत्कालीन प्रधान व श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत अधिकारी एवम वर्ष 2016–17 से सम्बंधित 58291 की वसूली श्री सत्यवीर सिंह प्रधान व श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित रहा है। **(आपत्ति सं०–21)**

प्रस्तर – 114– तालाब खुदाई हेतु निर्माण विवरण अनुसार जे०सी०बी० मशीन द्वारा कराने का व्यय किया गया :–

क्र०सं	दिनांक	घंटे	दर	धनराशि
1	01.07.14	14	750	10500
2	07.07.14	15	750	11250
3	09.07.14	03–36	750	6450
	योग	32–36		28200

उक्त विवरण अनुसार तालाब खुदाई शासनानुसार मजदूरों से न कराकर जे०सी०बी० से कराया गया है । उक्त खुदाई की स्वीकृति स्टेटमेंट, एम०बी० वाउचर /रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही । जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य अनियमित रूप दर्शाकर रु० 28200 का अपहरण किया गया अतः रु० 28200 की वसूली श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित रहा हैं। **(आपत्ति सं०– 22)**

प्रस्तर –115–संस्था द्वारा कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की सप्लाई हेतु न तो कोई कोटेशन प्राप्त किए गये न ही कोई टेंडर आमंत्रित किया गया । क्योंकि वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक न ही टेंडर विज्ञप्ति पर व्यय किया गया और न ही टेंडर की कोई प्रक्रिया का वहन किया गया । परन्तु दिनांक 28.03.17 को रु० 517492 का दया शंकर कॉण्ट्राकटर एंड सप्लायर को कतिपय सामग्री का भुगतान किया गया जो पूर्णतयरू अनियमित रहा एवम उस भुगतान पर 2.00 प्रतिशत आयकर 10350 एवम 4ः व्यापर कर रु० 20700 की कटौती कर भुगतान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया । इस प्रकार रु० 31050 की राजकीय राजस्व को क्षति पुहचाते हुये अधिक भुगतान किया गया । अतः रु० 32344 की ब्याज सहित वसूली श्री शंकर पाल ग्राम पंचायत अधिकारी एवम श्री सत्यवीर सिंह प्रधान से करते हुये सम्बंधित शीर्ष में राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा साथ ही राजस्व हानि पुहचाने हेतु प्रशासनिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है । **(आपत्ति सं०–23)**

56–ग्राम पंचायत पडकी विकास खण्ड जवां जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –116 – कैश बुक एवं बैंक पास बुक के मिलन में प्रकाश में आया कि निम्नलिखित आहरण जो बैंक पासबुक /स्टेटमेंट में दर्शित है उन्हें कैशबुक में आय पक्ष में आहरित नहीं दर्शाया गया और उसके सापेक्ष व्यय भी दर्शित नहीं है । उक्त स्थिति दर्शाता है कि कुल रु० 21000 का आहरण कर सीधे अपहरण कर लिया गया । आहरण का विवरण निम्न प्रकार है ।

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि
1	01.02.14	497027	4000
2	07.02.14	497021	7000
3	25.03.14	————	10000
		योग	**21000**

अतः रु० 21000 की वसूली श्री विजयपाल सिंह प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०–18)**

प्रस्तर–117–दिनांक 05.03.14 चेक सं० 497038 रु० 10000 का आहरण बैंक पास बुक के अनुसार किया गया एवं दिनांक 05.03.14 को रु० 5000 कैश बुक में आहरित दर्शाकर उसके सापेक्ष रु० 5000 का व्यय दर्शित है । उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि रु० 10000 का आहरण कर अभिलेखीय पूर्ति हेतु रु० 5000 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर कुल

रु० 10000 का अपहरण किया गया। अतः रु० 10000 की ब्याज सहित वसूली श्री विजय पाल सिंह प्रधान एवं तत्कालीन सचिवसे की जानी अपेक्षित है ।**(आपत्ति सं०–19)**

57–ग्राम पंचायत निगुना सिगुना विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ ।

प्रस्तर–118–आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत कोष से हैंडपंप मरम्मत पर निम्न तिथियों में निम्नलिखित विवरण अनुसार धनराशि व्यय की जानी दर्शित है :–

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाण संख्या	धनराशि	विवरण
1	22.06.16	01	15860	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
2	23.06.16	02	11220	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
3	24.06.16	03	17920	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
4	05.10.16	08	12130	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
5	14.10.16	10	17870	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
6	21.10.16	12	15960	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
7	04.02.17	17	14040	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
8	03.03.17	25	13673	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
9	03.03.17	26	15622	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
10	06.03.17	27	14570	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
11	10.03.17	29	19520	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
12	18.03.17	31	18975	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
13	31.03.17	32	17640	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
14	31.03.17	33	19622	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
		योग	**224622**	

उपरोक्त दर्शित व्यय की धनराशिकी पुष्टि में ग्राम पंचायत की स्वीकृति कार्य योजना, प्राक्कलन, एम०बी०, हैंडपंप खराब होने की तकनीकी रिपोर्ट व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे । तथा उक्त हैंडपंप मरम्मत किस किस स्थान पर किये गये तथा पुराने सामान का क्या किया गया स्टाक रजिस्टर के अभव में स्थिति अज्ञात रही । जिसके सम्बन्ध में पूर्व में ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान से पात्र लिखकर स्पष्टीकरण चाहा था जो ग्राम पंचायत द्वारा दिया नहीं गया अतः रु० 224622 हैण्डपंप मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर पंचायत कोष क्षति करीत की गई । जिसके दोषीगण ग्राम प्रधान श्री जगवीर सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुय से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–22)**

58–ग्राम पंचायत नगला खुर्द विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ–

प्रस्तर –119–आलोच्य वर्ष 2014–15 में माह जनवरी 2015 में पंचायत कोष से नकद आहरण कर निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है :–

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाण संख्या	धनराशि	विवरण
1	15.01.15	20	63108	बदरपुर व जीरा रोड़ी क्रय
2	16.01.15	21	49500	सीमेंट क्रय
3	16.01.15	22	15200	मजदूरी भुगतान (देवेन्द्र के घर से पुसी तक सी०सी०) निर्माण
4	16.01.15	23	1800	मशीन भाडा आ०सी०सी०हेतु
			129608	

उपरोक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं" कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिको गबन मानते हुए प्रधान/सचिव से वसूली की जाएगी । इस लिये रु० 129608 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम व ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप से संयुक्त रूप से की जानी एवं प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०–23)**

प्रस्तर–120–आलोच्य वर्ष 2015–16 में पंचायत कोष से नकद आहरण कर निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है :–

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाण संख्या	धनराशि	विवरण
1	15.04.15	1	66400	मजदूरी भुगतान मिटटी कार्य (हरी सिंह के घर से मंदिर तक)
2	30.04.15	2	33488	मजदूरी भुगतान मिटटी कार्य (निहाल सिंह के घर से पोखर तक)
3	16.06.15	3	6500	सफाई कर्मी की गाड़ी क्रय
4	17.06.15	4	12612	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
5	13.08.15	6	14500	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
6	29.08.15	7	13500	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
			147000	

उपर्युक्त वर्षों के विरुद्ध स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी ।

इस लिये रु० 147000 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम व ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप से संयुक्त रूप से की जानी एवं प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०–24)**

प्रस्तर–121–आलोच्य वर्ष 2016–17 में पंचायत कोष से नकद आहरण कर निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया हैः–

क्र०सं०	**दिनांक**	**व्यय प्रमाण संख्या**	**धनराशि**	**विवरण**
1	02.07.16	1	20000	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
2	04.07.16	2	19500	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
3	10.07.16	3	18000	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
4	30.11.16	11	16731	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
5	13.12.16	14	19990	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
6	21.12.16	15	18900	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
7	31.12.16	18	17000	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
8	07.01.17	21	19990	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
9	12.01.17	23	18000	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
10	31.01.17	25	16529	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
11	08.02.17	28	16500	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
12	30.03.17	32	15840	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
13	30.03.17	35	16130	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
14	30.03.17	37	16160	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
		योग	**249270**	

उपरोक्त दर्शित व्यय धनराशिकी पुष्टि में ग्राम पंचायत स्वीकृतिकार्य योजना, प्राक्कलन, एम०बी० हैंडपंप खराब होने की तकनिकी मरम्मत किस किस स्थान पर किये गये तथा पुराने सामान का क्या किया गया आदि की स्थिति अज्ञात रही जिसके सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 31.10.17 को पत्र जारी कर प्रधान /सचिव से स्पष्टीकरण चाहा था परन्तु ग्राम प्रधान /सचिव द्वारा पत्र का उत्तर नहीं दिया गया । अतः रु० 249270 हैंडपंप मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर पंचायत कोष क्षतिगण ग्राम प्रधान श्रीमती संतोष देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप से ब्याज सहित वसूली व प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही अपेक्षित है **(आपत्तिसं०–25)**

59 –ग्राम पंचायत असरह रसूलपुर विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ –

प्रस्तर–122 आलोच्य वर्ष 2015–16 में पंचायत कोष से नकद आहरण कर निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है :–

क्र०सं०	**दिनांक**	**व्यय प्रमाण संख्या**	**धनराशि**	**विवरण**
1	07.04.15	1	40000	ब्रिक ब्लास्ट व ईट क्रय
2	21.04.15	2	100000	सीमेंट,बालू, बदरपुर, गिट्टी आदि क्रय
3	24.04.15	3	74221	मजदूरी भुगतान (धर्मपाल सिंह के घर से प्रेमपाल के घर तक सी०सी० निर्माण)
4	07.06.15	5	52123	सीमेंट,बालू, बदरपुर, गिट्टी आदि क्रय
5	02.08.15	6	30105	ब्रिक ब्लास्ट व ईट क्रय
6	20.08.15	7	31395	मजदूरी भुगतान (जगवीर के घर से किशन सिंह क घर तक सी०सी० निर्माण)
		योग	**327844**	

उपरोक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष स्वीकृति कार्य योजना,स्टेटमेंट,एम०बी०,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे । उपर्युक्त वर्षों के विरुद्ध स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि की गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी । लेखा मैन्युअल में दिये गये प्राविधानों के अनुसार रु० 327844– गबन की श्रेणी में आता है । इस लिये उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा ।

इस लिये रु० 327844 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राम पाल सिंह से व आधी धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप से की जानी एवं प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०–23)**

प्रस्तर –123–आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत से हैंडपंप मरम्मत पर निम्न तिथियों में निम्नलिखित विवरण अनुसार धनराशिव्यय की जानी दर्शित है :–

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाण संख्या	धनराशि	विवरण
1	21.06.16	1	14910	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
2	26.06.16	2	16748	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
3	28.06.16	3	10946	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
4	29.06.16	4	15435	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
5	30.06.16	5	9600	हैंडपंप मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान
6	21.07.16	7	16958	हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
7	25.07.16	16	12862	हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
8	26.07.16	24	4200	हैंडपंप मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान
9	25.08.16	35	71002	हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
10	07.02.17	38	15435	हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
11	16.02.17	44	6400	हैंडपंप मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान
			194496	

उपरोक्त दर्शित व्यय धनराशिकी पुष्टि में ग्राम पंचायत स्वीकृतिकार्य योजना, प्राक्कलन, एम०बी० हैंडपंप खराब होने की तकनिकी मरम्मत किस किस स्थान पर किये गये तथा पुराने सामान का क्या किया गया आदि की स्थिति अज्ञात रही जिसके सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 31.10.17 को पत्र जारी कर प्रधान /सचिव से स्पष्टीकरण चाहा था परन्तु ग्राम प्रधान /सचिव द्वारा पत्र का उत्तर नहीं दिया गया । अतः रु० 194496–00 हैंडपंप मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर पंचायत कोष क्षतिगण ग्राम प्रधान श्रीमती नीतू व ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप से ब्याज सहित वसूली व प्रशासनिक/ विधिक कार्यवाही अपेक्षित है ।**(आपत्तिसं०–24)**

60 – ग्राम पंचायत बरौठ छजमल विकास खण्ड लौधा जनपद अलीगढ –.

प्रस्तर –124 –आलोच्य वर्ष 2015–16 में पंचायत कोष से नकद आहरण कर निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है रू–

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान पाने वाले का नाम
1	06.04.15	231313	5000	स्नेहलता
2	07.04.15	231318	30000	योगेन्द्र
3	11.04.15	231301	2000	डी०पी०आर०ओ० (पी०एल०ए०)
4	21.04.15	231319	5000	स्नेहलता
5	24.04.15	231320	20000	योगेन्द्र
		योग	**62000**	

उपरोक्त दर्शित धनराशिकी कोषवही में प्रविष्टि न करके पंचायत कोष क्षति कारित की गयी द्य जिसके दोषीगण ग्राम प्रधान श्रीमती स्नेहलता व ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश चन्द्र शर्मा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–22)**

प्रस्तर –125–आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत से हैंडपंप मरम्मत पर निम्न तिथियों में निम्नलिखित विवरण अनुसार धनराशि व्यय की जानी दर्शित है :–

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाण संख्या	धनराशि	विवरण
1	27.05.16	2	5000	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
2	14.07.16	3	5000	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
3	07.09.16	6	5000	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय धनराशि
4	23.09.16	7	10000	हैंडपंप मरम्मत लाल मुहम्मद मिस्त्री का भुगतान
5	26.09.16	8	10000	हैंडपंप मरम्मत लाल मुहम्मद मिस्त्री का भुगतान
6	14.10.16	9	15000	हैंडपंप मरम्मत लाल मुहम्मद मिस्त्री का भुगतान
7	17.10.16	10	3000	संदीप कम्प्यूटर को भुगतान
8	19.10.16	11	9950	हैंडपंप मरम्मत लाल मुहम्मद मिस्त्री का भुगतान
9	26.10.16	12	16800	मस्टरोल सी०सी०व नाली निर्माण मदन गोपाल–महावीर शर्मा
10	28.10.16	13	186590	मैसर्स शिवानी बिल्डर सोमना से सीमेंट, बदरपुर , रोड़ी क्रय
11	29.10.16	14	5000	हैंडपंप मरम्मत लाल मुहम्मद मिस्त्री का भुगतान
12	13.11.16	16	10000	हैंडपंप मरम्मत लाल मुहम्मद मिस्त्री का भुगतान
13	05.12.16	17	5000	हैंडपंप मरम्मत लाल मुहम्मद मिस्त्री का भुगतान
14	16.12.16	18	24000	मस्टरोल सी०सी० व नाली निर्माण मदन गोपाल –महावीर शर्मा
15	31.12.16	20	20000	मस्टरोल सी०सी० व नाली निर्माण मदन गोपाल–महावीर शर्मा
16	02.01.17	21	180632	मैसर्स शिवानी बिल्डर से निर्माण सामग्री क्रय

17	06.01.17	22	14000	मस्टरोल सी०सी० व नाली निर्माण (कृपा शंकर की चक्की से मदन गोपाल के घर तक)
18	23.01.17	23	13000	हैंडपंप मरम्मत लाल मुहम्मद मिस्त्री का भुगतान
19	27.02.17	25	24000	मिटटी कार्य का भुगतान (पतरा दिवाकर से संजू ठाकुर तक)
20	07.03.17	27	5000	हैंडपंप मरम्मत लाल मुहम्मद मिस्त्री का भुगतान
21	27.03.17	28	50000	मिटटी कार्य का भुगतान (पतरा दिवाकर से संजू ठाकुर तक)
			616972	

उपरोक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष स्वीकृति कार्य योजना,स्टेटमेंट,एम०बी०,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उपर्युक्त वर्षों के विरुद्ध स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिकी गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी । लेखा मैन्युअल में दिये गये प्राविधानों के अनुसार रु० 616972 गबन की श्रेणी में आता है । इस लिये उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा । इस लिये रु० 616972 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशिजिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राम पाल सिंह से व आधी धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप से की जानी एवं प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही अपेक्षित है ।

(आपत्ति सं०–23)

61–ग्राम पंचायत चुआवली विकास खण्ड लौधा जनपद अलीगढ ।

प्रस्तर –126–आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत कोष से विभिन्न तिथियों में आहरण कर निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाण संख्या	धनराशि	विवरण
1	20.06.16	1	8925	हैंडपंप मरम्मत हरिओम मिस्त्री को भुगतान
2	24.06.16	2	10000	हैंडपंप मरम्मत पाइप व सरिया क्रय फर्म को भुगतान
3	27.06.16	3	6075	हैंडपंप मरम्मत हरिओम मिस्त्री को भुगतान
4	15.10.16	5	5000	हैंडपंप मरम्मत
5	24.10.16	6	3000	प्रशासनिक व्यय
6	26.10.16	7	9800	हैंडपंप मरम्मत
7	28.10.16	9	4950	गाँव की नाली मलवे आदि की सफाई पर व्यय
8	16.12.16	10	5050	हैंडपंप मरम्मत
9	30.12.16	12	5000	हैंडपंप मरम्मत
10	21.01.17	13	5000	हैंडपंप मरम्मत
11	30.01.17	15	133270	मैसर्ससंजय खान कान्ट्रेक्टर से इंटर लॉकिंग टाइल्स क्रय
12	30.01.17	16	115075	मैसर्ससंजय खान कान्ट्रेक्टर से इंटर लॉकिंग टाइल्स क्रय
13	21.02.17	17	5000	हैंडपंप मरम्मत
14	06.03.17	18	20680	मस्टरोल भुगतान इंटर लॉकिंग टाइल्स निर्माण हेतु
15	07.03.17	19	22560	मस्टरोल भुगतान इंटर लॉकिंग टाइल्स निर्माण हेतु
16	08.03.17	20	19415	इंटर लॉकिंग टाइल्स का अवशेष भुगतान
17	18.03.17	21	29970	इंटर लॉकिंग टाइल्स आदि सामग्री का भुगतान
18	27.03.17	23	5000	हैंडपंप मरम्मत
19	18.03.17	22	289570	मैसस संजय खान कान्ट्रेक्टर से इंटर लॉकिंग टाइल्स क्रय
20	30.03.17	24	132120	मैसस संजय खान कान्ट्रेक्टर से इंटर लॉकिंग टाइल्स क्रय
21	30.03.17	25	120810	मैसस संजय खान कान्ट्रेक्टर से इंटर लॉकिंग टाइल्स क्रय
		योग	**956270**	

उपर्युक्त वर्षों के विरुद्ध स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी

गयी व्यय धनराशिकी गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी । इस लिये रु० 952670– की वसूली आधी धनराशि जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राज कुमार से व आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री भगवती प्रसाद व श्री अमर सिंह से संयुक्त रूप से की जानी एवं प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–22)**

62 –ग्राम पंचायत भांकरी खास विकास खण्ड लौधा जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –127–आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत कोष से विभिन्न तिथियों में आहरण कर निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है । जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाण संख्या	धनराशि	विवरण
1	26.10.16	1	14000	सैमला रोड से मरघट तक खडंजा की लेबर पर व्यय
2	26.10.16	2	44500	राजेंद्र से जयपाल तक इंटर लॉकिंग मजदूरी (मस्टरोल)
3	26.10.16	3	42700	सैमला रोड से वीरा सिंह तक इंटर लॉकिंग मजदूरी (मस्टरोल)
4	28.10.16	4	31500	सैमला रोड से वीरा सिंह तक इंटर लॉकिंग हेतु मिटटी कार्य पर व्यय
5	28.10.16	5	9000	सैमला रोड से मरघट तक खडंजा मिटटी कार्य पर व्यय
6	28.10.16	6	13500	राजेंद्र. जयपाल व इंटर लॉक हेतु मिटटी कार्य पर व्यय
7	28.10.16	7	27285	मैसर्स शिवानी बिल्डर्स से 5100 कटका ईट क्रय
8	28.10.16	8	181530	मैसर्स शिवानी बिल्डर्स से इंटर लॉक ईट, सीमेंट, रोड़ी व बालू क्रय
9	28.10.16	9	233785	मैसर्स शिवानी बिल्डर्स से इंटर लॉक ईट, सीमेंट, रोड़ी व बालू क्रय
10	31.10.16	10	9180	मैसर्स दुष्यंत कुमार एंड क०से० हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री आदि
11	04.11.16	11	3000	प्रशासनिक व्यय
12	27.03.17	12	25000	सोलर लाइट आदि क्रय
13	27.03.17	13	1400	सफाई गाड़ी के पार्टस क्रय
		योग	**636380**	

उपर्युक्त वर्षों के विरुद्ध स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिकी गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी । इस लिये रु० 636380 की ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री प्रेमपाल सिंह से व आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री भगवती प्रसाद से की जानी एवं प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०– 22)**

63 – ग्राम पंचायत एलमपुर विकास खण्ड लौधा जनपद अलीगढ –

प्रस्तर–128–आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत कोष से विभिन्न तिथियों में आहरण कर निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाण संख्या	धनराशि	विवरण
1	18.06.16	1	5000	हैंडपंप मरम्मत भुगतान
2	12.07.16	2	10000	हैंडपंप मरम्मत भुगतान
3	02.08.16	3	5000	हैंडपंप मरम्मत भुगतान
4	08.08.16	4	13230	हैंडपंप मरम्मत भुगतान
5	03.09.16	5	2500	एलमपुर बी०आर०सी० में मिटटी कार्य
6	28.10.16	6	20000	सफाई क्रय हेतु भुगतान (नाला)
7	26.11.16	7	4450	हैंडपंप मरम्मत भुगतान
8	26.11.16	8	550	इंटर लॉक ईट क्रय
9	17.12.16	9	7280	मिटटी कार्य मस्टरोल
10	31.12.16	10	4720	मिस्त्री को भुगतान
11	18.01.17	11	2500	बुकलेट बनाने का भुगतान
12	19.01.17	12	2500	स्टेशनरी क्रय
13	09.02.17	13	8280	मिटटी कार्य मस्टरोल क्रय
14	12.02.17	14	10080	नाला सफाई मस्टरोल
15	14.02.17	15	1640	हैंडपंप मरम्मत
16	08.03.17	16	10000	हैंडपंप मरम्मत सामान क्रय
17	10.03.17	17	12500	सफाई कर्मी की गाड़ी क्रय मय सामान
18	24.03.17	19	20515	हैंडपंप मरम्मत (भुगतान पूर्व)
19	31.03.17	20	72076	लेबर भुगतान मस्टरोल
		योग	**212821**	

उपर्युक्त वर्षों के विरुद्ध स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे।उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिकी गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। इस लिये रु० 212821 की वसूली आधी धनराशिजिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री योगेशवर से व आधी धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार दिनकर से की जानी एवं प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०–22)**

64–ग्राम पंचायत न्हौटी विकास खण्ड लौधा जनपद अलीगढ –

प्रस्तर–129–आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत कोष से विभिन्न तिथियों में आहरण कर निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाण संख्या	धनराशि	विवरण
1	01.09.16	3	5000	हैंडपंप मरम्मत भुगतान
2	08.09.16	4	5000	हैंडपंप मरम्मत भुगतान
3	12.09.16	5	51240	मस्टरोल बावत इंटरलॉक कार्य(सी०सी०से प्रेम पाल तक)
4	14.09.16	6	3000	सदीप को कंप्यूटर कार्य का भुगतान
5	16.09.16	7	213460	मैसर्स शिवानी बिल्डर्स को सामग्री आपूर्ति का भुगतान
6	16.09.16	8	203788	मैसर्स शिवानी बिल्डर्स को सामग्री आपूर्ति का भुगतान
7	16.09.16	9	50605	मस्टरोल भुगतान
8	22.10.16	10	48425	मस्टरोल भुगतान
9	28.10.16	11	203400	मैसर्स शिवानी बिल्डर्स को सामग्री आपूर्ति का भुगतान
10	11.01.17	13	38985	मस्टरोल भुगतान इंटर लॉक कार्य (तेजपाल से हाकिम सिंह तक)
11	11.01.17	14	39875	मस्टरोल भुगतान इंटर लॉक कार्य (कालीचरण से अर्जुन सिंह के घर तक)
12	11.01.17	15	36320	मस्टरोल भुगतान इंटर लॉक कार्य (तेजपाल की दुकान से दलजीत तक)
13	24.01.17	16	300133	मैसर्से शिवानी बिल्डर्स को सामग्री आपूर्ति का भुगतान
14	24.01.17	17	307482	मैसर्स शिवानी बिल्डर्स को सामग्री आपूर्ति का भुगतान
15	24.01.17	18	267885	मैसर्स शिवानी बिल्डर्स को सामग्री आपूर्ति का भुगतान
		योग	**1774598**	

उपर्युक्त वर्षों के विरुद्ध स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि की गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी इस लिये रु० 1774598 की वसूली आधी धनराशि जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती भगवान देवी से व आधी धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश वर्मा से की जानी एवं प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०–22)**

65–ग्राम पंचायत जतनपुर चिकावटी विकास खण्ड लौधा जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –130–आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत कोष से विभिन्न तिथियों में आहरण कर निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है । जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	दिनांक	व्यय प्रमाण संख्या	धनराशि	विवरण
1	07.06.16	1	30000	अंश कान्ट्रेक्टर हैंडपंप सामान हेतु क्रय हेतु भुगतान
2	03.06.16	3	15000	अंश कान्ट्रेक्टर हैंडपंप सामान हेतु क्रय हेतु भुगतान
3	23.06.16	4	15000	अंश कान्ट्रेक्टर हैंडपंप सामान हेतु क्रय हेतु भुगतान
4	08.11.16	7	68438	अंश कान्ट्रेक्टर हैंडपंप सामान हेतु क्रय हेतु भुगतान
5	06.01.17	8	85538	अंश कान्ट्रेक्टर से सामग्री हेतु दिया गया चेक
6	06.01.17	9	20930	मजदूरों को मजदूरी भुगतान नकद (प्रेमपाल से भगवनदास तक न्यू टाइप नाली निर्माण हेतु)
7	18.01.17	10	124325	अंश कान्ट्रेक्टर से सामग्री हेतु दिया गया चेक
8	18.01.17	11	148152	अंश कान्ट्रेक्टर से सामग्री हेतु दिया गया चेक
9	20.01.17	12	25480	मजदूरों को मजदूरी भुगतान नकद(भगवानदास से आंगनवाडी केन्द्र तक न्यू टाइप नाली निर्माण हेतु)
10	16.02.17	14	37310	मजदूरों को मजदूरी भुगतान नकद (प्रा० पाठ

				से हेतराम तक न्यू टाइप नाली निर्माण हेतु)
11	28.02.17	16	4500	हैंडपंप मरम्मत सामान
12	03.03.17	17	30940	मजदूरों को मजदूरी भुगतान (विष्णु से तालाब तक)
13	04.03.17	18	32047	अंश कान्ट्रेक्टर से सामग्री हेतु दिया गया चेक
14	04.03.17	19	12740	मजदूरों को मजदूरी भुगतान नकद (भगवानदास से आंगनवाडी केन्द्र तक न्यू टाइप नाली निर्माण हेतु)
15	04.03.17	20	36522	अंश कान्ट्रेक्टर से सामग्री हेतु दिया गया चेक
16	04.03.17	21	10920	मजदूरों को मजदूरी भुगतान नकद (प्रा० पाठ से हेतराम तक न्यू टाइप नाली निर्माण हेतु)
		योग	**697842**	

उपर्युक्त वर्षों के विरुद्ध स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिकी गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी । लेखा मैन्युअल में दिये गये प्राविधानों के अनुसार रु०697842–00 गबन की श्रेणी में आता है । इस लिये उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा । इस लिये रु० 697842–00 की (आपत्ति सं०–22)वसूली आधी धनराशि जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राज कुमार शर्मा से व आधी धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री संतोष कुमार से की जानी एवं प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–22)**

66–ग्राम पंचायत शाहपुर मडराक विकास खण्ड लौधा जनपद अलीगढ–

प्रस्तर –131–आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत कोष से विभिन्न तिथियों में आहरण कर निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	**दिनांक**	**व्यय प्रमाण संख्या**	**धनराशि**	**विवरण**
1	18.05.16	1	5000	विश्राम सिंह को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान
2	30.05.16	3	22000	हैंडपंप सही करने में क्रय सामान का भुगतान
3	08.06.16	4	10000	आशु ट्रेडर्स से हैंडपंप का सामान एवं लेबर का भुगतान
4	09.06.16	5	14000	नूत फर्नीचर से कुर्सी,मेज क्रय
5	12.09.16	6	5000	हैंडपंप मरम्मत का मिस्त्री को भुगतान
6	25.10.16	8	25376	प्रधान को धर्मपाल के पास मिटटी क्रय का भुगतान
7	27.10.16	9	67700	मैसर्स एम०एस० बिल्डिंग मटेरियल से सामग्री क्रय
8	01.12.16	10	54	फोटोस्टेट व्यय
9	05.01.17	11	17080	मस्टरोल भुगतान बावत खडंजा नाली निर्माण
10	10.01.17	12	5565	मनोज को परिवार रजिस्टर कंप्यूटर करने का भुगतान
11	08.02.17	13	4700	वैष्णो सर्वेयर एंड हार्डवेयर को हैंडपंप सामग्री का भुगतान
12	13.02.17	14	17200	ग्रामीण सेवा केंद्र में सफाई उपकरण, रिक्शा व शौचालय क्रय
13	17.02.17	15	4995	मस्टरोल भुगतान बावत स्कूल शोचालय निर्माण
14	02.03.17	16	182000	मैसर्स शिवानी बिल्डर्स से इंटर लॉकिंग टाइल्स क्रय
15	02.03.17	17	230000	मैसर्स शिवानी बिल्डर्स से निर्माण सामग्री क्रय
16	12.03.17	18	23070	मस्टरोल भुगतान बावत इंटर लॉकिंग (आजुद्दीन के घर से समसुद्दीन के घर तक)
17	12.03.17	19	30795	मस्टरोल भुगतान बावत इंटर लॉकिंग (शिव मंदिर से रोनक के घर तक)
		योग	**664535**	

उपर्युक्त वर्षों के विरुद्ध स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिकी गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी । इस लिये रु० 664535–00 की वसूली आधी धनराशि रु० 332267 ग्राम प्रधान श्री कृष्ण देव से व आधी धनराशि रु० 25500 श्री विनय कुमार शर्मा ग्राम पंचायत सचिव व रु० 306767.50 श्री राकेश कुमार वर्मा से की जानी एवं प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० 22)**

67 – ग्राम पंचायत समस्तपुर कीरत विकास खण्ड लोधा जनपद अलीगढ –

प्रस्तर –132–दिनांक 14.09.15 को ग्राम पंचायत कोष से चेक संख्या 84 द्वारा रु० 5000 एवं चेक संख्या 85 द्वारा रु० 5000 कुल रु० 10000–ग्राम प्रधान द्वारा आहरण किया जाना दर्शित है । जिसकी प्रविष्टि कैश बुक में न कर पंचायत कोष क्षतिकारित की गई । जिसके दोषीगण ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार शर्मा से ब्याज सहित वसूली व प्रशासनिक / विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति सं० –23)**

प्रस्तर –133–ग्राम पंचायत कोष से आहरण कर कैशबुक को व्यय पक्ष में दिनांक 25.06.15 से 30.06.15 के बीच बिना तारीख व बिना व्यय विवरण के रु० 3000–00 व्यय दर्शित है जिसका कोई भी विवरण व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। अतः बिना विवरण के व्यय पक्ष में रु० 3000 दर्शाकर पंचायत कोष क्षति कारित की गई जिसके दोषीगण ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार शर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी व प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० –24)**

प्रस्तर–134–आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत कोष से विभिन्न तिथियों में नकद व चेक द्वारा भुगतान कर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है ।–

क्र०सं०	**दिनांक**	**व्यय प्रमाण संख्या**	**धनराशि**	**विवरण**
1	06.09.16	2	5000	हैंडपंप मरम्मत
2	14.09.16	3	3000	कंप्यूटर कार्य हेतु संदीप को भुगतान
3	15.10.16	4	22963	मीनेष सैनेटरी एंड हार्डवेयर से हैंडपंप सामग्री क्रय
4	13.02.17	7	30520	मस्टरोल भुगतान बावत (रमेश गुप्ता से तालाब तक)
5	13.02.17	8	27430	मस्टरोल भुगतान बावत (तालाब से रमेश गुप्ता तक)
6	15.02.17	9	217000	मैसर्स एम०एस० बिल्डिंग मटेरियल से सामग्री क्रय का भुगतान
7	15.02.17	10	200000	मैसर्स एम०एस० बिल्डिंग मटेरियल से सामग्री क्रय का भुगतान
8	08.03.17	12	5665	मीनेष सैनेटरी एंड हार्डवेयर से हैंडपंप सामग्री क्रय
9	08.03.17	12	1335	हैंडपंप मरम्मत मजदूरी भुगतान
10	18.03.17	13	45865	मस्टरोल भुगतान बावत (धर्मपाल से चामड तक)
11	18.03.17	14	201500	मैसर्स एम०एस० बिल्डिंग मटेरियल से सामग्री क्रय का भुगतान
		योग	**760278**	

उपर्युक्त वर्षों के विरुद्ध स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे।उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी । लेखा मैन्युअल में दिये गये प्राविधानों के अनुसार रु० 760278– गबन की श्रेणी में आता है।इस लिये उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा। इस लिये रु०760278 की वसूली आधी धनराशि जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री प्रेम पाल से व आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश वर्मा से की जानी एवं प्रशासनिक / विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्तिसं०–25)

68 – ग्राम पंचायत सैमला विकास खण्ड लोधा जनपद अलीगढ–

प्रस्तर–135–आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत कोष से विभिन्न तिथियों में नकद व चेक द्वारा भुगतान कर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	**दिनांक**	**व्यय प्रमाण संख्या**	**धनराशि**	**विवरण**
1	11.04.15	1	25200	मिटटी कार्य पप्पू के घर से महादेव मंदिर तक
2	13.04.15	2	1000	खडंजा व नाली की फोटोग्राफी
3	20.04.15	3	6000	सीमेंट,बदरपुर व बालू क्रय
4	22.04.15	4	14755	हैंडपंप मरम्मत सामान व मजदूरी
5	23.05.15	5	14655	हैंडपंप मरम्मत सरस्वती पाइप से पाइप व सरिया
6	25.05.15	7	5500	सफाई कर्मी की गाड़ी क्रय
7	28.05.15	8	5025	हैंडपंप मरम्मत सामान व मजदूरी
8	09.06.15	9	36400	ईटा क्रय 7000
9	15.06.15	10	8000	खडंजा लगाई मजदूरी
10	20.06.15	11	1525	हैंडपंप मरम्मत
11	16.07.15	12	3080	हैंडपंप मरम्मत
12	25.07.15	14	1225	स्टेशनरी क्रय
13	15.08.15	15	780	हैंडपंप मरम्मत
14	04.11.15	16	8000	मिटटी कार्य (महादेव मंदिर से लाल पंडित तक)
15	06.11.15	17	20800	ईटा क्रय 4000

16	10.11.15	18	1300	खडंजा मरम्मत मजदूरी

योग 153245

उपर्युक्त वर्षों के विरुद्ध स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट,मैप,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणक अनुपलब्ध रहे । उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैन्युअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिकी गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। लेखा मैन्युअल में दिये गये प्राविधानों के अनुसार रु० 153245 गबन की श्रेणी में आता है । इस लिये उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा । इस लिये रु० 153145– वसूली में से रु० 76572.50 ग्राम प्रधान श्री तेज पाल सिंह से व रु० 61182.50 सचिव श्री राम प्रकाश शर्मा व रु० 15390 सचिव श्री वी०के० मुखर्जी से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–23)**

69 – ग्राम पंचायत बरौला जाफराबाद विकास खण्ड लौधा जनपद अलीगढ –

प्रस्तर–136–आलोच्य वर्ष 2016–17 में पंचायत कोष से विभिन्न तिथियों में मैसर्स महेंद्र प्रताप सिंह कांट्रेक्टर को सामग्री आपूर्ति हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	22.12.16	457451	259000
2	22.12.16	457440	300000
3	22.02.16	457458	116519
4	22.02.16	457459	736153
5	22.02.16	457460	336933
6	18.03.17	466711	1009000
	योग	**2757605**	

जबकि शासनादेश संख्या ए–1–864/दस–08–15(1)/86 दिनांक 23,09.18 जो वित्त (लेखा) अनुभाग–1 द्वारा जारी के क्रम में रु० 100000 की निर्माण सामग्री क्रय से पूर्व निविदा (टेंडर) आमंत्रित करना अनिवार्य है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा निविदा आमंत्रित न कर मनचाही फर्म से निर्माण सामग्री क्रय कर पंचायत कोष को क्षति कारित किया गया । जिसके दोषीगण ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सर्वेश देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार दिवाकर से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–14)**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17

संस्था का नाम – ग्राम पंचायत जनपद एटा मण्डल – अलीगढ़

ग्राम पंचायत रसूलपुर, विकास खण्ड सकीट, जिला एटा।

प्रस्तर 01 :–वर्ष 2015–16 में दिनांक 21.08.2015 को कैशबुक में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर सचिव/प्रधान पर 31.08.2015 को अन्तिम शेष नकद धनराशि 5600.00 रूपये होनी चाहिए थी। किन्तु उक्त धनराशि को कैशबुक मे नकद के रूप में नहीं दर्शाया गया जिससे ग्राम पंचायत को रू0 5600/– की क्षति हुई। अतः धनराशि रू0 5600.00 को प्रधान रामरतन व सचिव दिनेश मिश्रा से समान रूप से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत नाजिरपुर, विकास खण्ड सकीट, जिला एटा।

प्रस्तर 02 :–वर्ष 2014–15 में दिनांक 21.01.2015 को गनेश मशीनरी को रू0 26000.00 का भुगतान चैक के माध्यम से किया गया किन्तु कैशबुक में 26000.00 रू0 के स्थान पर 49000.00 का व्यय दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त समस्त व्यय रू0 49000.00 फर्जी दर्शाकर ग्राम पंचायत को 23000.00 की क्षति पहुंचायी गयी है ब्याज सहित वसूली प्रधान बालकृष्ण पाठक,सचिव–यगेन्द्र गुप्ता से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चपरई, विकास खण्ड सकीट, जिला एटा।

प्रस्तर 03 :–वर्ष 2016–17 में सचिव व प्रधान ने पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या–10019029 (खाता सं0 6) से दिनांक 23.02.2017 को धनराशि रू0 23280.00 का आहरण किया किन्तु उक्त धनराा का कोई भी उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार धनराशि 23280.00 का उपयोग प्रधान व सचिव ने अपने निजी हित में कर लिया। अतः उक्त धनराशि प्रधान अरूण कुमार,सचिव–संदीप यादव से समान रूप ब्याज सहित वसूलनीय है।

ग्राम पंचायत वाहिदवीवीपुर, विकास खण्ड सकीट, जिला एटा।

प्रस्तर 04 :– वर्ष 2016–17 में दिनांक 23.03.2017 को सचिव/प्रधान के द्वारा धनराशि 50000.00 का चैक द्वारा आहरण किया गया किन्तु उक्त धनराशि का कैशबुक में कोई प्रविष्टि नहीं पायी गयी। उल्लेखनीय है कि उक्त धनराशि का उपयोग प्रधान व सचिव ने अपने निजी हित में कर लिया गया। अतः धनराशि 50000.00 को प्रधान सुरेन्द्र सिंह,सचिव–बलराम से समान रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाए।

ग्राम पंचायत पीपल खेड़िया, विकास खण्ड सकीट, जिला एटा।

प्रस्तर 05 :– वर्ष 2015–16 में सचिव/प्रधान के द्वारा दिनांक 23.06.2015 को धनराशि 2300.00 का आहरण किया गया किन्तु सचिव व प्रधान के द्वारा उक्त धनराशि का कैशबुक में प्रविष्टि नहीं किया गया। अतः उल्लेखनीय है कि सचिव व प्रधान ने उक्त धनराशि का उपयोग अपने निजी हित में कर लिया गया। अतः प्रधान मुनेश,सचिव–नवनीत सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाए।

ग्राम पंचायत बरौली, विकास खण्ड शीतलपुर, जिला एटा।

प्रस्तर 06 :–वर्ष 2014–15 में ग्राम निधि खाते से रू0 628352.00 व्यय किया गया किन्तु व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख जैसे कैशबुक प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराये गये। सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारियों ने मुझे चार्ज में नहीं दिये है। अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के विन्दु 8क के अनुसार किया गया व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेष,सचिव–प्रदीप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत भागपुर, विकास खण्ड शीतलपुर, जिला एटा।

प्रस्तर 07 :– वर्ष 2016–17 में रू0 12000.00 शौचालय हेतु निकाला गया है परन्तु कैशबुक में अंकित न कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके प्रति प्रधान अर्चनादेवी,सचिव–विश्वजीत यादव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कंसुरी, विकास खण्ड शीतलपुर, जिला एटा।

प्रस्तर 08 :–वर्ष 2016–17 में क्रमशः दिनांक 25.10.2016 को रू0 25000.00 व दिनांक 15.12.2016 को रू0 450000.00 कुल रू0 675000.00 की 30 सोलर लाइट की खरीद निजी फर्म से की गयी जबकि शासनादेश के अनुसार शासकीय कार्य नेडा से खरीद की जानी चाहिए थी। बिना कोटेशन/टेण्डर के समाग्री क्रय करने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि भविष्य में नियमों का पालन किया जायेगा। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इस प्रति प्रधान सुधादेवी ,सचिव–कमलेश उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 09 :– वर्ष 2014–15 से 2016–17 में क्रमशः 736800.00 मिट्टी कार्य ट्रेक्टर द्वारा व रू0 213720.00 मस्टररोल द्वारा राज मिस्त्री मजदूरी भुगतान इस प्रकार कुल रू0 950520.00 को भुगतान श्रमिकों व ट्रेक्टर स्वामी को चैक से न करके नकद किया गया जबकि उपरोक्त के बैंक खातों में हस्तान्तरित किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 10 :– वर्ष 2015–16 में चौदहवें वित्त के अंतर्गत माह मार्च 2016 में कुल रू0 600077.00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत, सी0सी0 व नाली पर व्यय किया गया किन्तु व्यय से सम्बन्धित न तो कार्ययोजना ही स्वीकृत करायी गयी और न ही आई0डी0 ही जनरेट करायी गयी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी से स्वीकृती ही ली गयी इस प्रकार रू0600077.00का व्यय कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान/सचिव से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत शिवसिंहपुर उर्फ न0 निजाम, विकास खण्ड शीतलपुर, जिला एटा।

प्रस्तर 11 :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 430000.00 सोलर लाईट की खरीद निजी फर्म से की गयी है जबकि शासनादेश के अनुसार शासकीय फर्म नेडा से खरीद की जानी चाहिए थी। बिना कोटेशन/टेण्डर के सामग्री क्रय के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया कि भविष्य में नियमों का पालन किया जायेगा। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। तथा लेखा परीक्षा दौरान उपरोक्त से सम्बन्धित प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके प्रति सचिव रामविलास, सचिव–कमलेश उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रजकोट, विकास खण्ड सकीट, जिला एटा।

प्रस्तर 12 :–वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 08.08.2014 को सचिव व प्रधान के द्वारा खाता संख्या 2239 से धनराशि 39000.00 का आहरण किया गया लेकिन सचिव व प्रधान के द्वारा उक्त धनराशि में से केवल 4000.00 रू0 की धनराशि का ही व्यय कैशबुक में प्रविष्ट किया गया है शेष धनराशि 35000.00 का उपयोग अपने निजी हित में कर लिया। अतः उक्त धनराशि 35000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान उषा देवी,सचिव–धमेन्द्र कुमार से समान रूप से की जाय।

ग्राम पंचायत दलेलपुर, विकास खण्ड सकीट, जिला एटा।

प्रस्तर 13 :–दिनांक 22.06.2014 में लीला ट्रेडस को धनराशि 93000.00 का भुगतान चैक के द्वारा किया गया जब उसी दिनांक में लीला ट्रेडर्स को 148250.00 रू0 की धनराशि का भुगतान व्यय के रूप में दर्शाया गया। प्रधान/सचिव के द्वारा लीला ट्रेडर्स को धनराशि 55250.00 रू0 का अधिक भुगतान कैशबुक में प्रविष्टि करके व्यय पक्ष को पूरा किया गया। धनराशि 55250.00 का अधिक भुगतान किस हेतु किया गया इसका कोई विवरण कैशबुक में नहीं दर्शाया गया। अतः यह प्रतीत होता है कि उक्त धनराशि का सचिव/प्रधान ने अपहरण किया। प्रधान शकुन्तला देवी,सचिव–विगेश से समान राशि में उक्त धनराशि को ब्याज सहित वसूल किया जाए।

प्रस्तर 14 :–दिनांक 27.10.2016 को सचिव/प्रधान के द्वारा चैक संख्या 157 द्वारा ईंट भट्टा को धनराशि 69600.00 का भुगतान किया गया। जिसका ऑडिट के समय इस धनराशि का कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त धनराशि को प्रधान/सचिव से समान रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाय।

ग्राम पंचायत नगला काजी, विकास खण्ड सकीट, जिला एटा।

प्रस्तर 15 :– वर्ष 2014–15 में दिनांक 31.07.2014 को सचिव व प्रधान के द्वारा बैंक खाते से चैक द्वारा धनराशि रूपये 18500.00 का आहरण किया गया। किन्तु सचिव व प्रधान के द्वारा धनराशि 18500.00 को पंचायत कैशबुक में

प्रविष्टी नहीं किया गया। अतः उक्त धनराशि को प्रधान व सचिव ने अपने निजी हित में उपयोग कर लिया। अतः उक्त धनराशि 18500.00 रू0 प्रधान सर्वेन्द्र कुमारी,सचिव–सत्येन्द्र वर्मा से समान रूप से ब्याज सहित वसूल की जाय।

ग्राम पंचायत निधौली खुर्द, विकास खण्ड सकीट, जिला एटा।

प्रस्तर 16 :–वर्ष 2016–17 में दिनांक 04.10.2016 को सचिव व प्रधान के द्वारा धनराशि रू0 19850.00 का आहरण चैक के द्वारा किया गया परन्तु कैशबुक में 18500.00 रू0 का ही व्यय प्रविष्टि किया गया है। अतः सचिव व प्रधान ने 1350.00 रू0 का उपभोग अपने निजी हित में किया। अतः धनराशि 1340.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान दोजीराम,सचिव–हर्षेन्द यादव से समान रूप से की जाय।

ग्राम पंचायत थरौली, विकास खण्ड सकीट, जिला एटा।

प्रस्तर 17 :–31.12.2016 में सारदा एण्ड सेस के कुल 96849.00 रू0 की सामग्री क्रय की गयी जबकि इसी तिथि में प्रधान/सचिव के द्वारा सारदा एण्ड सेस को 134800.00 रू0 का भुगतान किया गया। रू0 37951.00 का अधिक भुगतान प्रधान/सचिव की वित्तीय अनियमितता को प्रदर्शित कर रहा है। अतः धनराशि 37951.00 प्रधान मुन्नी देवी,सचिव–विमेश कुमार से समान रूप से ब्याज सहित वसूल होना अपेक्षनीय है।

प्रस्तर 18 :–16.01.2017 को विरला इलैक्ट्रीकल को सौर ऊर्जा हेतु धनराशि 7200.00 का भुगतान किया गया जिसका कोई भी प्रमाणक ऑडिट के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः प्रमाणक अपेक्षनीय है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खिरिया नगर शाह, विकास खण्ड जैथरा, जिला एटा।

प्रस्तर 19 :–ग्राम पंचायती चुनाव वर्ष में (2015–16) बिना स्वीकृत बजट प्रस्तावों के बिना एस्टीमेट एवं मैपस रखे मनमर्जी अनुसार तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव ने स्वंय एवं विभिन्न पक्षों के नाम चैक्स निर्गत कर पंचायती कोष से निम्न प्रकार भुगतान दर्शाया है, परन्तु उक्त पक्षों से ग्राम पंचायत के हित में क्या सेवा/सामग्री प्राप्त की गई, इसका कोई भी बिल/वाउचर ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध नहीं है, ग्राम पंचायत स्तर पर कराये गये दर्शित कार्यो के लिए निर्माण कार्यो का कोई रजिस्टर भी नहीं रखा गया है कोई एस्टीमेटस एवं मैपस पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध नहीं है। समस्त तथ्यों के मद्देनजर यह पंचायती कोष की गम्भीर क्षति का प्रकरण प्रतीत होता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान–राजकुमारी, सचिव–अवधेश से की जानी अपेक्षित है।

क्र0	तिथि	पार्टी नाम	धनराशि
1	04.04.2015	धीरज	30000.00
2	04.04.2015	अहिबरन	30000.00
3	04.04.2015	वर्मा सीमेंट एजेन्सी	100000.00
4	19.06.2015	अहिबरन	25500.00
5	19.06.2015	तिवारी ट्रेडर्स	25500.00
6	20.06.2015	संजय	10000.00
7	20.06.2015	रामबीर	15000.00
8	20.06.2015	रामबीर	3000.00
9	22.06.2015	मुकेश चन्द	31600.00
10	26.06.2015	दिनेश	15000.00
11	27.06.2015	सुधीर	8000.00
12	11.08.2015	रामबीर	25000.00
13	14.08.2015	अहिबरन	29000.00
14	14.08.2015	रामबीर	20000.00
15	17.08.2015	धीरज	25000.00
16	17.08.2015	धूपकली ईंट भट्टा	60000.00
17	18.08.2015	वर्मा सीमेंट एजेन्सी	39000.00
		योग	**491600.00**

प्रस्तर 20 :–दिनांक 27.05.2016 को तिवारी बिल्डिंग मैटीरियल सप्लायर को रू0 15000.00 का भुगतान बाबत कूड़ा गाड़ी क्रय के दर्शाया गया है। यह भुगतान बिना स्वीकृत बजट प्रस्तावों के बिना कुटेशन लिए किया गया है। बिल क्रमांक 173 दिनांक 27.05.2016 से संदिग्ध प्रतीत होता है यह वाउचर यू0पी0वैट रूल्स 2008 के रूल नं0 44, सब रूल–6 का उल्लंघन करता है। बिल्डिंग मैटीरियल सप्लायर से कूड़ा गाड़ी क्रय करना अतार्किक प्रतीत होता है।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 21 :–बिना स्वीकृत बजट प्रस्तावों के बिना रूप–पत्र 41 कतिपय निम्न योजनाओं पर कार्य दर्शाकर मस्टररोल पर धनराशि व्यय दर्शायी है, परन्तु भुगतान प्राप्ति की पुष्टि में मस्टर रोल्स न तो श्रमिकों के अंगूठा निशानी है और न ही हस्ताक्षर है।मनरेगा की तर्ज पर श्रमिकों बैंक खातों में एकाउन्ट पेयी चैक के माध्यम से धनराशि भेजी जानी अपेक्षित थी परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, अतः समस्त धनराशि का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र0	तिथि	वाउचर संख्या	मस्टर रोल्स धनराशि रू0
1	11.04.2016	4	7000.00
2	11.04.2016	5	5000.00
3	11.04.2016	6	3000.00
4	24.04.2016	8	40000.00
5	17.06.2016	16	5000.00
6	21.06.2016	19	7000.00
7	30.07.2016	26	50000.00
8	30.10.2016	31	50000.00
9	17.11.2016	33	40000.00
10	26.12.2016	35	16800.00
		योग	**223000.00**

प्रस्तर 22 :– बिना स्वीकृत बजट प्रस्तावों के बिना एस्टीमेटस एवं मैपस तैयार कराये, बिना टेण्डर आयेजित किये, 8 इंडिया मार्का हैण्डपम्प दर रू0 20000/–प्रति हैण्डपम्प कुल रू0 160000.00 एवं रू0 40000.00 फिटिंग चार्ज सम्पूर्ण राशि रू0 200000.00 का स्वैच्छिक भुगतान किन्हीं रामदास को दिनांक 10.01.2017 को किया गया है। प्रस्तुत बिल/सेल इन्वॉयस/टैक्स इन्वॉयस यू0पी0बैट रूल्स,2008 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस पर न क्रमांक है और न बुक नं0 और न ही किसी प्रकार का टैक्स चार्ज का कोई विवरण ही इन्वॉयस पर अंकित किया गया है। ग्राम पंचायत ने बिना जल निगम की सेवायें/मार्गदर्शन के ही बिना जलकर वसूले यह कार्य करना दर्शाया है। दर्शित व्यय वित्तीय अनियमितता तो है ही, साथ ही शासनादेशों का भी उल्लंघन है और यह पंचायती कोष की गम्भीर क्षति/दुर्विनियोग है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 23 :– बिना स्वीकृत बजट प्रस्तावों के बिना कुटेशन लिये दिनांक 29.06.2016 को कैशबुक में रू0 24000.00 व्यय फर्नीचर क्रय पर दर्शित है, स्टॉक रजिस्टर में क्रय दर्शित सामान की प्रविष्टि भी नहीं की गयी है। भुगतान नकद दर्शित है, यह मनमाने तरीके से अनियमित ढंग से विकास कार्यो की धनराशि का दुर्विनियोग है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 24 :– कैशबुक में बाउचर सं0 29 दिनांक 14.10.2016 द्वारा रू0 50000.00 का व्यय बाबत हैण्डपम्प की मरम्मत के दर्ज है जिसकी पुष्टि में रामदास मिस्त्री का बिल रक्षित है भुगतान नकद प्राप्ति बाबत बिल पर हस्ताक्षर भी रामदास के है जबकि बैंक स्टेटमेंट अनुसार चैक सं0 21121861 द्वारा किन्ही मुकेश कुमार को भुगतान प्रमाणित है। अतः रक्षित वाउचर कूटरचित (मैनी,पुलेटिड,फोर्जरी) प्रतीत होता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत नखतपुरा, विकास खण्ड जैथरा, जिला एटा।

प्रस्तर 25 :–दिनांक 30.05.2016 को कैशबुक में प्रमाणक संख्या 3 द्वारा रू0 30000.00 का (बाबत मस्टर रोल पर) श्रमिकों को भुगतान पर व्यय दर्ज है, परन्तु मस्टर रोल पर न तो श्रमिकों का पता/निवास स्थल दर्ज है और न ही भुगतान की पुष्टि में श्रमिकों के अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर अंकित है।मनरेगा पद्धति पर मस्टर रोल्स पर दर्शित श्रमिकों के खातो में मजदूरी एकाउन्ट पेई चैक्स द्वारा ट्रांसफर की जानी अपेक्षित थी परन्तु ऐसा कुछ भी नही किया गया जिससे मस्टर रोल्स पर दर्शित राशि का अपहरण किया गया प्रतीत होता है। गम्भीरतम तथ्य यह है कि बिना स्वीकृत बजट प्रस्तावों के और बिना रूप पत्र 41 रखे ही ग्राम पंचायत में यह कार्य करना दर्शाया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान–अनीता,सचिव–मनोज से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 26 :–दिनांक 30.01.2017 को कैशबुक में वाउचर सं0–6 द्वारा रू0 15000.00 का कैमरा क्रय पर व्यय दर्ज है परन्तु इसका कोई प्रमाणक जांच दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया साथ ही उक्त भुगतान को किन्ही गोपाल सिंह को चैक सं0 306066 द्वारा दिनांक 31.01.2017 को किया जाना बैंक पास–बुक से प्रमाणित है, बिना औचित्य, बिना प्रमाणक, बिना बजट प्रस्ताव के व्यय दर्शाना पंचायती कोष की क्षति है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 27 :–दिनांक 05.09.2016 को कैशबुक में चैक सं0 306064.00 द्वारा रू0 40000.00 की नकद निकासी एवं इसी तिथि को रू0 22400.00 का व्यय बाबत महाराज ट्रेडर्स धुमरी से हार्डवेयर सामान क्रय पर दर्शाकर रू0 17600.00 शेष प्रधान पास नकद दर्शाया है जो कि पूर्णतः काल्पनिक प्रविष्टि है क्योंकि–1) बैंक पास बुकानुसार चैक सं0 306064.00 द्वारा रू0 40000.00 का भुगतान किन्ही नवीन पाण्डेय को किया गया है। 2) महाराज ट्रेडर्स धुमरी का बिल पर किसी भी विक्रेता के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। 3) महाराज ट्रेडर्स का यह बिल/इनवायस यू0पी0 वैट रूस 2008 के रूल संख्या 44, सब रूल्स सं0–06 का उल्लंघन करता है। प्रतीत होता है कि महाराज ट्रेडर्स का काल्पनिक बिल लगाकर रू0 40000.00 की पंचायती कोष की क्षति की गई है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत अहरई विचनपुर, विकास खण्ड जैथरा, जिला एटा।

प्रस्तर 28 :–दिनांक 17.08.2015 को चैक संख्या 949654.00 द्वारा रू0 28000.00 का एकाउन्ट पेई चैक से किसी औरंगजेब/फर्म के खाते में फंड ट्रान्सफर करना बैंक स्टेटमेंट से प्रमाणित है जबकि कैशबुक में 17.08.2015 में इंडिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 17000.00 का व्यय दर्शित है यह कृत्य जालसाजी तथा कूटरचना प्रतीत होता है जिसके जरिये पंचायती कोष रू0 28000.00 कर क्षति कारित की गयी है। दर्शित योजना का स्वीकृत बजट एवं रूप–पत्र 41 भी नहीं रखा गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान– मनोज,सचिव–मुकेश से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 29 :– बैंक स्टेटमेन्टानुसार दिनांक 13.04.2015 को चैक संख्या 947623 द्वारा रू0 35000 का भुगतान किन्हीं औरंगजेब को किया गया है जबकि कैशबुक में 131.04.2015 को वाउचर संख्या 3 द्वारा रू0 54000.00 का व्यय भवन की मिट्टी मोरम व सीमेंट क्रय पर दर्शित है जिसके समर्थन में शिखा सीमेंट एजेन्सी (प्रो0 राजेश कुमार यादव) का बिल पत्रावली में रक्षित है। बैंक स्टेटमेंट में भुगतान विवरण तथा कैशबुक में दर्ज व्यय विवरण में भिन्नता के कारण यह पंचायती कोष रू0 35000.00 की क्षति तथा कैशबुक में कूटरचना का प्रकरण प्रतीत होता है। दर्शित योजना का स्वीकृत बजट एवं रूप पत्र 41 भी नहीं है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 30 :–बिना स्वीकृत बजट प्रस्ताव बिना एस्टिमेट्स एवं मैपस के बिना रूप पत्र 41 के ही पूर्णतः मनमाने तरीके से पंचायती चुनाव के ठीक पूर्व के कुछ महीनों में ग्राम प्रधान ने विभिन्न तारीखों में स्वंय के नाम चैक्स निर्गत कराकर बैंक से धन आहरित किया तथा उसे फर्जी प्रतीत होने वाले बिल/वाउचर्स पर विभिन्न व्यय दर्शाकर पंचायती कोष की क्षति की पत्रावली में रक्षित विभिन्न फर्मो के सभी वाउचर्स पर हस्त लिपि किसी एक ही व्यक्ति की प्रतीत होती है क्योंकि अक्षर की बनावट एक ही है। आहरित धन का विवरण :–

तारीख	आहरित राशि
10.04.2015	65000.00
05.05.2015	6000.00
08.06.2015	20000.00
23.06.2015	6000.00
21.07.2015	25000.00
17.08.2015	5000.00
योग	**127000.00**

ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ढिवैया अख्त्यारपुर, विकास खण्ड अलीगंज, जिला एटा।

प्रस्तर 31 :–बिना स्वीकृत बजट (रूपपत्र ग)बिना प्रमाणक रखे कैशबुक में दिनांक 10.04.2014 को रू0 10000.00 का कैमरा क्रय दर्शाकर ग्राम कोष की क्षति कारित की है। उक्त कैमरे हेतु किन्ही अशोक कुमार को कैशबुक में भुगतान दर्शित है स्टॉक रजिस्टर में क्रय वस्तु की एन्ट्री का कोई साक्ष्य नहीं है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान–पार्वती,सचिव–दीपक से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 32 :–बिना स्वीकृत बजट (रूप पत्र ग) बिना एस्टिमेटस/मैपस, बिना कुटेशन, साड़ी संसार नामक फर्म से रू0 40000.00 की निर्माण सामग्री (यथा गिट्टी/मोरम/आलू) क्रय दर्शाकर ग्राम कोष की क्षति कारित की गयी है दर्शित योजना कार्य का रूप पत्र 41 भी ग्राम पंचायत स्तर पर रक्षित नहीं है और न ही सामग्री क्रय की पुष्टि में कोई वाउचर ही ग्राम पंचायत स्तर पर रक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 33 :–बिना स्वीकृत बजट, विना रूप पत्र 41, बिना एस्टीमेटस/मैपस बिना मस्टर रोल्स/ट्रेक्टर मालिक से भुगतान प्राप्ति की रसीद रखे कैश बुक में दिनांक 28.11.2014 को मिट्टी भराव पर रू0 25000.00 का व्यय दर्शाया दिया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 34 :–बिना स्वीकृत बजट (रूप पत्र ग) बिना एस्टीमेटस/मैपस के बिना रूप पत्र 41 के ग्राम आबादी के बाहर चकरोड पर किन्ही रामदास पुत्र मेघनाथ के ट्रेक्टर से मिट्टी डलवानी दर्शाकर कैशबुक में दिनांक 28.09.2013 को बा0नं0 19 द्वारा रू0 43200.00 का व्यय दर्शाया गया है पुष्टि हेतु कोई मस्टर रोल्स अथवा ट्रेक्टर मालिक रामदास के भुगतान प्राप्ति बाबत कोई भी रसीद ग्राम पंचायत स्तर पर रक्षित नहीं है ट्रेक्टर मालिक को नकद भुगतान दर्शाया गया है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता तो है ही यह ग्राम कोष रू0 43200.00 का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 35 :–बैंक स्टेटमेन्टानुसार दिनांक 02.12.2013 को चैक संख्या 019586 द्वारा रू0 21000.00 किसी फर्म के खाता सं0–0032824811711 में एवं दिनांक 02.12.2013 को ही चैक संख्या 019585 द्वारा रू0 20000.00 द्वारा किसी अन्य फर्म के खाता संख्या–0011438161323 में धन प्रेषण प्रमाणित है जबकि कैशबुक में बिना प्रमाणक संख्या के बिना तिथि के मात्र रू0 40000.00 के सामग्री क्रय बाबत व्यय विवरण अंकित है। उपरोक्त व्यय बाबत निम्न प्रमुख आपत्तियां है :–

दर्शित कार्य/सामग्री क्रय योजना का कोई स्वीकृत बजट/रूप पत्र ग नहीं है।

दर्शित कार्य का कोई एस्टीमेट/मैप नहीं है।

दर्शित कार्य का कोई रूप पत्र 41 नहीं है।
दर्शित कार्य का कोई वाउचर/प्रमाणक जांच दौरान व्यय की पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।
निर्गत चैकस अलग–अलग फर्म्स के नाम थे फिर एक ही फर्म से सामग्री क्रय कैसे की गयी।
इन सभी तथ्यों के चलते यह रू0 41000.00 की ग्राम कोष की क्षति एवं फर्जी वाउचर की कूटरचना का प्रकरण है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 36:–बिना स्वीकृत बजट (रूप पत्र ग) बिना एस्टीमेटस एवं मैप के बिना रूप पत्र 41 के बिना मस्टर रोल्स अथवा ट्रेक्टर मालिक से भुगतान प्राप्ति की रसीदें रखे, कैशबुक में काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम कोष की (वाउचर संख्या–30 रू0 21000.00 एवं वाउचर संख्या–32 रू0 24000) की क्षति कारित की है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत विथरा, विकास खण्ड अलीगंज, जिला एटा।

प्रस्तर 37 :– बिना स्वीकृत बजट (रूप पत्र ग) बिना एस्टीमेटस/मैपस बिना कुटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये अपनी चहेती फर्म्स को निम्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार चैक्स वितरण किया गया है, क्रय दर्शित सामग्री के साक्ष्य स्वरूप पंचायत स्तर पर कोई व्यय प्रमाणित बिल/वाउचर रक्षित नहीं है, सम्पन्न दर्शित कार्यो की कोई सी0आर0/रूप पत्र 41 भी ग्राम पंचायत स्तर पर रक्षित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वितरण चैक्स राशि द्वारा ग्राम कोष की क्षति कारित है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान–धनदेवी ,सचिव–अमित तोमर से की जानी अपेक्षित है।

क्र0	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
1	03.04.2016	779210	3000.00
2	07.04.2016	779212	14500.00
3	06.05.2016	779213	75000.00
4	19.05.2016	779214	50000.00
5	19.05.2016	779215	18500.00
6	16.09.2016	779218	18500.00
7	06.10.2016	779220	15000.00
8	27.10.2016	779221	33750.00
9	27.10.2016	779223	14400.00
10	27.10.2016	779224	17940.00
11	28.10.2016	779225	30800.00
12	28.10.2016	485541	97200.00
13	28.10.2016	779222	14400.00
14	17.11.2016	779219	19500.00
15	20.12.2016	485543	15000.00
16	20.12.2016	485542	21600.00
17	13.01.2017	485546	13200.00
18	13.01.2017	485549	42000.00
19	19.01.2017	485551	29700.00
20	19.01.2017	485552	29700.00
21	20.01.2017	485554	11700.00
22	20.01.2017	485548	68200.00
23	21.01.2017	485553	29700.00
24	15.02.2017	485550	7000.00
	योग		**690290.00**

ग्राम पंचायत शेखपुरा, विकास खण्ड जैथरा, जिला एटा।

प्रस्तर 38 :–निम्नांकित तिथियों में बैंक से आहरण एवं भुगतान राशि के औचित्य के समर्थन में ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी स्वीकृत बजट प्रस्ताव एवं रूप पत्र 41 तथा व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं है जिस कारण धनराशि का अपहरण किया गया है साथ ही गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान–योगेन्द्र,सचिव–अवधेश से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
05.08.2013	20000.00
09.08.2013	20000.00
04.09.2013	50000.00
04.02.2014	100000.00
05.02.2014	22000.00
14.02.2014	80000.00
योग	**292000.00**

प्रस्तर 39 :–कतिपय निम्नांकित मस्टर रोल्स जांच दौरान ऐसे पाये गये जिन पर न तो श्रमिकों का पता/निवास स्थान अंकित है और न ही दर्शित भुगतान की पुष्टि में श्रमिकों के निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर ही मस्टर रोल्स पर अंकित है। मनरेगा पद्धति पर श्रमिकों के बैंक खातों में एकाउन्ट पेयी चैक से धनराशि ट्रांसफर की जानी अपेक्षित थी, परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिस कारण दर्शित भुगतान राशि का अपहरण किया है। गंभीरतम बात यह है कि बिना स्वीकृत बजट प्रस्तावों/रूप पत्र ग बिना रूप पत्र 41 के ही इन कार्यो को करना दर्शित किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र0	वाउचर सं0	मस्टर रोल्स की धनराशि	कोष वही में दर्ज भुगतान तिथि	दर्शित कार्य
1	17	20000.00	23.02.2017	नाली कार्य
2	18	10000.00	28.02.2017	नाली कार्य
3	10	46000.00	30.09.2016	इण्टरलॉकिंग कार्य
4	5	10000.00	20.06.2016	इण्टरलॉकिंग कार्य
योग		116000.00		

प्रस्तर 40:–बिना स्वीकृत बजट प्रस्तावों (रूप पत्र ग) के और ग्राम पंचायत के हित में बगैर कोई वस्तु/सामग्री/सेवा प्राप्त किये ही कतिपय लोगो को अकारण निम्न प्रकार चैक निर्गत कर ग्राम कोष की क्षति कारित की गयी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र0	दिनांक	चैक सं0	धनराशि	पार्टी
1	15.07.2014	82532	40000.00	जयदीप
2	28.08.2014	82535	50000.00	जयदीप
3	12.09कृ2014	82537	20000.00	जयदीप
4	13.10.2014	990331	40000.00	जयदीप
5	28.04.2014	082530	101000.00	वेदप्रकाश
6	17.09.2014	82538	55000.00	वेदप्रकाश
7	14.10.2014	990334	30000.00	वेदप्रकाश
8	14.10.2014	990332	20000.00	वेदप्रकाश
9	24.11.2014	990335	30000.00	वेदप्रकाश
10	24.11.2014	990338	40000.00	वेदप्रकाश
11	28.11.2014	990339	6000.00	वेदप्रकाश
12	24.01.2015	990731	32000.00	वेदप्रकाश
13	28.01.2015	990735	20000.00	वेदप्रकाश
		योग	**484000.00**	

प्रस्तर 41 :–बिना स्वीकृत बजट प्रस्तावों (रूप पत्र ग) के बिना रूप पत्र 41 के ही बिना ग्राम पंचायत के हित में हित में कोई वस्तु/सेवा/सामग्री प्राप्त किये ही कतिपय निम्न पार्टीज को ग्राम निधि से निम्न चैक्स निर्गत कर ग्राम कोष की क्षति की गयी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र0	दिनांक	चैक सं0	धनराशि	पार्टी
1	08.04.2015	990737	30000.00	जयदीप
2	22.04.2015	990739	4500.00	जयदीप
3	08.06.2015	371813	22000.00	जयदीप
4	17.06.2015	371814	25500.00	जयदीप
5	22.08.2015	371818	40000.00	जयदीप
6	08.04.2015	990738	25000.00	जयदीप
			147000.00	

प्रस्तर 42 :–कतिपय निम्नांकित मस्टर रोल्स जांच दौरान ऐसे पाये गये जिन पर न तो श्रमिकों का पता/निवासी स्थान अंकित है और न दर्शित भुगतान राशि की पुष्टि में श्रमिकों के निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर कराये गये है। मनरेगा पद्धति पर मस्टर रोल्स पर अंकित श्रमिको के खातों में एकाउन्ट पेयी चैक से धनराशि ट्रांसफर की जानी अपेक्षित थी परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, जिस कारण दर्शित भुगतान राशि का अपहरण किया है। सर्वाधिक गम्भीर बात यह है कि बिना स्वीकृत बजट प्रस्तावों एवं रूप पत्र 41 के ही ग्राम पंचायत में इस मस्टर रोल में दर्शित कार्या को करना दर्शित किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र0	वाउचर सं0	मस्टर रोल्स धनराशि	कोष बही में दर्ज भुगतान तिथि	दर्शित कार्य
1	–	28000.00	15.02.2016	इण्टरलॉकिग कार्य
2	7	11400.00	28.08.2015	इण्टरलॉकिग कार्य
	योग	39400.00		

प्रस्तर 43:–बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 20.01.2016 को किन्ही रामनाथ को रू0 50000.00 का चैक संख्या–371826 द्वारा भुगतान किया गया है। इस भुगतान बाबत निम्न आपत्तियां है :–

कोषवही में दिनांक 20.01.2016 को कोई व्यय दर्ज नही है।

कोषवही में दिनांक 13.01.2016 को रू0 52200.00 एवं दिनांक 27.01.2016 को रू0 191500.00 का व्यय दर्ज है फिर उक्त चैक द्वारा रू0 50000.00 के रामनाथ को भुगतान का क्या औचित्य रहा।

ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत वोरी कलां, विकास खण्ड अवागढ़, जिला एटा।

प्रस्तर 44 :–वित्तीय वर्ष 2014–15 में ग्राम निधि खातें से रू0 1745305.00 निकाला गया किन्तु 2014–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये है। उक्त वर्ष में अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत पर 31 मार्च 2015 से पूर्व तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा उन्हे अभिलेख जार्च में नहीं दिये है। अतः उक्त वर्षो में प्राप्त धनराशि को गवन मानते हुए वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल पुस्तिका के अध्याय 08 के विशेष प्रस्तर 08 क के अनुसार ग्राम प्रधान सुदामा एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों राकेश व विगेश के विरूद्ध धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 45 :–वर्ष 2015–16 में दिनांक 11.08.2015 रू0 170000.00 की ईंट खरीद गई किन्तु ईंट मार्च 2016 तक प्रयुक्त नहीं दर्शायी गई न ही स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक ही दर्शाया गया इस प्रकार अनियमित रूप से व्यय कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गई फलस्वरूप सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान/सचिव से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत नारहुली, विकास खण्ड अवागढ़, जिला एटा।

प्रस्तर 46 :–वित्तीय वर्ष 2014–15 में ग्राम निधि खातें से रू0 1042050.00 निकाला गया किन्तु 2014–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये है। उक्त वर्ष में अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत पर 31 मार्च 2015 से पूर्व तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा उन्हे अभिलेख जार्च में नहीं दिये है। अतः उक्त वर्षो में प्राप्त धनराशि को गवन मानते हुए वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल पुस्तिका के अध्याय 08 के विशेष प्रस्तर 08 क के अनुसार ग्राम प्रधान मजू देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों राकेश व विगेश के विरूद्ध धनराशि वसूली हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 47 :–वर्ष 2015–16 में रू0 379000 सी0सी0रोड तथा हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है जिसमें से रू0 356000 सी0सी0रोड पर तथा हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 23000.00 किन्तु व्यय से सम्बन्धित न तो आइडी जनरेट कराई गई न ही कार्ययोजना तथा जिला पंचायत राज अधिकारी से स्वीकृति ली गई इस प्रकार अनियमित रूप से व्यय कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गई फलस्वरूप सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान/सचिव से अपेक्षित है।

प्रस्तर 48:–वर्ष 2015–16 में दिनांक 16.04.2015 रू0 99000.00, दिनांक 14.05.2015 रू0 90000.00 दिनांक 09.06.2015 रू0 80000.00 दिनांक 17.08.2015 रू0 90000.00 कुल रू0 359000.00 की ईंट खरीद गई किन्तु ईंट मार्च 2016 तक प्रयुक्त नहीं दर्शायी गई न ही स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक ही दर्शाया गया इस प्रकार अनियमित रूप से व्यय कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गई फलस्वरूप सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान/सचिव से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत नारउवीरनगर, विकास खण्ड अवागढ़, जिला एटा।

प्रस्तर 49 :–वित्तीय वर्ष 2014–15 में ग्राम निधि खातें से रू0 992257.00 निकाला गया किन्तु 2014–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये है। उक्त वर्ष में अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत पर 31 मार्च 2015 से पूर्व तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा उन्हे अभिलेख जार्च में नहीं दिये है। अतः उक्त वर्षो में प्राप्त धनराशि को गवन मानते हुए वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल पुस्तिका के अध्याय 08 के विशेष प्रस्तर 08 क के अनुसार ग्राम प्रधान मीना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी राकेश के विरूद्ध धनराशि ब्याज सहित वसूली हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 50 :–वर्ष 2015–16 में रू0 100000.00 सीमेंट बालू खरीद तथा हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है जिसमें से रू0 50000.00 सी0सी0रोड पर तथा हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 50000.00 किन्तु व्यय से सम्बन्धित न तो आइडी जनरेट कराई गई न ही कार्य योजना तथा जिला पंचायत राज अधिकारी से स्वीकृति ली गई इस प्रकार अनियमित रूप से व्यय कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गई फलस्वरूप सम्बन्धित धनराशि मय ब्याज की वसूली प्रधान/सचिव से अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि 31.03.2017 तक सीमेंट बालू प्रयुक्त नहीं की गई।

ग्राम पंचायत महकीखुर्दकला, विकास खण्ड अवागढ़, जिला एटा।

प्रस्तर 51 :–वित्तीय वर्ष 2014–15 में ग्राम निधि खातें से रू0 617765.00 निकाला गया किन्तु 2014–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये है। उक्त वर्ष में अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत पर 31 मार्च 2015 से पूर्व तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा उन्हे अभिलेख जार्च में नहीं दिये है। अतः उक्त वर्षो में प्राप्त धनराशि को गवन मानते हुए वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल पुस्तिका के अध्याय 08 के विशेष प्रस्तर 08 क के अनुसार ग्राम प्रधान

काजिम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी राकेश के विरूद्ध धनराशि ब्याज सहित वसूली हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 52 :–वर्ष 2015–16 में रू0 162506.00 सी0सी0 रोड तथा हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है जिसमें से रू0 134346.00 सी0सी0रोड पर तथा हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 28160.00 किन्तु व्यय से सम्बन्धित न तो आइडी जनरेट कराई गई न ही कार्य योजना तथा जिलापंचायत राज अधिकारी से स्वीकृति ली गई इस प्रकार अनियमित रूप से व्यय कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गई फलस्वरूप सम्बन्धित धनराशि मय ब्याज की वसूली प्रधान/सचिव से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत हिनौना, विकास खण्ड अवागढ़, जिला एटा।

प्रस्तर 53 :–वित्तीय वर्ष 2014–15 में ग्राम निधि खातें से रू0 1682327.00 निकाला गया किन्तु 2014–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये है। उक्त वर्ष में अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत पर 31 मार्च 2015 से पूर्व तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा उन्हे अभिलेख जार्च में नहीं दिये है। अतः उक्त वर्षो में प्राप्त धनराशि को गवन मानते हुए वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल पुस्तिका के अध्याय 08 के विशेष प्रस्तर 08 क के अनुसार ग्राम प्रधान गजेन्द्र सिह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी राकेश व सोनकरन के विरूद्ध धनराशि ब्याज सहित वसूली हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 54 :–दिनांक 17.06.2015 को रू0 30000.00 तालाब में पानी भराई पर नकद भुगतान किया गया किन्तु प्रमाणक के अभाव में पुष्टि नहीं किया जा सका उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित अधिकारी का आदेश भी उपलब्ध नहीं कराया गया फलस्वरूप सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत नगला श्याम, विकास खण्ड मारहरा, जिला एटा।

प्रस्तर 55 :–वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2016–17 में क्रमशः रू0 13990.00 एवं रू0 20000.00 कुल रू0 33990.00 का कैमरा क्रय एवं सफाई उपकरण, फावडा, तसला, खुरवी, तोलिया, आदि सामान ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा क्रय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा दौरान प्रमाणक डैड स्टाक रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण उक्त सामान की पुष्टि न की जा सकी जो गम्भीर आपत्ति जनक है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान मिथिलेश व सचिव प्रदीप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 56:–वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 में क्रमशः दिनांक 27.06.2015 रू0 25500 व दिनांक 26.10.2016 रू0 107500.00 कुल रू0 133000.00 की सोलर लाइटे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा क्रय की गयी। क्रय किस फर्म से की गयी लेखा परीक्षा दौरान प्रमाणक न मिलने से तथा कैशबुक में सम्बन्धित फर्म का नाम अंकित न होने से पुष्टि न हो सकी जो गम्भीर आपत्ति जनक है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत दस्तमपुर, विकास खण्ड निधौली कलां, जिला एटा।

प्रस्तर 57 :–वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में क्रमशः दि0 09.02.2016 रू0 172000.00 एवं दि0 31.01.2017 रू0 172000.00 मै0 राजकुमार एण्ड सन्स इलेक्ट्रिकल कान्ट्रेक्टर से क्रय की गयी जबकि अधिक फर्म नेडा से क्रय की जानी थी तथा लेखा परीक्षा दौरान डेड स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न होने से पुष्टि न की जा सकी। यह स्थिति सन्देहात्मक एवं गम्भीर आपत्ति जनक है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान–मुकेश व ,सचिव– सतोष से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 58:–वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 व 2016–17 में ट्रेक्टर द्वारा कराये गये मिट्टी कार्यपर व्यय रू0 379200.00 का भुगतान चेक द्वारा न करके नगद भुगतान ट्रेक्टर मालिक को किया गया जो नियमों के विपरीत है। इस ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कराये गये कार्य की माप पुस्तिका एवं आगणन पत्र लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया की पुष्टि न की जा सकी जो गम्भीर आपत्ति जनक है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पिलुआ, विकास खण्ड निधौली कलां, जिला एटा।

प्रस्तर 59 :–वर्ष 2015–16 में दि0 30.03.2016 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा रू0 236500.00 की 11 सोलर लाइटे दर रू0 21500.00 की दर से क्रय की गयी जबकि अधिकृत फर्म नेडा द्वारा क्रय की जानी चाहिए थी। किन्तु लेखा परीक्षा दौरान कैशबुक में क्रय करने सम्बन्धी फर्म का नाम अंकित न होने से एवं डेड स्टॉक पंजिका उपलब्ध न होने से व्यय अपुष्ट रहा जो गम्भीर आपत्तिजनक है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान–सुनीता,सचिव–सतोष से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 60 :–वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 व 2016–17 में ट्रेक्टर द्वारा कराये गये मिट्टी कार्यपर व्यय रू0 324200.00 का भुगतान चेक द्वारा न करके नगद भुगतान ट्रेक्टर मालिक को किया गया जो नियमों के विपरीत है। इस ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कराये गये कार्य की माप पुस्तिका एवं आगणन पत्र लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया की पुष्टि न की जा सकी जो गम्भीर आपत्ति जनक है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत हिम्मतनगर वझेरा, विकास खण्ड मारहरा, जिला एटा।

प्रस्तर 61 :–वर्ष 2016–17 में 31.03.2017 को छात्रवत्ति खाते के अन्तर्गत पासबुक में रू0 32810.00 शेष है। उल्लेखनीय है कि मार्च 2012 से छात्रवृत्ति का विवरण सचिव/प्रधान द्वारा नहीं किया जा रहा है। छात्रवृत्ति का

वितरण प्रधानाध्यापक व प्रधान के द्वारा संचालित खातों से किया जा रहा है। इस प्रकार मार्च 2012 से राज्य सरकार को सम्बन्धित धनराशि को वापस कर दिया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया जिसके लिए प्रधान/सचिव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान–सुमन,सचिव–कृष्ण गोपाल के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत अमृतपुर, विकास खण्ड मारहरा, जिला एटा।

प्रस्तर 62 :– वर्ष 2015–16 व 2016–17 में क्रमशः 25200.00 दिनांक 19.08.2015 को रू0 107500.00 दिनांक 27.10.2016 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा सोलर लाइटे क्रय की गयी जबकि अधिकृत फर्म नेडा द्वारा क्रय की जानी चाहिए थी। किन्तु लेखा परीक्षा दौरान कैशबुक में क्रय करने सम्बन्धी फर्म का नाम अंकित न होने से एवं डेड स्टॉक पंजिका उपलब्ध न होने से व्यय अपुष्ट रहा जो गम्भीर आपत्तिजनक है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान–निगम सिह ,सचिव–ग्रीस गौतम से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 63 :–वर्ष 2014–15 में दिनांक 12.08.2014 के रू0 16000.00 सी0ए0 को भुगतान किया गया किन्तु सी0ए0 द्वारा तैयार अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया फलस्वरूप सम्बन्धित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी जबकि वर्ष 2010–11 से कोई भी अभिलेख सी0ए0 द्वारा तैयार नहीं किये जा रहे है। जो गम्भीर आपत्ति जनक है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 64 :–वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 35900.00 मिट्टी व हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय किया गया है जबकि कार्य की न तो आई0डी0 जनरेट की और न ही कार्य योजना स्वीकृत करायी गयी उल्लेखनीय है कि14वें वित्त के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में बिना आई0डी0 जनरेट व कार्य योजना स्वीकृत कराये व्यय नहीं किया जा सकता था। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 65 :–दिनांक 20.08.2015 को सफाई किट रू0 12500 क्रय की गयी प्रमाणक में किन किन वस्तुओं की खरीद की गयी कोई उल्लेख नहीं किया गया सम्बन्धित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा मृतस्कन्ध पंजिका में प्रविष्टि न ही की गयी जो गम्भीर आपत्तिजनक है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 66 :–दिनांक 22.06.2016 को रू0 17500.00 की बुक लेट पर व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा दौरान प्रमाणक न मिलने से व्यय की पुष्टि न हो सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गोबरा, विकास खण्ड मारहरा, जिला एटा।

प्रस्तर 67 :– वर्ष 2014–15 में दि0 05.04.2014 के रू0 13990.00 का कैमरा पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा क्रय किया गया लेकिन लेखा परीक्षा दौरान सम्बन्धित फर्म का नाम कैशबुक में अंकित न होने व मृत स्कन्ध पंजिका उपलब्ध न होने के कारण कैमरा क्रय करने की पुष्टि न की जा सकी जो गम्भीर आपत्ति जनक है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान– श्रीमती राम श्री,सचिव–प्रदीप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 68 :–वर्ष 2014–15 में दिनांक 13.09.2014 के रू0 4000.00 सी0ए0 को भुगतान किया गया किन्तु सी0ए0 द्वारा तैयार अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया फलस्वरूप सम्बन्धित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी जबकि वर्ष 2010–11 से कोई भी अभिलेख सी0ए0 द्वारा तैयार नहीं किये जा रहे है। जो गम्भीर आपत्ति जनक है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 69 :–वर्ष 2015–16 व 2016–17 में क्रमशः दिनांक 28.04..2015 को रू0 25500.00 दिनांक 15.09.2016 को रू0 86000.00, दि0 20.09.2016 को रू0 64500.00, दि0 20.02.2017 को रू0 3980.00 कुल रू0 179980.00 सोलर लाइटे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा क्रय की गयी जबकि अधिकृत फर्म नेडा द्वारा क्रय की जानी चाहिए थी। किन्तु लेखा परीक्षा दौरान कैशबुक में क्रय करने सम्बन्धी फर्म का नाम अंकित न होने से एवं डेड स्टॉक पंजिका उपलब्ध न होने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी, पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में प्रधान/सचिव उत्तरदायी होंगे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 70 :–वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 04.11.2017 कोरू0 10000 सफाई कर्मी हेतु फावड़ा तसला आदि सामान क्रय का भुगतान किया गया लेकिन लेखा परीक्षा में मृतस्कन्ध पंजिका उपलब्ध न कराये जाने के कारण क्रय किये गये सामान के भुगतान की पुष्टि न हो सकी जो करायी जानी अपेक्षित है तथा प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं कराया गया जो गम्भीर आपत्ति जनक है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत जिन्हैरा, विकास खण्ड मारहरा, जिला एटा।

प्रस्तर 71 :–वित्तीय वर्ष 2014–15 , 2015–16 व 2016–17 में क्रमशः दिनांक 01.10.2014 को रू0 15000.00, दि0 04.04.2015 को रू0 5500.00,(फावड़ा तसला) दि0 29.01.2017 को रू0 43800.00 का फर्नीचर आदि क्रय किया गया बिना प्रमाणक किन किन वस्तुओं की खरीद की गयी लेखा परीक्षा दौरान सम्बन्धित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा मृतस्कन्ध पंजिका में प्रविष्टि भी की जानी थी जो नहीं की गयी जो की जानी अपेक्षित थी। अतः रू0 64300.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान–लक्ष्मी उपाध्याय ,सचिव–प्रदीप से की जानी अपेक्षित है।

39 –ग्राम पंचायत गढ़ी सूरजमल विकास खण्ड टप्पल जनपद अलीगढ ।

प्रस्तर 72 :–वर्ष 2014–15 में दि0 27.03.2015 को रू0 84000.00 के दो इण्डिया मार्का हैण्डपम्प क्रय किया गया है जबकि नये हैण्डपम्प की स्थापना जल निगम द्वारा किया जाता है ग्राम पंचायत केवल मरम्मत पर व्यय कर सकती है। इस प्रकार रू0 84000.00 का भुगतान अनियमित तरीके से भुगतान कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत फतेहपुर सोनोठ, विकास खण्ड मारहरा, जिला एटा।

प्रस्तर 73 :—वर्ष 2014—15 में दि0 10.04.2014 को ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा रू0 13990.00का कैमरा क्रय व दि0 06.08.2014 को रू0 10000.00 का फावड़ा तसला आदि क्रय किया गया जिसका कोई प्रमाणक स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे उक्त सामान की पुष्टि न की जा सकी जो गम्भीर आपत्तिजनक है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 74 :—वित्तीय वर्ष 2015—16 में माह मार्च 2016 में रू0 53200.00 का मिट्टी कार्य एवं हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया जबकि कार्य की न तो आई0डी0 जनरेट करायी गयी और न ही कार्य योजना स्वीकृत की गयी फलस्वरूप व्यय अनियमित व आपत्तिजनक है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान—लालाराम, सचिव—गिरीश गौतम से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 75 :— वित्तीय वर्ष 2016—17 मे दिनांक 30.03.2017 को रू0 28200.00 की कुर्सी मेज, अलमारी एवं कारपेट सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा की गयी परन्तु न तो किसी फर्म का कोटेशन नही लिया गया और न ही किसी अधिकारी की स्वीकृति तथा डेड स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि भी नही की गयी लेखा परीक्षा दौरान स्टॉक रजिस्टर व विल से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध न होने से पुष्टि न हो सकी इससे प्रतीत होता है कि भुगतान अनियमित किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 76 :— 2016—17 में दि0 16.09.2016 को रू0 215000.00 की 10 सोलर लाइटे क्रय की गयी (दर रू0 21500. 00)जबकि शासकीय फर्म नेडा से की जानी थी तथा क्रय की गयी सोलर लाइट लेखा परीक्षा दौरान सम्बन्धित फर्मो के नाम कैशबुक में अंकित न होने से पुष्टि न हो सकी। और न ही अन्य फर्मो के कोटेशन ही लिए गये है यह स्थिति गम्भीर आपत्तिजनक है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत उम्मेदपुर रिजौर, विकास खण्ड सकीट, जिला एटा।

प्रस्तर 77 :— वर्ष 2014—15 में दि0 16.03.2015 में रू0 10000.00 की धनराशि तथा 2015—16 में दि0 30.09.2015 में रू0 22000.00 तथा दिनांक 20.05.2015 में रू0 20000.00 की धनराशि का आहरण प्रधान/सचिव के द्वारा बैंक खाते से किया गया परन्तु इस कुल धनराशि रू0 52000.00 की कैशबुक में कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है। अतः धनराशि रू0 52000.00 का उपयोग प्रधान/सचिव द्वारा आहरण निजी हित में किया गया। अतः उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान गुडडा देवी व सचिव प्रदीप से समान रूप से की जाए।

प्रस्तर 78 :— पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा विकास कार्यो में जो मजदूरों का भुगतान किया गया यह भारत सरकार द्वारा मनरेगा के लिए निर्धारित मजदूरी से अधिक भुगतान किया गया है अतः जो नियमों के विरूद्ध है अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान/सचिव से समान रूप से अपेक्षनीय है।

वर्ष	अधिक भुगतान
2014—15	34858.00
2015—16	2652.00
2016—17	1421.00
योग	38931.00

प्रस्तर 79 :— वर्ष 2016—17 में विधान सभा चुनाव में वी0एस0एफ0 को टुकड़ी के लिए भुगतान शिव महाविद्यालय में 30 शौचालयों के वनवाने में व्यय धनराशि रू0 92000.00 का किया गया। जिसका ऑडिट के समय कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 80 :— ग्राम पंचायत में वर्ष 2014—15 में मिट्टी डलवाने के लिए ट्रेक्टर ट्रालियों का विवरण कैशबुक में प्रविष्टि किया गया लेकिन इनका कोई प्रमाणक उपलब्ध न कराया गया। इस प्रकार कुल रू0 186000.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

19.05.2014	100×500	50000.00
30.05.2014	50×500	25000.00
09.06.2014	32×500	16000.00
18.07.2014	80×500	40000.00
25.09.2014	40×500	20000.00
28.11.2015	70×500	35000.00
	कुल योग	186000.00

ग्राम पंचायत चिलासनी, विकास खण्ड सकीट, जिला एटा।

प्रस्तर 81 :—दिनांक 28.02.2015 को प्रधान/सचिव के द्वारा बैंक खाते से रू0 28500.00 की धनराशि का आहरण किया गया लेकिन उक्त धनराशि की कैशबुक में कोई प्रविष्टि नहीं की गयी जिससे यह प्रतीत होता है प्रधान/सचिव ने उक्त धनराशि का उपभोग अपने निजी हित में किया गया। अतः उक्त धनराशि रू0 28500.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान अनार देवी व सचिव प्रदीप से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17

जनपद –हाथरस **मण्डल – अलीगढ**

1–ग्राम पंचायत खरबा विकास खण्ड हाथरस जनपद हाथरस –

प्रस्तर –1–दिनांक 12.06.2013 को ग्राम निधि प्रथम खाते से रु० 20000–00 आहरण कर ईट क्रय हेतु भुगतान किया गया जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते तो वह धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती द्रोपा देवी तथा सचिव श्री मदन मोहन परासर से समानरूप से की जानी अपेक्षित है ।**(आपत्ति सं०–18)**

2–ग्राम पंचायत शहजादपुर विकास खण्ड हाथरस जनपद हाथरस ।

प्रस्तर –2 –दिनांक 17.10.2016 को ग्राम निधि 1 से रु० 15004–00 आहरण कर निर्माण सामग्री पर व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते तो वह धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सत्यवीर तथा सचिव श्री प्रकाश चन्द्र से समानरूप से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० –20)**

3–ग्राम पंचायत कटेलिया विकास खण्ड हाथरस जनपद हाथरस –

प्रस्तर–3 –ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 27.02.2017 को रु० 10000–00 आहरण कर हैंडपंप मरम्मत के लिए भुगतान दिया गया जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते तो वह धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती ओमवती तथा सचिव श्री प्रकाश चन्द्र से समानरूप से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–20)**

4–ग्राम पंचायत गंगोली विकास खण्ड हाथरस जनपद हाथरस –

प्रस्तर –4–ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 19.08.2013 को रु० 22000–00 आहरित कर ईट क्रय हेतु भुगतान किया गया जिसकी पुष्टि में वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते तो वह धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री रामपाल सिंह तथा सचिव श्री मदन मोहन परासर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं० –18)**

5–ग्राम पंचायत तेहरा विकास खण्ड हाथरस जनपद हाथरस –

प्रस्तर –5 –ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 27.12.2017 को रु० 45692–00 का आहरण कर व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते तो वह धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सतीश चन्द्र तथा सचिव श्री प्रकाश चन्द्र से समान रूप से की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–18)**

6–ग्राम पंचायत मिर्जापुर विकास खण्ड हाथरस जनपद हाथरस –

प्रस्तर –6 –ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 28.10.2016 को रु० 15000–00 आहरण कर हैंडपंप मरम्मत के लिए भुगतान दिया गया जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं पंचायत मैनुअल अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते तो वह धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती ज्ञान देवी तथा सचिव श्री अरुण अग्निहोत्री से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०–20)**

7–ग्राम पंचायत शेखूपुर मदन विकास खण्ड हाथरस जनपद हाथरस –

प्रस्तर – 7– दिनांक 26.12.2014 को ग्राम निधि प्रथम खाते से रु० 15000– आहरण कर कैशबुक में प्रविष्टि नहीं किया गया और न ही व्यय किया गया इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण प्रधान श्री कालीचरण (पूर्व) तथा सचिव श्री अरुण अग्निहोत्री द्वारा कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुँचाई गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०–18)**

8–ग्राम पंचायत बिसावर विकास खण्ड सादाबाद जनपद हाथरस –

प्रस्तर –8–वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त अनुदान को बैंक में रखकर अर्जित किया गया ब्याज रु०241489.17 है । शासनादेश सं० 10/2015/ए–1–502/दस–2015–10(33) /2010 तथा दिनांक 29.05.2015 के अनुदान से अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी इसे राजकोष में जमा किया जाना अनिवार्य हैं। उक्त अर्जित ब्याज की आय को राजकोष में जमा न करके ग्राम प्रधान श्री विजयपाल सिंह तथा सचिव श्री देवेन्द्र गौतम द्वारा गंभीर अनियमितता की गई है । इस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०–21)**

9–ग्राम पंचायत गौहाना विकास खण्ड सासनी जनपद हाथरस –

प्रस्तर –9 –आलोच्य वर्ष की निम्नांकित तिथियों में सफाई कार्य कराया गया है :–

क्र०सं०	दिनांक	प्रमा० सं०	भुगतान राशि
1	16.06.16	03	रु० 8250–00

2	20.08.16	17	रु० 4950—00
3	22.03.16	50।	रु० 5775—00
	योग		रु० 18975—00

उपरोक्त विवरण से कुल रु० 18975—00 व्यय करके सफाई कार्य कराया गया है जबकि गाँव में सफाई कर्मी की नियुक्ति है। यह स्थिति स्पष्ट दर्शाती है कि धन को ठिकाने लगाने के लिये उपरोक्त कार्य कराए गये हैं, जिनकी पूर्ति की भी गयी है अथवा नहीं संदेह है।

सफाई कर्मी के होते हुए भी उक्त कार्यों पर व्यय दर्शाना गंभीर अनियमितता दुरूपयोग है और मनमानेपन का परिचायक भी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **(आपत्ति सं०—28)**

10 — ग्राम पंचायत निनामई विकास खण्ड सासनी जनपद हाथरस —

प्रस्तर —10— दिनांक 07.09.16 के पश्चात एवं 28.11.16 से पूर्व रु० 11680—00 की धनराशि बैंक से आहरित की गयी है जिसकी बैंक बकाया (रु० 774672.80—रु० 11680) आहरण के पश्चात रु० 762992.80—00 बैंक स्टेटमेंट में दर्शित है । इस प्रकार रु० 11680—00 की आहरित धनराशि कॅशबुक में दर्ज न कर अपहरित कर ली गयी,जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सचिव श्री संजीव कुमार व प्रधान श्री कालीचरन का है । उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से रु० 11680—00 की वसूली मय ब्याज के की जाए तथा सचिव पर विभागीय कार्यवाही भी की जाए । **(आपत्ति सं० —29)**

प्रस्तर —11 —दिनांक 02.03.17 प्रमा० न०18 से प्रधान श्री कालीचरन को रु० 5000— मानदेय जो अगस्त 16 व सितम्बर 16 का है, का पुनः भुगतान किया गया है, क्योंकि उपरोक्त माहों का भुगतान दिनांक 12.01.17 को प्रमा०न० 09 से (रु० 10000 — जो माह जून 16 से सितम्बर 16 तक की अवधि का है) किया जा चुका है ।

इस प्रकार माह अगस्त 2016 व सितम्बर 2016 का दोबारा भुगतान रु० 5000— अभिलेखीय कूट रचना कर अपहरित कर लिया गया जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सचिव श्री संजीव कुमार व प्रधान श्री कालीचरन का है । अतः उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से रु० 5000—00 की वसूली मय ब्याज के की जाए । **(आपत्ति सं०—30)**

11 — ग्राम पंचायत हडौली विकास खण्ड सासनी जनपद हाथरस —

प्रस्तर —12—आलोच्य वर्ष 2015—16 में रु०238372—00 व वर्ष 2016—17 में रु०11,13,922—00 का व्यय किया गया है । इस प्रकार दोनों वर्षों में कुल रु०1352294—00 का व्यय किया गया,कैशबुकों में दर्शित है । वर्ष 2015—16 में रु० 228—00 की कटौती की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है । इस पुष्टित व्यय को कम करके अवशेष व्यय रु० 13,52,066—00 की सत्यता की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए । बिना प्रमाणक के दर्शाया गया व्यय, अपहरण की श्रेणी में आता है (उ०प्र० ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय— 8 के बिंदु— 8 क) इस प्रकार वर्ष 2015—16 हेतु रु०2,38,144—00 के अपहरण हेतु तत्कालीन प्रधान श्रीमती कुशमा देवी व सचिव श्रीमती उमलेश यादव तथा वर्ष 2016—17 हेतु रु०11,13,922—00 के अपहरण हेतु प्रधान श्री अर्जुन सिंह व सचिव श्री कुलदीप सिंह उत्तरदायी है ।

अतः उक्त वर्षों की धनराशियों रु० 2,38,144—00 व रु० 11,13,922—00 की वसूली मय ब्याज के उत्तरदायी व्यक्तियों से की जाए । सचिवों के प्रति विभागीय कार्यवाही भी की जाए । **(आपत्ति सं०—29)**

12 — ग्राम पंचायत दयानतपुर विकास खण्ड सासनी जनपद हाथरस ——

प्रस्तर 13 दिनांक 18.08.15 को चेक संख्या 010381, रु० 5000— की निकासी की गयी, परन्तु उक्त धनराशि को केशबुक में नहीं दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है । उक्त अपहृत धनराशि की वसूली मय ब्याज के तत्कालीन प्रधान श्रीमती महारानी व सचिव श्रीमती उमलेश यादव (जैसाकि सूचित किया गया) से की जाये । **(आपत्ति सं०—28)**

प्रस्तर —14—दिनांक 29.01.17 के प्रमा०सं० 23 के द्वारा रु०15000—00 की स्टेशनरी क्रय की गयी दर्शायी गयी है जिसकी पुष्टि में क्रय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया फलस्वरूप धन के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । धनराशि को कल्पित रूप से व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया प्रतीत होता है क्यों कि ग्राम पंचायत में इतनी बड़ी धनराशि की स्टेशनरी की आवश्यकता ही नहीं है । अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती नूतन रावत व सचिव श्री प्रेमचन्द्र से की जाये । **(आपत्ति सं०—29)**

13 —ग्राम पंचायत सुसायत खुर्द विकास खण्ड सासनी जनपद हाथरस —

प्रस्तर—15—चेक संख्या— 067368, रु० 2500—00 का था, जिसे बैंक ने रु० 5000—00 का समझकर एंट्री पास कर दी पुनः गलती समझ में आने पर इसकी रिवर्स एंट्री की। बैंक की इस प्रक्रिया को कैशबुक में दोहराया गया परन्तु दोहराते वक्त एक गलती कर दी कि बैंक से प्राप्त और खाते में जमा की प्रविष्टि कैशबुक में दर्ज न कर रु० 5000—00 का व्यय दर्शाया गया है जो कल्पित है । इस प्रकार प्राम० न० 03, दिनांक 28.06.16 रु० 5000—00का व्यय, कल्पित है जो एक गंभीर अनियमितता है । अतः रू0 2500 की वसूली मय ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान एव सचिव से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०—28)**

14 —ग्राम पंचायत बिर्रा विकास खण्ड सासनी जनपद हाथरस —

प्रस्तर— 16 बैंक खाते से दिनांक— 03.01.17 को चेक सं० 029267 द्वारा रु० 17735—00 की निकासी की गई है । इस धनराशि को कैशबुक की आय पक्ष में प्राप्त न दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है । उक्त धनराशि रु० 17735—00 की वसूली जिम्मेदार व्यक्तियों, प्रधान श्रीमती सुमन देवी व सचिव श्री गिरीश कुमार से मय ब्याज के की जाए। इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है **(आपत्ति सं०—28)**

15 — ग्राम पंचायत जसराना विकास खण्ड सासनी जनपद हाथरस —

प्रस्तर –17–माह अगस्त 16 के अंत में (31.08.16 को) नकद शेष रु० 7511–00 था, लेकिन सितम्बर 16 के प्रारंभ में (01.09.16 को) मात्र रु० 75–00 ही दर्शाया है । इस प्रकार रु० 7436–00 का अपहरण किया गया है जिसके लिये प्रधान श्री जय सिंह एवं सचिव श्री गिरीश कुमार पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है । रु० 7436–00 की वसूली मय ब्याज के, उपरोक्त जिम्मेदारों से की जाये । **(आपत्ति सं०–28)**

प्रस्तर–18–दिनांक 28.10.16 को चेक सं० 025340 द्वारा रु० 7245–00 की निकासी कर व्यय पक्ष में विवरण हीन व्यय दर्शाकर, जिसका प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं कराया गया, अपहरण किया गया है । इस अपहरित धनराशि की वसूली प्रधान श्री जय सिंह एवं सचिव श्री गिरीश कुमार से मय ब्याज के की जाये, साथ ही सचिव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जाय।**(आपत्तिसं०–29)**

16 – ग्राम पंचायत सहजपुरा विकास खण्ड सासनी जनपद हाथरस –

प्रस्तर –19–माह जून 2016 के आय पक्ष का योग रु० 139824–00 के स्थान पर रु० 137034– लगाकर व्यय योग रु० 130529–00 (जो सही है) कम करके मासांत का नकद शेष रु० 6505–00 दर्शाया है जबकि वास्तविक गणनानुसार दिनांक– 30.06.16 को नकद शेष रु० 9295–00 आता है। इस प्रकार रु० 2790–00 का अपहरण किया गया है। इस अपहरित धनराशि की वसूली तत्कालीन सचिव श्री ग्रीश कुमार व प्रधान श्रीमती नारायणी देवी से मय ब्याज के की जाये, साथ ही सचिव श्री ग्रीश कुमार के प्रति विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिए । **(आपत्ति सं०–28)**

17 – ग्राम पंचायत महमूदपुर बरसै विकास खण्ड सासनी जनपद हाथरस –

प्रस्तर –20– दिनांक 04.08.15 को चेक सं० 017548 रु० 3000–00 बैंक से आहरित कर कैशबुक में रु० 3000– के स्थान पर रु० 5000– अंकित कर, दिनांक– 01.08.15 से 09.08.15 तक कुल रु० 15152–00 का भुगतान किया गया है। जबकि दिनांक 09.08.15 को वास्तव में रु० 4360– ही नकदी हस्तगत थी । प्रारंभिक शेष रु० 1512, (दि० 04.08.12 के रु० 5000–00, रु० 3000–00, रु० 5000 आहरण) रु० 13000–00 = रु० 14512 –रु० 10152 (प्रमा० सं० 47 रु० 5152, प्रमा० सं० 48 रु० 5000–00) = रु० 4360–00 , उपलब्ध नकदी रु० 4360–00 से दिनांक– 09.08.15 को प्रमाणक संख्या– 49 रु० 5000–00 का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है । भुगतान कल्पित है । अतः दिनांक– 09.08.15 को फर्जी रूप से किये गये भुगतान रु० 5000–00 की वसूली मय ब्याज के सचिव श्री प्रेमचन्द्र व प्रधान श्री रामवीर सिंह से की जाये । **(आपत्ति सं०–28)**

प्रस्तर– 21–दिनांक 23.09.15 को चेक सं० 017526 रु० 5000– का बैंक अपहरण कैशबुक में दर्ज न कर अपहरित कर लिया गया है । इस अपहरण हेतु सचिव श्री प्रेमचन्द्र व प्रधान श्री रामवीर सिंह पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है ।

अतः उक्त अपहरित धनराशि रु० 5000– की वसूली मय ब्याज के उत्तरदायी व्यक्तियों(सचिव श्री प्रेमचन्द्र व प्रधान श्री रामवीर सिंह) से की जाए तथा सचिव के प्रति विभागीय कारवाही भी की जाये । **(आपत्ति सं०–29)**

18 – ग्राम पंचायत तिलौठी विकास खण्ड सासनी जनपद हाथरस

प्रस्तर –22–ग्राम निधि खाता–1सं० 2116106650 से दि० 23.06.16 व दि० 29.06.16 के मध्य रु० 14352–00 की निकासी की गयी है, परन्तु बैंक से निकासी की आय कैशबुक में दर्ज नहीं की गयी है । इस प्रकार बैंक से धनराशि रु० 14352–00 निकाल कर कैशबुक में आय न दर्शाते हुए उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है ।

उक्त अपहरित धनराशि हेतु तत्कालीन सचिव श्री दिनेश कुमार सिंघल व प्रधान श्री सुमित कुमार उत्तरदायी है । उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहरित धनराशि की वसूली मय ब्याज के की जाये साथ ही सचिव श्री दिनेश कुमार सिंघल के प्रति विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिए ।**(आपत्ति सं०–28)**

19 –ग्राम पंचायत सासनी देहात विकास खण्ड सासनी जनपद हाथरस –

प्रस्तर –23–आलोच्य वर्ष में सफाई कर्मी तैनात होने के बावजूद भी दि० 09.06.16 प्रमाणक सं० 2 द्वारा रु० 11550–00 , दि० 17.08.16 प्रमाणक सं० 16 द्वारा रु० 4950–00 व दि० 19.10.16 प्रमाणक सं० 26 द्वारा रु० 4950–00 कुल धनराशि रु०21450–00 व्यय कर के सफाई कार्य कराया गया है जो अनियमित और धन को ठिकाने लगाने का तरीका मात्र है । उक्त व्यय की वास्तविकता भी संदिग्ध है । सफाई कर्मी के होते हुए भी उक्त सफाई कार्यों पर व्यय दर्शाना गंभीर अनियमितता व दुरूपयोग है, और यह मनमानेपन का परिचायक भी है । जिसकी तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०–28)**

प्रारूप–4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17

जनपद–अम्बेडकरनगर **मण्डल – अयोध्या** **संस्था – ग्राम पंचायत**

1 – ग्राम पंचायत–इटरौरा विकासखण्ड–अकबरपुर जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 1कैशबुक में निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में स्ट्रीट लाइट पर व्यय दर्शाया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	बाउचर संख्या	विवरण	धनराशि रुपये
1	05.10.2016	5	स्ट्रीट लाइट पर व्यय धन	46145.00
2	05.10.2016	6	स्ट्रीट लाइट पर व्यय धन	46145.00
3	05.10.2016	7	स्ट्रीट लाइट पर व्यय धन	20975.00
योग–				113265.00

इस पर निम्नलिखित आपत्तियां की जाती हैं।

(i) कैशबुक में चेक संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ii) कैशबुक में यह अंकित नहीं है कि भुगतान किस फर्म/ट्रेडर्स को किया गया है।

(iii) क्रय सम्बंध कोटेशन/टेण्डर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iv) व्यय प्रमाणक, डिलीवरी चालान बिल, कैश मेमो (टैक्स कटौती विवरण) आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

(v) निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र एवं उपभोग प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड–8 (क) एवं खण्ड–8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती विन्द्रावती यादव, ग्राम प्रधान से रुपये 56632.50 तथा श्री राजीव वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी से रुपये 56632.50 की जानी अपेक्षित है।

2 – ग्राम पंचायत–बरौरा विकास खण्ड–अकबरपुर जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 2कैशबुक में विभिन्न तिथियों में निम्नलिखित विवरणानुसार इंडिया मार्का टू हैण्डपम्प मरम्मत मय सामान बाबत भुगतान अंश ट्रेडर्स को किया जाना दर्शित है।

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि रुपये
1	02.07.2016	इंडिया मार्का टू हैण्डपम्प मरम्मत मय सामान	6600.00
2	25.01.2017	इंडिया मार्का टू हैण्डपम्प मरम्मत मय सामान	10000.00
3	30.03.2017	इंडिया मार्का टू हैण्डपम्प मरम्मत मय सामान	10000.00
योग–			26600.00

उपरोक्त व्यय सम्बंधी विवरण कैशबुक में अंकित करते समय चेक संख्या एवं बाउचर संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। व्यय प्रमाणक डिलीवरी चालान बिल, कैशमेमो (टैक्स कटौती विवरण सहित) निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8 (क) 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजेश कुमार ग्राम प्रधान से रुपये 13300.00 एवं श्री बृजेश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से रुपये 13300.00 की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 3कैशबुक में निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय बाबत अंश ट्रेडर्स का भुगतान किया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि रुपये
1	02.07.2016	नाली निर्माण में जल निकासी बाबत ह्यूम पाइप क्रय	57552.00
2	15.07.2016	नाली निर्माण में जल निकासी बाबत ह्यूम पाइप क्रय	31500.00
योग–			89052.00

उपरोक्त व्यय सम्बंधी विवरण कैशबुक में अंकित करते समय चेक संख्या बाउचर संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। व्यय प्रमाणक डिलीवरी चालान बिल, कैश मेमो (टैक्स कटौती विवरण सहित), निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8 (क) 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजेश कुमार ग्राम प्रधान से रुपये 44526.00 एवं श्री बृजेश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से रुपये 44526.00 की जानी अपेक्षित है।

3 – ग्राम पंचायत–माउख विकास खण्ड–अकबरपुर जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 4 बैंक आफ इण्डिया, अकबरपुर पासबुक खाता सं0–6935101100025 61 से दिनांक 20.04.2016 को चेक संख्या 141842 श्री राम प्रकाश नाम से रुपये 10000.00 आहरण दर्शित है, जिसे कैशबुक में अंकन नहीं किया गया है। माह अप्रैल 2016 में कैशबुक के आय पक्ष का योग–256880.00 और व्यय पक्ष का योग–256880.00 तथा प्रारम्भिक एवं अंकित शेष शून्य और खाते में जमा रुपये 36624.00 दर्शित है। इस प्रकार आहरित धनराशि का अंकन कैशबुक में नहीं करके श्रीमती दुर्गावती ग्राम प्रधान एवं श्री राजेन्द्र विकल ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रुपये 10000.00 का अपहरण किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती दुर्गावती ग्राम प्रधान से रुपये 5000.00 एवं श्री राजेन्द्र विकल ग्राम पंचायत अधिकारी से रुपये 5000.00 की जानी अपेक्षित है।

4 – ग्राम पंचायत–माडरमऊ विकास खण्ड–रामनगर जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 5निम्न तिथियों में मस्टर रोल दर्शाकर मजदूरी पर रु. 150964.00 व्यय किया जाना कोष बही में अंकित है, जिस पर निम्न आपत्तियां हैं।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	09.05.2016	5796.00	मस्टर रोल
2	09.05.2016	27209.00	मस्टर रोल
3	16.09.2016	4502.00	मस्टर रोल
4	21.02.2017	11136.00	मस्टर रोल
5	02.03.2017	4930.00	मस्टर रोल
6	10.03.2017	27212.00	मस्टर रोल
7	22.03.2017	32727.00	मस्टर रोल
8	24.03.2017	16224.00	मस्टर रोल
9	27.03.2017	21228.00	मस्टर रोल
	योग–	150964.00	

अ–मस्टर रोल अप्राप्त रहा।

ब–कराए गए कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, एम.बी., उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया है, जिससे कराए गए कार्य की प्रमाणिकता संदिग्ध है। अतः धन का अपहरण ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी एवं प्रधान द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शीला प्रधान एवं अरुण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से अपेक्षित है।

प्रस्तर 6निम्न तिथियों में क्रय की गई सामग्री पर रु. 547807.00 व्यय दर्शित है, जिस पर आपत्ति निम्नवत है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	09.05.2016	62000.00	ईट क्रय
2	09.05.2016	28706.00	ईट क्रय
3	09.05.2016	65100.00	ईट क्रय
4	20.09.2016	8125.00	ईट क्रय
5	29.10.2016	63000.00	ईट क्रय
6	16.01.2017	63000.00	ईट क्रय
7	21.02.2017	22628.00	ईट क्रय
8	10.03.2017	43098.00	ईट क्रय
9	21.03.2017	36678.00	ईट क्रय
10	29.03.2017	95433.00	ईट क्रय
11	20.09.2016	5702.00	सामग्री क्रय
12	31.01.2017	8800.00	मिट्टी पटाई
13	21.02.2017	5600.00	मिट्टी पटाई
14	23.02.2017	7210.00	शौचालय में दरवाजा
15	23.03.2017	32727.00	सामग्री क्रय
	योग–	547807.00	

अ–क्रय किए गए सामग्री के सापेक्ष कोई भी बिल, कैशमेमो अथवा चेक की छायाप्रति आदि नहीं उपलब्ध रही।

ब–क्रय के सम्बंध में कोटेशन/टेण्डर, स्टीमेट, एम.बी. व स्टाक रजि. नहीं बनाए गए हैं।

स–सामग्री के सापेक्ष कराए गए कार्य की पुष्टि हेतु उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं बनाया गया है। अतः इससे स्पष्ट है कि दर्शाया गया कार्य एवं सामग्री क्रय पूर्ण रूप से काल्पनिक है एवं धन प्रधान व ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शीला प्रधान एवं अरुण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर– 7 दिनांक 05.01.2017 को रु. 42200.00 आहरण कर सोलर लाइट क्रय दर्शाया गया है, किन्तु इसके साक्ष्य के रूप में कोई बिल बाउचर, कोटेशन, स्टीमेट, लाभार्थी का आवेदन, उपभोग प्रमाण पत्र लगे होने का फोटोग्राफ्स एवं लाभार्थी द्वारा लगे होने का प्रमाण पत्र आदि के अभाव में भुगतान अपुष्ट रहा। अतः धन का अपहरण प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली समान रूप से श्रीमती शीला प्रधान एवं अरुण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। उक्त समस्त आपत्तिगत दर्शित व्यय, ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड–8 क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम–204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम–256 अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से रुपया 740971.00 की वसूली अपेक्षित है। ग्राम पंचायत माडरमऊ के आडिट के दौरान बार–बार मांगोपरान्त परियोजनावार स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य का रजिस्टर, निर्माण समिति का अनुमोदन, सतर्कता

समिति की निगरानी रिपोर्ट आडिट में प्रस्तुत न करने से उपभोग/अपहरण की गई धनराशि उक्त ग्राम पंचायत में आडिट की दृष्टि से अपुष्ट रही, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है, जिसके लिए संयुक्त रूप से श्रीमती शीला प्रधान एवं अरुण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं।

5 – ग्राम पंचायत–रामनगर महुअर विकास खण्ड–रामनगर जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 8 निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियां हैं। में अंकित है, जिस पर निम्न आपत्तियां हैं।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	28.04.2016	31515	हैण्डपम्प मरम्मत
2	28.06.2016	27310	हैण्डपम्प मरम्मत
3	16.07.2016	19280	हैण्डपम्प मरम्मत
4	10.07.2016	25540	हैण्डपम्प मरम्मत
5	01.08.2016	20950	हैण्डपम्प मरम्मत
6	21.11.2017	36295	हैण्डपम्प मरम्मत
7	10.03.2017	32450	हैण्डपम्प मरम्मत
	योग–	193340	

अ–भुगतान के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ब–कराए गए कार्य के सापेक्ष कोई स्टीमेट, कोटेशन, उपभोग प्रमाण पत्र, लाभार्थी द्वारा मरम्मत कराए जाने का कोई प्रमाण पत्र, पुराने सामानों की जगह नए सामान लगाए जाने पर पुराने सामग्री का स्टाक रजि. एवं लाभार्थी की सूची अप्राप्त रही। अतः उपरोक्त रु. 193340.00 का दर्शाया गया व्यय मात्र काल्पनिक है। कोष बही में केवल धन का समायोजन किया गया है, कार्य नहीं कराया गया प्रतीत होता है। अतः धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कैलासी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों उत्तरदायी व्यक्ति से समान रूप से की जाय।

प्रस्तर 9निम्न तिथियों में ईट एवं अन्य सामग्री क्रय की गई है, जिस पर निम्न आपत्तियां हैं।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	12.08.2016	49600	ईट क्रय
2	03.09.2016	160580	ईट क्रय
3	07.10.2016	93240	ईट क्रय
4	17.12.2016	93240	ईट क्रय
5	07.01.2017	91124	ईट क्रय
6	25.01.2017	89400	ईट क्रय
7	02.02.2017	113400	ईट क्रय
8	27.02.2017	91123	ईट क्रय
9	27.02.2017	91123	ईट क्रय
10	15.07.2016	20530	सामग्री क्रय
11	02.11.2016	87120	सामग्री क्रय
	योग–	980480	

उपरोक्त के सापेक्ष कोई भी बिल बाउचर, कैशमेमो, स्टीमेट/टेंडर, कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ति रजि., एम.बी. बुक, स्टाक रजि., वितरण रजि. आदि अप्राप्त रहा। अतः किए गए भुगतान की प्रमाणिकता पुष्टि नहीं की जा सकी।अतः धन का अपहरण किया गया, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती कैलासी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अरुण कुमार से समान रूप से ब्याज सहित वसूला जाय।

प्रस्तर 10निम्न तिथियों में निर्गत मस्टर रोल के सापेक्ष निम्न आपत्तियां हैं।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	16.07.2016	21546	मस्टर रोल
2	16.07.2016	30790	मस्टर रोल
3	03.09.2016	37410	मस्टर रोल
4	29.12.2016	21260	मस्टर रोल
5	13.01.2017	21260	मस्टर रोल
6	20.01.2017	10000	मस्टर रोल
7	13.02.2017	24000	मस्टर रोल
8	21.02.2017	19500	मस्टर रोल
9	26.02.2017	26100	मस्टर रोल
10	03.05.2016	15000	ट्राली से मिट्टी पटाई
11	25.01.2017	24000	मस्टर रोल
	योग–	**250866**	

अ–लेखा परीक्षा दौरान मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया।
ब–कराए गए कार्य से सम्बंधित स्टीमेट, कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम.बी. बुक, निर्माण कार्य समिति की संस्तुति आदि उपलब्ध नहीं रही।
अतः भुगतान की पुष्टि न की जा सकी व धन अपहरित है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कैलासी देवी एवं ग्रा.पं.अ. श्री अरुण कुमार से अपेक्षित है।

प्रस्तर 11 दिनांक 04.01.2017 को रु. 87000.00 का सोलर लाइट क्रय किया जाना दर्शित है, किन्तु उक्त के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, लाभार्थी का आवेदन, स्टीमेट, कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र, क्रय सामग्री का गारंटी कार्ड (बैटरी के सम्बंध में), लगे होने का फोटोग्राफ्स, कोटेशन/टेण्डर आदि के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा एवं धन वसूली योग्य है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कैलासी देवी एवं ग्रा.पं.अ. श्री अरुण कुमार द्वारा किया जाना अपेक्षित है। उक्त समस्त आपत्तिगत दर्शित व्यय, ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड–8क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम–204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम–256 अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त ग्राम विकास, पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से रुपया–1511686.00 की वसूली अपेक्षित है। ग्राम पंचायत रामनगर महुअर के आडिट के दौरान बार–बार मांगोपरान्त परियोजनावार स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य का रजिस्टर, निर्माण समिति का अनुमोदन, सतर्कता समिति की निगरानी रिपोर्ट आडिट में प्रस्तुत न करने से उपभोग, आहरण की गई धनराशि उक्त ग्राम पंचायत में आडिट की दृष्टि से अपुष्ट रही, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है, जिसके लिए संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती कैलासी देवी एवं ग्रा.पं.अ. श्री अरुण कुमार उत्तरदायी हैं

6 – ग्राम पंचायत–आसोपुर विकास खण्ड–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 12 वर्ष 2016–17 में प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सामग्री क्रय रूपया 2159188.00 × 4 प्रतिशत, वाणिज्य कर रूपया 66367.00, केन्द्रीय राजस्व 2.266 प्रतिशत, 48927.00 कुल रूपया 135294.00 फर्म के बिल से कटौती न करके केन्द्रीय राजस्व/राजकीय राजस्व की क्षति हानि पहुँचाया गया है। शासन की विज्ञप्ति सं0–1315 दिनांक 07. 10,20143 इस सर्कुलर के द्वारा कर योग्य माल क्रय करने पर भुगतान की जाने वाली धनराशि में से 4 प्रतिशत की दर कटौती किया जाना प्राविधानित किया गया है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के विभाग हों।वाणिज्य कर की धारा–34 (6) में प्राविधानित है कि वर्क कान्ट्रैक्टर एवं माल के क्रय के सम्बन्ध में भुगतान करने के पूर्व 4 प्रतिशत की धनराशि की कटौती करने के बाद आगामी माह के 1 से 20 तारीख के मध्य राजकीय कोषागार में वाणिज्य कर के हेड में जमा किया जायेगा। वैट की धारा–34 (8) में ऐसा न करने पर कटौती की धनराशि के दो गुने में से अर्थदण्ड का प्राविधान है। वैट की धारा–34 (9) के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज की भी देय है। इस प्रकार ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत आसोपुर में रू0 135294.00 की राजकीय राजस्व केन्द्रीय राजस्व की क्षति/हानि पहुँचाया गया है। जिस पर सरचार्ज सहित वसूली अपेक्षित है।

7 – ग्राम पंचायत– बदरुद्दीनपुर विकास खण्ड–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 13 वर्ष 2016–17 में प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सामग्री क्रय रूपया 2159188.00 × 4 प्रतिशत, वाणिज्य कर रूपया 66367.00, केन्द्रीय राजस्व 2.266 प्रतिशत, 48927.00 कुल रूपया–135294.00 फर्म के बिल से कटौती न करके केन्द्रीय राजस्व/राजकीय राजस्व की क्षति हानि पहुँचाया गया है। शासन की विज्ञप्ति सं0–1315 दिनांक 07.10. 2014 इस सर्कुलर के द्वारा कर योग्य माल क्रय करने पर भुगतान की जाने वाली धनराशि में से 4 प्रतिशत की दर कटौती किया जाना प्राविधानित किया गया है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के विभाग हो।वाणिज्य कर की धारा–34(6) में प्राविधानित है कि वर्क कान्ट्रैक्टर एवं माल के क्रय के सम्बन्ध में भुगतान करने के पूर्व 4 प्रतिशत की धनराशि की कटौती करने के बाद आगामी माह के 1 से 20 तारीख के मध्य राजकीय कोषागार में वाणिज्य कर के हेड में जमा किया जायेगा। वैट की धारा–34(8) में ऐसा न करने पर कटौती की धनराशि के दो गुने में से अर्थदण्ड का प्राविधान है। वैट की धारा–34(9) के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज की भी देय है। इस प्रकार ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत आसोपुर में रू0 135294.00 की राजकीय राजस्व केन्द्रीय राजस्व की क्षति/हानि पहुँचाया गया है। जिस पर सरचार्ज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 14 सोलर लाइट पर रु0 218940.00 व्यय –आलोच्य वर्ष में सोलर लाइट प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा खाते से आहरण किया गया है। आडिट तिथि तक साक्ष्य/व्यय प्रमाणन बार–बार मांगोपरान्त उपलब्ध नहीं कराया गया। रूपया 218940.00 व्यय अपुष्ट रहा। विवरण निम्न प्रकार हैः–

दिनांक	धनराशि
04.06.2016	22140.00
18.02.2017	98400.00
20.02.2017	98000.00
योग–	**218940.00**

वर्ष में निर्माण मरम्मत कार्य में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक (बिल प्रोफार्मा, इनवाइस/चालान पत्र) आदि तथा मजदूरी भुगतान की पुष्टि में एम0आर0 आदि महत्वपूर्ण प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने से निर्माण/मरम्मत

कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार फर्जी कार्य दर्शाकर या वास्तविक कार्य से अधिक कार्य दर्शाकर धनराशि रुपया 218940.00 का अपहरण किया गया है, जो पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दुवार काम दिये गये प्राविधानानुसार यदि कोष बही में दर्शाये गये व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं होता है तो दर्शायी गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है, जिसके लिए प्रधान श्रीमती जाहिदा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमरपाल शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

8 – ग्राम पंचायत– जनार्दनपुर विकास खण्ड–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 15 वर्ष 2016–17 में प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सामग्री क्रय रूपया 545842.00 × 4 प्रतिशत, वाणिज्य कर रूपया 21834.00, केन्द्रीय राजस्व 2.266 प्रतिशत, 12369.00 कुल रूपया–4203.00 फर्म के बिल से कटौती न करके केन्द्रीय राजस्व/राजकीय राजस्व की क्षति/हानि पहुँचाया गया है। शासन की विज्ञप्ति सं0–1315 दिनांक 07.10.2013 इस सर्कुलर के द्वारा कर योग्य माल क्रय करने पर भुगतान की जाने वाली धनराशि में से 4 प्रतिशत की दर कटौती किया जाना प्राविधानित किया गया है। केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विभाग हों।वाणिज्य कर की धारा–34(6) में प्राविधानित है कि वर्क कान्ट्रैक्टर एवं माल के क्रय के सम्बन्ध में भुगतान करने के पूर्व 4 प्रतिशत की धनराशि की कटौती करने के बाद आगामी माह के 1 से 20 तारीख के मध्य राजकीय कोषागार में वाणिज्य कर के हेड में जमा किया जायेगा। वैट की धारा–34(8) में ऐसा न करने पर कटौती की धनराशि के दो गुने में से अर्थदण्ड का प्राविधान है। वैट की धारा–34(9) के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज की भी देय है। इस प्रकार ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत जनार्दनपुर में रू0 34203.00 की राजकीय राजस्व/केन्द्रीय राजस्व की क्षति/हानि पहुँचाया गया है। जिस पर सरचार्ज सहित वसूली अपेक्षित है।

9 – ग्राम पंचायत– जगन्नाथपुर विकास खण्ड–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 16 वर्ष 2016–17 में प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सामग्री क्रय रूपया 1387640.00 × 4 प्रतिशत, वाणिज्य कर रूपया 55506.00, केन्द्रीय राजस्व 2.266 प्रतिशत, 31444.00 कुल रूपया–86950.00 फर्म के बिल से कटौती न करके केन्द्रीय राजस्व/राजकीय राजस्व की क्षति/हानि पहुँचाया गया है। शासन की विज्ञप्ति सं0–1315 दिनांक 07.10.2013 इस सर्कुलर के द्वारा कर योग्य माल क्रय करने पर भुगतान की जाने वाली धनराशि में से 4 प्रतिशत की दर कटौती किया जाना प्राविधानित किया गया है। केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विभाग हों। वाणिज्य कर की धारा–34(6) में प्राविधानित है कि वर्क कान्ट्रैक्टर एवं माल के क्रय के सम्बन्ध में भुगतान करने के पूर्व 4 प्रतिशत की धनराशि की कटौती करने के बाद आगामी माह के 1 से 20 तारीख के मध्य राजकीय कोषागार में वाणिज्य कर के हेड में जमा किया जायेगा। वैट की धारा–34(8) में ऐसा न करने पर कटौती की धनराशि के दो गुने में से अर्थदण्ड का प्राविधान है। वैट की धारा–34(9) के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज की भी देय है। इस प्रकार ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर में रू0 86950.00 की राजकीय राजस्व/केन्द्रीय राजस्व की क्षति/हानि पहुँचाया गया है। जिस पर सरचार्ज सहित वसूली अपेक्षित है।

10 – ग्राम पंचायत– दौलतपुर एकसारा विकास खण्ड–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 17 हैण्डपम मरम्मत, लाइट, ह्यूम पाइप, सफाई किट, कुल रु0 527653.00 व्यय–आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत, लाइट, हयूम पाइप, सफाई किट प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा खाते से आहरण किया गया है। आडिट तिथि तक साक्ष्य/व्यय प्रमाणन बार–बार मांगोपरान्त उपलब्ध नहीं कराया गया। रूपया 527653.00 व्यय अपुष्ट रहा। वर्ष में निर्माण मरम्मत कार्य में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक (बिल प्रोफार्मा, इनवाइस/ चालान पत्र) आदि तथा मजदूरी भुगतान की पुष्टि में एम0आर0 आदि महत्वपूर्ण प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने से निर्माण/मरम्मत कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार फर्जी कार्य दर्शाकर या वास्तविक कार्य से अधिक कार्य दर्शाकर धनराशि रूपया 527653.00 का अपहरण किया गया है। जो पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल कें अध्याय–8 के बिन्दुवार कार्य दिये गये प्राविधानानुसार यदि कोष बही में दर्शाये गये व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं होते हैं तो दर्शायी गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है। जिसके लिए प्रधान श्रीमती नीलम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सैय्यद नदीम रजा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 18 आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सैय्ययद नदीम रजा द्वारा 188629.00 प्रधानपति श्री सुभाष के नाम बैंक खाते से आहरण नकद कराया गया जिसके साक्ष्य/व्यय प्रमाणन अप्राप्त रहने से व्यय अपुष्ट रहा। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड–8 ″क′ एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम––256 अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है। उक्त वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी प्राम प्रधान से रू0 188629.00 अपेक्षित है। जिसके लिए संयुक्त उत्तरदायी ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। इस सम्बन्ध में सक्षम उच्च अधिकारी

का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट है। जिस पर विधि विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर 1/2 प्रधान/ 1/2 ग्राम पंचायत अधिकारी से गमन की धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु वांछित कार्यवाही हेतु आपेक्षित है।

प्रस्तर 19 वर्ष 2016–17 में प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी 982652 × 4 प्रतिशत वाणिज्य कर रूपया 39306.00, केन्द्रीय राजस्व 2.266 प्रतिशत, 22267.00 कुल रूपया–61573.00 फर्म के बिल से कटौती न करके केन्द्रीय राजस्व/राजकीय राजस्व की क्षति हानि पहुँचाया गया है। शासन की विज्ञप्ति सं–1315 दिनांक 07.10.2013 इस सर्कुलर के द्वारा कर योग्य माल क्रय करने पर भुगतान की जाने वाली धनराशि में से 4 प्रतिशत की दर कटौती किया जाना प्राविधानित किया गया है। वाणिज्य कर की धारा–34(6) में प्राविधानित है कि वर्क कान्ट्रैक्टर एवं माल के क्रय के सम्बन्ध में भुगतान करने के पूर्व 4 प्रतिशत की धनराशि की कटौती करने के बाद आगामी माह के 1 से 20 तारीख के मध्य राजकीय कोषागार में वाणिज्य कर के हेड में जमा किया जायेगा। वैट की धारा–34(8) में ऐसा न करने पर कटौती की धनराशि के दो गुने में से अर्थदण्ड का प्राविधान है। वैट की धारा–34(9) के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज भी देय है। इस प्रकार ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत दौलतपुर एकसारा में रू0 61573.00 की राजकीय राजस्व/केन्द्रीय राजस्व की क्षति/हानि पहुँचाया गया है। जिस पर सरचार्ज सहित वसूली अपेक्षित है।

11 – ग्राम पंचायत– सलारपुर विकास खण्ड–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 20 <u>ईट क्रय रूपया–351840.00</u> आलोच्य वर्ष में निम्न तिथियों में ईंट क्रय की गयी किन्तु जिससे सम्बन्धित व्यय बाउचर, स्टीमेट, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एमबी बुक आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे धन के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः व्यय की गयी धनराशि वसूली योग्य है, जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी हैं। वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	अभियुक्ति
08.04.2016	87680.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
13.11.2016	63000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
13.11.2016	12160.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
23.12.2016	63000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
23.12.2016	63000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
23.12.2016	63000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
योग–	**351840.00**	

प्रस्तर 21हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय–67950.00आलोच्य वर्ष में निम्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर बैंक खाते से धन का आहरण कर ग्राम प्रधान द्वारा नकद निकालकर व्यय दर्शाया गया है। विवरण निम्न प्रकार है :–

दिनांक	धनराशि	अभियुक्ति
06.04.2016	25000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
06.04.2016	10000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
28.06.2016	15166.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
02.08.2016	15000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
01.03.2017	2784.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
योग–	**67950.00**	

आलोच्य वर्ष में निर्माण मरम्मत कार्य में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक (बिल प्रोफार्मा), इनवाइस, चालान पत्र आदि तथा मजदूरी आदि के भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल आदि महत्वपूर्ण प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने से निर्माण/मरम्मत कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती। इस प्रकार फर्जी कार्य दर्शाकर या वास्तविक कार्य से अधिक दर्शाकर धनराशि अपहरण किया गया है, जो पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानानुसार यदि कोष बही में दर्शाये गये व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं होता है तो दर्शायी गयी धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी/प्रधान से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 22 फर्म को सीधे भुगतान सामग्री क्रय कर रू0–482755.00 × 4 प्रतिशत = 19310 आई0टी0 2.266 प्रतिशत 140939.00 कुल रू0–30249.00 फर्म के बिल से कटौती न कर प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा राजकीय राजस्व/केन्द्रीय राजस्व क्षति/हानि पहुँचायी गयी है। शासन की विज्ञप्ति सं0–1315 दिनांक 07.10.2013 इस सर्कुलर के द्वारा कर योग्य माल क्रय करने पर भुगतान के पूर्व भुगतान की जाने वाली धनराशि में से 4 प्रतिशत की दर से कटौती जिया जाना प्राविधानित किया गया है। केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विभाग हों, "वाणिज्य कर की धारा–34(6) में प्राविधानित है कि वर्क कान्ट्रैक्टर एवं माल में क्रय के सम्बन्ध में भुगतान करने के पूर्व 4 प्रतिशत धनराशि की कटौती करने के बाद आगामी माह 01 से 20 तारीख के मध्य राजकीय कोषागार में वाणिज्य कर के हेड में जमा किया जाना चाहिए था।

वैट की धारा–34(8) में ऐसा न करने पर कटौती की धनराशि के दो गुने के अर्थदण्ड का प्राविधान है। वैट की धारा–34(9) के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज भी देय है। इस प्रकार ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सलारपुर में वर्ष 2016–17 में रू0 30249.00 केन्द्रीय राजस्व/राजकीय राजस्व हानि/क्षति पहुँचायी गयी, जिस पर सरचार्ज सहित ग्राम प्रधान श्री एलाकुर्रहमान व ग्राम विकास अधिकारी श्री रामजीत यादव से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 23मस्टर रोल पर व्यय–रू0 86339.00 आलोच्य वर्ष में मजदूरी पर निम्न तिथियों पर व्यय दर्शाया गया, जिसके सापेक्ष मस्टर रोल, कार्य योजना, स्टीमेट, उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक आदि नहीं प्रस्तुत रही, जिससे नियमानुसार धन वसूली योग्य है। उक्त की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	अभियुक्ति
16.05.2016	20366.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
06.06.2016	21219.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
07.04.2016	19920.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
09.06.2016	24834.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
योग	**86339.00**	

ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7, एवं खण्ड–8 क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम–256 अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से रूपया–86339.00 की वसूली अपेक्षित है। ग्राम पंचायत सलारपुर के आडिट के दौरान बार–बार मांगोपरान्त परियोजनावार स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य का रजिस्टर, निर्माण समिति का अनुमोदन, सतर्कता समिति की निगरानी रिपोर्ट आडिट में प्रस्तुत न करने से उपभोग/आहरण की गयी धनराशि उक्त ग्राम पंचायत में आडिट की दृष्टि से अपुष्ट रही, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है, जिसके लिए संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है।

प्रस्तर 24सोलर लाइट पर व्यय–90000.00आलोच्य वर्ष में दिनांक 10.11.2016 को 45000.00 रूपया जे0डी0 कान्सट्रेक्शन के नाम व 24.11.2016 को नवीन कान्सट्रेक्शन का नाम रू0–45000.00 कुल रूपया 90000.00 ग्राम प्रधान श्री एलाकुर्रहमान व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामजीत यादव द्वारा फर्म को चेक काट कर कोष बही में व्यय अंकित कर किया गया है। आडिट के दौरान सोलर लाइट किस–किस जगह लगायी गयी। स्थिति अस्पष्ट रहने से व्यय अपुष्ट रहा तथा बार–बार मांगोपरान्त आडिट में साक्ष्य/व्यय प्रमाणन ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार प्रधान श्री एलाकुर्रहमान व ग्राम विकास अधिकारी श्री रामजीत यादव पूर्णरूप से उततरदायी हैं। इस प्रकार काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम उच्च अधिकारी 2 वही ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। जिस पर विधि विरूद्ध आवश्यक वैधानिक ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

प्रस्तर 25प्रशासनिक मद अन्य के नाम रू0–59000.00निम्न विवरणानुसार ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रशासनिक मद दिखाकर ग्राम पंचायत के अनुदान की धनराशि को अनियमित ढंग से रूपया 59000.00 बिना प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन अपहरित किया गया। विवरण निम्न प्रकार है

04.02.2017 प्रशासनिक मद में जावेद प्रिया साफ्ट फीडिंग–20000.00

26.02.2017 प्रधान द्वारा ठेला क्रय–14000.00

28.06.2016 कन्हैया सहायक के नाम–15000.00

06.06.2016 कन्हैया सहायक के नाम–10000.00

कुल रूपया–59000.00 इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा शासनादेश की अनुदेखी करके रूपया– 59000.00 मनमाने तरीके से सम्बन्धित फर्म को भुगतान न कर नियमों के विपरीत व्यक्ति के नाम चेक काटकर धन का अपहरण किया गया। जिसके उत्तरदायी प्रधान एलाकुर्रहमान व ग्राम विकास अधिकारी श्री रामजीत यादव पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं। जिस पर दण्डात्मक ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में सक्षम उच्च अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट है। जिसके विधि विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

12 – ग्राम पंचायत– चितवई विकास खण्ड–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 26 ईट क्रय पर व्यय रूपया–481878.00आलोच्य वर्ष में निम्न तिथियों में क्रय की गयी किन्तु इससे सम्बज्धित व्यय बाउचर, स्टीमेट उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण समिति का अनुमोदन जे0ई0 आर0ई0एस0 तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सहायक विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे धन के व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका, धन ब्याज सहित वसूली योग्य है।

दिनांक	धनराशि	अभियुक्ति
11.05.2016	37800.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
17.09.2016	74400.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत

29.06.2016	32500.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
07.01.2017	126000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत टेण्डर नहीं
11.01.2017	110590.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
07.02.2017	25000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
18.03.2017	17885.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
24.03.2017	57703.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
योग	**481878.00**	

प्रस्तर 27प्रधानपति अहमद के नाम रूपया 316338.00 आहरणवर्ष 2016–17 में प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रधान पति श्री इरशाद अहमद के नाम नकद चेक काटकर बिना व्यय प्रमाणक व उपभोग प्रमाण पत्र तथा स्टीमेट आदि के बिना ईट क्रय नगद दर्शाकर हैण्ड पम्प मरम्मत एम0आर० ईंट क्रय आदि नकद चेक काटकर प्रधान पति इरशाद अहमद के नाम चेक काटकर बिना व्यय प्रमाणन के निम्न विवरणानुसार रूपया 316338.00 का अपहरण किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है :–

दिनांक	**प्रधानपति के नाम (सामान क्रय)**	**धनराशि**	**अभियुक्ति**
05.05.2016	इरशाद अहमद प्रधानपति	17871.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
05.05.2016	हैण्डपम्प मरम्मत "	32000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
17.06.2016	ईट क्रय नगद "	10100.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
17.06.2016	ईट क्रय नगद "	18300.00	ईट क्र नगद व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
17.06.2016	एम0आर0 "	18900.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
17.06.2016	ईट क्रय नगद "	11340.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
17.06.2016	एम0आर0 "	14790.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
17.06.2016	एम0आर0 "	5000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
12.09.2016	एम0आर0 "	11580.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
29.09.2016	एम0आर0 "	8230.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
06.10.2016	ईट क्रय नगद "	9150.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
16.12.2016	ईट क्रय नगद "	9900.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
17.12.2016	ईट क्रय नगद "	5000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
17.12.2016	ईट क्रय नगद "	9100.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
06.01.2017	ईट क्रय नगद "	16008.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
11.01.2017	ईट क्रय नगद "	7830.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
11.01.2017	मस्टर रोल "	22366.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
24.01.2017	मस्टर रोल "	15444.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
31.01.2017	हैण्ड पम्प मरम्मत "	14913.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
07.02.2017	मस्टर रोल "	22320.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
06.03.2017	मस्टर रोल "	1438.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
06.03.2017	हैण्ड पम्प मरम्मत "	15862.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
06.03.2017	एम0आर0 "	18896.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
योग		**31338.00**	

ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड–8 का एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है। जो अधिभार योग्य है। रूपया 316338.00 ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा व अरुण कुमार चतुर्वेदी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अनियमित तरीके से प्रधान पति के नाम शासनादेश की अनदेखी करके व्यय अपहरण किया गया। आडिट के दौरान बार–बार मांगोंपरान्त परियोजनावार स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजन, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य का रजिस्टर, निर्माण समिति का अनुमोदन, सतर्कता समिति की निगरानी रिपार्ट आदि आडिट में प्रस्तुत न करने से उपभोग/आहरण की गयी धनराशि उक्त ग्राम पंचायत आडिट की दृष्टि से अपुष्ट रही। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित अपेक्षित है। जिसके लिए संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं, जिनकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 28 <u>सामग्री क्रय पर केन्द्रीय राजस्व/राजकीय राजस्व 47999.00</u> आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रूपया 766022.00 का सामान क्रय किया गया है, जिस पर 4 प्रतिशत बैट रूपया 30641.00 व आई0टी0 रूपया 17358.00 कूल रुपया 41999.0 की फर्म को सीधे भुगतान कर क्षति/हानि पहुँचायी गयी। शासन की विज्ञप्ति सं0–1315 दिनांक 07.10.2013 इस सर्कुलर के द्वारा कर योग्य माल क्रय करने पर भुगतान के पूर्व भुगतान की जाने वाली धनराशि में से 4 प्रतिशत की दर से कटौती किया जाना प्राविधानित किया गया है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों, वाणिज्यकर की धारा–34(6) में प्राविधानित है कि वर्क कान्ट्रेक्टर एवं माल के क्रय के सम्बन्ध में भुगतान करने के पूर्व 4 प्रतिशत की धनराशि की कटौती करने के बाद आगामी माह 01 से 20 तारीख के मध्य राजकीय कोषागार में वाणिज्य कर के हेड में जमा किया जाना चाहिये था।

वैट की धारा–34(8) में ऐसा न करने पर कटौती की धनराशि के दो गुने के अर्थदण्ड का प्राविधान है। वैट की धारा–34(9) के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज भी देय है। इस प्रकार ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत चितवई के वर्ष 2016–17 में सामान रूपया 766022.00 के कुल रूपया 47999.00 की केन्द्रीय राजस्व एवं राजकीय राजस्व की क्षति/हानि पहुँचाया गया है। जिस पर सरचार्ज सहित सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 29अन्य व्यक्ति के नाम रूपया 54500.00 आलोच्य वर्ष में निम्न व्यक्तियों/कर्मचारियों के नाम शासनादेश की अनदेखी करके धन अपहरण किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है :–

दिनांक	अन्य के नाम	धनराशि	अभियुक्ति
04.07.2016	अजय हैण्डपम्प मरम्मत	8000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
21.09.2016	धीरेन्द्र कुमार "	18200.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
29.11.2016	सद्दाम "	10000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
29.11.2016	अरुण कुमार चतुर्वेदी ग्राम विकास अधिकारी	10000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
18.11.2016	मो0 जावेद प्रिया साफ्ट फीडिंग (कैशबुक हैण्डपम्प मरम्मत)	8300.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
योग		**54500.00**	

उपरोक्त विवरण के अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा व ग्राम विकास अधिकारी श्री अरूण कुमार चतुर्वेदी द्वारा रूपया 54500.00 खाते से आहरण कर व्यय प्रमाणन/साक्ष्य अप्रस्तुत कर शासकीय धन को अपहृत किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 30सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट पर रूपया 265300.00 आलोच्य वर्ष 2016–17 में बिना स्टीमेट कार्ययोजना उपभोग प्रमाण पत्र के सोलर लाइट जे0डी0 कान्सट्रक्शन के द्वारा कैशबुक में व्यय रूपया–265300.00 दर्शित किया गया है। आडिट तिथि तक साक्ष्य/व्यय प्रमाणन अप्रस्तुत रहने से व्यय अपुष्ट रहा जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है :–

दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि	अभियुक्ति
05.11.2016	जे0डी0 कान्स्ट्रक्शन सोलर लाइट	31000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
19.11.2016	जे0डी0 कान्स्ट्रक्शन सोलर लाइट	68700.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
29.12.2016	जे0डी0 कान्स्ट्रक्शन सोलर लाइट	52000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
18.02.2017	जे0डी0 कान्स्ट्रक्शन सोलर लाइट	113600.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
योग		**265300.00**	

उपरोक्त विवरणानुसार ग्राम पंचायत चितवई में जे0डी0 कान्स्ट्रक्शन के माध्यम से सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट रूपया 265300.00 का लगाया गया कैशबुक में अंकित है। आडिट के दौरान साक्ष्य/व्यय प्रमाणन अप्रस्तुत रहने से व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा व अरुण कामार चुतर्वेदी ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। जिनसे वसूली कर संस्था में जमा कराया जाना अपेक्षित है। यह भी उल्लेखनीय है कि सोलर लाइट किस–किस जगह लगायी है। कोई साक्ष्य/व्यय प्रमाणन प्राप्त नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में सक्षम उच्च अधिकारी महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट है। निर्माण कार्य में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामाग्री क्रय प्रमाणक (बिल प्रोफार्मा, इनवाइस, चालान पत्र आदि तथा वास्तविक कार्य/फर्जी कार्य दर्शाकर व्यय अपहरण है। जो पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पचायतों के वित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 बिन्दु–8 (क) में दिये गये प्राविधान अनुसार यदि कोष बही में दर्शाये गये व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं होता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है। जिसके लिए ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

13 – ग्राम पंचायत– पिपरी सैदपुर विकास खण्ड–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 31 वर्ष 2016–17 में प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सामग्री क्रय रूपया 420247.00 × 4 प्रतिशत, वाणिज्य कर रूपया 16810.00, केन्द्रीय राजस्व 2.266 प्रतिशत, 9523 कुल रूपया 26333.00 फर्म के बिल से कटौती न करके केन्द्रीय राजस्व/राजकीय राजस्व की क्षति/हानि पहुँचाया गया है। शासन की विज्ञप्ति सं0–1315 दिनांक 07.10.2013 इस सर्कुलर के द्वारा कर योग्य माल क्रय करने पर भुगतान की जाने वाली धनराशि में से 4 प्रतिशत की दर से कटौती किया जाना प्राविधानित किया गया है। केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विभाग हों। वाणिज्य कर की धारा–34(6) में प्राविधानित है कि वर्क कान्ट्रैक्टर एवं माल के क्रय के सम्बन्ध में भुगतान करने के पूर्व 4 प्रतिशत की धनराशि की कटौती करने के बाद आगामी माह के 1 से 20 तारीख के मध्य राजकीय कोषागार में वाणिज्य कर के हेड में जमा किया जायेगा। वैट की धारा–34(8) में ऐसा न करने पर कटौती की धनराशि के दो गुने में से अर्थदण्ड का प्राविधान है। बैट की धारा–34(9) के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज की भी देय है। इस प्रकार ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत पिपरी सैदपुर में रू0 26333.00 की राजकीय राजस्व/केन्द्रीय राजस्व की क्षति/हानि पहुँचाया गया है। जिस पर सरचार्ज सहित वसूली अपेक्षित है।

14 – ग्राम पंचायत– बसंतपुर विकास खण्ड–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 32ईट क्रय रूपया–99200.00दिनांक 03.09.2016 को प्रधान द्वारा रू0–99200.00 नगद ईंट कोष बही में दर्शित किया गया है, के सम्बन्ध में आडिट तिथि तक साक्ष्य/व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने से व्यय अपुष्ट रहा। बिना प्रमाणक के दर्शित व्यय वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान कुमारी रीता देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री रामहित यादव से अपेक्षित है।

प्रस्तर 33हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय रूपया–36400.00 आलोच्य वर्ष में निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत प्रधान द्वारा कराया जाना दर्शित है। आडिट तिथि तक साक्ष्य/व्यय प्रमाणन अप्राप्त रहने से व्यय अपुष्ट रहा। वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	अभियुक्ति
04.04.2016	25000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
27.04.2016	10000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
04.02.2017	1400.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
योग	**36400.00**	

उपरोक्त विवरणानुसार निर्माण मरम्मत कार्य में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक (बिल प्रोफार्मा), इनवाइस, चालान पत्र आदि तथा मजदूरी आदि के भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल आदि महत्वपूर्ण प्रमाणक जाँच हेतु प्रस्तुत न किये जाने से निर्माण/मरम्मत कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती। इस प्रकार फर्जी कार्य दर्शाकर या वास्तविक कार्य से अधिक दर्शाकर धनराशि अपहरण किया गया है, जो पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानानुसार यदि कोष बही में दर्शाये गये व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं होता है तो दर्शायी गयी धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है, जिसके लिए ग्राम विकास अधकारी श्री रामजीत यादव व कुमारी रीता देवी प्रधान से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 34सामग्री क्रय पर राजकीय राजस्व/केन्द्रीय राजस्व रूपया–29054.00 आलोच्य वर्ष में सामान क्रय सामग्री रूपया 463664.00 × 4 प्रतिशत = 18547.00 व आई0टी0 2.266 प्रतिशत से रूपया = 29054.00 शासन की विज्ञप्ति सं0–1315 दिनांक 07.10.2013 इस सर्कुलर के द्वारा कर योग्य माल क्रय करने पर भुगतान के पूर्व भुगतान की जाने वाली धनराशि में से 4 प्रतिशत की दर से कटौती किया जाना प्राविधानित किया गया है। क्षेत्र सरकार/राज्य सरकार के विभाग हों, "वाणिज्य कर की धारा–34(6) में प्राविधानित है कि वर्क कान्ट्रेक्टर एवं माल में क्रय के सम्बन्ध में भुगतान करने के पूर्व 4 प्रतिशत धनराशि की कटौती करने के बाद आगामी माह 01 से 20 तारीख के मध्य राजकीय कोषागार में वाणिज्य कर के हेड में जमा किया जाना चाहिए था।

वैट की धारा–34(8) में ऐसा न करने पर कटौती की धनराशि के दो गुने के अर्थदण्ड का प्राविधान है। वैट की धारा–34(9) के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज भी देय है। इस प्रकार ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत बसन्तपुर में वर्ष 2016–17 में सामान क्रय पर रू0 463664.00 × 4 प्रतिशत = 18547.00 व आई0टी0 10507. 00 = 29054.00 केन्द्रीय राजस्व/राजकीय राजस्व हानि/क्षति पहुँचायी गयी। जिस पर सरचार्ज ग्राम प्रधान श्री रीता देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री रामजीत यादव से सरचार्ज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 35मस्टर रोल पर व्यय–109482.00आलोच्य वर्ष में मजदूरी पर निम्न तिथियों पर व्यय दर्शाया गया, जिसके सापेक्ष मस्टर रोल, कार्य योजना, स्टीमेट, उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक आदि नहीं प्रस्तुत रही, जिससे नियमानुसार धन वसूली योग्य है। उक्त की वसूली ग्राम प्रधान कुमारी रीता देवी प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी श्री रामजीत यादव उत्तरदायी हैं जिससे वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	अभियुक्त
06.04.2016	9918.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
09.05.2016	9918.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
19.09.2016	19836.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
19.09.2016	20010.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
07.10.2016	9918.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
12.10.2016	15000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
25.10.2016	13920.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
27.01.2017	10962.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
योग	**109482.00**	

ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड––7 एवं खण्ड–8 क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम–256 अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से रूपया–109482.00 की वसूली अपेक्षित है। ग्राम पंचायत समडीह के आडिट के दौरान बार–बार मांगोपरान्त परियोजनावार स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य का रजिस्टर, निर्माण समिति का अनुमोदन,

सतर्कता समिति की निगरानी रिपोर्ट आडिट में प्रस्तुत न करने से उपभोग/आहरण की गयी घनराशि उक्त ग्राम पंचायत में आडिट की दृष्टि से अपुष्ट रहीं, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है, जिसके लिए संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है।

दिनांक	**धनराशि**	**अभियुक्ति**
06.04.2016	9918.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
09.05.2016	9918.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
19.09.2016	19836.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
19.09.2016	20010.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
07.10.2016	9918.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
12.10.2016	15000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
25.10.2016	13920.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
27.01.2017	10962.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
टोटल	**109482.00**	

प्रस्तर 36<u>सोलर पर व्यय रूपया–67500.00</u>दिनाक 21.02.2047 को बी0के० ट्रेडर्स के द्वारा सोलर लाइट रूपया 67500. 00 चेक द्वारा ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा व्यय किया गया दर्शित है, जिसके साक्ष्य/व्यय प्रमाणन आडिट तिथि तक अनुपलब्ध रहने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी हैं। जिससे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 37<u>कन्हैया के नाम (सहायक) रुपया–111164.00</u>प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने सहायक कन्हैया लाल के नाम नगद चेक काटकर बैंक से आहरण कराकर रू0 111164.00 निम्न तिथियों में व्यय अपहरित किया गया। विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	**धनराशि**	**अभियुक्ति**
06.04.2016	10000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
27.07.2016	10000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
10.10.2016	15000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
25.10.2016	14000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
27.10.2016	11000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
04.10.2017	1400.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
08.03.2017	24882.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
17.03.2017	24882.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
योग	**111164.00**	

उपरोक्त विवरण के अनुसार कन्हैया के नाम रू0 111164.00 बैंक खाते से आहरित कर कैशबुक में दर्शित किया गया है। आडिट में साक्ष्य, व्यय प्रमाणन अनुपलब्ध रहने से व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण मरम्मत कार्य में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक (बिल प्रोफार्मा, इनवाइस, चालान पत्र आदि तथा मजदूरी आदि के भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल आदि महत्वपूर्ण प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने से निर्माण/मरम्मत कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती। इस प्रकार फर्जी कार्य दर्शाकर या वास्तविक कार्य से अधिक दर्शाकर धनराशि अपहरण किया गया है, जो पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानानुसार यदि कोष बही में दर्शाये गये व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं होता है तो दर्शायी गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान कुमारी रीता देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री रामजीत से यादव से अपेक्षित है।

15 – ग्राम पंचायत– खानशापुर विकास खण्ड–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 38 <u>ग्राम पंचायत खानशाहपुर की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए, जो पूर्णतः अपहरण से सम्बंधित पाए गए–</u>यह कि आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि–I से प्राप्त अनुदान में से रु. 591776.00 आहरित कर विविध कार्य जैसे निर्माण सामग्री क्रय, अन्य विविध व्यय के रूप में दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल/क्रय सामग्री बिल/कैशमेमो आदि लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया, साथ ही ग्राम पंचायत की खुली बैठक, कमेटियों की बैठक आदि से सम्बंधित कार्यवाही पंजियां एवं जांच/निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की कोई टिप्पणी वर्षपर्यन्त नहीं रखी गई तथा कराए गए निर्माण कार्यो से सम्बंधित कार्य योजना, स्टीमेट, एमबी, कोटेशन, टेण्डर, उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिससे ऑडिट के अनुसार व्यय धनराशि की पुष्टि कदापि नहीं होती। अतः स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु. 591776. 00 अनियमित एवं प्रमाणकविहीन व्यय किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त

धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती जेहरा ग्राम प्रधान एवं श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से कुल धनराशि रु. 591776.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

16 – ग्राम पंचायत– गुवांव विकास खण्ड–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 39लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में ईंट क्रय किए गए, परन्तु उक्त फर्म से व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। विवरण निम्न प्रकार हैः–

दिनांक	चेक सं0	धनराशि	विवरण
28.04.2016	95	24700.00	मेसर्स एल.एन.टी. ईट उद्योग
28.04.2016	98	7800.00	मेसर्स एल.एन.टी. ईट उद्योग
28.04.2016	100	16900.00	मेसर्स एल.एन.टी. ईट उद्योग
06.06.2016	58	32407.00	मेसर्स एल.एन.टी. ईट उद्योग
06.06.2016	105	2957.00	मेसर्स एल.एन.टी. ईट उद्योग
19.08.2016	122	25200.00	मेसर्स एल.एन.टी. ईट उद्योग
19.08.2016	123	25200.00	मेसर्स एल.एन.टी. ईट उद्योग
02.11.2016	108	25200.00	मेसर्स एल.एन.टी. ईट उद्योग
02.11.2016	110	50400.00	मेसर्स एल.एन.टी. ईट उद्योग
30.12.2016	116	37800.00	मेसर्स एल.एन.टी. ईट उद्योग
28.03.2017	142	44100.00	मेसर्स एल.एन.टी. ईट उद्योग
	योग	**292664.00**	

उपरोक्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए, साथ ही डिलीवरी चालान, बिल, कैशमेमो, एम.बी. प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती प्रतिमा वर्मा ग्राम प्रधान से रु. 146332.00 एवं श्री रामजीत यादव तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से रु. 146332.00 कुल धनराशि रु. 292664.00 संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 40लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान, प्रधान पति एवं अन्य व्यक्तियों को सीधे भुगतान किया गया है, जिसकी पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उक्त भुगतान प्रायः पूर्ण गुणक में नहीं है, इस प्रकार अनियमित ढंग से व्यय दर्शित किया गया है। विवरण निम्नवत है–

दिनांक	चेक सं0	धनराशि	विवरण
20.04.2016	93	10000.00	श्री दिलीप वर्मा को भुगतान
25.04.2016	96	7500.00	श्री दिलीप वर्मा को भुगतान
25.04.2016	102	7500.00	श्री दिलीप वर्मा को भुगतान
12.05.2016	103	4680.00	श्री दिलीप वर्मा को भुगतान
04.06.2016	59	6960.00	श्री दिलीप वर्मा को भुगतान
21.07.2016	60	17922.00	श्री दिलीप वर्मा को भुगतान
18.10.2016	107	18678.00	श्री दिलीप वर्मा को भुगतान
25.10.2016	111	19836.00	श्री दिलीप वर्मा को भुगतान
25.10.2016	109	11832.00	श्री दिलीप वर्मा को भुगतान
22.11.2016	112	10000.00	श्री दिलीप वर्मा को भुगतान
23.11.2016	113	14000.00	श्री दिलीप वर्मा को भुगतान
30.11.2016	114	16040.00	श्री दिलीप वर्मा को भुगतान
07.12.2016	115	10564.00	श्री दिलीप वर्मा को भुगतान
17.12.2016	117	13050.00	श्री दिलीप वर्मा को भुगतान
16.01.2017	119	12876.00	श्री कन्हैया लाल को भुगतान
04.05.2016	92	3400.00	श्री कन्हैया लाल को भुगतान
29.06.2016	121	10000.00	श्री कन्हैया लाल को भुगतान
07.10.2016	124	10000.00	श्री कन्हैया लाल को भुगतान
27.01.2017	137	5000.00	श्री कन्हैया लाल को भुगतान
04.03.2017	140	24882.00	श्री कन्हैया लाल को भुगतान
04.03.2017	141	24882.00	श्रीमती प्रतिमा वर्मा को भुगतान
09.03.2017	143	9918.00	श्रीमती प्रतिमा वर्मा को भुगतान
09.03.2017	144	32240.00	श्रीमती प्रतिमा वर्मा को भुगतान
16.03.2017	146	23838.00	श्रीमती प्रतिमा वर्मा को भुगतान

22.03.2017	147	25000.00	श्रीमती प्रतिमा वर्मा को भुगतान
31.03.2017	148	19836.00	श्रीमती प्रतिमा वर्मा को भुगतान
	योग–	**368634.00**	

उपरोक्त से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, बिल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए। प्रधानपति एवं अन्य के नाम से ग्राम निधि से आहरण अनियमित रहा, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती प्रतिमा वर्मा ग्राम प्रधान से रु. 184317.00 एवं श्री रामजीत यादव तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से रु. 184317.00 कुल धनराशि रु. 368634.00 संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 41लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में एजेंसियों/फर्मों से सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट क्रय एवं मरम्मत तथा अन्य मदों में सामान क्रय किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है

दिनांक	**चेक सं0**	**धनराशि**	**विवरण**
28.04.2016	97	7270.00	एच.एल. ट्रेडर्स को भुगतान
28.04.2016	99	2430.00	एच.एल. ट्रेडर्स को भुगतान
28.04.2016	101	5202.00	एच.एल. ट्रेडर्स को भुगतान
07.06.2016	104	21883.00	एच.एल. ट्रेडर्स को भुगतान
25.07.2017	136	28400.00	एच.एल. ट्रेडर्स को भुगतान
15.03.2017	145	41600.00	एच.एल. ट्रेडर्स को भुगतान
21.10.2016	106	37500.00	नवीन कान्ट्रैक्टर्स को भुगतान
	योग–	**144285.00**	

उक्त से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, एम.बी. प्रमाण पत्र, डिलीवरी चालान, कैशमेमो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतःः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती प्रतिमा वर्मा ग्राम प्रधान एवं श्री रामजीत यादव तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से कुल धनराशि रु. 144285.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

17 – ग्राम पंचायत– खौरपुर विकास खण्ड–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 42लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में ईट क्रय किया गया, परन्तु फर्मों से व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। विवरण निम्न प्रकार है–

दिनांक	**चेक सं0**	**धनराशि**	**विवरण**
07.04.2016	100	57600.00	सतीश ब्रिक फील्ड
07.04.2016	101	51200.00	सतीश ब्रिक फील्ड
10.06.2016	122	8960.00	सतीश ब्रिक फील्ड
10.06.2016	124	8320.00	सतीश ब्रिक फील्ड
09.03.2017	167	37800.00	सतीश ब्रिक फील्ड
20.03.2017	168	31500.00	सतीश ब्रिक फील्ड
20.03.2017	172	69300.00	सतीश ब्रिक फील्ड
26.08.2016	131	96000.00	अरविन्द कुमार वर्मा ईट भट्ठा
08.11.2016	153	27910.00	अरविन्द कुमार वर्मा ईट भट्ठा
	योग–	**388590.00**	

उपरोक्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए, साथ ही डिलीवरी चालान, बिल, कैशमेमो, एमबी. प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती विद्यावती ग्राम प्रधान एवं श्री विनय कुमार वर्मा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से कुल घनराशि रू. 388590.00 संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 43 लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान एवं अन्य व्यक्तियों को सीधे भुगतान किया गया है, जिसकी पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उक्त भुगतान प्रायः पूर्ण गुणक में नहीं है, इस प्रकार अनियमित ढंग से व्यय दर्शित किया गया है। विवरण निम्नवत है–

दिनांक	**चेक सं0**	**धनराशि**	**विवरण**
04.06.2016	105	18878.00	श्रीमती विद्यावती को भुगतान

04.06.2016	104	20520.00	श्रीमती विद्यावती को भुगतान
18.06.2016	126	15270.00	श्रीमती विद्यावती को भुगतान
18.06.2016	125	25950.00	श्रीमती विद्यावती को भुगतान
14.12.2016	158	5750.00	श्रीमती विद्यावती को भुगतान
14.12.2016	157	8400.00	श्रीमती विद्यावती को भुगतान
13.02.2017	165	15000.00	श्रीमती विद्यावती को भुगतान
07.03.2017	169	10092.00	श्रीमती विद्यावती को भुगतान
07.03.2017	170	9570.00	श्रीमती विद्यावती को भुगतान
27.03.2017	174	21240.00	श्रीमती विद्यावती को भुगतान
31.12.2016	159	12500.00	नकद भुगतान
31.12.2016	160	10000.00	नकद भुगतान
23.01.2017	163	22500.00	नकद भुगतान
04.02.2017	162	15000.00	नकद भुगतान
26.08.2016	133	20880.00	श्री विनय कुमार वर्मा को भुगतान
27.09.2016	135	60458.00	श्री विनय कुमार वर्मा को भुगतान
13.12.2016	156	8500.00	श्री विनय कुमार वर्मा को भुगतान
01.09.2016	130	57000.00	श्री खुशीराम को भुगतान
28.09.2016	134	57000.00	श्री खुशीराम को भुगतान
	योग–	**414508.00**	

उपरोक्त से सम्बधित कोई भी व्यव प्रमाणक, मस्टर रोल, बिल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए। प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य के नाम से ग्राम निधि से आहरण अनियमित रहा, जो प्राग पंचायत डे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 6(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती विद्यावती ग्राम प्रधान से रू 20725400 एवं श्री विनय कुमार वर्मा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से रु. 207254.00 कुल धनराशि रु 414508.00 संपुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 44लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में एजेंसियों/फर्म से सीमेंट, निर्माण एवं मरम्मत हेतु सामग्री क्रय की गई, जिसका विवरण निम्नवत है–

दिनांक	**चेक सं0**	**धनराशि**	**विवरण**
13.05.2016	103	7656.00	अरविन्द वर्मा सीमेन्ट एजेन्सी
13.05.2016	102	7482.00	अरविन्द वर्मा सीमेन्ट एजेन्सी
04.06.2016	123	44568.00	अरविन्द वर्मा सीमेन्ट एजेन्सी
04.06.2016	121	45636.00	अरविन्द वर्मा सीमेन्ट एजेन्सी
29.08.2016	132	58200.00	अरविन्द वर्मा सीमेन्ट एजेन्सी
28.09.2016	151	98100.00	अरविन्द वर्मा सीमेन्ट एजेन्सी
04.10.2016	152	25800.00	ओम सांईनाथ ट्रेडर्स
28.11.2016	155	6000.00	ओम सांईनाथ ट्रेडर्स
	योग–	**293442.00**	

उक्त से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, एमबी. प्रमाण पत्र, डिलीवरी चालान, कैशमेमो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 के 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती विद्यावती ग्राम प्रधान एवं श्री विनय वर्मा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से कुल धनराशि रु. 293442.00 अद्यावधि ब्याज किया जाना अपेक्षित है।

18 – ग्राम पंचायत– भुआालपुर विकास खण्ड–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 45ग्राम पंचायत भुआलपुर की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए, जो पूर्णतः अपहरण से सम्बंधित पाए गए–यह कि आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि–I से प्राप्त अनुदान में से रु. 408166.00 आहरित कर विविध कार्य जैसे निर्माण सामग्री क्रय, अन्य विविध व्यय के रूप में दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल/क्रय सामग्री बिल/कैशमेमो आदि लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया, साथ ही ग्राम पंचायत की खुली बैठक, कमेटियों की बैठक आदि से सम्बंधित कार्यवाही पंजियां एवं जांच/निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की कोई टिप्पणी वर्षपर्यन्त नहीं रखी गई तथा कराए गए निर्माण कार्यों से सम्बंधित कार्य योजना, स्टीमेट, एम. बी., कोटेशन/टेण्डर, उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिससे ऑडिट के अनुसार व्यय धनराशि की पुष्टि कदापि नहीं होती। अतः स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु. 408166.00

अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राम जनम वर्मा ग्राम प्रधान एवं श्री रामजीत यादव तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से कुल धनराशि रु. 408166.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

19 – ग्राम पंचायत– चितईपट्टी विकास खण्ड–जलालपुर जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 46आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित तिथियों में धनराशि का आहरण किया गया है, जिसका व्यय कैश बुक में दर्शित नहीं किया गया है, व्यय पक्ष में कोई विवरण अंकित नहीं किया गया।

क्र.	दिनांक	धनराशि	के पक्ष में भुगतान	व्यय का विवरण	व्यय प्रमाणक संख्या
1	09.02.2017	13920.00	लल्लन प्रसाद	कैश बुक में व्यय विवरण दर्शित नहीं है	अनुपलब्ध
2	22.02.2017	15000.00	02/23715	कैश बुक में व्यय विवरण दर्शित नहीं है	अनुपलब्ध
3	02.03.2017	20000.00	126902/29657	कैश बुक में व्यय विवरण दर्शित नहीं है	अनुपलब्ध
	योग–	**48920.00**			

उपरोक्त विवरणानुसार आहरित धनराशि रु. 48920.00 को कैश बुक के व्यय पक्ष में नहीं दर्शित किया गया है। अतः उक्त आहरित धनराशि किस मद में व्यय किया गया है, इसके सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं दिया गया एवं उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक में प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं ग्राम सभा का प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि को आहरित कर अपहरण कर लिया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–6 के खण्ड–7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लन प्रसाद एवं पंचायत सचिव श्री ओंकार नाथ यादव से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 47आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 23.05.2016 को रु. 33650.00 का भुगतान गया प्रसाद के पक्ष में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, ग्रामसभा का प्रस्ताव, जल प्रबन्ध समिति की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया। हैण्डपम्प वाइज मरम्मत कार्य का आगणन तैयार कर क्रय सामग्री के औचित्य/उपभोग की जांच नहीं करायी गयी एवं हैण्डपम्पों से निकले खराब सामानों का डिस्पोजल स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध रहा। अतः उपरोक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है। फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि रु. 33650.00 का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लन प्रसाद एवं पंचायत सचिव श्री ओंकार नाथ यादव से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

20 – ग्राम पंचायत– डीह भियांव विकास खण्ड–जलालपुर जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 48 ग्राम पंचायत की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियें में इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र.	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण	व्यय प्रमाणक संख्या
1	08.12.2016	14165.00	इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
2	02.02.2017	14300.00	इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
	योग–	48920.00		

उपरोक्त विवरणा के अनुसार इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय रु0 28465.00 कैश बुक में दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, ग्राम सभा का प्रस्ताव, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृत प्रस्तुत नहीं किया गया। हैण्ड पम्प वाइज मरम्मत कार्य का आगणन तैयार कर क्रय सामग्री के औचित्य/उपभोग की जॉच नहीं कराई गयी एवं हैण्ड पम्पों से निकले खराब सामानों का डिस्पोजल स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध रहा, हैण्ड पम्पों के स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है। फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि रु. 74027.00 का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पा एवं पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 49आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित तिथियों में धनराशि का आहरण किया गया है, जो कि अस्पष्ट एवं व्यय प्रमाणक विहीन हैं विवरण निम्नवत है।

क्र.	दिनांक	धनराशि	के पक्ष में भुगतान	व्यय का विवरण	व्यय प्रमाणक संख्या
1	05.08.2016	28336.00	बृजेश कुमार सिंह	अस्पष्ट	अनुपलब्ध
2	03.09.2016	17226.00	बृजेश कुमार सिंह	अस्पष्ट	अनुपलब्ध
	योग	**45562.00**			

उपरोक्त विवरणानुसार आहरित धनराशि रु. 45562.00 के सम्बन्ध में कैश बुक में कोई स्पष्ट व्यय विवरण दर्शित नहीं किया गया है। अतः उक्त आहरित धनराशि किस मद में व्यय किया गया है। इसके सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं दिया गया एवं उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक में प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं ग्राम सभा का प्रस्ताव व किसी स्थाई समिति का अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि को आहरित कर अपहरण कर लिया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पा एवं पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

21 –ग्राम पंचायत– रहीमपुर पटटी विकास खण्ड–जलालपुर जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 50 ग्राम पंचायत की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र.	दिनांक	धनराशि	के पक्ष में भुगतान	व्यय का विवरण	व्यय प्रमाणक संख्या
1	15.07.2016	41430.00	474402/19	इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
2	08.12.2016	12840.00	मौर्या हार्डवेयर	इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
3	20.01.2017	12040.00	मौर्या हार्डवेयर	इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
	योग	**66310.00**			

उपरोक्त विवरण के अनुसार इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय रु० 66310.00 कैश बुक में दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, ग्राम सभा का प्रस्ताव, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृत प्रस्तुत नहीं किया गया। हैण्ड पम्प वाइज मरम्मत कार्य का आगणन तैयार कर क्रय सामग्री के औचित्य/उपभोग की जंच नहीं कराई गयी एवं हैण्ड पम्पों से निकले खराब सामानों का डिस्पोजल स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध रहा, हैण्ड पम्पों के स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है। फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि रु. 66310.00 का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतःः उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश यादव एवं पंचायत सचिव श्री राम प्रताप पाठक से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

22 – ग्राम पंचायत– रामपुर कला विकास खण्ड–जलालपुर जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 51ग्राम पंचायत की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 02.08.2016 को रुरु 23040 का भुगतान इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, ग्राम सभा का प्रस्ताव, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया। हैण्ड पम्प वाइज मरम्मत कार्य का आगणन तैयार कर क्रय सामग्री के औचित्य/उपभोग की जाँच नहीं कराई गयी एवं हैण्ड पम्पों से निकले खराब सामानों का डिस्पोजल स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध रहा, हैण्ड पम्पों के स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है। फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि रु. 23040.00 का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्री बृज लाल एवं पंचायत सचिव शैलेन्द्र कुमार सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

23 – ग्राम पंचायत– दरियापुर विकास खण्ड–जलालपुर जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 52आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित तिथियों में इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प मरम्मत कैश बुक में दर्शित किया गया है, विवरण निम्नवत है।

क्र.	दिनांक	धनराशि	के पक्ष में भुगतान	व्यय का विवरण	व्यय प्रमाणक संख्या
1	20.06.2016	10450.00	ओम प्रकाश यादव	इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
2	20.06.2016	7500.00	दुर्गेश	इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
3	09.12.2016	10000.00	ओम प्रकाश यादव	इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध

4	13.12.2016	4000.00	दुर्गेश	इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
5	17.03.2017	6000.00	दुर्गेश	इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
	योग–	**37950.00**			

उपरोक्त विवरण अनुसार इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय रु० 37950.00 कैश बुक में दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, ग्राम सभा का प्रस्ताव, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृत प्रस्तुत नहीं किया गया। हैण्ड पम्प वाइज मरम्मत कार्य का आगणन तैयार कर क्रय सामग्री के औचित्य/उपभोग की जॉच नहीं कराई गयी एवं हैण्ड पम्पों से निकले खराब सामानों का डिस्पोजल स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध रहा। अतः उपरोक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है। फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि रु0 37950.00 का अपहरण किया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त की वसूली ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश यादव एवं पंचायत सचिव श्री दुर्गेश कुमार से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

24 – ग्राम पंचायत– अंगवल विकास खण्ड–कटेहरी जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 53आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में चौकी निर्माण कार्य की मजदूरी रु. 10440.00, चेक सं0 131 दिनॉक 28.10. 2016 को भुगतान दर्शित है, किन्तु इस भुगतान के सापेक्ष जो मस्टर रोल संलग्न है वह बिल्कुल फर्जी है उस पर न तो श्रमिक के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान पाये गये और न ही भुगतान कर्ता के मुहर और हस्ताक्षर पाये गये। इस प्रकार फर्जी मस्टर रोल दर्शित कर रु0 10440.00 का अपहरण किया गया है जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय –8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा –27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 54आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में हैडपम्प मरम्मत हेतु नवीन कान्ट्रैक्टर को कैश बुक में निम्न विवरणानुसार क्रमशः रु. 22300.00 एवं रु. 25354.00 का भुगतान दर्शित है।

दिनांक	बिल/रसीद सं0	चेक सं0	दिनांक	भुगतान प्राप्त कर्ता	धनराशि
18.11.2016	81	142	11.01.2017	नवीन कान्ट्रैक्टर	22300.00
13.01.2017	80	149	13.01.2017	नवीन कान्ट्रैक्टर	25354.00
				योग	**47654.00**

उपरोक्त विवरण के अनुसार रसीद सं0 81 पर पूर्व की तिथि 18.11.2016 तथा रसीद सं0 80 पर पश्चात की तिथि 13. 01.2017 अंकित कर स्वनिर्मित बिलों (फर्जी) के आधार पर भुतान दर्शित कर रु0 47654.00 का अपहरण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता हैं। आवश्यक कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित है जो ग्राम पंचयत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय –8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा –27 के अन्तर्गत अनियमित भुगतान है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त वसूली ग्राम प्रधान/ग्रांम पंचयत सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

25 – ग्राम पंचायत– महरूआ गोला विकास खण्ड–कटेहरी जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 55आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय की गयी ,किन्तु उक्त क्रय की गयी ह्यूम पाइप को किस प्रोजक्ट में लगाया गया न तो इसका उल्लेख कैश बुक में किया गया है और न ही इसके सापेक्ष कोई मस्टर रोल खारिज दर्शित है। अतः उक्त धनराशि का अनियमित भुगतान किया गया है, जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

क्र.	दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
1	23.05.2016	हयूम पाइप क्रय पर व्यय	26500.00
2	17.06.2016	हयूम पाइप क्रय पर व्यय	26500.00
3	19.07.2016	हयूम पाइप क्रय पर व्यय	25000.00
4	25.07.2016	हयूम पाइप क्रय पर व्यय	25500.00
5	17.08.2016	हयूम पाइप क्रय पर व्यय	21350.00
6	01.09.2016	हयूम पाइप क्रय पर व्यय	45000.00

7	29.10.2016	ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय	35000.00
8	02.11.2016	ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय	49500.00
9	16.01.2017	ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय	41250.00
10	27.03.2017	ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय	21300.00
		योग–	**316900.00**

प्रस्तर 56आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में फर्जी व्यय प्रमाणक लगाकर निम्न तिथियों में धनराशि का अपहरण किया गया है। कैश बुक में जिस फर्म को भुगतान दर्शित है उससे भिन्न फर्म को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार भुगतान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार फर्जी व्यय प्रमाणक लगाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता हैं। आवश्यक कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अनियमित भुगतान है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त वसूली ग्राम प्रधान ग्राम/पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक	**व्यय का विवरण**		**धनराशि**
	कैश बुक के अनुसार	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	
17.06.2016	5 नग स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	तनु कन्स्ट्रक्शन को भुगतान	25000.00
28.06.2016	सोलर लाइट क्रय हेतु आदर्श ट्रेडर्स को भुगतान	तिवारी ट्रेडर्स को भुगतान	28500.00
28.06.2016	सोलर लाइट क्रय हेतु आदर्श ट्रेडर्स को भुगतान	तिवारी ट्रेडर्स को भुगतान	28500.00
17.08.2016	सोलर लाइट क्रय हेतु आदर्श ट्रेडर्स को भुगतान	वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	18000.00
17.08.2016	सोलर लाइट क्रय हेतु आदर्श ट्रेडर्स को भुगतान	तिवारी ट्रेडर्स को भुगतान	28500.00
		योग	**128500.00**

26 – ग्राम पंचायत– नरसिंह दासपुर विकास खण्ड–कटेहरी जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 57आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में दिनाँक 15.07.2016 को चेंक सं0 83 द्वारा सोलर लाइट क्रय का भुगतान किया गया है। सोलर लाइट क्रय हेतु तनु कन्स्ट्रक्शन का बिल लगाकर कैश बुक में रु. 28500.00 तनु कन्स्ट्रक्शन को भुगतान दर्शित है, जबकि बैंक विवरण के अनुसार उक्त भुगतान खाता सं0 02/34 में हुआ है और यह खाता सं0 बी0के0 ट्रेडर्स के नाम है, इस प्रकार फर्जी व्यय प्रमणक लगाकर फर्जी भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त व ग्राम प्रधान/ग्रांम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

27 – ग्राम पंचायत– वासूपुर बनियानी विकास खण्ड–भीटी जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 58ग्राम पंचायत वासूपुर बनियानी की वर्ष 2015–16 की आडिट में पाया गया कि निम्न धनराशि कैश बुक में लाइट क्रय पर व्यय दर्शित किया है–

क्र.	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	टिप्पणी
1	18.03.2016	स्ट्रीट लाइट क्रय	46350.00	प्रमाणक एवं विवरणहीन व्यय

उपर्युक्त विवरण में योग क्रय दर्शित लाइट प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है कि लाइट किस फर्म तथा किस दर से कराई है। लेखा परीक्षा के दौरान मांगोपरांत भी लाइट क्रय सम्बन्धित, एम0बी0, स्टीग्रेट कार्ययोजना स्वीकृति प्रमाण सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। अतः उपर्युक्त व्यय ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (7) कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेषण दल को व्यय की समस्त बाउचर तथा नियमों को अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत एवं खण्ड 8(क) कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204, 205 नियम 250 तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिमार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रूपया 46350.00 को वसूली ग्राम प्रधान संगीता यादव एवं ग्रा0 सचिव श्री अमरदीप पाण्डेय एवं जगदम्बा प्रसाद शुक्ला से अद्यावधि ब्याज सहित संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 59 ग्राम पंचायत की आडिट में कैश बुक में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में हैण्ड पम्प परम्मत पर व्यय दर्शित किया गया हैः–

दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	टिप्पणी
25.05.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	5000.00	विवरणहीन एवं व्यय प्रमाणक विहीन व्यय
01.08.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	10000.00	

07.03.2017	हैण्डपम्प मरम्मत	10000.00	
	योग	**25000.00**	

ग्राम पंचायत की आडिट में कैश बुक में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में फर्नीचर क्रय एवं सफाई किट खरीद पर व्यय दर्शित किया गया है।

दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	टिप्पणी
06.04.2016	फर्नीचर क्रय	10000.00	विवरणहीन एवं व्यय प्रमाणक विहीन व्यय
16.05.2016	सफाई किट	16000.00	
	योग	**26000.00**	

उपर्युक्त विवरण में दर्शित व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (2) के ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय की समस्त बाउचर एवं नियमों के आपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें के विपरीत एवं खण्ड (8क) कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर नहीं उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंर्तगत अधिभार योग्य है। अतः कुल धनराशि रूपया 51000.00 की वसूली प्रधान श्रीमती संगीता यादव एवं सचिव श्री अमरदीप पाण्डेय एवं जगदम्बा प्रसाद शुक्ला से अद्यावधि ब्याज सहित संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 60ग्राम पंचायत की कैशबुक में खड़ंजा मरम्मत कार्यों पर निम्न प्रकार ईट क्रय एवं मजदूरी भुगतान पर व्यय दर्शित किया गया है।

क्रमांक	दिनांक	ईट क्रय	दिनांक	मजदूरी व्यय
1	–	–	27.05.2016	16878.00
2	–	–	27.05.2016	16878.00
3	–	–	11.01.2017	20358.00
4	30.05.2016	50400.00	–	–
5	03.01.2016	63000.00	–	–
6	21.03.2017	94500.00	–	–
	योग	**203900.00**	**योग**	**57236.00**

उपर्युक्त विवरण में दर्शित खड़ंजा मरम्मत पर व्यय धनराशि निम्न कारणों से वित्तीय औचित्यों एवं सामग्री क्रय के नियमों के विपरीत तथा वसूली योग्य हैः–

1–मजदूरी का भुगतान ईट क्रय के पूर्व कर दिया गया है जबकि सामग्री नहीं तो निर्माण कार्य कैसे कराया गया एवं मजदूरी भुगतान कैसे सम्भव हुआ। अतः व्यय नियमों के प्रतिकूल एवं वित्तीय औचित्य के विपरीत तथा वसूली योग्य है।

2–सामग्री क्रय एवं मजदूरी व्यय दोनों ही विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन है।

3–किसी भी क्रय निर्माण सामग्री का विवरण एवं स्टाक रजिस्टर प्राप्त नहीं हुआ। अतः सामग्री की मात्रा की जानकारी नहीं हो पायी।

4–सामग्री क्रय रसीद अप्राप्त रही, व्यय प्रमाणक विहीन एवं व्यय नियमों के अन्तर्गत अपहरण है।

स्पष्ट है कि दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खण्ड (7) कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत एवं खण्ड (8क) कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204, 205 नियम 256 तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिमार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रूपया 26613.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता यादव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अमरदीप पाण्डेय एवं जगदम्बा प्रसाद शुक्ला से अद्यावधि ब्याज सहित संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

28–ग्राम पंचायत–मरैचा विकास खण्ड–रामनगर जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 61 दिनांक–24.07.2016 को रु. 46000.00 प्रधान पति श्री फूलचन्द्र के नाम आहरण कर, आहरित धनराशि को कोष बही में न अंकित कर धन का सीधे अपहरण कर लिया गंया, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी एवं श्री विनय प्रकाश मिश्र ग्रा0पं0अ0 द्वारा बराबर–बराबर की जाय एवं यह भी संज्ञान में लिया जाय कि चेक प्रधान एवं फर्म के नाम न काटकर प्रधान पति के नाम क्यों काटा गया। ऐसा करना घोर अनियमितता है। इस प्रति सचिव एवं प्रधान को सचेत किया जाता है तथा उच्च अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि पुनः इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा ठोस कदम उठाया जाय। ब्याज सहित संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 62 ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई निम्न विवरण के अनुसार दर्शाकर रु0 119560.00 का आहरण किया गया, इस पर निम्न आपत्तियां हैं।

क्र.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	27.06.2016	33060.00	ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई (मि0 प0 रु. 33000.00 एवं स्टेशनरी 60.00)
2	08.08.2016	20000.00	ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई
3	20.12.2016	24000.00	ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई
4	03.01.2017	20000.00	ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई
5	10.02.2017	22500.00	ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई
	योग	**119560.00**	

अ–मिट्टी ट्राली द्वारा न गिराकर श्रमिकों द्वारा मिट्टी पटाई करानी चाहिए, जो नहीं किया गया।
ब–ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई कराने पर भुगतान ट्रैक्टर ट्राली मालिक के के नाम किया जाना चाहिए था, जो न कर प्रधान के नाम भुगतान किया गया एवं जिसके सापेक्ष कोई प्रस्तुत नहीं किया गया।
स–कराए गए कार्य का उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिन कार्यों पर ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई 20.12.2016, 03.01.2017 एवं 10.02.2017 में दर्शाया गया, के कार्य क्रमशः 29.09.2016 एवं 28.09.2016 में ही पूर्ण हो चुके थे। तीन से पांच माह बाद खड़ंजे पर मिट्टी पटाई का क्या औचित्य है? जिससे पूर्णतः प्रमाणित होता है कि दर्शाया गया कार्य/व्यय काल्पनिक है एवं वसूली योग्य है। अतः उक्त धन अपहृत है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी एवं श्री विनय प्रकाश मिश्र ग्रा.पं.अ. से बराबर–बराबर अपेक्षित है।

प्रस्तर 63कोष बही में भिन्न–भिन्न तिथियों में फर्म के नाम रु. 151370.00 का चेक काटकर तथा कुछ तिथियों में जैसे 27.10.2016 को रु. 19000.00, 25.01.2017 को रु. 18200.00, 07.03.2017 को 18500.00 एवं 23.3.2017 को रु. 19200.00 प्रधान पति के नाम धन आहरित कर कुल रु.226270.00 हैन्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्ति है।

क्र.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	30.07.2016	47125.00	हैण्डपम्प मरम्मत (फर्म के नाम चेक)
2	20.08.2016	45645.00	हैण्डपम्प मरम्मत (फर्म के नाम चेक)
3	27.10.2016	19000.00	हैण्डपम्प मरम्मत (प्रधानपति के नाम चेक)
4	28.12.2016	20000.00	हैण्डपम्प मरम्मत (फर्म के नाम चेक)
5	31.12.2016	19800.00	हैण्डपम्प मरम्मत (फर्म के नाम चेक)
6	25.01.2017	18200.00	हैण्डपम्प मरम्मत (प्रधानपति के नाम चेक)
7	02.03.2017	18800.00	हैण्डपम्प मरम्मत (फर्म के नाम चेक)
8	07.03.2017	18500.00	हैण्डपम्प मरम्मत (प्रधानपति के नाम चेक)
9	23.03.2017	19200.00	हैण्डपम्प मरम्मत (प्रधानपति के नाम चेक)
	योग–	**226270.00**	

अ–चेक फर्म के नाम काटा जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। प्रधानपति के नाम धन आहरित कर हैंडपंप मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया।
ब–किन–किन लाभार्थी के हैंडपंप की मरम्मत की गई, इसकी सूची भी नहीं दी गई तथा लाभार्थी का आवेदन पत्र और न ही कार्य होने पर लाभार्थी के हस्ताक्षर कराए गए हैं। मात्र फर्म के बाउचर लगे हैं, जिसमें सामग्री का विवरण दर्शित है। उपभोग प्रमाण पत्र, स्टीमेट भी अप्राप्त रहा। उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि काल्पनिक व्यय करना कोष वही में दर्शाया गया है। वास्तविक रूप से राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी एवं श्री विनय प्रकाश मिश्र ग्रा.पं.अ. से अपेक्षित है। उक्त समस्त आपत्तिगत दर्शित व्यय, ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड–8क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम–204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम–256 अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से रुपया–1546844 की वसूली अपेक्षित है। ग्राम पंचायत गोवर्धनपुर के आडिट के दौरान बार–बार मांगोपरान्त परियोजनावार स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य का रजिस्टर, निर्माण समिति का अनुमोदन, सतर्कता समिति की निगरानी रिपोर्ट आडिट में प्रस्तुत न करने से उपभोग/आहरण की गई धनराशि उक्त ग्राम पंचायत में आडिट की दृष्टि से अपुष्ट रही, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है, जिसके लिए संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी एवं श्री विनय प्रकाश मिश्र ग्रा.पं.अ. उत्तरदायी हैं।

29 – ग्राम पंचायत– विमावल विकास खण्ड–रामनगर जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 64 निम्न तिथियों में मजदूरी पर रु. 115176.00 व्यय दर्शाकर धन आहरित किया गया. है, जिस पर आपत्ति निम्नवत है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	15.06.2016	17400.00	मस्टर रोल

2	09.09.2016	37584.00	मस्टर रोल
3	20.12.2016	18096.00	मस्टर रोल
4	28.12.2016	17400.00	मस्टर रोल
5	07.02.2017	21168.00	मस्टर रोल
6	22.03.2017	3528.00	मस्टर रोल
	योग–	**115176.00**	

अ–मस्टर रोल नहीं बनाया गया है।

ब–कराए गए कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, एम.बी उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया है, जिससे कराए गए कार्य की प्रमाणिकता संदिग्ध है। अतः धन का अपहरण ग्रा.पं.वि. अधिकारी एवं प्रधान द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राधेश्याम वर्मा प्रधान एवं श्री अनूप कुमार मिश्र ग्रा.पं.आ. से समान रूप से अपेक्षित है।

प्रस्तर 65निम्न तिथियों मे क्रय किए गए सामग्री पर रु. 455424.00 व्यय दर्शित है, जिस पर आपत्ति निम्नवत है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	15.06.2016	85808.00	ईट क्रय
2	09.09.2016	46500.00	ईट क्रय
3	15.12.2016	95433.00	ईट क्रय
4	15.12.2016	92354.00	ईट क्रय
5	04.02.2017	13448.00	ईट क्रय
6	04.02.2017	70776.00	ईट क्रय
7	22.03.2016	7948.00	सामग्री (सोख्ता निर्माण)
8	22.03.2016	43157.00	सामग्री (सोख्ता निर्माण)
	योग–	**455424.00**	

अ–क्रय किए गए सामग्री के सापेक्ष कोई भी बिल, कैशमेमो अथवा चेक की छायाप्रति आदि नहीं उपलब्ध रही।

ब–क्रय के सम्बंध में कोटेशन टेण्डर, स्टीमेट, एम.बी. व स्टाक रजि. नहीं बनाए गए हैं।

स–सामग्री के सापेक्ष कराए गए कार्य की पुष्टि हेतु उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं बनाया गया है। अतः इससे स्पष्ट है कि दर्शाया गया कार्य एवं सामग्री क्रय पूर्ण रूप से काल्पनिक है एवं धन प्रधान व ग्रा.पं.वि. अधिकारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राधेश्याम वर्मा प्रधान एवं श्री अनूप कमार मिश्र ग्रा.पं.अ. से अपेक्षित है।

प्रस्तर 66 दिनांक 19.07.2016 एवं 06.10.2016 में क्रमशः रु. 22150.00 एवं 6720.00 आहरित मरम्मत दर्शाया गया है, किन्तु उक्त के सापेक्ष लाभार्थी का आवेदन, क्रय सामग्री का बाउचर, कोटेशन, उपभोग प्रमाण पत्र, लाभार्थी द्वारा बने होने का प्रमाण पत्र, लगे हुए नए सामान के सापेक्ष पुराने सामानों का विवरण व स्टाक रजि. के अभाव में दर्शाया गया कार्य अप्रमाणित है। इस प्रकार धन का अपहरण श्री राधेश्याम वर्मा प्रधान एवं श्री अनूप कुमार मिश्र ग्रा.पं.अ. से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। उक्त समस्त आपत्तिगत दर्शित व्यय, ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध 'हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड–8क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम–204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम–256 अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से रुपया–599470.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। ग्राम पंचायत विमावल के आडिट के दौरान बार–बार मांगोपरान्त परियोजनावार स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य का रजिस्टर, निर्माण समिति का अनुमोदन, सतर्कता समिति की निगरानी रिपोर्ट आडिट में प्रस्तुत न करने से उपभोग/आहरण की गई धनराशि उक्त ग्राम पंचायत में आडिट की दृष्टि से अपुष्ट रही, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है, जिसके लिए संयुक्त रूप से श्री राधेश्याम वर्मा प्रधान एवं श्री अनूप कुमार मिश्र ग्रा.पं.अ. उत्तरदायी हैं।

30 – ग्राम पंचायत– अशरफाबाद विकास खण्ड–रामनगर जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 67 दिनाक 09.05.2016 एवं 14.03.2017 को क्रमशः रू. 36268 एवं 12548 हैण्डपम्प पर मरम्मत दर्शाकर धन खारिज किया गया, किन्तु लेखा परीक्षा दौरान उक्त से सम्बंधित व्यय बाउचर, कोटेशन, स्टीमेट, उपभोग प्रमाणपत्र, लाभार्थी की सूची, लाभार्थी द्वारा बने होने का प्रमाण पत्र तथा पुराने सामान की जगह नए सामान लगाने पर निकाले गए पुराने सामानों का स्टाक रजि आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे व्यय किया गया धन अपहरित है एवं वसूली योग्य है। उक्त की ब्याज सहित वसूली श्री मिठाई लाल प्रधान एवं श्री अनूप मिश्र ग्रा.पं.अ. से बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 68 निम्न तिथियों में निर्माण कार्य दर्शाकर मजदूरी का भुगतान किया गया है, जिस पर निम्म आपत्ति है–

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	20.12.2016	7600.00	नाली निर्माण
2	23.03.2017	5000.00	सोक पिट निर्माण

3	30.03.2017	7518.00	सोक पिट निर्माण
	योग–	**20118.00**	

उपरोक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा दौरान कोई भी मस्टर रोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, स्टीमेट, एम.बी. बुक आदि अप्रस्तुत रहे एवं उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.12.2016 एवं 23.03.2017 को क्रमशः रु. 7600.00 एवं 5000.00 का मस्टर रोल किस प्रकार बनाया गया, मस्टर रोल के अभाव में अज्ञात रहा, जिससे इनकी जांच न की जा सकी। उपरोक्त प्रमाणकों के अभाव में किया गया भुगतान काल्पनिक है। इस प्रकार काल्पनिक रूप से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मिठाई लाल प्रधान एवं श्री अनूप मिश्र ग्रा.पं.अ. से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 69निम्न तिथियों में सामग्री क्रय दर्शाकर भुगतान दर्शित है, जिस पर निम्न आपत्तियां है–

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	28.12.2016	11727.00	सामग्री क्रय
2	31.12.2016	17811.00	ईट क्रय रु. 2250.00
3	30.03.2017	45014.00	ईट एवं ईट टुकड़ी क्रय
	योग–	**74552.00**	

उपरोक्त क्रय से सम्बंधित कोटेशन/टेंडर, स्टीमेट, कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बिल/कैश रसीद आदि उपलब्ध नहीं रहा तथा निर्माण कार्य का स्थान भी ज्ञात नहीं रहा, जिससे व्यय की गई धनराशि अपुष्ट है एवं धन अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मिठाई लाल प्रधान एवं श्री अनूप मिश्र ग्रा.पं.अ. से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 70दिनांक 24.03.2017 में रु. 84400.00 सोलर लाइट पर व्यय दर्शाया गया है, किन्तु इससे सम्बंधित कार्य योजना, स्टीमेट, कोटेशन, एम.बी., लाभार्थी का नाम, उपभोग प्रमाण पत्र, लाभार्थी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आदि के अभाव में व्यय की धनराशि काल्पनिक है तथा धन का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली श्री मिठाई लाल प्रधान एवं श्री अनूप मिश्र ग्रा.पं.अ. से अपेक्षित है।उक्त समस्त आपत्तिगत दर्शित व्यय, ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड–8क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम–204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम–256 अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त ग्राम विकास पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से रुपया–227883.00 की वसूली अपेक्षित है। ग्राम पंचायत अशरफाबाद के आडिट के दौरान बार–बार मांगोपरान्त परियोजनावार स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य का रजिस्टर, निर्माण समिति का अनुमोदन, सतर्कता समिति की निगरानी रिपोर्ट आडिट में प्रस्तुत न करने से उपभोग आहरण की गई धनराशि उक्त ग्राम पंचायत में आडिट की दृष्टि से अपुष्ट रही, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है, जिसके लिए संयुक्त रूप से श्री मिठाई लाल प्रधान एवं श्री अनूप मिश्र ग्रा.पं.अ. उत्तरदायी हैं।

31 – ग्राम पंचायत– आलमपुर शेखपुर विकास खण्ड–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 71लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान एवं अन्य व्यक्तियों को सीधे भुगतान किया गया है, जिसकी पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उक्त भुगतान प्रायः पूर्ण गुणक में नहीं है, इस प्रकार अनियमित ढंग से व्यय दर्शित किया गया है। विवरण निम्नवत है–

दिनांक	धनराशि	विवरण
11.05.2016	5000.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
24.05.2016	1470.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
24.05.2016	1644.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
24.05.2016	7350.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
13.06.2016	4380.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
06.07.2016	6960.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
05.08.2016	7500.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
05.08.2016	6270.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
28.10.2016	6572.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
28.10.2016	17830.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
28.10.2016	10704.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
28.10.2016	9060.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
28.10.2016	20400.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
29.10.2016	5973.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
23.01.2017	12500.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
04.03.2017	12180.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
04.03.2017	2610.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
27.03.2017	15412.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान

27.03.2017	10200.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
27.03.2017	16040.00	श्रीमती सुमन देवी को भुगतान
07.02.2017	11500.00	मोहम्मद जावेद को भुगतान
04.03.2017	29928.00	विनय कुमार वर्मा को भुगतान
योग–	**221483.00**	

उपरोक्त से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, बिल आदि लेखा परीक्षा में प्रधानपति एवं अन्य के नाम से ग्राम निधि से आहरण अनियमित रहा, जो ग्राम पंचायत के वित्त हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8(क) नियमावली, 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान से रु. 110741.50 एवं श्री विनय कुमार वर्मा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से धनराशि रु. 221483.00 संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा.आ.सं.–16)**

प्रस्तर 72लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में अरविन्द ब्रिक फील्ड से ईट क्रय की गई परन्तु समर्थन में साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किये गये। विवरण निम्न प्रकार है–

दिनांक	धनराशि	विवरण
24.05.2016	29380.00	अरविन्द ब्रिक फील्ड को भुगतान
24.05.2016	7442.00	अरविन्द ब्रिक फील्ड को भुगतान
24.05.2016	6812.00	अरविन्द ब्रिक फील्ड को भुगतान
13.06.2016	17225.00	अरविन्द ब्रिक फील्ड को भुगतान
29.10.2016	21823.00	अरविन्द ब्रिक फील्ड को भुगतान
29.10.2016	20745.00	अरविन्द ब्रिक फील्ड को भुगतान
29.10.2016	25675.00	अरविन्द ब्रिक फील्ड को भुगतान
29.10.2016	51263.00	अरविन्द ब्रिक फील्ड को भुगतान
29.10.2016	29029.00	अरविन्द ब्रिक फील्ड को भुगतान
04.03.2017	6500.00	अरविन्द ब्रिक फील्ड को भुगतान
04.03.2017	37800.00	अरविन्द ब्रिक फील्ड को भुगतान
27.03.2017	42250.00	अरविन्द ब्रिक फील्ड को भुगतान
27.03.2017	62582.00	अरविन्द ब्रिक फील्ड को भुगतान
27.03.2017	69300.00	अरविन्द ब्रिक फील्ड को भुगतान
योग–	**427826.00**	

उपरोक्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए, साथ ही डिलीवरी चालान, बिल, कैशमेमो, एम.बी. प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती सुमन देवी ग्राम प्रधान से रू. 213913.00 एवं श्री विनय कुमार वर्मा ग्राम विकास अधिकारी से 213913.00 कुल रू0 427826.00 संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–17)**

प्रस्तर 73लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में नमन ट्रेडर्स से सीमेण्ट, निर्माण एवं मरम्मत हेतु मदों में सामान क्रय किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है–

दिनांक	धनराशि	विवरण
23.05.2016	10464.00	नमन ट्रेडर्स को भुगतान
23.05.2016	2404.00	नमन ट्रेडर्स को भुगतान
23.05.2016	2491.00	नमन ट्रेडर्स को भुगतान
30.06.2016	5736.00	नमन ट्रेडर्स को भुगतान
05.11.2016	16248.00	नमन ट्रेडर्स को भुगतान
05.11.2016	18712.00	नमन ट्रेडर्स को भुगतान
15.03.2017	5232.00	नमन ट्रेडर्स को भुगतान
30.03.2017	15960.00	नमन ट्रेडर्स को भुगतान
योग–	**77247.00**	

उक्त से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, एम.बी. प्रमाण पत्र, डिलीवरी चालान, कैशमेमो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती सुमन देवी ग्राम प्रधान से रू0 38623.50 एवं श्री विनय कुमार वर्मा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से रू0 38623.50 संयुक्त रूप से कुल धनराशि रु. 77247.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

32 – ग्राम पंचायत– भीटी विकास खण्ड–रामनगर जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 74 आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा तिथि तक कोष वही नहीं बना होना, ग्रा.पं.अधि. द्वारा बताया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ष दौरान जो भी आहरण किया गया, वह कोष बही में अंकित नहीं है और लेखा परीक्षा दौरान न ही भुगतान से सम्बंधित किसी प्रकार का कोई व्यय प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः लेखा परीक्षा बैक.खाते के स्टेटमेंट द्वारा सम्पन्न की गई। विभिन्न तिथियों में प्रधान के नाम 134898.00 रुपए आहरण बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार किया गया है। भुगतान के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, स्टीमेट, एम.बी., उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि के न होने से आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः उक्त धनराशि 179978.00 रुपए की ब्याज सहित वसूली श्री राम समुझ प्रधान एवं श्री रवीन्द्र देव यादव, ग्रा.पं.अ से किया जाना अपेक्षित है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	06.06.2016	7500.00	राम समुझ प्रधान के नाम आहरण
2	25.07.2016	9690.00	राम समुझ प्रधान के नाम आहरण
3	25.07.2016	21224.00	राम समुझ प्रधान के नाम आहरण
4	12.09.2016	10000.00	राम समुझ प्रधान के नाम आहरण
5	28.10.2016	15330.00	राम समुझ प्रधान के नाम आहरण
6	28.10.2016	28710.00	राम समुझ प्रधान के नाम आहरण
7	01.12.2016	6124.00	राम समुझ प्रधान के नाम आहरण
8	08.02.2017	10000.00	राम समुझ प्रधान के नाम आहरण
9	08.03.2017	26320.00	राम समुझ प्रधान के नाम आहरण
	योग–	**134898.00**	

प्रस्तर 75वर्ष दौरान ईंट भट्ठों (फर्मो) पर निम्न चेकों द्वारा रुपए 372317.00 देना दर्शाया गया है। (बैंक स्टेटमेंट अनुसार), किन्तु कोटेशन/टेंडर, कार्य योजना, स्टीमेट, एम.बी. बुक, उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में भुगतान अप्रमाणित रहा तथा धन का अपहरण सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा किया जाना स्पष्ट है। अतः ब्याज सहित वसूली श्री राम समुझ प्रधान एवं श्री रवीन्द्र देव यादव, ग्रा.पं.अ. अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना आवश्यक है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	26.07.2016	105400.00	जय माँ वैष्णों ईट भट्ठा
2	26.07.2016	43400.00	जय माँ वैष्णों ईट भट्ठा
3	28.10.2016	197023.00	जय माँ वैष्णों ईट भट्ठा
4	01.12.2016	26494.00	एस0 आर0 ब्रिक फील्ड
	योग–	**372317.00**	

प्रस्तर 76अलोच्य वर्ष में अलग–अलग फर्मों को निम्न धनराशियों का भुगतान किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टीमेट, उपमोग प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एमबी बुक आदि न प्रस्तुत करने से धन अप्रमाणित रहा, जिसका अपहरण सचिव एव प्रधान द्वारा सयुक्त रूप से किया गया है। अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली श्री राम समुझ प्रधान एवं श्री रवीन्द्र देव यादव, ग्रा.पं.अ. से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	20.08.2016	19990.00	मिस्टी इण्टरप्राइजेज
2	29.08.2016	25230.00	02/444
3	08.11.2016	19850.00	02/444
4	13.02.2017	84400.00	माँ लक्ष्मी इण्टरप्राइजेज
5	22.02.2017	26572.00	लालेन्द्र कान्ट्रेक्टर
	योग–	**176042.00**	

उक्त समस्त आपत्तिगत दर्शित व्यय, ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड–8क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम–204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम–256 अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से रुपया–683257.00 की वसूली अपेक्षित है। ग्राम पंचायत भीटी के आडिट के दौरान बार–बार मांगोपरान्त परियोजनावार स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, उपमोग प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य का रजिस्टर, निर्माण समिति का अनुमोदन, सतर्कता समिति की निगरानी रिपोर्ट आडिट में प्रस्तुत न करने से उपभोग /आहरण की गई धनराशि उक्त ग्राम पंचायत में आडिले की दृष्टि से अपुष्ट रही, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है, जिसके लिए संयुक्त रूप से श्री राम समुझ प्रधान एवं श्री रवीन्द्र देव यादव, ग्रा.पं.अ उत्तरदायी हैं।

33 – ग्राम पंचायत– जोतपुर जोलहापुर विकास खण्ड–भियांव जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 77ग्राम पंचायत जोलहापुर की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में प्राप्त कैशबुक के अनुसार "खड़न्जा मरम्मत–कान्ता के घर से रामचेत के घर तक" पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है–

क्र.सं.	दिनांक	व्यय धन	मद का विवरण
1	02.12.2016	75600.00	ईटा (बी. ईट उद्योग)
2	30.12.2016	53739.00	ईटा (विजय कान्स्ट्रक्शन एवं ब्रिक)
3	03.01.2017	15660.00	मजदूरी पर व्यय
4	13.01.2017	17922.00	मजदूरी पर व्यय

इस प्रकार उक्त कार्य पर कल रू0–33582.00 मजदूरी पर तथा रू0–129339.00 ईटा क्रय पर व्यय दर्शित है। इस पर निम्न आपत्तियाँ हैं–

(क)लेखा परीक्षा में कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से उक्त कार्य के ग्रामसभा द्वारा पारित होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ख)उक्त खड़न्जा मरम्मत की कार्ययोजना, इस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, उपभोग प्रमाण–पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहने से किये गये व्यय के नियम विरूद्ध होने की पुष्टि होती है।

(ग)लेखा परीक्षा में एम0बी0, स्टीमेट अप्रस्तुत रहने से कार्य की वास्तविक माप अप्राप्त रही, लेकिन कैशबुक में दर्शित व्ययं की लेखा परीक्षा में गणना से ज्ञात होता है कि उक्त कार्य पर मजदूरी पर कुल रू0–33582.00 व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में नियमानुसार. की गयी गणना के अनुसार इस व्यय में ई/डब्ल्यू कटिंग पर मजदूरी रू0–9403.00 तथा खड़न्जा उखड़वाई एवं सोलिंग की मजदूरी पर व्यय रू0–24179.00 अवधारित होती है। इस आधार पर गणना से कार्य की माप 387 वर्गमी० अवधारित होती है। इस माप पर खड़न्जा मरम्मत हेतु प्रयुक्त अधिकतम (30 प्रतिशत) नई ईटों का मूल्य रू0–42423.00 अवधारित होता है जो इस खड़न्जा मरम्मत में ईटा क्रय पर व्यय होना चाहिए था जबकि कैशबुक के अनुसार इस खड़न्जा मरम्मत पर ईंटा पर कुल व्यय रू.129339.00 किया गया है। अतः रू. 86916.00 ईटा क्रय पर अधिक व्यय किया गया है एम0बी0 प्रस्तुत करके स्पष्टीकरण अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(घ)सरकारी नियमों/निर्देशों के अनुसार एक लाख से अधिक की सामग्री का क्रय टेण्डर द्वारा किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ईटा क्रय से पूर्व टेण्डर की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी और मनमानें ढंग से ईटों का क्रय किया गया हैं पुनः नियमानुसार एक कार्य पर टेण्डर करके एक ही फर्म से सामग्री की आपूर्ति की जानी चाहिए जबकि यहां पर ईटा दो फर्मो "वी0 ईटा उद्योग और विजय कन्सट्रक्शन एवं ब्रिक" से क्रय किया गया है जो गंभीर आपत्तिजनक एवं नियम विरूद्ध है।

(छ)उक्त ईटा क्रय पर नियमानुसार वैट एवं आयकर की कटौती एवं उसके जमा के अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। प्रस्तुत करके पुष्टि कराना अपेक्षित है।

(ज)लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर अप्रस्तुत रहने प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्त, उपभोग एवं अन्तिम अवशेष स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही।

(झ)लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहने से पूर्व में एवं वर्ष में सृजित सम्पत्ति की जानकारी अज्ञात रही। इस प्रकार उक्त आपत्तियों के अधीन किया गया व्यय रू.86916.00 नियम विरूद्ध एवं वित्तीय अपहरण है जो अधिभार के योग्य है और इसकी ब्याज सहित वसूली आधा–आधा ग्राम प्रधान एवं सचिव से होनी अपेक्षित है।

प्रस्तर 78लेखा परीक्षा में प्राप्त कैशबुक के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को प्रधान को मानदेय (माह नवम्बर–2016 से मार्च 2017 तक) रू. 20000.00 व्यय दर्शित है। आपत्ति यह है कि उक्त वर्णित माहों का कुल मानदेय नियमानुसार रु. 16500.00 अवधारित होता है। (नवम्बर 2016 (रू. 2500.00) + दिसम्बर 2016 से मार्च 2017 तक (रू0–14000. 00)। अतः ग्राम प्रधान द्वारा रू. 3500.00 का अधिक आहरण करके प्राप्त कर लिया गया है जो वित्तीय अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः रू0–3500.00 का ग्राम प्रधान श्रीमती रेशमी से ब्याज सहित वसूली हर निधि–1 खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

34 – ग्राम पंचायत– गोवर्धनपुर विकास खण्ड–रामनगर जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 79 निम्न तिथियों में खाते से धन आहरण कर कोष वही में अन्येष्टि स्थल पर निर्माण कार्य की मजदूरी भुगतान करना दर्शाया गया है। जबकि उक्त तिथियों में दर्शायी गई आहरण की राशि को प्रधान श्री विकास सिंह द्वारा अपने व्यक्तिगत खाते (01/7142) में हस्तांतरित कराकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	खाता संख्या में धन स्थानांतरण	विवरण
1	07.04.2016	18880	01/7142	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण मजदूरी
2	28.04.2016	14160	01/7142	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण मजदूरी
3	23.03.2017	13398	01/7142	मस्टर रोल राजाराम के घर से पश्चिम सत्य नारायण

				के खेत तक

प्रस्तर 80 निम्नांकित तिथियों में अन्त्येष्टि स्थल पर व्यय दर्शाकर आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष निम्न आपत्तियां हैं।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	02.04.2016	55000.00	अन्त्येष्टि स्थल हेतु सामग्री क्रय
2	28.04.2016	25000.00	अन्त्येष्टि स्थल हेतु सामग्री क्रय
3	17.05.2016	28200.00	मस्टर रोल
4	17.05.2016	40000.00	अन्त्येष्टि स्थल हेतु सामग्री क्रय
5	17.05.2016	25000.00	मस्टर रोल
6	18.05.2016	35000.00	अन्त्येष्टि स्थल हेतु सामग्री क्रय, दरवाजा, खिड़की आदि
7	07.06.2016	40000.00	अन्त्येष्टि स्थल हेतु सामग्री क्रय
8	25.07.2016	23000.00	अन्त्येष्टि स्थल हेतु सामग्री क्रय, टाइल्स सीट आदि
9	26.07.2016	8050.00	मस्टर रोल
10	04.08.2016	26107.00	मस्टर रोल
11	04.08.2016	18000.00	अन्त्येष्टि स्थल हेतु सामग्री क्रय
12	11.08.2016	180000.00	अन्त्येष्टि स्थल हेतु सामग्री क्रय, टीनशेड
13	19.09.2016	24500.00	ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई
14	28.09.2016	70400.00	ईट क्रय, ईट गिट्टी आदि
15	25.10.2016	20000.00	टीनशेड लगवाई, मजदूरी
	योग–	**618257.00**	

1. अन्त्येष्टि स्थल हेतु कितनी धनराशि प्राप्त/स्वीकृत हुई थी, उसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट अप्राप्त रहा, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किस–किस प्रकार का निर्माण कार्य स्वीकृत है। जैसे–टाइल्स लगना, शौचालय बनना, टीनशेड कितना बड़ा बनना या छत कितने वर्ग फूट में लगनी है, रंगाई पुताई आदि।
2. सामग्री क्रय हेतु टेण्डर नहीं आमंत्रित किया गया। सामग्री मनमाने ढंग से अलग–अलग फर्मों से क्रय की गई है। दिनांक 11.8.2016 को रु. 180000.00 का टीनशेड क्रय किया गया था, उसका भी कोई टेंडर नहीं हुआ। प्रधान द्वारा मनमाने ढंग से (ज्ञान स्टील वर्क बाराबंकी) द्वारा क्रय किया गया है तथा कितने का स्टीमेट था, अज्ञात रहा।
3. कराए गए निर्माण कार्य से संबंधित मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि भुगतान किन–किन लोगों को किया गया। इससे संबंधित जॉबकार्ड भी लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं रहा।
4. क्रय की गई सामग्री के बिल बाउचर, कैश रसीद या बिल के सापेक्ष दिए गए चेक का विवरण, सामग्री का डिमांड पत्र (मांग पत्र), स्टाक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. कराए गए निर्माण कार्य के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत की गई एम.बी., परिसम्पत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही।
6. वित्तीय वर्ष 2015–16 में अन्त्येष्टि स्थल पर कुल रु. 177420.00 खर्च हुई थी एवं आलोच्य वर्ष 2016–17 में उक्त कार्य पर 654529.00 रु. खर्च हुआ। कल 831949 के व्यय के सापेक्ष उपरोक्त दर्शित कोई भी व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट, एमबी, उपभोग प्रमाण पत्र, वर्क रजि., स्टाक रजि., जॉबकार्ड, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजि. आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उपरोक्त व्यय संदिग्ध है एवं वसूली योग्य है। उक्त की ब्याज सहित वसूली श्री विकास सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री राम स्वरूप मिश्र ग्रा.वि./पं. अधिकारी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 81ग्राम पंचायत में निम्न कार्यों पर किए गए व्यय/भुगतान पर निम्न आपत्तियां हैं।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	02.04.2016	24794.00	मस्टर रोल, खड़ंजा निर्माण
2	02.04.2016	86800.00	ईट क्रय
3	02.04.2016	76260.00	ईट क्रय
4	26.07.2016	8372.00	मस्टर रोल
5	26.09.2016	20000.00	सामग्री क्रय नाली हेतु
6	26.09.2016	10092.00	मस्टर रोल
7	28.09.2016	38400.00	ईट क्रय
8	28.09.2016	44839.00	ईट क्रय
9	30.09.2016	12630.00	मस्टर रोल (12474), पटरा व पालीथीन (156)
10	30.09.2016	34000.00	सामग्री क्रय, नाली हेतु
11	25.10.2016	12000.00	सामग्री क्रय, नाली हेतु
12	15.12.2016	28576.00	ईट क्रय
13	15.12.2016	25894.00	सामग्री क्रय, नाली हेतु

14	20.12.2016	18348.00	मस्टर रोल
15	30.12.2016	75600.00	ईट क्रय
16	07.01.2017	19525.00	ईट क्रय
17	07.01.2017	20184.00	मस्टर रोल
18	30.01.2017	2371.00	ईट क्रय (ईट गिट्टी)
19	30.01.2017	2810.00	सामग्री क्रय
20	04.02.2017	6260.00	मस्टर रोल (4410), सीट व अन्य सामग्री (1850)
21	23.03.2017	6786.00	मस्टर रोल
22	23.03.2017	93240.00	ईट क्रय
23	23.03.2017	43445.00	ईट क्रय
24	28.03.2017	7696.00	मस्टर रोल
25	28.03.2017	4662.00	मस्टर रोल
	योग	**763584**	

1.स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही कि कराया गया कार्य उस वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत था या नहीं ?
2.क्रय की गई सामग्री के कोटेशन टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिना कोटेशन/टेंडर के ही समस्त सामग्री मनमाने ढंग से अधिक दर पर क्रय कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गई। क्रय सामग्री के बिल, कैश रसीद, डिमांडलेटर, बिल के सापेक्ष किए गए चेक द्वारा भुगतान की प्रति एवं स्टाक रजि. अप्राप्त है।
3. लेखा परीक्षा में मांगोपरांत भी मस्टर रोल उपलब्ध नहीं कराया गया, न ही उससे संबंधित. जॉबकार्ड उपलब्ध रहा, जिससे यह पुष्टि नहीं किया जा सका कि किस श्रमिक ने कितने दिन किस कार्य पर काम किया है और उसे कितना भुगतान प्राप्त रहा है एवं यह भी कि किया गया उक्त कार्य पर भुगतान मानक एम.बी. के अनुरूप रहा या नहीं, उपरोक्त के अभाव में किए गए भुगतान की सत्यता संदिग्ध है।
4. क्रय सामग्री के सापेक्ष कराए गए कार्य की पुष्टि में कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यवाही रजि., एम.बी. बुक, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, जॉबकार्ड, कार्य से पूर्व एवं बाद के फोटो ग्राफ्स, स्टाक व वितरण रजि., परिसम्पत्ति रजि., निर्माण समिति की संस्तुति के अभाव में कराए गए कार्य की सत्यता संदिग्ध है एवं धन अपहृत है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा.पं. अधिकारी एवं प्रधान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 82आलोच्य वर्ष में रु. 113058.00 हैंडपंप मरम्मत एवं प्राइमरी पाठशाला में शौचालय निर्माण दर्शाकर धन कोष वही से खारिज किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है। उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा दौरान मांगोपरांत भी हैंडपंप से संबंधित लाभार्थी का आवेदन पत्र, मरम्मत उपरांत लाभार्थी के हस्ताक्षरयुक्त बने होने/मरम्मत करने का प्रमाण पत्र, क्रय की गई सामग्री के बिल बाउचर व कैश मेमो या बिल के सापेक्ष चेक द्वारा किए गए भुगतान की प्रति अथवा चेक इशू रजि. मरम्मत उपरांत शौचालय निर्माण हेतु क्रय सामग्री के बाउचर, कैश मेमो, मस्टर रोल, कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने पर कराए गए फोटो ग्राफ्स, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं स्टाक रजि., स्वीकृत स्टीमेट के अभाव में कराया गया कार्य एवं भुगतान पूर्ण रूप से काल्पनिक है एवं उक्त धन अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विकास सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री राम स्वरूप मिश्र ग्रा.वि./पं.अधिकारी से अपेक्षित है।
विवरण निम्नवत है–

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	07.04.2016	14845.00	हैण्डपम्प मरम्मत
2	18.07.2016	8735.00	हैण्डपम्प मरम्मत
3	25.07.2016	11595.00	हैण्डपम्प मरम्मत
4	09.02.2017	9678.00	मस्टर रोल, सोख्ता निर्माण
5	09.02.2017	28563.00	ईट क्रय (4260), गिट्टी (1.28 घनमीटर)
6	14.02.2017	19120.00	हैण्डपम्प मरम्मत
7	15.02.2017	20522.00	सामग्री क्रय, सोख्ता निर्माण
	योग	**113058.00**	

प्रस्तर 83दिनांक 18.10.2016 को रु. 3232 एवं 2275 कुल रु. 5507.00 क्रमशः अमर उजाला एवं जनमोर्चा बजाजा फैजाबाद, अन्त्येष्टि स्थल एवं नाली निर्माण हेतु टेंडर के लिए भुगतान किया गया है, किन्तु जिन कार्यों के टेंडर हेतु विज्ञापन दिया गया है, के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में कार्य के पूर्ण होने पर विज्ञापन प्रकाशित कराना पूर्णतः नियम विरुद्ध है एवं भुगतान अनियमित है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विकास सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री राम स्वरूप मिश्र ग्रा.वि./पं अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 84 दिनांक 18.11.2016 को रु. 40000.00 सोलर लाइट हेतु मिस्टी इंटरप्राइजेज को भुगतान कोष वही में दर्शाकर धन खारिज किया गया है, परन्तु उक्त के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे कैश रसीद, कोटेशन, बिल, क्रय किए गए सामग्री के गारंटी कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, कार्य योजना, स्टीमेट, किस स्थल पर लगा है, का प्रमाण पत्र, (किसी व्यक्ति विशेष के घर पर या चौराहे पर लगा है) उपभोग प्रमाण पत्र के अभाव में किया गया भुगतान

काल्पनिक है एवं धन अपहरित है। उक्त की ब्याज सहित वसूली श्री विकास सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री राम स्वरूप मिश्र ग्रा.वि./पं. अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। उक्त समस्त आपत्तिगत दर्शित व्यय, ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड–8क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम–204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम–256 अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त ग्राम विकास, पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से रुपया–1546844 की वसूली अपेक्षित है। ग्राम पंचाग्रत गोवर्धनपुर के आडिट के दौरान बार–बार मांगोपरान्त परियोजनावार स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य का रजिस्टर, निर्माण समिति का अनुमोदन, सतर्कता समिति की निगरानी रिपोर्ट आडिट में प्रस्तुत न करने से उपभोग/आहरण की गई धनराशि उक्त ग्राम पंचायत में आडिट की दृष्टि से अपुष्ट रही, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है, जिसके लिए संयुक्त रूप से श्री विकास सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री राम स्वरूप मिश्र ग्रा.वि./पं. अधिकारी उत्तरदायी हैं।

35 – ग्राम पंचायत– शिवपाल विकास खण्ड–भियांव जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 85 ग्राम पंचायत–शिवपाल की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में प्राप्त कैशबुक के अनुसार दिनांक 01.05.2016 को पूर्व प्रधान को मानदेय का भुगतान रू0–55000.00 (दिसम्बर 2013 से सितम्बर 2015 तक) किया गया है। इस पर निम्न आपत्तियां हैं–

(क)– लेखा परीक्षा में कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रहने से उक्त व्यय का ग्राम सभा की खुली बैठक में पारित होने की पुष्टि नहीं हो सकी।

(ख) वर्ष लेखा परीक्षा में मांगने पर भी गत वर्षो की कैशबुक, मानदेय प्राप्ति रजिस्टर, अप्रस्तुत रहने से यह पुष्टि नहीं हो सका कि पूर्व प्रधान का मानदेय दिसम्बर 2013 से सितम्बर 2015 तक बकाया था।

(ग) लेखा परीक्षा में इस व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/मानदेय प्राप्ति रसीद/मानदेय रजिस्टर में प्राप्ति, अप्राप्त रहा, जो उ0प्र0 ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड क, ख, एवं उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली–1947 की धारा–27 एवं नियम–256 के विरूद्ध रहा तथा वित्तीय अपहरण की कोटि में आने से से अधिभार के योग्य है।

(घ) लेखा परीक्षा में प्राप्त कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त धनराशि रू0–55000.00 श्री देवैन्द्र वर्मा (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) द्वारा आहरित किया गया है और कैशबुक में पूर्व प्रधान (श्री परमेन्द्र) को उक्त धन का भुगतान दिखाया गया है। आपत्ति यह है कि यदि वास्तव में पूर्व प्रधान (श्री परमेन्द्र) का उक्त अवधि का मानदेय बकाया था तो उक्त धनराशि का आहरण श्री देवेन्द्र वर्मा (सचिव) द्वारा क्यों किया गया? पूर्व प्रधान (श्री परमेन्द्र) को उनके नाम चेक काटकर क्यों भुगतान नही किया गया? अतः किया गया भुगतान नियम विरूद्ध एवं मनमाना है।

(च) इस भुगतान से सम्बन्धित पूर्व प्रधान (श्री परमेन्द्र) द्वारा मानदेय प्राप्ति हेतु कोई प्रार्थना–पत्र लेखा परीक्षा में क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया? पुनः इस भुगतान से पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की पूर्व अनुमति क्यों नही ली गयी। इस प्रकार उक्त आपत्तियों के अधीन स्पष्ट है कि किया गया व्यय रू0–55000.00 वित्तीय अपहरण है जो अधिभार के योग्य है इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से आधा–आधा किया जाना अपेक्षित है।

36 – ग्राम पंचायत– बेगीकोल विकास खण्ड–भियांव जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 86 लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत बेगीकोल की वर्ष 2016–17 की प्राप्त कैशबुक के अनुसार दिनांक 28.10.2018 को सोलर स्ट्रीट लाइट क्रय मद में रू0–22645.00 व्यय दर्शित है। इस पर निम्न आपत्तियां हैं–

(क) लेखा परीक्षा में कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से ग्राम सभा की खुली बैठक में सोलर स्ट्रीट लाइट के क्रय का प्रस्ताव पारित होना अपुष्टित रहा।

(ख) उक्त क्रय की कार्ययोजना, इस्टीमेट, एम0बी0, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति, उपभोग प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा।

(ग) एफ0एच0बी0 खण्ड–1 एवं शासनादेश संख्या–ए–1–864/दस–08–15 (11) 86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन लेना चाहिए लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा सोलर लाइट क्रय से पूर्व कोई भी कोटेशन नहीं लिया गया और मनमाने ढंग से नेडा द्वारा स्वीकृत दर से अधिक दर पर सामग्री क्रय किया गया है।

(घ) श्रीमान मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–33/2017/977/45–वि0(अति0 ऊ0 स्रो0 वि0)/2017 दिनाक 29 अगस्त 2017 एवं पूर्व सरकारी निर्देशों के अनुसार सोलर लाइट का क्रय "यू0पी०नेडा" से करने का निर्देश था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इसका पालन नही किया गया है।

(ङ.) उक्त सोलर स्ट्रीट लाइट के क्रय का कोई भी बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि उ0प्र0 ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–(क), (ख) तथा उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमावली–1947 की धारा–27 एवं नियम–256 के अधीन यह वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है।

(च) सरकारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार कोई भी क्रय जो रू0–5000.00 से ऊपर है का भुगतान फर्म के नाम चेक द्वारा किया जाना चाहिए जबकि इस क्रय का नकद भुगतान करके नियमों का उल्लंघन किया गया है।

(छ) कैशबुक के अनुसार यह नकद भुगतान किस फर्म/दुकान को किया गया है। यह भी उल्लिखित नहीं है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि धन का नकद आहरण करके फर्जी ढंग से इसे सोलर लाइट क्रय पर दर्शा दिया गया है।

उक्त आपत्तियों के अधीन किया गया व्यय वित्तीय अपहरण है जो अधिभार योग्य है। इसकी ब्याज सहित वसूली आधा–आधा ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

37 – ग्राम पंचायत– अहिरौली विकास खण्ड–भियांव जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 87 ग्राम पंचायत अहिरौली की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में प्राप्त कैशबुक के अनुसार दिनांक 25.10.2016 को हयूम पाइप क्रय हेतु "मिश्रा ट्रेडर्स को रू0–33310.00 का भुगतान किया गया है। इस पर निम्न आपत्तियां हैं–

(क) लेखा परीक्षा में कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से उक्त क्रय की ग्राम सभा द्वारा पुष्टि की सूचना अज्ञात रही।

(ख) हयूम पाइप क्रय की कार्ययोजना, इस्टीमेट, एम0बी0 वित्तीय–प्रशासन स्वीकृति कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, उपभोग प्रमाण–पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(ग) एफ0एच0बी0 खण्ड–1 एवं शासनादेश संख्या–ए–1–864/दस–08–15(01) 86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन लेना अनिवार्य है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोटेशन न लेकर मनमाने ढंग से हयूम पाइप क्रय किया गया है।

(घ) लेखा परीक्षा में हयूम पाइप क्रय का बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहा जबकि उ0प्र0 ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–8, के खण्ड (क), (ख) एवं उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमावली–1947 की धारा–27, एवं नियम–256 के अनुसार ऐसा न करना वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार योग्य है।

(च) लेखा परीक्षा में प्राप्त कैशबुक के अनुसार हयूम पाइप क्रय दर्शित है, लेकिन

1. ह्यूम पाइप किस कार्य एवं स्थान पर लगा है, अज्ञात रहा।
2. ह्यूम पाइप क्रय के बाद इसकी कार्य स्थल पर लगवाई की मजदूरी कैशबुक में नहीं दर्शित है। हयूम पाइप को जब कही लगवाया ही नहीं गया है तो क्रय करके धन का वित्तीय अपहरण क्यों किया गया है?

(ड.) लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजी0 अप्राप्त रहने से हयूम पाइप की इसमें प्रविष्टि अज्ञात रही।

(ज) परिसम्पत्ति पंजी0 अप्रस्तुत रहने से सृजित सम्पत्ति अज्ञात रही।

(झ) ह्यूम पाइप क्रय में नियमानुसार वैट एवं आयकर की कटौती तथा जमा के अभिलेख अप्राप्त रहे।

इस प्रकार उक्त आपत्तियों के अधीन किया गया व्यय रू0–33310.00 वित्तीय अपहरण है जिसकी आधा–आधा ग्राम प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 88लेखा परीक्षा में प्राप्त कैशबुक के अनुसार "सेक्टर रोड से शीतला के घर" तक खड़ंजा मरम्मत कार्य पर व्यय निम्नवत है–

1. दिनांक– 27.06.2016 रू. 13920.00
2. दिनांक–30.03.20177 रू. 10052.00 कुल रू0–23972.00

इस पर निम्न आपत्तियां हैं–

(क) कार्यवाही रजिस्टर के लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहने से उक्त कार्य के ग्राम सभा में पारित होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ख) उक्त कार्य की कार्ययोजना, इस्टीमेट, एम0बी0, वित्तीय–प्रशासन स्वीकृति कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र एवं उपभोग प्रमाण–पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त भी अप्राप्त रहा।

(ग) उक्त कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल, बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड "क', 'ख' तथा उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमावली–1947 की धारा–27 एवं नियम–256, के अनुसार ऐसा न करना वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है।

(घ) लेखा परीक्षा में प्राप्त कैशबुक के अनुसार खड़ंजा मरम्मत पर जून–2016 से लेकर मार्च 2017 तक मजदूरी पर ही कुल रू0–23972.00 व्यय दर्शित है। कैशबुक से स्पष्ट है कि इस कार्य पर ईटा पर व्यय नहीं दर्शित है। यदि उक्त खड़न्जा पर ईटा नहीं क्रय है तो इसका अर्थ है कि खड़नजा की ईटें सही थी। यदि खड़ंजा की ईटें सही थी तो फिर खड़न्जा मरम्मत किस बात का किया गया है। अतः स्पष्ट है कि खड़नजा मरम्मत पर केवल मजदूरी पर किया गया व्यय संदिग्ध एवं आधारहीन है। इस मरम्मत की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मजदूरी पर मनमाने ढंग से आहरण करके व्यय किया गया है जो वित्तीय अनियमितता है।

(च) स्टॉक एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त अप्राप्त रहने से पूर्व में सृजित सम्पत्ति तथा स्टॉक एवं सृजित सम्पत्ति के मरम्मत की पुष्टि नहीं हो सकी।

इस प्रकार उक्त आपत्तियों के अधीन किया गया व्यय रू0–23972.00 वित्तीय अपहरण है जो अधिभार योग है, इसकी ब्याज सहित वसूली आधा–आधा ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

38 – ग्राम पंचायत– प्रतापपुर कला विकास खण्ड–भियांव जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 89ग्राम पंचायत प्रतापपुर कला की कैशबुक के अनुसार दिनांक 10.06.2016 को हयूम पाइप क्रय में रू0–19600.00 मे. हिमालय ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है। इस पर निम्न आपत्ततियाँ हैः–

(क) लेखा परीक्षा में कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय के ग्रामसभा द्वारा पारित होने की पुष्टि नहीं हो सकी।

(ख) हयूम पाइप क्रय से पूर्व एफ0एच0बी0 के खण्ड–1 एवं शासनादेश संख्या–ए–1–864/ दस–06–15 (1) 86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार कोटेशन नहीं लिया गया है और मनमाने ढंग से सामग्री क्रय किया गया है।

(ग) लेखा परीक्षा में उक्त क्रय का कोई भी बिल बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि उ0प्र0 ग्राम पंचा0 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–क एवं ख तथा उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमावली–1947 की धारा–27 एवं नियम–256 के अधीन यह वित्तीय अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

(घ) उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार/नियमानुसार रू0–5000.00 से अधिक का भुगतान नगद नहीं किया जा सकता। जबकि प्राप्त कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त आहरण प्रधान द्वारा नकद किया गया है और इसे मे0 हिमालय ट्रेडर्स के पक्ष में व्यय दर्शित किया गया है। जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

(च) लेखा परीक्षा में इस क्रय हयूम पाइप के लगवाने का स्थान लगवाने की मजदूरी के अभिलेख (मास्टर रोल) आदि अप्रस्तुत रहने से हयूम पाइप पर किया गया व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। इससे स्पष्ट होता है कि इसे न तो वास्तव में क्रय किया गया है और न ही लगवाया गया है। अतः यह वित्तीय अपहरण प्रतीत होता है।

(छ) उक्त हयूम पाइप क्रय की एम0बी0, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र एवं उपभोग प्रमाण–पत्र अप्रस्तुत रहा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि हयूम पाइप पर किया गया व्यय रू0–19600.00 वित्तीय अपहरण जो अधिभार के योग्य है, इसकी आधा–आधा ग्राम प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 90 शासनादेश संख्या–ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 तथा अनुस्मारक शा0सं0–10/2015/ए–1–502/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार बैंकों में रखी सरकारी धनराशि पर अर्जित व्यय संस्था (ग्राम पंचा0) की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है और इसे राजकोष में अनिवार्यतः जमा कराया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते में वर्ष में अर्जित ब्याज रू0–14729.00 रहा, जिसे राजकोष में न जमा करना गंभीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है, इसे राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 91लेखा परीक्षा में प्राप्त कैशबुक के अनुसार दिनांक 30.06.2016 को श्री रिपुदमन यादव द्वारा रू0–13300.00 का आहरण किया गया। इसमें से रू0–10300.00 का मे0 मौर्या हार्डवेयर को हैण्डपम्प मरम्मत का नकद भुगतान पर व्यय तथा रू0–3000.00 सामान्य लाभ निधि में व्यय दर्शित है। इस पर निम्न आपत्तियाँ है।

(क) लेखा परीक्षा में हैण्डपम्म मरम्मत एवं सामान्य लाभ निधि की कार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर में स्वीकृति, एम0बी0, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र अप्रस्तुत रहा।

(ख) लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प लगवाने का स्थान, बिल/बाउचर आदि अप्रस्तुत रहा जबकि उ0प्र0 ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–क, ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमावली–1947 की धारा–27, एवं नियम–256 के अनुसार बिल/बाउचर के बिना व्यय करना वित्तीय अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

(ग) लेखा परीक्षा में पाया गया कि यह आहरण रू0–13300.00 श्री रिपुदमन यादव द्वारा किया गया है और इसमें से रू0–10300.00 सरकारी नियमों/निर्देशों का उल्लंघन करके मे0 मौर्या हार्डवेयर के पक्ष में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु व्यय दर्शित किया गया है। जबकि श्री रिपुदमन यादव न तो ग्राम प्रधान है न ही ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है। अतः किस अधिकार से इनके द्वारा धन का आहरण किया गया है। पुनः यदि मे0 मौर्या हार्डवेयर को भुगतान किया गया है तो इसे श्री रिपुदमन यादव द्वारा नकद क्यों किया गया है? फर्म के नाम चेक द्वारा भुगतान क्यों नहीं किया गया है? अतः: स्पष्ट है कि श्री रिपुदमन यादव द्वारा किया गया आहरण नियम विरूद्ध है और वित्तीय अपहरण की कोटि में आता है।

(घ) लेखा परीक्षा में हैण्डपम्म मरम्मत हेतु निर्गत सरकारी दिशा–निर्देशों के पालन की भी पुष्टि नही होती हैः–

1. लेखा परीक्षा में जल निगम की हैण्डपम्प मरम्मत के स्वीकृति सूची अप्राप्त रहीं।
2. हैण्डपम्प मरम्मत का स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति आदि अप्राप्त रही।
3. हैण्डपम्प मरम्मत में मजदूरी पर कोई भुगतान नहीं है। अतः बिना मजदूरी के हैण्डपम्प मरम्मत कैसे कर दिया गया।

(च) लेखा परीक्षा में प्राप्त अभिलेखों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष दौरान निजी स्रोत से कोई आय नहीं की गयी है। सरकार के प्राप्त विकास अनुदान की धनराशि में से ही रू0–3000.00 सामान्य लाभ निधि में नकद व्यय किया गया है जो सरकारी नियमों/ निर्देशों के विपरीत है। इस मद में ग्राम पंचायत को, निजी स्रोत से अर्जित धन में से जमा करना होता है जबकि यहां पर ग्राम पंचायत द्वारा विकास अनुदान की धनराशि में से ही जमा कर दिया गया है जो वित्तीय अपहरण है।

(छ) यदि यह धनराशि वास्तव में श्रीमान डी0पी0आर0ओ0 अम्बेडकरनगर को भेजी गयी है तो इसे डी0पी0आर0ओ0 के नाम चेक द्वारा भुगतान क्यों नहीं किया गया है। यह धनराशि श्री रिपुदमन यादव द्वारा क्यों आहरित की गयी है? अतः यह आहरण नियम विरूद्ध है और वित्तीय अपहरण की कोटि में आता है।

(ज) लेखा परीक्षा में उक्त व्यय (सामान्य लाभ निधि) रू0–3000.00 का कोई भी बिल/बाउचर या प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि ऐसा न करना उ0प्र0 ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–8, के खण्ड–क, ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमावली–1947 की धारा–27 एवं नियम–256 के अधीन वित्तीय अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

इस प्रकार उक्त आपत्तियों के अधीन स्पष्ट है कि किया गया व्यय रू0–13300.00 नियम विरूद्ध तथा वित्तीय अपहरण है जो अधिभार के योग्य है इसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

39 – ग्राम पंचायत– बेलहरी विकास खण्ड–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर   लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 92लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में विशाल ब्रिक फील्ड से ईंट क्रय की गई, परन्तु समर्थन में साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किये गये। विवरण निम्न प्रकार है

दिनांक	चेक सं.	धनराशि	विवरण
18.10.2016	7	75600.00	विशाल ब्रिक फील्ड को भुगतान
18.10.2016	8	68254.00	विशाल ब्रिक फील्ड को भुगतान
03.11.2016	14	95236.00	विशाल ब्रिक फील्ड को भुगतान
13.11.2016	15	55090.00	विशाल ब्रिक फील्ड को भुगतान
14.02.2017	24	51717.00	विशाल ब्रिक फील्ड को भुगतान
21.02.2017	27	24006.00	विशाल ब्रिक फील्ड को भुगतान
21.02.2017	26	70414.00	विशाल ब्रिक फील्ड को भुगतान
	योग–	**440317.00**	

उपरोक्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए, साथ ही डिलीवरी चालान, बिल, कैशमेमो, एम.बी. प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सियाराम वर्मा ग्राम प्रधान से रू0 220158.50 एवं श्री विनय कुमार वर्मा ग्राम विकास अधिकारी से रू0 220158.50 कुल रु. 440317.00 संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं016)**

प्रस्तर 93 लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान एवं अन्य व्यक्तियों को सीधे भुगतान किया गया है, जिसकी पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उक्त भुगतान प्रायः गुणक में नहीं है, इस प्रकार अनियमित ढंग से व्यय दर्शित किया गया है। विवरण निम्नवत है–

दिनांक	चेक सं.	धनराशि	विवरण
02.04.2016	5	25200.00	श्री सियाराम वर्मा को भुगतान
13.05.2016	6	33800.00	श्री सियाराम वर्मा को भुगतान
15.10.2016	9	38670.00	श्री सियाराम वर्मा को भुगतान
24.10.2016	10	15000.00	श्री सियाराम वर्मा को भुगतान
29.10.2016	12	30926.00	श्री सियाराम वर्मा को भुगतान
29.10.2016	11	20490.00	श्री सियाराम वर्मा को भुगतान
23.11.2016	16	8004.00	श्री सियाराम वर्मा को भुगतान
27.12.2019	19	10000.00	श्री सियाराम वर्मा को भुगतान
27.12.2016	18	10000.00	श्री सियाराम वर्मा को भुगतान
29.12.2016	20	10000.00	श्री सियाराम वर्मा को भुगतान
09.02.2017	25	19248.00	श्री सियाराम वर्मा को भुगतान
20.02.2017	29	8194.00	श्री सियाराम वर्मा को भुगतान
17.02.2017	22	11000.00	श्री मोहम्मद जावेद को भुगतान
	योग–	**230532.00**	

उपरोक्त से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, बिल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रधानपति एवं अन्य के नाम से ग्राम निधि से आहरण अनियमित रहा, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश राज्य नियमावली, 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सियाराम वर्मा ग्राम प्रधान से रु. 115266.00 एवं श्री विनय कुमार वर्मा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से रु. 1152606.00 कुल धनराशि रु. 230532.00 संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0 17)**

प्रस्तर 94लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में सुपर बिल्डिंग फर्म से सीमेण्ट, निर्माण एवं मरम्मत हेतु मदों में सामान क्रय किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है–

दिनांक	चेक सं.	धनराशि	विवरण
03.11.2016	13	19532.00	सुपर बिल्डिंग को भुगतान
13.02.2017	23	24850.00	सुपर बिल्डिंग को भुगतान
23.02.2017	28	11304.00	सुपर बिल्डिंग को भुगतान
	योग–	**55686.00**	

उक्त से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, एम.बी प्रमाण पत्र, डिलीवरी चालान, कैशमेमो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश राज्य नियमावली, 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सियाराम वर्मा ग्राम प्रधान से रु. 27843.00 एवं श्री विनय कुमार वर्मा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से रु. 27843.00 संयुक्त रूप से कुल धनराशि रु. 55686.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

40 – ग्राम पंचायत– काही विकास खण्ड–भीटी जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 95ग्राम काही के वर्ष 2016–17 की आडिट में पाया गया कि निम्न धनराशि सोलर/स्ट्रीट लाइट क्रय पर व्यय दर्शित है।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	टिप्पणी
1	11.04.2016	34500.00	विवरणहीन एवं व्यय प्रमाणक विहीन व्यय
2	18.04.2016	78000.00	
3	11.05.2016	70000.00	
4	20.06.2016	97500.00	
5	30.06.2016	97500.00	
6	30.06.2016	103500.00	
7	01.08.2016	78000.00	
8	03.08.2016	78000.00	
	योग–	**637000.00**	

उपर्युक्त विवरण में दर्शित सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरण विहीन लाइट किस फर्म तथा किस दर से खरीदी गई है आडिट के दौरान कोई प्रमाणक नहीं मिला। साथ ही दिंनाक 30.06.2016 को क्रमशः 97500 + 103500 का सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट क्रय दिखाया गया है जिस पर टेन्डर प्रणाली अपनानी चाहिए थी, टेण्डर नहीं कराया है। साथ साथ ही 637000.00 रूपये सोलर स्ट्रीट क्रय कर ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड(7) कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रा.पं का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत एवं खण्ड 8(क) कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204, 205 नियम 256 तथा उ0पग्र0 पंचायत राज्य अधिनियम की धारा 27 के अंर्तगत अधिमार योग्य है। अतः कुल धनराशि रूपया 637000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रमपता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदम्बा प्रसाद शुक्ला से अद्यावधि ब्याज सहित संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 96ग्राम पंचायत काही की आडिट में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय किया गया दर्शित है–

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	टिप्पणी
1	26.05.2016	22800.00	विवरणहीन एवं व्यय प्रमाणक विहीन व्यय
2	06.06.2016	17100.00	
3	18.10.2016	12400.00	
4	22.03.2016	5000.00	
	योग	**52800.00**	

खण्ड (7) कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रा0पं0 का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत एवं खण्ड 8(क) कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी एवं उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल धनराशि रू0 52600.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रमपता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदम्बा प्रसाद शुक्ला से अद्यावधि ब्याज सहित संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 97 ग्राम पंचायत काही के वर्ष 2016–17 के आडिट के दौरान कैश बुक में ह्यूम पाइप क्रय, पानी की टंकी का क्रय एवं सफाई किट का क्रय दर्शित किया गया है। विवरण निम्नवत हैः–

दिनांक	धनराशि	टिप्पणी
20.04.2016	28500.00	ह्यूम पाइप क्रय सम्बंधित विवरण विहीन एवं प्रमाणविहीन व्यय
11.08.2016	42750.00	
10.11.2016	47200.00	
20.06.2016	35100.00	पानी की टंकी का क्रय विवरण विहीन एवं प्रमाणविहीन व्यय
25.11.2016	24400.00	सफाई किट क्रय विवरण विहीन एवं प्रमाणविहीन व्यय
योग	177950.00	

उपर्यक्त विवरण में क्रय दर्शित ह्रयूमपाइप की खरीद कर कहाँ पर प्रयोग किया गया मांगोपरान्त कोई भी साक्ष्य प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराई गई, साथ ही साथ पानी की टंकी एवं सफाई किट किस फर्म से तथा किस दर से खरीदी गई अज्ञात है। अतः उपर्युक्त व्यय ग्राम पंचयातों के लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं नियम की धारा 21 के अन्तर्गत अपहरण एवं अधिभार योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित रू0 17950 ग्रा0 प्रधान श्रीमत्ती रमपता व ग्राम विकास अधिकारी श्री जगदम्बा प्रसाद शुक्ला अद्यावधि ब्याज सहित संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 98. ग्राम पंचायत काही की वित्तीय वर्ष 2016–17 के आडिट के दौरान कैश बुक में नाली निर्माण, खड़ंजा निर्माण पर निम्न प्रकार ईट क्रय मैटेरियल (सीमेन्ट, बालू, मोरंग) क्रय एवं भुगतानित मजदूरी पर व्यय दर्शित किया गया है, विवरण निम्नवत हैः–

क्र.	दिनांक	ईट क्रय	दिनांक	समान क्रय	दिनांक	मजदूरी
1	07.04.2016	49600.00	12.04.2016	58125.00	05.04.2016	16878.00
2	11.04.2016	34500.00	–	–	07.04.2016	12552.00
3	04.07.2016	62000.00	–	–	22.04.2016	20880.00
4	10.11.2016	57000.00	–	–	17.05.2016	19836.00
					26.10.2016	14644.00
	योग	203100.00	योग	58125.00	योग	84790.00

उपर्युक्त विवरण में दर्शित झड़ंजा मरम्मत पर व्यय धनराशि निम्न कारणों से वित्तीय औचित्यों एवं सामग्री क्रय के नियमों से विपरीत है एवं वसूली योग्य है।

1. मजदूरी का भुगतान समान क्रय से पहले क्यों किया गया।
2. मजदूरी भुगतान सम्बन्धी मस्टर रोल अप्राप्त रहा।
3. खड़ंजा निर्माण सम्बन्धी एम0बी0 एवं स्टीमेट मांगोपरान्त अनुपलब्ध रहा।
4. खड़ंजा मरम्मत हेतु क्रय ईट विवरण एवं स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा। अतः क्रय सम्बन्धी की मात्रा की जानकारी नहीं हो पाई।
5. खड़ंजा मरम्मत हेतु ग्राम पंचायत की बैठक का प्रस्ताव एवं स्वीकृति अप्राप्त रहा।
6. सामग्री क्रय रसीद एवं चालान की प्रति अप्राप्त रही।

अतः स्पष्ट है कि दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (7) कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत एवं खण्ड (8क) कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायतों से की जायेगी एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204, 205 नियम 256 तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अधिमार योग्य है। अतः कुल धनराशि रूपया 346015.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रमपता एवं ग्रा0पं0 सचिव श्री जगदम्बा प्रसाद शुक्ला से अद्यावधि ब्याज सहित संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 99आलोचना वर्ष में ग्रा0पं0 में विभिन्न तिथियों में धन का आहरण किया गया है, जिसका कोई व्यय विवरण एवं प्रमाणक उपलब्ध नहीं है

क्र.	दिनांक	धनराशि	चेक सं0	मद	क्रय प्रमाणक सं0
1	05.05.2016	5000.00	212	विवरण हीन	अनुपलब्ध
2	07.02.2017	46200.00	233	विवरण हीन	अनुपलब्ध
3	02.03.2017	19000.00	234	विवरण हीन	अनुपलब्ध
	योग	70200.00			

उपरोक्त विवरणानुसार रु0 70200 का आहरण किया गया है, जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक विवरण, व्यय विवरण, ग्रामसभा का प्रस्ताव, किसी स्थायी समिति का अनुमोदन एवं उपभोग प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा। अतः स्पष्ट है कि रु0 70200 का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय के खण्ड (7) एवं खण्ड 8(ख) के विपरीत एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204, 205 एवं नियम 256 तथा

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अधिमार योग्य है, जिसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

41 – ग्राम पंचायत– चौदहप्रास विकास खण्ड–भियांव जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 100 ग्राम पंचायत चौदहप्राश विकास खण्ड भियांव जनपद–अम्बेडकरनगर के वित्तीय वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित आपत्तियां अपहरण की धनराशि प्रकाश में आयी हैं। इस पर विभागीय अधिकारियों का ध्यान वसूली हेतु आकुष्ट किया जाता है।

(1) लेखा परीक्षा में प्राप्त कैशबुक के अनुसार श्री दयाशंकर के घर से डीह स्थान तक खड़ण्जा निर्माण किया गया है।

दिनाक	मद	धनराशि
12–05–2016	मस्टर रोल (मजदूरी)	78729.00
26–05–2016	ईंट क्रय	122075.00
21–08–2016	ईंट क्रय	39690.00
		240494.00

उपरोक्त व्यय में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी :–

(क) लेखा परीक्षा में माँग के बावजूद कार्यवाही रजिस्टर जिसे ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्य योजना का पारित होना सुनिश्चित किया जा सके अप्रस्तुत रहा।

(ख) लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की कार्ययोजना, इस्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति प्रमाण पत्र तथा एम0बी0 अप्रस्तुत रहने से किया गया व्यय अवास्तविक, मनमाना एवं औचित्यहीन प्रमाणित होता है।

(ग) उक्त सामग्री के क्रय करने से पूर्व कोटेशन नहीं लिया गया, मनमाने ढंग से सामग्री क्रय की गयी। जबकि वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–7 के पैरा 'क' के अनुसार 20,000/– से अधिक की सामग्री का क्रय कोटेशन आमंत्रित करके किया जाना चाहिए।

(घ) उक्त कार्य पर किए गए भुगतान से पूर्व सक्षम समिति/निर्माण कार्य समिति की संस्तुति नहीं ली गई जबकि शासनादेश संख्या–3467/33–1–99, 222/99 दिनांक 01 जुलाई 99 के पेज संख्या–52 के अनुसार सक्षम समिति की संस्तुति लेना अनिवार्य है।

(ड) उक्त कार्य के लेखा परीक्षा में पाया गया कि इस पर कुल रू0 1,61,765.00 ईंट क्रय पर व्यय है, जिसके अनुसार रू. 6.3 प्रति ईंटों की दर से मार्ग पर कुल 25677 ईंट प्रयुक्त होना चाहिए और इस आधार पर मार्ग की माप जिसमें सोलिंग हुयी है 443 वर्ग मीटर (588 ईंट प्रति वर्ग मीटर की दर से) होगी चूंकि सोलिंग मार्ग के 90% भाग पर ही होती है। अतः मार्ग की कुल माप 492 मीटर होगी। इस पर सोलिंग से पूर्व 98.4 घन मीटर मिट्टी पड़ेगी (0.20 मीटर ऊँचाई) अतः ई/डब्लू की मजदूरी रू0 7675.00 (रू0 78.00 प्रति घन मीटर दर) तथा सोलिंग की मजदूरी रू0 27208.00 (55.30 प्रति वर्ग मीटर) तो कुल मजदूरी पर व्यय रू0 34883.00 वाजिब व्यय होगी जबकि रू0 78729.00 व्यय है। अतः रू0 43846.00 अधिक व्यय है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से होनी चाहिए।

(च) वर्ष में ईंट क्रय सामग्री रू0 161765.00 पर बैट 4 प्रतिशत रू0 6471.00 तथा आयकर (2.26) रू0 3656.00 की स्रोत पर कटौती करके ही फर्म को भुगतान करना चाहिए था जिससे कुल रू0 10127.00 की राजकीय क्षति की गयी है। इसके उचित शीर्षक में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(छ) लेखा परीक्षा में स्टॉक रजि0 एवं परिसम्पत्ति रजि0 अप्रस्तुत रहने से क्रय सामग्री एवं उपभोग एवं अन्तिम अवशेष विवरणहीन रहा, सृजित सम्पत्ति भी विवरणहीन रही।

(ज) लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहने से किये गये कार्य की स्थिति पूर्णतः अज्ञात रही।

इस प्रकार उक्त आपत्तियों के अधीन किया गया कुल व्यय रू. 43846.00 विवरण औचित्यहीन, नियम विरूद्ध तथा वित्तीय अपहरण है जो अधिभार योग्य है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिव प्रकाश मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 101लेखा परीक्षा में प्राप्त कैशबुक के अनुसार बेचू के ट्यूबवेल से शिवदास के घर तक खड़ण्जा निर्माण में किया गया व्यय निम्नवत है :–

दिनांक	मद	व्यय की धनराशि
25.11.2016	मस्टर रोल	9918.00
28.12.2016	मस्टर रोल	23838.00
02.01.2017	ईटा क्रय	147400.00
	योग	**181156.00**

उपरोक्त व्यय पर निम्न प्रकार की आपत्तियाँ हैं :–

(क) लेखा परीक्षा में कार्यवाही रजिस्टर जिससे ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्य योजना का पारित होना सुनिश्चित किया जा सके, मांगने के बावजूद अप्रस्तुत रहा।

(ख) उक्त कार्य हेतु स्टीमेट कार्ययोजना तकनीकी स्वीकृति वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहने से किया गया व्यय नियम विरूद्ध तथा औचित्यहीन है।

(ग) उक्त कार्य में क्रय से पूर्व कोटेशन नहीं लिया गया और मनमाने ढंग से सामग्री क्रय की गयी जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–7 के पैरा (क) के अनुसार रू0 20000.00 से अधिक की सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन आमंत्रित करना अनिवार्य है।

(घ) लेखा परीक्षा में उक्त किये गये व्यय से सम्बन्धित कोई भी बिल/व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया जबकि ऐसा न करना ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–8क खण्ड–7 एवं खण्ड–8 (क), (ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली–1947 के नियम 204, 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है।

(ड.) उक्त कार्य पर किये गये व्यय के भुगतान से पूर्व सक्षम समिति/निर्माण कार्य समिति की संस्तुति नहीं ली गयी जबकि शासनादेश संख्या–3467/33–1/99, 222/99 दिनांक 01 जुलाई, 1999 के पेज सं0–52 के अनुसार ऐसा किया जाना अनिवार्य था।

(च) लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

(छ) लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहने से किये गये कार्य की स्थिति पूर्णतः अज्ञात रही।

इस प्रकार उक्त आपत्तियों के अधीन किया गया कुल व्यय रू. 1,81,156.00 विवरणहीन, औचित्यहीन तथा वित्तीय अपहरण है जो अधिभार योग्य है। इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 102लेखा परीक्षा में प्राप्त कैशबुक के अनुसार कुंज के ट्यूबवेल से रमाशंकर के चक तक नाली निर्माण कार्य पर निम्नवत व्यय किया गया है :–

दिनांक	मद	व्यय धनराशि
23.02.2017	मस्टर रोल (मजदूरी)	19836.00
02.03.2017	मस्टर रोल (मजदूरी)	16144.00
08.03.2017	सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल)	62107.00
09.03.2017	सामग्री (ईटा मिट्टी)	103290.00
28.03.2017	मस्टर रोल (मजदूरी)	19670.00
30.03.2017	सामग्री (ईंट)	87570.00
	योग	**308617.00**

इस पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं :–

(क) कार्यवाही रजिस्टर जिससे ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्य योजना का पारित होना सुनिश्चित किया जा सके, लेखा परीक्षा में मांगे जाने के बावजूद अप्रस्तुत रहा।

(ख) उक्त कार्य की कार्य योजना इस्टीमेट तकनीकी स्वीकृति वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0 लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहने से किया गया व्यय विवरणहीन तथा औचित्यहीन अप्रमाणित होता है।

(ग) सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन आमंत्रित न करके मनमाने ढंग से सामग्री क्रय की गयी है जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–7 के पैरा (क) के अनुसार रू0 20000.00 से अधिक की सामग्री क्रय के पूर्व कोटेशन लेना अनिवार्य है।

(घ) लेखा परीक्षा में उक्त किये गये व्यय से सम्बन्धित कोई भी बिल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि ऐसा न करना वित्त ग्राम पंचायत के बिल एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड–8 (क), (ख) एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम–204, 205 के विपरीत तथा नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है।

(ड.) उक्त व्यय से पूर्व भुगतान से पूर्व सक्षम समिति/निर्माण कार्य समिति की संस्तुति नहीं ली गयी जबकि शासनादेश (पूर्व की आपत्तियों में लिखित) के अनुसार समिति की संस्तुति के बाद ही भुगतान किया जाना चाहिए ।

(च) लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहने से प्राप्त, प्रयुक्त एवं अवशेष सामग्री तथा सृजित सम्पत्ति विवरणहीन रहा ।

(छ) लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने से कार्यों की पूर्ण होने की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन किया गया कुल व्यय रू0 308617.00 विवरणहीन, काल्पनिक तथा वित्तीय अपहरण है जो अधिभार योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 103लेखा परीक्षा में प्राप्त कैशबुक के अनुसार हरीराम के घर से अघोर बघेल तक नाली निर्माण पर निम्न प्रकार व्यय किया गया है :–

दिनांक	मद	धनराशि
27.12.2016	सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल ईंटा)	39394.00
28.12.2016	ईंटा क्रय	52260.00
28.12.2016	मजदूरी (मस्टर रोल)	8632.00
	योग	**100286.00**

उपरोक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं :–

(क) कार्यवाही रजिस्टर जिससे ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्य योजना का पारित होना सुनिश्चित किया जा सके, लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
(ख) उक्त कार्य की कार्य योजना, इस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति वित्तीय, प्रशासनिक स्वीकृति प्रमाण पत्र तथा एम0बी0 लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहने से किया गया व्यय नियम विरूद्ध अवास्तविक तथा औचित्यहीन प्रमाणित होता है।
(ग) सामग्री से पूर्व कोटेशन ग्राम पंचायत द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–7 के पैरा (क) के अनुसार रू0 20000.00 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाना चाहिए।
(घ) लेखा परीक्षा में उक्त किये गये व्यय से सम्बन्धित कोई भी बिल/व्यय बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड (क), (ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम–1947 के नियम 204, 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अधीन वित्तीय अपहरण है जो अधिभार योग्य है।
(ड.) उक्त कार्य पर किये गये व्यय से पूर्व सक्षम समिति/निर्माण कार्य समिति की संस्तुति नहीं ली गयी जबकि शासनादेश (पूर्व आपत्ति में लिखित) के अनुसार ऐसा करना अनिवार्य है।
(च). लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।
(छ) लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहने से किये गये कार्य की स्थिति पूर्णतः अज्ञात रही। इस प्रकार उक्त आपत्तियों के अधीन किया गया कुल व्यय रू0 100286.00 विवरणहीन, औचित्यहीन तथा वित्तीय अपहरण है जो अधिभार योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

42 – ग्राम पंचायत– चकिया विकास खण्ड–भियांव जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 104ग्राम पंचायत चकिया, विकास खण्ड भियांव, जनपद––अम्बेडकरनगर के वित्तीय वर्ष–2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित आपत्तिगत अपहरण की धनराशि प्रकाश में आयी है। इस पर विभागीय अधिकारियों का ध्यान यथोचित कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। विभिन्न तिथियों में निम्नांकित धनराशियों का आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है–

दिनांक	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार नकद भुगतान	भुगतान प्राप्तकर्ता/फर्म/दुकानदार का विवरण
23.09.2016	20000.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
30.09.2016	29390.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
25.10.2016	12500.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
28.11.2016	4000.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
29.11.2016	4000.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
03.12.2016	9918.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
02.01.2017	9918.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
03.02.2017	9918.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
07.02.2017	8874.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
14.02.2017	13398.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
16.02.2017	13224.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
02.03.2017	14500.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
09.03.2017	17400.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
10.03.2017	12876.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
20.03.2017	20094.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
27.03.2017	31946.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
31.03.2017	14940.00	नकद	अज्ञात/अस्पष्ट
योग–			

उपरोक्त विभिन्न तिथयों में कुल रू0–246896.00 का खाते से नकद आहरण करके ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय की पुष्टि में व्यय बाउचर/प्रमाणक एवं बिलों का मस्टर रोल तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया/पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संम्प्रेक्षण (आडिट) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।
लेखा परीक्षा में माँग के बावजूद निम्न लिखित विवरण के अनुसार अभिलेख तैयार कर प्रस्तुत नहीं किये गये। नियमानुसार अभिलेख नहीं तैयार किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता है–

1. कार्यवाही रजिस्टर जिसे ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्ययोजना का पारित होना सुनिश्चित किया जा सके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. कोष बही रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में उपलबध नहीं कराया गया।
3. कार्य को करने से पहले सक्षम अधिकारी से कार्यों की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृत प्रमाण–पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
4. कार्यों की तकनीकी स्वीकृत सम्बन्धी पत्रावली एवं एम0बी0, रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. विभिन्न समितियों जैसे निर्माण कार्य समिति प्रशासनिक समिति से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
6. एफ0एच0बी0 खण्ड 1 एवं शासनादेश संख्या–ए1–864/दस–08–15(1) 86 दिनांक–23.09.2008 के अनुसार निर्माण हेतु सामग्री क्रय के लिये कोटेशन/निविदा की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे सामग्री क्रय की न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं की जा सकी।
7. स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि वास्तव में सामग्री की आमद हुयी या नहीं।
8. परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से वर्ष में संचित सम्पत्ति तथा वर्ष में कराये गये कार्यों एवं विगत वर्षों में कराये गये कार्यों का स्पष्ट अभिलेख अप्राप्त रहा।
9. किसी भी कार्य की कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र/पीसी0आर0 निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे कार्य की पूर्ति एवं हस्तगत की स्थित अस्पष्ट रही।
10. पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार क्रय सम्बन्धित कोई भी भुगतान रू0–2000.00 से ऊपर एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से सिर्फ फर्म या दुकान को किया जाना है लेकिन यहाँ भुगतान प्रधान द्वारा नकद प्राप्त किया गया है।
अतः उपर्युक्त आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा जो भी निर्माण कार्य और उस पर व्यय दर्शित है वह काल्पनिक है। इस प्रकार कुल रू0 246896.00 की वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए मनमानी ढंग से ग्राम निधि प्रथम से आहरित कर व्यय किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत एवं वित्त लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) अन्तर्गत अपहरण एवं अधिभार योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

43 – ग्राम पंचायत– चिन्तौरा विकास खण्ड–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17

प्रस्तर 105 <u>ईंट क्रय रुपया– 1630816.00</u>आलोच्य वर्ष में निम्न तिथियों में ईंट क्रय की गयी किन्तु जिससे सम्बन्धित व्यय बाउचर, स्टीमेट उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे धन के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।अतः व्यय की गयी धनराशि वसूली योग्य है, जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी हैं। वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	अभियुक्ति
02.04.2016	80955.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
18.04.2016	59850.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
25.04.2016	66150.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
16.07.2016	90720.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
07.11.2016	50400.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
16.11.2016	50400.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
03.12.2016	54180.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
19.12.2016	63000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
29.12.2016	44364.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
01.02.2017	68200.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
01.02.2017	81900.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
07.02.2017	153090.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
02.02.2017	11970.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
02.02.2017	8820.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
20.02.2017	137970.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
20.02.2017	24582.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
20.02.2017	73337.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
01.03.2017	35562.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
03.03.2017	96674.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
03.03.2017	35683.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
09.03.2017	36544.00	नकद ईंट क्रय
29.03.2017	107415.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत

29.03.2017	133900.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
31.03.2017	66150.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
टोटल	**1630816.00**	

आलोच्य वर्ष में निर्माण मरम्मत कार्य में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक (बिल प्रोफार्मा), इनवाइस, चालान पत्र आदि तथा मजदूरी आदि के भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल आदि महत्वपूर्ण प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने से निर्माण/मरम्मत कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती। इस प्रकार फर्जी कार्य दर्शाकर या वास्तविक कार्य से अधिक दर्शाकर धनराशि अपहरण किया गया है, जो पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानानुसार यदि कोष बही में दर्शाये गये व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं होता है तो दर्शायी गयी धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित हैं, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी/प्रधान से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 106<u>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय–207123.00</u>आलोच्य वर्ष में निम्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है। विवरण निम्न प्रकार है :–

दिनांक	धनराशि	अभियुक्ति
16.04.2016	23023.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
26.04.2016	7500.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
26.04.2016	32200.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
27.04.2016	15100.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
04.05.2016	23960.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
04.07.2016	19100.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
14.07.2016	19140.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
15.10.2016	30150.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
19.10.2016	15000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
22.12.2016	18000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
16.02.2017	3950.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
टोटल	**207123.00**	

उपरोक्त विवरणानुसार प्रधान द्वारा नकद हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया है। जिसमें साक्ष्य/व्यय प्रमाणन साक्ष्य अनुपलब्ध कराने के कारण नहीं किया जा सका। आलोच्य वर्ष में निर्माण मरम्मत कार्य में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक (बिल प्रोफार्मा), इनवाइस, चालान पत्र आदि तथा मजदूरी आदि के भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल आदि महत्वपूर्ण प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने से निर्माण/मरम्मत कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती। इस प्रकार फर्जी कार्य दर्शाकर या वास्तविक कार्य से अधिक दर्शाकर धनराशि अपहरण किया गया है, जो पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानानुसार यदि कोष बही में दर्शाये गये व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं होता है तो दर्शायी गयी धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी/प्रधान से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 107<u>केन्द्रीय राजस्व/राजकीय राजस्व सामान्य क्रय पर रूपया 121678.00 की क्षति/हानि</u>:आलोच्य वर्ष 1941863.00 × 4 प्रतिशत = 77675.00 व आई0टी0 44003.00 = 121678.00 फर्म को सीधे भुगतान कर टी0डी0एस0 की कटौती न कर क्षति/हानि पहुँचाया गया। शासन की विज्ञप्ति सं0–1315 दिनांक 07.10.2013 इस सर्कलर के द्वारा कर योग्य माल क्रय करने पर भुगतान के पूर्व भुगतान की जाने वाली धनराशि में से 4 प्रतिशत की दर से कटौती किया जाना प्राविधानित किया गया है। केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विभाग हों, "वाणिज्य कर की धारा–34(6) में प्राविधानित है कि वर्क कान्ट्रेक्टर एवं माल में क्रय के सम्बन्ध में भुगतान करने के पूर्व 4 प्रतिशत धनराशि की कटौती करने के बाद आगामी माह 01 से 20 तारीख के मध्य राजकीय कोषागार में वाणिज्य कर के हेड में जमा किया जाना चाहिए था। वैट की धारा–34(8) में ऐसा न करने पर कटौती की धनराशि के दो गुने के अर्थदण्ड का प्राविधान है। वैट की धारा–34(9) के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज भी देय है। इस प्रकार ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत चिन्तौरा में वर्ष 2016–17 में शासन क्रय पर रू0 19418963 × 4 प्रतिशत = 77675.00 व आई0टी0 44003.00 = 121678.00 केन्द्रीय राजस्व/राजकीय राजस्व हानि/क्षति पहुँचायी गयी, जिस पर सरचार्ज सहित ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 108<u>मस्टर रोल पर व्यय–रू0 654777.00</u> आलोच्य वर्ष में मजदूरी पर निम्न तिथियों पर व्यय दुर्शाया गया, जिसके सापेक्ष मस्टर रोल, कार्य योजना, स्टीमेट, उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक आदि नहीं प्रस्तुत रहीं, जिससे नियमानुसार धन वसूली योग्य है। उक्त की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	अभियुक्ति
02.04.2016	62307.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
11.04.2016	23023.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
18.04.2016	53130.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत

18.07.2016	60726.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
28.10.2016	34104.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
04.10.2016	17052.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
07.11.2016	20100.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
17.11.2016	9918.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
13.11.2016	9222.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
20.11.2016	12180.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
30.11.2016	11310.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
07.12.2016	12180.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
07.12.2016	11484.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
14.12.2016	7308.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
14.12.2016	16530.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
19.12.2016	9396.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
19.12.2016	9222.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
19.12.2016	5046.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
26.12.2016	18270.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
18.01.2017	23970.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
25.01.2017	23838.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
31.01.2017	23838.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
07.02.2017	20010.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
10.02.2017	20090.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
02.02.2017	43308.00	गंगाराम ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा आहरण
22.02.2017	19760.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
27.02.2017	4010.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
01.03.2017	26400.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
03.03.2017	4817.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
03.03.2017	12030.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
03.03.2017	13305.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
08.03.2017	31300.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
09.03.2017	18272.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
31.03.2017	39846.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
टोटल	**654777.00**	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7, एवं खण्ड–8 क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम–256 अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से रूपया–654777.00 की वसूली अपेक्षित है। ग्राम पंचायत चिन्तौरा के आड़िट के दौरान बार–बार मांगोपरान्त परियोजनावार स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य का रजिस्टर, निर्माण समिति का अनुमोदन, सतर्कता समिति की निगरानी रिपोर्ट आडिट में प्रस्तुत न करने से उपभोग/आहरण की गयी धनराशि उक्त ग्राम पंचायत में आडिट की दृष्टि से अपुष्ट रहीं, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है, जिसके लिए संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है।

प्रस्तर 109<u>**सोलर लाइट पर व्यय 202500.00**</u>आलोच्य वर्ष में सोलर लाइट पर नवीन कान्स्ट्रक्शन के नाम रू. 202500. 00 का चेक के माध्यम से व्यय किया जाना दर्शित है। आडिट के तिथि तक साक्ष्य/व्यय प्रमाणन अप्राप्त रहने से व्यय अपुष्ट रहा। विवरण निम्न प्रकार है :

दिनांक	धनराशि	अभियुक्ति
03.01.2017	90000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
03.01.2017	67500.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
16.03.2017	45000.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
टोटल	**202500.00**	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रु. 202500.00 सोलर लाइट नवीन कान्स्ट्रेक्शन को चेक काटकर कैशबुक में दर्शित किया गया है। सोलर लाइट किस–किस जगह पर लगाई गयी, स्थिति अस्पष्ट रही। इससे व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में सक्षम उच्च अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट है। निरीक्षण निगरानी करने की आवश्यकता है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 110 **स्ट्रीट लाइट पर व्यय–200000.00** आलोच्य वर्ष में निम्न तिथियों में स्ट्रीट लाइट ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा. किया गया है। स्ट्रीट लाइट लगाने सम्बन्धी सम्बन्धित विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी से बिना अनुमति लिये स्ट्रीट लाइट क्रय कर लगाया जाना दर्शित रहा। जिसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य व्यय प्रमाणन प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसा पाया गया काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया हैं। विवरण निम्न है :–

दिनांक	धनराशि	अभियुक्ति
21.09.2016	31250.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
21.09.2016	31250.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
21.09.2016	37500.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
04.10.2016	37500.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
04.10.2016	31250.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
04.10.2016	31250.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
टोटल	**200000.00**	

उपरोक्त विवरण के अनुसार ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रू0 200000.00 ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड 8 क एवं प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम–256 अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत व्यय अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। उक्त ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है। ग्राम पंचायत चिन्तौरा के आडिट के दौरान बार–बार मांगोपरान्त परियोजनावार स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य का रजिस्टर, निर्माण समिति का अनुमोदन, सतर्कता समिति की निगरानी रिपोर्ट आडिट में प्रस्तुत न करने से उपभोग आहरण की गयी धनराशि उक्त ग्राम पंचायत में आडिट की दृष्टि से अपुष्ट रहीं, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है, जिसके लिए संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं।

प्रारूप–4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17

जनपद–अमेठी **मण्डल–अयोध्या**

ग्राम पंचायत का नाम– हरकरनपुर विकास खण्ड–जामों जनपद – अमेठी

प्रस्तर संख्या – 01लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में रमेश के घर से बाबादीन के घर तक खड़न्जा एवं मिट्टी कार्य पर रू. 202452/– का व्यय हुआ। इस कार्य पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियाँ पायी गयी–कार्ययोजना जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने से पूर्व ही धनराशि आहरित करके उपयोग कर ली गयी। जबकि अनुमोदन होने तक किसी भी आहरण पर सख्त रोक थी। चूँकि यह कार्य दो लाख रू. से अधिक का था अतः इस पर ए0डी0ओ0 पंचायत के वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होना चाहिए था, जबकि तत्कालीन ए0डी0ओ0 (पंचायत) से कोई वित्तीय स्वीकृत नहीं ली गयी।कार्य से सम्बन्धित कोई भी स्टीमेट और एम0वी0 नहीं बनाया गया। सामग्री क्रय हेतु कोई टेन्डर नहीं निकाला गया।व्यय प्रमाणक और मस्टर रोल के बिना ही भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव एवं ग्राम प्रधान गोसिया बानो द्वारा पूर्णतया मनमाने ढंग एवं अनियमित तरीके से वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों की अनदेखी करके काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। यह अपहरण ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8(ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम–1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है, तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः सन्निहित धनराशि में से आधा–आधा अर्थात रू. 101226.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय यादव एवं रू. 101226.00 ग्राम प्रधान गोसिया बानो से अद्यावधि व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 02लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में हरकरनपुर रोड से रमेश के घर तक खड़न्जा/निर्माण कार्य पर रू. 209128.00 का व्यय हुआ इस कार्य पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियाँ पायी गयी–

1. कार्य योजना जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने से पूर्व ही धनराशि आहरित करके उपभोग कर ली गयी जबकि अनुमोदन होने तक किसी भी प्रकार के आहरण पर सख्त रोक थी।
2. दो लाख रू. से अधिक कार्य होने के बावजूद ए0डी0ओ0 पंचायत से कोई भी वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गयी।
3. बिना स्टीमेट और एम0वी0 के ही मनमाने तरीके से भुगतान कर दिया गया।
4. सामग्री क्रय हेतु कोई भी टेन्डर नहीं निकाला गया।
5. व्यय प्रमाणक और मस्टर रोल के बिना ही भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव एवं ग्राम प्रधान गोसिया बानो द्वारा पूर्णतया मनमाने ढंग एवं अनियमित तरीके से वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों की अनदेखी करके काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। यह अपहरण ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8(ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम–1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है, तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः सन्निहित धनराशि में से आधा–आधा अर्थात रू. 104564.

00 ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय यादव एवं रू. 104564.00 ग्राम प्रधान गोसिया बानो से अद्यावधि व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–03लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 प्रकाश व्यवस्था हेतु चार नग सोलर लाइट रू. 102000.00 में क्रय की गयी इस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी–

1. लाइट क्रय हेतु कोई टेण्डर नहीं निकाला गया।
2. लाइट कहां लगवायी गयी, इसकी कोई सूची, फोटो आदि नहीं दी गयी।
3. प्रति नग 25000.00 का भुगतान किया गया, जबकि नेडा द्वारा अधिकतम निर्धारित दर 23200.00 रू मात्र है।
4. कार्ययोजना जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने से पहले ही पैसा निकालकर खर्च कर दिया गया है।

इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव एवं ग्राम प्रधान गोसिया बानो द्वारा पूर्णतया मनमाने ढंग एवं अनियमित तरीके से वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों की अनदेखी करके काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। यह अपहरण ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8(ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम–1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है, तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः सन्निहित धनराशि में से आधा–आधा अर्थात रू. 51000. 00 ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय यादव एवं रू. 51000.00 ग्राम प्रधान गोसिया बानो से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम– भीखीपुर विकास खण्ड–जामों जनपद – अमेठी

प्रस्तर संख्या – 4 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में पक्की सड़क से विशाल सिंह के दरवाजे तक तीस मीटर इण्टरलांकिग कार्य हेतु सांई नाथ ट्रेडर्स को सामग्री का भुगतान रू. 74578.00 किया गया है। इस कार्य पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–

1. ग्राम सभा द्वारा कार्य का कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।
2. उपरोक्त कार्य पर कोई भी मजदूरी भुगतान नहीं किया गया।
3. उपर्युक्त कार्य पर जे0ई0आर0ई0डी0 / जे0ई0एम0आई0 / जे0ई0 जिला पंचायत द्वारा कोई भी एम0वी0 स्वीकृति नहीं की गयी है।
4. सामग्री क्रय हेतु कोई कोटेशन नहीं लिया गया।
5. व्यय के पश्चात कार्य का अनुमोदन ग्राम सभा से नहीं कराया गया।
6. कार्य की शुरूआत पूर्व और समाप्त पर फोटोग्राफी नहीं की गयी।
7. संस्था में ईंट का स्टाक रजिस्टर बनाकर स्टाक में रू. 74578.00 का ईंट स्टाक में भी नहीं पाया गया।

उपर्युक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है कि यह कार्य काल्पनिक रूप से दर्शित करके राजकीय धनराशि अपहरित कर ली गयी है यह अपहरण ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8(ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम–1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है, तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि में से आधा–आधा अर्थात रू. 37289.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रभान एवं रू. 37289.00 ग्राम प्रधान अजीत कुमार सिंह से अद्यावधि व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –05लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में रोहित घर से राजेश के घर तक 200 मीटर खड़न्जा हेतु ईंट क्रय पर शारदा ब्रिक फील्ड को रू. 157500.00 का भुगतान किया गया। इस कार्य पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–

1. उपर्युक्त कार्य पर कोई भी मजदूरी भुगतान नहीं की गयी।
2. इस कार्य पर जे0ई0आर0ई0डी / जे0ई0एम0आई / जे0ई0 जिला पंचायत द्वारा कोई एम0वी0 स्वीकृति नहीं की गयी है।
3. सामग्री क्रय हेतु कोई टेण्डर नहीं निकाला गया। जबकि एक लाख से अधिक क्रय पर टेण्डर निकलना चाहिये था।
4. किसी भी स्तर पर कार्य की फोटोग्राफी नहीं करायी गयी।
5. संस्था में ईंट का स्टाक रजिस्टर बनाकर स्टाक में रू. 157500.00 का ईंट स्टाक में भी नहीं पाया गया।

उपर्युक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है कि यह कार्य काल्पनिक रूप से दर्शित करके राजकीय धनराशि अपहरित कर ली गयी है यह अपहरण ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8(ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम–1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है, तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि में से आधा–आधा अर्थात रू. 78750.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रभान एवं रू. 78750.00 ग्राम प्रधान अजीत कुमार सिंह से अद्यावधि व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 06लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में खड़न्जा मार्ग से रमाकान्त तिवारी एवं जगदम्बा तिवारी के घर तक एक सौ बीस मीटर इण्टर लांकिग कार्य पर निम्न गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–

1. सामग्री क्रय हेतु कोई टेण्डर नहीं निकाला गया।
2. इण्टरलांकिग सामग्री क्रय हेतु सांई हार्डवेयर को एकमुश्त रू. 158660.00 का भुगतान कर दिया गया और मजदूरी पर कोई व्यय नहीं किया गया।

3. सक्षम अधिकारी की एम0वी0 भी नहीं बनी थी।
4. संस्था में ईंट का स्टाक रजिस्टर बनाकर स्टाक में रू. 158660.00 का ईंट स्टाक में भी नहीं पाया गया।
उपर्युक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है कि यह कार्य काल्पनिक रूप से दर्शित करके राजकीय धनराशि अपहरित कर ली गयी है यह अपहरण ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8(ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम–1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है, तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि में से आधा–आधा अर्थात रू. 79330.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रभान एवं रू. 79330.00 ग्राम प्रधान अजीत कुमार सिंह से अद्यावधि व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम– मझगवां विकास खण्ड–जामों जनपद – अमेठी

प्रस्तर संख्या – 07लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में हैण्डपम्प मरम्मत पर रू. 33156.00 का व्यय दर्शित किया गया है जिस पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–
1. हैण्डपम्प मरम्मत पर कितना धन सामग्री हेतु दिया गया और कितना मजदूरी हेतु इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है।
2. हैण्डपम्प मरम्मत करते हुये कोई फोटोग्राफी नहीं की गयी और न ही कोई ऐसी सूची प्रदान की गयी जिससे यह ज्ञात हो कि कोई कौन सा और कहां हैण्डपम्प मरम्मत हुआ।
3. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय करने के लिये कोई भी कोटेशन नहीं लिया गया और सम्पूर्ण धनराशि का नकद आहरण करके अपहरण कर लिया गया। जबकि सामग्री क्रय हेतु भुगतान फर्म के नाम से होना चाहिये था।
4. व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।
5. कार्य योजना जिलाधिकारी के अनुमोदन से पहले ही धनराशि आहरण करके अपहरित कर ली गयी, जबकि अनुमोदन होने तक किसी भी आरहण/वितरण पर शासन की रोक लगी थी।
6. मरम्मत के उपरान्त हैण्डपम्प से निकला सामान ग्राम पंचायत के स्टाक रजिस्टर में जमा नहीं किया गया।
इस प्रकार वित्तीय नियमों की अनदेखी करके राजकीय धनराशि आहरित कर ली गयी है। यह आहरण ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8(ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम–1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है, तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि में से आधा–आधा अर्थात रू. 16578.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय यादव एवं रू. 16578.00 ग्राम प्रधान अखिलेश प्रताप सिंह से अद्यावधि व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 08लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में नाली निर्माण पर रू. 121712.00 का व्यय दर्शित है। जिस पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–
1. नाली निर्माण हेतु ग्राम सभा द्वारा कोई भी प्रस्ताव, प्राक्कलन, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नही की गयी।
2. नाली निर्माण का भुगतान बिना स्टीमेट और एम0वी0 के कर दिया गया।
3. कार्य योजना जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन से पूर्व ही धनराशि आहरित करके व्यय कर दी गयी है।
4. सम्पूर्ण धनराशि में से रू. 105550.00 की सामग्री क्रय हुयी और रू. 16162.00 मजदूरी हेतु व्यय हुआ। अतः सामग्री क्रय हेतु टेण्डर निकलना चाहिये था जो नहीं निकाला गया।
5. मजदूरी भुगतान हेतु लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी प्रस्तुत नहीं रहा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जबकि इसका भुगतान सम्बन्धित के खाते से किया जाना चाहिये था।
6. सामग्री क्रय का वाउचर और भुगतान धनराशि में कोई साम्य नहीं है।
इस प्रकार वित्तीय नियमों की अनदेखी करके राजकीय धनराशि आहरित कर ली गयी है। यह आहरण ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8(ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम–1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है, तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि में से आधा–आधा अर्थात रू. 60856.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय यादव एवं रू. 60856.00 ग्राम प्रधान अखिलेश प्रताप सिंह से अद्यावधि व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 09लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में सी0सी0 रोड से सत्येन्द्र के दरवाजे तक इण्टरलांकिग कार्य हेतु रू. 169354.00 का भुगतान किया गया। जिस पर निम्न गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–
1. कार्य के सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई भी प्रस्ताव, प्राक्कलन, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी।
2. कार्ययोजना जिलाधिकारी के अनुमोदन के पूर्व ही धनराशि आहरण करके उपभोग कर ली गयी।
3. सम्पूर्ण भुगतान बिना स्टीमेट और एम0वी0 के ही कर दिया गया।
4. मजदूरी भुगतान हेतु लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी प्रस्तुत नहीं रहा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है जबकि इसका भुगतान सम्बन्धित के खाते से किया जाना चाहिये था।
5. सामग्री क्रय का वाउचर और भुगतान धनराशि में कोई साम्य नहीं है।
इस प्रकार वित्तीय नियमों की अनदेखी करके राजकीय धनराशि आहरित कर ली गयी है। यह आहरण ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8(ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज

अधिनियम–1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है, तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि में से आधा–आधा अर्थात रू. 84677.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय यादव एवं रू. 84677.00 ग्राम प्रधान अखिलेश प्रताप सिंह से अद्यावधि व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम– मिश्रौली विकास खण्ड–संग्रामपुर जनपद – अमेठी

प्रस्तर संख्या – 10लेखा परीक्षा 2016–17 में छेदी वर्मा के घर से जगनाथ वर्मा के घर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य पर रू. 139368.00 अनियमित व्यय दर्शित किया गया। इस व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–

1. उक्त मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई भी प्रस्ताव, प्राक्कलन तथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी।

2. दिनांक 29.03.2017 को चेक संख्या 29 से ईंट क्रय हेतु बरनवाल ब्रिक फील्ड को रू. 111604.00 का भुगतान किया गया। उक्त ईंट क्रय हेतु कोई भी टेण्डर नहीं निकाला गया, जबकि रू. 01 लाख से अधिक के प्रत्येक क्रय हेतु टेण्डर निकालना आवश्यक है।

3. दिनांक 28.03.2017 को चेक संख्या 30 से ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी भुगतान हेतु रू. 27764.00 का आहरण बिना मस्टर रोल के प्राप्त करके धन का अपहरण कर लिया गया।

4. व्यय धनराशि को ग्राम सभा से स्वीकृति भी नहीं कराया गया।

इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह एवं ग्राम प्रधान रामकृष्ण यादव द्वारा पूर्णतयाः मनमाने एवं अनियमित तरीके से वित्तीय नियमों की अनदेखी करके राजकीय धन का अपव्यय किया गया है। यह अनियमितता ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8(ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम–1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है, तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि में से आधा–आधा अर्थात रू. 69684.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह एवं रू. 69684.00 ग्राम प्रधान श्री रामकृष्ण यादव से अद्यावधि व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 11लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दिनांक 31.03.2017 को चेक संख्या 33 से सिंह मशीनरी स्टोर को रू. 17445.00 का हैण्डपम्प मरम्मत हेतु फर्जी भुगतान करके अपहरण कर लिया गया। इस भुगतान पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–

1. उक्त मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में संस्था द्वारा न तो कोई प्रस्ताव पारित हुआ और न ही कार्य के दौरान प्रमाणक हेतु कोई फोटो लिया गया। मरम्मत कार्य कहां–कहां कराया गया इसकी कोई भी सूची नहीं दी गयी। अतः यह सम्पूर्ण व्यय काल्पनिक रूप से दर्शित करके सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

2. व्यय धनराशि को ग्राम सभा से स्वीकृति भी नहीं कराया गया।

3. मरम्मत के उपरान्त पुराने सामान को ग्राम सभा में जमा भी नहीं किया गया।

इस ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह एवं ग्राम प्रधान रामकृष्ण यादव द्वारा पूर्णतयाः मनमाने एवं अनियमित तरीके से वित्तीय नियमों की अनदेखी करके राजकीय धन का अपव्यय किया गया है। यह अनियमितता ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8(ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम–1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है, तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि में से आधा–आधा अर्थात रू. 8722.50 विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह एवं रू. 8722.50 ग्राम प्रधान श्री रामकृष्ण यादव से अद्यावधि व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –12लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दिनांक 31.03.2017 को चेक संख्या 36 से रू. 14950.00 द्वारा सफाई कर्मी किट क्रय पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया। इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ पायी गयी–

1. किट खरीद हेतु ग्राम सभा से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

2. किट के अंतर्गत क्या–क्या क्रय किया गया, इसका कोई उल्लेख नहीं मिला।

3. उपर्युक्त क्रय सामग्री का कोई भी प्रमाणक नहीं दिया गया।

4. लेखा परीक्षा में बार–बार मांग करने के बावजूद सफाई किट का सत्यापन भी नहीं कराया गया।

इस ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह एवं ग्राम प्रधान रामकृष्ण यादव द्वारा पूर्णतयाः मनमाने एवं अनियमित तरीके से वित्तीय नियमों की अनदेखी करके राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों से आधी–आधी धनराशि अद्यावधि व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 13 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम सभा द्वारा दिनांक 29.03.2017 को रू. 111604.00 का ईंट क्रय किया गया। इस क्रय पर किसी भी प्रकार की कोई आयकर कटौती नहीं की गयी। जबकि आयकर अधिनियम–1961 की धारा 194सी के अंतर्गत इस भुगतान पर 2 प्रतिशत की आयकर कटौती की जानी चाहिये थी। उक्त कटौती न किये जाने के कारण रू. 2232.00 के राजकीय राजस्व की हानि हुई। अतः आयकर अधिनियम के प्राविधानुसार ग्राम विकास अधिकारी अनिल सिंह से रू. 2232.00 का आयकर एवं 2232.00 का जुर्माना अर्थात कुल रू. 4464.00 की ब्याज सहित वसूली व्यक्तिगत रूप से की जानी चाहिये।

ग्राम पंचायत का नाम– थौरी विकास खण्ड–जगदीशपुर जनपद – अमेठी

प्रस्तर संख्या – 14ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार सिंह के द्वारा मनेरगा के कोई भी अभिलेख एवं सूचना उपलब्ण नहीं करायी गयी। इस प्रकार लगाातार आडिट कार्यक्रम शासनादेशों तथा उच्चाधिकारियों के द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की गयी तथा मनरेगाा से सम्बन्धित अभिलेख जैसे – कैशबुक, एफ0टी0ओ0, बुक, कार्य योजना वित्तीय स्वीकृति पत्र, इस्टीमेट एम0वी0 प्रमाणक (वाउचर्स) मस्टररोल, वेजलिस्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, जाब कार्ड एवं कार्य मांग पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत में मनरेगाा के अंतर्गत व्यय की गयी धनराशि की सूचना एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से है–

वित्तीय वर्ष	मनरेगा के अंतर्गत प्राप्त धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	अभ्युक्ति
2016–17	262674.00	262674.00	अभिलेख अप्राप्त

अतः स्पष्ट है कि एम0आई0एस0 फीडिंग में दर्शित व्यय धनराशि रू. 262674.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख बार–बार मांगने के उपरान्त प्रस्तुत न किये जाने से वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू. 262674.00 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन है। जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनअुल के अध्याय 8 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क के अंतर्गत अपहरण है एवं अधिभार योग्य है। जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती छोटका उत्तरदायी है। अतः आपत्ति में अंकित कुल धनराशि रू. 262674.00 में से आधी अर्थात 1/2 भाग रू. 131337.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार सिंह से एवं रू. 131337.00 ग्राम प्रधान श्रीमती छोटका से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम– लखनीपुर विकास खण्ड–जगदीशपुर जनपद – अमेठी

प्रस्तर संख्या – 15ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा मनेरगा से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख एवं सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस प्रकार लगातार आडिट कार्यक्रम शासनादेशों तथा उच्चाधिकारियों के द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की गयी तथा मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख जैसे – कैशबुक, एफ0टी0ओ0, बुक, कार्य योजना वित्तीय स्वीकृति पत्र, इस्टीमेट एम0वी0 प्रमाणक (वाउचर्स) मस्टररोल, वेजलिस्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, जाब कार्ड एवं कार्य मांग पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत में मनरेगाा के अंतर्गत व्यय का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है–

वित्तीय वर्ष	मनरेगा के अंतर्गत प्राप्त धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	अभ्युक्ति
2016–17	596000.00	596000.00	अभिलेख अप्राप्त

अतः स्पष्ट है कि एम0आई0एस0 फीडिंग में दर्शित व्यय धनराशि रू. 596000.00 प्रमाणक विहीन है। जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनअुल के अध्याय 8 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क के अंतर्गत अपहरण है एवं अधिभार योग्य है। जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद रिजवान उत्तरदायी है। अतः आपत्ति में अंकित कुल धनराशि रू. 596000.00 में से आधी अर्थात 1/2 भाग रू. 298000.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से एवं रू. 298000.00 ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद रिजवान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम– माहेमऊ विकास खण्ड–जगदीशपुर जनपद – अमेठी

प्रस्तर संख्या – 16 आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत पर रू. 120000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है–

क्र	दिनांक	व्यय भुगतान की धनराशि	कैशबुक में उल्लिखित प्रविष्ट का विवरण
1	08.07.2016	20000.00	हैण्डपम्प मरम्मत वास्ते पाल मशीनरी स्टोर को भुगतान
2	21.11.2016	20000	हैण्डपम्प मरम्मत वास्ते पाल मशीनरी स्टोर को भुगतान
3	21.11.2016	20000	हैण्डपम्प मरम्मत वास्ते पाल मशीनरी स्टोर को भुगतान
4	31.01.2017	20000	हैण्डपम्प मरम्मत वास्ते कुलदीप आयरन स्टोर को भुगतान
5	03.01.2017	20000	हैण्डपम्प मरम्मत वास्ते कुलदीप आयरन को भुगतान
6	22.02.2017	20000	हैण्डपम्प मरम्मत वास्ते जे0के0हार्डवेयर को भुगतान
	योग	120000.00	

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर त्रुटियां प्रकाश में आयीं–

1. उक्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य से सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।
2. बैंक स्टेटमेंट के अनुसार चेक से किये गये समस्त भुगतान विवरणहीन रहे। किये गये भुगतानों की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

3. हैण्डपम्प मरम्मत के समस्त भुगतान फर्म को किये गये थे व्यय के सापेक्ष मजदूरी पर कोई भुगतान नहीं किया गया है।
4. हैण्डपम्प मरम्मत पर किये गये व्यय के सापेक्ष स्थलों की सूची एवं लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना तथा मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. व्यय पश्चात उक्त धनराशियां ग्राम पंचायत द्वारा पारित नहीं करायी गयी।
6. कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र अनुपलब्ध रहा।
इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्तीय नियामें की अनदेखी करते हुए धनराशि रू. 120000.00 का ग्राम निधि प्रथम से आहरण, भुगतान करके उसे हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय के अनुच्छेद 8क के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है। जिसके लिये ग्रम पंचायत विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती रूकैया उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू. 120000.00 उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू 60000.00 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार से एवं रू. 60000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती रूकैया) से अद्यावधि व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम– निहालपुर विकास खण्ड–जगदीशपुर जनपद – अमेठी

प्रस्तर संख्या – 17ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मुस्ताक अहमद द्वारा मनेरगा से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख एवं सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस प्रकार लगातार आडिट कार्यक्रम शासनादेशों तथा उच्चाधिकारियों के द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की गयी तथा मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख जैसे – कैशबुक, एफ0टी0ओ0, बुक, कार्य योजना वित्तीय स्वीकृति पत्र, इस्टीमेट एम0वी0 प्रमाणक (वाउचर्स) मस्टररोल, वेजलिस्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, जाब कार्ड एवं कार्य मांग पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत व्यय का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है–

वित्तीय वर्ष	मनरेगा के अंतर्गत प्राप्त धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	अभ्युक्ति
2016–17	1299291.00	1299291.00	अभिलेख अप्राप्त

अतः स्पष्ट है कि एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार रू. 1299291.00 दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन है। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क के अंतर्गत अपहरण है एवं अधिभार योग्य है। जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री मुस्ताक अहमद एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संतोष कुमारी उत्तरदायी है। अतः आपत्ति में अंकित कुल धनराशि रू. 1299291.00 में से आधी अर्थात 1/2 भाग रू. 649645.50 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुस्ताक अहमद से एवं रू. 649645.50 ग्राम प्रधान श्रीमती सन्तोष कुमारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम– देवकली विकास खण्ड–जगदीशपुर जनपद – अमेठी

प्रस्तर संख्या – 18 आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा विभिन्न तिथियों में ईंट क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है–

क्र	दिनांक	विवरण व्यय प्रमाणक	धनराशि
1	12.10.2016	भारत ब्रिक फील्ड से ईंट कय दर 6800x9385	63820.00
2	20.10.2016	ईंट क्रय दर 6800x2578 जी0एस0ईंट भट्ठा सराय बग्घा, हलियापुर	17532.00
3	20.10.2016	ईंट प्रथम श्रेणी क्रय श्याम ब्रिक फील्ड से दर 6800x5522	36868.00
4	26.10.2016	ईंट क्रय प्रथम श्रेणी श्याम ब्रिक फील्ड पूरे निसूरा जगदीशपुर दर 6800x4000	27200.00
5	29.10.2016	श्याम ब्रिक फील्ड से ईंट कय दर 6300X21270	134000.00
6	04.11.2016	श्याम ब्रिक फील्ड से ईंट कय दर 6800x9400	63920.00
7	10.11.2016	जी0एस0ईंट भट्ठा ईंट कय दर 6300X4801	30250.00
8	26.11.2016	श्याम ब्रिक फील्ड से ईंट कय दर 6800X6177	42000.00
9	02.12.2016	श्याम ब्रिक फील्ड से ईंट कय दर 6300x15873	100000.00
10	02.12.2016	श्याम ब्रिक फील्ड से ईंट कय दर 6300X7302	46000.00
11	10.12.2016	ईंट कय द्वितीय श्रेणी दर 6300X9223	58100.00
12	12.12.2016	ईंट कय द्वितीय श्रेणी दर 6300X4762	30000.00
13	10.03.2017	श्याम ब्रिक फील्ड से ईंट कय दर 6800X8236	86000.00
		कुल योग	735690.00

उपरोक्त ईंट कय पर व्यय धनराशि रू. 735690.00 में निम्नलिखित त्रुटियां प्रकाश में आयी–
1. टी0डी0एस0 2 प्रतिशत कटौती नहीं की गयी।
2. डिलवरी चालान बिल अनुपलब्ध रहा।
3. लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे क्रय की गयी सामग्री वर्ष में अवशेष स्टाक अंकन की स्थिति अज्ञात रही।

4. ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, मापी आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।
5. व्यय पश्चात उक्त धनराशियां ग्राम सभा द्वारा पारित नहीं करायी गयी।
6. बैंक स्टेटमेंट के अनुसार चेक से किये गये समस्त भुगतान अनियमित पाये गये।
7. किये गये व्यय/भुगतानों के सम्बन्ध में कैशबुक में उल्लिखित विवरण एवं बैंक से किये गये लेन–देन में कोई समरूपता नहीं पायी गयी।
8. कोटेशन व टेण्डर का विवरण अप्राप्त रहा।
9. दर एवं ईंट के गुणांक में अन्तर रहा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुये ग्राम निधि प्रथम से रू. 735690.00 मनमाने ढंग से आहरित किया गया है। जो ग्राम पंचातय के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सत्यवान ग्राम प्रधान से कुल धनराशि 735690.00 का आधा रू. 367845.00 तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री श्याम बहादुर सिंह से रू. 367845.00 संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम– उत्तरगांव विकास खण्ड–जगदीशपुर जनपद – अमेठी

प्रस्तर संख्या – 19आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत पर रू. 100000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है–

क्र	दिनांक	व्यय भुगतान की धनराशि	कैशबुक में उल्लिखित प्रविष्ट का विवरण
1	26.10.2016	20000.00	हैण्डपम्प मरम्मत वास्ते कुलदीप आयरन स्टोर को भुगतान
2	26.10.2016	20000.00	हैण्डपम्प मरम्मत वास्ते कुलदीप आयरन स्टोर को भुगतान
3	10.11.2016	20000.00	हैण्डपम्प मरम्मत वास्ते कुलदीप आयरन स्टोर को भुगतान
4	07.02.2017	20000.00	हैण्डपम्प मरम्मत वास्ते कुलदीप आयरन स्टोर को भुगतान
5	07.02.2017	20000.00	हैण्डपम्प मरम्मत वास्ते कुलदीप आयरन स्टोर को भुगतान
	कुल योग	100000.00	

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां प्रकाश में आयीं–
1. उक्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य से सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, प्राक्कलन तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।
2. बैंक स्टेटमेंट के अनुसार चेक से किये गये समस्त भुगतान विवरणहीन रहे। किये गये भुगतानों की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. हैण्डपम्प मरम्मत पर उक्त दर्शित व्यय/भुगतानों में से किसी भी भुगतान के सम्बन्ध में कैशबुक में उल्लिखित विवरण एवं बैंक से किये गये लेन–देन में कोई समरूपता नहीं पायी गयी।
4. हैण्डपम्प मरम्मत के समस्त भुगतान फर्म को किये गये थे व्यय के सापेक्ष मजदूरों पर कोई भुगतान नहीं किया गया है जो तर्कसंगत नहीं रहा।
5. हैण्डपम्प मरम्म्त पर किये गये व्यय के सापेक्ष स्थलों की सूची एवं लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना तथा मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा।
7. व्यय पश्चात उक्त धनराशियां ग्राम सभा द्वारा पारित नहीं करायी गयी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्तीय नियामें की अनदेखी करते हुए धनराशि रू. 100000.00 का ग्राम निधि प्रथम से आहरण, भुगतान करके उसे हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय के अनुच्छेद 8क के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है। जिसके लिये गग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री उमेश कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू. 100000.00 उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू 50000.00 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार से एवं रू. 50000.00 ग्राम प्रधान श्री उमेश कुमार) से अद्यावधि व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम– सादीपुर विकास खण्ड–मुसाफिरखाना जनपद – अमेठी

प्रस्तर संख्या – 20 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से कुंवर बहादुर के घर से मनोज के घर के पास नाला तक नाली निर्माण कार्य (आई0डी0 2282156) पर धनराशि रू. 150570.00 का व्यय दर्शित है, जिसका विवरण तथा उसके सापेक्ष बैंक से किये गये लेन–देन का विवरण निम्नवत् है–

क्र	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि (कैषबुक के अनुसार)	कैषबुक में उल्लिखित विवरण	बैंक में अंकित चेक संख्या, आहरित धनराशि एवं विवरण
1	28.10.2016	90804.00	कुंवर बहादुर के घर से मनोज के घर के पास नाला तक नाली निर्माण	डायरेक्ट थ्रो चेक एलओबीसी 2876, चेक नं0 015920– डेबिट 90804.00

			पर ईंट का भुगतान (सिंह ब्रदर्स ब्रिक फील्ड)	
2	04.11.2016	25840.00	कुंवर बहादुर के घर से मनोज के घर के पास नाला तक नाली निर्माण पर सामग्री पर भुगतान–सिंह कान्स्ट्रक्षन	डायरेक्ट थ्रो चेक एलओबीसी 2883, चेक नं0 015914– डेबिट 25840.00
3	08.11.2016	33926.00	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी पर सामग्री भुगतान–राम प्रकाश	चेक कैश चेक नं0 019361 डेबिट–33926 राम प्रकाश को भुगतान
4		150570.00		–

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–

1. लेखा परीक्षा में एम0बी0 प्रस्तुत नहीं रही। जिससे स्पष्ट रहा कि उक्त निर्माण कार्य की नाम जोख नहीं की गयी। कार्य की नाप जोख न किये जाने से कार्य की वास्तविक श्रम लागत एवं सामग्री लागत अज्ञात रही। इस प्रकार कार्य की बिना नाप जोख किये ही भुगतान कर दिया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के विपरीत रहा, जिसमें निर्माण कार्यों की नाम जोख के उपरान्त ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2. पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में उपस्थिति तो 17 श्रमिकों की 10–10 दिनांक की अंकित की गयी थी परन्तु श्रमिकों के नाम वाले कालम कें कवेल 7 श्रमिकों के नाम ही अंकित किये गये थे, शेष कालम रिक्त रहे। मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर के कालम कें किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर नहीं रहे। साथ ही मस्टर रोल पर ग्राम पंचायत सचिव का हस्ताक्षर भी अंकित नहीं रहा। इस प्रकार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाना प्रमाणित नहीं रहा।

3. लेखा परीक्षा में स्टांक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय की गयी सामग्रियों एवं वर्षन्त में अवशेष सामग्रियों के स्टांक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।

4. बैंक स्टेटमेंट के अनुसार सामग्री हेतु किये गये भुगतानों की स्थिति अस्पष्ट रही। लेखा परीक्षा में चेक प्रतिपर्ण एवं चेक की छायाप्रति प्रस्तुत नहीं रही।

5. कार्य के किसी भी चरण का कोई फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।

6. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र में समस्त प्रविष्टियां अंकित नहीं की गयी थी। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य की नाप भी अंकित नहीं की गयी थी। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सचिव ग्राम प्रधान एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं रहा जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 के विपरीत रहा।इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये धनराशि 150570.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान/अपहरण कर उसे नाली निर्माण पर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के खण्ड 1 एवं खण्ड–2(क) जहां एक्ट या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो'' के अंतर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू. 150570.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू 75285.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू. 75285.00 ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 21 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से जल निगम से नत्थे के दरवाजे तक चौड़ी नाली निर्माण कार्य (आई0डी0– 2282161) पर धनराशि रू. 196561.00 का व्यय दर्शित है, जिसका विवरण तथा उसके सापेक्ष बैंक से किये गये लेन–देन का विवरण निम्नवत् है–

क्र	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैशबुक में उल्लिखित विवरण	बैंक में अंकित चेक संख्या, आहरित धनराशि एवं विवरण
1	18.02.2017	50000.00	जलनिगम से नत्थे के दरवाजे तक चौडी नाली निर्माण कार्य सामग्री सिंह कान्स्ट्रक्शन	चेक एक्सएफईआर डब्लूडी राजपूत कान्स्ट्रक्शन चेक नं0 009782 डेबिट–50000.00
2	02.03.2017	24708.00	जलनिगम से नत्थे के दरवाजे तक चौडी नाली निर्माण कार्य– मजदूरी का भुगतान–राम प्रकाश प्रधान	कैश चेक नं0 009783 भुगतान श्री राम प्रकाश डेबिट– 24708.00
3	03.03.2017	102017.0	उपरोक्त कार्य पर ईंट का भुगतान–आशा ब्रिक फील्ड	टू डीडी/बीसी न्यू इन्टरमिडियरी एकाउन्ट ट्रांक्स्क्शन चेक नं0 009781 डेबिट 102017.00
4	29.03.2017	19836.00	जलनिगम से नत्थे के दरवाजे तक चौडी नाली निर्माण कार्य पर अवशेष मजदूरी का भुगतान–श्रीराम प्रकाश प्रधान	कैश चेक राम प्रकाश भुगतान चेक नं0 009785 डेबिट 19836.00
	योग	**196561.00**		

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–

1. लेखा परीक्षा में एम0बी0 प्रस्तुत नहीं रही। जिससे स्पष्ट रहा कि उक्त निर्माण कार्य की नाम जोख नहीं की गयी। कार्य की नाप जोख न किये जाने से कार्य की वास्तविक श्रम लागत एवं सामग्री लागत अज्ञात रही। इस प्रकार कार्य की बिना नाप जोख किये ही भुगतान कर दिया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के विपरीत रहा, जिसमें निर्माण कार्यों की नाम जोख के उपरान्त ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2. प्रस्तुत पत्रावली में मस्टर रोल संलगन नहीं रहा जिससे स्पष्ट रहा है कि कार्यावधि के दौरान मस्टर रोल नहीं बनाया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 210 के विपरीत रहा। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी का भुगतान ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश को नकद किया गया। इस प्रकार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाना प्रमाणित नहीं रहा।

3. लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय की गयी सामग्रियों एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों के स्टाक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।

4. पत्रावली में संलग्न ईंट क्रय के आशा ब्रिक फील्ड के बाउचर पर मूल्य 102000.00 अंकित रहा परन्तु भुगतान धनराशि रू. 102017.00 का किया गया है। इस प्रकार 17.00 रूपये का भुगतान किया गया है।

5. कार्य के किसी भी चरण का कोई फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।

6. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र में समस्त प्रविश्टियां अंकित नहीं की गयी थी। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र का द्वितीय पृश्ठ लगभग रिक्त ही रहा। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सचिव ग्राम प्रधान एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं रहा जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 के विपरीत रहा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये तथा बाउचर पर अंकित मूल्य से अधिक भुगतान/आहरण कर उसे नाली निर्माण पर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा व उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 194 के नियम 256 के खण्ड 1 एवं खण्ड–2(क) '' जहां एक्ट या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो'' के अंतर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू. 196561.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू 98280.50 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू. (रू 98280.50 ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश से) अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –22 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से तेज बहादुर सिंह बैस के घर से नाला तक नाली निर्माण कार्य (आई0डी0 अंकित नहीं) पर धनराशि रू. 67000.00 का व्यय दर्शित है, जिसका विवरण तथा उसके सापेक्ष बैंक से किये गये लेन–देन का विवरण निम्नवत् है–

क्र	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैशबुक में उल्लिखित विवरण	बैंक में अंकित चेक संख्या, आहरित धनराशि एवं विवरण
1	02.01.2017	67000.00	तेज बहादुर सिंह बैस के घर से नाला निर्माण कार्य सामग्री – सिह कान्स्ट्रक्शन	टू सीएलईजी चेक नं0 019376–डेबिट 67000.00
	योग	67000.00		

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–

1. लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे स्पष्ट रहा कि उक्त कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गयी। इस प्रकास बिना तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये ही कार्य कराया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156 तथा पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–5 के अनुच्छेद–2 के विपरीत रहा।

2. प्रस्तुत पत्रावली में किसी भी प्रपत्र में उक्त कार्य की आई0डी0 अंकित नहीं रही जो आपत्तिजनक रहा।

3. लेखा परीक्षा में एम0बी0 प्रस्तुत नहीं रही। जिससे स्पष्ट रहा कि उक्त निर्माण कार्य की नाम जोख नहीं की गयी। कार्य की नाप जोख न किये जोने से कार्य की वास्तविक श्रम लागत एवं सामग्री लागत अज्ञात रही। इस प्रकार कार्य की बिना नाप जोख किये ही भुगतान कर दिया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के विपरीत रहा, जिसमें निर्माण कार्यों की नाम जोख के उपरान्त ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

4. प्रस्तुत पत्रावली में मस्टर रोल संलगन नहीं रहा जिससे स्पष्ट रहा है कि कार्यावधि के दौरान मस्टर रोल नहीं बनाया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 210 के विपरीत रहा। साथ ही उक्त कार्य हेतु मजदूरी पर कोई भुगतान नहीं किया गया, जो तर्कसंगत नहीं रहा।

5. लेखा परीक्षा में स्टांक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय की गयी सामग्रियों एवं वर्षन्त में अवशेष सामग्रियों के स्टांक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।
6. उक्त कार्य हेतु केवल सामग्री मद पर ही व्यय किया गया, जिससे कार्य का कराया जाना संदिग्ध रहा।
7. बैंक स्टेटमेंट के अनुसार सामग्री हेतु किये धनराशि रू. 67000.00 के भुगतान प्राप्तकर्ता की स्थिति अस्पष्ट रही। लेखा परीक्षा में चेक प्रतिपर्ण एवं चेक की छायाप्रति प्रस्तुत नहीं रही।
8. सामग्री हेतु किये गये धनराशि 67000.00 के भुगतान/व्यय की पुष्टि में अपेक्षित कोई व्यय प्रमाणक भी पत्रावली में संलग्न नहीं रहा, जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 7 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 के विपरीत रहा।
9. कार्य के किसी भी चरण का कोई फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।
10. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र में समस्त प्रविष्टियां अंकित नहीं की गयी थी। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र का द्वितीय पृष्ठ लगभग रिक्त ही रहा। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सचिव ग्राम प्रधान एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं रहा जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 के विपरीत रहा।
इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये धनराशि रू. 67000.00 का भुगतान/अपहरण कर उसे नाली निर्माण पर काल्पनिक व्यय दर्शित कर दिया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियमा 256 एवं पंचायतरी राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनअुल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू. 67000.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू 33500.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू. 33500.00 ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश से) अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।
प्रस्तर संख्या – 23 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से पक्की सड़क से बम बहादुर सिंह के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य (आई0डी0 2282152) पर धनराशि रू. 169901.00 का व्यय दर्शित है, जिसका विवरण तथा उसके सापेक्ष बैंक से किये गये लेन–देन का विवरण निम्नवत् है–

क्र	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैशबुक में उल्लिखित विवरण	बैंक में अंकित चेक संख्या, आहरित धनराशि एवं विवरण
1	13.10.2016	100000.00	पक्की सड़क से बम बहादुर सिंह के घर तक खड़न्जा निर्माण ईंट का भुगतान डी0के0ब्रिक फील्ड	चेक एक्सएफईआर डब्लूडी चेक नं0 015910 डेबिट– 100000.00
2	13.10.2016	36410.00	पक्की सड़क से बम बहादुर सिंह के घर तक खड़न्जा निर्माण अवशेष ईंट का भुगतान डी0के0ब्रिक फील्ड	चेक एक्सएफईआर डब्लूडी डी0के0ब्रिक फील्ड चेक नं0 015911 डेबिट– 364100.00
3	13.10.2016	33491.00	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान–मस्टर रोल– रमेश कुमार	चेक एक्सएफईआर डब्लूडी रमेश कुमार चेक नं0 015912 डेबिट– 33491.00
	योग	169901.00		

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य पर दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–
1. प्रस्तुत पत्रावली में एम0बी0 संलग्न रही। एम0बी0 में कार्य प्रारम्भ तिथि, कार्य समाप्ति तिथि तथा माप किये जाने की तिथि अंकित नहीं रही। एम0बी0 में अंकित की गयी माप को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं किया गया था। एम0बी0 के अनुसार उक्त कार्य में 15550 ईंटे ही प्रयुक्त हुयी जिसकी लागत धनराशि रू. 97965.00 ही रही जबकि ईंट हेतु भुगतान प्राक्कलन में अंकित लागत के आधार पर दो बार में क्रमशः धनराशि रू. 100000.00 तथा रू0 36410.00 किया गया। इस प्रकार एम0बी0 लागत से रू. 38445.00 का अधिक भुगतान किया गया है। इसी प्रकार एम0बी0 के अनुसार उकत कार्य की श्रम लागत धनराशि रू. 25377.72 ही रही जबकि भुगतान प्राक्कलन में अंकित लागत के आधार पर धनराशि रू. 33491.00 का किया गया है। स्पश्ट है कि एम0बी0 में अंकित सामग्री एवं मजदूरी लागत के अनुरूप भुगतान नहीं किया गया है। एम0बी0 फोटोग्राफ एवं साइन बोर्ड की माव मूल्य तो अंकित किया गया था। परन्तु उनका भुगतान नहीं किया गया और नही कार्य के किसी भी चरण का कोई फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न रहा। इस प्रकार एम0बी0 काल्पनिक एवं भुगतान के बाद बनायी गयी प्रतीत होती है। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के विपरीत रहा, जिसमें निर्माण कार्यों की नाप जोख के उपरान्त ही भुगतान किये जाने की व्यवस्थ की गयी है।
2. लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं रहा जिससे स्पष्ट रह कि कार्यावधि के दौरान मस्टर रोल नहीं बनाया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 210 के विपरीत रहा। मजदूरी हेतु धनराशि 33491.00 का भुगतान रमेश कुमार नामक व्यक्ति को किया गया है। इस प्रकार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाना प्रमाणित नहीं रहा।

3. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 27.10.2016 अंकित रही जबकि उक्त समस्त भुगतान पर्याप्त समय पूर्व दिनांक 13.10.2016 को ही कर दिये गये।

4. ईंट हेतु भुगतान दो बार क्रमशः धनराशि रू. 100000.00 तथा रू. 3641.00 किया गया जबकि ईंट क्रय का केवल एक ही वाउचर मूल्य रू. 99999.00 का ही पत्रावली में संलग्न रहा।

5. बैंक स्टेटमेंट में ईंट हेतु दिनांक 13.10.2016 को किये गये धनराशि 100000.00 के भुगतान प्राप्तकर्ता की स्थिति अस्पश्ट रही। लेखा परीक्षा में चेक प्रतिपर्ण एवं चेक की छायाप्रति प्रस्तुत नहीं रही।

6. लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय की गयी सामग्रियों एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों के स्टाक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।

7. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य की नाप अंकित नहीं की गयी थी। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सचिव ग्राम प्रधान एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं रहा जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 के विपरीत रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये ग्राम निधि प्रथम से धनराशि रू. 169901.00 का भुगतान/आहरण कर उसे खड़न्जा निर्माण पर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के खण्ड–1 एवं खण्ड–2(क) के अंतर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू. 169901.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू 84950.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू. (रू 84950.00 ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश से) अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 24 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से नहर की पुलिया से पक्की सड़क तक खड़न्जा निर्माण कार्य (आई0डी0 –2282167) पर धनराशि रू. 323000.00 का व्यय दर्शित है, जिसका विवरण तथा उसके सापेक्ष बैंक से किये गये लेन–देन का विवरण निम्नवत् है–

क्र	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैशबुक में उल्लिखित विवरण	बैंक में अंकित चेक संख्या, आहरित धनराशि एवं विवरण
1	28.10.2016	252000.00	नहर की पुलिया से पक्की सड़क तक खड़न्जा निर्माण ईंट पर भुगतान – सिंह ब्रदर्स ब्रिक फील्ड	डायरेक्ट चेक थ्रो एलओबीसी 2875, चेक नं0 015919 –डेबिट – 252000. 00
2	21.11.2016	24000.00	नहर की पुलिया से पक्की सड़क तक खड़न्जा निर्माण पर मजदूरी मस्टर रोल – राम प्रकाश	कैश चेक भुगतान राम प्रकाश चेक नं0 019362 डेबिट– 24000.00
3	23.11.2016	24000.00	उपरोक्त पर मजदूरी भुगतान – जय कुमार सिंह मेट	चेक एक्सएफईआर डब्लूडी जय कुमार सिंह चेक नं0 019365 डेबिट– 24000. 00
4	23.11.2016	23000.00	उपरोक्त पर मजदूरी भुगतान – जय कुमार सिंह मेट	चेक एक्सएफईआर डब्लूडी जय कुमार सिंह चेक नं0 019366 डेबिट– 23000. 00
	योग	323000.00		

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य पर दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–

1. प्रस्तुत पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में कार्यावधि 01.11.2016 से 09.11.2016, मस्टर रोल में 28.10.2016 से 09. 11.2016 तथा एम0बी0 में 28.10.2016 से 22.11.2016 अंकित की गयी थी जो तर्कसंगत नहीं रहा इस प्रकार कार्यावधि संदिग्ध रही।

2. पत्रावली में संलग्न एम0बी0 में अंकित की गयी माप को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था। एम0बी0 के अनुसार उक्त खड़न्जा निर्माण में कुल 42750 ईंटें प्रयुक्त हुई और उनकी लागत 269325.00 आगणित की गयी जबकि ईंट हेतु भुगतान 252000.00 का ही किया गया है, शेश धनराशि रू. 17325.00 का भुगतान नहीं किया गया है स्पश्ट है कि एम0बी0 में अंकित सामग्री लागत के अनुरूप भुगतान नहीं किया गया है एम0बी0 में फोटोग्राफी एवं साइन बोर्ड की माप व मूल्य तो अंकित किया गया था परन्तु उनका भुगतान नहीं किया गया और न ही कार्य के किसी भी चरण का कोई फोटोग्राफ में संलग्न रहा। इस प्रकार एम0बी0 काल्पनिक एवं भुगतान के बाद बनायी गयी प्रतीत होती है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिनियम 157(ख) के विपरीत रहा, जिसमें निर्माण कार्यों की नाप–जोख के उपरान्त ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

3. पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल संख्या 288 एवं 289 में श्रमिकों की केवल उपस्थिति अंकित की गयी थी जबकि श्रमिकों के नाम अंकित नहीं किये गये थे जिससे स्पष्ट रहा है कि कार्यावधि के दौरान मस्टर रोल नहीं बनाया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 210 के विपरीत रहा। मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर के कालम में किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर नहीं रहे साथ ही उनमें मजदूरी का योग भी गलत अंकित किया गया था।

मस्टर रोल पर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं रहे। स्पष्ट रूप से संलग्न मस्टर रोल पूर्णतया काल्पनिक है इस प्रकार श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान किया जाना प्रमाणित नहीं रहा।

4. दिनांक 23.11.2016 को क्रमशः धनराशि रू. 24000.00 तथा रू. 23000.00 मजदूरी हेतु जय कुमार सिंह मेट को भुगतान किया जाना दर्शित है जबकि मस्टर रोल के श्रमिकों के नाम वाले कालम में कोई नाम अंकित नहीं किये गये थे। जिससे यह प्रमाणित नहीं रहा कि जय कुमार सिंह नाम के किसी व्यक्ति ने मेट के रूप में कार्य किया गया था। इस प्रकार उक्त भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

5. लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय की सामग्री एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों स्टाक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।

6. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र समस्त प्रविष्टियां अंकित नहीं की गयी थी। कार्य की नाप भी अंकित नहीं की गयी थी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सचिव, ग्राम प्रधान एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित/प्रति हस्ताक्षरित भी नहीं रहा जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 के विपरीत रहा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये ग्राम निधि प्रथम से धनराशि रू. 323000.00 का भुगतान/आहरण कर उसे खड़न्जा निर्माण पर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के खण्ड–1 एवं खण्ड–2(क) के अंतर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू. 323000.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू 161500.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू. 161500.00 ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश से) अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 25आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से पक्की सड़क से राम सुधारे मिश्र के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य (आई0डी0 अंकित नहीं) पर धनराशि रू.105830.00 का व्यय दर्शित है, जिसका विवरण तथा उसके सापेक्ष बैंक से किये गये लेन–देन का विवरण निम्नवत् है–

क्र	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैशबुक में उल्लिखित विवरण	बैंक में अंकित चेक संख्या, आहरित धनराशि एवं विवरण
1	13.10.2016	80000.00	पक्की सड़क से राम सुधारे मिश्र के घर तक खड़न्जा निर्माण–ईंट का भुगतान, डी0के0 ब्रिक फील्ड	चेक एक्सएफईआर डब्लूडी डी0के0 ब्रिक फील्ड चेक नं0 015913 डेबिट– 80000.00
2	27.10.2016	25830.00	पक्की सड़क से राम सुधारे के घर तक – मजदूरी मस्टर रोल – श्री राम प्रकाश प्रधान	चेक कैश भुगतान राम प्रकाश चेक नं0 015916 डेबिट– 25830.00
	योग	105830.00		

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयीं–

1. लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे स्पष्ट रहा कि उक्त कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गयी। इस प्रकार बिना तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये ही कार्य कराया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156 तथा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–2 के विपरीत रहा।

2. प्रस्तुत पत्रावली में किसी भी प्रपत्र में उक्त कार्य की आई0डी0 अंकित नहीं रही जो आपत्तिजनक रहा।

3. प्रस्तुत पत्रावली में एम0बी0 संलग्न रही। एम0बी0 में कार्य प्रारम्भ तिथि, कार्य समाप्ति तिथि तथा माप किये जाने की तिथि अंकित नहीं रही। एम0बी0 में अंकित की गयी माप को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं किया गया था। एम0बी0 में फोटोग्राफी एवं साइन बोर्ड की माप को व मूल्य तो अंकित किया गया था परन्तु उनका भुगतान नही किया गया टोर न ही कार्य के किसी भी चरण का कोई फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न रहा। एम0बी0 में अंकित सामग्री एवं मजदूरी लाग के अनुरूप भुगतान भी नहीं किया गया है। इस प्रकार एम0बी0 काल्पनिक एवं भुगतान के बाद बनायी गयी प्रतीत होती है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157ख के विपरीत रहा, जिसमें निर्माण कार्यों की नाम जोख के उपरान्त ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

4. लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं रहा जिससे स्पष्ट राह कि कार्यावधि के दौरान धनराशि रू. 25830.00 का भुगतान ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश को किया गया है। इस प्रकार लेखा परीक्षा में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाना प्रमाणित नहीं रहा।

5. लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय की गई सामग्रियों एवं वर्षान्त में अवशेष समाग्रियों के स्टॉक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।

6. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र समस्त प्रविष्टियां अंकित नहीं की गयी थी। कार्य की नाप भी अंकित नहीं की गयी थी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सचिव, ग्राम प्रधान एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं रहा जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 के

विपरीत रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये ग्राम निधि प्रथम से धनराशि रू. 105830.00 का भुगतान/आहरण कर उसे खड़न्जा निर्माण पर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के खण्ड–1 एवं खण्ड–2(क) के अंतर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू. 105830.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू 52915.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू. (रू 52915.00 ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश से) अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –26 आलोच्य वर्ष में कैश बुक में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है

क्र	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैशबुक में उल्लिखित विवरण	बैंक में अंकित चेक संख्या, आहरित धनराशि एवं विवरण
1	19.12.2016	12000.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर भुगतान सिंह सप्लायर्स एण्ड इलेक्ट्रानिक वर्क्स	डायरेक्ट थ्रो सिंह सप्लायर्स एवं इलेक्टानिक चेक चेक नं0 019367 डेबिट 12000.00
2	19.12.2016	14510.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर भुगतान सिंह सप्लायर्स एण्ड इलेक्ट्रानिक वर्क्स	डायरेक्ट थ्रो सिंह सप्लायर्स एवं इलेक्टानिक चेक चेक नं0 019372 डेबिट 14510.00
	21.12.2016	4200.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर मजदूरी –टीडी मिस्त्री	चेक कैश भुगतान टीडी (जनरल) चेक नं0 019375 डेबिट– 4200.00
3	19.12.2016	15100.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर भुगतान सिंह सप्लायर्स एण्ड इलेक्ट्रानिक वर्क्स	डायरेक्ट थ्रो सिंह सप्लायर्स एवं इलेक्टानिक चेक चेक नं0 019371 डेबिट 15100.00
	22.12.2016	4900.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर मजदूरी –टीडी मिस्त्री	चेक कैश भुगतान टीडी (जनरल) चेक नं0 019374 डेबिट– 4900.00
4	19.12.2016	10100.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर भुगतान सिंह सप्लायर्स एण्ड इलेक्ट्रानिक वर्क्स	डायरेक्ट थ्रो सिंह सप्लायर्स एवं इलेक्टानिक चेक चेक नं0 019370 डेबिट 10100.00
	21.12.2016	2100.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी –टीडी मिस्त्री	चेक कैश भुगतान टीडी (जनरल) चेक नं0 019373 डेबिट– 4900.00
5	30.01.2017	3500.00	हैण्डपम्प मरम्मत मिस्त्री महेश कुमार	चेक कैश भुगतान महेश कुमार चेक नं0 019380 डेबिट– 3500.00
	02.02.2017	16400.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर भुगतान, सूरज ट्रेडर्स	चेक एक्सएफईआर डब्लूडी सूरज टेडर्स चेक नं0 019379 डेबिट– 16400.00
6	14.03.2017	19994.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री व मजदूरी सहित भुगतान सिंह सप्लायर्स इलेक्टानिक वर्क्स	डायरेक्ट थ्रो चेक चेक नं0 009784 डेबिट 19994.00
	योग	102804.00		

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–

1. प्रस्तुत पत्रावलियों में उक्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्यो की तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति की संख्या व तिथि की पर अंकित नहीं की गयी थी तथा न ही तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदानकर्ता के हस्ताक्षर ही अंकित रहे। जिससे स्पष्ट रहा कि उक्त कार्यो की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां नहीं ली गयी। इस प्रकार बिना स्वीकृति प्राप्त किये ही कार्य कराया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156 तथा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–2 के विपरीत रहा।
2. पत्रावलियों में हैण्डपम्प मरम्मत स्थलों की संख्या तथा नाम एवं उने परिसम्पत्ति क्रमांक अंकित नहीं रहे। परिसम्पत्ति क्रमांक अंकित न किये जाने से यह स्पष्ट नहीं रहा कि वास्तव में वे ग्राम सभा की परिसम्पत्ति थी या नहीं।
3. प्रस्तुत पत्रावली में किसी भी प्रपत्र में उक्त कार्य की आई0डी0 अंकित नहीं रही जो आपत्तिजनक रहा।
4. लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय की गयी हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री एवं वर्षान्त में अवशेष समाग्रियों के स्टॉक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।
5. हैण्डपम्प मरम्मत के उपरान्त अवशिष्ट खराब सामग्री/कलपुर्जो का कोई लेखा–जोखा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

6. हैण्डपम्प मरम्मत कार्य सं0–1 में श्रम लागत रू. 3500.00 का प्राक्कलन तो किया गया था परन्तु श्रम लागत का भुगतान नहीं किया गया जिससे उक्त मरम्मत कार्य कराया जाना प्रमाणित नहीं रहा।

7. हैण्डपम्प मरम्मत कार्य सं0– 5 में सामग्री हेतु धनराषि रू. 16400.00 का भुगतान तो सूरज ट्रेडर्स को किया गया परन्तु पत्रावली में वाउचर सिह सप्लायर्स एण्ड इलेक्टानिक वर्क्स का लगाया गया था। इस प्रकार किया गया व्यय संदिग्ध एवं भ्रामक रहा।

8. हैण्डपम्प मरम्मत कार्य सं0– 1,2,3 तथा 4 हेतु सामग्री के भुगतान एक ही तिथि दिनांक 19.12.2016 को एवं कार्य सं. 1,2 तथा 4 हेतु मजदरूी के भुगतान एक ही तिथि दिनांक 21.12.2016 को किये गये हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त सभी कार्य एक साथ कराये गये हैं। जो कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत संक्रमित धनराशि कें उपभोग के सम्बन्ध में शासनादेश सं0– 1639/33–3–2015–03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के अनुच्छेद 2.3 में वर्णित मार्गदर्षक सिद्वान्त ''ग्राम पंचायतों के लिये संक्रमित की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष किये गये प्रत्येक कार्य का प्रगति विवरण आनलाइन एम0आई0एस0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा तथा एक कार्य की एम0आई0एस0 फींडिग के उपरान्त ही दूसरा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा'' के विपरीत रहा।

9. लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुये ग्राम निधि प्रथम से धनराशि रू. 102804.00 का भुगतान/आहरण कर उसे खड़न्जा निर्माण पर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के खण्ड–1 एवं खण्ड–2(क) के अंतर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू. 102804.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू 51402.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू. 51402.00 ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 27आलोच्य वर्ष में कैश बही में दिनांक 30.12.2016 को प्रशासनिक मद के अंतर्गत आलमारी, कुर्सी, मेज पर सिंह कान्स्ट्रक्शन को धनराशि रू. 29990.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–

1. लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली/विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने की स्थिति अज्ञात रही। जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 के विपरीत रहा।

2. कोष बही में उक्त भुगतान सिंह कान्ट्रक्शन को किया जाना दर्शित है जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त भुगतान चेक सं0 – 019377 द्वारा जय कुमार नाम के व्यक्ति को किया गया है, जो आपत्तिजनक पाया गया। सामग्री हेतु भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिये था।

3. साथ ही उक्त दर्शित भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचातयी राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद–7 एवं तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 के विपरीत रहा।

4. प्रशासनिक मद के अंतर्गत क्रय की गयी सामग्रियों से सम्बन्धित कोई स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा।

इस प्रकार लेखा परीक्षा में प्रशासनिक मद के अंतर्गत किया गया व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है, जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू. 29990.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू 14995.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू. 14995.00 ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम– कंजास विकास खण्ड–मुसाफिरखाना जनपद – अमेठी

प्रस्तर संख्या – 28आलोच्य वर्ष में कोष बही में ग्राम निधि प्रथम से ओंकार के घर से उमाशंकर के घर तक पक्का नाला निर्माण कार्य (आई0डी2312653) पर धनराशि रू0 149751.00 का व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क्र0	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैशबुक में उल्लिखित विवरण
1	13.10.2016	57900.00	नाली निर्माण–ओंकार के घर से उमाशंकर तक ईंट आपूर्ति
2	17.10.2016	24000.00	नाली निर्माण–ओंकार के घर से उमाशंकर तक मजदूरी
3	17.10.2016	17790.00	उपरोक्त कार्य पर ह्यूम पाइप का भुगतान
4	17.10.2016	46971.00	उपरोक्त कार्य पर सामग्री आपूर्ति

5	19.12.2016	3000.00	उपरोक्त कार्य पर साइनबोर्ड
	योग	149751.00	

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य पर दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–

1. लेखा परीक्षा में पाया गया कि एम0बी0 में अंकित क्रमांश एवं सामग्री की प्रत्येक माप व मूल्य संलग्न प्राक्कलन में अंकित मापों व मूल्यों के पूर्णतया समान रही, जो तर्कसंगत नहीं रहा। अनुमानित माप एवं मूल्य तथा कार्य होने के पश्चात स्थल पर वास्तविक माप एवं मूल्य का पूर्णतया समान होना संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राक्कलन के अनुसार सभी भुगतान कर दिये गए तथा भुगतान के पश्चात एम0बी0 में प्राक्कलन की नकल उतार दी गयी। साथ एम0बी0 में अंकित माप को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं किया गया था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) का पालन नहीं किया गया, जिसमें निर्माण कार्यो की नाप जोख के उपरान्त ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2. पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर के कालम में किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर नहीं रहे। मस्टर रोल पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं रहे। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी भुगतान रमेश कुमार के व्यक्ति को (चेक एक्सएफईआर विड्रॉल) किया गया है। मस्टर रोल के अनुसार श्रम लागत रू0 24012.00 रही जबकि भुगतान रू0 24000.00 का ही किया गया, जो तर्कसंगत नहीं रहा। इस प्रकार श्रमिको को मजदूरी का भुगतान किया जाना प्रमाणित नहीं रहा।

3. एम0बी0 एवं मस्टर रोल में कार्य की समाप्ति तिथि दिनांक 18.10.16 रही, जबकि मजदूरी सहित समस्त भुगतान एक दिन पूर्व दिनांक 17.10.16 को कर दिये गये।

4. लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे क्रय की गयी सामग्रियों एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों के स्टॉक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।

5. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र का द्वितीय पृष्ठ पूर्णतया रिक्त रहा, उसमें कोई भी प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी थी। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सचिव, ग्राम प्रधान एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं रहा, जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए ग्राम निधि प्रथम से धनराशि रू0 149751.00 का भुगतान/आहरण कर उसे नाला निर्माण पर व्यय दर्शित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के खण्ड–1 एवं खण्ड–2(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री हितलाल उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू0 14975.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0 74875.50 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0 74875.00 ग्राम प्रधान श्री हितलाल से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 29आलोच्य वर्ष में कोष बही में ग्राम निधि प्रथम से कमल नरायन के घर से कालीदीन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य (आई0डी2312652) पर धनराशि रू0 231363.00 का व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र0	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैशबुक में उल्लिखित विवरण
1	27.10.16	83978.00	कमल नरायन के घर से कालीदीन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य की सामग्री आपूर्ति
2	27.10.16	117153.00	उपरोक्त कार्य पर इण्टरलाकिंग ईंट व ह्यूम पाइप आपूर्ति
3	28.10.16	27232.00	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान
4	19.12.16	3000.00	उपरोक्त कार्य पर साइनबोर्ड
	योग	231363.00	

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य पर दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–

1. लेखा परीक्षा में पाया गया कि एम0बी0 में अंकित क्रमांश एवं सामग्री की प्रत्येक माप व मूल्य संलग्न प्राक्कलन में अंकित मापों व मूल्यों के पूर्णतया समान रही, जो तर्कसंगत नहीं रहा। अनुमानित माप एवं मूल्य तथा कार्य होने के पश्चात स्थल पर वास्तविक माप एवं मूल्य का पूर्णतया समान होना संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राक्कलन के अनुसार सभी भुगतान कर दिये गए तथा भुगतान के पश्चात एम0बी0 में प्राक्कलन की नकल उतार दी गयी। साथ एम0बी0 में अंकित माप को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं किया गया था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) का पालन नहीं किया गया, जिसमें निर्माण कार्यो की नाप जोख के उपरान्त ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2. पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर के कालम में किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर नहीं रहे। मस्टर रोल पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं रहे। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी भुगतान रमेश कुमार के व्यक्ति को (चेक एक्सएफईआर विड्रॉल) किया गया है। इस प्रकार श्रमिको को मजदूरी का भुगतान किया जाना प्रमाणित नहीं रहा।

3. लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे क्रय की गयी सामग्रियों एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों के स्टॉक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।
4. कार्य के किसी भी चरण का कोई फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।
5. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र का द्वितीय पृष्ठ पूर्णतया रिक्त रहा, उसमें कोई भी प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी थी। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सचिव, ग्राम प्रधान एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित/प्रति हस्ताक्षरित भी नहीं रहा, जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए ग्राम निधि प्रथम से धनराशि रू0 231363.00 का भुगतान/आहरण कर उसे नाला निर्माण पर व्यय दर्शित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के खण्ड–1 एवं खण्ड–2(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री हितलाल उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू0 231363.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0 115681.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0 115681.50 ग्राम प्रधान श्री हितलाल से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –30आलोच्य वर्ष में कोष बही में ग्राम निधि प्रथम से नहर की पुलिया से भोला नाथ के खेत तक सोलिंग कार्य (आई डी -2312648) पर धनराशि रू0 247486.00 का व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र0	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैशबुक में उल्लिखित विवरण
1	07.10.16	126000.00	नहर की पुलिया से भोला नाथ के खेत तक खड़न्जा ईंट आपूर्ति
2	07.10.16	22000.00	उपरोक्त कार्य पर बालू मिट्टी आपूर्ति
3	13.10.16	7500.00	उपरोक्त कार्य पर बालू मिट्टी आपूर्ति
4	13.12.16	47406.00	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान
5	13.10.16	41580.00	नहर की पुलिया से भोला नाथ के खेत तक ईंट का अवशेष भुगतान
6	19.12.16	3000.00	नहर की पुलिया पर साइन बोर्ड
	योग	247486.00	

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य पर दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–
1. लेखा परीक्षा में पाया गया कि एम0बी0 में अंकित क्रमांश एवं सामग्री की प्रत्येक माप व मूल्य संलग्न प्राक्कलन में अंकित मापों व मूल्यों के पूर्णतया समान रही, जो तर्कसंगत नहीं रहा। अनुमानित माप एवं मूल्य तथा कार्य होने के पश्चात स्थल पर वास्तविक माप एवं मूल्य का पूर्णतया समान होना संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राक्कलन के अनुसार सभी भुगतान कर दिये गए तथा भुगतान के पश्चात एम0बी0 में प्राक्कलन की नकल उतार दी गयी। साथ एम0बी0 में अंकित माप को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं किया गया था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) का पालन नहीं किया गया, जिसमें निर्माण कार्यो की नाप जोख के उपरान्त ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
2. पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर के कालम में किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर नहीं रहे। मस्टर रोल पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं रहे। मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल के अनुसार न करके प्राक्कलन में आकलित लागत के आधार पर किया गया है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी भुगतान प्राप्तकर्ता की स्थिति अस्पष्ट (चेक एक्स एफ ई आर विड्रॉल) रही। इस प्रकार श्रमिको को मजदूरी का भुगतान किया जाना प्रमाणित नहीं रहा।
3. एम0बी0 एवं मस्टर रोल में कार्य की समाप्ति तिथि दिनांक 15.10.16 रही, जबकि मजदूरी सहित समस्त भुगतान दो दिन पूर्व दिनांक 13.10.16 को कर दिये गये।
4. लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे क्रय की गयी सामग्रियों एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों के स्टॉक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।
5. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र का द्वितीय पृष्ठ पूर्णतया रिक्त रहा, उसमें कोई भी प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी थी। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सचिव, ग्राम प्रधान एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित/प्रति हस्ताक्षरित भी नहीं रहा, जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा।
इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए ग्राम निधि प्रथम से धनराशि रू0 247486.00 का भुगतान/आहरण कर उसे सोलिंग कार्य पर व्यय दर्शित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के खण्ड–1 एवं खण्ड–2(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री हितलाल उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू0 247486.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0 123743.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0 123743.00 ग्राम प्रधान श्री हितलाल से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 31 आलोच्य वर्ष में कोष बही में दिनांक 09.12.2016 को ग्राम निधि प्रथम से रामदेव के घर से दयाराम के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य (आई डी .2312655) में मजदूरी पर धनराशि रू0 23330.00 का भुगतान

दर्शित है। लेखा परीक्षा प्रस्तुत उक्त कार्य की पत्रावली में संलग्न प्राक्कलन की मजदूरी की लागत धनराशि रू0 20615.00 आकलित की गयी थी जबकि एम0बी0 में 23330.00 रही, इस प्रकार एम0बी0 की लागत प्राक्कलन से रू0 2715.00 अधिक रही जो आपत्तिजनक रहीं। साथ संलग्नक मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर के कालम में किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर नहीं रहे। मस्टर रोल पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं रहे। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी भुगतान रमेश कुमार नामक व्यक्ति को चेक द्वारा (चेक एक्सएफईआर विड्रॉल) किया गया। इस प्रकार लेखा परीक्षा में श्रमिको को मजदूरी का भुगतान किया जाना प्रमाणित नहीं रहा।जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री हितलाल उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू0 23330.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0 11665.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0 11665.00 ग्राम प्रधान श्री हितलाल से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 32आलोच्य वर्ष में कोष बही में लवकुश के घर से कमल नरायन के घर तक पक्का नाला निर्माण कार्य (आई डी -2312654) पर धनराशि रू0 244793.00 का व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र0	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैशबुक में उल्लिखित विवरण
1	20.01.2017	72543.00	लवकुश के घर से कमल नरायन के घर तक नाली निर्माण सामग्री आपूर्ति।
2	20.01.2017	114364.00	उपरोक्त कार्य पर बालू ईंट आपूर्ति।
3	27.01.2017	41586.00	लवकुश के घर से कमल नरायन के घर तक नाली निर्माण मजदूरी भुगतान
4	01.03.2017	16300.00	लवकुश के घर से कमल नरायन के घर तक नाली निर्माण ह्यूम पाइप
	योग	244793.00	

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य पर दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–

1. पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर के कालम में किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर नहीं रहे। मस्टर रोल पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं रहे। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी भुगतान रमेश कुमार नामक व्यक्ति को चेक (ड्रॉ थ्रू चेक) द्वारा किया गया है। इस प्रकार श्रमिको को मजदूरी का भुगतान किया जाना प्रमाणित नहीं रहा।

2. उक्त नाला निर्माण चौदहवां वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत दिनांक 25.12.16 से 06.01.17 के मध्य कराया गया। कोष बही में अंकन के अनुसार दिनांक 28.02.17 को चौहदवां वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि शेष नही रही। इसके बावजूद दिनांक 01.03.17 को उक्त कार्य पर धनराशि रू0 16300.00 का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार उक्त कार्य पर चतुर्थ राज्य वित्त योजना से 16300.00 का भुगतान कर दिया गया। स्पष्ट रूप से चौदहवें वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य पर चतुर्थ राज्य वित्त योजना की धनराशि का व्यय करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

इस प्रकार लेखा परीक्षा में दिनांक 27.01.17 को मजदूरी पर दर्शित धनराशि रू0 41586.00 का व्यय अप्रमाणित रहा तथा दिनांक 01.03.17 को किया गया धनराशि रू0 163000.00 का भुगतान अनियमित पाया गया। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण/अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री हितलाल उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू0 57886.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0 28943.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0 28943.00 ग्राम प्रधान श्री हितलाल से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –33आलोच्य वर्ष में कोष बही में ग्राम निधि प्रथम से राजेश के घर से तालाब तक पक्का नाला निर्माण कार्य (प्व.2312656) पर धनराशि रू0 543992.00 का व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र0	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैशबुक में उल्लिखित विवरण
1	10.02.17	44892.00	राजेश के घर से तालाब तक पक्का नाला निर्माण
2	10.02.17	129600.00	उपरोक्त कार्य पर ईंट आपूर्ति
3	10.02.17	69500.00	उपरोक्त कार्य पर सामग्री आपूर्ति
	योग	243992.00	

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य पर दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–

1. बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त समस्त भुगतान दिनांक 08.02.17 को किये गये है, जबकि शेष बही में उक्त समस्त भुगतान दिनांक 10.02.17 को दर्शाए गये हैं जो आपत्तिजनक रहा।

2. उक्त नाला निर्माण चौदहवां वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत माह जनवरी 2017 में दिनांक 03.01.17 से 13.01.17 के मध्य कराया गया। कोष बही में अंकन के अनुसार दिनांक 31.03.17 को चौहदवां वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत धनराशि रू0 149982.00 ही शेष रही। इसके बावजूद माह फरवरी 2017 में उक्त कार्य पर व्यय हुई समस्त धनराशि रू0 243992.00 का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार उक्त कार्य पर चतुर्थ राज्य वित्त योजना से 94010.00 का भुगतान कर दिया गया। स्पष्ट रूप से चौदहवें वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य पर चतुर्थ राज्य वित्त योजना की धनराशि का व्यय करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।
3. उक्त कार्य पर ईंट आपूर्ति हेतु भुगतान रू0 12960.00 का किया गया है जबकि प्रियासाफ्ट पर दर्शित स्टेटमेंट में ईंट आपूर्ति हेतु भुगतान मात्र रू0 19290.00 ही दर्शित किया गया है। इस प्रकार प्रियासाफ्ट पर सूचना दर्शित करते समय असावधानी बरती गयी है, जो आपत्तिजनक रहा।
4. लेखा परीक्षा में पाया गया कि एम0बी0 में अंकित क्रमांश एवं सामग्री की अधिकतर मापें व मूल्य संलग्न प्राक्कलन में अंकित मापों व मूल्यों के पूर्णतया समान रही, जो तर्कसंगत नहीं रहा। अनुमानित माप एवं मूल्य तथा कार्य होने के पश्चात स्थल पर वास्तविक माप एवं मूल्य का पूर्णतया समान होना संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राक्कलन के अनुसार सभी भुगतान कर दिये गए तथा भुगतान के पश्चात एम0बी0 में प्राक्कलन की नकल उतार दी गयी। साथ एम0बी0 में अंकित माप को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं किया गया था।
5. पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर के कालम में किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर नहीं रहे। मस्टर रोल पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं रहे। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी का भुगतान रमेश कुमार नाम के व्यक्ति को (चेक एक्सएफईआर विड्रॉल) किया गया है। इस प्रकार श्रमिको को मजदूरी का भुगतान किया जाना प्रमाणित नहीं रहा।
6. पत्रावली में कार्य की कोई फोटो संलग्न नहीं रही और न ही फोटोग्राफी मूल्य का भुगतान किया गया।
7. लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे क्रय की गयी सामग्रियों एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों के स्टॉक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।
8. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पूर्णतया रिक्त रहा, उसमें कोई भी प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी थी। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सचिव, ग्राम प्रधान एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित/प्रति हस्ताक्षरित भी नहीं रहा जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए ग्राम निधि प्रथम से धनराशि रू0 243992.00 का भुगतान/आहरण कर उसे नाला निर्माण कार्य पर व्यय दर्शित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के खण्ड–1 एवं खण्ड–2(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री हितलाल उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू0 243992.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0 121996.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0 121996.00 ग्राम प्रधान श्री हितलाल से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –34 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना में हैण्डपम्प मरम्मत के कुल 7 कार्य ही अंकित एवं अनुमोदित रहे जबकि विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत के कुल 8 कार्य कराये गये हैं, जिसमें से हैण्डपम्प मरम्मत कार्य सं0–1, एवं 8 पर निम्न विवरणानुसार व्यय कोष बही में दर्शित है।

क्र0	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैशबुक में उल्लिखित विवरण
1	06.10.16	19914.00	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री व मजदूरी पर व्यय
2	04.02.17	20000.00	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री व मजदूरी भुगतान
	योग	39914.00	

लेखा परीक्षा में उक्त हैण्ड पम्प मरम्मत कार्यो पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी–
1. ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना में हैण्डपम्प मरम्मत के कुल 7 कार्य ही अंकित एवं अनुमोदित रहे, जबकि हैण्डपम्प मरम्मत के कुल 8 कार्य कराये गये। इस प्रकार 8वां कार्य बिना कार्य योजना के ही कराया गया, जो कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–1639/33–3–2015–03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के अनुच्छेद–2.1 में वर्णित मार्गदर्षक सिद्धान्त ''बिना कार्ययोजना ग्राम पंचायत कोई कार्य नहीं करायेगी'' के विपरीत रहा।
2. हैण्डपम्प मरम्मत कार्य सं0–1 एवं 8 दोनों की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही, जिससे उक्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के स्थलों के नाम, उनके परिसम्पत्ति क्रमांक, उक्त कार्यो से सम्बन्धित प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, कार्य पूर्ति आदि की स्थिति अज्ञात रही। साथ ही उक्त कार्यो के सापेक्ष किये गये भुगतानों की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 के विपरीत रहा।
स्पष्ट है कि नियमों/मार्ग दर्षक सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुए धनराशि रू0 39914.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान कर उसे हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है तथा किये गये व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी

प्रस्तुत नहीं किया गया, इस प्रकार लेखा परीक्षा में उक्त व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री हितलाल उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू0 39914.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0 19957.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0 19957.00 ग्राम प्रधान श्री हितलाल से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम–गंगेरवा विकास खण्ड–मुसाफिरखाना जनपद – अमेठी

प्रस्तर– 35प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार आलोच्य वर्ष चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजना के प्रशासनिक व्यय (आई डी - 2324976) के अन्तर्गत कार्यालय किराया पर विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रू0–24000.00 का व्यय किया गया है, जिसका विवरण तथा उसके सापेक्ष बैंक से किये गये लेन–देन का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि (कैश बुक के अनुसार)	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेन्ट में उल्लिखित विवरण, अंकित चेक सं0 एवं आहरित धनराशि
1.	05.11.16	14000.00	कार्यालय कक्ष का किराया कमरा 07 माह /2000	कैश (चेक) पेड टू राजकुमार चेक. न. 017587-डेबिट 14000.00
2.	25.01.17	6000.00	कार्यालय हेतु कमरे का किराया माह नवम्बर 2016 से जनवरी 2017 तक 03 माह /2000	कैश (चेक) पेड टू सेल्फ (जनरल) चेक नंबर-005290- डेबिट 6000.00
3.	17.03.17	4000.00	कार्यालय किराया माह फरवरी व मार्च 2017	कैश (चेक) पेड टू सुरेश कुमार चेक नंबर-005293- डेबिट 4000.00
	योग	24000.00	–	.

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गई–

1–लेखा परीक्षा में विगत वर्षों में किराये पर कार्यालय लिए जाने एवं उस पर व्यय किए जाने का कोई प्रमाण/अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा।

2–लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा किराये पर कार्यालय लिए जाने एवं उस पर व्यय किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से सम्बन्धित कोई अभिलेख/आदेश प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे स्पष्ट रहा कि उकत व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नहीं ली गई। जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–5 के अनुच्छेद–2 के विपरीत रहा।

3–किराये पर कार्यालय लिए जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा मकान मालिक से किये जाने वाले अनुबन्ध से सम्बन्धित कोई प्रमाण/अभिलेख भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 के विपरीत रहा।

4– बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार किराये पर दर्शित समस्त धनराशियों का भुगतान पंचायत सचिव श्री सुरेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री राजकुमार को नकद किया गया है जबकि उक्त भुगतान मकान मालिक को किया जाना चाहिए था।

5–लेखा परीक्षा में पाया गया कि उकत व्यय की प्रिया साफ्ट पर फीडिंग करने में भी असावधानी बरती गई है। पत्रावली में उक्त व्यय चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजना के प्रशासनिक व्यय, आई0डी0–2324976 के अन्तर्गत दर्शित है जबकि प्रिया साफ्ट पर दिनांक–05.11.2016 को व्यय धनराशि रू0–14000.00 तथा दिनांक–17.03.2017 को व्यय धनराशि रू0–4000.00 के अंकन की स्थिति स्पष्ट नहीं रही, जो आपत्तिजनक रहा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये ग्राम निधि प्रथम से धनराशि रू0–24000.00 का भुगतान/आहरण कर उसे कार्यालय किराया पर व्यय दर्शित किया गया है जो पूर्णतया काल्पनिक है एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री सुरेश कुमार मिश्र तथा ग्राम प्रधान श्री राजकुमार उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–24000.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–12000.00) ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सुरेश कुमार मिश्र से तथा रू0–12000.00 ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही प्रियासाफ्ट पर उक्त व्यय की स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर– 36 प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजना के प्रशासनिक व्यय (आई0डी0 2324976) के अन्तर्गत रिक्शा, तख्ता, पंखा पर धनराशि रू0–18000.00 का व्यय किया गया है, जिसका विवरण तथा उसके सापेक्ष बैंक से किये गये लेन–देन का विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	दिनांक	व्यय धनराशि (कैश बुक के अनुसार)	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेन्ट में उल्लिखित विवरण, अंकित चेक सं0 एवं आहरित धनराशि
1.	29.03.17	10000.00	तिपहिया साइकिल बाबत ग्राम पंचायत कार्य	कैश (चेक) पेड टू राजकुमार चेक. न. 005299. डेबिट 10000.00
2.	30.03.17	8000.00	प्रशासनिक मद में व्यय धनराशि तख्ता आदि	कैश (चेक) पेड टू सुरेश कुमार चेक नंबर 005300- डेबिट 8000.00
3.	योग	18000.00		

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गईं–

1–लेखा परीक्षा में पाया गया कि बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार उक्त दर्शित धनराशियों का भुगतान पंचायत सचिव श्री सुरेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री राजकुमार को नकद किया गया है जबकि उसे एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा विक्रेता फर्म को किया जाना चाहिये था।

2–लेखा परीक्षा में उक्त भुगतानों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 के विपरीत रहा।

3–लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त व्यय की प्रियासाफ्ट पर फीडिंग करने में भी असावधानी बरती गई है। पत्रावली में उक्त व्यय चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजना के प्रशासनिक व्यय, आई0डी0–2324976 के अन्तर्गत दर्शित है जबकि प्रियासाफ्ट पर उक्त व्ययों के अंकन की स्थिति स्पष्ट नहीं रही, जो आपत्तिजनक रहा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये, ग्राम निधि प्रथम से धनराशि रू0–18000.00 का भुगतान/आहरण उसे रिक्शा एवं तख्ता आदि पर व्यय दर्शित किया गया और व्यय की पुष्टि में व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री सुरेश कुमार मिश्र तथा ग्राम प्रधान श्री राजकुमार उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–18000.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–9000.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सुरेश कुमार मिश्र से तथा रू0–9000.00 ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही प्रियासाफ्ट पर उक्त व्ययों की फीडिंग को भी सही कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर– 37 कोष बही में दिनांक–17.03.17 को धनराशि रू0–12100.00 का व्यय निम्न विवरणानुसार दर्शित है–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि (कैश बुक के अनुसार)	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेन्ट में उल्लिखित विवरण, अंकित चेक सं0 एवं आहरित धनराशि
1.	17.03.17	6000.00	प्रशासनिक मद हेतु व्यय धनराशि, चुनाव	कैश चेक पेड टू सुरेश कुमार चेक नंबर005293.डेबिट 6000.00
2.	17.03.17	6100.00	विद्युत वायरिंग व पंखा हेतु व्यय धनराशि	कैश चेक पेड टू राजकुमार चेक नंबर 005296. डेबिट 6100.00

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गईं–

1–लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली/विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय से सम्बन्धित प्राक्कलन, वित्तीय स्वीकृति आदि की स्थिति अज्ञात रही।

2– उक्त व्यय कार्ययोजना के किस कार्य/मद के अन्तर्गत किये गये, यह लेख परीक्षा में स्पष्ट नहीं रहा।

3–बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार उक्त/दर्शित धनराशियों का भुगतान पंचायत सचिव श्री सुरेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री राजकुमार को नकद किया गया है, साथ ही उपरोक्त भुगतानों में से किसी भी भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 के विपरीत रहा। प्रियासाफ्ट पर उक्त व्ययों के अंकन की स्थिति स्पष्ट नहीं रही, जो आपत्तिजनक रहा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये ग्राम निधि प्रथम से धनराशि रू0–12100.00 का भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है एवं व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया, इस प्रकार लेखा परीक्षा में उक्त व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री सुरेश कुमार मिश्र तथा ग्राम प्रधान श्री राजकुमार उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–12100.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–6050.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सुरेश कुमार मिश्र से तथा रू0–6050.00 ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही प्रियासाफ्ट पर उक्त व्ययों की फीडिंग को भी सही कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम–माना मदनपुर विकास खण्ड–मुसाफिरखाना जनपद – अमेठी

प्रस्तर– 38आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से पूरे अहलाद में श्रीनाथ के नल के पास से तालाब तक नाली निर्माण कार्य (आई डी. 2282225) पर धनराशि रू0–100956.00 का व्यय दर्शित है, जिसका विवरण तथा उसके सापेक्ष बैंक से किये गये लेन–दन का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि (कैश बुक के अनुसार)	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेन्ट में उल्लिखित विवरण, अंकित चेक सं0 एवं आहरित धनराशि
1.	08.11.16	57456.00	पूरे अहलाद में श्रीनाथ के नल के पास से तालाब तक नाली निर्माण कार्य पर ह्यूम पाइप आपूर्ति का भुगतान	ड्रॉ थ्रू चेक प्रकाश स्पन पाइपए चेक नंबर 018636. डेबिट 57456.00
2.	21.11.16	13000.00	पूरे अहलाद में श्रीनाथ के नल के पास से तालाब तक नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान	चेक एक्सएफईआर विड्रॉल वंशराज सिंह चेक नंबर 018637. डेबिट 13000.00
3.	21.11.16	30500.00	उपरोक्त कार्य पर सामग्री आपूर्ति का भुगतान	चेक एक्सएफईआर विड्रॉल राजपूत कंस्ट्रक्शन चेक नंबर 018638. डेबिट 30500.00
	योग	100956.00	–	-

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गईं–

1–(क)–प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न एम0बी0 के अनुसार उक्त कार्य में प्रयुक्त ह्यूम पाइप की माप एवं मूल्य का विवरण निम्नवत् रहा– एन0पी03 ह्यूम पाइप 300एमएम डाय.त्र20आरएम /1276.80.25536.00 250एमएम डाय.त्र21. 20आरएम दर 1069.20.22667.04

स्पष्ट है कि एम0बी0 के अनुसार प्रयुक्त ह्यूम पाइपों की कुल लागत धनराशि रू0–48203.04 रही जबकि ह्यूम पाइप हेतु भुगतान की गई धनराशि 57456.00 रही। इस प्रकार रू0–9252.96 का अधिक भुगतान किया गया।

(ख)–एम0बी0 के अनुसार कार्य में प्रयुक्त सीमेन्ट की लागत धनराशि रू0–5400.00 रही जबकि सीमेन्ट हेतु कोई भुगतान नहीं किया गया।

(ग)–एम0बी0 के अनुसार साइन बोर्ड की लागत धनराशि रू0–3000.00 रही जबकि साइन बोर्ड हेतु कोई भुगतान नहीं किया गया।

(घ)–एम0बी0 के अनुसार उक्त कार्य की श्रम लागत धनराशि रू0–14036.89 रही जबकि मजदूरी हेतु भुगतान धनराशि रू0–13000.00 का ही किया गया।

स्पष्ट है कि एम0बी0 में अंकित सामग्री एवं मजदूरी लागत के अनुरूप भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकार एम0बी0 काल्पनिक एवं भुगतान के बाद बनाई गई प्रतीत होती है, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमानवली 1947 के नियम 157(ख) के विपरीत रहा, जिसमें निर्माण कार्यों की नाप जोख के उपरान्त ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

3–पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के अनुसार श्रम लागत धनराशि रू0–13922.00 रही जबकि भुगतान रू0–13000.00 का ही किया गया है। इस प्रकार मस्टर रोल के अनुसार भी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार उक्त धनराशि रू0–13000.00 का भुगतान वंशराज सिंह नामक व्यक्ति को किया गया है। इस प्रकार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाना प्रमाणित नहीं रहा।

4–दिनांक–21.11.16 को सामग्री आपूर्ति हेतु धनराशि रू0–30500.00 का भुगतान किया गया जबकि प्रस्तुत बाउचर मूल्य रू0–29440.00 ही अंकित रहा। इस प्रकार बाउचर पर अंकित मूल्य से रू0–1060.00 का अधिक भुगतान किया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये धनराशि रू0–100956.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान/आहरण कर उसे नाली निर्माण पर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के खण्ड–1 एवं खण्ड–2(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य हैं, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–100956.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी से संयुक्त रूप से (रू–50478.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–50478.00 ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर–39 आलोच्य वर्ष में कोष बही में दिनांक–31.12.2016 को ग्राम निधि प्रथम से प्रा0पा0 के पास पिच रोड से पूरे चौहान खड़न्जा तक खड़न्जा निर्माण कार्य (आई0डी0.2282220) में मजदूरी पर धनराशि रू0 का 20150.00 का भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत उक्त कार्य की पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में कार्य का नाम अंकित नहीं रहा जिससे यह स्पष्ट नहीं रहा कि मस्टर रोल इसी कार्य का था या अन्य किसी कार्य का। मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर के कालम में किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर नहीं रहे। मस्टर रोल में मजदूरी की लागत 20154.00 रही जबकि भुगतान धनराशि रू0–20150.00 का किया गया जो तर्कसंगत नहीं रहा। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार मजदूरी का भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सिंह को चेक (ड्रॉ थ्रू चेक) द्वारा किया गया है। इस प्रकार लेखा परीक्षा में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाना प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–20150.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–10075.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–10075.00 ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–40 आलोच्य वर्ष में कोष बही में दिनांक–28.12.2016 को ग्राम निधि प्रथम से मानामदनपुर में रामराज मौर्या के कूप का जीर्णोद्वार कार्य (आई0डी0 2282216) में मजदूरी पर धनराशि रू0 का 12700.00 का भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत उक्त कार्य की पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर के कालम में किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर नहीं रहे। मस्टर रोल पर ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं रहे। मस्टर रोल में मजदूरी की लागत 12714.00 रही जबकि भुगतान धनराशि रू0–12700.00 का किया गया जो तर्कसंगत नहीं रहा। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार मजदूरी का भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सिंह को चेक (ड्रॉ थ्रू चेक) द्वारा किया गया है। इस प्रकार लेखा परीक्षा में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाना प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य हैं, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–12700.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–6350.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–6350.00 ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तरः–41आलोच्य वर्ष में कोष बही में दिनांक–14.03.2017 को ग्राम निधि प्रथम से प्रा0 पा0 व जू0 हा0 स्कूल में शौचालय निर्माण कार्य (आई0डी0 2282227) में मजदूरी पर धनराशि रू0 का 15542.00 का भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत उक्त कार्य की पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर के कालम में किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर नहीं रहे। मस्टर रोल पर ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर श्री अंकित रहे। मस्टर रोल में कुशल श्रम की दो अलग–अलग दरें 370 एवं 330 की लगाई गई हैं जो तर्कसंगत नहीं रहा। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार मजदूरी भुगतान चेक (ड्रॉ थ्रू चेक) द्वारा किया गया है तथा भुगतान प्राप्तकर्ता की स्थिति अस्पष्ट रही। इस प्रकार लेखा परीक्षा में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किय जाना प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सिंह उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू0–15542.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–7771.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0 7771.00 ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–42 आलोच्य वर्ष में कोष बही में विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत कार्यो पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है–

क्र0 सं0	दिनांक	व्यय धनराशि (कैश बुक के अनुसार)	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेन्ट में उल्लिखित विवरण, अंकित चेक सं0 एवं आहरित धनराशि
1.	13.10.16	19955.00	इण्डिया मार्क ।। हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान	चेक एक्सएफईआर विड्रॉल चेक नंबर 018624. डेबिट 19950.00
2.	13.10.16	19950.00	इण्डिया मार्क ।। हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान	चेक एक्सएफईआर विड्रॉल चेक नंबर.018623. डेबिट 19955.00
3.	09.12.16	19950.00	इण्डिया मार्क ।। हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि	चेक एक्सएफईआर विड्रॉल राजपूत कंस्ट्रक्शन चेक नंबर.019722 डेबिट 19950.00
4.	02.02.17	19990.00	इण्डिया मार्क ।। हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि	चेक एक्सएफईआर विड्रॉल चेक नंबर.0119729

				डेबिट 19990.00
5.	14.03.17	19750.00	इण्डिया मार्क ।। हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान	चेक एक्सएफईआर विड्रॉल राजपूत कंस्ट्रक्शन चेक नंबर.019734 डेबिट 19750.00
6.	29.03.17	19990.00	इण्डिया मार्क ।। हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि	ड्रॉ थ्रू चेक राजपूत कंस्ट्रक्शन चेक नंबर.19736 डेबिट 19990.00
	योग	119585.00		

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भर आपत्तियां पाई गईं–

1– हैण्डपम्प मरम्मत कार्य सं0–1 की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही, परन्तु वह अपूर्ण रही। पत्रावली में उक्त हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति की संख्या व तिथि कहीं पर अंकित नहीं की गई थी तथा न ही तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदानकर्ता के हस्ताक्षर ही अंकित रहे। पत्रावली में हैण्डपम्प मरम्मत स्थलों की संख्या एं उनके परिसम्मपत्ति क्रमांक अंकित नहीं रहे। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया, साथ ही किये गए भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी संलग्न नहीं रहा। जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं अनुच्छेद–8 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204, 205 एवं 209 के विपरीत रहा।

2– हैण्डपम्प मरम्मत कार्य सं0–2,3,4,5 एवं 6 में से किसी भी कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहीं, जिससे कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि की जांच नहीं की जा सकी। उक्त कार्यों हेतु किये गये भुगतानों में से किसी भी भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं अनुच्छेद–8 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204, 205, एवं 209 के विपरीत रहा।

3–कोष बही में किसी भी हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के स्थलों के नाम अंकित नहीं रहे।

4–लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय की गई हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों के स्टॉक रजिस्टर के में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।

5–हैण्डपम्प मरम्मत के उपरान्त अवशिष्ट खराब सामग्री/कलपुर्जों का कोई लेखा–जोखा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

6– बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत कार्य सं0–1,2 तथा 4 के भुगतान प्राप्तकर्ता की स्थिति अस्पष्ट रही।

7–हैण्डपम्प मरम्मत कार्य सं0–4,5 एवं 6 पर हुए व्यय/भुगतान कैश बुक तथा बैंक स्टेटमेन्ट में एक समान तिथि क्रमशः 02.02.17, 14.03.17 तथा 29.03.17 को दर्शित हैं जबकि प्रियासाफ्ट पर दर्शित स्टेटमेन्ट में उक्त व्यय/भुगतान दिनांक–31.03.17 को दर्शित किया गया है, इस प्रकार प्रिया साफ्ट पर सूचना दर्शित करते समय वास्तविकता को छिपाया गया है जो आपत्तिजनक रहा।

स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये धनराशि रू0–119585.00 का ग्राम निधि से भुगतान कर से हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है तथा किये गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया, इस प्रकार लेखा परीक्षा में उक्त व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सिंह उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू0–119585.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–59792.50 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–59792.50 ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–43आलोच्य वर्ष में कोष बही में दिनांक–17.10.2016 को प्रशासनिक मद के अन्तर्गत आपूर्ति कुर्सी आदि पर धनराशि रू0–29175.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गईं–

1–लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्घित कोई पत्रावली/विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने की स्थिति अज्ञात रही। जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं अनुच्छेद–8 के विपरीत रहा।

2–साथ ही उक्त दर्शित भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं अनुच्छेद–8 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 के विपरीत रहा।

3–क्रय की गई सामग्रियों से सम्बन्धित कोई स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
4–लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा।
इस प्रकार लेखा परीक्षा में प्रशासनिक मद के अन्तर्गत किया गया उक्त व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–29175.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–14587.50 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–14587.50 ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तरः–44आलोच्य वर्ष कोष बही में दिनांक–29.11.2016 को तीनों राजस्व ग्रामों में सफाई कार्य हेतु 3 नग सफाई किट पर धनराशि रू0–45000.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गईं–
1–लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली/विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने की स्थिति अज्ञात रही। जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं अनुच्छेद–8 के विपरीत रहा।
2–साथ ही उक्त दर्शित भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं अनुच्छेद–8 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 के विपरीत रहा।
3–सफाई किट की सामाग्रियों से सम्बन्धित कोई स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
4–लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा।
इस प्रकार लेखा परीक्षा में सफाई किट के अन्तर्गत किया गया व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–45000.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–22500.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–22500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम–नेवादा **विकास खण्ड–मुसाफिरखाना** **जनपद – अमेठी**

प्रस्तर–45प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार आलोच्य वर्ष में चौदहवें वित्त आयोग योजना की प्रशासनिक मद (आई0डी0 2313828) के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में धनराशि रू0–88904.00 का व्यय किया गया है, जिसका विवरण तथा उसके सापेक्ष बैंक से किये गये लेन–देन विवरण निम्नवत है–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेन्ट में उल्लिखित विवरण, अंकित चेक सं0 एवं आहरित धनराशि
1.	13.06.16	17513.00	प्रशासनिक मद हेतु चौदहवें वित्त की प्रथम किस्त का 0.6ः धनराशि उ0डी0ओ0 (पं0) को दिया गया	ड्रॉ थ्रू चेक टू एडीओ पंचायत चेक नंबर 016148. डेबिट 17513.00
2.	06.01.17	5000.00	प्रशासनिक मद से तख्ता व मेज क्रय	कैश ;चेक पेड टू सुरेश कुमार चेक न.003927. डेबिट 5000.00
3.	20.01.17	10000.00	आलमारी बाबत पुराने कागजात रखने (प्र0म0)	कैश (चेक) पेड टू सुरेश कुमार चेक न.003932. डेबिट .10000.00
4.	20.01.17	2259.00	फोटो कापी पर व्यय धनराशि	कैश (चेक)पेड टू सुरेश कुमार चेक न.003933. डेबिट 2259.00
5.	20.01.17	10000.00	नये वित्तीय वर्ष से कागजात हेतु आलमारी रखने हेतु (आफिस रेन्ट)	कैश (चेक)पेड टू घनश्याम पांडे चेक न.003931. डेबिट .10000.00
6.	04.02.17	5000.00	स्टेशनरी व फोटोकापी पर व्यय	कैश (चेक) पेड टू सुरेश कुमार

				चेक न 003943. डेबिट .5000.00
7.	04.02.17	5000.00	कुर्सी 6 व मेज 1 बावत सदस्यगण	कैश (चेक)पेड टू घनश्याम पांडे चेक न.003942. डेबिट .5000.00
8.	20.02.17	6100.00	प्रशासनिक मद में व्यय (चौदहवां वित्त) स्कूल वायरिंग व षौचालय मरम्मत	कैश (चेक) पेड टू घनश्याम पांडे चेक न.003944 डेबिट .6100.00
9.	18.03.17	5600.00	समान ढोने हेतु हाथ रिक्शा क्रय (प्रशा0मद)	कैश (चेक) पेड टू घनश्याम पांडे चेक न.003949. डेबिट .5600.00
10.	18.03.17	3500.00	फोटो कापी पर व्यय धनराशि	कैश (चेक) पेड टू शिव प्रकाश चेक न.003945. डेबिट .3500.00
11.	18.03.17	6500.00	प्रा0पा0 नेवादा पर स्कूल षौचालय मरम्मत	कैश (चेक)पेड टू शिव प्रकाश चेक न. 003948. डेबिट .6500.00
12.	31.03.17	12432.00	चौदहवें वित्त की द्वितीय किस्त का अंश (भुगतान) ए0डी0ओ0 (पं0)	ड्रॉ थ्रू चेक सहायक विकास अधिकारी चेक.न. 005711. डेबिट .12432.00
	योग	88904.00	—	.

(ख)—कोष बही में अंकन के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को संक्रमित धनराशि का विवरण निम्नवत् है—

1.	14 वां वित्त आयोग के अन्तर्गत 01.04.2016 को उपलब्ध की धनराशि (कोष बही में अंकन के अनुसार)	271519.00
2.	वर्ष के दौरान चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में प्राप्त कुल धनराशि	460572.00
3.	योग	732091.00
4.	कुल धनराशि का 10 प्रतिशत	73209.10

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईं—

1—ग्राम पंचायत नेवादा की वर्ष 2016—17 की वार्षिक कार्ययोजना में क्रम संख्या—23 पर 14 वां वित्त आयोग योजना के प्रशासनिक व्यय हेतु धनराशि रू0—97496.00 निर्धारित की गई थी। उक्त धनराशि किस आधार पर निर्धारित की गई, यह लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं रहा।

2—14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपयोग हेतु मार्गदर्षक सिद्धान्तों के निर्धारण विषयक शासनादेश सं0—234/33—3—2016—2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 के प्रस्तर—ग(4) में वर्णित व्यवस्था है—14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के अनुसार संस्तुत बुनियादी अनुदान की धनराशि का 10 प्रतिशत तक तकनीकी एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जा सकता है। कुल 10 प्रतिशत तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की धनराशि का क्षेत्र पंचायत में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) स्तर पर खोल गये खाते में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक मद के 10 प्रतिशत धनराशि का 64.5 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के खाते में उपलब्ध करायी जिससे विभिन्न (न्याय पंचायत,विकास खण्ड एवं राज्य) स्तरों पर विभिन्न निर्धारित मदों में आने वाले खर्च पर व्यय की जा सकेगी। ग्राम पंचायतों द्वारा अवशेष धनराशि विभिन्न अनुमन्य गतिविधियों पर व्यय की जा सकेगी''। इस प्रकार स्पष्ट है कि 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त बुनियादी अनुदान का 10 प्रतिशत ही तकनीकी एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जा सकता है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के पास 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि रू0—732091.00 रही, जिसका 10 प्रतिशत 73209.10 होता है। मार्गदर्षक सिद्धान्त के अनुसार तकनीकी एवं प्रशासनिक मद के अन्तर्गत अधिकतम रू0—73209.10 ही व्यय किया जा सकता था जबकि तकनीकी एवं प्रशासनिक मद के अन्तर्गत उससे अधिक धनराशि रू0—88904.00 का व्यय किया गया, जो कि मार्गदर्षक सिद्धान्त के विपरीत रहा।

3—पुनः लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के पास 14वें वित्त आयोग की तकनीकी एवं प्रशासनिक मद के अन्तर्गत अधिकतम धनराशि रू0—73209.10 ही उपलब्ध रही, जिसमें से सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के खाते में धनराशि रू0—29945.00 दी गई। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0—43264.10 ही रही जिसे ग्राम

पंचायत द्वारा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत व्यय किया जा सकता था जबकि ग्राम पंचायत द्वारा उससे अधिक धनराशि रू0–58959.00 का व्यय किया गया, जो कि पुनः मार्गदर्शक सिद्धान्त के विपरीत पाया गया।
4–बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के खाते में दी गई धनराशि रू0–29945.00 के अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रू0–58959.00 में से अधिकतर भुगतान पंचायत सचिव श्री सुरेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री घनश्याम पाण्डेय को नकद किये गये हैं जो आपत्तिजनक रहा।
5–लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की प्रशासनिक मद के अन्तर्गत कुर्सी, मेज, आलमारी आदि क्रय तथा फोटोकापी पर व्यय किया गया था, उसके बावजूद चौदहवें वित्त आयोग योजना की प्रशासनिक मद से पुनः कुर्सी, मेज, आलमारी, तख्ता आदि क्रय तथा फोटोकापी पर पुनः व्यय किया गया। स्पष्ट है कि प्रशासनिक मद से व्यय किये जाने में मितव्ययता नहीं बरती गई।
6–लेखा परीक्षा में पाया गया कि कोष बही में दिनांक–20.01.17 को नये वित्तीय वर्ष से कागजात हेतु आलमारी रखने हेतु (आफिस रेन्ट) पर धनराशि रू0–10000.00 का व्यय दर्शित रहा तथा पत्रावली में संलग्न बाउचर जगन्नाथ यादव सुत रामलखन को आफिस हेतु कमरा किराया 10 माह का भुगतान किये जाने का रहा। परन्तु लेखा परीक्षा में किराये पर कार्यालय लिए जाने से सम्बन्धित कोई प्रमाण/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं अनुच्छेद–8 के विपरीत रहा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों/मार्गदर्षक सिद्धान्तों की अनदेशी करते हुये 14वें वित्त आयोग की तकनीकी एवं प्रशासनिक मद के अन्तर्गत उपलब्ध अधिकतम धनराशि से अधिक धनराशि व्यय की गई जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री सुरेश कुमार मिश्र तथा ग्राम प्रधान श्री घनश्याम पाण्डेय उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–58959.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–29479.50 ग्रा0वि0 अधिकारी श्री सुरेश कुमार मिश्र से तथा रू0–29479.50 ग्राम प्रधान श्री घनश्याम पाण्डेय से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–46 कोष बही में दिनांक–31.03.17 को धनराशि रू0–19800.00 का व्यय निम्न विवरणानुसार दर्शित है–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेन्ट में उल्लिखित विवरण, अंकित चेक सं0 एवं आहरित धनराशि
1.	31.03.17	14000.00	ग्राम प्रधान के मानदेय का भुगतान दिस0 6 से मार्च 17 तक /3500	ड्रॉ थ्रू चेक देवांश ट्रेडिंग कंपनी चेक नंबर005713. डेबिट 19800.00
2.	31.03.17	5800.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना 01 नग व मरम्मत 03 नग हेतु भुगतान	

लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेन्ट के अवलोकन से स्पष्ट रहा कि दिनांक–31.03.17 को रू0–14000.00 या रू0–5800.00 का कोई भुगतान नहीं किया गया है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक–31.03.17 को चेक सं0–00573 के द्वारा धनराशि रू0–19800.00 का भुगतान देवांश ट्रेनिंग कम्पनी को किया गया है। इस प्रकार कैश बुक में दर्शित विवरण एवं बैंक स्टेटमेन्ट में अंकित विवरण में कोई समानता नहीं पाई गई। स्पष्ट रूप से कैश बुक में दर्शित उक्त व्यय भ्रामक एवं संदिग्ध रहा। साथ ही लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय अप्रमाणित रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री सुरेश कुमार मिश्र तथा ग्राम प्रधान श्री घनश्याम पाण्डेय उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–19800.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–9900.00 ग्रा0वि0 अधिकारी श्री सुरेश कुमार मिश्र से तथा रू0–9900.00 ग्राम प्रधान श्री घनश्याम पाण्डेय से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम–सरैया सबलशाह विकास खण्ड–मुसाफिरखाना जनपद – अमेठी

प्रस्तर–47आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से जगनारायण के दरवाजे से नाले तक नाली निर्माण कार्य पर धनराशि रू0–185302.00 का व्यय दर्शित है, जिसका विवरण तथा उसके सापेक्ष बैंक से किये गये लेन–देन का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैश बक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेन्ट में उल्लिखित विवरण, अंकित चेक सं0 एवं आहरित धनराशि
1.	19.10.16	50000.00	जगनारायण के घर से नाले तक नाली	ड्रॉ थ्रू चेक

			निर्माण पर ईंट का भुगतान	एलसीएलजी बीओबी रेफरेंस नंबर 284ए चेक.न010997 डेबिट .50000.00
2.	06.02.17	90560.00	जगनारायण के घर से नाले से नाली निर्माण पर सामग्री वास्ते भुगतान–राजपूत कान्स्ट्रक्शन	चेक एक्सएफईआर विड्रॉल चेक.न.0118932. डेबिट 90560.00
3.	14.02.17	14640.00	उपरोक्त कार्य पर अवशेष ईंट का भुगतान आशा ब्रिक फील्ड	टू सीएलईजीए चेक.न.018933. डेबिट 14640.00
4.	13.02.17	30102.00	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान श्री छोटू सिंह प्रधान	चेक एक्सएफईआर विड्रॉल चेक.न.018934. छोटू सिंह
	योग	185302.00	–	.

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गईं–

1– पत्रावली में संलग्न अभिलेखों में कार्य का नाम जगनारायण के घर से नाले तक नाली निर्माण अंकित रहा जबकि प्रस्तुत कार्ययोजना में क्रम संख्या–5 पर कार्य जगनारायण के दरवाजे से तालाब तक नाली निर्माण नाम से अनुमोदित था।इस प्रकार कराये जाने वाले कार्य एवं कार्ययोजना में अनुमोदित कार्य में समानता नहीं पाई गई।

2–प्रस्तुत पत्रावली में उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति सं0–104/08.11.2016 थी तथा वित्तीय स्वीकृति सं0–95/08.11.2016 थी। तथा मस्टर रोल के अनुसार उक्त कार्य की अवधि 09.11.2016 से 23.11.2016 रही। इस प्रकार उक्त कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक–08.11.2016 को प्राप्त हुई तथा काय्र प्रारम्भ होने की तिथि दिनांक–09.11.2016 रही जबकि धनराशि रू0–50000.00 का भुगतान पर्याप्त समय पूर्व दिनांक–19.10.2016 को ही कर दिया गया। इस प्रकार व्यय की बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त हुए ही भुगतान कर दिया गया, जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–5 के अनुच्छेद–2 के विपरीत रहा। साथ ही उक्त भुगतान करते समय सावधानी एवं सतर्कता नहीं बरती गई तथा बिना आवश्यकता के ही भुगतान करके लेखा मैनुअल के अध्याय–5 के अनुच्छेद–3क में वर्णित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का उल्लंघन भी किया गया।

3–पत्रावली में संलग्न माप पुस्तिका में कार्य प्रारम्भ तिथि 08.11.2016 अंकित रही। जबकि कार्य समाप्ति तिथि अंकित ही नहीं की गई थी। माप पुस्तिका में मापकर्ता के हस्ताक्षर अस्पष्ट रहे। साथ ही अंकित की गई माप को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं किया गया था।

4–माप पुस्तिका में मजदूरी लागत धनराशि रू0–30200.00 आगणित की गई तथा रोल के अनुसार मजदूरी लागत धनराशि रू0–30149.00 रही जबकि मजदूरी हेतु भुगतान की गई धनराशि रू0–30102.00 रही। इस प्रकार भुगतान की गई धनराशि, माप पुस्तिका में अंकित धनराशि एवं मस्टर रोल के अनुसार मजदूरी की धनराशि में कोई समानता नहीं पाई गई जो तर्कसंगत नहीं रहा।

5–मस्टर रोल पर समस्त श्रमिकों के अंगूठा निशान एक ही व्यक्ति द्वारा लगाए गए प्रतीत होते हैं तथा कोई भी अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं किया गया है।

6–लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय की गई सामग्रियों एवं वर्षान्त में अवशेष सामाग्रियों के स्टॉक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।

7–बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार सामग्री हेतु किये गए भुगतानों की स्थिति अस्पष्ट रही। लेखा परीक्षा में चेक प्रतिपर्ण एवं चेक की छायाप्रति प्रस्तुत नहीं रही।

8–कार्य के किसी भी चरण का कोई फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।

9–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र का द्वितीय पृष्ठ पूर्णतया रिक्त रहा, उसमें कोई भी प्रविष्टि अंकित नहीं की गई थी। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सचिव, ग्राम प्रधान एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित/प्रति हस्ताक्षरित भी नहीं रहा जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों/मार्गदर्षक सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुये धनराशि रू0–185302.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान/आहरण कर उसे नाली निर्माण पर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के खण्ड–1 एवं खण्ड–2(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री छोटू सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–185302.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–92651.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–92651.00 ग्राम प्रधान श्री छोटू सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–48आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से सादीपुर चौराहा से रामहेत के घर तक सी0सी0 रोड मरम्मत कार्य पर धनराशि रू0–109214.00 का व्यय दर्शित है, जिसका विवरण तथा उसके सापेक्ष बैंक से किये गये लेन–देन का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेन्ट में उल्लिखित विवरण, अंकित चेक सं0 एवं आहरित धनराशि
1.	28.03.17	23664.00	सादीपुर चौराहा से रामहेत के घर तक आर0सी0सी0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान–श्री छोटू सिंह	कैश चेक चेक नंबर 018937. डेबिट 23664.00 पेड टू छोटू सिंह
2.	29.03.17	85550.00	उपरोक्त कार्य पर सामग्री भुगतान पर –सिंह सप्लायर एण्ड इलेक्ट्रानिक वर्क्स	चेक एक्सएफईआर विड्रॉलए चेक नंबर 018936. डेबिट 85550.00
	योग	109214.00		

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित कोई पत्रावली/विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति तथा मापी, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि की स्थिति अज्ञात रही। साथ ही उपरोक्त भुगतानों में से किसी भी भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं अनुच्छेद–8 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204,205,209 एवं 210 के विपरीत रहा। इस प्रकार लेखा परीक्षा में उक्त कार्य पर किया गया व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री छोटू सिंह उत्तरदायी हैं।

अतः उक्त धनराशि रू0–109214.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–54607.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–54607.00 ग्राम प्रधान श्री छोटू सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–49आलोच्य वर्ष में कैश बुक में दिनांक–07.10.2016 को हैण्ड पम्प मरम्मत (आई0डी0 2324375) पर सूरज ट्रेडर्स को सामग्री मजदूरी सहित धनराशि रू0–19950.00 का भुगतान निम्न विवरणानुसार दर्शित किया गया है–

दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि कैशबुक के अनुसार	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेन्ट में उल्लिखित विवरण, अंकित चेक सं0 एवं आहरित धनराशि
07.10.16	19950.00	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री मजदूरी सहित भुगतान सूरज ट्रेडर्स	चेक एक्सएफईआर विड्रॉल, चेक नंबर.010996. डेबिट 19950.00

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गईं–

1–प्रस्तुत पत्रावली में उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति की संख्या व तिथि कही पर अंकित नहीं की गई थी तथा न ही तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदानकर्ता के हस्ताक्षर ही अंकित रहे। जिससे स्पष्ट रहा कि उक्त कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई। इस प्रकार व्यय की बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त हुए ही भुगतान कर दिया गया, जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–5 के अनुच्छेद–2 के विपरीत रहा।

2–प्रस्तुत प्रत्रावली में संलग्न प्राक्कलन या अन्य किसी स्थान पर मरम्मत किये जाने वाले हैण्डपम्पों का परिसम्पत्ति क्रमांक अंकित नहीं रहा।

3–पत्रावली में अंकित हैण्डपम्प मरम्मत स्थलों के नाम एवं कैश बुक में अंकित हैण्डपम्प मरम्मत स्थलों के नाम समान नहीं रहे।

4–लेखा परीक्ष में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय की गई हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों के स्टॉक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।

5–किये गये भुगतान धनराशि रू0–19950.00 की पुष्टि में अपेक्षित कोई व्यय प्रमाणक भी पत्रावली में संलग्न नहीं रहा, जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं अनुच्छेद–8 उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 के विपरीत रहा।

6–लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा।

इस प्रकार लेखा परीक्षा में उक्त कार्य पर किया गया व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री छोटू सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–19950.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त

रूप से (रू0–9975.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–9975.00 ग्राम प्रधान छोटू सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–50 आलोच्य वर्ष में कोष बही में दिनांक–06.02.2017 को सफाई किट हेतु स्वर्णिमा कान्स्ट्रक्शन को धनराशि रू014990.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली/विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि की स्थिति अज्ञात रही। साथ ही उक्त भुगतान/व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबनध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204,205,एवं 209 के विपरीत रहा। इस प्रकार लेखा परीक्षा मे उक्त कार्य पर किया गया व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम–प्रधान श्री छोटू सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–14990.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–7495.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–7495.00 ग्राम प्रधान श्री छोटू सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया आना अपेक्षित है।

प्रस्तर–51आलोच्य वर्ष में दिनांक–07.04.2016 को ग्राम प्रधान को धनराशि रू0–7500.00 मानदेय का भुगतान दर्शित है, जिसका विवरण तथा उसके सापेक्ष बैंक से किये गये लेन–देन का विवरण निम्नवत् है–

दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि कैशबुक के अनुसार	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेन्ट में उल्लिखित विवरण, अंकित चेक सं0 एवं आहरित धनराशि
07.04.16	7500.00	प्रधान मानदेय अप्रैल,मई,जून, 16 तक 3 माह–श्री छोटू सिंह	चेक एक्सएफईआर विड्रॉलए चेक नंबर 007160. डेबिट 7500.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि माह अप्रैल में ही अप्रैल,मई तथा जून माह के मानदेय का आहरण/भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार निश्चित अवधि के पूर्व मानदेय भुगतान करके वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री छोटू सिंह उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम–बरना मुबारकपुर विकास खण्ड–मुसाफिरखाना जनपद – अमेठी

प्रस्तर–52प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजना के प्रशासनिक व्यय (आई0डी0 2282027) के अन्तर्गत कमरा किराया (कार्यालय) पर विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रू0–24000.00 का व्यय किया गया है, जिसका विवरण तथा उसके सापेक्ष बैंक से किये गये लेन–देन का विवरण निम्नवत है–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेन्ट में उल्लिखित विवरण, अंकित चेक सं0 एवं आहरित धनराशि
1.	13.12.16	6000.00	किराया कमरा 03 माह अप्रैल से जून 2016/2000	कैश चेक पेड टू सुरेश कुमार चेक नंबर 016233. डेबिट .6000.00
2.	30.01.17	6000.00	कमरा किराया माह जुलाई से सितम्बर तक	कैश चेक पेड टू सुरेश कुमार चेक नंबर .006697 डेबिट .6000.00
3.	20.03.17	12000.00	कार्यालय हेतु कमरे का किराया माह अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक 06 माह /2000	कैश चेक पेड टू सुरेश कुमार चेक नंबर 006701 डेबिट 12000.00
	योग	24000.00	–	.

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गईं–

1–ग्राम पंचायत बरना मुबारकपुर की वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्ययोजना में क्रम संख्या–4 पर चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजना के प्रशासनिक व्यय हेतु धनराशि रू0–7578.00 ही निर्धारित थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु प्राक्कलन रू0–29500.00 का बनाया गया और उसे वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई।

2–लेखा परीक्षा में विगत वर्षों में किराये पर कार्यालय लिए जाने एवं उस पर व्यय किए जाने का कोई प्रमाण/अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा।

3–लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा किराये पर कार्यालय लिए जाने एवं उस पर व्यय किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से सम्बन्धित कोइ्र अभिलेख/आदेश प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे स्पष्ट रहा कि उक्त व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नहीं ली गई। जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–5 के अनुच्छेद–2 के विपरीत रहा।
4–किराये पर कार्यालय लिए जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा मकान मालिक से किये जाने वाले अनुबन्ध से सम्बन्धित कोई प्रमाण/अभिलेख भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं अनुच्छेद–8 के विपरीत रहा।
5–बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार किराये पर दर्शित समस्त धनराशियों का भुगतान पंचायत सचिव श्री सुरेश कुमार को नकद किया गया है जबकि उक्त भुगतान मकान मालिक को किया जाना चाहिए था।
6–उक्त भुगतानों की पुष्टि में पत्रावली में प्राप्तकर्ता सुनील पुत्र गोविन्द के नाम के बाउचर संलग्न रहे, जिनमें न तो कोई धनराशि ही अंकित रही और न ही प्राप्ति तिथि अंकित रही। बाउचर पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी काल्पनिक प्रतीत होते हैं।
7–लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त व्यय की प्रियासाफ्ट पर फीडिंग करने में भी असावधानी बरती गई है। पत्रावली में उक्त व्यय चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजना के प्रशासनिक व्यय, आई0डी0–2282027 के अन्तर्गत दर्शित है जबकि आई0डी0–2282035 पर दर्शाया गया है, जो आपत्तिजनक रहा।
इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये ग्राम निधि प्रथम से धनराशि रू0–24000.00 का भुगतान/आहरण कर उसे कार्यालय किराया पर व्यय दर्शित किया गया हे जो पूर्णतय काल्पनिक है एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य हे, जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री सुरेश कुमार मिश्र तथा ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री ओझा उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–24000.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–12000.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सुरेश कुमार मिश्र से तथा रू0–12000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री ओझा से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही प्रियासाफ्ट पर उक्त व्यय की फीडिंग को भी संशोधित कर सही कराया जाना अपेक्षित है।
प्रस्तर–53 प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार आलोच्य वर्ष में चौदहवें वित्त आयोग योजना की प्रशासनिक मद (ID.2282035) के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में धनराशि रू0–62837.00 का व्यय किया गया है, जिसका विवरण तथा उसके सापेक्ष बैंक से किये गये लेन–देन का विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	दिनांक	व्यय धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेन्ट में उल्लिखित विवरण, अंकित चेक सं0 एवं आहरित धनराशि
1.	13.06.16	13473.00	प्रशासनिक मद में चौदहवें वित्त की 0.64ः धनराशि ए0डी0ओ0 (पं0) को	ड्रॉ थ्रू चेक टू एडीओ पंचायत चेकण्नण 016221. डेबिट .12473.00
2.	10.11.16	29800.00	कुर्सी, मेज, आलमारी आदि क्रय कार्यालय हेतु	ड्रॉ थ्रू चेक एलसीएलजी बीओआई रेफरेंस नंबर.616 चेक नंबर 016226. डेबिट .29800.00
3.	24.01.17	9564.00	ए0डी0ओ0(पं0) को द्वितीय किस्त का 6ः	ड्रॉ थ्रू चेक पेड टू सुरेश कुमार चेक नंबर 006687. डेबिट .9564.00
4.	30.03.17	10000.00	ऑफिस हेतु वायरिंग, पंखा, तख्ता तथा स्टेशनरी बैग क्रय हेतु भुगतन	कैश ;चेकद्ध पेड टू सुरेश कुमार चेक नंबर 006703. डेबिट .10000.00
	योग	62837.00		

(ख)–कोष बही में अंकन के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को संक्रमित धनराशि का विवरण निम्नवत् है–

1	14वां वित्त आयोग के अन्तर्गत 01.04.2016 को उपलब्ध की धनराशि (कोष बही में अंकन के अनुसार)	208876.00
2	वर्ष के दौरान चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में प्राप्त कुल धनराशि	354313.00
3	योग	563189.00
4	कुल धनराशि का 10 प्रतिशत	56318.90

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईं–

1–ग्राम पंचायत बरना मुबारकपुर की वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्ययोजना में क्रय संख्या–12 पर 14 वां वित्त आयोग योजना के प्रशासनिक व्यय हेतु धनराशि रू0–75003.00 निर्धारित की गई थी। उक्त धनराशि किस आधार पर निर्धारित की गई, यह लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं रहा।

2–14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपयोग हेतु मार्गदर्षक सिद्धान्तों के निर्धारण विषयक शासनादेश सं0–234/33–3–2016–2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 के प्रस्तर–ग(4) में वर्णित व्यवस्था है–''14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार संस्तुत बुनियादी अनुदान की धनराशि का 10 प्रतिशत तक तकनीकी एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जा सकता है। कुल 10 प्रतिशत तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की धनराशि का क्षेत्र पंचायत में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) स्तर पर खोले गये खाते में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक मद के 10 प्रतिशत धनराशि का 64.5 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे विभिन्न (न्याय पंचायत, विकास खण्ड एवं राज्य) स्तरों पर विभिन्न निर्धारित मदों में आने वाले खर्च पर व्यय की जा सकेगी। ग्राम पंचायतों द्वारा अवशेष धनराशि विभिन्न अनुमन्य गतिविधियों पर व्यय की जा सकेगी''। इस प्रकार स्पष्ट है कि 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त बुनियादी अनुदान का 10 प्रतिशत ही तकनीकी एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के पास 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि रू0–563189.00 रही, जिसका 10 प्रतिशत 56318.90 होता है। मार्गदर्षक सिद्धान्त के अनुसार तकनीकी एवं प्रशासनिक मद के अन्तर्गत अधिकतम रू0–56318.90 ही व्यय किया जा सकता था जबकि तकनीकी एवं प्रशासनिक मद के अन्तर्गत उससे अधिक धनराशि रू0–62837.00 का व्यय किया गया, जो कि मार्ग दर्षक सिद्धान्त के विपरीत रहा।

3–पुनः लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के पास 14वें वित्त आयोग की तकनीकी एवं प्रशासनिक मद के अन्तर्गत के अन्तर्गत अधिकतम धनराशि रू0–56318.90 ही उपलब्ध रही, जिसमें से सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के खाते में धनराशि रू0 23037.00 दी गई। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0–32281.90 ही रही जिसे ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत व्यय किया जा सकता था जबकि ग्राम पंचायत द्वारा उससे अधिक धनराशि रू0–39800.00 का व्यय किया गया, जो कि पुनः मार्गदर्षक सिद्धान्त के विपरीत पाया गया।

4–लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि रू0–39800.00 से क्रय की गई सामाग्रियों का स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा।

5–लेखा परीक्षा में दिनांक–10.11.2016 को व्यय धनराशि रू0–29800.00 तथा दिनांक–30.03.2017 को व्यय धनराशि रू0–10000.00 की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 तथा पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 के विपरीत रहा।

6–लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त व्यय की प्रियासाफ्ट पर फीडिंग करने में भी असावधानी बरती गई है। पत्रावली में उक्त व्यय 14वें वित्त आयोग योजना की प्रशासनिक मद, आई0डी0–2282035 के अन्तर्गत दर्शित है जबकि प्रियासाफ्ट पर उक्त व्यय को भिन्न योजनाओं एवं भिन्न आई0डी0 के अन्तर्गत दर्शाया गया है, जो आपत्तिजनक रहा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों/मार्ग दर्षक सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुये 14वें वित्त आयोग की तकनीकी एवं प्रशासनिक मद के अन्तर्गत उपलब्ध अधिकतम धनराशि व्यय की गई तथा व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज, अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री सुरेश कुमार मिश्र तथा ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री ओझा उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–39800.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–19900.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सुरेश कुमार मिश्र से तथा रू0 19900.00 ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री ओझा से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही प्रियासाफ्ट पर उक्त व्यय की फीडिंग को भी संशोधित कर सही कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–54 आलोच्य वर्ष में विभिन्न कार्यो पर विभिन्न तिथियों में कोष बही में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है–

क्र0सं0	दिनांक–	व्यय/भुगतान की धनराशि के अनुसार	कैश बुक में उल्लिखित विवरण
1.	24.10.16	6000.00	मजदूरी का भुगतान मय मिस्त्री 08 नग/750 (बाउचर सं0–03)
2.	05.12.16	15312.00	ह्यूम पाइप वास्ते उपरोक्त खड़न्जा निर्माण (बाउचर सं0–09)
3.	09.12.16	1500.00	फोटोकापी हेतु व्यय धनराशि (बाउचर सं0–11)
4.	13.01.17	2655.00	फोटोकापी पर व्यय धनराशि (बाउचर सं0–25)
5.	19.01.17	13574.00	सीमेन्ट मोरंग एंगल फोटो बाबत कूप जगत निर्माण दयाराम के दरवाजे (बाउचर सं0–27)
6.	09.02.17	13950.00	सामग्री बाबत उपरोक्त 8 हैण्डपम्प मरम्मत (बाउचर सं0–32)
7.	20.03.17	11500.00	प्रिन्टर स्कैनर व फोटो कापियर क्रय हेतु भुगतान (बाउचर

			सं0–34)
	योग	64491.00	–

लेखा परीक्षा में पाया गया कि कोष बही में उक्त व्ययों की आउचर संख्या तो अंकित की गई है परन्तु सम्बन्धित कार्यों की पत्रावलियों में उक्त बाउचर संलग्न नहीं रहे। इस प्रकार लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री सुरेश कुमार मिश्र तथा ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री ओझा उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू0–64491.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–32245.50 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सुरेश कुमार मिश्र से तथा रू0–32245.50 ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री ओझा से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम–धरौली विकास खण्ड–मुसाफिरखाना जनपद – अमेठी

प्रस्तर–55आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से धरौली में पक्की सड़क से राममगन के घर तक आर0सी0सी0 पटिया सहित नाली निर्माण कार्य (आई डी 2312383) पर धनराशि रू0–191366.00 का व्यय दर्शित है, जिसका विवरण तथा उसके सापेक्ष बैंक से किये गये लेन–देन का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेन्ट में उल्लिखित विवरण, अंकित चेक सं0 एवं आहरित धनराशि
1.	28.10.16	39030.00	नाली निर्माण–धरौली में राममगन के घर से पक्की सड़क तक–गिट्टी, सीमेन्ट, मोरंग	ड्रॉ थ्रू चेक एलओबीसी 2877, चेक नण019225. डेबिट 39030.00
2.	04.11.16	50000.00	नाली निर्माण–धरौली में राममगन के घर से पक्की सड़क तक–ईंट सामग्री	ड्रॉ थ्रू चेक एलओबीसी 2882, चेक न019226. डेबिट 50000.00
3.	04.11.16	32336.00	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी पर व्यय–मस्टर रोल	कैश चेक पेड सुखराज चेकण नण019226. डेबिट 32336.00
4.	11.11.16	70000.00	उपरोक्त कार्य पर ईंट पर व्यय	चेक एक्सएफईआर विड्रॉल डीके ब्रिक फील्ड चेक न019229. डेबिट 70000.00
	योग	191366.00	–	.

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गईं–

1–ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना में उक्त कार्य निर्माण कार्य (नया कार्य) के नाम से अंकित रहा परन्तु प्राक्कलन में पुरानी नाली की डिसमेन्टलिंग की मजदूरी लागत अनुमानित की गई है साथ ही सामग्री में पुरानी 5334 ईंटों को समायोजित किया जाना भी अनुमानित किया गया है जिससे स्पष्ट रहा कि कार्य नया न होकर मरम्मत कार्य था। जो कि आपत्तिजनक रहा।

2–लेखा परीक्षा में एम0बी0 प्रस्तुत नहीं रही। जिससे स्पष्ट रहा कि उक्त निर्माण कार्य की नाप जोख नहीं की गई। कार्य की नाप जोख न किये जाने से कार्य की वास्तविक श्रम लागत एवं सामग्री लागत अज्ञात रही। इस प्रकार कार्य की बिना नाप जोख किये ही भुगतान कर दिया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के विपरीत रहा, जिसमें निर्माण कार्यों की नाप जोख के उपरान्त ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

3–प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न कार्य के प्राक्कलन के अनुसार उक्त कार्य में प्रयुक्त होने वाले ईंट एवं ईंट गिट्टी का की अनुमानित माप व मूल्य का विवरण निम्नवत् रहा–

एस / ओ क्लास -150 न्यू ब्रिक्स 5640 नंबर दर 6800 / थाउजेंड –38352.00

स्पष्ट है कि प्राक्कलन के अनुसार के ईंट का कुल अनुमानित मूल्य रू0 38352.00 रहा जबकि ईंट पर व्यय रू0–70000.00 किया गया है। इस प्रकार अनुमानित मूल्य से रू0–31648.00 का अधिक व्यय किया गया।

4–बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ईंट हेतु धनराशि रू0–70000.00 का भुगतान डी0के0ब्रिक फील्ड को किया गया है जबकि पत्रावली में बाउचर आशा ब्रिक फील्ड का संलग्न किया गया है, जो भ्रामक रहा। इस प्रकार किया गया व्यय संदिग्ध एवं अप्रमाणित रहा।

5–ईंट के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों के व्यय/भुगतान भी प्राक्कलन के अनुरूप नहीं रहे।

6–लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय की गई सामग्रियों एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों स्टॉक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।
7–कार्य के किसी भी चरण का कोई फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।
8–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में समस्त प्रविष्टियां अंकित नहीं की गई थी। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सचिव एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं रहा जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 के विपरीत रहा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये धनराशि रू0–191366.00 का भुगतान/आहरण कर उसे नाली निर्माण पर व्यय दर्शित कर दिया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के खण्ड–1 एवं खण्ड–2(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री सुखराज उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू0191366.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–95683.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–95683.00 ग्राम प्रधान श्री सुखराज से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–56 आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना में हैण्डपम्प मरम्मत के कुल 6 कार्य ही अंकित एवं अनुमोदित रहे जबकि विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत के कुल 7 कार्य कराये गए है, जिसमें से हैण्डपम्प मरम्मत कार्य सं0–5,6, एवं 7 पर निम्न विवरणानुसार व्यय कोष बही में दर्शित है–

कार्य सं0	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि कैशबुक के अनुसार	कैश बुक में उल्लिखित विवरण
5	03.03.17	19950.00	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री एवं मजदूरी सहित भुगतान
6.	10.03.17	19994.00	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री एवं मजदूरी सहित भुगतान
7.	29.03.17	3500.00	हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी पर व्यय
	29.03.17	16400.00	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री पर व्यय
	योग	59844.00	

लेखा परीक्षा में उक्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्यो पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गई–
1–ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना में हैण्डपम्प मरम्मत के कुल 6 कार्य ही अंकित एवं अनुमोदित रहे जबकि हैण्डपम्प मरम्मत के कुल 7 कार्य कराये गए। इस प्रकार 7 वां कार्य बिना कार्ययोजना के ही कराया गया, जो कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–1639/33–3–2015–03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के अनुच्छेद–2.1 में वर्णित मार्ग दर्षक सिद्धान्त''बिना कार्य योजना ग्राम पंचायत कोई कार्य नहीं करायेगी'' के विपरीत रहा।
2–हैण्डपम्प मरम्मत कार्य सं0–5, 6, एवं 7 की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही, जिससे उक्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों के स्थलों के नाम, उनके परिसमपत्ति क्रमांक, उक्त कार्यो से सम्बन्धित प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, कार्य पूर्ति आदि की स्थिति अज्ञात रही। साथ ही उक्त कार्यो के सापेक्ष किय गये भुगतानों की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 के विपरीत रहा।
स्पष्ट है कि नियमों/मार्गदर्षक सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुये धनराशि रू0–59844.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान कर उसे हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है तथा किये गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया, इस प्रकार लेखा परीक्षा में उकत व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री सुखराज उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–59844.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–29922.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–29922.00 ग्राम प्रधान श्री सुखराज से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–57आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से राम सुधारे के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य पर धनराशि रू0–181456.00 का व्यय कोष बही में दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि कैशबुक के अनुसार	कैश बुक में उल्लिखित विवरण
1.	18.11.16	100000.00	नाली निर्माण–धरौली में राम सुधारे के घर से तालाब तक सामग्री
2.	21.11.16	24000.00	नाली निर्माण–धरौली में राम सुधारे के घर से तालाब

			तक–मजदूरी–मस्टर रोल
3.	30.11.16	7456.00	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी–मस्टर रोल
4.	03.02.17	50000.00	नाली निर्माण–धरौली में राम सुधारे के घर से तालाब तक
	योग	181456.00	

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित कोई पत्रावली/विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, कार्यावधि तथा मापी (नाप–जोख का विवरण), मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि की स्थिति अज्ञात रही। साथ ही उपरोक्त भुगतानों मे से किसी भी भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156, 156ख, 204,205,209 एवं 210 के विपरीत रहा। इस प्रकार लेखा परीक्षा में उक्त कार्य पर किया गया व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क के अंतर्गत अपहरण जो अधिभार के योग्य है। जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री सुखराज उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू. 181456.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू. 90728.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा 90728.00 ग्राम प्रधान श्री सुखराज अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–58आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से नया कोट में पक्की सड़क से जय बहादुर तिवारी के घर होते हुए संगीता के घर तक इण्टरलांकिग कार्य पर धनराशि रू. 227887.00 का व्यय कोष बही में दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि कैशबुक के अनुसार	कैश बुक में उल्लिखित विवरण
1.	30.01.2017	16356.00	इण्टरलांकिग कार्य मजदूरी
2.	30.01.2017	54531.00	नया कोट में पक्की सड़क से जय बहादुर तिवारी के घर से होते हुए संगीता के घर तक इण्टरलांकिग कार्य
3.	30.01.2017	28200.00	बालू मोरंग
4.	30.01.2017	9000.00	सीमेण्ट
5.	03.02.2017	69800.00	नया कोट में पक्की सड़क से जय बहादुर तिवारी के घर से होते हुए संगीता के घर तक इण्टरलांकिग कार्य
6.	03.20.2017	25000.00	मोरंग गिट्टी
7.	07.02.2017	25000.00	ईंट प्रथम श्रेणी
	योग	227887.00	

लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त कार्य से सम्बन्धित व्ययों की कैश बुक में प्रविष्टियां अस्पष्ट रूप से की गई थीं। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से समबन्धित कोई पत्रावली/विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति, कार्यावधि तथा मापी (नाप जोख का विवरण), मस्टरलो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि की स्थिति आात रही। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक–07.02.17 को किये गये भुगतान धनराशि रू0–25000. 00 के प्राप्तकर्ता की स्थिति अस्पष्ट रही। साथ ही उपरोक्त भुगतान में से किसी भी भुगतान में से किसी भी भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156,157(ख), 204,205,209 एवं 210 के विपरीत रहा। इस प्रकार लेखा परीक्षा में उक्त कार्य पर किया गया प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 9147 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री सुखराज उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–227887.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू. 113943.50 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–113943.50 ग्राम प्रधान श्री सुखराज से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–59आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से नया कोट में मन्दिर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य पर धनराशि रू0–226700.00 का व्यय कोष बही में दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत है–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय/भुगतान की धनराशि कैशबुक के अनुसार	कैश बुक में उल्लिखित विवरण
1.	29.03.17	142000.00	नाली निर्माण–नया कोट में मनिदर से तालाब तक–ईंट आपूर्ति
2.	29.03.17	60000.00	उपरोक्त कार्य पर सामग्री पर व्यय
3.	29.03.17	24700.00	उपरोक्त कार्य पर सामग्री पर व्यय
	योग	**226700.00**	–

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित कोई पत्रावली/विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, कार्यावधि तथा मापी (नाप जोख का विवरण), मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि की स्थिति अज्ञात रही। उक्त कार्य हेतु समस्त भुगतान सामग्री हेतु ही किये गये है, मजदूरी पर कोई भुगतान नहीं किया गया है जिससे कार्य का कराया जाना प्रमाणित नहीं रहा। साथ ही उपरोक्त भुगतानों में से किसी भी भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी लेख परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156,157(ख), 204,205,209 एवं 210 के विपरीत रहा। इस प्रकार लेखा परीक्षा में उक्त कार्य पर किया गया व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8 के अनुच्छेद–8 क के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री सुखराज उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–226700.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–113350.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–113350.00 ग्राम प्रधान श्री सुखराज से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–60आलोच्य वर्ष में कोष बही में दिनांक–07.02.2017 को प्रशासनिक मद के अन्तर्गत मेज, कुर्सी, आलमारी आदि पर धनराशि रू0–29800.00 का व्यय/भुगतान किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित कोइ पत्रावली/विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन, वित्तीय स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि की स्थिति अज्ञात रही। प्रशासनिक मद के अन्तर्गत क्रय की गई सामग्रियों से सम्बन्धित कोई स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही किये गये भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204, 205, 209 के विपरीत रहा। इस प्रकार लेखा परीक्षा में उक्त कार्य पर किया गया व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर, प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1047 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री सुखराज उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–29800.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–14900.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–14900.00 ग्राम प्रधान श्री सुखराज से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–61कोष बही में दिनांक–10.02.2017 को विधान सभा के चुनाव के दौरान प्राथमिक पाठशाला की वायरिंग पर धनराशि रू0–6142.00 का व्यय/भुगतान किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया, साथ ही किये गये भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्रम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–6 के अनुच्छेद–7 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204, 205, 209 के विपरीत रहा। इस प्रकार लेखा परीक्षा में उक्त कार्य पर किया गया व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8 के अनुच्छेद–8 क के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री सुखराज उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–6142.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–3071.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–3071.00 ग्राम प्रधान श्री सुखराज से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम–नारा अढ़नपुर विकास खण्ड–मुसाफिरखाना जनपद – अमेठी

प्रस्तर–62आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य पर विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रू0–1055496.00 का व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत है–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि (कैशबुक के अनुसार)	कैश बुक में उल्लिखित विवरण
1.	03.01.17	30000.00	अंत्येष्टि स्थल व्यय–हैण्डपम्प
2.	04.01.17	23838.00	अंत्येष्टि स्थल पर व्यय–मजदूरी
3.	07.01.17	23664.00	अंत्येष्टि स्थल पर मजदूरी भुगतान
4.	10.01.17	23838.00	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी
5.	10.01.17	55000.00	उपरोक्त कार्य पर सामग्री आपूर्ति
6.	10.01.17	30000.00	उपरोक्त कार्य पर सामग्री आपूर्ति
7.	16.01.17	23664.00	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान

8.	16.01.17	136000.00	उपरोक्त कार्य पर ईंट आपूर्ति
9.	20.01.17	25000.00	अंत्येष्टि स्थल गेट
10.	24.01.17	23664.00	अंत्येष्टि स्थल पर मजदूरी
11.	25.01.17	80000.00	अंत्येष्टि स्थल पर सामग्री आपूर्ति
12.	30.01.17	24000.00	अंत्येष्टि स्थल पर ईंट आपूर्ति
13.	06.02.17	23664.00	अंत्येष्टि स्थल पर मजदूरी
14.	06.02.17	63000.00	उपरोक्त कार्य पर ईंट आपूर्ति
15.	06.02.17	49500.00	उपरोक्त कार्य पर सामग्री
16.	10.02.17	24000.00	अंत्येष्टि स्थल पर सामग्री
17.	10.02.17	100000.00	अंत्येष्टि स्थल पर ईंट आपूर्ति
18.	20.02.17	18000.00	अंत्येष्टि में दरवाजा आपूर्ति
19.	22.02.17	23664.00	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी
20.	14.03.17	50000.00	अंत्येष्टि पर सामग्री आपूर्ति
21.	14.03.17	50000.00	अंत्येष्टि पर सामग्री आपूर्ति
22.	18.03.17	50000.00	अंत्येष्टि स्थल पर सामग्री आपूर्ति
23.	18.03.17	105000.00	उपरोक्त कार्य पर सामग्री व मजदूरी भुगतान
	योग	1055496.00	—

लेखा परीक्षा अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई पत्रावली/विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति तथा मापी, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि की स्थिति अज्ञात रही। साथ ही अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य पर किय गये व्ययों में से किसी भी व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जो पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–7 एवं तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204,205, 209 एवं 210 के विपरीत रहा। लेखा परीक्षा में पाया गया कि अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य पर किये गये व्ययों की प्रियासाफ्ट पर फीडिंग भी नही की गई थी, जो आपत्तिजनक रहा। इस प्रकार लेखा परीक्षा में अत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य पर किया गया व्यय प्रमाणित नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8क के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री दल बहादुर दत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–1055496.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0–527748.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमृत नाथ सिंह से तथा रू0–527748.00 ग्राम प्रधान श्री दल बहादुर से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम–खरगपुर **विकास खण्ड–भादर** **जनपद – अमेठी**

प्रस्तर–63लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प आदि पर अनियमित ढंग से व्यय दर्शित किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

1. दिनांक 11.04.2016 को रू. 20000.00 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय तथा मिस्त्री लेबर चार्ज सहित दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान।
2. दिनांक 12.08.2016 को रू. 14380.00 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय तथा मिस्त्री लेबर चार्ज सहित सुभाष मशीनरी को भुगतान।
3. दिनांक 10.03.2017 को रू. 18650.00 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय तथा मिस्त्री लेबर चार्ज सहित दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान।

योग – 53030.00

उपरोक्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। साथ ही डिलीवरी चालान, कैशमेमो (सेल टैक्स कटौती का विवरण) मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं रहा। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों राम कलप ग्राम प्रधान से रू. 26515.00 तथा श्री प्रवीन कुमार तिवारी ग्राम विकास अधिकारी से 26515.00 कुल धनराशि 53030.00 की ब्याज सहित वसूली सयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–64वित्त वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में मेज कुर्सी आलमारी दरी सफाई किट साइन बोर्ड स्टेशनरी किट क्रय किया गया है। परन्तु उक्त फर्मो से प्राप्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

1. दिनांक 25.10.2016 को रू. 37995.00 ग्राम पंचायत हेतु मेज, कुसी, आलमारी, दरी क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान।

2. 11.11.2016 को रू. 14200.00 सफाईकर्मी किट क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान।
3. 25.11.2016 को रू. 3300.00 साइन बोर्ड क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान।
4. दिनांक 16.12.2016 को रू. 3500.00 स्टेशनरी किट क्रय, पंचायत उद्योग भादर को भुगतान।
5. दिनांक 14.02.2017 को रू. 12000.00 ती साइन बोर्ड क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान।

योग 70995.00

उपरोक्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। साथ ही डिलीवरी चालान, कैशमेमो (सेल टैक्स कटौती का विवरण) मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं रहा। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख ण्वं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों राम कलप ग्राम प्रधान से रू. 35497.50 तथा श्री प्रवीन कुमार तिवारी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से 35497.50 कुल धनराशि 70995.00 की ब्याज सहित वसूली सयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–65वित्त वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में ईंट एवं अन्य निर्माण सामग्री आदि पर अनियमित ढंग से व्यय दर्शित किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

1. दिनांक 05.11.2016 को	रू.24480.00	नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
2. दिनांक 05.11.2016 को	रू.11995.00	नाली निर्माण हेतु सीमेण्ट मोरंग क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
3. दिनांक 17.11.2016 को	रू.24480.00	नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
4. दिनांक 17.11.2016	रू.23015.00	नाली निर्माण हेतु सीमेंट मोरंग गिटटी क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
5. दिनांक 29.11.2016 को	रू.14280.00	नाली निर्माण हेतु सीमेंट मोरंग गिटटी क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
6. दिनांक 29.11.2019 को	रू.9140.00	नाली निर्माण हेतु सीमेंट मोरंग गिटटी क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
7. दिनांक 08.12.2016 को	रू. 17000.00	नाली निर्माण हेतु सीमेंट मोरंग गिटटी क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
8. दिनांक 13.01.2017 को	रू. 15500.00	नाली निर्माण हेतु सीमेंट मोरंग गिटटी क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
9. दिनांक 19.01.2017 को	रू. 12550.00	कूप मरम्मत हेतु 1923 नग ईंट क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
10. दिनांक 19.01.2017 को	रू. 11000.00	कूप मरम्मत हेतु सीमेंट मोरंग गिटटी क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
11. दिनांक 06.02.2017 को	रू. 19500.00	नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
12. दिनांक 07.02.2017 को	रू. 9400.00	खड़न्जा मरमम्त हेतु ईंट क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
13. दिनांक 07.02.2017 को	रू. 6500.00	नाली निर्माण हेतु सीमेंट मोरंग क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
14. दिनांक 15.02.2017 को	रू. 8700.00	नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
15. दिनांक 23.02.2017 को	रू. 25200.00	खड़न्जा मरम्म्त हेतु ईंट क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
16. दिनांक 23.03.2017 को	रू. 37080.00	खड़न्जा मरम्म्त हेतु 8981 नग ईंट क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
17.दिनांक 28.03.2017 को	रू.8500.00	खड़न्जा मरम्म्त हेतु ईंट स्पन पाइप क्रय/साइन बोर्ड क्रय दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
18. दिनांक 28.03.2017 को	रू. 19500.00	खड़न्जा मरम्मत हेतु ईंट क्रय 3095 नग दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को भुगतान
	योग रू. 308820.00	

इस प्रकार रू. 308820.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया फलतः यह व्यय पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित है। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख ण्वं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों राम कलप ग्राम प्रधान से रू. 154410.00 तथा श्री प्रवीन कुमार तिवारी ग्राम विकास अधिकारी से 154410.00 कुल धनराशि 308820.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–66 वित्त वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण कार्यों/मरम्मत कार्यों पर अनियमिति ढंग से मजदूरी पर व्यय दर्शित कर व्यय प्रमाणक (मस्टर रेाल) नहीं प्रस्तुत किये गये हैं विवरण निम्न प्रकार से है।

1. दिनांक 16.11.2016 को रू. 17900.00 राम सुमेर के घर से तालाब तक नाली निर्माण मजदूरी भुगतान।
2. दिनांक 09.12.2016 को रू. 8081.00 मुन्ना कोरी के घर से सुन्दर लाल के खेत तक नाली निर्माण मजदूरी भुगतान।
3. दिनांक 11.01.2017 को रू. 8000.00 धौताल के नल से सम्पर्क मार्ग तक नाली निर्माण मजदूरी भुगतान।
4. दिनांक 17.01.2017 को रू. 3100.00 लक्ष्मण के घर से तालाब तक नाली निर्माण मजदूरी भुगतान।
5. दिनांक 25.01.2017 को रू. 4700.00 संजय सिंह का कूप मरम्मत मजदूरी भुगतान।
6. दिनांक 07.02.2017 को रू. 20000.00 राघव राम कोरी के घर से धौताल के घर तक खड़न्जा मरम्मत मजदूरी भुगतान।
7. दिनांक 16.03.2017 को रू. 2442.00 दशरथ के नल का सोख्ता गड्ढा निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान।
8. दिनांक 17.03.2017 को रू. 12500.00 दशरथ के नल का सोख्ता गड्ढा निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान।
9. दिनांक 28.03.2017 को रू. 44448.00 पारसनाथ के घर से मिलन के घर तक खड़न्जा मरम्मत मजदूरी भुगतान।

योग 121171.00

इस प्रकार रू. 121171.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया फलतः यह व्यय पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित है। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख ण्वं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों राम कलप ग्राम प्रधान से रू. 60585.50 तथा श्री प्रवीन कुमार तिवारी ग्राम विकास अधिकारी से 60585.50 कुल धनराशि 121171.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम–ढेमा विकास खण्ड–भादर जनपद – अमेठी

प्रस्तर–67लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत आदि पर अनियमित ढंग से व्यय दर्शित किया गया है विवरण निम्न प्रकार हैः–दिनांक–09.03.2017 को रू0–19525.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय, खाकी बाबा कान्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को भुगतान।दिनांक–09.03.2017 को रू0–4610.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय, खाकी बाबा कान्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को भुगतान।दिनांक–21.03.2017 को रू0–19720.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय, खाकी बाबा कान्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को भुगतान।योग–43855.00

उपरोक्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, साथ ही डिलेवरी चालान बिल, कैशमेमो (सेलटैक्स कटौती का विवरण) मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं रहा। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड (8क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम 204 तथा नियम 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिकार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री देवराज गुप्ता (ग्राम प्रधान) से रू0–21927.50 तथा श्री चन्द्र अखिलेश सिंह ग्राम विकास अधिकारी से रू0–21927.50 कुल धनराशि 43855.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–68 वित्त वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में मेज, कुर्सी, आलमारी, ठेलिया, पंचायत किट क्रय कर अनियमितम ढंग से व्यय दर्शित है तथा उक्त फर्मो से प्राप्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्ष के समय प्रस्तुत नहीं किया गया, विवरण निम्न प्रकार है–

दिनांक–17.02.2017 को रू0–7000.00 आलमारी क्रय भादर इण्टरप्राइजेज को भुगतान।
दिनांक–18.02.2017 को रू0–11000.00 ठेलिया क्रय जे0पी0 साइकिल स्टोर को भुगतान
दिनांक–06.03.2017 को रू0–30253.00 कुर्सी मेज, आलमारी क्रय कर कामधेनु कान्सट्रक्शन को भुगतान।
दिनांक–24.03.2017 को रू0–3500.00 पंचायत किट क्रय पंचायत उद्योग शादर को भुगतान।

योग रू0–51753.00

उपरोक्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही डिलेवरी चालान बिल कैश मेमों, (सेल टैक्स कटौती का विवरण) प्रस्तुत नहीं रहा है। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड 7 एवं खण्ड (8क) तथा खण्ड (8क) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली–1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री देवराज गुप्ता ग्राम प्रधान से रू0–25876.00 तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी अखिलेश सिंह से रू0–25876.50 कुल रू0–51753.00 की ब्याज सहित वसूली अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–69वित्त वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में ईट एवं 3 निर्माण सामग्री आदि पर नियममित ढंग से व्यय दर्शित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है–

दिनांक–27.01.2017 को रू0–52440.00 नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय एस0आर0एम0 ट्रेडर्स को भुगतान।
दिनांक–02.03.2017 को रू0–14970.00 नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय एस0आर0एम0 ट्रेडर्स को भुगतान।
दिनांक–27.03.2017 को रू0–23100.00 नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय एस0आर0एम0 ट्रेडर्स को भुगतान।
दिनांक–27.03.2017 को रू0–11060.00 नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय एस0आर0एम0 ट्रेडर्स को भुगतान।

योग रू0= 101570.00

इस प्रकार रू0–10157.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गया। फलतः व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड (8क) तथा खण्ड (8क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली–1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री देवराज गुप्ता ग्राम प्रधान से रू0–50785.00 तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश सिंह से रू0–50785.00 कुल धनराशि रू0–101570.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–70वित्त वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण कार्यों/मरम्मत कार्यो पर अनियमित ढंग से मजदूरी पर व्यय दर्शित कर व्यय प्रमाणक (मस्टरलरोल) नहीं प्रस्तुत किये गये हैं। विवरण निम्न प्रकार है–

दिनांक–27.03.2017 को रू0–1740.00 नाली निर्माण मजदूरी भुगतान। (स्थान अमरावती के घर से उत्तर तालाब तक)।

दिनांक–27.03.2017 को रू0–6330.00 नाली निर्माण मजदूरी भुगतान। (स्थान मिठाई लाल के घर से नहर तक)।

दिनांक–27.03.2017 को रू0–2088.00 नाली निर्माण मजदूरी भुगतान। (स्थान करमचन्द के घर से दोहनी तालाब तक)।योग=रू0–10158.00

इस प्रकार रू0–10158.00 का व्यय प्रमाणक (मास्टर रोल) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 एवं खण्ड (8क) तथा (8ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली–1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री देवराज गुप्ता ग्राम प्रधान से रू0–5079.00 तथा श्री अखिलेश सिंह तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से रू0–5079.00 कुल धनराशि रू0–10158.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया गया अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम–दादूपुर विकास खण्ड–अमेठी जनपद – अमेठी

प्रस्तर–71आलोच्य वर्ष में भिन्न–भिन्न तिथियों में खड़ंजा निर्माण एवं मजदूरी नाम पर रू0–671206.00 का ग्राम निधि प्रथम से विवरणहीन व्यय/भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय/भुगतान की राशि कैशबुक के अनुसार	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेंट में उल्लिखित विवरण
1.	10.03.2017	42978.00	मजदूरी खड़ंजा निर्माण। अकबाल अहमद के घर समसुआइन के घर तक	चेक नं0–474705
2.	10.03.2017	65946.00	मजदूरी खड़ंजा निर्माण। पक्की सड़क से सी0सी0रोड तक।	चक नं0–874704.00
3.	27.03.2017	182700.00	ईंट खरीद खड़ंजा निर्माण के लिए। करीमुददनी के घर से कुतुबुददनी के घर तक।	चेक नं0–874708
4.	29.03.2017	24882.00	मजदूरी खड़ंजा निर्माण। करीमुददीन के घर से कुतुबुददनीन के घर तक।	चेक नं0–878062
5.	29.03.2017	172000.00	ईंट खरीद खड़ंजा निर्माण के लिए। पक्की सड़क से सी0सी0रोड तक।	चेक नं0–878063
6.	29.03.2017	182700.00	ईंट खरी खड़ंजा निर्माण के लिए। अकबाल अहमद के घर समसुआइन के घर तक	चेक नं0–878061
	योग	671206.00		

उक्त व्यय/भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां रही–

उक्त कार्य से संबंधित ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति एवं प्राक्कलन सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।कृत कार्य की माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रही।

उक्त दर्शित सामग्री भुगतानों की पुष्टि में अपेक्षित कोई व्यय प्रगाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

मजदूरों द्वारा हस्ताक्षरित मस्टररोल प्रस्तुत न किये जाने के कारण मजदूरी भुगतान अप्रमाणित रहा।

निर्माण कार्यस्थल के पहले एवं बाद के फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं कराये गये।

लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कार्य का पूरा होना अप्रमाणित रहा।

व्यय पश्चात उक्त धनराशियां ग्रामसभा द्वारा पारित नहीं कराई गई।

क्रय ईट का स्टाक रजिस्टर बनाकर स्थानवार खारिज न होने के कारण सम्बन्धित व्यय की पुष्टि नहीं हो पाती है।

अतः स्पष्ट है कि 10.03.2017 से दिनांक–29.03.2017 के बीच रू0–671206.00 का वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए ग्राम निधि प्रथम से भुगतान करके उसे खड़ंजा निर्माण एवं मजदूरी नाम पर व्यय दर्शित कर दिया गया है जो उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद–8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मुकेश कुमार और ग्राम प्रधान श्री चन्द्रजीत उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू0–671206.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मुकेश कुमार और ग्राम प्रधान श्री चन्द्रजीत से संयुक्त रूप से (रू0–335603.00 मुकेश कुमार से रू0–335603.00 श्री चन्द्रजीत से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–72 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत के नाम रू0–101361.00 पर निम्नलिखित व्यय/भुगतान किया गया है–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय/भुगतान की राशि कैशबुक के अनुसार	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेंट में उल्लिखित विवरण
1.	12.09.2017	10000.00	हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान	चेक नं0–417542
2.	12.09.2017	10000.00	हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान	चेक सं0–417541
3.	12.09.2017	10000.00	हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान	चेक सं0–417543
4.	10.03.2017	8519.00	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान	चेक सं0–874701
5.	10.03.2017	14814.00	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान	चेक सं0–874702
6.	10.03.2017	15238.00	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान	चेक सं0–417550
7	10.03.2017	14790.00	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान	चेक सं0–874703
8.	17.03.2017	4000.00	हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान	चेक सं0–417546
9.	17.03.2017	5000.00	हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान	चेक सं0–417548
10.	17.03.2017	5000.00	हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान	चेक सं0–417549
11.	17.03.2017	4000.00	हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान	चेक सं0–417547
	योग	101361.00		

उक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गईं–

उक्त कार्य से संबंधित ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति एवं प्राक्कलन सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उक्त हैंडपम्प मरम्मत पर किये गये भुगतान के सापेक्ष स्थलों की सूची एवं लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्म के खराब होने की सूचना तथा मरम्मत की मांग के संबंध कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उक्त दर्शित सामग्री भुगतानों की पुष्टि में अपेक्षित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने से क्रय की गई सामग्री एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों के स्टाक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अप्रमाणित रही।

लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कार्य का पूरा होना अप्रमाणित रहा।

व्यय पश्चात उक्त धनराशियां ग्राम सभा द्वारा पारित नहीं कराई गई।

मरम्मत उपरान्त पुराना सामान ग्राम पंचायत के स्टाक रजिस्टर में जमा नहीं किया गया है।

कोई भी व्यय स्थानवार न होने के कारण व्यय की पुष्टि सम्भव नही है।

अतः स्पष्ट है कि 12.09.2017 से दिनांक–17.03.2017 के बीच रू0–101361.00 वित्तीय नियमों की अनेदेखी करते हुए ग्राम निधि प्रथम से भुगतान करके उसे हैंडपम्प मरम्मत भुगतान दर्शित कर दिया गया है जो उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मुकेश कुमार और ग्राम प्रधान श्री चन्द्रजीत उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–101361.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मुकेश कुमार और ग्राम प्रधान श्री चन्द्रजीत से संयुक्त रूप से (रू0–50680.50 मुकेश कुमार से तथा रू0–50680.50 श्री चन्द्रजीत से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम–कटरा महारानी विकास खण्ड–अमेठी जनपद – अमेठी

प्रस्तर–73आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत के नाम रू0–182816.00 पर निम्नलिखित व्यय/भुगतान किया गया है–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय/भुगतान की राशि कैशबुक के अनुसार	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेंट में उल्लिखित विवरण
1.	23.02.2017	17413.00	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान।	चेक सं0–15804

2.	20.03.2017	17228.00	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान।	चेक सं0–15805
3.	20.03.2017	17236.00	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान।	चेक सं0–15807
4.	20.03.2017	13971.00	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान।	चेक सं0–15809
5.	20.03.2017	17171.00	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान।	चेक सं0–15808
6.	20.03.2017	10800.00	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान।	चेक सं0–15806
7.	21.03.2017	7500.00	हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान।	चेकसं0–17165,17170, 17171,17172
8.	21.03.2017	17445.00	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान।	चेक सं0–15811
9.	21.03.2017	18330.00	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान।	चेक सं0–15810
10.	21.03.2017	125000.00	हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान।	चेक सं0–17166,17167, 17168,17169,17173
11.	27.03.2017	17472.00	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान।	चेक सं0–15812
12.	31.03.2017	15750.00	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान।	चेक सं0–19209
	योग	**182816.00**		

उक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गई–

उक्त कार्य से संबंधित ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति एवं प्राक्कलन सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

उक्त हैंडपम्प मरम्मत पर किये गये भुगतान के सापेक्ष स्थलों की सूची एवं लाभर्थियों द्वारा हैंडपम्प के खराब होने सूचना तथा मरम्म्त की मांग के सम्बन्ध कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उक्त दर्शित सामग्री भुगतानों की पुष्टि में अपेक्षित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने से क्रय की गई सामग्री एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों के स्टाक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अप्रमाणित रही।

लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कार्य का पूरा होना अप्रमाणित रहा।

व्यय पश्चात उक्त धनराशियां ग्रामसभा द्वारा पारित नहीं कराई गई।

हैंडपम्प मरम्मत के उपरान्त पुराने सामान को गांव सभा में जमा करने की पुष्टि नहीं होती है।

सम्बन्धित व्यय किस नल मरम्मत हेतु किया गया है स्पष्ट नहीं है।

अतः यह स्पष्ट है कि 23.02.2017 से दिनांक 31.03.2017 के बीच रू0–182816.00 वित्तीय नियमों की अनदेशा करते हुए ग्राम निधि प्रथम से भुगतान करके उसे हैंडपम्प मरम्मत भुगतान दर्शित कर दिया गया है जो पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मुकेश कुमार और ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–182816.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मुकेश और ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से संयुक्त रूप से (रू0 91408.00 श्री मुकेश कुमार से तथा रू0–91408.00 श्री कुमार) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम–बेनीपुर विकास खण्ड–अमेठी जनपद – अमेठी

प्रस्तर–74 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में सोलर लाइट क्रय के नाम रू0–172000.00 पर निम्नलिखित व्यय/भुगतान किया गया है–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय/भुगतान की राशि कैशबुक के अनुसार	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेंट में उल्लिखित विवरण
1.	31.03.2017	172000.00	8 नग सोलर लाइट क्रय	चेक सं0–019117

उक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गईं–
उक्त सौर ऊर्जा स्थापना से संबंधित ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति एवं प्राक्कलन सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
सौर ऊर्जा स्थापना किये जाने की पुष्टि किसी विभागीय अधिकारी द्वारा नहीं कराई गयी।
उक्त दर्शित सामग्री भुगतानों की पुष्टि में अपेक्षित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
क्रय पूर्व कम से कम तीन फर्मो से कोई टेण्डर नहीं लिया गया जिससे उचित व न्यूनतम दरों पर उच्च गुणवत्ता की लाइटों के क्रय किये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कार्य का पूरा होना अप्रमाणित रहा।
व्यय पश्चात उक्त धनराशियां ग्रामसभा द्वारा पारित नहीं कराई गई।
उक्त क्रय अधिकृत एजेन्सी यू0पी0 नेडा से न करके बाजार की अन्य फर्मो से किया गया।
सोलर लाइट स्थानवार खारिज नहीं की गयी है।
अतः स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए ग्राम निधि प्रथम से मनमाने ढंग से भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण किया गया है जो उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत हपहरण है तथा अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मुकेश कुमार और ग्राम प्रधान श्री जुबैर अहमद उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–172000.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मुकेश कुमार और ग्राम प्रधान श्री जुबैर अहमद से संयुक्त रूप से (रू0–86000.00 श्री मुकेश कुमार से तथा रू0–86000.00 श्री जुबैर अहमद से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम–हिम्मतगढ़ विकास खण्ड–अमेठी जनपद – अमेठी

प्रस्तर–75आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत के नाम रू0–39400.00 पर निम्नलिखित व्यय/भुगतान किया गया है–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय/भुगतान की राशि कैशबुक के अनुसार	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	बैंक स्टेटमेंट में उल्लिखित विवरण
1.	15.10.2016	9000.00	हैंडपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान।	चेक सं0–12465 पेड टू बबीता
2.	15.10.2016	7500.00	हैंडपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान।	चेक सं0–12466 पेड टू बबीता
3.	17.10.2016	15980.00	हैंडपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान।	चेक सं0–12462
4.	17.10.2016	14923.00	हैंडपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान।	चेक सं0–12462
5.	17.10.2016	16500.00	हैंडपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान।	चेक सं0–12464
6.	17.10.2016	15038.00	हैंडपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान।	चेक सं0–12463
7.	17.02.2016	17034.00	हैंडपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान।	चेक सं0–16305
8.	17.02.2016	16331.00	हैंडपम्प मरम्मत की सामग्री का भुगतान।	चेक सं0–16306
9.	17.02.2016	2500.00	हैंडपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान।	चेक सं0–16307
10.	17.02.2016	3500.00	हैंडपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान	चेक सं0–16308
	योग	**118306.00**		

उक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गईं–
उक्त कार्य से संबंधित ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति एवं प्राक्कलन संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
उक्त हैंडपम्प पर किये गये भुगतान के सापेक्ष स्थलोंकी सूची एवं लाभर्थियों द्वारा हैंडपम्प के खराब होने की सूचना तथा मरम्मत की मांग के सम्बंध कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
उक्त दर्शित सामग्री भुगतानों की पुष्टि में अपेक्षित कोई व्यय प्रगाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
मजदूरी भुगतान रू0–22500.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।
लेखा परीक्षा में स्टाम रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने से क्रय की गई सामग्री एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों के स्टाक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अप्रमाणित रही।
लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कार्य का पूरा होना अप्रमाणित रहा।
व्यय पश्चात उक्त धनराशियां ग्रामसभा द्वारा पारित नहीं कराई गई।
हैंडपम्प मरम्मत के उपरान्त पुराने सामान को गांव सभा में जमा करने की पुष्टि नहीं होती है।
सम्बन्धित व्यय किस नल मरम्मत हेतु किया गया है स्पष्ट नहीं है।
इस प्रकार दिनांक–15.10.2016 से दिनांक–17.02.2017 के बीच रू0–118306.00 वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए ग्राम निधि प्रथम से भुगतान करके उसे हैंडपम्प मरम्मत भुगतान दर्शित कर दिया गया है जो उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मुकेश कुमार और ग्राम प्रधान श्रीमती बबिता उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–118306.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मुकेश कुमार और ग्राम प्रधान श्रीमती बबिता से संयुक्त रूप से (रू0–59153.00 श्री मुकेश कुमार से तथा रू0–59153.00 श्री बबिता) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम–खेखरूआ विकास खण्ड–सिंहपुर जनपद – अमेठी

प्रस्तर–76 आलोच्य वर्ष 2016–17 की कोष वली में दिनांक–27.03.17 को रू0–45000.00 का आहरण दर्शित है किन्तु उक्त आहरित धनराशि के व्यय का विवरण अंकित नहीं है और न ही उक्त धनराशि के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा। यह ग्राम पंचायत व वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 में खण्ड 7 एवं खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204, 405 के विपरीत तथा नियम 256 व अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती राजेश्वरी एवं ग्रा0पं0 सचिव की हरिष्याम शुक्ला उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम–खानपुर चपरा विकास खण्ड–सिंहपुर जनपद – अमेठी

प्रस्तर–77 आलोच्य वर्ष 2016–17 की कोषबही में विभिन्न कार्यो पर निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न फर्मो को भुगतान दर्शित है–

क्र0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	विवरण	फर्म का नाम
1.	मस्जिद की दीवार निर्माण	02.12.2016	15550.00	सामग्री	आशीष बिल्डर्स
2.	नाली राम प्रताप के घर से मंदिर तक	14.02.17	27900.00	ह्यूम पाइप सामग्री	आशीष बिल्डर्स
3.	नाली पक्की सड़क से प्रा0पा0 तक	14.02.17	22947.00	सामग्री	आशीष बिल्डर्स
		14.02.17	40040.00	सामग्री ईंट	आशीष बिल्डर्स
		14.02.17	54810.00	ईंट	आशीष बिल्डर्स
		14.02.17	36828.00	ह्यूम पाइप	सिंह सीमेन्ट पाठप उद्योग
4.	नाली उदयभान के घर से तालाब तक	14.02.17	80075.00	सामग्री	आशीष बिल्डर्स
		01.03.17	44640.00	सामग्री	आशीष बिल्डर्स
5.	नाली हौसिला के घर से सड़क तक	14.02.17	52122.00	सामग्री	आशीष बिल्डर्स
		14.02.17	94860.00	ह्यूम पाइप	सिंह सीमेंट पाइप उद्योग
		14.02.17	55242.00	ह्यूम पाइप	आशीष बिल्डर्स
6.	इण्टरलॉकिंग जमीर के घर से गवहियां के घर तक	15.02.17	75751.00	ईंट	आशीष बिल्डर्स
		20.02.17		ईंट	
7.	इ0ला0 राम प्रताप के घर से मंदिर तक	14.02.17	71504.00	ईंट इण्टरलॉकिंग	आशीष बिल्डर्स

8.	इ0ला0 हौसिला के घर से सड़क खम्भा तक	14.02.17	80500.00	सामग्री	आशीष बिल्डर्स
		14.02.17	40640.00	सामग्री	आशीष बिल्डर्स
		14.02.17	96552.00	सामग्री	आशीष बिल्डर्स
9.	इ0ला0 विनय के घर से राम खेलावन के घर तक	11.03.17	309024.00	सामग्री	आशीष बिल्डर्स
10.	खड.मर0 गोली के घर से रियाज के घर तक	01.03.17	75824.00	सामग्री	आशीष बिल्डर्स
11.	खड.मर. हरिचन्द्र के घर से खेलावन के घर तक	01.03.17	79800.00	सामग्री	आशीष बिल्डर्स
		योग–	1354609.00		

उपरोक्त विभिन्न कार्यो पर विभिन्न फर्मो को किए गये भुगतानो प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहे साथ ही बिल, डिलेवरी चालान कैशमेमो (आयकर, व्यापार कर कटौती का विवरण) आदि प्रस्तुत नहीं रहा। बार बार मांगे जाने के बावजूद व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–7 एवं खण्ड (8क), (8ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1917 के नियम 204,205 के विपरीत तथ नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो कि अधिभार योग्य है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन शुक्ल तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चन्द्र सिंह ततवाल उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम–शहरी विकास खण्ड–भेंटुआ जनपद – अमेठी

प्रस्तर–78आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से रू0–382440.00 दिनांक–27.03.2017 को फतेह बहादुर सिंह के घर से पक्की सड़क तक खड़ंजा निर्माण नाम पर निम्नलिखित व्यय/भुगतान किया गया है–

क्र0	दिनांक	व्यय/भुगतान की राशि कैशबुक के अनुसार	कैशबुक में उल्लिखित विवरण
1.	27.03.2017	311170.00	खड़ंजा निर्माण कराने हेतु ईंट खरीद का भुगतान।
2.	27.03.17	60870.00	खड़ंजा निर्माण की मजदूरी पर व्यय।
3.	27.03.2017	10400.00	स्पन पाइप की खरीद पर व्यय।

उक्त व्यय/भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां रही–

उक्त कार्य की स्टीमेट, एम0बी0, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।रू0–311170.00 का भुगतान ईंट क्रय के नाम पर किया गया किन्तु उक्त दर्शित भुगतानों की पुष्टि में अपेक्षित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

कैशबुक में रू0–60870.00 मजदूरी के नाम पर भुगतान दर्शाया गया है किन्तु बैंक पासबुक के अनुसार उक्त धनराशि ग्राम प्रधान श्री बजरंग बहादुर सिंह द्वारा आहरित है। श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित मस्टररोल प्रस्तुत न किये जाने से श्रमिकों को भुगतान अप्रमाणित रहा।

कैशबुक में रू0–10400.00 का भुगतान श्याम ट्रेडर्स को स्पन पाइन की खरीद पर किया गया है किन्तु की आवश्यकता और लगाने के स्थन के स्थान के संबंध में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

शासनादेश संख्या ए0–1–864/10.08.15(1)86 दिनांक–23 सितम्बर 2008 के अनुसार रू0–100000.00 से अधिक की सामग्री क्रम हेतु टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा वर्ष में क्रय सामग्री को क्रय करने के पूर्व आमंत्रित टेण्डर की पत्रावली एवं शिड्यूल रेट की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे क्रय सम्बन्धित प्रक्रिया के पालन की स्थिति अज्ञात रही।

लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने से क्रय की गई सामग्री एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों के स्टाक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अप्रमाणित रही।

लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा।

व्यय पश्चात उक्त धनराशियां ग्रामसभा द्वारा पारित नहीं कराई गई।

इस प्रकार दिनांक–27.03.2017 को रू0–311170.00, रू0–60870.00 और रू0–10400.00 को वित्तीय नियमों की अनेदखी करते हुए ग्राम निधि प्रथम से आहरित किया गया और इस व्यय/भुगतान के संबंध में कोई सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जो उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री सुरेश कुमार और ग्राम प्रधान श्री बजरंग बहादुर सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–382440.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री सुरेश कुमार और ग्राम प्रधान श्री बजरंग बहादुर सिंह से संयुक्त रूप से (रू0–191220.00 सुरेश कुमार से तथा रू0–191220.00 श्री बजरंग बहादुर सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–79 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत के नाम रू0–39400.00 पर निम्नलिखित व्यय/भुगतान किया गया है–

क्र0	दिनांक	व्यय/भुगतान की राशि कैशबुक के अनुसार	कैशबुक में उल्लिखित विवरण
1.	22.02.2017	19900.00	हैंडपम्प मरम्मत की सामग्री और मजदूरी का भुगतान।
2.	03.03.2017	19500.00	हैंडपम्प मरम्मत की सामग्री और मजदूरी का भुगतान

उक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गईं–

1. उक्त कार्य से संबंधित ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति एवं प्राक्कलन सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

2. उक्त हैंडपम्प मरम्मत पर किये गये भुगतान के सापेक्ष स्थलों की सूची एवं लाभर्थियों द्वारा हैंडपम्प के खराब होने की सूचना तथा मरम्मत की मांग के सम्बन्ध कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

3. उक्त दर्शित भुगतानों की पुष्टि में अपेक्षित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने से क्रय की गई सामग्री एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों के स्टाक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अप्रमाणित रही।

5. लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कार्य का पूरा होना अप्रमाणित रहा।

6. व्यय पश्चात उक्त धनराशियां ग्रामसभा द्वारा पारित नहीं कराई गई।

इस प्रकार दिनांक–22.02.2017 को रू0–19900.00 और दिनांक–03.03.2017 को रू0–19500.00 वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए ग्राम निधि प्रथम से भुगतान करके उसे हैंडपम्प मरम्मत भुगतान दर्शित कर दिया गया है जो उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा–27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री सुरेश कुमार और ग्राम प्रधान श्री बजरंग बहादुर सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0–39400.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री सुरेश कुमार और ग्राम प्रधान श्री बजरंग बहादुर सिंह से संयुक्त रूप से (रू0–19700.00 श्री सुरेश कुमार से तथा रू0–19700.00 श्री बजरंग बहादुर सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप –4

1ग्राम पंचायत जिगनाही विकास खण्ड अमानीगंज वर्ष 2016–17

प्रस्तर–1 सोलर लाइट स्थापना की कार्य योजना स्टीमेट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन निविदा व्यय प्रमाणक डिलिवरी चालान एम० बी० कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ता वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर वाहन स्वामी का नाम आदि समस्त विवरण सहित अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क)एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–45000–00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री ज्ञानेन्द्र दत्त मिश्रा, ग्रा.पं.अ.,श्री अमरेन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान से धनराशि–45000–00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 21)**

प्रस्तर–2 नाली निर्माण निर्माण की कार्ययोजना स्टीमेट ईट क्रय हेतु आमंत्रित टेण्डर व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम० बी० कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क)एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–73150.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री ज्ञानेन्द्रदत्त मिश्रा, ग्रा.पं.अ.,श्री अमरेन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान से धनराशि–73150.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है **(आ0सं0 22)**

प्रस्तर–3 नाली निर्माण की कार्य योजना स्टीमेट कोटेशन निविदा प्रयुक्त सीमेंट मोरंग बालू आदि समस्त सामाग्री की मात्रा व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम० बी० कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–58160.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री ज्ञानेन्द्रदत्त मिश्रा, ग्रा.पं.अ.,श्री अमरेन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान से धनराशि–58160.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है **(आ0सं0 23)**

प्रस्तर–4 खड़ंजा एवं नाली निर्माण पर बिना मस्टर रोल प्रस्तुत किए मजदूरी मद मे मजदूरी भुगतान दिखाकर राजकीय धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–66760.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री ज्ञानेन्द्र दत्त मिश्रा, ग्रा.पं.अ.,श्री अमरेन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान से धनराशि–66760.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 24)**

2–ग्राम पंचायत खण्डासा विकास खण्ड अमानीगंज वर्ष 2016–17

प्रस्तर– 5 सोलर लाइट स्थापना की कार्य योजना स्टीमेट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन निविदा व्यय प्रमाणक डिलिवरी चालान एम० बी० कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ता वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर वाहन स्वामी का नाम आदि समस्त विवरण सहित अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा

27 के अन्तर्गत धनराशि– 295800.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री प्रेम नाथ सिंह, ग्रा.वि.अ.,श्रीमती शशिकला, ग्राम प्रधान से धनराशि–295800.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है **(आ0सं0 21)**

प्रस्तर–6 नाली खडंजा निर्माण की कार्य योजना,स्टीमेट ईट क्रय हेतु आमंत्रित टेण्डर, व्ययप्रमाणक, डिलिवरी चालान, एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 391130.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री प्रेम नाथ सिंह, ग्रा.वि.अ.,श्रीमती शशिकला, ग्राम प्रधान से धनराशि– 391130.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है **(आ0सं0 22)**

प्रस्तर–7 नाली निर्माण की कार्य योजना, स्टीमेट, कोटेशन निविदा प्रयुक्त सीमेंट मोरंग बालू आदि समस्त सामग्री की मात्रा व्यय प्रमाणक, डिलिवरी चालान, एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 109540.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री प्रेम नाथ सिंह, ग्रा.वि.अ.,श्रीमती शशि कला, ग्राम प्रधान से धनराशि– 109540.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 23)**

प्रस्तर–8 खड़ंजा एवं नाली निर्माण पर बिना मस्टर रोल के मजदूरी मद मे मजदूरी भुगतान दिखाकर राजकीय धन का अपहरण किया जाना । अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 172542.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री प्रेम नाथ सिंह, ग्रा.वि.अ.,श्रीमती शशिकला, ग्राम प्रधान से धनराशि– 172542.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 24)**

3– ग्राम पंचायत–पालपुर विकास खण्ड अमानीगंज वर्ष 2016–17

प्रस्तर–9 सोलर लाइट स्थापना की कार्य योजना स्टीमेट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन,निविदा व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम० बी० कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ता वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर वाहन स्वामी का नाम आदि समस्त विवरण सहित अभिलेख प्रस्तुत करके लेखा मैनुअल का उलंघन करते हुए राजकीय धन का अपहरण। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 405000.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री प्रेम नाथ सिंह, ग्रा.वि.अ.,श्रीमती रेनू सिंह , ग्राम प्रधान से धनराशि– 405000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 21)**

प्रस्तर–10 नाली खडंजा निर्माण की कार्य योजनास्टीमेट ईट क्रय हेतु आमंत्रित टेण्डर कोटेशन व्यय प्रमाणक, डिलिवरी चालान एम० बी० कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का उलंघन करते हुए राजकीय धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 773637.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री प्रेम नाथ सिंह, ग्रा.वि.अ. ,श्रीमती रेनूसिहं , ग्राम प्रधान से धनराशि– 773637.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 22)**

प्रस्तर–11 नाली निर्माण की कार्य योजना स्टीमेट कोटेशन निविदा प्रयुक्त सीमेंट मोरंग बालू आदि समस्त सामाग्री की मात्रा व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम० बी० कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का उल्लंघन करते हुए राजकीय धन का अपहरण किया जाना । अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–373549.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री प्रेम नाथ सिंह, ग्रा.वि.अ.,श्रीमती रेनूसिंह , ग्राम प्रधान से धनराशि– 373549.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।**(आ0सं0 23)**

प्रस्तर 12– खड़ंजा एवं नाली निर्माण पर बिना मस्टर रोल प्रस्तुत किए मजदूरी मद मे मजदूरी भुगतान दिखाकर राजकीय धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 220441. 00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री प्रेम नाथ सिंह, ग्रा.वि.अ.,श्रीमती रेनूसिंह ग्राम प्रधान से धनराशि– 220441.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है **(आ0सं0 24)**

4–ग्राम पंचायत पूरे लाल खाँ विकास खण्ड अमानीगंज वर्ष–2016–17

प्रस्तर–13 सोलर लाइट स्थापना की कार्य योजना स्टीमेट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन निविदा व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम० बी० कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ता वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर वाहन स्वामी का नाम आदि समस्त विवरण सहित अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 180000.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री कृष्णा

नन्द, ग्रा.वि.अ.,श्री राम देव , ग्राम प्रधान से धनराशि– 180000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 21)**

प्रस्तर–14 खड़ंजा निर्माण की कार्य योजना स्टीमेट ईट क्रय हेतु आमंत्रित टेण्डर कोटेशन व्ययप्रमाणक डिलवरी चालान एम० बी० कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 79750.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री कृष्णा नन्द, ग्रा.वि.अ.,श्री राम देव , ग्राम प्रधान से धनराशि– 79750.00बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है **(आ0सं0 22)**

प्रस्तर–15ग्राम पंचायत द्धारा क्रय कुर्सी दरी एवं बूथ व्यवस्था व्यय को नगद और प्रमाणक विहीन संयुक्त व्यय दिखाकर राजकीय धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 27800.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री कृष्णा नन्द, ग्रा.वि.अ.,श्री राम देव , ग्राम प्रधान से धनराशि– 27800.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 23)**

प्रस्तर–16 खड़ंजा निर्माण पर बिना मस्टर रोल प्रस्तुत किए मजदूरी मद मे मजदूरी भुगतान दिखाकर राजकीय धन का अपहरण किया जाना । अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 23758.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्रीकृष्णा नन्द, ग्रा.वि.अ.,श्री राम देव , ग्राम प्रधान से धनराशि– 23758.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 24)**

5– ग्राम पंचायत बघौडा विकास खण्ड अमानीगंज वर्ष 2016–17

प्रस्तर–17 सोलर लाइट स्थापना की कार्य योजना स्टीमेट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन निविदा व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम० बी० कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ता वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर वाहन स्वामी का नाम आदि समस्त विवरण सहित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करके लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 180000.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री ज्ञानेन्द्र द्त्त मिश्रा, ग्रा.वि.अ.,श्री राम पाल , ग्राम प्रधान से धनराशि– 180000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 24)**

प्रस्तर–18 ग्राम प्रधान द्धारा विभिन्न मदो मे नगद एवं प्रमाणक विहीन व्यय दिखाकर लेखा मैनुअल का उलंघन करते हुए राजकीय धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 84400.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री ज्ञानेन्द्र द्त्त मिश्रा, ग्रा.वि.अ.,श्री राम पाल , ग्राम प्रधान से धनराशि– 84400.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 25)**

प्रस्तर–19 नाली निर्माण की कार्य योजना स्टीमेट ईट क्रय हेतु आमंत्रित टेण्डर कोटेशन व्ययप्रमाणक डिलवरी चालान एम० बी० कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 38400.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री ज्ञानेन्द्र द्त्त मिश्रा, ग्रा.वि.अ.,श्री राम पाल , ग्राम प्रधान से धनराशि– 38400.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 26)**

प्रस्तर–20 हयूम पाईप स्थापना की कार्य योजना स्टीमेट क्रय हेतु आमंत्रित टेण्डर कोटेशन व्यय प्रमाणक डिलिवरी चालान एम० बी० कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का उलंघन के अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 76720.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री ज्ञानेन्द्र द्त्त मिश्रा, ग्रा.वि.अ.,श्री राम पाल , ग्राम प्रधान से धनराशि– 76720.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 27)**

प्रस्तर–21 नाली निर्माण पर बिना मस्टर रोल प्रस्तुत किए मजदूरी मद मे मजदूरी भुगतान दिखाकर राजकीय धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 22700.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री ज्ञानेन्द्र द्त्त मिश्रा, ग्रा.वि.अ.,श्री राम पाल , ग्राम प्रधान से धनराशि– 22700.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 28)**

प्रस्तर–22 प्रमाणक विहीन विवरण विहीन हैंडपम्प मरम्मत पर व्यय दिखाकर करके लेखा मैनुअल का उलंघन करते हुए राजकीय धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत

धनराशि– 62490.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री ज्ञानेन्द्र दत्त मिश्रा, ग्रा.वि.अ.,श्री राम पाल ग्राम प्रधान से धनराशि– 62490.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 29)**

प्रस्तर–23 प्रिया सॉफ्ट पर फीडिंग न करते हुए प्रमाणक विहीन विवरण विहीन व्यय दिखाकर लेखा मैनुअल का उल्लंघन करते हुए राजकीय धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 347450–00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री ज्ञानेन्द्र दत्त मिश्रा, ग्रा.वि.अ.,श्री राम पाल , ग्राम प्रधान से धनराशि– 347450–00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 30)**

6–ग्राम पंचायत कौराह विकास खण्ड अमानीगंज वर्ष 2016–17

प्रस्तर–24 मनरेगा योजना के अंतर्गत कराये गए नाली निर्माण की कार्य योजना ईट सीमेंट मोरंग बालू आदि सामाग्री क्रय हेतु लिया गया कोटेशननिविदा व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान मस्टर रोल एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोगप्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ता वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर वाहन स्वामी का नाम आदि समस्त विवरण सहित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करके लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 494124.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री ज्ञानेन्द्र दत्त मिश्रा, ग्रा.वि.अ.,श्री दुरूपत्ता ग्राम प्रधान से धनराशि– 494124.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 22)**

प्रस्तर–25 मनरेगा योजना के अंतर्गत कराये गए मिट्टी पटाई ध्खड़ंजा निर्माण की कार्य योजना ईट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन निविदा व्यय प्रमाणक डिलिवरी चालान मस्टर रोल एम० बी० कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ता वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर वाहन स्वामी का नाम आदि समस्त विवरण सहित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करके लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 338760.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री ज्ञानेन्द्र दत्त मिश्रा, ग्रा.वि.अ.,श्री दुरूपत्ता ग्राम प्रधान से धनराशि– 338760.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 23)**

7–ग्राम पंचायत लखौरी विकास खण्ड सोहावल वर्ष 2016–17

प्रस्तर–26 हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शाकर तथा मरम्मत सम्बन्धित विस्तृत विवरण तथा अन्य पुष्टि परक पत्र प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 145540.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री घीसम प्रसाद , ग्रा.वि.अ.,श्री अभिषेक कुमार सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि– 145540.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –भाग–2ख का 2)**

प्रस्तर–27 तालाब में पानी भराने के नाम पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर तथा कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई.डी इंजन की लागबुक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 15040.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री घीसम प्रसाद , ग्रा.वि.अ. ,श्री अभिषेक कुमार सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि– 15040.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है **(आ0सं0 –भाग–2ख का 3)**

8–ग्राम पंचायत गोपीनाथ पुर विकास खण्ड सोहावल वर्ष 2016–17

प्रस्तर–28 खडंजा निर्माण कार्य पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर तथा कार्ययोजना स्टीमेट वर्क आई.डी, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 209670.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री नरेन्द्र पाण्डेय , ग्रा.वि.अ.,श्रीमती उर्मिला ग्राम प्रधान से धनराशि– 209670.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –भाग–2ख का 2)**

प्रस्तर–29 हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शाकर तथा मरम्मत सम्बन्धित विस्तृत विवरण तथा अन्य पुष्टि परक पत्र प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 73310.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री नरेन्द्र पाण्डेय , ग्रा.वि.अ.,श्रीमती उर्मिला ग्राम प्रधान से धनराशि– 73310.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –भाग–2ख का 3)**

9– ग्राम पंचायत शेखपुर जाफर विकास खण्ड सोहावल वर्ष 2016–17

प्रस्तर–30 हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शाकर तथा मरम्मत सम्बन्धितविस्तृत विवरण तथा अन्य पुष्टि परक पत्र प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश

पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 120695.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री घीसम प्रसाद , ग्रा.वि.अ.,श्रीमती नूरजहाँ ग्राम प्रधान से धनराशि– 120695.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –भाग–2ख का 2)**

प्रस्तर–31 तालाब में पानी भराने के नाम पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर तथा कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई.डी इंजन की लागबुक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया ग्या। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 15040.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री घीसम प्रसाद , ग्रा.वि.अ. ,श्रीमती नूरजहाँ ग्राम प्रधान से धनराशि– 15040.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –भाग–2ख का 3)**

प्रस्तर–32 एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट की खरीद नियमानुसार न क्रय करके गम्भीर अपहरण करते हुए धन की हानि की गयी। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 93150–00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री घीसम प्रसाद, ग्रा.वि.अ., श्रीमती नूरजहाँ ग्राम प्रधान से धनराशि– 93150–00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –भाग–2ख का 4)**

प्रस्तर–33 मिट्टी पटाई पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर तथा कार्य का विस्तृत विवरण कार्य योजना वर्क आई.डी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 20000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री घीसम प्रसाद, ग्रा.वि.अ. श्रीमती नूरजहाँ ग्राम प्रधान से धनराशि 20000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –भाग–2ख का 5)**

10–ग्राम पंचायत साल्हेपुर निमैचा विकास खण्ड सोहावल वर्ष 2016–17

प्रस्तर–34 दिनांक–01–02–2017 को आदि शक्ति ट्रेडर्स से ह्यूम पाइप क्रय का वाउचर विहीन व्यय दर्शाकर लेखा मैनुअल के नियमों का उल्लंघन कर धन का अपहरण किया गया है। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 85392.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री घीसम प्रसाद, ग्रा.वि.अ.,शफीक अहमद ग्राम प्रधान से धनराशि 85392.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।**(आ0सं0 –भाग–ब–1)**

प्रस्तर–35 दिनांक–01–02–2017 को आदि शक्ति ट्रेडर्स से ह्यूम पाइप क्रय का बाउचर विहीन व्ययदर्शाकर लेखा मैनुअल के नियमों का उल्लंघन कर धन का अपहरण किया ग्या है। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 14232.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री घीसम प्रसाद, ग्रा.वि.अ.,शफीक अहमद ग्राम प्रधान से धनराशि 14232.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –भाग–ब–2)**

प्रस्तर–36 दिनांक–27–03–2017 को आशा मशीनरी स्टोर से हैण्डपाइप मरम्मत हेतु बाउचर विहीन व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया ग्या है। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 39000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री घीसम प्रसाद, ग्रा.वि.अ.,शफीक अहमद ग्राम प्रधान से धनराशि 39000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –भाग–ब–3)**

प्रस्तर–37 दिनांक–27–03–2017 को आशा मशीन रीस्टोर से हैण्डपाइप मरम्मत हेतु बाउचर विहीन व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया ग्या है अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 16500.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री घीसम प्रसाद, ग्रा.वि.अ.,शफीक अहमद ग्राम प्रधान से धनराशि 16500.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –भाग–ब–4)**

प्रस्तर–38 दिनांक–31–03–2017 को दीप इलेक्ट्रानिक्स से स्ट्रीट लाइट क्रय का फर्जी वाउचर विहीन व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 97200.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री घीसम प्रसाद, ग्रा.वि.अ.,शफीक अहमद ग्राम प्रधान से धनराशि 97200.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –भाग–ब–5)**

प्रस्तर–39 दिनांक–31–03–2017 को दीप इलेक्ट्रानिक्स से स्ट्रीट लाइट क्रय का फर्जी बाउचर विहीन व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया ग्या है। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 93150.00 अपहरण

के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री घीसम प्रसाद, ग्रा.वि.अ.,शफीक अहमद ग्राम प्रधान से धनराशि 93150.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –भाग–ब–6)**

11–ग्राम पचायत पलिया मु० कुचेरा विकास विकास खण्ड मिल्कीपुर वर्ष 2016–17

प्रस्तर–40 लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17 में विभिन्न तिथियों में ईट क्रय करके वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड –7 एवं खण्ड8क एवं ख के अनुसार कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 518220.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री मनोज कुमार तिवारी ग्रा.पं .अ.,श्रीमती उषा देवी ग्राम प्रधान से धनराशि 518220.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 21)**

प्रस्तर–41 लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17 में विभिन्न तिथियों में ग्राम विकास अधिकारी/सचिव द्वारा अपने नाम से चेक काटकर धनराशि का व्यय दर्शाकर वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड –7 एवं खण्ड 8क एवं ख के अनुसार कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 116030.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति मनोज कुमार तिवारी ग्रा.पं .अ.,श्रीमती उषा देवी ग्राम प्रधान से धनराशि 116030.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 22)**

प्रस्तर–42 लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17 में विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान के नाम से चेक काटकर धनराशि का आहरण करके व्यय दर्शाकर वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड –7 एवं खण्ड8क एवं ख के अनुसार कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 113944.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री मनोज कुमार तिवारी ग्रा.पं .अ.,श्रीमती उषा देवी ग्राम प्रधान से धनराशि 113944.00बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 23)**

प्रस्तर 43 लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17 में उक्त के अतिरिक्त विभिन्न तिथियों में भिन्न–भिन्न प्रकार से व्यय दर्शाकर वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 134760.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री मनोज कुमार तिवारी ग्रा.पं .अ.,श्रीमती उषा देवी ग्राम प्रधान से धनराशि 134760.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 23)**

12–ग्राम पंचायत रानी मऊ विकास खण्ड मवई वर्ष 2016–17

प्रस्तर–44 लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त रसीद कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 1559000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ.,श्री लल्लन ग्राम प्रधान से धनराशि 1559000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 1)**

प्रस्तर–45 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एंव चौदहवाँ वित्त योजना के अन्तर्गत कैशबुक, भुगतान प्राप्त कर्ता की रसीद, कार्य पत्रावलियाँ, स्वीकृति फाइल, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 2653700.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ.,श्री लल्लन ग्राम प्रधान से धनराशि 2653700.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 3)**

13–ग्राम पंचायत भटमऊ नरायनपुर विकास खण्ड मवई वर्ष 2016–17

प्रस्तर–46 लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त रसीद कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 2306000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ.,श्री शिव बख्स सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि 2306000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।**(आ0सं0 1)**

प्रस्तर 47– लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एंव चौदहवा वित्त योजना के अन्तर्गत कैशबुक, भुगतान प्राप्त कर्ता की रसीद, कार्य पत्रावलियाँ, स्वीकृति फाइल, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 1664400.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः

उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ.,श्री शिव बख्स सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि 1664400.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 3)**

14–ग्राम पंचायत बीबीपुर विकास खण्ड मवई वर्ष 2016–17

प्रस्तर–48 लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त रसीद कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 383000.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ.,श्रीमती खुशनुमा बानो ग्राम प्रधान से धनराशि 383000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 1)**

प्रस्तर 49– लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एंव चौदहवा वित्त योजना के अन्तर्गत कैशबुक, भुगतान प्राप्त कर्ता की रसीद, कार्य पत्रावलियाँ, स्वीकृति फाइल, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 318914.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ.,श्रीमती खुशनुमा बानो ग्राम प्रधान से धनराशि 318914.00बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।**(आ0सं0 3)**

15– ग्राम पंचायत रतनपुर विकास खण्ड मवई वर्ष 2016–17

प्रस्तर–50 लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त रसीद कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 907000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ.,श्री सियाराम ग्राम प्रधान से धनराशि 907000.00बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 1)**

प्रस्तर–51 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एंव चौदहवा वित्त योजना के अन्तर्गत कैशबुक, भुगतान प्राप्त कर्ता की रसीद, कार्य पत्रावलियाँ, स्वीकृति फाइल, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 1067450.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ.,श्री सियाराम ग्राम प्रधान से धनराशि 1067450.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है**(आ0सं0 3)**

16–ग्राम पंचायत रजनपुर विकासखण्ड मवई वर्ष 2016–17

प्रस्तर–52 लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त रसीद कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 557000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ. प्रवीन कुमार ग्रा.वि.अधि. ,श्रीमती रमरता ग्राम प्रधान से धनराशि 557000.00बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –1)**

प्रस्तर–53 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एंव चौदहवा वित्त योजना के अन्तर्गत कैशबुक, भुगतान प्राप्त कर्ता की रसीद, कार्य पत्रावलियाँ, स्वीकृति फाइल, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 441329–00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ. प्रवीन कुमार ग्रा.वि.अधि,श्रीमती रमरता ग्राम प्रधान से धनराशि 441329–00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –3)**

17–ग्राम पंचायत मो०दाउद पुर विकास खण्ड मवई वर्ष 2016–17

प्रस्तर–54 लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त रसीद कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 2134000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ.,मो०अलीम खान ग्राम प्रधान से धनराशि 2134000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –1)**

प्रस्तर–55 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एंव चौदहवा वित्त योजना के अन्तर्गत कैशबुक, भुगतान प्राप्त कर्ता की रसीद, कार्य पत्रावलियाँ, स्वीकृति फाइल, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 500785.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः

उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ.,मो०अलीम खान ग्राम प्रधान से धनराशि 500785.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –3)**

18–ग्राम पंचायत हुनहुना, विकास खण्ड मवई वर्ष 2016–17

प्रस्तर–56 लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त रसीद कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 1653000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ.,मो० कासिफ ग्राम प्रधान से धनराशि 1653000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –1)**

प्रस्तर–57 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एंव चौदहवा वित्त योजना के अन्तर्गत कैशबुक, भुगतान प्राप्त कर्ता की रसीद, कार्य पत्रावलियाँ, स्वीकृति फाइल, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 474200.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ.,मो० कासिफ ग्राम प्रधान से धनराशि 474200.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –3)**

19 ग्राम पंचायत नेवाजपुर विकास खण्ड मवई वर्ष 2016–17

प्रस्तर–58 लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त रसीद कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 1071000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ.,प्रवीन कुमार ग्रा.वि.अधि., श्री लल्लन ग्राम प्रधान से धनराशि 1071000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।**(आ0सं0 –1)**

प्रस्तर–59 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एंव चौदहवा वित्त योजना के अन्तर्गत कैशबुक, भुगतान प्राप्त कर्ता की रसीद, कार्य पत्रावलियाँ, स्वीकृति फाइल, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 274547.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ.,प्रवीन कुमार ग्रा.वि.अधि., श्री लल्लन ग्राम प्रधान से धनराशि 274547.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –3)**

20– ग्राम पंचायत मखदूम पुर विकास खण्ड मवई वर्ष 2016–17

प्रस्तर–60 लेखा परीक्षामें मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त रसीद कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 1936000.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ., नसीम अहमद ग्राम प्रधान से धनराशि 1936000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –1)**

प्रस्तर–61 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एंव चौदहवा वित्त योजना के अन्तर्गत कैशबुक, भुगतान प्राप्त कर्ता की रसीद, कार्य पत्रावलियाँ, स्वीकृति फाइल, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27के अन्तर्गत धनराशि– 1598500.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ., नसीम अहमद ग्राम प्रधान से धनराशि 1598500.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0 –3)**

21– ग्राम पंचायत होलूपुर विकास खण्ड मवई वर्ष 2016–17

प्रस्तर–62 लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त रसीद कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–2323000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ., श्री संजय कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि 2323000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –1)**

प्रस्तर–63 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एंव चौदहवा वित्त योजना के अन्तर्गत कैशबुक, भुगतान प्राप्त कर्ता की रसीद, कार्य पत्रावलियाँ, स्वीकृति फाइल, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 1175200.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः

उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ., श्री संजय कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि 1175200.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –3)**

22–ग्राम पंचायत जैसुखपुर विकास खण्ड मवई वर्ष 2016–17

प्रस्तर–64 लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त रसीद कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 1754000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ., श्री हरीनाथ ग्राम प्रधान से धनराशि 1754000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –1)**

प्रस्तर 65– लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एंव चौदहवा वित्त योजना के अन्तर्गत कैशबुक, भुगतान प्राप्त कर्ता की रसीद, कार्य पत्रावलियाँ, स्वीकृति फाइल, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 1214150.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ., श्री हरीनाथ ग्राम प्रधान से धनराशि 1214150.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –3)**

23–ग्राम पंचायत कोडरा विकास खण्ड मवई वर्ष 2016–17

प्रस्तर–66 लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त रसीद कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 1575000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ., श्री सुशील कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि 1575000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –1)**

प्रस्तर–67 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एंव चौदहवा वित्त योजना के अन्तर्गत कैशबुक, भुगतान प्राप्त कर्ता की रसीद, कार्य पत्रावलियाँ, स्वीकृति फाइल, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 1621559.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ., श्री सुशील कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि 1621559.00बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –3)**

24–ग्राम पंचायत नूर पुर विकास खण्ड मवई वर्ष 2016–17

प्रस्तर–68 लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त रसीद कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–1508000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ., श्री सहजराम ग्राम प्रधान से धनराशि 1508000.00बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है **(आ0सं0 –3)**

प्रस्तर–69 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एंव चौदहवा वित्त योजना के अन्तर्गत कैशबुक, भुगतान प्राप्त कर्ता की रसीद, कार्य पत्रावलियाँ, स्वीकृति फाइल, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 806600.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ., श्री सहजराम ग्राम प्रधान से धनराशि 806600.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।**(आ0सं0 –3)**

25– ग्राम पंचायत ओहरामऊ सहजना मवई वर्ष 2016–17

प्रस्तर–70 लेखा परीक्षामें मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त रसीद कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 1220000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ., श्री शंकर दयाल ग्राम प्रधान से धनराशि 1220000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –1)**

प्रस्तर–71 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एंव चौदहवा वित्त योजना के अन्तर्गत कैशबुक, भुगतान प्राप्त कर्ता की रसीद, कार्य पत्रावलियाँ, स्वीकृति फाइल, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 891350.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः

उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ., श्री शंकर दयाल ग्राम प्रधान से धनराशि 891350.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –3)**

26– ग्राम पंचायत सुलतानपुर, विकास खण्ड मवई, वर्ष 2016–17

प्रस्तर–72 लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त रसीद कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–1834000.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ., श्री होली ग्राम प्रधान से धनराशि 1834000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –1)**

प्रस्तर–73 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एंव चौदहवा वित्त योजना के अन्तर्गत कैशबुक, भुगतान प्राप्त कर्ता की रसीद, कार्य पत्रावलियाँ, स्वीकृति फाइल, एम.बी. आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 1151700.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्रा.पं.अ., श्री होली ग्राम प्रधान से धनराशि 1151700.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।**(आ0सं0 –3)**

27– ग्राम पंचायत खैरनपुर, विकास खण्ड रूदौली, वर्ष 2016–17

प्रस्तर–74 वत्तीय वर्ष–2016–17 के दौरान अनियमित ढंग से ह्यूम पाइप/स्पन पाइप क्रय कर वित्त एवं लेखा मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 83500.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री दिलीप कुमार ग्रा.पं.अ., श्री भगौती ग्राम प्रधान से धनराशि 83500.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है **।(आ0सं0 –15)**

प्रस्तर–75 लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि चौदहवाँ वित्त से विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया जो कि वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड7 खण्ड8क के अनुसार व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 116450.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री दिलीप कुमार ग्रा.पं.अ., श्री भगौती ग्राम प्रधान से धनराशि 116450.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –16)**

प्रस्तर–76 लेखा परीक्षा के दौरान चतुर्थ राज्य वित्त से तालाब में पानी भराई पर व्यय दर्शित है जिसका लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 30,000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री दिलीप कुमार ग्रा.पं.अ., श्री भगौती ग्राम प्रधान से धनराशि 30,000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है **(आ0सं0 –17)**

प्रस्तर–77 लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत में सोलर लाइट खरीद अनियमित ढंग से करके व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर कर वित्त एवं लेखा मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया ग्या। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 13318.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री दिलीप कुमार ग्रा.पं.अ., श्री भगौती ग्राम प्रधान से धनराशि 13318.00बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।**(आ0सं0 –18)**

28–ग्राम पंचायत जरायल कला, विकास खण्ड रूदौली, वर्ष 2016–17

प्रस्तर–78 नाली/खडंजा निर्माण के कार्य योजना,स्टीमेट,ईट क्रय हेतु आमंत्रित /कोटेशन, डिलवरी चालान,एम0बी0,कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण–पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 322563.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री शिवकुमार चौबे ग्रा.पं.अ., श्री राम तेज ग्राम प्रधान से धनराशि 322563.00बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –40)**

प्रस्तर–79 नाली निर्माण की कार्ययोजना, स्टीमेट, कोटेशन/निविदा, प्रयुक्त सीमेन्ट, मोरंग,बालू आदि समस्त सामाग्री की मात्रा, डिलिवरी चालान, एम0बी0, कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण–पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–149530.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री

शिवकुमार चौबे ग्रा.पं.अ., श्री राम तेज ग्राम प्रधान से धनराशि 149530.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –41)**

प्रस्तर–80 खडंजा एवं नाली निर्माण पर प्रमाणक विहीन मजदूरी मद में मजदूरी भुगतान दिखाकर राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 86773.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री शिवकुमार चौबे ग्रा.पं.अ., श्री राम तेज ग्राम प्रधान से धनराशि 86773.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –42)**

29–ग्रामपंचायत ऐथर विकास खण्ड रूदौली वर्ष 2016–17

प्रस्तर–81 प्राक्कलन /एम0बी0 कोटेशन /निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा के नियमों के विपरीत नाली निर्माण पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया ग्या। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 80,000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री विजय चौधरी ग्रा.पं.अ., श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि 80000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –14)**

प्रस्तर–82 प्राक्कलन /एम0बी0 कोटेशन /निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा के नियमों के विपरीत प्राथमिक विद्यालय पर शौचालय मरम्मत पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–144928.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री विजय चौधरी ग्रा.पं.अ., श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि 144928.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।**(आ0सं0 –15)**

प्रस्तर–83 प्राक्कलन/एम0बी0 कोटेशन/निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के नियमों के विपरीत सोलर लाइट क्रय पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 29450.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री विजय चौधरी ग्रा.पं.अ., श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि 29450.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –16)**

प्रस्तर–84 प्राक्कलन /एम0बी0 कोटेशन /निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के नियमों के विपरीत सोलर लाइट क्रय पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 334500–00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री विजय चौधरी ग्रा.पं.अ., श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि 334500–00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –17)**

प्रस्तर–85 प्राक्कलन /एम0बी0 कोटेशन /निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के नियमों के विपरीत ठेला क्रय पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 11000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री विजय चौधरी ग्रा.पं.अ., श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि 11000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –18)**

प्रस्तर–86 प्राक्कलन /एम0बी0 कोटेशन /निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के नियमों के विपरीत सफाई किट क्रय पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 15100.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री विजय चौधरी ग्रा.पं.अ., श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि 15100.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –19)**

30–ग्राम पंचायत फिरोजपुर मखदूमी ,विकास खण्ड रूदौली वर्ष 2016–17

प्रस्तर–87 प्राक्कलन /एम0बी0 कोटसन/निविदा एवं व्यय प्रमाणकविहीन ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के नियमों के विपरीत हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 259468.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव ग्रा.पं.अ., श्रीमती नौशीन ग्राम प्रधान से धनराशि 259468.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –14)**

प्रस्तर–88 प्राक्कलन /एम0बी0 कोटेशन /निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन वित्त एवं लेखा के नियमों के विपरीत खडंजा निर्माण पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर

प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 274170.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव ग्रा.पं.अ., श्रीमती नौशीन ग्राम प्रधान से धनराशि 274170.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–15)**

प्रस्तर–89 प्राक्कलन/एम0बी0 कोटेशन /निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा के नियमों के विपरीत प्राथमिक विद्यालय पर शौचालय मरम्मत पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 14340.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव ग्रा.पं.अ, श्रीमती नौशीन ग्राम प्रधान से धनराशि 14340.00बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –16)**

प्रस्तर–90 प्राक्कलन /एम0बी0 कोटेशन/निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के नियमों के विपरीत सोलर लाइट क्रय पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 789000.00 अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव ग्रा.पं.अ., श्रीमती नौशीन ग्राम प्रधान से धनराशि 789000.00 बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **(आ0सं0 –17)**

प्रस्तर–91 प्राक्कलन /एम0बी0 कोटेशन /निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के नियमों के विपरीत ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 171875.00 अपहरण के रूप मे आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव ग्रा.पं.अ., श्रीमती नौशीन ग्राम प्रधान से धनराशि 171875.00बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।**(आ0सं0 –18)**

31 ग्राम पंचायत करीमपुर विकास खण्ड रूदौली, 2016–17

प्रस्तर–92 प्राक्कलन/एम0बी0 कोटेशन /निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के नियमों के विपरीत पुलिया निर्माण पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया।अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–18500–00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री गनेश राम ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती कंचन ग्राम प्रधान से धनराशि–18500–00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –14)**

प्रस्तर–93 प्राक्कलन/एम0बी0 कोटेशन /निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के नियमों के विपरीत चबूतरा निर्माण/कूप मरम्मत/पुलिया मरम्मत पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि –172128–00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री गनेश राम ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती कंचन ग्राम प्रधान से धनराशि –172128–00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –15)**

प्रस्तर–94 प्राक्कलन /एम0बी0 कोटेशन /निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के नियमों के विपरीत पुलिया निर्माण पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि –178239–00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री गनेश राम ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती कंचन ग्राम प्रधान से धनराशि–178239–00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –16)**

प्रस्तर–95 प्राक्कलन/एम0बी0 कोटेशन /निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा के नियमों के विपरीत स्कूल खडंजा निर्माण पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि –107915–00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री गनेश राम ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती कंचन ग्राम प्रधान से धनराशि –107915–00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –17)**

प्रस्तर–96 प्राक्कलन /एम0बी0 कोटेशन /निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के नियमों के विपरीत शौचालय मरम्मत पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–71514–00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री गनेश राम ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती कंचन ग्राम प्रधान से धनराशि –71514–00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –18)**

32 ग्राम पंचायत दलपतपुर विकास खण्ड मयाबाजार, 2016–17

प्रस्तर–97 कैशबुक में दर्शित वी0के0 टेडर्स द्वारा ट्राली मिट्टी व बालू आपूर्ति भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, व्यय प्रमाणक (वाउचर) कोटेशन सम्बन्धी प्रपत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलिवरी चालान, जमानत/धरोहर रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–1324835.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निसाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती सुरूची सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–1324835.00.00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –22 भाग–2ख**

प्रस्तर–98 आदित्य विक्रम सिंह को नाली सफाई एवं स्कूल फर्श की मरम्मत व रंगाई हेतु कैशबुक में दर्शित नकद भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, व्यय प्रमाणक (बाउचर) कोटेशन सम्बन्धी प्रपत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलिवरी चालान, जमानत/धरोहर रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर,, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर शिक्षा प्रबन्ध समिति द्वारा कार्य अनुमोदन एवं भुगतान पुष्टि हेतु प्रपत्र इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–141304.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निसाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती सुरूची सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–141304.00.00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –23 भाग–2ख)**

प्रस्तर–99 ग्राम सचिव श्री तुलसी राम द्वारा तालाब भराई हेतु कैशबुक में दर्शित नकद आहरण भुगतान के सापेक्ष, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, व्यय प्रमाणक (बाउचर) कोटेशन सम्बन्धी प्रपत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–56000.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निसाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती सुरूची सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–56000.00.00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0 –24 भाग–2ख)**

प्रस्तर–100 अनाधिकृत व्यक्ति श्री चन्द्रभान को प्रशासनिक व्यय एवं हैण्डपम्प मरम्मत व्यय हेतु कैशबुक में दर्शित नकद भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, व्यय प्रमाणक (बाउचर) कोटेशन सम्बन्धी प्रपत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलिवरी चालान, जमानत/धरोहर रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–19500.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निसाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती सुरूची सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–19500.00.00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –25 भाग–2ख**

प्रस्तर–101 नाली निर्माण हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, व्यय प्रमाणक (बाउचर) कोटेशन सम्बन्धी प्रपत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलिवरी चालान, जमानत/धरोहर रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–273948.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती सुरूची सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–273948.00.00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0 –26 भाग–2ख)**

33 ग्राम पंचायत रेहडी विकास खण्ड मयाबाजार, 2016–17

प्रस्तर–102 मस्टर रोल मे मुद्रण तिथि से पहले अर्थात मस्टर रोल मुद्रण से पहले मस्टर रोल मे हाजिरी लगाकर अनियमित ढ़ंग से मजदूरी श्रमिकों के खाते में भेजकर धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–16530.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती कुसुम कुमारी ग्राम प्रधान से धनराशि–16530.00.00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–33 भाग–2 क)**

प्रस्तर–103 पुलिया निर्माण हेतु स्पन पाइप स्थापना की कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटो, निरीक्षण/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति/ उपभोग प्रमाणपत्र, डिलिवरी चालान बिल, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एव जमा रजिस्टर, जमानत/धरोहर रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एव लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–29687.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती कुसुम कुमारी ग्राम प्रधान से धनराशि–29687.00.00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–20 भाग–2ख)**

प्रस्तर–104 सोलर लाइट स्थापना हेतु कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, निविदा सूचना प्रपत्र, एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटो, निरीक्षण/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति/ उपभोग प्रमाणपत्र, डिलिवरी चालान बिल, स्टाक रजिस्टर, डेडस्टाक रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, जमानत/धरोहर रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, सोलर लाइट गारण्टी/वारण्टी कार्ड, सोलर लाइट स्थापना सूची आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे राजकीय धनराशि का अपहरण किया जान। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–230400.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती कुसुम कुमारी ग्राम प्रधान से धनराशि–230400.00.00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–21 भाग–2ख)**

प्रस्तर–105 हैण्डपम्प मरम्मत आदि की कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटो, निरीक्षण/ भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, मरम्मत स्थल की सूची, कबाड़ नीलामी प्रपत्र, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, जमानत/धरोहर रजिस्टर, तकनीकी रिपोर्ट, फिटनेस प्रमाणपत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–48000.00अपहरण के रूप में आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती कुसुम कुमारी ग्राम प्रधान से धनराशि–48000.00.00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–22 भाग–2ख)**

34 ग्राम पंचायत आनापुर सरैया विकास खण्ड मयाबाजार, 2016–17

प्रस्तर–106 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन व निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, कुछ व्यय प्रमाणक कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, डिलवरी चालान, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, जमानत/धरोहर रजिस्टर, कबाड़ की नीलामी से प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित प्रपत्र, फिटनेश रिपोर्ट, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे राजकीय धनराशि का अपहरण किया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–188920.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री अवधेश कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि–188920.00.00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–21 भाग–2ख)**

प्रस्तर–107 सोलर लाइट क्रय/मरम्मत एव स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन व निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, कुछ व्यय प्रमाणक कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण आख्या, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, डिलवरी चालान, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, डेडस्टाक रजिस्टर, शुल्क/करकटौती एवं जमा रजिस्टर, जमानत/धरोहर रजिस्टर, फिटनेश रिपोर्ट, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एव वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, नेडा से प्रमाणित रेट लिस्ट इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–333700.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री अवधेश कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि–333700..00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–22 भाग–2ख)**

प्रस्तर–108 दरी, कुर्सी, आलमरी हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन व निविदा सम्बन्धी प्रपत्र,एम0बी0, व्यय प्रमाणक, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या,डिलवरी चालान बिल, डेडस्टाक रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में राजकीय धनराशि का अपहरण किया

जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–40800.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री अवधेश कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि–40800..00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है**(आ0सं0–22 भाग–2ख)**

प्रस्तर–109 पुलिया निर्माण हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, कोटेशन व निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, त्रिस्तरीय फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलवरी चालान बिल, जमानत/धरोहर रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–72341.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री अवधेश कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि–72341..00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–22 भाग–2ख)**

<u>35 ग्राम पंचायत ईशापुर विकास खण्ड मयाबाजार, 2016–17</u>

प्रस्तर–110 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु तकनीकी रिपोर्ट जल संसाधन समिति से कार्य अनुमोदन एवं भुगतान प्रमाणित प्रपत्र हैण्डपम्प मरम्मत स्थल की सूची कबाड निलाती से प्राप्त धन से सम्बन्धित प्रपत्र कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति,, एम0बी0, कोटेशन त्रिस्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, तकनीसियनों की रजिष्ट्रेशन संख्या स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, जमानत/धरोहर रजिस्टर, फिटनेस रिपोर्ट, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे राजकीय धनराशि का अपहरण किया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–92000.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री मनोज पाण्डेय ग्राम प्रधान से धनराशि–92000..00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–40)**

प्रस्तर–111 सोलर लाइट स्थापना/मरम्मत एव स्ट्रीट लाइट/मरम्मत हेतु निविदा सूचना प्रपत्र कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, डिलवरी चालान, बिल एम0बी0 त्रिस्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण आख्या, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, स्टाक रजिस्टर, डेडस्टाक रजिस्टर, नेड से अनुमोदित रेट लिस्ट सोलर लाइट <u>गारंटी/वारण्टी</u> कार्ड स्ट्रट लाइट सामाग्री आपूर्ति सम्बनधित फार्म की रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाणपत्र,, शुल्क/कर कटौती एवं जमा पंजिका, जबानत पंजिका, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर सोलर लाइट स्थापना शूची एवं व्यय प्रमाणक इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे राजकीय धनराशि का अपहरण किया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–137300.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री मनोज पाण्डेय ग्राम प्रधान से धनराशि–137300..00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–41)**

प्रस्तर–112 खडंजा निर्माण हेतु कार्य योजना स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृत, एम0बी0, कोटेशन, त्रिस्तरीय फोटो,मस्टररोल, डिलबरी चालान, बिल, <u>निरीक्षण/भौतिक</u> सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, जमा पंजिका, जमानत पंजिका, धरोहर <u>पंजिका, कोटेशन/टेण्डर</u> पंजिका, व्यय प्रमाणक इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे राजकीय धनराशि का अपहरण किया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–47000.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री मनोज पाण्डेय ग्राम प्रधान से धनराशि–47000..00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–42)**

प्रस्तर–113 सी0सी0 रोड मरम्मत हेतु एम0बी0 कार्ययोजना स्टीमेट कोटेशन वित्तीय स्वीकृत मस्टररोल त्रिस्तरीय फोटो,मस्टररोल, डिलबरी चालान, बिल, <u>निरीक्षण/भौतिक</u> सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, जमा पंजिका, जमानत पंजिका, धरोहर <u>पंजिका, कोटेशन/टेण्डर</u> पंजिका, व्यय प्रमाणक इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे राजकीय धनराशि का अपहरण किया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–60500.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री मनोज पाण्डेय ग्राम प्रधान से धनराशि–60500. .00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–43)**

<u>36 ग्राम पंचायत रेवरी विकास खण्ड मयाबाजार, 2016–17</u>

प्रस्तर–114 कोषबही, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, एम0बी0, स्टीमेट एवं अन्य समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश

पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–413400.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राम अकबाल एवं चंदिका प्रसाद चौवे ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शान्ती ग्राम प्रधान से धनराशि–413400..00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–15)**

प्रस्तर–115 कोषबही व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, एम0बी0, स्टीमेट एवं अन्य समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–56194.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राम अकबाल ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शान्ती ग्राम प्रधान से धनराशि–56194..00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–16)**

प्रस्तर–116 कोषबही, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, एम0बी0, स्टीमेट एवं अन्य समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–53220.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राम अकबाल एवं श्री चंदिका प्रसाद चौवे ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शान्ती ग्राम प्रधान से धनराशि–53220..00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–17)**

प्रस्तर–117 कोषबही, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, एम0बी0, स्टीमेट एवं अन्य समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–48660.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राम अकबाल ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शान्ती ग्राम प्रधान से धनराशि–48660..00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–18)**

प्रस्तर–118 कोषबही, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, एम0बी0, स्टीमेट एवं अन्य समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–81800.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री चंदिका प्रसाद चौवे ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शान्ती ग्राम प्रधान से धनराशि–81800..00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–19)**

प्रस्तर–119 कोषबही, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, एम0बी0, स्टीमेट एवं अन्य समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–216492.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राम अकबाल, श्री चंदिका प्रसाद चौवे ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शान्ती ग्राम प्रधान से धनराशि–216492..00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–20)**

37 ग्राम पंचायत हरदी विकास खण्ड मयाबाजार, 2016–17

प्रस्तर–120 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन व निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, कुछ व्यय प्रमाणक कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, डिलवरी चालान, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, जमानत/धरोहर रजिस्टर, कबाड़ की नीलामी से प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित प्रपत्र, फिटनेस रिपोर्ट, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–193850.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री रमेश कुमार वर्मा ग्राम प्रधान से धनराशि–193850..00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–21 भाग–2ख)**

प्रस्तर–121 सोलर लाइट क्रय/मरम्मत एव स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन व निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, कुछ व्यय प्रमाणक कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण आख्या, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, डिलवरी चालान, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, डेडस्टाक रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, जमानत/धरोहर रजिस्टर, फिटनेश रिपोर्ट, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एव वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, नेडा से प्रमाणित रेट लिस्ट इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–228300.00 अपहरण के रूप में

आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री रमेश कुमार वर्मा ग्राम प्रधान से धनराशि–228300..00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0–22 भाग–2ख)

प्रस्तर–122 स्पन पाइप क्रय हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष कार्य कास्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन व निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलवरी चालान, स्टाक रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–201786.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री रमेश कुमार वर्मा ग्राम प्रधान से धनराशि–201786..00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0–23 भाग–2ख)

प्रस्तर–123खड़ंजा <u>निर्माण/मरम्मत</u> हेतु कैशबुक मे दर्शित भुगतान के सापेक्ष कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0,कुछ व्यय प्रमाणक कोटेशन व निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलवरी चालान, जमानत/धरोहर रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–377640.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री रमेश कुमार वर्मा ग्राम प्रधान से धनराशि–377640..00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–23 भाग–2ख)**

<u>38 ग्राम पंचायत आलापुर विकास खण्ड मयाबाजार, 2016–17</u>

प्रस्तर–124 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन व निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, आंशि व्यय प्रमाणक कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, डिलवरी चालान, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, जमानत/धरोहर रजिस्टर, कबाड़ की नीलामी से प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित प्रपत्र, फिटनेस रिपोर्ट, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–153510.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजित राम यादव ग्राम प्रधान से धनराशि–153510..00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–21 भाग–2ख)**

प्रस्तर–125 सोलर लाइट क्रय/मरम्मत एव स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन व निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, कुछ व्यय प्रमाणक कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण आख्या, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, डिलवरी चालान, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, डेडस्टाक रजिस्टर, शुल्क/करकटौती एवं जमा रजिस्टर, जमानत/धरोहर रजिस्टर, फिटनेस रिपोर्ट, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एव वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, नेडा से प्रमाणित रेट लिस्ट इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया।अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–452000.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजित राम यादव ग्राम प्रधान से धनराशि–452000..00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–22 भाग–2ख)**

प्रस्तर–126 सीमेंट, मोरंग गिट्टी आपूर्ति हेतु कैश बुक में दर्शित वर्मा ट्रेडर्स को भुगतान के सापेक्ष कार्य का स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति कोटेशन व निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, व्यय प्रमाणक भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या डिलिवरी चालान, स्टाक रजिस्टर शुल्क/कर कटौती एवं जमानत रजिस्टर, फर्मो के रजिस्टेशन संख्या एवं वैधता प्रमाण पत्र, कोटेशन/टेंडर रजिस्टर इत्यादि वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–52200.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम

विकास अधिकारी एवं श्री राजित राम यादव ग्राम प्रधान से धनराशि–52200..00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–23 भाग–2ख)**

प्रस्तर–127 स्पन पाइप क्रय हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष कार्य का स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, व्यय प्रमाणक (बाउचर) भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलिवरी चालान, स्टाक रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–44531. 00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजित राम यादव ग्राम प्रधान से धनराशि–44531..00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–24 भाग–2ख)**

प्रस्तर–128 खड़ंजा निर्माण/मरम्मत एवं नाली निर्माण हेतु कैश बुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृत एम0बी0,व्यय प्रमाणक (मस्टर,रोल, भुगतान रसीद व बाउचर) कोटेशन व निविदा सम्बन्धी कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, डिलवरी चालान, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, जमानत/धरोहर रजिस्टर, कबाड़ की नीलामी से प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित प्रपत्र, फिटनेस रिपोर्ट, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–187132.00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजित राम यादव ग्राम प्रधान से धनराशि–187132..00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–25 भाग–2ख)**

प्रस्तर–129 कैशबुक में दर्शित वी0के0 टेडर्स को भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, व्यय प्रमाणक (बाउचर) कोटेशन व निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलिवरी चालान, जमानत/धरोहर रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–81740. 00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजित राम यादव ग्राम प्रधान से धनराशि–81740..00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–26 भाग–2ख)**

<u>39 ग्राम पंचायत देवासूर्यभानपुर विकास खण्ड मयाबाजार, 2016–17</u>

प्रस्तर–130 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन व निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, कुछ व्यय प्रमाणक कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, डिलिवरी चालान, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, जमानत/धरोहर रजिस्टर, कबाड़ की नीलामी से प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित प्रपत्र, फिटनेश रिपोर्ट, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–**225305.00** अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती संजू ग्राम प्रधान से धनराशि–**225305. 00**बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–21 भाग–2ख)**

प्रस्तर–131 सोलर लाइट क्रय/मरम्मत एव स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन व निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, कुछ व्यय प्रमाणक कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण आख्या, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, डिलवरी चालान, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, डेडस्टाक रजिस्टर, शुल्क/करकटौती एवं जमा रजिस्टर, जमानत/धरोहर रजिस्टर, फिटनेश रिपोर्ट, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एव वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, नेडा से प्रमाणित रेट लिस्ट इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–346350.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती संजू ग्राम प्रधान से धनराशि–346350..00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–22भाग–2ख**

प्रस्तर–132 कैशबुक में दर्शित वी0के0 टेडर्स द्वारा ट्राली मिट्टी व बालू आपूर्ति भुगतान के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0, व्यय प्रमाणक (वाउचर) कोटेशन सम्बन्धी प्रपत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलवरी चालान, जमानत/धरोहर रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–39600.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती संजू ग्राम प्रधान से धनराशि–39600..00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–24 भाग–2ख)**

प्रस्तर–133 स्पन पाइप क्रय हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष कार्य का स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन सम्बन्धी प्रपत्र, एम0बी0, व्यय प्रमाणक (वाउचर) भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलिवरी चालान, स्टाक रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाणपत्र, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–**28000.00** अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती संजू ग्राम प्रधान से धनराशि–**28000..00** बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(आ0सं0–25 भाग–2ख)

40 ग्राम पंचायत बेनवा विकास खण्ड मयाबाजार, 2016–17

प्रस्तर–134 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु कैश बुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकी रिपोर्ट/स्टीमेट, एम0बी0 सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–**134500** अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा राम राजभर विकास अधिकारी एवं श्री चंद्रिका प्रसाद चौवेग्राम विकास अधिकारी श्रीमती संवादी ग्राम प्रधान से धनराशि–00-134500 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–22 भाग–2ख)**

प्रस्तर–135 सोलर लाइट क्रय/मरम्मत एवं स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत हेतु कैश बुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकी रिपोर्ट/स्टीमेट, एम0बी0 सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–380653.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा राम राजभर विकास अधिकारी एवं श्री चंद्रिका प्रसाद चौवेग्राम विकास अधिकारी श्रीमती संवादी ग्राम प्रधान से धनराशि–380653.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–23 भाग–2ख)**

प्रस्तर–136 स्पन पाइप आपूर्ति हेतु कैश बुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकी रिपोर्ट/स्टीमेट, एम0बी0 सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 00-106137 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्रीराजा राम राजभर विकास अधिकारी एवं श्रीमती संवादी ग्राम प्रधान से धनराशि– 00-106137बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–24 भाग–2ख)**

प्रस्तर–137 कैश बुक में दर्शित एस0के0 ट्रेडर्स के भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, एम0बी0, व्यय प्रमाणक सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा ाजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 00-15000अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री चंद्रिका प्रसाद चौवे ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती संवादी ग्राम प्रधान से धनराशि– 00-15000बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–25 भाग–2ख)**

प्रस्तर–138 शौचालय निर्माण हेतु वर्मा ब्रिक फील्ड, संजय एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी एवं संजय सिंह को सामाग्री आपूर्ति के भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, एम0बी0, व्यय प्रमाणक, शौचालय निर्माण कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, शौचालय निर्माण लाभार्थी सूची सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। जाना। अध्याय 8

के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–00–1596000 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा राम राजभर विकास अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती संवादी ग्राम प्रधान से धनराशि–00-1596000 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–26 भाग–2ख** **41**

ग्राम पंचायत लालपुर विकास खण्ड मयाबाजार, 2016–17

प्रस्तर–139 हैण्ड पम्प मरम्मत, स्ट्रीट लाइट मरम्मत एवं स्पन पाइप आपूर्ति हेतु कैश बुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकी रिपोर्ट/स्टीमेट,एम0बी0 सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 456299ण50अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी श्री केशव राम ग्राम प्रधान से धनराशि– 50-456299बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0–25 भाग–2ख)

प्रस्तर– 140 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु कैश बुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकी रिपोर्ट/स्टीमेट, एम0बी0 सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 00–18000 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी श्री केशव राम ग्राम प्रधान से धनराशि– 00-18000 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–26 भाग–2ख)**

प्रस्तर–141 हैण्ड पम्प मरम्मत एवं स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु कैश बुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकी रिपोर्ट/स्टीमेट, एम0बी0, सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि00–50500अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी श्री केशव राम ग्राम प्रधान से धनराशि–00-50500 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–27 भाग–2ख)**

प्रस्तर–142 स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु कैश बुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकी रिपोर्ट/स्टीमेट, एम0बी0, सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–00–18000 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी श्री केशव राम ग्राम प्रधान से धनराशि–00-18000 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–28 भाग–2ख)**

प्रस्तर–143 स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु कैश बुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकी रिपोर्ट/स्टीमेट, एम0बी0, सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 00-121000अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति क्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी श्री केशव राम ग्राम प्रधान से धनराशि– -121000बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–29 भाग–2ख)**

प्रस्तर–144स्ट्रीट लाइट क्रय एवं सोलर लाइट क्रय हेतु कैश बुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकी रिपोर्ट/स्टीमेट, एम0बी0, सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 255092.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति क्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी श्री केशव राम ग्राम प्रधान से धनराशि 255092.00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0–30 भाग–2ख)

प्रस्तर–145 खड़ंजा निर्माण/मरम्मत एवं नाली निर्माण हेतु कैश बुक में दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, एम0बी0, मस्टर रोल, बिल (व्यय प्रमाणक) सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश

वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—-937204 00अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी श्री केशव राम ग्राम प्रधान से धनराशि— 00-937204बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है **(आ0सं0—231भाग—2ख)**

42 ग्राम पंचायत उनियार विकास खण्ड मयाबाजार, 2016—17

प्रस्तर—146 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु कैश बुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकी रिपोर्ट/स्टीमेट, एम0बी0, सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि— 00-86680अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा राम राजभर विकास अधिकारी एवं श्री चंद्रिका प्रसाद चौवे ग्राम विकास अधिकारी श्री राघव सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि— 00-86680बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(आ0सं0—21 भाग—2ख)

प्रस्तर—147 स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत हेतु कैश बुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकी रिपोर्ट/स्टीमेट, एम0बी0, सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना।अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि— 00-326731अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा राम राजभर विकास अधिकारी एवं श्री चंद्रिका प्रसाद चौवे ग्राम विकास अधिकारी श्री राघव सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि— 00-326731बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0—22 भाग—2ख)**

प्रस्तर—148 सी0एफ0एल0 मरम्मत हेतु कैश बुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकी रिपोर्ट/स्टीमेट, एम0बी0, सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि— 00-65000अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री चंद्रिका प्रसाद चौवे ग्राम विकास अधिकारी श्री राघव सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि—00-65000 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0—23 भाग—2ख)**

प्रस्तर—149 खडंजा निर्माण/मरम्मत हेतु कैशबुक मे ंदर्शित भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, एम0बी0, मस्टररोल सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि— **00-20000**अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री श्री चंद्रिका प्रसाद चौवे ग्राम विकास अधिकारी श्री राघव सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि—-20000 00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0—24 भाग—2ख)**

प्रस्तर—150 कैशबुक मेंदर्शित चौधरी इंटरप्राइजेज को भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, एम0बी0, व्यय प्रमाणक सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि— 00-73906अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री चंद्रिका प्रसाद चौवे ग्राम विकास अधिकारी श्री राघव सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि— 00-73906 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0—25 भाग—2ख)**

43 ग्राम पंचायत बेलवारीखान विकास खण्ड मयाबाजार, 2016—17

प्रस्तर—151 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु कैश बुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकी रिपोर्ट/स्टीमेट, एम0बी0, सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना।अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 81900.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः

उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा राम राजभर विकास अधिकारी एवं श्री चंद्रिका प्रसाद चौवे ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि 81900.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–21 भाग–2ख)**

प्रस्तर–152 स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत हेतु कैश बुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकी रिपोर्ट/स्टीमेट, एम0बी0, सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना।जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 00-44437अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा राम राजभर ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री महेश कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि– 00-44437बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–22 भाग–2ख)**

प्रस्तर–153 सी0एफ0एल0 मरम्मत हेतु कैश बुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकी रिपोर्ट/स्टीमेट, एम0बी0, सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 00-15150अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा राम राजभर विकास अधिकारी एवं श्री महेश कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि– 00-15150बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–23 भाग–2ख)**

प्रस्तर–154-खडंजा निर्माण/मरम्मत हेतु कैशबुक मे दर्शित भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, एम0बी0, मस्टररोल सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 00-21920अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा राम राजभर ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री महेश कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि– 2192000 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–24 भाग–2ख)**

प्रस्तर–155 कैशबुक में दर्शित चौधरी इंटरप्राइजेज को भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, एम0बी0, व्यय प्रमाणक सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 3092000अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा राम राजभर विकास अधिकारी एवं श्री महेश कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि–-30920 00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–25 भाग–2ख)**

प्रस्तर–156-कैशबुक में दर्शित देव विक्री फील्ड को भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, एम0बी0, व्यय प्रमाणक सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– **00-67200**अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा राम राजभर विकास अधिकारी एवं श्री महेश कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि–-67200 00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–26 भाग–2ख)**

प्रस्तर–157 खडंजा ानिर्माण/मरम्मत हेतु कैशबुक मे दर्शित मजदुरी भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, एम0बी0, मस्टररोल सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 00-25000अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री चंद्रिका प्रसाद चौवे ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री महेश कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि–00-25000 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–27 भाग–2ख)**

प्रस्तर–15 खडंजा निर्माण/मरम्मत हेतु कैशबुक मे दर्शित भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, एम0बी0, मस्टररोल सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 9992.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः

उत्तरदायी व्यक्ति श्री चंद्रिका प्रसाद चौवे ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री महेश कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि 9992.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–28 भाग–2ख)**

प्रस्तर–159कैशबुक में दर्शित संतोश इंटरप्राइजेज को भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, एम0बी0, व्यय प्रमाणक सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 00-63000अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री चंद्रिका प्रसाद चौवे ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री महेश कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि–00-63000 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–29 भाग–2ख)**

प्रस्तर–160 कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, एम0बी0, व्यय प्रमाणक सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि– 00-30000अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री चंद्रिका प्रसाद चौबे विकास अधिकारी एवं श्री महेश कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि–00-30000 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–30 भाग–2ख)**

44 ग्राम पंचायत बबुआपुर विकास खण्ड मयाबाजार, 2016–17

प्रस्तर–161 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकि रिपोर्ट, एम0बी0, व्यय प्रमाणक सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–84700.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति तुलसी राम निषाद एवं श्रीचंद्रिका प्रसाद चौबे ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजकुमार तिवारी ग्राम प्रधान से धनराशि–84700.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–25 भाग–2ख प्रस्तर–162**
स्ट्रीटलाइट क्रय/मरम्मत हेतु कैशबुक मे दर्शित भुगतान के सापेक्ष तकनीकि रिपोर्ट, एम0बी0, व्यय प्रमाणक सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत मे उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–22500.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजकुमार तिवारी ग्राम प्रधान से धनराशि–22500.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–26 भाग–2ख प्रस्तर–163** वाल पेंटिंग एवं सफाई कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष एम0बी0, व्यय प्रमाणक सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एव लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–40000.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति तुलसी राम निषाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजकुमार तिवारी ग्राम प्रधान से धनराशि–40000.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–27 भाग–2ख)**

प्रस्तर–164 नाली निर्माण हेतु कैशबुक दर्शित भुगतान के सापेक्ष एम0बी0, मस्टर रोल सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–85000.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति तुलसी राम निषाद एवं श्री चंद्रिका प्रसाद चौबे ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजकुमार तिवारी ग्राम प्रधान से धनराशि–85000.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–28 भाग–2ख)**

प्रस्तर–165 नाली निर्माण हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतान के सापेक्ष एम0बी0, व्यय प्रमाणक सहित अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एव लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम/नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–169200.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतःउत्तरदायी व्यक्ति तुलसी राम निषाद एवं श्री चंद्रिका प्रसाद चौबे ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजकुमार तिवारी ग्राम प्रधान से धनराशि–169200.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0–29 भाग–2ख)

45 ग्राम पंचायत सहावाँ विकास खण्ड बीकापुर, 2016–17

प्रस्तर–166 हयूम पाइप क्रय एवं स्थापना की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक एवं अन्य पुष्टि परक व्यय प्रस्तुत न कर लेखा मैनुअल के विपरीत व्यय दर्शित कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–63000.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री दिवाकर पाठक ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री बृजेश कुमार यादव ग्राम प्रधान से धनराशि–63000.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–18)**

46 ग्राम पंचायत पालीपूरब विकास खण्ड बीकापुर, 2016–17

प्रस्तर–167 कैशबुक में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–513984.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति लक्ष्मण प्रसाद वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र यादव ग्राम प्रधान से धनराशि–513984.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–17)**

प्रस्तर–168 कैशबुक में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–381440.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति लक्ष्मण प्रसाद वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र यादव ग्राम प्रधान से धनराशि–381440.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–18)**

47ग्राम पंचायत तोरोमाफी विकास खण्ड बीकापुर, 2016–17

प्रस्तर–169 कैशबुक में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–1158950.00.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति लक्ष्मण प्रसाद वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री बृजेन्द्र पाल ग्राम प्रधान से धनराशि–1158950. 00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–18)**

प्रस्तर–170 कैशबुक में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन,एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–787726.00.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री लक्ष्मण वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री बृजेन्द्र पाल ग्राम प्रधान से धनराशि–787726. 00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–19)**

48 ग्राम पंचायत बबुरिहा कौंधा विकास खण्ड बीकापुर, 2016–17

प्रस्तर–171 कैशबुक में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुश्टि में प्राक्कलन,एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–111865.00.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री लक्ष्मण वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री जगन्नाथ ग्राम प्रधान से धनराशि–111865.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–18)**

प्रस्तर–172 कैशबुक में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन,एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–96600.00.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री लक्ष्मण वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री जगन्नाथ ग्राम प्रधान से धनराशि–96600.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–19)**

49 ग्राम पंचायत मरूई सहाय सिंह विकास खण्ड बीकापुर, 2016–17

प्रस्तर–173 कैशबुक में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन,एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–79500.00.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री लक्ष्मण वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शीला सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–79500. 00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–18)**

प्रस्तर–174 कैशबुक में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन,एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–207390.00.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री लक्ष्मण वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शीला सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–207390. 00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–19)**

प्रस्तर–175 कैशबुक में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन,एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–317732.00.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री लक्ष्मण वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शीला सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–317732. 00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–20)**

प्रस्तर–176 कैशबुक में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन,एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।जाना।अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–78750.00.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री लक्ष्मण वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शीला सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–78750. 00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–21)**

प्रस्तर–177 कैशबुक में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन,एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–346400.00.00 अपहरण के रूप में आंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री लक्ष्मण वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शीला सिंह ग्राम प्रधान से धनराषि–346400. 00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–22)**

50 ग्राम पंचायत रामनगर विकास खण्ड बीकापुर, 2016–17

प्रस्तर–178 लेखा मैनुअल, तेरहवे वित्त आयोग की गाइडलाइन्स तथा प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन मनमाना व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण करना तथा ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–1098714.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अवधेश प्रताप सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि–1098714.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–18)**

प्रस्तर–179 बैंक खाते से धनराशि रू0–12300.00 आहरित कर तथा कैशबुक में अंकन न करते हुए तथा उक्त धनराशि से सम्बन्धित कोई व्यय दर्शित न करते हुए धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–12300.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अवधेश प्रताप सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार ग्राम प्रधान से धनराशि–12300. 00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है**(आ0सं0–19)**

51ग्राम पंचायत जैनपुर विकास खण्ड बीकापुर, 2016–17

प्रस्तर–180 . कैशबुक में विभिन्न हैण्डपम्प मरम्मत कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन,एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।जाना।अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–68350.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री लक्ष्मण प्रसाद वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री विजय बहादुर सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–68350.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–18)**

52 ग्राम पंचायत शेरपुर विकास खण्ड बीकापुर, 2016–17

प्रस्तर–181 कैशबुक में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–169800.00.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री लक्ष्मण वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री विन्देश्वरी प्रसाद वर्मा ग्राम प्रधान से धनराशि–169800.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–16)**

प्रस्तर–182 कैशबुक में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन,एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–210386.00.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री लक्ष्मण वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री विन्देश्वरी प्रसाद वर्मा ग्राम प्रधान से धनराशि–210386.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–17)**

प्रस्तर–183 कैशबुक में विभिन्न सोलर लाइट एवं हयूमपाइप क्रय एवं स्थापना कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुश्टि में प्राक्कलन,एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–181075..00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री लक्ष्मण वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री विन्देश्वरी प्रसाद वर्मा ग्राम प्रधान से धनराशि–181075.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–18)**

53 ग्राम पंचायत धेनुआवाँ विकास खण्ड बीकापुर, 2016–17

प्रस्तर–184 कैशबुक में विभिन्न सोलर लाइट स्थापना कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन,एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–60500..00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री लक्ष्मण वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री श्यामलाल विश्वकर्मा ग्राम प्रधान से धनराशि–60500.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–18)**

प्रस्तर–185 कैशबुक में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन,एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–236302..00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री लक्ष्मण वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री श्याम लाल विश्वकर्मा ग्राम प्रधान से धनराशि–236302.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–19)**

प्रस्तर–186 कैशबुक में विभिन्न सोलर लाइट कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन,एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–267600..00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री लक्ष्मण वर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री श्याम लाल विश्वकर्मा ग्राम प्रधान से धनराशि–267600.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–20)**

54 ग्राम पंचायत रनापुर विकास खण्ड हैरिंग्टनगंज, 2016–17

प्रस्तर–187 कैशबुक में सोलिंग कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन,एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–97766..00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अरूण कुमार दूबे ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती साधना सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–97766.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–20)**

प्रस्तर–188 कैशबुक में विभिन्न हैण्डपम्प मरम्मत कार्यो पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन,एम0बी0, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–80935.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अरूण कुमार दूबे ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती साधना सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–80935.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–21)**

प्रस्तर–189 सोलिंग कार्य पर व्यय के सापेक्ष काल्पनिक बिल तथा काल्पनिक एम0बी0 प्रस्तुत कर तथा मजदूरी भुगतान सम्बन्धी व्यय प्रमाणक टेण्डर, कोटेशन आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–49993.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अरूण कुमार दूबे ग्राम विकास अधिकारी एवं जे0ई0 संदीप यादव श्रीमती साधना सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–49993.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–22)**

प्रस्तर–190 नाली निर्माण कार्य पर स्टीमेट से अधिक एम0बी0 कर अनैचित्य पूर्ण काल्पनिक कार्य तथा व्यय प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत

धनराशि–91801.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अरूण कुमार दूबे ग्राम विकास अधिकारी एवं जे0ई0 संदीप यादव श्रीमती साधना सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–91801.00बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–23)**

प्रस्तर–191 हयूम पाइप क्रय एवं स्थापना कार्य पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में फर्जी बिल प्रस्तुत कर तथा एम0आर0 सहित अन्य पुष्टिपरक अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–91000.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अरूण कुमार दूबे ग्राम विकास अधिकारी एवं जे0ई0 संदीप यादव श्रीमती साधना सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–91000.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–24)**

प्रस्तर–192 सोलर लाइट क्रय एवं स्थापना कार्य पर कोटेशन / निविदा की कार्यवाही न करते हुए अनियमित ढंग से बिल एम0बी0 आदि का अंकन करते हुए गंभीर अपहरणकी गयी। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–112500.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अरूण कुमार दूबे ग्राम विकास अधिकारी एवं जे0ई0 संदीप यादव श्रीमती साधना सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–112500.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–25)**

प्रस्तर–193 स्टीट लाइट क्रय एवं स्थापना कार्य पर दर्शित व्यय के सापेक्ष काल्पनिक स्टीमेट एवं काल्पनिक बिल के आधार पर कपट पूर्ण भुगतान किया गया एम0बी0 तथा अन्य पुष्टि परक प्रमाण–पत्र अप्रस्तुत रहे अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–42000.00 अपहरणके रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अरूण कुमार दूबे ग्राम विकास अधिकारी एवं जे0ई0 संदीप यादव श्रीमती साधना सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–42000.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–26)**

55 ग्राम पंचायत ददेरा विकास खण्ड पूराबाजार, 2016–17

प्रस्तर–194 लेखा परीक्षा में कैशबुक में अन्तिम मदों की पुष्टि में कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत कर वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–235244.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजकुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती तारावती ग्राम प्रधान से धनराशि–235244.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

56 ग्राम पंचायत खानपुर विकास खण्ड पूराबाजार, 2016–17

प्रस्तर–195 सोलर लाइट/स्टीट लाइट क्रय/मरम्मत के सापेक्ष कार्य योजना कोटेशन/निविदा, डिलवरी चालान बिल, फर्मो के रजिस्टेशन नम्बर आदि पुष्टि परक प्रपत्र प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–182979.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री मो0 शलीम ग्राम प्रधान से धनराशि–182979.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–25)**

प्रस्तर–196 सोलिंग कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक एवं वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–49937.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री मो0 शलीम ग्राम प्रधान से धनराशि–49937.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–26)**

प्रस्तर–197 सोलिंग कार्य की पत्रावली में वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–46126.00 अपहरणके रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री मो0 शलीम ग्राम प्रधान से धनराशि–46126.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–27)**

प्रस्तर–198 सोलिंग मरम्मत कार्य की पत्रावली में वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–15660.00 अपहरणके रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री मो0 शलीम ग्राम प्रधान से धनराशि–15660.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–28)**

प्रस्तर–199 कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल में लेखा न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–76474.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री मो0 शलीम ग्राम प्रधान से धनराशि–76474.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–29)**

प्रस्तर–200 लेखा परीक्षा में विभिन्न तिथियों में दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक नहीं प्रस्तुत कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल में लेखा न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–214651.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री मो0 शलीम ग्राम प्रधान से धनराशि–214651.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–30)**

प्रस्तर–201स्पन पाइप क्रय पर वांक्षित प्रपत्र नहीं संलग्न कर कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल में लेखा न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–24079.00 अपहरणके रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री मो0 शलीम ग्राम प्रधान से धनराशि–24079.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–31)**

<u>57 ग्राम पंचायत राजेपुर विकास खण्ड पूराबाजार, 2016–17</u>

प्रस्तर–202 सोलर लाइट/स्टीट लाइट क्रय/मरम्मत के सापेक्ष कार्य योजना कोटेशन/निविदा, डिलवरी चालान बिल, फर्मो के रजिस्टेशन नम्बर आदि पुष्टि परक प्रपत्र प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–282462.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शान्ती सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–282462.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–24)**

प्रस्तर–203 नाली निर्माण कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक में वाछित प्रपत्रों कां प्रस्तुत न कर तथा मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न करा कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–129984.00 अपहरणके रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शान्ती सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–129984.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–25)**

प्रस्तर–204 नाली निर्माण कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक में वाछित प्रपत्रों कां प्रस्तुत न कर तथा मास्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न करा कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–156233.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शान्ती सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–156233.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–26)**

प्रस्तर–205 नाली निर्माण कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक में वाछित प्रपत्रों कां प्रस्तुत न कर तथा मास्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न करा कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–62020.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शान्ती सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–62020.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–27)**

प्रस्तर–206 हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक में वाछित प्रपत्रों कों प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–78153.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शान्ती सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–78153.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–28)**

प्रस्तर–207 कैशबुक में विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल में प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–210797.00 अपहरण के

रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती शान्ती सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–210797.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–29)**

प्रस्तर–208 सोलिंग कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक एवं वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–113502.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री मो0 शलीम ग्राम प्रधान से धनराशि–113502.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–30)**

प्रस्तर–209 नाली निर्माण कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक एवं वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–51089.00 अपहरणके रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री मो0 शलीम ग्राम प्रधान से धनराशि–51089.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–31)**

<u>58 ग्राम पंचायत</u> <u>भदौली बुजुर्ग</u> <u>विकास खण्ड पूराबाजार, 2016–17</u>

प्रस्तर–210 सोलर लाइट/स्टीट लाइट कय/मरम्मत के सापेक्ष कार्य योजना कोटेशन/निविदा, डिलवरी चालान बिल, फर्मो के रजिस्ट्रेशन नम्बर आदि पुष्टि परक प्रपत्र प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–1991952.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती अनीता सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–199195.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–25)**

प्रस्तर–211 हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक में वाछित प्रपत्रों कों प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–110656.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती अनीता सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–110656.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–26)**

प्रस्तर–212 सोलिंग कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक एवं वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–50906.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती अनीता ग्राम प्रधान से धनराशि–50906.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–27)**

प्रस्तर–213 नाली निर्माण कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक एवं वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–88837.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती अनीता ग्राम प्रधान से धनराशि–88837.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–28)**

प्रस्तर–214 कैशबुक में विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल में प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–251294.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती अनीता सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–251294.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–29)**

<u>59 ग्राम पंचायत</u> <u>रसडा</u> <u>विकास खण्ड पूराबाजार, 2016–17</u>

प्रस्तर–215 सोलर लाइट/स्टीट लाइट कय/मरम्मत के सापेक्ष कार्य योजना कोटेशन/निविदा,सत्यापन/निरीक्षण, डिलवरी चालान बिल, फर्मो के रजिस्ट्रेशन नम्बर आदि पुष्टि परक प्रपत्र प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–275178.00 अपहरण के रूप में

आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा राम ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री कृष्ण प्रताप ग्राम प्रधान से धनराशि–275178.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–25)**

प्रस्तर–216 नाली मरम्मत एवं पटिया निर्माण कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक एवं वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–38776.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा राम ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री कृष्ण प्रताप ग्राम प्रधान से धनराशि–38776.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–26)**

प्रस्तर–217 नाली मरम्मत एवं पटिया निर्माण कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक एवं वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–99516.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा राम ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री कृष्ण प्रताप ग्राम प्रधान से धनराशि–99516.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–28)**

<u>60 ग्राम पंचायत</u> हैंसा <u>विकास खण्ड पूराबाजार, 2016–17</u>

प्रस्तर–218 सोलर लाइट/स्टीट लाइट क्रय/मरम्मत के सापेक्ष कार्य योजना कोटेशन/निविदा,सत्यापन/निरीक्षण, डिलवरी चालान बिल, फर्मो के रजिस्टेशन नम्बर आदि पुष्टि परक प्रपत्र प्रस्तुत न कर राजकीय धनराृाि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–311080.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती कमला देवी ग्राम प्रधान से धनराशि–311080.00बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–25)**

प्रस्तर–219 हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक में वाछित प्रपत्रों कों प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–56737.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमहेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती कमला देवी ग्राम प्रधान से धनराशि–56737.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–26)**

प्रस्तर–220 सोलिंग कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक एवं वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–47704.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमहेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती कमला देवी ग्राम प्रधान से धनराशि–47704.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–27)**

प्रस्तर–221 सोलिंग कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक एवं वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–115230.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमहेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती कमला देवी ग्राम प्रधान से धनराशि–115230.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–28)**

प्रस्तर–222 कैशबुक में विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल में प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–190041.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमहेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती कमला देवी ग्राम प्रधान से धनराशि–190041.00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0–29)

<u>61 ग्राम पंचायत</u> पिलखावाँ <u>विकास खण्ड पूराबाजार, 2016–17</u>

प्रस्तर–223 सोलर लाइट/स्टीट लाइट क्रय/मरम्मत के सापेक्ष कार्य योजना कोटेशन/निविदा,सत्यापन/निरीक्षण, डिलवरी चालान बिल, फर्मो के रजिस्टेशन नम्बर आदि पुष्टि परक प्रपत्र प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–329260.00 अपहरण के रूप में

आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती पुष्पा सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–329260.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–25)**

प्रस्तर–224 सोलिंग कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक एवं वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–44874.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती पुष्पा सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–44874.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–26)**

प्रस्तर–225 सोलिंग कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक एवं वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–73424.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती पुष्पा सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–73424.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–27)**

प्रस्तर–226 सोलिंग कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक एवं वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–93548.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमहेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती पुष्पा सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–93548.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–28)**

प्रस्तर–227 कैशबुक में विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल में प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–197907.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती पुष्पा सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–197907.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–29)**

<u>62ग्राम पंचायत</u> भगवा भीट <u>विकास खण्ड पूराबाजार, 2016–17</u>

प्रस्तर–228 सोलर लाइट/स्टीट लाइट क्रय/मरम्मत के सापेक्ष कार्य योजना कोटेशन/निविदा,सत्यापन/निरीक्षण, डिलवरी चालान बिल, फर्मो के रजिस्ट्रेशन नम्बर आदि पुष्टि परक प्रपत्र प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–374068.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अम्बिका गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती दयावती ग्राम प्रधान से धनराशि–374068.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–25)**

प्रस्तर–229 सोलिंग निर्माण कार्य की पत्रावली में वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–56620.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अम्बिका गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती दयावती ग्राम प्रधान से धनराशि–56620.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–26)**

<u>63 ग्राम पंचायत</u> <u>द्वारिकापुर</u> <u>विकास खण्ड पूराबाजार, 2016–17</u>

प्रस्तर–230 सोलर लाइट/स्टीट लाइट क्रय/मरम्मत के सापेक्ष कार्य योजना कोटेशन/निविदा,सत्यापन/निरीक्षण, डिलवरी चालान बिल, फर्मो के रजिस्ट्रेशन नम्बर आदि पुष्टि परक प्रपत्र प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–363732.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री गंगा राम कनौजिया ग्राम प्रधान से धनराशि–363732.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0–25)

प्रस्तर–231 हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक में वाछित प्रपत्रों कों प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–56913.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री

महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री गंगा राम कनौजिया ग्राम प्रधान से धनराशि–56913.00 बराबर हिस्सों में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–26)**

प्रस्तर–232 कैशबुक में विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल में प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–507327.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री गंगा राम कनौजिया ग्राम प्रधान से धनराशि–507327.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–27)**

<u>64 ग्राम पंचायत दुर्गापुर विकास खण्ड पूराबाजार, 2016–17</u>

प्रस्तर–233 सोलर लाइट/स्टीट लाइट क्रय/मरम्मत के सापेक्ष कार्य योजना कोटेशन/निविदा,सत्यापन/निरीक्षण, डिलिवरी चालान बिल, फर्मो के रजिस्ट्रेशन नम्बर आदि पुष्टि परक प्रपत्र प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–77832.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजेश सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–77832.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–25)**

प्रस्तर–234 सोलिंग कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक एवं वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–185844.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजेश सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–185844.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–26)**

प्रस्तर–235 सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य की पत्रावली में वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–58183.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजेश सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–58183.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–27)**

प्रस्तर–236 नाली निर्माण कार्य की पत्रावली में वाछित प्रंपत्रो को नहीं संलग्न कर एवं मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–50521.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजेश सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–50521.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–28)**

प्रस्तर–237 हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि में संदिग्ध प्रमाणक में वाछित प्रपत्रों कों प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–54802.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजेश सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–54802.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–29)**

प्रस्तर–238 कैशबुक में विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल में प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–115218.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजेश सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–115218.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–30)**

<u>65 ग्राम पंचायत कुढा केशवपुर विकास खण्ड पूराबाजार, 2016–17</u>

प्रस्तर–239 कैशबुक में विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल में प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–587429.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती

अगरमती ग्राम प्रधान से धनराशि–587429.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–25)**

प्रस्तर–240 सोलर लाइट/स्टीट लाइट क्रय/मरम्मत के सापेक्ष कार्य योजना कोटेशन/निविदा,सत्यापन/निरीक्षण, डिलवरी चालान बिल, फर्मो के रजिस्ट्रेशन नम्बर आदि पुष्टि परक प्रपत्र प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–427586.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री सुनील कुमार ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती अगरमती ग्राम प्रधान से धनराशि–427586.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–26)**

<u>66 ग्राम पंचायत</u> <u>कटौना</u> <u>विकास खण्ड तारून 2016–17</u>

प्रस्तर–241 कैशबुक में विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल में प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–376774.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राम कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री संजय ग्राम प्रधान से धनराशि–376774.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–25)**

<u>67 ग्राम पंचायत</u> <u>बरावाँ</u> <u>विकास खण्ड तारून 2016–17</u>

प्रस्तर–242 कैशबुक में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल में प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–247550.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री गिरजेश तिवारी ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती अनीता वर्मा ग्राम प्रधान से धनराशि–247550.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–25)**

<u>68 ग्राम पंचायत</u> <u>दादूपुर</u> <u>विकास खण्ड तारून 2016–17</u>

प्रस्तर–243 कैशबुक में विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल में प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–126197.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अरविन्द कुमार ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री गुलाब सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि–126197.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–25)**

<u>69 ग्राम पंचायत</u> <u>परमानन्दूपुर</u> <u>विकास खण्ड तारून 2016–17</u>

प्रस्तर–244 कैशबुक में विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल में प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–158495.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री माता प्रसाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राम अधार वर्मा ग्राम प्रधान से धनराशि–158495.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–25)**

<u>70 ग्राम पंचायत</u> <u>पुरूषोत्तमपुर</u> <u>विकास खण्ड तारून 2016–17</u>

प्रस्तर–245 कैशबुक में विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित कर पुष्टि में प्राक्कलन, एम0बी, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा मैनुअल में प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना। अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि–133465.00 अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री माता प्रसाद ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री भुल्लुर ग्राम प्रधान से धनराशि–133465.00 बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**(आ0सं0–25)**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17

जनपद–बाराबंकी संभाग – अयोध्या

प्रारूप – 04 – ग्राम पंचायत – सहेलिया विकास खंड – हरख जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –1 ग्राम पंचायत सहेलिया के वर्ष 2014–15 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न खड़ंजा मरम्मत /निर्माण , नाली निर्माण , आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 813484.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का

उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री हरिनाथ सिंह तथा सचिव श्री शिव प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। धनराशि रू० 813484.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2 ,)**

2– ग्राम पंचायत – चकसार विकास खंड – हरख जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –2 ग्राम पंचायत चकसार के ग्राम निधि एक की वर्ष (2014–15) की कोषबही में दिनांक 03–06–2014 को दर्शित हैण्डपम्प मरम्मत एवं शौचालय निर्माण में प्रस्तुत सामग्री के क्रय की पुष्टि हेतु कूट रचित टिन नं0 अंकित किया हुआ बिल /कैश मेमो प्रस्तुत कर हैण्डपम्प मरम्मत एवं शौचालय निर्माण के रूप मे व्यय दर्शित धन रू० 23200.00 का अपहरण कर लिया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया तथा सचिव श्री हरिशंकर श्रीवास्तव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। धनराशि रू०23200.00**(मूल आपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –3 ग्राम पंचायत चकसार के ग्राम निधि एक की वर्ष (2014–15) की कोषबही में दर्शित विभिन्न तिथियों मे विभिन्न निर्माण कार्यों की मजदूरी भुगतान की पुष्टि हेतु प्रस्तुत मस्टररोलों पर कूट रचित हस्ताक्षर कर मजदूरी भुगतान के रूप मे व्यय दर्शित धनराशि रू० 51088.00 का अपहरण कर लिया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया तथा सचिव श्री हरिशंकर श्रीवास्तव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है धनराशि रू० 51088.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3 ,)**

आपत्ति संख्या –4 ग्राम पंचायत चकसार के ग्राम निधि एक की वर्ष (2014–15) की कोषबही में रामभर के घर से ईश्वरदीन के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य पर बिना ईट क्रय व मजदूरी पर व्यय दर्शित किये, मात्र मिट्टी का प्रयोग दर्शाकर उक्त फर्जी मिट्टी क्रय का भुगतान कर कुल धनराशि रू० 4800.00 का अपहरण किया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया तथा सचिव श्री हरिशंकर श्रीवास्तव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 4800.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4(1))**

आपत्ति संख्या –5 ग्राम पंचायत चकसार के ग्राम निधि एक की वर्ष (2014–15) की कोषबही के अनुसार रामेश्वर के घर सेमथुरा के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य पर बिना ईट क्रय व मिट्टी कार्य पर व्यय दर्शित किये, मात्र मजदूरी पर फर्जी रूप से व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रू० 5472.00 का अपहरण किया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया तथा सचिव श्री हरिशंकर श्रीवास्तव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है धनराशि रू० 5472.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4(2))**

आपत्ति संख्या –6 ग्राम पंचायत चकसार के ग्राम निधि एक की वर्ष (2014–15) की कोषबही के अनुसार दिनांक 26–03–2015 को खडंजा निर्माण कार्य पर बिना मजदूरी व मिट्टी कार्य पर व्यय दर्शित किये, मात्र ईंट क्रय पर फर्जी रूप से व्यय दर्शाकर ईंट क्रय के नाम पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रू० 43400.00 का अपहरण किया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया तथा सचिव श्री हरिशंकर श्रीवास्तव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 43400.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4(3))**

आपत्ति संख्या –7 ग्राम पंचायत चकसार के ग्राम निधि एक की वर्ष (2014–15) की कोषबही के अनुसार मेंहदीपुर में तथा पीपल के पेड़ से राकेश के घर तक नाली मरम्मत / नाली निर्माण के नाम पर फर्जी मजदूरी एवं सीमेन्ट, बालू मौरंग का फर्जी बाउचर प्रस्तुत कर कुल धनराशि रू० 20172.00 का अपहरण किया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया तथा सचिव श्री हरिशंकर श्रीवास्तव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 20172.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4(4) ,)**

आपत्ति संख्या –8 ग्राम पंचायत चकसार के ग्राम निधि एक की की वर्ष (2014–15) की कोषबही में अज्ञात / विवरणरहित नाली निर्माण पर बिना ईट एवं मजदूरी पर कोई व्यय दर्शित किये ही मात्र बालू मौरंग आदि के रूप मे निर्माण सामग्री पर फर्जी व्यय दर्शित कर कुल धनराशि रू० 60400.00 का अपहरण किया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया तथा सचिव श्री हरिशंकर श्रीवास्तव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 60400.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4(5) ,)**

3 – ग्राम पंचायत – तेजवापुर विकास खंड – हरख जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –9 ग्राम पंचायत तेजवापुर के वर्ष 2015–16 मे प्रियासॉफ्ट तथा बैंक पासबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 421936.00 के सापेक्ष कोशबही तथा कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री लवलेश सिंह व श्रीरामरती तथा सचिव श्री शिव प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।धनराशि रू० 421936.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2 ,)**

4 – ग्राम पंचायत – पारादीपू विकास खंड – हरख जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –10 ग्राम पंचायत पारादीपू के ग्राम निधि एक की वर्ष 2014–15 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे हैण्डपम्प मरम्मत पर बिना प्रस्ताव , बिना प्रार्थना पत्र के कार्य करवाकर तथा सम्बन्धित फर्म के स्थान पर अनधिकृत व्यक्तियों को भुगतान करके बिना टिन नंबर वाले तथा एक ही हैंडराइटिंग वाले फर्जी व कूटरचित बिल/

कैशमेमो प्रस्तुत कर हैण्डपम्प मरम्मत के रूप मे व्यय दर्शित धन रू० 47786.00 का अपहरण कर लिया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री धीरजदत्त वर्मा तथा सचिव श्री शिव प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 47786.00**(मूल आपत्ति संख्या 2 ,)**

आपत्ति संख्या –11 ग्राम पंचायत पारादीपू के ग्राम निधि एक की वर्ष 2014–15 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे जूनियर हाईस्कूल मे खड़ंजा मरम्मत व विभिन्न नाली निर्माण कार्यो पर बिना किसी प्रस्ताव व कार्ययोजना के , बिना स्टॉकरजिस्टर के, तथा बिना कोई टेंडर / कोटेशन आमंत्रित किए कार्य करवाकर तथा फर्जी टिन नंबर वाले व एक ही हैंडराइटिंग वाले फर्जी व कूटरचित बिल / कैशमेमो / मस्टररोल प्रस्तुत कर कुल व्यय दर्शित धनराशि रू० 499688.00 का अपहरण कर लिया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री धीरजदत्त वर्मा तथा सचिव श्री शिव प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 499688. 00**(मूल आपत्ति संख्या 3)**

आपत्ति संख्या –12 ग्राम पंचायत पारादीपू के ग्राम निधि एक की वर्ष 2014–15 की कोषबही के अनुसार प्रवेश के घर से नहर तक खड़ंजा मरम्मत पर बिना किसी कार्ययोजना के ,बिना स्टीमेट व एमबी के , व बिना स्टॉक रजिस्टर व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के कार्य पर व्यय दर्शाकर ,तथा बिना हस्ताक्षर अंगूठा निशानी वाले फर्जी व कूटरचित मस्टररोलों द्वारा मजदूरी व्यय पर भुगतान दर्शाकर कुल व्यय दर्शित धनराशि रू० 30340.00 का अपहरण कर लिया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री धीरजदत्त वर्मा तथा सचिव श्री शिव प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 30340.00**(मूल आपत्ति संख्या 4)**

आपत्ति संख्या –13 ग्राम पंचायत पारादीपू के ग्राम निधि एक की वर्ष 2014–15 की कोषबही के अनुसार ह्यूम पाइप क्रय व डलवाई पर बिना अनुमोदित कार्ययोजना के , बिना स्टीमेट व एमबी के , व बिना स्टॉक रजिस्टर व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के कार्य पर व्यय दर्शाकर ,तथा बिना हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी वाले फर्जी व कूटरचित मस्टररोलों द्वारा मजदूरी व्यय पर भुगतान दर्शाकर कुल व्यय दर्शित धनराशि रू० 41184.00 का अपहरण कर लिया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री धीरजदत्त वर्मा तथा सचिव श्री शिव प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।धनराशि रू० 41184.00 **(मूल आपत्ति संख्या 5)**

5 – ग्राम पंचायत – आदमपुर भटपुरा विकास खंड – हरख जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –14 ग्राम पंचायत आदमपुर भटपुरा के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न मदों मे व्यय के नाम आहरित धनराशियों रुपये 561868.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री श्रीमान सिंह व श्री विशेषण तथा सचिव श्री शिव प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 561868.00

(मूल आपत्ति संख्या 2)

6–ग्राम पंचायत – बादीपुर विकास खंड – हरख जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –15 ग्राम पंचायत बादीपुर के ग्राम निधि एक की वर्ष 2015–16 की कोषबही के अनुसार पनि की टंकी व हैण्डपम्प मरम्मत पर बिना प्रस्ताव , बिना कार्ययोजना व प्रार्थनापत्र व बिना कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के कार्य करवाकर तथा तथा बिना टिन नंबर वाले व व्युत्क्रम वाले फर्जी व कूटरचित बिल /कैशमेमो द्वारा सामग्री क्रय दर्शाकर तथा फर्मों को नकद भुगतान करके पनि की टंकी व हैण्डपम्प मरम्मत के रूप मे व्यय दर्शित कुल धनराशि रू० 98286.00 का अपहरण कर लिया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला तथा सचिव श्री शिवप्रकाश गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।धनराशि रू० 98286.00

(मूल आपत्ति संख्या 2 ,)

आपत्ति संख्या –16 ग्राम पंचायत बादीपुर के ग्राम निधि एक की वर्ष (2015–16) की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे खड़ंजा निर्माण/मरम्मत व नाली निर्माण कार्यों पर बिना किसी अनुमोदित कार्ययोजना के , बिना स्टॉक रजिस्टर के, तथा बिना कार्यादेश व बिना कोई कोई टेंडर/कोटेशन आमंत्रित किए कार्य करवाकर तथा व्युत्क्रम के एक ही हैंडराइटिंग वाले कूटरचित बिल/कैशमेमो प्रस्तुत कर कुल व्यय दर्शित धनराशि रू० 884631.00 का अपहरण कर लिया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला तथा सचिव श्री शिव प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 884631.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3 ,)**

7 – ग्राम पंचायत – सहेलिया विकास खंड – हरख जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –17 ग्राम पंचायत सहेलिया के वर्ष 2015–16 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम आहरित धनराशियों रुपये 348854.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली

के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री हरिनाथ सिंह व शिवराम तथा सचिव श्री शिव प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 348854.00

(मूल आपत्ति संख्या 2)

8 – ग्राम पंचायत – तेजवापुर विकास खंड – हरख जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –18 ग्राम पंचायत तेजवापुर के वर्ष 2014–15 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम आहरित धनराशियों रुपये 588663.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री लवलेश सिंह तथा सचिव श्री शिव प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। धनराशि रू० 588663.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

9 – ग्राम पंचायत – आदमपुर भटपुरा विकास खंड – हरख जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –19 ग्राम पंचायत आदमपुर भटपुरा के वर्ष 2014–15 के कोष बही के के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 1633162.00 के सापेक्ष कोशबही तथा कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमान सिंह तथा सचिव श्री शिव प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 1633162.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2,)**

10 – ग्राम पंचायत – पारादीपू विकास खंड – हरख जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –20 ग्राम पंचायत पारादीपू के वर्ष 2015–16 के कोष बही के के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 366233.00 के सापेक्ष कोषबही तथा कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री धीरज दत्त व श्री सतीश चंद्र तथा सचिव श्री शिव प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 366233.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2 ,)**

11 – ग्राम पंचायत – अजपुरा विकास खंड – हरख जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –21 ग्राम पंचायत अजपुरा के वर्ष 2014–15 की कोषबही में दिनांक 01.07.2014 को प्रारम्भिक शेष रू० 71096.00 अधिक दर्शित कर तथा विभिन्न चेकों द्वारा आहरित उक्त कुल धनराशि रू० 71096.00 के दो अलग –अलग माहों क्रमशः जून तथा अगस्त मे अलग–अलग कार्यो पर फर्जी एवं काल्पनिक व्यय दर्शित कर कुल धनराशि रू० 71096.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम सिंह तथा सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 71096.00

(मूल आपत्ति संख्या 2 ,)

आपत्ति संख्या –22 ग्राम पंचायत अजपुरा के वर्ष 2014–15 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे विभिन्न स्थानो पर खडंजा निर्माण पर मानक से अधिक मजदूरी एवं ईट का प्रयोग दर्शित कर कुल धनराशि रू० 35068.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम सिंह तथा सचिव श्री अनिल कुमार सिंह व श्री के० डी० से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 35068.00

(मूल आपत्ति संख्या 3 ,)

आपत्ति संख्या –23 ग्राम पंचायत अजपुरा के वर्ष 2014–15 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में पटेल ट्रेडर्स से क्रय की गयी निर्माण सामग्री की पुष्टि में बिना टिन नम्बर वाले तथा बुक नंबर रहित फर्जी एवं कूट रचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर निर्माण सामग्री के क्रय के रूप मे व्यय दर्शित कुल धनराशि रू० 224378.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम सिंह तथा सचिव श्री अनिल कुमार सिंह व श्री के० डी० तिवारी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 224378.00

(मूल आपत्ति संख्या 4 ,)

आपत्ति संख्या –24 ग्राम पंचायत अजपुरा के वर्ष 2014–15 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय , स्टेशनरी/बैग पर दर्शित व्यय की पुष्टि में टिन नं0, बुक नं0 तथा रशीद क्रमांक रहित

बिल/कैश मेमो प्रस्तुत कर उक्त कार्यों पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रू० 24164.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम सिंह तथा सचिव श्री अनिल कुमार सिंह व श्री के० डी० तिवारी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।धनराशि रू० 24164.00(**मूल आपत्ति संख्या 5 ,)**

आपत्ति संख्या –25 ग्राम पंचायत अजपुरा के वर्ष 2014–15 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे विभिन्न स्थानो पर नाली तथा खडंजा निर्माण कार्यों पर पर मजदूरों की दोहरी उपस्थिति वाले फर्जी /कूटरचित मस्टररोलों व व्यय प्रमाणको द्वारा मजदूरी एवं सामग्री क्रय पर भुगतान करके कुल धनराशि रू० 75428.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम सिंह तथा सचिव श्री अनिल कुमार सिंह व श्री के० डी० से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है धनराशि रू० 75428.00 **(मूल आपत्ति संख्या 6 ,)**

आपत्ति संख्या –26 ग्राम पंचायत अजपुरा के वर्ष 2014–15 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे विभिन्न स्थानो पर नाली निर्माण, स्कूल शौचालय निर्माण तथा खडंजा निर्माण कार्यों पर पर मजदूरों फर्जी हस्ताक्षर वाले फर्जी / कूटरचित मस्टररोलों द्वारा मजदूरी भुगतान करके कुल धनराशि रू० 47050.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम सिंह तथा सचिव श्री अनिल कुमार सिंह व श्री के० डी० से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। धनराशि रू० 47050.00 **(मूल आपत्ति संख्या 7 ,)**

12 – ग्राम पंचायत – सरायशहबाज विकास खंड – निंदूरा जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –27 ग्राम पंचायत सरायशहबाज के वर्ष 2015–16 की कोषबही के अनुसार विभिन्न स्थानो पर खडंजा मरम्मत कार्य आर०सी०सी० रोड से भोला सिंह के घर तक पर कूटरचित मस्टररोल द्वारा मजदूरी व्यय दर्शाकर तथा स्टेशनरी व्यय पर प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर उक्त खड़ंजा मरम्मत के नाम पर कुल धनराशि रू० 24500.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी तथा सचिव श्री अशोक सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।धनराशि रू० 24500.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

13 – ग्राम पंचायत – खरिहानी विकास खंड – निंदूरा जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –28 ग्राम पंचायत खरिहानी के वर्ष 2015–16 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे विभिन्न स्थानो पर खडंजा निर्माण पर मानक से अधिक ईंटों का प्रयोग दर्शित कर कुल धनराशि रू० 42873.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री शंकर लाल तथा सचिव श्री सुरेश रतन से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 42873.00**(मूल आपत्ति संख्या 2 ,)**

आपत्ति संख्या –29 ग्राम पंचायत खरिहानी के वर्ष 2015–16 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे विभिन्न स्थानो पर दर्शित हैण्ड पम्प मरम्मत पर बिना आवेदन पत्र, जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति प्राप्त किये बिना तथा स्थलवार सूची आदि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना भुगतान कर हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रू० 29140.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री शंकर लाल तथा सचिव श्री सुरेश रतन से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।धनराशि रू० 29140 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

14 – ग्राम पंचायत – भिलवल विकास खंड – त्रिवेदीगंज जनपद – बाराबंकी आपत्ति संख्या –30 ग्राम पंचायत भिलवल के वर्ष 2015–16 की कोषबही के अनुसार खडंजा मरम्मत कार्य (हरखू रावत के घर के पास) पर बिना माप के उल्लेख, बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,बिना वार्षिक कार्ययोजना, स्टाक रजिस्टरतथा संबंधित मस्टर रोलो पर मजदूरो के कूट रचित व एक ही हस्तलिपि में हस्ताक्षर बनाकर उक्त खड़ंजा मरम्मत के नाम पर कुल धनराशि रू० 7220.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री प्रहलाद शरण तथा सचिव श्री राम छवि से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 7220.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2 ,)**

आपत्ति संख्या –31 ग्राम पंचायत भिलवल के वर्ष 2015–16 की कोषबही के अनुसार नाली निर्माण कार्य (कय्यूम के दरवाजे से सन्त शरण मौर्या के खेत तक) पर बिना वार्षिक कार्ययोजना, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर के भुगतान कर तथा विहीन ईट क्रय के सापेक्ष कोशबही तथा कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धनराशि रू० 69950.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री प्रहलाद शरण तथा सचिव श्री शिवकान्त से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।धनराशि रू० 69950.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3 ,)**

आपत्ति संख्या –32 ग्राम पंचायत भिलवल के वर्ष 2015–16 की कोषबही मे अंकित कार्य सी0सी0 रोड निर्माण पर व्यय दर्शित मजदूरी की पुष्टि में फर्जी /अन्य कार्य संतवरण के खेत से होली तिराहा तक नाली निर्माण का फर्जी मस्टर रोल प्रस्तुत करने के कारण उक्त सी०सी० रोड निर्माण पर व्यय दर्शित सम्पूर्ण धनराशि रू० 42306.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री प्रहलाद शरण तथा सचिव श्री राम छवि से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।धनराशि रू० 42306.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4)**

15 – ग्राम पंचायत – देवीपुर विकास खंड – त्रिवेदीगंज जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –33 ग्राम पंचायत देवीपुर के वर्ष 2015–16 की कोषबही मे अंकित कार्य खडंजा मरम्मत कार्य (राम दयाल के दरवाजे से श्रीराम के खेत तक) पर बिना माप के उल्लेख, बिना वार्षिक कार्ययोजना, बिना माप तथा बिना

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के उक्त खड़ंजा मरम्मत के नाम पर कुल धनराशि रू० 32850.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सीताराम तथा सचिव श्री शिवकान्त सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।धनराशि रू० 32850.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2 ,)**

आपत्ति संख्या –34 ग्राम पंचायत देवीपुर के वर्ष 2015–16 की कोषबही मे अंकित फर्नीचर से संबंधित क्रय की पुष्टि में टिन नं0 रहित फर्जी बिलध्कैश मेमो अनाधिकृत रूप से एक इलेक्ट्रिकल दुकान से प्राप्त कर फर्नीचर क्रय के रूप मे व्यय दर्शित कुल धनराशि रू० 20460.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार तथा सचिव श्री उत्तम कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 20460–00 **(मूल आपत्ति संख्या 3,)**

आपत्ति संख्या –35 ग्राम पंचायत देवीपुर के वर्ष 2015–16 की कोषबही मे अंकित कार्य नाली निर्माण पर बिना मजदूरी पर भुगतान किए एवं ईट क्रय पर कोई व्यय किए, तथा बिना कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बिना स्टाक रजिस्टर के मात्र निर्माण सामग्री क्रय पर भुगतान दर्शाकर नाली निर्माण के नाम पर धनराशि रू० 37700.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार तथा सचिव श्री उत्तम कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 37700.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4,)**

आपत्ति संख्या –36 ग्राम पंचायत देवीपुर के वर्ष 2015–16 की कोषबही मे अंकित कार्य खडंजा मरम्मत कार्य पर बिना मजदूरी का भुगतान किये ही ईट क्रय का फर्जी भुगतान कर धनराशि रू० 24800.00 का अपहरण किया गया है उक्त कार्य की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना, स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न करना कार्य को फर्जी एवं काल्पनिक सिद्ध करता है इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार तथा सचिव श्री उत्तम कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।धनराशि रू०24800.00 **(मूल आपत्ति संख्या 5,)**

आपत्ति संख्या –37 ग्राम पंचायत देवीपुर के वर्ष 2015–16 की कोषबही के अनुसार खडंजा मरम्मत कार्य रामसागर के दरवाजे से शिव सहाय के कुआँ तक, पर मानक से अधिक ईंटों का प्रयोग दर्शित कर कुल धनराशि रू० 16864.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार तथा सचिव श्री उत्तम कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 16864.00**(मूल आपत्ति संख्या 6)**

16 – ग्राम पंचायत –लक्ष्मनपुर विकास खंड – हरख जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –38 ग्राम पंचायत लक्ष्मनपुर के वर्ष 2014–15 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे हैण्डपम्प मरम्मत एवं सफाई कार्य हेतु यादव आयरन स्टोर द्वारा सामग्री क्रय की पुष्टि में टिन नंबर, व बुक नंबर रहित फर्जी बिल/कैश मेमो प्रस्तुत कर उक्त कार्यों पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रू० 15038.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विश्राम तथा सचिव श्री उत्तम कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।धनराशि रू० 15038.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2,)**

आपत्ति संख्या –39 ग्राम पंचायत लक्ष्मनपुर के वर्ष 2014–15 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में क्रय दर्शित निर्माण सामग्रियों की पुष्टि में फर्जी व व्युत्क्रम के बिल/बाउचर प्रस्तुत कर कुल धनराशि रू० 63995.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विश्राम तथा सचिव श्री उत्तम कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 63995.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3,)**

आपत्ति संख्या –40 ग्राम पंचायत लक्ष्मनपुर के वर्ष 2014–15 की कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे दर्शित विभिन्न निर्माण कार्यों पर मजदूरी भुगतान से संबंधित मस्टर रोलो पर एक ही हस्तलिपि में फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कुल धनराशि रू० 57138.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विश्राम तथा सचिव श्री उत्तम कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 57138.00
(मूल आपत्ति संख्या 4,)

आपत्ति संख्या –41 ग्राम पंचायत लक्ष्मनपुर के वर्ष 2014–15 की कोषबही में तालाब में पानी भराई का फर्जी (बिना स्थान का उल्लेख किये) रसीद प्रस्तुत कर कुल धनराशि रू० 13500.00 का अपहरण किया गया। उक्त व्यय का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर भी प्रस्तुत नही किया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विश्राम तथा सचिव श्री उत्तम कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 13500.00
(मूल आपत्ति संख्या 5,)

17 – ग्राम पंचायत – नसीरपुर विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –42 ग्राम पंचायत नसीरपुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 1101709.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सहजराम व धर्मेन्द्र कुमार तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 1101709.00
(मूल आपत्ति संख्या 2,)

18 – ग्राम पंचायत – हिम्मतपुर   विकास खंड – सिद्धौर   जनपद – बाराबंकी
आपत्ति संख्या –43 ग्राम पंचायत हिम्मतपुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 220613.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती कुंजलता तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।धनराशि रू० 220613.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

19 – ग्राम पंचायत – बुधनई   विकास खंड – सिद्धौर   जनपद – बाराबंकी
आपत्ति संख्या –44 ग्राम पंचायत बुधनई के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 1016504.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती कामिनी पाण्डेय तथा सचिव श्री सर्वेश कुमार सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 1016504.00

(मूल आपत्ति संख्या 2 ,)

20 – ग्राम पंचायत – सरायमीर   विकास खंड – सिद्धौर   जनपद – बाराबंकी
आपत्ति संख्या –45 ग्राम पंचायत सरायमीर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 403568.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार तथा सचिव श्री उमेश चंद्र पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है धनराशि रू० 403568.00**(मूल आपत्ति संख्या 2)**

21 – ग्राम पंचायत – लाखूपुर   विकास खंड – सिद्धौर   जनपद – बाराबंकी
आपत्ति संख्या –46 ग्राम पंचायत लाखूपुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण /मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 487676.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर व श्री जियालाल तथा सचिव श्री दिवाकर सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 487676.00

(मूल आपत्ति संख्या 2 ,)

22 – ग्राम पंचायत – छतौनी   विकास खंड – सिद्धौर   जनपद – बाराबंकी
आपत्ति संख्या –47 ग्राम पंचायत छतौनी के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 226085.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री वन्तीलाल तथा सचिव श्री उमेश चंद्र पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है धनराशि रू०226085.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

23 – ग्राम पंचायत –सेमरावाँ   विकास खंड – सिद्धौर   जनपद – बाराबंकी
आपत्ति संख्या –48 ग्राम पंचायत सेमरावाँ के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 827980.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं

लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती दुरपता तथा सचिव श्री राजेन्द्र कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।धनराशि रू० 827980.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

24 – ग्राम पंचायत –गंगवईपठनान विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –49 ग्राम पंचायत गंगवईपठनान के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 742093.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री वंशराज सिंह तथा सचिव श्री सर्वेश कुमार सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।धनराशि रू० 742093.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

25 – ग्राम पंचायत – देवकली विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –50 ग्राम पंचायत देवकली के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 494784.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती मायादेवी व श्रीमती सुखदेई तथा सचिव श्री दिवाकर सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 494784.00

(मूल आपत्ति संख्या 2,)

26 – ग्राम पंचायत – मझियावाँ विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –51 ग्राम पंचायत मझियावाँ के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 839977.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री निजामुद्दीन व श्रीमती शबनम तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 839977.00

(मूल आपत्ति संख्या 2,)

27 – ग्राम पंचायत – छूलापाही विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –52 ग्राम पंचायत छूलापाही के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण/ मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 481060.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार व श्रीमती पूनम वर्मा तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 481060.00

(मूल आपत्ति संख्या 2,)

28 – ग्राम पंचायत – न्यौछना विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –53 ग्राम पंचायत न्यौछना के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 372735.00 के

सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सहजराम व श्री उदय प्रताप सिंह तथा सचिव श्री सर्वेश कुमार सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 372735.00

(मूल आपत्ति संख्या 2 ,)

29 – ग्राम पंचायत – कोटवा विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –54 ग्राम पंचायत कोटवा के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 377982.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती कुन्ती तथा सचिव श्री बृजेश कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 377982.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2,)**

30 – ग्राम पंचायत – हाजीपुर श्यामनगर विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –55 ग्राम पंचायत हाजीपुर श्यामनगर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 438157.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री अमर बहादुर वर्मा व श्री गिरधारी तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 438157.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2,)**

31– ग्राम पंचायत – नवाबपुर कोड़री विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –56 ग्राम पंचायत नवाबपुर कोड़री के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 184145.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री शरद चंद्र व श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 184145.00

(मूल आपत्ति संख्या 2,)

32– ग्राम पंचायत – सेमरी विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –57 (क) ग्राम पंचायत सेमरी के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 677003.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रा देवी व श्रीमती विमला तथा सचिव श्री दिवाकर सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 677003.00

(मूल आपत्ति संख्या 2 ,)

57 (ख) ग्राम पंचायत सेमरी के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत हैंडपम्प मरम्मत कार्य के नाम पर आहरित धनराशियों के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रा देवी व श्रीमती विमला तथा सचिव श्री दिवाकर सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि आपत्ति संख्या 1 मे शामिल है।**(मूल आपत्ति संख्या 2(1))**

57 (ग) ग्राम पंचायत सेमरी के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त योजनान्तर्गत ह्यूम पाइप क्रय के नाम पर व्यय दर्शित धनराशियों के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रा देवी व श्रीमती विमला तथा सचिव श्री दिवाकर सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि आपत्ति संख्या 1 मे शामिल है **(मूल आपत्ति संख्या 2(2) ,)**

33– ग्राम पंचायत – खानापुर विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –58 ग्राम पंचायत खानापुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण /मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 307802.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री निहाल खाँ व श्रीमती रिहाना खातून तथा सचिव श्री दिवाकर सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 307802.00

(मूल आपत्ति संख्या 2 ,)

34– ग्राम पंचायत – भुनई रुद्र विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –59 ग्राम पंचायत भुनई रुद्र के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 293648.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री त्रिलोकी सिंह व श्रीमती चम्पा तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 293648.00

(मूल आपत्ति संख्या 2 ,)

35– ग्राम पंचायत – बीबीपुर विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –60 ग्राम पंचायत बीबीपुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 560169.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रामप्यारी व श्रीमती फूलमती तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 560169.00

(मूल आपत्ति संख्या 2)

ग्राम पंचायत बीबीपुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार माप विहीन, काल्पनिक एवं फर्जी खडण्जा मरम्मत पर व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रामप्यारी व श्रीमती

फूलमती तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि आपत्ति संख्या 1 मे शामिल है। **(मूल आपत्ति संख्या 2(1)**

ग्राम पंचायत बीबीपुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार माप विहीन, काल्पनिक एवं फर्जी नाली निर्माण पर व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रामप्यारी व श्रीमती फूलमती तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है धनराशि आपत्ति संख्या 1 मे शामिल है।**(मूल आपत्ति संख्या 2(2))**

36– ग्राम पंचायत – मेनहुआ विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –61 ग्राम पंचायत मेनहुआ के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 233900.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री कन्हैयालाल व श्री सियाराम तथा सचिव श्री उमेश चंद्र पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 233900.00

(मूल आपत्ति संख्या 2)

37– ग्राम पंचायत – मीरापुर विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –62 ग्राम पंचायत मीरापुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 1364185.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राजाराम तथा सचिव श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।धनराशि रू० 1364185.00**(मूल आपत्ति संख्या 2)**

38– ग्राम पंचायत – जमलापुर विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –63 ग्राम पंचायत जमलापुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 780289.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री उग्रसेन तथा सचिव श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। धनराशि रू० 780289.00**(मूल आपत्ति संख्या 2)**

39– ग्राम पंचायत – पडरावाँ विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –64 ग्राम पंचायत पडरावाँ के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 1033717.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री शिवकुमार तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।धनराशि रू०1033717.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

40– ग्राम पंचायत – भेड़िया विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –65 ग्राम पंचायत भेड़िया के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण /मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 384330.00 के

सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामबहादुर व श्री छोटेलाल तथा सचिव श्री उमेश चंद्र पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 384330.00

(मूल आपत्ति संख्या 2)

41– ग्राम पंचायत – इसरौली सारी विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –66 ग्राम पंचायत इसरौली सारी के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 232961.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी व श्रीमती कांती देवी तथा सचिव श्री दिवाकर सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 232961.00

(मूल आपत्ति संख्या 2)

42– ग्राम पंचायत – कोठी विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –67 ग्राम पंचायत कोठी के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 1316189.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामचन्दर व श्रीमती माहेजबीन तथा सचिव श्री दिवाकर सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 1316189.00

(मूल आपत्ति संख्या 2)

43– ग्राम पंचायत – पश्चिम बेलांव विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –68 ग्राम पंचायत पश्चिम बेलांव के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 615162.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री हरिश्चंद्र व श्री विनय कृष्ण तथा सचिव श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 615162.00

(मूल आपत्ति संख्या 2)

44– ग्राम पंचायत – मोतिकपुर विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –69 ग्राम पंचायत मोतिकपुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 703923.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम मिलन व श्रीमती नाहिद बानो तथा सचिव श्री उमेश चंद्र पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 703923.00

(मूल आपत्ति संख्या 2)

45– ग्राम पंचायत – बरैया विकास खंड – सूरतगंज जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –70 ग्राम पंचायत बरैया के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 568000.00 के सापेक्ष

कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विद्या प्रसाद तथा सचिव श्री विजय कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 568000.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

46– ग्राम पंचायत – बल्लोपुर विकास खंड – सूरतगंज जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –71 ग्राम पंचायत बल्लोपुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार माह अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2015 तक विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम पर नकद आहरित धनराशियों रुपये 393640.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार तथा सचिव श्री मुनीन्द्र प्रसाद से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।धनराशि रू० 393640.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

47– ग्राम पंचायत – अमेरा विकास खंड – सूरतगंज जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –72 ग्राम पंचायत अमेरा के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार माह अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 तक विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यों आदि के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 274800.00 के सापेक्ष कोशबही तथा कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामू वर्मा तथा सचिव श्री विजय कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है धनराशि रू० 274800.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

48– ग्राम पंचायत – बैरानामऊ मँझारी विकास खंड – सूरतगंज जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –73 ग्राम पंचायत बैरानामऊ मँझारी के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार माह अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 तक विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण /मरम्मत कार्यों आदि के नाम पर नकद आहरित धनराशियों रुपये 490000.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती शीला सिंह तथा सचिव श्री मुनीन्द्र प्रसाद से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 490000.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2,)**

49– ग्राम पंचायत – अकौना विकास खंड – सूरतगंज जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –74 ग्राम पंचायत अकौना के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार माह अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 तक विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 272980.00 के सापेक्ष कोषबही मे कोई विवरण अंकित न होने से तथा कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री इकराम तथा सचिव श्री विजय कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 272980.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

50– ग्राम पंचायत – बतनेरा विकास खंड – सूरतगंज जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –75 ग्राम पंचायत बतनेरा के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 1845845.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित

धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री मैकूलाल व श्री राजेश कुमार तथा सचिव श्री मुनीन्द्र प्रसाद व श्री मानवेंद्र शर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 1845845.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –76 ग्राम पंचायत बतनेरा मे वर्ष 2015–16 मे विभिन्न तिथियों मे शौचालय निर्माण हेतु आहरित धनराशियों रुपये 1582625.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री मैकूलाल व श्री राजेश कुमार तथा सचिव श्री मुनीन्द्र प्रसाद व श्री मानवेंद्र शर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।धनराशि रू० 1582625.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3 ,)**

51– ग्राम पंचायत – फिरोजपुर   विकास खंड – सूरतगंज   जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –77 ग्राम पंचायत फिरोजपुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत मेसर्स पाण्डेय ट्रेडर्स नामक अनधिकृत फर्म से निर्माण सामग्री क्रय के नाम पर नकद आहरित धनराशियों रुपये 88152.00 के सापेक्ष कूटरचित /फर्जी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री प्रेम नारायण वर्मा तथा सचिव श्री मुनीन्द्र प्रसाद वर्मा व से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है धनराशि रू० 88152.00**(मूल आपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –78 ग्राम पंचायत फिरोजपुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार प्रियासोफ्ट पर फीडिंग के नाम पर व्यय दर्शित धनराशि रू० 3000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री प्रेम नारायण वर्मा तथा सचिव श्री मुनीन्द्र प्रसाद वर्मा व से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।धनराशि रू० 3000.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

आपत्ति संख्या –79 ग्राम पंचायत फिरोजपुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 5430.00 के सापेक्ष टिन नंबर रहित व कूटरचित फर्जी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री प्रेम नारायण वर्मा तथा सचिव श्री मुनीन्द्र प्रसाद वर्मा व से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 5430.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4)**

52– ग्राम पंचायत – ज्यौली   विकास खंड – सूरतगंज   जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –80 ग्राम पंचायत ज्यौली के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यों आदि के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 799228.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री हरिनाम सिंह तथा सचिव श्री विजय कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। धनराशि रू० 799228.00**(मूल आपत्ति संख्या2)**

53– ग्राम पंचायत – पतौंजा   विकास खंड – सूरतगंज   जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –81 ग्राम पंचायत पतौंजा के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यों आदि के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 1833600.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम लखन तथा सचिव श्री विजय कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 1833600.00**(मूल आपत्ति संख्या 2)**

54– ग्राम पंचायत – राम मण्डई   विकास खंड – सूरतगंज   जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –82 ग्राम पंचायत राम मण्डई के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 189500.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री शेर बहादुर सिंह तथा सचिव श्री विजय कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।धनराशि रू० 189500.0 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

55– ग्राम पंचायत – टाण्डा विकास खंड – सूरतगंज जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –83 ग्राम पंचायत टाण्डा के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 248000.00 के सापेक्ष कोशबही तथा कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार बाजपेयी तथा सचिव श्री विजय कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 248000.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

56– ग्राम पंचायत – दशवंतपुर विकास खंड – सूरतगंज जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –84 ग्राम पंचायत दशवंतपुर मे 2015–16 मे विभिन्न तिथियों मे शौचालय निर्माण के नाम पर ग्राम निधि 6 से आहरित धनराशियों रुपये 2299500.00 के सापेक्ष कोशबही तथा कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री नवी हसन तथा सचिव श्री मानवेंद्र शर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।धनराशि रू० 2299500.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

57– ग्राम पंचायत – दोहाई विकास खंड – सूरतगंज जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –85 ग्राम पंचायत दोहाई के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण /मरम्मत कार्यों आदि के नाम पर अनधिकृत रूप से आहरित धनराशियों रुपये 320000.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री पूतान सिंह तथा सचिव श्री विजय कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 320000.00

(मूल आपत्ति संख्या 2)

58– ग्राम पंचायत – हरक्का विकास खंड – सूरतगंज जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –86 ग्राम पंचायत हरक्का के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यों आदि के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 123600.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी तथा सचिव श्री अनिल कुमार मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।धनराशि रू०123600.00**(मूलआपत्तिसंख्या 2)**

59– ग्राम पंचायत – कसौंजा विकास खंड – सूरतगंज जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –87 ग्राम पंचायत कसौंजा के वर्ष 2015–16 के बैंक स्टैटमेन्ट के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों आदि के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 336845.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम सुरेश वर्मा तथा सचिव श्री विजय कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 336845.00

(मूल आपत्ति संख्या 2)

60– ग्राम पंचायत – बठौली विकास खंड – बनीकोडर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –88 ग्राम पंचायत बठौली के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार खडंजा मरम्मत कार्य (ओम प्रकाश के घर से राम बिलास के घर तक) पर मानक से अधिक ईट क्रय का भुगतान कर धन का अपहरण किया गया। उक्त खडंजा मरम्मत की पुष्टि मे अनुमोदित कार्य योजना प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कोटेशन प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान की पुष्टि मे बिना मजदूरों के हस्ताक्षर के फर्जी मस्टर रोल प्रस्तुत कर खडंजा

मरम्मत कार्य के नाम पर व्यय दर्शित धनराशि रू० 82176.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम वर्मा तथा सचिव श्री दयाशंकर से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है धनराशि रू० 82176.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –89 ग्राम पंचायत बठौली के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार नाली निर्माण कार्य पर बिना कोई कोटेशन, चालान, मानचित्र, स्टाक पंजिका, प्राक्कलन, प्राप्त किए नाली निर्माण के नाम आर व्यय दर्शित धनराशि रू० 85850.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम वर्मा तथा सचिव श्री दयाशंकर से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है धनराशि रू० 85850.00**(मूल आपत्ति संख्या 3**

आपत्ति संख्या –90 ग्राम पंचायत बठौली के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार हैंडपम्प मरम्मत कार्य पर बिना प्राक्कलन, अनुमानित व्यय, लाभार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त किये प्रमाणक विहीन भुगतान करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धनराशि रू० 33365.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम वर्मा तथा सचिव श्री दयाशंकर से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 33365.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4)**

आपत्ति संख्या –91 ग्राम पंचायत बठौली के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार खिड़की, दरवाजा, कुर्सी आदि के क्रय के नाम पर फर्जी / मानक के विपरीत भुगतान कर धनराशि रू० 6600.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम वर्मा तथा सचिव श्री दयाशंकर से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 6600.00**(मूल आपत्ति संख्या 5)**

61– ग्राम पंचायत – मझौटी विकास खंड – बनीकोडर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –92 ग्राम पंचायत मझौटी के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे विभिन्न निर्माण सामग्रियों तथा मस्टर रोल का दर्शित क्रय/ भुगतान फर्जी व्यय प्रमाणकों तथा फर्जी मस्टर रोलों के आधार पर करके कुल धनराशि रू० 20000.00 का अपहरण किया गया है। उक्त कार्यों का मानचित्रण व प्राक्कलन भी तैयार नहीं कराया गया था इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान मोहम्मद नसीर तथा सचिव श्री दयाशंकर से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।धनराशि रू० 20000.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –93 ग्राम पंचायत मझौटी के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे पंचायत भवन पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य तथा हैंडपम्प मरम्मत कार्य पर प्रमाणक विहीन भुगतान करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धनराशि रू० 34000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान मोहम्मद नसीर तथा सचिव श्री दयाशंकर से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। धनराशि रू० 34000.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

आपत्ति संख्या –94 ग्राम पंचायत मझौटी के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे खडंजा मरम्मत हेतु ईट क्रय एवं मजदूरी भुगतान का बिना कार्य के स्थान का उल्लेख किये तथा बिना टिन नम्बर वाले बिल प्रस्तुत करके, बिना कोटेशन प्राप्त किये तथा मानके से अधिक ईटों का प्रयोग पर भुगतान कर कुल धनराशि रू० 60982.00 का अपहरण किया गया। उक्त कार्य कामानचित्रण व प्राक्कलन भी तैयार नहीं कराया गया था। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान मोहम्मद नसीर तथा सचिव श्री दयाशंकर से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 60982.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4 ,)**

62– ग्राम पंचायत – हथौधा विकास खंड – बनीकोडर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –95 ग्राम पंचायत हथौधा के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे बिभिन्न विभिन्न खडंजा कार्य व नाली निर्माण हेतु क्रीत निर्माण सामग्रियों का प्रमाणक विहीन भुगतान करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके तथा खडंजा मरम्मत कार्य (राजवंश के घर से दूलम के घर तक) पर मानक से अधिक ईंटो व मिट्टी का उपभोग दर्शाकर कुल धनराशि रू० 331186.00 का अपहरण किया गया है तथा उक्त कराये गये कार्यों का मानचित्रण, प्राक्कलन, वार्षिक कार्य योजना, एम0बी0 तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी

अप्राप्त रहा इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री दिलीप कुमार विश्वकर्मा तथा सचिव श्री रवि अवस्थी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 331186.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

63– ग्राम पंचायत – बेलपुर विकास खंड – बनीकोडर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –96 ग्राम पंचायत बेलपुर के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे शौचालय मरम्मत पर कूट रचित व्युत्क्रम के फर्जी व्यय प्रमाणक तथा फर्जी मस्टर रोल प्रस्तुत कर, बिना कोटेशन के सामग्री क्रय करके तथा बिना अनुमोदित कार्य योजना तथा बिना मानचित्र के भुगतान करके कुल धनराशि रू० 53389.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री चेतराम तथा सचिव श्री दयाशंकर से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 53389.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2 ,)**

आपत्ति संख्या –97 ग्राम पंचायत बेलपुर के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे इंडिया मार्का हैण्डपम्पों के मरम्मत पर प्रमाणक विहीन भुगतान करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 32500.00 का अपहरण किया गया है तथा बिना लाभार्थियों के मांग पत्र के, बिना परिसम्पत्ति रजि0 से पुष्टि किये, बिना स्टाक पंजिका तथा बिना कार्यवाही पुस्तिक से पुष्टि कराये भुगतान किया गया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री चेतराम तथा सचिव श्री दयाशंकर से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 32500.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

आपत्ति संख्या –98 ग्राम पंचायत बेलपुर के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे खडंजा मरम्मत पर बिना मानचत्रिण, प्राक्कलन, अनुमानित व्यय, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, बिना कोटेशन के निर्माण सामग्री क्रय कर, बिना स्टाक रजिस्टर में क्रीत सामग्रियों की प्रविष्टि किये, मस्टर रोलो पर बिना माप अंकित किये, मानक से अधिक मजदूरी देकर, फर्जी बाउचर प्रस्तुत करके भुगतान दर्शित धनराशि रू० 59955.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री चेतराम तथा सचिव श्री दयाशंकर से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 59955.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4)**

आपत्ति संख्या –99 ग्राम पंचायत बेलपुर के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे नाली निर्माण के नाम पर निर्माण सामग्रियों के कूट रचित बाउचर प्रस्तुत कर, ईट क्रय का प्रमाणविहीन व्यय दर्शाकर, तथा उक्त निर्माण कार्य पर फर्जी मस्टर रोल प्रस्तुत करके भुगतान की गयी धनराशि रू० 47093.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री चेतराम तथा सचिव श्री दयाशंकर से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 47093.00 **(मूल आपत्ति संख्या 5)**

64– ग्राम पंचायत – थोरथिया विकास खंड – बनीकोडर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –100 ग्राम पंचायत थोरथिया के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे दर्शित ईट व निर्माण सामग्री क्रय, मजदूरी भुगतान आदि पर पर प्रमाणक विहीन भुगतान करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 483110.00 का अपहरण किया गया है तथा उक्त व्यय की पुष्टि में स्टाक पंजिका, कोटेशन टेण्डर, अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना, अनुमानित व्यय, मानचित्र व प्राक्कलन, एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री फतेह मुहम्मद तथा सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 483110.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

65– ग्राम पंचायत – पारा विकास खंड – रामनगर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –101 ग्राम पंचायत पारा के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में फर्जी व्यय दर्शित करके फर्जी प्रमाणक तैयार करके एवं कतिपय प्रमाणकविहीन व्यय दर्शित करके व अनाधिकृत व्यक्तियों को भुगतान करके कुल धनराशि रू० 145350.00 का अपहरण किया गया है इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री भोपाल (पूर्व प्रधान) व श्रीमती गीता (वर्तमान प्रधान) तथा सचिव श्री सॉवली प्रसाद चौबे से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।धनराशि रू० 145350.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

66– ग्राम पंचायत – लहडरा विकास खंड – रामनगर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –102 ग्राम पंचायत लहड़रा के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार प्रमाणकविहीन व फर्जी नाव मरम्मत पर व्यय दर्शित करके धनराशि रू० 10000.00 का अपहरण किया गया है इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती राजरानी तथा सचिव श्री सॉवली प्रसाद चौबे से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।धनराशि रू० 10000.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –103 ग्राम पंचायत लहड़रा के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों पर फर्जी प्रमाणकों द्वारा फर्जी व्यय दर्शित करके कुल धनराशि रू० 84000.00 का अपहरण किया गया है इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती राजरानी तथा सचिव श्री सॉवली प्रसाद चौबे से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 84000.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

आपत्ति संख्या –104 ग्राम पंचायत लहड़रा के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में फर्जी हैंडपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय दर्शित करके कुल धनराशि रू० 30000.00 का अपहरण किया गया है इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती आराधना पाण्डेय तथा सचिव श्री साँवली प्रसाद चौबे से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 30000.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4)**

67– ग्राम पंचायत – नहरवल विकास खंड – रामनगर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –105 ग्राम पंचायत नहरवल के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे राज्य वित्त तथा केंद्र वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न मदों के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 176800.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके तथा अनधिकृत व्यक्तियों को भुगतान करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुभद्रा देवी तथा सचिव श्री अमर वहादुर से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। धनराशि रू०176800.00
(मूल आपत्ति संख्या 2)

68– ग्राम पंचायत – बेहटा विकास खंड – रामनगर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –106 ग्राम पंचायत बेहटा के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में ईंट क्रय, टंकी निर्माण तथा नाव क्रय आदि विभिन्न मदों पर दर्शित व्ययों रू० 134410.00 की पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत न कर फर्मों को एकाउन्ट पेई चेक से भुगतान न करके, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन, प्रस्ताव रजिस्टर एवं एम0बी0 प्रस्तुत न करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार तथा सचिव श्री साँवली प्रसाद चौबे मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। धनराशि रू०134410.00**(मूलआपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –107 ग्राम पंचायत बेहटा के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे प्रधान द्वारा अपने व्यक्तिगत खाते में धनराशि ट्रांसफर कर तथा आहरित धनराशियो के सापेक्ष कैश बुक में कोई व्यय दर्शित न करके कुल धनराशि रू० 84300.00 का अपहरण किया गया। उक्त आहरण की पुष्टि मे कार्यवाही रजिस्टर, एम0बी0, तकनीकी स्वीकृति, उपभोग प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार तथा सचिव श्री साँवली प्रसाद चौबे मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 84300.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

आपत्ति संख्या –108 ग्राम पंचायत बेहटा के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में आहरित धनराशियों रू० 119170.00 को अनाधिकृत व्यक्तियों को भुगतान कर तथा फर्जी व्यय दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार तथा सचिव श्री साँवली प्रसाद चौबे से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 119170.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4)**

69– ग्राम पंचायत – त्रिलोकपुर विकास खंड – रामनगर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –109 ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न तिथियों पर दर्शित व्ययों रू० 617050.00 का भुगतान बिना प्रमाणक के करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है तथा बिना निर्माण एवं नियोजन समिति के स्वीकृति के, स्टाक पंजिका, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना कार्य कराकर अनियमितता की गई है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल तथा सचिव श्री चिन्ताराम चतुर्वेदी व श्री अमरबहादुर सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 617050.00
(मूल आपत्ति संख्या 2)

आपत्ति संख्या –110 ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में विभिन्न फर्मों को बिना प्रमाणक, एम0बी0 स्टाक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किये बिना भुगतान पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धनराशि रू० 52032.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल तथा सचिव श्री चिन्ताराम चतुर्वेदी व श्री अमरबहादुर सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 52032.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

आपत्ति संख्या –111 ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार सोलर लाईट क्रय प्रमाणक विहीन भुगतान करके तथा बिना प्रस्ताव के तथा फर्म को नकद भुगतान कर भुगतान पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर

उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धनराशि रू० 34000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल तथा सचिव श्री चिन्ताराम चतुर्वेदी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 34000.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

70– ग्राम पंचायत – गनेशपुर विकास खंड – रामनगर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –112 ग्राम पंचायत गनेशपुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न कार्यों के नाम पर अनाधिकृत व्यक्तियों को भुगतान करके तथा फर्जी व्यय दर्शित करके धनराशि रू० 95000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री शिवराम तथा सचिव श्री साँवली प्रसाद चौबे से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 95000.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –113 ग्राम पंचायत गनेशपुर के वर्ष 2015–16 के कोषबही के अनुसार विभिन्न कार्यों के नाम पर अनाधिकृत व्यक्तियों को भुगतान करके तथा व्यय दर्शित धनराशि रू० 102800.00 का प्रमाणक विहीन भुगतान करके तथा बिना प्रस्ताव के तथा फर्म को नकद भुगतान कर भुगतान पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धनराशि रू० 205600.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री शिवराम (पूर्व प्रधान) श्री प्रवीण कुमार (वर्तमान प्रधान) तथा सचिव श्री साँवली प्रसाद चौबे से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 205600.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

71– ग्राम पंचायत – सकौली विकास खंड – बनीकोडर जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –114 ग्राम पंचायत सकौली के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे बिभिन्न विभिन्न खडंजा कार्य व नाली निर्माण हेतु में किये गये आहरण की पुष्टि में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर, मानको से अधिक ईंट क्रय दर्शाकर, बिना टेण्डर कोटेशन प्राप्त किये, बिना स्टाक पंजिका, बिना अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, बिना एम0बी0, बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये कार्यों पर भुगतान करके पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 285995.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री जगराना तथा सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है धनराशि रू० 285995.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

72– ग्राम पंचायत – सुल्तानपुर विकास खंड – बंकी जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –115 ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे बिभिन्न कार्यों हेतु किये गये आहरण की पुष्टि में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 286992.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती तथा सचिव श्री रामचन्द्र मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 286992.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –116 ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के वर्ष 2015–16 के कोशबही मे माह अक्टूबर 2015 के व्यय पक्ष को कूट रचना कर योग अधिक दर्शित कर धनराशि रू० 500.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती तथा सचिव श्री रामचन्द्र मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 500.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

73– ग्राम पंचायत – निगरी विकास खंड – बंकी जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –117 ग्राम पंचायत निगरी के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार खडंजा मरम्मत कार्य (कल्लू के खेत से प्रकाश के घर तक) पर ईट क्रय के भुगतान की पुष्टि में संबन्धित फर्म का बिल /बाउचर के स्थान पर फर्जी/ कूट रचित बिल/ बाउचर प्रस्तुत कर धनराशि रू० 141360.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती मिथिलेश तथा सचिव श्री राम सहत से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 141360.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –118 ग्राम पंचायत निगरी के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार खडंजा मरम्मत कार्य (कल्लू के खेत से प्रकाश के घर तक) पर फर्जी ईट क्रय के सापेक्ष, फर्जी मजदूरी का भुगतान दर्शित कर धनराशि रू० 29463.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती मिथिलेश तथा सचिव श्री राम सहत से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 29463.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

74– ग्राम पंचायत – ढ़कौली विकास खंड – बंकी जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –119 ग्राम पंचायत ढ़कौली के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार प्रशासनिक मद मे प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि

रू० 4075.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सरोज कुमार सिंह तथा सचिव श्री सतनाम वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 4075.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

75– ग्राम पंचायत – पारा खंदौली विकास खंड – बंकी जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –120 ग्राम पंचायत पारा खंदौली के वर्ष 2015–16 के कोशबही के विभिन्न तिथियों में विभिन्न मदों पर फर्जी तथा कूट रचित बिलध बाउचर प्रस्तुत कर व्यय दर्शित कुल धनराशि रू० 47175.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम बिलास तथा सचिव श्री सतनाम वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 47175.00**(मूल आपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –121 ग्राम पंचायत पारा खंदौली के वर्ष 2015–16 के कोशबही के विभिन्न तिथियों में विभिन्न मदों प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 111306.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम बिलास व ज्ञान सिंह यादव तथा सचिव श्री सतनाम वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 111306.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

76– ग्राम पंचायत – गोकुलपुर विकास खंड – बंकी जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –122 ग्राम पंचायत गोपालपुर के वर्ष 2015–16 के कोशबही के विभिन्न तिथियों में विभिन्न मदों प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 35280.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री जगदीश प्रसाद तथा सचिव श्री रामसहन से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। धनराशि रू० 35280.00**(मूल आपत्ति संख्या 2)**

77– ग्राम पंचायत – मुस्तफाबाद विकास खंड – हैदरगढ़ जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –123 ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद के वर्ष 2015–16 के कोशबही मे ग्राम निधि का बैंक खाता बन्द होने के अन्तराल में बैंक अधिकारियों से दुरभिसंधि कर, विभिन्न तिथियों में धनराशि आहरण कर विभिन्न मदों पर फर्जी भुगतान करके कुल धनराशि रू० 205000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती अमीना तथा सचिव श्री राजकिशोर शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 205000.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –124 ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण सामग्रियों के क्रय व मजदूरी भुगतान पर प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 103006.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती अमीना तथा सचिव श्री राजकिशोर शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 103006.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

78– ग्राम पंचायत – सिधियावाँ विकास खंड – हैदरगढ़ जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –125 ग्राम पंचायत सिधियावाँ के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार बिना मजदूरी पर व्यय दर्शित किये, फर्जी ह्ययूम पाईप क्रय पर भुगतान दर्शित कर कुल धनराशि रू० 26325.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों पूर्व ग्राम प्रधान श्री गंगाराम तथा सचिव श्री विनय कुमार शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 26325.00**(मूल आपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –126 ग्राम पंचायत सिधियावाँ के वर्ष 2015–16 के कोशबही में दर्शित खडंजा मरम्मत कार्य (अनीष के दरवाजे पर) पर फर्जी मस्टर रोल द्वारा भुगतान कर कुल धनराशि रू० 10296.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों पूर्व ग्राम प्रधान श्री गंगाराम तथा सचिव श्री विनय कुमार शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 10296.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

आपत्ति संख्या –127 ग्राम पंचायत सिधियावाँ के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में विभिन्न स्थलों पर हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 37500.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों पूर्व ग्राम प्रधान श्री गंगाराम तथा सचिव श्री विनय कुमार शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 37500.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4)**

79– ग्राम पंचायत – नरौली विकास खंड – हैदरगढ़ जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –128 ग्राम पंचायत नरौली के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में में विवरणरहित, प्रमाणविहीन ईट क्रय का भुगतान दर्शित कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 217600.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार तथा सचिव श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है धनराशि रू० 217600.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –129 ग्राम पंचायत नरौली के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार बैंक खाते से धन आहरित करने हेतु ग्राम प्रधान द्वारा अपने नाम से चेक निर्गत कर प्रमाणकविहीन व्यय दर्शित कर कुल धनराशि रू० 25000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार तथा सचिव श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 25000.00**(मूल आपत्ति संख्या 3)**

80– ग्राम पंचायत – चकौरा विकास खंड – हैदरगढ़ जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –130 ग्राम पंचायत चकौरा के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार खडंजा मरम्मत कार्य (बैजनाथ के दरवाजे पर) पर फर्जी एवं काल्पनिक ढंग से मस्टर रोल प्रस्तुत कर कुल धनराशि रू० 14040.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री मंशाराम तथा सचिव श्री विनय कुमार शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 14040.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –131 ग्राम पंचायत चकौरा के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार नाली मरम्मत (करमचंद के दरवाजे पर) पर निर्माण सामग्रियों के क्रय के फर्जी एवं कूट रचित कैश मेमो द्वारा क्रय दर्शाकर उक्त कार्य पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रू० 36000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री मंशाराम तथा सचिव श्री विनय कुमार शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 36000.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

81– ग्राम पंचायत – रानीपुर विकास खंड – हैदरगढ़ जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –132 ग्राम पंचायत रानीपुर के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में प्रमाणक विहीन ईट क्रय पर भुगतान दर्शित कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 112280.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री जयराम तथा सचिव श्री राज किशोर शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 112280.00

(मूल आपत्ति संख्या 2)

आपत्ति संख्या –133 ग्राम पंचायत रानीपुर के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत पर प्रमाणक विहीन भुगतान दर्शित कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 26082.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री जयराम तथा सचिव श्री राज किशोर शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।धनराशिरू०26082.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

आपत्ति संख्या –134 ग्राम पंचायत रानीपुर के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार मिट्टी पटाई पर प्रमाणविहीन भुगतान दर्शित कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 27300.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री जयराम तथा सचिव श्री राज किशोर शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 27300.00

(मूल आपत्ति संख्या 4)

आपत्ति संख्या –135 ग्राम पंचायत रानीपुर के वर्ष 2015–16 के कोशबही मे वर्षान्त में प्रधान द्वारा धनराशि हस्तगत कर व अपने पास रोक कर धनराशि रू० 30000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री जयराम से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।धनराशि रू०30000.00**(मूल आपत्ति संख्या 4)**

82– ग्राम पंचायत – गंगौली विकास खंड – दरियाबाद जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –136 ग्राम पंचायत गंगौली के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार मोरंग क्रय पर प्रमाणविहीन नकद भुगतान कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू०

10000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री श्यामलाल तथा सचिव श्री चंद्रशेखर वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 10000.00**(मूल आपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –137 ग्राम पंचायत गंगौली के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार खड़ंजा मरम्मत व नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान हेतु आहरित धनराशि बिना मस्टर रोल प्रस्तुत किये करके तथा बिना प्रस्ताव, बिना निर्माण समिति की स्वीकृति के तथा बिना स्टाक पंजिका के, भुगतान कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 24090.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री श्यामलाल तथा सचिव श्री चंद्रशेखर वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 24090.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

आपत्ति संख्या –138 ग्राम पंचायत गंगौली के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार बालू क्रय पर प्रमाण विहीन नकद भुगतान कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 10000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री श्यामलाल तथा सचिव श्री चंद्रशेखर वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 10000.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4)**

आपत्ति संख्या –139 ग्राम पंचायत गंगौली के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार तालाब भराई के नाम पर व्यय दर्शित धनराशि को प्रधान द्वारा अपने खाते मे हस्तांतरित कर प्रमाणक विहीन भुगतान कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 10500.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री श्यामलाल तथा सचिव श्री चंद्रशेखर वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है धनराशि रू०10500.00 **(मूल आपत्ति संख्या 5)**

आपत्ति संख्या –140 ग्राम पंचायत गंगौली के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु सामग्री क्रय के नाम पर व्यय दर्शित धनराशि को प्रधान् द्वारा अपने खाते मे हस्तांतरित कर व प्रमाणक विहीन भुगतान कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 57245.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री श्यामलाल तथा सचिव श्री चंद्रशेखर वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 57245.00 **(मूल आपत्ति संख्या 5)**

83– ग्राम पंचायत –किला बेलहरी विकास खंड – दरियाबाद जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –141 ग्राम पंचायत किला बेलहरी के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार अप्रैल 2015 मे ईंट क्रय तथा हैंडपम्प मरम्मत सामग्री क्रय पर प्रमाणविहीन भुगतान कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 52600.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री भदई तथा सचिव श्री चंद्रशेखर वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 52600.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4)**

आपत्ति संख्या –142 ग्राम पंचायत किला बेलहरी के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार दिनांक 07–05–2015 को मिट्टी पटाई पर प्रमाणविहीन व अनधिकृत फर्म को भुगतान कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 15300.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री भदई तथा सचिव श्री चंद्रशेखर वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 15300.00 **(मूल आपत्ति संख्या 5)**

आपत्ति संख्या –143 ग्राम पंचायत किला बेलहरी के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार तालाब भराई के नाम पर फर्जी व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रू० 22000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री भदई तथा सचिव श्री चंद्रशेखर वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 22000.00 **(मूल आपत्ति संख्या 6)**

आपत्ति संख्या –144 ग्राम पंचायत किला बेलहरी के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे ईंट क्रय पर प्रमाणक विहीन भुगतान कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल

धनराशि रू० 32000.00 का अपहरण किया गया है तथा इस ईंट क्रय से संबंधित स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रही, जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री भदई तथा सचिव श्री चंद्रशेखर वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।धनराशि रू० 32000.00**(मूल आपत्ति संख्या 7)**

84– ग्राम पंचायत –जमीना विकास खंड – दरियाबाद जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –145 ग्राम पंचायत जमीना के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे विभिन्न मदों मे प्रमाणक विहीन भुगतान कर तथा फर्म को नकद भुगतान कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 35000.00 का अपहरण किया गया है तथा इस ईंट क्रय से संबंधित स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रही, जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी तथा सचिव श्री चंद्रशेखर वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 35000.00

(मूल आपत्ति संख्या 12)

आपत्ति संख्या –146 ग्राम पंचायत जमीना के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार दिनांक 12–06–2015 को तालाब भराई के नाम पर प्रमाणक विहीन व बिना प्रस्ताव के भुगतान कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 10000.00 का अपहरण किया गया है तथा इस ईंट क्रय से संबंधित स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रही, जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी तथा सचिव श्री चंद्रशेखर वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 10000.00

(मूल आपत्ति संख्या 13)

85– ग्राम पंचायत – उधौली विकास खंड – मसौली जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –147 ग्राम पंचायत उधौली के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे सोलर लाइट क्रय हेतु उपलब्ध न्यूनतम दर से अधिक दरों पर सोलर लाईटो के क्रय करके व नकद भुगतान कर व्यय दर्शित कुल धनराशि रू० 110000.00 का अपहरण किया गया है तथा इस ईंट क्रय से संबंधित स्टॉक पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रहे , जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री महेश प्रसाद तथा सचिव श्री दिनेश प्रसाद से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 110000.00

(मूल आपत्ति संख्या 2)

आपत्ति संख्या –148 ग्राम पंचायत उधौली के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत कराए गए सी०सी० रोड निर्माण हेतु विभिन्न तिथियों मे किए गए भुगतान के सापेक्ष निर्माण पत्रवाली अप्रस्तुत रहने से प्रमाणक विहीन भुगतान होने के कारण यहाँ पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 271663.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री महेश प्रसाद तथा सचिव श्री दिनेश प्रसाद से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 271663.00

(मूल आपत्ति संख्या 3)

86– ग्राम पंचायत – सरायकायस्थान विकास खंड – मसौली जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –149 ग्राम पंचायत सरायकायस्थान के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे निर्माण सामग्री क्रय तथा मजदूरी भुगतान पर दर्शित व्यय की पुष्टि मे प्रमाणक विहीन भुगतान कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 257791.00 का अपहरण किया गया है तथा इस ईंट क्रय से संबंधित स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रही, जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री जियालाल तथा सचिव श्री अरविन्द कुमार गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।धनराशि रू० 257791.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

87– ग्राम पंचायत – बराइन विकास खंड –पूरेडलई जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –150 ग्राम पंचायत बराइन के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे ईंट क्रय पर प्रमाणक विहीन भुगतान कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 114600.00 का अपहरण किया गया है तथा इस ईंट क्रय से संबंधित स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रही, जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री शिवशंकर तथा सचिव श्री सुखलाल से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 114600.00 **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

आपत्ति संख्या –151 ग्राम पंचायत बराइन के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे मिट्टी पटाई पर प्रमाणक विहीन भुगतान कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 70500.00 का अपहरण किया गया है तथा उक्त कार्य का उपभोग प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री शिवशंकर तथा सचिव श्री सुखलाल से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 70500.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

आपत्ति संख्या–152 ग्राम पंचायत बराइन के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर प्रमाणक विहीन भुगतान कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 99500.00 का अपहरण किया गया है तथा उक्त कार्य का उपभोग प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री शिवशंकर तथा सचिव श्री सुखलाल से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 99500.00 **(मूल आपत्ति संख्या 4)**

88– ग्राम पंचायत –इटहवापूर्व विकास खंड –पूरेडलई जनपद – बाराबंकी

आपत्ति संख्या –153 ग्राम पंचायत इटहवापूर्व के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे विभिन्न मदों पर प्रमाणक विहीन भुगतान कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 192900.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती राजरानी सिंह तथा सचिव श्री सुखलाल से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 192900.00

(मूल आपत्ति संख्या 2)

आपत्ति संख्या –154 ग्राम पंचायत इटहवापूर्व के वर्ष 2015–16 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे खड़ंजा निर्माण कार्य पर ट्रॉली से मिट्टी पटाई कार्य पर प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36–37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन करके कुल धनराशि रू० 22900.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती राजरानी सिंह तथा सचिव श्री सुखलाल से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । धनराशि रू० 22900.00 **(मूल आपत्ति संख्या 3)**

जनपद –सुल्तानपुर

<u>प्रारूप– 4</u>

1– ग्राम पंचायत – मीरपुर सरैया विकास खण्ड– जय सिंह वर्ष– 2016–17

<u>प्रस्तर – 1</u>लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में रू0 86664.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय अनियमित ढंग से दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, डिलेवरी चालान बिल, कैशमेमो (सेल टैक्स कटौती का विवरण) सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 86664.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 43332.00 की वसूली ब्याज सहित ग्रा.पं.वि.अ. एवं रू0 43332.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती से की जानी अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0–17)**

2– ग्राम पंचायत – कटकौली विकास खण्ड– दूबेपुर वर्ष– 2016–17

<u>प्रस्तर – 2</u>आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से सोलर लाइट स्थापना पर रू0 198900.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।_उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 198900.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 99450.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय एवं रू0 99450.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री दुर्गेश कुमार शुक्ल से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–6)**

<u>प्रस्तर – 3</u>आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट पर रू0 89600.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 89600.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 44800.00 की

वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय एवं रू0 44800.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री दुर्गेश कुमार शुक्ल से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–7)**

प्रस्तर – 4आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 56000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 56000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 28000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र नाथ पाण्डेय एवं रू0 28000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री दुर्गेश कुमार शुक्ल से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–8)**

प्रस्तर – 5 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से ह्यूम पाइप पर रू0 71184.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 71184.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 35592.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय एवं रू0 35592.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री दुर्गेश कुमार शुक्ल से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–9)**

प्रस्तर –6 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से एम0डी0एम0 शेड निर्माण पर रू0 142640.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 142640.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 71320.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय एवं रू0 71320.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री दुर्गेश कुमार शुक्ल से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–10)**

3– ग्राम पंचायत – लोहरामऊ विकास खण्ड– दूबेपुर वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 7 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 480000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 480000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 240000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र सिह एवं रू0 240000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–7)**

प्रस्तर –8 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट स्थापना पर रू0 157500.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 157500.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 78750.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र सिह एवं रू0 78750.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–8)**

प्रस्तर – 9आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से सोलर लाइट स्थापना पर रू0 385370.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 385370.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 192685.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र सिह एवं रू0 192685.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–9)**

प्रस्तर – 10आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से ह्यूम पाइप पर रू0 121390.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 121390.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 60695.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र सिह एवं रू0 60695.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–10)**

<u>प्रस्तर – 11</u>आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से एम0डी0एम0 शेड निर्माण पर रू0 69617.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 69617.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 34808.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र सिह एवं रू0 34808.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–11)**

4– ग्राम पंचायत – लोलेपुर विकास खण्ड– दूबेपुर वर्ष– 2016–17

<u>प्रस्तर – 12</u>आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से अन्त्येष्टि स्थल निर्माण पर रू0 2200000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 2200000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 1100000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश मिश्र एवं रू0 1100000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री फरीदा से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–11)**

<u>प्रस्तर – 13</u> आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्पन पाइप पर रू0 220505.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 220505.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 110252.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश मिश्र एवं रू0 110252.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री फरीदा से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–12)**

<u>प्रस्तर – 14</u>आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से एम0डी0एम0 शेड स्थापना पर रू0 130922.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 130922.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 65461.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश मिश्र एवं रू0 65461.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री फरीदा से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–13)**

<u>प्रस्तर – 15</u> आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट स्थापना एवं लाइट मरम्मत पर रू0 241850.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 241850.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 120925.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश मिश्र एवं रू0 120925. 00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री फरीदा से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–14)**

<u>प्रस्तर – 16</u> आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 59765.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 59765.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 29882.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश मिश्र एवं रू0 29882.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री फरीदा से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–15)**

5– ग्राम पंचायत – नेवादा इसहाकपुर विकास खण्ड– दूबेपुर वर्ष– 2016–17

<u>प्रस्तर – 17</u> आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 20000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 20000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 10000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री देवप्रकाश सिंह एवं रू0 10000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रूखसाना बेगम से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–6)**

<u>प्रस्तर – 18</u> आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्पन/ह्यूम पाइप पर रू0 47000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा

में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 47000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 23500.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री देवप्रकाश सिंह एवं रू0 23500.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रूखसाना बेगम से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–7)**

प्रस्तर – 19आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट पर रू0 109946.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 109946.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 54973.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री देवप्रकाश सिंह एवं रू0 54973.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रूखसाना बेगम से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–8)**

प्रस्तर – 20आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से सोलर लाइट के नाम पर पर रू0 192685.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 192685.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 96342.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री देवप्रकाश सिंह एवं रू0 96342.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रूखसाना बेगम से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–9)**

प्रस्तर – 21आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से खडंजा मरम्मत के नाम पर रू0 39136.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 39136.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 19568.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री देवप्रकाश सिंह एवं रू0 19568.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रूखसाना बेगम से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–10)**

प्रस्तर – 22 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से रू0 329717.00 का व्यय पासबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 329717.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 164858.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री देवप्रकाश सिंह एवं रू0 164858.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रूखसाना बेगम से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–11)**

6– ग्राम पंचायत – ओदरा विकास खण्ड– दूबेपुर वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 23 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लाइट के नाम पर रू0 246185.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 246185.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 123092.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह एवं रू0 123092.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अख्तरूल निशा से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–8)**

प्रस्तर – 24आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 25000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 25000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 12500.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह एवं रू0 12500.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अख्तरूल निशा से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–9)**

प्रस्तर – 25आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से ह्यूम पाइप पर रू0 72000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 72000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 36000.00 की

वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह एवं रू0 36000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अख्तरूल निशा से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–10)**

प्रस्तर – 26 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से एम0डी0एम0 शेड निर्माण पर रू0 128648.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 128648.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 64324.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश मिश्र एवं रू0 64324.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अख्तरूल निशा से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–11)**

7– ग्राम पंचायत – अमिलिया कला विकास खण्ड– दूबेपुर वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 27 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 127370.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 127370.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 63685.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश मिश्र एवं रू0 63685.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया यादव से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–7)**

प्रस्तर – 28 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट पर रू0 222950.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।_उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 222950.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 111475.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश मिश्र एवं रू0 111475.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया यादव से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–8)**

प्रस्तर – 29 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्पन पाइप पर रू0 87588.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 87588.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 43794.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश मिश्र एवं रू0 43794.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया यादव से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–9)**

प्रस्तर – 30 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से नाली निर्माण पर रू0 45845.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 45845.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 22922.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश मिश्र एवं रू0 22922.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया यादव से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–10)**

प्रस्तर – 31आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से एम0डी0एम0 शेड के नाम पर रू0 120371.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 120371.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 60185.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश मिश्र एवं रू0 60185.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया यादव से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–11)**

8– ग्राम पंचायत – अमिलिया खुर्द विकास खण्ड– दूबेपुर वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 32 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 34539.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।_उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 34539.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 17269.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विजय सिंह एवं रू0 17269.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अमर बहादुर यादव से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–8)**

प्रस्तर – 33 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से एम0डी0एम0 शेड निर्माण पर रू0 67800.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 67800.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 33900.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विजय सिंह एवं रू0 33900.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अमर बहादुर यादव से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–9)

प्रस्तर – 34 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लाइट पर रू0 122361.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 122361.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 61180.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विजय सिंह एवं रू0 61180.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अमर बहादुर यादव से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–10)**

9– ग्राम पंचायत – अमहट विकास खण्ड– दूबेपुर वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 35आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से नाली निर्माण के नाम पर रू0 343540.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 343540.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 171770.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय एवं रू0 171770.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती इशरत जहॉ से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–8)**

प्रस्तर – 36आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से खडंजा निर्माण के नाम पर रू0 12300.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 12300.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 6150.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय एवं रू0 6150.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती इशरत जहॉ से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–9)**

प्रस्तर – 37 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 31600.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 31600.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 15800.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय एवं रू0 15800.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती इशरत जहॉ से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–10)**

प्रस्तर – 38 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट पर रू0 204150.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 204150.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 102075.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय एवं रू0 102075.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती इशरत जहॉ से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–11)**

प्रस्तर – 39आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से एम0डी0एम0 शेड निर्माण पर रू0 143750.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।_उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 143750.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 71875.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय एवं रू0 71875.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती इशरत जहॉ से की जानी अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0–12)**

प्रस्तर – 40आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से ह्यूम पाइप पर रू0 19150.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के

नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 19150.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 9575.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय एवं रू0 9575.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती इशरत जहॉ से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–13)**

10– ग्राम पंचायत – बनभोकर विकास खण्ड– प्रतापपुर कमैचा वर्ष– 2015–16

<u>प्रस्तर – 41</u>ग्राम पंचायत का वित्तीय वर्ष 2015–16 में नयी ग्राम पंचायत के रूप में गठन हुआ। ग्राम पंचायत निधि प्रथम में प्रथम किस्त दिनांक 21.03.2016 को प्राप्त हुआ, 31 मार्च 2016 तक खाते में कुल रू0 118838.00 प्राप्त हुआ। जिसमें से दिनांक 30.03.2016 को चेक संख्या 2431 से रू0 48000.00 चेक संख्या 2432 से रू0 48000.00 आहरित हुआ। तात्कालिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता द्वारा उक्त व्यय से सम्बन्धी कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, कार्यवाही पंजिका, कराये गये कार्य का विवरण व्यय प्रमाणक आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षण में बार–बार मांग के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय धनराशि रू0 96000.00 से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने से व्यय की गयी धनराशि अनियमित एवं प्रमाणक विहीन है जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 तथा अधिभार की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः धनराशि रू0 48000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता से एवं रू0 48000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री दुखरन सिंह से किया जाना अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0–02)**

11– ग्राम पंचायत – शेषनपुर विकास खण्ड– प्रतापपुर कमैचा वर्ष– 2016–17

<u>प्रस्तर – 42</u> वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत की कोषबही के व्यय पक्ष में स्टेशनरी क्रय पर रू0 19000.00 व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 19000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती आशा गुप्ता, ग्राम पं. विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–2)**

12– ग्राम पंचायत – ईसीपुर विकास खण्ड– प्रतापपुर कमैचा वर्ष– 2016–17

<u>प्रस्तर – 43</u>वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत की कोषबही के व्यय पक्ष में हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 124525.00 व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 124525.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 62262.50 श्री दुखरन राम, ग्राम पं. विकास अधिकारी से एवं रू0 62262.50 ग्राम प्रधान श्री जमुना प्रसाद मिश्र से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–2)**

<u>प्रस्तर – 44</u> वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत की कोषबही के व्यय पक्ष में हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 91600.00 व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 91600.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 45800.00 श्री धर्मेन्द्र कुमार दुबे, ग्राम पं. विकास अधिकारी एवं रू0 45800.00 श्री जमुना प्रसाद मिश्र, ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–2)**

<u>प्रस्तर – 45</u>वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत की कोषबही के व्यय पक्ष में दिनांक 30.01.2017 को ह्यूम पाइप क्रय पर रू0 60000.00 व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 60000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 30000.00 श्री धर्मेन्द्र कुमार दुबे, ग्राम पं. विकास अधिकारी एवं रू0 30000.00 श्री जमुना प्रसाद मिश्र, ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–3)**

13– ग्राम पंचायत – केवटली विकास खण्ड– धनपतगंज वर्ष– 2016–17

<u>प्रस्तर – 46</u>ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय पर रू0 108960.00 व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 108960.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 54480.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पशुपतिनाथ सिंह एवं रू0 54480.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला सिंह से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–19)**

प्रस्तर – 47ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट क्रय पर रू0 180000.00 व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 180000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 90000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पशुपतिनाथ सिंह एवं रू0 90000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला सिंह से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–20)**

प्रस्तर – 48ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार से खडंजा मरम्मत पर रू0 423974.00 व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 423974.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 211987.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पशुपतिनाथ सिंह एवं रू0 211987.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला सिंह से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–21)**

प्रस्तर – 49ग्राम पंचायत में एम0डी0एम0 शेड के निर्माण मरम्मत पर रू0 131928.00 व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 131928.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 65964.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पशुपतिनाथ सिंह एवं रू0 65964.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला सिंह से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–22)**

प्रस्तर – 50 ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 155490.00 व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 155490.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 77745.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पशु पति नाथ सिंह एवं रू0 77745.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला सिंह से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–23)**

14– ग्राम पंचायत – सेवरा विकास खण्ड– धनपतगंज वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 51ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में खडंजा मरम्मत पर रू0 270180.00 व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 270180.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0135090.00 की वसूली ब्याज सहित सचिव श्री महेश तिवारी एवं रू0 135090.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम अचल से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–19)**

15– ग्राम पंचायत – ब्राहिमपुर विकास खण्ड– धनपतगंज वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 52 ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 39115.00 व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 39115.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 19557.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पशुपति नाथ सिंह एवं रू0 19557.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–19)**

प्रस्तर – 53ग्राम पंचायत में दिनांक 30.03.2017 से धनराशि 86000.00 ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 86000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 43000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पशुपति नाथ सिंह एवं रू0 43000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–20)**

प्रस्तर – 54ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि रू0 135678.00 नाली मरम्मत पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं

किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 135678.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 67839.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पशुपति नाथ सिंह एवं रू0 67839.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–21)**

<u>प्रस्तर – 55</u>ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि रू0 169580.00 खडंजा मरम्मत पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 169580.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 84790.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पशुपति नाथ सिंह एवं रू0 84790.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–22)**

16– ग्राम पंचायत – नरसिंहपुर विकास खण्ड– दोस्तपुर वर्ष– 2016–17

<u>प्रस्तर – 56</u>ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि रू0 312000.00 स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट क्रय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 312000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 156000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती विमला कनौजिया एवं रू0 156000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–19)**

<u>प्रस्तर – 57</u>ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि रू0 112906.00 ह्यूम पाइप क्रय किये जाने पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 112906.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 56453.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती विमला कनौजिया एवं रू0 56453.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–20)**

<u>प्रस्तर – 58</u>ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि रू0 62994.00 यम0डी0यम0 शेड के निर्माण पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 62994.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 31497.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती विमला कनौजिया एवं रू0 31497.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–21)**

<u>प्रस्तर – 59</u> ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि रू0 21500.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 21500.00 का अपहरण किया गया है।अतः धनराशि रू010750.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती विमला कनौजिया एवं रू010750.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–22)**

17– ग्राम पंचायत – कल्यानपुर विकास खण्ड– दोस्तपुर वर्ष– 2016–17

<u>प्रस्तर – 60</u>ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि रू0 80910.00 ह्यूम पाइप क्रय किये जाने पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 80910.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 40455.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमर बहादुर यादव एवं रू0 40455.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री हरिसहाय से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–19)**

<u>प्रस्तर – 61</u>ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि रू0 140000.00 सोलर लाइट क्रय किया जाना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय

प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 140000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 70000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमर बहादुर यादव एवं रू0 70000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री हरिसहाय से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–20)**

<u>प्रस्तर – 62</u> ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि रू0 168225.00 यम0डी0एम0 शेड के निर्माण एवं स्कूल शौचालयों की मरम्मत पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 168225.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 84112.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमर बहादुर यादव एवं रू0 84112.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री हरिसहाय से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–21)**

<u>प्रस्तर – 63</u> ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि रू0 32022.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 32022.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 16011.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमर बहादुर यादव एवं रू0 16011.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री हरिसहाय से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–22)**

18– ग्राम पंचायत – सुखउपुर अशरफपट्टी विकास खण्ड– दोस्तपुर वर्ष– 2016–17

<u>प्रस्तर – 64</u> ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि रू0 99000.00 ह्यूम पाइप क्रय किये जाने पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 99000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 49500.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती विमला कनौजिया एवं रू0 49500.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–19)**

<u>प्रस्तर – 65</u> ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि रू0 136088.00 स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट क्रय किया जाना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 136088.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 68044.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती विमला कनौजिया एवं रू0 68044.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–20)**

<u>प्रस्तर – 66</u>ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि रू0 194559.00 यम0डी0यम0 शेड के निर्माण एवं स्कूल शौचालयों की मरम्मत पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 194559.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 97279.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती विमला कनौजिया एवं रू0 97279.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–21)**

<u>प्रस्तर – 67</u>ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि रू0 106290.00 खड़न्जा मरम्मत पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 106290.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 53145.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती विमला कनौजिया एवं रू0 53145.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–22)**

<u>प्रस्तर – 68</u> ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि रू0 25630.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 25630.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 12815.00 की वसूली

ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती विमला कनौजिया एवं रू0 12815.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–23)**

प्रस्तर – 69ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से मनरेगा में कार्य कराकर धनराशि रू0 420787.00 पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 420787.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 210393.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती विमला कनौजिया एवं रू0 210393.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–24)**

19– ग्राम पंचायत – जूडूपुर विकास खण्ड– कुड़वार वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 70ग्राम पंचायत में दिनांक 30.01.2017 को रू0 99460.00 ह्यूम पाइप पर क्रय किया जाना कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 99460.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 49730.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी एवं रू0 49730.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा से किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–9)**

20– ग्राम पंचायत – नौगवांरायतासी विकास खण्ड– कुड़वार वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 71ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में रू0 453190.00 ह्यूम पाइप पर क्रय किया जाना कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 453190.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 226595.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती दुर्गा देवी एवं रू0 226595.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती तारा सिंह से किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–9)**

21– ग्राम पंचायत – नौगवांतीर विकास खण्ड– कुड़वार वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 72ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में रू0 125760.00 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत कराने पर व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 125760.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 62880.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश मिश्रा एवं रू0 62880.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रणभद्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–9)**

22– ग्राम पंचायत – पिपरी विकास खण्ड– कुड़वार वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 73ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में रू0 252965.00 सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट क्रय एवं मरम्मत कराने पर व्यय किया जाना दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 252965.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 126482.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती दुर्गा देवी एवं रू0 126482.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती नाजिया से किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–9)**

23– ग्राम पंचायत – डोमापुर विकास खण्ड– अखण्डनगर वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 74आलोच्य वर्ष 2016–17 की कोषबही में विभिन्न मदों में व्यय हेतु धनराशि रू0 116000.00 का भुगतान किसी फर्म/व्यक्ति को करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 116000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री रामशब्द रू0 58000.00 एवं सचिव श्री राधेश्याम रू0 58000.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–25)**

प्रस्तर – 75आलोच्य वर्ष 2016–17 की कोषबही में दिनांक 02.02.2017 को रू0 10000.00 प्रा.पा. पर रैम्प निर्माण पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर

धनराशि रू0 10000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री रामशब्द रू0 5000.00 एवं सचिव श्री राधेश्याम रू0 5000.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–26)**

24– ग्राम पंचायत – हरथुआ बभनपुर विकास खण्ड– अखण्डनगर वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 76 आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 185644.00 स्ट्रीट लाइट हेतु व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, डिलेवरी चालान, कैशमेमो, बिल सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 185644.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री सुशील कुमार द्विवेदी रू0 92822.00 एवं सचिव श्री राम लवट विश्वकर्मा रू0 92822.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–21)**

प्रस्तर – 77आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न कार्यों में रू0 56382.00 मजदूरी हेतु व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 56382.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री सुशील कुमार द्विवेदी रू0 28191.00 एवं सचिव श्री राम लवट विश्वकर्मा रू0 28191.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–22)**

प्रस्तर – 78आलोच्य वर्ष की कोषबही में दिनांक 31.03.2017 को चेक सं0 83 द्वारा अमन निर्माण स्टोर को रू0 26225.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 26225.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री सुशील कुमार द्विवेदी रू0 13112.50 एवं सचिव श्री राम लवट विश्वकर्मा रू0 13112.50 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–23)**

25– ग्राम पंचायत – नगरी विकास खण्ड– अखण्डनगर वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 79आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 402358.00 विभिन्न फर्मों को भुगतान करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, डिलेवरी चालान, कैशमेमो सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 402358.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्रीमती राम देवी रू0 201179.00 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार यादव रू0 201179.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–22)**

प्रस्तर – 80 आलोच्य वर्ष की कोषबही में दिनांक 27.10.2016 को जय मां वैष्णो ट्रेडर्स से रू0 71250.00 की ह्यूम पाइप क्रय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 71250.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्रीमती राम देवी रू0 35625.00 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार यादव रू0 35625.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–23)**

26– ग्राम पंचायत – बारी सहिजन विकास खण्ड– अखण्डनगर वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 81आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न कार्यों पर ग्राम निधि प्रथम से रू0 23501.00 मजदूरी का भुगतान करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 23501.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री विनोद दूबे रू0 11750.50 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राम लवट विश्वकर्मा रू0 11750.50 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–24)**

प्रस्तर – 82 आलोच्य वर्ष में दिनांक 24.06.2016 को रू0 10000.00 विनोद उपाध्याय ट्रेडर्स को हैण्डपम्प मरम्मत हेु सामग्री क्रय हेतु भुगतान करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, डिलेवरी चालान, कैशमेमो सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 10000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री विनोद दूबे रू0 5000.00 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राम लवट विश्वकर्मा रू0 5000.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–25)**

27– ग्राम पंचायत – परसुरामपुर विकास खण्ड– लम्भुआ वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 83 आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों को मनरेगा योजना के अन्तर्गत गुलाब के घर से कान्वेंट स्कूल तक मिट्टी खडंजा कार्य पर अनियमित ढंग से रू0 149118.00 व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टेण्डर/कोटेशन सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 149118.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री राम अचल रू0 74559.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती संगीता पाल रू0 74559.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–21)**

28– ग्राम पंचायत – बेलौना पश्चिम विकास खण्ड– लम्भुआ वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 84 आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 116748.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 116748.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री असफाक हुसैन रू0 58374.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 58374.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–20)**

प्रस्तर – 85आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 292500.00 सोलर लाइट स्थापना पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 292500.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री असफाक हुसैन रू0 146250.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 146250.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–21)**

प्रस्तर – 86आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 214500.00 स्ट्रीट लाइट स्थापना एवं मरम्मत पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 214500.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री असफाक हुसैन रू0 107250.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 107250.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–22)**

प्रस्तर – 87आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 113375.00 ह्यूम पाइप क्रय पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 113375.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री असफाक हुसैन रू0 56687.50 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 56687.50 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–23)**

29– ग्राम पंचायत – शंकरपुर विकास खण्ड– लम्भुआ वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 88 आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 198000.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 198000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती बबना देवी रू0 99000.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 99000.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–20)**

प्रस्तर – 89 आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 202500.00 सोलर लाइट स्थापना पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 202500.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती बबना देवी रू0 101250.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 101250.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–21)**

प्रस्तर – 90 आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 175500.00 स्ट्रीट लाइट स्थापना एवं मरम्मत पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 175500.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती बबना देवी रू0 87750.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 87750.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–22)**

प्रस्तर – 91आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 214361.00 ह्यूम पाइप क्रय पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 214361.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती बबना देवी रू0 107180.50 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 107180.50 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–23)**

30– ग्राम पंचायत – गरवॉ विकास खण्ड– लम्भुआ वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 92आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 287320.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 287320.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती रू0 143660.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 143660.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–20)**

प्रस्तर – 93 आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 270000.00 सोलर लाइट स्थापना पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 270000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती रू0 135000.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 135000.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–21)**

प्रस्तर – 94आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 278875.00 स्ट्रीट लाइट स्थापना एवं मरम्मत पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 278875.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती रू0 139437.50 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 139437.50 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–22)**

31– ग्राम पंचायत – देवलपुर विकास खण्ड– लम्भुआ वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 95आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 187910.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 187910.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम रू0 93955.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 93955.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–20)**

प्रस्तर – 96आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 305500.00 सोलर लाइट स्थापना पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 305500.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम रू0 152750.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 152750.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–21)**

प्रस्तर – 97आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 189700.00 ह्यूम पाइप क्रय पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय

स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 189700.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम रू0 94850.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 94850.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–22)**

प्रस्तर – 98 आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 246610.00 स्ट्रीट लाइट स्थापना एवं मरम्मत पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 246610.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम रू0 123305.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 123305.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–23)**

32– ग्राम पंचायत – सबसुखपुर विकास खण्ड– लम्भुआ वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 99आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 142000.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 142000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री अरविन्द रू0 71000.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवराम रू0 71000.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–20)**

प्रस्तर – 100 आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 45000.00 ह्यूम पाइप क्रय पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 45000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री अरविन्द रू0 22500.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवराम रू0 22500.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–21)**

प्रस्तर – 101आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 82000.00 स्ट्रीट लाइट स्थापना एवं मरम्मत पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 82000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री अरविन्द रू0 41000.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवराम रू0 41000.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–22)**

प्रस्तर – 102आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 28000.00 सोलर लाइट स्थापना पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 28000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री अरविन्द रू0 14000.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवराम रू0 14000.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–23)**

33– ग्राम पंचायत – खुदौली विकास खण्ड– लम्भुआ वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 103आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 212910.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 212910.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री शाहिद अली रू0 106455.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 106455.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–20)**

प्रस्तर – 104आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 292500.00 सोलर लाइट स्थापना पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के

अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 292500.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री शाहिद अली रू0 146250.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 146250.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–21)**

प्रस्तर – 105आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 183000.00 स्ट्रीट लाइट स्थापना एवं मरम्मत पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 183000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री शाहिद अली रू0 91500.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 91500.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–22)**

प्रस्तर – 106आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 250525.00 ह्यूम पाइप क्रय पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 250525.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री शाहिद अली रू0 125262.50 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम राज रू0 125262.50 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–23)**

34– ग्राम पंचायत – बेला सदा विकास खण्ड– भदैयां वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 107आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 101035.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर अनियमित ढंग से व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 101035.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र रू0 50517.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष पाल रू0 50517.50 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–08)**

35– ग्राम पंचायत – औझी विकास खण्ड– भदैयां वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 108आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 48920.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 48920.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती लता रू0 24460.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश श्रीवास्तव रू0 24460.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–08)**

36– ग्राम पंचायत – रामपुर विकास खण्ड– भदैयां वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 109आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न तिथियों में रू0 42850.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय करना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 42850.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री दशरथ रू0 21425.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश श्रीवास्तव रू0 21425.00 से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–09)**

प्रारुप– 4

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ–

जनपद – आजमगढ

प्रस्तर–1ग्राम पंचायत–ढोलीपुर (विकासखण्ड– अजमगतगढ़) (सामान्य आपत्ति संख्या–10)

शासनादेश संख्या– ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनाँक–23/09/2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रुपया 20,000/– तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा 20,001/– से 99,999/– तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा 1,00,000/– से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमन्त्रित करते हुए किया जायेगा किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में क्रय सामग्रियों के क्रय के सम्बन्ध में उक्त नियम का पालन नही किया गया है।

क्र0सं0	दिनाँक	क्रय सामग्री	दर	मात्रा	धनराशि	फर्म का नाम
1	25.07.15	ईंट	6.20/नग	8613 नग	53400/–	मे0 महफूज रहमान इाव मोलनापुर
2	27.04.16	ईंट	6.2/नग	6120 नग	44144/–	––

3	09.05.16	ईट	6.5/नग	3250 नग	21125/–	––
4	17.06.16	सोलर लाइट	28500/नग	03 नग	85500/–	मे0शिवांगी कं0
5	05.07.16	सोलर लाइट	28500/नग	2 नग	57000/–	––
6	21.02.16	ईंट	6.5/नग	7500 नग	48750/–	मे0दाऊद कं0 ढोलीपुर
7	21.03.17	ईंट	6.5/नग	7650 नग	49725/–	–––

उपर्युक्त सामग्री के क्रय हेतु ग्राम पंचायत द्वारा कोटेशन/टेंण्डर प्रक्रिया का समुचित पालन न करते हुए गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए ग्राम प्रधान क्रमशः श्री महमूद आलम, श्री मती शमा अफरोज तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री अभयराय एंव श्री सुरेशराम समान रुप से जिम्मेदार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–2ग्राम पंचायत–टेकनपुर (विकासखण्ड– अजमगतगढ़) (सामान्य आपत्ति संख्या–15)

वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा सोलर लाइट का क्रय कोषबही में दर्शित है विवरण निम्नवत है–

क्र0	**दिनाँक**	**क्रय सामाग्री एवं फर्म का नाम**	**धनराशि**
1	08.08.2016	2 अदद सोलर लाइट,मे0आर0पी0ट्रे0मेघई खास	57,000/–
2	08.08.2016	2 अदद सोलर लाइट,मे0आर0पी0ट्रे0मेघई खास	57,000/–
		योग–	**1,14,000/–**

आपत्तियाँ निम्नवत हैं–

1–व्यय प्रमाणक पर कितने वाट की सोलर लाइट क्रय की गयी है अंकित नही है।

2– सोलर लाइट नेडा से क्रय किया जाना चाहिए। नेडा राजकीय व्यवसायिक संस्था होने के कारण ग्राम पंचायत को अनुदान का लाभ मिलता है।

3– शासनादेश संख्या– ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनाँक–23/09/2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रुपया 20,000/– तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा 20,001/– से 99,999/– तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा 1,00,000/– से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमन्त्रित करते हुए किया जायेगा किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त नियम का पालन न कर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अमलावती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभयराय संयुक्त रुप से जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–3ग्राम पंचायत–जमीन मुहम्मदपुर (वि0ख0–अजमगतगढ़) (सामान्य आपत्ति संख्या–16)

वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा सोलर लाइटों का क्रय कोषवही में निम्नवत दर्शित है–

क्र0 सं0	**दिनाँक**	**क्रय सामाग्री एवं फर्म का नाम**	**धनराशि**
1	16.05.2016	सोलर लाइट,मे0आर0पी0ट्रे0मेघई खास	93,000/–
2	16.05.2016	सोलर लाइट,मे0आर0पी0ट्रे0मेघई खास	93,000/–
3	26.05.2016	सोलर लाइट,मे0आर0पी0ट्रे0मेघई खास	31,000/–
4	26.05.2016	सोलर लाइट,मे0आर0पी0ट्रे0मेघई खास	30,000/–
		योग	**2,47,000/–**

उपर्युक्त सोलर लाइट नेडा से क्रय किया जाना चाहिए था किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा नेडा से क्रय न करके मनमानी तरीके से सोलर लाइट क्रय करके अनियमितता की गयी है। कोषबही में सोलर लाइट की वाट संख्या का भी उल्लेख नही है जिसके लिए प्रधान श्री मोहित पासवान एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय सिंह संयुक्त रुप से जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–4ग्राम पंचायत–जमीन मुहम्मदपुर (विकासखण्ड–अजमगतगढ़) (सामान्य आपत्ति संख्या–17)

वर्ष 2016–17 में दिनाँक 31.01.2007 को गरीब व्यक्तियों को असाध्यरोग के इलाज हेतु रु0– 4108/– की आर्थिक सहायता ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की गयी, कोषबही में दर्शित है गरीब व्यक्ति के सामने उसका नाम व पता अंकित न कर रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है ऐसी स्थिति में ग्राम प्रधान श्री मोहित पासवान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मिली भगत करके अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित संयुक्त रुप से दोनो व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–5ग्राम पंचायत–बेलसर जमीन बेलसर (विकासखण्ड–अजमगतगढ़) (सामान्य आपत्ति संख्या–14)

शासनादेश संख्या– ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनाँक–23/09/2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रुपया 20,000/– तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा 20,001/– से 99,999/– तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा 1,00,000/– से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमन्त्रित करते हुए किया जायेगा किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त नियम का पालन न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया का पालन न करते हुए प्रधान श्रीमती लालमुन्नी व श्री रामजी यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप उपाध्याय व श्री मदनलाल संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नवत है–

क्र0	दिनाँक	क्रय सामग्री	दर	मात्रा	धनराशि	फर्म का नाम
1	09.04.2015	पटिया	360	100 नग	35,960/–	एम.एस ट्रेडर्स
2	17.06.2015	ईट	6.5/नग	6000 नग	39,000/–	––
3	06.08.2015	1–सीमेंट	325/बोरी	31 बोरी	10,075/–	
		2–लालबालू	6250/ट्राली	03 ट्राली	18,750/–	
		3–सफेदबालू	4200/ट्राली	1.5 ट्राली	6,300/–	
		4–गिट्टी	9350/ट्राली	01 ट्राली	9350/–	
		5–ईंट गिट्टी	5600/ट्राली	02 ट्राली	11,200/–	
		6–सरिया	4216/कुन्तल	1.5 कुन्तल	6,325/–	
		योग–			**62,000/–**	
4	09.11.2015	ह्यूम पाइप	3250/नग	11	35,750/–	
5	09.11.2015	पटिया	360/नग	93	33,480/–	
6	07.04.2016	ईंट	6.5/नग	30523 नग	1,98,400/–	अक्सालेट बी.के.ओ.
7	19.09.2016	ईंट	6.5/नग	10276 नग	66,792/–	विजय बहादुर ईंट भठ्ठा सुखमदत्त नगर
8	27.12.2016	ईंट	6.5/नग	5060 नग	32890/–	––
9	31.12.2016	नाली नि0सा0	––	––	42139/–	अभिनेष विल्डिंग मैटेरियल गुलाबनगर
10	23.03.2017	ईंट	6.5/नग	14726 नग	95719/–	विजय बहादुर ईंट भठ्ठा सुखमदत्त नगर
11	27.03.2017	नाली नि0सा0	––	––	58845/–	अभिनेष विल्डिंग मैटेरियल गुलाबनगर
				योग	**7,00,975/**	

प्रस्तर–6ग्राम पंचायत–बेलसर जमीन बेलसर (विकासखण्ड–अजमगतगढ़) (सामान्य आपत्ति संख्या–15)

कोषबही की जाँच में पाया गया कि निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मतकर भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नही बनाया गया है जिससे यह ज्ञात नही हो सका कि किन–किन जगहों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी और उनकी सं0 कितनी है। मरम्मत में बदले गये समान की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नही की गयी है। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37(ज) के अनुसार ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुए व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से किया जाना चाहिए। किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी है। इस प्रकार रुपया 28439.50/– की धनराशि का भुगतान कर दुरुपयोग किया गया है। क्रम सं0 1 पर कुल व्यय की गयी धनराशि रु0 10,809.50/– प्रधान श्री मती लालमुन्नी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप उपाध्याय तथा क्र0सं0 2 व 3 पर कुल व्यय की गयी धनराशि का आधा रु0 17,630/– प्रधान श्री रामजी यादव तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री मदनलाल से वसूल ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है–

क्र0स0	दिनाँक	मरम्मत का विवरण	व्यय धनराशि
1	27.07.2015	10 नग हैण्ड पम्प	21,619/–
2	17.02.2017	हैण्डपम्प मरम्मत	15,425/–
3	17.02.2017	हैण्डपम्प मरम्मत	19,435/–
		योग	**56,879/–**
		आधा	**28,439.50/–**

प्रस्तर–7ग्राम पंचायत–बेलसर जमीन बेलसर (विकासखण्ड–अजमगतगढ़) (सामान्य आपत्ति संख्या–16)

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक– 08.09.2016 को 2,85,000/– की सोलर लाइट आर0पी0 ट्रेडर्स मेघईखास से क्रय की गयी कोषबही में दर्शित है।जबकि लाईट क्रय करने हेतु नेडा उ0प्र0 सरकार द्वारा अधिकृत एजेन्सी है नेडा से सोलर लाईट क्रय न करके उक्त फर्म से मनमानी तरीके से सोलर लाईट क्रय कर अनियमितता की गयी । विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनाँक	क्रय सामग्री व फर्म का नाम	व्यय धनराशि
1	08.09.2016	सोलर लाइट, आर0पी0 ट्रेडर्स मेघईखास	1,42,500/–
2	08.09.2016	सोलर लाइट, आर0पी0 ट्रेडर्स मेघईखास	1,42,500/–
		योग–	**2,85,500/–**

उपर्युक्त के लिए प्रधान श्री रामजी यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मदनलाल जिम्मेदार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–8ग्राम पंचायत–काँखभार (विकासखण्ड–अजमगतगढ़) (सामान्य आपत्ति संख्या–17)

आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान का मानदेय अप्रैल से जून तक दिनांक 30.06.2016 को 3500/– की दर से 3 माह का रुपया 10,500/– प्रदान किया गया। दिनांक 30.10.2016 को जुलाई से अक्टूबर तक का मानदेय 3500/– की दर से 4 माह का 14,000/– प्रधान द्वारा आहरित किया गया। कोषवही में दर्शित है। आपत्ति निम्नवत है–

1– प्रधान मानदेय पंजिका नही बनाया गया है।

2– शासनादेश सं0–3/2016/3038/33–1–2016 दिनांक 22.11.2016 के अनुसार ग्राम प्रधानों का मानदेय रु0 2500/– से बढ़कर 3500/– किया गया है। उक्त नियम का पालन न कर प्रधान श्री दुर्गा प्रसाद एवं सचिव श्री अभयराय ने ग्रामनिधि के रुपया 8000/– की धनराशि का अपहरण किया है जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–9 ग्राम पंचायत–सालेहपुर (विकासखण्ड–अजमगतगढ़) (सामान्य आपत्ति संख्या–11)

शासनादेश संख्या– ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनॉंक–23/09/2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रुपया 20,000/– तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा 20,001/– से 99,999/– तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा 1,00,000/– से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमन्त्रित करते हुए किया जायेगा किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त नियम का पालन नही किया गया है। विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	सामग्री	दर	मात्रा	धनराशि
1	20.08.2013	ईंट	5.1/नग	29000	1,47,900
2	01.11.2013	ईंट	5.2/नग	21875	113750
3	10.12.2013	ह्यूम पाइप	4100/नग	10	41000
4	01.02.2014	ईंट	5.2/नग	13125	68250
5	24.06.2014	ईंट	5.2/नग	21611	112375
6	24.06.2014	ईंट	5.2/नग	7236	37625
7	24.02.2015	पटिया	396/नग	169	66924
8	24.02.2015	पटिया	396/नग	170	67320
9	24.02.2015	पटिया	396/नग	170	67320
10	25.05.2015	ईंट	6.2/नग	16000	99200
11	28.03.2016	ह्यूम पाइप	3600/नग	25	99000
				योग	**920664**

उर्पयुक्त सामग्री के क्रय हेतु ग्राम पंचायत द्वारा कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का समुचित पालन न करते हुए गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री दिनेश राम एंव श्री श्यामजी सिंह तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री भुवनेश तिवारी व श्री मदनलाल समान रुप से जिम्मेदार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–10ग्राम पंचायत–सालेहपुर (विकासखण्ड–अजमगतगढ़) (सामान्य आपत्ति संख्या–12)

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनाँक 07.02.2016 को 57000 की 02 अदद सोलर लाइट रुद्रा कसंट्रक्सन तथा दिनांक 26.12.2016 को जय अम्बे ट्रेडर्स से रु0 85506/– में 03 अदद सोलर लाइट क्रय की गयी। कोषबही मे दर्शित है। सोलर लाइट क्रय करने हेतु नेडा,उ0प्र0 सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी है । नेडा से सोलर लाइट क्रय न करके उक्त फर्म से मनमानी तरीके से सोलर लाइट क्रय कर अनियमितता की गयी है। विवरण निम्नवत है–

क्र0सं0	दिनांक	सामाग्री	दर	मात्रा	धनराशि
1	07.02.2016	सोलर लाइट	28500	02	57000
2	26.12.2016	सोलर लाइट	28500	03	85506
				योग	**142506**

उपर्युक्त के लिए प्रधान श्री श्यामजी सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मदन लाल जिम्मेदार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–11ग्राम पंचायत–दाममहुला (विकासखण्ड–अजमगतगढ़) (सामान्य आपत्ति संख्या–15)

वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा सोलर लाइट का क्रय कोषबही में दर्शित है। विवरण निम्नवत है–

क्र0सं0	दिनांक	क्रय सामाग्री एव फर्म का नाम	धनराशि
1	07.05.2016	01 अदद सोलर लाइट, मे0आर0पी0ट्रेडर्स	28500
2	20.07.2016	02 अदद सोलर लाइट, मे0आर0पी0ट्रेडर्स	57000
3	20.07.2016	02 अदद सोलर लाइट, मे0आर0पी0ट्रेडर्स	57000
		योग	**142500**

आपत्तियाँ निम्नवत् हैं–

1— व्यय प्रमाणक पर कितने वाट की सोलर लाइट क्रय की गयी है अंकित नही है।

2— सोलर लाइट नेडा से क्रय किया जाना चाहिए। नेडा राजकीय व्यवसायिक संस्था है। नेडा से क्रय करने पर ग्राम पंचायत को अनुदान का लाभ मिलता है।

3— शासनादेश संख्या— ए—01—864 / दस—08—15(1) / 86 दिनाँक—23 / 09 / 2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रुपया 20,000 / — तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा 20,001 / — से 99,999 / — तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा 1,00,000 / — से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमन्त्रित करते हुए किया जायेगा किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त नियम का पालन न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अभयनाथ राय तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री अभयराय संयुक्त रुप से जिम्मेदार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—12ग्राम पंचायत—हरसिंहपुर (विकासखण्ड— अजमगतगढ़) (सामान्य आपत्ति संख्या—12)

शासनादेश संख्या— ए—01—864 / दस—08—15(1) / 86 दिनाँक—23 / 09 / 2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रुपया 20,000 / — तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा 20,001 / — से 99,999 / — तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा 1,00,000 / — से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमन्त्रित करते हुए किया जायेगा किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त नियम का पालन न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। टेण्डर / कोटेशन की प्रक्रिया का पालन न करने के लिए प्रधान श्रीमती रीता सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री अभयराय (01.04.2016 से 31.08.2016 तक) तथा श्री सुरेशराम (31.09.2016 से 16.11.2017 तक) संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र0सं0	दिनांक	क्रय सामाग्री	मात्रा	दर	धनराशि
1	24.05.2016	सोलर लाइट	02 नग	28500	57000
2	02.06.2016	सोलर लाइट	03 नग	28500	85500
3	16.03.2017	सोलर लाइट	05 नग	28500	109500
4	18.03.2017	ईंट	5700 नग	6.2 / नग	35340
5	18.03.2017	ईंट	14535 नग	6.2 / नग	90117
6	18.03.2017	ईंट	21033 नग	6.2 / नग	130404
7	31.03.2017	ईंट	31521 नग	6.2 / नग	195430
				योग	**703291**

प्रस्तर—13ग्राम पंचायत—फरीदपुर (विकासखण्ड—अजमगतगढ़) (सामान्य आपत्ति संख्या—15)

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.01.2017 को 65700 की 03 अदद सोलर लाइट आर0 पी0 ट्रेडर्स मेघईखास से क्रय की गयी। कोषबही में दर्शित है। सोलर लाइट के क्रय हेतु सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी नेडा है। नेडा से सोलर लाइट क्रय न करके उक्त फर्म से मनमानी तरीके से सोलर लाइट क्रय कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए प्रधान श्री लौटू चौहान एंव ग्राम विकास अधिकारी श्री मदनलाल जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—14ग्राम पंचायत—डिघवनिया मझौवा (विकासखण्ड—अजमगतगढ़) (सामान्य आपत्ति संख्या—13)

वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में कोषवही की जाँच में पाया गया कि निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत कर भुगतान दर्शित है विवरण निम्नवत् है—

क्र0सं0	दिनांक	मरम्मत का विवरण	धनराशि	क्र0सं0
1	04.04.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	7000 / —	1
2	04.04.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	3552 / —	2
3	21.08.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	622 / —	3
4	21.08.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	4500 / —	4
5	07.05.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	6200 / —	5
6	24.08.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	5000 / —	6
7	24.08.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	5500 / —	7
8	31.01.2017	हैण्डपम्प मरम्मत	22362 / —	8
		य़ोग	**54737 / —**	

आधी धनराशि 27368.50 / —

ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नही बनाया गया है जिससे यह ज्ञात नही हो सका कि किन—किन जगहों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी और उनकी संख्या कितनी है। मरम्मत में बदले गये सामान की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नही की गयी है। उ0प्र0 पंचायत राज अधि0 1947 की धारा 37(ज) के अनुसार ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प

मरम्मत पर हुए व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों से लिया जाना चाहिए किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी है। इस प्रकार रु0 27368.50 की धनराशि का भुगतान कर दुरुपयोग किया गया है। क्रम सं0 01 से 04 तक कुल व्यय की गयी धनराशि का आधा रु0 7837 प्रधान श्रीमती ऊषादेवी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप उपाध्याय तथा क्र0सं0 05से 08 तक कुल व्यय की धनराशि का आधा रु0 19531.50 प्रधान श्री नरसिंह यादव तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप उपाध्याय से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–15ग्राम पंचायत–सारैन (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–15)

वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि पर की जाँच में पाया गया कि दिनांक 28.06.2016 को 28 अदद सोडियम लाइट मरम्मत पर रु0 46025/– भुगतान दर्शित है। जिस पर आपत्तियाँ निम्नलिखित हैं–

1.नियोजन एवं विकास समिति ग्राम सभा हेतु निर्माण कार्यो का प्रस्ताव स्वीकृत कर ग्राम पंचायतों की आम बैठक कर स्वीकृति नही ली गयी है।

2. ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर,चल–अचल सम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर नही बनाया गया है जिससे यह ज्ञात नही हो सका कि सोडियम लाइट मरम्मत का प्रयोग किन–किन जगहों पर किया गया है।

3. मरम्मत पर व्यय धनराशि का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

शासनादेश संख्या 2255/33–3–2005–100(18)/2002 दिनांक 23.06.2005 एवं शासनादेश संख्या 1310/33–3–2010–54/2010 दिनांक 09.06.2010 के अनुसार पंचायतें लैम्प पोस्टो के रख रखाव, ग्राम पंचायत में स्थापित सोडियम लाइट के अनुरंक्षण पर धन व्यय कर सकेंगी। मरम्मत व्यय शासना देशानुसार न करके मनमाने ढंग से धन खारिज कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी है। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

प्रस्तर–16ग्राम पंचायत–सारैन (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–16)

वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि पर की जाँच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है। विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	मरम्मत विवरण	धनराशि	क्र0सं0
1	14.09.2016	03 नग हैण्डपम्प मरम्मत	12000/–	1
2	27.03.2017	06 नग हैण्डपम्प मरम्मत	16820/–	2
		योग	**28820/–**	

आधी धनराशि 14410/–

1–हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नही दिया गया है।

2–ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नही बनाया गया है जिससे यह ज्ञात नही हो सका कि किन–किन जगहों पर हैण्डपम्प मरम्मत की गयी है।

3–मरम्मत में बदले गये सामानों एवं मरम्मत के उपरान्त निकली खराब सामग्री की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नही की गयी है।

4–उ0प्र0 पंचायत राज अधि0 1947 की धारा 37(ज) के अनुसार ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुए व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिनके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिए किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी है। इस प्रकार लाभार्थियों से आधी धनराशि जमा न कराकर रु0 14410/– का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–17 ग्राम पंचायत–सारैन (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–17)

शासनादेश संख्या– ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनाँक–23/09/2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रुपया 20,000/– तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा 20,001/– से 99,999/– तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा 1,00,000/– से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमन्त्रित करते हुए किया जायेगा।वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत सारैन में दिनांक 31.03.2017 को वी.के.कस्ट्रक्सन एवं सप्लायर्स, बूढ़नपुर आजमगढ़ से 05 अदद सोलर लाइट का क्रय रु0 109750/– में बिना टेण्डर आमन्त्रण के किया गया है जो एक गम्भीर अनियमितता है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–18ग्राम पंचायत–कुसुमहरा (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–11)

शासनादेश सं0 2686/36–07–2011–752 पं0रा0जी0ए0/2011 पंचायती राज अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 16.07. 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान के मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान वियरर चेक के माध्यम से नही किया जाय एंव रु0–5000/– या अधिक का भुगतान केवल एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाय। इसके अलावा कुशल एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जाय। इस शासनादेश में प्रधान द्वारा स्वयं धन आहरण करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। ग्राम पंचायत कुसमहरा की रोकड़ बही, बैंक पासबुक एंव अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में यू.बी.आई. बस्ती भुजवल शाखा, अकाउन्ट नं0 454902010006627 से कुल रु0 514020/– का आहरण प्रधान द्वारा वियरर चेक के माध्यम से किया गया है। रोकड़

बही में इसका भुगतान श्रमिकों को नकद मजदूरी विवरण एवं सामाग्री क्रय में दर्शित है। राज्य वित्त एंव 14वां वित्त की धनराशि का बैंक से नकद आहरित करना वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लघन है। इस गम्भीर अनियमितता के लिए प्रधान श्रीनाथ यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामआसरे यादव उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	चेक संख्या	सामाग्री	धनराशी
1	16.06.2014	21032185	ईंट क्रय	60000/–
2	30.06.2014	21032186	ईंट क्रय	33000/–
3	30.06.2014	21032187	ईंट क्रय+मजदूरी	33000/–
4	08.07.2014	21032190	है0प0 मर0+ह्यूम पाइप क्रय+मज0	30000/–
5	16.07.2014	21032194	मजदूरी	26000/–
6	31.10.2014	21033982	सोख्ता निर्माण	30000/–
7	19.12.2014	21033987	सोख्ता निर्माण	18000/–
8	22.12.2014	21033990	ईंट क्रय	46020/–
9	09.03.2015	21033998	सोख्ता निर्माण	72000/–
10	31.03.2015	21039683	सोख्ता निर्माण	56000/–
11	12.05.2015	21039690	ईंट क्रय+मजदूरी	45000/–
12	19.06.2015	21039697	ईंट क्रय	65000/–
	योग			**514020/–**

प्रस्तर–19ग्राम पंचायत–कुसुमहरा (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–12)ग्रामनिधि–I की जाँच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है, विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	मरम्मत विवरण	धनराशि
1	20.05.2014	01 हैण्ड पम्प मरम्मत	3150/–
2	20.05.2014	03 हैण्ड पम्प मरम्मत	11000/–
3	08.07.2014	02 हैण्ड पम्प मरम्मत	9600/–
4	28.07.2014	03 हैण्ड पम्प मरम्मत	17610/–
5	26.05.2015	02 हैण्ड पम्प मरम्मत	11000/–
	03.06.2015	हैण्ड पम्प मरम्मत	10000/–
		योग	**62360/–**

आधी धनराशी 31180/–

1–हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नही दिया गया है।

2–ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नही बनाया गया है जिससे यह ज्ञात नही हो सका कि किन–किन जगहों पर एवं कितनी संख्या में हैण्डपम्प मरम्मत की गयी है।

3–मरम्मत में बदले गये सामानों एवं मरम्मत के उपरान्त निकली खराब सामाग्री की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नही की गयी है।

4–उ0प्र0 पंचायत राज अधि0 1947 की धारा 37(ज) के अनुसार ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुए व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिनके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिए किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी है। इस प्रकार लाभार्थियों से आधी धनराशि जमा न कराकर रु0 31180/– का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीनाथ यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामआसरे यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–20ग्राम पंचायत कुसुमहरा (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–13)

शासनादेश सं0 2686/36–07–2011–752 पं0रा0जी0ए0/2011 पंचायती राज अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 16.07. 2011 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय धन का बैंक से आहरण करने का अधिकार संयुक्त रुप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव को है। कोई अन्य व्यक्ति शासकीय धन का आहरण कर व्यय नही कर सकता है। ग्राम निधि –I की जाँच में पाया गया कि संतोष नामक एक अन्य व्यक्ति द्वारा वर्ष 2016–17 में यू.बी.आई. बस्ती भुजवल शाखा एकाउन्ट नं0– 454902010006627 से कुल रु0 255233/– का आहरण कर खर्च किया गया है। अन्य व्यक्ति द्वारा शासकीय धन का आहरण करना एक गम्भीर अनियमितता है। इस अनियमितता के लिए प्रधान श्रीमती नीलम सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिलराय (तत्कालीन) उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही। विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	चेक संख्या	सामग्री	धनराशि
1	12.09.2016	21042989	हैण्ड पम्प मरम्मत	6980/–
2	12.09.2016	21042987	हैण्ड पम्प मरम्मत	6790/–
3	12.09.2016	21042988	हैण्ड पम्प मरम्मत	8128/–

4	20.09.2016	21042993	मजदूरी	6960/–
5	20.09.2016	21042991	मजदूरी	14790/–
6	20.09.2016	21042992	मजदूरी	14616/–
7	20.09.2016	21042990	मजदूरी	14790/–
8	30.09.2016	21042997	मजदूरी	5046/–
9	30.09.2016	21042995	मजदूरी	14268/–
10	30.09.2016	21042996	मजदूरी	12180/–
11	26.10.2016	10000203	मजदूरी	9069/–
12	26.10.2016	10000201	मजदूरी	9336/–
13	09.03.2017	10000215	मजदूरी	14964/–
14	09.03.2017	10000214	मजदूरी	14964/–
15	10.03.2017	10000218	मजदूरी	14964/–
16	15.03.2017	10000217	मजदूरी	17574/–
17	20.03.2017	21024002	मजदूरी	14964/–
18	20.03.2017	21024001	मजदूरी	17400/–
19	23.03.2017	21024004	मजदूरी	7830/–
20	24.03.2017	21024012	मजदूरी	4950/–
21	24.03.2017	21024009	मजदूरी	5542/–
22	24.03.2017	21024006	मजदूरी	6156/–
23	25.03.2017	21024020	मजदूरी	3582/–
24	25.03.2017	21024018	मजदूरी	5634/–
25	25.03.2017	21020015	मजदूरी	2052/–
26	27.03.2017	100001742	मजदूरी	1704/–
			योग	**255233/–**

प्रस्तर–21ग्राम पंचायत–कुसुमहरा (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–14)

शासनादेश संख्या– ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनाँक–23/09/2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रू0 1,00,000/– से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमन्त्रित करते हुए किया जायेगा। ग्राम पंचायत कुसमहरा की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016–17 में रु0 238851/– का सोलर लाइट क्रय पर भुगतान किया गया है। आपत्तियाँ निम्नवत् हैं–

1–टेण्डर का प्रकाशन स्थानीय अखबार में नही किया गया है।

2–इच्छुक ठेकेदारों से जमानत धनराशि जो कि लागत का 0.5 प्रतिशत है जमा नही कराया गया है।

3–सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री के मूल्य का तुलनात्मक चार्ट नही बनाया गया है।

4–ग्राम सभा का प्रस्ताव एवं व्यय धनराशि पर निर्माण समिति की स्वीकृति नही ली गयी है।

5–क्रय सामाग्री पर 2 प्रतिशत की दर से आयकर रु0 4777.00/– एवं 4.0 प्रतिशत की दर से रु0 9554/– व्यापार कर की कटौती नही की गयी है।

6–नियमानुसार सोलर लाइट का क्रय नेडा से न करके प्राइवेट फर्म से किया गया है। विवरण निम्नवत हैः–

अ–दिनांक 29.03.2017 को त्रिवेणी यादव मेसर्स को 06 अदद सोलर लाइट का भुगतान रु0 128154/–

ब–दिनांक 29.03.2017 को हर्ष कंस्ट्रक्सन को 05 अदद सोलर लाइट का भुगतान रु0 110697/–

बिना टेण्डर आमंत्रण के उपर्युक्त सोलर लाइट के क्रय पर भुगतान करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिलराय (तत्कालीन) उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर–22ग्राम पंचायत–अभयपुर (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–15)

वर्ष 2016–17 के ग्राम निधि–। की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में कुल रु0 1304097/– व्यय किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार किये गये व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक है।ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि रु0 594040/– का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया है इसके अतिरिक्त ग्राम निधि –I में सोलर लाइट का क्रय वी.के. कंस्ट्रक्सन एंव सप्लायर्स, मंगारीपुर आजमगढ़ दर्शित है जबकि नियामानुसार सोलर लाइट का क्रय नेडा से किया जाना चाहिए था। विवरण निम्नवत् है–क्र0सं0दिनांक किये गये कार्यो का विवरण धनराशि 124.08.2016 04 अदद सोलर लाइट क्रय(राम मिलन यादव,परागराम, लालविहारी राजभर, शमशेर यादव के घर के सामने

1	24.08.2016	04 अदद सोलर लाइट क्रय(राम मिलन यादव,परागराम, लालविहारी राजभर, शमशेर यादव के घर के सामने लगाने हेतु	90000/–
2	24.08.2016	04 अदद सोलर लाइट क्रय(सुबाष,दलजील,नीरज,राजेश के घर के सामने लगाने हेतु)	90000/–

3	14.02.2017	04 अदद सोलर लाइट क्रय(जगन्नाथ,महेन्द्र हरिजन,त्रिभुवन राजभर,प्रताप राजभर के घर के सामने लगाने हेतु)	90000/—
4	28.03.2017	04 अदद सोलर लाइट क्रय(मुन्नीलाल, पारस यादव,सुनील हरिजन,सोनू निषाद के घर के सामने लगाने हेतु)	90336/—
5	28.03.2017	04 अदद सोलर लाइट क्रय(रमेश हरिजन, कासिम अली, अच्छेलाल यादव, लहरीराम गुप्ता के घर के सामने लगाने हेतु)	90336/—
6	10.03.2017	जन्जाली के घर तक पिच रोड़ तक खण्डंजा मरम्मत कार्य हेतु ईंट क्रय 11000×6.2 मजदूरी 432×174	68200/— 75168/—
		योग	594040/—

इस प्रकार उपर्युक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक,स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर,निर्माण कार्य रजिस्टर, एम.बी. रजिस्टर, मस्टररोल एवं तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करके धन का आहरण किया गया। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश राम (तत्कालीन) उत्तरदायी है। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर–23 ग्राम पंचायत–कोठा मु0 भटौली (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–06)

शासनादेश संख्या– ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनाँक–23/09/2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रू0 1,00,000/– से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमन्त्रित करते हुए किया जायेगा। ग्राम पंचायत कोठा मु0 भटौली में दिनांक 26.03.2017 एवं 29.03.2017 को क्रमशः रु0– 112920/– एंव रु0– 112920/– का भुगतान सोलर लाइट क्रय हेतु किया गया है। आपत्तियाँ निम्नवत् हैं–

क–टेण्डर का प्रकाशन स्थानीय अखबार में नही किया गया है।

ख–इच्छुक ठेकेदारों द्वारा जमानत की धनराशि जमा नही कराया गया है।

ग–सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री के मूल्य का तुलनात्मक चार्ट नही बनाया गया है।

घ–भुगतान से पूर्व 2 प्रतिशत की दर से आयकर रु0– 5017.00 एवं 04 प्रतिशत की दर से वैट रु0–9033.60 की कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है।

इस प्रकार रु0– 225840/– का भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए प्रधान श्री अरुण कुमार(बब्लू) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष यादव उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–24ग्राम पंचायत–अशरफपुर (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–15)

वर्ष 2016–17 की ग्राम निधि–। की जाँच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में सोलर लाइट मरम्मत पर भुगतान दर्शित है जिन पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं–

1–नियोजन एवं विकास समिति ग्राम सभा हेतु निर्माण कार्यो का प्रस्ताव स्वीकृत कर ग्राम पंचायतों की आम बैठक कर स्वीकृति नही ली गयी है।

2– ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर,चल–अचल सम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर नही बनाया गया है जिससे यह ज्ञात नही हो सका कि सोडियम लाइट मरम्मत का प्रयोग किन–किन जगहों पर किया गया है।

3– मरम्मत पर व्यय धनराशि का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

शासनादेश संख्या 2255/33–3–2005–100(18)/2002 दिनांक 23.06.2005 एवं शासनादेश संख्या 1310/33–3–2010–54/2010 दिनांक 09.06.2010 के अनुसार पंचायतें लैम्प पोस्टो के रख रखाव, ग्राम पंचायत में स्थापित सोडियम लाइट के अनुरंक्षण पर धन व्यय कर सकेंगी। मरम्मत व्यय शासना देशानुसार न करके मनमाने ढंग से धन खारिज कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिलराय(तत्कालीन) उत्तरदायी है। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही। विवरण निम्न प्रकार हैं–

क्र0सं0	**दिनांक**	**मरम्मत विवरण**	**धनराशि**
1	22.04.2016	सोडियम लाइट मरम्मत	32200/—
2	28.10.2016	सोडियम लाइट मरम्मत	39422/—
3	12.01.2017	सोडियम लाइट मरम्मत	12000/—
		योग	**83622/—**

प्रस्तर–25ग्राम पंचायत–अशरफपुर (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–16)

वर्ष 2016–17 ग्राम निधि प्रथम की जाँच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में हैंण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है जिन पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं–

1–हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नही दिया गया है।

2–ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नही बनाया गया है जिससे यह ज्ञात नही हो सका कि किन–किन जगहों पर एवं कितनी संख्या में हैण्डपम्प मरम्मत की गयी है।

3–मरम्मत में बदले गये सामानों एवं मरम्मत के उपरान्त निकली खराब सामग्री की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नही की गयी है।

4–उ0प्र0 पंचायत राज अधि0 1947 की धारा 37(ज) के अनुसार ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुए व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिनके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिए किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी है। इस प्रकार लाभार्थियों से आधी धनराशि जमा न कराकर रु0 29878/– का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार राय उत्तरदायी है। विवरण निम्नवत् है–

क्र0	दिनांक	मरम्मत विवरण	धनराशि
1	19.05.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	17859/–
2	04.10.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	14195/–
3	04.10.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	14195/–
4	04.10.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	5678/–
	23.03.2017	हैण्डपम्प मरम्मत	7830/–
		योग	**59757/–**
		आधी धनराशि	**29878.50/–**

उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–26ग्राम पंचायत–भोगइचा (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–15)

शासनादेश संख्या– ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनाँक–23/09/2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रुपया 20,000/– तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा 20,001/– से 99,999/– तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा 1,00,000/– से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमन्त्रित करते हुए किया जायेगा। ग्राम पंचायत भोग इचा में ग्राम निधि– I में ईंट क्रय पर रु0 222200/– भुगतान दर्शित है। आपत्तियाँ निम्नवत् हैं–

1–नियोजन एवं विकास समिति ग्राम सभा हेतु निर्माण कार्यो का प्रस्ताव स्वीकृत कर ग्राम पंचायतों की आम बैठक कर स्वीकृति नही ली गयी है।

2–टेण्डर का प्रकाशन स्थानीय अखबार में नही किया गया है।

3–इच्छुक ठेकेदारों से जमानत धनराशि जो कि लागत का 0.5 प्रतिशत है जमा नही कराया गया है।

4–सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सामाग्री के न्यूनतम मूल्य का तुलनात्मक चार्ट नही बनाया गया है।

5–आपूर्ति कर्ताओं को भुगतान से पूर्व 2 प्रतिशत की दर से आयकर रु0 4444.00 एवं 4.0 प्रतिशत की दर से रु0 8888/– व्यापार कर की कटौती नही की गयी है।

नियमानुसार 1 लाख या उससे अधिक मूल्य की सामाग्री का क्रय टेण्डर आमन्त्रित करके किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत में बिना टेण्डर आमन्त्रण किये 1 लाख से अधिक मूल्य के ईंट सामाग्री क्रय कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पारस नाथ यादव उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	क्रय सामग्री का विवरण	धनराशि
1	01.02.2017	18920 नग ईंट दर 6.2	117300/–
2	01.02.2017	16920 नग ईंट दर 6.2	104900/–
		योग	**222200/–**

प्रस्तर–27ग्राम पंचायत–भोगइचा (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–13)

शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया है तो अर्जित व्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की होगी और इसे राजकोष में जमा करना होगा। ग्राम पंचायत भोगइचा में वर्ष 2016–17 में कुल रु0 16416/– व्याज अर्जित हुआ है। इस धनराशि को राजकोष में जमा न करके अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम श्री विजय कुमार पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पारस नाथ यादव उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–28 ग्राम पंचायत–इसहाकपुर (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–15)

शासनादेश संख्या– ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनाँक–23/09/2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रुपया 20,000/– तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा 20,001/– से 99,999/– तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा 1,00,000/– से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमन्त्रित करते हुए किया जायेगा। ग्राम पंचायत इसहाकपुर में ग्राम निधि–।में दिनांक 24.03.2017 को ईंट क्रय पर रु0– 121365/– भुगतान दर्शित है। जिस पर आपत्तियाँ निम्नवत हैं–

1–नियोजन एवं विकास समिति ग्राम सभा हेतु निर्माण कार्यो का प्रस्ताव स्वीकृत कर ग्राम पंचायतों की आम बैठक कर स्वीकृति नही ली गयी है।

2–टेण्डर का प्रकाशन स्थानीय अखबार में नही किया गया है।

3–इच्छुक ठेकेदारों से जमानत धनराशि जो कि लागत का 0.5 प्रतिशत है जमा नही कराया गया है।

4–सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सामाग्री के न्यूनतम मूल्य का तुलनात्मक चार्ट नही बनाया गया है।

5–आपूर्ति कर्ताओं को भुगतान से पूर्व 2 प्रतिशत की दर से आयकर रु0 2427.60 एवं 4.0 प्रतिशत की दर से रु0 4854.60/– व्यापार कर की कटौती नही की गयी है। नियमानुसार 1 लाख या उससे अधिक मूल्य की सामाग्री का क्रय टेण्डर आमन्त्रित करके किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत में बिना टेण्डर आमन्त्रण किये 1 लाख से अधिक मूल्य के ईंट सामाग्री क्रय कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम आसरे यादव उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	**दिनांक**	**क्रय सामाग्री का विवरण**	**धनराशि**
1	24.03.2017	19575 नग ईंट दर 6.2	121365/–
		योग	**121365/–**

प्रस्तर–29ग्राम पंचायत–इसहाकपुर (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–16)

वर्ष 2016–17 की ग्राम निधि–I की जाँच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है जिन पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं–

1–हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नही दिया गया है।

2–ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नही बनाया गया है जिससे यह ज्ञात नही हो सका कि किन–किन जगहों पर एवं कितनी संख्या में हैण्डपम्प मरम्मत की गयी है।

3–मरम्मत में बदले गये सामानों एवं मरम्मत के उपरान्त निकली खराब सामग्री की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नही की गयी है।

4–उ0प्र0 पंचायत राज अधि0 1947 की धारा 37(ज) के अनुसार ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुए व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिनके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिए किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी है। इस प्रकार लाभार्थियों से आधी धनराशि जमा न कराकर रु0 32695. 50 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकला एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रामआसरे यादव उत्तरदायी है। विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	**दिनांक**	**मरम्मत विवरण**	**धनराशि**
1	20.04.2016	05 नग हैण्डपम्प मरम्मत	24800/–
2	30.09.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	35591/–
3	03.11.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	5000/–
		योग	**65391/–**
		आधी धनराशि	**32695.50**

उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–30ग्राम पंचायत–हमीदपुर (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–14)

शासनादेश संख्या– ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनाँक–23/09/2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रू0 1,00,000/– से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमन्त्रित करते हुए किया जायेगा। ग्राम पंचायत हमीदपुर में ग्राम निधि I में वर्ष 2016–17 में रु0 109750.00 का भुगतान वी.के.कं0 एवं सप्लायर को सोलर लाइट क्रय हेतु किया गया है। आपत्तियाँ निम्नवत् हैं–

1–टेण्डर का प्रकाशन स्थानीय अखबार में नही किया गया है।

2–इच्छुक ठेकेदारों से जमानत धनराशि जो कि लागत का 0.5 प्रतिशत है जमा नही कराया गया है।

3–सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सामाग्री के न्यूनतम मूल्य का तुलनात्मक चार्ट नही बनाया गया है।

4–ग्राम सभा का प्रस्ताव एवं व्यय धनराशि पर निर्माण समिति की स्वीकृति नही ली गयी है।

5–क्रय सामाग्री पर 2 प्रतिशत की दर से आयकर रु0 2195 एवं 4.0 प्रतिशत की दर से रु0 4390/– व्यापार कर की कटौती नही की गयी है।

6–नियमानुसार सोलर लाइट का क्रय नेडा से न करके प्राइवेट फर्म से किया गया है।

बिना टेण्डर आमन्त्रण के उपर्युक्त सोलर लाइट क्रय पर भुगतान करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री देवनारायण यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–31 ग्राम पंचायत–हमीदपुर (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–15)

शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया है तो अर्जित व्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की होगी और इसे राजकोष में जमा करना होगा। ग्राम पंचायत में वर्ष 2016–17 में यू.बी.आई. शाखा शाहपुर खाता सं0– 462502010005698 में कुल रु0 15871/– व्याज अर्जित हुआ है। इस धनराशि को राजकोष में जमा न करके अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री देवनारायण यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र यादव उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर–32ग्राम पंचायत–छितौना आछेपुर (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–14)

शासनादेश सं0 2686/36–07–2011–752 पं0रा0जी0ए0/2011 पंचायती राज अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 16.07. 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान के मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान वियरर चेक के माध्यम से नही किया जाय एंव रु0–5000/– या अधिक का भुगतान केवल एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाय। इसके अलावा कुशल एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जाय। इस शासनादेश में प्रधान द्वारा स्वयं धन आहरण करने पर प्रतिवन्ध लगाया गया है। ग्राम पंचायत छितौना आछेपुर की रोकड़ बही, बैंक पासबुक एंव अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2016–17में इलाहाबाद बैंक शाखा– भटौली से कुल रु0 120097/– का आहरण प्रधान द्वारा वियरर चेक के माध्यम से किया गया है। रोकड़ बही में इसका भुगतान श्रमिकों को नकद मजदूरी विवरण एवं सामाग्री क्रय में दर्शित है। राज्य वित्त एंव 13/14वां वित्त की धनराशि का बैंक से नकद आहरित करना वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लघन है। इस गम्भीर अनियमितता के लिए प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	चेक संख्या	सामाग्री	धनराशि
1	29.10.2016	007542	मजदूरी+बोर्ड+फोटोग्राफी	29098/–
2	10.01.2017	007547	कैमरा क्रय	12000/–
3	13.01.2017	007548	मजदूरी	16940/–
4	23.01.2017	007553	शौचालय मरम्मत	12000/–
5	02.03.2017	007555	शोख्ता गढ्ढा निर्माण	23000/–
6	06.03.2017	007557	पुलिया निर्माण	10104/–
7	17.03.2017	007559	हैण्डपम्प मरम्मत	10000/–
8	27.03.2017	007560	हैण्डपम्प मरम्मत	6955/–
			योग	**120097/–**

प्रस्तर–33ग्राम पंचायत–बिलारी (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–15)

शासनादेश संख्या– ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनाँक–23/09/2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रू0 1,00,000/– से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमन्त्रित करते हुए किया जायेगा। ग्राम पंचायत बिलारी में दिनांक 27.01.2017 को अशोक कुमार कान्ट्रैक्टर को सोलर लाइट क्रय पर रु0 109500/– का भुगतान ग्राम निधि–। में दर्शित है जिस पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं–

1–टेण्डर का प्रकाशन स्थानीय अखबार में नही किया गया है।

2–इच्छुक ठेकेदारों से जमानत धनराशि जो कि लागत का 0.5 प्रतिशत है जमा नही कराया गया है।

3–सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सामाग्री के न्यूनतम मूल्य का तुलनात्मक चार्ट नही बनाया गया है।

4–भुगतान से पूर्व 2 प्रतिशत की दर से आयकर रु0 2190.00 एवं 4.0 प्रतिशत की दर से रु0 4380/– व्यापार कर की कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है।

5–सोलर लाइट किन–किन स्थानों पर लगाई गयी है इसका फोटोग्राफ उपलब्ध नही रहा।

इस प्रकार रु0 109500/–का भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम आसरे यादव उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–34ग्राम पंचायत–बिलारी (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–13)

शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया है तो अर्जित व्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की होगी और इसे राजकोष में जमा करना होगा। ग्राम पंचायत बिलारी को वर्ष 2016–17 में यू.बी.आई. शाखा बस्ती भुजवल,अहरौला खाता सं0– 0006613 में कुल रु0 19346/– व्याज अर्जित हुआ है। इस धनराशि को राजकोष में जमा न करके अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम आसरे यादव उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–35ग्राम पंचायत–बिहराबुजुर्ग (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–15) शासनादेश संख्या– ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनाँक–23/09/2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रू0 1,00,000/– से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमन्त्रित करते हुए किया जायेगा। ग्राम निधि–। की जाँच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में 1लाख से अधिक मूल्य के ईट का क्रय किया गया है। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी–

1–किये गये कार्य का प्रस्ताव एवं स्वीकृति ग्राम सभा द्वारा नही ली गयी है।

2–टेण्डर का प्रकाशन स्थानीय अखबार में नही किया गया है।

4–इच्छुक ठेकेदारों से जमानत धनराशि जो कि लागत का 0.5 प्रतिशत है जमा नही कराया गया है।

5–सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री के न्यूनतम मूल्य का तुलनात्मक चार्ट नही बनाया गया है।
6–भुगतान से पूर्व 2 प्रतिशत की दर से आयकर रु0 4315/– एवं 4.0 प्रतिशत की दर से रु0 8630/– व्यापार कर की कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है।
उपर्युक्त गम्भीर अनियमितता के लिए श्री राजेश कुमार यादव एंव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है–

क्र0	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि
1	31.03.2017	छद्दू के खेत से पिचरोड तक खड़न्जा निर्माण हेतु ईंट क्रय 17400 नग दर 6.2	107880/–
2	31.03.2017	पुराने खड़न्जा से भेदौरा सरहद तक खड़न्जा निर्माण हेतु ईंट क्रय 17400 नग, दर 6.2	107880/–
		योग	**215760/–**

प्रस्तर–36ग्राम पंचायत–बिहराबुजुर्ग (विकासखण्ड–अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–16)
वर्ष 2016–17 की ग्राम निधि–। की जाँच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है जिन पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं–
1–हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नही दिया गया है।
2–ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नही बनाया गया है जिससे यह ज्ञात नही हो सका कि किन–किन जगहों पर एवं कितनी संख्या में हैण्डपम्प मरम्मत की गयी है।
3–मरम्मत में बदले गये सामानों एवं मरम्मत के उपरान्त निकली खराब सामग्री की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नही की गयी है।
4–उ0प्र0 पंचायत राज अधि0 1947 की धारा 37(ज) के अनुसार ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुए व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिनके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिए किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी है। इस प्रकार लाभार्थियों से आधी धनराशि जमा न कराकर रु0 17350/– का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राजेश यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी है। विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	मरम्मत विवरण	धनराशि
1	13.01.2017	05 नग हैण्डपम्प मरम्मत	22000/–
2	20.03.2017	05 नग हैण्डपम्प मरम्मत	12700/–
		योग	**34700/–**
		आधी धनराशि	**17350**

उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
प्रस्तर–37 ग्राम पंचायत–सहुवल (विकासखण्ड– अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–09)
शासनादेश सं0–1719/33–3–2010–48/2007 दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 02(1) एंव शासनादेश सं0–1639/33–33–2015–3/2015 दिनांक 19.06.2015 प्रस्तर 2(1) के अनुसार ग्राम पंचायतें प्रतिवर्ष संक्रमिक 50 प्रतिशत धनराशि को पूर्व में एंव सृजित परिसम्पतियों के रख रखाव पर व्यय करेगीं और परिसम्पतियों से सम्बंधित अभिलेखों को अद्यतन किया जायेगा। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नही बनाया गया है। अतः ग्राम निधि–। में दर्शित मरम्मत कार्यो पर किये गये व्यय की पुष्टि नही होती है। अतः रु0– 385410/– का भुगतान अनियमित रहा। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् हैं–

क्र0सं0	दिनांक	मरम्मत कार्य का विवरण	धनराशि
1	19.09.2014	जौहरी के घर से पोखरी तक नाली मरम्मत, बिल्डिंग मैटेरियल क्रय मजदूरी	26832/– 31668/–
2	09.02.2015	दामोदर के घर से केदार के घर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य, ईंट क्रय 3350×6.2 मजदूरी	20770/– 14196/–
3	25.03.2015	05 अदद लाइट मरम्मत	20000/–
4	13.04.2015	रामानन्द के घर से मेन खड़न्जा तक मरम्मत कार्य,ईंट+मजदूरी+स्टेशनरी	45000/–
5	03.06.2015	शेषघर के घर से पोखरी तक नाली मरम्मत, बिल्डिंग मैटेरियल क्रय	21860/–
6	15.07.2015	लालसा के घर से पोखरी तक नाली मरम्मत, बिल्डिंग मैटेरियल क्रय	12500/–
7	11.09.2015	श्री कान्त शुक्ला के खेत से राम नयन के ट्यूबल तक खड़न्जा मरम्मत, ईंट क्रय मजदूरी	13640/– 20125/–

8	10.05.2016	प्रयागपुर में भारत निषाद के खेत से बच्चूलाल प्रजापति के घर तक खड़न्जा मरम्मत, ईंट क्रय मजदूरी	62000/– 36708/–
9	31.03.2016	पिचरोड़ से जगदीश सिंह के खेत तक खड़न्जा मरम्मत कार्य,ईंट क्रय मजदूरी	55018/– 33583/–
		योग	**385410/–**

प्रस्तर–38ग्राम पंचायत–सहुवल (विकासखण्ड– अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–07)

शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया है तो अर्जित व्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की होगी और इसे राजकोष में जमा करना होगा। ग्राम पंचायत सहुवल को यू.बी.आई. शाखा अहरौला में वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक कुल रु0 26263/– व्याज अर्जित हुआ है। इस धनराशि को राजकोष में जमा न करके अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री छुम्मन एवं श्री बृजेश सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष यादव एंव श्री पारस मौर्य उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–39ग्राम पंचायत–सहुवल (विकासखण्ड– अहरौला) (सामान्य आपत्ति संख्या–08)

शासनादेश संख्या– ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनाँक–23/09/2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रू0 1,00,000/– से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमन्त्रित करते हुए किया जायेगा। ग्राम पंचायत सहुवल में दिनांक 31.03.2017 को सुमित ईंट उद्योग से 23990 ईंट, दर 6.2/ईंट, रु0–148738/– में क्रय किया गया जिस पर निम्नलिखित आपत्तियाँ है–

1–टेण्डर का प्रकाशन स्थानीय अखबार में नही किया गया है।

2–इच्छुक ठेकेदारों से जमानत धनराशि जो कि लागत का 0.5 प्रतिशत है जमा नही कराया गया है।

3–सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री के न्यूनतम मूल्य का तुलनात्मक चार्ट नही बनाया गया है।

4–ईंट क्रय पर 2 प्रतिशत की दर से आयकर रु0 2975.00 एवं 4.0 प्रतिशत की दर से रु0 5949. 52 व्यापार कर की कटौती नही की गयी है।

इस प्रकार रु0 148738/– का भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री बृजेश सिंह एंव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पारस मौर्या उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर–40 ग्राम पंचायत–गौरीडीह खालसा (विकासखण्ड–पल्हनी) (सामान्य आपत्ति संख्या–18)

दिनांक 25.09.2014 को चेक सं0–21035583 से रु 2700/– एवं दिनांक 17.07.2015 को चेक सं0– 21042902 से रु0– 30000/– सविता को ग्राम निधि– I कैशबुक में देय दर्शित है। इस प्रकार रु0– 32700/– सविता को किस कार्य के लिए भुगतान किया गया है इसका अन्तिम कैशबुक नही है। इसप्रकार गलत तरीके से धन का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री असफाक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार सिंह से संयुक्त रुप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–41ग्राम पंचायत–गौरीडीह खालसा (विकासखण्ड–पल्हनी) (सामान्य आपत्ति संख्या–19)

दिनांक 13.02.2015 को प्रधान का मानदेय माह मई–2014 से फरवरी 2015 तक रु0– 25000/– कैशबुक में देय दर्शित है। पुनः दिनांक– 27.03.2015 को माह मई 2014 से मार्च 2015 तक का मानदेय रु0– 27500/– दिया गया है। इस प्रकार माह मई 2014 से फरवरी 2015 तक का मानदेय रु0– 25000/– दो बार दिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री असफाक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार सिंह से संयुक्त रुप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–42ग्राम पंचायत–गौरीडीह खालसा (विकासखण्ड–पल्हनी) (सामान्य आपत्ति संख्या–20)

दिनांक 19.06.2013 को विशुनधारी के घर से दुर्देशी के घर तक खडंन्जा मरम्मत कैशबुक में दर्शित है जवकि पुनः उसी खड़न्जे की मरम्मत दिनांक 30.08.2014 को प्रारम्भ कर दिनांक 30.09.2014 को समाप्त किया गया है। जिसमें रु0–156000/– की ईंट एवं रु0– 120256/– मजदूरी में व्यय किया गया है। इसप्रकार एक ही खड़न्जे की मरम्मत एक वर्ष, 02 माह 11 दिन में ही कर दिया गया है जबकि कम से कम 5 वर्ष बाद ही पुनः मरम्मत किया जा सकता है। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर रु0– 276256/– का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री असफाक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार सिंह से संयुक्त रुप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–43 ग्राम पंचायत–गौरीडीह खालसा (विकासखण्ड–पल्हनी) (सामान्य आपत्ति संख्या–21)

दिनांक 01.04.2015 को प्रधान के पास रु0 51403/– अवशेष था तथा विभिन्न तिथियों में प्रधान द्वारा बैंक से रु0– 84500/– आहरित किया गया। इसप्रकार प्रधान के पास रु0 135903/– हुआ। दिनांक 17.04.2015 को खड़न्जा मरम्मत पर रु0 83750/– प्रधान द्वारा व्यय किया गया। इस प्रकार प्रधान के पास रु0 52153/– अवशेष होना चाहिए। जबकि कैशबुक में रु0 44153/– दर्शित है। इस प्रकार रु0 8000/– कम दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री असफाक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार सिंह से संयुक्त रुप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–44 (सामान्य आपत्ति संख्या–20)

दिनांक 27.03.2015 को ग्राम पंचायत द्वारा अशोक सिंह के घर से पोखरी तक सीवर नाली का निर्माण कराया गया है। जिसमें रु0– 133228/– की ईंट रु0 11555/– का बिल्डिंग मैटेरियल एवं रु0– 14360/– मजदूरी पर व्यय किया गया है। इसप्रकार उक्त कार्य पर रु0– 159143/– व्यय किया गया है। किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। ग्राम पंचायत लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार रु0– 159143/– का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुरेश यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–45 ग्राम पंचायत–हरैया (विकासखण्ड–पल्हनी) (सामान्य आपत्ति संख्या–18)

दिनांक 02.10.2016 को प्रधान का मानदेय माह दिसम्बर 2015 से जुलाई 2016 तक का मानदेय रु0– 20000/– कैशबुक में देय दर्शित है। जबकि माह जनवरी 2015 में ग्राम पंचायत का चुनाव होना था ऐसी स्थिति में कोई भी प्रधान कार्यरत नही था। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) प्रशासक के पद पर कार्यरत थे। इस प्रकार माह दिसम्बर 2015 का मानदेय रु0 2500/–प्रधान को दिया जाना अनियमित है जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शिवराज मौर्य एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्नीलाल से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–46 ग्राम पंचायत–कलाफतपुर (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–10)

शासनादेश संख्या– ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनाँक–23/09/2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रू0 20000/– से अधिक की निर्माण सामग्री का क्रय करने पर कोटेशन आमन्त्रित करते हुए एवं रू0 1,00,000/– से अधिक की निर्माण सामग्री का क्रय करने के लिए निविदा आमन्त्रित की जानी चाहिए।

निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय किया गया किन्तु कोटेशन व टेण्डर आमन्त्रित न करके अनियमितता की गयी है–

क्र0सं0	**दिनांक**	**सामाग्री का विवरण**	**धनराशि**
1	13.04.2016	ईंट क्रय	95840/–
2	13.04.2016	ईंट क्रय	58280/–
3	05.05.2016	ह्यूम पाइप क्रय एम.पी.	30000/–
4	28.07.2016	इण्टर प्राइजेज	97960/–
5	28.07.2016	ईंट क्रय	58900/–
6	10.08.2016	ईंट क्रय	33000/–
7	29.08.2016	ईंट क्रय	150000/–
8	06.09.2016	ईंट क्रय	37200/–
9	13.10.2016	ह्यूम पाइप क्रय एम.पी.	161200/–
10	04.11.2016	ईंट क्रय	84000/–
11	25.01.2017	ईंट क्रय	99200/–
12	16.03.2017	ईंट क्रय	26000/–
13	20.03.2017	ह्यूम पाइप क्रय	72630/–
14	31.03.2017	ह्यूम पाइप क्रय	31000/–
		योग	**1035210/–**

आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–47ग्राम पंचायत–कलाफतपुर (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–11)

ग्राम निधि दृष की कैशबुक में दर्शित निम्नांकित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न विवरणानुसार धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा खर्च की गयी है–

क्र0सं0	**दिनांक**	**धनराशि**
1	07.04.2016	10000/–
2	27.04.2016	6000/–
3	05.05.2016	5000/–
4	29.06.2016	10015/–
5	18.02.2017	13466/–
	योग	**44481/–**

नियमानुसार हैण्डपम्प मरम्मत के व्यय का आधा भाग लाभार्थी व आधा भाग पंचायत द्वारा व्यय होता है। इस प्रकार लाभार्थी के माध्यम से रु0– 22240.50 प्रधान श्रीमती नूरजहाँ व सचिव श्री शांतीशरण सिंह ने किया। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर–48 ग्राम पंचायत–कलाफतपुर (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–12)

शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया है तो अर्जित व्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की होगी और अर्जित व्याज राजकोष में जमा करना अपेक्षित होगा।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि
1	09.04.2016	2432/–
2	03.07.2016	5174/–
3	02.10.2016	4555/–
4	02.01.2016	924/–
	योग	**13085/–**

आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–49ग्राम पंचायत–आलमपुर (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–09)

ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में प्रधान को मानदेय का भुगतान किया गया किन्तु लेखा परीक्षा में प्रधान का मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया।दिनांक 30.03.2017 को प्रधान का मानदेय जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक कुल 12 माह का वेतन रु0–30000/– व 31.03.2017 को कुल 03 माह का वेतन 3500/– की दर से रु0–10500/– निकाला गया जिसकी पुष्टि वेतन रजिस्टर प्रधान से न कराके रु0– 40500/– का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री शिवदास व सचिव श्री सुरेश से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–50ग्राम पंचायत–आलमपुर (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–10)

शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया है तो अर्जित व्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की होगी और अर्जित व्याज राजकोष में जमा करना अपेक्षित होगा।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि
1	09.04.2016	1295/–
2	03.01.2016	1394/–
3	02.10.2016	2235/–
4	01.01.2017	2490/–
	योग	**7414/–**

उत्तरदायी व्यक्तियो के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–51 ग्राम पंचायत–आलमपुर (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–11)

ग्राम निधि की कैशबुक में दर्शित निम्नांकित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न विवरणानुसार धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा खर्च की गयी है–

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि
1	05.04.2016	10910/–
2	04.03.2017	18695/–
	योग	**29605/–**

नियमानुसार हैण्ड पम्प मरम्मत के व्यय में सकल लागत का आधा भाग क्रमशः लाभार्थी तथा ग्राम पंचायत द्वारा वहन करना चाहिए। इस प्रकार लाभार्थियों द्वारा रु0– 14802.50 प्रधान श्री शिवदास व सचिव श्री सुरेश से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–52ग्राम पंचायत–बहाउद्दीनपुर–द्वितीय (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–09)

शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया है तो अर्जित व्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की होगी और अर्जित व्याज राजकोष में जमा करना अपेक्षित होगा।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि
1	09.04.2016	2094/–
2	03.07.2017	1066/–
3	02.10.2016	2045/–

4	09.01.2017	2138 / –
	योग	**7343 / –**

उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–53 ग्राम पंचायत–बहाउद्दीनपुर–द्वितीय (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–10)

ग्राम निधि–की कैश बुक में दर्शित दिनांक 04.02.2017 को हैण्डपम्प मरम्मत पर रु0 –20040 / – धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा खर्च की गयी है। नियमानुसार हैण्डपम्प मरम्मत मे लाभार्थी द्वारा मांग पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया जवकि नियमानुसार हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय में आधा भाग लाभार्थी तथा आधा भाग पंचायत द्वारा व्यय किया जाता है। इस प्रकार लाभार्थी द्वारा आधा धनराशि रु0–10020 / – जमा न कराके प्रधान श्री सियाराम व सचिव श्री सुरेश प्रजापति ने अपहरण किया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर–54 ग्राम पंचायत–बहाउद्दीनपुर–द्वितीय (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–11)

शासनादेश संख्या– ए–01–864 / दस–08–15(1) / 86 दिनाँक–23 / 09 / 2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रू0 20000 / – से अधिक की निर्माण सामग्री का क्रय करने पर कोटेशन आमन्त्रित करते हुए एवं रू0 1,00,000 / – से अधिक की निर्माण सामग्री का क्रय करने के लिए निविदा आमन्त्रित की जानी चाहिए।

निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय किया गया किन्तु कोटेशन व टेण्डर आमन्त्रित न करके अनियमितता की गयी है–

क्र0सं0	दिनांक	सामाग्री का विवरण	धनराशि
1	18.04.2016	ईंट क्रय	78000 / –
2	20.12.2016	सामाग्री क्रय	42766 / –
3	30.12.2016	सामाग्री क्रय	27230 / –
4	25.01.2017	सामाग्री क्रय	30331 / –
5	20.02.2017	ईंट क्रय	74887 / –
		योग	**253214 / –**

आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–55ग्राम पंचायत–इटकोहिया (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–09)

शासनादेश संख्या– ए–01–864 / दस–08–15(1) / 86 दिनाँक–23 / 09 / 2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रू0 20000 / – से अधिक की निर्माण सामग्री का क्रय करने पर कोटेशन आमन्त्रित करते हुए एवं रू0 1,00,000 / – से अधिक की निर्माण सामग्री का क्रय करने के लिए निविदा आमन्त्रित की जानी चाहिए।

निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय किया गया किन्तु कोटेशन व टेण्डर आमन्त्रित न करके अनियमितता की गयी है– आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं0	दिनांक	सामग्री का विवरण	धनराशि
1	11.04.2016	इम्तियाज अहमद ईंट भठ्ठा	95550 / –
2	18.04.2016	बिल्डिंग मैटेरियल भुगतान	44690 / –
3	31.01.2017	इम्तियाज अहमद ईंट भठ्ठा	105723 / –
4	16.03.2017	इम्तियाज अहमद ईंट भठ्ठा	55808 / –
5	30.03.2017	इम्तियाज अहमद ईंट भठ्ठा	72912 / –
		योग	**374683 / –**

ग्राम पंचायत–इटकोहिया (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–10)

प्रस्तर–56 ग्राम शासनादेश सं0 ए–1–122 / दस–2012–10(33) / 2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया है तो अर्जित व्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की होगी और अर्जित व्याज राजकोष में जमा करना अपेक्षित होगा।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि
1	09.04.2016	1921 / –
2	03.07.2016	3876 / –
3	02.10.2016	5375 / –
4	01.01.2017	5612 / –
	योग	**16784 / –**

आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–57ग्राम पंचायत–हड़िया (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–07)

शासनादेश संख्या– ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनाँक–23/09/2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रू0 20000/– से अधिक की निर्माण सामग्री का क्रय करने पर कोटेशन आमन्त्रित करते हुए एवं रू0 1,00,000/– से अधिक की निर्माण सामग्री का क्रय करने के लिए निविदा आमन्त्रित की जानी चाहिए।

निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय किया गया किन्तु कोटेशन व टेण्डर आमन्त्रित न करके अनियमितता की गयी है । आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं0	दिनांक	सामग्री का विवरण	धनराशि
1	05.08.2016	चन्द्रेश ईंट भठ्ठा	89900/–
2	16.08.2016	चन्द्रेश ईंट भठ्ठा	35690/–
3	26.08.2016	चन्द्रेश ईंट भठ्ठा	72000/–
4	20.10.2016	चन्द्रेश ईंट भठ्ठा	62620/–
5	27.10.2016	चन्द्रेश ईंट भठ्ठा	62620/–
6	20.03.2017	एस.डी. कन्शट्रक्शन ह्यूम पाइप	133155/–
7	28.03.2017	चन्द्रेश ईंट भठ्ठा	91140/–
		योग	**547125/–**

प्रस्तर–58ग्राम पंचायत–हड़िया (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–08)

ग्राम निधि–Iकी कैशबुक में दर्शित निम्नांकित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न विवरणानुसार धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा खर्च की गयी है–

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि
1	14.09.2016	5000/–
2	24.10.2016	22000/–
3	12.01.2017	15000/–
4	28.03.2017	10266/–
	योग	**52266/–**

नियमानुसार हैण्ड पम्प मरम्मत के व्यय में सकल लागत का आधा भाग क्रमशः लाभार्थी तथा ग्राम पंचायत द्वारा वहन करना चाहिए। इस प्रकार लाभार्थियों के माध्यम से रु0– 26133/– प्रधान श्री लक्ष्मन व सचिव श्री शान्ती शरण सिंह ने अपहरण किया है जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर–59 ग्राम पंचायत–हड़िया (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–09

शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया है तो अर्जित व्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की होगी और अर्जित व्याज राजकोष में जमा करना अपेक्षित होगा।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि
1	09.04.2016	2195/–
2	30.07.2016	6298/–
3	02.10.2016	5766/–
4	02.01.2017	2381/–
	योग	**16640/–**

उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–60 ग्राम पंचायत–निजामपुर (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–07)

ग्राम निधि –I की कैशबुक में दर्शित निम्नांकित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न विवरणानुसार धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा खर्च की गयी है–

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि
1	02.04.2016	45000/–
2	30.05.2016	12854/–
3	02.02.2017	49934/–
	योग	**107792/–**

नियमानुसार हैण्ड पम्प मरम्मत के व्यय में सकल लागत का आधा भाग क्रमशः लाभार्थी तथा ग्राम पंचायत द्वारा वहन करना चाहिए। इस प्रकार लाभार्थियों के माध्यम से रु0– 53896/– प्रधान श्रीमती स्नेहलता व सचिव श्री अखिलेश कुमार ने अपहरण किया है जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर–61ग्राम पंचायत–निजामपुर (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–11)

ग्राम निधि की पासबुक की जाँच में पाया गया कि चेक सं0 21061026 से जगदीश प्रसाद को 37200/– का भुगतान 02.02.2017 को किया गया। इसको कैशबुक में निम्नप्रकार से दर्शाया गया है–

दिनांक	धनराशि
02.02.2017	को मजदूरी वास्ते व्रजभूषण के घर से मेवालाल के घर तक रु0 32758/–
08.02.2017	बैठक व्यय हेतु कुर्सी मेज मिष्ठान रु0 4442/–

जगदीश प्रसाद न तो प्रधान है न तो सचिव, जबकि ग्राम सभा के खाते का संचालन प्रधान व सचिव मिलकर करते हैं और आहरण प्रधान ही करते है। इस तरह से जगदीश प्रसाद के नाम से पैसा देकर प्रधान श्रीमती स्नेहलता व सचिव श्री अखिलेश कुमार ने रु0 37200/– का अपहरण किया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर–62ग्राम पंचायत–निजामपुर (विकासखण्ड–पवई) (सामान्य आपत्ति संख्या–12)

शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया है तो अर्जित व्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की होगी और अर्जित व्याज राजकोष में जमा करना अपेक्षित होगा।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि
1	09.04.2016	2870/–
2	03.07.2016	6481/–
3	02.10.2016	8856/–
4	02.01.2017	9296/–
	योग	27503/–

उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–63ग्राम पंचायत–रसूलपुर जयद्रथवती (विकासखण्ड–लालगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–ख1)

वर्ष 2011–12 से 2016–17 तक की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2015 के खाता प्रथम (राज्य वित्त/13वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु0 1533386/– का स्टाक कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे सम्बन्धित चालान,बिल,बाउचर प्रस्तुत किया गया । सम्बन्धित व्यय ग्राम पंचायत के संज्ञान में भी नही है। स्टाक आमद की पुष्टि में स्टाक पंजिका भी नही बनायी गयी है। उक्त क्रय स्टाक के मूल्य भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से न कर नकद किया गया है। जबकि आयकर अधि0 की धारा 40क–3(घ) के अनुसार रु0 10000/– से अधिक का भुगतान एकाउंट पेयी चेक मे द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए।उक्त स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गयी है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 1533386/– का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी से रुपया 766693/– एवं प्रधान श्री संतोष कुमार से रुपया 766693/– किया जाना अपेक्षित है।

क्र0सं	दिनांक	धनराशि	क्रय सामग्री विवरण
1	11.04.2011	50000/–	ईंट क्रय
2	19.04.2011	20200/–	ईंट
3	20.04.2011	14505/–	सफेद व लाल बालू
4	04.05.2011	29900/–	सीमेंट
5	14.06.2011	5300/–	हैंण्डपम्प मरम्मत पर व्यय(सामाग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
6	29.07.2011	2565/–	स्टेशनरी क्रय
7	27.09.2011	55000/–	रोडलाइट क्रय
8	19.10.2011	32500/–	रोडलाइट क्रय
9	01.12.2011	39600/–	रोडलाइट क्रय
10	02.01.2012	9836/–	सीमेंट क्रय
11	31.01.2012	9750/–	व्यक्तिगत शौचालय लाभार्थियों को भुगतान
12	17.04.2012	43200/–	ईंट क्रय
13	27.04.2012	28800/–	ईंट क्रय
14	15.05.2012	5000/–	मिट्टी क्रय
15	16.05.2012	7500/–	हैंण्डपम्प मरम्मत पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
16	16.05.2012	3600/–	ईंट क्रय

17	16.05.2012	18330 / –	सीमेंट बालू
18	18.09.2012	16000 / –	ईंट क्रय
19	18.09.2012	24000 / –	ईंट क्रय
20	05.10.2012	900 / –	सीमेंट बालू
21	31.10.2012	5000 / –	ईंट क्रय
22	28.12.2012	25600 / –	ईंट क्रय
23	31.12.2012	10800 / –	ईंट क्रय
24	31.12.2012	11000 / –	सीमेंट बालू गिट्टी
25	30.03.2013	280 / –	स्टेशनरी क्रय
26	11.04.2013	20800 / –	ईंट क्रय
27	30.04.2013	4900 / –	मिट्टी क्रय
28	30.04.2013	1480 / –	हैंण्डपम्प मरम्मत पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
29	30.05.2013	35360 / –	ईंटक्रय
30	30.05.2013	6300 / –	मिट्टी क्रय
31	31.05.2013	9727 / –	हैंण्डपम्प मरम्मत पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
32	05.06.2013	13260 / –	ईंट क्रय
33	05.06.2013	1300 / –	ईंट टुकड़ा
34	14.06.2013	9679 / –	सीमेंट बालू
35	23.08.2013	148500 / –	ईंट क्रय
36	23.08.2013	17930 / –	ईंट टुकड़ा
37	31.08.2013	112227 / –	सीमेंट बालू गिट्टी
38	31.10.2013	17225 / –	सीमेंट क्रय
39	22.03.2014	65650 / –	सीमेंट क्रय
40	22.03.2014	225 / –	स्टेशनरी क्रय
41	09.04.2014	75516 / –	ईंट क्रय
42	27.05.2014	44962 / –	ह्यूम पाइप क्रय
43	27.05.2014	19727 / –	सीमेंट बालू
44	30.08.2014	60000 / –	हैंण्डपम्प मरम्मत पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
45	08.04.2015	14357 / –	सीमेंट बालू
46	08.04.2015	20000 / –	ईंट क्रय
47	09.04.2015	136780 / –	ओम साईं इण्टर प्रा0 द्वारा सामग्री क्रय बैंक पासबुक में श्री लाल बहादुर के नाम चेक दर्ज है
48	02.05.2015	68040 / –	ह्यूम पाइप क्रय
49	02.05.2015	74100 / –	ईंट क्रय
50	08.06.2015	20000 / –	ह्यूम पाइप क्रय
51	08.06.2015	38175 / –	सीमेंट बालू
52	28.09.2015	28000 / –	सोलर लाइट क्रय
	योग	**1533386**/-	

प्रस्तर–64ग्राम पंचायत–रसूलपुर जयद्रथवती (विकासखण्ड–लालगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–ख2)

वर्ष 2011–12 से 2016–17 तक की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2015 के खाता प्रथम (राज्य वित्त / 13वॉं वित्त) के द्वारा रु0 300294 / – का भुगतान मजदूरी के रुप मेंकैशबुक में दर्शित है भुगतानिक धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही है जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नही की जा सकती। स्पष्ट है कि मस्टररोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी से रुपया 150147 / – एवं प्रधान श्री संतोष कुमार से रुपया 150147 / – किया जाना अपेक्षित है।

क्र0	**दिनांक**	**धनराशि**	**क्रय सामाग्री विवरण**
1	11.04.2011	24000 / –	ननकू के घर से अनिल मौर्य के घर तक नाली निर्माण कार्य
2	27.04.2012	19000 / –	डमरी पिच रोड से जीवनजोति स्कूल तक खडंजा मरम्मत कार्य
3	15.05.2012	14375 / –	मेनरोड से जय प्रकाश घर तक खड़जा मरम्मत कार्य
4	31.05.2012	9400 / –	प्रा0वि0 से गंगा नाऊ के घर तक नाली मरम्मत कार्य
5	31.10.2012	12700 / –	10 सोख्ता निर्माण मजदूरी

6	30.04.2013	9250/–	आजमगढ़ वारा0 पीचरोड से कल्पू के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य
7	20.05.2013	18125/–	शंकरजी के मंदिर का खडंजा मरम्मत कार्य
8	21.06.2013	7686/–	सोख्ता निर्माण मजदूरी
9	18.01.2014	35750/–	प्रा0वि0 से भगवानदास के घर तक पक्का नाला निर्माण कार्य
10	18.01.2014	40612/–	प्रा0वि0 से भगवानदास के घर तक पक्का नाला निर्माण कार्य
11	09.04.2014	46332/–	रामराज यादव के घर से अवधराज के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य
12	27.05.2014	7500/–	रामबाबू के घर से बलदेव के घर तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण कार्य
13	19.08.2014	6232/–	रामबाबू के घर से बलदेव के घर तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण कार्य
14	04.04.2015	14976/	छेदी के घर से रामधनी के घर तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण कार्य
15	29.04.2015	4404/–	छेदी के घर से रामधनी के घर तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण कार्य
16	01.05.2015	14976/–	मेनरोड से रुपल के घर तक ह्यूम पाइप निर्माण कार्य
17	02.05.2015	14976/–	मेनरोड से रुपल के घर तक ह्यूम पाइप निर्माण कार्य
	योग	**300294/–**	

प्रस्तर–65ग्राम पंचायत–बालडीह (विकासखण्ड–लालगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–ख1)

वर्ष 2011–12 से 2016–17 तक की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2015 के खाता प्रथम (राज्य वित्त/13वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु0 2036358/– का स्टाक कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे सम्बन्धित चालान,बिल,बाउचर प्रस्तुत किया गया । सम्बन्धित व्यय ग्राम पंचायत के संज्ञान में भी नही है। स्टाक आमद की पुष्टि में स्टाक पंजिका भी नही बनायी गयी है। उक्त क्रय स्टाक के मूल्य भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से न कर नकद किया गया है। जबकि आयकर अधि0 की धारा 40क–3(घ) के अनुसार रु0 10000/– से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए। उक्त स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गयी है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी से रुपया 1018179/– एवं प्रधान श्री राजमणि से रुपया 1018179/– किया जाना अपेक्षित है।

क्र0सं	**दिनांक**	**धनराशि**	**क्रय सामाग्री विवरण**
1	10.04.2011	10000/–	ईट क्रय
2	07.04.2011	30000/–	ईट क्रय
3	26.04.2011	60000/–	ईट क्रय
4	19.05.2011	20000/–	ईट क्रय
5	25.05.2011	3540/–	ईट क्रय
6	06.06.2011	36000/–	ईट क्रय
7	09.06.2011	10000/–	ईट क्रय
8	23.06.2011	28000/–	ईट क्रय
9	29.07.2011	15000/–	ईट क्रय
10	29.07.2011	2565/–	स्टेशनरी क्रय
11	24.08.2011	3655/–	ईट क्रय
12	24.09.2011	19500/–	हैंण्डपम्प मरम्मत पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
13	27.09.2011	55000/–	रोड लाइट क्रय
14	04.10.2011	4170/–	ईट क्रय
15	01.12.2011	21600/–	ईट क्रय
16	21.12.2011	17450/–	ईट क्रय
17	26.12.2011	57600/–	ईट क्रय
18	17.04.2012	72045/–	सीमेंट बालू गिट्टी क्रय
19	27.04.2012	14400/–	ईट क्रय

20	27.04.2012	12600 / —	ईंट क्रय
21	22.05.2012	72480 / —	ह्यूम पाइप क्रय
22	18.09.2012	30000 / —	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
23	18.102012	28485 / '	सीमेंट बालू गिट्टी क्रय
24	07.11.2012	4000 / —	सफाई कर्मी किट क्रय
25	19.11.2012	18890 / —	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
26	28.12.2012	44988 / —	सीमेंट बालू गिट्टी क्रय
27	31.01.2013	70292 / —	सीमेंट बालू गिट्टी क्रय
28	11.03.2013	25064 / —	सीमेंट बालू गिट्टी क्रय
29	11.03.2013	5490 / —	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
30	29.04.2013	39240 / —	सीमेंट बालू गिट्टी क्रय
31	29.04.2013	11000 / —	पटिया क्रय
32	16.05.2013	20500 / —	सीमेंट बालू क्रय
33	29.05.2013	26375 / —	सीमेंट बालू क्रय
34	05.06.2013	7200 / —	पटिया क्रय
35	24.06.2013	61480 / —	ईंट क्रय
36	24.06.2013	5733 / —	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
37	30.07.2013	37596 / —	सीमेंट बालू क्रय
38	29.09.2013	54350 / —	सीमेंट बालू क्रय
39	23.10.2013	12040 / —	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
40	23.10.2013	37416 / —	सीमेंट बालू क्रय
41	19.11.2013	62360 / —	सीमेंट बालू क्रय
42	06.12.2013	14850 / —	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
43	19.02.2014	52000 / —	ईंट क्रय
44	25.02.2014	10400 / —	ईंट क्रय
45	04.03.2014	10400 / —	ईंट क्रय
46	14.03.2014	31200 / —	ईंट क्रय
47	17.04.2014	12400 / —	ईंट क्रय
48	17.04.2014	92823 / —	सीमेंट बालू क्रय
49	15.05.2014	24944 / —	सीमेंट बालू क्रय
50	15.05.2014	14848 / —	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
51	04.09.2014	13550 / —	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
52	04.09.2014	71470 / —	सीमेंट बालू क्रय
53	23.03.2015	12000 / —	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
54	26.03.2015	85487 / —	सीमेंट बालू क्रय
55	30.04.2015	71920 / —	ईंट क्रय
56	11.05.2015	86637 / —	सीमेंट बालू क्रय
57	11.05.2015	33365 / —	सीमेंट बालू क्रय
58	18.06.2015	128960 / —	ईंट क्रय
59	06.07.2015	21700 / —	ईंट क्रय
60	08.07.2015	6500 / —	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
61	23.09.2015	48000 / —	ईंट क्रय
62	29.09.2015	24800 / —	सीमेंट बालू क्रय
	योग	**2036358 / —**	

प्रस्तर–66ग्राम पंचायत– बालडीह (विकासखण्ड–लालगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या– (ख2)

वर्ष 2011–12 से 2016–17 तक की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2015 के खाता प्रथम (राज्य वित्त/13वाँ वित्त) के द्वारा रु0 452686/– का भुगतान मजदूरी के रुप में कैशबुक में दर्शित है भुगतानिक धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही है जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नही की जा सकती। स्पष्ट है कि मस्तररोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी से रुपया 226343/– एवं प्रधान श्री राजमणि से रुपया 226343/– किया जाना अपेक्षित है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व परिसम्पत्ति पंजी भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उक्त मजदूरी भुगतान ग्राम पंचायत के संज्ञान में नही लाया गया। निर्माण समिति से कार्यपूर्ण होने तथा भुगतान करने की स्वीकृति नही ली गयी । विवरण निम्न है–

क्र0सं	दिनांक	धनराशि	क्रय सामाग्री विवरण
1	25.05.2011	16800/–	कुशहर के घर से अम्बेडकर मूर्ति तक खड़ंजा निर्माण कार्य मजदूरी
2	24.08.2011	13600/–	कुशहर के घर से फेकू के मड़ई तक खड़ंजा निर्माण कार्य मजदूरी
3	24.10.2011	8600/–	कुशहर के घर से पूरब मोती के घर तक खड़ंजा निर्माण कार्य मजदूरी
4	29.12.2011	24840/–	अम्बे0 मूर्ति से बड़े बाबा तक खड़ंजा निर्माण कार्य की मजदूरी
5	31.12.2011	200/–	कुशहर के घर से फेकू के मड़ई तक खड़ंजा निर्माण कार्य मजदूरी
6	27.04.2012	11880/–	अनिल के घर से अमिलिया पीचरोड तक खड़ंजा मरम्मत कार्य मजदूरी
7	27.04.2012	11880/–	अनिल के घर से सीसी रोड तक खड़ंजा मरम्मत कार्य मजदूरी
8	22.05.2012	16560/–	मनोज के घर से अशोक के घर तक ह्यूमपाईप नाली निर्माण कार्य की मजदूरी
9	18.10.2012	5625/–	सोक्ता निर्माण कार्य की मजदूरी
10	28.12.2012	7500/–	सोक्ता निर्माण कार्य की मजदूरी
11	31.01.2013	20000/–	रमवती के घर से गड़ही तक नाली निर्माण कार्य की मजदूरी
12	11.03.2013	4056/–	सोक्ता निर्माण कार्य की मजदूरी
13	09.04.2013	6760/–	हरीराम के घर तक गड़ही तक नाली निर्माण कार्य मजदूरी
14	16.05.2013	3380/–	कम्बल के घर से गड़ही तक नाली निर्माणकार्य की मजदूरी
15	29.05.2013	4732/–	अशोक के घर से सुबेदार के घर तक नाली निर्माण कार्य की मजदूरी
16	24.06.2013	14200/–	टनील के घर से मेन खड़ंजा तक खड़ंजा निर्माण कार्य की मजदूरी
17	30.07.2013	6084/–	सोक्ता निर्माण कार्य की मजदूरी
18	31.08.2013	23660/–	डीह बाबा चबूतरा निर्माण कार्य की मजदूरी
19	29.03.2013	13520/–	काली मंदिर चबूतरा निर्माण कार्य की मजदूरी
20	23.10.2013	6084/–	सोक्ता निर्माण कार्य की मजदूरी
21	13.02.2014	19880/–	श्रीकान्त के घर से पीच रोड तक खंड़जा निर्माण कार्य मजदूरी
22	07.05.2014	12500/–	शिवसहाय के घर से बाहा तक नाली निर्माण कार्य की मजदूरी
23	07.05.2014	23400/–	शिवसहाय के घर से बाहा तक नाली निर्माण कार्य की मजदूरी
24	15.05.2014	4308/–	सोक्ता निर्माण कार्य की मजदूरी
25	04.09.2014	12780/–	श्राम नवल के घर से नाला तक नाली निर्माण कार्य की मजदूरी
26	27.03.2014	10900/–	मनोज के घर से गड़ई तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण कार्य की मजदूरी
27	30.04.2015	10900/–	राम दरस के खेत से पंडित के बोखैर तक खड़ंजा निर्माण कार्य
28	11.05.2015	15626/–	महेन्द्र सिंह के घर से पक्की नाली तक नाली निर्माण कार्य की मजदूरी
29	11.05.2015	6186/–	मिठाई के घर से पोखरी तक नाली तक नाली निर्माण कार्य की मजदूरी
30	18.06.2015	93702/–	भगानू के चक से देव नरायण के चक तक खड़ंजा निर्माण कार्य की मजदूरी
31	23.09.2015	22545/–	मिठाई के घर से पोखरी तक नाली तक नाली निर्माण कार्य की मजदूरी
	योग	**452686/–**	

प्रस्तर–67ग्राम पंचायत–मई खरगपुर (विकासखण्ड–लालगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–ख1)

वर्ष 2011–12 से 2016–17 तक की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2015 के खाता प्रथम (राज्य वित्त/13वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु0 3322199/– का स्टाक कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे सम्बन्धित चालान,बिल,बाउचर प्रस्तुत किया गया । सम्बन्धित व्यय ग्राम पंचायत के संज्ञान में भी नही है। स्टाक आमद की पुष्टि में स्टाक पंजिका भी नही बनायी गयी है। उक्त क्रय स्टाक के मूल्य भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से न कर नकद किया गया है। जबकि आयकर अधि0 की धारा 40क–3(घ) के अनुसार रु0 10000/– से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए।उक्त स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गयी है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 3322199/– का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम

विकास अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी से रुपया 1661099.50 एवं प्रधान श्रीमती माला से रुपया 1661099.50 किया जाना अपेक्षित है।

क्र0सं	दिनांक	धनराशि	क्रय सामग्री विवरण
1	31.05.2011	20000/-	हैँण्डपम्प मर0 पर व्यय(सामाग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
2	20.06.2011	8800/-	सीमेंट बालू क्रय
3	30.06.2011	108000/-	ईट क्रय
4	01.07.2011	36000/-	ईट क्रय
5	29.07.2011	2565/-	स्टेशनरी क्रय
6	10.08.2011	28800/-	ईट क्रय
7	25.08.2011	19500/-	सीमेंट बालू गिट्टी क्रय
8	25.08.2011	24800/-	ईट क्रय
9	10.09.2011	58000/-	ईट क्रय
10	27.09.2011	82500/-	रोड लाइट क्रय
11	21.10.2011	45850/-	ईट क्रय
12	21.102.2011	36200/-	सीमेंट बालू गिट्टी क्रय
13	02.11.2011	21600/-	ईट क्रय
14	12.12.2011	7000/-	बालू
15	12.12.2011	59700/-	सीमेंट
16	03.03.2012	13000/-	सामग्री का विवरण कैशबुक में नही है
17	18.04.2012	34020/-	ईट क्रय
18	18.04.2012	20400/-	सीमेंट
19	18.04.2012	5772/-	सफेद बालू
20	18.04.2012	3150/-	लाल बालू
21	01.05.2012	57096/-	ईट क्रय
22	01.06.2012	41600/-	पटिया क्रय
23	01.06.2012	44724/-	सीमेंट बालू क्रय
24	30.06.2012	32940/-	ईट क्रय
25	01.10.2012	28584/-	ईट क्रय
26	12.10.2012	25930/-	सीमेंट बालू क्रय
27	30.10.2012	22362/-	सीमेंट बालू क्रय
28	08.11.2012	4000/-	हैँण्डपम्प मर0 पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
29	31.11.2012	6000/-	हैँण्डपम्प मर0 पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
30	04.12.2012	20160/-	ईट क्रय
31	12.12.2012	16190/-	सीमेंट बालू क्रय
32	31.12.2012	20800/-	130 पटिया क्रय
33	29.01.2013	5000/-	मिट्टी क्रय
34	30.01.2013	21280/-	ईट क्रय
35	05.02.2013	28440/-	ईट क्रय
36	05.02.2013	22362/-	सीमेंट बालू क्रय
37	18.04.2013	34925/-	ईट क्रय
38	18.04.2013	7425/-	ईट गिट्टी
39	26.04.2013	22849/-	सीमेंट बालू क्रय
40	30.04.2013	31200/-	ईट क्रय
41	24.06.2013	68750/-	ईट क्रय
42	24.06.2013	14850/-	ईट गिट्टी क्रय
43	24.06.2013	15288/-	बालू
44	10.07.2013	31200/-	सीमेंट
45	31.07.2013	7396/-	हैँण्डपम्प मर0 पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
46	26.08.2013	226200/-	ईट क्रय
47	31.08.2013	13818/-	मिट्टी क्रय
48	29.09.2013	145978/-	ईट क्रय
49	12.102013	17930/-	ईट गिट्टी क्रय
50	12.10.2013	26670/-	बालू
51	12.10.2013	21550/-	प्रा0वि0 पर शौचालय मरम्मत पर व्यय

52	28.02.2014	78000/–	ईंट क्रय
53	11.03.2014	72800/–	ईंट क्रय
54	11.03.2014	9170/–	मिट्टी क्रय
55	25.03.2014	23143/–	सीमेंट बालू क्रय
56	27.03.2014	70000/–	ह्यूम पाइप क्रय
57	24.04.2014	184821/–	सीमेंट बालू क्रय
58	26.05.2014	17616/–	सीमेंट बालू क्रय
59	27.05.2014	7000/–	सोलर लाइट क्रय
60	10.07.2014	107910/–	ह्यूम पाइप क्रय
61	10.07.2014	2720/–	सीमेंट
62	22.08.2014	11990/–	ह्यूम पाइप क्रय
63	22.08.2014	2720/–	सीमेंट क्रय
64	11.03.2015	2135/–	सफेद बालू
65	11.03.2015	5850/–	ईंट गिट्टी क्रय
66	11.03.2015	122760/–	ईंट क्रय
67	11.03.2015	59920/–	सीमेंट बालू क्रय
68	11.03.2015	9360/–	ईंट गिट्टी
69	11.03.2015	52000/–	ईंट क्रय
70	01.05.2015	71282/–	सीमेंट बालू क्रय
71	01.05.2015	32500/–	ईंट क्रय
72	01.05.2015	1872/–	ईंट गिट्टी
73	18.05.2015	62000/–	ईंट क्रय
74	18.05.2015	58900/–	ईंट क्रय
75	20.05.2015	114747/–	सीमेंट बालू क्रय
76	01.06.2015	31200/–	सीमेंट बालू क्रय
77	27.06.2015	28082/–	हैँण्डपम्प मर0 पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
78	01.07.2015	78390/–	ईंट क्रय
79	04.07.2015	62025/–	सीमेंट बालू क्रय
80	04.07.2015	45500/–	ईंट क्रय
81	23.07.2015	70800/–	ह्यूम पाइप क्रय
82	01.08.2015	34580/–	सीमेंट बालू क्रय
83	30.09.2015	18252/–	हैँण्डपम्प मर0 पर व्यय(सामग्री व मजदूरी कैशबुक में सम्मिलित रुप में दर्शित)
	योग	**3322199/–**	

प्रस्तर–68ग्राम पंचायत–मई खरगपुर (विकासखण्ड–लालगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–ख2)

वर्ष 2011–12 से 2016–17 तक की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2015 के खाता प्रथम (राज्य वित्त/13वाँ वित्त) के द्वारा रु0 637977/– का भुगतान मजदूरी के रुप में कैशबुक में दर्शित है भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही है जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नही की जा सकती। स्पष्ट है कि मस्तररोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी से रुपया 318988.50 एवं प्रधान श्रीमती माला से रुपया 318988.50 किया जाना अपेक्षित है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व परिसम्पत्ति पंजी भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उक्त मजदूरी भुगतान ग्राम पंचायत के संज्ञान में नही लाया गया। निर्माण समिति से कार्यपूर्ण होने तथा भुगतान करने की स्वीकृति नही ली गयी। विवरण निम्न है–

क्र0सं	**दिनांक**	**धनराशि**	**क्रय सामग्री विवरण**
1	24.06.2011	15200/–	पीचरोड से रामअचल के घर तक खड़ंजा एवं दिवाल जोड़वाई कार्य
2	29.07.2011	3920/–	खरगपुर वस्ती में खड़जां मरम्मत कार्य
3	10.08.2011	8000/–	10 सोक्ता निर्माण कार्य की मजदूरी
4	30.09.2011	32800/–	वारा0 मार्ग से अमोरा सरहद तक खड़ंजा मरम्मत
5	31.12.2011	39760/–	राम अचल के घर से विजयी के खेत तक नाली निर्माण कार्य
6	30.04.2012	18900/–	मनोकामना के घर से त्रिभुवन के घर तक पक्की नाली निर्माण
7	30.05.2012	17100/–	राधेश्याम के घर से सड़क तक पक्की नाली निर्माण कार्य
8	25.06.2012	17100/–	किड्डू राय के घर से नाला तक पक्की नाली निर्माण कार्य
9	25.07.2012	18900/–	शेषनाथ के घर से मनोकामना राय के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य
10	30.10.2012	17100/–	मनोज राय के घर से सड़क तक पक्की नाली निर्माण कार्य
11	30.12.2012	9000/–	शोक्ता निर्माण कार्य की मजदूरी

12	29.01.2013	12875/—	रामजी के घर से हृदयराय के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य
13	27.02.2013	17100/—	घनश्याम के घर से खेत तक पक्की नाली निर्माण कार्य
14	30.04.2013	17500/—	अम्बिका के घर से त्रिभुवन के घर तक पक्की नाली निर्माण
15	30.05.2013	30500/—	पीच रोड से फिरल्ली के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य
16	30.06.2013	34710/—	राममिलन के घर से ताल तक पक्की नाली निर्माण कार्य
17	31.08.2013	30534/—	पीच रोज से विनोद राय के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य
18	29.09.2013	50196/—	खेलावन पासी के घर से पोखरी तक पक्की नाली निर्माण कार्य
19	28.02.2014	15416/—	उमरीश्री खड़ंजे से विक्रय यादव के घर तक खड़ंजा मरम्मत
20	25.03.2014	7680/—	सोक्ता निर्माण कार्य की मजदूरी
21	26.05.2014	33252/—	ईशा के घर से जोहरा के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य
22	08.07.2014	9360/—	ईशा के घर से जोहरा के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य
23	11.03.2015	24660/—	ईशा के घर से जोहरा के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य
24	11.03.2015	27612/—	पीच रोड से दरोगा राय के घर तक खड़ंजा मरम्मत
25	01.05.2015	47340/—	भानूराय के घर से पोखरी तक पक्की नाली निर्माण कार्य
26	18.05.2015	24311/—	पीच रोड से सुग्रीवराय के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य
27	20.05.2015	21897/—	बरसाती के घर से अदालत के जमीन तक आरसीसी ढक्कन का निर्माण कार्य
28	01.06.2015	19635/—	डीहबाबा का चाहरदीवारी निर्माण कार्य
29	04.07.2015	7373/—	डीहबाबा का चाहरदीवारी निर्माण कार्य
30	01.08.2015	8246/—	त्रिवेणी के घर के आगे मोड तक पक्की नाली मरम्मत कार्य
		637977/—	

प्रस्तर–69ग्राम पंचायत–उमरी श्री (विकासखण्ड–लालगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–ख1)

वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक की लेखा परीक्षा के खाता प्रथम (राज्य वित्त/13वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु0 1525295/— का स्टाक कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे सम्बन्धित चालान,बिल,बाउचर प्रस्तुत किया गया । सम्बन्धित व्यय ग्राम पंचायत के संज्ञान में भी नही है। स्टाक आमद की पुष्टि में स्टाक पंजिका भी नही बनायी गयी है। उक्त क्रय स्टाक के मूल्य भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से न कर नकद किया गया है। जबकि आयकर अधि0 की धारा 40क–3(घ) के अनुसार रु0 10000/— से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए।उक्त स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गयी है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 1525295/— का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी से रुपया 762647.50 एवं प्रधान श्री रामसेवक से रुपया 762647.50 किया जाना अपेक्षित है।

क्र0सं	दिनांक	धनराशि	क्रय सामग्री विवरण
1	20.01.2011	20000/—	ह्यूम पाइप क्रय
2	09.02.2011	10800/—	ईंट क्रय
3	09.02.2011	2680/—	सीमेंट क्रय
4	09.02.2011	1000/—	बालू क्रय
5	27.04.2011	50000/—	ईंट क्रय (नकद भुगतान)
6	24.05.2011	3250/—	ईंट क्रय
7	25.05.2011	17750/—	ईंट क्रय (नकद भुगतान)
8	13.06.2011	92300/—	ईंट क्रय (नकद भुगतान)
9	04.07.2011	16000/—	ईंट क्रय (नकद भुगतान)
10	19.10.2011	91000/—	14 रोड लाइट क्रय
11	29.12.2011	45570/—	ईंट क्रय (नकद भुगतान)
12	02.03.2012	11000/—	05 ब्यक्तिगत शौचालय भुगतान
13	30.04.2012	21600/—	ईंट क्रय
14	30.04.2012	6000/—	सीमेंट क्रय
15	30.04.2012	4600/—	बालू क्रय
16	02.05.2012	40770/—	ह्यूम पाइप क्रय
17	07.05.2012	28800	ईंट क्रय
18	07.05.2012	9000/—	सीमेंट
19	07.05.2012	7360/—	बालू क्रय
20	13.06.2012	10765/—	हैँण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
21	18.09.2012	28485/—	सोक्ता निर्माण सामाग्री क्रय

22	09.11.2012	31890/—	हैंण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
23	23.01.2013	5625/—	मिट्टी क्रय
24	23.01.2013	20000/—	ईंट क्रय
25	22.02.2013	21200/—	ईंट क्रय
26	22.02.2013	15096/—	सीमेंट बालू क्रय
27	31.03.2013	2350/—	हैंण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
28	31.003.2013	5300/—	ईंट क्रय
29	31.03.2013	6022/—	सीमेंट बालू क्रय
30	11.04.2013	57200/—	ईंट क्रय
31	20.05.2013	27180/—	ह्यूम पाइप क्रय
32	20.05.2013	14750/—	हैंण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
33	05.08.2013	20800/—	ईंट क्रय
34	05.08.2013	21589/—	सीमेंट बालू क्रय
35	23.09.2013	61200/—	ईंट क्रय
36	01.10.2013	25500/—	ईंट क्रय
37	12.10.2013	32500/—	सीमेंट क्रय
38	12.10.2013	25000/—	बालू क्रय
39	12.02.2014	5500/—	ईंट क्रय
40	12.02.2014	3250/—	सीमेंट क्रय
41	12.02.2014	2500/—	बालू क्रय
42	05.03.2014	4530/—	हैंण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
43	07.03.2014	26500/—	ईंट क्रय
44	09.04.2014	39000/—	ईंट क्रय
45	09.04.2014	1000/—	हैंण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
46	21.05.2014	60000/—	2 सोलर लाईट क्रय नकद भुगतान
47	28.05.2014	42400/—	ईंट क्रय
48	28.05.2014	16250/—	सीमेंट क्रय
49	28.05.2014	10000/—	बालू क्रय
50	24.06.2014	13000/—	ईंट क्रय
51	24.06.2014	11500/—	सीमेंट बालू क्रय
52	21.08.2014	27935/—	ह्यूम पाइप क्रय
53	04.09.2014	24400/—	ईंट क्रय
54	07.03.2015	15000/—	हैंण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
55	20.03.2015	91450/—	ईंट क्रय
56	05.05.2015	10000/—	हैंण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
57	05.05.2015	57660/—	ईंट क्रय
58	11.05.2015	17250/—	ईंट क्रय
59	18.05.2015	38837/—	ह्यूम पाइप क्रय
60	20.05.2015	51460/—	ईंट क्रय
61	23.05.2015	7687/—	सीमेंट, बालू क्रय
62	06.07.2015	12000/—	दिनेश यादव को शौचालय की धनराशि दी गयी (नकद भुगतान)
63	29.09.2015	21000/—	ईंट क्रय
64	29.09.2015	24000/—	ईंट क्रय
	योग	**1525295/—**	

प्रस्तर–70ग्राम पंचायत–उमरी श्री (विकासखण्ड–लालगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–ख2)

वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक की लेखा परीक्षा में (राज्य वित्त/13वाँ वित्त) के द्वारा रु0 507555/–/– का भुगतान मजदूरी के रुप में कैशबुक में दर्शित है भुगतानिक धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही है जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नही की जा सकती। स्पष्ट है कि मस्टररोल के आभाव में भुगतान काल्पनिक रहा जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी से रुपया 253777.50 एवं प्रधान श्री रामसेवक से रुपया 253777.50 किया जाना अपेक्षित है।

क्र0सं	दिनांक	धनराशि	क्रय सामग्री विवरण
1	15.02.2011	3500/—	03 सोक्ता गढ़ढा निर्माण की मजदूरी
2	24.05.2011	31280/—	धर्मराज के घर से धनराज के घर तक खडंजा कार्य की मजदूरी
3	13.06.2011	10800/—	महेन्द्र यादव के घर से धनराज यादव के घर तक खडंजा कार्य की मजदूरी
4	26.06.2011	10240/—	फिरतू के घर से पतिराज के घर तक खडंजा कार्य की मजदूरी

5	16.07.2011	7200/–	बेघा के घर से पप्पू के घर तक खडंजा कार्य की मजदूरी
6	10.03.2012	1100/–	06 हैण्डपम्प चबुतरा व नाली निर्णा की मजदूरी
7	30.04.2012	12480/–	डीहबाबा का चाहरदीवारी निर्माण कार्य
8	02.05.2012	3000/–	राम समुझ के घर से पोखरी तक ह्यूम नाली निर्माण की मजदूरी
9	07.05.2012	16640/–	भटुआ बाबा के स्थान पर चबूतरा निर्माण की मजदूरी
10	18.09.2012	5625/–	03 सोक्ता गढ़ढा निर्माण की मजदूरी
11	23.01.2013	20250/–	डमेश के घर से त्रिभुवन के घर तक खड़जा कार्य की मजदूरी
12	22.02.2013	9375/–	कमलेख के घर से गिरधारी के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य
13	31.03.2013	2028/–	01 सोक्ता गढ़ढा निर्माण की मजदूरी
14	11.04.2013	11360/–	मनोजराय के घर से पीचरोड तक खडंजा कार्य की मजदूरी
15	20.05.2013	24424/–	पुल से जियालाल के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य
16	13.09.2013	23660/–	रामरुप के घर से लडई तक पक्की नाली निर्माण कार्य
17	21.09.2013	31250/–	नहर से मुशहर बस्ती तक पक्की नाली निर्माण कार्य
18	21.09.2013	53250/–	नहर से मुशहर बस्ती तक पक्की नाली निर्माण कार्य
19	12.02.2014	16900/–	छठ्ठू के घल से पतिराम के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य
20	07.03.2014	18460/–	डा0 के घर से अछ्छा के घर तक खडंजा कार्य की मजदूरी
21	28.05.2014	12500/–	बह्म बाबा स्थान पर चबुतरा निर्माण की मजदूरी
22	28.05.2014	23400/–	बह्म बाबा स्थान पर चबुतरा निर्माण की मजदूरी
23	28.05.2014	33370/–	बह्म बाबा स्थान पर चबुतरा निर्माण की मजदूरी
24	24.06.2014	6244/–	लुटावन गौड़ के दरवाजे पर कूआँ मरम्मत की मजदूरी
25	04.03.2015	13416/–	दीना के घर से रमेश के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य की मजदूरी
26	10.03.2015	14976/–	पीच रोड से फिरतू के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य की मजदूरी
27	10.03.2015	14976/–	पीच रोड से फिरतू के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य की मजदूरी
28	29.04.2015	14976/–	पीच रोड से फिरतू के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य की मजदूरी
29	05.05.2015	21684/–	नारद के घर से बलराम के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य की मजदूरी
30	05.05.2015	3902/–	नारद के घर से बलराम के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य की मजदूरी
31	08.05.2015	18515/–	राधेश्याम के घर से नहर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य की मजदूरी
32	28.07.2015	16774/–	नहर से जियालाल के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य की मजदूरी
	योग	**507555/–**	

प्रस्तर–71ग्राम पंचायत–नैठी (विकासखण्ड–सठियाँव) (सामान्य आपत्ति संख्या–20)

ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जाँच में पाया गया कि दिनांक–01.07.2016 को प्रधान के पास प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष शून्य दर्शित रहा। माह में दिनांक 19.07.2016 को 23508/–रु0 दिनांक 20.07.2016 को 38000/– रु0 आहरित किया गया। इस प्रकार प्रधान के पास कुल नकद अवशेष 61508/– रु0 रहा। जिसमें से माह में रु0 23508/– व्यय किया गया। इस प्रकार प्रधान के पास दिनांक 31.07.2016 को 38000/– रु0 अवशेष रोकड़ शेष रहा जबकि कैशबुक में प्रधान के पास रोकड़ शेष शून्य दर्शित किया गया। प्रधान के पास शून्य दर्शित कर 38000/– रु0 का अपहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री देवेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिशंकर सिंह से की जानी अपेक्षित रही।

प्रस्तर–72ग्राम पंचायत–नैठी (विकासखण्ड–सठियाँव) (सामान्य आपत्ति संख्या–21)

अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के अर्ध शासकीय पत्र सं0 2059/सम/03 दिनांक 30.03.02 के परिपेक्ष में शासन में ग्रामीण क्षेत्रों के हैण्डपम्पो के रखरखाव ग्राम पंचायतों से कराये जाने का निर्णय लिया तथा हण्डपम्पों से लाभान्वित व्यक्तियों का उपभोक्ता समूह गठित करने का निर्देश दिया गया। अभिलेखीय अधार पर यह पुष्टि नही होती है कि लाभार्थियों द्वारा कोई अंशदान ग्राम पंचायत में जमा किया गया है। हैण्डपम्पों पर ग्राम निधि खाता से किया गया है। अतः भुगतान अनियमित रहा। विवरण निम्नवत् रहा–

क्र0सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	25.05.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	36000/–
2	27.05.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	42000/–
3	01.05.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	19750/–
4	18.06.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	10485/–
5	31.07.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	12600/–
6	03.09.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	27940/–
7	21.09.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	28635/–
	योग		**177410/–**

अत– 177410/– रु0 अनियमित भुगतान पर अनियमितता की गयी। जिसके लिए प्रधान श्रीमती रुना, देवेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिशंकर सिंह उत्तरदायी रहे। अतः रु0 177410/– की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

प्रस्तर–73ग्राम पंचायत–नैठी (विकासखण्ड–सठियाँव) (सामान्य आपत्ति संख्या–22)

ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जाँच में पाया गया कि दिनांक– 09.09.2016 को रु0 15000/– सफाई कार्य कार्य हेतु कार्य का भुगतान अंकित कर व्यय दर्शित है। कैशबुक में कोई विवरण अंकित नही किया गया कि किस कार्य हेतु सफाई कर्मी को भुगतान किया गया। सफाई कर्मी से प्राप्ति की रसीद व्यय प्रमाणक प्राप्त नही किया गया। 15000/– भुगतान से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम अध्यया 08(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में उपलब्ध नही कराया जाता है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी एवं प्रधान से वसूली ब्याज सहित की जानी चाहिए। अतः 15000/– रु की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री देवेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिशंकर से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–74 ग्राम पंचायत–लोहरा (विकासखण्ड–सठियाँव) (सामान्य आपत्ति संख्या–20)

अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के अर्ध शासकीय पत्र सं0 2059/सम/03 दिनांक 30.03.02 के परिपेक्ष्य में शासन में ग्रामीण क्षेत्रों के हैण्डपम्पो के रखरखाव ग्राम पंचायतों से कराये जाने का निर्णय लिया तथा हण्डपम्पों से लाभान्वित व्यक्तियों का उपभोक्ता समूह गठित करने का निर्देश दिया गया। अभिलेखीय अधार पर यह पुष्टि नही होता है कि लाभार्थियों द्वारा कोई अंशदान ग्राम पंचायत में जमा किया गया है। हैण्डपम्पों पर ग्राम निधि खाता से किया गया है। अतः भुगतान अनियमित रहा। विवरण निम्नवत् रहा–

क्र0सं0	**दिनांक**	**विवरण**	**धनराशि**
1	11.04.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	6100/–
2	08.05.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	4375/–
3	05.05.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	25370/–
4	07.11.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	6960/–
5	07.11.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	19430/–
6	27.03.2017	हैण्डपम्प मरम्मत	17190/–
	योग		**79425/–**

अतः 79425/– रु0 अनियमित भुगतान पर अनियमितता की गयी। जिसके लिए प्रधान श्रीमती कुन्ती देवा,श्री मती गुलनारा बानों एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकेश सिंह उत्तरदायी रहे। अतः रु0 79425/– की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

प्रस्तर–75 ग्राम पंचायत–लोहरा (विकासखण्ड–सठियाँव) (सामान्य आपत्ति संख्या–21)

ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जाँच में पाया गया कैशबुक के व्यय पक्ष में निम्न विवरणानुसार रु0 148200/– का भुगतान दिखाया गया। किन्तु बैंक पासबुक से मिलान करने पर यह पाया गया कि यू0बी0आई0 की शाखा खुझिया खाता सं0– 4880020109970907 से चेक सं0 दिनांक धनराशि का आहरण ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा स्वंय के नाम से किया गया है। लेखा नियमों के अनुसार फर्म आपूर्ति कर्ता को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा नही किया गया।इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रु0 148200/– का अपहरण कर कपट पूर्ण समायोजन प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कैशबुक के व्यय पक्ष में फर्म आपूर्ति कर्ता के नाम दर्शित किया गया। अतः रु0 148200/– की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री मती कुन्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकेश सिंह से अपेक्षित रही। विवरण निम्नवत् रहा–

क्र0 सं0	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि
1	18.04.2015	21030448	रामकेश सिंह	34200/–
2	08.07.2015	21032002	रामकेश सिंह	49000/–
3	18.09.2015	21032009	रामकेश सिंह	30000/–
4	06.10.2015	21032012	रामकेश सिंह	35000/–
			योग	148200/–

प्रस्तर–76ग्राम पंचायत–डिलिया (विकासखण्ड–सठियाँव) (सामान्य आपत्ति संख्या–18)

अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के अर्ध शासकीय पत्र सं0 2059/सम/03 दिनांक 30.03.02 के परिपेक्ष्य में शासन में ग्रामीण क्षेत्रों के हैण्डपम्पो के रखरखाव ग्राम पंचायतों से कराये जाने का निर्णय लिया तथा हण्डपम्पों से लाभान्वित व्यक्तियों का उपभोक्ता समूह गठित करने का निर्देश दिया गया। अभिलेखीय अधार पर यह पुष्टि नही होती है कि लाभार्थियों द्वारा कोई अंशदान ग्राम पंचायत में जमा किया गया है। हैण्डपम्पों पर मरम्मत ग्राम निधि खाता से किया गया है। अतः भुगतान अनियमित रहा। विवरण निम्नवत् रहा–

क्र0सं0	**दिनांक**	**विवरण**	**धनराशि**
1	29.04.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	15000/–
2	28.102016	हैण्डपम्प मरम्मत	19590/–
3	19.08.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	28200/–
4	14.09.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	4850/–
5		**योग**	**67640/–**

अतः 67640/– रु0 अनियमित भुगतान पर अनियमितता की गयी। जिसके लिए प्रधान श्रीमती सरिता सिंह/श्रीमती शनभावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिनंद यादव उत्तरदायी रहे। अतः रु0 67640/– की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

प्रस्तर–77ग्राम पंचायत–डिलिया (विकासखण्ड–सठियाँव) (सामान्य आपत्ति संख्या–22)

पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1639/33–3–2015–03/2015 दिनांक 19.06.15 के प्रस्तर 2(1) के अनुसार ग्राम पंचायतों में परिसंम्पतियों के रखरखाव को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष संक्रमण की 50 प्रतिशत तक की धनराशि को ग्राम पंचायतों की पूर्व में श्रजित परिसम्पतियों के समुचित रखरखाव के लिए उपयोग में लाया जायेगा। परिसम्पतियों से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रतिवर्ष अधावधि किया जायेगा। अन्तरण की धनराशि से पंचायतें अपनी परिसम्पत्तियों का रखरखाव करने में सक्षम होगी। ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में खड़ंजा मरम्मत/पंचायत भवन पर भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति नही बनाया गया है। अतः यह पुष्टि नही होती है कि ग्राम पंचायत में खड़ंजा /पंचायत भवन पूर्व के वर्षों में बना है अथवा नही अतः खड़ंजा मरम्मत पर किया गया भुगतान अनियमित रहा।

क्र0सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	17.04.2015	राम प्रसाद के घर से रवि के घर तक खड़ंजा मरम्मत पर ईंट खरीद	24848/–
2	17.04.2015	उक्त कार्य पर मजदूरी	13374/–
3	07.03.2017	पंचायत भवन मरम्मत कार्य में पेंट आदि पर व्यय पर बालू ईंट क्रय	9744/–
4	22.03.2017	पंचायत भवन मरम्मत कार्य में पेंट आदि पर व्यय पर बालू ईंट क्रय	20814/–
5	24.03.2017	उक्त पर मजदूरी	4104/–
6	27.03.2017	उक्त पर मजदूरी	3930/–
7	27.03.2017	उक्त मरम्मत कार्य पर सीमेंट पर व्यय	1950/–
8	27.03.2017	पंचायत भवन मरम्मत फर्श आदि पर गिट्टी	9989/–
		योग	**88753/–**

मरम्मत कार्य पर कुल भुगतान 38222+50531 योग 88753 अतः रु0 88753 अनियमित भुगतान के लिए प्रधान श्री मति सरिता सिंह/श्रीमती शनभावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिनंद यादव उत्तरदायी रहे। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर–78ग्राम पंचायत–हाजीपुर (विकासखण्ड–सठियाँव) (सामान्य आपत्ति संख्या–20)

अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के अर्ध शासकीय पत्र सं0 2059/सम/03 दिनांक 30.03.02 के परिपेक्ष में शासन में ग्रामीण क्षेत्रों के हैण्डपम्पो के रखरखाव ग्राम पंचायतों से कराये जाने का निर्णय लिया तथा हण्डपम्पों से लाभान्वित व्यक्तियों का उपभोक्ता समूह गठित करने का निर्देश दिया गया। अभिलेखीय अधार पर यह पुष्टि नही होती है कि लाभार्थियों द्वारा कोई अंशदान ग्राम पंचायत में जमा किया गया है। हैण्डपम्पों पर मरम्मत ग्राम निधि खाता से किया गया है। अतः भुगतान अनियमित रहा। विवरण निम्नवत रहा–

क्र0सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	11.05.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	12150/–
2	28.08.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	9240/–
3	12.04.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	7150/–
4	08.03.2017	हैण्डपम्प मरम्मत	19990/–
		योग	**48530/–**

अतः 48530/– रु0 अनियमित भुगतान पर अनियमितता की गयी। जिसके लिए प्रधान श्री रामआसरे निषाद/श्रीमती अनारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज यादव उत्तरदायी रहे। अतः रु0 48530/– की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

प्रस्तर–79ग्राम पंचायत–हाजीपुर (विकासखण्ड–सठियाँव) (सामान्य आपत्ति संख्या–21)

पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1639/33–3–2015–03/2015 दिनांक 19.06.15 के प्रस्तर 2(1) के अनुसार ग्राम पंचायतों में परिसंम्पत्तियों के रखरखाव को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष संक्रमण की 50 प्रतिशत तक की धनराशि को ग्राम पंचायतों की पूर्व में श्रजित परिसम्पतियों के समुचित रखरखाव के लिए उपयोग में लाया जायेगा। परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रतिवर्ष अधावधि किया जायेगा। अन्तरण की धनराशि से पंचायतें अपनी परिसम्पत्तियों का रखरखाव करने में सक्षम होगी। ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में खड़ंजा मरम्मत/पंचायत भवन पर भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति नही बनाया गया है। अतः यह पुष्टि नही होता है कि ग्राम पंचायत में खड़ंजा /पंचायत भवन पूर्व के वर्षों में बना है अथवा नही अतः खड़ंजा मरम्मत पर किया गया भुगतान अनियमित रहा।

क्र0सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	08.09.2015	बिन्दू के घर से जोखू के घर तक मुख्य खड़ंजा मरम्मत मजदूरी	14042/–
2	09.09.2015	उक्त कार्य में प्रयुक्त ईंट का भुगतान	30777/–
		योग	**44819/–**

अतः 44819/— रु0 अनियमित भुगतान पर अनियमितता की गयी। जिसके लिए प्रधान श्री रामआसरे निषाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज यादव उत्तरदायी रहे। अतः रु0 44819/— की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

प्रस्तर–80ग्राम पंचायत–महुआ मुरारपुर (विकासखण्ड–सठियाँव)(सामान्य आपत्ति संख्या–18)

अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के अर्ध शासकीय पत्र सं0 2059/सम/03 दिनांक 30.03.02 के परिपेक्ष में शासन में ग्रामीण क्षेत्रों के हैण्डपम्पो के रखरखाव ग्राम पंचायतों से कराये जाने का निर्णय लिया तथा हण्डपम्पों से लाभान्वित व्यक्तियों का उपभोक्ता समूह गठित करने का निर्देश दिया गया। अभिलेखीय अधार पर यह पुष्टि नही होती है कि लाभार्थियों द्वारा कोई अंशदान ग्राम पंचायत में जमा किया गया है। हैण्डपम्पों पर मरम्मत ग्राम निधि खाता से किया गया है। अतः भुगतान अनियमित रहा। विवरण निम्नवत् रहा–

क्र0सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	27.10.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	17880/—
2	10.06.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	6880/—
3	15.11.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	1738/—
4	30.03.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	15000/—
		योग	**41498/—**

अतः 41498/— रु0 अनियमित भुगतान पर अनियमितता की गयी। जिसके लिए प्रधान श्रीमती पूजा सिंह/श्रीमती छुहारीदेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकेश सिंह उत्तरदायी रहे। अतः रु0 41498/— की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

प्रस्तर–81ग्राम पंचायत–महुआ मुरारपुर (विकासखण्ड–सठियाँव)(सामान्य आपत्ति संख्या–19)

ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जाँच में पाया गया कैशबुक के व्यय पक्ष में निम्न विवरणानुसार रु0 148000/— का भुगतान दिखाया गया। किन्तु बैंक पासबुक से मिलान करने पर यह पाया गया कि यू0बी0आई0 की शाखा खुझिया खाता सं0– 48800201099709 से चेक सं0 दिनांक धनराशि का आहरण ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा स्वंय के नाम से किया गया है। लेखा नियमों के अनुसार फर्म आपूर्ति कर्ता को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा नही किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रु0 148000/— का अपहरण कर कपट पूर्ण समायोजन प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कैशबुक के व्यय पक्ष में फर्म आपूर्ति कर्ता के नाम दर्शित किया गया। अतः रु0 148000/— की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती छुहारी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकेश सिंह से अपेक्षित रही। विवरण निम्नवत् रहा–

क्र0 सं0	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि
1	08.07.2015	21026979	रामकेश सिंह	45000/—
2	04.08.2015	21032348	रामकेश सिंह	40000/—
3	29.10.2015	21032349	रामकेश सिंह	37000/—
4	15.11.2015	21032352	रामकेश सिंह	26000/—
			योग	**148000/—**

प्रस्तर–82ग्राम पंचायत–चिलबिलीदान चिलबिली (विकासखण्ड–हरैया) (सामान्य आपत्ति संख्या–02)

कोषबही जाँच में पाया गया कि दिनांक 01.08.15 को प्रारम्भिक अवशेष प्रधान के पास नकद रु0 4802/— तथा बैंक खाते में रु0 27299.17 है। दिनांक 13.08.2015 को राजवित्त आयोग से रु0 46565/— की आय हुई तथा दिनांक 31. 08.15 को रु0 12500/— को प्रधान का मानदेय भुगतान किया गया इसप्रकार दिनांक 31.08.15 को प्रधान के पास रु0 4802/— तथा बैंक एस0बी0आई0 वेलकुण्डा के खाता सं 11720945216 में अवशेष रु0 46764.17 है। दिनांक 31.08.15 को बैंकखातें में अवशेष रु0 61364.17 के स्थान पर रु0 46764.17 कोषबही में अंकित किया गया है। अतः बैंक खाते का अवशेष रु0 14600/— से कम करके अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री मती परमदेई तथा ग्राम पं0 अधि0 श्री साममिलन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–83ग्राम पंचायत–भदौरा मकरन्द (विकासखण्ड–हरैया) (सामान्य आपत्ति संख्या–03)

वित्त लेखा अनुभाग 1 के शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 2 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया है तो अर्जित व्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की होगी और अर्जित व्याज राजकोष में जमा करना अपेक्षित होगा। किन्तु वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक एस0बी0आई0 शाखा वेलकुण्डा के खाता सं0 31675346214 में निम्नलिखित आय हुई जिसे राजकोष में जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी इसके प्रति प्रधान श्रीमती सुनीता व ग्राम पंचायत अधि0 श्री सभाराम वर्मा उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

दिनांक	धनराशि
30.06.2014	2464/—
25.12.2014	1087/—
25.06.2014	2452/—
25.12.2015	970/—
25.06.2016	6186/—

25.09.2016	3537 / –
25.12.2016	4166 / –
25.03.2017	5975 / –
योग	**26837 / –**

प्रस्तर–84ग्राम पंचायत–हैदराबाद (विकासखण्ड–हरैया) (सामान्य आपत्ति संख्या–03)

वित्त लेखा अनुभाग 1 के शासनादेश सं0 ए–1–122 / दस–2012–10(33) / 2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 2 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया है तो अर्जित ब्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की होगी और अर्जित ब्याज राजकोष में जमा करना अपेक्षित होगा। किन्तु वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक यू0बी0आई0 शाखा चाँदपट्टी के खाता सं0 453302010704455 में निम्नलिखित आय हुई जिसे राजकोष में जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी इसके प्रति प्रधान श्रीमती विद्या / श्रीमती अनारी व ग्राम पंचायत अधि0 श्री राजू सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
03.08.2014	12413 / –
01.02.2015	7795 / –
02.08.2015	6868 / –
07.02.2016	1633 / –
09.04.2016	3724 / –
03.07.2016	8807 / –
02.10.2016	10737 / –
02.01.2017	6891 / –
योग	**58868 / –**

प्रस्तर–85ग्राम पंचायत–बघावर (विकासखण्ड–हरैया) (सामान्य आपत्ति संख्या–03)

दिनांक 31.01.17 को कोषबही की जाँच में पाया गया कि बक्सीपुर मेनरोड से तूफानी के घर तक खड़ंजा मरम्मत पर मजदूरी रु0 85260 / – तथा 01.02.17 को भी उक्त कार्य की मजदूरी पर रु 85260 / – का व्यय दर्शित है लेकिन सम्बन्धित धनराशि की जाँच एस.बी.आई शाखा बेलकुण्डा के एकाउन्ट नं0 31725982277 करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त धनराशियों को ग्राम विकास अधि0 श्री सभाराम वर्मा के व्यक्तिगत खाते में नेफ्ट के माध्यम से स्थानान्तरित की गयी है । इस प्रकार मजदूरी का वास्तविक रुप से भुगतान न करके अपहरण किया गया है। जिससे वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती उर्मिला तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री सभाराम वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–86ग्राम पंचायत–बघावर (विकासखण्ड–हरैया) (सामान्य आपत्ति संख्या–04)

दिनांक 30.01.17 को बक्सी मेंनरोड से तुफानी के घर तक खड़ंजा मरम्मत पर ईंट रु0 84521 / – का क्रय दर्शित कर खड़ंजा मरम्मत में लगवाई गयी है जबकि उक्त कार्य की मजदूरी ग्राम विकास अधिकारी श्री साभाराम वर्मा के खाते में स्थानान्तरित है। इस प्रकार कार्य न करके ईंट के स्टाक का अपरहण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती उर्मिला तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री सभाराम वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–87ग्राम पंचायत–ओदरा सलेमपुर (विकासखण्ड–हरैया) (सामान्य आपत्ति संख्या–03)

सामाग्री क्रय में रु0 5000 / – से अधिक भुगतान करने हेतु एकाउन्ट पेयी चेक का उपयोग करना चाहिए किन्तु ईकाई द्वारा उक्त नियम का पालन नही किया गया है। यू.बी.आई. शाखा हरैया के एकाउन्ट नं0 0683402010008888 में बियरर चेक के माध्यम से भुगतान करके अनियमितता की गयी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

दिनांक	फर्म का नाम	चेक संख्या	धनराशि
29.03.2017	मे0 रामजनक बी0के0ओ0 बनकटा	164217	57584 / –
29.03.2017	ए0आर0टी0 कं0 राजपट्टी	164215	126641 / –
29.03.2017	श्रीराम इ0प्रा0 गहजी	164214	102664 / –
	योग		**286889 / –**

इस प्रकार एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान न करके प्रधान श्रीमती इन्द्रावती देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सभाराम वर्मा द्वारा अनियमितता की गयी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–88ग्राम पंचायत–हाजीपुर (विकासखण्ड–हरैया) (सामान्य आपत्ति संख्या–02)

दिनांक 08.11.14 को खड़ंजा निर्माण रविन्द्र के घर से श्रीराम के घर तक व जवाहरलाल के घर तक मजदूरी का भुगतान रु0 31980 / – कोषबही में दर्शित है लेकिन उक्त मजदूरी की धनराशि प्रधान श्रीमती लीलावती द्वारा यू.बी.आई चाँदपट्टी के एकाउन्ट नं0 459302010704495 में चेक सं0 21017011 से अपने व्यक्तिगत खाते में धनराशि का स्थान्तरण कराके मजदूरी की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती लीलावती व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजू सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–89ग्राम पंचायत–हाजीपुर (विकासखण्ड–हरैया) (सामान्य आपत्ति संख्या–03)

दिनांक 8.11.14 को खड़ंजा निर्माण रविन्द्र के घर से श्रीराम के घर तक व जवाहरलाल के घर तक मजदूरी की धनराशि प्रधान श्रीमती लीलावती के खाते में स्थानान्तरित कराई गयी है सम्बन्धित खड़जा कार्य में रु0 93000/– की ईंट प्रयुक्त हुई है। इससे प्रयुक्त दर्शायी गयी ईंट का भी अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती लीलावती व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजू सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–90ग्राम पंचायत–रौनापार (विकासखण्ड–हरैया) (सामान्य आपत्ति संख्या–02)

ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तिथियों में निम्न सामग्री क्रय किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

दिनांक	सामाग्री का विवरण	धनराशि
21.04.15	मे0अन्नया ट्रे0 ओटरा सलेमपुर11नग ह्यूमपाइप दर 5049	55540/–
21.04.15	यादव बिल्डिंग मैटे0 150 नग पटिया दर 434.94	65242/–
22.04.15	वर्मा वि0मैटे0 70 नग पटिया दर 432.17	30252/–
22.08.15	मे0अन्नया ट्रे0 ओटरा सलेमपुर13नग ह्यूमपाइप दर 3480.76	45250/–
	योग	**196284/–**

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सामग्री क्रय की गयी लेकिन सामग्री पर मजदूरी का भुगतान नही होने से सामग्री स्टाक के रुप में प्रधान के पास रही जिसका अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री मनोज कुमार व ग्राम पंचायत अधि0 श्री संदीप कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–91ग्राम पंचायत–अजगरा मगर्वी (विकासखण्ड–हरैया) (सामान्य आपत्ति संख्या–12)

वित्त लेखा अनुभाग 1 के शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 2 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया है तो अर्जित ब्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की होगी और अर्जित ब्याज राजकोष में जमा करना अपेक्षित होगा। किन्तु वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक यू.बी.आई शाखा चाँदपट्टी के खाता सं0 774467 में निम्नलिखित आय हुई जिसे राजकोष में जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी इसके प्रति प्रधान श्रीमती उर्मिला श्री राजमन व ग्राम पंचायत अधि0 श्री सभाराम वर्मा उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
03.08.2014	2849/–
01.02.2015	797/–
02.08.2015	3039/–
07.02.2016	876/–
09.04.2016	1964/–
03.07.2016	4149/–
02.10.2016	3663/–
02.01.2017	2978/–
योग	**20315/–**

प्रस्तर–92ग्राम पंचायत–मानिकपुर (विकासखण्ड–हरैया) (सामान्य आपत्ति संख्या–3)

वित्त लेखा अनुभाग 1 के शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 2 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया है तो अर्जित ब्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की होगी और अर्जित ब्याज राजकोष में जमा करना अपेक्षित होगा। किन्तु वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक यू.बी.आई शाखा चाँदपट्टी के खाता सं0 459302010704479 में निम्नलिखित आय हुई जिसे राजकोष में जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी इसके प्रति प्रधान श्रीमती पुष्पा तथा ग्राम पंचायत अधि0 श्री राकेश कुमार उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
03.08.2015	291/–
01.02.2015	122/–
02.08.2015	120/–
07.02.2016	882/–
09.04.2016	1560/–
03.07.2016	2263/–
02.10.2016	2375/–
02.01.2017	2396/–
योग	**10009/–**

प्रस्तर–93ग्राम पंचायत–मसुरियापुर (विकासखण्ड–हरैया) (सामान्य आपत्ति संख्या–4)

वित्त लेखा अनुभाग 1 के शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 2 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया है तो अर्जित ब्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की होगी और अर्जित ब्याज राजकोष में जमा करना अपेक्षित होगा। किन्तु वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक एस.बी.आई शाखा बेलकुण्डा के खाता सं0 31716753452 में निम्नलिखित आय हुई जिसे राजकोष में जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी इसके प्रति प्रधान श्रीमती सविता तथा ग्राम पंचायत अधि0 श्री सभाराम वर्मा उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
30.06.2014	421/–
25.12.2014	128/–
25.06.2015	843/–
25.12.2015	679/–
25.06.2016	5551/–
25.09.2016	4293/–
25.12.2016	4794/–
25.03.2017	3661/–
योग	**20370/–**

प्रस्तर–94ग्राम पंचायत–सिधारी (विकासखण्ड–पल्हना) (सामान्य आपत्ति संख्या–ख1)

वर्ष 15–16 में खाता प्रथम(राज्यवित्त/13वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु0 263593/– का व्यय सामाग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान कैशबुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैशबुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रुप से दर्शाया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न ही कोटेशन प्रस्तुत रहा और न ही इससे संवन्धित चालान बिल बाउचर प्रस्तुत किया गया। विवरण न्म्निवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	कराये गये कार्य का विवरण
1	1.04.15	70000/–	नाली मरम्मत पर व्यय (विवरण अनुपलब्ध)
2	01.05.15	36925/–	नाली मरम्मत पर व्यय मजदूरी
3	01.05.15	80000/–	नाली मरम्मत पर व्यय (विवरण अनुपलब्ध)
4	01.05.15	6688/–	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
5	30.08.15	35000/–	खड़ंजा मरम्मत पर व्यय
6	30.08.15	35000/–	खड़ंजा मरम्मत पर व्यय
	योग	**263593/–**	

1–स्टाक आमद की पुष्टि में स्टाक पंजिका भी नही बनायी गई।

2–उक्त क्रय स्टाक के मूल्य भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गयी है।

3–धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा न कर नकद किया गया है जबकि आयकर अधि0की धारा 40–क–3 (घ) के अनुसार 5000 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए।

मजदूरी भुगतानिक धनराशि के पुष्टि मे तिथिवार मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नही की जा सकी। स्पष्ट है कि मस्टररोल के अभाव से भुगतान काल्पनिक रहा वर्ष 15–16 में कराये गये कार्यो का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व परिसम्पत्ति पंजिका भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह ज्ञात नही हो सका की कैशबुक में जिन कार्यो को कराये जाने के लिए मजदूरी भुगतान दर्शित है वास्तव में दर्शित है या नही।उपरोक्तानुसार यह फर्जी स्टाक का क्रय मजदूरी भुगतान दर्शाकर रु0 263593/– का अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मिथलेस (ग्राम विकास अधि) से रु0 131796.50 एवं श्री लालजीत ग्राम प्रधान से रु 131796.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–95 ग्राम पंचायत–सिधारी (विकासखण्ड–पल्हना) (सामान्य आपत्ति संख्या–ख2)

वर्ष 2015–16 से 2016–17 में खाता प्रथम (राज्य वित्त/13वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु0 640509/– का व्यय सामगी क्रय एवं मजदूरी भुगतान कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे सम्बन्धित चालान,बिल,बाउचर प्रस्तुत किया गया।

क्र0सं	दिनांक	धनराशि	क्रय सामाग्री विवरण
1	05.04.16	15000/–	रामरुप के घर से ताल तक पक्की नाली का निर्माण हेतु ईंट क्रय
2	12.04.16	15000/–	रामरुप के घर से ताल तक पक्की नाली का निर्माण हेतु ईंट क्रय
3	16.04.16	15000/–	रामरुप के घर से ताल तक पक्की नाली का निर्माण हेतु ईंट क्रय
4	29.04.16	30000/–	रामरुप के घर से ताल तक पक्की नाली का निर्माण हेतु ईंट क्रय
5	12.07.16	15000/–	रामरुप के घर से ताल तक पक्की नाली का निर्माण हेतु मजदूरी
6	28.07.16	15000/–	रामरुप के घर से ताल तक पक्की नाली का निर्माण हेतु मजदूरी
7	30.08.16	35000/–	रामरुप के घर से ताल तक पक्की नाली का निर्माण हेतु सामग्री क्रय
8	07.10.16	15000/–	रामरुप के घर से ताल तक पक्की नाली का निर्माण हेतु सामग्री क्रय

9	27.12.16	2322/–	रामरुप के घर से ताल तक पक्की नाली का निर्माण हेतु मजदूरी
10	27.12.16	985/–	रामरुप के घर से ताल तक पक्की नाली का निर्माण हेतु सामग्री क्रय
11	31.12.16	17690/–	रामरुप के घर से ताल तक पक्की नाली का निर्माण हेतु ईंट क्रय
12	10.01.17	3000/–	प्रिया साफ्ट कार्य का भुगतान वर्ष का उल्लेख नही है
13	19.01.17	24000/–	ह्यूम पाइप क्रय
14	31.01.17	4990/–	स्कूल शौचालय मरम्मत पर व्यय
15	01.02.17	18310/–	लालमनी के घर से 318 न0 पोखरी तक पक्की नाली निर्माण व्यय
16	03.02.17	7600/–	लालमनी के घर से 318 न0 पोखरी तक पक्की नाली निर्माण व्यय
17	04.02.17	124000/–	संतूराम के घर से प्राइमरी विघालय व परमू के घर से चंद्रजीत के घर तक खडंजा हेतु ईंट क्रय
18	13.02.17	64800/–	ह्यूम पाइप क्रय
19	08.03.17	15000/–	संतूराम के घर से प्राइमरी विघालय व परमू के घर से चंद्रजीत के घर तक खडंजा हेतु मजदूरी
20	08.03.17	19500/–	स्कूल शौचालय मरम्मत पर व्यय
21	10.03.17	46511/–	रामनयन के घर से प्रधानमंत्री सड़क तक पक्की नाली निर्माण हेतु कार्य हेतु सामग्री क्रय
22	16.03.17	77870/–	रामनयन के घर से प्रधानमंत्री सड़क तक पक्की नाली निर्माण हेतु कार्य हेतु ईंट क्रय
23	16.03.17	17500/–	रामनयन के घर से प्रधानमंत्री सड़क तक पक्की नाली निर्माण हेतु कार्य हेतु मजदूरी
24	16.03.17	13000/–	सुदेशी के घर से रामरुप के घर तक पक्की नाली मरम्मत कार्य हेतु ईट व्यय
25	18.03.17	28431/–	सुदेशी के घर से रामरुप के घर तक पक्की नाली मरम्मत कार्य हेतु ईंट व्यय
	योग	**640509/–**	

स्टाक आमद की पुष्टि में स्टाक पंजिका भी नही बनायी गयी है। उक्त क्रय स्टाक के मूल्य भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से न कर नकद किया गया है। जबकि आयकर अधि0 की धारा 40क–3(घ) के अनुसार रु0 10000/– से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए।
उक्त स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गयी है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 640509/– का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक सिंह से रुपया 320254.50 एवं प्रधान श्री लालजीत से रुपया 320254.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–96ग्राम पंचायत–भिटकसो (विकासखण्ड–पल्हना) (सामान्य आपत्ति संख्या–ख1)

वर्ष 2015–16 से 16–17 की लेखा परीक्षा हेतु मात्र प्रथम खाते की कैशबुक बैंकपासबुक उपलब्ध कराया गया वर्ष 2015–16 से 2016–17 में खाता प्रथम (राज्य वित्त/13वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु0 268400/– का व्यय सामगी क्रय एवं मजदूरी भुगतान कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि मे न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे सम्बन्धित चालान,बिल,बाउचर प्रस्तुत किया गया। विवरण निम्नवत है–

क्र	दिनांक	धनराशि	क्रय सामग्री विवरण
1	13.07.16	97500/–	बोधू के घर से मुन्ना सिंह के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय
2	13.07.16	65400/–	बोधू के घर से मुन्ना सिंह के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
3	13.07.16	21960/–	बोधू के घर से मुन्ना सिंह के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान
4	13.07.16	11484/–	बोधू के घर से मुन्ना सिंह के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान
5	13.07.16	32533/–	राधेश्याम के घर से बोधू के घर तक पक्की नाली निर्माण में बब कवर निर्माण हेतु सामग्री क्रय
6	13.07.16	2880/–	राधेश्याम के घर से बोधू के घर तक पक्की नाली निर्माण में बब कवर निर्माण हेतु मजदूरी
7	13.07.16	1566/–	राधेश्याम के घर से बोधू के घर तक पक्की नाली निर्माण में बब कवर निर्माण हेतु मजदूरी
8	14.07.16	5077/–	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
9	27.10.16	9318/–	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
10	27.1016	5280/–	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
11	27.10.16	15312/–	संग्राम के मकान से रामपलट के मकान तक खड़ंजा मरम्मत कार्य हेतु मजदूरी
12	27.10.16	90/–	स्टेशनरी क्रय
	योग	**268400/**	

स्टाक आमद की पुष्टि में स्टाक पंजिका भी नही बनायी गयी है। उक्त क्रय स्टाक के मूल्य भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से न कर नकद किया गया है। जबकि आयकर अधि0 की धारा 40क–3(घ) के अनुसार रु0 10000/– से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए। उक्त स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गयी है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 268400/– का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज

सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय सिंह से रुपया 134200/— एवं प्रधान श्रीमती राजमुनि से रुपया 134200/— किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–97ग्राम पंचायत–लहुआकला (विकासखण्ड–पल्हना) (सामान्य आपत्ति संख्या–ख1)

वर्ष 2011–12 से 16–17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2011–12 से 2014–15 के अभिलेख में मात्र खाता प्रथम की कैशबुक व बैंक पासबुक उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2011कृ13 से 2014–15 में खाता खाता प्रथम (राज्य वित्त/13वाँ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु0 4721828/— का व्यय सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है कैशबुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रुप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे सम्बन्धित चालान,बिल,बाउचर,स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया। विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि	क्रय सामग्री विवरण	
1	13.04.11	37584/—	पिचरोड से मुन्नी के घर तक खड़ंजा मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
2	13.04.11	20160/—	पिचरोड से मुन्नी के घर तक खड़ंजा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
3	30.04.11	16095/—	ख0 हेतु ईंट क्रय	
4	30.04.11	25440/—	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
5	03.05.11	27000/—	ख0 हेतु ईंट क्रय	
6	18.05.11	21600/—	नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय	
7	18.05.11	19292/—	नाली निर्माण हेतु सामाग्री क्रय	
8	18.05.11	9000/—	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान	
9	18.05.11	37800	ख0 हेतु ईंट क्रय	
10	18.05.11	8880/—	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
11	20.05.11	12960/—	ख0 हेतु ईंट क्रय	
12	20.05.11	7680/—	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
13	30.05.11	49000/—	ह्यूम पाइप क्रय	
14	02.06.11	21600/—	ख0 हेतु ईंट क्रय	
15	02.06.11	3600/—	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
16	03.06.11	43639/—	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
17	03.06.11	9360/—	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
18	21.06.11	34660/—	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
19	21.06.11	9360/—	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
20	21.06.11	30600/—	नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय	
21	21.06.11	8700/—	नाली निर्माण हेतु सीमेंट क्रय	
22	21.06.11	672/—	स्टेशनरी क्रय	
23	12.07.11	137500/—	55 स्ट्रीट लाइट क्रय	
24	18.07.11	19700/—	प्रा0वि0लहुआकला 1 में स्वच्छ शौचालय हेतु पानी टंकी व अन्य फिटिंग	
25	25.07.11	19700/—	प्रा0वि0लहुआकला 1 में स्वच्छ शौचालय हेतु पानी टंकी व अन्य फिटिंग	
26	25.07.11	17870/—	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	
27	30.07.11	14400/—	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
28	30.07.11	3360/—	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
29	30.07.11	19209/—	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
30	30.07.11	4080/—	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
31	01.08.11	28800	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
32	01.08.11	6120	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
33	07.08.11	3240	नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय	
34	07.08.11	2740	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	
35	07.08.11	1620	नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	
36	07.09.11	43200	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
37	07.09.11	12360	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
38	07.09.11	13920	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
39	07.09.11	24120	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
40	08.09.11	3240	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
41	08.09.11	16200	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
42	08.09.11	13154	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
43	08.09.11	2760	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	

44	12.09.11	12600	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
45	12.09.11	6600	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
46	07.10.11	286	स्टेशनरी क्रय	
47	07.10.11	30960	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
48	07.10.11	7920	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
49	07.10.11	15782	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
50	07.10.11	8040	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
51	07.10.11	4130	नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय	
52	07.10.11	2834	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	
53	07.10.11	440	नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	
54	07.10.11	8760	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
55	07.10.11	3600	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
56	07.10.11	21960	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
57	07.10.11	5400	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
58	07.10.11	10022	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
59	07.10.11	5400	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
60	04.11.11	25430	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
61	04.11.11	6360	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
62	10.11.11	35078	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
63	10.11.11	22080	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
64	26.11.11	57600	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
65	26.11.11	13560	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
66	22.12.11	8769	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
67	22.12.11	2160	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
68	22.12.11	3024	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
69	22.12.11	1560	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
70	29.12.11	70500	ह्यूम पाइप क्रय	
71	2912.11	34580	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	
72	29.12.11	11275	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
73	29.12.11	1560	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
74	29.12.11	5148	नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय	
75	29.12.11	1320	नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	
76	29.12.11	2044	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	
77	29.12.11	1350	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	
78	29.12.11	10850	7 स्ट्रीट लाइट क्रय	
79	31.12.11	3160	नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय	
80	31.12.11	1168	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	
81	31.12.11	720	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	
82	31.12.11	13208	नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	
83	20.02.12	30240	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
84	28.04.12	85500	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
85	28.04.12	48375	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
86	28.4.12	34452	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
87	28.04.12	16250	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
88	28.04.12	42750	19 ह्यूम पाइप क्रय	
89	28.04.12	24115	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
90	28.04.12	11750	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
91	28.04.12	49068	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
92	28.04.12	23750	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
93	28.04.12	46980	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
94	28.04.12	23125	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
95	21.05.12	43848	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
96	21.05.12	21500	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
97	21.05.12	31320	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
98	21.05.12	16125	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	

99	21.05.12	17207	12 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	
100	29.06.12	49500	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
101	05.10.12	4500	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
102	05.10.12	27875	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
103	05.10.12	78300	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
104	05.10.12	16500	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
105	05.10.12	43848	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
106	05.10.12	21500	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
107	05.10.12	21348	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
108	05.10.12	23125	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
109	18.12.12	25632	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
110	18.12.12	33750	ह्यूम पाइप क्रय	
111	18.12.12	73494	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
112	18.12.12	16625	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
113	18.12.12	499	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	
114	08.01.13	80595	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
115	08.01.13	33625	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
116	08.01.13	27621	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
117	08.01.13	12000	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
118	10.01.13	55200	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
119	10.01.13	27250	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
120	10.01.13	16200	नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय	
121	10.01.13	5580	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	
122	10.01.13	2250	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	
123	10.01.13	2000	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	
124	10.01.13	5625	नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	
125	10.01.13	16625	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
126	10.01.13	30425	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
127	11.04.13	93600	ख0 मरम्मत हेतु ईंट क्रय	
128	11.04.13	47854	ख0 मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	
129	11.04.13	63000	ह्यूम पाइप क्रय	
130	12.04.13	18978	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	
131	20.04.13	16046	पिच सडंक से हंसराज के खेत तक ख0 निर्माण की मजदूरी	
132	20.04.13	69669	पिच सडंक से हंसराज के खेत तक ख0 निर्माण की मजदूरी	
133	20.04.13	25134	ख0 निर्माण पर मजदूरी भुगतान	
134	20.04.13	105133	ख0 निर्माण पर मजदूरी भुगतान	
135	17.05.13	59716	ख0 मरम्मत / निर्माण हेतु ईंट क्रय	
136	17.05.13	12212	ख0 मरम्मत / निर्माण मजदूरी भुगतान	
137	22.05.13	17203	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	
138	01.06.13	17407	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	
139	09.07.13	46800	नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय	
140	09.07.13	11700	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	
141	09.07.13	7350	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	
142	09.07.13	4260	नाली निर्माण मजदूरी भुगतान	
143	09.07.13	4875	नाली निर्माण मजदूरी भुगतान	
144	09.07.13	26000	नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय	
145	09.07.13	5850	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	
146	09.07.13	3675	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	
147	09.07.13	5481	नाली निर्माण मजदूरी भुगतान	
148	09.07.13	20800	ख0 मरम्मत / निर्माण हेतु ईंट क्रय	
149	09.07.13	3124	ख0 निर्माण मजदूरी भुगतान	
150	05.08.13	8800	नाली निर्माण हेतु मिट्टी भराई कार्य	
151	05.08.13	11200	नाली निर्माण मजदूरी भुगतान	
152	07.08.13	50000	ख0 निर्माण हेतु ईंट क्रय	
153	07.08.13	47400	ख0 निर्माण हेतु ईंट क्रय	

154	22.08.13	18700	ख0 निर्माण मजदूरी	
155	22.08.13	23600	स्लैब निर्माण हेतु सामग्री क्रय	
156	23.08.13	60000	ख0/नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय	
157	23.08.13	57000	ख0/नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	
158	23.08.13	24400	ख0/ नाली निर्माण हेतु मिट्टी भराई कार्य	
159	23.08.13	5600	स्लैब ढलाई कार्य की मजदूरी	
160	23.08.13	11200	ख0/नाली निर्माण हेतु मजदूरी	
161	23.08.13	14400	ख0/नाली निर्माण हेतु मजदूरी	
162	23.08.13	59000	ह्यूम पाइप क्रय	
163	23.08.13	12300	ख0 निर्माण हेतु मिट्टी भराई कार्य	
164	23.08.13	9800	ख0 निर्माण हेतु मजदूरी	
165	23.08.13	14000	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	
166	23.08.13	19000	सैनिटेशन किट क्रय	
167	09.09.13	30000	ख0 निर्माण हेतु मजदूरी	
168	09.09.13	45000	ख0 निर्माण हेतु मजदूरी	
169	09.09.13	85000	ख0 निर्माण हेतु ईंट क्रय	
170	09.09.13	12300	ख0 निर्माण हेतु मजदूरी	
171	09.09.13	14400	ख0 निर्माण हेतु मिट्टी भराई कार्य	
172	09.09.13	3300	ख0 निर्माण हेतु मजदूरी	
173	09.09.13	17200	ख0 निर्माण हेतु ईंट क्रय	
174	09.09.13	23400	स्लैब निर्माण हेतु सामग्री क्य	
175	09.09.13	4400	स्लैब ढलाई कार्य की मजदूरी	
176	10.10.13	47000	ह्यूम पाइप क्रय़	
177	11.10.13	14000	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	
178	11.10.13	17200	नाली निर्णाम हेतु ईंट क्रय	
179	11.10.13	15400	नाली निर्माण हेतु सामाग्री क्रय	
180	17.02.14	50000	ह्यूम पाइप क्रय़	
181	17.02.14	47000	ह्यूम पाइप क्रय़	
182	17.02.14	93000	ख0/नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय	
183	17.02.14	44000	ख0/नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	
184	17.02.14	47000	ह्यूम पाइप क्रय	
185	17.02.14	47000	ह्यूम पाइप क्रय	
186	17.02.14	49000	ख0 निर्माण हेतु ईंट क्रय	
187	17.02.14	12400	ख0 निर्माण हेतु मजदूरी	
188	17.02.14	30000	ख0 निर्माण हेतु ईंट क्रय	
189	17.02.14	12700	ख0 निर्माण हेतु मिट्टी भराई कार्य	
190	17.02.14	11300	ख0 निर्माण हेतु मजदूरी	
191	17.02.14	14300	नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	
192	17.02.14	11200	नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	
193	17.02.14	18700	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	
194	07.03.14	60000	ह्यूम पाइप क्रय	
195	07.03.14	27200	नाली निर्माण हेतु ईट क्रय	
196	07.03.14	12400	नाली निर्माण हेतु मिट्टी भराई कार्य	
197	07.03.14	11200	नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	
198	07.03.14	1500	फोटो कापी पर व्यय	
199	25.03.14	4001	ख0 निर्माण की मजदूरी	
	योग	**4721828**		

स्टाक आमद की पुष्टि में स्टाक पंजिका भी नही बनायी गयी है। उक्त क्रय स्टाक के मूल्य भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से न कर नकद किया गया है। जबकि आयकर अधि0 की धारा 40क–3 (घ) के अनुसार रु0 10000/– से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए। मजदूरी भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नही की जा सकी। स्पष्ट है कि मस्टररोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। वर्ष 2011–12 से 2014–15 कराये गये कार्यो का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व परिसम्पत्ति पंजी भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे यह ज्ञात न हो सका कि कैशबुक में जिन कार्यो को कराये जाने के लिए

मजदूरी भुगतान दर्शित है, वे वास्तव में कराये गये या नही। उपरोक्तानुसार यह फर्जी स्टाक का क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शाकर रू0 4721828/– का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय सिंह से रुपया 2360914/– एवं प्रधान श्रीमती शीला से रुपया 2360914/– किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–98 ग्राम पंचायत–कोल्हूखोर (विकासखण्ड–जहानागंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–15)

लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 की ग्राम निधि प्रथम कैषबुक की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों में ईंट क्रय पर भुगतान दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	दर	धनराशि
1	01.01.2017	30000 नग ईंट	6.2 प्रति ईंट	186000.00
2	21.01.2017	17130 नग ईंट	6.5 प्रति ईंट	111345.00
3	02.02.2017	17050 नग ईंट	6.5 प्रति ईंट	110825.00
4	09.03.2017	15958 नग ईंट	6.5 प्रति ईंट	103727.00
			योग–	**511897.00**

शासनादेश संख्या–ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर (2) के अनुसार रू0 20000.00 तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा रू0 20001.00 से रू0 99999.00 तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा रू0 100000 से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमंत्रित करते हुए किया जायेगा, किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है। अतः टेण्डर व कोटेशन प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना अपेक्षित है। जबकि संस्था द्वारा क्रय की गयी सामग्री हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन न करते हुए गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री चन्द्रशेखर एवं ग्राम पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 श्री निकेश सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–99ग्राम पंचायत–सेवटा (विकास खण्ड–जहानागंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–14)

लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार रहा है :–

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	व्यय की गई धनराशि
1	08.06.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	23100.00
2	17.06.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	21000.00
3	11.08.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	24700.00
4	22.03.2017	हैण्डपम्प मरम्मत	10290.00
		योग	**79090.00**
		आधी धनराशि	**39545.00**

उपरोक्त पर निम्न आपत्तियाँ है :–

क–उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 37(ज) के तहत हैण्डपम्प मरम्मत में हुए व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिए। किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। हैण्डपम्प मरम्मत में लाभार्थियों द्वारा आधी धनराशि जमा न करवा करके रू0 39545.00 का दुरूपयोग किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री संजय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अजीत श्रीवास्तव उत्तरदायी है। वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ख–ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन–किन स्थानों पर हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी तथा मरम्मत में बदली गयी सामानों की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नहीं की गयी है।

ग–हैण्डपम्पों की संख्या का विवरण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा है।

प्रस्तर संख्या–100 ग्राम पंचायत–सेवटा (विकास खण्ड–जहानागंज)(सामान्य आपत्ति संख्या–15)

शासनादेश संख्या–ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर (2) के अनुसार रू0 20000.00 तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा रू0 20001.00 से रू0 99999.00 तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा रू0 100000 से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमंत्रित करते हुए किया जायेगा, किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गयी सामग्री हेतु टेण्डर कोटेशन प्रक्रिया का पालन न करते हुए गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री संजय एवं ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत श्रीवास्तव उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	दिनांक	क्रय सामग्री का विवरण	दर	व्यय की गयी धनराशि
1	24.10.2016	4 अदद, सोलर लाईट	28000.00	112000.00
2	25.10.2016	4 अदद, सोलर लाईट	28000.00	112000.00
3	03.01.2017	2 अदद, सोलर लाईट	28000.00	56000.00
4	03.01.2017	ह्यूम पाईप	–	59200.00
5	04.02.2017	12 ह्यूम पाईप	3000.00	36000.00
			योग	**3,75,200.00**

प्रस्तर संख्या–101ग्राम पंचायत–सोनापुर (विकास खण्ड–जहानागंज)(सामान्य आपत्ति संख्या–16)

लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों में सोलर लाईट क्रय पर भुगतान दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	दर	धनराशि
1	06.01.2017	7 अदद सोलर लाईट	21600.00	151200.00
			योग–	**151200.00**

शासनादेश संख्या–ए–01–864 / दस–08–15(1) / 86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर (2) के अनुसार रू0 20000.00 तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा रू0 20001.00 से रू0 99999.00 तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा रू0 100000 से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमंत्रित करते हुए किया जायेगा, किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है। अतः टेण्डर व कोटेशन प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार टेण्डर / कोटेशन लिया जाना अपेक्षित है। जबकि संस्था द्वारा क्रय की गयी सामग्री हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन न करते हुए गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए ग्राम श्री बालचन्द यादव एवं ग्रा0पं0अ0 / ग्रा0वि0अ0 श्री इन्दु प्रकाश राय उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–102ग्राम पंचायत–बड़हलगंज (विकास खण्ड–जहानागंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–17)

लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	04.04.2016	4 अदद हैण्डपम्प मरम्मत	10000.00
2	18.06.2016	13 अदद हैण्डपम्प मरम्मत	33500.00
		योग–	**43500.00**
		आधी धनराशि	**21750.00**

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 37(ज) के तहत हैण्डपम्प मरम्मत पर हुए व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिए, किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। हैण्डपम्प मरम्मत में लाभार्थियों द्वारा आधी धनराशि जमा न करवा करके रू0 21750.00 का दुरूपयोग किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री महबूब आलम एवं ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्दुप्रकाश राय उत्तरदायी हैं। वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–103ग्राम पंचायत–बड़हलगंज (विकास खण्ड–जहानागंज) (सामान्यआपत्ति संख्या–18)

शासनादेश संख्या ए–01–864 / दस–08–15(1) / 86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर (2) के अनुसार रू0 20000.00 तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा रू0 20001.00 से रू0 99999.00 तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा रू0 100000 से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमंत्रित करते हुए किया जायेगा, किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है। अतः टेण्डर व कोटेशन प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार टेण्डर / कोटेशन लिया जाना अपेक्षित है। जबकि संस्था द्वारा क्रय की गयी सामग्री हेतु कोटेशन व टेण्डर प्रक्रिया का पालन न करते हुए गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री महबूब आलम एवं ग्रा0पं0अ0 / ग्रा0वि0अ0 श्री इन्दु प्रकाश राय उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्न प्रकार रहा –

क्र. सं.	दिनांक	क्रय सामग्री का विवरण	दर	धनराशि
1	07.10.2016	100 नग पटिया	445.00	44500.00
2	07.10.2016	100 नग पटिया	445.00	44500.00
3	28.12.2016	25 नग ह्यूम पाईप	3115.2	77880.00
4	11.01.2017	बिल्डिंग मैटेरियल सी0सी0 रोड निर्माण (अजय बि0मै0)	–	78610.00
5	08.02.2017	4000 नग ईंट (संसार ईंट भट्ठा)	6.2 प्रति ईंट	24800.00
6	08.02.2017	4000 नग ईंट (संसार ईंट भट्ठा)	6.2 प्रति ईंट	24800.00
7	23.02.2017	4000 नग ईंट (फूलचन्द यादव ईंट भट्ठा)	6.2 प्रति ईंट	24800.00
8	01.03.2017	बिल्डिंग मैटेरियल सी0सी0 रोड निर्माण (रूद्र कं0)	–	78610.00
9	01.03.2017	बिल्डिंग मैटेरियल सी0सी0 रोड (माँ बैष्णों कं0)	–	78610.00
10	27.03.2017	11092 नग ईंट (फूलचन्द ईंट भट्ठा)	6.2 प्रति ईंट	68770.00
11	30.03.2017	12735 नग ईंट (संसार ई0 भट्ठा) 18.10 घन मी0 ईंट टुकड़ी	6.2प्रतिईंट 1300	102487.00
12	31.03.2017	5264 नग ईंट	6.2 प्रति ईंट	32637.00
योग–				**681004.00**

प्रस्तर संख्या–104ग्राम पंचायत–आजमबांध (विकास खण्ड–जहानागंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–14)

लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार रहा है :–

क्र.सं.	दिनांक	क्रय सामग्री का विवरण	धनराशि
1	09.05.2016	5 अदद, हैण्डपम्प मरम्मत	24400.00
2	29.06.2016	3 अदद, हैण्डपम्प मरम्मत	12965.00
		योग–	**37365.00**
		आधी धनराशि–	**18682.50**

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 37(ज) के तहत हैण्डपम्प मरम्मत पर हुए व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से वसूल ब्याज सहित किया जाना चाहिए। किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। हैण्डपम्प मरम्मत में लाभार्थियों द्वारा आधी धनराशि जमा न करवा करके रू0 18682.50 का दुरूपयोग किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री विरेन्दर यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश राम उत्तरदायी है। वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–105ग्राम पंचायत–आजमबांध (विकासखण्ड–जहानागंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–15)

शासनादेश संख्या ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर (2) के अनुसार रू0 20000.00 तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा रू0 20001.00 से रू0 99999.00 तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा रू0 100000 से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमंत्रित करते हुए किया जायेगा, किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है। संस्था द्वारा क्रय की गयी सामग्री हेतु कोटेशन व टेण्डर प्रक्रिया का पालन न करते हुए गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री विरेन्दर यादव एवं ग्रा0वि0अधि0/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश राम उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार रहा :–

क्र.सं.	दिनांक	क्रय सामग्री	मात्रा	दर	धनराशि
1	16.12.2016	ईंट (पतिराम यादव ईंट भट्ठा)	12612 नग	6.5 प्रति ईंट	81978.00
2	16.02.2017	ईंट (पतिराम यादव ईंट भट्ठा)	4193 नग	6.5 प्रति ईंट	27255.00
3	28.02.2017	ईंट (पतिराम यादव ईंट भट्ठा)	21595 नग	6.5 प्रति ईंट	140367.00
				योग–	**249600.00**

प्रस्तर संख्या–106ग्राम पंचायत–मित्तूपुर (विकास खण्ड–जहानागंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–16) लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों में सोलर लाईट क्रय पर भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	दिनांक	विरण	दर	धनराशि
1	27.10.2016	4 अदद सोलर लाइट	28500	114000.00
2	29.03.2017	4 अदद सोलर लाइट	28500	114000.00
			योग–	**228000.00**

शासनादेश संख्या ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर (2) के अनुसार रू0 20000.00 तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा रू0 20001.00 से रू0 99999.00 तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा रू0 100000 से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमंत्रित करते हुए किया जायेगा, किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है। अतः टेण्डर व कोटेशन प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना अपेक्षित है। जबकि संस्था द्वारा क्रय की गयी सामग्री हेतु कोटेशन व टेण्डर प्रक्रिया का पालन न करते हुए गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रीमा एवं ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 श्री निकेश सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–107ग्राम पंचायत–भुजहीं (विकास खण्ड–जहानागंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–13)

लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	दिनांक	विरण	धनराशि
1	05.11.2016	5 अदद हैण्डपम्प मरम्मत	20900.00
		योग–	**20900.00**
		आधी धनराशि	**10450.00**

उपरोक्त पर निम्न आपत्तियाँ है :–

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 37(ज) के तहत हैण्डपम्प मरम्मत पर हुए व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिए किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। हैण्डपम्प मरम्मत में लाभार्थियों द्वारा आधी धनराशि जमा न करवा करके रू0 10450.00 का दुरूपयोग किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री लालजी यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुदामा राम गावड़े व श्री निकेश सिंह उत्तरदायी हैं। वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। ग्राम

पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन–किन स्थानों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत की गई है।

प्रस्तर संख्या–108ग्राम पंचायत–भुजहीं (विकास खण्ड–जहानागंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–14)

शासनादेश संख्या ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर (2) के अनुसार रू0 20000.00 तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा रू0 20001.00 से रू0 99999.00 तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा रू0 100000 से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमंत्रित करते हुए किया जायेगा, किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है। अतः टेण्डर व कोटेशन प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना अपेक्षित है। जबकि संस्था द्वारा क्रय की गयी सामग्री हेतु कोटेशन व टेण्डर प्रक्रिया का पालन न करते हुए गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीलालजी यादव एवं ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 श्री सुदामा राम गावड़े व श्री निकेश सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार रहा :–

क्र.	दिनांक	क्रय सामग्री का विवरण	दर	धनराशि
1	07.04.2016	11007 नग ईंट (शिवचन्द ईंट भट्ठा)	6.5 प्रति ईंट	71545.00
2	26.04.2016	15370 नग ईंट (शिवचन्द ईंट भट्ठा)	6.2 प्रति ईंट	95294.00
3	22.04.2016	बिल्डिंग मैटेरियल (नीरज बिल्डिंग मै0) 1– 75 बोरी सीमेण्ट 2– 5.63 घन मी0 लाल बालू 3– 8.25 घन मी0 सफेद बालू	330 रू0 प्रति बोरी 1600 रू0 प्रति घन मी0 840 रू0 प्रति घन मी0	40688.00
4	08.09.2016	2 अदद सोलर लाईट	28500.00	57000.00
5	28.12.2016	2 अदद सोलर लाईट	28500.00	57000.00
6	30.12.2016	2 अदद सोलर लाईट	28500.00	57000.00
7	21.02.2017	2 अदद सोलर लाईट (पूर्वा0 सोलर इ0प्रा0)	28500.00	57000.00
8	21.02.2017	2 अदद सोलर लाईट (पूर्वा0 सोलर इ0प्रा0)	28500.00	57000.00
9	04.01.2017	10 अदद ह्यूम पाईप (वीरेन्द्र इ0प्रा0)	3060.00	30600.00
10	04.01.2017	10 अदद ह्यूम पाईप (वीरेन्द्र इ0प्रा0)	3060.00	30600.00
योग–				**553727.00**

प्रस्तर संख्या–109ग्राम पंचायत–धरवारा (विकास खण्ड–जहानागंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–14) लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	दिनांक	वर्ष	विवरण	व्ययकी गई धनराशि
1	01.04.2015	2015–16	3 नग, हैण्डपम्प मरम्मत	2500.00
2	06.04.2015	2015–16	13 नग, हैण्डपम्प मरम्मत	27600.00
3	27.06.2015	2015–16	5 नग, हैण्डपम्प मरम्मत	13060.00
4	05.10.2015	2015–16	15 नग, हैण्डपम्प मरम्मत	39500.00
5	30.10.2015	2015–16	3 नग, हैण्डपम्प मरम्मत	2500.00
6	02.05.2016	2016–17	हैण्डपम्प मरम्मत	35750.00
7	05.07.2016	2016–17	हैण्डपम्प मरम्मत	76920.00
8	27.09.2016	2016–17	7 अदद, हैण्डपम्प मरम्मत	30000.00
9	18.11.2016	2016–17	हैण्डपम्प मरम्मत	21070.00
			योग	**248900.00**
			आधी धनराशि	**124450.00**

उपरोक्त पर निम्न आपत्तियाँ है :–

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 37(ज) के तहत हैण्डपम्प मरम्मत पर हुए व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिए किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। हैण्डपम्प मरम्मत में लाभार्थियों द्वारा आधी धनराशि जमा न करवा करके रू0 1,24,450.00 का दुरूपयोग किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुदामा राम गावड़े उत्तरदायी हैं। वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन–किन स्थानों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत की गई तथा मरम्मत में बदली गयी सामानों की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नहीं की गयी है।

प्रस्तर संख्या–110 ग्राम पंचायत–करउत (विकास खण्ड–जहानागंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–17)

लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों में सोलर लाईट क्रय पर भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	दिनांक	क्रय सामग्री	दर	मात्रा	धनराशि	फर्म का नाम
1	17.10.16	सोलर लाईट	28000	6 अदद	168000.00	राजन इलेक्ट्रानिक
2	09.11.16	सोलर लाईट	28000	6 अदद	168000.00	पूर्वांचल सो0इ0 प्रा0
3	10.11.16	सोलर लाईट	28000	4 अदद	112000.00	पूर्वांचल सो0इ0 प्रा0
4	03.01.17	सोलर लाईट	28500	4 अदद	114000.00	राजन इलेक्ट्रानिक
5	21.02.17	सोलर लाईट	28500	2 अदद	57000.00	मे0 राम प्यारे यादव कान्ट्रैक्टरसो0ला0
योग–					**619000.00**	

शासनादेश संख्या ए–01–864/दस–08–15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर (2) के अनुसार रू0 20000.00 तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा तथा रू0 20001.00 से रू0 99999.00 तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा रू0 100000 से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमंत्रित करते हुए किया जायेगा, किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है। अतः टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना अपेक्षित है। जबकि संस्था द्वारा क्रय की गयी सामग्री हेतु कोटेशन व टेण्डर प्रक्रिया का पालन न करते हुए गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रीता एवं ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 श्री सुदामा राम गावड़े उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–111ग्राम पंचायत–गोंदापुर (विकास खण्ड–महराजगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–19)

ग्राम पंचायत की वर्ष 2013–14 व 2015–16 की लेखा परीक्षा में पाया गया 01.11.2013 को रू0 46500 दिनांक 04.08. 2015 को रू0 82500 का आहरण कर क्रमशः 18 व 30 अदद ह्यूम पाइप क्रय किया जाना दर्शित है। उपरोक्त के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है :–

नियोजन तथा विकास समिति ग्राम सभा हेतु निर्माण कार्यो/मरम्मत कार्यों का प्रस्ताव स्वीकृत कर ग्राम पंचायत की आम बैठक कर स्वीकृत नहीं ली गयी है।

ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर निर्माण कार्य रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि ह्यूम पाइप का प्रयोग किस कार्य योजना में किया गया है। ह्यूम पाइप लगाने पर मजदूरी का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक से न करके बियरर चेक से किया गया है जिससे पता नहीं चलता है कि भुगतान फर्म को किया गया है अथवा नहीं।

नियमों के अन्तर्गत क्रय सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में किया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत में स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि नहीं की गयी है जिससे क्रय हेतु व्यय की गई धनराशि काल्पनिक दर्शाकर रू0 129000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु प्रधान श्री प्रभुनाथ कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामपलट जिम्मेदार है। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–112ग्राम पंचायत–गोंदापुर (विकास खण्ड–महराजगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–20)

वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 25.10.2016 को चेक संख्या 41452 से प्रधान श्री नागेन्द्र दूबे द्वारा रू0 20000.00 का आहरण कर माह 11/15 से 6/16 तक का मानदेय प्राप्त किया गया है। जबकि प्रधान द्वारा माह जनवरी 16 में प्रधान पद की शपथ ली गयी है तथा चुनाव हेतु अधिसूचना अक्टूबर 2015 में जारी हो गई थी। इस प्रकार माह 11/15 व 12/15 का मानदेय रू0 5000.00 अधिक प्राप्त कर अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए प्रधान श्री नागेन्द्र दूबे व सचिव देवेन्द्र तिवारी जिम्मेंदार है। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–113ग्राम पंचायत–मंदरेपुर (विकास खण्ड–महराजगंज)(सामान्य आपत्ति संख्या–19)

ग्राम पंचायत की वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 30.04.2014 को चेक संख्या 027824 से रू0 56730 का आहरण कर 10 अदद ह्यूम पाइप क्रय किया जाना दर्शित है। उपरोक्त के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है:–

नियोजन तथा विकास समिति ग्राम सभा हेतु निर्माण कार्यों/मरम्मत कार्यों का प्रस्ताव स्वीकृत कर ग्राम पंचायत की आम बैठक कर स्वीकृत नहीं ली गयी है।

ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, नहीं बनाया गया है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि ह्यूम पाइप का प्रयोग किस कार्य योजना में किया गया है। ह्यूम पाइप लगाने पर मजदूरी का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक से न करके बियरर चेक से श्री संतोष कुमार के नाम से किया गया है जिससे पता नहीं चलता है कि भुगतान फर्म को किया गया है अथवा नहीं।

नियमों के अन्तर्गत क्रय सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में किया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत में स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि नहीं की गयी है जिससे क्रय हेतु व्यय की गयी धनराशि काल्पनिक दर्शाकर रू0 56730 का अपहरण किया गया है जिस हेतु प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार जिम्मेदार है। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–114 ग्राम पंचायत–मंदरेपुर (विकास खण्ड–महराजगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–20)

ग्राम पंचायत मंदरेपुर की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 02.04.2015 को चेक संख्या 2103672 से रू0 90034 महेन्द्र सिंह बिल्डिंग मैटेरियल के नाम से निर्गत/आहरित किया गया है। लेखा परीक्षा

में महेन्द्र सिंह बिल्डिंग मैटेरियल से किसी प्रकार की सामग्री क्रय नहीं की गयी है। उक्त धनराशि को काल्पनिक व्यय दर्शाकर रू0 90034.00 का अपहरण प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार व सचिव श्री हेमन्त कुमार श्रीवास्तव (तत्कालीन) द्वारा दुरभि संधि करते हुए कर लिया गया है जिसके लिए प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार व सचिव श्री हेमन्त कुमार श्रीवास्तव (तत्कालीन) उत्तरदायी है। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–115 ग्राम पंचायत–बछुवापार (विकास खण्ड–महराजगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–13)ग्राम पंचायत में प्रधान को विभिन्न माहों में मानदेय का भुगतान किया गया है परन्तु मानदेय रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 06.04.2015 को कैश बुक के अनुसार चेक संख्या 21053786 से प्रधान का मानदेय माह जनवरी 2012 से मार्च 2014 तक हेतु रू0 25500 प्रधान द्वारा आहरित कर भुगतान प्राप्त किया गया है जबकि इससे पूर्व वर्ष 2014–15 के माह मार्च 2015 की दिनांक 30.03.2015 को प्रधान का मानदेय माह मार्च 2015 तक रू0 30000.00 का आहरण कर प्राप्त किया गया है। इस प्रकार माह जनवरी 2012 से मार्च 2014 तक रू0 25500.00 मानदेय का भुगतान प्रधान द्वारा दोबारा प्राप्त कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री दिनेश व प्रधान राधे श्याम उत्तरदायी है। उक्त की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री दिनेश व प्रधान श्री राधेश्याम से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–116 ग्राम पंचायत–कप्तानगंज (विकास खण्ड–महराजगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–19)

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी) के अन्तर्गत शासकीय निर्माण कार्यों में सामग्री आपूर्तिकर्ताओ के द्वारा की जाने वाली सामग्री आपूर्ति के भुगतान से पूर्व निर्धारित दर 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती बिल से करनी चाहिए। ग्राम पंचायत कप्तानगंज द्वारा दिनांक 05.10.2016 को मिश्रा बिल्डिंग मैटेरियल व अवधेश प्रताप सिंह बी0के0ओ0 को क्रमशः चेक संख्या 062074 व 062075 से रू0 255728 व 255729 का भुगतान आयकर की कटौती 2 प्रतिशत की दर से करते हुए क्रमशः 250000 का भुगतान दोनों फर्मों को किया गया है। इस प्रकार दोनों फर्मों से क्रमशः 5114.00 व 5115.00 रूपये आयकर की कटौती की गयी है जो कि राजकीय धन है जिसे राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा के दौरान उक्त आयकर कटौती की धनराशि रू0 10229.00 राजकीय कोषागार में जमा किये जाने सम्बन्धी रसीद देखने को नही मिली। सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त धनराशि ग्राम निधि खाते से आहरित नहीं की गयी है। सम्बन्धित आयकर की धनराशि 11457 ग्राम निधि खाते में जमा है। आयकर की धनराशि राजकीय धन है जिसे राजकीय कोषागार में जमा न करके अनियमितता की गयी है तथा सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचायी गई। जिस हेतु ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी रविन्द्र यादव व प्रधान रश्मि शुक्ल उत्तरदायी है। धनराशि अविलम्ब कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–117 ग्रामपंचायत–अराजीअमानी(विकास खण्ड–महराजगंज)(सामान्य आपत्ति संख्या–17)

ग्राम पंचायत अराजी अमानी की वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प चबूतरा व सोखता का निर्माण किया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्र. सं.	दिनांक	सामग्री	मजदूरी	कार्य
1	19.01.2015	ईंट 86800	–	जोखन राजभर की बस्ती, सरपंच का पुरवा, सहजन की छावनी में 8 अदद सोखता व 118 अदद हैण्डपम्प चबूतरा का निर्माण
	11.02.2015	ईंट 86800	–	
	12.02.2015	ईंट 41600	61680	
	12.02.2015	मैटेरियल 71840	–	
योग–		**287040+61680=348720.00**		

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपत्ति निम्नवत है :–

नियोजन तथा विकास समिति ग्राम सभा हेतु निर्माण कार्यों/मरम्मत कार्यों का प्रस्ताव स्वीकृत कर ग्राम पंचायत की आम बैठक कर स्वीकृति नहीं ली गयी है। हैण्डपम्प चबूतरा किन–किन लाभार्थियों का बनवाया गया है से सम्बन्धित सूची लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। मजदूरी पर व्यय धनराशि 61680.00 से सम्बन्धित मस्टर रोल अप्राप्त रहा। उपरोक्त के आलोक से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा 118 अदद हैण्डपम्प चबूतरा व 8 अदद सोखता का निर्माण नहीं कराया गया है। प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव द्वारा काल्पनिक कार्य दिखाकर बैंक से रू0 348720.00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर दुरभि संधि करते हुए धन का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु प्रधान रामजीत व सचिव प्रशांत श्रीवास्तव उत्तरदायी है। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–118ग्राम पंचायत–जमालपुर (विकास खण्ड–महराजगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–20)

ग्राम पंचायत की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि 12.05.2015 को जमालपुर में मुरली के घर से सुरेश के घर होते हुए पांडा के घर तक 66X2.5 मीटर खडण्जा निर्माण कार्य दिखाया गया है जिस पर श्रमिकों की मजदूरी के रूप में (95X161) रू0 15295 व्यय किया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में आपत्ति निम्नवत हैः–खडण्जा निर्माण हेतु ईंट क्रय नहीं की गयी है। ऑडिट के दौरान सम्बन्धित मजदूरी 15295 का मस्टर रोल अप्राप्त रहा। मजदूरी केवल अकुशल मजदूर पर ही व्यय है। कुशल मजदूर पर व्यय नहीं किया गया है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह तथ्य सामने आता है कि खडण्जा का निर्माण काल्पनिक रूप से किया गया है। प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा दुरभि संधि करते हुए रूपये 15295 का फर्जी व्यय दिखाकर सम्बन्धित धनराशि

का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुभावती व सचिव श्री गणेश शंकर राय उत्तरदायी है। उक्त की वसूली ब्याज सहित प्रधान व सचिव से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–119 ग्राम पंचायत–प्रतापीपुर (विकास खण्ड–महराजगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–21)

वर्ष 2013–14 व 2015–16 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में लाइट मरम्मत पर भुगतान दर्शित है जिन पर निम्न आपत्तियाँ हैः–नियोजन तथा विकास समिति ग्राम सभा हेतु निर्माण कार्यों/मरम्मत कार्यो का प्रस्ताव स्वीकृत कर ग्राम पंचायत की आम बैठक कर स्वीकृति नहीं ली गयी है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर,निर्माण कार्य रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि लाइट कहा पर लगी है तथा मरम्मत किस स्थान की लाइट का किया गया है। शासनादेश संख्या 2255/33–3–2005–100(18)/2002 दिनांक 23.06.2005 एवं शासनादेश संख्या 1310/33–3–2010–54/2010 दिनांक 09.06.2010 के अनुसार पंचायते लैंप पोस्टो के रख–रखाव व ग्राम पंचायत में स्थापित सोडियम लाइट के अनुरक्षण पर व्यय कर सकेगी। मरम्मत व्यय शासनादेश के अनुसार न करके मनमाने ढंग से कैशबुक से धन खारिज कर धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री रमाकांत व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी उत्तरदायी है। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है :–

क्र.सं.	**दिनांक**	**विवरण**	**भुगतान की गई धनराशि**
1	09.06.2013	भारत ट्रेडर्स को लाइट मरम्मत हेतु	3193.00
2	11.11.2013	भारत ट्रेडर्स को लाइट मरम्मत हेतु	16200.00
3	07.03.2014	भारत ट्रेडर्स को लाइट मरम्मत हेतु	23000.00
4	03.02.2014	देव्हारी इंटरप्राइजेज लाइट क्रय	10800.00

प्रस्तर संख्या–120ग्राम पंचायत–जुड़ाखुर्द (विकास खण्ड–महराजगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–17)

ग्राम पंचायत की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी) के अन्तर्गत शासकीय निर्माण सामग्रियों के बिल भुगतान से पूर्व आयकर कटौती की निर्धारित दर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती की गई है, विवरण निम्नवत् है :–

क्र.सं.	**दिनांक**	**क्रय सामग्री/मूल्य**	**आयकर कटौती की धनराशि**
1	21.01.2017	ईंट 15960 /6200	2215.00
2	31.01.2017	ईंट 13650 /6200	1896.00
3	18.02.2017	ईंट 4219 /6200	523.00
4	18.02.2017	ईंट 2810 /6200	348.00

उक्त आयकर कटौती की धनराशि रू0 4982.00 को आयकर विभाग/कोषागार में जमा न कर ग्राम निधि खातें में ही रखा गया है। इस प्रकार राजकीय धन जमा न कर सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है जिसके लिए ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री हेमंत कुमार श्रीवास्तव व प्रधान श्री ज्ञानचन्द्र उत्तरदायी है।

अतः उक्त आयकर कटौती की धनराशि रू0 4982.00 आयकर विभाग/कोषागार में जमा कर जमा की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। प्रकरण को विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तरसंख्या–121ग्रामपंचायत–नौबरारतुर्कचारा(विकासखण्ड–महराजगंज)(सामान्यआपत्तिसंख्या–16)

ग्राम पंचायत नौबरार तुर्कचारा की वर्ष 2016–17 के माह 9/16 की लेखा परीक्षा पाया गया कि कैशबुक का ओपनिंग बैलेन्स रू0 564862 है तथा आय शून्य है। कैशबुक में माह 9/16 में निम्नलिखित व्यय दर्शित है :–

क्र.सं.	दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
1	05.09.2016	हिन्दुस्तान मीडिया को विज्ञापन हेतु	4175.00
2	05.09.2016	दर्षन ईंट उद्योग	164920.00
3	05.09.2016	मजदूरी	27840.00
योग–			**196935.00**

इस प्रकार माह 9/16 की आय 564862 के विरूद्ध माह में रू0 196935 का व्यय दर्शित है। व्यय उपरान्त दिनांक 30. 09.2016 को अवशेष रू0 365227 दिखाया गया है तथा उक्त धनराशि को ही आगे के माहों में ओपनिंग बैलेन्स लिया गया है। उपरोक्त के आलोक से स्पष्ट है कि रू0 2700 का अन्तर रहा। इस प्रकार रू0 2700 आय पक्ष में कम दिखाकर उक्त धनराशि का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा कर लिया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती ज्ञानमती व सचिव श्री रामविलास राम जिम्मेंदार है। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–122 ग्राम पंचायत–भटौली (विकास खण्ड–महराजगंज)(सामान्य आपत्ति संख्या–17)

ग्राम पंचायत में प्रधान को विभिन्न माहों में मानदेय का भुगतान किया गया है परन्तु मानदेय रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में दिनांक 20.05.2014 को कैशबुक के अनुसार प्रधान का मानदेय माह दिसम्बर, 2013 से अप्रैल 2014 तक रू0 2500.00 की दर से रू0 12500.00 प्रधान द्वारा आहरित कर भुगतान प्राप्त किया गया है जबकि इससे पूर्व 2013–14 के माह मार्च 2014 कि दिनांक 31.03.2014 को प्रधान का मानदेय माह मई 2013 से मार्च 2014 तक हेतु रू0 15250.00 का आहरण कर प्राप्त किया गया है। इस प्रकार माह दिसम्बर 2013 से मार्च 2014 तक रू0 10000.00 मानदेय का भुगतान प्रधान द्वारा दोबारा प्राप्त कर उक्त धनराशि का अपहरण किया

गया है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री हेमंत कुमार श्रीवास्तव व प्रधान श्री सुभाष उत्तरदायी है। उक्त की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री हेमंत कुमार श्रीवास्तव व प्रधान सुभाष से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–123 ग्राम पंचायत–जमीलपुर (विकास खण्ड–महराजगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–18)

ग्राम पंचायत की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (सी) के अन्तर्गत शासकीय निर्माण साम्रगियों के बिल भुगतान से पूर्व आयकर कटौती की निर्धारित दर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती की गई है। विवरण निम्नवत है :–

क्र.सं.	दिनांक	क्रय सामग्री/दर	मूल्य	आयकर कटौती की धनराशि
1	10.01.2017	ईंट 12930 /6200	80166	1795.00
2	16.01.2017	ईंट 20000 /6200	124000	2798.00
3	10.01.2017	ईंट 18000 /6200	111600	2500.00
			योग–	**7074.00**

उक्त आयकर कटौती की धनराशि रू0 7074.00 को आयकर विभाग/कोषागार में जमा न कर ग्राम निधि खातें में ही रखा गया है। इस प्रकार राजकीय धन जमा न कर सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचायी गई है जिसके लिए ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री हेमंत कुमार श्रीवास्तव व प्रधान श्रीमती प्रभावती उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। अतः उक्त आयकर कटौती की धनराशि रू0 7074.00 आयकर विभाग/ कोषागार में जमा कर जमा की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। प्रकरण को विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर संख्या–124 ग्राम पंचायत–अवसानपुर (विकास खण्ड–महराजगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–20)

वर्ष 2014–15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार दिनांक 28.04.2014 को प्राथमिक विद्यालय अवसानपुर में शौचालय व हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान नकद रू0 20000.00 दर्शित है। उक्त व्यय की जांच में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी। शौचालय मरम्मत पर ईंट/सामग्री पर व्यय कैशबुक में दर्शित नहीं है। उक्त कार्य पर कैशबुक में कोई मजदूरी पर व्यय दर्शित नहीं है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित मस्टर रोल अप्राप्त रहा। उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। उपरोक्त के आधार पर स्पष्ट है कि बिना सामग्री व मजदूरी व्यय के कल्पित कार्य दर्शित नहीं किया गया है फलस्वरूप दर्शित कार्य की पुष्टि नहीं होती है। कल्पित भुगतान दर्शित कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरण की गई धनराशि रू0 20000.00 को प्रधान श्रीमती आशा सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से वसूल ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–125ग्राम पंचायत–बनगांव (विकास खण्ड–मार्टिनगंज)(सामान्य आपत्ति संख्या–09)

ग्राम निधि कोषबही में दिनांक 16.05.2016 को नाली निर्माण हेतु ह्यूम पाईप रू0 35000 एवं दिनांक 24.05.2016 में रू0 36000 कुल रू0 71000.00 क्रय दर्शित कर कैश खारिज की गयी है किन्तु भुगतान की पुष्टि में ह्यूम पाईप क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8(क) के अनुसार 'भुगतानित धनराशि के सापेक्ष'' व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी को संयुक्त रूप से धनराशि अपहरण का दोषी माना जाना चाहिए। अतः रू0 71000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सूर्यनाथ यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय कुमार श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या– 126 ग्राम पंचायत–दशमढ़ा (विकास खण्ड–मार्टिनगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–09)

ग्राम पंचायत की ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक से दिनांक 10.10.2016 में खडण्जा हेतु ईंट 19560 हजार नग रू0 6200 प्रति हजार की दर से कुल रू0 121272 का भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, कोटेशन एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8(क) के अनुसार बिल बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू0 121272.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री तेजबहादुर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामपलट राम द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–127 ग्राम पंचायत–बर्रा (विकास खण्ड–मार्टिनगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–09)

ग्राम पंचायत की ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक से दिनांक 08.11.2016 में स्कूल बाउण्ड्री हेतु ईंट 10 हजार नग रू0 6200 प्रति हजार की दर से कुल रू0 62000 का भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, कोटेशन एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8(क) के अनुसार बिल बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू0 62000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सविता सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामपलट राम द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–128ग्राम पंचायत–औरंगाबाद (विकास खण्ड–मार्टिनगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–11)

ग्राम पंचायत की ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक से दिनांक 11.05.2016 में खडण्जा हेतु ईंट 16 हजार नग रू0 6200 प्रति हजार की दर से कुल रू0 99200 का भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, कोटेशन एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8(क) के अनुसार बिल बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू0 99200.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री संजय सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार सरोज द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–129ग्राम पंचायत–लसड़ाकला (विकास खण्ड–मार्टिनगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–09)

ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दिनांक 16.10.2016 में नाली निर्माण हेतु ह्यूम पाईप रू0 36000 में क्रय दर्शित कर कैश खारिज की गयी है किन्तु भुगतान की पुष्टि में ह्यूम पाईप क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु संख्या 8(क) के अनुसार भुगतानित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी को संयुक्त रूप से धनराशि अपहरण का दोषी माना जाना चाहिए। अतः रू0 36000 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामपलट राम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–130ग्राम पंचायत–शीतलपुर (विकास खण्ड–महराजगंज) (सामान्य आपत्ति संख्या–18)

ग्राम पंचायत की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी) के अन्तर्गत शासकीय निर्माण साम्रगियों के बिल भुगतान से पूर्व आयकर कटौती की निर्धारित दर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती की गई है। विवरण निम्नवत है :–

क्र.सं.	दिनांक	क्रय सामग्री / मूल्य	मूल्य	आयकर कटौती की धनराशि
1	20.02.2017	ईंट 10150 / 6200	62930.00	1258.00
2	15.01.2017	ईंट 4880 / 6200	30256.00	605.00
3	25.03.2017	ईंट 8900 / 6200	55180.00	1103.00
4	25.03.2017	ईंट 5000 / 6200	31000.00	620.00
			योग–	**3586.00**

उक्त आयकर कटौती की धनराशि रू0 3586.00 को आयकर विभाग / कोषागार में जमा न कर ग्राम निधि खातें में ही रखा गया है। इस प्रकार राजकीय धन जमा न कर सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचायी गई है जिसके लिए ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार सिंह व प्रधान श्री लालजी सिंह उत्तरदायी है। अतः उक्त आयकर कटौती की धनराशि रू0 3586.00 आयकर विभाग / कोषागार में जमा कर जमा की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। प्रकरण को विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–131ग्राम पंचायत–ईसरपार खास (विकास खण्ड–तहबरपुर) (सामान्य आपत्ति संख्या–20)

ग्राम निधि प्रथम कैषबुक में दिनांक 31.03.2016 को माह जनवरी 16 का ग्राम प्रधान का मानदेय रू0 2500.00 देय दर्शित है। पुनःदिनांक 20.09.2016 को प्रधान का मानदेय माह जनवरी 16 से अगस्त 16 तक रू0 20000.00 भुगतान दिया गया है। इस प्रकार माह जनवरी 16 का मानदेय रू0 2500.00 दो बार देकर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती बिन्दु एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–132ग्राम पंचायत–मेढ़ी (विकास खण्ड–तहबरपुर) (सामान्य आपत्ति संख्या–22)

ग्राम निधि प्रथम कैशबुक में दिनांक 05.08.2016 को प्रधान का मानदेय माह मई 14 से जुलाई 14 तक का रू0 7500. 00 देय दर्शित है। दिनांक 31.08.2014 को पुनः माह मई 14 से अगस्त 14 तक का मानदेय रू0 10000.00 भुगतान दिखाया गया है। इस प्रकार मई 14 से जुलाई 14 तक का रू0 7500.00 का मानदेय दो बार देकर अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती ज्ञानमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री परमेश्वरी दयाल राय से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–133ग्राम पंचायत–गौरा (विकास खण्ड–तहबरपुर)(सामान्य आपत्ति संख्या–18)

ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया दिनांक 01.01.16 को एस0बी0आई0 बासदेव नगर के खाता सं0–31579262388 के चेक संख्या 458752 से रू0 94250.00 लाला ईंट भट्ठा भीतरी को व्यय पक्ष में देय दर्शित है। जबकि बैंक खाते की जांच में पाया गया कि उक्त चेक की धनराशि को प्रधान द्वारा अपने व्यक्तिगत खाता सं0–0030693343966 में टांसफर कर दिया गया है। बैंक से पता करने पर यह ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कैशबुक में दर्शित आपूर्तिकर्ता के नाम चेक न काटकर प्रधान के नाम चेक काटा गया है। लेखा नियमों के अनुसार एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से फर्म को भुगतान किया जाना चाहिए। ईट क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टाक रजि0 एवं परिसम्पत्ति रजि0 लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 94250.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री लल्लन प्रसाद यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलिराम से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–134ग्राम पंचायत–भिलौली खालसा(विकास खण्ड–तहबरपुर)(सामान्यआपत्ति संख्या–18)

दिनांक 30.09.2014 को ग्राम निधि–। कैशबुक में रमनीपुर माइनर से पलकी बाग तक सोलिंग निर्माण दर्शित है, जिस पर रू0 173688.00 का ईंट क्रय एवं रू0 30732.00 मजदूरी पर व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में ईंट क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार रू0 204420.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलिराम से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–135ग्राम पंचायत–भिलौलीखालसा(विकास खण्ड–तहबरपुर)(सामान्य आपत्ति संख्या–19)

दिनांक 04.04.2015 को ग्राम निधि–। कैशबुक में श्री चन्द्रबली, पलट, राजा एवं लल्लू के घर के सामने कूप मरम्मत दर्शित है। जिस पर रू0 80600.00 की ईंट एवं रू0 32900.00 का बिल्डिंग मैटेरियल एवं रू0 25808.00 मजदूरी पर व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में ईंट एवं बिल्डिंग मैटेरियल क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार रू0 139308.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलिराम से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तरसंख्या–136ग्रामपंचायत–पश्चिम पट्टी (विकासखण्ड–तहबरपुर) (सामान्यआपत्तिसंख्या–18)

दिनांक 22.09.2014 को जगमोहन के घर से रामबचन के घर तक पक्की नाली एवं पटिया का निर्माण कैशबुक में दर्शित है, जिस पर रू0 11715.00 का बिल्डिंग मैटेरियल एवं 21450.00 ईंट एवं टुकड़ी पर व्यय किया गया है। किन्तु उक्त कार्य पर कोई मजदूरी नहीं दी गयी है। क्रय की गयी सामग्री का अंकन भी स्टाक रजिस्टर पर नहीं किया गया है। परिसम्पत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 36165.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान लालचन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलिराम से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–137ग्राम पंचायत–पश्चिम पट्टी (विकास खण्ड–तहबरपुर)(सामान्य आपत्ति संख्या–19)

ग्राम निधि–। कोषबही का मिलाने संख्या के बैंक खाते में किये जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 20.04.2015 को चेक संख्या 21025117 से रू0 15000.00 आहरित किया गया है किन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष किसी तरह का व्यय कोषबही में दर्शित नहीं है। इस प्रकार रू0 15000.00 बैंक से आहरित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री लालचन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलिराम से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–138ग्राम पंचायत–पश्चिम पट्टी (विकास खण्ड–तहबरपुर)(सामान्य आपत्ति संख्या–20)

दिनांक 22.03.2016 को सुरेश यादव के घर से रामबदन राय के बाग तक पक्की नाली एवं पटिया का निर्माण कैशबुक में दर्शित है। जिस पर रू0 42931.00 मजदूरी पर रू0 73756.00 बिल्डिंग मैटेरियल पर एवं रू0 30600.00 ह्यूम पाईप पर व्यय किया गया है। किन्तु उक्त कार्य पर ईंट पर व्यय दर्शित नहीं है। इस प्रकार बिना ईंट के ही नाली का निर्माण कर दिया गया है। मजदूरी भुगतान सम्बन्धी मस्टररोल तथा बिल्डिंग मैटेरियल एवं ह्यूम पाईप क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार व्यय दर्शाकर रू0 147287.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री रामबचन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलिराम से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–139ग्राम पंचायत–मंझारी खलिया (विकास खण्ड–तहबरपुर) (सामान्यआपत्ति संख्या–19)

ग्राम निधि प्रथम कोषबही का मिलान संस्था के बैंक खाते से किये जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 08.06.2015 को चेक सं0–372724 से रू0 20000.00 एवं दिनांक 08.06.2015 को चेक सं0–372745 से रू0 6000.00 आहरित किया गया है किन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष किसी तरह का व्यय कोषबही में दर्शित नहीं है। इस प्रकार रू0 26000.00 बैंक से आहरित कर प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–140ग्राम पंचायत–मंझारी खलिया (विकास खण्ड–तहबरपुर) (सामान्य आपत्ति संख्या–20)

दिनांक 27.01.2015 को ग्राम निधि प्रथम कैशबुक में पी0डब्लू0डी0 रोड से रामदरश के घर तक खड़ण्जा निर्माण पर रू0 74500.00 ईंट एवं रू0 25000.00 मजदूरी पर व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–141ग्राम पंचायत–मुकुन्दपुर (विकास खण्ड–तहबरपुर)(सामान्य आपत्ति संख्या–18)

दिनांक 08.04.2015 को ग्राम निधि प्रथम कैशबुक में पी0डब्लू0डी0 रोड से अनुसूचित बस्ती तक खडण्जा मरम्मत हेतु रू0 30000.00 की ईंट क्रय दर्शित है किन्तु उक्त खड़ण्जा मरम्मत पर कोई मजदूरी नहीं दी गयी है। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 30000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री विश्राम यादव से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–142 ग्राम पंचायत–मुकुन्दपुर (विकास खण्ड–तहबरपुर) (सामान्य आपत्ति संख्या–19)

सिप्टैन के घर से बदरू के घर तक खड़ण्जा मरम्मत पर दिनांक 10.04.2015 को रू0 33000.00 दिनांक 21.04.2015 को रू0 10000.00 एवं दिनांक 24.04.2015 रू0 18500.00 की ईंट क्रय किया गया है। इस प्रकार उक्त खडण्जा मरम्मत पर कुल रू0 61500.00 का ईंट क्रय किया गया है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार रू0 61500.

00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री विश्राम यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–143ग्राम पंचायत–ददराभगवानपुर (विकास खण्ड–तहबरपुर)(सामान्य आपत्तिसंख्या–18)

दिनांक 03.02.2015 को ग्राम निधि–। कैशबुक में सम्पर्क मार्ग से पतरू के घर तक सोलिंग निर्माण दर्शित है जिस पर रू0 139500.00 का ईंट क्रय एवं रू0 17160.00 मजदूरी पर व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में ईंट क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार रू0 156660.00 अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री रत्नाकर चौहान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलिराम से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–144ग्राम पंचायत–ददराभगवानपुर(विकास खण्ड–तहबरपुर)(सामान्य आपत्ति संख्या–19)

दिनांक 15.04.2015 को ग्राम निधि–। कैशबुक में मेन खड़ण्जा से दयाराम के घर तक सोलिंग निर्माण दर्शित है जिस पर रू0 150660.00 की ईंट एवं रू0 31556.00 मजदूरी पर व्यय किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में ईंट क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार रू0 182216.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री रत्नाकर चौहान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलिराम से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–145ग्राम पंचायत–छिड़ी ब्राह्मण (विकास खण्ड–कोयलसा) (सामान्य आपत्ति संख्या–03)

ग्राम पंचायत द्वारा ह्यूम पाइप पर निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय दर्शित है–

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं0	क्रय की गयी संस्था का नाम	धनराशि रू0 में	व्ययप्रमाणक/बाउचर
1	08.04.2016	21091521	प्रियंका ट्रेडर्स	21500.00	अनुपलब्ध रहा
2	22.04.2016	21091522	देवहरी इण्टर प्राइजेज	23200.00	अनुपलब्ध रहा
योग				**44700.00**	

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत् है :–

उक्त कार्य हेतु कार्य योजना वर्क आईडी, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ, उन स्थानों को नाम जहाँ ह्यूम पाइप लगायी गयी है, अनुपलब्ध रहा। ह्यूम पाइप क्रय का कोटेशन नहीं है। ह्यूम पाइप लगवाने पर ग्राम पंचायत द्वारा कोई व्यय दर्शित नहीं है। ह्यूम पाइप लगवाने का कोई फोटोग्राफ नहीं है। किन्तु ह्यूम पाइप क्रय का उल्लेख कोषबही में किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा काल्पनिक कार्य दर्शाकर रू0 44700.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री बालचन्द ग्राम प्रधान एवं श्री यादवेन्द्र दत्त पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रस्तर संख्या–146ग्राम पंचायत–छिड़ी ब्राह्मण (विकास खण्ड–कोयलसा) (सामान्य आपत्ति संख्या–04)

ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय दर्शित है :–

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं0	क्रय की गयी संस्था का नाम	धनराशि रू0 में	व्यय प्रमाणक/बाउचर
1	27.06.2016	21091524	प्रियंका ट्रेडर्स	23800.00	अनुपलब्ध रहा
2	28.11.2016	21091526	बालचन्द प्रधान	9947.00	अनुपलब्ध रहा
3	09.01.2017	21091529	बालचन्द प्रधान	10750.00	अनुपलब्ध रहा
4	13.02.2017	21091535	बालचन्द प्रधान	4980.00	अनुपलब्ध रहा
5	13.02.2017	21091537	बालचन्द प्रधान	5630.00	अनुपलब्ध रहा
योग–				**55107.00**	

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित उक्त व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत् हैं :–

ग्राम पंचायत के पास कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, पूर्व में कब हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया था इसकी सूचना, हैण्डपम्प के सही होने की सूचना अनुपलब्ध रही। सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा सत्यापित हैण्डपम्प मरम्मत स्थल की सूची में अनुपलब्ध रही। हैण्डपम्प मरम्मत की कोई फोटोग्राफ नहीं है। हैण्डपम्प मरम्मत के लिए रू0 55107.00 व्यय दर्शित है। इस व्यय में हैण्डपम्प मरम्मत के लिए सामग्री भी क्रय की गयी होगी, लेकिन उसका भी व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। हैण्डपम्प मरम्मत के समय निकली खराब सामग्री का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37(ज) के अनुसार हैण्डपम्प की मरम्मत या रिबोर पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं के जल शुल्क के रूप में वसूल ब्याज सहित किया जाना चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत या रिबोर के निमित्त व्यय दर्शाया गया है। अधिनियम की धारा 37(ज) के तहत उपभोक्ताओं से हैण्डपम्प मरम्मत या रिबोर पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत वसूल ब्याज सहित कर ग्राम पंचायत निधि में जमा किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। यदि यह धनराशि वसूल ब्याज सहित कर ग्राम पंचायत निधि में जमा हुई होती तो ग्राम पंचायत के व्यय भार में 27553.50 रू0 की कमी होगी। किन्तु 50 प्रतिशत धनराशि उपभोक्ताओं ने न वसूल ब्याज सहित करके न जमा करने पर ग्राम पंचायत को 27553.50 रू0 का व्यय भार वहन करना पड़ा जो कि संस्था की क्षति है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा काल्पनिक कार्य दर्शाकर रू0 55107.00 का अपहरण किया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री बालचन्द ग्राम प्रधान एवं श्री यादवेन्द्र दत्त पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना उचित होगा।

प्रस्तर संख्या–147ग्राम पंचायत–जलालपुर (विकास खण्ड–कोयलसा)(सामान्य आपत्ति संख्या–05)

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित तिथियों में सोलिंग निर्माण हेतु ईंट का क्रय किया गया है –

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं0	संस्था का नाम	धनराशि रू0 में
1	28.04.2016	004638	प्रिन्स बी0के0ओ0	49600.00
2	03.05.2016	004639	प्रिन्स बी0के0ओ0	21328.00
3	05.05.2016	006323	प्रिन्स बी0के0ओ0	49600.00
4	16.05.2016	006324	प्रिन्स बी0के0ओ0	136493.00
5	24.01.2017	006332	प्रिन्स बी0के0ओ0	28750.00
6	24.01.2017	006335	प्रिन्स बी0के0ओ0	39150.00
7	07.02.2017	006337	प्रिन्स बी0के0ओ0	96977.00
8	07.02.2017	006339	प्रिन्स बी0के0ओ0	93947.00
9	07.02.2017	006603	प्रिन्स बी0के0ओ0	96177.00
योग–				**612022.00**

नोट :– क्रय ईंट की मात्रा एवं दर का विवरण अनुपलब्ध है। संस्था द्वारा उक्त ईंट क्रय पर कोटेशन व टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया है जबकि शासनादेश सं0–ए–1–864/दस–08–15(1)/86 के दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर (2) के तहत रू0 20000 से लेकर रू0 99999 की खरीद कोटेशन द्वारा तथा रू0 100000 से ऊपर तक की खरीद टेण्डर आमंत्रित करके किया जाना चाहिए। इस प्रकार ग्राम प्रधान श्रीमती कौशिल्या देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यादवेन्द्र दत्त पाण्डेय एवं श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा 612022.00 रू0 ईंट खरीद कर शासनादेश का उल्लंघन कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–148ग्राम पंचायत–नोनावे (विकास खण्ड–कोयलसा)(सामान्य आपत्ति संख्या–03)

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय दर्शित है –

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं0	संस्था का नाम	धनराशि रू0 में
1	13.02.2017	21089412	जनता इण्टर प्राइजेज	59700.00
2	08.03.2017	21089417	जनता इण्टर प्राइजेज	131400.00
योग–				**191100.00**

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित उक्त व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत् हैं –

क्रय सामग्री का टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है।

क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक/बाउचर भी अनुपलब्ध रहा।

किस कार्य के लिए धनराशि निकाली गयी, उसका वर्क आई0डी0 भी अनुपलब्ध रहा।

इससे सिद्ध होता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान द्वारा रू0 191100.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रामअजोर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रस्तर संख्या–149ग्राम पंचायत–नोनावे (विकास खण्ड–कोयलसा)(सामान्य आपत्ति संख्या–04)

ग्राम पंचायत द्वारा 13.02.2017 को चेक सं0 21089412 से जनता इण्टर प्राइजेज द्वारा तीन नग सोलर लाइट का क्रय रू0 59700.00 में किया गया है। इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं –

सोलर लाइट क्रय का व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

सोलर लाइट का क्रय नेडा से किया जाना चाहिए था।

सोलर लाइट क्रय का कोटेशन नहीं लिया गया है।

सोलर लाइट लगने का कोई फोटोग्राफ नहीं है।

सोलर लाइट का स्टीमेट वर्क आई0डी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा।

सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा सत्यापित सोलर लाइट लगने की स्थल की सूची भी अनुपलब्ध रही।

क्रय सोलर लाइट का विवरण कोष बही में किया गया है।

इससे सिद्ध होता है कि सोलर लाइट क्रय का काल्पनिक क्रय दर्शाकर रू0 59700.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रामअजोर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रस्तर संख्या–150 ग्राम पंचायत–तमरूआ (विकास खण्ड–कोयलसा)(सामान्य आपत्ति संख्या–03)

ग्राम पंचायत द्वारा 5 नग सोलर लाइट क्रय एवं मरम्मत पर निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय दर्शित है –

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं0	क्रय संस्था का नाम	धनराशि रू0 में	व्यय प्रमाणक/बाउचर
1	02.03.2017	21080890	प्रियंका ट्रेडर्स	109500.00	अनुपलब्ध रहा
2	02.03.2017	21080892	प्रियंका ट्रेडर्स	30000.00	अनुपलब्ध रहा
योग–				**139500.00**	

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत् हैं –
ग्राम पंचायत के पास कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. अनुपलब्ध रहा।
सोलर लाइट क्रय का कोई बिल या बाउचर नहीं है।
सोलर लाइट का क्रय नेडा से किया जाना चाहिए था।
सोलर लाइट लगने का कोई फोटोग्राफ नहीं है।
सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा सत्यापित सोलर लाइट लगने की स्थल की सूची भी अनुपलब्ध रही।
सोलर लाइट क्रय का टेण्डर नहीं लिया गया।
इससे सिद्ध होता है कि सोलर लाइट क्रय एवं मरम्मत का फर्जी कार्य दर्शाकर रू0 139500.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती दुर्गावती देवी ग्राम प्रधान एवं कुमारी कंचन वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रस्तर संख्या–151ग्राम पंचायत–तमरूआ (विकास खण्ड–कोयलसा)(सामान्य आपत्ति संख्या–04)

ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय दर्शित है –

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं0	क्रय संस्था का नाम	धनराशि रू0 में	व्यय प्रमाणक / बाउचर
1	02.03.2017	21080891	प्रियंका ट्रेडर्स	20000.00	अनुपलब्ध रहा
योग–				**20000.00**	

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित उक्त व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत् हैं –
ग्राम पंचायत के पास कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, पूर्व में कब हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया था इसकी सूचना, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैण्डपम्प के सही होने की सूचना अनुपलब्ध रही। सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा सत्यापित हैण्डपम्प मरम्मत स्थल की सूची भी अनुपलब्ध रही। हैण्डपम्प मरम्मत की कोई फोटोग्राफ भी नहीं है।हैण्डपम्प मरम्मत के समय खराब सामग्री का कोई विवरण उपलब्ध नहीं रहा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37(ज) के अनुसार हैण्डपम्प की मरम्मत या रिबोर पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं के जल शुल्क के रूप में वसूल ब्याज सहित किया जाना चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत या रिबोर के निमित्त व्यय दर्शाया गया है। अधिनियम की धारा 37(ज) के तहत उपभोक्ताओं से हैण्डपम्प मरम्मत या रिबोर पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत वसूल ब्याज सहित कर ग्राम पंचायत निधि में जमा किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। यदि यह धनराशि वसूल ब्याज सहित कर ग्राम पंचायत निधि में जमा हुई होती तो ग्राम पंचायत के व्यय भार में 10000.00 रू0 की कमी होगी। किन्तु 50 प्रतिशत धनराशि उपभोक्ताओं ने न वसूल ब्याज सहित करके न जमा करने पर ग्राम पंचायत को 10000.00 रू0 का व्यय भार वहन करना पड़ा, जो कि संस्था की क्षति है। इससे सिद्ध होता है कि हैण्डपम्प मरम्मत का फर्जी कार्य दर्शाकर रू0 20000.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती दुर्गावती देवी ग्राम प्रधान एवं कुमारी कंचन वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रस्तरसंख्या–152ग्राम पंचायत–मोलनापुरनत्थनपट्टी(विकास खण्ड–कोयलसा)(सामान्य आपत्ति संख्या–06)ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 14.03.2017 को चेक सं0 10001561 से प्रिया इण्टरप्राइजेज से 109500.00 रू0 का 5 अदद सोलर लाइट (21900 की दर से) का क्रय किया गया है। इस क्रय पर निम्नलिखित आपत्तियाँ है
सोलर लाइट का क्रय नेडा से किया जाना चाहिए था,जो कि शासनादेश 33/2017/977/45–वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0) /2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 से सोलर लाइट का क्रय नेडा से किया जाना अनिवार्य है। जबकि ऐसा नहीं किया गया। सोलर लाइट क्रय का टेण्डर नहीं लिया गया है जबकि शासनादेश सं0–ए–1–864/दस–08/5(1)/86 के दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर–2 के अनुसार रू0 20000 से लेकर 99999 की खरीदारी कोटेशन के द्वारा और 100000 से ऊपर की खरीदारी टेण्डर आमंत्रित कर किया जाना चाहिए। सोलर लाइट लगने के स्थान का उल्लेख नहीं है। बैंक खाते का विवरण अनुपलब्ध रहा। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा रू0 109500.00 का वित्तीय अनियमितता किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री धमेन्द्र कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री केशव यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–153ग्रामपंचायत–मदनपट्टी(विकास खण्ड–कोयलसा)(सामान्यआपत्ति संख्या–05)

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित तिथियों में ह्यूम पाइप का क्रय किया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	क्रय संस्था का नाम	धनराशि	संख्या/माप
1	28.03.2016 22.04.2016	21091941	जनता इण्टर प्राइजेज	30500.00	10 नग, 350 एम.एम.
2	28.10.2016	21091945	जनता इण्टर प्राइजेज	33750.00	15 नग, 300 एम.एम.
			योग–	**64250.00**	

उक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियाँ है :– ह्यूम पाइप क्रय का कोई बिल या बाउचर नहीं है।
क्रयकी गई ह्यूम पाइप का कोटेशन नहीं लिया गया है जबकि शासनादेश सं0–ए–1–864/दस–08/5(1)/86 के दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर–2 के अनुसार रू0 20000 से लेकर 99999 की खरीदारी कोटेशन के द्वारा और 100000 से ऊपर की खरीदारी टेण्डर आमंत्रित कर किया जाना चाहिए।
ह्यूम पाइप लगने का स्थान का नाम उल्लिखित नहीं है।

ह्यूम पाइप लगवाने की मजदूरी व्यय के सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं है।
बैंक खाते का विवरण अनुपलब्ध रहा।
इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा काल्पनिक कार्य दर्शाकर रू0 64250.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती सरिता देवी ग्राम प्रधान एवं श्री शिवबचन यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–154 ग्राम पंचायत–मदनपट्टी(विकासखण्ड–कोयलसा)(सामान्यआपत्ति संख्या–06) ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2017 को चेक सं0–21091950 से जनता इण्टर प्राइजेज से रू0 79200.00 का 15 नग सोडियम लाइट (5280 की दर से) का क्रय किया गया है। इस क्रय पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैः–शासनादेश सं0–35/2015/656/45–वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2015 दिनांक 02 जुलाई 2015 द्वारा यू0पी0 नेडा की ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में निहित प्राविधानों के तहत सोडियम लाइट क्रय की जगह एल0ई0डी0 लाइट क्रय किया जाना अपेक्षित है। सोडियम लाइट क्रय का कोई बिल या बाउचर नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का कोटेशन नहीं लिय गया है जबकि शासनादेश सं0–ए–1–864/दस–08/5(1)/86 के दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर–2 के अनुसार रू0 20000 से लेकर 99999 की खरीदारी कोटेशन के द्वारा और 100000 से ऊपर की खरीदारी टेण्डर आमंत्रित कर किया जाना चाहिए सोडियम लाइट लगने के नाम का स्थान उल्लिखित नहीं है।बैंक खाते का विवरण अनुपलब्ध रहा। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा काल्पनिक कार्य दर्शाकर रू0 79200.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती सरिता देवी ग्राम प्रधान व श्री शिवबचन यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–155 ग्राम पंचायत–रसूलपुर उर्फ पासीपुर (विकास खण्ड–कोयलसा) (सामान्य आपत्ति संख्या–03)
ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है :–

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं0	आहरित चेक व्यक्ति का नाम	धनराशि	व्यय प्रमाणक/बाउचर
1	10.05.2016	21077690	श्रीराम मिस्त्री	22500.00	अनुपलब्ध रहा
2	20.05.2016	21077693	श्रीराम मिस्त्री	25500.00	अनुपलब्ध रहा
			योग–	**48000.00**	

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत् है :–
ग्राम पंचायत के पास कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, पूर्व में कब हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया था इसकी सूचना, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैण्डपम्प के सही होने की सूचना अनुपलब्ध रही।
सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा सत्यापित हैण्डपम्प की सूची भी नहीं है।
हैण्डपम्प मरम्मत की कोई फोटोग्राफ नहीं है।
हैण्डपम्प मरम्मत के लिए 48000.00 रू0 व्यय दर्शित है। इस व्यय में हैण्डपम्प मरम्मत के लिए सामग्री भी क्रय की गयी होगी, लेकिन उसका व्यय प्रमाणक एवं बिल अनुपलब्ध रहा।
हैण्डपम्प मरम्मत के समय खराब सामग्री भी निकली होगी, लेकिन खराब निकली हुई सामग्री का कोई विवरण उपलब्ध नहीं रहा।
उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37(ज) के अनुसार हैण्डपम्प की मरम्मत या रिबोर पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं के जल शुल्क के रूप में वसूल ब्याज सहित किया जाना चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत या रिबोर के निमित्त व्यय दर्शाया गया है। अधिनियम की धारा 37(ज) के तहत उपभोक्ताओं से हैण्डपम्प मरम्मत या रिबोर पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत वसूल कर ग्राम पंचायत निधि में जमा किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। यदि यह धनराशि वसूल कर ग्राम पंचायत निधि में जमा हुई होती तो ग्राम पंचायत के व्यय भार में 24000.00 रू0 की कमी होगी। किन्तु 50 प्रतिशत धनराशि उपभोक्ताओं से वसूल करके न जमा करने पर ग्राम पंचायत को 24000.00 रू0 का व्यय भार वहन करना पड़ा, जो कि संस्था की क्षति है। इससे सिद्ध होता है कि हैण्डपम्प मरम्मत का फर्जी कार्य दर्शाकर रू0 48000.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती मीरा सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री रामलोचन चौरसिया ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रस्तर संख्या–156ग्राम पंचायत–रसूलपुर उर्फ पासीपुर (विकास खण्ड–कोयलसा) (सामान्य आपत्ति संख्या–04)
ग्राम पंचायत द्वारा सोडियम लाइट मरम्मत पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है :–

क्र. सं.	दिनांक	चेक सं0	आहरित चेक व्यक्ति का नाम	धनराशि	व्यय प्रमाणक/बाउचर
1	11.05.2016	21077692	एच0डी0 ट्रेडर्स	64120.00	अनुपलब्ध रहा
2	03.06.2016	21077696	एच0डी0 ट्रेडर्स	8500.00	अनुपलब्ध रहा
			योग–	**72620.00**	

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित उक्त व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत् है :–ग्राम पंचायत के पास कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, सोडियम लाइट खराब होने की सूचना, पूर्व में सोडियम लाइट का कब मरम्मत कराया गया था इसकी सूचना, किन–किन स्थलों पर सोडियम लाइट मरम्मत करायी गयी इसकी कोई सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है। सोडियम लाइट मरम्मत की कोई फोटोग्राफ नहीं है। सोडियम लाइट मरम्मत के लिए सामग्री क्रय की कोई व्यय प्रमाणक या बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया। सोडियम लाइट का क्रय नेडा से नहीं किया गया। इससे सिद्व होता है कि सोडियम लाइट मरम्मत का फर्जी कार्य दर्शाकर रू0 72620.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती मीरा सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री रामलोचन चौरसिया ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रस्तर संख्या–157ग्राम पंचायत–सिंहोरा (विकास खण्ड–कोयलसा) (सामान्य आपत्ति संख्या–03)

ग्राम पंचायत द्वारा राजेन्द्र सिंह के घर से रमेश सिंह के चक तक सोलिंग मरम्मत पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है –

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं0	मजदूरी की धनराशि	ईंट की धनराशि	व्यय प्रमाणक/बाउचर
1	10.05.2016	21076420	30450.00	–	मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा
2	10.05.2016	21082161	21402.00	–	मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा
3	11.05.2016	21082162	–	69895.00	बाउचर अनुपलब्ध
4	19.09.2016	21082164	–	35030.00	बाउचर अनुपलब्ध
5	19.09.2016	21082163	25056.00	–	मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा
			योग–	**181833.00**	

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित उक्त व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत् है :–

उक्त कार्य हेतु कार्य योजना वर्क आईडी, एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मजदूरी की धनराशि को मजदूरों के खाते में ट्रांसफर किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा न करके प्रधान द्वारा स्वयं निकाला गया है। क्रय ईंट का कोटेशन नहीं लिया गया है। इससे सिद्व होता है कि काल्पनिक कार्य को दर्शाकर 181833.00 रू0 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मिथिलेश सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री महेन्द्र यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रस्तर संख्या–158 ग्राम पंचायत–सिंहोरा (विकास खण्ड–कोयलसा)(सामान्य आपत्ति संख्या–04)

ग्राम पंचायत द्वारा 18.01.2017 को चेक सं0 21082172 से जनता इण्टर प्राइजेज द्वारा 1 नग सोलर लाइट रू0 22050.00 में क्रय किया गया है। उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है –

सोलर लाइट का क्रय नेडा से किया जाना चाहिए था।

सोलर लाइट क्रय का कोई बिल या बाउचर नहीं है।

कोटेशन नहीं लिया गया है।

सोलर लाइट के लगने का स्थान उल्लिखित नहीं है।

सोलर लाइट लगने का फोटोग्राफ नहीं है।

इससे सिद्व होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा काल्पनिक कार्य दर्शाकर रू0 22050.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मिथिलेश सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री महेन्द्र यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रस्तर संख्या–159ग्राम पंचायत–सिंहोरा (विकास खण्ड–कोयलसा)(सामान्य आपत्ति संख्या–05)

ग्राम पंचायत द्वारा 19.01.2017 को चेक सं0 21082173 से जनता इण्टर प्राइजेज को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु रू0 30000. 00 आहरित किया गया है। इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है –

ग्राम पंचायत के पास कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, पूर्व में कब हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया था इसकी सूचना, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, हैण्डपम्प सही होने की सूचना अनुपलब्ध रही।

सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा सत्यापित हैण्डपम्प मरम्मत की सूची भी अनुपलब्ध रही।

हैण्डपम्प मरम्मत की कोई फोटोग्राफ भी नहीं है।

हैण्डपम्प मरम्मत के लिए 30000.00 रू0 व्यय दर्शित है। इस व्यय में हैण्डपम्प मरम्मत के लिए सामग्री भी क्रय की गयी होगी, लेकिन उसका व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

हैण्डपम्प मरम्मत के समय खराब सामग्री का कोई विवरण उपलब्ध नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37(ज) के अनुसार हैण्डपम्प की मरम्मत या रिबोर पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं के जल शुल्क के रूप में वसूल किया जाना चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत या रिबोर के निमित्त व्यय दर्शाया गया है । अधिनियम की धारा 37(ज) के तहत उपभोक्ताओं से हैण्डपम्प मरम्मत या रिबोर पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत वसूल कर ग्राम पंचायत निधि में जमा किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। यदि यह

धनराशि वसूल कर ग्राम पंचायत निधि में जमा हुई होती तो ग्राम पंचायत के व्यय भार में 15000.00 रू0 की कमी होगी। किन्तु 50 प्रतिशत धनराशि उपभोक्ताओं से न वसूल करने पर ग्राम पंचायत को 15000.00 रू0 का व्यय भार वहन करना पड़ा, जो कि संस्था की क्षति है। अतः हैण्डपम्प मरम्मत का काल्पनिक कार्य दर्शाकर रू0 30000.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मिथिलेश सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री महेन्द्र यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रस्तर संख्या–160ग्राम पंचायत–करमहा डिंगुरपुर (विकास खण्ड–कोयलसा)(सामान्य आपत्ति संख्या–06) ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित तिथियों में सोडियम लाइट का क्रय किया गया है–

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं0	संस्था का नाम	धनराशि रू0 में
1	03.04.2014	21047096	जय मां दुर्गे ट्रेडर्स महराजगंज	52800.00 (10 नग)
2	22.04.2014	21047097	जनता इण्टर प्राइजेज भीलमपुर छपरा	36960.00 (7 नग)
3	17.05.2014	21047100	प्रियंका ट्रेडर्स बूढ़नपुर	52800.00 (10 नग)
4	23.05.2014	21047202	प्रियंका ट्रेडर्स बूढ़नपुर	26400.00 (5 नग)
5	22.04.2015	60837	प्रियंका ट्रेडर्स बूढ़नपुर	26400.00 (5 नग)
			योग–	**195360.00**

नोट :– सोडियम लाइट क्रय के दर का विवरण अनुपलब्ध है।
उक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं :–
सोडियम लाइट का क्रय नेडा से किया जाना चाहिए था।
सोडियम लाइट क्रय का बिल या बाउचर नहीं है।
क्रय की गयी सोडियम लाइट का कोटेशन नहीं लिया गया है।
सोडियम लाइट लगने का स्थान का नाम उल्लिखित नहीं है।
सोडियम लाइट लगने का फोटोग्राफ नहीं है।
इससे सिद्ध होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा काल्पनिक कार्य दर्शाकर रू0 195360.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री जयप्रकाश राजभर ग्राम प्रधान एवं श्री रवीन्द्र यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–161 ग्राम पंचायत–भैरवपुर (विकास खण्ड–कोयलसा) (सामान्य आपत्ति संख्या–05) उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37(ज) के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत या रिबोर पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं के जल शुल्क के रूप में वसूल किया जाना चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की निधि से निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत या रिबोर के निमित्त व्यय दर्शाया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं0	व्यय धनराशि रू0 में
1	12.05.2016	21089182	26000.00
		योग–	**26000.00**

अधिनियम की धारा अधिनियम की धारा 37(ज) के तहत उपभोक्ताओं से हैण्डपम्प मरम्मत या रिबोर पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत वसूल कर ग्राम पंचायत निधि में जमा किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। यदि यह धनराशि वसूल कर ग्राम पंचायत निधि में जमा हुई होती तो ग्राम पंचायत के व्यय भार में 13000.00 रू0 की कमी होगी। किन्तु 50 प्रतिशत धनराशि उपभोक्ताओं से वसूल करके न जमा करने पर ग्राम पंचायत को 13000.00 रू0 का व्यय भार वहन करना पड़ा, जो कि संस्था की क्षति है।इस प्रकार उपेक्षा पूर्ण कार्य प्रति ग्राम प्रधान श्री रामसुरेश राजभर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामविनय राय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–162ग्राम पंचायत–मदियापार (विकास खण्ड–कोयलसा) (सामान्य आपत्ति संख्या–06) ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित तिथियों में ह्यूम पाइप का क्रय किया गया है–

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं0	संस्था का नाम	धनराशि	संख्या
1	23.04.2014	21036912	जनता इण्टर प्राइजेज भीलमपुर छपरा	55000.00	25 नग
2	10.03.2015	21063831	,,	25500.00	10 नग
3	22.02.2016	21077171	,,	65000.00	20 नग
			योग–	**145500.00**	**55 नग**

नोट :– ह्यूम पाइप क्रय दर का विवरण अनुपलब्ध है।
उक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियाँ है :–
ह्यूम पाइप क्रय का कोई बिल या बाउचर नहीं है।
क्रय की गयी ह्यूम पाइप का कोटेशन नहीं लिया गया है।
ह्यूम पाइप लगने का स्थान का नाम उल्लिखित नहीं है।

ह्यूम पाइप लगवाने की मजदूरी पर व्यय से सम्बन्धित कोई उल्लेख नहीं है।
ह्यूम पाइप लगने का कोई फोटोग्राफ नहीं है।
कैशबुक में ह्यूम पाइप क्रय का उल्लेख है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा काल्पनिक कार्य दर्शाकर रू0 145500.00 अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयप्रकाश सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–मदियापार (विकास खण्ड–कोयलसा)

प्रस्तर संख्या–163उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37(ज) के अनुसार हैण्डपम्प की मरम्मत या रिबोर पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं के जल शुल्क के रूप में वसूल किया जाना चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत या रिबोर के निमित्त व्यय दर्शाया गया है। **(सामान्य आपत्ति संख्या–07)**

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं0	व्यय धनराशि रू0 में
1	03.04.2014	21036910	6400.00
2	26.09.2014	21063823	8350.00
3	28.02.2015	21063828	38150.00
		योग–	**52900.00**

अधिनियम की धारा अधिनियम की धारा 37(ज) के तहत उपभोक्ताओं से हैण्डपम्प मरम्मत या रिबोर पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत वसूल कर ग्राम पंचायत निधि में जमा किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। यदि यह धनराशि वसूल कर ग्राम पंचायत निधि में जमा हुई होती तो ग्राम पंचायत के व्यय भार में 26450.00 रू0 की कमी होगी। किन्तु 50 प्रतिशत धनराशि उपभोक्ताओं से वसूल करके न जमा करने पर ग्राम पंचायत को 26450.00 रू0 का व्यय भार वहन करना पड़ा, जो कि संस्था की क्षति है। इस प्रकार उपेक्षा पूर्ण कार्य प्रति ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता सिंह व श्री समीर सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–मदियापार (विकास खण्ड–कोयलसा)

प्रस्तर संख्या–164ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.04.2016 चेक सं0–21077175 से प्रमोद सिंह ईंट उद्योग से 16129 नग ईंट का क्रय रू0 100000.00 का किया गया एवं दिनांक 10.05.2016 को चेक सं0–21077176 से प्रमोद सिंह ईंट उद्योग से 16129 नग का क्रय रू0 100000.00 का किया गया है। संस्था द्वारा उक्त क्रय ईंट का टेण्डर आमंत्रित करके नहीं किया गया है जबकि शासनादेश सं0–ए–1–864/दस–08–15(1)/86 के दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर (2) के तहत रू0 20000 से लेकर रू0 99999 की खरीद कोटेशन द्वारा तथा रू0 100000 से ऊपर तक की खरीद टेण्डर आमंत्रित करके किया जाना चाहिए। इस प्रकार ग्राम प्रधान श्री समीर सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयप्रकाश सिंह द्वारा रू0 200000.00 की ईंट खरीद पर शासनादेश उल्लंघन कर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या–08)

ग्राम पंचायत–बेमुडीह किशुनदेव पट्टी (विकास खण्ड–कोयलसा)

प्रस्तर संख्या–165(सामान्य आपत्ति संख्या–03) ग्राम पंचायत द्वारा राजपति के घर से बाहा तक पक्की नाली निर्माण पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है :–

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं0	मजदूरी की धन0	बिल्डिंग मैटेरियल की धनराशि	व्यय प्रमाणक/बाउचर
1	25.04.2016	21074876	15000.00	–	मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा
2	06.07.2016	21074880	15000.00	–	मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा
3	17.03.2017	21092006	–	68242.00	बाउचर अनुपलब्ध रहा
			योग–	**68242.00**	

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत् है :– उक्त कार्य हेतु बिल्डिंग मैटेरियल की खरीददारी 17.03.2017 को की गयी है जबकि मजदूरी का भुगतान 25.04.2016 व 06.07.2016 को पहले ही किया गया था। स्टाक बुक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था। कार्य का स्टीमेट, वर्क आईडी, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी अनुपलब्ध रहा। क्रय सामग्री का कोटेशन भी नहीं लिया गया है।
इससे सिद्ध होता है कि मजदूरी का भुगतान पहले किया गया और नाली के निर्माण हेतु बिल्डिंग मैटेरियल की खरीदारी 11 माह बाद की जाती है जो कि कार्य को फर्जी दर्शाता है। इस प्रकार फर्जी कार्य को दर्शाकर 98242.00 रू0 अपहरण किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री संदीप कुमार ग्राम प्रधान व श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित होगा।

ग्राम पंचायत–बेमुडीह किशुनदेव पट्टी (विकास खण्ड–कोयलसा)

प्रस्तर संख्या–166 (सामान्य आपत्ति संख्या–04) ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय दर्शित है–

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं0	फर्म या संस्था का नाम	धनराशि रू0 में	व्यय प्रमाणक / बाउचर
1	17.05.2016	21074878	प्रियंका ट्रेडर्स	9800.00	अनुपलब्ध रहा
2	20.09.2016	21092003	जनता इण्टर प्राइजेज	29500.00	अनुपलब्ध रहा
			योग–	**39300.00**	

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत् है :–

ग्राम पंचायत के पास कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, पूर्व में कब हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया था इसकी सूचना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैण्डपम्प के सही होने की सूचना अनुपलब्ध रही।

सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा सत्यापित हैण्डपम्प की सूची भी नहीं है।

हैण्डपम्प मरम्मत का कोई फोटोग्राफ नहीं है।

हैण्डपम्प मरम्मत के लिए 39300.00 रू0 व्यय दर्शित है। इस व्यय में हैण्डपम्प मरम्मत के लिए सामग्री भी क्रय की गयी होगी, लेकिन उसका व्यय प्रमाणक एवं बिल अनुपलब्ध रहा।

हैण्डपम्प मरम्मत के समय खराब सामग्री भी निकली होगी, लेकिन खराब निकली हुई सामग्री का कोई विवरण उपलब्ध नहीं रहा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37(ज) के अनुसार हैण्डपम्प की मरम्मत या रिबोर पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं के जल शुल्क के रूप में वसूल किया जाना चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत या रिबोर के निमित्त व्यय दर्शाया गया है। अधिनियम की धारा अधिनियम की धारा 37(ज) के तहत उपभोक्ताओं से हैण्डपम्प मरम्मत या रिबोर पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत वसूल कर ग्राम पंचायत निधि में जमा किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। यदि यह धनराशि वसूल कर ग्राम पंचायत निधि में जमा हुई होती तो ग्राम पंचायत के व्यय भार में 19650.00 रू0 की कमी होगी। किन्तु 50 प्रतिशत धनराशि उपभोक्ताओं से वसूल करके न जमा करने पर ग्राम पंचायत को 19650.00 रू0 का व्यय भार वहन करना पड़ा, जो कि संस्था की क्षति है।

इससे सिद्ध होता है कि हैण्डपम्प मरम्मत का फर्जी कार्य दर्शाकर रू0 39300.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री संदीप कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित होगा।

ग्राम पंचायत– टुण्डवल (विकास खण्ड–मिर्जापुर)

प्रस्तर संख्या–167(सामान्य आपत्ति संख्या–20) ग्राम निधि कैशबुक / कार्यपूर्ति की जांच में पाया गया कि बृजेश के घर से कुआँ तक खड़ण्जा निर्माण कार्य पर निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है।

(1) 30.03.2017 ईंट क्रय 11484 X 6.2 – 71200.00

(2) 30.03.2017 मजदूरी 80 X 174 – 13920.00

85120.00 खड़ण्जा कार्य (85 X 2.35) वर्ग मीटर में कराया गया है

लेखा परीक्षा अनुसार (85 X 2.35) में ईंट की मात्रा – 11586 ईंट

ले0प0 के अनुसार खड़ण्जा लगवाने की मजदूरी (85 X 2.35) X 40.90,8170.00

अतः खड़ण्जा लगवाने में अधिक मजदूरी 13920–8170 का भुगतान=5750.00 इस प्रकार खड़ण्जा में 5750 रू0 अधिक भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया। अतः 5750 रू0 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री पन्नालाल गुप्ता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत–टुण्डवल (विकास खण्ड–मिर्जापुर)

प्रस्तर संख्या–168(सामान्य आपत्ति संख्या–21) ग्राम निधि कैशबुक के जांच में पाया गया कि कुआँ से खड़ण्जा तक खड़ण्जा निर्माण कार्य पर निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है।

(1) 30.03.2017 ईंट क्रय 7642 X 6.2 – 47380.00

(2) 30.03.2017 मजदूरी 55 X 174 – 9570.00

56950.00

खड़ण्जा कार्य (57 X 2.35) वर्ग मीटर में कराया गया है।

लेखा परीक्षा अनुसार (57 X 2.35) में ईंट की मात्रा – 7769 ईंट

ले0प0 के अनुसार खड़ण्जा लगवाने की मजदूरी (57 X 2.35) X 40.90,5479.00

अतः खड़ण्जा लगवाने की अधिक मजदूरी का भुगतान 9570–5479=4091.00 इस प्रकार खड़ण्जा में 4091 रू0 का अधिक भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया।

अतः 4091 रू0 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री पन्नालाल गुप्ता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत–टुण्डवल (विकास खण्ड–मिर्जापुर)

प्रस्तर संख्या–169(सामान्य आपत्ति संख्या–22) ग्राम निधि कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है।

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	30.06.2016	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत 10 नग	37500.00
2	16.02.2017	हैण्डपम्प मरम्मत 05 नग	13398.00
		योग–	**50898.00**

अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के अर्द्ध शासकीय पत्र सं0–2059/सम/03 दिनांक 30.03.2002 के परिपेक्ष्य में शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों के हैण्डपम्पों के रख–रखाव ग्राम पंचायत से कराने का निर्णय लिया तथा हैण्डपम्पों से लाभान्वित व्यक्तियों का उपभोक्ता समूह गठित कराने का निर्देश दिया गया। पंचायतें इनकी सहायता से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि लाभार्थियों को उपभोक्ता समूह गठित किया गया है और लाभार्थियों ने अंशदान दिया है, जिससे हैण्डपम्प मरम्मत की जा सकें। अतः 50898.00 रू0 हैण्डपम्प की मरम्मत पर भुगतान कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः 50898 रू0 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री पन्नालाल गुप्ता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत– राजापुर सिकरौर (विकास खण्ड–मिर्जापुर)

प्रस्तर संख्या–170(सामान्य आपत्ति संख्या–21) कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में सोलर लाइट पर भुगतान दर्शित है विवरण निम्नवत् रहा –

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	12.03.2017	अंश इण्टरप्राइजेज को सोलर लाइट का भुगतान	90800.00
2	13.03.2017	अंश इण्टरप्राइजेज को सोलर लाइट का भुगतान	90800.00
		योग–	**181600.00**

उपरोक्त विवरण पर निम्न आपत्तियाँ है :–व्यय प्रमाणक पर कितने वाट का सोलर लाइट क्रय किया गया, अंकित नहीं है। सोलर लाइट नेडा से क्रय किया जाना चाहिए। नेडा राजकीय व्यवसायिक संस्थान है। नेडा से क्रय करने पर ग्राम पंचायत को अंशदान का लाभ मिलता है। भुगतान करते समय आयकर व्यापार की कटौती नहीं की गयी है। क्रय एक लाख से ऊपर की गयी है। अतः क्रय निविदा आमंत्रित करके किया जाना चाहिए था। अतः संस्था द्वारा बिना टेण्डर आमंत्रित करके अनियमित भुगतान किया गया है जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार एवं प्रधान श्रीमती राफकत उत्तरदायी रहें, वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत– राजापुर सिकरौर (विकास खण्ड–मिर्जापुर)

प्रस्तर संख्या–171(सामान्य आपत्ति संख्या–22) अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–2059/सम/03/ दिनांक 30.03.2002 के परिपेक्ष्य में शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों के हैण्डपम्पों के रख–रखाव ग्राम पंचायतों से कराने का निर्णय लिया तथा हैण्डपम्पों से लाभार्थी व्यक्तियों का उपभोक्ता समूह गठित करने का निर्देश दिया। अभिलेखीय आधार पर यह पुष्टि नहीं होता है कि लाभार्थियों द्वारा कोई अंशदान ग्राम पंचायत में जमा किया गया है। हैण्डपम्पों पर मरम्मत ग्राम निधि खाते से किया गया है। अतः भुगतान अनियमित रहा। अतः वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती राफकत एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से अपेक्षित रही। विवरण निम्नवत् रहा –

क्र.सं.	दिनांक	विववरण	धनराशि
1	21.06.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	12950.00
		योग–	**12950.00**

ग्राम पंचायत–दमदियावन (विकास खण्ड–मिर्जापुर)

प्रस्तर संख्या–172(सामान्य आपत्ति संख्या–20) ग्राम निधि कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है।

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	05.06.2016	3 अदद हैण्डपम्प इण्डिया मार्का मरम्मत	10000.00
2	07.06.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	10000.00
3	09.06.2016	3 अदद हैण्डपम्प मरम्मत	10000.00
4	18.10.2016	2 अदद हैण्डपम्प मरम्मत	8000.00

5	05.12.2016	1 अदद हैण्डपम्प मरम्मत	5000.00
6	01.02.2017	3 अदद हैण्डपम्प मरम्मत	10000.00
		योग–	**53000.00**

अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के अर्द्ध शासकीय पत्र सं0–2059/सम/03 दिनांक 30.03.2002 के परिपेक्ष्य में शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों के हैण्डपम्पों के रख–रखाव ग्राम पंचायतों से कराने का निर्णय किया तथा हैण्डपम्पों से लाभान्वित व्यक्तियों का उपभोक्ता समूह गठित कराने का निर्देश दिया गया। पंचायतें इनकी सहायता से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात हो सकें कि लाभार्थियों को उपभोक्ता समूह गठित किया गया है और लाभार्थियों ने अंशदान दिया है, जिससे हैण्डपम्प मरम्मत की जा सकें। अतः 53000.00 रू0 हैण्डपम्प की मरम्मत पर भुगतान कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री लाल बहादुर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी हरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या–173 ग्राम पंचायत–दमदियावन (विकास खण्ड–मिर्जापुर)प्रस्तर संख्या–173(सामान्य आपत्ति संख्या–21) ग्राम निधि कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में सोलर लाइट क्रय कर भुगतान दर्शित है। विवरण निम्नवत रहा।

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	31.03.2017	मे0 तारा कन्स्ट्रक्शन से 4 अदद सोलर लाइट क्रय	90800.00
2	31.03.2017	मे0 तारा कन्स्ट्रक्शन से 4 अदद सोलर लाइट क्रय	90800.00
		योग–	**181600.00**

उपरोक्त पर निम्न आपत्तियाँ है :–
सोलर लाइट लगाने हेतु नेडा से सम्पर्क नहीं किया गया।
सोलर लाइट लगाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा टेण्डर आमंत्रित नहीं की गयी।
व्यय प्रमाणक पर कितने वाट की सोलर लाइट क्रय की गयी, अंकित नहीं है।
भुगतान की गयी धनराशि से 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर एवं 4 प्रतिशत की दर से वैट कटौती नहीं की गयी है।
निर्माण रजिस्टर/स्टाक रजिस्टर में इनकी प्रविष्टि नहीं की गयी।
सोलर लाइट ग्राम पंचायत में कहाँ–कहाँ लगायी गयी, इसका विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस प्रकार ग्राम निधि से 181600.00 रू0 भुगतान कर अनियमितता की गयी है, जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री लालबहादुर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत–उत्तमा (विकास खण्ड–मिर्जापुर)

प्रस्तर संख्या–174(सामान्य आपत्ति संख्या–20) ग्राम निधि कैशबुक/कार्यपूर्ति की जांच में पाया गया कि खड़ण्जा मरम्मत कार्य मुड़ियार सम्पर्क मार्ग से नहर तक (165–3) वर्गमीटर में कराकर निम्न विवरणानुसार भुगतान कैशबुक में दर्शित है।

1–	02.05.2016	मजदूरी (248×174)	–	43152.00
2–	21.02.2017	ईंट का भुगतान	–	143801.00
		(23194×6.2)		186953.00

खड़ण्जा मरम्मत कार्य (165×3) वर्गमीटर में कराया गया है। खड़ण्जा मरम्मत में 40 प्रतिशत नई ईंट की जरूरत पड़ेगी। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार–
नई ईंट की मरम्मत – 11484 ईंटे
पुराना खड़ण्जा उखाड़ने की मजदूरी (165×3)×12.356114
खड़ण्जा लगाने की मजदूरी (165×3) ×40.90–20246
ले0प0 खड़ण्जा मरम्मत कार्य पर ईंट की मात्रा – 11484
ले0प0 अनुसार खड़ण्जा कार्य पर मजदूरी – 26360
खड़ण्जा मरम्मत कार्य में प्रयुक्त ईंट की मात्रा – 23194
खड़ण्जा मरम्मत कार्य पर भुगतान की गयी मजदूरी – 43152
खड़ण्जा मरम्मत कार्य में प्रयुक्त अधिक ईंट की मात्रा – 23194–11484–11710 ईंट
अधिक ईंट मूल्य – 11710 × 6.2–72602.00 रू0
अधिक मजदूरी भुगतान – 43152–26360–16792
खड़ण्जा मरम्मत कार्य पर अधिक भुगतान 72602+16792–89394
इस प्रकार 89394 रू0 अधिक धनराशि खड़ण्जा मरम्मत कार्य पर अधिक भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती कृष्णमती एवं सचिव श्री सुभाषचन्द्र पाण्डेय से की जानी अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत–उत्तमा (विकास खण्ड–मिर्जापुर)

प्रस्तर संख्या–175(सामान्य आपत्ति संख्या–21) ग्राम निधि कैशबुक/कार्यपूर्ति की जांच में पाया गया कि खड़ण्जा कार्य जगधारी के घर सुफुन्नन के घर तक (240 वर्गमी0) में कराकर निम्न विवरणानुसार भुगतान कैशबुक में दर्शित है।

(1) 02.05.2016 ईंट 13920×6.2 – 86304.00
(2) 21.02.2017 मजदूरी – 29874.00
116178.00

लेखा परीक्षा अनुसार 240 वर्गमीटर में ईंट की मात्रा – 13920.00
ईंट मूल्य– 86304.00

लेखा परीक्षा अनुसार खड़ण्जा लगाने की मजदूरी 240□40.90– 9816.00
ले0प0 अनुसार खड़ण्जा निर्माण पर कुल भुगतान – 96120.00
अधिक भुगतान – 116178–96120–20058.00
इस प्रकार खड़ण्जा कार्य पर 20058.00 रू0 अधिक भुगतान कर अपहरण श्रीमती कृष्णमती व सचिव श्री सुबाषचन्द्र पाण्डेय द्वारा किया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत–ओहदपुर (विकास खण्ड–मिर्जापुर)

प्रस्तर संख्या–176(सामान्य आपत्ति संख्या–21) कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार चेक की धनराशि बैंक से प्रधान द्वारा आहरित कर मजदूरी पर भुगतान दर्शित है। किन्तु बैंक पासबुक की जांच में पाया गया प्रधान द्वारा आहरित धनराशि स्वयं के खाते में ट्रांसफर कर ली गयी है। इस प्रकार फर्जी मजदूरी पर भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री इसरार अहमद एवं सचिव श्री प्रमोद कुमार से अपेक्षित रही। विवरण निम्नवत् रहा –

कैशबुक में दर्शित –

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	22.02.2017	मजदूरी का भुगतान बावत नेसार के घर से पोखरी तक खड़ण्जा कार्य	8874.00
2	23.02.2017	मजदूरी का भुगतान बावत नन्दलाल के घर से प्रा0पा0 तक खड़ण्जा मरम्मत	61596.00
		योग–	**70470.00**

बैंक पासबुक में दर्शित (अंकन)–

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	22.02.2017	चेक की संख्या–टीआरएस टू 21105746 इसरार अहमद,	8874.00
2	23.02.2017	चेक की संख्या– टीआरएफ टू 21105744 इसरार अहमद,	61596.00
		योग–	**70470.00**

ग्राम पंचायत– मीरबक्सपुर (विकास खण्ड–मिर्जापुर)

प्रस्तर संख्या–177(सामान्य आपत्ति संख्या–20) कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में सोलर लाइट पर भुगतान दर्शित है। विवरण निम्नवत् रहा –

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	27.06.2016	3 अदद सोलर लाइट गुनगुन ट्रेडर्स से	85500.00
2	30.12.2016	3 अदद सोलर लाइट गुनगुन ट्रेडर्स से	85500.00
3	09.01.2017	1 अदद सोलर लाइट गुनगुन ट्रेडर्स से	28500.00
4	31.03.2017	2 अदद सोलर लाइट गुनगुन ट्रेडर्स से	45480.00
		योग–	**244980.00**

उपरोक्त पर निम्न आपत्तियाँ है – व्यय प्रमाणक पर कितने वाट की सोलर लाइट क्रय की गयी, अंकित नहीं है। सोलर लाइट नेडा से क्रय किया जाना चाहिए। नेडा राजकीय व्यावसायिक संस्था है। नेडा से क्रय करने परग्राम पंचायत को अनुदान का लाभ मिलता है। भुगतान करते समय आयकर व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। क्रय एक लाख से ऊपर की गयी है अतः क्रय निविदा आमंत्रित करके किया जाना चाहिए था।
अतः संस्था द्वारा बिना टेण्डर आमंत्रित करके अनियमित भुगतान किया गया है जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश राय एवं प्रधान श्रीमती सुनीता उत्तरदायी रहे। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत–मीरबक्सपुर (विकास खण्ड–मिर्जापुर)

प्रस्तर संख्या–178 (सामान्य आपत्ति संख्या–21) अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के अर्द्ध शासकीय पत्र सं0–2059/सम/03 दिनांक 30.03.2002 के परिपेक्ष्य में शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों के हैण्डपम्पों के रख–रखाव ग्राम पंचायतों से कराने का निर्णय किया तथा हैण्डपम्पों से लाभान्वित व्यक्तियों का उपभोक्ता समूह गठित कराने का निर्देश दिया गया। अभिलेखीय आधार पर यह पुष्टि नहीं होता है कि लाभार्थियों द्वारा कोई अंशदान ग्राम पंचायत में जमा किया है। हैण्डपम्पों पर मरम्मत ग्राम निधि खाते से किया गया है। अतः भुगतान

अनियमित रहा, जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती सुनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश राय की जानी अपेक्षित रही। विवरण निम्नवत् रहा।

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	23.09.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	19900.00
2	22.12.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	6000.00
3	08.08.2016	हैण्डपम्प मरम्मत	20000.00
		योग–	**45900.00**

ग्राम पंचायत–रंजीत पट्टी (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–179(सामान्य आपत्ति संख्या–01) आपत्ति का विवरण– दिनांक 22.10.2014 को चेक संख्या–21050521 द्वारा रू0 97500.00 सच्चन ईंट भट्ठा को (15726 ईंट X 6200) भुगतान कैशबुक में दर्शित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष कैशबुक में कोई भी कार्य दर्शित नहीं किया गया है जिससे ये पुष्ट हो सके कि क्रय किये गये ईंट का प्रयोग किस कार्य पर हुआ है। सच्चन ईंट भट्ठा का प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। किया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। सच्चन ईंट भट्ठा से दुरभि संधि करके धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा कर लिया गया है।अतः अपहरित धनराशि रू0 97500.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्रीमती किरन यादव एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजीत सिंह से मय ब्याज सहित बराबर–बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–रंजीत पट्टी (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–180(सामान्य आपत्ति संख्या–02) दिनांक 21.11.2014 को चेक संख्या–21050258 से रू0 49660.00 व चेक संख्या–21055126 से रू0 39000.00 दिनांक 08.02.2015 को भुगतान अंसार बिल्डिंग मैटेरियल को पटिया क्रय के रूप में किया गया कोषबही में दर्शित है। सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। लेखा परीक्षा वर्ष में पटिया का उपयोग किसी नाली अथवा अन्य कार्य पर नहीं पाया गया। सम्बन्धित फर्म से दुरभि संधि करके धनराशि रू0 88660.00 का अपहरण प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। भुगतान फर्जी एवं काल्पनिक है। अतः अपहरित धनराशि रू0 88660.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्रीमती किरन यादव एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजीत सिंह से बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–रंजीत पट्टी (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–181(सामान्य आपत्ति संख्या–03) दिनांक 30.05.2015 को चेक संख्या 21055140 द्वारा रू0 11400.00 का भुगतान ह्यूम पाईप क्रय मद पर गुनगुन ट्रेडर्स को कोषबही में दर्शित है। भुगतान का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। ह्यूम पाईप का उपयोग गांव में कहाँ से कहाँ तक की नाली में किया गया है अंकित नहीं है। ह्यूम पाईप उपयोग में मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है और न ही कोई मस्टर रोल ही प्राप्त हुआ है। जिसका बाद में समायोजन हुआ है। उपरोक्त स्थिति में ह्यूम पाईप क्रय से सम्बन्धित दर्शित भुगतान पूर्णतयाः काल्पनिक है। सम्बन्धित फर्म से दुरभि संधि करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती किरन यादव व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत सिंह पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अतः अपहरित धनराशि रू0 11400.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्रीमती किरन यादव एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजीत सिंह से मय ब्याज सहित बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–धरनीपुर विषया (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–182(सामान्य आपत्ति संख्या–01)

आपत्ति का विवरण–निम्न विवरणानुसार ह्यूम पाईप क्रय पर कैशबुक में भुगतान दर्शाया गया हैः–

दिनांक	बाउचर नं0	धनराशि	विवरण
03.06.2015	4	29326.00	8 अदद ह्यूम पाईप 350एमएम X 3221⁄3558 लोड़िग अनलोड़िग एकता सीमेन्ट कंकरीट उद्योग फरीहा
03.06.2015	5	39451.00	11 अदद ह्यूम पाईप 350एमएम X 3221⁄4020 लोड़िग अनलोड़िग एकता सीमेन्ट कंकरीट उद्योग फरीहा
16.06.2015	8	98668.00	ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप युक्त नाली निर्माण कार्य पर 10 अदद ह्यूम पाईप 600एमएम X 5700 दो अदद 900 X 11900 व 6 अदद 300एमएम X 2978 एकता सीमेन्ट कंकरीट उद्योग फरीहा
31.08.2015	21	63456.00	जल निकासी हेतु ह्यूम पाईप 350एमएम 19 अदद X 3221⁄2257 लोड़िग अनलोड़िग गुनगुन ट्रेडर्स संजरपुर

उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ है :– ह्यूम पाईप क्रय एवं भुगतान का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। ह्यूम पाईप का उपयोग गांव में कहाँ से कहाँ तक की नाली में किया गया है। अंकित नहीं है।

ह्यूम पाईप के उपयोग हेतु मजदूरी का भुगतान भी होना चाहिए जो कि न तो कैशबुक में दर्शित है और न ही कोई मस्टररोल प्राप्त हुआ है जिसका बाद में समायोजन हुआ हो।

उपरोक्त स्थिति में ह्यूम पाईप क्रय से सम्बन्धित दर्शित भुगतान पूर्णतयाः काल्पनिक है। अतः काल्पनिक भुगतान दर्शाकर रू0 230901.00 का अपहरण प्रधान सचिव द्वारा कर लिया गया है। अपहरित धनराशि के लिए उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान श्रीमती समहुति एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री पवन कुमार से मय ब्याज सहित बराबर–बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–धरनीपुर विषया (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–183 (सामान्य आपत्ति संख्या–02)

निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर भुगतान किया जाना कैशबुक में दर्शित है :–

दिनांक	बाउचर नं0	धनराशि	विवरण
22.04.2016	1	22400.00	7अदद इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय (प्रा0पा0,जू0हा0 स्कूल, रामबचन, मनीष, योगेन्दर, सिरजू जयप्रकाश)
19.10.2016	5	29553.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु (रामप्यारे, राजेन्द्र राम, मिन्टू, अनिल यादव, अवधेश, सम्मन, अजय राय, विरेन्दर)

योग– 51953.00

उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ है –

भुगतान नकद किया गया है जबकि सामग्री क्रय फर्म को भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था। मरम्मत सम्बन्धी सामग्री व मजदूरी सम्बन्धी प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित कोई सामान/कल पुर्जे का क्रय नहीं है।

हैण्डपम्प मरम्मत लाभार्थी का बनवाने के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र और न ही मरम्मतो परान्त कोई प्रमाण पत्र लाभार्थी से लिया गया है। उपरोक्त आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भुगतान काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रू0 51953.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती समहुति एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री पवन कुमार से मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– जमालपुर (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–184(सामान्य आपत्ति संख्या–01) निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर धनराशि व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है –

दिनांक	बाउचर नं0	धनराशि	विवरण
03.02.2017	24	24000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
14.03.2017	31	20000.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग–	**44000.00**	

उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ है –

भुगतान नकद किया गया है जबकि सामग्री क्रय फर्म को भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था। मरम्मत सम्बन्धी सामग्री व मजदूरी सम्बन्धी प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। हैण्डपम्प मरम्मत सम्बन्धी किसी समान्य,कलपुर्जे का क्रय नही है। हैण्डपम्प मरम्मत लाभार्थियों का हैण्डपम्प बनवाये जाने का कोई प्रार्थना पत्र और न ही मरम्मतोपरान्त कोई प्रमाण पत्र लाभार्थी से लिया गया है।ग्राम पंचायत में किसी क्रमांक एवं स्थान पर स्थित हैण्डपम्प का मरम्मत कराया गया अंकित नही है।अतः उपरोक्त आपत्तियों के दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भुगतान काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

अतः अपहरित धनराशि रू0 44000.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री सबा व ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री पवन कुमार से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–जमालपुर (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–185(सामान्य आपत्ति संख्या–02) दिनांक 29.11.2016 को बाउचर नं0 13 अंकित करके रू0 103350.00 का विकास कान्सट्रक्शन सुरजनपुर से ईट व मैटेरियल हेतु भुगतान विजय बहादुर के हाता से हरीलाल के घर तक नाली हेतु (चेक सं0–73074) दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में विकास कान्सट्रक्शन सुरजनपुर का प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा जिससे यह ज्ञात हो सकें कि उपरोक्त फर्म ईट व मैटेरियल दोनो सप्लाई करता है अथवा नहीं। प्रमाणक उपलब्ध न होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्बन्धित फर्म से दुरभि संधि करके धनराशि रू0 103350.00 का अपहरण प्रधान व ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी द्वारा कर लिया

गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सबा व ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री पवन कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–गंगापुर काजी (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–186(सामान्य आपत्ति संख्या–01) दिनांक 03.01.2017 को चेक सं0–21034024 से रू0 38543.00 एकता सीमेंट को अन्तरण से भुगतान पासबुक में दर्शित है। उक्त अन्तरण के सापेक्ष कैशबुक में निम्न विवरण के अनुसार भुगतान दर्शाया गया है।

दिनांक	बाउचर नं0	धनराशि	विवरण
03.01.2017	8/2016–17	7382.00	बाहा से बरखू के घर तक भूमिगत नाली पर सत्यदेव यादव ईट भट्ठा को भुगतान ।
03.01.2017	9/2016–17	23760	बाहा से बरखू के घर तक भूमिगत नाली पर आदर्ष ट्रेडर्स को भुगतान
03.01.2017	10/2016–2017	7401	उपर्युक्त भूमिगत नाली पर एकता सीमेंट कंकिट उद्योग को भुगतान की गयी राशि।

स्पष्ट है कि जब कुल धनराशि रूपया 38543,00 एकता सीमेंट को खाते में हस्तान्तरित किया गया है तो उक्त में से आंशिक भुगतान श्री सत्यदेव ईट भट्ठा तथा आदर्ष ट्रेडर्स को नहीं किया जा सकता है। दर्शित भुगतान पूर्णतया फर्जी है। उक्त धनराशि रू0 38543.00 के अपहरण में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी सहभागी है।अतः रू0 35543.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती निर्मला व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–गंगापुर काजी (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–187(सामान्य आपत्ति संख्या–02) दिनांक 27.03.2017 को चेक सं0 10002101 से रू0 88890.00 व चेक संख्या 10002103 से रू0 16426.00 अन्तरण से भुगतान दर्शित है। बैंक पासबुक के अनुसार स्पष्ट है कि 88890 का भुगतान हस्तान्तरण व 16426.00 का भुगतान आकाश ट्रेडर्स को हस्तान्तरित हुआ है। कैशबुक में उक्त भुगतान के सापेक्ष व्यय पक्ष में प्रमाणक संख्या 24 व 25 दिनांक 27.03.2017 लल्लन गुप्ता से अंशु के घर तक व पलकधारी के घर से बरखू के घर तक (उपर्युक्त दोनों) भूमिगत नाली पर पाईप का भुगतान रू0 94320.00 तथा प्रमाणक संख्या 26 व 27 दिनांक 27.03.2017 से आकाश ट्रेडर्स बिल्डिंग मैटेरियल को भुगतान (उपर्युक्त दोनों) भूमिगत नाली पर रू0 18047.20 दर्शाया गया है। अन्तरण से भुगतान रू0 88890.00 के स्थान पर रू0 94320.00 तथा रू0 16426.00 के स्थान पर रू0 18047.20 भुगतान दर्शाये जाने से स्पष्ट है कि भुगतान काल्पनिक है। अन्तरण व नकद से आहरित धनराशि से काल्पनिक समायोजन दर्शाकर रू0 88890.00 व रू0 16426.00 कुल योग रू0 105316.00 का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा कर लिया गया है। अतः रू0 105316.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती निर्मला व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– अल्लीपुर (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–188(सामान्य आपत्ति संख्या–01) निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है–

दिनांक	बाउचर नं0	धनराशि	विवरण
03.08.2014	अंकित नही	10000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर खर्च 4 X 2500
20.12.2014	अंकित नही	6000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर खर्च

उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है।

भुगतान नकद किया गया है जबकि सामग्री क्रय फर्म को भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था। मरम्मत सम्बन्धी सामग्री व मजदूरी सम्बन्धी प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

ग्राम पंचायत के किस पहचान क्रमांक/स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया यह भी दर्शित नही है।

हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित कोई सामान /कल पुर्जे का क्रय नही है। हैण्डपम्प मरम्मत लाभार्थी का बनवाने के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र और न ही मरम्मतो परान्त कोई प्रमाण पत्र लाभार्थी से लिया गया है।

उपरोक्त आपत्तियो को दृष्टिगत रखते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भुगतान काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रू0 16000.00 की वसूली ब्याज सहित पूर्व प्रधान श्री राजेश व ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजीत सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– अल्लीपुर (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–189(सामान्य आपत्ति संख्या–02) निम्न विवरण के अनुसार प्रधान के मानदेय पर व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है–

दिनांक	बाउचर नं0	धनराशि	विवरण
11.03.2015	अंकित नही	18000.00	प्रधान के मानदेय का भुगतान 05/11 से 04/13 तक 24 माह 750 प्रतिमाह की दर से
27.04.2015	अंकित नही	46000.00	प्रधान के मानदेय का भुगतान 05/13 से 12/13 तक 08 माह 750 प्रति माह की दर से, 01/14 से 04/15 तक 16 माह 2500 प्रति माह की दर से

मानदेय का भुगतान किन कारणों से पूर्व वर्षों में नहीं किया गया है। स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। मानदेय भुगतान की पुष्टि में पिछले वर्षो की कैशबुक/मानदेय रजि0 लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे मई 05/2011 से 03/14 तक का किया गया मानदेय भुगतान रू0 31500.00 अपुष्ट/संदिग्ध रहा। भुगतान की पुष्टि नहीं होने से किया गया भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत में निधि शेष रहने पर मानदेय का भुगतान प्रतिमाह आवश्यक रूप से कर दिया जाना चाहिए। अतः अनियमित भुगतान की गयी धनराशि रू0 31500.00 की वसूली ब्याज सहित पूर्व प्रधान श्री राजेश व ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजीत सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– हुसेपुर (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–190(सामान्य आपत्ति संख्या–01) निम्न विवरण के अनुसार पक्की नाली निर्माण पर कैशबुक में धनराशि भुगतान दर्शाया गया है–

दिनांक	बाउचर नं0	धनराशि	विवरण
30.10.2016	अंकित नही	24810.00	पक्की नाली निर्माण सब्बीर के घर से अख्तर के घर तक पक्की नाली निर्माण में लगे मजदूरों की मजदूरी मस्टररोल द्वारा नकद ग्राम प्रधान ने किया।
30.10.2016	अंकित नही	44850.00	पक्की नाली निर्माण हेतु ईंट मे0 एस0के0 ईंट भट्ठा फरीहां को भुगतान।

उक्त भुगतान/व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत् है –

दिनांक 01.04.2016 से 30.10.2016 तक (जिस दिन मजदूरी भुगतान किया जाना दर्शित है) नाली निर्माण हेतु अति आवश्यक घटक बिल्डिंग मैटेरियल्स क्रय नही किया गया है। निर्माण सामग्री यथा सीमेंन्ट बालू मोरंग आदि के अभाव में नाली निर्माण सम्भवन नहीं है।

लेखा परीक्षा में मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल अप्राप्त रहा।

दिनांक 01.04.2016 को ग्राम पंचायत का स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा जिससे निर्माण सामग्री सम्बन्धी प्रारम्भिक स्टाक (पूर्व वर्ष का अवशेष) की पुष्टि नहीं होती है।

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

प्रस्ताव एवं कार्यवाही सम्बन्धी अभिलेख भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

उपरोक्त कार्य हेतु दिनांक 31.03.2017 तक भी निर्माण सामग्री क्रय नहीं दर्शित है।

अतः उपरोक्त स्थिति में नाली निर्माण पर कुल व्यय रू0 69660.00 में से रू0 24810.00 मजदूरी मद में नकद काल्पनिक भुगतान दर्शित कर तथा ईंट क्रय की धनराशि रू0 44850.00 सम्बन्धित फर्म से दुरभि संधि करके अपहरण किया गया है। अतः रू0 69660.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री विनोद कुमार व ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री धनबहादुर से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– हुसेपुर (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–191(सामान्य आपत्ति संख्या–02) निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर धनराशि व्यय किया जाना दर्शित है :–

दिनांक	बाउचर नं0	धनराशि
23.09.2016	अंकित नही	16400.00
28.02.2017	अंकित नही	8506.00
	योग–	**24906.00**

उपरोक्त दर्शित व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत् है –

भुगतान नगद किया गया है जबकि खातें में अन्तरण द्वारा किया जाना चाहिए था।

ग्राम पंचायत में किस क्रमांक एवं स्थान पर स्थित हैण्डपम्प का मरम्मत कराया गया अंकित नही है।

हैण्डपम्प लाभार्थी द्वारा हैण्डपम्प बनवाये जाने का कोई प्रार्थना लेखा परीक्षा में सुलभ नही रहा।

हैण्डपम्प बनवाये जाने के उपरान्त निकले हुए रद्दी सामान का न तो शेड स्टाक उपलब्ध रहा और न ही रद्दी सामान का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति लेकर नीलाम कर धनराशि को खातों में जमा ही किया गया है।

हैण्डपम्प खराब होने के लाभार्थियों द्वारा सूचना देने के बाद किसी तकनीकी व्यक्ति द्वारा स्टीमेट तैयार करवाया ताना था जो कि नही किया गया है।

हैण्डपम्प बनवाये जाने के लाभार्थी/उपभोक्ता से ऐसा कोई प्रमाणपत्र नही लिया गया है कि जिससे स्पष्ट हो सके की लाभार्थी / उपभोक्ता के हैण्डपम्प मरम्मत हेतु दियें गये प्रार्थना पत्र का निस्तारण हुआ है। अतः उपरोक्त आपत्तियों के प्रकाश में स्पष्ट हो जाता है कि हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक भुगतान दर्शित कर कुल

रू0 24906.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतःरू0 24906.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री विनोद कुमार व ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री धनबहादुर से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– मसूदपट्टी (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–192(सामान्य आपत्ति संख्या–01) दिनांक 04.01.2017 को चौहान ब्रिक फील्ड को रू0 26000.00 एनइएफटी द्वारा भुगतान पासबुक में दर्शित है। जबकि कोषबही में उक्त तिथि को बाउचर सं0–16 द्वारा 4000 ईंट क्रय दर 6200.00 रू0 24800.00 मात्र ही भुगतान दर्शित किया गया। क्रय सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। कैशबुक में अंकित प्रविष्टी से स्पष्ट हो जाता है कि फर्म चौहान ब्रिकफील्ड से दुरभि संधि करके धनराशि रू0 26000.00 का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रू0 26000.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री मुन्ना चौहान व ग्राम विकास/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामचन्द्र राम से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– मसूदपट्टी (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–193(सामान्य आपत्ति संख्या–02) दिनांक 02.02.2017 को रोकड़ वही में बाउचर संख्या 19 द्वारा 9465 ईंट दर 6200 चौहान ब्रिक फिल्ड को रू0 58683.00 दर्शित है। उपरोक्त क्रय ईंट ग्राम पंचायत में कहां से किस कार्य कार्य पर प्रयुक्त हुआ कोशबही में दिनांक 31.03.2017 तक अंकित नहीं किया गया है। दिनांक 31.03.2017 को अवशेष स्टाक से सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह ज्ञात हो सके कि उपरोक्त क्रय ईंट का उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा। उपरोक्त दर्शित परिस्थितियों से स्पट हो जाता है कि क्रय स्टाक का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। अतः अपहरित स्टाक का मूल्य रू0 58683. 00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मुन्ना चौहान व ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र राम से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– मडैया मुहतोड़ (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–194(सामान्य आपत्ति संख्या–01)

दिनांक 17.01.2017 को बाउचर नं0 1/2016–17 से रू0 10086.00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर भुगतान किया गया कैशबुक में दर्शित है। इसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ है :–

उपरोक्त भुगतान में से रू0 7000.00 दिनांक 16.04.2016 को आहरित धनराशि भी सम्मिलित है। लगभग 9 माह तक उक्त रू0 7000.00 नकद रोकड़ के रूप में रखा गया था। माह अप्रैल 16 का प्रारभिक रोकड़ शेष रू0 86.00 था तथा 16.04.2016 को आहरित रू0 7000.00 एवं दिनांक 17.01.2017 को आहरित धनराशि में से रू0 3000.00 सम्मिलित करते हुए हैण्डपम्प मरम्मत पर नकद भुगतान किया जाना दर्शित है। जबकि आहरण के सापेक्ष सम्बन्धित फर्म को खाते में अन्तरण से भुगतान किया जाना चाहिए था।

ग्राम पंचायत में किस क्रमांक एवं स्थान पर स्थित हैण्डपम्प का मरम्मत कराया गया अंकित नहीं है।

हैण्डपम्प लाभार्थी द्वारा हैण्डपम्प बनवाये जाने का कोई प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं रहा।

हैण्डपम्प मरम्मत के उपरान्त निकले हुए रद्दी सामान का न तो डेड स्टाक दर्शाया गया है और न ही सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर रद्दी सामान की बिक्री कर धनराशि को खाते में जमा ही किया गया है।

हैण्डपम्प बनवाये जाने के लाभार्थी/उपभोक्ता से ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है कि जिससे की पुष्टि हो सके की लाभार्थी/उपभोक्ता के हैण्डपम्प मरम्मत हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र का निस्तारण हुआ है। सामान क्रय/भुगतान सम्बन्धी प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

अतः उपरोक्त आपत्तियों के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक भुगतान दर्शित कर कुल रू0 10086.00 का अपहरण कर लिया गया है। कुल अपहरित धनराशि रू0 10086.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह से बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– मडैया मुहतोड़ (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–195(सामान्य आपत्ति संख्या–02)दिनांक 10.02.2017 को चेक संख्या–21029438 से रू0 100125.00 सत्यदेव यादव ईट उद्योग को भुगतान किया खाते में अन्तरण द्वारा किया गया बैंक पासबुक में दर्शित है। उक्त धनराशि को कैशबुक में निम्नविवरण के अनुसार व्यय किया जाना दर्शित है।

दिनांक	बाउचर नं0	धनराशि	विवरण
11.02.2017	4/2016–17	52559.00	काली मंदिर से शिव लोचन के घर तक नाली निर्माण (उपर्युक्त) पर ईट का भुगतान
11.02.2017	7/2016–17	47566.00	काली मंदिर से चन्द्रशेखर के घर तक इण्टर लाकिंग (उपर्युक्त) पर ईट का भुगतान

उक्त भुगतान /व्यय के सम्बन्ध में आपत्ति निम्नवत् है–

बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 10.02.2017 को ही सत्यदेव यादव बी0के0ओ0 को भुगतान किया जा चुका है जबकि कैशबुक में भुगतान की तिथि 11.02.2017 दर्शित है। सम्बन्धित भुगतान/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में

अप्राप्त रहा। सम्पूर्ण धनराशि रू0 100125.00 एक ही फर्म से (सत्यदेव यादव ईट भट्ठा) को भुगतान दर्शित है। जबकि कैशबुक में रू052559.00 का सामान्य ईट (मिट्टी का पका ईट) रू0 47566.00 का इन्टर लांकिग ईट (सीमेंट का बना ईट) क्रय कैशबुक में दर्शित किया गया है। सत्यदेव यादव ईट भट्ठा का बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। ईट भट्ठा से सामान्तया मिट्टी के बने ईट का ही उत्पादन होता है जबकि कैशबुक में सीमेंन्टेड ईट क्रय भी इसी फर्म से दर्शित है जो कि काल्पनिक है।

कैश बुक में दिनांक 11.02.2017 को रू0 123500.00 एकता सीमेन्ट फर्म को सीमेन्ट ईट का भुगतान दर्शाया गया है। जबकि दिनांक 11.02.2017 को ही रू0 47566.00 का सीमेंन्ट ईट क्रय इन्टर लाकिंग हेतु सत्यदेव यादव ईट भट्ठा से किया जाना काल्पनिक है। एक ही दिन दो फार्मो से सीमेंन्ट ईट के क्रय का औचित्य ही नही था।

अतः उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि सत्यदेव यादव ईट भट्ठा से दुरभि संन्धि करके रूपये 47566.00 का काल्पनिक भुगतान दर्शित कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अपहरित धनराशि रू0 47566.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री प्रमोद कुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–मडैया मुहतोड़ (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–196(सामान्य आपत्ति संख्या–03) दिनांक 30.032017 को चेक संख्या 10001824 से रू0 20227.00 एवं चेक सं0 10001827 से 38824.00 का भुगतान खाते में अन्तरण द्वारा सत्यदेव यादव ईंट भट्ठा को किया जाना बैंक पासबुक में दर्शित है। इसका भुगतान/व्यय कैशबुक में निम्न प्रकार से दर्शित है–

दिनांक	बाउचर नं0	धनराशि	विवरण
30.03.2017	12/2016–17	59007.00	राजेन्द्र गुप्ता के घर से अशोक के घर तक इण्टरलाकिंग (उपर्युक्त) कार्य सत्यदेव यादव ईंट भट्ठा को भुगतान की गयी धनराशि।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ है :–

दिनांक 30.03.2017 को सत्यदेव यादव ईंट भट्ठा को कुल रू0 59051.00 का भुगतान अन्तरण द्वारा किया गया है। कैशबुक में उक्त फर्म को कुल रू0 59007.00 का ही भुगतान दर्शित है। रू0 44.00 से कम भुगतान दर्शित करना पूरे भुगतान को ही संदिग्ध बनाता है। दिनांक 30.03.2017 को रू0 59007.00 से इण्टर लाकिंग हेतु सत्यदेव यादव ईंट भट्ठा को भुगतान किया जाना दर्शित है। इण्टर लाकिंग में सीमेन्ट ईंट की आवश्यकता होती है। सत्यदेव यादव ईंट भट्ठा से सीमेन्ट ईंट क्रय किया जाना काल्पनिक है।

सम्बन्धित भुगतान/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। दिनांक 30.03.2017 को रू0 124754.00 इन्टर लाकिंग हेतु सीमेन्ट ईंट क्रय एकता सीमेन्ट फर्म से किया गया है तो पुनः सत्यदेव यादव ईंट भट्ठा से रू0 59007.00 का इण्टर लाकिंग हेतु ईंट क्रय किये जाने औचित्य नहीं थी। यदि क्रय किया जाना आवश्यक था तो उसी फर्म से ही क्रय किया गया होता। अतः उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि सत्यदेव यादव ईंट भट्ठा से दुरभि संधि करके रूपये 59007.00 का काल्पनिक भुगतान दर्शित कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अपहरित धनराशि रू0 59007.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री प्रमोद कुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– कयामुद्दीनपट्टी उर्फ परसहा (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–197 (सामान्य आपत्ति संख्या–01) दिनांक 21.09.2016 को बाउचर नं0 1/2016–17 से रू0 20000.00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर भुगतान किया गया कैशबुक में दर्शित है। इसके सम्बंध में आपत्तियाँ है कि –भुगतान नकद किया गया है जबकि खाते में अन्तरण द्वारा किया जाना चाहिए था।

किन–किन पहचान संख्या अथवा किस स्थान पर लगे हैण्डपम्प का मरम्मत कराया गया है कैशबुक में अंकित नहीं है। हैण्डपम्प लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प बनवाये जाने का कोई प्रार्थना लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं रहा।

हैण्डपम्प बनवाये जाने के उपरान्त निकले हुए रद्दी सामान का न तो डेड स्टाक उपलब्ध रहा और न ही रद्दी सामान का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति लेकर नीलाम कर धनराशि को खातें में जमा ही किया गया है।

हैण्डपम्प खराब होने की लाभार्थियों द्वारा सूचना देने के बाद किसी तकनीकी व्यक्ति द्वारा स्टीमेट तैयार करवाया जाना था जोकि नहीं किया गया है। हैण्डपम्प बनवाये जाने के लाभार्थी/उपभोक्ता से ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है कि जिससे स्पष्ट हो सके कि लाभार्थी/उपभोक्ता के हैण्डपम्प मरम्मत हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र का निस्तारण हुआ है। अतः उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक भुगतान दर्शित कर धनराशि रू0 20000.00 का अपहरण कर लिया गया है। अपहरित धनराशि रू0 20000.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री प्रभाकर पाण्डेय व ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह से बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– कयामुद्दीनपट्टी उर्फ परसहा (विकास खण्ड–मुहम्मदपुर)

प्रस्तर संख्या–198(सामान्य आपत्ति संख्या–02) ग्राम निधि प्रथम (14वां/राज्य वित्त) से निम्न विवरणानुसार धनराशि को व्यक्ति विशेष/फर्म को हस्तान्तरित किया गया तथा सम्बन्धित धनराशि को नकद आहरण की तरह

दर्शाकर एवं धनराशि के अन्तरण की तिथि को बैंक पासबुक अनुरूप न दर्शाकर कोषबही में अलग–अलग तिथि अंकित कर लेखांकन प्रक्रिया को उलझाकर व्यक्ति विशेष/फर्म से दुरभि संधि करके धनराशि का अपहरण किया गया है। विवरण निम्नवत् है

क्र. सं.	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	पासबुक के अनुसार	कोषबही के अनुसार
1	25.10.2016	21030703	31500.00	अन्तरण सुपर बिल्डिंग मैटेरियल अंतरण श्री रमाशंकर	कैशबुक में दिनांक 25.10.2016 को कोई भुगतान नहीं किया गया है। सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। 27.10.2016 को 37116.00 का बिल्डिंग मैटैरियल क्रय दर्शित है। यदि यह मान लिया जाय कि 37116.00 का बिल्डिंग मैटेरियल क्रय किया गया है। तो इसमें उपलब्ध नगद धनराशि को मिलाकर ही भुगतान सम्भव है केवल तिथि का अन्तर आता है। कुछ धनराशि को अन्तरीत करके तथा कुछ नकद करके भुगतान किया जाना उपरोक्त भुगतान रू0 37116.00 को संदिग्ध बना देता है। दिनांक 27.10.2016 को रू0 37200.00 रमाशंकर को हस्तान्तरण द्वारा भुगतान बैंक पासबुक में दर्शित है। रमाशंकर को किस मद में भुगतान किया गया प्रमाणक के अभाव में पुष्टि नहीं होती है। लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहने तथा व्यक्ति विशेष को भुगतान किया जाने से स्पष्ट हो जाता है कि रमाशंकर से दुरभि संधि करके 37200.00 एवं सुपर बिल्डिंग मैटेरियल से 31500.00 का अपहरण किया गया है।
2	28.10.2016	21030705	7500.00	अन्तरण अनिल चौधरी	दिनांक 28.10.2016 को क्रमशः रू0 92839.00 का ईंट क्रय एवं रू0 2500.00 मानदेय का भुगतान किया जाना कैशबुक में दर्शित है। रू0 7500.00 को नकद की तरह मानते हुए ईंट क्रय मद में समाहित कर भुगतान किया जाना दर्शित है। स्पष्ट है कि उपरोक्त धनराशि रू0 7500.00 किसी अनिल चौधरी को अन्तरित किया गया है। अनिल चौधरी कौन है यह स्पष्ट नहीं हो रहा है ऐसी स्थिति में अनिल चौधरी नामक व्यक्ति से दुरभि संधि करके धनराशि का अपहरण किया गया है। व्यय प्रमाणक भुगतान सम्बन्धी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
3	10.11.2016	21030709	47020.00	अन्तरण सुपर बिल्डिंग मैटैरियल	कैशबुक में दिनांक 10.11.2016 को रू0 25530.00 लालजी के घर से बाहा तक पक्की नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान किया गया दर्शित है जबकि 10.11.2016 में उक्त धनराशि रू0 47020.00 सुपर बिल्डिंग मैटेरियल को पासबुक में हस्तान्तरित है। कैशबुक में अंकित प्रविष्टि के अनुसार स्पष्ट हो जाता है कि फर्म सुपर बिल्डिंग मैटेरियल से दुरभि संधि करके रू0 47020.00 का अपहरण किया गया है। व्यय सम्बन्धी प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

4	27.01.2017	21030720	114000.00	मो0 यासिर इण्टर प्राइजेज को अन्तरण	बैंक पासबुक से स्पष्ट है कि दिनांक 27.01.2017 रू0 114000.00 मो0 यासिर इण्टर प्राइजेज को अन्तरण से भुगतान किया गया है। कैशबुक अनुसार दिनांक 27.01. 2017 को रू0 41590.00 अमरनाथ के घर से बाहा पुलिया तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य पर ईंट का भुगतान किया गया दर्शित है। रू0 41590.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा जिससे यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस फर्म से उपरोक्त क्रय किया गया है। स्पष्ट है कि रू0 114000.00 को मो0 यासिर इण्टर प्राइजेज के खाते में अन्तरण से भुगतान कर उक्त फर्म से मिली भगत कर रू0 114000.00 का अपहरण किया गया तथा कैशबुक में रू0 41590.00 का काल्पनिक भुगतान दर्शाया गया है। रू0 114000.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान व सचिव से अपेक्षित है।
5	08.03.2017	10001406	88020.00	एम0डी0 मोहम्मद को अन्तरण	कैशबुक में दिनांक 08.03.2017 को कोई भुगतान नहीं किया गया है। आगे की तिथि 09.03.2017 को रू0 17959.00 का भुगतान ईंट क्रय मद पर किया गया है। लेखा परीक्षा में भुगतान सम्बन्धी प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि उक्त भुगतान रू0 17959.00 एम0डी0 मोहम्मद को ही किया गया है अतः ऐसी दशा में यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्पूर्ण धनराशि रू0 88020.00 का अपहरण श्री मोहम्मद से दुरभि संधि करके किया गया है।
6	27.03.2017	10001408	13551.00	अन्तरण सुपर बिल्डिंग मैटेरियल	दिनांक 27.03.2017 को रू0 13551.00 सुपर बिल्डिंग मैटेरियल को अन्तरण द्वारा किया गया है। कैशबुक में दिनांक 27.03.2017 अथवा इससे पूर्व की तिथियों सुपर बिल्डिंग मैटेरियल को रू0 13551.00 के भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि रू0 13551.00 सुपर बिल्डिंग मैटेरियल्स के खाते में अन्तरण से भुगतान कर फर्म से मिली भगत करते हुए उपरोक्त धनराशि का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा कर लिया गया है।

उपरोक्त बिन्दुवार 1 से 06 तक आपत्ति के क्रम में यह स्पष्ट हो जाता है कि कुल रू0 338791.00 (31500+37200+7500+47020+114000+88020+13551) का अपहरण भिन्न–भिन्न फर्मों/व्यक्ति विशेष से दुरभि संधि करके किया गया है। कैशबुक में लेखांकन को भ्रामक बनाकर तथा नकद आहरण की धनराशि में हस्तान्तरित की गयी धनराशि के साथ घाल–मेल करके आडिट को उलझाने का प्रयास किया गया है। अतः अपहरित धनराशि रू0 338791.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्री प्रभाकर पाण्डेय व ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह से बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–कबूतरा (वि0ख0 पल्हना)

प्रस्तर संख्या–199 सा0आ0सं0–ख(1) वर्ष 2011–12 से वर्ष 2016–17 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2011–12 से 2015–16 के अभिलेख पंचायत सचिव द्वारा बार–बार मांगने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्तीय आंकड़े प्रिया साफ्ट से प्राप्त कर आपत्ति की गयी है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 में खाता प्रथम (राज्य वित/तेरहवां वित्त) से विभिन्न तिथियों में रूपया 3745024/– का व्यय सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे सम्बन्धित चालान, बिल बाउचर, स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया, यह विवरण निम्नवत है–

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	कराये गये कार्य का विवरण
1	30.04.2011	30000.00	स्टीट लाईट क्रय
2	24.05.2011	104000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
3	18.06.2011	10000.00	सैनिटेश्न किट क्रय
4	20.06.2011	10000.00	हयूम पाईप क्रय
5	20.06.2011	12000.00	ख0 निर्माण में मिट्टी भराई कार्य
6	23.06.2011	10000.00	हयूम पाईप क्रय
7	23.06.2011	9000.00	सैनिटेश्न किट क्रय
8	28.06.2011	9000.00	नाली निर्माण हेतु हयूम पाईप क्रय
9	30.06.2011	45000.00	नाली निर्माण हेतु सामाग्री क्रय
10	30.06.2011	32000.00	नाली निर्माण हेतु सामाग्री क्रय
11	08.07.2011	13000.00	ख0 नाली निर्माण पर मजदुरी भुगतान
12	27.09.2011	95000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
13	24.10.2011	45000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
14	28.12.2011	40000.00	ख0 निर्माण पर मजदुरी भुगतान
15	28.12.2011	18000.00	ख0 निर्माण में मिट्टी भराई कार्य
16	29.12.2011	40000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
17	31.12.2011	22000.00	ख0 निर्माण पर मजदुरी भुगतान
18	31.03.2012	49200.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
19	31.03.2012	800.00	फोटोकॉपी पर व्यय
20	17.04.2012	129600.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
21	19.04.2012	27200.00	ख0 निर्माण में मिट्टी भराई कार्य
22	26.05.2012	40800.00	ख0 निर्माण पर मजदुरी भुगतान
23	29.05.2012	19900.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
24	16.06.2012	20000.00	ख0 निर्माण पर मजदुरी भुगतान
25	16.06.2012	20100.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
26	07.08.2012	5000.00	नाली निर्माण पर मजदुरी भुगतान
27	12.09.2012	1400.00	नाली निर्माण पर मजदुरी भुगतान
28	12.09.2012	6400.00	सैनिटेशन किट क्रय
29	20.09.2012	45000.00	ह्यूम पाईप क्रय
30	01.10.2012	5000.00	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
31	17.10.2012	15000.00	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
32	28.10.2012	5100.00	नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान
33	28.10.2012	30000.00	स्टीट लाईट क्रय
34	21.01.2013	117000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
35	13.02.2013	27200.00	ख0 निर्माण पर मजदूरी भुगतान
36	25.03.2013	11400.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
37	13.04.2013	400.00	स्टेशनरी क्रय
38	24.04.2013	70000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
39	09.05.2013	115475.00	ख0 निर्माण हेतु ईट व मजदूरी भुगतान
40	24.07.2013	25000.00	नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान
41	09.08.2013	69000.00	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
42	07.11.2013	98000.	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
43	07.11.2013	51000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
44	13.11.2013	49000.00	नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान
45	29.11.2013	98000.00	नाली निर्माण हेतु ह्यूम पाईप क्रय
46	17.12.2013	28000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
47	17.12.2013	18500.00	नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान
48	17.12.2013	17100.00	सौक्ता निर्माण हेतु सामग्री क्रय
49	29.12.2013	49000.00	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
50	25.02.2014	50000.00	सौक्ता निर्माण हेतु ईट क्रय
51	04.03.2014	56000.00	02 सोलर लाईट क्रय

52	05.03.2014	50000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
53	18.03.2014	60000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
54	05.03.2014	29000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
55	09.04.2014	30000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
56	12.04.2014	19800.00	सामग्री क्रय
57	17.04.2014	42000.00	नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान
58	30.05.2014	25000.00	हैण्डपम्म मरम्मव पर व्यय
59	31.05.2014	99450.00	ईट क्रय
60	16.06.2014	20000.00	ख0 निर्माण पर मजदूरी भुगतान
61	17.06.2014	49800.00	नाली निर्माण हेतु ईट क्रय
62	11.07.2014	14000.00	सफाईकर्मी कीट
63	14.07.2014	110400.00	सामग्री क्रय
64	02.09.2014	52000.00	ह्यूम पाईप क्रय
65	04.10.2014	93600.00	ईट क्रय
66	27.01.2014	43000.00	ख0 निर्माण पर मजदूरी भुगतान
67	02.02.2015	31000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
68	02.02.2015	24800.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
69	02.02.2015	35000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
70	20.02.2015	49000.00	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
71	20.02.2015	49000.00	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
72	04.03.2015	28800.00	ख0 निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान
73	23.03.2015	48200.00	नाली निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान
74	23.03.2015	49000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
75	23.03.2015	21138.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
76	23.03.2015	41000.00	नाली निर्माण हेतु सामग्री व्यय
77	23.03.2015	31000.00	नाली निर्माण हेतु सामग्री व्यय
78	23.03.2015	58700.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
79	31.03.2015	66000.00	सोलर लाईट क्रय
80	01.05.2015	25995.00	नाली निर्माण हेतु ईट क्रय
81	01.05.2015	4315.00	ख0 निर्माण पर मजदूरी भुगातन
82	01.09.2015	87853.00	कूप व सोक्ता निर्माण पर व्यय
83	01.10.2015	99000.00	ईट क्रय
84	01.10.2015	55000.00	ख0 निर्माण पर व्यय
85	01.10.2015	15000.00	ईट क्रय
86	01.10.2015	150000.00	ईट क्रय
87	01.10.2015	21000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
88	01.10.2015	31000.00	सोलर लाईट क्रय
89	28.03.2015	70598.00	ख0 निर्माण पर मजदूरी भुगतान
	योग	**3745024**	

स्टाक आमद की पुष्टि से स्टाक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है। उक्त क्रय स्टाक के मूल्य भुगतान के स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर नगद किया गया है जबकि आयकर अधिनियम की धारा 40क–3(ध) के अनुसार 5000/–रू0 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए। मजदूरी भुगतानित धनराशि के पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि मस्टररोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा, वर्ष 2011–12 से 16–17 में कराये गये कार्यो का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व परिसम्पति पंजी भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात न हो सका की कैश बुक में जिन कार्यो को कराये जाने के लिए मजदूरी भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गये या नहीं।उपरोक्तानुसार यह फर्जी स्टाक का क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शाकर रू0 3745024/–का अपरहण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री चन्द्रशेखर सिंह (ग्रा0वि0/पं0अ0) से रू0 1872512/– एवं श्री रविन्दर (ग्राम प्रधान) से रू0 1872512/– किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–कबूतरा (वि0ख0 पल्हना)

प्रस्तर संख्या–200 सा0आ0सं0–ख(2)वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत कबूतरा के खाता प्रथम (राज्य वित/तेरहवॉ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रू0 513000/– की निकासी निम्न विवरणानुसार की गयी है, किन्तु कैश बुक के व्यय पक्ष में कार्य का विवरण दर्ज नहीं है। समस्त धनराशि ग्राम सचिव व प्रधान द्वारा नगद आहरण कर अपहृत कर ली गई है, जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री चन्द्रशेखर सिंह (ग्रा0वि0/पं0अ0) से रू0 256500/– एवं श्री कैलाश (ग्राम प्रधान) से रू0 256500/– किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	**दिनांक**	**चेक संख्या**	**धनराशि**	**प्राप्तकर्ता**
01	02.04.2016	3810	49000.00	प्रधान
02	02.04.2016	3811	49000.00	प्रधान
03	11.04.2016	3812	48000.00	प्रधान
04	16.04.2016	3813	45000.00	प्रधान
05	23.05.2016	3814	49000.00	प्रधान
06	01.06.2016	3815	49000.00	प्रधान
07	07.06.2016	3816	49000.00	प्रधान
08	09.06.2016	3817	49000.00	प्रधान
09	09.06.2016	3818	49000.00	प्रधान
10	17.06.2016	3819	49000.00	प्रधान
11	20.06.2016	3820	28000.00	प्रधान
योग			513000.00	

ग्राम पंचायत–महोली (वि0ख0 पल्हना)

प्रस्तर संख्या–201सामान्य आपत्ति संख्या–ख(1) वर्ष 2012–13 से 2016–17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012–13 से 2015–16 के अभिलेख पंचायत सचिव द्वारा बार–बार मांगने पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्तीय आंकड़ें प्रिया साफ्ट से प्राप्त कर आपत्ति की गयी है। वर्ष 2012–13 से 2015–16 में खाता प्रथम (राज्य वित/तेरहवॉ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रू0 2748600/– का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है, परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे सम्बन्धित चालान, बिल, वाउचर, स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया। व्यय विवरण निम्नवत है–

क्रम संख्या	**दिनांक**	**धनराशि**	**कराये गये कार्य का विवरण**
1	06.04.2012	84960.00	भुगतान किया
2	0.04.2012	84960.00	भुगतान किया
3	07.05.2012	80000.00	भुगतान किया
4	09.09.2012	40000.00	भुगतान किया
5	09.09.2012	50000.00	भुगतान किया
6	05.10.2012	10000.00	भुगतान किया
7	04.01.2013	40000.00	भुगतान किया
8	04.01.2013	40000.00	भुगतान किया
9	15.01.2013	72000.00	भुगतान किया
10	20.01.2013	40000.00	भुगतान किया
11	01.02.2013	8000.00	भुगतान किया
12	11.04.2013	19000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
13	20.04.2013	60000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
14	20.04.2013	60000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
15	18.05.2013	48000.00	भूमिगत नाली निर्माण हेतु ह्यूम पाईप क्रय
16	18.07.2013	60000.00	भूमिगत नाली निर्माण हेतु सामग्री व ईंट क्रय
17	24.08.2013	49000.00	सौक्ता निर्माण पर व्यय
18	06.09.2013	98000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
19	13.09.2013	49000.00	ख0 निर्माण पर मजदूरी भुगतन
20	01.10.2013	98000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
21	18.11.2013	49000.00	भूमिगत नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान
22	13.12.2013	79000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट व मजदूरी भुगतान
23	21.02.2014	56000.00	02 सोलर लाईट क्रय
24	05.03.2014	57300.00	नाली निर्माण हेतु ह्यूम पाईप क्रय

25	05.03.2014	12800.00	नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान
26	05.03.2014	99000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट व मजदूरी भुगतान
27	13.03.2014	36800.00	ख0 निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान
28	04.04.2014	49000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
29	17.04.2014	49000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
30	17.04.2014	43000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
31	17.04.2014	49000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
32	17.04.2014	49000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
33	01.09.2014	20000.00	ख0 निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान
34	09.09.2014	49000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
35	09.09.2014	49000.00	भूमिगत नाली निर्माण हेतु ह्यूम पाईप क्रय
36	09.09.2014	30000.00	पटिया क्रय
37	17.10.2014	40950.00	भूमिगत नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
38	17.10.2014	40950.00	भूमिगत नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
39	21.10.2014	81900.00	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
40	02.02.2015	45500.00	नाली निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान
41	02.02.2015	99200.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
42	18.02.2015	83600.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
43	23.03.2015	34000.00	ख0 निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान
44	23.03.2015	49000.00	स्कूल शौचालय मरम्मत पर व्यय
45	23.03.2015	49000.00	पंचायत भवर मरम्मत पर व्यय
46	23.03.2015	49000.00	सौक्ता निर्माण पर व्यय
47	23.03.2015	56156.00	नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान
48	23.03.2015	49000.00	प्रा0वि0की चारदीवारी मरम्मत पर व्यय
49	23.03.2015	107066.00	ह्यूम पाइप क्रय
50	02.05.2015	800.00	स्कूल शौचालय मरम्मत पर व्यय
51	08.07.2015	24076.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
52	08.07.2015	19000.00	ख0 निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान
53	08.07.2015	2582.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
54	17.08.2015	49000.00	ख0 निर्माण हेतु ईट क्रय
योग		2748600.00	

स्टाक आमद की पुष्टि मे स्टाक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है।उक्त क्रय स्टाक के मूल्य भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है।धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर नगद किया गया है, जबकि आयकर अधिनियम की धारा 40क–3(ध) के अनुसार 5000रू0 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिये। मजदूरी भुगतानित धनराशि के पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि मस्टररोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा, वर्ष 2012–13 से 2015–16 में कराये गये कार्यो का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व परिसम्पति पंजी भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात न हो सका की कैश बुक में जिन कार्यो को कराये जाने के लिये मजदूरी भुगतान दर्शित है, वे वास्तव में कराये गये या नही।उपरोक्तानुसार यह फर्जी स्टाक का क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शाकर रू0 2748600/– का अपरहण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित भी श्री चन्द्रशेखर सिंह (ग्रा0वि0/पं0अ0) से रू0 1374300/– एवं श्रीमती सविता (ग्राम प्रधान) से रू0 1374300/– किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–सिंहपुर (वि0ख0 पल्हना)

प्रस्तर संख्या–202सा0आ0सं0–ख(1) वर्ष 2014 – 15 से 2016 – 17 लेखा परीक्षा हेतु मात्र प्रथम खाते की कैश बुक व बैक पास बुक उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2014–15 में खाता प्रथम (राज्य वित्त/तेरहवॉ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रू0 260792/– का स्टाक कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे सम्बन्धित चालान, बिल, वाउचर, स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित व्यय ग्राम पंचायत के संज्ञान में भी नहीं है। स्टाक आमद की पुष्टि मे स्टाक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है।उक्त क्रय स्टाक के मूल्य भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर नगद किया गया है, जबकि आयकर अधिनियम की धारा 40 क–3(ध) के अनुसार 10000 रू0 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिये । उक्त स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गयी है । स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रू0 260792 /– अपरहण कर

लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मिथिलश (ग्रा0वि0अ0) से रू0 130396/– एवं श्री प्रमोद (ग्राम प्रधान) से रू0 130396/– किया जाना अपेक्षित है। क्रय किये गये स्टाक का विवरण निम्नवत है–

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	कराये गये कार्य का विवरण
1	02.04.2014	2600.00	ईट क्रय
2	07.04.2014	31200.00	ईट क्रय
3	15.04.214	20800.00	ईट क्रय
4	22.04.2014	20800.00	ईट क्रय
5	24.04.2014	10400.00	ईट क्रय
6	30.04.2014	42985.00	सीमेन्ट, बालू क्रय
7	09.05.2014	10540.00	सीमेन्ट, बालू क्रय
8	09.05.2014	7800.00	ईट क्रय
9	06.06.214	41600.00	ईट क्रय
10	24.06.2014	11502.00	मिट्टी क्रय
11	30.04.2014	10500.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
12	17.07.2014	48600.00	9 ह्यूम पाईप क्रय
13	18.07.2014	1465.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
योग		**260792.00**	

ग्राम पंचायत–सिंहपुर (वि0ख0 पल्हना)

प्रस्तर संख्या–203(सामान्य आपत्ति संख्या–ख(2)वर्ष 2014–15 में खाता प्रथम (राज्य वित/तेरहवॉ वित्त) के द्वारा रू0 56478/– का भुगतान मजदूरी के रूप में कैश बुक में दर्शित है भुगतानित धनराशि के पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नही की जा सकती। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा, जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मिथिलेश (ग्रा0विअ0) से रू0 28239/– एवं श्री प्रमोद (ग्राम प्रधान) से रू0 28239/– किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2014–15 में कराये गये कार्यो का कार्यपूति प्रमाण पत्र व परिसम्पति पंजी भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात न हो सका की कैश बुक में जिन कार्यो को कराये जाने के लिये मजदूरी भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गये या नही, क्योंकि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र से ही लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ण होने की पुष्टि होती है। साथ ही साथ यहा यह भी उल्लेखनिय है कि उक्त मजदूरी भुगतान ग्राम पंचायत के संज्ञान में नही लाया गया। निर्माण समिति से कार्य पूर्ण होने तथा भुगतान करने की स्वीकृति नही ली गयी है, मस्टर रोल के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	कराये गये कार्य का विवरण
1	15.04.2014	25276.00	मस्जिद से राजनाथ के घर तर ख0 मरम्मत की मजदूरी
2	24.04.2014	14314.00	महेन्दर के घर से झिनकू के घर तक ख0 मरम्मत की मजदूरी
3	16.06.214	16888.00	बेसो नदी का पुल निर्माण की मजदूरी
योग		**56478.00**	

ग्राम पंचायत–सिंहपुर (वि0ख0 पल्हना)

प्रस्तर संख्या–204(सामान्य आपत्ति संख्या–ख(3)वर्ष 2014–15 से 2015–16 में खाता प्रथम (राज्य वित्त/तेरहवॉ वित्त) से विभिन्न तिथियों में रू0 797205/– का स्टाक कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे सम्बन्धित चालान, बिल, वाउचर, स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित व्यय ग्राम पंचायत के संज्ञान में भी नहीं है।स्टाक आमद की पुष्टि मे स्टाक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है। उक्त क्रय स्टाक के मूल्य भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर नगद किया गया है, जबकि आयकर अधिनियम की धारा 40क–3(ध) के अनुसार 1000रू0 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिये।उक्त स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गयी है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रू0 797205/– अपरहण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री सुभाष चन्द (ग्रा0वि0अ0) से रू0 398602.50/– एवं श्री प्रमोद (ग्राम प्रधान) से रू0 398602.50/– किया जाना अपेक्षित है। क्रय किये गये स्टाक का विवरण निम्नवत है–

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	कराये गये कार्य का विवरण
1	24.09.2014	34920.00	सामग्री क्रय (विवरणहीन)
2	29.09.2014	39060.00	ईट क्रय
3	29.09.2014	111600.00	ईट क्रय
4	01.10.2014	33500.00	3 सोलर लाईट क्रय
5	30.01.2015	86800.00	ईट क्रय
6	30.01.2015	22000.00	सिमेन्ट, बालू क्रय
7	06.02.2015	12000.00	4 ह्यूम पाईप क्रय

8	13.02.2015	49600.00	ईट क्रय
9	27.02.2015	34600.00	सिमेन्ट व बालू क्रय
10	27.03.2015	81000.00	ईट क्रय
11	24.04.2015	53200.00	ईट व ईट गिट्टी क्रय
12	24.04.2015	41500.00	सिमेन्ट व बालू क्रय
13	14.07.2015	35800.00	ईट व ईट गिट्टी क्रय
14	27.07.2015	23000.00	सिमेन्ट व बालू क्रय
15	14.08.2015	30000.00	ईट व ईट गिट्टी क्रय
16	19.08.2015	15625.00	. सिमेन्ट व बालू क्रय
17	22.03.2016	93000.00	ईट क्रय
योग		**797205.00**	

ग्राम पंचायत–सिंहपुर (वि0ख0 पल्हना)

प्रस्तर संख्या–205(सामान्य आपत्ति संख्या–ख(4)वर्ष 2014–14 से 2015–16 में खाता प्रथ (राज्य वित/तेरहवॉ वित्त) के द्वारा रू0 236950/– का भुगतान मजदूरी के रूप में कैश बुक में दर्शित है भुगतानित धनराशि के पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा, जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री सुभाष चन्द (ग्रा0वि0अ0) से रू0 118475/– एवं श्री प्रमोद (ग्राम प्रधान) से रू0 118475/– किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2014–15 से 2016–17 में कराये गये कार्यो का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व परिसम्पति पंजी भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात न हो सका की कैश बुक में जिन कार्यो को कराये जाने के लिये मजदूरी भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गये या नही, क्योंकि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र से ही लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ण होने की पुष्टि होती है। साथ ही साथ यहा यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त मजदूरी भुगतान ग्राम पंचायत के संज्ञान में नही लाया गया। निर्माण समिति से कार्य पूर्ण होने तथा भुगतान करने की स्वीकृति नही ली गयी है, मस्टर रोल के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है–

क्रम संख्या	**दिनांक**	**धनराशि**	**कराये गये कार्य का विवरण**
1	24.09.2014	25650.00	मजदूरी भुगतान (विवरणहीन)
2	29.09.2014	23400.00	सुरेश के घर से अवधू के घर तक ख0 मरम्मत की मजदूरी
3	29.09.2014	10800.00	मस्जिद से त्रिलोकी के घर तक ख0 मरम्मत की मजदूरी
4	08.10.2014	18400.00	बेसो नदी पर सिहपुर से पिलौटा तक मिट्टी पटाई की मजदूरी
5	30.01.2015	18000.00	अधासिंह के घर से गोबरहीया पोखरी तक नाला मरम्मत की मजदूरी
6	27.03.2015	14400.00	घुरहु के घर से मस्जिद तक ख0 मरम्मत की मजदूरी
7	27.03.2015	33000.00	नहर की पट्टी पर पिच रोड से पुलिया तक ख0 मरम्मत की मजदूरी
8	29.04.2015	24200.00	रामदयाल के घर से दुखी के घर तक नाली निर्माण की मजदूरी
9	31.07.2015	16200.00	सरैया में कल्लू व लालबिहारी के घर से पोखरी तक नाली निमार्ण की मजदूरी
10	21.08.2015	11900.00	महेन्द्र व चन्द्रलाल के घर से पोखरी तक नाली निर्माण की मजदूरी
11	22.03.2016	41000.00	नन्दा के घर से रामबचन के घर तक ख0 मरम्मत की मजदूरी
योग		**236950.00**	

ग्राम पंचायत–कटाई (विकास खण्ड–पल्हना)

प्रस्तर संख्या– 206(सामान्य आपत्ति संख्या–ख(1))वर्ष 2012–13 से 16–17 कि लेखा परीक्षा में वर्ष 2012–13 से 15–16 के अभिलेख पंचायत सचिव के बार बार मांगनें पर भी लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया। अतः वित्तीय आकड़े प्रिया साफ्ट से प्राप्त कर आपत्ति की गयी है। वर्ष 2012–13 से 15–16 में खाता प्रथम ;राज्य वित्त /तेरहवॉ वित्त से विभिन्न तिथियों में रू0 2462632 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदुरी भुगतान कैशबुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैशबुक में सामग्री कय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रुप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में कय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और न ही उससे सम्बनधित चालान ,बिल ,बाउचर, स्टाक रजि0 प्रस्तुत किया गया। व्यय विवरण निम्नवत है।

क्रम सं0	**दिनांक**	**धनराशि**	**कराये गये कार्य का विवरण**
1	10.04.2012	10000	सोखता निर्माण पर व्यय
2	01.05.2012	24000	ख0 निर्माण हेतु ईट कय
3	12.05.2012	50400	नाली निर्माण हुतु सामाग्री कय
4	14.05.2012	57600	ईट कय
5	21.05.2012	20000	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
6	01.08.2012	25000	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
7	22.10.2012	30000	ईट कय

8	03.12.2012	28032	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
9	07.12.2012	10000	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
10	07.12.2012	10000	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
11	25.03.2013	35000	नाली निर्माण हेतु ईट क्रय
12	25.03.2013	16000	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
13	25.03.2013	60000	हयूम पाइप क्रय
14	16.04.2013	533	टेशनरी क्रय
15	16.04.2013	8900	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
16	16.04.2013	16000	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
17	16.04.2013	25000	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
18	23.05.2013	25000	दुखरन के घर से इन्दर सेन के घर तक नाली मरम्मत पर सामग्री क्रय
19	23.05.201	25000	नाली मरम्मत हेतु ईट क्रय
20	28.05.2013	45000	दुखरन के घर से इन्दर सेन के घर तक नाली मरम्मत पर सामग्री क्रय
21	30.05.2013	50000	जेपी एण्ड सन्स को भुगतान उपरोक्त कार्य हेतु
22	30.05.2013	50000	दुखरन के घर से इन्दर सेन के घर तक नाली मरम्मत ईट क्रय
23	18.06.2013	4000	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
24	18.06.2013	30000	दुखरन के घर से इन्दर सेन के घर तक नाली मरम्मत पर मजदूरी भुगतान
25	25.06.2013	25000	नन्हु के घर से परमी के घर तक नाली निर्माण हेतु ईट क्रय
26	25.06.2013	4200	नन्हु के घर से परमी के घर तक नाली निर्माण हेतु हयुम पाइप क्रय
27	25.06.2013	20000	नन्हु के घर से परमी के घर तक नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान
28	19.08.2013	48900	05 सोखता निर्माण हेतु जेपी एण्ड सन्स को भुगतान
29	19.08.2013	48800	नन्हु के घर से परमी के घर तक नाली निर्माण हेतु ईट क्रय
30	19.08.2013	49900	ईट क्रय
31	25.08.2013	800	स्टेशनरी क्रय
32	06.12.2013	8000	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
33	06.12.2013	17000	सेखता निर्माण पर मजदूरी भुगतान
34	14.12.2013	24500	प्रा0 वी0 पर शौचालय मरम्मत हेतु ईट क्रय
35	14.12.2013.	8000	प्रा0 वी0 पर शौचालय मरम्मत पर मजदूरी भुगतान
36	20.12.2013	35000	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
37	24.12.2013	12000	ा0 वी0 पर शौचालय मरम्मत हेतु सामाग्री क्रय
38	30.12.2013	25000	नाली निर्माण हेतु ईट क्रय
39	13.01.2014	25000	नाली निर्माण हेतु ईट क्रय
40	06.02.2014	50000	राधिका बी0 मै0 को भुगतान
41	08.02.2014	42000	हयुम पाइप क्रय
42	14.03.2014	22000	नाली निमार्ण पर मजदूरी भुगतान
43	14.03.2014	26000	नाली निर्माण हेतु ईट क्रय
44	14.03.2014	37000	नाली निर्माण हेतु सामाग्री क्रय
45	20.03.2014	25000	नाली निमार्ण पर मजदूरी भुगतान
46	21.03.2014	17100	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
47	06.06.2014	30000	ख0 निर्माण पर मजदूरी भुगतान
48	17.06.2014	40000	ख0 निर्माण पर व्यय
49	18.06.2014	45000	ख0 निर्माण पर व्यय
50	08.08.2014	40000	ख0 निर्माण पर मजदूरी भुगतान
51	04.09.2014	50000	स्कूल के पास ख0 निर्माण पर मजदूरी भुगतान
52	21.02.2015	61000	ख0 निर्माण पर व्यय
53	21.02.2015	79500	ख0 निर्माण पर व्यय
54	21.02.2015	70000	ख0 निर्माण पर व्यय

55	24.02.2015	50000	पटियादार ख0 निर्माण पर व्यय
56	24.02.2015	55000	पटियादार ख0 निर्माण पर व्यय
57	04.03.2015	60000	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
58	11.04.2015	50500	समाग्री क्रय
59	05.05.2015	70000	ईट क्रय
60	03.06.2015	45500	ईट क्रय
61	10.06.2015	46000	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
62	07.07.2015	47000	समाग्री क्रय
63	23.07.2015	200000	ईट क्रय ;नगद भुगतान
64	27.08.2015	34494	सामग्री क्रय
65	27.08.2015	66500	ईट क्रय
66	27.08.2015	66500	ईट क्रय
67	27.08.2015	28973	ईट क्रय
योग		**2462632**	

स्टाक आमद की पुष्टि में स्टाक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है।उक्त क्रय स्टाक के मुल्य भुगतान की स्विकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गयी है।धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर नगद किया गया है। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 40 क–3 के अनुसार 5000 रु0 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए। मजदुरी भुगतानित धनराशि के पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल लेखा परिक्षा में प्रस्तुत नही रहा। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नही की जा सकी। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान कालपनिक रहा वर्ष 2012–13 से 15–16 में कराए गये कार्यो का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व परिसम्पत्ति पंजि भी लेखा परिक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात न हो सका की कैश बुक में जिन कार्यो को कराये जानें के लिए मजदुरी भुगतान दर्शित है, वे वास्तव में कराए गये या नहीं। उपरोक्तानुसार यह फर्जे स्टाक का क्रय एवं मजदुरी भुगतान दर्शाकर रु0 2462632 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली श्री मिथिलेश ग्रा0 वी / पं0 अ0द्ध से रु0 1231316 एवं श्रीमति मधुबाला ;ग्राम प्रधान से रु0 1231316 किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–पवनीकला (विकास खण्ड–पल्हना)

प्रस्तर संख्या–207(सामान्य आपत्ति संख्या–ख(1))वर्ष 2012–13 से 16–17 कि लेखा परिक्षा में वर्ष 2012–13 से 15–16 के अभिलेख पंचायत सचिव के बार बार मांगनें पर भी लेखा परिक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया। अतः वित्तिय आकड़े प्रिया साफ्ट से प्राप्त कर आपत्ति की गयी है। वर्ष 2012–13 से 15–16 में खाता प्रथम ;राज्य वित्त /तेरहवॉ वित्तद्ध से विभिन्न तिथियों में रु0 3614347 का व्यय, सामाग्री क्रय एवं मजदुरी भुगतान कैशबुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैशबुक में सामाग्री क्रय एवं मजदुरी भुगतान सम्मिलित रुप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखा परिक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और ना ही उससे सम्बन्धित चालान, बिल, बाउचर, स्टाक रजि0 प्रस्तुत किया गया। व्यय विवरण निम्नवत है।

क्रम सं0	**दिनांक**	**धनराशि**	**कराये गये कार्य का विवरण**
1	28.06.2012	46300	नाली निर्माण मजदूरी पर व्यय
2	28.06.2012	60000	सेक्ता निर्माण पर व्यय
3	28.06.2012	35000	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
4	28.09.2012	50000	ईट क्रय
5	28.09.2012	98500	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
6	28.10.2012	20000	ईट क्रय
7	01.01.2013	40000	मजदूरी पर व्यय
8	28.01.2013	40000	ईट कय
9	28.01.2013	65000	ईट क्रय
10	28.01.2013	27000	मजदूरी पर व्यय
11	25.03.2013	28000	रोड लाईट क्रय
12	31.03.2013	100000	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
13	31.03.2013	100000	नाली निर्माण हेतु ईट क्रय
14	31.03.2013	97015	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
15	01.04.2013	1389	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय

16	30.04.2013	53500	आलोक बिल्डिग मैटेरियल से सामग्री कय
17	30.04.2013	48500	आलोक बिल्डिग मैटेरियल से सामग्री कय
18	30.04.2013	49300	आलोक बिल्डिग मैटेरियल से सामग्री कय
19	30.04.2013	35040	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान
20	04.05.2013	40000	ईट कय
21	03.06.2013	54000	ईट कय
22	30.06.2013	50000	4 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
23	27.07.2013	7200	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
24	27.07.2013	18200	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
25	22.08.2013	15904	खण्डजा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान
26	22.08.2013	39520	ईट कय
27	19.10.2013	76500	आलोक बिल्डिग मैटेरियल से सामग्री कय
28	19.10.2013	73500	आलोक बिल्डिग मैटेरियल से सामग्री कय
29	21.10.2013	70000	ईट कय
30	21.10.2013	80000	ईट कय
31	22.10.2013	32000	ईट कय
32	22.10.2013	7260	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
33	22.10.2013	7260	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
34	25.10.2013	12340	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
35	25.10.2013	1736	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
36	25.10.2013	10020	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
37	30.10.2013	5808	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
38	30.10.2013	5808	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
39	30.10.2013	45250	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
40	25.11.2013	28400	खण्डजा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान
41	25.11.2013	54600	ईट कय
42	15.02.2014	68500	आलोक बिल्डिग मैटेरियल से सामग्री कय
43	26.02.2014	46000	ईट कय
44	26.02.2014	48680	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
45	26.02.2014	61000	ईंट क्रय
46	26.02.2014	4350	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
47	26.02.2014	7260	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
48	26.02.2014	8520	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
49	30.03.2014	2326	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
50	30.03.2014	34034	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
51	30.03.2014	4350	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान
52	30.03.2014	6456	स्टेशनरी कय
53	05.04.2014	1389	सोलिग कार्य पर व्यय
54	26.04.2014	50000	खण्डजा कार्य पर व्यय
55	26.04.2014	83900	खण्डजा कार्य पर व्यय
56	10.07.2014	78000	खण्डजा कार्य पर व्यय
57	28.08.2014	125000	हयुम पाइप कय
58	24.09.2014	99515	3 सोलर लाइट कय
59	24.09.2014	62000	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
60	26.09.2014	80000	नाली निर्माण कार्य पर व्यय
61	22.10.2014	101015	सामग्री कय
62	09.02.2015	62000	खण्डजा कार्य पर व्यय

63	09.02.2015	73000	खण्डजा कार्य पर व्यय
64	09.02.2015	72000	खण्डजा कार्य पर व्यय
65	10.02.2015	65000	खण्डजा कार्य पर व्यय
66	07.03.2015	45015	नाली निर्माण कार्य पर व्यय
67	13.03.2015	34985	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
68	07.04.2015	65000	ईट क्रय
69	07.04.2015	58000	समाग्री क्रय
70	08.04.2015	33000	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
71	08.04.2015	30000	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
72	08.04.2015	62000	ईट क्रय
73	08.04.2015	63000	समाग्री क्रय
74	08.04.2015	61000	ईट क्रय
75	14.07.2015	26000	मजदूरी भुगतान
76	14.07.2015	61500	ईट क्रय
77	14.08.2015	25000	सामग्री क्रय
78	14.08.2015	54500	ईट क्रय
79	28.08.2015	21202	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
योग		**3614347**	

स्टाक आमद की पुष्टि में स्टाक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है।उक्त क्रय स्टाक के मूल्य भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नही करायी गयी है।धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर नगद किया गया है। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 40 क–3 के अनुसार 5000 रु0 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए । मजदूरी भुगतानित धनराशि के पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल लेखा परिक्षा में प्रस्तुत नही रहा। जिससे भुगतान की सस्यता प्रमाणित नही की जा सकी। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के आभाव में भुगतान काल्पनिक रहा वर्ष 2015–16 में कराए गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व परिसम्पत्ति पंजि भी लेखा परिक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात न हो सका की कैश बुक में जिन कार्यो को कराये जानें के लिए मजदुरी भुगतान दर्शित है, वे वास्तव में कराए गये या नहीं। उपरोक्तानुसार यह फर्जी स्टाक का क्रय एवं मजदुरी भुगतान दर्शाकर रु0 3614347 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मिथिलेश (ग्रा0वि0/पं0अ0द्ध से रु0 1807173.50 एवं श्रीमती माधुरी ग्राम प्रधान) से रु0 1807173.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप–4

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष–2016–17

जनपद–बलिया **मण्डल–आजमगढ़**

ग्राम पंचायत का नाम– सिकन्दरपुर, विकास खण्ड–सोहॉव

प्रस्तर–1आलोच्य वर्ष में निम्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम के कोष बही में आलोच्य वर्ष 2016–17 में कुल रू0 646683.00 हैण्डपम्प मरम्मत के रूप में व्यय किया गया है।

1. दिनांक 08.04.16 – रू0 19983.00
2. दिनांक 06.10.16 – रू0 20000.00
3. दिनांक 31.03.17 – रू0 24700.00

योग– रू0 64683.00

हैण्ड पम्प मरम्मत किन स्थलों पर किया गया है इसका विवरण कोष बही में दर्ज नहीं किया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित हैण्ड पम्प मरम्मत, बिल बाउचर, रसीदें आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। इससे सम्बन्धित जल प्रबंधन समिति का प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। बिना प्रमाणिक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। लेखा परीक्षा का मत है कि उपरोक्त फर्जी व्यय कैश बुक में दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये सचिव एवं प्रधान समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल व्यय धनराशि रू0 64683.00 का आधा भाग रू0 32341.50 प्रधान श्री शोरिक प्रसाद एवं आधा भाग रू0 32341.50 सचिव श्री वरूण कुमार राय (ग्रा0वि0अधि0) से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–2)**

ग्राम पंचायत–पिपरा कला, विकास खण्ड–सोहॉव

प्रस्तर–2 ग्राम पंचायत की उक्त वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नानुसार अपहरण का प्रकरण प्रकाश में आया। जिसकी ब्याज सहित वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है:–

1. आलोच्य वर्ष में निम्नानुसार ग्राम निधि प्रथम के कोष बही से हैण्ड पम्प मरम्मत/उच्चीकरण सम्बन्धी व्यय अंकित है।

(1) दिनांक 06.05.16 रू0 44000.00 चेक संख्या 21073958 द्वारा नकद आहरण हैण्ड पम्प मरम्मत पर रू0 9000.00 एवं हैण्ड पम्प उच्चीकरण पर रू0 35000.00 (लल्लन सिंह के द्वार पर) व्यय भुगतान प्राप्तकर्त्ता फर्म/एजेंसी का कोई विवरण नहीं। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं।
(2) दिनांक 12.07.16 रू0 45000.00 चेक संख्या–21073959 द्वारा नकद आहरण हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय। भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म/ एजेंसी का कोई विवरण नहीं। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं।
(3) दिनांक 15.03.17 रू0 10000.00 चेक संख्या 21073959 द्वारा नकद आहरण हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय। भुगतान प्राप्तकर्त्ता फर्म/एजेंसी का कोई विवरण नहीं। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं।
योग– रू0 99000.00

हैण्डपम्प मरम्मत किन स्थलों पर एवं कितने हैण्ड पम्पों का किया गया है इसका कोई विवरण लेखा परीक्षा में या कोष बही में दर्शित नहीं है। उक्त व्यय से सम्बन्धित जल प्रबंधन समिति का प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकि स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। लेखा परीक्षा का मत है कि उपरोक्त फर्जी व्यय कैश बुक में दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये सचिव एवं प्रधान समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल व्यय धनराशि रू0 99000.00 का आधा भाग रू0 49500.00 प्रधान श्रीमती मीना देवी एवं आधा भाग रू0 49500.00 तत्कालीन सचिव श्री ओम प्रकाश राय (ग्रा0पं0अधि0) से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–10)**

ग्राम पंचायत–चौरा, विकास खण्ड–सोहॉव

प्रस्तर–3 आलोच्य वर्ष में दिनांक 31.03.2017 को पांच अदद सोलर लाइट स्थापना पर कुल रू0 137500.00 का भुगतान श्री हनुमान कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स बलिया को चेक सं0–21087437 द्वारा किया गया है। सोलर लाइट ग्राम पंचायत में किन स्थानों पर लगाया गया है, इसका कोई विवरण कोष बही में दर्ज नहीं है न ही उक्त स्थापना का कोई अभिलेखीय विवरण रखा गया है। उक्त भुगतान के समक्ष किसी सक्षम अधिकारी से व्यय की पूर्व स्वीकृति का आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रखा। व्यय की पूर्व स्वीकृति पंचायत के बैठकों में लेने की स्थिति भी लेखा परीक्षा के अज्ञात रही। सोलर लाइट पर व्यय की टेण्डर आदि निर्धारित प्रक्रिया/मानक सम्बन्धी कोई गाइड लाइन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। भुगतान धनराशि के समक्ष 2.00 प्रतिशत की दर से आयकर एवं 4.0 प्रतिशत की दर से बिक्री कर की कटौती भी नहीं की गयी है। विभागीय निर्देशों के अनुरूप उक्त क्रय हेतु सरकारी एजेंसी नेडा को प्राथमिकता क्यों नहीं दिया गया, स्थिति अस्पष्ट रही। इस प्रकार लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि उक्त व्यय रू0 137500/– में नियमों एवं प्रक्रियाओं की गम्भीर उपेक्षा एवं अवहेलना की गयी है, जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान समान रूप से जिम्मेदार है। विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0–2)**

ग्राम पंचायत–कुल्हड़िया, विकास खण्ड–सोहॉव

प्रस्तर–4.आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम के कोष बही में दिनांक 02.10.2016 को हैण्डपम्प मरम्मत पर चेक सं0–21089189 द्वारा रू0 30000.00 का नकद आहरण कर व्यय दर्शित है परन्तु हैण्डपम्प मरम्मत किन स्थलों पर किया गया है इसका कोई विवरण कोष बही में दर्ज नहीं है। उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, बिल वाउचर, रसीदें आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। इससे सम्बन्धित जल प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, स्टीमेट, एम0बी0 कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। लेखा परीक्षा का मत है कि उपरोक्त फर्जी व्यय कैश बुक में केवल दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये सचिव एवं प्रधान समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल व्यय धनराशि रू0 30000.00 का आधा भाग रू0 15000.00 प्रधान श्रीमती शोभा देवी एवं आधार भाग रू0 15000.00 सचिव श्री सुखराम (ग्राम0पं0अधि0) से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–2)**

ग्राम पंचायत–मेडौरा कला, विकास खण्ड–सोहॉव

प्रस्तर–5आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न कार्यो पर व्यय धनराशियों के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नलिखित है–
1. सामग्री क्रय निविदा द्वारा आमंत्रित फर्मो/एजेंसियों से किया जाना चाहिये। भुगतान प्राप्त करने वाली फर्म टेण्डर प्रक्रिया द्वारा चयनित नहीं है।
2. व्यय प्रमाणको पर सचिव के हस्ताक्षर एवं प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिये।
3. व्यय प्रमाणक पर पेड एण्ड कैंसिल की मुहर लगी होनी चाहिये।
4. क्रय सामग्री पर 2.00 प्रतिशत की दर से आयकर एवं 4.0 प्रतिशत की दर से बिक्री कर की कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया है।

दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
16.12.16	रू0 115000.00	बाबा ईंट उद्योग
16.12.16	रू0 31500.00	″ ″
02.02.17	रू0 11100.00	″ ″
02.02.16	रू0 8900.00	″ ″

02.02.16 रू0 45120.00 '' ''
02.02.16 रू0 47600.00 '' ''
16.12.16 रू0 30000.00 पिंकू राय बिल्डिंग मैटिरियल
16.12.16 रू0 46500.00 '' ''
16.12.16 रू0 9500.00 '' ''
16.12.16 रू0 10000.00 '' ''
16.12.16 रू0 55000.00 '' ''
02.02.16 रू0 113000.00 '' ''
02.02.16 रू0 10660.00 '' ''
02.02.16 रू0 11200.00 '' ''

योग रू0 545080.00 (आ0सं0–6)

आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–कारो, विकास खण्ड–सोहॉव

ग्राम पंचायत कारो की उक्त वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नानुसार अपहरण का प्रकरण प्रकाश में अया। जिसकी ब्याज सहित वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैः–

प्रस्तर–6ग्राम निधि प्रथम कोष बही के व्यय पक्ष के अनुसार दिनांक 26.09.16 को रू0 44000.00 का सफाई किट एवं ठेलिया का क्रय हनुमान कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स से दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय के समक्ष कोई व्यय प्रमाणक/बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत की स्टाक पंजी भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे कि उक्त व्यय के आगम की पुष्टि की जा सके। उक्त व्यय की पूर्व स्वीकृति किसी सक्षम अधिकारी से भी नहीं ली गयी है। सफाई किट क्रय सम्बन्धी कोई आदेश या मानक दिशा निर्देश भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सफाई किट किन सफाई कर्मियों को प्रदान की गयी एवं कहां प्रयुक्त हुई इसका कोई विवरण नहीं रखा गया हैं सामग्री पर आयकर एवं बिक्री कर की कटौती नहीं की गयी है। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बहीं में व्यय का अंकन लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। लेखा परीक्षा का मत है कि उपरोक्त फर्जी व्यय कैश बुक में दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये सचिव एवं प्रधान समान रूप से जिम्मेदार हैं कुल व्यय धनराशि रू0 44000.00 का आधा भाग रू0 22000.00 प्रधान श्री कालीकांत राय एवं आधा भाग रू0 22000.00 तत्कालीन सचिव श्री जगनारायण यादव (ग्रा0वि0अधि0) से उचित ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–10)**

ग्राम पंचायत– गोविन्दपुर, विकास खण्ड–सोहॉव

प्रस्तर–7आलोच्य वर्ष में दिनांक 16.04.2016 चेक सं0 21077883 द्वारा ग्रा0नि0प्रथम खाता सं0 630002010501998 (यू0बी0आई0 उजियार) से रू0 3000.00 का आहरण कर व्यय दर्शित है। व्यय किस मद एवं किसको किया गया इसका कोई विवरण कोष बही में अंकित नहीं है। व्यय की पुष्टि में कोई बिल, बाउचर या अन्य कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्टतः उक्त आहरित धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये सचिव श्री चन्दन गुप्ता एवं प्रधान श्री विजय शंकर राय समान रूप से जिम्मेदार हैं। धन की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है। **(आ0सं0–2)**

प्रस्तर–8आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 16.04.2016 को चेक द्वारा ग्रा0नि0 खाता सं0 501996 से रू0 28200.00 का भुगतान जय माँ शारदा कन्स्ट्रक्शन को दर्शित है। उक्त भुगतान किस मद में किया गया इसका कोई विवरण कोष बही में अंकित नहीं है। व्यय की पुष्टि में कोई, बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्टतः उक्त भुगतान फर्जी दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये सचिव श्री चन्दन गुप्ता एवं प्रधान की विजय शंकर राय समान रूप से जिम्मेदार हैं। धन की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही नियमाानुसार अपेक्षित है। **(आ0सं0–3)**

प्रस्तर–9आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 25.10.2016 को चेक से (चेक सं0 अधूरा दर्शित) द्वारा रू0 10000.00 आहरित कर हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय के रूप में दर्शित है। उक्त व्यय के समक्ष कोई बिल, बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। हैण्ड पम्प मरम्मत किन स्थलों पर किया गया है इसका कोई विवरण लेखा परीक्षा में या कोष बही में दर्ज नहीं किया गया हैं। लेखा परीक्षा का मत है कि उक्त व्यय फर्जी दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये सचिव श्री चन्दन गुप्ता एवं प्रधान श्री विजय शंकर राय समान रूप से जिम्मेदार हैं। धन की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है। **(आ0सं0–4)**

प्रस्तर–10 आलोच्य वर्ष में दिनांक 25.10.2016 की चेक से (चेक संख्या दर्शित नहीं) द्वारा ग्रा0नि0 प्रथम से रू0 5000.00 आहरित कर परिवार रजिस्टर की टाइपिंग के रूप में व्यय दर्शित किया गया है। उक्त व्यय के समक्ष कई बिल, बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त व्यय की पूर्व स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं लिया गया है। व्यय के उद्देश्य की स्थिति भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं हुआ। स्पष्टतः उक्त व्यय फर्जी दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये सचिव श्री चन्दन कुमार गुप्ता एवं प्रधान श्री विजय शंकर राय समान रूप से जिम्मेदार हैं। धन की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार व्यक्तियों से नियमानुसार अपेक्षित है। **(आ0सं0–5)**

प्रस्तर–11 आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न कार्यो पर व्यय धनराशियों के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नलिखित है–

1. सामग्री क्रय निविदा द्वारा आमंत्रित फर्मो/एजेंसियो से किया जाना चाहिये। भुगतान प्राप्त करने वाली फर्म टेण्डर प्रक्रिया द्वारा चयनित नहीं है।
2. व्यय प्रमाणको पर सचिव के हस्ताक्षर एवं प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिये।
3. व्यय प्रमाणक पर पेड एण्ड कैंसिल की मुहर लगी होनी चाहिये।
4. क्रय सामग्री पर 2.00 प्रतिशत की दर से आयकर एवं 4.0 प्रतिशत की दर से बिक्री कर की कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया है।

दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
16.12.16	रू0 115000.00	बाबा ईंट उद्योग
16.12.16	रू0 31500.00	″ ″
02.02.17	रू0 11100.00	″ ″
02.02.16	रू0 8900.00	″ ″
02.02.16	रू0 45120.00	″ ″
02.02.16	रू0 47600.00	″ ″
16.12.16	रू0 30000.00	पिंकू राय बिल्डिंग मैटिरियल
16.12.16	रू0 46500.00	″ ″
16.12.16	रू0 9500.00	″ ″
16.12.16	रू0 10000.00	″ ″
16.12.16	रू0 55000.00	″ ″
02.02.16	रू0 113000.00	″ ″
02.02.16	रू0 10660.00	″ ″
0 11200.00	″	″

योग रू0 545080.00 (आ0सं0–6)

आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

8.ग्राम पंचायत– ओझा कछुआ, विकास खण्ड–दुबहड़

प्रस्तर–12राज्य वित्त/13 वाँ के अन्तर्गत वर्ष 20114–115से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख कोष बही, पत्रावलियाँ (प्रशासनिक, वित्तिय तथा तकनीकी स्वीकृति) व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र इत्यादि लेखा में प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष में रूपया 69190/– का आहरण हुआ अतः सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती राधिका देवी तथा सचिव गोरखनाथ सिंह जिम्मेवार है। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिसमें रकम की आधी धनराशि रूपया 345845/– प्रधान श्रीमती राधिका देवी से तथा शेष रूपया 345845/– की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव गोरखनाथ सिंह से अपेक्षित है। **(आ0 सं0–14)**

9.ग्राम पंचायत– कछुआ, विकास खण्ड–दुबहड़

प्रस्तर–13वर्ष 2015–16 में विभिन्न तिथियों में (दिनांक 26.05.14) को रू0–16000/–सचिव गोरखनाथ सिंह द्वारा, दिनांक 17.06.15 को प्रधान द्वारा रू0 10000/– दिनांक 23.07.15 को सचिव द्वारा रू0 8400, दिनांक 24.07.15 को प्रधान द्वारा रू0 40548/ तथा रू0 35600/– दिनांक 22.08.15 को 20000/– तथा 10800/–प्रधान द्वारा कुल रू0 141348/– आहरण पर कल्पित कार्यो पर व्यय दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है तथा ले0प0 में कोई भी अभिलेख प्रमाणक पत्रावलियो के अभाव में सिद्ध होता है प्रधान मोतीझरी देवी तथा सचिव गोरखनाथ सिंह द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या–14)**

प्रस्तर–14वर्ष 2014–15 राज्य वित्त/13वाँ वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण कार्यो पर कुल रू0 414000/– की सामग्री (दिनांक 088.05.14 को 182000/– प्रधान द्वारा, दिनांक 09.09.14 को रू0–12000/– प्रधान द्वारा, दिनांक 07.11.14 को महेश पाण्डेय ईट भठ्ठा को रू0–60000/–, दिनांक 14.02.15 को 60000/– प्रधान द्वारा, दिनांक 25. 02.15 को रू0 100000/–– प्रधान द्वारा खरीदी गयी परन्तु कोई भी प्रमाणक/पत्रावली/बिल बाउचर, टेण्डर ले0प0 में नहीं दिया गया अतः सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण धनराशि रू0 414000/– का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए प्रधान मोतीझरी देवी तथा सचिव गोरखनाथ सिंह जिम्मेवार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या–15)**

प्रस्तर–15राज्य वित्त/13वाँ वित्त के अन्तर्गत वर्ष में विभिन्न तिथियों 10.04.14 को रू0 26000/–प्रधान द्वारा नगद आहरण, दिनांक 18.09.14 को रू0 63100/–आदर्ष मशीनरी को चेक, दिनांक 24.03.15 को रू0 40500/– तथा रू 60500/– प्रधान द्वारा नगद आहरण में कुल रू0 190100/– का आहरण हैण्डपम्प मरम्मत हेतु व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया। हैण्डपम्पों की संख्या, स्थान, सामग्री पर व्यय, मजदूरी इत्यादि की कोई जानकारी नहीं देकर धन काा अपहरण कर लिया गया जिसके प्रधान मोतीझरी देवी तथा सचिव गोरखनाथ सिंह जिम्मेवार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0–16)**

10. ग्राम पंचायत– सेमरी, विकास खण्ड–दुबहड़

प्रस्तर–16दिनांक 16.05.2016 को राज्य वित्त/14वाँ के अन्तर्गत कोषबही में शंकर के घर से गारेख के घर तक नाली व्यय पेवर्स ब्लाक के निर्माण पर कुल रू0 111443/–व्यय हुआ जिसमें सम्पूर्ण धनराशि नगद प्रधान द्वारा आहरित है जबकि 14वाँ वित्त के अन्तर्गत सभी चेक एकाउन्ट पेयी होनी चाहिए। इस कार्य को सामग्री पर रू0 99795/– तथा मजदूरी पर 11648/– व्यय दिखाया गया लेखा परीक्षा में इस कार्य से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली, व्यय, प्रमाणक, मास्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (प्रतिहस्ताक्षरित) स्टीमेन्ट, माप पुस्तिका नहीं दी गयी अतः फर्जी कार्य दिखाकर धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए प्रधान मनीष राम तथा सचिव विनोद यादव से रू0 111443/– की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या–13 यथा प्रस्तावित अनुमोदित। **(आ0 सं0–13)**

प्रस्तर–17आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में दिनांक 288.09.2016 को रू0 30000/–, दिनांक 26.10.2016 को रू0–10000/–का आहरण कर हैण्डपम्प मरम्मत करने पर व्यय दिखाया गया जबकि ग्राम पंचायत मैं हैण्डपम्पों की संख्या, स्थान की प्रमाणित जानकारी नहीं मिला पायी न ही मरम्मत करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही प्रमाणक के रूप में प्रस्तुत किया गया न ही निम्नांकित कोई बिल, बाउचर, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0 80000/– का अपहरण प्रधान मनीष राय तथा सचिव विनोद यादव द्वारा किया गया, अतः उक्त व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**(आपत्ति संख्या–6)**

प्रस्तर–18राज्य वित्त/13वाँ वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में कुल रू0 1409136/– का व्यय (बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार) हुआ तथा वर्ष 2015––16 में रू00 817025/– का व्यय हुआ परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख यथा व्यय बिल, व्यय प्रमाणक, पत्रावली कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0 2226161/– का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन सचिव गोरखनाथ सिंह तथा प्रधान मनोज सिंह जिम्मेवार है अतः रू0–2226161/–की ब्याज सहित वसूली उक्त व्यक्तियों से अपेक्षित है। **(आ0 सं0–15)**

11. ग्राम पंचायत– जमुआ, विकास खण्ड–दुबहड़

प्रस्तर–19वर्ष 2014–15 में मनरेगा के 15 शौचालय का निर्माण कराना था परन्तु प्राप्त अभिलेख के अनुसार मजदूरी रू0 39780/– (प्रति शौचालय का मजदूरी रू0 2652/– दिया गया तथा सामग्री पर रू0 32175/– का सिर्फ ईट पूजा कन्स्ट्रक्शन, जनाड़ी से खरीदा गया अतः निम्नलिखित आपत्तियाँ इस प्रकार हैः–

(i) बिना कुशल मजदूर (मिस्त्री) के शौचालय का निर्माण सम्भव नहीं है।

(ii) सामग्री में सिर्फ ईट से शौचालय नहीं बनाया जाएगा।

(iii) किन–किन व्यक्तियों का शौचालय निर्माण हुआ उसका विवरण नहीं दिया गया।

अतः स्पष्ट है कि 15 शौचालय बनाने के बहाने सम्पूर्ण व्यक्ति रू0 71955/–का गबन/अपहरण कर लिया गया इसके लिए तत्कालीन सचिव गोरखनाथ सिंह तथा प्रधान मनोज जिम्मेवार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आ0 सं0–14)

12. ग्राम पंचायत– माधोपुर, विकास खण्ड–दुबहड़

प्रस्तर–20राज्यवित्त/14 वाँ वित्त के अन्तर्गत दिनांक 09.05.2016 को अजीत तिवारी ईट भठ्ठे से रू0–50000/– चेक संख्या– (120241) दिनांक 19.11.16 को पुनः उसी भठ्ठे से रू0 35000/– चेक संख्या (120257) का ईट, दिनांक 21. 11.16 को सिंह कन्स्ट्रक्शन को रू0 180000/– चेक संख्या–120260 अन्य सामग्री हेतु दिया गया परन्तु मजदूरी हेतु कोई धन का व्यय नहीं हुआ चूँकि कार्य का नाम भी कोषबही में दर्ज नहीं है। अतः फर्जी कार्य दिखाकर रू0 265000/– का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए प्रधान श्रीमती देवन्ती देवी तथा तत्कालीन सचिव ओंकारनाथ राय जिम्मेवार है। सम्पूर्ण धनराशि रू0 265000/– की ब्याज सहित वसूली प्रधान तथा सचिव से किया जाना अपेक्षित है। सम्बन्धित कोई अभिलेख/पत्रावली इत्यादि नहीं दी गयी इस कार्य पर पूरे वर्ष में मजदूरी नहीं दी गई है तथा स्टॉक रजिस्टर भी नहीं दिया गया। **(आपत्तिसंख्या–20)**

13. ग्राम पंचायत– भुईली, विकास खण्ड–दुबहड़

प्रस्तर–21आपत्तिः– आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के अन्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत करने हेतु कुल रू0–80000/– व्यय किया गया है।

दि0 116.09.19 को 40000/–चेक संख्या–127744
दि0 21.11.16 को 7000/– चेक संख्या'–114341
दि0 23.11.16 को 10000/– चेक संख्या–114342
दिनांक 28.11.16 को 23000/– चेक संख्या–114343

पी0के मिश्रा द्वारा आहरण ग्राम पंचायत में इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की संख्या, स्थान की प्रमाणिक जानकारी नहीं मिल पायी न ही मरम्मत के बाद उपभोग प्रमाण–पत्र/नलकूप विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र ही जारी की गयी। सक्षम अधिकारी द्वारा मरम्मत सम्बन्धी निर्गत प्रमाण पत्र नहीं किया गया अतः उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। प्रधान पति द्वारा सभी भुगतान स्वयं लिया गया न ही स्टाक रजि0 प्रस्तुत किया गया। मरम्मत में कितनी धनराशि सामग्री पर तथा कितना मजदूरी पर व्यय हुई पता नहीं लग पाया जबकि व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः

रू0 80000/– की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती नीतू मिश्रा तथा सचिव विनोद यादव से लिया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या–6)**

14. ग्राम पंचायत– शिवपुर दीयर नम्बरी, विकास खण्ड–दुबहड़

प्रस्तर–22वर्ष 2014–15 में ग्राम पंचायत के अन्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत करने पर कुल रू0 410000.00 तथा वर्ष 2015–16 में रू0 250000.00 व्यय किया गया है। ग्राम पंचायत में इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की संख्या की जानकारी नहीं मिल पायी न ही हैण्डपम्पों की सही/प्रमाणिक जानकारी ही उपलब्ध करायी गयी। हैण्डपम्प मरम्मत के बाद सुचारू रूप से कार्य करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में नहीं दिया गया। नलकूप विभाग द्वारा प्रमाणित हैण्डपम्पों की संख्या, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र (मरम्मत सम्बन्धी) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कुल रू0 660000.00 का व्यय तो हुआ लेकिन लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक बिल बाउचर, उपभोग प्रमाण–पत्र, नलकूप विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अभाव में यह स्पष्ट है कि धन का अपहरण कर लिया गया है। श्री विजयशंकर सिंह प्रधान तथा श्री विनोद यादव ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या–6)**

प्रस्तर–23वर्ष 2014–15 राज्यवित्त/13वाँ वित्त के अन्तर्गत कुल रू0 354127.00 व्यय हुआ परन्तु लेखा परीक्षा में कोष बही तथा बैंक स्टेटमेंट के अलावा कोई भी अभिलेख जैसे बाउचर, रसीद, कैशमेमो, चालान, मस्टर रोल, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश भुगतान आदेश, प्रस्ताव, कोटेशन/टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकि स्वीकृति तथा प्रशासनिक स्वीकृति आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय कोष बही में अंकित किया जाना उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु तत्कालीन प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। अतः आहरित धनराशि रू0 1772563.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री विजय शंकर सिंह से तथा आधी धनराशि रू0 1772563.50 की ब्याज सहित वसूली श्री विनोद यादव सचिव से अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या–13)**

प्रस्तर–24दिनांक 20.08.2015 को रू0 40000.00 नकद आहरण कर सफाई किट क्रय दर्शित है जो साफ–साफा धन का अपहरण है क्योंकि न तो प्रमाणक प्रस्तुत किया गया न ही सफाई किट आपूर्ति करने वाले फर्म का नाम ही दर्शित है। प्रधान श्री विजयशंकर सिंह तथा सचिव श्री विनोद यादव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या–18)**

15. ग्राम पंचायत– बर्रेबोझ, विकास खण्ड– चिलकहर

प्रस्तर–25आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या यू0बी0आई0 480402010831683 से बैंक पास बुक एवं कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल रू0 769726.00 आहरित एवं व्यय है। इस व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, बिल, बाउचर, रसीदें, कैश मेमों, चालान, मस्टर रोल, नक्शा, कार्य योजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किय गया। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय कोष बही में अंकित किया जाना उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समाान रूप से जिम्मेदार है। कुल व्यय धनराशि रू0 7769726.00 का आधा भाग रू0 384863.00 प्रधान श्रीमती ज्ञानती देवी एवं आधा भाग रू0 3848613.00 तत्कालीन सचिव श्री दयानन्द यादव (ग्रा0वि0अधि0) से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–14)**

प्रस्तर–26मनरेगा से सम्बन्धित वर्ष 2016–17 का एक कम्यूटराइज्ड वित्तीय आकड़ा प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार वर्ष आलोच्य में श्रमांश पर रू0 558000.00 एवं सामग्री मद में रू0 3000.00 कुल रू0 561000.00 व्यय दर्शित है।इससे सम्बन्धित प्रमाणक, स्टीमेट, एम0बी0, मस्टर रोल्स एवं पत्रावली आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो गम्भीर अनियमितता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–15)**

16. ग्राम पंचायत– मंगलौली, विकास खण्ड– चिलकहर

प्रस्तर–27आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या सी0बी0आई0 3103673388 से बैंक पास बुक एवं कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल रू0 641921.00 आहरित एवं व्यय है। इसमें से रू0 640826.00 कार्य पर एवं शेष बैंक द्वारा विभिन्न कारणों से की गयी कटौती है। कार्य पर व्यय रू0 640826.00 से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, बिल, बाउचर, रसीदें, कैश मेमों, चालान, मस्टर रोल, नक्शा, कार्य योजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किय गया। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय कोष बही में अंकित किया जाना उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है। कुल व्यय धनराशि रू0 640826.00 का आधा भाग रू0 320413.00 प्रधान श्रीमती अनिता देवी एवं आधा भाग रू0 320413.00 तत्कालीन सचिव श्री राम अवध यादव (ग्रा0वि0अधि0) से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0सं0–14)**

17. ग्राम पंचायत– कैथी कला, विकास खण्ड– चिलकहर

प्रस्तर–28वर्ष 2015–16 में ग्रामनिधि प्रथम खाता प्रधान श्रीमती मीना सिंह के कार्यकाल में कुल रू0264574.00 कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार विभिन्न मदों में व्यय किया गया है।इस व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, बिल बाउचर,

कैशमेमो, चालान, रसीदें, मस्टर रोल, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, प्रस्ताव, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकि स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय कोष बही में अंकित किया जाना उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु तत्कालीन प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।कुल व्यय धनराशि रू0 264574.00 का आधा रू0 132287.00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीना सिंह एवं आधा रू0 132287.00 तत्कालीन सचिव श्री दयानन्द यादव, ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।वर्तमान सचिव कुमारी अर्चना सिंह द्वारा बताया गया कि वर्ष 2015–16 में श्री प्रमोद कुमार सिंह भी कुछ अवधि के लिये सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। विभागीय जांच इनकी भूमिका के सम्बन्ध में भी अपेक्षित है। **(आ0 सं0–22)**

प्रस्तर–29मनरेगा से सम्बन्धित वर्ष 2016–17 का एक कम्यूटराइज्ड वित्तीय आकड़ा प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार कुल रू0 1371000.00 वर्ष दौरान व्यय अंकित है। इससे सम्बन्धित प्रमाणक, स्टीमेट, एम0बी0 मस्टररोल एवं पत्रावली आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जो गम्भीर अनियमितता है। विभागीय जांच एवं आवश्यक कार्यवाही वांछित है।... (आ0सं0–21)

18. ग्राम पंचायत– अभईपुर, विकास खण्ड– गड़वार

प्रस्तर–30वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या–यू0बी0आई0 304902010038542 के बैंक स्टेटमेंट एवं कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल रू0 331000.00 आहरित एवं व्यय है। इससे सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, बिल, बाउचर, रसीदें, कैश मेमों, चालान, मस्टर रोल, नक्शा कार्य योजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकि, स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय कोष बही में अंकित किया जाना उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।कुल आहरित/व्यय की गयी उक्त धनराशि रू0 331000.00 का आधा भाग रू0 165500.00 प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं आधा भाग रू0 165500.00 सचिव श्री अरविन्द कुमार निगम (ग्रा0वि0अधि0) से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0स0–14)**

19. ग्राम पंचायत– जगदीशपुर, विकास खण्ड– गड़वार

प्रस्तर–31मनरेगा से सम्बन्धित एवं कम्यूटराइज्ड श्रम एवं सामग्री पर व्यय का वित्तीय सार पर आडिट में प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार कमांश पर रू0 668000.00 एवं सामग्री पर रू0 90000.00 कुल रू0 758000.00 व्यय अंकित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, मस्टर रोल्स, स्टीमेट, एम0बी0 प्रस्ताव एवं पत्रावली आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जो गम्भीर अनियमितता है। प्रधान श्री फतेह बहादुर एवं सचिव श्री सुनील कुमार समान रूप से जिम्मेदार है। विभागीय जांच एवं कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0स0–28)

20. **ग्राम पंचायत– बैजनाथपुर, विकास खण्ड– बैरिया**

प्रस्तर–32दिनांक 25.06.15 को कैश बुक के अनुसार व्यय पक्ष में रू0 2,40,000/–60 नग स्ट्रीट लाइट क्रय तथा लगवाने पर व्यय दर्शित है। उक्त क्रय के सम्बन्ध में निम्न न्यूनतायें लेखा परीक्षा की दृष्टि से प्रकाश में आई हैः–

(i) शासनादेश संख्या–ए–11864/दस–08–15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण कार्यो हेतु रू0 1 लाख तक कोटेशन एवं रू0 1 लाख से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त की जा सके जो नहीं की गयी है। भुगतान चेक संख्या 23690 द्वारा सुशील कुमार सिंह बैरिया को दर्शित है।

(ii) सुशील कुमार सिंह बैरिया के बिल पर स्ट्रीट लाइट के वाट का उल्लेख नहीं पाया गया केवल स्ट्रीट लाइट के नगों की संख्या दर का उल्लेख कर ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त भुगतान प्राप्त किया गया है। लाइट के वाटों का विवरण आवश्यक है।

(iii) उक्त क्रय पर किये गये भुगतान से स्रोत पर 2.24 प्रतिशत आयकर रू0 5018.00 एवं क्रय पर 4 प्रतिशत व्यापार कर (वैट) रू0 8960.00 की कटौती न कर आपूर्तिकर्त्ता को रू0 13978.00 का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

(iv) स्ट्रीट लाइट के उपयोग का स्थान सम्बन्धी कोई विवरण कैश बुक में दर्शित नहीं है साथ ही क्रय सम्बन्धी प्रमाणक पर स्टॉक प्रवृष्टि का संदर्भ अंकित नही है, फलतः प्राप्त एवं प्रयुक्त की स्थिति अज्ञात रही।

(v) व्यय की गयी धनराशि के समर्थन में लाइटों की विशिष्टयाँ, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्थापन रिर्पोट एवं निरीक्षण आख्यायें आदि ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त/ बनाये नहीं गये, अभिलेखो के न बनाये जाने के कारण यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि वास्तव में प्रश्नगत कार्य हुआ अथवा बिना कार्य के ही धनराशि व्यय दिखा दी गयी। ग्राम पंचायत के पास स्थापित लाइटों की सूची सम्प्रेक्षा के दौरान नहीं थी। ऐसी स्थिति में धनराशि के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसकी जिम्मेदारी पदेन प्रधान श्रीमती आशा तिवारी तथा पदेन कर्मचारी श्री गिरीश पाण्डेय ग्रा0वि0अधि0 का संयुक्त रूप से रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–18)**

21.ग्राम पंचायत– श्रीनगर, विकास खण्ड– बैरिया

प्रस्तर–33उक्त व्यय के सापेक्ष प्रस्तुत स्टीमेट में मैटेरियल कम्पोनेन्ट पर 138000.00 तथा लेवर कम्पोनेन्ट पर 12000.00 कुल धनराशि रू0 150000.00 का प्रावधान किया गया हैजिसकी तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक स्वीकृति क्रमशः 9/20.09.2016 तथा 10/01.10.2016 को किया गया है। प्रस्तुत स्टीमेट के सापेक्ष एम0बी0 बुक भी प्रस्तुत की गयी जिस पर मैटेरियल कम्पोनेन्ट तथा लेवर कम्पोनेन्ट पर क्रमशः 138000.00 तथा रू0 12000.00 कुल धनराशि रू0 150000.00 की एम0बी0 की गयी है। प्रमाणक के आधार पर उपरोक्तानुसार रू0 150300.00 भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में मजदूरी सम्बन्धी कोई प्रमाणक तथा मस्टररोल अनुपलब्ध रहा जबकि स्टीमेट एवं एम0बी0 में मजदूरी भुगतान पर रू0 12000.00 प्राविधानित एवं व्यय दर्शित है। इससे स्पष्ट है कि मजदूर द्वारा कोई कार्य न कराकर एकमुश्त ठेके पर उक्त कार्य से कार्य पूर्ण कराते हुए समस्त भुगतान कर दिया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वास्तविक रूप से मजदूरी पर भुगतान न किये जाने के उपरान्त भी एम0बी0 में काल्पनिक आधार पर मजदूरी पर भुगतान दर्शित कर दिया गया है जो गम्भीर आपत्तिजनक है तथा एम0बी0 की सत्यता पर भी संदिग्धता की स्थिति पैदा करता है। इस प्रकार फर्म को की गयी भुगतान की धनराशि रू0 150300.00 में लेवर का भुगतान रू0 12000.00 फर्म को कर धन दुरूपयोग किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार यादव तथा सचिव श्री गिरीश पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।स्टीमेट तथा एम0बी0 दोनों के रू0 150000.00 धनराशि की पुष्टि होती है जबकि उक्त कार्य पर व्यय रू0 150300.00 का भुगतान किया गया है अस्तु एम0बी0 से अधिक रू0 300.00 का भुगतान आपत्तिजनक है, इसके लिए ग्राम प्रधान तथा सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। शासनादेश सं0–ए–1–864/दस–08–15(1)/66 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्यों हेतु रू0 1.00 लाख तक कोटेशन एवं रू0 1.00 लाख से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित करना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त हो सके एवं व्यय में मितव्ययिता बरती जा सके जो नहीं की गयी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0–19)**

22. ग्राम पंचायत– परमन्दापुर विकास खण्ड– हनुमानगंज

प्रस्तर–34वित्तीय वर्ष 2015–2016 में सचिव श्री चन्दन गुप्ता एवं प्रधान रेशमा द्वारा बैंक से विभिन्न तिथियों में कुल रू0 387450.00 का आहरण किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में जांच के दौरान न तो कैशबुक न ही बिल बाउचर न स्टाक बुक प्रस्तुत किया गया। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः पुष्टि न होने की स्थिति में राजकीय धनराशि रू0 387450.00 का सचिव श्री चन्दन गुप्ता एवं प्रधान रेशमा द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए प्रधान एवं सचिव बराबर–बराबर जिम्मेदार है एवं उनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आ0सं0–9)**

23.ग्राम पंचायत– मुडेरा विकास खण्ड– रसड़ा

प्रस्तर–35दिनांक 17.05.2016 को ग्राम पंचायत द्वारा इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प परम्मत हेतु रू0 15000 का नकद भुगतान किया जाना दर्शित है। जिस प्रति निम्न आपत्तियाँ रही।

(i) हैण्ड पम्प का स्थान एवं मरम्मत का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) रू0 15000/–का चेक द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

(iii) उपरोक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं पंचायत अधिकारी द्वारा फर्जी भुगतान दर्शाकर रू0 15000/– का अपहरण किया गया। ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा यादव एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री हर्षदेव से रू0 15000/– की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आ0सं0–11)**

24.ग्राम पंचायत– फिरोजपुर, विकास खण्ड– रसड़ा

प्रस्तर–36दिनांक 02.06.16 को ग्राम पंचायत द्वारा इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु रू0 7440 का नकद भुगतान किया जाना दर्शित है। जिस प्रति निम्न आपत्तियाँ रही।

(i) हैण्ड पम्प का स्थान एवं मरम्मत का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) रू0 7440/–का चेक द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

(iii) उपरोक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं पंचायत अधिकारी द्वारा फर्जी भुगतान दर्शाकर रू0 7440/– का अपहरण किया गया। ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक राम से रू0 7440/– की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आ0सं0–21)**

25. ग्राम पंचायत– लखुआ, विकास खण्ड– रसड़ा

प्रस्तर–37दिनांक 29.04.16 को ग्राम पंचायत द्वारा इण्डिया मार्का 03 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु रू0 15000 का नकद भुगतान किया जाना दर्शित है। जिस प्रति निम्न आपत्तियाँ रही।

(i) हैण्ड पम्प का स्थान एवं मरम्मत का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) रू0 15000/–का चेक द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

(iii) उपरोक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं पंचायत अधिकारी द्वारा फर्जी भुगतान दर्शाकर रू0 15000/– का अपहरण किया गया। ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू यादव एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री अच्छेलाल से रू0 15000/– की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आ0सं0–21)**

26. ग्राम पंचायत– हथुई, विकास खण्ड– रसड़ा

प्रस्तर–38दिनांक 24.05.16 को ग्राम पंचायत द्वारा इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु रू0 24500 का नकद भुगतान किया जाना दर्शित है। जिस प्रति निम्न आपत्तियाँ रही।

(i) हैण्ड पम्प का स्थान एवं मरम्मत का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) रू0 24500/–का चेक द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

(iii) उपरोक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं पंचायत अधिकारी द्वारा फर्जी भुगतान दर्शाकर रू0 24500/– का अपहरण किया गया। ग्राम प्रधान श्री विजय शंकर एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री बलिराम यादव से रू0 24500/– की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आ0सं0–21)**

27. ग्राम पंचायत– नागपुर, विकास खण्ड– रसड़ा

प्रस्तर–39 दिनांक 25.05.2016 को ग्राम पंचायत द्वारा इण्डिया मार्का 16 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु रू0 47632 का नकद भुगतान किया जाना दर्शित है। जिस प्रति निम्न आपत्तियाँ रही।

(i) हैण्ड पम्प का स्थान एवं मरम्मत का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) रू0 47632/–का चेक द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

(iii) उपरोक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं पंचायत अधिकारी द्वारा फर्जी भुगतान दर्शाकर रू0 47632/– का अपहरण किया गया। ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री अरविन्द से रू0 47632/– की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आ0सं0–21)**

28. ग्राम पंचायत– वेल्थरा बाजार विकास खण्ड–सीयर

प्रस्तर–40ग्राम पचांयत बेल्थरा बाजार विकास खण्ड सीयर की वर्ष 2016–17 की लेखापरीक्षा में निम्न अपहरण/दुरूपयोग/गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

1. ग्राम निधि प्रथम (चौदहवाँ वित्त/राज्य वित्त) के बैंक खाते में वर्ष 2016–17 में कुल रू0 17188.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। गत वर्षो में प्राप्त ब्याज का कोई हिसाब नहीं रखा गया है। गत वर्षो सहित वर्ष में प्राप्त ब्याज रू0 17188.00 को शासनादेश सं0–ए0–1–10–2012– 10(33)2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 3 के अनुसार राज्य सरकार को वापस किया जाना चाहिए। परन्तु सम्बन्धित शासनादेश का अनुपालन न कर रू0 17188.00 से वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। अतः उक्त धनराशि राज्य सरकार को वापस की जानी अपेक्षित है। उक्त का दायित्व ग्राम प्रधान श्री सतीश कुमार तथा ग्रा0पं0अधि0 श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मु0आ0सं0–4)**

प्रस्तर–41निम्नाकिंत विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में कैश बुक में व्यय दर्शित है।

1. दि0 04.04.16.....रू0 6600.....इण्डिया मार्का(2) हैण्डपम्प मरम्मत...... फर्म का नाम नहीं नकद भुगतान
2. दि0 03.11.116....रू0 5000... इण्डिया मार्का(2) हैण्डपम्प मरम्मत...... फर्म का नाम नहीं नकद भुगतान
3. दि0 28.03.17 रू0 10000....स्टेशनरी क्रय......इण्डिया मार्का(2) हैण्डपम्प मरम्मत...फर्म का नाम नहीं नकद भुगतान

उक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई व्ययों से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत रहा भुगतान भी नकद किया गया है जबकि अकांउट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए था। प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि को कैश बुक में व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है। उक्त की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सतीश कुमार एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0स0ं–10)

प्रस्तर–42दिनांक 10.02.2017 को रू0 112517.00 का भुगतान कैश बुक में 05 अद्द सोलर लाइट क्रय करने में दर्शित है। भुगतान रोशनी इण्टरप्राइजेज को दर्शित है। क्रय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी है।

(क) ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत रहा।

(ख) क्रय के पूर्व कोटेशन नहीं लिया गया है।

(ग) स्टाक रजि0 नहीं बनाया गया है। जिससे उनके क्रमवार आय, उपभोग एवं अवशेष की स्थिति अज्ञात रही।

(घ) किन–किन स्थानों पर सोलर लाइटे लगायी गयी है उसका विवरण नहीं दिया गया है।

(ङ) सोलर लाइट लगने के पूर्व लगते समय तथा लगने के पश्चात के फोटोग्राफ नहीं प्रस्तुत रहा।

(च) सोलर लाइट क्रय हेतु निर्धारित फर्म नेडा से क्रय न कर मनमाने ढंग से प्राइवेट फर्म से क्रय किया गया है।उक्त न्यूनताओं के आधारपर सोलरलाइट क्रय पर व्यय दर्शित कर धनराशि का दुरूपयोग किया गया है।उक्त की जिम्मेदारी

ग्राम प्रधान श्री सतीश कुमार एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय की रही। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

29.ग्राम पंचायत– पिपरौली, विकास खण्ड–सीयर

प्रस्तर–43 ग्राम पचांयत पिपरौली बड़ागांव विकास खण्ड सीयर की वर्ष 2016–17 की लेखापरीक्षा में निम्न अपहरण/दुरूपयोग/गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।ग्राम निधि प्रथम (चौदहवाँ वित्त/राज्य वित्त) के बैंक खाते में वर्ष 2016–17 में कुल रू0 49991.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। गत वर्षो में प्राप्त ब्याज का कोई हिसाब नहीं रखा गया है। गत वर्षो सहित वर्ष में प्राप्त ब्याज रू0 49991.00 को शासनादेश सं0–ए0–1–22/10 (33) 2010 दिनांक 21.03. 2012 के प्रस्तर 3 के अनुसार राज्य सरकार को वापस किया जाना चाहिए। परन्तु सम्बन्धित शासनादेश का अनुपालन न कर रू0 49991.00 से वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। अतः उक्त धनराशि राज्य सरकार को वापस की जानी अपेक्षित है। उक्त का दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती आबिदा तथा ग्रा0पं0अधि0 श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय का रहा।

(मु0आ0सं0–4)

प्रस्तर–क निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यो हेतु निर्माण सामग्री क्रय की गयी है।

दि0 20.10.2016.....रू0 341560.00........बालू,ईट,रोडी, इण्टरलाकिंग ईट क्रय जे0एस0 कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स....... रहमान के घर से मंगल हासिम का घर होते हुए रमाशंकर मौर्या के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य।

दिनांक 24.10.2016....रू0 276600.00.....उक्त फर्म से सीमेन्ट, बालू,ईट,रोडी, इण्टरलाकिंग ईट क्रय जे0एस0 कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स...... मस्जिद से बशर के होते तक इण्टर लाकिंग कार्य।

दिनांक 29.10.2016....रू0 276606.... उक्त फर्म से सीमेन्ट, बालू,ईट,रोडी, इण्टरलाकिंग ईट क्रय जे0एस0 कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स सामग्री मूल्य 391990 शेष 115384.00.....मन्टू शर्मा के घर से राजकुमार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।

दिनांक 02.02.2017...रू0 1115384.00...उक्त शेष भुगतान 97000 चेक से और 18384.00 नगद... उपरोक्त कार्य।

दिनांक 29.10.2016....रू0 52889.00..... जे0एस0के0एण्ड सं0 अखोप से सामग्री क्रय......बसर के होते से एकललाक के घर तक नाली निर्माण।

दिनांक. 29.10.2016....रू0 400000.00....जे0एस0के0एण्ड सं0 अखापे से सामग्री क्रय...... अम्बिका प्रधान के घर से रहमान के घर पास तक इण्टरलाकिंग कार्य।

दिनांक 21.11.2016...रू0...303520.00....प्रताप इण्टर प्राइजेज बेल्थरारोड से ईट क्रय.....अजमल के हाते से प्रा0वि0 तक खडंजा निर्माण।

दिनांक 02.01.2017...रू0...142723.00.....जे0एस0क0एण्ड सं0 अखोप से सामग्री क्रय....बसर के हाते से कुड़ागाह तक नाली निर्माण।

दिनांक 12.01.2017...रू0...58810.00.....जे0एस0क0एण्ड सं0 अखोप से सामग्री क्रय.....रहमान के घर से हासिम के घर होते हुए रमाशंकर मौर्या के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।

दिनांक 01.02.2017....रू0.....65332.00.....जे0एस0क0एण्ड सं0 अखोप से सामग्री क्रय....मिस्टर के घर से रहमान के घर तक नाली निर्माण।

दिनांक 01.02.2017....97320.00 ईट क्रय डी0एफ0ईट भट्ठा.......शोकत वकील के घर के सामने पुलिया निर्माण।

दिनांक 01.02.2017...रू0...86517.00....जायसवाल सिमेन्ट एजेन्सी से सामग्री क्रय (67332.00) चेक से और 19185 नगद).....शौकत वकील के घर से सामने पुलिया निर्माण।

दिनांक 02.02.2017.....रू0...97558.00...ईट क्रय डी0एफ0ईट भट्ठा....बहादुर के घर के सामने पुलिया निर्माण।

दिनांक 02.02.2017....रू0.....86517.00.......जायसवाल सिमेन्ट एजेन्सी से सामग्री क्रय.....बहादुर के घर से सामने पुलिया निर्माण।

दिनांक 16.02.2017....रू0...67332.00....प्रताप इण्टरप्राइजेज से शेष सामग्री क्रय......अफजल के हाते से प्रा0वि0 तक खडंजा निर्माण।

दनांक 16.02.2017....रू0...67332.00....प्रताप इण्टरप्राइजेज से शेष सामग्री क्रय......अफजल के हाते से प्रा0वि0 तक खडंजा निर्माण।

दिनांक 29.10.16....रू0 266620.00...जे0एस0क0 एण्ड सं0 अखोप से सामग्री क्रय....मन्टू शर्मा के घर से रोड तक ह्यूम पाईप नाली निर्माण।

उपरोक्तानुसार दर्शित कार्यो हेतु मात्र सामग्री क्रय करना ही कैश बुक में दर्शित है। सामग्री क्रय का प्रमाणक/बिल बाउचर लेख परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही स्टाक बुक आडिट में प्रस्तुत किया गया किसी भी कार्य के कराये जाने का विवरण नहीं है। और न ही किसी भी कार्य पर मजदूरी भुगतान दर्शित किया गया है। परन्तु क्रय सामग्री की अधिकांश धनरशियाँ अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से फर्म/संस्थान को भुगतान करके धनराशि का दुरूपयोग किया गया है। अतः उक्त समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आबिदा एवं ग्रा0पं0अ0 श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–7)**

30. ग्राम पंचायत– तुर्तीपार, विकास खण्ड–सीयर

प्रस्तर–44 ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त/राज्य वित्त) के खातो में वर्ष 2016–17 में कुल क 45125 ब्याज प्राप्त हुआ है। विगत वर्षो में प्राप्त ब्याज का कोई विवरण नहीं रखा गया है गत वर्षो में प्राप्त ब्याज एवं वर्ष में प्राप्त ब्याज रू0 45125 को शासनादेश 1.22.10–2012–10(33)2010 दिनांक 21–3–2012 के प्रस्तर 3 के अनुसार राज्य सरकार को वापस किया जाना चहिए था परन्तु सम्बन्धित शासनादेश का अनुपालन न कर रू0 45125 से वित्तीय अनियमितता बरती गयी है अत उक्त धनराशि (एव गत वर्षो के ब्याज) को राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है उक्त अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान श्री आलोक सिंह तथा ग्रा0पं0अधि0 श्री ब्रह्म देव पाल जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू0अ0सं0–4)**

प्रस्तर–क निम्नांकित विवरणानुसार सोलर लाईट एवं स्ट्रीट लाइट क्रय किये जाने का विवरण कैश बुक में दर्शित है।

दि0 29.11.16.....रू00 75000.00....25 अद्द स्ट्रीट लाइट क्रप.......सवरंग एडवरटाइजर्स एण्ड सप्लायर्स।

दि0 29.11.16.....रू00 75000.00....25 अद्द स्ट्रीट लाइट क्रप.......सवरंग एडवरटाइजर्स एण्ड सप्लायर्स।

दि0 20.12.16.....रू00 76500.00....03 अद्द स्ट्रीट लाइट क्रप.......सवरंग एडवरटाइजर्स एण्ड सप्लायर्स।

दि0 26.11.16.....रू00 51000.00....02 अद्द स्ट्रीट लाइट क्रप.......सवरंग एडवरटाइजर्स एण्ड सप्लायर्स।

उपरोक्त स्ट्रीट लाइट/ सोलर लाइट क्रप किये जाने का विवरण कैश बुक में अंकित है। उक्त क्रयो से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणिक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किय गया। एवं स्टाक बुक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक विहिन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उक्त समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री आलोक सिंह व ग्राम पंचायत अ0 श्री ब्रह्म देव पाल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **मू0अ0सं0–9**

प्रस्तर–45दिनांक 28.03.17 को कैशबुक में रू0 50,000.00 का भुगतान रामाश्रय सिंह के घर से पिन्टू जायसवाल के घर तक खडन्जा मरम्मत मजदूरी एवं मिट्टी हेतु दर्शित है। कितना मजदूरी पर भुगतान किया गया एवं कितना मिट्टी पर अलग अलग विवरण नहीं अंकित है। तथा उक्त व्यय से सम्बन्धित आडिट में न तो मस्टररोल प्रस्तुत रहा और न कोई मिट्टी क्रय का प्रमाणक। प्रमाणक विहिन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री आलोक सिंह तथा ग्राम पं0अ0 श्री ब्रह्म देव पाल की जानी अपेक्षित है। **(मू0अ0सं0–11)**

31. ग्राम पंचायत– फरसाटार, विकास खण्ड–सीयर

प्रस्तर–46ग्राम पंचायत फरसाटार विकास खण्ड सीयर वर्ष 2016–17 की लेखा में निम्न अपहरण/दुरूपयोग/गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये। जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

1. ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त/राज्य वित्त) के खातो में वर्ष 2016–17 में कुल क 60349.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। विगत वर्षो में प्राप्त ब्याज का कोई विवरण नहीं रखा गया है गत वर्षो में प्राप्त ब्याज एवं वर्ष में प्राप्त ब्याज रू0 60349.00 को शासनादेश 1.22–10.2012.10–33–2010 दिनांक 21–3–2012 के प्रस्तर 3 के अनुसार राज्य सरकार को वापस किया जाना चहिए। परन्तु सम्बन्धित शासनादेश का अनुपालन न कर रू0 60349.00 से वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। अतः उक्त धनराशि राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है उक्त का दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती वारिशा खातून तथा ग्रा0पं0अधि0 श्री अनिलेश कुमार का रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू0अ0सं0–4)**

प्रस्तर–47दिनांक 20.01.2017 को रू0 7500.00 बैंक निकासी (चेक सं0–020686 से) का लेखाकन कैश बुक के आय पक्ष में न कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती वरिशा खातून एवं ग्रा0पं0अ0 श्री अनिलेश कुमार का रहा। **(मू0अ0सं0–7)**

प्रस्तर–48निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में कैशबुक में व्यय दर्शित है।

दि0 02.04.16..रू0...10000... एक अदद् ठेला खरीद

दि0 07.04.16..रू0..10000...स्वच्छता अभियान के तहत कूड़ा करकट निस्तारण पर व्यय।

दि0 11.04.16....रू0..20000 स्वच्छता अभियान के तहत कूड़ा करकट निस्तारण पर व्यय।

दि0 21.06.16....रू0..10000... स्वच्छता अभियान के तहत कूड़ा करकट निस्तारण पर व्यय।

दि0 04.07.16...रू...18392.... स्वच्छता अभियान के तहत कूड़ा करकट निस्तारण पर व्यय।

दि0 11.07.16...रू0–10000 स्वच्छता अभियान के तहत कूड़ा करकट निस्तारण पर व्यय।

दि0 24.09.16...रू0 15000.... स्वच्छता अभियान के तहत कूड़ा करकट निस्तारण पर व्यय।

स्वच्छता अभियान के तहत कूड़ा करकट निस्तारण पर व्यय।

दि0 03.10.16.....रू0 15000... स्वच्छता अभियान के तहत कूड़ा करकट निस्तारण पर व्यय।

दि0 06.10..16...रू0.....10000... स्वच्छता अभियान के तहत कूड़ा करकट निस्तारण पर व्यय।

दि0 14.10.16....रू0....10000... सफाई कर्मियों के लिए फावड़ा, खुरपी, झाडु, तौलिया आदि क्रय

दि0 30.01.17...रू0......3400...ब्रह्म स्थान पर कुड़ा करकट निस्तारण कार्य।

दि0. 02.02.17...रू0.....20000.... ब्रह्म स्थान पर कुड़ा करकट निस्तारण कार्य।

दि0 17.03.17...रू0....18500.....होली पर ग्राम सभा में साफ सफाई पर व्यय। **कुल योग–170292.00**

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत में साफ–सफाई पर व्यय दर्शित किया गया है। उक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक आडिट में नहीं प्रस्तुत किया गया। उक्त समस्त भुगतान नकद दर्शित है। प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः कुल रू0 170292.00 का कैशबुक की विभिन्न तिथियों में व्यय दर्शित कर अपहरण किया गया है। उक्त की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वरिशा खातून एवं ग्रा0पं0अ0 श्री अनिलेश कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(मु0आ0सं–20)**

प्रस्तर–49दिनांक 22.09.2016 को रू0 10000.00 का व्यय विधान सभा चुनाव कर्मियों के लिए कुर्सी, मेज, चारपाई, दरी, आदि हेतु दर्शित है। पुनः दिनांक 20.03.2017 को भी रू0 115650.00 का व्यय विधान सभा चुनाव में उक्त मदों पर दर्शित है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विधान सभा चुनाव 2017 के फरवरी/मार्च माह में हुआ था। ऐसी स्थिति में दिनांक 22.09.2016 को विधान सभा चुनाव हेतु दर्शित व्यय फर्जी है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वरिशा खातून एवं ग्रा0पं0अ0 श्री अनिलेश कुमार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(मु0आ0सं0–21)**

प्रस्तर–50निम्न विवरणानुसार कैश बुक में हैण्ड पम्प मरम्मत पर नकद व्यय दर्शित है।

1. दि0 18.04.16...रू0 10000...इण्डिया मार्का (2) हैण्ड पम्प मरम्मत.....फर्म का नाम अंकित नहीं।
2. दि0 18.06.16....रू0...10000..इण्डिया मार्का (2) हैण्ड पम्प मरम्मत.....फर्म का नाम अंकित नहीं।
3. दि0 27.09.16...रू0...15000....इण्डिया मार्का (2) हैण्ड पम्प मरम्मत.....फर्म का नाम अंकित नहीं।
4. दि0 07.11.16..रू00....5000.. इण्डिया मार्का (2) हैण्ड पम्प मरम्मत.....फर्म का नाम अंकित नहीं। इण्डिया मार्का (2) हैण्ड पम्प मरम्मत.....फर्म का नाम अंकित नहीं।
5. दि0 07.12.16...रू0...10000... इण्डिया मार्का (2) हैण्ड पम्प मरम्मत.....फर्म का नाम अंकित नहीं।
6. दि0 27.01.17...रू0....116423.. इण्डिया मार्का (2) हैण्ड पम्प मरम्मत.....फर्म का नाम अंकित नहीं।

योग–666423.000

उपरोक्तानुसार हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक आडिट में नहीं प्रस्तुत किया गया। उक्त समस्त भुगतान नकद रूप में किया गया है। इस प्रकार उक्त तिथियों प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है। उक्त की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वरिशा खातून एवं ग्रामप0अ0 श्री अनिलेश से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

32. ग्राम पंचायत– बसपार बहोरवां, विकास खण्ड–सीयर

प्रस्तर–51ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त/राज्य वित्त) के बैंक खाते में वर्ष 2016–17 में कुल रू0 35984.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। गत वर्षों में प्राप्त ब्याज रू0 35984.00 को शा0सं0–ए–1–22/10–2012–10 (33) 2010 दिनांक 21.03. 2012 के प्रस्तर–03 के अनुसार राज्य सरकार को वापस किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा न कर रू0 35984.00 से वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। इसका दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती वाहिदा सुल्ताना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रम्हदेव पाल का रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0–4)**

प्रस्तर–52निम्न विवरण के अनुसार वर्ष 2016–17 में कैश बुक में एक ही माहों का प्रधान को मानदेय का भुगतान दो बार किया गया है।

दिनांक	धनराशि	भुगतानित माह का विवरण
20.06.2016	10800.00	दिस. 2015 से मार्च 2016 तक हेतु रू0 2500.00 प्रतिमाह
08.08.2016	10000.00	दिस. 2015 से मार्च 2016 तक हेतु रू0 2500.00 प्रतिमाह

उपरोक्तानुसार प्रधान को मानदेय माह दिस 2015 से मार्च 2016 तक हेतु दो बार भुगतान दर्शित कर रू0 10800.00 का अपहरण किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गत वर्ष उक्त माहों का प्रधान को मानदेय का भुगतान नहीं हुआ था, की पुष्टि में कोई अभिलेख/विवरण नहीं प्रस्तुत रहा। अतः रू0 10800.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वहिदा सुल्ताना एवं ग्राम पंचायत अधिकरी श्री ब्रह्मदेव पाल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–19)**

प्रस्तर–53निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है।

दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण	व्यय का प्रकार
28.06.2016	12000.00	इण्डिया मार्का–2नकद हैण्डपम्प	भुगतान
10.03.2017	16000.00	इण्डिया मार्का–2नकद हैण्डपम्प	भुगतान

उक्त दोनों भुगतानों का व्यय प्रमाणक नहीं है। भुगतान नकद किया गया। किन–किन स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया, की सूची नहीं है। प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अर्थात् उक्त धनराशि को कैश बुक में भुगतान दर्शित कर धन का आहरण किया गया है। उक्त की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वाहिदा सुल्ताना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रह्देव पाल से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0–20)

33. ग्राम पंचायत– अन्तरौलीचक मिल्कान, विकास खण्ड–सीयर

प्रस्तर–54ग्राम निधि प्रथम(चौदहवां वित्त/राज्य वित्त)के बैंक खाते में वर्ष 2016–17 में कुल रू013682.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। गत वर्षों के ब्याज के साथ वर्ष में प्राप्त ब्याज रू013682.00 को शा0सं0–ए–1–22/10–2012–10(33) 2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर–03 के अनुसार राज्य सरकार को वापस किया जाना चाहिए।परन्तु ऐसा न कर रू0 13682.

00 से वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। इसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री मारकण्डेय यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धनन्जय तिवारी का रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0–4)**

प्रस्तर–55निम्नांकित तिथियों में कैश बुक के व्यय पक्ष में मात्र धनराशि अंकित करते हुए व्यय दर्शित है तथा सम्बन्धित व्यय का न तो विवरण अंकित रहा और न ही व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा।

दिनांक	धनराशि	भुगतानित माह का विवरण
17.3.2017	11910.00	न कार्य विवरण और न ही व्यय विवरण अंकित किया गया है।
22.3.2017	3120.00	न कार्य विवरण और न ही व्यय विवरण अंकित किया गया है।

उपरोक्त व्ययों का कोई व्यय प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः धनराशि रू0 15030.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मारकण्डेय यादव एव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धनन्जय तिवारी से की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0–10)**

प्रस्तर–56निम्नांकित तिथियों में भुगतान मस्टररोल लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत रहे।

दिनांक	धनराशि	भुगतानित माह का विवरण
02.11.2016	20000.00	हरीलाल के घर से दलित बस्ती तक नाली निर्माण
17.11.2017	15000.00	हरीलाल के घर से दलित बस्ती तक नाली निर्माण
28.11.2016	5000.00	हरीलाल के घर से दलित बस्ती तक नाली निर्माण

उपरोक्त कार्य पर दर्शित भुगतानों हेतु कोई मस्टर रोल लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आती है। बिना मस्टर रोल के भुगतान कर धन अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मारकण्डेय यादव एव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धनन्जय तिवारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0–11)**

34. ग्राम पंचायत– लोहटा पंचदौरा, विकास खण्ड–सीयर

प्रस्तर–57ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त/राज्य वित्त) के बैंक खाते में वर्ष 2016–17 में कुल रू0 16194.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। गत वर्षों में प्राप्त ब्याज का कोई हिसाब नहीं रखा गया है। गत वर्षों सहित वर्ष में प्राप्त रू0 16194.00 को शा0सं0–ए– 1–22/10– 2012–10(33)2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर–03 के अनुसार राज्य सरकार को वापस किया जाना चाहिए। परन्तु सम्बन्धित शासनादेश का अनुपालन न कर रू0 16194.00 से वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। इसका दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती रेशमी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रह्मदेव पाल का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0–4)**

प्रस्तर–58निम्नांकित तिथियों में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	भुगतानित माह का विवरण
29.10.2016	5000.00	ग्रा0पं0 की आरम्भिक बैठक हेतु व्यय।
29.12.2016	8000.00	ग्रा0पं0 की आरम्भिक बैठक हेतु व्यय।
25.01.2017	10000.00	स्टेशनरी

उक्त तिथियों में कैशबुक में दर्शित व्ययों हेतु कोई व्यय प्रमाणक/बिल बाउचर नहीं प्रस्तुत रहा। इस प्रकार मात्र व्यय दिखाकर धन का अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेशमी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रह्मदेव पाल से की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0–18)**

प्रस्तर–59निम्नांकित तिथियों में ग्राम पंचायत में सोलर लाइट क्रय किया गया।

दिनांक	धनराशि	व्यय	सम्बन्धित	विवरण का नाम
07.11.2016	104560.00	4 अदद	सोलर स्वतंत्र कंस्ट्रक्शनलाइट क्रय एण्ड सप्लायर्स	
25.01.2017	26140.00	4 अदद	सोलर स्वतंत्र कंस्ट्रक्शनलाइट क्रय एण्ड सप्लायर्स	

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी।

(क) ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत रहा।

(ख) क्रय के पूर्व कोटेशन नहीं लिया गया है।

(ग)स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। जिससे उनके क्रमवार आय,उपभोग एवं अवशेष की स्थिति अज्ञात रही।

(घ) किन–किन स्थानों पर सोलर लाइटें लगायी गयी हैं उसका विवरण नहीं दिया गया है।

(ङ) सोलर लाइटें लगने के पूर्व लगते समय तथा लगने के पश्चात् के फोटोग्राफ नहीं प्रस्तुत रहा।

(च) सोलर लाइट क्रय हेतु निर्धारित फर्म नेडा से क्रयन कर मनमाने ढंग से प्राइवेट फर्म से क्रय किया गया है।उक्त न्यूनताओं के आधार पर सोलर लाइट क्रय पर व्यय दर्शित कर धनराशि का दुरूपयोग किया गया है। उक्त की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान श्रीमती रेशमी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रह्मदेव पाल की रही। **(आ0 सं0–19)**

35. ग्राम पंचायत– चन्दाडीह, विकास खण्ड–सीयर

प्रस्तर–60ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त/राज्य वित्त) के बैंक खाते में वर्ष 2016–17 में कुल रू0 28413.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। गत वर्षों में प्राप्त ब्याज का कोई विवरण नहीं रखा गया है। वर्ष में प्राप्त ब्याज रू0 28413.00 को शा0सं0–1.22–10.2012.10–332–010 दिनांक 31.03.2012 के प्रस्तर–3 के अनुसार राज्य सरकार को वापस किया जाना चाहिए था,

परन्तु सम्बन्धित शासनादेश का अनुपालन न कर रू0 28413.00 से वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। उक्त धनराशि राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0–4)**

प्रस्तर–61दिनांक 09.01.2017 को रू0 4000.00 का भुगतान टेण्डर विज्ञापन हेतु श्री अमरेश मिश्र पत्रकार को दिया जाना दर्शित है। विज्ञापन हेतु भुगतान सम्बन्धित समाचार–पत्र को न कर किसी अन्य व्यक्ति को करना पूर्णतया अनियमित रहा। अतः रू0 4000.00 का भुगतान अनियमित होने के कारण ब्याज सहित वसूली योग्य है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री केशव प्रसाद वर्मा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0–20)**

प्रस्तर–62ग्राम पंचायत में विभिन्न कार्यों के निर्माण में वर्ष 2016–17 में निम्न विवरणानुसार ईंट/ईंट गिट्टी का क्रय किया जाना कैश–बुक में दर्शित हैः–

दिनांक	धनराशि	क्रीत सामग्री का विवरण	सम्बन्धित कार्य का नाम
8.6.2016	306787.00	47198 नग ईंट 6.5 केशव प्रसाद वर्मा ईंट भट्ठा	किशोरगंज मार्ग से राजदेव के चक तक मिट्टी/खड़ंजा कार्य।
26.10.2016	107818.00	16716 नग ईंट 6.45 केशव प्रसाद वर्मा ईंट भट्ठा	मेन रोड से रमाकान्त मिश्र के घर तक खड़ंजा कार्य।
08.11.2016	19350.00	30000 नग ईंट 6. 45 केशव प्रसाद वर्मा ईंट भट्ठा	मेन रोड से रामविलास राजभर के घर तक खड़ंजा कार्य।
19.11.2016	116100.00	18000 नग ईंट 6. 45 केशव प्रसाद वर्मा ईंट भट्ठा	मेन सड़क से संजय पाण्डेय के घर तक खड़ंजा कार्य।
27.02.2017	59913–00	ईंट/ईंट गिट्टी केशव प्रसाद वर्मा ईंट भट्ठा	चन्दाडीह में नाली निर्माण कार्य।
03.03.2017	156500–00	22000 नग ईंट + ईंट टुकड़ी केशव प्रसाद वर्मा ईंट भट्ठा	रामकृपाल के घर से रमाकान्त के घर तक नाली निर्माण कार्य।

उपरोक्तानुसार ईंट एवं ईंट गिट्टी का क्रय भट्ठा मालिक श्री केशव प्रसाद वर्मा से किया गया है। उक्त क्रय पर आयकर दर 2.24% से रू0 25404.00 तथा वैट दर 4% से रू0 45365.00 होता है। जिसे न तो फर्म से काटा गया है और न ही राजकीय कोषागार में जमा किया गया है। अतः कुल धनराशि रू0 70769.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान केशव प्रसाद वर्मा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय से संयुक्त रूप से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–22)**

36. ग्राम पंचायत–सिसयण्ड कला, विकास खण्ड–सीयर

प्रस्तर–63ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त/राज्य वित्त) के बैंक खाते में वर्ष 2016–17 में कुल रू0 17420.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। गत वर्षों में प्राप्त ब्याज का कोई विवरण नहीं रखा गया है। वर्ष में प्राप्त ब्याज रू0 17420.00 को शा0सं0–ए-1.22.10.2012.10,33,2010 दिनांक 31.03.2012 के प्रस्तर–3 के अनुसार राज्य सरकार को वापस किया जाना चाहिए था, परन्तु सम्बन्धित शासनादेश का अनुपालन न कर रू0 17420.00 से वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। उक्त धनराशि राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0सं0–4)**

प्रस्तर–64निम्नांकित तिथियों में प्रमाणक विहिन एवं विवरणहीन (कैशबुक में पात्र धनराशि अंकित कर) व्यय दर्शित कर धन का अपहरण किया गया हैः–

दिनांक	धनराशि	भुगतानित माह का विवरण
07.10.2016	10000.00	कैशबुक में कोई कार्य/व्यय विवरण अंकित नहीं है।
07.02.2017	14672.00	कैशबुक में कोई कार्य/व्यय विवरण अंकित नहीं है।
07.02.2017	30272.00	कैशबुक में कोई कार्य/व्यय विवरण अंकित नहीं है।
	योग : **54944.00**	

उपरोक्तानुसार कैशबुक में बिना व्यय विवरण लिखे धन का अपहरण किया गया है। उक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री धनन्जय तिवारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0–10)

प्रस्तर–65निम्नांकित तिथियों में बिना प्रमाणक के व्यय दर्शित कर धन का अपहरण किया गया हैः–

दिनांक	**धनराशि**	**भुगतानित माह का विवरण**
04.01.2017	8000.00	आकस्मिक खर्च।
09.03.2017	10000.00	आकस्मिक खर्च।
योग :	**18000.00**	

उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत रहा। प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है, अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री धनन्जय तिवारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0–11)**

प्रस्तर–66निम्नांकित तिथियों में ट्राली से मिट्टी पटाई कार्य करते हुए ग्राम पंचायत में कार्य कराया गया हैः–

दिनांक	धनराशि	क्रीत सामग्री का विवरण	सम्बन्धित कार्य का नाम
25.04.2016	10140.00	मात्रा अंकित नहीं।	लल्लन गुप्ता के घर से कमला सिंह के दरवाजे तक खड़ंजा मरम्मत कार्य।
18.05.2016	20000.00	मात्रा अंकित नहीं।	शिवधर के घर से नहर पुलिया तक खड़ंजा मरम्मत कार्य।
05.11.2016	20000.00	मात्रा अंकित नहीं।	नहर पुलिया से बेचन यादव के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य।
23.11.2016	3400.00	मात्रा अंकित नहीं।	जयनाथ के घर से जय गोविन्द के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य।
25.11.2016	5000.00	मात्रा अंकित नहीं।	शिवधर यादव के घर से रमाशंकर के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य।
योग :	58540.00		

उपरोक्तानुसार विभिन्न कार्यों पर ट्राली से मिट्टी पटाई कार्य किया गया है। मिट्टी की मात्रा अंकित नहीं है। लगभग 117 ट्राली मिट्टी घनमीटर में 351 घनमीटर के लगभग मिट्टी पटाई का कार्य किया गया है। उक्त खनन पर दर 14 प्रतिघन मीटर की दर से कुल रू0 4914.00 रायल्टी होता है जिससे राजकीय कोषागार में न जमा कर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। अतः उक्त धनराशि रू0 4914.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री धनन्जय तिवारी से संयुक्त रूप से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं–12)**

37. ग्राम पंचायत– ताडी बड़ागॉव विकास खण्ड– नगरा

प्रस्तर–67ग्राम निधि प्रथम पासबुक के अनुसार दिनांक 23.10.2017 को चेक सं0–10000016 के माध्यम से रू0 24000.00 प्रधान श्रीमती चम्पा देवी द्वारा आहरित है जिसका अंकन कैशबुक में नहीं किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 31.01.2017 को चेक सं0–10000017 के माध्यम से रू0 24000.00 श्री गूजन राम अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैंक से आहरित है। कैशबुक में रू0 24000.00 के स्थान पर मात्र रू0 21000.00 अंकित इस प्रकार दि0 23.01.2017 को रू0 24000.00 एवं दिनांक 31.01.2017 को रू0 3000.00 कोष बही में अंकित न करके आहरित धन का सीधे अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रू0 24000.00+3000.00= रू0 27000.00 का आधा भाग रू0 13500.00 प्रधान श्रीमती चम्पा देवी एवं आधा भाग रू0 13500.00 सचिव श्री नागेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–22)**

प्रस्तर–68निम्नलिखित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम कोष बही में व्यय अंकित किया गया है जिससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं रहाः–

28.3.2017 रू0 13750.00 सोलर लाईट 5 नग दर रू0 27500.00
29.3.2017 रू0 192500.00 सोलर लाईट 7 नग दर रू0 27500.00
29.3.2017 रू0 220000.00 सोलर लाईट 8 नग दर रू0 27500.00
24.06.2016 रू0 60000.00 ह्यूमपाइप क्रय (उपयोग नहीं)
30.06.2016 रू0 39500.00 ह्यूमपाइप क्रय (उपयोग नहीं)
05.10.2016 रू0 113400.00 ह्यूमपाइप क्रय (उपयोग नहीं)
24.03.2017 रू0 10000.00 आडिट फीस, प्रिया साफ्ट, स्टेशनरी हेतु भुगतान।

योग : रू0 772900.00

उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल, बाउचर, कैशमेमो, चालान, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, प्रस्ताव, स्थानों की सूची, फोटोग्राफी, स्टाक पंजी, टेण्डर कोटेशन आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक विहीन तथा बिना सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। स्पष्ट है कि बिना प्रमाणक कोष बही में व्यय अंकित कर उक्त धन का अपहरण कर लिया गया है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।विभागीय जांचोपरान्त कुल अपहरित धनराशि रू0 772900.00 का आधा भाग रू0 386450.00 प्रधान श्रीमती चम्पा देवी एवं आधा भाग रू0 386450.00 सचिव श्री नागेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–23)**

प्रस्तर–69 लेखा परीक्षा के समय मनरेगा से सम्बन्धित एक कम्प्यूटीकृत वित्तीय ऑकड़ा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वर्ष 2016–17 में मजदूरी पर रू0 1267000.00 एवं सामग्री पर रू0 0.00 व्यय किया गया है। रू0 9000.00 वर्षांत में मजदूरी भुगतान हेतु शेष दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल बाउचर, स्टीमेट, एम0बी0, पत्रावली आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गम्भीर अनियमितता है। प्रधान श्रीमती चम्पा देवी एवं सचिव श्री नागेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी समान रूप से जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय एवं प्रशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–24)**

38. ग्राम पंचायत– बदनपुरा विकास खण्ड– गड़वार

प्रस्तर–70आलोच्य वर्ष में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम खाता से विभिन्न तिथियों में कुल रू0 926400.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल, बाउचर, कैशमेमो, चालान, रसीदें, मस्टर रोल, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, प्रस्ताव, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनिकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय कोष बही में अंकित किया जाना उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। इस हेतु तत्कालीन प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।कुल व्यय धनराशि रू0 926400.00 का आधा भाग रू0 463200.00 प्रधान श्रीमती सीता देवी एवं आधा भाग रू0 463200.00 सचिव श्री अरविन्द कुमार निगम, ग्राम विकास अधिकारी, से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–22)**

प्रस्तर–71मनरेगा से सम्बन्धित वर्ष 2016–17 को एक कम्प्यूटराइज्ड वित्तीय स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार आलोच्य वर्ष में रू0 384750.00 मजदूरी पर व्यय है। सामग्री पर कोई धनराशि व्यय नहीं है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल बाउचर, मस्टर रोल्स, एम0बी0, स्टीमेट या अन्य कोई भी पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे सम्बन्धित कोष बही भी तैयार नहीं किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। जिम्मेदार प्रधान श्रीमती सीता देवी एवं सचिव श्री अरविन्द कुमार निगम, ग्राम विकास अधिकारी हैं।

(आ0 सं0–23)

39. ग्राम पंचायत– जिगनी जिगनहरा, विकास खण्ड– गड़वार

प्रस्तर–72दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2017 की अवधि में ग्राम निधि प्रथम खाता, पासबुक एवं कैशबुक के अनुसार कुल रू0 1705000.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय दर्शित है। इसमें से रू0 1020000.00 पूर्व प्रधान श्री राजनाथ वर्मा एवं रू0 685000.00 वर्तमान प्रधान श्रीमती जानकी देवी के कार्यकाल में व्यय है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल बाउचर, कैशमेमो, चालान, रसीदें, मस्टर रोल, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, प्रस्ताव, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनिकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय कोष बही में अंकित किया जाना उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु पूर्व प्रधान श्री राजनाथ वर्मा, वर्तमान प्रधान श्रीमती जानकी देवी एवं सचिव श्री अरविन्द कुमार निगम, ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।पूर्व प्रधान की अवधि में कुल व्यय धनराशि रू0 1020000.00 का आधा भाग रू0 510000.00 तत्कालीन प्रधान श्री राजनाथ वर्मा से एवं आधा भाग रू0 510000.00 सचिव श्री अरविन्द कुमार निगम, ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान प्रधान की अवधि में कुल व्यय धनराशि रू0 685000.00 का आधा भाग रू0 342500.00 प्रधान श्रीमती जानकी देवी एवं आधा भाग रू0 342500.00 सचिव श्री अरविन्द कुमार निगम, ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–73मनरेगा से सम्बन्धित एक कम्प्यूटराइज्ड वित्तीय ऑकड़ा आडिट में प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार वर्ष वार व्यय निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	कमांश	सामग्री
2014–15	रू0 545632.00	रू0 183084.00
2015–16	रू0 264413.00	रू0 38192.00
2016–17	रू0 345850.00	रू0 57362.00
	रू0 1155895.00 +	रू0 278638.00
		= रू0 1434533.00

उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा–प्रमाणक, बिल बाउचर, मस्टर रोल्स, एम0बी0, स्टीमेट या अन्य कोई भी पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे सम्बन्धित कोष बही भी तैयार नहीं किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। प्रधान श्रीमती जानकी देवी एवं सचिव श्री अरविन्द कुमार निगम, ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

40.ग्राम पंचायत– नूरपुर, विकास खण्ड– गड़वार

प्रस्तर–74ग्राम निधि प्रथम खाता वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में पूर्व प्रधान श्रीमती निकहत सबा के कार्यकाल में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न तिथियों में विभिन्न मदों पर निम्नानुसार वर्षवार व्यय किया गया हैः–

वर्ष 2014–15 रू0 1241218.00
वर्ष 2015–16 रू0 911189.00
योग– रू0 2152407.00

इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल बाउचर, कैशमेमो, चालान, रसीदें, मस्टर रोल, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, प्रस्ताव, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनिकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय कोष बही में अंकित किया जाना उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु तत्कालीन प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।विभागीय जांचोपरान्त कुल व्यय धनराशि रू0 2152407.00 का आधा तत्कालीन प्रधान श्रीमती निकहत सबा एवं आधा भाग रू0 1076203.00 सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक, ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–22)**

प्रस्तर–75मनरेगा से सम्बन्धित एक कम्प्यूटराइज्ड स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार वर्षवार व्यय निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	कमांश	सामग्री
2014–15	रू0 428000.00	रू0 157000.00
2015–16	रू0 454000.00	रू0 128000.00
2016–17	रू0 120000.00	रू0 00.00
	रू0 1002000.00 +	रू0 285000.00
		= रू0 1287000.00

इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल बाउचर, मस्टर रोल्स, एम0बी0, स्टीमेट या अन्य कोई भी पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे सम्बन्धित कोष बही भी तैयार नहीं किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। प्रधान श्रीमती निकहत सबा एवं सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक, ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय एवं प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0–23)**

41. ग्राम पंचायत– थुम्हा उत्तम, विकास खण्ड– गड़वार

प्रस्तर–76वर्ष 2014–15 से 2016–17 की अवधि में पूर्व प्रधान श्री राधाकृष्ण यादव के कार्यकाल में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न तिथियों में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों में व्यय किया गया हैः–

वर्ष 2014–15 रू0 397855.00 (–) बैंक कटौती रू0 160.00} = रू0 397695.00
वर्ष 2015–16 रू0 242646.00 (–) बैंक कटौती रू0 280.00} = रू0 242366.00
योग–रू0 640061.00

उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल बाउचर, कैशमेमो, चालान, रसीदें, मस्टर रोल, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, प्रस्ताव, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनिकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय कोष बही में अंकित किया जाना उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु तत्कालीन प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

विभागीय जांचोपरान्त कुल व्यय धनराशि रू0 640061.00 का आधा भाग रू0 320032.50 तत्कालीन प्रधान श्री राधाकृष्ण यादव एवं आधा भाग रू0 320032.50 सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक, ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–22)**

प्रस्तर–77 वर्ष 2015 – 16 एवं 2016–17 में वर्तमान प्रधान श्रीमती स्वास्तिका यादव के कार्यकाल में वर्ष 2015–16 के अनुसार विभिन्न तिथियों में विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल बाउचर, कैशमेमो, चालान, रसीदें, मस्टर रोल, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, प्रस्ताव, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनिकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया । बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा

परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय कोष बही में अंकित किया जाना उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु तत्कालीन प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।कुल व्यय धनराशि रू0 488589.00 का आधा भाग रू0 244294.50 तत्कालीन प्रधान श्रीमती स्वास्तिका यादव एवं आधा भाग रू0 244294.50 सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक, ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0–23)

प्रस्तर–78निर्मल भारत अभियान कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 30.12.2014 से 03.02.2015 की अवधि में कुल रू0 181499.00 शौचालय निर्माण हेतु व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल, बाउचर, मस्टर रोल, स्टीमेट, एम0बी0, या अन्य कोई भी अभिलेख आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय कोष बही में अंकित किया जाना उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। इस हेतु तत्कालीन प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।कुल व्यय धनराशि रू0 181499.00 का आधा भाग रू0 90749.50 प्रधान श्री राधाकृष्ण यादव एवं आधा भाग रू0 90749.50 सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक, ग्राम विकास अधिकारी, से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–24)**

प्रस्तर–79मनरेगा से सम्बन्धित एक कम्प्यूटराइज्ड स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार वर्षवार व्यय निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	क्रमांश (रू0)	सामग्री (रू0)	योग (रू0)
2014–15	436000.00	337000.00	773000.00
2015–16	583000.00	100000.00	683000.00
2016–17	1312000.00	268000.00	1580000.00
योग :	**2331000.00**	**705000.00**	**3036000.00**

इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल बाउचर, एम0बी0, स्टीमेट या अन्य कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे सम्बन्धित कैशबुक भी तैयार नहीं किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। प्रधान श्री स्वातिका यादव, पूर्व प्रधान श्री राधाकृष्ण यादव एवं सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक, ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय एवं प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0–25)

42. ग्राम पंचायत– सिकटौटी, विकास खण्ड– गड़वार

प्रस्तर–80वर्ष 2014–15 से 2016–17 की अवधि में पूर्व प्रधान श्री जितेन्द्र यादव के कार्यकाल में कैशबुक एवं पासबुक के निम्नानुसार विभिन्न मदों में व्यय किया गया हैः–

वर्ष	2014–15	2015–16	योग
ग्रा0नि0प्रथम	740393.00	217820.00	958213.00
निर्मलभा0अभि0	230000.00	454102.00	648102.00
योग :	970393.00	671922.00	1642315.00

उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल बाउचर, कैशमेमो, चालान, रसीदें, मस्टर रोल, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, प्रस्ताव, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनिकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय कोष बही में अंकित किया जाना उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु तत्कालीन प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।विभागीय जांचोपरान्त कुल व्यय धनराशि रू0 1642315.00 का आधा भाग रू0 821157.50 तत्कालीन प्रधान श्री जितेन्द्र यादव एवं आधा भाग रू0 821157.50 सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक, ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–22)**

प्रस्तर–81मनरेगा से सम्बन्धित एक कम्प्यूटराइज्ड स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार वर्षवार व्यय निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	क्रमांश (रू0)	सामग्री (रू0)	योग (रू0)
2014–15	9000.00	18000.00	27000.00
2015–16	339000.00	35000.00	374000.00
2016–17	163000.00	226000.00	389000.00
योग :	**511000.00**	**279000.00**	**790000.00**

इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल बाउचर, मस्टर रोल्स, एम0बी0, स्टीमेट या अन्य कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे सम्बन्धित कैशबुक भी तैयार नहीं किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। प्रधान श्री जितेन्द्र यादव एवं सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक, ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय एवं प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0–23)**

43. ग्राम पंचायत– दमोदरपुर, विकास खण्ड– गड़वार

प्रस्तर–82वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार क्रमशः रू0 638746.00 एवं रू0 258184.00 आहरित एवं व्यय किया गया है। इस व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, बिल बाउचर, कैशमेमो, चालान, रसीदें, मस्टर रोल, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, प्रस्ताव, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनिकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोष बही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय कोष बही में अंकित किया जाना उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु तत्कालीन प्रधान श्री विपुल कुमार पाण्डेय एवं सचिव शिवदयाल राम समान रूप से जिम्मेदार हैं।

विभागीय जांचोपरान्त कुल आहरित/व्यय धनराशि रू0 638746.00+258184.00=896930.00 का आधा भाग रू0 448465.00 तत्कालीन प्रधान श्री विपुल कुमार पाण्डेय एवं आधा भाग रू0 448465.00 तत्कालीन सचिव श्री शिवदयाल राम, ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–22)**

44. ग्राम पंचायत– निपनिया, विकास खण्ड– मनियर

प्रस्तर–83 आलोच्य वर्ष 2015–16 में निम्न तिथियों में इलाहाबाद बैंक शाखा–बांसडीह खातासं0–50045438858 से निकासी कर विभिन्न कार्यों पर खर्च किया गया है, विवरण निम्न हैः–

क्रम सं0	दिनांक	चेक सं0	भुगतान प्राप्त करने वाले फर्म/व्यक्ति का नाम	धनराशि
1.	08.05.2015	014537	श्रीमती रजवतिया देवी प्रधान	20000.00
2.	08.05.2015	014539	श्रीमती रजवतिया देवी प्रधान	20000.00
3.	08.05.2015	014538	अज्ञात	45000.00
4.	13.05.2015	014535	अज्ञात	97500.00
5.	22.05.2015	014540	श्रीमती रजवतिया देवी प्रधान	20000.00
6.	22.05.2015	014523	श्रीमती रजवतिया देवी प्रधान	20000.00
7.	01.06.2015	014521	अज्ञात	40000.00
8.	14.07.2015	014537	श्री रमाशंकर यादव सचिव	20000.00
9.	14.07.2015	014537	श्रीमती रजवतिया देवी प्रधान	20000.00
10.	20.07.2016	014539	श्रीमती रजवतिया देवी प्रधान	14000.00
11.	17.08.2015	014539	श्रीमती रजवतिया देवी प्रधान	12000.00
12.	19.08.2015	014538	अज्ञात	40000.00
			कुल योग :	**368500.00**

उक्त निकासी एवं कृत कार्य के सापेक्ष कार्ययोजना वर्क आई0डी0, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, सामग्री क्रय का प्रमाणक, मस्टररोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त धनराशि के खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त धनराशि प्रधान श्रीमती रजवतिया देवी एवं सचिव श्री रमाशंकर यादव से बराबर–बराबर रू0 184250.00+रू0 184250.00 ब्याज सहित वसूल कर पंचायत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–14)**

प्रस्तर–84दिनांक 28.03.2017 बाउचर–33 से प्रधान के मानदेय का भुगतान किया गया है, विवरण निम्नवत् हैः–

1.	जून 2016 से सित0 2016 तक दर 2500/–22500.00	
2.	अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक दर 3500/–	21000.00
	योग :	= 43500.00

शा0 सं0–3/2016/3038/33–1–2016–175एम0 एस0/2016 दिनांक 22 नवम्बर 2016 के क्रम में ग्राम प्रधान का मानदेय दिसम्बर 2016 से 3500/– की दर से निर्धारित है। लेकिन उक्त प्रकरण में माह अक्टूबर से भुगतान किया गया है जो देय भुगतान से रू0 2000 ज्यादा रहा। इसे अगले देय मानदेय में समायोजित किया जाना अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में प्रधान श्री मनोज कुमार यादव एवं सचिव श्री रमाशंकर यादव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आ0 सं0–18)**

45. ग्राम पंचायत– बड़सरी, विकास खण्ड– बांसडीह

प्रस्तर – 85 बड़सरी जागीर में जोहरा खां के घर से बेचू के घर तक खड़ंजा मरम्मत पर सामग्री एवं मजदूरी पर खर्च रू0 153000.00 का कैशबुक में दिखाया गया है जिसका भुगतान किसी फर्म को दिनांक 07.05.2016 चेक सं0 – 005209 से किया गया है लेकिन खर्च के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा यदि फर्म को भुगतान किया गया है तो मजदूरी भी फर्म द्वारा दी गयी है अस्पष्ट रहा । फर्म द्वारा ग्राम पंचायत में कोई कार्य नहीं कराया जा

सकता है जांच आवश्यक है तथा अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः उक्त धनराशि प्रधान एवं सचिव से बराबर–बराबर ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0–14)**

प्रस्तर–86दिनांक 11.08.2016 चेक संख्या–005212 एवं दिनांक 16.08.2016 चेक संख्या–005213 से क्रमशः रू0 80000.00+91000.00 का भुगतान किसी फर्म को किया गया है जो अज्ञात रहा। उक्त भुगतान के सापेक्ष कैशबुक में विभिन्न कार्यों पर सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान किया गया है परन्तु खर्च के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कृत कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त धनराशि प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0–15)**

प्रस्तर–87आलोच्य वर्ष में दिनांक 10.09.2016 बाउचर सं0–23 से कोषबही में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर खर्च रू0 35800.00 दिखाया गया है जिसके पक्ष में कितना हैण्डपम्प मरम्मत हुआ, स्थान अंकित नहीं, कितना सामग्री एवं मजदूरी पर खर्च, फर्म का नाम जिससे सामग्री भुगतान प्राप्त हुआ, से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त धनराशि प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0–16)**

प्रस्तर–88 बड़सरी जागीर में पोखरा के घाट निर्माण में निम्न सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान किया गया हैः–

1. दिनांक 20.12.2016 बाउचर–25 से 22000 नग ईंट क्रय दर 6.50 (चेक सं0–005214 से रू0 140000+ 3000 नकद)= 143000.00
2. दिनांक 28.12.2016 बाउचर–26 से उक्त कार्य पर ह्यूमपाइप क्रय फर्म अज्ञात= 104400.00
3. दिनांक 07.02.2017 बाउचर–28 से उक्त कार्य पर सामग्री क्रय (चेक सं0–040550 से रू0 157000 +56000 नकद)= 213000.00
4. दिनांक 16.02.2017 बाउचर–30 से ईंट का टुकड़ा नकद क्रय = 50300.00
5. उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान = 89760.00

योग : = 600460.00

उक्त कार्य की पुष्टि में स्टीमेट, कार्ययोजना, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, स्टाक रजिस्टर, सामग्री क्रय का कैशमेमो, कोटेशन, टेण्डर, सामग्री आपूर्ति करने वाले फर्म का नाम, वर्क आई0डी0, मस्टररोल, उपभोग प्रमाण–पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आ0 सं0–17)**

प्रस्तर–89दिनांक 26.02.2017 बाउचर–32 से स्ट्रीट लाइट क्रय 30 नग दर 3000/– की दर से कुल रू0 90000.00 का क्रय कर ग्राम पंचायत में लगाया गया है जो कैशबुक में अंकित है जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का कैशमेमो, वर्क आई0डी0, बिजली कनेक्शन सत्यापित स्थान की सूची, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः खर्च की धनराशि सचिव श्री परमेश्वर यादव एवं प्रधान श्रीमती राजकुमारी सिंह से ब्याज सहित वसूल कर पंचायत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–18)**

प्रस्तर–90दिनांक 29.03.2017 बाउचर–38 से इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 57500.00 का कैशबुक में खर्च दिखाया गया है जिसकी पुष्टि में सामग्री एवं मजदूरी का बिल बाउचर, सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम, कहां–कहां मरम्मत कराया गया सत्यापित सूची प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उक्त धनराशि बराबर– बराबर प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूल कर पंचायत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–19)**

प्रस्तर–91 आलोच्य वर्ष में दिनांक 31.03.2017 बाउचर–41 से प्रधान का मानदेय अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक दर 3500/– की दर से भुगतान किया गया है जबकि शासनादेश सं0–3/2016/3038/33–1–2016–175 एम0एस0/2016 दिनांक 22 नवम्बर 2016 के क्रम में ग्राम प्रधान का मानदेय दिसम्बर 2016 से 3500/– की दर से निर्धारित है। इस प्रकार देय भुगतान से रू0 8000.00 ज्यादा की धनराशि दे दी गयी है। अधिक भुगतान की धनराशि अगले देय मानदेय में समायोजित की जानी आवश्यक है अन्यथा कि स्थिति में उक्त अधिक भुगतान की धनराशि बराबर–बराबर प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0–20)**

46. ग्राम पंचायत– बिजलीपुर, विकास खण्ड– बांसडीह

प्रस्तर–92बैंक पासबुक खाता सं0–50044684623 (इलाहाबाद बैंक शाखा–बांसडीह) के अनुसार 01.04.2016 से 31.07.2016 तक आय एवं निकासी का विवरण निम्न हैः–

क्रम सं0	दिनांक	चेक सं0	निकासी	जमा	द्वारा निकासी (फर्म/ व्यक्ति का नाम) रू0
1.	04.04.2016	027535	19858.00	–	फर्म का नाम अज्ञात
2.	28.04.2016	027538	5000.00	–	श्री चन्दन कुमार सिंह प्रधान
3.	30.04.2016	027539	9000.00	–	फर्म का नाम अज्ञात
4.	02.05.2016	–	–	207926.00	चौदहवां वित्त की धनराशि
5.	31.05.2016	–	–	178.00	चौदहवां वित्त की धनराशि
6.	02.05.2016	–	–	3815.00	ब्याज की धनराशि प्राप्त
7.	12.07.2016	–	2000.00	–	अज्ञात
कुल योग :			35858.00	211919.00	

उक्त निकासी एवं आय की धनराशि कैशबुक में अंकित नहीं की गयी है। कैशबुक अगस्त माह से शुरू किया गया है जिससे उक्त निकासी के सापेक्ष कोई कार्य विवरण ज्ञात नहीं किया जा सका तथा उक्त निकासी से सम्बन्धित कार्ययोजना वर्क आई0डी0, स्टीमेट, एम0बी0, प्रशासनिक तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, सामग्री क्रय का कैशमेमो, मस्टररोल इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त धनराशि के खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त धनराशि प्रधान श्री चन्दन कुमार सिंह एवं सचिव श्री विनोद कुमार तिवारी से बराबर–बराबर रू0 17929.00+रू0 17929.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आ0 सं0–14)**

प्रस्तर–93दिनांक 01.08.2016 से 31.03.2017 तक कुल रू0 705864/– का खर्च दिखाया गया है जिसके सापेक्ष कार्ययोजना, वर्क आई.डी., स्टीमेट, एम.बी., कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, सामग्री क्रय का कैशमेमो दो लाख से ऊपर सामग्री क्रय पर उच्चाधिकारियों की अनुमति प्रमाण–पत्र, मस्टररोल, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः खर्च की धनराशि बराबर–बराबर प्रधान श्री चन्दन कुमार सिंह एवं सचिव श्री विनोद कुमार तिवारी से रू0 352932.00 + 352932.00 ब्याज सहित वसूल कर पंचायत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–18)**

47. ग्राम पंचायत– किर्तुपुर, विकास खण्ड– बांसडीह

प्रस्तर–94तीनों आलोच्य वर्षों की जांच में कैशबुक के अनुसार कराये गये कार्यों के सापेक्ष खर्च की धनराशि निम्न रही–

वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17
रू0 705663.00	रू0 336840.00	रू0 240220.00

उपर्युक्त खर्च के सापेक्ष प्रधान एवं सचिव द्वारा कराये गये कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्ययोजना वर्क आई.डी., प्रिया साफ्ट की प्रति, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, प्रशासनिक तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, हैण्डपम्प मरम्मत की संख्या, सत्यापित स्थान की सूची, सामग्र एवं मजदूरी का विवरण, सामग्री क्रय का कैशमेमो, मस्टररोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, 2014–15 में वर्ष भर ह्यूम पाइप क्रय आदेश, ग्राम पंचायत में आलोच्य वर्षों में स्थापित सोलर/स्ट्रीट लाईट के स्थान का विवरण एवं सत्यापित सूची, फोटोस्टेट एवं स्टेशनरी क्रय का बिल बाउचर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जाँचोपरान्त प्रधान श्रीमती अनिता यादव एवं सचिव श्री राधेश्याम वर्मा से वर्ष 2014–15 से 2015–16 में खर्च की धनराशि बराबर–बराबर रू0 521252.00+521252.00 एवं वर्ष 2016–17 में खर्च की धनराशि श्री दिग्विजय सिंह प्रधान एवं सचिव श्री राधेश्याम वर्मा से बराबर–बराबर रू0 120110.00 + 120110.00 ब्याज सहित वसूल कर पंचायत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–16)**

48. ग्राम पंचायत– केवटलिया, विकास खण्ड– बांसडीह

प्रस्तर–95आलोच्य वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में कराये गये कार्य पर खर्च का विवरण निम्न रही–

वर्ष	2015–16	2016–17
धनराशि	रू0 154500.00	रू0 513237.00

उपर्युक्त खर्च के सापेक्ष किये गये कार्यों की पुष्टि में कार्ययोजना, वर्क आई.डी., स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, प्रशासनिक तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, डेड स्टा रजिस्टर, प्रधान मानदेय रजिस्टर, कोटेशन, टेण्डर की फाइल, सामग्री क्रय का कैशमेमो, मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे कार्यों पर किये गये खर्च की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं की जा सकी। अतः वर्ष 2015–16 में खर्च की धनराशि रू0 154500.00 बराबर–बराबर प्रधान श्री रामदयाल साहनी एवं सचिव रू0 77250.00+77250.00 ब्याज सहित वसूल कर पंचायत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–17)**

प्रस्तर–96आलोच्य वर्ष 2016–17 में कराये गये कार्यों पर कुल खर्च रू0 513237.00 रहा जिसकी पुष्टि उपरोक्त पत्रावली प्रस्तुत न करने के कारण नहीं की जा सकी। अतः खर्च की धनराशि प्रधान श्रीमती पूनम देवी व सचिव श्री राधेश्याम वर्मा से बराबर–बराबर रू0 256619.00+256618.00 ब्याज सहित वसूल कर पंचायत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–18)**

ग्राम पंचायत–कोलकला, विकास खण्ड– बांसडीह

प्रस्तर–97कैशबुक के अनुसार दिनांक 08.03.2017 बाउचर–30 से सवरिया देवी के घर से काशीनाथ यादव के घर तक नाली निर्माण कार्य में लगे मिस्त्री एवं मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नकद किया गया, विवरण निम्न है–

मिस्त्री	दर	भुगतान धनराशि	मजदूर	दर	भुगतान धनराशि	कुल भुगतान
33	320.00	105560.00	77	210.00	16170.00	26730.00

उक्त भुगतान की गयी मजदूरी की जांच में पाया गया कि सम्बन्धित कार्य में ईंट, बालू, सीमेंट इत्यादि सामग्री कब खरीदा गया, कैशबुक में आलोच्य वर्ष में अंकित नहीं है तथा यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि कार्य कब प्रारम्भ हुआ, कब समाप्त हुआ। सम्बन्धित मस्टररोल, प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः भुगतान फर्जी है उक्त धनराशि प्रधान एवं सचिव से बराबर–बराबर रू0 13365.00+13365.00 ब्याज सहित वसूल कर पंचायत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 सं0–15)

प्रस्तर–98आलोच्य वर्ष 2016–17 में कराये गये कार्यों पर कुल खर्च रू0 513237.00 रहा जिसकी पुष्टि उपरोक्त पत्रावली प्रस्तुत न करने के कारण नहीं की जा सकी। अतः खर्च की धनराशि प्रधान श्रीमती पूनम देवी व सचिव श्री राधेश्याम वर्मा से बराबर–बराबर रू0 256619.00+256618.00 ब्याज सहित वसूल कर पंचायत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–17)**

49. ग्राम पंचायत–पर्वतपुर, विकास खण्ड– बांसडीह

प्रस्तर–99आलोच्य वर्ष 2016–17 में कैशबुक के अनुसार कुल खर्च रू0 1481346.00 रहा जिसके सापेक्ष कार्ययोजना, वर्क आई0डी0, स्टीमेट, एम0बी0, मस्टररोल, सामग्री क्रय का कैशमेमो, प्रशासनिक, तकनीकी वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, दो लाख से ऊपर के सामग्री क्रय पर उच्चाधिकारी की अनुमति प्रमाण–पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः धनराशि बराबर–बराबर रू0 740673.00+740630.00 प्रधान श्री मुन्ना कुमार यादव एवं सचिव श्री विनोद कुमार तिवारी से ब्याज सहित वसूल कर पंचायत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–16)**

50. ग्राम पंचायत–महाराजपुर, विकास खण्ड– बांसडीह

प्रस्तर–100आलोच्य वर्ष 2016–17 में कैशबुक के माह जनवरी 2017 के आय पक्ष का कुल योग रू0 722693.00 वास्तविक है जबकि सचिव द्वारा रू0 722573.00 अंकित किया गया है जो गलत रहा। उक्त आय के सापेक्ष कुल खर्च रू0 722645.00 रहा। अतः नकद अवशेष की धनराशि रू0 48.00 होनी चाहिए लेकिन सचिव द्वारा रू0 28.00 अंकित किया गया है। इतनी ही धनराशि फरवरी 2017 का प्रा0 भी रहा। अतः स्पष्ट है कि रू0 20.00 कम अंकित कर गबन कर लिया गया है। उक्त धनराशि प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार एवं सचिव श्री बसन्त लाल श्रीवास्तव से बराबर–बराबर रू0 10.00+10.00 ब्याज सहित वसूल कर पंचायत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।**(आ0 सं0–14)**

प्रस्तर–101दिनांक 27.02.2017 चेक संख्या–029698 से रू0 42000.00 की धनराशि पासबुक खाता संख्या–50044693671 इलाहाबाद बैंक शाखा–बांसडीह से आहरित है जिसे कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है। उक्त धनराशि का फर्जी भुगतान किसी फर्म को किया गया है जो विवरणहीन रहा। उक्त निकासी की धनराशि प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार एवं सचिव श्री बसन्त लाल श्रीवास्तव से बराबर–बराबर रू0 21000.00+21000.00 ब्याज सहित वसूल कर पंचायत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–16)**

51. ग्राम पंचायत–कोलकला, विकास खण्ड– बांसडीह

प्रस्तर–102कैशबुक के अनुसार दिनांक 08.03.2017 बाउचर–30 से सवरिया देवी के घर से काशीनाथ यादव के घर तक नाली निर्माण कार्य में लगे मिस्त्री एवं मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नकद किया गया, विवरण निम्न है–

मिस्त्री	दर	भुगतान धनराशि	मजदूर	दर	भुगतान धनराशि	कुल भुगतान
33	320.00	105560.00	77	210.00	16170.00	26730.00

उक्त भुगतान की गयी मजदूरी की जांच में पाया गया कि सम्बन्धित कार्य में ईंट, बालू, सीमेंट इत्यादि सामग्री कब खरीदा गया, कैशबुक में आलोच्य वर्ष में अंकित नहीं है तथा यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि कार्य कब प्रारम्भ हुआ, कब समाप्त हुआ। सम्बन्धित मस्टररोल, प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः भुगतान फर्जी है उक्त धनराशि प्रधान एवं सचिव से बराबर–बराबर रू0 13365.00+13365.00 ब्याज सहित वसूल कर पंचायत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।
(आ0 सं0–15)

प्रस्तर–103आलोच्य वर्ष 2016–17 में कराये गये कार्यों पर कुल खर्च रू0 513237.00 रहा जिसकी पुष्टि उपरोक्त पत्रावली प्रस्तुत न करने के कारण नहीं की जा सकी। अतः खर्च की धनराशि प्रधान श्रीमती पूनम देवी व सचिव श्री राधेश्याम वर्मा से बराबर–बराबर रू0 256619.00+256618.00 ब्याज सहित वसूल कर पंचायत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0–17)**

प्रारुप – 4

वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों में उद्घाटित <u>अपहरण/दुरुपयोग/अनियमितता</u> की आपत्तियों का विवरण –

जनपद – मऊ **सम्भाग – आजमगढ़**

<u>ग्राम पंचायत–जमालपुर</u> **<u>क्षेत्र पंचायत–रतनपुरा</u>**

प्रस्तर 1– ग्राम पंचायत में प्रधान द्वारा दिनांक 29.06.2015 को रु0 16620 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया कैशबुक में दर्शित है, लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है तथा कार्यस्थल की सूची व सक्षम अधिकारी का स्वीकृति पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन की अनियमितता की गयी है, इस अनियमितता हेतु प्रधान श्री अनिल कुमार एवं सचिव श्री संजू राम उत्तरदायी हैं, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत–मानिकपुर</u> **<u>क्षेत्र पंचायत–रतनपुरा</u>**

प्रस्तर 2–ग्राम पंचायत में प्रधान द्वारा दिनांक 19.09.2015 को राज्य वित्त खाता सं0 1732273399 से चेक सं0 039674 से रु012000 बैंक से नगद आहरित कर हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया कैशबुक में दर्शित है,लेखापरीक्षा में व्यय

प्रमाणक प्रस्तुत किया गया जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है तथा कार्यस्थल की सूची व सक्षम अधिकारी का स्वीकृति पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन की अनियमितता की गयी है, इस अनियमितता हेतु प्रधान श्री हीरा एवं सचिव श्री श्री लाल बिहारी उत्तरदायी हैं, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–लसरा **क्षेत्र पंचायत–रतनपुरा**

प्रस्तर 3– ग्राम पंचायत में प्रधान द्वारा दिनांक 30.05.2014 को राज्य वित्त खाता सं0 3103148622 से चेक सं0 04643 से रु0 19000 बैंक से नगद आहरित कर हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया कैशबुक में दर्शित है, लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है तथा कार्यस्थल की सूची व सक्षम अधिकारी का स्वीकृति पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन की अनियमितता की गयी है, इस अनियमितता हेतु प्रधान श्री चन्द्रबली प्रसाद एवं सचिव श्री यशवन्त राम उत्तरदायी हैं, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–मोलनापुर **क्षेत्र पंचायत–रतनपुरा**

प्रस्तर 4– ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के सेन्ट्रल बैंक के बचत खाते खाता सं0 23348446212 से कुल रु 1102548 की आमदनी हुई, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में कुल रु0 1108944 की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा**।अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता व ग्राम विकास अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 554472 व रु 554472 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। उ0प्र0 पंचायतीराज के लेखा मैन्युअल के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि बाद में प्रस्तुत किया गया प्रमाणक किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

ग्राम पंचायत–पिल्खी वरुना **क्षेत्र पंचायत–रतनपुरा**

प्रस्तर 5– ग्राम पंचायत में दिनांक 01.10.213 को गत माह का अवशेष शून्य एवं माह अक्टूबर 2013 में प्रधान श्री रमाशंकर सिंह के द्वारा नकद राज्य वित्त/चौदहवॉ वित्त के खाता सं0 3103150379 से दिनांक 07.10.13 चेक सं0 059548 से रु0 36000 ,दिनांक 11.10.13 को चेक सं0 29549 से रु0 20000, दिनांक 31.10.13 को चेक सं0 29550 से रु0 50000 कुल निकासी माह में रु0 106000 कैशबुक में आय पक्ष में प्रविष्ट किया गया है, जिसके सापेक्ष व्यय पक्ष में मात्र 58500 ईट क्रय पर व्यय दर्शित है,एवं दिनांक 31.10.2013 को प्रधान के पास नकद अवशेष रु0 2500 कैशबुक में दर्शित है, जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार अवशेष रु0 47500 प्रधान पास होना चाहिए। अतः इस प्रकार नकद रोकण शेष रु0 45000 का अपहरण प्रधान श्री रमाशंकर सिंह व सचिव श्री हरिशंकर राम द्वारा कर लिया गया है।अतः रु0 45000 की वसूली प्रधान श्री रमाशंकर सिंह से रु0 22500 व सचिव श्री हरिशंकर राम से रु0 22500 ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 6 – ग्राम पंचायत में प्रधान द्वारा दिनांक 22.11.13 को रु0 18650 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया कैशबुक में दर्शित है, लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है तथा कार्यस्थल की सूची व सक्षम अधिकारी का स्वीकृति पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन की अनियमितता की गयी है, इस अनियमितता हेतु प्रधान प्रधान रमाशंकर सिंह व सचिव श्री हरिशंकर राम उत्तरदायी हैं, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–भुड़सुरी **क्षेत्र पंचायत–रतनपुरा**

प्रस्तर 7– ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के सेन्ट्रल बैंक के बचत खाते खाता सं0 1732335744 से कुंल रु 757259 की आमदनी हुई, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रु0 1083464 की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा**। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय – 8 के प्रस्तर 8 – क के अनुसार आहरित

धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री अजय सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील रावत से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 541732 व रु 541732 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–मिश्रौली क्षेत्र पंचायत–रतनपुरा

प्रस्तर 8– ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के सेन्ट्रल बैंक के बचत खाते खाता सं0 2334844271 से कुल रु 2015818 की आमदनी हुई, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 में कुल रु0 2172431 की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा** ।अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से रु0 2172431 अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री वीर बहादुर यादव व श्री विजय कुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री वरुण कुमार से समान रुप से तीनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 516750 व रु 516750 व रु 1086215 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–खरारगाड़ी क्षेत्र पंचायत–रतनपुरा

प्रस्तर 9– ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के सेन्ट्रल बैंक के बचत खाते खाता सं0 3513626762 से दोनों वित्तीय वर्ष में रु0 253406 व 582570 कुंल रु 835976 की आमदनी हुई, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 में कुल रु0 703466 की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा** ।अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से रु0 703466 अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री हरिन्द्र प्रसाद व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील रावत से समान रुप से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 351733 व रु 351733 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–करउत क्षेत्र पंचायत–रतनपुरा

प्रस्तर 10– ग्राम पंचायत में प्रधान द्वारा दिनांक 04.04.2014 को राज्य वित खाता सं0 20496 चेक सं0 03488 से रु0 10000 बैंक से आहरित कर हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया कैशबुक में दर्शित है, लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है तथा कार्यस्थल की सूची व सक्षम अधिकारी का स्वीकृति पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन की अनियमितता की गयी हैं, इस अनियमितता हेतु प्रधान श्री मनोज कुमार व सचिव श्री राजेश कुमार उत्तरदायी हैं, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–नगवॉ क्षेत्र पंचायत–रतनपुरा

प्रस्तर 11– ग्राम पंचायत में प्रधान द्वारा दिनांक 04.12.2014 को राज्य वित खाता सं0 1732335563 चेक सं0 031660 से रु0 11300 बैंक से आहरित कर हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया कैशबुक में दर्शित है, लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है तथा कार्यस्थल की सूची व सक्षम अधिकारी का स्वीकृति पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन की अनियमितता की गयी हैं, इस अनियमितता हेतु प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी व सचिव श्री भूपेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत–सेहबरपुर क्षेत्र पंचायत–रतनपुरा

प्रस्तर 12– ग्राम पंचायत सेहबरपुर की लेखा परीक्षा में देखने में आया कि निम्नविवरणानुसार कुल रु0 116320 कैशबुक के व्यय पक्ष में खारिज किया गया है। लेखा परीक्षा में सम्बन्धित प्रमाणक अनुपलब्ध पाए गए एव क्रय सामान की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में किए जाने की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। क्रय अवास्तविक रहा। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार इसको गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचा0 अधि0 से संयुक्त रुप से आधी–आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	चेक सं0	क्रय का विवरण	धनराशि रु0	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	वसूली की धनराशि
1	13.12.12	22207	ईंट क्रय	64730	श्रीमती ललिया देवी प्रधान श्री रामसूरत राम	रु0 32365 रु0 32365
2	13.12.12	22208	सीमेंट / बालू क्रय	51590	श्रीमती ललिया देवी प्रधान श्री रामसूरत राम	रु0 25795 रु0 25795

ग्रामपंचायत–पिण्डोहरि

क्षेत्र पंचायत–रतनपुरा

प्रस्तर 13– ग्राम पंचायत पिण्डोहरि की लेखा परीक्षा में देखने में आया कि निम्नविवरणानुसार कुल रु0 267800 कैशबुक के व्यय पक्ष में खारिज किया गया है। लेखा परीक्षा में सम्बन्धित प्रमाणक अनुपलब्ध पाए गए एव क्रयसामान की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में किए जाने की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। क्रय अवास्तविक रहा। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार इसको गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान श्रीमती सरोज सिंह प्रधान व ग्राम पंचा0 अधि0 श्री भूपेन्द्र सिंह से संयुक्त रुप से आधी–आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	चेक सं0	क्रय का विवरण	धनराशि रु0	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	वसूली की धनराशि
1	24.05.14	12045	ईंट क्रय	193800	श्रीमती सरोज सिंह प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह	रु0 96900 रु0 96900
2	13.12.12	42643	लाईट क्रय	74000	श्रीमती सरोज सिंह प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह	रु0 37000 रु0 37000

ग्राम पंचायत –कोठिया **क्षेत्र पंचायत – मुहम्मदाबाद**

प्रस्तर – 14 – ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू 98075 कैश बुक में व्यय किया जाना अंकित है ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा दौरान मांग करने पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया । इस प्रकार रू 98075 का अहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धन्जय गौरव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती हेमवन्ती देवी के द्वारा किया गया है । ज्ञात हो कि बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्यााय 08 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती हेमवन्ती देवी से रू 49038 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धनजय गौरव से रू 49038 समान रूप से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत –भातकोल **क्षेत्र पंचायत –मुहम्मदाबाद**

प्रस्तर – 15 – ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू 128330 कैश बुक में व्यय किया जाना अंकित है ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा दौरान मांग करने पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया । इस प्रकार रू 128330 का अहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमल कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनिता देवी के द्वारा किया गया है । ज्ञात हो कि बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्यााय 08 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी से रू 64165 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमलकुमार से रू 64165 समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत –भाटपारा **क्षेत्र पंचायत –मुहम्मदाबाद**

प्रस्तर – 16 – ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू 296510 कैश बुक में व्यय किया जाना अंकित है ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा दौरान मांग करने पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया । इस प्रकार रू 296510 का अहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमल कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती देवन्ती देवी के द्वारा किया गया है । ज्ञात हो कि बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्यााय 08 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती देवन्ती देवी से रू 148255 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमलकुमार से रू 148255 समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत –दपेहडी **क्षेत्र पंचायत –मुहम्मदाबाद**

प्रस्तर – 17 – आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित/चौदवा वित आयोग के अन्तर गत अनुदान के बचत खाता संख्या 418702010505266 से ग्राम पंचायत द्वारा रू 130905 का आहरण किया गया है परन्तु कोष बही में आय–व्यय न दर्शाया गया है इस प्रकार रू 130905 का अहरण ग्राम प्रधान श्री उमेश प्रसाद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार तिवारी के द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री उमेश प्रसाद से रू 65452 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार तिवारी से रू 65453 की वसूली समान रूप से दोनो से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । जिसका विवरण अंकित है।

क0स0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1–	09.03.2017	20000	चेक संख्या 10002182 कोषबही में न दर्शाकर अपहरण
2–	09.03.2017	30905	चेक संख्या 21035460 कोषबही में न दर्शाकर अपहरण
3–	15.03.2017	80000	चेक संख्या 10002181 कोषबही में न दर्शाकर अपहरण
	योग	130905	

प्रस्तर–18–आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा रू 381476 का सामान्य कय व हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय करना दर्शाया गया है । लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण ग्राम प्रधान श्री उमेश प्रसाद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश तिवारी के द्वारा किया गया है । उक्त धनराशि को बिना प्रमाणको को मानते हुए ग्राम प्रधान से रू 190738 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से रू 190738 का वसूली ब्याज सहित समान रूप से दोनो से आधाी–आधी की जानी अपेक्षित है । जिसका विवरण अंकित–

क0स0	दिनॉक	धनराशि	कार्य का विवरण
1	09.04.2016	69600	हैण्ड पम्म मरम्मत पर व्यय
2	17.05.2016	46050	,, ,,
3	17.05.2016	50000	,, ,,
4	10.05.2016	15826	,, ,,
5	01.03.2017	200000	,, ,,
	योग	**381476**	

ग्राम पंचायत–भतडी चक भतडी **क्षेत्र पंचायत–मुहम्मदाबाद**

प्रस्तर–19– ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य वित /तेरहवा वित आयोग के अन्तरगर्त प्राप्त अनुदान के बचत खाता संख्या (418702010009534) से आहरित कर कुल रू 658864.00 का व्यय दिखाया गया । जबकि प्रिया साफ्ट में मात्र रू 468266.00 का व्यय ही दर्शित है इस प्रकार रू 190558.00 आहरित धनराशि का विवरण प्रिया साफ्ट में न दर्शाकर धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री दिवाकर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द सिंह तत्कालिन सचिव के द्वारा आहरित किया गया है । उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान से रू 95299 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से रू 95299 की वसूली समान रूप से ब्याज सहित दोनो से वसूली की जानी अपेक्षित है ।प्रिया साफ्ट फिडिग में अनियमितता हेतु ग्राम विकास अधिकारी के विरूध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–20–आलोच्य वर्ष 2016–17 में लेखा परीक्षा के दौरान रू 468266.00 का व्यय प्रमाणक का न प्रस्तुत कर अपहरण ग्राम प्रधान श्री दिवाकर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द सिंह तत्कालीन सचिव द्वारा किया गया है ।बिना प्रमाणक के उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से दोनो से आधी आधी धनराशि कमशः रू 234133 व 234133 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है ।

क0स0	दिनॉक	धनराशि	कृत कार्य का विवरण
01	02.04.2016	4000	हैण्ड पॅप का मरम्मत
02	02.04.2016	28633	हैण्ड पॅप का मरम्मत
03	04.04.2016	17426	हैण्ड पॅप का मरम्मत
04	12.04.2016	10397	कुर्सी मेज दरी आदि
05	29.04.2016	20203	हैण्ड पम्प मरम्मत
06	03.05.2016	32000	हयूम पाइप कय
07	04.05.2016	18447	सहा0वि0अधि0 पंचायत
08	18.07.2016	45865	खडजा मरम्मत (ईट व मजदूरी)
09	17.08.2016	45865	खडजा मरम्मत (मिटटी व मजदूरी)
10	12.09.2016	20000	प्रधान का मानदेय
11	12.09.2016	11500	हैण्ड पॅप का मरम्मत
12	28.09.2016	3675	बास्ता हेतु
13	07.10.2016	4500	विज्ञापन व्यय
14	07.10.2016	85340	खडजा मरम्मत पर सामाग्री
15	21.02.2017	120405	नाला निर्माण पर सामाग्री
	योग	468266	

ग्राम पंचायत–उम्मनपुर **क्षेत्र पंचायत–मुहम्मदाबाद**

प्रस्तर–21–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य वित /तेरहवा वित आयोग के अन्तरगर्त प्राप्त अनुदान के बचत खाता संख्या (475802011011948) से आहरित कर कोष बही में कुल रू 148220.00.00 का व्यय दिखाया गया । ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान मांग करने पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया ,ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के द्वारा रू 144220.00 का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है ।उक्त धनराशि बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री मनोज व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रभान राम से समान रूप से दोनो से आधी आधी धनराशि कमशः रू 74120.00 व 74120.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत–खैराबाद **क्षेत्र पंचायत–मुहम्मदाबाद**

प्रस्तर–22–ग्राम पंचायत में वितिय वर्ष 2016–17 में राज्य वित /चौदहवां वित्त आयोग के अन्तरर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाता संख्या 47580201000256 खैराबाद बैंक खाता संख्या के आहरित कर कोष बही में दर्शित रू 4023572 का व्यय किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान मांग करने पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । समान बिना निविदा व कोटेशन के क्रय किया गया है । इस प्रकार रू 4023572 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा किया गया है उक्त धनराशि बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री दरख्शा से रू 2011786 व ग्राम विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र सिंह से रू 2011786 से समान रूप से दोनो से आधी आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

क0 स0	दिनॉक	आहरित चेक संख्या	धनराशि	
01	02.04.2016	21034764	30000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
02	02.04.2016	21034765	48500	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
03	05.04.2016	21034766	40000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
04	13.04.2016	21034769	44800	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
05	13.04.2016	21034770	30000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
06	13.04.2016	21034767	49200	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
07	13.04.2016	21034768	53300	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
08	18.04.2018	21034774	48000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
09	18.04.2018	21034773	49500	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
10	18.04.2018	21034772	49500	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
11	22.04.2016	21034776	20000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
12	22.04.2016	21034775	48000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
13	22.04.2016	21034771	130000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
14	27.04.2016	21034777	40000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
15	27.04.2016	21034778	30000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
16	03.05.2016	21034779	45000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
17	03.05.2016	21034780	45000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
18	10.05.2016	21036401	47700	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
19	10.05.2016	21036402	43400	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
20	18.05.2016	21036403	45000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
21	12.09.2016	21036406	48000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
22	12.09.2016	21036405	47000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
23	12.09.2016	21036407	45000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
24	12.09.2016	21036408	33000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
25	12.09.2016	21036409	48000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
26	12.09.2016	21036410	48000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
27	12.09.2016	21036411	19400	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
28	12.09.2016	21036412	36000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
29	14.09.2016	21036413	41000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
30	17.09.2016	21036415	60760	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
31	19.09.2016	21036418	13760	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
32	19.09.2016	21036417	27900	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
33	19.09.2016	21036416	26832	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
34	23.09.2016	21036414	3500	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
35	28.09.2016	21036419	40920	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
36	28.09.2016	21036420	55907	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
37	28.09.2016	21030121	62000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
38	08.10.2016	21030123	82175	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
39	13.10.2016	21030125	34900	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
40	13.10.2016	21030124	130200	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
41	17.10.2016	21030128	74400	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
42	18.10.2016	21030122	3000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा

43	24.10.2016	21030129	80000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
44	03.11.2016	21030130	3000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
45	05.11.2016	21030132	62000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
46	05.11.2016	21030131	57934	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
47	05.11.2016	21030125	2958	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
48	05.12.2016	21038133	19800	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
49	05.12.2016	21030135	70510	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
50	05.12.2016	21030134	42334	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
51	22.12.2016	21030137	19228	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
52	0201.2017	21030140	95552	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
53	02.01.17	21030139	3000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
54	02.01.17	21030138	19228	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
55	03.01.17	21043281	148750	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
56	12.01.17	21043282	3500	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
57	12.01.17	21043283	23870	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
58	20.01.17	21043284	23100	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
59	24.01.17	21043287	82000	कोष बही में दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
60	24.01.17	21043288	80000	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
61	03.02.17	21043289	22500	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
62	13.02.17	21043290	18600	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
63	16.02.17	21043292	23560	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
64	22.02.17	21043291	14280	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
65	01.03.17	21043293	23560	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
66	01.03.17	21043294	22470	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
67	07.03.17	21043295	10000	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
68	08.03.17	21043298	97950	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
70	08.03.17	21043297	163250	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
71	09.03.17	—	17	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
72	10.03.17	21043296	48650	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
73	10.03.17	21043299	162500	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
74	17.03.17	21043300	195900	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
75	17.03.17	2005001	162500	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
76	17.03.17	2005002	162500	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
77	18.03.17	—	17	कोष बही में दर्षित धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा
78	18.03.17	2005003	5000	
79	29.03.17	2005004	5000	
80	31.03.17	2005005	130000	
		योग	4023572	

ग्राम पंचायत—देवरियाखुर्द **क्षेत्र पंचायत—मुहम्मदाबाद**

प्रस्तर 23— ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016—17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 2752000100110790 पंजाब नेशनल बैंक)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु 544299 की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे —अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,कय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा**।अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय—8 के प्रस्तर 8—क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री श्री सुनील कुमार से समान रुप से दोनों से आधी — आधी धनराशि क्रमशः रु 272149 व रु 272150 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बिजौली **क्षेत्र पंचायत मुहम्मदाबाद**

प्रस्तर 24– आलोच्य वर्ष 2015–16 व 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा रू 73200 कैशबुक में व्यय करना दर्शाया गया है ।लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा मॉग करने पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रु0 73200 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री भूरा राम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमल कुमार के द्वारा किया गया है । ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री भूरा राम व ग्राम विकास अधिकारी श्री अमल कुमार से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु0 36600 व रु0 36600 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।जिसका विवरण निम्नवत है–

क्रमांक	दिनांक	मद/सामान का विवरण	धनराशि
1	22.03.16	3 अदद हैण्डपम्प मरम्मत	14500
2	22.06.16	2 अदद हैण्डपम्प मरम्मत	3200
3	17.09.16	2 अदद हैण्डपम्प मरम्मत	8000
4	23.09.16	प्र0वि0 बैरमपुर पर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत	3000
5	12.01.17	4 अदद हैण्डपम्प मरम्मत	12000
6	13.02.17	6 अदद हैण्डपम्प मरम्मत	17500
7	08.03.17	4 अदद हैण्डपम्प मरम्मत	15000
		योग	**73200**

ग्राम पंचायत – खतिबहा **क्षेत्र पंचायत – मुहम्मदाबाद**

प्रस्तर 25– दिनांक 31.03.17 को ग्राम पंचायत की कोषबही में रु0 93900 विभिन्न मदों में अनुदान राशि का अवशेष दर्षित है। शासनादेश के अनुसार प्राप्त अनुदान का व्यय वर्षान्त तक कर लिया जाय, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश सं0 2507/2–03–99–4(215)दिनांक 04.08.1999 के अनुरुप अनुदान रजि0 से अनुदान की मदवार पुष्टि उपरान्त शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है, किन्तु वर्षान्त में अवशेष अनुदान को बैंक खातें में रोके रखकर अनियमितता की गयी है, इस अनियमितता के लिए ग्राम प्रधान श्री राकेश व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र यादव उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – तिलसवॉ **क्षेत्र पंचायत – मुहम्मदाबाद**

प्रस्तर 26–दिनांक 31.03.17 को ग्राम पंचायत की कोषबही में रु0 125156 विभिन्न मदों में अनुदान राशि का अवशेष दर्षित है। शासनादेश के अनुसार प्राप्त अनुदान का व्यय वर्षान्त तक कर लिया जाय, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश सं0 2507/2–03–99–4(215)दिनांक 04.08.1999 के अनुरुप अनुदान रजि0 से अनुदान की मदवार पुष्टि उपरान्त शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है, किन्तु वर्षान्त में अवशेष अनुदान को बैंक खातें में रोके रखकर अनियमितता की गयी है, इस अनियमितता के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क ग्राम पंचायत – तिलसवॉ **क्षेत्र पंचायत – मुहम्मदाबाद**

शासनादेश सं0 10/2015/1–1–502(1)/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार ग्राम निधि खाते में ब्याज की धनराशि रू0 21495.00 को कोषागार में जमा किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ब्याज की धनराशि को कोषागार में जमा किये जाने की परम्परा ही नही जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता का परिचायक है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश सिंह उत्तरदायी है ब्याज की धनराशि अनिवार्यतः कोषागार में जमा कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – फरीदपुर धर्मा **क्षेत्र पंचायत – मुहम्मदाबाद**

प्रस्तर 27– ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 386402010929128 यूनियन बैंक) से वर्ष 2015–16 में रु0 614628 व वर्ष 2016–17 में रु0 1268587 कुंल रु 1783215 की धनराशि आहरित कर व्यय की गयी। ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान मॉग करने पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। सामान बिना निविदा व कोटेशन के क्रय किया गया है। इस प्रकार रु0 1783215 **का अपहरण** ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दू देवी देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री धनन्जय गौरव से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 891607 व रु 891608 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – देवरियाबुजुर्ग **क्षेत्र पंचायत – मुहम्मदाबाद**

प्रस्तर 28–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 386402010933233 यूनियन बैंक)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु **553336** की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही**

रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम व ग्राम विकास अधिकारी सुनील से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 276668 व रु 276668 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत – नगदोपुर</u> <u>क्षेत्र पंचायत – मुहम्मदाबाद</u>

प्रस्तर 29–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 386402010929145 यूनियन बैंक)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुल रु **1028173** की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभेग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।**अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री मोतीचन्द व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 514086.50 व रु 514086.50 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत – मड़हापट्टी</u> <u>क्षेत्र पंचायत – मुहम्मदाबाद</u>

प्रस्तर 30–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 47580201102954 यूनियन बैंक)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु **1178351** की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभेग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।**अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री बृजराज व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 589175.50 व रु 589175.50 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत – बन्दीघाट</u> <u>क्षेत्र पंचायत – मुहम्मदाबाद</u>

प्रस्तर 31–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 386402010933208 यूनियन बैंक)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु **891045** की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभेग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।**अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री अब्दुनल हई व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 445522.50 व रु 445522.50 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत–बंधनपुर</u> <u>क्षेत्र पंचायत–दोहरीघाट</u>

<u>प्रस्तर32</u>–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष2016–17 में चतुर्थ राज्यवित/चौदहवां वित आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते(खाता संख्या 42020201006747 यूबीआई)से कुल रू24750 हैण्डपंम्प मरम्मत हेतु आहरित किया गया है।

जिसकी पुष्टि व्यय प्रमाणको से की गयी है ।उक्त धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत के स्तर पर अभिलेख यथा हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु आवेदन प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका एवं सक्षम अधिकारी का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा है । जिससे प्रतीत होता है कि नियमो की अनदेखी कर वित्तीय अनियमितता की गयी है । जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–सीयरही बर्जला **क्षेत्र पंचायत–दोहरीघाट**

प्रस्तर 33–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित /चौदहवां वित आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता संख्या 432802010019037 यूबीआई) से कुल रू 32500 दिनांक 20.09.16 को हैण्डपंम्प मरम्मत हेतु आहरित किया गया है । जिसकी पुष्टि व्यय प्रमाणको से की गयी है ।उक्त धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत के स्तर पर अभिलेख यथा हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु आवेदन प्रस्ताव, कार्यवाही रजिस्टर ,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका एवं सक्षम अधिकारी का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा है । जिससे प्रतीत होता है कि नियमो की अनदेखी कर वित्तीय अनियमितता की गयी है । जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–रेवली नरहरपुर **क्षेत्र पंचायत–दोहरीघाट**

प्रस्तर 34–ग्राम पंचायत रेवली नरहरपुर में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता संख्या 432802010019057यूबीआई) से कुल रू 43530 दिनॉक 26.07. 2016 से 12.01.2017 के मध्य हैण्डपंम्प मरम्मत हेतु आहरित किया गया है । जिसकी पुष्टि व्यय प्रमाणको से की गयी है ।उक्त धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत के स्तर पर अभिलेख यथा हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु आवेदन प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका एवं सक्षम अधिकारी का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा है । जिससे प्रतीत होता है कि नियमो की अनदेखी कर वित्तीय अनियमितता की गयी है । जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं0	दिनांक	हैन्ड पम्प की संख्या	धनराशि
1	26.07.2016	01	19530
2	12.01.2017	01	24000

ग्राम पंचायत–गुलौरी कला **क्षेत्र पंचायत–दोहरीघाट**

प्रस्तर 35–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक विवरण अनुसार वर्ष 2014–15 में रू 637000 वर्ष 2015–16 में रू 230000 आहरित किया गया है । जिसका कोष बही तैयार नहीं किया गया हैं। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है । इससे स्पष्ट है कि समस्त आहरित धनराशि तत्कालिन ग्राम प्रधान श्री रमाकान्त यादव एवम सचिव श्री परमहंस यादव द्वारा आपसी मीली भगत से अपहरित की गई है इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमाकान्त यादव से रू 433500.00 तथा सचिव श्री परमहंस यादव से रू 433500.00 की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत–बखरिया **क्षेत्र पंचायत–दोहरीघाट**

प्रस्तर 36–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू 630500 वर्ष 2015–16 में रू 313200 2016–17 में रू 765788 में चतुर्थ राज्य वित/चौदहवां वित आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता संख्या 462802010005072 प्रिया साफट फिडिग स्तोत्र के आधार पर) से कुल रू 1709488 की धनराशि आहरित किया गया है । किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैश बुक व अन्य सम्बन्धित अभिलेख जैसे अनुमादित कार्ययोजना परिसॅम्पति रजिस्टर (चल व अचल)कार्यवाही रजिस्टर क्रय समाग्री का स्टाक रजिस्टर व्यय प्रमाणक सर्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर मांग समाहरण व अवशेष पंजिका पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका तथा सबसे महत्वपूर्ण सक्षम अधिकारीयो की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । अतः उक्त अभिलेखो के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है ज्ञात हो की बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री मनोहर लाल व ग्राम विकास अधिकारी श्री अर्जुन राम से समान रूप से आधी आधी धनराशि क्रमशः रू 854744 व रू 854744 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत–अपडडिया हरिपरा **क्षेत्र पंचायत–दोहरीघाट**

प्रस्तर 37–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू0 866958 वर्ष 2012–13 में रू 636492 में चतुर्थ राज्य वित / चौदहवां वित आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता संख्या केजीएसजीबी 10132903556 प्रिया साफट फिडिग स्तोत्र के आधार पर)से कुल रू0 1503450 की धनराशि आहरित किया गया है। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैश बुक व अन्य सम्बन्धित अभिलेख जैसे अनुमादित कार्ययोजना परिसॅम्पति रजिस्टर (चल व अचल)कार्यवाही रजिस्टर क्रय समाग्री का स्टाक रजिस्टर व्यय प्रमाणक सर्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर मांगसमाहरण व अवशेष पंजिका पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका तथा सबसे महत्वपूर्ण सक्षम अधिकारीयो की कार्यपूर्ति

प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । अतः उक्त अभिलेखो के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पश्ट होता है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है ज्ञात हो की बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानती देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद से समान रूप से दोनो से आधी आधी धनराशि क्रमशः रू 751725 व रू 751725 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत–नुरूल्लाहपुर **क्षेत्र पंचायत–दोहरीघाट**

प्रस्तर 38–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2014–15 में चतुर्थ राज्य वित/चौदहवां वित आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता संख्या 5052 बैक एसबीआई प्रिया साफ्ट फिडिग स्तोत्र के आधार पर)से कुल रू 986000 की धनराशि आहरित किया गया है । किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैश बुक व अन्य सम्बन्धित अभिलेख जैसे अनुमादित कार्ययोजना परिसॅम्पति रजिस्टर (चल व अचल)कार्यवाही रजिस्टर क्रय समाग्री का स्टाक रजिस्टर व्यय प्रमाणक सर्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर मांग समाहरण व अवशेष पंजिका पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका तथा सबसे महत्वपूर्ण सक्षम अधिकारीयो की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । अतः उक्त अभिलेखो के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पट होता है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है ज्ञात हो की बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती दीनानाथ व ग्राम विकास अधिकारी श्री अर्जुन राम से समान रूप से दोनो से आधी आधी धनराशि क्रमशः रू 493000 व रू 493000 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत–देवनाथपुर **क्षेत्र पंचायत–दोहरीघाट**

प्रस्तर 39– वित्तीय वर्ष 2015–16 में निम्नांकित विवरण के अनुसार रु0 82175 प्रधान श्रीमती लीलावती देवी द्वारा खाता सं0 – 18325 पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आहरित किया गया है –

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	16.03.2016	25790	प्रधान श्रीमती लीलावती देवी
2	17.03.2016	10185	प्रधान श्रीमती लीलावती देवी
3	30.03.2016	46200	प्रधान श्रीमती लीलावती देवी
	योग	82175	

उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि में कैशबुक उपलब्ध नहीं कराया गया। आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। समस्त धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान के नाम आहरित है। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि का व्यय जनहित में न कर प्रधान एवं सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इसकी वसूली रु0 41087.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती देवी व रु0 41087.50 तत्कालीन सचिव श्री सुरेश यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–कादीपुर **क्षेत्र पंचायत–दोहरीघाट**

प्रस्तर 40–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित /चौदहवां वित आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता संख्या 31853176280 एसबीआई) से कुल रू 84912 दिनॉक 27.04.2016 से दिनॉक 10. 03.2017 के मध्य हैण्डपम्प मरम्मत हेतु आहरित किया गया है । जिसकी पुष्टि व्यय प्रमाणको से की गयी है ।उक्त धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत के स्तर पर कोई अभिलेख यथा हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु आवेदन प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका एवं सक्षम अधिकारी का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा है । जिससे प्रतीत होता है कि नियमो की अनदेखी कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं0	दिनांक	हैण्ड पम्प की संख्या	धनराशि
01	27.04.2016	–	19500
02	06.05.2016	–	9500
03	27.10.2016	–	19600
04	14.02.2017	–	16812
05	10.03.2017	–	19500
	योग		**84912**

ग्राम पंचायत–गोफा **क्षेत्र पंचायत–दोहरीघाट**

प्रस्तर 41– लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक खाता सं0 19064 यू0बी0आई0 के विवरणानुसार दिनांक 01.04.2012 से 31.03. 2016 के मध्य निम्ननानुसार अपहरण किया गया है–

क0स0	वर्ष	धनराशि
01	2012–13	रु0 480965

02	2013–14	रु0 708715
03	2014–15	रु0 1030160
04	2015–16	रु0 312744
	योग	रु0 2532584

बैंक से आहरित धनराशि का कैशबुक पर अंकन कर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं किया गया, व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि धनराशि आपसी मिलीभगत से ग्राम प्रधान व ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी द्वारा अपहृत कर लिया गया है, इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विरेन्द्र से रु0 1266292 व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आद्याशंकर मिश्रा से रु0 1266292 ब्याज सहित बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत–गौरिडीह</u> **<u>क्षेत्र पंचायत–दोहरीघाट</u>**

<u>प्रस्तर 42</u>– लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 के मध्य रु0 790005 तथा दिनांक 01.04.15 से 19.09.15 तक रु0 294000 इस प्रकार कुल धनराशि रु0 1084005 आहरित है । आहरित धनराशि का कैशबुक पर अंकन कर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं किया गया, न ही व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ˙ किया गया है। इससे स्पष्ट है कि धनराशि आपसी मिलीभगत से ग्राम प्रधान व ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी द्वारा अपहृत कर लिया गया है, इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश्वर राय से रु0 542002.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री परमहंस यादव से रु0 542002.50 ब्याज सहित बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत–कोरौली</u> **<u>क्षेत्र पंचायत–दोहरीघाट</u>**

<u>प्रस्तर 43</u>– लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक खाता सं0 31853174567 स्टेट बैंक दोहरीघाट के विवरणानुसार दिनांक 09.08. 2011 से 31.03.2016 के मध्य निम्ननानुसार आहरण किया गया है–

क0स0	वर्ष	धनराशि
01	2011–12	रु0 150063
02	2012–13	रु0 482102
03	2013–14	रु0 587100
04	2014–15	रु0 1128685
05	2015–16	रु0 379000
	योग	रु0 2726950

बैंक से आहरित धनराशि का कैशबुक पर अंकन कर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं किया गया, व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि धनराशि आपसी मिलीभगत से ग्राम प्रधान व ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी द्वारा अपहृत कर लिया गया है, इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लालमति देवी से रु0 1363475 व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आद्याशंकर मिश्रा से रु0 1363475 ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत–हैबतपुर</u> **<u>क्षेत्र पंचायत–दोहरीघाट</u>**

<u>प्रस्तर 44</u>– लेखा परीक्षा अवधि में दिनांक 01.04.2015 से 30.10.2015 के मध्य की कैशबुक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। प्रस्तुत बैंक विवरण के अनुसार इस अवधि में रु0 346453 आहरित है, आहरित धनराशि का विवरण निम्नवत है–

क0स0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
01	13.04.15	32500	राजेश कुमार
02	17.04.15	36000	शिवानन्द
03	17.04.15	15360	दीनानाथ
04	17.04.15	7500	शिवानन्द
05	20.04.15	29793	स्थनान्तरण
06	07.07.15	25000	दीनाानाथ
07	07.07.15	13000	राजेश
08	07.07.15	5300	शिवानन्द
09	08.07.15	13000	राजेश
10	13.07.15	7000	दीनाानाथ
11	04.08.15	60000	दीनाानाथ
12	07.08.15	22000	दीनाानाथ
13	23.09.15	56000	दीनाानाथ
14	23.09.15	24000	दिग्वेश
	योग	रु0 346453	

आहरित धनराशि की पुष्टि में व्ययप्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।इससे स्पष्ट है उपरोक्त आहरित धनराशि ग्रामप्रधान श्री राजेश व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अर्जुन प्रसाद द्वारा आपसी मिली भगत

बॉटकर अपहृत कर ली गयी है। अतः रु0 173226.50 ग्राम प्रधान श्री राजेश व रु0 173226.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अर्जुन प्रसाद से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–हरदासपुर **क्षेत्र पंचायत–घोसी**

प्रस्तर 45–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य वित/तेरहवां वित आयोग के अन्तर्गत इलाहाबाद बैंक के बचत खाता संख्या 22157814893 में कुल रू 416089 की आमदनी हुई जिसके सापेक्ष वितिय वर्ष में कुल रू 433282 की निकासी की गई । किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैश बुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे सम्पत्ति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य रजिस्टर तथा सक्षम अधिकारीयो की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है ज्ञात हो की बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 7 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री वशी अहमद व ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्णकान्त सिंह से समान रूप से दोनो से आधी आधी धनराशि क्रमशः रू 216641 व रू 216641 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । वर्ष 2016–17 में उपरोक्त बैंक खाते से आहरित धनराशि का विवरण

क0सं0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	
1	01.09.2016	941196	3000	
2	06.09.2016	941197	5000	
3	15.12.2016	–	102	
4	15.12.2016	941200	10000	
5	15.12.2016	941119	10000	
6	22.12.2016	352042	221400	
7	25.01.2017	352044	3000	
8	13.02.2017	352046	12000	
9	16.02.2017	352048	24000	
10	17.02.2017	352047	3000	
11	22.02.2017	352045	3500	
12	23.02.2017	352049	24000	
13	09.03.2017	352050	50000	
14	18.03.2017	352051	50000	
15	23.03.2017	352052	14000	
16	23.03.2017	–	280	
		योग	433282	

ग्राम पंचायत–कल्याणपुर **क्षेत्र पंचायत–घोसी**

प्रस्तर 46–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य वित/तेरहवां वित आयोग के अन्तर्गत इलाहाबाद बैंक के बचत खाता संख्या 22157814848 में कुल रू 1188410 की आमदनी हुई जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रू 582636 की निकासी की गई । किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैश बुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे सम्पत्ति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य रजिस्टर तथा सक्षम अधिकारीयो की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । अतः उक्त अभिलेखो के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है ज्ञात हो की बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 7 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमशिला व ग्राम विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार राय से समान रूप से दोनो से आधी आधी धनराशि क्रमशः रू 291318 व रू 291318 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । । वर्ष 2016–17 में उपरोक्त बैंक खाते से आहरित धनराशि का विवरण

क0सं0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	
1	22.04.2016	942346	45800	
2	18.06.2016	942347	39800	
3	23.06.2016	942348	55000	
4	31.07.2016	942350	3000	
5	1.09.2016		77	
6	29.10.2016	942349	15000	
7	16.12.2016	942351	10000	

8	07.01.2017	942356	24000	
9	07.01.2017		102	
10	10.01.2017		102	
11	12.01.2017	942357	24000	
12	13.01.2017		102	
13	19.01.2017	942359	23000	
14	20.01.2017	942358	196000	
15	24.01.2017	942352	37206	
16	24.01.2017	348101	27243	
17	24.01.2017	942360	27998	
18	27.01.2017	942354	7000	
19	14.02.2017	942353	47206	
		योग	582636	

ग्राम पंचायत–लाखीपुर **क्षेत्र पंचायत–घोसी**

प्रस्तर 47–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य वित/तेरहवां वित आयोग के अन्तर्गत इलाहाबाद बैंक के बचत खाता संख्या 22157814815 में कुल रू 757912 की आमदनी हुई जिसके सापेक्ष वितिय वर्ष में कुल रू 377966 की निकासी की गई । किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैश बुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे सम्पत्ति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य रजिस्टर तथा सक्षम अधिकारीयो की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । अतः उक्त अभिलेखो के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है ज्ञात हो की बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 7 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय प्रसाद से समान रूप से दोनो से आधी आधी धनराशि क्रमशः रू 188983 व रू 188983 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । वर्ष 2016–17 में उपरोक्त बैंक खाते से आहरित धनराशि का विवरण

क्र0सं0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	
1	12.04.2016	943823	36225	
2	06.09.2016	943824	5231	
3	06.09.2016	943825	3000	
4	15.10.2016	–	77	
5	14.12.2016	943827	20800	
6	31.12.2016	943831	3733	
7	31.12.2016	943830	22500	
8	31.12.2016	943833	24000	
9	10.01.2017	943832	149000	
10	13.01.2017	943831	7500	
11	19.01.2017	–	47900	
12	19.01.2017	943835	58000	
		योग	377966	

ग्राम पंचायत–मैदासमसपुर **क्षेत्र पंचायत–घोसी**

प्रस्तर 48 – ग्राम पंचायत में वित्तिय वर्ष 2016–17 में राज्य वित / तेरहवां वित आयोग के अन्तर्गत बैंक आफ बडौदा के बचत खाता संख्या 37870100000154 में कुल रू 1032959 की निकासी हुई जिसके सापेक्ष वितिय वर्ष में कुल रू 282589 की निकासी की गई । किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैश बुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे सम्पति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य रजिस्टर तथा सक्षम अधिकारीयो की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । अतः उक्त अभिलेखो के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है ज्ञात हो की बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 7 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री रामजन्म गुप्ता से समान रूप से दोनो से आधी आधी धनराशि क्रमशः रू141794.50 व रू141794.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । वर्ष 2016–17 में उपरोक्त बैंक खाते से आहरित धनराशि का विवरण

क0स0	दिनॉक	चेक संख्या	धनराशि	
1	07.04.2016		86	
2	16.04.2016	146	15000	
3	22.04.2016	147	39000	
4	30.05.2016	148	7800	
5	05.08.2016	149	49700	
6	28.10.2016		173	
7	3.11.2016	154	8400	
8	3.11.2016	153	9200	
9	03.11.2016	152	15600	
10	07.11.2016	155	62000	
11	09.01.2017	157	22500	
12	09.01.2017	158	24000	
13	17.01.2017	160	3455	
14	17.01.2017	159	3000	
15	20.01.2017	156	3675	
16	09.02.2017	161	20000	
17		योग	283589	

ग्राम पंचायत—मूंगमास **क्षेत्र पंचायत—घोसी**

प्रस्तर 49— ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016—17 में राज्य वित/तेरहवां वित आयोग के अन्तर्गत बैंक आफ केनरा के बचत खाता संख्या 3418101002415 में कुल रू 1450494 की आमदनी हुई जिसके सापेक्ष वितिय वर्ष में कुल रू 1333718 की निकासी की गई । किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैश बुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे सम्पत्ति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य रजिस्टर तथा सक्षम अधिकारीयो की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । अतः उक्त अभिलेखो के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है ज्ञात हो की बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 7 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री गिरजादत पाण्डेय व ग्राम विकास अधिकारी श्री रामजन्म गुप्ता से समान रूप से दोनो से आधी आधी धनराशि क्रमशः रू 666859 व रू 666859 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । वर्ष 2016—17 में उपरोक्त बैंक खाते से आहरित धनराशि का विवरण

क0स0	दिनॉक	चेक संख्या	धनराशि	
1	02.04.2016	—	3000	
2	07.04.2016	407950	2000	
3	21.04.2016	41021	66000	
4	24.06.2016	410122	51000	
5	08.08.2016	410124	48800	
6	08.08.2016	410123	49500	
7	29.08.2016	410125	3000	
8	07.10.2016	410127	69800	
9	07.10.2016	410131	12685	
10	07.10.2016	410130	15000	
11	07.10.2016	410126	8900	
12	07.10.2016	410128	17800	
13	07.10.2016	—	69	
14	21.10.2016	410133	46700	
15	24.10.2016	410135	5231	
16	24.10.2016	410134	20940	
17	28.10.2016	410138	51200	
18	28.10.2016	410139	20940	
19	05.12.2016	410140	44940	
20	09.12.2016	—	69	

21	20.12.2016	410137	83700	
22	20.12.2016	—	52000	
23	26.12.2016	914302	20000	
24	20.01.2017	914304	24000	
25	20.01.2017	914303	17440	
26	31.01.2017	914307	20000	
27	31.01.2017	914305	24000	
28	31.01.2017	914308	24000	
29	04.02.2017	914309	12000	
30	06.02.2017	914310	40000	
31	23.02.2017	914312	8000	
32	23.02.2017	914311	6000	
33	27.02.2017	914314	15696	
34	27.02.2017	914313	41290	
35	08.03.2017	914319	24574	
36	08.03.2017	914318	14988	
37	18.03.2017	914316	25365	
38	18.03.2017	914315	15381	
39	18.03.2017	914320	60140	
40	21.03.2017	334591	70570	
41	22.03.2017	334592	197100	
		योग	1333718	

ग्राम पंचायत–घोघोवलरामपुर **क्षेत्र पंचायत–घोसी**

प्रस्तर 50– ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य वित/तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत बैंक आफ बडौदा के बचत खाता संख्या 37870100000186 में कुल रू 143448 की आमदनी हुई जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में कुल रू 828116 की निकासी की गई । किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैश बुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे सम्पत्ति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य रजिस्टर तथा सक्षम अधिकारीयो की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । अतः उक्त अभिलेखो के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है ज्ञात हो की बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 7 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमलता व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय प्रसाद से समान रूप से दोनो से आधी आधी धनराशि क्रमशः रू 414058 व रू 414058 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । वर्ष 2016–17 में उपरोक्त बैंक खाते से आहरित धनराशि का विवरण

क0स0	दिनॉक	चेक संख्या	धनराशि	
1	07.04.2016	161	9550	
2	07.04.2016	—	86	
3	12.04.2016	162	32000	
4	22.04.2016	163	9500	
5	22.04.2016	—	172	
6	26.04.2016	164	15660	
7	04.05.2016	—	58	
8	05.05.2016	165	3000	
9	12.05.2016	166	16009	
10	27.05.2016	168	21250	
11	27.05.2016	169	9950	
12	01..06.2016	170	12150	
13	09.06.2016	171	22500	
14	15.06.2016	172	5450	
15	06.07.2016	173	13450	
16	08.07.2016	175	12180	
17	12.07.2016	174	27400	
18	17.08.2016	176	9570	

19	23.08.2016	177	3000	
20	01.09.2016	179	4900	
21	03.09.2016	196	3000	
22	03.09.2016	180	5231	
23	07.01.2017	200	24000	
24	07.01.2017	199	149800	
25	07.01.2017	—	18.00	
26	17.01.2017	201	6000	
27	30.01.2017	205	24000	
28	03.02.2017	204	64350	
29	07.02.2017	203	24000	
30	13.02.2017	207	24000	
31	15.02.2017	—	87	
32	22.02.2017	208	24000	
33	01.03.2017	206	45000	

ग्राम पंचायत —जमालपुर मिर्जापुर **क्षेत्र पंचायत—घोसी**

प्रस्तर 51— ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016—17 में राज्य वित/तेरहवां वित आयोग के अन्तर्गत केनरा बैंक के बचत खाता संख्या 341810100341 में कुल रू 1777465 की आमदनी हुई जिसके सापेक्ष वितिय वर्ष में कुल रू 691138 की निकासी की गई । किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैश बुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे सम्पत्ति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य रजिस्टर तथा सक्षम अधिकारीयो की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । अतः उक्त अभिलेखो के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है ज्ञात हो की बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 7 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा यादव व ग्राम विकास अधिकारी श्री अरूण कुमार से समान रूप से दोनो से आधी आधी धनराशि क्रमशः रू 345569 व रू 345569 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । वर्ष 2016—17 में उपरोक्त बैंक खाते से आहरित धनराशि का विवरण

क0स0	दिनॉक	चेक संख्या	धनराशि	सम्बन्धित व्यक्ति
1	02.04.2016	404058	16500	मुरली धर मिश्र
2	02.04.2016	404057	7330	रमाशंकर
3	04.04.2016	399380	15000	अरूण कुमार
4	05.04.2016	—	34.00	
5	05.04.2016	404059	13500	मुरली धर मिश्र
6	08.04.2016	404060	19500	अरूण कुमार
7	18.04.2016	404056	2500	कमलाकान्त
8	30.04.2016	406421	22200	मुरली धर मिश्र
9	07.05.2016	—	16000	मुरलीधर मिश्र
10	11.05.2016	406423	60000	कैलाश यादव
11	11.05.2016	406424	60000	कैलाश यादव
12	11.05.2016	406422	49500	मुरलीधर
13	13.05.2016	406427	52000	अर्जुन
14	16.05.2016	406428	45500	अर्जुन
15	18.05.2016	406429	45500	अरूण कुमार
16	20.05.2016	—	34.00	
17	23.05.2016	407451	25000	सौरभसिंह
18	26.05.2016	406430	6000	अवधेश यादव
19	27.05.2016	407452	25500	अरूण कुमार
20	01.06.2016	407453	12500	अरूण कुमार
21	06.06.2016	407455	5000	प्रकाश शर्मा
22	09.06.2016	407457	15000	मुरलीधर
23	08.06.2016	407456	18500	अरूण कुमार
24	13.06.2016	407458	32500	अरूण कुमार
25	18.06.2016	407459	35000	मुरली धर मिश्र

26	20.06.2016	407460	22500	अरूण कुमार
27	20.03.2017	334831	20000	जयप्रताप
28	23.03.2017	334832	20000	मिरा यादव
29		योग	691138	

ग्राम पंचायत –कारीसाथ **क्षेत्र पंचायत–घोसी**

प्रस्तर 52– ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य वित/तेरहवां वित आयोग के अन्तर्गत केनरा बैंक के बचत खाता संख्या 3418101002359 में कुल रू 945369 की आमदनी हुई जिसके सापेक्ष वितिय वर्ष में कुल रू 1342563 की निकासी की गई । किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैश बुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे सम्पत्ति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य रजिस्टर तथा सक्षम अधिकारीयो की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । अतः उक्त अभिलेखो के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुश्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है ज्ञात हो की बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 7 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मीला व ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्णकान्त सिंह से समान रूप से दोनो से आधी आधी धनराशि क्रमशः रू 671281.50 व रू 671281.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत –हाजीपुर **क्षेत्र पंचायत–घोसी**

प्रस्तर 53– ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत इलाहाबाद बैंक के बचत खाता संख्या 22157814826 में कुल रू 1238823 की आमदनी हुई जिसके सापेक्ष वितिय वर्ष में कुल रू 684641 की निकासी की गई । किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैश बुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे सम्पत्ति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य रजिस्टर तथा सक्षम अधिकारीयो की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । अतः उक्त अभिलेखो के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है अतः स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गई है ज्ञात हो की बिना प्रमाणको के उ0प्र0 पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 7 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री विनोद राय से समान रूप से दोनो से आधी आधी धनराशि क्रमशः रू 342320.50 व रू 342320.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत – पूनापार **क्षेत्र पंचायत – बड़रॉव**

प्रस्तर 54– ग्राम पंचायत में निम्न विवरणांकित तिथियों में कैशबुक में कुल रु0 303426.00 की धनराशि के विभिन्न चेक बैंक पासबुक के अनुसार सम्बन्धित फर्मों के नाम से जारी न कर ग्राम प्रधान श्रीमती संतोष देवी के नाम से जारी कर वास्तव में राजकीय धन का गलत ढंग से आहरण कर गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्रा0वि0अधि0 उत्तरदायी हैं, उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। धनराशि का विवरण निम्नवत है–

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि रु0 में
1	02.04.2016	20415	7500
2	11.04.2016	20417	44600
3	11.04.2016	20416	46400
4	06.09.2016	20419	30000
5	06.09.2016	20420	12500
6	05.11.2016	000026	45812
7	08.11.2016	000034	5758
8	08.11.2016	000028	7482
9	08.11.2016	000031	13960
10	21.03.2017	000038	7500
11	21.03.2017	000037	20880
12	28.03.2017	16537	15660
13	28.03.2017	18557	20000
14	28.03.2017	12884	7750
15	28.03.2017	20410	17624
16	योग		303426

ग्राम पंचायत– नेवली **क्षेत्र पंचायत– बड़रॉव**

प्रस्तर 55– ग्राम पंचायत की प्रिया साफ्ट फीडिंग के आधार पर निम्नलिखित तिथियों में कुल रु0 281000.00 सोलर लाईट पर व्यय किया गया। सोलर लाईट क्रय की रसीद के अभाव में सम्बन्धित फर्म, टेण्डर आमंत्रण की प्रक्रिया एवं टिन नं0 आदि से सम्बन्धित जानकारी अपुष्ट पायी गयी। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0/पं0 अधि0 द्वारा संयुक्त रुप से कर लिया गया है। ज्ञात हो कि उ0प्र0पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्षित व्यय को अपहरण मानते हुए रु0 140500.00 (एक लाख चालीस हजार पॉच सौ रुपए मात्र) ग्राम प्रधान श्री श्रृंगेश एवं रु0 140500.00 (एक लाख चालीस हजार पॉच सौ रुपए मात्र) ग्रा0पं0/वि0 अधि0 श्री नीरज कुमार मौर्य से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

सेलर लाईट क्रय धनराशि का विवरण निम्नवत है–

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि रु0 में
1	20.12.16	159000.00
2	30.12.16	122000.00
	योग	281000.00

ग्राम पंचायत– करपिया मलिक **क्षेत्र पंचायत– बड़रॉव**

प्रस्तर 56– ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर कुंल रु 462972.50 की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक ,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा**। जिससे वर्ष के दौरान किया गया व्यय अप्रमाणित रहा अतः स्पष्ट होता है कि व्यय काल्पनिक दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए समान रुप से दोनों से आधी–आधी धनराशि रु0 231486.25 (दो लाख इकत्तीस हजार चारः सौ छीयासी रुपए और पच्चीस पैसे) तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जैरुल हक से व रु0 231486.25 (दो लाख इकत्तीस हजार चारः सौ छीयासी रुपए और पच्चीस पैसे)तत्कालीन ग्राम विकास/पं0 अधिकारी श्री सुरेन्द्र राय से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है–

ग्राम पंचायत–सरायसादी **क्षेत्र पंचायत– बड़रॉव**

प्रस्तर 57– ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2010–11,2011–12,2012–13,2013–14 एवं 2014–15में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाता सं0 515022010006926/(प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु 2173361.00 की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा**।अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए समान रुप से दोनों से आधी–आधी धनराशि रु0 1086680.50 (दस लाख छियासी हजार छः सौ अस्सी रुपए और पचास पैसे) तत्कालीन ग्राम प्रधान से व रु0 1086680.50 (दस लाख छियासी हजार छः सौ अस्सी रुपए और पचास पैसे)तत्कालीन ग्राम विकास/पं0 अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	लेखा परीक्षा वर्ष	आहरित धनराशि
1	2010.11	194600.00
2	2011.12	439825.00
3	2012.13	766920.00
4	2013.14	523950.00
5	2014.15	248066.00
योग		2173361.00

ग्राम पंचायत–चुम्मानार अहिरानी **क्षेत्र पंचायत–बड़रॉव**

प्रस्तर 58–ग्राम पंचायत की प्रिया साफ्ट फीडिंग के आधार पर वर्ष 2016–17 में कुल रु0 1021361.36 का व्यय किया गया। किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित कैशबुक,व्यय प्रमाणक तथा कार्य निर्माण पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जिससे वर्ष के दौरान किया गया व्यय अप्रमाणित रहा।अतः स्पष्ट है कि व्यय काल्पनिक दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण प्रधान एवं ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से कर लिया गया है। ज्ञात होकि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0

पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री राजेश से रु 510680.68 व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेन्द राय से रु 510680.68 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–सुलतानपुर **क्षेत्र पंचायत–बड़रॉव**

प्रस्तर 59– ग्राम पंचायत की प्रिया साफ्ट फीडिंग के आधार पर वर्ष 2016–17 में कुल रु0 716382 का व्यय किया गया। किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित कैशबुक , व्यय प्रमाणक तथा कार्य निर्माण पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जिससे वर्ष के दौरान किया गया व्यय अप्रमाणित रहा। अतः स्पष्ट है कि व्यय काल्पनिक दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से कर लिया गया है।ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री तबरेज से रु 358191 व ग्राम विकास अधिकारी श्री कमल कृष्ण चौहान से रु 358191 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– मादीदुल्लह **क्षेत्र पंचायत– बड़रॉव**

प्रस्तर 60– ग्राम पंचायत की प्रिया साफ्ट फीडिंग के आधार पर निम्नलिखित तिथियों में कुल रु0 432000.00 सोलर लाईट पर व्यय किया गया। सोलर लाईट क्रय की रसीद के अभाव में सम्बन्धित फर्म, टेण्डर आमंत्रण की प्रक्रिया एवं टिन नं0 आदि से सम्बन्धित जानकारी अपुष्ट पायी गयी। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0/पं0 अधि0 द्वारा संयुक्त रुप से कर लिया गया है। ज्ञात हो कि उ0प्र0पंचायती राज लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्षित व्यय को अपहरण मानते हुए रु0 216000.00 (दो लाख सोलह हजार रुपए मात्र) ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी एवं रु0 216000.00 ग्रा0पं0/वि0 अधि0 श्री रामदरश यादव से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। सोलर लाईट क्रय से सम्बन्धित धनराशि का विवरण –

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि रु0 में
1	08.06.16	30500
2	05.08.16	30500
3	20.03.17	185500
4	20.03.17	185500
योग		432000

ग्राम पंचायत–सराय ख्वाजाबड़े **क्षेत्र पंचायत–बड़रॉव**

प्रस्तर 61– ग्राम पंचायत की प्रिया साफ्ट फीडिंग के आधार पर वर्ष 2016–17 में कुल रु0 28114 का व्यय किया गया। किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित कैशबुक , व्यय प्रमाणक तथा कार्य निर्माण पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जिससे वर्ष के दौरान किया गया व्यय अप्रमाणित रहा। अतः स्पष्ट है कि व्यय काल्पनिक दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से कर लिया गया है।ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री संतोष राय से रु0 14057 (चौदह हजार सत्तावन रुपए मात्र) व ग्राम विकास अधिकारी श्री रामदरश यादव से रु 14057 (चौदह हजार सत्तावन रुपए मात्र) ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–उसरीखुर्द **क्षेत्र पंचायत–बड़रॉव**

प्रस्तर 62– ग्राम पंचायत की प्रिया साफ्ट फीडिंग के आधार पर वर्ष 2016–17 में कुल रु0 170129 का व्यय हैण्डपम्प मरममत पर किया गया। किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। क्रय सामान की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में किए जाने पुष्टि नहीं करायी गयी। मरम्मत हेतु कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि व्यय काल्पनिक दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से कर लिया गया है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए आधी– आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री अवधेश से रु 85064.50 (पचासी हजार चौसठ रुपए पचास मात्र) व ग्राम विकास अधिकारी श्री रामदरश यादव से रु 85064.50 (पचासी हजार चौसठ रुपए पचास मात्र) ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।धनराशि का विवरण निम्नवत है–

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि रु0 में
1	03.06.16	24415
2	03.06.16	24065
3	22.09.16	20852
4	22.09.16	28597
5	28.12.16	22200
6	20.01.17	50000
	योग	**170129**

ग्राम पंचायत–विक्कमपुर क्षेत्र पंचायत–बड़रॉव

प्रस्तर 63–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2010–11,2011–12,2012–13,2013–14 एवं 2014–15में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाता सं0 37870100000187 / (प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु **3620383** की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभेग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा**।अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए समान रुप से दोनों से आधी–आधी धनराशि रु0 1810191.50 ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से व रु0 1810191.50 तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रिया साफ्ट विवरण के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है–

कम संख्या	लेखा परीक्षा वर्ष	आहरित धनराशि रु0 में
1	2010–11	83110
2	2011–12	319575
3	2012–13	1486198
4	2013–14	598200
5	2014–15	1133300
	योग	3620383

ग्राम पंचायत–जमुआरी क्षेत्र पंचायत–बड़रॉव

प्रस्तर 64–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाता सं0 420102010001846 / (प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु **2605456** की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभेग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा**।अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए समान रुप से दोनों से आधी–आधी धनराशि रु0 1302728 तत्कालीन ग्राम प्रधान से व रु0 1302728 तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रिया साफ्ट विवरण के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है–

कम संख्या	लेखा परीक्षा वर्ष	आहरित धनराशि रु0 में
1	2013–14	787396
2	2014–15	1818060
3	योग	2605456

ग्राम पंचायत–पिड़उथ सिंहपुर क्षेत्र पंचायत–बड़रॉव

प्रस्तर 65– ग्राम पंचायत की प्रिया साफ्ट फीडिंग के आधार पर विवरणांकित तिथियों में कुल रु0 117190 का व्यय हैण्डपम्प मरममत पर किया गया। किन्तु उक्त मरम्मत हेतु क्रय सामगी की पुष्टि में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। क्रय सामान की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में किए जाने पुष्टि नहीं करायी गयी। मरम्मत हेतु कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि व्यय काल्पनिक दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से कर लिया गया है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए आधी–आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती से व ग्राम विकास अधिकारी श्री रामदरश यादव से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।धनराशि का विवरण निम्नवत है–

कम संख्या	दिनांक	धनराशि रु0 में
1	12.04.16	37330
2	04.06.16	35360
3	29.06.16	9000
4	22.09.16	35500

5	20.03.17	22200
	योग	**117190**

ग्राम पंचायत–मिश्रौली **क्षेत्र पंचायत–बड़रॉव**

प्रस्तर 66– ग्राम पंचायत की कैशबुक में दिनांक 06.04.16 को रु0 37744 का व्यय हैण्डपम्प मरममत पर किया गया। किन्तु उक्त मरम्मत हेतु क्रय सामगी की पुष्टि में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। क्रय सामान की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में किए जाने पुष्टि नहीं करायी गयी। मरम्मत हेतु कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि व्यय काल्पनिक दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से कर लिया गया है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए आधी– आधी धनराशि रु0 18872 ग्राम प्रधान रोशनजहॉ से व रु0 18872 ग्राम विकास अधिकारी श्री रामदरश यादव से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 67– आलोच्य वर्ष की लेखा पीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्य हेतु प्रयुक्त ईंट एवं सामग्री क्रय से पूर्व कोई निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया है। इस प्रकार मनमाने तरीके से ईट एवं सामग्री क्रय की गयी है, जो कि गम्भीर अनियमितता का विषयक है। अतः उक्त क्रय से सम्बन्धित विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा दोषी प्रधान/ग्रा0पं0 अधि0 के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। धनराशि का विवरण निम्नवत है–

क्रमांक	दिनांक	कार्य का नाम	व्यय का मद	धनराशि
1	13.05.16	इरसाद के घर से लियाकत के घर तक नाली व पटिया निर्माण	समग्री क्रय	13500
2	29.06.16	उपरोक्त	उपरोक्त	24967
3	10.01.17	उपरोक्त	उपरोक्त	147738
4	08.03.17	उपरोक्त	उपरोक्त	33000
5	13.05.16	उपरोक्त	ईंट क्रय	39000
6	29.06.16	उपरोक्त	उपरोक्त	19467
7	29.12.16	उपरोक्त	उपरोक्त	65000
8	29.12.16	उपरोक्त	उपरोक्त	65000
9	03.10.16	कुबेर गुप्ता के घर से शेरबहादुर के घर तक नाली व पटिया निर्माण	उपरोक्त	79456
10	04.10.16	उपरोक्त	समग्री क्रय	84383
		योग		571531

ग्राम पंचायत– पांजेपार **क्षेत्र पंचायत–बड़रॉव**

प्रस्तर 68– ग्राम पंचायत की प्रिया साफ्ट फीडिंग के आधार पर निम्न तिथियों को कुल रु0 60000 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया। मरम्मत हेतु क्रय सामग्री की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। क्रय सामान की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में किए जाने की भी पुष्टि नहीं करायी गयी। मरम्मत हेतु कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि व्यय काल्पनिक दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से कर लिया गया है।ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के **प्रस्तर 8**–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से रु 30000 व ग्राम विकास अधिकारी श्री रामाशीष यादव से रु 30000 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है –

दिनांक	धनराशि
14.06.16	30000
27.06.16	30000
	60000

ग्राम पंचायत–अमरसेपुर **क्षेत्र पंचायत–रानीपुर**

प्रस्तर 69–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते /(प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु **653042** की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभेग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा**। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री जयहेन्द्र व ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार पाण्डेय से समान रुप

से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 326521 व रु 326521 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रिया साफ्ट विवरण के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है

क्रमांक	दिनांक	वाउचर न०	चेक न०	धनराशि	कृत कार्य विवरण
1	08.06.2016	एफ.एफ.सी.201617 पी 1	735648	35000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान
2	07.10.2016	4टी.एच.एस.एफ.सी.2016 17. पी .1	737354	19975	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान
3	07.10.2016	4टी.एच.एस.एफ.सी.2016 17.पी. 2	737353	12500	ग्राम प्रधान मानदेय
4	07.10.2016	एफ.एफ.सी.201617. पी 3	735649	10105	प्रशासनिक कार्य हेतु भुगतान
5	07.10.2016	4टी.एच.एस.एफ.सी. 2016.17.पी 4	735650	3675	ग्राम पंचायत में बस्ता हेतु भुगतान
6	20.10.2016	4टी.एच.एस.एफ.सी.201617. पी 3	737357 735651 737355 737356	9000	विज्ञापन व टेण्डर हेतु भुगतान
7	29.11.2016	एफ.एफ.सी 201617.पी.5	735652	80000	किशुन के घर से जयतन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान
8	02.12.2016	एफ.एफ.सी.201617ध्पी .2	737358	35500	ह्यूम पाईप हेतु भुगतान
9	12.12.2016	एफ.एफ.सी .201617.पी .4	737359	3000	प्रिया साफ्ट फिडिंग हेतु भुगतान
10	12.12.2016	एफ.एफ.सी .201617.पी ध्6	737354	57750	किशुन के घर से जयतन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण हेतु सीमेण्ट का भुगतान
11	28.12.2016	एफ.एफ.सी 201617.पी ध्8	737352	32500	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान
12	08.02.2017	एफ.एफ.सी .201617.पी 7	737360	106730	किशुन के घर से जयतन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण हेतु ईंट का भुगतान
13	10.02.2017	एफ.एफ.सी.2016.17 पी8	735655	88880	किशुन के घर से जयतन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान
14	23.02.2017	एफ.एफ.सी 20161 पी9	746761	59910	किशुन के घर से जयतन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण हेतु लाल बालू का भुगतान
15	01.03.2017	4टी.एच.एस.एफ.सी 201617पी .7	746762	10850	कैमरा हेतु भुगतान
16	09.03.2017	4टी.एच.एस.एफ.सी 201617 पी 5	746769	37400	शौचालय मरम्मत हेतु सामग्री भुगतान
17	09.03.2017	4टी.एच.एस.एफ.सी 201617 पी ध्6	746770	5752	शौचालय मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान
18	09.03.2017	4 टी.एच.एस.एफ.सी	746764	2000	विज्ञापन हेतु भुगतान
19	14.03.2017	4टी.एच.एस.एफ.सी 2016.17 पी.10	746763	12315	सफाई सामग्री हेतु भुगतान
20	29.03.2017	एफ.एफ.सी 201617 पी 12	..	30200	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान
21		योग		653042	

<u>ग्राम पंचायत–खीरखांड</u> <u>क्षेत्र पंचायत–रानीपुर</u>

प्रस्तर 70–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 22164192974 इलाहाबाद बैंक)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु **629398** की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा**। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं

होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती अंशू देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 314699 व रु 314699 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रिया साफ्ट विवरण के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	कृत कार्य विवरण
1	07.04.16	33000	सोलर लाईट क्रय व लगवाई
2	29.04.16	24008	खड़ण्जा हेतु ईंट
3	12.05.16	65115	खड़ण्जा हेतु ईंट व मजदूरी
4	29.06.16	20000	हैण्डपम्प मरम्मत
5	20.09.16	20000	हैण्डपम्प मरम्मत
6	20.09.16	49000	सोलर लाईट क्रय व लगवाई
7	06.10.16	20000	हैण्डपम्प मरम्मत
8	02.11.16	17092	खड़ण्जा हेतु मजदूरी
9	11.11.16	29575	खड़ण्जा हेतु ईंट
10	29.11.16	44058	खड़ण्जा हेतु ईंट
11	29.11.16	45730	खड़ण्जा हेतु मजदूरी
12	27.02.17	48210	खड़ण्जा व्यय
13	27.02.17	70910	खड़ण्जा हेतु ईंट
14	01.03.17	18000	प्रधान जी का मानदेय
15	16.03.17	100000	खड़ण्जा हेतु ईंट
16	30.03.17	24700	सफाई किट
	योग	**629398**	

ग्राम पंचायत–बसारथपुर **क्षेत्र पंचायत–रानीपुर**

प्रस्तर 71–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 38640201093214 यूनियन बैंक)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु **708273** की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्त्वपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा**।अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री भागीरथी व ग्राम विकास अधिकारी श्री मंशाराम चौबे से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 354136.50 व रु 354136.50 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।प्रिया साफ्ट विवरण के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	कृत कार्य विवरण
1	04.04.16	30000	हैण्डपम्प मरम्मत
2	20.04.16	3000	प्रिया साफ्ट फीडिंग
3	11.05.16	20000	हैण्डपम्प मरम्मत
4	29.09.16	30000	प्रधान जी का मानदेय
5	02.03.17	25000	सफाई किट
6	02.03.17	10000	शौचालय मरम्मत
7	28.03.17	36473	खड़ण्जा मरम्मत व्यय
8	28.03.17	112000	खड़ण्जा मरम्मत व्यय
9	28.03.17	111800	खड़ण्जा मरम्मत व्यय
10	29.03.16	330000	सोलर लाईट व्यय
	योग	**708273**	

ग्राम पंचायत–नासीरपुर **क्षेत्र पंचायत–रानीपुर**

प्रस्तर 72–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचतखाते(खाता सं0 491702010006826 यूनियन बैंक)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु

1014883 की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा**। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री बसन्त राम व ग्राम विकास अधिकारी श्री अमरेश सिंह से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 507441.50 व रु 507441.50 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रिया साफ्ट विवरण के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	कृत कार्य विवरण
1	02.04.16	12560	सफाई किट
2	02.04.16	8680	हैण्डपम्प मरम्मत
3	02.04.16	49200	पटिया क्रय
4	02.04.16	43842	ह्यूम पाईप क्रय
5	02.04.16	49200	पटिया क्रय
6	04.04.16	47000	हैण्डपम्प मरम्मत
7	04.04.16	42819	नाली निर्माण
8	29.07.16	70000	ह्यूम पाईप क्रय
9	27.10.16	4500	विज्ञापन व्यय
10	28.10.16	66000	सोलर लाईट क्रय व लगवाई
11	23.11.16	2700	हैण्डपम्प मरम्मत
12	13.12.16	39000	सोख्ता हेतु गड्ढा व ईट क्रय
13	06.01.17	33000	सोलर लाईट क्रय व लगवाई
14	10.01.17	62000	ह्यूम पाईप क्रय
15	02.02.17	56049	सोख्ता गड्ढा हेतु मैटेरियल क्रय
16	02.02.17	55310	सोख्ता हेतु गड्ढा व ईट क्रय
17	08.02.17	3600	टेण्डर
18	14.02.17	33664	सोख्ता गड्ढा हेतु मजदूरी
19	22.02.17	99000	सोलर लाईट क्रय व लगवाई
20	22.03.17	78783	आर0सी0सी0 हेतु मैटेरियल
21	23.03.17	15000	प्रधान जी का मानदेय
23	23.03.17	34516	तकनीकि व प्रशासनिक व्यय
24	23.03.17	38300	आर0सी0सी0 हेतु मजदूरी
25	24.03.17	29210	हैण्डपम्प मरम्मत
26	24.03.17	40950	आर0सी0सी0 हेतु ईंट
	योग	**1014883**	

ग्राम पंचायत–जसड़ा **क्षेत्र पंचायत–रानीपुर**

प्रस्तर 73–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 434202010006625 यूनियन बैंक)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु **1560590** की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्वपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा**। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 780295 व रु 780295 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रिया साफ्ट विवरण के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है –

कमांक	दिनांक	धनराशि	कृत कार्य विवरण
1	12.04.16	80000	सोख्ता निर्माण
2	23.06.16	140000	आर0सी0सी0 रोड हेतु मैटेरियल
3	23.06.16	110000	हैण्डपंप मरम्मत
4	16.09.16	50000	नाली निर्माण मैटेरियल
5	16.09.16	35080	नाली निर्माण हेतु ईंट
6	14.10.16	162500	नाली निर्माण हेतु ईंट
7	08.11.16	10100	नाली निर्माण मजदूरी
8	08.11.16	29000	नाली निर्माण मजदूरी
9	06.02.17	81000	आर0सी0सी0 रोड हेतु मैटेरियल
10	06.02.17	84000	आर0सी0सी0 रोड हेतु मैटेरियल
11	21.02.17	130000	नाली निर्माण मैटेरियल
12	21.02.17	65500	नाली निर्माण मजदूरी
13	21.02.17	110000	नाली निर्माण मैटेरियल
14	21.02.17	27500	नाली निर्माण मजदूरी
15	21.02.17	13400	मजदूरी
16	09.03.17	12315	सफाई किट
17	27.03.17	117195	आर0सी0सी0 रोड हेतु ईंट
18	30.03.17	200000	आर0सी0सी0 रोड हेतु मैटेरियल
19	30.03.17	100000	आर0सी0सी0 रोड हेतु मैटेरियल
20	31.03.17	3000	विज्ञापन
	योग	**1560590**	

ग्राम पंचायत–पलिया **क्षेत्र पंचायत–रानीपुर**

प्रस्तर 74– ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 22164192952 इलाहाबाद बैंक)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु **1528112** की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,कय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा**। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल राजभर व ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र से समान रुप से दोनों से आधी –आधी धनराशि कमशः रु 764056 व रु 764056 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।प्रिया साफ्ट विवरण के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है

कमांक	दिनांक	धनराशि	कृत कार्य विवरण
1	17.05.16	18000	हैण्डपम्प मरम्मत
2	20.05.16	48184	ह्यूम पाइप कय
3	20.05.16	41200	पंचायत भवन रिपेयरिंग
4	24.05.16	23195	हैण्डपम्प मरम्मत
5	30.05.16	23960	पेंट कय
6	07.06.16	33000	सोलर लाईट कय व लगवाई
7	07.06.16	16500	हैण्डपम्प मरम्मत
8	07.06.16	22000	पेंटिंग हेतु भुगतान
9	07.06.16	21325	हैण्डपम्प मरम्मत
10	17.08.16	99000	सोलर लाईट कय व लगवाई
11	17.08.16	11118	शौचालय मरम्मत
12	26.09.16	99000	सोलर लाईट कय व लगवाई
13	26.09.16	12500	प्रधान जी का मानदेय
14	06.10.16	20000	हैण्डपम्प मरम्मत
15	02.12.16	3500	टेण्डर
16	02.12.16	29794	मजदूरी

17	03.12.16	114542	खड़ण्जा हेतु ईंट क्रय
18	28.12.16	54461	सीमेंट व बालू क्रय
19	28.12.16	27568	सोख्ता मजदूरी
20	28.12.16	93154	खड़ण्जा हेतु ईंट क्रय
21	07.01.17	154500	सीमेंट व बालू क्रय
23	07.01.17	154500	सीमेंट व बालू क्रय
24	07.01.17	71800	सीमेंट व बालू क्रय
25	07.01.17	46956	सीमेंट व बालू क्रय
26	07.01.17	5231	टेण्डर
27	07.01.17	46956	सीमेंट व बालू क्रय
28	07.01.17	3500	बोर्ड क्रय
29	07.01.17	15431	सीमेंट व बालू क्रय
30	08.02.17	46242	मजदूरी
31	08.02.17	74400	सीमेंट व बालू क्रय
32	08.02.17	18467	सीमेंट व बालू क्रय
33	08.02.17	46766	मजदूरी
34	16.02.17	20000	हैण्डपम्प मरम्मत
35	15.03.17	10856	कैमरा क्रय
36	15.03.17	506	चेक बुक फीस
	योग	1528112	

<u>ग्राम पंचायत–रामपुरबखरिया</u> <u>क्षेत्र पंचायत–रानीपुर</u>

प्रस्तर 75–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 50071704525 इलाहाबाद बैंक)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु **776047** की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा**। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती सोना व ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 388023.50 व रु 388023.50 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रिया साफ्ट विवरण के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	कृत कार्य विवरण
1	04.05.16	48750	खड़ण्जा व्यय
2	26.09.16	99000	सोलर लाइट
3	27.09.16	12500	ग्राम प्रधान जी का मानदेय
4	28.09.16	49000	सोलर लाइट
5	28.09.16	20000	हैण्डपम्प मरम्मत
6	25.10.16	10801	खड़ण्जा हेतु मजदूरी
7	03.11.16	124817	खड़ण्जा व्यय
8	05.01.17	13100	रैम्प निर्माण
9	07.03.17	62200	ह्यूम पाईप
10	14.03.17	12315	सफाई किट
11	16.03.17	25428	खड़ण्जा व्यय
12	31.03.17	146136	खड़ण्जा व्यय
13	31.03.17	152000	आर0सी0सी0 सामग्री व्यय
	योग	776047	

<u>ग्राम पंचायत–सोहराबपुर</u> <u>क्षेत्र पंचायत–रानीपुर</u>

प्रस्तर 76–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष **2014–15 में रु0 1245315**, **2015–16 में रु0 475073** व **2016–17 में रु0 360836**अर्थात तीनों वर्षो में कुंल रु**2080774** की धनराशि चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त

अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 386402010933232 यूनियन बैंक)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।** अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गयी है ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायती राज लेख मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा व ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र श्री मंशाराम चौबे व श्री अमरेश सिंह से समान रूप से आधी–आधी धनराशि क्रमशः रू0 1040387 व रू0 1040387 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	2014 – 15 में कृत कार्य विवरण
1	2.4.14	49500	बुधराम के घर से रेलवे लाईन तक सोलिंग मरमत , तथा कान्ता पाल के घर से पोखरी तक नाली कार्य पर ईंट का भुगतान
2	24.05.2014	55424	खुर्शीद के मुर्गीफार्म से महावीर के ट्यूबवेल तक सोलिंग कार्य पर मजदूरी का भुगतान तथा हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान
3	25.06.14	24015	कैमरा का भुगतान
4	25.06.14	155250	खुर्शीद के मुर्गीफार्म से महावीर के ट्यूबवेल तक सोलिंग कार्य पर ईंट का भुगतान तथा हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान
5	28.06.14	20772	कान्ता पाल के घर से पोखरी तक नाली कार्य पर मजदूरी का भुगतान
6	30.06.14	61410	कान्ता पाल के घर से पोखरी तक नाली कार्य पर सामग्री का भुगतान
7	04.07.2014	54000	कान्ता पाल के घर से पोखरी तक नाली कार्य पर ईंट का भुगतान
8	15.07.2014	44900	विनोद सोनकर के घर से ज्ञानेन्द्र के दुकान तक नाली कार्य पर पटिया का भुगतान
9	15.07.2014	15720	विनोद सोनकर के घर से ज्ञानेन्द्र के दुकान तक नाली कार्य पर मजदूरी का भुगतान
10	01.08.14	4244	महेन्द्र यादव के घर से मस्जिद तक सोलिंग कार्य पर ईंट का भुगतान
11	01.08.14	13000	महेन्द्र यादव के घर से मस्जिद तक सोलिंग कार्य पर ईंट का भुगतान
12	02.08.14	50625	महेन्द्र यादव के घर से मस्जिद तक सोलिंग कार्य पर ईंट का भुगतान
13	26.8.14	5000	हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान
14	02.09.14	30132	कान्ता पाल के घर से जयग्वा सदहद तक सोलिंग कार्य पर मजदूरी का भुगतान
15	16.09.14	71885	कान्ता पाल के घर से जयग्वा सदहद तक सोलिंग कार्य पर मजदूरी का भुगतान
16	20.10.14	40136	ग्राम प्रधान को भुगतान
17	20.10.14	4000	हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान
18	21.10.14	40500	मुमताज के घर से मदरसा तक सोलिंग कार्य पर ईंट का भुगतान
19	08.11.14	7000	सोलिंग कार्य पर ईंट का भुगतान
20	06.12.14	26640	गीता यादव के घर से सुल्तान के घर के आगे तक सोलिंग मरम्मत करार्य पर मजदूरी का भुगतान
21	06.12.14	38208	ग्राम प्रधान को भुगतान
22	06.12.14	13020	महेन्द्र यादव के ट्यूबवेल से इन्द्रेश नट के घर तक सोलिंग मरम्मत करार्य पर मजदूरी का भुगतान
23	10.12.14	58500	गीता यादव के घर से सुल्तान के घर के आगे तक सोलिंग मरम्मत करार्य पर मजदूरी का भुगतान
24	10.12.14	28470	महेन्द्र यादव के ट्यूबवेल से इन्द्रेश नट के घर तक सोलिंग मरम्मत करार्य पर ईंट का भुगतान
25	20.12.14	15156	हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान
26	30.12.14	33000	भोला यादव के दरवाजे से सोख्ता तक नाली निर्माण कार्य सरिया सीमेण्ट बालू व गिट्टी का भुगतान
27	12.01.15	15330	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत
28	23.01.15	3000	विज्ञापन व्यय
29	27.01.15	6000	विज्ञापन व्यय
30	28.01.15	33000	सोलर लाईट पर व्यय
31	28.01.15	33000	सोलर लाईट पर व्यय

32	30.01.15	47376	प्रा0 वि0 हमीमाबाद से हरिलाल के खेत तक मिट्टी ढुलाई का भुगतान
33	02.02.15	135787	प्रा0 वि0 हमीमाबाद से हरिलाल के खेत तक सोलिंग मरम्मत कार्य पर ईंट का भुगतान
34	19.02.15	3000	विज्ञापन व्यय
35	19.03.15	8315	सफाई कर्मी के सामान का भुगतान
	योग –	1245315	
कमांक	दिनांक	धनराशि	2015 – 16 में कृत कार्य विवरण
1	25.04.15	22315	जल निकासी हेतु ह्यूम पाईप व ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान
2	13.07.15	42175	पारसनाथ के खेत से डीह स्थान तक सोलिंग कार्य पर मजदूरी का भुगतान
3	13.07.15	116500	पारसनाथ के खेत से डीह स्थान तक सोलिंग कार्य पर ईंट का भुगतान
4	13.07.15	23900	पारसनाथ के खेत से डीह स्थान तक सोलिंग कार्य पर ईंट का भुगतान
5	21.09.15	41958	नन्हू के घर हैण्उपम्प तक , घूरमारी के बगल से रामकेवल के घर तक ,हवलदार के घर से सुरेश गोंड के घर तक सोलिंग कार्य पर ईंट का भुगतान
6	21.09.15	6200	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत
7	21.09.15	131040	नन्हू के घर हैण्उपम्प तक , हवलदार के घर से सुरेश गोंड के घर तक सोलिंग कार्य पर ईंट का भुगतान
8	08.12.15	45985	ग्राम प्रधान मानदेय व ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत
9	21.03.16	45000	जल निकासी हेतु ह्यूम पाईप हेतु भुगतान
10	योग –	475073	
कमांक	दिनांक	धनराशि	2016 – 17 में कृत कार्य विवरण
1	16.05.16	3000	प्रशासनिक व्यय
2	23.05.16	47900	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत
3	02.06.16	110000	ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप हेतु भुगतान
4	10.10.16	15000	ग्राम प्रधान मानदेय
5	27.10.16	99000	ग्राम पंचायत में सोलर लाईट हेतु भुगतान
6	03.11.16	3993	विज्ञापन व्यय
7	03.11.16	81943	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत
8	योग –	360836	

ग्राम पंचायत–डड़ारी **क्षेत्र पंचायत–रानीपुर**

प्रस्तर 77–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॅा वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 234822295603711 इलाहाबाद बैंक)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु 1415996 की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,कय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्वपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना उपर्युक्त प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र चौहान व ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि कमशः रु 707998 व रु 707998 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रिया साफ्ट विवरण के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है –

कमांक	दिनांक	धनराशि	कृत कार्य विवरण
1	10.05.16	51500	ह्यूम पाईप
2	13.05.16	71500	खड़ण्जा हेतु ईंट
3	20.05.16	51500	सोलर लाईट कय व लगवाई
4	18.06.16	178859	नयी गाम पंचायत रसूलपुर को स्थानांतरित
5	14.09.16	12500	प्रधान जी का मानदेय
6	15.10.16	16500	शौचालय मरम्मत
7	23.10.16	66000	सोलर लाईट कय व लगवाई
8	28.10.16	45000	नाली व खड़ण्जा हेतु मजदूरी
9	21.11.16	11650	सफाई किट

10	02.12.16	59800	नाली निर्माण हेतु ईंट
11	02.12.16	30000	सोलर लाईट क्रय व लगवाई
12	17.12.16	49000	हैण्डपम्प मरम्मत
13	29.12.16	37656	नाली निर्माण हेतु मजदूरी
14	03.01.17	16000	सोलर लाईट क्रय व लगवाई
15	03.01.17	83000	सोलर लाईट क्रय व लगवाई
16	03.01.17	40000	शौचालय व हैण्डपम्प मरम्मत
17	02.02.17	62200	ह्यूम पाईप
18	08.02.17	120000	सोलर लाईट क्रय व लगवाई
19	08.02.17	65188	नाली हेतु पटिया
20	16.02.17	122500	सोलर लाईट क्रय व लगवाई
21	18.03.17	10850	कैमरा क्रय
22	29.03.17	14000	नाली हेतु पटिया
23	31.03.17	165000	सोलर लाईट क्रय व लगवाई
24	31.03.17	16500	प्रधान जी का मानदेय
25	31.03.17	19293	विज्ञापन व टेण्डर
	योग	1415996	

<u>ग्राम पंचायत—भॅवरेपुर</u> <u>क्षेत्र पंचायत—रानीपुर</u>

प्रस्तर 78—ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016—17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॅा वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 22164192974 इलाहाबाद बैंक)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु **650489** की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे —अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा**। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय—8 के प्रस्तर 8—क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द से समान रुप से दोनों से आधी — आधी धनराशि क्रमशः रु 325244.50 व रु 325244.50 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रिया साफ्ट विवरण के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है —

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	कृत कार्य विवरण
1	03.10.16	12500	प्रधान जी का मानदेय
2	03.10.16	33000	सोलर लाईट क्रय व लगवाई
3	06.10.16	20000	हैण्डपम्प मरम्मत
4	21.10.16	30000	सोलर लाईट क्रय व लगवाई
5	09..01.17	20000	हैण्डपम्प मरम्मत
6	20..02.17	20390	खड़ण्जा मरम्मत व्यय
7	20..02.17	109740	खड़ण्जा मरम्मत व्यय
8	22..03.17	133700	खड़ण्जा मरम्मत व्यय
9	31..03.17	108000	खड़ण्जा मरम्मत व्यय
10	31..03.17	163159	सोलर लाईट क्रय व लगवाई
	योग	**650489**	

<u>ग्राम पंचायत—मण्डूसरा</u> <u>क्षेत्र पंचायत—रानीपुर</u>

प्रस्तर 79—लेखा परीक्षा वर्ष 2016—17 में दिनांक 20.10.16 को रु 4500 ,दिनांक 02.03.17 को क्रमशः रु 2500,3000 व 3000 दिनांक 17.03.17 को क्रमशः रु 2500 व 2500 तथा दिनांक 22.03.17 को रु 2000 अर्थात लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष में कुल रु 20000 विज्ञापन मद में व्यय कर धनराशि को विकासपरक उद्देश्यों में न व्यय कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। साथ ही इन व्ययों की आई डी भी जनरेट नहीं करायी गयी है। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी एवं प्रधान संयुक्त रुप से उत्तरदायी हैं। ग्राम प्रधान श्रीमती रीता सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री इन्द्रमणि यादव से आधी—आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत—अकबरपुर</u> <u>क्षेत्र पंचायत—रानीपुर</u>

प्रस्तर 80—दिनांक 07.02.17,18.02.17 व 18.02.17 को क्रमशः रु0 165000,रु0 45000 व रु0 120000 ग्राम पंचायत की कोषबही में कुल रु0 330000 का भुगतान सोलर लाईट क्रय हेतु दर्षित है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सोलर लाईट क्रय से पूर्व कोई निविदा नहीं लिया गया है, और न ही उक्त क्रय की स्वीकृति एवं सामान प्राप्ति की कोई

पुष्टि ग्राम सभा के क्रय समिति द्वारा की गयी है। साथ ही साथ लेखा परीक्षा में उक्त क्रय नेडा के माध्यम से की गयी है कि नहीं इसकी भी पुष्टि नहीं होती है। लाईट कहॉ–कहॉ लगवाई गई इस सम्बन्ध में ग्राम सभा के सदस्यों का कोई उपभोग प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं रहा,जबकि लाईट जहॉ–जहॉ लगी वहॉ के निवासियों द्वारा इसका प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध होना चाहिए था। इस प्रकार उपरोक्त प्रक्रियॉओं का पालन न कर सोलर लाईट मद में भुगतान कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए प्रधान श्री शिवकुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री अरविन्द सिंह उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 81–दिनांक 24.10.16 को दो किस्तों में रु0 130000 व रु0 66950 कुल रु0 196950 का विश्वनाथ के घर से शुल्लन के घर तक खड़ण्जा निर्माण हेतु ईंट क्रय किया गया दर्षित है,किन्तु स्टाक रजिस्टर के अभाव में उक्त क्रय स्टाक की स्टाक रजि0 में प्रविष्टि की पुष्टि न की जा सकी। लेखा परीक्षा के दौरान 31.03.17 तक उक्त कार्य हेतु न तो सामग्री क्रय हेतु भुगतान दर्षित है न ही उक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान किया गया दर्षित है। जिससे कुल रु0 196950 के ईंट क्रय का भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है, एवं धनराशि के अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आाधी आधी धनराशि प्रधान श्री शिवकुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री अरविन्द सिंह से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत–चोरपाखुर्द</u> **<u>क्षेत्र पंचायत–कोपागंज</u>**

प्रस्तर 82–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 433802010807687 यूनियन बैंक आफ इण्डिया)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु 900469 की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभेग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।** अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री ज्ञानेन्द व ग्राम विकास अधिकारी श्री शिशिर कुमार पाण्डेय से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 450234. 50 व रु 450234.50 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रिया साफ्ट के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	कृत कार्य विवरण
1	01.09.16	20517	हैण्डपम्प मरममत
2	01.09.16	51600	ह्यूम पाईप
3	01.09.16	934	हैण्डपम्प मरममत
4	01.09.16	1049	हैण्डपम्प मरममत
5	29.09.16	49600	सोलर लाईट क्रय
6	16.10.16	72300	पंचायत भवन मरममत व्यय
7	17.12.16	26508	खड़ण्जा मजदूरी
8	17.12.16	100190	खड़ण्जा हेतु ईट व मजदूरी
9	17.12.16	118571	खड़ण्जा हेतु ईट व मजदूरी
10	06.01.17	62357	सोलर लाईट क्रय
11	06.01.17	86643	सोलर लाईट क्रय
12	12.01.17	127700	ह्यूम पाईप
13	09.03.17	90000	खड़ण्जा हेतु ईट व मजदूरी
14	14.03.17	75000	खड़ण्जा हेतु ईट व मजदूरी
15	27.03.17	17500	प्रधान मानदेय
	योग	**900469**	

<u>ग्राम पंचायत–चौबेपुर</u> **<u>क्षेत्र पंचायत–कोपागंज</u>**

प्रस्तर 83– ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 433802010816679 यूनियन बैंक आफ इण्डिया) / प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु 371500 की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे – अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0 (चल व अचल), कार्यवाही**

रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभेग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अघ्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री संतोष चौबे व ग्राम विकास अधिकारी श्री शिशिर कुमार पाण्डेय से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 185750 व रु 185750 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रिया साफ्ट के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	कृत कार्य विवरण
1	08.06.16	25640	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
2	17.06.16	5500	नाली निर्माण मजदूरी
3	17.06.16	18180	हैण्डपम्प मरममत
4	22.09.16	48000	खड़ण्जा हेतु ईट व क्रय
5	21.10.16	18600	हैण्डपम्प मरममत
6	27.10.16	12300	हैण्डपम्प मरममत
7	29.10.16	15000	खड़ण्जा हेतु मजदूरी
8	07.12.16	21800	खड़ण्जा हेतु मजदूरी
9	28.12.16	22680	हैण्डपम्प मरममत
10	03.01.17	7000	खड़ण्जा हेतु मजदूरी
11	20.01.17	1500	स्टेशनरी
12	02.03.17	12000	कैमरा क्रय
13	10.03.17	47800	खड़ण्जा हेतु ईट व क्रय
14	17.03.17	22500	खड़ण्जा हेतु मजदूरी
15	24.03.17	93000	खड़ण्जा हेतु ईट व क्रय
	योग	**371500**	

<u>ग्राम पंचायत–कुतुबपुर</u> <u>क्षेत्र पंचायत–कोपागंज</u>

प्रस्तर 84–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 50070893827 इलाहाबाद बैंक)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु 385247 की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,क्रय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभेग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।** अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अघ्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मेवाती देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री शिशिर कुमार पाण्डेय से समान रुप से दोनों से आधी – आधी धनराशि क्रमशः रु 192623.50 व रु 192623.50 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रिया साफ्ट के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	कृत कार्य विवरण
1	05.12.16	20880	खड़ण्जा हेतु मजदूरी
2	15.12.16	11832	खड़ण्जा हेतु मजदूरी
3	29.12.16	86800	खड़ण्जा हेतु ईट व क्रय
4	31.12.16	10092	नाली मजदूरी
5	10.01.17	26855	सीमेंण्ट व बालू क्रय
6	10.01.17	35720	सीमेंण्ट व बालू क्रय
7	12.01.17	14268	चारदीवारी मजदूरी
8	16.01.17	47850	हैण्डपम्प मरममत
9	21.01.17	12155	मजदूरी भुगतान नगद
10	21.01.17	46085	खड़ण्जा हेतु ईट व क्रय
11	21.01.17	6200	खड़ण्जा हेतु ईट व क्रय
12	21.01.17	13398	खड़ण्जा हेतु मजदूरी

13	28.03.17	6000	हैण्डपम्प मरममत
14	28.03.17	12214	नाली मरम्मत मजदूरी
15	29.03.17	10470	स्कूल बाउंड्री मरम्मत मजदूरी
16	29.03.17	12214	आर0सी0सी0 मजदूरी
17	29.03.17	12214	खड़ण्जा हेतु मजदूरी
	योग	**385247**	

<u>ग्राम पंचायत–लाड़नपुर</u> <u>क्षेत्र पंचायत–कोपागंज</u>

प्रस्तर 85–ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के बचत खाते (खाता सं0 11605637916 एस0बी0आई0)/प्रिया साफ्ट फिडिंग स्रोत के आधार पर) से कुंल रु 451834 की धनराशि आहरित की गयी। किन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष **ग्राम पंचायत में कैशबुक व अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे –अनुमोदित कार्य योजना, परिसम्पत्ति रजि0(चल व अचल),कार्यवाही रजि0,कय सामग्री का स्टाक रजि0,व्यय प्रमाणक,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0,मॉग,समाहरण व अवशेष पंजिका,पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, तथा सबसे महत्तवपूर्ण सक्षम अधिकारियों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभेग प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा**। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप अपहरित कर ली गयी है। ज्ञात हो कि बिना प्रमाणकों के उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैन्युअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 8–क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती किरन व ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय शंकर सिंह से समान रुप से दोनों से आधी–आधी धनराशि कमशः रु 225917 व रु 225917 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। प्रिया साफ्ट के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है –

कमांक	दिनांक	धनराशि	कृत कार्य विवरण
1	04.07.16	15000	प्रधान मानदेय
2	04.07.16	24535	त्कनीकी व प्रशासनिक व्यय
3	29.08.16	18690	हैण्डपम्प मरम्मत
4	29.08.16	19970	हैण्डपम्प मरम्मत
5	26.10.16	19600	हैण्डपम्प मरम्मत
6	28.10.16	10000	शौचालय मरम्मत
7	28.10.16	7500	प्रधान मानदेय
8	16.12.16	11500	प्लास्टिक कुर्सी कय
9	16.12.16	18500	अलमारी भुगतान
10	16.12.16	5000	प्रधान मानदेय
11	29.12.16	3000	टेण्डर भुगतान
12	29.12.16	2000	विज्ञापन व्यय
13	27.01.17	10000	खड़ण्जा हेतु ईट व सामग्री कय
14	06.02.17	18750	हैण्डपम्प मरममत
15	18.02.17	1500	स्लोगन लिखवाने का भुगतान
16	01.03.17	10000	अलमारा भुगतान
17	31.03.17	40595	नाली मरम्मत व पटिया निर्माण हेतु सामग्री
18	31.03.17	17440	उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी
19	31.03.17	99200	खड़ण्जा मरम्मत
20	31.03.17	13944	खड़ण्जा हेतु मजदूरी
21	31.03.17	39480	खड़ण्जा हेतु मजदूरी
22	31.03.17	10500	प्रधान मानदेय
23	31.03.17	35130	हैण्डपम्प मरममत
	योग	**415834**	

<u>ग्राम पंचायत–हसननपुर</u> <u>क्षेत्र पंचायत–फतहपुरमण्डाव</u>

प्रस्तर 86– ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016–17 में रु0 33653 की धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत पर विभिन्न तिथियों में व्यय की गयी है। किन्तु हैण्डपम्प मरम्मत की सर्वे रिपोर्ट तथा हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं मरम्मत सम्बन्धी मॉगपत्र तथा स्थल की सूची की किन–किन स्थलों के हैण्ड पम्प खराब थे, लेखा परीक्षा में प्राप्त न होने के कारण रु0 33563 का व्यय वित्तीय अनियमितता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत–लालनपुर</u> <u>क्षेत्र पंचायत–फतहपुरमण्डाव</u>

प्रस्तर 87– ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016–17 में रु0 27720 की धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत पर विभिन्न तिथियों में व्यय की गयी है। किन्तु हैण्डपम्प मरम्मत की सर्वे रिपोर्ट तथा हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं मरम्मत सम्बन्धी मॉगपत्र तथा स्थल की सूची की किन–किन स्थलों के हैण्ड पम्प खराब थे, लेखा परीक्षा में

प्राप्त न होने के कारण रु0 27720 का व्यय वित्तीय अनियमितता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है – दिनांक धनराशि

दिनांक	धनराशि
03.11.16	12010
17.01.17	15710
	27720

ग्राम पंचायत–लधुवाई **क्षेत्र पंचायत–फतहपुरमण्डाव**

प्रस्तर 88– ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016–17 में रु0 44500 की धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत पर विभिन्न तिथियों में व्यय की गयी है। किन्तु हैण्डपम्प मरम्मत की सर्वे रिपोर्ट तथा हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं मरम्मत सम्बन्धी मॉगपत्र तथा स्थल की सूची की किन–किन स्थलों के हैण्ड पम्प खराब थे, लेखा परीक्षा में प्राप्त न होने के कारण रु0 44500 का व्यय वित्तीय अनियमितता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है –

दिनांक	धनराशि
23.09.16	29500
19.03.17	15000
	44500

ग्राम पंचायत–नन्दौर **क्षेत्र पंचायत–फतहपुरमण्डाव**

प्रस्तर 89– ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016–17 में रु0 72156 की धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत पर विभिन्न तिथियों में व्यय की गयी है। किन्तु हैण्डपम्प मरम्मत की सर्वे रिपोर्ट तथा हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं मरम्मत सम्बन्धी मॉगपत्र तथा स्थल की सूची की किन–किन स्थलों के हैण्ड पम्प खराब थे, लेखा परीक्षा में प्राप्त न होने के कारण रु0 72156 का व्यय वित्तीय अनियमितता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है –

दिनांक	धनराशि
12.06.16	49400
20.06.16	11716
29.09.16	11040
	72156

ग्राम पंचायत–बेलागदायनपट्टी **क्षेत्र पंचायत–फतहपुरमण्डाव**

प्रस्तर 90– ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016–17 में रु0 86006 की धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत पर विभिन्न तिथियों में व्यय की गयी है। किन्तु हैण्डपम्प मरम्मत की सर्वे रिपोर्ट तथा हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं मरम्मत सम्बन्धी मॉगपत्र तथा स्थल की सूची की किन–किन स्थलों के हैण्ड पम्प खराब थे, लेखा परीक्षा में प्राप्त न होने के कारण रु0 86006 का व्यय वित्तीय अनियमितता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है –

दिनांक	धनराशि
16.04.16	21540
26.04.16	15090
31.12.16	16150
10.02.17	15470
12.03.17	17756
	86006

ग्राम पंचायत–मर्यादपुर **क्षेत्र पंचायत–फतहपुरमण्डाव**

प्रस्तर 91– वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि रु0 187690 की धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत पर विभिन्न तिथियों में व्यय की गयी है। किन्तु हैण्डपम्प मरम्मत की तकनीकी सहायक की सर्वे रिपोर्ट तथा हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं मरम्मत सम्बन्धी स्वीकृति पत्र तथा स्थल की सूची की किन–किन स्थलों के हैण्ड पम्प खराब थे, लेखा परीक्षा में प्राप्त न होने के कारण रु0 187690 का व्यय वित्तीय अनियमितता है। अतः रु0 187690 के अनियमित व्यय के प्रति प्रधान श्रीमती मातिना एवं श्री विनोद कुमार चौहान उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है –

दिनांक	धनराशि
28.09.16	29900
31.12.16	78450

02.01.17	63250
07.01.17	16000
	187690

ग्राम पंचायत–तिनहरी क्षेत्र पंचायत–फतहपुरमण्डाव

प्रस्तर 92– वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि रु0 134710 की धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत पर विभिन्न तिथियों में व्यय की गयी है। किन्तु हैण्डपम्प मरम्मत की तकनीकी अभियन्ता की सर्वे रिपोर्ट कि हैण्डपम्प मरम्मत पर कितनी धनराशि की आवश्यकता है तथा हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं मरम्मत के मॉग सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र तथा स्थल की सूची की किन–किन स्थलों के हैण्ड पम्प खराब थे, लेखा परीक्षा में प्राप्त न होने के कारण रु0 134710 का व्यय अनियमितत है। अतः रु0 134710 के अनियमित व्यय के प्रति प्रधान श्रीमती लालती देवी एवं श्री कन्हैया प्रसाद गुप्त उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है –

दिनांक	धनराशि
05.04.16	36050
05.05.16	27670
29.09.16	40750
27.09.16	30240
	134710

ग्राम पंचायत– काठतरॉव क्षेत्र पंचायत–फतहपुरमण्डाव

प्रस्तर 93– वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत के राज्य वित खाता सं0 –10232 से दिनांक 20.01.2017 को चेक नं0 21054313 से रु0 14094 आहरित किया गया है। इसे कैशबुक के आय पक्ष में दर्शाया गया है, किन्तु इस धनराशि का व्यय पक्ष में कोई व्यय दर्षित नहीं है। इस प्रकार रु0 14094 का अपहरण सचिव व प्रधान द्वारा कर लिया गया है। अतः सचिव श्री सुरेन्द्र नाथ यादव से रू0 7047 तथा प्रधान श्रीमती आशादेवी से रु0 7047 की वसूली ब्याज के साथ की जाय एवं आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–गुरुम्हा क्षेत्र पंचायत–फतहपुरमण्डाव

प्रस्तर 94– वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि कुल रु0 49700 की धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत पर विभिन्न तिथियों में व्यय की गयी है। किन्तु हैण्डपम्प मरम्मत की तकनीकी सहायक की सर्वे रिपोर्ट तथा हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं मरम्मत सम्बन्धी स्वीकृति पत्र तथा स्थल की सूची की किन–किन स्थलों के हैण्ड पम्प खराब थे, लेखा परीक्षा में प्राप्त न होने के कारण वांछित सूचनाओं के अभाव में रु0 49700 का व्यय वित्तीय अनियमितता है। अतः रु0 49700 के अनियमित व्यय के प्रति प्रधान श्रीमती सुमन लता एवं सचिव श्री अरुण सिंह उत्तरदायी हैं।विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है –

दिनांक	धनराशि
08.02.2017	49700

ग्राम पंचायत–सौदी क्षेत्र पंचायत–फतहपुरमण्डाव

प्रस्तर 95– वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि कुल रु0 37500 की धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत पर विभिन्न तिथियों में व्यय की गयी है। किन्तु हैण्डपम्प मरम्मत की तकनीकी सहायक की सर्वे रिपोर्ट तथा हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं मरम्मत सम्बन्धी स्वीकृति पत्र तथा स्थल की सूची की किन–किन स्थलों के हैण्ड पम्प खराब थे, लेखा परीक्षा में प्राप्त न होने के कारण वांछित सूचनाओं के अभाव में रु0 37500 का व्यय वित्तीय अनियमितता है। अतः रु0 37500 के अनियमित व्यय के प्रति प्रधान श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय एवं सचिव श्री आशुतोष श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है –

दिनांक	धनराशि
22.04.2016	10000
25.07.2016	7500
06.01.2017	20000
	37500

ग्राम पंचायत–भठिया क्षेत्र पंचायत–फतहपुरमण्डाव

प्रस्तर 96–वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि ग्राम निधि प्रथम(राज्य/चौदहवॉ वित्त) खातें से निम्नविवरणांकित तिथियों में कुल रु0 75000 आहरित कर कैशबुक में फर्जी तरीके से हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्षित है

दिनांक	चेक सं0	धनराशि	व्यक्ति का नाम
12.04.16	21042073	35000	राजीव कुमार पाण्डेय
12.04.16	21042072	40000	श्रवण कुमार गौण प्रधान
	योग	75000	

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियॉ हैं –

हैण्ड पम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्ड पम्प के खराब होने की सूचना या ग्राम पंचायत तकनिकी अभियंता या अन्य किसी की सर्वे रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी

हैण्ड पम्प मरम्मत होने के पश्चात इसके लाभार्थियों तथा ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन समिति या स्वास्थ्य समिति का इस आशय का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है कि कितने और किन किन स्थानों की हैण्ड पम्पों की मरम्मत की गयी है।

हैण्ड पम्प मरममत की बिल का भुगतान मरम्मत करने वाली फर्म के नाम उसके द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से भुगतान होना चाहिए

उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत का कोई बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः रु0 75000 का व्यय काल्पनिक है और प्रधान तथा सचिव द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया हैं अतः प्रधान श्री श्रावण कुमार गौण से रु0 37500 व सचिव श्री सुरेन्द्र नाथ यादव से रु0 37500 ब्याज सहित वसूल करते हुए आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–वनपोखरा **क्षेत्र पंचायत–फतहपुरमण्डाव**

प्रस्तर 97–वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि ग्राम निधि प्रथम(राज्य/चौदहवॉ वित्त) खातें से निम्नविवरणांकित तिथियों में कुल रु0 43486 आहरित कर कैशबुक में फर्जी तरीके से हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्षित है

दिनांक	चेक सं0	धनराशि	व्यक्ति का नाम
09.06.16	052736	2210	रत्नेश्वर
21.06.16	052738	7540	रत्नेश्वर
02.11.16	052750	18600	रत्नेश्वर
07.03.17	डीडी/बीसी	15136	डीडी / बीसी
	योग	43486	

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियॉ हैं –

हैण्ड पम्प के मरममत सम्बन्धी मॉग पत्र व ग्राम पंचायत तकनिकी अभियंता या अन्य किसी की सर्वे रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी

हैण्ड पम्प मरम्मत होने के पश्चात इसके लाभार्थियों तथा ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन समिति या स्वास्थ्य समिति का इस आशय का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है कि कितने और किन किन स्थानों की हैण्ड पम्पों की मरम्मत की गयी है और उसका भुगतान किया गया है।

लेखा परीक्षा में उक्त बिल के भुगतान का कोई बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः रु0 43486 बैंक खाते से आहरित कर फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया हैं अतः प्रधान श्री नन्हकू से रु0 21743 व सचिव श्री कन्हैया प्रसाद गुप्त से रु0 21743 की वसूली ब्याज सहित करते हुए आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–दुबारी **क्षेत्र पंचायत–फतहपुरमण्डाव**

प्रस्तर 98–वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि ग्राम निधि प्रथम(राज्य/चौदहवॉ वित्त) खातें से निम्नविवरणांकित तिथियों में कुल रु0 170000 आहरित कर कैशबुक में फर्जी तरीके से हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्षित है

दिनांक	चेक सं0	धनराशि	व्यक्ति का नाम
28.04.16	21048265	60000	अनिल सिंह
07.05.16	21048266	35000	महेश उपाध्याय
12.05.16	2104867	75000	राजकुमार
	योग	170000	

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियॉ हैं –

हैण्ड पम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्ड पम्प के खराब होने की सूचना या ग्राम पंचायत तकनिकी अभियंता या अन्य किसी की सर्वे रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

हैण्ड पम्प मरम्मत होने के पश्चात इसके लाभार्थियों तथा ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन समिति या स्वास्थ्य समिति का इस आशय का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है कि कितने और किन किन स्थानों की हैण्ड पम्पों की मरम्मत की गयी है।

हैण्ड पम्प मरममत की बिल का भुगतान मरम्मत करने वाली फर्म के नाम उसके द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से भुगतान होना चाहिए न की प्रधान के करीबी लोगों के नाम धन आहरित कर भुगतान किया जाय।

उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत का कोई बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः रु0 170000 का व्यय काल्पनिक है और प्रधान तथा सचिव द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया हैं अतः प्रधान श्रीमती रंजना से रु0 85000 व सचिव श्री सुरेन्द्र नाथ यादव से रु0 85000 ब्याज सहित वसूल करते हुए आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–मूड़डार मनियर **क्षेत्र पंचायत–फतहपुरमण्डाव**

प्रस्तर 99–वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत के राज्य वित्त खाता सं0–724182 से दिनांक 01.03.16 को चेक नं0 244132 से रु0 20000 तथा दिनांक 05.03.2016 को चेक सं0 244133 से रु0 25000 तथा दिनांक 28.03.16 को चेक नं0 244134 से रु0 2000 कुल रु0 47000 ग्राम प्रधान सीमा के नाम आहरित किया गया है, इसमें से कोषबही के अनुसार दिनांक 01.03.16 को 6000 मात्रा ईंट (दर 6500 प्रति हजार) कुल रु0 39000 का क्रय किया जाना दर्षित है तथा रु0 7854 दिनांक 22.03.16 को मजदूरी तथा शेष रु0 146 की स्टेशनरी क्रय की गयी है, इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियॉ हैं–

रु0 39000 ईंट क्रय का कोई बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ईंट क्रय की इंट्री ग्राम पंचायत द्वारा स्टाक रजिस्टर न रखने के कारण स्टाक में नहीं किया गया है। अतः क्रय काल्पनिक प्रतीत हो रहा है।

रु0 39000 के ईट क्रय के भुगतान का बिल ईंट आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा प्रस्तुत करने पर फर्म के नाम एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से भुतान किया जाना चाहिए था न की प्रधान के द्वारा स्वयं खाते से आहरित कर भुगतान किया जाय। अतः कोषबही के अनुसार रु0 39000 के ईंट क्रय का व्यय काल्पनिक है, चूँकी ईंट क्रय काल्पनिक है अतः उक्त पर व्यय मजदूरी रु0 7854 फर्जी रुप से व्यय किया गया है। इस प्रकार कुल रु0 46854 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया । अतः रु0 23427 ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी तथा रु0 23427 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद से ब्याज सहित वसूल करते हुए आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–ढ़िलईफिरोजपुर **क्षेत्र पंचायत–फतहपुरमण्डाव**

प्रस्तर 100– ग्राम पंचायत की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत (राज्य/चौदहवॉ वित्त) ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 17338 से दिनांक 10.07.2015 को चेक सं0 21035006 से प्रमोद के नाम रु0 32000 आहरित है,जबकि कैशबुक में व्यय पक्ष में दिनांक 10.07.2015 को भीमल ट्रेडर्स से स्ट्रीट लाईट क्रय किया जाना दर्षित है तथा दिनांक 11.08.2015 को चेक नं0 21035011 से रु0 23500 अनुज सिंह के नाम आहरित कर कैशबुक में व्यय पक्ष में भीमल ट्रेडर्स से पटिया क्रय दर्षित है तथा दिनांक 21.09.2015 को चेक न0 21035014 से रु0 20000 संजय यादव के नाम आहरित कर कैशबुक के व्यय पक्ष में भीमल ट्रेडर्स से स्ट्रीट लाईट एवं पटिया क्रय दर्षित है । इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियॉ हैं–स्ट्रीट लाइट एवं पटिया क्रय का भुगतान सम्बन्धित फर्म को एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए न की खाते से पैसा किसी अन्य के नाम आहरित करके भुगतान किया जाय।

लेखा परीक्षा में उक्त बिल के भुगतान का कोई बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।जिससे यह प्रतीत होता है कि दूसरे लोगों के नाम खाते से पैसा आहरित कर धन का अपहरण कर लिया गया है तथा कैशबुक में गलत तरीके से फर्म के नाम क्रय किया जाना दर्शाया गया है। अतः रु0 32000.23500–20000,75500 का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा कर लिया गया है। ग्राम प्रधान श्री साबिर से रु0 37500 तथा रु0 37500 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूल करते हुए आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप–4

मण्डल का नाम–बरेली (उ0प्र0)जनपद–बदायॅूवार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष– 2016–17

जनपद बदायॅू वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में उद्घटित अधिभार/गंभीर अनियमितताओं से संबंधित आपत्तियों का विवरण–

प्रस्तर–1– वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत सिंगोई को ग्राम निधि से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय की पुश्टि में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जो अभिलेख उपलब्ध कराये गये उनकी जांच में पाया गया कि प्रधान एवं सचिव द्वारा दिनांक 28.10.2016 को रू0 17448/– का सीमेन्ट, दिनांक 30.11.2016 को रू 10000/– की कुड़ा गाड़ी तथा दिनांक 28.12.2016 को रू0 35800/– की ईट का क्रय फर्म को बैंक चेक के माध्यम से न करके प्रधान एवं सचिव द्वारा सीधे खाते से पैसा निकाल कर सामग्री का क्रय किया गया है। यह धनराशि तीनों सामग्रियों को मिलाकर रू0 63248/– है। यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता का विषय है, तथा विभागीय अधिकारियों से इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–2– ग्राम पंचायत इमलिया, वि0 ख0 सालारपुर जनपद बदायूँ लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत के ग्राम निधि से खाता सं0 126310400311019 जो कि आई0 डी0 बी0 आई0 बैंक इन्द्रा चेक बदायूँ से संचालित है को फरवरी 2016 में खाता सं0 1263104000078199 में अपग्रेड किया गया। यह खाता भी उसी बैंक शाखा से संचालित है। फरवरी 2016 में पुराने खाते 12631040031019 में रू0 97781 का अवशेष था, किन्तु वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि इस धनराशि को ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा नये खाते में हस्तातरित नहीं किया गया तथा न ही इस धनराशि को वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त कैशबूक में अवशेष के रूप में दिखाया गया है। अतः इससे स्पष्ट है कि इस धनराशि को सुनियोजित तरीके से अपहरण किया गया है। अतः रू0 97781.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान व सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–3 वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत ललेई वि0 ख0 सालारपुर जनपद बदायूँ की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता सं0 126310400031000 आई0 डी0 बी0 आई0 बैंक इन्द्रा चेक बदायूँ को फरवरी, 2016 में खाता सं0 1263104000078180 में अपग्रेड किया गया यहै खाता भी उसी बैंक से संचालित है, फरवरी 2016 में पुराने बैंक खाते 126310400031000 में रू0 43845/– का अवशेष था, जिससे नये अपग्रेड खाते 1263104000078180 में हस्तांतरित करना था, किन्तु प्रधान एवं सचिव ने इस धन को हस्तांतरित नहीं किया, तथा 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि इस धनराशि को वर्ष 2016–17 में प्रारम्भिक अवशेष के रूप में भी नही दिखाया गया है। अतः इससे स्पष्ट है कि इस धनराशि को अपहरण किया गया है। अतः रू0 43845.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–4–वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत तकीपुर को ग्राम निधि से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय की पुष्टि में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त वर्ष के अभिलेख प्रस्तुत किये गये। किन्तु सचिव द्वारा किये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार रू0 414252.00 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

क्र0स0	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त अनुदान	योग	व्यय	अग्रिम
1	2016–17	24636.00	424655.96	449291.96	414252.00	35039.96

प्रस्तर–5 वित्तीय वर्ष 2016–17 में की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत दहैमी को ग्राम निधि खाते में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय की पुष्टि में जो अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, उनकी जांचोपरान्त यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष में एक ही तिथि दिनांक 30.03.2017 को पंचायत द्वारा खडंजा नाली कार्य कराया गया है। सन्दर्भित तिथि को ईंट क्रय के दो बिल वाउचर क्रमशः 3241 एवं 3242 पर क्रमशः रू0 48620 का भुगतान चेक सं0 380120 पर तथा रू0 34560 का भुगतान चैक सं0 380123 पर श्री जय बजरंगबली ईंट उद्योग को किया गया। दिनांक 31.07.2017 को ही बिल कमांक कमशः 707 एवं 710 पर निर्माण सामग्री (सीमेन्ट, रेता) आदि का भुगतान रू0 9287 एवं 6033 का भी कमशः चेक सं0 380121 एवं 380122 के माध्यम से ममता खाद भण्डार को किया गया है। दिनांक 31.03.2017 को ही मजदूरी भुगतान के दो मस्टर रोल धनराशि कमशः रू0 19328 एवं रू0 11388 का भी भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत के पास दिनांक 31.03.2017 के पूर्व का कोई भी निर्माण सामग्री स्टॉक उपलब्ध नहीं था। एक ही तिथि को समस्त निर्माण सामग्री का कय कर, समस्त कार्य करवाकर उसी दिन मजदूरी का भुगतान करवा देना संभव नहीं है। इससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कूट रचित लेखा तैयार कर फर्मो की मिली भगत से शासकीय धन का अपहरण किया गया है, तथा वित्तीय नियमों की अवहैलना की गयी है। इस संबंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा रू0 129216.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–6 वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत बरातेगदार को चौदहवों वित्त से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय की पुष्टि में जो अभिलेख ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये है। उनकी जांचोपरान्त पाया गया कि वित्तीय वर्ष के मई माह में ही कमशः 50000/– एवं 50000/– की ईट बिना बिल वाउचर के माध्यम से कमशः चेक सं0 94191 एवं 94192 के माध्यम से शिव ईट उद्योग को दिनांक 20.05.2016 को किया गया है, तथा दिनांक 07.05. 2016 को रू0 6034 की निर्माण सामग्री तथा रू0 7700 की ईंट कय की गई है। जिसका कोई भी बिल वाउचर ओर चेक के माध्यम से नकद भुगतान किया गया है। पंचायत द्वारा सामाग्री को मई माह में ही खरीद कर पूरे वित्तीय वर्ष में इस सामग्री से काई कार्य नहीं कराया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि रू0 113734.00 की सामग्री खरीद/अप्रयुक्त कर धन का अपहरण किया गया है। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय–08 के अनुसार रू0 113734.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–7 वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत दिशौलीगंज को ग्राम निधि से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय की पुष्टि में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्रभान द्वारा उक्त वर्षों के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वर्तमान सचिव श्री सावा राम द्वारा बताया गया कि श्री चन्द्रभान द्वारा पूर्व ग्राम सचिव द्वारा उक्त वर्षों के अभिलेख जांच में नहीं दिये गये है। श्री सेवा राम द्वारा उपलब्ध कराये गये ग्राम निधि बैंक पासबुक खाता सं0 18390004000215289 पंजाब नेशनल बैंक हलवाई चेक, बदायूँ के विवरण अनुसार प्राप्त आये के सापेक्ष व्यय का विवरण निम्न प्रकार का है। जिसका दुरूपयोग किया जाना प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 की धरा 8 (क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो धनराशि का गबन/अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान व सचिव पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अतः कोशवही तथा बिल वाउचर उपलब्ध न कराये जाने हेतु तत्कालीन प्रधान व सचिव से रू0 549821.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र0स0	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त अनुदान	योग	व्यय	अग्रिम
1	2016–17	433865.49	515141.02	949006.51	549821.00	399185.51

प्रस्तर–8 वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत हुसैनपुर को ग्राम निधि से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय की पुष्टि में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्रभान द्वारा उक्त वर्शों के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वर्तमान सचिव श्री सेवा राम द्वारा बताया गया कि श्री चन्द्रभान पूर्व ग्राम सचिव द्वारा उक्त वर्शों का अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये है। श्री सेवा राम द्वारा उपलब्ध कराये गये ग्राम निधि बैंक पास–बुक खाता सं0 183900400230181 पंजाब नेशनल बैंक, हलवाई चेक बदायूॅ के विवरण निम्न प्रकार का है जिसका दुरूपयोग किया जाना,प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत द्वारा शासकी अनुदान के सापेख किये गये व्यय के संबंध में कोई बिल वाउच्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान व सचिव पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अतः कोषवही तथा बिल वाउचर उपलब्ध न कराये जाने हेतु तत्कालीन प्रधान व सचिव से रू0 319272.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

क्र0स0	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त अनुदान	योग	व्यय	अन्तिम अवशेष
1	2016–17	49649.29	439460.41	489109.79	319272.00	169837.70

प्रस्तर–9–समीक्ष्य वर्ष 2014–15 में रू0 1242013.00 मात्र व्यय व वर्ष 2015–16 में रू0 444100.00 किया गया जिसके सापेक्ष वांछित अभिलेख (कैश बुक व व्यय प्रमाण) अपहरण व दुर्विनियोग के प्रकरण के छिपाये रखने के उददेश्य से लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

अतः उपरोक्त धनराशि क्रमशः रू0 1242013.00+444100.00रू0 =1686113.00 मात्र ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मो0 गौस एवं ग्राम प्रधान श्री उपदेश कुमार से बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–10समीक्ष्य वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक रू0 1231963.70 मात्र व्यय किया गया जिसके सापेक्ष वांछित अभिलेख (कैश बुक व व्यय प्रमाण) अपहरण व दुर्विनियोग के प्रकरण के छिपाये रखते के उददेश्य से लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः उपरोक्त धनराशि क्रमशः रू0 146080.00 224140.00 401743.70 460000.00 रू 1231963.70 मात्र का ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपहरण किया गया।

अतः उपरोक्त धनराशि रू0 1231963.70 मात्र को अपहरण मानते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मो0 गौस एवं ग्राम प्रधान श्री नेत्र पाल सिंह से बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–11 समीक्ष्य वर्षो में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपने निजी लाभ के लिए अपने नाम से व अपने सगे संबंधियो से नाम से चैक काटकर निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि– प्रथम खाता सं0 218523 से आहरण कर राजकीय अनुदान का अपहरण किया जिसका विवरण निम्नवत है–

वित्तीय वर्ष 2011–12

क्रम सं0	नाम आहरणकर्ता	तिथि	धनराशि		क्रम सं0	नाम आहरणकर्ता	तिथि	धनराशि	
			रू0	पै					
1	श्रीमती राजेश्वरी	19.04.2011	20000	00	2	श्रीमती रोजेश्वरी	04.06.2011	5000	00
3	श्रीमती राजेश्वरी	2.07.2011	1000	00	4	श्रीमती राजेश्वरी	29.07.2011	20000	00
5	श्रीमती राजेश्वरी	02.08.2011	30000	00	6	श्रीमती राजेश्वरी	04.08.2011	20000	
7	श्रीमती राजेश्वरी	30.08.2011	10000	00	8	श्रीमती राजेश्वरी	17.09.2011	10000	00
9	श्रीमती राजेश्वरी	06.02.2012	5000	00	10	हरवीर सिंह	18.10.2011	25000	00
11	हरवीर सिंह	21.03.2011	5000	00	12	लेखराज	18.10.2011	15000	00
13	विनोद	16.03.2012	1000	..					

कुल योग रूपये 167000.00(रू0 एक लाख सड़सठ हजार मात्र)वित्तीय वर्ष 2012–13

क्रम सं0	नाम आहरणकर्ता	तिथि	धनराशि		क्रम सं0	नाम आहरणकर्ता	तिथि	धनराशि	
			रू0	पै					
1	श्रीमती राजेश्वरी	18.04.2012	5000	00	2	श्रीमती रोजेश्वरी	18.12.2012	5000	00
3	लेखराज	18.05.2012	10000	00	4	लेखराज	12.05.2012	10000	00
5	लेखराज	21.05.2012	15000	00	6	लेखराज	20.09.2012	35000	
7	लेखराज	31.12.2012	15000	00	8	नौमान	14.12.2012	15000	00
9	हरवीर	17.10.2012	25000	00	10	हरवीर सिंह	14.12.2012	15000	00

कुल योग रुपये 150000.00(रू0 एक लाख सड़सठ हजार मात्र)वित्तीय वर्ष 2013–14

क्रम सं0	नाम आहरणकर्ता	तिथि	धनराशि		क्रम सं0	नाम आहरणकर्ता	तिथि	धनराशि	
			रू0	पै					
1	श्रीमती राजेश्वरी	13.03.2014	20000	00	2	पप्पू	31.08.2013	5000	00
3	जावेद	05.06.2013	20000	00	4	मो0गौस	27.04.2013	10000	00
5	मो0गौस	02.05.2013	5000	00	6	हरवीर	20.04.2013	15000	
7	हरवीर	06.06.2013	5000	00	8	हरवीर	31.08.2013	5000	00
9	लेखराज	20.04.2013	15000	00	10	लेखराज	19.09.2013	15000	00

रू0 115000/मात्र(एक लाख पन्द्रह हजार मात्र)वित्तीय वर्ष 2014–15

क्रम सं0	नाम आहरणकर्ता	तिथि	धनराशि		क्रम सं0	नाम आहरणकर्ता	तिथि	धनराशि	
			रू0	पै					
1	श्रीमती राजेश्वरी	04.04.2014	5000	00	2	श्रीमती राजेश्वरी	24.05.2014	15000	00
3	श्रीमती राजेश्वरी	28.05.2014	1000	00	4	श्रीमती राजेश्वरी	09.02.2014	10000	00
5	हरवीर	20.11.201	20000	00	6	हरवीर	2012.2014	15000	00
7	हरवीर	06.02.2014	10000	00	8	दिनेश	28.04.2014	10000	00
9	लेखराज	24.07.2014	20000	00	10	लेखराज	26.07.2014	20000	00
11	लेखराज	01.08.2014	5000	00	12	लेखराज	13.09.2014	20000	00
13	लेखराज	25.09.2014	5000	00	14	लेखराज	07.10.2014	20000	00
15	रमेश	25.07.2014	20000	00	16	रमेश	14.10.2014	5000	00
17	रमेश	20.02.2015	15000	00	18	उमेश	25.07.2015	20000	00
19	बाबू राम	13.09.2015	25000	00	20	सुभाश	09.04.2014	20000	00

21	बनवारी	22.12.2014	20000	00	22	तेजराम	08.09.2014	5000	00
23	तेजराम	27.02.2015	20000	00	24	प्रकाश	2012.2014	15000	00
25	प्रकाश	23.12.2014	20000	00	26		13.02.2015	10000	00
27	बाबूराम	22.10.2014	30000	00	28				

कुल योग रूपये 401000.00(रू0 चार लाख एक हजार मात्र)उपयुक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि ग्रामप्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्षों में 2011–12 से 2014–15 तक क्रमशः रू0 167000.00 150000.00 115000.00 401000.00 कुल योग 833000.00 (रू0 आठ लाख तैतीस हजार मात्र) अपने सगे संबंधियों के नाम से चैक काटकर ग्राम निधि प्रथम से आहरण कर फर्जी कार्य दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया। जिसे मय ब्याज ग्राम पंचायत अधिकारी मो0 गौस एवं ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी देवी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–12 आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोशवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हैतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित एवं लेख प्रबंधन हैतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये दये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूलीनियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना स्टीमेंट रूपपत्र 41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।
उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की धनराशि 1362023/– रू0 बिना बिल वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	विवरण	धनराशि
1	सामग्री क्रय	655020
2	हैण्डपम्प मरम्मत	46800
3	मजदूरी	161160
4	प्रधान मानदेय	36500
5	मिट्टी कार्य	10659
6	अन्य	448059
7	अज्ञात	3825
	योग	1362023.00

प्रस्तर–13आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोशवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हैतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित एवं लेख प्रबंधन हैतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये दये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूलीनियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना स्टीमेंट रूपपत्र 41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।
उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की धनराशि 860105 /– रू0 बिना बिल वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	विवरण	धनराशि
1	सामग्री क्रय	415035.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	188675.00

3	मजदूरी	69675.00
4	प्रधान मानदेय	34000.00
5	मिट्टी कार्य	13200.00
6	अन्य	139520.00
	योग	860105.00

प्रस्तर–14 आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोशवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हैतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित एवं लेख प्रबंधन हैतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये दये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूलीनियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना स्टीमेंट रूपपत्र 41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।
उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की धनराशि 513599.00 /– रू0 बिना बिल वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	विवरण	धनराशि
1	सामग्री क्रय	221620.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	57525.00
3	मजदूरी	59180.00
4	प्रधान मानदेय	34000.00
5	मिट्टी कार्य	13404.00
6	अन्य	127870.00
	योग	513599.00

प्रस्तर–15– ग्राम पंचायत जयपालपुर धनौरा वित्तीय वर्ष 2014–15 में रूपये 804000.00 (रूपए आठ लाख चार हजार मात्र) एवं वर्ष 2015–16 में रूपए 382900.00 (रूपए तीन लाख बयासी हजार नौ सौ मात्र) अपने नाम से रूपए 5000.00–5000.00 के चेक काटकर अपहरण किया गया।
विवरण निम्नवत है। (क) वित्तीय वर्ष 2014–15

क्र0 सं0	तिथि	नाम ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी	काटे गये चैकों की संख्या चेक की धनराशि रूपये	कुलयोग रूपये पैसे
1	23.04.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	01X5000	5000
2	23.04.2014	श्री वीर सिंह	02X5000	10000.00
3	03.05.2014	श्री वीर सिंह	04X5000	20000.00
4	05.05.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	15X5000	75000.00
5	05.05.2014	श्री वीर सिंह	01X5000	5000
6	07.05.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	02X5000	10000.00
7	21.05.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	21X5000	105000.00
8	22.05.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	04X5000	20000.00
9	26.05.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	02X5000	10000.00
10	27.05.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	01 X1000	1000.00
11	04.06.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	01 X5000	5000.00
12	12.06.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	04 X5000	20000.00

13	09.07.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	02 X5000	10000.00
14	09.07.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	01 X3000	3000.00
15	05.09.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	01 X5000	5000.00
16	13.09.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	02 X5000	10000.00
17	29.09.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	02 X5000	10000.00
18	19.11.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	01 X5000	5000.00
19	29.11.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	02 X5000	10000.00
20	02.12.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	04 X5000	20000.00
21	04.12.2014	श्रीमती मुन्नी देवी	02 X5000	10000.00
22	20.02.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	20 X5000	100000.00
23	21.02.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	06 X5000	30000.00
24	24.02.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	03 X5000	15000.00
25	24.02.2015	श्री वीर सिंह	01 X5000	5000.00
26	26.02.2015	श्री वीर सिंह	04 X5000	20000.00
27	26.02.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	10 X5000	50000.00
28	27.02.2015	श्री वीर सिंह	04 X5000	20000.00
29	28.02.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	09 X5000	45000.00
30	03.03.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	10 X5000	50000.00
31	04.03.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	07 X5000	35000.00
32	04.03.2015	श्री वीर सिंह	02 X5000	10000.00
33	25.03.2015	श्री वीर सिंह	02 X5000	10000.00
34	25.03.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	01 X5000	5000.00
35	27.03.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	08 X5000	40000.00
			योग रू0	**804000.00**

उक्त से स्पष्ट है। कि रूपए 1136000.00 (रूपए ग्यारह लाख छतीस हजार मात्र) के चेक के सापेक्ष फर्जी कार्य दर्शाकर राजकीय अनुजन की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी व ग्रामविकास अधिकारी श्री वीर सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2015–16

क्र0सं0	तिथि	नाम ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी	चैकों की संख्या x चेक की धनराशि रूपये	कुलयोग रूपये पैसे
1	07.04.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	02X5000	10000.00
2	24.04.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	09X5000	45000.00
3	25.04.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	06X5000	30000.00
4	27.04.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	03X5000	15000.00
5	27.04.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	05X5000	25000.00
6	30.04.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	02X5000	10000.00
7	03.07.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	01X5000	5000.00
8	04.07.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	05X5000	25000.00
9	03.08.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	08X5000	40000.00
10	10.08.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	01X5000	5000.00
11	28.08.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	01X3000	3000.00
12	29.08.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	02X5000	10000.00
13	21.09.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	06X5000	30000.00
14	22.09.2015	श्रीमती मुन्नी देवी	01X5000	5000.00
15	25.04.2015	श्री वीर सिंह	03X5000	15000.00
16	04.07.2015	श्री वीर सिंह	02X	9900.00
17	03.08.2015	श्री वीर सिंह	01X5000	5000.00

18	05.08.2015	श्री वीर सिंह	02X5000	10000.00
19	14.08.2015	श्री वीर सिंह	01X5000	5000.00
20	22.09.2015	श्री वीर सिंह	06X5000	30000.00
			योग रू0	332000.00

प्रारूप–4

मण्डल का नाम– बरेली (उ0प्र0)जनपद–बरेली वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष– 2016–17

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियॉः–

प्रस्तर सं0–1 ग्राम पंचायत **परगंवा** लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 व 2016–17 के वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि के बैंक में खुले खाते में जमा धनराशि में से पूर्व प्रधान मोहर सिंह द्वारा रू0 221000.00 व वर्तमान प्रधान रतन लाल द्वारा रू0 70000.00 कुल रूपया 291000.00 का आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया जो कि बैंक खाते से प्रमाणित है। परन्तु आहरित धनराशि कुल रू0 291000.00 का लेखाकंन ग्राम सभा कोषवही प्रथम के आय तथा व्यय पक्ष में बिल्कुल अंकित नहीं किये जाने के कारण उक्त धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों के बाहर रही अर्थात उक्त धनराशि का सीधा अपहरण कर लिया। जिसकी ब्याज सहित वसूली पूर्व प्रधान मोहर सिंह तथा वर्तमान प्रधान रत्न लाल तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती शिप्रा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–42**

प्रस्तर सं0– 2– ग्राम पंचायत **मोहनपुर** लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 व 2016–17 में क्रमशः ग्राम निधि प्रथम के बैंक में खुले खाते में जमा धनराशि में से वर्ष 2016 में रू 470836.13 व वर्ष 2017 में रू0 385832.68 कुल रू0 856668.81 का आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया। जो कि बैंक खाते से पुष्टित है। परन्तु आहरित धनराशि कुल 856668.81 का लेखांकन ग्राम सभा कोषावही प्रथम के आय–व्यय पक्ष में अंकित नहीं किये जाने के कारण उक्त धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही अर्थात् उक्त धनराशि का सीधा अपहरण कर लिया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती परवीन बेगम व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कुलदीप पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–42**

प्रस्तर सं0–3– ग्राम पंचायत खमरिया गोपाडाण्डी आलोच्य वर्षों 2015–16, 2016–17 में ग्राम पंचायत के खाता सं0 31537676841 से कुल 1965834.00 रू0 चैक के माध्यम से आहरित कर व्यय किया जाना दर्षित है। आहरित धनराशि को ईट, मिट्टी, सीमेंट, एम0आर0, प्रधान मानदेय, ढेली मरम्मत/स्पन पाईप क्रय इत्यादि पर व्यय किया जाना दर्शाया गया है। व्यतित धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख जैसे व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर (रूपपत्र 8), स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट, माप पुस्तिका, मास्टरराल, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रधान मानदेय पंजिका इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये। स्पष्ट है कि प्रधान श्री असलम एवं सचिव श्री करन सिंह, श्री छेदालाल व अन्य संबंधित सचिवों ने फर्जी व काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि 1965834.00 रू0 का अपहरण कर लिया है। प्रधान व सचिवों ने धनराशि का अपहरण करने के लिए एक बार में 5000.00 रू0 से अधिक की धनराशि नकद आहरित की। उल्लेखनीय है कि श्री असलम ने एक बार में 60000.00 व श्री करन सिंह ने 25000 रू0 नकद धनराशि अनियमित रूप से आहरति की। धनराशि के आहरण एवं उसकों व्यय दर्षित करने में उ0प्र0 राज्य में लागू आदर्ष आचार संहिता को संज्ञान में नहीं रखा गया। बैंक स्टेटमेंट/कोषवही में किसी भी समाचार पत्र को धनराशि भुगतान किया जाना दर्षित नहीं है। अतः स्पश्ट है कि दर्षि व्यय के सापेक्ष टेण्डर जारी नहीं किये गये।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) में दर्षित व्यय के सापेक्ष बिल वाउचर न मिलने की दशा में दर्षित व्यय को अपहरण मानते हुए उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में बिल वाउचर इत्यादि अनुपलब्ध रहे। अतः प्रधान मो0 असलम व सचिव श्री करन सिंह, श्री छेदालाल व अन्य संबंधित सचिव से धनराशि 1965834.00 रू0 की ब्याज सहित वसूली विभागीय कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है। जिला पंचायत राज अधिकारी, बरेली का ध्यान संबंधित प्रधान व सचिवों के विरुद्ध धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु विशेषतः आकृष्ट किया जाता है। **सा0आ0सं0–9**

प्रस्तर सं0–4–ग्राम पंचायत ओसढ़ लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि प्रथम के बैंक में खुले खाते में जमा धनराशि में से रूपया 599903.93 का आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया जो बैंक खाते से स्पष्ट (पुष्टित) है परन्तु बैंक से आहरियत धनराशि का लेखांकन ग्राम पंचायत कोषवही के आय तथा व्यय पक्ष में अंकित नहीं किये जाने से उक्त धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही अर्थात् उक्त धनराशि का सीधा अपहरण कर लिया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सुमन यादव व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कुलदीप पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। **सा0आ0सं0–42**

प्रस्तर सं0 – 5 – ग्राम पंचायत टिसुआ लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 व 2016–17 के वर्ष में क्रमशः रूपया 2469262.13 व रूपया 325664.75 कुल रूपया 2794926.88 ग्राम निधि प्रथम के बैंक में खुले खाते में जमा धनराशि में से आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया जो कि बैंक खाते से पुष्टित है। परन्तु आहरित धनराशि रूपया 2794926.88 का लेखांकन ग्राम सभा कोषवही प्रथम के आय पक्ष व व्यय पक्ष में बिल्कुल अंकित नहीं किये जाने के कारण उक्त धनराशि ग्राम पंचायत के

अभिलेखों से बाहर रही उक्त धनराशि का सीधा अपहरण कर लिया। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान तसलीम व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कुलदीप पाण्डेय, से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0–42

प्रस्तर सं0–6–ग्राम पंचायत जसाईनागर आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का अहरण/व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी विल/वाउचर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत इस्टीमेंट कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मस्टर रोल एम0 बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, मानदेय पंजिका स्टॉक रजि0 भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलेक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू100000.00 बिला विल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। वर्तमान सचिव ने मौखिक रूप से अवगत कराया कि उक्त धनराशि का अपहरण प्रधान के संबंधियों द्वारा किया गया। अतः जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	दिनांक	धन प्राप्तकर्ता	धनराशि	चेक सं0	कैश बुक में दर्षित व्यय का मद
1	26.5.15	अमित सिंह	10000.00	896271	मस्टर रोल पर व्यय
2	28.8.15	अमित सिंह	20000.00	896280	ईंट पर व्यय
3	28.8.15	अमित सिंह	20000.00	896281	ईंट पर व्यय
4	03.9.15	अमित सिंह	21000.00	896290	ईंट पर व्यय
5	03.9.15	चरन सिंह	20000.00	896288	मस्टर रोल पर व्यय
6	01.9.15	अनिल	4000.00	896282	मिट्टी पर व्यय
7	01.9.15	अनिल	5000.00	896285	टनिल
		योग–	100000.00		

सा0आ0सं0–34

प्रस्तर सं0–7–ग्राम पंचायत मोहनपुर

क्रम सं0	चेक नं0	दिनांक	धनराशि	व्यक्ति/संस्था जिसको भुगतान किया गया
1	055292	11.04.2015	40000.00	श्री अफसार हुसैन (प्रधान)
2	055293	11.04.2015	40000.00	श्री अफसार हुसैन (प्रधान)
3	055291	11.04.2015	40000.00	श्री अफसार हुसैन (प्रधान)
4	055294	11.04.2015	30000.00	श्री अफसार हुसैन (प्रधान)
5	055295	01.05.2015	10000.00	श्री करन सिंह सचिव
6	055297	02.09.2015	25000.00	श्री अफसार हुसैन (प्रधान)
7	055296	02.09.2015	25000.00	श्री अफसार हुसैन (प्रधान)
8	055298	02.09.2015	30000.00	श्री अफसार हुसैन (प्रधान)
9	055299	02.09.2015	35000.00	श्री अफसार हुसैन (प्रधान)
10	0552300	02.09.2015	40000.00	श्री अफसार हुसैन (प्रधान)
11	632918	04.09.2015	40000.00	श्री अफसार हुसैन (प्रधान)
12	632916	04.09.2015	17500.00	श्री अफसार हुसैन (प्रधान)
13	632917	04.09.2015	30000.00	श्री अफसार हुसैन (प्रधान)
14	632915	04.09.2015	40000.00	श्री अफसार हुसैन (प्रधान)
		योग–	442500.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत मोहनपुर के खाता सं0 31543140869 से प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से जारी चेकों के माध्यम से 442500.00 का आहरण किया गया। आहरित धनराशि 442500.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में रूप पत्र 8 कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत कार्य योजना, स्वीकृत एस्टीमेंट क्रय प्रमाणक बिल/बाउचर्स मास्टर रोल, रोकड़वही रूप पत्र–6, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम0बी0, स्टॉक रजिस्टर निरीक्षण पुस्तिका, आदि प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण आहरित धनराशि अपुष्ठित व आपत्तिजनक रही। प्रधान श्री अफसार हुसैन द्वारा अनियमित रूप से एक बार में अधिकतम 40000.00 नकद खाते से आहरित किया गया। समस्त धनराशि को नकद में आहरित कर प्रधान व सचिव ने धनराशि के आहरण किए जाने को सरलता प्रदान की। अप्रैल माह में ही 150000.00 का नकद आहरण किया जो कि बिना किसी स्वीकृत कार्य योजनपा, स्वीकृत एस्टीमेंट व एम0बी0 के किया जाना स्पष्ट है। लेखा परीक्षा में क्रय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के प्रकाश में क्रय प्रमाणक के अभाव में धनराशि का गबन मानते हुए, धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से किए जाने का प्रवधान है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है

कि प्रधान श्री अफसार हुसैन व सचिवनों में फर्जी व कालपनिक व्यय दर्शाकर धनराशि 442500.00 का आहरण कर लिया है जिसकी ब्याज सहित वसूली वैधानिक कार्यवाही सहित प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0–46

प्रस्तर सं0–8–ग्राम पंचायत पृथवीपुर आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उललेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किए गए व्यय के सापेक्ष कार्ययोजना स्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0 बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं रू0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किये जाने व समय समय पर आयकर विभाग एवं व्यापार कर विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बिल से क्रमशः आयकर एवं व्यापार कर की कटौती के नियमों की भी अनदेखी की गई है एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को नकारा गया है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रू0 340812.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम	विवरण	धनराशि	टिप्पणी
1	सामग्री क्रय	147000	सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक जंजिका वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
2	हैण्ड पंप मरम्मत	35000	हैण्ड पंप की सं0 अज्ञात। मरम्मत वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
3	मजदुरी भुगतान	56075	एम0आर0 प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
4	प्रधान मानदेय	20000	रशीद प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
5	अन्य/विविध	82737	वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
	योगः–	340812	

सा0आ0सं0–23

प्रस्तर सं0–9–ग्राम पंचायत ज्योत जागीर वर्ष आलोच्य में निम्न विवरणानुसार दिनांक 08.08.2016 को 9600.00 दिनांक 20.08.2016 को 1350.00 तथा दिनांक 27.01.2017 को 2879.00 का व्यय हैण्ड पम्पों के मरम्मत एवं सामग्री क्रय पर किया गया है। लेकिन उपरोक्त व्ययों के प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः कुल धनराशि 13829.00 की धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नन्हीं देवी, तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह यादव से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–12**

प्रस्तर सं0–10– ग्राम पंचायत विशी रम्पुरा वर्ष आलोच्य में दिनांक 29.12.2016 को हैण्ड पम्पों के मरम्मत कराने पर 12500.00 का व्यय किया गया हैं लेकिन उपरोक्त व्यय के प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सोनी देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप तिवारी/तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है **सा0आ0सं0–11**

प्रस्तर सं0–11–

1– ग्राम पंचायत सुन्दरी वर्ष आलोच्य में दिनांक 17.'11.2016 को हैण्ड पम्पों के मरम्मत कराने पर 40000.00 एवं दिनांक–28.02.2017 को 30000.00 का व्यय किया गया है। लेकिन उपरोक्त व्यय के प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः उपरोक्त समस्त धनराशि 70.000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कपिल देव तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विपिन सक्सेना/तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–11**

प्रस्तर सं0–12–ग्राम पंचायत धन्तिया आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किए गए व्यय के सापेक्ष कार्ययोजना स्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0 बी सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई।उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रू0 752869.50 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत

सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रधासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

कम	विवरण	धनराशि
1	सामग्री क्रय (ईंट, सरिया, सीमेण्ट, बजरफुट)	346400.00
2	हैण्ड पंप मरम्मत	51660.00
3	मिट्टी का कार्य	58650.00
4	बैंक चार्ज/कटौती	208.50
5	प्रधान मानदेय	34000.00
6	मजदूरी पर भुगतान	178700.00
7	कैमरा क्रय	7000.00
8	प्रशासनिक व्यय	5000.00
9	शौचालय निर्माण हेतु	6750.00
10	फोटो स्टेट/टाईपिंग	1201.00
11	ठेली मरम्मत	4500.00
12	सफाई किट	5000.00
13	स्ट्रीट लाईट	53800.00
	योग–	**752869.50**

सा0आ0सं0–30

<u>प्रस्तर सं013–</u>

1–ग्राम पंचायत कल्याणपुर हिकमत अली आलोच्य ग्राम पंचायत में वर्ष 2016–17 में समस्त आहरित धनराशि का अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के पश्चात् भी श्री मुकेश कुमार शर्मा द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त ग्राम सभा की वर्ष 2016–17 की जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में स्थिति ज्ञात करने पर अवगत कराया गया कि खाते की ऑनलाइन फीडिंग प्रियासाफट पर करायी जा चुकी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिलेख प्रस्तुत/तैयार नहीं करके आहरित धनराशि रू0 830232.00 का गबन किया गया है। विकास खण्ड कार्यालय स्तर पर भी लेखा परीक्षा की तक कराए गए कार्यों की कार्य पुष्टि उपलब्ध नहीं थी। अतः रू0 830232.00 की ब्याज सहित वसूली विशेषकर सम्बन्धित सचिव के साथ साथ प्रधान से की जानी अपेक्षित रही। **सा0आ0सं0–01**

<u>प्रस्तर सं0–14</u> ग्राम पंचायत फाजिलहपुर आलोच्य वर्ष के लेखा परीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि दिनांक–10.03.2017 में चेक सं0–273 से ग्राम सभा के वित्त खातों से रू0 10000.00 नकद का आहरण किया गया हैं जिसकी प्रविष्टि कोष वही में अंकित नहीं की गयी। इस प्रकार उपरोक्त धनराशि का गबन किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–3**

<u>प्रस्तर सं0–15</u> ग्राम पंचायत रमपटिया विशारत अली उक्त ग्राम सभा में आलोच्य वर्ष 2016.17 में ग्राम प्रधान तथा सचिव द्वारा वित्त खाते से रू0 182700.00 का आहरण किया गया है। जिसके विरूद्ध कराए गए कार्यों का कोई विवरण अज्ञात रहने के साथ साथ ग्राम सभा की कोष वही एवं व्यय प्रमाणक भी अप्राप्त रहें जिसके विषय में जानकारी करने पर बताया गया कि प्रधान एवं पूर्व सचिवों द्वारा कोई अभिलेख नहीं बनाया गया है। अतः निकाली गयी धनराशि रू0 182700.00 का कार्य एवं खर्च पूर्ण रूप से अपुष्ट रहा। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–2**

<u>प्रस्तर सं0–16–</u>ग्राम पंचायत सैदपुर सरौरा आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम सभा के दिनांक–01.04.2015 से 30.11.2015 तक की कोषवही एवं प्रमाणक तथा अन्य अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण आहरित धनराशि 298200.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। पुष्टि नहीं होने की दशा में कोष वही एवं अन्य अभिलेख सम्बन्धित धनराशि जो चेकों द्वारा संयुक्त रूप से आहरित की गयी है कि ब्याज सहित वसूली तात्कालिक प्रधान एवं तात्कालिक सचिवों से की जानी अपेक्षित रही। अधिभारित धनराशि 298200/– के सापेक्ष 268884/–का परिपालन होने के उपरान्त धनराशि रू0 29316/–की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं। **सा0आ0सं0–2**

<u>प्रस्तर सं0–17–</u> ग्राम सभा सदरपुर वर्ष 2015–16 से 2016–17 में क्रमशः रू0 30000.00 एवं रू0253196.00 का आहरण वित्त खाते से किया गया है, जिसके खर्चो की पुष्टि में कोषवही व्यय प्रमाणक, एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने शेष रहें प्रस्तुत न होने की दशा में उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली सचिव एवं प्रधान से की जानी अपेक्षित है। उक्त गांव सभा में मनरेगा से सम्बन्धित भी कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। **सा0आ0सं0–1**

<u>प्रस्तर सं0–18–</u>ग्राम पंचायत सिंधा आलोच्य वर्ष में विभिनन दिनांकों में सुरेश को कुल 13690.00 का भुगतान किया गया है। लेकिन प्रमाणक अनुपलब्ध रहें अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री वीरपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जनार्दन से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–2**

<u>प्रस्तर सं0–19–</u>ग्राम पंचायत अग्रास आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ वही की जाँच में पाया गया कि दिनांक 27.03.2017 को 15000.00 तथा दिनांक 30.03.2017 को 15000.00 कुल 30000.00 का लेखा रोकड़ बही में नहीं किया गया है। अतः उक्त धनराशि 30000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान परवीन बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र वीर से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–2**

<u>प्रस्तर सं0–20–</u>ग्राम पंचायत नबाबपुरा आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में नहीं दर्शाया गया है। बैंक खाते के अनुसार किए गए व्यय रू0 494524.00 के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय हे कि किए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि (फरवरी 2017 से मार्च 2017) रू0 494524.00 बिना बिल/वाउचर के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–20**

<u>प्रस्तर सं0–21–</u>1. ग्राम पंचायत बरखना हरचन्दपुर आलोच्य वर्ष हैड पम्पों के मरम्मत पर दिनांक 20.05.2016 को 10000.00 तथा दिनांक 16.06.2016 को 465.00 का व्यय किया गया है, लेकिन उपरोक्त व्यय के प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः उपरोक्त कुल धनराशि 10465.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती दयालों, तथा गम्रम पंचायत अधिकारी श्री राम आसरे लाल/तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–10**

<u>प्रस्तर सं0–22–</u>1. ग्राम पंचायत भदपुरा आलोच्य वर्ष में हैड पम्पों के मरम्मत पर दिनांक 16.04.2016 को 9500.00 तथा दिनांक 26.12.2016 को 56000.00 का व्यय किया गया है। लेकिन प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः कुल धनराशि 65500.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री नरोत्तम दास, तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम आसरे लाल से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–10**

<u>प्रस्तर सं0–23–</u>1. ग्राम पंचायत नकटी नारायण पुर आलोच्य वर्ष में हैड पम्पों के मरम्मत पर दिनांक 14.06.2016 को 10000.00 तथा दिनांक 22.02.2017 को 5080.00 का व्यय किया गया है। लेकिन प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः कुल धनराशि 15080.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री देवेश कुमार, तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम आसरे लाल/तत्कालीन सचिव से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–10**

<u>प्रस्तर सं0–24–</u>ग्राम पंचायत कुँवरपुर करीमजान आलोच्य वर्ष में हैड पम्पों के मरम्मत पर दिनांक 23.02.17 को 24000. 00 का व्यय किया गया है, लेकिन प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः उपरोक्त धनराशि 24000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री बाबुराम, तथा ग्राम पंचायत अधिकारी मो0 अमजद/तत्कालीन सचिव से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–09**

<u>प्रस्तर सं0–25</u>ग्राम पंचायत गुलड़िया लेखराज आलोच्य वर्ष में हैण्ड पम्पों के मरम्मत पर दिनांक 05.04.2016 को 4710. 00 तथा दिनांक 03.01.2017 को 3500.00 का व्यय किया गया है। लेकिन प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः कुल धनराशि 8210.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री मालती देवी, तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक तिवारी/तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–10**

2. ग्राम पंचायत गुलड़िया लेखराज आलोच्य वर्ष में दिनांक 24.06.2016 को 15000.00 का तथा दिनांक 12.01.2017 को 8025.00 का व्यय मिट्टी कार्य पर किया गया है। लेकिन प्रमाणक अनुपलब्ध रहे।

अतः कुल धनराशि 23025.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मालती देवी, तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक तिवारी/तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। सा0आ0सं0–13

<u>प्रस्तर सं0–26</u>1. ग्राम पंचायत **मटकापुर** आलोच्य वर्ष में हैण्ड पम्पों के मरम्मत पर कुल 47000.00 व्यय किया गया है। लेकिन प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः उपरोक्त धनराशि 47000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री इन्द्रपाल सिंह, तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विपिन सक्सेना/तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0–13

<u>प्रस्तर सं0–27</u> ग्राम पंचायत मुड़िया जगरूप आलोच्य वर्ष में हैण्ड पम्पों के मरम्मत पर विभिन्न दिनांकों में 29020.00 का व्यय किया गया है। लेकिन प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः उपरोक्त धनराशि 29020.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री हरीश कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विपिन सक्सेना/तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–12**

<u>प्रस्तर सं0–28</u>ग्राम पंचायत बहादुरपुर करोड़ लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 व 2016–17 में ग्राम निधि प्रथम के बैंक में खुले खाते में जमा धनराशि में से वर्ष 2016 में जमा रू 60086.00 व वर्ष 2017 में रू0 449852.25 कुल रूपया 509938.25 का आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया। जो कि बैंक खाते से प्रमाणित है। परन्तु आहरित धनराशि 509938.25 का लेखांकन ग्राम सभा कोषावही प्रथम के आय–व्यय पक्ष में अंकित नहीं किये जाने के कारण उक्त धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही। अर्थात उक्त धनराशि का सीधा अपहरण कर लिया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नत्थू लाल व ग्राम पंचायत अधिकारी कुलदीप पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–42**

<u>प्रस्तर सं0–29</u> ग्राम पंचायत शीशमखेड़ा लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया। जिसके सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। बिल एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधिन धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रू0 533753.00 बिना बिल/वाउचर के व्यय करके उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान अमीर जहाँ व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कैलाश बाबू से की जानी अपेक्षित है।

क्र0 सं0	विवरण	धनराशि
1.	सीमेन्ट, सरिया, बजरफुट	137553.00
2.	ईंट	168600.00
3.	विद्युत व्यय (स्ट्रीट लाईट)	108000.00
4.	मजदूरी पर व्यय	77000.00
5.	हैण्ड पम्प मरम्मत	20600.00
6.	ठेली मरम्मत	7000.00
7.	मानदेय	15000.00
	योग	533753.00

सा0आ0सं0–30

<u>प्रस्तर सं0–30</u> (ग्राम पंचायत शीशमखेड़ा लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 के माह जनवरी में विभिन्न चैकों द्वारा जैसे क्रमांक–69, 66, 67, 68 द्वारा क्रमशः रू0 4000.00 व 10,000.00 व 10,000.00 तथा 4800.00 कुल रूपया 28800.00 का भुगतान मो0 हनीफ को किया जाना दर्षित है। परनतु आहरित धनराशि (भुगतानित धनराशि) को लेखा कोषवही के आय तथा व्यय पक्ष में न करके सीधे धनराशि का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान अमीर जहॉ व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कैलाश बाबू से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–31**

<u>प्रस्तर सं0–31</u>– ग्राम पंचायत ठिरिया बुजुर्ग आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है, दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी विल/वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के बिजल एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधिन धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेंट, रूपम मात्र 41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में <u>टेण्डर/कुटेशन</u> स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रूपया 1153099.00 बिना विल/वाउचर एवं उपरोक्त आयोजित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्र0 सं0	विवरण	धनराशि
1.	सामग्री क्रय (ईंट, सरिया, सीमेन्ट, बजरफुट)	674580.00
2.	हैण्ड पम्प मरम्मत	76210.00
3.	ठेली मरम्मत	22200.00
4.	सोलर लाइट कम्पलीट	4400.00
5.	स्टेशनरी बैग	13000.00
6.	मजदूरी पर व्यय	276400.00
7.	मिट्टी पर व्यय	18000.00
8.	प्रधान मानदेय	34000.00
9.	विज्ञापन	1137.00
10.	फोटो स्टेट	1660.00
11.	शौचालय गेट/पुताई	4750.00
12.	सफाई अभियान	25650.00
13.	बैंक चार्जेज	1112.00
	योग	1153099.00

सा0आ0सं0–30

<u>प्रस्तर सं0–32</u>ग्रामपंचायत गहवरा लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में दिनांक 25.07.2016 एवं 02.12.2016 को क्रमशः मैसर्स अन्जुमहुसैन मीरगंज,बरेली से क्रमशः रूपया28000.00 व रूपया 15000.00 कुल रूपया43000.00 की एल0ई0डी0 स्ट्रीट

लाइट का भुगतान चैक द्वारा कोषवही में कोषांकित है। किन्तु उक्त क्रय की आवश्यकता संबंधी साक्ष्य एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान मांग करने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कियें जिससे भुगतानित राशि अनियमित रही। अतः फर्जी भुगतान कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0—30**

<u>प्रस्तर सं0—33</u> ग्राम पंचायत पचदौरा कला ग्राम सभा में दिनांक 01.04.2016 तक की कोष वही श्री उल्फत सिंह तात्कालिक सचिव द्वारा प्रस्तुत की गयी जबकि सितम्बर 2016 से मार्च 2017 तक की कोषवही एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में तात्कालिक सचिव श्री तेजराम से बार—बार मांगे जाने पर भी अप्राप्त रहे। इस संदर्भ में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) भोजीपुरा, बरेली द्वारा बताया गया कि, प्रधान श्रीमती अनवरी बेगम द्वारा ए0डी0ओ0 पंचायत कार्यालय में शपथ पत्र दिया गया है कि श्री तेजराम सचिव को प्रधान द्वारा समस्त व्यय से संबंधित वाउचर एवं अभिलेख दिये जाने पर भी उनके द्वारा कोषवही नहीं तैयार की जा रही है अतः दिनांक 09.09.2016 से 31.03.2017 तक वित्त के खाते से आहरित धनराशि रू0 2949500.00 के व्यय संबंधी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं होती है। जिसके लिए तत्कालिक सचिव श्री तेजराम पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0—04**

<u>प्रस्तर सं0—34</u> ग्राम पंचायत गुरगावां एतमाली आलोच्य वर्ष 2016—17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है, दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी विल/वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधिन धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेंट, रूप मात्र 41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में <u>टेण्डर/कुटेशन</u> स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं रू0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किये जाने व समय समय पर आयकर विभाग एवं व्यापार कर की कटौती के नियमों की भी अनदेखाी की गई है एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धांन्तों को नकारा गया है। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रू0 582131.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	विवरण	धनराशि	टिप्पणी
1.	सामग्री क्रय	100000.00	सामग्री क्रय की पुष्टि में <u>टेण्डर/कुटेशन</u>, स्टॉक पंजिका वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
2.	हैण्ड पंप मरम्मत	20000.00	हैण्ड पंप की संख्या अज्ञात। मरम्मरत वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
3.	मजदूरी भुगतान	124000.00	एम0आर0 प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
4.	प्रधान मानदेय	41500.00	रशीद प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
5.	मिटटी कार्य	33000.00	
6.	अन्य/विविध	263631.00	• वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
	योग	582131.00	

सा0आ0सं0—20

<u>प्रस्तर सं0—35</u> 01. ग्राम पंचायत हाजीपुर आलोच्य वर्ष 2016—17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है, दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी विल/वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधिन धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेंट, रूप मात्र 41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में <u>टेण्डर/कुटेशन</u> स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं रू0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किये जाने व समय समय पर आयकर विभाग एवं व्यापार कर की कटौती के नियमों की भी अनदेखाी की गई है एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धांन्तों को नकारा गया है। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रू0 388024.0000 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	विवरण	धनराशि	टिप्पणी
1.	सामग्री क्रय	214000.00	सामग्री क्रय की पुष्टि में

			टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
2.	हैण्ड पंप मरम्मत	22000.00	हैण्ड पंप की संख्या अज्ञात। मरम्मरत वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
3.	मजदूरी भुगतान	42000.00	एम0आर0 प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
4.	प्रधान मानदेय	20000.00	रशीद प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
5.	मिटटी कार्य	20000.00	
6.	अन्य/विविध	70024.00	• वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
	योग	388024.00	

सा0आ0सं0–20

प्रस्तर सं0–36– ग्राम पंचायतझाड नगला आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है, दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधिन धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेंट, रूप मात्र 41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं रू0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किये जाने व समय समय पर आयकर विभाग एवं व्यापार कर की कटौती के नियमों की भी अनदेखाी की गई है एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धांन्तों को नकारा गया है। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रू0 689235.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	विवरण	धनराशि	टिप्पणी
1.	सामग्री क्रय	9944.00	सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
2.	हैण्ड पंप मरम्मत	28000.00	हैण्ड पंप की संख्या अज्ञात। मरम्मरत वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
3.	मजदूरी भुगतान	77070.00	एम0आर0 प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
4.	प्रधान मानदेय	40500.00	रशीद प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
5.	मिटटी कार्य	8200.00	
6.	अन्य/विविध	525521.00	• वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
	योग	689235.00	

सा0आ0सं0–20

प्रस्तर सं0–37 ग्राम पंचायत **कुण्डरिया खुर्द** ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में माह सितम्बर व दिसम्बर 2016 में तालाब भरवाई पर अनावश्यक रूप से विभिन्न तिथियों में रू0 40000.00 का व्यय कर अनुदान का दुरूपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

16.09.2016 – 10000.00
20.09.2016 – 10000.00
23.12.2016 – 20000.00

(सा0आ0सं0–27)

प्रस्तर सं0–38ग्राम पंचायत बड़ा सिरसा ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में माह सितम्बर व दिसम्बर 2016 में तालाब भरवाई पर अनावश्यक रूप से विभिन्न तिथियों में रू0 24000.00 का व्यय कर अनुदान का दुरूपयोग किया गया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है। 23.02.2017 – 24000.00 **सा0आ0सं0–20**

प्रस्तर सं0–39 ग्राम पंचायत करुआ सहावगंज, भदपुरा वर्ष आलोच्य में दिनांक 29.07.2016 को हैण्ड पम्पों के मरम्मत कराने पर 72000.00 का व्यय किया गया है। लेकिन उपरोक्त व्यय के प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः उपरोक्त समस्त धनराशि 72000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रियाज अहमद तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विपिन पाण्डेय/तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–11**

प्रस्तर सं0–40 ग्राम पंचायत मानपुर पूर्वी आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि **ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई**

बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेंट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई। अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराने के कारण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा उपलबध कराए गए **बैंक स्टैटमेन्ट प्रिया सॉफट पर अपलोड की गगई विवरणियां व अन्य जानकारियों** के तहत व उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रू0 1127180.00 बिना कोषवही तथा बिल/वाउचर एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–10**

प्रस्तर सं0–41. ग्राम पंचायत इस्लामपुर आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि **ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी।** उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेंट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई। अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराने के कारण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा उपलबध कराए गए बैंक स्टैटमेन्ट प्रिया सॉफट पर अपलोड की गगई विवरणियां व अन्य जानकारियों के तहत व उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रू0 541526.00 बिना बिल कोषवही/वाउचर एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया
है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–10**

प्रस्तर सं0–42–ग्राम पंचायत मनौना आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि **ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी।** उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेंट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई। एवं रू0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किए जाने व समय समय पर आयकर विभाग एवं व्यापार कर विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बिल से क्रमशः आयकर एवं व्यापार कर की कटौती के नियमों की भी अनदेखी की गयी है एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को नकारा गया है अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराने के कारण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा उपलबध कराए गए **बैंक स्टैटमेन्ट प्रिया सॉफट पर अपलोड की गगई विवरणियां व अन्य जानकारियों** के तहत व उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2015–16 व 2016–17 में राजकीय अनुदान के सापेक्ष किए गए व्यय क्रमशः रू0 2343500.00 एवं 2672070.00 कुल रू0 5015570.00 बिना कोषवही तथा बिल/वाउचर एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है **जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है। सा0आ0सं0–20**

प्रस्तर सं0–43–ग्राम पंचायत मानपुर अहियापुर लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 व 2016–17 के वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि प्रामि के बैंक में खुले खाते में जमा धनराशि में से अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2015 तक कुल रूप्या 897182.90 का आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया। जो कि बैंक खाते से पुष्टित है। परन्तु आहरति धनराशि रू0 897182.90 का लेखांकन ग्राम सभा कोषवही प्रथम के आय–व्यय पक्ष बिल्कुल अंकित नहीं किए जाने के कारण उक्त धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही। अर्थात उक्त धनराशि का सीधा अपहरण कर लिया। जिसकी ब्याज सहित वसूली पूर्व प्रधान उर्मिला देवी व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती शिप्रा से की जानी अपेक्षित है। सा0आ0सं0–20

प्रस्तर सं0–44–आलोच्य वर्ष 2016.17 में हैण्ड पम्पों के मरम्मत पर 20000.00 का व्यय किया गया है ,लेकिन 10000. 00 के प्रमाणक पर संख्या, स्थान, मजदूरी एवं सामग्री क्रय का विवरण अंकित नहीं किया गया है। यह स्थिति आपत्तिजनक रही। इसके अतिरिक्त दिनांक 20.06.2016 को किए गए व्यय 10000.00 की पुष्टि में प्रमाणक ही अनुपलब्ध रहे। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विपिन सक्सेना से की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं0–45</u> ग्राम पंचायत पहरापुर भगवतीपुर वर्ष 2016.17 में मिटटी डलवाई पर कुल 22395.00 का व्यय किया गया है। लेकिन दिनांक 01.09.2016 को 10000.00 एवं दिनांक 07.12.2016 को 2940.00 के प्रमाणक ही अनुपलब्ध रहे। अतः कुल धनराशि 12940.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विपिन सक्सेना से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–11**

<u>प्रस्तर सं0–46</u> ग्राम पंचायत पेहना आलोच्य वर्ष 2016.17 में हैण्ड पम्पों के मरम्मत पर 16500.00 का व्यय किया गया है ,लेकिन दिनांक 25.07.2016 को किए गए व्यय 9000.00 की पुष्टि में प्रमाणक ही अनुपलब्ध रहा। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती हीराकली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमकार से की जानी अपेक्षित है।**प्रस्तर सं0–10**

<u>प्रस्तर सं047</u> ग्राम पंचायत पेहना वर्ष आलोच्य में दिनांक 28.10.16 को मिटटी ढुलाई पर कुल 29500.00 का व्यय किया गया है। जिसमें से 15000.00 के व्यय के प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती हीराकली, एवं पंचायत सचिव आंकार से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–11**

<u>प्रस्तर सं0–48</u>–ग्राम पंचायत अल्हैया आलोच्य वर्ष में हैण्ड पम्पों के मरम्मत कराने पर 40125.00 का व्यय किया गया है ,लेकिन दिनांक 26.04.2016 को किए गए व्यय 20000.00 की पुष्टि में प्रमाणक ही अनुपलब्ध रहा। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान राजेश्वरी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओंकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–49 ग्राम पंचायत अल्हैया वर्ष आलोच्य में दिनांक 24.10.16 को 26200.00 तथा 20.12.2016ा को 7850.00 का व्यय मिटटी डलवाई पर किया गया है, लेकिन उपरोक्त दोनों दिनांकों के प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः कुल धनराशि 34050.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती राजेश्वरी देवी एवं पंचायत सचिव ओंकार से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–11**

<u>प्रस्तर सं0</u>–50– ग्राम पंचायत गुलड़िया वर्ष आलोच्य में दिनांक 24.08.2016 को हैण्ड पम्पों के मरम्मत कराने पर 22000.00 का व्यय किया गया है। लेकिन प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गुरू प्रकाश एवं पंचायत अधिकारी श्री विपिन सक्सेना से की जानी अपेक्षित है।**(प्रस्तर सं0–10)**

<u>प्रस्तर सं0</u>–51ग्राम पंचायत गुलड़िया महीपत वर्ष आलोच्य में दिनांक 22.09.2016 को 19000.00 का व्यय मिटटी डलवाई पर किया गया है।लेकिन प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गुरू प्रकाश एवं पंचायत अधिकारी श्री विपिन सक्सेना से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–11**

<u>प्रस्तर सं0–52</u> ग्राम पंचायत सुनौर देशनगर वर्ष आलोच्य में दिनांक 31.05.2016 को 27000.00 का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत पर किया गया है। लेकिन प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गिरजा शंकर एवं पंचायत अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह यादव से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–11**

<u>प्रस्तर सं0–53</u>.–ग्राम पंचायत सतवन पटटी वर्ष आलोच्य में दिनांक 31.03.2017 को 19702.00 का व्यय मिटटी ढुलाई पर किया गया है। लेकिन प्रमाणक लेखा परीक्षा अनुपलब्ध रहे। अतः उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री नरेन्द्र पाल सिंह एवं पंचायत अधिकारी मो0 अमजद से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–10**

<u>प्रस्तर सं0–54</u>– ग्राम पंचायत **रूखाड़ा** आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि **<u>ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी।</u>** उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेंट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में <u>टेण्डर/कुटेशन</u>, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई। एवं रू0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किए जाने व समय समय पर आयकर विभाग एवं व्यापार कर विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बिल से क्रमशः आयकर एवं व्यापार कर की कटौती के नियमों की भी अनदेखी की गयी है एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को नकारा गया है अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराने के कारण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा उपलबध कराए गए **बैंक स्टैटमेन्ट प्रिया सॉफट पर अपलोड की गई विवरणियां व अन्य जानकारियों** के तहत व उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2015–16 व 2016–17 में राजकीय अनुदान के सापेक्ष किए गए व्यय कुल रू0 1108415.00 बिना कोषवही तथा बिल/वाउचर एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है **जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।**

क्रम सं0	विवरण	धनराशि	टिप्पणी
1.	सामग्री क्रय	404653.00	सामग्री क्रय की पुष्टि में <u>टेण्डर/कुटेशन</u>, स्टॉक पंजिका वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
2.	हैण्ड पंप मरम्मत	20000.00	हैण्ड पंप की संख्या अज्ञात। मरम्मरत वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट

3.	मजदूरी भुगतान	254820.00	एम0आर0 प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
4.	प्रधान मानदेय	35000.00	रशीद प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
5.	मिटटी कार्य	74825.00	
6.	अन्य/विविध	319117.00	• वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
	योग	1108415.00	

सा0आ0सं0–20

प्रस्तर सं0–55–ग्राम पंचायत मल्हपुर आलोच्य वर्ष में पाया गया कि प्रधान/सचिव द्वारा खाता सं0 11270 से चेकों के माध्यम से संस्था एस0आर0 इलैक्ट्रिकल्स को निम्नानुसार व्यय अंकित किया गया है।–

क्0सं0	दि0	चेक सं0	धनराशि
1.	04.11.16	892499	96000.00
2.	4.11.16	992781	24000.00
3.	10.2.17	992784	2500.00
4.	10.2.17	992785	2500.00
5.	10.2.17	992782	25000.00
6.	21.2.17	992789	5000.00
	योग–		155000.00

उपरोक्त आहरित कुल रू0 155000.00 एस0आर0 इलेक्ट्रिकल्स को लाइट के लिए भुगतान कोषवही पर अंकित है। इससे संबंधित अभि0 जैसे– व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, निविदा/कुटेशन प्रक्रिया एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख अप्राप्त रहे इससे पत्र इत्यादि अभिलेख अप्रापत रहे इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रू0 155000.00 का अपहरण प्रधान/सचिव द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रविन्द्र सिंह (प्रधान) एवं श्री अभिषेक सिंह (सचिव) से की जानी अपेक्षित है।**सा0आ0सं0–38**

प्रस्तर सं0–56 ग्राम पंचायत **मल्लपुर** वर्ष 2016–17 में ग्राम सभा द्वारा निर्माणाधीन शौचालयों हेतु दिनांक 16.08.2016 में 292800.00 तथा दिनिांक 02.11.2016 में 444000.00 अर्थात कुल रू0 736800.00 आहरण किये गये लेकिन इसके सापेक्ष में किये गये व्यय की पुष्टि हेतु कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र/उपभोग प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त कर पुष्टि नहीं कराई गई। पुष्टि अपेक्षित है अन्यथा दर्षित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–06**

<u>प्रस्तर सं0–57</u>ग्राम पंचायत घाटमपुर उक्त ग्राम सभा में वर्ष 2015–16 में दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक अर्थात पूर्व प्रधान के काल में वित्त खाते से आहरित धनराशि रू0 1403100.00 की पुष्टि में कोषवही प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे निकाली गयी धनराशि के उपयोग की पुष्टि नहीं होती। अधिभारित धनराशि 1403100 के सापेक्ष 1379600 का परिपालन किया गया अतः अवशेष धनराशि रू0 23500 की पुष्टि नहीं होने की दशा में अथवा अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की दशा में संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली तात्कालिक प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–04**

प्रस्तर सं0–58– ग्राम पंचायत नगरिया कला आलोच्य वर्ष में पाया गया कि प्रधान/सचिव द्वारा खाता सं0 11331 से चेकों के माध्यम से नकद धनराशि रू0 130030.00 भिन्न–भिन्न तिथियों में आहरति की गयी। कोषवही पर निम्न विवरण अनुसार व्यय अंकित किया गया –

1. नल मरम्मत – 23400
2. एम0आर0वि0सफाई – 65954
3. मिटटी – 40600
4. फोटो स्टेट – 76

योग – 130030

इसी प्रकार चेकों के माध्यम से एस0आर0 इलेक्ट्रिकल्स को रू0 240000.00 का भुगतान कोषवही पर अंकित है। उपरोक्त आहरित कुल धनराशि रू0 370030.00 से संबंधित अभि0 जैसे– व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, निविदा/कुटेशन प्रक्रिया एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख अप्राप्त रहे इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रू0 370030.00 का अपहरण प्रधाान/सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीबजरौल कुमार (प्रधान) एवं श्री रमेश चन्द्र (सचिव)से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–38**

<u>प्रस्तर सं0</u>– 59 ग्राम पंचायत पट्टी कुर्की आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय हे कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेंट रूप पत्र, 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र,

एम0बी0 समाग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं रू0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किये जाने व समय समय पर आयकर विभाग एवं व्यापार कर विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बिल से क्रमशः आयकर एवं व्यापार कर की कटौती के नियमों की भी अनदेखी की गई है एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को नकारा गया है। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रू0 297534.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	विवरण	धनराशि	टिप्पणी
1.	सामग्री क्रय	114854	सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
2.	हैण्ड पंप मरम्मत	50000.00	हैण्ड पंप की संख्या अज्ञात। मरम्मरत वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
3.	मजदूरी भुगतान	16280.00	एम0आर0 प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
4.	प्रधान मानदेय	37000.00	रशीद प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
5.	मिटटी कार्य	0.00	
6.	अन्य/विविध	79400.00	• वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
	योग	297534.00	

सा0आ0सं0—20

प्रस्तर सं0—60—ग्राम पंचायत वराथानपुर आलोच्य वर्ष 2016—17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय हे कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेंट रूप पत्र, 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 समाग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं रू0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किये जाने व समय समय पर आयकर विभाग एवं व्यापार कर विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बिल से क्रमशः आयकर एवं व्यापार कर की कटौती के नियमों की भी अनदेखी की गई है एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को नकारा गया है। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रू0 1236881.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	विवरण	धनराशि	टिप्पणी
1.	सामग्री क्रय	688015.00	सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
2.	हैण्ड पंप मरम्मत	101609.00	हैण्ड पंप की संख्या अज्ञात। मरम्मरत वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
3.	मजदूरी भुगतान	191200.00	एम0आर0 प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
4.	प्रधान मानदेय	33000.00	रशीद प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
5.	मिटटी कार्य	19000.00	मिट्टी खनन की स्थिति अज्ञात रायल्टी भुगतान न किये जाने की स्थिति में राजकीय राजस्व को क्षति
6.	अन्य/विविध	204057.00	• सोलर लाईट क्रय पुष्टि नहीं 99410.00 फर्नीचर 28000.00 एवं अन्य वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
	योग	1236881.00	

सा0आ0सं0—20

प्रस्तर सं0—61— ग्राम पंचायत कन्धरी जाफरपुर आलोच्य वर्ष 2016—17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय हे कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेंट रूप पत्र, 41 पर कार्य पूर्ति

प्रमाण पत्र, एम0बी0 समाग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं रू0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किये जाने व समय समय पर आयकर विभाग एवं व्यापार कर विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बिल से क्रमशः आयकर एवं व्यापार कर की कटौती के नियमों की भी अनदेखी की गई है एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को नकारा गया है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रू0 950117.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	विवरण	धनराशि	टिप्पणी
1.	सामग्री क्रय	469017.00	सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
2.	हैण्ड पंप मरम्मत	106600.00	हैण्ड पंप की संख्या अज्ञात। मरम्मरत वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
3.	मजदूरी भुगतान	162050.00	एम0आर0 प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
4.	प्रधान मानदेय	23500.00	रशीद प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
5.	मिटटी कार्य	28685.00	
6.	अन्य/विविध	162050.00	• वाउचर प्रस्तुत नहीं अपुष्ट
	योग	951902.00	

सा0आ0सं0–27

प्रस्तर सं0–62– ग्राम पंचायत अटाफुन्दननगर आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय हे कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेंट रूप पत्र, 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 समाग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं रू0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किये जाने व समय समय पर आयकर विभाग एवं व्यापार कर विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बिल से क्रमशः आयकर एवं व्यापार कर की कटौती के नियमों की भी अनदेखी की गई है एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को नकारा गया है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रू0 813358.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	विवरण	धनराशि	टिप्पणी
1.	हैण्ड पम्प मरम्मत	50000.00	हैण्ड पम्प की संख्या अज्ञात।
2.	मजदूरी भुगतान	37500.00	
3.	प्रधान मानदेय	12500.00	
4.	अन्य/विविध	137871.00	
5.	अज्ञात	575487	कोषवही पर विवरण अंकित नहीं।

सा0आ0सं0–20

प्रस्तर सं0–63– ग्राम पंचायत किशनपुर आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में नहीं दर्शाया गया है। बैंक खाते के अनुसार किये गये व्यय जो कि नीचे अंकित है के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि **ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)** में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं रहा।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि (फरवरी 2017 से मार्च 2017)रू0 **119797.00** बिना बिल/वाउचर के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम

पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम	दिनांक	आहरित धनराशि	अभ्युक्ति
1	14.02.17	5000.00	करण सिंह
2	16.02.17	997.00	आशीष सिंह
3	27.02.17	20000.00	सिद्धबली बाला जी
4	27.02.17	20000.00	अहमद ब्रिक
5	27.02.17	3000.00	बाला जी सीमेन्ट
6	01.03.17	8800.00	करण सिंह
7	02.03.17	7000.00	प्रदीप कुमार
8	04.03.17	5000.00	प्रदीप कुमार
9	04.03.17	5000.00	करण सिंह
10	06.03.17	5000.00	करण सिंह
11	09.03.17	5000.00	करण सिंह
12	27.03.17	5000.00	शिव कुमार
13	27.03.17	25000.00	सिद्धबली बाला जी
14	29.03.17	5000.00	करण सिंह
	योग	119797.00	

सा0आ0सं0–20

<u>प्रस्तर सं0–64</u>–ग्राम पंचायत भुरीपुर आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में नहीं दर्शाया गया है। बैंक खाते के अनुसार किये गये व्यय जो कि नीचे अंकित है के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि **<u>ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)</u>** में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि (फरवरी 2017 से मार्च 2017) रू0 **331799.00** बिना बिल/वाउचर के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	विवरण	धनराशि	टिप्पणी
1.	सामग्री क्रय	75000.00	सामग्री क्रय की पुष्टि में <u>टेण्डर/कुटेशन</u>, स्टॉक पंजिका
2.	हैण्ड पंप मरम्मत	40000.00	हैण्ड पंप की संख्या अज्ञात।
3.	मजदूरी भुगतान	45000.00	
4.	प्रधान मानदेय	15000.00	
5.	मिटटी कार्य	7500.00	मिटटी खनन की स्थिति अज्ञात, रायल्टी भुगतान न किये जाने की सिथति में राजकीय राजस्व को क्षति।
6.	अन्य/विविध	149299.00	•
	योग	331799.00	

सा0आ0सं0–20

<u>प्रस्तर सं0–65</u>– ग्राम पंचायत गोरा लोकनाथपुर आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में नहीं दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि **<u>ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)</u>** में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेंट, रूप पत्र 41 वा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0वी0 समाग्री क्रय की पुष्टि में <u>टेण्डर/कुटेशन</u> स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रूपया बिल/वाउचर एवं उपरोक्त आयोजित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान अमर सिंह व ग्राम पंचायत सचिव रोहित कुमार से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व

वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।अधिभारित धनराशि 1042016 के सापेक्ष मात्र रू0 248737—00 का संतोषजनक परिपालन प्राप्त होने के उपरांत अवशेष धनराशि रू0 793279—00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्रम सं0	विवरण	धनराशि
1.	सामग्री कय (ईंट, सरिया, सीमेन्ट, बजरफुट)	525816.00
2.	नल मरम्मत	61930.00
3.	प्रधान मानदेय	40500.00
4.	ठेली मरम्मत	25500.00
5.	स्टेशनरी कय	3804.00
6.	कय स्ट्रीट लाइट / मरम्मत	130500.00
7.	पिजा साफट	5000.00
8.	विशेष सफाई अभियान	30800.00
9.	मिट्टी डलवाई	10800.00
10.	मजदूरी पर व्यय	205750.00
11.	निविदा प्रकाशन	1137.00
12.	बैंक चार्जेज	478.50
	योग	1042015.50

सा0आ0सं0—30

<u>प्रस्तर सं0—</u>66—ग्राम पंचायत भोजपुर आलोच्य वर्ष 2016—17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में नहीं दर्शाया गया है। बैंक खाते के अनुसार किये गये व्यय जो कि नीचे अंकित है के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल / वाउचर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि **<u>ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)</u>** में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल / वाउचर लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि 428565.00 बिना बिल / वाउचर के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है

क्रम	विवरण	धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	14950.00
2	मजदूरी भुगतान	84058.00
3	मिटटी कार्य	38528.00
4	सामाग्री कय प्रियांशु ट्रेडर्स	86200.
5	मानदेय प्रधान	20000.00
6	सफाई कार्य, ठेली मरम्मत	9500.00
7	लालटेन कय कैमरा कय	8000.00
8	स्टेशनरी कय फोटो स्टेट	8550.00
9	शौचालय मरम्मत	11500.00
10	ईट कय	123585..00
11	पाईप कय	14374.00
12	पी0एल0ए0	1500.00
13	कुर्सी दरी कय	3725.00
14	रेता कय	4095.00
	योग	428565.00

सा0आ0सं0—27

<u>प्रस्तर सं0—</u>67 ग्राम पंचायत राजूनगला आलोच्य वर्ष 2016—17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में नहीं दर्शाया गया है। बैंक खाते के अनुसार किये गये व्यय जो कि नीचे अंकित है के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल / वाउचर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि **<u>ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)</u>** में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल / वाउचर लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि 536279.00 बिना बिल / वाउचर के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित

वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है

क्रम	विवरण	धनराशि
1	ईट पर व्यय	166088.00
2	मिटटी कार्य	48095.00
3	सफाई किट	24000.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत	25000.00
5	सीमेन्ट रेता बजरी आदि	245191.00
6	मजदूरी भुगतान	27905.00
योग–	536279.00	

सा0आ0सं0–35

<u>प्रस्तर सं0–68–</u>ग्राम पंचायत बडौरा वर्ष 2015.16 में ग्राम निधि खाता सं0 3867000400210461 से निम्न विवरण के अनुसार आहरित धनका व्यय कैशबुक में दर्षित है।

क्रम	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	29.03.2016	मजदूरी भुगतान	10000.00
2	23.03.2016	मिटटी कार्य	9500.00
3	31.03.2016	मानदेय प्रधान	7500.00
4	31.03.2016	होली पर सफाई	2500.00
		योग–	29500.00

ग्राम पंचायत बडौरा का गठन रोहनिया ग्राम पंचायत के विभाजन से किया गया दिनांक 08.03.2016 को राहेहनिया ग्रम पंचायत के खाते से ट्रान्सफर द्वारा अनुदान प्रापत हुआ जिससे नियमानुसार उपभोग किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा न कर प्रधान/सचिव द्वारा बिना कार्ययोजना स्वीकृत हुए धन आहरित कर व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक मानदेय पंजिका स्वीकृत कार्ययोजना मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र स्टॉक रजि0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे स्पष्ट है कि रू0 29500.00 का अपहरण सचिव/प्रधान द्वारा किया गया।

<u>ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)</u> के अनुसार व्यय किए गए धन के सापेक्ष बिल/वाउचर उपलब्ध न कराने पवर व्यय किए गए धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान/सचिव से की जाएगी। अतः उक्त मैनुअल के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–34**

<u>प्रस्तर सं0–69</u>–ग्राम पंचायत वहापुर आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में नहीं दर्शाया गया है। दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बि/वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि **<u>ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)</u>** में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत स्टीमेण्ट कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में <u>टेण्डर/कुटेशन</u>, स्टॉक रजि0 भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि 432400.00 बिना बिल/वाउचर के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम	विवरण	धनराशि
1	हैण्उपम्प मरम्मत	21875.00
2	मजदूरी भुगतान	85775.00
3	मिटटी कार्य	10300.00
4	सामाग्री क्रय	270448.00
5	मानदेय प्रधान	25000.00
6	सफाई कार्य,	8500.00
7	लालटेन क्रय	3900.00
8	स्टेशनरी क्रय	602.00
9	शौचालय मरम्मत	6000.00
	योग–	432400.00

सा0आ0सं0–36

प्रस्तर सं0–70 ग्राम पंचायत इग्राह दिनांक– 17.04.2015 को ग्राम पंचायत इग्राह के ग्राम निधि खाता सं0 31546438884 से चेक सं0 661734, 6617339, 661735 के माध्यम से श्री मोहम्मद वससिफ को क्रमशः 90000, 90000 व 90000 कुल 270000 के सापेक्ष, क्रय प्रमाणप सीकृत कार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, स्टॉक रजिस्टर, डिलीवरी चालान, डायरेक्टी ऑफ सर्क्स, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, निरीक्षण पुस्तिका परिसंपत्ति पंजिका इत्यादि अनुपलब्ध रहें ग्राम पंचायत निधि से अपरिचित व्यक्ति श्री मो0 वासिफ को एक मुक्त बड़ी रकम का नकद भुगतान कर धनराशि के अपहरण किये जाने को सुगम बनाया गया। एक बार में 90000.00 रू0 का नकद भुगतान अनियमित रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क में आहरित धन के सापेक्ष प्रमाणक न मिलने पर आहरित धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से किये जाने का प्रावधान हैं। अभिलेखों के अभाव में तथा कोषवही में प्रविष्टि के न होने के कारण आहरित की गयी धनराशि रू0 270000 का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया जाना स्वयं सिद्ध है। अतः धनराशि 270000.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित प्रधान व सचिव से वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है। जिला पंचायत राज अधिकारी, बरेली का ध्यान धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विशेषता आकृष्ट किया जाता है। **सा0आ0सं0–32**

प्रस्तर सं0–71–

क्रम सं0	चेक नं0	दिनांक	आहरित धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	605137	16.04.2015	10000.00	श्री नजरूल
2	605138	16.04.2015	15000.00	श्री रामबहादुर
3	605136	16.04.2015	10000.00	श्री रामबहादुर
4	605139	17.04.2015	10000.00	टी0आर अज्ञात
5	605135	21.04.2015	35000.00	टी0आर अज्ञात
6	605134	21.04.2015	35000.00	टी0आर अज्ञात
7	605140	30.04.2015	10000.00	श्री रामबहादुर
8	605141	30.04.2015	8000.00	श्री रामबहादुर
		कुल योग– 133000.00		

ग्राम पंचायत खिरनी उपरोक्त विवरणानुसार ग्राम पंचायत खिरनी वि0ख0 दमखोदा, बरेली के खाता सं0 31537686282 से दिनांक 16.04.2015 से दिनांक 30.04.2015 के मध्य रू0 133000 का आहरण खाते से किया गया। आहरण रू0 133000 के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर,स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट बिल वाउचर्स, मास्टररॉल, स्टॉक रजिस्टर, एम0बी0, निविदा–कुटेशन पत्रावली, डिलीवरी चालान, मृत स्कंध पंजिका, निरीक्षण पुस्तिका, कोषवही, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, डायरेक्टी ऑफ वकर्स इत्यादि अनुपलब्ध रहे, जिससे आहरित धनराशि 133000.00 अनुष्ठित व आपत्तिजनक रही। प्रधान व सचिव ने एक बार में अनियमित रू0 5000 से अधिक नकद धनराशि आहरित कर धनराशि के अपहरण किए जाने को सरल बनाया। अप्रैल 2015 में धनराशि का आहरण कार्य के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, स्वीकृत एस्टीमेंट व एम0बी0 का अभाव भी स्पष्ट करता है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के प्रकाश में प्रमाणकों के अभाव में धनराशि 133000.00 का अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः धनराशि 133000.00 की ब्याज सहित वसूली समान अंशों में प्रधान श्री रामबहादुर व सचिव श्री नजरूल हसन से वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है।**सा0आ0सं0–43**

प्रस्तर सं0–72–विस्तृत विवरण

क्रम सं0	चेक नं0	दिनांक	आहरित धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	493803	09.04.2015	15000.00	श्री नजरूल
2	493802	09.04.2015	15000.00	श्री नजरूल
3	493805	28.04.2015	25000.00	श्री नजरूल
4	493804	28.04.2015	25000.00	श्री जाकिर अली
5	493806	13.06.2015	25000.00	श्री जाकिर अली
6	493807	13.06.2015	25000.00	श्री जाकिर अली

ग्राम पंचायत डडिया नगला उपरोक्त विवरणानुसार ग्राम पंचायत डडियां नगला से दिनांक 09.04.2015 से दिनांक 13. 06.2015 के मध्य 130000.00 का आहरण खाते से किया गया। आहरण 130000.00 के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर,स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट बिल वाउचर्स, मास्टररॉल, स्टॉक रजिस्टर, एम0बी0, निविदा–कुटेशन पत्रावली, डिलीवरी चालान, मृत स्कंध पंजिका, निरीक्षण पुस्तिका, कोषवही, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, डायरेक्टी ऑफ वकर्स इत्यादि अनुपलब्ध रहे, जिससे आहरित धनराशि 130000.00 अनुष्ठित व आपत्तिजनक रही। वर्ष के आरिम्भक माहों में बिना कार्य योजना, एस्टीमेंट व एम0वी0 के धनराशि का आहरण किया जाना स्पष्ट है। प्रधान व सचिव धनराशि का अपहरण करनें के आशय से समस्त धनराशि नकद में एवं अनियमित रूप से 5000.00 से अधिक आहरित की। इससे धनराशि का अपहरण किये जाने में सहयोग प्राप्त हुए। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा (क) के प्रकाश में प्रमाणकों के अभाव में धनराशि रू0

130000.00 का अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः धनराशि रू0 130000.00 की ब्याज सहित वसूली समान अंशों में प्रधान श्री जाकिर अली व सचिव श्री नजरुल हसन से वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है।**सा0आ0सं0–45**

<u>प्रस्तर सं0</u>–73–ग्राम पंचायत कुण्डरा ग्राम पंचायत कुण्डरा में वर्ष 2015–16, 2016–17 में खातााा सं0 31543137710 से कुल 3594428.00 का आहरण किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में रूप पत्र – 8 माह जून 2015 से पूर्व की कोषवही, क्रय प्रमाणक (वाउचर्स), स्वीकृत कार्य योजना, स्वीकृत एस्टीमेंट, मासटर राल, स्टॉक रजिस्टर, कुटेशन–टेण्डर पत्रावली, डिलीवरी चालान, एम0वी0, रूप पत्र 41 (कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) समाधान विवरण पत्र, प्रधान मानदेय पंजिका, निरीक्षण पंजिका, डायरेक्ट्री आफ वर्क्स, चैक इंश्यू पंजिका इत्यादि अनुपलब्ध रहें। जिससे आहरित धनराशि 3594428.00 अपुष्ठित व आपत्तिजनक रही। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अन्तर्गत व्ययित धनराशि के सापेक्ष क्रय प्रमाणक न होने की स्थिति में व्ययित धनराशि को प्रधान व सचिव से वसूल किये जाने का प्रावधान है। आलोच्य वर्षों में एक बार में 5000.00 से अधिक नकद धनराशि का आहरण कर गबन को सचिवों व प्रधानों द्वारा सुगम बनाया गया। वर्ष 2015–16 में एक अप्रैल से 01 मई तक 365000.00के आहरण के सापेक्ष 315000.00 का आहरण नकद किया गया जिसमें श्री कमल कुमार (रोजगार सेवक पंचायत) एक बार में अधिकतम 50000.00 श्री अंसार मिंया द्वारा 40000.00 श्री जमीर अहमद द्वारा 45000.00 श्री करन सिंह (सचिव) द्वारा 30000.00 व श्री रामचन्द्र प्रधान द्वारा अधिकतम 10000.00 का आहरण नकद में किया गया। अप्रैल 2015 में आरम्भ में कार्य योजना को स्वीकृत होना भी संदेहास्पंद है। कार्ययोजना की स्वीकृति के अभाव में कार्य आरम्भ से ही शून्य होंगे। अप्रैल व मई 2015 माह की रोकड़वही की अनुपलब्धता आहरित धनराशि के गबन किये जाने को पुष्ठित करते है। वर्ष 2015–16 में ग्राम पंचायत के आय–व्यय के स्वयवहार से अपरिचित श्री कमल कुमार रोजगार सेवक द्वारा 349500.00 का आहरण नकद किया गया है। स्पष्ट है कि प्रधान श्री रामचन्द्र व सचिव श्री करन सिंह व श्री वीरपाल ने रोजगार सेवक को धनराशि का गबन करने हेतु एक यन्त्र के रूप में प्रयुक्त किया।

रोकड़वही में दिनांक 24.10.2016 को चेक नं0 665335 के माध्यम से 50000.00 का आहरण किया जाना दर्षित है। 50000.00 के आहरण के सापेक्ष कोषवही के व्यय पक्ष में 50000.00 का व्यय/खर्चा भी दर्षित किया गया है। ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 24.10.2016 को मात्र. 20000.00 का आहरण चेक नं0 665335 के द्वारा होना स्पष्ट है अर्थात् रोकड़वही में 20000.00 का आहरण के विरुद्ध 50000.00 का आहरण किया जाना काल्पनिक दर्षित किया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान यथा श्री रामचन्द्र व श्रीमती नत्थो देवी तथा सचिव यथा श्री करन सिंह, श्री वीरपाल, श्री वसीम द्वारा अभिलेखों के अभाव में वृहद नकद धनराशि आहरित कर काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि रू0 3594428.00 का अपहरण कर लिया है। वित्त लेखा मैनुअल के प्रावधानानुसार रू0 3594428.00 की ब्याज सहित वसूली वैधानिक कार्यवाही सहित प्रधानों व सचिवों से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–9**

<u>प्रस्तर सं0</u>–74–ग्राम पंचायत देवीपुरा आलोच्य वर्ष 2015–16 में ग्राम पंचायत देवीपुरा के खाता सं0 31546442777 से दिनांक 21.04.2015 से दिनांक 30.09.2015 तक कुल रू0 378200.00 का आहरण किया गया। आहरित धनराशि रू0 378200.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्यवाही रजिस्टर (रूप पत्र) स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट, प्रमाणक, एम0वी0, मास्टररॉल, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, डिलीवरी चालान, मृत स्कंध पंजिका, निरीक्षण पुस्तिका, कोषवही, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, डायरेक्ट्री ऑफ वकर्स इत्यादि अनुपलब्ध रहे। जिससे खाते से आहरित धनराशि 378200.00 अपुष्ठित, अप्रमाणित व आपत्तिजनक रही। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के प्रकाश में प्रमाणकों के अभाव में, धनराशि का अपहरण किया जाना स्पष्ट है। प्रधाान व सचिव ने कुल आहरित धनराशि में से 81 प्रतिशत नकद में आहरित कर धनराशि के आहरण किये जाने को सुगम बनाया। एक बार में 5000.00 से अधिक की नकद धनराशि अनियमित रूप से आहरित की। प्रधान श्री सीताराम ने दिनांक 15.07.2015 को सी. एन. 453649 के माध्यम से अनियमित रूप से 102000.00 नकद धनराशि आहरित की। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रधान श्री सीताराम व सचिव श्री नजरूल, श्री के0पी0 गंगवार ने रू0 378200.00/– का आहरण कर लिया है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सीताराम व सचिव श्री नजरूल व के0पी0 गंगवार से वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–44**

<u>प्रस्तर सं0–75– ग्राम पंचायत कनमन</u> दिनांक 30.04.2015 को चेक सं0 007196 के माध्यम से क्रमशः श्री नजरूल हसन सचिव द्वारा 25200.00 व श्री मौ0 जफर (प्रधानपति) द्वारा 20000.00 कुल 45200.00 का आहरण किया गया। खाते से किये गये आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्यवाही रजिस्टर (रूप पत्र) स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट, प्रमाणक, एम0वी0, मास्टररॉल, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, डिलीवरी चालान, मृत स्कंध पंजिका, निरीक्षण पुस्तिका, कोषवही, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, इत्यादि अनुपलब्ध रहे। प्रस्तुत रोकड़वही में भी उपरोक्त संयुक्तक्षारों का कोई लेखा भी पारित नहीं किया गया है। सचिव व प्रधान ने बिना किसी औचित्य के धनराशि का अपहरण करने के आशय से 5000.00 से अधिक की धनराशि अनयिमित रूप से नकद में आहरित कर अपहरण को सुगत बनाया। प्रधानपति ग्राम पंचायत के आय–व्ययों से अपरिचित व्यक्ति है जिसे भुगतान कदापि नहीं किया जा सकता था। 30.04.2015 को धनराशि का आहरण स्वीकृत कार्ययोजना के अभाव को भी स्पष्ट करता है। स्वीकृत कार्ययोजना के अभाव में कराया गया कार्य प्रारम्भ से ही शून्य है। स्पष्ट है कि सचिव व प्रधान ने मनमाने ढंग से बिना किसी औचित्य के स्वयं के नाम से चेक बनाकर अनियमित रूप से नकद में धनराशि आहरित कर धनराशि 45200.00 का अपहरण कर लिया हौ। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के

भाग 8 (क) के प्रकाश में प्रमाणकों के अभाव में, धनराशि का अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः धनराशि 45200/– की ब्याज सहित वसूली वैधानिक कार्यवाही सहित प्रधान श्रीमती शहरबानों व सचिव श्री नजरूल से की जानी अपेक्षित है। जिला पंचायत राज अधिकारी, बरेली का ध्यान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। **(सा0आ0सं0–38)**

<u>प्रस्तर सं0–76</u>– ग्राम पंचायत खजुरिया उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत खजुरिया के खाता सं0 31546686973 से प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से जारी चेकों के माध्यम से 718000.00 का आहरण किया गया। आहरित धनराशि 718000.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में रूप पत्र 8 (कार्यवाही रजिस्टर), स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट, क्रय प्रमाणक, (बिल/वाउचर्स) , मास्टररॉल, अप्रैल व मई 2015 की रोकड़वही कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम0बी0, स्टॉक रजिस्टर निरीक्षण पुस्तिका, आदि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण आहरति धनराशि अपुष्ठित व आपत्तिजनक रही। प्रधान श्री शंकर लाल द्वारा अनियमित रूप से अधिकतम 100000.00 नकद खाते से आहरित किये। कुल आहरित धनराशि में से मात्र 19 प्रतिशत धनराशि विभिन्न खातों में ट्रांसफर की गयी। प्रधान व सचिव के द्वारा नकद आहरण से धनराशि के आहरण होने में सहयोग मिला। अप्रैल 2015 में ही 20000.00 का नकद आहरण किया गया जो कि बिना किसी स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट व एम0बी0के किया जाना स्पष्ट है। लेखा परीक्षा में क्रय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के प्रकाश में क्रस प्रमाणक के अभाव में, धनराशि का गबन मानते हुए, धनराशि ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रधान श्री शंकर लाल सचिव श्री करन सिंह व श्री के0पी0 गंगवार ने फर्जी व काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि 718000.00 का आहरण कर लिया है जिसकी ब्याज सहित वसूली वैधानिक कार्यवाही सहित प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0स 9)**

<u>प्रस्तर सं0–77</u>– ग्राम पंचायत सुकटिया आलोच्य वर्ष 2015–16 में दिनांक 01.04.2015 से 01.05.2015 तक ग्राम पंचायत सुकटिया के खाता संख्या 31546441882 से 248000.00 का अपहरण किया गया। आहरण रू0 248000.00 से संबंध में निम्नांकित आपत्तियॉ हैं।–

1. आहरित धनराशि रू0 248000.00 के सापेक्ष किये गये व्यय की पुष्टि में बजट, कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत कार्य योजनाख स्वीकृत एस्टीमेंट माप पुस्तिका, क्रय प्रमाणक, एम0आर0, <u>टेण्डर/कुटेशन</u> पत्रावली, संपत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेक इंश्यू पत्रिका, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स बैंक समाधान विवरण पत्र इत्यादि अनुपलब्ध रहे। जिससे दर्षित व्ययित धनराशि अपुष्ठित विवरण पत्र इत्यादि अनुपलब्ध रहें ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 (क) में व्यय प्रमाणकों के अभाव में ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा दर्षित व्यरूित धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान/सचिव से किये जाने का प्रावधान है जिला पंचायत राज अधि0 इस संबंध में धरा 409 के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही भी संस्थित कर सकते है। अतः उपरोक्त प्रावधान के प्रकाश में, अभिलेखों के अभाव में ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा धनराशि 248000.00 रू0 का अपहरण स्पष्ट हैं। प्रधान व सचिव ने फर्जी व काल्पनिक इन्द्रज करके धनराशि का गबन कर लिया है। धनराशि 248000 रू0 की ब्याज सहित वसूली विभागीय कार्यवाही सहित प्रधान श्री पूरनलाल व सचिव श्री करन सिंह से की जानी अपेक्षित है।

2. दिनांक 17.04.2015 को खाते से धनराशि का आहरण किया जाना स्पष्ट करता है कि आहरण के सापेक्ष किया गया व्यय बिना किसी स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत एस्टीमेंट और माप पुस्तिका के अभाव में किया गया है। जिसके कारण कराया गया दर्षित कार्य स्वतः नियमविरूद्ध होने के कारण आरम्भ से ही शून्य है।

3 श्री करन सिंह सचिव व प्रधान श्री पूरन लाल ने नियमों के विपरीत खाते से क्रमशः 25000 रू0 व 30000 रू0 एक बार में नकद आहरित किये जबकि वे अधिकतम 5000 रू0 तक नकद आहरित कर सकते थे। स्पष्ट है कि प्रधान व सचिव ने कर्त्तव्यपालन में जानबूझकर गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती है। इस हेतु प्रधान व सचिव के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं 41)**

<u>प्रस्तर सं0–78</u>– ग्राम पंचायत अर्सियाबोझ ग्राम पंचायत अर्सियाबोझा के खाता सं0 31546440768 से दिनांक 07.04. 2015से दिनांक 26.03.2016 तक ग्राम प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से किये गये आहरण रू0 2423900.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्यवाही रजिस्टर (रूप पत्र 8), स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट, माह फरवरी 16 से पूर्व की कोषवही माप पुस्तिका, <u>टेण्डर/कुटेशन</u> पत्रावली, मस्टररॉल, स्टॉक पंजिका, डिलीवरी चालान, मानदेय पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, क्रय प्रमाणक, वाउचर्स आदि अनुपलब्ध रहे जिससे आहरित धनराशि रू0 2423900 अपुष्ठित, अप्रमारिण व आपत्तिजनक रही। प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी के पति श्री जगदीश बाबू द्वारा दिनांक 17.04.2015 व 21.08.2015 को क्रमशः 511800.00 रू0 व 325000 रू0 कुल 836800 रू0 का नकद आहरण बिना किसी प्राधिकार व औचित्य के अनियमित रूप से प्राप्त किया गया। नियमित एक बार में से 5000 रू0 से अधिक की धनराशि नकद में आहरित नहीं की जा सकती लेकिन प्रधानपति ने 93000 रू0 प्रधान श्रीमती शकुन्तला ने 45000 रू0 की धनराशि एक बार में नकद आहरित की। प्रधान व सचिवों ने नकद में धनराशि आहरित कर धनराशि के अपहरण किये जाने को सुगम बनाया। अप्रैल 15 माह से ही कुल 546800 रू0 का नकद आहरण किया गया हो कि बिना किसी स्वीकृत कार्य योजना के किया जाना स्वमेंव सिद्ध है।प्रधानपति, प्रधान व सचिवों द्वारा नियमविरूद्ध धन की नकद निकासी, स्वीकृत कार्य योजना का अभाव, आहरित धनराशि के सापेक्ष सुसंगत अभिलेखों के अभाव से स्पष्ट है कि प्रधान व सचिवों ने आहरित धनराशि रू0 2423900 रू0 का

अपहरण कर लिया है। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 (क) के प्रकाश में आहरित धनराशि रू0 2423900 की ब्याज सहित वसूली प्रधानों व सचिवों से वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं 34)**

<u>प्रस्तर सं0–79– ग्राम पंचायत टेहरा</u> 1. आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में नहीं दर्शाया गया है। दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बि/वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि **<u>ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)</u>** में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृत स्टीमेण्ट कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में <u>टेण्डर/कुटेशन</u>, स्टॉक रजि0 भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि 482336.00 बिना बिल/वाउचर के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ताहिर रजा खॉ व ग्राम पंचायत सचिव श्री लवश्रेष्ठ से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम	विवरण	धनराशि
1	ईटों पर व्यय	215386.00
2	पंचायत उद्योग फोटो स्टेट	5000.00
3	नलमिस्त्री को भुगतान	16200.00
4	ठेली मरम्मत	12000.00
5	कार्ययोजना फीडिंग	5000.00
6	पी0एल0ए0	3000.00
7	मिट्टी पर व्यय	47500.00
8	मजदूरी पर व्यय	57390.00
9	कैमरा	6000.00
10	लालटेन	2000.00
11	सीमेंट	36200.00
12	सीमेंट	27300.00
13	माह अक्टुबर में आहरित राशि को कैश बुक में अंकित न करना	49360.00
	योग–	482336.00

(सा0आ0सं0–25)

<u>प्रस्तर संख्या–80– ग्रा0प0का नाम खेमपुर</u> आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया हैं। दर्शायें गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि **<u>ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धरा 8(क</u>**) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई विल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सपेक्ष स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूति प्रमाण पत्र, एम0बी0, सामग्री क्रय की पुष्टि में <u>टेण्डर/कुटेशन</u>, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू 447500.00 बिना विल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हफीज व ग्राम पंचायत सचिव श्री राजन बाबू/श्री उल्फत सिंह/श्री सचिन राना से कार्यकाल के अनुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि
01	मानदेय	31000.00
02	स्टेशनरी	7500.00
03	ठेली मरम्मत	10000.00
04	हैण्डपम्प मरम्मत	20825.00
05	सफाई किट	2500.00
06	पाईप	12500.00
07	पी0एल0ए0	1500.00
08	दरी	475.00
09	कुर्सी	1500.00

10	मिट्टी पर व्यय	5000.00
11	मजदूरी पर व्यय	122000.00
12	ईट क्रय	86200.00
13	सीमेंट क्रय	137500.00
14	कैमरा	5000.00
15	सोलर लाइट	4000.00
	योग	447500.00

(आ0सं0 23)

<u>प्रस्तर संख्या–81</u>– ग्रा0प0का नाम रहपुरा गनीमत आलोच्य वर्ष 2315–16, 2016–17 में ग्राम पंचायत के खाता सं0 31537687560 से कुल 1977715.00 रू चेक के माध्यम से आहरित कर भुगतान किया गया दर्षित है। आहरण उपरोक्त के संबंध में निम्नांकित आपत्तियां है–

1. आहरित धनराशि को ईंट, मिट्टी, एम0आर0, प्रधान मानदेय, हैण्डपम्प मरम्मत, प्रशासकीय व्यय, ढेली क्रय, मरम्मत, स्पन खरीद, फोटो स्टेट आदि में व्यय किया जाना दर्षित किया गया है परन्तु व्ययित धनराशि से संबंधित कोई भी अभिलेख यथा जैसे व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, (रूपपत्र 8), स्वीकृत कार्ययोजना स्वीकृत एस्टीमेंट, आय पुस्तिका, मास्टर रोल, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रधान मानदेय पंजिका आदि अनुपलब्ध रहे। स्पष्ट है कि सचिव व प्रधान ने **आहरित धनराशि 1977715.00 रू0 का फर्जी व काल्पनिक व्यय अंकित कर अपहरण कर लिया है।** वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) में दर्षित व्यय के सापेक्ष प्रमाणकों के न मिलने पर व्यथित धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त प्रावधान के प्रकाश में धनराशि 1977715.00 की ब्याज सहित वसूली विभागीय कार्यवाही सहित प्रधान श्रीमती तब्बसुम व श्री कलीम एवं सचिव श्री करन सिंह, श्री बरकत, श्री विनोद व्यास से उनके अंशों के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

2. नकद धनराशि आहरण रू0 5000.00 से अधिक एक बार में नहीं किया जा सकता था। प्रधानों/सचिवों ने अनियमित रूप से एक बार से 5000 से अधिक की धनराशि नकद आहरित की। श्री करन सिंह सचिव ने एक बार में 35000. श्री छेदालाल ने 20000 प्रधान श्रीमती तब्बसुम ने 20000, श्री कलीम ने 20000 नकद आहरित कर वित्तीय अनुशासन शुंग किया है। प्रधानों/सचिवों के उक्त कार्यों से धनराशि को अपहरित किये जाने की स्थितियों को निर्माण हुआ।

3. कोषवही में दिनांक 02.04.2016 से 22.04.2016 तक खाते से कुल 77500 का आहरण कर व्यय दर्षित किया गया है। स्पष्ट है कि उपरोक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट, <u>टेण्डर/कुटेशन</u> पत्रावली, एम0बी0, डी0पी0सी0–9, इत्यादि के अभाव में अनियमित रूप से दर्षित किया गया हैं। दर्षित व्यय अनियमित होने के कारण आरम्भ से ही शून्य है।

4. दिनांक 03.01.2017 से 11.03.2017 तक उत्तर प्रदेश राज्य में आदर्श आचार संहिता अस्तित्व में थी। इस अवधि में 526990 रू0 का आहरण खाते से कर व्यय दर्षित किया गया है। दर्षित कियय गया व्यय अनियमित रहा।

5. बैंक स्टेटमेंट/कोषवही में किसी भी समाचार पत्र को धनराशि भुगतान किया जाना दर्षित नहीं है अतः स्पष्ट है कि दर्षित व्यय के सापेक्ष किये गये कार्य हेतु टेण्डर जारी नहीं किये गये है। जिसके कारण दर्षित व्यय के सापेक्ष कराये गये कार्य आरम्भ से ही अनियमित है। अधिभारित धनराशि 1977715 में सें 240000/–का परिपालन हो गया अवशेष धनराशि 1737715 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं। **(आ0सं0 09)**

<u>आपति सं0–82–</u>. ग्रा0प0का नाम गरगईया वर्ष आलोच्य में संस्था द्वारा खाता सं0 31543113420 से चैकों के माध्यम से 111000/– रू0 की धनराशि निम्न तिथियों में आहरित की–

क्रम सं0	दिनांक	चैक सं0	धनराशि	भुगतान प्राप्त
1	08.04.2015	907075	15000	श्री करन सिंह
2	08.04.2015	907081	6000	श्री करन सिंह
3	18.04.2015	907085	10000	श्री निसार अहमद
4	18.04.2015	907082	35000	श्री निसार अहमद
5	18.04.2015	907083	25000	श्री निसार अहमद
6	18.04.2015	907084	20000	श्री करन सिंह
7		योग–	111000.00	

इस प्रकार उपरोकत धनराशि 111000.00 रू0 ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा अपने नाम से चेक बनाकर नकद आहरित की गई। आहरित धन को ईंट, मिट्टी एम0आर0 इत्यादि पर व्यय किया जाना दर्षित किया गया है परन्तु दर्षित व्ययित धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख जैसे व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर रूप पत्र 8 स्वीकृत कार्ययोजना स्वीकृत एस्टीमेट, माप पुस्तिका, एम0आर0 टेण्डर–कुटेशन पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अनुपलब्ध रहे। स्पष्ट है कि प्रधान व सचिव ने अपने से चेक बनाकर अनियमित रूप से 5000.00 से अधिक नकद धनराशि आहरित कर रू0111000.00 का फर्जी बकाया व्यय अंकित कर गबन कर लिया है।जिसकी ब्याजसहित वसूलीवैधानिक कार्यवाही

सहित प्रधान श्री निसार अहमद व सचिव श्री करन सिंह से की जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय की श्री करन सिंह ने एक बार से अधिकतम 25000.00 का प्रधान श्री निसार अहमद ने एक बार में 35000.00 का आहरण नियमों के प्रतिकूल कर धनराशि को अपहरण किया।(**आ0सं0 41)**

प्रस्तर सं0–83– ग्रा0प0का नाम भूड़ाबहादुरपुर

वर्ष आलोच्य में संस्था द्वारा खाता सं0 31546439843 से चैकों के माध्यम से 485800/– रू0 की धनराशि निम्न तिथियों में आहरित की–

कम सं0	दिनांक	चैक सं0	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता
1	17.04.2015	545305	90000	श्री पातीराम प्रधान
2	17.04.2015	545306	90000	श्री पातीराम प्रधान
3	17.04.2015	545307	90000	श्री पातीराम प्रधान
4	24.04.2015	545309	25000	श्री करन (सचिव)
5	01.05.2015	545308	4800	श्री करन (सचिव)
6	12.08.2015	545313	10000	श्री पातीराम प्रधान
7	12.08.2015	545314	40000	श्री पातीराम प्रधान
8	12.08.2015	545312	50000	ट्रांसफर
9	18.09.2015	545317	12000	श्री पातीराम प्रधान
10	18.09.2015	545318	12000	श्री पातीराम प्रधान
11	19.09.2015	545319	10000	श्री पातीराम प्रधान
12	19.09.2015	545315	15000	ट्रांसफर
13	19.09.2015	545316	30000	ट्रांसफर
14	21.09.2015	545320	7000	श्री खेमपाल गंगवार

इस प्रकार उपरोकत धनराशि 390800.00 रू0 ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा अपने नाम से चेक बनाकर नकद आहरित की गई और 95000 रू0 ट्रांसफर किया गया। आहरित धन को ईंट, मिट्‌टी एम0आर0 इत्यादि पर व्यय किया जाना दर्षित किया गया है परन्तु दर्षित व्ययित धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख जैसे व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर रूप पत्र 8 स्वीकृत कार्ययोजना स्वीकृत एस्टीमेट, माप पुस्तिका, एम0आर0 टेण्डर–कुटेशन पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अनुपलब्ध रहे। इससे स्पष्ट होता है कि सचिव/प्रधान द्वारा आहरित धनराशि य0 485800 का फर्जी व काल्पनिके व्यय अंकित कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली विभागीय कार्यवाही सहित प्रधान श्री पातीराम प्रधान सचिव श्री करन सिंह व श्री के0पी0 गंगवार से की जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि श्री पातीराम, श्री करन ने नियमविरूद्ध अनियमित रूप से क्रमशः एक बार में 90000 रू0 व 25000 रू0 नकद आहरित की।(**आ0सं041)**

प्रस्तर सं0–84– ग्रा0प0का नाम मगरी नवादा दिनांक 08.04.2015 से 30.04.2015 तकं ग्राम निधि खाते से 160000.00 रू0 का निम्नवत नकद धनराशि के रूप में आहरण किया गया–

कम सं0	दिनांक	चैक सं0	धनराशि	भुगतान प्राप्त
1	08.04.2015	750568	20000	श्री करन सिंह (सचिव)
2	10.04.2015	750572	15000	श्रीमती गीता देवी (प्रधान)
3	10.04.2015	750571	45000	श्रीमती गीता देवी (प्रधान)
4	10.04.2015	750569	30000	श्रीमती गीता देवी (प्रधान)
5	30.05.2015	750570	10000	श्री करन सिंह (सचिव)
6	30.08.2015	750573	40000	श्री करन सिंह (सचिव)

उपरोक्त धनराशि 160000.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख जैसे व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर रूप पत्र 8 स्वीकृत कार्ययोजना स्वीकृत एस्टीमेट, माप पुस्तिका, एम0आर0 टेण्डर–कुटेशन पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अनुपलब्ध रहे। समस्त धनराशि का नकद में प्रधान व सचिव द्वारा आहरण किया गया है जबकि फर्मों/व्यक्तियों को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए था। नियमानुसार 5000 रू0 से अधिक की धनराशि भी प्रधान व सचिव द्वारा अहरित नहीं की जा सकती थी। लेकिन श्री करन सिंह द्वारा रू0 40000 व श्रीमती गीता देवी द्वारा 45000 धनराशि नकद में आहरित की गयी। अप्रैल माह में 160000.00 का आहरण किया जाना स्पष्ट करता है कि आहरण के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, स्वीकृत एस्टीमेंट माप पुस्तिका, मा0 रोल, टेण्डर/कुटेशन, डी0पी0सी0–9 इत्यादि निर्मित नहीं किये गये है। धनराशि का भुगतान कार्य होने के उपरानत किया जाना चाहिए था प्रतीत होता है कि कार्य बिना हुए धनराशि का आहरण किया गया हैं।उपरोक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि सचिव व प्रधान ने अपने नाम से चेक बनाकर फर्जी व्यय दर्शाकर 160000.00 रूप का अपहरण कर लिया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार दर्षित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक न होने की दशा में सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से किये जाने का प्रावधान है अतः 160000 रू0 की धनराशि प्रधान श्रीमती गीता देवी व सचिव श्री करन सिंह से ब्याज सहित वसूल की

जानी अपेक्षित है। जिला पंचायत राज अधिकारी, बरेली ध्यान सचिव व प्रधान के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही संस्थित करने हेतु विशेषतः आकृष्ट किया जाता है।**(आ0सं0 09)**

<u>प्रस्तर संख्या–85–</u> ग्रा0प0का नाम मुड़िया नसीर आलोच्य वर्ष 2015–16 में दिनांक 01.04.2015 से 01.05.2015 तक ग्राम पंचायत के खाता सं0 31543239199 भारतीय स्टेट बैंक से किये गये आहरण रू0 518500.00 के संबंध में निम्नाकित आपत्तियाँ है–

1.आहरित धनराशि रू0 518500.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बजट, कोषवही रूप पत्र कार्यवाही रजिस्टर (रूपपत्र 8), स्वीकृत कार्य योजना, स्वीकृत एस्टीमेंट, माप पुस्तिका, क्रय प्रमाणक (वाउचर्स), मास्टर राल, टेण्डर–कुटेशन पत्रावली, संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र (डीडीसी.9) चेक इश्यू पंजिका डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र इत्यादि अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के व्यय प्रमाणकों के अभाव में ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा की गयी समस्त आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किये जाने का प्रावधान है। जिला पंचायत राजअधिकारी इस संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही भी संस्थित कर सकते हैं। अतः उपरोक्त नियम के प्रकाश में ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा धनराशि 518500 रू0 का अपहरण स्पष्ट है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली विभागीय कार्यवाही सहित प्रधन श्रीमती कमरजहां व सचिव श्री करन सिंह से की जानी अपेक्षित है। जिला पंचा0 राज अधिकारी, बरेली का ध्यान धारा 409 के अंतर्गत प्रधान व सचिव के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही संस्थिता करने हेतु भी आकृष्ट किया जाता है।

2 दिनांक 09.04.2015 से खाते से धनराशि का आहरण किया जाना यह स्पष्ट करता है कि आहरण नियमतः बिना किसी स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट और माप पुस्तिका के अभाव में किया गया है। अतः नियमतः स्वीकृत कार्य योजना एस्टीमेंट व माप पुस्तिका के अभाव में कराया गया कार्य स्वतः आरम्भ से ही शून्य होने के कारण अवैध, अनियमित व प्रस्तरजनक है।

3 धन रू0 518500 में से श्री सादिक खान द्वारा 130000 रू0 श्री करन सिंह द्वारा 55000, आफताब अहमद द्वारा 20000, मतलूब खान द्वारा 40000 जमीर अहमद द्वारा 20000 रू0 का नकद आहरण किया गया है। श्री सादिक खान द्वारा एक बार में अधिकतम 40000 रू0 श्री करन सिंह ने 20000.00, श्री मतलूब खान ने 35500, श्री आफताब अहमद ने 20000 व जागीर अहमद ने 20000 का आहरण किया। स्पष्ट है कि सभी ने 5000 रू0 से अधिक की धनराशि नकद में अनियमित/नियमित प्राप्त की जो गंम्भीर, वित्तीय अनियमितता है। इस हेतु प्रधान व सचिव के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

4 नियमतः कार्यपूर्ण होने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना चाहिए था। प्रधान व सचिव ने नियम उपरोक्त के पालन में कर्त्तव्यहीनता बरती है जिस हेतु सचिव व प्रधान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0सं0 41)**

<u>प्रस्तर संख्या–86–</u> ग्रा0प0का नाम सिंधौरा दिनांक 09.04.2015 से दिनांक 02.06.2015 तक ग्राम निधि खाते से 95000.00 रू0 का नकद आहरण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	दिनांक	चेक नं0	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम पद
1.	09.04.2015	204838	10000	श्री विजय कुमार (प्रधान)
2.	09.04.2015	204835	45000	श्री करन सिंह
3.	17.04.2015	204839	10000	श्री कालीचरन
4.	02.06.2015	204818	30000	श्री विजय कुमार

उपरोक्त आहरित धनराशि रू0 95000.00 के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट, माप पुस्तिका, <u>टेण्डर/कुटेशन</u> पत्रावली, मास्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक आदि अनुपलब्ध रहे। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया भुगतान अपहरण है और इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जानी होगी। श्री करन सिंह व श्री विजय कुमार ने नियमों के प्रतिकूल क्रमशः 45000 व 30000 का आहरण नकद धनराशि के रूप में किया जबकि वे अधिकतम 5000 रू0 तक की राशि आहरित नकद में कर सकते थे। दिनांक 09.04.2015 से धनराशि का आहरण किया जाना स्पष्ट करता है कि आहरण के सापेक्ष, स्वीकृत कार्य योजना, स्वीकृत एस्टीमेंट, माप पुस्तिका, मास्टर रोल डी0पी0सी0–9, <u>टेण्डर/कुटेशन</u> पत्रावली नहीं होगी। दिनांक 02.05.2015 को श्री करन सिंह सचिव का स्थानान्तरण हो गया था और नये सचिव द्वारा चार्ज नहीं लिया गया था तो दिनांक 02.06.2015 को 30000 रू0 का आहरण श्री विजय कुमार प्रधान द्वारा किया जाना संदिग्धता उत्पन्न करता है। उपरोक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि श्री करन सिंह सचिव व प्रधान श्री विजय कुमान ने अपने नाम व अन्य के नाम से चेक बनाकर, काल्पनिक/फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि 95000 रू0 का आहरण कर लिया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से विभागीय सहित की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 42)

<u>प्रस्तर संख्या–87–</u> ग्रा0प0का नाम पछुआ आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत पछुआ की ग्राम निधि से कुल रू0 970371.00 का आहरण प्रधान व सचिव के संयुक्ताक्षरों के माध्यम से किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष बजट, कार्यवाही रजि0 स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट, एस्टीमेंट अनुसार माप पुस्तिका क्रय प्रमाणक वाउचर्स कोषवही, <u>टेण्डर/कुटेशन</u> पत्रावली, मास्टरराल डिलीवरी चालान, स्टॉक रजिस्टर, निरीक्षण पुस्तिका, परिसंपत्ति पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि अनुपलब्ध रहे।उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सचिव श्री छेदालाल से पत्र दिनांक 10.10.2017,12.10.

2017, 13.10.2017, 23.10.2017, 06.11.2017 व 06.03.2018 के माध्यम से अभिलेख की मांग की गयी। डी0पी0आर0ओ0 बरेली ने पत्रांक 4175–सी दिनांक 20.11.2017 व पत्रांक 4574–सी दिनांक 24.11.2017 के माध्यम से श्री छेदालाल से ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने को निर्देशित किया। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर डी0पी0आर0ओ0 बरेली द्वारा श्री छेदालाल को निलम्बित भी किया गया। बाद में अज्ञात कारणों से ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा कराने हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाबजूद बहाल भी कर दिया गया। स्पष्ट है कि श्री छेदालाल के पास ग्राम पंचायत से किये गये आहरण के सापेक्ष कोई भी अभिलेख नहीं है अन्यथा वे अपने विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही होने पर उन्हें प्रस्तुत कर देते। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क में प्रमाणकों के अभाव में धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में प्रधान व सचिव द्वारा धनराशि 970371.00 रू0 का अपहरण किया जाना स्वयं सिद्ध है। अतः धनराशि रू0 970371.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री छेदालाल व प्रधान श्रीमती माया देवी से वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है।**(आ0सं0 09)**

प्रस्तर सं0–88– ग्रा0प0का नाम रम्पुरा आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत रम्पुरा की ग्राम निधि से कुल रू0 847057.00 का आहरण प्रधान व सचिव के संयुक्ताक्षरों के माध्यम से किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष बजट, कार्यवाही रजि0 स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट, एस्टीमेंट अनुसार माप पुस्तिका क्रय प्रमाणक वाउचर्स कोषवही, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, मास्टरराल डिलीवरी चालान, स्टॉक रजिस्टर, निरीक्षण पुस्तिका, परिसंपत्ति पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि अनुपलब्ध रहे। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सचिव श्री छेदालाल से पत्र दिनांक 10.10.2017, 12.10.2017, 13.10.2017, 23.10.2017, 06.11.2017 व 06.03.2018 के माध्यम से अभिलेख की मांग की गयी। डी0पी0आर0ओ0 बरेली ने पत्रांक 4175–सी दिनांक 20.11.2017 व पत्रांक 4574–सी दिनांक 24.11.2017 के माध्यम से श्री छेदालाल से ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने को निर्देशित किया। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर डी0पी0आर0ओ0 बरेली द्वारा श्री छेदालाल को निलम्बित भी किया गया। बाद में अज्ञात कारणों से ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा कराने हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाबजूद बहाल भी कर दिया गया। स्पष्ट है कि श्री छेदालाल के पास ग्राम पंचायत से किये गये आहरण के सापेक्ष कोई भी अभिलेख नहीं है अन्यथा वे अपने विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही होने पर उन्हें प्रस्तुत कर देते। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क में प्रमाणकों के अभाव में धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में प्रधान व सचिव द्वारा धनराशि 847057.00 रू0 का अपहरण किया जाना स्वयं सिद्ध है। अतः धनराशि रू0 847057.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री छेदालाल व प्रधान श्रीमती रेहाना से वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है।**(आ0सं0 09)**

प्रस्तर सं0–89– ग्रा0प0का नाम वैकरनन्दा आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत वैकरनन्दा की ग्राम निधि से कुल रू0 562098.00 का आहरण प्रधान व सचिव के संयुक्ताक्षरों के माध्यम से किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष बजट, कार्यवाही रजि0 स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट, एस्टीमेंट अनुसार माप पुस्तिका क्रय प्रमाणक वाउचर्स कोषवही, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, मास्टरराल डिलीवरी चालान, स्टॉक रजिस्टर, निरीक्षण पुस्तिका, परिसंपत्ति पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि अनुपलब्ध रहे। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सचिव श्री छेदालाल से पत्र दिनांक 10.10.2017, 12.10.2017, 13.10.2017, 23.10.2017, 06.11.2017 व 06.03.2018 के माध्यम से अभिलेख की मांग की गयी। डी0पी0आर0ओ0 बरेली ने पत्रांक 4175–सी दिनांक 20.11.2017 व पत्रांक 4574–सी दिनांक 24.11.2017 के माध्यम से श्री छेदालाल से ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने को निर्देशित किया। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर डी0पी0आर0ओ0 बरेली द्वारा श्री छेदालाल को निलम्बित भी किया गया। बाद में अज्ञात कारणों से ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा कराने हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाबजूद बहाल भी कर दिया गया। स्पष्ट है कि श्री छेदालाल के पास ग्राम पंचायत से किये गये आहरण के सापेक्ष कोई भी अभिलेख नहीं है अन्यथा वे अपने विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही होने पर उन्हें प्रस्तुत कर देते। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क में प्रमाणकों के अभाव में धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में प्रधान व सचिव द्वारा धनराशि 562098.00 रू0 का अपहरण किया जाना स्वयं सिद्ध है। अतः धनराशि रू0 562098.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री छेदालाल व प्रधान श्रीमती राजेश्वरी से वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 9)**

प्रस्तर सं0–90– ग्रा0प0का नाम वसुपुरा आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत वसुपुरा की ग्राम निधि से कुल रू0 772704.00 का आहरण प्रधान व सचिव के संयुक्ताक्षरों के माध्यम से किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष बजट, कार्यवाही रजि0 स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट, एस्टीमेंट अनुसार माप पुस्तिका क्रय प्रमाणक वाउचर्स कोषवही, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, मास्टरराल डिलीवरी चालान, स्टॉक रजिस्टर, निरीक्षण पुस्तिका, परिसंपत्ति पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि अनुपलब्ध रहे। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सचिव श्री छेदालाल से पत्र दिनांक 10.10.2017, 12.10.2017, 13.10.2017, 23.10.2017, 06.11.2017 व 06.03.2018 के माध्यम से अभिलेख की मांग की गयी। डी0पी0आर0ओ0 बरेली ने पत्रांक 4175–सी दिनांक 20.11.2017 व पत्रांक 4574– सी दिनांक 24.11.2017 के माध्यम से श्री छेदालाल से ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने को निर्देशित किया । अभिलेख प्रस्तुत न करने पर डी0पी0आर0ओ0

बरेली द्वारा श्री छेदालाल को निलम्बित भी किया गया। बाद में अज्ञात कारणों से ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा कराने हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाबजूद बहाल भी कर दिया गया। स्पष्ट है कि श्री छेदालाल के पास ग्राम पंचायत से किये गये आहरण के सापेक्ष कोई भी अभिलेख नहीं है अन्यथा वे अपने विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही होने पर उन्हें प्रस्तुत कर देते। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क में प्रमाणकों के अभाव में धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में प्रधान व सचिव द्वारा धनराशि 772704.00 रू0 का अपहरण किया जाना स्वयं सिद्ध है। अतः धनराशि रू0 772704.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री छेदालाल व प्रधान श्रीमती नूरजहां से वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 9)**

प्रस्तर सं0–91– ग्रा0प0का नाम उनई खालसा आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्रम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषबही में दर्शाया गया हें दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गए व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0 बी0 सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, मानदेय पंजिका स्टॉक रजि0 भी लेखा परीक्षा दौरान उपलबध नहीं कराई गयी। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू0 1249790.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0	विवरण	धनराशि
01	हैण्डपम्प मरम्मत	18199.00
02	मजदूरी भुगतान	166640.00
03	मिट्टी कार्य	96591.00
04	मानदेय प्रधान	40000.00
05	कैमरा क्रय	8500.00
06	स्टेश्नरी क्रय, फोटो स्टेट	5000.00
07	पवन ट्रेडर्स	62970.00
08	ईटक्रय	768790.00
09	पाइप क्रय	14300.00
10	सीमेन्ट रेता आदि क्रय	68800.00
	योग–	1249790.00

(आ0सं0 27)

प्रस्तर सं0–92– ग्रा0प0का नाम वकैनिया स्वाले वर्ष आलोच्य में दिनांक 01.04.2015 से 01.05.2015 तक ग्राम पंचायत के खाता सं0 315431292 से 87500.00 रू0 का आहरण किया गया है। रोकड़ वही में दर्षित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बजट, कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत कार्य योजना, स्वीकृत एस्टीमेट, एम0बी0 मास्टररोल, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, डायरेक्ट्री ऑफ वकर्स, व्यय प्रमाण सटॉक रजिस्टर आदि अनुपलब्ध रहे जिससे व्यय के सापेक्ष किया गया भुगतान अपुष्तित व अप्रमाणित रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के प्रकाश में उक्त धनराशि 87500.00 का अपहरण स्पष्ट होने के कारण धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती नेमादेवी व सचिव श्री करन सिंह से वैधानिक कार्यवाही एवं ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।**(आ0सं0 4)**

प्रस्तर सं0–93–वर्ष आलोच्य में हैण्ड पंप के मरम्मत पर 17500.00 का व्यय किया गया है। जिसमें से 9000.00 के प्रमाणक पर संख्या,सामग्री एवं मजदुरी पर व्यय अंकित है। लेकिन 7500.00 के प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः 7500.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री वेदपाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विपिन पाण्डेय/तात्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0 08)**

प्रस्तर सं0–94 वर्ष आलोच्य में दिनांक 24.09.2016 को 9900.00 तथा दिनांक 28.10.2016 को 9600 का भुगतान मिटटी डलवाई हेतु किया गया, लेकिन उक्त व्ययों के प्रमाणक अनुपलब्ध रहें। अतः कुल धनराशि 19500 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री वेदपाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विपिन पाण्डेय / तात्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0 16)**

प्रस्तर सं0–95– ग्रा0प0का नाम बैकरशाहपुर आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत वैकरशाहपुर की ग्राम निधि से कुल रू0 487200.00 का आहरण प्रधान व सचिव के संयुक्ताक्षरों के माध्यम से किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष बजट, कार्यवाही रजि0 स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेंट, एस्टीमेंट अनुसार माप पुस्तिका क्रय प्रमाणक वाउचर्स कोषवही,टेण्डर/कुटेशनपत्रावली,मास्टररोल डिलीवरी चालान,स्टॉक रजिस्टर,निरीक्षणपुस्तिका,परिसंपत्तिपंजिका कार्यपूर्ति

प्रमाणपत्र इत्यादि अनुपलब्ध रहे। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सचिव श्री छेदालाल से पत्र दिनांक 10.10.2017, 12. 10.2017, 13.10.2017, 23.10.2017, 06.11.2017 व 06.03.2018 के माध्यम से अभिलेख की मांग की गयी। डी0पी0आर0ओ0 बरेली ने पत्रांक 4175–सी दिनांक 20.11.2017 व पत्रांक 4574–सी दिनांक 24.11.2017 के माध्यम से श्री छेदालाल से ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने को निर्देशित किया। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर डी0पी0आर0ओ0 बरेली द्वारा श्री छेदालाल को निलम्बित भी किया गया। बाद में अज्ञात कारणों से ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा कराने हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाबजूद बहाल भी कर दिया गया। स्पष्ट है कि श्री छेदालाल के पास ग्राम पंचायत से किये गये आहरण के सापेक्ष कोई भी अभिलेख नहीं है अन्यथा वे अपने विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही होने पर उन्हें प्रस्तुत कर देते। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क में प्रमाणकों के अभाव में धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में प्रधान व सचिव द्वारा धनराशि 487200.00रू0 का अपहरण किया जाना स्वयं सिद्ध है। अतः धनराशि रू0 487200.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री छेदालाल व प्रधान श्रीमती नूरजहां से वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है**(आ0सं0 9)**

प्रारूप–04

जनपद– पीलीभीत **वर्ष– 2016–17** **मण्डल –बरेली**

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियां

प्रस्तर सं0 –01 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल रू0 621100.00 की धनराशि आहरित की गई है परन्तु इसके व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। आहरित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	चैक सं0	दिनाँक	व्यक्ति /संस्था, जिसके नाम चैक जारी किया गया है।	आहरित धनराशि (में)
1.	14	17-04-2015	सी.एल.जी. (लूज चैक)	2000-00
2.	15	21-04-2015	असफाक शाह	60000-00
3.	521488	29-04-2015	असफाक शाह	25000-00
4.	76	13-05-2015	असफाक शाह	5000-00
5.	77	17-07-2015	सी.एल.जी.	2000-00
6.	80	03-09-2015	असफाक शाह	35000-00
7.	81	03-09-2015	योगेश कुमार	15000-00
8.	78	07-09-2015	सी.एल.जी.	2000-00
9.	79	07-09-2015	सी.एल.जी.	2000-00
10	82	14-09-2015	असफाक शाह	60000-00
11	83	06-10-2015	सी.एल.जी.	2000-00
12	84	06-11-2015	कृष्णपाल	3500-00
13	86	10-02-2016	सी.एल.जी.	3000-00
14	85	10-02-2016	सी.एल.जी.	2000-00
15	87	19-02-2016	कृष्णपाल	50000-00
16	88	19-02-2016	ओमकार	18600-00
17	89	23-02-2016	असफाक शाह	125000-00
18	90	09-03-2016	असफाक शाह	20000-00
19	93	19-03-2016	असफाक शाह	50000-00

20	92	19-03-2016	शान ब्रिक फील्ड	139000-00
			योग	621100-00

छः लाख इक्कीस हजार एक सौ ।उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, व्यय प्रमाणक, स्वीकृत स्टीमेट, मापांकन पंजिका, स्टाक पंजिका, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र स्वीकृत, कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि के अभाव में किये गये आहरण के व्यय की पुष्टि संभव नहीं है। वित्त लेखा मैनुअल के अधयाय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गई अथवा आहरित धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त आहरित धनराशि (रू0 621100-00) में से ग्राम प्रधान श्री असफाक शाह एवं ग्राम वि./पं. अधिकारी श्री बाबूराम से रू0 213500.00 (दो लाख तेरह हजार पांच सौ मात्र) एवं ग्राम प्रधान शाहना बेगम एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री बाबूराम रू0 407600.00 (चार लाख सात हजार छः सौ मात्र) की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0–4, ग्रा0पं0–सितारगंज नवदिया, बीसलपुर, पीलीभीत।)**

प्रस्तर सं0 –02 ग्राम पंचायत सितारगंज नवदिया की वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 में क्रमशः रू0 705633.00 एवं रू0 745000.00 का व्यय ग्राम निधि–I के तहत दर्शाया गया है। परन्तु दर्षित व्यय की पुष्टि में वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में क्रमशः रू0201101.00 एवं रू0 745000.00 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। अपुष्ट व्यय हेतु कैशबुक में दर्शाये गये कार्य एवं उन पर किए गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र0सं0	कैशबुक के अनुसार वाउचर सं0	वित्तीय वर्ष	कार्य सामग्री, जिस पर व्यय दर्षित है।	दिनाँक	धनराशि (में)
1	05	2013-14	मस्टर रोल वावत नाली निर्माण	25-06-2013	14016-00
2	06		हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	28-06-2013	5984-00
3	07		ठेली क्रय पर व्य	18-07-2013	12150-00
4	08		हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	06-08-2013	7370-00
5	10		भुगतान वावत 60 ट्राली मिट्टी/ 500	27-08-2013	30000-00
6	11		विज्ञापन पर व्यय	27-08-2013	1000-00
7	12		मस्टर रोल वावत खड़ण्जा मरम्मत (मेन रोड से गेंदन लाल)	31-08-2013	11680-00
8	13		विज्ञापन पर व्यय	03-09-2013	2000-00
9	14		भुगतान वावत 20 ट्राली मिट्टी/ 500	23-09-2013	10000-00
10	17		मस्टर रोल वावत नाली निर्माण (कढ़ेराम–सुंदरलाल) 46 मी0	22-10-2013	5840-00
11	18		हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	26-10-2013	2160-00
12	19		भुगतान वावत 32 ट्राली मिट्टी/ 500	28-10-2013	16000-00
13	22		विज्ञापन पर व्यय	02-12-2013	2000-00
14	24		भुगतान वावत 4 ट्राली महीन रेता/ 1450	19-12-2013	5000-00
15	25		हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	19-12-2013	5003-00
16	20		मस्टर रोल वावत नाली निर्माण मेनरोड से गेंदनलाल 110 मी0	25-01-2014	12848-00
17	27		हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	25-01-2014	2152-00
18	31		भुगतान वावत 1 ट्राली महीन रेता/ 1500	19-02-2014	1500-00

19	32		सोलर लाइट क्रय (पंचायत उद्योग सरोजनी नगर लखनऊ)	25-02-2014	22522-00
20	33		मस्टर रोल वावत स्कूल शौचालय मरम्मत	28-02-2014	7008-00
21	34		स्कूल शौचालय रंगाई–पुताई	28-02-2014	692-00
22	35		ग्राम प्रधान मानदेय हेतु भुगतान (8750.00)	03-03-2014	6000-00
23	38		मस्टर रोल वावत नाली निर्माण तेजबहादुर से जमुना प्रसाद, 48 मी0	24-03-2014	8176-00
24	39		ग्राम प्रधान मानदेय हेतु भुगतान (8750.00)	31-03-2014	10000-00
				योग–	201101-00
26	1	2014-15	5000 नग ईंट–1 / 5000.00 प्रति हजार दर (फिजा ब्रिक फील्ड)	25-04-2014	25000-00
27	2		12000 नग ईंट–1 / 5000.00 प्रति हजार दर (फिजा ब्रिक फील्ड)	09-05-2014	60000-00
28	3		रामा आयरन स्टोर 65 बोरी सीमेन्ट, 19500, 60 घनमी0 मोरंग–7500, 10घनमी0 महीन रेत–5000	31-05-2014	32000-00
29	4		मस्टर रोल वावत नाली निर्माण (प्राथमिक विद्यालय से बुद्धसेन 65+65 मी0)	31-05-2014	17136-00
30	5		हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	31-05-2014	7864-00
31	6		20 ट्राली मिट्टी / 500	02-06-2014	10000-00
32	7		11500 नग खंजर ईंट, 4650 / –दर	01-06-2014	53475-00
33	8		12903 नग खंजर ईंट, 4650 / –दर	27-06-2014	60000-00
34	9		डत वावत खंड़जा निर्माण (65ग3)	30-06-2014	7344-00
35	10		स्टेशनरी क्रय	15-07-2014	181-00
36	11		20 ट्राली मिट्टी / 500	15-07-2014	10000-00
37	12		9090 नग ईंट–1 5500 से	12-08-2014	50000-00
38	13		ग्राम प्रधान मानदेय अप्रैल से जुलाई–2014	22-08-2014	10000-00
39	14		10900 नग ईंट–1 5500 से	22-09-2014	55500-00
40	15		भुगतान वावत 60 बोरी सीमेन्ट + 5 घमी0 मोरंग + 8 घनमी0 महीन रेता	29-9-2014	28200-00
41	16		डत वावत नाली निर्माण छेदालाल–ओमप्रकाश 118 मी0	30-09-2014	15300-00
42	17		15455 नग ईंट–1 5500 से	22-10-2014	85000-00
43	18		हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	18-11-2014	5000-00
44	19		9090 नग ईंट–खंजर 5000 से	31-12-2014	59760-00

45	20		भुगतान वावत 40 ट्राली मिट्टी/500	31-12-2014	20000-00
46	21		डत वावत खंड़जा मरम्मत	31-12-2014	12240-00
47	22		ग्राम प्रधान मानदेय अगस्त से नवम्बर–2014	12-01-2015	10000-00
48	23		हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	30-01-2015	5600-00
49	24		विज्ञापन पर व्यय	04-02-2015	1000-00
50	25		हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	04-02-2015	2000-00
51	26		9600 नग ईंट–1 5500 से	20-02-2015	52800-00
52	27		भुगतान वावत 56 बोरी सीमेन्टः5.412 घनमी0 मोरंग 8.0 घनमी0 महीन रेता	20-02-2015	27412-00
53	28		डत वावत नाली निर्माण (रामऔतार–रामप्रसाद)	28-02-2015	14688-00
54	29		ग्राम प्रधान मानदेय दिसम्बर–14 से फरवरी–15	28-02-2015	7500-00
			योग		745000-00
			कुल योग (2013–14–2014–15)		946101-00

उक्त व्यय की पुष्टि कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत कार्य–योजना, सामग्री क्रय आदेश, कुटेशन/टेंडर, सामग्री क्रय आदेश, आपूर्ति आदेश, फर्म का बिल/वाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, स्टाक पंजिका आदि के अभाव में नहीं की जा सकी। अतः वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 में 946101.00 (नौ लाख छयालीस हजार एक सौ एक) रूपये का व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा फर्म के नाम चेक जारी करने के स्थान पर नकद आहरण करके मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री असफाक शाह एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री बाबूराम से की जानी अपेक्षित है। (वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8के पैरा8(क)केअनुसार)**(सा0आ0सं0–13, ग्रा0पं0– सितारगंज नवदिया, बीसलपुर, पीलीभीत)**

3. मनरेगा सम्बंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहने के कारण लेखा परीक्षा संभव नहीं रहा। जबकि लेखा परीक्षा वर्ष में क्रमांश पर रू0 3.4 लाख सामग्री पर रू. शून्य अन्य पर रू. शून्य कुल रू. 3.4 लाख की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराई गई है। जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। (अभिलेख यथा– अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, कैशबुक, प्राक्कलन, प्रशासनिक–वित्तीय–तकनीकी स्वीकृति पंजिका, निर्माण पंजिका, सामग्री क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति प्रमाण पत्र (रवन्ना एम–11), स्टॉक पंजिका, बिल/बाउचर, मस्टर रोल, मॉप पुस्तिका परिसम्पत्ति पंजिका, जॉव कार्ड पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का स्थलीय रिपोर्ट आदि।वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष अभिलेख, लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।उक्त के संदर्भ में रू0 340000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जसवन्त सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सचिन कुमार एवं श्री अजय कुमार सक्सेना रोजगार सेवक श्री जसविन्दर सिंह तथा कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा से की जानी अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0–1ग मनरेगा, ग्रा0पं0– अभयपुर माधौपुर, पूरनपुर, पीलीभीत)**

4. लेखा परीक्षा वर्ष में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चैक संख्या–74 एवं 75 दिनांक 08–07–2006 से निम्न विवरणानुसार मैसर्स राज पाइप इन्डस्ट्रीज से पाइप क्रय किये जाने की पुष्टि हो रही है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

(क) चैक नं0–74 दिनांक 08–07–2016 से रू. 99840.00 का भुगतान मैसर्स राज पाइप इन्डस्ट्रीज को उनके बिल सं0–10 बुक सं0–06 दिनांक 08–07–2016 हेतु किया गया है। क्रय किये गये सामान का विवरण इस प्रकार से है

आर.सी.सी.पाइप 350 एम.एम.एन.पी.3 40.2080	=	83200.00
एड ट्रॉसपोर्ट चार्ज 15ः	=	12480.00
एड वैट टी.ए. चार्ज 5ः	=	4160.00
कुल	=	99840.00

(ख) इसी प्रकार चैक नं0 75 दिनांक 08—07—2016 से रू. 89592.00 का भुगतान एम.आई.एस. राज पाइप इन्डस्ट्रीज को उनके बिल सं0—09, बुक सं0—06 दिनांक 08—07—2016 हेतु किया गया है। क्रय किये गये सामान का विवरण निम्न प्रकार से है—

आर.सी.सी.पाइप 350 एम.एम.एन.पी.3 22.2080 = 45760.00
350 एम.एम.एन.पी.3 10यू.1565 = 15650.00
250 एम.एम.एन.पी.3 10यू.1325 = 13250.00
एड ट्रॅासपोर्ट चार्ज 15ः = 11199.00
एड वैट टी.ए. चार्ज 5ः = 3733.00

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल 82 पाइप विभिन्न साइज के क्रय किये गये हैं। यह पाइप कहां प्रयोग किये गये हैं की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही उपलब्ध माप पुस्तिका से ही पाइपों के प्रयोग की पुष्टि हो पा रही है।

अतः स्पष्ट है कि फर्म से सांठ—गांठ कर काल्पनिक, फर्जी व्यय दर्शाकर धन का आहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली विभागीय नियमानुसार ग्राम प्रधान श्री जसवन्त सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सचिन कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0—15 ग्रा0निधि, ग्रा0 पं0— अभयपुर माधौपुर, पूरनपुर, पीलीभीत)**

5. वित्तीय वर्ष 2012—13 से 2016—17 तक ग्राम पंचायत सेहरामऊ उत्तरी, विकास खण्ड—पूरनपुर, जनपद—पीलीभीत के ग्राम निधि खाता संख्या 06970100020567 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पूरनपुर से निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित की गई है, जिसका विवरण इस प्रकार से है—

वर्ष	आहरण	वर्ष	आहरण
2012-13	601190-00	2015-16	1339645-00
2013-14	982132-00	2016-17	1182908-00
2014-15	858850-00		
		योग	4964725-00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 2012—13 से 2016—17 तक ग्राम निधि खाते से कुल रू0 4964725.00 का आहरण किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, कैशबुक, प्राक्कलन, प्रशासनिक, वित्तीय तकनीकी स्वीकृति पंजिका, कुटेशन/टेन्डर पत्रावली, क्रय आदेश, आपूर्ति प्रमाण पत्र (पावना रसीद), बिल बाउचर, स्टॉक पंजिका, माप पुस्तिका, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में अभिलेख, उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से किये जाने का प्रावधान है।

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0—199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में एक बार ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका उपलब्ध नहीं रही। ए0डी0ओ0 (पंचायत) की नियम संख्या—199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गबन में सहयोग एवं संलिप्तता सिद्ध करता है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं श्री विकास पाण्डेय सहित अन्य पूर्व में नियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों से रू0 2862782.00 तथा वर्तमान ग्राम प्रधान श्री अजय प्रताप सिहं एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास पाण्डेय से रू0 919035.00 तथा ग्राम प्रधान श्री अजय प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कटियार से रू0 1182908.00 कुल रू0 4964725.00 की ब्याज सहित वसूली की अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0—1ख ग्रा0निधि, ग्रा0पं0—सेहरामऊ उत्तरी, पूरनपुर, पीलीभीत)**

6. मनरेगा संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहने के कारण लेखा परीक्षा संभव नहीं रहा। परन्तु वित्तीय वर्ष 2012—13 से 2016—17 तक निम्न विवरणानुसार मनरेगा योजना अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों की आन लाइन फीडिंग कराई गई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है—

वर्ष	कमांश	सामग्री	अन्य	योग
2012-13	एम0आई0एस0 फीडिंग का विवरण उपलब्ध नहीं है।			
2013-14	3.37	2.61	0.15	6.13

2014-15	0.55	-	-	0.55
2015-16	-	-	-	-
2016-17	1.94	-	-	1.94
	5.86 लाख	2.61 लाख	0.15 लाख	8.62 लाख

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 2012–13 से 2016–17 तक ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार कुल रू0 8.62 लाख व्यय किये जाने की पुष्टि हो रही है। जिसकी पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण, कार्यवाही पंजिका, कैशबुक, प्राक्कलन, प्रशासनिक, वित्तीय तकनीकी स्वीकृति पंजिका, कुटेशन/टेन्डर पत्रावली, क्रय आदेश, आपूर्ति प्रमाण पत्र (पावना रसीद), बिल बाउचर, स्टॉक पंजिका, माप पुस्तिका, निविदा/कुटेशन प्रपत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, बेज लिस्ट, एफ0टी0 ओ0/डोंगल प्रमाण पत्र, जाब कार्ड रजिस्टर, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट एवं निरीक्षण पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कुल रू0 8॰62 लाख की कराई गई एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्ट रही। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में मूल अभिलेख, उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारियों का विवरण निम्न प्रकार से है–

1. ग्राम रोजगार सेवक – श्री रामौतार 01.04.2012 से 31.03.2017
2. ग्राम प्रधान – 1. श्री गीता देवी 01.04.2012 से 31.10.2015
   2. श्री अजय प्रताप सिंह 21.12.2015 से 31.03.2017
3. ग्राम पंचायत अधिकारी–1. अज्ञात 01.04.2012 से अज्ञात
   2. श्री विकास पाण्डेय– अज्ञात से 31.03.2016
   3. श्री अशोक कुमार कटि0 ,01.04.2016 से 31.03.2017
4. लेखाकार मनरेगा श्री नावेद 01.04.2012 से 31.03.2017
5. कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा/खण्ड विकास अधिकारी
   1. 01.04.2012 से 31.03.2014 तक विवरण अस्पष्ट
   2. श्री यशवंत कुमार (परियोजना निदेशक) – 01.04.2014 से 22.07.2014
   3. श्री रामायण सिंह यादव (खण्ड वि0 अधि0)– 23.07.2014 से 18.12.2014
   4. श्री आर0वी0 भास्कर (परियोजना निदेशक)– 19.12.2014 से 08.01.2016
   5. श्री शिवकान्त द्विवेदी (डी0सी0 मनरेगा)– 14.01.2016 से 19.02.2016
   6. श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय (खण्ड वि0 अधि0)– 20.02.2016 से 31.03.2017

(सा0आ0सं0–1ग मनरेगा, पंचायत– सेहरामऊ उत्तरी, पूरनपुर, पीलीभीत)

7. लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही एम0आई0एस0 फीडिंग ही उपलब्ध हो सकी। समस्त अभिलेख तलाश करवाकर ब्याज सहित वसूली की उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही। **(सा0आ0सं0–2ग मनरेगा ग्रा0 पं0– सेहरामऊ उत्तरी, पूरनपुर, पीलीभीत)**

8. वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में ग्राम निधि योजना अन्तर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पूरनपुर खाता संख्या 06970100020541 से क्रमशः रू0 1357191.00 एवं रू0 443644.00 आहरित किये गये हैं। दर्षित आहरण की पुष्टि में कोई भी अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण, कार्यवाही पंजिका, कैशबुक, प्राक्कलन, प्रशासनिक, वित्तीय तकनीकी स्वीकृति पंजिका, कुटेशन/टेन्डर पत्रावली, क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति प्रमाण पत्र (रवन्ना एम–11), बिल बाउचर, स्टॉक पंजिका, माप पुस्तिका, निविदा/कुटेशन प्रपत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, बेज लिस्ट, एफ0टी0 ओ0/डोंगल प्रमाण पत्र, जाब कार्ड रजिस्टर, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं कराया गया।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में अभिलेख, उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से किये जाने का प्रावधान है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–199 के अनुसार ग्राम पंचायत में कोषवही का प्रत्येक तीन माह में एक बार सहायक विकास अधिकार (पंचायत) प्रत्येक छः माह में एक बार खण्ड विकास अधिकारी एवं वर्ष में एक बार जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका उपलब्ध नहीं रही। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी की नियम संख्या–199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है।अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरपाल सिंहे ग्राम विकास अधिकारी से रू0 1357191.00 एवं रू0 380644.00 कुल रू0 1737835.00

तथा ग्राम प्रधान श्री राम नरेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरपाल सिंह (ग्राम विकास अधिकारी) से रू0 63000.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0–1ख,**

ग्रा0 पं0– पटिहन, पूरनपुर, पीलीभीत)

9. वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में निम्न विवरणानुसार मनरेगा योजना अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराई गयी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

वर्ष	श्रमांश	सामग्री	अन्य	योग
2014-15	891000-00	596000-00	-	1487000-00
2015-16	222000-00	756000-00	-	978000-00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 से रू0 1487000.00 एवं 2015–16 में रू0 978000.00 कुल रू0 2465000.00 की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का व्यय किया जाना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण, कार्यवाही पंजिका, कैशबुक, प्राक्कलन, प्रशासनिक, वित्तीय तकनीकी स्वीकृति पंजिका, कुटेशन/टेन्डर पत्रावली, क्रय आदेश, आपूर्ति प्रमाण पत्र (पावना रसीद), बिल बाउचर, स्टॉक पंजिका, माप पुस्तिका, निविदा/कुटेशन प्रपत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, बेज लिस्ट, एफ0टी0 ओ0/डोंगल प्रमाण पत्र, जाब कार्ड रजिस्टर, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट एवं निरीक्षण पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कुल रू0 2465000.00 की कराई गई ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्ट रही।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में अभिलेख, उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारियों का विवरण निम्न प्रकार से है–

1. कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा/खण्ड विकास अधिकारी

1. श्री यशवंत कुमार (परियोजना निदेशक) –		01.04.2014 से 22.07.2014
2. श्री रामायण सिंह यादव (खण्ड विकास अधिकारी)–		23.07.2014 से 18.12.2014
3. श्री आर0वी0 भास्कर (परियोजना निदेशक)–		19.12.2014 से 08.01.2016
4. श्री शिवकान्त द्विवेदी (डी0सी0 मनरेगा)–		14.01.2016 से 19.02.2016
5. श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय (खण्ड विकास अधिकारी)–		20.02.2016 से 31.03.2016
2. अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी –	श्री अजय कुमार –	01.04.2014 से 1.03.2016
3. लेखाकार मनरेगा–	श्री नावेद	01.04.2014 से 31.03.2016
4. ग्राम पंचायत अधिकारी– (ग्राम विकास अधिकारी)	श्री वीरपाल सिंह	01.04.2014 से 31.03.2016
5. ग्राम प्रधान–	1. श्रीमती उर्मिला देवी–	01.04.2014 से 31.10.15
	2. श्री राम नरेश–	12.12.2015 से 31.03.2016
6. ग्राम रोजगार सेवक	श्री गिरीश कुमार–	01.04.2014 से 31.10.2015

(सा0आ0सं0–1ग मनरेगा, ग्रा0 पं0– पटिहन, पूरनपुर, पीलीभीत)

10. लेखा परीक्षा वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक में ग्राम निधि पंचम के बैंक खाता सं0–14120100005560 बैंक ऑफ बडौदा, शाखा– गजरौला कलां, जनपद पीलीभीत से तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम प्रधानों द्वारा संयुक्त रूप से चैक निर्गत कर वित्तीय वर्ष वाईज धनराशि का आहरण किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	लेखा परीक्षा वर्ष/अवधि	आहरित धनराशि (में)
1	2010-11	555839-00
2	2011-12	1090600-00
3	2012-13	819404-00
4	2013-14	1431580-00
5	2014-15	1340601-00
6	2015-16	1130722-00
	योग	6368746-00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0 6368746.00 के आहरण के सापेक्ष कोषवही (रूप पत्र–06) कार्यवाही पंजिका, बजट पंजिका,अनुमोदित कार्ययोजना, स्वीकृत प्राक्कलन, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री, क्रय आदेश,सामग्री आपूर्ति चालानों

की प्रतियां सम्बंधित फर्मों के बिल बाउचर, सामग्री स्टाक पंजिका, प्रशासनिक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र डी0पी0सी0 09/ उपभोग प्रमाण पत्र, परिसंपत्ति पंजिका, सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेखों को मूल रूप में लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। जो गंभीर आपत्ति जनक स्थिति है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित व्यय/आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेख उपलब्ध न होने पर आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए रू0 6368746.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत सचिवों से निम्न विवरणानुसार करायी जानी अपेक्षित रही। ग्राम प्रधान बीरेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी श्री रोहितेश कुमार जैसवार दिनांक 01.04.2010 से नवम्बर 2010 तक कुल रू0 555839.00 की ब्याज सहित वसूली, रामनाथ ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी श्री रोहितेश कुमार जैसवार से दिनांक अक्टूबर 2010 से जुलाई 2014 तक रू0 3341584.00 ग्राम प्रधान श्री रामनाथ सिंह व सचिव श्री लालबहादुर मौर्या अगस्त 2014 से नवम्बर 2015 तक रू0 178350.00 दिसम्बर 2015 से 31.03.2016 तक रू0 2292973.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामप्रसाद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर मौर्या से अभिलेखों के अभाव में की जानी अपेक्षित है। साथ ही साथ उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही (रूप पत्र–06) का प्रत्येक तीन माह में एक बार सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा निरीक्षण किया जाना अति आवश्यक था। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका व कोषवही (रूप पत्र–06) एवं अन्य संगत अभिलेखों को उपलब्ध न कराया जाना सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का नियम संख्या 199 के प्रति उदासीनता एवं मौन रहना ग्राम प्रधानों एवं सचिवों द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार उक्त ग्राम प्रधानों व उक्त सचिवों से कार्यकाल के अनुसार कुल रू0 6368746.00 की ब्याज सहित वसूली कराये जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है तथा तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड कार्यालय से सम्बंधित ग्राम पंचायतों पर कार्यरत कर्मचारियों के कार्यकाल से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण स्पष्ट एवं सटीक कार्यकाल अंकित इन्द्राज किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। ग्राम निधि बैंक स्टेटमैंट में आहरित धनराशियों व इंगित नामों के आधार पर कार्यकाल अंकित किया गया है।**(सा0आ0सं0–02, ग्रा0 पं0– शिवनगर, पूरनपुर, पीलीभीत)**

11. लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि पंचम की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम प्रधानों द्वारा संयुक्त रूप से चैक निर्गत कर धनराशि का आहरण किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है–

क0सं0	दिनाँक	चैक सं0	सम्बन्धित फर्म का नाम	धनराशि
1	20.05.2016	93	खाता सं0–02/15 में ट्रान्सफर	200000-00
2	23.05.2016	94	खाता सं0–02/370 में ट्रान्सफर	200000-00
3	27.07.2016	106	डुं नर्मदा इन्टरप्राइजेज	205000-00
4	27.07.2016	107	डुं नर्मदा इन्टरप्राइजेज	205000-00
5	20.09.2016	118	डुं नर्मदा इन्टरप्राइजेज	82000-00
6	20.09.2016	119	डुं नर्मदा इन्टरप्राइजेज	82000-00
			योग–	974000-00

उक्त रू0 974000.00 के व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल वाऊचर स्वीकृत प्राक्कलन कुटेशन/निविदा पत्रावली, कार्यस्थल का उल्लेख सामग्री स्टाक, पंजिका, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र ,डी0पी0सी0–09/उपभोग प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी का स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि मूल रूप में लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिस कारण उक्त आहरण पूर्णतः अपुष्टित रहा रू0 974000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा फर्मों के साथ सांठ–गांठ कर, किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामप्रसाद व ग्राम पंचायत सचिव श्री राजवन्दन मिश्रा से करायी जानी अपेक्षित रही।**(सा0आ0सं0–03, ग्रा0 पं0– शिवनगर, पूरनपुर पीलीभीत)**

12. लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक में निम्न विवरणानुसार मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग करायी गयी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

वर्ष	सामग्री	कमांश	अन्य	योग	कमिक योग
2013-14	2.63 लाख	0.42	0.03	3.08	3.08

2014-15	0.51 लाख	0.37	0-00	0.88	3.96
2015-16	0.0 लाख	0.0	0-00	0-00	3.96
2016-17	0.41 लाख	6.17	0-00	6.58	10.54 लाख

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक क्रमशः रू0 3.08 लाख, रू0 0.88 लाख, रू0 शून्य, रू0 6.58 लाख, कुल रू0 10.54 लाख की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का व्यय किया जाना दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में मूल अभिलेख यथा– अनुमोदित कार्य योजना, स्वीकृत प्राक्कलन, कुटेशन/निविदा पत्रावली सामग्री, क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां सम्बंधित फर्मों के बिल बाउचर, सामग्री स्टाक पंजिका, प्रशासनिक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, परिसंपत्ति पंजिका, जॉव कार्ड रजिस्टर एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेखों को मूल रूप में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रू0 10.54 लाख की कराई गयी ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्टित रही। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 08 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष मूल अभिलेख/बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुये धन की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी व ग्राम प्रधानों से कराई जानी अपेक्षित रही। संबंधित कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्यकाल से संबंधित विवरण निम्न प्रकार से है–

1. कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा/खण्ड विकास अधिकारी
   1. श्री एस.एन. वर्मा खण्ड विकास अधिकारी– 01.04.2013 से 08.11.2013
   2. श्री यशवंत कुमार (परियो0 निदेश0) प्रभारी बी.डी.ओ.– 09.11.2013 से 22.07.2014
   3. श्री रामायण सिंह यादव (बी.डी.ओ.)– 23.07.2011 से 08.12.2014
   4. श्री आर0वी0 भास्कर (परियोजना निदेशक)– 09.12.2014 से 08.01.2016
   5. श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय (खण्ड विकास अधिकारी)– 09.01.2016 से 31.03.2017
2. श्री नावेद अख्तर लेखाकार– दिनांक– 01.04.2013 से 31.03.2017
3. ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
   1. रोहितेश कुमार जैसवार ग्राम पंचायत सचिव – 01.04.2013 से जुलाई 2014
   2. लाल बहादुर मौर्या ग्राम पंचायत सचिव अगस्त – 2014 से 31.03.2016
   3. राजवन्दन मिश्रा ग्राम पंचायत सचिव – 01.04.2016 से 31.03.2017
4. ग्राम प्रधान–
   1. श्री रामनाथ ग्राम प्रधान – 01.04.2013 से नवम्बर 2015
   2. श्री राम प्रसाद ग्राम प्रधान दिसम्बर – 2015 से 31.03.2017
5. रोजगार सेवक–

श्री सुखविन्दर रोजगार सेवक – 01.04.2013 से 31.03.2017

इत्यादि कार्यरत रहे।**(सा0आ0सं0–मनरेगा प्रस्तर ख–1 ग्रा0 पं0– शिवनगर, पूरनपुर, पीलीभीत)**

13. लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक में ग्राम निधि पंचम के बैंक खाता सं0–06970100020609 बैंक ऑफ बडोदा, शाखा–गजरौला कलां, जनपद–पीलीभीत से तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम प्रधानों द्वारा संयुक्त रूप से चैक निर्गत कर वित्तीय वर्ष वार धनराशि का आहरण किया है जिसका विवरण निम्नवत है–

क0सं0	लेखा परीक्षा वर्ष/अवधि	आहरित धनराशि	उत्तदायी ग्राम प्रधान व वचिव नाम व पदनाम
1	2011-12	552167-00	श्रीमती हमीदन बेगम– ग्रा0प्रधान श्री रोहितेश कुमार जैसवार ग्रा0वि0अधि0
2	2012-13	164259-00	
3	2013-14	644482-00	
4	2014-15	612508-00	
5	2015-16	509700-00	
	योग–	2483116-00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू 2483116.00 के आहरण के सापेक्ष कोषवही(रूप पत्र–06) कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, स्वीकृत प्राक्कलन, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री, क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां

सम्बंधित फर्मों के बिल बाउचर, सामग्री स्टाक पंजिका, प्रशासनिक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, डी0पी0सी0 09/उपभोग प्रमाण–पत्र, परिसंपत्ति पंजिका, जॉव कार्ड रजिस्टर एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेखों को मूल रूप में लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। जो गम्भीर आपत्तिजनक स्थिति है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 08 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष मूल अभिलेख/बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुये रू0 2483116.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधानों व सचिवों से निम्न विवरणानुसार करायी जानी अपेक्षित रही। ग्राम प्रधान श्रीमती हमीदन बेगम व ग्राम विकास अधिकारी श्री रोहितेश कुमार जैसवार से दिनांक 01.04.2011 से 30.06.2014 तक कुल रू0 1607766.00 की ब्याज सहित वसूली, श्रीमती हमीदन बेगम ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी श्री लाल बहादुर मौर्या से दिनांक जुलाई 2014 से नवम्बर 2015 तक कुल रू0 552250.00 की ब्याज सहित वसूली, श्री छोटेलाल ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी श्री लाल बहादुर मौर्या से दिनांक दिसम्बर 2015 से 31.03.2016 तक रू0 323100.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। साथ ही साथ उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में एक बार सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा निरीक्षण किया जाना अति आवश्यक था। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका व कोषवही (रूप पत्र–06) एवं अन्य संगत अभिलेखों को उपलब्ध न कराया जाना सहायक विकास अधिकारी का नियम सं0–199 के प्रति उदासीनता एवं मोन रहना ग्राम प्रधानों एवं सचिवों द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार उक्त ग्राम प्रधानों व उक्त सचिवों से कार्यकाल के अनुसार कुल रू0 2483116.00 की ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है तथा तत्कालीन सहायक वि0अधि0 के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड कार्यालय से सम्बंधित ग्राम पंचायतों पर कार्यरत कर्मचारियों के कार्यकाल से सम्बंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण स्पष्ट एवं सटीक कार्यकाल अंकित इन्द्राज किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। ग्राम निधि बैंक स्टेटमैंट में आहरित धनराशियों व इंगित नामों के आधार पर कार्यकाल अंकित किया गय।

(सा0आ0सं0–02, ग्रा0 पं0– ग्रान्ट न0–1 उर्फ बानगंज, पूरनपुर पीलीभीत)

14. लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि पंचम की जांच में निम्न विवणानुसार चैक निर्गत कर व्यय किया जाना दर्षित पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है–

(क). ग्राम प्रधान द्वारा नकद आहरण–

दिनाँक	चैक सं0	धनराशि (रू0 में)
12.05.2016	138	49500-00
24.05.2016	127	45000-00
02.06.2016	129	40000-00
17.06.2016	134	40000-00
06.07.2016	135	42000-00
01.08.2016	166	30000-00
09.09.2016	150	20000-00
18.02.2017	174	24000-00
	योग	290500-00

(ख) राज पाइप के भुगतान का विवरण–

दिनाँक	चैक सं0	धनराशि (रू0 में)
06.03.2017	178	90000-00
06.03.2017	177	90000-00
	योग	180000-00

(क)उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0 290500.00 का नकद आहरण ग्राम प्रधान द्वारा मनमाने ढंग से किया गया है एवं रू0180000.00के चैक राजपाइप इन्डस्ट्रीज के नाम जारी कर भुगतान किया गया।इस प्रकार कुल रू0470500.00 के

व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल बाउचर प्राक्कलन (स्वीकृत) कार्य स्थल के नामों का उल्लेख न होना, मस्टर रोल मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, डी0पी0सी0 09/उपभोग प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारियों का स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेखों के मूलरूप में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना गंभीर आपत्तिजनक स्थिति है। ग्राम प्रधान द्वारा मनमाने ढंग से नकद आहरण किया गया है। जबकि नियमानुसार सम्बंधित को चैक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए था।

(ख) मै0 राजपाइप इन्डस्ट्रीज को भुगतान किये गये रू0 180000.00 का कोई भी बिल बाउचर उपलब्ध न रहने के कारण उक्त भुगतान पूर्णतः अपुष्टित रहा। उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा मनमाने ढंग से संयुक्त रूप से आहरण कराकर नकद आहरण व फर्म के साथ सांठ–गांठ कर रू0 470500.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री छोटेलाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजवन्दन मिश्रा से करायी जानी अपेक्षित रही।**(सा0आ0सं0–03, ग्रा0 पं0– ग्रान्ट न0–1 उर्फ बानगंज, पूरनपुर पीलीभीत)**

15. लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक में निम्न विवरणानुसार मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराई गयी है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

वर्ष	सामग्री	कमांश	अन्य	योग	कमिक योग
2013-14	0.15	3.61	0.05	3.81	3.81
2014-15	0.72	7.25	-	7.97	11.78
2015-16	1.67	4.82	0.09	6.58	18.36
2016-17	1.83	8.38	0.09	10.30	28.66 लाख

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक क्रमशः रू0 3.81 लाख, रू0 7.97 लाख, रू0 6.58 लाख एवं रू0 10.30 लाख कुल रू0 28.66 लाख की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का व्यय किया जाना दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, स्वीकृत प्राक्कलन, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री, क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां सम्बंधित फर्मों के बिल बाउचर, सामग्री स्टाक पंजिका, प्रशासनिक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, एफ0टी0ओ0 डोंगल प्रमाण–पत्र, परिसंपत्ति पंजिका, जॉव कार्ड रजिस्टर एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेखों को मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रू0 28.66 लाख की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग अपुष्टित रही। जो गम्भीर आपत्तिजनक स्थिति है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 08 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष मूल अभिलेख/बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुये उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी व ग्राम प्रधानों से करायी जानी अपेक्षित रही। संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्यकाल से संबंधित विवरण निम्न प्रकार से है–

लेखा परीक्षा वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार व्यय	नाम उत्तरदायी कर्म0,अधि0 व ग्राम प्रधान	पद नाम उत्तरदायी व्यक्ति	कार्यकाल से संबंधी विवरण
2013-14	3.81 लाख	1. श्रीमती हमीदन बेगम 2. श्री रोहीतेश कुमार जैसवार 3. श्री ईश्वर दयाल 4. श्री नावेद अख्तर 5. श्री एस0एन0 वर्मा 6. श्री यशवन्त कुमार	ग्राम प्रधान ग्राम पंचा0 अधि0 रोजगार सेवक लेखाकार खण्ड वि0 अधि0 परियोजना निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014 01.04.2013 से 31.03.2014 01.04.2013 से 31.03.2014 01.04.2013 से 31.03.2014 01.04.2013 से 08.11.2013 01.04.2013 से 31.03.2014
2014-15	7.97 लाख	1. श्रीमती हमीदन बेगम 2. श्री रोहीतेश कुमार जैसवार 3. श्री लाल बहादुर मौर्या 4. श्री ईश्वर दयाल 5. श्री नावेद अख्तर 6. श्री यसवन्त कुमार 7. श्री रामायण सिंह यादव 8. श्री आर.बी. भास्कर	ग्राम प्रधान ग्राम पंचा0 अधि0 ग्राम वि0 अधि0 रोजगार सेवक लेखाकार परियोजना निदेशक प्रभारी बी.डी.ओ. कार्यक्रम अधिकारी परियोजना निदेशक प्रभारी बी.डी.ओ.	01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से जून 2014 जुलाई 2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.201 से 27.07.2015 23.07.2014 से 08.12.2014 09.12.2014 से 31.03.2015

2015-16	6.58 लाख	1. श्रीमती हमीदन बेगम 2. श्री छोटेलाल 3. श्री लाल बहादुर मौर्य 4. श्री ईश्वर दयाल 5. श्री नावेद अख्तर 6. श्री आर. बी. भास्कर 7. श्री सतीश कुमार पाण्डेय	ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान ग्राम वि0अधि0 रोजगार सेवक लेखाकार परियोजना निदेशक प्रभारी बी.डी.ओ	नवम्बर 2015 दिसम्बर 2015 से 01.04.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 08.01.2016 09.01.2016 से 31.03.2016
2016-17	10.30 लाख	1. श्री छोटेलाल 2. श्री राजवन्दन मिश्रा 3. श्री ईश्वर दयाल 4. नावेद अख्तर 5. सतीश कुमार पाण्डेय	ग्राम प्रधान ग्राम पंचा0 अधि0 रोजगार सेवक लेखाकार खण्ड वि0 अधि0	01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017

उक्त कार्यरत रहे कर्मचारियों व अधिकारियों से अभिलेखों के अभाव में (सामान्य आपत्ति सं0– प्रस्तर ख मनरेगा –01) ब्याज सहित वसूली कराकर राजकीय खाते में जमा कराना जाना अपेक्षित रहा।**(सा0आ0सं0–ग्रा0 पं0– ग्रान्ट न0–1 उर्फ बानगंज, पूरनपुर पीलीभीत)**

16.(क) लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम प्रधान श्री राकेश द्वारा निम्न विवरणानुसार धनराशि का अहरण किया गया है–

दिनाँक	चैक सं0	धनराशि (c में)
04.07.2016	116	7500-00
20.09.2016	117	30000-00
04.10.2016	118	7500-00
28.10.2016	120	40000-00
04.11.2016	93	55000-00
16.01.2017	94	10000-00
23.01.2017	95	5000-00
20.02.2017	99	19500-00
09.03.2017	101	30000-00
21.03.2017	542202	5000-00
	योग	209500-00

(ख) बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार विभिन्न फर्मों के नाम आहरण–

दिनाँक	चैक सं0	धनराशि (में)	फर्म का नाम
02.04.2016	112	109925-00	वारसी ब्रीक फील्ड
03.06.2016	115	4700-00	रजा वक्श
27.10.2016	92	230000-00	रजा सोलर सिस्टम
23.02.2016	98	9000-00	राक इंफ्राकॉन
16.02.2017	103	1540-00	कुमार एग्रीकल्चर मशीनरी स्टोर
27.03.2017	100	4500-00	वृत्ति इंफोटेक
29.03.2017	542201	20500-00	वारसी
	योग	380165-00	

(ग) बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के नाम आहरण–

दिनांक	चैक सं0	धनराशि (में)	फर्म का नाम
01.02.2017	96	8000-0	अजय प्रताप
08.02.2017	97	25000-0	मो0 आरिफ
09.03.2017	102	2000-0	लोकेश कुमार
20.03.2017	104	2000-0	सत्यवान अवस्थी
31.03.2017	542203	5550-0	लोकेश कुमार
12.07.2016	114	1000-0	डी.पी.आर.ओ.
	योग	43550-0	

उपरोक्त (1) क+ख+ग के अनुसार कुल धनराशि 633215.00 के व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषवही, प्राक्कलन, तकनीकी/वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री आपूर्ति आदेश, मस्टर रोल, फर्मों के व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मापांक पंजिका इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे, जबकि आहरित धनराशि के सापेक्ष अभिलेखों का उपलब्ध न होना, वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान, श्री राकेश, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश माथुर पर दायित्व निर्धारित करते हुए संपूर्ण धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में सहायक विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका उपलबध नहीं रही। सहायक विकास अधिकारी की नियम सं0–199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है।

(सा0आ0सं0–1 क,ख,ग ग्रा0 पं0– पकडिया मंगली, बीसलपुर, पीलीभीत)

17. वित्तीय वर्ष 2016–17 में निम्न विवरणानुसार मनरेगा योजना अन्तर्गत निर्माण कार्यों की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग करायी गयी है–

वर्ष	कमांश	सामग्री	अन्य	योग
2016-17	0.97 लाख	0.05 लाख	-	1.02 लाख

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 में कुल रू0 1.02 लाख की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में मूल अभिलेख जैसे अनुमोदित कार्य योजना, कोषवही, तकनीकी/वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री आपूर्ति आदेश, मस्टर रोल, फर्मों के व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाण पत्र, एफ0टी0ओ0 डोगंल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, वेज लिस्ट, परिसम्पत्ति पंजिका, निविद/कुटेशन प्रपत्र, रवन्ना स्टॉक पंजिका, मापांक पंजिका इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे। अतः कुल रू0 1.02 लाख की करायी गयी एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्ट रही, जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय धनराशि के सापेक्ष मूल अभिलेख, बिल बाउचर उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी अधिकारीयों/कर्मचारियों का विवरण अग्रलिखित है–

1. ग्राम प्रधान–श्री राकेश
2. ग्राम पंचायत अधिकारी– श्री ओमप्रकाश माथुर
3. रोजगार सेवक– श्री बृजेश कुमार

(सा0आ0सं0–1ख ग्राम पंचायत– पकडिया मंगली, वि0ख0– बीसलपुर)

18. लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना गंगवार द्वारा निम्न विवरणानुसार धनराशि का आहरण किया गया है–

दिनांक	चैक सं0	धनराशि (में)
02.07.2016	07	7500-00
17.01.2017	13	15000-00

08.02.2017	18	4500-00
08.02.2017	21	10000-00
14.02.2017	22	10000-00
18.02.2017	27	12000-00
01.03.2017	30	10000-00
	योग	**69000-00**

(ख) बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ईंट क्रय भुगतान–

दिनांक	चैक सं0	धनराशि (रू0 में)	फर्म का नाम
02.04.2016	04	38217-00	वारसी ब्रीक फील्ड
21.02.2017	24	35000-00	वारसी ब्रीक फील्ड
02.03.2017	28	30000-00	वारसी ब्रीक फील्ड
	योग	**103217-00**	

(ग) बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार विभिन्न फर्मों के नाम भुगतान–

दिनांक	चैक सं0	धनराशि (रू0 में)	फर्म का नाम
13.07.2016	08	161000-00	ए0 के0 इण्टरप्राइजेज
23.01.2017	15	67868-00	तराई स्पन पाइप
23.02.2017	23	4500-00	राक इन्फ्राकान
03.03.2017	29	69000-00	ए0के0 इण्टरप्राइजेज
	योग	**302368-00**	

(घ) बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार विभिन्न फर्मों के नाम भुगतान–

दिनांक	चैक सं0	धनराशि (में)	व्यक्ति का नाम
12.06.2016	01	1600-00	मृदुल
17.01.2017	14	5800-00	स्थानातरण
01.02.2017	16	8000-00	अजय प्रताप
03.02.2017	17	5000-00	अनिल कुमार
08.02.2017	20	2000-00	सत्यवान अवस्थी
08.02.2017	19	12500-00	मो0 आरिफ
21.02.2017	26	8000-00	सी0एल0जी0
	योग	**42900-00**	

उपरोक्त (1) क+ख+ग+घ के अनुसार कुल धनराशि रू0 517485.00 के व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषवही, तकनीकी/वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री आपूर्ति आदेश, मस्टर रोल, फर्मों के व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मापांक पंजिका इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे, जबकि आहरित धनराशि के सापेक्ष अभिलेख का उपलब्ध न कराया जाना, वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान, श्रीमती अर्चना गंगवार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश माथुर पर दायित्व निर्धारित करते हुए संपूर्ण धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में सहायक विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका उपलबध नहीं रही। सहायक विकास अधिकारी की नियम सं0–199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है।

(सा0आ0सं0–1 क,ख,ग,घ, ग्रा0पं0– कनगवां, बीसलपुर, पीलीभीत)

19. वित्तीय वर्ष 2016–17 में निम्न विवरणानुसार मनरेगा योजना अन्तर्गत निर्माण कार्यों की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग करायी गयी है–

वर्ष	क्रमांश	सामग्री	अन्य	योग
2016-17	0.09 लाख	0.07 लाख	-	0.16 लाख

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 में कुल रू0 0.16 लाख की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में मूल अभिलेख जैसे अनुमोदित कार्य योजना, कोषवही, तकनीकी/ वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री आपूर्ति आदेश, मस्टर रोल, फर्मो के व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाण पत्र, एफ0टी0ओ0 डोगंल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, वेज लिस्ट, परिसम्पत्ति पंजिका, निविद/कुटेशन प्रपत्र, रवन्ना स्टॉक पंजिका, मापांक पंजिका इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे। अतः कुल रू0 0.16 लाख की करायी गयी एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्ट रही, जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय धनराशि के सापेक्ष मूल अभिलेख, बिल बाउचर उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी अधिकारीयों/कर्मचारियों का विवरण अग्रलिखित है–

1. ग्राम प्रधान– श्रीमती अर्चना गंगवार
2. ग्राम पंचायत अधिकारी– श्री ओमप्रकाश माथुर

रोजगार सेवक– श्री अजय प्रताप **(सा0आ0सं0–1ख, ग्रा0 पं0– कनगवां, बीसलपुर, पीलीभीत)**

20. ग्राम पंचायत निसरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में रू0 1102793.00 की धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गई। उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषवही, तकनीकी/वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री आपूर्ति आदेश, मस्टर रोल, फर्मों के व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापांक पंजिका, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे, जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त आहरित धनराशि में से रू0 150610.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मो0 हासिम एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से एवं रू0 952183.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्री फारुक अहमद एवं तत्कालीन ग्राम पंचा0/वि0 अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

नोट– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचा0/वि0 अधिकारी के कार्यकाल संबंधी सूची उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायीत्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**(सा0आ0सं0–1, ग्रा0 पं0– निसरा, अमरिया, पीलीभीत)**

21. ग्राम पंचायत सरदार नगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में रू0 957835.00 की धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गई। उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषवही, तकनीकी/वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री आपूर्ति आदेश, मस्टर रोल, फर्मों के व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापांक पंजिका, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे। अतः वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त आहरित धनराशि में से रू0 184700.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सैयदा वेगम एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से एवं रू0 773139.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्री मो0 नाजिम एवं तत्कालीन ग्राम पंचा0/वि0 अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

नोट– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचा0/वि0 अधिकारी के कार्यकाल संबंधी सूची उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायीत्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**(सा0आ0सं0–1, ग्रा0 पं0– सरदार नगर, अमरिया, पीलीभीत)**

22. ग्राम पंचायत बरातवोझ द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में रू0 1778748.00 की धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गई। उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषवही, तकनीकी/वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री आपूर्ति आदेश, मस्टर रोल, फर्मों के व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापांक पंजिका, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे। अतः वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त आहरित धनराशि में से रू0 221200.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी वेगम एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से एवं रू0 1557548.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्री कालीचरन एवं तत्कालीन ग्राम पंचा0/वि0 अधिकारी से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

नोट– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचा0/वि0 अधिकारी के कार्यकाल संबंधी सूची उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायीत्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। **(सा0आ0सं0–1, ग्रा0 पं0– बरातवोझ, अमरिया, पीलीभीत)**

23. लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि पंचम के बैंक खाता संख्या–14120100011585 बैंक ऑफ बडौदा शाखा–गजरौला कलां जनपद–पीलीभीत से ग्राम विकास अधिकारी श्री लाल बहादुर मौर्या एवं ग्राम प्रधान श्री जगजीत सिंह एवं अवतार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से चैक निर्गत कर व्यय किया जाना दर्षित पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है–

(क) सामग्री भुगतान पर व्यय–

दिनांक	चैक सं0	फर्म का नाम	धनराशि (में)
08.05.2015	50	श्री शंकर ब्रीक्स फील्ड	250000-00
15.05.2015	53	राज पाइप इन्डस्ट्रीज	52554-00
16.05.2015	54	दीपक ब्रिक फील्ड	54000-00
09.07.2015	60	सोनू जनरल स्टोर	2390-00
07.11.2015	77	खाता सं0–02/65 टी0आर0	60200-00
		योग–	419144-00

(ख) विभिन्न के नाम चैक निर्गत कर भुगतान कराया जाना–

दिनांक	चैक सं0	अपहरणकर्ता का नाम	धनराशि (रू0 में)
08.05.2015	48	अमित कुमार	20000-00
08.05.2015	47	धर्मवीर	20000-00
12.05.2015	51	चेतराम	10018-00
12.05.2015	52	चेतराम	10018-00
25.05.2015	55	प्रेमपाल	20000-00
25.05.2015	57	प्रेमपाल	15000-00
26.05.2015	56	चेतराम	20036-00
17.06.2015	59	प्रेमपाल	20000-00
09.07.2015	76	चेतराम	52224-00
07.11.2015	78	जयचन्द्र	48600-00
		योग	255932-00

दिनांक दिसम्बर 2015 से 31-03-2016 तक ग्राम प्रधान श्री अवतार सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री लाल बहादुर मौर्या द्वारा चैक निर्गत कर आहरण का विवरण निम्नवत् है–

दिनांक	चैक सं0	अपहरणकर्ता का नाम	धनराशि (रू0 में)
10.02.2016	79	ग्राम प्रधान श्री अवतार सिंह	46200-00
11.02.2016	85	गुड्डू लोहा उद्योग	150000-00
11.02.2015	82	शंकर ब्रिक फील्ड	150000-00
11.02.2015	80	जयचन्द	39600-00
22.02.2015	83	सुखदेव	3000-00
		कुल योग	388800-00

कुल आहरण का विवरण– वर्ष 2015–2016

क्र0 सं0	उत्तरदायी ग्राम प्रधान व सचिव का नाम	अवधि	धनराशि (रू0 में)
1	ग्राम प्रधान– श्री जगजीत सिंह	01.04.2015 से नवम्बर 2015	675076-00
2	ग्राम पंचा0 सचिव– श्री लाल बहादुर मौर्या	दिसम्बर 2015 से 31.03.2016	388800-00
		योग	1063876-00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0 1063876.00 के आहरण की पुष्टि में कोषवही (रूप पत्र–06) कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, स्वीकृत प्राक्कलन कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां, सम्बंधित पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, डी0पी0सी0 09/उपभोग प्रमाण–पत्र, परिसंपत्ति पंजिका,सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेखों को मूल

रुप में लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। जो गंभीर आपत्तिजनक स्थिति है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित/व्यय/आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेख उपलब्ध न होने पर आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए रू01063876.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत सचिवों से निम्न विवरणानुसार करायी जानी अपेक्षित रही। ग्राम प्रधान, श्री जगजीत सिंह व ग्राम पंचायत सचिव, श्री लाल बहादुर मौर्या से दिनांक 01.04.2015 से नवम्बर 2015 तक की कुल रू0 675076.00 की ब्याज सहित वसूली एवं श्री अवतार सिंह, ग्राम प्रधान, श्री लाल बहादुर मौर्या ग्रा0 पं0 अधिकारी से दिसम्बर 2015 से दिनांक 31.03.2016 तक रू0 388800.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। साथ ही साथ उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–199 के अनुसार ग्राम पंचायत को कोषवही का प्रत्येक तीन माह में एक बार सहायक विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना अति आवश्यक था। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका व कोषवही (रूप पत्र–06) एवं अन्य संगत अभिलेखों को उपलब्ध न कराया जाना सहायक विकास अधिकार(पंचायत) का नियम सं0–199 के प्रति उदासीनता एवं मौन रहना ग्राम प्रधानों एवं सचिवों द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार उक्त ग्राम प्रधानों व उक्त सचिवों से कार्यकाल के अनुसार कुल रू0 1063876.00 की ब्याज सहित वसूली किये जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है, तथा तत्कालीन सहायक वि0अधि0 के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड कार्यालय से सम्बंधित ग्राम पंचायतों पर कार्यरत कर्मचारियों के कार्यकाल से समबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण स्पष्ट एवं सटीक कार्यकाल इन्द्रराज किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा। ग्राम निधि बैंक स्टेटमैंट में आहरित धनराशियों व इंगित नामों के आधार पर कार्यकाल अंकित किया गया।

(सा0आ0सं0–8 ए ग्रा0पं0– पिपरिया करम, पूरनपुर, पीलीभीत)

24. लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक में लेखा परीक्षा में बार–बार मांग किये जाने के बावजूद भी मूल अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराई गई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

लेखा परीक्षा वर्ष	सामग्री अंश (रू0 में)	क्रमांश अंश (रू0 में)	अन्य	योग (रू0 में)
2015-16	0.21 लाख	1.21 लाख	-	1.42 लाख
2016-17	0.57 लाख	3.29 लाख	-	3.86 लाख
योग–	0.78 लाख	4.50 लाख	-	5.28 लाख

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक क्रमशः रू0 1.42 लाख व रू0 3.86 लाख कुल रू0 5.28 लाख की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का व्यय किया जाना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में मूल अभिलेखों यथा– कोषवही (रूप पत्र–06) कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, स्वीकृत प्राक्कलन कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री क्रय आदेश, फर्मों के बिल, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां, सम्बंधित पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, एफ0टी0ओ0 डोंगल प्रमाण–पत्र, परिसंपत्ति पंजिका, सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेखों को मूल रुप में लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। जो गंभीर आपत्तिजनक स्थिति है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित/व्यय/आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेख उपलब्ध न होने पर आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धन की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी व ग्राम प्रधानों से कराई जानी अपेक्षित रही। कार्यकाल से सम्बंधित विवरण निम्नवत् है–

लेखा परीक्षा वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार व्यय	नाम उत्तरदायी कर्म0/अधि0 व ग्राम प्रधान	पद नाम	कार्यकाल से संबंधी विवरण
2015-16	1.42 लाख	श्री जगजीत सिंह श्री अवतार सिंह श्री लाल बहादुर मौर्या श्री भगवान सिंह श्री नावेद अख्तर श्री आर.बी.भास्कर श्री सतीश कुमार पाण्डेय	ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान ग्राम वि0 अधि0 रोजगार सेवक लेखाकार परि0 निदेशक बी.डी.ओ.	01.04.2015 से नवम्बर 2015 नवम्बर 2015 से 31.03.2016 01.04.2016 से 31.03.2016 01.04.2016 से 31.03.2016 01.04.2016 से 31.03.2016 01.04.2015 से 08.01.2016 09.01.2016 से 31.3.2016
2016-17	3.86 लाख	श्री अवतार सिंह श्री राजवन्दन मिश्रा श्री भगवान सिंह	ग्राम प्रधान ग्राम वि0 अधि0 रोजगार सेवक	01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017

		श्री नावेद अख्तर श्री सतीश कुमार पाण्डेय	लेखाकार बी.डी.ओ.	01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017

उक्त कार्यरत रहे कर्मचारियों व अधिकारियों से अभिलेखों के अभाव में ब्याज सहित वसूली कराकर राजकीय खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा। **(सा0आ0सं0– मनरेगा प्रस्तरण, ग्रा0पं0– पिपरियी करम, पूरनपुर, पीलीभीत)**

25. दिनांक 24.09.2014 से 31.03.2016 तक की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम/पंचम से संबंधित कोई भी अभिलेख मूल रूप में किये गये व्यय की पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि ग्राम निधि बैंक खाता सं0–14120100011584 बैंक ऑफ बडौदा, शाखा गजरौला कला, जनपद–पीलीभीत से कुल रू0 1190690.00 का आहरण सचिव श्री लाल बहादुर मौर्या व ग्राम प्रधान श्रीमती विट्टो देवी द्वारा चैक निर्गत कर संयुक्त रूप से किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है–

(क) श्रीमती विट्टो देवी ग्राम प्रधान द्वारा आहरण			(ख) श्री लाल बहादुर मौर्या ग्र0पं0अधि0 द्वारा आहरण		
दिनांक	चैक सं0	धनराशि (में)	दिनांक	चैक सं0	धनराशि (में)
24.09.2014	31	20250-00	13.10.2014	35	22200-00
13.10.2014	35	28000-00	18.10.2014	37	48800-00
03.11.2014	39	58200-00	18.10.2014	38	18060-00
11.12.2014	42	15200-00	03.11.2014	40	39400-00
20.12.2014	44	30200-00	10.12.2014	43	10200-00
04.03.2015	65	58600-00	16.03.2015	69	49800-00
12.03.2015	67	15000-00	06.05.2015	74	19600-00
12.03.2015	68	59200-00	**योग**		**208060-00**
21.04.2015	71	57800-00			
29.04.2015	73	29400-00			
03.09.2015	79	43000-00			
योग		**414850-00**			

(ग) ईंट क्रय पर भुगतान–

दिनांक	चैक सं0	फर्म का नाम	धनराशि (रू0 में)
13.10.2014	33	श्री शंकर ब्रिक फील्ड	41800-00
13.10.2014	32	शिवना–शिवांग आजम ब्रिक फील्ड	58200-00
18.10.2014	36	दीपक ब्रिक फील्ड	67680-00
31.12.2014	61	दीपक ब्रिक फील्ड	90000-00
03.09.2015	76	शिवना–शिवांग आजम ब्रिक फील्ड	88000-00
		योग	345680-00

(घ) विभिन्न के द्वारा आहरण–

दिनांक	चैक सं0	फर्म का नाम	धनराशि (रू0 में)
06.12.2014	41	श्री संदीप कुमार	3500-00
23.12.2014	45	श्री जय सिंह	23400-00
30.01.2015	62	श्री निजामुद्दीन	3500-00
04.03.2015	66	श्री जय चन्द्र	39200-00
12.03.2015	64	श्री सुधांशु	3000-00
22.04.2015	70	श्री महेन्द्र	8300-00

24.04.2015	72	श्री जय चन्द्र सिंह	38600-00
03.09.2015	77	श्री गुड्डू लोहा उद्योग	52800-00
03.09.2015	80	श्री जय चन्द्र	47800-00
30.03.2015	63	पी0एल0ए0	2000-00
		योग	222100-00

कुल आहरण–

(क) श्रीमती विट्टो देवी, ग्राम प्रधान द्वारा आहरण– रू0 414850.00

(ख) श्री लाल बहादुर मौर्या, ग्र0पं0सचिव द्वारा आहरण– रू0 208060.00

(ग) ईट क्रय पर विभिन्न फर्मों को भुगतान– रू0 345680.00

(घ) विभिन्न के द्वारा आहरण– रू0 222100.00

योग– रू0 1190690.00

उक्त विवरणानुसार रू0 1190690.00 के आहरण के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया, जैसे– कोषवही (रूप पत्र–06) कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, फर्मों के बिल, स्वीकृत प्राक्कलन कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां, सम्बंधित पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, डी0पी0सी0 09/उपभोग प्रमाण–पत्र, परिसंपत्ति पंजिका, सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेखों को मूल रुप में उपलब्ध नहीं कराया जाना वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित/व्यय/आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेख उपलब्ध न होने पर आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए रू0 1190690.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विट्टो एव ग्राम पंचायत अधिकारी से पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–199 के अनुसार ग्राम पंचायत को कोषवही का प्रत्येक तीन माह में एक बार सहायक विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना अति आवश्यक था। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका व कोषवही (रूप पत्र–06) एवं अन्य संगत अभिलेखों को उपलब्ध न कराया जाना सहायक विकास अधिकार(पंचायत) का नियम सं0–199 के प्रति उदासीनता एवं मौन रहना ग्राम प्रधानों एवं सचिवों द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार उक्त ग्राम प्रधानों व उक्त सचिवों से कार्यकाल के अनुसार कुल रू0 1190690.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड कार्यालय से सम्बंधित ग्राम पंचायतों पर कार्यरत कर्मचारियों के कार्यकाल से सम्बंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण स्पष्ट एवं सटीक कार्यकाल अंकित नहीं किया जा रहा है। ग्राम निधि बैंक स्टेटमैंट में इंगित नामों के आधार पर कार्यकाल इन्द्राज अंकित किया गया। **(सा0आ0सं0–08,**

ग्रा0पंचा0–लालपुर ता0 माधौटाण्डा, पूरनपुर, पीलीभीत)

26. लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि खाते से सम्बंधित फर्मों को चैक निर्गत कर भुगतान किया जाना निम्न विवरणानुसार दर्षित पाया गया है–

दिनांक	चैक सं0	फर्म का नाम	धनराशि (रू0 में)
19.07.2016	89	शिवना–शिवांग आजम ब्रिक फील्ड	200000-00
30.07.2016	91	लखीमपुर फर्म का खाता सं0 071802/430	116250-00
26.10.2016	98	नानक चन्द एसोसिएट उ0प्र0 लखनऊ	63375-00
26.10.2016	96	नानक चन्द एसोसिएट उ0प्र0 लखनऊ	68500-00
26.10.2016	95	नानक चन्द एसोसिएट उ0प्र0 लखनऊ	68500-00
25.11.2016	99	आजम ब्रिक फील्ड	108349-00
25.11.2016	104	आजम ब्रिक फील्ड	162291-00
		योग–	787265-00

उक्त विवरणानुसार तक क्रमशः रू0 787265.00 की पुष्टि में वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे। कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, स्वीकृत प्राक्कलन कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां,सम्बंधित पंजिका,कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल,मापांकन पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, डी0पी0सी0–09/उपभोग प्रमाण–पत्र,इत्यादि अभिलेखों को लेखापरीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण

रू0 787265.00 का सम्बंधित फर्मो को किया गया भुगतान पूर्णतः अपुष्टित रहा, जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के आहरित/व्यय धनराशि के सापेक्ष बिल/बाउचर व संगत अभिलेख उपलब्ध न होने पर आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि रू0 787265.00 का गबन/अपहरण फर्मों के साथ सांठ–गांठ कर किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मिलाप सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजवन्दन मिश्रा से करायी जानी अपेक्षित रही।**(सा0आ0सं0–09, ग्रा0पंचा0–लालपुर ता0 माधौटाण्डा, पूरनपुर, पीलीभीत)**

27. लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 से 2016–17 तक के मनरेगा योजना संबंधी समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि विभागीय निर्देशानुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था। वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक में उपलब्ध वित्तीय प्रदर्षन के अनुसार ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराई गयी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

वर्ष	सामग्री	क्रमांश	अन्य	योग
2013-14	एम0आई0एस0 फीडिंग अपूर्ण पायी गयी/अन्य अभिलेख अप्राप्त।			
2014-15	एम0आई0एस0 फीडिंग शून्य दर्षित पाया गया।			
2015-16	-	4.33 लाख	-	4.33 लाख
2016-17	0.60 लाख	19.48 लाख	-	20.08 लाख
योग				24.41 लाख

अन्य विवरण से स्पष्ट है कि 2013–14 से 2016–17 तक क्रमशः रू0 शन्य, रू0 शून्य, रू0 4.33 लाख एवं रू0 20.08 लाख कुल रू0 24.41 लाख की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का व्यय किया जाना दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में मूल अभिलेख यथा– अनुमोदित कार्य योजना, स्वीकृत प्राक्कलन कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री क्रय आदेश, सामग्री क्रय आदेश बिल बाउचर सामाग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां, सम्बंधित पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, एफ0टी0ओ0 डोंगल प्रमाण–पत्र, परिसंपत्ति पंजिका, सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण रू0 24.41 लाख की कराई गयी ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्टित रही। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष मूल अभिलेख/बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुये धन की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी व ग्राम प्रधानों से कराई जानी अपेक्षित रही।

लेखा परीक्षा वर्ष	नाम उत्तरदायी कर्म0/अधि0 व ग्राम प्रधान	पद नाम	कार्यकाल अवधि का विवरण
2015-16	श्रीमती विद्दो देवी श्री मिलाप सिंह श्री लाल बहादुर मौर्या श्री नावेद अख्तरश्री वृजराज सिंह श्री आर0बी0 भास्कर श्री सतीश कुमार पाण्डेय	ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान ग्राम वि. अधि. लेखाकार रोजगार सेवक पी.डी. प्रभारी बी.डी.ओ. बी.डी.ओ.	01.04.2015 से नवम्बर 2015 नवम्बर 2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 08.01.2016 09.01.2016 से 31.3.2016
2016-17	श्री मिलाप सिंह श्री राजवन्दन मिश्रा श्री नावेद अख्तर श्री वृजराज सिंह श्री सतीश कुमार पाण्डेय	ग्राम प्रधान ग्र0पंचा0 सचिव लेखाकार रोजगार सेवक बी0डी0ओ0	01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017

उक्त से ब्याज सहित वसूली के साथ–साथ विधिक/नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0–प्रस्तर खण्ड ख–01, ग्रा0पंचा0–लालपुर ता0 माधौटाण्डा पूरनपुर, पीलीभीत)

28. मनरेगा अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहने के कारण लेखा परीक्षा संभव नहीं रहा। लेखा परीक्षा वर्षों से संबंधित एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार सामग्री एवं श्रमांश पर निम्न विवरणानुसार धनराशियाँ व्यय की जानी दर्षित हैं जिसका विवरण निम्नवत् है–

लेखा परीक्षा वर्ष	क्रमांश (लाख में)	सामग्री अंश (लाख में)	योग (लाख में)
2014-15	5.20	17.67	22.87

2015-16	3.76	4.18	7.94
2016-17	12.88	6.25	19.13
योग	21.84	28.10	49.94

(क) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में सामग्री अंश में कुल व्यय रू0 22.87 लाख के 60 प्रतिशत रू0 13.72 लाख के स्थान पर रू0 17.67 का व्यय एम0आई0एस0 फीडिंग अनुसार दर्शाया है, जो मनरेगा योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त क्रमांश 40:60 के अनुसार रू0 8.52 लाख से अधिक है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री फैज हुसैन से की जानी अपेक्षित है।

(ख) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग अनुसार कुल रू0 49.94 लाख व्यय किये जाने की पुष्टि हो रही है, जिसकी पुष्टि में मूल अभिलेख यथा–अनुमोदित कार्य योजना, स्वीकृत प्राक्कलन कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां, सम्बंधित पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, एफ0टी0ओ0 डोंगल प्रमाण–पत्र, परिसंपत्ति पंजिका, जॉव कार्ड पंजिका, सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण कुल रू0 49.94 लाख की कराई गयी एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्ट रही।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार धनराशि के सापेक्ष मूल अभिलेख/बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धन की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित रही। उत्तरदायी कर्मचारियों/ अधिकारियों का विवरण निम्नवत् है–

1. रोजगार सेवक– श्री मो0 रफीक– 01.04.2014 से 31.03.2017
2. ग्राम प्रधान– श्री फैज हुसैन– 01.04.2014 से 31.10.2015
   श्रीमती सूरत जहां– 21.12.2015 से 31.03.2017
3. ग्राम पंचायत अधिकारी–
   श्री वीरपाल सिंह– 01.04.2014 से 31.03.2016
   श्री लाल बहादुर गंगवार– 01.04.2016 से 31.03.2017
4. कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा/खण्ड विकास अधिकारी, पूरनपुर, पीलीभीत
   श्री यशवन्त कुमरा (परियोजना निदेशक) 01.04.2014 से 22.07.2014
   श्री रामायण सिंह यादव (खण्ड वि0अधि0) 23.07.2014 से 18.12.2014
   श्री आर0वी0 भास्कर (परियोजना निदेशक) 19.12.2014 से 08.01.2016
   श्री डा0 शिवकान्त द्विवेदी (डी0सी0मनरेगा) 14.01.2016 से 19.02.2016
   श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय (खण्ड वि0अधि0) 20.02.2016 से 31.03.2017

(सा0आ0सं0–1ग मनरेगा, ग्रा0पंचा0–वासूपुर, पूरनपुर, पीलीभीत)

29. लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में ग्राम निधि खाता सं0–06970100020538 बैंक ऑफ बडौदा, शाखा–पूरनपुर, जनपद–पीलीभीत से क्रमशः रू0 1217850.00 एवं रू0 643262.00 का आहरण किया गया है। (कुल रू0 1861112.00) जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत प्राक्कलन कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां, सम्बंधित पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित/व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धन की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि निम्न विवरणानुसार रू0 1861112.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

क्रम सं0	विवरण	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	योग
1	पूर्व प्रधान श्री फैज हुसैन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरपाल सिंह	1217850-00	327607-00	1545457-00
2	ग्राम प्रधान श्रीमती सूरत जहां एवं ग्राम पंचायत अधि0 श्री वीरपाल सिंह	-	315655-00	315655-00
	योग	1217850-00	634262-00	1861112-00

(सा0आ0सं0–15 ग्राम निधि, ग्रा0पंचा0–वासूपुर, पूरनपुर, पीलीभीत)

30. लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में निम्न विवरणानुसार कार्य योजना वर्ष 2015–16 से सम्बंधित कार्य नसीमुल्ला के घर से नईम की दुकान तक मिट्टी व खडंजा कार्य। कार्य की लम्बाई 140 मी0 चौड़ाई 03 मी0 कार्य की अनुमानित लागत

रू0 166700.00 उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के अनुसार अंकित है। उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के अनुसार अंकित है। उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन पर प्रथम पृष्ठ के अलावा कहीं पर भी कार्य का नाम, लम्बाई, चौड़ाई अंकित नहीं है, और न ही जे.ई.आर.इ.डी. के अलावा अन्य किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर पाये गये। कार्य हेतु प्रशासनिक–वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति किस क्रमांक से एवं किस तिथि को दी गयी है न तो स्टेटमेन्ट पर अंकित पाया गया और न किसी अन्य अभिलेख से पुष्टि ही हो सकी। क्रय की गई सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है–

व्यय बैंक अनुसार					कैशबुक अनुसार			
चैक सं0	दिनांक	धनराशि	किसके नाम जारी	बाउचर सं0	दिनांक	धनराशि	सामग्री	कार्य का नाम बिल नं0 सहित
118	12.07.2016	95400-00	अल वासित ब्रिक्स	03	12.07.2016	95400-00	18000 ईंट पर 5500/हजार	69/12.07.2016 अल वासिल
120	06.07.2016	30500-00	निसार खान	-	15.07.2016	8410-00	145 धनमी0 मिट्‌टी 58/- की दर से	?
125	13.12.2016	25000-00		10	13.12.2016	35510-00	6700 ईंट पर 5300/ हजार	नकद भुगतान 70/
123	23.12.2016	25000-00		-	-	-	-	-
127	31.01.2017	24000-00	आरिफरजा	12	31.01.2017	26300-00	एम0आर. 16.01.2017 31.01.2017	मिटटी फैलाने एवं खण्डजा
	योग	199900-00				165620-00		

ईंट क्रय हेतु फर्म अल वासित ब्रिक फील्ड के बिल नं0–69 दिनांक–12.07.2016 एवं बिल नं0–70 दिनांक 13.12.2016 को कैश बुक में वाउचर नं0–03 दिनांक 12.07.2016 एवं वाउचर न0–10 दिनांक 13.12.2016 के रूप में प्रयुक्त किया गया है जो सम्भव नहीं है। क्या जुलाई से दिसम्बर तक फर्म द्वारा कोई भी बिल जारी नहीं किया स्पष्ट करें?
मिट्टी खरीद माह जुलाई में और फैलाने पर लगे श्रमिकों का भुगतान माह जनवरी में किया गया जाना दर्षित है जो सम्भव नहीं है। मिट्टी किससे खरीदी गई ट्रैक्टर नम्बर एवं मालिक का नाम भी अंकित नहीं।
मिट्टी पर शासनादेश के अनुसार 30/– घन मी0 की दर से रायल्टी काटी जानी चाहिए थी। (145 घन मी0 मिट्टी X 30 = 4350.00) जो नहीं काटी गई। इससे स्पष्ट है कि मिट्टी खरीद संदिग्ध दर्षित है।
कार्य पर कुल रू 15540.00 का भुगतान (140 मी0मी0 X 3 चौ0 X 37 दर प्रति वर्ग मी0) होना चाहिए था, जबकि किया गया 26300.00 इस प्रकार स्पष्ट है कि 10760.00 का भुगतान मिट्टी फैलाने हेतु किया गया है, जो कि मनमाने ढंग से किया गया है।कार्य की माप पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई गई।
केवल कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध हुआ। रूप–पत्र 41 (नियम 209) जिस पर निरीक्षण कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल ृ 165620.00 का व्यय मनमाने एवं सुनियोजित ढंस से दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सूरत जहां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–16 ग्राम निधि, ग्रा0पंचा0–वासूपुर, पूरनपुर, पीलीभीत)

31. लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में निम्न विवरणानुसार कार्य–योजना 2015–16 से सम्बंधित कार्य मोवीन के घर से रहीम टेलर के घर तक नाली निर्माम कार्य, लम्बाई 10 मी0 दोनों ओर। उपलब्ध स्टीमेट अनुसार क्रमांश 41400.00 सामग्री अंश 124259.00 कुल 165659.00 कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है–

व्यय बैंक अनुसार						कैशबुक अनुसार			
चैक सं0	दिनांक	धनराशि	किसके नाम जारी	बाउचर सं0	दिनांक	धनराशि	सामग्री	कार्य का नाम बिल नं0 सहित	
117	12.07.2016	76005-00	अल वासित ब्रिक्स	02	08.07.2016	82305-00	12600 ईट–पर 5800 / हजार	64 / 08.07. 2016 अल वासित ब्रिक	
121	05.09.2016	35145-00	प्रमोद कुमार	07	05.09.2016	35145-00	95 बोरी सीमेन्ट 260 / – की दर से, 6.34 घन मी0 मोरंग, 1650 / – की दर से	32–3160 /	
133	31.01.2017	19700-00	ट्रान्सफर किसे?	13	31.01.2017	5203	8.25 घन मी0 रेला, दर 630 / –	05.09.2016 सिंह एण्ड कम्पनी पूरनपुर	
132	31.01.2017	41923-00	सिंह एण्ड कम्पनी पूरनपुर	14	31.01.2017	41350-00	एम0आर0 16.01.2017 31.01.2017		
	योग	**172773-00**				**164003-00**			

उक्त विवरण के आधार पर निम्न आपत्तियाँ दर्ज की जा रही हैं–

क. उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन पर प्रथम पृष्ठ के अलावा कहीं पर भी कार्य का नाम, लम्बाई, चौडाई अंकित नहीं है और न जे.इ.आर.इ.डी के अलावा अन्य किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर पाये गये।

ख. संदर्भित कार्य हेतु प्रशासनिक, वित्तीय, स्वीकृति किस संख्या से एवं किस तिथि को दी गई है। यह न तो स्टीमेट पर अंकित पाया गया है और न ही किसी अन्य अभिलेख से ही पुष्टि हो सकी है।

ग. कार्य वर्ष 2015–16 की कार्य योजना से सम्बंधित है। क्या यह कार्य 2016–17 की कार्य–योजना में भी अनुमोदित था। अपुष्ट रहा, पुष्टि अपेक्षित।

घ. मैसर्स अल वासिल ब्रिक फील्ड के बिल सं0–64 दिनांक 08.07.2016 के आधार पर रू0 82305.00 की सामग्री क्रय दर्षित है, जिसके सापेक्ष चैक सं0–117 12.07.2016 से फर्म को रू0 76005.00 का भुगतान किया गया है। शेष रू06300.00 का भुगतान नकद किया जाना बताया गया, जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख या साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा। जिस कारण भुगतान अपुष्ट रहा।

ड. चैक सं0–121 दिनांक 05.09.2016 के द्वारा रू0 35145.00 का आहरण श्री प्रमोद कुमार से कराकर मै0 सिंह एण्ड कंपनी, पूरनपुर से सीमेंट, मोरंग आदि का क्रय दर्शाकर बिल सं0–32–3160 दिनांक 05.09.2016 का भुगतान दर्शाया गया है। जबकि फर्म को ही चैक से भुगतान किया जा सकता था।

च.चैक सं0– 133 दिनांक 31.01.2017 से रू0 19700-00 का भुगतान किसी को हस्तान्तरित किया गया है, जिसके सापेक्ष रू0 5203.00 का भुगतान मैसर्स सिंह एण्ड कम्पनी के बिल सं0–32–3166 दिनांक 31.01.2017 में इससे स्पष्ट है कि क्या पांच माह में केवल 05 ही बिल जारी हुये हैं। स्पष्ट किया जाना अपेक्षित रहा। सिंह एण्ड कम्पनी को बिल संख्या 32–160 दिनांक 5.09.2016 को जारी जबकि बिल संख्या 32–3166–31.01.2017 को जारी (5 माह में 5 बिल)

छ. चैक सं0–132 दिनांक 31.01.2017 के द्वारा रू0 41923.00 का भुगतान मैसर्स सिंह एण्ड कम्पनी को हुआ है। इसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से हो रही है। परन्तु कैशबुक के अनुसार वाउचर सं0–14 दिनांक 31.01.2017 के आधार पर दिनांक 16.01.2017 से 31.01.2017 तक मस्टर रोल के अनुसार मजदूरों को भुगतान दर्षिति है। इस प्रकार स्पष्ट है कि फर्म से पैसा वापस लेकर मजदूरों को भुगतान किया जाना दर्षित है। जो सम्भव नहीं है।

ज. कार्य की पुष्टि हेतु माप पुस्तिका कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर कुल रू0 164003.00 का व्यय मनमाने ढंग से दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सूरत जहां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–17 ग्राम निधि, ग्रा0पंचा0–वासूपुर, पूरनपुर, पीलीभीत)**

32. लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में प्राथमिक विद्यालय वासूपुर का मरम्मत कार्य पर निम्न विवरणानुसार कैशबुक में व्यय दर्षित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

व्यय बैंक अनुसार				कैशबुक अनुसार				
चैक सं0	दिनांक	धनराशि	किसे जारी	व्यय क्रमाक/दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम	फर्म का बिल नं0	सामाग्री का विवरण
120	06.07.2016	30500-00	निसार खान	05/ 20.07.2016	15373-00	सिंह एण्ड कम्पनी	32–3157	7.2 घन मी0 मोरंग 1650 1.6 घन मी0 बजरी 1750
130	03.09.2016	10500-00	प्रमोद कुमार	06/ 03.09.2016	10062-00	–	20.07.2016	6.35 घन रेता 630/–
123	23.12.2016	25000-00	प्रधान	11/ 23.12.2016	13340-00	मिट्टी मौ0 हुसैन	32–3158	140 किलो सरिया 4300/–
128	31.01.2017	31000-00	ज्व ज्त.	13/ 31.01.2017	39750-00	सिंह एण्ड कंपनी	03.09.2016	230 घन मी0 X 58
--	06.02.2017	67628-00	मै0 कामर ब्रिक फील्ड	15/ 06.02.2017	67628-00	फर्म	रसीद	95 बोरी सीमेट X 300 8.95 प्लाई 890 107 कि0ग्र0 चूना X 7/–
134	21.02.2017	55200-00	निसार खान	16/ 06.02.2017	25200-00	जहीरूद्दीन पुत्र श्री रहीसुद्दीन	32–3166	11600 ईट प्रथम श्रेणी 5800/हजार
135	27.02.2017	48500-00	सूरत जहां ग्राम प्रधान	19/ 28.02.2017	83000-00	एम0आर0 09-02-2017 से 28-02-2017		
	योग–	268328-00			254353-00	अधिक आहरण 13975		

उक्त विवरण के आधार पर निम्न आपत्तियाँ दर्ज की जा रही हैं–

क. उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन पर प्रथम पृष्ठ के अलावा कहीं पर भी कार्य का नाम, लम्बाई, चौडाई अंकित नहीं है और न जे.इ.आर.इ.डी. के अलावा अन्य किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर पाये गये।

ख. संदर्भित कार्य हेतु प्रशासनिक, वित्तीय, स्वीकृति किस संख्या से एवं किस तिथि को दी गई है। यह न तो स्टीमेट पर अंकित पाया गया है और न ही किसी अन्य अभिलेख से ही पुष्टि हो सकी है।

ग. कार्य वर्ष 2015–16 की कार्य योजना से सम्बंधित है। क्या यह कार्य 2016–17 की कार्य–योजना में भी सम्मलित था। अपुष्ट रहा।

घ. चैक सं0– 120 दिनांक–06.07.2016 को रू0 30500.00 एवं चैक सं0–130 दिनांक–03.09.2016 से रू0 10500.00 क्रमशः श्री निसार खान एवं प्रमोद कुमार के नकद आहरित कर मैंसर्स सिंह एण्ड कम्पनी के बिल सं0–32–3157 दिनांक 20.07.2016 से रू0 15373.00 (7.62 घन मी0 मोरंग दर रू0 1650.00 प्रति घन मी, 1.60 घन मी0 बजरी रू01750.00 की दर से प्रति घन मी0) एवं 32–3158 दिनांक 03.09.2016 से रू0 10062.00 (6.35 घन मी0 रेता रू0 630.00 की दर से प्रति घन मी0 140 किग्रा0 सरिया, रू0 4330.00 की दर से) कैशबुक में दर्ज व्यय प्रमाणक सं0–05/20.07.2016 एवं 06/03.09.2016 दर्ज है। भुगतान फर्म को सीधे भी किया जा सकता था, जो नहीं किया गया। क्या फर्म ने 20.07.2016 से 03.09.2016 तक कोई भी माल नहीं बेचा स्पष्ट किया जाना अपेक्षित रहा। अधिक आहरित धन रू0 13975.00 के बारे में भी स्थित संदिग्ध है।

ड. चैक सं0–121 दिनांक 05.09.2016 के द्वारा रू0 35145.00 का आहरण श्री प्रमोद कुमार से कराकर मै0 सिंह एण्ड कंपनी, पूरनपुर से सीमेंट, मोरंग आदि का क्रय दर्शाकर बिल सं0–32–3160 दिनांक– 05.09.2016 का भुगतान दर्शाया गया है। जबकि फर्म को ही चैक से भुगतान किया जा सकता था।

च. चैक सं0–123 दिनांक 23.12.2016 के द्वारा ग्राम प्रधान द्वारा रू0 25000.00 नकद आहरित कराकर 230 घन मी0 मिट्टी दर रू 58 प्रति घन मी0 की दर से रू013340.00 की खरीद की गई है, जिसका भुगतान श्री मो0 हुसैन को रसीद अनुसार दिया जाना दर्षित है, परन्तु रसीद पर यह कहीं भी अंकित नहीं है कि श्री हुसैन ने किस नम्बर के ट्रैक्टर से किन तिथियों में आपूर्ति दी है। पुष्टि अपेक्षित रही। मिट्टी खरीद पर रू 30 प्रतिघन मी0 की दर से रायल्टी भी नहीं काटी गई है।

छ. मै0 सिंह एण्ड कंपनी के बिल सं0–32–3166 दिनांक 31.01.2017 के द्वारा 95 बोरी सीमेन्ट दर रू 300 प्रति बोरी, 8.95 प्लाई दर रू0 890.00, 107 किग्रा0 चूना दर रू0 7.00 की दर से कुल रू0 39750.00 का क्रय दर्षित है। जिसके सापेक्ष चैक सं0– 128 दिनांक–31.01.2017 से ट्रान्सफर द्वारा रू0 31000.00 का भुगतान की ही पुष्टि हो रही है। शेष भुगतान कैसे हुआ अपुष्ट रहा। पुष्टि अपेक्षित। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फर्म के इसी बिल सं0–32–3166 का प्रयोग मोवीन के घर से रहीम टेलर के घर तक नाली निर्माण कार्य में भी हुआ है, जो कि असम्भव कार्य है। पुष्टि अपेक्षित।

ज. चैक सं0– 134 दिनांक 21.02.2017 के द्वारा ₹ 55200.00 का आहरण श्री निसार खान से कराकर वाउचर सं0–16 दिनांक 06.02.2017 (कैशबुक के अनुसार) रसीद द्वारा ₹ 25200.00 का भुगतान श्री जमीरूद्दीन पुत्र श्री रहसुद्दीन को बल्ली, फन्टी, फर्री, हेतु किया जाना दर्षित है। जबकि एम.आर. अनुसार कार्य दिनांक–09.02.2017 से 28.02.2017 तक दर्षित है। स्पष्ट है कि उक्त भुगतान कार्य के पूर्व में ही किया जाना दर्षित किया है। जो असम्भव है।

झ. मिट्टी खरीद दिनांक 23.12.2016 में दर्षित है, जबकि मिट्टी फैलाने पर लगे श्रमिकों का भुगतान एम.आर. अनुसार दिनांक 28.02.2017 को दर्शाया गया है।

ञ. उक्त कार्य का स्टीमेट ₹ 293100.00 श्री देवेन्द्र कुमार जे.ई.एम.आई. द्वारा तैयार किया गया है। नियमानुसार इसका अनुमोदन जिले से होना था, जो नहीं कराया गया।

ट.उक्त कार्य की माप–पुस्तिका, उपभोग प्रमाण–पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि संदर्भित कार्य पर कुल सामग्री पर रू0 254353.00 एवं श्रमांश पर रू0 83000.00 कुल का मनमाने सुनियोजित ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सूरत जहां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से की जानी अपेक्षित

(सा0आ0सं0–18 ग्राम निधि, ग्रा0पंचा0–वासूपुर, पूरनपुर, पीलीभीत)

33. वर्ष 2016–17 में ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर मौर्य द्वारा निम्न विवरणानुसार धन आहरित कर (ग्राम निधि पंचम खाता सं0– 06550100032742) निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्षित किया गया है–

बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार				कैशबुक अनुसार		
क्र0सं0	चैक सं0	दिनांक	आहरण कर्ता	धनराशि	व्यय प्रमाणक/ दिनांक	दर्षित कार्य
1	531760	05.05.2016	सुरेश	43200	05.05.2016 18000	मिट्टी भुगतान रसीद, जयवीर(500/36 देवदत्त के घर से देव स्थान तक)
2	01	30.05.2016	नकद	42000-00	17.05.2016 25056	एम आर वावत पप्पू लाल के घर से नन्हें लाल के घर तक
3	02	22.06.2016	सुरेश	10200-00	18.05.2016 144	स्टेशनरी व्यय
4	03	05.07.2016	टी.आर. एफ.	23700-00	06.06.2016 24000	मिट्टी क्रय 48 X 500 शिवओम (मंदिर से मेघनाथ के घर तक
5	05	12.07.2016	नन्हे लाल	2180-00	26.06.2016 27840	एम0आर0 वास्ते रामनाथ के घर से राममूर्ति के घर तक

6	04	12.07.2016	सुरेश	15000-00	27.06.2016 360	
			योग–	136280-00	05.07.2016 23700	स्टेशनरी पर व्यय
					12.07.2016 2180	मै0 पवन मार्वल एण्ड पेण्ट्स से सीमेन्ट पाइप क्रय
					25.08.2016 2500	नल मरम्मत पर व्यय
			योग–		123780	

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष निम्न आपत्तियां अंकित की जाती हैं–

(क) दिनांक 05.05.2016 को चैक सं0–531760 भी सुरेश चन्द्र ग्राम प्रधान द्वारा नकद धन आहरित कर रू0 18000.00 का जयवीर द्वारा रू0 500.00 की दर से 36 ट्राली मिट्टी क्रय दर्षित है, जिसका कार्यस्थल जयवीर द्वारा देवदत्त के घर से देवस्थान तक का उल्लेख है। जबकि ट्रेक्टर का नम्बर कार्य स्थल से मिट्टी ढुलाई की दूरी तथा रायल्टी का उल्लेख नहीं है। दिनांक 17.05.2016 को रू0 25056.00 मस्टर रोल वावत पप्पू लाल के घर से नन्हें लाल के घर तक अंकित है, जबकि मस्टर रोल पर दिनांक जारी करने का क्रमांक, भुगतान हेतु गवाह के हस्ताक्षर नहीं पाये गये, साथ ही साथ मस्टर रोल पर हस्ताक्षर मस्टर रोल तैयार करने वाले के हस्तलेख में है। इस प्रकार दिनांक 05.05.2016 को आहरित रू0 43200.00 का अपहरण करके ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र तथा ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर मौर्य द्वारा कूटरचना द्वारा मनमाने ढंग से फर्जी व्यय प्रमाणकों (रू0 18000.00 मिट्टी रसीद+ रू0 25056.00 संदिग्ध एम0आर0 +144कुल रू0 43200.00) द्वारा समायोजित करने का प्रयास किया गया है।

(ख) ग्राम निधि पंचम के मई/2016 के अंत में रू0 42000.00 ग्राम प्रधान के पास नकद अवशेष दर्षित है तथा इसी प्रकार माह जुलाई/2016 के अंत में रू0 15000.00 का नकद अवशेष दर्षित है, जबकि ग्राम प्रधान के द्वारा नकद आहरण की सीमा रू0 10000.00 अधिकतम है। यह स्थिति आपत्तिजनक है।

(ग) दिनांक 30.05.2016 चैक सं0–01 से 42000.00 का नकद आहरण किया गया है, जिसके सापेक्ष रू0 24000.00 का मिट्टी क्रय शिवओम से 48 ट्राली रू0 500.00 की दर से दर्षित है। रसीद पर ट्रैक्टर ट्राली का उल्लेख नहीं है तथा रसीद पर मिट्टी आपूर्ति का स्थल मंदिर से मेघनाथ के घर का उल्लेख है, जबकि इसी कार्य पर लगे मजदूरों से सम्बंधित मस्टर रोल पर रामनाथ के घर से राममूर्ति के घर तक का उल्लेख है, अतः उपरोक्त कार्य विरोधभासी है। मिट्टी कहीं पर डाली गयी और मजदूर कहीं लगे। साथ ही रू0 24000.00 की मिट्टी पर रू0 27840.00 का मजदूरी व्यय न्याय संगत नहीं लगता।

(घ) दिनांक 05.07.2016 चैक सं0–03 से रू0 23700.00 का भुगतान पवन मार्बल्स एण्ड पेन्ट स्टोर बीसलपुर को 15 सीमेन्ट पाइप क्रय हेतु भुगतान किया गया है। बिल नं0–1862 टिन0नं0– 09609402248 पवन मार्वल्स एण्ड पेन्ट बीसलपुर द्वारा दिनांक–12.08.2016 को जारी किया गया है, इस प्रकार सामग्री आपूर्ति के पूर्व रू0 23700.00 का भुगतान तथा अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन, वित्तीय तकनीकि स्वीकृति, क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति आदेश का अभाव सामग्री आपूर्ति पर प्रश्नचिन्ह लगाती है तथा यह सिद्ध करती है कि आहरित धनराशि का अपहरण कर कूटरचना द्वारा व्यय को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है।

(च) इसी प्रकार रू0 144.00 तथा रू0 360.00 कुल धनराशि रू0 504.00 स्टेशनरी पर व्यय दर्षित है। यदि आहरण और व्यय के तरीके पर दृष्टिपात करते हैं तो स्पष्ट पता चलता है कि दिनांक 05.05.2016 को आहरित रू0 43200.00 में से रू0 18000.00 मिट्टी क्रय तथा रू0 25056.00 मस्टर रोल पर कुल रू0 43056.00 अर्थात् रू0 144.00 शेष की स्टेशनरी क्रय को आहरम से दो माह बाद पुष्टि कराने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 27.06.2016 को रू0 360.00 का स्टेशनरी क्रय रू0 42000.00. 10200.00 = 52200.00 के सापेक्ष रू0 24000.00 मिट्टी क्रय. 27840.00 = 51840.00 से अवशेष धनराशि रू0 360.00 को समायोजित करने का प्रयास किया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्टेशनरी क्रय कच्चे बिल से किया गया है, इस प्रकार रू0 504.00 का अपहरण ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है।

(छ) दिनांक–12.07.2016 को रू02180.00 नल मरम्मत पर व्यय कोषवही में दर्षित है, जिसके सापेक्ष कच्चा बिल प्रस्तुत किया गया है,जबकि यह कार्य रजिस्टर्ड फर्म से कराया जाना अपेक्षित था।इसी प्रकार दिनांक–25.08.2016 को रू0

2500.00 नल मरम्मत पर व्यय कोषवही में दर्षित है। उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं पाया गया, इस प्रकार कुल रू0 4680.00 का अपहरण किया गया है।

उपरोक्त सभी कार्य **क, ख, ग, घ, च** तथा **छ** से सम्बंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन, वित्तीय, तकनीकि प्रशासनिक स्वीकृति, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र डी.पी.सी. 09, माप पुस्तिका इत्यादि अभिलेखों के अभाव में उपरोक्त सभी कार्य पूर्णतया अप्रमाणित रहे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 14वे राज्य वित्त के मार्ग दर्षक/निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार उक्त निधि से बिना सामग्री पर व्यय किये (कच्चा कार्य) नहीं कराया जा सकता है। इस प्रकार सन्निहित धनराशि रू0 = 43056.00 + 51840.00 + 23700.00 + 504.00 + 4680.00 कुल रू0 = 123780.00 का अपहरण कूटरचना करके ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र तथा ग्रा0पंचा0 श्री लाल बहादुर द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त से अपेक्षित रही।**(सा0आ0सं0–21 ग्राम पंचायत–अदिलाबाद, बीसलपुर, पीलीभीत)**

34. वर्ष 2016–17 के ग्राम निधि खाता सं0–06550100032741 से 12000.00 का नकद आहरण ग्राम प्रधान श्री सुरेश द्वारा दिनांक 21.07.2016 को किया गया है, जिसका अंकन कैशबुक में मिट्टी क्रय हेतु दर्षित है। पुष्टि हेतु रसीद दिनांक 21.07.2016 को 12000.00 का 24 ट्राली @ 500.00 की दर से संलग्न है। ट्रेक्टर ट्राली का तथा रायल्टी का उल्लेख नहीं है। रसीद पर राम कुमार के घर से राजेन्द्र के घर तक मिट्टी कार्य का उल्लेख है। अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन, सामग्री क्रय आदेश आपूर्ति आदेश, माप पुस्तिका तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में उक्त व्यय प्रमाणित नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र तथा सचिव श्री लाल बहादुर ने कूटरचना द्वारा धन का आहरण किया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उपरोक्त दोनो से की जानी अपेक्षित रही। **(सा0आ0सं0–22, ग्रा0 पं0–अदिलाबाद, बीसलपुर, पीलीभीत)**

35. लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17 में ग्राम प्रधान श्री छोटेलाल द्वारा निम्न विवरण अनुसार धन का आहरण किया गया–

दिनांक	चैक सं0	धनराशि(रू में)
24.10.2016	97	5000-00
28.10.2016	99	20000-00
28.10.2016	98	7500-00
08.02.2017	100	15000-00
22.02.2017	104	12000-00
22.03.2017	108	15000-00
	योग	74500-00

(ख) बैंक स्टेटमेंट में दर्षित विभिन्न फर्मों के नाम भुगतान–

दिनांक	चैक सं0	धनराशि(रू में)	फर्म का नाम
13.07.2016	95	253000-00	मै0 ए0के0 इण्टर
06.02.2017	101	74230-00	तराई स्पन पाइप
23.02.2017	103	4500-00	राक इनफ्राकान
14.03.2017	105	46000-00	ए0के0 इन्टर प्राइजेज
22.03.2017	106	11000-00	मोहन सीमेन्ट स्टोर
23.03.2017	107	715000-00	वारसी
24.03.2017	110	2000-00	सी0एल0जी0
	योग	462230-00	मै0 ए0के0 इण्टर

(ग) व्यक्तियों/अन्य के नाम आहरण (बैंक स्टेटमेंट में दर्षित)–

दिनांक	चैक सं0	धनराशि(रू में)	व्यक्ति का नाम
13.07.2016	94	1000-00	जेड.पी.आर.ओ.
08.02.2017	102	12500-00	मो0 आरिफ
22.03.2017	109	8000-00	अजय

31.03.2017	111	17000-00	
	योग	38500-00	

उपरोक्त (1) क+ख+ग के अनुसार कुल धनराशि रू0 575230.00 के व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा, कार्यवाही पंजिका, व्यय प्रमाणक, अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, तकनीकी/वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री आपूर्ति आदेश, मस्टर रोल, कैशबुक, फर्मों के व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाण–पत्र कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा मापांकन पंजिका इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे, जबकि आहरित धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न कराया जाना, वित्त लेखा मैनुअल, अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्बंधित ग्राम प्रधान श्री छोटेलाल और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश माथुर पर दायित्व निर्धारित करते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली किये जाने का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0– 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में सहायक विकास अधिकार (पं0) द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका उपलब्ध नहीं रही। सहायक विकास अधिकारी (पं0) का नियम सं0– 199 के प्रति उदासीता और मौन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी (पं0) द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग को स्वयं सिद्ध करता है।**(सा0आ0सं0– 1 क,ख,ग ग्रा0पंचा0–अकबर गंज सिमरा, बीसलपुर, पीलीभीत)**

36. वर्ष 2015–16 के लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये कैशबुक में दिनांक 01–04–2015 से 31.12.2015 तक के प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी है। इस दौरान बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अंकन रू0 293000.00 का आहरण किया गया है। परन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष क्रय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र कार्य योजना, मस्टर रोल, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, स्वीकृत स्टीमेट डी0पी0सी0–09 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 से पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित आहरण/व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व तत्कालीन सचिव से किए जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0– 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में सहायक विकास अधिकार (पं0) द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका उपलब्ध नहीं रही। सहायक विकास अधिकारी (पं0) का नियम सं0– 199 के प्रति उदासीता और मौन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी (पं0) द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग को स्वयं सिद्ध करता है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 256(1) के अनुपालन में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार तत्कालनी ग्राम प्रधान श्रीमती शरवरी बेगम एवं तत्कालीन सचिव श्री रजत कुमार से अंकन रू0 293000.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किये जाने के लिए विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार से है–

दिनांक	विवरण	चैक सं0	आहरित धनराशि
01.05.2015	मो0 इकवाल	429339-00	85000-00
07.05.2015	रियाज खान	429340-00	3000-00
07.05.2015	रियाज खान	429341	3000-00
14.05.2015	शरवरी बेगम	429343	15000-00
14.05.2015	शरवरी बेगम	429344	15000-00
14.05.2015	शरवरी बेगम	429345	3000-00
15.05.2015	अस्पष्ट	429342	5000-00
15.09.2015	शरवरी बेगम	429347	50000-00
17.09.2015	अस्पष्ट	429348	50000-00
17.09.2015	अस्पष्ट		60000-00
17.09.2015	अस्पष्ट	429350	2000-00
12.10.2015	अस्पष्ट	429351	2000-00
		योग	293000-00

(सा0आ0सं0–1 ग्रा0पं0– रम्पुरा मिश्र, ललौरी खेड़ा, पीलीभीत)

37. वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि से कुल रू0 1098877.72 का आहरण किया गया, परन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, क्रय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र कार्य योजना, मस्टर रोल, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, स्वीकृत स्टीमेट डी0पी0सी0–09 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 से पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित आहरण/व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किए जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में सहायक विकास अधिकार (पं0) द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका उपलब्ध नहीं रही। सहायक विकास अधिकारी (पं0) का नियम सं0– 199 के प्रति उदासीता और मौन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी (पं0) द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग को सिद्ध करता है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 256(1) के अनुपालन में लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में प्रधानों के कार्यकाल के अनुसार आहरित धनराशि से सम्बंधित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी व सचिव श्री रजत कुमार एवं ग्राम प्रधान शकुन्तला देवी व सचिव श्री रजत कुमार से कुल आहरित धनराशि अंकन रू0 1098877.72 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। अभिलेखों के अनुपलब्धता के कारण कार्यकाल का विवरण अप्राप्त रहा, जिस कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। अतः ग्राम प्रधान एवं सचिव के उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**(सा0आ0सं0–06 ग्रा0 निधि, ग्रा0पं0– अजीत डांडी, ललौरी खेड़ा, पीलीभीत)**

38. (क)– वर्ष 2015–16 में आहरण का विवरण–

दिनांक	चैक सं0	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि (रू में)
20.02.2016	552	श्री संजीव कुमार	43558-00
04.03.2016	553	पंजाब ब्रिक्स फील्ड	175230-00
10.03.2016	556	श्री निजामुद्दीन	3500-00
10.03.2016	557	पंजाब ब्रिक्स फील्ड	175230-00
10.03.2016	558	श्री संजीव कुमार	32597-00
		योग–	430115-00

(ख) वर्ष 2016–17 में आहरण का विवरण–

दिनांक	चैक सं0	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि (रू में)
12.08.2016	486	पी0एल0ए0	1000-00
12.08.2016	482	ग्राम प्रधान श्री बन्ता देवी	15000-00
27.07.2016	559	श्री संजीव कुमार	29000-00
05.09.2016	483	श्री संजीव कुमार	77880-00
05.09.2016	484	श्री संजीव कुमार	25704-00
05.09.2016	485	श्री संजीव कुमार	3500-00
21.10.2016	488	श्री संजीव कुमार	44070-00
26.10.2016	489	राज पाइप इण्डस्ट्रीज	47280-00
27.10.2016	487	बारसी ब्रिक्स फील्ड	95686-00
04.11.2016	486	इन्टर सीबी कलैक्शन	2000-00
07.12.2016	490	सोलर बर्ल्ड	116750-00
03.01.2017	491	श्री संजीव कुमार	20350-00

12.01.2017	494	श्री रासिद खां	44190-00
25.01.2017	493	स्टार ब्रिक्स फील्ड	98474-00
10.02.2017	495	कुमार ट्रेडर्स	4500-00
02.03.2017	497	श्री निजामुद्दीन	3500-00
03.03.2017	496	श्री रामध्यान	9500-00
27.03.2017	498	श्री संजीव कुमार	3000-00
		कुल योग–	641384-00

कुल आहरण का विवरण–

(क)– 2015–16 में आहरण– रू0 641384.00

(ख)– वर्ष 2016–17 में आहरण रू0 430115.00
योग– रू0 1071499.00

उक्त रू0 1071499.00 के आहरण के व्यय की पुष्टि में कोषवही (रूप पत्र–06), बजट पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, स्वीकृत प्राक्कलन, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री, क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां सम्बंधित फर्मों के बिल बाउचर, सामग्री स्टाक पंजिका, प्रशासनिक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, इत्यादि अभिलेखों को मूल रूप में लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट के आधार पर की गयी है, जो गम्भीर आपत्तीजनक स्थिति है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित व्यय/आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेख उपलब्ध न होने पर आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि के गबन/अपहरण मानते हुए रू0 1071499.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बन्ता वती, व श्री पवन पटेल, ग्रा0पंचा0अधि0 से दिनांक– 21.12. 2015 से 31.03.2016 तक रू0 430115.00 एवं श्रीमती बन्ता वती, ग्राम प्रधान व श्री पूरन सिंह राना, ग्रा0वि0अधि0 से दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक रू0 641384.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचा0 सचिवों से अभिलेख के अभाव में किये जाने का प्रावधान है, साथ ही साथ उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम सं0– 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में सहायक विकास अधिकार (पं0) द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका उपलब्ध नहीं रही। सहायक विकास अधिकारी (पं0) का नियम सं0– 199 के प्रति उदासीता और मौन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी (पं0) द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग को सिद्ध करता है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 256(1) के प्रावधान अनुसार अपर लिखित ग्राम प्रधान व ग्रा0पंचा0 सचिवो से अधिभार संबंधी कार्यवाही करते हुए रू0 1071499.00 की ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है तथा तत्कालीन सहायक वि0अधि0 (पं0) के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**(सा0आ0सं0–02 ग्रा0निधि, ग्रा0पं0– बन्दर बोझ, पूरनपुर, पीलीभीत)**

39. वर्ष 2015–16 में लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये कैशबुक में निम्नलिखित दिनांकों में आहरित धनराशि रू0 24400.00 की प्रविष्टि नहीं की गयी है न ही आहरित/व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय/क्रय प्रमाणक, मस्टर रोल इत्यादि पुष्टि हेतु अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 से पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित आहरण/व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से किए जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0– 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में सहायक विकास अधिकार (पं0) द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका उपलब्ध नहीं रही। सहायक विकास अधिकारी (पं0) का नियम सं0– 199 के प्रति उदासीता और मौन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी (पं0) द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग को सिद्ध करता है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 256 के उपनियम 1 एवं 3 के अनुपालन में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नेमा देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री सुधीर कुमार से अंकन रू0 24400.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किये जाने के लिए विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है–

दिनांक	चैक सं0	विवरण	आहरित धनराशि	कोषवही में दर्षित	अपहरित धनराशि
30.10.2015	411	कासिम खां	20700-00	-	20700-00

09.11.2015	416	कासिम खां	30700-00	30000-00	700-00
11.02.2016	334	महेश	3000-00	-	3000-00
		योग–	54400-00	30000-00	24400-00

(सा0आ0सं0–01, ग्रा0पं0– बरहा, ललौरी खेड़ा, पीलीभीत)

40. वर्ष 2016–17 के लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये कोषवही में दिनांक 07.04.2016 को आहरित धनराशि रू0 40000.00 चैक सं0–384 द्वारा श्री जगदीश प्रसाद की प्रविष्टि नहीं की गयी है। आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही में प्रविष्ट नहीं होना व्यय/क्रय प्रमाणक, कार्य योजना, कोटेशन पत्रावली इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित व्यय/आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किए जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0– 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में सहायक विकास अधिकार (पं0) द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका उपलब्ध नहीं रही। सहायक विकास अधिकारी (पं0) का नियम सं0– 199 के प्रति उदासीता और मौन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी (पं0) द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग को सिद्ध करता है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली–1947 256 (1) के अनुपालन में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लौंगश्री एवं सचिव श्री सुधीर कुमार से अंकन रू0 40000.00 की ब्याज सहित वसूली/क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किये जाने के लिए विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–02, ग्रा0पं0– बरहा, ललौरी खेड़ा, पीलीभीत)

41. वर्ष 2015–16 से 2016–17 के लेखा में उपलब्ध कराये गये कोषवही में दिनांक– 01.04.2015 से 31.12.2015 तक के प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी है। इस दौरान बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अंकन रू0 292601.00 का आहरण किया गया है। परन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष क्रय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, स्वीकृति स्टीमेट, डी0पी0सी0–09 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित आहरण/व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व तत्कालीन सचिव से किए जाने का प्रावधान है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली– 1947 के नियम सं0– 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में सहायक विकास अधिकार (पं0) द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका उपलब्ध नहीं रही। सहायक विकास अधिकारी (पं0) का नियम सं0– 199 के प्रति उदासीता और मौन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी (पं0) द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग को सिद्ध करता है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली–1947 256 (1) के अनुपालन में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भोला नाथ एवं सचिव श्री रजत कुमार से अंकन रू0 292601.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किये जाने के लिए विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार से है–

दिनांक	चैक सं0	विवरण	आहरित धनराशि
24.04.2015	4288	भोलेनाथ	20000-00
05.05.2015	4289	भोलेनाथ	30000-00
05.05.2015	4291	भोलेनाथ	25000-00
05.05.2015	4290	स्पष्ट नहीं	20000-00
08.05.2015	4293	भोलेनाथ	5000-00
11.05.2015	4292	अमित	25000-00
03.09.2015	4294	भोलेनाथ	35000-00
11.09.2015	4295	अमित	30000-00
16.09.2015	4296	भोलेनाथ	10000-00

16.09.2015	4297	भोलेनाथ	15000-00
05.10.2015	66836	भोलेनाथ	10000-00
05.10.2015	6682	स्पष्ट नहीं	10000-00
07.10.2015	6681	श्री साई ब्रिक फील्ड	30000-00
15.10.2015	6684	अमित	10000-00
05.11.2015	6685	विजेन्द्र	15000-00
09.11.2015	4299	भोलेनाथ	2500-00
09.10.2015	-	–	101-00
		योग–	292601-00

(सा0आ0सं0–01 ग्रा0पं0– रूपपुर कृपा, ललौरी खेड़ा, पीलीभीत)

42. लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में मनरेगा योजना से सम्बंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण योजना से सम्बंधित विकास कार्यों की जांच सम्भव नहीं हो सकी। जबकि लेखा परीक्षा वर्ष में कराई गयी ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार श्रमांश पर रू0 1425000.00 सामग्री अंश पर रू0 00.00 अन्य (टैक्स आदि) पर रू0 00.00 कुल रू0 1425000.00 की पुष्टि वित्तीय प्रदर्षन वर्ष 2016–17 के अनुसार हो रही है। इस प्रकार कुल व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत प्राक्कलन, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री, क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां सम्बंधित फर्मों के बिल बाउचर, सामग्री स्टाक पंजिका, प्रशासनिक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, एफ0टी0ओ0 डोंगल प्रमाण–पत्र, परिसंपत्ति पंजिका, सेक्टर प्रभारी का निरीक्षण रिपोर्ट, टैक्स कटौती सम्बंधी पत्रावली आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 08 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष मूल अभिलेख/बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में व्यय की गई धनराशि को अपहरण/गबन मानते हुये पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के अनुसार कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री सुखचौन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह, एवं श्री अजय कुमार सक्सेना, रोजगार सेवक श्री श्याम जी, कार्यक्रम अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली कराकर राजकीय कोषागार में जमा कराई जाये।**(सा0आ0सं0–01 मनरेगा, ग्रा0पं0– जमुनिया ज0 जगतपुर, पूरनपुर, पीलीभीत)**

43. वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गए कोषवही में दिनांक 01.06.2015 को आहरित धनराशि अंकन रू0 52500.00 द्वारा श्री मुन्ना लाल की प्रविष्टि नहीं की गयी है। आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही में प्रविष्ट नहीं होना व्यय प्रमाणक डी0पी0सी0–09 इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित व्यय/आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किए जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0– 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में सहायक विकास अधिकार (पं0) द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका उपलब्ध नहीं रही। सहायक विकास अधिकारी (पं0) का नियम सं0– 199 के प्रति उदासीता और मौन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी (पं0) द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग को सिद्ध करता है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली–1947 256 (1) के अनुपालन में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मुन्ना लाल एवं सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार से रू0 52500.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किये जाने के लिए विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार से है–

दिनांक	चैक सं0	विवरण	आहरित धनराशि	कोषवही में दर्षित	अपहरित धनराशि
01.06.2015	61	मुन्ना लाल	5000-00	2500-00	2500-00
01.06.2015	62	मुन्ना लाल	25000-00	-	25000-00
01.06.2015	63	मुन्ना लाल	25000-00	-	25000-00
		योग–	55000-00	2500-00	52500-00

(सा0आ0सं0–01 ग्रा0पं0– मधु डांडी, ललौरी खेड़ा, पीलीभीत)

44. लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि–योजना से सम्बंधित खाता सं0–06970100020586 बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा पूरनपुर से वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 554295.00 एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 945725.00 कुल रू0 1500020.00 का आहरण किया गया है, जिसके व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार खाते से आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली किये जाने का प्रावधान है। अभिलेखों का विवरण निम्न प्रकार से है। कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत प्राक्कलन, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री, क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां सम्बंधित फर्मों के बिल बाउचर, सामग्री स्टाक पंजिका, प्रशासनिक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, परिसंपत्ति पंजिका, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि।उक्त विवरण के आधार पर रू0 170300.00 की ब्याज सहित वसूली पूर्व प्रधान श्रीमती रामकली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास पाण्डे रू0 383995.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान प्रधान श्री ऋषिकान्त एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास पाण्डे तथा रू0 945725.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्री ऋषिकान्त एवं श्री अशोक कटियार से पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के अनुसार कार्यवाही कर ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली कर धनराशि राजकीय कोषागार में जमा करायी जाये।

(सा0आ0सं0–05ग, ग्रा0निधि, ग्रा0पं0– हमीरपुर, पूरनपुर, पीलीभीत)

45. ग्राम पंचायत द्वारा कराई गयी एम0आई0एस0 फीडिंग के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 से ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग शून्य है जबकि वर्ष 2016–17 में क्रमांश पर रू0 550000.00 एवं सामग्री अंश पर शून्य कुल रू0 550000.00 की एम0आई0एस0 फीडिंग कराई गई है, जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराय गया। अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, कैशबुक, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय तकनीकी, स्वीकृति पंजिका, क्रय आदेश सामग्री आपूर्ति प्रमाम–पत्र स्टाक पंजिका, फर्म का बिल, मस्टर रोल, मॉप पुस्तिका परिसम्पत्ति पंजिका, जॉव कार्ड धारी परिवार/सदस्य की पंजिका एफ0टी0ओ0 डोंगल आदि।

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में मनमाने ढंग से एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का अपहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार वित्तीय वर्ष में आहरित/व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली किये जाने का प्रावधान है।अतः कुल धनराशि रू0 550000.00 की ब्याज सहित वसूली पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0– 256(I) के अनुसार कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री ऋषिकान्त एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री अशोक कटियार तथा ग्राम रोजगार सेवक, श्री ओमप्रकाश से कराकर धनराशि राजकीय्र कोषागार में जमा करायी जाये।**(सा0आ0सं0–02 मनरेगा, ग्रा0पं0– हमीरपुर, पूरनपुर, पीलीभीत)**

46. लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में क्रमांश पर रू शून्य, सामग्री अंश पर रू 335000.00 टैक्स दिया रू0 19000.00 अर्थात् कुल रू0 354000.00 की एम0आई0एस0 फीडिंग मनरेगा योजना अन्तर्गत करायी गई है। जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अभिलेख– अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, कैशबुक, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय तकनीकी, स्वीकृति पंजिका, क्रय आदेश सामग्री आपूर्ति प्रमाम–पत्र स्टाक पंजिका, फर्म का बिल, मस्टर रोल, मॉप पुस्तिका, सेक्टर प्रभारी/सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं कराये गये।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार वित्तीय वर्ष में आहरित/व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द वर्मा एवं श्री राम प्रकाश मौर्या तथा ग्राम प्रधान श्रीमती राजिया खातून एवं श्रीमती शीवा बेगम से की जानी अपेक्षित है, जिसे पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के अनुसार कार्यवाही कर ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली कर धनराशि राजकीय कोषागार में जमा करायी जाए।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में माल सामग्री खरीद भी दर्षित है, इसका बिना श्रमिकों के उपभोग कैसे हो गया स्पष्ट किया जाये? स्पष्ट है कि इस प्रकरण में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा की भी भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है, क्योंकि मनरेगा योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त में आपरेशनल गाइड लाइन्स 6.2 अर्थात् (60 रू 40) का पालन कराने का उत्तरदायित्व कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा को है। उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम सं0– 256(I) के अनुसार कार्यवाही कर श्री अरविन्द वर्मा एवं श्री राम प्रकाश मौर्या तथा ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया खातून एवं श्रीमती शीवा बेगम, एवं तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा से ब्याज सहित वसूली कर धनराशि राजकीय कोषागार में जमा करायी जाए।

(सा0आ0सं0–02 मनरेगा, ग्रा0पं0– मुझा खुर्द, पूरनपुर, पीलीभीत)

47. मनरेगा संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहने के कारण लेखा परीक्षा संभव नहीं रहा, परन्तु वित्तीय वर्ष 2016–17 में निम्न विवरणानुसार मनरेगा योजना अन्तर्गत निर्माण कार्यों की आनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग व्यय के सापेक्ष दर्षित है–

वर्ष	कमांश	सामग्री	अन्य	योग
2016-17	8.34 लाख	3.7 लाख	0.2 लाख	12.24 लाख

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 में कुल रू0 12.24 लाख की आनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का व्यय किया गया है, जिसकी पुष्टि में मूल अभिलेख जैसे अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, कैशबुक, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय तकनीकी, स्वीकृति पंजिका, क्रय आदेश सामग्री आपूर्ति प्रमाम–पत्र स्टाक पंजिका, फर्म का बिल, मस्टर रोल, मॉप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका, जॉव कार्ड धारी परिवार/सदस्य की पंजिका एफ0टी0ओ0 डोंगल, निविदा/कुटेशन प्रपत्र, बिल–वाउचर, निरीक्षण पंजिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये अतः कुल रू0 12.24 लाख की करायी गयी एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्ट रही, जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए धन की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी चाहिये। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण अधोलिखित है–

कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा/खण्ड विकास अधिकारी

(क)– श्री अम्बरीश कुमार बिन्द

(ख)– श्री सी0के0 श्रीवास्तव

ग्राम प्रधान–श्रीमती शहानाबेगम

ग्रा0पंचा0/वि0 अधिकारी– श्री रूपेश सिंह

रोजगार सेवक– श्री ओमप्रकाश **(सा0आ0सं0–01ग, मनरेगा, ग्रा0पंचा0– सितारगंज नवदिया, बीसलपुर, पीलीभीत)**

48. लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि खाता सं0–06970100020525 बैंक ऑफ बडौदा शाखा–पूरनपुर जनपद–पीलीभीत से निम्न विवरणानुसार चैक निर्गत कर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव द्वारा रूप से रू0 810148.00 का आहरण निम्न प्रकार से किया गाया है–

(क)– श्री शमशाद के नाम चैक निर्गत कर भुगतान किया जाना–

दिनांक	चैक सं0	धनराशि	अभ्युक्ति
01.06.2015	127	50000-00	रू0 282000.00 ग्राम पंचा0 सचिव श्री अखिलेख कुमार गुप्ता, ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी
01.06.2015	126	50000-00	
01.09.2015	128	86000-00	
01.09.2015	129	96000-00	
02.02.2016	132	20000-00	रू0 70000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती राम लली व सचिव श्री अवनीश कुमार दीक्षित।
16.02.2016	134	50000-00	
	योग	352000-00	

(ख)– विभिन्न के नाम भुगतान किया जाना–

दिनांक	चैक सं0	धनराशि	आहरणकर्ता	अभ्युक्ति
22.02.2016	136	25000-00	श्री साजिद हसन	ग्राम प्रधान श्रीमती राम लली व सचिव श्री अवनीश कुमार दीक्षित।
23.02.2016	135	5350-00	श्री जयचन्द	
09.03.2016	139	7500-00	श्रीमती राम लली	
10.03.2016	141	20000-00	श्री गिरवर धारी	
11.03.2016	146	50000-00	श्री अजय पाल	
11.03.2016	142	30478-00	श्री साजिद हसन	ग्राम प्रधान श्रीमती राम लली व सचिव श्री अवनीश कुमार दीक्षित।
11.03.2016	145	820-00	श्री अरशद	
14.03.2016	138	34400-00	श्री गिरवर धारी	

21.03.2016	147	25000-00	श्री हुसैनी	
	योग	198548-00		

दिनांक	चैक सं0	फर्म का नाम	धनराशि
26.02.2016	133	ए0बी0एफ0	60000-00
10.03.2016	140	ए0हिन्द बी0एफ0	106000-00
21.03.2016	148	आज हिन्द बी0एफ0	93600-00
		योग	259600-00

कुल आहरण का विवरण— धनराशि
(क)— शमशाद के नाम आहरण— रू0 352000.00
(ख)— विभिन्न के नाम आहरण— रू0 198548.00
(ग)— ईंट फर्मों के नाम आहरण— रू0 259600.00
योग— रू0 810148.00

उक्त रू0 810148.00 के आहरण की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, कैशबुक, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय तकनीकी, स्वीकृति पंजिका, क्रय आदेश सामग्री आपूर्ति प्रमाण—पत्र, स्टाक पंजिका, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, मॉप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका, उपभोग प्रमाण—पत्र/डी0पी0सी0 09 प्रमाण पत्र, स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख मूल रूप में उपलब्ध नहीं कराये गये, जिस कारण रू0 810148.00 का आहरण पूर्णतः अप्रमाणित रहा। जबकि वित्त लेखा मैनुअल अध्याय –8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि के सापेक्ष बिल वाउचर एवं संगत अभिलेख उपलब्ध न रहने पर आहरित धनराशि को गबन/अपहरण माने जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः पंचायती राज नियमावली—1947 के नियम सं0— 256(I) के अनुसार कार्यवाही करते हुए रू0 810148.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी, श्रीमती रामलली एवं ग्राम पंचायत अधि0 श्री अखिलेश कुमार गुप्ताएवं श्री अवनीश कुमार दीक्षित से कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा।**(सा0आ0सं0—05, ग्रा0पंचा0—पत्ताबोझी, पूरनपुर, पीलीभीत)**

49. मनरेगा संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहने के कारण लेखा परीक्षा संभव नहीं रहा, परन्तु वित्तीय वर्ष 2016—17 में निम्न विवरणानुसार मनरेगा योजना अन्तर्गत निर्माण कार्यों की आनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग व्यय के सापेक्ष दर्षित है—

वर्ष	श्रमांश	सामग्री	अन्य	योग
2016-17	6.2 लाख	1.8 लाख	0.11 लाख	8.24 लाख

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2016—17 में कुल 8.24 लाख की आनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का व्यय किया गया है, जिसकी पुष्टि में मूल अभिलेख जैसे अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, कैशबुक, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय तकनीकी, स्वीकृति पंजिका, क्रय आदेश सामग्री आपूर्ति प्रमाम—पत्र स्टाक पंजिका, फर्म का बिल, मस्टर रोल, मॉप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका, जॉव कार्ड धारी परिवार/सदस्य की पंजिका एफ0टी0ओ0 डोंगल, निविदा/कुटेशन प्रपत्र, बिल—वाउचर, निरीक्षण पंजिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः कुल रू0 8.24 लाख की करायी गयी एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्ट रही, जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए धन की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी चाहिये। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण अधोलिखित है—

कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा/खण्ड विकास अधिकारी
(क)— श्री अम्बरीश कुमार बिन्द
(ख)— श्री सी0के0 श्रीवास्तव
2. ग्राम प्रधान— श्री राजेन्द्र प्रसाद
3. ग्रा0पंचा0/वि0 अधिकारी— 1. श्री बाबूराम
2. श्री रूपेश सिंह
4. रोजगार सेवक—सुश्री प्रीती **(सा0आ0सं0—01ग मनरेगा, ग्रा0पं0— चौसर हरदोपट्टी, बीसलपुर, पीलीभीत)**

50. मनरेगा संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहने के कारण लेखा परीक्षा संभव नहीं रहा, परन्तु वित्तीय वर्ष 2016—17 में निम्न विवरणानुसार मनरेगा योजना अन्तर्गत निर्माण कार्यों की आनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग व्यय के सापेक्ष दर्षित है—

वर्ष	क्रमांश	सामग्री	अन्य	योग
2016-17	2.39 लाख	शून्य	शून्य	2.39 लाख

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 में कुल 2.39 लाख की आनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का व्यय किया गया है, जिसकी पुष्टि में मूल अभिलेख जैसे अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, कैशबुक, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय तकनीकी, स्वीकृति पंजिका, क्रय आदेश सामग्री आपूर्ति प्रमाम–पत्र स्टाक पंजिका, फर्म का बिल, मस्टर रोल, मॉप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका, जॉव कार्ड धारी परिवार/सदस्य की पंजिका एफ0टी0ओ0 डोंगल, निविदा/कुटेशन प्रपत्र, बिल–वाउचर, निरीक्षण पंजिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये अतः कुल रू0 2.39 लाख की करायी गयी एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्ट रही, जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए धन की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी चाहिये। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण अधोलिखित है–

कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा/खण्ड विकास अधिकारी

(क)– श्री अम्बरीश कुमार बिन्द

(ख)– श्री सी0के0 श्रीवास्तव

ग्राम प्रधान– श्री सुरेश चन्द्र

ग्रा0पंचा0/वि0 अधिकारी– श्री रूपेश सिंह

रोजगार सेवक– श्री योगेश कुमार

(सा0आ0सं0–01 ग मनरेगा, ग्रा0पं0– कितनापुर, बीसलपुर, पीलीभीत)

51. लेखा परीक्षा वर्ष– 2016–17 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों से सम्बंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण विकास कार्यों की जांच किया जाना सम्भव नहीं हो सका, जबकि लेखा परीक्षा वर्ष में कराई गयी ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुनसार क्रमांश रू 8.32 लाख एवं सामग्री अंश रू 9.01 लाख अन्य (टैक्स आदि) पर रू0 0.43 लाख कुल रू0 17.76 लाख की पुष्टि वित्तीय प्रदर्षन वर्ष 2016–17 के अनुसार होती है। इस प्रकार कुल व्यय की गयी धनराशि रू0 17.76 लाख के सापेक्ष मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, (व्यय धनराशि अर्थात 60 प्रतिशत श्रमांश पर एवं 40 प्रतिशत सामग्री पर नियमित होना चाहिए था), स्वीकृत प्राक्कलन कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां, सम्बंधित पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, डी0पी0सी0–09/उपभोग प्रमाण–पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, एफ0टी0ओ0 डोंगल प्रमाण–पत्र, परिसंपत्ति पंजिका, जॉव कार्ड रजिस्टर, सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण रू0 17.76 लाख की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्टित रही, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 6.2 के अनुसार व्यय धनरशि में 60 प्रतिशत मजदूरी/श्रमांश पर व्यय एवं 40 प्रतिशत सामग्री अंश पर व्यय होना चाहिए था। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय रू0 17.76 लाख में 40 प्रतिशत के हिसाब से रू0 7.10 लाख सामग्री अंश पर व्यय होना चाहिए था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा रू0 9.43 लाख का व्यय अनियमित तरीके से किया गया है। इस प्रकार रू0 2.33 लाख का अधिक सामग्री अंश का भुगतान मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स के अनुसार ब्याज सहित वसूली कराया जाये, उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने/अनियमित तरीके से ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराई गयी है। साथ ही साथ मूल अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया जाना वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8 (क) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में रू0 17.76 लाख को अपहरण/गबन मानते हुए पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256 के अनुसार कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान, श्रीमती सकीन बेगम, ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री पुष्कर सिंह राना, रोजगार सेवक, श्री इस्लामुद्दीन, लेखाकार श्री नावेद अख्तर, कार्यक्रम अधिकारी, श्री सतीश कुमार पाण्डे (बी. डी. ओ.) से ब्याज सहित वसूली कराकर राजकीय कोषागार में जमा करायी जाय।**(सा0आ0सं0–01 मनरेगा, ग्रा0पंचा0– डगा, पूरनपुर, पीलीभीत)**

52. वर्ष 2015–16 से 2016–17 के लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गए कैशबुक में दिनांक 19.09.2015 से 31.03.2016 तक के प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी है। इस दौरान बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अंकन रू0 36500.00 का आहरण किया गया है। परन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष क्रय प्रमाणक/व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, मस्टर रोल, टेण्डर/कोटेशन फाइल, स्वीकृत स्टीमेट, डी0पी0सी0–09 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित आहरण/व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी आहरित धनराशि को आहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व तत्कालीन सचिव से किए जाने का प्रावधान है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में सहायक विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका उपलबध नहीं रही। सहायक विकास अधिकारी की नियम सं0–199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के उपनियम 1 के अनुपालन में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार तत्कालीन ग्राम

प्रधान श्री शिवकुमार एवं तत्कालीन सचिव श्री धर्मदास वर्मा से अंकन रू0 36500.00 की ब्याज सहित वसूली/क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किये जाने के लिए विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार से है–

दिनांक	चैक सं0	विवरण	धनराशि
19.09.2015	102	शिवकुमार	2000-00
01.10.2015	103	स्वयं	5000-00
06.11.2015	104	शिवकुमार	21000-00
07.11.2015	107	शिवकुमार	3500-00
		योग	36500-00

(सा0आ0सं0–01, ग्रा0पं0– पिपरावाले, ललौरीखेड़ा, पीलीभीत)

53. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2015–16 में ग्राम निधि–I खाता संख्या–98440100005566 से आहरित दिनांक 01.04.2014 से 01.09.2015 तक आहरित धनराशि रू0 483855.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रफी अहमद एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी 1.–श्री यशवन्त सक्सेना, 2.– श्री अजय देवल के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। **(सा0आ0सं0–1 ग ग्राम निधि, ग्र0पं0–विसेन, अमरिया, पीलीभीत)**

54. ग्राम पंचायत तुमड़िया द्वारा वित्तीय वर्ष–2015–16 व 2016–17 में कुल रू0 1102553.00 (ग्राम निधि–I खाता सं0–98440100005572) की धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गई। उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 220400.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मो0 हारून एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से एवं रू0 882153.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। **(सा0आ0सं0–1 ग्राम निधि, ग्र0पं0–तुमडिया, अमरिया, पीलीभीत)**

55. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–प्रथम खाता सं0– 08310100000229 से आहरित धनराशि रू0 1000290.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू0 540555.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी बेगम एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट

निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–16 ग ग्राम निधि, ग्र0पं0–कैचूटांडा, अमरिया, पीलीभीत)

56. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–I खाता सं0– 98440100005606 से आहरित धनराशि रू0 487904.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू0 198500.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश व ग्राम पंचायत सचिव श्री पुष्कर सिंह राना से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वेदप्रकाश एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–16 ग ग्राम निधि, ग्र0पं0–हरहरपुर हसन, अमरिया, पीलीभीत)

57. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–I खाता सं0– 98440100005559 से आहरित धनराशि रू0 714603.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू0 296715.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री इरफान हुसैन एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर सिंह राना से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**(सा0आ0सं0–16 ग ग्राम निधि, ग्र0पं0–हर्रायपुर, अमरिया, पीलीभीत)**

58. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि–I से आहरित धनराशि रू0 150000.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को आहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरी राम एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री भगवान स्वरूप से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**(सा0आ0सं0–1 ग्राम निधि, ग्र0पं0–कल्यानपुर नोगवां, मरौरी, पीलीभीत)**

59. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–I खाता सं0– 98440100005576 से आहरित धनराशि रू0 118900.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू0 114400.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री इन्द्रपाल एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर सिंह राना से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची

विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**(सा0आ0सं0–16ग ग्राम निधि, ग्र0पं0–बिलासपुर, अमरिया, पीलीभीत)**

60. ग्राम पंचायत नगरिया कालोनी की वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में कुल रू0 927256.00 (ग्राम निधि–I खाता सं0– 98440100005581) की धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी। उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त आहरित धनराशि में से रू0 177800.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पंकज कुमार एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से एवं रू0 749456.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती मेरी गोल्ड एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (1) श्री प्रेमशंकर (2) श्री अरविन्द वर्मा (3) श्री पी. एन.पाण्डे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**(सा0आ0सं0–1 ग्राम निधि, ग्र0पं0–नगरिया कालौनी,–अमरिया, पीलीभीत)**

61. ग्राम पंचायत कल्यानपुर चक्रतीर्थ द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में कुल रू0 1399598.00 (ग्राम निधि–I खाता सं0– 98440100005598) की धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी। उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के प्रावधानों के अनुसार उक्त धनराशि में से रू0 267300.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ति देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से एवं रू0 1132298.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती जय देवी एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (1) श्री अजय सक्सेना (2) श्री धर्मेन्द्र कुमार से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–16ग ग्राम निधि, ग्र0पं0–कल्यानपुर चक्रतीर्थ, अमरिया, पीलीभीत)

62. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–I खाता सं0– 07710100008037 से आहरित धनराशि रू0 282998.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू0 228998.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री फूलचन्द एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (1) श्री प्रेमशंकर (2) श्री अमित कुमार श्रीवास्तव से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–16ग ग्राम निधि, ग्र0पं0–सूरजपुर, अमरिया, पीलीभीत)

63. दिनांक 20/08/2014 से दिनांक 31.03.2016 तक में ग्राम निधि अजी मद में बैंक खाता सं0– 14120100011583 बैंक ऑफ बडौदा, शाखा गजरौला कलां, जनपद–पीलीभीत से तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधानों द्वारा संयुक्त रूप से चैक निर्गत कर निम्न विवरणानुसार धनराशि का आहरण किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

(क) दिनांक 20.08.2014 से दिनांक 31.03.2015 कर में आहरण का विवरण–

दिनांक	चैक सं0	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि (रू में)
11.09.2014	83	श्रीमती कलावती	7500-00
23.09.2014	85	श्रीमती कलावती	14000-00
24.09.2014	84	जय भवानी ब्रिक्स फील्ड	4877-00
24.09.2014	86	जय भवानी ब्रिक्स फील्ड	59027-00
01.10.2014	87	श्रीमती कलावती	14000-00
04.10.2014	88	शिव ब्रिक्स फील्ड	269000-00
18.10.2014	89	श्री महेश शर्मा	2000-00
19.12.2014	90	ओम साई सरिया सीमेन्ट एजेन्सी	19316-00
19.12.2014	91	ओम साई सरिया सीमेन्ट एजेन्सी	19316-00
19.12.2014	92	श्रीमती कलावती	38800-00
19.12.2014	93	श्रीमती कलावती	34200-00
20.12.2014	94	श्रीमती कलावती	10000-00
23.12.2014	95	जय सिंह	10400-00
08.01.2015	97	श्री रामपाल	38200-00
13.01.2015	96	श्री संतोष	3600-00
13.01.2015	98	श्री हसन हैदर खान	3000-00
02.02.2015	99	श्री लाल बहादुर	48600-00
26.02.2015	101	ओम सांई सरिया भण्डार	43829-00
27.02.2015	100	दयाल ब्रिक्स फील्ड	62820-00
07.08.2015	102	श्रीमती कलावती	7500-00
		योग–	753885-00

(ख) वर्ष 2015–16 में आहरण का विवरण–

दिनांक	चैक सं0	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि (रू में)
06.04.2015	103	श्री लाल बहादुर	14200-00
24.04.2015	104	श्री मदन लाल	18000-00
24.04.2015	105	श्री जय चन्द्र सिंह	30200-00
27.04.2015	106	श्री टू0 ट्रान्सफर	79800-00
02.05.2015	107	श्री राम भरोसे	21600-00
03.09.2015	112	श्रीमती कलावती	15000-00
03.09.2015	110	श्रीमती कलावती	20200-00

03.09.2015	114	श्रीमती कलावती	33200-00
03.09.2015	109	श्री गुड्डू लोह उद्योग	38200-00
03.09.2015	108	श्री दयाल ब्रिक्स फील्ड	45000-00
03.09.2015	111	श्री जय चन्द्र सिंह	26800-00
07.09.2015	113	श्री सलमान	28800-00
		योग	371000-00

उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक 20.08.2014 से 31.03.2015 तक रू0 753885.00 एवं दिनांक– 01.04.2015 से 31.03. 2016 तक रू0 371000.00 कुल रू0 1124885.00 के आहरण/व्यय की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कैशबुक, प्राक्कलन, प्रशासनिक, वित्तीय तकनीकी स्वीकृति पंजिका, कुटेशन/टेन्डर पत्रावली, क्रय आदेश, आपूर्ति प्रमाण पत्र (पावना रसीद), कोषवही (रूप पत्र–06) सम्बंधित फर्मों के बिल बाउचर, स्टॉक पंजिका, माप पुस्तिका, डी0पी0सी0–09, उपभोग प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जो गम्भीर आपत्तिजनक स्थिति है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षति/व्यय आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेख उपलब्ध न होने पर आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए रू0 1124885.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत सचिव से निम्न विवरणानुसार करायी जानी अपेक्षित रही। ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती व ग्राम पंचायत सचिव श्री लाल बहादुर मौर्या से दिनांक 20.08.2014 से नवम्बर /2015 तक रू0 1124885.00 की ब्याज सहित वसूली अभिलेखों के अभाव में किये जाने का प्रावधान है। साथ ही साथ उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में सहायक विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में कोषवही (रूप पत्र–06) एवं अन्य संगत अभिलेखों को उपलब्ध न कराया जाना सहायक विकास अधिकारी की(पंचा0) नियम सं0–199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–256(I) के प्रावधान अनुसार उक्त लिखित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिवों से अधिभार संबंधी कार्यवाही करते हुए रू0 1124885.00 की ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित रहा तथा तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) के विरूद्ध उचित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**(सा0आ0सं0–05 ग्राम निधि, ग्र0पं0–बुढियाज0 इटौरिया, पूरनपुर, पीलीभीत)**

64. लेखा परीक्षा वर्ष–2016–17 में ग्राम निधि– प्रथम की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है–

दिनांक	चैक सं0	आहरणकर्ता का नाम	सामग्री का विवरण	धनराशि (में)
19.07.2016	124	राज पाइप इण्डस्ट्रीज, शाहबाजपुर पूरनपुर	ह्यूम पाइप	95000-00
01.09.2016	130	न्यू0 किसान ब्रिक फील्ड	खंजर ईंट	105000-00
01.03.2017	144	मैसर्स हमदान माधौटाण्डा	सीमेन्ट, मोरिंग	76900-00
01.03.2017	139	मैसर्स हमदान माधौटाण्डा	प्रथम ईंट क्रय	98500-00
			योग	375400-00

उपरोक्त विवरणानुसार रू0 375400.00 का भुगतान सम्बंधित फर्मों को किया गया है। पुष्टि में संबंधित फर्मों के बिल/बाउचर, सामग्री क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां, मापांकन पुस्तिका, डी0पी0सी0–09/उपभोग प्रमाण–पत्र एवं कार्य स्थल के नाम इत्यादि अभिलेखों के मूल रूप में मांग किये जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जो गम्भीर आपत्तिजनक स्थिति है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित व्यय आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर व्यय/आहरण दर्शायी गयी धनराशि रू0 375400.00 को अभिलेखों के अभाव में गवन/अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती जावित्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजवन्दन मिश्रा से पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256 के प्रावधान अनुसार उक्त लिखित

ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव पर अधिभार सम्बंधी कार्यवाही करते हुए रू0 375400.00 की ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित रहा।**(सा0आ0सं0–06 ग्राम निधि, ग्र0पं0–बुढिया ज0 इटौरिया, पूरनपुर, पीलीभीत)**

65. लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 से 2016–17 तक की लेखा परीक्षा कीगयी जिसमें मात्र वर्ष–2014–15 से 2016–17 तक की एम0आई0एस0 ऑनलाइन फीडिंग पायी गयी, जिस आधार पर ऑनलाइन दर्षित वित्तीय प्रदर्षन का विवरण निम्नवत् है–

लेखा परीक्षा वर्ष	क्रमांश अंश पर व्यय एम0आई0एस0 फीडिंग	सामग्री अंश पर व्यय	टैक्स अन्य अंश पर व्यय	कुल व्यय
2014-15	2.31 लाख	0.59 लाख	-	2.90 लाख
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	0.52	-	-	0.52
योग	**2.83** लाख	**0.59** लाख	-	**3.42** लाख

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 से 2016–17 तक का कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार वर्ष–2014–15 से 2016–17 तक के विकास कार्यों पर की गयी फीडिंग रू0 3.42 लाख के व्यय की पुष्टि में मूल अभिलेख यथा– कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कैशबुक, प्राक्कलन, प्रशासनिक, वित्तीय तकनीकी स्वीकृति पंजिका, कुटेशन/टेन्डर पत्रावली, क्रय आदेश, आपूर्ति प्रमाण पत्र, कोषवही (रूप पत्र–06) सम्बंधित फर्मों के बिल बाउचर, स्टॉक पंजिका, एफ0टी0ओ0 डोंगल प्रमाण–पत्र, माप पुस्तिका, डी0पी0सी0–09, उपभोग प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड रजिस्टर एवं सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की लेखा परीक्षा में जांच/पुष्टि हेतु मूल रूप में प्रस्तुत न किये जाने के कारण रू0 3.42 लाख की कराई गयी ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्ट रही। उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षति/व्यय आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेख उपलब्ध न होने पर आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धन की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी व ग्राम प्रधानों से कराई जानी अपेक्षित रही। उत्तरदायी कर्मचारियों व अधिकारियों एवं ग्राम प्रधानों का कार्यकाल से सम्बंधित विवरण निम्नवत् है–

वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार व्यय	नाम उत्तरदायी व्यक्ति	पद नाम	कार्य से सम्बंधित विवरण
2014-15	2.90 लाख	श्रीमती कलावती श्री रोहितेश कुमार जैसवार श्री लालबहादुर मौर्या श्री नावेद अख्तर श्री भूदेव कुमार श्री यशवन्त कुमार श्री रामायण सिंह यादव श्री आर.बी. भास्कर	ग्राम प्रधान ग्रा.वि.अधि. ग्रा.वि.अधि. लेखाकार रोजगार सेवक पी.डी.प्रभारी बी.डी.ओ. बी.डी.ओ. पी.डी.ओ. प्रभारी बी.डी.ओ.	01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से जुलाई,2014 अगस्त/2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से 22.07.2014 23.07.2014 से 08.12.2014 09.12.2014 से 31.03.2015
2015-16	एम.आई.एस. फीडिंग के अनुसार व्यय शून्य			

2016-17	0.52 लाख	श्रीमती जावित्री देवी श्री राजबन्दन मिश्रा श्री भूदेव कुमार श्री नावेद कुमार श्री सतीश कुमार पाण्डे	ग्राम प्रधान ग्रा.वि.अधि. रोजगार सेवक लेखाकार बी.डी.ओ.	01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017

उक्त कार्यरत रहे कर्मचारियों व अधिकारियों ग्राम प्रधानों से ब्याज सहित वसूली कराकर राजकीय खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा। **(सा0आ0सं0–प्रस्तर–ख मनरेगा–01 ग्रा0पं0–बुढिया ज0 इटौरिया, पूरनपुर पीलीभीत)**

66. लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में ग्राम निधि–I बैंक खाता सं0– 06970100020537 बैंक ऑफ बडौदा, शाखा पूरनपुर, जनपद पीलीभीत से ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन पटेल ने संयुक्त रूप से चैक निर्गत कर ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को करवाया गया है। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कुछ आहरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे, जिनका विवरण निम्नवत है–

दिनांक	चैक सं0	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि
30.04.2014	56	श्री संजीव कुमार	57930-00
30.04.2014	55	श्री बब्बू	47000-00
21.05.2014	57	श्री गणेश ब्रिक फील्ड	45000-00
12.06.2014	60	श्री संजीव कुमार	41152-00
12.06.2014	106	श्री संजीव कुमार	19128-00
		योग	**210210-00**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0 210210.00 के व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमामक उपलब्ध नहीं रहा और न ही सामग्री क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां, मस्टर रोल, उक्त की मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, कार्य स्थल का उल्लेख कैशबुक में इन्द्रराज नहीं पाया गया। केवल उक्त चैक के द्वारा आय पक्ष में आहरम व व्यय पक्ष में सम्बंधित को फर्जी, मनमाने ढंग से भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसके सम्बंध में वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित/व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध न रहने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–1947 के नियम सं0–256 के प्रावधानानुसार अधिभार की कार्यवाही करते हुए रू0 210210.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन पटेल से कराया जाना अपेक्षित रहा, इस ओर विभागीय अधिकारी ध्यान दें।**(सा0आ0सं0–05 ग्रा0 निधि, ग्रा0पंचा0–मथना जप्ती, पूरनपुर, पीलीभीत)**

67. लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–I खाता सं0– 06970100020598 बैंक ऑफ बडौदा, शाखा गजरौला कलां, जनपद पीलीभीत से ग्राम विकास अधिकारी श्री लाल बहादुर मौर्या एवं ग्राम प्रधान श्री मोहन सिंह, एवं श्री सुन्दर लाल द्वारा संयुक्त रूप से चैक निर्गत कर धनराशि का आहरण किया गया है। विवरण निम्नवत है–

(क) सामग्री क्रय हेतु फर्मों को किया गया भुगतान का विवरण–

दिनांक	चैक सं0	फर्म का नाम	धनराशि	अभ्युक्ति
04.04.2015	143	02/63 शंकर ब्रिक फील्ड	99000-00	ग्राम प्रधान श्री मोहन सिंह द्वारा दिनांक 04.04.2015 से 09.09.2015 व कुल रू0 982914.00 का आहरण किया गया है।
10.04.2015	145	02/14 आजम ब्रिक फील्ड	150000-00	
10.04.2015	146	02/14 आजम ब्रिक फील्ड	150000-00	
10.04.2015	148	02/63 शंकर ब्रिक फील्ड	100000-00	
10.04.2015	147	02/63 शंकर ब्रीक फील्ड	100000-00	
05.05.2015	150	दीपक ब्रिक फील्ड	98000-00	

01.06.2015	123	दीपक ब्रिक फील्ड	37171-00	
01.06.2015	122	जनता सीमेंट स्टोर	54343-00	
07.09.2015	130	ट्रान्सफर फर्म के नाम का उल्लेख नहीं	76000-00	
07.09.2015	131	02/14 आजम ब्रिक फील्ड	58000-00	
09.09.2015	134	जनता सीमेन्ट स्टोर	60400-00	
22.02.2016	170	02/63 शंकर ब्रिक फील्ड	140000-00	ग्राम प्रधान श्री सुन्दर लाल द्वारा रू0 320000.00 का आहरण
22.02.2016	171	02/63 शंकर ब्रिक फील्ड	180000-00	
		कुल योग	**1302914-00**	

(ख) विभिन्न के नाम आहरण–

दिनांक	चैक सं0	अपहरणकर्ता का नाम	धनराशि	अभ्युक्ति
10.04.2015	149	श्री चेतराम	44200-00	श्री मोहन सिंह ग्राम प्रधान द्वारा रू0145800.00
20.05.2015	144	श्री नवीन	3000-00	
30.05.2015	124	श्री सलीम	15000-00	
07.09.2015	133	श्री चेतराम	15400-00	
07.09.2015	129	श्री चेतराम	24200-00	
07.09.2015	166	श्री गुरमुख सिंह	38000-00	
28.09.2015	167	श्री संजीव	3000-00	
12.10.2015	168	श्री महेन्द्र	3000-00	
22.02.2016	170	श्री सुन्दर लाल	45200-00	श्री सुन्दर लाल ग्राम प्रधान द्वारा आहरण रू0 51200.00
17.03.2016	173	श्री सुधांशु	3000-00	
17.03.2016	174	श्री संजीव	3000-00	
		योग	**197000-00**	

कुल आहरण का विवरण–

क्रम सं0	मद का विवरण	ग्राम प्रधान श्री मोहन सिंह के कार्यकाल सम्बंधी	ग्राम प्रधान श्री सुन्दर लाल के कार्यकाल सम्बंधी	कुल आहरण
क	सामग्री क्रय हेतु आहरण	982914-00	320000-00	1302914-00
ख	विभिन्न के नाम आहरण	14500-00	51200-00	197000-00
	योग	**1128714-00**	**371200-00**	**1499914-00**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 में कुल रू0 1499914.00 का आहरण किया गया है, की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कैशबुक, प्राक्कलन, प्रशासनिक, वित्तीय तकनीकी स्वीकृति पंजिका, कुटेशन/टेन्डर पत्रावली, क्रय आदेश, आपूर्ति प्रमाण पत्र (पावना रसीद), कोषवही (रूप पत्र–06) सम्बंधित फर्मों के बिल बाउचर, स्टॉक पंजिका, माप पुस्तिका, डी0पी0सी0–09, उपभोग प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जो गम्भीर आपत्तिजनक स्थिति है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षति/व्यय आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेख उपलब्ध न होने पर आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए रू0 1499914.00 की ब्याज सहित

वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधानों व ग्राम विकास अधिकारी/सचिव से निम्न विवरणानुसार करायी जानी अपेक्षित रही। ग्राम प्रधान श्री मोहन सिंह व ग्रा0वि0अधि0 श्री लाल बहादुर मौर्या से दिनांक 01.04.2015 से नवम्बर /2015 तक रू 1128714.00 एवं ग्राम प्रधान श्री सुन्दरलाल व लाल बहादुर मौर्या ग्रा0वि0अधि0 दिनांक– दिसम्बर/2015 से 31.03. 2016 तक रू0 371200.00 की ब्याज सहित वसूली किये जाने का प्रावधान है। साथ ही साथ उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही का प्रत्येक तीन माह में सहायक विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में कोषवही (रूप पत्र–06) एवं अन्य संगत अभिलेखों को उपलब्ध न कराया जाना सहायक विकास अधिकारी की(पंचा0) नियम सं0–199 के प्रति उदासीनता एवं मौन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार उक्त ग्राम प्रधानों व सचिव से कार्यकाल के अनुसार कुल रू0 1499914.00 की ब्याज सहित वसूली कराये जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है तथा तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। उक्त रू0 1499914.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0–05 ग्राम निधि, ग्रा0 पंचा0–नदहा ता0 माधौटांडा, पूरनपुर, पीलीभीत।)

68. लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक में निम्न विवरणानुसार मनरेगा योजना अन्तर्गत कराये गये निर्माम कार्यों की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराई गयी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

वर्ष	सामग्री	क्रमांश	अन्य	योग
2015-16	2.13 लाख	4.52 लाख	0.14 लाख	6.79 लाख
2016-17	0.39 लाख	5.42 लाख	-	5.81 लाख
योग	2.52 लाख	9.94 लाख	0.14 लाख	12.60

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक क्रमशः रू0 6.79 लाख, रू0 5.81 लाख कुल रू0 12.60 लाख की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का व्यय किया जाना दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में मूल अभिलेख कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कैशबुक, प्राक्कलन, प्रशासनिक, वित्तीय तकनीकी स्वीकृति पंजिका, कुटेशन/टेन्डर पत्रावली, क्रय आदेश, आपूर्ति प्रमाण पत्र (पावना रसीद), कोषवही (रूप पत्र–06) सम्बंधित फर्मों के बिल बाउचर, स्टॉक पंजिका, माप पुस्तिका, डी0पी0सी0–09, उपभोग प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की लेखा परीक्षा में जांच/पुष्टि हेतु मूल रूप में प्रस्तुत न किये जाने के कारण रू0 1260000.00 की कराई गयी ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्ट रही। उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षति/व्यय आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेख उपलब्ध न होने पर आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धन की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी व ग्राम प्रधानों से कराई जानी अपेक्षित रही। उत्तरदायी कर्मचारियों व अधिकारियों एवं ग्राम प्रधानों का कार्यकाल से सम्बंधित विवरण निम्नवत् है–

वर्ष	व्यय/आहरण एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार	नाम उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी/ग्राम प्रधान का नाम	पद नाम	कार्यालय से सम्बंधित विवरण
2015-16	6.79 लाख	श्री मोहन सिंह श्री सुन्दर लाल श्री लाल बहादुर मौर्या श्री नावेद अख्तर श्री आर.बी. भास्कर श्री सतीश कुमार पाण्डे श्री महेन्द्र पाल	ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान ग्र0वि0अधि0 लेखाकार प्रभारी बी.डी.ओ. बी.डी.ओ. रोजगार सेवक	दि0 01.04.2015 से नवम्बर– 2015 दिसम्बर– 2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 08.01.2016 09.01.2016 से 31.03.2016 01.04.2015 से 31.03.2016
2016-17	5.81 लाख	श्री सुन्दर लाल श्री राजबन्दन मिश्रा श्री महेन्द्र पाल श्री नावेद अख्तर श्री सतीश कुमार पाण्डे	ग्राम प्रधान ग्र0वि0अधि0 रोजगार सेवक लेखाकार बी.डी.ओ.	01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017

उक्त कार्यरत रहे कर्मचारियों व अधिकारियों एवं ग्राम प्रधानों से विभागीय कार्यवाही सहित ब्याज सहित वसूली कराकर राजकीय कोष में उक्त धनराशि को जमा कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0–प्रस्तर–ग–1 मनरेगा, ग्रा0पंचा0–नदहा ता0 माधौटांडा, पूरनपुर, पीलीभीत)

69. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–I खाता सं0– 98440100005563 से आहरित धनराशि रू0 189547.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू0 184260.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शफीक अहमद एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (1) श्री अजय देवल (2) श्री सतेन्द्र कुमार (3) श्री अमित श्रीवास्तव से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–16ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–सरैंदा पट्टी, अमरिया, पीलीभीत)

70. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–I खाता सं0– 15210100001395 से आहरित धनराशि रू0 1046854.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू0 519500.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नूरजहां बेगम एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (1) श्री पंकज शर्मा (2) श्री मो. रफी उल्ला से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**(सा0आ0सं0–16ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–डॉग, अमरिया, पीलीभीत)**

71. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–I खाता सं0– 98440100005575 से आहरित धनराशि रू 1293191.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू0 738121.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री देवीदास एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (1) श्री पुष्कर सिंह राना (2) श्री अरविन्द वर्मा (3) श्री पी.एन.पाण्डे से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–16ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–सरैनी–तिरकुनियां, अमरिया, पीलीभीत)

72. लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–I खाता सं0– 15240100014946 बैंक ऑफ बडौदा, शाखा कबीरगंज जनपद–पीलीभीत से निम्न विवरण अनुसार धन आहरित किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र0सं0	दिनांक	चैक नं0	धनराशि	आहरणकर्ता
1	09.03.2016	520335 (लोकल चैक)	82500-00	ग्रा0प्रधान/ग्र0पंचा0अधि0

2	09.03.2016	520336 (लोकल चैक)	100000-00	ग्रा0प्रधान/ग्र0पंचा0अधि0
3	09.03.2016	520337 (लोकल चैक)	20000-00	ग्रा0प्रधान/ग्र0पंचा0अधि0
4	21.03.2016	520543 (लोकल चैक)	33000-00	ग्रा0प्रधान/ग्र0पंचा0अधि0
5	21.03.2016	520544 (लोकल चैक)	35000-00	ग्रा0प्रधान, श्री सर्वेश कुमार
		योग	270500-00	

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा रू0 270500.00 का नकद आहरण किया है, जिसके व्यय की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सैक्टर प्रभारी का निरीक्षण रिपोर्ट, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित/व्यय की गई धनराशि को अपहरण/गबन मानकर ब्याज सहित वसूली किये जाने का प्रावधान है। अतः उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के के अनुसार कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्येन्द्र गंगवार से कराकर राजकीय कोषागार में जमा कराई जाये।

(सा0आ0सं0–18 ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–शान्तीनगर, पूरनपुर, पीलीभीत)

73. लेखा परीक्षा वर्ष– 2014–15 से 2016–17 तक निम्न विवरणानुसार एम0आई0एस0 फीडिंग करायी गई है। विवरण निम्न प्रकार से है– (वित्तीय आकड़ें लाखों में)

क्रमं सं0	मद	2014–15	2015–16	2016–17
1	क्रमांश	4.03	-	13.83
2	सामग्री	6.31	-	2.71
3	टैक्स	0.23	-	0.14
	योग	10.34	शून्य	16.68

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में रू0 10.34 लाख एवं वर्ष 2016–17 में रू0 16.68 लाख कुल रू0 27.02 लाख की एम0आई0एस0 फीडिंग कराई गयी है, पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे। अभिलेख कार्यवाही पंजिका, कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सैक्टर प्रभारी का निरीक्षण रिपोर्ट आदि।यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014–15 में मनरेगा योजना की आपरेशनल गाइड लाइन्स के बिन्दु 6.2 के अनुसार क्रमांश एवं सामग्री में 60 रू 40 का प्रतिशत होना अनिवार्य है। परन्तु लेखा परीक्षा वर्ष–2014–15 में कुल व्यय़ 10.34 लाख में सामग्री अंश पर रू0 6. 31 लाख व्यय किया गया है। जबकि इस मद में कुल रू0 4.14 लाख ही व्यय किया जाना चाहिए था। इस प्रकार रू0 2.17 लाख क्रमांश पर अधिक व्यय किया गया है, जो ब्याज सहित वसूली योग्य है। वर्ष में काटे गये टैक्स रू0 0.23 लाख की पुष्टि में भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित किये गये धन/एम0आई0एस0 फीडिंग के सापेक्ष अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में धनराशि को अपहरण मानते हुए, ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाये। लेखा परीक्षा वर्ष– 2014–15 में रू0 10. 34 लाख की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रमुखी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार तथा इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में रू0 16.68 लाख की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जगवन्ता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेख कुमार तथा रोजगार सेवक श्री नीरज कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–18 ग्राम निधि, ग्र0पं0–सुल्तानपुर, पूरनपुर, पीलीभीत)

74. लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में मनरेगा योजना से सम्बंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण योजना से सम्बंधित विकास कार्यों की जांच सम्भव नहीं हो सकी। जबकि लेखा परीक्षा वर्ष में कराई गई ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार श्रमांश रू 1820000.00 सामग्री अंश पर रू 1109000.00 अन्य (टैक्स आदि) पर रू 63000.00 कुल रू 2992000.00 की पुष्टि वित्तीय प्रदर्षन वर्ष 2016–17 के अनुसार हो रही है। इस प्रकार व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पंजिका, कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, क्रय प्रमाणक, आपूर्ती पंजी,स्टाक पंजिका, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति पंजिका, संपत्ति सृजन पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सैक्टर प्रभारी का निरीक्षण रिपोर्ट एवं डोगंल से सम्बंधित प्रमाण–पत्र (भुगतान हेतु) टैक्स कटौती सम्बन्धी पत्रावली आदि उपलब्ध नहीं कराये गये।वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क)के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित/व्यय की गई धनराशि को अपहरण/गबन मानते हुए उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256 (I) के के अनुसार कार्यवाही करते हुए ग्रामप्रधान श्री गुरूदेव सिंह एवं ग्राम

पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार एवं रोजगार सेवक श्री महेन्द्र सिंह से ब्याज सहित वसूली कराकर से कराकर राजकीय कोषागार में जमा कराई जाये। **(सा0आ0सं0–1 ग मनरेगा, ग्र0पं0–वमनपुर–भगीरथ, पूरनपुर, पीलीभीत)**

75. लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में मनरेगा योजना से सम्बंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण योजना से सम्बंधित विकास कार्यों की जांच सम्भव नहीं हो सकी। जबकि लेखा परीक्षा वर्ष में कराई गई ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार श्रमांश रू 718000.00 की पुष्टि वित्तीय प्रदर्षन वर्ष 2016–17 के अनुसार हो रही है। इस प्रकार व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पंजिका, कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर / कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, क्रय प्रमाणक, आपूर्ती पंजी,स्टाक पंजिका, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रशासनिक / वित्तीय / तकनीकी स्वीकृति पंजिका, संपत्ति सृजन पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सैक्टर प्रभारी का निरीक्षण रिपोर्ट एवं डोगंल से सम्बंधित प्रमाण–पत्र (भुगतान हेतु) टैक्स कटौती सम्बन्धी पत्रावली आदि उपलब्ध नहीं कराये गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण / गबन मानते हुए उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के के अनुसार कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती नाजिया खानम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव एवं रोजगार सेवक श्री अमानत रसूल से ब्याज सहित वसूली कराकर से राजकीय कोषागार में जमा कराई जाये।**(सा0आ0सं0–1 ग मनरेगा, ग्र0पं0–शेरपुर कलां, पूरनपुर)**

76. इसी प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष– 2016–17 में ग्राम निधि–I योजना से सम्बंधित खाता सं0–0910000100057087 से कुल रू 7666689.00 आहरित किये हैं। आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये। अन्य अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर / कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, क्रय प्रमाणक, आपूर्ती पंजी,स्टाक पंजिका, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रशासनिक / वित्तीय / तकनीकी स्वीकृति पंजिका, संपत्ति सृजन पंजिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं सैक्टर प्रभारी का निरीक्षण रिपोर्ट एवं टैक्स कटौती सम्बन्धी पत्रावली आदि उपलब्ध नहीं कराये गये। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित / व्यय की गई धनराशि को अपहरण गबन मानते हुए उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के अनुसार कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती नाजिया खानम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव से ब्याज सहित वसूली कराकर से कराकर राजकीय कोषागार में जमा कराई जाये।

(सा0आ0सं0–16 ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–शेरपुर कलां, पूरनपुर)

77. लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक में ग्राम निधि बैंक खाता सं0–06970100020602 बैंक ऑफ बडौदा, शाखा पूरनपुर, जनपद पीलीभीत से ग्राम प्रधान व सचिवों द्वारा संयुक्त रूप से चैक निर्गत कर धनराशि का आहरण किया गया है। विवरण निम्नवत् है–

(प)– वर्ष 2013–14 में आहरण का विवरण–

(क) ग्राम प्रधान श्री भीमसेन द्वारा			(ख) श्री फिरोज द्वारा आहरण		
दिनांक	चैक सं0	धनराशि	दिनांक	चैक सं0	धनराशि
25.04.2013	65	20000-00	30.08.2013	34	20000-00
16.05.2013	68	10000-00	27.09.2013	37	40000-00
10.08.2013	73	7500-00	14.10.2013	49	15000-00
10.08.2013	71	10000-00	27.10.2014	53	30000-00
19.08.2013	31	15000-00	27.01.2014	52	28000-00
29.08.2013	33	20000-00		योग-	133000-00
27.09.2013	36	40000-00			
11.10.2013	48	30000-00			

25.01.2014	50	14700-00
25.01.2014	51	30000-00
06.02.2014	56	8000-00
18.02.2014	42	10000-00
	योग	215200-00

(पप) विभिन्न के द्वारा आहरण–

दिनांक	चैक सं0	धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
26.04.2013	66	10000-00	गोपाल
10.08.2013	-	1130-00	लूज चैक
13.08.2013	74	10000-00	नकद
27.08.2013	32	15000-00	इस्लामुद्दीन
08.10.2013	46	1700-00	इरशाद
24.10.2013	38	3500-00	ब्रहपाल
16.11.2013	49	3000-00	सन्तोष
01.02.2014	54	3000-00	नवीन
03.02.2014	55	2000-00	निर्भय
07.02.2014	57	1850-00	रामनरेश
19.02.2014	40	10000-00	रामनरेश
24.02.2014	41	6500-00	सर्वेश
25.02.2014	45	2400-00	सूजान
11.03.2014	43	11650-00	सद्भावना ट्रेडिंग कम्पनी
11.03.2014	-	740-00	इरशाद
	योग	**82470-00**	

वर्ष 2014–15 में आहरण का विवरण–

दिनांक	चैक सं0	आहरण कर्ता का नाम	धनराशि
05.04.2014	16	संजीव कुमार	3000-00
07.04.2014	58	गोपाल	40000-00
21.04.2014	59	इरशाद	1000-00
22.04.2014	75	गोपाल	50000-00
20.06.2014	02	संजीव कुमार	12578-00
20.06.2014	01	संजीव कुमार	28806-00
04.08.2014	44	संजीव कुमार	20250-00
04.08.2014	03	भीमसेन	21250-00
30.08.2014	05	मनोज कुमार	3500-00

13.09.2014	06	अमित कुमार	2400-00
16.09.2014	08	संजीव कुमार	31500-00
16.09.2014	07	संजीव कुमार	2500-00
29.09.2014	09	अरशद	2300-00
09.10.2014	10	संजीव कुमार	59850-00
12.12.2014	11	सचिन	3000-00
22.12.2014	**12**	संजीव कुमार	44250-00
22.12.2014	13	संजीव कुमार	13452-00
27.12.2014	14	इरशाद	2100-00
08.01.2015	15	ब्रम्हपाल	3500-00
02.02.2015	17	भीमसेन	6100-00
07.02.2015	18	मनोज कुमार	3500-00
10.02.2015	19	संजीव कुमार	20000-00
11.02.2015	**20**	सुरेश चन्द्र	20000-00
16.02.2015	21	निजामुद्दीन	3500-00
	योग		**398336-00**

कुल आहरण का विवरण–

वर्ष	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि	
2013-14	(क) ग्राम प्रधान द्वारा आहरण (ख) श्री फिरोज द्वारा आहरण (ग) विभिन्न के द्वारा आहरण	215200-00 1330o0-00 82470-00	430670-00
2014-15	विभिन्न द्वारा आहरण	398336-00	
	योग	**829006-00**	

उक्त विवरणानुसार रू 829006.00 के आहरण की पुष्टि में कोषवही (रूप पत्र–06), कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, क्रय प्रमाणक, आपूर्ती पंजी,स्टाक पंजिका, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रशासनिक/वित्तीय/ तकनीकी स्वीकृति पंजिका, संपत्ति सृजन पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेखों को मूल रूप में बार–बार मांग किये जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाना गम्भीर आपत्ति जनक स्थिति है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित/व्यय की गई धनराशि को अपहरण/गबन मानते हुए रू 829006.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिवों से निम्न विवरणानुसार करायी जानी अपेक्षित रही। श्री भीमसेन ग्राम प्रधान एवं श्री रमावीर ग्राम विकास अधिकारी दिनांक–01.04.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक रू 430670.00 एवं श्री भीमसेन ग्राम प्रधान व श्री पवन पटेल ग्राम पंचायत अधिकारी से दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक रू 398336.00 इत्यादि साथ ही साथ उच्चाधिकारियों का ध्यान उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करते हुए श्री भीमसेन ग्राम प्रधान, श्री पवन पटेल ग्राम पंचायत अधिकारी व श्री रमावीर ग्राम विकास अधिकारी पर अधिभार सम्बंधी कार्यवाही करते हुए रू 829006.00 की ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित रहा।**(सा0आ0सं0– प्रस्तर ख–05 ग्राम निधि, ग्रा0 पंचा0–दोदपुर खलल्पुर, पूरनपुर/माधौटांडा)**

78. लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 से 2016—17 तक में मनरेगा योजना से सम्बंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि निम्न विवरणानुसार मनरेगा योजना अन्तर्गत कराये गये विकास/निर्माण कार्यों की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग करायी गयी है, जिसका वर्षवार वित्तीय प्रदर्षन निम्न प्रकार से है—

लेखा परीक्षा वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार सामग्री अंश पर व्यय	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार क्रमांश अंश पर व्यय	अन्य कटौती पर व्यय	योग
2014-15	8.03 लाख	3.66 लाख	0.02 लाख	11.71 लाख
2015-16	1.94 लाख	3.78 लाख	0.11 लाख	5.83 लाख
2016-17	-	6.59 लाख	-	6.59 लाख
योग	9.97 लाख	14.03 लाख	0.13 लाख	24.13 लाख

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014—15 से 2016—17 तक में क्रमशः रू 11.71 लाख, रू 5.83 लाख, रू 6.59 लाख, कुर रू 24.13 लाख की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का व्यय किया जाना दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, क्रय प्रमाणक, आपूर्ती पंजी,स्टाक पंजिका, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति पंजिका, संपत्ति सृजन पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट एवं डोगंल से सम्बंधित प्रमाण—पत्र इत्यादि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में जांच/पुष्टि हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रू 24.13 लाख की कराई गयी ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्ट रही। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए धन की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी चाहिये। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है—

वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार व्यय	नाम उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी/	वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार व्यय
2014-15	11.71 लाख	श्री भीमसेन श्री पवन पटेल श्री कुन्दन श्री नावेद अख्तर श्री यशवन्त कुमार श्री रामायण सिंह यादव श्री आर0बी0 भास्कर	ग्राम प्रधान ग्र0पं0अधि0 रोजगार सेवक लेखाकार पी.डी.प्रभारी बी.डी.ओ. बी.डी.ओ. पी.डी.ओ. प्रभारी बी.डी.ओ.	01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2015 से जुलाई/2014 01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से 27.07.2014 23.07.2014 से 08.12.2014 09.12.2014 से 31.03.2015
2015-16	5.83 लाख	श्री भीमसेन श्रीमती मंजू देवी श्री पवन पटेल श्री राकेश शर्मा श्री कुन्दन श्री नावेद अख्तर श्री आर.बी. भास्कर श्री सतीश कुमार पाण्डे	ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान ग्र0पंचा0अधि0 ग्र0पंचा0अधि0 रोजगार सेवक लेखाकार प्रभारी बी.डी.ओ. बी.डी.ओ. बी.डी.ओ.	दि0 01.04.2015 से नवम्बर–2015 दिसम्बर–2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 30.09.2016 अक्टूबर 2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 08.01.2016 09.01.2016 से 31.03.2016
2016-17	6.59 लाख	श्रीमती मंजू देवी श्री पुष्कर सिंह राना श्री कुन्दन श्री नावेद अख्तर श्री सतीश कुमार पाण्डे	ग्राम प्रधान ग्र0पंचा0अधि0 रोजगार सेवक लेखाकार बी.डी.ओ.	01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017
योग				

उक्त विवरणानुसार कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों एवं ग्राम प्रधानों के कार्यकाल से सम्बंधित ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित रही।**(सा0आ0सं0–1 मनरेगा, ग्र0पंचा0–दोदपुर खल्लपुर, पूरनपुर/माधौटाण्डा)**

79. ग्राम पंचायत बिरहनी की वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल रू 797600.00 (ग्राम निधि–I खाता सं0–98440100005557) की धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी। उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त आहरित धनराशि में से रू 151500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री दलवीर सिंह एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से एवं रू 646100.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती रविन्दर कौर एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (1) श्री प्रेमशंकर (2) श्री राजेश कुमार से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–16 ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–विरहनी, अमरिया)

80. ग्राम पंचायत बगवा में वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में कुल रू 784974.00 (ग्राम निधि–I खाता सं0–98440100005599) की धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी। उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त आहरित धनराशि में से रू 160200.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से एवं रू 624744.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती अनिता देवी एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (1) श्री पंकज शर्मा (2) श्री अनिल कुमार (3) श्री धमेन्द्र कुमार से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–1 ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–बगवा, अमरिया)

81. ग्राम पंचायत जोगराजपुर, विकास खण्ड–पूरनपुर, जनपद–पीलीभीत की वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक की लेखा परीक्षा में पाया गयाकि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि–1 के खाता सं0– 06970100020588 बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा–पूरनपुर से निम्न विवरण अनुसार आहरण किया गया है–

वर्ष	प्रा0 अवशेष	आय	आहरण	अवशेष
2012-13	133873-00	364138-00	479007-00	19004-00
2013-14	19004-00	688036-00	689824-00	17216-00
2014-15	17216-00	670331-00	651633-00	35914-00
2015-16	35914-00	838263-00	253990-00	620187-00
2016-17	620187-00	1250579-00	1072230-00	798536-00
		योग–	3146684-00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष–2012–13 से 2016–17 तक कुल रू 3146684.00 का आहरण बैंक खाते से किया गया है।जिसके व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया,जिस कारण आहरण किये गये धन

के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अभिलेख कार्यवाही पंजिका, प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, स्टीमेट, प्रशासनिक–वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, कुटेशन/निविदा संबंधी प्रपत्र क्रय आदेश सामग्री आपूर्ति आदेश, स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, निरीक्षम पंजिका, बिल/वाउचर, कैशबुक, मॉप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र चैक निर्गमन पंजिका, सैक्टर प्रभारी की जांच/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से धन आहरित कर धन का अपहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अतः उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के अनुसार निम्न विवरणानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली कराई जाये एवं धनराशि राजकीय कोषागार में जमा कराई जाये विवरण निम्न प्रकार से है–

क्रम सं0	उत्तरदायी व्यक्ति	वर्ष	धनराशि	योग
1	ग्राम प्रधान श्रीमती बरखा देवी	2012-2013 से 2013-14	479007-00 689824-00	1168831-00
2.	ग्रा0पं0अधि0 श्री विकास पाण्डेय	2014-15	651633-00	651633-00
3	ग्राम प्रधान श्रीमती बरखा देवी	2015-16	253990-00	253990-00
4	ग्रा0पं0अधि0 श्री वी0 के0 सिंह	2016-17	1072230-00	1072230-00
		योग–		3146684-00

इस प्रकार वर्णित विवरणानुसार रू 3146684.00 की ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।**(सा0आ0सं0–1ग ग्राम निधि, ग्रा0पं0–जोगराजपुर, पूरनपुर)**

82. लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक की लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना से सम्बंधित कोई भी अभिलेख जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण लेखा परीक्षा सम्भव नहीं रही। लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 से संबंधित एम0आई0एस0 फीडिंग भी सम्भव नहीं हो सकी। अतः वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 से संबंधित व्यय की पुष्टि पत्रावलियों एवं उपलब्ध कराये गये धन के सापेक्ष व्यय से कराये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। वर्ष– 2014–15 से 2016–17 तक की एम0आई0एस0 फीडिंग का विवरण निम्न प्रकार से है–

वर्ष	क्रमांश	सामग्री	टैक्स	अन्य	योग
2014–15	164000.00	396000.00	–	–	560000.00
2015–16	–	–	–	–	–
2016–17	3000.00	23000.00	–	–	26000.00
योग	167000.00	419000.00	–	–	586000.00

इस प्रकार रू 586000.00 की एम0आई0एस0 फीडिंग के सापेक्ष अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, स्टीमेट, प्रशासनिक–वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, कुटेशन/निविदा संबंधी प्रपत्र क्रय आदेश सामग्री आपूर्ति आदेश, स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, निरीक्षम पंजिका, बिल/वाउचर, कैशबुक, मॉप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र चैक निर्गमन पंजिका, सैक्टर प्रभारी की सत्यापन रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा–8 (क) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में धनराशि को अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली किये जाने का प्रावधान है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिना अभिलेखों के मनमाने ढंग से एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का अपहरण किया गया है। पंचाचती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–256(1) के अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती बरखा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास पाण्डेय से रू 560000.00 तथा ग्राम प्रधान श्री जगदीश प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कटियार से रू 26000.00 कुल रू 586000.00 की ब्याज सहित वसूली कर धनराशि राजकीय कोषागार में जमा कराई जाये।उक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 एवं 2016–17 में मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स के प्रावधान 6.2 के अनुसार क्रमांश सामग्री (60 : 40) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इस ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।**(सा0आ0सं0–1(ग) मनरेगा, ग्रा0 पंचा0–जोगराजपुर, पूरनपुर)**

83. ग्राम पंचायत पंसोली में वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 में कुल रू 1717320.00 (ग्राम निधि–I खाता सं0–98440100005604) की धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी। उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते

हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के अनुसार उपरोक्त आहरित धनराशि में से रू 794650.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामपाल एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (1) श्री प्रकाश राम आर्या (2) श्री राम प्रकाश मौर्या (3) श्री धर्मेन्द्र कुमार से एवं रू0 922670.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–1 ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–पंसोली, अमरिया)

84. ग्राम पंचायत मुड़सेना मदारी में वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 में ग्राम निधि–I खाता सं0–15210100001388 से आहरित धनराशि रू 858490.00 के सापेक्ष 12.02.2016 से 21.03.2016 तक आहरित धनराशि रू 858490.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मो0 उस्मान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (1) श्री सुरेन्द्र सिंह (2) श्री पंकज शर्मा (3) श्री मो. रफी उल्ला से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–1 ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–मुड़सेना मदारी, अमरिया)

85. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2014–15 में ग्राम निधि–I खाता सं0– 08310100003658 से आहरित धनराशि रू 2374741.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (1) श्री ओम प्रकाश माथुर (2) श्री पंकज शर्मा से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–16 ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–करगैना–करगैनी, अमरिया)

86. ग्राम पंचायत जगत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 में कुल रू 1121852.00 (ग्राम निधि–I खाता सं0–98440100005578) की धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी। उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त आहरित धनराशि में से रू 139300.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रंजीत कौर एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से एवं रू 982552.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्री विश्राम सिंह एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (1) श्री पुष्कर सिंह राना (2) श्री अरविन्द वर्मा से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–1 ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–जगत, अमरिया)

87. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–I खाता सं0– 08310100003674 से आहरित धनराशि रू 407500.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 31.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 141500.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमवती एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर सिंह राना से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–ग 16 ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–करगैना पीरा, अमरिया)

88. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–I खाता सं0– 08310100003659 से आहरित धनराशि रू 386500.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 31.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 386500.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मलका एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर सिंह राना से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–16ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–धुंधरी, अमरिया)

89. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 खाता सं0– 315424619311 से आहरित धनराशि रू 1600000.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 31.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 907566.00 के व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है। अतः उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुरजा देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री राजबन्दन मिश्रा से कराया जाना अपेक्षित रहा। **(सा0आ0सं0–16–ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–महदखास, बरखेड़ा)**

90. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 से आहरित धनराशि रू 55000.00 के व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है। अतः उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती साकरा बेगम एवं तत्कालीन सचिव श्री करन सिंह नावियाल से कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0–24 ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–गजरौला कलां मु0, मरौरी)

91. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1खाता सं0 – 31542461964 से आहरित धनराशि रू 454845.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 31.11.2015 तक आहरित धनराशि रू0 189545.00 के व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन

पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है। अतः उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती टिकोली देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री राजबन्दन मिश्रा से कराया जाना अपेक्षित रहा। **(सा0आ0सं0–16–ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–दियोराजपुर, बरखेड़ा)**

92. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 खाता सं0– 31542461942 से दिनांक 01.04.2015 से 31.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 755034.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है। अतः उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामबेटी एवं सचिव श्री राजबन्दन मिश्रा से रू0 343260.00 श्री द्वारिका प्रसाद से रू0 411774.00 कराया जाना अपेक्षित रहा। **(सा0आ0सं0–16–ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–बढ़ेपुर ता0 कुसमा, बरखेड़ा)**

93. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 खाता सं0– 31542461908 से दिनांक 01.04.2015 से 31.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 846800.00 के व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है। अतः उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान (1) श्री बादशाह से रू0 241800.00 (2) श्रीमती रीमा देवी से रू0 605000.00 सचिव श्री राजबन्दन मिश्रा से कराया जाना अपेक्षित रहा। **(सा0आ0सं0–16–ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–रामनगर जगतपुर, बरखेड़ा)**

94. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1खाता सं0– 31542461920 से आहरित धनराशि रू 550800.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 31.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 188400.00 के व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है। अतः उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूप देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री राजबन्दन मिश्रा से कराया जाना अपेक्षित रहा। **(सा0आ0सं0–16–ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–सिंधौरा बिन्दुआ, बरखेड़ा)**

95. ग्राम पंचायत गजरौला कला सहराई वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि–1 से आहरित धनराशि रू 154740.00 के व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है। अतः उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार व सचिव श्री करन सिंह नावियाल से कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0–24 ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–गजरौला कला सहराई, मरौरी)

96. ग्राम पंचायत मानपुर हटुआ, मरौरी वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि– से आहरित धनराशि रू 92000.00 के व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए

इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है। अतः उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरीओम व सचिव श्री भगवान स्वरूप से कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0–24 ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–मानपुर हटुआ, मरौरी)

97. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 खाता सं0– 08300100006241 से आहरित धनराशि रू 160000.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 157000.00 के व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है। अतः उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1)के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री राजबन्दन मिश्रा से कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0–16–ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–खरदाई, बरखेड़ा)

98. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 खाता सं0– 31542461986 से आहरित धनराशि रू 2552969.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 2100250.00 के व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है। अतः उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्यारे लाल (01.04.2015 से 30.11.2015) एवं तत्कालीन सचिव श्री राजबन्दन मिश्रा से कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0–16–ग ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–दियोहना, बरखेड़ा)

99. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 खाता सं0– 2155101005313 से आहरित धनराशि रू 230000.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 101500.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश माथुर से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–ग–16 ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–उगनपुर, अमरिया)

100. ग्राम पंचायत बासंखेड़ा द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल रू 618800.00 (ग्राम निधि–1खाता सं0–11532412384) की धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी। उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त आहरित धनराशि में से रू 293800.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नवी अहमद एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से एवं रू 325000.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्री सुन्दरलाल एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रेमशंकर से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0–ग 7 ग्राम निधि,ग्र0पंचा0–बांसखेड़ा, अमरिया)

101. ग्राम पंचायत संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहने के कारण लेखा परीक्षा संभव नहीं रहा। जबकि निम्न विवरणानुसार एम0आई0एस0 फीडिंग कराई गई है, जिसका विवरण इस प्रकार से है–

वर्ष	कमांश	सामग्री	टैक्स	अन्य	योग
2010-11	एम0आई0एस फीडिंग संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं रहे।				
2011-12	एम0आई0एस फीडिंग संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं रहे।				
2012-13	एम0आई0एस फीडिंग संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं रहे।				
2013-14	0.01	1.72	0.07	-	1.80
2014-15	1.58	-	-	-	1.58
2015-16	-	-	-	-	-
2016-17	2.78	.51	-	-	3.29
योग	4.37	2.23	0.07	-	6.67

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 से 2016–17 तक के मनरेगा योजना सम्बंधी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिस कारण योजना से सम्बंधित विकास कार्यों की समीक्षा/जांच की जानी सम्भव नहीं रही। वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक के बैंक खाता विवरण अथवा एम0आई0एस0 स्टेटमेन्ट भी उपलब्ध नहीं हो सके जबकि यह उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित थे। वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक की एम0आई0एस0 फीडिंग उपलब्ध हो जाने के कारण आंकड़े अंकित किये जा रहे हैं। अभिलेख बैंक स्टेटमेंट, कैशबुक, प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय तकनीकी स्वीकृति पंजिका, तकनीकी स्वीकृति पंजिका, कुटेशन/टेन्डर पंजिका, क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति पंजी (एम0एम0–11), बिल/वाउचर, स्टाक पंजिका, मस्टर रोल, मॉप पुस्तिका, डोंगल संबंधी प्रपत्र, सैक्टर प्रभारी की निरीक्षण रिपोर्ट संपत्ति सृजन पंजिका आदि। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(प) के तहत कार्यवाही कर धनराशि की ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराई जानी अपेक्षित है। अतः वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक के अभिलेख प्राप्त कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री परवेन्द्र सिंह एवं श्री बाबू लाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रूप लाल, श्री राजा तोमर एवं श्री रोहितेश कुमार से की जानी अपेक्षित है। वर्ष 2013–14 में रू 1.80 लाख तथा वर्ष 2014–15 में रू 1.58 लाख कुल रू 3.38 लाख की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक वर्मा तथा वर्ष 2016–17 में ग्राम प्रधान को तथा श्री सुरेश सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास पाण्डेय से कर कुल धनराशि रू 6.67 लाख राजकीय कोषगार में जमा कराया जाये।

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2013–14 में कुल व्यय रू 1.80 लाख के सापेक्ष रू 1.72 लाख सामग्री अंश में व्यय किया है। जो मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 6.2 के मार्गदर्शी सिद्धान्त कमांश रू सामग्री 60 : 40 के अनुरूप नहीं है। रू 1.80 लाख के कुल व्यय के सापेक्ष रू 72000.00 ही सामग्री अंश में व्यय होना चाहिए था। जबकि व्यय रू 1.72 लाख किया गया है। अतः अधिक व्यय रू 1.00 लाख की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। टैक्स संबंधी भी कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि ऐसा किया जाना अपेक्षित रहा था।

(सा0आ0सं0–01 मनरेगा, ग्राम पंचायत– मुरैनिया गांधीनगर, पूरनपुर)

102. लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में क्रमशः रू 1210629.00 एवं रू 1280890.00 कुल रू 2491519.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक वर्मा द्वारा ग्राम निधि खाता संख्या–15240100005508 बैंक ऑफ बडौदा, शाखा कबीरगंज से किया गया है, जिसके व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव पंजिका, स्टेटमेंट, कैशबुक, प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, सामग्री आपूर्ति पंजी (एम0एम0–11)स्टाक पंजी, बिल/वाउचर, कार्य प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त आहरण अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार आहरित की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के अनुसार ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक वर्मा से कराकर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाये।**(सा0आ0सं0–16, ग्राम पंचायत– मुरैनिया गांधीनगर, पूरनपुर)**

103. लेखा परीक्षा वर्ष 2010–11 से 2016–17 तक बैंक खाते एवं उपलब्ध अभिलेखों की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक वर्ष में निम्न विवरणानुसार ब्याज के रूप में धनराशि प्राप्त हुई है विवरण इस प्रकार से है–

वर्ष	धनराशि (ब्याज के रूप में)
2010-11	2710-00
2011-12	14632-00
2012-13	31387-00

2013-14	20572-00
2014-15	13579-00
योग	82880-00

उक्त से स्पष्ट है कि इस प्रकार रू 99494.00 कुल ब्याज के रूप में प्राप्त हुये है, शासनादेश सं0—10/2015 ए—1—502/दस—2015—10(33)/दिनांक 29.05.2015 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त अनुदान की धनराशियों को बैंक में रखकर अर्जित ब्याज, संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य सरकार को वापस किया जाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत, द्वारा ऐसा नहीं किया गया। बल्कि दिनांक— 06.11.2015 तक खाते से सारा धन आहरित कर लिया, क्योंकि दिनांक 06.11.2015 को खाते में शेष धन रू 5051.00 है। इस प्रकार वर्ष 2010—11 से वर्ष 2014—15 तक ब्याज की धनराशि रू 82880.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह से पचांयती राज नियमावली—1947 के नियम सं0—256(1) के तहत कार्यवाही कर धनराशि की ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाये।

(सा0आ0सं0—17, ग्राम पंचायत— मुरैनिया गांधीनगर, पूरनपुर)

104. लेखा परीक्षा 2012—13 से 2016—17 तक में ग्राम निधि पंचम के बैंक खाता सं0—06970100020614 बैंक ऑफ बडौदा, शाखा पूरनपुर, जनपद—पीलीभीत से तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम प्रधानों द्वारा चैक निर्गत कर संयुक्त रूप से किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है—

क्रम सं0	लेखा परीक्षा वर्ष	आहरित धनराशि	अन्य विवरण/उत्तरदायी कर्मचारी/ग्राम प्रधान का नाम
1.	2012-13	रू0 893610-00	श्री भगवत सरन गंगवार— सचिव, श्री लालाराम— ग्राम प्रधान
2.	2013-14	रू0 1283485-00	श्री भगवत सरन गंगवार सचिव, श्री लालाराम— ग्राम प्रधान
3.	2014-15	रू0 1346021-00	श्री भगवत सरन गंगवार सचिव, श्री लालाराम— ग्राम प्रधान
4.	2015-16	रू0 879447-00	श्री रोहितेश कुमार जैसवार— सचिव (मई/2015 से सितम्बर/2015) श्री लाला राम— ग्राम प्रधान
	योग	रू0 4402563-00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू 4402563.00 के आहरण के सापेक्ष कोषवही (रूप पत्र—06), कैशबुक, प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, स्टीमेट, , तकनीकी स्वीकृति पंजिका, कुटेशन/टेन्डर पंजिका, क्रय आदेश, सामग्री स्टाक पंजिका, सम्बंधित फर्मो के बिल/वाउचर, मस्टर रोल, मॉप पुस्तिका, डी0पी0सी0—09/उपभोग प्रमाण—पत्र, अधिकारियों द्वार स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेखों को मूल रुप में लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराया जानी गंभीर आपत्तिजनक स्थिति है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित व्यय/आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेख उपलब्ध न होने पर आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि रू 4402563.00 को गवन/अपहरण मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लालाराम, सचिव श्री भगवत सरन गंगवार से दिनांक 01.04.2012 से अप्रैल—2015 तक रू 3690116.00 एवं श्री लालाराम ग्राम प्रधान व श्री रोहितेश कुमार जैसवार ग्राम विकास अधिकारी से माह— मई/2015 से सितम्बर/2015 तक रू 147500.00 ग्राम प्रधान श्री रूप लाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री भगवत सरन गंगवार से माह—दिसम्बर—2015 से दिनांक 31.03.2016 तक रू 564947.00 वसूल कराये जाने का प्रावधान है। साथ ही साथ उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली—1947 के नियम सं0—199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही (रूप पत्र—06) का प्रत्येक प्रत्येक तीन माह में सहायक विकास अधिकार (पं0) द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में कोषवही व निरीक्षण पंजिका उपलब्ध नहीं रही। सहायक विकास अधिकारी (पं0) का नियम सं0— 199 के प्रति उदासीता और मौन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी (पं0) द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग को सिद्ध करता है। विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली—1947 के नियम सं0— 256 (1) के प्रावधान अनुसार उक्त रू 4402563.00 की ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित रहा तथा तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पं0) के विरूद्ध उचित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सचिवों का कार्यकाल कार्यालय—खण्ड विकास अधिकारी से मांग किये जाने के बावजूद भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। उक्त कार्यालय में बैंक स्टेटमेंट में दर्षित नामों एवं ग्राम प्रधानों द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर अंकित है। पुष्टि बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति व ब्लाक कार्यालय को उपलब्ध कराये गये पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

(सा0आ0सं0—ग्राम निधि, प्रस्तर ख—05 ग्राम पंचायत— सण्डई, पूरनपुर/माधौटाण्डा)

105. लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक में मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों की पुष्टि में मूल अभिलेख उपलब्ध न रहना जबकि ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार रू 24.76 लाख व्यय किया गया है। विवरण निम्नवत् है–

लेखा परीक्षा वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार सामग्री अंश पर व्यय	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार कमांश अंश पर व्यय	टैक्स/अन्य पर एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार व्यय	योग
2014–15	रू 8.75 लाख	7.39 लाख	0.15 लाख	16.29 लाख
2015–16	रू 0.69 लाख	0.53 लाख	–	1.22 लाख
2016–17	रू 2.86 लाख	3.73 लाख	0.17 लाख	6.76 लाख
योग–	रू 12.30 लाख	रू 11.65 लाख	0.32 लाख	24.27 लाख

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक में क्रमशः रू 16.29 लाख रू 1.22 लाख एवं 6.76 लाख कुल रू 24.27 लाख की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडींग कराकर उक्त रू 24.76 लाख का व्यय किया जाना दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में मूल अभिलेख कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कैशबुक, प्राक्कलन, प्रशासनिक, वित्तीय तकनीकी स्वीकृति पंजिका, कुटेशन/टेन्डर पत्रावली, क्रय आदेश, आपूर्ति प्रमाण पत्र (पावना रसीद), कोषवही (रूप पत्र–06) सम्बंधित फर्मों के बिल बाउचर, स्टॉक पंजिका, माप पुस्तिका, डी0पी0सी0–09, उपभोग प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण रू 24.27 लाख की करायी गयी ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्टित रही। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षति/व्यय आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेख उपलब्ध न होने पर उपलब्ध रू 24.27 लाख की करयी गयी ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग को गवन मानते हुए तत्कालीन कर्मचारियों एवं ग्राम प्रधानों से ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014–15 से 2015–16 में उक्त विवरणानुसार व्यय धनराशि के अनुसार सामग्री अंश पर व्यय धनराशि 40 प्रतिशत के स्थान पर क्रमशः 54.64 प्रतिशत एवं 55.56 प्रतिशत व्यय की गयी है। जो निर्धारित/प्रावधानित मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 6.2 का स्पष्ट उल्लघन है अर्थात् वर्ष 2014–15 में रू 238485.00 एवं वर्ष 2015–16 में रू 18932.00 कुल रू 257417.00 अधिक सामग्री पर व्यय किया गया है। जो अनियमित है। एवं मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 6.2 का भी स्पष्ट उल्लघन है। लेखा परीक्षा में मूल अभिलेख उपलब्ध न रहने से रू 24.27 लाख की करायी गयी ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग की ब्याज सहित वसूली पंचायती राज नियमावली–1947 के प्रावधान अनुसार सम्बंधित कर्मचारियों/अधिकारियों एवं ग्राम प्रधानों से निम्न विवरणानुसार करायी जानी अपेक्षित है।

वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार व्यय	नाम उत्तरदायी व्यक्ति	पद नाम	कार्य से सम्बंधित विवरण
2014-15	16.29 लाख	श्री लाला राम श्री भगवत सरन गंगवार श्री कान्हई लाल श्री नावेद अख्तर श्री यशवन्त कुमार श्री रामायण सिंह यादव श्री आर.बी. भास्कर	ग्राम प्रधान ग्र0पं0अधि0 रोजगार सेवक लेखाकार पी.डी. प्रभारी बी.डी.ओ. बी.डी.ओ. प्रभारी बी.डी.ओ.	01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से 31/07/2014 01/08/2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से 22.07.2014 23.07.2014 से 08.12.2014 09.12.2014 से 31.03.2015
2015-16	1.22 लाख	श्री लालाराम श्री रूप लाल श्री भगवत सरन गंगवार श्री रोहितेश कुमार जैसवार श्री भगवत सरन गंगवार श्री कान्हई लाल श्री नावेद अख्तर श्री आर.बी. भास्कर श्री सतीश कुमार पाण्डे	ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान ग्र0पं0अधि0 ग्रा0वि0अधि0 ग्र0पं0सचिव रोजगार सेवक लेखाकार प्रभारी बी.डी.ओ. बी.डी.ओ.	01.04.2015 से नवम्बर 2015 दिसम्बर2015 से 31.07.2016 01.04.2015 से 31.03.2016 मई2015 से अगस्त2015 सितम्बर2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 08.01.2016 09.01.2016 से 31.032.2016
2016-	6.76 लाख	श्री रूपलाल	ग्राम प्रधान	01.04.2016 से 31.03.2017

17		श्री राकेश कुमार शर्मा श्री कान्हई लाल श्री नावेद कुमार श्री सतीश कुमार पाण्डे	ग्रा0पं0अधि0 रोजगार सेवक लेखाकार बी.डी.ओ.	01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017

उक्त कार्यरत रहे कर्मचारियों/अधिकारियों एवं ग्राम प्रधानों के कार्यकाल से संबंधित ब्याज सहित वसूली कराकर राजकीय खाते में जमा कराया जाना अपेक्षितरहा।**(सा0आ0सं0–मनरेगा प्रस्तर ग–1 ग्रा0पंचा0– सण्डई, पूरनपुर/माधौटाण्डा)**

106. दिनांक 20.08.2014 से दिनांक–31.03.2016 तक में ग्राम निधि टजी मद में बैंक खाता सं0– 06970100020611 बैंक ऑफ बडौदा, शाखा गजरौला कलां, जनपद–पीलीभीत से तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधानों द्वारा संयुक्त रूप से चैक जारी कर निम्न विवणानुसार धनराशि का आहरण किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

दिनांक	चैक सं0	आहरणर्ता का नाम	धनराशि (रू में)
02.09.2014	61	श्री नन्हे लाल ग्रा0प्रधान	30200-00
13.09.2014	62	श्री नन्हे लाल ग्रा0प्रधान	10400-00
16.09.2014	63	श्री नन्हे लाल ग्रा0प्रधान	15200-00
24.09.2014	65	श्री असरफ	4000-00
24.09.2014	66	खाता सं0–1/3283 में ट्रान्सफर	3000-00
25.09.2014	67	श्री नन्हे लाल ग्रा0प्रधान	4200-00
26.09.2014	68	दीपक ब्रिक फील्ड	50000-00
30.09.2014	69	श्री संजीव	4000-00
01.10.2014	64	दीपक ब्रिक फील्ड	75000-00
01.10.2014	70	श्री नन्हे लाल ग्रा0प्रधान	17500-00
22.12.2014	71	खाता सं0–01/5984 में ट्रान्सफर	34500-00
22.12.2014	72	श्री लाल बहादुर सचिव	16200-00
24.12.2014	73	श्री नन्हे लाल ग्रा0प्रधान	12300-00
03.01.2015	74	खाता सं0–01/1373 में ट्रान्सफर	7200-00
19.01.2015	75	श्री नन्हे लाल ग्रा0प्रधान	20000-00
06.02.2015	91	दीपक ब्रिक फील्ड	55000-00
07.02.2015	95	खाता सं0–01/1373 में ट्रान्सफर	4200-00
07.02.2015	92	02/06 बालाजी इण्टरप्राइजेज	20000-00
16.02.2015	94	खाता सं0– 011530 वेद पाल	6000-00
25.02.2015	96	श्री नन्हे लाल ग्रा0प्रधान	1500-00
10.03.2015	93	श्री असरफ	5000-00
		योग–	395400-00

(ख). वर्ष 2015–16 में आहरण का विवरण–

दिनांक	चैक सं0	आहरणर्ता का नाम	धनराशि (रू में)
18.04.2015	97	श्री नन्हे लाल ग्रा0प्रधान	12400-00

24.04.2015	99	श्री नन्हे लाल ग्रा0प्रधान	10200-00
17.05.2015	100	श्री नन्हे लाल ग्रा0प्रधान	10000-00
15.05.2015	101	श्री नन्हे लाल ग्रा0प्रधान	14200-00
25.05.2015	98	श्री जयचन्द्र	10200-00
28.05.2015	102	श्री नन्हे लाल ग्रा0प्रधान	17800-00
30.05.2015	103	श्री माखन लाल	1500-00
04.09.2015	107	खाता सं0–01/5984 में ट्रांसफर	25000-00
04.09.2015	108	विवरण अंकित नहीं	1200-00
04.09.2015	105	खाता सं0–01/1373 में ट्रान्सफर	26200-00
07.09.2015	106	गुड्डू लोह उद्योग	43600-00
09.09.2015	104	खाता सं0–393681/443 में ट्रान्सफर	19800-00
		योग–	192100-00

उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक– 20.08.2014 से 31.03.2015 तक रू 395400.00 एवं दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक रू 192100.00 इस प्रकार रू 395400.00 + रू 192100.00 = कुल रू 587500.00 के आहरण/व्यय की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, स्वीकृत प्राक्कलन, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री, क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां सम्बंधित फर्मों के बिल बाउचर, सामग्री स्टाक पंजिका, प्रशासनिक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, फर्मों के बिल वाउचर कोषवही (रूप पत्र–06), कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र डी0पी0सी0 09/ उपभोग प्रमाण पत्र, परिसंपत्ति पंजिका, सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेखों को मूल रूप में लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।(उक्त विवरण बैंक स्टेटमेंट के आधार पर दर्षित है।) जो गंभीर आपत्ति जनक स्थिति है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित व्यय/आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेख उपलब्ध न होने पर आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि के गबन/अपहरण मानते हुए रू. 587500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधानो श्री नन्हे लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर मौर्य से अभिलेखों के अभाव में किये जाने का प्रावधान है। साथ ही साथ उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही (रूप पत्र–06) का प्रत्येक तीन माह में एक बार सहायक विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना अति आवश्यक था। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका व कोषवही (रूप पत्र–06) एवं अन्य संगत अभिलेखों को उपलब्ध न कराया जाना सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का नियम संख्या 199 के प्रति उदासीनता एवं मौन रहना ग्राम प्रधानों एवं सचिवों द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम सं0– 256 (1) के प्रावधान अनुसार उक्त लिखित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से अधिभार संबंधी कार्यवाही करते हुए रू 587500.00 की ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित रहा तथा तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पं0) के विरूद्ध उचित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**(सा0आ0सं0– ग्राम निधि 05, ग्रा0 पंचा0– इटौरिया ज0 बिहारीपुर, पूरनपुर/माधौटाण्डा)**

107. लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि पंचम की मद की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है–

दिनांक	चैक सं0	आहरणर्ता का नाम	धनराशि (रू में)
12.07.2016	119	बालाजी इण्टरप्राइजेज	150000-00
01.12.2016	127	बरकाती ब्रिक्स फील्ड	192618-00
12.01.2017	131	टू ट्रान्सफर विवरण अंकित नहीं	200000-00
		कुल योग–	542618-00

उपरोक्त विवरणानुसार रू 542618.00 का भुगतान संबंधित फर्मों को किया गया है। पुष्टि में संबंधित फर्मों के बिल/बाउचर, सामग्री क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां, मापांकन पुस्तिका, डी0पी0सी0–09/उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य स्थल के नाम इत्यादि अभिलेखों को मूल रूप में मांग किये जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जो गम्भीर आपत्तिजनक स्थिति है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा–8(क) के अनुसार दर्षित व्यय आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर व्यय/आहरण दर्शायी गयी धनराशि रू 542618.00 को अभिलेखों के अभाव में (कैशबुक में आय पक्ष में आहरण और व्यय पक्ष में व्यय दर्शाया गया है) गवन/अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं सचिव श्री राजवन्दन मिश्रा से पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधान अनुसार उक्त लिखित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव पर अधिभार संबंधी कार्यवाही करते हुए रू 542618.00 की ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0– ग्राम निधि 06, ग्रा0 पंचा0– इटौरिया ज0 बिहारीपुर, पूरनपुर/माधौटाण्डा)

108. लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक में विवरणानुसार मनरेगा योजना अन्तर्गत कराये गये विकास/निर्माण कार्यों की आनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराई गयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है–

लेखा परीक्षा वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार सामग्री अंश पर व्यय	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार क्रमांश अंश पर व्यय	टैक्स/अन्य पर एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार व्यय	योग
2014–15	शून्य	6.25 लाख	शून्य	6.25 लाख
2015–16	रू 2.46 लाख	6.77 लाख	0.14 लाख	9.38 लाख
2016–17	रू 2.84 लाख	12.35 लाख	0.15 लाख	15.33 लाख
योग	रू 5.30 लाख	रू 25.37 लाख	0.29 लाख	30.96 लाख

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक क्रमशः रू 6.25 लाख, रू 9.38 लाख एवं रू 15.33 लाख कुल रू 30.96 लाख की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का व्यय किया जाना दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में मूल अभिलेख यथा–अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत प्राक्कलन, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री, क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां सम्बंधित फर्मों के बिल बाउचर, सामग्री स्टाक पंजिका, प्रशासनिक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, फर्मों के बिल वाउचर, एफ0टी0ओ0 डोंगल प्रमाण पत्र, परिसंपत्ति पंजिका, जॉव कार्ड रजिस्टर सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट एवं निरीक्षण पंजिका इत्यादि अभिलेखों को मूल रूप में लेखा परीक्षा में जांच/पुष्टि मूल रूप में प्रस्तुत न किये जाने के कारण रू 30.96 लाख की कराई गयी ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्टित रही। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष मूल अभिलेख/बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धन की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी व ग्राम प्रधानों से कराई जानी अपेक्षित रही। कार्यरत रहे ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, कार्यक्रम अधिकारी एवं ग्राम प्रधान पर पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–256(1) के अधिकार संबंधी कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली करायी जाये। कार्यकाल निम्नवत् है0

लेखा परीक्षा वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि	नाम उत्तरदायी कर्मचारी/ग्राम प्रधान	पदनाम	कार्य से संबंधी विवरण
2014–15	6.25 लाख	श्री नन्हे लाल श्री रोहितेश कुमार जैसवार श्री लाल बहादुर मौर्या श्री नावेद अख्तर श्री माखन लाल श्री यशवन्त कुमार श्री रामायण सिंह यादव श्री आर.बी. भास्कर	ग्राम प्रधान ग्राम वि0अधि0 ग्रा0वि0अधि0 लेखाकार रोजगार सेवक पी.डी. प्रभारी बी.डी.ओ. बी.डी.ओ. पी.डी. प्रभारी बी.डी.ओ.	01-04-2014 से 31-03-2015 01-04-2014 से 31-07-2014 01-08-2014 से 31-03-2015 01-04-2014 से 31-03-2015 01-04-2014 से 31-03-2015 01-04-2014 से 22-07-2014 23-07-2014 से 08-12-2014 09-12-2014 से 31-03-2015
2015–16	9.38 लाख	श्री नन्हे लाल श्रीमती सावित्री देवी श्री लाल बहादुर मौर्या	ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान ग्रा0वि0अधि0	01-04-2015 से नवम्बर2015 दिसम्बर2015 से 31-07-2016 01-04-2015 से 31-03-2016

		श्री नावेद अख्तर श्री माखन लाल श्री आर.बी. भास्कर श्री सतीश कुमार पाण्डे	लेखाकार रोजगार सेवक पी.डी. प्रभारी बी.डी.ओ. बी.डी.ओ.	01-04-2015 से 31-03-2016 01-04-2015 से 31-03-2016 01-04-2015 से 08-01-2016 09-01-2016 से 31-03-2016
2016–17	15.33 लाख	श्रीमती सावित्री देवी श्री राजबन्दन मिश्रा श्री माखन लाल श्री नावेद अख्तर श्री सतीश कुमार पाण्डे	ग्राम प्रधान ग्रा0वि0अधि0 लेखाकार रोजगार सेवक बी.डी.ओ.	01-04-2016 से 31-03-2017 01-04-2016 से 31-03-2017 01-04-2016 से 31-03-2017 01-04-2016 से 31-03-2017 01-04-2016 से 31-03-2017

उक्त कार्यरत रहे कर्मचारियों व अधिकारियों के कार्यकाल से संबंधित ब्याज सहित वसूली कराकर राजकीय खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा।**(सा0आ0सं0– मनरेगा प्रस्तर–ग 01, ग्रा0 पंचा0– इटौरिया ज0 बिहारीपुर, वि0ख.–पूरनपुर/माधौटाण्डा)**

109. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 में ग्राम निधि–प्रथम खाता सं0– 98440100005564 से आहरित धनराशि रू 1071500.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2014 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 942050.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर व्यय दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराषि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अमरवती एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी (1) श्री अजय देवल (2) श्री अमित कुमार श्रीवास्तव से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–ग(16) ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–अण्डरायन, अमरिया)

110. ग्राम पंचायत अडोली द्वारा वित्तीय वर्ष– 2014–15 से 2016–17 तक कुल रू 2470181.00 (ग्राम निधि–1खाता सं0–98440100005608) की धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गई। उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर व्यय दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त आहरित धनराशि में से रू 1096400.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ममता शर्मा एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से एवं रू 1373781.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्री यूनिस अली एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री पंकज शर्मा (2) श्री मो. रफी उल्ला से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–ग(1) ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–अडोली, अमरिया)

111. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 खाता सं0– 07710100002160 से दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 174348.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8 (क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर व्यय दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली

तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शहाना बेगम एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर सिंह राना से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।
नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0– ग(16) ,ग्र0पंचा0–फरदिया, अमरिया)

112. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–I खाता सं0– 98440100005577 से आहरित धनराशि रू 1623796.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 443415.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर व्यय दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरवंश एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री पंकज शर्मा से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(I) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।
नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**(सा0आ0सं0–ग(16)ग्र0पंचा0–उदयपुर, अमरिया)**

113. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–I खाता सं0– 98440100005595 से आहरित धनराशि रू 667400.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 70000.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर व्यय दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री यूसुफ एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री पंकज शर्मा से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।
नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0– ग(16) , ग्र0पंचा0–सहगवां नगरिया, अमरिया)

114. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 खाता सं0– 98440100005561 से दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 93280.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर व्यय दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री परविन्दर सिंह एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।
नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0– ग(16) , ग्र0पंचा0–कटमटा, अमरिया)

115. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 खाता सं0– 98440100005601 से आहरित धनराशि रू 475000.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 435000.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका,

परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुलिस्ता बी एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अजय सक्सेना एवं श्री अनिल कुमार से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0– ग(16) , ग्र0पंचा0–खमरिया दलेलगंज, अमरिया)

116. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 खाता सं0– 15210100003617 से आहरित धनराशि रू 328787.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 175000.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर व्यय दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोहत्सिम एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर सिंह राना से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0– ग(16) , ग्र0पंचा0–सिरसी, अमरिया)

117. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 में ग्राम निधि–1 खाता सं0– 98440100005593 से दिनांक 01.04.2013 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 2074890 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर व्यय दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामतीर्थ एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी(1) श्री प्रेम शंकर (2) श्री आर्पेन्द्र कुमार (3) श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0– ग(16) , ग्र0पंचा0–टाडा विजेसी, अमरिया)

118. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 खाता सं0– 07710100002181 से आहरित धनराशि रू 328000.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू0 228000.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर व्यय दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमवती एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री पुष्कर सिंह राना से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0– ग(16) , ग्र0पंचा0–दियोरनियां, अमरिया)

119. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2015–16 में ग्राम निधि–1 खाता सं0– 98440100005562 से आहरित धनराशि रू 1834742.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2014 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 1651362.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर व्यय दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आयशा बी एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अजय देवल एवं श्री लाल बहादुर से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0– ग(16) , ग्र0पंचा0–माधोपुर, अमरिया)

120. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक ग्राम निधि–1 खाता सं0– 98440100012903 से आहरित धनराशि रू 476191.00 के सापेक्ष दिनांक 09.03.2016 से 31.03.2016 एवं 01.01.2017 से 31.03.2017 तक आहरित धनराशि रू 355066.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर व्यय दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री परमानन्द एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रेमशंकर से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0– ग(16) , ग्र0पंचा0–डंडिया, अमरिया)

121. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक ग्राम निधि–1 खाता सं0– 98440100005607 से आहरित धनराशि रू 937315.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2014 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 578570.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर व्यय दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संतोष कुमारी एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री पंकज शर्मा से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। नोटः–लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0– ग(16) , ग्र0पंचा0–चका, अमरिया)

122. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 खाता सं0– 07710100002150 से आहरित धनराशि रू 498000.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2015 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 135000.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसमें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चमन आरा एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री पूरन सिंह राना से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0– ग(16) , ग्र0पंचा0–तुर्कपुर बढ़वार, अमरिया)

123. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 खाता सं0– 07710100002159 से आहरित धनराशि रू 742500.00 के सापेक्ष दिनांक 01.04.2014 से 30.11.2015 तक आहरित धनराशि रू 349500.00 के व्यय की पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका,

आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससें उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर व्यय दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रशमा हुसैन एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री पूरन सिंह राना से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। नोटः–लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0– ग(16) , ग्र0पंचा0–जिठनियां, अमरिया)

124. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष– 2014–15 से 2015–16 तक कुल रू 1740152.00 (ग्राम निधि–1 खाता सं0–98440100005588) की धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गई। उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर प्राक्कलन, मापांकन पंजिका, टेंडर/कुटेशन पत्रावलियां, सामग्री क्रय आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक एवं डेड पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, आदि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर व्यय दर्शायी गयी या आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त आहरित धनराशि में से रू 1293452.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुशीला देवी से एवं रू 446700.00 की ब्याज सहित वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्री अखलाख अहमद एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रेमशंकर से उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित रहा। नोटः– लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधी सूची विकास खण्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं हो सका। उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–ग(16) ग्राम निधि, ग्र0पंचा0–टोडरपुर मु0, अमरिया)

125. लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में मनरेगा योजना से संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण योजना से संबंधित विकास कार्यों की जांच सम्भव नहीं हो सकी। जबकि लेखा परीक्षा वर्ष में करायी गई ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार क्रमांश रू 14.83 लाख, सामग्री अंश रू 10.02 अन्य (टैक्स आदि) पर रू 0.49 लाख कुल रू 25.34 लाख की पुष्टि में वित्तीय प्रदर्शन वर्ष 2016–17 के अनुसार हो रही है। इस प्रकार कुल व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यवही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषवही, कुटेशन/टेंडर पत्रावली, क्रय आदेश, क्रय प्रमाणक (बिल), आपूर्ति पंजी, स्टाक पंजिका, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रशासनिक/वित्तीय /तकनीकी स्वीकृति पंजिका, मस्टर रोल, सम्पत्ति सृजन पंजिका, सेक्टर प्रभारी का निरीक्षण रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, डोंगल से सम्बंधित प्रमाण–पत्र (भुगतान हेतु), टैक्स कटौती संबंधी पत्रावली आदि उपलब्ध नहीं कराये गये।वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में धनराशि को अपहरण/गवन मानते हुए उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के अनुसार कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री परमजीत सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास पाण्डेय, रोजगार सेवक श्री स्वामी नाथ से ब्याज सहित वसूली कराकर राजकीय कोषागार में जमा करायी जाये। **(सा0आ0सं0–ग(16) मनरेगा, ग्र0पंचा0–चंदिया हजारा, पूरनपुर)**

126. वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि से कुल रू 426166.00 का आहरण किया गया, परन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, क्रय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य योजना, मस्टर रोल, स्वीकृत स्टीमेट, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, डी0पी0सी0–09 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए, वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित आहरण/व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाण न होने पर व्यय दर्शायी गयी, बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से किए जाने का प्रावधान है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–199 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोषवही को प्रत्येक तीन माह में एक बार सहायक विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना अति आवश्यक था। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका व कोषवही (रूप पत्र–06) अनुपलब्ध रहे। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का नियम सं0–199 के प्रति उदासीनता एवं मौन रहना ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किये गये गबन में सहयोग एवं संलिप्तता सिद्ध करता है। उ0प्र0 पचांयती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के अनुपालन में लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में प्रधानों के कार्यकाल के अनुसार आहरित धनराशि से संबंधित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुदर्षन गंगवार व श्री संतोष कुमार एवं सचिव श्री सुधीर कुमार से कुल आहरित धनराशि रू 426166.00 की ब्याज सहित वसूली कराई जानी अपेक्षित है। वर्ष 2015–16 के अभिलेखों के अनुपलब्धता के कारण कार्यकाल का विवरण अप्राप्त रहा, जिस कारण उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण सम्भव नहीं हो सका। अतः ग्राम प्रधान एवं सचिव के उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**(सा0आ0सं0– ख(6), ग्र0पंचा0– सैजना, ललौरीखेड़ा)**

127.वर्ष 2016–17के लेखा परीक्षा में दिनांक 10.02.2017 को आहरित धनराशि रू 10000.00 चैक सं0–011530 द्वारा श्री दीपक की प्रविष्टिकोषवही में नहीं की गयी और नतो उक्तधनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध

रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा–8(क) के अनुसार दर्षित आहरण/व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई प्रमाणक न होने पर आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किए जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम सं0– 256(1) के अनुपालन में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं सचिव श्री रमावीर गंगवार से अंकन रू 10000.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0– 7, ग्र0पंचा0– सैजना, ललौरीखेड़ा)

128. दिनांक 27.03.2017 को ग्राम पंचायत के खाता सं0– 21716860106 से चैक नं0– 011540 दिनांक 27.03.2017 द्वारा मैसर्स हरी प्रेम सोलर एनर्जी के नाम रू 188017.00 का डी0डी0 बनाया जाना दर्षित है, जिसके सापेक्ष में व्यय का कोई भी अभिलेख/प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। साथ ही रोकड़वही में दिनांक 27.03.2017 को सचिव/प्रधान द्वारा यह दर्शाया गया कि यह धनराशि बैंक द्वारा ग्राम पंचायत के खाते से काटी गयी जबकि यह व्यय इस ग्राम पंचायत से संबंधित नहीं है। यह आहरण बैंक द्वारा गलत किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा दौरान तक उक्त धनराशि न तो खाते में वापस की गयी और न ही वापसी हेतु कोई प्रमाण /अभिलेख उपलब्ध रहा। उक्त प्रकरण में तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान की संलिप्तता प्रतीत होती है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित व्यय/आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किए जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–256(1) के अनुपालन में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं सचिव श्री रमावीर गंगवार से अंकन रू 188017.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।**(सा0आ0सं0– 8, ग्र0पंचा0– सैजना, ललौरीखेड़ा)**

129. (क) दिनांक 15.04.2011 को चैक सं0– 537575 व कैशबुक व्यय प्रमाणक संख्या–04 के द्वारा रू 24000.00 का भुगतान मै0 शिव शक्ति सीमेन्ट एजेन्सी शाहगढ़ पूरनपुर को किया गया है। जबकि बैंक खाते के अनुसार उक्त भुगतान मै0 चौहान सीमेन्ट स्टोर को गया है। जिससे स्पष्ट है कि फर्मों के साथ सांठगांठ कर सुनियोजित तरीके से चैक निर्गत कर रू 24000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री हेमराज व ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश कुमार दीक्षित द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दण्डक ब्याज सहित उक्त ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जानी अपेक्षित रही। व्यय प्रमाणक व बैंक खाते की छाया प्रति मूल आलेख के साथ संलग्न है।

(ख). दिनांक 27.02.2012 को चैक सं0– 573221 के द्वारा मै0 शिव शक्ति सीमेन्ट एजेन्सी को रू 55000.00 का भुगतान सीमेन्ट व मोरंग क्रय हेतु किया गया है। व्यय प्रमाणक की पुष्टि में वाउचर पर बुक नं0 क्रमाक नं0 व टिन नं0 अंकित नहीं पाया गया और न ही वाउचर में क्रय सामग्री के सापेक्ष वाणिज्यकर एवं आयकर की कटौती का कोई भी प्रावधान पाया गया। अर्थात् फर्म के सादा लेटर पैड पर ही भुगतान अनियमित तरीके से किया गया। अर्थात् फर्म के साथ सांठ–गांठ कर कूटरचित तरीके से रू 55000.00 का मनमाने ढंग से आहरण कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हेमराज व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अवनीश कुमार दीक्षित से कराया जाना अपेक्षित रहा साक्ष्य हेतु वाउचर की छाया प्रति संलग्न है।

(सा0आ0सं0– ग्राम निधि–21(ख), ग्रा0 पंचा0– बंग्ला उर्फ मित्रसेन, पूरनपुर/माधौटाण्डा)

130. लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक में ग्राम निधि पंचम के बैंक खाता सं0–069701400020671 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पूरनपुर जनपद पीलीभीत से तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम प्रधानों द्वारा संयुक्त रूप से चैक निर्गत कर वित्तीय वर्ष वाइज धनराशि का आहरण किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	लेखा परीक्षा वर्ष	आहरित धनराशि	अन्य विवरण/उत्तरदायी कर्चमारी/ग्राम प्रधान
1	2012-13	155506-00	श्री अवनीश कुमार दीक्षित(सचिव), श्री हेमराज ग्राम प्रधान
2	2012-13	100096-00	श्री भगवत सरन, ग्र0पं0अधि0, श्री हेमराज ग्राम प्रधान
3	2013-14	751424-00	श्री भगवत सरन, ग्र0पं0अधि0, श्री हेमराज ग्राम प्रधान
4	2014-15	897473-00	श्री भगवत सरन, ग्र0पं0अधि0, श्री हेमराज ग्राम प्रधान
	योग	1904499-00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0 1904499.00 के आहरण के सापेक्ष कोषवही (रूप पत्र–06), कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, स्वीकृत प्राक्कलन कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, सामग्री क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां, सम्बंधित पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, डी0पी0सी0 09/उपभोग प्रमाण–पत्र, परिसंपत्ति पंजिका, सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि अभिलेखों को मूल रुप में लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। जो गंभीर आपत्तिजनक स्थिति है। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित/व्यय/आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेख उपलब्ध न होने पर आहरित/व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए रू 1904499.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन

ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों / सचिवों से वसूल कराये जाने का प्रावधान है। साथ ही साथ उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–199 के अनुसार ग्राम पंचायत को कोषवही का प्रत्येक तीन माह में एक बार सहायक विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना अति आवश्यक था। लेखा परीक्षा में निरीक्षण पंजिका व कोषवही (रूप पत्र–06) एवं अन्य संगत अभिलेखों को उपलब्ध न कराया जाना सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का नियम सं0–199 के प्रति उदासीनता एवं मौन रहना ग्राम प्रधानों एवं सचिवों द्वारा किये गये गबन में संलिप्तता एवं सहयोग किया जाना सिद्ध करता है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानानुसार उक्त लिखित ग्राम प्रधान श्री हेमराज एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश कुमार दीक्षित, श्री भगवत सरन पर अधिभार संबंधी कार्यवाही करते हुए रू 1904499.00 की ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित रहा तथा तत्कालीन सहायक वि0अधि0 के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के कार्यकाल से संबंधी विवरण कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड पूरनपुर / माधौटाण्डा से मांग किये जाने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त कार्यकाल बैंक स्टेटमेंट में दर्षित नामों एवं ग्राम प्रधानों द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर अंकित है। पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति संलग्न है।**(सा0आ0सं0–ग्राम निधि–22 ग्रा0 पंचा0–बंग्ला उर्फ मित्रसेन, पूरनपुर / माधौटाण्डा)**

131. लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक ग्राम निधि प्रथम बैंक खाता सं0– 06970100020572 बैंक ऑफ बड़ौदा, पूरनपुर, जनपद– पीलीभीत से तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम प्रधानों द्वारा संयुक्त रूप से चैक निर्गत कर वित्तीय वर्ष वाईज धनराशि का आहरण किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्रम सं0	लेखा परीक्षा वर्ष	आहरित धनराशि	उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम पंचायत का नाम
1	2012-13	104229-00 351546-00	श्री जरनैल सिंह (ग्राम प्रधान) श्री भगवत सरन (सचिव) श्री अवनीष कुमार दीक्षित (सचिव)
2	2013-14	384744-00	श्री भगवत सरन (सचिव) श्री जरनैल सिंह (ग्राम प्रधान)
3.	2014-15	998164-00	श्री भगवत सरन (सचिव) श्री जनरैल सिंह (ग्राम प्रधान)
4	2015-16	115470-00	श्री नरेन्द्र सिंच सचिव (08.05.2015 से 31.03.2016 तक) श्री जरनैल सिंह (ग्राम प्रधान))
	योग	1954153-00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू 1954153.00 के आहरण के सापेक्ष कोषवही (रूप पत्र–06) कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, स्वीकृत प्राक्कलन कुटेशन / टेण्डर पत्रावली सामग्री क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां, सम्बंधित पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, डी0पी0सी0–09 / उपभोग प्रमाण पत्र, परिसंपत्ति पंजिका, सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट एवं निरीक्षण पंजिका इत्यादि अभिलेखों को मूल रुप में लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्षित व्यय / आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक / संगत अभिलेख उपलब्ध न होने पर आहरित / व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गवन / अपहरण मानते हुए रू 1954153.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत सचिवों से करायी जानी अपेक्षित रही। उक्त सचिवों के कार्यकाल को बैंक स्टेटमेंट एवं दी गयी मौखिक सूचनाओं के आधार पर दर्षित किया गया है।**(सा0आ0सं0–12 ग्राम निधि, ग्रा0 पंचा0– करनापुर, पूरनपुर / माधौटाण्डा)**

132. लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि मद से रू 6800.00 का व्यय विज्ञापन हेतु निम्न विवरणानुसार किया गया है–

दिनांक	बैंक खाते के अनुसार		कैशबुक के अनुसार व्यय			
	चैक सं0	आहरणकर्ता का नाम	व्यय प्रमाणक सं0	भुगतान जिसके नाम दर्शाया गया है	धनराशि	अप्राप्त अभिलेख
01.10.2011	537549	श्री बृह्मपाल	06	सत्ता की धमक प्रेस एजेन्सी	2000-00	वाउचर सादे लेटर पैड पर
03.10.2011	537550	श्री संजीव कुमार	07	अमर उजाला प्रेस एजेन्सी	2400-00	बिल वाउचर अप्राप्त
04.01.2012	566084	श्री संजीव कुमार	11	अमर उजाला प्रेस एजेन्सी	2400-00	बिल वाउचर अप्राप्त
				योग–	6800-00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू 6800.00 का व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में विभागीय स्वीकृति एवं जिला सूचना अधिकारी द्वारा स्वीकृति दरें व सम्बंधित प्रेस एजेन्सियों के बिल वाउचर उपलब्ध न रहने के कारण उक्त व्यय पूर्णतः अप्रमाणित रहा। साथ ही साथ यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त व्यय हेतु ग्राम पंचायत को ग्राम निधि मद के अन्तर्गत कोई भी शासकीय अनुदान प्राप्त नहीं होता। जो भी अनुदान राशि प्राप्त होती है। वह ग्राम पंचायत परिधि के अन्दर निर्माण/विकास कार्य हेतु देय होती है। अनियमित तरीके से रू 6800.00 का व्यय कर उक्त धनराशि का दुरूपयोग मनमाने ढंग से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जरनैल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अवनीश कुमार दीक्षित से कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0–13 ग्राम निधि, ग्रा0 पंचा0– करनापुर, पूरनपुर/माधौटाण्डा)

133. लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक के मूल अभिलेख आधे अधूरे प्रस्तुत किये गये, जो गम्भीर आपत्तिजनक स्थिति है। पूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है जबकि वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक में मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे, जबकि निम्न विवरणानुसार मनरेगा योजना अन्तर्गत कराये गये निर्माण/विकास कार्यों की करायी गई ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग का विवरण निम्न प्रकार से है–

लेखा परीक्षा वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार सामग्री अंश पर व्यय (रू लाख में)	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार कमांश अंश पर व्यय (लाख में)	टैक्स इत्यादि पर व्यय (रू लाख में)	योग
2014-15	शून्य	4.56	शून्य	4.56
2015-16	1.83	1.22	0.43	3.49
2016-17	1.54	3.86	0.34	5.74
योग	**3.37**	**9.64**	**0.77**	**13.78**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक क्रमशः रू 4.56 लाख, रू 3.46 लाख, रू 5.74 लाख, कुल रू 13.78 लाख की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर उक्त धनराशि का व्यय किया जाना दर्षित है, जिसकी पुष्टि में अभिलेख कोषवही (रूप पत्र–06) कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, स्वीकृत प्राक्कलन कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री क्रय आदेश, वेज लिस्ट, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां, सम्बंधित पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, एफ0टी0ओ0/ डोंगल प्रमाण पत्र, परिसंपत्ति पंजिका, जॉव कार्ड रजिस्टर इत्यादि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में जांच/पुष्टि हेतु मूल रूप से प्रस्तुत न किये जाने के कारण रू 13.78 लाख के व्यय के सापेक्ष करायी गयी ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्टित रही। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष बिल वाउचर एवं संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में व्यय की धनराशि रू 13.78 लाख को अभिलेखों के अभाव में अपहरण मानते हुए पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) के प्रावधानानुसार अधिभार की कार्यवाही करते हुए तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत कर्मचारियों/अधिकारियों से ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित रहा। कार्यकाल का विवरण निम्नवत् है।

लेखा परीक्षा वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि	नाम उत्तरदायी कर्मचारी/ग्राम प्रधान	पदनाम	कार्य से संबंधी विवरण
2014–15	4.56 लाख	श्री जरनैल सिंह श्री भगवत सरन श्री नावेद अख्तर श्री शिव कुमार श्री यशवन्त कुमार श्री रामायण सिंह यादव श्री आर.बी. भास्कर	ग्राम प्रधान ग्रा0पंचा0अधि0 लेखाकार रोजगार सेवक पी.डी. प्रभारी बी.डी.ओ. बी.डी.ओ. पी.डी. प्रभारी बी.डी.ओ.	01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से 22.07.2014 23.07.2014 से 08.12.2014 09.12.2014 से 31.03.2015
2015–16	3.49 लाख	श्री जरनैल सिंह श्री मनप्रीत सिंह श्री भगवत सरन श्री नरेन्द्र सिंह श्री नावेद अख्तर श्री शिव कुमार श्री आर.बी. भास्कर	ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान ग्रा0पंचा0अधि0 ग्रा0पंचा0अधि0 लेखाकार रोजगार सेवक	01.04.2015 से 30.11.2015 12.12.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 17.06.2015 01.04.2015 से 17.06.2015 01.04.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 31.03.2016

		श्री सतीश कुमार पाण्डे	पी.डी. प्रभारी बी.डी.ओ. बी.डी.ओ.	01.04.2015 से 08.01.2016 09.01.2016 से 31.03.2016
2016—17	5.74 लाख	श्री मनप्रीत सिंह श्री राकेश शर्मा श्री शिव कुमार श्री नावेद अख्तर श्री सतीश कुमार पाण्डे	ग्राम प्रधान ग्रा0पं0अधि0 रोजगार सेवक लेखाकार बी.डी.ओ.(कार्यक्रम अधि0)	01.04.2016 से 31.07.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017 01.04.2016 से 31.03.2017

उक्त कार्यरत रहे कर्मचारियों व अधिकारियों के कार्यकाल से संबंधित अभिलेखों के अभाव में ब्याज सहित वसूली कराकर राजकीय खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0—01 मनरेगा, ग्रा0 पंचा0— करनापुर, पूरनपुर/माधौटाण्डा)

134. लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 से 2016—17 तक में निम्नविवरणानुसार मनरेगा योजना अन्तर्गत कराये गये विकास/निर्माण कार्यों की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि ऑनलाइन कराई गयी एम0आई0एस0 फीडिंग का विवरण निम्नवत् है—

लेखा परीक्षा वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार सामग्री अंश पर व्यय (रू0 लाख में)	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार श्रमांश अंश पर व्यय (रू0 लाख में)	टैक्स इत्यादि पर व्यय (रू0 लाख में)	योग (रू0 लाख में)
2014-15	0.62	8.06	-	8.68
2015-16	3.31	5.10	0.19	8.60
2016-17	0.27	3.16	-	3.43
योग	**4.20**	**16.32**	**0.19**	**20.71**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014—15 से 2016—17 तक में क्रमशः रू 8.68 लाख रू 8.60 लाख एवं रू 3.43 लाख कुल रू 20.71 लाख की ऑनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग कराकर धन का व्यय किया जाना दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में मूल अभिलेख कोषवही (रूप पत्र—06) कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, स्वीकृत प्राक्कलन कुटेशन/टेण्डर पत्रावली सामग्री क्रय आदेश, सामग्री आपूर्ति चालानों की प्रतियां, सम्बंधित पंजिका, कार्य निर्माण पंजिका, मस्टर रोल, मापांकन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र, एफ0टी0ओ0 डोंगल प्रमाण—पत्र, परिसंपत्ति पंजिका, जॉव कार्ड, सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट एवं निरीक्षण पंजिका इत्यादि अभिलेखों को मूल रुप में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रू 20.71 लाख की कराई गयी एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्णतः अपुष्टित रही। जबकि वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष मूल अभिलेख/बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धन की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी व ग्राम प्रधानों से कराई जानी अपेक्षित रही। कार्यरत रहे ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, कार्यक्रम अधिकारी एवं ग्राम प्रधान पर पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0—256(1) के अनुसार कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली करायी जाये।

कार्यकाल निम्नवत् है—

लेखा परीक्षा वर्ष	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार सामग्री अंश पर व्यय	एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार श्रमांश अंश पर व्यय	टैक्स इत्यादि पर व्यय	योग
2014—15	8.68 लाख	श्री हेमराज श्री भगवत सरन श्री नावेद अख्तर श्री रविन्द्र कुमार श्री यशवन्त कुमार श्री रामायण सिंह यादव श्री आर.बी. भास्कर	ग्राम प्रधान ग्रा0पंचा0अधि0 लेखाकार रोजगार सेवक पी.डी. प्रभारी बी.डी.ओ. बी.डी.ओ. पी.डी. प्रभारी बी.डी.ओ.	01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से 31.03.2015 01.04.2014 से

				22.07.2014 23.07.2014 से 08.12.2014 09.12.2014 से 31.03.2015
2015—16	8.60 लाख	श्री हेमराज श्री रामकुमार वर्मा श्री रोहितेश कुमार श्री विजय कुमार श्री नावेद अख्तर श्री रविन्द्र कुमार श्री आर.बी. भास्कर श्री सतीश कुमार पाण्डे	ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान ग्रा0पंचा0अधि0 ग्रा0पंचा0अधि0 लेखाकार रोजगार सेवक पी.डी. प्रभारी बी.डी.ओ. बी.डी.ओ.	01.04.2015 से 31.10.2015 21.12.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 31.10.2015 01.11.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 31.03.2016 01.04.2015 से 08.01.2016 01.04.2015 से 08.01.2016 09.01.2016 से 31.03.2016
2016—17	3.43 लाख	श्री रामकुमार वर्मा श्री राकेश कुमार शर्मा श्री नावेद अख्तर श्री रविन्द्र कुमार श्री सतीश कुमार पाण्डे	ग्राम प्रधान ग्रा0पं0अधि0 लेखाकार रोजगार सेवक बी.डी.ओ.	01.04.2015 से 31.03.2017 01.04.2015 से 31.03.2017 01.04.2015 से 31.03.2017 01.04.2015 से 31.03.2017 01.04.2015 से 31.03.2017

उक्त कार्यरत रहे कर्मचारियों व अधिकारियों के कार्यकाल से संबंधित ब्याज सहित वसूली कराकर राजकीय खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा।**(सा0आ0सं0— मनरेगा प्रस्तर खण्ड (ग)01, ग्रा0 पंचा0— बंग्ला उर्फ मित्रसेन, पूरनपुर/माधौटाण्डा)**

135. मनरेगा संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करने के कारण अभिलेखों की जॉच संभव नहीं रही। जबकि वर्ष में अकुशल श्रमिक पर रू 9.87 लाख, कुशल श्रमिक पर रू 2.32 लाख, सामग्री पर रू 0.63 लाख, टैक्स रू 0.04 लाख कुल धनराशि रू 12.86 लाख की एम0आई0एस0 फीडिंग कराई गयी है। जसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अभिलेख— प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय—तकनीकी—प्रशासनिक स्वीकृति पंजिका, क्रय आदेश, आपूर्ति पंजी (रवन्ना एम0एम0—11) स्टाक पंजिका, बिल, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, सैक्टर प्रभारी की निरीक्षण रिपोर्ट आदि। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के पैरा 8(क) के अनुसार व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित/व्यय धनराशि को गवन मानते हुए ब्याज सहित वसूली का प्रावधान है। अतः पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0— 256(1) के अनुसार कार्यवाही कर रू 12.86 लाख की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान, श्रीमती बेटी, ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री लाल बहादुर गंगवार एवं रोजगार सेवक, से की जानी अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0— मनरेगा 1 (ग), ग्रा0 पंचा0— धनेगा, पूरनपुर)**

136. लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम प्रधान को देय मानदेय की जांच में पाया गया कि मानदेय निम्न विवरणानुसार दिया गया है। विवरण इस प्रकार से है—

क्रम सं0	कैशबुक में दर्ज व्यय प्रमाणक सं0	दिनांक	धनराशि	अवधि
1	01	02.04.2016	10000-00	माह जनवरी/2016 से अप्रैल/2016

2	15 अ	04.06.2016	5000-00	माह—मई / 2016 से जून / 2016
3	25	20.09.2016	12500-00	माह—जुलाई / 2016 से दिसम्बर / 2016
		योग	27500-00	

(क) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मानदेय जनवरी से अप्रैल / 2016 का भुगतान दिनांक—02.04.2016 मई—जून / 2016 का भुगतान दिनांक— 04.06.2016 में ही कर दिया गया है। जबकि नियमतः ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है।

(ख) उक्त विवरम से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बेटी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार (रू 27500.00) से पंचायती राज नियमावली—1947 के नियम सं0—256 (1) एवं अन्य विभागीय शासनादेशों के अनुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0— 16ग्राम निधि, ग्रा0 पंचा0— धनेगा, पूरनपुर)**

137. ग्राम पंचायत द्वारा दर्षित कार्य पेंटिंग रोड से फरियाद के घर तक नाली व मिट्टी कार्य 240 मी0 उक्त कार्य के प्राक्कलन अनुसार इस कार्य पर कुल रू 265500.00 व्यय का प्रावधान किया गया है, जिसमें सामग्री अंश रू 174126.50 एवं श्रमांश अंश रू 91336.00 प्रस्तावित है। प्राक्कलन अनुसार मार्ग की लम्बाई 240 मी0, चौडाई 0.60 मी0 तथा 0.30 मी0 गहराई में मिट्टी खोदकर 0.60 मी0 चौडाई तथा 0.75 मी0 में सी0सी0 कार्य कराया जायेगा। उक्त कार्य पर कैशबुक, एवं व्यय प्रमाणक अनुसार निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

बैंक अनुसार				कैशबुक अनुसार				व्यय प्रमाणक अनुसार	
चैक नं0	दिनांक	धनराशि	नामें	वाउचर नं0 दिनांक	धनराशि	सामग्री	नामें	बिल नं0	सामग्री
196482	02.04.2016	17000-00	ग्राम प्रधान श्रीमती बेटी	(2) 02.04.2016	6960-00	मिट्टी	सरताज	रसीद 02.04.2016	118 X 59-00 (धनमी0)
196483	02.04.2016	13000-00	प्रधान पति फिरोज	(3) 02.04.2016	13039-00	मिट्टी	सरताज	रसीद 02.04.2016	221 X 59 ((धनमी0)
196484	12.04.2016	100000-00	अलवासित ब्रिक फील्ड	(4) 12.04.2016	87930-00	सामग्री	फर्म	(8) 12.04.2016	1500 ईंट प्रथम श्रेणी X 5.80 10.70 कु0रोडा X 900-00
196486	23.05.2016	45000-00	वसीम	(7) 25.05.2016	53231-00	के.जी. एन. सीमेन्ट स्टोर	—	05-476 25.05.2016	सीमेन्ट118 बोरी X 260-00 मोरंग 11.61 कु0 X 1650-00 रेता 5.39कु0 X 630-00
196487	24.05.2016	20000-00	शकील	(8) 25.05.2016	11859-00	मिट्टी	सरताज	रसीद 25.05.2016	201 (धनमी0 X 59-00
196489	31.05.2016	40500-00	मतलूव	(9) 31.05.2016	85930-00	-	-	एम आर 12.05.2016 से 31.05.2016	एम आर 6 X 20 X 325 एम आर 12 X 20 X 190
				(10) 07.06.2016	5320-00	-	-	एम आर 01.06.2016 से 07.06.2016	एम आर 4 X 7 X 190
	योग	235500-00		योग	235500-00				

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस कार्य पर रू 264269.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है, जिस पर आपत्तियाँ निम्न प्रकार से है–

अ)– स्टीमेट रू 265500.00 का था, जिस हेतु वित्तीय स्वीकृति जिले से ली जानी थी, जो नहीं ली गई। सन्दर्भित कार्य पर व्यय भी रू 2642269.00 दर्षित है।

ब)– मॉप पुस्तिका जांच हेतु उपलब्ध नहीं रहने से व्यय की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो पायी।

स)– चैक सं0– 196484 दिनांक– 12.04.2016 से रू 100000.00 का भुगतान मै0 अल–वासित ब्रिक फील्ड को दिया गया है। जिसकी पुष्टि बैंक से भी हो रही है। परन्तु फर्म के बिल सं0– 08 दिनांक– 12.04.2016 के अनुसार रू 87930.00 की ही सामग्री क्रय दर्षित है। शेष रू 12070.00 का क्या हुआ, अस्पष्ट रहा।

द)– चैक सं0– 196486 दिनांक 23.05.2016 से रू 45000.00 का आहरण श्री वसीम के द्वारा किये जाने की पुष्टि बैंक से हो रही है। परन्तु इसके सापेक्ष बिल नं0– 05–476 दिनांक– 25.05.2016 के.जी.एन. सीमेन्ट स्टोर से रू 53231.00 की सामग्री क्रय दर्षित है। शेष रू 8231.00 कहां से लिया गया है। उक्त चैक फर्म के नाम काटा जाना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया।

य)– चैक सं0– 196489 दिनांक–31.05.2016 के द्वारा रू 40500.00 का आहरण श्री मतलूब के द्वारा किया गया है, जिसकी पुष्टि बैंक से भी हो रही है। इस आहरण के सापेक्ष कैशबुक में वाउचर सं0–9 दिनांक 31.05.2016 के द्वारा रू 85930.00 का मस्टर रोल (दिनांक–12.05.2016 से दिनांक 31.05.2016 तक) पर भुगतान दर्षित है।

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से धन आहरित कर एवं व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बेटी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से (रू 264269.00) पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम सं0– 256(1) एवं अन्य संगत विभागीय आदेशानुसार की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0– 17ग्राम निधि, ग्रा0 पंचा0– धनेगा, पूरनपुर)**

138. लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में चैक सं0– 196700 दिनांक 28.03.2017 के द्वारा ग्राम प्रधान श्रीमती बेटी ने रू 6000.00 आहरण कर वाउचर सं0– 41 दिनांक– 28.03.2017 के द्वारा कैशबुक मे कैमरा क्रय किया जाना दर्षित है। उक्त क्रय की पुष्टि में क्रय आदेश, विभागीय स्वीकृति आदेश, फर्म का बिल, अनुमोदित कार्य योजना आदि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण रू 6000.00 का व्यय अपुष्ट रहा, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बेटी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम संख्या–256 (1) एवं अन्य संगत विभागीय आदेशानुसार की जानी अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0– 18 ग्राम निधि, ग्रा0 पंचा0– धनेगा, पूरनपुर)**

139. ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016–17 में दर्षित कार्यो की जांच में पाया गया कि एक ही कार्य को दो टुकड़ों में मनमाने ढंग से दर्शाकर पूर्ण होना दर्शाया गया है, विवरण इस प्रकार से है।

अ)– हकीमुलला के घर से हसमतुल्ला के घर तक नाली 2 x 115 मी0 मिट्टी 115 x 3.30 मी0 जिस हेतु रू 200260.00 का स्टीमेट तैयार कराया गया है। उक्त कार्य पर कैशबुक, बैंक एवं व्यय प्रमाणक अनुसार निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है, विवरण निम्न प्रकार से है–

बैंक अनुसार				कैशबुक अनुसार				व्यय प्रमाणक अनुसार	
चैक नं0	दिनांक	धनराशि	नामें	वाउचर नं0 दिनांक	धनराशि	सामग्री	नामें	बिल नं0	सामग्री
196500	19.08.2016	12200-00	जकील	17 30.06.2016 19 19.08.2016 20 19.08.2016	4484-00 9280-00 2891-00	मिट्टी ईंट मिट्टी	जाहिद बिल अप्राप्त जाहिद	रसीद 30.06.2016 रसीद 19.08.2016	76 घनमी0 xरू 59 प्रतिघनमी0 1600 प्रथम श्रेणी ईंट x रू 5.8 49 घनमी0 x रू 59 प्रतिघनमी0
196981	09.09.2016	265500	फिरोज	22 09.09.2016	2655-00	मिट्टी	जाहिद	रसीद 09.09.2016	45 घनमी0 x रू59 प्रति घनमी0
196987	13.12.2016	10000-00	फिरोज	32 10.12.2016	34800-00	अल वासित ब्रिक फील्ड		176 10.12.2016	6000 प्रथम श्रेणी ईंट x रू5.8
196986	20.12.2016	24000-00	जकील						
196991	11.01.2017	65600-00	के.जी. एन. सीमेन्ट स्टोर	34 12.01.2017	47013-00	फर्म		05-487 12.01.20	सीमेन्ट 114 x रू 260 मोरंग

							17	7.60 ग्रू1650 रेता 8.72 x रू 630
196994	09.01.2017	21040-00	वसीम	33 12.01.2017	31030-00	अल वासित ब्रिक फील्ड	177 12.01.2017	5350 प्रथम श्रेणी ईंट xरू5.8
196995	12.01.2017	21040-00	अजीम	35 20.01.2017	9288-00	अल वासित ब्रिक फील्ड	178 20.01.2017	रोड़ा 10.32 x रू 900
	योग	**156535-00**			**141441-00**			

ब)–हकीमुल्ला के घर से हसमतुल्ला के घर तक खड़ण्जा 115 मी0.3.30 मी0 जिस हेतु रू148197.00 (सामग्री रू 125389.00, क्रमांश रू 22808.00) का स्टीमेट तैयार किया गया है। उक्त कार्य पर कैशबुक, बैंक एवं व्यय प्रमाण अनुसार निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है। विवरण इस प्रकार से है–

बैंक अनुसार				कैशबुक अनुसार			व्यय प्रमाणक अनुसार		
चैक नं0	दिनांक	धनराशि	नामें	वाउचर नं0 दिनांक	धनराशि	सामग्री	नामें	बिल नं0	सामग्री
196996	20.01.2017	99900-00	शान ब्रिक फील्ड	38 27.01.2017	111300-00		अल वासित ब्रिक फील्ड	179 27.01.2017	21000 ईंट खंजर रू 5.3
196997	27.01.2017	15500-00	अजीन	37 27.01.2017	649.00		रसीद सरताज	रसीद 27.01.2017	110 घनमी0 मिट्टी रू 59 प्रति घनमी0
196998	04.03.2017	7500-00	शकील	40 04.03.2017	7155.00		अल वासित ब्रिक फील्ड	180 04.03.2017	1350 ईंट खंजर रू 5.3
	योग	**122900-00**			**124945-00**				

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाये जाने के उद्देश्य से कार्य की सत्यता संदिग्ध प्रतीत हो रही है। इन दोनों कार्यों में निम्न प्रकार आपत्तियां दर्ज की जा रही है। दोनों ही कार्यों में श्रमिकों पर कोई भी भुगतान नहीं दर्शाया गया है।

चैक सं0–196986 एवं 87 का भुगतान क्रमशः श्री जकील एवं श्री फिरोज के नाम से है। परन्तु ईंट खरीद दर्शित है, जबकि फर्म को चैक दिया जाना चाहिए था।

चैक सं0– 196991 से रू 65600.00 का भुगतान के0जी0एन0 सीमेन्ट स्टोर को है। परन्तु बिल अनुसार रू 47013.00 की सामग्री क्रय दर्शित है। शेष रू0 17987.00 का क्या हुआ।

चैक सं0–196994 एवं 995 से क्रमशः रू 21040.00 एं रू 21040.00 श्री वसीम एवं श्री अजीम द्वारा आहरित किये गये हैं। जबकि भुगतान क्रमशः रू 31030.00 एवं रू 9288.00 का अलवासित ब्रिक फील्ड को दर्शित है। इस प्रकार शेष रू 1762.00 का क्या हुआ।

चैक सं0– 196996 दिनांक 20.01.2017 से रू 99900.00 का भुगतान शान ब्रिक फील्ड को किया गया है परन्तु बिल अलवासित ब्रिक फील्ड का लगाया गया है।

अतः इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर कार्य (अ) रू 141441.00 एवं कार्य (ब) रू 124945.00 कुल रू 266386.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बेटी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से पंचायत राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) एवं अन्य संगत विभागीय आदेशानुसार की जानी अपेक्षित है। जिसकी पुष्टि हेतु एम0बी0 बुक भी अप्राप्त रही है।

(सा0आ0सं0– 19 ग्राम निधि, ग्रा0 पंचा0– धनेगा, पूरनपुर)

140. लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में चैक सं0– 196990 दिनांक 09.12.2016 के द्वारा तराई स्पून पाइप को रू 20500.00 का भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि में फर्म का बिल, क्रय आदेश, अनुमोदित कार्य योजना एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह अस्पष्ट रहा कि यह पाइप कहां–कहां प्रयोग किये गये हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से फर्म से सांठ–गांठ कर रू 20500.00 का आपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बेटी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर गंगवार से की जानी अपेक्षित है। पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम सं0–256(1) एवं अन्य संगत विभागीय आदेशों के अनुसार ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रही।

(सा0आ0सं0– 20 ग्राम निधि, ग्रा0 पंचा0– धनेगा, पूरनपुर)

मण्डल का नाम– बरेली (उ0प्र0) जनपद– शाहजहॉपुर **वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष– 2016–17**

आवंटन वर्ष– 2017–18

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियॉः–

प्रस्तर सं0–1 ग्राम पंचायत गहलुईया आलोच्य वर्ष 2015–16, में राज्य वित्त एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष रू0 370600.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये ऑकड़ों के आधार पर) किया गया है। परनतु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सुरेन्द्र कौर व ग्रम पंचायत अधिकारी अजय पाल से की जानी अपेक्षित है। दिनांक 01.04.2016 से 31.07.2016 के मध्य विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 99421.00 का आहरण किया गया है। परन्तु उक्त अवधि का रोकड़ वही प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिलेख को तैयार न करने के कारण आहरति धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान व ग्राम पंचायत राजअधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं।**सा0आ0सं0–32**

प्रस्तर सं0–2 ग्राम पंचायत **गहलुईय** वर्ष 2016–17 में निम्न विवरणानुसार बैंक से आहरित धनराधियों को रोकड़ वही के आय पक्ष में कोषांकित न करके धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान सुरेन्द्र कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अजयपाल सिंह से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
01.02.2017	11560.00
01.02.2017	5250.00
01.02.2017	5250.00
योग	22060.00

(सा0आ0सं0–20)

प्रस्तर सं0–3 ग्राम पंचायत बण्डा ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2004–05 से 2009–10 के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किए जाने के फलस्वरूप वर्ष 2004–05 से वर्ष 2009–10 में अनुदान आय एंव किए गए व्ययों की स्थिति अज्ञात रही। जिससे स्पष्ट टिप्पणी अंकित नहीं की जा सकी। यह गम्भीर अनियमित्ता है। इस संबंध में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। **सा0आ0सं0–23**

प्रस्तर सं0–4 ग्राम पंचायत बण्डा आलोच्य वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 में राज्य वित्त एंव 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रू0 0.00, रू0 1145350.00, रू0 0.00, रू0 4588700.00, रू0 4372941.00, रू05196178.00, रू0 9038046.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गए ऑकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किए गए व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख(रोकड़वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–16**

प्रस्तर सं0–5 ग्राम पंचायत अख्तयारपुर धौकल आलोच्य वर्ष 2014–15, 2015–16, में राज्य वित्त एवं 13/14 वे वित आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रू0 488555.00, रू0 421550.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये ऑकड़ों के आधार पर) किया गया है, परन्तु किए गए व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्माण रजिस्टर माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान रूपराम व ग्राम पंचायत अधिकारी अजयपाल से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–32**

प्रस्तर सं0–6 ग्राम पंचायत अख्तयारपुर धौकल वर्ष 2016–17 में निम्न विवरणानुसार बैंक से आहरित धनराशियों को रोकड़ वही के आय पक्ष में कोशांकित न करके धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान रूपराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अजयपाल से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
06.06.2016	15760.00	चैक संख्या–833276
26.12.2016	4000.00	चैक संख्या–833284
22.12.2016	10000.00	चैक संख्या–833286
26.12.2016	10000.00	चैक संख्या–833287
21.12.2016	10000.00	चैक संख्या–833289
29.12.2016	4000.00	चैक संख्या–833285
27.01.2017	10000.00	चैक संख्या–833300
03.01.2017	8000.00	चैक संख्या–833295
08.03.2017	7434.00	चैक संख्या–833297
योग	79194.00	

सा0आ0सं0–20

<u>प्रस्तर सं0–7</u> ग्राम पंचायत कैथ भगौतीपुर आलोच्य वर्ष 2014–15, 2015–16, में राज्य वित एंव 13–14 वे वित आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रू0 504773.00, रू0 335000.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये ऑकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किए गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी पियूष से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–32**

<u>प्रस्तर सं0–8</u> ग्राम पंचायत कैथ भगौतीपुर वर्ष 2016–17 में निम्न विवरणानुसार बैंक से आहरित धनराशियों को रोकड़ वही के आय पक्ष में कोषांकित न करके धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान ममता देवी एंव ग्राम पंचायत अधिकारी राजाराम से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
10/16	20000.00	चैक से दिनेश द्वारा(03.10.2016 एवं 26.10.2016के बीच)
3/17	46700.00	चैक से (10.03.2017 से 20.03.2017 के बीच)

सा0आ0सं0–20

<u>प्रस्तर सं0–9</u> ग्राम पंचायत कुवरपुर विक्रमपुर जपती ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2004–05 से 2009–10 के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किए जाने के फलस्वरूप वर्ष 2004–05 से वर्ष 2009–10 में अनुदान आय एंव किये गये व्ययों की स्थिति अज्ञात रही। जिससे स्पष्ट टिप्पणी अंकित नहीं की जा सकी। यह गम्भीर अनियमित्ता है। इस संबंध में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। **सा0आ0सं0–23**

<u>प्रस्तर सं0–10</u> ग्राम पंचायत कुवरपुर विक्रमपुर जपती आलोच्य वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 में राज्य वित एंव 13/14वे वित आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रू0 अज्ञात, रू0 60500.00, रू0 267750.00, रू0 516650.00, रू0 539143.00, रू0 281158.00, रू0 529386.00 का व्यय प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये ऑकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना,कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री देशराज से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–16**

<u>प्रस्तर सं0–11</u> ग्राम पंचायत भगवन्तपुर उधोपुर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2004–05 से 2009–10 के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2004–05 से वर्ष 2009–10 में अनुदान आय एवं किये गये व्ययों की स्थिति अज्ञात रही। जिससे स्पष्ट टिप्पणी अंकित नहीं की जा सकी। यह गम्भीर अनियमितता है। इस संबंध में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

सा0आ0सं0–23

<u>प्रस्तर सं0–12</u> ग्राम पंचायत भगवन्तपुर उधोपुर_आलोच्य वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रू0 0.00, रु0 75000.00,रु0 0.00, रु0 560900.00, रु0 1068339.00, रु0 1607024.00 रु0 956510.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व

दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व श्री देशराज सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–16)**

प्रस्तर सं0–13 ग्राम पंचायत चिकटिया आलोच्य वर्ष 2015–16, 2016–17 में राज्य वित्त एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 0.00 रु0 622462.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान सत्यपाल व ग्राम पंचायत अधिकारी देशराज द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–16**

प्रस्तर सं0–14 ग्राम पंचायत विरहना बुर्जुग ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2004–05 से 2009–10 के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरुप वर्ष 2004–05 से वर्ष 2009–10 में अनुदान आय एवं किये गये व्ययों की स्थिति अज्ञात रही। जिससे स्पष्ट टिप्पणी अंकित नहीं की जा सकी। यह गम्भीर अनियमितता है। इस संबंध में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। **सा0आ0सं0–23**

प्रस्तर सं0–15 ग्राम पंचायत विरहना बुर्जग आलोच्य वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 में राज्य वित्त एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 0.00, रु0 110000.00 रु0 433055.00, रु0 659100.00. रु0 442600.00, रु0 781623.00 रु0 836700.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अरविन्द प्रधान व देशराज ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–16**

प्रस्तर सं0–16 ग्राम पंचायत जलालपुर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2004–05 से 2009–10 के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरुप वर्ष 2004–05 से वर्ष 2009–10 में अनुदान आय एवं किये गये व्ययों की स्थिति अज्ञात रही। जिससे स्पष्ट टिप्पणी अंकित नहीं की जा सकी। यह गम्भीर अनियमितता है। इस संबंध में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। **सा0आ0सं0–23**

प्रस्तर सं0–17 ग्राम पंचायत जलालपुर आलोच्य वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 में राज्य वित्त एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 0.00, रु0 150675.00 रु0 404465.00 रु0 469100.00 रु0 662154.00 रु0 445858.00 रु0 348568.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर सन्दीप प्रधान व देशराज ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–16)**

प्रस्तर सं0–18 ग्राम पंचायत वसन्तापुर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2004–05 से 2009–10 के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरुप वर्ष 2004–05 से वर्ष 2009–10 में अनुदान आय एवं किये गये व्ययों की स्थिति अज्ञात रही। जिससे स्पष्ट टिप्पणी अंकित नहीं की जा सकी। यह गम्भीर अनियमितता है। इस संबंध में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। **सा0आ0सं0–23**

प्रस्तर सं0–19 ग्राम पंचायत वसन्तापुर आलोच्य वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 में राज्य वित्त एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 0.00, रु0 107800.00 रु0 0.00, रु0 634400.00, रु0 404781.00, रु0 1042966.50, रु0 658359.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी देशराज सिंह द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–16**

प्रस्तर सं0–20 ग्राम पंचायत पडरी किशनपुर आलोच्य वर्ष 2014–15 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष रु0 587135.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है,

जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री पियूष अवस्थी व विश्वास शुक्ला ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–16**

प्रस्तर सं0–21 ग्राम पंचायत **सिंधापुर पनई** आलोच्य वर्ष 2016–17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष रु0 354597.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान राधा व राजाराम ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0–16

प्रस्तर सं0–22 ग्राम पंचायत **इन्दलपुर** ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2004–05 से 2009–10 के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरुप वर्ष 2004–05 से वर्ष 2009–10 में अनुदान आय एवं किये गये व्ययों की स्थिति अज्ञात रही। जिससे स्पष्ट टिप्पणी अंकित नहीं की जा सकी। यह गम्भीर अनियमितता है। इस संबंध में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

सा0आ0सं0–23

प्रस्तर सं0–23 ग्राम पंचायत **इन्दलपुर** आलोच्य वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 में राज्य वित्त एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 0.00, रु0 444371.00, रु0 710847.00 रु0 2097679.00 रु0 978646.00, रु0 663400.00, रु0 16538103.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान सन्तराम व ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–16)

प्रस्तर सं0–24 ग्राम पंचायत **चित्तरपुर नवदिया** आलोच्य वर्ष 2016–17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष रु0 556239.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सर्वजीत प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी विश्वास शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–16)

प्रस्तर सं0–25 ग्राम पंचायत **वनिगवॉ** आलोच्य वर्ष 2016–17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष रु0 795918.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सुरेश प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी देशराज सिंह से की जानी अपेक्षित है

(सा0आ0सं0–16)

प्रस्तर सं0–26 ग्राम पंचायत **खखरा बुजर्ग** आलोच्य वर्ष 2016–17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष रु0 639336.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन शमशद प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी देशराज सिंह से की जानी अपेक्षित है

(सा0आ0सं0–16)

प्रस्तर सं0–27 ग्राम पंचायत **हंसापुर** आलोच्य वर्ष 2016–17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष रु0 514260.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व देशराज सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–16)

प्रस्तर सं0–28 ग्राम पंचायत **ढका घनश्याम** आलोच्य वर्ष 2016–17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष रु0 696876.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन गायत्री प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी देशराज से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–16)**

प्रस्तर सं0—29 ग्राम पंचायत **तिहार ऐजनपुर** आलोच्य वर्ष 2015—16, 2016—17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 560688.00 रु0 1119980.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली शिल्पी प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी देशराज से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0—16)**

प्रस्तर सं0—30 ग्राम पंचायत **विराहिमपुर झंझरिया** आलोच्य वर्ष 2015—16, 2016—17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 586897.00 रु0 704974.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0—16)**

प्रस्तर सं0—31 ग्राम पंचायत **हेतम नगला** आलोच्य वर्ष 2015—16, 2016—17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 393312.00 रु0 972156.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0—16)**

प्रस्तर सं0—32 ग्राम पंचायत **कुलुम जूझारपुर** आलोच्य वर्ष 2015—16, 2016—17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 0.00 रु0 246700.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है **सा0आ0सं0—16)**

प्रस्तर सं0—33 ग्राम पंचायत **बिलन्दपुर सुन्दरपुर** आलोच्य वर्ष 2015—16, 2016—17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 588853.00 रु0 638857.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0—16)**

प्रस्तर सं0—34 ग्राम पंचायत **भितिया श्याम** आलोच्य वर्ष 2015—16, 2016—17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 572959.00 रु0 858350.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0—16)**

प्रस्तर सं0—35 ग्राम पंचायत **भगवन्त नगर फत्तेपुर उर्फ उवरिया** आलोच्य वर्ष 2015—16, 2016—17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 482067.00 रु0 640653.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0—16)**

प्रस्तर सं0—36 ग्राम पंचायत **चॉदपुर पड़री** आलोच्य वर्ष 2015—16, 2016—17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 293150.00 रु0 1161450.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये

आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–16)**

प्रस्तर सं0–37 ग्राम पंचायत **मोहिउद्दीनपुर** आलोच्य वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 590967.00, रु0 668634.00, रु0 1076072.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–16)**

प्रस्तर सं0–38 ग्राम पंचायत **बरगदा** आलोच्य वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 612146.00, रु0 494869.00, रु0 968994.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–16)**

प्रस्तर सं0–39 ग्राम पंचायत **ददिउरी** आलोच्य वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 454569.00, रु0 535690.00, रु0 510100.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–16)**

प्रस्तर सं0–40 ग्राम पंचायत **कमालपुर** आलोच्य वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 956446.00, रु0 1031654.00, रु0 470308.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–16)**

प्रस्तर सं0–41 ग्राम पंचायत **देवकली** आलोच्य वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 800350.00, रु0 887887.00, रु0 426850.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान अल्का देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी अजय पाल सिंह द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–16)**

प्रस्तर सं0–42 ग्राम पंचायत **मुड़िया छावन** आलोच्य वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 666022.00, रु0 273000.00, रु0 328100.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान कृष्णा व ग्राम पंचायत अधिकारी देशराज द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–16)**

प्रस्तर सं0–43 ग्राम पंचायत **मानपुर पिपरिया** आलोच्य वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 में राज्य वित एवं 13/14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष क्रमशः रु0 398547.00, रु0 340331.00, रु0 1031818.00 का व्यय (प्रिया सॉफ्ट में दर्शाये गये आकड़ों के आधार पर) किया गया है। परन्तु किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (रोकड़ वही, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक

रजिस्टर आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों को तैयार न कर तत्कालीन प्रधान राघुनन्दन व ग्राम पंचायत अधिकारी देशराज द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–16)**

प्रस्तर सं044– ग्राम पंचायत **अजीजपुर जिगनेरा** पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 13 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जायेगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वालो अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा। और साथ ही साथ ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी। उपरोक्त निर्देश के बावजूद भी ग्राम पंचायत अजीजपुर जिगनेरा के वर्ष 2015–16 से 2016–17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार–बार माँग करने पर उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्तमान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि श्री महाराज सिंह/श्री राकेश द्वारा अभिलेख चार्ज में उपलब्ध नहीं कराया गया। तत्कालीन सेक्रेटरी का तबादला अन्य विकास खण्ड को हो गया है। विगत वर्षों के अभिलेख (कैशबुक प्रमाणक, बैंक पासबुक, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि) चार्ज में न दिया जाना लचर व्यवस्था को दर्शाता है।

प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़े के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016–17 में रू0 133320.00 व्यय किया गया है। तत्कालीन सचिव व प्रधान द्वारा प्राप्त अनुदान के धन का दुरुपयोग व अपहरण छिपाव के उद्देश्य से अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। समय पर लेखा परीक्षा न कराना गबन/दुरुपयोग की संभावना को और भी पुख्ता करता है।

अतः उक्त के संबंध में कार्यवाही करते हुए तत्कालीन सचिव श्री महाराज सिंह/श्री राकेश तथा प्रधान श्रीमती कन्या देवी से बराबर–बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0–2)**

प्रस्तर सं0–45 ग्राम पंचायत **हिसमहा** पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के प्रस्तर 13 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जायेगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वालो अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा। और साथ ही साथ ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

उपरोक्त निर्देश के बावजूद भी ग्राम पंचायत हिसमहा के वर्ष 2015–16 से 2016–17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार–बार माँग करने पर उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्तमान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि श्री कृष्ण राठौर/श्री राकेश कुमार वर्मा द्वारा अभिलेख चार्ज में उपलब्ध नहीं कराया गया। तत्कालीन सेक्रेटरी का तबादला अन्य विकास खण्ड को हो गया है। विगत वर्षों के अभिलेख (कैशबुक प्रमाणक, बैंक पासबुक, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि) चार्ज में न दिया जाना लचर व्यवस्था को दर्शाता है।प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़े के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016–17 में रू0 388550.00 व्यय किया गया है। तत्कालीन सचिव व प्रधान द्वारा प्राप्त अनुदान के धन का दुरुपयोग व अपहरण छिपाव के उद्देश्य से अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। समय पर लेखा परीक्षा न कराना गबन/दुरुपयोग की संभावना को और भी पुख्ता करता है।

अतः उक्त के संबंध में कार्यवाही करते हुए तत्कालीन सचिव श्री कृष्ण राठौर/श्री राकेश कुमार वर्मा तथा प्रधान श्रीमती निर्मला से बराबर–बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0–2)**

प्रस्तर सं0–46 ग्राम पंचायत **सरौरा** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक में माह अप्रैल 16 से जुलाई 2016 के मध्य का आय–व्यय दर्ज नहीं पाया गया। कैश बुक में खता सं0–22400100004516 से आहरित निम्न धनराशि का लेखांकन न कर धन का अपहरण किया गया।

दिनांक	चेक नं0	धनराशि
26.05.2016	555893	20000
27.05.2016	555894	93000
01.06.2016	555895	30000
08.07.2016	555896	100000
	योग	243000

इस प्रकार रू0 243000 बैंक से आहरण कर कैशबुक में कोषांकित न कर मिलीभगत से प्रधान तत्कालीन व सचिव सर्वेश सिंह द्वारा अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0–11)**

प्रस्तर सं0–47 ग्राम पंचायत **सरौरा** वर्ष आलोच्य में हैंडपम्प मरम्मत हेतु कुल रू0 15435 दिनांक 25.10.2016 को केदारनाथ वर्मा को भुगतान कुल 8 प्रमाणकों पर किया जाना दर्षित है। परन्तु लेखा परीखा में उपलब्ध बैंक स्टेटमेन्ट से स्पष्ट है कि चेक नं0 555900 से रू0 15435 का भुगतान हस्तानतरण द्वारा किया गया है। जबकि अन्य भुगतान जो हैंडपम्प मरम्मत हेतु केदारनाथ वर्मा को किया गया है वह नाम से आहरित है। उक्त से स्पष्ट है कि रू0 15435 का दुरुपयोग कर गंभीर अनियमित्ता की गयी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0–12)

प्रस्तर सं0–48 ग्राम पंचायत **जशनपुर** वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 से संबंधित बैंक खाता सं0 15598 से विभिन्न तिथियों में आहरित कुल धनराशि रू0 355358.00 के व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख (प्रमाणक आदि) लेखा परीक्षा में

उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु/पैरा–8क के अनुसार राजकीय धन का गबन स्वतः सिद्ध होता है। उक्त धन के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनुपम एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं, जिनसे ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली किये जाने के साथ–साथ प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–8)**

प्रस्तर सं0–49 ग्राम पंचायत **जशनपुर** वर्ष 2015–16 में भी उक्तानुसार बैंक खाता से कुल आहरित धनराशि रू0 991900.00 के व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख (प्रमाणक आदि) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस हेतु वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा एवं अशोक कुमार पाण्डे सचिव /ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं, जिनसे ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली किये जाने के साथ–साथ प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–9)**

प्रस्तर सं0–50 ग्राम पंचायत **अरूआ खानपुर** वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 से संबंधित बैंक खाता सं0 15575 से विभिन्न तिथियों में आहरित कुल धनराशि रू0 476330.00 के व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख (प्रमाणक आदि) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु/पैरा–8क के अनुसार राजकीय धन का गबन स्वतः सिद्ध होता है। उक्त धन के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सविता एवं तत्कालीन अशोक कुमार पाण्डे ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं, जिनसे ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली किये जाने के साथ–साथ प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–3)**

प्रस्तर सं0–51 ग्राम पंचायत **अरूआ खानपुर** वर्ष 2016–17 में भी उक्तानुसार बैंक खाता से कुल आहरित धनराशि रू0 1020384.00 के व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख (प्रमाणक आदि) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस हेतु वर्तमान ग्राम प्रधान श्री सफीक एवं तत्कालीन सचिव अशोक कुमार पाण्डे/ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं, जिनसे ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली किये जाने के साथ–साथ प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0–4)**

प्रस्तर सं0–52 ग्राम पंचायत **नगला जाजू** वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि–1 से संबंधित बैंक खाता सं0 15597 से विभिन्न तिथियों में आहरित कुल धनराशि रू0 327891.00 के व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख (प्रमाणक आदि) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु/पैरा–8क के अनुसार राजकीय धन का गबन स्वतः सिद्ध होता है। उक्त धन के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता देवी एवं तत्कालीन अशोक कुमार पाण्डे ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं, जिनसे ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली किये जाने के साथ–साथ प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–3)**

प्रस्तर सं0–53 ग्राम पंचायत **नगला जाजू** वर्ष 2016–17 में भी उक्तानुसार बैंक खाता से कुल आहरित धनराशि रू0 590210.00 के व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख (प्रमाणक आदि) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस हेतु वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता देवी एवं सचिव अशोक कुमार पाण्डे/ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं, जिनसे ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली किये जाने के साथ–साथ प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–4)**

प्रस्तर सं0–54 ग्राम पंचायत **फत्तेपुर बुजुर्ग** आलोच्य वर्ष में ग्रामनिधि खाता सं0 22360100002127 से रू0 225589.00 का विभिन्न तिथियों में ईंट क्रय हेतु आदेश गुप्ता ब्रिक फील्ड के नाम चेक काटे गये है। लेखा मैनुअल अध्याय–7 एवं उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1–2086/10/96–15(1)36 दिनांक 14.10.1998 के अनुसार रू0 100000.00 से अधिक मूल्य के ईंट क्रय करते समय टेण्डर आमंत्रित करना चाहिए था साथ ही फर्म का पंजीकरण/टिन नं0 अवश्य होना चाहिए था। परनतु लेखा मैनुअल के नियमों की अवहेलना करते हुए भिन्न–भिन्न तिथियों में 100000.00 से अधिक ईंट क्रय किया गया है इतनी अधिक मात्रा में ईंअ का क्रय करने के उपरन्त भी स्टॉक लेखा नहीं रखा गया और निर्माण कार्य पूरा होने पर कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र तथा कार्ययोजना ईंट भट्टे का डिलीवरी चालान, निर्माण कार्य स्थलों का विवरण एवं व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। 30000.00 से अधिक क्रय में टी0डी0एस0 काटा जाना चाहिए था जो नहीं काटा गया हे इससे स्पष्ट हे कि आदेश गुप्ता ब्रिक फीलउ के नाम जारी चेकों का प्रयोग सरकारी धन का दुरूप्रयोग करने के लिए किया गया है। उक्त समस्त अभिलेखों के अभाव में किया गया भुगतान फर्जी मानते हुए ब्याज सहित वसूली सचिव रमेश मिश्रा/प्रधान नरेश कुमारी से अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं0	धनराशि
24.11.2016	25	20880.00
29.11.2016	28	53000.00
09.12.2016	93	11600.00
26.12.2016	96	37567.00
20.01.2017	98	5300.00
07.03.2017	103	33112.00
09.03.2017	106	64130.00
	योग	**225589.00**

(सा0आ0सं0–4)

प्रस्तर सं0–55 ग्राम पंचायत **रूद्रपुर** आलोच्य वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2016 में ग्रामनिधि खाता सं0 26980100024001 से कुल रु0 12500.00 के सफाई उपकरण के आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में सफाई

कर्मचारी के मांग–पत्र, उपकरण क्रय पर होने वाले अनुमानित व्यय व उसकी स्वीकृति तथा उपकरण का डेडस्टॉक रजिस्टर में आमद दर्ज होने की पुष्टि में डेडस्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिलेखों के अभाव में किया गया व्यय अपुष्ट है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान अनिल कुमार एवं ग्रा0पं0अ0 प्रतिपाल खेमकरन से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	आहरित धनराशि
23.03.2017	12500.00
योग	12500.00

(सा0आ0सं0–4)

प्रस्तर सं0–56 ग्राम पंचायत **रूद्रपुर** आलोच्य वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2016 में ग्रामनिधि खाता सं0 26980100024001 से कुल रु0 40331.00 के हैण्डपम्प/नल मरम्मत के आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में जल प्रबंधन समिति द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु प्रस्ताव व कार्य स्थल वगैरह अंकित कराये गये बिना भुगतान किया जाना आपत्तिजनक रहा। लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, सार्वजनिक कार्यों का रजिस्टर, रूप पत्र–2, चल व अचल सम्पत्ति का रजिस्टर, व्यय अनुमान पंजिका, कार्यवाही पंजिका, स्टॉक पंजिका अप्राप्त रही। जिससे किया गया व्यय अपुष्ट है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान अनिल कुमार व ग्रा0पं0अ0 खेम करन व प्रतिपाल से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	आहरित धनराशि
15.06.2016	20196.00
24.12.2016	**12995.00**
26.03.2017	7140.00
योग	40331.00

(सा0आ0सं0–4)

प्रस्तर सं0–57 ग्राम पंचायत **मोहनपुर** आलोच्य वर्ष 2016–17 में निम्नांकित विवरणानुसार दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2016 में कोषवही के ग्रामनिधि खाता सं0 4103000101070513 से कुल रु0 175227–25 के आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, अनुमोदित कार्ययोजना, निर्माण कार्य रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टॉक रजिस्टर आदि भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त आहरित धनराशि का अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सुखदेव एवं ग्रा0पं0अ0/प्रा0वि0अ0 श्री प्रतिपाल और श्री खेमकरन से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	आहरित धनराशि
09.06.2016	230.00
22.09.2016	15000.00
23.09.2016	11220.00
23.09.2016	12000.00
17.10.2016	2400.00
18.10.2016	28860.00
08.11.2016	1400.00
07.12.2016	35100.00
16.12.2016	3480.00
16.12.2016	3480.00
16.12.2016	3480.00
16.12.2016	3480.00
16.12.2016	3480.00
19.12.2016	4000.00
19.12.2016	1600.00
27.12.2016	14000.00
07.01.2017	17.25
04.03.2017	10000.00
07.03.2017	15000.00
15.03.2017	7000.00
योग	175227.25

(सा0आ0सं0–4)

प्रस्तर सं0–58 ग्राम पंचायत **हथौड़िया** आलोच्य वर्ष में ग्रामनिधि खाता सं0 27000100004596 से रु0 440617.00 का विभिन्न तिथियों में ईंट क्रय किया गया है। लेखा मैनुअल अध्याय–7 एवं उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1–2086/10/96–15(1)36 दिनांक 14.10.1998 के अनुसार रु0 100000.00 से अधिक मूल्य के ईंट क्रय करते समय

टेण्डर आमंत्रित करना चाहिए था साथ ही फर्म का पंजीकरण/टिन नं0 अवश्य होना चाहिए था। परन्तु लेखा मैनुअल के नियमों की अवहेलना करते हुए भिन्न–भिन्न तिथियों में 100000.00 से अधिक ईंट क्रय किया गया है इतनी अधिक मात्रा में ईंट का क्रय करने के उपरान्त भी स्टॉक लेखा नहीं रखा गया और निर्माण कार्य पूरा होने पर कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र तथा कार्ययोजना ईंट भट्टे का डिलीवरी चालान, निर्माण कार्य स्थलों का विवरण एवं व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। 30000.00 से अधिक के क्रय में टी0डी0एस0 काटा जाना चाहिए था जो नहीं काटा गया है इससे स्पष्ट है कि ईंट क्रय में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। उक्त समस्त अभिलेखों के अभाव में किया गया भुगतान फर्जी मानते हुए ब्याज सहित वसूली सचिव/प्रधान से अपेक्षित है। प्रधान राजकुमारी सचिव अविनिश त्रिपाठी

दिनांक	धनराशि
23.07.2016	33800.00
29.06.2016	8990.00
25.10.2016	32746.00
27.10.2016	103500.00
01.12.2016	2821.00
14.12.2016	5850.00
03.03.2017	24442.00
03.03.2017	25354.00
07.03.2017	39694.00
07.03.2017	33370.00
09.03.2017	66150.00
09.03.2017	63900.00
योग	440617.00

(सा0आ0सं0–5)

प्रस्तर सं0–59 ग्राम पंचायत **सुतनेरा** आलोच्य वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2016 में ग्रामनिधि खाता सं0 27000100004598 से कुल रु0 10200.00 के सफाई उपकरण के आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में सफाई कर्मचारी के भाग पल, उपकरण क्रय पर होने वाले अनुमानित व्यय व उसकी स्वीकृति तथा उपकरण का डेडस्टॉक रजिस्टर में आमद दर्ज होने की पुष्टि में डेडस्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिलेखों के अभाव में किया गया व्यय अपुष्ट है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान आशिफ अली एवं ग्रा0पं0अ0 मो0 उमर सिद्धिकी से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	आहरित धनराशि
08.10.2016	10200.00
योग	10200.00

(सा0आ0सं0–14)

प्रस्तर सं0–60 ग्राम पंचायत **सुतनेरा** आलोच्य वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2017 में ग्रामनिधि के खाता संख्या 27000100004598 से कुल रु0 28371.00 के हैण्डपम्प/नल मरम्मत के आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में जल प्रबंधन समिति द्वारा मरम्मत हेतु प्रस्ताव व कार्य स्थल वगैरह अंकित कराये गये बिना भुगतान किया जाना आपत्तिजनक रहा। लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, सार्वजनिक कार्यों का रजिस्टर रूप पत्र–2, चल व अचल सम्पत्ति का रजिस्टर, व्यय अनुमान पंजिका, कार्यवाही पंजिका, स्टॉक पंजिका अप्राप्त रही। जिससे किया गया व्यय अपुष्ट है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान आशिफ अली व ग्रा0पं0अधिकारी मो0 उमर सिद्धिकी से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	आहरित धनराशि
11.07.2016	5000.00
13.07.2016	11500.00
15.11.2016	10000.00
28.12.2016	1871.00
योग	28371.00

(सा0आ0सं0–15)

प्रस्तर सं0–61 ग्राम पंचायत **दोषपुर** आलोच्य वर्ष 2016–17 में 2016–17 के कोषवही में अन्तेष्टी स्थल निर्माण भिन्न–भिन्न तिथियों में कुल रुपये 802000.00 व्यय किया गया। जिसके संबंध में निम्न आपत्तियां हैः–

(क) कार्यवाही पुस्तिका एवं पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कोष–वही में दर्षित कार्यों का प्रस्ताव एवं उस पर हुये खर्चों का अनुमोदन ग्राम पंचायत से होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः व्यय फर्जी/संदिग्ध है।

(ख) सामग्रियों का क्रम आदेश एवं बिल वॉउचर जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सामग्रियों की क्रय की पुष्टि नहीं होती है। अतः व्यय फर्जी है।

(ग) ग्राम पंचायत का स्टॉक–बुक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ईंट, बालू, सरिया आदि क्रय सामग्रियों की पुष्टि नहीं होती। अतः कोषबही में दर्षित व्यय फर्जी है।
(घ) अवर अभियन्ता ग्रामीण के द्वारा किसी भी कार्य का प्रांक्कलन माप–पुस्तिका, जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य अपुष्टि एवं संदिग्ध है।
(ड़) उक्त कार्यों का मजदूरी भुगतान हेतु व्यय प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
(च) उक्त कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती है।
(छ) सेक्टर ए0डी0ओ0 / वी0डी0ओ0 द्वारा कार्यों की पुष्टि नहीं की गयी है, जिससे उपरोक्त व्यय कोष–बही में फर्जी दर्शाकर कुछ रुपये 802000.00 अपहरण किये जाने की पुष्टि होती है।
(ज) उक्त कार्य पर आयकर एवं व्यापार–कर कटौती नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त अपहरित धनराशि रुपये 802000.00 उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री लालाराम एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री नन्दकिशोर राणा ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–16)**

<u>प्रस्तर सं0–62</u> ग्राम पंचायत **नयागांव महसूलपुर** आलोच्य वर्ष 2016–17 में 2016–17 के कोषबही में खड़ंजा निर्माण मरम्मत भिन्न–भिन्न तिथियों में कुल रुपये 89200.00 व्यय किया गया। जिसे संबंध में निम्न आपत्तियां हैः–
(क) कार्यवाही पुस्तिका एवं पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कोषबही में दर्षित कार्यों का प्रस्ताव एवं उस पर हुये खर्चों का अनुमोदन ग्राम पंचायत से होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः व्यय फर्जी / संदिग्ध है।
(ख) सामग्रियों का क्रय आदेश एवं बिल वॉउचर जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सामग्रियों की क्रय की पुष्टि नहीं होती है। अतः व्यय फर्जी है।
(ग) ग्राम पंचायत का स्टॉक–बुक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ईंट आदि क्रय सामग्रियों की पुष्टि नहीं होती। अतः कोषबही में दर्षित व्यय फर्जी है।
(घ) तकनीकी अधिकारी से किसी भी कार्य का प्राक्कलन एवं माप–पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कार्य अपुष्टि एवं संदिग्ध है।
(ड़) उक्त कार्यों का मजदूरी भुगतान हेतु व्यय प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे समस्त कार्य पर व्यय फर्जी प्रतीत होता है।
(च) उक्त कार्यों का कार्यपूर्ति पी0सी0आर0 प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती है।
(छ) सेक्टर ए0डी0ओ0 / वी0डी0ओ0 द्वारा कार्यों की पुष्टि नहीं की गयी है, जिससे उपरोक्त व्यय कोषबही में फर्जी दर्शाकर कुछ रुपये 89200.00 अपहरण किये जाने की पुष्टि होती है।
(ज) उक्त कार्य पर आयकर एवं व्यापार–कर की कटौती नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त अपहरित धनराशि रुपये 89200.00 उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री मुनीष चन्द्र एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय तोमर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–10)**

<u>प्रस्तर सं0–63</u> ग्राम पंचायत **नयागांव उर्फ मोहम्मदपुर** आलोच्य वर्ष 2016–17 में 2016–17 के कोषबही में हैण्डपम्प मरम्मत भिन्न–भिन्न तिथियों में कुल रुपये 35440.00 व्यय किया गया। जिसके संबंध में निम्न आपत्तियां हैः–
(क) हैण्डपम्प खराब होने संबंधी रिर्पोट जल प्रबन्ध समिति द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।
(ख) हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय का आदेश एवं बिल वॉउचर एवं मजदूरी भुगतान का वॉउचर जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त कार्य फर्जी प्रती होता है।
(ग) मरम्मत कराये गये हैण्डपम्प की सूची एवं स्थलीय विवरण सेक्टर ए0डी0ओ0 द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उपरोक्त कार्य फर्जी प्रतीत होता है। सेक्टर ए0डी0ओ0 / बी0डी0ओ0 द्वारा कार्यों की पुष्टि नहीं की गयी।
(घ) ग्राम पंचायत के पुराने बदले गये समानों का स्टॉक पंजिका उनकी बिक्री से प्राप्त आय का कोई विवरण अप्रस्तुत रहा जिससे कार्य फर्जी प्रतीत होता है।
अतः उपरोक्त धन 35440.00 उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती नन्हीं बेगम ग्राम पंचायत अधिकारी ध्रुव पाण्डेय ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–15)**

<u>प्रस्तर सं0–64</u> ग्राम पंचायत **गन्धरपुर** ग्राम पंचायत की कोषवही / पासबुक के अनुसार रु0 298580.00 व्यय दर्षित किये गये है। व्यय रु0 298580.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्ययोजना, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृत एस्टीमेट, ईंट के डिलीवरी चालान, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं हो पायी। ग्राम प्रधान श्री सुरेश व सचिव श्री पंकज बाजपेयी व अन्य तत्कालीन सचिव के द्वारा बैंक से आहरित करके फर्जी व्ययों का उल्लेख कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।
अतः रु0 298580.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश व सचिव श्री पंकज बाजपेयी व अन्य तत्कालीन सचिव से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है**(सा0आ0सं0–04)**

<u>प्रस्तर सं0–65</u> ग्राम पंचायत **सिसैया** ग्राम पंचायत की कोषवही / पासबुक के अनुसार रु0 350083.00 व्यय दर्षित किये गये है। व्यय रु0 3580083.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्ययोजना, स्टॉक राजिस्टर, स्वीकृत एस्टीमेंट ईंट के डिलीवरी चालान, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में

उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं हो पायी। ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी व सचिव श्री शिवानंद व श्री धर्मेन्द्र अवस्थी के द्वारा बैंक से आहरित करके फर्जी व्ययों का उल्लेख कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।अतः रु0 350083.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विमला देवी व तत्कालीन सचिव श्री शिवानंद व श्री धर्मेन्द्र अवस्थी से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित **है।** **(सा0आ0सं0–27)**

प्रस्तर सं0–66 ग्राम पंचायत **चॉदा** पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि कैश बुक में दर्शाये गये व्ययों के संबंध में कोई प्रमाणक/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी धनराशि को गबन मानते हुए उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।
आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की कोषवही के अनुसार विभिन्न तिथियों में भिन्न–भिन्न मदों पर व्यय दर्षित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये।
व्ययों का विवरण निम्नवत है–

दिनांक	व्यय	मद
10.04.2015	10000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
10.04.2015	8855.00	मस्टर रोल, मिट्टी कार्य
10.04.2015	22000.00	ईंट खरीद मय ढुलाई
15.04.2015	2165.00	प्रिया साफ्ट फीडिंग
21.04.2015.	20300.00	ईंट खरीद मय ढुलाई
22.04.2015	60700.00	ईंट क्रय मय ढुलाई
29.04.2015	5237.00	मस्टर रोल, खड़ंजा हेतु
30.04.2015	9821.00	मस्टर रोल, मिट्टी कार्य
30.04.2015	8000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
05.05.2015	18000.00	ईंट क्रय मय ढुलाई
05.06.2015	9000.00	ईंट क्रय मय ढुलाई
11.06.2015	4000.00	ठेली क्रय
अंकित नहीं	39000.00	ईंट क्रय मय ढुलाई
02.09.2015	36000.00	ईंट क्रय मय ढुलाई
02.09.2015	3000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
21.09.2015	4093.00	मस्टर रोल खड़ंजा हेतु
21.09.2015	3000.00	ठेली मरम्मत
31.03.2015	1091.00	प्रधान के पास वर्षांत शेष
योग	264262.00	

अतः आलोच्य वर्ष में व्यय रु0 263171.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया तथा राजकीय धन का अपहरण किया गया। अतः अपहरित धनराशि रु0 263171.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती साजिदा बेगम एवं सचिव श्री उमर सिद्दकी व अन्य तत्कालीन सचिव से की जानी अपेक्षित है। आलोच्य वर्ष में श्रीमती साजिदा बेगम से रु0 1091.00 जो कि वर्षात में नकद थे, की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। साथ ही आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–27 व 28)**

प्रस्तर सं0–67 ग्राम पंचायत **मुडिया पमार** ग्राम पंचायत की कोषवही/पासबुक के अनुसार रु0 616794.00 व्यय दर्षित किये गये है। व्यय रु0 616794.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्ययोजना, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृत एस्टीमेंट, ईंट के डिलीवरी चालान, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं हो पायी। ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू गुप्ता व सचिव श्री पवन श्रीवास्तव के द्वारा बैंक से आहरित करके फर्जी व्ययों का उल्लेख कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।अतः रु0 616794.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू गुप्ता व सचिव श्री पवन श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0–04)

प्रस्तर सं0–68 ग्राम पंचायत **शिवनगर** पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार यदि कैश बुक में दर्शाये गये व्ययों के संबंध में कोई प्रमाणक/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी धनराशि को गबन मानते हुए उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।
आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की कोषवही के अनुसार विभिन्न तिथियों में भिन्न–भिन्न मदों पर व्यय दर्षित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये।
व्ययों का विवरण निम्नवत है–

हैण्डपम्प मरम्मत	13.05.2016	5000.00
	22.02.2017	9500.00
	01.03.2017	10000.00

	01.03.2017	10000.00
	योग	34500.00
ईंट क्रय	03.06.2016	21800.00
	03.06.2016	57225.00
	27.01.2017	23200.00
	27.01.2017	58300.00
	27.01.2017	31800.00
	06.03.2017	80298.00
	योग	272623.00
इंटरलॉकिंग ईंट क्रय	30.03.2017	33000.00
	योग	33000.00
सीमेंट, मौरंग आदि क्रय	04.06.201	9900.00
	29.09.2016	8560.00
	06.02.2017	22500.00
	03.03.2017	16800.00
	योग	57760.00
सोलर लाइट क्रय	24.02.2017	83200.00
	27.02.2017	104000.00
	योग	187200.00
मजदूरी	13.01.2017	23962.00
	30.01.2017	22428.00
	योग	46390.00
अन्य व्यय, मिट्टी कार्य	23.05.2016	23500.00
ठेली क्रय	..27.05.2016	16000.00
स्टेशनरी	30.01.2017	1572.00
फोटोकापी	13.01.2017	38.00
	योग	41110.00
	महायोग	672583.00

अतः आलोच्य वर्ष में व्यय रु0 672583.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया तथा राजकीय धन का अपहरण किया गया। अतः अपहरित धनराशि रु0 672583.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं सचिव श्री पवन श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है साथ ही आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–27)**

<u>प्रस्तर सं0–69</u> ग्राम पंचायत **भटपुरा रसूलपुर** ग्राम पंचायत के लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार कैश बुक में दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई <u>प्रमाणक/अभिलेख</u> उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं, तो ऐसी धनराशि को गबन मानते हुए उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

वर्ष 2015–16 में कोषवही/पास बुक के अनुसार रु0 1477000.00 व्यय दर्षित है, जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर माप पुस्तिका आदि कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये जिससे खर्च की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो पायी। ग्राम प्रधान श्री अनिल गुप्ता व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि बैंक से आहरित करके फर्जी व्ययों का उल्लेख कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया। अतः रु 1477000.00 की ब्याज सहित वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित उपरोक्त से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2016–17 में कोषवही/पासबुक के अनुसार रु0 367315.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे व्यय की गई धनराशि अपुष्ट रही। ग्राम प्रधान श्रीमती बबली, सचिव श्री महाराज सिंह व अन्य तत्कालीन सचिव ने बैंक से धन का आहरण करके फर्जी व्ययों का उल्लेख कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया, अस्तु रु0 367315.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से की जानी अपेक्षित हैं, साथ ही आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–27 व 28)**

<u>प्रस्तर सं0–70</u> ग्राम पंचायत **पसियाखेड़ा** वर्ष 2015–16 में कोषवही/पास बुक के अनुसार रु0 412834.00 व्यय दर्षित है, जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर माप पुस्तिका आदि कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे खर्च की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो पायी। ग्राम प्रधान श्री नन्हे एवं श्री शिवानंद,श्री धर्मेन्द्र अवस्थी व तत्कालीन ग्रामपंचायतअधिकारी द्वारा धनराशिबैंक से आहरित करके फर्जी व्ययों का

उल्लेख कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया। अतः रु0 412834.00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उपरोक्त से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–27 व 28)**

<u>प्रस्तर सं0–71</u> ग्राम पंचायत **पसियाखेड़ा** वर्ष 2015–16 में कोषवही/पास बुक के अनुसार रु0 397152.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर माप पुस्तिका आदि कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे व्यय की गई धनराशि अपुष्ट रही। ग्राम प्रधान श्रीमती नगीना व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बैंक से धन का आहरण करके फर्जी व्ययों का उल्लेख कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया, अस्तु रु0 397152.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से की जानी अपेक्षित हैं, साथ ही आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–27 व 28)**

<u>प्रस्तर सं0–72</u> ग्राम पंचायत **गांगेपारा** माह–अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक ग्राम निधि–1 से सम्बन्धित बैंक खाते से विभिन्न तिथियों में आहरित कुल धनराशि रू.151063.00 के व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख (प्रमाणक आदि) लेखा परीक्षा में एपलब्ध नहीं कराया गया जिससे रसजकीय अनुदान का अपहरण स्वतः सिद्व होता है। उक्त धन के अपहरण हेतु ग्राम प्रधान श्री राम बहादुर गुप्ता एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री राजेश पाल उत्तरदायी हैं, जिनसे ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–05)**

<u>प्रस्तर सं0–73</u> ग्राम पंचायत **मवैया खास** माह–अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक ग्राम निधि–1 से सम्बन्धित बैंक खाते से विभिन्न तिथियों में आहरित कुल धनराशि रू.251157.00 के व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख (प्रमाणक आदि) लेखा परीक्षा में एपलब्ध नहीं कराया गया जिससे रसजकीय अनुदान का अपहरण स्वतः सिद्व होता है। उक्त धन के अपहरण हेतु ग्राम प्रधान श्री आलोक सिंह एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री पंकज गंगवार उत्तरदायी हैं, जिनसे ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–05)**

<u>प्रस्तर सं0–74</u> ग्राम पंचायत **गुलड़िया** समीक्ष्य वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाता संख्या18180 में जमा रू.5695150.00 धनराशि में से रू.2968313.00 का आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया है। जो कि बैंक खाता से स्पष्ट है। परन्तु आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही के आय–व्यय पक्ष में बिल्कुल अंकित नहीं किये जाने के कारण उक्त धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही है। जिसका अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती संतोष कुमारी और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्रवण कुमार शर्मा ,संजीव भरद्वाज, संजीव सिन्हा के द्वारा सहायक विकास अधिकारी के सहयोग एवं मिलीभगत से संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संतोष कुमारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्रवण कुमार शर्मा व अन्य से ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती संतोष कुमारी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्रवण कुमार शर्मा व अन्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0)**

<u>प्रस्तर सं0–75</u> ग्राम पंचायत **इस्लामगंज** समीक्ष्य वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाता संख्या18162 में जमा रू.4073439.00 धनराषि में से रू.2459108.50 का आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया है। जो कि बैंक खाता से स्पष्ट है। परन्तु आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही के आय–व्यय पक्ष में बिल्कुल अंकित नहीं किये जाने के कारण उक्त धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही है। जिसका अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती ओमा देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिववालय शर्मा के द्वारा सहायक विकास अधिकारी के सहयोग एवं मिलीभगत से संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आमा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवालय शर्मा व अन्य से ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती ओमा देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिववालय शर्मा व अन्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–)**

<u>प्रस्तर सं0–76</u> ग्राम पंचायत **डोलापुर** समीक्ष्य वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाता संख्या18200 में जमा रू. 875199.00 धनराशि में से रू.433260.00 का आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया है। जो कि बैंक खाता से स्पष्ट है। परन्तु आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही के आय–व्यय पक्ष में बिल्कुल अंकित नहीं किये जाने के कारण उक्त धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही है। जिसका अपहरण ग्राम प्रधान श्री रनवीर और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूण निगम के द्वारा सहायक विकास अधिकारी के सहयोग एवं मिलीभगत से संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रनवीर तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूण निगम व अन्य से ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री रनवीर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूण निगम व अन्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–)**

<u>प्रस्तर सं0–77</u> ग्राम पंचायत **जेरा रहीमपुर** समीक्ष्य वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाता संख्या18172 में जमा रू.3980671.00 धनराशि में से रू.3094975.00 का आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया है। जो कि बैंक खाता से स्पष्ट है। परन्तु आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही के आय–व्यय पक्ष में बिल्कुल अंकित नहीं किये जाने के कारण उक्त धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही है। जिसका अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूण निगम के द्वारा सहायक विकास अधिकारी के सहयोग एवं मिलीभगत से संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूण निगम व अन्य से ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूण निगम व अन्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–)**

प्रस्तर सं0–78 ग्राम पंचायत **धर्मपुर पिण्डरिया** समीक्ष्य वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाता संख्या18156 में जमा रू.1069856.00 धनराशि में से रू.781586.50 का आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया है। जो कि बैंक खाता से स्पष्ट है। परन्तु आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही के आय–व्यय पक्ष में बिल्कुल अंकित नहीं किये जाने के कारण उक्त धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही है। जिसका अपहरण ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद वर्मा के द्वारा सहायक विकास अधिकारी के सहयोग एवं मिली भगत से संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद वर्मा व अन्य से ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद वर्मा व अन्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–)**

प्रस्तर सं0–79 ग्राम पंचायत **खण्डहर** समीक्ष्य वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाता संख्या18215 में जमा रू. 2432719.50 धनराशि में से रू.2323858.00 का आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया है। जो कि बैंक खाता से स्पष्ट है। परन्तु आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही के आय–व्यय पक्ष में बिल्कुल अंकित नहीं किये जाने के कारण उक्त धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही है। जिसका अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती विटोली देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद वर्मा के द्वारा सहायक विकास अधिकारी के सहयोग एवं मिलीभगत से संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विटोली देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद वर्मा व अन्य से ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती विटोली देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद वर्मा व अन्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–)**

प्रस्तर सं0–80 ग्राम पंचायत **ज्ञानपुर मंगोला** समीक्ष्य वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाता संख्या18151 में जमा रू.1172925.00 धनराशि में से रू.808983.00 का आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया है। जो कि बैंक खता से स्पष्ट है। परन्तु आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही के आय–व्यय पक्ष में बिल्कुल अंकित नहीं किये जाने के कारण उक्त धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही है। जिसका अपहरण ग्राम प्रधान श्री अमरपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राधेश्याम आनन्द के द्वारा सहायक विकास अधिकारी के सहयोग एवं मिलीभगत से संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अमरपाल तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राधेश्याम आनन्द व अन्य से ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री अमरपाल ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राधेश्याम आनन्द व अन्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–)**

प्रस्तर सं0–81 ग्राम पंचायत **शेरपुर चुरघुटी** समीक्ष्य वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाता संख्या18217 में जमा रू.1049689.00 धनराशि में से रू.1020897.00 का आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया है। जो कि बैंक खता से स्पष्ट है। परन्तु आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही के आय–व्यय पक्ष में बिल्कुल अंकित नहीं किये जाने के कारण उक्त धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही है। जिसका अपहरण ग्राम प्रधान श्री अंगदराम और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश शर्मा, अरूण निगम के द्वारा सहायक विकास अधिकारी के सहयोग एवं मिलीभगत से संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अंगदराम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश शर्मा, अरूण निगम व अन्य से ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री अंगदराम ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश शर्मा, अरूण निगम व अन्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–)**

प्रस्तर सं0–82 ग्राम पंचायत **मनोरथपुर सहसोवारी** समीक्ष्य वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाता संख्या18187 में जमा रू.922168.00 धनराशि में से रू.852625.00 का आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया है। जो कि बैंक खाता से स्पष्ट है। परन्तु आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही के आय–व्यय पक्ष में बिल्कुल अंकित नहीं किये जाने के कारण उक्त धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही है। जिसका अपहरण ग्राम प्रधान श्री सिपाही लाल और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुलदीप सक्सेना के द्वारा सहायक विकास अधिकारी के सहयोग एवं मिलीभगत से संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सिपाही लाल तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुलदीप सक्सेना व अन्य से ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री सिपाही लाल ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुलदीप सक्सेना व अन्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–)**

प्रस्तर सं0–83 ग्राम पंचायत **शाहपुर** समीक्ष्य वर्ष 2016–17 में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाता संख्या18209 में जमा रू. 701325.00 धनराशि में से रू.635437.50 का आहरण विभिन्न दिनांकों में किया गया है। जो कि बैंक खाता से स्पष्ट है। परन्तु आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही के आय–व्यय पक्ष में बिलकुल अंकित नहीं किये जाने के कारण उक्त धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही है। जिसका अपहरण ग्राम प्रधान श्री महेश्वर सिंह और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूण निगम के द्वारा सहायक विकास अधिकारी के सहयोग एवं मिलीभगत से संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री महेश्वर सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूण निगम व अन्य से ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री महेश्वर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूण निगम व अन्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–)**

प्रस्तर सं0–84 ग्राम पंचायत **सरसवां** ग्राम पंचायत की कोषवही/पासबुक के अनुसार व्यय दर्षित किये गये है व्यय रु0 600900.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, टेन्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति कार्ययोजना, डी0पी0सी0–9 स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृत एस्टीमेंट, ईंट के डिलीवरी चालान, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि कोई भी व्यय प्रमाणक

लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम प्रधान श्री नन्हें सिंह व श्रीमती कान्ती देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपेन्द्र कुमार व श्री महेश कान्त पाण्डेय द्वारा बैंक से आहरित करके फर्जी व्ययों का उल्लेख करके धन का अपहरण कर लिया गया है व्यय स्वयं में फर्जी स्पष्ट है।अतः रु0 600900.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नन्हें सिंह व श्रीमती कान्ती देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपेन्द्र कुमार व श्री महेश कान्त पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–05)**

प्रस्तर सं0–85 ग्राम पंचायत **भरई** ग्राम पंचायत की कोषवही/पासबुक के अनुसार व्यय दर्षित किये गये है व्यय रु0 1117596.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, टेन्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति, कार्ययोजना, डी0पी0सी0–9, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृत एस्टीमेंट, ईंट के डिलीवरी चालान, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम प्रधान श्री गयाराम व श्रीमती गंगा कुंवारी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुलदीप सक्सेना व श्री मो0 इलियास द्वारा बैंक से आहरित करके फर्जी व्ययों का उल्लेख करके धन का अपहरण कर लिया गया है व्यय स्वयं में फर्जी स्पष्ट है।अतः रु0 1117596.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गयाराम व श्रीमती गंगा कुंवारी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुलदीप सक्सेना व श्री मो0 इलियास से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–05)**

प्रस्तर सं0–86 ग्राम पंचायत **बझेडा भगवानपुर** ग्राम पंचायत की कोषवही/पासबुक के अनुसार व्यय दर्षित किये गये है व्यय रु0 1035721.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, टेन्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति, कार्ययोजना, डी0पी0सी0–9, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृत एस्टीमेंट, ईंट के डिलीवरी चालान, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ती मौर्या व श्रीमती ऊषा चौहान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुलदीप सक्सेना व श्री उमेश कुमार द्वारा बैंक से आहरित करके फर्जी व्ययों का उल्लेख करके धन का अपहरण कर लिया गया है व्यय स्वयं में फर्जी स्पष्ट है।अतः रु0 1035721.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ती मौर्या व श्रीमती ऊषा चौहान व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुलदीप सक्सेना व श्री उमेश कुमार से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–05)**

प्रस्तर सं0–87 ग्राम पंचायत **शिकारपुर** ग्राम पंचायत की कोषवही/पासबुक के अनुसार व्यय दर्षित किये गये है व्यय रु0 1437680.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, टेन्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति, कार्ययोजना, डी0पी0सी0–9, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृत एस्टीमेंट, ईंट के डिलीवरी चालान, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम प्रधान श्रीमती कुसमा देवी व श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुलदीप सक्सेना व श्री उमेश कुमार द्वारा बैंक से आहरति करके फर्जी व्ययों का उल्लेख करके धन का अपहरण कर लिया गया है व्यय स्वयं में फर्जी स्पष्ट है।अतः रु0 1437680.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कुसमा देवी व श्री राजेन्द्र सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुलदीप सक्सेना व श्री उमेश कुमार से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–05)**

प्रस्तर सं0–88 ग्राम पंचायत भुरसण्डी ग्राम पंचायत **रामपुर** ग्राम पंचायत की कोषवही/पासबुक के अनुसार व्यय दर्षित किये गये है व्यय रु0 948123.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, टेन्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति, कार्ययोजना, डी0पी0सी0–9, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृत एस्टीमेंट, ईंट के डिलीवरी चालान, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे किये गये व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम प्रधान श्री अग्रवाल व श्री अजय पाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपेन्द्र कुमार व श्री रामसरन सिंह यादव द्वारा बैंक से आहरित करके फर्जी व्ययों का उल्लेख करके धन का अपहरण कर लिया गया है व्यय स्वयं में फर्जी स्पष्ट है। अतः रु0 948123.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री अग्रपाल व श्री अजय पाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपेन्द्र कुमार व श्री रामसरन सिंह यादव से की जानी अपेक्षित है साथ ही नियमानुसार उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0–05)**

प्रस्तर–89 निम्नानुसार विभिन्न तिथियो प्रघान द्वारा नकर आहरण कर व्यय दर्शाया गया है । प्रधान व सचिव द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में नकद आहरण करना अत्यन्तत गम्भीर विषय व उच्चाधिकारियों के आदेश व विभागीय दिशा –निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

दिनांक	चेक न0	धनराशि		दिनांक	व्यय का मद	धनराशि
18.5.16	557387	40000.		....	....	....
03.06.16	557389	100000		03.06.16	सीमेन्ट मौरंग बजरी	100000
21.6.16	557392	50000		20.06.16	मस्टर रोल	39150
21.06.16	557393	10000		21.06.216	रेता महीन	10000
29.0616	557394	100000		29.06.16	मिट्टी100ट्राली	50000
30.06.16	557396	20000		30.06.16	हैण्डपम्पमरम्मत	20000
08.09.16	562702	20000		30.06.16	मस्टर रोल खड़जा	46900

08.09.16	562701	20000		20.07.16	कम्प्यूटरकार्य /फोटो कापी	3055
16.09.16	562705	40000		31.07.16	मस्टर रोल नाली	50895
17.09.16	562707	20000		08.09.16	हेन्ड पम्प मरम्मत	20000
21.09.16	562706	20000		08.09.16	हयूम पाईप क्रय	20000
27.01.17	562929	14000		17.09.16	ईट	25000
30.01.17	562933	10000		30.09.16	मस्टर रोल	54078
07.02.17	562927	17000		30.01.17	हैण्ड पम्प मरम्मत	24000
07.02.17	557398	25000		20.02.17	मस्टर रोल	16198
		506000		07.03.17	मस्टर रोल मस्टर रोल योग	13764 11504 504544.

ग्राम पंचायत भुरसण्डी उपरोक्त नकद आहरित धन रू0506000.00के सापेक्ष रू0504544.00 दर्षित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये न ही कोई ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य यथा स्टॉक पंजिका, कार्यवाही पंजिका, साम्रगी आमद चालान, माप पंजिका निर्माण कार्य पंजिका, सत्यापन आख्याएं आदि प्रस्तुत किया गया जिससे पुष्टित हो सके कि उपरोक्त व्यय वास्तविक है। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के अध्याय–8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि किसी भुगतान के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो उसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से बराबर की जायेगी । इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री क्रय किये जाने हेतु कुटेशन /निविदा आमंत्रित नहीं किया गया जो यह पुष्टि करता है कि सामग्री की आमद संदिग्ध है तथा सामग्री आमद संदिग्ध होने से मस्टर रोल व्यय भी संदिग्ध है। अस्तु उपरोक्त के परिपेक्ष्य में व्यय दर्षित की गई धनराशि की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली प्रधान केन्द्रपालव सचिव श्री सतीश से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।**(सा0आ0सं010)**

प्रस्तर संख्या 90 निम्न भुगतान क्रय प्रकिया का उल्लघन एवं प्रमाणक उपलब्ध न होने के कारण प्रधान श्री केन्द्रपाल सचिव श्री सतीश से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली योग्य है।

दिनांक	धनराशि	व्यय का मद
23.05.16	5000	सफाई उपकरण
13.0616	100000	ईट क्रय
29.06.16	50000	ईट क्रय
15.07.16	154000	ईट क्रय
16.09.16	50000	सीमेन्ट,मोंरग
16.09.16	60000	ईट
25.10.16	1000	विज्ञापन
02.12.16	15000	बिल्डिंग मटेरियल
02.12.16	20000	बिल्डिंग मटेरियल
17.12.16	1500	विज्ञापन
30.12.16	12800	ढेली क्रय
30.01.17	90209	ईट क्रय
30.01.17	20978	ईट क्रय
07.02.17	16999	सीमेन्ट ,मोरंग
31.03.17	10000	स्टेशनरी
योग	598486	

(क)उपरोक्त दर्षित व्यय की पुष्टि में ईट आमद चालान ,स्टॉक पंजिका ,मूल प्रमाणक ,निर्माण कार्य पंजिका आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ।

(,ख)नियमानुसार रू025000.00से अधिक 100000.00तक के क्रय हेतु कुटेशन व 100000 से अधिक के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किया जाना था परन्तु इसका उल्लंघन किया गया । अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश लेखा मैनुअल अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) के दृष्टिगत उपरोक्त व्यय रू0598486.00की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री केन्द्रपाल सचिव श्री सतीश से बराबर–बराबर की जाये ।**(सा0आ0स011)**

प्रारूप–4
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17
(ग्राम पंचायतो से संबन्धित आपत्तियां)

जनपद–बस्ती **संभाग–बस्ती**

प्रस्तर–01–विकास खण्ड बहादुर की ग्राम पंचायत मल्हवारा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक मे आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में कुल 25 सोलर लाइट क्रय पर कुल रू0 559380.00 का व्यय किय जाना दर्षित है लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय सम्बन्धित प्रमाणक प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/ स्थलीय सत्यापन प्रमाणपत्र, चल–अचल सम्पत्ति रजिस्टर आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्यो की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही करायी गयी इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रवि प्रकाश, प्रधान से रू0 279690.00 तथा आनन्द सिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 279690.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
559380.00	–	–	559380.00

प्रस्तर–02–विकास खण्ड बहादुर की ग्राम पंचायत मल्हवारा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि–। खाते से क्रय की गयी निमार्ण एवं अन्य सामग्रियों की बिलो से टी0डी0एस0 की कटौती कुल रू0 16816.00 न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री आनन्द सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 8408.00 एवं श्रीमती कुसुमलता सिंह, ग्रा0प0अधि0 से रू0 8408.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	16816.00	16816.00

प्रस्तर–03–विकास खण्ड बहादुर की ग्राम पंचायत अमिलहा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते से विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्षित कुल व्यय रू0 55560.00 से संबन्धित प्रस्ताव/स्वीकृति प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मेहरून्निशां, प्रधान से रू0 27780.00 तथा श्री आनन्द सिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 27780.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
55560.00	–	–	55560.00

प्रस्तर–04–विकास खण्ड बहादुर की ग्राम पंचायत अमिलहा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते से कलवारी बस्ती मार्ग से हरिराम के घर तक खण्डजा मरम्मत मद पर विभिन्न तिथियों में दर्षित कुल व्यय रू0 130000.00 से संबन्धित प्रस्ताव/स्वीकृति, प्रमाणक, मस्टररोल, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निमार्ण कार्य रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर साथ ही ईट एवं मजदूरी का चेक अनधिकृत फर्म/व्यक्ति (नेशलन पेण्ट एण्ड हार्डवेयर से ईट एवं श्री अखलाक अहमद को मजदूरी) निर्गत कर तथा औचित्य की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मेहरून्निशां, प्रधान से रू0 65000.00.00 तथा श्री आनन्द सिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 65000.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
130000.00	–	–	130000.00

प्रस्तर–05–विकास खण्ड बहादुर की ग्राम पंचायत अमिलहा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते से सोलर लाईट, स्टीट लाईट एवं हयूम पाइप क्रय मद में दर्षित कुल व्यय रू0 593500.00 से संबन्धित प्रस्ताव/स्वीकृति, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, चल अचल सम्पत्ति रजिसअर आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर तथा व्यय के वास्तविकता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मेहरून्निशां, प्रधान से रू0 296750.00.00 तथा श्री आनन्द सिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 296750.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
593500.00	–	–	593500.00

प्रस्तर–6–विकास खण्ड साउघाट की ग्राम पंचायत भीटारामसेन के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते से बैक स्टेटमेण्ट अनुसार (अभिलेखा आडिट में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने की दशा में) दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक की अवधि में कुल रू0 786539.00 की निकासी की गयी है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय सम्बन्धी कैशबुक, पारित प्रस्ताव, कार्ययोजनाओं की सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व स्वीकृति, प्रमाणक, मस्टररोल, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/ स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक सार्वजनिक निमार्ण कार्य रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्यो की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि न

कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम प्रकाश, प्रधान से रू0 393270.00 तथा श्री मनोज मिश्र, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 393269.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
593500.00	—	—	593500.00

प्रस्तर–07–विकास खण्ड साउघाट की ग्राम पंचायत पैडाखरहरा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते से बैक स्टेटमेण्ट अनुसार (अभिलेखा आडिट में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने की दशा में) दिनांक 01.04. 16 से 31.03.17 तक की अवधि में कुल रू0 682660.00 की निकासी की गयी है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय सम्बन्धी कैशबुक, पारित प्रस्ताव, कार्ययोजनाओं की सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व स्वीकृति, प्रमाणक, मस्टररोल, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/ स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक सार्वजनिक निमार्ण कार्य रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्यो की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री आदर्श प्रताप सिंह, प्रधान से रू0 341330.00 तथा श्री देवनायकसिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 341330.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
682660.00	—	—	682660.00

प्रस्तर–08–विकास खण्ड रूधौली की ग्राम पंचायत हसनी के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में दिनांक 27.12.16 को 23 नग स्टीट लाईट क्रय दर्षित कर रू0 102527.00 की निकासी की गयी है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, भौतिक सत्यापन तथा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्यो की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही करयी गयी। इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शुभांगी मिश्रा, प्रधान से रू0 51264.00.00 तथा श्री शिवकुमारलाल, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 51263.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
102527.00	—	—	102527.00

प्रस्तर–09–विकास खण्ड रूधौली की ग्राम पंचायत हसनी के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में दिनांक 04.03.17 को स्टीट लाईट मरम्मत व्यय दर्षित कर रू0 34398.00 अज्ञात फर्म को भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा में औचित्य विषयक पत्र/ प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, भौतिक सत्यापन तथा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्यो की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शुभांगी मिश्रा, प्रधान से रू0 17199.00 तथा श्री शिवकुमारलाल, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 17199.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
34398.00	—	—	34398.00

प्रस्तर–10विकास खण्ड रूधौली की ग्राम पंचायत मैनी के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक कुल निकासी रू0 655171.00 का व्यय विभिन्न योजनाओं पर किया जाना दर्षित है लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय सम्बन्धित स्वीकृत प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र चल एवं अचल सम्पत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निमार्ण कार्य रजिस्टर, एम0बी0 बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्यो की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मो0 इसराक, प्रधान से रू0 327586.00 तथा श्री संजीव कुमार, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 327585.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
655171.00	—	—	655171.00

प्रस्तर–11–विकास खण्ड दुबौलिया की ग्राम पंचायत एकडेगवा (मरवटिया) के वर्ष 2005–06 से 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–।खाते की कैशबुक में दिनांक 01.04.14 से 30.11.15 तक कुल निकासी रू0 891772.00 का व्यय विभिन्न योजनाओं पर किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय सम्बन्धित स्वीकृत प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक,मस्टररोल,प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र चल एवं अचल सम्पत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निमार्ण कार्य रजिस्टर, एम0बी0बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर दर्षित कार्यो की वास्तविकता एवं व्यय

की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती आरती देवी, प्रधान से रू0 445886.00 तथा श्री प्रेमचन्द्र, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 445886.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
891772.00	–	–	891772.00

प्रस्तर–12–विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत बढौनी के वर्ष 2015–16 से 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 01.04.15 से 30.11.16 तक कुल रू0 432898.00 की निकासी कर व्यय किया गया है जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, मस्टररोल तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की गयी धनराशि रू0 432898.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सीतापति, प्रधान से रू0 216449.00 तथा श्री शिवनन्दन त्रिपाठी, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 216449.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
432898.00	–	–	432898.00

प्रस्तर–13–विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत बढौनी के वर्ष 2015–16 से 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 01.12.16 से 31.03.17 तक कुल रू0 243859.00 की निकासी कर व्यय किया गया है जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, मस्टररोल तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की गयी धनराशि रू0 243859.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सीतापति, प्रधान से रू0 121930.00 तथा श्री सुभाष चन्द्र, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 121929.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
243859.00	–	–	243859.00

प्रस्तर–14–विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत सिद्धौर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक कुल रू0 436415.00 की निकासी कर व्यय किया गया है जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, मस्टररोल तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे, जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की गयी धनराशि रू0 436415.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सूरज, प्रधान से रू0 218208.00 तथा श्री हीरासिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 218207.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
436415.00	–	–	436415.00

प्रस्तर–15–विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत सिद्धौर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निर्मल भारत अभियान खाते से कुल निकासी रू0 72000.00 कैशबुक में दर्षित है। जिसके उपयोगिता की पुष्टि में प्रमाणक एंव प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/ भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये जाने से दर्षित व्यय के उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की गयी धनराशि रू0 72000.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सूरज, प्रधान से रू0 36000.00 तथा श्री हीरासिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 36000.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
72000.00	–	–	72000.00

प्रस्तर–16–विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत धेनुगंवा खुर्द के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की पासबुकएवं कैशबुक अनुसार दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक कुल रू0 1277495.00 की निकासी कर व्यय किया गया है, जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, मस्टररोल तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे, जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की गयी धनराशि रू0 1277495.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती उमा सिंह, प्रधान से रू0 638748.00 तथा श्री नरोत्तम, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 638747.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1277495.00	—	—	1277495.00

प्रस्तर–17–विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत करनपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की पासबुकएवं कैशबुक अनुसार दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक कुल रू0 953987.00 की निकासी कर व्यय किया गया है, जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, मस्टररोल तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे, जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की गयी धनराशि रू0 953987.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम दत्त, प्रधान से रू0 476994.00 तथा श्री नरोत्तम, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 476993.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
953987.00	—	—	953987.00

प्रस्तर–18–विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत नियामतपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में विभिन्न तिथियों में दर्षित सोलर लाईट क्रय मद में कुल रू0 254487.00 का व्यय दर्शाया गया है जिससे सम्बन्धित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रमाणक, मस्टररोल, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/ स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, चल एवं अचल सम्पत्ति रजिस्टर एम0बी0 बुक आदि लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्यो की वास्तविकता व व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता तथा निमार्ण समिति की संस्तुति की पुष्टि नही करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय रू 254487.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती विद्या देवी, प्रधान से रू0 127244.00 तथा श्री राहुल, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 127243.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
254487.00	—	—	254487.00

प्रस्तर–19–विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत नियामतपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में क्रय की गयी निमार्ण एवं अन्य सामग्रियों के बिलो से टी0डी0एस0 की कटौती कुल रू0 8123.00 न कर के राजकीय राजस्व की क्षति पहुचाते हुए गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती विद्या देवी, प्रधान से रू0 4062.00 तथा श्री राहुल, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 4061.00 की करते हुए कुल धनराशि निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाना चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	8123.00	8123.00

प्रस्तर–20–विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत इमिलिया के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में फुल्लूमिंया के घर से पप्पू धोबी के घर तक नाली निमार्ण मद में विभिन्न तिथियों में कुल रू0 139295.00 का व्यय दर्शाया गया है जिससे सम्बन्धित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रमाणक, मस्टररोल, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/ स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, चल एवं अचल सम्पत्ति रजिस्टर एम0बी0 बुक आदि लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्य की वास्तविकता व व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता तथा निमार्ण समिति की संस्तुति की पुष्टि नही करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय रू0 139295.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती अनीता, प्रधान से रू0 69648.00 तथा श्री राहुल, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 69647.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
139295.00	—	—	139295.00

प्रस्तर–21–विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत इमिलिया के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में क्रय की गयी निमार्ण एवं अन्य सामग्रियों के बिलो से टी0डी0एस0 की कटौती कुल रू0 11995.00 न कर के राजकीय राजस्व की क्षति पहुचाते हुए गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती अनीता, प्रधान से रू0 5998. 00 तथा श्री राहुल, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 5997.00 की करते हुए कुल धनराशि निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाना चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	11995.00	11995.00

प्रस्तर–22–विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत फूलडीह के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में छेदी लाल के घर के सामने से प्रेमनरायण के घर तक इण्टरलाकिंग मद में विभिन्न तिथियों में कुल रू0 204417.00 का व्यय दर्शाया गया है जिससे सम्बन्धित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रमाणक, मस्टररोल, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/ स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, चल एवं अचल सम्पत्ति रजिस्टर एम0बी0 बुक आदि लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्य की वास्तविकता व व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता तथा निमार्ण समिति की संस्तुति की पुष्टि नही करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय रू0 204417.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण

किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अखिलेश, प्रधान से रू0 102209.00 तथा श्री राहुल, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 102208.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
204417.00	–	–	204417.00

प्रस्तर–23 विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत फूलडीह के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में क्रय की गयी निमार्ण एवं अन्य सामग्रियों के बिलो से टी0डी0एस0 की कटौती कुल रू0 12855.00 न कर के राजकीय राजस्व की क्षति पहुचाते हुए गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली श्री अखिलेश, प्रधान से रू0 6428.00 तथा श्री राहुल, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 6427.00 की करते हुए कुल धनराशि निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवष्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	12855.00	12855.00

प्रस्तर–24–विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत सिकटहा पाण्डेय के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में हयूम पाइप तथा हैण्डपम्प मरम्मत मद में विभिन्न तिथियों में कुल रू0 189300.00 का व्यय दर्शाया गया है जिससे सम्बन्धित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रमाणक, मस्टररोल, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/ स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, चल एवं अचल सम्पत्ति रजिस्टर एम0बी0 बुक आदि लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्य की वास्तविकता व व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता तथा निमार्ण समिति की संस्तुति की पुष्टि नही करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय रू0 189300.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मंजू देवी, प्रधान से रू0 94650.00 तथा श्री संजीव कुमार, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 94650.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
189300.00	–	–	189300.00

प्रस्तर–25–विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत सिकटहा पाण्डेय के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में क्रय की गयी निमार्ण एवं अन्य सामग्रियों के बिलो से टी0डी0एस0 की कटौती कुल रू0 12822.00 की की गयी है किन्तु इस धनराशि को निधि–। खाते में रखा गया है जबकि इसे निर्धारित खाता/शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा न कर के गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए श्रीमती मंजू देवी, प्रधान रू0 6411.00 तथा श्री संजीव कुमार, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 6411.00 के लिए उत्तरदायी है इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	12822.00	12822.00

प्रस्तर–26–विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत माडन के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में माडन मोड से श्री राम उमंग सिंह के घर तक खण्डजा मरम्मत मद में विभिन्न तिथियों में कुल रू0 194756.00 व्यय किया गया है जिससे संबन्धित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रमाणक, मस्टररोल, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर, एम0बी0 बुक, स्टॉक रजिस्टर आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्यो की वास्तविकता, व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता एवं निर्माण कार्य समिति की संस्तुति की पुष्टि नही करायी गयी इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय रू0 194756.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती यशोदा सिंह, प्रधान से रू0 97378.00 तथा श्री आनन्द सिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 97378.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
194756.00	–	–	194756.00

प्रस्तर–27–विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत माडन के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि–। खाते से क्रय की गयी निमार्ण एवं अन्य सामग्रियों के बिलो से टी0डी0एस0 की कटौती कुल रू0 5456.00 न कर के राजकीय राजस्व की क्षति पहुचाते हुए गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली श्रीमती यशोदा सिंह, प्रधान से रू0 2728.00 तथा श्री आनन्द सिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 2728.00 की करते हुए कुल धनराशि निर्धारित लेखा शीर्षक/खाता में जमा कराया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	5456.00	5456.00

प्रस्तर–28–विकास खण्ड साउघाट की ग्राम पंचायत केशवारा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में तमेसर के धर से दक्षिण टोला तक नाली निर्माण मद में विभिन्न तिथियों में कुल रू0 145817.00 व्यय किया गया है। जिससे संबन्धित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रमाणक, मस्टररोल, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर, एम0बी0 बुक, स्टॉक रजिस्टर आदि मांगोपरान्त

प्रस्तुत न कर दर्षित कार्यो की वास्तविकता, व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता एवं निर्माण कार्य समिति की संस्तुति की पुष्टि नही करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय रू0 145817.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री ईश्वर चन्द्र, प्रधान से रू0 72909.00 तथा श्री मनोज मिश्र, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 72908.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
145817.00	—	—	145817.00

<u>प्रस्तर–29–</u>विकास खण्ड साउघाट की ग्राम पंचायत केशवारा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि–। खाते से क्रय की गयी निमार्ण एवं अन्य सामग्रियों के बिलो से टी0डी0एस0 की कटौती कुल रू0 15899.00 न कर के राजकीय राजस्व की क्षति पहुचाते हुए गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली श्री ईश्वरचन्द्र, प्रधान से रू0 7950.00 तथा श्री मनोज मिश्र, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 7949.00 की करते हुए कुल धनराशि निर्धारित लेखा शीर्षक/खाता में जमा कराया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	15899.00	15899.00

<u>प्रस्तर–30–</u>विकास खण्ड सल्टौआ की ग्राम पंचायत आमा प्रथम के वर्ष 2014–15 से 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते के बैक स्टेटमेण्ट अनुसार दिनांक 05.04.14 को चेक संख्या 465695 से रू0 2000.00 की निकासी की गयी है जिसकी प्रविष्ठि कैशबुक के आय एवं व्यय पक्ष में न दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुनीता देवी, प्रधान से रू0 1000.00 तथा श्री राजेन्द्र दूबे, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 1000.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
2000.00	—	—	2000.00

<u>प्रस्तर–31–</u>विकास खण्ड सल्टौआ की ग्राम पंचायत आमा प्रथम के वर्ष 2014–15 से 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत मद में कुल रू0 134000.00 व्यय किया जाना दर्षित है। जिससे संबन्धित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रमाणक, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, मरम्मत कराने का आवेदन पत्र एवं मरम्मत उपरान्त सही कार्य करने का प्रमाण पत्र आदि मागोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्यो की वास्तविकता, व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता एवं जल प्रबन्ध समिति की संस्तुति की पुष्टि नही करायी गयीं। इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय रू0 134000.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुनीता देवी, प्रधान से रू0 67000.00 तथा श्री राजेन्द्र दूबे, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 67000.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
134000.00	—	—	134000.00

<u>प्रस्तर–32–</u>विकास खण्ड सल्टौआ की ग्राम पंचायत पकरीभीखी के वर्ष 2014–15 से 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत मद में कुल रू0 66918.00 व्यय किया जाना दर्षित है। जिससे संबन्धित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रमाणक, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, मरम्मत कराने का आवेदन पत्र एवं मरम्मत उपरान्त सही कार्य करने का प्रमाण पत्र आदि मागोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्यो की वास्तविकता, व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता एवं जल प्रबन्ध समिति की संस्तुति की पुष्टि नही करायी गयीं। इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय रू0 66918.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रामरूप गुप्ता, प्रधान से रू0 33459.00 तथा श्री रामतेज वर्मा, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 33459.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
66918.00	—	—	66918.00

<u>प्रस्तर–33–</u>विकास खण्ड दुबौलिया की ग्राम पंचायत सरैयाअतिबल के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते के अभिलेख मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे। बैक स्टेटमेण्ट अनुसार दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक की अवधि में कुल रू0 117906.00 की निकासी की गयी है। जिससे संबन्धित कैशबुक, पारित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रमाणक, मस्टररोल, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, सार्वजनिक निमार्ण कार्य रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्यो की वास्तविकता, व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नही करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती पियारी, प्रधान से रू0 58953.00 तथा श्री मदनगोपाल, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 58953.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
117906.00	–	–	117906.00

प्रस्तर–34–विकास खण्ड दुबौलिया की ग्राम पंचायत बरदिया लोहार के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में दिनांक 31.03.17 को रू0 29622.00 की निकासी कर कैशबुक के व्यय पक्ष में मणि एण्ड एशोसिएट को टी0डी0एस0 एवं सर्विस चार्ज भुगतान किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय संबन्धित प्रमाणक/जमा चालान मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर उक्त व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही करायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रामदास, प्रधान से रू0 14811.00 तथा श्री राजेश पाण्डेय, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 14811.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
29622.00	–	–	29622.00

प्रस्तर–35–विकास खण्ड रूधौली की ग्राम पंचायत नटाईकला के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में दिनांक 30.03.17 को हैण्डपम्प मरम्मत मद में नगद भुगतान रू0 14467.00 दर्षित है लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय सम्बन्धी जल प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं लाभार्थी द्वारा निर्गत कृत कार्य प्रमाण पत्र आदि मांगो परान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्यो की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही करायी गयी इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती ज्ञानमती, प्रधान से रू0 7234.00 तथा श्रीमती शुभावती शुक्ला, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 7233.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
14467.00	–	–	14467.00

प्रस्तर–36–विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत खैराटी के वर्ष 2015–16 से 16–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में दिनांक 25.01.16 को रू0 39916.00 दस अद्द इण्डिया मार्का हैण्डपंप मरम्मत मद में व्यय किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में व्यय से संबन्धित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, आवेदन पत्र एवं हैण्डपंप के सही होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर उक्त दर्षित व्यय रू0 39916.00 की वास्तविकता एव उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मालती देवी, प्रधान से रू0 19958.00 तथा श्री शिवनन्दन त्रिपाठी, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 19958.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
39916.00	–	–	39916.00

प्रस्तर–37–विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत खैराटी के वर्ष 2015–16 से 16–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में दिनांक 22.03.16 को रू0 7933.00 एक आलमारी क्रय पर दर्षित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के सापेक्ष क्रयादेश, व्यय प्रमाणक एवं खरीद की उपयोगिता की पुष्टि नही करायी गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मालती देवी, प्रधान से रू0 3967.00 तथा श्री शिवनन्दन त्रिपाठी, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 3966.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
7933.00	–	–	7933.00

प्रस्तर–38–विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत खैराटी के वर्ष 2015–16 से 16–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में दिनांक 30.03.16 को वर्तमान प्रधान द्वारा रू0 2500.00 कैशबुक में मानदेय माह दिसम्बर–15 मद में नये प्रधान को मानदेय प्राप्त दर्शाया गया है। चूंकि लेखा परीक्षा में कार्यकाल शुरू होने की पुष्टि में ग्राम पंचायत की बैठक उक्त माह में होने की सूचना अप्राप्त रही अतः रू0 2500.00 का भुगतान अनियमित है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मालती देवी, प्रधान से पूर्ण रूप से रू0 2500.00 की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	2500.00	2500.00

प्रस्तर–39–विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत खैराटी के वर्ष 2015–16 से 16–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में दिनांक 15.12.16 को रू0 103529.00 ह्यूम पाइप नाली निमार्ण सामग्री पर तथा दिनांक 16.12.16 को रू0 16800.00 उपरोक्त परियोजना पर मजदूरी मद में व्यय कैशबुक में दर्षित है कुल व्यय रू0 120329.00 से संबन्धित प्रस्ताव, स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मालती देवी, प्रधान से रू0 60165.00 एवं श्री शिवनन्दन त्रिपाठी, ग्रा0पं0अ0 से रू0 60164.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
120329.00	–	–	120329.00

प्रस्तर–40–विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत खैराटी के वर्ष 2015–16 से 16–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में दिनांक 21.01.17 को रू0 30000.00 दो अद्द सफाईकर्मी किट पर व्यय दर्षित है जिसका क्रयादेश, व्यय प्रमाणक तथा स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे अतः उक्त धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मालती देवी, प्रधान से रू0 15000.00 एवं श्री शिवनन्दन त्रिपाठी, ग्रा0पं0अ0 से रू0 15000.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
30000.00	–	–	30000.00

प्रस्तर–41विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत बसौढी के वर्ष 2014–15 से 16–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक/बैक पासबुक अनुसार दिनांक 10.12.15 से 28.12.16 तक कुल रू0 1283100.00 की निकासी कर व्यय किया गया है जिनके व्यय प्रमाणक एम0बी0 रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की गयी धनराशि रू0 1283100.00 की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री धनश्याम, प्रधान से रू0 641550.00 तथा श्री शिवनन्दन त्रिपाठी, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 641550.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1283100.00	–	–	1283100.00

प्रस्तर–42–विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत दतुआखोर उर्फ बेदूखोर के वर्ष 2014–15 से 16–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 29.05.15 को रू0 10000.00 एवं 29.05.15 को रू0 100000.00 बैक खाते से आहरित दर्षित है इस प्रकार माह में कुल रू0 110000.00 आहरित किया गया है। माह मई–15 में कैशबुक के व्यय पक्ष में कुल व्यय रू0 105122.00 दर्षित है जिसमें से रू0 6.00 बैक द्वारा की गयी कटौती घटाने के उपरान्त वास्तविक व्यय रू0 105116.00 होता है कुल आय रू0 110000.00–कुल व्यय रू0 105116.00=4884.00 अन्तिम नकद शेष होना चाहिए जिसके सापेक्ष कैशबुक में अन्तिम नकद शेष रू0 शून्य दर्षित है। इस प्रकार रू0 4884.00 को अन्तिम नकद शेष दर्षित न कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री धनश्याम, प्रधान से रू0 2442.00 तथा श्री रणविजय सिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 2442.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
4884.00	–	–	4884.00

प्रस्तर–43–विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत दतुआखोर उर्फ बेदूखोर के वर्ष 2014–15 से 16–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 04.11.15 को रू0 20000.00 आहरित कर ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपंप स्थापना पर व्यय दर्षित है। लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त स्थान का नाम, लाभार्थी के द्वारा खराब एवं मरम्मत होने के बाद ठीक होने की सूचना, जल प्रबन्ध समिति की संस्तुति, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नही किय गया। उल्लेखनीय है कि निकासी एवं व्यय की तिथि को पंचायत निर्वाचन आचार संहिता लागू रहा, आचार संहिता के समय किसके आदेश एवं स्वीकृति के उक्त कार्य किया गया स्पष्ट नही हुआ। इस प्रकार काल्पनिक रूप से कैशबुक में व्यय दर्षित कर रू0 20000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री धनश्याम, प्रधान से रू0 10000.00 तथा श्री रणविजय सिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 10000.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
20000.00	–	–	20000.00

प्रस्तर–44–विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत दतुआखोर उर्फ बेदूखोर के वर्ष 2014–15 से 16–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 30.03.16 को रामकेवल के घर से ब्रम्हदेव के गडढे तक नाली निमार्ण पर ईट क्रय मद में रू0 24123.00 एवं सामग्री क्रय मद में 12560.00 कुल रू0 36683.00 व्यय किया जाना दर्षित है जिससे संबन्धित मजदूरी का भुगतान नही किया गया है। कुशुल व अकुशल मजदूरी के बिना नाली निमार्ण का कार्य हो पाना संभव ही नही है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, बिल बाउचर, एम0बी0 बुक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इससे स्पष्ट है कि कैश बुक में केवल काल्पनिक व्यय दर्षित कर रू0 36683.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री धनश्याम, प्रधान से रू0 18342.00 तथा श्री रणविजय सिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 18341.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
36683.00	–	–	36683.00

प्रस्तर–45विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत दतुआखोर उर्फ बेदूखोर के वर्ष 2014–15 से 16–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक कुल रू0 459550.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, एम0बी0 बुक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया। जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री धर्मेन्द्र प्रसाद, प्रधान से रू0 229775.00 तथा श्री रणविजय सिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 114888.00 एवं श्री रामसहाय से रू0 114887.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
459550.00	–	–	459550.00

प्रस्तर–46–विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत महथा के वर्ष 2015–16 से 16–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते से आलोच्य वर्ष में विभिन्न योजनाओं पर कतिपय तिथियों में सामग्रीयों का क्रय एवं मजदूरी दर्षित है। दिनांक 31.05.16 से 27.03.17 तक की कुल निकासी रू0 498176.00 के सापेक्ष विभिन्न कार्यो में रू0 377433.00 सामग्री खरीद का टेण्डर/कोटेशन अप्रस्तुत रहे, टेण्डर/कोटेशन द्वारा यदि कार्य कराया गया होता तो यह कम लागत में पूर्ण हो जाता जिससे ग्राम पंचायत के विकास हेतु अतिरिक्त धन उपलब्ध हो सकता था। इस प्रकार उपरोक्त दर्षित कुल रू0 498176.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अली हुसैन, प्रधान से रू0 249088.00 तथा श्री शिवनन्दन त्रिपाठी, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 249088.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
498176.00	–	–	498176.00

प्रस्तर–47–विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत महथा के वर्ष 2015–16 से 16–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में दिनांक 27.10.16 को रू0 48405.00 टैक्स जमा हेतु मणि एण्ड एसोसिएट फर्म को भुगतान दर्षित है जबकि धन की प्राप्ति बैक स्टेटमेण्ट के अनुसार श्री शहबाज खान द्वारा की गयी है। लेखा परीक्षा में उक्त जमा का प्रमाण मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि काल्पनिक व्यय दर्शाकर कुल रू0 48405.00 का अपहरण श्री अलीहुसैन, ग्राम प्रधान एवं श्री शिवनन्दन त्रिपाठी, ग्रा0पं0अ0 द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अली हुसैन, प्रधान से रू0 24203.00 तथा श्री शिवनन्दन त्रिपाठी, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 24202.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
48405.00	–	–	48405.00

प्रस्तर–48–विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत महथा के वर्ष 2015–16 से 16–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में क्रय किये गये सामग्रियों के बिलो रू0 377433.00 से टी0डी0एस0 2 प्रतिशत व बिक्रीकर 4 प्रतिशत कटौती न करके कुल रू0 22646.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुचाते हुए श्री अलीहुसैन, ग्राम प्रधान एवं श्री शिवनन्दन त्रिपाठी, ग्रा0पं0अ0 द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अली हुसैन, प्रधान से रू0 11323.00 तथा श्री शिवनन्दन त्रिपाठी, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 11323.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	22646.00	22646.00

प्रस्तर–49–विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत कलिगडा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 06.09.16 को ग्राम पंचायत में निमार्ण कार्यो का सामग्री आपूर्ति हेतु दर निविदा आमन्त्रण के प्रकाशन पर व्यय रू0 4738.00 है परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि हेतु प्रकाशन के आदेश प्रकाशन के तिथि के समाचार पत्र, प्रकाशक के बिल लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये गये साथ ही निविदा विज्ञापन के प्रकाशन उपरान्त सामग्री क्रय करने हेतु निविदा कराने का कोई भी प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे स्पष्ट है कि रू0 4738.00 को काल्पनिक रूप से कैशबुक में व्यय दर्षित किया गया है। व्यय की उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार रू0 4738. 00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती इसलावती, प्रधान से रू0 2369.00 तथा श्री सतीश सिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 2369.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
4738.00	–	–	4738.00

प्रस्तर–50–विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत कलिगडा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में दिनांक 05.09.16 को अशोक कुमार एवं राधेश्याम के घर के पास रू0 19404.00 एवं नन्हू लाल एवं किशुन प्रसाद के घर के पास रू0 19404.00 तथा दिनांक 06.09.16 को प्रा0 वि0 पर रू0 9800.00 इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प मरम्मत मद पर कुल व्यय रू0 48608.00 दर्षित है। दिनांक 05.09.16 को अंकित हैण्डपम्प मरम्मत हेतु लाभार्थी द्वारा हैण्डपंप खराब होने एवं मरम्मतो परान्त सही होने की सूचना, जल प्रबन्ध समिति की संस्तुति, स्टीमेट, बिल बाउचर,

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, आदि लेखा परीक्षा समय मांगे जाने पर प्रस्तुत नही किया गया साथ ही उक्त तिथि को दोनो स्थानों के मरम्मत पर व्यय रू0 19404.00 एक समान अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि सभी हैण्डपंपों में समान तरह की खराबी थी जो कि संभव नही है। इस प्रकार संबन्धित फर्म सिंह टेडर्स से साठ–गांठ करके कैशबुक में काल्पनिक रूप से व्यय रू0 19404.00+19404.00=38808.00 का अपहरण किया गया है। साथ ही दिनांक 06.09.16 को अंकित हैण्डपंप मरम्मत हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा हैण्डपंप खराब होने एवं मरम्मतो परान्त सही होने की सूचना, जलप्रबन्ध समिति की संस्तुति, स्टीमेट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा समय मांगे जानेपर प्रस्तुत नही किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि रू0 9800.00 काल्पनिक रूप से कैशबुक में व्यय अंकित कर अपहरण किया गया है। उपरोक्त प्रकार 38808.00+9800.00 कुल रू0 48608.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती इसलावती, प्रधान से रू0 24304.00 तथा श्री सतीश सिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 24304.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
48608.00	–	–	48608.00

प्रस्तर–51–विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत कलिगडा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 29.06.16 को प्रशासनिक मद में ग्राम पंचायत की बैठको व स्टेशनरी पर व्यय रू0 9712.00 अंकित है जिसकी पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत की बैठको का विवरण तिथिवार एवं क्रय किये गये स्टेशनरी के बिल बाउचर लेखा परीक्षा समय मांगे जाने पर प्रस्तुत नही किया गया इस प्रकार रू0 9712.00 कैशबुक में काल्पनिक व्यय दर्षित कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती इसलावती, प्रधान से रू0 4856.00 तथा श्री सतीश सिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 4856.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
9712.00	–	–	9712.00

प्रस्तर–52विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत कलिगडा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 31.03.17 को एक अद्द सोलर स्टीट लाईट स्थापना कार्य में भुगतान पर व्यय रू0 14725.00 दर्षित है उक्त की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, लगाये गये स्थान का उल्लेख, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा समय मांगे जाने पर प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रमार उक्त मद में दर्षित व्यय रू0 14725.00 के के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती इसलावती, प्रधान से रू0 7363.00 तथा श्री सतीश सिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 7362.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
14725.00	–	–	14725.00

प्रस्तर–53–विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत हरदी के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा में निधि–। खाते का मात्र बैक स्टेटमेण्ट प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार दिनांक 01.04.16 से दिनांक 31.03.17 तक कुल रू0 458618.00 की निकासी कर व्यय किया गया है जिनके कैशबुक, व्यय प्रमाणक, एम0बी0 बुक, मस्टररोल, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा समय मांगे जाने पर प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रू0 458618. 00 के के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सारिका, प्रधान से रू0 229309. 00 तथा श्री राम रोहित, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 229309.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
458618.00	–	–	458618.00

प्रस्तर–54–विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत हरदी के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष के निधि–। खाते से प्राप्त बैक स्टेटमेण्ट एवं प्रियासाफ्ट फीडिंग जो कि नेट पर दर्षित है में प्रारम्भिक शेष, वर्ष की आय, वर्ष का व्यय एवं वर्षान्त शेष में क्रमशः रू0 49601.00, 1505380.00, 1505380.00 एवं 49601.00 का अन्तर धनात्मक पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से प्रियासाफ्ट फीडिंग में अधिक धनराशियां रू0 1505380.00 दर्शाकर गंभीर अनियमितता की गयी है तथा शासन को गुमराह किया गया है। जो भारतीय दण्ड के अन्तर्गत एक अपराध है। जिसके लिए श्री रामरोहित, ग्राम0 पंचायत अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही तथा अन्तर के सुधार हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	1505380.00	1505380.00

प्रस्तर–55 विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत ईटवा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दि01.4.16 से 31.3.17 तक कुल रू0 757895.00 की निकासी कर व्यय किया गया है।जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर,

परिसम्पत्ति रजिस्टर तथा मानदेय रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जासकी।कुल व्यय की धनराशि रू0 757895.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती आरती देवी, प्रधान से रू0 378948..00 तथा श्री दुर्गा प्रसाद, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 378947.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
757895.00	—	—	757895.00

प्रस्तर—56 विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत बस्थनवां के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि—। खाते की कैशबुक अनुसार दि0 1.4.16 से 31.3.17 तक कुल रू0 440038.00 की निकासी कर व्यय किया गया है।जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, मस्टर रोल, स्टक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर तथा मानदेय रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जासकी।कुल व्यय की धनराशि रू0 440038.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुनीता, प्रधान से रू0 220019..00 तथा श्री दुर्गा प्रसाद, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 220019.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
440038.00	—	—	440038.00

प्रस्तर—57विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत बस्थनवां के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि—। खाते की कैशबुक अनुसार दि022.4.16 को 18 स्ट्रीट लाईट रू0 58500.00 तथा दि0 13.6.16 को मांगपत्र/प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि यह लाईटें क्रय कर कहां लगायी गयी हैं।क्रय से सवंधित कोई कोटेशन भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि का अपहरण श्रीमती सुनीता ग्राम प्रधान तथा श्री दुर्गा प्रसाद ग्रा0प0अधि0 द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुनीता,ग्राम प्रधान से रू0 69828.00 तथा श्री दुर्गा प्रसाद, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 69828.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
139656.00	—	—	139656.00

प्रस्तर—58विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत बस्थनवां के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि—। खाते की कैशबुक में दि026.4.16 एवं दि0 21.1.17 को क्रमशः रू0 16500.00 एवं 14470.00 कुल रू0 30970.00 का व्यय सफाई किट में दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में कोई वाउचर /मांगपत्र/प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहातथा एक वर्ष में दो बार सफाई किट की खरीद का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त भुगतान की वास्तविकता की पुष्टि नहीं की जासकी, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुनीता,ग्राम प्रधान से रू0 15485.00 तथा श्री दुर्गा प्रसाद, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 15485.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
30970.00	—	—	30970.00

प्रस्तर—59विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत गोपीनाथपुर के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि—। खाते की कैशबुक अनुसार दि0 1.4.16 से 31.3.17 तक कुल रू0 1631871.00 की निकासी कर व्यय किया गया है।जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, मस्टर रोल, स्टक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर तथा मानदेय रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जासकी।कुल व्यय की धनराशि रू0 1631871.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अयोध्या प्र0वर्मा, प्रधान से रू0 815936..00 तथा श्री दुर्गा प्रसाद, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 815935.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1631871.00	—	—	1631871.00

प्रस्तर—60विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत कुसमौरडीह के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि—। खाते की कैशबुक अनुसार दि0 1.4.16 से 31.3.17 तक कुल रू0 1139592.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, मस्टर रोल, स्टक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर तथा मानदेय रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जासकी।कुल व्यय की धनराशि रू0 1139592.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण

किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सत्यदेव, प्रधान से रू0 569796..00 तथा श्री प्रतीक शुक्ल, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 569796.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1139592.00	—	—	1139592.00

प्रस्तर–61विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत बनगवां खास के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दि0 1.4.16 से 31.3.17 तक कुल रू0 3282651.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, मस्टर रोल, स्टक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर तथा मानदेय रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जासकी।कुल व्यय की धनराशि रू0 3282651.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुनीता, प्रधान से रू0 1641326..00 तथा श्री नरोत्तम प्रसाद, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 1641325.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
3282651.00	—	—	3282651.00

प्रस्तर–62विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत जीतीपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दि0 1.4.16 से 31.3.17 तक कुल रू0 1551338.00 की निकासी कर व्यय किया गया है।जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, मस्टर रोल, स्टक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर तथा मानदेय रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जासकी।कुल व्यय की धनराशि रू0 1551338.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रामसागर, प्रधान से रू0 775669..00 तथा श्री दुर्गा प्रसाद, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 775669.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1551338.00	—	—	1551338.00

प्रस्तर–63विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत जीतीपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि–। खाते के स्टेटमेंन्ट अनुसार वर्ष में प्राप्त अनुदान पर रू0 21809.00 ब्याज अर्जित की गयी है जिसमें से रू0 19654.00 का व्यय प्राप्त अनुदान के साथ कर दिया गया है जब कि नियमानुसार प्राप्त अनुदान पर अर्जित व्याज का व्यय न करके जिसे या तो अनुदानदाता को वापस किया जाना चाहिये या अनुदानदाता के आदेश के उपरान्त ही व्यय किया जाना चाहिये। अनुदान पर प्राप्त व्याज अनुदान दाता की परिसम्पत्ति होती है।अतः अर्जित व्याज की उक्त धनराशि रू0 19654.00 का व्यय कर राजकीय राजस्व को हानि पहुंचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रामसागर, प्रधान से रू0 9827.00 तथा श्री दुर्गा प्रसाद, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 9827.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
19654.00	—	—	19654.00

प्रस्तर–64विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत नरायनपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार अन्त्येष्ठि स्थल के लिये दि0 04.10.16 को 8 लाख रूपये एवं 26. 10.16 को रू0 360000.00 की निकासी सामग्री क्रय के लिये क्रमशः ए0पी0इन्टरप्राइजेज एवं मेसर्स धर्मपाल सिंह के नाम पर की गयी है।इसी प्रकार पंचायत भवन निर्माण के लिये क्रमशः रू0 340620.00एवं रू0 427000.00 की निकासी मेसर्स धर्मपाल सिंह के नाम पर दिनांक 04.11.16 को की गयी है जिसके व्यय प्रमाणक, एम0बी0रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे इसके अतिरिक्त इस के निर्माण हेतु मजदूरी के मद में कोई निकासी नहीं की गयी हैजिससे स्पष्ट होता है कि कुल रू0 1927620.00 का अपहरण किया गया है। उक्त के संवंध में ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण में अक्षेपित कार्यवाही की जानी चाहिये। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री शिवशंकर, प्रधान से रू0 963810.00 तथा श्री नरोत्तम प्रसाद, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 963810.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1927620.00	—	—	1927620.00

प्रस्तर–65–विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत महेवासरहदी के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक कुल रू0 367037.00 की निकासी कर विभिन्न निमार्ण कार्यो पर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, मस्टररोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रू0 367037.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के

नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती कमलेश यादव, प्रधान से रू0 183519.00 तथा श्री दुर्गा प्रसाद, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 183518.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
367037.00	—	—	367037.00

प्रस्तर–66–विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत महेवा सरहदी के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते से दिनांक 14.04.16 को वाल पेन्टिग तथा स्टेशनरी खरीद हेतु 16600.00 धनराशि निकासी कर व्यय कर दी गयी। इस व्यय से संबन्धित आदेश पत्र प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त कार्य की उपयोगिता की पुष्टि नही हो सकी। इस व्यय से संबन्धित कोई वाउचर भी लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किया गया। इसी प्रकार दिनांक 07.04.16 को हयूम पाइप की खरीद हेतु रू0 15210.00 की निकासी की गयी। हयूम पाइप की क्रय से संबन्धित कोई बाउचर, आवश्यकता, मॉग पत्र/प्रमाण पत्र, कोटेशन व मस्टररोल नही उपलब्ध कराया गया तथा इस हयूम पाइप को कहॉ लगवाया गया इसकी भी पुष्टि कैशबुक से नही की जा सकी। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि रू0 31810.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती कमलेश यादव, प्रधान से रू0 15905.00 तथा श्री दुर्गा प्रसाद, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 15905.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
31810.00	—	—	31810.00

प्रस्तर–67विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत अरजानीपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक कुल रू0 494245.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, मस्टररोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रू0 494245.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री धर्मेन्द्र कुमार, प्रधान से रू0 247123.00 तथा श्री नरोत्तम प्रसाद, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 247122.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
494245.00	—	—	494245.00

प्रस्तर–68–विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत अरजानीपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निधि–। की कैशबुक अनुसार निमार्ण कार्य हेतु क्रय की गयी ईट पर विभिन्न तिथियों में कुल रू0 5110.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है परन्तु इनके जमा प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे, जिससे उसकी पुष्टि नही की जा सकी। अतः टी0ड0एस0 कटौती की धनराशि रू0 5110.00 को निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा न कराकर राजकीय राजस्व का अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि रू0 5110.00 की वसूली मय व्याज श्री धर्मेन्द्र कुमार, प्रधान से रू0 2555.00 तथा श्री नरोत्तम प्रसाद, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 2555.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
5110.00	—	—	5110.00

प्रस्तर–69–विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत मदनापुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक कुल रू0 774693.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, मस्टररोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रू0 774693.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजेश कुमार, प्रधान से रू0 387347.00 तथा श्री प्रतीक शुक्ला, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 387346.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
774693.00	—	—	774693.00

प्रस्तर–70–विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत महाखरपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक कुल रू0 853463.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, मस्टररोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रू0 853463.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री किसनलाल, प्रधान से रू0 426732.00 तथा श्री दुर्गाप्रसाद, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 426731.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
853463.00	—	—	853463.00

प्रस्तर–71–विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत ढेबरहिया रावत के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 22.09.16 को रू0 1530.00 की दर से 20 ह्यूम पाइप क्रय की गयी जिसकी कुल लागत रू0 30600.00 व्यय की गयी तथा इसकी लगवाई में रू0 4350.00 दिनांक 26.09.16 को मजदूरी में व्यय किया गया, जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई वाउचर, आवश्यकता मॉग/प्रमाण पत्र, कोटेशन तथा मस्टररोल आदि उपलब्ध नही कराया गया तथा यह भी भी स्पष्ट नही है कि उक्त ह्यूम पाइप को किस जगह लगवाया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि रू0 34950.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री आजाद कुमार, प्रधान से रू0 17475.00 तथा श्री दुर्गा प्रसाद, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 17475.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
34950.00	—	—	34950.00

प्रस्तर–72–विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत ढेबरहिया रावत के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 17.12.16 को एन0पी0 कन्स्टक्शन से हैण्डपंप की मारम्मत हेतु रू0 37460.00 की सामग्री क्रय की गयी तथा दिनांक 19.12.16 को मजदूरी के मद में रू0 10440.00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि मे कोई वाउचर, आवश्यकता मॉगपत्र, हैण्डपम्प की खराबी की सूचना पत्र, मरम्मत के उपरान्त हैण्डपंप के सुचारू ढंग से सुचारू ढंग से कार्य करने का प्रमाण पत्र एवं मस्टररोल प्रस्तुत नही किया गया तथा हैण्डपंप मरम्मत मे निकली खराब सामग्री से संबन्धित स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नही किया गया तथा उक्त धनराशि कितने हैण्डपंप की मरम्मत पर व्यय की गयी इसकी भी सूचना अप्राप्त रही जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि रू0 47900.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री आजाद कुमार, प्रधान से रू0 23950.00 तथा श्री नरोत्तम प्रसाद, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 23950.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
47900.00	—	—	47900.00

प्रस्तर–73–विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत लालगंज के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक कुल रू0 2412406.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, मस्टररोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रू0 2412406.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रामदौड, प्रधान से रू0 1206203.00 तथा श्री अजय कुमार सिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 1206203.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
2412406.00	—	—	2412406.00

प्रस्तर–74–विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत हरखौलिया उर्फ मटियरिया के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार आलोच्य वर्ष में दिनांक 04.05.16 को 20 स्टीट लाइट क्रय हेतु रू0 111703. 00 एवं दिनांक 27.10.16 को 14 स्टीट लाइट हेतु रू0 45500.00 व्यय दर्षित है जिनके ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, टेण्डर/कोटेशन, स्थलीय भौतिक सत्यापन सूची एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे उक्त दर्षित धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रू0 157203.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सावित्री देवी, प्रधान से रू0 78602.00 तथा श्री हरिप्रसाद कन्नौजिया, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 39301.00 तथा श्री विवेक कुमार, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 39300.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
157203.00	—	—	157203.00

प्रस्तर–75–विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत हरखौलिया उर्फ मटियरिया के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार आलोच्य वर्ष में दिनांक 27.10.16 को सोलर लाईट क्रय पर यश कन्सटक्शन को रू0 41800.00 का भुगतान दर्षित है उक्त क्रय के संबन्ध में व्यय प्रमाणक, डिलेवरी चालान, टेण्डर/कोटेशन, लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। उक्त सोलर लाइट का उपयोग कहॉ कहॉ किया गया है कैशबक में अंकित नही है। उक्त सोलर लाइट के मूल्य निर्धारण के संबन्ध में नेडा की स्वीकृत सूची एवं भौतिक सत्यापन/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार उक्त सोलर क्रय हेतु निकासी धनाराशि की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रू0 41800.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सावित्री देवी, प्रधान से रू0 20900.

00 तथा श्री हरिप्रसाद कन्नौजिया, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 310450.00 तथा श्री विवेक कुमार, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 10450.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
41800.00	–	–	41800.00

प्रस्तर–76–विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत बगही उर्फ बेनीपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में हैण्डपंप मरम्म्त में दिनांक 13.04.16 एवं 28.10.16 में क्रमशः रू0 32000.00 एवं 15000.00 कुल रू0 47000.00 व्यय दर्षित है। लेखा परीक्षा मे उक्त दर्षित व्यय से संबन्धित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रमाणक, प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, मरम्मत करने का आवेदन पत्र एवं मरम्मत उपरान्त सही कार्य करने का प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। जिससे दर्षित व्यय की वास्तविकता एवं व्यय की उपयोगिता की जल प्रबन्ध समिति से संस्तुति नही करायी गयी है । इस प्रकार उक्त दर्षित कुल व्यय रू0 4700.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री कमल सिंह, प्रधान से रू0 23500.00 तथा श्री विवेक कुमार, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 23500.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
47000.00	–	–	47000.00

प्रस्तर–77–विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत बगही उर्फ बेनीपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में अनुसार आलोच्य वर्ष में सोलर लाईट क्रय हेतु दिनांक 26.12.16 को रू0 181364.00 व्यय दर्षित है लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रमाणक, रू0 एक लाख से अधिक की खरीद हेतु आमंत्रित टेण्डर, प्रमाणित कार्यपूर्ति, स्थलीय भौतिक सत्यापन, टेण्डर/कोटेशन, नेडा की स्वीकृत मूल्य की सूची आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार उक्त सोलर लाईट क्रय हेतु निकासी धनाराशि की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रू0 181364.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री कमल सिंह, प्रधान से रू0 90682.00 तथा श्री विवेक कुमार, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 90682.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
181364.00	–	–	181364.00

प्रस्तर–78विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत मिश्रौलिया के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक विभिन्न निमार्ण कार्यो पर कुल रू0 687781..00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके प्राक्कलन पत्र, व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, मस्टररोल, स्टॉक रजिस्टर, मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे, जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रू0 687781.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणको आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अरूण कुमार, प्रधान से रू0 343891.00 तथा श्री अयोध्यापाल, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 343890.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
687781.00	–	–	687781.00

प्रस्तर–79–विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत मिश्रौलिया के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक आलोच्य वर्ष में मणि एण्ड एसोसिएट फर्म को टी0डी0एस0 की धनराशि क्रमशः दिनांक 05.09.16 को रू0 4000.00, 05.09.16 को रू0 18754.00, 05.01.17 को रू0 4876.00 एवं दिनांक 24.03.17 को रू0 1917.00 कुल रू0 29547.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त टी0डी0एस0 कटौती के संबन्धित खाते में जमा की रशीद/प्रमाण पत्र मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकार का काल्पनिका व्यय दर्शाकर रू0 29547.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अरूण कुमार, प्रधान से रू0 14774.00 तथा श्री अयोध्यापाल, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 14773.00 की मय व्याज सहित निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाना अपेक्षित है

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
29547.00	–	–	29547.00

प्रस्तर–80–विकास खण्ड कप्तानगंज की ग्राम पंचायत तिलकपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 राज्य वित्त एवं चौदहवा वित्त की कुल धनराशि रू0 753956.00 प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत में वर्ष भर में कोई विकास कार्य नही कराया गया। उपरोक्त मदो में शासन ने विकास की जिस मंशा/उद्देश्य से धनराशि उपलब्ध करायी थी वह मंशा विफल रही। यदि अनुदान से प्राप्त धन का उपयोग किया गया होता तो उससे विकास कार्य के साथ साथ रोजगार का भी सृजन होता किन्तु अनुदान मद में प्राप्त धनराशि का कोई प्रयोग न करके श्री सेतु, प्रधान एवं श्री ध्रुवचन्द्र चौधरी, ग्रा0वि0अधि0 ने विकास के कार्य में एक प्रकार

का अवरोध उत्पन्न किया। जिसके लिए संबन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पचांयत अधिकारी उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत में आलोच्य वर्ष में निजी स्रोत से कोई आय नही हुयी साथ ही वर्ष भर में प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकीय कोष में जमा न करके राजकीय धन की क्षति पहुचायी गयी। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवष्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	753956.00	753956.00

प्रस्तर–81–विकास खण्ड कप्तानगंज की ग्राम पंचायत मंझरिया के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में वाउचर न0 9 से दिनांक 05.05.16 को अंकुर टेड्र्स को ह्यूम पाइप क्रय पर रू0 34869.00 का भुगतान किया जान दर्षित है किन्तु लेखा परीक्षा में संबन्धित क्रय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा ओर न ही उक्त हयूम पाइप क्रय का डिलीवरी चालान प्रस्तुत किय गया उक्त के अतिरिक्त हयूम पाइप क्रय के लिए कोई कोटेशन/टेण्डर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, उक्त हयूम पाइप का प्रयोग किन किन स्थानों पर किया गया है इसका भी उल्लेख कैशबुक में अंकित नही है। हयूम पाइप क्रय हेतु दिये गये मूल्य की प्रमाणित सूची की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी इस प्रकार उक्त हयूम पाइप क्रय पर रू0 34869.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मनोज कुमार, प्रधान से रू0 17435.00 एवं श्री संतरामचौधरी, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 17434.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
34869.00	—	—	34869.00

प्रस्तर–82–विकास खण्ड कपतानगंज की ग्राम पंचायत मंझरिया के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में ईट क्रय पर कुल रू0 324078.00 व्यय दर्षित है जिससे संबन्धित व्यय प्रमाणक, डीलीवरी चालान, कोटेशन/टेण्डर, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अप्रस्तुत रहा तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण प्रमाण पत्र भी अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार उक्त ईट क्रय पर उपरोक्त धनराशि का फर्जी क्रय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मनोज कुमार, प्रधान से रू0 162039.00 एवं श्री संतरामचौधरी, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 162039.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
324078.00	—		324078.00

प्रस्तर–83–विकास खण्ड कप्तानगंज की ग्राम पंचायत मंझरिया के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में दिनांक 27.10.16 को वाउचर न0 27 से सोलर लाइट क्रय पर अंकुर टेड्र्स को रू0 45668.00 का भुगतान दर्षित है जिससे संबन्धित क्रय प्रमाणक, डिलेवरी चालान, टेण्डर/कोटेशन लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। उक्त सोलर लाइट का उपयोग कहा–कहा किया गया है कैशबुक में अंकित नही है। इनके मूल्य निर्धारिण के संबन्ध में नेडा की स्वीकृति सूची अप्रस्तुत रही तथा उक्त सोलर लाइट का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भी अप्रस्तुत रहा। उक्त सोलर लाइट किसके आदेश पर अंकुर टेड्र्स से क्रय किया गया व मूल्य निर्धारण के संबन्ध में कोई आदेश आदि अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार सोलर लाइट क्रय पर रू0 45668.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मनोज कुमार, प्रधान से रू0 22834.00 एवं श्री संतरामचौधरी, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 22834.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
45668.00	—	—	45668.00

प्रस्तर–84–विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत टेमा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में विभिन्न तिथियों में विभिन्न मदो में कुल रू0 168982.00 का व्यय दर्षित है जिनके सापेक्ष कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये। दिनांक 05.05.16 से 29.012.16 की अवधि में समस्त निकासी श्री राम सहाय, ग्रा0पं0अ0 द्वारा स्वयं के नामे की गयी है तथा जिस तिथि को निकासी की गयी है उसी तिथि को व्यय भी कर दिया गया दर्षित है। दिनांक 20.06.16 एवं 04.07.16 को हैण्डपंप मरम्मत मद में दर्षित व्यय से संबन्धित न तो हैण्डपंप के खराब होने की सूचना से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत किये गये और न ही ग्राम सभा की जल प्रबन्ध समिति की संस्तुति ही ली गयी है। उक्त से स्पष्ट है कि समस्त व्यय काल्पनिक है जिसका अपहरण कर लिया गया है। अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली श्रीमती करीमुन्निशां, प्रधान से रू0 84491.00 एवं श्री रामसहाय, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 84491.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
168982.00	—	—	168982.00

प्रस्तर–85–विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत हथिरजा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में विभिन्न तिथियों में प्राथमिक विद्यालय बहलोरवा से गरीबुल्लाह के घर तक खण्डजा मरम्मत मद में कुल रू0 60000.00 व्यय दर्षित है। उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गया। अधिकांश निकासियां श्री जर्नादन सिंह ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं के नामे की गयी है तथा जिस तिथि को निकासी की गयी है उसी तिथि को व्यय भी कर दिया गया कैशबुक में दर्षित है जबकि मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में सीधे किये जाने के शासन से निर्देश है। एक ही कार्य का पूरे वर्ष किये जाने तथा व्ययों के सापेक्ष कोई अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट है कि उक्त समस्त व्यय काल्पनिक दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज

सहित वसूली श्री जर्नादन सिंह, प्रधान से रू0 30000.00 एवं श्री शैलेन्द्र त्रिपाठी, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 30000.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
60000.00	–	–	60000.00

प्रस्तर–86–विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत सिसवा बुजुर्ग के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में दिनांक 13.04.16 को मजदूरी व्यय मद में रू0 20000.00 एवं 28.06.16 को प्रशासनिक मद में रू0 10800.00 कुल रू0 30800.00 का व्यय दर्षित है जो विना व्यय प्रमाणक एवं बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के काल्पनिक रूप से करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रामध्यान, प्रधान से रू0 15400.00 एवं श्री अर्जुन चौधरी, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 15400.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
30800.00	–	–	30800.00

प्रस्तर–87–विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत सिसवा बुजुर्ग के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में दिनांक 13.04.16 को रू0 10000.00 हैण्डपंप मरम्मत मद में व्यय किया गया है जिसकी स्वीकृति ग्राम सभा की जल प्रबन्ध समिति से नही ली गयी गयी है अतः व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए श्री रामध्यान, प्रधान रू0 5000.00 एवं श्री अर्जुन चौधरी, ग्रा0पं0अधि0 रू0 5000.00 के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	10000.00	10000.00

प्रस्तर–88–विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत भीवापार के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में दिनांक 26.08.16 को सोलर लालटेन क्रय पर रू0 8100.00, 08.09.16 को रोडा राबिस क्रय पर 2000.00 एवं 30.03.17 को प्राथमिक विद्यालय शौचालय मरम्मत मद में रू0 15276.00, कुल रू0 43376.00 का व्यय बिना व्यय प्रमाणक एवं बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए किये गये है, जो फर्जी है तथा जिसका प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि0 द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली श्रीमती आशा देवी, प्रधान से रू0 21688.00 एवं श्री अर्जुन चौधरी, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 21688.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
43376.00	–	–	43376.00

प्रस्तर–89–विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत भीवापार के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की कैशबुक में दिनांक 28.03.17 को रू0 6000.00 हैण्डपंप मरम्मत मद में व्यय किया गया है जिसकी स्वीकृति ग्राम सभा की जल प्रबन्ध समिति से नही ली गयी गयी है अतः व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए श्रीमती आशा देवी, प्रधान रू0 3000.00 एवं श्री अर्जुन चौधरी, ग्रा0पं0अधि0 रू0 3000.00 के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	6000.00	6000.00

प्रस्तर–90–विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत कोहडा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में प्रियासाफ्ट में कुल रू0 476340.00 का व्यय विभिन्न मदो में किया जाना दर्षित है परन्तु उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय वाउचर, कार्यपूर्ति, एम0बी0, कार्यवाही पंजिका, स्टॉक पंजी, संपत्ति पंजी आदि मांगोपरान्त भी जांच हेतु लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये जिससे किये गये समस्त व्यय फर्जी है तथा उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती अलीमुन्निशां, प्रधान से रू0 238170.00 एवं श्री शिवपूजन, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 238170.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
476340.00	–	–	476340.00

प्रस्तर–91–विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत मुईली के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 30.4.16 को कैशबुक में मे0 मणि एण्ड एसोसिएट को रू0 15671.00 का भुगतान चेक द्वारा आयकर;टी.डी.एस.जमा करने हेतु भुगतान किया गया है।भुगतान की पुष्टि बैक स्टेटमेन्ट से भी होती है।उक्त धनराशि के आयकर जमा चालान लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे।साथ ही ग्राम पंचायत में सप्लायर फर्म के आयकर कटौती के पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं।उक्त भुगतान के संवंध में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक अवगत कराया गया कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट द्वारा जो अपने को सी0ए0फर्म बताती है,ग्राम पंचायत द्वारा आयकर कटौती की गणना कर एवं आयकर सेक्शन 200(3)193,194 के अनुसार फार्म–26क्यू फाइल करने हेतु एवं सप्लायर फर्म को 16ए जारी करने हेतु फीस रू0 1000.00 प्रति तिमाही की दर से कुल रू0 15671.00 का भुगतान प्राप्त किया है परन्तु मे0मणि एण्ड एसोसिएट आयकर जमा चालान, फाइल की गयी फार्म–26क्यू प्रति एवं सप्लायर फर्म का 16–ए ग्रामपंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है।संस्था द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है।स्पष्ट है कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट से ग्राम पंचायत अधिकारी एव प्रधान द्वारा

दुरभिसन्धि कर आयकर जमा करने हेतु रू0 15671.00 का निकासी कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतएंव रू0 15671.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राजेन्द्र,ग्रामप्रधान से रू0 7836.00 एवं श्री गिरजेश श्री0, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 7835.00 की की जानी चाहिए।साथ ही मे0मणि एण्ड एसोसिएट के आयकर जमा चालान उपलब्ध न कराने, फार्म–26क्यू फाइल न करने तथा 16–ए तैयार कर उपलब्ध न कराने के निमित्त उनके विरूद्व विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
15671.00	–	–	15671.00

प्रस्तर–92–विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत उभाई के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 30.4.16 एवं 28.9.16 को कैशबुक में मे0 मणि एण्ड एसोसिएट को क्रमशः रू0 11185.00 एवं 9704.00 कुल योग रू0 20889.00 का भुगतान चेक द्वारा आयकर;टी.डी.एस.जमा करने हेतु भुगतान किया गया है।भुगतान की पुष्टि बैक स्टेटमेन्ट से भी होती है।उक्त धनराशि के आयकर जमा चालान लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे।साथ ही ग्राम पंचायत में सप्लायर फर्म के आयकर कटौती के पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं।उक्त भुगतान के संवंध में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक अवगत कराया गया कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट द्वारा जो अपने को सी0ए0फर्म बताती है,ग्राम पंचायत द्वारा आयकर कटौती की गणना कर एवं आयकर सेक्शन 200(3)193,194 के अनुसार फार्म–26क्यू फाइल करने हेतु एवं सप्लायर फर्म को 16ए जारी करने हेतु फीस रू0 1000.00 प्रति तिमाही की दर से कुल रू0 20889.00 का भुगतान प्राप्त किया है परन्तु मे0मणि एण्ड एसोसिएट आयकर जमा चालान, फाइल की गयी फार्म–26क्यू प्रति एवं सप्लायर फर्म का 16–ए ग्रामपंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है।संस्था द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है।स्पष्ट है कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट से ग्राम पंचायत अधिकारी एव प्रधान द्वारा दुरभिसन्धि कर आयकर जमा करने हेतु रू0 20889.00 का निकासी कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतएंव रू0 10445. 00 की ब्याज सहित वसूली श्री सागर,ग्रामप्रधान से रू0 10444.00 एवं श्रीमती मित्रबृन्दा मिश्रा, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 7835.00 की जानी चाहिए। साथ ही मे0मणि एण्ड एसोसिएट के आयकर जमा चालान उपलब्ध न कराने, फार्म–26क्यू फाइल न करने तथा 16–ए तैयार कर उपलब्ध न कराने के निमित्त उनके विरूद्व विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
20889.00	–	–	20889.00

प्रस्तर–93–विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत बड़हरकला के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 09.5.16 को कैशबुक में मे0 मणि एण्ड एसोसिएट को क्रमशः रू0 8998.00 का भुगतान चेक द्वारा आयकर;(टी. डी.एस.)जमा करने हेतु भुगतान किया गया है।भुगतान की पुष्टि बैक स्टेटमेन्ट से भी होती है।उक्त धनराशि के आयकर जमा चालान लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे।साथ ही ग्राम पंचायत में सप्लायर फर्म के आयकर कटौती के पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं।उक्त भुगतान के संवंध में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक अवगत कराया गया कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट द्वारा जो अपने को सी0ए0फर्म बताती है,ग्राम पंचायत द्वारा आयकर कटौती की गणना कर एवं आयकर सेक्शन 200(3)193,194 के अनुसार फार्म–26क्यू फाइल करने हेतु एवं सप्लायर फर्म को 16ए जारी करने हेतु फीस रू0 1000.00 प्रति तिमाही की दर से कुल रू0 899800 का भुगतान प्राप्त किया है परन्तु मे0मणि एण्ड एसोसिएट आयकर जमा चालान, फाइल की गयी फार्म–26क्यू प्रति एवं सप्लायर फर्म का 16–ए ग्रामपंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है।संस्था द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है।स्पष्ट है कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट से ग्राम पंचायत अधिकारी एव प्रधान द्वारा दुरभिसन्धि कर आयकर जमा करने हेतु रू0 8998.00 का निकासी कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतएंव रू0 8998.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राजकुमार ,ग्रामप्रधान से रू0 10444.00 एवं श्रीमती मित्रबृन्दा मिश्रा, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 4499.00 की जानी चाहिए।साथ ही मे0मणि एण्ड एसोसिएट के आयकर जमा चालान उपलब्ध न कराने, फार्म–26क्यू फाइल न करने तथा 16–ए तैयार कर उपलब्ध न कराने के निमित्त उनके विरूद्व विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
8998.00	–	–	8998.00

प्रस्तर–94–विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत बड़हरकला के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया किबैंक स्टेटमेन्ट अनुसार दिनांक 22.3.16 को रू0 10000.00 की निकासी श्रीमती मित्रबृन्दा मिश्रा,ग्रा0वि0अधि0 द्वारा नकद की गयी है।उक्त निकासी को कैशबुक में अंकित नहीं कर अपहरण किया गया है। अतएव रू0 10000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राजकुमार ग्राम प्रधान से रू0 5000.00 एवं श्रीमती मित्रबृन्दा मिश्रा,ग्रा0वि0अधि0 से रू0 5000.00 की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
10000.00	–	–	10000.00

प्रस्तर–95–विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत आमा पाण्डेय के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में दिनांक 20.5.16 एवं 10.3.17 को क्रमशः रू0 8105.00 निविदा व प्रशासनिक व्यय एवं 1550.00 सोलर लाइट मरम्मत मद पर कुल रू0 9655.00 श्रीमती पूनम श्रीवास्तव द्वारा बैक से प्राप्त कर व्यय दर्षित है।अंकित व्यय विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक तथा निविदा प्रकाशित के आदेश, प्रकाशित निविदा के पेपर कटिंग, न्यूज पेपर के

बिल,एवं प्राप्ति रसीद आदि लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उपरोक्त काल्पनिक व्यय अंकित कर कुल रू09655.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रमाकान्त शुक्ल,ग्राम प्रधान से रू0 4828.00 एवं श्रीमती पूनम श्रीवास्तव,ग्रा0प0अधि0 से रू0 4827.00 की कीजानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
9655.00	—	—	9655.00

<u>प्रस्तर–96–</u>विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत भदासी के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार दिनांक 01.4.16 को प्रारंभिक शेष नकद रू0 11700.00 पूर्व प्रधान के पास अंकित है उक्त धनराशि 31.3.17 तक यथावत पूर्व प्रधान श्री श्यामपति के पास नकद शेष दर्षित है।स्पष्ट है कि पूर्व प्रधान श्री श्यामपति के पास शेष धनराशि चार्ज में नहीं देकर अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री श्यामपति, पूर्व ग्राम प्रधान से रू0 5850.00 एवं श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, ग्रा0प0अधि0 से रू0 5850.00 की की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
11700..00	—	—	11700.00

<u>प्रस्तर–97–</u>विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत बरगदवामाफी के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 30.4.16 को कैशबुक में मे0 मणि एण्ड एसोसिएट को रू0 18769.00 का भुगतान चेक द्वारा आयकर;(टी.डी.एस. जमा करने हेतु भुगतान किया गया है।भुगतान की पुष्टि बैक स्टेटमेन्ट से भी होती है।उक्त धनराशि के आयकर जमा चालान लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे।साथ ही ग्राम पंचायत में सप्लायर फर्म के आयकर कटौती के पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं।उक्त भुगतान के संवंध में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक अवगत कराया गया कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट द्वारा जो अपने को सी0ए0फर्म बताती है,ग्राम पंचायत द्वारा आयकर कटौती की गणना कर एवं आयकर सेक्शन 200(3)193,194 के अनुसार फार्म–26क्यू फाइल करने हेतु एवं सप्लायर फर्म को 16ए जारी करने हेतु फीस रू0 1000.00 प्रति तिमाही की दर से कुल रू0 18769.00 का भुगतान प्राप्त किया है परन्तु मे0मणि एण्ड एसोसिएट आयकर जमा चालान, फाइल की गयी फार्म–26क्यू प्रति एवं सप्लायर फर्म का 16–ए ग्रामपंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है।संस्था द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है।स्पष्ट है कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट से ग्राम पंचायत अधिकारी एव प्रधान द्वारा दुरभिसन्धि कर आयकर जमा करने हेतु रू0 8998.00 का निकासी कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतएव रू0 18769.00 की ब्याज सहित वसूली श्री दिनेश कुमार ,ग्रामप्रधान से रू0 9385. 00 एवं श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 9384.00 की जानी चाहिए।साथ ही मे0मणि एण्ड एसोसिएट के आयकर जमा चालान उपलब्ध न कराने, फार्म–26क्यू फाइल न करने तथा 16–ए तैयार कर उपलब्ध न कराने के निमित्त उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
18769.00	—	—	18769.00

<u>प्रस्तर–98–</u>विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत बरगदवामाफी के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 25.5.16 को कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 9784.00 ग्रा0वि0अधि0 श्रीमती पूनम श्रीवास्तव द्वारा नगद निकासी की गयी है जिसे कैशबुक में टेंडर एवं विज्ञापन हेतु व्यय दर्षित किया गया है। दर्षित व्यय विवरण के व्यय प्रमाणक यथा–विज्ञापन प्रकाशित करने के आदेश, प्रकाशित विज्ञापन के कटिंग, प्रकाशक के बिल एवं धनराशि प्राप्ति रसीद आदि लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये ।जिससे स्पष्ट है कि ग्रा0वि0अधि0 द्वारा निकासी कर कैशबुक में काल्पनिक व्यय दर्षित कर अपहरण किया गया है।अतएंव रू0 9784.00 की ब्याज सहित वसूली श्री दिनेश कुमार ग्राम प्रधान से रू0 4892.00 एवं श्रीमती पूनम श्रीवास्तव,ग्रा0वि0अधि0 से रू0 4892.00 की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
9784.00	—	—	9784.00

<u>प्रस्तर–99–</u>विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत बरगदवामाफी के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार दिनांक 10.01.17 को रू0 10000.00 एवं दिनांक 31.1.17 को रू0 10000.00 कैशबुक में आय पक्ष में अंकित किया गया है किन्तु उक्त धनराशि का कैशबुक के व्यय पक्ष में व्यय विवरण अंकित नहीं किया गया है।स्पष्ट है कि रू0 20000.00 का अपहरण किया गया है।अतएवं रू0 20000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री दिनेश कुमार ग्राम प्रधान से रू0 10000.00 एवं श्रीमती पूनम श्रीवास्तव,ग्रा0वि0अधि0 से रू0 10000.00 की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
20000.00	—	—	20000.00

<u>प्रस्तर– 100–</u> विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत बरगदवामाफी के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार विभिन्न तिथियों में श्रीमती पूनम श्रीवास्तव द्वारा खाते से नगद निकासी कर कैशबुक में पूर्व प्रधान को मानदेय भुगतान अंकित किया गया है।लेखापरीक्षा समय पूर्व प्रधान के बकाया मानदेय की पुष्टि में कोई भी प्रमाण/अभिलेख, पूर्व प्रधान से प्राप्ति रसीद आदि मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये । स्पष्ट है कि श्री पूनम श्रीवास्तव ग्रा0वि0अधि0 द्वारा उक्त तिथियों में रू0 35000.00 की नगद निकासी कर कैशबुक में काल्पनिक रूप से पूर्व

प्रधान को मानदेय भुगतान दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतएवं रू0 35000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री दिनेश कुमार ग्राम प्रधान से रू0 17500.00 एवं श्रीमती पूनम श्रीवास्तव,ग्रा0वि0अधि0 से रू0 17500.00 की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
35000.00		—	35000.00

प्रस्तर–101विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत बरगदवामाफी के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में विभिन्न तिथियों में मजदूरी,हैण्डपम्प मरम्मत आदि मदों में कुल रू0 171034.00 का व्यय विवरण अंकित किया गया है जिसके सापेक्ष लेखापरीक्षा समय स्टीमेट, एम0बी0, व्यय प्रमाणक,मस्टर रोल आदि मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया।स्पष्ट है कि कुल धनराशि रू0 171034.00 का कैशबुक में काल्पनिक व्यय विवरण अंकित कर धनराशि का अपहरण किया गया है।अतएवं रू0 171034.00 की ब्याज सहित वसूली श्री दिनेश कुमार ग्राम प्रधान से रू0 85517.00 एवं श्रीमती पूनम श्रीवास्तव,ग्रा0वि0अधि0 से रू0 85517.00 की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
171034.00	—	—	171034.00

प्रस्तर–102–विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत भरगॅवा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक एवं बैक पासबुक के अनुसार दिनांक 04.04.16 को रू0 5400.00, 05.04.16 को 44100.00 एवं 20.05.16 को 8065.00 कुल रू0 57565.00 की निकासी की गयी है परन्तु कैशबुक के व्यय पक्ष में व्यय दर्षित नही किया गया है। स्पष्ट है कि निकासी की गयी कुल धनराशि रू0 57565.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतएव रू0 57565.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती प्रेमा देवी, ग्राम प्रधान से रू0 28783.00 एवं श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, ग्रा0वि0अधि0 से रू0 28782. 00 की की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
57565.00	—	—	57565.00

प्रस्तर–103–विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत भरगॅवा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 28.03.18 को कैशबुक के व्यय पक्ष में रू0 27840.00 मजदूरी भुगतान दर्षित किया गया है उक्त भुगतान के संदर्भ में मस्टररोल, एम0बी0, स्टीमेट आदि मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नही किया गया। स्पष्ट है कि कैशबुक में काल्पनिक रूप से रू0 27840.00 मजदूरी भुगतान अंकित कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतःएंव रू0 27840.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती प्रेमा देवी, ग्राम प्रधान से रू0 13920.00 एवं श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, ग्रा0वि0अधि0 से रू0 13920.00 की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
27840.00	—	—	27840.00

प्रस्तर–104–विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत खैरीओझा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार दिनांक 18.05.16 एवं 28.09.16 को क्रमशः रू0 8115.00 एवं 3892.00 कुल रू0 12007.00 का भुगतान मे0 मणि एण्ड एसोसिएट को चेक द्वारा आयकर;(टी.डी.एस.) जमा करने हेतु भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि बैक स्टेटमेन्ट से भी होती है। उक्त धनराशि के आयकर जमा चालान लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे। साथ ही ग्राम पंचायत में सप्लायर फर्म के आयकर कटौती के पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं। उक्त भुगतान के संवंध में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक अवगत कराया गया कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट द्वारा जो अपने को सी0ए0फर्म बताती है, ग्राम पंचायत द्वारा आयकर कटौती की गणना कर एवं आयकर सेक्शन 200(3)193,194 के अनुसार फार्म–26क्यू फाइल करने हेतु एवं सप्लायर फर्म को 16ए जारी करने हेतु फीस रू0 1000.00 प्रति तिमाही की दर से कुल रू0 12007.00 का भुगतान प्राप्त किया है। परन्तु मे0मणि एण्ड एसोसिएट आयकर जमा चालान, फाइल की गयी फार्म–26क्यू प्रति एवं सप्लायर फर्म का 16–ए ग्रामपंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है। संस्था द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है। स्पष्ट है कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट से ग्राम पंचायत अधिकारी एव प्रधान द्वारा दुरभिसन्धि कर आयकर जमा करने हेतु रू0 12007.00 का निकासी कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतएंव रू0 12007.00 की वसूली श्रीमती सुनीता ,ग्रामप्रधान से रू0 6004.00 एवं श्री आनन्द स्वरूप, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 6003.00 की जानी चाहिए। साथ ही मे0 मणि एण्ड एसोसिएट के आयकर जमा चालान उपलब्ध न कराने, फार्म–26क्यू फाइल न करने तथा 16–ए तैयार कर उपलब्ध न कराने के निमित्त उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
12007.00	—	—	12007.00

प्रस्तर–105–विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत सरैया तिवारी के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार दिनांक 18.05.16 को रू0 3793.00 का भुगतान मे0 मणि एण्ड एसोसिएट को चेक द्वारा आयकर;(टी.डी.एस.) जमा करने हेतु भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि बैक स्टेटमेन्ट से भी होती है। उक्त धनराशि के आयकर जमा चालान लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे। साथ ही ग्राम पंचायत में सप्लायर फर्म के आयकर कटौती के पूर्ण विवरण

भी उपलब्ध नहीं हैं। उक्त भुगतान के संवंध में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक अवगत कराया गया कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट द्वारा जो अपने को सी0ए0फर्म बताती है, ग्राम पंचायत द्वारा आयकर कटौती की गणना कर एवं आयकर सेक्शन 200(3)193,194 के अनुसार फार्म–26क्यू फाइल करने हेतु एवं सप्लायर फर्म को 16ए जारी करने हेतु फीस रू0 1000.00 प्रति तिमाही की दर से कुल रू0 3793.00 का भुगतान प्राप्त किया है। परन्तु मे0मणि एण्ड एसोसिएट आयकर जमा चालान, फाइल की गयी फार्म–26क्यू प्रति एवं सप्लायर फर्म का 16–ए ग्रामपंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है। संस्था द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है। स्पष्ट है कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट से ग्राम पंचायत अधिकारी एव प्रधान द्वारा दुरभिसन्धि कर आयकर जमा करने हेतु रू0 3793.00 का निकासी कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतएंव रू0 3793.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती कान्ती देवी ,ग्रामप्रधान से रू0 1897.00 एवं श्री आनन्द स्वरूप, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 1896.00 की जानी चाहिए। साथ ही मे0 मणि एण्ड एसोसिएट के आयकर जमा चालान उपलब्ध न कराने, फार्म–26क्यू फाइल न करने तथा 16–ए तैयार कर उपलब्ध न कराने के निमित्त उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
3793.00	–	–	3793.00

<u>प्रस्तर–106–</u>विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत सरैया तिवारी के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बैक स्टेटमेण्ट के अनुसार दिनांक 17.06.16 से 21.08.16 की अवधि में कुल रू0 51000.00 की निकासी करके कैशबुक के आय पक्ष में अंकित किया गया है परन्तु व्यय पक्ष में व्यय विवरण अंकित नही किय गया है। स्पष्ट है कि बैक से निकासी की गयी धनराशि का अपहरण किय गया है। अतएव रू0 51000.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती मीरा देवी, ग्राम प्रधान से रू0 25500.00 एवं श्री आनन्द स्वरूप सिंह, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 25500.00 की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
51000.00	–	–	51000.00

<u>प्रस्तर–107–</u>विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत जगदीशपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 09.05.16 एवं को 28.09.16 को क्रमशः रू0 13965.00 एवं रू0 24083.00 कुल 38048.00 का भुगतान मे0 मणि एण्ड एसोसिएट को चेक द्वारा आयकर(टी.डी.एस.) जमा करने हेतु भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि बैक स्टेटमेन्ट से भी होती है। उक्त धनराशि के आयकर जमा चालान लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे। साथ ही ग्राम पंचायत में सप्लायर फर्म के आयकर कटौती के पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं। उक्त भुगतान के संवंध में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक अवगत कराया गया कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट द्वारा जो अपने को सी0ए0फर्म बताती है, ग्राम पंचायत द्वारा आयकर कटौती की गणना कर एवं आयकर सेक्शन 200(3)193,194 के अनुसार फार्म–26क्यू फाइल करने हेतु एवं सप्लायर फर्म को 16ए जारी करने हेतु फीस रू0 1000.00 प्रति तिमाही की दर से कुल रू0 38048.00 का भुगतान प्राप्त किया है। परन्तु मे0मणि एण्ड एसोसिएट आयकर जमा चालान, फाइल की गयी फार्म–26क्यू प्रति एवं सप्लायर फर्म का 16–ए ग्रामपंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है। संस्था द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है। स्पष्ट है कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट से ग्राम पंचायत अधिकारी एव प्रधान द्वारा दुरभिसन्धि कर आयकर जमा करने हेतु रू0 38048.00 का निकासी कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतएंव रू0 38048.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती श्रद्धा सिंह ,ग्रामप्रधान से रू0 19024.00 एवं श्री आनन्द स्वरूप, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 19024.00 की जानी चाहिए। साथ ही मे0 मणि एण्ड एसोसिएट के आयकर जमा चालान उपलब्ध न कराने, फार्म–26क्यू फाइल न करने तथा 16–ए तैयार कर उपलब्ध न कराने के निमित्त उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
38048.00	–	–	38048.00

<u>प्रस्तर–108–</u>विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत भदावलकला के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार दिनांक 06.05.16 एवं 28.09.16 को क्रमशः रू0 6689.00 एवं रू0 4617.00 कुल 11306.00 का भुगतान मे0 मणि एण्ड एसोसिएट को चेक द्वारा आयकर(टी.डी.एस.) जमा करने हेतु भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि बैक स्टेटमेन्ट से भी होती है। उक्त धनराशि के आयकर जमा चालान लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे। साथ ही ग्राम पंचायत में सप्लायर फर्म के आयकर कटौती के पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं। उक्त भुगतान के संवंध में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक अवगत कराया गया कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट द्वारा जो अपने को सी0ए0फर्म बताती है, ग्राम पंचायत द्वारा आयकर कटौती की गणना कर एवं आयकर सेक्शन 200(3)193,194 के अनुसार फार्म–26क्यू फाइल करने हेतु एवं सप्लायर फर्म को 16ए जारी करने हेतु फीस रू0 1000.00 प्रति तिमाही की दर से कुल रू0 11306.00 का भुगतान प्राप्त किया है। परन्तु मे0मणि एण्ड एसोसिएट आयकर जमा चालान, फाइल की गयी फार्म–26क्यू प्रति एवं सप्लायर फर्म का 16–ए ग्रामपंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है। संस्था द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है। स्पष्ट है कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट से ग्राम पंचायत अधिकारी एव प्रधान द्वारा दुरभिसन्धि कर आयकर जमा करने हेतु रू0 11306.00 का निकासी कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतएंव रू0 11306.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती संगीता सिंह ,ग्रामप्रधान से रू0 5653.00 एवं श्री आनन्द स्वरूप, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 5653.00 की

जानी चाहिए। साथ ही मे0 मणि एण्ड एसोसिएट के आयकर जमा चालान उपलब्ध न कराने, फार्म–26क्यू फाइल न करने तथा 16–ए तैयार कर उपलब्ध न कराने के निमित्त उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
11306.00	–	–	11306.00

प्रस्तर–109–विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत बरहपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 06.05.16 को कैशबक में मे0 मणि एण्ड एसोसिएट को रू0 19431.00 चेक द्वारा आयकर(टी.डी.एस.) जमा करने हेतु भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि बैक स्टेटमेन्ट से भी होती है। उक्त धनराशि के आयकर जमा चालान लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे। साथ ही ग्राम पंचायत में सप्लायर फर्म के आयकर कटौती के पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं। उक्त भुगतान के संवंध में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक अवगत कराया गया कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट द्वारा जो अपने को सी0ए0फर्म बताती है, ग्राम पंचायत द्वारा आयकर कटौती की गणना कर एवं आयकर सेक्शन 200(3)193,194 के अनुसार फार्म–26क्यू फाइल करने हेतु एवं सप्लायर फर्म को 16ए जारी करने हेतु फीस रू0 1000.00 प्रति तिमाही की दर से कुल रू0 19431.00 का भुगतान प्राप्त किया है। परन्तु मे0मणि एण्ड एसोसिएट आयकर जमा चालान, फाइल की गयी फार्म–26क्यू प्रति एवं सप्लायर फर्म का 16–ए ग्रामपंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है। संस्था द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है। स्पष्ट है कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट से ग्राम पंचायत अधिकारी एव प्रधान द्वारा दुरभिसन्धि कर आयकर जमा करने हेतु रू0 19431.00 का निकासी कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतएंव रू0 19431.00 की ब्याज सहित वसूली श्री कपूरनाथ, ग्रामप्रधान से रू0 9716.00 एवं श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 9715.00 की जानी चाहिए। साथ ही मे0 मणि एण्ड एसोसिएट के आयकर जमा चालान उपलब्ध न कराने, फार्म–26क्यू फाइल न करने तथा 16–ए तैयार कर उपलब्ध न कराने के निमित्त उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
19431.00	–	–	19431.00

प्रस्तर–110–विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत रामगढखास के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.17 को कैशबुक में मे0 मणि एण्ड एसोसिएट को रू0 18311.00 चेक द्वारा आयकर(टी.डी.एस.) जमा करने हेतु भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि बैक स्टेटमेन्ट से भी होती है। उक्त धनराशि के आयकर जमा चालान लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे। साथ ही ग्राम पंचायत में सप्लायर फर्म के आयकर कटौती के पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं। उक्त भुगतान के संवंध में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक अवगत कराया गया कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट द्वारा जो अपने को सी0ए0फर्म बताती है, ग्राम पंचायत द्वारा आयकर कटौती की गणना कर एवं आयकर सेक्शन 200(3)193,194 के अनुसार फार्म–26क्यू फाइल करने हेतु एवं सप्लायर फर्म को 16ए जारी करने हेतु फीस रू0 1000.00 प्रति तिमाही की दर से कुल रू0 18311.00 का भुगतान प्राप्त किया है। परन्तु मे0मणि एण्ड एसोसिएट आयकर जमा चालान, फाइल की गयी फार्म–26क्यू प्रति एवं सप्लायर फर्म का 16–ए ग्रामपंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है। संस्था द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है। स्पष्ट है कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट से ग्राम पंचायत अधिकारी एव प्रधान द्वारा दुरभिसन्धि कर आयकर जमा करने हेतु रू0 18311.00 का निकासी कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतएंव रू0 18311.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती रीमा देवी, ग्रामप्रधान से रू0 9156.00 एवं श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डेय, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 9155.00 की की जानी चाहिए। साथ ही मे0 मणि एण्ड एसोसिएट के आयकर जमा चालान उपलब्ध न कराने, फार्म–26क्यू फाइल न करने तथा 16–ए तैयार कर उपलब्ध न कराने के निमित्त उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
18311.00	–	–	18311.00

प्रस्तर–111–विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत तेनुआ के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 06.05.16 कैशबुक में मे0 मणि एण्ड एसोसिएट को रू0 21311.00 चेक द्वारा आयकर(टी.डी.एस.) जमा करने हेतु भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि बैक स्टेटमेन्ट से भी होती है। उक्त धनराशि के आयकर जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे। साथ ही ग्राम पंचायत में सप्लायर फर्म के आयकर कटौती के पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं। उक्त भुगतान के संवंध में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक अवगत कराया गया कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट द्वारा जो अपने को सी0ए0फर्म बताती है, ग्राम पंचायत द्वारा आयकर कटौती की गणना कर एवं आयकर सेक्शन 200(3)193,194 के अनुसार फार्म–26क्यू फाइल करने हेतु एवं सप्लायर फर्म को 16ए जारी करने हेतु फीस रू0 1000.00 प्रति तिमाही की दर से कुल रू0 21311.00 का भुगतान प्राप्त किया है। परन्तु मे0मणि एण्ड एसोसिएट आयकर जमा चालान, फाइल की गयी फार्म–26क्यू प्रति एवं सप्लायर फर्म का 16–ए ग्रामपंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है। संस्था द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है। स्पष्ट है कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट से ग्राम पंचायत अधिकारी एव प्रधान द्वारा दुरभिसन्धि कर आयकर जमा करने हेतु रू0 21311.00 का निकासी कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतएंव रू0 21311.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुनरा देवी, ग्रामप्रधान से रू0 10656.00 एवं श्रीमती पूनम श्रीवास्तव,

ग्रा0पं0अधि0 से रू0 10655.00 की की जानी चाहिए। साथ ही मे0 मणि एण्ड एसोसिएट के आयकर जमा चालान उपलब्ध न कराने, फार्म–26क्यू फाइल न करने तथा 16–ए तैयार कर उपलब्ध न कराने के निमित्त उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
21311.00	–	–	21311.00

प्रस्तर–112–विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत तेनुआ के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 20.05.16 को कैशबुक एवं बैक स्टेटमेण्ट के अनुसार रू0 9419.00 श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, ग्रा0पं0अ0 द्वारा नकद निकासी की गयी है जिसे कैशबुक में टेण्डर एवं विद्यापन हेतु व्यय दर्षित किया गया है। दर्षित व्यय विवरण के व्यय प्रमाणक यथा विज्ञापन प्रकाशित करने के आदेश, प्रकाशित विज्ञापन के कटिंग, प्रकाशक के बिल एवं धनराशि प्राप्ति रशीद आदि लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नही किये गये, जिससे स्पष्ट है कि ग्रा0पं0अधि0 द्वारा निकासी की गयी धनराशि रू0 9419.00 को कैशबुक में काल्पनिक व्यय दर्षित कर अपहरण किया गया है। अतएव रू0 9419.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुनरा देवी, ग्रामप्रधान से रू0 4710.00 एवं श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 4709.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
9419.00	–	–	9419.00

प्रस्तर–113–विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत सहसरॉव के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 20.05.16 को कैशबुक एवं बैक स्टेटमेण्ट के अनुसार रू0 6702.00 श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, ग्रा0पं0अ0 द्वारा नकद निकासी की गयी है जिसे कैशबुक में टेण्डर एवं विज्ञापन हेतु व्यय दर्षित किया गया है। दर्षित व्यय विवरण के व्यय प्रमाणक यथा विज्ञापन प्रकाशित करने के आदेश, प्रकाशित विज्ञापन के कटिंग, प्रकाशक के बिल एवं धनराशि प्राप्ति रशीद आदि लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नही किये गये, जिससे स्पष्ट है कि ग्रा0पं0अधि0 द्वारा निकासी की गयी धनराशि रू0 6702.00 को कैशबुक में काल्पनिक व्यय दर्षित कर अपहरण किया गया है। अतएव रू0 6702.00 की ब्याज सहित वसूली श्री विजय कुमार, ग्रामप्रधान से रू0 3351.00 एवं श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 3351.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
6702.00	–	–	6702.00

प्रस्तर–114–विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत कोदई के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार दिनांक 18.05.16 एवं 28.09.16 को क्रमशः रू0 7684.00 एवं रू0 6137.00 कुल 13821.00 का भुगतान मे0 मणि एण्ड एसोसिएट को चेक द्वारा आयकर(टी.डी.एस.) जमा करने हेतु भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि बैक स्टेटमेन्ट से भी होती है। उक्त धनराशि के आयकर जमा चालान लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे। साथ ही ग्राम पंचायत में सप्लायर फर्म के आयकर कटौती के पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं। उक्त भुगतान के संवंध में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक अवगत कराया गया कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट द्वारा जो अपने को सी0ए0फर्म बताती है, ग्राम पंचायत द्वारा आयकर कटौती की गणना कर एवं आयकर सेक्शन 200(3)193,194 के अनुसार फार्म–26क्यू फाइल करने हेतु एवं सप्लायर फर्म को 16ए जारी करने हेतु फीस रू0 1000.00 प्रति तिमाही की दर से कुल रू0 13821.00 का भुगतान प्राप्त किया है। परन्तु मे0मणि एण्ड एसोसिएट आयकर जमा चालान, फाइल की गयी फार्म–26क्यू प्रति एवं सप्लायर फर्म का 16–ए ग्रामपंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है। संस्था द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है। स्पष्ट है कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट से ग्राम पंचायत अधिकारी एव प्रधान द्वारा दुरभिसन्धि कर आयकर जमा करने हेतु रू0 13821.00 का निकासी कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतएंव रू0 13821.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुनीता ,ग्रामप्रधान से रू0 6911.00 एवं श्री आनन्द स्वरूप, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 6910.00 की की जानी चाहिए। साथ ही मे0 मणि एण्ड एसोसिएट के आयकर जमा चालान उपलब्ध न कराने, फार्म–26क्यू फाइल न करने तथा 16–ए तैयार कर उपलब्ध न कराने के निमित्त उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
13821.00	–	–	13821.00

प्रस्तर–115–विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत महुआपार के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 09.05.16 कैशबुक में मे0 मणि एण्ड एसोसिएट को रू0 7887.00 चेक द्वारा आयकर(टी.डी.एस.) जमा करने हेतु भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि बैक स्टेटमेन्ट से भी होती है। उक्त धनराशि के आयकर जमा चालान लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे। साथ ही ग्राम पंचायत में सप्लायर फर्म के आयकर कटौती के पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं। उक्त भुगतान के संवंध में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक अवगत कराया गया कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट द्वारा जो अपने को सी0ए0फर्म बताती है, ग्राम पंचायत द्वारा आयकर कटौती की गणना कर एवं आयकर सेक्शन 200(3)193,194 के अनुसार फार्म–26क्यू फाइल करने हेतु एवं सप्लायर फर्म को 16ए जारी करने हेतु फीस रू0 1000. 00 प्रति तिमाही की दर से कुल रू0 7887.00 का भुगतान प्राप्त किया है। परन्तु मे0मणि एण्ड एसोसिएट आयकर

जमा चालान, फाइल की गयी फार्म–26क्यू प्रति एवं सप्लायर फर्म का 16–ए ग्रामपंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है। संस्था द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है। स्पष्ट है कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट से ग्राम पंचायत अधिकारी एव प्रधान द्वारा दुरभिसन्धि कर आयकर जमा करने हेतु रू0 7887.00 का निकासी कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतएंव रू0 7887.00 की ब्याज सहित वसूली श्री योगेन्द्रनाथ सिंह, ग्रामप्रधान से रू0 3944.00 एवं श्री गिरिजेश श्रीवास्तव, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 3943.00 की की जानी चाहिए। साथ ही मे0 मणि एण्ड एसोसिएट के आयकर जमा चालान उपलब्ध न कराने, फार्म–26क्यू फाइल न करने तथा 16–ए तैयार कर उपलब्ध न कराने के निमित्त उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
7887.00	–	–	7887.00

<u>प्रस्तर–116</u>विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत किशुनपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 06.05.16 कैशबुक में मे0 मणि एण्ड एसोसिएट को रू0 5390.00 चेक द्वारा आयकर(टी.डी.एस.) जमा करने हेतु भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि बैक स्टेटमेन्ट से भी होती है। उक्त धनराशि के आयकर जमा चालान लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे। साथ ही ग्राम पंचायत में सप्लायर फर्म के आयकर कटौती के पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं। उक्त भुगतान के संवंध में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक अवगत कराया गया कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट द्वारा जो अपने को सी0ए0फर्म बताती है, ग्राम पंचायत द्वारा आयकर कटौती की गणना कर एवं आयकर सेक्शन 200(3)193,194 के अनुसार फार्म–26क्यू फाइल करने हेतु एवं सप्लायर फर्म को 16ए जारी करने हेतु फीस रू0 1000.00 प्रति तिमाही की दर से कुल रू0 5390.00 का भुगतान प्राप्त किया है। परन्तु मे0मणि एण्ड एसोसिएट आयकर जमा चालान, फाइल की गयी फार्म–26क्यू प्रति एवं सप्लायर फर्म का 16–ए ग्रामपंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है। संस्था द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है। स्पष्ट है कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट से ग्राम पंचायत अधिकारी एव प्रधान द्वारा दुरभिसन्धि कर आयकर जमा करने हेतु रू0 5390.00 का निकासी कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतएंव रू0 5390.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अजय कुमार, ग्रामप्रधान से रू0 2695.00 एवं श्री गिरिजेश श्रीवास्तव, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 2695.00 की की जानी चाहिए। साथ ही मे0 मणि एण्ड एसोसिएट के आयकर जमा चालान उपलब्ध न कराने, फार्म–26क्यू फाइल न करने तथा 16–ए तैयार कर उपलब्ध न कराने के निमित्त उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
5390.00	–	–	5390.00

<u>प्रस्तर–117–</u>विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत महेवॉकुवर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 18.05.16 कैशबुक में मे0 मणि एण्ड एसोसिएट को रू0 14725.00 चेक द्वारा आयकर(टी.डी.एस.) जमा करने हेतु भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि बैक स्टेटमेन्ट से भी होती है। उक्त धनराशि के आयकर जमा चालान लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत नहीं रहे। साथ ही ग्राम पंचायत में सप्लायर फर्म के आयकर कटौती के पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं। उक्त भुगतान के संवंध में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक अवगत कराया गया कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट द्वारा जो अपने को सी0ए0फर्म बताती है, ग्राम पंचायत द्वारा आयकर कटौती की गणना कर एवं आयकर सेक्शन 200(3)193,194 के अनुसार फार्म–26क्यू फाइल करने हेतु एवं सप्लायर फर्म को 16ए जारी करने हेतु फीस रू0 1000.00 प्रति तिमाही की दर से कुल रू0 14725.00 का भुगतान प्राप्त किया है। परन्तु मे0मणि एण्ड एसोसिएट आयकर जमा चालान, फाइल की गयी फार्म–26क्यू प्रति एवं सप्लायर फर्म का 16–ए ग्रामपंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है। संस्था द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है। स्पष्ट है कि मे0 मणि एण्ड एसोसिएट से ग्राम पंचायत अधिकारी एव प्रधान द्वारा दुरभिसन्धि कर आयकर जमा करने हेतु रू0 14725.00 का निकासी कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतएंव रू0 14725.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती फूला देवी, ग्रामप्रधान से रू0 7363.00 एवं श्री गिरिजेश श्रीवास्तव, ग्रा0पं0अधि0 से रू0 7362.00 की की जानी चाहिए। साथ ही मे0 मणि एण्ड एसोसिएट के आयकर जमा चालान उपलब्ध न कराने, फार्म–26क्यू फाइल न करने तथा 16–ए तैयार कर उपलब्ध न कराने के निमित्त उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
14725.00	–	–	14725.00

<u>प्रस्तर–118–</u>विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत डेल्हापार के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–। खाते की बैक पासबुक अनुसार दिनांक 06.07.16 को रू0 3114.00 की निकासी की गयी है। उक्त धनराशि को कोषबही के आय पक्ष में अंकित किया गया है परन्तु न तो किसी कार्य पर खर्च के रूप में व्यय पक्ष में दर्षित किया गया है और न ही किसी कार्य के स्टीमेट, एम0बी0 उक्त धनराशि के व्यय संबन्धी को प्राक्कलन ही किया गया है जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी। इस प्रकार कुल रू0 3114.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार रू0 3114.00 का अपहरण किया

गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अब्दुल कादिर, ग्राम प्रधान से रू0 1557.00 तथा श्री सुरेन्द्र राव, ग्रा0पं0अ0 से रू0 1557.00 की की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
3114.00	—	—	3114.00

प्रारूप–4

जनपद सन्तकबीरनगर

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17

(ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां)

प्रस्तर 01–विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत दुधारा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–1 खाते की कैशबुक की आलोच्य वर्ष में सोलर लाईट मद में कुल रू 45380.00 का व्यय किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृत कार्ययोजना व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाणपत्र एवं सही कार्य करने का प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 आदि मांगोपरान्त न प्रस्तुत कर दर्षित कार्य की वास्तविक व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार दर्षित व्यय रू 45380.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय –8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती आयशा खातून प्रधान तथा श्री मैनुद्दीन सिद्धकी ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
45380.00	—	—	45380.00

प्रस्तर 02 विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत पुरूवा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–1 खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में सोलर लाईट मद में कुल रू 21900.00 का व्यय किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सही कार्य कराने का प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 आदि मांगो परान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्य की वास्तविक व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार दर्षित व्यय रू 21900.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री अब्दुल रहीम ग्राम प्रधान तथा श्री रामप्यारे ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
21900.00	—	—	21900.00

प्रस्तर 03विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत चोरहा के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–1 के खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में सोलर लाईट मद में कुल रू 44980.00 का व्यय किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सही कार्य कराने का प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्य की वास्तविक व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार दर्षित व्यय रू 44980.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री महफूज अहमद ग्रम प्रधान तथा श्रीमती रजनी सिंह ग्राम पंचायत अधिकारीसे संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
44980.00	—	—	44980.00

प्रस्तर 04–विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत मूडाडीहा खुर्द के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–1 के खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में सोलर लाईट मद में कुल रू 120000.00 का व्यय किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सही कार्य कराने का प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्य की वास्तविक व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार दर्षित व्यय रू 120000.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री अब्दुल वफा ग्राम प्रधान तथा श्री अश्वनी गौतम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
120000.00	—	—	120000.00

प्रस्तर 05–विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत उपधी के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि–1 के खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में सोलर लाईट मद में कुल रू 131400.00 का व्यय किया जाना दर्षित है।लेखापरीक्षा में उक्तदर्षित व्यय सेसम्बन्धित प्रस्ताव,स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय

सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सही कार्य कराने का प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्य की वास्तविक व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार दर्षित व्यय रू 131400.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मजहर हुसैन ग्प्रम प्रधान तथा श्री अश्वनी सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
131400.00	—	—	131400.00

प्रस्तर 06—विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत कुसमैनी के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में सोलर लाईट मद में कुल रू 109500.00 का व्यय किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सही कार्य कराने का प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्य की वास्तविक व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार दर्षित व्यय रू 109500.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री ब्रहमादीन ग्प्रम प्रधान तथा श्री अश्वनी गौतम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
109500.00	—	—	109500.00

प्रस्तर 07—विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत गंगौली के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में सोलर लाईट मद में कुल रू 21900.00 का व्यय किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सही कार्य कराने का प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्य की वास्तविक व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार दर्षित व्यय रू 21900.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री अकबाल अहमद ग्प्रम प्रधान तथा श्री अफजल ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
21900.00	—	—	21900.00

प्रस्तर 08—विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत करमा डोभन के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में नाली निर्माण मद में कुल रू 119700.00 का व्यय किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सही कार्य कराने का प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्य की वास्तविक व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार दर्षित व्यय रू 119700.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मोहम्म्द साहिद ग्प्रम प्रधान तथा श्री अश्वनी गौतम ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
119700.00	—	—	119700.00

प्रस्तर 09—विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत परसादपुर के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में नाली निर्माण मद में कुल रू 147142.00 का व्यय किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सही कार्य कराने का प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्य की वास्तविक व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार दर्षित व्यय रू 147142.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मकबूल ग्प्रम प्रधान तथा श्री रजनी सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
147142.00	—	—	147142.00

प्रस्तर 10—विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत परसादपुर के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण मद में कुल रू 473142.00 का व्यय किया जाना दर्षित है।लेखा परीक्षामें उक्त दर्षित व्यय सेसम्बन्धित प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीयसत्यापन प्रमाण पत्र एवं सही कार्य कराने का प्रमाण पत्र एवं एम0बी0आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नकर दर्षित

कार्य की वास्तविक व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार दर्षित व्यय रू 473142.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री प्रेमनाथ ग्रम प्रधान तथा श्री आनन्द ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
473142.00	—	—	473142.00

प्रस्तर 11—विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत अगया के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत मद में कुल रू 14900.00 का व्यय किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सही कार्य कराने का प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्य की वास्तविक व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार दर्षित व्यय रू 14900.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मती नाजुक जहॉ ग्रम प्रधान तथा श्री अश्वनी सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
14900.00	—	—	14900.00

प्रस्तर 12—विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत हडहा के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में तीन चबूतरा निर्माण मद में कुल रू 97766.00 का व्यय किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सही कार्य कराने का प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्य की वास्तविक व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार दर्षित व्यय रू 97766.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मती हफीजुर्रहमान ग्रम प्रधान तथा श्री धर्मेन्द्र यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
97766.00	—	—	97766.00

प्रस्तर 13—विकास खण्ड मेंहदावल की ग्राम पंचायत नगपुर के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत मद में कुल रू 41990.00 का व्यय किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सही कार्य कराने का प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्षित कार्य की वास्तविक व्यय की गयी धनराशि से पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार दर्षित व्यय रू 41990.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री दूधनाथ ग्रम प्रधान तथा श्री मार्कण्डेय पाण्डेय ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
41990.00	—	—	41990.00

प्रस्तर 14—विकास खण्ड मेंहदावल की ग्राम पंचायत नगपुर के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की कैशबुक /पासबुक के अनुसार रू 4936.00 ब्याज से आय अर्जित किया गया अंकित है। वित्त अनुभाग—1 के शासनादेश सं0 10/2015/ए—1—502/दस—2015—10/2010 दिनांक 29.05.2015 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि पर प्राप्त ब्याज संस्था की आय न मानते हुये राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये। परन्तु रू 4936.00 को कोषागार में जमा न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्री दूधनाथ ग्रम प्रधान तथा श्री मार्कण्डेय पाण्डेय ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए धनराशि राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	4936.00	4936.00

प्रस्तर 15—विकास खण्ड मेंहदावल की ग्राम पंचायत रक्सा के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते क्रमशः रू 30500.00+6000.00+15975.00+27693= कुल रू 80168.00 हैंडपंप मरम्मत मद में व्यय किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय मजदूरों की मजदूरी सम्बन्धी बिल, वयय प्रमाणक, मृत स्कन्ध पंजिका उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे धन का अपहरण मानते हुये ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती सुशीला देवी ग्राम प्रधान तथा श्री रविन्द्र नाथ कुशवाहा सचिव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
80168.00	—	—	80168.00

प्रस्तर 16—विकास खण्ड मेंहदावल की ग्राम पंचायत रक्सा के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की कैशबुक /पासबुक के अनुसार रू 7281.00 ब्याज से आय अर्जित किया गया अंकित है। वित्त अनुभाग—1 के शासनादेश सं0 10/2015/ए—1—502/दस—2015—10/2010 दिनांक 29.05.2015 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि पर प्राप्त ब्याज संस्था की आय न मानते हुये राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये। परन्तु रू 7281.00 को कोषागार में जमा न कर अनियमित रूपसे खाते में रखा गया है। अतः सम्बंधित मद को जमा कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में ग्रम प्रधान श्री सुशीला देवी तथा श्री रविन्द्र नाथ कुशवाहा सचिव से संयुक्त रूप से वसूल कर सम्बंधित मद में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	4936.00	4936.00

प्रस्तर 17—विकास खण्ड मेंहदावल की ग्राम पंचायत समदा के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में दिनांक 13.04.2016 को ग्राम निधि—1 के खाते से रू 35000.00 हैण्डपम्प मरम्मत मद में कुल का व्यय किया जाना दर्षित है। उक्त से सम्बन्धित सामग्री क्रयादेश व्यय प्रमाणक ,क्रयादेश, मृत स्कन्ध रजिस्टर, सक्षम अधिकारी द्वारा संस्तुति पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उक्त धनराशि का अपहरण मानते हुये ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार संयुक्त रूप से श्री अब्दुल लतीफ सचिव व श्रीमती साफिया खातून प्रधान से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
35000.00	—	—	35000.00

प्रस्तर 18—विकास खण्ड मेंहदावल की ग्राम पंचायत समदा के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की कैशबुक /पासबुक के अनुसार रू 8708.00 ब्याज से आय अर्जित किया गया अंकित है। वित्त अनुभाग—1 के शासनादेश सं0 10/2015/ए—1—502/दस—2015—10/2010 दिनांक 29.05.2015 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि पर प्राप्त ब्याज संस्था की आय न मानते हुये राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये। परन्तु रू 8708.00 को कोषागार में जमा न कर अनियमित रूप से खाते में रखा गया है। अतः सम्बन्धित मद में जमा कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में श्री अब्दुल लतीफ सचिव व श्री मती साफिया खातून प्रधान से वसूलकर जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	8708.00	8708.00

प्रस्तर 19—विकास खण्ड मेंहदावल की ग्राम पंचायत डडिया कला के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि—1 के खाते से क्रमशः रू 36000.00 छोटा नल लगवाने पर तथा रू 49862.00 इंडिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया जाना दर्षित कैशबुक में अंकित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय से सम्बन्धितव्यय प्रमाणक सामग्री, कयादेश, मजदूरी के कार्य से सम्बन्धित बिल इत्यादि अप्रस्तुत रहा जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।अतः ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किये गये धनराशि रू 85862. 00 की वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से श्री लालजी यादव प्रधान तथा श्री रविन्द्र नाथ कुशवाहा सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
85862.00	—	—	85862.00

प्रस्तर 20—विकास खण्ड मेंहदावल की ग्राम पंचायत टडवा के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि—1 के खाते से क्रमशः रू 16000.00 हैंडपम्प मरम्मत पर व्यय किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सामग्री, क्रयादेश, एवं मरम्मत स्थल के नाम की सूची तथा कार्यपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार श्री देव प्रताप सिंह सचिव श्री मती ऊषा देवी प्रधान द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्री देव प्रताप सिंह सचिव श्रीमती ऊषा देवी प्रधान से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
16000.00	—	—	16000.00

प्रस्तर 21—विकास खण्ड मेंहदावल की ग्राम पंचायत टडवा के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि—1के खाते से रू 10000.00 सफाई किट्स कय किया जाना दर्षित है। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक क्रयादेश, प्रस्तुत नहीं रहा।जिससे उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्री देव प्रताप सिंह सचिव श्रीमती ऊषा देवी प्रधान से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
10000.00	—	—	10000.00

प्रस्तर 22—विकास खण्ड मेंहदावल की ग्राम पंचायत चिकनियाडीह के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि—1 के खाते से क्रमशः रू 240900.00 सोलर स्ट्रीट लाईट लगवाने पर व्यय किया जाना दर्षित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, स्थापित स्थल सूची तथा कार्यपूर्ण प्रमाण पत्र, क्रयादेश, अप्रस्तुत रहा। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः धनराशि रू 240900.00 का अपहरण ग्राम सचिव श्री मार्कण्डेय पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान श्रीती झिनकी द्वारा कर लिया गया है। अपहरण कि धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम सचिव श्री मार्कण्डेय पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती झिनकी से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
240900.00	—	—	240900.00

प्रस्तर 23—विकास खण्ड मेंहदावल की ग्राम पंचायत चिकनियाडीह के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि—1 के खाते सेरू 86808.00 कूप मरम्मत पर दर्षित है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक क्रयादेश, एम0बी0, मजदूरी भुगतान बिल इत्यादि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम सचिव श्री मार्कण्डेय पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान श्री मती झिनकी से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
86808.00	—	—	86808.00

प्रस्तर 24—विकास खण्ड मेंहदावल की ग्राम पंचायत चिकनियाडीह के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की कैशबुक /पासबुक के अनुसार रू 6601.00 ब्याज से आय अर्जित किया गया अंकित है। वित्त अनुभाग—1 के शासनादेश सं0 10/2015/ए—1—502/दस—2015—10/2010 दिनांक 29.05.2015 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि पर प्राप्त ब्याज संस्था की आय न मानते हुये राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये। परन्तु रू 6601.00 को कोषागार में जमा न कर अनियमित रूप से खाते में रखा गया है। अतः ब्याज की धनराशि को संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम सचिव श्री अब्दुल लतीफ सचिव एवं श्री मती झिनकी प्रधान से सम्बन्धित मद मे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	6601.00	6601.00

प्रस्तर 25—विकास खण्ड बेलहरकला की ग्राम पंचायत भेलानखर्गकला के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक— 28.04.2016 को रू 5000.00 पुनः दिनांक 30.06.2016 को रू 5000.00 की निकासी की गयी उक्त धनराशियों को कैशबुक में खडंजा मरम्मत कार्य में शाइन बोर्ड लगवाने पर व्यय के रूप में दर्षित किया गया है। जबकि खडंजा मरम्मत कि एम0बी0 में उक्त व्यय से सम्बन्धित न तो कोई प्राक्कलन किया गया है और न ही इससे सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 10000.00 के उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार फर्जी व्यय दिखाकर रू 10000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मती बेलौती देवी ग्राम प्रधान तथा श्री आनंद कुमार ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
10000.00	—	—	10000.00

प्रस्तर 26—विकास खण्ड बेलहरकला की ग्राम पंचायत कुल्हडिया के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की कैबुक/बैंक पासबुक अनुसार दिनांक— 01.04.2016 से 31.03.2017 कुल रू 772000.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 772000.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री शमीउल्लाह ग्राम प्रधान तथा श्री आनंद कुमार ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
772000.00	—	—	772000.00

प्रस्तर 27—विकास खण्ड बेलहरकला की ग्राम पंचायत बेलवा ठकुराई के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक— 01.04.2016 से 31.03.2017 कुल रू 381200.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र / कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त

लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 381200.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मती बासमती ग्राम प्रधान तथा श्री नजीर अहमद ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
381200.00	—	—	381200.00

प्रस्तर 28—विकास खण्ड बेलहरकला की ग्राम पंचायत बरडाड पिपरी के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया किनिधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—18.04.2016 से 20.03.2017 कुल रू 2843000.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 2843000.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री ओरी ग्राम प्रधान तथा श्री नजीर अहमद ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
2843000.00	—	—	2843000.00

प्रस्तर 29—विकास खण्ड बेलहरकला की ग्राम पंचायत जिउधरा के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—21.06..2016 से 22.02..2017 तक कुल रू 487200.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 487200..00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री राजनारायण सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री असदुल्लाह ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
487200.00	—	—	487200.00

प्रस्तर 30—विकास खण्ड बेलहरकला की ग्राम पंचायत बूढी बेलहर के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया किनिधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—06.04.2015 से 05.11.2015 तक कुल रू 221650.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 221650.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती धानमती ग्राम प्रधान तथा श्री आनन्द कुमार ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
221650.00	—	—	221650.00

प्रस्तर 31—विकास खण्ड बेलहरकला की ग्राम पंचायत बूढी बेलहर के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया किनिधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—22.03.2016 से 31.03.2017तक कुल रू 431500.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 431500.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री भीमबहादुर सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री आनन्द कुमार ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
431500.00	—	—	431500.00

प्रस्तर 32—विकास खण्ड बेलहरकला की ग्राम पंचायत गंगौरा के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—04.04.2014 से 22.08.2015 तक कुल रू 758850.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 758850.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री जगनारायण ग्राम प्रधान तथा श्री अब्दुल लतीफ ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
758850.00	—	—	758850.00

प्रस्तर 33—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत बकैनिया पकडी के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—01.04.2015 से 31.12.2015 तक कुल रू 535000.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 535000.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती प्रेम कुमारी ग्राम प्रधान तथा श्रीमती सुशीला त्रिपाठी ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
535000.00	—	—	535000.00

प्रस्तर 34—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत गागर गाड के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—01.04.2015 से 31.12.2015 तक कुल रू 335000.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 335000.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती पूनम पूर्व ग्राम प्रधान तथा श्री चन्द्रभान पाल ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
335000.00	—	—	335000.00

प्रस्तर 35—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत गागरगाड़ के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—01.01.2016 से 31.03.2017 तक कुल रू 1065619.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 1065619.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती कमलावती ग्राम प्रधान तथा श्री चन्द्रभान पाल ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1065619.00	—	—	1065619.00

प्रस्तर 36—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत रामपुर मध्य के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—01.04.2015 से 31.12.2015 तक कुल रू 244650.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 244650.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री परदेसी पूर्व ग्राम प्रधान तथा श्रीमती सुशीला त्रिपाठी ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
244650.00	—	—	244650.00

प्रस्तर 37—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत रामपुर मध्य के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—01.01.2016 से 31.03.2017 तक कुल रू 1275925. 00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 1275925.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री विद्यासागर ग्राम प्रधान तथा श्रीमती सुशीला त्रिपाठी ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1275925.00	—	—	1275925.00

प्रस्तर 38—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत नावन खुर्द के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—01.04.2016 से 05.11.2015 तक कुल रू 888200.00 की निकासी कर व्यय किया गया है।जिनके व्यय प्रमाणक,एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही,भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे।जिससे उक्त निकासी धनराशिकी उपयोगिता की पुष्टि नहीं की

जा सकी। इस प्रकार कुल रू 888200.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती जाहिदा खातून पूर्व प्रधान तथा श्रीमती सुशीला त्रिपाठी ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
888200.00	—	—	888200.00

प्रस्तर 39—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत करमा के वर्ष 2014—15 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—04.04.2015 से 31.12..2015 तक कुल रू 302000.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 302000.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री फूलचन्द पूर्व प्रधान तथा श्री चन्द्रभान पाल ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
302000.00	—	—	302000.00

प्रस्तर 40—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत करमा के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—10.03.2016को कुल रू 45000.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 45000.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती अरशादी खान प्रधान तथा श्री चंद्रभान पाल ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
45000.00	—	—	45000.00

प्रस्तर 41—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत सेमरी के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—01.04.2015 से 31.12.2015को कुल रू 277650.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 277650.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रामताड़क पूर्व प्रधान तथा श्री सतीश कुशवाहा ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
277650.00	—	—	277650.00

प्रस्तर 42—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत बरपरवा के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—01.04.2015 से 31.12.2015को कुल रू 213650.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 213650.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री रत्नाकर सिंह पूर्व प्रधान तथा श्री मती सुशीला त्रिपाठी ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
213650.00	—	—	213650.00

प्रस्तर 43—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत बरपरवा के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—01.01.2016 से 31.03.2017को कुल रू 954699.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 954699.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री योगेश नन्द प्रधान तथा श्री मती सुशीला त्रिपाठी ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
954699.00	—	—	954699.00

प्रस्तर 44—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत धनघटा के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—01.04.2015 से 31.12.2015को कुल रू 380850.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 380850.00के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती पानमती पूर्व प्रधान तथा श्री राजेश यादव ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
380850.00	—	—	380850.00

प्रस्तर 45—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत धनघटा के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—01.01.2016 से 31.03.2017को कुल रू 2044931.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 2044931.00के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती सरस्वती ग्राम प्रधान तथा श्री राजेश यादव ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
2044931.00	—	—	2044931.00

प्रस्तर 46—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत बकौली कला के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—01.04.2015 से 31.12.2015 को कुल रू 366250.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 366250.00के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती पूनम पूर्व ग्राम प्रधान तथा श्री चंद्रभान पाल ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
366250.00	—	—	366250.00

प्रस्तर 47—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत बकौली कला के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—01.01.2016 से 31.03.2017 को कुल रू 1578928.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 1578928.00के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती कमलावती ग्राम प्रधान तथा श्री चंद्रभान पाल ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1578928.00	—	—	1578928.00

प्रस्तर 48—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत लहुरे गांव के वर्ष 2014—15 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—01.04.2014 से 05.11.2015 को कुल रू 563200.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 563200.00के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती गीता पूर्व ग्राम प्रधान तथा श्री राजेश यादव ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
563200.00	—	—	563200.00

प्रस्तर 49—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत सेमराडाडी गांव के वर्ष 2014—15 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—01.04.2014 से 31.12.2015 को कुल रू 1655650.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 1655650.00के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत

वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री रामललित यादव पूर्व ग्राम प्रधान तथा श्री राजेश यादव ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1655650.00	—	—	1655650.00

प्रस्तर 50—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत सेमराडाडी गांव के वर्ष 2014—15 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि—1 के खाते की बैंक पासबुक अनुसार दिनांक—01.01.2016 से 31.03.2017 को कुल रू 1688612.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 1688612.00के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री दुर्गा प्रसाद ग्राम प्रधान तथा श्री राजेश यादव ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1688612.00	—	—	1688612.00

प्रस्तर 51—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत रामपुर उत्तरी के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में प्रियासाफट फीडिंग अनुसार दिनांक—01.04.2015 से 30.11.2015 तक कुल रू 286000.00की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 286000.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री राजेश यादव पूर्व ग्राम प्रधान तथा श्री मनीराम चौधरी ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
286000.00	—	—	286000.00

प्रस्तर 52—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत रामपुर उत्तरी के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में प्रियासाफट फीडिंग अनुसार दिनांक—01.01.2016 से 31.03.2017 तक कुल रू 978146.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 978146.00के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मती प्रीती ग्राम प्रधान तथा श्री मनीराम चौधरी ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
978146.00	—	—	978146.00

प्रस्तर 53—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत रूपिन के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में प्रियासाफट फीडिंग अनुसार दिनांक—01.04.2016 से 31.03.2017 तक कुल रू 731826.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 731826.00के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री विनय कुमार श्रीवास्तव ग्राम प्रधान तथा श्री चंद्रभान पाल ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
731826.00	—	—	731826.00

प्रस्तर 54—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत गाई बसंतपुर के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में प्रियासाफट फीडिंग अनुसार दिनांक—01.04.2015 से 30.11.2015 तक कुल रू 217826.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 217826.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री रामचेत पूर्व ग्राम प्रधान तथा श्री रामनारायण तिवारी ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
217826.00	—	—	217826.00

प्रस्तर 55—विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत गाई बसंतपुर के वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार दिनांक—01.01.2016 से 31.03.2017 तक कुल रू706261.00 की निकासी कर व्यय किया गया

है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 706261.00के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मती विजय लक्ष्मी ग्राम प्रधान तथा श्री मनीराम चौधरी ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
706261.00	–	–	706261.00

प्रस्तर 56–विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत दुधरा उर्फ खैरा के वर्ष 2015–16 से 2016–17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार दिनांक–22.03.2016 को कुल रू 30000.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 30000.00के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मुन्नीलाल ग्राम प्रधान तथा श्री मती सुशीला त्रिपाठी ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
30000.00	–	–	30000.00

प्रस्तर 57–विकास खण्ड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत गोपीपुर के वर्ष 2015–16 से 2016–17 की लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक–01.04.2015 से 05.11.2015 तक कुल रू 204650.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 204650.00के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मती खुशीयाली देवी ग्राम प्रधान तथा श्री राजेश यादव ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
204650.00	–	–	204650.00

प्रस्तर 58–विकास खण्ड पौली की ग्राम पंचायत रोशया बाजार के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि–1 की कैशबुक/बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक कुल रू 1051720.17 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 1051720.17के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मदनलाल ग्राम प्रधान तथा श्री सुभाष प्रसाद ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1051720.17	–	–	1051720.17

प्रस्तर 59–विकास खण्ड पौली की ग्राम पंचायत बछईपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि–1 की कैशबुक/बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 08.07.2016 से 23.09.2016 तक कुल रू 667000.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 667000.00के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री रामनारायण ग्राम प्रधान तथा श्री सुभाष प्रसाद ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
667000.00	–	–	667000.00

प्रस्तर 60–विकास खण्ड पौली की ग्राम पंचायत मांझा खडकपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि–1 की बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 01.04..2016 से 31.03.2017 तक कुल रू 1458523.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 1458523.00के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मती यशोधरा ग्राम प्रधान तथा श्री राजाराम ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1458523.00	–	–	1458523.00

प्रस्तर 61–विकास खण्ड पौली की ग्राम पंचायत मडपैना के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि–1 की कैशबुक/बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 01.04..2016 से 31.03.2017 तक कुल रू 1543357.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0 रजिस्टर, कोषबही, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त निकासी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल रू 1543357.00के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री मती राजुल ग्राम प्रधान तथा श्री रामजी ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1543357.00	–	–	1543357.00

प्रस्तर 62–विकास खण्ड बघौली की ग्राम पंचायत भगवानपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि–1 की कैशबुक में दिनांक 15.05.2016 में बाउचर सं0 7 के द्वारा दर्षित रू 37270.00 एवं दिनांक–15.03.2017 में बाउचर संख्या 16 में दर्षित रू 2600.00 द्वारा कुल रू 39870.00 हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित लाभर्थियों की आवश्यकता सम्बन्धी मांगपत्र, हैण्डपम्प के ठीक होने पर सत्यापन प्रमाणपत्र, सामग्री/मजदूरी भुगतान का बिल , प्रमाण पत्र तथा ग्राम पंचायत के जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रही। इस प्रकार उक्त धनराशि का व्यय अनियमित रूप से ग्राम प्रधान श्री मती सावित्री एवं ग्राम पं0/वि0 अधिकारी श्री राजदेव शुक्ल द्वारा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0– 39870.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
39870.00	–	–	39870.00

प्रस्तर 63–विकास खण्ड बघौली की ग्राम पंचायत भगवानपुर के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि–1 की कैशबुक में दिनांक 09.08.2016 में 11 सोलर लाईट रू021900–00 प्रति सोलर लाइट की दर से कुल रू 240900.00 का व्यय भुगतान दर्षित है। इसकी वास्तविकता की पुष्टि में लेखा परीक्षा में आवश्यकता संबंधी मांग पत्र/प्रार्थना पत्र, वित्तीय स्वीकृति, सोलर लाईट लगवाने 11 स्थानों की चयन सची, इससे सम्बन्धित निविदा आमंत्रण एवं निविदायें इनका भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अप्रस्तुत है। स्पष्ट है कि उक्त दर्षित व्यय अनियमित रूप से दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजदेव शुक्ल द्वारा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0– 240900.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
240900.00	–	–	240900.00

प्रस्तर 64–विकास खण्ड बघौली की ग्राम पंचायत बिहारे के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि–1 की कैशबुक में दिनांक 01.03.2017 में बाउचर सं0 16 के द्वारा दर्षित रू 50000.00 नाली मरम्मत पर किया गया है। रू 50000.00 के दर्षित व्ययों की स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, एम0.बी0 रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे।जिससे उक्त दर्षित व्ययों कि उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः दिनांक 01.03.2017 को रू 50000.00 की पुष्टि व्यय प्रमाणकों आदि से न कराकर श्री सत्यनारायण ग्राम प्रधान एवं श्रीमती कुसुमावती ग्रा0वि0अधि0 द्वारा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0– 50000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ब्याज सहित सम्बन्धित से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
50000.00	–	–	50000.00

प्रस्तर 65–विकास खण्ड बघौली की ग्राम पंचायत बिहारे के वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि–1 की कैशबुक में दिनांक 10.08.2016 5 सोलर लाइट दिनाक 26.08.2016 को 7 सोलर लाईट रू 22100.00 प्रति सोलर लाईट की दर से दिनांक 10.08.2016 को रू 114000.00 एवं दिनांक 26.08.2016 को रू 151200.00 का व्यय सोलर लाइट लगवाने पर किया गया है। इसकी वास्तविकता की पुष्टि में लेखा परीक्षा में आवश्यकता संबंधी मांग पत्र/प्रार्थना पत्र, वित्तीय स्वीकृति, सोलर लाइट लगवाने के 12 स्थानों की चयन सूची रिपोर्ट अप्रस्तुत है। स्पष्ट है कि उक्त दर्षित व्यय अनियमित रूप से दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री सत्यनारायण एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्रीमती कुसुमावती मिश्रा द्वारा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0– 265200.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
265200.00	–	–	265200.00

प्रस्तर 66— विकास खण्ड बघौली की ग्राम पंचायते पैकवलिया के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि—1 की कैशबुक में दिनांक 10.03.2017 मे बाउचर सं0—13 में रू 11925.0 दिनाक 14.03.2017 बाउचर सं0— 14 रू 17400.00 दिनांक 21.03.2017 से बाउचर सं0—15 से रू 21225.0 एवं बाउचर सं0— 16 रू 8277.00 कुल रू 58827.00 नाली निर्माण हेतु ईट कय एवं मजदूरी पर व्यय दर्षित है। इस दर्षित व्ययों की स्वीकृत कार्ययोजना व्ययप्रमाणक परिसंपत्ति रजिस्टर तथा भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त दर्षित व्ययों उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः दिनांक 10.03.2017 से दिनांक 21.03.2017 दर्षित व्यय की गयी कुल धनराशि रू 58827.00 की पुष्टि व्यय प्रमाणकों आदिसे न कराकर श्री अब्दुल्लाह ग्राम प्रधान एवं श्री संजय कुमार ग्रा0पं0अधि0 द्वारा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0—58827.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
58827.00	—	—	58827.00

प्रस्तर 67—विकास खण्ड बघौली की ग्राम पंचायते पैकवलिया के वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि—1 की कैशबुक में दिनांक 12.07.2016 को 8 सोलर लाईट दिनांक—07.03.17 को 4 सोलर लाईट रू 21900.00 प्रति सोलरलाईट की दर से दिनांक— 12.07.2016 को रू 175200.00 एवं 07.03.2017 को रू 87600.00 का व्यय सोलर लाईट लगवाने पर कियागया है। इसकी वास्तविकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में आवश्यकता सम्बन्धित मांग पत्र प्रार्थना पत्र/वित्तीय स्वीकृति, सोलर लाईट लगवाने के 12 चयन स्थानों की चयन प्रमाण उनसे निविदा आमंत्रण एवं स्वीकृति जिनका भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा है। स्पष्ट है कि उक्त दर्षित व्यय अनियमित रूपसे दर्शाकर श्री अब्दुल्लाह ग्राम प्रधान एवं श्री संजय कुमार ग्रा0पं0अधि0 द्वारा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0—262800..00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
262800..00	—	—	262800..00

प्रस्तर 68—विकास खण्ड खलीलाबाद की ग्राम पंचायत नगवां की वर्ष 2015—16 से 16—17 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि—1 खाते के अभिलेख अप्रस्तुत रहे ग्राम पंचायत की प्रियासाफट फिडिंग के अनुसार वर्ष 2015—16 में रू 230177.00 का अनुदान तथा वर्ष 16—17 में रू 695272.00 का अनुदान प्राप्त हुआ उपरोक्त के सापेक्ष रू 721000.00 व्यय की पुष्टि में लेखापरीक्षा में कैशबुक/बैंक पासबुक, स्वीकृत कार्ययोजना व्यय प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे दर्षित व्ययों की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः प्रिया साफट फीडिंग में दर्षित व्यय रू 721000.00 की पुष्टि कैशबुक तथा व्यय प्रमाणकों से न कराकर श्री अंदेश ग्राम प्रधान व श्री धमेन्द्र प्रताप यादव ग्रा0वि0अधि0 द्वारा द्वारा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0—721000..00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
721000.00	—	—	721000.00

प्रस्तर 69—विकास खण्ड खलीलाबाद की ग्राम पंचायत शिवापार की वर्ष 16—17 की लेखा परीक्षा में अभिलेख यथा नधि—1 खाते की कैबुक/पासबुक, व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये ग्राम पंचायत शिवापार के प्रिया साफट फिडिंग के अनुसार वर्ष 2016—17 में रू 569453.00 अनुदान प्राप्त हुआ तथा पिछले वर्ष के अवशेष रू 382342.00 है जिसके सापेक्ष वर्ष 2016—17 में रू 595000.00 व्यय किया गया उपरोक्त व्यय की पुष्टि में लेखापरीक्षा में कैषबुक/बैंक पासबुक, स्वीकृत कार्ययोजना व्यय प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे दर्षित व्ययों की उपयोगिता की पुष्टि नहीं कीजा सकी अतः प्रिया साफट फिडिंग में दर्षित व्यय रू 595000.00 की पुष्टि कैषबुक तथा व्यय प्रमाणकों से न कराकर श्री संदीप कुमार ग्रामप्रधान एवं श्री धमेन्द्र प्रताप यादव ग्रा0वि0अधि0 द्वारा द्वारा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0—595000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
595000.00	—	—	595000.00

प्रस्तर 70—विकास खण्ड खलीलाबाद की ग्राम पंचायत कौवाटार की वर्ष 15—16 से 16—17 की लेखा परीक्षा में अभिलेख यथा नधि—1 खाते की कैशबुक दिनांक 21.06.2016 को बाउचर सं0 1 तथा बाउचर 3 मे कमशः रू 41190.00 एवं रू 18225.00 तथा दिनांक 15.09.2016 को कमशः रू 39608.00 एवं रू 8400.00 हदय नारायण के घर के पास कुयें के मरम्मत एवं उच्चीकरण पर कुल रू 107423.00 व्यय किया गया है।उक्त दर्षित व्यय की स्वीकृत कार्ययोजनाव्यय प्रमाणक एम0बी0 रजिस्टर सार्वजनिक कार्य रजिस्टर तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त दर्षित व्ययों की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः उपरोक्त दर्षित व्यय रू 107423.00 की पुष्टि व्यय प्रमाणकों आदि से न कराकर श्री गिरिजा देवी ग्राम प्रधान एवं श्री संतोष पाण्डेय ग्रा0वि0अधि0

द्वारा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0–107423.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
107423.00	–	–	107423.00

प्रस्तर 71–विकास खण्ड खलीलाबाद की ग्राम पंचायत कौवाटार की वर्ष 15–16 से 16–17 की लेखा परीक्षा में निधि–1 खाते की कैषबुक में दिनांक 22.09..2016 को बाउचर सं0 7 दर्षित व्यय रू 266280.00 का भुगतान कुल 12 सोलर लाईट लगवाने हेतु किया गया है जिसकी वास्तविता की पुष्टि में लेखा परीक्षा आवश्यकता सम्बन्धी मांग पत्र/प्रार्थना पत्र, वित्तीय स्वीकृति , सोलर लाईट लगवाने की 12 स्थानों के प्रमाणित एवं स्वीकृति चयन सूची आदि अप्रस्तुत रहे स्पष्ट है उक्त दर्षित व्यय अनियमित रूप से दर्शाकर श्रीमती गिरिजा देवी ग्राम प्रधान एवं श्री संतोष पाण्डेय ग्रा0वि0अधि0 द्वारा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0–266280.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
266280.00	–	–	266280.00

प्रस्तर 72–विकास खण्ड खलीलाबाद की ग्राम पंचायत गोड़ही की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में निधि–1 खाते की कैशबुक में रू 366307.00से सम्बन्धित विभिन्न व्ययों के प्रमाणक आदि जांच में प्रस्तुत न कर श्री अखिलेष कुमार चौधरी ग्राम प्रधान एवं श्री धमेन्द्र प्रताप यादव ग्रा0वि0अधि0 द्वारा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
366307.00	–	–	366307.00

प्रस्तर 73–विकास खण्ड खलीलाबाद की ग्राम पंचायत गोड़ही की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में निधि–1 खाते की कैशबुक में रू 198225.00 से सम्बन्धित विभिन्न व्ययों के प्रमाणक आदि जांच में प्रस्तुत न कर श्री अखिलेश कुमार चौधरी ग्राम प्रधान एवं श्री धमेन्द्र प्रताप यादव ग्रा0वि0अधि0 द्वारा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
198225.00	–	–	198225.00

प्रस्तर 74–विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत कठैचा की वर्ष 16–17 में बैंक से प्राप्त कुल ब्याज की धनराशि रू 13251.00 को वापस न कर निर्माण कार्यो और अन्य कार्यो में उपभोग कर अनियमितता किया गया है जबकि शासनादेश सं0– 10/215/स–1–502/दस–2015–दस(33) 2010 व शासनादेश सं ए–1–122/दस–2012–दस(33)2010 दिनांक– 21.03.2012 के अनुसार ग्राम पंचायत खातों पर अर्जित ब्याज को उपभोंग न करने तथा इसे शत प्रतिशत वापस किये जाने का निर्देश था इसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान हुबराज तथा ग्रा0पं0अधि0 श्री इन्द्रेश यादव है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	13251.00	13251.00

प्रस्तर 75–विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत चन्दापार की वर्ष 16–17 में बैंक से प्राप्त कुल ब्याज की धनराशि रू 13504.00 को वापस न कर निर्माण कार्यो और अन्य कार्यो में उपभोग कर अनियमितता किया गया है जबकि शासनादेश सं0–10/215/स–1–502/दस–2015–दस(33) 2010 व शासनादेश सं ए–1–122/दस–2012–दस(33)2010 दिनांक– 21.03.2012 के अनुसार ग्राम पंचायत खातों पर अर्जित ब्याज को उपभोंग न करने तथा इसे शत प्रतिशत वापस किये जाने का निर्देश था इसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान विनोद कुमार तथा ग्रा0पं0अधि0 श्री क्षितिज चौधरी है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	13504.00	13504.00

प्रस्तर 76–विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत धायपोखर की वर्ष 16–17 में बैंक से प्राप्त कुल ब्याज की धनराशि रू 9775.00 को वापस न कर निर्माण कार्यो और अन्य कार्यो में उपयोग कर अनियमितता किया गया है जबकि शासनादेश सं0– 10/215/स–1–502/दस–2015–दस(33) 2010 व शासनादेश सं ए–1–122/दस–2012–दस(33)2010 दिनांक– 21.03.2012 के अनुसार ग्राम पंचायत खातों पर अर्जित ब्याज को उपभोंग न करने तथा इसे शत प्रतिशत वापस किये जाने का निर्देश था इसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान रणघीर सिंह तथा ग्रा0पं0अधि0 श्री इन्द्रेश यादव है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	9775.00	9775.00

प्रस्तर 77—विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत कोदवट की वर्ष 16—17 में बैंक से प्राप्त कुल ब्याज की धनराशि रू 21619.00 को वापस न कर निर्माण कार्यो और अन्य कार्यो में उपयोग कर अनियमितता किया गया है जबकि शासनादेश सं0— 10/215/स—1—502/दस—2015—दस(33) 2010 व शासनादेश सं ए—1—122/दस—2012—दस(33)2010 दिनांक—21.03.2012 के अनुसार ग्राम पंचायत खातों पर अर्जित ब्याज को उपभोंग न करने तथा इसे शत प्रतिशत वापस किये जाने का निर्देश था इसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी तथा ग्रा0पं0अधि0 श्री क्षितिज चौधरी है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	21619.00	21619.00

प्रस्तर 78—विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत महुली खास की वर्ष 16—17 में बैंक से प्राप्त कुल ब्याज की धनराशि रू 30931.00 को वापस न कर निर्माण कार्यो और अन्य कार्यो में उपयोग कर अनियमितता किया गया है जबकि शासनादेश सं0— 10/215/स—1—502/दस—2015—दस(33) 2010 व शासनदेश सं ए—1—122/दस—2012—दस(33)2010 दिनांक—21.03.2012 के अनुसार ग्राम पंचायत खातों पर अर्जित ब्याज को उपभोंग न करने तथा इसे शत प्रतिशत वापस किये जाने का निर्देश था इसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री महेश कुमार तथा ग्रा0पं0अधि0 श्री गजानन पाल है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	30931.00	30931.00

प्रस्तर 79—विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम मझौवा एकडंगा में वर्ष 2016—17 में हैण्डपम्प मरम्मत मद में स्थल का नाम अरमत दिनांक—07.04.2016 बाउचर सं0 1 द्वारा रू 27000.00 का भुगतान व्यय कोषबही में दर्षित है इसके व्यय प्रमाणक स्वीकृति कार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है पुष्टि के अभाव में अंकित व्यय को अपहरण मानते हुये ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश कुमार सिंह उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
27000.00	—		27000.00

प्रस्तर 80—विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम अलीनगर में वर्ष 2016—17 में दिनांक 17.10.2016 को अन्तिम रोकड शेष माह अक्टूबर 2016 को नकद रू 22765.00 का जिसे 01.11.2016 को प्राप्त रोकड शेष में न अंकित कर उक्त अवशेष रोकड का अपहरण किया गया है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश प्रजापति है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार उत्तरदायी ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी ब्याज सहित उक्त धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
22765.00	—		22765.00

प्रस्तर 81—विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत हरपुर में वर्ष 2016—17 में विधायक निधि में प्राप्त धनराशि रू 1000000.00 के सापेक्ष व्यय 100 प्रतिशत कोषबही में अंकित है जिसे बाउचर नं0 3 दिनांक 10.06.2016 रू 141200.00 बाउचर नं0 4 दिनांक 02.07.2016 रू 458642.00 बाउचर 10 26.09.2016 रू 133800.00 बाउचर नं0 11 दिनांक 26.09.16 रू 120929.00 बाउचर नं0 12 दिनांक 26.09.16 रू 124850.00 बाउचर नं0 24 दिनांक— 24.03.2017 रू 20579.00 व्यय कोषबही में अंकित है कार्य की गुणवत्ता नियमानुसार कराये जाने की पुष्टि में स्वीकृति कार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर एम0बी0 रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र परिसम्पत्ति रजिस्टर निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये उक्त दर्षित व्यय वैरागीपुर में सी0सी0 रोड निर्माण में दर्शाया गया है अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में कार्य की गुणवत्ता तथा नियमानुसार कराये जाने की पुष्टि नहीं है इससे स्पष्ट होता है कि धन का दुरूपयोग किया गया है जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान राजमन यादव तथा ग्रा0पं0अधि0 श्री सतीश मौर्य से वांछित ब्याज सहित ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	1000000.00	—	1000000.00

प्रस्तर 82—विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत सुक्खीपुर में वर्ष 2016 में बाउचर नं0 20 दिनांक 10.03.2017 को रू 28950.00, बाउचर नं0 21 दिनांक 10.03.17 रू 6925.00 अर्थात कुल व्यय रू 35875.00 प्राथमिक विद्यालय सुक्खीपुर में शौचालय मरम्मत मद में व्यय कोषबही में अंकित है इसी कार्य हेतु बाउचर नं0 22 दिनांक 10.03.17 द्वारा ट्रैक्टर ट्राली से रू 4000.00 की मिट्टी पर व्यय कोषबही में अंकित है इस प्रकार उक्त मद में कुल दर्षित व्यय रू 39875.00 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख यथा बिल बाउचर, मस्टररोल कार्यवाही रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र स्वीकृति कार्ययोजना एम0बी0 रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं रहा जो उक्त धन के अपहरण का द्योतक है इसके लिये ग्राम प्रधान श्री दयाराम व ग्रा0पं0अधि0 श्री गजानन पाल उत्तरदायी है अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
39875.00	—		39875.00

प्रस्तर 83–विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत झिंगुरापार में वर्ष 2016 में बाउचर नं0 1 दिनांक 07.04..2016 को रू 34800.00 ईटक्रय 6000.00 दर रू 5800.00 बाउचर नं0 2 दिनांक 07.04.16 मजदूरी व्यय 60 दिवस रू 225.00 की दर से रू 13500.00 बाउचर नं0 3 दिनांक 07.04.16 द्वारा 27 ट्राली मिट्टी ट्रैक्टर ट्राली से गिरवायी रू 500.00 की दर से रू 13500.00 तथा बाउचर नं0 11 दिनांक 28.10.2016 को बाउचर नं0 1 का अवशेष मरम्मत रू 800.00 कोषबही में अंकित कर कुलरू 62600.00 बाबत खण्डजा मरम्मत हरिलाल के घर से रफी मोहम्मद के घर तक कोषबही में दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में क्रय किये गये सामग्री का केशमेमों बिल, मस्टररोल स्टका रजिस्टर पुराने ईटो का लेखा स्वीकृति कार्ययोजना एम0बी0 बुक स्टीमेट कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया जिसकी ग्राम प्रधान श्री उदयभान ग्रामपं0अधि0 श्री उमाशंकर गौतम से ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	62600.00	62600.00

प्रस्तर–84 विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत झिन्गुरापार में वर्ष 2016 में बाउचर सं0 16 दिनांक 28.10.2016 कि हैंडपंप मरम्मत मद में रू 20275.00 व्यय कोषबही में अंकित है। जिसकी पुष्टि में बिल बाउचर कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मरम्मत स्थल अथवा भवन मालिक का नाम कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे दर्षित व्यय संदिग्ध होने से स्पष्ट है कि उक्त धन का अपहरण किया गया है। अतः उक्त धन रू 20275.00 को अर्थदण्ड सहित ग्राम प्रधान श्री उदयभान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमाशंकर गौतम के ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
20275.00	–		20275.00

प्रस्तर–85 विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत बरौली में वर्ष 2016 में बाउचर सं0 22 दिनांक 22.12.2016 रू 100000.00 व बाउचर सं0 23 दिनांक 22.12.2016 रू 100000.00 कुल रू 200000.00स्ट्रीट लाईट लगवाने पर श्रमिकों पर व्यय किये जाना कोषबही में अंकित है। जिसकी पुष्टि में न तो मस्टररोल, बिल बाउचर पाया गया और न ही स्वीकृत कार्ययोजना स्टीमेट कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है। जिससे केवल स्ट्रीट लाइट लगाने पर दर्षित व्यय की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार कोषबही में अंकित व्यय का दुरूपयोग किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रामविजय ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमाशंकर गौतम से अर्थदण्ड सहित ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
200000.00	–		200000.00

प्रस्तर–86विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत कोल्हूगाड़ा में वर्ष 2016 में दिनांक 16.09.2016 को बैंक से चेक संख्या 313691 द्वारा रू 15000.00 धन का अपहरण ग्राम निधि–1 खाते से किया गया है जिसे कोषबही के तो आय पक्ष में अंकित किया गया है न ही व्यय पक्ष में। उक्त से सम्बन्धित कोई पुष्टि भी नहीं करायी गयी। इससे स्पष्ट होता है उक्त धनराशि को आहरित कर अपहरण कर लिया गया है। जिसे उत्तरदायी ग्राम प्रधान सुरेश चौधरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश मौर्या से ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
15000.00	–	–	15000.00

प्रस्तर–87 विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत नाथनगर में वर्ष 2016 में पथ प्रकाश हेतु सोलर लाईट 60 अदद की अवस्थापना करने बाबत रू 1327200.00 का व्यय कोषबही में अंकित है जिसकी पुष्टि में रसीद बिल के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख तथा स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर स्थलीय सत्यापन/उपभोग/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त मद में किया गया व्यय संदेहास्पद लगता है। जो धन के दुरूपयोग को स्पष्ट करता है। अतः उक्त धन की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रेश यादव से ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1327200.00			1327200.00

प्रस्तर–88 विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत नाथनगर में वर्ष 2016 में खण्डजा मद में कोषबही में अंकित व्यय का विवरण निम्नवत है–

क0सं0	प्रमाणक सं0/दिनांक	क्रय सामग्री /मजदूरी व्यय का विवरण	दर्षित धनराशि
1	प्रमाणक सं0 अंकित नहीं/04.07.2016	बेलपुरवा में राजराम चौधरी के खेत से बेलपुरवा मोड तक खडंजा मरम्मत मद में सामग्री क्रय विवरण सहित	400600.00 36350.00

2	............/11.07.2016	ग्रामपंचायत में रामलौट के घर से जू0हा0 स्कूल के पीछे तक खडंजा मरम्मत सामग्री क्रय विवरण सहित उक्त मद में मजदूरी विवरण सहित	23200.00 19405.00
3	.........../11.07.2016 ..../19.07.2016	मुन्नीलाल के खेत से रामकेश के घर तक खडंजा मरम्मत हेतु ईट क्रय विवरण सहित उक्त मद में मस्टर रोल द्वारा मजदूरी व्यय सहित	33640.00 31745.00
4	.........../26.07.2016	पिचरोड से सावर के घर तक खडंजा मरम्मत ईट क्रय विवरण सहित विवरण मजदूरी पर व्यय तथा मिट्टी ट्रैक्टर ट्राली द्वारा कार्य विवरण सहित	55100.00 55930.00
		योग–	295970.00

कोषबही में उक्त अंकित व्यय की पुष्टि में अभिलेख यथा खरीद बिल कैशमेमो, स्वीकृत कार्ययोजना परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर, स्थलीय सत्यापन/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव पुष्टि के आभाव में उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रेश यादव से उपरोक्त रू 295970.00 की ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
295970.00	–	–	295970.00

प्रस्तर–89 विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत नाथनगर में वर्ष 2016 में निम्नलिखित विवरणों के अनुसार मरम्मत मद में व्यय कोषबही में अंकित किया गया है जिसकी पुष्टि में खरीद बिल कैशमेमो, स्वीकृत कार्ययोजना, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर, स्थलीय सत्यापन/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसमें कोषबही में अंकित व्यय की पुष्टि नहीं होती है। विवरण इस प्रकार है–

क0सं0	प्रमाणक सं0/दिनांक	क्रय सामग्री /मजदूरी व्यय का विवरण	दर्षित धनराशि
1	प्रमाणक सं0 अंकित नहीं/12.09.2016	सामग्री पर व्यय विवरण सहित कृष मरम्मत स्थल आदि अंकित नहीं है मजदूरी व्यय विवरण अंकित नहीं है।	268325.00 32675.00
4	............../20.02.2017	ईट क्रय विवरण सहित सामग्री का विवरण सहित मजदूरी विवरण सहित विवरण अंकित नहीं रहा तथा स्थल आदि स्पष्ट नहीं है।	87268.00 95989.00 21275.00
		योग	505532.00

अतःएंव उक्त धनराशि रू 505532.00 के व्यय की पुष्टि नहीं होती। अतः इसे अपहरण मानते हुये उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री मती सीमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रेश यादव से उपरोक्त रू 505532.00 की ग्राम पंचायत वित्त एवं मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
505532.00	–	–	505532.00

प्रस्तर–90 विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत नाथनगर में वर्ष 2016 में दिनांक 31.03.2017 को ग्राम पंचायत में शौचालय मरम्मत मद में पंचायत भवन हेतु सामग्री क्रय पर रू 8655.00 व मजदूरी व्यय रू 1825.00 कुल रू 10480. 00 व्यय कोषबही में अंकित है। जिसकी पुष्टि में खरीद बिल कैशमेमो , स्वीकृत कार्ययोजना, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर, स्थलीय सत्यापन/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त दर्षित कार्य की पुष्टि नहीं होती। अतएव पुष्टि के आभाव में अंकित उक्त धनराशि रू 10480.00 का अपहरण मानते हुये उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रेश यादव से ग्राम पंचायत वित्त एवं मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
10480.00	–	–	10480.00

प्रारुप–04

जनपद–सिद्धार्थनगर मण्डल–बस्ती वर्ष–2016–17

ग्राम पंचायत से संबंधित आपत्तियॉ –

1–ग्राम पंचायत–तारा गुजरौलिया लेoपरीo वर्ष–15–16 से 16–17 वि0ख0–बॉसी

प्रस्तर संख्या–01–ग्राम पंचायत तारा गुजरौलिया की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 16–17 में एक ही अवधि का प्रधान का मानदेय दोबारा भुगतान कर रु 7500.अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशुतोष यादव संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार से रु 3750.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशुतोष यादव से रु 3750.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
7500.00	—	—	7500.00

2–ग्रामपंचायत–बरगदवा लेoपरीo वर्ष–15–16 से 16–17 विoखo–बांसी

प्रस्तर संख्या–02–ग्राम पंचायत बरगदवा की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 16–17 में एक ही अवधि का प्रधान का मानदेय दोबारा भुगतान कर रु 7500.00 अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राजकपूर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशुतोष यादव संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकपूर से रु 3750.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशुतोष याद से रु 3750.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
7500.00	—	—	7500.00

3–ग्राम पंचायत–बडहरघाट लेoपरीo वर्ष–15–16 से 16–17 विoखo–बांसी

प्रस्तर संख्या–03– ग्राम पंचायत बडहरघाट की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि माह अप्रैल में कुल निकसी रु 257982.00 की गयी है जिसके सापेक्ष रु 247982.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार माह में निकासी के सापेक्ष रु10000.00 से कम व्यय दर्शाया गया है ,जिसे मासान्त में रु 10000.00 नगदोश दर्शाया जाना था किन्तु कैश बुक में रु 10000.00 नगद अवशेष नही दर्शाया गया है।अतःनिकासी के सापेक्ष 10000.00 रु से कम व्यय दर्शाकर रु 10000.00 का अपहरण कर लिया गया हैं। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मो0 युनुस व ग्राम विकास अधि0 श्री दिलीप तिवारी संयुक्त रुप से उत्तरदायी है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मो0 युनुस से रु 5000.00 एवं ग्राम विकास अधि श्री दिलीप तिवारी से रु 5000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
10000.00	—	—	10000.00

4–ग्राम पंचायत–असिध्वा लेoपरीo वर्ष–16–17 विoखo–बांसी

प्रस्तर संख्या–04–ग्राम पंचायत असिध्वा की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि माह जुलाई 2016 में कुल निकसी रु 106630.00 थी तथा माह जून का अवशेष रु 31312.00 रु था इस प्रकार माह जुलाई में उपलब्ध कुल रु 137942.00 के सापेक्ष रु 52076.00 का व्यय रोकड बही में दर्शाया है।नियमानुसार माह जुलाई 2016 के मासान्त में नगद रोकडोश(137942–52076=85866.00) हानो चाहिए परन्तु कैश बुक में रोकडो शून्य अंकित है। इस प्रकार माह जुलाई के मासान्त में रु 85866.00 रु का रोकडोश न दर्शाकर रु 85866.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती गीता एवं ग्राम विकास अधि0 श्री दिलीप तिवारी उत्तरदायी है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता से रु 42933.00 एवं ग्राम वि0 अधि श्री दिलीप तिवारी से रु 42933.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
85866.00	—	—	85866.00

5–ग्राम पंचायत–तिवारीपुर पश्चिमी लेoपरo वर्ष–15–16 से 16–17 विoखo–बांसी

प्रस्तर संख्या–05–ग्राम पंचायत तिवारीपुर पश्चिमी की वर्ष 15–16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निधि प्रथम के सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के खाता सं0 2901307059 से विभिन्न तिथियों मे रु 102000.00 की निकासी की गयी है। परन्तु उपरोक्त निकसी को आय पक्ष में न दर्शाकर रु 102000.00 का अपहरण कर लिया गया है।जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री लव कुश एवं ग्राम वि0 अधि0 श्री दिलीप तिवरी उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लव कुश से रु 51000.00 एवं ग्राम वि0अधि0 श्री दिलीप तिवारी से रु 51000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
102000.00	—	—	102000.00

प्रस्तर संख्या 06–ग्राम पंचायत तिवारपुर पश्चिमी की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया हैं कि निधि प्रथम के रोकड बही में मार्च 2016 के अन्त में नगद अवशेष रु 320.00 दर्षित हैं,जिसे वर्ष 16–17 के माह अप्रैल के प्रारम्भिक अवशेष के रुप में दर्शाया जाना चाहिए था किन्तु ऐसा न कर के नगद रोकडोश रु 320.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लव कुश से रु 160.00 एवं ग्राम वि0 अधि0 श्री दिलीप तिवारी से रु 160.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
320.00	—	—	320.00

6–ग्राम पंचायत–तेनुई लेoपरीo वर्ष 16–17 विoखo–भनवापुर

प्रस्तर संख्या–07–ग्राम पंचायत तेनुई की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दि0 25.6.16 को रु 1092.00 पंचायत कर से आय दर्शाकर उक्त तिथि में प्रधान के पास नगद जमा दर्शाकर बाद में आहरित धन में शामिल कर हैण्ड पम्प उच्चीकरण परियोजना पर अनियमित ढंग से मजदूरी पर व्यय कर दिया गया है। नियमानुसार ग्रा0प0 के अपने राजस्व से प्राप्त आय के सापेक्ष रुप पत्र 7 निर्गत कर संबंधित धनराशि को खाते में जमा करना चाहिए पुनः ग्रा0प0 के पारित प्रस्ताव के बाद ही उक्त धन किसी परियोजना पर व्यय किया जाना चाहिए । ऐसा न कर के तत्कालीन सचिव श्री शिव कुमार मौर्य व ग्राम प्रधान श्री त्रिलोकी नाथ द्वारा अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली ग्राम सचिव श्री शिवकुमार मौर्य से रु 546.00 एवं ग्राम प्रधान श्री त्रिलोकी नाथ से रु 546.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	1092.00	1092.00

प्रस्तर संख्या–08– ग्राम पंचायत तेनुई की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ बही की जॉच में पाया गया कि फर्म की मिलीभगत से विभिन्न तिथियों में प्रा0वि0 एवं जूनियर हा0स्कूल परिसर में मिट्टी पटाई दर्शाकर रु 40000.00 का तात्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम
प्रधान श्री त्रिलोकीनाथ से रु 20000.00 एवं ग्राम सचिव श्री शिकुमार मौर्य से रु20000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
40000.00	–	–	40000.00

7–ग्राम पंचायत–रमवापुर राउत लेoपरीo वर्ष 16–17 विoखo–भनवापुर

प्रस्तर संख्या–09– ग्राम पंचायत रमवापुर राउत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दि0 09.08.16 को रु 646.00 पंचायत कर से आय दर्शाकर उक्त तिथि में प्रधान के पास नगद जमा दर्शाकर बाद में आहरित धन में शामिल कर किसी परियोजना परअनियमित ढंग से व्यय कर दिया गया है। नियमानुसार ग्रा0प0 के अपने राजस्व से प्राप्त आय के सापेक्ष रुप पत्र 7 निर्गत कर संबंधित धनराशि को खाते में जमा करना चाहिए पुनः ग्रा0प0 के पारित प्रस्ताव के बाद ही उक्त धन किसी परियोजना पर व्यय किया जाना चाहिए । ऐसा न कर के तत्कालीन सचिव श्री शिव कुमार मौर्य व ग्राम प्रधान श्री घनश्याम यादव द्वारा अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली प्रधान श्री घनश्याम यादव से रु 323.00 एवं ग्राम सचिव श्री शिवकुमार मौर्य से रु323.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	646.00	646.00

प्रस्तर संख्या–10– ग्राम पंचायत रमवापुर राउत के ग्राम निधि प्रथम की रोकड़बही की जॉच में पाया कि दि0 26.08.16 का प्रधान के नाम वाहक चेक से माह में नगद आहरित धन में से रु0 10796.00 ऑगनबाड़ी केंन्द्र में मिट्टी पटाई मद में व्यय समायोजन लेखा पारित कर बिना किसी वाउचर,चालान, व ग्रा0पं0 के स्वीकृत प्रस्ताव के धनराशि का संयुक्त रुप से तात्कालीन प्रधान श्री घनश्याम यादव व ग्रा0वि0अधि श्री शिवकुमार मौर्य द्वारा अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री घनश्याम यादव से रु5398.00 एवं ग्रा0वि0अधिव श्री शिवकुमार मौर्य से रु 5398.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
10796.00	–	–	10796.00

प्रस्तर संख्या–11–रोकडबही की जॉच में पाया गया कि दि0 14.07.16 को रु 10445.00 प्रा0वि0 परिसर में मिट्टी पटाई मद में एवं दिनांक 25.07.16 को रु 24000.00 जू0हा0स्कूल के परिसर में मिट्टी पटाई मद व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है रोकडबही में उपरोक्त व्यय विवरण के सापेक्ष चेक सं0/फर्म /भुगातन प्राप्त कर्ता के नाम भी दर्ज नही पाया गया।संबंधित व्यय के सापेक्ष ग्रा0प0 का स्वीकृति प्रस्ताव,बिल वाउचर/चालान आदि प्रस्तुत नही रहा। इस प्रकार माह जुलाई में मिट्टी पटाई में कुल रु 34445.00 का व्यय समायोजन लेखा पारित कर संयुक्त रुप से तत्कालीन
प्रधान श्री घनश्याम यादव व ग्रा0वि0अधि0 श्री शिवकुमार मौर्य द्वारा अपहरण कर लिया गया हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री घनश्याम यादव से रु 17222.50 एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री शिवकुमार मौर्य से रु 17222.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
34445.00	–	–	34445.00

प्रस्तर संख्या–12–रोकडबही की जॉच में पाया गया कि दि0 9.8.16 का प्राथमिक वि0 रमावापुर राउत के परिसर में मिट्टी पटाई मद में कुल रु0 12350.00 का व्यय समायोजन लेखा पारित कर बिना किसी बिल वाउचर ,चालान ,व ग्रा0पं0 के प्रस्ताव के धनराशि का संयुक्त रुप से तात्कालीन प्रधान श्री घनश्याम यादव व ग्रा0वि0अधि0 श्री शिवकुमार मौर्य द्वारा अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री घनश्याम यादव से रु0 6175.00 एवं ग्रा0वि0अधि श्री शिवकुमार मौर्य से रु 6175.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
12350.00	–	–	12350.00

8–ग्राम पंचायत–प्रतापपुर लेoपरीo वर्ष–16–17 विoखo–भनवापुर

प्रस्तर संख्या–13–ग्राम पंचायत प्रतापपुर की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में रु0 41000.00 तात्कालीन सचिव व अन्य के नाम वाहक चेको द्वारा आहरित कर धनराशि का भुगतान हैण्ड पम्प मरम्मत व स्टेशनरी आदि मद में किया गया है। स्टेशनरी खरीद से संबंधित कोई भी बिल/वाउचर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। हैण्ड मरम्मत से संबंधित ग्रा0पं0 का स्वीकृति प्रस्ताव,हैण्ड पम्प मरम्मत का स्थान, जलप्रबंधन समिति की भुगतान हेतु संस्तुति लेखापरीक्षा में अनुपलब्ध रही। स्पष्ट है कि स्टेशनरी भुगतान एवं हैण्ड पम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकूमार मिश्र से रु0 20500.00 एवं ग्राम सचिव श्री मो0 नियाज से रु0 20500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
41000.00	–	–	41000.00

9–ग्राम पंचायत–गदाखौवा लेoपरीoवर्ष –16–17 विoखo–भनवापुर

प्रस्तर संख्या–14–ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि 14 वे वित्त में प्राप्त ब्याज रु 14735.00 का व्यय विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय कर के वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0अधि उत्तरदायी है। अतः रु0 7367.50 की उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती एवं ग्र0वि0अधि0 श्री मो0 नियाज के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
14735.00	–	–	14735.00

10–ग्राम पंचायत–अमौली एकडेंगवा लेoपरoवर्ष–16–17 विoखo–भनवापुर

प्रस्तर संख्या–15–ग्रा0पं0 अमौली एकडेंगवा के ग्रा0नि0 प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान मे आया कि वर्ष में अर्जित ब्याज कुल रु0 11433.00 के सापेक्ष खाते में मात्र रु0 4715 अवशेष है। अर्थात ब्याज मद का रु0 6718.00 अनियमित ढंग से व्यय कर दिया गया है। अर्जित ब्याज की धनराशि को शासनादेश के विपरीत व्यय कर के ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0अधि0 द्वारा वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसकी ग्राम प्रधान श्री पूजारी एवं ग्रा0वि0अधि श्री अशोक कुमार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	6718.00	6718.00

प्रस्तर संख्या–16–ग्राम निधि प्रथम् के रोकडबही की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि रा0वि0 में प्राप्त अनुदान की धनराशि में से वाहक चेक के माध्यम से दिनांक 30.3.17 को चेक सं0 133455 से रु0 10000.00 का नगद आहरण कर प्रिया साफट एवं आडिट मद में समायोजन लेखा पारित कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पूजारी से रु0 5000.00 एवं ग्रा0प0वअधि श्री अशोक कुमार से रु0 5000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
10000.00	–	–	10000.00

11–ग्राम पंचायत–मल्हवार लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–भनवापुर

प्रस्तर संख्या–17–ग्राम पंचायत मल्हवार की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों मे वाहक चेकों के माध्यम से तात्कालीन सचिव श्री रामविलास द्वारा कुल रु0 60000.00 खातें से स्वयं के नाम भुगतान प्राप्त कर रोकडबही में मिट्टी पटायी मजदूरी भुगातन ,विविध व्यय आदि मदों में व्यय समायोजन लेखा परित किया गया कर धन का अपहरण किया गया हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रेमचंद से रु0 30000.00 एवं ग्रा0वि0अधि श्री रामविलास से रु0 30000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
60000.00	—	—	60000.00

प्रस्तर संख्या–18–ग्राम पंचायत मल्हवार की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विभिन्न तिथियों में वाहक चेक के द्वारा आहरित धन से कुल रु0 37700.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0अधि0 द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। उपरोक्त व्यय दर्षित धनराशि के सापेक्ष प्रयुक्त सामग्री व क्रमांश का कोई विवरण ,स्टांक पंजिका,बिल,वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। भुगतान से पूर्व जल प्रबंध समिति की स्वीकृति भी नही ली गयी ।विवरण से स्पष्ट हैं कि तात्कालीन प्रधान एवं सचिव की दुरभिसंधि से अनुदान में प्राप्त धनराशि का नियमों एवं भुगातन प्रक्रिया का उल्लंघन कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रेमचंद से रु0 18850.00 एवं ग्रा0वि0अधि से रु0 18850.00 से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
37700.00	—	—	37700.00

प्रस्तर संख्या–19–ग्राम प्रथम के रोकडबही की जॉच में पाया गया कि दिनांक 28.10.16 को चेक 122944 द्वारा रु0 7500.00 नगद आहरित कर ग्रा0पं0 की प्रगति पुस्तिका बनवायी पर भुगातन दर्शाया गया है। भुगतानित धन से संबंधित कोई बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।स्पष्ट हैं कि व्यय समायोजन लेखा पारित कर रु0 7500 का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रेमचंद से रु0 3750 एवं ग्रा0वि0अधि श्री रामविलास से रु0 3750.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
7500.00	—	—	7500.00

प्रस्तर संख्या–20–ग्राम निधि प्रथम के रोकडबही की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है निर्माण कार्य तिलकराम के घर से रंगीलाल के घर तक खडंजा कार्य पर रु 79026 का व्यय दर्शाया गया है। परन्तु भुगतान से संबंधित निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। योजना से संबंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा जिससे यह स्पष्ट नही हो सका की कार्य पूर्ण रहा या अधूरा। उपरोक्त आधारो पर दर्षित भुगतान रु0 79026.00 अनियमितता की श्रेणी में पाया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रेमचंद से रु0 39513.00 एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री राम विलास से रु0 39513 किया जाना अपेक्षित हैं।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	79026.00	79026.00

12–ग्राम पंचायत–मध्वापुर लेे0परी0वर्ष–16–17 वि0ख0–इटवा

प्रस्तर संख्या–21–ग्राम पंचायत मध्वापुर की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में प्रा0पा0 मध्वापुर के बाउन्ड्री वाल एवं गेट मरम्मत 140716.00 का व्यय दर्शाया गया है। परन्तु व्यय संबंधित प्रमाणक यथा बिल,वाउचर स्टाक पंजिका,मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल,कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट हैं कि बाउन्ड्री वाल एवं गेट मरम्मत पर किया गया भुगातन काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि द्वारा दुरभिसंधि करके उपरोक्त कार्य पर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जूबेर अहमद से रु0 70358.00 एवं ग्रा0वि0अधिश्री रामजी कुशवाहा से रु0 70358.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	अपहरण	अपहरण	योग
140716.00	—		140716.00

13–ग्राम पंचायत–सेमरी लेे0परी0वर्ष –16–17 वि0ख0–इटवा

प्रस्तर संख्या–22– ग्राम पंचायत सेमरी की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में प्रा0पा0 सेमरी मे फर्ष मरम्मत हेतु रु0 128333.00 का व्यय दर्शाया गया है। परन्तु व्यय संबंधित प्रमाणक यथा बिल,वाउचर स्टाक पंजिक मजदूरी भूगतान की पुष्टि में मस्टर रोल,कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट हैं कि फर्श मरम्मत पर किया गया भुगतान काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि द्वारा दुरभि संधि करके उपरोक्त कार्य पर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री धीरेन्द्र से रु0 64166.50 एवं ग्रा0वि0अधि श्री ओम प्रकाश से रु0 64166.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
128333.00—	—	—	128333.00

14–ग्राम पंचायत–इटवा बक्शी लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–इटवा

प्रस्तर संख्या–23–ग्राम पंचायत इटवा बक्शी के वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रु0 20000.00 का भुगतान ग्राम प्रधान को मानदेय के रुप में किया गया है,परन्तु मानदेय भुगातन की पुष्टि में मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, जिसके कारण भुगातन की पुष्टि नही की जा सकी। उपरोक्त के आधार पर स्पष्ट है कि मानदेय का भुगतान काल्पनिक है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आमिना से रु 10000.00 एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री उदय गौतम से रु0 10000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
20000.00	–	–	20000.00

प्रस्तर संख्या–24–ग्राम पंचायत इटवा बक्शी की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष 16–17 कुल रु0 16842.00 ब्याज के रुप में निधि प्रथम खाते में प्राप्त हुआ था।जिसमें से रु 12380.00 का व्यय विभिन्न परियोजनाओं पर कर दिया गया है। जब की नियमानुसार ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए था। इस प्रकार ब्याज की धनराशि को व्यय कर के राजकीय धन का दुरुपयोग कियागया हैं। जिसकी आवश्यक विभागीय कार्यवाही ग्राम प्रधान श्रीमती आामिना सेएवं ग्रा0वि0अधि0श्री उदय गौतम से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	12380.00	–	12380.00

15–ग्राम पंचायत–इमिलिया लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–इटवा

प्रस्तर संख्या–25–ग्राम पंचायत इमिलिया के वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रु0 34000.00 का भुगातन ग्राम प्रधान को मानदेय के रुप में किया गया है परन्तु मानदेय भुगातन की पुष्टि में मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया,जिसके कारण भुगातन की पुष्टि नही की जा सकी। उपरोक्त के आधार पर स्पष्ट है कि मानदेय का भुगतान काल्पनिक है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह से रु 17000.00 एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री मोतीलाल से रु0 17000. 00 किया जान अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
34000.00	–	–	34000.00

16–ग्राम पंचायत–सेहरी लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–इटवा

प्रस्तर संख्या–26– ग्राम पंचायत सेहरी की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में प्रा0पा0 सेहरी में फर्ष मरम्मत हेतु रु0 64198.00 का व्यय दर्शाया गया है। परन्तु व्यय संबंधित प्रमाणक यथाबिल,वाउचर स्टाक पंजिका, मजदूरी भूगतान की पुष्टि में मस्टर रोल,कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट हैं कि फर्ष मरम्मत पर किया गया भुगातन काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि द्वारा दुरभि संधि करके उपरोक्त कार्य पर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राधे रमण से रु0 32099.00 एवं ग्रा0वि0अधि श्री मो0 मुस्तफा से रु0 32099.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
64198.00	–	–	64198.00

प्रस्तर संख्या–27–ग्राम पंचायत सेहरी की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु रु 30929.00 का व्यय दर्शाया गया है। परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत के स्थान का रोकडबही में उल्लेख नही किया गया है। हैण्ड पम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी के भुगतान का अंकन अलग–अलग नही किया गया है,जिससे यह ज्ञात नही हो सका कि सामग्री पर कितना भुगातन किया गया है और मजदूरी पर कितना। कृत कार्य का कार्य पुर्ति भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है।उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट हैं कि हैण्ड पम्पों के मरम्मत पर किया गया भुगातन काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0अधि द्वारा दुरभिसंधि करके हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राधे रमण से रु0 15464.50 एवं ग्रा0वि0अधि श्री मो0 मुस्तफा से रु015464.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
30929.00	–	–	30929.00

17–ग्राम पंचायत–सोननगर   लेoपरीoवर्ष–16–17   विoखo–इटवा

प्रस्तर संख्या–28–ग्राम पंचायत सोननगर की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष 16–17 कुल रु0 50985.00 ब्याज के रुप में निधि प्रथम खाते में प्राप्त हुआ था। जिसमें से रु 42534.00 का व्यय विभिन परियोजनाओं पर कर दिया गया है। जबकी नियमानुसार ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए था। इस प्रकार ब्याज की धनराशि को व्यय कर के राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया हैं। जिसकी आवश्यक विभागीय कार्यवाही ग्राम प्रधान श्रीमनोज कुमार से एवं ग्रा0पं0अधि श्री सभा राज यादव से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	42534.00	–	42534.00

18–ग्राम पंचायत–गड़रखा   लेoपरीoवर्ष–16–17   विoखo–बढनी

प्रस्तर संख्या–29–ग्राम पंचायत गड़रखा की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान कुल रु0 244718.00 का व्यय रोकडबह में दर्शाया गया है। परन्तु व्यय से संबंधित प्रमाणक एवं स्टॉक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। स्टॉक पंजिका एवं प्रमाणक के अभाव में दर्षित भुगतान की धनराशि अपुष्ट रही। अस्तु रु0 244718 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0धि द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती से रु0 122359.00 एवं ग्रा0वि0अधि0 श्रीमती सुमन पटेल से रु0 122359.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
244718.00	–	–	244718.00

19–ग्राम पंचायत–खैरा   लेoपरीoवर्ष–16–17   विoखo–बढनी

प्रस्तर संख्या–30–ग्राम पंचायत खैरा की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान कुल रु0 213627.00 का व्यय रोकडबह में दर्शाया गया है।परन्तु व्यय से संबंधित प्रमाणक एवं स्टॉक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। स्टॉक पंजिका एवं प्रमाणक के अभाव में दर्षित भुगतान की धनराशि अपुष्ट रही।अस्तु रु0 213627 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0धि द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला से रु0 106813.50 एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री राम सिंह से रु0 106813.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
213627.00	–	–	213627.00

20–ग्राम पंचायत–इमिलिया जनूबी   लेoपरीoवर्ष–16–17   विoखo–बढनी

प्रस्तर संख्या–31– ग्राम पंचायत इमिलिया जनूबी की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान कुल रु0 203613.00 का व्यय सामग्री क्रय पर रोकडबह में दर्शाया गया है, परन्तु व्यय से संबंधित प्रमाणक एवं स्टॉक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। स्टॉक पंजिका एवं प्रमाणक के अभाव में दर्षित भुगतान की धनराशि अपुष्ट रही स्पष्ट है कि रु0 203613.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0धि द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन से रु0 101806.50 एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री राम सिंह से रु0 101806.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
203613.00	–	–	203613.00

21–ग्राम पंचायत–छतहरी   लेoपरीoवर्ष–16–17   विoखo–शोहरतगढ

प्रस्तर संख्या–32– ग्राम पंचायत छतहरी की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान कुल रु0 231000.00 का व्यय सामग्री क्रय पर रोकडबह में दर्शाया गया है,परन्तु व्यय से संबंधित प्रमाणक एवं स्टॉक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।स्टॉक पंजिका एवं प्रमाणक के अभाव में दर्षित भुगतान की धनराशि अपुष्ट रही। स्पष्ट है कि रु0 231000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0धि द्वारा कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से रु0 115500.00 एवं ग्रा0वि0अधि श्री संत अखिलेश्वर से रु0 115500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
231000.00	–	–	231000.00

22–ग्राम पंचायत–अकरा   लेoपरीoवर्ष–16–17   विoखo–शोहरतगढ

प्रस्तर संख्या–33– ग्राम पंचायत अकरा की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान कुल रु0 195000.00 का व्यय सामग्री क्रय पर रोकडबही में दर्शाया गया है, परन्तु व्यय से संबंधित प्रमाणक एवं स्टॉक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। स्टॉक पंजिका एवं प्रमाणक के अभाव में दर्षित भुगतान की धनराशि अपुष्ट रही। स्पष्ट है कि रु0 195000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0धि द्वारा कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सिद्धमती से रु0 97500.00 एवं ग्रा0वि0अधि श्री संत अखिलेश्वर से रु0 97500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
195000.00	—	—	195000.00

23—ग्राम पंचायत—दहियाड़ लेoपरीoवर्ष—16—17 विoखo—शोहरतगढ

प्रस्तर संख्या—34—ग्राम पंचायत दहियाड़ की वर्ष 16—17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान कुल रु0 230000.00 का व्यय सामग्री क्रय पर रोकडबह में दर्शाया गया है,परन्तु व्यय से संबंधित प्रमाणक एवं स्टॉक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। स्टॉक पंजिका एवं प्रमाणक के अभाव में दर्षित भुगतान की धनराशि अपुष्ट रही। स्पष्ट है कि रु0 23000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0धि द्वारा कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनिता से रु0 115000.00 एवं ग्रा0वि0अधि श्री संत अखिलेश्वर से रु0 115000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
230000.00	—	—	230000.00

24—ग्राम पंचायत—खजुरिया

लेoपरीo वर्ष—2016—17 विoखo—नौगढ

प्रस्तर संख्या—35—ग्राम पंचायत खजुरिया वर्ष 16—17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में तीन चेको के माध्यम से कुल रु0 26000.00 की निकासी की गयी है, परन्तु इसका इन्द्राज कोषबही में नही किया गया है। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बिहारी एवं ग्राम प्रधान श्री साधू द्वारा कुल रु 26000.00 का निकासी कोषबही में न दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री साधू से रु 13000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बिहारी से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
26000.00	—	—	26000.00

25—ग्राम पंचायत—मधुकरपुर लेoपरीo वर्ष—2016—17 विoखo—नौगढ

प्रस्तर संख्या—36—ग्राम पंचायत मधुकरपुर की वर्ष 16—17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि दिनांक 19.10.16 को चेक संख्या—593784 से रु 20000.00 आहरित किया गया है,जिसका इंद्राज कोषबही में नही किया गया है। स्पष्ट है कि आहरित धन का इंद्राज कोषबही में न कर के ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुमन श्रीवास्तव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती वंदना मिश्रा द्वारा रु 20000.00 का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुमन श्रीवास्तव से रु 10000.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती वंदना मिश्रा से रु 10000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
20000.00	—	—	20000.00

26—ग्राम पंचायत— धेन्सा नानकार लेoपरीo—2016—17 विoखo—नौगढ

प्रस्तर संख्या—37—ग्राम पंचायत धेन्सा नानकार की वर्ष 16—1 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि नल मरम्मत कार्य पर रोकड बही मे रु 38015 का व्यय दर्शाया गया है, परन्तु रोकड बही में नल मरम्मत कार्य स्थल का उल्लेख नहीं किया गया है। नल मरम्मत कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। स्पष्ट है कि कुल रु 38015.00 का फर्जी व्यय रोकड बही में दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती आरती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुमन श्रीवास्तव द्वारा रु 38015 का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आरती से रु19007.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुमन श्रीवास्तव से रु 19007.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
38015.00	—	—	38015.00

27—ग्राम पंचायत—अजिगरा लेoपरीo वर्ष—2016—17 विoखo—उसका

प्रस्तर संख्या—38—ग्राम पंचायत अजिगरा की वर्ष 16—17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत में कराये गए विभिन्न कायों के लिए रु 92691.00का ईट क्रय किया गया है ।परन्तु लेखा परीक्षा में भुगतान से संबंधित प्रमाणक एवं स्टॉक पंजिका प्रस्तुत नही रहा। स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये रु 92691.00 का व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान अर्जुन से रु 46345.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतराम भारती से रु046345.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
92691.00	—	—	92691.00

28–ग्राम पंचायत–कुड़िया   ले0पर0 वर्ष–16–17   वि0ख0–उसका

प्रस्तर संख्या–39–ग्राम पंचायत कुड़िया की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत में कराये गए विभिन्न कार्यो के लिए रु 87153.00का ईट क्रय किया गया है ।परन्तु लेखा परीक्षा में भुगतान से संबंधित प्रमाणक एवं स्टॉक पंजिका प्रस्तुत नही रहा। स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये रु 87153.00 का व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र प्रताप से रु 43576.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय पाल से रु0437576.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
87153.00	–	–	87153.00

29–ग्राम पंचायत–तिघरा   ले0परी0 वर्ष 16–17   वि0ख0–उसका

प्रस्तर संख्या–40–ग्राम पंचायत तिघरा की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत में कराये गए विभिन्न कार्यो के लिए रु 86090.00 का ईट,सीमेंट, बालू क्रय किया गया है । परन्तु लेखा परीक्षा में भुगतान से संबंधित प्रमाणक एवं स्टॉक पंजिका प्रस्तुत नही रहा। स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये रु 86090.00 का व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री यशोदा नन्दन से रु 43045.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय पाल से रु043045.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
86090.00	–	–	86090.00

प्रस्तर संख्या–41–ग्राम पंचायत तिघरा की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रोकड़ बही में दिनांक 27.03.17 को प्रधान को रु0 10000.00 अनुसांगिक व्यय हेतु भुगतान दर्षित है। लेखा परीक्षा में ऐसा कोई आदेश देखने को नही मिला।अतः ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि द्वारा 10000.00 का फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री यशोदा नन्दन से रु 5000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय पाल से रु0 5000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
10000.00	–	–	10000.00

30–ग्राम पंचायत–पकड़ी   ले0परी0 वर्ष–16–17   वि0ख0–उसका

प्रस्तर संख्या–42–ग्राम पंचायत पकड़ी की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत में कराये गए विभिन्न कार्यो के लिए रु 80700.00का ईट क्रय किया गया है । परन्तु लेखा परीक्षा में भुगतान से संबंधित प्रमाणक एवं स्टॉक पंजिका प्रस्तुत नही रहा। स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये रु 80700.00 का व्यय दर्शाकर

राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मालती से रु 40350.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण बिहारी सिंह से रु040350.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
80700.00	–	–	80700.00

31–ग्राम पंचायत–छितरापार   ले0परी0 वर्ष–16–17   वि0ख0–उसका

प्रस्तर संख्या–43–ग्राम पंचायत छितरापार की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत में कराये गए विभिन्न कार्यो के लिए रु 151200.00का ईट क्रय किया गया है । परन्तु लेखा परीक्षा में भुगतान से संबंधित प्रमाणक एवं स्टॉक पंजिका प्रस्तुत नही रहा। स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये रु 151200.00 का व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश से रु 75600.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विमलकान्त से रु0 75600.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
151200.00	–	–	151200.00

32–ग्राम पंचायत–रामपुर   ले0परी0वर्ष–16–17   वि0ख–नौगढ

प्रस्तर संख्या–44–ग्राम पंचायत रामपुर की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान मे आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में सामग्री मद की 977926.00 एवं मजदूरी मद की190110.00 की सम्पूर्ण धनराशि फर्म/अन्य खातें में स्थानांतरित कर दी गयी है।जबकीनियमों के तहत सामग्री अंश फर्म के खाते में **एकाउन्ट पेयी** चेक के द्वारा उतनी ही

धनराशि स्थानांतरित की जानी चाहिए थी जितनी फर्म द्वारा कार्य के सापेक्ष सामग्री आपूर्ति की गयी और मजदूरी की दशा में मस्टर रोल में लगे मजदूरों का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरो के खाते में या कार्यप्रभारी द्वारा मजदूरी के बराबर धनराशि ग्राम प्रधान के नाम नगद आहरित कर वितरित किया जाना चाहिए था तथा मजदूरो से धन प्रप्ति रशीद प्राप्त कर पत्रावली में रखा जाना चाहिए था । उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में टेंडर/कोटेशन तथा उससे संबंधित प्रमाणक भी प्रस्तुत नही किया गया। परन्तु उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान की मिली भगत से बिना सामग्री आपूर्ती किये ही एवं बिना कार्य कराये ही रोकड़ बही में फर्जी कार्य व व्यय दर्शाकर रु 1168036.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोला प्रसाद से रु 584018.00 एवं ग्राम प्रधान श्री संतराम चौधरी से रु 584018.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1168036	–	–	1168036
.0			.0

33–ग्राम पंचायत– रसूलपुर लेoपरीoवर्ष–16–17 विoख–नौगढ

प्रस्तर संख्या–45– ग्राम पंचायत रसूलपुर की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान मे आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में सामग्री मद की 1008801.00 एवं मजदूरी मद की 245799.00 की सम्पूर्ण धनराशि फर्म/अन्य खातें में स्थानांतरित कर दी गयी है। जबकी नियमों के तहत सामग्री अंश फर्म के खाते में **एकाउन्ट पेयी** चेक के द्वारा उतनी ही धनराशि स्थानांतरित की जानी चाहिए थी जितनी फर्म द्वारा कार्य के सापेक्ष सामग्री आपूर्ति की गयी और मजदूरी की दषा में मस्टर रोल में लगे मजदूरों का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरो के खाते में या कार्यप्रभारी द्वारा मजदूरी के बराबर धनराशि ग्राम प्रधान के नाम नगद आहरित कर वितरित किया जाना चाहिए था ,तथा मजदूरो से धन प्रप्ति रशीद प्राप्त कर पत्रावली में रखा जाना चाहिए था । उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में टेंडर/कोटेशन तथा उससे संबंधित प्रमाणक भी प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान की मिली भगत से बिना सामग्री आपूर्ती किये ही एवं बिना कार्य कराये ही रोकड़ बही में फर्जी कार्य व व्यय दर्शाकर रु 1254600.00 का अपहरण कर लिया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोला प्रसाद से रु 627300.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती आशा जयसवाल से रु 627300.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1254600.0	–	–	1254600.0

प्रस्तर संख्या–46– ग्राम पंचायत रसूलपुर की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 18.06.16 को चेक संख्या–316251 से रु 95000.00 आहरित किया गया है,जिसका इंद्राज कोषबही में नही किया गया है स्पष्ट है कि आहरित धन का इंद्राज कोषबही में न कर के ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोला प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्रीमती आशा जयसवाल द्वारा रु 95000.00 काअपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोला प्रसाद से रु 47500.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती आशा जायसवाल से रु 47500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
95000.00	–	–	95000.00

34–ग्राम पंचायत –रामगढ लेoपरीoवर्ष–16–17 विoख–नौगढ

प्रस्तर संख्या–47– ग्राम पंचायत रामगढ की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान मे आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में सामग्री मद की 1345727.00 एवं मजदूरी मद की 181370.00 की सम्पूर्ण धनराशि फर्म/अन्य खातें में स्थानांतरित कर दी गयी है। जबकी नियमों के तहत सामग्री अंश फर्म के खाते में **एकाउन्ट पेयी** चेक के द्वारा उतनी हीधनराशि स्थानांतरित की जानी चाहिए थी जितनी फर्म द्वारा कार्य के सापेक्ष सामग्री आपूर्ति की गयी और मजदूरी की दशा में मस्टर रोल में लगे मजदूरों का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरो के खाते में या कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरी के बराबर धनराशि ग्राम प्रधान के नाम नगद आहरित कर वितरित किया जाना चाहिए था ,तथा मजदूरो से धन प्रप्ति रशीद प्राप्त कर पत्रावली में रखा जाना चाहिए था । उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में टेंडर/कोटेशन तथा उससे संबंधित प्रमाणक भी प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान की मिली भगत से बिना सामग्री आपूर्ती किये ही एवं बिना कार्य कराये ही रोकड़ बही में फर्जी कार्य व व्यय दर्शाकर रु 1527097.00 का अपहरण कर लिया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोला प्रसाद से रु 763548.50 एवं ग्रामप्रधान श्रीमती हसबुन्निशा से रु 763548.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1527097.0	–	–	1527097.0

35–ग्राम पंचायत–रमवापुर तिवारी लेखा0परी0वर्ष–16–17 वि0ख0–शोहरतगढ

प्रस्तर संख्या–48–रोकड बही में दिनांक 30.12.16 को चेक संख्या–231488 से खाता संख्या–33263468453 में सामग्री क्रय हेतु रु99000.00 का भुगतान दर्षित है। परन्तु व्यय से संबंधित प्रमाणक एवं स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। रोकड बही में फर्म ,सामग्री ,एवं कार्य का नाम का अंकन नही किया गया है।स्टॉक पंजिका एवं प्रमाणक के अभाव में दर्षित भुगतान की धनराशि रु 99000.00 का अपहरण कर लियागया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अकालमती से रु 49500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज प्रभाकर पटेल से रु 49500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
99000.00	–	–	99000.00

36–ग्राम पंचायत–चौहट्टा लेखा0परी0वर्ष–16–17 वि0ख0–शोहरतगढ

प्रस्तर संख्या–49–ग्राम पंचायत चौहट्टा की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय के लिए 90000.00 का भुगतान किया रोकड बही में दर्षित है।परन्तु व्यय से संबंधित प्रमाणक ,स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। स्टॉक पंजिका एवं प्रमाणक के अभाव में दर्षित भुगतान की धनराशि अपुष्ट रही। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मो0 मुस्तकीम से रु 45000.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी से रु 45000.00 किया जाना अपेक्षितहै।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
90000.00	–	–	90000.00

37–ग्राम पंचायत–जगरगठिया लेखा0परी0वर्ष–16–17 वि0ख0–शोहरतगढ

प्रस्तर संख्या–50–रोकड बही में दिनांक 16.07.16 को चेक संख्या–537813 से मंजू खाद भंडार को सामग्री क्रय हेतु रु 85000.00 का भुगतान दर्षित है। परन्तु व्यय से संबंधित प्रमाणक एवं स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। रोकड बही में फर्म ,सामग्री एवं कार्य का नाम का अंकन नही किया गया है। स्टॉक पंजिका एवं प्रमाणक के अभाव में दर्षित भुगतान की धनराशि रु 85000.00 का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती दयाराम से रु 42500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश पाठक से रु 42500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
85000.00	–	–	85000.00

38–ग्राम पंचायत–खरगवार लेखा0परी0वर्ष–16–17 वि0ख–शोहतगढ

प्रस्तर संख्या– 51– ग्राम पंचायत खरगवार की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में समग्री क्रय के लिए 94080.00 का भुगतान किया रोकड बही में दर्षित है। परन्तु व्यय से संबंधित प्रमाणक ,स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।स्टॉक पंजिका एवं प्रमाणक के अभाव में दर्षित भुगतान की धनराशि अपुष्ट रही। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश पाठक से रु 47040. 00 एवं ग्राम प्रधान श्री रमेश प्रसाद से रु 47040.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
94080.00	–	–	94080.00

39–ग्राम पंचायत–कल्याणनगर उर्फ हृदयनगर लेखा0परी0वर्ष–16–17 वि0ख0–बढनी

प्रस्तर संख्या–52–रोकड बही में दुर्गा मंदिर से कुला तक नाली मरम्म्त हेुत दिनांक 21.02.17 को वाउचर संख्या 33 से सामग्री क्रय एवं भाड़ा पर व्यय रु 59100.00 दर्षित है। परन्तु व्यय से संबंधित प्रमाणक एवं स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।स्टॉक पंजिका एवं प्रमाणक के अभाव में दर्षित भुगतान की धनराशि अपुष्ट रही। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुदामा प्रसाद से रु 29550.00 एवं ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार से रु 29550. 00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
59100.00	–	–	59100.00

प्रस्तर संख्या–53–रोकड बही में वर्ष की विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान को कुल रु 24500.00 का मानदेय का भुगतान किया गया है। परन्तु व्यय से संबंधित प्रमाणक एवं मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही। मानदेय पंजिका एवं

प्रमाणक के अभाव में दर्षित भुगतान की धनराशि अपुष्ट रही।जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुदामा प्रसाद से रु 12250.00 एवं ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार से 12250.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
24500.00	–	–	24500.00

40–ग्राम पंचायत–खानकोट लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–इटवा

प्रस्तर संख्या–54–ग्राम पंचायत खानकोट की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में कुए का चबूतरा निर्माण हेतु वर्ष की विभिन्न तिथियों में रु 52492.00 का व्यय रोकड़बही में दर्षित है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में स्टॉक पंजिका एवं व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा ,जिससे क्रय की गयी स्टॉक की पुष्टि नही की जा सकी।मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे मजदूरी भुगतानकी पुष्टि नही की जा सकी।कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कुए का चबूतरा निर्माण पर किया गया भुगतान काल्पनिक है। तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दुरभिसंधि करकेनिर्माण कार्य पर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याजसहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश से रु 26246.00 एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से रु 26246.00 किया जाना अपेक्षित हैं ।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
52492.00	–	–	52492.00

41–ग्राम पंचायत–खखरॉव लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–भनवापुर

प्रस्तर संख्या–55–ग्राम पंचायत खखरॉव की वर्ष 16–17 की ग्राम निधि प्रथम के माह फरवरी 2017 के रोकडबही की जॉच मे पाया गया कि कुल चार वाहक चेक (संo 10626 ,27,30,31)द्वारा रु 10000.00 के गुणक में कुल रु 40000.00 का नगद आहरण किया गया है। उक्त के सापेक्ष रोकडबही में मात्र रु 20000.00 का व्यय विवरण दिया गया है। शेष रु 2000का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शाना एवं सचिव श्री शिवकुमार मौर्य द्वार संयूक्त रुप कर लिया गया है।व्यय दर्षित धनराशि के सापेक्ष कुल 9200.00 से संबंधित बिल/ वाउचर प्रस्तुत नही हैइस प्रकार ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कुल 29200.00 का अपहरण कर लियागया है।(रु 20000.00 नगद एवं रु 9200.00 बिना बिल वाउचर के व्यय समायोजन लेखा पारित कर)। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री शिवकुमार मौर्य से रुo 14600.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शाना से रु 14600.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
29200.00	–	–	29200.00

प्रस्तर संख्या–56–ग्राम निधि प्रथम के रोकड बही की जॉचा में पाया गया कि बिना आधार के दिनांक14.03.17 को पंचायत कर से रु 600.00 की आय दर्शाकर आगे की तिथियों में आहरितधन के साथ संयुक्त रुप से व्यय दर्शाया गया है। उक्त कर की आय से संबंधित रुप पत्र 07,कर मॉग व वसूली पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। प्राप्त धनराशि को ग्राम निधि के खाते मे अंतरण के बिना ही स्वैच्छिक तरीके से व्यय दर्शाकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री शिवकुमार मार्य से रु 300.00 एवंग्राम प्रधान श्रीमती शाना से रु 300.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	600.00	–	600.00

42–बेवा मुस्तकहम लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–भनवापुर

प्रस्तर संख्या–57–ग्राम निधि प्रथम के माह जून की रोकड बही व संबंधित स्टेटमेंट की जॉच मे पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न वाहक चेको के माध्यम से कुल रुo 220000.00खाते से डेबिट हुआ है।जिसमें जया ट्रेडर्स को कुल रु 78000.00 तथा चौधरी ट्रेडर्सको कुल रु 142000.0 का भुगतान रोकड बही में दर्षित है। खाते से डेबिट उपरोक्त धनराशि के सापेक्ष रोकडबही में व्यय पक्ष में दर्षित कुल व्यय का योग रु 220100.00 है। स्पष्ट है कि आहरित /खाते से डेबिट धन से अधिक रु 100.00 अतिरिक्त व्यय दर्शाया गया हैं।जॉच में पाया गया कि संदर्भित माह में आय से अधिक व्यय होने परफर्जी तरीके से रोकडबही मे पंचायत कर से आय रु 100.00 दर्शाकर माह के आय–व्यय को तुलित किया गया है। लेखापरीक्षा में उपरोक्त भुगतान से संबंधित वाउचर/ चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। परियोजना से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया है। खाते से डेबिट धन से व्यय का योग अधिक हाने से बिना कियी प्रमाणक/आधर के अनियमित तरीके से रु 100.00 पंचायत कर से आय दर्शाकर व्यय समायोजन लेखा पारित किया गया है।उपरोक्त के आधार से स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर काल्पनिक आधार पर तत्कालीक प्रधान श्रीमती सैयदुन्निसा

एवं ग्राम सचिव श्री शिवकुमार मौर्य द्वारा कुलरु 220000.00 का अपहरण एवं रु 100.00 की अनियमितता कर गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री शिवकुमार मौर्य से रु 110050.00 एवं ग्राम प्रधानश्रीमती सैयदुन्निसा से रु 110050.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
220000.00	—	100.00	220100.00

प्रस्तर संख्या—58—ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है किवर्ष की विभिन्न तिथियों में कुल रु 75940.00 का व्यय सामग्री क्रय के सापेक्ष रोकडबी में दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बिल/वाउचरप्रस्तुत नही किया गया स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा काल्पनिक व्यय समायोजन लेखा पारितकर कुल रु 75940.00 का अपहरण कर लिया गया हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री रामबिलास से रु 37970.00 एवं ग्राम प्रधान श्री मती सयदुन्निसा से रु 37970.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
75940.00	—	—	75940.00

43—ग्राम पंचायत— रमवापुर भैया लेo परीo वर्ष—16—17 विoखo—मिठवल

प्रस्तर संख्या—59—ग्राम पंचायत रमवापुर भैया की वर्ष 16—17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम् मे कुल रु 7936.00 व्याजमद में प्राप्त हुआ था। वित्त लेखा अनुभाग के शासनादेश संख्या—10/2015/ए—1—502/दस—2015—10/2010 दिनांक 29 मई में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार व्याज में प्राप्त धनराशि संस्थ की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है। जिसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए। परन्तु ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा उरोक्त शासनादेश की आवहेलना करते हुएप्राप्त व्याज मे से रु 6705.00 का व्यय दर्शाकर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री शेष दत्त मिश्र से रु 3352.50 एवं ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र बहादुर से रु 3352.50.0 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	6705.00	—	6705.00

44—ग्राम पंचायत—गोहर लेoपरीoवर्ष—16—17 विoखo—मिठवल

प्रस्तर संख्या—60—ग्राम पंचायत गोहर की वर्ष 16—17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में खडन्जा निर्माण हेतु रु 78922.00 का व्यय रोकड़बही में दर्षित है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में स्टॉक पंजिका एवं व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा ,जिससे क्रय की गयी स्टॉक की पुष्टि नही की जा सकी। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे मजदूरी भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी।कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि खडन्जा निर्माण पर किया गया भुगतान काल्पनिक है।तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दुरभि संधि करके निर्माण कार्य पर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शेष दत्त मिश्र से रु 39461.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से रु 39461.00 किया जाना अपेक्षित हैं ।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
78922.00	—	—	78922.00

45—ग्राम पंचायत—बूढापार लेoपरीoवर्ष—16—17 विoख—मिठवल

प्रस्तर संख्या—61—ग्राम पंचायत बूढापार की वर्ष 16—17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में नाली निर्माण हेतु रु 110856.00 का व्यय रोकड़बही में दर्षित है।परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में स्टॉक पंजिका एवं व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा ,जिससे क्रय की गयी स्टॉक की पुष्टि नही की जा सकी।मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।जिससे मजदूरी भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी।कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नाली निर्माण पर किया गया भुगतान काल्पनिक है।तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दुरभिसंधि करके निर्माण कार्य पर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शेष दत्त मिश्र से रु 55428 एवं ग्राम प्रधान श्री रामनाथ से रु 55428 किया जाना अपेक्षित हैं ।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
110856.00	—	—	110856.00

46–ग्राम पंचायत–डड़वा राजा लेе0परी0वर्ष–16–17 वि0ख0–मिठवल

प्रस्तर संख्या–62–ग्राम पंचायत डड़वा राजा की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में नाली निर्माण हेतु वर्ष रु 57549.00 का व्यय रोकड़बही में दर्षित है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में स्टॉक पंजिका एवं व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा ,जिससे क्रय की गयी स्टॉक की पुष्टि नही की जा सकी। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथि वार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।जिससे मजदूरी भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी। कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नाली निर्माण पर किया गया भुगतान काल्पनिक है। तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दुरभिसंधि करके निर्माण कार्यपर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शेष दत्त मिश्र से रु 28774.50 एवं ग्राम प्रधान श्री नबी सरवर से रु 28774. 00 किया जाना अपेक्षित हैं ।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
57549.00	–	–	57549.00

47–ग्राम पंचायत–करमहिया लेе0परी0वर्ष–16–17 वि0ख0–मिठवल

प्रस्तर संख्या–63–ग्राम पंचायत कर महिया की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में नाली निर्माण हेतु वर्ष की विभिन्न तिथियों में रु 103800.00 का व्यय रोकड़बही में दर्षित है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में स्टॉक पंजिका एवं व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा ,जिससे क्रय की गयी स्टॉक की पुष्टि नही की जा सकी। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।जिससे मजदूरी भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी।कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नाली निर्माण पर किया गया भुगतान काल्पनिक है। तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकार द्वारा दुर भिसंधि करके निर्माण का पर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शेष दत्त मिश्र से रु 51900.00 एवं ग्राम प्रधान श्री मो0 शाहिद से रु 51900.00 किया जाना अपेक्षित हैं ।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
103800.00	–	–	103800.00

48–ग्राम पंचायत–कड़सरा लेе0परी0वर्ष–16–17 वि0ख0–मिठवल

प्रस्तर संख्या–64– ग्राम पंचायत कड़सरा की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में नाली निर्माण हेतु वर्ष की विभिन्न तिथियों में रु 235470.00 का व्यय रोकड़बही में दर्षित है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में स्टॉक पंजिका एवं व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा जिससे क्रय की गयी स्टॉक की पुष्टि नही की जा सकी। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे मजदूरी भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी। कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा मेंप्रस्तुत नही किया गया।उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नाली निर्माण पर किया गया भुगतान काल्पनिक है। तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दुरभिसंधि करके निर्माण कार्यपर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दयाराम से रु 117735.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती उमाकान्ती देवी से 117735.00 किया जाना अपेक्षित हैं ।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
235470.00	–	–	235470.00

49–ग्राम पंचायत–परसिया प्रथम् लेе0परी0वर्ष–16–17 वि0ख0–मिठवल

प्रस्तर संख्या–65–ग्राम पंचायत परसिया प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है रोकडबही में दिनांक 30.11.16 को हिन्दुस्तान ब्रिकफील्ड को 3000 ईट जिसका मूल्यदर 6300 से 18900.00 हुआ की जगह रु 189000.00 का भुगतान चेक संख्या–065581 द्वारा किया गया। तत्पश्चात कैश बुक में इस आधिक्य धनराशि रु 170100(189000–18900=170100) को प्रधान के पास रोकड शेष के रुप मे वित्तीय वर्ष के अन्त (31.03.17) तक दर्शाया गया हैं। स्पष्ट है कि रु 170100.00 का रोकड शेष अपने पास रोककर ग्राम प्रधान एवं ग्रामसचिव द्वारा राजकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनामिका मिश्रा से रु85050.00 एवं ग्राम सचिव श्रीमती कुन्तकली से रु 85050.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	170100.00	—	170100.00

50—ग्राम पंचायत—कनवर लेoपरीoवर्ष—15—16 से 16—17 विoख—खुनियॉव

प्रस्तर संख्या—66—ग्राम पंचायत कनवर की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायतमें विभिन्न स्थानों पर सोख्ता निर्माण हेतु रु 102000.00 व्यय दर्षित किया गया है। सोख्ता निर्माण से संबंधित कोई भी प्रमाणक निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुतनही रहा।स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सदन की अनुमति के बगैर बिना किसी व्यय प्रमाणक के कुल रु 102000.00 का व्यय समायोजन लेखा पारित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधानश्रीमती नूरजहॉ से रु 51000.00 एवं ग्राम सचिव श्री हरिशंकर से रु 51000.00 कियाजाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
102000.00	0	0	102000.00

51—ग्राम पंचायत—कटया मुस्तहकम लेoपरीoवर्ष—16—17 विoखo—खुनियॉव

प्रस्तर संख्या—67—ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ग्राम पंचायतमे विभिन्न स्थानों पर 10 अदद कूप मरम्मत हेतु रु0 214000.0 का व्यय दर्षित है।कूप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक यथा,बिल/वाउचर मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,स्टॉक पंजिका जल प्रबंधन समिति का प्रस्ताव भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कूप मरम्त पर व्यय दर्शाकर रु 214000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विरेन्द्र से रु 107000.00 एवं ग्राम सचिव श्री वी0पी0सिंह से रु 107000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
214000.00	0	0	214000.00

52—ग्राम पंचायत—सिरसिया लेoपरीoवर्ष—16—17 विoखo—खुनियॉव

प्रस्तर संख्या—68—ग्राम पंचायत सिरसिया की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 16—17 में कराये गए विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 668195.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्षित है। परन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय से संबंधित बिल/वाउचर ,मस्टर रोल प्रस्तुत नही किया गया।कराये गए कायों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया । स्पष्ट है कि बिना किसी व्यय प्रमाणक के कुल रु 668195.00 का व्यय समायोजन लेखा पारित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा उक्त धन का अपहरण कर लिया गया हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फरहद जहॉ से रु 334097.50 एवं ग्राम सचिव श्री सुनील कुमार से रु 334097.50 किया जाना अपेतिक्षत है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
668195.00	0	0	668195.0

53—ग्राम पंचायत—एकडेगवा मुस्तहकम लेoपरीoवर्ष—16—17 विoखo—खुनियॉव

प्रस्तर संख्या—69—ग्राम पंचायत एकडेंगवा मुस्तहकम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव की दुरभि संधि से विभिन्न तिथियों मे विभिन्न वाहक चेको के माध्यम से रु 10000.00 व 5000.00 के गुणक चेक निर्गत कर खाते से नगद धनराशि प्राप्त कर अपहरण कर लियर गया है। उल्लेखनीय है कि निर्माण नियमावली एवं ग्राम पंचायत अधिनियम में निर्धारित व्यवस्थानुसार उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना में से तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत वाली योजनाओ में से निर्धारित प्रकिया के अनुसार निर्माण समिति की संस्तुति पर भुगतान करने का प्रावधान है। इसके अर्न्तगत सामग्री के सापेक्ष एकाउन्ट पेई चेक के माध्यम से टी0डी0एस की कटौती कर आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाना चाहिए तथा मजदूरी के सापेक्ष साप्ताहिक आधार पर प्रमाणित मस्टररोल के प्रस्तुतति करण के उपरान्त उतनी ही धनराशि का चेक प्रधान के नाम/मजदूरो के खाते में अंतरित किया जाना चाहिए।परन्तु यहा 10000.00 एवं 5000.00 के गुणक में धन आहरित कर लिया गया है। सामग्री के सापेक्ष वाउचर/बिल प्रस्तुत नही किया गया।मजदूरी से संबंधित मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त आधार पर लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्ष में कुल रु 355000.00 का तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है । जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सितारा खातून से रु0 177500.00 एवं ग्राम सचिव श्री सईद अहमद से 177500.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
355000.00	0	0	355000.00

54–ग्राम पंचायत–मानादेई लेखपरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–खुनियॉव

प्रस्तर संख्या–70–ग्राम पंचायत मानादेई की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सोख्ता निर्माण हेतु रु 152472.00 व्यय दर्षित किया गया है। सोख्ता निर्माण से संबंधित कोई भी प्रमाणक ,निर्माण पत्रावली लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सदन की अनुमति के बगैर बिना किसी व्यय प्रमाणक के कुल रु 152472.00 का व्यय समायोजन लेखा पारित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मंगोला से रु 76236.00 एवं ग्राम सचिव श्री विरेन्द्र सिंह से रु 76236.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
152472.00	0	0	151472.00

55–ग्राम पंचायत–दुर्गाजोत लेखपरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–खुनियॉव

प्रस्तर संख्या–71–ग्राम पंचायत दुर्गाजोत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्रामपंचायत में विभिन्न स्थानों पर सोख्ता निर्माण हेतु रु 114935.00 व्यय दर्षित किया गया है। सोख्ता निर्माण से संबंधित कोई भी प्रमाणक निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सदन की अनुमति के बगैर बिना किसी व्यय प्रमाणक के कुल रु 114935.00 का व्यय समायोजन लेखा पारित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री इन्द्रजीत से रु 57467.50 एवं ग्राम सचिव श्री मोतीलाल से रु 57467.50 कियाजाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
114935.00	0	0	114935.00

56–ग्राम पंचायत–तुरकौलिया लेखपरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–खुनियॉव

प्रस्तर संख्या–72–ग्राम पंचायत तुरकौलिया की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्रामपंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु रु 22003.00 व्यय दर्षित कियागया है। हैण्ड पम्प मरम्मत से संबंधित कोई भी प्रमाणक निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।स्पष्ट है हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर रु 22003.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान जगप्रसाद से रु0 11001.50 एवं ग्राम सचिव श्री मातीलाल से रु 11001.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
22003.00	0	0	22003.00

57–ग्राम पंचायत–सियॉव नानकार लेखपरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–शोहरतगढ

प्रस्तर संख्या–73–रोकडबही में वर्ष दौरान कुल रु 79450.00 का व्यय सामग्री क्रय पर दर्षित है। परन्तु व्यय संबंधित प्रमाणक, स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। स्टॉक पंजिका एवं प्रमाणक के अभाव में दर्षित भुगतान की धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणक के अभाव में भुगतान किये गये धनराशि रु 79450.00 का अपहरण कर लिया गया हैं।अस्तु ग्राम प्रधान श्री अर्जुन से रु0 39725.00 एवं ग्राम सचिव श्री शकील अहमद से रु0 39725.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
79450.00	0	0	79450.00

58–ग्राम पंचायत–नीबी लेखपरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–शोहरतगढ

प्रस्तर संख्या–74–रोकडबही में वर्ष दौरान कुल रु 75000.00 का व्यय सामग्री क्रय पर दर्षित है। परन्तु व्यय संबंधित प्रमाणक, स्टॉक पंजिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। स्टॉक पंजिका एवं प्रमाणक के अभाव में दर्षित भुगतान की धनराशि अपुष्ट रही।व्यय प्रमाणक के अभाव में भुगतान किये गये धनराशि रु 75000.00 का अपहरण कर लिया गया हैं। अस्तु ग्राम प्रधान श्री संतराम मौर्य से रु0 37500.00 एवं ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक से रु0 37500.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
75000.00	0	0	75000.00

59–ग्राम पंचायत–जुडवनिया लेखपरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–भनवापुर

प्रस्तर संख्या–75–ग्राम पंचायत जुड़वनिया के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में वाहक चेको के माध्यम से कुल रु0 53544.00 का भुगतान रोकडबही में दर्षित है।लेकिन रोकडबही में न तो भुगतान का मद दर्ज है और नही धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्रा0प0अ श्री राम बिलास एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी के द्वारा संयुक्त रुप से धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री रामबिलास से रु 26772.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से रु26772.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
53544.00	0	0	53544.00

प्रस्तर संख्या–76–ग्राम पंचायत जुड़वनिया की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों विभिन्न चेको के माध्यम से रु0 72642.00 का भुगतान अज्ञात परियोजना पर फर्म को किया गया है।स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान व सचिव की मिली–भगत से ग्राम पंचायत सदन की अनुमति के बिना ,बिना बिल/वाउचर के अज्ञात परियोजान पर कुल रु0 72642.00 सामग्री पर एवं रु0 9846.00 मजदूरी पर व्यय दर्शाकर कुल रु0 82488.00 का संयुक्त रुप से अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री राम बिलास से रु 41244.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से रु0 41244.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
82488.00	0	0	82488.00

60–ग्राम पंचायत–बुद्ढी खास लेखापरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–भनवापुर

प्रस्तर संख्या–77–ग्राम पंचायत बुढ़ी खास के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में विभिन्न वाहक चेको के माध्यम से ग्राम प्रधान को रु0 36270.00 का नगद भुगतान दर्षित है।लेकिन संबंधित रोकड़ बही में न तो भुगतान का मद दर्ज किया गया है, न ही उक्त भुगतानित धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहे। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा संयुक्त रुप से रु0 36270.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रानी से रु 18135.00 एवं ग्राम सचिव श्री रामबिलास से रु0 18135.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
36270.00	0	0	36270.00

प्रस्तर संख्या–78–ग्राम पंचायत बुढ्ढी खास के ग्राम निधि प्रथम की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लेखा परीक्षा वर्ष में अन्त्येष्टि स्थल विकास पर रु0 516598.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त परियोजना से संबंधित निर्माण पत्रावली प्रस्तुत न रहने से परियोजना की लागत शासन द्वारा निधौरित मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति अज्ञात रही। स्वीकृत प्राक्कलन, माप पुस्तिका एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा परियोजना से संबंधित फोटोग्राफ के अभाव में उपरोक्त व्यय दर्षित धनराशि की पुष्टि लेखा परीक्षा में नही की जा सकी। जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, श्री रामबिलास एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रानी संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
0	0	516598.00	516598.00

61–ग्राम पंचायत–जाजरगठिया लेखापरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–बॉसी

प्रस्तर संख्या–79–ग्राम पंचायत जाजरगठिया के वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि माह मई 2016 के मासान्त में नगद रोकड शेष रु0 10089.00 होता है। परन्तु रोकडबही में शेष रु0 6759.00 अंकित है। इस प्रकार 3330.00 रु0 से रोकड़ शेष कम दर्शाकर रु0 3330.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूल कुमारी से रु 1665.00 एवं ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा से रु0 1665.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
3330.00	0	0	3330.00

प्रस्तर संख्या'–80–ग्राम पंचायत निधि प्रथम के रोकड़ बही मे दिनांक 26.04.12 को रु0 5000.00 का भुगतान प्रधान यात्रा भत्ता के रुप में ग्राम प्रधान को किया गया है। किन्तु उक्त यात्रा भत्ता का आदेश व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त व्यय फर्जी ढंग सं दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है।

जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूल कुमारी से रु 2500.00 एवं ग्राम सचिव श्री सदानंद वर्मा से रु0 2500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
5000.00	0	0	5000.00

62–ग्राम पंचायत–जोगिया लेखापरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–जोगिया

प्रस्तर संख्या–81–निधि प्रथम् के बैंक खाते से दिनांक 30.07.16 को चेक संख्या–799957 से रु0 10000 का भुगतान किया जाना दर्षित है। परन्तु इसके सापेक्ष रोकड़ बही के आय पक्ष में में उक्त निकासी को नही दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि उक्त निकासी को न दर्शाकर रु10000.00 का अपहरण तात्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अरबिन्द कुमार से रु0 5000.00 एवं ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज से रु0 5000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
10000.00	0	0	10000.00

63–ग्राम पंचायत–सेहुड़ा ले0परी0वर्ष–16–17 वि0ख0–जोगिया

प्रस्तर संख्या–82–निधि प्रथम् के बैंक खाते से दिनांक 07.05.16 को चेक संख्या–009337 से रु0 15000 का भुगतान किया जाना दर्षित है। परन्तु इसके सापेक्ष रोकड़ बही के आय पक्ष में में उक्त निकासी को नही दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि उक्त निकासी को न दर्शाकर रु15000.00 का अपहरण तात्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रशान्त से रु0 7500.00 एवं ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज से रु0 7500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
15000.00	0	0	15000.00

64–ग्राम पंचायत–गौरा बाजार ले0परी0वर्ष–16–1 वि0ख0–खुनियॉव

प्रस्तर संख्या–83–ग्राम पंचायत गौरा बाजार की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम् मे कुल रु 30487.00 व्याज मद में प्राप्त हुआ था। वित्त लेखा अनुभाग के शासनादेश संख्या–10/2015/ए–1–502/दस–2015–10/2010 दिनांक 29 मई में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार व्याज में प्राप्त धनराशि संस्थ की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है। जिसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए। परन्तु ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा उरोक्त शासनादेश की आवहेलना करते हुए प्राप्त व्याज मे से रु 15450.00 का व्यय दर्शाकर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री वी0पी0सिंह से रु 7725.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुन्दरी से रु 7725.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	15450.00	–	15450.00

65–ग्राम पंचायत–कल्यनिया ले0परी0वर्ष–16–17 वि0ख–खुनियॉव

प्रस्तर संख्या–84– ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पी0डब्लू0डी रोड से राजा राम के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य पर वर्ष दौरान कुल रु0 108650.00का भुगतान दर्षित है।जिसमे सामग्री पर रु0 94034.00 एवं श्रमांश पर रु0 14616.00 का भुगतान किया गया है।परन्तु सामग्री क्रय के सापेक्ष बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गय स्पष्ट है कि बिना किसी प्रमाणक के कुल रु0 108650.0 का व्यय समायोजन लेखा पारित कर तात्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा धन का अनहरण कर लियागया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हमीद से रु0 54325.0 एवं ग्राम सचिव श्री सईद अहमद से रु0 54325.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
108650.00	0	–	108650.00

66–ग्राम पंचायत–भगवतपुर ले0परी0वर्ष–16–17 वि0ख0–खुनियॉव

प्रस्तर संख्या–85–ग्राम पंचायत भगवतपुर की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत में सी0सी रोड से रामजीयावन के घर तक सी0सी रोड निर्माण कार्य पर वर्षदौरान कुल रु0 115661.00 का भुगतान दर्षित है।

निर्माण से संबंधित कोई भी प्रमाणक ,निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सदन की अनुमति के बगैर बिना किसी व्यय प्रमाणक के कुल रु 115661.00 का व्यय समायोजन लेखा पारित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री इनायतुल्लाह से रु 57830.50एवं ग्राम सचिव श्री सईद अहमद से रु 57830.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
115661.00	0	0	115661.00

67–ग्राम पंचायत–धोबही लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–खुनियॉव

प्रस्तर संख्या–86– ग्राम पंचायत धोबही की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रोकड़ बही में दिनांक 30.11.16 को दिये गए विवरण के अनुसार मिट्टी पटाई हेतु रु0 10440.00 का व्यय दर्शाया गया है।स्पष्ट रुप से यह नही लिखा गया है कि मिट्टी पटाई कहॉ एवं किस कार्य के लिए किया गया।इस संबंध में लेखा परीक्षा में कोई बिल/वाउचर प्रस्तुत नही किया गया। स्पष्ट है कि मिट्टी पटाई पर व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हमीदुल्लाह से रु0 5220.00 एवं ग्राम सचिव श्री सईद अहमद से रु0 5220.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
10440.00	0	0	10440.00

प्रस्तर संख्या–87–रोकड़ बही में दिनांक 30.11.16 को दिए गए विवरण के अनुसार रु0 10080.00 तथा54180.00 ईट कय तथा रु0 9570.00 मजदूरी पर कुल रु0 73830.00 का व्यय खडन्जा निर्माण पर दर्शाया गया है।परन्तु रोकड बही में यह स्पष्ट नही किया गया है कि खड़न्जा कहॉ से कहॉ तक लगाया गया है।इस संबंध में लेखापरीक्षा में कोई बिल/वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। स्पष्ट है कि खडन्जा निम्रण पर व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हमीदुल्लाह से रु0 36915.00 एवं ग्राम सचिव श्री सईद अहमद से रु0 36915.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
73830.00	0	0	73830.00

प्रस्तर संख्या–88–ग्राम पंचायत धोबही की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रोकड़ बही में दिनांक 31.03.17 को दिये गए विवरण के अनुसार रोड़ा कय हेतु रु0 49140.00 का व्यय दर्शाया गया है।स्पष्ट रुप से यह नही लिखा गया है कि रोडे का प्रयोग कहॉ एवं किस कार्य के लिए किया गया।इस संबंध में लेखा परीक्षा में कोई बिल/वाउचर प्रस्तुत नही किया गया।स्पष्ट है कि रोड़ा कय पर व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हमीदुल्लाह से रु0 24570.00 एवं ग्राम सचिव श्री सईद अहमद से रु0 24570.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
49140.00	0	0	49140.00

68–ग्राम पंचायत–बेलबनवॉ लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–खेसरहा

प्रस्तर संख्या–89–ग्राम पंचायत बेलगनवॉ की वर्ष 16–17 की लेखपरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आय है कि ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 19.10.16 को चेक संख्या 818272 सेरु0 9918.00 नगद आहरित किया गया है।परन्तु कैश बुक के आय पद्वा में अंकित नही किया गया है,और नही व्यय किया गया है।स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कैलाशी से रु0 4959.00 एवं ग्राम सचिव श्री बिकेन्द्र नाथ यादव से रु 4959.00 किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
9918.00	0	0	9918.00

69–ग्राम पंचायत–सिरसिया चौबे लेoपरीoवर्ष–16–17 विoख–खेसरहा

प्रस्तर संख्या–90–ग्राम पंचायत सिरसिया चौबे की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश मेंआया है कि दिनांक 25.02.17 को रु0 28000.00 का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत मद में खारिज किया गया है। परन्तु उक्त भुगतान से संबंधित बिल/वाउचर लेखा परीक्षा मेंप्रस्तुत नही किया ।हैण्ड पम्प मरम्मत स्थल का उल्लेख रोकड बही में नही कियागया है। स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिवद्वारा धन का अपहरण कर लिया गया हैं।

जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र कुमार से रु0 14000.00 एवं ग्राम सचिव श्रीलाले से रु 14000.00 किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
28000.00	0	0	28000.00

70–ग्राम पंचायत–बिशुनपुर मुस्तकहम लेoपरीoवर्ष–16–17 विoख–खेसरहा

प्रस्तर संख्या–91–ग्राम पंचायत बिशुनपुर मु0 की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि दिनांक 28.05.16को रु0 40000.00 का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत मद में खारिज किया गया है।परन्तु उक्त भुगतान से संबंधित बिल/वाउचर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया ।हैण्ड पम्प मरम्मत स्थल का उल्लेख रोकड बही में नही किया गया है।स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया हैजिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता से रु0 20000 एवं ग्राम सचिव श्री दिलीप तिवारी से रु 20000 किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
40000.00	0	0	40000.00

71–ग्राम पंचायत–नासिरगंज लेoपरीoवर्ष–16–17 विoख–खेसरहा

प्रस्तर संख्या–92–ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 30.10.16 को सुक्खू के घर से गडढे तक नाली निर्माण हेतु 56700.0 का व्यय ईट क्रय हेतु दर्शाया गया है।परन्तु उक्त ईट क्रय कर वाउचा/बिल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया किया गया।उक्त कार्य से संबंधित स्वीकृति आदेश ,कार्यपूर्ति आदि भी लेखाप्रस्तुत नही किया गया ।ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा नाली निर्माण पर रु0 56700.00 का व्यय दर्शाकरधन का अपहरण कर लिया गया हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रशासक श्री लाले से रु 28350.00 एवं ग्राम सचिव श्री बिकेन्द्र नाथसे रु 28350.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
56700.00	0	0	56700.00

72–ग्राम पंचायत–गैड़ाखोर लेoपरीoवर्ष–16–17 विoख–खेसरहा

प्रस्तर संख्या–93–ग्राम पंचायत गैड़ाखोर की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 22.09.16 एवं 10.03.17 क्रमशः को रु0 20000.00 एवं 8623.00 कुल रु0 28623.00 का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत मद में खारिज किया गया है।परन्तु उक्त भुगतान से संबंधित बिल/वाउचर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया ।हैण्ड पम्प मरम्मत स्थल का उल्लेख रोकड बही में नही किया गया है। स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी से रु0 14311.50 एवं ग्राम सचिव श्री शतीस शंकर मिश्र से रु 14311.50 किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
28623.00	0	0	28623.00

73–ग्राम पंचायत–लेडसर नानकार लेoपरीoवर्ष–16–17 विoख–भनवापुर

प्रस्तर संख्या–94–ग्राम पंचायत लेडसर नानकार की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है किसकठू के घर के पास नाली निर्माण कार्य पर रु 142210.00 का भुगतान किया गया है ।परन्तु उपरोक्त कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।सामग्री के सापेक्ष बिल/वाउचर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।दर्षित मजदूरी के सापेक्ष वि0ख0 कार्यालय से निर्गत मस्टर रोल प्रस्तुत नही किया गया।कार्य से संबंधित एम0बी0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत,नही किया गया।उपरोक्त आधार पर यह पाया गया कि तात्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा निर्माण कार्य प्रकिया एवं नियमों का उल्लंघन कर व्यय समायोजन लेखा पारीत करकुल रु0 142210.00 का अपहरण कर लिया गया हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री आज्ञाराम से रु0 71105.0 एवं ग्राम सचिव श्री राम बिलास से रु0 71105.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
142210.00	0	0	142210.00

प्रस्तर संख्या–95–ग्राम पंचायत लेड़सर नानकार की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है किरोकडबही में दिनांक 15.02.17 को रु0 11460.00 मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है लेकिन रोकड़ बही में परियोजना का नाम एवं स्थान अंकित नही

है।संबंधित भुगतान के सापेक्ष मस्टररोल उपलब्ध नही रहा।उपरोक्त आधार पर यह पाया गया कि तात्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा निर्माण प्रकिया का उल्लंघन कर व्यय समायोजन लेखा पारित कर कुल रु0 11460.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री आज्ञाराम से रु0 5730.0 एवं ग्राम सचिव श्री राम राम बिलास से रु0 5730.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
11460.00	0	0	11460.00

74–ग्राम पंचायत–माल्दा लेे0पर0वर्ष–16–17 वि0ख0–भनवापुर

प्रस्तर संख्या–96–ग्राम पंचायत माल्दा की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अज्ञात लोकेशन वाली खड़न्जा मरम्मत निर्माण कार्य पर रु 29912.00 का नगद भुगतान किया गया है परन्तु उपरोक्त कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।सामग्री के सापेक्ष बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।दर्शित मजदूरी के सापेक्ष वि0ख0 कार्यालय से निर्गत मस्टर रोल प्रस्तुत नही किया गया।कार्य से संबंधित एम0बी0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त आधार पर यह पाया गया कितात्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा निर्माण कार्य प्रकिया एवं नियमों का उल्लंघन कर व्यय समायोजन लेखा पारीत कर कुल रु0 29912.00 का अपहरण कर लिया गया हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती देवकी से रु0 14956.0 एवं ग्राम सचिव श्री अंजुलेश केरकेटा से रु0 14956.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
29912.00	0	0	29912.00

प्रस्तर संख्या–97– ग्राम पंचायत माल्दा की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न–विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री व मजदूरी पर रु 144088.00 का भुगतानकिया गया है ।परन्तु उपरोक्त कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। सामग्री के सापेक्ष बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।दर्षित मजदूरी के सापेक्ष वि0ख0 कार्यालय से निर्गत मस्टर रोल प्रस्तुत नही किया गया।कार्य से संबंधित एम0बी0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त आधार पर यह पाया गया कि तात्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा दुरभिसंधि कर बिना कार्य कराये अनुदान में प्राप्त धनराशि में से रु 144088.00 व्यय समायोजन लेखा पारित कर धनराशि अपहरण कर लिया गया हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती देवकी से रु0 72044 एवं ग्राम सचिव श्री राम बिलास से रु0 72044.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
144088.00	0	0	144088.00

75–ग्राम पंचायत–सोहना लेे0परी0वर्ष–16–17 वि0ख–भनवापुर

प्रस्तर संख्या–98–ग्राम पंचायत सोहना के ग्राम निधि प्रथम् की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कादेन बाबा के स्थान पर हैण्ड पम्प उच्चीकरण मद में रु0 22965.00का भुगतान किया गया है।परन्तु उपरोक्त परियोजना पर केवल सामग्री मद में भुगतान दर्शाया गया है, जबकी बिना कमांश के काई निर्माण कार्य संभव नही हैं कय की गयी सामग्री के सापेक्ष बिल/वाउचर भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है।स्पष्ट है कि सामग्री पर कय दर्शाकर कुल रु0 22965.00 का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान गंगा प्रसाद से रु0 11482. 50 एवं ग्राम सचिव श्री रामहर्ष से रु0 11482.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
22965.00	0	0	22965.00

प्रस्तर संख्या–99–ग्राम पंचायत सोहना की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रा0विसोहना एवं जू0हा0स्कमल सोहना में रैम्प निर्माण कार्य पर रु 19340.00 का भुगतान किया गया है ।समस्त भुगतान ग्राम प्रधान को नगद किया गया है,जबकी सामग्री के सापेक्ष भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था।सामग्री के सापेक्ष बिल/वाउचर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।दर्षित मजदूरी के सापेक्ष वि0ख0 कार्यालय से निर्गत मस्टर रोल प्रस्तुत नही किया गया।कार्य से संबंधित एम0बी0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत,नही किया गया।उपरोक्त आधार पर यह पाया गया कि तात्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारास्वयं नगद भुगतान प्राप्त कर रैम्प निर्माण मद में व्यय समायोजन लेखा पारीत करकुल रु0 19340.00 का अपहरण कर लिया गया हैंजिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गंगा प्रसाद से रु0 9670.0 एवं ग्राम सचिव श्री राम बिलास से रु0 9670.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
19340.00	0	0	19340.00

प्रस्तर संख्या–100–ग्राम पंचायत सोहना की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जय राम के घर से घनश्याम के घर तक सी0सी रोड निर्माण कार्य पर रु 135354.00 का भुगतान किया गया है। परन्तु उपरोक्त कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। सामग्री के सापेक्ष बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। दर्षित मजदूरी के सापेक्ष वि0ख0 कार्यालय से निर्गत मस्टर रोल प्रस्तुत नही किया गया।कार्य से संबंधित एम0बी0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत,नही किया गया।उपरोक्त आधार पर यह पाया गया कि तात्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा निर्माण कार्य प्रकिया एवं नियमों का उल्लंघन कर व्यय समायोजन लेखा पारित कर कुल रु0135354.00का अपहरण कर लिया गया हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गंगा प्रसाद से रु0 67677.0 एवं ग्राम सचिव श्री राम बिलास से रु0 67677.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
135354.00	0	0	135354.00

76–ग्राम पंचायत–रोहॅाव बुजुर्ग लेoपरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–भनवापुर

प्रस्तर संख्या–101–ग्राम पंचायत रोहॅाव बुजुर्ग की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अज्ञात लोकेशन वाली निर्माण कार्य पर रु 59717.00 का भुगतान किया गया है ।परन्तु उपरोक्त कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।सामग्री के सापेक्ष बिल/वाउचर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।दर्षित मजदूरी के सापेक्ष वि0ख0 कार्यालय से निर्गत मस्टर रोल प्रस्तुत नही किया गया।कार्य से संबंधित एम0बी0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त आधार पर यह पाया गया कि तात्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा निर्माण कार्य प्रकिया एवं नियमों का उल्लंघन कर व्यय समायोजन लेखा पारित कर कुल रु0 59717.00 का अपहरण कर लिया गया हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कमलेश से रु0 29858.50.0 एवं ग्राम सचिव श्री राम बिलास से रु0 29858.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
59717.00	0	0	59717.00

प्रस्तर संख्या–102–ग्राम पंचायत रोहॅाव बुजुर्ग की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रामजी के घर से बाबूलाल के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य पर रु 25497.00 का भुगतान किया गया है ।परन्तु उपरोक्त कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।सामग्री के सापेक्ष बिल/वाउचर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।दर्षित मजदूरी के सापेक्ष वि0ख0 कार्यालय से निर्गत मस्टर रोल प्रस्तुत नही किया गया।कार्य से संबंधित एम0बी0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत,नही किया गया।उपरोक्त आधार पर यह पाया गया कि तात्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारानिर्माण कार्य प्रकिया एवं नियमों का उल्लंघन कर व्यय समायोजन लेखा पारित करकुल रु0 25497.00 का अपहरण कर लिया गया हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कमलेश से रु0 12748.50 एवं ग्राम सचिव श्री राम बिलास से रु0 12748.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
25497.00	0	0	25497.00

77–ग्राम पंचायत–खीरीडीहा लेoपरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–लोटन

प्रस्तर संख्या–103–ग्राम पंचायत खीरीडीहा की वर्ष 16–17की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में कुल रु 703976.00 रोकड बही में अंकित विवरणके अनुसार सामग्री कय करने के लिए व्यय किया गया है।परन्तु लेखापरीक्षा में कय स्टॅाक की पुष्टि में न तो कोटेशन प्रस्तुत किया गया और न ही व्यय प्रमाणकही प्रस्तुत किया गया।स्टॅाक कय के भुगतान की स्वीकृति निर्माण समिति से नही करायी गयी है।धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी
चेक से न कर नगद किया गया गया है।माप पुस्तिका ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही कियागया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रोकडबही में स्टॅाक का फर्जी कय दर्शाकर रु0 703976.00 का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कलीमुन से रु0 351988.00 एवं ग्राम सचिव श्री राम स्वरुप गुप्ता से रु0 351988किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
703976.00	0	0	703976.00

प्रस्तर संख्या–104–ग्राम पंचायत खीरीडीहा की वर्ष 16–1 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 16–17 की विभिन्न तिथियों में कुल रु0 156558.00 का भुगतान मजदूरीके रुप में रोकडबही में अंकित है।परन्तु मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवारमस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।कराये गए कार्य का कार्यपूर्तिप्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया,जिससे यह ज्ञात नही हो सका की रोकडबही में जिन कार्यो के कराये जानें के लिए मजदूरी का भुगतान किया गया है वे वास्तव में कराये गए है या नही।उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रोकडबही में फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शाकर रु0 156558.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान श्रीमती कलीमुन से रु0 78279 एवं ग्राम सचिव श्री राम स्वरुप गुप्ता से रु0 78279किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
156558.00	0	0	156558.00

78–ग्राम पंचायत–गढमौर लेo परीo वर्ष–16–17 विoख–लोटन

प्रस्तर संख्या–105–ग्राम पंचायत गढमौर की वर्ष 16–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान मे आयाहै कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में सामग्री मद की 816136.00 एवं मजदूरी मद की149960.00 की सम्पूर्ण धनराशि फर्म/अन्य खातें में स्थानांतरित कर दी गयी है।जबकीनियमों के तहत सामग्री अंश फर्म के खाते में **एकाउन्ट पेयी** चेक के द्वारा उतनी ही धनराशि स्थानांतरित की जानी चाहिए थी जितनी फर्म द्वारा कार्य के सापेक्ष सामग्रीआपूर्ति की गयी और मजदूरी की दशा में मस्टररोल में लगे मजदूरों का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरो के खाते में या कार्यप्रभारी द्वारा मजदूरी के बराबर धनराशि ग्राम प्रधान के नाम नगद आहरित कर वितरित किया जाना चाहिए था तथा मजदूरो से धन प्रप्ति रशीद प्राप्त कर पत्रावली में रखा जाना चाहिए था उल्लेखनीय है कि लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में टेंडर/कोटेशन तथा उससे संबंधित प्रमाणक भी प्रस्तुत नही किया गया उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान की मिली भगत से बिना सामग्री आपूर्ती किये ही एवं बिना कार्य कराये ही रोकड़ बही में फर्जीकार्य व व्यय दर्शाकर रु 966096.00 का अपहरण कर लिया गया है ।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय बहादुर से रु 483048.00 एवं ग्राम प्रधान श्री रामसेवक से रु 483048.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
966096.0	–	–	966096.0

79–ग्राम पंचायत–महथावल लेoपरीoवर्ष–16–17 विoख–लोटन

प्रस्तर संख्या–106–ग्राम पंचायत महथावल की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान मे आयाहै कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में सामग्री मद की 585935.00 एवं मजदूरी मद की102725.00 की सम्पूर्ण धनराशि फर्म/अन्य खातें में स्थानांतरित कर दी गयी है।जबकीनियमों के तहत सामग्री अंश फर्म के खाते में **एकाउन्ट पेयी** चेक के द्वारा उतनी धनराशि स्थानांतरित की जानी चाहिए थी जितनी फर्म द्वारा कार्य के सापेक्ष सामग्रीआपूर्ति की गयी और मजदूरी की दशा में मस्टररोल में लगे मजदूरों का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरो के खाते में या कार्यप्रभारी द्वारा मजदूरी के बराबर धनराशि ग्राम प्रधान के नाम नगद आहरित कर वितरित किया जाना चाहिए था तथा मजदूरो से धन प्रप्ति रशीद प्राप्त कर पत्रावली में रखा जाना चाहिए था ।उल्लेखनीय है कि लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में टेंडर/कोटेशन तथा उससे संबंधित प्रमाणक भी प्रस्तुत नही किया गया।स्टॉक पंजिका ,उपभोग प्रमाण पत्र,कार्यका फोटो ग्राफ भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान की मिली भगत से बिना सामग्री आपूर्ती किये ही एवं बिना कार्य कराये ही रोकड़ बही में फर्जीकार्य व व्यय दर्शाकर रु0 688660(585935–102725) का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय बहादुर से रु 344330.00 एवं ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार पाण्डेय से रु 344330.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
688660.0	–	–	688660.0

80–ग्राम पंचायत–गंगवा छपिया लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–जोगिया

प्रस्तर संख्या–107–ग्राम पंचायत गंगवा छपिया की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश मेंआया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में प्राoपा गंगवा छपिया व गायघाट में शौचालय मरम्मत हेतु रु 104967.00 का व्यय रोकड़बही में दर्षित है।परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में स्टॉक पंजिका एवं व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा ,जिससे क्रय की गयी स्टॉक की पुष्टि नही की जा सकी।मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।जिससे मजदूरी भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी।कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शौचालय मरम्मत पर किया गया भुगतान काल्पनिक है। तथा ग्राम प्रधान

एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दुरभिसंधि करके निर्माण कार्य पर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय वरुण से रु 52483.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी से रु0 52483.50 किया जाना अपेक्षित हैं ।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
104967.00	–	–	104967.00

प्रस्तर संख्या–108–ग्राम पंचायत गंगवा छपिया की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में रोशन अली के घर से कुद्युस के घर तकइण्टरलाकिंग कार्य हेतु रु 100165.00 का व्यय रोकड़बही में दर्षित है।परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में स्टॉक पंजिका एवं व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा ,जिससे क्रय की गयी स्टॉक की पुष्टि नही की जा सकी।मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।जिससे मजदूरी भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी।कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इण्टरलाकिंग निर्माण पर किया गया भुगतान काल्पनिक है। तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दुरभिसंधि करके निर्माण कार्य पर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय वरुण से रु 50082.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी से रु0 50082.50 किया जाना अपेक्षित हैं ।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
100165.00	–	–	100165.00

81–ग्राम पंचायत–फत्तेपुर लेोपरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–जोगिया

प्रस्तर संख्या–109–ग्राम पंचायत फत्तेपुर की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश मेंआया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम् मे कुल रु 8672.00 व्याज मद में प्राप्त हुआ था।वित्त लेखा अनुभाग के शासनादेश संख्या–10/2015/ए–1–502/दस–2015–10/2010 दिनांक 29 मई में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार व्याजमें प्राप्त धनराशि संस्थ की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है।जिसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए। परन्तु ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा उपरोक्त शासनादेश की आवहेलना करते हुएप्राप्त व्याज मे से रु 3159.00 का व्यय दर्शाकर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री संजय वरुण से रु1579.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू से रु 1579.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
0	3159.00	–	3159.00

82–ग्राम पंचायत–टिकरिया लेोपरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–जोगिया

प्रस्तर संख्या–110–ग्राम पंचायत टिकरिया की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में प्रा0पा टिकरिया में शौचालय मरम्मत हेतु कुल रु 104795.00 का व्यय रोकड़बही में दर्षित है।परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में स्टॉक पंजिका एवं व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा ,जिससे क्रय की गयी स्टॉक की पुष्टि नही की जा सकी।मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।जिससे मजदूरी भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी। कृत कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शौचालय मरम्मत पर किया गया भुगतान काल्पनिक है। तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दुरभिसंधि करके निर्माण कार्य पर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश पंकज से रु 52397.50 एवं ग्राम प्रधान श्री गणेश शंकर से रु0 52397.50 किया जाना अपेक्षित हैं ।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
104795.00	–	–	104795.00

83–ग्राम पंचायत–जोगीबारी लेोपरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–जोगिया

प्रस्तर संख्या–111–निधि प्रथम् के बैंक खाते से दिनांक 20.01.16को चेक संख्या–782415 से रु0 40000 का भुगतान किया जाना दर्षित है।परन्तु इसके सापेक्ष रोकड़ बही के आय पक्ष में में उक्त निकासी को नही दर्शाया गया है।स्पष्ट है कि उक्त निकासी को न दर्शाकर रु40000.00 का अपहरण तात्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जहूर से रु0 20000.00 एवं ग्राम सचिव श्री उमेश चन्द्र पटेल से रु0 20000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
40000.00	0	0	40000.00

84–ग्राम पंचायत–सिसवा बुजुर्ग लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–जोगिया

प्रस्तर संख्या–112–ग्राम पंचायत सिसवा बुजुर्ग की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा मे यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों मे हैण्ड पम्प के मरम्मत हेतु कुल 35000.00का व्यय रोकडबी में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है।परन्तु रोकडबही में हैण्ड के मरम्मत के स्थान का उल्लेख नही किया गया है।हैण्ड पम्प में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी का अलग–अलग अंकन नही किया गया है,जिससे यह ज्ञात नही हो सका कि सामग्री पर कितना व्यय किया गया है एवं मजदूरी पर कितना किया गया है। कृत कार्य का कार्यपूर्ति /भौतिक सत्यापन रिर्पोट लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि हैण्ड मरम्मत पर किया गया भुगतान काल्पनिक है।तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा दुरभिसंधि करके हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती स्नेहलता से रु0 17500.00 एवं ग्राम सचिव श्री संजय वरुण से रु0 17500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
35000.00	0	0	35000.00

प्रस्तर संख्या–113–ग्राम पंचायत सिसवा बुजुर्ग के निधि प्रथम के बैंक खाते से माह मार्च 2017 मे विभिन्न तिथियों में कुल रु0 237292.14 की निकासी दर्षित है।परन्तु इसके सापेक्षरोकडबही के व्यय पक्ष में कुल रु0 196922.14 दर्शाया गया है।इस प्रकार रु0 40370(237292.14–196922.14) का अपहरण तात्कालीन ग्राम प्रधानएवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया हैं।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती स्नेहलता से रु0 20185.00 एवंग्राम सचिव श्री संजय वरुण से रु0 20185.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
40370.00	0	0	40370.00

85–ग्राम पंचायत–बंजरहा बुजुर्ग लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–खेसरहा

प्रस्तर संख्या–114–ग्राम पंचायत बंजरहा बुजुर्ग की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है किचन्द्रिका के घर से परमेश्वर के घर तक 436 वर्ग0मी खड़न्जा निर्माण कार्य पर कुल 26184 ईटों का प्रयोग होने चाहिए जिसपर रु0 50 प्रति वर्ग0मी की दर से कुल रु0 21800.00 मजदूरी मद में भुगतान किया जाना चाहिए था।परन्तु उपरोक्त खडन्जा निर्माण पर मात्र रु0 4698.00 का मजदूरी भुगतान किया गया है।स्पष्ट है कि उक्त खड़न्जा निर्माण काल्पनिक व फर्जी है।ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 169657.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधिका से रु0 84828.50 एवं ग्राम सचिव श्री कृष्ण कुमार शुक्ला से रु0 84828.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
169657.00	0	0	169657.00

प्रस्तर संख्या–115–ग्राम पंचायत बंजरहा बुजुर्ग की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम् मे कुल रु 7546.00 व्याजमद में प्राप्त हुआ था।वित्त लेखा अनुभाग के शासनादेश संख्या–10/2015/ए–1–502/दस–2015–10/2010 दिनांक 29 मई में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार व्याजमें प्राप्त धनराशि संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है। जिसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए।परन्तु ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा उपरोक्त शासनादेश की अवहेलना करते हुए प्राप्त व्याज को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा नही कराया है।जो आपत्तिजनक है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
0	0	7546.00	7546.00

प्रस्तर संख्या–116–ग्राम पंचायत बंजरहा बुजुर्ग की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा मे यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों मे हैण्ड पम्प के मरम्मत हेतु कुल 20269.00का व्यय रोकडबी में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है।परन्तु रोकडबही में हैण्ड के मरम्मत के स्थान का उल्लेख नही किया गया है।हैण्ड पम्प में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी का अलग–अलग अंकन नही किया गया है, जिससे यह ज्ञात नही हो सका कि सामग्री पर कितना व्यय किया गया है एवं मजदूरी पर कितना किया गया है। कृत कार्य का कार्यपूर्ति /व्यय प्रमाणक/वाउचर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि हैण्ड मरम्मत पर किया गया भुगतानकाल्पनिक है। तथा कृत कार्य का कार्यपूर्ति /व्यय प्रमाणक/वाउचर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है

कि हैण्ड मरम्मत पर किया गया भुगतानकाल्पनिक है।तथा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा दुरभिसंधि करके हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधिका से रु0 10134.50 एवं ग्राम सचिव श्री कृष्णकुमार शुक्ला से रु0 10134.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
20269.00	0	0	20269.00

प्रस्तर संख्या–117–ग्राम पंचायत बंजरहा बुजुर्ग में वर्ष 16–17 मे कराये गए कार्य श्री राम के घर से तिवारी के घर तक नाली निर्माण कार्य की पत्रावली की जॉचमें पाया गया कि उक्त नाली निर्माण में मात्र बालू ,व सीमेंट पर ही रु0 109801.00का व्यय किया गया है। उक्त नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान से संबंधित कोइ भी व्यय नही किया गया है। स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा काल्पनिक रुप से नाली निर्माण पर मात्र सामग्री पर व्यय दर्शाते हुए रु0 109801.00 का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधिका से रु0 54900.50 एवं ग्राम सचिव श्री कृष्ण कुमार शुक्ला से रु0 54900.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
109801.00	0	0	109801.00

86–ग्राम पंचायत–भगवानपुर लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या–118–ग्राम पंचायत भगवानपुर की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम् मे कुल रु 7963.00 व्याज मद में प्राप्त हुआ था।वित्त लेखा अनुभाग के शासनादेश संख्या–10/2015/ए–1–502/दस–2015–10/2010 दिनांक 29 मई में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार व्याज में प्राप्तधनराशि संस्थ की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है।जिसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए।परन्तु ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा उपरोक्त शासनादेश की आवहेलना करते हुए प्राप्त व्याज मे से रु 4998.00 का व्यय दर्शाकर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री जय प्रकाश राय से रु 2499.00 एवं ग्राम प्रधान श्री अजीज से रु 2499.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
0	4998.00	–	4998.00

87–ग्राम पंचायत–कुर्थिडीहा लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या–119–ग्राम पंचायत कुर्थिडीहा की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम् मे कुल रु 7375.00 व्याज मद में प्राप्त हुआ था।वित्त लेखा अनुभाग के शासनादेश संख्या–10/2015/ए–1–502/दस–2015–10/2010 दिनांक 29 मई में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार व्याज में प्राप्त धनराशि संस्थ की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है।जिसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए परन्तु ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा उपरोक्त शासनादेश की आवहेलना करते हुए प्राप्त व्याज मे से रु 6414.00 का व्यय दर्शाकर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है।
जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री शचीन्द्र नाथ पाठक से रु 3207.00 एवं ग्राम प्रधान श्री इजहार अहमद से रु 3207.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
0	6414.00	–	6414.00

88–ग्राम पंचायत–गरदहिया लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या–120– लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से प्रा0पा गरदहिया मे शौचालय मरम्मत का कार्य कराया गया है ।रोकड बही में शौचालय मरम्म्त पर कुल रु 88466.00 का व्यय दर्षित हैं।रोकड बही में शौचालय मरम्मत पर सिर्फ सामग्री क्रय का विवरण अंकित है।जिसके अनुसार विभिन्न तिथियों में रु 88466.00 की सामग्री क्रय की गयी है।परुन्त मजदूरी भुगतान का कोई भी विवरण रोकड बही में अंकित नही है। मजदूरी के बिना शौचालय मरम्मत का कार्य संभव नही है।इसके अतिरिक्त उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाण,वर्क आ0ई डी, चालान,माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,स्टाक पंजिका भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया ।स्पष्ट है कि शौचालय मरम्म्त पर फर्जी व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधाान श्रीमती शबरुन्निसा से रु 44223.00 एवं ग्राम सचिव श्रीलव–कुश से रु 44223.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
88466.00	0	—	88466.00

प्रस्तर संख्या–121–लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मजहर अली के घर से चॉद अली के घर तक खडन्जा मरम्मत पर रोकड बही में कुल रु 76666.00 का व्यय दर्शाया गया है।परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक यथा ,वा–उचर,चालान,कार्यपूर्ति प्रमाण ,माप पुस्तिका,स्टाक पंजिका,मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तूत नही किया गया।क्रय की गयी सामग्री का भुगतान फर्म का नगद/बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।जबकी नियमानुसार क्रय की गयी सामग्री का भुगतान फर्म को अकाउन्ट पेई चेक के द्वारा किया जाना चाहिए था।जिससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत अधिकार एवं ग्राम प्रधान द्वारा फर्म की मिलीभगत से सामग्री का फर्जी व्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रचायत अधिकारी श्री लव–कुश से रु 38333.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शबरुन्निसा से 38333.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
76666.00	0	—	76666.00

89–ग्राम पंचायत–भानपुर रानी　　　　　लेे0परी0वर्ष–16–17　　　　वि0ख0–डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या–122–लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मौर्या के घर से राधेश्याम के घर तक इण्टर लाकिंग पर रोकड बही में कुल रु 452322.00 का व्यय दर्शाया गया है।परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक यथा, वाउचर, चालान, कार्यपूति प्रमाण ,माप पुस्तिका,स्टाक पंजिका,मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तूत नही किया गया। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान फर्म को नगद/बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।जबकी नियमानुसार क्रय की गयी सामग्री का भुगतान फर्म को अकाउन्ट पेई चेक के द्वारा किया जाना चाहिए था।जिससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत अधिकार एवं ग्राम प्रधान द्वारा फर्म की मिलीभगत से सामग्री का फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लव–कुश से रु 226161.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संतोष कुमार से 226161.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
452322.00	0	—	452322.00

90–ग्राम पंचायत–परसा जमाल　　　　　लेे0परी0वर्ष–16–17　　　　वि0ख0–डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या–123–लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाष में आया है कि छांगुर के घर से गुलाम मो0 के घर तक खडन्जा मरम्मत पर रोकड बही में कुल रु 106950.00 का व्यय दर्शाया गया है।जिसमें सामग्री मद में रु 61312.00(ईट क्रय) एवं मजदूरी मद में रु 45588.00 का व्यय दर्षित है।रु 61312.00 के सामग्री के उपभोग पर 45588.00 का मजदूरी भुगतान काल्पनीक प्रतीत होता है।सामग्री खरीद से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक यथा बिल/चालान,मस्टर रोल, लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका ,एम0बी भी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया।।उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि खडन्जा मरम्मत पर व्यय दर्शा कर रु106950.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनवारुलहक एवं ग्राम सचिव श्री लव–कुश प्रसाद द्वारा कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अनवरुलहक से रु 53475.00 एवं ग्राम सचिव श्री लव–कुश प्रसाद से रु 53475.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
106950.00	0	—	106950.00

प्रस्तर संख्या–124– ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जूनियर हाईस्कूल परसा जमाल पर शौचालय निर्माण पर रोकड बही में रु198839.00 का व्यय दर्शाया गया है।जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र0स	दिनांक	सामग्री	धनराशि
1	28.10.16	ईट	43200.00
2	28.10.16	सीमेंट/बालू	49151.00
3	28.10.16	मजदूरी	29592.00
4	12.11.16	सरिया	13356.00
5	30.12.16	सामग्री	33600.00
		योग	198839.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिनांक 12.11.16 एवं 30.12.16 को सामग्री तो खरीद की गयी है परन्तु उसके बाद किसी भी मजदूरी भुगतान का कोई भी विवरण रोकड बही में अंकित नही हैं।बिना मजदूरी भुगतान के सामग्री के उपभोग की पुष्टि नही की जा सकती।लेखापरीक्षा में उपरोक्त सामग्री खरीद का कोई व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है।और न ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका ,ग्राम सभा का प्रस्ताव ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है।उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि सामग्री खरीद पर व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा रु 46956.00

(1335633600) का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अनवरुलहक से रु 23478.00 एवं ग्राम सचिव श्री लव–कुश प्रसाद से रु 23478.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
46956.00	0	–	46956.00

प्रस्तर संख्या–125– लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रोकड बही के अनुसार माह मार्च 2017 में कुल आहरित धनराशि 185738.00 रु है जबकि उक्त के सापेक्ष 175738.00 का व्यय रोकड बही में अंकित किया गया है।अवशेष 10000.00 का कोई विवरण रोकड बही में अंकित नही है।स्पष्ट है कि रु 10000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। है।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अनवरुलहक से रु 5000.00 एवं ग्राम सचिव श्री लव–कुश प्रसाद से रु5000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
10000.00	0	–	10000.00

91–ग्राम पंचायत–तेनुहार उर्फ कठवतिया लेखपरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या–126–ग्राम पंचायत तेनुहार उर्फ कठवतिया की वर्ष 16–17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष की विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम् मे कुल रु 8131 व्याज मद में प्राप्त हुआ था।वित्त लेखा अनुभाग के शासनादेश संख्या–10/2015/ए–1–502/दस–2015–10/2010 दिनांक 29 मई में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार व्याज में प्राप्त धनराशि संस्थ की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है।जिसे राजकीय कोशागार में जमा कराया जाना चाहिए।परन्तु ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा उपरोक्त शासनादेश की आवहेलना करते हुए प्राप्त व्याज मे से रु 2212.00 का व्यय दर्शाकर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री खुर्शीद अली से रु 1106.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रंगलावती से रु 1106.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
0	2212.00	–	2212.00

92–ग्राम पंचायत–परसपुर लेखपरी0वर्ष–16–17 वि0ख–डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या–127–लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर रोकड बही में कुल रु 71424.00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसमें सामग्री मद में रु 39960.00 एवं मजदूरी मद में रु 31464.00 का व्यय दर्षित है।रु 39960.00 के सामग्री के उपभोग पर 31464.00 का मजदूरी भुगतान काल्पनीक प्रतीत होता है।सामग्री खरीद से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक यथा बिल/चालान,मस्टर रोल, लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया।कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका ,एम0बी, स्टाक पंजिका ,जल प्रबंधन समिति का प्रस्ताव भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।हैण्ड पम्प मरम्मत के स्थान का रोकड बही में कोई उल्लेख नही किया गया है।उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शा कर रु 71424.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अब्दुल मजीद एवं ग्राम सचिव श्री अंकित तिवारी द्वारा कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल मजीद से रु 35712.00 एवं ग्राम सचिव श्री अंकित तिवारी से रु 35712.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
71424.00	0	–	71424.00

93–ग्राम पंचायत–टिकरिया लेखपरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या–128– लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है चौदहवे वित्त से प्राप्त अनुदान से प्रा0पा टिकरिया मे शौचालय मरम्मत का कार्य कराया गया है ।रोकड बही में शौचालय मरम्म्त पर कुल रु 46577.00 का व्यय दर्षित हैं।रोकड बही में शौचालय मरम्मत पर सिर्फ सामग्री क्रय का विवरण अंकित है।जिसके अनुसार विभिन्न तिथियों में रु 46577.00 की सामग्री क्रय की गयी है।परुन्त मजदूरी भुगतान का कोई भी विवरण रोकड बही में अंकित नही है।बिना मजदूरी के बिना शौचालय मरम्मत का कार्य संभव नही है।इसके अतिरिक्त उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाण,वर्क आ0ई डी, चालान,माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,स्टाक पंजिका भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया ।स्पष्ट है कि शौचालय मरम्म्त पर फर्जी व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधाान श्रीमती नजमा खातून से रु 23288.5 एवं ग्राम सचिव श्री सचीन्द्र नाथ पाठक से रु23288.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
46577.00	0	–	46577.00

94–ग्राम पंचायत–मनोहरपुर लेखपरी0वर्ष–16–17 वि0ख0–डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या–129–वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया हैं कि प्रा0पा पर शौचालय निर्माण में सामग्री मद में रु 94587.00 एवं मजदूरी मद में रु0 14904 कुल रु 109491.00 रु का व्यय रोकड बही में दर्शाया गया

है।परन्तु उक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक यथा ,फर्म का विल/वाउचर मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया ।इसके अतिरिक्त उक्त कार्य से संबंधित ,वर्क आई0डी,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,कार्य वाही पंजिका,स्टाक पंजिका,माप पुस्तिका,ग्राम सभा का प्रस्ताव भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया ,जिससे इस कार्य के कराये जाने की पुष्टि नही की जा सकी।उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट हैं कि ग्राम प्रधान श्रीमती महरुन्निशा एवं ग्राम सचिव श्री अंकित त्रिपाठी द्वारा रोकड बही में उक्त कार्य पर कूटरचित व्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया हैं।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती महरुन्निशा से रु 54745.50 एवं ग्राम सचिव श्री अंकित त्रिपाठी से रु 54745.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
109491.00	0	—	109491.00

प्रस्तर संख्या–130– लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि चौदहवे वित्त से प्राप्त अनुदान की धनराशि से प्रा0पा के सामने राबिश पटाई पर रु 159340.00 का व्यय रोकड बही में दर्शाया गया है।चौदहवे वित के गाईडलाइन के अनुसार इस मद में प्राप्त अनुदान का प्रयोग सिर्फ स्थई सम्पत्तियों के सृजन पर ही व्यय करने का निर्देश प्राप्त है।इसके अतिरिक्त चौदहवे वित्त से प्राप्त अनुदान का प्रयोग ,ग्राम सभा में पथ–प्रकाश ,शौचालय निर्माण एवं जल निकासी/नाली निर्माण जैसे कार्यो पर किया जा साकता है।परन्तु संदर्भित ग्राम पंचायत मे उक्त अनुदेशो का पालन नही किया गया है।इसके अतिरिक्त उक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक यथा बिल/वाउचर,वर्क0आई0डी, माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।रोकड बही राबिस की दर एवं मात्रा का भी कोई उल्लेख नही किया गया है।स्पष्ट हे कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा राबिश पर फर्जी व्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती महरुन्निशा से रु 79670.00 एवं ग्राम सचिव
श्री अंकित त्रिपाठी से रु 79670.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
159340.00	0	—	159340.00

95–ग्राम पंचायत–बनगवा नानकार लेे0परी0वर्ष–12–13 से 16–17 वि0ख0–डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या–131– वर्ष 2012–13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रोकड बही में दिनांक 30.12.12 को लेखापरीक्षा शुल्कके रुप में रु 28000.00 का भुगतान दर्शाया गया है।परन्त लेखापरीक्षा शुल्क जमा किए जाने की की पुष्टि में कोई भी चालान लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है।जिससे यह पुष्ट नही किया जा सका की संबंधित लेखापरीक्षा शुल्क किस विभाग को जमा किया गया स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा शुल्क का व्यय दर्शा कर ग्रा0पं0अधि/ग्रा0वि0अधि एवं ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया हैं।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कैलाशपति से 14000.00 एवं ग्रा0प0अधि श्री सल्टूराम सेरु 14000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
28000.00	0	—	28000.00

प्रस्तर संख्या–132– वर्ष 2103–14 में मतीउल्ला के खेत तक खडन्जा निर्माण पर रु 120688.00 का व्यय रोकड बही में दर्षाया गया है।परन्तु खडन्जा निर्माण से संबंधित कोई भी प्रमाणक यथा,वाउचर,मस्टर रोल,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया ।जिससे खडन्जा निर्माण कराए जाने की पुष्टि नही की जा सकी।स्पष्ट है कि रोकड बही में खडन्जा निर्माण पर व्यय दर्शा रु0 120688.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कैलाशपति से 60344.00 एवं ग्रा0पं0अधि श्री सल्टूराम से रु0 60344.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
120688.00	0	—	120688.00

प्रस्तर संख्या–133– वर्ष 2014–2015 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया हे कि राशिद के घर से पश्चिम मंदिर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर सामग्री मद में रु 97554.00 का व्यय रोकड बही में दर्शाया गया है ,परन्तु उपरोक्त कार्य पर रोकड बही में मजदूरी भुगतान का कोइ विवरण अंकित नही हैं ।मजदूरी भुगतान के बिना सामग्री के उपभोग की पुष्टि नही की जा सकती।सामग्री क्रय की पुष्टि में कोई भी वाउचर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया और न ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य पर व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कैलाशपति से रु 48777.00 एवं ग्र0प0अधि श्री धर्मदत्त चौधरी रु 48777.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
97554.00	0	—	97554.00

प्रस्तर संख्या–134–वर्ष 2105–16 में साधू के घर से बरकुल्ला के घर तक खडन्जा निर्माण पर रु 213142.00 का

व्यय रोकड बही में दर्षाया गया है।परन्तु खडन्जा निर्माण से संबंधित काई भी प्रमाणक यथा वाउचर,मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया ।जिससे खडन्जा निर्माण कराए जाने की पुष्टि नही की जा सकी।स्पष्ट है कि रोकड बही में खडन्जा निर्माण पर व्यय दर्शा कर रु 213142.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कैलाशपति से 106571.00 एवं ग्रा0पं0अधि श्री धर्मदत्त चौधरी से रु 106571.00 किया जाना अपेक्षित हैं।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
213142.00	0	–	213142.00

96–ग्राम पंचायत–परसा लेे0परी0वर्ष–16–17 वि0ख0–बर्डपुर

प्रस्तर संख्या–135–लेखा परीक्षा मे निधि–1 खाते के अभिलेख मांगोपरान्त ग्रा0पं0अधि द्वारा प्रस्तुत नही किया ।पासबुक में दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक की अवधि में कुल रु01492863.00 की निकासी की गयी है।लेखापरीक्षा मे उक्त निकासी संबंधी कैशबुक पारित प्रस्ताव ,व्यय प्रमाणक ,आपूर्ति चालान ,मस्टरोल ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी,एव0बी बुक स्टॉक बुक प्रस्तुत नही किया गया।इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय के वास्तविक एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्रा0पं0अधि एवं ग्राम प्रधान द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम नारायण से रु0 746431.5 एवं ग्रा0पं0अधि श्री देवेन्द्र मणि से रु0 746431.5 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1492863.00	0	–	1492863.00

प्रस्तर संख्या–136–ग्राम पंचायत की बैक पासबुक एवं प्रियासाफ्ट फिडींग में वर्ष में प्रारम्भिक अवशेष वर्ष की आय ,वर्ष का व्यय एवं अंतिम अवशेष आदि में निम्न प्रकार आधारहीन धनराशि दर्शाकर गंभीर अनियमितता करते हुए काल्पनिक सूचना दर्शायी गयी है

ष्शीर्ष	प्रा0अव0	वर्ष की आय	वर्ष का व्यय	वर्षान्त शेष
बैक पासबुक अनुसार	343668.00	1475632.00	1492863.00	326437.00
प्रियासाफ्ट अनुसार	472830.00	1475632.00	1622025.00	326437.00
अन्तर	129162.00	–	129162.00	–

उपरोक्त अनियमितता के लिए देवेन्द्र मणि ग्रा0वि0अधि उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवष्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	129162.00	129162.00

97–ग्राम पंचायत–दुल्हा सोमाली लेे0परी0वर्ष–16–17 वि0ख0–बर्डपुर

प्रस्तर संख्या–137–लेखा परीक्षा मे निधि–1 खाते के अभिलेख मांगोपरान्त ग्रा0पं0अधि द्वारा प्रस्तुत नही किया पासबुक में दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक की अवधि में कुल रु0 3073745.00 की निकासी की गयी है।लेखापरीक्षा मे उक्त निकासी संबंधी कैशबुकएपारित प्रस्ताव ,व्यय प्रमाणक ,आपूर्ति चालान ,मस्टरोल ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी,एव0बी बुक स्टॉक बुक प्रस्तुत नही किया गया।इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय के वास्तविक एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्रा0पं0अधि एवं ग्राम प्रधान द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बालमुकुन्द जायसवाल से रु0 1536872.5 एवं ग्रा0पं0अधि श्री देवेन्द्र मणि से रु0 1536872.5 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
3073745.00	0	–	3073745.00

प्रस्तर संख्या–138–ग्राम पंचायत की बैक पासबुक एवं प्रियासाफ्ट फिडींग में वर्ष में प्रारम्भिक अवशेष वर्ष की आय ,वर्ष का व्यय एवं अंतिम अवशेष आदि में निम्न प्रकार आधारहीन धनराशि दर्शाकर गंभीर अनियमितता करते हुए काल्पनिक सूचना दर्शायी गयी है

ष्शीर्ष	प्रा0अव0	वर्ष की आय	वर्ष का व्यय	वर्षान्त शेष
बैकपासबुकअनुसार	1055785.00	2754694.00	3073745.00	736734.00
प्रियासाफ्ट अनुसार	1379542.00	2631099.00	3473907.00	536734.00
अन्तर	+323757.00	–123595.00	+400162.00	–200000

उपरोक्त अनियमितता के लिए देवेन्द्र मणि ग्रा0वि0अधि उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	400324.00	400324.00

98–ग्राम पंचायत–बर्डपुर–08 लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–बर्डपुर

प्रस्तर संख्या–139–लेखा परीक्षा मे निधि–1 खाते के अभिलेख मांगोपरान्त ग्रा0पं0अधि द्वारा प्रस्तुत नही किया ।पासबुक में दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक की अवधि में कुल रु0 3531819.00 की निकासी की गयी है।लेखापरीक्षा मे उक्त निकासी संबंधी कैशबुक पारित प्रस्ताव ,व्यय प्रमाणक ,आपूर्ति चालान ,मस्टरोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी,एव0बी बुक स्टॉक बुक प्रस्तुत नही किया गया।इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय के वास्तविक एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्रा0पं0अधि एवं ग्राम प्रधान द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम से रु0 1765909.5 एवं ग्रा0पं0अधि श्री देवेन्द्र मणि से रु0 1765909.5 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
3531819.00	0	–	3531819.00

प्रस्तर संख्या–140–ग्राम पंचायत की बैक पासबुक एवं प्रियासाफ्ट फिडींग में वर्ष में प्रारम्भिक अवशेष वर्ष की आय ,वर्ष का व्यय एवं अंतिम अवशेष आदि में निम्न प्रकार आधारहीन धनराशि दर्शाकर गंभीर अनियमितता करते हुए काल्पनिक सूचना दर्शायी गयी है

ष्शीर्ष	प्रा0अव0	वर्ष की आय	वर्ष का व्यय	वर्षान्त ष्शेष
बैक पासबुक अनुसार	1063081.00	2801497.00	3531819.00	332759.00
प्रियासाफ्ट अनुसार	1316272.00	2797093.00	3780606.00	332759.00
अन्तर	+253191.00	–4404.00	+248787.00	–

उपरोक्त अनियमितता के लिए देवेन्द्र मणि ग्रा0वि0अधि उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	497574.00	497574.00

99–ग्राम पंचायत–बर्डपुर–10 लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–बर्डपुर

प्रस्तर संख्या–141–लेखा परीक्षा मे निधि–1 खाते के अभिलेख मांगोपरान्त ग्रा0पं0अधि द्वारा प्रस्तुत नही किया पासबुक में दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक की अवधि में कुल रु0 3454343.00 की निकासी की गयी है।लेखापरीक्षा मे उक्त निकासी संबंधी कैशबुक पारित प्रस्ताव ,व्यय प्रमाणक ,आपूर्ति चालान ,मस्टरोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी,एव0बी बुक स्टॉक बुक प्रस्तुत नही किया गया।इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय के वास्तविक एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्रा0पं0अधि एवं ग्राम प्रधानद्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता से रु0 1727171.5 एवं ग्रा0पं0अधि श्री देवेन्द्र मणि से रु0 1727171.5 किया जाना जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
3454343.00	0	–	3454343.00

प्रस्तर संख्या–142–ग्राम पंचायत की बैक पासबुक एवं प्रियासाफ्ट फिडींग में वर्ष में प्रारम्भिक अवशेष वर्ष की आय वर्ष का व्यय एवं अंतिम अवशेष आदि में निम्न प्रकार आधारहीन धनराशि दर्शाकर गंभीर अनियमितता करते हुए काल्पनिक सूचना दर्शायी गयी है

ष्शीर्ष	प्रा0अव0	वर्ष की आय	वर्ष का व्यय	वर्षान्त शेष
बैक पासबुक अनुसार	997622.00	3266703.00	3454343.00	809982.00
प्रियासाफ्ट अनुसार	1352257.00	3266703.00	3808978.00	809982.00
अन्तर	+354635.00	00	354635.00	00

उपरोक्त अनियमितता के लिए देवेन्द्र मणि ग्रा0वि0अधि उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
–	–	354635.00	354635.00

100–ग्राम पंचायत–गायघाट लेoपरीoवर्ष–16–17 विoखo–बर्डपुर

प्रस्तर संख्या–143–लेखा परीक्षा मे निधि–1 खाते के अभिलेख मांगोपरान्त ग्रा0पं0अधि द्वारा प्रस्तुत नही किया ।

पासबुक में दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक की अवधि में कुल रु0730202.00 की निकासी की गयी है।लेखा परीक्षा मे उक्त निकासी संबंधी कैशबुक पारित प्रस्ताव ,व्यय प्रमाणक ,आपूर्ति चालान ,मस्टरोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी,एव0बी बुक स्टॉक बुक प्रस्तुत नही किया गया।इस प्रकार उक्त दर्षित व्यय के वास्तविक एवं उपयोगिता की पुष्टि न कराकर ग्रा0पं0अधि एवं ग्राम प्रधान द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मो सलीम से रु0 365101.00 एवं ग्रा0पं0अधि श्री देवेन्द्र मणि से रु0 365101.0 किया जाना जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
730202.00	0	—	730202.00

प्रस्तर संख्या–144–ग्राम पंचायत की बैक पासबुक एवं प्रियासाफ्ट फिडींग में वर्ष में प्रारम्भिक अवशेष वर्ष की आय ,वर्ष का व्यय एवं अंतिम अवशेष आदि में निम्न प्रकार आधारहीन धनराशि दर्शाकर गंभीर अनियमितता करते हुए काल्पनिक सूचना दर्शायी गयी है

'शीर्ष	प्रा0अव0	वर्ष की आय	वर्ष का व्यय	वर्षान्त शेष
बैक पासबुक अनुसार	272396.00	1150684.00	730202.00	692878.00
प्रियासाफ्ट अनुसार	328056.00	1205454.00	988722.00	544788.00
अन्तर	+55660.00	+54770.00	+258520.00	–148090.00

उपरोक्त अनियमितता के लिए देवेन्द्र मणि ग्रा0वि0अधि उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	220860.00	220860.00

वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17

प्रारुप –4

जनपद का नाम – बॉदा मण्डल का नाम – चित्रकूट धाम मण्डल

प्रस्तर संख्या–1 ग्राम पंचायत बरूआ स्योढ़ा,विकास खण्ड – महुआ ग्राम पंचायत बरूवा स्योढ़ा वर्ष 2016–17 की कैशबुक में पाया गया कि लेखा परीक्षा में निम्न विवरण का अनुसार व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहें। जो निम्नवत् है हैण्डपम्प रू0–153520.00 प्रधान मानदेय रू0–10000.00 ट्रेक्टर भाडा रू0–79200..00 टैंकर खरीद रू–98500.00 चेक बुक रू0–182.00 विज्ञापन रू0–8000.00 चरही निर्माण रू0–72179.00 स्ट्रीट लाईट रू0–71250.00 सोलर लाईट रू0–66000.00 पानी टैंकर भाड़ा रू0–15600.00 फोटो कापी रू0–5300.00 अज्ञात रू0–21000.00 कुल धनराशि रू0–600731.00 का दुरूपयोग किया गया। उ0प्र0 राज अधिनियम–1947 की नियम संख्या–209 के तहत तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व माप–पुस्तिका द्वारा अनियमित भुगतान किया किया गया है जिसकी वसूली सचिव श्री राजेश कुमार व ग्राम प्रधान परमानन्द गोस्वामी से ब्याज सहित बराबर बराबर की जानी आपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–2 ग्राम पंचायत रिसौरा, विकास खण्ड – महुआ ग्राम पंचायत रिसौरा वर्ष 2016–17 की कैशबुक में पाया गया कि वर्ष में कराये गये कार्यो में माह–अप्रैल,2016 से जुलाई 2016 में रू0–1138489.00 का व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर उक्त धनराशि का दुरूपयोग किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री राजेश कुमार व प्रधान श्री जयकुमार से ब्याज सहित की जानी आपेक्षित है। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम–1947 की नियम संख्या–209 के तहत तहकीनी विशेषज्ञ द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व माप–पुस्तिका न होने के कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व माप पुस्तिका द्वारा तकनीकी विशेषज्ञ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना आपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–3 ग्राम पंचायत बण्डे, विकास खण्ड – महुआ आलोच वर्ष की लेखा परीक्षा के समय पाया गया कि शासनादेश संख्या–10/2015/ए–1–562/10–2015(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 लखनऊ का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें यह निर्देशित है कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया गया है। वो अर्जित संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। अतः अर्जित ब्याज राजकोष में जमा किया जाना चाहिए। जो ग्राम पंचायत बण्डे में नहीं किया गया अतः ब्याज रू0–42522.00 की वसूली प्रधान/सचिव से कराकर सरकारी राजकोष में जमा किया जाना आपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–4 ग्राम पंचायत पौण्डरा, विकास खण्ड – महुआ आलोच वर्ष की लेखा परीक्षा के समय पाया गया कि शासनादेश संख्या–10/2015/ए–1–562/10–2015(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 लखनऊ का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें यह निर्देशित है कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया गया है। वो अर्जित संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। अतः अर्जित ब्याज राजकोष में जमा किया जाना चाहिए। जो ग्राम पंचायत पौण्डरा में नहीं किया गया अतः ब्याज रू0–7049.00 की वसूली प्रधान/सचिव से कराकर सरकारी राजकोष में जमा किया जाना आपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–5 ग्राम पंचायत गुमाई, विकास खण्ड – महुआ आलोच वर्ष की लेखा परीक्षा के समय पाया गया कि शासनादेश संख्या–10/2015/ए–1–562/10–2015(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 लखनऊ का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें यह निर्देशित है कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया गया है। वो अर्जित संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। अतः अर्जित ब्याज राजकोष में जमा किया जाना चाहिए। जो ग्राम पंचायत गुमाई में नहीं किया गया अतः ब्याज रू0–21805.00 की वसूली प्रधान/सचिव से कराकर सरकारी राजकोष में जमा किया जाना आपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–6 ग्राम पंचायत ऐला, विकास खण्ड – महुआ (1)–आलोच वर्ष की लेखा परीक्षा के समय पाया गया कि शासनादेश संख्या–10 /2015/ए–1–562/10–2015(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 लखनऊ का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें यह निर्देशित है कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया गया है। वो अर्जित संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। अतः अर्जित ब्याज राजकोष में जमा किया जाना चाहिए। जो ग्राम पंचायत ऐला में नहीं किया गया अतः ब्याज रू0–27657.00 की वसूली प्रधान/सचिव से कराकर सरकारी राजकोष में जमा किया जाना आपेक्षित है।(2) – दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.12.2016 तक पासबुक से विभिन्न तिथियों में रू0–930845.00 का आहरण किया गया। जो कैशबुक के व्यय में पक्ष में अंकित नहीं है। जिसमें रू0–930845.00 किन किन कार्यो में व्यय किया गया साथ ही व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः रू0–930845.00 की वसूली प्रधान श्री विजय बहादुर व सचिव श्री राज बहादुर से व्याज सहित बराबर–2 की जानी आपेक्षित है। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम–1947 की नियम संख्या–209 के तहत तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व माप पुस्तिका नही पायी गयी। जो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना आपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–7 ग्राम पंचायत चिल्ला, विकास खण्ड – तिन्दवारी(1) – लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रा0 निधि खाता 50044905224 से दिनांक 08.06.2015 को रू0 35835.00 दिनांक 24.08.2015 को रू0 40100.00 दिनांक 29.03. 2016 को रू0 41200.00 हैड पम्प सामग्री हेतु व्यय कैशबुक में दर्ज है सामग्री का विवरण व्यय कैशबुक मे दर्ज है सामग्री का विवरण स्टाक, रजि0 तथा व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराय गया। अतः व्यय अपुष्ट रहा। जो शासनादेश सं0–ए–1–864(1)/दस–2008–15(1) 86 दि0 23.09.2008 का पालन नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनुज कुमार गुप्ता से रू0 58568.00 एवं दि0 23.09.2008 एवं प्रधान श्रीमती इन्द्रिरा देवी से रू0 58568.00 की वसूली ब्याज सहित आपेक्षित है।(2) – आलोचना वर्ष में ब्याज रू0 1887.00 प्राप्त हुआ है जिसे राजकीय कोष में जमा किया जाना आपेक्षित है जिसे रोक कर वित्तीय अनियमितता की गई है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–8 ग्राम पंचायत सिंधौली, विकास खण्ड – तिन्दवारी(1) – लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रा0 निधि खाता 50044908779 से दिनांक 29.04.2015 को रू0 33780.00 दिनांक 29.05.2015 को रू0 32800.00 दिनांक 01.10. 2015 को रू0 34400.00 हैड पम्प सामग्री हेतु एवं दिनांक 06.06.2015 को रू0 91761.00 दिनांक 02.07.2015 को 40000.00 दि0 28.07.2015 को 119661.00 सी.सी.रोड निर्माण सामग्री हेतु व्यय कैशबुक में दर्ज है सामग्री का विवरण व्यय स्टाक, रजि0 तथा व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। जो शासनादेश सं0–ए–1–864(1)/दस–2008–15(1) 86 दि0 23.09.2008 का पालन नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूरा प्रसाद से रू0 176201.00 एवं प्रधान श्री राजकरन से रू0 176201.00 की वसूली ब्याज सहित आपेक्षित है।(2) – आलोचना वर्ष में ब्याज रू0 13718.00 प्राप्त हुआ है जिसे राजकीय कोष में जमा न कर अनियमितता की गई। जिसे जमा किया जाना आपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–9 ग्राम पंचायत गजनी, विकास खण्ड – तिन्दवारी(1) – लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रा0 निधि खाता 50044904752 से दिनांक 21.04.14 को खण्न्जा/नाली हेतु रू0 13020.00 रू 3920.00 रू0 34560.00 व्यय कैशबुक में दर्ज है सामग्री का विवरण स्टाक रजि0 तथा व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः व्यय अपुष्ट रहा। जो शासनादेश सं0–ए–1–864(1)/दस–2008–15(1) 86 दि0 23.09.2008 का पालन नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सूरज पाल से रू0 25750.00 एवं प्रधान श्री जयकरन से रू0 25750.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(2) –आलोचना वर्ष 14–15 में ब्याज रू0 5179.00 प्राप्त हुआ है जिसे राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है जिसे रोक कर वित्तीय अनिययमितता की गई है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–10 ग्राम पंचायत आऊ, विकास खण्ड – नरैनी ग्राम पंचायत आऊ वर्ष 2016–17 की कैशबुक में नाली निर्माण में रू0–82730.00 व पुलिया निर्माण में रू0 31973.00 कुल धनराशि रू0–114703.00 का व्यय किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 की नियम संख्या–209 के तहत तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व मापपुस्तिका के अभाव में रू0 114703.00 धनराशि की दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिये ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेशचन्द्र व ग्राम प्रधान श्री रमेशचन्द्र उत्तरदायी है, उक्त धनराशि की वसूली ग्रा0वि0अ0 रमेशचन्द्र व ग्राम प्रधान श्री रमेशचन्द्र से ब्याज सहित बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–11 ग्राम पंचायत बसरेही, विकास खण्ड – नरैनी ग्राम पंचायत बसरेही वर्ष 2016–17 की कैशबुक में छितेन्द्र गौतम के चक के पास पुलिया निर्माण में रू0–90803.00 एवं प्राथमिक विद्यालय शंकर पुरवा में शौचालय मरम्मत कार्य रू0–49932.00 कुल धनराशि रू0–14073500 का व्यय किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 की नियम संख्या–209 के तहत तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व मापपुस्तिका के अभाव में रू0–140735. 00 धनराशि की दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिये ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री छोटेलाल व ग्राम

प्रधान श्रीमती सुनीता वर्मा उत्तरदायी है। उक्त दुरूपयोग धनराशि की वसूली ग्रा0वि0अ0/ग्रा0पं0अ0 श्री छोटेलाल व ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता वर्मा से ब्याज सहित बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–12 ग्राम पंचायत जबरापुर, विकास खण्ड – नरैनी दिनांक 20.07.2015 चेक सं0–022449 धनराशि–40000.00 दिनांक 20.07.2015 चेक सं0–022450 धनराशि 40000.00 उक्त विवरण के अनुसार रू0–80000.00 का व्यय ग्राम निधि–1(तृतीय/चतुर्थ राज वित+13वॉं)/14वॉं वित्त आयोग) से अनियमित भुगतान शौचालय हेतु दरवाजा क्रय किया गया है जबकि उक्त का प्रावधान ग्राम निधि–6 (शौचालय हेतु) से किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार रू0–80000.00 का अनियमित व्यय ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री त्रिवेणी प्रसाद व ग्राम प्रधान श्रीमती शोलिया देवी उत्तरदायी है। जिसका वसूली उक्त ब्याज सहित बराबर बराबर अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–13 ग्राम पंचायत करतल, विकास खण्ड –नरैनी दिनांक 09.02.2017 चेक सं0–011207 धनराशि–5000.00 दिनांक 13.02.2017 चेक सं0–011202 धनराशि 8872.00 दिनांक 13.02.2017 चेक सं0–011201 धनराशि 99624.00 दिनांक 20.02.2017 चेक सं0–011210 धनराशि–15006.00 दिनांक 20.02.2017 चेक सं0–011209 धनराशि–4788.00 उक्त विवरण के अनुसार कुल योग–133210.00 का व्यय कैशबुक से अंकित किया गया है किन्तु यह व्यय किस मद हेतु किया गया है का उल्लेख नही किया गया है और उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार कुल रू0–133210.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिये ग्राम विकास अधिकारी/पंचायय सचिव श्री सुशील कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती तुलसा देवी उत्तरदायी है, उक्त की वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सचिव श्री सुशील कुमार एव ग्राम प्रधान श्रीमती तुलसा देवी से बराबर बराबर की जानी आपेक्षित है। उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम–1947 की नियम संख्या–209 तहत तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व माप–पुस्तिका न प्राप्त होने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र माप–पुस्तिका द्वारा तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–14 ग्राम पंचायत बरसण्डामानपुर, विकास खण्ड –नरैनी ग्राम पंचायत बरसण्डामानपुर वर्ष 2016–17 की कैशबुक में सी0सी0रोड निर्माण (मोतीलाल के दरवाजे से महाबीर के दरवाजे तक तथा गोलन कोरी के दरवाजे से बुददू कोरी के दरवाजे तक) में रू0 354034.00 की धनराशि का व्यय किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 की नियम संख्या–209 के तहत तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व मापपुस्तिका के अभाव में रू0 354034.00 धनराशि का दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिये ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रीतम सिंह व ग्राम प्रधान श्री रामस्वरूप उत्तरदायी है उक्त धनराशि की वसूली श्री प्रीतम व ग्राम प्रधान श्री रामस्वरूप से ब्याज सहित बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–15 ग्राम पंचायत कटरा कालिंजर, विकास खण्ड –नरैनी ग्राम पंचायत कालिंजर वर्ष 2016–17 की कैशबुक में प्रा0वि0 में शौचालय मरम्मत रू0–94922.00 एवं नाला निर्माण रू0–189477.00 कुल धनराशि रू0–284399.00 की धनराशि का व्यय किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 की नियम संख्या–209 के तहत तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व मापपुस्तिका के अभाव में रू0 284399.00 धनराशि का दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिये ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ध्यानचन्द्र व ग्राम प्रधान श्री रामबहोरी उत्तरदायी है उक्त धनराशि की वसूली श्री ध्यानचन्द्र व ग्राम प्रधान श्री रामबहोरी से ब्याज सहित बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–16 ग्राम पंचायत शाहपाटन, विकास खण्ड –नरैनी ग्राम पंचायत शाहपाटन वर्ष 2016–17 की कैशबुक में कूप मरम्मत में रू0–80900.00 एवं सी0सी0 रोड निर्माण में रू0 356790.00 कुल रू0–437090.00 की धनराशि का व्यय किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 की नियम संख्या–209 के तहत तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व मापपुस्तिका के अभाव में रू0 437090.00 की धनराशि का दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिये ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री स्वतन्त्र कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती राजाबाई उत्तरदायी है उक्त धनराशि की वसूली श्री स्वतन्त्र कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती राजाबाई से ब्याज सहित बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–17 ग्राम पंचायत मूढ़ी, विकास खण्ड –नरैनी ग्राम पंचायत मूढ़ी वर्ष 2016–17 की कैशबुक में कूप मरम्मत में रू0–151229.00 व नाली निर्माण में रू0–90018.00 कुल धनराशि रू0–241247.00 का व्यय किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 की नियम संख्या–209 के तहत तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व मापपुस्तिका के अभाव में रू0 241247.00 की धनराशि का दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिये ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी उत्तरदायी है उक्त धनराशि की वसूली श्री स्वतन्त्र कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती राजाबाई से ब्याज सहित बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17

जनपद चित्रकूट–ग्राम पंचायत– सेमरिया जगन्नाथवासी (विकासखण्ड–कर्वी)

प्रस्तर 01– लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक वर्ष 2016–17 की जांच में पाया गया कि राज्य वित्त/14वें वित्त आयोग की आय से कल्लू त्रिपाठी के घर से राज किशोर गर्ग के घर तक इण्टर लाकिंग खडन्जा एवं नाली निर्माण पर सामग्री पर रू0 287328.00 तथा श्रम पर रू0 32712.00 का भुगतान किया गया, कैशबुक में दर्षित था। उक्त कार्य पर भुगतानित धनराशि पर निम्न आपत्तियां पाई गयी–

(1) ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना एवं प्रस्ताव संख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही था।
(2) सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही थी।
(3) स्टोर पंजिका अनुपलब्ध रहने से क्रय सामग्री के लेखांकन की स्थिति अज्ञात रही।
(4) कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र/एम0बी0 प्रस्तुत नही रही।
(5) 1 किमी0 खडण्जा निर्माण पर श्रम का अंश 31.38 प्रतिशत एवं सामग्री का अंश 68.62 प्रतिशत होना चाहिए, के विपरीत सामग्री पर अधिक व्यय किया गया था।उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि कल्लू त्रिपाठी के घर से राजकिशोर गर्ग के घर तक इण्टर लांकिग खडन्जा एवं नाली नि0 में प्रयुक्त सामग्री एवं श्रमिकों को भुगतानित धनराशि रू0 320040.00 के फर्जी प्रमाणक रखकर ग्राम पंचायत में फर्जी विकास कार्य दर्शाकर धन का अपहरण ग्राम पंचायत एवं ग्रा0पं0वि0 अधिकारी दोनों द्वारा किया गया है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती दिव्या त्रिपाठी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमला सिंह दोनो से आधा–आधा ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मू0आ0सं0 09)**

2– ग्राम पंचायत– गोबरिया बुजुर्ग, विकासखण्ड– कर्वी <u>वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17</u>

प्रस्तर 02 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में गोरेलाल के घर से अवधेश के घर तक इण्टर लाकिंग खडन्जा निर्माण हेतु दिनांक 27.03.2017 को रू0 316360.00 की सामग्री क्रय की गयी, जिसकी पुष्टि में मस्टाररोल दिनांक 31.03.2017 तक नही दर्शाये गये थे, न ही क्रय सामग्री का लेखा प्रस्तुत स्टाक रजिस्टर में दर्षित था। स्पष्ट है कि खडण्जा निर्माण हेतु क्रय सामग्री की धनराशि रू0 316360.00 को कैशबुक में फर्जी दर्षित कर ग्राम प्रधान श्री जगतनारायण तथा ग्राम प0वि0 अधिकारी श्री लीलाधर शुक्ला दोनो द्वारा धन का अपहरण किया गया। अतः ग्राम प्रधान व ग्राम पं0वि0 अधिकारी दोनो से ब्याज सहित आधा–आधा वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(म0ूआ0सं0–09)**

3– ग्राम पंचायत– लौढिया खुर्द, विकासखण्ड–कर्वी <u>वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17</u>

प्रस्तर 3– लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक 16.04.2016 को चेक संख्या 067788 ग्रा0नि0 खाता संख्या 50045846017 से आहरित धनराशि रू0 5000000 को कैशबुक में व्यय नही अंकित किया गया। इस प्रकार रू0 50000.00 का ग्राम प्रधान श्री जानकीशरण व ग्रा0पं0वि0 अधि0 श्री लीलाधर शुक्ला दोनो द्वारा अपहरण किया गया है। अतः रू0 50000.00 की वसूली ग्राम प्रधान व ग्रा0वि0अधि0 दोनो से आधा–आधा ब्याज सहित किया जाना आपेक्षित है।

(मू0आ0सं0–09)

4– ग्राम पंचायत सकरौली विकासखण्ड–कर्वी <u>वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17</u>

प्रस्तर 04 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रा0नि0 खाता संख्या 50045847191 इलाहाबाद बैंक कर्वी (चित्रकूट) से निम्नलिखित तिथियों में आहरित धनराशि को कैशबुक में व्यय नही अंकित किया गया है न ही प्रिया साफ्ट ही कराया गया है। इस प्रकार से रू0 97501.00 खाते से आहरित कर ग्राम प्रधान व ग्रा0पं0 वि0अधिकारी दोनो द्वारा अपहरण किया गया। अतः ग्राम प्रधान श्री शारदा प्रसाद एवं तत्कालीन ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री विनोद कुमार दोनो से आधा–आधा धन की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है–

तिथि	धनराशि
05.01.2017	5000.00
06.01.2017	18306.00
16.01.2017	10000.00
24.01.2017	64195.00
योग–	97501.00

(मू0आ0सं0–09)

5– ग्राम पंचायत– गढ़ीघाट, विकासखण्ड–कर्वी <u>वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17</u>

प्रस्तर 05– लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक वर्ष 2016–17 में निम्न कार्यो हेतु क्रय सामग्री की उपयोगिता की पुष्टि में मास्टर रोल (एम0आर0) दिनांक 31.03.2017 तक नही दर्शाये गये थे, न ही क्रय सामग्री का लेखा प्रस्तुत स्टाक रजिस्टर में दर्षित था। स्पष्ट है कि निम्न कार्यो हेतु क्रय सामग्री की धनराशि रू0 132374.00 को कैशबुक में फर्जी दर्षित कर तत्कालीन ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री शिवनरेश पटेल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती शोभा देवी दोनो द्वारा अपहरण किया गया है। अतः दोनो से ब्याज सहित आधा–आधा धनराशि की वसूली किया जाना आपेक्षित है विवरण निम्नवत् है

तिथि	धनराशि	विवरण
21.03.2017	94874.00	बारात घर की बाउण्ड्री निर्माण हेतु क्रय सामग्री
21.03.2017	37500.00	प्रा0वि0 गढीघाट की मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
योग–	132374.00	

(मू0आ0सं0–09)

6– ग्राम पंचायत–तरांव, विकासखण्ड–कर्वी <u>वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17</u>

प्रस्तर 06– लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में दिलीप के घर से मतोला के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण हेतु निम्नानुसार सामग्री क्रय की गयी, जिसकी पुष्टि में मास्टर रोल दिनांक 31.03.2017 तक नही दर्शाये गये थे, न ही क्रय सामग्री का लेखा प्रस्तुत स्टाक रजिस्टर में दर्षित था । स्पष्ट है कि सी0 सी0 रोड निर्माण हेतु क्रय सामग्री की धनराशि रू0 221060.00

को कैशबुक में फर्जी दर्षित कर ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0 अधिकारी दोनो द्वारा धन का अपहरण किया गया। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती सीमादेवी व ग्रा0प0वि0 अधि0 श्री लीलाधर शुक्ला दोनो से आधा–आधा धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है–

तिथि	चेक संख्या	धनराशि
18.03.2017	–	110530.00
18.03.2017	–	110530.00
योग–		221060.00

(मू0आ0सं0–09)

7– ग्राम पंचायत– कादरगंज, विकासखण्ड–कर्वी **<u>वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17</u>**

प्रस्तर 07– ग्राम पंचायत को वर्ष 2014–15 में दिनांक 18.07.2014 को बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत जिला पंचायत चित्रकूट से सी0सी0 रोड निर्माण (हनुमान मन्दिर से शिवचरण के घर तक) कार्य हेतु 60 प्रतिशत अवमुक्त धनराशि के उपभोग के बाद ग्राम पंचायत को शेष 40 प्रतिशत धनराशि रू0 208000.00 व्यय हेतु प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री पर रू0 207958.00 एवं श्रम पर शून्य व्यय कैशबुक में दर्षित था। उक्त धनराशि मात्र सामग्री पर दिनांक 28. 03.2017 को व्यय हेतु आहरित किया गया। इस प्रकार प्रथम किश्त से निर्मित, निर्माण कार्य पर धन को व्यय किया जाना सामग्री मूल्य में वृद्धि होने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होती है, साथ ही श्रम पर भी नही व्यय किया गया एवं शेष धन रू0 42.00 अनुदानदाता को वापस नही किया गया, जो अपेक्षित था। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।**(मू0आ0सं0–09)**

8– ग्राम पंचायत– पहरा, विकासखण्ड–कर्वी **<u>वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17</u>**

प्रस्तर 08–शासनादेश संख्या 10/2015/ए–1–502–10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि को बैंक खातों में जमा करने पर यदि ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है तो इसे संस्था की आय नही माना जायेगा एवं ब्याज की राशि को कोषागार में जमा कराया जायेगा। वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में रू0 88415.00 आय प्राप्त हुई है, जिसे कोषागार में जमा नही किया गया, जो कोषागार में जमा कराया जाना था, अन्यथा की स्थिति में ब्याज को व्यय कर दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार व वर्तमान ग्रा0पं0वि0 अधिकारी जिम्मेदार होगे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–03)**

प्रस्तर 09–प्रस्तुत कैशबुक में पाया गया कि वर्ष 2016–17 में रू0 747200.00 की सोलर ऊर्जा लाइट निम्नानुसार क्रय किये गये, जिनकी उपयोगिता की पुष्टि में स्थल, कोटेशन/टेण्डर फाइल, चालू हालत की स्थिति एवं क्रय तिथि से लेखा परीक्षा अवधि तक उस पर हुए रख–रखाव की पुष्टि में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न होने से क्रय सौर ऊर्जा लाइट रू0 747200.00 की अनियमित रूप से व्यय प्रतीत होती है। अतः उक्त धनराशि रू0 747200.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं दोनो ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री राजकिशोर त्रिपाठी एवं लीलाधर शुक्ला से ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है–

तिथि	**चेक संख्या**	**धनराशि**	**ग्रा0पं0वि0 अधिकारी**	**विवरण**
26.09.2016	101172	233500.00	श्री राजकिशोर त्रिपाठी	10 सौर ऊर्जा लाइट श्री आशुतोष सिंह सप्लायर
27.09.2016	101175	233500.00	श्री राजकिशोर त्रिपाठी	10 सौर ऊर्जा लाइट श्री आशुतोष सिंह सप्लायर
09.03.2017	114134	46700.00	श्री लीलाधर शुक्ला	02 सौर ऊर्जा श्री आशुतोष सिंह सप्लायर
09.03.2017	114135	46700.00	श्री लीलाधर शुक्ला	02 सौर ऊर्जा श्री आशुतोष सिंह सप्लायर
09.03.2017	114136	46700.00	श्री लीलाधर शुक्ला	02 सौर ऊर्जा श्री आशुतोष सिंह सप्लायर
09.03.2017	114137	46700.00	श्री लीलाधर शुक्ला	02 सौर ऊर्जा श्री आशुतोष सिंह सप्लायर
09.03.2017	114138	46700.00	श्री लीलाधर शुक्ला	02 सौर ऊर्जा श्री आशुतोष सिंह सप्लायर
09.03.2017	114139	46700.00	श्री लीलाधर शुक्ला	02 सौर ऊर्जा श्री आशुतोष सिंह सप्लायर
योग–		747200.00		

(मू0आ0सं0–09)

प्रस्तर 10– लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक में प्रा0वि0 पहरा में शौचालय निर्माण हेतु निम्नानुसार सामग्री क्रय की गयी, जिसकी पुष्टि में मास्टर रोल दिनांक 31.03.2017 तक नही दर्शाये गये थे, न ही क्रय सामग्री का लेखा प्रस्तुत स्टाक

रजिस्टर में दर्षित था। स्पष्ट है कि शौचालय निर्माण हेतु क्रय सामग्री की धनराशि रू0 241438.00 को कैशबुक में फर्जी दर्षित कर ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार व दोनो ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री राजकिशोर त्रिपाठी तथा श्री लीलाधर शुक्ला द्वारा अनियमितता की गयी। अतः ग्राम प्रधान व दोनो ग्रा0पं0वि0 अधिकारी से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है–

तिथि	**चेक संख्या**	**धनराशि**	**ग्रा0पं0वि0 अधिकारी**	**विवरण**
08.12.2016	105066	49603.00	श्री राजकिशोर त्रिपाठी	किशोर कान्ट्रेक्टर से सामग्री क्रय
16.02.2017	114124	60755.00	श्री लीलाधर शुक्ला	किशोर कान्ट्रेक्टर से सामग्री क्रय
03.03.2017	114129	86188.00	श्री लीलाधर शुक्ला	किशोर कान्ट्रेक्टर से सामग्री क्रय
29.03.2017	122064	44892.00	श्री लीलाधर शुक्ला	किशोर कान्ट्रेक्टर से सामग्री क्रय

(मू0आ0सं0–10)

9– ग्राम पंचायत– बनाडी, विकास खण्ड–कर्वी **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 11– ग्राम पंचायत को वर्ष 2014–15 में दिनांक 18.07.14 को बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत जिला पंचायत चित्रकूट से 60 प्रतिशत अवमुक्त धनराशि के उपभोग के बाद ग्राम पंचायत को शेष 40 प्रतिशत धनराशि रू0 440000.00 व्यय हेतु प्राप्त हुई। किन्तु प्रस्तुत कैशबुक में अंकित कार्यो में किसी भी कार्य के सम्मुख यह उल्लेख नही किया गया कि कौन सा कार्य बी0आर0जी0एफ0 से कराया गया है। इस प्रकार उपरोक्त व्यय के क्रम में ग्राम पंचायत को प्राप्त 60 प्रतिशत के उपभोग के बाद 40 प्रतिशत धनराशि लगभग 2 वर्ष 6 माह बाद प्राप्त धन रू0 440000.00 का उपभोग पहली प्राप्त किस्त से निर्मित कार्य पर किया जाना, सामग्री मूल्य में वृद्धि होने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होती है जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है।**(मू0आ0सं0–09)**

प्रस्तर 12–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत को वित्तीय वर्ष 2015–16 में शमशान घाट निर्माण हेतु रू0 1309400.00 प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2016–17 में शमशान घाट निर्माण पर रू0 1232649.00 व्यय हुआ। दिनांक 31.03.2017 को उक्त मद की धनराशि रू0 76751.0 अवशेष रही जिसे अनुदानदाता को वापिस किया जाना चाहिए था। किन्तु उक्त धनराशि को दिनांक 31.03.2018 तक विभाग को वापस नही किया गया। अतः भविष्य में रू0 76751.00 के दुरूपयोग की सम्भावना है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री कुबेर सिंह तथा ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री धर्मपाल यादव जिम्मेदार होगे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–10)**

10– ग्राम पंचायत– अकबरपुर, विकासखण्ड–कर्वी **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 13–शासनादेश संख्या 10/2015/ए–1–502(1)/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि को बैंक खातों में जमा करने पर यदि ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है, तो इस संस्था की आय नही माना जायेगा एवं ब्याज की राशि को कोषागार में जमा कराया जायेगा। वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में वर्ष 2014–15 में रू0 83596.00 वर्ष 2015–16 में रू0 34926.00 एवं वर्ष 2016–17 में रू0 52338.00 कुल ब्याज रू0 170860.00 आय प्राप्त हुई, जिसे कोषागार में नही जाना था। अन्यथा की स्थिति में ब्याज को व्यय कर दुरूपयोग किये जाने की संभावना है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री गैतीशरण व ग्रा0पं0वि0 अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–03)**

11– ग्राम पंचायत– भैसौंधा, विकासखण्ड–कर्वी **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17प्रस्तर** 14– **प्रस्तुत** कैशबुक में पाया गया कि वर्ष 2016–17 में रू0 723850.00 की 31 सौर ऊर्जा लाइट विभिन्न तिथियों में निम्नानुसार क्रय किये गये, जिनकी उपयोगिता की पुष्टि में कोटेशन/टेण्डर, स्थल, चालू हालत की स्थिति एवं क्रय तिथि से लेखा परीक्षा अवधि तक उस पर हुए रख–रखाव की पुष्टि में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न होने से क्रय सौर ऊर्जा लाइट पर रू0 723850.00 की अनियमित रूप से किया प्रतीत होता है। अतः उक्त धन की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी व ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह दोनो से आधा–आधा ब्याज सहित अपेक्षित है।**(मू0आ0सं0–09)**

12–ग्राम पंचायत–बगलई, विकासखण्ड– कवी **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 15– शासनादेश संख्या 10/2015/ए–1–502(1)/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि को बैंक खातों में जमा करने पर यदि ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है, तो इस संस्था की आय नही माना जायेगा एवं ब्याज की राशि को कोषागार में जमा कराया जायेगा। वर्ष के दौरान ब्याज के रूप वर्ष 2016–17 में रू0 55628.00 आय प्राप्त हुई है जिसे कोषागार में नही जमा किया गया है जो कोषागार में जमा कराया जाना था। अन्यथा की स्थिति में ब्याज को व्यय कर दुरूपयोग किये जाने की संभावना है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री माता प्रसाद व ग्राम पं0वि0 अधिकारी जिम्मेदार होगे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–03)**

13– ग्राम पंचायत–शिवरामपुर, विकासखण्ड–कर्वी **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17** **प्रस्तर** 16– शासनादेश संख्या 10/2015/ए–1–502 (1)/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि को बैंक खातों में जमा करने पर यदि ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है तो इस संस्था की आय नही माना जायेगा एवं ब्याज की राशि को कोषागार में जमा कराया जायेगा। वर्ष 2016–17 में ब्याज के रूप में रू0 94817.00 आय प्राप्त हुई है, जिसे कोषागार में नही जमा किया गया है, जो कराया जाना था। अन्यथा की स्थिति में ब्याज को व्यय

कर दुरूपयोग किये जाने की संभावना है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व ग्रा0पं0वि0 अधिकारी राजेश कुमार दोनो जिम्मेदार होगे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–03)**

14 ग्राम पंचायत–खोही, विकासखण्ड–कर्वी **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 17– लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्न तिथियों में ''अमावस्या मेला'' की व्यवस्था में राज्य वित्त/14वें वित्त की धनराशि रू0 205090.00 व्यय किया गया दर्षित पाया गया। विवरण निम्नवत् है–

तिथि	धनराशि	तिथि	धनराशि
13.04.2016	34270.00	24.10.2016	1800.00
30.05.2016	40000.00	03.11.2017	30000.00
08.07.2016	34620.00	13.02.2017	8000.00
03.09.2016	32400.00	02.03.2017	24000.00
योग–			205090.00

उपरोक्त के क्रम में निम्न आपत्तियॉ पाई गयी–

1– मेला/ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की आय प्राप्त होना कैशबुक में दर्षित नही थी, जबकि मेला में अनेको प्रकार की दुकानों हेतु व्यवस्था की जाती है, जिससे आय प्राप्त होनी चाहिए। उसी धन से मेला की व्यवस्था पर व्यय करना अपेक्षित था। क्योकि इसके पूर्व वर्षो में दुकानों से वसूली करने की व्यवस्था थी।

2– मेला की व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन भी जिम्मेदार होता है जिसके लिए जिला प्रशासन से इस हेतु धन प्राप्त होना चाहिए।

3– उक्त धनराशि मेला के किन–किन व्यवस्थाओं में व्यय किया गया का उल्लेख कैशबुक में नही था।

4– यह धनराशि अलाभकारी कार्य में व्यय किया गया जो राज्य वित्त/14वें वित्त आयोग की गाइडलाइन के विरूद्ध है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि मेला से बिना आय प्राप्त के विपरीत, राज्य वित्त/14 वें वित्त आयोग की धनराशि रू0 205090.00 को मनमानी ढंग से व्यय दर्षित कर धन का दुरूपयोग किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी तथा तत्कालीन ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री मोहन लाल सिंह जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।**(मू0आ0सं0–09)**

15– ग्राम पंचायत–कसहाई, विकासखण्ड–कर्वी **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 18– शासनादेश संख्या 10/2015/ए–1–502(1)/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि को बैंक खातों में जमा करने पर यदि ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है तो इस संस्था की आय नही माना जायेगा एवं ब्याज की राशि को कोषागार में जमा कराया जायेगा। वर्ष 2016–17 में रू0 129303.00 की ब्याज के रूप में आय प्राप्त हुई। जिसे कोषागार में नही जमा किया गया है, जमा किया जाना था। अन्यथा की स्थिति में ब्याज को व्यय कर दुरूपयोग किये जाने की संभावना है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रामसजीवन व ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री मोहन लाल सिंह जिम्मेदार होगे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–03)**

16– ग्राम पंचायत–रसिन, विकासखण्ड–कर्वी **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 19– शासनादेश संख्या 10/2015/ए–1–502(1)/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार अनुदान के रूप प्राप्त धनराशि को बैंक खातों में जमा करने पर यदि ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है तो इस संस्था की आय नही माना जायेगा एवं ब्याज की राशि को कोषागार में जमा कराया जायेगा। वर्ष 2016–17 में ब्याज रू0 86224.00 की आय प्राप्त हुई है, जिसे कोषागार में जमा कराया जाना था। अन्यथा की स्थिति में ब्याज को व्यय कर दुरूपयोग किये जाने की संभावना है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी व ग्रा0पं0वि0 श्री नरेश सिंह पटेल अधिकारी जिम्मेदार होगे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–03)**

17– ग्राम पंचायत–मानपुर, विकास खण्ड–कर्वी **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 20– ग्राम पंचायत की कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक 01.04.2016 को प्रारम्भिक अवशेष के रूप में रू0 120000.00 गतवर्ष का अवशेष यथावत दर्षित था, जो ग्राम निधि खाता संख्या 50045848286 में जमा है। उक्त धनराशि ग्राम पंचायत को बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत विकास कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी थी, जिसका उपभोग दिनांक 31.03.2017 तक नही किया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को उपलब्ध धनराशि खाते में जमा अवशेष दर्शाकर विकास कार्य के लागत को बढाया जा रहा है एवं भविष्य में उक्त धन के दुरूपयोग होने की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता है। अतः रू0 120000.00 को अनुदानदाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–12)**

18–ग्राम पंचायत–भटरी, विकासखण्ड– पहाडी **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 21– ग्राम पंचायत भटरी की वर्ष 2011–12 से 2016–17 तक की लेखापरीक्षा के सापेक्ष वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कृष्णकांत द्विवेदी के द्वारा मात्र वर्ष 2016–17 के ही अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए, शेष

वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक में शासन से प्राप्त अनुदान ग्रामनिधि खाता संख्या 50045103081 इलाहाबाद बैक शाखा पहाडी से आहरित/हस्तांतरित धनराशि से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरण पत्र (स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट) प्रस्तुत रहा जिससे वर्षवार आहरित/हस्तांतरित धनराशि का विवरण निम्नवत् रहा।

वर्ष– 2011–12

क्र0	दिनांक	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1	18.07.2011	अशोक	736976	10000.00
2	17.08.2011		736978	80500.00
3	07.09.2011	अशोक कुमार	736979	110000.00
4	07.10.2011		736977	8100.00
5	24.10.2011	अमृतलाल	736980	20000.00
6	27.12.2011		736981	50000.00
7	06.02.2013	अमृत	736982	20000.00
			योग–	298600.00

वर्ष– 2012–13

क्र0	दिनांक	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1	03.04.2012	अमृतलाल	736983	35000.00
2	27.08.2012	अमृत	001711	25000.00
3	28.08.2012	कल्लू	001713	30000.00
4	30.08.2012	अमृतलाल	001712	15000.00
5	05.09.2012	रामनारायण	001715	15000.00
6	05.09.2012	रोहित	001714	15000.00
7	09.10.2012	धीरेन्द्र	001716	15000.00
8	08.10.2012	अशोक कुमार	001717	11158.00
9	20.11.2012		001719	6475.00
10	24.12.2012	अमृतलाल	001720	10800.00
11	02.01.2013		004021	54600.00
12	04.01.2013		004023	26419.00
13	09.01.2013		004022	51500.00
14	09.02.2013		004024	36000.00
15	25.03.2013	अमृतलाल	004028	5000.00
16	25.03.2013	अमृतलाल	004030	5000.00
17	28.03.2013	सिंह सीमेन्ट एण्ड आयरन	004026	25560.00
18	28.03.2013	सिंह सीमेन्ट एण्ड आयरन	004025	35000.00
			योग–	417512.00

वर्ष– 2013–14

क्र0	दिनांक	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1	04.04.2013		04027	32890.00
2	18.04.2013		005721	5000.00
3	18.04.2013		005722	5000.00
4	18.04.2013		005725	81500.00
5	22.04.2013		005726	10000.00
6	25.04.2013		005724	5000.00
7	25.04.2013		005723	5000.00
8	08.05.2013		005729	5000.00
9	08.05.2013		005728	5000.00
10	08.05.2013		005730	5000.00
11	09.05.2013		005727	71900

12	02.07.2013		006643	5000.00
13	02.07.2013		006642	5000.00
14	02.07.2013		006641	5000.00
15	02.07.2013		006645	45000.00
16	04.07.2013		006646	32000.00
17	30.07.2013		006644	2000.00
18	10.08.2013		006648	27000.00
19	10.08.2013		006650	5000.00
20	10.08.2013		006047	48000.00
21	13.08.2013		006649	5000.00
22	22.08.2013		007462	1636.00
23	30.08.2013		007461	10000.00
24	03.10.2013		007464	5000.00
25	03.10.2013		007463	5000.00
26	09.10.2013		007465	10000.00
27	06.11.2013		007466	10000.00
28	23.11.2013		007467	3000.00
29	23.11.2013		007468	13200.00
30	06.02.2014		007469	10000.00
31	08.03.2014		003579	10000.00
32	12.03.2014		003576	1000.00
33	19.03.2014		007470	20000.00
			योग–	509126.00

वर्ष– 2014–15

क्र0	दिनांक	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1	18.09.2014	अमृतलाल	013561	5000.00
2	01.10.2014	अमृतलाल	013563	5000.00
3	09.10.2014		013562	32280.00
4	24.11.2014		003580	50000.00
5	24.11.2014		003577	50000.00
6	29.12.2014		003582	15000.00
7	08.01.2015		008581	8000.00
8	20.02.2015		003583	3000.00
9	04.03.2015		003586	21000.00
10	09.03.2015		003584	15000.00
योग–				204280.00

वर्ष– 2015–16

क्र0	दिनांक	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1	04.04.2015	दुर्गा कन्सट्रक्शन	003588	10000
2	23.04.2015		003587	13500
3	27.04.2015		003590	37000
4	18.05.2015		003592	52750
5	28.05.2015		003595	13500
6	28.05.2015		003594	32000
7	28.05.2015		003591	8000
8	04.06.2015		003593	5000

9	22.06.2015	हरिओम कन्सट्रक्शन	003596	90000
10	03.07.2015		003597	24000
11	11.07.2015		018042	3150
12	11.07.2015		003598	10000
13	14.07.2015		003599	1000
14	15.07.2015		003600	63900
15	17.07.2015		018041	10950
16	27.07.2015		018044	105000
17	30.07.2015		018045	15000
18	08.08.2015		018050	9500
19	14.08.2015		018052	195000
20	17.08.2015		018051	8400
21	20.08.2015		018047	1200
22	19.09.2015	अमृत	018055	5000
23	21.09.2015		018046	2700
24	22.09.2015		018054	5300
25	22.09.2015		018056	10000
26	30.09.2015		018057	95380
27	26.10.2015		018048	400
28	26.10.2015		018049	1000
29	29.10.2015		018053	1000
30	06.11.2015		018060	40000
31	06.11.2015		002021	44000
32	07.11.2015	सुनील	002022	8500
33	28.12.2015		002023	23351
			कुल धनराशि	945481

उपरोक्त आहरित/हस्तान्तरित धनराशि 2374999.00 की पुष्टि में कैशबुक व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत न रहने से आहरित/ हस्तान्तरित धनराशि 2374999.00 अपहरित प्रतीत होती है उपर्युक्त हस्तान्तरित/आहरित धनराशि के अभिलेख न बनाये जाने हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के साथ–साथ सहायक विकास अधिकारी (पं0) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी भी जिम्मेदार रहे, क्योंकि विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कोई निरीक्षण नहीं किया गया।अतः आहरित/हस्तांतरित धनराशि 2374999.00 की वसूली भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री अमृतलाल से रू0 1187499.50 व भूतपूर्व ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री संतोष निषाद, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री संजय विश्वकर्मा व श्री भूपेन्द्र द्विवेदी से रू0 1187499.50 ब्याज सहित अपेक्षित है।**(मू0आ0सं0–1)**

19–ग्राम पंचायत–भदेदू, विकासखण्ड–पहाडी **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 22– ग्राम पंचायत भदेदू को शासन से प्राप्त अनुदान (14वें वित्त/राज्य वित्त) ग्राम निधि खाता संख्या 50045073666 इलाहाबाद बैंक शाखा पहाडी से आहरित/हस्तान्तरित धनराशियों का कैशबुक के व्यय पक्ष में किया लेखा, लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में मदवार सामग्री एवं श्रम पर भुगतानित निम्न प्रकार था–

क्र0	मदवार विवरण	सामग्री	श्रम	हस्तान्तरित
1	हैण्डपम्प मरम्मत	96710	86130	
2	चरही निर्माण	116290	19920	
3	खण्डजा नाली निर्माण			
	गुड्डू गुरौलिया के घर वीरन के घर तक	443552	51740	
	राम प्रताप मिश्रा के घर से रज्जन मिश्रा के घर तक	238461	30602	
4	सी0सी0 इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण वीरन गर्ग के घर से श्रीपाल पाण्डे के घर तक	409612	51686	
5	विद्यालय भवन मरम्मत	140000		
6	प्रकाश व्यवस्था	69602		
7	पेयजल व्यवस्था	98500		

8	प्रशासनिक व्यय			
	प्रधान मानदेय		12500	
	कैमरा	21990		
	आडिट फीस			600
9	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)			47832
	बैक द्वारा			400
	योग–	1634717	252578	48832

उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रमिकों को श्रम के रूप में भुगतानित धनराशि रू0 1887295.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नही रहें–

1– बिल/वाउचर/मास्टर रोल
2– स्टाक रजिस्टर
3– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम0बी0
4– सामग्री क्रय में आमंत्रित कोटेशन का तुलनात्मक एवं आमंत्रित कोटेशन
5– परिसम्पत्ति रजिस्टर
6– निर्माण रजिस्टर
7– मानदेय रजिस्टर
8– सक्षम अधिकारी की स्वीकृति

उपरोक्त अभिलेख भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत न रहने से रू0 1887295.00 अनियमित/दुरूपयोगित प्रतीत होता है।अतः आहरित/हस्तान्तरित धनराशि 1887295.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नीशा देवी से रूपया 943647.50 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री भूपेन्द्र द्विवेदी से रूपया 943647.50 ब्याज सहित विभागीय अपेक्षित है।**(मू0आ0सं0–1)**

20– ग्राम पंचायत–चकजाफरमाफी, विकासखण्ड–पहाडी **<u>वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17</u>**

प्रस्तर 23– ग्राम पंचायत चकजाफरमाफी की वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की लेखा परीक्षा के सापेक्ष वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राहुल सिंह के द्वारा मात्र वर्ष 2015–16 व 2016–17 के ही अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए। शेष वर्ष 2014–15 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्रामनिधि खाता संख्या 50045075461 इलाहाबाद बैंक शाखा पहाडी से आहरित/हस्तांतरित धनराशि से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरण पत्र (स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट) प्रस्तुत रहा जिससे वर्षवार आहरित/हस्तांतरित धनराशि का विवरण निम्नवत् रहा–

वर्ष 2014–15

क्र0सं0	दिनांक	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1	09.04.2014		000262	10000.00
2	21.04.2014		000263	15448.00
3	19.05.2014	मंगल सिंह	000264	6490.00
4	24.05.2014	मंगल सिंह	000265	4850.00
5	01.06.2014		000266	30000.00
6	09.06.2014		000267	50000.00
7	03.09.2014		000268	10000.00
8	18.09.2014	राम नारायण	000269	3600.00
9	18.09.2014		000271	5000.00
10	26.09.2014		000270	211000.00
11	20.10.2014		000275	5000.00
12	21.10.2014		000276	56275.00
13	30.10.2014	श्याम लाल	000277	2000.00
14	11.11.2014		000279	9000.00
15	20.11.2014		000280	105000.00
16	21.11.2014		000281	55000.00
17	25.11.2014		000272	1000.00
18	04.12.2014		000283	10000.00
19	09.12.2014		000284	5000.00
20	16.12.2014		000285	5000.00
21	23.12.2014	मंगल सिंह	000286	5000.00
22	26.12.2014		000289	5000.00
23	29.12.2014		000288	12000.00

24	30.12.2014		000287	25000.00
25	01.01.2015		000290	5000.00
26	06.01.2015	गीता	000293	5000.00
27	06.01.2015	रावेन्द्र	000291	5000.00
28	09.01.2015		000292	15000.00
29	02.02.2015	गीता देवी	000297	5000.00
30	03.02.2015		000296	3000.00
31	13.02.2015		000294	41580.00
32	21.02.2015		000295	15500.00
33	24.02.2015	गीता	000299	3652.00
34	03.03.2015		000300	15500.00
35	04.03.2015	गीता देवी	019522	5000.00
36	04.03.2015	श्याम लाल	019521	3000.00
37	04.03.2015		019523	23000.00
38	09.03.2015		019524	10400.00
39	18.03.2015		019525	7500.00
			योग–	809795.00

उपरोक्त आहरित/हस्तान्तरित धनराशि 809795.00 की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य पुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत न रहने से हस्तान्तरित/आहरित धनराशि 809795.00 अपहरित प्रतीत होती है।उपर्युक्त हस्तान्तरित/आहरित धनराशि के अभिलेख न बनाये जाने हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के साथ–साथ सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तका जिला पंचायत राज अधिकारी भी जिम्मेदार रहे क्योंकि विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कोई निरीक्षण नही किया गया।अतः आहरित/हस्तान्तरित धनराशि 809795.00 की भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से रू0 404897.50 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चन्द्रभान सिंह से रू0 404897.50 ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**(मू0आ0सं0–1)**

21– ग्राम पंचायत–चिल्लीमल, विकासखण्ड–पहाडी **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 24– ग्राम पंचायत चिल्लीमल को शासन से प्राप्त अनुदान (14वां वित्त/राज्य वित्त) ग्रामनिधि खाता संख्या 50045079602 इलाहाबाद बैंक शाखा पहाडी से आहरित/हस्तान्तरित धनराशियों का कैशबुक के व्यय पक्ष में किया लेखा, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक में मदवार सामग्री एवं श्रम पर भुगतानित निम्न प्रकार था।

क्र0	मदवार (विवरण)	सामग्री	श्रम	हस्तान्तरित
1	हैण्डपम्प मरम्मत	164000.00	38375.00	
2	चरही निर्माण	58017.00	11520.00	
3	नाली निर्माण	81052.00	23497.00	
4	इण्टरलाकिंग रोड निर्माण 1– पृथ्वीपाल के घर से छोटा पं0 के घर तक 2– मुख्य सडक से राजरतन के घर तक 3– शंकर जी चबूतरा से रिस्सू हलवाई तक 4– रामसिंह के घर से उदयभान के घर तक 5– कमलेश के घर से जू0हाई स्कूल तक 6– विनोद पाल के घर से कबिल पाल के घर तक 7– जगतपाल के घर से मुन्ना सिंह के घर तक 8– राजेन्द्र मिश्रा के घर के पास 9– ज्ञान सिंह के घर से शिवलाल के घर तक 10– राकेश के घर से कल्लू के घर तक 11–गब्दी नाला से भूडा बरगढ तक	2014628.00	214354.00	
5	विद्यालय भवन/शौचालय मरम्मत	489477.00	63442.00	
6	पंचायत भवन मरम्मत	46619.00	14288.00	
7	प्रकाश व्यवस्था	116351.00		
8	पेयजल व्यवस्था (जलापूर्ति टैंकर)	98500.00		
9	प्रशासनिक व्यय			
	स्टेशनरी	148.00		
	प्रधान मानदेय		38000.00	

	प्रिया साफ्ट फीडिंग		4000.00	
	आडिट फीस			300.00
10	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)			57186.00
	बैंक द्वारा चेक बुक प्रभार			800.00
योग–		3068792.00	407476.00	58286.00

उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रमिकों को श्रम के रूप में भुगतानित धनराशि रू0 3534554.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नही रहे।

1– बिल/वाउचर/मास्टर रोल
2– स्टाफ रजिस्टर
3– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम0बी0
4– सामग्री क्रम में आमंत्रित कोटेशन टेण्डर का तुलनात्मक विवरण
5– परिसम्पत्ति रजिस्टर
6– निर्माण रजिस्टर
7– मानदेय रजिस्टर
8– सक्षम अधिकारी की स्वीकृति

उपरोक्त अभिलेख भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत न रहने से रू0 3534554.00 अनियमित/दुरूपयोगित प्रतीत होता है।अतः आहरित/हस्तान्तरित धनराशि 3534554.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी से रू0 1738134.00 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जीवलाल से रू0 1738134.00 ब्याज सहित अपेक्षित है।**(मू0आ0सं0–1)**

22– ग्राम पंचायत–नैनी, विकासखण्ड– पहाडी **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 25– ग्राम पंचायत नैनी को शासन से प्राप्त अनुदान (14 वां वित्त/राज्य वित्त) इलाहाबाद बैंक शाखा पहाडी में खुले ग्राम निधि खाता संख्या 50045101551 से आहरित/हस्तान्तरित धनराशियों का कैशबुक के व्यय पक्ष में किया लेखा, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में मदवार सामग्री एवं श्रम पर भुगतानित निम्न प्रकार था।

क्र0	मदवार (विवरण)	सामग्री	श्रम	हस्तान्तरित
1	हैण्डपम्प मरम्मत	94900.00	9800.00	–
2	चरही निर्माण	60000.00	8976.00	–
3	विद्यालय भवन मरम्मत	177000.00	17500.00	–
4	इण्टरलाकिंग खण्डंजा निर्माण 1–अमर सिंह के घर से पन्ना साहू के दर तक 2–मानसिंह के बाडा से राधाकृष्ण के मन्दिर तक	278700.00	18300.00	–
5	नाली मरम्मत/नाली ढक्कन निर्माण 1–श्याम त्रिपाठी के घर से लाला दुबे के घर तक 2– जागेश्वर के दर से शिवप्रसाद के खेत तक 3– रामसजीवन के दर से जूनियर स्कूल तक	309000.00	–	–
6	पंचायत भवन मरम्मत	50356.00	4436.00	–
7	प्रकाश व्यवस्था	58045.00	–	–
8	पेयजल व्यवस्था	110000.00	–	–
9	प्रशासनिक व्यय	–	–	–
	प्रधान मानदेय	–	37500.00	–
	चेक बुक प्रभार	–	–	400.00
	प्रिया साफ्ट फीडिंग	–	1000.00	–
	स्टेशनरी	88.00	–	–
10	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	–	–	22821.00
	योग–	1138089.00	97512.00	23221.00

उपरोक्त पदवार सामग्री एवं श्रमिकों को श्रम के रूप में भुगतानित धनराशि रूपया 1258822.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नही रहे।

1– बिल/वाउचर/मास्टर रोल
2– स्टाक रजिस्टर

3– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम0बी0
4– सामग्री क्रम में आमंत्रित कोटेशन टेण्डर का तुलनात्मक विवरण
5– परिसम्पत्ति रजिस्टर
6– निर्माण रजिस्टर
7– मानदेय रजिस्टर
8– सक्षम अधिकारी की स्वीकृति

उपरोक्त अभिलेख भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत न रहने से रूपया 1258822.00अनियमित/दुरूपयोगित प्रतीत होता है।अतः आहरित/हस्तांतरित धनराशि रू0 1235601.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री महेश से रू0 617800.50 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चन्द्रभान सिंह से रूपया 617800.50 ब्याज सहित विभागीय अपेक्षित है।**(मू0आ0सं0–1)**

23– ग्राम पंचायत– बछरन, विकासखण्ड– पहाडी **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 26– ग्राम पंचायत बछरन को शासन से प्राप्त अनुदान (14वां वित्त/राज्य वित्त) ग्राम निधि खाता संख्या 50045102362 इलाहाबाद बैंक शाखा पहाडी से आहरित/हस्तान्तरित धनराशियों का कैशबुक के व्यय पक्ष में किया लेखा, लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में मदवार सामग्री एवं श्रम पर भुगतानित निम्न प्रकार था।

क्र0	मदवार विवरण	सामग्री	श्रम	हस्तान्तरित
1	हैण्डपम्प मरम्मत	166300.00	26400.00	
2	चरही निर्माण	120618.00	22440.00	
3	विद्यालय भवन/शौचालय निर्माण/मरम्मत			
	प्राथमिक विद्यालय बछरन भाग–1	484701.00	89420.00	
	संकट मोचन इण्टर कालेज	124078.00	4836.00	
4	सी0सी0 रोड व नाली निर्माण			
	ज्ञानी बाबू के घर से महादेव के घर तक	109354.00	15344.00	
5	खण्डजा व नाली निर्माण	448315.00	85784.00	
	नरसिंह देव के चबूतरा से भारत सिंह के घर तक			
	घनश्याम के घर से जगतनारायण के घर तक			
6	खण्डजा निर्माण			
	वीर पाण्डेय के घर से चुन्नू के घर तक	191431.00	31316.00	
7	नाली निर्माण/सफाई			
	1– नाली निर्माण चन्द्रकिशोर के घर से प्रताप के घर तक	124729.00	20036.00	
	2– नाली सफाई		33756.00	
8	प्रकाश व्यवस्था	326914.00		
9	पेयजल व्यवस्था	203461.00		
10	प्रशासनिक व्यय			
	फोटोकापी, टाइपिंग, स्टेशनरी	3000.00		
	कुर्सी क्रय	5000.00		
	कुर्सी, दरी, मेज	5000.00		
	प्रिश साफ्ट फीडिंग		2000.00	
	आडिट फीस			600.00
	प्रधान मानदेय		31000.00	
11	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)			38939.00
	बैंक द्वारा			880.00
		2312901.00	362332.00	40419.00

उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रमिकों को श्रम के रूप में भुगतानित धनराशि रू0 2715652.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नही रहें।
1– बिल/वाउचर/मास्टर रोल
2– स्टाक रजिस्टर
3– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम0बी0
4– सामग्री क्रम में आमंत्रित कोटेशन/टेण्डर का तुलनात्मक विवरण
5– परिसम्पत्ति रजिस्टर
6– निर्माण रजिस्टर
7– मानदेय रजिस्टर
8– सक्षम अधिकारी की स्वीकृति

उपरोक्त अभिलेख भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत न रहने से रू0 2715652.00 अनियमित/दुरूपयोगित प्रतीत होती है।

अतः आहरित/हस्तांतरित धनराशि 2715652.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री त्रिलोकी सिंह से रू0 1337616.50 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह से रू0 1337616.50 ब्याज सहित अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–1)**

24– ग्राम पंचायत–सरधुवा, विकासखण्ड–पहाड़ी वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17

प्रस्तर 27– ग्राम पंचायत सरधुवा को शासन से प्राप्त अनुदान (14 वां वित्त/राज्य वित्त) ग्रामनिधि खाता संख्या 50045070676 इलाहाबाद बैंक शाखा पहाडी से आहरित/हस्तान्तरित धनराशियों का कैशबुक के व्यय पक्ष में किया लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में मदवार सामग्री एवं श्रम पर भुगतानित निम्न प्रकार था।

क्र0	मदवार विवरण	सामग्री	श्रम	हस्तान्तरित
1	हैण्डपम्प मरम्मत	166757.00	66980.00	–
2	चरही निर्माण	20651.00	4036.00	–
3	इण्टरलाकिंग खण्डजा एवं नाली निर्माण 1– बाबूपुर रोड से भागवत कुम्हार एवं भागवत कुम्हार से रम्मू कुम्हार 2– अतीस पाण्डे के घर से भूरा साहू के घर तक	623064.00	80010.00	–
4	सी0सी0 रोड मरम्मत 1– सर्वेश सिंह के घर से विनोद सिंह के घर तक	100567.00	9412.00	–
5	सी0सी0 ब्लाक रोड निर्माण (सी0सी0 ब्लाक खण्डजा) 1– कल्लू राम के दर से नदी घाट तक 2– रत्नाकर पाण्डेय के दर से सुरेश सोनी के दर तक 3– माताबदल नई के दर से भानू सिंह के दर तक 4– राजकिशोर के दर से बच्छराज नाई के दर तक 5– राजकिशोर के दर से रामबालक के दर तक 6– हलधर के दर को राजकिशोर के दर तक 7– सी0सी0 रोड से सरधुवा इण्टर कालेज तक 8– भोला हरी के दर से कल्लू हरी के दर तक 9– अश्वनी के दर से रत्नाकर पाण्डेय के दर तक	1853577.00	233048.00	–
6	विद्यालय भवन मरम्मत	145000.00	33838.00	–
7	पंचायत भवन मरम्मत	82648.00	11552.00	–
8	नाली रिटेनिंग बाल निर्माण 1– भइयालाल खटिक से दर से नाला तक	259407.00	35934.00	–
9	पुनिया मरम्मत (खारियारी पुरवा में)	26288.00	11760.00	–
10	प्रकाश व्यवस्था	186000.00	–	–
11	पेयजल व्यवस्था	98500.00	–	–
12	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	–	–	89424.00
	बैंक द्वारा	–	–	560.00
13	प्रशासनिक व्यय	–	–	–
	प्रधान मानदेय	–	20000.00	–
	सफाई कर्मी मानदेय	–	27000.00	–
	वीडियों कैमरा	–	21990.00	–
	योग–	**3562459.00**	**555560.00**	**89984.00**

उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रमिकों को श्रम के रूप में भुगतानिक धनराशि रू0 4208003.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नही रहें।

1– बिल/वाउचर/मास्टर रोल
2– स्टाक रजिस्टर
3– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम0बी0
4– सामग्री क्रम में आमंत्रित कोटेशन/टेण्डर का तुलनात्मक विवरण
5– परिसम्पति रजिस्टर
6– निर्माण रजिस्टर
7– मानदेय रजिस्टर
8– सक्षम अधिकारी की स्वीकृति

उपरोक्त अभिलेख भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत न रहने से रूपया 4208003.00 अनियमित/दुरूपयोगित प्रतीत होता है।

अतः आहरित/हस्तान्तरित धनराशि 4208003.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता सिंह से रू0 2059009.50 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री भूपेन्द्र द्विवेदी से रूपया 2059009.50 ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0–1)

25– ग्राम पंचायत–वीरधुमाई सुर्की, विकासखण्ड–पहाडी **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 28– ग्राम पंचायत वीरधुमाई सुर्की की वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की लेखा परीक्षा के सापेक्ष वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जीवनलाल के द्वारा मात्र वर्ष 2016–17 के ही अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए। शेष वर्ष 2014–15 से 2015–16 तक में शासन से प्राप्त अनुदान ग्रामनिधि खाता संख्या 50045076850 इलाहाबाद बैंक शाखा पहाडी से आहरित/हस्तांतरित धनराशि से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरण पत्र (स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट) प्रस्तुत रहा जिससे वर्षवार आहरित/हस्तांतरित धनराशि का विवरण निम्नवत् रहा।

वर्ष 2014–15

क्र0	दिनांक	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1	05.04.2014		007160	25000.00
2	12.04.2014		0011321	50000.00
3	22.04.2014		011323	2450.00
4	26.04.2014		011324	25000.00
5	02.05.2014	धनश्याम	011322	5000.00
6	03.05.2014	भोला	011325	25000.00
7	22.05.2014	सुधीर	011326	50000.00
8	25.11.2014		011327	65000.00
9	26.11.2014		011328	65000.00
10	06.12.2014		011331	51450.00
11	06.12.2014		011323	45750.00
12	20.12.2014	जे0पी0 ट्रेडर्स	011334	42000.00
13	22.12.2014		011335	52780.00
14	23.12.2014		011333	35000.00
15	05.01.2015	दुवेदी ट्रेडर्स	01156	35000.00
16	12.01.2015	प्रशांत	011336	1000.00
17	13.01.2015		011337	50000.00
18	14.01.2015		011332	5000.00
19	22.01.2015		011338	50000.00
20	28.02.2015		011339	20000.00
21	21.03.2015		011340	25380.00
		योग–		**725810.00**

वर्ष 2015–16

क्र0	दिनांक	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1	10.04.2015	द्विवेदी ट्रेडर्स	019982	56850.00
2	10.04.2015	द्विवेदी ट्रेडर्स	019981	50000.00
3	17.04.2015		019983	13500.00
4	27.04.2015		019985	55690.00
5	27.04.2015		019986	63415.00
6	27.04.2015		019984	47810.00
7	27.04.2015		019987	71470.00
8	02.05.2015		019988	15000.00
9	16.05.2015		019991	51940.00
10	16.05.2015		019989	56490.00
11	16.05.2015		019990	39080.00
12	04.06.2015		019993	95000.00
13	04.06.2015		019992	91515.00
14	05.06.2015		019994	55000.00
15	24.06.2015		019995	71865.00
16	24.06.2015		019997	83907.00
17	24.06.2015		019996	52340.00
18	14.07.2015		019998	117500.00
19	24.07.2015	रणधीर सिंह	019999	94000.00
20	25.07.2015		018561	94000.00
21	13.08.2015		018565	45000.00
22	13.08.2015		018567	47000.00

23	18.09.2015		018569	47000.00
24	18.09.2015		018570	20000.00
25	24.09.2015	प्रशांत	018566	1000.00
26	26.10.2015		018564	400.00
27	26.10.2015		018563	1500.00
28	06.11.2015		018571	26000.00
29	07.11.2015		018576	48680.00
30	07.11.2015		018574	145410.00
31	07.11.2015		018575	35418.00
32	28.12.2015		018577	23351.00
33	17.03.2015		018578	5000.00
		योग–		**1722131.00**

उपरोक्त आहरित/हस्तान्तरित धनराशि 2447941.00 की पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य पुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत न रहने से हस्तांतरित/आहरित धनराशि 2447941.00 अपहरित प्रतीत होती है।

उपर्युक्त हस्तान्तरित/अपहरित धनराशि के अभिलेख न बनाये जाने हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के साथ–साथ सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी श्री जिम्मेदार रहे, क्योंकि विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कोई निरीक्षण नही किया गया।

अतः आहरित/हस्तान्तरित धनराशि 2447941.00 की वसूली भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री घनश्याम द्विवेदी से रू0 1223970.50 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मथुरा प्रसाद से रू0 1223970.50 ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0–1)26– ग्राम पंचायत–चकौंध, विकासखण्ड– पहाडी <u>**वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**</u>

प्रस्तर 29– ग्राम पंचायत चकौध की वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की लेखा परीक्षा के सापेक्ष वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राहुल सिंह के द्वारा मात्र वर्ष 2015–16 व 2016–17 के ही अभिलेख लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए, शेष वर्ष 2014–15 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्रामनिधि खाता संख्या 50045073510 इलाहाबाद बैंक शाखा पहाडी से आहरित/हस्तांतरित धनराशि से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरण पत्र (स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट) प्रस्तुत रहा जिससे वर्षवार आहरित/हस्तांतरित धनराशि का विवरण निम्नवत रहा–

वर्ष 2014–15

क्र0	दिनांक	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1	05.04.2014		003803	8700.00
2	09.04.2014	श्री शिवबली सिंह	003804	87200.00
3	09.04.2014	श्री शिवबली सिंह	003805	55300.00
4	09.04.2014	श्री शिवबली सिंह	003806	38300.00
5	09.04.2014	श्री शिवबली सिंह	003807	26200.00
6	09.04.2014	श्री त्रिपाठी ट्रेडर्स	003810	43200.00
7	09.04.2014	श्री त्रिपाठी ट्रेडर्स	003808	39600.00
8	12.04.2014	रमेश	003809	4800.00
9	25.05.2014			6090.00
10	05.06.2014	के0 करवरिया	008814	36200.00
11	05.06.2014	के0 करवरिया	003813	86200.00
12	06.06.2014		003811	16500.00
13	08.08.2014	रमेश	003815	4800.00
14	11.08.2014		003812	25548.00
15	28.08.2014		003817	14964.00
16	28.08.2014		003816	15120.00
17	27.10.2014	रमेश	003820	3600.00
18	29.10.2014		005819	12936.00
19	29.10.2014		003818	13248.00
20	18.11.2014		003821	27600.00
21	18.11.2014		003822	28500.00
22	17.12.2014		003823	9660.00
23	17.12.2014		003824	9504.00
24	10.01.2015		003825	25000.00
25	27.01.2015		0017181	37800.00

26	27.01.2015		0017184	76200.00
27	27.01.2015		0017183	39600.00
28	27.01.2015		0017182	77300.00
29	28.02.2015	श्री पाल	0017185	4800.00
30	20.02.2015		0017186	17600.00
31	16.03.2015		0017189	4800.00
32	17.03.2015		0017188	12700.00
33	25.03.2015		0017190	4800.00
34	25.03.2015		0017187	26976.00
		योग–		**941746.00**

उपरोक्त आहरित/हस्तान्तरित धनराशि 941746.00 की पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य पुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत न रहने से हस्तांतरित/आहरित धनराशि 941746.00 अपहरित प्रतीत होती है।

उपर्युक्त हस्तान्तरित/आहरित धनराशि के अभिलेख न बनाये जाने हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के साथ–साथ सहायक विकास अधिकारी (पं0) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी भी जिम्मेदार रहे, क्योंकि विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कोई भी निरीक्षण नही किया गया।

अतः आहरित/हस्तान्तरित धनराशि रू0 941746.00 की वसूली भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र करवरिया से रूपया 47087300.00 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चन्द्रभान सिंह से रू0 470873.00 ब्याज सहित अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–1)**

27– ग्राम पंचायत–बेराउर, विकासखण्ड– पहाडी **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 30– ग्राम पंचायत बेराउर की वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की लेखा परीक्षा के सापेक्ष वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्णकांत द्विवेदी के द्वारा मात्र वर्ष 2016–17 के ही अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए। शेष वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि खाता संख्या 50045071320 इलाहाबाद बैंक शाखा पहाडी से आहरित/हस्तांतरित धनराशि से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरण पत्र (स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट) प्रस्तुत रहा जिससे वर्षवार/आहरित/हस्तांतरित धनराशि का विवरण निम्नवत् रहा।

वर्ष 2014–15

क्र0	दिनांक	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1	03.04.2014	रेखा सिंह	011282	5000.00
2	05.04.2014	रमाकान्त	011281	15000.00
3	11.04.2014		011283	6490.00
4	06.05.2014	सूर्यभान	011284	5000.00
5	06.05.2014	सूर्यभान	011285	5000.00
6	17.05.2014	रेखा सिंह	011287	5000.00
7	23.05.2014	गेदेपाल	011286	5000.00
8	26.05.2014	नीलमनी सिंह	011288	50000.00
9	02.06.2014	रमाकांत	011289	5000.00
10	11.06.2014	मेढेलाल	011292	5000.00
11	12.06.2014		011291	15000.00
12	17.06.2014		011290	40000.00
13	21.06.2014		011293	30000.00
14	30.07.2014	रेखा सिंह	011294	5000.00
15	08.11.2014		011298	6000.00
16	08.11.2014		011296	20000.00
17	11.11.2014	मेढेलाल	011299	5000.00
18	19.11.2014		011297	15000.00
19	10.12.2014		011300	200000.00
20	10.12.2014		015501	300000.00
21	18.12.2014		015903	200000.00
22	18.12.2014		015902	300000.00
23	20.12.2014	मेढेलाल	015907	5000.00
24	20.12.2014		015905	5000.00
25	22.12.2014	रमाकान्त	015906	8000.00
26	23.12.2014		015908	2000.00

27	31.12.2014		015909	300000.00
28	31.12.2014		015910	100000.00
29	31.12.2014		015904	3272.00
30	12.01.2015		015911	150000.00
31	12.01.2015		015912	300000.00
32	13.02.2015		015913	300000.00
33	13.02.2015		015914	120000.00
		योग–		**2535762.00**

वर्ष 2015–16

क्र0	दिनांक	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1	04.04.2015		015917	105000.00
2	22.04.2015		015916	22600.00
3	22.04.2015		015919	30000.00
4	22.04.2015		015918	250000.00
5	22.04.2015		015920	30000.00
6	29.04.2015		019483	104000.00
7	29.04.2015		019482	32350.00
8	01.05.2015		019481	40000.00
9	14.05.2015		019487	130000.00
10	15.05.2015		019484	50000.00
11	15.05.2015		019485	40000.00
12	15.05.2015		019486	10000.00
13	20.05.2015		019490	50000.00
14	20.05.2015		019491	15000.00
15	26.05.2015	मंगल सिंह	019493	30000.00
16	26.05.2015	मंगल सिंह	019494	3000.00
17	29.05.2015		019489	13500.00
18	03.06.2015	मंगल	019497	50000.00
19	03.06.2015	मंगल	019496	35000.00
20	05.06.2015	साक्षी गोपाल	019492	4500.00
21	05.06.2015		019498	103000.00
22	12.06.2015		019488	2000.00
23	16.06.2015		019500	15000.00
24	16.06.2015		019499	50000.00
25	22.06.2015	नीलमणी सिंह	016702	50000.00
26	24.06.2015		016703	50000.00
27	27.06.2015		016704	20000.00
28	27.06.2015		016705	5000.00
29	06.07.2015	मंगल सिंह	016706	5000.00
30	10.07.2015		016707	20000.00
31	11.07.2015		016701	15000.00
32	14.07.2015	मंगल सिंह	016720	20000.00
33	03.08.2015	मंगल	016710	107000.00
34	10.08.2015		016708	25000.00
35	04.09.2015		016712	14000.00
36	09.09.2015		016711	40000.00
37	10.09.2015	प्रशांत	016713	2000.00
38	16.10.2015		016716	25000.00
39	19.10.2015		016715	30000.00
40	19.10.2015		016717	30000.00
41	19.10.2015		016718	30000.00
42	27.10.2015		000302	23750.00
43	29.10.2015	मंगल सिंह	000301	41000.00

44	15.03.2015		000304	13000.00
45	16.03.2015		000303	27000.00
46	21.03.2015		000305	20000.00
योग–				**1827700.00**

उपरोक्त आहरित/हस्तान्तरित धनराशि 4363462 की पुष्टि में कैशबुक व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र एवं अन्य पुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत न रहने से हस्तांतरित/आहरित धनराशि 4363462 अपहरित प्रतीत होती है।

उपर्युक्त हस्तान्तरित/आहरित धनराशि के अभिलेख न बनाये जाने हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के साथ–साथ सहायक विकास अधिकारी (पं0) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी भी जिम्मेदार रहे क्योकि विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कोई निरीक्षण नही किया गया।

अतः आहरित/हस्तान्तरित धनराशि 4363462.00 की वसूली भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा सिंह से रू0 2181731.00 व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चन्द्रभान सिंह से रू0 2181731.00 से ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0–1)

28– ग्राम पंचायत–तिलौली, विकासखण्ड–मऊ <u>**वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**</u>

प्रस्तर 31–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में निम्न कार्यो हेतु क्रय सामग्री की उपयोगिता की पुष्टि में मास्टर रोल दिनांक 31.03.2017 तक नही दर्शाये गये थे, न ही क्रय सामग्री का लेखा प्रस्तुत स्टाक रजिस्टर में दर्शित था। स्पष्ट है कि निम्न कार्यो हेतु क्रय सामग्री की धनराशि रू0 153846.00 को कैशबुक में फर्जी दर्शित कर तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अम्बरीश त्रिपाठी व ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकली द्वारा अपहरण किया गया है। अतः दोनो से ब्याज सहित राशि वसूल किया जाना अपेक्षित है–

तिथि	धनराशि	कार्य का विवरण
02.05.2015	11706.00	पंचायत भवन के सामने पुलिया मरम्मत हेतु क्रय सामग्री।
01.11.2015	71032.00	बाबूलाल के घर से उदय मोहन के घर तक नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
03.11.2015	71108.00	बाबूलाल के घर से उदय मोहन के घर तक नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
योग–	153846.00	

(मू0आ0सं0–03)

2– शासनादेश संख्या–10/2015/ए–1–502(1)/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि को बैंक खातों में जमा करने पर यदि ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है तो इसे संस्था की आय नही माना जायेगा एवं ब्याज की सम्पूर्ण राशि को कोषागार में जमा कराया जायेगा। वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में 2015–16 में रू0 35289.00 एवं 2016–17 में रू0 53880.00 की राशि प्राप्त हुयी, जिसे कोषागार में जमा नही कराया गया। अन्यथा की स्थिति में ब्याज राशि को व्यय कर दुरूपयोग की संभावना है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम एवं वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जिम्मेदार होगे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–4)**

29– ग्राम पंचायत–सिकरौ, विकासखण्ड–मऊ <u>**वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**</u>

प्रस्तर 32–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में निम्न कार्यो हेतु क्रय सामग्री की उपयोगिता की पुष्टि में मास्टर रोल 31. 03.2017 तक नही दर्शाये गये थे, न ही क्रय सामग्री का लेखा प्रस्तुत स्टाक रजिस्टर में दर्शित था। स्पष्ट है कि निम्न कार्यो हेतु क्रय सामग्री की धनराशि रू0 183857.00 को कैशबुक में फर्जी दर्शित कर ग्राम प्रधान श्रीमती सुलेखा देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामभरोस द्वारा अपहरण किया गया है। अतः दोनो से आधा–आधा ब्याज सहित राशि वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है–

तिथि	**चेक संख्या**	**धनराशि**	**कार्य का विवरण**
03.01.2017	10255	52945.00	प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0विद्या0 में शौचालय निर्माण सामग्री क्रय
06.02.2017	10260	76093.00	प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0विद्या0 की मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
06.02.2017	10261	54819.00	प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0विद्या0 की मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
योग–		**183857.00**	

(मू0आ0सं0–3)

30– ग्राम पंचायत–कोटरा खम्भा, विकासखण्ड–मऊ <u>**वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**</u>

प्रस्तर 33– वर्ष 2015–16 की प्रस्तुत कैशबुक में पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती शशि त्रिपाठी को निम्नानुसार मानदेय देना दर्शित है विवरण निम्नवत् है–

तिथि	धनराशि	विवरण
24.09.2015	27750.00	रू0 750.00 प्रतिमाह की दर से नवम्बर 2010 से नवम्बर 2013 तक कुल 37 माह का मानदेय
24.09.2015	82500.00	रू0 2500.00 प्रतिमाह की दर से दिसम्बर 2013 से अगस्त 2015 तक कुल 33 माह का मानदेय

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 24.09.2015 को रू0 82500.00 का जो मानदेय भुगतान किया गया है वह 82500.00 रू0 नही होता है क्योकि दिसम्बर 2013 से अगस्त 2015 तक कुल माह की गणना 21 होती है, जिसका मानदेय 2500X21=52500.00 रू0 होते है। अतः स्पष्ट है कि रू0 82500–52500=30000.00 का अधिक मानदेय भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती शशि त्रिपाठी को किया गया है। अतः राशि 30000.00 पूर्व प्रधान श्रीमती शशि त्रिपाठी व तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कालिन्दा प्रसाद, दोनो से आधा–आधा ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–3)**

31–ग्राम पंचायत–खण्डेहा, विकासखण्ड–मऊ **<u>वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17</u>**

प्रस्तर 34– शासनादेश संख्या–10/2015/ए–1–502(1)/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि को बैंक खातों में जमा करने पर यदि ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है तो इसे संस्था की आय नही माना जायेगा एवं ब्याज की राशि को कोषागार में जमा कराया जायेगा। वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में 125064.00 रू0 आय प्राप्त हुयी जिसे कोषागार में जमा नही किया गया है जो कोषागार में जमा कराया जाना था। अन्यथा की स्थिति में ब्याज राशि को व्यय कर दुरूपयोग किये जाने की संभावना है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी व वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जिम्मेदार होंगे। **(मू0आ0सं0–3)**

32– ग्राम पंचायत–हटवां, विकासखण्ड–मऊ **<u>वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17</u>**

प्रस्तर 35–वर्ष 2015–16 की प्रस्तुत कैशबुक में निम्नतिथियों में ग्रामनिधि खाता संख्या 59001097527 से धन का आहरण किया गया। किन्तु आहरित धन को कैशबुक के व्यय पक्ष में मद का उल्लेख न कर मात्र चेक संख्या व चैक की धनराशि ही अंकित की गई है, इस प्रकार आहरित धन राशि रू0 216758.00 को कैशबुक के व्यय पक्ष में फर्जी दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती शकुंतला देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकिशोर द्विवेदी द्वारा अपहरण किया गया। अतः उक्त धनराशि दोनो से आधा–आधा ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है–

तिथि	चेक संख्या	आहरित धनराशि
03.06.2015	007654	12500.00
11.06.2015	007655	15200.00
11.06.2015	007656	5464.00
26.06.2015	007657	123165.00
26.06.2015	007658	9660.00
26.06.2015	007659	8503.00
15.07.2015	007660	23250.00
16.07.2015	007661	3000.00
30.07.2015	007663	9016.00
01.08.2018	007664	7000.00
योग–		**216758.00**

(मू0आ0सं0–3)

33– ग्राम पंचायत–कटैया डांडी, विकासखण्ड–मऊ **<u>वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17</u>**

प्रस्तर 36– आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ग्राम निधि 1 खाता संख्या 59001109602 इलाहाबाद बैंक मऊ से निम्न तिथियों में आहरित धनराशि को कैशबुक में व्यय नही अंकित किया गया है, न ही प्रिया साफ्ट ही कराया गया है। इस प्रकार से रू0 48546.00 खाते से आहरित कर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दोनो के द्वारा अपहरण किया गया है। अतः ग्राम प्रधान श्री दिनेश सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामकुमार दोनो से आधे–आधे धन की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है–

तिथि	चेक संख्या	आहरित धनराशि
01.08.2016	007236	26100.00
01.08.2016	007237	4872.00
01.08.2016	007238	17574.00

(मू0आ0सं0–3)

34– ग्राम पंचायत–मऊ, विकासखण्ड–मऊ **<u>वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17</u>**

प्रस्तर 37– शासनादेश संख्या–10/2015/ए–1–502(1)/दस–2015–10(33) 2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि को बैंक खातों में जमा करने पर यदि ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है तो इसे संस्था की आय नही माना जायेगा एवं ब्याज की राशि को कोषागार में जमा कराया जायेगा। वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में वर्ष 2015–16 में रू0 42342.00 एवं वर्ष 2016–17 में रू0 78234.00 रू0 आय प्राप्त हुयी, जिसे कोषागार में जमा नही किया गया है जिसे कोषागार में जमा कराया जाना था। अन्यथा की स्थिति में ब्याज राशि को ब्यय कर दुरूपयोग किये जाने की संभावना है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रश्मि द्विवेदी व वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रूपनारायण जिम्मेदार होगे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–3)**

35– ग्राम पंचायत–बरगढ, विकासखण्ड–मऊ **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 38– शासनादेश संख्या–10/2015/ए–1–502(1)/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि को बैंक खातों में जमा करने पर यदि ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है तो इसे संस्था की आय नही माना जायेगा एवं ब्याज की राशि को कोषागार में जमा कराया जायेगा। वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में क्रमशः 22929.00 रू0 एवं 54391.00 रू0 कुल ब्याज राशि 77320.00 आय प्राप्त हुयी जिसे कोषागार में जमा नही किया गया है जो कोषागार में जमा कराया जाना था। अन्यथा की स्थिति में ब्याज को व्यय कर दुरूपयोग की संभावना है, जिसके लिए श्रीमती शकुन देवी, ग्राम प्रधान एवं वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामकुमार जिम्मेदार होंगे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0–3)

36– ग्राम पंचायत–करौदीकला, विकासखण्ड– रामनगर **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 39– लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में शासन से प्राप्त अनुदान (14 वां वित्त/राज्य वित्त/अंत्येष्टि स्थल) का आय पक्ष में लेखा एवं ग्राम निधि खाता संख्या 50046830016 में जमा पश्चात् खाते से अहरित/हस्तान्तरित धनराशि कैशबुक के व्यय–पक्ष में निर्माण एवं मरम्मत कार्य में प्रयुक्त सामग्री एवं श्रामिको को तथा अन्य सामग्री क्रय कर सम्बन्धित को भुगतान किया गया लेखा मदवार निम्न प्रकार दर्शित था।

क्र0	मद	सामग्री पर	श्रम पर	हस्तान्तरित
1	हैण्डपम्प मरम्मत	95050.00	53500.00	
2	इण्टर लाकिंग खण्डजा	910022.00	114616.00	
3	चरही निर्माण	59168.00	9744.00	
4	विद्यालय फर्श, छत, बाउण्ड्री तथा शौचालय मरम्मत	139850.00	30010.00	
5	अंत्येष्टि स्थल	1202568.00	476408.00	
6	पेयजल व्यवस्था	98460.00	49500.00	
7	प्रशासनिक व्यय	49392.00	46000.00	97410.00
	योग	2554510.00	779778.00	97410.00

उपर्युक्त सामग्री एवं श्रम पर भुगतानित धनराशि रूपया 3334288.00 की पुष्टि में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही रहे।

1– व्यय–प्रमाणक
2– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
3– अचल सम्पत्ति का रजिस्टर
4– स्टाक रजिस्टर
5– एम0बी0
6– परिसम्पत्ति रजिस्टर
7– निर्माण रजिस्टर

उपर्युक्त अभिलेख, अहरित/हस्तान्तरित धनराशि रूपया 3334288.00 की पुष्टि में प्रस्तुत न रहने से रू0 3334288.00 दुरूपयोगित/अनियमित प्रतीत होती है। अतः रू0 3334288.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान एवं श्री सुरेश चन्द्र ग्रा0पं0वि0 अधिकारी से अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–3)**

37– ग्राम पंचायत–रेरूवा, विकासखण्ड– रामनगर **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17**

प्रस्तर 40– लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वर्ष 2015–2016 की कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में कराये गये निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य पर हुए व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा किये का लेखा, मदवार निम्न प्रकार रहा–

क्र0	**मद**	**संख्या**	**सामग्री**	**श्रम**	**हस्तान्तरित**
1	हैण्डपम्प मरम्मत	–	127360.00	15325.00	
2	नाली निर्माण	2	58980.00	15972.00	
3	नाली एवं खण्डजा मरम्मत (बुधवल में)		28500.00	31986.00	
4	मोरंग	–	72020.00	–	
5	पंचायत भवन मरम्मत	–	73795.00	13055.00	
6	मानदेय प्रधान	–	–	4500.00	
7	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	–	–	–	20758
		योग–	**360655.00**	**80838.00**	**20758.00**

उपरोक्तानुसार सामग्री और श्रम पर भुगतानित धनराशि कुल रूपया 441493.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख अप्रस्तुत रहे।

1– व्यय प्रमाणक (रसीद एवं मास्टर रोल)
2– स्टाक रजिस्टर (सामग्री एवं निस्प्रियोज्य सामग्री (हैण्डपम्प मरम्मत से प्राप्त)

3– कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र
4– अचल सम्पत्ति का रजिस्टर
5– मानदेय रजिस्टर

उपरोक्त अभिलेख अप्रस्तुत रहने के सामग्री एवं श्रम पर भुगतानित धनराशि रू0 441493.00 अपहरित प्रतीत होती है जिसकी ब्याज सहित वसूली रूपया 220746.50 श्री श्रीनारायण सचान ग्रा0पं0 वि0 अधिकारी रूपया 177321.50 भूतपूर्व ग्रा0 प्रधान एवं रूपया 43425.00 श्री सन्तोष कुमार ग्राम प्रधान से विभागीय नियमानुसार अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0–12)

38– ग्राम पंचायत–चर, विकासखण्ड–मानिकपुर **<u>वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17</u>**

प्रस्तर 41– लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक वर्ष 2016–2017 की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि माह मार्च 2017 में क्रय सामग्री सी0सी0 ब्लाक इण्टर लाकिंग एवं नाली निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार का उपभोग वर्षान्त समाप्ति तक (31.03.2017) नही किया गया था।

क्र0	**विवरण**	**सामग्री क्रय का मूल्य**
1	मुन्नी लाल के घर से बल्लू के घर तक	137000.00
2	बल्लू के दरवाजे से श्याम उपाध्यय तक	114796.00
3	सन्तोष द्विवेदी के घर से चन्द्रशेखर के घर तक	160090.00
	योग–	**411886.00**

प्रस्तुत स्टाक रजिस्टर अन्तर्गत उपरोक्त भुगतानित धनराशि के सापेक्ष क्रय सामग्री का लेखा नही किया गया था, जिससे प्रतीत होता है कि बिना निर्माण सामग्री प्राप्त किये सम्बन्धित पक्ष को उसके द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान कर ग्राम पंचायत को शासन से प्राप्त अनुदान विकास कार्यो हेतु का दुरूपयोग कर ग्राम पंचायत को रू0 411886.00 की क्षति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा पहुँचाई गई क्षति की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से श्री मेडेलाल ग्रा0पं0वि0 अधिकारी एवं श्री राजनारायण ग्राम प्रधान से अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–12)**

39– ग्राम पंचायत–बगरेही, विकासखण्ड–मानिकपुर **<u>वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17</u>**

प्रस्तर 42– लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक राज्य वित्त आयोग एवं 14 वां वित्त आयोग की वर्ष 2016–17 में माह जुलाई 2016 एवं अगस्त 2016 के व्यय पक्ष में निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित को ग्राम निधि खाता संख्या 59001201993 जो इलाहाबाद बैंक में प्राप्त अनुदान जमा कर उससे अहरित/हस्तान्तरित कर भुगतानित का लेखा किया गया था।

दिनांक	**विवरण**	**भुगतानित**
05.07.2016	बाल्मीकी नदी की सफाई में जे0सी0बी0 मशीन का किराया	80750.00
	नदी से निकले मलवे को हटाने में प्रयुक्त ट्रेक्टर का किराया	24000.00
25.07.2016	बाल्मीकी नदी की सफाई में जे0सी0बी0 का किराया	4350.00
	मलवे को हटाने में ट्रैक्टर किराया	4500.00
06.08.2016	टैकर क्रय	98500.00
	योग–	**212100.00**

उपरोक्त भुगतान के क्रम में निम्न आपत्ति पायी गई।

1– ग्राम पंचायत के कार्यो में मशीनरी का प्रयोग वर्जित के बाद भी मशीनरी (जे0सी0बी0 एवं ट्रैक्टर) का प्रयोग किया गया था।

2– जे0सी0बी0 एवं ट्रेक्टर को किराये के रूप में भुगतानित कुल धनराशि क्रमशः 85100, 28500 की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नही थी।

3– पेयजल व्यवस्था हेतु क्रम टैंकर का प्रयोग (वर्षान्त तक) नही किया गया था।

4– अगर किया गया होता तो टैंकर में जल भरने का टैंकर को ग्राम पंचायत के पुरवा में लाने एवं ले जाने में ट्रैक्टर का किराया तथा हेल्पर को उसके श्रम के बाद ले परिश्रामिक का भुगतान करना पडता जो 2016–17 में शून्य पाया गया।

5– टैंकर क्रम में रूप में भुगतानित धनराशि 98500 की पुष्टि में प्राप्ति रसीद एवं वाउचर प्रस्तुत नही था।

6– ग्राम पंचायत के कार्यो में मशीनरी प्रयोग हेतु प्रयोग से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नही थी।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि सम्बन्धित पक्ष को भुगतानित धनराशि रू0 212100.00 ग्राम प्रधान एवं ग्रा0प0वि0 अधिकारी द्वारा अपहरित प्रतीत होती है जिसकी विभागीय संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली श्री श्लोक कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री वीरेन्द्र सिंह ग्रा0पं0वि0 अधिकारी से अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–12)**

40– ग्राम पंचायत–अहिरा, विकासखण्ड–मानिकपुर

<u>वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17</u>

प्रस्तर 43– लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक वर्ष 2016–2017 राज्य वित्त आयोग एवं 14 वां वित्त आयोग की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मनराखन के घर से राधेश्याम के घर तक खण्डजा निर्माण पर प्रयुक्त सामग्री का दिनांक

18.02.2018 को रूपया 87872.00 एवं दिनांक 07.03.2018 को रू0 50611.00 तथा निर्माण कार्य में श्रम के बदले श्रामिको को रू0 12400.00 दिनांक 23.03.2018 को भुगतान किया गया दर्शित था।

खण्डजा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की भुगतानित धनराशि रू0 138483.00 एवं श्रमिको को भुगतानित रूपया 12400.00 पर निम्न आपत्ति पायी गयी।

1– ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही था।
2– सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही थी।
3– स्टोर पंजिका अनुपलब्ध रहने से क्रय सामग्री के लेखांकन की स्थिति अज्ञात थी।
4– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 प्रस्तुत नही थी।
5– एक किलोमीटर खण्डजा निर्माण पर श्रम का अंश 31.88 एवं सामग्री अंश 68.62 होना चाहिए कि विरूद्ध सामग्री पर अधिक व्यय किया गया था।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि मनराखन के घर से राधेश्याम के घर तक खण्डजा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं श्रमिको को भुगतानित धनराशियों 150883.00 के फर्जी प्रमाणक रखकर ग्राम पंचायत में फर्जी विकास कार्य दर्शाकर धन का अपहरण ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा किया गया था जिसकी विभागीय ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से श्री बालगोविन्द ग्रा0प0वि0अधिकारी एवं श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0–12)

41–ग्राम पंचायत–घुरेहटा, विकासखण्ड– रामनगर

आपत्ति पत्र वर्ष 2016–17

प्रस्तर 44– ग्राम पंचायत को शासन से प्राप्त अनुदान (14 वां वित्त/राज्य वित्त) खुले ग्राम निधि संख्या 50046812269 में जमाकर उससे आहरित/हस्तन्तरित धनराशियों का कैशबुक के व्यय पक्ष में किया लेखा, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक से निम्न मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित निम्न प्रकार था–

क्र0	मद	सामग्री	श्रम	सटरिंग	प्रशासनिक
1	हैण्डपम्प मरम्मत	208240.00	12000.00		
2	चरही निर्माण	61980.00	12030.00		
3	रास्ता सफाई	–	23448.00		
4	पंचायत भवन निर्माण	414500.00	239230.00	13700.00	
5	प्रा0वि0 घुरेहटा में फर्श एवं शौचालय मरम्मत	82757.00	58950.00		
	नाली एवं फील्ड भराई	–	9744.00		
6	नाली निर्माण				
	1– भुल्ले यादव के दरवाजे से फूलचन्द्र के दर तक	206316.00	53720.00		
	2– सुखनन्दन कोरी के दर से बाबू लाल कोरी के घर तक	214210.00	–		
	3– रामप्रकाश के घर से कुआ तक	153272.00	19698.00		
	4– सुनील पाण्डे के घर से राममूरत के घर तक	112021.00	14352.00		
	5–रामकल्याण के घर से जगदीश के घर तक	36501.00	4680.00		
	6–सुखलाल के घर से तिराई तक	17688.00	–		
	7– दिनांक 13.02.2018 को	147210	–		
7	प्रशासनिक व्यय				100500.00
	हीरा लाल पत्रकार	5000.00			
	भाडा सामान ढुलाई	5000.00			
	कूडा गाडी	7500.00			
	आलमारी, बक्सा	7500.00			
	डी0पी0आर0ओ0	1000.00			
	मानदेय प्रधान (पूर्व) 12 माह		30000.00		
	मानदेय प्रधान (वर्तमान) जून से दिसम्बर		42000.00		
8	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)				71396.00
9	बैंक द्वारा				400
	योग–	**1654695.00**	**447852.00**	**13700.00**	**172296.00**

उपरोक्त पर निम्न आपत्तियॉ पाई गई–

1– उपरोक्त भुगतानित धनराशि (सामग्री, श्रम, सटरिंग एवं प्रशासनिक व्यय अन्तर्गत) रू0 2216747.00 के बिल/वाउचर/मास्टर रोल प्रस्तुत नही रहा।
2– स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न रहने से क्रय सामग्री का लेखाकन की स्थिति अज्ञात।

3– हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् प्राप्त डिस्पोजल सामग्री का स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही रहा।
4– नाली निर्माण क्रमांश 06 में (2,6,7) पर सामग्री क्रय के सापेक्ष श्रम शून्य रहा।
5– उ0प्र0 पंचायत राज नियमावती 1947 के नियम संख्या 209 के तहत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही रहा।
6– सामग्री क्रय में शासनादेश संख्या ए–1–864(1)/दस–2008–15(1)86 दिनांक 23.09.2008 के पालन की स्थिति (अप्रस्तुत) अज्ञात रही।
7– निर्माण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, एम0बी0, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, मानदेय रजिस्टर एवं कार्यवाही आदि अप्रस्तुत रहे।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि प्रस्तुत कैशबुक के व्यय–पक्ष में सम्बन्धित पर भुगतानित धनराशि रू0 2216747.00 नगद/हस्तान्तरित के रूप में दुरूपयोगित/अनियमित प्रतीत होती है।

अतः रूपया 2216747 की ब्याज सहित वसूली विभागीय संयुक्त रूप से श्री सनत कुमार ग्रा0प0वि0 अधि0 एवं श्री रामबरन सिंह ग्राम प्रधान से अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–3)**

42– ग्राम पंचायत–रैपुरा, विकासखण्ड–मानिकपुर

वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17

45– लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक वर्ष 2016–17 (14वां वित्त एवं राज्य वित्त) में शासन से प्राप्त अनुदान, खुले ग्राम निधि खाता संख्या 59001201824 (इलाहाबाद बैंक) में जमा कर उससे अहरित/हस्तान्तरित धनराशि का लेखा, व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो पर किया गया था जो मदवार निम्न प्रकार रहा।

क्र0	विवरण (मदवार)	सामग्री	श्रम
1	हैण्डपम्प मरम्मत	257548.00	67300.00
2	चरही निर्माण	268452.00	51792.00
3	पेयजल व्यवस्था		
	1– टैंकर	75000.00	
	2– टायर	39375.00	
	3– समर सेबुल पम्प	22465.00	
	4– पेयजल टंकी निर्माण	55153.00	10638.00
	5– भैरम बाबा तालाब भराई		8526.00
	6– पोखरी तालाब भराई		1450.00
4	ईट नाली निर्माण		
	1– रामसनेही के घर से बाबा तालाब तक	85010.00	17598.00
	2– सीताराम तिवारी से जगत नरायन गुप्ता के घर तक	85185.00	17598.00
	3– ज्योति स्वरूप के घर से गीता के घर तक	85185.00	17598.00
5	इण्टर लाकिंग खण्डजा निर्माण		
	1– जे0एम0रोड से स्व0 गया प्रसाद नर्सरी तक	142049.00	16206.00
	2– शिवशंकर द्विवेदी के घर से प्रेमशंकर द्विवेदी के घरतक	141129.00	16032.00
	3– राजगोपाल के घर से ननका के घर तक	37425.00	6276.00
	4– अंशु के घर से राम प्रताप के घर तक	66394.00	3288.00
6	घाट निर्माण भैरम बाबा ताला पर	84789.00	25104.00
7	प्रकाश व्यवस्था (खम्भो पर स्ट्रीट लाइट)	215002.00	
8	विद्यालय मरम्मत		
	1– पू0मा0वि0 रैपुरा	94468.00	68178.00
	2– प्रा0वि0 रैपुरा	112473.00	38352.00
	3– प्रा0वि0 गहोराखास	105998.00	11334.00
	4– प्रा0वि0 गहोराखास में वाउण्ड्री निर्माण	199791.00	41184.00
9	पुलिया निर्माण (बकरौहा रोड पर आर0सी0सी0 पुलिया	147916.00	50532.00
10	प्रशासनिक व्यय		
	1– फोटोकापी एवं स्टेशनरी		35900.00
	2– पंचायत भवन हेतु	60500.00	
	3– मानदेय ग्राम प्रधान		25000.00
	4– विडियो कैमरा एवं प्रिया साफ्ट	21990.00	3000.00
	योग–	**2403297.00**	**532886.00**

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रू0 2936183.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नही रहे।
1– ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव।
2– सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति।
3– स्टोर पंजिका एवं स्टाक रजिस्टर।

4– परिसम्पत्ति रजिस्टर।
5– कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0।
6– बिल/बाउचर एवं मास्टर रोल।

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से भुगतानित रू0 2936183.00 दुरूपयोगित/अनियमित प्रतीत होता है। जिसकी विभागीय संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली श्री रामशरण राही ग्रा0पं0वि0 अधिकारी एवं श्रीमती कृष्णा देवी ग्राम प्रधान से अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–3)**

43– ग्राम पंचायत–बरिया, विकासखण्ड–रामनगर

वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17

46– ग्राम पंचायत को शासन से प्राप्त अनुदान (14वां वित्त/राज्य वित्त) इलाहाबाद बैंक शाखा रामनगर में खुले ग्राम निधि खाता संख्या 50046757635 में जमाकर उससे अहरित/हस्तन्तरित धनराशियों को कैशबुक के व्यय–पक्ष में किया लेखा, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक में मदवार सामग्री एवं श्रम पर भुगतानित निम्न प्रकार था।

क्र0	मदवार विवरण	सामग्री	श्रम	हस्तान्तरित
1	हैण्डपम्प मरम्मत	200500.00	18000.00	
2	इण्टर लाकिंग खडण्जा			
	1– श्रीकेशन के घर से होरिल के घर तक	222147.00	19180.00	
	2– मैकू के घर से दुखी के घर तक	253748.00	21820.00	
3	सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी पुराई एवं घूर सफाई	–	9872.00	
4	चरही निर्माण	100000.00	–	
5	शौचालय एवं भवन तथा फर्श मरम्मत			
	1– शौचालय हेतु	74250.00	2762.00	
	2– शौचालय प्रा0वि0	84026.00	4872.00	
	3– शौचालय पू0मा0वि0	62500.00	28100.00	
	4– फर्श प्रा0वि0	93631.00		
	5– फर्श पू0मा0वि0	49500.00	31270.00	
6	प्रकाश व्यवस्था सोलर लाइट	186808.00		
7	पेयजल व्यवस्था			
	1– टैंकर	98460.00		
	2– पानी भराई एवं सप्लाई		24000.00	
8	आंगन बाडी केन्द्र मरम्मत		2950.00	
9	प्रशासनिक व्यय			
	1– सफाई ट्राली	15000.00		
	2– स्टेशनरी	5340.00		
	3– सामान्य कर (डी0पी0आर0ओ0)		1000.00	
	4– मानदेय		15000.00	
	5–फोटोस्टेट		3000.00	
10	1– सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	–	–	65275.00
	2– ग्राम पंचायत	–	–	181943.00
	3– बैंक द्वारा	–	–	480.00
	योग–	**1445910.00**	**181826.00**	**247698.00**

उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रामिको को श्रम के रूप में भुगतानित धनराशि रू0 1627736.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नही रहे।

1– बिल/बाउचर/मास्टर रोल।
2– स्टाक रजिस्टर।
3– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम0बी0
4– सामग्री क्रम में आमंत्रित कोटेशन टेण्डर का तुलनात्मक एवं आमंत्रित कोटेशन।
5– परिसम्पत्ति रजिस्टर
6– निर्माण रजिस्टर
7– मानदेय रजिस्टर
8– सक्षम अधिकारी की स्वीकृति

उपरोक्त अभिलेख भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत न रहने से रू0 1627736.00 अनियमित/दुरूपयोगित प्रतीत होता है।

अतः रू0 1627736.00 की वसूली संयुक्त रूप से श्री सुरेश चन्द्र ग्रा0पं0वि0 अधिकारी एवं श्री राजाराम ग्राम प्रधान से आधा–आधा ब्याज सहित अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0–3)**

प्रारूप–04

जनपद–हमीरपुर   मण्डल का नाम – चित्रकूट धाम, बांदा।

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां वर्ष 2016–17

प्रस्तर सं0–1 :– ग्राम पंचायत कण्डौर में दिनांक– 01.04.2015 से पूर्व वर्ष 2014–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा मे नही प्रस्तुत किये गये है। जिसके सम्बन्ध में वर्तमान प्रधान/सचिव पूर्व सचिव से अभिलेख अप्राप्त रहने का प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा मे दिया गया है। वर्ष 2015–16 मे निम्न चेकों का भुगतान हुआ है। जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार की जाती है उन चेको का लेखा कैशबुक मे नही पाया गया है। सम्बन्धित चेकें वर्ष 2014–15 की (अनक्लीयर) चेक हो सकती है। वर्ष 2014–15 का अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है जिसके लिये पूर्व प्रधान लाखन व तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री कृपाराम तिवारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।

अस्तु श्री लाखन पूर्व प्रधान से रू0– 57,300.00 व सचिव श्री कृपाराम तिवारी से 57,300.00 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	चेक भुगतान की तिथि	चेक नं0	धनराशि
1	08.04.2015	017200	10,000.00
2	18.04.2015	002851	41,600.00
3	27.04.2015	002852	41,600.00
4	28.04.2015	002853	18,400.00
5	06.05.2015	0017197	2,000.00
6	21.05.2015	0017198	1,000.00
			1,14,600.00

प्रस्तर सं0–2 :– ग्राम पंचायत कनौटा में वर्ष 2015–16 आलोच्य वर्ष में निम्न प्रकार विवरणानुसार चेकों को कैश बुक से आहरण किया गया किन्तु कैश बुको मे चेकों की धनराशि कम/अधिक दर्शाकर कुल अन्तर की धनराशि/स्टाक का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमतीभगवन पाल से रू0– 29,500.00 व श्री अरूण कुमार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से 29,500.00 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

तिथि	**चेक सं0**	**बैंक से आहरण**	**कैशबुक मे दर्ज**	**अन्तर**
09.06.2015	4763	25,000.00	5,000.00	(–) 20,000.00
25.06.2015	4764	15,000.00	5,000.00	(–) 10,000.00
25.06.2015	4765	15,000.00	5,000.00	(–) 10,000.00
01.07.2015	4772	35,000.00	15,000.00	(–) 20,000.00
15.11.2015	22282	35,000.00	36,000.00	.() 1,000.00
			योग –	**59,000.00**

प्रस्तर सं0–3 :– ग्राम पंचायत कनौटा में दिनांक– 31.08.2015 का शेष रोकड़ निम्न विवरणानुसार रू0– 37,000.00 कम अवशेष दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमतीभगवन पाल से रू0– 18,500.00 व श्री अरूण कुमार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से 18,500.00 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

कैशबुक के अनुसार		**लेखा परीक्षा के अनुसार**	**अन्तर (वसूली योग्य)**
08/15 माह की आय	9,71,958.00	10,08,958.00	37,000.00
08/15 माह की व्यय	8,26,584.00	8,26,584.00	
शेष रोकड़	1,45,374.00	1,82,374.00	37,000.00

इस प्रकार रू0– 37,000.00 रोकड़ अवशेष का अपहरण किया गया है।

प्रस्तर सं0–4 :– ग्राम पंचायत कनौटा में दिनांक– 01.12.2015 को रोकड़ अवशेष रू0– 27,988.00 दर्शाया गया था दिनांक– 02.12.2015 को कुमार मशीनरी स्टोर कुरारा से रू0– 27,988.00 हैण्डपम्प सामग्री क्रय का नकद भुगतान दर्शाया गया जिस व्यय मे निम्न गम्भीर अपात्तियां पायी गयी है।

(1)सामग्री क्रय का भुगतान नकद किया गया है। पंचायत चुनाव अधिसूचना का समय था।

(2)पूर्व प्रधान द्वारा स्टाक क्रय दर्शाया गया किन्तु हैण्डपम्प मजदूरी उनके कार्यकाल मे कैश बुक मे नही पड़ी है। स्टाक बुक भी अप्राप्त रही है।

अस्तु पूर्व प्रधान श्रीमती भगवन पाल चुनाव के बाद नवनियुक्त प्रधान श्रीमती सरोजनी पाल को रू0– 27,988.00 चार्ज न देकर फर्जी हैण्डपम्प सामग्री नकद क्रय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये प्रधान च सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः श्रीमती भगवन पाल पूर्व प्रधान से रू0– 13,994.00 की अरूण कुमार ग्रा0प्र0/वि0अ0 से रू0– 13,994.00 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–5 :– ग्राम पंचायत सिकरोढ़ी में आलोच्य वर्ष 2014–15 मे निम्न चेकों की धनराशि बैंक से आहरित की गयी है। किन्तु कैशबुक में, भुगतान चेको की धनराशि का अंकन आय/व्यय पक्ष मे नही पाया गया है न ही आहरण की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/निर्माण स्टाक रजिस्टर भी नही प्रस्तुत किये गये है। अस्तु आहरित धनराशि रू0– 2,82,010.00 नकद/निर्माण सामग्री का स्टाक का अपहरण कर लिया गया है।

तिथि	चेक सं0	आहरित धनराशि जो कैश बुक मे अंकित नही है	निधि I में
06.11.2014	–	6,010.00	जिसके लिये तत्कालीन प्रधान/सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।
20.10.2014	9211	1,50,000.00	
06.02.2015	15609	1,20,000.00	
04.03.2015	–	3,000.00	
27.03.2015	–	3,000.00	
योग –		**2,82,010.00**	

जिसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मुनिया से रू0– 1,41,005.00 व त्तकालीन ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी श्री शिवनरेश से रू0– 1,41,005.00 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–6 :– ग्राम पंचायत सिकरोढ़ी में आलोच्य वर्ष 2014–15 में निम्न विवरणानुसार चेके श्री अरूण कुमार तत्कालीन ग्रा0पं0/विकास अधिकारी के नाम काटी गयी है। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 मे कही भी सचिव को निधि I मे चेक काटे जाने की व्यवस्था नही है।

तिथि	चेक सं0	धनराशि	अभ्युक्ति
12.09.2014	13232	52,650.00	सभी चेक अरूण कुमार के नाम पर काटी गयी, मरम्मत कार्य हेतु।
12.09.2014	13233	52,650.00	
17.09.2014	13234	60,500.00	
17.09.2014	13235	60,500.00	
17.09.2014	13236	30,500.00	
योग –		**2,56,800.00**	

निम्न गम्भीर आपत्तियां :–

1 :– सभी राजकीय कर्मचारी के नाम काटी गयी। किन्तु पंचायत राज नियमावली मे ग्राम प्रधान के पास नकद रखे जाने की व्यवस्था है। (रूपपत्र –6 में)

2 :– सभी चेके रू0– 20,000.00 से अधिक की है।

3 :– सभी चेकें सीरियल से काटकर 5 दिन के अन्दर मजदूरी के नाम पर भुगतान रू0– 2,56,800.00 लिया गया है जो काम न होना प्रदर्शित करता है।

4 :– सभी चेंके चार्ज देने से पूर्व काटी गयी है।

5 :– कैशबुक के व्यय पक्ष में अपलेखन कर के0जी0एन0 ट्रेडर्स कुरारा से सामग्री क्रय का उक्त चेकों का भुगतान दर्ज है

इस प्रकार उक्त चेको का विधि/नियम विरूद्व काटकर फर्जी व्यय दर्शाकर रू0– 2,56,800.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये तत्कालीन प्रधान व सचिव जिम्मेदार है। अस्तु श्री अरूण कुमार तिवारी से रू0– 1,28,400.00 व श्रीमती मुनिया से रू0– 1,28,400.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–7 :– ग्राम पंचायत सिकरोढ़ी में आलोच्य वर्ष 2013–14 मे 01 अप्रैल 2013 से 30 जून 2013 तक कैश बुक का अभिलेख प्रस्तुत किये गये किन्तु 01 जुलाई 2013 से 31 मार्च 2014 तक की कैश बुक व बाउचर लेखा परीक्षा मे नही प्रस्तुत किये जिसका प्रार्थना पत्र अभिलेख न प्राप्त होने का वर्तमान प्रधान व सचिव द्वारा दिया गया है। अभिलेख प्राप्त न होने की दशा में अनियमितता से इन्कार नही किया जा सकता। जिसके लिये तत्कालीन प्रधान/सचिव जिम्मेदार है।

विवरण निम्न प्रकार है :–

दिनांक – 01.04.2013 का प्रा0 अवशेष रू0 –		**3,76,78,118.00**
वर्ष 2013–14 की आय (+)	**–**	**11,57,609.00**
योग	**–**	**15,34,309.00**
वर्ष 2013–14 का व्यय (–1) (–)	**–**	**4,75,720.00**
शेष	**–**	**10,58,589.00**
01 जुलाई 2013 से 31 मार्च 2014 तक के अभिलेख अप्राप्त की धनराशि	**–**	**8,43,345.00**
31 मार्च 2014 को शेष रोकड़ –		**2,15,325.00**

अस्तु रू0– 8,43,345.00 के अभिलेख अनुपलब्धता की दशा में पूर्व प्रधान श्रीमती मुनिया से रू0– 4,21,672.00 व तत्कालीन सचिव श्री अरूण कुमार से रू0– 4,21,673.00 की अनियमितता के लिये ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–8:– ग्राम पंचायत बॉकी में वर्ष 2016–17 के लेखा परीक्षण मे पूर्व प्रधान श्रीमती विशुना का मानदेय रू0– 15,000.00 अधिक दिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री बाबूराम एवं सचिव श्री भार्गव मिश्रा से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है, पूर्व प्रधान का मानदेय निम्न विवरण के अनुसार दिया गया है।

दिनांक	मानदेय	दर	माह
13.03.2014	9,000.00	750.00	12 माह
23.09.2014	9,000.00	750.00	12 माह
26.03.2015	9,000.00	750.00	12 माह
04.08.2015	30,000.00	2,500.00	12 माह
25.08.2016	30,000.00	2,500.00	12 माह
28.07.2016	15,000.00	2,500.00	06 माह

अतः दिनांक– 28.07.2016 मे दिया मानदेय रू0– 15,000.00 अधिक देकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–9 :– ग्राम पंचायत चन्दौखी में शासनादेश सं0–शासनादेश सं0– ए–1–122 / 10–2012–10(33) / 2010 दिनांक– 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि संस्था द्वारा शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक मे रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। अतः ग्राम पंचायत चन्दौखी मे वर्ष 2016–17 मे राज्य वित्त खाते रू0– 30,970.00 शौचालय खाते में रू0– 61,169.00 एवं स्नानागार खातें में रू0– 31,115.00 कुल ब्याज ब्याज रू0– 1,23,274.00 प्राप्त हुआ है। सचिव एवं प्रधान से उक्त ब्याज को शासन को वापस न करके वित्तीय अनियमितता की है। अतः रू0– 1,23,274.00 की राजकोष मे जमा करके चालान की कापी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–10 :– ग्राम पंचायत बॉक मे निम्नलिखित तिथियों में पंकज ट्रेडर्स, सुमेरपुर से हैण्डपम्प सामग्री क्रय दर्शायी गयी है। किन्तु क्रय सामग्री को स्टाक रजिस्टर मे दर्ज कर खारिज नही किया गया था, एवं न ही कैशबुक मे खारिज सामग्री के सापेक्ष मिस्त्री एवं मजदूरों पर हुआ व्यय दर्शाया गया है। हैण्डपम्प सुधराई न दर्शानें से उक्त स्टाक / धनराशि का अपहरण सचिव एवं प्रधान ने किया है। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि
1	14.03.2014	701324	1,10,420.00
2	14.03.2014	701323	1,15,820.00
3	17.03.2014	701326	91,700.00
योग –			**3,17,940.00**

अतः उक्त धनराशि रू0– 3,17,940.00 की ब्याज सहित वसूली पूर्व प्रधान श्री जगभान श्रीवास एवं सचिव श्री रामसेवक वर्मा से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–11 :– ग्राम पंचायत बॉक मे निम्नलिखित तिथियों में सचिव एवं प्रधान ने श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता को भुगतान सी0डी0 बनवाई हेतु किया है। जिसमें साड़ी, कम्बल, शौचालय, आवास हेतु जबकि लेखा परीक्षण मे उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक एवं सी0डी0 प्राप्त नही हुई जिससे दर्शाया गया गया व्यय अधिक एवं अनियमित प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री रामसेवक वर्मा एवं प्रधान श्री जगभान श्रीवास से की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि
1	10.06.2014	702278	33,340.00
2	21.10.2014	705121	26,251.00
		योग –	**59,591.00**

प्रस्तर सं0–12 :– ग्राम पंचायत बॉक मे निम्न तिथियों में घूर सफाई हेतु सचिव एवं प्रधान ने नकद व्यय दर्शाया है एवं भुगतान फर्म मे पंकज ट्रेडर्स सुमेरपुर को किया है जबकि फर्म को भुगतान चेक के माध्यम से किया जाना चाहिये। अतः दर्शाया गया व्यय फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री रामसेवक वर्मा एवं प्रधान श्री जगभान श्रीवास से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	फर्म को नकद भुगतान
1	20.06.2014	702279	25,000.00	पंकज ट्रेडर्स सुमेरपुर
2	16.03.2015	004705	35,000.00	पंकज ट्रेडर्स सुमेरपुर
		योग –	**60,000.00**	

प्रस्तर सं0–13 :– ग्राम पंचायत पौथिया में शासनादेश सं0– ए–1–122 / 10–2013–10(33) / 2010 दिनांक– 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक मे रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष मे जमा कराया जाना चाहिये। वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचयात पौथिया को राज्य वित्त खाता में रू0– 1,37,078.00 ब्याज अर्जित प्राप्त हुआ है जिसे खाते मे रोककर वित्तीय अनियमितता की है। अतः प्राप्त ब्याज रू0– 1,37,078.00 को राजकोष मे जमाकर चालान प्रस्तुत किया अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0—14 :— ग्राम पंचायत भैस्ता में राज्य वित्त खाते में दिनांक 16.03.2017 को वा0सं0 27 से चेक सं0— 005415 से सी0सी0 रोड एवं नाली एल सेप विवरण हीन स्थान के लिए किसान आयरन स्टोर मौदहा से निम्न सामग्री क्रय कर निर्माण कार्य राशि में बिना मजदूरी/बिना कार्य कराये ही सामग्री का उपयोग दर्शाकर अनियमितता की गयी है। जिसका उत्तरदायित्व सचिव श्री महेश साहू एंव प्रधान श्री बरदानी लाल वर्मा का है। क्रय सामग्री का विवरण निम्न है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सामग्री का नाम	मात्रा	दर	मूल्य
ईटा	1767 नग	7990	14,076.00
सीमेन्ट	100 बोरी	278	27,800.00
बालू	20 मी0टन	1358	21,160.00
गिट्टी 40एम0एम0	9मी0टन	9मी0टन	12,852.00
गिट्टी 20एम0एम0	9मी0टन	19291	17,361.00
योग			**99,249.00**

प्रस्तर सं0—15 :— ग्राम पंचायत गुसियारी संस्था के ग्राम निधि 1 के खाते सं0— 50044495738 से दिनांक 10.08.2016 को चेक सं0 — 007165 के द्वारा मु0 28,000.00 रू0 की धनराशि को महेश साहू द्वारा निकासी की गयी थी जिसका लेखा कैस बुक में पारित न करके धनराशि अपहरण किया गया जिसका उत्तरदायित्व सचिव एवं प्रधान का बराबर—बराबर होगा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0—16 :— ग्राम पंचायत गुसियारी दिनांक 15.10.2016 को चेक सं0 00714 द्वारा मु0 48390.00 रू0 रंगा ब्रिक्स कोल्ड मौदहा को निर्गत की गयी थी किन्तु बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार 17.10.2016 को 48930.00 रू0 का भुगतान किया गया है इस प्रकार 540.00 रू0 अधिक अनियमित भुगतान किया गया जिसका उत्तर दायित्व सचिव एवं प्रधान का बराबर—बराबर होगा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0—17:— ग्राम पंचायत गुसियारी संस्था की कैसबुक का माह जनवरी 2017 को अन्तिम अवशेष रू0 19860.00 होता है जिसको माह फरवरी 2017 में प्रा0 अवशेष रू0 18960.00 दर्शित करके रू0 900.00 का अपहरण किया गया है जिसका उत्तर दयित्व सचिव एवं प्रधान का बराबर—बराबर होगा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0—18:— ग्राम पंचायत गुसियारी दिनांक 01.04.2016 को प्रा0 अवशेष नकद मु0 900.00रू0 दर्शित है जो छात्रवृत्ति के अवशेष धनराशि के रूप में अंकित है जिसको सचिव/प्रधान द्वारा सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया है। जिससे धनराशि को रोककर अनियमितता की गयी है। जिसका उत्तरदायित्व सचिव एवं प्रधान का होगा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0—19 :— ग्राम पंचायत रतौली में दिनाक 01.04.2011 को संस्था की कैशबुक में छात्रवृत्ति की नकद धनराशि मु0 6180.00 रू0 प्रधान श्री अरूण कुमार सिंह के पास अवशेष दर्शित थी जिसको विभाग की वापस जमा न करके अनियमितता की गयी जिसका उत्तरदायित्व तत्कालिन सचिव श्री भागवत सिंह एवं प्रधान श्री अरूण कुमार सिंह का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0—20:— ग्राम पंचायत रतौली दिनांक—31.03.2012 के बाद छात्रवृत्ति का विवरण प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत के मध्य बन्द कर दी गयी थी किन्तु ग्राम पंचायत के छात्रवृत्ति के बैंक खाता सं0 5867 में 14253.00 है जिसको सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियममिता की गयी है। जिसको सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाये अन्य की स्थिति में उक्त का दायित्व तत्कालीन सचिव श्री चन्द्र कुमार सिंह एवं प्रधान श्री देवी सिंह का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0—21:— ग्राम पंचायत रतौली दिनांक 17.01.2017 को व्यय प्रमाण सं0 11 के द्वारा 10000.00 ग्राम पंचायत के बस्ता बनवाई का अनियमितता भुगतान चेक सं0— 012916 के द्वारा श्री मोमिन खान को किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत के रिकार्ड (बस्ता) तैयार करने का दायित्व ग्राम पंचायत के सचिव का है। अतः उक्त भुगतान का दायित्व सचिव श्री पीर मुहम्मद एवं प्रधान श्रीमती राधारानी का है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0—22 :— ग्राम पंचायत गढ़ा दिनांक 31.01.2017 को व्यय प्रमाणक सं0 55 से चेक सं0 032189 के द्वारा जनवरी 2017 से मार्च 2017 तक का प्रधान के मानदेय हेतु 11500.00 रू0 भुगतान किया था किन्तु लेखा परीक्षानुसार प्रधान का मानदेय रू0 3500.00 प्रतिमाह से 10500.00 रू0 होता है। इस प्रकार 1000.00 रू0 अधिक मानदेय का भुगतान करके अपहरण किया गया है। जिसका उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान श्री रामसजीवन एवं सचिव श्री रामसेवक का है जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0—23 :— ग्राम पंचायत भुलसी आलोच्य वर्ष 2016—17 में ग्राम पंचायत द्वारा सी0सी0 रोड एवं एल टाइप नाली निर्माण करन सिंह के घर से बाबू सिंह के घर तक स्टीमन्ट की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 407000.00 रू0 की ली गयी थी किन्तु उक्त के सापेक्ष 4,24,289.00 रू0 उपरोक्त कार्य हेतु किया गया है। अस्तु अन्तर की धनराशि मु0 17,289.00 रू0 से अधिक अनियमित भुगतान कर अनियमितता की गयी है। जिसका उत्तरदायित्व प्रधान श्रीमती चुन्नी एंव सचिव श्री नसीम का बराबर होगा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–24:– ग्राम पंचायत बजेहटा आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत की राज्य वित्त की कैश बुक में झॉखर कटाई हेतु रू0 39846.00 का व्यय दर्शित किया गया है। लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं निर्माण रजिस्टर एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि न होने से व्यय धनराशि का अपहरण मानते हुये आधी धनराशि रू0 19,923.00 सचिव श्री मईयादीन वर्मा से एंव आधी धनराशि रू0 19923.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री प्रदीप सिंह से की जानी चाहिये।

प्रस्तर सं0–25 :– ग्राम पंचायत बजेहटा में वर्ष 2016–17 में राज्य वित्त की कैश बुक में कीचड़ युक्त रास्तों में बजरा बिछवाई (स्थल का नाम नहीं लिखा गया) से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, स्टीमेट, एम0बी0 निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति, प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहने से कैश बुक में दर्शित व्यय रू0 78,974.00 की पुष्टि न होने से धनराशि रू0 39,487.00 सचिव श्री मईयादीन वर्मा से आधी धनराशि रू0 39487.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री प्रदीप सिंह से की जानी चाहिए।

प्रस्तर सं0–26:– ग्राम पंचायत बजेहटा शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है। ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, वर्ष 2016–17 में रू0 35,142.00 संस्था को ब्याज के रूप में आय प्राप्त हुयी। जिसे राजकोष में चालान द्वारा जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव/प्रधान संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–27:– ग्राम पंचायत बहदीना अछपुरा दिनांक 29.04.2011 को खाता सं0–368 राज्य वित्त डी0सी0बी0 मुस्करा की चेक सं0 369506 से रू0 5000.00 बैंक से आहरण कर कैश बुक में दर्शित न कर अपहरण किया गया। सचिव श्री मनफूल पाल से आधी धनराशि रू0 2500.00 एवं प्रधान श्रीमती सुधा से आधी धनराशि रू0 2500.00 की ब्याज सहित वसूली की जायें।

प्रस्तर सं0–28 :–

दिनांक	खाता सं0 रा0वि0	चेक सं0	धनराशि
07.06.2012	50044708690	075500	20000
02.03.2013	50044708690	09378	15000
योग			**35000.00**

उक्त धनराशि प्रधान/सचिव द्वारा बैंक से नगद आहरण किया गया लेकिन उक्त चेकों एवं धनराशियों का अंकन कैश बुक में दर्शित न करके अपहरण किया गया है। अतः उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक निर्माण राजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर आदि ले0प0 में अप्राप्त रहे। अतः सचिव श्री मनफूल पाल से आधी धनराशि रू0–17500.00 एवं प्रधान श्रीमती सुधा से आधी रू0 17500.00 की ब्याज सहित वसूली की जाये।

प्रस्तर सं0–29 :– ग्राम पंचायत बहदीना वर्ष 2011–12 में छात्रवृत्ति खाते से रू0 1,45,820.00 तथा वर्ष 2012–13 में रू0 1800.00 का आहरण बैंक से प्रधान/सचिव द्वारा किया गया। लेकिन पुष्टि में छात्रवृत्ति की अनुमोदित सूची एवं व्यय प्रमाणक तथा कैश बुक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, व्यय अनियमित रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–30 :–ग्राम पंचायत बहदीना शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012–2010(33)/2010 दिनांक –21.03. 2012 के अनुसार यदि संस्थ द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है। ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, वर्ष 2016–17 में रू0 28977.00 संस्था को ब्याज के रूप में आय प्राप्त हुयी। जिसे राजकोष में चालान द्वारा जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव/प्रधान संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–31:–ग्राम पंचायत खड़ेही लोधन वर्ष 2011–12 में छात्रवृत्ति खाते से रू0 1,18,950.00 रू0 का आहरण प्रधान/सचिव द्वारा छात्रवृत्ति वितरण हेतु किया गया। लेकिन उक्त धनराशि की पुष्टि में अनुमोदित सूची एवं व्यय प्रमाणक तथा कैश बुक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नही की गयी, व्यय अनियमित रहा। जिसके लिये प्रधान/सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–32 :– ग्राम पंचायत खड़ेही लोधन दिनांक 02.12.2011 को राज्यवित्त की चेक सं0 00124 से रू0 20,000.00 सचिव श्री ताज मोहम्मद द्वारा बैंक से आहरण किया से सम्बन्धित खडण्जा निर्माण के मस्टररोल, एवं खडण्जा निर्माण का स्टीमेट/एम0बी0 आदि पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं की जा सकी, धनराशि का अपहरण किया गया। अतः आधी धनराशि रू0 10,000.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री ताज मोहम्मद से एवं आधी धनराशि रू0 10,000.00 प्रधान श्रीमती किरन से की जानी चाहिये।

प्रस्तर सं0–33 :– ग्राम पंचायत खड़ेही लोधन माह अप्रैल 2011 में आय पक्ष का योग 58,716.41 पैसा दर्शित है जबकि लेखा परीक्षानुसार योग–59,516.00 होता है। तथा कैश बुक में अप्रैल 2011 का अन्तिम शेष रू0 286.41 पैसा दर्शित है जबकि लेखा परीक्षानुसार अवशेष रोकड़ रू0 1,086.00 है अर्थात रू0 800.00 का अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि की आधी धनराशि रू0 400.00 की वसूली सचिव श्री ताज मोहम्मद एवं आधी धनराशि रू0 400.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती किरन से की जाये।

प्रस्तर सं0–34:– ग्राम पंचायत खड़ेही लोधन वर्ष 2012–13 में छात्रवृत्ति खाते से रू0 61,560.00 का आहरण बैंक से किया गया लेकिन उक्त धनराशि की पुष्टि में अनुमोदित सूची एंव व्यय प्रमाणक एंव कैश बुक लेखा परीक्षा में अप्राप्त

रहें। धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। व्यय अनियमित रहा, जिसके लिये प्रधान/सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–35:– ग्राम पंचायत खड़ेही लोधन शासनादेश सं0 ए–1–122/दस–2012–10 (33) /2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है। ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, वर्ष 2016–17 में रू0 25,240.00 संस्था को ब्याज के रूप में आय प्राप्त हुयी। जिसे राजकोष में चालान द्वारा जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव/प्रधान संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–36 :– ग्राम पंचायत छेड़ी बसायक निम्नलिखित तिथियों में बैंक से आहरण करके कैश बुक में एंव निर्माण रजिस्टर में दर्शित न करके एंव कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त होने के कारण रू0 23,285.00 धनराशि का अपहरण किया गया है।

दिनांक	चेक सं0	धनराशि
29.04.2016	23339	5,220.00
10.05.2016	23340	18,065.00
योग		**23285.00**

उक्त धनराशि की आधी सचिव श्री कपिल सिंह से रू0 11,643.00 एवं आधी धनराशि रू0 11,642.00 प्रधान श्री समरथ से ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिये।

प्रस्तर सं0–37 :– ग्राम पंचायत छेड़ी बसायक विभिन्न तिथियों में निम्न चेकों से आहरित धनराशि रू0 50,256.00 से सम्बन्धित डेड स्टाक क्रय के प्रमाणक एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

दिनांक	चेक सं0	धनराशि	फर्म
10.05.2016	29545	8000.00	बु0फर्नी0
20.06.2016	29550	34,256.00	,,
03.01.2017	32953	8000.00	,,
		50,256.00	

उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एंव डेड स्टाक रजिस्टर नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में माना गया है। जिसके लिये सचिव/प्रधान संयुक्त रूप में उत्तरदायी है। जिस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–38:– ग्राम पंचायत छेड़ी बसायक के शासनादेश सं0– ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक– 21.03.2012 के अनुसार यदि संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है। ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आया होगी, वर्ष 2016–17 में रू0 25,103.00 संस्था को ब्याज के रूप में आय प्राप्त हुयी। जिसे राजकोष में चालान द्वारा जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव/प्रधान संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–39 :– ग्राम पंचायत भरखरी में दिनांक 31.03.2014 को छात्रवृत्ति की कैश बुक में नगद बैलेन्स रू0 51,00.00 दर्शित था जिसे 01.04.2014 को नयी कैश बुक में ओपनिंग बैलेन्स दर्शित न करके अपहरण किया गया। जिसकी प्रधान श्री महादेव शिवहरे से आधी रू0 2,550.00 तथा आधी सचिव श्री जमाल अहमद से रू0 2,550.00 की ब्याज सहित वसूली की जाये।

प्रस्तर सं0–40 :– ग्राम पंचायत भरखरी के राज्यवित्त में वर्ष 2014–15 रू0 3,70,670.00 भरखरी रोड से बसरेढ़ी रोड, उमरी रोड से खेमचन्द्र, करगाँव रोड से आगे मिट्टी पुराई, भरखरी ठीहा मुख्य मार्ग से तथा वर्ष 2015–16 में रू0 1,26,380.00 लालाराम धनी फाटक के पास, रामसनेही से अनिरूद्ध के फाटक तक एवं शिवदास से उमरी रोड एंव करगाँव रोड में नगद आहरण कर मिट्टी पुराई हेतु कैश बुक में दर्शित है। प्रधान/सचिव द्वारा नगद आहरण कर व्यय किया गया है। जबकि फर्म के नाम चेक निर्गत करना चाहिये था। 50,000.00–50,000.00 नगद स्वयं आहरण कर व्यय किया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों, स्टीमेट, एम0बी0, ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्माण कार्य रजिस्टर निर्माण समिति की संस्तुति, कार्यवाही रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी सचिव श्री जमाल अहमद से आधी रू0 248525.00 तथा आधी प्रधान श्री महादेव शिवहरे के रू0 2,48,525.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।

प्रस्तर सं0–41:– ग्राम पंचायत भरखरी में दिनांक 20.01.2016 को राजवित्त के चेक सं0 21376 से रू0 50,000.00 बैंक से नगद स्वयं प्रधान/सचिव द्वारा आहरण कर व्यय दर्शाया गया। जिससे सम्बन्धित पत्रावलियां अप्राप्त रहीं, जो अपहरण की श्रेणी में है। जिसकी सचिव श्री जमाल अहमद से आधी रू0 25,000.00 तथा आधी प्रधान श्री करन से रू0 25,000.00 की ब्याज सहित वसूली की जाये।

प्रस्तर सं0–42:– ग्राम पंचायत भरखरी में वर्ष 2016–17 में घूर फिकवायी हेतु कुल रू0– 1,20,750.00 मे नगद स्वयं आहरण कर व्यय किया गया, जिससे सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी। जिसकी आधी धनराशि सचिव श्री जमाल अहमद से रू0– 60,375.00 तथा आधी प्रधान श्री करन से रू0– 60,375.00 की ब्याज सहित वसूली की जाये।

<u>प्रस्तर सं0</u>–43:– ग्राम पंचायत भरखरी के शासनादेश सं0– ए–1–122/दस –2012–10 (33)/2010 दिनांक–21.03.2012 के अनुसार यदि संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशियों को बैंक मे रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है। ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, वर्ष 2016–17 मे रू0– 37,363.00 संस्था को ब्याज के रूप में आय प्राप्त हुयी। जिसे राजकोष मे चालान द्वारा जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव/प्रधान संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं0</u>–44 :– ग्राम पंचायत नौरंगा के शासनादेशसं0–10/2015/ए–1–502/दस–2015–10(33) 2010 दिनांक–29.05.2015 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह व्यवस्था है कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक मे रोक कर ब्याज अर्जित किया गया। उक्त अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसें राजकीय कोषागार मे जमा कर दिया जाये। लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में मु0 75084.00 रू0 ब्याज से अर्जित की गयी है जिसे शासन को वापस न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री प्रदीप अनुरागी ग्रा0 पं0वि0अधि0 एवं प्रधान श्रीमती ज्ञानवती उत्तरदायी है जिसे अविलम्ब वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं0</u>–45:– ग्राम पंचायत अतरौली शासनादेशसं0–10/2015/ए–1–502/दस–2015–10(33) 2010 दिनांक–29.05.2015 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह व्यवस्था है कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक मे रोक कर ब्याज अर्जित किया गया है। उक्त अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसें राजकीय कोषागार मे जमा कर दिया जाये। लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में मु0 77727.00 रू0 ब्याज से अर्जित की है जिसे शासन को वापस न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री रामस्वरूप ओमरे ग्रा0 पं0वि0अधि0 एवं प्रधान श्री बृजलाल सिंह उत्तरदायरी है जिसे अविलम्ब वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं0</u>–46:– ग्राम पंचायत खड़ासर के शासनादेशसं0–10/2015/ए–1–502/दस–2015–10(33) 2010 दिनांक–29.05.2015 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह व्यवस्था है कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक मे रोक कर ब्याज अर्जित किया गया है। उक्त अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसें राजकीय कोषागार मे जमा कर दिया जाये। लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में मु0 33381.00 रू0 ब्याज से अर्जित की गयी है जिसे शासन को वापस न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री प्रदीप अनुरागी ग्रा0 पं0वि0अधि0 एवं प्रधान श्रीमती पार्वती देवी तिवारी उत्तरदायरी है जिसे अविलम्ब वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं0</u>–47 :– ग्राम पंचायत टोला में आलोच्य वर्ष 2016–17 मे सफाई कार्य हेतु ट्राली मरम्मत मे रू0– 10,000.00 व्यय करना दर्शित किया गया है। ट्राली मरम्मत से सम्बन्धित प्रमाणक अप्राप्त रहे है जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की जा सकी। जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री श्रीचन्द्र वर्मा व प्रधान श्री हृदेश कुमार से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं0</u>–48:– ग्राम पंचायत टोला में दिनांक– 06.05.2016 को चेक संख्या– 002746 से विराट संगम राठ से रू0–7,500.00 का डेड स्टाक क्रय करना दर्शित किया गया किन्तु प्रमाणक के अभाव मे व्यय की पुष्टि नही की जा सकी और न ही इसकी पुष्टि हेतु डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है। इसका उत्तरदायित्व श्री श्रीचन्द्र वर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेंक्षित है।

<u>प्रस्तर सं0</u>–49:– ग्राम पंचायत टोला में आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक के झांकर कटाई व्यय रू0– 52,500.00 दर्शित किया गया है किन्तु व्यय से सम्बन्धित पत्रावली अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नही की जा सकी, कि यह भुगतान किसकों किया गया है। अतः श्री श्रीचन्द्र वर्मा व प्रधान श्री हृदेश कुमार से ब्याज सहित वसूली बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं0</u>–50:– ग्राम पंचायत टोला में वर्ष 2016–17 मे ग्राम पंचायत द्वारा पानी चरही के निर्माण मे रू0 –14,000.00 व्यय करना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय से सम्बन्धित पत्रावली अप्राप्त रहने के से व्यय की पुष्टि नही की जा सकी कि यह भुगतान किसकों किया गया है। अतः श्री श्रीचन्द्र वर्मा व प्रधान श्री हृदेश कुमार से ब्याज सहित वसूली बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं0</u>–51:– ग्राम पंचायत रिहुँटा में दिनांक– 24.09.2016 को चेक संख्या– 1285 से रू0– 10,000.00 का डेड स्टाक क्रय करना दर्शित किया गया है किन्तु प्रमाणक के अभाव में व्यय की पुष्टि नही की जा सकी और न ही इसकी पुष्टि हेतु डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है। अतः उसका उत्तरदायित्व सचिव श्री हरिश्चन्द्र शिवहरे से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं0</u>–52 :– ग्राम पंचायत रिहुँटा में वर्ष 2016–17 मे प्रशासनिक मद मे रू0 33,170.00 व्यय करना दर्शित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा दौरान प्रशासनिक मद से सम्बन्धित पत्रावली अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नही की जा सकी, तथा यह भुगतान किसको किया गया है। अतः जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री हरिश्चन्द्र शिवहरे से की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं0</u>–53 :– ग्राम पंचायत रिहुँटा में आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत मे कूड़े की ढेरी की सफाई करायी मे रू0– 20,000.00 व्यय करना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रही

जिससे व्यय की धनराशि की पुष्टि नही की जा सकी कि यह भुगतान किसको किया गया है। अतः जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री हरिश्चन्द्र शिवहरे एवं प्रधान श्री रूपसिंह से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–54 :– ग्राम पंचायत न्यूलीवासा में वर्ष 2016–17 मे ग्राम पंचायत न्यूलीवासा की कैशबुक मे दिसम्बर माह 2016 में कैशबुक के आय पक्ष का योग– 22,200.00 दिखाया गया है जबकि लेखा परीक्षानुसार यह योग रू0– 100+100+4500+10000+17500.00 रू0– 32,200.00 होता है। माह मे व्यय रू0– 22,200.00 का है। इस प्रकार रू0– 10,000.00 से रोकड़ शेष न पकड़कर, अवशेष रोकड़ रू0– 10,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसका दायित्व संयुक्त रूप से सचिव एवं प्रधान का है। इस प्रकार उपरोक्त धनराशि आधी–आधी श्री जगभान सचिव एवं श्रीमती नीलम प्रधान से ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिये।

प्रस्तर सं0–55 :– ग्राम पंचायत उपहरका में वर्ष 2016–17 मे माह जुलाई 2016 मे दिनांक– 24.07.2016 को बाउचर सं0– 12 व 13 द्वारा क्रमशः रू0– 48,960.00 एवं रू0– 48,960.00 का घूर सफाई, कूड़ा फिकवाई कुल रू0– 97,920.00 का भुगतान अंकित ट्रेडर्स राठ को क्रमशः चंक सं0– 382709 एवं चेक सं0– 382710 द्वारा किया गया है। किन्तु इससे सम्बन्धित अन्य बाउचर जैसे मजदूरी का मस्टररोल, इस्टीमेट, एम0बी0 आदि से सम्बन्धित बाउचर लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नही कराये गये। फलतः उक्त किया गया व्यय फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी संयुक्त रूप से आधी–आधी सचिव श्री रामू एवं प्रधान श्री राजकुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिये।

प्रस्तर सं0–56 :– ग्राम पंचायत धौहल बुजुर्ग में वर्ष 2016–17 मे दिनांक– 24.07.2016 को बाउचर सं0– 01 की चेक सं0–006599 से रू0– 2,24,169.00 एवं दिनांक– 22.07.2016 को बाउचर सं0– 07 की चेक सं0– 008398 से रू0– 1,96,321.00 कुल रू0– 2,24,169=001,96,321.00 कुल – 4,42,490.00 रू0 बड़ा तालाब मे शंकर जी के मन्दिर के पास पीपल के वृक्ष के चारों ओर चबूतरा निर्माण हेतु अंकित ट्रेडर्स राठ से सामग्री क्रय की गयी। किन्तु इसका उपयोग वर्ष दौरान न करके, न ही स्टाक रजिस्टर मे दर्ज करके, न ही अगले सचिव श्री कुलदीप को सामग्री चार्ज मे देकर उक्त सामग्री का अपहरण किया गया है। उतः उपरोक्त सामग्री रू0– 4,20,490.00 मे से आधी श्री रामू सचिव एवं आधी श्रीमती सरोज प्रधान से ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिये।

प्रस्तर सं0–57 :– ग्राम पंचायत पुरैनी के शासनादेश सं0–ए–1–122 /दस– 2012 – 10 (33), 2010 दिनांक – 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशियों को बैंक मे रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है। ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य की आय होगी, जिसे राजकोष मे जमा किया करा देना चाहिये। आलोच्य वर्ष– 2016–17 मे ग्राम पंचायत पुरैनी को रू0– 1,16,506.00 संस्था को ब्याज के रूप में आय प्राप्त हुई, जिसे रोककर पंचायत द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी है। इसे चालान द्वारा सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–58 :– ग्राम पंचायत भेड़ी डांडा मे दिनांक– 18.09.2016 को बाउचर सं0–01 से चेक सं0– 008290 से रू0– 1,96,321.00 सी0सी0 रोड मरम्मत हेतु अंकित ट्रेडर्स राठ से सामग्री क्रय की गयी। किन्तु उसका उपयोग वर्ष के दौरान न करके, न ही स्टाक रजिस्टर मे दर्ज करके, न ही नये सचिव श्री कुलदीप कुमार को सामग्री चार्ज में देकर उक्त सामग्री का अपहरण किया गया है। अतः उपरोक्त सामग्री रू0– 1,96,321.00 मे से आधी श्री रामू सचिव एवं आधी श्रीमती चन्द्रप्रभा प्रधान से ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिये।

प्रारूप–4
जनपद बहराइच
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17

प्रस्तर सं0 ग्राम पंचायत – बुलबुल नेवाज विकास खण्ड–रिसिया

1– ग्राम पंचायत बुलबुल नेवाज की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्ष में दिनांक 17.09.2016 से 27.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में कैशबुक में मिट्टी पटाई पर रू0. 192113.00 व्यय किया जाना दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0. 192113.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरे"ा कुमार द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों मे ंकी जानी अपेक्षित है। (आ0सं01)

2– ग्राम पंचायत बुलबुल नेवाज की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा मे कैशबुक में दिनांक 20.05.2016 से 28.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में कैशबुक में ईट क्रय पर रू0. 547500 दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निविदा/कोटेशन, स्टाक रजिस्टर वित्तीय स्वीकृति आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0. 547500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं02)**

3– ग्राम पंचायत बुलबुल नेवाज की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 20.03.2017 को कैशबुक में खड़न्जा मरम्मत मजदूरी पर रू0. 33116.00 व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि मे व्यय प्रमाणक/मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत

नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है । अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0. 33116.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सो में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं03)**

4– ग्राम पंचायत बुलबुल नेवाज की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 05.05.2016 एवं 07.03.2017 को कैशबुक में नाली निर्माण एवं मजदूरी पर कुल रू0. 120945.00 व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक/मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध क`लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8क एवं 8ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाण के भुगतान कर रू0. 120945.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरे"ा कुमार द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों मे की जानी अपेक्षित है।**(आ0सं04)**

ग्राम पंचायत –लौकी विकास खण्ड –रिसिया

5– ग्राम पंचायत लौकी की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 30.06.2016 से 30.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 114459.00 मिट्‌टी पटाई कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 114459.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अन्जुम खानम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यव्रत श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में जानी अपेक्षित है। **(आ0स0 1)**

6– ग्राम पंचायत लौकी की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 17.05.2016 एवं 08.07.2016 को रू0. 42200.00 का सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एंव लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्यााय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 42200.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अन्जुम खानम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यव्रत श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं02)**

7– ग्राम पंचायत लौकी की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 18.01.2017 को रू0.49569.00 नाली निर्माण सामग्री क्रय कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध क`लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपरहण है।अतः रू0. 49569.00 का अपहरण ग्राम प्राधान श्रीमती अन्जुम खानम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यवव्र श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं03)**

8– ग्राम पंचायत लौकी की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 26.09.2016 एवं 01.08.2016 को हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0. 17800.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 17800.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अन्जुम खानम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यव्रत श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं04)**

ग्राम पंचायत –रामपुर बरई विकास खण्ड– रिसिया

9– ग्राम पंचायत रामपुर बरई की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 28.04.2016 से 15.03.2017 तक हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0. 81390.00 कैशबुक में व्यय दर्शित 5है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 81390.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती बिट्‌टी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सो में की जानी अपेक्षित है। **(आ0 सं0 8)**

10– ग्राम पंचायत रामपुर बरई की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 04.07.2016से 31.01.2017 तक विभिन्न तिथियों में मिट्‌टी पटाई पर रू0. 121800.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गयें। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसर बिना व्यय प्रमाणक के किया गया अपहरण है। अतः रू0. 121800.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती बिट्‌टी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सो में पायी जानी अपेक्षित है। **(आ0सं09)**

11– ग्राम पंचायत रामपुर बरई की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 09.05.2016 से 29.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 524160.00 का ईट क्रय पर, नाली निर्माण एवं खण्ड़जा मरम्मत हेतु कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कोटेशन प्रस्तुत नही किया गया । ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः रू0. 524160.00 का अपरहण ग्राम प्रधान श्रीमती बिट्टी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं010)**

12– ग्राम पंचायत रामपुर बरई की वर्ष 2016'–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 26.09.2016 से 08.02.2017 तक रू0. 143168.00 नाली निर्माण एवं खण्ड़न्जा मरम्मत पर मजदूरी पर व्यय कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक /मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया है । ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 143168.00 का अपहरण प्रधान श्रीमती बिट्टी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सो में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं011)**

13– ग्राम पंचायत रामपुर बरई की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 13.05.2016 से 26.09.2016 तक नाली निर्माण सम्बन्धी सामग्री क्रय पर रू0. 100348.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टाक रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 100348.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती बिट्टी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 12)**

14– ग्राम पंचायत रामपुर बरई की वर्ष 2016'–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 17.05.2016 से 08.07.2016 को क्रमशः रू0. 21100.00 , 21100.00 कुल रू0. 42200.00 सोलर लाईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 42200.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती बिट्टी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 13)**

ग्राम पंचायत पूरे अलस्त खां विकास खण्ड – रिसिया

15– ग्राम पंचायत पूरे अलस्त खां की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.06.2016 से 18.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0. 36036.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 36036.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती आमना खातून एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 8)**

16– ग्राम पंचायत पूरे अलस्त खां की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.08.2016 से 18.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 80910.00 मिट्टी पटाई पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 80910.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती आमना खातून एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 9)**

17– ग्राम पंचायत पूरे अलस्त खां की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 02.04.2016 से 22.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 340859 का ईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टाक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 340859.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती आमना खातून एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 10)**

17–(क) ग्राम पंचायत पूरे अलस्त खां की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 02.04.2016 से 27.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 137148.00 नाली निर्माण खड़न्जा मरम्मत मजदूरी पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। नाली निर्माण मजदूरी रू0. 59500.00 दिनांक 02.04. 2016 को ही भुगतान कर दिया गया है जबकि नाली निर्माण हेतु सामग्री 06.09.2016 के बाद की तिथियों में क्रय किया गया है अतः व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 137148.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती आमना खातून एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 11)**

18– ग्राम पंचायत पूरे अलस्त खां की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 06.09.2016 से 18.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 156298.00 का सामग्री नाली निर्माण हेतु कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक,स्टाक रजिस्टर, कोटेशन आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके क्रय की नही होती है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 156298.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती आमना खातून एवं ग्राम पंचायत

अधिकारी श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 12)**

19– ग्राम पंचायत पूरे अलस्त खां की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.06.2016 से 28.09.2017 तक रू0. 63300.00 का सोलर लाईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। क्रय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके क्रय की पुष्टि नही की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 63300.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती आमना खातून एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 13)**

ग्राम पंचायत–कमलाजोत विकास खण्ड –रिसिया

20– ग्राम पंचायत कमलाजोत की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 02.04.2016 से 29.03.17 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 108100.00 मिट्टी पटाई पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 108100.00 का अपहरण ग्राम प्रधान जगदेव प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजितराम सहाय द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 1)**

21– ग्राम पंचायत कमलाजोत की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 03.06.2016 से 06.02.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 170082.00 ईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टाक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 170082.00 का अपहरण ग्राम प्रधान जगदेव प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजितराम सहाय द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 2)**

22– ग्राम पंचायत कमलाजोत की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 08.09.2016 से 25.01.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 50758.00 खड़न्जा निर्माण एवं नाली की मजदूरी पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है जिसके व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 50758.00 का अपहरण ग्राम प्रधान जगदेव प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजितराम सहाय द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 3)**

23– ग्राम पंचायत कमलाजोत की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 28.06.2016 से 06.02.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 61666.00 नाली निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गया है। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 61666.00 का अपहरण ग्राम प्रधान जगदेव प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजितराम सहाय द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 4)**

24– ग्राम पंचायत कमलाजोत की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 17.05.2016 से 13.02.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 105500.00 सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 105500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान जगदेव प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजितराम सहाय द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 5)**

25– ग्राम पंचायत कमलाजोत की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 07.04.2016 से 02.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 79930.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गया है। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 79930.00 का अपहरण ग्राम प्रधान जगदेव प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजितराम सहाय द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 6)**

ग्राम पंचायत– भोपतपुर चौकी विकास खण्ड– रिसिया

26– ग्राम पंचायत भोपतपुर चौकी की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 09.08.2016 से 21.10.2016 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 145076.00 मिट्टी पटाई पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0.

145076.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सजीमुल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 1)**

27– ग्राम पंचायत भोपतपुर चौकी की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 06.08.2016 से 27.10.2016 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 265385.00 ईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक स्टाक रजिस्टर, कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गया है। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0. 265285.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सजीमुल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 2)**

28– ग्राम पंचायत भोपतपुर चौकी की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 19.08.2016 से 25.01.2017 तक विभिन्न तिथियों में पंचायत भवन एवं खडन्जा मरम्मत मजदूरी पर रू0. 242498.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में मस्टर रोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गया है। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0242498.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सजीमुल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 3)**

29– ग्राम पंचायत भोपतपुर चौकी की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.06.2016 को रू0. 21100.00 सोलर लाईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गया है। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 21100.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सजीमुल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 4)**

30– ग्राम पंचायत भोपतपुर चौकी की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 26.05.2016 से 23.11.2016 तक विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0. 57748.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्धक समिति का भुगतान आदेश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गया है। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 57748.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सजीमुल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 5)**

ग्राम पंचायत – निबिया बेगमपुर विकास खण्ड– रिसिया

31– ग्राम पंचायत निबिया बेगमपुर की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 24.06.2016 से 30.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 125471.00 मिट्टी पटाई पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही कियें गया है। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 125471.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजितराम सहाय द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 1)**

32– ग्राम पंचायत निबिया बेगमपुर की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 24.06.2016 से 30.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 594977.00 का ईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गया है। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 594977.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजितराम सहाय द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 2)**

33– ग्राम पंचायत निबिया बेगमपुर की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 24.06.2016 से 29.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में खड़न्जा मरम्मत मजदूरी पर रू0. 155904.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किये गया है। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 155904.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजितराम सहाय द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 3)**

34– ग्राम पंचायत निबिया बेगमपुर की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 12.05.2016 से 08.07.2016 व 05.11. 2016 को कुल रू0. 84400.00 सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , स्टाक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किये गया है। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 84400.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजितराम सहाय द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 4)**

35– ग्राम पंचायत निबिया बेगमपुर की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 27.05.2016 से 17.01.2017 तक विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0. 90830.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , जल प्रबन्ध समिति के भुगतानादेश आदि प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 90830.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजितराम सहाय द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 5)**

ग्राम पंचायत– महरू विकास खण्ड – रिसिया

36– ग्राम पंचायत महरू की वर्ष 2016–17 की दिनांक 19.05.2016 से 23.052016 को कुल रू0. 112196.00 मिट्टी पटाई पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं रहा, जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 112196.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री फौजदार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 1)**

37– ग्राम पंचायत महरू की वर्ष 2016–17 की दिनांक 03.05.2016 से 27.05.2016 तक कुल रू0. 268920.00 ईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 268920.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री फौजदार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 2)**

38– ग्राम पंचायत महरू की वर्ष 2016–17 की दिनांक 24.05.2016 से 26.01.2016 तक रू0. 71072.00 खड़न्जा मरम्मत, मजदूरी कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में मस्टर रोल /व्यय प्रमाणक, आदि प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 71072.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री फौजदार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 3)**

39– ग्राम पंचायत महरू की वर्ष 2016–17 की दिनांक 06.07.2016 को नाली निर्माण मजदूरी मद में रू0. 19836.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है। किन्तु वर्ष दौरान नाली निर्माण हेतु कोई सामग्री क्रय नही की गयी, मात्र मजदूरी पर व्यय दर्शाया गया है। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। अतः व्यय की पुष्टि न की जा सकी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 19836.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री फौजदार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 4)**

40– ग्राम पंचायत महरू की वर्ष 2016–17 की दिनांक 12.05.2016, 18.10.2016 को कुल रू0. 63300.00 सोलर लाईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। क्रय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे क्रय की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 63300.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री फौजदार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 5)**

41– ग्राम पंचायत महरू की वर्ष 2016–17 की दिनांक 17.05.2016 से 07.01.2017 तक विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0. 59500.00 मे कैशबुक में व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रामणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 59500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री फौजदार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 6)**

ग्राम पंचायत – बंजरिया विकास खण्ड – महसी

42– ग्राम पंचायत बंजरिया की वर्ष 2016–17 की दिनांक 05.04.2016 से 17.05.2016 तक विभिन्न तिथियों में ईट क्रय, मिट्टी पटाई एवं मजदूरी पर रू0. 295802.00 व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है। जिसमें रू0. 178200.00 ईट क्रय एवं 84042.00 मजदूरी, 33560.00 मिट्टी पटाई पर कुल रू0. 295802.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी रू0. 84042.00 का भुगतान नकद किया गया जबकि मजदूरों को बैक खाते में

भुगतान किया जाना चाहियें था। मजदूरी का नकद भुगतान कर अनियमितता की गयी है, ईट क्रय एवं मिट्टी पटाई का भुगतान भी नकद किया गया है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 295802.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री श्याम बिहारी तिवारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राधेश्याम चौधरी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 1)**

ग्राम पंचायत – टेपरहा विकास खण्ड – चित्तौरा

43– ग्राम पंचायत बंजरिया की वर्ष 2015–16 को दिनांक 04.04.2015 से 09.10.2015 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 123894.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया कैशबुक में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं जल प्रबन्धक समिति का भुगतानादेश प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 123894.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनिल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय शर्मा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 1)**

44– ग्राम पंचायत टेपरहा की वर्ष 2015–16 को दिनांक 06.04.2015 से 22.09.2015 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 280500.00 मिट्टी पटाई पर व्यय किया कैशबुक में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 280500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनिल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय शर्मा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 2)**

45– ग्राम पंचायत टेपरहा की वर्ष 2015–16 को दिनांक 06.04.2015 से 05.05.2015 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 537600.00 ईट क्रय पर व्यय किया कैशबुक में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन,स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 537600.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनिल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय शर्मा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 3)**

46– ग्राम पंचायत टेपरहा की वर्ष 2015–16 को दिनांक 06.04.2015 से 19.06.2015 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 49266.00 खड़न्जा निर्माण एवं मरम्मत पर मजदूरी मद में व्यय कैशबुक में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 49266.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनिल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय शर्मा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 4)**

ग्राम पंचायत –टेढिया विकास खण्ड –चित्तौरा

47– ग्राम पंचायत टेढिया की वर्ष 2015–16 को दिनांक 30.04.2015 से 18.09.2015 को हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0. 59052.00 व्यय किया कैशबुक में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, एवं जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादे"ा आदि प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 59052.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री रामप्यारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय शर्मा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 1)**

48– ग्राम पंचायत टेढिया की वर्ष 2015–16 को दिनांक 24.04.2015 से 18.06.2015 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 152000.00 मिट्टी पटाई पर व्यय किया कैशबुक में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे क्रय की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 152000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री रामप्यारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय शर्मा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 2)**

49– ग्राम पंचायत टेढिया की वर्ष 2015–16 को दिनांक 22.04.2015 को रू0. 236800.00 ईट क्रय पर व्यय किया कैशबुक में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे क्रय की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 236800.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री रामप्यारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय शर्मा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 3)**

50– ग्राम पंचायत टेढिया की वर्ष 2015–16 को दिनांक 25.04.2015 को खड़न्जा निर्माण मजदूरी पर रू0. 60500.00 व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में प्रमाणक,मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के

अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 60500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री रामप्यारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय शर्मा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 4)**

ग्राम पंचायत– मसीहाबाद विकास खण्ड –चित्तौरा

51– ग्राम पंचायत मसीहाबाद की वर्ष 2016–17 को दिनांक 16.05.2016 एवं 27.05.2016 झील सफाई हेतु रू0.38976.00 का मजदूरी पर भुगतान कैशबुक में दर्शित है जिसकी पुष्टि में मस्टर रोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 38976.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नादिर खां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र मिश्रा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 1)**

52– ग्राम पंचायत मसीहाबाद की वर्ष 2016–17 को दिनांक 26.05.2016 एवं 03.01.2017 तक विभिन्न तिथियों में मिट्टी पटाई पर रू0. 31265.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 31265.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नादिर खां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र मिश्रा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 2)**

53– ग्राम पंचायत मसीहाबाद की वर्ष 2016–17 को दिनांक 14.06.2016 से 04.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में ईट क्रय पर रू0. 672407.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे क्रय की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 672407.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नादिर खां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र मिश्रा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 3)**

54– ग्राम पंचायत मसीहाबाद की वर्ष 2016–17 को दिनांक 31.12.2016 एवं 06.03.2017 को रू0. 37140.00 सीमेन्ट, बालू, सरिया क्रय मद में व्यय कैशबुक में किया जाना दर्शित है जबकि उक्त सामग्री से आलोच्य वर्ष में कोई कार्य नहीं कराया गया है। क्रय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नही रहा जिससे स्पष्ट है कि व्यय काल्पनिक है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 37140.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नादिर खां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र मिश्रा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 4)**

55– ग्राम पंचायत मसीहाबाद की वर्ष 2016–17 को दिनांक 15.06.2016 से 27.03.2017 को तक विभिन्न तिथियों में खड़न्जा निर्माण/मरम्मत पर मजदूरी रू0. 78648.00 व्यय कैशबुक में किया जाना दर्शित है । जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 78648.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नादिर खां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र मिश्रा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 5)**

56– ग्राम पंचायत मसीहाबाद की वर्ष 2016–17 को दिनांक 06.05.2016 एवं 23.12.2016 को तक सोलर लाईट क्रय पर रू0. 42200.00 व्यय कैशबुक में दर्शित है । जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे क्रय की पुष्टि न की जा सकी । ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 42200.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नादिर खां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र मिश्रा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 6)**

57– ग्राम पंचायत मसीहाबाद की वर्ष 2016–17 को दिनांक 28.06.2016 को रू0. 40000.00 का भुगतान शौचालय मद में किया जाना कैशबुक में दर्शित है । भुगतान की पुष्टि में व्यय प्रमाणक /लाभार्थियों से प्राप्ति रसीद, लाभार्थियों की सूची, लाभार्थियो द्वारा प्रस्तुत कार्यपूर्ति प्रस्तुत नहीं रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 40000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नादिर खां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र मिश्रा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 7)**

ग्राम पंचायत – बरई बिलासा विकास खण्ड– चित्तौरा

58– ग्राम पंचायत बरई बिलासा की वर्ष 2016–17 को दिनांक 25.07.2016 एवं 23.02.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 622221.00 ईट क्रय रू0. 61360.00 मिट्टी पटाई एवं रू0. 66816.00 मजदूरी कुल रू0. 750397.00 व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है । जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कोटेशन, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे पुष्टि न की जा सकी । ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0

750397.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशफाक अहमद द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 1)

59– ग्राम पंचायत बरई बिलासा की वर्ष 2016–17 को रू0. 58695.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है । जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे पुष्टि न की जा सकी । ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 58695.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशफाक अहमद द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 2)**

ग्राम पंचायत –टिकुवापारा विकास खण्ड– शिवपुर

60– ग्राम पंचायत टिकुवापारा की वर्ष 2016–17 को दिनांक 20.07.2016 को चेक संख्या 27246 से रू0. 12200.00 का कुर्सी मेज हेतु व्यय कैशबुक में दर्शित है । क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । जिससे पुष्टि न की जा सकी । ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 12200.00.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री शिवगोपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हीरालाल द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 19)

ग्राम पंचायत –चौगाई विकास खण्ड– शिवपुर

61– ग्राम पंचायत चौगाई की वर्ष 2016–17 को दिनांक 07.05.2016 को रू0. 42200.00 का सोलर लाईट क्रय किया जाना कैशबुक में दर्शित है । जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक,कोटेशन/स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, वित्तीय स्वीकृति आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । जिससे पुष्टि न की जा सकी । ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 42200.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री इन्द्रसेन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 19)**

ग्राम पंचायत –नरोत्तमपुर विकास खण्ड– शिवपुर

62– ग्राम पंचायत नरोत्तमपुर की वर्ष 2016–17 को दिनांक 07.10.2016 को रू0. 46936.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शित है । व्यय के पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । जिससे पुष्टि न की जा सकी । ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 46936.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हीरालाल द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 19)**

63– ग्राम पंचायत नरोत्तमपुर की वर्ष 2016–17 को दिनांक 12.05.2016 को सोलर लाईट क्रय पर रू0. 63300.00 व्यय कैशबुक में दर्शित है । जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । जिससे पुष्टि न की जा सकी । ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 63300.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हीरालाल द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 20)**

ग्राम पंचायत – बंजरिया विकास खण्ड –बलहा

64– ग्राम पंचायत बंजरिया की वर्ष 2016–17 को दिनांक 30.08.2016 से 07.12.2016 तक विभिन्न तिथियों में रू0. 755150.00 का के0जी0एन0 बिक्र फील्ड से ईट क्रय पर व्यय कैशबुक में दर्शित है । जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । जिससे पुष्टि न की जा सकी । ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 755150.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती आयशा अली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभुनाथ गुप्ता द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 18)**

65– ग्राम पंचायत बंजरिया की वर्ष 2016–17 को दिनांक 07.12.2016, 03.09.2016,30.08.2016 को मजदूरी पर रू0. 194986.00 का भुगतान कैशबुक में दर्शित है । जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 194986.00का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती आयशा अली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभुनाथ गुप्ता द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 19)**

ग्राम पंचायत – गुलरा विकास खण्ड – बलहा

66– ग्राम पंचायत गुलरा की वर्ष 2016–17 को दिनांक 02.05.2016 को रू0. 26500.00 का हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शित है। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 26500.00 का अपहरण

ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजराज पाण्डेय द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0 19)**

ग्राम पंचायत – गजाधरपुर विकास खण्ड – फखरपुर

67– ग्राम पंचायत गजाधरपुर की वर्ष 2016–17 को दिनांक 30.06.2016, 17.10.2016, 24.11.2016 एवं 09.03.2017 को कुल रू0. 20500.00 का हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शित है व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 20500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती मोमिना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूण वर्मा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0–19)

68 – ग्राम पंचायत गजाधरपुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 02.06.2016, 01.09.2016, 03.09.2016 एवं 17.10.2016 को कुल रू0 253200.00 का सोलर लाइट क्रय पर व्यय कैशबुक में दर्शित है व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टाफ रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 253200.00 को अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती मोमिना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूण वर्मा द्वारा कर लिया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–20)**

ग्राम पंचायत – सिंगरौ विकास खण्ड – फखरपुर

69 – ग्राम पंचायत सिंगरौ की वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.06.2016, 03.09.2016, 03.11.2016 एवं 21.02.2017 को रू0 63432.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शित है व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 63432.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मंगल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुन्दरलाल मिश्रा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–19)**

ग्राम पंचायत – अकबरपुर बुजुर्ग विकास खण्ड – फखरपुर

70 – ग्राम पंचायत अकबरपुर बुजुर्ग की वर्ष 2016–17 में दिनांक 12.09.2016, 26.09.2016, 27.10.2016 को सोलर लाइट क्रय पर रू0 337600.00 व्यय कैशबुक में दर्शित है व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टाक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 337600.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री लाल कुंवर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूण वर्मा द्वारा कर दिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्तों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–19)**

ग्राम पंचायत – भूपानी विकास खण्ड – फखरपुर

71 – ग्राम पंचायत भूपानी की वर्ष 2016–17 में दिनांक 03.06.2016 को रू0 48620.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शित है व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 48620.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री बुद्विसागर पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुन्दर लाल मिश्रा द्वारा कर दिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–19)**

72 – ग्राम पंचायत भूपानी की वर्ष 2016–17 में दिनांक 27.10.2016, 18.11.2016 को सोलर लाइट क्रय पर रू0 294200.00 व्यय कैशबुक में दर्शित है व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक कोटेशन, स्टाक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 294200.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री बुद्विसागर पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुन्दर लाल मिश्रा द्वारा कर दिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–21)**

ग्राम पंचायत –मलूकपुर विकास खण्ड – फखरपुर

73 – ग्राम पंचायत मलूकपुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 26.04.2016, 24.08.2016 एवं 29.08.2016 को रू0 60454.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शित है व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 60454.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री इतवारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूण वर्मा द्वारा कर दिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–19)**

ग्राम पंचायत – बसौना विकास खण्ड – फखरपुर

74 – ग्राम पंचायत बसौना की वर्ष 2016–17 में दिनांक 26.04.2016 से 28.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0 60000.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शित है व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 60000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री उमेश प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश कश्यप द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–19)**

ग्राम पंचायत – डोकरी विकास खण्ड – तेजवापुर

75 – ग्राम पंचायत डोकरी की वर्ष 2016–17 में दिनांक 27.05.2016, 25.10.2016 को रू0 10000.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शित है व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 10000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रीता सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जगदीश वर्मा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–19)**

ग्राम पंचायत – सराय मेहराबाद विकास खण्ड – तेजवापुर

76 – ग्राम पंचायत सराय मेहराबाद की वर्ष 2016–17 में दिनांक 20.07.2016, 05.08.2016 एवं 19.11.2016 को रू0 16601.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शित है। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 16601.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र मोहन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र मिश्रा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–19)**

ग्राम पंचायत – मैगला विकास खण्ड – तेजवापुर

77 – ग्राम पंचायत मैगला में वर्ष 2016–17 में दिनांक 25.05.2016, 19.11.2016 को सोलर लाइट क्रय पर रू0 42200.00 व्यय कैशबुक में दर्शित है। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टाक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 42200.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–19)**

ग्राम पंचायत – बसौना माफी विकास खण्ड – तेजवापुर

78 – ग्राम पंचायत बसौना माफी की वर्ष 2016–17 में दिनांक 16.05.2016 से 28.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू0 89064.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 89064.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री घनश्याम यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–19)**

ग्राम पंचायत – कौड़हा विकास खण्ड – तेजवापुर

79 – ग्राम पंचायत कौड़हा में वर्ष 2016–17 में दिनांक 24.04.2016, 19.09.2016 एवं 17.10.2016 को कुल रू0 105500.00 का सोलर लाइट क्रय पर व्यय कैशबुक में दर्शित है व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टाक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 105500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मंशाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–19)**

ग्राम पंचायत – चन्दनापुर सिकड़िया विकास खण्ड – तेजवापुर

80 – ग्राम पंचायत चन्दनापुर सिकड़िया की वर्ष 2016–17 में दिनांक 03.04.2016 से 13.10.2016 तक विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू0 41720.00 केशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 41720.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राम छबीले एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री

अशोक कुमार श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–08)**

ग्राम पंचायत – जतौरा विकास खण्ड – जरवल

81 – ग्राम पंचायत जतौरा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 03.05.2016 एवं 21.02.2017 को हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू0 66212.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 66212.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमलेशचन्द्र द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

82 – ग्राम पंचायत जतौरा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 23.06.2016 से 05.12.2016 तक विभिन्न तिथियों में कुल रू0 540902.00 खड़न्जा मरम्मत हेतु ईट क्रय, मजदूरी एवं मिट्टी ढुलाई पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 540902.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमलेश चन्द्र द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

83 – ग्राम पंचायत जतौरा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 09.05.2016 से 19.10.2016 तक विभिन्न तिथियों में कुल रू0 126300.00 सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, स्टाक रजिस्टर, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 126300.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमलेश चन्द्र द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

84 – ग्राम पंचायत जतौरा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 27.12.2016 से 17.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में कुल रू0 43298.00 मिट्टी ढुलाई पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 43298.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमलेश चन्द्र द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

ग्राम पंचायत – खेसुआ विकास खण्ड – जरवल

85 – ग्राम पंचायत खेसुआ की वर्ष 2016–17 में दिनांक 22.06.2016, 30.09.2017 एवं 08.02.2017 को हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू0 36344.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 36344.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मुजीद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चौधरी द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

86 – ग्राम पंचायत खेसुआ की वर्ष 2016–17 में दिनांक 25.05.2016 से 30.09.2016 तक विभिन्न तिथियों में कुल रू0 316028.00 खड़न्जा निर्माण पर ईंट क्रय, मजदूरी एवं मिट्टी ढुलाई पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 316028.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मुजीद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चौधरी द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

87 – ग्राम पंचायत खेसुआ की वर्ष 2016–17 में दिनांक 09.05.2016, 22.09.2016 एवं 26.10.2016 को कुल रू0 63300.00 सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, स्टाक रजिस्टर, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 63300.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मुजीद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चौधरी द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

88 – ग्राम पंचायत खेसुआ की वर्ष 2016–17 में दिनांक 11.04.2016 से 10.06.2016 तक विभिन्न तिथियों में नाली निर्माण पर कुल रू0 284171.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 284171.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मुजीद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक चौधरी द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0–04)

ग्राम पंचायत – उपधी विकास खण्ड – जरवल

89 – ग्राम पंचायत उपधी की वर्ष 2016–17 में दिनांक 07.07.2016, 10.02.2017 को हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू0 32940.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 32940.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रवेश द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

90 – ग्राम पंचायत उपधी की वर्ष 2016–17 में दिनांक 16.06.201, 22.06.2016 एवं 23.06.2016 को कुल रू0 104132.00 खड़न्जा निर्माण/मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 104132.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रवेश द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

91 – ग्राम पंचायत उपधी की वर्ष 2016–17 में दिनांक 05.05.2016 से 26.12.2016 तक विभिन्न तिथियों में कुल रू0 210200.00 सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, स्टाक रजिस्टर, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 210200.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रवेश द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0–03)

ग्राम पंचायत – अहाता विकास खण्ड – जरवल

92 – ग्राम पंचायत अहाता की वर्ष 2016–17 में दिनांक 13.06.2016, 16.07.2017 एवं 29.07.2016 को हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू0 12980.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 32940.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री जगदीश प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सेन द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0–01)

93 – ग्राम पंचायत अहाता की वर्ष 2016–17 में दिनांक 16.04.201 से 28.07.2016 तक विभिन्न तिथियों में कुल रू0 432726.00 खड़न्जा मरम्मत हेतु ईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 432726.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री जगदीश प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सेन द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

94 – ग्राम पंचायत अहाता की वर्ष 2016–17 में दिनांक 16.04.2016 से 20.01.2016 तक विभिन्न तिथियों में कुल रू0 193750.00 सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, स्टाक रजिस्टर, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 193750.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री जगदीश प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सेन द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0–03)

95 – ग्राम पंचायत अहाता की वर्ष 2016–17 में दिनांक 07.06.2016 से 28.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में कुल रू0 331271.00 शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 331271.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री जगदीश प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश

सेन द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0–04)

ग्राम पंचायत – रिठौरा विकास खण्ड – जरवल

96 – ग्राम पंचायत रिठौरा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 02.04.2016 से 16.02.2017 तक विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू0 94006.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 94006.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सोनू कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0–01)

97 – ग्राम पंचायत रिठौरा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 05.07.2016 से 02.02.2017 तक विभिन्न तिथियों में कुल रू0 252148.00 खड़न्जा निर्माण/मरम्मत हेतु ईट क्रय, मिट्टी ढुलाई एवं मजदूरी पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, स्टाक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 252148.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सोनू कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0–02)

98 – ग्राम पंचायत रिठौरा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 17.05.2016 से 16.10.2016 तक विभिन्न तिथियों में कुल रू0 210200.00 सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 210200.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सोनू कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0–03)

99 – ग्राम पंचायत रिठौरा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 02.08.2016 से 03.02.2017 तक विभिन्न तिथियों में नाली निर्माण हेतु सामग्री एवं मजदूरी पर कुल रू0 73735.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 73735.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सोनू कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0–04)

ग्राम पंचायत – कन्हरई विकास खण्ड – जरवल

100 – ग्राम पंचायत कन्हरई की वर्ष 2016–17 में दिनांक 02.05.2016, 09.08.2016 व 28.10.2016 को हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू0 53212.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 53212.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री द्वारिका एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती नीलम वर्मा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0–01)

101 – ग्राम पंचायत कन्हरई की वर्ष 2016–17 में दिनांक 07.06.2016 से 28.10.2016 तक विभिन्न तिथियों में कुल रू0 133114.00 खड़न्जा मरम्मत हेतु ईट क्रय एंव मजदूरी पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 133114.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री द्वारिका एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती नीलम वर्मा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0–02)

102 – ग्राम पंचायत कन्हरई की वर्ष 2016–17 में दिनांक 25.05.2016 से 17.10.2016 तक विभिन्न तिथियों में कुल रू0 147300.00 सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 147300.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री द्वारिका एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती नीलम वर्मा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0–03)

103 – ग्राम पंचायत कन्हरई की वर्ष 2016–17 में दिनांक 21.07.2016 एवं 10.08.2016 को नाली निर्माण हेतु कुल रू0 20608.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 20608.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री द्वारिका एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती नीलम वर्मा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

ग्राम पंचायत – नासिरगंज विकास खण्ड – जरवल

104 – ग्राम पंचायत नासिरगंज की वर्ष 2016–17 में दिनांक 12.04.2016 एवं 30.04.2016 को हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू0 40987.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 40987.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनिल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सेन द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

105 – ग्राम पंचायत नासिरगंज की वर्ष 2016–17 में दिनांक 16.04.2016 से 08.12.2016 तक विभिन्न तिथियों में खड़न्जा मरम्मत हेतु ईट क्रय, मजदूरी एवं मिट्टी पटाई पर कुल रू0 110977.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 110977.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनिल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सेन द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

106 – ग्राम पंचायत नासिरगंज की वर्ष 2016–17 में दिनांक 27.06.2016, 19.11.2016 को कुल रू0 42900.00 सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 42900.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनिल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सेन द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

107 – ग्राम पंचायत नासिरगंज की वर्ष 2016–17 में दिनांक 13.02.2017 व 10.03.2017 को सोक पिट निर्माण हेतु कुल रू0 177550.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, वित्तीय स्वीकृत व स्टाक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 177550.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनिल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सेन द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

ग्राम पंचायत – सचौली विकास खण्ड – पयागपुर

108 – ग्राम पंचायत सचौली की वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.04.2016 से 04.03.2017 तक कुल रू0 400021.00 का ईंट क्रय कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टाक रजिस्टर एवं वित्तीय स्वीकति से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 400021.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अक्षयबर तिवारी एवं राज कुमार मिश्र द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से रू0 200010.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अक्षयबर तिवारी एवं राजकुमार मिश्र से 200010.50 बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

109 – ग्राम पंचायत सचौली की वर्ष 2016–17 में दिनांक 25.10.2016 एवं 03.03.2017 को हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू0 50227.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 50227.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अक्षयबर तिवारी एवं राज कुमार मिश्र द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से रू0 25113.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अक्षयबर तिवारी एवं राजकुमार मिश्र से 25113.50 बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

110 – ग्राम पंचायत सचौली की वर्ष 2016–17 में दिनांक 03.08.2016 एवं 04.03.2017 को कुल रू0 80676.00 पुलिया निर्माण सामग्री पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः

रू0 80676.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अक्षयबर तिवारी एवं राज कुमार मिश्र द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से रू0 40338.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अक्षयबर तिवारी एवं राजकुमार मिश्र से 40338.00 बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

111 – ग्राम पंचायत सचौली की वर्ष 2016–17 में दिनांक 13.05.2016 से 18.05.2016 एवं 28.02.2017 को कुल रू0 462375.00 नाली निर्माण सामग्री पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 462375.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अक्षयबर तिवारी, राजकुमार मिश्र द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

112 – ग्राम पंचायत सचौली की वर्ष 2016–17 में दिनांक 03.08.2016 एवं 04.03.2017 को मिट्टी ढुलाई भाड़ा कुल रू0 36000.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल का नाम आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 36000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम अक्षयबर तिवारी, राजकुमार मिश्र द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–05)**

ग्राम पंचायत – बालापुर विकास खण्ड – विशेश्वरगंज

113 – ग्राम पंचायत बालापुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 26.05.2016 से 25.10.2016 तक कुल रू0 1009630.00 का ईंट क्रय एवं मजदूरी खडन्जा निर्माण पर भुगतान कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। तथा ईट क्रय रू0 869296.00 पर दो प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 रू0 17385.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 1009630.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती आभा सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आभा सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01 क)**

114 – ग्राम पंचायत बालापुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 04.04.2016 से 01.06.2016 में आंगनबाड़ी केन्द्र मरम्मत कार्य पर कुल रू0 45000.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं स्टाक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 45000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती आभा सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आभा सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

115 – ग्राम पंचायत बालापुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 26.05.2016 से 25.10.2016 तक कुल रू0 289000.00 सोख्ता निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 289000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती आभा सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आभा सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

ग्राम पंचायत – कन्छर विकास खण्ड – विशेश्वरगंज

116 – ग्राम पंचायत **कन्छर** की वर्ष 2016–17 में दिनांक 09.05.2016 से 18.02.2017 तक कुल रू0 1213750.00 का खडन्जा निर्माण हेतु ईंट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कोटेशन आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसकी पुष्टि न की जा सकी। ईट क्रय रू0 1213750.00 पर दो प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 रू0 24275.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 1213750.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री पदमा गिरि एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पदमा गिरि एवं ग्राम पंचायत अधिकारी जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

117 – ग्राम पंचायत कंछर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 07.04.2016 से 24.01.2017 तक रू0 149795.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के

खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 149795.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री पदमा गिरि एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पदमा गिरि एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

118 – ग्राम पंचायत **कन्छर** की वर्ष 2016–17 में दिनांक 26.09.2016 एंव 14.12.2016 को कुल रू0 132975.00 पुलिया निर्माण सामग्री पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल का नाम, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 132975.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री पदमा गिरि एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पदमा गिरि एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

119 – ग्राम पंचायत **कन्छर** की वर्ष 2016–17 में दिनांक 29.12.2016 से 06.02.2017 तक कुल रू0 119246.00 शौचालय निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 119246.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री पदमा गिरि एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पदमा गिरि एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

120 – ग्राम पंचायत **कन्छर** की वर्ष 2016–17 में दिनांक 16.05.2016 से 13.01.2017 तक कुल रू0 142176.00 नाली निर्माण सामग्री पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 142176.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री पदमा गिरि एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पदमा गिरि एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–05)**

121 – ग्राम पंचायत **कन्छर** की वर्ष 2016–17 में रू0 93000.00 कूप मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 93000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री पदमा गिरि एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पदमा गिरि एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–...06....)**

ग्राम पंचायत – खजुरार विकास खण्ड – विशेश्वरगंज

122 – ग्राम पंचायत खजुरार की वर्ष 2016–17 में दिनांक 25.04.2016 से 15.02.2017 तक रू0 668430.00 खडन्जा निर्माण हेतु ईंट क्रय पर तथा रू0 71568.00 खडन्जा निर्माण एवं मजदूरी पर कुल रू0 739998.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन, कार्य का नाम, प्रस्ताव, तकनीकी स्वीकृति, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 739998.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार मिश्रा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार मिश्रा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। रू0 668430.00 ईंट क्रय पर रू0 13368.00 टी0डी0एस0 कटौती कर राजकीय कोष में जमा करना चाहिये था। टी0डी0एस0 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। **(आ0सं0–01)**

123 – ग्राम पंचायत खजुरार की वर्ष 2016–17 में दिनांक 25.01.2017 एवं 15.02.2017 को रू0 55862.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 55862.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार मिश्रा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार मिश्रा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

124 – ग्राम पंचायत खजुरार की वर्ष 2016–17 में दिनांक 09.03.2017 एवं 16.02.2017 को रू0 109050.00 ह्यूम पाइप क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 109050.00 का

अपहरण ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार मिश्रा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार मिश्रा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

125 – ग्राम पंचायत खजुरार की वर्ष 2016–17 में दिनांक 16.02.2017 एवं 17.02.2017 को रू0 51530.00 शौचालय निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसका कोई स्थान एवं विवरण दर्शित नहीं है। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 51530.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार मिश्रा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार मिश्रा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

126 – ग्राम पंचायत खजुरार की वर्ष 2016–17 में रू0 88150.00 नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय एवं रू0 14400.00 मजदूरी पर कुल रू0 102550.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, नाली निर्माण का स्थान आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 102550.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार मिश्रा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार मिश्रा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–05)**

127 – ग्राम पंचायत खजुरार की वर्ष 2016–17 में दिनांक 27.05.2016 एवं 26.09.2016 को रू0 42200.00 सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 42200.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार मिश्रा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार मिश्रा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–06)**

ग्राम पंचायत – नेवलापुर विकास खण्ड – विशेश्वरगंज

128 – ग्राम पंचायत नेवलापुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 28.04.2016 से 25.10.2016 तक रू0 375430.00 हेतु ईंट क्रय तथा रू0 66294.00 खडन्जा निर्माण एवं मजदूरी पर कुल रू0 441724.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 441724.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। रू0 375430.00 ईंट क्रय पर टी0डी0एस0 की कटौती रू0 7508.00 की न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। **(आ0सं0–01)**

129 – ग्राम पंचायत नेवलापुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 04.05.2016 से 16.01.2017 को रू0 31000.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 31000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार सिहं एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

130 – ग्राम पंचायत नेवलापुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 16.02.2017 से 21.02.2017 को रू0 50000.00 सोख्ता निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 50000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

131 – ग्राम पंचायत नेवलापुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 07.10.2016 को रू0 29550.00 को ह्यूम पाइप क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 29550.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम

प्रधान श्री विजय कुमाार सिहं एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

132 – ग्राम पंचायत नेवलापुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 17.10.2016 को रू0 21100.00 को सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 21100.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–05)**

ग्राम पंचायत – तकिया विकास खण्ड – विशेश्वर गंज

133 – ग्राम पंचायत तकिया की वर्ष 2016–17 में दिनांक 07.05.2016 से 21.10.2016 तक रू0 472500.00 हेतु ईंट क्रय तथा रू0 74298.00 मजदूरी पर कुल रू0 546798.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका, कोटेशन आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 546798.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री फकीरे आलम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री फकीरे आलम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

134 – ग्राम पंचायत तकिया की वर्ष 2016–17 में दिनांक 22.04.2016 से 14.02.2017 तक रू0 49300.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 49300.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री फकीरे आलम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान फकीरे आलम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

135 – ग्राम पंचायत तकिया की वर्ष 2016–17 में दिनांक 26.09.2016 व 21.12.2016 तक रू0 106275.00 ह्यूम पाइप पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 106275.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री फकीरे आलम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री फकीरे आलम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

136 – ग्राम पंचायत तकिया की वर्ष 2016–17 में दिनांक 13.06.2016 से 08.02.2017 तक पंचायत भवन मरम्मत पर रू0 330669.00 एवं दिनांक 05.05.2016 से 04.01.2017 तक आंगनबाड़ी मरम्मत कार्य पर 247520.00 कुल रू0 578189.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में कार्य योजना, प्रस्ताव, तकनीकि स्वीकृति, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 578189.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री फकीरे आलम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान फकीरे आलम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी जय प्रकाश सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

ग्राम पंचायत – मंझवा बनकट विकास खण्ड – विशेश्वरगंज

137 – ग्राम पंचायत मंझवा बनकट की वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.06.2016 से 17.03.2017 तक खडन्जा निर्माण हेतु ईंट क्रय एवं मजदूरी पर रू0 1039252.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 1039252.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती तवस्सुम बानो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष शर्मा/श्री जय प्रकाश द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तबस्सुम बानो से 1/2 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष शर्मा/जय प्रकाश से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

138 – ग्राम पंचायत मंझवा बनकट की वर्ष 2016–17 में दिनांक 29.04.2016 से 22.03.2017 को रू0 27275.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0

27275.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती तवस्सुम बानो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष शर्मा/श्री जय प्रकाश द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तवस्सुम बानो से 1/2 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष शर्मा/जय प्रकाश से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

139 – ग्राम पंचायत मंझवा बनकट की वर्ष 2016–17 में दिनांक 29.08.2016 से 18.01.2017 तक रू0 132975.00 ह्यूम पाइप क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 132975.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती तवस्सुम बानो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष शर्मा/श्री जय प्रकाश द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तवस्सुम बानो से 1/2 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष शर्मा/जय प्रकाश से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

140 – ग्राम पंचायत मंझवा बनकट की वर्ष 2016–17 में दिनांक 13.06.2016 से 17.03.2017 तक रू0 100226.00 नाली निर्माण सामग्री क्रय एवं मजदूरी पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 100226.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती तवस्सुम बानो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष शर्मा/श्री जय प्रकाश द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तवस्सुम बानो से 1/2 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष शर्मा/जय प्रकाश से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

141 – ग्राम पंचायत मंझवा बनकट की वर्ष 2016–17 में दिनांक 24.10.2016 को रू0 50000.00 आंगनबाड़ी केन्द्र मरम्मत कार्य पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्ययोजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 50000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती तवस्सुम बानो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष शर्मा/श्री जय प्रकाश द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तवस्सुम बानो से 1/2 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष शर्मा/जय प्रकाश से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–05)**

ग्राम पंचायत – तेन्दुआ कबीर विकास खण्ड – विशेश्वरगंज

142 – ग्राम पंचायत तेन्दुआ कबीर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 26.05.2016 से 05.11.2016 तक रू0 150708.00 खडन्जा निर्माण हेतु ईंट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 150708.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ओमदत्त एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

143 – ग्राम पंचायत तेन्दुआ कबीर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.06.2016 से 04.03.2017 तक रू0 111653.00 हैण्ड पम्प पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 111653.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ओमदत्त एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

144 – ग्राम पंचायत तेन्दुआ कबीर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 13.01.2017 को रू0 59100.00 ह्यूम पाइप क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 59100.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ओमदत्त एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

145 – ग्राम पंचायत तेन्दुआ कबीर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 28.09.2016 से 28.03.2017 तक रू0 276763.00 सी0सी0 रोड निर्माण एवं इण्टरलाकिंग रोड निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, प्रस्ताव, तकनीकि स्वीकृति स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 276763.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ओमदत्त एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

146 – ग्राम पंचायत तेन्दुआ कबीर की वर्ष 2016–17 में रू0 139960.00 सोख्ता निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में सोख्ता निर्माण के स्थान, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्ययोजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 139960.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ओमदत्त एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–05)**

ग्राम पंचायत – बैकुण्ठा विकास खण्ड – हुजूरपुर

147 – ग्राम पंचायत बैकुण्ठा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 14.10.2016 एवं 10.03.2017 को रू0 134385.00 ईंट क्रय एवं दिनांक 15.06.2016 एवं 28.03.2017 को कुल रू0 142666.00 मजदूरी पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, कार्ययोजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 277051.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री गुरूवचन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

148 – ग्राम पंचायत बैकुण्ठा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 09.01.2017 एवं 15.03.2017 को रू0 65576.00 पुलिया निर्माण/ह्यूम पाइप क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कर्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्ययोजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 65576.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री गुरूवचन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

149 – ग्राम पंचायत बैकुण्ठा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 17.10.2016 एवं 21.02.2017 को रू0 29750.00 नाली निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्थान का नाम, कर्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्ययोजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 29750.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री गुरूवचन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

150 – ग्राम पंचायत बैकुण्ठा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 26.09.2016 एवं 09.03.2017 को रू0 27000.00 मिट्टी ढुलाई भाड़ा पर भुगतान कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य का नाम आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 27000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री गुरूवचन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

151 – ग्राम पंचायत बैकुण्ठा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 09.01.2017 को रू0 20000.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 20000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री गुरूवचन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–05)**

ग्राम पंचायत – बेहड़ा विकास खण्ड – हुजूरपुर

152 – ग्राम पंचायत बेहड़ा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 11.07.2016, 19.01.2017 एवं 24.01.2017 को रू0 206978.00 खडन्जा निर्माण हेतु ईंट क्रय एवं दिनांक 31.10.2016 मजदूरी पर 15380.00 कुल रू0 222358.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः रू0 222358.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

153 – ग्राम पंचायत बेहड़ा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.04.2016 एवं 22.06.2016 को रू0 32770.00 हैण्डपम्प मरम्मत/सामग्री पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्ययोजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 32770.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

154 – ग्राम पंचायत बेहड़ा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 19.01.2017 एवं 28.02.2017 को रू0 24418.00 ह्यूम पाइप क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 24418.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

155 – ग्राम पंचायत बेहड़ा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 31.05.2016 एवं 28.03.2017 को रू0 77517.00 नाली निर्माण सामग्री, सीमेन्ट पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 77517.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

ग्राम पंचायत – सोनहरा विकास खण्ड – हुजूरपुर

156 – ग्राम पंचायत सोनहरा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 21.06.2016 एवं 06.08.2016 को रू0 179969.00 इण्टरलाकिंग निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 179969.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

157 – ग्राम पंचायत सोनहरा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 03.03.2017 को रू0 36579.00 शौचालय निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, प्रस्ताव, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 36579.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0–02)

158 – ग्राम पंचायत सोनहरा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 31.08.2016, 10.02.2017 एवं 30.03.2017 को रू0 70000.00 हैण्डपम्प मरम्मत/सामग्री पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्ध समिति का अनुमोदन कार्ययोजना, स्टाक रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 70000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

159 – ग्राम पंचायत सोनहरा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 15.02.2017 एवं 20.03.2017 को रू0 36000.00 ह्यूम पाइप क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर एवं प्रस्ताव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 36000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(आ0सं0–04)

160 – ग्राम पंचायत सोनहरा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.03.2017 एवं 31.03.2017 को रू0 120090.00 नाली निर्माण सामग्री क्रय एवं मजदूरी पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर एवं प्रस्ताव, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 120090.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–05)**

161–ग्राम पंचायत सोनहरा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 02.03.2017 को रू0 63300.00 सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 63300.00

का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–06)**

ग्राम पंचायत – गोकुलपुर विकास खण्ड – हुजूरपुर

162 – ग्राम पंचायत गोकुलपुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 09.05.2016 से 29.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में कुल रू0 288433.00 ईट क्रय खडन्जा निर्माण हेतु कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, स्टाक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। रू0 5768.00 का नियमानुसार आयकर कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 288433.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री केदार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

163 – ग्राम पंचायत गोकुलपुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 11.04.2016 से 27.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में कुल रू0 108730.00 हैण्डपम्प मरम्मत/सामग्री क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0.108730.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री केदार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

164 – ग्राम पंचायत गोकुलपुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 24.05.2016 को कुल रू0 79635.00 शौचालय निर्माण/मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्कूल का नाम आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया है व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 79635.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री केदार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

165 – ग्राम पंचायत गोकुलपुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 26.10.2016 एवं 09.03.2017 को कुल रू0 78300.00 सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल का नाम आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 78300.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री केदार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

166 – ग्राम पंचायत गोकुलपुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 17.05.2016 से 21.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0 191520.00 नाली निर्माण सामग्री, सीमेन्ट एवं मजदूरी पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल का नाम आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 191520.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री केदार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–05)**

ग्राम पंचायत – भानपुर विकास खण्ड – हुजूरपुर

167 – ग्राम पंचायत भानपुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.03.2017 को रू0 14500.00 का ईट क्रय किया गया है तथा दिनांक 30.03.2017 को 10500.00 मजदूरी पर कुल रू0 25000.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृत, स्टाक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 25000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री कन्हैयालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रसेन वर्मा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

168 – ग्राम पंचायत भानपुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 15.06.2016 से 30.03.2017 तक कुल रू073512.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में जल प्रबन्ध समिति द्वारा व्यय का अनुमोदन नहीं कराया गया है, व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 73512.00 का

अपहरण ग्राम प्रधान श्री कन्हैयालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रसेन वर्मा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

169 – ग्राम पंचायत भानपुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.06.2016 एवं 19.09.2016 को क्रमशः रू0 42200.00 एवं रू0 21100.00 कुल रू0 63300.00 सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 63300.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री कन्हैयालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रसेन वर्मा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

170 – ग्राम पंचायत भानपुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 31.05.2016 को रू0 42250.00 नाली निर्माण सामग्री क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्ययोजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया है व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 42250.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री कन्हैयालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रसेन वर्मा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

171 – ग्राम पंचायत भानपुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 19.08.2016 एवं 25.10.2016 को क्रमशः रू0 10500.00 एवं रू0 20500.00 कुल रू0 31000.00 मिट्टी ढुलाई भाड़ा पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल का नाम आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 31000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री कन्हैयालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रसेन वर्मा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–05)**

ग्राम पंचायत – लौकाही विकास खण्ड – हुजूरपुर

172 – ग्राम पंचायत लौकाही की वर्ष 2016–17 में दिनांक 29.06.2016 से 30.01.2017 तक रू0 574372.00 ईट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया है व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 574372.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अली अहमद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश यादव/आशुतोष मिश्र द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

173 – ग्राम पंचायत लौकाही की वर्ष 2016–17 में दिनांक 25.10.2016 एवं 03.03.2017 को क्रमशः 46600.00 एवं 24827.00 कुल रू0 71427.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 71427.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अली अहमद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश यादव/आशुतोष मिश्र द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

174 – ग्राम पंचायत लौकाही की वर्ष 2016–17 में दिनांक 29.12.2016 को रू0 34540.00 पुलिया निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 34540.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अली अहमद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश यादव/आशुतोष मिश्र द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

175 – ग्राम पंचायत लौकाही की वर्ष 2016–17 में दिनांक 18.05.2016 एवं 28.02.2017 को क्रमशः रू0 56420.00 एवं 244781.00 कुल रू0 312001.00 नाली निर्माण सामग्री क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 312001.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अली अहमद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश यादव/आशुतोष मिश्र द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

ग्राम पंचायत – बौव्वा विकास खण्ड – हुजूरपुर

176 – ग्राम पंचायत बौव्वा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 22.09.2016 से 28.02.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0 442914.00 खडन्जा निर्माण वं मरम्मत कार्य हेतु ईंट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 442914.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रसेन वर्मा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

177 – ग्राम पंचायत बौव्वा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 22.05.2016 एवं 31.05.2016 क्रमशः रू0 10000.00 एवं रू0 20000.00 कुल रू0 30000.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर भुगतान कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 30000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रसेन वर्मा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

178 – ग्राम पंचायत बौव्वा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 31.05.2016 एवं 01.03.2017 क्रमशः रू0 54500.00 एवं रू0 25700.00 कुल रू0 80200.00 नाली निर्माण सामग्री क्रय/मरम्मत कार्य पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य स्थान का नाम, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 80200.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रसेन वर्मा द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

ग्राम पंचायत – गाजीपुर कोड़री विकास खण्ड – हुजूरपुर

179 – ग्राम पंचायत गाजीपुर कोड़री की वर्ष 2016–17 में दिनांक 31.05.2016 से 28.03.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0 287716.00 खडन्जा निर्माण वं मरम्मत कार्य हेतु ईंट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। रू0. 287716.00 पर नियमानुसाार टी0डी0एस0 रू0. 5754.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 287716.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ताजुद्दीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

180 – ग्राम पंचायत गाजीपुर कोड़री की वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.07.2016 व 09.02.2017 तक क्रमशः रू0 41100.00 एवं रू0 24250.00 कुल रू0 65350.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 65350.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ताजुद्दीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

181 – ग्राम पंचायत गाजीपुर कोड़री की वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.12.2016 को रू0 27000.00 ह्यूम पाइप क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 27000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ताजुद्दीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

182 – ग्राम पंचायत गाजीपुर कोड़री की वर्ष 2016–17 में दिनांक 25.10.2016 को रू0 41100.00 सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 41100.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ताजुद्दीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

183 – ग्राम पंचायत गाजीपुर कोड़री की वर्ष 2016–17 में दिनांक 25.01.2017 को रू0 23950.00 नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्ययोजना, मस्टर रोल

आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 23950.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ताजुद्दीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–05)**

184 – ग्राम पंचायत गाजीपुर कोड़री की वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.04.2016 एवं 30.04.2016 को क्रमशः रू0 5000.00 एवं रू0 7500.00 कुल रू0 12500.00 मिट्टी ढुलाई भाड़ा पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य स्थान का नाम लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 12500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ताजुद्दीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–06)**

ग्राम पंचायत – लालपुर ऐमा विकास खण्ड – हुजूरपुर

185 – ग्राम पंचायत लालपुर ऐमा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 08.03.2017 को खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय पर 48000.00 एवं 23.03.2017 को मजदूरी पर रू0 17000.00 कुल रू0 65000.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 65000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

186 – ग्राम पंचायत लालपुर ऐमा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.06.2016 को रू0 18700.00 हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 18700.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

187 – ग्राम पंचायत लालपुर ऐमा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 11.05.2016 एवं 21.09.2016 को क्रमशः रू0 29400.00 एवं रू0 40000.00 कुल रू0 69400.00 ह्यूम पाइप क्रय, पुलिया निर्माण एवं मरम्मत कार्य पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 69400.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

188 – ग्राम पंचायत लालपुर ऐमा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.05.2016 एवं 17.02.2017 को क्रमशः रू0 37700.00 एवं रू0 32500.00 कुल रू0 70200.00 नाली निर्माण सामग्री क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 70200.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

189 – ग्राम पंचायत लालपुर ऐमा की वर्ष 2016–17 में दिनांक 12.05.2016 एवं 27.03.2017 को क्रमशः रू0 42200.00 एवं रू0 21100.00 कुल रू0 63300.00 सोलर लाइट क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 63300.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–05)**

ग्राम पंचायत – नकहरा अब्बोपुर विकास खण्ड – हुजूरपुर

190 – ग्राम पंचायत नकहरा अब्बोपुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 07.06.2016 से 06.08.2016 तक विभिन्न तिथियों में रू0 453264.00 खडन्जा निर्माण हेतु ईंट क्रय पर एवं रू0 28649.00 मजदूरी दिनांक 08.03.2017 एवं 29.03.2017 को कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका, कार्ययोजना, कार्यपूति

प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 481933.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती फुलेसरा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–01)**

191 – ग्राम पंचायत नकहरा अब्बोपुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 03.09.2016 से 25.01.2017 तक विभिन्न तिथियों में रू0 65020.00 हैण्डपम्प मरम्मत एवं सामग्री पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, जल प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदन, कार्ययोजना, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 65020.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती फुलेसरा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–02)**

192 – ग्राम पंचायत नकहरा अब्बोपुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 13.01.2017 को रू0 23500.00 हृयूम पाइप क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 23500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती फुलेसरा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–03)**

193 – ग्राम पंचायत नकहरा अब्बोपुर की वर्ष 2016–17 में दिनांक 26.05.2016 को रू0 50000.00 नाली निर्माण सामग्री क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया` व्यय अपहरण है। अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर रू0 50000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती फुलेसरा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज नारायण राव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0–04)**

प्रारूप–3

जनपद का नामः–बलरामपुर मण्डल का नामः– देवीपाटन

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ वर्ष 2016–17

ग्राम पंचायतः– बाघाजोत मिलौली विकास क्षेत्रः–उतरौला

प्रस्तर–1 ग्राम पंचायत में दिनांक 26.09.2016 को एक नग ठेलिया रू0 15000.00 व्यय करके क्रय की गयी है। उक्त क्रय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं–

व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।

विकास खण्ड की अन्य पंचायतों में ठेलिया रू0 12500.00 में क्रय की गयी है। जबकि आलोच्य पंचायत में अधिक मूल्य भुगतान दर्शित है।

क्रय का अंकन डेड स्टाक रजिस्टर पर नहीं किया गया है। अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कैशबुक में उक्त अंकन पूर्णतः कूट रचित एवं फर्जी है। व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्री राम तिजोर एवं पंचायत सचिव मो0 वहीद से की जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

प्रस्तर–2 लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कैशबुक में सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट का क्रय अंकित किया गया है। जो निम्नवत् है–

क्र0	दिनांक	सामग्री का नाम	मात्रा	धनराशि	चेक नं0–	फर्म का नाम
1	22.09.2016	सोलर लाइट	1 नग	22500.00	050801	प्रकाश कन्स0 उतरौला
2	22.09.2016	स्ट्रीट लाइट	7 नग	45500.00	050802	प्रकाश कन्स0 उतरौला
3	22.09.2016	स्ट्रीट लाइट	15 नग	97500.00	050803	प्रकाश कन्स0 उतरौला
4	22.09.2016	स्ट्रीट लाइट	12 नग	78000.00	050804	कृष्णा जनरल आर्डर सप्लायर
5	26.09.2016	सोलर लाइट	14 नग	315000.00	050805, 06 ,07, 08, 09, 010, 011	प्रकाश कन्स0 उतरौला
	योग			558500.00		

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं–

जब ग्राम पंचायत में बिजली के कनेक्शन नहीं हैं तो स्ट्रीट लाइट का औचित्य नहीं बनता। क्योकि ऐसी स्थिति में बिजली के बिल का भुगतान कौन करेगा।
कार्ययोजना लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।
किसी तरह का कोटेशन/टेन्डर जारी नहीं किया गया है। जिससे ग्राम पंचायत प्रतिस्पर्धी मूल्य से होने वाले लाभ से वंचित रही।

सोलर लाइट के क्रय मे घोर अनियमितता बरती गयी है। यह क्रय नेडा से किया गया होता तो ऐसी स्थिति में रु0 7500.00 प्रति नग की सब्सिडी ग्राम पंचायत को वापस मिली होती जो लगभग रू0 112500.00 होता है। ऐसा लगता है कि किसी विशेष फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए मनमानी ढंग से राजकीय धन का दुरुपयोग एवं व्यय किया गया।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्री राम तिजोर एवं पंचायत सचिव मो० वहीद से की जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–25)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 112500.00)

ग्राम पंचायतः– मानापार वहेरिया **विकास क्षेत्र:– उतरौला**

प्रस्तर–3 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियो में निम्न विवरण के अनुसार कैशबुक में व्यय दर्शित है–

क्र0	दिनांक	चेक नं0	मद	फर्म का नाम	धनराशि
1	24.04.2016	001137	स्ट्रीट लाइट	जय माँ वैष्णों जनरल आर्डर सप्लायर	130000.00
2	13.05.2016	001138	सोलर लाइट	प्रकाश कन्सट्रक्शन	45000.00
3	13.05.2016	001139	सोलर लाइट	प्रकाश कन्सट्रक्शन	45000.00
4	14.05.2016	001140	सोलर लाइट	प्रकाश कन्सट्रक्शन	45000.00
5	14.05.2016	001141	सोलर लाइट	प्रकाश कन्सट्रक्शन	45000.00
6	14.05.2016	001142	सोलर लाइट	प्रकाश कन्सट्रक्शन	45000.00
7	14.05.2016	001143	सोलर लाइट	प्रकाश कन्सट्रक्शन	45000.00
8	14.05.2016	001144	सोलर लाइट	प्रकाश कन्सट्रक्शन	45000.00
9	14.05.2016	001145	सोलर लाइट	प्रकाश कन्सट्रक्शन	45000.00
10	27.05.2016	052101	सोलर लाइट	जय माँ वैष्णों जनरल आर्डर सप्लायर	45000.00
11	27.05.2016	052102	सोलर लाइट	जय माँ वैष्णों जनरल आर्डर सप्लायर	45000.00
12	27.05.2016	052103	सोलर लाइट	जय माँ वैष्णों जनरल आर्डर सप्लायर	45000.00
13	27.05.2016	052104	सोलर लाइट	जय माँ वैष्णों जनरल आर्डर सप्लायर	45000.00
14	27.05.2016	052105	सोलर लाइट	जय माँ वैष्णों जनरल आर्डर सप्लायर	45000.00
15	31.01.2017 / 07.02.2017	052125	सोलर लाइट	प्रकाश कन्सट्रक्शन	180000.00
16	24.01.2017 / 16.02.2017	052128	सोलर लाइट	प्रकाश कन्सट्रक्शन	90000.00
17	05.02.2017 / 23.02.2017	052136	सोलर लाइट	प्रकाश कन्सट्रक्शन	180000.00
			योग		**1165000.00**

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं
क– लेखा परीक्षा में उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष बिल/ बाउचर एवं डिलीवरी चालान अप्रस्तुत रहा।
ख– अवस्थापना प्रमाण–पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त धनराशि का आधारहीन ढंग से कैशबुक पर अंकित करते हुए अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में तत्कालीन सेक्रेटरी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सहजादन से किया जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

प्रस्तर– 4. आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक पर दर्शित है–

क्र0	दिनांक	चेक नं0	मद	फर्म का नाम	धनराशि
1	02.04.2016	006722	हैण्डपम्प मरम्मत	जय माँ वैष्णों जनरल आर्डर सप्लायर	45000.00
2	02.04.2016	006723	हैण्डपम्प मरम्मत	जय माँ वैष्णों जनरल आर्डर सप्लायर	45000.00
			योग		**90000.00**

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं
क– लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही रहा।
ख– कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र और स्थलीय सत्यापन सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही।

अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि उक्त धनराशि का आधारहीन ढंग से व्यय दर्शित करके धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती सहजादन एवं सेक्रेटरी श्री वहीद से किया जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

प्रस्तर– 5. लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 30.05.2016 को चेक संख्या–052105 से रुपये 45000.00 का आहरण किया गया है। इस धनराशि को कैशबुक पर न लाकर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती शहजादन एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से बराबर हिस्सों में किया जाय।

(मूल आपत्ति संख्या–11 ii)

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1300000.00)

ग्राम पंचायतः– महिला विकास क्षेत्रः– उतरौला

प्रस्तर–6 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैशबुक में नियमानुसार व्यय अंकित किया गया है–

क्र0	दिनांक	चेक नं0	मद	धनराशि
1	26.06.2016	066844	ईंट क्रय	25000.00
2	20.06.2016	066851	ईंट क्रय	25000.00
3	06.02.2016	016603	ह्यूम पाइप क्रय	28000.00
4	16.02.2017	016604	स्ट्रीट लाइट क्रय	39000.00
5	16.02.2017	016605	स्ट्रीट लाइट क्रय	39000.00
6	16.02.2017	016606	स्ट्रीट लाइट क्रय	39000.00
	योग			**195000.00**

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं–

क– लेखा परीक्षा को व्यय प्रमाणक / बिल बाउचर अप्राप्त रहा।

ख– डिलिवरी चालान अप्रस्तुत रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त व्यय का कैशबुक पर अंकन आधारहीन ढंग से करते हुए धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती हासिमा खातून एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से किया जाय । **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 195000.00)

ग्राम पंचायतः– कटरा विकास क्षेत्रः– उतरौला

प्रस्तर–7 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियों का व्यय लेखा परीक्षा वर्ष में किया जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है–

क्र0	दिनांक	चेक नं0	मद	धनराशि
1	16.08.2016	008781	स्ट्रीट लाईट	45500.00
2	16.12.2016	054506	स्ट्रीट लाईट	13000.00
3	16.03.2017	054507	सोलर लाईट	50000.00
4	16.03.2017	054508	सोलर लाईट	50000.00
5	16.10.2016	018213	खडंजा मरम्मत	95600.00
	योग			**254100.00**

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं–

क– लेखा परीक्षा को व्यय प्रमाणक/बिल बाउचर अप्राप्त रहा।

ख– डिलिवरी चालान अप्रस्तुत रहा।

ग– अवस्थापना प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

घ– खण्डंजा मरम्मत कार्य के सापेक्ष मस्टर रोल एवं ईंट क्रय के सम्बंधित बिल बाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

ङ– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त धनराशि का फर्जी व्यय कैशबुक में अंकित करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री राकेश कुमार से किया जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 254100.00)

ग्राम पंचायतः– पनवापुर विकास क्षेत्र– उतरौला

प्रस्तर–8 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में निम्न विवरण के अनुसार धनराशि का व्यय किया जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है–

क्र0	दिनांक	चेक नं0	मद	धनराशि
1	06.01.2017	008451	स्ट्रीट लाईट	90000.00
2	06.03.2017	017748	स्ट्रीट लाईट	69170.00

3	16.03.2017	008940	नाली मरम्मत	65470.00
	योग			**224640.00**

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं

क– लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।

ख– सामग्री क्रय डिलीवरी चालान लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

ग– सामग्री स्टाक, पंजी पर सामग्री का अंकन की स्थिति अज्ञात रही।

घ– क्रय से पूर्व टेंडर/कोटेशन नहीं लिया गया है।

ङ– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि फर्जी एवं कूटरचित ढंग से कैशबुक पर अंकन करते हुए धनराशि रू0 224640.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती सरीता से रू0 112320.00 एवं तत्कालीन सेक्रेटरी (कार्यकाल निर्धारित करते हुए) से रू0 112320.00 की ब्याज सहित वसूली की जाय । **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रू0 224640

ग्राम पंचायतः– विरदाबनिया भारी विकास क्षेत्रः– उतरौला

प्रस्तर–9 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न तिथियों में कैशबुक में व्यय दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया–

क्र0	दिनांक	मद	धनराशि
1	01.05.2014	ईंट क्रय	21600.00
2	14.06.2014	ईंट क्रय	40320.00
3	27.05.2014	50 ट्राली मिट्टी	25000.00
योग			**86920.00**

उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अस्तु उक्त व्यय का अपहरण कूटरचित ढंग से कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में की जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रू0 86920.00)

ग्राम पंचायतः– महिली विकास क्षेत्रः– उतरौला

प्रस्तर–10 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैशबुक में नियमानुसार व्यय अंकित किया गया है–

क्र0	दिनांक	चेक नं0	मद	धनराशि
1	01.05.2015	066421	ईंट क्रय	25000.00
2	01.05.2015	853201	ईंट क्रय	25000.00
3	01.05.2015	853202	ईंट क्रय	25000.00
4	01.06.2016	853262	ईंट क्रय	25000.00
	योग			**100000.00**

लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। आधारहीन ढंग से धनराशि आहरित करके कैशबुक पर काल्पनिक व्यय अंकित करते हुए रू0 100000.00 अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से बराबर हिस्सों मे वसूल किया जाय।

(मूल आपत्ति संख्या–23)

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रू0 100000.00)

गाम पंचायतः– बभनी बुजुर्ग विकास क्षेत्रः– उतरौला

प्रस्तर–11 लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में दिनांक 19.08.2016 को चंक संख्या 032610 व 032611 के द्वारा क्रमशः 45500.00, 45500.00 रूपये का भुगतान किया जाना वास्ते 14 नग स्ट्रीट लाइट क्रय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बिल/बाउचर चालान डिलीवरी व अवस्थापना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अस्तु व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती मरेमा देवी व ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री वहीद से किया जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु० 91000.00)

ग्राम पंचायतः– उतरौला ग्रामीण विकास क्षेत्रः– उतरौला

प्रस्तर–12 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत में सोलर लाइट की अवस्थापना कराया जाना कैशबुक में अंकित है–

क्र0	दिनांक	चेक नं0	मद	धनराशि
1	15.05.2016	008573	सोलर लाईट	90000.00
2	15.05.2016	008574	सोलर लाईट	95000.00

3	17.05.2016	008576	सोलर लाईट	90000.00
4	17.05.2016	008577	सोलर लाईट	18300.00
	योग			**293300.00**

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं–

क– व्यय प्रमाणक/बिल बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

ख– अवस्थापना प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

ग– अवस्थापना सं सम्बन्धित मांग पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त धनराशि रु0 293300.00 का अंकन कैशबुक में आधारहीन ढंग से करते हुए धनराशि का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पप्पू नाथ एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से बराबर हिस्सों में किया जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 293300.00)

ग्राम पंचायत:– मझौवा कुरूथुआ विकास क्षेत्र:– उतरौला

प्रस्तर–13 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियों का व्यय लेखा परीक्षा वर्ष में किया जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है–

क्र0	दिनांक	चेक नं0	धनराशि	मद
1	07.05.2015	007587	15000.00	प्रकाश कंस्ट्र0 को वास्ते नल मरम्मत
2	07.05.2015	007588	27000.00	प्रकाश कंस्ट्र0 को वास्ते नल मरम्मत
3	11.06.2015	007589	11500.00	प्रकाश कंस्ट्र0 को वास्ते नल मरम्मत
5	11.06.2015	007590	13300.00	प्रकाश कंस्ट्र0 को वास्ते नल मरम्मत
	योग		**66800.00**	

उक्त व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं–

क– कार्य ठेके पर कराया गया है। जिसके लिए कोई अनुबन्ध पत्र नहीं लिया गया है।

ख– व्यय प्रमाणक/कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

ग– मरम्मत हेतु डिमाण्ड पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त धनराशि का अंकन कैशबुक में आधारहीन ढंग से करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से किया जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

प्रस्तर–14 लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में धनराशि रू0 115000.00 (एक लाख पन्द्रह हजार रुपये) का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत मद में किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं–

क– व्यय का अंकन श्रमांश और सामग्री का अलग–अलग नहीं किया गया है।

ख– लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।

ग– सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा दी जाने वाली सत्यापन सूची अप्रस्तुत रही।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त धनराशि रू0 115000.00 का अंकन कैशबुक पर आधारहीन ढंग करते हुए धनराशि का अपहरण किया गया । जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्री रमेसर एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 181800.00)

ग्राम पंचायतः– जोगिया करहिया विकास क्षेत्र:– उतरौला

प्रस्तर– 15 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियों का व्यय लेखा परीक्षा वर्ष में किया जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है

क्र0	दिनांक	धनराशि	मद
1	31.05.2016	16000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
2	31.05.2016	52000.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना
3	17.12.2016	26000.00	ईंट क्रय
4	31.01.2017	8500.00	ठेलिया क्रय
5	27.12.2017	12180.00	मस्टर रोल/श्रमांश
	योग	**114680.00**	

उक्त व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं

क– हैण्डपम्प मरम्मत पर कितनी धनराशि श्रमांश पर एवं कितनी धनराशि सामग्री पर व्यय की गई स्पष्ट नही है।

ख– व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।

ग– स्ट्रीट लाइट का व्यय प्रमाणक एवं अवस्थापना प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

घ– ठेलिया क्रय का व्यय प्रमाणक/बिल बाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
ङ– लेखा परीक्षा में मस्टर रोल अप्रस्तुत रहा।
अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त धनराशि का आधारहीन ढंग से कैशबुक पर अंकन करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जलाल अहमद एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से बराबर हिस्सों में की जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 114680.00)

ग्राम पंचायतः–बदलपुर चौखड़िया विकास क्षेत्रः– उतरौला

प्रस्तर–16 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरण के अनुसार धनराशि का व्यय किया जाना दर्शित है–

क्र0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	मद
1	17.04.2015	014512	29600.00	ईंट क्रय
2	22.04.2015	014513	9982.00	मस्टर रोल
3	22.04.2015	014514	30000.00	ईंट क्रय
4	10.06.2015	014515	15000.00	ईंट क्रय
5	10.06.2015	014517	9982.00	मरम्मत पर व्यय
6	10.06.2015	014516	64400.00	ईंट क्रय
	योग		**158964.00**	

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं
ईंट क्रय के सापेक्ष बिल/बाउचर, डिलीवरी चालान लेखा परीक्षा में अप्रस्तत रहा।
लेखा परीक्षा में मस्टर रोल अप्रस्तुत रहा।
धनराशि रु0 9982.00 के सापेक्ष कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कैशबुक में धनराशि रु0 158964.00 का अंकन फर्जी ढंग से करते हुए धनराशि आहरित करके अपहरण कर ली गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से कार्यकाल निर्धारित करते हुए अद्यावधि ब्याज सहित किया जाय।

(मूल आपत्ति संख्या–23)

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 158964.00)

प्रस्तर– 17

लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में निम्न प्रकार से धनराशि का आहरण किया गया है–

क्र0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	मद
1	11.08.2016	042456	45500.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना
2	11.08.2016	014520	45500.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना
3	11.08.2016	075151	45500.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना
4	11.08.2016	075152	45500.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना
5	11.01.2017	075153	91500.00	ईंट क्रय वास्ते खण्डंजा निर्माण
6	16.01.2017	075158	136000.00	ईंट क्रय वास्ते खण्डंजा निर्माण
	योग		**409500.00**	

उक्त आहरित धनराशि रु0 409500.00 पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं–
स्ट्रीट लाइट स्थापना से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।
ईट क्रय से सम्बन्धित बिल/बाउचर, डिलीवरी चालान एवं उपभोग प्रमाण–पत्र तथा किस स्थान पर प्रयुक्त हेतु ईंट क्रय की गई का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त धनराशि का कैशबुक पर कूटरचित, फर्जी अंकन करके अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अकालपती एवं तत्कालीन ग्रा०पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 से बराबर हिस्सों में किया जाय । **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 568484.00)

ग्राम पंचायतः– सेखुइया कस्बा विकास क्षेत्ररू– उतरौला प्रस्तर– 18

लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियों का व्यय लेखा परीक्षा वर्ष में किया जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है–

क्र0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	मद
1	04.04.2014	004503	54000.00	ईंट क्रय
2	05.04.2014	005547	37800.00	ईंट क्रय
3	05.04.2014	004571	2818.00	मिट्टी ढुलाई

4	05.04.2014	005986	19784.00	मिट्टी ढुलाई
5	05.04.2014	005960	7982.00	मिट्टी ढुलाई
6	30.06.2014	012501	25000.00	मरम्मत एवं व्यय
7	11.11.2014	012509	20280.00	मरम्मत एवं व्यय
8	22.11.2014	012506	37800.00	मरम्मत एवं व्यय
9	24.11.2014	012507	24960.00	मरम्मत एवं व्यय
	योग		**230424.00**	

उक्त व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं–

क– ईंट क्रय का बिल बाउचर, डिलीवरी चालान, टेंडर/कोटेशन लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

ख– क्रय का भुगतान नकद किया गया जो लेखा नियमों के विरूद्ध है।

ग– मिट्टी ढुलाई पर व्यय धनराशि के सापेक्ष प्राप्तकर्ता की रसीद/मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

घ– मरम्मत से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि फर्जी तरीके से धनराशि रु0 230424.00 का व्यय कैशबुक पर दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से बराबर हिस्सों में की जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 230424.00)

ग्राम पंचायतः– त्रिगुनायतपुर विकास क्षेत्रः– श्रीदत्तगंज

प्रस्तर– 19 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2016–17 में रु0 48490.00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत पर किया जाना कैशबुक में दर्शित है। जिस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ है–

क– श्रमांश एवं सामग्री का अंकन कैशबुक पर अलग–अलग नहीं किया गया है।

ख– लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।

ग– मरम्मत का मांग पत्र एवं मरम्मतोपरांत की सत्यापन सूची लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

घ– रिप्लेस किये गये कंडम पार्ट/कबाड़ का अंकन डेड स्टॉक में नहीं है और न ही बिक्री करके प्राप्त धनराशि को कैशबुक में अंकित करते हुए खाते में जमा किया गया है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आहरित धनराशि का कैशबुक में फर्जी अंकन करके अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 48490.00)

ग्राम पंचायतः– संझवल प्रेमनगर विकास क्षेत्रः– श्रीदत्तगंज

प्रस्तर–20 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में कुल धनराशि रु0 205430.00 (2 लाख पांच हजार चार सौ तीस) व्यय करके सोलर लाइट एवं स्ट्रीट लाइट लगवाया जाना कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से बराबर हिस्सों में की जाये।

(मूल आपत्ति संख्या–24)

प्रस्तर–21 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान रु0 84944.00 की धनराशि व्यय करके हैण्डपम्प मरम्मत कराया जाना कैशबुक में अंकित है। इस व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही खराब होने की सूचना/डिमांड पत्र एवं मरम्मत को सत्यापन सूची ही प्रस्तत की गई।

अस्तु उक्त व्यय का अंकन पूर्णतः कूटरचित एवं फर्जी ढंग से करते हुए धनराशि रु0 84944.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से बराबर हिस्सों में की जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–25)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 290374.00)

राम पंचायतः– मझारी वाछिल विकास क्षेत्रः– श्रीदत्तगंज

प्रस्तर– 22 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में दिनांक 05.09.2016 से ठेलिया क्रय किया जाना कैशबुक में अंकित किया गया है। जिस पर धनराशि रु0 12000.00 का व्यय किया गया। इस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं– क– लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।

ख– क्रय सामग्री ठेलिया का अंकन डेड स्टाक पंजी पर नहीं किया गया है।

ग– अन्य ग्राम पंचायतों में जैसे केरावगढ़ में दिनांक 20.07.2016 को ठेलिया क्रय पर भुगतान मात्र रु0 10000.00 है, तो आलोच्य ग्राम पंचायत में रु0 12000.00 का भुगतान क्यों किया गया।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त धनराशि का व्यय कूटरचित एवं फर्जी ढंग से कैशबुक में दर्शाकर धनराशि रु0 12000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्रा0वि0अधि0/ग्रा०पं0अधि0 से की जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 12000.00)

ग्राम पंचायतः– धमौली विकास क्षेत्रः– श्रीदत्तगंज

प्रस्तर– 23 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियों का व्यय लेखा परीक्षा वर्ष में किया जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है–

क्र0	दिनांक	धनराशि	मद
1	30.05.2016	5000.00	स्टेशनरी
2	25.10.2016	41086.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना
3	01.11.2016	41086.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना
4	01.01.2017	41086.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना
5	22.10.2016	4900.00	सफाई किट
	योग	**133158.00**	

उक्त व्यय धनराशियों के सापेक्ष बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा अस्तु उक्त अंकित व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कांति देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से बराबर हिस्सों में की जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 133158.00)

ग्राम पंचायतः– गोमड़ी विकास क्षेत्रः– श्रीदत्तगंज

प्रस्तर–24 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य कराया जाना कैशबुक में दर्शित है।

क्र0	दिनांक	मद	मात्रा	दर	भुगतान की राशि
1	20.01.2017	स्ट्रीट लाइट	2 नग	24150.00	48300.00
2	09.09.2016	स्ट्रीट लाइट	1 नग	20500.00	20500.00
3	28.07.2016	स्ट्रीट लाइट	2 नग	22750.00	45500.00
4	27.07.2016	स्ट्रीट लाइट	2 नग	22750.00	45500.00
5	27.07.2016	स्ट्रीट लाइट	2 नग	22750.00	45500.00
6	26.07.2016	स्ट्रीट लाइट	2 नग	22750.00	45500.00
7	26.07.2016	स्ट्रीट लाइट	2 नग	22750.00	45500.00
8	26.07.2016	स्ट्रीट लाइट	2 नग	22750.00	45500.00
9	26.07.2016	स्ट्रीट लाइट	2 नग	20550.00	41100.00
10	26.07.2016	स्ट्रीट लाइट	2 नग	22750.00	45500.00
11	25.07.2016	स्ट्रीट लाइट	2 नग	22750.00	45500.00
12	25.07.2016	स्ट्रीट लाइट	2 नग	22750.00	45500.00
13	24.07.2016	स्ट्रीट लाइट	2 नग	22750.00	45500.00
14	23.07.2016	स्ट्रीट लाइट	2 नग	22750.00	45500.00
15	23.07.2016	स्ट्रीट लाइट	2 नग	22750.00	45500.00
	योग		**29 नग**		**655900.00**

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ है–

क. क्रय के पूर्व टेंडर नहीं लिया गया ।

ख. लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।

ग. स्थापना की डिमांड एवं प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त व्यय को कैशबुक में कूटरचित ढंग से अंकित करते हुए धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों रु0 655900.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता भारती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रभाकर मौर्या से किया जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 655900.00)

ग्राम पंचायतः– खरंदौरी विकास क्षेत्रः– श्रीदत्तगंज

प्रस्तर–25 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 24.09.2016 एवं 07.10.2016 को क्रमशः रु0 95870.00 एवं रु0 68478.00 की धनराशि ग्राम पंचायत में सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट पर व्यय की गई है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में क्रय एवं स्थापना से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा और न ही उक्त क्रय एवं स्थापना हेतु की गई टेंडर पत्रावली ही प्रस्तुत की गई। जिसके अभाव में उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक न होने की दशा में उक्त व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्री अनिल प्रकाश एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप वर्मा से की जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 164348.00)

ग्राम पंचायतः– भिटौढ़ी विकास क्षेत्रः– श्रीदत्तगंज

प्रस्तर–26 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत में कुल धनराशि रु0 222984.00 व्यय करके सोलर लाइट की स्थापना कराया जाना कैशबुक में अंकित किया गया है। उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक एवं बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहा।

अस्तु ऐसा प्रतीत होता हैं कि कूटरचित अंकन करते हुए धनराशि रु0 222984.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में रु0 111492. 00 ग्राम प्रधान श्री रामचन्दर से एवं रु0 111492.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 222984.00)

ग्राम पंचायतः– केशवगढ़ विकास क्षेत्रः– श्रीदत्तगंज प्रस्तर– 27 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 07.02. 2017 को सीमेन्ट, बालू, दरवाजे का क्रय किया गया है। जिसका उपयोग शौचालय मरम्मत में किया जाना था। इस क्रय के सापेक्ष धनराशि रु0 26645.00 का व्यय किया गया। परन्तु उक्त सामग्री का उपभोग 31.03.2017 तक नहीं किया गया। क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराया गया।

अस्तु क्रय का अंकन पूर्णतः कूटरचित एवं फर्जी ढंग से करते हुए धनराशि रु0 26645.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अता मोहम्मद एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से बराबर हिस्सों में की जाय । **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

प्रस्तर– 28 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 14.06.2016 को रु0 74880.00 ईंट क्रय पर व्यय किये गये जिसके सापेक्ष रवन्ना चालान एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/अप्राप्त रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में रु0 37440.00 ग्राम प्रधान श्री अता मोहम्मद एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से रु0 37440.00 की जाय । **(मूल आपत्ति संख्या–25)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 101525.00)

ग्राम पंचायतः–– रूखी मंझारी विकास क्षेत्रः– श्रीदत्तगंज

प्रस्तर– 29 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 10.02.2017 को स्ट्रीट लाइट स्थापना पर व्यय मद में रु0 234260. 00 का व्यय किया जाना कैशबुक में अंकित किया गया हैं जिस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं

क– लेखा परीक्षा में सत्यापन सूची अप्रस्तुत रही।

ख– टेण्डर प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है। जिससे ग्राम पंचायत को प्रतिस्पर्धी मूल्य का लाभ नहीं मिला।

ग– सम्बन्धित क्रय का व्यय प्रमाणक, गारन्टी/वारन्टी प्रपत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त धनराशि का कैशबुक पर अंकन कूटरचित ढंग से करते हुए रु0 234260.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान ने कर लिया जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जाय । **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 234260.00)

ग्राम पंचायतः– पटियाला ग्रण्ट विकास क्षेत्रः– श्रीदत्तगंज

प्रस्तर– 30 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष की विभिन्न तिथियों में ईंट क्रय किया गया है। जिसमें से दिनांक 02.11.2016 को रु0 125730.00 एवं 04.11.2016 को रु० 97020.00 का भुगतान किया गया। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक एवं चालान/रवन्ना प्रस्तुत नही किया गया।

. अस्तु कैशबुक पर अंकित धनराशि रु0 222750.00 को पूर्णतः कूटरचित ढंग से करते हुए धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से की जाय । **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 222750.00)

ग्राम पंचायतः– पुरैना वाजिद विकास क्षेत्रः– श्रीदत्तगंज

प्रस्तर– 31 लेखा परीक्षा में पाया गया कि माह अगस्त से नवम्बर 2016 तक ग्राम प्रधान के पास नकद अवशेष रु0 4314.00 बना रहा। जो 31.12.2016 को बढ़ाकर रु० 9314.00 हो गया। माह जनवरी में दिनांक 10.01.2017 एवं 23.01. 2017 को रु0 5000.00 – 5000.00 क्रमशः आहरित किया गया। यह आहरण ग्राम प्रधान श्रीमती शाहीन द्वारा किया गया। इसी समग्र धनराशि रु0 19314.00 को एम0आर0 खडण्जा निर्माण अंकित करते हुए दिनांक 24.01.2017 को कैशबुक में खारिज किया गया। जब कि दिनांक 01.07. 2016 से 24.01.2017 तक ईंट क्रय किया ही नहीं गया है।

अस्तु कैशबुक में अंकित एम0आर0 की धनराशि रु0 19314.00 पूर्णतः कूटरचित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में अद्यावधि ब्याज के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती शाहीन एवं ग्राम सचिव श्री हनुमान प्रसाद से की जाय।

(मूल आपत्ति संख्या–25)

प्रस्तर– 32 लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम सचिव श्री हनुमान प्रसाद के नाम चेक द्वारा आहरण किया गया है।

क्र0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	25.04.2016	003864	5000.00	हनुमान प्रसाद
2	11.08.2016	003872	5000.00	हनुमान प्रसाद
3	11.01.2017	003875	5000.00	हनुमान प्रसाद

4	11.01.2017	032751	5000.00	हनुमान प्रसाद
5	20.02.2017	032754	5000.00	हनुमान प्रसाद
6	20.02.2017	032755	4080.00	हनुमान प्रसाद
	योग		**29080.00**	

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव अपने नाम धनराशि आहरित नहीं कर सकते है और न ही स्वयं किसी तरह की सामग्री की सप्लाई कर सकते हैं। सामग्री क्रय का भुगतान फर्म के नाम किया जाता है। उक्त धनराशि रु0 29080.00 ग्राम सचिव श्री हनुमान प्रसाद द्वारा आहरित करके अपहरण किया गया है। जिसकी बराबर हिस्सों में अद्यावधि ब्याज के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती शाहीन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हनुमान प्रसाद से की जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–26)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 48394.00)

ग्राम पंचायतः– महुआ इब्राहिम **विकास क्षेत्रः– श्रीदत्तगंज**

प्रस्तर– 33 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 27.03.2017 एवं 28.03.2017 को क्रमशः रु0 95870.00 एवं रु0 95870.00 व्यय करके स्ट्रीट लाइट लगवाया जाना कैशबुक पर अंकित है। लेखा परीक्षा में न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया और न ही टेण्डर/ कोटेशन प्रस्तुत किया गया। स्ट्रीट लाइट के सन्दर्भ में यह अनिवार्य है कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के लिए विद्युत का कनेक्शन हो। लेखा परीक्षा में बिजली कनेक्शन और विद्युत उपभोग को बिल जमा करने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

अस्तु लेखा परीक्षा उक्त प्रमाणक विहीन एवं अनियमित व्यय के सन्दर्भ में इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उपरोक्त अंकन जो कैशबुक में किया गया पूर्ण रुप से कूटरचित एवं फर्जी है। जिसमें सन्निहित धनराशि रु0 191740.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्री शिवकुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री जिज्ञासा चौरसिया से विधिक कार्यवाही करते हुए किया जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

प्रस्तर– 34 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 23.03.2017 को रु0 25200.00 एवं 21.03.2017 को रु0 71100.00 व्यय करके ट्रैक्टर ट्राली/मशीनरी द्वारा मिट्टी पटाई का कार्य कराया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट के अनुसार ग्राम पंचायत में मशीनरी/ठेके पर कार्य कराया जाना सर्वथा वर्जित है। जिसका उल्लेख वित्तीय स्वीकृत परिपत्र पर भी किया जाता है। नियमों का उल्लंघन करते हुए लगभग 598 मानव कार्य दिवसों की क्षति की गयी। जो अनियमितता का उदाहरण है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त अनियमित व्यय की धनराशि रु0 96300.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्री शिवकुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री जिज्ञासा चौरसिया से विधिक कार्यवाही करते हुए किया जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–25)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 288040.00)

ग्राम पंचायतः– अगया खुर्द **विकास क्षेत्रः– श्रीदत्तगंज**

प्रस्तर– 35 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 12.07.2016 से रु0 4470.00 व्यय करके ठेलिया मरम्मत कराया जाना एवं दिनांक 14.10.2016 को रु0 16000.00 व्यय ठेलिया क्रय पर अंकित किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ है–

क. व्यय प्रमाणक नही उपलब्ध कराया गया।

ख. ग्राम पंचायत में ठेलिया थी या नहीं थी की पुष्टि में डेड स्टॉक पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

ग. जब अन्य ग्राम पंचायतों में (उदा. चन्दापुर, मझारी वाछिल में रु0 12000.00 एवं करावगढ़ में रु0 10000.00 कम धनराशि पर ही ठेलिया क्रय की गई तो आलोच्य ग्राम पंचायत में रु0 16000.00 का भुगतान क्यों किया गया)।

अस्तु उक्त अंकन पूर्णतः कूटरचित एवं फर्जी ढंग से अंकित करते हुए धनराशि रु0 20470.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों रु० 10235.00 ग्राम प्रधान से एवं रु0 10235.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जाय । (मूल आपत्ति संख्या–24)

प्रस्तर– 36 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2016–17 में हैण्डपम्प मरम्मत पर रु0 49102.00 का व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं–

क. व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

ख. कबाड़/ कंडम पार्ट की बिक्री से धनराशि जो प्राप्त हुए को खाते में जमा नहीं किया गया है।

ग. खराब होने की सूचना एवं सत्यापन सूची लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभिलेखीय कूट रचना/ कूटांकन करते हुए धनराशि रु0 49102.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों ग्राम प्रधान से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–25)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 69572.00)

ग्राम पंचायतः–मुजहना विकास क्षेत्रः– श्रीदत्तगंज

प्रस्तर–37 लेखा परीक्षा में पाया गया कि खडंजा निर्माण हेतु दिनांक 29.12.2016 को रु0 73710.00 व्यय करके 11700 ईंट क्रय की गयी। जिस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ है–

क. लेखा परीक्षा में क्रय का बाउचर, चालान/ रवन्ना प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ख. उक्त तिथि 29.12.2016 को ईंट आयी और उसी दिन मजदूरी रु० 9744.00 का भुगतान किया गया, जो कार्य को संदिग्ध बनाते हैं। बिना कार्य कराये मजदूरी का भुगतान मिट्टी भाड़ा भुगतान (9000.00) का दिया जाना घोर अनियमित है। शेड्यूल रेट के हिसाब से खण्डंजा लगवायी का एम0आर0 रु0 11700.00 होता है। .

अस्तु की गयी एम0बी0 भी कूटरचित एवं फर्जी है। इस प्रकार टी0ए0 की मिली भगत से कुल धन रु0 92454.00 (9000.00 रु0 मिट्टी क्रय एवं भाड़ा रु0 9744. 00 एम0आर0 रु0 73710.00 ईंट) का कूटांकन कैशबुक पर करते हुए धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव, टी0ए0 एवं ग्राम प्रधान श्री मैनुद्दीन से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 92454.00)

ग्राम पंचायतः– हासिमपारा विकास क्षेत्रः– गैड़ास बुजुर्ग

प्रस्तर–38 लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में निम्न विवरण के अनुसार कैशबुक में धनराशि विकास कार्यों पर व्यय किया जाना अंकित है–

क्र0	दिनांक	धनराशि	मद
1	20.08.2017	11336.00	ईंट क्रय
2	25.08.2017	18300.00	ईंट क्रय
3	24.01.2017	49600.00	ईंट क्रय
4	25.01.2017	23100.00	हैण्ड पम्प मरम्मत
5	30.01.2017	65000.00	स्ट्रीट लाइट
6	31.01.2017	97500.00	स्ट्रीट लाइट
	योग	264836.00	

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान कोई व्यय प्रमाणक, चालान आदि प्रस्तुत नहीं रहा।

अस्तु उक्त अंकन कैशबुक में कूटरचित ढंग से किया गया प्रमाणित होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जाय । **(मूल आपत्ति संख्या–12)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 264836.00)

ग्राम पंचायतः– टेढ़वा तप्पाबांक विकास क्षेत्रः– गैड़ास बुजुर्ग

प्रस्तर–39 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत ने सोलर लाइट स्थापित की गई है। जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	मात्रा	फर्म का नाम
1	18.04.2016	002244	45000.00	2 नग	जय माँ वैष्णों जनरल आर्ड सप्लायर
2	18.04.2016	002246	45000.00	2 नग	जय माँ वैष्णों जनरल आर्ड सप्लायर
3	18.04.2016	002247	45000.00	2 नग	जय माँ वैष्णों जनरल आर्ड सप्लायर
4	18.04.2016	002248	22000.00	1 नग	जय माँ वैष्णों जनरल आर्ड सप्लायर
5	18.04.2016	002249	45000.00	2 नग	जय माँ वैष्णों जनरल आर्ड सप्लायर
6	18.04.2016	002242	45000.00	2 नग	जय माँ वैष्णों जनरल आर्ड सप्लायर
7	18.04.2016	002243	45000.00	2 नग	जय माँ वैष्णों जनरल आर्ड सप्लायर
8	18.04.2016		45000.00	2 नग	जय माँ वैष्णों जनरल आर्ड सप्लायर
9	21.03.2017	014376/020317	90000.00	4 नग	मेसर्स आनन्द कन्सट्रक्शन कम्पनी
10	24.03.2017	–	90000.00	4 नग	आनन्द सिंह कन्सट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर

11	30.03.2017	014377	90000.00	4 नग	मिश्रा कन्सट्रक्शन कम्पनी
	योग		607000.00	27 नग	

उक्त दर्शित व्यय जो वर्ष 2016–17 में सोलर लाइट क्रय करने हेतु ग्राम पंचायत निधि से किया गया है। क्रय में कुल 27 नग सोलर लाइट रु0 607000.00 का व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में सोलर लाइट क्रय सम्बंधित मांग, आपूर्ति, स्टाक पंजी में अंकन, उपभोग अथवा स्थापना से सम्बंधित फोटो ग्राफ एवं लाभार्थी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों के अभाव में क्रय एवं स्थापना की पुष्टि नही की जा सकी।

अतः उक्त धनराशि की व्यय की पुष्टि न होने से धनराशि रु0 607000.00 का व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है।

एक ही दिनांक को 18.04.2016 को जब सप्लायर रु0 22000.00 प्रति नग की सप्लाई दिया तो इसी तिथि में रु0 22500.00 प्रति नग की सप्लाई दिया तो इसी तिथि में रु0 22500.00 प्रति नग का भुगतान उसी फर्म को करके जान बूझकर अधिक धनराशि का व्यय किया गया जो वित्तीय अनियमितता का प्रमाण है। समस्त भुगतानित धनराशि का भुगतान चेकों से किया गया है परन्तु इसके सापेक्ष कोई टेन्डर नही लिया गया है जो घोर अनियमितता का प्रमाण है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय पूर्णतः अनियमित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ब्याज सहित रु0 303500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नूरजहां एवं रु0 303500.00 ग्राम पंचायत अधिकारी मो0 अशफाक से किया जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

प्रस्तर– 40 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 17.05.2016 को शकील ईंट उद्योग से रु0 6200.00 प्रति हजार की दर से रु0 59000.00 ईंट खडंजा निर्माण हेतु क्रय किया गया है। जिसके सापेक्ष 30 जून 2016 तक कोई धनराशि श्रमांश पर व्यय न किया जाना प्रमाणित करता है कि कार्य कराया ही नहीं गया। इसी क्रम में दिनांक 23.06.2016 को रु0 6200.00 प्रति हजार की दर से 13000 ईंट कादरी ब्रिक फील्ड से क्रय की गयी। इस प्रकार कुल 72000 ईंट रु0 446400.00 व्यय करके खडंजा निर्माण हेतु खरीदी गई जिसके सापेक्ष दिनांक 06.07.2016 को रु0 21750.00 मजदूरी व्यय किया गया। उक्त अंकन तथ्यों से पूर्णतः परे है। स्पष्ट है कि खड़जा लगाया ही नही गया है, क्योंकि खड्जा लगवाये जाने की स्थिति में निर्धारित शेड्यूल रेट 58 रु0 प्रति वर्ग मीटर है जिस. दर से 72000 ईंट का उपयोग यदि खड्जा लगाने में किया गया होता तो ऐसी स्थिति में रु0 72000.00 की मजदूरी से खड़जा लगवायी में व्यय हुआ होता। मिट्टी वर्क इसमें शामिल नही होता है। बावजूद इसके ग्राम पंचायत में उक्त क्रय के सापेक्ष मात्र रु0 21750.00 मजदूरी व्यय किया गया।

अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि उक्त व्यय पूर्णतः अनियमित है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में रु0 223200.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नूरजहां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मो0 अशफाक से रु0 223200.00 ब्याज सहित किया जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–25)**

(सन्निहित धनराशि– अनियमितता– रु0 606000.00)

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 446400.00)

ग्राम पंचायतः– बढ़या फरीदखां विकास क्षेत्रः– रेहरा

प्रस्तर– 41 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत में ईंट क्रय की गयी है–

क्र0	दिनांक	चेक सं0	दर	धनराशि	फर्म का नाम
1	20.04.2015	005415	6.2 रु0 प्रति नग	62000.00	वर्मा ईंट उद्योग
2	20.04.2015	005416	6.2 रु0 प्रति नग	62000.00	वर्मा ईंट उद्योग
3	21.04.2015	005413	6.2 रु0 प्रति नग	62000.00	वर्मा ईंट उद्योग
4	21.04.2015	005414	6.2 रु0 प्रति नग	62000.00	वर्मा ईंट उद्योग
5	01.05.2015	005417	6.2 रु0 प्रति नग	62000.00	वर्मा ईंट उद्योग
6	01.05.2015	005418	6.2 रु0 प्रति नग	62000.00	वर्मा ईंट उद्योग
7	12.06.2015	008390	6.2 रु0 प्रति नग	62000.00	वर्मा ईंट उद्योग
8	12.06.2015	008389	6.2 रु0 प्रति नग	62000.00	वर्मा ईंट उद्योग
9	07.07.2015	008392	6.2 रु0 प्रति नग	62000.00	वर्मा ईंट उद्योग
10	27.05.2015	008381	6.2 रु0 प्रति नग	62000.00	वर्मा ईंट उद्योग
		योग		620000.00	

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं–

(क) क्रय के सापेक्ष टेण्डर नहीं लिया गया है। अस्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की चेष्टा की गयी है।

(ख) क्रय ईंट के सापेक्ष खड़ंजा निर्माण/मरम्मत पर कोई भी धनराशि दिनांक 31.07.2105 तक व्यय नही की गयी।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय का अंकन कैशबुक में कूटरचित एवं फर्जी ढंग से करते हुए धनराशि को आहरित करके अपहरण करने के लिए किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों मे ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता एवं ग्राम सचिव श्री प्रीतम श्रीवास्तव से की जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

प्रस्तर– 42 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 04.07.2015 को चेक 008394 एवं 008395 से क्रमशः रु0 40000.00 एवं रु0 10000.00 का भुगतान एवं चेक नं0 008388 से दिनांक 12.06.2015 रु0 50000.00 का भुगतान श्री पलटू को किया गया है। पलटू न तो ग्राम पंजीकृत श्रमिक है और न ही किसी फर्म के संचालक है।

अस्तु सन्दर्मित धनराशि रु0 1.00 लाख का दर्शित व्यय का कैशबुक में अंकन पूर्णतः कपोलकलपित एवं फर्जी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों मे ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता एवं ग्राम सचिव श्री प्रीतम श्रीवास्तव से की जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–25)**

(सन्निहित धनराशि– अनियमितता–रू0 620000.00)

(सन्निहित धनराशि– अपहरण–रु0 100000.00)

ग्राम पंचायतः– रानीपुर विकास क्षेत्रः– रेहरा

प्रस्तर–43 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार कैशबुक में व्यय अंकित किया गया है–

क्र0	दिनांक	चेक सं0	दर	धनराशि
1	11.02.2013	031403	सोलर लाइट	44000.00
2	11.02.2013	031404	सोलर लाइट	44000.00
3	11.02.2013	031405	सोलर लाइट	44000.00
4	16.02.2013	031411	स्ट्रीट लाइट	135000.00
	योग			267000.00

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं–

(क) क्रय के सापेक्ष बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(ख) स्थापना संबंधी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन ढंग से कैशबुक पर उक्त व्यय अंकित करके धनराशि **रु0 267000.00** का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्रा0वि0अधि0/ग्रा०पं0अधि0 एवं ग्राम प्रधान श्री जाफर अहमद से बराबर हिस्सों मे (रु0 133500.00) किया जाय।

(मूल आपत्ति संख्या–23)

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 267000.00)

ग्राम पंचायतः– फीरोजपुर विकास क्षेत्रः– रेहरा

प्रस्तर–– 44 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में धनराशि व्यय की गई है–

क्र0	दिनांक	चेक सं0	मद	धनराशि
1	28.12.2016	011641	ईंट क्रय	79300.00
2	28.12.2016	011651	ईंट क्रय	35750.00
3	13.01.2017	011637	स्ट्रीट लाइट	123000.00
4	24.01.2017	011640	स्ट्रीट लाइट	180000.00
	योग			418050.00

उक्त क्रय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक एवं चालान फार्म अप्रस्तुत रहा। उक्त व्यय धनराशि का कोटेशन/टेंडर नही किया गया है। अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त धनराशियों की कैशबुक पर प्रविष्टि कूटरचित ढंग से करते हुए धनराशि रु0 418050.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में रु0 209025.00 ग्राम प्रधान श्री संचित से एवं रु0 209025.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव (का कार्यकाल निर्धारित करते हुए) से की जाय । **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 418050.00)

ग्राम पंचायतः– जाफरपुर विकास क्षेत्रः– रेहरा

प्रस्तर– 45 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 06.02.2017 को चेक संख्या 696743 से रु0 81500.00 एवं दिनांक 16.02.2017 को चेक सं0 002375 से रु0 45000.00 का । व्यय क्रमशः ह्यूम पाइप और लाइट स्थापना पर किया जाना कैशबुक में दर्शित किया गया है। उक्त क्रय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/बिल बाउचर एवं डिलिवरी चालान अप्रस्तुत रहा।

.. अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि का कैशबुक पर अंकन पूर्णतः फर्जी ढंग से करके धनराशि का अपहरण कर किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री इन्द्रजीत सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव (का कार्यकाल निर्धारित करते हुए) से की जाय।

(मूल आपत्ति संख्या–12)

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 126500.00)

ग्राम पंचायतः– कम्मरपुर **विकास क्षेत्रः– रेहरा**

प्रस्तर–46 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 08.03.2017 को चेक संख्या 014072 से रु0 27255.00 एवं दिनांक 18.12.2016 को चेक सं0 014073 से रु0 14073.00 का व्यय क्रमशः हैण्डपम्प मरम्मत एवं सफाई किट का कार्य कराया जाना कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र अप्राप्त रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय का कैशबुक पर फर्जी अंकन करके धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती नजमन एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किया जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–12)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 45255.00)

ग्राम पंचायतः– सोमहरा **विकास क्षेत्रः– रेहरा**

प्रस्तर– 47 लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत की कैशबुक में सोलर लाइट स्थापना कार्य पर धनराशि का व्यय किया जाना अंकित किया गया है–

क्र0	दिनांक	चेक सं0	मद	धनराशि
1	16.06.2016	411298	सोलर लाइट	67500.00
2	16.06.2016	411299	सोलर लाइट	67500.00
3	16.06.2016	411300	सोलर लाइट	45000.00
4	17.06.2016	411301	सोलर लाइट	42500.00
	योग			242500.00

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियां हैं–

(क) लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया/अप्राप्त रहा।

(ख) डिलिवरी चालान अप्राप्त रहा।

(ग) टेंडर/कोटेशन के बिना क्रय किया गया।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कैशबुक पर फर्जी अंकन करते हुए धनराशि रु0 242500.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती जाकिया खातून एवं तत्कालीन ग्रा०वि.अधि0/ ग्रा०प०अधि0 से (प्रत्येक से रु0 121250.00) किया जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 242500.00)

विकास क्षेत्रः– रेहरा **ग्राम पंचायतः– रहमतपुर**

प्रस्तर– 48 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार धनराशियों का व्यय कैशबुक में अंकित किया गया है–

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियां हैं–

(क) हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि का अंकन मजदूरी और सामग्री के रुप में अलग–अलग नहीं है।

(ख) कबाड़ के बिक्री से प्राप्त आय कैशबुक / बैंक में जमा नही किया गया है।

(ग) मरम्मत का डिमांड पत्र एवं ए0डी0ओ0 पंचायत की सत्यापन सूची लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

(घ) व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(ङ) स्ट्रीट लाइट का स्थापना प्रमाणपत्र, व्यय प्रमाणक, चालान, गारण्टी रसीद, कोटेशन/टेण्डर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त अंकन कैशबुक में कूटरचित ढंग से करते हुए धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्री शाह अहमद से रु0 124277.00 एवं तत्कालीन ग्रा०प०अधि0 से रु0 124277.00 वसूल किया जाय । **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 248855.00)

ग्राम पंचायतः– ग्वालियर ग्रण्ट **विकास क्षेत्रः– रेहरा**

प्रस्तर– 49 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 01.02.2017 को चेक सं0 015504 से रु0 100000.00 (एक लाख) एवं चेक सं0 015505 से रु0 130000.00 (एक लाख तीस हजार) का व्यय क्रमशः ह्यूम पाइप एवं स्ट्रीट लाइट पर किया जाना कैशबुक पर अंकित है– प्रकरण पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं

(क) व्यय प्रमाणक / बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

(ख) डिलीवरी चालान लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(ग) स्थापना प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(घ) कोटेशन/ टेण्डर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कूटरचित एवं फर्जी अंकन कैशबुक पर करते हुए धनराशि रु0 230000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाय। **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 230000.00)

ग्राम पंचायतः—रूधौली बुजुर्ग **विकास क्षेत्रः— रेहरा**

प्रस्तर— 50 लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में घुप पाइप एवं सोलर लाइट क्रय किया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है—

क्र0	दिनांक	चेक सं0	मद	धनराशि
1	22.06.2016	009291	ह्यूप पाइप	88250.00
2	30.06.2016	009297	सोलर लाइट	45000.00
3	28.07.2016	004509	ह्यूप पाइप	184500.00
4	04.10.2016	004158	सोलर लाइट	45000.00
5	04.10.2016	004159	सोलर लाइट	45000.00
	योग			407750.00

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियां हैं

(क) व्यय प्रमाणक / बिल बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

(ख) टेंडर / कोटेशन नहीं किया गया है।

(ग) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(घ) चालान / रवन्ना लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय को काल्पनिक ढंग से कैशबुक पर अंकित करके धनराशि रु0 407750.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्रा०वि.अधि0 / ग्रा०प०अधि0 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बिन्दू सिंह से किया जाय। **(मूल आपत्ति संख्या—23)**

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु0 407750.00)

ग्राम पंचायतः— मानीगढ़ा **विकास क्षेत्रः— रेहरा**

प्रस्तर— 51 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 06.05.2016 को चेक संख्या 005063 से रु0 92250.00 व्यय करके ईंट क्रय एवं दिनांक 24.05.2016 को रु0 136250.00 व्यय करके सोलर लाइट का क्रय किया जाना कैशबुक में अंकित किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक, डिलीवरी चालान एवं उपभोग प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कैशबुक में फर्जी ढंग से अंकन करके धनराशि रु0 228500.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती नजमन एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव (का कार्यकाल निर्धारित करते हुए) से की जाय । **(मूल आपत्ति संख्या—12)**

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु0 228500.00)

ग्राम पंचायतः— धुबौलिया **विकास क्षेत्रः— पचपेड़वा**

प्रस्तर—52 ग्राम पंचायत— धुबौलिया, विकास खण्ड— पचपेड़वा, जनपद— बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010—11 से 2014—15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 1525403.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है—

वर्ष	धनराशि
2010—11	104390.00
2011—12	229531.00
2012—13	229585.00
2013—14	318169.00
2014—15	613728.00
योग	1525403.00

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1525403.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1525403.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे—आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय / राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या—2)**

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु0 1525403.00)

ग्राम पंचायतः– सिसहनिया घोपलापुर **विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा**

प्रस्तर– 53 ग्राम पंचायत– सिसहनिया घोपलापुर, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 2721497.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	113000.00
2011–12	210060.00
2012–13	188165.00
2013–14	992178.00
2014–15	1024454.00
2015–16	193640.00
योग	2721497.00

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 2721497.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 2721497.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय / राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 2721497.00)

ग्राम पंचायतः–मधवानगर खादर **विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा**

प्रस्तर– 54 ग्राम पंचायत– मधवानगर खादर, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 2665123.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	99530.00
2011–12	613852.00
2012–13	336435.00
2013–14	383620.00
2014–15	893084.00
2015–16	338602.00
योग	2665123.00

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 2665123.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा

विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 2665123.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 2665123.00)

ग्राम पंचायतः– सिसहनिया बरगदही विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा

प्रस्तर– 55 बिना ग्राम पंचायत के अधिकारिक सदस्य द्वारा प्रस्ताव लाये ही मनमाने ढंग से प्रधान व सचिव की मिली भगत से तालाब में पानी भराने पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है–

क्र0	दिनांक	बाउचर सं0	धनराशि	व्यय का विस्तृत विवरण
1	10.05.2016	3	28800.00	150X180

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित उक्त व्यय पर आपित्तयां निम्नवत हैं–

(i) उक्त व्यय संबंधी मात्र वाउचर प्रस्तुत किया गया है जिस पर अंकित हैं कि मण्डल मुस्तफा पुत्र श्री शबीर को 150•180 की दर से रु0 28800.00 चेक सं0 019387 से कर दिया गया है जबकि इस आशय का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नहीं है और न ही नियोजन समिति एवं निर्माण समिति द्वारा भुगतान स्वीकृत है। बाउचर पर प्रधान व सचिव के हस्ताक्षर नहीं है और न ही प्राप्त करने वाले ने ही हस्ताक्षर किया।

अतः उक्त बाउचर फर्जी है। बाउचर की छायाप्रति संलग्न है।

(ii) तालाब में पानी भरने संबंधी काम की कार्ययोजना नहीं है। वर्क आई0डी0 भी नही है। प्राक्कलन भी नहीं है। कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, इंजन की लागबुक, फोटोग्राफ, तालाब का अभिलेख, तालाब के चयन का आधार, तालाब में पानी भरवाने संबंधी निर्देश, तालाब में पानी की आवश्यकता संबंधी कोई अभिलेख अथवा साक्ष्य नहीं है।

समग्र जांच के उपरान्त यह सिद्ध है कि ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान के मिलीभगत से एकराय होकर रु0 28800.00 का अपहरण, काल्पनिक तालाब में पानी भराने का कार्य दिखाकर ग्राम सभा को हानि पहुंचाया है जो ब्याज सहित वसूली योग्य है। इसलिए उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना ग्राम पंचायत के हित में होगा।

अतः अपहरित धनराशि रु0 28800.00 में रु0 14400.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शाहिदा बेगम व रु0 14400.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीश त्रिपाठी से किया जाना अपेक्षित हैं। साथ ही साथ उक्त अपहरित धनराशि के लिए विभागीय व प्रशासकीय कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–1)**

प्रस्तर– 56 ग्राम पंचायत के घर से बशीन के घर से इलियास के घर तक नाली निर्माण कार्य पर. महबूब अली कादीर को रु0 18108.00 बालू के लिए चेक सं0 023742, दिनांक 18.07.2016 को भुगतान किया गया है। जबकि प्रस्तुत बिल के साथ चालान नहीं है। बिल से आयकर व वैट की कटौती भी नहीं की गयी है। सामग्री आमद स्टाक रजिस्टर में भी दर्ज नही है और बिल पर टिन नं0 भी अंकित नही है। उसी बिल को प्रधान व सचिव द्वारा प्रमाणित कराकर भुगतान किया गया है। अतः उक्त धनराशि रु0 18108.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती शाहिदा बेगम व सचिव श्री सतीश त्रिपाठी से बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

प्रस्तर– 57 ग्राम पंचायत द्वारा मुस्लिम गद्दी के घर के अकबर के घर तक नाली निर्माण कार्य पर महबूब आलम कादरी का बालू के लिए दिनांक 14.05.2016 को चेक सं0 023747 से रु0 13020.00 का भुगतान किया गया है। प्रस्तुत बिल पर टिन नं० अंकित नही है। बिल के साथ आपूर्ति चालान भी नहीं है। बिल पर आपूर्ति तिथि भी अंकित नहीं है। सामान आमद की पुष्टि में स्टाक रजि० भी नहीं है और न ही प्रधान व सचिव ने प्रमाणित ही किया है। बिल जारी करने वाले व भुगतान प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर नहीं है। भुगतान की अनुमति भी ग्राम पंचायत के निर्माण समिति से नही ली गयी हैं। इस प्रकार प्रस्तुत बिल आधारहीन रहा। अतः स्पष्ट है कि धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान व सचिव समान रुप से उत्तरदायी है। इस प्रकार आहरण धन से आधा प्रधान श्रीमती शाहिदा बेगम से रु0 6510.00 और आधा सचिव श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी से रु0 6510.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या–3)

प्रस्तर– 58ग्राम पंचायत द्वारा अकबर के घर से नसीर के घर तक नाली निर्माण कार्य पर महबूब आलम कादरी को बालू के लिए रु0 18204.00 का भुगतान किया गया है। किन्तु प्रस्तुत बिल पर प्रधान, सचिव, बिल जारी करने वाले का व भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है और न ही उक्त स्टाक का आमद ही ग्राम पंचायत के स्टाक रजिस्टर में अंकित है, भुगतान की संस्तुति भी निर्माण समिति द्वारा नहीं किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत बिल आधारहीन व मान्य नही है। धनराशि का अपहरण किया गया है, जो ब्याज सहित वसूली योग्य है। इसलिए अपहरित धनराशि का आधा रु० प्रधान श्रीमती शाहिदा बेगम व आधा रु0 9102.00 सचिव श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी से वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–4)**

प्रस्तर– 59ग्राम पंचायत द्वारा सफाईकर्मी हेतु सामग्री रु0 12645.00 की क्रय दर्शित है। प्रस्तुत बिल पर प्रधान, सचिव, बिल जारीकर्ता व भुगतान प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार आधारहीन बिल के कारण ही भुगतान की अनुमति ग्राम पंचायत अधिकारी से नही लिया गया है। उक्त भुगतान 10.05.2016 को चेक नं0 019384 द्वारा किया

गया है। जबकि प्रस्तुत बिल भुगतान विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत मान्य नही है। स्पष्ट है कि धनराशि रु0 12645.00 का अपहरण किया गया है। जो ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः अपहरित धन का आधा भाग प्रधान श्रीमती शाहिदा बेगम से रु0 6322.50 व आधा भाग सचिव श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी से रु0 6322.50 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–5)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण–रु० 90777.00)

ग्राम पंचायतः– फरेन्दी विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा

प्रस्तर–60 ग्राम पंचायत फरेन्दी, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर द्वारा दिनांक 10.02.2013 को धनराशि रु0 14104.00 व दिनांक 31.03.2013 को रु0 34500.00 का भुगतान आदर्श जनरल आर्डर एण्ड सप्लायर को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु में भुगतान किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियां पायी गयी–

कार्य योजना, स्टीमेट, एम०बी०/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख नहीं है।

आदर्श जनरल आर्डर एण्ड सप्लायर से हैण्डपम्प मरम्मत कराना औचित्य से परे है। सामग्री व मजदूरी दोनों का भुगतान उक्त फर्म को किया जाना औचित्य से परे है।

हैण्डपम्प खराब होने का प्रार्थना पत्र और न ही उसके सही हो जाने का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है।

किन–किन स्थानों के किस–किस नम्बर के हैण्डपम्प की मरम्मत कराई गई और उनकी संख्या कितनी थी यह भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट जांच नहीं की जा सकी।

उक्त के सम्बन्ध में कार्य कराये जाने तथा भुगतान किये जाने की पुष्टि जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदन भी नहीं दिया गया है।

अतः स्पष्ट है कि रु0 48604.00 हैण्डपम्प मरम्मत का काल्पनिक व्यय दिखाकर अपहरण किया गया हैं जो उक्त अवधि में कार्यरत प्रधान व सचिव के संयुक्त दायित्व से आधा–आधा ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या–1)

प्रस्तर–61 ग्राम पंचायत द्वारा 18.06.2013 को आदर्श जनरल आर्डर एण्ड सप्लायर को 4 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु रु0 14200.00 का भुगतान किया गया है। उक्त व्यय निम्न आपत्तियां पायी गयी

हैण्डपम्प मरम्मत की कार्य योजना, स्टीमेट, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति प्रमाण पत्र नहीं है।

हैण्डपम्प खराब होने की सूचना व उसके सही हो जाने की सूचना से सम्बन्धित कोई अभिलेख नहीं है और सम्बन्धित के उपयोगकर्ता द्वारा की भी पुष्टि प्रमाण पत्र भी नहीं है कि खराब हैण्डपम्प ठीक हो गया है।

उक्त फर्म को हैण्डपम्प सामग्री व मजदूरी दोनों का भुगतान औचित्य से परे है जबकि अलग–अलग होना चाहिए। दृ

किन–किन स्थानों के किस–किस नम्बर के हैण्डपम्प की मरम्मत कराई गई यह जांच नहीं की जा सकी।

उक्त कार्य कराये जाने तथा भुगतान किये जाने की पुष्टि जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदन व स्वीकृति भी नहीं है।

उक्त तथ्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रधान एवं सचिव ने फर्म के साथ मिली भगत करके रु0 14200.00 का आधारहीन भुगतान कर धन. का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रकार अपहरित धनराशि रु0 14200.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से आधी–आधी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 62804.00)

ग्राम पंचायतः– नौबस्ता विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा

प्रस्तर–62 ग्राम पंचायत द्वारा तालाब में पानी भराने पर निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र0	दिनांक	बाउचर सं0	धनराशि	व्यय का विस्तृत विवरण
1	07.05.2016	3	19500.00	130X150 शिवकुमार
2	07.05.2016	4	19500.00	130X150 बलराम
योग			39000.00	

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां पायी गयी–

ग्राम पंचायत में तालाब में पानी भराने का सक्षम अधिकारी का कोई निर्देश नहीं है, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि की जा सके।

तालाब में पानी भराने का ग्राम पंचायत में दिए निर्णय की कार्यवाही पुस्तिका नही है। इस बात की जांच नहीं की जा सकी कि जहां तालाब में पानी भराने का निर्णय लिया गया?

जिस तालाब में पानी भराने का निर्णय लिया गया, उसका स्वामित्व किसके पास है अर्थात वह तालाब किसका है, ग्राम पंचायत का है या अन्य किसी प्राइवेट व्यक्ति का।

चेक संख्या 018044 व 018045 से दिनांक 09.05.2016 को नगद भुगतान किया गया है। रू0 2000.00 से ऊपर का भुगतान एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से होना चाहिए था, नगद भुगतान अनियमितता है।

कुल 260 घंटे के लिए रु0 39000.00 का भुगतान दर्शित है। 260 घंटे का विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया कि किस तारीख से किस तारीख तक इंजन चलाया गया, जिस तारीख को इंजन चलाया गया, उस दिन कब से कब चला अर्थात इंजन की लॉग बुक नहीं है।

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और फोटोग्राफ नहीं है, जिससे कार्य के होने का भौतिक सत्यापन की पुष्टि की जा सके।
समग्रतः ग्राम प्रधान और सचिव ने काल्पनिक कार्य दिखाकर रु0 39000.00 का अपहरणं करके ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया हैं। इसलिए उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना लोकहित में होगा।

अतः रु0 19500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्री राजेश सिंह से व रु0 19500.00 तत्कालीन सचिव से वसूल किये जाने के साथ वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या–1)

प्रस्तर–63 ग्राम पंचायत द्वारा ह्यूम पाइप पर निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय दर्शित है–

क्र0	दिनांक	बाउचर सं0	धनराशि	व्यय का विस्तृत विवरण
1	31.05.2016	6	50000.00	20 ह्यूम पाइप x 2500 लक्ष्मी स्पून पाइप
2	05.07.2016	16	42000.00	15x 2800 लक्ष्मी स्पून पाइप
योग			92000.00	

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियां निम्नवत है–
ग्राम पंचायत के पास कार्य योजना, स्टीमेट, फोटोग्राफ, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, उन स्थानों का नाम जहां ह्यूम पाइप डलवाई गई नही है।
फोटो, माप पुस्तिका व कार्यपर्ति प्रमाण पत्र न होने से ह्यूम पाइप के लगने का भौतिक सत्यापन संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

ह्यूम पाइप लगवाने पर ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी व्यय दर्शित नही है। जिससे ह्यूम पाइप के ग्राम पंचायत में लगने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
उक्त तथ्यों के आधार पर सिद्ध होता है कि ग्राम पंचायत प्रधान और सचिव ने लक्ष्मी स्पून पाइप के साथ मिलीभगत करके रु0 92000.00 का अपहरण किया गया है। वास्तव में कोई ह्यूम पाइप ग्राम पंचायत में आयी ही नही। धनराशि रु0 92000.00 की हानि ग्राम पंचायत को पहुंचाई गई हैं जो ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना ग्राम पंचायत के हित मे होगा।
अतः रु0 46000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्री राजेश सिंह से और रु0 46000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 131000.00)

ग्राम पंचायतः–रजडेरवाथारू **विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा**

प्रस्तर– 64 ग्राम पंचायत– रजडेरवाथारू, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 1849125.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	104750.00
2011–12	918770.00
2012–13	44815.00
2013–14	127000.00
2014–15	484530.00
2015–16	169230.00
योग	1849125.00

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।
अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1849125.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1849125.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में

नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि–अपहरण– रु0 1849125.00)

ग्राम पंचायतः– बेतहनिया करहिया विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा

प्रस्तर– 65 ग्राम पंचायत– बेतहनिया करहिया, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 3029018.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	**धनराशि**
2010–11	**569000.00**
2011–12	**379200.00**
2012–13	**475015.00**
2013–14	**759426.00**
2014–15	**162792.00**
2015–16	**683585.00**
योग	**3029018.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 3029018.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 3029018.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 3029018.00)

ग्राम पंचायतः– सकरीकुइंया विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा

प्रस्तर–66 ग्राम पंचायत–सकरीकुइंया, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद–बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–14 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 1030061.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	**धनराशि**
2010–11	**140299.00**
2011–12	**193005.00**
2012–13	**317805.00**
2013–14	**378952.00**
योग	**1030061.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1030061,00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1030061.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए

आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1030061.00)

ग्राम पंचायतः– सेमरहना विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा

प्रस्तर– 67 ग्राम पंचायत– सेमरहना, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–11 व 2012–13 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 493428.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	85600.00
2011–12	407828.00
योग	493428.00

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 493428.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे! अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 493428.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 493428.00)

ग्राम पंचायतः– परसाबिजुआ विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा

प्रस्तर–68 ग्राम पंचायत– परसाबिजुआ, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 3845817. 00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	45000.00
2011–12	580983.00
2012–13	526628.00
2013–14	742669.00
2014–15	1400905.00
2015–16	549632.00
योग	3845817.00

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 3845817.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 3845817.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आंधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में

नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 3845817.00)

ग्राम पंचायतः– मल्दा विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा

प्रस्तर–69 ग्राम पंचायत– मल्दा, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 2764110.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	68630.00
2011–12	314255.00
2012–13	419094.00
2013–14	694457.00
2014–15	606765.00
2015–16	660909.00
योग	2764110.00

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 2764110.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 2764110.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 2764110.00)

ग्राम पंचायतः– सकल्दा विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा

प्रस्तर– 70 ग्राम पंचायत– सकल्दा, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 2264576.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	293139.00
2011–12	457970.00
2012–13	251835.00
2013–14	1032912.00
2014–15	14500.00
2015–16	214220.00
योग	2264576.00

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 2264576.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा

विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 2264576.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 2264576.00)

ग्राम पंचायतः– मनकापुर विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा

प्रस्तर– 71 ग्राम पंचायत– मनकापुर, विकास खण्डदृ पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 2805441.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	**88150.00**
2011–12	**218947.00**
2012–13	**460295.00**
2013–14	**425116.00**
2014–15	**1351305.00**
2015–16	**261228.00**
योग	**2805441.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रू0 2805441.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 2805441.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्सयम में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि–अपहरण– रू0 2805441.00)

ग्राम पंचायतः– रामनगर विकास विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा

प्रस्तर–72 ग्राम पंचायत– रामनगर, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2014–16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 1417348.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2014–15	793471.00
2015–16	623877.00
योग	**1417348.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रू0 1417348.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 1417348.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व

257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीयध्राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि–अपहरण– रु0 1417348.00)

ग्राम पंचायतः– कल्याणपुर बरगदवा विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा

प्रस्तर–73 ग्राम पंचायत– कल्याणपुर बरगदवा, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 1272390.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	92500.00
2011–12	24590.00
2012–13	318500.00
2013–14	186600.00
2014–15	530200.00
2015–16	120000.00
योग	**1272390.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1272390.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1272390.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1272390.00)

ग्राम पंचायतः– इमिलिया खादर विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा

प्रस्तर–74 ग्राम पंचायत– इमिलिया खादर, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 1805263.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	67500.00
2011–12	277600.00
2012–13	329966.00
2013–14	564178.00
2014–15	147004.00
2015–16	419015.00
योग	**1805263.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1805263.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1805263.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1805263.00)

ग्राम पंचायतः– आदमतारा **विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा**

प्रस्तर–75 ग्राम पंचायत– आदमतारा, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 2479494.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया हैजिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	20750.00
2011–12	454703.00
2012–13	377140.00
2013–14	667711.00
2014–15	959190.00
योग	**2479494.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 2479494.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 2479494.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 2479494.00)

ग्राम पंचायतः– भाथर **विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा**

प्रस्तर–76 ग्राम पंचायत– भाथर, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–14 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 1772855.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	412410.00
2011–12	508145.00
2012–13	198560.00
2013–14	653740.00
योग	**1772855.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1772855.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1772855.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1772855.00)

ग्राम पंचायतः– भुसहरऊंचवा **विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा**

प्रस्तर–77 ग्राम पंचायत– भुसहरऊंचवा, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–14 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 1409252.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	174205.00
2011–12	833477.00
2012–13	241310.00
2013–14	160260.00
योग	**1409252.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1409252.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1409252.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1409252.00)

ग्राम पंचायतः– बरगदवासैफ **विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा**

प्रस्तर–78 ग्राम पंचायत– बरगदवासैफ, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–14 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 3951556.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	470350.00
2011–12	865865.00
2012–13	1281275.00
2013–14	1334066.00
योग	**3951556.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 3951556.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 3951556.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

प्रस्तर–79

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित व्यय दर्शित धनराशि का वर्ष 2016–17 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया–

क्र0	दिनांक	धनराशि	चेक सं0	व्यय विवरण
1	06.09.2016	25500.00	000280	स्वच्छता में निकले कचड़े का निस्तारण
2	06.10.2016	34830.00	000284	हैण्डपम्प की मरम्मत
3	27.10.2016	28350.00	000288	खड़ंजा मरम्मत
4	27.10.2016	9010.00	000290	मिट्टी मरम्मत
5	27.10.2016	5300.00	000291	मिट्टी मरम्मत
6	27.10.2016	9744.00	000292	मजदूरी भुगतान
7	28.10.2016	10000.00	476 व 477	मिट्टी मरम्मत
8	31.01.2017	10000.00	479 व 480	मिट्टी मरम्मत
योग		**132734.00**		

उक्त दर्शित धनराशि रू0 132734.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं दिया गया है। बताया गया कि उक्त धनराशि में संबंधित वाउचर खो गया। अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। लेखा मैनुअल के अनुसार उक्त धनराशि रु0 132734,00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली रु0 666367.00 सचिव श्री गुलवास राम राही व रु0 66367.00 प्रधान श्रीमती शबा बानों से वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–3)**

प्रस्तर–80

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार ह्यूम पाइप का क्रय किया गया है–

क्र0	दिनांक	धनराशि	चेक सं0	व्यय विवरण
1	13.06.2016	46400.00	018390	त्रिपाठी कांट्रैक्टर एण्ड आर्ड सप्लायर
2	15.06.2016	46400.00	018391	त्रिपाठी कांट्रैक्टर एण्ड आर्ड सप्लायर
3	17.06.2016	46400.00	018392	त्रिपाठी कांट्रैक्टर एण्ड आर्ड सप्लायर
4	18.06.2016	46400.00	018393	त्रिपाठी कांट्रैक्टर एण्ड आर्ड सप्लायर
5	04.08.2016	45994.00	005401	त्रिपाठी कांट्रैक्टर एण्ड आर्ड सप्लायर
6	04.08.2016	42456.00	005402	त्रिपाठी कांट्रैक्टर एण्ड आर्ड सप्लायर
7	04.08.2016	46400.00	005403	त्रिपाठी कांट्रैक्टर एण्ड आर्ड सप्लायर
8	04.08.2016	46400.00	005404	त्रिपाठी कांट्रैक्टर एण्ड आर्ड सप्लायर
9	04.08.2016	46400.00	005405	त्रिपाठी कांट्रैक्टर एण्ड आर्ड सप्लायर
योग		**413250.00**		

ग्राम पंचायत द्वारा ह्यूम पाइप का रु0 413250.00 का क्रय किया गया है। किन्तु ह्यूम पाइप ग्राम पंचायत में लगवाई नहीं गई क्योंकि ह्यूम पाइप लगवाने पर सामग्री या मजदूरी पर कोई व्यय नहीं किया गया है। किन स्थानों पर लगवाई गई यह सूची भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। वास्तव में काल्पनिक कार्य दिखाकर फर्म के साथ मिलीभगत करके धनराशि का अपहरण किया गया है।

अतः धनराशि रु0 413250.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत प्रधान से रु0 206625.00 व सचिव श्री गुलवास राम राही से रु0 206625.00 किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–4)**

प्रस्तर–81

ग्राम पंचायत द्वारा द्वारा दिनांक 20.06.2016 में बरगदवा सैफ के तालाब व पोखरे में पानी भरने के लिए पुत्र मंगरे को चेक सं0 018394 द्वारा रु0 47340.00 का भुगतान किया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में इंजन की लाग बुक, जिलाधिकारी का निर्देश, स्टीमेट, आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। भारत में या उ0प्र0 में सामान्यतरू 15 जून तक मानसून शुरू हो जाता है और उसके पहले प्री–मानसूनी वर्षा शुरू हो जाती है। ऐसे में 20.06.2016 में तालाब में पानी भरने का कोई औचित्य नहीं है।

उक्त तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि तालाब में पानी भरने का काल्पनिक कार्य दिखाकर धनराशि रु0 47340.00 का अपहरण किया गया हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती शबा बानो से रु0 23670.00 व सचिव श्री गुलवास राम राही से रु0 23670.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–5)**

प्रस्तर–82 ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता पर निम्न विवरणवार व्यय दर्शित है–

क्र0	दिनांक	वाउचर सं0	चेक सं0	धनराशि	व्यय विवरण
1	30.07.2016	23	018399	45414.00	नालियों की सफाई पर मजदूरी
2	30.07.2016	24	018400	45414.00	नाली सफाई मजदूरी
3	23.08.2016	37	05414, 15, 16	100920.00	नाली सफाई पर व्यय
4	05.09.2016	42	05420	56202.00	नाली साफ–सफाई
योग				**247950.00**	

ग्राम पंचायत द्वारा साफ–सफाई पर रु0 247950.00 का व्यय किया गया है। यदि एक मजदूर 365 दिन काम करता है तो भी साल भर का रु0 60000. 00 व्यय होता है और ग्राम पंचायत की वर्ष भर साफ–सफाई होती रही। किन्तु लगभग 4 मजदूरों की 365 दिन की मजदूरी के बराबर धनराशि व्यय कर दी गयी। जबकि सरकार ने एक ग्राम पंचायत में एक सफाईकर्मी नियुक्त कर रखा है। ऐसे में व्यय दर्शित धनराशि रु0 247950.00 औचित्य से परे है, जो ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अतः रु0 247950.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती शबा बानो से रु0 123975.00 व सचिव श्री गुलवास राम राही से रु0 123975.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–6)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 4792830.00)

ग्राम पंचायतः– बेमिहा **विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा**

प्रस्तर–83 ग्राम पंचायत– बेमिहा, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–11 व 2015––16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 1211530. 00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	643530.00
2015–16	568000.00
योग	**1211530.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1211530.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1211530.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीयध्राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1211530.00)

ग्राम पंचायतः– कुशमहर **विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा**

प्रस्तर–84 ग्राम पंचायत– कुशमहर, विकास खण्ड– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर द्वारा निम्न लिखित विवरणानुसार धनराशि कैशबुक में अवैध निकासी के रूप में अंकित है–

क्र0	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	01.11.2012	खाता सं0 4095 से अवैध निकासी	25600.00
2	03.11.2012	खाता सं0 4095 से अवैध निकासी	31500.00
3	07.11.2012	खाता सं0 4095 से अवैध निकासी	29700.00
योग			**86800.00**

चूंकि कैशबुक में ही अवैध निकासी अंकित है। अतः स्पष्ट है कि बैंक खाते से धन आहरित कर व्यय न कर धन का अपहरण तत्कालीन सचिव व प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। पुष्टि में कैशबुक की प्रति संलग्न है।

(मूल आपत्ति संख्या–2)

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 86800.00)

ग्राम पंचायतः– बानगढ़ पिपरी **विकास क्षेत्रः– पचपेड़वा**

प्रस्तर–85 ग्राम पंचायत– बानगढ़ पिपरी, विकास खण्ड–– पचपेड़वा, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–14 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 1927055.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	27700.00
2011–12	659234.00
2012–13	619445.00
2013–14	620676.00
योग	**1927055.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1927055.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1927055.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1927055.00)

ग्राम पंचायतः– बनकटवा कला **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–86 ग्राम पंचायत– बनकटवा कला, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 2545788.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	240800.00
2011–12	768616.00
2012–13	273370.00
2013–14	557902.00
2014–15	601600.00
2015–16	103500.00
2016–17	0.00
योग	**2545788.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 2545788.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 2545788.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीयध्राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 2545788.00)

ग्राम पंचायतः– मोहनपुरदयालीडीह **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–87 ग्राम पंचायत– मोहनपुरदयालीडीह, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 3109345.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	156800.00
2011–12	234800.00
2012–13	320800.00
2013–14	671762.00
2014–15	933183.00
2015–16	792000.00
योग	**3109345.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 3109345.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 3109345.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 3109345.00)

ग्राम पंचायतः– फतेहनगरा **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–88 ग्राम पंचायत– फतेहनगरा, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 3887616.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	565700.00
2011–12	300938.00
2012–13	433335.00
2013–14	949695.00
2014–15	375000.00
2015–16	630948.00
2016–17	632000.00
योग	**3887616.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा

गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 3887616.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 3887616.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 3887616.00)

ग्राम पंचायतः– भुजेहरा **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–89 ग्राम पंचायत– भुजेहरा, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 4749960.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	199230.00
2011–12	173835.00
2012–13	797010.00
2013–14	1089239.00
2014–15	1154678.00
2015–16	561968.00
2016–17	774000.00
योग	**4749960.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 4749960.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 4749960.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 4749960.00)

ग्राम पंचायतः– विजईडीह **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–90 ग्राम पंचायत– विजईडीह, विकास खण्ड–तुलसीपुर, जनपद–बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 1876926.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	114229.00
2011–12	247890.00
2012–13	353635.00
2013–14	643572.00

2014—15	515800.00
योग	**1876926.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1876926.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1876926.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे—आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या—2)**

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु0 1876926.00)

ग्राम पंचायतः— कन्दैला **विकास क्षेत्रः— तुलसीपुर**

प्रस्तर—91 ग्राम पंचायत— कन्दैला, विकास खण्ड— तुलसीपुर, जनपद— बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010—15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 1952311.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है—

वर्ष	धनराशि
2010—11	29000.00
2011—12	410085.00
2012—13	504800.00
2013—14	409154.00
2014—15	599272.00
योग	**1952311.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1952311.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1952311.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे—आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या—2)**

(सन्निहित धनराशि— अपहरण—रु0 1952311.00)

ग्राम पंचायतः— तुलसीपुर देहात **विकास क्षेत्रः— तुलसीपुर**

प्रस्तर—92 ग्राम पंचायत— तुलसीपुर देहात, विकास खण्ड— तुलसीपुर, जनपद— बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010—17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 7669621.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है—

वर्ष	धनराशि
2010—11	572000.00
2011—12	708700.00

2012—13	732300.00
2013—14	932210.00
2014—15	1519542.00
2015—16	2044869.00
2016—17	1160000.00
योग	**7669621.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 7669621.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 7669621.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे—आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या—2)**

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु0 7669621.00)

ग्राम पंचायतः— गौरामाफी **विकास क्षेत्रः— तुलसीपुर**

प्रस्तर—93 ग्राम पंचायत— गौरामाफी, विकास खण्ड— तुलसीपुर, जनपद— बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2015—17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 668385.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है—

वर्ष	धनराशि
2015—16	215068.00
2016—17	453317.00
योग	**668385.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 668385.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 668385.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे—आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या—2)**

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु0 668385.00)

ग्राम पंचायतः— देवीपाटन **विकास क्षेत्रः— तुलसीपुर**

प्रस्तर—94 ग्राम पंचायत— देवीपाटन, विकास खण्ड— तुलसीपुर, जनपद— बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010—17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 6749300.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है—

वर्ष	धनराशि
2010—11	610350.00
2011—12	710917.00
2012—13	648021.00
2013—14	885050.00
2014—15	1442741.00
2015—16	860421.00
2016—17	1591800.00
योग	**6749300.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 6749300.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 6749300.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे—आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या—2)**

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु0 6749300.00)

ग्राम पंचायतः— भंगहाकला **विकास क्षेत्रः— तुलसीपुर**

प्रस्तर—95 ग्राम पंचायत— भंगहाकला, विकास खण्ड— तुलसीपुर, जनपद— बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010—17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 3326629.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है—

वर्ष	धनराशि
2010—11	240800.00
2011—12	768616.00
2012—13	496227.00
2013—14	689610.00
2014—15	135000.00
2015—16	103500.00
2016—17	892876.00
योग	**3326629.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 3326629.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 3326629.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे—आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या—2)**

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु0 3326629.00)

ग्राम पंचायतः– कल्याणपुर **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–96 ग्राम पंचायत– कल्याणपुर, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 2900745.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	219280.00
2011–12	384525.00
2012–13	222500.00
2013–14	411220.00
2014–15	526620.00
2015–16	100000.00
2016–17	1036600.00
योग	**2900745.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 2900745.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 2900745.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 2900745.00)

ग्राम पंचायतः– रेहरा **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–97 ग्राम पंचायत– रेहरा, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 4278205.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	188380.00
2011–12	416373.00
2012–13	343945.00
2013–14	658418.00
2014–15	1226690.00
2015–16	460100.00
2016–17	984299.00
योग	**4278205.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 4278205.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 4278205.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 4278205.00)

ग्राम पंचायतः– नन्हुआपार विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर

प्रस्तर–98 ग्राम पंचायत– नन्हुआपार, विकास खण्ड–तुलसीपुर, जनपद–बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 1348900.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	0.00
2011–12	346950.00
2012–13	426500.00
2013–14	278250.00
2014–15	297200.00
योग	**1348900.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1348900.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1348900.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1348900.00)

ग्राम पंचायतः– परसिया गौरी विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर

प्रस्तर–99 ग्राम पंचायत– परसीया गौरी, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 1092243रू00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	86400.00
2011–12	140915.00
2012–13	290700.00
2013–14	304438.00
2014–15	269790.00
योग	**1092243.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही

पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1092243.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1092243.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1092243.00)

ग्राम पंचायतः– साखीरेत **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–100 ग्राम पंचायत– साखीरेत, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 3768127.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	396800.00
2011–12	244000.00
2012–13	526944.00
2013–14	666960.00
2014–15	1106603.00
2015–16	442106.00
2016–17	384684.00
योग	**3768127.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 3768127.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 3768127.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 3768127.00)

ग्राम पंचायतः– लालपुर लैबुड्डी **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–101 ग्राम पंचायत– लालपुर लैबुड्डी, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद–– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2015–17 के मात्र कैशबुक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। कैशबुक में अंकित विवरणानुसार व्यय है–

क्र0	कार्य का नाम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	मिट्टी कार्य	05.04.2016	026553	25000.00
2		06.05.2016	026554	6500.00
3	प्रधान मानदेय	19.05.2016	026561	20000.00
4		19.05.2016	026562	20000.00
5		19.05.2016	026563	5000.00
6	स्टेशनरी पर व्यय	20.05.2016		180.00

7	फोटो भुगतान पर व्यय	04.06.2016	026559	450.00
8		04.06.2016	026560	450.00
9		23.06.2016	026574	1800.00
10		30.03.2017	026597	450.00
11		30.03.2017	044203	450.00
12	सहायक विकास अधिकारी को	06.06.2016	026557	11228.00
13		18.10.2016	026587	11200.00
14	ईंट क्रय	07.06.2016	026568	33085.00
15		07.06.2016	026567	33085.00
16		07.06.2016	026566	33085.00
17		07.06.2016	026565	33085.00
18	ग्राम सभा बुकलेट पर व्यय	14.06.2016		1000.00
19	मिस्त्री पर व्यय	14.06.2016	026572	3480.00
20		14.06.2016	026571	3480.00
21		14.06.2016	026570	3480.00
22		14.06.2016	026573	3480.00
23	लेबर पर व्यय	14.06.2016	026575	5742.00
24		14.06.2016	026576	5742.00
25		14.06.2016	026577	5742.00
26		14.06.2016	026578	5742.00
27	सफाई पर व्यय	17.06.2017	026550	1000.00
28	हैण्डपम्प पर व्यय	21.06.2016	026580	1700.00
29		21.06.2016	026579	2700.00
30		29.06.2016		5000.00
31		14.09.2016	026589	6000.00
32		25.10.2016	026582	4000.00
33		17.01.2017	026591	7000.00
34		30.03.2017	044207	8557.00
35	जिला पंचायत राज अधिकारी	29.06.2016	026556	1000.00
36	कोटा बैठक पर व्यय	30.08.2016	026581	10000.00
37	सोलर पर व्यय	14.09.2016	026583	45000.00
38		14.09.2016	026584	45000.00
39		14.09.2016	026585	22500.00
40		14.09.2016	026586	22500.00
41	पंचायत प्रशिक्षण पर व्यय	29.09.2016	026588	6164.00
42	धान ओसाई हेतु पंखा पर व्यय	22.11.2016	026590	12000.00
43	शौचालय मरम्मत पर व्यय	13.01.2017	026594	23000.00
44		17.01.2017	026593	23000.00
45		17.01.2017	026592	2000.00
		योग		**562877.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 562877.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 562877.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 562877.00)

ग्राम पंचायतः— नवानगर **विकास क्षेत्रः— तुलसीपुर**

प्रस्तर—102 ग्राम पंचायत— नवानगर, विकास खण्डदृ तुलसीपुर, जनपद— बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010—16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 3081286.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है जिसका विवरण अग्रलिखित है—

वर्ष	धनराशि
2010—11	281200.00
2011—12	404100.00
2012—13	494550.00
2013—14	875904.00
2014—15	623302.00
2015—16	402230.00
योग	**3081286.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 3081286.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 3081286.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे—आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या—2)**

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु0 3081286.00)

ग्राम पंचायतः— रामगढ़ मैटहवा **विकास क्षेत्रः— तुलसीपुर**

प्रस्तर—103 ग्राम पंचायत— रामगढ़ मैटहवा, विकास खण्ड— तुलसीपुर, जनपद— बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2015—17 के मात्र कैशबुक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। कैशबुक में अंकित विवरणानुसार व्यय है—

क्र0	कार्य का नाम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	मिट्टी कार्य	14.06.2016	026622	20000.00
2		14.06.2016	026621	15000.00
3		14.06.2016	026620	30000.00
4		09.08.2016	026625	5000.00
5		16.08.2016	026624	5000.00
6	तालाब में पानी भराई कार्य	04.04.2016	026610	5000.00
7		04.04.2016	026602	5000.00
8		19.05.2016	026617	4000.00
9		19.05.2016	026618	4000.00
10	ईंट क्रय	04.04.2016	026603	13050.00
11	हैण्डपम्प मरम्मत	05.04.2016	026608	5000.00
12		14.06.2016		2440.00
13		29.06.2016		6880.00
14		04.08.2016	026624	5000.00
15		03.09.2016		5463.00
16		08.12.2016	026640	5000.00
17		16.03.2017	043951	4240.00
18	प्रधान मानदेय	19.05.2016	026616	12500.00
19		14.09.2016	026628	5000.00

20		08.12.2016	026641	3500.00
21		22.12.2016	026642	10000.00
22		31.01.2017	026043	7000.00
23	सहायक विकास अधिकारी को	06.06.2016	026614	8726.00
24		18.10.2016	026630	8552.00
25	मिस्कट गिरवाई	16.08.2016		5000.00
26	कोटे बैठक पर व्यय			10000.00
27	कूप मरम्मत पर व्यय	14.09.2016	026639	11200.00
28	पंचायत प्रशिक्षण पर व्यय	15.09.2016	026631	4762.00
29	सोलर पर व्यय	22.09.2016	026635	45000.00
30		22.09.2016	026635	45000.00
31		22.09.2016	026634	45000.00
32		22.09.2016	026636	22500.00
33		17.02.2019	026648	22500.00
34		17.02.2019	026049	22500.00
35		17.02.2019	026647	45000.00
36		17.02.2019	026650	45000.00
37	पेन ड्राइव पर व्यय	25.10.2016	0266632	1000.00
38	स्कूल पुस्तिकालय पर व्यय	22.12.2016	026637	2000.00
39	ग्राम पंचायत सफाई पर व्यय	30.01.2017		4800.00
40	स्कूल शौचालय मरम्मत	30.01.2017	026644	8000.00
41		30.01.2017	026646	20000.00
42		31.01.2017	026645	20000.00
43	सीमेंट पर व्यय	14.06.2016	026609	4800.00
44	बालू पर व्यय	16.06.2016	026605	1600.00
45	बाल राइडिंग पर व्यय	16.06.2016	026607	3000.00
46	डिजिटल डायरी पर व्यय	17.06.2016	026611	1000.00
47		23.06.2016	026606	900.00
48	जिला पंचायत राज अधिकारी को	29.06.2016	026613	1000.00
	योग			**590033.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 590033.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की. दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 590033.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे––आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 590033.00)

ग्राम पंचायतः– बेलीखुर्द **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–104 ग्राम पंचायत–बेलीखुर्द, विकास खण्ड–तुलसीपुर, जनपद–बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2015–17 के मात्र कैशबुक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। कैशबुक में अंकित विवरणानुसार व्यय है–

क्र0	कार्य का नाम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	मिट्टी कार्य	12.05.2016	026505	2782.00
2		26.05.2016	026520	3200.00
3		15.06.2016	026531	20000.00
4		15.06.2016	026533	5000.00

5		08.08.2016	026535	5000.00
6		09.08.2016	026536	5000.00
7		27.12.2016	026542	7000.00
8		20.01.2017	026544	20000.00
9	हैण्डपम्प मरम्मत	30.04.2016	026502	5000.00
10		02.05.2016	026501	5000.00
11		04.05.2016	026504	10000.00
12		04.11.2016	026530	4000.00
13		27.12.2016	026541	6600.00
14		07.01.2017	026543	5000.00
15	ईंट क्रय	10.05.2016	026507	35634.00
16		12.05.2016	026512	20850.00
17		08.06.2016	026523	26000.00
18		20.02.2017	059355	26000.00
19		20.02.2017	059354	23400.00
20		12.05.2016	026506	05635.00
21	मिस्त्री लेबर पर व्यय	12.05.2016	026504	1016880.00
22	सोलर क्रय पर व्यय	15.05.2016	026514	1380.00
23		15.06.2016	026510	2900.00
24	स्ट्रीट लाइट पर व्यय	21.06.2016	026529	240500.00
25		21.06.2016	026528	4350.00
26	सीमेंट पर व्यय	12.05.2016	026511	11200.00
27		10.06.2016	026530	2500.00
28		20.02.2017	059357	6939.00
29		22.02.2017	059356	755.00
30	स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट	20.05.2016	026522	22140.00
31		20.05.2016	020521	44280.00
32		21.02.2017	059359	45500.00
33		21.02.2017	059360	19500.00
34	प्रधान मानदेय	07.12.2016	026539	10000.00
35		20.01.2017	026545	24500.00
36	स्कूल गेट पर व्यय	20.01.2017	026546	10000.00
37	पंचायत बैठक पर व्यय	20.02.2017	059361	5971.00
38		20.02.2017	059363	4301.00
39		12.05.2016	026519	4438.00
40		22.05.2016	026315	10000.00
41	सहायक विकास अधिकारी को	05.02.2017	059362	10850.00
42		22.02.2017	059364	7815.00
43	स्टेशनरी पर व्यय	12.05.2016	026516	1000.00
44	फोटो पर व्यय	04.06.2016	026508	450.00
45		04.06.2016	026513	450.00
46		16.06.2016	026527	450.00
	योग			**1743150**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1743150.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1743150.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में

नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1743150.00)

ग्राम पंचायतः– नौव्वा **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–105ग्राम पंचायत– नौव्वा, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 2174734.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	253100.00
2011–12	235314.00
2012–13	247200.00
2013–14	472250.00
2014–15	966870.00
योग	**2174734.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 2174734.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 2174734.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 2174734.00)

ग्राम पंचायतः– बसन्तपुर **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–106 ग्राम पंचायत– बसन्तपुर, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 1154920.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	125510.00
2011–12	261100.00
2012–13	254255.00
2013–14	305985.00
2014–15	208070.00
योग	**1154920.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1154920.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1154920.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के

नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1154920.00)

ग्राम पंचायतः–मुड़िला **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–107 ग्राम पंचायत– मुड़िला, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 8925889.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	339080.00
2011–12	750025.00
2012–13	1309000.00
2013–14	1711451.00
2014–15	2083235.00
2015–16	704527.00
2016–17	2028571.00
योग	**8925889.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 8925889.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 8925889.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 8925889.00)

ग्राम पंचायतः–पंचपकड़ी **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–108 ग्राम पंचायत– पंचपकड़ी, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 1047692.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	172379.00
2011–12	182206.00
2012–13	317775.00
2013–14	298093.00
2014–15	877239.00
योग	**1047692.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही

पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1047692.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1047692.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1047692.00)

ग्राम पंचायतः–बदलपुर **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–109 ग्राम पंचायत– बदलपुरी, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 5607014.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	240615.00
2011–12	552631.00
2012–13	612292.00
2013–14	1434006.00
2014–15	1517770.00
2015–16	399700.00
2016–17	850000.00
योग	**5607014.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 5607014.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 5607014.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 5607014.00)

ग्राम पंचायतः–गोपालीपुर **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–110 ग्राम पंचायत– गोपालीपुर, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 2061684. 00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	111745.00
2011–12	443220.00
2012–13	315925.00
2013–14	637924.00

2014—15	552870.00
योग	**2061684.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 2061684.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 2061684.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे—आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या—2)**

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु0 2061684.00)

ग्राम पंचायतः—लक्ष्मनपुर **विकास क्षेत्रः— तुलसीपुर**

प्रस्तर—111 ग्राम पंचायत— लक्ष्मनपुर, विकास खण्ड— तुलसीपुर, जनपद— बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010—15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 2200893.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है—

वर्ष	धनराशि
2010—11	0.00
2011—12	344150.00
2012—13	301560.00
2013—14	722264.00
2014—15	832919.00
योग	**2200893.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 2200893.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 2200893.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे—आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या—2)**

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु0 2200893.00)

ग्राम पंचायतः—सिंगाही **विकास क्षेत्रः— तुलसीपुर**

प्रस्तर—112 ग्राम पंचायत— सिंगाही, विकास खण्ड— तुलसीपुर, जनपद— बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010—15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 3312461.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है—

वर्ष	धनराशि
2010–11	282695.00
2011–12	461560.00
2012–13	434135.00
2013–14	437971.00
2014–15	1696100.00
योग	**3312461.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 3312461.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 3312461.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 3312461.00)

ग्राम पंचायतः–रजवापुर **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–113 ग्राम पंचायत– रजवापुर, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 1957278.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	213050.00
2011–12	494083.00
2012–13	355660.00
2013–14	525165.00
2014–15	369320.00
योग	**1957278.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1957278.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1957278.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1957278.00)

ग्राम पंचायतः–बालापुर **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–114 ग्राम पंचायत– बालापुर, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा

प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 3565228.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	469500.00
2011–12	581958.20
2012–13	467700.00
2013–14	1055000.00
2014–15	991070.00
योग	**3565228.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 3565228.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 3565228.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 3565228.00)

ग्राम पंचायतः–नैकिनिया **विकास क्षेत्रः– तुलसीपुर**

प्रस्तर–115 ग्राम पंचायत– नैकिनिया, विकास खण्ड– तुलसीपुर, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 1190980.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	196280.00
2011–12	109425.00
2012–13	191750.00
2013–14	433400.00
2014–15	260125.00
योग	**1190980.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1190980.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1190980.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1190980.00)

ग्राम पंचायतः—लालपुर **विकास क्षेत्रः— गैसड़ी**

प्रस्तर—116 ग्राम पंचायत— लालपुर, विकास खण्ड— गैसड़ी, जनपद— बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010—17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 3083065.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है—

वर्ष	धनराशि
2010—11	105000.00
2011—12	336440.00
2012—13	372500.00
2013—14	676546.00
2014—15	261000.00
2015—16	333101.00
2016—17	998478.00
योग	**3083065.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 3083065.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 3083065.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे—आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या—2)**

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रू0 3083065.00)

ग्राम पंचायतः—खम्हरिया **विकास क्षेत्रः— गैसड़ी**

प्रस्तर—117 ग्राम पंचायत— खम्हरिया, विकास खण्ड— गैसड़ी, जनपद— बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010—17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 5418657.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है—

वर्ष	धनराशि
2010—11	232410.00
2011—12	561965.00
2012—13	224800.00
2013—14	776449.00
2014—15	1521700.00
2015—16	527115.00
2016—17	1574218.00
योग	**5418657.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 5418657.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे।

अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 5418657.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 5418657.00)

ग्राम पंचायतः–लुधौरी **विकास क्षेत्रः– गैसड़ी**

प्रस्तर–118 ग्राम पंचायत– लुधौरी, विकास खण्ड– गैसड़ी, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 3244513.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	0.00
2011–12	461667.00
2012–13	352810.00
2013–14	415894.00
2014–15	300624.00
2015–16	1150518.00
2016–17	563000.00
योग	**3244513.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 3244513.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 3244513.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 3244513.00)

ग्राम पंचायतः–गनवरिया **विकास क्षेत्रः– गैसड़ी**

प्रस्तर–119 ग्राम पंचायत– गनवरिया, विकास खण्ड– गैसड़ी, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 527968.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	0.00
2011–12	0.00
2012–13	0.00
2013–14	0.00
2014–15	0.00
2015–16	0.00
2016–17	527698.00
योग	**527968.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा

गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 527968.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 527968.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 527968.00)

ग्राम पंचायतः–वीरपुरकला **विकास क्षेत्रः– गैसड़ी**

प्रस्तर–120 ग्राम पंचायत– वीरपुरकलां, विकास खण्ड– गैसड़ी, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 1518591.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	264230.00
2011–12	556145.00
2012–13	87700.00
2013–14	136992.00
2014–15	413524.00
2015–16	60000.00
योग	**1518591.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1518591.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1518591.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1518591.00)

ग्राम पंचायतः–नवानगर **विकास क्षेत्रः– गैसड़ी**

प्रस्तर–121 ग्राम पंचायत– नवानगर, विकास खण्ड– गैसड़ी, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 400134.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	0.00
2011–12	0.00
2012–13	0.00
2013–14	0.00
2014–15	0.00

2015–16	0.00
2016–17	400134.00
योग	**400134.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 400134.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 400134.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 400134.00)

ग्राम पंचायतः–दुल्हिनडीह **विकास क्षेत्रः– गैसड़ी**

प्रस्तर–122 ग्राम पंचायत– दुल्हिनडीह, विकास खण्ड– गैसड़ी, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 800642.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	0.00
2011–12	0.00
2012–13	0.00
2013–14	0.00
2014–15	0.00
2015–16	0.00
2016–17	800642.00
योग	**800642.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 800642.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 800642.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 800642.00)

ग्राम पंचायतः–कोइलखार **विकास क्षेत्रः– गैसड़ी**

प्रस्तर–123 ग्राम पंचायत– कोइलखार, विकास खण्ड– गैसड़ी, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 4762996.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010—11	78390.00
2011—12	707504.00
2012—13	424031.00
2013—14	1392450.00
2014—15	912614.00
2015—16	1248007.00
2016—17	1248007.00
योग	**4762996.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 4762996.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 4762996.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 4762996.00)

ग्राम पंचायतः–सदवापुर **विकास क्षेत्रः– गैसड़ी**

प्रस्तर–124 ग्राम पंचायत– सदवापुर, विकास खण्ड– गैसड़ी, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 348713.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010—11	0.00
2011—12	0.00
2012—13	0.00
2013—14	0.00
2014—15	0.00
2015—16	0.00
2016—17	348713.00
योग	**348713.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 348713.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 348713.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 348713.00)

ग्राम पंचायतः—भोजपुर थारू **विकास क्षेत्रः— गैसड़ी**

प्रस्तर—125 ग्राम पंचायत— भोजपुर थारू, विकास खण्ड— गैसड़ी, जनपद— बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010—17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 2590603.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है—

वर्ष	धनराशि
2010—11	199410.00
2011—12	663045.00
2012—13	252530.00
2013—14	386080.00
2014—15	539638.00
2015—16	300000.00
2016—17	289900.00
योग	**2590603.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 2590603.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 2590603.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे—आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या—2)**

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु0 2590603.00)

ग्राम पंचायतः—गनवरिया **विकास क्षेत्रः— गैसड़ी**

प्रस्तर—126 ग्राम पंचायत— गनवरिया, विकास खण्ड— गैसड़ी, जनपद— बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010—16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 1777077.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है—

वर्ष	धनराशि
2010—11	89740.00
2011—12	337265.00
2012—13	51640.00
2013—14	688232.00
2014—15	387402.00
2015—16	222798.00
योग	**1777077.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 1777077.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1777077.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के

नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1777077.00)

ग्राम पंचायतः–गोविन्दपुर **विकास क्षेत्रः– गैसड़ी**

प्रस्तर–127 ग्राम पंचायत– गोविन्दपुर, विकास खण्ड– गैसड़ी, जनपद– बलरामपुर की लेखा परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत राज विभाग एवं विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद वर्ष 2010–16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रिया साफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 2911229.00 का वर्षवार आहरण करके व्यय किया गया है, जिसका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	धनराशि
2010–11	202980.00
2011–12	377910.00
2012–13	306078.00
2013–14	1037720.00
2014–15	723140.00
2015–16	263401.00
योग	**2911229.00**

सम्बन्धित धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षवार किये गये व्यय के सापेक्ष न तो वर्षवार कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया। न ही कार्य योजनाओं की पुष्टि में ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी, नियोजन समिति द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति, निर्माण समिति द्वारा सामग्री आमद एवं भुगतान की पुष्टि में की गयी कार्यवाही सम्बन्धित समितियों की कार्यवाही पंजी ही उपलब्ध रही।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्षवार व्यय धनराशि रु0 2911229.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौन रहे । अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 2911229.00 को उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे–आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय/राजकीय नियमों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचायी गयी हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–2)**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 2911229.00)

ग्राम पंचायतः–इटवा **विकास क्षेत्रः– हर्रैया सतघेरवां**

ग्राम पंचायत– इटवा की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिस पर विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर–128 वर्ष में प्राप्त आय सन्निहित धनराशि 235699.00 बैंक पासबुक में दर्शित है परन्तु कैशबुक में न दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। इसके प्रति जिम्मेदार कर्मियों उत्तरदायी व्यक्ति श्री संजीव कैराती ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री श्यामलाल ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि 235699.00 **सा0प्रति0 की आपत्ति सं0 26**

प्रस्तर–129 बैंक से 45000.00 धन निकाला गया परन्तु कैशबुक में न दर्शाकर अपहरण किया गया है। इसके प्रति जिम्मेदार कर्मियों श्री संजीव कैराती ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री श्यामलाल ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। **सा0प्रति0 की आपत्ति सं0 27**

प्रस्तर–130 वित्तीय वर्ष 2017–18 में मानदेय 30000.00 का भुगतान 2016–17 में करके गम्भीर अनियमितता की गई है। इसके प्रति जिम्मेदार कर्मियों श्री संजीव कैराती ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री श्यामलाल ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(सन्निहित धनराशि– अनियमितता– रु0 30000.00)

ग्राम पंचायतः–शिवपुरा **विकास क्षेत्रः– हर्रैया सतघेरवा**

ग्राम पंचायत– शिवपुरा की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिस पर विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर–131 कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि 1117937.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत दर्शित व्यय

गबन की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 1117937.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजीव कैराती तथा प्रधान श्रीमती प्रेमकुमारी से दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूली अपेक्षित है। **सा0प्रति0 की आपत्ति सं026**

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1117937.00)

ग्राम पंचायतः–गनवरिया विकास क्षेत्रः– हर्रैया सतघेरवा

ग्राम पंचायत– गनवरिया, की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिस पर विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर–132 कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि 643897.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत दर्शित व्यय गबन की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 643897.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा तथा प्रधान श्रीमती चम्पावती से ब्याज के साथ वसूली अपेक्षित है।

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 643897.00)

सा0प्रति0 की आपत्ति सं026

ग्राम पंचायतः–फुलवरिया विकास क्षेत्रः– हर्रैया सतघेरवा

ग्राम पंचायत– फुलवरिया, की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिस पर विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर–133 कैशबुक में दर्शित सन्निहित धनराशि 268617.00 व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत दर्शित व्यय गबन की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 268617.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजीव कैराती तथा प्रधान श्रीमती अंजनी देवी से ब्याज के साथ वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायतः–लालपुर विशुनपुर विकास क्षेत्रः– हर्रैया सतघेरवा

ग्राम पंचायत– लालपुर विशुनपुर, की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिस पर विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर–134 कैशबुक में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय धनराशि– रू0 1156730.00 प्रमाणक प्रस्तुत न करना अपहरण करना पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत दर्शित व्यय गबन की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 1156730.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा तथा प्रधान श्रीमती अम्बिका देवी से ब्याज के साथ वसूली अपेक्षित है।

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 1156730.00)

ग्राम पंचायतः–श्रीनगर विकास क्षेत्रः– हर्रैया सतघेरवा

ग्राम पंचायत– श्रीनगर, की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिस पर विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर–135 कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि 345268.00 से सम्बंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर ले0प0 में प्रस्तुत कर धनराशि का मनमाने ढंग से व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से कर दी जायेगी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 345268.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसे उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री सखावत अली तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजीव कैराती से ब्याज के साथ वसूली अपेक्षित है। **(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 345268.00)**

ग्राम पंचायतः–सिरसिया विकास क्षेत्रः– हर्रैया सतघेरवा

ग्राम पंचायत– सिरसिया, की वर्ष 2010–12 से 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिस पर विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर–136 वर्ष 2011–12 से 2015–16 में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा प्रधान लेखा परीक्षा वर्ष 2011 में रू0 624782.00 व्यय, वर्ष 2013–14 में रू0 700280.00 व्यय वर्ष 2014–15 में रू0 1705423.00 व्यय तथा वर्ष 2015–16 में रू0 786387.00 सन्निहित धनराशि 3816872.00 व्यय दर्शाया गया है। इसकी पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया। कैशबुक में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक प्रस्तुत न करना पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत दर्शित व्यय गबन की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 3816872.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी तथा प्रधान से ब्याज के साथ वसूली अपेक्षित है।

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रु0 3816872.00)

ग्राम पंचायतः–पैगापुर विकास क्षेत्रः– बलरामपुर सदर

ग्राम पंचायत– पैगापुर, की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिस पर विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर–137 कैशबुक में दर्शित व्यय 1594976.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत दर्शित व्यय गबन की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 1594976.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अजय यादव तथा तत्कालीन प्रधान से ब्याज के साथ वसूली अपेक्षित है।

(सन्निहित धनराशि– अपहरण– रू0 1594976.00)

ग्राम पंचायतः–बेनीजोत   विकास क्षेत्रः– बलरामपुर सदर

ग्राम पंचायत– बेनीजोत की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिस पर विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर–138 डी0पी0आर0ओ0 बलरामपरु के सामान्य लाभ निधि खाता में धनराशि 1000.00 धन जमा कर लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके धन का दुरूपयोग किया गया है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राकेश, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा तत्कालीन प्रधान से उपरोक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर–139 कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रू0 371667.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत दर्शित व्यय गबन की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 371667.00 को गबन मानते हुए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राकेश तथा प्रधान से ब्याज के साथ वसूली अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17

प्रारूप–4

जनपद गोण्डा

ग्राम पंचायत–गौरवा खुर्द   विकास खण्ड–हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या–1 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत गौरवा खुर्द की कोषबही प्रथम वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय रू0 6,10,000.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त व्यय धनराशि रू0 6,10,000/– की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, बिल, बाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टाक बुक, डेड स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका, कोटेशन/टेन्डर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8क एवं 8ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रू0 6,10,000/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय पाण्डेय द्वारा काल्पनिक ढंग से कोषबही में दिखाकर कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

सा0आ0सं0–12

ग्राम पंचायत–असरना   विकास खण्ड–हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या–2 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत असरना की कोषबही प्रथम वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त व्यय धनराशि रू0 9,50,933.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, बिल, बाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टाक बुक, डेड स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका, कोटेशन/टेन्डर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8क एवं 8ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रू0 9,50,933.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय कुमार पाण्डेय द्वारा काल्पनिक ढंग से कोषबही में दिखाकर कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

सा0आ0सं0–12

ग्राम पंचायत–देवी तिलमहा   विकास खण्ड–हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या–3 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत देवी तिलमहा की कोषबही प्रथम वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त व्यय धनराशि रू0 4,05,643.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, बिल, बाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टाक बुक, डेड स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका, कोटेशन/टेन्डर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8क एवं 8ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रू0 4,05,643.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री लखन एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय पाण्डेय द्वारा कूटरचित ढंग से कोषबही में दिखाकर कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

सा0आ0सं0–12

ग्राम पंचायत–बटौरा लोहांगी **विकास खण्ड–हलधरमऊ**

प्रस्तर संख्या–4 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत देवी तिलमहा की कोषबही प्रथम वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त व्यय धनराशि रू0 4,66,156.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, बिल, बाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, कायपूर्ति प्रमाण–पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टाक बुक, डेड स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका, कोटेशन/टेन्डर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8क एवं 8ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रू0 4,66,156.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री लखन एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय पाण्डेय द्वारा कूटरचित ढंग से कोषबही में दिखाकर कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

सा0आ0सं0–12

ग्राम पंचायत–उमरिया **विकास खण्ड–हलधरमऊ**

प्रस्तर संख्या–5 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत उमरिया की कोषबही प्रथम वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त व्यय धनराशि रू0 4,12,039.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, बिल, बाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टाक बुक, डेड स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका, कोटेशन/टेन्डर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8क एवं 8ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रू0 4,12,039.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय पाण्डेय द्वारा कूटरचित ढंग से कोषबही में दिखाकर कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

सा0आ0सं0–12

ग्राम पंचायत–सोनवार **विकास खण्ड–हलधरमऊ**

प्रस्तर संख्या–6 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत सोनवार की कोषबही प्रथम वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त व्यय धनराशि रू0 5,09,909.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, बिल, बाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टाक बुक, डेड स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका, कोटेशन/टेन्डर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8क एवं 8ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रू0 5,09,909.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती जनक नन्दनी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती विजयलक्ष्मी सिंह द्वारा काल्पनिक ढंग से कोषबही में दिखाकर कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

सा0आ0सं0–12

ग्राम पंचायत–सेलहरी **विकास खण्ड–हलधरमऊ**

प्रस्तर संख्या–7 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत सेलहरी की कोषबही प्रथम वर्ष 2016–17 में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त व्यय धनराशि रू0 8,65,171.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, बिल, बाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टाक बुक, डेड स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका, कोटेशन/टेन्डर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8क एवं 8ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रू0 8,65,171.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री रामउदित एवं ग्राम विकास अधिकारी मोहम्मद आजम खां द्वारा काल्पनिक ढंग से कोषबही में दिखाकर कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

सा0आ0सं0–12

ग्राम पंचायत–केशव नगर ग्रन्ट **विकास खण्ड–बभनजोत**

प्रस्तर 8–कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ईंट क्रय दर्शाया गया है, जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।

क्र.सं.	प्रमाणक संख्या	दिनांक	मद	
1	09	10.01.2019	अमन ब्रिक फील्ड द्वारा ईंट क्रय	181710.00
2	46	21.03.2017	अमन ब्रिक फील्ड द्वारा ईंट क्रय	181631.00
3	58	21.03.2017	अमन ब्रिक फील्ड द्वारा ईंट क्रय	181600.00
4	59	21.03.2017	अमन ब्रिक फील्ड द्वारा ईंट क्रय	184728.00

5	72	30.03.2017	अमन ब्रिक फील्ड द्वारा ईंट क्रय	184710.00
6	73	30.03.2017	अमन ब्रिक फील्ड द्वारा ईंट क्रय	184710.00
			योग	**10,99,089.00**

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड (8क) व (8ख) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाएगी। अतः रू0 10,99,089.00 बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय कर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती बीना तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सूर्य किशोर सिंह से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0–12

ग्राम पंचायत–ढोढऊपुर **विकास खण्ड–बभनजोत**

प्रस्तर 9–दिनांक–01.04.2015 से 31.03.2017 तक कैशबुक में व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय–प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्ययोजना प्रस्ताव, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, एम0बी0 पंजिका आदि अप्राप्त रहे। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड (8क) व (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है। अतः रू0 5,83,335.00 बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय कर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती पुष्पा सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हनुमन्त प्रसाद मिश्रा से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–12**

ग्राम पंचायत–गूंगीदेई **विकास खण्ड–इटियाथोक**

प्रस्तर 10–दिनांक–01.04.2016 से 31.03.2017 तक कैशबुक में दर्शित व्यय रू0 579607.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय–प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्ययोजना प्रस्ताव, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, एम0बी0 पंजिका, कार्यवाही पंजिका अप्राप्त रहे। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड (8क) व (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है। अतः रू0 579607.00 बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय कर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती कमला सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश चन्द पासवान द्वारा ब्याज सहित बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–12**

ग्राम पंचायत–सिंघवापुर **विकास खण्ड–इटियाथोक**

प्रस्तर 11–दिनांक–12.03.2014 को कैशबुक में दर्शित रू0 38400.00 ईंट क्रय पर व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक अप्राप्त रहा। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड (8क) व (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है। अतः रू0 38400.00 बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय कर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री कल्लू तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामबहादुर वर्मा से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–12**

ग्राम पंचायत–पूरे हाड़ा **विकास खण्ड–इटियाथोक**

प्रस्तर 12–दिनांक–01.01.2015 को कैशबुक में दर्शित रू0 15000.00 ईंट क्रय पर व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक अप्राप्त रहा। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड (8क) व (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है। अतः रू0 15000.00 बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय कर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री बाबादीन तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–12**

ग्राम पंचायत–चड़ौवा **विकास खण्ड–वजीरगंज**

प्रस्तर 13–वर्ष 2011–12 की कोषबही में माह मार्च में कोषबही बन्द नहीं की गयी और रोकड़ अवशेष नहीं निकाला गया। लेखा परीक्षा के अनुसार दिनांक–31.03.2012 को रू0 43,698.00 रोकड़ अवशेष बचता है, जो कोषबही में दर्शित नहीं है। इस प्रकार रू0 43,698.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रईस अहमद तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित कुमार मिश्रा द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उपर्युक्त दोनों लोगों से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–21**

प्रस्तर 14–वर्ष 2011–12 में सामग्री का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया है दिनांक–10.03.2012 को स्टार ब्रिक फील्ड को रू0 30400.00 ईंट का भुगतान दर्शित है आलोच्य वर्ष में चेक से भुगतान को केवल व्यय पक्ष में दर्शाया गया है। दिनांक–10.03.2012 के भुगतान के प्रमाणक संलग्न है। पुनः दिनांक–26.03.2012 को रू0 30400.00 का नकद भुगतान स्टार ब्रिक फील्ड को दर्शित है, जिसका बाउचर नहीं है स्पष्ट है कि एक ही बाउचर पर एक बार चेक से और एक बार नकद भुगतान दर्शाकर रू0 30400.00 का अपहरण किया गया है अतः अपहृत धनराशि का 30400.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रईस अहमद तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित मिश्रा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–22**

प्रस्तर 15–आलोच्य वर्ष 2012–13 की कोषबही में आय–व्यय का योग निकालकर कोषबही बन्द कर रोकड़ अवशेष नहीं निकाला गया है लेखा परीक्षानुसार माह मई 2012 में रू0 100.00 रोकड़ अवशेष बचता है, जो कोषबही में दर्शित

नहीं है। अतः रू0 100.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रईस अहमद तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित मिश्रा से ब्याज सहित समान रूपे से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–23**

प्रस्तर 16–लेखा परीक्षानुसार माह दिसम्बर 2016 में व्यय पक्ष का वास्तविक योग रू0 51400.00 होता है। जबकि कोषबही में रू0 55200.00 अंकित है। इस प्रकार कोषबही के व्यय पक्ष का योग रू0 3800.00 से अधिक दर्शाकर 3800.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सबरूननिशां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित मिश्रा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–27**

ग्राम पंचायत–हरिहरपुर **विकास खण्ड–वजीरगंज**

प्रस्तर 17–लेखा परीक्षा के समय वर्ष 2012–13 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आलोच्य वर्ष में रू0 2,83,280.00 बैंक से आहरित किया गया है, किन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषबही, प्रमाणक, कायपूर्ति प्रमाण–पत्र एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रू0 2,83,280.00 की धनराशि अपहरण मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दुर्गा मिश्र से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–22**

ग्राम पंचायत–मझगवां **विकास खण्ड–वजीरगंज**

प्रस्तर 18–ग्राम पंचायत में मानदेय रजिस्टर नहीं बनाया गया है। लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में बाउचर संख्या–43 दिनांक–25.02.2014 रू0 2500/–तथा बाउचर संख्या निल, दिनांक–26.03.2014 रू0 5000.00 क्रमशः माह जनवरी, फरवरी व मार्च 2014 का मानदेय दिया गया है। पुनः बाउचर संख्या निल, दिनांक–29.04.2015 द्वारा रू0 10,000.00 जनवरी 2014 से अप्रैल 2014 तक का मानदेय का भुगतान किया गया है। स्पष्ट है कि जनवरी, फरवरी व मार्च 2014 के मानदेय का दो बार भुगतान किया गया है।

अतः रू0 7500.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जुगनू तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि कुमार मिश्र से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–22**

ग्राम पंचायत–गनेशपुर ग्रन्ट **विकास खण्ड–वजीरगंज**

प्रस्तर 19–आलोच्य वर्ष 2016–17 में बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल रू0 1210655.00 आहरित है जिसके सापेक्ष रू0 1201569.00 का व्यय कोष बही में दर्शित अन्तर रू0 9086.00 कोषबही में नकद अवशेष भी दर्शित नहीं है। अन्तर का कारण दिनांक–28.11.2016 को रू0 4086.00 तथा दिनांक–16.03.2017 को रू0 5000.00 बैंक से आहरित है जिसका कोषबही में अंकन कर व्यय नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार रू0 9086.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित मिश्र से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–21**

ग्राम पंचायत–डुमरिया डीह **विकास खण्ड–वजीरगंज**

प्रस्तर 20–ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक–03.09.2011 को चेक संख्या–सीएच 000854 द्वारा रू0 20,000.00 आहरित है। ग्राम पंचायत की वर्ष 2011–12 की कोषबही में उपर्युक्त धनराशि अंकित न करके व्यय नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार रू0 20,000.00 का अपहरण किया गया है।

अतः उक्त धनराशि समान रूप से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बड़का एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित मिश्रा से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–21**

ग्राम पंचायत–दुर्जनपुर **विकास खण्ड–नवाबगंज**

प्रस्तर 21–वित्तीय वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत की कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 327550.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेशन/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8(क) एवं 8(ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 327550.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दुर्गा प्रसाद सिंह द्वारा कर दिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–13**

प्रस्तर 22–वित्तीय वर्ष 2012–13 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत की कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय का 83085.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेशन/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8(क) एवं 8(ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 83085.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रविशंकर सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–14**

प्रस्तर 23—वित्तीय वर्ष 2012—13 में ग्राम पंचायत में रू0 310500.00 शौचालय निर्माण हेतु दर्शित है। किन्तु व्यय की पुष्टि में शौचालय वितरण पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसमें यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि उक्त धनराशि कितने/किनको किया गया है। लाभार्थियों से धन प्राप्ति की पुष्टि में प्राप्ति रसीद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा है। जिसमें वितरित प्रोत्साहन राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—8(क) एवं 8(ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।
अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 310500.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बाबूराम पाण्डेय द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—15**

प्रस्तर 24—वित्तीय वर्ष 2013—14की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही प्रथम में दर्शित व्यय रू0 193000.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—8(क) एवं 8(ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।
अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 193000.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दुर्गा प्रसाद सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—16**

प्रस्तर 25—वित्तीय वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही—I में दर्शित व्यय रू0 290742.00 श्रमांश पर भुगतान हेतु मस्टर रोल पर निम्नलिखित कमियां पायी गयी हैं—
1—उक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र, माप पुस्तिका, परिसम्पत्तियां पंजिका आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी दर्शित व्यय निर्माण कार्यों पर किया गया। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मस्टर रोल पर किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं इससे पुष्टि नहीं होती कि मस्टर रोल पर दर्शित व्यय का भुगतान सम्बन्धित श्रमिक को किया गया है।
2—समस्त भुगतान की गयी धनराशि सेल्फ/विपरर चेकों द्वारा आहरण कर ग्राम प्रधान द्वारा नकद भुगतान किया गया है।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 290742.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्री शेषमणि पटेल द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—17**

प्रस्तर 26—वित्तीय वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही—प्रथम में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय रू0 15000.00 पर निम्न आपत्तियां हैं :—
1—लेखा परीक्षा में मांग एवं स्वीकृति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह पुष्टि नहीं हो सकी कि हैण्डपम्प किस स्थान पर खराब थी।
2—लेखा परीक्षा में ए0डी0ओ0 पंचायत द्वारा सत्यापन सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3—सामग्री एवं श्रमांश पर व्यय अलग—अलग नहीं दर्शित है।
4—लेखा परीक्षा में कन्डम पार्ट (कबाड़) का स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 15000.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्री शेषमणि पटेल द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—18**

प्रस्तर 27—वित्तीय वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत की कोषबही—प्रथम में दर्शित व्यय रू0192919.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेश्न/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—8(क) एवं 8(ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।
अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 192919.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश कुमार शास्त्री द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—19**

ग्राम पंचायत—कटरा भोगचन्द **विकास खण्ड—नवाबगंज**

प्रस्तर 28—वित्तीय वर्ष 2015—16 से 2016—17 तक की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत की कोषबही—प्रथम में दर्शित व्यय रू0 5,22,875.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेश्न/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 5,22,875.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या—11

ग्राम पंचायत–दौलतपुर **विकास खण्ड–नवाबगंज**

प्रस्तर 29–वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत की कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 106033.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र ही प्रस्तुत किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8(क) एवं 8(ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 106033.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रूद्रदेव सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या–11

ग्राम पंचायत–कल्यानपुर **विकास खण्ड–नवाबगंज**

प्रस्तर 30–ग्राम पंचायत कल्यानपुर की वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत की कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 888054.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेश्न/ टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 888054.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जियालाल द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–11**

प्रस्तर 31–वित्तीय वर्ष 2012–13 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत की कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0815464.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र, तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति, माप पुस्तिका, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8(क) एवं 8(ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 815464.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–12**

प्रस्तर 32–वित्तीय वर्ष 2013–14 की लेखा परीक्षा में दिनांक–01.04.2013 से 31.09.2013 तक खाता संख्या–4158000100060607 पी0एन0बी0 शाखा नवाबगंज से विभिन्न तिथियों में आहरित धनराशि मु0 874209.00 की पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोषबही प्रस्तुत नहीं की गयी। न ही कोई व्यय प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया।

उक्त आहरित धनराशि रू0 874209.00 न तो कैशबुक में दर्शित है और न ही व्यय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया। वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती जाहिदा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक–01.04.2013 से 31.09.2013 तक की कोषबही चार्ज प्राप्त नहीं हुई।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 874209.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–13**

प्रस्तर 33–वित्तीय वर्ष 2013–14 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत की कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0923640.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र, तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति, माप पुस्तिका, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8(क) एवं 8(ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 923640.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–14**

प्रस्तर 34–वित्तीय वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत की कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 1470407.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र, तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर, माप पुस्तिका, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8(क) एवं 8(ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 1470407.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–15**

प्रस्तर 35–वित्तीय वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत की कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 704042.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, माप पुस्तिका, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 704042.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–16**

ग्राम पंचायत–लिदेहना ग्रन्ट **विकास खण्ड–नवाबगंज**

प्रस्तर 36–वित्तीय वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत की कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 329000.00 ग्राम पंचायत में सोलर लाइट स्थापना पर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 329000.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजनी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हृदय नारायण सिंह से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–15**

प्रस्तर 37–वित्तीय वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत की कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 77203.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 77203.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हृदय नारायण सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सो में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–16**

प्रस्तर 38–वित्तीय वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत की कोषबही–प्रथम खाता संख्या–50053992579 इलाहाबाद बैंक शाखा बैजलपुर से माह जनवरी–2017 में विभिन्न तिथियों में कुल आहरित धनराशि का 119640 बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित है। इसके सापेक्ष माह जनवरी–2017 में कुल व्यय धनराशि रू0 108641.00 है।

अतः रू0 10999.00 का रोकड़ शेष माह के अन्त में देना चाहिए, किन्तु मासान्त अवशेष कोषबही में शून्य दर्शित है। इस प्रकार रू0 10999.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हृदय नारायण सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सो में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–17**

ग्राम पंचायत–महादेवा **विकास खण्ड–नवाबगंज**

प्रस्तर 39–वित्तीय वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में माह अक्टूबर 2014 में कुल आहरण रू0 228437.00 के सापेक्ष कोषबही में रू0 183237.00 का विवरण अंकित है। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.	दिनांक	आहरण		क्र.	व्यय का विवरण			
		चेक नम्बर	आहरित धनराशि		वा0स0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	04.10.14	0511347	32753.00	1	08	04.10.14	32753.00	म0रो0 से हैण्डपम्प मरम्मत एवं सामग्री क्रय
2	07.10.14	0511348	78624.00	2	09	07.10.14	38624.00	म0रो0 खड़न्जा मरम्मत
3	10.10.14	0511349	31980.00	3	10	16.10.14	31980.00	म0रो0 उपरोक्त
4	16.10.14	0511350	47580.00	4	11	27.10.14	43580.00	म0रो0 खड़न्जा निर्माण
5	28.10.14	0511351	37500.00	5	12	28.10.14	36300.00	ईंट क्रय उपरोक्त 6050 6.00
		योग	**228437.00**			**योग**	**183237.00**	

उपुर्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि खाता संख्या–50053445662 इलाहाबाद बैंक शाखा–नवाबगंज से माह अक्टूबर 2014 में कुल आहरण रू0 228437.00 किया गया, जबकि माह में कोषबही में अंकित व्यय 183237.00 है। इस प्रकार रू0 45200.00 ग्राम प्रधान के पास नगद रोकड़ शेष होना चाहिए था, किन्तु दिनांक– 31.10.2014 को कोषबही में प्रारम्भिक नगद शून्य दर्शित है।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दुर्गा प्रसाद सिंह द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–15**

प्रस्तर 40–वित्तीय वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 626817.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ऊमा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दुर्गा प्रसाद सिंह से ब्याज सहित बराबर हिस्सो में वसूली किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–16**

प्रस्तर 41–वित्तीय वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 351828.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त धनराशि रू0 351828.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ऊमा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दुर्गा प्रसाद सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–17**

ग्राम पंचायत–गौरिया **विकास खण्ड–नवाबगंज**

प्रस्तर 42–वित्तीय वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 717494.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेशन/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 717494.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अकमिन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गिरजा प्रसाद मिश्र द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–15**

ग्राम पंचायत–सिरसा **विकास खण्ड–नवाबगंज**

प्रस्तर 43–वित्तीय वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत–सिरसा की कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 446500.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेशन/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 446500.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शाहजहां एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती शशिकला द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–14**

प्रस्तर 44–वित्तीय वर्ष 2016–17की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 1538656.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेशन/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 1538656.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला एवं ग्राम पंचायत सचिव बाबूराम पाण्डेय द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–15**

ग्राम पंचायत–खरगूपुर **विकास खण्ड–नवाबगंज**

प्रस्तर 45–वित्तीय वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 414927.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेशन/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 414927.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विजय प्रताप एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–13**

प्रस्तर 46–वित्तीय वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 1004262.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेशन/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 1004262.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विजय प्रताप एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–13**

ग्राम पंचायत–इन्दरपुर **विकास खण्ड–नवाबगंज**

प्रस्तर 47–वित्तीय वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 1361922.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेश्न/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 1361922.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओंकारनाथ एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री ह्रदय नारायण सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–13**

ग्राम पंचायत–लोहराडांड़ **विकास खण्ड–नवाबगंज**

प्रस्तर 48–वित्तीय वर्ष 2012–13 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 93,970.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणकप्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 93,970.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रमपता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री ह्रदय नारायण सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–11**

प्रस्तर 49–वित्तीय वर्ष 2013–14 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 3,43,386.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेश्न/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 3,43,386.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रमपताएवं ग्राम पंचायत सचिव श्री ह्रदय नारायण सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–12**

प्रस्तर 50–वित्तीय वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 6,05,795.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 6,05,795.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रमपता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री ह्रदय नारायण सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–13**

प्रस्तर 51–वित्तीय वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 2,39,509.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 2,39,509.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रमपता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–14**

ग्राम पंचायत–हरिवंशपुर **विकास खण्ड–नवाबगंज**

प्रस्तर 52–वित्तीय वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 1,06,853.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 1,06,853.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमलता सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीराम मिश्र द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–15**

प्रस्तर 53–वित्तीय वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 6,56,948.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेशन/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 6,56,948.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हरिशंकर सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–12**

ग्राम पंचायत–चक शिवरहा **विकास खण्ड–नवाबगंज**

प्रस्तर 54–वित्तीय वर्ष 2015–16की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 5,77,137.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेशन/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 5,77,137.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नदीम अहमद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दुर्गा प्रसाद द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–15**

ग्राम पंचायत–तुलसीपुर माझा **विकास खण्ड–नवाबगंज**

प्रस्तर 55–वित्तीय वर्ष 2010–11 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 3,55,151.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8(क) एवं 8(ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 3,55,151.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–15**

प्रस्तर 56– वित्तीय वर्ष 2010–11 की लेखा परीक्षा में स्पष्ट हुआ कि ग्रामनिधि–प्रथम में माह फरवरी 2011 में बैंक से आहरण कर कम व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है–

आहरण माह फरवरी–2011 में	–	53,000.00
व्यय 2011 में	–	43,080.00
अवशेष नगद	–	9920.00

अतः माह फरवरी में बैंक आहरण के सापेक्ष रू0 9920.00 लाभ कम दर्शित है, जो कि प्रधान के पास नगद रोकड़ शेष होना चाहिए था, किन्तु कोषबही में नगद रोकड़ शेष शून्य है एवं इसके व्यय की पुष्टि में भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 9920.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–16**

प्रस्तर 57–वित्तीय वर्ष 2010–11 की लेखा परीक्षा में स्पष्ट हुआ कि ग्रामनिधि–प्रथम में माह मार्च 2011 में बैंक से आहरण कर कम व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है–

माह मार्च 20111 में कुल आहरण	–	4,38,219.00
व्यय 2011 में	–	4,26,379.00
अवशेष नगद	–	11,840.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि बैंक से आहरण के सापेक्ष लाभ व्यय रू0 11,840.00 किया गया है, जो कोषबही में अशान्त अवशेष नगद रोकड़ प्रधान के पास दर्शित होना चाहिए था, किन्तु अवशेष शून्य है।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 11,840.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लालजी सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–17**

प्रस्तर 58–वित्तीय वर्ष 2010–11 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही–प्रथम में दर्शित व्यय रू0 6,78,259.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेशन/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि मु0 6,78,259.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लालजी सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–18**

प्रस्तर 59–वित्तीय वर्ष 2010–11 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में वितरित की गयी धनराशि रू0 3,94,430/– की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही छात्रवृत्ति वितरण पंजिका प्रस्तुत की गयी। इससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि छात्रवृत्ति का वितरण कितने बच्चों एवं किस वर्ग के बच्चों को किया गया।

अतः उक्त धनराशि मु0 3,94,430.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लालजी सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–19**

ग्राम पंचायत–सरैंया माफी **विकास खण्ड–झंझरी**

प्रस्तर सं0 60– ग्राम पंचायत–सरैंयामाफी की वर्ष 2010–11 की लेखा परीक्षा में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 1,95,000.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेश्न/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–9**

प्रस्तर सं0 61– ग्राम पंचायत–सरैंयामाफी की वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 3,121,940.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेशन/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8(क) एवं 8(ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 3,21,940.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली उक्त से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में वैधानिक कार्यवाही सहित अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–10**

प्रस्तर सं0 62– ग्राम पंचायत–सरैंयामाफी की वर्ष 2012–13 की लेखा परीक्षा में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 1,97,640.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेशन/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी।

अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 1,97,640.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्रा0पं0अ0 /ग्रा0वि0अ0 द्वारा कोषबही में व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली उक्त से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–11**

प्रस्तर सं0 63– ग्राम पंचायत–सरैंयामाफी की वर्ष 2013–14 की लेखा परीक्षा में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 2,35,000.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेश्न/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8(क) एवं 8(ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी, जो तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा बिना व्यय प्रमाणक व्यय दर्शाकर धनराशि रू0 2,35,000.00 का अपहरण कर लिया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–12**

प्रस्तर सं0 64– ग्राम पंचायत–सरैंयामाफी की वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 17,76,800.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, निविदा कोटेश्न/टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8(क) एवं 8(ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी, जो तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा बिना व्यय प्रमाणक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में उक्त से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–13**

ग्राम पंचायत–छाछपारा कानूनगो **विकास खण्ड–झंझरी**

प्रस्तर सं0 65– ग्राम पंचायत की वर्ष 2013–14 की ग्रामनिधि का खाता संख्या–579802010002436 यूनियन बैंक आफ इण्डिया गोण्डा के स्टेटमेंट के अनुसार रू0 7,17,372.00 का अपहरण किया गया। धन का अरहण 03 व्यक्तियों एवं अन्य द्वारा स्वयं किया गया है एवं आहरित धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक व कैश बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड–8 (क) एवं 8 (ख) को अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी समस्त धनराशि अपहरण होगी। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 7,17,372.00 व्यय प्रमाणक एवं कैशबुक के अभाव में अपहरण है। उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–9**

प्रस्तर सं0 66– वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान पर रू0 2,44,320.00 आहरित कर व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप मुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड रजिस्टर, कोटेशन टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा।

अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 2,44,320.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया, जिसकी वसूली उक्त से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–10**

ग्राम पंचायत–इमरती विसेन **विकास खण्ड–झंझरी**

प्रस्तर सं0 67– ग्राम पंचायत इमरती की वर्ष 2011–12 से 2014–15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की ग्रामनिधि प्रथम की खाता संख्या–579802010002450 यूनियन बैंक आफ इण्डिया, गोण्डा से विभिन्न वर्षों में आहरण इस प्रकार है।

2011–12	4,16,930.00
2012–13	4,24,000.00
2013–14	8,85,255.00
2014–15	9,64,420.00
	योग–26,90,605.00

उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय सम्बन्धी विवरण, सम्बन्धित अभिलेख, कार्य योजना स्टीमेट, एम0वी0 पंजिका, मस्टर रोल, कोटेशन/टेण्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा। अतः उक्त धनराशि रू0 26,90,605.00 का तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव उक्त खाता संख्या–579802010002450 से आहरित कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली उक्त से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–9**

ग्राम पंचायत :– छावनी सरकार , **विकास खण्ड :–झंझरी**

प्रस्तर 68–लेखा परीक्षा के समय वर्ष 2011–12 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रस्तुत स्टेटमेन्ट के अनुसार आलोच्य वर्ष में रू0 3,13,195.00 बैंक से आहरित किया गया है, किन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषबही, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है, जिसकी वसूली श्रीमती कंचन मौर्या ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सो में की जानी अपेक्षित है।**आपत्ति संख्या–9**

ग्राम पंचायत :–केशवपुर पहड़वा, **विकास खण्ड :–झंझरी**

प्रस्तर 69– ग्राम पंचायत–केशवपुर पहड़वा की वर्ष 2013–14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ईंट क्रय पर रू0 7,90,100.00 कोषबही में दर्शित है। व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है। अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त धनराशि रू0 7,90,100.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 द्वारा में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–9**

प्रस्तर 70–ग्राम पंचायत–केशवपुर पहड़वा की वर्ष 2013–14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ह्यूम पाइप क्रय हेतु रू0 6,10,824.00 कोषबही में दर्शित है। जिसके सापेक्ष कार्य योजना, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, आदि अप्राप्त रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि रू0 6,10,824.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 द्वारा में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–10**

प्रस्तर 71–ग्राम पंचायत–केशवपुर पहड़वा की वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ईंट क्रय हेतु रू0 13,97,596.00 व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष 20,000 से 1,00,000 तक अधिक भुगतान किया गया है। जिसका कोटेान/टेण्डर आवश्यक है, जो कि नहीं लिया गया है। क्र0सं0–14 एवं 16 में वास्तविक भुगतान से रू0 3600 एवं 6539 का भुगतान अधिक किया गया है, जो कि आपत्तिजनक है।

उक्त व्यय धनराशि रू0 13,97,596.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 13,97,596.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–11**

प्रस्तर 72–ग्राम पंचायत–केशवपुर पहड़वा की वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सामग्री क्रय पर रू0 3,82,698.00 व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष में चेक इश्यू रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 3,82,698.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–12**

ग्राम पंचायत :– पिपरी माझा **विकास खण्ड :– कटरा बाजार**

प्रस्तर 73– ग्राम पंचायत–पिपरी माझा की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रू0 3,10,690.00 का भुगतान ईंट क्रय हेतु किया गया, जिसकी पुष्टि बाउचर संख्या, मात्रा, दर, सम्बन्धित कार्ययोजना, वित्तीय स्वीकृति एम0बी0 पुस्तिका, व्यय प्रमाणक निविदा/कोटेशन, कार्यपूर्ति स्टाक रजिस्टर, प्रमाण–पत्र अप्राप्त रहा, जो कि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार रू0 3,10,690.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जरीना एवं ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 श्री विन्ध्यवासिनी भारती से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–18**

प्रस्तर 74–ग्राम पंचायत–पिपरी माझा की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सामग्री क्रय हेतु रू0 1,09,317.00 का भुगतान किया गया है, जिसकी पुष्टि में सामग्री के नाम, मात्रा, दर, आपूर्ति सम्बन्धी विवरण, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक आदि अप्राप्त रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान अपहरण है। अतः रू0 1,09,317.00 का ग्राम प्रधान श्रीमती जरीना एवं ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 श्री विन्ध्यवासिनी भारती द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या–19

प्रस्तर 75–ग्राम पंचायत–पिपरी माझा की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में नाली निर्माण एवं सी0सी0 रोड निर्माण व मरम्मत पर मस्टर रोल के आधार पर रू0 49,746.00 व्यय किया गया, जिसकी पुष्टि में सम्बन्धित कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति प्राक्कलन, एम0बी0, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा। अतः उक्त धराशि रू0 49,746.00 का वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार अपहरण है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जरीना एवं ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 श्री विन्ध्यवासिनी भारती ब्याज सहित बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–20**

प्रस्तर 76–ग्राम पंचायत–पिपरी माझा की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सामग्री (सीमेन्ट,) क्रय हेतु रू0 1,93,190.00 जो दिनांक–17.10.2016 एवं 24.11.2016 को चेक संख्या क्रमशः 018204 एवं 018209 द्वारा आहरित किया गया है, जिसकी पुष्टि में कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, एम0बी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, सामग्री में केवल सीमेन्ट का ही विवरण है। जबकि निर्माण हेतु बालू, मोरंग, गिट्टी आदि की भी आवश्यकता होती है, जो उक्त विवरण में दर्शित नहीं है। जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि कोई निर्माण कराया ही नहीं गया, निर्माण पर व्यय की पुष्टि में निर्गत चेक की छायाप्रति एवं चेक ईश्यू रजिस्टर अप्रस्तुत रहा। जिससे उक्त व्यय धनराशि रू0 1,93,190.00 सीमेन्ट विक्रेता को ही दी गयी, की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त धनराशि रू0 1,93,190.00 का कूटरचित तरीके से अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती जरीना एवं ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 श्री विन्ध्यवासिनी भारती द्वारा कर लिया गया, जिसकी वसूली उक्त से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–21**

प्रस्तर 77–ग्राम पंचायत–पिपरी माझा की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 18,947.00 पर व्यय दर्शित है। हैण्डपम्प मरम्मत पर मजदूरी दिनांक–08.02.2017 चेक संख्या–018215 द्वारा रू0 4000.00 भुगतान एवं सामग्री पर दिनांक–22.08.2017 चेक संख्या–018214 द्वारा रू0 14,947.00 का भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि में मांग पत्र, व्यय प्रमाणक, स्टाक पंजिका, एवं ए0डी0ओ0 (पी) द्वारा निर्गत सत्यापन सूची अप्राप्त रहा। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मरम्मत हेतु मजदूरी का भुगतान 08.02.2017 को किया गया, जबकि सामान क्रय 22.02.2017 को किया, अतः मरम्मत का सामान आने के 14 दिन पूर्व ही मजदूरी का भुगतान हो गया, जबकि पहले सामान, बाद में मरम्मत होती है। अतः मजदूरी का भुगतान अग्रिम ही कर दिया गया।

अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 18,947.00 का कूटरचित तरीके से कैशबुक में दर्शाकर अपहरण कर लिया गया, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जरीना एवं ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 श्री विन्ध्यवासिनी भारती से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–22**

ग्राम पंचायत :–छपरतल्ला **विकास खण्ड :– कटरा बाजार**

प्रस्तर 78–ग्राम पंचायत–छपरतल्ला की वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में कराये गये कार्य के सापेक्ष भुगतान रू0 6,77,826.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः धनराशि रू0 6,77,826.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–09**

प्रस्तर 79—ग्राम पंचायत—छपरतल्ला की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में कराये गये कार्य के सापेक्ष भुगतान रू0 2,69,722.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः धनराशि रू0 2,69,722.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—10**

ग्राम पंचायत :— तिलका **विकास खण्ड :— कटरा बाजार**

प्रस्तर 80—ग्राम पंचायत—तिलका की वर्ष 2010—11 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में कराये गये कार्य के सापेक्ष भुगतान रू0 6,82,630.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः धनराशि रू0 6,82,630.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—09**

प्रस्तर 81—ग्राम पंचायत—तिलका की वर्ष 2011—12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में कराये गये कार्य के सापेक्ष भुगतान रू0 6,89,985.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः धनराशि रू0 6,89,985.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—10**

प्रस्तर 82—ग्राम पंचायत—तिलका की वर्ष 2012—13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में कराये गये कार्य के सापेक्ष भुगतान रू0 6,61,333.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः धनराशि रू0 6,61,333.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—11**

प्रस्तर 83—ग्राम पंचायत—तिलका की वर्ष 2013—14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में कराये गये कार्य के सापेक्ष भुगतान रू0 9,41,069.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः धनराशि रू0 9,41,069.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—12**

प्रस्तर 84—ग्राम पंचायत—तिलका की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में कराये गये कार्य के सापेक्ष भुगतान रू0 15,47,226.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः धनराशि रू0 15,47,226.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—13**

ग्राम पंचायत :–सेहरिया कला **विकास खण्ड :– कटरा बाजार**

प्रस्तर 85–ग्राम पंचायत–सेहरिया कला की वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि भुगतान रू0 18,54,626.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः धनराशि रू0 18,54,626.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–09**

प्रस्तर 86–ग्राम पंचायत–सेहरिया कला की वर्ष 2015–16की लेखा परीक्षा में पाया गया कि भुगतान रू0 3,95,000.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः धनराशि रू0 3,95,000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–10**

प्रस्तर 87–ग्राम पंचायत–सेहरिया कला की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि भुगतान रू0 16,77,534.00 के सापेक्ष कराए गये कार्य का विवरण ग्राम पंचायत कोषबही में दर्शित है। व्यय धनराशि 16,77,534.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः धनराशि रू0 16,77,534.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–11**

ग्राम पंचायत :–नदावां **विकास खण्ड :– कटरा बाजार**

प्रस्तर 88–ग्राम पंचायत–नदावां की वर्ष 2010–11 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि भुगतान रू0 1,83,400.00 के सापेक्ष कराये गये कार्यों पर व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः धनराशि रू0 1,83,400.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–09**

प्रस्तर 89–ग्राम पंचायत–नदावां की वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक–22.03.2012 को वाउचर संख्या–01 द्वारा हैण्डपम्प एवं मशीनरी क्रय पर व्यय रू0 30,000.00 किया जाना ग्राम पंचायत की कोषबही में दर्शित है। जिस पर लगाये गये सामान एवं मजदूरी अलग–अलग नहीं दर्शित है और न ही सम्बन्धित कार्य योजना, व्यय प्रमाणक, मांग पत्र, मस्टर रोल, स्टाक पंजिका, आदि अप्राप्त रहा, लगे सामान का विवरण नहीं दिया गया।

उक्त धनराशि रू0 30,000.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः धनराशि रू0 30,000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–10**

प्रस्तर 90–ग्राम पंचायत–नदावां की वर्ष 2012–13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में कराये गये कार्य के सापेक्ष भुगतान रू0 7,92,260.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः धनराशि रू0 7,92,260.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–11**

प्रस्तर 91–ग्राम पंचायत–नदावां की वर्ष 2013–14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि भुगतान रू0 11,52,604.00 के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कराये गये कार्य से सम्बन्धित भुगतान की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति

प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः धनराशि रू0 11,52,604.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से वैधानिक कार्यवाही सहित अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–12**

प्रस्तर 92–ग्राम पंचायत–नदावां की वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि भुगतान रू0 5,85,706.00 के सापेक्ष ग्राम पंचायत में कराये गये कार्य से सम्बन्धित भुगतान की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः धनराशि रू0 5,85,706.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–13**

ग्राम पंचायत :– बरूई गोंदहा **विकास खण्ड :– कटरा बाजार**

प्रस्तर 93–ग्राम पंचायत–बरूई गोंदहा की वर्ष 2012–13 में कराये गये कार्य के सापेक्ष व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रू0 5,04,300.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अ0/ ग्रा0वि0अ0 द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–09**

प्रस्तर 94–ग्राम पंचायत–बरूई गोंदहा की वर्ष 2013–14 में कराये गये कार्य के सापेक्ष व्यय धनराशि रू0 11,96,953.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रू0 11,96,953.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–10**

प्रस्तर 95–ग्राम पंचायत–बरूई गोंदहा की वर्ष 2014–15 में कराये गये कार्य के सापेक्ष व्यय धनराशि रू0 8,16,494.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रू0 8,16,494.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–11**

ग्राम पंचायत :–सिसई जोगा **विकास खण्ड :– कटरा बाजार**

प्रस्तर 96–ग्राम पंचायत–सिसई जोगा में वर्ष 2014–15 में कराये गये कार्य के सापेक्ष व्यय धनराशि रू0 17,17,650.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रू0 17,17,650.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–09**

प्रस्तर 97–ग्राम पंचायत–सिसई जोगा में वर्ष 2015–16 में कराये गये कार्य के सापेक्ष व्यय धनराशि रू0 6,79,538.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रू0 6,79,538.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–10**

प्रस्तर 98–ग्राम पंचायत–सिसई जोगा में वर्ष 2016–17 में कराये गये कार्य के सापेक्ष व्यय धनराशि रू0 6,53,103.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रू0 6,53,103.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–11**

ग्राम पंचायत :— गौरवा कला **विकास खण्ड :— कटरा बाजार**

प्रस्तर 99—ग्राम पंचायत—सिसई जोगा में वर्ष 2010—11 में कराये गये कार्य के सापेक्ष व्यय धनराशि रू0 2,68,147.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः उक्त धनराशि रू0 2,68,147.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—09**

प्रस्तर 100—ग्राम पंचायत—गौरवा कला में वर्ष 2011—12 में कराये गये कार्य के सापेक्ष व्यय धनराशि रू0 3,09,200.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः उक्त धनराशि रू0 3,09,200.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—10**

प्रस्तर 101—ग्राम पंचायत—गौरवा कला में वर्ष 2012—13 में कराये गये कार्य के सापेक्ष व्यय धनराशि रू0 4,78,500.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः उक्त धनराशि रू0 4,78,500.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—11**

प्रस्तर 102—ग्राम पंचायत—गौरवा कला में वर्ष 2013—14 में कराये गये कार्य के सापेक्ष व्यय धनराशि रू0 7,63,000.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः उक्त धनराशि रू0 7,63,000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—12**

प्रस्तर 103—ग्राम पंचायत—गौरवा कला में वर्ष 2014—15 में कराये गये कार्य के सापेक्ष व्यय धनराशि रू0 5,49,553.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। अतः उक्त धनराशि रू0 5,49,553.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सो में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—13**

ग्राम पंचायत—खेमपुर **विकास खण्ड—कटरा बाजार**

प्रस्तर 104—ग्राम पंचायत—खेमपुर की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 11,70,316.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र आदि अप्राप्त रहा। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 11,70,316.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—09

ग्राम पंचायत—मथुरा **विकास खण्ड—कटरा बाजार**

प्रस्तर 105—ग्राम पंचायत—मथुरा की वर्ष 2016—17 के ग्रामनिधि प्रथम के खाता संख्या—21868414011 इलाहाबाद बैंक कटुआनाला गोण्डा से रू0 4,94,560.00 के आहरण का व्यय किया गया, जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र आदि अप्राप्त रहा। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 4,94,560.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—09**

ग्राम पंचायत–चरेरा **विकास खण्ड–कटरा बाजार**

प्रस्तर 106–ग्राम पंचायत–चरेरा की वर्ष 2010–11 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 1,36,450.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, प्राक्कलन, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 1,36,450.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।**आपत्ति संख्या–09**

प्रस्तर 107–ग्राम पंचायत–चरेरा की वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 1,42,940.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, प्राक्कलन, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 1,42,940.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या–10

प्रस्तर 108–ग्राम पंचायत–चरेरा की वर्ष 2012–13 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 52,157.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, प्राक्कलन, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 52,157.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या–11

प्रस्तर 109–ग्राम पंचायत–चरेरा की वर्ष 2013–14 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 1,02,853.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, प्राक्कलन, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 1,02,853.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–12**

प्रस्तर 110–ग्राम पंचायत–चरेरा की वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 4,38,900.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, प्राक्कलन, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 4,38,900.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–13**

प्रस्तर 111–ग्राम पंचायत–चरेरा की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 2,38,542.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, प्राक्कलन, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 2,38,542.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–14**

प्रस्तर 112–ग्राम पंचायत–चरेरा की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 3,19,627.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, प्राक्कलन, स्टाक रजिस्टर, डेड

स्टॉक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 3,19,627.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या–15

ग्राम पंचायत–कोटिया मदारा **विकास खण्ड–कटरा बाजार**

प्रस्तर 113–ग्राम पंचायत–कोटिया मदारा की वर्ष 2010–11 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 5,85,980.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, प्राक्कलन, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 5,85,980.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–09**

प्रस्तर 114–ग्राम पंचायत–कोटिया मदारा की वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 5,10,250.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, प्राक्कलन, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 5,10,250.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।**आपत्ति संख्या–10**

प्रस्तर 115–ग्राम पंचायत–कोटिया मदारा की वर्ष 2012–13 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 5,01,650.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, प्राक्कलन, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 5,01,650.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।**आपत्ति संख्या–11**

प्रस्तर 116–ग्राम पंचायत–कोटिया मदारा की वर्ष 2013–14 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 11,08,700.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, प्राक्कलन, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 11,08,700.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से वैधानिक कार्यवाही सहित अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या–12

प्रस्तर 117–ग्राम पंचायत–कोटिया मदारा की वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 8,13,500.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, प्राक्कलन, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 8,13,500.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।**आपत्ति संख्या–13**

प्रस्तर 118–ग्राम पंचायत–कोटिया मदारा की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 4,93,355.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, प्राक्कलन, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त

रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 4,93,355.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।**आपत्ति संख्या–14**

प्रस्तर 119–ग्राम पंचायत–कोटिया मदारा की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 1,91,668.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, प्राक्कलन, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 1,91,668.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–15**

प्रस्तर 120–ग्राम पंचायत–कोटिया मदारा की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान रू0 16,04,327.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, माप पुस्तिका, प्राक्कलन, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कोटेशन/टेण्डर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अप्राप्त रहा, जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि 16,04,327.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या–16

ग्राम पंचायत–भवानीपुर खुर्द **विकास खण्ड–रूपईडीह**

प्रस्तर 121–ग्राम पंचायत–भवानीपुर खुर्द की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में कोषबही में दर्शित व्यय रू0 1,77,571.00 ह्यूम पाइप स्थापना पर है। जिसकी पुष्टि व्यय प्रमाणक, स्थापना सम्बन्धी स्थान, स्थापना पर व्यय श्रमांश का भुगतान, ए0डी0ओ0 (पं0) द्वारा सत्यापित सूची एवं कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त धनराशि रू0 1,77,571.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी एवं ग्रा0पं0 सचिव श्री राघवेन्द्र प्रताप मिश्र से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–09**

ग्राम पंचायत–फत्तेगढ़ **विकास खण्ड–रूपईडीह**

प्रस्तर 122–ग्राम पंचायत–फत्तेगढ़ की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में कोषबही में दर्शित व्यय रू0 2,15,234.00 का ग्राम पंचायत में सोलर लाइट स्थापना पर व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है :–

उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्थापना सम्बन्धी स्थान की फोटो, सत्यापित सूची पंजिका, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र एवं क्रय की गयी सोलर लाइट की संख्या आदि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अस्तु उक्त धनराशि रू0 2,15,234.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री आबर हुसैन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश कुमार द्वारा कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–09**

ग्राम पंचायत–पकड़ी मारूडीह **विकास खण्ड–रूपईडीह**

प्रस्तर 123–ग्राम पंचायत–पकड़ी मारूडीह की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रू0 86,495.00 ह्यूम पाइप स्थापना पर है, किन्तु पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 86,495.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शशिलेन्द्र सिंह द्वारा कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–09**

ग्राम पंचायत–नरायनपुर माफी **विकास खण्ड–रूपईडीह**

प्रस्तर 124–ग्राम पंचायत–नरायनपुर माफी की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रू0 15,900.00 हैण्ड पाइप स्थापना पर दर्शित है, किन्तु पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 15,900.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री दिलीप कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शशिलेन्द्र सिंह द्वारा कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–09**

ग्राम पंचायत–भवानीपुर उपाध्याय **विकास खण्ड–रूपईडीह**

प्रस्तर 125–ग्राम पंचायत–भवानीपुर उपाध्याय में वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर रू0 2,15,006.00 सोलर लाइट स्थापना पर व्यय दर्शित है, किन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 2,15,006.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री आवर हुसैन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश कुमार द्वारा कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–09**

ग्राम पंचायत–नारायणपुर **विकास खण्ड–छपिया**

प्रस्तर 126–वित्तीय वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में चेक नम्बर–022968 दिनांक–24.05.2016 द्वारा रू0 6000.00 का आहरण प्रधान द्वारा किया गया। किन्तु उक्त धन को कोषबही के आय पक्ष में नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार कोषबही में दर्शित न कर रू0 6000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अभय कुमार श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिवाकर पाठक से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या–31

प्रस्तर 127–वित्तीय वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में प्रमाणक संख्या–1 दिनांक–05.05.2016 को 7000/– ईंट क्रय 6–3 प्रति हजार की दर से रू0 44100.00 प्रधान एवं सचिव द्वारा दर्शाया गया है। उक्त ईंट का प्रयोग कहां पर किया गया कोषबही में दर्शित नहीं है। पत्रावली में भी व्यय की पुष्टि नहीं होती है तथा स्टाक बुक में भी ईंट अवशेष दर्शित नहीं है। इस प्रकार 7000 ईंट मूल्य 44,100.00 की व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

अतः रू0 44,100.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अभय कुमार श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिवाकर पाठक से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–32**

ग्राम पंचायत–सोहिला **विकास खण्ड–छपिया**

प्रस्तर 128–वित्तीय वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में अपहरण/अनियमितता के निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैं।

1– चेक नं0–037311 दिनांक–20.12.2016–रू0–4200.00
चेक नं0–037318 दिनांक–24.01.2019–रू0–5000.00
योग–9200.00

खाते से आहरित धनराशि के कोषबही में दर्शित न कर ग्राम प्रधान श्री शेषराम तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामफल वर्मा द्वारा अपहरण कर लिया गया है।

अतः 9200.00 रू0 की वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–30**

प्रस्तर 129–वित्तीय वर्ष 2016–17 में पंचायत भवन निर्माण में वित्तीय अनियमितता के तथ्य प्रकाश में आये हैं। विवरण निम्न प्रकार है :–

1–प्रमाणक संख्या–1 दिनांक–04.04.2016–88 मजदूर 161/दर से 14168/– रू0 के स्थान पर 15000.00 रू0 दर्शाया गया, जो 832 रू0 अधिक रहा।

2–प्रमाणक संख्या–2 दिनांक–04.04.2016–80 मजदूर 161 की दर से 12880/– रू0 के स्थान 14960/– रूपये दर्शित है, जो 2080/– रूपया अधिक रहा।

3–प्रमाणक संख्या–3 दिनांक–05.04.2016–96 मजदूर 161 की दर से 15456/– रू0 के स्थान पर 17952/– रू0 दर्शाया गया है जो 2496/– रू0 अधिक रहा।

अतः उपर्युक्त अनुसार 832/–2080/–2496/– कुल योग.5408.00 रू0 का व्यय अधिक दर्शित कर ग्राम प्रधान श्री शेषराम एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामपाल वर्मा द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–31**

प्रस्तर 130–वित्तीय वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में नगद रोकड़ अवशेष रू0 7400.00 के सापेक्ष 14000.00 का व्यय दर्शित कर वित्तीय अनियमिता की गयी है–विवरण निम्न प्रकार है :–

दिनांक–01.06.2016 – रोकड़ अवशेष = 2400.00
दिनांक–24.06.2016 – खाते से आहरण = 5000.00 कुल रू0 7400.00

दिनांक–24.06.2016 कैशबुक के अनुसार प्रधान के पास नगद–7400.00 रू0 परन्तु प्रमाणक सं0–21 दिनांक–24.06.2016 को 14,000/– का भुगतान प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सटरिंग मद में किया गया है। स्पष्ट है कि 7400.00 नगद रोकड़ के स्थान पर 14000.00 रू0 का भुगतान अवास्तविक है।

अतः रू0 14,000.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्री शेषराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी रामफल वर्मा से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या–32**

ग्राम पंचायत–पिपरा खुर्द **विकास खण्ड–छपिया**

प्रस्तर 131–वित्तीय वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में व्यय धनराशि रू0 1,19,497/–रू0 अनियमित व्यय दर्शित है, विवरण निम्न प्रकार है :–

1– प्रमाणक संख्या–04 दिनांक–26.05.2016 रू0 76,237.00
प्रमाणक संख्या–05 दिनांक–25.08.2016 रू0 43,260.00
योग– 1,19,497.00

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य पर कोई भी मजदूरी नहीं दी गई है। अतः उक्त व्यय धनराशि अनियमित है। अतः उक्त वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक व्यय अपहरण है।

अतः रू0 1,19,497.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती समुद्रा देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामफल वर्मा से ब्याज सहित बराबर हिस्सो में की जानी अपेक्षित है।

2— मौर्या पुरवा में माता जी के स्थान पर कूप मरम्मत पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है—

प्रमाणक सं0—01 दिनांक—12.04.2016—2640 ईंट क्रय रू0 6.4 प्रतिहजार .16,514

प्रमाणक सं0—02 दिनांक—13.04.2016—सामग्री क्रय—15,860.00

प्रमाणक सं0—03 दिनांक—28.04.2016 म0रो0—11704.00

योग = 44,078.00

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं :—

क. पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर दिनांक—23.03.2016 से दिनांक—30.03.2016 पर कार्य करके रू0 11,704/— का भुगतान मजदूरों को दर्शाया गया है।

अतः उक्त कार्य मार्च 2016 में सम्पन्न हुआ तथा ईंट व सामग्री अप्रैल—2016 में क्रय की गयी।

ख. प्रमाणक सं0—02 दिनांक—13.04.2016 सामग्री क्रय रू0 15,860.00 का बिल मे0 पटेल बिल्डिंग मैटेरियल से सम्बन्धित है। बिल पर दिनांक—13.04.2016 दर्शित है। अर्थात उक्त सामग्री दिनांक—13.04.2016 को क्रय किया गया। जबकि कूप मरम्मत मजदूरी दिनांक—13.04.2016 में दिनांक—13.04.2016 से दिनांक—30.03.2016 को ही किया गया है अर्थात दिनांक—13.04.2016 को सामग्री क्रय अवास्तविक है।

अतः उपरोक्त रू0 15,860.00 का व्यय अवास्तविक रहा। जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती समुन्द्रा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामफल वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।**आपत्ति संख्या—29**

प्रस्तर 132—वित्तीय वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही—प्रथम में दर्शित व्यय रू0 76,903.00 का अपहरण व वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आयी है। उक्त कार्य सी0सी0 रोड निर्माण बजरंगी के घर से पश्चिम दुलारे के तक है। विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम	प्रमाणक सं0	दिनांक	धनराशि	मद/सामग्री
1	06	02.10.2016	83937.00	सामग्री क्रय—मे0 सुरेश ट्रेडर्स बिल तिथि—02.10. 2016
2	07	14.10.2016	6264.00	मस्टर रोल—दिनांक 02.10.2016 से 13.10.2016
3	08	10.11.2016	3500.00	साइन बोर्ड
4	10	10.11.2016	18620.00	ईंट क्रय मिश्रा ब्रिक फील्ड बिल तिथि 10.11.2016
5	12	02.01.2016	52,019.00	सामग्री क्रय—मे0 सुरेश ट्रेडर्स बिल तिथि 02.01.2017

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्ति है :—

(क) मस्टर रोल (रू0 6264.00) पर भुगतान पाने वाले मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं है।

(ख) मस्टर रोल के अनुसार सी0सी0 रोड कार्य दिनांक—02.10.2016 से दिनांक—13.10.2016 तक हुआ, जबकि ईंट क्रय दिनांक—10.11.2016 को तथा सामग्री क्रय दिनांक—02.01.2016 को किया गया है। जबकि कार्य दिनांक—13.10. 2016 को समाप्त हो गया, अर्थात् :—

ईंट क्रय — रू0 18,620.00

सामग्री क्रय — रू0 52,019.00

योग = 70,639.00

रू0 70,693.00 का व्यय अनियमित रूप से किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती समुन्द्रा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामपाल से किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—30

प्रस्तर 133—रेहरवा पिच रोड से बुधराम वर्मा के घर तक मिट्टी/खड़न्जा पर मस्टर रोल के आधार पर रू0 33,872. 00 का व्यय दर्शित है। पत्रावली में मात्र भगवानदीन को रू0 2436/— श्रीमती सुनीता 2262/— श्री हरिश्चन्द्र 1650/— का भुगतान चेक नं0—128566 दिनांक—05.02.2017 रू0 6348/— से किया गया है। शेष रू0 27,524.00 का भुगतान किस चेक नम्बर से किया गया, पत्रावली में दर्शित नहीं है। मस्टर रोल संख्या—02, 05 से 13 तक मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं है।

अतः रू0 27,5254.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती समुन्द्रा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामपाल वर्मा से किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—30**

ग्राम पंचायत—बेसियाचैन **विकास खण्ड—पंड़री कृपाल**

प्रस्तर 134—वित्तीय वर्ष 2015—16 से 2016—17 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रू0 1,39,630.00 सी0सी0 रोड निर्माण मुन्ना बढ़ई के घर से बुद्धू बढ़ई के घर तक पर है। व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ती प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 1,39,630.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री पारसनाथ एवं सचिव श्री मधुसूदन गुप्ता द्वारा कर लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–9**

ग्राम पंचायत–पंड़री कृपाल **विकास खण्ड–पंड़री कृपाल**

प्रस्तर 135–वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रू0 1,89,000.00 खड़न्जा निर्माण सरजू नहर में इस्लाम के खेत तक दर्शित है। व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 1,89,000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री आशीष शुक्ला एवं सचिव श्री राजनाथ शुक्ला द्वारा कर लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–9**

ग्राम पंचायत–भटवलिया **विकास खण्ड–पंड़री कृपाल**

प्रस्तर 136–वित्तीय वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रू0 29,000.00 तालाब में पानी भराई पर व्यय दर्शित है, किन्तु व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 29,000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता मिश्रा एवं सचिव श्री घनश्याम पाण्डेय द्वारा कर लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–9**

ग्राम पंचायत–टिकरिया **विकास खण्ड–पंड़री कृपाल**

प्रस्तर 137–वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 की लेखा परीक्षा में रू0 2,25,888.00 का व्यय खड़न्जा कार्य साधू के घर से फरियाद के घर तक पर दर्शित है। व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के (8क) एवं (8ख) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण होता है।

अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 2,25,888.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती काफिया एवं सचिव श्री राजनाथ शुक्ला द्वारा कर लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **सा0आ0सं0–9**

ग्राम पंचायत–धुनाही **विकास खण्ड–मनकापुर**

प्रस्तर 138–वित्तीय वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में ग्राम प्रधान के मानदेय भुगतान पर वित्तीय अनियमितता/दुर्विनियोग के तथ्य प्रकाश में आये है।

दिनांक–25.04.2016 को पूर्व प्रधान श्री रामकृपाल को माह अगस्त 2015 से दिसम्बर 2015 तक की अवधि के लिए रू0 12500.00 भुगतान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सितम्बर 2015/अक्टूबर 2015 में ग्राम प्रधान की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, जो नवम्बर 2015 तक जारी रही।

अतः माह नवम्बर 2015 तथा माह दिसम्बर 2015 का मानदेय का भुगतान गलत ढंग से पूर्व प्रधान को किया गया है। माह नवम्बर 2015 का मानदेय रू0 2500.00 तथा दिसम्बर 2015 का मानदेय रू0 2500.00 कुल रू0 5000.00 का भुगतान के लिए वर्तमान ग्राम प्रधान श्री महेश प्रताप सिंह तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय कुमार गुप्ता जिम्मेदार है।

अतः रू0 5000.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पचांयत सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है।**सा0आ0सं0–29**

ग्राम पंचायत–रामापुर **विकास खण्ड–मनकापुर**

प्रस्तर 139–वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण/वित्तीय अनियमितता पायी गयी है। दिनांक–01.04.2015 से दिनांक–31.03.2016 तक के समस्त अभिलेख जैसे कैश बुक, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ती प्रमाण–पत्र, एम0बी0 पंजिका, प्रस्ताव/कार्यवाही रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका अप्राप्त रहे। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रू0 4,02,757.00 का आहरण किया गया। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	खाते से आहरण की तिथि	धनराशि	क्र0सं0	खाते से आहरण की तिथि	धनराशि
1	01.05.2015	54125.00	12	01.07.2015	7000.00
2	01.05.2015	54125.00	13	04.07.2015	32475.00
3	07.05.2015	9960.00	14	20.07.2015	9982.00
4	07.05.2015	5000.00	15	20.07.2015	9982.00
5	07.05.2015	9960.00	16	11.09.2015	12500.00
6	02.06.2015	9982.00	17	14.09.2015	9982.00
7	05.06.2015	2000.00	18	14.09.2015	25000.00
8	08.06.2015	56400.00	19	16.09.2015	25000.00
9	08.06.2015	30000.00	20	28.09.2015	9960.00

10	01.07.2015	9982.00	21	28.09.2015	99660.00
11	01.07.2015	9982.00		वृहद योग	493057.00

उक्त व्यय धनराशि रू0 4,93,057.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त धनराशि अपहरण है। जिसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।
सा0आ0सं0—29

ग्राम पंचायत—पेरी पोखर **विकास खण्ड—मनकापुर**

प्रस्तर 140—वित्तीय वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में अपहरण/वित्तीय अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये है—विवरण निम्न प्रकार है :—

1—प्रमाणक सं0—01/12.04.2016 प्रधान का मानदेय अप्रैल 15 से मार्च 2016 तक 30,000.00 12 माह + 2500.00 रू0 माह

2—प्रमाणक सं0—24/06.03.2017 प्रधान का मानदेय अप्रैल 2016 से अक्टूबर 17500.00 12 माह + 2500.00 रू0 माह

3—प्रमाणक सं0—25/06.03.2017 मानदेय जनवरी 2017 से नवम्बर 2017 तक . 27500.00 12 माह + 2500.00 रू0 माह

उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2017 से नवम्बर 2017 तक का भुगतान गलत ढंग से किया गया है। इसी प्रकार जनवरी 2017 से फरवरी 2017, मार्च 2017 का मानदेय रू0 3500 रू0/माह दर से 10500.00 रू0 के स्थान पर रू0 27500.00 का भुगतान किया गया है, जो कि 17000.00 रू0 अधिक है। अतः रू0 17000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री जवाहर लाल यादव से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **सा0आ0सं0—31**

प्रारूप — 4
वार्षिक प्रतिवेदन (पंचायत अनुभाग)
वर्ष 2015—16 एवं 2016—17
जनपद—श्रावस्ती, सम्भाग—देवीपाटन गोण्डा ।

ग्राम पंचायत— केवलपुर **विकास क्षेत्र—हरिहरपुर रानी**

प्रस्तर— 1. ग्राम पंचायत द्वारा नाली निर्माण एवं खड़ंजा निर्माण पर एक ही तिथि में निम्नलिखित व्यय दर्शित है:—

दिनांक	वाउचर संख्या	धनराशि	कार्य विवरण
06.01.17	24	2460.00	कमला लोहार के घर से तितुर के घर तक नाली निर्माण पर मिस्त्री को भुगतान।
06.01.17	25	14040.00	उक्त कार्य पर ईंट हेतु वसी ब्रिकफील्ड को भुगतान।
06.01.17	26	74947.00	कमला लोहार के घर से भगेलू के घर तक खड़ंजा निर्माण हेतु वसी ब्रिकफील्ड को भुगतान।
06.01.17	27	5671.00	खड़ंजा में ट्राली मिट्टी हेतु सिराज खां को भुगतान। (उक्त कार्य)
06.01.17	28	13920.00	उक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान।
06.01.17	29	1566.00	कमला लोहार के घर से तितुर के घर तक नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान।
06.01.17	30	4270.00	नाली निर्माण पर सीमेण्ट हेतु के0जी0एन0 ट्रडर्स को भुगतान।
योग		**116874.00**	

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्य योजना, स्टीमेट, एम0बी0, व्यय प्रमाणक मय चालान मस्टर रोल, फोटो एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा, जिससे उक्त अभिलेखों की जांच न की जा सकी। फोटो एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में उक्त कार्य के निर्माण पूर्ण होने का भौतिक सत्यापन सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही रहा। ग्राम पंचायत द्वारा सम्पत्ति रजिस्टर एवं स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं उक्त निर्माण कराने हेतु निर्माण समिति का भुगतानादेश भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा मनमाने एवं आधारहीन ढंग से नाली निर्माण एवं खड़ंजा निर्माण पर व्यय दर्शाकर रु0 116874.00 का अपहरण किया गया है। अस्तु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अतः रु0 116874.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार यादव तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री इन्द्रमणि पाण्डे से बराबर—बराबर मय ब्याज वसूल किये जाने के साथ ही विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— अमवा **विकास क्षेत्र—हरिहरपुर रानी**

प्रस्तर— 2. ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016—17 में निम्न विवरणानुसार रू0 72270.00 का व्यय नल मरम्मत पर करना दर्शाया है:—

दिनांक	वाउचर सं0	धनराशि	कार्य का मद
02.04.2016	01	22540.00	नल मरम्मत पर व्यय
30.05.2016	04	22780.00	नल मरम्मत पर व्यय
20.07.2016	19	4950.00	नल मरम्मत पर व्यय
05.10.2016	35	2000.00	नल मरम्मत पर व्यय
05.01.2017	63	5000.00	नल मरम्मत पर व्यय
13.02.2017	64	10000.00	नल मरम्मत पर व्यय
08.03.2017	68	5000.00	नल मरम्मत पर व्यय
	योग	72270.00	

उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्य–योजना, स्टीमेट, एम0बी0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, फोटोग्राफ एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहे । उक्त के अभाव में रू0 72270.00 की धनराशि अपहरण मानी गयी है। अतः रू0 72270.00 की वसूली उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही के अन्तर्गत ग्राम प्रधान श्रीमती जैतुवा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अम्बिका वर्मा से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर–3. ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.06.2016 में रू0 21640.00 तथा दिनांक 14.03.2017 में रू0 22000.00 कुल रू0 43640.00 का व्यय स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर करना दर्शाया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियॉ हैं :–

क. उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्य–योजना, स्टीमेट, एम0बी0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, फोटोग्राफ एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहे ।

ख. ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट कहां स्थापित हैं , का कोई रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः उक्त के अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढ़ंग से फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 43640.00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 43640.00 की वसूली उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही के अन्तर्गत ग्राम प्रधान श्रीमती जैतुवा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अम्बिका वर्मा से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत–रेवलिया । **विकास क्षेत्र– हरिहरपुर रानी**

प्रस्तर–4. ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न विवणानुसार व्यय दर्शाया है :–

दिनांक	धनराशि	कार्य का विवरण
05.05.2016	5720.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु अयोध्या प्रसाद मेकैनिक को भुगतान
17.02.2017	4970.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान
योग	10690.00	

उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में बिल/वाउचर, भुगतान प्राप्ति रसीद, मजदूरी भुगतान सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत के किस स्थान पर हैण्डपम्प का मरम्मत कराया गया, इसका विवरण लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प अवस्थापना पंजी अनुपलब्ध रहने के कारण अस्पष्ट रहा। लेखा परीक्षा में स्टाक/स्कन्ध रजिस्टर भी अनुपलब्ध रहा, साथ ही साथ सम्बन्धित लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प खराब व ठीक होने की पुष्टि प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं रहा, जिससे उक्त कार्य की पुष्टि न की जा सकी। हैण्डपम्प मरम्मत कराने हेतु जल प्रबन्ध समिति का भुगतानादेश भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

अतः अक्त के अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढ़ंग से फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 10690.00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 10690.00 की वसूली उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही के अन्तर्गत ग्राम प्रधान श्री पृथ्वीराज वर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद अवस्थी से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर–5. ग्राम पंचायत द्वारा सीताराम के घर से मंशाराम के घर तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु दिनांक 31.03.2017 में रू0 43470.00 का भुगतान मै0 रियाज ब्रिक फील्ड को तथा रू0 8370.00 मजदूरी का भुगतान दर्शाया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्य–योजना, स्टीमेट, एम0बी0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, फोटोग्राफ एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहे । उक्त के अभाव में रू0 51844.00 की धनराशि अपहरण मानी गयी है। अतः रू0 51844.00 की वसूली उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही के अन्तर्गत ग्राम प्रधान श्री पृथ्वीराज वर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद अवस्थी से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत– गिलौला **विकास क्षेत्र–गिलौला**

प्रस्तर–6. ग्राम पंचायत गिलौला के वर्ष 2016–17 के लेखा परीक्षा करते समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न विवरण के अनुसार कुल रूपया 59600.00 उनके सम्मुख लिखे तिथियों में व्यय किया गया है। व्यय की पुष्टि में ग्राम

पंचायत के सक्षम समिति से न तो व्यय करने की अनुमति ली गयी है और न ही भुगतान प्रमाणित कराया गया है। भुगतान की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। अतः स्पष्ट है कि आधारहीन ढंग से बिना ग्राम पंचायत के स्वीकृति के तथा व्यय प्रमाणक के अभाव में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/वि0 अधिकारी के दुरभि सन्धि से मनमाना भुगतान कर उक्त धन का अपहरण किया गया है। जिसका पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 एवं पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 256 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी विजय कुमार तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री राम किशोर क्रमशः रूपया 29800.00 एवं 10000.00 तथा 19800.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	मदवार विवरण	धनराशि
1	20.08.2016	राष्ट्रीय पर्व पर मिष्ठान विवरण	20000.00
2	30.01.2017	राष्ट्रीय पर्व पर मिष्ठान विवरण	10000.00
3	14.01.2017	चुनाव में अस्थायी शौचालय	25000.00
4	02.03.2017	अस्थायी स्नानागार	4600.00
		योग	**59600.00**

<u>प्रस्तर–7.</u> ग्राम पंचायत गिलौला की वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि निम्न विवरणानुसार आयकर रूपया 19872.00 तथा बिक्रीकर रूपया 34965.00 कुल रूपया 54837.00 आपूर्तिकर्ता फर्मों के बिलों से पूर्व की तिथियों में कटौती की गयी थी। परन्तु कटौती की गयी धनराशि सम्बन्धित मदों निर्धारित लेखा शीर्षक में समयानुसार न जमाकर सूची में वर्णित तिथियों में आपूर्तिकर्ता फर्मों को वापस करते हुए राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई गयी है, जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम किशोर संयुक्त रूप से बराबर–बराबर हिस्सों में उत्तरदायी है। सन्निहित धनराशि तिथिवार एवं मदवार विवरण निम्न हैं :–

क0सं0	दिनांक	फर्म का नाम	आयकर	बिक्रीकर	योग	अन्य विवरण
1	03.01.17	राजेश शुक्ला ईंट भट्ठा	1386	2442	3828	कर कटौती का धन राजकीय कोष/बैंक में न जमाकर सम्बन्धित फर्म को वापस कर
2	03.01.17	मे0 चौधरी टाइल्स	4325	7621	11946	"
3	06.01.17	कुमार ट्रेडिंग कम्पनी	1211	2133	3344	"
4	19.01.17	मनीष आर्डर सप्लायर	2248	3960	6208	"
5	20.01.17	राजेश शुक्ला ईंट भट्ठा	3775	6653	10428	"
6	25.01.17	मे0 चौधरी टाइल्स	1541	2716	4257	"
7	02.02.17	मे0 चौधरी टाइल्स	3111	5432	8543	"
8	07.02.17	कुमार ट्रेडिंग कम्पनी	672	1183	1855	"
9	13.02.17	मनीष आर्डर सप्लायर	874	1540	2414	"
10	16.02.17	राजेश शुक्ला ईंट भट्ठा	729	1285	2014	"
		योग	**19872**	**34965**	**54837**	"

ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत– कटहा</u> **विकास क्षेत्र–गिलौला**

<u>प्रस्तर–8</u>. ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016–17 में रू0 14994.00 का आधारहीन भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया । जॉच में पाया गया कि दिनांक 19.08.2016 में प्रमाणक सं0 03 द्वारा रू0 7830.00 का भुगतान मजदूरी का किया गया। जबकि उक्त भुगतान मनरेगा की माप–पुस्तिका के अनुसार मस्टर रोल सं0 4564 एवं 4565 से पूर्व में ही किया जा चुका है। दिनांक 31.08.2016 में प्र0 सं0 08 के द्वारा रू0 4100.00 का भुगतान मिटट्री ढुलाई में किया गया, जबकि एम बी में उक्त भुगतान दर्शित नहीं है। इसी प्रकार माप–पुस्तिका में राजमिस्त्री का भुगतान रू0 3800.00 दर्शित है। जबकि कैशबुक में दिनांक 24.08.2016 को रू0 6864.00 का भुगतान दर्शाकर रू0 3064.00 का अपहरण किया गया । इस प्रकार कुल रू0 14994.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती साकरून एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री माईन सिददीकी द्वारा किया गया । अतः रू0 14994.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती साकरून एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मोईन सिददीकी से बराबर–बराबर हिस्सों में मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर–9.</u> दिनांक 05.10.2016 को रोकड़ बही के अनुसार रू0 12702.00 का भुगतान बावत मजदूरी मुमताज अली के घर से ननकू साई के घर तक खडंजे निर्माण हेतु किया गया । किन्तु भुगतान की पुष्टि में कोई मस्टर रोल सुलभ नहीं था । इसके अतिरिक्त उक्त कार्य के सम्बन्ध में पत्रावली में रू0 12250.00 का मस्टररोल उपलब्ध है। जिस पर न तो मजदूरों के हस्ताक्षर हैं और न ही कार्य प्रभारी द्वारा तिथिवार कार्य की पुष्टि ही की है। एम0 बी0 का सन्दर्भ भी मस्टर रोल पर अंकित नहीं है। फर्जी भुगतान दर्शाकर रू0 12702.00 का अपहरण किया गया , अतः रू0 12702.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती साकरून एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री माईन सिददीकी से बराबर–बराबर हिस्सों में मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर–10</u>. दिनांक 29.12.2016 में रू0 16236.00 का भुगतान प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स निर्माण का कोषबही में अंकित है, जबकि मात्र रू0 9000.00 का मस्टर रोल ही भुगतान की पुष्टि में पत्रावली में उपलब्ध है। इस प्रकार रू0

7236.00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 7236.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती साकरून एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री माईन सिददीकी से बराबर–बराबर हिस्सों में मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–11. दिनांक 10.07.2016 में प्रमाणक सं0 01 द्वारा रू0 32500.00 का भुगतान प्रा0 वि0 कटहा में मिटट्ी पटाई का किया गया दर्शित है । जिसकी पुष्टि में भुगतान प्रमाणक/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, और न ही सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की गयी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8(क) तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है। अतः रू0 32500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती साकरून एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री माईन सिददीकी से बराबर–बराबर हिस्सों में मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– सेमरी चकपिहानी **विकास क्षेत्र– हरिहर पुर रानी**

प्रस्तर–12. दिनांक 29.03.2017 को ग्राम पंचायत सेमरी चकपिहानी के निधि–1 के खाता संख्या 21485814160 (बचत खाता) इलाहाबाद बैंक शाखा सेमरी चकपिहानी द्वारा ग्राम पंचायत/राज्य सरकार की बिना सहमति के आटो स्विफ्ट खात में अन्तरित कर दिया गया। सम्बन्धित धनराशि रु0 920000.00 रही। ग्राम पंचायत/राज्य सरकार की अनुमति के बिना धन का अन्तरित किया जाना अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा सेमरी चकपिहानी दोषी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– पिपरा **विकास क्षेत्र– गिलौला**

प्रस्तर–13. लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में निम्नांकित तिथियों में कैशबुक में ट्राली द्वारा मिट्टी ढुलाई/पटाई पर व्यय दर्शित है। जिसका विवरण निम्नवत है :–

कमांक	दिनांक	मद	धनराशि
1	04.04.2015	मिट्टी ढुलाई	28800.00
2	21.04.2015	मिट्टी ढुलाई	36000.00
3	22.04.2015	मिट्टी ढुलाई	12000.00
4	22.04.2015	मिट्टी ढुलाई	9000.00
5	27.06.2015	मिट्टी ढुलाई	7800.00
6	10.07.2015	मिट्टी ढुलाई	7200.00
योग			**100800.00**

लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु0 100800.00 के भुगतान की स्वीकृति ग्राम पंचायत की निर्माण समिति से नहीं लिया गया है, साथ ही साथ उक्त के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8(क) तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है। अतः रू0 100800.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री शुभेन्द्र सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रकेतु सिंह से बराबर–बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–14. सचिव ग्राम विकास के पत्रांक 290/38–5–99–21(एम) दिनांक 29.07.1999 के प्रस्तर संख्या 5 के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत बिना जल प्रबन्ध समिति से भुगतान आदेश प्राप्त किये भुगतान न किया जाये। लेकिन ग्राम पंचायत में इसका पालन न करते हुए रूपया 37750.00 का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	दिनांक	मद	धनराशि
1	04.04.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	16810.00
	02.07.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	16040.00
3	30.10.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	2000.00
	07.11.2015	हैण्डपम्प मरम्मत	2900.00
योग			**37750.00**

लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रु0 37750.00 के भुगतान के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8(क) तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है। अतः रू0 37750. 00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री शुभेन्द्र सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रकेतु सिंह से बराबर–बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–15. लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में खड़ंजा निर्माण/मरम्मत एवं नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय पर व्यय दर्शित है। जिसका विवरण निम्नवत है:–

तिथि	मद	धनराशि
21.04.2015	8000 ईंटें क्रय	49600.00
22.04.2015	6000 ईंटें क्रय	37200.00
27.05.2015	5000 ईंटें क्रय	31000.00
29.06.2015	4000 ईंटें क्रय	24800.00

07.08.2015	1500 ईंटें क्रय	9600.00
	योग	**152200.00**

लेखा परीक्षा में रू0 152200.00 की ईंट क्रय के सापेक्ष कोई प्रमाणक , बिल,कुटेशन, वित्तीय स्वीकृति, चालान, कार्य–पूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, कार्य–योजना आदि प्रस्तुत नहीं की गयी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8(क) तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है। अतः रू0 152200.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री शुभेन्द्र सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रकेतु सिंह से बराबर–बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–16. दिनांक 02.07.2015 को कैशबुक के अनुसार रू0 137500.00 का व्यय 5 सोलर लाइटें क्रय का दर्शित है। क्रय की पुष्टि में कोई बिल अथवा प्रमाणक लेखा परीक्षा जॉच में प्रस्तुत नहीं किया गया । ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8(क) तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है। अतः रू0 137500.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री शुभेन्द्र सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रकेतु सिंह से बराबर–बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–17. दिनांक 07.08.2015 को कैशबुक के अनुसार रू0 6850.00 का व्यय निर्माण सामग्री क्रय का दर्शित है। क्रय की पुष्टि में कोई बिल अथवा प्रमाणक लेखा परीक्षा जॉच में प्रस्तुत नहीं किया गया । ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8(क) तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है। अतः रू0 6850.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री शुभेन्द्र सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रकेतु सिंह से बराबर–बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–18. . लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक में खड़ंजा निर्माण/मरम्मत एवं नाली निर्माण हेतु ईंट क्रय पर व्यय दर्शित है। जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क0सं0	**दिनांक**	**मद**	**धनराशि**
1	22.04.2015	मस्टररोल खडंजा निर्माण	14490.00
2	22.04.2015	मस्टररोल खडंजा निर्माण	11109.00
3	27.06.2015	मस्टररोल खडंजा निर्माण	9821.00
4	10.07.2015	मस्टररोल खडंजा निर्माण	7406.00
5	07.08.2015	मस्टररोल खडंजा निर्माण	7025.00
		योग	**49851.00**

लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रू0 149851.00 के भुगतान की स्वीकृति ग्राम पंचायत के निर्माण समिति से नहीं लिया गया है, साथ ही साथ उक्त के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8(क) तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है। अतः रू0 49851.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री शुभेन्द्र सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रकेतु सिंह से बराबर–बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–नेवरिया **विकास क्षेत्र– गिलौला**

प्रस्तर–19. ग्राम पंचायत में संचित के घर से त्रिभुवन के घर तक खडंजा निर्माण में रू0 8355.00 का अपहरण एम0 बी0 में अंकित धनराशि से अधिक का व्यय दर्शाकर किया गया । विवरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनांक	व्यय का मद	एम बी के अनुसार	कैश बुक के अनुसार	अधिक व्यय
17.08.2016	ईंटें क्रय	मात्रा 6000 रू0 41580	मात्रा 7740 रू0 48762	
			मात्रा 1140 रू0 7182.00	
17.08.2016	मिटट्टी ढुलाई	रू0 3527	रू0 4700	1173.00
	योग			**8355.00**

अतः रू0 8355.00 अपहरित धनराशि की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रदेव मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी से बराबर–बराबर हिस्सों में अधिभार के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–20. हजरत अली के घर से ओमकार के घर तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु मिटट्टी पटाई हेतु एम0बी0 के अनुसार रू0 7954.00 का ही कार्य हुआ, जबकि दिनांक 26.12.2016 में प्रमाणक संख्या 42 द्वारा रू0 24710.00 धनराशि कैशबुक में खारिज कर रू0 16756.00 का अपहरण किया गया । रू0 16756.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रदेव मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी से बराबर–बराबर हिस्सों में अधिभार के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–21. ग्राम पंचायत में श्यामता के घर से मंशाराम के घर तक खडंजा निर्माण कार्य पर निम्न विवरणानुसार रू0 125618.00 का व्यय दर्शाया गया है–

तिथि	व्यय का मद	धनराशि
20.10.2016	ईंट क्रय 15000	94500.00
20.10.2016	मिटट्टी ढुलाई	10238.00

21.10.2016	मजदूरी भुगतान	20880.00
	योग	**125618.00**

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल पर मजदूरों के नाम, पता, उनके हस्ताक्षर एवं अन्य वांछित विवरण आदि अंकित नहीं पाये गये । जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य को काल्पनिक रूप से दर्शाकर रू0 125618.00 का अपहरण किया गया । अतः रू0 125618.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रदेव मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी से बराबर–बराबर हिस्सों में अधिभार के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–22. ग्राम पंचायत में पिच रोड से प्रेम के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य पर निम्न विवरणानुसार रू0 128946.00 का व्यय दर्शाया गया है–

तिथि	व्यय का मद	धनराशि
20.10.2016	ईंट क्रय 11500	72450.00
20.10.2016	मिटट्री ढुलाई	15954.00
21.10.2016	मजदूरी भुगतान	40542.00
	योग	**128946.00**

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल पर मजदूरों के नाम, पता, उनके हस्ताक्षर एवं अन्य वांछित विवरण आदि अंकित नहीं पाये गये । जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य को काल्पनिक रूप से दर्शाकर रू0 128946.00 का अपहरण किया गया । अतः रू0 128946.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रदेव मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी से बराबर–बराबर हिस्सों में अधिभार के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–23. ग्राम पंचायत में काली मन्दिर से मेवा के घर तक खडंजा निर्माण कार्य पर निम्न विवरणानुसार रू0 148972.00 का व्यय दर्शाया गया है–

तिथि	व्यय का मद	धनराशि
27.10.2016	ईंट क्रय 18000	113400.00
27.10.2016	मिटट्री ढुलाई	12604.00
29.10.2016	मजदूरी भुगतान	22968.00
	योग	**148972.00**

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल पर मजदूरों के नाम, पता, उनके हस्ताक्षर एवं अन्य वांछित विवरण आदि अंकित नहीं पाये गये । जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य को काल्पनिक रूप से दर्शाकर रू0 148972.00 का अपहरण किया गया । अतः रू0 148972.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रदेव मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी से बराबर–बराबर हिस्सों में अधिभार के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–24. दिनांक 25.10.2016 को प्रमाण सं0 17 द्वारा रू0 50700.00 की टाइल्स क्रय प्राथमिक विद्यालय रायगढ़ी हेतु कैशबुक में दर्शित है। जिसके क्रय की पुष्टि में ग्राम पंचायत निर्माण समिति की संस्तुति, माल आमद की पुष्टि में सम्बन्धित फर्म द्वारा जारी किया गया चालान, व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक तथा स्टाक रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र न होने से व्यय की गयी धनराशि की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी । अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8(क) तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है। अतः रू0 50700.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रदेव मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी से बराबर–बराबर हिस्सों में अधिभार के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–25. दिनांक 21.10.2016 को प्रमाणक सं0 15 से ग्राम पंचायत द्वारा बी0 आर0 जी0 एफ0 योजना के अन्तर्गत रू0 61500.00 की निर्माण सामग्री सी0सी0 रोड निर्माण हेतु मै0 शशांक ट्रेडिंग कम्पनी से क्रय दर्शायी है। जिसके क्रय की पुष्टि में ग्राम पंचायत निर्माण समिति की संस्तुति, माल आमद की पुष्टि में सम्बन्धित फर्म द्वारा जारी किया गया चालान, व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक तथा स्टाक रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र न होने से व्यय की गयी धनराशि की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी । अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8(क) तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है। अतः रू0 61500.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रदेव मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी से बराबर–बराबर हिस्सों में अधिभार के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–26. ग्राम पंचायत की वर्ष 2016–17 की कैश बुक की जांच करने पर पाया गया निम्न विवरणानुसार अंकित तिथियों में उनके सम्मुख अंकित धनराशि की सामग्री व मजदूरी व्यय दर्शित हैं–

क्र0सं0	दिनांक	व्यय का मद	वाउचर सं0	धनराशि
	21.01.2017	निर्माण सामाग्री	69	56900.00
	21.01.2017	नाली निर्माण मजदूरी	67	52422.00
	15.02.2017	ईंट व मिटट्री क्रय	73	149875.00
		योग		**259197.00**

उपरोक्त व्यय रू0 259197.00 के सापेक्ष ग्राम पंचायत निर्माण समिति की संस्तुति, माल आमद की पुष्टि में सम्बन्धित फर्म द्वारा जारी किया गया चालान, व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक तथा स्टाक रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र न होने से

व्यय की गयी धनराशि की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी । अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8(क) तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है। अतः रू0 259197.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रदेव मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी से बराबर–बराबर हिस्सों में अधिभार के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–27. ग्राम पंचायत वर्ष 2016–17 में निम्न विवरणानुसार सोलर लाइट क्रय पर व्यय किया गया दर्शित है–

क्र0सं0	दिनांक	क्रय मद	धनराशि
	27.03.2017	सोलर लाइट क्रय 3 नग	82500.00
	27.03.2017	सोलर लाइट क्रय 3 नग	82500.00
		योग	**165000.00**

आडिट के दौरान उक्त व्यय रू0 165000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक तथा स्टाक रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र न होने से व्यय की गयी धनराशि की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी । अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–8(क) तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अपहरण है। अतः रू0 165000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रदेव मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी से बराबर–बराबर हिस्सों में अधिभार के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–28. लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 की कैश बुक के अनुसार काली मन्दिर से पालेसर तक नाली निर्माण के कार्य में रू0 36950.00 का भुगतान मजदूरी का किया गया दर्शित है। पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल सादे कागज पर निर्मित है तथा मस्टर रोल के अन्त में आधारहीन ढंग से 38 मानव दिवस राजगीरों को रू0 400.00 प्रति दिन से 15200.00 का भुगतान करना दर्शाया है । जिस पर धनराशि प्राप्त कर्त्ता के हस्ताक्षर भी पुष्टि स्वरूप अंकित नहीं है। रू0 15200.00 का स्पष्ट अपहरण किया गया है । अतः रू0 15200.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रदेव मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी से बराबर–बराबर हिस्सों में अधिभार के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–29. दिनांक 21.10.2016 में प्रमाणक सं0 16 द्वारा रू0 41600.00 की 2 नग स्ट्रीट लाइट कम्पलीट क्रय करना दर्शित है। क्रय की पुष्टि में उपलब्ध बिल पर दिनांक –शून्य , बुक सं0–शून्य, बिल क्रमांक–शून्य पाया गया । बिल के साथ आपूर्तिकर्त्ता फर्म का चालान भी नहीं पाया गया। स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है कि सोलर लाइट खरीदा गया या स्ट्रीट लाइट खरीदा गया । संलग्न बिल पर ग्राम प्रधान द्वारा भुगतान की स्वीकृति नहीं की गयी है। आधार हीन ढंग से क्रय दर्शाकर रू0 41600.00 अपहरण किया गया । अतः रू0 41600.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रदेव मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी से बराबर–बराबर हिस्सों में अधिभार के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– खावॉ कला **विकास क्षेत्र– जमुनहा**

प्रस्तर– 30. ग्राम पंचायत द्वारा तालाब में पानी भराने पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है :–

दिनांक	वाउचर सं0	धनराशि	व्यय का विस्तृत विवरण	
25.05.2016	06	10000.00	खावॉ खुर्द पश्चिम तालाब भराई	80X125
27.05.2016	07	10000.00	प्रधान के घर के पीछे के तालाब भराई	80X125
योग –		**20000.00**		

उक्त कार्य के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियॉ हैं –

तालाबों में पानी भराने की सक्षम अधिकारी का कोई निर्देश नहीं है । जिससे उक्त व्यय की पुष्टि की जा सके।

तालाब में पानी भराने का निर्णय ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका में नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तालाबों के स्वामित्व की पुष्टि नहीं है । अर्थात तालाब ग्राम पंचायत के हैं अथवा प्राईवेट ।

भराई का भुगतान नकद किया गया है।

160 घण्टे इन्जिन चलने की पुष्टि में कोई अभिलेख नहीं है।

तलाब में पानी भराने का प्राक्कलन नहीं है।

समग्रतः ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव ने काल्पनिक कार्य दिखाकर रू0 20000.00 का अपहरण किया गया है। अस्तु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की जानी लोकहित में होगा । अतः रू0 20000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री कृपाराम वर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार त्रिपाठी से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किए जाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–31. ग्राम पंचायत द्वारा मिटट्ी ढुलाई पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है–

दिनांक	बाउचर सं0	धनराशि	व्यय का विवरण
30.05.2016	08	7000.00	मिटट्ी ढुलाई भुगतान 69.31X101
30.05.2016	09	7000.00	मिटट्ी ढुलाई भुगतान 69.31X101
30.05.2016	10	7000.00	मिटट्ी ढुलाई भुगतान 69.31X101
	योग	**21000.00**	

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित उक्त व्यय कुल रू0 21000.00 की पुष्टि में भुगतान प्राप्ति रसीद / प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे । मिटट्ी खादान की अनुज्ञा अप्राप्त रहा । सम्बन्धित भुगतान चैकों द्वारा दर्शाया गया है, जबकि बैकं से नकद धनराशि आहरित की गयी है। समग्रतः ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव ने काल्पनिक कार्य दिखाकर रू0 21000.00 का अपहरण किया गया है। अस्तु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की जानी लोकहित में होगा । अतः रू0 21000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री कृपाराम वर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार त्रिपाठी से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किए जाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–32. ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है–

दिनांक	बाउचर सं0	धनराशि	व्यय का विवरण
27.10.2016	22	6500.00	हैण्डपम्प मरम्मत इण्डिया मार्क पर व्यय
05.01.2017	23	7090.00	हैण्डपम्प मरम्मत इण्डिया मार्क पर व्यय
31.01.2017	24	10000.00	हैण्डपम्प मरम्मत इण्डिया मार्क पर व्यय
07.03.2017	26	11500.00	हैण्डपम्प मरम्मत इण्डिया मार्क पर व्यय
योग		**35090.00**	

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित उक्त व्यय कुल रू0 35090.00 की पुष्टि में भुगतान प्राप्ति रसीद / प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे । ग्राम पंचायत के किन–किन स्थानों पर हैण्डपम्पों की मरम्मत कराई गयी , इसका कोई विवरण लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया । लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर भी अनुपलब्ध रहने से भी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव द्वारा मनमाने एवं फर्जी ढंग से हैण्डपम्प मरममत पर व्यय कार्य दिखाकर रू0 35090.00 का अपहरण किया गया है। अस्तु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की जानी लोकहित में होगा । अतः रू0 35090.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री कृपाराम वर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार त्रिपाठी से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किए जाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– भगवानपुर **विकास क्षेत्र– सिरसिया**

प्रस्तर–33. ग्राम पंचायत द्वारा कूप मरम्मत पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है–

दिनांक	बाउचर सं0	धनराशि	व्यय का विवरण
23.05.2016	10	10537.00	सामग्री क्रय
24.05.2016	13	8004.00	मजदूरी भुगतान
24.05.2016	14	8004.00	मजदूरी भुगतान
24.05.2016	15	8178.00	मजदूरी भुगतान
24.05.2016	16	8352.00	मजदूरी भुगतान
11.01.2017	42	5932.00	मजदूरी भुगतान
11.01.2017	43	8026.00	मजदूरी भुगतान
11.01.2017	45	7504.00	मजदूरी भुगतान
03.02.2017	49	8026.00	मजदूरी भुगतान
योग		**72563.00**	

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय पर आपत्तियां निम्नवत हैंः–

क. ग्राम पंचायत के पास कूप मरम्मत के सम्बन्ध में कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आई डी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

ख. ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत के पास कार्य करवाने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात के फोटोग्राफ नहीं हैं ।

ग. ग्राम पंचायत के पास कूप मरम्मत के सम्बन्ध में माप पुस्तिका नहीं है।

घ. ग्राम पंचायत के पास कूप मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री का विवरण नहीं है।

ड. ग्राम पंचायत के पास कूप मरम्मत कराने के चयन का आधार नहीं है कि किस कूप का मरम्मत किस आधार पर कराया गया है।

च. जनवरी 2017 में तीन कूपों का मरम्मत कराया जाना दर्शित है, जबकि जनवरी में कूप मरम्मत हेतु किसी भी सामग्री का क्रय या उपयोग दर्शित नहीं है।

छ. जनवरी माह में सामान्यतः कूपों में पानी भरा होता है और जनवरी से लगभग पांच महीने बाद जून में वर्षा ऋतु शुरू होती है। कूप मरम्मत का सही समय बरसात के पहले का होता है। जनवरी में कूप मरम्मत का कार्य कराया जाना कालपनिक प्रतीत होता है।

ज. ग्रा पंचायत द्वारा 07 कूपों का मरम्मत कराया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में पंचायत सचिव द्वारा यह सूचना नहीं उपलबध कराई जा सकी कि ग्राम पंचायत में कुल कितने कूप थे तथा उनकी पिछले पांच वर्षों में कब–कब मरम्मत कराई गइ। ग्राम पंचायत सचिव से कहा गया कि उक्त कूपों की पिछले पांच वर्ष में मरम्मत न कराये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव ने उक्त प्रकार का प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया। संभव है कि ग्राम

पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा मिली भगत करके प्रत्येक वर्ष कूप मरम्मत का कार्य दिखाया गया है, जो कि पिछले पांच वर्षों की कैशबुक जांचने के बाद पता चल सकता है।

झ. ग्राम पंचायत द्वारा कूप मरम्मत हेतु रु0 10537.00 की सामग्री दर्शित है। कैशबुक में अंकित है कि यह सामग्री पनिराम मौर्य के घर के पस कूप के लिए प्रयोग हेतु है। प्रश्न उठता है कि यदि क्रय दर्शित सामग्री एक कूप के लिए प्रयुकत की गई तो अन्य कूपों की मरम्मत किस सामग्री से कराई गई। इससे भी संदेह उत्पन्न होता है कि वास्वत में कूप मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया।

ञ. ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक में पनिराम मौर्य के घर के पास कूप मरम्मत पर दिनांक 24.05.2016 को रु0 8178.00 की धनराशि मजदूरी पर एवं दिनांक 11.01.2017 को रु0 7504.00 की धनराशि मजदूरी पर दर्शित है। इससे भी संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है।

ट. उक्त समस्त भुगतान नगद किया गया है, जबकि भुगतान सम्बन्धित मजदूरों के खातों में किया जाना चाहिए था।

ठ. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मस्टर रोलों पर कार्य कराये जाने की तिथि व मजदरों के भुगतान प्राप्त करने सम्बन्धी अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं थे।

उक्त समग्र तथ्यों के आधार पर ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव द्वारा काल्पनिक कूप मरम्मत पर व्यय कार्य दिखाकर रू0 72563.00 का अपहरण किया गया है। अस्तु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की जानी लोकहित में होगा । अतः रू0 72563.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती रूपा देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री जगजीवन प्रसाद से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किए जाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत– सिटकहवा</u> **विकास क्षेत्र– सिरसिया ।**

<u>प्रस्तर–34</u>. ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक के अनुसार दिनांक 24.10.2016 को निविदा प्रकाशन का रू0 8304.00 दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान को किया गया दर्शित है, जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान अमर उजाला को किया गया है।

उक्त कार्य पर व्यय की आपत्तियां निम्नवत हैः–

क. लेखा परीक्षा में इस बात की पुष्टि न की जा सकी कि ग्राम पंचायत द्वारा किस प्रकार की निविदा प्रकाशित कराई गई थी। लेखा परीक्षा में विज्ञापन की मूल प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई।

ख. कैशबुक में भुगतान हिन्दुस्तान समाचार पत्र को दर्शित है, जबकि वास्तव में अमर उजाला समाचार पत्र को भुगतान किया गया है। इससे सन्देह की स्थिति उत्पन्न होती है।

ग. लेखा परीक्षा में उक्त व्यय का व्यय <u>प्रमाणक/बिल</u> वाउचर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

घ. ग्राम पंचायत द्वारा विकास के मद का पैसा विज्ञापन के मद में व्यय किया गया है।

उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा धनराशि रु0 8304.00 की ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। इसलिये उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की जानी लोकहित में होगा। अतः रू0 8304.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती असगरा बेगम तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किए जाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर–35.</u> ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.10.2016 को रू0 9700.00 की ठेलिया क्रय कैशबुक में दर्शित है।

उक्त क्रय के सम्बन्ध मे आपत्तियॉ निम्नवत् हैं–

उक्त ठेलिया क्रय करने की स्टीमेट, वर्क आई डी, स्टाक पंजिका, बिल / बाउचर नहीं है।

ख. पूर्ववर्ती वर्षों में ठेलिया कब क्रय की गयी, स्टाक पंजिका के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी ।

उक्त तथ्यों के आधार पर ठेलिया का क्रय दर्शाया जाना काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा रू0 9700.00 की हानि ग्राम पंचायत को पहुॅचायी गयी है। इसलिये उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की जानी लोकहित में होगा । अतः रू0 9700.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती असगरा बेगम तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किए जाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–36. ग्राम पंचायत द्वारा 21.02.2017 को खुली बैठक पर रू0 5000.00 व्यय करना दर्शाया है। जिसका भुगतान सेल्फ चैक सं0 007668 द्वारा श्री संजीव कुमार को किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित बाउचर पर यह अंकित नहीं है कि किस सामग्री अथवा कार्य के लिये भुगतान किया गया । लेखा परीक्षा में कार्यवाही पुस्तिका भी प्रस्तुत नहीं की गयी। विकास कार्य का व्यय बैठक पर किया जाना दुरूपयोग है। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की जानी लोकहित में होगा । अतः रू0 5000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती असगरा बेगम तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किए जाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर–37.</u> ग्राम पंचायत द्वारा हयूम पाइप पर व्यय निम्न विवरणानुसार दर्शित है–

दिनांक	बाउचर सं0	धनराशि	विवरण
27.10.2016	15	48430.00	हयूम पाइप क्रय
27.11.2016	37	14964.00	मजदूरी
26.12.2016	44	9918.00	मजदूरी
योग		**73312.00**	

उक्त कार्य के सम्बन्ध में निम्नवत् आपत्तियॉ हैं –
ग्राम पंचायत के पास हयूम पाइप डलवाने की कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आई डी, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, डलवाये गये स्थानों की सूची तथा स्टाक रजिस्टर नहीं है।
पूर्व में डलवाये गये हयूम पाइपों का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है , जिससे अवश्यकता की जॉच की जा सकती ।
कार्य कराने से एक माह पूर्व हयूम पाइप क्रय करने का कोई औचित्य नहीं है। जबकि क्रय की गयी सामग्री का भुगतान एकाउंट पेयी चेक से न कर नगद किया जाना आपत्तिजनक है।
ग्राम पंचायत के पास हयूम पाइप डलवाने से सम्बन्धित कोई फोटोग्राफ नहीं है।
उक्त समग्र तथ्यों के आधार पर हयूम पाइप का क्रय किया जाना एवं लगवाया जाना काल्पनिक प्रतीत होता है। फर्जी रूप से कार्य दर्शाकर रू0 73312.00 का गबन किया गया । अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की जानी ग्राम पंचायत हित में होगा । अतः रू0 73312.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती असगरा बेगम तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किए जाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– सुहेलवा **विकास क्षेत्र– सिरसिया ।**

प्रस्तर–38. ग्राम पंचायत सुहेलवा की वर्ष 2016–17 की ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा कार्यक्रम के दौरान पत्राचार करने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा हेतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी । ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिकाए कार्य योजन, स्टीमेट, वर्क आई डी, माप–पुस्तिका, कैश बुक, बैंक पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय पंजिका, डायरेक्टरी आफ वर्क, विभिनन समितियों जैसे– नियोजन समिति एवं निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र– प्राप्तियॉ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण पत्र, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टाक पंजिका, मॉग–वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। जिससे दर्शित कार्य पर किये गये व्यय की पुष्टि नहीं होती है। सम्भव है कि बैंक खातों से धनराशि का नकद आहरण कर गबन किया गया हो । उक्त के आलोक में एवं वांछनीय अभिलेखो की अनुपलब्धता में व्यय की पुष्टि न कराये जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित/ व्यय समस्त धनराशि रू0 698295.00 की धनराशि अपहरण की श्रेणी में ही है। अतः रू0 698295.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री जगजीवन प्रसाद से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किए जाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– गॉधी **विकास क्षेत्र– सिरसिया ।**

प्रस्तर–39. ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.09.2016 को रू0 41040.00 का व्यय हयूम पाइप पर दर्शाया है। ग्राम पंचायत द्वारा दर्शाये गये व्यय पर आपत्तियां निम्नवत् हैं –
ग्राम पंचायत के पास हयूम पाइप डलवाने की कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आई डी, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, डलवाये गये स्थानों की सूची तथा स्टाक रजिस्टर नहीं है।
पूर्व में ठलवाये गये हयूम पाइपों का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है , जिससे अवश्यकता की जॉच की जा सकती ।
3. कार्य कराने से एक माह पूर्व हयूम पाइप क्रय करने का कोई औचित्य नहीं है। जबकि क्रय की गयी सामग्री का भुगतान एकाउंट पेयी चेक से न कर नगद किया जाना आपत्तिजनक है।
4. ग्राम पंचायत के पास हयूम पाइप डलवाने से सम्बन्धित कोई फोटोग्राफ नहीं है।
उक्त समग्र तथ्यों के आधार पर हयूम पाइप का क्रय किया जाना एवं लगवाया जाना काल्पनिक प्रतीत होता है। फर्जी रूप से कार्य दर्शाकर रू0 41040.00 का गबन किया गया । अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की जानी ग्राम पंचायत हित में होगा । अतः रू0 41040.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती ननकना देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री रक्षाराम से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किए जाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–40. ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 04.02.2017 को रू0 4000.00 की ठेलिया क्रय कैशबुक में दर्शित है। उक्त क्रय के सम्बन्ध मे आपत्तियॉ निम्नवत् हैं–
उक्त ठेलिया क्रय करने की स्टीमेट, वर्क आई डी, स्टाक पंजिका, बिल / बाउचर नहीं है।
पूर्ववर्ती वर्षो में ठेलिया कब क्रय की गयी, स्टाक पंजिका के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी ।

उक्त तथ्यों के आधार पर ठेलिया का क्रय दर्शाया जाना काल्पनिक है तथा ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा रू0 4000.00 की हानि ग्राम पंचायत को पहुॅचायी गयी है। इसलिये उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की जानी लोकहित में होगा । अतः रू0 4000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ननकना देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री रक्षाराम से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किए जाने के साथ ही वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

<u>ग्राम पंचायत– खावॉ पोखर ।</u> **विकास क्षेत्र – इकौना**

<u>प्रस्तर–41.</u> ग्राम पंचायत खावां पोखर में वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 21518732930 इलाहाबाद बैंक शाखा–इकौना से रू0 962099.00 की धनराशि आहरित की गयी । ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा कार्यक्रम के दौरान पत्राचार करने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा हेतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी । ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिकाए कार्य योजन, स्टीमेट, वर्क आई डी, माप–पुस्तिका, कैश बुक, बैंक पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय पंजिका, डायरेक्टरी आफ वर्क, विभिनन समितियों जैसे– नियोजन समिति एवं निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र– प्राप्तियॉ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण पत्र, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टाक पंजिका, मॉग–वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। जिससे दर्शित कार्य पर किये गये व्यय की पुष्टि नहीं होती है। सम्भव है कि बैंक खातों से धनराशि का नकद आहरण कर गबन किया गया हो । उक्त के आलोक में एवं वांछनीय अभिलेखो की अनुपलब्धता में व्यय की पुष्टि न कराये जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित/ व्यय समस्त धनराशि रू0 962099.00 की धनराशि अपहरण की श्रेणी में ही है। अतः रू0 962099.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आलिया बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय पाल से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किए जाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर–42.</u> ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कोषबही के अनुसार कार्यों पर निम्न विवरणानुसार दर्शाया हैः–

क्र.सं.	कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय
1	हैण्ड पम्प मरम्मत	36700.00	––
2	तलाब में पानी भरवाई. किराया	10000.00	––
3	प्रधान मानदेय	30000.00	––
4	ठेलिया क्रय व मरम्मत	12000.00	2860.00
5	रघुबीर पुरवा में बिन्द्रा के घर से दक्षिण प्रधान के घर तक खडंजा निर्माण	68641.00	8642.00
6	दुर्गा माता मन्दिर से बिन्द्रा के घर तक खडंजा निर्माण	83407.00	10382.00
7	जगदीशपुर में खडंजा से पंचायत भवन तक खडंजा निर्माण	111330.00	15834.00
8	ग्राम पंचायत ओ डी एफ हेतु व्यय	6000.00	––
9	कैलाश के घर के पास खडंजा मरम्मत	41895.00	6559.00
10	कन्हई के घर के पास खडंजा मरम्मत	36855.00	6496.00
11	रामेश्वर के घर के पूरब पंकज के घर तक खडंजा निर्माण	89175.00	13224.00
12	प्राथ0वि0 रघुबीर पुरवा में टाइल्स कार्य	71067.00	19518.00
13	विकास भवन, इलाहाबाद बैंक	20250.00	––
14	प्रशासनिक व्यय	5000.00	––
15	सरदार यादव के घर के पास सेप्टिक निर्माण	7000.00	3488.00
16	बैनर हेतु	1200.00	
17	प्राथ0वि0 रघुबीर पुरवा में शौचालय मरम्मत	35000.00	13952.00
18	पक्की सड़क से प्राथ0वि0 तक खडंजा मरम्मत	12600.00	2958.00
19	सोलर लाइट कय	20800.00	––
20	कुर्सी कय	4800.00	––
	योग	**703720.00**	**103913.00**

कुल व्यय रू0 807633.00

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016–17 में किये गये उक्त व्यय रू0 807633.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा कार्यक्रम के दौरान पत्राचार करने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा हेतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतीराज विभाग

उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी । ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिकाए कार्य योजन, स्टीमेट, वर्क आई डी, माप–पुस्तिका, कैश बुक, बैंक पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय पंजिका, डायरेक्टरी आफ वर्क, विभिनन समितियों जैसे– नियोजन समिति एवं निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र– प्राप्तियॉ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण पत्र, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टाक पंजिका, मॉग–वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। जिससे दर्शित कार्य पर किये गये व्यय की पुष्टि नहीं होती है। सम्भव है कि बैंक खातों से धनराशि का नकद आहरण कर गबन किया गया हो । उक्त के आलोक में एवं वांछनीय अभिलेखो की अनुपलब्धता में व्यय की पुष्टि न कराये जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित/ व्यय समस्त धनराशि रू0 807633.00 की धनराशि अपहरण की श्रेणी में ही है। अतः रू0 807633.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नान्हक शरण यादव एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय पाल से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किए जाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– मलौना खसियारी **विकास क्षेत्र– इकौना ।**

प्रस्तर–43. ग्राम पंचायत मलौना खसियारी में वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 21518732861 इलाहाबाद बैंक शाखा–इकौना से रू0 906055.00 की धनराशि आहरित की गयी । ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा कार्यक्रम के दौरान पत्राचार करने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा हेतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी । ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिकाए कार्य योजन, स्टीमेट, वर्क आई डी, माप–पुस्तिका, कैश बुक, बैंक पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय पंजिका, डायरेक्टरी आफ वर्क, विभिनन समितियों जैसे– नियोजन समिति एवं निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र– प्राप्तियॉ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण पत्र, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टाक पंजिका, मॉग–वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। जिससे दर्शित कार्य पर किये गये व्यय की पुष्टि नहीं होती है। सम्भव है कि बैंक खातों से धनराशि का नकद आहरण कर गबन किया गया हो । उक्त के आलोक में एवं वांछनीय अभिलेखो की अनुपलब्धता में व्यय की पुष्टि न कराये जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित/ व्यय समस्त धनराशि रू0 906055.00 की धनराशि अपहरण की श्रेणी में ही है। अतः रू0 906055.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सच्चिदानन्द पाठक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किए जाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–44. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कोषबही के अनुसार कार्यों पर निम्न विवरणानुसार दर्शाया हैः–

क्र.सं.	कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय
1	हैण्ड पम्प मरम्मत	43365.00	––
2	स्ट्रीट लाइट मरम्मत	46500.00	––
3	सोलर लाइट मरम्मत	44000.00	––
4	सोलर लाइट क्रय	220000.00	––
5	प्रधान मानदेय	27500.00	––
6	स्टेश्नरी	3000.00	––
7	फलैक्स बोर्ड	1200.00	––
8	खडंजा निर्माण कोयले वर्मा के घर से प्राथ0 वि0 तक	195485.00	22272.00
9	जूनियर वि0 में टाइल्स कार्य	171689.00	34740.00
10	देव गोविन्द के घर के पास पुलिया निर्माण	52845.00	13584.00
11	राधिका प्रसाद के खेत के पास पुलिया निर्माण	52845.00	13584.00
12.	पक्की सड़क से महराजदीन के घर तक खडंजा निर्माण	173478.00	22272.00
13.	रामजागे के घर से रामानन्द के घर तक खडंजा निर्माण	166950.00	22272.00
14	प्राथ0वि0 सिरसा में टाइल्स कार्य	80924.00	16260.00
	योग	**1279781.00**	**144984.00**

कुल व्यय रू0 1424765.00

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016–17 में किये गये उक्त व्यय रू0 1424765.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा कार्यक्रम के दौरान पत्राचार करने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा हेतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी । ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिकाए कार्य योजन, स्टीमेट, वर्क आई डी, माप–पुस्तिका, कैश बुक, बैंक पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय पंजिका, डायरेक्टरी आफ वर्क, विभिनन समितियों जैसे– नियोजन समिति एवं निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र– प्राप्तियॉ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण पत्र, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टाक पंजिका, मॉग–वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। जिससे दर्शित कार्य पर किये गये व्यय की पुष्टि नहीं होती है। सम्भव है कि बैंक खातों से धनराशि का नकद आहरण कर गबन किया गया हो । उक्त के आलोक में एवं वांछनीय अभिलेखो की अनुपलब्धता में व्यय की पुष्टि न कराये जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित/ व्यय समस्त धनराशि रू0 1424765.00 की धनराशि अपहरण की श्रेणी में ही है। अतः रू0 1424765.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मती सुमन लता एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किए जाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– मध्यनगर मनोहरपुर **विकास क्षेत्र– इकौना ।**

प्रस्तर–45. ग्राम पंचायत मध्यनगर मनोहरपुर में वर्ष 2015–16 में ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 21518732974 इलाहाबाद बैंक शाखा–इकौना से रू0 891522.00 की धनराशि आहरित की गयी । ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा कार्यक्रम के दौरान पत्राचार करने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा हेतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी । ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिकाए कार्य योजन, स्टीमेट, वर्क आई डी, माप–पुस्तिका, कैश बुक, बैंक पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय पंजिका, डायरेक्टरी आफ वर्क, विभिनन समितियों जैसे– नियोजन समिति एवं निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र– प्राप्तियॉ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण पत्र, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टाक पंजिका, मॉग–वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। जिससे दर्शित कार्य पर किये गये व्यय की पुष्टि नहीं होती है। सम्भव है कि बैंक खातों से धनराशि का नकद आहरण कर गबन किया गया हो । उक्त के आलोक में एवं वांछनीय अभिलेखो की अनुपलब्धता में व्यय की पुष्टि न कराये जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित/ व्यय समस्त धनराशि रू0 891522.00 की धनराशि अपहरण की श्रेणी में ही है। अतः रू0 891522.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय पाल से बराबर–बराबर मय ब्याज सहित वसूल किए जाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–46. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कोषबही के अनुसार कार्यों पर निम्न विवरणानुसार दर्शाया हैः–

क्र.सं.	कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय
1	हैण्ड पम्प मरम्मत	63470.00	––
2	हैण्ड पम्प रिबोर	25000.00	––
3	तलाब में पानी भरवाई किराया	15000.00	––
4	मेन खडंजे से छोटकउ के घर तक खडंजा निर्माण	36971.00	4872.00
5	अभय सिंह के घर से होते हुए बजरंगी के घर तक खडंजा निर्माण	48938.00	5974.00
6	मेन खडंजे से अर्जुन के घर घर तक खडंजा निर्माण कार्य	14490.00	1972.00
7	अभय सिंह के घर से होते हुए रोशन सिंह के घर तक खडंजा निर्माण	14886.00	2494.00
8	बड़ी नहर से प्रेमचन्द के घर तक खडंजा निर्माण	31500.00	13746.00
9	प्रेमचन्द के घर से सियाराम के घर तक खडंजा मरम्मत	33300.00	16530.00
10	रामभरोसे के घर से धर्म सिंह के घर तक खडंजा निर्माण	11529.00	1624.00

11	खडंजा से तुलसी राम के घर तक खडंजा निर्माण	11529.00	1972.00
12	फूल सिंह के घर से त्यागी के घर तक खडंजा निर्माण	9569.00	2494.00
13	मेन खडंजे से छतर सिंह के घर तक खडंजा निर्माण	18900.00	3886.00
14	मेन खडंजे से अनूप सिंह के घर तक खडंजा निर्माण	27468.00	3654.00
15	मेन खडंजे से राधेश्याम के घर से होते हुए ननकऊ के घर तक खडंजा निर्माण	17640.00	3016.00
16	राम छबीले के घर से गन्ने मौर्य के घर तक खडंजा निर्माण	30240.00	4060.00
17	कृपाराम के घर से होते हुए रामचन्दर के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य	22365.00	3016.00
18	प्रा0वि0 बनकटा में टाइल्स कार्य	89507.00	31392.00
19	आंगनबाड़ी केन्द्र बनकटा में टाइल्स कार्य	54329.00	10464.00
20	मेन खडंजे से जगदीश सिंह के घर तक खडंजा निर्माण	21467.00	2668.00
21	मेन खडंजे से अभि के घर तक खडंजा निर्माण	24300.00	2668.00
22	मेन खडंजे से छोटके यादव के घर तक खडंजा निर्माण	35280.00	5792.00
23	मेन खडंजे से मेवा लाल के घर तक खडंजा निर्माण	35280.00	5394.00
24	स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य	30000.00	––
25	राजेन्द्र के घर से तालाब तक नाली निर्माण	18356.00	17440.00
26	प्रशासनिक व्यय	6000.00	––
27	ठेलिया क्रय	12000.00	––
28	आत्माराम के घर से योगेन्द्र शर्मा के घर तक नाली निर्माण	11104.00	4010.00
29	भइयन मौर्य के घर से आशिक राम के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य	10080.00	4292.00
30	बैनर हेतु व्यय	1200.00	––
31	मेन खडंजे से सिरोधर के घर तक खडंजा निर्माण	17970.00	4408.00
32	हयूम पाइप क्रय एवं लगवाई	113948.00	14790.00
33	मेन खडंजे से राजकुमार के घर तक खडंजा निर्माण	6300.00	––
34	मेन खडंजे से संदीप विश्वकर्मा के घर तक खडंजा निर्माण	––	1978.00
35	स्कूल शौचालय मरम्मत	22480.00	14820.00
36	प्रधान मानदेय	30000.00	––
	योग :–	**972396.00**	**189426.00**

कुल व्यय रू0 1161822.00

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016–17 में किये गये उक्त व्यय रू0 1161822.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा कार्यक्रम के दौरान पत्राचार करने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा हेतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी । ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिकाए कार्य योजन, स्टीमेट, वर्क आई डी, माप–पुस्तिका, कैश बुक, बैंक पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय पंजिका, डायरेक्टरी आफ वर्क, विभिनन समितियों जैसे– नियोजन समिति एवं निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र– प्राप्तियॉ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण पत्र, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टाक